मूल्य केवल बारह आना

जुबली-नम्बर

Price Annas Twelve only

वर्ष २
खण्ड १

संख्या १
पूर्ण संख्या
५१

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक



लुत्फ़ तो जब है, कि ऐ मेरे शहीदाने वतन ! मर के भी हाथ से छूटे न तुम्हारा झण्डा !!
है जो यह जोशे-वतन ; हुब्बे-वतन ऐ "बिस्मिल" ! कभी गड़ जायगा भारत में हमारा झण्डा !!



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; ५ अक्टूबर, १९३१ | संख्या १, पूर्ण संख्या ५१

तस्वीर झण्डे की

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

अब इससे बढ़ के होगी और क्या तौक़ीर[1] झण्डे की,
इधर तस्वीर झण्डे की, उधर तस्वीर झण्डे की।
समुन्दर पार भी क्या-क्या हुई तौक़ीर झण्डे की,
कि मुल्के-ग़ैर में जाने लगी तस्वीर झण्डे की।
ख़ुदा के फ़ज़्ल[2] से कितनी बढ़ी तौक़ीर झण्डे की,
जिसे देखो लिए फिरता है वह तस्वीर झण्डे की।
यक़ीं आता नहीं तुमको तो पहलू चीर कर देखो,
हमारे लौहे[3]-दिल पर खिंच गई तस्वीर झण्डे की।
फ़िदा हो जाएँ हम क़ुर्बान जाएँ इस तसव्वुर[4] पर,
फिरा करती है चश्मे[5] शौक़ में तस्वीर झण्डे की।
कोई क्योंकर भुलाएगा कोई क्योंकर मिटाएगा,
मेरे दिल में मेरी आँखों में है तस्वीर झण्डे की।
अनोखी चीज़ दुनिया की फ़रिश्ते हश्र[6] में देखें,
कफ़न में इसलिए रक्खे हूँ मैं तस्वीर झण्डे की।

नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी अभी तुमने,
इधर आओ दिखाएँ हम तुम्हें तस्वीर झण्डे की।
लरज़[7] जाता है दिल उनका कलेजा मुँह को आता है,
अगर वह देख लेते हैं, कभी तस्वीर झण्डे की।
जो अपने मुल्क के कामों पर अपनी जान देते हैं,
लबों पर दम है, उनके हाथ में तस्वीर झण्डे की।
समझते हैं उधर उसको मुसल्ला[8] हज़रते ज़ाहिद,
बरहमन पूजता है इस तरफ़ तस्वीर झण्डे की।
वह इस पर मुझसे खिंचते हैं, वह इस पर मुझसे लड़ते हैं,
दिखा दी थी उन्हें मैंने कहीं तस्वीर झण्डे की।
बलन्दी पर हवा से हर घड़ी जुम्बिश[9] में रहता है,
किसी से खिंच नहीं सकती कभी तस्वीर झण्डे की।
क़लम के ज़ोर से क्या सफ़हए काग़ज़ पर ऐ "बिस्मिल",
अनोखी, मोहिनी, दिलकश खिंची तस्वीर झण्डे की।

१—सम्मान, २—कृपा, ३—तख़्ती, ४—ख़याल, ५—आँख, ६—प्रलय, ७—कम्पन, ८—जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं, ९—हिलना।



अपनी स्वतन्त्र-प्रियता का मूल्य चुकाते हुए

देवी जोन



स्वतन्त्रता के अनन्य उपासक

छत्रपति शिवाजी महाराज



—पेशावर की ख़बर है कि छः लालकुर्ती वालों को ६-६ मास का सख़्त कारावास-दण्ड मिला है। नवजवान भारत-सभा के सभापति श्री० अब्दुल रहीम और उसके मेम्बर अब्दुल ग़फ़्फ़ार को क्रमशः एक और तीन साल की सख़्त सज़ाएँ दी गई हैं। श्री० ग़ुलाम मुहम्मद, दिलावर और अमानुल्ला को तीन-तीन मास की सख़्त सज़ा दी गई है।

—इलाहाबाद के मिस्टर रामभरोसे सेठ मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास ने श्री० महावीर, रघुनाथ, मक्कर और बद्री को ताज़ीरात हिन्द की १४७ और ३२५ धाराओं के अनुसार ६-६ मास की सख़्त सज़ा दी है। कहा जाता है कि इन लोगों ने हँडिया तहसील के ज़मींदार हरीराम के कारिन्दा रामसिंह को बुरी तरह से पीटा था।

—कराची के दैनिक पत्र के सम्पादक श्री० मनीलाल जी व्यास राजद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। राजद्रोह के अपराध में यहाँ यह चौथी गिरफ़्तारी हुई है। और अधिक गिरफ़्तारियों की आशा की जाती है।

—गुजरात प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० मनीलाल कोठारी अभी हाल में बम्बई चन्दा इकट्ठा करने गए थे। उनको ६० हज़ार रु० प्राप्त हुए, जिसमें से २५ हज़ार श्री० भूलाभाई एडवोकेट और १० हज़ार श्री० मेघजी मथरादास ने दिए हैं। यह धनराशि गुजरात में कॉङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्य की पूर्ति में ख़र्च की जायगी।

—बनारस में श्री० ज्वालाप्रसाद नामक एक व्यक्ति पर विस्फोटक पदार्थ रखने के अभियोग में विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट की धाराएँ ३ और ४ के अनुसार मुक़दमा मैजिस्ट्रेट के इजलास में २५ सितम्बर को पेश हुआ। मुक़दमा ३० अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया गया। उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म लगाया जायगा।

—कानपुर में होने वाली अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स के अधिवेशन के मनोनीत सभापति मौलाना हसरत मोहानी ने सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कॉन्फ़्रेन्स की सदस्यता से स्तीफ़ा दे दिया है।

—कराची ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सभापति श्री० नारायन दास बेचर और सिन्ध कॉङ्ग्रेस कमिटी के सभापति डॉ० चौथराम शीघ्र ही सरदार वल्लभभाई पटेल से बम्बई में मिलेंगे और हाल में जो गिरफ़्तारियाँ करके कराची में दमन-चक्र चलाया गया है, उसके सम्बन्ध में बातें करेंगे।

—पेशावर में लालकुर्ती वालों ने फ़ुटकर माल बेचने वाली दुकानों पर से धरना हटा लिया है। समझौता हो जाने के कारण दूकानें खुल गई हैं। हर एक दुकानदार ने तीन-तीन सौ रुपए ज़मानत के दाख़िल किए हैं। थोक बेचने वाली दूकानों पर धरना जारी है। यूथ-लीग के सदस्यों ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ का विरोध किया है। ख़ाँ साहब ने इसका प्रतिवाद भी किया है।

—शिमले की ख़बर है कि १०८ वीं धारा के अनुसार डॉ० एन० एल० वर्मा, श्रीमती शकुन्तला देवी और श्रीमती गण्डामल को पुलीस ने १६ वीं सितम्बर को गिरफ़्तार कर लिया और हर एक को एक-एक हज़ार की ज़मानत पर छोड़ दिया है। मुक़दमे की पेशी शीघ्र ही होने वाली है।

श्री० एम० एन० रॉय का सन्देश

श्री० एम० एन० रॉय ने ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के नाम निम्न-लिखित सन्देश भेजा है :—

साथियो! ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क़ैदी होते हुए भी मैं भारत की जनता की ओर से आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने कपटी मज़दूर सरकार को तोड़ने का प्रयत्न किया है; जिसने कि इङ्गलैण्ड में पूँजीवादियों का सदैव साथ दिया है और भारत में साम्राज्यवादी नीति का अवलम्बन किया है, जहाँ कि पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ना एक अपराध है, और मज़दूरों और किसानों का सङ्गठन करना राजद्रोह है। मुझ पर भी यही अभियोग लगाया गया है।

दिल्ली षड्यन्त्र का मुक़दमा

नई दिल्ली की ख़बर है कि श्री० वात्सायन के बीमार हो जाने और श्री० विमलप्रसाद जैन के मुक़दमे में भाग न लेने के कारण दिल्ली षड्यन्त्र केस की पेशी ९ वीं अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त श्री० भवानीसहाय और श्री० काशीराम, जो हाल ही में दिल्ली और



देहली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त
श्री० विमलप्रसाद जैन
(जिनके भाग न लेने के कारण अदालत की कार्रवाई ९वीं अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई थी)

कानपूर में पकड़े गए थे, उनके ऊपर से मुक़दमा उठा लिया गया है। श्री० भवानीसहाय के ऊपर पुलीस के ख़िलाफ़ दोषारोपण करने के अभियोग में मुक़दमा चल रहा है। इस केस के अन्य अभियुक्तों ने गत सप्ताह की तकलीफ़ों की एक सूची पेश की।

—कृष्णागर के श्री० सनतकुमार मुकर्जी के घर की तलाशी ख़ुफ़िया तथा साधारण पुलीस द्वारा ली गई और श्री० सनतकुमार पुनः बङ्गाल क्रिमिनल-लॉ-एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। श्री० सनतकुमार मुकर्जी तथा श्री० अब्दुल मन्नन पहले भी कृष्णागर बम-केस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हो चुके थे और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नदिया के हुक्म द्वारा ज़मानत पर छोड़ दिए गए थे। श्री० अब्दुल मन्नन के मकान की भी तलाशी हुई, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

—बम्बई की ख़बर है कि शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० आर० के० अक्रेकर के मकान पर रात को बारह बजे कुछ आदमी पहुँचे और कहने लगे कि हमें कुछ आवश्यक ख़बर देनी है। अन्दर पहुँच कर ये लोग श्री० अक्रेकर को पकड़ कर पीटने लगे और अन्त में खिड़की के रास्ते नीचे गिरा दिया, सौभाग्यवश आपको विशेष चोट नहीं आई। आप शराब की दूकानों पर ज़ोरों से धरना दे रहे थे।

—कानपुर में श्री० सरजूप्रसाद नामक एक मज़दूर-सभा के कार्यकर्ता फ़ौजदारी क़ानून की दफ़ा १०८ के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्हें पहले भी दफ़ा १२४-ए में एक वर्ष की सज़ा मिली थी और वह पिछले वर्ष ही जेल से छूट कर आए थे।

—छतरा (हुगली) की ख़बर है कि श्री० जितेन्द्रनाथ चौधरी के मकान पर पुलिस ने एकाएक हमला कर दिया और घण्टों तक तलाशी ली। ख़बर है कि आपको पुलिस ने मनकुण्डा मोटर डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया है।

ज़मींदारों में असन्तोष

२५ सितम्बर को तहसील ज़मींदार एसोसिएशन की तरफ़ से सोरॉव (इलाहाबाद) के ज़मींदारों की एक बैठक हुई, जिसमें ५०० ज़मींदारों ने भाग लिया और बहुतों ने भाषण दिया। इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया कि ज़मींदार ही किसानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। सरकार ने यह हक़ हमसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। सरकार की यह नीति है कि किसान और ज़मींदार को लड़ाए और इसीलिए कई जगहों पर सरकार ने आधी मालगुज़ारी माफ़ कर दी है। हमें सरकार के इस हानिकारक नीति का मुक़ाबला करना चाहिए।

—गाँधी-सप्ताह के उपलक्ष में तीन दिन में ५० हज़ार रुपए की खादी बम्बई में बिकी है।

—रङ्गून का, २६वीं सितम्बर का समाचार है कि पेगू-ज़िला (बर्मा) के तफ़ाउङ्ग गाँव में गाँव वालों से और बाग़ियों से ख़ासी लड़ाई हुई। २३ सितम्बर को गाँव के मुखिया को पता लगा कि विद्रोहियों का एक दल स्थगित बौद्ध मन्दिर पोंगी कियउङ्ग में दो बन्दूक़ों के साथ छिपा हुआ है। मुखिया तुरन्त कुछ हथियारबन्द आदमियों को लेकर मुक़ाबले के लिए चल पड़ा। दोनों दलों में ख़ूब लड़ाई हुई। बाग़ियों का नेता और उसके छः साथी मारे गए। ११ आदमी पकड़े गए हैं। थेटमियो में बहुत सी डकैतियाँ भी हुई हैं।

पेडिगान रैलवे-स्टेशन पर धावा बोलने वाले बाग़ियों की तादाद क़रीब दो सौ के थी। इन लोगों ने एक धनी चावल के व्यापारी के घर में डाका डाला और सात हज़ार रुपया लूट ले गए। स्टेशन के रुपए को भी लूट लिया। चालिस बाग़ियों का एक दल पुलिस द्वारा घेर लिया गया, जिसमें सात मरे और बाक़ी भाग गए।

—बनारस में प्रो० नारायणमूर्ति पर यह अभियोग चल रहा था कि उन्होंने बम बनाया और पुलीस-थाने पर फेंका। ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ने प्रोफ़ेसर से ढाई-ढाई सौ रुपए की ज़मानत और मुचलका एक साल तक नेकचलन रहने के लिए माँगा था, प्रोफ़ेसर साहब ने ज़मानत और मुचलका दे दिया।

तीन नवयुवकों पर षड्यन्त्रकारी होने का अभियोग

कराची की ख़बर है कि वहाँ की ख़ुफ़िया पुलीस ने एक महीने पहले तीन पञ्जाबी नवयुवकों को ख़तरनाक समझ कर गिरफ़्तार कर लिया था। सी० आई० डी० का कहना है कि ये लोग कराची में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करने के लिए आए थे और पता पूछने पर सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके थे। मिस्टर एस० ए० हफ़ीज़, अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने मुक़दमा पेश होने पर रायबहादुर नारायनदास सुपरिण्टेण्डेण्ट सी० आई० डी० सिन्ध, ने सरकारी गवाह की हैसियत से कहा कि डॉ० मूलराज, फ़तहचन्द और वीरेन्द्रनाथ एक औरत के साथ, जिसको कि वीरेन्द्र बहिन कह कर पुकारता था, छिपे-छिपे शहर के अन्दर आए। ख़ुफ़िया पुलीस ने अपने दो आदमियों को इनके पीछे लगा दिया। उनके कथनानुसार ये लोग दवाइयों की एक दुकान में गए थे और कराची के मशहूर राजनीतिज्ञों तथा नवजवान भारत सभा के मेम्बरों के पास आते जाते थे। ये लोग नवजवान भारत सभा के सभापति श्री० मुबारकअली के साथ, जो कि अब पकड़ लिए गए हैं, ठहरे थे। डॉ० मूलराज को पहले दो बार सज़ा मिल चुकी है। वीरेन्द्रनाथ, जिसके कि क्रान्तिकारी विचार हैं, गत सत्याग्रह आन्दोलन में ६ मास की सज़ा काट चुका है। मुक़दमे की कार्रवाई दूसरी अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई।

मार्शल लॉ के अभागे क़ैदी !!

१९१९ ई० के मार्शल लॉ के निम्न-लिखित १४ क़ैदियों को, जिन्हें आजन्म कालेपानी की सज़ाएँ मिली थीं और जो अब तक जेलों में सड़ रहे हैं, छुड़ाने के लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है; क्योंकि नियमानुसार ये अभागे पूरी सज़ा भोग चुके हैं और अब इन्हें छोड़ देना चाहिए :—

१—श्री० चौधरी बुग्गामल, अमृतसर २—श्री० मिस्त्री सुन्दरसिंह, अमृतसर ३—श्री० मनोहरसिंह, अमृतसर; ४—श्री० एल० विलायतीराम, अमृतसर; ५—श्री० बी० सोंधी, अमृतसर, ६—श्री० बी० सिद्दीक़, अमृतसर और ७—श्री० एल० गिरधारीलाल, गुजराँवाला मुलतान जेल में हैं। ८—श्री० महाशय रतनचन्द, अमृतसर ; ९—श्री० मुहम्मद सूफ़ी, अमृतसर और १०—श्री० एल० राजाराम, मलकवाल, लाहौर सेन्ट्रल जेल में हैं। ११—श्री० सरदार मियाँदीन ; १२—श्री० सैयद नज़रअली शाह ; १३—श्री० कर्मचन्द और १४—श्री० मिस्त्री जलालुद्दीन, अण्डमान में हैं।

विद्रोही नेता का सहायक

फोंगी का माण्डले में मुक़दमा

रङ्गून का २९ सितम्बर का समाचार है कि फोंगी खेतहारा और उनके सात साथी, जिन पर ताज़ीरात हिन्द की १२१ और १२२ वीं धारा के अनुसार मुक़दमा चल रहा है, माण्डले के एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त फोंगी बाग़ियों के नेता सायासन का, जिसे हाल ही में फाँसी की सज़ा सुनाई गई है, सहायक है। अभियुक्त का नाम सायासन की डायरी में लिखा था। अभियुक्त माँगटोन सायासन का प्रधान लेफ़्टिनेण्ट था। मुक़दमा अभी चल रहा है।

रिवॉल्वर दिखा कर डाक के थैले छीने !

हथियारबन्द नवयुवकों का हमला :: २ नवयुवक घायल !!

मैमनसिंह की ख़बर है कि तीन नवयुवकों ने, जो साइकिल पर सवार थे, रेलवे स्टेशन अथराबारी और डाकख़ाना के बीच में हमला करके डाक के ६ थैलों को छीन लिया। थैलों को खोल कर और उनमें से बीमा किए हुए लिफ़ाफ़ों को लेकर वे भाग गए। ख़बर पाते ही अथराबारी के ज़मींदार अपने हथियारबन्द पहरेदारों के साथ घटनास्थल की तरफ़ चल पड़े। इन लोगों ने तीनों नवयुवकों को खालाबोल बाज़ार के पास देखा। नौजवानों ने रिवॉल्वर तान कर इन पर गोलियाँ चलाईं, पर निष्फल रहे। इन लोगों ने अपनी गोलियों से दो नवयुवकों को घायल कर दिया और तीसरे ने आत्म-समर्पण कर दिया। अपराधियों ने कहा है कि हम लोगों को घटना के सिर्फ़ आध घण्टे पहले पता लगा था कि २३,०००) रु० जा रहा है।

घोरामरा (राजशाही) की ख़बर है कि पाँच नवयुवकों ने पोस्ट-ऑफ़िस के रुपए को, जो दो हज़ार के क़रीब था, लूटने की कोशिश की। कहा जाता है कि घोरामरा पोस्ट-ऑफ़िस के पोस्ट-मास्टर अपने दो चपरासियों और एक क्लार्क के साथ दो हज़ार रुपए लेकर बोआलिया थाना को जा रहे थे। पाँच नौजवानों ने, जो साफ़ा बाँधे हुए थे, रिवॉल्वर और छूरों के साथ इन पर हमला कर दिया। क्लार्क के दख़ल देने पर नौजवानों ने अपने छूरे निकाले और इसी में एक ख़ासा झगड़ा होने लगा, इतने में मौक़ा पाकर क्लार्क थैला लेकर पोस्ट-ऑफ़िस के अन्दर घुस गया। नौजवान लोग रिवॉल्वर से गोली चलाते हुए भाग गए। घरों की तलाशी ली गई। श्री० कृष्णपद लहरी, जिनका वहीं पर मकान है, इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं।

डेराइस्माइलख़ाँ में शैतान का ताण्डव !

"अफ़सर लोग ख़ुद आग लगाने का हुक्म दे रहे हैं"

"इनके पीठ पर कोई बलवान शक्ति काम कर रही है"

[रायसाहब लाला रुचीराम और श्री० गणपतिराम की विवृति]

डेराइस्माइलख़ाँ के सात हिन्दू परिवार कल १३ सितम्बर को घर की सारी जिनस-पत्र लेकर सदा के लिए डेरा से दिल्ली चले आए। हिन्दू-सभा के मन्त्री ने उनसे मिल कर डेराइस्माइलख़ाँ परित्याग करने का कारण पूछा। उत्तर में उन लोगों ने कहा :—

हम ही नहीं, और बहुत से घर अपना पैत्रिक घर-बार छोड़ कर सदा के लिए डेराइस्माइलख़ाँ से मुलतान, लायलपुर, मियाँवाली और पञ्जाब के दूसरे-दूसरे कई ज़िलों में जा बसे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि ऊपर कहे हुए ज़िलों में भी म्युनिसिपैलिटी की सीमा के भीतर और ख़ास-ख़ास जगहों के सिवा, सभी जगह हिन्दू बराबर शङ्कित रहते हैं। यह लोग समझते हैं कि शान्ति की पुनः स्थापना और हिन्दू-मुसलमानों में पहले वाला स्नेह-भाव फिर से क़ायम करना सीमाप्रान्त के गाँधी श्रीयुत अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के ही हाथ में था, लेकिन आज वह आशा भी मिट्टी में मिल गई। श्री० ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने जिस सभा के करने का विचार किया था वह भी निराशाजनक होने के कारण हम लोग वहाँ से विरक्त हो कर उठ आए और फिर डेराइस्माइलख़ाँ छोड़ कर दिल्ली आने के सिवा और कोई इलाज न रहा।

इन्होंने यह भी कहा है कि अगर गवर्नमेण्ट न्यायानुसार शान्ति-स्थापन में असमर्थ रही या उसने हिन्दुओं की रक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना उचित न समझा, तो सितम्बर के अन्त और अक्टूबर के आरम्भ तक में हज़ारों हिन्दू डेराइस्माइलख़ाँ के ज़िले को छोड़ कर चले जाएँगे। क्योंकि अक्टूबर महीने में बहुत से पहाड़ी मुसलमान पहाड़ से उतर कर हिन्दुस्तान में जाड़ा बिताने आते हैं। इनके साथ इनके पुत्र-कलत्र आदि और बहुत से ऊँट, बकरी वग़ैरह पशु भी होते हैं। यह डेराइस्माइलख़ाँ और पास के दूसरे ज़िलों में भी फैल जाते हैं। इसी सबब से सीमान्त के हिन्दू साधारणतः डर से घबरा उठे हैं। एक बात यह भी है कि सीमा-प्रान्त के क़ानून के रद हो जाने और वहाँ के रहने वाले हिन्दुओं की रक्षा के लिए किसी उपाय के न होने के कारण, उधर की तरफ़ हिन्दुओं का रहना बहुत ही विपज्जनक हो रहा है।

राय साहब ला० रुचीराम ने जाँच-कमीशन के सामने एक बहुत लम्बा बयान दिया है, उसमें आपने कहा है :—

पुलीस अगर चाहती तो मुसलमानों को भगा सकती थी। जब मैं अपने घर रामबाज़ार में पहुँचा तो देखा कि तीन कॉन्स्टेबिल दस-बारह मुसलमानों को साथ लिए निकले। मैंने इनमें से एक कॉन्स्टेबिल को पुकार कर कहा, 'यह क्या बेहूदापन है?' उसने जवाब दिया कि 'अफ़सरान ख़ुद आग लगाने का हुक्म दे रहे हैं।' एक दूसरे गरोह में तीन हथियारबन्द पुलीस, दो डण्डे वाले थे। आगे जाने के बाद लुटेरे लौट आए, पुलीस वाले नहीं लौटे। इसके बाद उन्होंने अपने घर में आग लगाई जाने और अपने सामान बचाने और घर से निकलने को अक्षरशः बयान किया। यह कई सिपाहियों को पहचानते थे, इनका नाम वग़ैरह बतला कर आपने बड़े विस्तार के साथ सब बातें कहीं।

साढ़े ग्यारह बजे के समय डिपुटी कमिश्नर, कई पुलीस के सिपाहियों के साथ, वहाँ से ही निकले। वह दाल बाज़ार के कोने तक पहुँचे। इसके बाद मैंने देखा कि दो आदमी ठाकुरदास की दूकान का ताला तोड़ रहे हैं।

मेरा पुख़्ता यक़ीन है कि यह किसी साज़िश का नतीजा है।

हिन्दुस्तान में आयलैंण्ड का नज़ारा

"सरकारी अङ्गरेज़ कर्मचारियों, ग़ैर-सरकारी यूरोपियनों और पुलिस वालों ने घरों पर आक्रमण किया।"

—जे० एम० सेन गुप्त

चटगाँव में लूट-मार के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, उस पर विचार करने के लिए कलकत्ते के टाउन हाल में आचार्य सर प्रफुल्लचन्द्र राय के सभापतित्व में एक विराट सभा गत रविवार को बैठी थी। कलकत्ते के टाउन हाल में इससे पहिले इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई।

सभापति महोदय ने अपनी वक्तृता में बड़े मार्मिक शब्दों में कहा कि पहले हम लोग समझे थे कि यह हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दङ्गा होगा, लेकिन जाँच करने पर बात और ही निकली। इस दङ्गे में स्वार्थ-परायण लोगों का हाथ था; इन्हीं लोगों ने पीछे खड़े रह कर यह खेल खेला। चटगाँव के हिन्दू-मुसलमानों में कोई विरोध न था, दोनों मिल कर देश का काम करते थे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि तीसरे पक्ष ने अपने कुचक्र से यह काम कराया। इस कुचक्र का यही मतलब था कि कॉङ्ग्रेस के कार्यक्रम को विफल कर दिया जाय। सन्तोष की बात है कि कुचक्रियों का यह अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सका। हिन्दू-मुसलमानों में भेद नहीं उत्पन्न हुआ। अन्त में आचार्य महोदय ने सब से यह अनुरोध के साथ कहा कि चटगाँव की इस घटना को सामने रखते हुए सब लोग इस समस्या पर धीरता के साथ विचार करके बोलें।

श्री० तुलसीचरण गोस्वामी ने कहा कि आज संयम रख कर बोलना कठिन है। चटगाँव की जाँच की रिपोर्ट मैंने ग़ौर से पढ़ी है और समझता हूँ कि जो लोग भारत की स्वाधीनता के विरोधी हैं, उन्हीं के ज़ुल्म और ज़बर्दस्ती से चटगाँव में यह अराजकता का काम हुआ है। हाल में ऐंग्लो इण्डियन के महल में इस मर्म की वक्तृताएँ हुई हैं और ऐंग्लो इण्डियन परिचालित सम्बाद-पत्रों ने इसी प्रकार के लेख लिखे हैं कि कॉङ्ग्रेस के सभी काम करने वाले मनुष्यघाती हैं। 'स्टेट्समैन' नामक पत्र के कई कटिङ्ग मेरे पास मौजूद हैं। इनमें कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के अपराध लगाए गए हैं।

लेकिन चटगाँव ने दिखला दिया कि यह दोषारोपण कितना झूठ है, इस बात के दिखाने में उसे अत्यन्त और दारुण यातना सहनी पड़ी है। जाँच में जो साक्षियाँ हुई हैं, उनसे प्रमाणित है कि यह दङ्गा साम्प्रदायिक दङ्गा नहीं था।

बहुत जल्द जाँच-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो जायगी। उससे संसार को मालूम हो जायगा कि मामला क्या है। चटगाँव में जो काण्ड हुआ है, उसकी जड़ में कई सरकारी कर्मचारियों और कितने ही ग़ैर सरकारी अङ्गरेज़ों का कुचक्र था या नहीं, इसका पता रिपोर्ट से लग जायगा। मैं यह बात शान्ति और क़ानून पर ही ज़ोर देकर कह रहा हूँ। चटगाँव में शान्ति और क़ानून की रक्षा नहीं की गई, बल्कि इन्हें पैरों से रौंदा गया है। चटगाँव के मामले को १०-१२ दिन हो चुके, अभी तक सरकारी जाँच नहीं हुई। बङ्गाल के गवर्नर कहाँ हैं? शासन-परिषद् के सदस्य क्या कर रहे हैं?

श्रीयुत यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त ने एक हृदय हिलाने वाला भाषण दिया। आपने कहा कि मैं कल ही चटगाँव से लौट कर आया हूँ। वहाँ उन्होंने क्या दशा देखी? इसको कहते हुए उनका गला रुँध गया, आँखों में आँसू भर गए और विह्वल होकर बैठ गए। कुछ काल में मन को सावधान करके आपने कहा कि चटगाँव की जाँच-कमिटी ने अपना काम समाप्त कर दिया और अन्तिम सिद्धान्त पर पहुँच गई। पाँच सौ साक्षियों के बयान और विध्वस्त नगर के चित्रों सहित यह रिपोर्ट, आशा है, एक सप्ताह में प्रकाशित हो जायगी। जाँच किसी अन्य भावनाओं या पक्षपात से नहीं की गई। सरकारी पक्ष के अनुकूल ही जाँच की गई है। चटगाँव का दङ्गा किसी डकैत दल ने कराया है। इसका कारण साम्प्रदायिक दुर्भाव नहीं है। रविवार की रात में किसी मुसलमान ने भी इस दुष्कृति में हस्तक्षेप नहीं किया। इस रात में सरकारी अङ्गरेज़ कर्मचारी, ग़ैर सरकारी यूरोपियन और पुलिस कर्मचारी दल ने एक के बाद दूसरे घर पर आक्रमण किया। घरों का सामान तोड़ा-फोड़ा, आदमियों को अमानुषिक प्रहार से सताया। गोरे पुलिस कर्मचारियों ने गोरखों को



श्री० यतीन्द्रमोहन सेन गुप्त

लेकर घरों पर हमले किए। मैं चटगाँव ज़िला मैजिस्ट्रेट मि० केमरा पर यह अभियोग लगाता हूँ। वह चाहें तो मुझे अदालत में तलब कर सकते हैं, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ।

इसके बाद आपने ग़ैर सरकारी यूरोपियन की बात कहते हुए कहा कि हमारे सुपरिचित मिस्टर आर्थर मूर ही इनके नेता थे। इस प्रकार बहुत बड़ी लम्बी वक्तृता में श्रीयुत सेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी घटना का उल्लेख किया, जिसे सुन और पढ़ कर मनुष्य रोमाञ्चित हो जाता है।

अन्त में कलकत्ता नगर-निवासियों ने नीचे लिखा हुआ प्रस्ताव पास किया :—

(१) कलकत्ते के नागरिक इस सभा द्वारा प्रकट करते हैं कि पिछली ३०-३१ अगस्त और १२ सेप्टेम्बर को चटगाँव नगर और ज़िले के कई जगहों में जो शोचनीय काम हुए हैं, उनका कारण हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक दुर्भाव और विरोध नहीं है। सभा का यह दृढ़मत है कि कितने ही सरकार के कर्मचारी, ग़ैर-सरकारी गोरे, पुलिस और दूसरे स्वार्थपरायण लोगों के षड्यन्त्र से यह गुण्डापन हुआ। प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति चरितार्थ करने के लिए ही इन लोगों ने ऐसा किया। बङ्गाल के अङ्गरेज़ सञ्चालित सम्वाद-पत्र समूह और गोरों की सभा के कई सदस्य कुछ दिनों से लगातार इस प्रकार के कामों का समर्थन करते चले आ रहे हैं।

(२) जिस रात को ख़ानबहादुर एहसानुल्ला मारे गए, उसी रात से कई दिन बाद तक चटगाँव के निर्दोष असहाय नागरिकों के ऊपर जो निष्ठुर अत्याचार हुआ और उसके बाद चटगाँव और मुफ़स्सल में जो दानवी लीला हुई, उसके सम्बन्ध में ख़ूब पूरी तरह से छान-बीन के साथ जाँच न करने के लिए और अपराधियों को दण्ड न देने के लिए यह सभा बङ्गाल-सरकार की निन्दा करती है। सभा का यह भी मत है कि इस समय जिन सब कर्मचारियों पर ज़िला का भार है, अगर उन्हीं के भरोसे ज़िले का काम चलाया जायगा, तो फिर भी ऐसी दुर्घटना होने की सम्भावना है।

(३) इस सभा में समवेत कलकत्ते के नागरिकों की राय में जिस तरह इस प्रकार के अवसर पर अङ्गरेज़ों की क्षति-पूर्ति की गई है, उसी तरह चटगाँव के निर्दोष हानि उठाने वालों का हरजाना देना सरकार का आवश्यक कर्तव्य है।

(४) हिन्दू-मुसलमानों में प्रेम सुरक्षित रखने के लिए और इसलिए कि स्वार्थी लोगों द्वारा साम्प्रदायिक भेद-भाव फैलाने की कुचेष्टा को रोका जाय, यह सभा दोनों सम्प्रदायों के नेताओं का आह्वान करती है।

(५) कलकत्ता-वासियों की यह सभा चटगाँव की घटना के सम्बन्ध में यथोचित व्यवस्था करने के लिए कॉङ्ग्रेस के सभापति और कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुरोध करती है।

(६) चटगाँव की अशान्ति के कारण चटगाँव के जिन सब व्यवसाइयों और दुकानदारों की क्षति हुई है, उन लोगों को फिर अपना काम शुरू करने के लिए नाममात्र के ब्याज पर ५०,०००) रुपया उधार देने के लिए यह सभा भारत की वणिक समिति और सदस्यों से और दूसरे भारतीय व्यवसायी संस्थाओं से अनुरोध करती है।

❀ ❀ ❀

चटगाँव में डायनामाइट का मामला

सात अभियुक्तों को दण्ड

चटगाँव, २६ सितम्बर

चटगाँव में ज़मीन के अन्दर गुप्त रूप से डायनामाइट लगाने के सम्बन्ध में जो ११ बङ्गाली नवयुवक गिरफ़्तार किए गए थे और जिनका स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मामला चल रहा था, उनमें से तीन नवयुवकों को तीन साल का, दो को दो साल का और दो को आठ महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है। तीन नवयुवक छोड़ दिए गए। हृदयदास नाम के एक नवयुवक के विरुद्ध मामला चलना बाक़ी है, क्योंकि उसने सफ़ाई देने का निश्चय किया है। दूसरे अभियुक्तों ने सफ़ाई नहीं दी थी।

१८) रु० में पुत्र को बेचा

चौरन्धी (मिदनापुर, बङ्गाल) नामक गाँव में एक किसान ने भूखों मरने के कारण अपना इकलौता पुत्र १८) रु० में बेच डाला।

* * *

पञ्जाब-गवर्नर गोलीकाण्ड का फ़ैसला

'ये सज़ाएँ बदला लेने के भाव से दी गई हैं !'

गवर्नर गोली-काण्ड के अभियुक्त श्री० रणवीरसिंह, दुर्गादास और चमनलाल को फाँसी की सज़ा देते हुए लाहौर के सेशन्स जज मि० गार्डन वाकर ने क़रीब १५ पृष्ठ का फ़ैसला लिखा है। जिसमें एक जगह कहा है :—

"हरीकिशन (जिसे गवर्नर पर गोली चलाने के लिए फाँसी दी जा चुकी है) में साहस था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अपने कार्य के फल-स्वरूप उसे अवश्य ही फाँसी की शर्मनाक मौत से मरना होगा। पर इन तीनों क़ैदियों के कार्य में, जिन्होंने हरीकिशन को हत्या करने के लिए भेजा था, कोई बहादुरी नहीं है। इन क्रान्तिकारियों, उनके दलयुक्त सहानुभूति रखने वालों, उनके प्रचारकों, उनके साङ्केतिक नामों, उनके गुप्त और रहस्यपूर्ण कार्यों पर कोई आदमी आरम्भ में प्रसन्नता की हँसी हँस सकता है, पर जब उसे यह पता चलता है कि ये केवल दिखावे की या बच्चों के खेल की बातें नहीं हैं, वरन् भयङ्कर गम्भीर सत्य है, तो उसका हँसना बन्द हो जाता है। यह सच है कि अभियुक्त बिल्कुल युवक हैं। पर केवल इसी के आधार पर क़ानून द्वारा नियत सज़ा में कमी नहीं की जा सकती।"

आगे चल कर जज ने कहा है कि "उस यूरोपियन लेडी की तकलीफ़ को जान कर, जिसके बदन में गोली घुस जाने से दर्द हो रहा है और उस भारतीय पुलिस-अफ़सर की मृत्यु को याद करके, जिसकी गर्दन में गोली लगी थी, अभियुक्तों के लिए एकमात्र सज़ा मृत्यु-दण्ड ही है।"

पञ्जाब की कॉङ्ग्रेस कमिटी की वर्किङ्ग कमिटी ने इन सज़ाओं को शत्रुता का बदला लेने के समतुल्य बतलाया है और जनता से हड़ताल मनाने को कहा है।

"नौजवानों के रक्त से सरकार की प्यास नहीं बुझी"

श्रीरणवीरसिंह, दुर्गादास और चिम्मनलाल के प्राणदण्ड की आज्ञा के विरोध में लाहौर में विराट सभा

उक्त तीन निर्दोष सज्जनों को सेशन्स जज गार्डन वाकर द्वारा प्राण-दण्ड की आज्ञा सुनाए जाने के कारण, कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी की अनुमति के अनुसार ता० १० सितम्बर को लाहौर में हड़ताल रही, जुलूस निकाला गया, अन्त में मोरी दरवाज़े पर पहुँच कर जुलूस का काम समाप्त हुआ और जनता की एक विराट सभा बैठी। श्री० सरदार मङ्गलसिंह साहब प्रधान आसनासीन हुए।

सभा का कार्य प्रारम्भ होने के पहले, नवयुवकों ने 'लाल झण्डा ऊँचा हो' 'यूनियन जैक का पतन हो' 'रणवीरसिंह चिरजीवी हों,' 'दुर्गादास चिरजीवी हों' 'चिमनलाल चिरजीवी हों,' 'साम्यवाद चिरजीवी हो' 'गाँधी इज़्म चिरजीवी हो' की प्रबल ध्वनि से आकाश को गुँजा दिया।

सभापति ने अपने विचारपूर्ण भाषण में कहा कि इन नवजवानों के विरुद्ध प्रमाण न होते हुए भी सेशन्स जज ने जो फ़ैसला दिया है वह अभूतपूर्व कठोर है। गवर्नमेण्ट की जड़ को अगर कोई खोखली करता है तो यही लोग करते हैं, जो निर्दोषों को ऐसा कठोर दण्ड देते हैं। मैं खुल्लमखुल्ला कहता हूँ कि राजनैतिक मामलों में न्याय नहीं होता, अदालतें एग्ज़िक्यूटिव अफ़सरों के इशारे पर काम करती हैं।

डॉ० सत्यपाल ने कहा कि वादी का पक्ष निर्बल था। चार एसेसरों ने रणवीरसिंह और दुर्गादास को निर्दोष बतलाया। दो एसेसरों ने चिमनलाल को दोषी माना, फिर भी सेशन्स जज ने तीनों नवजवानों को फाँसी की सज़ा दे दी। आपने सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० सुखदेव की फाँसी के विरुद्ध सारे देश की एक स्वर से उठी हुई आवाज़ का गवर्नमेण्ट द्वारा ठुकराए जाने का ज़िक्र करते हुए, प्यारे हरीकिशन को मियाँवाली जेल में फाँसी पाने की बात बहुत वेदनापूर्ण शब्दों में कही। आपने कहा कि इतने नवजवानों के रक्त से सरकार की प्यास नहीं बुझी। मालूम होता है, वह अपने दामन को नवयुवकों के रक्त से नष्ट करना चाहती है। अन्त में आपने जनता को भारत की स्वतन्त्रता के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण लगाने की प्रतिज्ञा करने को प्रोत्साहित करते हुए नीचे लिखा प्रस्ताव पढ़ा :—

"लाहौर-निवासियों की विराट-सभा मेसर्स रणवीरसिंह, दुर्गादास और चिमनलाल को फाँसी की दण्डाज्ञा पर अत्यन्त दुःख और आक्रोश प्रकट करती है और इस वृहत्तम दण्ड को बदले का भावपूर्ण समझती है और तीनों बन्दियों के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना प्रदर्शित करती है।"

लाला दुनीचन्द जी बैरिस्टर ने अपनी वक्तृता में कहा कि इस अभियोग में रणवीरसिंह, दुर्गादास और चिमनलाल, तीन अभियुक्त थे और चौथा दसोंधाराम सरकारी गवाह। गवर्नमेण्ट अपना मुक़दमा साबित नहीं कर सकी। मुझे समझना कठिन है कि विद्वान सेशन्स जज ने तीनों अभियुक्तों को फाँसी की सज़ा सिर्फ़ दसोंधाराम के बयान पर कैसे दे दी। जज ने स्वयम् फ़ैसले में लिखा है कि 'दसोंधाराम बड़ा निर्बल हृदय का मनुष्य है, इससे पुलीस जो चाहती, कहलवा सकती थी और कहलवा लिया। लेकिन फिर भी मैं इस साक्षि को स्वीकार करता हूँ।' मैं ३० वर्ष से बैरिस्ट्री करता हूँ। मैंने षड्यन्त्र के मामले में इतना कठोर दण्ड कभी नहीं देखा, सुना।

इसके पश्चात् श्रीमती पार्वती देवी व श्रीमती स्वदेश-कुमारी देवी के भाषण हो चुकने पर लाला अचिन्त्यराम ने गवर्नमेण्ट के अत्याचार को गाँधी-इर्विन समझौते के मार्ग में बाधक बतलाया। पर कॉमरेड अब्दुल मालिक ने कहा कि पिछले दिनों महात्मा गाँधी ने 'यङ्ग इण्डिया' में एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सरदार भगतसिंह छोकरा है और सरकार से प्रार्थना की थी कि वह क्रान्तिकारियों को कड़े-कड़े दण्ड देकर नेस्त-नाबूद कर दे। अगर सरकार ऐसा न करेगी तो हम कॉङ्ग्रेस वाले इस आन्दोलन की बुराई करके क्रान्तिकारियों को बदनाम करेंगे। इसका अर्थ यह है कि महात्मा गाँधी ने गवर्नमेण्ट की पीठ ठोंकी। इसका परिणाम है कि आज हमारे तीन नवजवानों को नाहक फाँसी की सज़ा दी गई।

इसके अनन्तर मिस्टर बाली ने लाला दुनीचन्द की कही हुई बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि मिस्टर रणवीरसिंह व चिमनलाल जो हमेशा बिजली के पङ्खों के तले रहते थे, आज अँधेरी-तङ्ग कोठरियों में आनन्द से जीवन की घड़ियाँ गिन रहे हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक भारत स्वतन्त्र न होगा, हम चैन से न बैठेंगे।

कहा जाता है कि फ़ैसला सुनाने के समय सेशन्स जज मिस्टर गार्डन वाकर काँप रहे थे और फ़ैसला सुनाने के बाद चुपचाप जेल के पीछे के चोर-दरवाज़े से निकल भागे।

आँखों से देखने वाले कहते हैं कि जिस समय सेशन्स जज ने कहा कि 'मुझे अफ़सोस है कि मैं आपको सज़ा देने आया हूँ' और अपने १५ पृष्ठ के फ़ैसले का अन्तिम भाग पढ़ कर सुनाया और कहा कि आपको दफ़ा ३०२, १०९, १११, १२० (ख) के अपराधों में प्राणदण्ड की आज्ञा दी जाती है, तब तीनों नवयुवक खिलखिला कर हँस पड़े और दुर्गादास और चिमनलाल ने जज को इस आज्ञा के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन और सब ओर शान्ति फैल गई। सब दण्डाज्ञा के सुनने वाले सन्न रह गए। लोग प्रभात के ६ बजे से फ़ैसला सुनने के लिए अदालत के दरवाज़े पर एकत्र थे, इन्हें धोखा देने के लिए कहा गया था, कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जायगा। जब १२॥ बजे जज जेल की ओर चला तो जनता भी जेल के दरवाज़े पर जाकर एकत्र हो गई। इस छल से लोगों के मन में सन्देह होने लगा कि सम्भवतः दण्ड बहुत कठोर दिया जायगा, नहीं तो धोखा देना व्यर्थ था।

जज के चले जाने के बाद जेलर ने निकल कर उपस्थित जनता को बतलाया कि तीनों को फाँसी का दण्ड मिला है। किन्तु जनता को विश्वास न हुआ, उसने कहा कि महाशय, ठट्ठा न कीजिए। जेलर ने फिर जवाब दिया कि मुझे आप लोगों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और यह बात गम्भीरता-पूर्वक कही। तब लोग दुखी चित्त जेल से हटे और सारे नगर में इस निर्दयतापूर्ण अनुचित दण्ड का सम्वाद जगह-जगह फैला। चारों ओर टेलीफ़ोन खटकने लगे। लोगों का ख़याल था कि सबूत इनके विरुद्ध नहीं हैं, एसेसरों की राय में यह निर्दोष हैं, अतः इनको पहले तो दण्ड होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ही कम। इसलिए इस ख़बर ने जनता को और भी ज़्यादा बेचैन कर दिया। नगर में जगह-जगह जज की सख़्ती और सरकारी नीति की बुराई होने लगी।

* * *

महात्मा जी की लन्दन-यात्रा और वहाँ के कार्य

[अगस्त के मध्य से सितम्बर, १९३१ के अन्त तक की संक्षिप्त डायरी]

पोतारोहण

ता० २९ अगस्त को महात्मा जी बम्बई में दादर स्टेशन पर उतरते ही सीधे एस्प्लेनेड मैदान पहुँचे। यहाँ आपने अभूतपूर्व भीड़ के सामने भाषण देते हुए कॉङ्ग्रेस के मन्तव्यों को पालन करने की प्रतिज्ञा की और कहा कि अगर मैं आप लोगों को धोका दूँ, तो मुझे मार डालना, यह हिंसा न होगी। सभा-समाप्ति के उपरान्त आपने डेढ़ बजे 'राजपूताना' नामक जहाज़ से लन्दन की ओर प्रस्थान किया। जहाज़-घाट पर इष्ट-मित्रों और प्रेमी जनता की बड़ी भीड़ थी। श्री० देवीदास गाँधी, कुमारी मीरा (मिस स्लेड) तथा श्री० महादेव देसाई आपके साथ गए हैं।

यहाँ से रवाना होने के बाद महात्मा जी स्वीज़, केनाल, मार्सिले, फ़ोक्स्टोन प्रभृति स्थानों में मुसलमानों, हिन्दुओं, यहूदियों, ईसाइयों आदि सभी देश के सभी समुदायों और सम्प्रदायों से अर्चित और अभ्यर्थित होते हुए तारीख़ १२ सितम्बर को सवा चार बजे तीसरे पहर लन्दन पहुँचे। यहाँ आपको मालाएँ पहनाई गईं और आप पर पुष्प-वर्षा हुई।

लन्दन के स्वागत का उत्तर

आपने कॉङ्ग्रेस का मन्तव्य बताया और भारत की करोड़ों मूक और अर्द्धबुभुक्षित जनता के लिए अपील करते हुए कहा—"मैं शान्ति का अभिनिर्माण (मिशन) लेकर आया हूँ। मैं और मेरे मित्र इस समय अङ्गरेज़ों के अतिथि हैं।" पुनः आपने कहा, मैं कॉङ्ग्रेस के आदेशों का पालन करूँगा। कॉङ्ग्रेस के आदेश के कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनसे मुझे कुछ स्वतन्त्रता मिलती है, किन्तु दूसरे मामलों और समस्त तात्त्विक बातों में मुझ पर कोई बन्धन नहीं है। कॉङ्ग्रेस का यह दृढ़-विश्वास है कि देश की स्वतन्त्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। यदि मैं अङ्गरेज़ों को विश्वास दिला सका, कि स्वतन्त्रता कॉङ्ग्रेस के सिद्धान्तों से ही प्राप्त होगी तो मैं समझूँगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।

यद्यपि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अङ्गरेज़ लोग इस समय अपने घरेलू कामों में व्यस्त हैं, फिर भी उनसे मेरा निवेदन है कि अङ्गरेज़ स्त्री और पुरुष भारतीय समस्याओं का अध्ययन और मनन करें और समझ लें कि ब्रिटिश सरकार का बजट उस समय तक ईमानदारी के साथ बराबर न होगा, जब तक कि ब्रिटेन और भारत के बीच का खाता ड्योढ़ा नहीं होता। अन्त में महात्मा जी ने ब्रिटिश जनता से सहायता की अपील की और कहा कि आप लोग मदद करके मेरे ध्येय को पूरा करें, क्योंकि इससे केवल भारत का ही नहीं, वरन सारे संसार का हित होगा।

अमेरिका को सन्देश

लन्दन से महात्मा जी ने अमेरिका को नीचे लिखा सन्देश भेजा :—

"अभी तक संसार के राष्ट्रों ने पशुओं की तरह पर युद्ध किया। परन्तु भारतीयों ने इस बात का अनुभव किया कि इस पाशविक तरीक़े पर मानव जाति को नहीं चलना चाहिए। रक्तपात द्वारा भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अपेक्षा मैं, यदि आवश्यक हुआ तो, व्यक्तिगत रूप से सदियों तक इन्तज़ार कर सकता हूँ। संसार रक्तपात के तरीक़े से मरणासन्न हो गया है। मेरा विश्वास है कि यह रक्तपातहीन मार्ग दिखाने का सौभाग्य सबसे पहले भारत को प्राप्त होगा। भारत के इस ज़बर्दस्त युद्ध में भारत के साथ सहयोग करने के लिए मैं पृथ्वी पर के समस्त बड़े-बड़े राष्ट्रों को आमन्त्रित करता हूँ।" इसके बाद महात्मा जी ने भारत की कुछ कमज़ोरियों का ज़िक्र करते हुए कहा—"मैं इस बात पर शर्म से गड़ जाता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के गले काटते हैं और हिन्दू अपने ही लाखों भाइयों को अछूत समझते हैं। परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि भारतीयों ने आत्म-शुद्धि के संग्राम में छुआछूत को दूर करने, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और नशीली वस्तुओं के पाप को त्याग करने में सर्व-प्रथम स्थान प्राप्त भी किया है। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि नशीली चीज़ों के विरुद्ध आन्दोलन में हम लोगों को शासकों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में मैं भारत के करोड़ों अर्ध-बुभुक्षितों की ओर से संसार की अन्तरात्मा से अपील करता हूँ।"

म० गाँधी को ईजिप्ट का निमन्त्रण

ईजिप्ट देश की वफ़्द पार्टी के प्रेज़िडेण्ट नहस पाशा ने, जो कि ईजिप्ट देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, महात्मा गाँधी के नाम निम्न-लिखित सन्देश 'राजपूताना' जहाज़ पर भेजा था :—

ईजिप्ट की ओर से, जो कि इस समय अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, मैं आपका, उस भारत के अग्रगण्य नेता का, जो कि उसी ध्येय के लिए लड़ रहा है, स्वागत करता हूँ और सकुशल यात्रा और वापसी के लिए अपनी हार्दिक शुभाभिलाषाएँ भेजता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रयत्न में आपके ध्येय की महानता के अनुकूल सफलता मिले। मुझे आशा है कि आपके हिन्दुस्तान लौटने के समय मैं आपसे मिलने का सुख प्राप्त कर सकूँगा और मुझे विश्वास है कि उस समय आप ईजिप्ट देश को अपने आगमन से अनुगृहीत करेंगे और वफ़्द और सम्पूर्ण राष्ट्र को देश की भलाई के लिए प्राप्त की गई आपकी गौरवपूर्ण सफलताओं के प्रति आदर और आदर्शों के लिए आपके त्याग की महानता के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करेंगे। ईश्वर आपको दीर्घजीवी करें और आपके प्रयत्नों को सफल करें। हमारे प्रतिनिधि, सुएज़ और पोर्ट सईद के बन्दर पर आपका स्वागत करने और हमारी शुभाभिलाषाएँ पहुँचाने के लिए उपस्थित रहेंगे।

म० गाँधी का प्रथम भाषण

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की सङ्घ-योजना सब-कमिटी में महात्मा जी ने कहा :—

"मैं लन्दन में सहयोग करने के भाव को लेकर आया हूँ और समझौता करने का मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा। मैं तो कॉङ्ग्रेस की ओर से कार्य करने वाला बहुत नाचीज़ और नम्र एजेण्ट हूँ, इसलिए कॉङ्ग्रेस जो कुछ चाहती है और जो वास्तविक परिस्थिति है, उसे मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ।

"कॉङ्ग्रेस सभी दल और सम्प्रदाय के भारतीयों के हितों को व्यक्त करती आई है। इस बात को (कॉङ्ग्रेस के जन्मदाता) मि० ह्यूम के अङ्गरेज़ मस्तिष्क ने समझा था और महान दो पारसी नेताओं ने इस विचार को उसके बाद पुष्ट किया। कॉङ्ग्रेस हमेशा से अछूतपन के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करती आई है और इस समय भी कर रही है। भारत के देशी नरेशों की भी सेवा करने का, कॉङ्ग्रेस ने उनके आन्तरिक और घरेलू मामलों से तटस्थ रह कर, प्रयत्न किया है। कॉङ्ग्रेस को अपने प्रयत्नों में अधिकतर सफलता ही मिली है, यद्यपि कभी-कभी वह असफल भी रही है। कॉङ्ग्रेस के मौजूदा समय की कार्रवाइयों का ज़िक्र करते हुए महात्मा जी ने कहा कि इस कमिटी के भारतीय सदस्यों को भी यह जान कर आश्चर्य होगा कि कॉङ्ग्रेस अपने अखिल भारतीय चर्खा-सङ्घ द्वारा दो हज़ार ग्रामों में लगभग ५० हज़ार स्त्रियों के लिए रोज़गार तैयार कर दिया है और इनमें प्रायः ५० फ़ीसदी मुसलमान और हज़ारों "अछूत" हैं। इसके बाद कराची कॉङ्ग्रेस के आदेश का ज़िक्र करते हुए महात्मा जी ने कहा कि उन आदेशों में परिवर्तन करने के लिए भी मुझे यदि कोई सन्तुष्ट कर सके तो कर सकता है, परन्तु उस परिवर्तन के लिए भी मुझे अपने सिद्धान्तों से स्वीकृति लेनी होगी। तदनन्तर महात्मा जी ने दिल्ली में भारत सरकार और कॉङ्ग्रेस के बीच हुए समझौते का ज़िक्र किया। आपने कहा कि उस समझौते में कॉङ्ग्रेस ने सङ्घ-शासन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। न तो कॉङ्ग्रेस और न मैं ऐसे किसी राजनीतिक विधान से सन्तुष्ट हो सकता हूँ, जिससे वास्तव में भारत को कुछ न मिलता हो। आगे चल कर महात्मा जी ने कहा—"यदि मैं अपने देश की आज़ादी चाहता हूँ, तो आप यह विश्वास कीजिए कि यह आज़ादी मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, जो किसी दूसरी जाति अथवा किसी एक व्यक्ति का भी शोषण करे। यदि मैं ऐसी आज़ादी चाहूँ और प्रत्येक दूसरी जाति, निर्बल या सबल, की वही स्वतन्त्रता और बराबरी का अधिकार न स्वीकार करूँ, तो मैं स्वतन्त्रता पाने का अधिकारी नहीं। मान लीजिए, यदि ईश्वर ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को प्रेरणा की और दोनों ने अपने-अपने मतभेदों को दूर कर दिया और सम्मानजनक समझौता कर लिया, तो मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न करता हूँ कि क्या स्वतन्त्र और पूर्ण रूप से आज़ाद भारत में, जैसा कि ब्रिटेन है, इन दोनों जातियों में सम्मानपूर्ण हिस्सेदारी का भाव परस्पर लाभजनक नहीं हो सकता ? मैं इस स्वप्न को क़ायम रक्खूँगा। अन्त में महात्मा जी ने कहा कि कॉङ्ग्रेस के आदेश के हिस्सों को मैं जैसे-जैसे अवसर उपस्थित होंगे, समझाता रहूँगा और संरक्षणों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूँगा। मैं इस विचार को लेकर जाने में अत्यधिक प्रसन्न हूँगा कि ब्रिटेन और भारत के बीच सम्मानजनक और बराबरी का सम्बन्ध स्थापित होगया है और जितने दिनों तक मैं आप लोगों के बीच रहूँगा, मेरी बराबर ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि वह अवसर उपस्थित हो जाय।

मज़दूरों में महात्मा जी

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मज़दूरों की एक विराट सभा में महात्मा जी ने अपना ध्येय बतलाया और कहा कि मैं मूक और अर्धबुभुक्षित जनता के लिए स्वराज्य चाहता हूँ। इसके बाद महात्मा जी २० मिनट तक लोगों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर देते रहे।

लङ्काशायर के कपड़ों के बायकॉट आन्दोलन के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि "यह आन्दोलन उन्हीं ग्रामीणों के हित की दृष्टि से कर रहा हूँ।" इसके बाद यह प्रश्न करने पर कि यदि दूसरे देश भारत से जूट और चाय ख़रीदना बन्द कर दें, तो भारत क्या करेगा? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि भारत अनिच्छुक संसार पर ज़बरदस्ती अपना माल नहीं लादना चाहता। वह उस दशा में दूसरे रोज़गार कर लेगा।

कार्रवाई में सचाई का अभाव

सङ्घ-शासन योजना की दूसरी बैठक में अपने भाषण के प्रारम्भ में महात्मा जी ने कहा कि इस समय कमिटी की बहस में बड़ी हिचकिचाहट के बाद शामिल हुआ हूँ। सोमवार के दिन से ही मैं अपने मन पर बड़ा दबाव अनुभव कर रहा हूँ, जिसका पहला कारण यह है कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि प्रतिनिधि राष्ट्र के चुने हुए नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेण्ट के हैं। दूसरे कमिटी की कार्रवाई में वास्तविकता का अभाव मालूम पड़ता है और उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं मालूम होता। सम्राट के सलाहकारों के प्रति महात्मा जी ने यह शिकायत की कि इन लोगों ने ज़रूरी कार्यों में व्यस्त लोगों को बुला तो लिया है, किन्तु अपना मन्तव्य कुछ प्रकट नहीं करते कि वह लोग करना क्या चाहते हैं? महात्मा जी ने कमिटी के चेयरमैन द्वारा सम्राट के सलाहकारों से यह अपील की कि वे कमिटी के सदस्यों को यह बतला दें कि उनकी मन्शा क्या है और वे किस हद तक क्या करना चाहते हैं। यदि सरकार अपना मन्तव्य प्रकट कर दे, तो कमिटी को अपना निश्चय, अच्छा हो या बुरा, सन्तोषजनक हो अथवा असन्तोषजनक, प्रकट करने में सुविधा होगी। बिना सरकार की मन्शा जाने हुए कमिटी में कोरी बहस करने से किसी अर्थ की सिद्धि न होगी, जिसके लिए कि सदस्य इतनी दूर से बुलाए गए हैं। महात्मा जी ने चेयरमैन से कहा कि मेरे यह विचार आप सम्राट के सलाहकारों तक पहुँचा दीजिए। इस पर चेयरमैन लॉर्ड सैङ्की ने महात्मा जी से वादा किया कि वह निस्सन्देह इस सन्देश को सम्राट के सलाहकारों के पास पहुँचा देंगे।

देशी नरेश और सङ्घ-शासन

महात्मा जी ने देशी राज्यों की स्थिति के सम्बन्ध में कहा—"देशी नरेशों से हमें यह बतलाने की ज़रूरत नहीं कि वे क्या करें और क्या न करें। देशी नरेश उदारता के साथ हमारी सहायता करने के लिए आगे आए हैं और इस सम्बन्ध में मैं सर सुलतान अहमद और मि० गैविन जोन्स से सहमत हूँ। ब्रिटिश भारत में हम इतना ही कर सकते हैं कि देशी नरेशों के प्रति अपनी तजवीज़ पेश कर दें और ब्रिटिश भारत की विशेष कठिनाइयों को उनके समक्ष रख दें। जनता का आदमी, उसका सेवक और निम्न-श्रेणी के लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से मेरा यह अनुरोध है कि जनता के इन लोगों के लिए भी योजना में स्थान रहे। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि देशी नरेशों के हृदयों में अपनी प्रजा के प्रति यथेष्ट दिलचस्पी है। वे ब्रिटिश भारत के सम्पर्क में अधिकाधिक आ रहे हैं और दोनों को एक समझेंगे। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत की जनता देशी नरेशों के निकट सम्पर्क में आ रही है। इन दोनों में कोई बिलगाव नहीं है। भारत बहुत प्राचीन समय से एक राष्ट्र के रूप में रहता चला आ रहा है। नरेशों ने, उनके लिए यह बड़ी प्रशंसा की बात है, निर्भीकता के साथ अपने को सङ्घ-शासन के पक्ष में घोषित किया है और यह घोषणा करके उन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे भी उसी रक्त-मांस के हैं। इसके विपरीत वे कर ही कैसे सकते थे? अन्तर केवल इतना ही है कि वे सम्पन्न और शाही वंश के हैं, किन्तु मेरी कामना यह है कि उनका धन उनकी प्रजा के हित में ही ख़र्च होगा। इससे अधिक और कुछ मैं नहीं कहना चाहता। यह निश्चय नरेशों को ही करना है कि वे सङ्घ-शासन में आएँगे या नहीं और उनके कार्य को सरल करना ब्रिटिश भारत का कर्तव्य है। मेरा नरेशों से इतना ही कहना है कि वे सङ्घ-शासन में तब तक न आवें, जब तक कि पूरे हृदय के साथ वे ऐसा न कर सकें।

गोलमेज़ से नेताओं की निराशा

पं० जवाहरलाल नेहरू

२७ सितम्बर को पं० जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में महात्मा जी को स्वराज्य मिलने की कम आशा है। हमें आगामी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की दरिद्रता इतनी बढ़ गई है कि अङ्गरेज़ों का यहाँ राज्य करना अब बिल्कुल असम्भव है। और देश वाले हमें अब गुलाम नहीं समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारतवासी शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। मैं नवयुवकों से अपील करता हूँ कि वे अपना अमूल्य प्राण गुप्त संस्थाओं में भरती होकर न दें। उन्हें चाहिए कि कॉङ्ग्रेस का कार्य करें। कॉङ्ग्रेस एक इतनी बड़ी संस्था है कि इसने अङ्गरेज़ी राज्य को हिला दिया है।

डॉ० सैफ़ुद्दीन किचलू

दिल्ली में डॉक्टर सैफ़ुद्दीन किचलू ने २८ वीं सितम्बर को एक विशाल उपस्थिति में क्विन्स गार्डेन में राष्ट्रीय झण्डा फहराया। आपने कहा कि जो मुल्क आज़ाद हैं वही अपने झण्डे पर गर्व कर सकते हैं। हमें गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स से लेशमात्र भी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर राजभक्त और जागीरदार हैं। मुसलमानों को चाहिए कि स्वतन्त्रता-संग्राम में ज़ोरों से भाग लें।

कौन्सिलों का चुनाव

व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के प्रश्न पर आपने कहा कि 'अप्रत्यक्ष चुनाव' शब्दों से मुझे कोई भय नहीं मालूम होता। बालिग़ों के वोटाधिकार की बात मैं स्वीकार करता हूँ और कॉङ्ग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया है, क्योंकि मुसलमानों और दलितों की समस्त उचित माँगों से सन्तोष होता है।

मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि धनी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार रहे और ईमानदार श्रमजीवी निर्धनता के कारण वोट देने से वञ्चित रहें।

मैं यह इन्तज़ार करने को तैयार नहीं हूँ कि जनता पहले शिक्षित हो जाय, तब उसे वोट देने का अधिकार मिले। प्रत्येक बालिग़ पुरुष और स्त्री को वोटाधिकार होने पर ज़ोर देते हुए महात्मा जी ने कहा कि लोगों को वोट देने की सुविधा देने के लिए कॉङ्ग्रेस द्वारा बताए हुए मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए।

व्यवस्थापिका सभाओं का प्रश्न

व्यवस्थापिका सभाओं के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि मैं बड़ी व्यवस्थापिका (रईसों की कौन्सिल) नहीं चाहता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि प्रजासत्तात्मक कौन्सिल द्वारा पास हुए प्रस्तावों को वह रद्द करेगी, किन्तु मेरे ख़्याल में इससे प्रजा-सत्तात्मक (छोटी) और बड़ी व्यवस्थापिका में द्वन्द्व होगा।

विशेष हितों की रक्षा

व्यवस्थापिकाओं में विशेष हितों की रक्षा के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि कॉङ्ग्रेस ने हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आदि के विशेष हितों की रक्षा के प्रश्न को तय कर दिया है। 'अछूतों' के हितों की रक्षा की बात कॉङ्ग्रेस स्वीकार करती है। कॉङ्ग्रेस को 'अछूतों' का हित किसी के भी हित की तरह प्यारा है, इसलिए मैं विशेष प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार नहीं कर सकता। बालिग़ों को वोटाधिकार होते हुए, श्रमजीवियों को भी विशेष व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। ज़मींदारों के लिए भी कोई चिन्ता की बात नहीं, वे अपनी रियाया के ट्रस्टी रहेंगे। यूरोपियनों के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि अब तक उनके हितों की रक्षा सरकार की ओर से होती रही है, किन्तु अब यदि वे देश की जनता के साथ हो जायँ, तो उन्हें किसी तरह से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। सी० एफ़० ऐण्ड्रयूज़ सदृश अङ्गरेज़ भारत के किसी भी हिस्से से चुने जा सकते हैं। मेरे पास ईसाई संस्थाओं के पत्र आए हैं, जिन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी विशेष रक्षा की ज़रूरत नहीं है।

अर्थनीति

सङ्घ-शासन-योजना सब कमिटी में महात्मा जी ने भारत-सरकार द्वारा सोने की बिक्री में रुकावट करने की कार्रवाई का घोर विरोध किया। आपने कहा कि यद्यपि प्रत्येक विचारशील कॉङ्ग्रेसवादी को ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सङ्कट पर सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, किन्तु मुझे खेद और आश्चर्य है कि भारत में सरकार ने विशेष अधिकार के बल से इस प्रकार की कार्रवाई की। सबसे अधिक दुख तो मुझे इस बात का है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में भारतीयों की सलाह तक नहीं ली गई। महात्मा जी ने कॉङ्ग्रेस की ओर से इस कार्रवाई की घोर निन्दा की और कहा कि सर सैमुएल होर ने इस कार्रवाई का समर्थन करने का अनुरोध किया है, उसे हम लोग नहीं मान सकते।

लङ्काशायर में महात्मा जी

महात्मा गाँधी, बकरी के दूध और छोटे थैले के सामान के साथ लङ्काशायर जाने के लिए यूस्टन स्टेशन पर समय से आधा घण्टा पहले पहुँचे और एक खड़ी हुई ट्रेन के कम्पार्टमेण्ट में बैठ गए। कम्पार्टमेण्ट के दरवाज़े की रक्षा करने के लिए २० रेलवे पुलीस के आदमी मौजूद थे। बाद में महात्मा जी, मिस स्लेड, मि० सी० एफ़० एण्ड्रयूज़, श्री० महादेव देसाई और श्री० प्यारेलाल के साथ लङ्काशायर एक्सप्रेस के थर्ड क्लास में बैठ गए। साथ में दो ख़ुफ़िया भी थे।

तारीख़ २६ को लङ्काशायर पहुँच कर दोपहर के समय गाँधी जी ने विश्राम किया। इसके बाद वे वस्त्र-व्यवसाय के प्रसिद्ध नेताओं से मिलने वाले थे। महात्मा जी ने अख़बारों में एक बयान प्रकाशित कराया है कि लङ्काशायर की मेहमान नवाज़ी का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, पर वहाँ उन्होंने जैसी दरिद्रता का दर्शन किया,

(शेष मैटर ८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

हिजली के नज़रबन्दों पर गोलियों की भीषण वर्षा

श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री० सुभाषचन्द्र बोस की सरकार को चेतावनी

"अत्याचार-पीड़ित बङ्गाल का प्रत्येक व्यक्ति न्याय के लिए चीत्कार कर रहा है !"

गत १६ सितम्बर को मिदनापुर (बङ्गाल) के हिजली नामक स्थान में एक महाभयङ्कर काण्ड हो गया। बङ्गाल-सरकार ने क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा उस प्रान्त के क़रीब हज़ार-आठ सौ नवयुवकों को पकड़ कर बिना किसी तरह का मुक़दमा चलाए या दूसरी क़ानूनी कार्रवाई किए नज़रबन्द कर दिया है। ये नज़रबन्द कई स्थानों में अस्थायी जेलें बना कर रक्खे गए हैं। ये जेलें बिजली के तारों से घिरी हुई हैं और उन पर हथियारबन्द पुलिस तथा सन्तरियों का कड़ा पहरा रहता है। हिजली में भी एक इसी तरह का अस्थायी जेल है। १६ सितम्बर की रात को क़रीब १० बजे एकाएक ख़तरे की घण्टी बज उठी और ५० हथियारबन्द पुलिस वालों और दो दर्जन सिपाहियों ने, जिनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र थे, नज़रबन्दों की बारकें घेर लीं। ये सब नज़रबन्दों के रहने के कमरों, भोजनालय और अस्पताल तक पर गोलियाँ चलाने लगे। गोलियाँ क़रीब आधे घण्टे तक चलती रहीं और क़रीब सौ फ़ायर किए गए। फल-स्वरूप श्री० सन्तोषकुमार मित्र और श्री० तारकेश्वर सेन नामक दो युवक जान से मारे गए और बीस बुरी तरह घायल हुए।

दूसरे दिन सुबह ही बङ्गाल गवर्नमेण्ट की तरफ़ से इस सम्बन्ध में एक कम्युनिक प्रकाशित किया गया, जिसमें इस घटना का तमाम दोष नज़रबन्दों पर लगाया गया। कहा गया कि नज़रबन्दों के एक दल ने तैयार होकर सन्तरियों पर हमला किया, जिसके कारण सिपाहियों को भी गोलियाँ चलानी पड़ीं।

पर जनता को इस बयान पर विश्वास न हुआ और बङ्गाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री० जे० एम० सेनगुप्त तथा श्री० सुभाषचन्द्र बोस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। श्री० सुभाष बोस ने अख़बारों में प्रकाशित कराया कि यद्यपि हम लोगों को हिजली कैम्प में नहीं जाने दिया गया, पर खड़गपुर के अस्पताल में पड़े घायलों और उनकी सुश्रूषा करने वाले नज़रबन्दों से बातें करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अख़बारों में इस घटना का जो वर्णन छपा है, वह बहुत अपूर्ण है। नज़रबन्दों पर आक्रमण अकारण ही किया गया था। सन्तोष मित्र और तारकेश्वर सेन बहादुरी के साथ मरे हैं और देश सदा शहीदों की तरह उनका सम्मान करेगा। मैं इस बात से बहुत ही व्यथित और लज्जित हो रहा हूँ कि हमारे साथी जेलों में कुत्ते-बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं।

आक्रमण की अमानुषिकता

कलकत्ता से गए हुए नेताओं तथा अन्य विश्वस्त सम्वाददाताओं के भेजे हुए समाचारों के आधार पर इस गोली-काण्ड के सम्बन्ध में जो बातें विदित हुई हैं वे बड़ी ही क्रूरतापूर्ण हैं। जिस समय आक्रमण किया गया, कुछ नज़रबन्द खाने के कमरे में बैठे हुए भोजन कर रहे थे। उन लोगों ने घबड़ा कर वहाँ की रोशनी बुझा दी। तो भी वहाँ गोलियाँ आती रहीं और उसके फल से बारीसाल के श्री० कृष्णपद बनर्जी घायल हुए। गोलिया (बारीसाल) के श्री० तारकेश्वर सेन बरामदे में यह देखने को आए कि नीचे क्या हो रहा है। उसी समय एक गोली आकर उनके मस्तक पर लगी और वे तत्काल मर गए। श्री० सन्तोषकुमार मित्र नीचे एक कमरे के दरवाज़े पर खड़े थे। उनके पेट में दो गोलियाँ लगीं और उनके प्राण भी उसी वक़्त निकल गए। उसी कमरे में श्री० शचीन्द्र घोष, जो अमेरिका में निर्वासित श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष के छोटे भाई हैं, मौजूद थे। उनकी कमर के पास गोली लगी, जो रीढ़ की हड्डी को छेद कर निकल गई। दूसरी गोली उनके टखने में लगी। कृष्णनगर के श्री० गोविन्दपद दत्त के, जो श्री० शचीन्द्र घोष के पास खड़े थे, बाएँ हाथ में गोली लगी, जिससे तीन जगह हड्डी टूट गई। तत्पश्चात् पुलीस वाले और सिपाही कमरों की तरफ़ दौड़े और श्री० सविताशेखर राय चौधरी पर सङ्गीन से आक्रमण किया। वे बेतरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सिर, गर्दन और छाती में घाव लगे।

कायरता की हद

इसके बाद पुलीस वालों ने गोलिया (बारीसाल) के श्री० सुधीर सेन पर गोली चलाई, जो तारकेश्वर सेन की देख-भाल कर रहे थे। गोली उनकी पीठ में लगी और वे भयङ्कर रूप से घायल हुए। पुलीस वालों ने तारकेश्वर सेन को भी बन्दूक़ के कुन्दों से मारा। पर उनके प्राण पहिले ही निकल चुके थे।

सिपाही लोग हमला करते हुए बराबर चिल्लाते जाते थे—'राम जी की जय' 'हुकुम मिल गया' 'शाला लोक को मारो।' सिपाहियों के अफ़सर, जो कैम्प के बिलकुल पास ही रहते हैं, घटना के घण्टे भर बाद आए। घायल व्यक्तियों को रात के ३॥ बजे खड़गपुर के रेलवे अस्पताल में भेजा गया।

जो दो व्यक्ति मारे गए हैं, उनके सिवाय नीचे लिखे कई व्यक्ति सख़्त घायल हुए:—

(१) श्री० शचीन्द्रनाथ घोष (२) श्री० सविताशेखर राय चौधरी (३) श्री० सुधीर सेन (४) श्री० गोविन्दपद दत्त (५) श्री० कुञ्जबिहारी बोस (६) श्री० सुरेशदास गुप्ता, बारीसाल (७) श्री० तारापद गुप्ता, बहरामपुर (८) श्री० सत्येन चौधरी, दक्षिण कलकत्ता (९) श्री० अश्विनी गुह, चटगाँव (१०) श्री० रमेश चुकी, रङ्गपुर (११) श्री० नरेश शोम, जमालपुर (१२) श्री० करुणा राय, मैमनसिंह (१३) श्री० सुबोध चौधरी, मैमनसिंह (१४) श्री० हेमन्त तरफ़दार (१५) श्री० आशुतोष हाजरा (१६) श्री० शरतचन्द्र दत्त (१७) श्री० मनोहर मुकर्जी, ढाका (१८) श्री० कृष्णपद बनर्जी, बारीसाल।

कलकत्ते में विराट जुलूस

कलकत्ते से खड़गपुर जाने वाले नेता घायलों से भेंट करने के बाद शुक्रवार की शाम को सन्तोषकुमार मित्र और तारकेश्वर सेन की लाशों को लेकर स्पेशल ट्रेन से कलकत्ते आए। खड़गपुर की इण्डियन लेबर यूनियन ने इस मौक़े पर प्रशंसनीय मदद की। जब स्टेशन के कर्मचारियों ने स्पेशल ट्रेन के लिए नक़द रुपए माँगे, तो यूनियन ने फ़ौरन ४००) रु० भेज दिए। शुक्रवार को खड़गपुर का कारख़ाना बिलकुल बन्द रहा। और हज़ारों मज़दूर दिन भर बाहर खड़े रहे। जब दो बजे दोनों मृत देहों को मोटर-लॉरी पर स्टेशन ले जाया गया, तो वे सब जुलूस बना कर साथ में गए।

जब स्पेशल ट्रेन हवड़ा स्टेशन पर पहुँची, तो उनका स्वागत करने को जनता का एक विशाल समूह एकत्रित था। स्टेशन से लाशों का जुलूस शान्ति के साथ केवड़ातला घाट की तरफ़ चला। रास्ते में तमाम बाज़ार और सड़कें जन-समूह से भरे हुए थे। लोग तरह-तरह के क्रान्तिकारी नारे लगाते जाते थे। पुलीस का इन्तज़ाम काफ़ी था, पर कोई दुर्घटना नहीं हुई।

विधवा की हाय

दोनों मृत-देहों का जुलूस हरीसन रोड और कॉलेज स्ट्रीट होता हुआ श्री० सन्तोष मित्र के घर अक्रूरदत्त लेन में पहुँचा था, जिससे उनके सम्बन्धी अन्तिम बार अपने प्यारे को देख लें। उनके वृद्ध पिता अपने इकलौते बेटे की यह गति देख कर बेहोश होकर गिर गए। उनकी नवयुवती पत्नी की दशा वर्णन से बाहर है। वह शोक-सागर में डूबी जान पड़ती थी। लाश को देख कर वह भी बेहोश हो गई। श्री० सन्तोष मित्र की माता और बहिन का करुण-क्रन्दन सुन कर पत्थर का दिल भी पसीज गया।

कलकत्ते में विरोध-सभा

शनिवार ता० १९ सितम्बर को कलकत्ता के क़िले के मैदान में हिजली गोली-काण्ड का विरोध करने के लिए नागरिकों की एक विशाल सभा हुई, जिसके सभापति श्री० जे० एम० सेन गुप्ता थे। कलकत्ते के सभी प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता सभा में उपस्थित थे।

श्री० सेन गुप्ता ने इस काण्ड को अङ्गरेज़ों की सभ्यता के लिए कलङ्क बतलाते हुए कहा कि इसकी जाँच के लिए कमिटी-कमीशन बैठाने से क्या लाभ हो सकता है? सरकारी वक्तव्य को सच मान लेने पर भी गोली चलाना न्याययुक्त सिद्ध नहीं होता। इस मामले के पीछे कौन है? क्या सन्तरियों ने अपने आप गोली चलाई? नियम यह है कि जैसे ही ख़तरे का घण्टा बजे कमाण्डमेण्ट वहाँ फ़ौरन हाज़िर हो। पर इस मौक़े पर कमाण्डमेण्ट का घण्टे भर तक पता ही न था।

श्री० सुभाष बोस

श्री० सुभाष बोस ने कहा कि भारत की निरङ्कुश नौकरशाही अन्तिम साँसें ले रही है! उसका भाग्य स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है। अन्यायी शासकों के हाथ से शक्ति निकलती जा रही है। जैसा प्रसिद्ध अङ्गरेज़ लेखक सीली और टाउनशेण्ड कह गए हैं—"जो साम्राज्य एक दिन में बना है, वह एक ही रात में नष्ट भी होगा।"

नज़रबन्दों का अनशन

हिजली गोली-काण्ड के पश्चात् वहाँ के तमाम नज़रबन्दों ने एक स्वर से सरकार के सामने माँग पेश की कि इस घटना की जाँच एक निष्पक्ष कमिटी द्वारा कराई जाय, जिसमें सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य हों। पर सरकार ने इस पर कुछ ध्यान न देकर मिदनापुर के कलक्टर की जाँच को ही काफ़ी समझा। इस पर १७५ नज़रबन्दों ने अनशन आरम्भ कर दिया। छः-सात दिन बाद जब कई युवकों की दशा शोचनीय हो गई, और सरकार ने उस तरफ़ विशेष ध्यान नहीं दिया तो कलकत्ते से श्री० उर्मिला-देवी और विमलप्रतिभा देवी नेताओं का पत्र लेकर हिजली पहुँचीं और नज़रबन्दों से आग्रह किया कि वे अनशन समाप्त कर दें। पर वे राज़ी नहीं हुए। पर उक्त

देवियों ने अपने उद्योग से पीछे पैर न हटाया और दो दिन लगातार चेष्टा करके उन्होंने उन लोगों का अनशन बन्द करा दिया, जिनका जीवन ख़तरे में था। इस समाचार के लिखने के समय तक अनशन बराबर जारी था और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका अन्तिम फल क्या होगा ?

विरोध सभाएँ और जुलूस

हिजली गोली-काण्ड के सम्बन्ध में तमाम देश में सैकड़ों विरोध सभाएँ हुईं और सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई। मिदनापुर में २० सितम्बर को एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें अनेक प्रसिद्ध नेता उपस्थित थे। सभा में अनेक प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गोली-काण्ड की घोर निन्दा की गई। दुर्घटना की जाँच के लिए निष्पक्ष जाँच-कमिटी द्वारा सार्वजनिक जाँच करने को कहा गया और नज़रबन्दों की सहायता के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई।

रङ्गपुर में भी इस काण्ड के विरोध में हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए और सार्वजनिक सभा हुई। सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें गोली-काण्ड की घोर निन्दा की गई और सरदार पटेल से अनुरोध किया गया कि वह महात्मा जी को लिख दें कि आप गोलमेज़ को त्याग कर चले आवें और कॉङ्ग्रेस का कार्य करें।

देहली के क्वीन्स गार्डन में नगर-निवासियों की एक विशाल सार्वजनिक सभा हिजली गोली-काण्ड का विरोध करने के लिए की गई, जिसमें एक स्वतन्त्र जाँच-कमिटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया।

कलकत्ते में शनिवार की सभा के अतिरिक्त बाद में हाजरा पार्क, वेलिङ्गटन स्क्वायर और श्रद्धानन्द पार्क में तीन बड़ी-बड़ी सभाएँ इस काम का विरोध करने के लिए की गईं। इसके सिवाय फ़रीदपुर, नारायणगञ्ज, कुमिल्ला, जलपाईगुड़ी, बड़नगर, बागेर हाट, बोगड़ा, बर्दवान, कुस्टिया, ढाका, बाँकुरा, राजशाही, तमलुक, अजमेर आदि से भी विरोध-सभाओं की ख़बर मिली थी।

एसेम्बली में बहस

जैसे ही हिजली-काण्ड की ख़बर कलकत्ते में फैली, वहाँ के सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री० विधानराय, श्री० शरत बोस, श्री० नलिनीरञ्जन सरकार और श्री० तुलसीचरण गोस्वामी ने एसेम्बली के कई प्रमुख सदस्यों के पास तार भेजे कि इस घटना पर विचार करने के लिए एसेम्बली की कार्रवाई स्थगित की जाय। २१ सितम्बर को श्री० सत्येन्द्रचन्द्र मित्र ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया। सर जेम्स क्रेरार ने प्रस्ताव का विरोध किया, पर २५ सदस्यों के उसका समर्थक होने के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा। प्रस्ताव पेश करते हुए श्री० मित्र ने एक हृदयग्राही भाषण दिया, जिसका सारांश यह है :—

यह घटना १६वीं सितम्बर को हुई थी, लेकिन सरकार आज तक यह नहीं जान सकी कि असल बात क्या है ? यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। बङ्गाल सरकार की विज्ञप्ति में नज़रबन्दों पर यह अभियोग कहीं नहीं लगाया गया है कि उन्होंने भागने की चेष्टा की थी। अगर हम मान भी लें कि उन्होंने भागने की चेष्टा की थी, तो भी कोई उनको दोषी नहीं बतला सकता। इन लोगों को केवल सन्देह में गिरफ़्तार किया गया है और अनिश्चित काल के लिए जेल में बन्द कर दिया गया है। उनके विरुद्ध सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर उनको क़ैद रक्खा जा सके। सरकार ने इस प्रकार की नीति ऐंग्लो इण्डियन पत्रों के भड़काने से ग्रहण की है। सरकार का उद्देश्य इन लोगों को पूर्ण रीति से कुचल डालना है। पर सरकार भूल कर रही है और उसे सावधान हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की बातों से गुप्त-हत्याओं की संख्या बढ़ा करती है।

अभी कल की बात है कि एसेम्बली में गुप्त हत्याओं की निन्दा की गई थी। इसलिए आज हिजली की हत्याओं की भी निन्दा करनी चाहिए। क्योंकि गुप्त हत्याएँ सदा बुरी ही होती हैं, चाहे वे सरकार द्वारा हों और चाहे किसी बहके हुए नवयुवक द्वारा। अन्त में आपने यह भी कहा कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण जाँच करने की प्रतिज्ञा करे, तो मैं अपना प्रस्ताव उठा लूँगा।

सर जेम्स क्रेरार ने प्रस्ताव का विरोध किया और पक्ष में २८ और विपक्ष में ५८ वोट आए। फल-स्वरूप वह अस्वीकृत हो गया।

लोकमत

२६ सितम्बर को कलकत्ते के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक सभा की गई, जिसके सभापति श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। आपने हिजली-काण्ड के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि—"विशाल सार्वजनिक सभाओं में शामिल होना मेरे शरीर के लिए हानिकर है और मन भी घबरा उठता है। फिर भी मैं उन शहीदों की पुकार को अस्वीकार न कर सका, जिनकी आवाज़ उन लोगों की ख़ूनी क्रूरता के द्वारा सदा के लिए बन्द कर दी गई है, जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे।

"ऐसे आतङ्कजनक अत्याचार जब मैं लोकमत की घोर अवहेलना करके किए जाते देखता हूँ, तो मुझे निश्चय हो जाता है कि यह भी उस अधःपात का एक लक्षण है, जिसने भारत में अङ्गरेज़ी राज्य के आधार को खोखला कर दिया है। ग़रीब और असहाय लोगों को बिना कारण अपमानित और उत्पीड़ित करना उन कर्मचारियों के नैतिक पतन ही का कारण होता है, जो उनके लिए ज़िम्मेवार होते हैं।

"मैं आज यहाँ अपने देशवासियों की ओर से सरकार को यही चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि स्वतन्त्रता का दमन करने की अपनी प्रचण्ड शक्ति का उसे कितना भी अभिमान क्यों न हो, पर अपने गौरव की हानि सहन करने की शक्ति उसमें नहीं है। हमारे देशवासियों के पास अन्याय का प्रतिकार करने के भौतिक साधन भले ही न हों, पर दुनिया की कोई ताक़त उनको अपना नैतिक निर्णय सुनाने से नहीं रोक सकती, और यह निर्णय ही वह आधार है, जिस पर प्रत्येक शासन निर्भर रहता है।"

मद्रास के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक पत्र 'स्वराज्य' ने इस घटना की आलोचना करते हुए लिखा है :—

"हिजली-काण्ड की जाँच के लिए शीघ्र ही एक निरपेक्ष कमिटी नियुक्त की जाय। इस माँग की तरफ़ सरकार ने जैसा भाव प्रदर्शित किया है, वह आश्चर्यजनक है। बङ्गाल-सरकार ने एक कम्यूनिक निकाला है कि नज़रबन्दों ने पुलीस पर हमला किया था और पुलीस वालों ने आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाई थी। श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की और पत्रों में प्रकाशित कराया कि यह हमला बिना किसी प्रकार की उत्तेजना दिलाए किया गया था। सर्व-साधारण सरकार के उस जल्दबाज़ी में चन्द घण्टे बाद ही प्रकाशित किए गए बयान की बनिस्बत इसी बयान पर, जिसका समर्थन और भी अनेक बयानों से होता है, अधिक विश्वास करेंगे।

"एसेम्बली में मि० आर्थर मूर ने कहा कि यूरोपियन इन नज़रबन्द कैम्पों को "ख़तरनाक क्रान्तिकारी क्लब" समझते हैं, और सरकार को अधिकार होना चाहिए कि नज़रबन्दों को भारत से बाहर भी भेज सके। यह निन्दात्मक सम्मति तमाम भारतवासियों को अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए। एसेम्बली ने मि० मित्र के प्रस्ताव को ख़ारिज करके फिर एक बार अपनी बुद्धि-हीनता का परिचय दिया है। पर यह घटना बङ्गाल की ही नहीं, वरन् भारत की जनता को फिर से अच्छी तरह चेतावनी देती है कि वर्तमान कौन्सिलों की बहस के द्वारा किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय अन्याय का प्रतिकार नहीं हो सकता। जब तक विदेशी शासन का अन्त होकर सरकार जनता के प्रति उत्तरदाई न होगी, तब तक हिजली और चटगाँव के समान घटनाओं का होना बन्द नहीं हो सकता।"

लाहौर के 'ट्रिब्यून' ने भी इस घटना पर एक भाव-पूर्ण सम्पादकीय लेख लिखा है, जिसमें एक जगह कहा गया है :—

"यह स्पष्ट है कि न्याय-विभाग के जजों की अथवा एक ऐसी कमिटी की, जिसमें ऐसे सरकारी और ग़ैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित हों, जिनकी ईमानदारी सब पर प्रकट हो, जाँच से इस मामले में ठीक काम चल सकता है। इसी तरह जाँच की माँग मि० मित्र और उनके सहायकों ने की थी। पर सरकार ने अपने कभी पीछे न हटने वाले समर्थकों की सहायता के आधार पर, इससे ज़ोरों के साथ इन्कार किया। चटगाँव के बाद ही हिजली-काण्ड के होने से सचमुच बङ्गाल का प्याला शोक और रोष से लबालब भर गया है। अगर कलकत्ता या शिमला के विधाताओं में कुछ भी राजनीतिज्ञता है तो हम आशा करते हैं कि एक ऐसे प्रान्त को विरक्त बनाने की नीति का अन्त किया जायगा, जिसे स्वर्गीय गोखले ने अपनी पूर्ण युक्तियुक्त वाग्मिता के साथ उस समय के सरकारी अधिकारियों से सन्तुष्ट रखने को कहा था।"

* * *

महात्मा जी की लन्दन-यात्रा और उनके कार्य

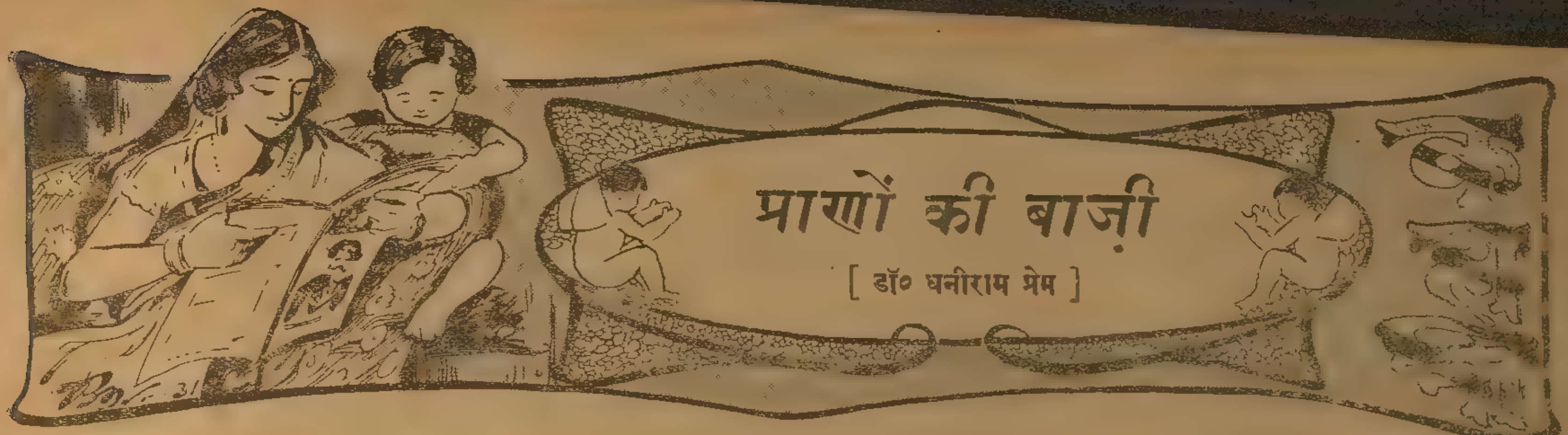
(६वें पृष्ठ का शेषांश)

उससे वे बहुत दुखित हुए हैं। उन्हें खेद है कि इस बेकारी का कुछ उत्तरदायित्व उन पर भी है। उन्हें सन्तोष इसी बात का है कि उन्होंने यह काम जान-बूझ कर नहीं किया है और इसका उद्देश्य संसार भर में बेकारों की सबसे बड़ी सेना अर्थात् भारत के करोड़ों भूखे मरने वालों को मदद पहुँचाना था। भारत की दरिद्रता को देखते हुए लङ्काशायर की दरिद्रता कुछ भी नहीं है। मैं इङ्गलैण्ड में इसी कठिनाई को हल करने का कोई मार्ग ढूँढ़ने आया हूँ। और आशा है, यहाँ मुझे सहयोग प्राप्त होगा। अगर मैं लङ्काशायर की बेकारी को मिटा सकूँ, तो इससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

महात्मा जी की स्पष्ट सम्मति

मज़दूरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉङ्ग्रेस का आन्दोलन इङ्गलैण्ड के विरोध में नहीं है, वरन् अपने देश के उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए है। गाँधी जी जब डारविन के मेयर से मिलने चले तो रास्ते में जगह-जगह कारख़ाने के मज़दूरों ने उनका स्वागत किया। गाँधी जी ने मज़दूरों और मालिकों से बातें करते हुए कहा कि भारत के लोगों की दशा अत्यन्त बुरी है और वे अवश्य ही वहाँ के गाँव वालों से अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेने को कहेंगे। यदि समानता के आधार पर राजनीतिक समझौता हो जाय तो वे अन्य देशों की अपेक्षा इङ्गलैण्ड का माल लेने का समर्थन करेंगे।

* * *



प्राणों की बाज़ी

[डॉ० घनीराम प्रेम]

कितने भयानक थे वे दिन और कितनी दिल हिलाने वाली थीं उन दिनों की घटनाएँ! यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया था। संसार में कौन प्रभुत्व प्राप्त करे, कौन सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाय, कौन समुद्रों पर अपना शासन करे, किसका व्यापार संसार में सबसे बढ़ कर हो, इन बातों का फ़ैसला करने के लिए वह युद्ध हुआ था। प्रभुत्व कितने आदमी चाहते हैं? मुट्ठी भर, जिन्हें साम्राज्य बनाने का पागलपन रहता है। शक्तिशाली कौन होना चाहता है? वह, जो दूसरों को दबाने की, दूसरों पर दमन और अत्याचारों द्वारा अपना आतङ्क जमाने की इच्छा रखता है। समुद्रों पर अपना शासन कौन जमाना चाहता है? जो राज्य-सत्ता में विश्वास करते हैं, जिनका पालन-पोषण दूसरे देशों को अपने वश में रखने से ही होता है—कुछ वणिक और कुछ पद-लोलुप। व्यापार संसार में कौन बढ़ाना चाहता है? वह पूँजीवादी, जो अपने हाथ से कोई काम नहीं करता, बल्कि अपनी पूँजी के बल पर दीन-हीन मज़दूरों का रक्त चूस कर दूसरे देशों को लूटने के लिए नाना प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करता है।

हाँ, इन मुट्ठी भर साम्राज्य-लोलुप, पूँजीवादी लोगों ने यूरोपीय युद्ध को जन्म दिया था। परन्तु पूँजी द्वारा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए चाहिए बलिदान—मनुष्यों के बलिदान, युवकों के बलिदान—उन युवकों के, जिन्होंने संसार का अभी तक ज्ञान भी नहीं किया। उन युवकों के शरीरों को, उनकी आत्माओं को, उनके मनोविचारों को यूरोप के देशों ने दो प्रकार से ख़रीदा था—रुपए से और देशभक्ति के नाम पर अपील करके।

वे युवक थे। वे जीना चाहते थे। मृत्यु को घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी वे वीर थे। वे देश को प्यार करते थे। उनके हृदय देश-सेवा के नाम पर नाच उठते थे। उनके मुख देशभक्ति के विचारों से खिल उठते थे। उन्हें सिखाया ही यह गया था। देश उनका था, वे देश के थे। देश के सङ्कट के समय उसकी सब प्रकार से सहायता करना उनका परम धर्म था। मृत्यु भी देश के भावों के सामने कोई चीज़ न थी। ये अपीलें, ये भाषण, ये उपदेश उनके मस्तिष्कों में कूट-कूट कर भर दिए गए थे—यहाँ तक कि उनका सारा मस्तिष्क इन्हीं विचारों से पूरित हो गया था, वे विचार ही उनके मस्तिष्क थे। परन्तु वे समझते न थे कि उन उपदेशों, उन भाषणों और उन अपीलों के पीछे क्या रहस्य छिपा था। कभी किसी ने उन्हें यह न बतलाया था कि देश का सङ्कट किसका सङ्कट था और देश की रक्षा किसकी रक्षा थी। न उन्हें यह पता था कि जिस देश की मूर्ति की वे पूजा करते थे, उसमें किसकी आत्मा छिपी हुई रहती थी। उन्हें यह पता न था कि देशभक्ति और स्वदेश-सेवा के नाम पर वे साम्राज्यवाद-भक्ति और पूँजीवाद-सेवा कर रहे थे।

वे ग़रीब भी थे। इतने ग़रीब कि पेट के लिए प्राणों की बाज़ी लगा सकते थे। इसीलिए और भी उनको ये अपीलें जँच जाती थीं। वे सिपाही बनते थे, शत्रु से लड़ने जाते थे, मृत्यु का आह्वान करते थे, इसीलिए कि उनके कुटुम्ब को रोटियाँ मिल जाएँ।

२

ऐरिक और रूडौल्फ़ दो भाई थे। ऐरिक छोटा था और रूडौल्फ़ बड़ा। यह भेद केवल आयु में था। वैसे दोनों का भेद इसके प्रतिकूल था। ऐरिक प्रत्येक प्रकार से बड़ा प्रतीत होता था तथा रूडौल्फ़ छोटा। पढ़ने में ऐरिक रूडौल्फ़ से आगे था। शारीरिक बल में भी रूडौल्फ़ ऐरिक का सामना नहीं कर सकता था। चरित्र में भी दोनों में बहुत अन्तर था। ऐरिक समझदार, उत्तरदायित्व जानने वाला, साहसी तथा आचरणों का बड़ा विमल था। रूडौल्फ़ में इनमें से एक भी बात नहीं थी। वह अज्ञानी, अनुत्तरदायी, डरपोक तथा काम-लोलुप था।

दोनों जर्मनी के ड्रेसडेन नगर में रहते थे। घर में एक विधवा माता के अतिरिक्त और कोई नहीं था। ज्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ और ऐरिक ने उसके विषय में सुना, त्योंही वह एक सैनिक की भाँति युद्ध में जाने की तयारी करने लगा। कभी वह काग़ज़ की सैनिकों की-सी टोपी लगाता। कभी ड्रिल करता। कभी बच्चों के खेलने की पिस्तौल में कङ्कड़ियाँ रख कर एक काग़ज़ को निशाना बना कर वह गोली चलाना सीखता। वह इनसे अधिक और कोई चीज़ न ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही निर्धन थी और वह किसी ऐसे काम के लिए कुछ भी सहायता ऐरिक को न कर सकती थी।

'माँ, माँ।' चिल्लाता हुआ एक दिन वह दौड़ा आया।

'क्या हुआ?' उसकी माँ ने पूछा।

'क्या हुआ? आज मैंने जर्मनी का युद्ध-गीत सीख लिया है।' वह प्रसन्न होता हुआ बोला, मानो एक ग्राम जीत कर लाया हो।

'किस लिए, ऐरिक?' माँ ने पूछा।

'सभी लड़के सीख रहे हैं, सभी गा रहे हैं, कितना अच्छा है, माँ! तुमने सुना है?'

'नहीं।' कह कर वृद्धा ने अपनी आँखों से छिपा कर आँसू की दो बूँदें पोंछ लीं। उसका पति एक युद्ध में ही मारा गया था।

'तो फिर सुनो, माँ!' कह कर ऐरिक झूम-झूम कर गाने लगा—

जर्मन-देश हमारा प्यारा,
प्राणों से भी हमें दुलारा।
देश हमारा, हम हैं इसके,
भला आश्रित रहते किसके?
यही स्वर्ग का, यही शान्ति का,
यही दिव्य गति का है द्वारा।
जर्मन-देश हमारा प्यारा!!

डरते-डरते माँ ने यह गीत सुना था, परन्तु फिर भी उल्लास से उसकी छाती चौड़ी हो गई। ऐरिक पर वह गर्व कर सकती थी।

अब तक रूडौल्फ़ एक ओर चुपचाप बैठा सिगरेट फूँक रहा था। उसने ऐरिक का गाना सुना। उसने माँ की छाती को फूलते हुए देखा। ईर्ष्या हो गई उसे। और ईर्ष्या का बदला होता है—बुराई। वह धीरे-धीरे उधर ही खिसक आया, जिधर ऐरिक खड़ा माता से बातें कर रहा था।

'कौन सा गीत गाया था, ऐरिक?' उसने उपहास के साथ कहा।

'युद्ध-गीत।' ऐरिक ने उत्तर दिया।

'युद्ध-गीत! ऐसे सैकड़ों गाने वे पुरुष-स्त्री गाते रहते हैं, जो सड़कों पर बाजा बजा कर भीख माँगते फिरते हैं।'

'फिर मत कहना ऐसा, रूडौल्फ़!'

'क्यों?'

'क्योंकि यह जर्मनी का युद्ध-गीत है और तुम उसका अपमान करते हो।'

'अपमान! मैं तो फिर ऐसा कहूँगा।'

'कहोगे?'

'हाँ।'

'कहो।'

रूडौल्फ़ कहना चाहता ही था कि ऐरिक ने उसको एक घूँसा दिया। वह धीरे-धीरे जैसा आया था, वैसा ही चला गया।

'ऐरिक, बड़े भाई के साथ यह व्यवहार?' माँ ने पूछा।

'भाई? जो आदमी राष्ट्रीय गान का अपमान करे, वह भाई?'

'तुममें युद्ध के ये भाव क्यों भरे हैं, बेटा?'

'अभी क्या है, माँ! मेरे पास यूनीफ़ॉर्म नहीं है। नहीं तो मैं पक्का सिपाही बन कर तुम्हें दिखा देता।'

'क्या करूँ, बेटा, मेरे पास पैसा नहीं, नहीं तो तुम्हारे लिए एक वर्दी बनवा देती।'

'इसीसे तो कहता हूँ, माँ, कि मुझे युद्ध में चला जाने दो। वहाँ से जो रुपया कमा कर लाऊँगा, उससे तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी।'

'युद्ध में न जाओ, बेटा!'

'क्यों, माँ, डरती हो?'

'नहीं, बेटा, डरती नहीं।'

'फिर?'

'पहिले एक बलिदान दे चुकी हूँ, पुत्र! अब देती ही रहूँ? रूडौल्फ़ किसी काम का नहीं। तुम्हीं पर मेरी सारी आशाएँ हैं। यदि तुम.........।'

माँ बेटे की ओर देखने लगी। उसका मुख बन्द हो गया। उसके नेत्रों में आँसू भर आए।

'इस विषय को अब न छेड़ूँगा, माँ, मैं समझता हूँ।' कह कर ऐरिक बाहर चला गया।

३

युद्ध चला जा रहा था, उस दावानल की भाँति जो सदा धाँय-धाँय करती हुई वनों को नष्ट करती फिरती है, उस सर्वभक्षी राक्षस की भाँति, जो अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पदार्थ को खाता जाता है और फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती है। लाखों प्राणियों की आहुतियाँ दी जा चुकी थीं, सैकड़ों ग्राम और नगर गोला-बारी से नष्ट कर दिए गए थे, सैकड़ों ही आहत सिपाही अस्पतालों में पड़े-पड़े अपने क्रन्दन से आकाश को भी हिला रहे थे; परन्तु युद्ध चला जा रहा था।

लोगों के पास रुपया रह न गया था। भोजन की सामग्री मिलना कठिन हो गया था, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे। बच्चे भूखों छटपटाते थे, वृद्ध भूख से चिल्लाते थे, नवयुवक और नवयुवतियाँ कहते कुछ न थे, परन्तु वे भी क्षुधा से अधमरे हो गए थे। परन्तु फिर भी युद्ध चला जा रहा था। न वह उन बच्चों के आर्तनाद की परवाह करता था, न वह उन वृद्धों के रुदन की। और न उसे उन युवकों और युवतियों के ऊपर ही दया आती थी। वह चला जा रहा था—इन विपत्तियों पर मुस्कुराता हुआ, रक्त की होली मनाता हुआ, शवों और टूटे-फूटे देह के अवयवों से खप्पर भरता हुआ।

युद्ध चला जा रहा था। इसलिए नहीं कि इन निर्धनों को धन मिल जाय, या भूखों को रोटी मयस्सर हो जाय। इसलिए कि सम्राटों की और सेनापतियों की रक्त की प्यास बुझ जाय, उनके हृदयों में युद्ध की जो अग्नि दहक रही थी, वह शान्त हो जाय। और यह सब कुछ किया जा रहा था विश्व में शान्ति फैलाने के लिए, निर्बलों को सबलों से बचाने के लिए, सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए। युद्ध चल रहा था—परन्तु निर्धनों के लिए उसका कोई और कारण था, और धनिकों तथा शक्ति-सम्पन्नों के लिए कोई और।

फ़्रान्स की सरहद पर 'वर्दून' नामक एक छोटा-सा नगर है। युद्ध के पूर्व उसे बहुत कम लोग जानते थे। परन्तु आज वह संसार-प्रसिद्ध है। वहाँ के भग्नावशेष अब भी जर्मनों की गोला-बारी की स्मृति दिला देते हैं।

उन दिनों 'वर्दून' पर जर्मन सेना वार कर रही थी। वर्दून के ऊपर जर्मनी की विजय का बहुत कुछ दारोमदार था। वर्दून लिया और जर्मनी के पैर फ़्रान्स में जमे। जर्मन सेना के प्रमुखों को बड़ी आशाएँ थीं। उन्होंने बड़े परिश्रम से नक़्शे बनवाए थे। प्रत्येक बात का और प्रत्येक भेद का पता उन्होंने अपने ख़ुफ़िया पुलिस के अफ़सरों से लगवाया था। इधर फ़्रान्स भी तैयार हो रहा था, उसके भी जीवन और मरण का प्रश्न वर्दून बना हुआ था। कुछ लोग तो पैरिस पर गोला-बारी होने के स्वप्न देखा करते थे, और यह स्वप्न देखना उनके लिए न्याय्य ही था, क्योंकि जिस प्रगति से जर्मनी विजय की दुन्दुभि बजाता हुआ फ़्रान्स की ओर रणाङ्गण में लोहा लेने के लिए आ रहा था, उससे तो यही प्रतीत होता था कि जर्मनी के लिए कुछ भी असम्भव न था।

परन्तु होना कुछ और ही था। जर्मनी के सारे मन्सूबे फ़ेल हो गए। जो कुछ इन्होंने सोचा था, वह कुछ भी न किया जा सका। फ़्रान्सीसियों ने लोहा लिया और ऐसा लिया कि जर्मनी को पीछे हटना ही पड़ा। वर्दून पर चढ़ाई की, परन्तु वर्दून हाथ में न आया।

इस पराजय ने सारे देश में आग-सी फूँक दी। देश के नाम पर उन छोटे-छोटे युवकों से अपील की जाने लगी, जिन्हें अल्पवयस्क कह कर पहले छोड़ दिया गया था। स्त्रियाँ, नवयुवतियाँ तथा वृद्धा, बाहर निकल-निकल कर इन नवयुवकों को उत्तेजित करने लगीं। कुछ देश-भक्ति की शिक्षा देती थीं, कुछ रुपए का लोभ दिलाती थीं, कुछ आगे न बढ़ने वालों को शर्म दिलाती थीं, कुछ अपने सौन्दर्य के आकर्षण से नवयुवकों को भर्ती होने पर राज़ी कर लेती थीं।

ऐरिक बाज़ार में होकर निकल रहा था। सामने युवकों का झुण्ड खड़ा था। पूछने पर उसे पता चला कि एक महिला वहाँ भर्ती होने के लिए व्याख्यान देगी। ऐरिक खड़ा हो गया। उसने व्याख्यान सुना। उसकी आत्मा विद्रोह करने लगी। क्या वह उस महिला से भी निकृष्ट था, जो इस प्रकार घर में बैठा था, जब कि उसके देश को सैनिकों की आवश्यकता थी। उसके मन में अपने से स्वयम् ही ग्लानि होने लगी। उसकी इच्छा हुई कि जाकर सैनिकों में अपना नाम लिखा दे। परन्तु फिर उसे माँ का ध्यान आया। उसके सारे हौसले ठण्डे पड़ गए। उससे यह न हो सकेगा, इसलिए वह निराश होकर घर की ओर चलने लगा। चलते-चलते उसे सिपाहियों का बिगुल सुन पड़ा। उसे विदित होने लगा कि वही महिला खड़ी उसे व्याख्यान सुना रही है। वह लौट पड़ा। परन्तु फिर उसे माँ का ध्यान आ गया। उसे दीख पड़ा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी उसकी ओर हाथ पसारे कह रही है—तेरा यह स्थान है, मेरे पुत्र! इधर आ!

वह इसी द्विविधा में पड़ गया कि क्या करे। वह खड़ा सोच रहा था कि एक घर का द्वार खुला। उसमें से एक युवक निकला। युवक की आयु ऐरिक की आयु से अधिक न थी। वह प्रसन्न था। वह नीचे उतर आया। द्वार पर एक वृद्धा खड़ी हो गई, वह उसकी माँ थी।

'आशीर्वाद दो, माँ, कि मैं देश की सेवा दृढ़ता से कर सकूँ।' युवक ने कहा।

'जा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है। भगवान तुझे बलिदान की शक्ति देगा।' उसकी माँ ने कहा। आँसू नहीं थे उसकी आँखों में। सिसकियाँ नहीं भर रही थी वह। वह प्रसन्न थी।

ऐरिक ने यह देखा। आँखें मलीं और फिर यह दृश्य देखा। वह चकित रह गया। क्या माताएँ इस प्रकार, प्रसन्नता से, हँसते हुए, अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेज रही हैं? उसका साहस बढ़ गया। क्या उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकेगी? उसे विश्वास हो गया कि वह अवश्य कर सकेगी। उसके मुख पर भी मुसुकान की एक झलक दौड़ गई। वह लौटा और सीधा अफ़सर के पास पहुँचा। कुछ देर ही में उसके हाथ में सर्टीफ़िकेट और सैनिक की वर्दी थी। अब वह जर्मनी की सेना का एक सैनिक था। उसका हृदय बड़े वेग से धड़कने लगा। उसे पसीना आ गया, परन्तु उसने कुछ भी चिन्ता न की। दौड़ता हुआ वह माँ को यह समाचार सुनाने गया!

माँ भीतर बैठी हुई ऐरिक की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सुना, ऐरिक गाता हुआ गली में आ रहा था—

जर्मन देश हमारा प्यारा,
प्राणों से भी हमें दुलारा।
देश हमारा हम हैं उसके,
भला आश्रित रहते किसके?

गाता हुआ वह भीतर आ गया।

'ऐरिक?' माँ ने पुकारा।

ऐरिक ने कोई उत्तर न दिया। वह गाने में मस्त था—

यही स्वर्ग का, यही शान्ति का
यही दिव्य-गति का है द्वारा।
जर्मन देश हमारा प्यारा!
प्राणों से भी हमें दुलारा!

'ऐरिक!' माँ ने फिर पुकारा।

'माँ!' ऐरिक ने गाना बन्द करके उत्तर दिया।

'यह आज क्या देख रही हूँ?' माँ ने उसकी वर्दी की ओर इशारा करके पूछा।

'यहाँ?'—ऐरिक ने वर्दी को छूकर कहा।

'हाँ!'

'वर्दी!'

'कैसी?'

'फ़ौजी!'

'फ़ौजी! यह तो मैं जानती हूँ। परन्तु लाए कहाँ से?'

'दफ़्तर से।'

'भर्ती के दफ़्तर से?'

'हाँ!'

'तो क्या ...... ?' माँ इतना ही कह कर ऐरिक की ओर देखने लगी।

'हाँ, माँ, मैं अब एक सैनिक हूँ।' बड़ी शान्ति से और बड़ी गम्भीरता से ऐरिक ने अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहा।

'मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, ऐरिक! इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। आग जल रही है, उसके लिए जहाँ से भी हो सकेगा ईंधन आएगा ही!'

'क्या अप्रसन्न हो माँ?'

'अब क्या होगा?'

'वर्दी वापस कर दूँगा।'

'अपने बाप के बेटे होकर?'

ऐरिक ने अपनी माँ की ओर देखा। जो कुछ वह देख रहा था, उस पर उसे विश्वास न हुआ। यह वह माता नहीं थी। यह कोई दूसरी माता थी। इसमें और उसमें कितना अन्तर था। उसके नेत्र देख कर ऐरिक यह समझ जाता था कि वह युद्ध में न जा सकेगा। इसके नेत्र देख कर ऐरिक को ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो माँ उसे युद्ध-क्षेत्र में जाने की आज्ञा दे रही थी। माँ की आकृति पर विकार न था। वह प्रसन्न थी।

'माँ!' ऐरिक चिल्लाया।

'बेटा!' माँ ने ऐरिक को हृदय से लगा लिया।

'मैंने जो तुम्हारे नेत्रों में पढ़ा है वह सच है?'

'सच है, ऐरिक!'

'मैं वर्दी न लौटाऊँ?'

'अब? नहीं। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि जाकर युद्ध-क्षेत्र में लड़ो और देश की विजय के लिए प्रयत्न करो।'

'ओह, माँ!' कह कर ऐरिक माँ से लिपट गया। माँ के नेत्रों से दो आँसू बहना चाहते थे, परन्तु वह उन्हें पी गई।

माँ ने एक बार बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने एक बार माँ की ओर देखा। वह चलने लगा। इतने ही में रूडौल्फ़ ने पुकारा—

'ठहरो, ऐरिक!'

ऐरिक ठहर गया। माँ भी चकित होकर देखने लगी।

'युद्ध में जा रहे हो?'

'हाँ।'

'मैं भी चलूँगा।'

'युद्ध-क्षेत्र में?'

'क्यों नहीं? तुम ही अपने बाप के बेटे हो? मैं नहीं हूँ? क्या मैं नहीं लड़ सकता? वीरता का और विजय का पुरस्कार एक ही भाई को मिले, यह कैसे हो सकता है?'

माँ आगे आ गई।

'रूडौल्फ़!' उसने पुकारा।

'क्यों, माँ?'

'जानते हो, तुम क्या कर रहे हो?'

'युद्ध में जा रहा हूँ।'

'वहाँ पुरस्कार नहीं होता, बलिदान चढ़ाना पड़ता है।'

'बलिदान भी दोनों भाई चढ़ाएँगे।'

'डर कर कोई ऐसा काम न कर बैठना, जिससे देश के नाम पर कलङ्क का टीका लग जाय।'

'ऐरिक से ऐसा क्यों नहीं पूछा?'

'ऐरिक वीर है।'

'रूडौल्फ़ भी वीर है, देख लेना।'

'अच्छा दोनों भाई फिर मिल कर युद्ध का गाना गा दो। आज मेरे हर्ष का वारापार नहीं है।'

रूडौल्फ़ और ऐरिक गाने लगे—

जर्मन देश हमारा प्यारा,
प्राणों से भी हमें दुलारा !
देश हमारा, हम हैं इसके,
भला आश्रित रहते किसके ?
यही स्वर्ग का, यही शान्ति का,
यही दिव्य-गति का है द्वारा।
जर्मन देश हमारा प्यारा,
प्राणों से भी हमें दुलारा !!

४

'वर्दून', 'वर्दून' !

इसी शब्द की रट जर्मन सेनाएँ लगा रही थीं। सब की जिह्वा पर यही शब्द था। सबको एक परास्त बहुत अखर रही थी और इसी लिए वे इस बात का उद्योग कर रहे थे कि दूसरा आक्रमण अवश्य ही सफल हो। उन्होंने कई जासूस शत्रु के भेदों का पता लगाने के लिए भेजे थे, परन्तु कुछ तो उनमें से लौट कर ही न आए। उन्हें शत्रु ने गिरफ़्तार कर लिया। और जो लौट कर आए, वे जैसे गए थे, वैसे ही लौट कर आए। उनको कोई ऐसे भेद विदित न हो सके, जिनसे सेनानायक का कोई कार्य सिद्ध हो सके। इस प्रकार अनेकों नवयुवकों को खोकर सेनानायक घबरा रहा था। उसने वायुयानों के द्वारा ही अधिक काम लेना निश्चित किया। निश्चय होते ही उसने अधिक सेना के लिए लिख दिया, जिसमें वायुयानों के चलाने वाले सैनिक ही हों। सैनिक आ गए। उन्हीं में ऐरिक और रूडौल्फ़ थे। दोनों ने कुछ ही सप्ताह में वायुयानों का चलाना भली भाँति सीख लिया था। ऐरिक तो साहसपूर्वक काम कर ही रहा था, रूडौल्फ़ ने भी काम सीखने में तत्परता दिखाई थी। परन्तु अभी उसने मोरचा नहीं देखा था। अभी उसने प्राणों की बाज़ी लगते नहीं देखी थी।

इन्हीं नवागन्तुक नवयुवकों को वायु में युद्ध करने की आज्ञा हुई। वायु में दिन भर रहना, शत्रु के जासूसों की चालों का पता रखना और आक्रमण के लिए उपयुक्त अवसर की खोज करना ही इनका काम था। वह अवसर आ गया।

सेनानायक अपने शिविर में बैठा था। ऐरिक ने प्रवेश किया।

'क्या है ?'

'बहुत आवश्यक सूचना, श्रीमान !'

'कहो।'

'हम लोगों ने फ़्रान्स का एक वायुयान गिरा दिया है।'

नायक कुर्सी पर उछल पड़ा !

'इतने महीनों में एक यही हर्ष का समाचार मैंने सुना है !' उसने प्रसन्न होकर कहा।

'वायुयान के साथ ही एक फ़्रान्सीसी जासूसी भी पकड़ा गया है।'

'चलो, मैं देखना चाहता हूँ।'

नायक ने आकर देखा। वायुयान को अधिक क्षति नहीं हुई थी। फ़्रान्सीसी झण्डा उस पर अब भी लगा हुआ था। उसका नाम भी बड़े-बड़े अक्षरों में एक ओर लिखा हुआ था। जासूस बेहोश था। उसकी तलाशी लेने पर जो काग़ज़ निकले, उनमें से एक को देख कर नायक प्रसन्न हो गया।

'प्लान !' वह चिल्ला उठा। ऐरिक सामने बढ़ा।

'देखो, यह फ़्रान्सीसी मोरचे का प्लान है। यह देखो, इस स्थान पर इनके गोला-बारूद रहते हैं। मैं एक बात सोच रहा हूँ।'

नायक मुख में उँगली चबाता हुआ और दूसरे सर से अपनी गञ्जी खोपड़ी खुजलाता हुआ सोचने लगा। वायुयान-सेना के सारे सैनिक, जो उसके चारों ओर खड़े थे, और आगे बढ़ आए।

'यह हमारे लिए एक स्वर्णावसर है। यदि इस अवसर से हमने पूरा लाभ उठा लिया तो फिर निश्चय ही हमारी विजय है। सब सुन रहे हो ?'

'जी हाँ।' सारे सैनिक एक स्वर में बोले।

'मैं तुममें से एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, जो इस फ़्रान्सीसी यान पर चढ़ कर फ़्रान्स की सेना के मोरचे के ऊपर उड़े। फ़्रान्सीसी यान होने के कारण वह पहचाना न जायगा। जब वह गोला-बारूद के गोदाम के ऊपर पहुँचे तो, बस, ऊपर से कुछ बम गिरा कर उसे ध्वंस कर दे। इस प्रकार शत्रु को निकम्मा करके हम शीघ्र ही वर्दून पर आक्रमण कर सकते हैं और पिछली पराजय का बदला ले सकते हैं।'

सारे सैनिक स्तब्ध खड़े रहे।

'कौन तुममें से जाने को तैयार है ?' नायक ने पूछा।

'मैं' कह कर कई सैनिक आगे आ गए। उनमें ऐरिक भी था और रूडौल्फ़ भी।

'मैं केवल एक व्यक्ति चाहता हूँ। और सब पीछे हट जाओ।'

कोई पीछे न हटा।

'तुममें से किसी को भी अपने प्राणों का मोह नहीं है ?'

'नहीं।' सबने कहा।

'सोच लो, यह काम सरल नहीं है। जो व्यक्ति जाएगा, उसको प्राणों की बाज़ी लगानी पड़ेगी। इधर या उधर। सम्भव है कि वह बच कर निकल आवे। और उससे भी अधिक सम्भव है कि वह शत्रु द्वारा पकड़ा जावे या जलते हुए वायुयान की भेंट चढ़ जावे। मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, जो बड़े दृढ़ हृदय का, बड़े उज्ज्वल चरित्र का और लोहा-सरीखे साहस का हो। कौन है वह ?'

इसका उत्तर भी सबने दिया।

'अच्छा, मैं अपना मुख दूसरी ओर किए लेता हूँ। तुम सब लाइन बना कर खड़े हो जाओ। मैं जिस नम्बर को पुकारूँ, वही व्यक्ति इस काम के लिए जा सकेगा।'

सब लाइन बाँध कर खड़े होगए। सब बड़ी उत्सुकता से नायक का शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही एक अवसर था, जब वे अपनी-अपनी परीक्षा नायक को दे सकते थे। उनमें से प्रत्येक यह दिखाना चाहता था कि उसी में सारा साहस, सारी वीरता और सारा रण-कौशल भरा पड़ा था। यह आकांक्षा थी, जो उन्हें इतने बड़े बलिदान के लिए तयार कर सकी थी। प्राणों की बाज़ी ! परन्तु इसकी किसे परवाह थी ?

'नम्बर पाँच !' नायक ने कहा। रूडौल्फ़ सामने आ गया। उसी का नम्बर पाँच था।

'रूडौल्फ़' नायक ने पास आकर कहा।

'श्रीमन्'

'तुम बड़े भाग्यशाली हो।'

'आपकी दया है।'

'कर सकोगे ?'

'अवश्य !'

नायक रूडौल्फ़ से हाथ मिलाना चाहता था कि ऐरिक सामने आगया।

'क्या चाहते हो, ऐरिक ?' नायक ने पूछा।

'एक प्रार्थना है, परन्तु अकेले में ही कर सकता हूँ।'

एकान्त में जाकर नायक ने पूछा—क्या कहते थे, ऐरिक ?

'श्रीमान की मुझ पर अब तक बड़ी दया रही है। मैं अब यह प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान उसी प्रकार मुझ पर विश्वास करें।'

'कहो।'

'रूडौल्फ़ को न भेज कर मुझे भेज दीजिए !'

'क्यों ?'

'यह न पूछिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए !'

'यह नहीं हो सकता।'

'यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है।'

'मुझे दुःख है, ऐरिक ! मैं अपना अन्तिम निर्णय कर चुका हूँ।'

'आप फिर पछताएँगे !'

'क्यों ?'

'रूडौल्फ़ से यह काम न हो सकेगा।'

'क्यों ?'

'रूडौल्फ़ में इतना साहस नहीं है। वह विपत्तियों के सामने ठहर नहीं सकता। मुझे भय है कि पकड़ा जाने पर कहीं हमारे भेद वह शत्रु को न बता दे।'

'तुम यह किस प्रकार कह सकते हो ?'

'रूडौल्फ़ मेरा भाई है।'

'तुम्हारा भाई ?'

'जी हाँ।'

नायक कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। फिर बोला—फिर भी, ऐरिक, मैं निर्णय को बदल नहीं सकता। रूडौल्फ़ को जाने दो। शायद युद्ध के वातावरण ने उसमें परिवर्तन कर दिया हो।

ऐरिक कुछ देर तक निश्चल खड़ा रहा। फिर बोला—तो, एक दूसरी प्रार्थना ही स्वीकार कर लीजिए।

'क्या ?'

'मुझे भी भाई के साथ जाने दीजिए।'

'ऐरिक !' नायक ने आश्चर्य के साथ कहा।

'जी।'

'तुम समझते हो कि इस प्रकार, एक साथ ही, तुम दोनों भाइयों को प्राणों की बाज़ी लगानी पड़ेगी।'

'यही मैं चाहता हूँ।'

'तुम्हारे घर पर कोई नहीं ?'

ऐरिक के सामने माँ की मूर्ति आ गई। उसके मन में आया कि कह दे कि 'माँ है।' परन्तु जब उसने सामने आने वाले कार्य का विचार किया तो उसका विचार बदल गया। सत्य बोल कर माँ का विचार करे, या झूठ बोल कर देश का कार्य करे ? उसने देश की सेवा को ही आगे रक्खा।

'कोई नहीं।' उसने हृदय दृढ़ बना कर उत्तर दिया।

'अच्छा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगा।'

'धन्यवाद !' ऐरिक ने प्रसन्न होकर कहा।

'ईश्वर तुम्हें सफल करे !' कह कर नायक ने हाथ मिलाए।

* * *

दोनों भाई उस वायुयान को लेकर उड़ चले। मार्ग में उन्हें कोई बाधा न हुई। फ़्रान्सीसी यान होने के कारण फ़्रान्सीसी सेना में किसी ने उस पर ध्यान न दिया। सब समझते थे कि किसी बड़े अफ़सर का गुप्त-चर उस यान में था। किसी को यह आशङ्का हो ही कैसे सकती थी कि उसमें शत्रु के दो सैनिक बैठे थे, जो उन्हीं का सर्वनाश करने जा रहे थे। गोला-बारूद का गोदाम आते ही दोनों भाई सँभल गए। कुछ देर बाद—

एक !

दो !!

तीन !!!

चार !!!!

बमों की वर्षा होने लगी। साधारण बम नहीं थे, एक के गिरते ही इमारत का एक हिस्सा उड़ गया। दूसरे ने एक नीचे खड़ी हुई लॉरी को चकनाचूर कर डाला। कारख़ाने में काम करने वाले उसी प्रकार भुनने लगे, जिस प्रकार चने भाड़ में भुनते हैं। ऊपर से अग्नि बरस रही थी, उधर कारख़ाने के गोला-बारूद नीचे से अग्नि उगल रहे थे। कुछ समय तक निःशङ्क ऐरिक ने बम-वर्षा की, परन्तु इससे सारी फ़्रान्सीसी सेना में तहलका मच गया। वायुयान ऊपर को उड़ाए गए। जीवित या मृत, किसी प्रकार इन जर्मन उड़ाकों को उन्हें पकड़ना था और था इस बात का पता लगाना कि किस प्रकार उनका जहाज़ इन लोगों के हाथों में आ गया। ऐरिक बड़ा अच्छा उड़ाका था और अपनी रक्षा के लिए वह चारों ओर घिरे हुए फ़्रान्सीसी वायुयानों पर गोलों की वर्षा कर रहा था। कई आक्रमण उसने निष्फल कर दिए। सारे यानों के सामने अकेला डटा रहा। परन्तु कब तक इस प्रकार चला चलता। उसकी शक्ति घटने लगी, उधर रूडौल्फ़ भी शिथिल होने लगा। इतने ही में एक फ़्रान्सीसी यान से आई हुई एक गोली पैट्रौल के टैङ्क में आकर लगी। फक से आग लग गई और क्षण भर में वह वायुयान ऐरिक और रूडौल्फ़ के साथ फ़्रान्सीसी सेना के शिविर में, पृथ्वी पर गिर पड़ा।

५

ऐरिक और रूडौल्फ़, दोनों, मृत्यु से बच गए थे। परन्तु दूसरी मृत्यु उनके सामने थी। उन्हें फ़्रान्सीसी अफ़सर का सामना करना पड़ रहा था। अफ़सर अधेड़ आयु का था, लम्बी-लम्बी मूँछें थीं, और लम्बी-सी ही दाढ़ी। आकृति बड़ी भयानक विदित होती थी। देखते ही ऐसा प्रतीत होता था, मानों किसी जेल से भगा हुआ कोई अपराधी हो।

'यदि तुम यह बतला दो कि यह वायुयान तुम्हें किस प्रकार मिला तो तुम्हें कोई सज़ा न दी जायगी।' अफ़सर ने ऐरिक की ओर देख कर कहा।

'हम कुछ भी न बताएँगे।'

'कुछ भी नहीं?'

'नहीं।'

'अच्छा, तुम कुछ देर विचार कर लो।'

'हमने कह दिया कि हम कुछ भी नहीं बतलाएँगे। तुम्हारी इच्छा हो, सो करो।'

'तुम हठ कर रहे हो।'

'यही सही।'

'जानते हो कि तुम्हें तुम्हारे अपराध का क्या दण्ड मिल सकता है?'

'और क्या होगा, हम लोग युद्ध के क़ैदी बना दिए जाएँगे।' रूडौल्फ़ ने कहा।

'नहीं, इससे भी अधिक।'

'क्या?'—रूडौल्फ़ ने पूछा।

'कोर्टमार्शल!'

'कोर्टमार्शल!' रूडौल्फ़ ने कुछ घबरा कर पूछा।

'कोर्टमार्शल, जिसकी अदालत में तुम्हें प्राण-दण्ड की सज़ा भी हो सकती है।'

'ऐरिक!'—कह कर रूडौल्फ़ ने ऐरिक की ओर देखा। ऐरिक ने उसकी ओर बिल्कुल भी न देखा और अफ़सर से कहने लगा—'हम मृत्यु से नहीं डरते।'

'सोच लो, यदि तुम अपनी सेना का कोई अन्य भेद ही बता दोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जायगी और तुम्हारे देशवासियों में से किसी को इसका पता भी न होगा।'—अफ़सर ने कहा।

ऐरिक को क्रोध आगया। तमतमा कर बोला—बस, बहुत सुन लिया। ख़बरदार, अब हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव न रखना। हम तैयार हैं, यदि तुम्हें हमारे लिए कोई दण्ड देना है। नहीं तो हमें हमारी कोठरी में छोड़ आओ।

दोनों कोठरी में बन्द कर दिए गए। पास ही एक खिड़की थी, जिससे बाहर का सारा दृश्य दीखता था। कुछ बन्दूकें खनकने का शब्द हुआ। रूडौल्फ़ खिड़की की ओर गया और एक साथ चीख़ कर बोला—'ऐरिक, देख तो यह क्या हो रहा है?' एक सैनिक को कोर्टमार्शल द्वारा प्राण-दण्ड की सज़ा दी गई थी। वह एक ओर एक खम्भे से बँधा हुआ था। उसके हाथ-पैर खम्भे से बँधे थे। उसके नेत्रों पर एक पट्टी बँधी हुई थी। उसके सामने, उससे कुछ दूर, कई सैनिक बन्दूकें उसकी ओर ताने खड़े थे। ऐरिक उधर आया। उसने यह सब कुछ देखा।

'यह क्या है, ऐरिक?'

'कोर्टमार्शल।'

'यह?'

'हाँ!'

'अब इस पर सब वार करेंगे?'

'हाँ!'

'हे भगवान! कैसी दारुण व्यवस्था है। मैं नहीं जानता था कि युद्ध में मनुष्य को ऐसे दृश्य भी देखने पड़ेंगे।'—रूडौल्फ़ बोला। ऐरिक चुप खड़ा रहा। वह कुछ सोच रहा था।

दन्! दन्!! दन्!!! गोलियाँ चलीं।

रूडौल्फ़ ने खिड़की से देखा, वह सिपाही मर गया था। उसकी गर्दन झुक गई थी, उसका शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था। वह उस दृश्य को देख न सका।

'ऐरिक, क्या होगा?'

'कोर्टमार्शल।'

'इसी प्रकार?'

'हाँ!'

'और इसी प्रकार हम मार डाले जाएँगे?'

'हाँ!'

रूडौल्फ़ उत्तेजित हो उठा। उसके मन में एक अशान्तिमय भीषण युद्ध हो रहा था। चारों ओर उसको कोर्टमार्शल के दृश्य दिखाई दे रहे थे। वह एक ओर बैठ गया, परन्तु उसे चैन न पड़ा। वह फिर उठ खड़ा हुआ और ऐरिक के पास आकर बोला—इस प्रकार मरेंगे? नहीं, ऐरिक, इस प्रकार कुत्तों की भाँति मैं नहीं मर सकता!

'और क्या करोगे?'

'जो कुछ भी हो सके।'

'देश के साथ विश्वासघात!'

'हाँ!'

'हाँ?'

'किसका देश? किसके साथ विश्वासघात? एक मुट्ठीभर आदमियों का देश, एक मुट्ठीभर आदमियों के साथ विश्वासघात। मैं मरूँ उन मुट्ठीभर आदमियों के लिए? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। मैं क्यों मरूँ? मैं अभी युवक हूँ! मैं नहीं मरूँगा, चाहे भेद बताना पड़े।'

वह रोने लगा। ऐरिक उसे जानता था। उसने छेड़ना ठीक न समझा। उसने दूसरा ही उपाय मन में सोच लिया। कुछ देर बाद ही ऐरिक उसके पास गया और बोला—रूडौल्फ़! तुम ठीक कहते थे। मैं भी मरना नहीं चाहता। सब भेद बता कर जीवन छूटता है, इससे सरल और कौन बात है?

'तो तुम भेद बताओगे?' रूडौल्फ़ ने पूछा।

'हाँ, परन्तु अकेला, अफ़सर के दफ़्तर में।'

'अच्छा!'

* * *

'तो तुम भेद बताने के लिए तैयार हो?'—अफ़सर ने ऐरिक से पूछा।

'हाँ, परन्तु एक बात है!'

'क्या?'

'मेरा साथी मुझसे सहमत नहीं है। यदि वह छूट कर कभी जर्मनी पहुँचा तो मेरा सारा भेद खुल जायगा।'

'हम उसे कोर्टमार्शल करके मरवा देंगे!'

'नहीं।'

'फिर?'

'मैं उससे स्वयं निपटना चाहता हूँ!'

'मुझसे क्या चाहते हो?'

'एक पिस्तौल।'

'गोली एक ही मिलेगी।'

'अच्छा।'

पिस्तौल जेब में छिपा कर ऐरिक कोठरी में आया।

'भेद बता दिया?'—रूडौल्फ़ ने पूछा।

'नहीं।'

'क्यों?'

'मैंने अपना विचार बदल दिया है।'

'परन्तु मैं......'

'तुम्हें भी बदलना होगा।'

'परन्तु मैं नहीं बदलना चाहता।'

'बदलना होगा।'

'नहीं बदलूँगा!'—कहकर रूडौल्फ़ ने द्वार खोलना चाहा। पीछे से ऐरिक ने पिस्तौल का घोड़ा दबाया और गोली दन से रूडौल्फ़ की छाती को पार कर गई। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐरिक की आँखों से आँसू बहने लगे। उसने रूडौल्फ़ का शिर गोद में उठा कर कहा—भाई!

रूडौल्फ़ ने आँखें खोलीं।

'रोओ मत, ऐरिक! देश को बचाने का, उसके विश्वास को पूरा करने का एक यही उपाय था। तुम भी भेद मत बताना।'

उसकी आँखें फिर बन्द हो गईं, इस बार सदा के लिए। ऐरिक ने उसका शिर नीचे रख दिया। वह जब उठा तो सामने अफ़सर खड़ा था।

'अब बताओगे भेद?'

'बताऊँगा? सुना नहीं, मेरे भाई ने क्या कहा था?'

'भाई?'

'हाँ, मैं पिस्तौल अपने भाई को मारने के लिए लाया था, क्योंकि वह तुम्हें भेद बताना चाहता था। मैं तुम्हें एक भी बात न बताऊँगा। मैं तैयार हूँ कोर्टमार्शल के लिए।'"

अफ़सर चकित हुआ खड़ा रहा।

* * *

कोर्टमार्शल की तैयारी हो रही थी। सैनिक लोग अपनी-अपनी बन्दूकें लेकर लाइन में खड़े हो गए थे। परन्तु ऐरिक गा रहा था—

जर्मन देश हमारा प्यारा,
प्राणों से भी हमें दुलारा!
देश हमारा, हम हैं इसके,
भला आश्रित रहते किसके?
यही स्वर्ग का, यही शान्ति का,
यही दिव्य-गति का है द्वारा।
जर्मन देश हमारा प्या.........!

गाना बीच ही में बन्द हो गया। ऐरिक की छाती में गोलियाँ छेदी जा रही थीं।

* * *

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

विद्यार्थियों का होस्टल-जीवन

देश का चिन्तन कब करें ?

[१]



८॥ बजे सुबह (चाय)

[२]



९॥ बजे सुबह (हजामत)

[३]



१०॥ बजे (शृङ्गार)

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

[४]



कॉलेज से भाग कर २ बजे ! (मनोरञ्जन)

[५]



४ बजे शाम (टेनिस)

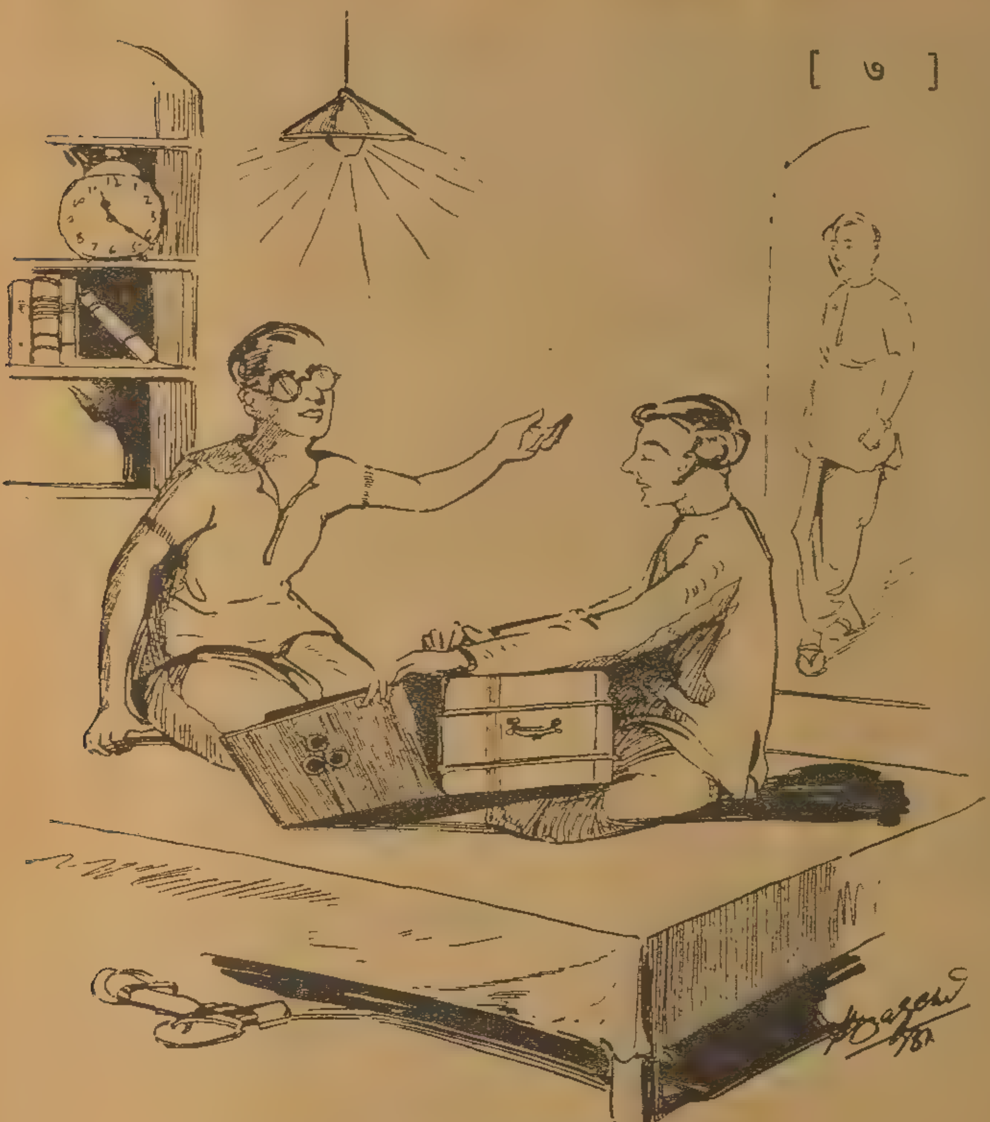
[६]



६।। बजे शाम (बाइस्कोप)

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

[७]



११॥ बजे रात (रिक्रिऐशन)

उन्हें शौक़े-इबादत भी है और गाने की आदत भी,
निकलती हैं दुआएँ उनके मुँह से ठुमरियाँ होकर !

—(महाकवि) अकबर

बाप-माँ से, शेख़ से, अल्लाह से क्या उनको काम ?
डॉक्टर जनवा गए, तालीम दी सरकार ने !

* * *

तिफ़्ल में बू आए क्या, माँ-बाप के अतवार की !
दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की !

* * *

मेरे सय्याद की तालीम की है धूम गुलशन में !
यहाँ जो आज फँसता है, वह कल सय्याद होता है !!

* * *

नई तालीम को क्या वास्ता है आदमियत से।
जनाबे डारविन को हज़रते-आदम से क्या मतलब ?

* * *

शेख़े-मरहूम का क़ौल अब मुझे याद आता है।
दिल बदल जायँगे, तालीम बदल जाने से !

—(महाकवि) अकबर

कर दिया करज़न ने ज़न मर्दों की सूरत देखिए,
आबरू चेहरे की सब फ़ैशन बना कर पूछ ली !
सच ये है इन्सान को यूरोप ने हल्का कर दिया !
इब्तदा दाढ़ी से की और इन्तिहा में मूँछ ली !!

* * *

फ़ैज़े-कॉलिज से जवानी रह गई बालाए-ताक़ !
इम्तहाँ पेशे-नज़र और आशिक़ी बालाए-ताक़ !!

* * *

आशिक़ी का हो बुरा, इसने बिगाड़े सारे काम !
हम तो बी० ए० में रहे, अग़यार बी० ए० हो गए !!

* * *

छोड़ लिट्रेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा !
शेख़ो-मस्जिद से तअल्लुक़ तर्क कर, स्कूल जा !!'
चार दिन की ज़िन्दगी है कोफ़्त से क्या फ़ायदा ?
खा डबल रोटी, किलरकी कर, ख़ुशी से फूल जा !!

* * *

—(महाकवि) अकबर

[८]



१२ बजे रात ('मारकोलाईज़्ड वैक्स' द्वारा सौन्दर्य-वृद्धि)

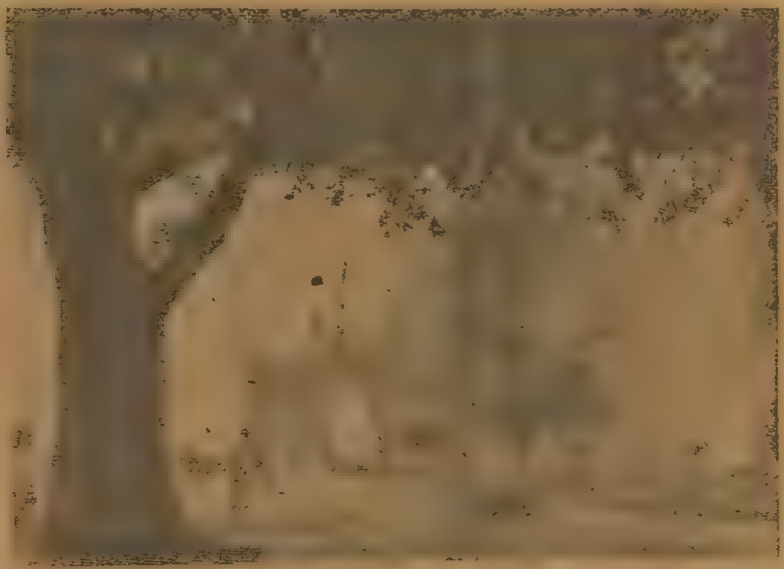
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



रञ्जीत फ़िल्म कम्पनी की सुप्रसिद्ध सिनेमा-स्टार—
मिस शान्ता।



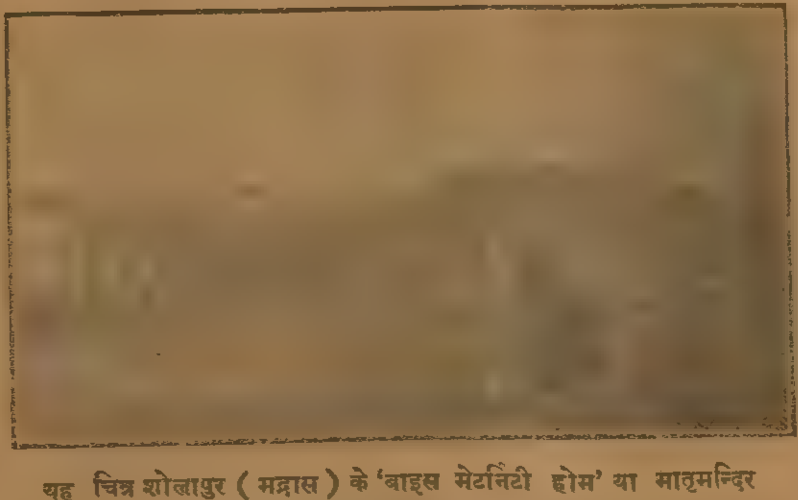
बम्बई के हगीज़ रोड पर अवस्थित पारसी महिलाओं का सुविख्यात औद्योगिक भवन "सर रतन टाटा इण्डस्ट्रियल इन्सटीट्यूट फ़ॉर पारसी वीमेन।"



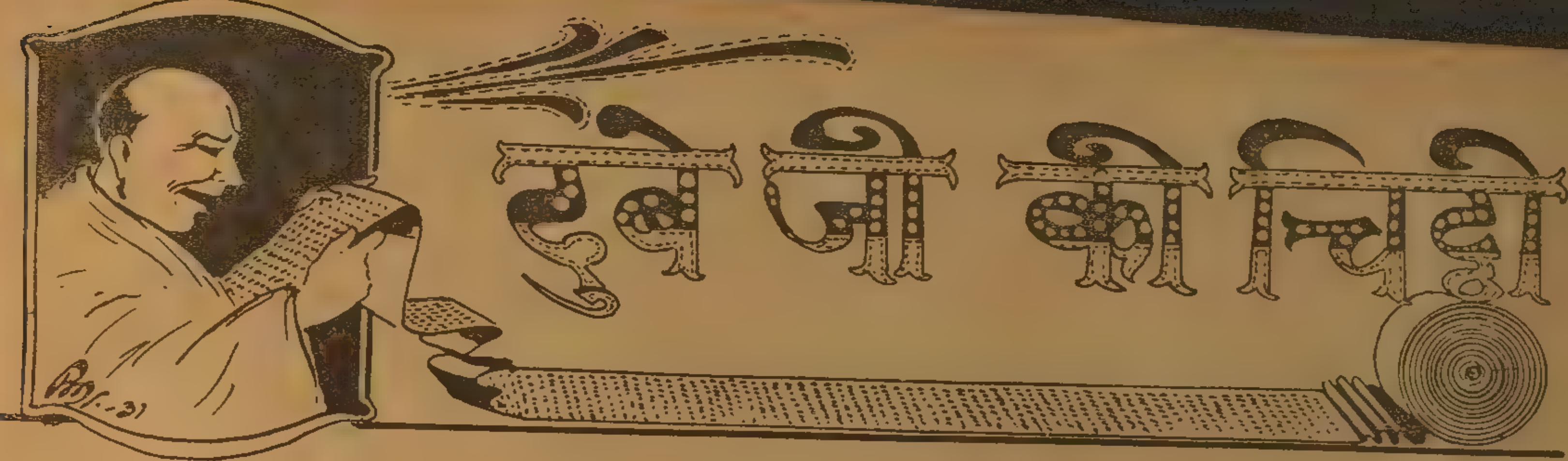
याच्ट-क्लब के समीप (बम्बई) का सुविशाल फाटक
(Gate-Way of India)



रञ्जीत-फ़िल्म कम्पनी की सुप्रसिद्ध सिनेमा-स्टार—
मिस माधुरी।



यह चित्र शोलापुर (मद्रास) के 'वाडिया मेटर्निटी होम' या मातृमन्दिर का है, जिसे मि० रुस्तमजी नानाभाई बाई २५०००) देकर अपनी दानशीलता का परिचय दिया है।



दुबे जी की चिट्ठी

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

आज अपने राम बहुत दिनों पश्चात् चिट्ठी लिखने का कष्ट उठा रहे हैं। इसका कारण यह था कि अपने राम पहले तो गृहस्थी के चक्कर में रहे। पहले लल्ला बीमार हुआ, फिर एक कार्यवश बाहर जाना पड़ा, वहाँ से लौटे तो अपने राम को ज्वरदेव की मेहमानदारी करनी पड़ी। ज्वरदेव आए तो इस इरादे से थे कि महीना दो महीना अपने राम के यहाँ ही टिके रहेंगे। परन्तु वैद्यों ने उनके पैर उखाड़ दिए और उन्हें अपना बोरिया-बँधना सँभालना पड़ा। इसके पश्चात् आठ-दस दिन तक यह प्रबन्ध रखना पड़ा कि कहीं ज्वरदेव घूम-घाम कर फिर न आ डटें। इन्हीं सब झगड़ों में "चिट्ठी" तो क्या, लिफ़ाफ़े पर पता लिखने तक की फ़ुर्सत नहीं मिली। आप अपने मन में सोचते होंगे कि दुबे जी कहीं राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में तो नहीं चले गए। जाने का इरादा तो पक्का था, परन्तु लोगों ने बहुत-कुछ समझाया-बुझाया कि जाने दीजिए, ग़म खाइए। महात्मा जी तो जा ही रहे हैं, फिर आप क्यों कष्ट उठाएँगे। अपने राम के मित्र पं० बदरीनाथ के ठाकुर चाचा ने बड़ा विरोध किया। इधर अपने राम का नाई आँखों में आँसू भर कर बोला—"महीने में एक बार आपकी हजामत बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता था, सो उसमें भी बाधा पड़ी जाती है।" (अभिप्राय उसका और शब्द अपने राम के हैं—यह ख़्याल रखिएगा) अतएव इन सब लोगों की बात माननी ही पड़ी। ख़ैर, अपने राम नहीं गए, यह अच्छा ही हुआ। अन्यथा महात्मा जी का जाना निश्चित हो जाने की सूचना पाकर मौलाना शौकतअली की तरह अपने राम को भी कहीं रास्ते ही में रुक जाना पड़ता। क्योंकि महात्मा जी के साथ लन्दन पहुँचने से महात्मा जी के साथ-साथ अपने राम का स्वागत भी धूम-धाम से हो जाता। अकेले जाते तो कोई टके को भी न पूछता। और यह बात अपने राम को असहनीय हो जाती कि महात्मा जी का स्वागत तो इस धूम-धाम से हो और अपने राम को कोई पूछे तक नहीं। फ़िलहाल अपने राम को यही बात बहुत अखर गई है कि लन्दन की जनता ने महात्मा जी को "गुड ओल्ड गाँधी" कह कर उनका स्वागत किया, परन्तु किसी भकुए ने "गुड ओल्ड शौकतअली" अथवा "गुड ओल्ड बिग ब्रादर" न कहा। हालाँकि "बड़े भैया" को यदि "नोटोरियस ओल्ड शौकतअली" कहा जाता तो उनके पहनने के समस्त कपड़े कम से कम एक इञ्च छोटे पड़ जाते। इस समय तो उनके कपड़े एक इञ्च ढीले हो गए हैं।

महात्मा जी के लन्दन पहुँच जाने से अब अपने राम बिल्कुल निश्चिन्त हो गए हैं। वह पहुँच गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे, क्योंकि वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की नस ख़ूब पहचानते हैं। देखिए न, जब से महात्मा जी लन्दन पहुँचे हैं, मि० चर्चिल अज्ञातवास में चले गए हैं। न वह लेक्चरबाज़ी है, न वह लेखबाज़ी और न ख़ामख़ाह प्रेस-प्रतिनिधियों को अपनी राय नोट कराने का दौरा। चलो अच्छा है! महात्मा जी की बदौलत कुछ दिनों तो बेचारों को शान्ति से बैठना नसीब होगा। अन्यथा बेचारे भारतवर्ष की भलाई के निमित्त दौड़ते-दौड़ते परेशान हो रहे थे। महात्मा जी के पहुँच जाने से पर्दानशीन बन कर बैठ गए। अपने पुत्र से कह दिया कि—"जाओ बेटा, तुम महात्मा जी से मिलो-जुलो, मैं तो मर्दों से बात करूँगा नहीं। हाँ, यदि वह मुझसे मिलना चाहें तो घर पर ले आना, चिक के पीछे बैठ कर दो-दो बातें कर लूँगा।" परन्तु अपने राम को यह पूर्ण विश्वास है कि महात्मा जी से वार्तालाप होने के पश्चात् वह या तो पर्दा-वर्दा हटा कर महात्मा जी के चरणों में आ बैठेंगे और या फिर तीर्थ-यात्रा के लिए बाहर चले जायँगे। फ़िलहाल तो महात्मा जी का स्वागत देख कर उनको प्रसव-पीड़ा सी हो रही होगी और साथ ही अपने देशवासियों की मूर्खता पर क्रोध आ रहा होगा कि वे महात्मा जी का ऐसा स्वागत क्यों कर रहे हैं। मि० चर्चिल अपने देश की सेवा करते-करते लगभग सठिया गए, परन्तु आज तक उनका ऐसा स्वागत कहीं नहीं किया गया। और इधर तो लोगों ने उन्हें बेवक़ूफ़ समझना आरम्भ कर दिया था। हालाँकि वह इतने बेवक़ूफ़ नहीं हैं, जितने बाहर से दिखाई पड़ते हैं। परन्तु बेचारे ज़बान को क्या करें, वह कमबख़्त क़ाबू में नहीं रहती। यदि क़ाबू में रही होती तो आज इस प्रकार मुँह छिपाना पड़ता?

ख़ैर, यह तो जो कुछ हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। परन्तु इधर ब्रिटिश सरकार द्वारा सोने की रोक-थाम का प्रभाव यह पड़ा है कि भारत में असंख्य लोगों का सोना हराम हो गया है। इस समाचार के आने के दूसरे दिन अपने राम से लोगों ने प्रश्नों की भरमार कर दी। एक महोदय बड़े घबराए हुए आए और बोले—दुबे जी, सुनते हैं, सरकार दिवालिया हो गई। अब क्या होगा? हमारा कुछ रुपया बैङ्क में जमा है। वह मिलेगा या नहीं? जिस दिन हम रुपया जमा करने गए थे, उस दिन छींकें हुई थीं, बिल्ली रास्ता भी काट गई थी, हमारा माथा उसी समय ठनका था, परन्तु लोगों के कहने-सुनने में आ गए। रुपया मारा गया तो बड़ा ग़ज़ब हो जायगा। और तो कुछ नहीं, परन्तु मुन्ना की माँ घर में न बैठने देगी, क्योंकि बैङ्क में रुपए जमा करने का सबसे अधिक विरोध उसी ने किया था। उसका कहना न माना—उसीका नतीजा यह निकला। हमने कई बार यह आज़मा कर देखा है कि जिस बात में उसका कहना न माना, उस बात में हमें नीचा ही देखना पड़ा।

अपने राम ने उत्तर दिया—तो फ़िलहाल आप मुन्ना की माँ से ही सलाह लीजिए—जैसा वह कहे वैसा कीजिए। क्योंकि यदि ऐसे नाज़ुक समय में भी आपने उसका कहना न माना, तो केवल नीचा ही नहीं देखना पड़ेगा, वरन् तलातल, महातल और पाताल तक की यात्रा करनी पड़ेगी।

एक दूसरे महोदय बोले—हमारे पास चार-छः हज़ार के नोट रक्खे हैं, उनका क्या होगा?

हमने उत्तर दिया—सर्दी का मौसम आ रहा है, आनन्द से आग सुलगा कर तापिएगा!

इतना सुनते ही उनका चेहरा फ़क़ हो गया, बोले—सच बताइए, नोटों के रुपए मिलेंगे या नहीं?

अपने राम बोले—रुपए तो नहीं, परन्तु पैसे मिल जायँगे। चाँदी-सोने का सिक्का छोड़ कर और जो चाहिएगा, मिल जायगा।

वह आँखें फाड़ कर बोले—"पैसे! इतने पैसे गिनेगा कौन और लावेगा कौन? घर में उनके रखने की जगह भी तो नहीं।" फिर कुछ सोच कर अपने ही आप बोले—तोल कर मिलेंगे—गिनती से तो मिलेंगे नहीं। ख़ैर—पैसे ही सही। अनाज भरने की बुख़ारी में भर देंगे और सराफ़ी की दूकान खोल कर बैठ जाएँगे। रुपए के सवा सोलह आने लगा देंगे। दम में सब निकल जाएँगे। क्यों, है न ठीक बात! परन्तु यदि आप रुपए दिला सकें तो बड़ी कृपा हो, हम पाँच हज़ार के साढ़े चार हज़ार ही ले लेंगे।

उनका यह कथन सुनते ही अपने राम के मुँह में पानी भर आया कि मुफ़्त में पाँच सौ मिलते हैं। परन्तु अफ़सोस! अपने राम के पास भी साढ़े चार हज़ार रुपए नक़द नहीं थे। इसलिए मन मसोस कर रह गए। एक महोदय का रुपया डाकख़ाने में जमा है। वह बौखलाए हुए दौड़े आए और बोले—डाकख़ाना रुपए देगा या नहीं?

अपने राम ने उत्तर दिया—बिल्कुल नहीं। टिकिट, लिफ़ाफ़े, पोस्टकार्ड देगा।

वह बोले—तो उन्हें लेकर क्या करेंगे?

मैंने कहा—बेच लीजिएगा।

"इतने कहाँ तक बेचेंगे।"

"तो मित्रों, रिश्तेदारों को ख़ूब पत्र लिखा कीजिएगा। एक-एक दिन में एक-एक व्यक्ति को दस-दस पत्र लिखिएगा। बस बड़ी जल्दी समाप्त हो जायँगे।"

"वाह, यह अच्छी सलाह दी! इससे हमें क्या लाभ होगा? हमारा रुपया तो गया!"

"रुपया नहीं जायगा। जायँगे तो लिफ़ाफ़े और पोस्टकार्ड।"

"वह एक ही बात है।"

"एक ही बात है तो जाने दीजिए। जैसे रुपए गए वैसे लिफ़ाफ़े इत्यादि गए।"

"आप तो मज़ाक़ करते हैं, यहाँ खाया-पिया नहीं पच रहा है। जान पड़ता है, आपका रुपया डाकख़ाने या बैङ्क में जमा नहीं है।"

"प्रथम तो अपने राम के पास इतना रुपया ही नहीं है, जो कहीं जमा किया जाए। जो कुछ है उसकी रक्षा अपने राम भली-भाँति कर सकते हैं। उसके लिए डाकख़ाने और बैङ्क को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं।"

"तो आप मज़े में हैं हम लोग तो मरे।" एक महाशय को यही अफ़सोस था कि यदि एक दिन पहले चाँदी और सोना ख़रीद लेते तो कुछ मिल जाता। उनका कहना यह है कि—"बड़ा नुक़सान हो गया।" मानो कुछ घर से खो बैठे हों। उनकी दृष्टि में बाज़ार में जितना चाँदी-सोना है वह सब उनका हो चुका था, परन्तु दुर्भाग्यवश हाथ से जाता रहा।

तेईस तारीख़ की शाम को एक महोदय आकर बोले—डाकख़ाना तो धड़ाधड़ रुपया बाँट रहा है।

एक अफ़ीमची प्रकृति का व्यक्ति चौंक कर बोला—बाँट रहा है?

"हाँ! ऐसे में आप भी दस-बीस ले आइए।"

"अजी आप मज़ाक़ करते हैं। ऐसा भला कहीं हो सकता है—जिसका जमा होगा उसी को। देते होंगे।"

"जिसका नहीं जमा है उसे भी देते हैं। सरकार ने अपनी शान जमाने के लिए यह हुक्म निकाला है कि जो सरकार की जयजयकार मनाते हुए डाकख़ाने के द्वार पर जायगा, उसे पाँच रुपए मिलेंगे।"

"अच्छा! तब तो इस प्रकार लाखों रुपया बँट जायगा।"

"बँट जायगा तो क्या है, सरकार कोई कङ्गाल है?"

"यही साबित करने के लिए तो ऐसा किया है। लाख पचास हज़ार बाँट कर लाख जमा लेगी। अच्छा, यह तो बताइए, कल भी बँटेगा या नहीं?"

"एक सप्ताह तक रोज़ बँटेगा। एक सप्ताह में यदि कोई आदमी सूरतें बदल-बदल कर जाए तो पैंतीस ला सकता है। और यदि अपने घर वालों को भी भेजे तो फिर क्या कहना—जो चाहे पटील ले।"

उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होगया था कि वास्तव में रुपया बँटता है और वह अपने मन में कदाचित् यह सोच ही रहा था कि कल से हम भी जाना आरम्भ करें और अपने घर वालों में से किस-किस को भेजें कि उसी समय उनकी गम्भीर मुद्रा देख कर एक मित्र हँस पड़े। बस, सब मामला ख़त्म होगया। वह दाँत निकाल कर झेंपी हुई हँसी से बोला—आप लोग दिल्लगी करते हैं—ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरकार ऐसी उल्लू नहीं है, जो इस तरह रुपया बाँटे।

एक सज्जन यह समाचार पढ़ कर कि ब्रिटिश सरकार भारत का सोना इङ्गलैण्ड ले जाना चाहती है—सिर हिलाते हुए बोले—इसका मतलब बिरले ही आदमी समझे होंगे।

अपने राम ने पूछा—क्या मतलब है, ज़रा समझा दीजिए।

वह बोले—सरकार अब यह देख रही है कि भारत को स्वराज्य तो देना ही पड़ेगा, बिना स्वराज्य दिए जान नहीं बचती। इसलिए इस बहाने से हिन्दुस्तान का सोना हथिया लो। फिर जो होगा देखा जायगा। फिर लेता मरे या देता। अपने राम ने उनकी बात सुन कर कहा—आप लाए तो दूर की कौड़ी; परन्तु ऐसा हो नहीं सकता।

"अजी सब होगा—देखते चलिए। भारत को स्वराज्य तो मिलेगा, परन्तु साथ में तन पर लँगोटी ही लँगोटी रह जायगी।"

"तो इस समय आप कौन कमख़्वाब पहने हुए हैं। लँगोटी तो रह ही गई है, यों कहिए कि लँगोटी भी छीन लेंगे।"

"लँगोटी तो ख़ैर क्या छीन सकते हैं। परन्तु बिल्कुल खुक्ख कर देंगे।"

इस प्रकार सम्पादक जी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं, परिस्थिति आशङ्काजनक अवश्य है। बड़े-बड़े लखपतियों तक के कलेजे धड़क रहे हैं कि देखें, क्या होता है। विशेषतः जिनके पास नोटों का आधिक्य है, वह यह सोचते हैं कि ऐसा न हो कि काग़ज़ ही काग़ज़ रह जाय। और इसमें सन्देह नहीं कि सोने-चाँदी के चुकने से नोटों का प्रचार बहुत बढ़ेगा। सरकार नोट ही देगी। क्यों, आपकी क्या राय है?

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

शिवाजी प्रसंग

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

हिन्दू और मुसलमान तथा ब्राह्मण और शूद्र सभी उनके (शिवाजी के) राज्य में धर्म और राज-पदों के सम्बन्ध में समान सुविधा प्राप्त कर सकते थे। वे मुसलमान फ़क़ीरों और क़ुरान पर कम श्रद्धा नहीं करते थे। वे संन्यासी और दरवेश दोनों को समान रूप से आश्रय देते थे। उनके राज्य में प्रत्येक स्त्री की दुराचारियों से रक्षा होती थी। बहुत से मुसलमानों ने उनकी जल और स्थल सेना तथा शासन-विभाग में उच्च पद प्राप्त किया था।

"वे एक प्रकृत राजा की भाँति गुणों का आदर करना जानते थे। मनुष्य को देख कर उसके चरित्र का पता लगा लेते थे।........ वे राज-पद को ईश्वर (गुरु रामदास) की धरोहर समझते थे। उन्होंने सुख-सम्भोग तथा दम्भ को दमन करके केवल न्याय और सत्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। धर्म उनका मूल-मन्त्र था।"

—प्रो० यदुनाथ सरकार

इतिहासकारों का कथन है कि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में भारतवर्ष—विशेषतः दक्षिण भारत के लिए एक संस्कार का युग आया था। इन दोनों शताब्दियों में धर्म, समाज और साहित्य में कितने ही सामयिक संस्कार हुए थे। मुसलमानों के अनिवार्य सङ्घर्ष के कारण तत्कालीन हिन्दुओं में विशेष उत्साह का सञ्चार हो गया था। इसीलिए धर्म, समाज और साहित्य से गृह निर्माण-कला, ललित कला, सङ्गीत विद्या, वेश-भूषा और आचार-विचार आदि सभी विषयों में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ था। इस सर्वाङ्गीन भारतीय जागृति का श्रेय तत्कालीन साधुओं, कवियों, दार्शनिकों और भक्तों को या इन महापुरुषों में ब्राह्मण, शूद्र, नाई, कुम्हार, जुलाहा और दर्ज़ी—यहाँ तक कि कितने ही अत्यन्त नीच वंशोद्भव भी थे। इनमें महात्मा तुकाराम, समर्थ रामदास और बामन पण्डित एकनाथ आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

यद्यपि इन सन्तों की अमूल्य वाणियों का प्रभाव सारे देश पर पड़ा था, परन्तु विशेष जागृति महाराष्ट्र प्रान्त में ही हुई थी। इसका एक कारण महाराष्ट्र प्रदेश का प्राकृतिक गठन और महाराष्ट्रों का स्वतन्त्रता-प्रेम भी था। प्रकृति के इस लीला-निकेतन का अधिकांश भाग दुर्गम पर्वत-मालाओं से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त कितनी ही छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों ने भी इसके असमतल प्रदेश को अत्यन्त दुर्गम बना दिया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जेम्स ग्राण्ट डफ़ ने लिखा है कि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश की तरह शक्तिशाली प्रदेश शायद संसार में दूसरा नहीं है।*

इसके सिवा उन दिनों महाराष्ट्र में आर्य और अनार्य का भेदभाव आजकल की तरह प्रबल न था। वहाँ ब्राह्मण और शूद्र परस्पर भाई की तरह मिल-जुल कर रहते थे। नीच जाति का साधु और कवि भी वहाँ उच्च जाति के लोगों से यथेष्ट सम्मान और श्रद्धा प्राप्त कर सकता था।

इन्हीं सब कारणों से महाराष्ट्र पर मुसलमानी शासन का उतना प्रभाव नहीं जम सका था, जितना कि भारत के अन्यान्य प्रदेशों पर पड़ा। प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मुसलमानों के शासन काल में भी देश की भाषा और धर्म ने स्वाधीन भाव से उन्नति लाभ की थी और इसका परिणाम यह हुआ था कि क्रमशः मुस्लिम-शक्ति को हिन्दू-शक्ति की अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी। शक्तिशाली महाराष्ट्र-सरदार इस प्रान्त के मुसलमान राजाओं के भाग्य के नियामक बन गए थे। मुसलमान बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी महाराष्ट्र हीनवीर्य नहीं हो गया था। सोलहवीं शताब्दी में जिस समय महाराष्ट्र जाग्रत हो उठा था, उस समय खड़गे, घोरपत, यादव, निम्बालकर और सिन्दे वंशीय सरदार, हज़ारों घुड़सवारों और पैदल सेना के अधिपति थे। इसके सिवा इन लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें भी थीं। इन्हीं जागीरदारों को सङ्घबद्ध करके छत्रपति शिवाजी ने अपना धर्म-राज्य या हिन्दूराज्य स्थापित किया था।

यद्यपि सतरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रों का सामयिक पतन हो गया था और उन्होंने अपने गौरवमय जातीय इतिहास को भूल कर अपने जातीय जीवन को कलुषित कर डाला था। अन्तर्विप्लव के कारण जातीय स्वाधीनता और जातीय सभ्यता का आदर्श विलुप्त हो गया था, यहाँ तक कि मुसलमान शासकों के आदेशानुसार उन्होंने स्वदेश और स्वजाति के विरुद्ध तलवार तक खींच ली थी। परन्तु जो जाति अपने अन्तर्निहित बल से बलवान होती है, उसका पतन बहुधा स्थायी नहीं होता। मराठा इतिहास के मनन से हमें इस बात का पता अच्छी तरह लग जाता है।

इस समय मुसलमान सैनिकों के अत्याचार से खेती नष्ट हो गई थी। देश में भीषण अकाल पड़ गया था। सामाजिक जीवन मृतप्राय हो चला था। मराठे सरदार मुसलमानों का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से आत्म-सम्मान और जातीय गौरव को भी तिलाञ्जलि प्रदान करने लगे थे। हिन्दुओं के पास एकमात्र धर्म ही गौरव की वस्तु रह गया था। रक्त की निधि की तरह, उन्होंने अपना सर्वस्व देकर भी धर्म की रक्षा कर रक्खी थी। परन्तु औरङ्गज़ेब के आविर्भाव ने उनकी इस अमूल्य निधि पर भी छापा मार दिया। मानो हिन्दुओं की रही-सही गौरव की वस्तु पर भी कुटिल काल की दृष्टि पड़ गई। इसी समय महाराष्ट्र प्रदेश में शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने अपनी ओजस्विनी वाणी द्वारा हताश हृदयों में आशा का सञ्चार आरम्भ किया। उन्होंने जाति के हताश हृदय-क्षेत्र में धर्मविश्वास का बीज वपन करके, उनके सुप्त उत्साह को नव-जागरण प्रदान किया। यही महापुरुष शिवाजी महाराज के मन्त्रदाता, उत्साहदाता और उनके स्थापित धर्मराज्य के महान स्तम्भ थे। स्वामी रामदास के साथ

*—"In a military point of view there is probably no stronger country in the world."

शिवाजी का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। एक शब्द में गुरु रामदास के बिना शिवाजी कुछ नहीं हैं।

महाराज शिवाजी की जीवन-घटनावली हिन्दी-पाठकों से छिपी नहीं है। यह बात सभी जानते हैं, कि एक सामान्य जागीरदार के पुत्र होकर भी अद्वितीय प्रतिभाशाली शिवाजी ने किस तरह एक अखण्ड राज्य स्थापित कर लिया था और औरङ्गज़ेब जैसे कट्टर हिन्दू-विद्वेषी को लोहे का चना चबवा कर छोड़ा था।

सन् १६२७ ईस्वी में, महाराष्ट्र के शिवनेरी नामक क़िले में, हिन्दूकुल-सूर्य महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजीबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले दौलताबाद के जागीरदार और एक अतुल पराक्रमशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक कि इनके ससुर को भी इनका पराक्रम असह्य हो उठा और दामाद को नीचा दिखाने के लिए मुग़ल बादशाह का आश्रय लिया था। ससुर जी के षड्यन्त्र के कारण शाहजी को बाध्य होकर बीजापुर चला जाना पड़ा था। इसी समय रास्ते में गर्भवती जीजीबाई को पिता की बन्दिनी होना पड़ा था। अन्त में पिता ने उन्हें शिवनी के क़िले में ला रक्खा और यहीं शिवाजी का जन्म हुआ। देवी शिवा इस क़िले की अधिष्ठात्री देवी थीं। अतः जीजीबाई ने देवी का प्रसाद स्वरूप अपने नवजात शिशु का नाम शिवाजी रक्खा। बाल्यकाल से ही शिवाजी अत्यन्त मातृभक्त थे। पिता के साथ रहने का उन्हें बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ था। माता ही उनकी चिर-सङ्गिनी और शिक्षादात्री थीं। वे माता के आदेशानुसार ही सब कार्य किया करते थे। इनके जीवन पर भी माता के चरित्र का विशेष प्रभाव था। उन्हीं की कृपा से उन्होंने धर्मानुराग और उच्च मनोवृत्ति प्राप्त की थी। सङ्कट के अवसरों पर वे सदैव माता का आशीर्वाद लेकर कार्य किया करते थे। वीर माता भी अपने वीर पुत्र को किसी विपज्जनक कार्य से अलग रखने की चेष्टा नहीं करती।

शिवाजी के शिशु-चरित्र पर एक दूसरे महान व्यक्ति के आचरणों का भी विशेष प्रभाव पड़ा था। वे महानुभाव थे, उनके गृह-शिक्षक दादोजी कोण्डदेव। वे स्वयं एक बड़ी जागीर के शासन-कर्ता थे। बालक शिवाजी पिता से अलग रहने के कारण पितृ-स्नेह से वञ्चित थे। परन्तु उदार हृदय दादोजी की सहज स्नेह-शीलता ने इस अभाव की पूर्ति कर दी। वृद्ध दादोजी स्वभावतः ही गम्भीर प्रकृति के और हिसाबी मनुष्य थे। प्रथम-प्रथम उन्हें शिवाजी की निर्भीकता पसन्द नहीं आई। उन्हें शायद इस बात की ख़बर न थी, कि भारत की सारी अनेकताओं और द्वन्द्वों का मूलोच्छेद करके यह होनहार युवक एक सार्वभौम धर्मराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा है। परन्तु अन्त में वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे। और इसीलिए मरते समय उन्होंने शिवाजी की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी।

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि श्री० शिवाजी बाल्यकाल से ही अत्यन्त निर्भीक और तेजस्वी थे। जिस समय उनकी अवस्था कुल आठ वर्ष की थी, उसी समय बीजापुर के सुलतान ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की और उनके पिता शाहजी से उन्हें बुलाने को कहा। शाहजी ने दरबारी अदब-क़ायदे की शिक्षा देकर शिवाजी को सुलतान के सामने उपस्थित किया, परन्तु शाही दरबार की नीति के अनुसार घुटने टेक कर सुलतान को 'कोर्निश' करना तो दूर रहा, निर्भीक बालक ने अपना सिर तक नहीं झुकाया और बड़ी तेजस्विता से सुलतान की ओर देखते रहे। पिता ने कई बार पूर्व शिक्षा के अनुसार 'कोर्निश' करने का इशारा किया, परन्तु शिवाजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पुत्र की यह धृष्टता देख कर बेचारे शाहजी अत्यन्त दुखी हुए और इसके लिए सुलतान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। इतने में शिवाजी दरबार से चले आए। पुत्र को ढूँढ़ते हुए, रास्ते में आकर शाहजी ने जो कुछ देखा, उससे वे और भी विस्मयान्वित हो गए। इस समय एक क़साई रास्ते में ही गोहत्या करना चाहता था। परन्तु ज्योंही उसने गाय की हत्या के लिए छुरी उठाई, त्योंही शिवाजी की तलवार ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके लिए पिता द्वारा तिरस्कृत होने पर शिवाजी ने जो उत्तर दिया था, वह उन्हीं के योग्य था। उन्होंने निर्भीकता पूर्वक कहा—धर्म के ऊपर अत्याचार होता देख कर, मैं कैसे अपनी आत्म-मर्यादा को भूल जाता?

इस एक ही घटना से पता चल जाता है कि शिवाजी के हृदय में बाल्यकाल से ही धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा थी। धर्म-कथा और हरिकीर्तन आदि सुनने का शौक़ भी उन्हें बाल्यकाल से ही था। इसी धर्मानुराग की प्रगाढ़ भित्ति पर शिवाजी का कर्म-जीवन प्रतिष्ठित था। धर्मानुराग और ईश्वर-भक्ति का उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यौवनकाल में ही उन्होंने संन्यास ले लेने की इच्छा प्रगट की। परन्तु माता की आज्ञा न मिलने के कारण वे अपनी अभिलाषा को कार्य में परिणत नहीं कर सके। अन्त में उन्होंने हिन्दू-समाज की प्रचलित प्रथा के अनुसार दीक्षा लेने का विचार किया और उस समय के प्रसिद्ध महात्मा तुकाराम के पास जाकर प्रार्थना की।

साधु तुकाराम ने एक बार शिवाजी की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले—तुम स्वामी रामदास जी के पास चले जाओ। वही तुम्हारे उपयुक्त गुरु हैं।

भविष्यदर्शी महापुरुष ने अपने परामर्श द्वारा एक महापुरुष के साथ एक महाकर्मवीर के जीवन को बँध जाने का पथ प्रशस्त कर दिया। शिवाजी ने स्वामी रामदास के पास जाकर दीक्षा ली। उस समय शिवाजी के पिता शाहजी का देहावसान हो चुका था। शिवाजी स्वयं अपनी पैतृक जागीर के मालिक थे। स्वामी रामदास ने दीक्षा देकर शिवाजी को आशीर्वाद देते हुए कहा—तुम्हारे जीवन का लक्ष्य इस देश में एक धर्मराज्य की स्थापना है। अपनी सन्तान की तरह प्रजा का पालन करो।

इसके बाद से ही शिवाजी के कर्मजीवन का आरम्भ हुआ। उन्होंने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और उसी समय से उसके पालन में लग गए। जैसे विचित्र गुरु थे, वैसे ही विचित्र शिष्य। एक दिन शिष्य ने गुरु-दक्षिणा स्वरूप कुछ भूमि गुरु के चरणों में अर्पण करने का विचार किया। यह सुन कर गुरु अतीव प्रसन्न हुए और शिष्य को आशीष प्रदान करते हुए बोले—देश की जो भूमि अभी तक मुसलमानों के अधिकार में है, वही मुझे दान करो।

इसका सीधा-सादा अर्थ यह था, कि अभी तक तुमने सम्पूर्ण रूप से अपने देश का उद्धार नहीं किया है। पहले उसे पूरा कर लो, तब हम तुम्हारी दी हुई गुरु-दक्षिणा ग्रहण करेंगे।

एक बार गुरु को भिक्षा माँगते देख कर शिवाजी को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे रहते आप भिक्षा माँग कर जीवन निर्वाह करें, इसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। गुरु ने हँस कर उत्तर दिया—मैं संन्यासी हूँ। भिक्षा ही मेरी जीवन-वृत्ति है। यह मेरे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है।

परन्तु यह उत्तर शिवाजी को नहीं पसन्द आया। वे गुरुवर को लेकर क़िले में आए और एक दानपत्र द्वारा समस्त राजपाट गुरु-चरणों में अर्पण कर दिया।

गुरु ने गम्भीर स्वर से कहा - मैं संन्यासी हूँ, यह राजैश्वर्य लेकर क्या करूँगा?

शिवाजी ने उत्तर दिया—आज से भिक्षावृत्ति छोड़, राजशासन कीजिए। मैं सेवक की भाँति आपके चरणों की सेवा करूँगा।

गुरु हँस पड़े और बोले—एवमस्तु। तुम्हारा दान मैंने ग्रहण कर लिया। आज से यह राज्य तुम्हारा नहीं, भगवान का है। मेरे आदेशानुसार मेरे प्रतिनिधि-स्वरूप तुम इस राज्य की रक्षा और इसका शासन करो।

इसके बाद उन्होंने अपने गैरिक वसन का कुछ अंश फाड़ कर शिवाजी को देते हुए कहा—आज से यह गैरिक पताका राज्य-पताका रूप में व्यवहृत होगी।

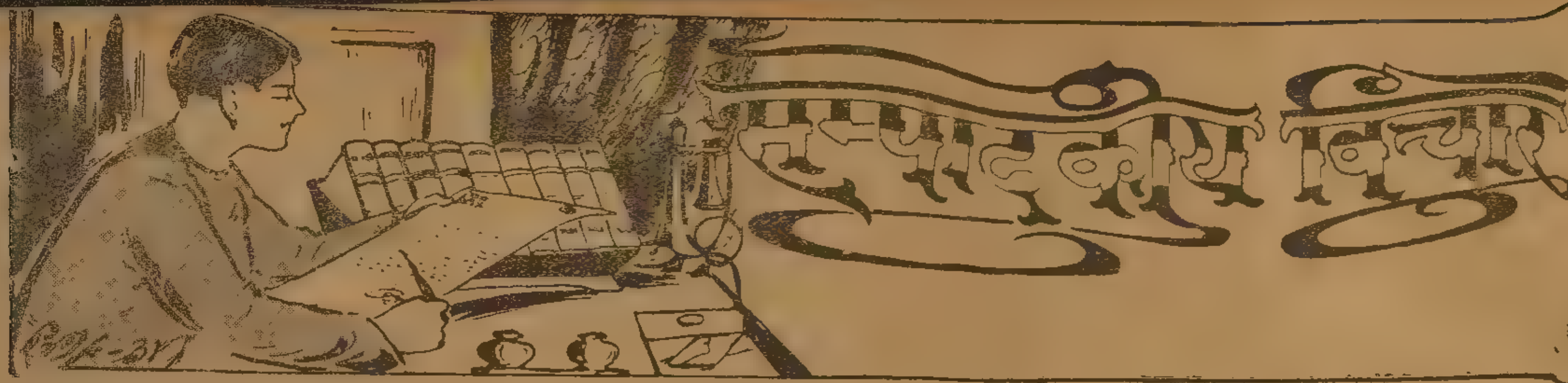
उसी समय से राज-भवन के सुउच्च चूड़ा पर गैरिक पताका फहराने लगी और शिवाजी ने कभी भी उसकी मर्यादा को न्यून नहीं होने दिया।

दान, त्याग और निस्पृहता ये तीनों ही शिवाजी की विशेषताएँ हैं। ऐश्वर्य-भोग की लालसा उनमें तनिक भी न थी। अभिषेकों के उपलक्ष में उन्होंने असंख्य कङ्गालों, ब्राह्मणों और साधुओं को अपरिमित धनराशि दान की थी। उनके दरबार से कोई याचक कभी रिक्त-हस्त नहीं लौटने पाता था। यह प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही उनमें मौजूद थी। और स्वामी रामदास के संसर्ग ने तो उसे और भी परिपुष्ट कर दिया था। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे उन्हें केवल त्याग और धर्म की ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। वास्तव में गुरु रामदास जी जैसे त्यागी और संन्यासी थे, वैसे ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे। शिवाजी का और उनका संयोग राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता, धर्मभाव और वीरत्व का एक अपूर्व समन्वय था। वे उन्हें त्याग और धर्म की शिक्षा के साथ ही राजनीति की शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। एक आदर्श हिन्दूराज्य की स्थापना के लिए संन्यासी ने अपने योगबल के साथ क्षत्रिय शिष्य के क्षत्रियत्व को केन्द्रीभूत किया था।

बहुधा यह देखा जाता है कि जातीय अभ्युत्थान सम्बन्धी कार्यों में एक या दो ही महापुरुष महान श्रेय के भागी होते हैं। परन्तु यदि देश में महत् भावों का सञ्चार न हो तो ऐसे महापुरुष अपने व्यक्तित्व और अपनी शक्ति को कार्यान्वित नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुषों की सफलता में देश या जाति के साधारण से साधारण मनुष्य की सहायता और सहयोग की भी नितान्त आवश्यकता होती है। फलतः शिवाजी के अभ्युत्थान में जिस तरह स्वामी रामदास की शिक्षा और उपदेशों ने काम किया था, उसी तरह शिवाजी के अन्यान्य सहकारियों और मित्रों के सहयोग ने भी कार्य किया था। इन लोगों में मोरो पन्त, आबाजी सोमदेव, शेषाजी कङ्क, रघुनाथ बल्लाल, श्यामराज पन्त, अन्नाजी, निराजी पण्डित, रघुनाथ पन्त और मोरो पन्त के पिता आदि महानुभावों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये लोग शिवाजी के दाहिने हाथ स्वरूप थे। शिवाजी के इशारों पर ये अपने प्राण तक निछावर कर सकते थे।

शिवाजी हिन्दू थे। हिन्दू-जाति के गौरव और अभिमान की वस्तु थे। सत्तरहवीं शताब्दी की हिन्दुओं की हीनता ने उन्हें व्यथित कर दिया था। उन्होंने बड़ी तत्परता से हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की रक्षा की थी। उनके जीवन से हिन्दुओं को सदैव यह शिक्षा प्राप्त होगी कि हिन्दुओं को हिन्दू रह कर ही स्वराज्य अर्जित करना चाहिए। यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को खोकर स्वराज्य या स्वतन्त्रता प्राप्त करें, तो वे उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

* * *



भविष्य

५ अक्टूबर, सन् १९३१

म० गाँधी के व्यक्तित्व की परीक्षा

महात्मा गाँधी संसार में एक व्रत-विशेष लेकर आविर्भूत हुए हैं। वह व्रत केवल भारतवर्ष के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भूमण्डल के मनुष्य मात्र में भ्रातृस्नेह वा विश्व-बन्धुत्व उत्पन्न और संस्थापन करना है। महात्मा जी के आन्तरिक भावों की शुद्धि, सचाई और सदाचार के साथ जब प्रेम की तेजमयी झलक उनके चेहरे से निकलती है तो एक बार वह मित्र और शत्रु दोनों ही को मुग्ध कर लेती है। प्राणिमात्र का सच्चा हार्दिक प्रेम चुम्बक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि महात्मा जी का स्वागत बड़ी श्रद्धा और समारोह के साथ अदन, पोर्टसईद, मारसिले, फॉक्स्टोन, पैरिस और लन्दन में हुआ। स्वागत में न केवल भारतीय हिन्दुओं ने भाग लिया, प्रत्युत अरबी, मिश्री, टर्की, फ्रान्सीसी और अङ्गरेज़—सभी शामिल थे महात्मा जी ११ तारीख़ को मारसिले में जहाज़ से उतर कर रेल-द्वारा पैरिस होते हुए, १२ सितम्बर को ४ बज कर १० मिनट पर लन्दन पहुँच गए। आप लन्दन में भारत के एकमात्र अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि होकर गए हैं। यह बात भारत के इतिहास में,जब तक मनुष्य-जाति में इतिहास लिखने और पढ़ने की प्रथा रहेगी, बड़े महत्व की समझी जायगी। छोटी-छोटी जातियाँ एक आदमी को अपना जातिमात्र का प्रतिनिधित्व सौंप कर भेजने में झिझकती हैं, लेकिन महात्मा जी को २७ करोड़ से अधिक जनता अपना विश्वासपात्र प्रतिनिधि समझती है और उनके हाथ में अपने जीवन-मरण का प्रश्न सौंप कर इस ओर से निश्चिन्त हो बैठी है।

जैसा हम कह चुके हैं, महात्मा गाँधी राष्ट्रवाद की सङ्कीर्णता से बहुत परे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के व्रत के व्रती महापुरुष हैं। आपका कार्यक्षेत्र भारत की सीमा के भीतर ही समाप्त नहीं होता—आपका जीवन संसार के मङ्गल के लिए है। आज दूसरी कई जातियों में आपके शान्तिशील सैनिक विद्रोह की लहर फैल गई है। यदि आपके सिद्धान्तों को सफलता मिली, तो संसार से मनुष्य-मनुष्य में पशुओं की-सी लड़ाई, छीन-खसोट, लूट-मार मिट कर संसार स्वर्गधाम बन जायगा। आपके विजय प्राप्त करने के लिए सत्य, न्याय, नीति, प्रेम और संसार की मङ्गल-कामना दृढ़ साधन हैं, इसलिए आपका भारत की स्वाधीनता के संग्राम में उतरना, मनुष्य-मात्र को उस मार्ग पर चलने का उपदेश और आदेश है, जो हमें पशुता से हटा कर वास्तविक मनुष्यता की ओर ले जाता है। ऐसे महात्माओं का जन्म इस संसार में बहुत कम होता है। आप भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा मसीह के सदृश एक महापुरुष हैं।

लेकिन भारतवासी अङ्गरेज़ों की नीति, व्यवहार, गति-मति आदि की बाबत १०० वर्ष से अधिक का पुराना परिचय रखते हैं, इससे भी कहीं अधिक समय का अङ्गरेज़ी इतिहास जानते हैं। इन्हें मालूम है कि ब्रिटेन का शासनाधिकार ब्रिटेन की जनता के हाथ में नहीं है, थोड़े से धनवान और विद्वान ब्रिटेन की नकेल अपने हाथ में रखते हैं, और यह इतने कठोर हृदय व स्वार्थपरायण हैं कि इनसे न्याय की आशा करना ही भूल है। फिर भी महात्मा जी को इस वक्र गति वाले कूटनीतिज्ञों से काम पड़ेगा। वहाँ सिवा इनकी साधुता के, तर्कों का बल काम न देगा। देश के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का यही अनुमान है।

यदि महात्मा जी की साधुता और उनका तपोबल सङ्कीर्ण-दल के लोगों, धनिकों और सम्वाद-पत्रों के हृदयों को बदल सका, तो अलबत्त भारत के साथ न्याय होना सम्भव है। अङ्गरेज़ जाति दृढ़ और ज़िद्दी होती है, दूसरे की बात को जल्दी स्वीकार नहीं करती। जब एक बार कोई बात उसके दिमाग़ में समा जाती है, तो वह उसे नहीं छोड़ती। अङ्गरेज़ अमेरिका या भारत की तरह जल्दी उत्तेजित होने वाले या भावुक नहीं होते। महात्मा जी को लन्दन में पत्थर की चट्टानों के साथ मुक़ाबला करना पड़ेगा। भारत की जनता बड़ी उत्सुकता से राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स की ओर देख रही है। आज इङ्गलैण्ड में यूरोपीय मेटीरियालिज़्म और पूर्वीय अध्यात्म का सामना है। आज स्वार्थ निरत जाति से एक लँगोटीबन्द का सामना है। आज न्याय और अन्याय में वाग्युद्ध है। देखिए कौन विजयी होता है !!

महात्मा जी ने अदन में विभिन्न धर्मावलम्बियों के समारोह को लक्ष कर कहा है—इस्लाम धर्म ने शान्ति का सबक़ सिखलाया है। हिन्दू-धर्म कायरों का धर्म नहीं है। न इस्लाम ही कमज़ोरों का धर्म है। जब दोनों शक्तिशालिनी सम्प्रदाएँ मिल कर काम करें तो शङ्का और पारस्परिक भय की कोई वजह नहीं। भारत के स्वराज्य का अर्थ है, भारतवासियों का मिल कर काम करना। भारत जो अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करे तो उसका सन्देश सारे संसार को सुनाया जायगा।

भगवान! गाँधी का लन्दन पहुँचना संसार के लिए मङ्गलमय हो, यही हमारी हार्दिक इच्छा है।

❀ ❀ ❀

महात्मा जी के दो भाषण

भारत के एकमात्र पूर्ण शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि महात्मा गाँधी ने सच्चे, निष्कपट, सत्यवादी और विश्वप्रेमी होने के कारण, सरलता के साथ अपने मनोभावों और देशवासियों के अभावों और आदेशों को थोड़े से शब्दों में, किन्तु स्पष्ट रूप से कॉन्फ़्रेन्स की सङ्घ-योजना उपसमिति की पहली ही बैठक में कह दिया। प्रकट है, कि इसके बाद और जो कुछ भी महात्मा जी कहेंगे, वह इन्हीं सूत्रों की व्याख्या होगी, उनका आधार और केन्द्र यही वक्तृता होगी। इसमें सन्देह नहीं, कि महात्मा जी की हार्दिक सचाई, उनकी अकाट्य युक्ति और तर्क ने श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर दिया होगा। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं, कि अभिनव जागृत भारत की आकांक्षाओं, कामनाओं, अभावों और अभियोगों को इतनी शक्ति और सौन्दर्य के साथ हृदयग्राही सादी अङ्गरेज़ी भाषा में व्यक्त करना महात्मा जी का ही काम है।

महात्मा जी ने साफ़ कह दिया, कि सिद्धान्तों में समझौते का स्थान नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि वे भारत और ब्रिटेन के फलप्रद और प्रतिष्ठापूर्ण भागीदारी के किसी निर्णय के मार्ग में रोड़ा अटकाने नहीं आए हैं, लेकिन यह संयोग ऐसा होना चाहिए, जो चिरस्थायिनी शान्ति स्थापित करे, न कि एक राष्ट्र का डंगा दूसरे राष्ट्र के सिर पर रखने वाला हो। वह इस हिस्सेदारी के समझौते में कॉङ्ग्रेस की ओर से मदद पहुँचाने आए हैं, अगर वे देखेंगे कि उनकी सहकारिता कॉन्फ़्रेन्स के हित में बाधक हो रही है, तो वे तटस्थ हो बैठेंगे।

आपने साफ़ शब्दों में कहा, कि भारत पूर्ण स्वाधीनता चाहता है। अगर कोई उन्हें समझा देगा कि उनकी कोई बात भारत की कोटि-कोटि भोली-भाली जनता के हित के विरुद्ध है, तो उसे मानने को प्रस्तुत हैं। लेकिन भारत और ब्रिटेन का साझा बराबर के मित्रों की भाँति ही हो सकता है। वह अपने आपको ब्रिटिश प्रजा न समझते हुए भी अधिकारी कॉमनवेल्थ के अन्दर बराबरी से नागरिक बनने के अभिलाषी हैं। पार्लामेण्ट के मज़दूर-दल के सदस्यों के सामने और फिर दूसरी वक्तृता में आपने सारी संरक्षण वाली कठिनाइयों को दूर करने का बहुत सरल और सीधा उपाय यह बतलाया, कि सारे ही वय-प्राप्त स्त्री और पुरुषों को मताधिकार हो, जिससे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सम्भ्रान्त और दलित सभी एक समान मत दे सकें। इसमें स्त्री-पुरुष का भी भेद न होना चाहिए। महात्मा जी यह कदापि नहीं पसन्द कर सकते, कि मतदाताओं की योग्यता में ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जायँ, जिससे धनवान लोग ही मत (वोट) दे सकें और निर्धन किसान और मज़दूर अपने इस नैसर्गिक अधिकार से वञ्चित रक्खे जायँ। उनका अभिमत भारत की ८५ सैकड़ा भूखों मरती जनता के अन्न-वस्त्र का अभाव मिटाना है, उनको बराबर का नागरिक समझ कर उनसे राज-काज में सम्मति लेने की ज़रूरत है।

महात्मा जी ने भारत में अङ्गरेज़ी सेना के रखने की नीति की तीव्र आलोचना की। "आप जानते हैं कि अङ्गरेज़ हमें तलवार के बल से दबाए रख सकते हैं, पर क्या ग़ुलाम और बाग़ी भारत, ब्रिटेन का मङ्गल करने में उसका साथ दे सकता है? ज़रूरत पड़ने पर भारत और भी बलिदान करने और कष्ट उठाने को तैयार मिलेगा।" सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो महात्मा जी ने कही वह संसार के लोगों को अपने हृदयों पर अङ्कित कर लेना चाहिए। आपने कहा—"अगर मैं अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हूँ, तो आप विश्वास रक्खें कि इसलिए नहीं चाहता, कि मैं ऐसे राष्ट्र को व्यक्ति बनूँ जो किसी दूसरे राष्ट्र या व्यक्ति को लूटे-खसोटे। यदि ऐसी स्वतन्त्रता चाहूँ तो मैं स्वतन्त्रता पाने का अधिकारी नहीं हूँ। यदि मैं प्रत्येक दूसरी जाति की, निर्बल हो या बलवान, स्वतन्त्रता को, बराबरी के अधिकारों को रत्न के समान मूल्यवान न समझूँ तो मैं स्वतन्त्रता का स्वयम् अधिकारी नहीं हूँ।"

महात्मा जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वह कोई हठी और दुराग्रही मनुष्य नहीं हैं। यदि उन्हें कोई

उनकी भूल को समझा देगा, तो वे उसे मानने और समझने के लिए तैयार हैं। अपने मत के उचित परिवर्तन के लिए उन्हें कॉङ्ग्रेस ने स्वतन्त्र छोड़ा है। लेकिन जो कुछ भी परिवर्तन होगा, वह भारत के हित के आधार पर हो सकेगा।

आपने कहा कि भारत में रहने वाले अङ्गरेज़ों को भी भाईचारे के साथ भारत का नागरिक बन कर रहने में कोई भय नहीं है, न उनको किसी विशेष अधिकार की ज़रूरत है। उनके पास कई ईसाई संस्थाओं से चिट्ठियाँ आई हैं, जिनमें साफ़ लिखा है कि उन्हें विशेष अधिकारों की ज़रूरत नहीं है। श्रीयुत एण्ड्रयूज़ सदृश सज्जन भारत की किसी भी जगह से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इसी तरह पूर्ण युक्ति के साथ आपने बतला दिया कि सिक्ख, मुसलमान प्रभृति लोगों को भी किसी प्रकार की चिन्ता का कारण नज़र नहीं आता।

महात्मा जी को सम्भवतः अङ्गरेज़ी राजनैतिक चाल ने दुखी कर दिया है। वे चाहते हैं, कि यदि ब्रिटेन वाले भी अपनी सारी बातें खोल कर सीधे-सादे शब्दों में उन्हीं की तरह उपसमिति के सामने रख दें तो भारत और ब्रिटेन के विचारों में जो अन्तर है, वह एकदम सामने आ जाय और उस पर वाद-विवाद करना और एक निश्चय पर पहुँचना सरल हो जाय। बिना विचारणीय प्रश्नों की संस्थापना के, विवाद करके समय नष्ट करना व्यर्थ है।

लेकिन मि० 'सेमुएल होर' ने ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल की पुरानी चाल के अनुसार महात्मा जी की वक्तृता के बाद कहा कि साधारण सैद्धान्तिक बातों पर वादानुवाद करने के बदले यही अच्छा होगा, कि हम अपने विचारों को साम्राज्य के भीतर भारतीय सङ्घ-योजना के ब्योरों पर ही केन्द्रित रक्खें। इसके और भी कारण हो सकते हैं, किन्तु यदि असली बात को सीधे रास्ते से जल्दी निबटाने का दृढ़ भाव हृदय में हो, तो महात्मा जी की ही राय अधिक हितकर प्रतीत होती है।

२३वीं सितम्बर की रात को पार्लामेण्ट की तीनों पार्टियों के सदस्यों की एक सभा में भाषण देते हुए, महात्मा जी ने अपनी तथा भारत की वर्तमान परिस्थिति को जितना स्पष्ट कर दिया है, कदाचित इतना स्पष्ट कभी नहीं किया था। आपने कहा :—"मैं एक ऐसी हुकूमत का भार ग्रहण करने की अपेक्षा, जो पाँच-दस साल में अवश्य ही दिवालिया बन बैठेगी, यह हज़ार दर्जे अच्छा समझता हूँ कि लाचारी से पराधीन बना रहूँ और अपने को बाग़ी घोषित कर दूँ, आप किसी भी आत्म-सम्मान रखने वाले भारतवासी को इसके लिए रज़ामन्द नहीं पाएँगे। मैं एक सत्याग्रही की हैसियत से अपना ख़ून देकर लड़ते रहना पसन्द करूँगा; मैं यह पसन्द करूँगा कि आप मुझे जेल भेज दें, या मेरे ऊपर लाठियों की वर्षा करें; पर मैं एक ग़ुलाम की हैसियत से आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता, और मेरी तुच्छ सम्मति में इन रक्षा, फ़ायनेन्स और वैदेशिक विषयों सम्बन्धी संरक्षणों का अन्तिम फल इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।"

इन कुछ पंक्तियों से ही देशवासी परिस्थिति की गम्भीरता का अनुमान कर सकते हैं।

❀　❀　❀

राजनीति का एक पहलू !

महामना प्राउढन (Proudhon) का कहना है, "अगर मुझसे कोई पूछे कि 'ग़ुलामी क्या है ?' तो मैं तुरन्त यह उत्तर दूँगा, 'हत्या'। इस बात को विशेष तर्क से स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा उत्तर साफ़, सीधा और सच्चा है। किसी व्यक्ति से उसके विचार, उसके भाव, उसकी इच्छा और उसके व्यक्तित्व को छीन लेने की शक्ति जीवन और मृत्यु की शक्ति है, इसलिए किसी को ग़ुलाम बनाना उसे मार डालना है। फिर अगर कोई मुझसे पूछे कि 'सम्पत्ति क्या है ? तो मैं इसका उत्तर यह क्यों न दूँ कि 'डकैती', क्योंकि जो प्रश्न पहिले था, उसीका रूपान्तर यह दूसरा प्रश्न है।"

लेकिन बड़े-बड़े धर्म के झगड़ा उठाने वालों ने और क़ानून और न्याय के बाल की खाल निकालने वालों ने, यहाँ तक कि डेस्टुट (Destutt) ने भी कहा है कि 'निर्धनता, अपराध और समर, समाज के आवश्यक दोष हैं ?' क्यों न हो, क़ुरान और इञ्जील के लिखने वालों ने तभी तो शैतान की सृष्टि की है और आदम को गुनहगार बना कर मनुष्य मात्र को अपराधी बना डाला और कहने लगे, आदमी ग़लती करता ही है। दूसरे शब्दों में आदमी भूल करता है, क्योंकि वह भूल करता है। इन धर्म-याजकों और पुस्तक लिखने वालों की इस बुद्धि पर जितना तर्स खाया जाय, थोड़ा है।

इन महानुभावों को यह न सूझा, कि आदमी भूल करता है, इसलिए कि हरदम नई-नई बात सीखता रहता है और दिनों-दिन विद्वान होता जाता है। यही सबब है कि आज की दुनिया को हज़ारों वर्ष की पुरानी मज़हबी रद्दी किताबें अच्छी नहीं लगतीं। इन पुस्तकों के आधार पर बने हुए सामाजिक जीवन से भी अब संसार बग़ावत करने को उठ खड़ा हुआ है और वह पुराने चाल के राज्यों और राजाओं को उलट कर पृथ्वी को मनुष्य-मात्र के लिए स्वच्छन्द क्रीड़ा-क्षेत्र बनाना चाहता है। जो बात हमने पिछले २० वर्षों में मनुष्य-समाज के परिवर्तन के सम्बन्ध में देखी है, उससे कहीं अधिक बड़ी बात और कहीं अधिक चपलता के साथ आते हुए अगले कुछ ही वर्षों में देखेंगे। इसका प्रमाण वर्त्तमान सामाजिक बेचैनी, उद्वेग और विच्छिन्नता है, जो कि अभूतपूर्व देखने में आती है। आए दिन धीरे-धीरे, किन्तु निश्चय के साथ राजाओं का नाम भूमण्डल से सदा के लिए उठता जाता है। क्या इन सब घटनाओं से इस सम्बन्ध में हमें शिक्षा नहीं मिलती ?

हम देखते हैं कि शासकवर्ग घबराए हुए हैं। उनके सहायक सम्पत्तिवान लोग जहाँ-तहाँ काँप रहे हैं। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं की जड़ें हिल गई हैं और अब उनमें इतनी मज़बूती नहीं रही कि वह सर पर आए हुए प्रबल तूफ़ान के सामने छाती ठोक कर खड़े हो सकें। जिस देश में, जिधर देखिए वही खलबली के भाव, वही रक्षा-हीनता का भय और वही आतुरता और असन्तोष सभी श्रेणी में, ऊँचा हो या नीचा, एक समान विघ्न डाले हुए नज़र आते हैं। अधिकार प्राप्त वर्ग, शासन-शक्ति को साथ लिए हुए, इस परिस्थिति को दबाने के लिए सरतोड़-कोशिशें करते हैं, लेकिन अन्त में अकृतकार्यता देख कर थक बैठते हैं, और फिर नए उत्साह से कोशिश करने लगते हैं।

ऐसी अवस्था में हमारे विद्वान राजनीतिज्ञ विचित्र धोखे में नशा खाकर मस्त हुए बैठे हैं। यह लोग लगातार नए-नए प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की खोज किया करते हैं, जिनके द्वारा निर्धन, ग़रीब जातियों पर भारी बोझ पड़ता है। इन लोगों की आँखें छोटे-छोटे सम्पत्ति वालों और धनवानों पर लगी रहती हैं। यह इन बेचारों की चीज़ों के खसोटने की फ़िक्र के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। इतना करते रहने पर भी इनको यही विश्वास रहता है कि अधिकांश जनता ने हमारे सच्चे स्वरूप को अभी तक नहीं पहिचाना और न वह हमारी ठग-विद्या का ज्ञान कर सकेंगे। लेकिन यह उनकी भूल है। क्योंकि जिसकी जेब में लगातार छेद किया जाता है और जो कुछ वह रखता है उसे निकाल लिया जाता है—वह अगर बिल्कुल विक्षिप्त न हो, तो बहुत दिन तक धोखे में नहीं रह सकता। आज-कल के किसान और मज़दूर ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे जन-समूह परोक्ष करों की प्रवृति को ख़ूब पहिचान गए हैं और उनके घोर अन्यायपूर्ण रूप को निर्भ्रान्त रूप से जान गए हैं। यह ग़रीब अपने अभावों के कारण और साम्पत्तिक दशा जनित दरिद्रता के कारण सब राज्य के छल-छिद्रों को समझने लगे हैं ख़ासकर वे लोग, जिनके कुटुम्ब बड़े हैं और अब भूखे मरने लगे हैं। ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ों की क़ीमत बढ़ जाना इनको सावधान करता है और परोक्ष करों का अनुमान कराता है। इसी प्रकार के और भी बहुत से ढङ्ग हैं, जिनसे असंख्य रुपया शासक या धनिक लोगों की जेबों में चला जाता है, जिसका कटु-फल चख कर ग्रामीण लोग तक जान लेते हैं, कि उनके साथ कैसा अन्याय राज्य की ओर से हो रहा है—उनकी गर्दन पर कितना भारी बोझ डाला गया है और उनकी जेबों से किस छल के साथ उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा निकाला जाता है।

यही कारण है कि राजाओं, राज्यों और धनिकों पर से जन-समूहों का विश्वास एकबार ही उठ गया है और दुर्भाव उस हद तक पहुँच गया है जो दोनों को एक साथ जीने तक नहीं दे सकता। ग़रीबों की जेब से पाई-पाई खिंच चुकी है। ख़र्च बढ़ गए हैं, दुखों ने प्रत्येक व्यक्ति को सावधान और सचेत कर दिया है। अब यह समझना कि, ग्रामीण लोग अनपढ़ और मूर्ख हैं, इसलिए राजनीति को नहीं समझ सकते, भयानक भूल है। ख़ाली थैलियों में से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष नहीं निकल सकते, भूखी और प्यासी गाय लगातार मनों दूध और घी नहीं दे सकती !!!

❀　❀　❀

नीच बनाम 'ऊँच'

दलित जाति का अस्तित्व नालायक़ हिन्दू जाति में ही नहीं, वरन् और भी सभ्य देशों में पाया जाता है। अमेरिका के श्वेताङ्ग वहाँ के आदम निवासियों और हबशियों को सदा सताया करते हैं, उन्हें कहीं मनुष्य के नाते बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता। कई बार हबशियों को यूरोपीय अमेरिकन थोड़े से अपराध पर जीता तक जला देते हैं, जीते जी खाल खींच लेते या पत्थरों से मार डालते हैं। इसको 'लिञ्चिङ्ग' प्रणाली कहते हैं। इस सम्बन्ध में पाठक इसी अङ्क में अन्यत्र एक विचारपूर्ण लेख देखेंगे। अस्तु—

विर्जीनिया के अन्तर्गत पीडेमोण्ट नाम के स्थान का रहने वाला एक व्यक्ति जेम्स लिञ्च था। यह न्याय-निरत समदर्शी और सदाचारी किसान होने और पास में किसी न्यायालय न होने के कारण इस प्रदेश के लोग जब किसी अपराधी को पकड़ते थे तो उसी के पास दण्ड की व्यवस्था लेने जाते थे, और उसकी प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उस अपराधी को दण्ड दिया जाता था। तब से बिना क़ानून और अदालत के जनता अपनी मर्ज़ी से जब किसी का प्राण ले लेती है तो उसे 'लिञ्चिङ्ग' या 'लिञ्च' के क़ानून के अनुसार प्राण-दण्ड देना कहा जाता है।

इसी तरह केनिया आदि ब्रिटिश अफ़्रीका के कई स्थानों में ईसा के मुख में कालिमा लगाने वाले अङ्गरेज़ वहाँ के आदिम-निवासियों को ज़बर्दस्ती मज़दूरी करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके इन्कार करने पर उन्हें दण्ड दिया जाता है। अफ़्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ

भी वही व्यवहार होता है, जो प्रायः हम लोग भारत में दलित जातियों के साथ करते है। इनको ऊँची अच्छी ज़मीन नहीं मिल सकती और यदि मिलती भी है, तो ख़ास टैक्स लगते हैं। इन्हें म्यूनिसिपल बोर्ड और कौन्सिल आदि में प्रथम तो जगह ही नहीं मिलती; अगर मिलती है तो एक या दो !! इनकी जनसंख्या के अनुसार नहीं। फिर जो मेम्बर जाते हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं।

इस तरह सारी दुनिया में ज़बरदस्त जिसे निर्बल पाते हैं, उसका रक्त बेदर्दी के साथ चूसते रहते हैं। भारतवर्ष में भी धर्म का ढोंग रचने वालों ने हज़ारों वर्ष से लगभग ७ करोड़ भारत के प्रिय पुत्रों को 'अछूत' बना कर उनको हर तरह पर दबा रक्खा है। इस पाप के भागी मद्रासी हिन्दू अधिक हैं। जिन जातों से अच्छे बनने वाले हिन्दू घृणा करते हैं, जिन्हें छूते नहीं, जिन्हें अनेक प्रकार से लूटते-खसोटते रहते हैं, वह प्रायः सभी बड़े काम के लोग हैं।"

१—चमार या चर्मकार; यह चमड़े का काम करते हैं। जूतियों के अतिरिक्त यह और भी चमड़े के सामान तैयार करते हैं और मरे हुए पशुओं के बदन से खाल उतार कर काम में लाते हैं। इनको कहीं-कहीं 'बलाई' कहीं 'रैदास' और कहीं दूसरे नाम से पुकारते हैं।

२—चूड़े, डोम,भङ्गी इन लोगों का काम है सड़कों, पाख़ानों आदि का साफ़ करना।

३—कोल, भील, सन्थाल आदि अगणित जातियाँ जङ्गलों में रह कर खेती करने वाली हैं।

४—मेघ, कोष्टी, कोली, लँहगीर इत्यादि बहुत सी जातियाँ हैं जो कपड़े बनाती हैं।

५—दरकार, छपरबन्द, घरामी, लुनिया, बेलदार आदि जातियाँ परदे, चटाई, छप्पर, टट्टर बनाते हैं, नमक बनाते हैं, मिट्टी खोदते हैं, इत्यादि। इस तरह मालूम होगा, कि इस प्रकार की समस्त काम की जातियों से हिन्दू काम तो लेते हैं, लेकिन बर्ताव ऐसा करते हैं जैसा मनुष्य का मनुष्य के साथ कदापि न होना चाहिए। आज यह जातियाँ सचेत हुई हैं - अपने साथ होने वाले अत्याचारों को जिस दृष्टि से अत्याचारित स्वभावतः देखता है, यह भी देखने लगी हैं। इन लोगों ने एक सीमा तक अपने नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक दायित्व को पहचानने के साथ ही साथ अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हाथ-पैर भी हिलाना शुरू कर दिया है!

इस परिस्थिति को देख कर स्वार्थपरायण धर्म-याजक समुदाय राजनैतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपने-अपने डब्बे से धर्म की अफ़ीम खिलाने के लिए इन्हें फुसलाने लगे हैं। जो हिन्दू इन्हें धर्म के नाम पर छूना तक नहीं पसन्द करते, अपने मन्दिरों में नहीं जाने देते, अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते—यहाँ तक कि म्युनिसिपैलिटी के नलों पर से इन्हें पानी नहीं भरने देते—स्कूलों में भर्ती नहीं होने देते; वही हिन्दू आज इनको दिखाने के लिए अपनाना चाहते हैं। यह बात सच है कि यह राम-कृष्ण के मानने वाले और हिन्दू सभ्यता के अनुयायी हैं और हिन्दू की ही तरह इनका धर्माचार है, किन्तु जब तब संभ्रान्त हिन्दू उनको सामाजिक समता प्रदान न करें, इनको किस मुँह से अपना कह सकते हैं। केवल वोट लेने और दूसरे धर्मान्धों से लड़ने के लिए अगर इन्हें हिन्दू कह कर फुसलाया जाता है, तो इन्हें कभी भी हिन्दुओं के पञ्जे में न आना चाहिए।

इसी प्रकार मुसलमान धर्म में दीक्षित होने वाले हिन्दू इनको मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने के लिए बहकाते हैं। इनका ख़्याल है, कि यदि उनकी संख्या अधिक हो जायगी तो उनके अधिक मेम्बर कौन्सिलों में जायँगे और अधिक सरकारी नौकरियाँ उनको मिलेंगी, क्योंकि देशी मुसलमानों में दया, समझ, देश प्रेम बहुत कम है,इनकी दृष्टि सदा नौकरियों पर ही रहती है। यह अछूतों को देश-प्रेम के नाते उनकी सहायता करने के लिए या सधर्मियों के नाते इनके दुख-सुख में शामिल होने के अभिप्राय से मुसलमान नहीं बनाते। कुछ थोड़े से बाहर के मुसलमान भी हैं, जो भारत के अर्द्ध मुसलमानों को स्वार्थ-सिद्धि के लिए बहकाते रहते हैं।

यदि मुसलमानों का धर्म के नाते मुसलमानों से वास्तविक प्रेम होता, तो बङ्गाल की बाढ़ में, जहाँ अधिकांश मुसलमान ही भूख से मर रहे हैं, वे अन्न वस्त्र का ढेर कर देते। सात करोड़ मुसलमान २-४ लाख विपद्-ग्रस्त मुसलमानों को अन्न-वस्त्र नहीं दे सकते, लेकिन मुसलमान बनाने के लिए हिज़ हाईनेस आग़ा ख़ाँ और मौलाना शौकतअली तक बहुत कुछ ख़र्च कर सकते हैं !! इसका मतलब न इस्लाम का प्रेम है और न देश-प्रेम। यह तो सीधे-सादे शब्दों में स्वार्थ का प्रेम है मनुष्य मात्र को धोखा देना है।

ठीक इसी नीयत से अङ्गरेज़ लोग अपने पादरी कहलाने वाले एजेण्टों की मारफ़त अछूतों को बहका-बहका कर ईसाई बनाने की चेष्टा किया करते हैं। उनका भी इसमें राजनैतिक उद्देश है।

हमारे अछूत भाइयों को चाहिए, कि किसी के बहकाने में न आवें। अपने को अछूत भी न समझें और न किसी का धर्म ही स्वीकार करें धर्म और ईश्वर के नाम पर लुटना, पादरी, पण्डित और मौलवी के हाथ बिक जाना, निरा पागलपन है। तुम ७ करोड़ हो, तुम्हारे शरीर में बल है, तुम मेहनत करते हो, तुम्हीं अन्न पैदा करने वाले और कपड़ा बनाने वाले हो, अगर तुम अपने आप में जाति पाँति का झगड़ा तोड़ कर—एका करके एक जाति बन जाओ तो फिर तुम्हें किसी के मुँह की ओर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम मेहनत करते हो, इसलिए परम पवित्र हो, अछूत वो हैं, जो हराम का खाते हैं, श्रम नहीं करते। श्रम ही प्रतिष्ठा का कारण होना चाहिए। ज़मीन जोतने वाले, कपड़ा बनाने वाले, पाख़ाना साफ़ करने वाले, कपड़ा सीने वाले इत्यादि जितने हाथ-पैर की मेहनत से अपने और दूसरे देशवासियों के लिए उपकारी पदार्थ पैदा करते हैं, वही शुद्ध, पवित्र, ईमानदार और पूज्य हैं—शेष मुफ़्तख़ोर और धर्म का ढोंग फैलाने वाले हैं। इनसे सदैव सावधान रहने की ज़रूरत है।

* * *

हिन्सा बनाम अहिन्सा

भारत में उसकी जनसंख्या को देखते हुए मुट्ठी भर लोग हिंसा में विश्वास करते हैं और यदा-कदा अपना अस्तित्व प्रकट करते रहते हैं—इस सच्ची बात से किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी विवेकशील मनुष्य के लिए यह समझना कठिन है, कि इनका दमन राष्ट्रीय सम्वाद-पत्रों के दमन से हो सकता है और हो जायगा। गोरे पत्रों और दूसरे गोरे समुदायों द्वारा भारत में और सङ्कीर्ण दल भुक्त राजनैतिक सम्प्रदाय द्वारा ब्रिटेन में लगातार इस बात का कुत्सित प्रचार किया जा रहा है, कि इन सशस्त्र क्रान्तिकारियों के साथ राष्ट्रीय सम्वाद-पत्रों और कॉङ्ग्रेस के कर्मचारियों का सहयोग और सहानुभूति है। इसी प्रचार के आधार पर सरकार ने प्रेस और कॉङ्ग्रेस कमिटियों को स्थानान्तर में विध्वंस करना अपना कर्त्तव्य समझ लिया है—किसी हिन्सापूर्ण दुर्घटना के साथ ही साथ पाठक कॉङ्ग्रेस कमिटियों तथा कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ताओं की तलाशियों के समाचार प्रायः पत्रों में पढ़ते होंगे।

इस तरह ब्रिटिश भारत के इतिहास के अनुसार भारत के गोरों, अर्ध-गोरों और सिविलियनों के चीत्कार और इन्हीं के परिपालित एवं सञ्चालित सम्वाद-पत्रों की पुकार पर अनेक बार दमनकारी क़ानूनों की सृष्टि पहले भी हुई है। यह स्वार्थान्ध थोड़े से विदेशी यह कभी नहीं समझ सकते कि भारतवासियों को इस बात का प्राकृतिक अधिकार है कि अपने हित के लिए वह अपने देश की राजनीति और अर्थनीति स्वयम् निर्धारित करें। और जब तक उनको यह अधिकार न मिल जायँ, वह अपनी राजनैतिक और साम्पत्तिक स्वतन्त्रता हासिल करने के लिए उचित आन्दोलन करने का पूरा अधिकार रखते हैं। अगर हमारे इस नैसर्गिक अधिकार को काम में लाने से किसी समुदाय के थोड़े से लोगों को नुक़सान पहुँचता नज़र आता हो, तो उनके हल्ला मचाने से अधिकांश जनता का मुँह बन्द करना न्याय-सङ्गत नहीं हो सकता। इसलिए वह बन्द भी नहीं किया जा सकता।

शासन-तन्त्र का किसी समुदाय या सम्प्रदाय का पक्षपाती बन कर काम करना बहुत निन्दनीय है और ऐसा करने से वह बहुत समय तक ठहर भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि कॉङ्ग्रेस ने अपने आन्दोलन में से ऐसी सारी मदें निकाल दी हैं, जिनसे सरकार के साथ सङ्घर्ष होने की सम्भावना थी। कहीं-कहीं शान्तिमय पिकेटिङ्ग तक का काम केवल इसीलिए ढीला हो रहा है, स्थानिक कर्मचारी बहाना ढूँढ़ कर सङ्घर्ष करने को उद्यत नज़र आते हैं और कॉङ्ग्रेस नहीं चाहती, कि इस अवसर पर किसी प्रकार का सङ्घर्ष हो। पग-पग पर मनसा, वाचा, कर्मणा शान्ति की चेष्टा तथा नौकरशाही के अत्याचारों और ज़बरदस्ती की उपेक्षा करते रहने पर भी अगर कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ताओं को थोड़े से भारत के गोरे व्यापारियों और कर्मचारियों के कहने से सताया जाता है, राष्ट्रीय सम्वाद-पत्रों का मुँह बन्द करने के लिए नए क़ानून का निर्माण होता है, तो स्पष्ट है, कि भारत का शासन-तन्त्र इन्हीं मुट्ठी भर गोरों के हाथ में है। निष्पक्ष शासनतन्त्र जनता मात्र के हित के लिए नहीं है।

अङ्गरेज़ी राज्य ने जनता के विचार स्वातन्त्र्य के वैध अधिकारों में बाधा देते-देते अपने को इतना अप्रिय बना लिया है, कि उसे नित्य नए क़ानून बनाने की ज़रूरत पड़ा करती है। 'क़ानून और संयम' शान्ति और शृङ्खला की दोहाई दे-देकर जिस अमानुषिक मनोवृत्ति से भारत का शासन १५ वर्ष से हुआ है उसीका फल सशस्त्र क्रान्तिवाद और बमबाज़ी है। इस महारोग को, जिसे कॉङ्ग्रेस और भारत की जनता संसार के लिए अहितकर समझ रही है, मिटाने का सच्चा प्रयत्न करना बुद्धिमानी है और जिस कारण से यह भाव पैदा हुआ है उसी कारण को बढ़ाते जाना सशस्त्र क्रान्ति के भावों को विस्तार देना है—नादानी है।

अगर गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स विफल हुई जैसा कि संसार के बड़े-बड़े दूरदर्शी राजनीतिज्ञ समझ रहे हैं, तो भारत में स्वतन्त्रता का शान्तिशील समर अभूतपूर्व वेग के साथ प्रारम्भ होगा। इस बार का समर इस बात का निर्णय कर देगा कि शान्तिशीलता का बल जातियों के नैसर्गिक अधिकारों के लेने में काम देता है या नहीं? अगर इस शान्तिशील लड़ाई में हमारी हार हुई, तो फिर निस्सन्देह जो दल आज महात्मा जी और उनके सिद्धान्त को कोसता फिरता है उसी के हाथ में आन्दोलन चला जायगा और निराश जनता अपनी क्रीड (Creed) बदल कर उनमें जा मिलेगी। यह बात स्वाभाविक है। इसलिए इस भयानक परिस्थिति में भारतवासियों और अङ्गरेज़ों को धीरता के साथ समझ कर काम करना उचित है। नौकरशाही की उद्दण्डता वैसी ही घातक है, जैसी सशस्त्र क्रान्ति के पक्षपातियों की।

* * *

भारत की आर्थिक समस्या

भारत सरकार उस नालायक़ सौदागर के समान है, जो अपने घर के घाटे को अच्छी तरह जानते हुए भी हुण्डी पर हुण्डी लिखता रहता है। और अन्य उपायों द्वारा भी जहाँ तक मिल सकता है, ऋण लेने से मुँह नहीं मोड़ता, अन्त में अपनी मान-मर्यादा खोकर दिवालिया बन बैठता है।

देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत सरकार का ख़र्च प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता है। कर, हिन्दुस्तान पर उसके बूते के बाहर लग चुका है, इसलिए पूरा-पूरा वसूल नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत की ब्रिटिश सरकार को अपनी बेहूदा फ़िज़ूल-ख़र्ची, अपनी झूठी शान और अपना आतङ्क ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए नित्य प्रति आँख बन्द करके, बिना आगा-पीछा सोचे, ऋण लेने की ही धुन सवार रहती है। इस समय भारत पर इतना ऋण है, कि यदि कहीं अङ्गरेज़ भारत छोड़ कर विलायत चले जायँ, जैसे रोम वाले ग्रेट-ब्रिटेन छोड़ कर चले गए थे, तो देशवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़े। अङ्गरेज़ जब तक हैं, छल-बल से—ऊपरी शान और साहूकारी के अन्दाज़ की बदौलत नित्य नया ऋण लेकर या इधर की उधर तूँबा-पल्टी करके अपना काम ढके पर्दे चलाए जाते हैं। नए लोगों को जल्दी इस बाज़ीगरी और सट्टे-बट्टे का पता भी नहीं लग सकता। जिस साहूकार के दूकान की ऐसी दशा हो जाती है, जैसी भारत सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की है, उसके यहाँ भी नया एजेन्ट आकर जल्दी काम को समझ और सम्हाल नहीं सकता—असली अवस्था के जानने में समय लगता है।

अङ्गरेज़ों की सदा से यह नीति रही है और अब भी है, कि किसी न किसी बहाने तनख़्वाह के नाम से, पेन्शन के नाम से, स्टोर के नाम से, बट्टे के नाम से इत्यादि—भारत का धन विलायत भेजना। अगर हम आँख खोल कर जॉन कम्पनी के समय से आज तक का भारत सम्बन्धी साम्पत्तिक इतिहास पढ़ें, तो जो हमने ऊपर लिखा है, उसकी पुष्टि इस दृढ़ता के साथ होती है, कि कोई उसे काट नहीं सकता।

भारत के ऊपर अङ्गरेज़ी शासन की मूर्खता और स्वार्थपरता से लदा हुआ राष्ट्रीय ऋण एक अरब रुपयों से अधिक है। इसके अलावा ख़ज़ाने से हाथ की हुण्डी भी चलती रहती हैं। हिन्दुस्तान के डाकख़ानों की सेविङ्ग-बैङ्कों का रुपया भी उठा कर ख़र्च कर लिया गया है। कौन जानता है कि करेन्सी नोटों के मद में ख़ज़ाने के अन्दर कितनी पोलें हैं। क्योंकि जो करेन्सी नोट छपते हैं उनके बदले पूरा रुपया ख़ज़ाने में पहले से सुरक्षित नहीं रक्खा जाता। बहुधा ज़रूरत के समय जैसे नई फ़सल आदि के मौक़ों पर थोथे नोट छापे जाते हैं और साहूकारों को रुपया ब्याज पर दिया जाता है। इस तरह की अनेक बातें हैं, जिससे भारत सरकार के ऋण-भार का ठीक पता चलना बाहरी आदमी के लिए बहुत कठिन है।

आज भारत सरकार की आर्थिक मातबरी का पता उसके प्रॉमेसरी नोटों के दर से लगता है। ३॥ प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज वाले नोटों का दर ५६) है। अर्थात् ५६) देने से १००) का नोट मिल सकता है; या यों कहें कि ४४) प्रति सौ का बट्टा है! हाल में सरकार ६॥) सैकड़ा सालाना प्रति सौ (यह ब्याज ॥-) सैकड़ा मासिक पड़ता है) ब्याज देने के वादे पर ऋण लेने को हाथ फैलाए फिरती है; पर सिवा थोड़े से लोगों के साधारण साहूकार-मण्डल अधिक ऋण देने को तैयार नहीं है।

भारतवासी इस बुरी तरह से निचोड़े जा चुके हैं कि सिवा थोड़े से देशघाती साहूकारों के, जो सरकारी लूट से लाभ उठाने को सदा प्रस्तुत रहते हैं, किसी साहूकार की भी अच्छी हालत नहीं है। किसान तथा मज़दूरों की ऐसी बुरी दशा है कि जो स्वतः कम्युनिज़्म या बोलशेविज़्म के आने की भविष्यद्वाणी किया करती है।

व्यापार नष्ट हो गए, कारीगरी में दम नहीं रहा, भूमि-कर की नीति ने ज़मीन का दम शोष लिया, बेकारी और भूख से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मगर कुछ नहीं, माले-मुफ़्त दिले बेरहम।

एक व्यर्थ सूचना

आज से एक मास पूर्व 'भविष्य' के लगातार कई अङ्कों में इस बात की विस्तृत सूचना प्रकाशित कर दी गई थी कि 'भविष्य' वर्ष की समाप्ति पर दो सप्ताह का अवकाश ग्रहण करेगा और 'जुबली-अङ्क' के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क ५वीं अक्टूबर को प्रकाशित होगा (जो आपके सामने है); फिर भी कुछ ग्राहकों तथा एजण्टों ने बार-बार इस बात की शिकायत करने में ज़रा भी सङ्कोच नहीं किया कि उन्हें पिछले २ सप्ताहों का 'भविष्य' नहीं मिला। ऐसे व्यर्थ के आए हुए पत्रों का उत्तर देना संस्था के लिए सम्भव नहीं था, जब कि पोस्टकार्ड तथा लिफ़ाफ़ों का मूल्य ड्योढ़ा होने जा रहा है। पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि पत्र में प्रकाशित विभिन्न सूचनाओं को वे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें, और व्यर्थ की लिखा-पढ़ी से जहाँ तक सम्भव हो, स्वयं भी बचें और हम पर भी दया रक्खें।

समय आने पर भारतवासी भारत सरकार के अकारण या भारत के हित के विरुद्ध लिए हुए ऋण को चुकाने से निश्चय ही इन्कार करेंगे। धनिक प्रधान राष्ट्रीय सभा ने भी ८ करोड़ रुपया ही चुकाना स्वीकार किया है। सरकार सेविङ्ग बैङ्कों के रुपयों पर जो ग़रीबों का ।) ॥) करके जमा किया हुआ है, ४) प्रति सौ प्रति वर्ष का ब्याज देती है और मोटे-मोटे ऋण ६॥) पर लेती है, यह ग़रीबों पर सरकारी अनुग्रह है। यह लोग अपना रुपया ज़्यादा लाभ के काम में लगा सकते हैं, पर इनमें न तो इतनी समझ है और न इन्हें ये बातें सुझाने वाला ही कोई नज़र आता है! भारत का धनिक-समाज केवल बट्टों की दर के लिए हल्ला मचाता रहता है। वह कहता है, कि जहाँ बट्टे की दर शि० १ पेनी ४ बराबर एक रुपए के हुआ, कि हिन्दुस्तान की सारी मुसीबत जादू के गढ़ की तरह मन्त्र-मारते ही विलीन हो जाएगी। लेकिन हमारी समझ में इनकी दलील नहीं आती। हमने १-४ के दर को भी देखा है और उस समय में भी किसान मजदूरों की परिस्थिति देखी है। १-४ से अमीरों का लाभ ज़रूर है और उनका अपने लाभ के लिए लड़ना उचित है, पर यह कहना ठीक नहीं, कि १-४ बट्टे की दर देश की मुसीबतों को मिटा देगी। ऐसा कहना अपने भोले देश-वासियों को ठगना है!

अगर हमारे देश का कष्ट मिट सकता है तो ईमानदार शासन पद्धति से ही मिट सकता है। जितने ख़र्च से आज गवर्नमेण्ट चलती है और जिसके कारण वह ठोकर खाकर गिरती रहती है, उसमें अगर ७५ प्रति शत भी कम कर दिया जाय तो शासन अच्छी तरह चल सकता है। अगर कोई कहता है कि नहीं चल सकता तो वह अयोग्य है, उसे चाहिए कि स्थान छोड़ कर हट जाय। देश के दूसरे समझदार लोग इस काम को अधिक सुन्दरता से कर सकेंगे और करेंगे।

* * *

काश्मीर को निगल जाने का भीषण षड्यन्त्र

(२४वें पृष्ठ का शेषांश)

फ़ौजी चौकी पर हमला

श्रीनगर से ३२ मील की दूरी पर मुसलमानों ने फ़ौजी चौकी पर हमला किया, प्रायः एक दर्जन फ़ौजी बुरी तरह ज़ख़्मी किए गए, जिनमें से कुछ की दशा बहुत चिन्ताजनक है। फ़ौजियों ने आत्म-रक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें १६ आदमी मरे।

दूसरे दिन मुसलमानों ने खुल्लमखुल्ला बलवा मचा दिया है। मोरिल्ला में पचास हज़ार मुसलमान तलवार, भाले, लाठियाँ आदि लेकर एकत्र हो गए फ़ौज और पुलीस पर पत्थरों की वर्षा की गई। सरकारी आज्ञा का उल्लङ्घन कर पेड़ों को काट-काट कर लाठियाँ बनाई गईं महाराज और प्रधान-मन्त्री को खुलेआम गालियाँ दी गईं और कहा जा रहा है कि हम सरकार को उलट देंगे।

ख़ानयार पर ५० हज़ार मुसलमान तलवार, भाले, बर्छे, लाठियाँ आदि हथियार लेकर एकत्र हुए। ३०० बाहरी मुसलमान बन्दूक़ें लेकर राज्य के बलवाइयों की मदद के लिए आ गए थे। श्रीनगर से ३० मील के फ़ासले पर सोपियाँ नामक स्थान में भी हथियारबन्द मुसलमानों ने थाने पर हमला करके हेड कॉन्स्टेबिल को मार डाला, रजिस्टरों और कपड़ों को जला दिया और फ़ौजी पहरेदारों पर पत्थर बरसाए। सिपाहियों को आत्म-रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, जिससे दो बलवाई मारे गए और क़रीब चार घायल हुए। ऐसा भीषण विद्रोह इतनी ज़रा-सी बात पर कहीं सुनने में नहीं आया। एक काश्मीरी प्रचारक डिक्टेटर बना दिया गया था और राज्य को उलट देने की तैयारी दिखलाई देती थी। एक सी० आई० डी० अफ़सर का घर फूँक दिया गया। मस्जिदों में खुलेआम लोगों से बलवे में शामिल होने को कहा जाता था और लोगों को इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों में घण्टे बजाए जाते थे। ज़रा-ज़रा से मुसलमान लड़के सरेआम नङ्गी तलवार लिए सड़कों पर घूमते थे और जहाद करने की घोषणा करते थे।

यह है काश्मीर का भीषण विद्रोह। इस विद्रोह को देख कर लोग आश्चर्य-चकित हो गए हैं कि इतनी ज़रा-सी बात ने कैसे और क्यों इतनी जल्दी ऐसे भीषण और वीभत्स बलवे का रूप धारण कर लिया। लोगों को इस बात से भी आश्चर्य हो रहा है कि काश्मीरी मुसलमानों में ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं थी, फिर वहाँ ऐसा सशस्त्र विद्रोह कैसे शीघ्रता से फैल गया। परन्तु परिस्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से यह पहेली सहज ही समझी जा सकती है।

काश्मीरी शासकों की प्रशंसा

इतना सब होते हुए, इस प्रकार की उत्तेजना दिलाए जाने और आक्रमण सहते हुए भी काश्मीर के शासकों ने जैसी सहिष्णुता, जैसी धीरता और जैसी बुद्धिमत्ता दिखलाई है, उसके लिए लोकमत उनकी प्रशंसा कर रहा है और वास्तव में इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। फ़ौजियों ने अपनी जान और सरकारी माल पर अत्यन्त ख़तरा उपस्थित होने और दूसरा कोई उपाय न रह जाने पर ही गोलियाँ चलाई हैं। इतने भयङ्कर और कई दिनों के विद्रोह में फ़ौज और पुलीस के हाथों केवल २६ मनुष्य ही मरे हैं। इतने ही से पाठक अनुमान कर सकते हैं कि काश्मीर के अधिकारियों ने कैसी कुशलता से परिस्थिति को सँभाला है।

उस सर्व-शक्तिमान से हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्राचीनतम हिन्दू-राज्य की रक्षा करें!

❁ ❁ ❁

काश्मीर को एक बार ही निगल जाने का भीषण षड्यन्त्र !

भारतीय हिन्दू-संस्कृति के स्तम्भ-स्वरूप और प्राचीन हिन्दू राज्य काश्मीर के प्रति ग़ैर-हिन्दू समुदाय में बहुत पुराने ज़माने से प्रतिहिंसा और विद्वेष के साथ ही उसको अपने क़ब्ज़े में करने का जो पुराना बुख़ार सता रहा था, उसे अब ख़ूब खुल कर निकाला जा रहा है। आज से नहीं, प्रायः ८९ वर्ष के विशाल समय से, जिस समय कि काश्मीर फिर से हिन्दू शासन में आया था, अङ्गरेज़ों और साथ ही सिन्ध से लेकर अरब तक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले मुसलमानों का दाँत काश्मीर पर लगा था। इस कलुषित उद्देश्य की पूर्ति का षड्यन्त्र भीतर ही भीतर बराबर होता आ रहा था और अब वह संसार के सामने प्रत्यक्ष आ गया। जो लोग चतुर हैं, कूटनीति में प्रवीण हैं, वे दबे-छुपे अपने हथकण्डे चला रहे हैं और जो नासमझ और उच्छृङ्खल हैं, वे आगे हैं।

मुसलमानों का षड्यन्त्र

इधर पिछले कुछ वर्षों से मुसलमान इस सम्बन्ध में अधिक व्यस्त हैं। कारण यह है कि काश्मीर की आबादी ९५ प्रतिशत मुसलमानों की है, इसीलिए वे यह समझ रहे हैं कि मुस्लिम विद्रोह वहाँ बहुत जल्द कृतकार्य हो सकता है और हिन्दू शासक को हटा कर वहाँ मुस्लिम बादशाहत स्थापित की जा सकती है। पञ्जाब में 'क़ादियानी' नामक मुसलमानों का एक फ़िरक़ा है और उसने यह प्रसिद्ध कर रक्खा है कि

मुसलमानों के नए पैग़म्बर

उसी जाति में जन्म लेंगे, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि पैग़म्बर पैदा भी हो गए हैं—और वह मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करेंगे। इस मुस्लिम साम्राज्य संस्थापन का श्रीगणेश काश्मीर से होना बतलाया जाता है। इस समय काश्मीर का आन्दोलन खड़ा करने वाला, कहा जाता है, क़ादियानी जाति का ही एक व्यक्ति है। यही नहीं,

काश्मीर का बादशाहत का स्वप्न

भी अभी से देखा जाने लगा है। अभी हाल ही में मिर्ज़ा बशीरअहमद, ख़लीफ़ा, क़ादियानी ने स्यालकोट में भाषण करते हुए कहा था—

"× × × यह प्रसिद्ध करते हैं कि मैं काश्मीर की बादशाहत लेने की चेष्टा में हूँ और इसीलिए यह षड्यन्त्र हुआ है। मेरे लिए मुकुट भी बन चुका था। परन्तु यह बात बिल्कुल ग़लत है। काश्मीरी अपने राजा को निकाल कर मुझे कैसे बादशाह बना सकते हैं? हाँ, मुमकिन है कि मौलाना अनवर शाह वग़ैरह में से कोई बादशाह बन जाय।"

ये हैं मुसलमानों के सुख-स्वप्न और यह है उनकी मनोवृत्ति। ये बातें स्वयम् पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि काश्मीरी विद्रोह का रहस्य क्या है?

विद्रोह का सूत्रपात

काश्मीर के विरुद्ध काश्मीरी प्रजा में असन्तोष फैलाने का प्रयत्न खुल्लम-खुल्ला इधर ज़ोरों से आरम्भ हो गया था। राज्य में कुछ प्रचारक पहुँच गए थे और वे राजविद्रोही वक्तृताएँ दे रहे थे। गत अगस्त मास में यह प्रचार तीव्र वेग से चल पड़ा और सारे राज्य के विरुद्ध वक्तृताएँ दी जाने लगीं। अन्त में रोग को बढ़ते देख कर राज्य के अधिकारियों की ओर से आन्दोलन को रोकने का प्रयत्न हुआ और आन्दोलन का नेता अब्दुल क़ादिर पकड़ा गया। नेता का पकड़ा जाना था कि राज्य में विद्रोह की अग्नि एकदम भड़क उठी, सारी बातें पकी-पकाई पहिले ही से थीं, नेता को छुड़ाने के लिए हज़ारों की संख्या में मुसलमान जेल पर पहुँच गए। जेलख़ाने पर हमला कर दिया, तार काट डाले, पहरेदारों के घर जला दिए और साथ ही राज्य की हिन्दू प्रजा को भी ख़ूब लूटा-पीटा, उपद्रवियों को दबाने के लिए और जनता की जान-माल की रक्षा के लिए अधिकारियों की ओर से गोलियाँ चलाई गईं, जिसमें ९ आदमी मरे और बहुत से ज़ख़्मी हुए। २२६ गिरफ़्तार भी किए गए।

द्वेषपूर्ण देशव्यापी आन्दोलन

यह सब करने के बाद मुसलमानों की ओर से काश्मीर नरेश के प्रति समस्त देश में भीषण आन्दोलन किया गया और राज्य के प्रति ख़ूब ज़हर उगले गए। बड़े-बड़े ज़िम्मेदार मुस्लिम-नेताओं ने ग़ैर-ज़िम्मेदाराना ढङ्ग से काश्मीर के शासकों को बदनाम करने का कोई दक़ीक़ा उठा न रक्खा और देश में काश्मीर-दिवस मना कर देशव्यापी आन्दोलन किया गया।

अङ्गरेज़ पत्रों का प्रचार

इस अवसर से लाभ उठाने की प्रेरणा से अङ्गरेज़ अख़बारों ने भी काश्मीर के शासन के विरुद्ध बहुत प्रचार किया और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आन्दोलन करने वालों की ख़ूब पीठ ठोंकी गयी। भारतीय ही नहीं, विदेशी अङ्गरेज़ी पत्रों ने काश्मीर के विरुद्ध प्रचार करने में ख़ूब हाथ बटाया।

भारत-सरकार की उदासीनता

काश्मीर के विरुद्ध इस प्रकार ज़बरदस्त द्वेषपूर्ण आन्दोलन खुल्लमखुल्ला हुआ और अब भी हो रहा है, किन्तु नरेन्द्र-रक्षा क़ानून की जन्मदात्री भारत-सरकार काश्मीर के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों के प्रति बिल्कुल उदासीन रही। अपने 'लाडले' देशी नरेशों के विरुद्ध ज़बान खोलने वालों के साथ सरकार ने क्या सलूक किए हैं, इसे अख़बार पढ़ने वाले लोग जानते हैं, किन्तु काश्मीर के विरुद्ध ऐसे विराट आन्दोलन और ज़हरीले भाषण और लेखों के लिए भारत-सरकार के कानों पर जूँ तक न रेंगी। परन्तु यह आश्चर्य का विषय नहीं है।

काश्मीर-शासकों की न्याय-प्रियता

इस प्रकार का षड्यन्त्र और द्वेषपूर्ण आन्दोलन होने पर भी काश्मीर-नरेश ने मुसलमानों की माँग के अनुसार मामले की जाँच के लिए निष्पक्ष कमिटी नियुक्त की और मुसलमानों के डेपुटेशन से मिल कर उनकी शिकायतों को दूर करने का वचन दिया। इतना ही नहीं, उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए हुए समस्त मुसलमान छोड़ दिए गए और जो लोग ज़ख़्मी हुए थे और जिनकी हानियाँ हुई थीं उन्हें मावज़े दिए गए। साथ ही महाराज की ओर से यह कहा गया कि राज्य की ओर से दमन की कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जाती हैं और आन्दोलन करने वाले भी अपना आन्दोलन बन्द कर दें और उनकी जो शिकायतें हों, उन्हें उपस्थित करें। मुस्लिम प्रजा और शासकों में यह समझौता हो गया और राज्य की ओर से समझौते का पालन भी हुआ, किन्तु मुसलमानों ने अपनी ओर से कोई माँग नहीं उपस्थित की, वरन् इसके विपरीत वे अन्दर ही अन्दर राज्य के प्रति विरोधी कार्यवाही करते ही रहे। काश्मीर के शासक तो समझौते के पालन में तल्लीन थे और मुसलमान गुप्त रीति से दूसरे विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। समझौते को तोड़ कर राज्य के विरुद्ध फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया। अन्त में मुसलमानों के इस रुख़ को देख कर शासकों ने भी अपना रवैया बदला और गत २१ सितम्बर को एस० एन० अब्दुल्ला नामक एक प्रचारक को राजद्रोही व्याख्यान देने के कारण गिरफ़्तार किया गया। अब्दुल्ला ने पकड़े जाने के दो घण्टे पहले अपने निवास स्थान पर मुसलमानों की एक गुप्त सभा की थी और उसमें यह वक्तृता दी थी:—

"भाइयो, यह मेरा अन्तिम भाषण है। मुझे विश्वास है कि मैं आज तुमसे पृथक् हो जाऊँगा। दुनिया तुम्हारी ओर देख रही है। कृतकार्य होगे, तो नाम पाओगे। दुनिया को बतला दो कि काश्मीरी मुसलमान ग़ुलाम नहीं रह सकते। मेरे पकड़े जाने से हिम्मत मत हारो। तुम में से हर एक मुसलमान सिद्ध कर दे कि काश्मीर का प्रत्येक मुसलमान अब्दुल्ला है और ग़ुलामी से मौत को अच्छा समझता है।

अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के दूसरे दिन उसका एक सहायक जलालुद्दीन भी राजद्रोही व्याख्यान देने के कारण गिरफ़्तार किया गया और इसके फल-स्वरूप

दूसरा भीषण विद्रोह

मुसलमानों ने मचा दिया। जलालुद्दीन की गिरफ़्तारी पर मुसलमानों ने एक जुलूस निकालने की सूचना निकाली। राज्य की पुलीस ने जुलूस निकालने की मनाही कर दी थी। इस मनाही के बाद भी मुसलमानों ने जुलूस निकाला। पुलीस ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, जिस पर पुलीस पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और उसमें प्रायः प्रत्येक पुलीस ऑफ़िसर और पुलीस वालों तथा फ़ौजियों को चोटें आईं। एक फ़ौजी पहरे वाले ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई, जिससे दो उपद्रवी मरे। इसके बाद मुसलमानों ने ज़ोरों से दङ्गा मचा दिया और हिन्दुओं पर भी आक्रमण किए।

मृतकों का जनाज़ा

२३ सितम्बर को मुसलमानों ने तीन मरे मुसलमानों का जनाज़ा निकालना चाहा। उन लोगों ने कहा कि ख़ास-ख़ास सड़कों से होता हुआ जनाज़े का जुलूस निकलेगा। पुलीस ने इसकी मनाही की। इस पर उन लोगों ने दूसरी तजवीज़ यह पेश की कि जुलूस राजमहल की ओर ले जाएँगे। किन्तु पुलीस ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और यह चेतावनी दी कि यदि इस आज्ञा का पालन नहीं किया जायगा, तो उसका प्रतिफल अच्छा न होगा। अन्त में मुसलमानों ने मृतकों की लाशों को पास के ही क़ब्रस्तान में दफ़ना दिया और जुलूस तितर-बितर होगया, ख़ानयार मोहल्ले में मुसलमानों की बड़ी भारी भीड़ तलवार, फरसे, लाठियाँ आदि लेकर एकत्र हुई। पुलीस की आज्ञाओं का बराबर उल्लङ्घन किया गया। मुसलमानों ने सड़कें रोक लीं और पेड़ों को काट-काट कर लाठियाँ बनाने लगे। परन्तु पुलीस ने छेड़-छाड़ नहीं की और भीड़ की कार्रवाइयों पर दृष्टि रक्खे रही। मुसलमानों का हुजूम देख कर हिन्दुओं में बड़ी सनसनी फैल गई। यह ख़बर पाकर कि आस-पास के मुसलमान भी आ रहे हैं, हिन्दुओं की दूकानें बन्द हो गईं। हिन्दुओं पर इक्के-दुक्के आक्रमण भी हुए।

(शेष मैटर २३वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

भारत के चार सुविख्यात नेता



भूतपूर्व राष्ट्रपति--पं० जवाहरलाल नेहरू

भारत के



दो 'गाँधी'



सीमा-प्रान्त के गाँधी खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

राष्ट्रीयता के पोषक



डॉक्टर एम० ए० अन्सारी (देहली)

FINE ART PRINTING COTTAGE, ALLAHABAD

सर रोजर केसमेण्ट और उनकी फाँसी

श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल्० बी०

परिचय

सर रोजर डेविड केसमेण्ट एक प्रसिद्ध आइरिश थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से भिन्न-भिन्न देशों में राजदूत के सम्मानित पद पर कार्य करने के बाद, आप सन् १९१४ से, आयर्लैण्ड के विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। सर रोजर का जन्म, १ सितम्बर, सन् १८६४ में हुआ था। ३१ जुलाई, सन् १८९२ में आप ब्रिटिश सरकार की ओर से आयर्लैण्ड के नाइगर नदी तट के संरक्षित प्रान्त में किसी सरकारी पद पर नियुक्त किए गए थे। २७ जून, सन् १८९५ में आप सरकारी दूत की हैसियत से लॉरेञ्जो मार्क्स में रहने के लिए भेजे गए। इसी प्रकार कई वर्षों तक पश्चिम अफ्रीका, गैबून और काङ्गो आदि अनेक देशों में भी आप ब्रिटेन के राज-दूत की हैसियत से रहे। दक्षिण अफ्रीका के युद्ध-सम्बन्धी सेवाओं के उपलक्ष में आपको 'सम्राज्ञी का साउथ अफ्रीकन तमग़ा' प्रदान किया गया था। ३० जून, सन् १९०५ में सर रोजर सी० एम० जी० बनाए गए। १ दिसम्बर, सन् १९०८ में आप कॉन्सुल जेनरल बना दिए गए। २० जून, सन् १९११ में आपको 'सर' की पदवी दी गई और सन् १९११ का 'कॉरोनेशन तमग़ा' प्रदान किया गया। १ अगस्त, सन् १९१३ में आपको पेन्शन मिल गई। इस समय आपकी अवस्था ४९ वर्ष की थी।

ब्रिटेन का विरोध

इतनी आयु तक आप कभी किसी आइरिश आन्दोलन में शामिल नहीं हुए थे। परन्तु सन् १९१४ में यूरोपीय युद्ध के समय ख़बर मिली कि आप जर्मनी में जर्मन सरकार के मित्र की हैसियत से विचरण कर रहे हैं। यह भी ख़बर थी कि आप जर्मन सरकार द्वारा बन्दी बनाए गए आइरिश सैनिकों के पड़ावों पर जाकर ब्रिटेन के विरुद्ध भाषण दिया करते थे।

उस समय सर रोजर केसमेण्ट के सम्बन्ध में ऐसी ख़बरें लोगों को अत्यन्त आश्चर्यजनक मालूम पड़ी थीं। पहले-पहल तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि एक ब्रिटिश नागरिक और पुराना सरकारी नौकर देश के प्रति विश्वासघात सदृश पतित अपराध कर सकता है। 'सर' की पदवी मिलने पर सर रोजर केसमेण्ट ने सर एडवर्ड ग्रे के पास जो स्वीकार-पत्र लिखा था, उसे देखते हुए सर रोजर केसमेण्ट की कारंवाई अत्यन्त रहस्य-जनक मालूम हुई थी। यदि उस पत्र की बात लोगों को उस समय मालूम हो जाती, जब कि ख़बर उड़ रही थी कि सर रोजर केसमेण्ट जर्मनी में जाकर जर्मन-सरकार के मित्र की हैसियत से विचरण कर रहे हैं, तो लोगों का क्रोध और उनकी घृणा बढ़ जाती।

षड्यन्त्र और गिरफ़्तारी

सर रोजर २१ अप्रैल, सन् १९१६ को, गुडफ़्राइडे के दिन, आयर्लैण्ड में गिरफ़्तार हुए थे। आप जर्मनी से मिल कर आयर्लैण्ड में विद्रोह कराने की तैयारी कर रहे थे। आयर्लैण्ड के क्रान्तिकारी इस बात को जानते थे। वे सर रोजर केसमेण्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। सर रोजर केसमेण्ट अपने कुछ साथियों के साथ, जर्मनी से जर्मन क्रूज़र जहाज़ों पर बहुत सा शस्त्रास्त्र लेकर, २० या २१ अप्रैल को आयर्लैण्ड में उतरे। परन्तु तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए गए। साथ ही वे जर्मन क्रूज़र भी पकड़ लिए गए, जिनमें हथियार थे।

सिनफ़िनरों का विक्षोभ

सर रोजर केसमेण्ट आयर्लैण्ड से गिरफ़्तार करके इङ्गलैण्ड भेज दिए गए। परन्तु वे मुश्किल से इङ्गलैण्ड पहुँचे थे कि आयर्लैण्ड से सिनफ़िन दल के विद्रोह प्रारम्भ कर देने की ख़बर आई। परन्तु वह विद्रोह तुरन्त ही दबा दिया गया और फ़ौजी अदालतों द्वारा बहुत से विद्रोही पकड़ कर फाँसी पर लटका दिए गए। अस्तु—

अभियोग और विचार

गिरफ़्तारी के बाद सर रोजर केसमेण्ट ने पुलीस के सामने बयान दिया कि "मैं सर रोजर केसमेण्ट हूँ, मैंने अपना परिचय आयर्लैण्ड में, ट्रैली के केवल एक पादरी को बतलाया है।" इसके बाद लन्दन की



सर रोजर केसमेण्ट

जो न्याय के नाम पर ४थी अगस्त, १९१६ को लन्दन में फाँसी पर लटका दिए गए थे।

बाउस्ट्रीट की पुलीस चौकी में एक विशेष अदालत द्वारा आपको अभियोग सुनाया गया। अभियोग इस प्रकार था :—

"सर रोजर केसमेण्ट, तुमने अपने देश के बादशाह के दुश्मन जर्मनी से मिल कर अपने देश और बादशाह के प्रति विश्वासघात का अपराध किया है। ब्रिटिश प्रजा होकर तुमने युद्ध के समय विदेश में इस देश के बादशाह के विरुद्ध उसके दुश्मन जर्मन-सरकार को सहायता पहुँचाई है।

विश्वासघात के जो कार्य तुमने किए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(१) ३१ दिसम्बर, सन् १९१४ को या उसके आस-पास तुमने ब्रिटिश-सैनिकों को, जो कि जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी रहे हैं, और जिनमें माइकेल, ओकाबर आदि रहे हैं, बादशाह के विरुद्ध दुश्मन के साथ मिल कर लड़ने के लिए भड़काया है।

(२) यही कार्य तुमने ६ जनवरी, सन् १९१५ में उन जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी ब्रिटिश-सैनिकों के साथ किया है, जिनमें जॉन रॉबिन्सन और जॉन क्रानिन आदि सैनिक रहे हैं।

(३) यही कार्य तुमने १९ फ़रवरी, सन् १९१५ में उन जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी ब्रिटिश-सैनिकों के साथ किया है, जिनमें जॉन रॉबिन्सन विलियम एगैन, डेनियल ओब्रायन और जेम्स विलसन आदि अनेक सैनिक थे, जिनके नाम नहीं मालूम हैं।

(४) जनवरी और फ़रवरी, सन् १९१५ में या उसके आस-पास तुमने जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी ब्रिटिश-सैनिकों को, जिनमें उपर्युक्त सब सैनिक रहे हैं, लिम्बर्ग के लाहन कैम्प में पर्चे बाँट कर इस देश के बादशाह के विरुद्ध जर्मन-सरकार के साथ मिल कर लड़ने के लिए भड़काया है। उन पर्चों में निम्नलिखित बातें कही गई थीं :—

"आयर्लैण्ड के निवासियो, आयर्लैण्ड के लिए लड़ने का सुअवसर उपस्थित है। तुमने अपने देश के पुश्तैनी दुश्मन इङ्गलैण्ड के लिए युद्ध किया है। तुमने इङ्गलैण्ड के हित के लिए बेलजियम की ओर से भी युद्ध किया है। हालाँ कि तुम्हारे लिए बेलजियम वैसा ही है, जैसा कि फ़िजी द्वीप। क्या तुम अपने देश आयर्लैण्ड की राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने को तैयार हो? जर्मन-सरकार की सहायता से एक आइरिश सेना तैयार की जा रही है। इस आइरिश सेना का एक मात्र उद्देश्य आयर्लैण्ड के लिए लड़ना होगा। किसी भी हालत में उसका उपयोग जर्मनी के लिए न किया जायगा। आइरिश सेना-आइरिश झण्डे के नीचे तैयार की जायगी और केवल उसी के लिए लड़ेगी। सैनिकों की आइरिश वर्दियाँ होंगी और सेना के अफ़सर भी आइरिश होंगे। इस आइरिश सेना की वर्दियों, उसके भोजन और हथियारों का प्रबन्ध जर्मन-सरकार करेगी। यह सेना बर्लिन में रहेगी। और जर्मन-सरकार की मेहमान समझी जायगी। युद्ध समाप्त हो जाने पर जर्मन-सरकार प्रत्येक सैनिक को उसकी इच्छानुसार आवश्यक साधनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भेज देगी। अमेरिका में आइरिश लोग सेना के लिए धन एकत्र कर रहे हैं। जो लोग इस आइरिश सेना में भर्ती होंगे, लिम्बर्ग से हटा कर दूसरे कैम्पों में भेज दिए जायँगे। अगर स्वीकार हो तो अपनी कम्पनी के कमाण्डरों से मिलो, आइरिश सेना में भर्ती हो जाओ और आयर्लैण्ड को स्वाधीन बनाओ। ईश्वर आयर्लैण्ड की रक्षा करे।"

(५) ३१ दिसम्बर, सन् १९१४ को या उसके आस-पास और उसके बाद जनवरी और फ़रवरी, सन् १९१५ में तुमने जर्मन-सरकार के बन्दी ब्रिटिश-सैनिकों को, जिनमें डेनियल जूलियन बेली, क्रीनलेस, ओकैलोगन, क्योग, कैवैनग, ग्रियर, स्कैनलैन आदि प्रायः ४० सैनिक थे, इस देश के बादशाह के विरुद्ध, उनके शत्रु जर्मनी के साथ मिल कर लड़ने के लिए भड़काया है।

(६) १२ एप्रैल, सन् १९१६ में या उसके आस-पास, युद्ध की चढ़ाई के ढङ्ग से तुम जर्मनी से रवाना हुए थे, जिसका प्रबन्ध इस देश के बादशाह के शत्रु जर्मनी ने किया था। तुम्हारा उद्देश्य आयर्लैण्ड में हथियारों का पहुँचाना और उनके द्वारा बादशाह के विरुद्ध, शत्रु की ओर से युद्ध करना था।

अभियोग सुनाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने सर रोजर से पूछा :—

"सर रोजर डेविड केसमेण्ट! तुम क्या कहते हो? विश्वासघात अपराध के अपराधी हो या नहीं?"

सर रोजर का बयान

उपर्युक्त अभियोग और अदालत के प्रश्न के उत्तर

में सर रोजर ने जो सुदीर्घ बयान दिया था, वह इस प्रकार है :—

"श्रीमान चीफ़ जस्टिस महोदय,

अपनी बात इस अदालत से भी ऊँची अदालत तक पहुँचाने के लिए मैंने विचार किया था कि जो कुछ भी मुझे कहना है, वह सब पढ़ कर सुना दूँ। इस वक्त जो कुछ मैं पढ़ कर सुनाने वाला हूँ, वह बीस दिन से अधिक पहले का लिखा हुआ है। सब से पहले मैं इस अदालत के अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर कार्रवाई करने का विरोध करता हूँ। मेरे ऊपर जो अभियोग लगाया गया है, उसके विचार करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। इस सम्बन्ध में जो मेरा तर्क है, उसे मैं इस अदालत को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देशवासियों को सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ।

क़ानून और उसका दुरुपयोग

५६५ वर्ष के पुराने एक अङ्गरेज़ी क़ानून के अनुसार, एक आइरिश को, "बादशाह के दुश्मनों का साथ देने के लिए" नहीं, बल्कि अपने देशवासियों का साथ देने के लिए, उसके जीवन और सम्मान से वञ्चित करना, क़ानून की दृष्टि से भले ही आपत्ति-जनक न हो, परन्तु नैतिक दृष्टि से तो निश्चय ही आपत्ति-जनक है।

जब, सन् १३५१ में, यह क़ानून पास हुआ था, तब मनुष्य और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न पर लोगों के क्या विचार थे ? उन दिनों के क़ानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धान्तों या ईश्वर-सम्बन्धी विचारों को बिना अपनी जान को ख़तरे में डाले नहीं बदल सकता था। उन दिनों इस प्रकार के 'धर्म-भ्रष्ट' (?) की वही दशा होती थी, जो कि 'विश्वासघाती' की होती थी।

आज कोई भी व्यक्ति ईश्वर को बिना किसी भय या दण्ड के शपथ लेकर छोड़ सकता है। परन्तु राज्य-व्यवस्था का काल्पनिक 'बादशाह' अब भी प्राचीन असभ्य युगों के अत्याचार-गृहों और कारागारों से वह क़ानून खोद कर निकाल सकता है, जो कि अन्तरात्मा के अनुसार कार्य करने के अपराध में मनुष्य को उसके जीवन और शरीर से वञ्चित कर देता है।

अगर सच्चे धर्म का आधार प्रेम है, तो वैसे ही राजभक्ति का आधार भी प्रेम है। जिस क़ानून के अनुसार मेरे ऊपर अपराध लगाया गया है, उसका आधार प्रेम नहीं है। उसका आधार प्राचीन काल की मूर्खता और अन्धविश्वास है।

वास्तव में इस समय मेरा विचार आधुनिक विचारकों द्वारा न होकर, प्राचीन विचारकों द्वारा हो रहा है—मेरा विचार बीसवीं सदी की सभ्यता द्वारा न होकर चौदहवीं सदी की बर्बरताओं द्वारा हो रहा है। एक आइरिश की हत्या करने के लिए जिस क़ानून का सहारा लिया जा रहा है, वह इतना प्राचीन है कि उसकी भाषा तक शत्रु के देश की नहीं है। उस आइरिश का अपराध यह है कि उसने आयर्लैण्ड को अपने हृदय में सर्वोपरि स्थान दिया है।

राजभक्ति एक भावोद्वेग है, क़ानून नहीं। उसका आधार प्रेम है, प्रतिबन्ध नहीं। आयर्लैण्ड में इङ्गलैण्ड का जो शासन है, उसका आधार प्रतिबन्ध है, क़ानून नहीं। आयर्लैण्ड के शासक प्रेम नहीं चाहते, इसलिए राजभक्ति भी नहीं है।

परन्तु यह क़ानून, जिसके अनुसार मेरा विचार हो रहा है, जितना प्राचीन है, उससे भी अधिक असङ्गत है। यदि एक आइरिश को फाँसी पर लटका देना सार्थक है, तो प्रत्येक अङ्गरेज़ को भी फाँसी पर लटका देना सार्थक है।

एडवर्ड तीसरे केवल इङ्गलैण्ड के शासक नहीं थे, बल्कि फ़्रान्स के भी शासक थे, परन्तु वे आयर्लैण्ड के शासक न थे। फिर भी आज उनका अप्रत्यक्ष हाथ इस आइरिश के गले में फाँसी का फन्दा डाल रहा है, जिसके वे कभी शासक न थे, परन्तु वही अप्रत्यक्ष हाथ आज फ़्रान्सीसी गले के पास नहीं जा सकता, जिसके वे शासक थे। शताब्दियों तक एडवर्ड तीसरे के वंशज फ़्रान्स की बादशाहत का दावा करते रहे और १ जनवरी, सन् १८०१ तक, जब आयर्लैण्ड इङ्गलैण्ड के साथ संयुक्त कर दिया गया था, अपनी शाही ढालों पर फ़्रान्स का चिह्न अङ्कित करते रहे। तीन सौ वर्षों तक इन "फ़्रान्स के बादशाहों" और फ़्रान्स-निवासियों में लगातार युद्ध होता रहा। परन्तु क्या इस युद्ध के कारण फ़्रान्स के निवासी आजीवन 'विश्वासघात' के अपराध के डर से डरते रहे थे ? क्या फ़्रान्स के अङ्गरेज़ बादशाह, जो कि यहाँ विण्डसर या लन्दन-टॉवर में रहते थे, चार सौ वर्ष तक लगातार बादशाह के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले प्रत्येक फ़्रान्सीसी को बादशाह के प्रति विश्वासघात करने के अपराध में फाँसी पर लटकाते रहे ? विपरीत इसके वे 'विश्वासघातियों' के दूतों से मिलते रहे, उनकी नज़रें स्वीकार करते रहे और उनके हाथों से उनके सम्मान तक ग्रहण करते रहे, उनके प्रीति-सम्मेलनों में शामिल होते रहे, उनसे युद्ध भी करते रहे, परन्तु क़ानून की आड़ लेकर कभी उनकी हत्या नहीं की। आज बादशाह की प्रजा में से केवल एक ऐसी जाति है, जिसके लिए क़ानूनी हत्या का उपाय संरक्षित रक्खा गया है। वह जाति आइरिशों की है, जो कि आयर्लैण्ड देश से अपना सम्बन्ध नहीं भुला सकते।

हेनरी आठवें के ज़माने तक इङ्गलैण्ड के बादशाहों का आयर्लैण्ड पर कोई भी अधिकार नहीं था। कभी-कभी आयर्लैण्ड के कुछ लॉर्डों या राजकुमारों से आपसी ढङ्ग के केवल समझौते हो जाया करते थे।

अदालत की अनधिकार चर्चा

इङ्गलैण्ड के बादशाह, एडवर्ड तीसरे के जिस क़ानून के अनुसार मुझ पर अभियोग लगाया गया है, उसका प्रयोग इङ्गलैण्ड का कोई भी बादशाह किसी भी आइरिश के विरुद्ध नहीं कर सकता था। सन् १४६४ में आइरिश पार्लामेण्ट ने आयर्लैण्ड के लिए भी वही क़ानून 'प्वाइनिङ्ग लॉ' के नाम से पास कर दिया था। 'प्वाइनिङ्ग लॉ' के अनुसार बादशाह के प्रति 'विश्वासघात' के अपराध करने वाले आइरिश के विरुद्ध अदालती कार्रवाई करने का एक ही उपाय हो सकता है और वह यह कि उसका विचार आयर्लैण्ड में और आयर्लैण्ड देश के क़ानून द्वारा स्थापित अदालत में ही हो। एडवर्ड तीसरे के क़ानून को आयर्लैण्ड में 'प्वाइनिङ्ग लॉ' के नाम से पास करते समय आइरिशों की रक्षा के लिए आइरिश पार्लामेण्ट ने उन सब क़ानूनों की भी व्यवस्था कर दी थी, जो कि इङ्गलैण्ड में अङ्गरेज़ों के व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। प्रत्येक अङ्गरेज़ को अङ्गरेज़-जजों द्वारा अपने अपराध का विचार कराने का अधिकार है। अत्यन्त आदर के साथ निवेदन है कि यह अदालत, जिसमें इस समय मेरा विचार हो रहा है, आइरिश नहीं है। प्रत्येक सहृदय व्यक्ति यह बात स्वीकार करेगा कि यदि 'विश्वासघात' के अपराध में मेरे ऊपर किसी प्रकार का मामला चलाना आवश्यक ही है तो मुझे इस बात का ज़बरदस्त क़ानूनी अधिकार प्राप्त है कि मेरा विचार आयर्लैण्ड में, आइरिश अदालत और आइरिश जूरी के सामने हो। मौजूदा अदालत, उसकी जूरी और इङ्गलैण्ड देश के लोगों के भिन्न-भिन्न मत, ऐसे युद्ध के समय मेरे प्रति निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। मैं इङ्गलैण्ड में नहीं उतरा, मैं आयर्लैण्ड में उतरा था। मैं आयर्लैण्ड आया था और आयर्लैण्ड ही आने का मेरा इरादा था। मैं इङ्गलैण्ड में तो आख़िरी दर्जा उतरने का विचार करता। परन्तु इङ्गलैण्ड के एटार्नी जेनरल के लिए केवल 'इङ्गलैण्ड' है, उनके लिए आयर्लैण्ड है ही नहीं। इङ्गलैण्ड का ही क़ानून है, आयर्लैण्ड का कोई अधिकार नहीं है। आयर्लैण्ड और आइरिश लोगों की स्वतन्त्रता का निर्णय करने वाली इङ्गलैण्ड की ताक़त है। फिर भी मेरे जैसे न्यायाधिकार-बहिष्कृत आइरिश के लिए आयर्लैण्ड नाम का एक देश है, आयर्लैण्ड का अधिकार है और आइरिश जनता का एक अधिकार-पत्र भी है, जिसके सामने हम सब आयर्लैण्ड निवासी अपनी 'आख़िरी अपील' कर सकते हैं। आइरिश जनता को उसके अधिकार-पत्र से कोई भी वञ्चित नहीं कर सकता। इङ्गलैण्ड के क़ानून तक उसे वञ्चित नहीं कर सकते। वह अधिकार-पत्र स्वयं अङ्गरेज़ों के कथनानुसार इङ्गलैण्ड और आयर्लैण्ड दो राज्यों को संयुक्त करने वाला क़ानून का बन्धन है।

दूसरे अभियोग का उत्तर

विश्वासघात के साथ ही साथ मेरे ऊपर यह भी अभियोग लगाया गया है कि मैंने 'दूसरों के सामने, इस तरह के मामले में' विश्वासघात करके 'बुरा उदाहरण' रक्खा है। मैंने कौन सा 'बुरा उदाहरण' 'दूसरों के सामने' 'इस तरह के मामले में' रक्खा है ? अपने देश के अधिकारों पर ज़ोर देना 'बुरा उदाहरण' कहा गया है। वे 'दूसरे' जिनके सामने मैंने 'बुरा उदाहरण' रक्खा है, स्वयं मेरे ही देशभाई हैं। मैंने अङ्गरेज़ों के सामने कोई उदाहरण नहीं रक्खा, मैंने उदाहरण आयर्लैण्ड निवासियों के सामने रक्खा है। 'ऐसा मामला' इङ्गलैण्ड में कभी नहीं हो सकता, वह केवल आयर्लैण्ड में हो सकता है। अङ्गरेज़ों के सामने मैंने कोई बुरा उदाहरण नहीं रक्खा, क्योंकि मैंने उनसे किसी बात की अपील नहीं की। मैंने किसी भी अङ्गरेज़ से सहायता करने के लिए नहीं कहा। मैंने आयर्लैण्ड के निवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहा था। मैंने 'बुरा उदाहरण' अपने उन भावी आइरिश नागरिकों के सामने रक्खा था, जो 'ऐसे मामले में' मेरी ही तरह कार्य करने का विचार करें। वे अङ्गरेज़, जिनके सामने न मैंने कोई उदाहरण रक्खा और न कोई अपील की, न्यायतः मेरा विचार कैसे कर सकते हैं ?

अगर आयर्लैण्ड निवासियों से, आयर्लैण्ड के लिए लड़ने में साथ देने की अपील करके, मैंने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध पर विचार करने वाले केवल आयर्लैण्ड के निवासी ही हो सकते हैं।

मेरा अधिकार

मैं उन लोगों से, जिनके प्रति कहा जाता है कि मैंने ग़लती की है और जिनके सामने 'बुरा उदाहरण' रख कर, कहा जाता है कि मैंने उनका नुक़सान किया है, अपील करता हूँ कि केवल वे ही मेरे दोषी या निर्दोषी होने का फ़ैसला कर सकते हैं। यदि मैं अपराधी हूँ तो वे मुझे दण्ड दें। क़ानून के अनुसार उनके हाथों से विचार कराने का मुझे हक़ है। क़ानून इस अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

मेरा यह अधिकार ऐसा मौलिक, ऐसा स्वाभाविक, और ऐसा स्पष्ट है कि मेरे ऊपर मामला चलाने वाली सरकार तक इस बात से सावधान थी। यही कारण है कि वह आयर्लैण्ड से बड़ी सावधानी से मुझे इस देश में लाई है। मैं स्वयं इङ्गलैण्ड नहीं आया, बल्कि सरकार मुझे मेरे देश से घसीट कर यहाँ ले आई है। मुझे वह उस देश से घसीट कर ले आई है, जिसमें मैं उसका मूल्य अपने सर पर लिए हुए लौटा था, जिसके निवासियों की भक्ति के विषय में मुझे कोई सन्देह नहीं है और

जिसके जजों के फ़ैसले से मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती। सिवा उस फ़ैसले के और कोई भी फ़ैसला मुझे स्वीकार नहीं है। सिवा उनके हाथों की सज़ा के मैं और दूसरी कोई सज़ा नहीं स्वीकार कर सकता। मैं इस कठघरे से ज़ोर देकर कहता हूँ कि मेरा विचार यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि वह उचित है, बल्कि वह इसलिए हो रहा है कि अनुचित है। मुझे मेरे देशवासियों की जूरी के सामने हाज़िर कर दो, चाहे वे प्रोटेस्टैण्ट मत के हों या कैथोलिक मत के; चाहे वे यूनियनिस्ट दल के हों या नेशनलिस्ट दल के; चाहे वे सिनफ़िन हों या ऑरेञ्जमेन हों। मैं उनका फ़ैसला स्वीकार कर लूँगा और उनके क़ानून और दण्ड के सामने सर झुका दूँगा। मैं अपने विरुद्ध सिवा उन लोगों के फ़ैसले के, जिनकी राजभक्ति को मैंने अपने उदाहरण द्वारा ख़तरे में डाला है और जिनसे मैंने अपील की है, और किसी के भी फ़ैसले को नहीं स्वीकार कर सकता। अगर वे मुझे अपराधी कह दें, तो मैं अपराधी हूँ। उनके फ़ैसले से मैं नहीं डरता, बल्कि सरकार डरती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो वह मेरा विचार आइरिश अदालत द्वारा होने से क्यों डरती है? मैं उससे नहीं डरता। मुझे तो उसकी माँग पेश करने का हक़ है।

अङ्गरेज़ी शासन, अङ्गरेज़ी क़ानून और आयर्लैण्ड की अङ्गरेज़ी गवर्नमेण्ट के लिए यह अत्यन्त निन्दा की बात है कि उसका आधार आइरिश जनता की इच्छा नहीं है। उसका अस्तित्व आइरिश जनता की इच्छा के विरुद्ध है। यह एक ऐसा शासन है, जो किसी अधिकार के आधार पर नहीं स्थापित हुआ, बल्कि बलपूर्वक विजय द्वारा स्थापित हुआ है। श्रीमान्, विजय से किसी वस्तु पर अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। वह भी शरीर पर भले ही हो जाय, मन पर नहीं हो सकता। उसका साम्राज्य मनुष्यों की बुद्धि, उनके विवेक और प्रेम-भावना पर नहीं क़ायम हो सकता। मैं ज़ोर-ज़बरदस्ती के इस क़ानून के विरुद्ध, जिसका मेरे देशवासियों की बुद्धि, उनके विवेक और प्रेमभाव से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपील करता हूँ।

सहानुभूति रखने वालों से

श्रीमान्, मैं कुछ शब्द और निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं अपने बयान के प्रारम्भ में कह चुका हूँ, उपर्युक्त विचार क़ैदी की हालत में आज से बहुत दिन पहले उत्पन्न हुए थे। मुझे आज उन विचारों के दुहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे आशा है कि प्रेस के जिन प्रतिनिधियों ने मेरी बात कल नहीं सुनी थी, उन्होंने आज बिल्कुल अच्छी तरह से सुन लिया होगा। मैं अपने शब्द इस अदालत के बाहर बहुत दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ।

भिन्न-भिन्न देशों ने, विशेष कर अमेरिका ने, मेरे साथ जो सहानुभूति दिखलाई है, उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ। मुझे इस बात का विश्वास है कि उस देश वाले और मेरे देश वाले मेरे उद्देश्यों को भलीभाँति समझते हैं। उनके विषय में कोई ग़लत-फ़हमी नहीं है। स्वाधीनता-प्राप्ति का ध्येय आइरिश लोगों के लिए उतना ही उत्साहजनक है, जितना कि उन्हीं की ऐसी परिस्थिति वाले दूसरे देशों के लिए है।

क्या मैं अपराधी हूँ ?

श्रीमान् चीफ़ जस्टिस महोदय, आपने पूछा है कि मुझ पर लगाए गए अपराधों के लिए मुझे दण्ड क्यों न दिया जाय? मैं इस अदालत के फ़ैसले को नहीं मानता। इसलिए श्रीमान्, मैं उसके अनुसार तय किए गए दण्ड के औचित्य को भी नहीं मान सकता। मैं अपने सामने जिस अदालत की कल्पना कर रहा हूँ, वह इङ्गलैण्ड के इस हाईकोर्ट से कहीं अधिक महान, कहीं अधिक उच्च, और कहीं अधिक प्राचीन विचारकों से युक्त आयर्लैण्ड के निवासियों की अदालत है। जिन कार्यों के लिए मेरे ऊपर यह मामला चलाया गया है, उनके द्वारा मैंने केवल आयर्लैण्ड के निवासियों की सेवा करने का प्रयत्न किया था, इसलिए मैं अपने कार्यों का फ़ैसला और दण्ड देने का अधिकार उन्हीं के हाथों में देता हूँ।

आयर्लैण्ड के आन्दोलन की कथा

अब मैं अपने व्यक्तिगत विषय से बाहर एक अत्यन्त आवश्यक विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अब एक आइरिश व्यक्ति के भाग्य की बात नहीं करना चाहता, जिसने प्रयत्न किया और विफल हो गया। परन्तु मैं उस देश के भाग्य और हक़ों की बात करना चाहता हूँ, जो विफल नहीं हुआ है। आयर्लैण्ड अपनी तमाम आशाओं की असफलता के बाद भी जीवित है, वह अब भी आशाओं को उत्पन्न करता जा रहा है। आयर्लैण्ड ने अपने पुत्रों को, और हाँ, अपनी पुत्रियों को भी कई पुश्तों तक लगातार एक ही ध्येय के लिए कष्ट सहन करते हुए देखा है। उसने लगातार सभी आयर्लैण्ड निवासियों की एक ही सत्ताधारी के हाथों, एक ही सी दशा होते और बार-बार प्रत्येक पुश्त की सन्तति को उन्हीं अत्याचारों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा है। ग्लैडस्टन ने अङ्गरेज़ी सत्ता को विश्वव्यापी सत्ता कहा था, आयर्लैण्ड की आशा उस सत्ता की परिधि को पार कर जाती है और प्रत्येक पुश्त के बाद आयर्लैण्ड के अधिकारों को नवीन उत्साह के साथ प्रकट करती है। जो उद्देश्य ऐसी अजेय दृढ़ता उत्पन्न कर सकता है, शताब्दियों के अत्याचार के बीच भी खोई हुई स्वाधीनता की याद बनाए रखने की शक्ति प्रदान कर सकता है, वह निश्चय ही ऐसा महान उद्देश्य है, जिसके लिए प्रयत्न करना, जीवित रहना और जीवन दे देना उपयुक्त ही है। यदि मेरे ऊपर आज उसी उद्देश्य की रक्षा का अपराध लगाया गया है, तो मैं अपने आपको, आज एक बहुत ही सम्मानित श्रेणी में समझता हूँ।

अलस्टर का स्वयं-सेवक आन्दोलन

मेरे वकील ने अलस्टर के स्वयं-सेवक आन्दोलन का ज़िक्र किया है। मैं उस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा या आइरिश स्वयं-सेवक-दल के किसी नेता का अलस्टर स्वयं-सेवक दल से कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। हमारा आन्दोलन अलस्टर के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन लोगों के विरुद्ध था, जो कि आयर्लैण्ड के उत्तरी भाग के निवासियों को सङ्कुचित प्रान्तीयता के लिए उत्साहित कर रहे थे और उनकी सचाई और उनके साहस का दुरुपयोग कर रहे थे। हम लोगों ने तो अलस्टर के स्वयं-सेवकों का स्वागत किया था, परन्तु हम लोग उन अङ्गरेज़ों की निन्दा ज़रूर करते थे, जो कि अपना शासन किसी प्रकार बनाए रखने के नीच उद्देश्य से भोले आयर्लैण्ड निवासियों की शक्ति को अपने उपयोग में लाने का प्रयत्न करते थे। हम लोगों का उद्देश्य अलस्टर के स्वयं-सेवकों को संयुक्त आयर्लैण्ड के लिए अपनी तरफ़ मिला लेना था। हमारा उद्देश्य सभी आयर्लैण्ड निवासियों को आत्म-सम्मान के साथ स्वाभाविक राष्ट्रीय एकता में बाँध देना था। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्वाभाविक था और अगर हमारे बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला न होता, तो हमारे उद्देश्य की सफलता में कोई कठिनाई न होती। यदि हम लोगों में परस्पर भेद डालने वाले बाहरी प्रभाव हमसे अलग होते तो निश्चय ही प्रकृति ने स्वयं हम लोगों को परस्पर मिला दिया होता। क़ानून तोड़ने वाले हम आइरिश स्वयं-सेवक नहीं थे, बल्कि एक ब्रिटिश दल था। गवर्नमेण्ट ने अलस्टर के स्वयं-सेवकों को सशस्त्र होने की इजाज़त दी। उसने आयर्लैण्ड में एक ऐसा युद्ध करने का उपाय रचा, जिसमें दोनों तरफ़ की सेनाओं में लड़ने वाले आइरिश हों। इङ्गलैण्ड से सैनिक सहायता आयर्लैण्ड पहुँचा कर इस प्रकार प्रजा का दमन करना सोचा गया था। हम लोगों के सामने एक ही रास्ता था, या तो हम विदेशी अत्याचारों को सहन करें या उनका विरोध करें। हम लोगों ने अपना रास्ता तय कर लिया। क़ानून तोड़ने वाले, अपने साथ देने वाले सरकारी एजेण्टों को खुले-आम शस्त्रों से सज्जित करते थे, परन्तु हमारे आन्दोलन के स्थापित होते ही, जिसका उद्देश्य आयर्लैण्ड को राष्ट्रीयता द्वारा संयुक्त करना था, सरकार ने आज्ञा निकाल दी कि हम शस्त्र नहीं रख सकते। २५ नवम्बर, सन् १९१३ में डबलिन की एक सार्वजनिक सभा में आइरिश स्वयं-सेवकों ने एक विज्ञप्ति निकाल कर अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्रकाशित कर दिया था। यदि संस्था के उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के विरुद्ध समझे गए तो ऐसा साम्राज्य निन्दनीय है। ऐसा साम्राज्य, जिसकी एकता को रक्षा देश के दो दलों में परस्पर वैमनस्य क़ायम करके की जा सकती है, निश्चय ही हृदय का दूषित होगा। ऐसे साम्राज्य की जड़ में उसके विनाश के बीज छिपे रहते हैं।

ग़ैर-क़ानूनी घोषणा

गवर्नमेण्ट ने एक ओर तो देश के एक ऐसे दल को शस्त्र रखने की इजाज़त दे दी, जिसके नेता आयर्लैण्ड की राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने की घोषणा करते हैं, परन्तु दूसरी ओर हम लोगों पर, जो कि राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और जिन्होंने बिना किसी प्रकार के भेदभाव के प्रत्येक आयर्लैण्ड-निवासी से प्रेम-भाव रखने की विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के नौ दिन के अन्दर ही, प्रतिबन्ध लगा कर बाहर से आयर्लैण्ड में किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र मँगाना ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया। यह घोषणा ४ दिसम्बर, सन् १९१३ में "शस्त्र-घोषणा" के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह घोषणा क़ानून का ग़ैर-क़ानूनी अर्थ करके निकाली गई थी, इस बात को अब चीफ़ सेक्रेटरी ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। ग्रेट-ब्रिटेन के राजभक्तों ने इस घोषणा का समर्थन और भी अधिक ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से किया। अलस्टर को अच्छी तरह से शस्त्रास्त्रों से सज्जित किया गया, जिस कार्रवाई को इङ्गलैण्ड के लॉर्ड चान्सलर ने 'अत्यन्त ग़ैर-क़ानूनी और अवैध' कहा था। इङ्गलैण्ड के अमन और क़ानून के रक्षकों ने आयर्लैण्ड के गृहयुद्ध में इङ्गलैण्ड के राजनीतिक लाभ की सम्भावना देख कर गृहयुद्ध के लिए उत्तेजनापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। परन्तु आइरिश स्वयं-सेवकों ने उनका मुक़ाबला किस रूप में किया?

हमारा प्रयत्न

मैं कम से कम अपने कार्यों और भाषणों के विषय में कह सकता हूँ। अङ्गरेज़ों का एक दल आयर्लैण्ड में गृहयुद्ध उत्पन्न करने के लिए घृणा का प्रचार कर रहा था। दूसरा दल, जो कि शासनारूढ़ था, इसने इस प्रचार के रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आयर्लैण्ड में गृहयुद्ध उत्पन्न करने के लिए घृणा के प्रचार करने वाले सेना, जहाज़, प्रिवी काउन्सिल, पार्लामेण्ट और सरकारी गिर्जा आदि सभी स्थानों में मौजूद थे। जिन उपायों से यह प्रचार किया जा रहा था, उनके सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड के लॉर्ड चान्सलर तक केवल इतना ही कह सके कि उपाय "अत्यन्त ग़ैर-क़ानूनी और बिल्कुल अवैध हैं।" उच्छृङ्खलता इङ्गलैण्ड में उच्च पदों पर

आसीन होकर क़ानून और क़ानून के रक्षकों की ओर हँस रही थी। ऐसी हालत में अगर आइरिश अपने जीवन और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अङ्गरेज़ लॉर्ड चान्सलर के शाब्दिक विरोध को यथेष्ट न समझें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे यह तो नहीं मालूम कि डबलिन की स्वयं-सेवक कमिटी के मेरे सब सहयोगियों ने देश की भावी आशङ्का के विषय में किस दृष्टि से विचार किया था, परन्तु उन लोगों ने, जिनसे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था, देश की भावी आशङ्का को देख कर सम्पूर्ण आयर्लैण्ड की आन्तरिक एकता के लिए अपना प्रयत्न दूने उत्साह के साथ प्रारम्भ कर दिया था। हम लोगों ने जैसी अपीलें प्रोटेस्टैण्ट और यूनियनिस्ट विचार के लोगों से की थीं, वैसी ही कैथोलिक और राष्ट्रीय विचार के लोगों से भी की थीं। हमें आशा थी कि हम अपने प्रेम और सद्भाव के द्वारा अपने आयर्लैण्ड के राजनीतिक विरोधियों को अङ्गरेज़ों की ओर से खींच कर अपनी ओर मिला लेंगे। क्योंकि अङ्गरेज़ों का हमारे देश में एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक शत्रुता की नीच और सङ्कीर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह ठीक है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, वे साम्राज्य की और साम्राज्य के निवासियों की राजभक्ति की रक्षा के लिए किए हैं। आयर्लैण्ड को छोड़ कर साम्राज्य के सब निवासी राज-भक्ति से पूर्ण हैं। सुन्दर "साम्राज्य" शब्द और परोपकार में कैसी विरोधात्मक समता है! क्योंकि परोपकार अगर घर से प्रारम्भ होता है, तो साम्राज्य दूसरों के घर से प्रारम्भ होता है। दोनों असंख्य पापों को ढँक सकते हैं। मैं तो कम से कम इस बात को निश्चय कर चुका था कि मेरे लिए आयर्लैण्ड साम्राज्य से कहीं बढ़ कर है। परोपकार जैसे घर से प्रारम्भ होता है, वैसे ही राज-भक्ति भी घर से प्रारम्भ होनी चाहिए। अपने सङ्गठन को वास्तविक बनाने के लिए और आयर्लैण्ड के निवासियों की अत्यन्त भयानक आशङ्का से रक्षा करने के लिए सब कार्यों के पहले शस्त्रास्त्रों का प्रबन्ध करना हमारा कर्तव्य था। इस उद्देश्य से मैंने अमेरिका जाना निश्चय किया था। वहाँ मुझे आयर्लैण्ड के निवासियों से राष्ट्र के अत्यन्त सङ्कट के समय पर सहायता की अपील करने का साम्राज्य के दूतों की अपेक्षा अधिक अधिकार था। एटॉर्नी-जेनरल ने मैनचेस्टर के अपने एक भाषण में कहा था कि राष्ट्रवादी लोग न तो होम-रूल के लिए लड़ेंगे और न धन की सहायता देंगे। हमारा यह कर्तव्य था कि हम उन्हें दिखला दें कि हम दोनों ही कार्य करना जानते हैं। अमेरिका पहुँचने पर थोड़े ही दिनों के अन्दर आयर्लैण्ड के स्वयं-सेवकों के हथियारों के लिए चन्दा करने पर कई हज़ार पाउण्ड चन्दा हो गया था। इस चन्दे में धन देने वाले चाहे अमीर थे या ग़रीब, सभी आइरिश थे।

महासमर और विफलता

इसके बाद लड़ाई प्रारम्भ होगई। मि० बिरेल ने आयर्लैण्ड के विद्रोह के सम्बन्ध में जाँच कमीशन के सामने अपनी गवाही में कहा था, कि "लड़ाई ने हमारे सब अनुमानों को नष्ट कर दिया।" लड़ाई ने मेरे अनुमानों को मि० बिरेल की अपेक्षा कम नष्ट नहीं किया। उसके कारण अमेरिका में मेरा शान्तिपूर्ण प्रयत्न बन्द हो गया। ग्रेट-ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ जाने से हम लोगों की आइरिश स्वयं-सेवकों के सङ्गठन की सब आशाएँ नष्ट हो गईं। आयर्लैण्ड में वैध आन्दोलन बिल्कुल विधान के अनुसार कभी नहीं हुआ, यह बात अलस्टर के राज-भक्तों ने प्रमाणित कर दिया है। इसके कारण का पता लगाना कठिन नहीं है। विधान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी रचना जनता के द्वारा हुई हो और जनता उसके लिए गौरव अनुभव करती हो। जनता की स्वतन्त्र सम्मति उस विधान का आधार हो और उसकी रक्षा करने के लिए उसमें दृढ़ता हो। आयर्लैण्ड के विधान के मालिक एक दूसरे देश के निवासी हैं, जिनका मुख्य प्रतिनिधि इस देश में उनकी सेना है, जो जनता की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उसको दबाए रखने के लिए है। आइरिश शासन-विधान का अनुत्तरदायीपन हम लोग कुर्रग में देख चुके थे, जब कि सेना ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इन्कार कर दिया। अब एक प्रामिसरी नोट लिख कर आयर्लैण्ड के निवासियों से कहा जा रहा है कि उनका पहला कर्त्तव्य सेना में भर्ती हो जाना है। प्रामिसरी नोट काग़ज़ का एक टुकड़ा है, जिसका पालन करना या न करना सन्दिग्ध है। मैं अमेरिका में था, मैंने विचार किया कि मेरा प्रथम कर्तव्य आयर्लैण्ड के निवासियों को आयर्लैण्ड में ही रख कर केवल उस सेना में भर्ती करना है, जिससे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा हो सके। यदि बड़े-बड़े राष्ट्रों के युद्धों में छोटे-छोटे राष्ट्र दाँव लगाए जाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आयर्लैण्ड अपने उद्देश्य के लिए लड़ना छोड़ कर दूसरे किसी उद्देश्य के लिए रक्त बहाए। अगर यह कार्य विदेश में करना बादशाह के प्रति विश्वासघात है, तो मैं उसे स्वीकार करने में या उसके लिए अपना जीवन समर्पण करने में लज्जित नहीं होता। यूनियनिस्ट दल के लोगों और हममें अन्तर यह है कि यूनियनिस्ट दल के लोगों ने ऐसा मार्ग ग्रहण किया है जिसमें ऊँचे-ऊँचे ओहदे हैं और हमारा मार्ग सीधे कठघरे की ओर जाता है। समय ने प्रमाणित कर दिया है कि हम दोनों के रास्ते ठीक थे। हमारे और उनके "विश्वासघात" में अन्तर इतना ही है कि मैंने अपने कहने के अनुसार समय पर अपनी सम्पूर्ण शक्ति और ईमानदारी के साथ कार्य करने का प्रयत्न किया और उन्होंने केवल शाब्दिक उत्तेजना का प्रयोग किया, जिसको वे कभी कार्यरूप में परिणत करना नहीं चाहते थे। इसलिए मैं आज अभियोग लगाने वाले लोगों के स्थान पर होने की अपेक्षा बादशाह के प्रति "विश्वासघात" करने के अपराध में कठघरे में खड़े होने में अपने को कहीं अधिक गौरवान्वित समझ रहा हूँ।

प्रभुओं के वादे

हमसे कहा गया है और आशा बँधाई गई है कि इस यूरोपीय युद्ध के बाद युद्ध में ख़ून बहाने के पुरस्कार-स्वरूप आयर्लैण्ड को स्वराज्य मिल जायगा। युद्ध का जो उद्देश्य है, उससे चाहे जिसको जो लाभ हो, परन्तु आयर्लैण्ड को उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। ब्रिटेन ने आयर्लैण्ड को स्वराज्य देने के स्पष्ट वादे करके आयर्लैण्ड का जो कुछ अपहरण कर लिया है और जो कुछ अब भी वह अपहरण करने की आशा कर रहा है, उसके बदले में दिया जाने वाला स्वराज्य किस मतलब का होगा? आयर्लैण्ड के इतिहास की कष्ट-कहानी दुहराने और ब्रिटेन के उन वादों की लम्बी लिस्ट बतलाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि तोड़ने के लिए ही किए गए थे। आयर्लैण्ड की उन अनेक आशाओं की गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नष्ट करने के लिए ही उत्पन्न की गई थीं। अगर यूरोपीय युद्ध के बाद स्वराज्य हुआ तो स्वराज्य होने के समय तक आयर्लैण्ड बिल्कुल शक्ति-रहित देश हो जायगा।

आइरिशों का अपराध

हमसे कहा जाता है कि फ़ौज में भर्ती होकर जो आइरिश, फ़्रान्स, बेलजियम, मेसोपोटामिया के रेगिस्तान के किसी टुकड़े या गैलीपोली के किसी चट्टान के लिए लड़ रहे हैं, वे आयर्लैण्ड के लिए स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। परन्तु यदि वे ही आइरिश अपनी मातृभूमि में उस स्वराज्य के लिए जीवन बलिदान करने का साहस करते हैं या केवल विचार करते हैं कि स्वराज्य आयर्लैण्ड में ही युद्ध करने से प्राप्त होगा, तो उन्हें "विश्वासघाती" कहा जाता है। उनके विचार और बलिदान निन्दनीय आवेश के परिणाम कहे जाते हैं। परन्तु दूसरे मुल्कों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार से नहीं लिखी जातीं। इस बीसवीं शताब्दी में केवल आयर्लैण्ड ही एक ऐसा देश है, जहाँ देश-भक्ति अपराध समझा जाता है। अगर देश-भक्ति कोई ऐसी चीज़ है, जो कि प्रेम से कम और क़ानून से अधिक है, तो ऐसी देश-भक्ति आयर्लैण्ड में बहुत हो चुकी है। अगर आयर्लैण्ड को अपनी जानों से अधिक प्यार करने के कारण साधारण अपराधियों की तरह हम लोगों पर मामला चलाया जा सकता है, हत्याकारियों की तरह हम लोग गोलियों से उड़ाए जा सकते हैं और अपराधियों की तरह जेलों में बन्द किए जा सकते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि बहादुर आइरिशों के सामने ऐसी शर्तों के साथ स्वराज्य का प्रस्ताव रखने में कौन सा सौन्दर्य है? स्वराज्य हमारा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो कि हमारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ था। अब यह वस्तु टुकड़े-टुकड़े करके हमें नहीं दी जा सकती। जैसे जीने के अधिकार को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता, धूप अनुभव करने; फूलों की सुगन्धि लेने या स्वजातीयों को प्यार करने के अधिकार से वञ्चित नहीं कर सकता, वैसे ही कोई विदेशी जाति हमें स्वराज्य के अधिकार से वञ्चित नहीं कर सकती। केवल अपराधी ही इन वस्तुओं से वञ्चित किया जाता है। जिस आयर्लैण्ड ने किसी व्यक्ति का या किसी मुल्क का कोई नुक़सान नहीं किया और न कभी दूसरों पर अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया, उस आयर्लैण्ड के साथ आज संसार के राष्ट्रों के बीच में दण्ड पाए हुए अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अगर ऐसी अप्राकृतिक परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध करना बादशाह के प्रति विश्वासघात या राजद्रोह है, तो मुझे विद्रोही होने का गर्व है और मैं अपने विद्रोह पर ख़ून का आख़िरी बूँद रहते तक क़ायम रहूँगा। अगर ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध, जिनको कोई जङ्गली जाति भी बिना विरोध के सहन नहीं कर सकती, विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है तो मुझे निश्चय है कि मनुष्य को उन परिस्थितियों के विरुद्ध युद्ध करके मर जाना अच्छा है, परन्तु उन परिस्थितियों में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ तुम्हारे सब अधिकार मिल कर सामूहिक अपराध हो जाते हैं, जहाँ मनुष्यों को अपनी ही मातृभूमि में जीवित रहने के लिए, अपने विचारों के मनन करने के लिए, अपने गीतों के गाने के लिए और अपने परिश्रम की कमाई के उपभोग के लिए, साँस रोक कर आज्ञा माँगनी पड़ती है, और आज्ञा माँगने के साथ ही साथ इन वस्तुओं से वञ्चित किए जाने का दृश्य देखना पड़ता है, वहाँ ऐसी परिस्थितियों को मनुष्यों की स्वाभाविक भाग्य-परिस्थितियाँ समझ कर दीनतापूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेने की अपेक्षा, उनके विरुद्ध हर तरह से विद्रोही हो जाना कहीं अधिक बहादुरी, बुद्धिमानी और सचाई की बात है।

उपसंहार

श्रीमान् चीफ़ जस्टिस महोदय, मुझे जो कुछ कहना था, कह चुका। जूरी के सज्जनो, आप लोगों ने जो अपना फ़ैसला दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है, उसका आप लोग ग़लत मतलब न निकालेंगे। मैंने अपने बयान में जो यह कहा है कि यह अदालत मेरे जजों की नहीं है, इससे आप लोग यह न सोचिएगा कि मैंने आपकी सचाई या

(शेष मैटर ३३वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

भविष्य

राष्ट्रपति--सरदार वल्लभभाई पटेल



FINE ART PRINTING COTTAGE ALLAHABAD

महाकवि "दाग़" देहलवी

[मुन्शी सुखदेव प्रसाद सिनहा "बिस्मिल" इलाहाबादी]

नवाब मिर्ज़ा ख़ाँ "दाग़" देहलवी उर्दू के कवि ही नहीं, बल्कि महाकवि माने जाते हैं। आप अपने कमाल और क़लम के ज़ोर से शायरी-दुनिया में सूर्य बन कर चमके और उर्दू साहित्य को अपनी ओज-पूर्ण उक्तियों से जगमगा दिया। आप २५ मई सन् १८३१ को दिल्ली में पैदा हुए थे। उस समय वहाँ शेरो-शायरी का चर्चा ज़ोरों पर था। तत्कालीन दिल्ली के बादशाह और उनके शहज़ादे कविता-प्रेमी ही नहीं, कविता-मर्मज्ञ भी थे और यही कारण था कि अन्यान्य धनी-मानी और दरबारियों में भी कविता का शौक़ ज़ोरों से पैदा हो गया था। जगह-जगह मशायरे (कवि-सम्मेलन) हुआ करते थे, जिनमें स्थानीय और बाहर के कविगण आकर अपनी कवित्व-शक्ति का परिचय दिया करते थे। हमारे चरितनायक ने सात-आठ साल की अवस्था से पढ़ना शुरू किया। 'ग़यासुल्लुग़ात' के रचयिता मौलवी ग़यासुद्दीन से पहले-पहल फ़ारसी की कुछ पुस्तकें पढ़ीं और उसके बाद जनाब 'मीर' के शागिर्द मौलवी सय्यद अहमद हुसैन इनके शिक्षक नियुक्त हुए। इन संसर्गों के कारण, जब आप बालिग़ हुए तो स्वाभाविक रूप से कविता के प्रेमी बन गए और कुछ दिनों में ही बनावटी कवि नहीं, बल्कि असली कवि के रूप में जनता के सामने आए। उस समय दिल्ली के शाही क़िले में तत्कालीन बादशाह के तत्वावधान में बहुधा मशायरे हुआ करते थे—और कुछ ख़ास-ख़ास और चुने लोगों को ही इन मशायरों में सम्मिलित होने की आज्ञा मिलती थी। बड़े-बड़े कवि-सम्राट् अपनी कविता का जौहर दिखाते थे। बादशाह स्वयं भी सम्मिलित होते थे। ये मशायरे बड़ी आन-बान के साथ होते थे, और सच तो यह है इसकी सज-धज भी निराली ही होती थी। जब किसी अमीर और रईस के साहबज़ादे कवि की हैसियत से सम्मिलित होते थे, तो सब से पहले वे बादशाह सलामत के सामने उपस्थित किए जाते थे। इसी तरह एक दिन 'दाग़' भी अपनी १३ या १४ साल की उम्र में शाही क़िले के मशायरे में पहुँचे और बादशाह सलामत के आदेशानुसार यह ग़ज़ल सुनाई :—

निकाले अब तीर सीने से कि जाने पुरअलम निकले
जो यह निकले, तो दिल निकले, जो दिल निकले,
तो दम निकले !
ख़ुदा है हश्र[2] के दिन इल्तिजा तेरी न मानूँ मैं,
मेरे मुँह से नहीं निकले, तेरे मुँह से क़सम निकले !
मेरे दिल से कोई पूछे शबे-फ़ुरक़त[3] की बेताबी,
यही फ़रियाद थी लब पर कि यारब जल्द दम
निकले !
मुबारक हो यह घर, ग़ैरों को, तुमको, पासबानों[4]
को !
हमारा क्या इजारा है, निकाला तुमने, हम निकले !
समझ कर रहमदिल तुमको दिया था हमने दिल
अपना,
मगर तुम तो बला निकले, ग़ज़ब निकले, सितम
निकले !

यह ग़ज़ल बादशाह सलामत के तरही (समस्या) मिसरे पर कही गई थी। हज़रत "दाग़" की यह ग़ज़ल मशायरे में बहुत फली-फूली, प्रत्येक पद्य पर वाह-वाह के नारे बुलन्द हुए और प्रत्येक कविता-मर्मज्ञ ने छोटे कवि की अनूठी उक्तियों की प्रशंसा की। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत भी अपनी तबीयत को न रोक सके और यह कहते हुए हज़रत "दाग़" की प्रशंसा की कि "वाह, क्या अच्छी तबीयत पाई है!" इस मशायरे की ख्याति ने इनकी ख्याति में चार चाँद लगा दिए, और फिर इसके बाद, देहली में जहाँ कहीं भी मशायरे होते थे, जनता इनकी कविता बड़े चाव से सुनती थी! देखते-ही-देखते "दाग़" की कवित्व-शक्ति ने अच्छा ख़ासा रङ्ग जमा दिया। हज़रत "दाग़" की कविता का रङ्ग ऐसा अनोखा और निराला था, कि सब की निगाहों में खुप गया। उनकी अनोखी और चुटीली उक्तियों ने सोने में सोहागे का काम किया। जिस मशायरे में मिर्ज़ा "ग़ालिब", जनाब "ज़ौक़", जनाब "शेफ़्ता" और हज़रते "नैयर" आदि महाकवि कविता के जौहर दिखाते थे, वहाँ हज़रते "दाग़" भी अपने कमाल और क़लम के ज़ोर से प्रशंसा प्राप्त करते थे। हज़रत "दाग़", जनाब शेख़ इब्राहीम "ज़ौक़" देहलवी के शागिर्द थे। इनकी योग्यता पर जनाब "ज़ौक़" भी नाज़ करते थे। कहने की आवश्यकता नहीं, कि "ज़ौक़" साहब उस समय के राज-कवि और तत्कालीन दिल्ली-नरेश बहादुर शाह 'ज़फ़र' के कविता-गुरु थे। फलतः हज़रत "ज़ौक़" की महत्ता कौन न मानेगा? मगर हज़रत "दाग़" जन्मजात कवि (Born Poet) थे। इनकी प्रतिभा अलौकिक और योग्यता अद्वितीय थी। इनकी कविता का रङ्ग इतना जम गया कि शहज़ादे अन्य उस्तादों को छोड़ कर इन्हीं से अपनी कविताओं का संशोधन कराने लगे!

आपकी ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि दिल्ली का कोई मशायरा मशायरा ही न समझा जाता था, जिस में हज़रत "दाग़" न सम्मिलित हों। हर शख़्स इनकी शायरी का आशिक़ था और यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन दिनों दिल्ली के कविता-कानन में हज़रते 'दाग़' की तूती बोलती थी। परन्तु १८५७ के बलवे ने रङ्ग में भङ्ग कर दिया, न वे मशायरे रहे, न वे जलसे रहे; न वे हुनर वाले रहे और न उनके क़द्रदाँ रह गए! दुनिया ही दूसरी हो गई। दिल्ली की बरबादी मानो ख़िज़ाँ (पतझाड़) थी, जिस तरह बहार के न होने से बाग़ का नक़्शा बदल जाता है, उसी तरह 'ज़फ़र' के न होने से दिल्ली भी कुछ से कुछ हो गई। दिल्ली का रङ्ग उखड़ गया और जिसकी जहाँ सींग समाई, चल निकला।

ग़दर के बाद रियासत रामपुर में एक बार फिर कवियों का जमघट हुआ। हज़रत "असीर" "अमीर" "तसलीम" "जलाल" और "क़लक़" जैसे मशहूर कवि यहाँ के राज-कवि थे। "दाग़" साहब भी इसी आशा से रामपुर पहुँचे। नवाब यूसुफ़अली ख़ाँ साहब "नाज़िम" उस वक़्त रामपुर के नवाब थे। स्वयं अच्छे कवि थे और कवियों का आदर भी ख़ूब करते थे। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से हज़रत "दाग़" का स्वागत किया और अपने दरबारी कवियों में उन्हें प्रमुख स्थान प्रदान किया। फलतः "दाग़" साहब जब तक रामपुर में रहे, बड़े आनन्द से रहे। उस समय नवाब क़ल्बअली ख़ाँ का ज़माना वली-अहदी का था। जब नवाब क़ल्बअली ख़ाँ रामपुर के नवाब हुए, उस वक़्त रामपुर लखनऊ बना हुआ था। नवाब साहब इन पर बड़ी कृपा-दृष्टि रखते थे। हज़रत "दाग़" भी एहसान फ़रामोश न थे। अक्सर कविताओं में आपने नवाब साहब का ज़िक्र किया है, जैसे :—

हरचन्द रामपुर में घबरा रहा है दिल,
किस तरह जायँ क़ल्बे अली ख़ाँ, को छोड़ कर!

एक बार हज़रत "दाग़" को कलकत्ता जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। रास्ते में अज़ीमाबाद (पटना) में रोक लिए गए। प्रेमियों ने बड़े तपाक से आपका स्वागत किया और एक आलीशान मशायरे का आयोजन किया। वहाँ हज़रत ने यह ग़ज़ल पढ़ी—

भवें तनती हैं, ख़ञ्जर हाथ में है, तन के बैठे हैं,
किसी से आज बिगड़ी है जो यों बन-ठन के
बैठे हैं।
कोई छींटा पड़े तो "दाग़" कलकत्ते चला जाए,
अज़ीमाबाद में हम मुन्तज़िर सावन के बैठे हैं।

यह वह ग़ज़ल है कि जिसकी तारीफ़ जनाब "अमीर" लखनवी ने भी की थी। इस ज़मीन पर बहुत

१—दुखी, २—प्रलय, ३—विरह की रात, ४—चौकीदार

सर रोजर केसमेण्ट और उनकी फाँसी

(३२वें पृष्ठ का शेषांश)

ईमानदारी पर कोई दोषारोपण किया है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे अपराध पर विचार करने का अधिकार मेरे देश आयलैंण्ड को है। मुझे आयलैंण्ड से अपना विचार कराने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे विपरीत परिस्थिति में आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ होता था यों कहिए कि यदि एक अङ्गरेज़ इङ्गलैण्ड में उतरता और वहाँ से उसे सरकार अपने मतलब के लिए एक झूठे नाम से आयलैंण्ड में ले आती, झूठे नाम से जेल में बन्द कर देती और आयलैंण्ड में एक ऐसे ट्रिब्यूनल के सामने विचार करने के लिए उपस्थित करती जिसके ज्यूरी आइरिश होते, तो उस परिस्थिति में आप लोगों ने कैसा अनुभव किया होता? आप लोगों ने अङ्गरेज़ों की हैसियत से कैसा अनुभव किया होता, अगर जिस देश के ट्रिब्यूनल और जिसकी ज्यूरी के सामने वह अङ्गरेज़ पेश किया जाता, उसके विचार उस अङ्गरेज़ के प्रति उत्तेजित होते और उसने उसको केवल इसलिए अपराधी मान लिया होता कि वह आयलैंण्ड की अपेक्षा इङ्गलैण्ड को अधिक प्यार करता था?

फाँसी

अन्त में अदालत ने अपना लम्बा-चौड़ा फ़ैसला सुना दिया। जिसका आशय यह था कि सर रोज़र 'विश्वासघात' के अपराधी पाए गए और इसकी सज़ा फाँसी है। अतः सर रोजर डेविड केसमेण्ट को फाँसी की सज़ा दे दी गई।

सी कविताएँ देखने में आईं, मगर "दाग़" की कविता की हवा किसी को भी न लगी :—

"अमीर" अच्छी ग़ज़ल है "दाग़" की, जिसका यह मिसरा है,—

"भवें तनती हैं, ख़ञ्जर हाथ में है, तन के बैठे हैं !"

इनके कलाम की ख्याति भारत के कोने-कोने में हो चुकी थी। कलकत्ता वालों ने भी ख़ूब धूमधाम से इनका स्वागत किया। दावतें हुईं, मशायरे हुए, ख़ूब आवभगत की गई। जब वहाँ से वापस हुए तो बहुत दिनों तक वहाँ की याद दिल में चुटकियाँ लेती रही। एक जगह पर फ़रमाते हैं—

यह हसीं, यह महज़बीं[४], यह शहर ऐसा लहर बहर,
"दाग़" कलकत्ते से लाखों दाग़ दिल पर ले चला !

नव्वाब कल्बअली ख़ाँ के मरते ही रामपुर का शीराज़ा भी बिखर गया और हज़रत "दाग़" का तअल्लुक़ भी रियासत से जाता रहा ! फिर उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा ! परन्तु यह स्वाभाविक है कि दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। अस्तु, रामपुर से निकल कर हज़रत "दाग़" हैदराबाद (दक्षिण) पहुँचे। मीर महबूबअली ख़ाँ साहब इस ज़माने में हैदराबाद के निज़ाम थे। सन् १८८८ में हज़रत "दाग़" सब से पहले हैदराबाद गए। वहाँ के लोगों ने इनकी ख़ूब आवभगत की, परन्तु हुज़ूर निज़ाम तक पहुँच न हुई, इसलिए निराश होकर वापस चले आए। मगर क़िस्मत का सितारा चमकने वाला था और अन्त में यहाँ तक चमका कि हज़रत "दाग़" हुज़ूर निज़ाम के उस्ताद बना कर हैदराबाद बुलाए गए। यह कोई मामूली बात न थी। इनकी तनख़्वाह पहले साढ़े चार सौ रुपए मुक़र्रर हुई, लेकिन फिर १५०० रुपए मासिक तक पहुँच गई !

मुहल्ला अफ़ज़लगञ्ज, जो हैदराबाद का एक मशहूर मुहल्ला है, वहीं "दाग़" साहब ठहरे। हुज़ूर निज़ाम के दरबार से 'बुलबुले हिन्दोस्ताँ' 'फ़सीहुलमुल्क' और 'उस्तादे जहाँ' का ख़िताब मिला ; आला हज़रत निज़ाम की ग़ज़ल हज़रत "दाग़" ख़ुद मशायरों में पढ़ते थे। सन् १९०० में "अमीर" लखनवी हैदराबाद आए और "दाग़" साहब के मेहमान हुए। आशा थी कि हैदराबाद रामपुर हो जाएगा और वहाँ की पुरानी चहल-पहल यहाँ भी नज़र आने लगेगी। मगर जनाब "अमीर" लखनवी की मौत भी उनके साथ-साथ ही आई थी। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही आपका देहान्त हो गया ! हज़रत "अमीर" की मौत पर "दाग़" साहब को बहुत शोक हुआ ! इसके पाँच बरस बाद, १४ फ़रवरी सन् १९०५ को हज़रत "दाग़" का भी स्वर्गवास हो गया और "बुलबुले हिन्दोस्ताँ" का दिलफ़रेब नग़मा सदा के लिए बन्द हो गया !

हज़रत "दाग़" और जनाब "अमीर" की मज़ार शरीफ़ साहब की दरगाह में हैदराबाद में है ! हज़रत "दाग़" का मरना कोई मामूली मरना न था। इनके मर जाने से एक ऐसी जगह ख़ाली हो गई, जो अब तक ख़ाली है और ख़ुदा जाने कब तक ख़ाली रहे।

हज़रते दाग़ के शागिर्दों की तादाद ढाई-तीन हज़ार के क़रीब है ! सर मुहम्मद इक़बाल लाहोरी जनाब "बेख़ुद" देहलवी, प्रोफ़ेसर अहसन नारहरवी ? नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी, नवाब "सायल" देहलवी, जनाब "सीमा" अकबराबादी, जनाब 'बाग़' सम्भली, जनाब आग़ा "शायर" इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हैं ! सर

४—अच्छी सूरत वाले,

"इक़बाल" ने अपने उस्ताद हज़रत "दाग़" के देहान्त पर एक मरसिया (शोकोद्गार) लिखा था, जिसके दो शेर ये हैं—

चल बसा "दाग़" आह मय्यत[६] उसकी ज़ेबेदोश[७] है !
आख़िरी शायर "जहानाबाद"[८] का ख़ामोश है,
अश्क[९] के दाने ज़मीने शेर में बोता हूँ मैं,
तू भी रो ऐ ख़ाके-दिल्ली "दाग़" को रोता हूँ मैं !!!

हिज़ एक्सिलेन्सी महाराज सर किशनप्रसाद "शाद" हैदराबादी ने, जो हुज़ूर निज़ाम के शिष्य और महाकवि "दाग़" के उत्तराधिकारियों में हैं, हज़रत "दाग़" के देहान्त पर क्या ही अच्छा 'तारीख़ी मिसरा' (तिथि-सूचक पद) निकाला है—

'देहली का चिराग़ बुझ गया आह !'

हज़रत 'दाग़' के चार दीवान हैं ! आप उर्दू ज़ुबान के उस्ताद माने जाते हैं, और उस पर नाज़ करते हुए ख़ुद फ़रमाते हैं—

उर्दू है जिसका नाम हमीं जानते हैं "दाग़",
हिन्दोस्ताँ में धूम हमारी ज़बाँ की है।

फिर एक जगह फ़रमाते हैं—

नहीं खेल ऐ "दाग़" यारों से कह दो,
कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते।

दाग़ को अपनी ज़बान और देहली में पैदा होने पर कितना अभिमान था, उसे नीचे के शेर में देखिए—

क्यों "दाग़" देहलवी की ज़बाँ मुस्तनद न हो,
पैदा किया ख़ुदा ने उसे तख़्तगाह में।

'दाग़' परम गुरु-भक्त थे। यह नहीं कि आज कल के कवियों की तरह दो-चार तुकबन्दियाँ कर लीं और स्वयं उस्ताद बन बैठे ! वास्तव में ऐसे बने हुए 'उस्ताद' उस्ताद तो क्या होंगे, साधारण कवि होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, 'दाग़' साहब अपने उस्ताद के सम्बन्ध में फ़रमाते हैं:—

यह बहारे 'दाग़' है गुलज़ारे[१०] इब्राहीम[११] की,
'ज़ौक़' कहते हैं जिसे है फ़ैज़[१२] उस उस्ताद की।

'दाग़' माने हुए उस्ताद थे। उर्दू भाषा पर उन्हें अद्वितीय अधिकार प्राप्त था। उर्दू भाषाभाषी और उर्दू भाषा का कवि होने का उन्हें अभिमान भी कम न था। परन्तु वास्तव में वे एक निरभिमानी कवि थे। वे उस्ताद थे; परन्तु अपने को शागिर्द का भी शागिर्द समझते थे। इस सम्बन्ध में आपकी निम्नलिखित उक्ति बड़ी ही मार्मिक है। आप फ़रमाते हैं —

आप अपने को जो शागिर्द का शागिर्द गिने,
'दाग़'-सा हमने उस्ताद न देखा न सुना।

महाकवि "दाग़" की कविता का सब से बड़ा महत्व उनकी भाषा की सरलता है। ऐसी सीधी-सादी, साफ़ और चुटपुटी भाषा उर्दू के किसी कवि ने नहीं लिखी है। शब्दों के उलट-फेर में तो जनाब "दाग़" ने कमाल कर दिखाया है और जो सच पूछिए तो इन्होंने उर्दू भाषा को माँजा है। सीधी-सादी भाषा में बड़े मज़े की बात कह जाते थे। अक्सर लोग महाकवि "दाग़" की कविता को बाज़ारी कविता कहते हैं। यह उनकी समझ का फेर है। वास्तव में देखा जाय तो "दाग़" साहब की ज़बान टकसाली ज़बान थी। अच्छे-अच्छे कवियों ने "दाग़" साहब की शायरी का लोहा माना है। महाकवि "दाग़" को जो ख्याति उनकी ज़िन्दगी ही में मिली, वह बहुत कम कवियों को नसीब हुई। महाकवि ज़फ़र से लेकर हुज़ूर निज़ाम तक ने दाग़ की क़द्रदानी की। क्या इतना सम्मान किसी बाज़ारी शायर को प्राप्त हो सकता है? क्या दाग़ के क़द्रदाँ 'सख़ुन फ़हम' न थे?

६—लाश, ७—कन्धा, ८—देहली को जहानाबाद भी कहते हैं; ९—आँसू, १०—बाग़, ११—ज़ौक़ का असली नाम, १२—कृपा।

हज़रत "दाग़" ने कभी किसी की निन्दा नहीं लिखी। अपने समकालीन कवियों के साथ इनका व्यवहार बड़ा ही प्रेमपूर्ण रहता था। "दाग़" बड़े ज़िन्दादिल और हँसमुख थे। कविता संशोधन करने में भी इनको कमाल हासिल था। इन पंक्तियों के लेखक को अभी सिकन्दरा राव, ज़िला अलीगढ़ के एक मशायरे में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी मशायरे में हमारे उस्ताद नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी साहब भी थे। हम उन्हीं के साथ गए थे। यहाँ हमें मौलाना "अहसन" साहब मारहरवी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप भी मशायरे में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे। आप महाकवि "दाग़" के साथ वर्षों हैदराबाद रहे हैं और उनकी बहुत सी बातें बताते हैं। कहने लगे, "दाग़' एक पद कभी नहीं कहते थे। जब कहते थे तो पूरा शेर कहते थे और देखते-देखते उनकी ग़ज़ल तैयार हो जाती थी। 'दाग़' की प्रतिभा अद्वितीय थी। "दाग़" अपने शागिर्दों को बहुत मानते थे, हज़रत "दाग़" के सभी दीवान क़रीब-क़रीब "अहसन" साहब ही की देख-भाल में छपे हैं। आप "दाग़" की कविता के बड़े प्रेमी हैं।

महाकवि 'दाग़' की कविता के कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं। पाठक पढ़ें, आनन्द लें और देखें कि "दाग़" जिस रङ्ग के कहने वाले थे, उस रङ्ग के बादशाह थे।

रुख़े रौशन[१३] के आगे, शमआ[१४]
वह रख कर यह कहते हैं।
उधर जाता है देखें,
या इधर परवाना आता है॥

दिल गया, तुमने लिया हम क्या करें,
जाने वाली चीज़ का ग़म क्या करें !

हमारी तरफ़ अब वह कम देखते हैं,
वह नज़रें नहीं जिनको हम देखते हैं।
ज़माने के क्या-क्या सितम देखते हैं,
हमीं जानते हैं जो हम देखते हैं !

न आया है न आए उनके वादे का यक़ीं बरसों,
यूँही है आज, कल, परसों, मगर मिलते नहीं बरसों।
"दाग़" का रश्क सुना ग़ैर से उसने तो कहा,
उनकी तक़दीर में जलना है, जला करते हैं।
मैंने चाहा जो तुम्हें इसका गुनहगार हूँ मैं,
मगर इतना भी समझ लो, कि वफ़ादार हूँ मैं।
बज़्मे[१५] दुश्मन में न खिलना गुलेतर[१६] की सूरत
आओ बिजली की तरह, आओ नज़र की सूरत।
ख़त में लिक्खा था कि आता है कलेजा मुँह को,
अब दिखाएँ उन्हें किस मुँह से जिगर की सूरत।

निकालूँ छान कर सारी ख़ुदाई,
अब उसकी जुस्तजू है और मैं हूँ।
उनके एक जाँनिसार हम भी हैं,
हैं जहाँ सौ हज़ार हम भी हैं।

१३—उज्ज्वल मुख, १४—दीपक, १५—सभा, १६—फूल।

तुम भी बेचैन हम भी हैं बेचैन,
तुम भी हो बेक़रार हम भी हैं।
कौन सा दिल है जिसमें "दाग़" नहीं,
इश्क़ में यादगार हम भी हैं।
अगर मर जाएँ तो छुट जाएँ ग़म से,
मगर यह हो नहीं सकता है हम से।
ऐ "दाग़" अपनी वज़ा[17] हमेशा यही रही,
कोई खिंचाखिंचे, कोई हम से मिला मिले।
साथ शोख़ी[18] के कुछ हिजाब[19] भी है,
इस अदा का कहीं जवाब भी है!
हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की,
फ़रियाद से मिलती नहीं, फ़रियाद किसी की।
उन इशारों को कोई क्या समझे?
निगाहे नाज़ से ख़ुदा समझे।
नज़र काबे में उस बुत पर पड़ी है,
कहाँ जाकर मेरी क़िस्मत लड़ी है!
क़यामत हैं बाँकी अदाएँ तुम्हारी,
इधर आओ तो लूँ बलाएँ तुम्हारी।
ज़माने में हैं यादगारे ज़माना,
वफ़ाएँ हमारी जफ़ाएँ[20] तुम्हारी!
सब से तुम अच्छे हो तुम से मेरी
क़िस्मत अच्छी।

यही कमबख़्त दिखा देती है सूरत अच्छी।
यह क्या कहा कि मेरी बला भी न आएगी?
क्या तुम न आओगे तो क़ज़ा भी न आएगी!
अफ़सोस है जो चाहिए आनी नहीं आती,
जाकर यह दग़ाबाज़ जवानी नहीं आती।
हाथ निकले अपने दोनों काम के,
दिल को थामा उनका दामन थाम के।
"दाग़" के सब हर्फ़ लिखते हैं जुदा,
टुकड़े कर डाले हमारे नाम के!
यह पूछो दिल से शर्मीली निगाहें यार
कैसी है?
करे जो म्यान ही में काम वह तलवार
कैसी है?

सब्र में भी दिले बेताब की हिम्मत देखी,
कर लिया काम वही जिसकी ज़रूरत देखी?
फिरती है वह निगाह मेरे दिल के सामने,
तलवार चल रही है मुक़ाबिल के सामने।
जिसको ख़ुदा बचाए नहीं डूबने का ख़ौफ़,
मौजें[21] हज़ार उठती हैं साहिल[22] के सामने
ऐ फ़लक[23] चाहिए जी भर के नज़ारा हमको,
जाकर आना नहीं दुनिया में दोबारा हमको,
मज़े इश्क़ के कुछ वही जानते हैं,
कि जो मौत को ज़िन्दगी जानते हैं।
ख़ुदा करे कि मज़ा इन्तज़ार का न मिटे,
मेरे सवाल का वह दें जवाब परसों में।
क़रीने से अजब आरास्ता क़ातिल की
महफ़िल है,
जहाँ सर चाहिए सर है, जहाँ दिल चाहिए
दिल है!

तुझसे बढ़ कर कोई अज़ाब नहीं,
ऐ मुहब्बत तेरा जवाब नहीं।
रोज़ मरता हूँ, रोज़ जीता हूँ,
ज़िन्दगी का कोई हिसाब नहीं।

१७—ढङ्ग, १८—चञ्चलता, १९—परदा, २०—ज़ुल्म, २१—लहरें, २२—किनारा, २३—आकाश,

जिस वक़्त आए होश में कुछ बेख़ुदी[24] से हम,
करते रहे ख़याल में बातें उसी से हम।
नाचार तुम हो दिल से, तो मजबूर जी से हम,
रखते हो तुम किसी से मुहब्बत किसी से हम।
ग़म से कहीं निजात[25] मिले चैन पाएँ हम,
दिल ख़ून में नहाए तो गङ्गा नहाएँ हम!
उज़्र उनको ज़बान से निकला,
तीर गोया कमान से निकला!
पर न बाँधे, पाँव बाँधा बुलबुले नाशाद का,
खेल के दिन हैं लड़कपन है अभी सय्याद[26] का।
तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किस का था?
न था रक़ीब तो आख़िर वह नाम किस का था?
नब्ज़े बीमार कभी और कभी दिल देखा,
फिर किया क़त्ल नया आपको क़ातिल देखा!
अभी हमारी मुहब्बत किसी को क्या मालूम?
किसी के दिल की हक़ीक़त किसी को क्या मालूम?
चोट खाना दिले हज़ीं[27] न कहीं,
दर्द रह जायगा कहीं न कहीं।
साफ़ कब इम्तिहान लेते हैं,
वह तो दम देके जान लेते हैं!
करूँ क्या चार दिन की ज़िन्दगी में,
रही जाती है हसरत जी की जी में!
सुबह तक दिल को दिलासे शबे-ग़म[28] देते हैं,
जिसको तुम दे नहीं सकते उसे हम देते हैं।
क्यों चुराते हो देख कर आँखें,
कर चुकीं मेरे दिल में घर आँखें।
सब लोग जिधर वह हैं उधर देख रहे हैं,
हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं।
जला था दिल जब किया था नाला[29],
जलेंगे लब[30] जब दुआ करेंगे,
जो वह किया था तो क्या किया था,
जो यह करेंगे तो क्या करेंगे!
हुए हैं वह ख़ूगरे[31] जफ़ा हम,
यह कहते फिरते हैं जाबजा हम,
जो कोई हम पर सितम करेगा,
हम उसके हक़ में दुआ करेंगे।
आज राही जहाँ से "दाग़" हुआ।
ख़ानए इश्क़ बेचराग़ हुआ।

पाठकों ने तो अब अच्छी तरह समझ ही लिया होगा कि महाकवि "दाग़" किस मरतबे के कवि थे। आज महाकवि "दाग़" संसार में नहीं हैं, मगर उनकी कविता उनको अब तक ज़िन्दा किए हुए है।

यह कविता ही है जो मरने पर भी आदमी का नाम रोशन रखती है। महाकवि "दाग़" ने उर्दू ज़बान पर बड़ा एहसान किया है। ऐसे-ऐसे शागिर्द पैदा कर दिए हैं जो उनके न रहने पर भी उन्हीं के ज़बान की इसी-तरह सेवा कर रहे हैं। नवाब 'सायल' देहलवी जो "दाग़" साहब के दामाद और शागिर्द भी हैं, उनकी बीबी यानी महाकवि "दाग़" की सुपुत्री को ३ या ४ सौ रुपए के क़रीब वज़ीफ़ा अब भी हुज़ूर निज़ाम के दरबार से मिलता है। महाकवि "दाग़" का यह शेर लिख कर लेख को समाप्त करता हूँ :—

एक दिन हम न होंगे दुनिया में
और रह जायगी हमारी बात।

२४—आपे में न रहना, २५—छुटकारा, २६—बहेलिया, २७—दुखी, २८—विरह की रात, २९—आह करना, ३०—ओंठ, ३१—आदी।

❀ ❀ ❀

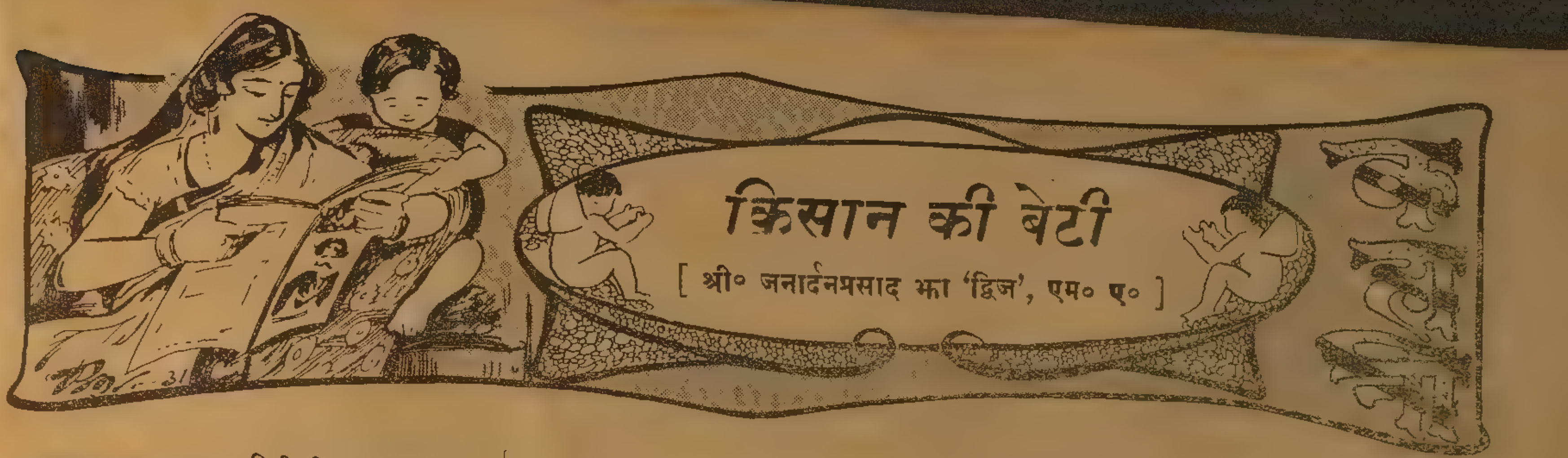
"थी बलन्दी पर कभी आज अपनी बर्बादी को देख!"

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

देख तो ऐ क़ौम, तेरी क्या से क्या सूरत हुई!
देख तो ऐ क़ौम, तेरी रायगाँ[1] इज़्ज़त हुई!!
देख तो ऐ क़ौम, तेरी क्या वह सब दौलत हुई!
देख तो ऐ क़ौम, तेरी क्या वह सब शुहरत हुई!!
नींद से उठ, होश में आ, अपनी आँखें खोल दे!
क्या सबब इसका है, आख़िर कुछ तो मुँह से बोल दे!!
ग़ैर आलम हो न क्योंकर, ग़ैर आलम देख कर,
दिल न क्यों कर काँप उट्ठे कसरते ग़म देख कर?
दम जो करते हैं निछावर, तुझको बेदम देख कर,
सूरते तस्वीर हैं ख़ामोश, उन्हें हम देख कर!
इस मुसीबत से रिहाई की कोई तदबीर है,
या हमेशा के लिए, फूटी हुई तक़दीर है?
ग़फ़लतों को छोड़ कर, हुशियार[2] होना चाहिए,
तुझको ऐसी नींद से बेदार होना चाहिए।
कौन कहता है ज़लीलो-ख़्वार होना चाहिए?
काम करने के लिए तैयार होना चाहिए।
मान कहना, ग़ौर कर, आँखों से आज़ादी को देख,
थी बलन्दी पर कभी, आज अपनी बर्बादी को देख!
देखते ही देखते दुनिया में रुसवा हो गई,
क्या थी पहले, क्या है अब, क्या रह गई, क्या हो गई!
बन गई धोके की टट्टी या खिलौना हो गई,
सब तमाशाई[3] हैं तेरे तू तमाशा हो गई!
तुझको अपने हाल पर फिर भी ख़्याल आता नहीं,
है ताज्जुब, दिल तेरा ग़ैरत[4] से शरमाता नहीं।
काहली में यह ज़माना मुफ़्त खोने का नहीं,
जागने का वक़्त है, यह वक़्त सोने का नहीं।
कुछ नतीजा, कोई हासिल, तेरे रोने का नहीं,
अब नहीं होने का, तो फिर कुछ भी होने का नहीं।
दामने हिम्मत को हाथों से लपक कर थाम ले,
उठ, क़दम आगे को रख, परमात्मा का नाम ले!
तेरी क़ूवत[5] हो वही, फिर तेरी ताक़त हो वही,
तेरी वक़अत[6] हो वही, फिर तेरी इज़्ज़त हो वही।
तेरी शौकत हो वही, फिर तेरी दौलत हो वही,
तेरी सूरत हो वही, फिर तेरी सीरत[7] हो वही,
रङ्ग भी बदले, अगर तेरा तो फिर वह रङ्ग हो,
आँख खुल जाए ज़माने भर की, दुनिया दङ्ग हो!
लुत्फ़ जब है दिल से हो एक-एक फ़िदाए[8] इत्तिफ़ाक़
अपने माथे से लगाए, ख़ाक पाए[9] इत्तिफ़ाक़।
हर घड़ी, हर दम रहे, महवे सनाए[10] इत्तिफ़ाक़,
कह रहे हैं, कह रहे हैं, आशनाए[11] इत्तिफ़ाक़!
हज़रते "बिस्मिल" को लाज़िम है इसी पर ध्यान दें,
माल तो क्या चीज़ है, इज़्ज़त की ख़ातिर जान दें!

१—व्यर्थ, २—जाग, ३—देखने वाले, ४—लज्जा, ५—ताक़त, ६—आदर, ७—आदत, ८—निछावर ९—पाँव की धूल, १०—प्रशंसा, ११—मित्र।

❀ ❀ ❀



किसान की बेटी

[श्री० जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज', एम० ए०]

रोगिनी की अवस्था बड़ी तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। रमा के लिए अब अपनी वेदना का आवेग रोकना असह्य हो गया। करुणा-विगलित वाणी को कँपाती हुई वह बोल उठी—"माँ !"

माँ के भागते हुए प्राण-पग में जैसे एक बेड़ी सी पड़ गई। उसने आँखें खोल दीं—वे ही आँखें, जिनमें जीवन-उल्लास के बदले अवितृप्त-अभिलाषाओं की मृत्यु-लीला मुसकरा रही थी।

रमा व्याकुल हो उठी। कातरता से भरी हुई अपनी उद्विग्न दृष्टि को एक बार बाहर फेंक कर उसने पूछा—माँ, कहीं पीड़ा हो रही है ?

माँ ने कुछ उत्तर न देकर, बेटी के झुके हुए मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। उसके रस-हीन अधरों पर थिरकने वाले प्रकम्पन ने जो कुछ कहा उसे समझ कर रमा रोगिनी की छाती में मुँह छिपा कर, सिसकियाँ भरने लगी।

इसी समय हरदयाल ने घर में प्रवेश किया। उसके मुख-मण्डल पर निराशा के बादल मड़रा रहे थे !

रमा सँभल कर खड़ी हो गई। आँखें पोंछते हुए उसने पूछा— वैद जी नहीं आए ?

"नहीं, बेटी !"

"क्यों ?"

"कहा, पहले के बाक़ी रुपए लिए बिना नहीं जाऊँगा।"

"तो अब क्या होगा बाबू जी ?"

"वही, जो भगवान की मर्ज़ी होगी बेटी !"

"हालत तो बिगड़ती ही जा रही है।"

"अब 'उन्हीं' का आसरा है।"—कहता हुआ वह वेदना-विद्ध कृषक अपनी सहधर्मिणी की चारपाई के पास धरती पर बैठ गया— ठीक उसी तरह, जैसे असफलताओं की ठोकरें खाकर मन का उत्साह बैठ जाता है। उसके चारों ओर एक भीषण अन्धकार फैलता आ रहा था—वही अन्धकार, जो वैभव-विहीन घरों को अपने अधिकार-पाश से बाँधे रहता है।

इधर रोगिनी ने अन्तिम हिचकी ली, उधर मुन्नू ने आकर रोते हुए कहा —माँ, बड़ी भूख लगी है।

उस पाँच बरस के बच्चे ने दिन भर कुछ नहीं खाया था—माता की बीमारी के कारण नहीं, अन्नाभाव के कारण ! अभागे बाप का कलेजा तड़प उठा। बच्चे को गोद में लेकर वह बाहर निकल गया। उसके अन्तस्तल में एक भीषण ज्वाला नाच रही थी, उसने उसके नयन-नीर को वहीं रोक रक्खा !

रमा फूट-फूट कर रो रही थी और उसका साथ दे रही थी वह सूनी सन्ध्या !

२

"अब धीरज से काम लो बेटी !"—हरदयाल ने गम्भीर वाणी में कहा—"लो, मुन्नू को तनिक सँभाले रहो, मैं कफ़न-उफ़न का कोई उपाय करूँ।"

"नहीं, बाबू जी !"—बच्चे ने मचल कर कहा—"पहले मुझे खाने को दे लो।"

"अच्छा बेटा !"—कह कर वह उसे गोद में लिए ही आँगन से बाहर निकल गया। दरवाज़े पर ज़मींदार के पाँच लट्ठधर प्यादे खड़े थे। वह उन्हें देखते ही सहम उठा—जैसे अनीति की सेना देख कर न्याय सहम उठता है !

"हरदयाल !"—प्यादों के सरदार ने सम्बोधित किया।

"हुकुम ?"

"हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं कि इस तरह रोज़ दौड़ा करें।"

"यह मेरा अभाग है भैया, कि मेरे कारन तुम लोगों को इस तरह हलकान होना पड़ता है।"

"अभाग नहीं, बदमाशी कहो"—एक प्यादे ने त्योरी चढ़ा कर कहा।

"यही समझ लो, मुदा भगवान जानते हैं मेरी नियत कैसी है।"

"भगवान-डगवान की बात हम नहीं सुनना चाहते"—एक दूसरे प्यादे ने कहा—"चुपचाप, लगान दाख़िल कर दो।"

"और लगान दाख़िल करते नानी मरती है तो चलो दरबार में"—प्यादों के सरदार ने कहा।

"इस समय दो में से एक काम भी नहीं हो सकेगा"—कह कर हरदयाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए।

"तो सरकारी हुकुम नहीं मानोगे ?"

"मानूँगा क्यों नहीं ?"

"तो चलो हमारे साथ।"

"दिन भर के भूखे बच्चे को गोद में लेकर अपनी मरी हुई स्त्री के लिए कफ़न के पैसे माँगने जा रहा हूँ, भैया ! इस समय तुम्हारे साथ कैसे चलूँ ?"

"नहीं चल सकते तो फिर लगान दे दो।"

"लगान देने का सामरथ रहता, तो यह हालत क्यों होती भैया ? घर से मुर्दा निकालने को भी भीख माँगने की नौबत क्यों आती ?"

"यह सब हम कुछ नहीं जानते। तुम लोग रँगे हुए सियार हो। चाहे जिस तरह हो, लगान चुकाना ही पड़ेगा। साल भर से तुम्हारे पीछे परीशानी उठा रहे हैं। आज छोड़ नहीं सकते।"

"ईश्वर जानते हैं भैया ! घर में न एक दाना अन्न है, न एक फूटी कौड़ी !!"

झल्ला कर एक प्यादा बोल उठा—"एक जवान बेटी तो है, उसी को..............."

उसकी बात पूरी होने के पहले ही हरदयाल ने सतेज होकर कहा—बस, अब जीभ में लगाम लगा कर बातें करो, नहीं तो ठीक न होगा।

"फाँसी पर लटकवा दोगे क्या ?"

"भगवान से भी तो डरा करो"—कह कर वह उनकी ओर से मुँह फेर कर आगे की ओर बढ़ चला।

"भागे कहाँ जाते हो, ?"—प्यादों के सरदार ने उसे लपक कर पकड़ते हुए पूछा !

"तुम लोग आज क्या करने पर आमादा हो ?"—हरदयाल ने अपने अपमान का आँसू पीते हुए पूछा—"इस तरह मेरी आबरू क्यों बिगाड़ रहे हो ?"

"सरकारी हुकुम है।"

"तो अब यह अन्याय नहीं सहा जायगा, किसी से इसको अच्छी तरह समझ लो।"

प्यादे ने उसके गले में गमछा डाल दिया और कहा—नहीं सहा जायगा तो जो करना चाहो, कर लो। देखें, किस नाना के भरोसे पर कूद रहे हो।

"भगवान की यह इच्छा भी पूरी हो"—कह कर वह दुर्बल किसान वहीं बैठ गया। प्यादों के अपशब्द, लात, जूते और लट्ठ उसे उठाने की कोशिश करने लगे। बच्चे के चीत्कार से सारा वायुमण्डल काँप उठा। रमा घबड़ा कर बाहर निकल आई और देखा दानवता मनुष्यता को घसीटे जा रही थी। वह दौड़ कर अपने बाप से लिपट गई और रोती हुई बोली—"प्यादा जी, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबू जी को छोड़ दो !"

प्यादों का सरदार उसे पकड़ कर अलग किया ही चाहता था कि हरदयाल ने चिल्ला कर कहा—ख़बरदार, मेरी बेटी के बदन पर हाथ मत रखना......।

बात पूरी भी न होने पाई थी कि उसके ऊपर लाठी का प्रहार हो गया ! वह उसकी कमर पर न लग कर, बच्चे के मस्तक पर गिरी। बच्चा माँ वसुन्धरा की छाती पर तड़पने लगा !

प्यादों के होश हिरन हो गए। उन्होंने देखा, गाँव के लोग बड़े वेग से उसी ओर दौड़े आ रहे हैं, प्राण लेकर भागे।

हरदयाल धूल झाड़ता हुआ उठा और लोगों को शान्त रहने का उपदेश देकर चुपचाप गाँव की एक गली में घुस गया।

थोड़ी ही देर बाद हाथ में मलमल का एक टुकड़ा और पैसे लेकर जब वह लौट आया तो देखा, रमा अपने दिन भर के भूखे भाई की प्राणहीन काया को गोद में लिए माता की लाश के पास, गम्भीर भाव से बैठी हुई है। लोग उसे तरह-तरह की सान्त्वना दे रहे हैं और वह बेहोशी की तरह चुप है—जैसे किसी दार्शनिक विचार की गहराई में डूब कर मोक्ष का अन्वेषण कर रही हो। हरदयाल ने उसकी गोद से मुन्नू की लाश उठाते हुए कहा—बेटी, उठो ! आदर के साथ भगवान की इच्छा का पालन करो।

३

राजा वीरपाल सिंह की ज़मींदारी अत्याचारों का क्रीड़ा-क्षेत्र बन रही थी, फिर भी उनके ख़ज़ाने में पर्याप्त पैसे नहीं आ रहे थे। उनके विलास व्याघ्र की रक्त-पिपासा बढ़ती जा रही थी, पर अभागे किसानों की काया में सूखी हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं।

जब रतनपुर से ख़ाली लौटे हुए वे पाँचो प्यादे उनके सामने पहुँच कर भय-विह्वल स्वर में बोले कि अगर वे उस गाँव से प्राण लेकर भाग न आते तो उनकी हड्डी-पसली तक का पता न चलता, तब तो राजा साहब और भी आग बबूला हो उठे। आँखों में अमानुषिक क्रोध की लालिमा फैला कर तीव्र स्वर में बोले—रतनपुर गाँव में जाकर आग लगा दो।

"सरकार!"—प्यादों का सरदार हाथ जोड़ कर बोला—"हरदयालवा और उसकी बिटिया के मारे उस गाँव पर हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। लोग लाठी ले-लेकर आ खड़े होते हैं।"

"अच्छा, मैं अभी कलक्टर साहब को लिखता हूँ"—कहते हुए राजा साहब कुर्सी पर से उठ खड़े हुए।

इसी समय उनका इकलौता बेटा कुँवर राजेन्द्रसिंह आ पहुँचा और पिता के क्रोध-रञ्जित मुख-मण्डल पर अपनी सतेज आँखें डालते हुए बोला—तो क्या अब किसानों को सताने के लिए सरकारी पुलीस से मदद ली जायगी? अपने प्यादों की मर्दानगी मर गई?

राजा साहब ने डपट कर उत्तर दिया—सामने से हट जाओ!

"वह समय अब चला गया।"

"तुम वर्गवादी हो, विद्रोही हो, मेरे घर से निकल जाओ।"

"इसीलिए आज तैयार होकर आया हूँ।"

"नालायक़!"

"यही सही, फिर भी पुत्र का धर्म पालन कर रहा हूँ। यह मेरी अन्तिम चेतावनी है। मनुष्यता की राह पर आइए, नहीं तो मुझे आपकी ओर से भीषण प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।"

राजा साहब का मुँह और भी तमतमा उठा, काँपते हुए बोले—तो क्या तुम सचमुच वर्गवादी हो?

"अत्याचारियों के लिए मैं सब कुछ हूँ।"

"कहीं के न रहोगे।"

"कम से कम आपके घर का नहीं रहूँगा।"

"कहाँ जाओगे?"

"आपके पापों का प्रायश्चित्त करने।"

"देख लूँगा!"—कह कर वे वहाँ से तेज़ी के साथ चले गए।

कुँवर भीतर न जाकर बाहर निकल गया।

४

रतनपुर गाँव में अत्याचारों का अखण्ड आधिपत्य है। पर किसान अपनी आन पर डटे हैं। कुँवर राजेन्द्रसिंह आस-पास के गाँवों में घूम-घूम कर प्रजा को साहस प्रदान कर रहे हैं। चारों ओर जीवन है, जागृति है, बल है, बलिदान है। पर रमा? त्याग और तपस्वी की वह जीवित प्रतिमा कहाँ है? कल रात ही से उसका कहीं पता नहीं!

५

"सरकार!"

"क्या है?"

"कुँवर साहब को किसी तरह बस में लाना होगा।"

"देखा जायगा, पहले यह बताओ, लाए कि नहीं।"

"हाज़िर है, सरकार!"

"कलक्टर साहब को फ़ोन कर दो कि वे कल सवेरे ही कुँवर को गिरफ़्तार कर लें।"

"ख़ून-ख़राबी हो जायगी, सरकार!"

"अच्छा, अभी रहने दो। वहाँ सब ठीक है?"

"हाँ, सरकार!"

"जाओ" कह कर राजा साहब ने घण्टी का बटन दबा दिया।

नौकर आकर खड़ा हो गया। उसे आज्ञा हुई—"कार लाने को कहो।"

कार आई और राजा साहब को लेकर हवा हो गई। नौकर बेचारा समझ ही नहीं सका कि इतनी रात बीते वे आज कहाँ जा रहे हैं।

६

कार 'प्रमोद उपवन' में जाकर खड़ी हुई। चारों ओर ग़ज़ब का सन्नाटा था। राजासाहब ने बँगले के भीतर प्रवेश करते हुए कहा—शोफ़र, तुम जाओ, चार बजे भोर को कार ले आना।

कमरे के भीतर घुस कर उन्होंने देखा, लड़की के शरीर से विदग्ध सौन्दर्य की एक ज्वाला-सी फूट रही थी। उसके हाथ-पाँव बँधे हुए थे और आँखें आँसुओं में डूबी हुई थीं!

राजा साहब ने मुसकिरा कर पूछा—बन्धन खोल दूँ तो कुछ मिलेगा?

रमा की आँखों का पानी क्रोध की ज्वाला से सूख गया। शेरनी की तरह निर्भीक होकर बोली—तुम ख़ुद बन्दी हो; विलास की बेड़ियों ने तुम्हारे विवेक को बाँध रक्खा है। पहले उसे खोल लो।

"अब यह काम तुम्हीं कर सकोगी प्यारी!" कहता हुआ वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया।

रमा क्रोध और भय से काँपती हुई बोली—मैं तुम्हें अपना पिता कह कर पुकारती हूँ, बेटी की लाज बचाओ।

राजा साहब पैशाचिक अट्टहास करते हुए बोले—इस तरह ठगना चाहती हो?

"नहीं तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती हूँ।"

"मगर यहाँ सुनेगा कौन?" राजा साहब ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया।

रमा व्याकुल होकर कह उठी—भगवन्! अब तुम्हीं बचाओ।

"उसे यहाँ आने का हुक्म नहीं है"—कह कर राजा साहब रमा को पकड़ने ही वाले थे कि सहसा कमरे का दरवाज़ा टूटा और कुँवर राजेन्द्र अपने पन्द्रह साथियों को लेकर उनके पास आ खड़ा हुआ। सबके हाथों में तने हुए तमञ्चे थे। राजा साहब थरथरा कर बैठ गए। रमा बन्धन-मुक्त कर दी गई।

"इस पापी का यहीं अन्त कर दो" कुँवर ने आज्ञा दी।

राजा साहब अपने पुत्र के चरणों पर लोट गए।

'नहीं, कुँवर!' रमा ने उसका हाथ पकड़ कर समझाया—तुम्हारा रास्ता ग़लत है। इन तमञ्चों से पाप का अन्त न होगा। पापियों को अपना काम करने दो। चलो, हम लोग अपना काम करें।

"रमा!"

"कुँवर!"

"यह तो अहिंसा का दुरुपयोग है।"

"तुम भूल रहे हो।"

"अभी हम लोग इन तमञ्चों के साथ न आते तो यह पापी तुम्हें छोड़ता?"

रमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया—"यह तो तुम्हारा मोह है कुँवर! क्या तुम समझते हो कि बिना भगवान के भेजे ही तुम यहाँ आ गये? अपने किसी भी काम को अपना न समझो, सब में 'उन्हीं' का हाथ है, जिनके हम हैं।

"तो क्या कहती हो?"

"मानोगे?"

"प्राण देकर भी।"

'इन तमञ्चों को फेंक दो।"

सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगे। कुँवर ने कहा—फिर हम लोग कर क्या सकेंगे?

"दीन-दुखियों की सेवा किसी के रक्त की प्यासी नहीं होती" रमा ने गम्भीर वाणी में कहा—"वह तो हमारे हृदय का रस पीकर जीती है।"

"मगर......"

"अब भी 'मगर' और 'अगर'?"

"मगर हम बलहीन हो जायँगे।"

"नहीं, हमारा बल बढ़ जायगा।"

"तो लो, तुम्हारी ही बात रहे"—कह कर कुँवर ने अपना तमञ्चा उसके चरणों पर रख दिया। और युवकों ने भी वैसा ही किया।

रमा ने शान्त स्वर में पूछा—अपने ऊपर पूरा अधिकार है न?

सबने एक स्वर में कहा—मर मिटेंगे, पर किसी पर हाथ न उठाएँगे।

"तो चलो, हमारी विजय होगी। भगवान हमारे साथ रहेंगे।"

सबके सब वहाँ से निकल गए। राजा साहब वहीं पड़े-पड़े अपने पापों का इतिहास पढ़ रहे थे। उठ बैठने की हिम्मत जैसे उनका साथ छोड़ कर भाग गई थी!

७

रमा के पिता के नाते और स्वयं अपने चरित्र-बल से हरदयाल केवल रतनपुर ही का नहीं, आस-पास के पचीसों गाँवों का उपास्य बन गया था। लोग जैसे बेटी के इशारों पर जान निसार करने को लालायित रहते थे वैसे ही बाप के इशारों पर भी। उस दिन जब वह पुलीस की लाठियों से आहत होकर अपने भगवान के दरबार में चला गया तब चारों ओर जैसे एक प्रलयकारी हलचल सी मच गई। लोगों ने तय कर लिया कि इस अत्याचारी ज़मींदार के गाँवों को छोड़ कर किसी जङ्गल में जा बसेंगे।

प्रातःकाल का समय था। रतनपुर के रहने वाले रमादेवी और कुँवर राजेन्द्र के नायकत्व में जत्था बाँध कर गाँव से बाहर निकल चुके थे। उनके मुख-मण्डल पर उल्लास की वह ज्योति मड़रा रही थी, जो त्याग और तपस्या की सबसे बड़ी विभूति है।

स्वतन्त्रता की सङ्गीत-धारा में बहते हुए लोग चले जा रहे थे। इतने ही में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और रमा के पैरों पर गिर पड़ा। वह राजा वीरपालसिंह थे!

रमा ने झण्डा ऊँचा कर दिया। सब के सब तुरन्त रुक गए।

राजा साहब ने रोते हुए कहा—देवि, मुझ पापी पर दया करो।

रमा कुँवर साहब की ओर ताकने लगी। वे मुँह फेर कर रूमाल से आँखें पोंछ रहे थे।

"आज से अब कहीं किसी प्रकार का अत्याचार न हो सकेगा।"

"इसका सबूत?"

"मेरा यह आत्म-समर्पण। मैं अब ज़मींदारी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यह काग़ज़ है। मैंने कुँवर साहब के नाम सब कुछ लिख दिया। आज से मेरा काम दीन-दुखियों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ न होगा। देवि, मुझे क्षमा करो।"

"अच्छा उठिए"—कह कर उसने भाव-भरी दृष्टि से कुँवर की ओर देखा।

कुँवर अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा और रोता हुआ बोला—मुझे विवश होकर......

राजा साहब ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहा—तुम वैसा न करते तो न मालूम मैं कै जनम तक नरक का कीड़ा बना रहता।

रमा ने मुसकिरा कर कहा—तो आज से कुँवर साहब हमारे राजा हुए।

"और रमादेवी हुई......"

उसी तरह मुसकिरा कर कुँवर जवाब दे ही रहा था कि बीच ही में उसकी बात काटती हुई वह बोल

(शेष मैटर ३४वें पेज के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

साम्यवादी विएना

[डॉक्टर धनीराम]

गत यूरोपीय महायुद्ध ने संसार में और विशेषकर यूरोप में अनेकों परिवर्तन कर दिए हैं; साधारण परिवर्तन नहीं, ऐसे परिवर्तन जिन्हें क्रान्ति के नाम से पुकारा जा सकता है। ऑस्ट्रिया भी इन परिवर्तनों से बचा नहीं। युद्ध के समय ऑस्ट्रिया और हँगारी दोनों एक ही सम्राट्, फ़्रान्सिस योज़ेफ़ प्रथम, के अधीन थे। सन् १९१६ में इस सम्राट् की मृत्यु हो गई और गद्दी उसके उत्तराधिकारी को मिली, जिसका नाम था चार्ल्स प्रथम। इस अभागे सम्राट् को लोगों ने केवल दो वर्ष ही राज्य करने दिया। सन् १९१८ की १२ नवम्बर ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक पुण्य-तिथि है और रहेगी। क्योंकि इसी दिन ऑस्ट्रिया वालों ने सम्राट् को गद्दी से उतार कर प्रजातन्त्र की घोषणा की थी।

जब ऑस्ट्रिया ने प्रजातन्त्र घोषित किया, तो हँगारी को उससे अलग होना पड़ा, क्योंकि वहाँ के निवासी राजा को पदच्युत करके ऑस्ट्रियन लोगों की भाँति प्रजातन्त्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर बोहीमिया तथा स्लोवाकिया नाम के प्रान्त भी ऑस्ट्रियन प्रजातन्त्र के अधीन नहीं रहना चाहते थे और न चाहते थे वे हँगारी की भाँति सम्राट् की अधीनता। अतः उन लोगों ने इधर-उधर का कुछ और भाग मिला कर एक नया प्रजातन्त्र स्थापित किया, जिसका नाम अब शैकोस्लोवाकिया है और जिसकी राजधानी प्राग (वहाँ के निवासी इसे प्राहा Praha कहते हैं) नगर है।

इस प्रकार जब काल के कराल करों द्वारा ऑस्ट्रिया छिन्न-भिन्न हुआ तो देश की बड़ी दुर्दशा थी। हँगारी ही ऑस्ट्रिया का उपजाऊ प्रान्त था, वह उससे अलग हो गया था। डैन्यूब नदी, जो कभी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, अब नौकाओं से रहित-सी हो गई थी। इस प्रकार ग़रीब हुआ देश हाय-हाय करने लगा। लोगों को पेट भर भोजन तक न मिलने लगा। ऐसे समय राज्य की बागडोर साम्यवादियों ने अपने हाथों में ली। उनके प्रयत्न से देश की हीन दशा में बहुत कुछ अन्तर हुआ। परन्तु उनकी राज्य-शक्ति अधिक दिनों न रही। उनकी संख्या वहाँ की पार्लामेण्ट में ४७ प्रति शत है। उनके विरोधी (Anti-Socialists) संख्या में ५३ प्रति शत हैं। यह सब विरोधी एक ही पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते। एक पार्टी के हिसाब से तो साम्यवादी-दल की बहुसंख्या है। परन्तु, चूँकि और सब पार्टियाँ साम्यवादियों के विरुद्ध मिल कर एक हो गई हैं, इसीलिए उनके हाथ में राज्य-शक्ति है।

ऑस्ट्रिया का राज्य असाम्यवादियों के हाथ में होते हुए भी विएना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, साम्यवादी है। क्यों? इसका कारण है। कुल ऑस्ट्रिया की जन-संख्या ६० लाख है, जिसमें से विएना की जन-संख्या २० लाख है तथा शेष भागों की कुल मिला कर ४० लाख। इस कारण विएना एक नगर ही नहीं, प्रत्युत एक प्रान्त की हैसियत में गिना जाता है; अर्थात् उसके हाथ में अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी शिक्षा-प्रणाली और स्वयं कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। और इस विएना की म्यूनिसिपैलिटी तथा प्रान्तीय काउन्सिल में बहुमत है साम्यवादियों का। इसी कारण, ऑस्ट्रिया तो असाम्यवादियों द्वारा शासित की जाती है और विएना साम्यवादियों द्वारा। इसका प्रभाव विएना में जाते ही देखने को मिलता है। जिस दिन मैं विएना पहुँचा था, उसी दिन मेरे एक मित्र मुझे वहाँ की प्रसिद्ध रिङ्ग स्ट्रीट पर घुमाने को ले गए।

'यह यूनीवर्सिटी के भवन हैं।' उन्होंने एक बड़ी शानदार इमारत की ओर इशारा करके कहा। वहाँ पुलिस के सिपाही काफ़ी बड़ी संख्या में खड़े थे। हम ज्योंही उधर पहुँचे कि एक सिपाही ने आकर हमें बताया कि यूनीवर्सिटी के भीतर जाने की किसी को आज्ञा न थी।

'यह क्यों?' मैंने पूछा।

'साम्यवादियों और असाम्यवादियों—विद्यार्थी और प्रोफ़ेसर दोनों ही—में यहाँ बहुधा झगड़े होते रहते हैं। मार-पीट तक हो जाती है। कभी-कभी तो यूनीवर्सिटी बन्द ही कर दी जाती है।' यह उनका दबा हुआ उत्तर था।

विएना बहुत पुराना नगर है और संसार में कई बातों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सङ्गीत संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। योहान स्ट्राउस का नाम प्रत्येक यूरोपीय सङ्गीत के जाननेवाले की जिह्वा पर है। अब भी विएना उसके सङ्गीत से गूँजता रहता है। चिकित्सा के लिए, विशेष कर आँखों की चिकित्सा के लिए, विएना सबसे बाज़ी ले गया है। नगर भी बड़ा सुन्दर है। इसकी सजावट अन्य सारे यूरोपीय नगरों से भिन्न है। बीच में एक गिर्जा है, जिसके चारों ओर गिर्जा सम्बन्धी चीज़ें बिकती हैं; इसे देख कर मदूरा के मन्दिर की याद आ जाती है, जिसके चारों ओर माला आदि पूजा की सामग्रियों की दूकानें हैं। कुछ बाहर निकल कर गिर्जे को केन्द्र मान कर, एक बड़ी सुन्दर और चौड़ी सड़क बनाई गई है, जिसे Ring Strasse (रिङ्ग गली) कहते हैं। इसी सड़क पर यूनीवर्सिटी, पार्लामेण्ट के भवन, चुङ्गी का भवन (Rathause), ओपेरा, शाही क़िला, अजायबघर आदि स्थित हैं। उसके बाहर फिर एक चक्राकार सड़क है, जिसको जर्मन भाषा में वहाँ Gurtl (ग्युरतल) कहते हैं। इसका अर्थ है 'पेटी', जिसे कमर के चारों ओर बाँधते हैं।

जिस समय इस बड़े नगर का शासन साम्यवादियों के हाथ में आया था, उस समय सारा संसार टकटकी लगाए इस प्रयोग को देख रहा था। जो साम्यवादी थे वे इसलिए कि उन्हें साम्यवाद की व्यावहारिकता का पता चलता। जो असाम्यवादी थे, वे इसलिए कि उन्हें अपने भविष्य का पता चलता। लोगों को यह आशङ्का थी कि साम्यवादियों की टें बड़ी जल्दी बोल जायगी, क्योंकि उनकी समझ में साम्यवादी-दल में कर द्वारा रुपया एकत्रित करने की क्षमता न थी। परन्तु ऐसे लोगों की सारी शङ्काएँ निर्मूल हुईं। साम्यवादी पार्टी ने ग़रीबों के ऊपर से बहुत से कर उठा लिए और कमी पूरी करने को धनिकों पर कई प्रकार के कर और लगा दिए—जैसे, जो धनिक नौकर रखते थे, उन्हें नौकरों की संख्या के अनुसार कर देना पड़ता था। इसी प्रकार जिन-जिन के पास भूमि थी, उन्हें भूमि-कर देना पड़ता था। कुछ रुपया उन्होंने सिग्रेट, दियासलाई आदि के उद्योगों को चुङ्गी का बना कर कमाया। इस प्रकार रुपए का प्रबन्ध करके उन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार मज़दूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। आज जो व्यक्ति विएना को जाकर देखे, उसकी आँखें खुल जायँगी, जब वह साम्यवादियों के द्वारा किए हुए काम को देखेगा।

इन कामों में दो-तीन कामों का इन पंक्तियों में विशेष उल्लेख किया जायगा। विएना में जितने राजभवन थे, उन सब में अब जनता के लाभ के लिए अजायबघर खोल दिए हैं। इनमें से कई अजायबघरों में उन वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें सम्राट प्रयोग में लाते थे। इन्हें देखने से उन व्यक्तियों को—और विशेषकर बालकों को—जो साम्यवाद के युग में पल रहे हैं, यह विदित हो जायगा कि इन सम्राटों का कितना भारी और अनुचित भार प्रजा के ऊपर होता था। सम्राटों के बाग़ों और पार्कों को भी अब Volk Garten (सार्वजनिक उद्यानों) के नाम से पुकारा जाता है। विएना से थोड़ा बाहर एक पहाड़ी पर सम्राट का ग्रीष्म-भवन है, जिसे 'श्युन ब्रूनैन-भवन' कहते हैं। इसकी सुन्दरता का सामना संसार में बहुत कम राजभवन कर सकते हैं। यहाँ के बाग़ तो पेरिस के निकट वैरसाई के बाग़ों को छोड़ कर सर्व-सुन्दर हैं। यहाँ लम्बे-लम्बे पेड़ों को एक पंक्ति में लगा कर इस प्रकार काटा गया है कि उनकी एक हरी-भरी दीवाल बन जाती है। पाठकों को यह पढ़ कर आश्चर्य होगा कि इस ग्रीष्म-भवन के कमरों में साधारण मज़दूर मासिक किराया—वह भी साधारण—देकर रहते हैं। यह है साम्यवाद का सच्चा पाठ।

दूसरा आदर्श कार्य, जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने किया है, वह है बच्चों की रक्षा और शिक्षा का। यह सबको मानना ही पड़ेगा कि कितने ही युगान्तरकारी सुधार किसी जाति में क्यों न किए जायँ, कुछ

[किसान की बेटी]

(३८वें पृष्ठ का शेषांश)

उठी—नहीं कुँवर, मैं एक ग़रीब किसान की बेटी हूँ। इसके सिवा मुझे और कुछ कहलाने की हविस नहीं। दीन-दुखियों की सेवा ही मेरा सब कुछ है।"

"मैं भी तुम्हारे ही पद-चिन्हों का अनुसरण किया चाहता हूँ"—कुँवर ने अश्रु-गद्गद कण्ठ से कहा।

"भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं"—रमा ने गम्भीरतापूर्वक कहा—"इतनी बड़ी ज़मींदारी के मालिक होकर भी दीन-दुखियों की सेवा करते रहोगे, तभी मैं अपने भाग की सराहना कर सकूँगी।"

"पर तुम्हारे बिना......"

"मैं दिन-रात तुम्हारे ही लिए भगवान से प्रार्थना करती रहूँगी"—कह कर वह अपनी किसान सेना के साथ गाँव की ओर लौट पड़ी!

❀ ❀ ❀

व्यक्ति उस जाति में ऐसे रह ही जाते हैं कि जो पुरानी प्रथाओं को छोड़ने को कभी तत्पर नहीं होते। यदि ऐसे व्यक्तियों के बच्चों का पालन उनके माता-पिता ही करें तो भय यह रहता है कि वे भी उन्हीं की भाँति लकीर के फ़क़ीर न बने रहें। इसीलिए साम्यवादियों का यह सिद्धान्त है कि कम से कम क्रान्ति के बाद ही राज्य के सारे बच्चों का पालन और सञ्चालन राज्य द्वारा ही हो। विएना में बहुत-कुछ इसी सिद्धान्त के अनुसार ही कार्य हो रहा है। बच्चे चाहे ग़रीब के हों, चाहे अमीर के; उन्हें समान रूप से शिक्षा आदि दी जाती है। छोटे-छोटे बच्चों को उत्पन्न होने के कुछ समय बाद से ही किण्डर-गार्टन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। जिन बच्चों के माता-पिता निर्धन होते हैं, उन्हें दूध, वस्त्र, पुस्तकें, खिलौने आदि सब मुफ़्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, चुङ्गी ने बच्चों के लिए अनेकों छोटे-छोटे पार्क, खेलने के मैदान तथा तैरने और स्नान करने के लिए तालाब बनाए हैं। स्वच्छ तथा शुद्ध दूध मिलने के लिए डेरी-परिपाटी को बड़े सफल रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सर्व-साधारण को भी दूध—गाय का शुद्ध दूध—बड़े सस्ते भाव पर मिल जाता है।

इन सब कार्यों से अधिक आश्चर्यजनक कार्य और कदाचित् संसार में सबसे पहले, जो यहाँ के साम्यवादियों ने किया है, वह है यहाँ के मज़दूरों के लिए सुन्दर भवनों का निर्माण। यह कार्य इतना सुन्दर है कि देखने वाले के हृदय में साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा अवश्य ही पैदा हो जाती है। मैंने इङ्गलैण्ड, फ़्रान्स, जर्मनी, स्विटज़रलैण्ड, शैको-स्लोवाकिया आदि कई देशों का भ्रमण किया है और वहाँ पर विशेषकर मज़दूरों के निवास-स्थानों को देखा है, परन्तु मुझे अधिकतर उन गन्दे और सङ्कुचित घरों के अतिरिक्त, जिन्हें स्लम (Slums) कहते हैं, और कोई स्थान दिखाई नहीं दिया।

प्रथम ही प्रथम विएना की चुङ्गी ने १६२४ के निकट इस प्रकार के आदर्श घर बनाने का विचार किया था। सन् १६२६ से कार्य प्रारम्भ हुआ और पुराने मकानों को तोड़ कर नए भवन निर्मित किए जाने लगे। इस प्रथम भवनावलि का नाम साम्यवाद के आचार्य के नाम पर कार्ल-मार्क्स-हौफ़ (Karl Marx Hof) रक्खा गया। तब से अब तक कई सहस्र ऐसे घर बन गए हैं।

इन बड़े-बड़े घरों में ७-८ छोटे-छोटे घर होते हैं, जिनमें एक-एक परिवार रहता है। प्रत्येक घर में कमरों का नम्बर परिवार की बड़ाई-छुटाई पर निर्भर है। परन्तु छोटे से छोटे घर में भी एक स्नानगृह, एक शौचालय, एक भोजनालय तथा दो अन्य कमरे होते हैं। कमरों की स्वच्छता का बड़ा ध्यान रक्खा जाता है। कई मकानों के बीच में एक चौक होता है, जिसमें एक ओर पार्क लगा होता है और दूसरी ओर बच्चों के खेलने के लिए मैदान और तैरने के लिए तालाब, साथ ही एक स्थान कपड़े धोने के लिए होता है, जहाँ वैज्ञानिक रूप से स्त्रियाँ अल्प व्यय से अपने-अपने कपड़े धो लाती हैं, एक सहयोगी स्टोर (Co-operative Store) होता है,जहाँ सब प्रकार के प्रयोग की वस्तुएँ मिलती हैं। एक सिनेमा-भवन होता है, एक छोटे बच्चों के लिए किण्डर गार्टन स्कूल, एक मज़दूरों की समिति,एक डॉक्टर,एक औषधि-भण्डार आदि सबकी व्यवस्था होती है। जहाँ मज़दूरों के आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया गया है, वहाँ उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भी; क्योंकि प्रत्येक चौक के साथ एक पुस्तकालय और एक वाचनालय भी होते हैं। पुस्तकें पढ़ने के लिए मुफ़्त मिलती हैं। इन पंक्तियों में इन भवनों की सुन्दरता का वर्णन करना कठिन है, पाठक अन्यत्र प्रकाशित चित्रों को देख कर स्वयं इसका अनुमान कर सकते हैं।

इन सब बातों के देखने में मुझे मेरे एक साम्यवादी मित्र 'हेर कार्ल पेटराश' से बड़ी सहायता मिली। आप एक उठते हुए नवयुवक हैं और कार्ल मार्क्स के पक्के अनुयायी हैं। आपके पिता साधारण स्थिति के आदमी हैं और चुङ्गी के उपर्युक्त-वर्णित घरों में से एक में रहते हैं। वे अपने घर ले गए। उनके माता-पिता से मिल कर यही विदित हुआ कि मानो वे भारतवासी हैं। इतना प्रेम और इतना आतिथ्य-भाव इङ्गलैण्ड में कभी देखने को न मिला था। वे अङ्गरेज़ी नहीं बोल सकते थे, अतः मैं उनसे अपनी टूटी-फूटी जर्मन में ही बातें करता था। इतने आग्रही थे कि मैं जिस होटल में ठहरा था, उसमें एक बार भी भोजन न करने दिया और सातों दिन, तीनों समय वहीं भोजन करना पड़ा।

भारतवासियों का जितना सम्मान मैंने विएना में देखा, उतना और कहीं नहीं। न जाने क्यों भारतीयों के लिए इन लोगों में इतना स्नेह भरा हुआ है। भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी इन लोगों में बहुत है। छोटे-से रैस्टोराँ में भी लोग (वहाँ के नौकर-चाकर) भारत और गाँधी के विषय में बातें पूछ लेते हैं।

बधाई

श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए०, लखनऊ-विश्वविद्यालय से लिखते हैं :—

आपका दैनिक 'भविष्य' भी मिला। देख कर दिल बाग़-बाग़ हो गया। आपको याद होगा, कई महीने हुए, मैंने आपको 'भविष्य' दैनिक निकालने की सलाह दी थी। आज अपनी इच्छा पूर्ण हुई देख कर मुझे बड़ी ख़ुशी हुई।

दैनिक 'भविष्य' एक चीज़ है, छपाई-सफ़ाई, रङ्ग-ढङ्ग सभी कुछ देखते ही बनता है। सम्पादकीय टिप्पणियों के पढ़ने में मज़ा आता है, ख़बरों के शीर्षक पढ़ते ही दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है, बिना पूरी ख़बर पढ़े रहा नहीं जाता। मेरा तो ख़्याल है कि दैनिक 'भविष्य' शीघ्र ही हिन्दी संसार के दैनिक-पत्रों का मौर-मुकुट बन जायगा। दैनिक 'भविष्य' फूले-फले, उन्नति करे, मेरी यही दुआ है।

गाँधी का नाम तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और अनेकों तो उनके लेखों को नियम से पढ़ते हैं। गाँधी के बाद, पढ़े-लिखे लोगों में कवि-सम्राट रवीन्द्र का नाम अधिक प्रख्यात है। कई स्थानों पर मैंने उनकी अनेकों पुस्तकों का जर्मन अनुवाद देखा। जिन-जिन से मैं मिला, उन्होंने अपने पुस्तक-संग्रह में रवीन्द्र के ग्रन्थों की ओर इशारा करके अवश्य बताया।

विएना के नवयुवक और नवयुवती साम्यवादियों का एक सङ्गठन है, जिसका नाम है 'संसार के मित्रों की समिति।' इसके सदस्य विएना के अनेकों सम्भ्रान्त पुरुष—जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि—हैं और सबको अङ्गरेज़ी पढ़नी पड़ती है। इनमें से अधिकांश फ़्रेञ्च भी जानते हैं। इनके अधिवेशन एक बड़े होटल में होते रहते हैं। मेरे मित्र कार्ल इसके सभापति हैं, अतः उन्होंने एक विज्ञापन निकाल कर सभासदों को सूचना दी कि मेरा एक व्याख्यान 'भारत' सम्बन्धी किसी विषय पर होगा। जब मुझे यह पता लगा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि भारत से तीन वर्ष बाहर रहने के कारण मैं उन्हें कोई नई बात नहीं बता सकता था। परन्तु उनका आग्रह पूरा करना पड़ा। अधिवेशन में शायद देवियों की संख्या अधिक थी और एक देवी ही उस रात प्रधाना चुनी गई थीं। वे भारत के शान्तिमय आन्दोलन के विषय में बहुत-कुछ जानते थे। उन्होंने भारत के युवकों के उत्थान के विषय में कुछ सुना था, परन्तु अधिक नहीं। अतः उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मुझे भारत के 'युवक आन्दोलन' (Youth Movement) पर बोलने का आदेश किया। मैं बोला और मुझे यह देख कर परम सन्तोष प्राप्त हुआ कि उनके मुख भारत के युवकों की बातें सुन कर खिल उठे। वे भारत के युवकों के उत्थान को संसार-व्यापी क्रान्ति मचाने के लिए आवश्यक समझते हैं। भाषण के पीछे वहाँ पर प्रश्न करने की रीति है। प्रश्न पूछे गए, अनेकों ही और अनेकों विषयों पर। परन्तु एक बात बड़ी मनोरञ्जक हुई। अधिवेशन में एक अराजकतावादी देवी थी, जो विएना के एक प्रसिद्ध अनारकिस्ट की पुत्री है। उसने मुझसे प्रश्न किया – क्या आप राज्य (Govt.) एक आवश्यक संस्था समझते हैं?

'हाँ!' मेरा उत्तर था। वह इस उत्तर से बहुत बिगड़ी। कहने लगी—'महात्मा गाँधी तो उसे आवश्यक नहीं मानते।'

'तो क्या आपका अर्थ है कि महात्मा जी अराजकतावादी हैं?' मैंने पूछा।

'हाँ'—उसने उत्तर दिया।

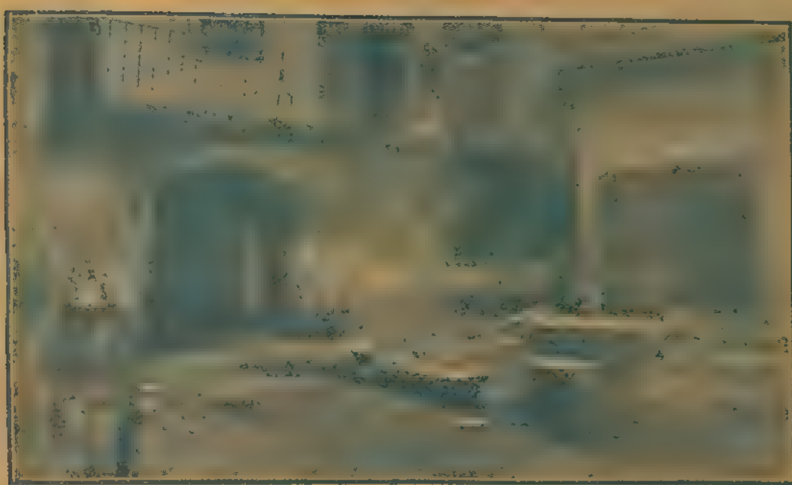
'आपका यह विचार ठीक नहीं है।'

'तब आपने महात्मा गाँधी को समझा ही नहीं है। मैं तो प्रति सप्ताह उनको 'यङ्ग-इण्डिया' पढ़ती हूँ।' उन्होंने कुछ आवेश के साथ कहा और सारे श्रोता हँस पड़े। उसके बाद ही उससे अराजकता पर कुछ वाद-विवाद हुआ। अपने विचारों वाली वह अकेली ही थी, परन्तु वह यह न कह सकी कि वह हम लोगों के विचारों की क़ायल थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पढ़ा तो बहुत था, परन्तु समझा कम था।

मैं सात दिन विएना रहा था और उन्हीं दिनों में वहाँ की बातों से इतना प्रभावित हुआ था कि आज भारत में आकर मुझे यही समझ पड़ता है कि वह सब एक स्वप्न था। वह स्वप्न शायद तब सच्चा हो, जब कि भारत में भी साम्यवाद के झण्डे के नीचे पददलित व्यक्ति अपना शिर ऊँचा उठा कर चलने योग्य हो जायँ।

* * *

साम्यवादी वीयना (ऑस्ट्रिया)



मज़दूरों के पुराने मकानों का एक नमूना। इन्हीं को तोड़ कर म्युनिसिपैलिटी ने नए मकानों को बनवाया है।



पुराने मकानों का दूसरा नमूना। गली इतनी तङ्ग है कि दो व्यक्ति एक साथ उसमें होकर नहीं निकल सकते।



श्युनब्रूनैन पैलेस (पूर्व-बादशाह का ग्रीष्म-भवन) दाहिनी ओर पाठक हरियाली की दीवाल देख सकते हैं।



'कार्ल मार्क्स हौफ़' जो म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए भवनों में सबसे पहला है। इसका नाम साम्यवाद के आचार्य 'कार्लमार्क्स' के नाम पर रखा गया है।



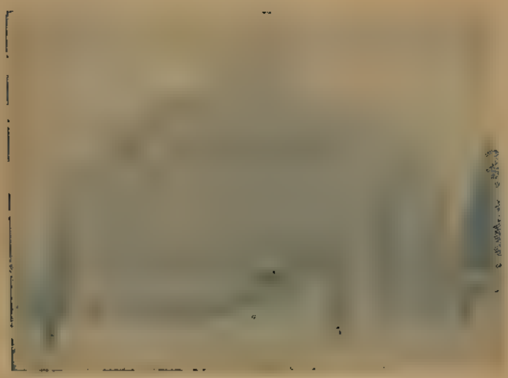
एक 'किण्डर-गार्टन' स्कूल, जहाँ शिशुओं को शिक्षा दी जाती है। सामने बच्चों के खेलने के लिए स्थान बना हुआ है। मज़दूरों के बच्चों के लिए वियना में ऐसे अनेकों स्कूल हैं।



कई मकानों के साथ ऐसा एक पार्क होता है, जहाँ लोग सन्ध्या को विश्राम करते हैं और बच्चे दिन भर खेलते हैं। इस चित्र को देखने से पता चल सकता है कि प्रत्येक कमरे में किस प्रकार स्वच्छ वायु पहुँचती रहती है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

साम्यवादी वीयना (ऑस्ट्रिया)



'अमालियन बाड'; मज़दूरों के लिए संसार में सबसे सुन्दर स्नान-गृह। यहाँ स्वल्प शुल्क में जल-स्नान, वाष्प-स्नान, विद्युत-स्नान आदि हो सकते हैं।

बच्चों के स्नान के लिए पार्क में बना हुआ एक तालाब।





मज़दूरों का पुस्तकालय



मज़दूरों के मनोरञ्जन के लिए सिनेमा



वाष्प-स्नान आदि के लिए छोटे-छोटे स्वच्छ कमरे बने हुए हैं।



केन्द्रीय लौण्डरी (कपड़े धोने का स्थान) यहाँ स्त्रियाँ अल्प शुल्क देकर वैज्ञानिक रीति से अपने-अपने कपड़े धो ले जाती हैं।



एक सार्वजनिक पार्क। खपरैल से छाए हुए स्थान में दो आने सेर के भाव से गाय का शुद्ध दूध बिकता है।



रोरोड (मद्रास) की डॉक्टर राजनायगम, एल० एम० पी०—आप गत वर्ष फ़र्स्ट-क्लास की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं।



बड़ोदा महिला ट्रेनिङ्ग कॉलेज की प्रिंसिपल—श्रीमती स्नेहलता, बी० एस०, ए० एम० (कोलम्बिया) आप बड़ोदा म्यूनिसिपैलिटी की सदस्या भी हैं।



मालाबार के ज़िला शिक्षा-परिषद् की सदस्या—श्रीमती सी० सी० भारतन—आप कालीकट ताल्लुक़ा-बोर्ड की सदस्या भी रह चुकी हैं।



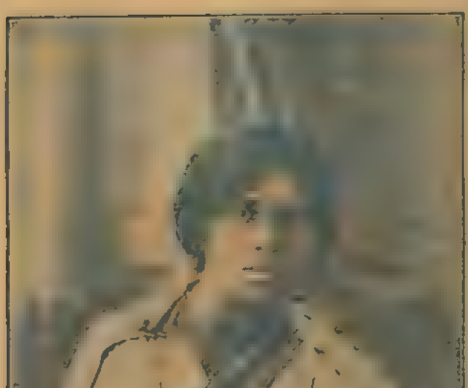
☞

" १२ वर्ष की आयु में संस्कृत की प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली कुमारी पद्मा मिश्र (चतुर्वेदी) आप मैनपुरी के पं० लक्ष्मीपति चतुर्वेदी की कन्या-रत्न हैं।

☜

कलकत्ते की मिस फ़ुल्ट—जिन्होंने उस दिन तालाब में डूबते हुए एक बालक को बचा लिया—यद्यपि आपको स्वयं तैरना नहीं आता।





कोलम्बिया (अमेरिका) विश्वविद्यालय से विज्ञान की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करने वाली—कुमारी (डॉक्टर) थिलायमवलम, डी० एस-सी०। आप मद्रास की रहने वाली हैं। आजकल आप लखनऊ के ईसाबेला कॉलेज में अध्यापिका का कार्य कर रही हैं।



बम्बई की म्यूनिसिपल गाइड की सङ्गठनकर्त्री—सौभाग्यवती मलन्दकर—आप स्त्री-शिक्षा की अनन्य पक्षपातिनी हैं।



बम्बई की शिशु-हितकारिणी समिति (Infant Welfare Society) की प्राण—श्रीमती सरस्वती-बाई दिवे—गत वर्ष आपकी सामाजिक सेवाओं से प्रसन्न होकर बम्बई प्रान्त के गवर्नर की धर्मपत्नी लेडी साइक्स ने आपको एक पदक भी प्रदान किया था।

पञ्जाब गवर्नर पर आक्रमण वाले षडयन्त्र केस के वे अभागे नवयुवक—जिन्हें सेशन्स जज ने फाँसी का हुक्म सुनाया है।

(पाठकों को स्मरण होगा, श्री० हरिकिशन को भी इसी सिलसिले में फाँसी पर लटका दिया गया था)



लाहौर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उर्दू दैनिक 'मिलाप' के अध्यक्ष और सम्पादक श्री० लाला ख़ुशहाल चन्द 'ख़ुरसन्द' के पुत्र—श्री० रणवीरसिंह जी 'वीर' बी० ए०।



लाहौर के सुप्रसिद्ध देश-सेवी लाला जयचन्द्र के पुत्र—श्री० दुर्गादास जी, बी० ए०।



मर्दान (सीमा-प्रान्त) के सुप्रसिद्ध देश-सेवी महाशय चमनलाल जी के पुत्र—श्री० गङ्गाबिशन जी।



फ्रान्स का शासन-विधान

> France is governed, eight months of the year by a parliament, and four months of the year by a ministry.
>
> —EMILE FAGUET.

आधुनिक फ्रान्स का श्रीगणेश सन् १७८६ की क्रान्ति से होता है। इस क्रान्ति के पूर्व फ्रान्स एक निरङ्कुश शासन के चङ्गुल में फँसा था। फ्रान्स का राजा ही देश का सर्वेसर्वा था। उस समय फ्रान्स में न तो कोई विधान था, न कोई पार्लामेण्ट थी और न कोई मन्त्रि-मण्डल ही था। एक समय था, जब फ्रान्स में पार्लामेण्ट से मिलती-जुलती स्टेट-जनरल (Estates General) की एक शासन-संस्था थी। इसमें पादरियों, धनिकों और कुछ जनता के प्रतिनिधि होते थे, परन्तु इसकी बैठकें राजा के इच्छानुसार होती थीं। क्रमशः राजा ने इसका बुलाना बहुत कम कर दिया। यहाँ तक कि सन् १६१४ से लेकर सन् १७८६ तक इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। राजा ही क़ानून बनाता और शासन करता था। चौदहवाँ लुई तो कहा करता था कि मैं ही फ्रान्स हूँ।

सन् १७८६ की क्रान्ति की माँग थी—स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। क्रान्ति का जन्म पहले-पहल पैरिस में हुआ। एक दिन अचानक जनता ने फ्रान्स के बसटाइल (Bastile) नामक कारागार पर आक्रमण कर, तमाम क़ैदियों को छोड़ दिया। कई सप्ताह में ही पुराना शासन निर्मूल कर दिया गया। एक क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की गई और विधान-विधायिनी सभा ने मार्ग साफ़ करना प्रारम्भ किया। राजा और रानी मौत के घाट उतार दिए गए; गिरजाघरों की सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई; और तमाम रियायतों का अन्त कर दिया गया। नगरों को पूरी स्वतन्त्रता दी गई। क्रान्ति के फल-स्वरूप बहुत से विधान देश के सम्मुख आए। सन् १७८६ की एसेम्बली ने नागरिक और मनुष्य के मूल अधिकारों की घोषणा की। सन् १७९१ में एक विधान बनाया गया, जिसमें मन्त्रि-मण्डल तथा एक धारा-सभा का निर्माण किया गया। परन्तु मताधिकार केवल उन्हीं को दिया गया, जो कुछ टैक्स देते थे। पर यह विधान राबसपीयर और डाण्टन ऐसे गरम विचार के लोगों को सन्तुष्ट न कर सका। फलतः सन् १७९३ में एक और नवीन विधान बनाया गया। राबसपीयर फ्रान्स का डिक्टेटर बन बैठा। परन्तु शीघ्र ही उसे नीचा देखना पड़ा और सन् १७९५ में एक और विधान बना, इसी बीच में नेपोलियन के क्षेत्र में आ जाने से सारे विधानों का अन्त हो गया। फ्रान्स का प्रथम साम्राज्य सन् १८०४ से १८१५ तक रहा और नेपोलियन का पतन होते ही इस साम्राज्य का भी अन्त हो गया। सन् १८१५ में पुनः बारबान वंश के हाथों में शासन सौंप दिया गया। इस वंश का शासन सन् १८३० तक रहा और उसी वर्ष आरलीन वंश का लुई फ़िलिप शासनारूढ़ हुआ, परन्तु सन् १८४८ में यह वंश भी शासन-च्युत हो गया। सन् १८४८ से लेकर सन् १८५२ तक द्वितीय प्रजातन्त्र का शासन रहा। सन् १८४८ में लुई नेपोलियन चार वर्ष के लिए, प्रजातन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, परन्तु सन् १८५२ में उसने अपने को फ्रान्स का सम्राट घोषित कर दिया और द्वितीय प्रजातन्त्र, द्वितीय एकतन्त्र में परिवर्तित हो गया, परन्तु फिर सन् १८७० में तीसरे नेपोलियन ने 'प्रशा' से युद्ध छेड़ कर नेपोलियन के साम्राज्य का ही अन्त कर दिया। शत्रुओं ने पहले उसे बन्दी कर लिया था, परन्तु फिर छोड़ दिया और वह इङ्गलैण्ड भाग गया। इस तरह फ्रान्स में तृतीय प्रजातन्त्र की घोषणा की गई और एक शासन-विधान बनाने की आवश्यकता पड़ी, परन्तु जर्मनों के आक्रमण से फ्रान्स को बचाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। परन्तु फिर भी जर्मन पैरिस पर चढ़ ही आए और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद कुछ दिनों के लिए अस्थायी शान्ति की स्थापना हुई, फ्रान्स की जनता ने एक राष्ट्रीय सभा (National Assembly) की स्थापना की। इस सभा ने सब से पहले जर्मनी से सन्धि की, अलसास-लुरेन (फ्रान्स का एक प्रान्त) जर्मनी को दे दिया गया, और एक भारी हर्जाना देने का भी वादा किया गया और जब तक सारा हर्जाना अदा न हो गया, तब तक जर्मनी की सेना फ्रान्स के कई भागों पर अधिकार जमाए रही। अन्त में फ्रान्स ने तीन वर्ष के अन्दर सारा हर्जाना चुका दिया और शत्रु के पञ्जे से निकल कर स्वतन्त्रता की साँस ली,

इसके बाद देश की शान्ति और शृङ्खला की रक्षा के लिए विधान बनाने में राष्ट्रीय सभा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभा में भीषण दल-बन्दियाँ थीं; प्रजातन्त्र के विरोधियों का बहुमत था; ख़ैरियत इतनी थी कि उनमें एका न था, नहीं तो प्रजातन्त्र की स्थापना ही न हो सकती। अस्तु, येन-केन-प्रकारेण उपर्युक्त सभा ने, सन् १८७५ में तीन विधान बनाए। ये विधान या क़ानून ही फ्रान्स के वर्तमान विधान हैं।

फ्रान्स का शासन-विधान अन्य देशों के विधानों से भिन्न है, इस विधान के अनुसार राष्ट्रीय महासभा दो भागों में बँटी है एक को 'चैम्बर' कहते हैं और दूसरे को 'सिनेट' इस विधान में संशोधन बड़ी सरलता से किया जा सकता है। किसी समय भी 'सिनेट' और 'चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़' मिलकर विधान में संशोधन कर सकते हैं। जब कोई संशोधन होने को होता है, तो प्रत्येक विभाग पहिले यह निश्चय करता है कि वह दूसरे विभाग से मिल कर इस संशोधन प्रस्ताव पर विचार करेगा या नहीं। यदि दोनों विभाग प्रस्ताव पर मिल कर विचार करने को सहमत हो जाते हैं, तो वरसाई के राजभवन में इनकी एक संयुक्त सभा होती है। इस सभा को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। प्रत्येक सिनेटर (सिनेट के सदस्य) और प्रत्येक डिपुटी (चैम्बर के सदस्य) का एक-एक वोट होता है। अन्तिम निर्णय बहुमत से ही किया जाता है। परन्तु प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बैठने से इन्कार कर सकता है। फलतः किसी भी संशोधन के लिए, यदि वह स्वीकृत होने को है, यह आवश्यक है कि संशोधन के पक्ष में दोनों विभागों में अलग-अलग बहुमत हो और साथ ही संयुक्त सभा में भी बहुमत हो। सन् १८७५ से अब तक केवल दो बार ही विधान में संशोधन किया गया है। प्रथम संशोधन सन् १८७९ में किया गया था। इस संशोधन द्वारा वरसाई के स्थान पर पैरिस-सरकार की 'सीट' नियुक्त हुई थी। पाँच वर्ष पश्चात् सिनेट के सङ्गठन से सम्बन्ध रखने वाले नियमों में संशोधन किए गए।

राष्ट्रीय सभा यानी दोनों विभागों की संयुक्त सभा ही फ्रान्स की सर्वोच्चतम क़ानूनी संस्था है। इस सभा के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। सिनेट संयुक्त सभा के लिए उस समय तक सहमत नहीं होती, जब तक कि उसे आश्वासन न मिल जावे कि संयुक्त सभा में क्या होगा? इस सभा के निर्णयों को प्रेज़ीडेण्ट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और न इस सभा के निर्णय स्वीकृति के लिए जनता के सम्मुख रक्खे जाते हैं। फिर भी फ्रान्स में जनता का ही बोलबाला है। क्योंकि यद्यपि सिनेट और चैम्बर के मेम्बर ही सब करते-धरते हैं, तथापि इन मेम्बरों को जनता ही चुनती है। सर हेनरी मेन नाम के एक अङ्गरेज़ विद्वान ने कटाक्ष करते हुए फ्रान्स के प्रेज़ीडेण्ट के बारे में लिखा है कि फ्रान्स के पुराने राजे राज्य भी करते थे और हुकूमत भी। वैधानिक राजे' (Constitutional kings) राज्य करते हैं, पर हुकूमत नहीं कर सकते। अमेरिका में राष्ट्रपति हुकूमत करता है, पर राज्य नहीं करता और फ्रान्स की प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति न राज्य करता है, न हुकूमत करता है।

समय-समय पर फ्रान्स के प्रेज़ीडेण्ट पर भाँति-भाँति के कटाक्ष किए गए हैं। फिर भी यह प्रत्यक्ष है कि प्रेज़ीडेण्ट देश का सब से बड़ा शासक है। वह बोरबोन और बोनापार्ट के सिंहासन पर बैठता है। फ्रान्स की तमाम सेना का वह प्रधान सेनापति माना जाता है। प्रजातन्त्र का वह प्रथम नागरिक है। इसके अधिकार भले ही लम्बे-चौड़े न हों, पर फ्रान्स के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर इस पद को पाने की चेष्टा की है।

प्रेज़ीडेण्ट को दोनों चैम्बरों की संयुक्त सभा या राष्ट्रीय सभा चुनती हैं। वह विशेष बहुमत से चुना जाता है। अमेरिका की भाँति फ्रान्स में प्रेज़ीडेण्ट के चुनाव में तमाम जनता वोट नहीं देती। प्रेज़ीडेण्ट का समय सात वर्ष का होता है। और वह दुबारा भी चुना जा सकता है। पर फ्रान्स के तृतीय प्रजातन्त्र के इतिहास में अभी तक केवल एक ही प्रेज़ीडेण्ट दुबारा चुना गया है। जर्मनी, ज़ेकोस्लोवेकिया और पोलैण्ड के प्रेज़ीडेण्ट भी सात वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

जब किसी प्रेज़ीडेण्ट का कार्य-काल समाप्त होने में कम से कम एक माह रह जाता है, तो वह दोनों चैम्बरों की संयुक्त सभा बुलाता है। यदि किसी कारण से प्रेज़ीडेण्ट ऐसा नहीं करता, तो जब कार्य-काल समाप्त होने में पन्द्रह दिन रह जाते हैं, तो दोनों चैम्बरें स्वयं ही अपनी एक संयुक्त बैठक करके राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेती हैं यह संयुक्त सभा वरसाई में होती है।

चुनाव में कोई व्याख्यान या बहस आदि नहीं होती। पर राजनैतिक चालों की धूम मची रहती है। सभा में कई दल हैं। पर ऐसी एक भी पार्टी नहीं है, जिसका सभा में बहुमत हो। अतः एक दल दूसरे दल से मिलने का प्रयत्न करता है और कई दलों का मिल कर एक संयुक्त दल बन जाता है। वह दल अपना उम्मेदवार चुन लेता है। अन्त में, संयुक्त सभा में ऐसे दो दल रह जाते हैं। दोनों के अपने-अपने उम्मेदवार होते हैं। यह पहिले ही से मालूम हो जाता है कि किस दल की

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

कितनी शक्ति है और कौन उम्मेदवार सफल होगा। बहुधा दलबन्दी के परिणाम-स्वरूप जो उम्मेदवार सामने आता है, वह वही होता है, जिसे लोग पहिले से ही समझे रहते हैं। दोनों चैम्बरों के सभापति ऐसे उम्मेदवार माने जाते हैं। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उम्मेदवार बिल्कुल नया आदमी होता है, जिसकी किसी को आशा भी नहीं होती। इन दलबन्दियों के कारण बहुधा उम्मेदवार लचर होते हैं।

सिनेट का प्रेज़ीडेण्ट चुनाव आरम्भ करता है। बहुधा वह स्वयं ही उम्मेदवार होता है। उम्मेदवार ही का संयुक्त सभा का प्रेज़ीडेण्ट होना, और उसी की देख-रेख में चुनाव का होना फ़्रान्स के लोगों को बिल्कुल नहीं खटकता। सभा के मध्य ऊँचे स्थान पर एक बड़ा सा सन्दूक़ रख दिया जाता है और एक आदमी 'सिनेटर' और 'डिपुटी' का नाम एक-एक करके बुलाता है। कुल मिला कर नौ सौ के लगभग 'सिनेटर' तथा 'डिपुटी' होते हैं। अतः इसमें बहुत समय लग जाता है। जैसे ही एक मेम्बर का नाम पुकारा जाता है, वह एक काग़ज़ को, जिसमें जिसे वह प्रेज़ीडेण्ट चुनना चाहता है, उसका नाम लिखा रहता है, जाकर उस सन्दूक़ में डाल आता है। फ़्रान्स का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति चुना जा सकता है, अगर उसके राजनैतिक अधिकार किसी अदालत ने न छीन लिए हों और अगर वह किसी भूतपूर्व राजघराने का न हो।

वोट गिनने वाले, संयुक्त सभा के तमाम मेम्बरों में से चिट्ठी डाल कर चुने जाते हैं। अगर वोट गिनने के पश्चात् मालूम होता है कि एक उम्मेदवार के पक्ष में विशेष बहुमत (Absolute Majority) है, तो वह प्रेज़ीडेण्ट चुन लिया जाता है। पर अगर किसी की भी तरफ़ विशेष बहुमत नहीं मालूम होता, तो दुबारा वोट लिए जाते हैं और जब तक किसी एक के पक्ष में विशेष बहुमत न हो जावे, तब तक पुनः-पुनः वोट पड़ते रहते हैं। अधिकतर एक ही चुनाव से काम निकल आता है। अब तक केवल तीन अवसरों पर दोबारा वोट पड़े हैं। तिबारा वोट पड़ने की नौबत अभी तक कभी नहीं आई है। नवीन प्रेज़ीडेण्ट पुराने प्रेज़ीडेण्ट का कार्य-काल समाप्त होने पर चुना जाता है। पर यदि एकाएक प्रेज़ीडेण्ट की जगह ख़ाली हो जाती है, तो तुरन्त नवीन निर्वाचन होता है, क्योंकि फ़्रान्स में वाइस (नायब) प्रेज़ीडेण्ट नहीं होता। एक प्रेज़ीडेण्ट के अलग होने पर उसके उत्तराधिकारी के आने तक मन्त्रियों की कौन्सिल ही प्रेज़ीडेण्ट का काम करती है।

फ़्रान्स के प्रेज़ीडेण्ट को सौ तोपों की सलामी दी जाती है। परन्तु अमेरिका के प्रेज़ीडेण्ट को केवल २१ तोपों की। फ़्रान्स का प्रेज़ीडेण्ट जहाँ जाता है, वहाँ राजा की भाँति उसका स्वागत होता है, सुविशाल एलिसी भवन (Elysee Palace) उसको शासन-कार्य के लिए मिलता है। इसके सिवा और भी अनेक सुविधाएँ मिलती हैं। उसका वार्षिक वेतन १२,००,००० फ़्राङ्क है। इसके अतिरिक्त १०,००,००० फ़्राङ्क घर और सफ़र-ख़र्च के लिए मिलते हैं।

फ़्रान्स के प्रेज़ीडेण्ट के अधिकार आमतौर से वही हैं, जो इङ्गलैण्ड के राजा के हैं। वह दोनों चैम्बरों को बुलाता है, नए क़ानून पेश कर सकता है। वह किसी भी बने हुए क़ानून को कुछ समय के लिए रोक सकता है (पर वह कभी इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता)। ऊँचे अफ़सरों को वही नियुक्त करता है। दूसरे देशों से सन्धि की बातचीत भी वही करता है। जल और थल-सेनाओं का वह प्रधान सेनापति है। अगर सिनेट सहमत हो जावे, तो वह चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को भी भङ्ग कर सकता है। पर पिछले ४० वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। फ़्रान्स के विधान ने उपर्युक्त सारे अधिकार उसे दिए हैं, उसमें एक शर्त लगा दी है, पर वह शर्त यह है कि किसी भी अधिकार का प्रयोग वह केवल ज़िम्मेदार मन्त्रियों की सलाह से ही कर सकता है। बस, इसी एक शर्त ने प्रेज़ीडेण्ट के सारे अधिकारों पर पानी फेर दिया है। प्रेज़ीडेण्ट जो कुछ भी करे, उस पर मन्त्री की सही होनी चाहिए। केवल एक ही समय उसे मन्त्री के सही की आवश्यकता नहीं रहती और वह उस समय, जब वह अपना इस्तीफ़ा देता है।

फ़्रान्स के प्रजातन्त्र का प्रेज़ीडेण्ट सिनेट और चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को वार्षिक अधिवेशन के लिए बुलाता है और अधिवेशन समाप्त होने पर उन्हें तोड़ देता है। ये दोनों बातें वह मन्त्री की सलाह पर ही करता है। पर यदि वह जनवरी के द्वितीय मङ्गलवार के पूर्व उन्हें नहीं बुलाता तो दोनों चैम्बरें अपना-अपना अधिवेशन स्वयं करती हैं। कम से कम पाँच महीने के पहले वह उनके अधिवेशन का अन्त भी नहीं कर सकता। अधिवेशन के मध्य में केवल एक माह के लिए वह अधिवेशन मुल्तवी कर सकता है और अधिक से अधिक वह ऐसा एक वर्ष में दो मरतबा कर सकता है।

प्रेज़ीडेण्ट के क़ानून बनाने वाले अधिकार का अधिक मूल्य नहीं है, क्योंकि वह अपने इस अधिकार का प्रयोग मन्त्री द्वारा ही कर सकता है। अतः यह कार्य मन्त्री ही अधिकतर करता है।

कोई भी क़ानून दोनों चैम्बरों द्वारा पास होते ही क़ानून नहीं बन जाता। प्रेज़ीडेण्ट उसे प्रकाशित करता है और उसे क़ानून घोषित करता है। वह एक महीने के अन्दर ही ऐसा करता है। पर यदि कोई क़ानून अत्यावश्यक है तो तीन दिन के अन्दर ही ऐसा किया जा सकता है। पर यदि किसी क़ानून को प्रेज़ीडेण्ट पसन्द नहीं करता, तो पुनः विचार करने के लिए चेम्बर के पास उसे वापिस भेज देता है। पर यदि चैम्बर पुनः उसी क़ानून को पास कर देती है, तो प्रेज़ीडेण्ट उसे फ़ौरन क़ानून घोषित कर देता है। उसके लिए और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। पर आज तक किसी भी प्रेज़ीडेण्ट ने किसी क़ानून को पुनः विचार करने के लिए चैम्बर के पास नहीं भेजा और न कभी ऐसा करने की सम्भावना ही है। क्योंकि यह किसी क़ानून को मन्त्री की सलाह पर ही लौटा सकता है और यदि मन्त्री किसी क़ानून को पसन्द नहीं करते तो वह उससे चैम्बर में ही निबट लेते हैं। ज़िम्मेदार मन्त्री कभी भी प्रज़ीडेण्ट को चैम्बर के विरुद्ध चलने की सलाह नहीं दे सकता।

सिनेट के सहमत होने पर प्रेज़ीडेण्ट चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को तोड़ सकता है। पर अभी तक ऐसा केवल एक ही बार, सन् १८७७ में हुआ था, जबकि प्रेज़ीडेण्ट को परिणाम-स्वरूप इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। प्रेज़ीडेण्ट के नाम पर ऊँचे अफ़सर नियुक्त किए जाते हैं। पर उन्हें वास्तव में मन्त्री नियुक्त करता है। प्रेज़ीडेण्ट सिफ़ारिश कर सकता है, पर मन्त्री उसकी सिफ़ारिश मानने को बाध्य नहीं है। बहुधा पहिले मन्त्री ही अफ़सरों को नियुक्त कर देता है और पीछे प्रेज़ीडेण्ट को सूचित करता है। प्रेज़ीडेण्ट कासीमिर पेरियर कहा करता था कि नियुक्ति के बारे में पहिले वह पत्रों में पढ़ लिया करता था। पीछे से मन्त्री के यहाँ से उसके पास सूचना आती थी।

प्रेज़ीडेण्ट के शेष अधिकार भी वास्तव में मन्त्रियों के अधिकार हैं और मन्त्री ही उनका उपयोग करते हैं। नाम प्रेज़ीडेण्ट का होता है, पर काम मन्त्री करते हैं।

आम अदालतों का प्रेज़ीडेण्ट पर कोई अधिकार नहीं है। वे अदालतें उसे सज़ा नहीं दे सकतीं, न उसे गिरफ़्तार कर सकती हैं। पर इसके यह मानी नहीं हैं कि उस पर कोई अभियोग चल ही नहीं सकता। किसी बड़े अपराध पर उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। पर यह अभियोग केवल चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ ही चला सकती है और केवल सिनेट उस अभियोग को सुन सकती है। सिनेट के बहुमत से ही उसे सज़ा दी जा सकती है और भारी से भारी सज़ा दी जा सकती है। पर किसी भी प्रेज़ीडेण्ट को अभी तक सज़ा नहीं दी गई है।

"नाम बड़े और दर्शन थोड़े" की कहावत फ़्रान्स के प्रेज़ीडेण्ट पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। फ़्रान्स में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं। फ़्रान्स का एक दल चाहता है कि प्रेज़ीडेण्ट का पद एकदम उठा दिया जावे; क्योंकि व्यर्थ इतने रुपयों का व्यय होता है। केवल प्रेज़ीडेण्ट के नाम के लिए इतना व्यय करना वे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकर समझते हैं। दूसरा दल चाहता है कि प्रेज़ीडेण्ट के अधिकार बढ़ा दिए जायँ। पर ऐसा करना सरल काम नहीं है। प्रेज़ीडेण्ट के अधिकार बढ़ाने के मानी होते हैं फ़्रान्स की पार्लामेण्ट के अधिकारों को कम करना। भला पार्लामेण्ट यह कब गवारा कर सकती है कि उससे अधिकार छीन कर प्रेज़ीडेण्ट को दे दिए जावें?

प्रजातन्त्र के मन्त्री जनता के नौकर और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई हैं। प्रेज़ीडेण्ट के प्रत्येक काम पर मन्त्री के हस्ताक्षर होते हैं। सरकार की नीति के लिए सब मन्त्री एक साथ उत्तरदाई हैं तथा प्रत्येक मन्त्री अपने निजी काम के लिए स्वयं उत्तरदाई है।

प्रेज़ीडेण्ट प्रधान मन्त्री को चुनता है और प्रधान-मन्त्री अन्य मन्त्रियों को। प्रेज़ीडेण्ट प्रधान मन्त्री के लिए किसी ऐसे पुरुष को बुलाता है, जिसके अधिकार में पार्लामेण्ट का बहुमत हो। उससे वह मन्त्रि-मण्डल बनाने को कहता है। अगर वह सहमत हो जाता है तो वह मन्त्रियों का चुनना प्रारम्भ कर देता है और अगर सहमत नहीं होता, तो प्रेज़ीडेण्ट दूसरे नेता को बुलाता है। एक समय लगातार तीन नेताओं ने मन्त्रि-मण्डल निर्माण करने से इन्कार कर दिया था। मन्त्रि-मण्डल निर्माण करने के लिए भावी प्रधान मन्त्री तमाम पार्टी-नेताओं से परामर्श करता तथा सौदा पटाता है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। बहुधा मार्ग में इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि वह मन्त्रि-मण्डल निर्माण करने में सफल नहीं होता। सन् १९१४ के जून में जब पोआँकारे प्रेज़ीडेण्ट था, लगातार पाँच नेता मन्त्रि-मण्डल बनाने में असफल रहे। जब भावी प्रधान-मन्त्री मन्त्रियों को चुनने में सफल हो जाता है, तब वह मन्त्रियों के नाम प्रेज़ीडेण्ट के पास लिख भेजता है। प्रेज़ीडेण्ट उन नामों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है और उन्हें बुला कर मन्त्रि-मण्डल का कार्य सौंप देता है। तत्पश्चात् प्रधान मन्त्री चैम्बर की सहायता माँगता है और उससे मन्त्रि-मण्डल पर विश्वास का प्रस्ताव पास करने की प्रार्थना करता है।

यह आवश्यक नहीं, कि मन्त्रि-मण्डल का सदस्य पार्लामेण्ट का मेम्बर ही हो, पर अब अधिकतर मन्त्री पार्लामेण्ट के मेम्बर ही होते हैं। मन्त्रि-मण्डल में कितने मन्त्री हों, इसके बारे में विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रधान मन्त्री की सलाह पर प्रेज़ीडेण्ट निश्चित करता है कि नवीन मन्त्रि-मण्डल में कितने मन्त्री होंगे। चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ जब चाहे मन्त्रियों को घटा-बढ़ा सकता है। प्रत्येक मन्त्री को साठ हज़ार फ़्राङ्क वार्षिक वेतन मिलता है। सब का वेतन (प्रधान मन्त्री का भी) एक ही होता है; इङ्गलैण्ड की भाँति कम और अधिक नहीं होता। प्रत्येक मन्त्री को रहने के लिए सरकारी स्थान मिलता है। प्रधान मन्त्री अपने लिए एक विभाग लेता है। यदि वह न्याय-विभाग नहीं लेता तो न्याय-मन्त्री का दर्जा दूसरा होता है। न्याय-मन्त्री, मन्त्रियों की कौन्सिल का वाइस-प्रेज़ीडेण्ट होता है और कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का प्रेज़ीडेण्ट।

प्रत्येक मन्त्री के अधीन कई सहकारी होते हैं, जो अपने विभाग की सारी देख-रेख करते हैं। यद्यपि ये सहकारी मन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं होते, पर वे मन्त्रि-मण्डल की बैठकों में सर्वदा उपस्थित रहते हैं; क्योंकि अपने विभाग का उन्हें पूरा ज्ञान रहता है और उनकी सलाह आवश्यक होती है। आमतौर से वे पार्लामेण्ट के मेम्बर होते हैं। कम से कम दोनों चैम्बरों में बोल सकते हैं। विभाग से सम्बन्ध रखने वाले सारे प्रश्नों का वे उत्तर देते हैं। परन्तु यदि उनका उत्तर असन्तोष-जनक हो तो चैम्बर द्वारा वे अपने पदों से हटा दिए जाते हैं। जब मन्त्री अलग होता है तो सहकारी भी अलग हो जाते हैं।

मन्त्रियों के कौंसिल्ल की सप्ताह में दो बैठकें होती हैं। इन बैठकों का सभापति स्वयं प्रेज़ीडेण्ट होता है। परन्तु 'कैबिनेट कौन्सिल' की बैठकों में प्रेज़ीडेण्ट की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। प्रधान-मन्त्री या उसकी अनुपस्थिति में न्याय-मन्त्री सभापति होता है। शासन-व्यवस्था सम्बन्धी असली बातें यहीं होती हैं। इन बातों का बाहर वालों को कुछ पता नहीं रहता।

फ्रान्स में मन्त्रि-मण्डल बहुत शीघ्र बदलता है। गत ४० वर्षों में, ४० मन्त्रि-मण्डल बने और बिगड़े होंगे। परन्तु प्रत्येक मन्त्रि-मण्डल में दो-चार पुराने मन्त्री रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मन्त्रि-मण्डल नाम ही को नया होता है, सभी मन्त्री पुराने ही होते हैं।

कौन्सिल ऑफ़ स्टेट वहाँ की एक उच्चतम शासन-संस्था है। शासन-विभाग के तमाम ऑर्डीनेन्स लागू होने से पहिले कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के सामने आते हैं और कौन्सिल ऑफ़ स्टेट ही निर्णय करती है कि ऑर्डीनेन्स क़ानून की सीमा के बाहर तो नहीं जाता। कभी-कभी तो कौन्सिल ऑफ़ स्टेट ऑर्डीनेन्स का रूप ही बदल देती है। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का सब से उपयोगी कार्य होता है, शासकों के निरङ्कुश कार्यों से नागरिकों की रक्षा करना। कौन्सिल में ३२ सदस्य होते हैं। बहुमत से ही कौन्सिल निर्णय करती है। २१ और सदस्य होते हैं जो तमाम शासकीय विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और जिनका कार्य सलाह देना होता है। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी शासक-संस्था है। बारथेलेमी का कहना है, कि शासन-विज्ञान में यह ज्ञान और अनुभव की खान है। फ्रान्स की जनता की दृष्टि में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का बड़ा आदर है।

सिनेट में ३१४ निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये 'सिनेटर' कहलाते हैं। प्रत्येक सिनेटर का कार्य-काल ६ वर्ष का होता है। फ्रान्स के ८६ विभागों के, अलजेरिया के तीन विभागों के तथा फ्रान्स के भिन्न-भिन्न उपनिवेशों के ये प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक प्रान्त के एक से लेकर दस तक प्रतिनिधि होते हैं। तिहाई सिनेटर प्रत्येक तृतीय वर्ष अलग हो जाते हैं। एक निर्वाचन करने वाली संस्था (Electoral College) इन सिनेटरों को चुनती है, जिसकी बैठक हर तीसरे वर्ष हर प्रान्त में होती है। इस संस्था में निम्न-लिखित चार प्रकार के सदस्य होते हैं:—(१) चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के सदस्य, जो उस प्रान्त के प्रतिनिधि होते हैं; (२) प्रान्तीय साधारण सभा (कौन्सिल) के मेम्बर; (३) प्रान्तीय अन्य कौन्सिलों के मेम्बर; (४) प्रान्त के अन्तर्गत तमाम कम्यूनों (नगर, क़स्बा और गाँव का एक हल्क़ा) की म्युनिसिपल कौन्सिलों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। चूँकि फ्रान्स में ३६,००० से भी अधिक 'कम्यून' हैं, अतएव उनके प्रतिनिधियों की संख्या 'कॉलेज' में अत्यन्त अधिक होती है, और वे चुनाव को सर्वदा अपने अधिकार में रख सकते हैं। इसीसे कभी-कभी सिनेट को "कम्यून की बड़ी कौन्सिल" भी कहते हैं। पुराना नियम तो यह था कि हर कम्यून का, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, एक डेलीगेट होता था, पर सन् १८८४ में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक कम्यून म्युनिसिपल कौन्सिल की साइज़ के अनुसार एक से लेकर दस प्रतिनिधि तक चुन सकता है। जब एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है तो कम्यून का मेयर ही सर्वदा चुना जाता है। जब सिनेटर का चुनाव होने को होता है तो प्रत्येक प्रान्त के प्रधान नगर में कॉलेज की बैठक होती है। फ्रान्स का प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र चालीस वर्ष से कम न हो, सिनेटर चुना जा सकता है, बशर्ते कि वह किसी प्राचीन राजघराने का न हो।

सिनेट उतनी दक़ियानूसी संस्था नहीं है, जितनी इसके निर्माणकर्ता इसे बनाना चाहते थे। पर इसके सदस्य चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी होते हैं। साठ वर्ष से कम उम्र के सिनेटर बहुत ही कम होते हैं। सिनेटरों की योग्यता के बारे में लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने सन् १९२१ में लिखा था कि वर्तमान काल की संसार की अन्य किसी भी धारा-सभा में इससे अधिक योग्य और अनुभवी सदस्य नहीं पाए जाते। पिछले चालीस वर्षों में सिनेट के सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला। सिनेट और चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ की बैठकें साथ ही प्रारम्भ होती हैं और साथ ही समाप्त भी होती हैं। पर सिनेट की विशेष बैठक भी हो सकती है। सिनेट स्वयं अपना सभापति चुनती है। इसके सभापति का दर्जा प्रजातन्त्र के प्रेज़ीडेण्ट के बाद ही होता है। सिनेट अपने लिए एक उप-सभापति तथा प्रबन्धकारिणी कमिटी भी चुनती है।

जहाँ तक विधान का सम्बन्ध है, सिनेट और चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के अधिकार प्रायः समान हैं। अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले बिलों का श्रीगणेश चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ से ही होता है। सिनेट के दो विशेष अधिकार भी हैं। सिनेट ही, आवश्यक होने पर प्रेज़ीडेण्ट आदि पर लगाए गए भीषण दोषारोपणों को सुनती है और वही आवश्यकता पड़ने पर प्रेज़ीडेण्ट के साथ मिल कर चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को तोड़ भी सकती है। पर वास्तव में सिनेट के इन विशेष अधिकारों का कुछ अधिक महत्व नहीं है। क्योंकि प्रेज़ीडेण्ट मन्त्री की सलाह ही से सब करता है और मन्त्री चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को नाराज़ नहीं कर सकता। अतएव मन्त्री कभी चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को तोड़ने की सलाह भी नहीं दे सकता। भीषण दोषारोपणों के मुक़द्दमे चैम्बर या मन्त्रि-मण्डल चलाते हैं। सिनेट तो केवल उन मुक़द्दमों के लिए अदालत का काम करती है।

अर्थ-सम्बन्धी बिलों में प्रस्तावित ख़र्चों को सिनेट बढ़ा तो नहीं सकती, परन्तु घटा सकती है। नए टैक्सों को सिनेट पसन्द नहीं करती। वह सर्वदा इसका विरोध करती है। 'स्टेट सोशलिज़्म' को भी सिनेट पसन्द नहीं करती।

चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में ५८४ सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की अवधि चार वर्ष की होती है। फ्रान्स का प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम न हो, मत दे सकता है। सैनिक या नाविक-विभाग के कर्मचारी या वे, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, मत नहीं दे सकते। स्त्रियों को मताधिकार अभी तक नहीं मिला है। सन् १९१९ में उन्हें मताधिकार देने का प्रयत्न किया गया था। चैम्बर ने बहुमत से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास कर दिया था, पर सिनेट ने उसे रद्द कर दिया।

फ्रान्स का प्रत्येक प्रान्त, ७५,००० मनुष्यों के पीछे एक डिपुटी चुन सकता है। परन्तु कोई भी प्रान्त तीन डिपुटी से कम नहीं चुनता, उसकी आबादी चाहे जितनी कम हो। २५ वर्ष की उम्र का हर एक पुरुष, जिसे मत देने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हो सकता है। सरकारी अफ़सर भी उम्मेदवार हो सकते हैं, पर चुने जाने पर आठ दिन के अन्दर उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। परन्तु कुछ सरकारी अफ़सर ऐसे भी हैं जो खड़े नहीं हो सकते। फ्रान्स में अधिकतर चुनाव, दलों के अनुसार होता है। जिस प्रान्त से जितने प्रतिनिधि चुने जाने को होते हैं, उस प्रान्त की तमाम पार्टियाँ उतने उम्मेदवारों की अपनी-अपनी तालिकाएँ निकालती हैं। एक प्रान्त में कई 'पार्टी-लिस्टें' रहती हैं। जिसे अपना वोट देना होता है, वह उन लिस्टों में से किसी एक को अपना वोट दे देता है। यानी वह उस लिस्ट के तमाम उम्मेदवारों को अपना वोट देता है। इस तरह कभी-कभी सभी उम्मेदवार किसी पार्टी के ही हो जाते हैं। पर इसके मानी यह नहीं हैं कि स्वतन्त्र उम्मेदवार हो ही नहीं सकते।

निर्वाचन-कार्य सर्वदा रविवार को होता है। सरकार, पार्टियों के उम्मेदवारों की लिस्ट छाप कर 'गोलक' (Ballott) तैयार करती है। तमाम पार्टियाँ अपने-अपने गोलक, मतदाताओं के पास भेज देती हैं। उन्हें उन पर टिकट नहीं लगाना पड़ता। डाक-विभाग यह कार्य मुफ़्त कर देता है। चुनाव से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पर्चे और इश्तिहार भी मुफ़्त भेजे जा सकते हैं। चुनाव के दिन प्रत्येक मतदाता को सरकारी गोलक भी मिलते हैं। वह बैलट को लिफ़ाफ़े में बन्द करके तथा मोहर लगा कर बैलट-बॉक्स में डाल देता है। अधिकतर चुनाव सुबह आठ बजे से प्रारम्भ होता है और शाम के ६ बजे समाप्त होता है। जिस उम्मेदवार को या उम्मेदवारों की जिस तालिका को विशेष बहुमत मिल जाता है, वह चुन लिया जाता है।

चैम्बर की साल में दो बैठकें होती हैं। पहली बैठक जनवरी से प्रारम्भ होती है और जुलाई तक रहती है और दूसरी बैठक नवम्बर से प्रारम्भ होती है और जनवरी तक रहती है। फलतः तीन महीनों को छोड़ कर साल भर बैठकें हुआ करती हैं। चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के मेम्बरों को वार्षिक २१,००० फ्राङ्क मिलते हैं। चैम्बर के अधिकार प्रत्यक्ष हैं। तमाम क़ानूनों में इसकी सम्मति की आवश्यकता होती है। अर्थ-बिल यहीं पैदा होते हैं। प्रत्येक वर्ष यह बजट पास करती है। अस्तु।

युवकों की उच्छृङ्खलता

[श्री० राजकवि "अम्बिकेश"]

सभ्यता पुरानी छोड़, आर्य हो अनार्य बने,
चोटी को न लेश, बाल मानो मखतूल है!
धोती चुनीदार, एड़ियों से लहराती जाके,
दाढ़ी-मूंछ हीन, मुख सुखमा अतूल है!!
नाज़ुक कलाइयों में, रिस्टवाच सोहती है,
मोहतो बग़ल क्या ही लेडी सुखमूल है!
बीफ़, बिसकुट, केक होटलों में खाते फिरें,
मादर को बैड कहैं, फ़ादर को फूल है!!
पश्चिमीय सभ्यता के पावन पुजारी बने,
वायस समान सभी भक्ष्याभक्ष्य खाते हैं!
भूले राम, कृष्ण, द्रोण, पारथ के पौरुष को,
ईसा, सुक़रात की दुहाई नित्य गाते हैं!!
अपने समान योग्य दूसरों को मानते न,
वृद्ध-स्वजनों की सदा खिल्लियाँ उड़ाते हैं!
यूरोपीय चाल-ढाल इनको पसन्द है तो,
कैसे फिर भारतीय युवक कहाते हैं!!

फ़्रान्स के दोनों चैम्बरों के प्रेज़िडेण्ट दलविशेष के आदमी होते हैं। दोनों चैम्बरों में अनेक कमिटियाँ या कमीशन होते हैं। चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में २० कमीशन होते हैं। प्रत्येक कमीशन में ४४ मेम्बर होते हैं। ये कमीशन प्रत्येक वर्ष बनाए जाते हैं। प्रत्येक चैम्बर की प्रत्येक पार्टी को, उसकी शक्ति के अनुसार इन कमीशनों में जगहें मिलती हैं। सिनेट में केवल १२ कमीशन होते हैं। प्रत्येक कमीशन का भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र होता है। जब किसी विषय पर कोई क़ानून बनने को होता है, उस विषय से सम्बन्ध रखने वाला कमीशन उस क़ानून पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को कमीशन की बैठकें होती हैं। कार्य अधिक होने पर बैठकें और दिन भी हो सकती हैं। ये बैठकें सदा गुप्त होती हैं।

जो सरकारी बिल होते हैं, उन्हें प्रेज़िडेण्ट के नाम पर मन्त्री पार्लामेण्ट के सामने रखता है। वह बिल फ़ौरन ज्यों का त्यों, बिना पढ़े ही, कमीशन के पास भेज दिया जाता है। सिनेटर और डिपुटी भी बिल पेश करते हैं। वह भी उसी भाँति कमीशन के पास भेज दिया जाता है। जब कमीशन किसी क़ानून या बिल को पसन्द कर लेता है, तो वह अपने मेम्बरों में से एक को रिपोर्टर नियुक्त करता है। रिपोर्टर का काम होता है, चैम्बर के सामने बिल को रखना और उसका समर्थन करना। जब वह बिल चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में पास हो जाता है तो सिनेट के सामने आता है। सिनेट से पास होने पर प्रेज़िडेण्ट के पास जाता है। कोई बिल क़ानून नहीं बन सकता, जब तक कि दोनों चैम्बर उसे पास न कर दें।

आर्थिक प्रश्नों पर चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ का पूरा अधिकार रहता है। आर्थिक मामले मन्त्री ही प्रारम्भ करते हैं और मन्त्री चैम्बर के अधीन रहते हैं। प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष का तमाम आय-व्यय का पूरा ब्यौरा चैम्बर के सामने रक्खा जाता है। सिनेट 'बजट' में संशोधन कर सकती है, पर चैम्बर के सामने उसे सर्वदा झुकना पड़ता है। मन्त्रियों को अपने अधिकार में रखने के लिए चैम्बर के पास अनेक साधन हैं। मन्त्रियों से चैम्बर में प्रश्न किए जा सकते हैं। कोई भी डिपुटी लिख कर या ज़बानी मन्त्रियों से प्रश्न कर सकता है। जिस मन्त्री से प्रश्न किए जाते हैं, उसे उत्तर देना पड़ता है या उत्तर न देने का कारण बतलाना पड़ता है। मन्त्री के उत्तर दे देने के पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न करने वाला डिपुटी प्रत्युत्तर भी दे सकता है। प्रत्येक बैठक में सैकड़ों प्रश्न किए जाते हैं। बहुधा कुछ मेम्बर मिल कर मन्त्री से प्रश्न करते हैं। परन्तु ऐसा सर्वदा लिख कर किया जाता है। इन प्रश्नों के ऊपर बहसें भी होती हैं, जिसमें प्रत्येक डिपुटी भाग ले सकता है। इन प्रश्नों के अन्त में, जिन्हें अङ्गरेज़ी में 'Interpellations' कहते हैं, सदा वोट लिए जाते हैं और तत्पश्चात् मामूली काम प्रारम्भ होता है। यदि प्रश्नों के अन्त में साधारण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पास न हो जाय, तो तो मन्त्रिमण्डल को इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है। जिसके मानी यह होते हैं कि चैम्बर, मन्त्री के उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं है। अब तक फ़्रान्स में जितने मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से अधिकतर को इन प्रश्नों के फलस्वरूप ही इस्तीफ़े देने पड़े हैं।

फ़्रान्स में ८६ प्रान्त हैं, जिन्हें 'डिपार्टमेन्ट' कहते हैं, अलजेरिया के तीन प्रान्त अलग होते हैं। प्रान्त के शासक को प्रीफ़ेक्ट (Prefect) कहते हैं। मन्त्री की सिफ़ारिश पर प्रेज़िडेण्ट उन्हें नियुक्त करता है। प्रान्तीय सरकारी कामों का वही निरीक्षण करता है। म्यूनिसिपैलिटियों के शासन की वही निगरानी करता है। म्यूनिसिपैलिटी के वार्षिक बजट मन्ज़ूरी के लिए उसके सामने रक्खे जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के अनेक अफ़सरों को वही नियुक्त करता है। मेयर या म्यूनिसिपल कौन्सिल को वह तोड़ सकता है। प्रीफ़ेक्ट के भी मन्त्री होते हैं, जिनकी सलाह पर वह सब काम करता है। अपनी पार्टी तथा अपने राजनीतिक मित्रों की सफलता के लिए वह चुनाव में ज़ोरों से भाग लेता है और येन-केन-प्रकारेण वोट इकट्ठा करता है। सफलता पाने पर उसकी तरक़्क़ी भी होती है! प्रत्येक प्रान्त में एक आम कौन्सिल होती है। इस कौन्सिल का एजण्डा प्रीफ़ेक्ट ही तैयार करता है। प्रान्तीय बजट वह उपरोक्त कौन्सिल के सम्मुख रखता है। कौन्सिल उचित परिवर्तन के पश्चात् बजट पास करती है। उपरोक्त कौन्सिल के मेम्बर ६ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष आधे मेम्बर अलग हो जाते हैं। इस कौन्सिल की बैठक वर्ष में दो बार होती है। पर आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी हो सकती है। इस कौन्सिल को प्रान्त की धारा-सभा समझनी चाहिए।

प्रान्त के हिस्सों को Arrondissement कहते हैं। इसके शासन को सब-प्रीफ़ेक्ट (Sub-Prefect) कहते हैं। यहाँ भी एक कौन्सिल होती है जिसमें प्रत्येक कैण्टन (Canton) से एक मेम्बर चुना जाता है। इस कौन्सिल के मेम्बर कॉलेज (Electoral College) में बैठ सकते हैं।

अन्त में, कम्यून या म्यूनिसिपैलिटी होती है। फ़्रान्स में कुल ३७,००० के लगभग कम्यून हैं। प्रत्येक कम्यून में एक म्यूनिसिपल कौन्सिल होती है, जिसमें आबादी के अनुसार १० से लेकर ३६ मेम्बर तक होते हैं। मेम्बरों की अवधि चार वर्ष की होती है। उन्हें कुछ मिलता नहीं। प्रत्येक म्यूनिसिपल कौन्सिल अपना मेयर चुनती है। मेयर स्वयं कौन्सिल का मेम्बर होता है। मेयर ही म्यूनिसिपल कौन्सिल का सभापति होता है। कौन्सिल एक या अधिक उप-मेयर भी चुनती है। चुनने के पश्चात् कौन्सिल मेयर को हटा नहीं सकती। और न उसके कामों पर अधिकार रख सकती है। पर कौन्सिल ख़ूब समझ-बूझ कर मेयर को चुनती है, और कौन्सिल ही मेयर को ख़र्च के लिए रुपए देती है। मेयर की दो सूरतें होती हैं। वह ऊँचे अधिकारियों का एजण्ट होता है। कोई आज्ञा जब पेरिस से चलती है तो पहले प्रान्त के प्रीफ़ेक्ट के पास आती है। इसके बाद सब-प्रीफ़ेक्ट के पास, फिर मेयर के पास और अन्त में मेयर उसे जनता के पास पहुँचाता है। अगर ऊँचे अधिकारियों की आज्ञा मानने में मेयर से त्रुटि हो जावे तो वे मेयर को उसके पद से हटा सकते हैं। मेयर कम्यून का प्रधान शासक होता है। वह म्यूनिसिपल कौन्सिल के प्रस्तावों को कार्यान्वित करता है। वह स्थानीय अफ़सरों की नियुक्ति करता है, कौन्सिल के लिए बजट तैयार करता है। म्यूनिसिपल कौन्सिल की बैठक प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक मास नहीं होती। जब तक काम रहता है, इसकी बैठक होती रहती है, उसके बाद कौन्सिल बहुत काल तक आराम करती है। प्रायः इसकी बैठक साल में चार बार होती है। बहुधा एक बैठक ६ सप्ताह तक हुआ करती है। अर्थ, पुलीस और शिक्षा की बातें छोड़ कर, अन्य म्यूनिसिपैलिटी सम्बन्धी बातें कौन्सिल से ही प्रारम्भ होती हैं।

अन्त में, फ़्रान्स की राजधानी पेरिस के शासन के सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना चाहिए। फ़्रान्स में पेरिस का विशेष स्थान है। पेरिस फ़्रान्स का मस्तिष्क भी है और हृदय भी। पेरिस में दो प्रीफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा विशेष प्रीफ़ेक्ट पुलीस का प्रीफ़ेक्ट होता है। उसका काम होता है शान्ति और अमन क़ायम रखना। दोनों को मन्त्री की सलाह पर प्रेज़िडेण्ट ही नियुक्त करता है। म्यूनिसिपल कौन्सिल में ८० मेम्बर होते हैं। पेरिस २० भागों में बँटा है। प्रत्येक भाग से चार मेम्बर कौन्सिल में चुने जाते हैं। यह म्यूनिसिपल कौन्सिल ही प्रान्त की आम कौन्सिल होती है। पेरिस के बीसों भागों में २० मेयर होते हैं। नगर की कौन्सिल बजट आदि पास करती है। पर नगर के शासन पर इसका कोई अधिकार नहीं होता। फ़्रान्स के लोग कहा करते हैं कि पेरिस तमाम देश की वस्तु है, अतएव तमाम देश का उसके शासन पर अधिकार होना चाहिए।

—

ब्रिटिश साम्राज्य और पेट्रोल

[डॉ० मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी-लिट्]

उन्नीसवीं शताब्दी में एक ऐसे इञ्जिन का आविष्कार हुआ, जिसमें धुएँ की चिमनी की आवश्यकता न रही। इस इञ्जिन के कारण ही मोटर और वायुयान के द्वारा दुर्गम स्थान सुगम्य हो गए, परन्तु इस सुगमता के आविष्कार के साथ ही साथ प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई और वह थी 'पेट्रोलियम' का अधिकार। क्योंकि पेट्रोल के बिना स्थल और आकाश-मार्ग सुगमता से तय करना नितान्त कठिन है। नौ-सेना और व्यापारी जहाज़ों में भी पेट्रोल का अब अधिकाधिक उपयोग होने लगा है, जिसके कारण पेट्रोल प्रत्येक राष्ट्र के लिए आत्म-रक्षा और आक्रमण, दोनों का एक मुख्य साधन बन गया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन में 'ग्रीज़' 'लुब्रीकेटिङ्ग' तेल और वेक्स आदि पदार्थ, जो पेट्रोलियम से मिलते-जुलते हैं, उनकी माँग भी बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जाती है। सैनिक दृष्टि से अब यह एक बड़ी ही महत्व की बात हो रही है कि पेट्रोल कहाँ प्राप्त हो सकता है। पेट्रोल की खानें किनके अधिकार में हैं, वहाँ से पेट्रोल कहाँ-कहाँ पहुँच सकता है और लड़ाई के समय प्रति वर्ष जितना पेट्रोल ख़र्च होता है, उसका लगभग ६८ प्रति शत अमेरिका के संयुक्त राज्य में पैदा होता है और ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ६ प्रति शत ही पेट्रोल मिल सकता है। सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ८ करोड़ 'बेरल' के लगभग पेट्रोल मिल सकता है, जो केवल ग्रेट-ब्रिटेन के लिए एक साल भर के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

इस समय ईराक़ की पेट्रोल की खानें अङ्गरेज़ों के क़ब्ज़े में हैं, वहाँ प्रचुरता से पेट्रोल निकलता है, परन्तु जिस दिन ब्रिटिश साम्राज्य से ईराक़ अलग हो जायगा, उस दिन अङ्गरेज़ों के पास इतना भी पेट्रोल न रहेगा, जिससे केवल ग्रेट-ब्रिटेन का काम ४ मास तक चल सके। ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीतिज्ञों और रण-पण्डितों के सामने यह प्रश्न है कि जिस दिन ईराक़ साम्राज्य से निकल जायगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए युद्ध के समय पेट्रोल कहाँ से मिल सकेगा। वैसे यदि संसार के किसी शक्तिशाली महान राष्ट्र से लड़ाई छिड़ जावे तो ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। धन, जन, अन्न, वस्त्र, जल-मार्ग, स्थल-मार्ग और गगन-मार्ग, किसी के लिए भी उसको दूसरे राष्ट्र से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना विस्तृत है कि उस पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है, परन्तु तो भी दूरदर्शी राजनीतिज्ञों के अनवरत परिश्रम के फल-स्वरूप दूरस्थ देश निष्कण्टक मार्गों से इङ्गलैण्ड के साथ मिले हुए हैं और समर के समय एक अङ्गरेज़ी उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में या एक उपनिवेश से ग्रेट-ब्रिटेन में सेना भेजने में किसी राष्ट्र की ओर से आसानी से कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। परन्तु इतना होते हुए भी पेट्रोल की कमी से ब्रिटिश साम्राज्य में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यही कारण है कि अङ्गरेज़ों ने कहीं छल से, कहीं बल से और कहीं कौशल से, बहुत सी पेट्रोल की खानों पर अपना अधिकार जमा रक्खा है। सन् १९०८ के लगभग रूस और इङ्गलैण्ड में जो ईरान के सम्बन्ध में सन्धि हुई थी और रूस ने उत्तर का भाग तथा इङ्गलैण्ड ने दक्षिण का भाग अपने-अपने क़ब्ज़े में रखना निश्चय किया था, उस समय भी अङ्गरेज़ों का यही उद्देश्य था कि ईरान की खाड़ी के पास की पेट्रोलियम की खानों पर अङ्गरेज़ों का निरन्तर अधिकार बना रहे। सन् १९१८ के पश्चात् जब ईरान में राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए संग्राम होने लगा, तो अङ्गरेज़ों को यह चिन्ता हुई कि ईरान की पेट्रोल की खानों को किस प्रकार अपने क़ब्ज़े में बनाए रक्खें। ईरान की नई सरकार के सामने राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने पर भी, एक घोर आर्थिक सङ्कट था, जिसका अङ्गरेज़ों ने अनुचित लाभ उठाया और आर्थिक भयङ्करता से ईरान-सरकार को त्रस्त करके तथा अनेक आर्थिक जटिलताओं से उलझा कर उससे एक ऐसी शर्त करवा ली, जिसके कारण वहाँ के तेल की खान हमेशा के लिए ब्रिटिश ऑयल कम्पनियों के हाथों में आ गई।

ईरान के अतिरिक्त अन्य कई देशों की पेट्रोल की खानों पर भी अङ्गरेज़ों का कुछ न कुछ अधिकार है। कहीं अङ्गरेज़ी कम्पनियों ने कितने ही वर्षों के लिए तेल की खानों का ठीका ले रक्खा है और कहीं अङ्गरेज़ धन-कुबेरों ने लाखों-करोड़ों रुपयों के शेयर ख़रीद रक्खे हैं, जिनके कारण वहाँ की तैल कम्पनियों के प्रबन्ध-सञ्चालन में अङ्गरेज़ों का भारी हाथ है। इस प्रकार मैक्सिको, वेनेज़ूला और पूर्वी गोलेशिया आदि देशों के तैल-क्षेत्रों पर अङ्गरेज़ों का पूर्ण अधिकार है। यदि किसी समय संग्राम छिड़ जाय, तो इन सब देशों से पेट्रोल का निकलना पूर्णतया बन्द नहीं हो सकता। सम्भव है कि एक-दो देश उसका निकलना बन्द कर दें, परन्तु तो भी अपने काम के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्त परिमाण में पेट्रोल मिलता रहेगा। इतने पर भी यह तो स्पष्ट ही है कि पेट्रोल के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए परमुखापेक्षी कहना पड़ेगा।

ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ६ प्रतिशत पेट्रोल उत्पन्न होता है, परन्तु फिर भी साम्राज्य के लिए इसकी रक्षा करने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि संग्राम के समय यदि अन्य देशों से पेट्रोल मिलना बन्द हो जाय तो बड़ी कठिनता उत्पन्न हो, सकती है। अतः पेट्रोल की खानों की रक्षा, उनकी उन्नति, साम्राज्य के अन्य भागों में उसका वितरण आदि विषयों की राजनीतिक महारथियों को निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य में निम्न-लिखित पेट्रोल की प्रधान ६ खाने हैं:—

(१) ईरान के पेट्रोल क्षेत्र, (२) बर्मा और आसाम के तैल-क्षेत्र, (३) सरवाक के तैल-क्षेत्र, (४) ट्रीनीडाड के तैल-क्षेत्र, (५) मिश्र के तैल-क्षेत्र और (६) अटक के तैल-क्षेत्र। इन स्थानों के अतिरिक्त ईराक़, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ और केनेडा में भी तेल की खाने मिलने की बड़ी सम्भावना है और इसकी खोज के लिए प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं।

ईरान के प्रधान तैल-क्षेत्र इस समय ऐङ्गलो पर्शियन के अधिकार में हैं, जो ईरान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में अरबिस्तान नाम के ज़िले में लगभग २५ मील के दायरे में फैले हुए हैं। इस स्थान को ईरानी लोग "मैदाने-मख़्तूँ" कहते हैं। ये मैदान १४५ मील लम्बी डबल-पाइप लाइनों द्वारा 'अब्दान' नामक टापू से जुड़े हुए हैं। ये पाइप-लाइनें दरीए ख़ज़ीना और अहवाज़ होती हुई अब्दान टापू तक पहुँचती हैं। मैदाने मख़्तूँ से हज़ारों मन तेल असंस्कृत रूप में इस पाइप-लाइन द्वारा अब्दान पहुँचता है। यहाँ इसको साफ़ करके उपयोग के योग्य बनाया जाता है। परन्तु सब तेल अब्दान में साफ़ नहीं होता। अधिकांश भाग असंस्कृत रूप में ही ग्रेट-ब्रिटेन भेज दिया जाता है। वहाँ पर 'स्कॉटिश ऑयल्स कम्पनी' के कारख़ाने में साफ़ किया जाता है। ईरान की ऐङ्गलो पर्शियन ऑयल कम्पनी, सरकारी नहीं है, इसलिए वह अपना तेल जिसको चाहे, बेच सकती है। सन् १९१४ में जब यूरोपीय महासमर के बादल घिरने लगे और राजनैतिक वायु-मण्डल भय और आशङ्का के झञ्झावात से परिपूर्ण हो गया, तब अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों को चिन्ता हुई कि लड़ाई छिड़ जाने के बाद यदि ईरान के तैल-क्षेत्र उनके हाथ से जाते रहे या कम्पनी ने अधिक मूल्य देने वाले देशों को तेल बेंच डाला तो ब्रिटिश साम्राज्य की मोटरें, वायुयान और जहाज़ पेट्रोल के अभाव के कारण बेकार हो जाएँगे और साम्राज्य के सामने एक अत्यन्त भयावनी और चिन्ताजनक परिस्थिति उपस्थित हो जायगी। इसलिए उसी वर्ष अङ्गरेज़ी सरकार ने इस कम्पनी के अधिकांश शेयर ख़रीद लिए और सन् १९१७ में फिर एक भारी तादाद में इस कम्पनी के शेयर ख़रीद लिए गए। इस प्रबन्ध के फल से युद्ध के समय में ब्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्त परिमाण में पेट्रोल मिलता रहा और जब ईरान स्वतन्त्र हुआ और रूस के दबाव से तथा रिज़ाअली पहलवी के आतङ्क से अङ्गरेज़ी सेना ईरान के दक्षिण भाग से चुपके-चुपके खिसकने लगी, तो अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों ने ऐसी कूटनीति से काम लिया, जिसके कारण मैदाने-मख़्तूँ पर ऐङ्गलो-पर्शियन ऑयल कम्पनी का अधिकार बना रहा। प्रकट रूप से ईरान-सरकार को यह सन्तोष हो गया कि उसका पिण्ड अङ्गरेज़ों से छूट गया। परन्तु ब्रिटिश सरकार को इस बात की प्रसन्नता रही कि जिस उद्देश्य से ईरान के दक्षिणी भाग पर वह अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी। अङ्गरेज़ों का उद्देश्य ईरान के दक्षिणी भाग को दबाए रखने में यह था कि इङ्गलैण्ड से भारत आने-जाने का मार्ग निष्कण्टक बना रहे। मैदाने-मख़्तूँ पर एक अङ्गरेज़ी कम्पनी का अधिकार है और उस कम्पनी के अधिकांश शेयर अङ्गरेज़ सरकार ने ख़रीद रक्खे हैं, इसलिए ईरान के तैल-क्षेत्रों पर वास्तव में अङ्गरेज़ सरकार का ही अधिकार है। यदि किसी दिन ईरान ने मैदाने-मख़्तूँ को अङ्गरेज़ी कम्पनी के हाथ से निकालने की चेष्टा की, तो अपने हित की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करेगा और यदि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव न पड़ा तो मैदाने-मख़्तूँ को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। इस मैदान की रक्षा के लिए, इस समय भी अङ्गरेज़ सरकार ने मोहमेरा के बन्दरगाह पर, अब्दान के टापू पर, मैदाने-मख़्तूँ तक पहुँचने के मार्ग पर, मैदान से अब्दान तक की पाइप-लाइन पर और मार्ग के पम्पिङ्ग स्टेशन तक क़ब्ज़ा कर रक्खा है। इसके बदले में वह ईरान-सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्रति वर्ष काफ़ी रुपए देती है। इन तेल की खानों के सम्बन्ध में ईरान-सरकार की वही हैसियत है जो मैसोर-सरकार की सोने की खान के विषय में, जयपुर और जोधपुर की सरकारों की साँभर झील के विषय में और सिरोही सरकार की आबू पर्वत के विषय में है। नाम-मात्र का मैदाने-मख़्तूँ पर ईरान का राज्य है। परन्तु वास्तव में यह मैदान और इसकी रक्षा के लिए जो अन्य स्थान आवश्यक हैं वे अङ्गरेज़ी राज्य के अधिकार में है।

बर्मा के प्रधान तैल-क्षेत्र ईनान गुइङ्ग नामक स्थान में हैं, जो रङ्गून से २७२ मील उत्तर में हैं। ये तैल-क्षेत्र एक पाइप-लाइन द्वारा रङ्गून से जुड़े हुए हैं और रङ्गून में ही असंस्कृत तेल साफ़ किया जाता है। ईनान गुइङ्ग

की खानों से ३० मील और उत्तर की ओर, सिङ्गू नामक स्थानों में और वहाँ से फिर ३० मील उत्तर की ओर ईनानग्यत में भी तेल मिलने की सम्भावना है और वहाँ पर तेल-प्राप्ति की आशा से बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। आसाम के तेल-क्षेत्र भी बड़े महत्व के हैं। इस प्रान्त के प्रसिद्ध तैल-क्षेत्र डिग्बोई, बप्पा पेग, मक़ून और बदरपुर हैं। इन सब स्थानों का तेल चटगाँव के बन्दरगाह से बाहर जाता है। बर्मा और आसाम दोनों स्थान के तैल-क्षेत्र ऐसे स्थानों पर स्थित हैं कि उन पर बाहरी हमला होना असम्भव है। इधर भारत में अङ्गरेज़ों की शक्ति अत्यन्त प्रबल है और उधर सिङ्गापुर में इन लोगों ने नौ-सैना का एक दुर्द्धर्ष बन्दरगाह बना लिया है। भारत और उसके निकटस्थ अधिकृत देशों की रक्षा के लिए बर्मा और आसाम के तैल-क्षेत्र अत्यन्त महत्व के हैं। वास्तव में ईरान के तैल-क्षेत्र और बर्मा तथा आसाम के तैल-क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए जो अङ्गरेज़ी सरकार ने प्रयत्न किया है, उसका मूल कारण है, भारत में अङ्गरेज़ी राज्य। यदि कोई समय ऐसा आवे कि अङ्गरेज़ी सरकार को अन्य देशों से तेल मिलना बन्द हो जाय तो भारत के अन्दर सरकारी मोटरों का दौड़ना बन्द हो जाय और युद्ध के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से सरकार एक घोर सङ्कट में पड़ जाय। इसलिए भारत में अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने की ग़रज़ से अङ्गरेज़ों ने मैदाने-मख़तूँ और बर्मा तथा आसाम के तैल-क्षेत्रों को अपने चङ्गुल में कर रक्खा है।

सरवाक में मेरी और बेकाङ्ग के तैल-क्षेत्र भी शनैः-शनैः महत्व प्राप्त करते जाते हैं। उन पर शैल कम्पनी और रॉयल डच कम्पनी का संयुक्त अधिकार है। ये तैल-क्षेत्र सिङ्गापुर के निकट हैं, इसलिए सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। अङ्गरेज़ लोग चाहते हैं कि इन क्षेत्रों के पास क़िले बना कर इनको हमेशा के लिए अपने अधिकार में रक्खा जाय, परन्तु ये क्षेत्र ११०° पूर्वी अक्षांश से पूर्व की ओर हैं। इस कारण वहाँ क़िले बनाने में अङ्गरेज़ों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाई है।

सन् १६०८ तक ट्रीनीडाड के तैल-क्षेत्रों का पता नहीं था। उस साल अकस्मात् ही इनका पता चला। जिस समय पानी निकालने के लिए एक कुएँ में सुरङ्ग दी जा रही थी तो एकाएक उसमें से तेल की धारा बह निकली। ट्रीनीडाड पश्चिमी द्वीप समूह में है। वहाँ स्टोल मेथर नामक स्थान में सन् १६१२ में यह कुआँ खोदा गया था, जिसमें से अब तक प्रतिदिन २४ हज़ार बैरल तेल निकला करता था। परन्तु एक लापरवाह मज़दूर की असावधानी से इस कुएँ में आग लग गई और वह नष्ट हो गया। यह तैल-क्षेत्र पनामा नहर के पास है, जिसके कारण व्यापारिक दृष्टि से यह बड़े महत्व का है। परन्तु सैनिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता अधिक नहीं है। क्योंकि पास ही अमेरिका की नौ-शक्ति इतनी प्रबल है कि अङ्गरेज़ी नौ-सेना उसके सामने सिर नहीं उठा सकती।

मिस्र के तैल-क्षेत्र लाल समुद्र के पश्चिमी किनारे पर, जहाँ यह स्वेज़ की खाड़ी से मिलता है, जैम्से और हरमूदा के ज़िले में हैं। यूरोपीय महासमर से पहले इनका अधिक महत्व नहीं था। परन्तु युद्ध की आवश्यकताओं ने इनको महत्वपूर्ण बना दिया। स्वेज़ की नहर के पास प्रचुर परिमाण में तेल का मिलना सैनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक था। परन्तु वहाँ पर तेल निकालने में अत्यधिक व्यय होता था। समर-काल में तो विवश होकर यह ख़र्च किया गया। क्योंकि मैदाने-मख़तूँ ईरान के स्वातन्त्र्य-संग्राम के कारण अङ्गरेज़ों के अधिकार में रहेगा या नहीं, इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को बड़ी चिन्ता थी, इसलिए भारतवर्ष के मार्ग के मिस्री तैल-क्षेत्रों की रक्षा करना परम आवश्यक था। मिस्र पर अङ्गरेज़ों ने यों तो एक अर्से से दाँत लगा रक्खा था और किसी न किसी राजनैतिक पेंच में टर्की को फँसा कर, उस पर अपना क़ब्ज़ा स्थापित करना चाहते थे। परन्तु जब महासमर छिड़ गया तो किसी राजनीतिक बहाने की आवश्यकता न रही। इसलिए अङ्गरेज़ों ने खुल्लमखुल्ला सेना भेज कर मिस्र पर अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ एक बड़ी सेना तैनात कर दी। उस समय अङ्गरेज़ों को सब से बड़ा भय यह था कि कहीं जर्मनी और उसके मित्र-राष्ट्र मेडीटेरेनियन का भारतीय मार्ग बन्द करके अङ्गरेज़ों को सङ्कट में डाल दें और भारतवर्ष उनके हाथ से जाता रहे। इस सम्भावना को हटाने के लिए महासमर के समय जिब्राल्टर, माल्टा, साइप्रस, पोर्ट सय्यद, अदन और ईरान की खाड़ी पर अङ्गरेज़ों ने विशेष सैनिक प्रबन्ध कर रक्खा था और इसके लिए उन्हें पानी की तरह धन बहाना पड़ा था। यही कारण था कि जैम्से और हरमूदा के तैल-क्षेत्रों में पेट्रोल निकालने में अत्यधिक व्यय होता था। तो भी वहाँ से तेल निकाला गया था। युद्ध के बाद इन तैल-क्षेत्रों का महत्व घट गया। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से यहाँ तेल निकालने से हानि होती थी। फिर भी इन तैल-क्षेत्रों की रक्षा की जाती है और इस समय सिनाय अन्तरीप के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर भू-गर्भवेत्ता लोगों द्वारा जाँच करवाई जा रही है कि वहाँ कहीं तैल-क्षेत्र मिल सकते हैं या नहीं।

ईराक़ के मसूल नामक प्रान्त में जो तैल-क्षेत्र हैं और उन पर अधिकार जमाने के लिए सन् १६१८ से १६२० तक ग्रेट-ब्रिटेन, टर्की, फ़्रान्स और ईरान ने जो प्रयत्न किए थे, वह शायद पाठकों को याद होगा। इस समय ये तैल-क्षेत्र टर्किश पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकार में हैं। इस कम्पनी ने २५ वर्ष तक इन क्षेत्रों का उपयोग करने का ठेका ले लिया है। इस समय अङ्गरेज़ों का ईराक़ पर संरक्षण-शासन (Mandate) है और कई राजनैतिक चालों से इस शासन-काल की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। इस कम्पनी के चार मुख्य समूह हैं—(१) ऐङ्गलो पर्शियन ऑयल कम्पनी, (२) रॉयल डच शेल, (३) अमेरिकन कम्पनी और (४) फ़्रेञ्च कम्पनी। इनमें से प्रथम और द्वितीय समूह के पास टर्किश पेट्रोलियम कम्पनी के ५० फ़ी सदी शेयर हैं और ये दोनों समूह पूर्णरूप से अङ्गरेज़ों के अधिकार में हैं। शेष दो समूहों के पास मिल कर केवल २५ फ़ी सदी शेयर और इन समूहों के भी अनेक समूहान्तर हैं, जिसके कारण अङ्गरेज़ों से बचा हुआ तेल किसी देश-विशेष के काम नहीं आ सकता। व्यापारी-सङ्घ जहाँ उनको अधिक लाभ मिलता है, वहाँ बेच देते हैं। इस प्रकार मसूल के तैल-क्षेत्र वास्तव में अङ्गरेज़ों ही के अधिकार में हैं। ईरानी सीमा पर ख़ानीकिन नामक स्थान के पास भी अभी हाल ही में एक तेल की खान का पता लगा है और उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार जमा लिया है। ख़ानीकिन और मसूल दोनों स्थानों के तैल-क्षेत्र यदि उपयोगी और उन्नत साबित हुए, तो वहाँ से एक पाइप-लाइन मेडीटेरेनियन समुद्र के पूर्वी तट पर स्थित होगा या बेरूत बन्दरगाहों तक बनाई जायगी और वहाँ से जहाज़ों पर लद कर यह तेल इङ्गलैण्ड या मिस्र पहुँचा दिया जायगा। अभी थोड़े दिन हुए, जब एक इञ्जिनियर ने अनुमान किया था कि इस पाइप-लाइन के बनाने में लगभग २० करोड़ रुपए ख़र्च होंगे। यह प्रचुर व्यय ब्रिटिश सरकार व्यापारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस अभिप्राय से स्वीकार करेगी कि भारत के मार्ग में स्थान-स्थान पर सरलता से पेट्रोल प्राप्त हो सके।

अटक के तैल-क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं हैं और न उनमें प्रचुरता से तेल ही निकलता है, परन्तु पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के सान्निध्य के कारण उनका महत्व सैनिक दृष्टि से बहुत है। सन् १६१६ में अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत-सरकार का जो युद्ध हुआ था, उसमें अङ्गरेज़ों ने प्रायः वायुयानों का ही प्रयोग किया था। अभी हाल में जब अफ़ग़ानिस्तान में विप्लव हुआ और शाह अमानुल्ला के प्रस्थान के पश्चात् काबुल में अङ्गरेज़ी कॉन्सुलेट (दूतावास) को सुरक्षित न समझा गया और अङ्गरेज़ी सरकार की प्रजा त्रस्त हो गई, तो उन सब को वायुयानों द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके सिवा सीमा प्रान्त के पहाड़ी प्रदेश में वायुयानों द्वारा ही सफलतापूर्वक संग्राम भी किया जा सकता है। काबुल में रहने वाले भारत-सरकार के प्रतिनिधि सर जेम्स हम्फ़्रे, ने अफ़ग़ानिस्तान से वापिस लौटने पर एक भाषण देते हुए कहा था कि सीमा प्रान्त में वायुयानों द्वारा लड़ाई लड़ना सफलता का बीमा करवाने के बराबर है। यही कारण है कि अटक के तैल-क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से इतने महत्व के माने जाते हैं। ईराक़ के पूर्व और पश्चिम में जो तैल-क्षेत्र हैं, उनकी रक्षा करना भारत में ब्रिटिश राज्य जारी रखने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इसलिए जैम्से, हरमूदा, मैदाने-मख़तूँ, मसूल, ख़ानीकिन और अटक के तैल-क्षेत्रों की रक्षा करने में और उन पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए प्रचुर धन व्यय किया जाता है और इन देशों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। वास्तव में भारत में अपना राज्य बनाए रखने की ग़रज़ से ब्रिटिश सरकार को भारत के पार्श्ववर्ती देशों के साथ और मिस्र, ईराक़, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ निरन्तर छल, बल और कौशल का उपयोग करना पड़ता है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड में भी तैल-क्षेत्र ढूँढने का और उनमें से तेल निकालने का प्रयत्न किया गया था, परन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुआ, कई स्थानों पर छोटे-छोटे पेट्रोल के चिन्ह मिले हैं, परन्तु वहाँ पर इतने परिमाण में पेट्रोल मिलने की सम्भावना नहीं कि जिससे कोई विशेष लाभ हो या युद्ध-काल में सहायता मिल सके। क्वीन्सलैण्ड में रोमा गाँव के पास ऑयल गैस का पता लगा है और यह काफ़ी परिमाण में मिल सकता है। इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि इस गैस से पेट्रोल तैयार किया जा सकता है और लाभ के साथ बेचा जा सकता है।

कैनेडा के तिलबरी और रोमनी के तैल-क्षेत्रों से ख़ूब तेल निकाला जाता है। कैनेडा में अन्य स्थानों पर भी तेल निकलता है। परन्तु इन दोनों क्षेत्रों से कैनेडा का ६० प्रति शतक तेल निकलता है। इन तैल-क्षेत्रों के अतिरिक्त कैनेडा में प्राकृतिक गैस के कुएँ भी हैं। यह गैस रोशनी करने के काम में और इससे तैयार किया हुआ 'हेलियम' नाम का पदार्थ जहाज़ों को ऊपर उठाने के काम में लाया जा सकता है। कैनेडा में और भी अधिक पेट्रोल मिलने की सम्भावना है। मैकेन्ज़ी नदी के कछारों में कुछ ऐसे ज़िले हैं, जहाँ शायद यह तेल मिल सकता है। सन् १६२० ईस्वी में इस नदी के तट पर फ़ोर्ट नोरमान से उत्तर की ओर बोरिङ्ग (सुरङ्ग) करते समय एकाएक पेट्रोल की धारा निकली, परन्तु वह ऐसी प्रबल धारा नहीं थी कि जहाँ तैल-क्षेत्र स्थापित किया जाय। इस समय इस स्थान के आस-पास की ज़मीन की जाँच की जा रही है और इञ्जिनियर लोग विश्वास दिला रहे हैं कि वहाँ तैल-क्षेत्र बन जाएँगे। इस प्रदेश में सब से बड़ी अड़चनें हैं, भयङ्कर शीत और स्थान की दुर्गमता। परन्तु प्रशान्त महासागर के अमेरिकन तट पर अङ्गरेज़ों के पास कोई तैल-क्षेत्र नहीं है,

इसलिए कैनेडा में प्रचुर परिमाण में तेल निकालने में भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है। यदि मैकेन्ज़ी नदी के तट पर तैल-क्षेत्र बन गए, तो तेल के प्रवाह के लिए प्रिन्सरूपर्ट और बन्दर रकादवे नामक स्थानों तक पाइप-लाइन बनाई जायगी।

ब्रिटिश साम्राज्य के तैल-क्षेत्र प्रायः प्रसिद्ध जल-मार्गों के पास हैं। मिस्र के तैल-क्षेत्र स्वेज़ नहर के पास और मैदाने-मख़्तूँ बम्बई के नज़दीक है और कैरो से कराची जाने वाले जहाज़, जो बग़दाद होकर जाया करते हैं, उनसे यह अत्यन्त निकट पड़ता है। इङ्गलैण्ड से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान रङ्गून होकर जाया करते हैं और भविष्य में रङ्गून जलयानों का प्रसिद्ध स्टेशन बनेगा, यह स्पष्ट है। इस समय रङ्गून में बड़ी तादाद में पेट्रोल तैयार होता है। चीन और जापान को जाने वाले जहाज़ भी सिङ्गापुर होकर जाते हैं, जहाँ से रङ्गून के तैल-क्षेत्र ही सब से नज़दीक हैं। आधुनिक युग में 'टैंकर्स' के द्वारा जहाज़ों के स्टेशनों तक पेट्रोल पहुँचाया जाता है, परन्तु इसमें यह ख़तरा है कि बन्दरगाह तक पहुँचते-पहुँचते शत्रु लोग इसको 'सबमेरीन' द्वारा नष्ट कर देते हैं। लेकिन तैल-क्षेत्र से जहाज़ी बन्दरगाह तक यदि स्थल-मार्ग हो तो पाइप बनाई जाती है। जिसके द्वारा तेल जहाजों तक आसानी से पहुँच सकता है और समुद्र के तूफ़ानी मार्ग की कठिनाइयाँ भी नहीं रहतीं। युद्ध के समय में ग्लासगो (अमेरिका) से ग्रेंग माउथ तक लगभग ३५ मील लम्बी और ८ इञ्च गोल एक पाइप लाइन बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि स्कॉटलैण्ड के उत्तरी तट का चक्कर लगा कर पेट्रोल से भरे हुए टैङ्कर को जल-मार्ग से न आना पड़े और सबमेरीन के आक्रमण का भय न रहे।

सिडनी और हॉङ्गकॉङ्ग की अपेक्षा सिङ्गापुर का जो महत्त्व बढ़ता जाता है, उसका कारण भी यही है कि सिङ्गापुर के पास बर्मा के तैल-क्षेत्र हैं और सिडनी तथा हॉङ्गकॉङ्ग के पास कोई अच्छे तैल-क्षेत्र नहीं हैं। जो जहाज़ या वायुयान सिङ्गापुर में ठहरते हैं, उनको आसानी से और सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। यहाँ पर जो नौ-सेना का और वायुयानों का अति विशाल स्टेशन बनाया गया है, उसका एक कारण यह भी है कि पास में ही पेट्रोल निकलता है। युद्ध-काल में इस पेट्रोल द्वारा जहाज़ और वायुयान निरन्तर चल सकते हैं। वास्तव में कैरो, बग़दाद, कराची और सिङ्गापुर आदि बन्दरगाहों पर प्रायः पेट्रोल के लिए ही जहाज़ ठहरा करते हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकृत कोई भी तैल-क्षेत्र अङ्गरेज़ बस्तियों के पास नहीं है और न उन पर अङ्गरेज़ों का सीधा अधिकार है। मैदाने-मख़्तूँ का तैल-क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में सब से बड़ा है, परन्तु यह खुल्लमखुल्ला अङ्गरेज़ी राज्य में नहीं है। अनेक राजनीतिक युक्तियों द्वारा अङ्गरेज़ों ने इस पर अपना अधिकार अवश्य जमा रक्खा है, परन्तु यदि किसी दिन अकस्मात् यह इनके हाथ से निकल जावे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही दशा मिस्र और बर्मा के तैल-क्षेत्रों की है। यों तो कहा जाता है कि अङ्गरेज़ी राज्य की सैनिक-शक्ति अत्यन्त प्रबल और दुर्द्धर्ष है। परन्तु यदि किसी दिन ये तेल के क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से जाते रहे तो इङ्गलैण्ड के वायुयान, सबमेरीन, जहाज़ और मोटरें प्रायः बेकार हो जावेंगी। पेट्रोल भी एक सैनिक साधन है, इसी कारण जो तैल-क्षेत्र अङ्गरेज़ों को मिल गए हैं, उन्होंने दाँतों से पकड़ रक्खा है और काफ़ी ख़र्च के साथ पेट्रोल के लिए दूसरी ज़मीनों की जाँच करवाई जा रही है।

❀ ❀ ❀

देवी जोन

[श्रीमती रतन प्रेम]

यदायदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्॥

गीता के इस श्लोक में पीड़ितों के लिए कितनी समवेदना, साहसहीनों के लिए कितना आश्वासन तथा निराशों के लिए कितनी आशा भरी है। यह है वह सन्देश, जो विपत्तियों के भार से दबे हुओं को धैर्य बँधाता है और उन्हें यह बताता है कि 'घबराओ नहीं, जब-जब पापों का भार अधिक हुआ है, मैंने पीड़ितों को सहायता दी है और उसी प्रकार मैं तुम्हारे काम भी आऊँगा।'

ये वाक्य केवल भारतवर्ष के लिए ही लागू नहीं होते—सारा संसार किसी न किसी रूप में इन्हें सुनता और मानता चला आया है। चाहे भगवान स्वयं अवतार लेकर इहलौकिक लीलाएँ करता हो, चाहे अपने पुत्र को भेजता हो और चाहे किसी महापुरुष में अपनी शक्ति को प्रतिनिधि बना कर भेज देता हो। परन्तु है यह सत्य कि जब-जब किसी देश में किसी एक समाज, जाति, धर्म या दल के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, तब-तब कोई न कोई ऐसी विचित्र शक्ति, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, अवश्य ही उत्पन्न हो गई है, जिसने अत्याचारियों को यदि समूल नष्ट नहीं किया, तो उनको एक भारी पराजय अवश्य दी है। चाहे धर्म-ग्रन्थों को पढ़िए, चाहे दन्त-कथाओं को और फिर चाहे इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखिए, आपको प्रत्येक स्थल पर और प्रत्येक काल में कोई न कोई ऐसी कथा अवश्य मिलेगी, जहाँ किसी साधारण व्यक्ति ने एक विचित्र रीति से अत्याचारियों का सामना करके उन्हें परास्त किया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, शङ्कर, दयानन्द के नाम प्रत्येक भारत-वासी, विशेषकर हिन्दू, की जिह्वा पर हैं। महात्मा गाँधी को तो इस युग का बच्चा-बच्चा जानता है। ईसा, लेनिन, वाशिङ्गटन, सनयात सेन आदि नाम विदेशी धर्म तथा इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन सब महापुरुषों ने अपने प्राण तक देकर भी अत्याचारियों से अपने देश-वासियों की या धर्म वालों की रक्षा की है। ऐसे ही व्यक्तियों में गिनी जाने वाली एक बालिका फ़्रान्स में उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम जोन ऑफ़ आर्क था। देवी जोन की कहानी में जहाँ करुणा है, वहाँ वीरता भी है; जहाँ वेदना है, वहाँ साहस भी है; जहाँ देश-प्रेम का अद्भुत आलोक है, वहाँ एक सच्चे हृदय की पावनता की झलक भी है।

तत्कालीन फ़्रान्स

देवी जोन का आविर्भाव किस मिशन की पूर्ति के लिए हुआ था? उसके सामने कौन सी ऐसी समस्याएँ थीं, जिन्हें हल करने के लिए उसे बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़ा? इन प्रश्नों को समझने के लिए और इनके उत्तर पाने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि उस समय फ़्रान्स का वातावरण कैसा था तथा वहाँ की धार्मिक प्रथाएँ तथा सामाजिक रीति-रस्म कैसी थीं। उन दिनों फ़्रान्स की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय हो रही थी। छठे चार्ल्स के सामने ही फ़्रान्स का आधे से भी अधिक भाग अङ्गरेज़ों के हाथ में आ चुका था। गुइयेन, मेन, नौरमण्डी आदि के प्रमुख प्रान्त अङ्गरेज़ों के ही पास थे, यहाँ तक कि पैरिस पर भी उनका आधिपत्य था। सत्य तो यह है कि फ़्रान्स का वास्तविक स्वामी अङ्गरेज़ों का बादशाह हेनरी था। जिस फ़्रान्स का संसार भर में दौर-दौरा रह चुका था, जिसने कला-कौशल, ललित कला, सङ्गीत आदि में विश्व भर में अपना आतङ्क जमा दिया हो, वही फ़्रान्स अङ्गरेज़ों के हाथ में चला गया था। इस बात से फ़्रान्सीसियों को बड़ा क्लेश होता था। जो अङ्गरेज़ों की अधीनता में थे, वे भी दुखी थे और जो फ़्रान्सीसी बादशाह चार्ल्स के शासन में थे, वे भी दुखी थे। परन्तु फ़्रान्सीसी दो कारणों से अपनी पराधीनता की बेड़ियाँ काटने में असमर्थ रहे। एक तो यह कि अङ्गरेज़ों का कार्य बड़ी सुसङ्गठित रीति से होता था और उनका आतङ्क फ़्रान्सीसियों के दिलों में बहुत जम चुका था; दूसरा कारण यह कि फ़्रान्स वालों में आपस में ऐक्य न था। एक-दूसरे के ईर्ष्या-द्वेष तथा प्रतियोगिता से वे आपस ही में मरते-कटते रहते थे। बादशाह चार्ल्स और बर्गण्डी के ड्यूक में फ़्रान्स के तख़्त के लिए झगड़े होते रहते थे। इसी कारण इनके अनुयायियों के भी दो दल हो गए थे—बादशाह के साथी 'आर्मागनाक' कहलाते थे और ड्यूक के साथी 'बर्गण्डियन' कहाते थे। इन दोनों दलों की शत्रुता एक घटना से और भी बढ़ गई। चार्ल्स ७वें के दरबारियों ने ड्यूक ऑफ़ बर्गण्डी का बध करा दिया। यह बात ड्यूक के अनुयायियों से छिपी न रही और ड्यूक के उत्तराधिकारी ने तभी से 'आर्मागनाक' दल के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली।

इधर बादशाह चार्ल्स की मृत्यु के बाद उसका लड़का सातवाँ चार्ल्स उसका उत्तराधिकारी हुआ। फ़्रान्स में यह रीति थी कि जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता था तो उसका राज्याभिषेक रेम (Reims) के गिर्जे में होता था और वहाँ उसको कई प्रकार के तैलों से स्नान कराया जाता था। जब तक यह प्रथा पूरी नहीं हो जाती थी, तब तक बादशाह वास्तविक बादशाह कहलाने का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि दोफ़ाँ (Dauphin) अर्थात् युवराज कहलाता था। रेम चूँकि शत्रुओं के अधिकार में था, अतः सप्तम् चार्ल्स का राज्याभिषेक नहीं हो सका था और वह युवराज ही कहलाता था। चार्ल्स और बर्गण्डी के ड्यूक में उसी प्रकार द्वेष-भाव चल रहा था।

यह तो रही राजनैतिक अवस्था। धार्मिक अवस्था उतनी जटिल तो नहीं थी, परन्तु थी विचित्र। उस समय भी फ़्रान्स में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई निवास करते थे। इन लोगों को जादूगरों, स्याने-दिवानों तथा धर्म के नाम पर विलक्षण कार्य करने वालों से बड़ी घृणा थी। ऐसे लोगों की चारों ओर से निन्दा होती थी और राजा और प्रजा दोनों ही उन्हें दण्ड देते थे। परन्तु साथ ही यदि लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि अमुक व्यक्ति पर इलहाम हुआ है या उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति है तो उसका बड़ा सम्मान होता था और बड़ी पूजा होती थी।

जन्म और बाल्यकाल

फ़्रान्स जब ऐसी परिस्थितियों में होकर गुज़र रहा था, तब सन् १४१० या १२ ई० में देवी जोन का जन्म हुआ था। ब्यफ़शातो प्रदेश की ओर म्यूज़ नाम की

एक छोटी-सी नदी बहती है। उसीके किनारे एक छोटा सा ग्राम दोंरेमी (Domremy) नाम का है। यही जोन की जन्म-भूमि थी। उसके पिता का नाम ज़ाके-द-आर्क (Jacques D' Arc) था और माता का नाम इसबेला। माता को लोग रोमे (Romee) नाम से अधिक पुकारते थे, क्योंकि वह रोम की तीर्थ यात्रा कर चुकी थी और यह नाम इन्हीं यात्रियों को दिया जाता था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि माता की धार्मिक प्रवृत्ति का बालिका जोन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। ज़ाके ग़रीब था और खेती का काम करता था। ग्राम में कोई पाठशाला न थी और न जोन के माता-पिता ही सुशिक्षित थे, अतः जोन की शिक्षा-दीक्षा कुछ भी न हुई। हाँ, माता से उसे कुछ सन्तों की कथाएँ सुनने को मिल जाती थीं और कुछ शिक्षा गिर्जाघर के पादरी के साप्ताहिक उपदेश से, जिसे सुनने वह छोटी उम्र से ही नियमपूर्वक जाती थी।

जोन का फ्रेन्च नाम ज़ौन (Jeanne) था। इस नाम का भी उसके जीवन पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा था। क्योंकि, फ्रान्स में यह विश्वास है कि सन्त ज़ौन स्वर्ग का सब से बड़ा सन्त है और उसके नाम के ऊपर बच्चों का नाम रखने से वह बच्चों की रक्षा करता है। जोन जब-जब अपने नाम की उत्पत्ति के ऊपर विचार करती थी, तब-तब उसे स्वर्ग और सन्त ज़ौन की कल्पना होती थी। जोन के जैसे मस्तिष्क पर, कहना न होगा, इन कल्पनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जोन के दो भाई, ज़ाके और पियर तथा एक बहिन काथरीन थे, परन्तु उनका स्वभाव जोन के स्वभाव से बिल्कुल ही भिन्न था।

जोन का बाल्यकाल साधारण बच्चों का सा न था। न उसमें चञ्चलता थी न खिलाड़ीपन; वह बालकों के साथ अधिक नहीं खेलती थी। वह नित्य अपनी गायों और भेड़-बकरियों को लेकर घाटियों में चराती और स्वयं बड़ी गम्भीरता से ध्यान में मग्न हुई कुछ विचारा करती। उधर ही एक घाटी में नौतरदाम-द-बेरमों (Notre-dame D' Bermon) का गिर्जा था। इस देवी के विषय में जन-श्रुतियाँ थीं कि इसने किसी समय फ्रान्स के अत्याचार-पीड़ितों की सहायता की थी। इसीलिए जोन को इस गिर्जे से बड़ा प्रेम था और जब-जब यहाँ का घण्टा बजता था, तब-तब जोन घुटनों के बल प्रार्थना करने लगती थी। और बहुधा वहाँ जाकर मोमबत्ती जलाया करती थी। इन सब बातों से पाठकों को यह पता लग सकता है कि क्यों जोन ने आगे चल कर इलहाम का अनुभव किया। बचपन से ही घटनाएँ ऐसी हुई थीं कि बालिका के कोमल मस्तिष्क पर उनकी गहरी छाप लग गई और उन्होंने आगे चल कर उसके मानसिक जगत को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया।

बीज-वपन

कौन सी ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने देवी जोन को युवराज की सहायता में युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया? यह प्रश्न भी विचारणीय है। हम पाठकों को तत्कालीन फ्रान्स की राजनीतिक दशा का परिचय दे चुके हैं और यह बता चुके हैं कि अङ्गरेज़ों से जो भाग बच चुके थे, उनमें से कुछ का स्वामी था युवराज चार्ल्स और कुछ का स्वामी था बर्गण्डी का ड्यूक। यह कहा जा चुका है कि जोन का ग्राम दोंरेमी म्येज़ नदी के तट पर था। नदी के दूसरी ओर एक ग्राम था मास्से। दोंरेमी निवासी आर्मागनाक थे और चार्ल्स के पक्ष में थे। मास्से के निवासी बर्गण्डी के ड्यूक के अनुयाई थे। इसी कारण बहुधा इन दोनों ग्रामों में आपस में झगड़े हुआ करते थे और कभी-कभी ये झगड़े बड़ा ही भयानक रूप धारण कर लिया करते थे। दोंरेमी के कुछ बच्चे, वहाँ स्कूल न होने से, मास्से जाया करते थे। उनका मास्से के बच्चों से झगड़ा हो जाता था; और जब ये बच्चे अपने ग्राम को फटे हुए, रक्त-रञ्जित वस्त्रों को हाथों में लेकर आते थे तो जोन का हृदय उनको देख कर रोने लगता था। उनकी यह दशा देख कर, यह स्वाभाविक है कि, जोन के मन में बर्गण्डी के अनुयाइयों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया और वह यह मनाने लगी कि किसी प्रकार युवराज ही सारे फ्रान्स का बादशाह हो जाय।

यही नहीं, जब वह चौदह वर्ष की थी, उसके ग्राम पर बर्गण्डी के अनुयाइयों ने चढ़ाई कर दी और ग्राम-वासियों पर भीषण अत्याचार किए। उनके घर लूट लिए गए, उनके भेड़-बकरी के ग़ल्लों को बलात् अपने यहाँ ले गए, अनेक निरपराधों का बध किया। इन सब पाशविक कृत्यों ने जोन के कोमल हृदय पर एक ऐसा प्रभाव डाला कि जिसने उसे युद्धक्षेत्र में ला पटका।

इलहाम

अभी जोन छोटी ही थी कि एक दिन उसे अपने दाहिने हाथ की ओर किसी मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। कुछ देर ही में उसे उसी ओर प्रकाश दीख पड़ा। क्या वह शब्द और वह प्रकाश उसकी भ्रमात्मक कल्पना थी, या वास्तव में कोई अज्ञात-शक्ति उसे दिखाई दी थी? उसने अपने से ही ये प्रश्न किए, परन्तु कुछ उत्तर नहीं मिला। तीसरी बार उसने शब्दों को भलीभाँति स्पष्ट रूप से सुना:—

"मुझे परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा है, ताकि मैं तुम्हें एक पवित्र तथा निर्दोष जीवन व्यतीत करने में सहायता दे सकूँ। एक भली लड़की बनो, जीनैट और परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा।"

इन शब्दों को सुनने के साथ-साथ उस प्रकाश में उसने सन्त मिशैल (St. Micheal) की आकृति भी पहचान ली। ईसाई-संसार में इस सन्त का बड़ा मान था और इसके कई पुतले जोन ने गिर्जों में देखे थे। दूसरी बार जब सन्त मिशैल उसके पास आया तो उसने कहा—"मैं तुम्हारे पास स्वर्ग की दो देवियों—सन्त काथरीन तथा सन्त मारगरेट—को भेजूँगा। वे तुम्हें मार्ग-प्रदर्शन करेंगी। तुम उनके कथन के अनुसार कार्य करना।"

सन्त मारगरेट

यहाँ पर पाठकों को, सन्त मारगरेट के विषय में जो किम्बदन्ती थी, उसका कुछ हाल भी बता दें, क्योंकि इससे यह विदित हो जायगा कि आगे चल कर जोन ने जो साहस और वीरता दिखाए थे, उसके लिए उसे सन्त मारगरेट की जीवनी से कितनी सहायता और कितना पथ-प्रदर्शन मिला होगा। कथा इस प्रकार है—

"सन्त मारगरेट एक ऐसे भाग में रहती थी, जहाँ ईसाई-धर्म का थोड़ा-बहुत प्रचार हो चला था, परन्तु जहाँ का शासक ईसाई नहीं था, वरन् ईसाइयों से बहुत द्वेष रखता था।

एक दिन उस भाग का गवर्नर, जिसका नाम औलिब्रियस था, दौरा करने आया। उसने मार्ग में मारगरेट को खड़ा देखा। मारगरेट अत्यधिक सुन्दरी थी, अतः गवर्नर उसे देख कर विचलित हो गया। अपने नौकरों से कहा—इस सुन्दरी को मेरे पास पकड़ लाओ। यदि यह दासी होगी तो इसे मैं पकड़ ले जाऊँगा और यदि किसी भले आदमी की कन्या होगी तो मैं इसके साथ विवाह कर लूँगा।

नौकर मारगरेट को पकड़ कर ले आए। पूछने पर जब औलिब्रियस को यह पता चला कि वह ईसाइन थी तो उसने क्रोधित होकर पूछा—ईसा को तो सूली पर चढ़ा दिया गया। तुम उसकी पूजा किस प्रकार कर सकती हो?

'ईसा मरा नहीं है, वह अमर है।'—मारगरेट ने उत्तर दिया।

'यदि तुम इस अन्ध-विश्वास को छोड़ कर हमारे देवताओं को न पूजोगी तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा दूँगा'—गवर्नर लाल होकर बोला।

'करा दो। ईसा हम लोगों के लिए मरने को तैयार हो गया था। मैं उसके लिए मरने को तैयार हूँ!'

'अपनी सुन्दरता पर तो दया करो!'

'नहीं'—मारगरेट ने दृढ़ता से उत्तर दिया।

इसका फल वही हुआ, जो ऐसी दशा में निरङ्कुश शासकों द्वारा होता आया है। पहले तो गवर्नर ने मारगरेट को एक लकड़ी के घोड़े पर टँगवा दिया, और उसको लोहे की सलाखों से पिटवाया। इस पर भी जब वह वीर बाला न विचलित हुई तो गवर्नर ने उसका शिर कटवा दिया।"

जोन ने ये सब कथाएँ सुनी थीं और सन्त मारगरेट तथा सन्त काथरीन के पुतले भी गिर्जों में देखे थे, अतः उसे यह ज्ञात करके कि वे उसकी सहायता के लिए आ रही हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों पीछे सन्त मिशेल ने तो आना बन्द कर दिया, परन्तु एक दिन सन्त मारगरेट तथा सन्त काथरीन उसके स्थान पर आईं। दो प्रकाशों को अपने सामने देख कर उनमें जोन ने उन दोनों सन्तों की आकृति पहचान लीं। वे जोन पर बड़ी दयालु दीख पड़ीं। उन्होंने जोन से कहा—'ऐ परमात्मा की पुत्री, इस ग्राम को छोड़ दे और फ्रान्स के उद्धार के लिए निकल पड़।'

सन्त चली गईं। जोन सोचने लगी कि क्या वह यह सब कुछ कर सकेगी? क्या उसके लिए फ्रान्स का उद्धार सम्भव था? औरों ने भी इन बातों को सुना और जोन की मज़ाक़ बनाने लगे। कोई इस बात पर विश्वास ही न करता था कि इतनी छोटी बालिका को ईश्वर के दूत आकर दर्शन देते हैं। सारे फ्रान्स में यह बात प्रसिद्ध थी कि 'फ्रान्स का नाश भी एक स्त्री के कारण हुआ था और फ्रान्स का उद्धार भी एक स्त्री के ही हाथों होगा।' जोन ने भी यही बात सुनी थी और वह यही समझती थी कि वह उद्धार करने वाली स्त्री जोन ही होगी। परन्तु अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास न होता था कि यही बालिका फ्रान्स की उद्धारिका होगी।

फिर दोनों स्वर्ग की देवियाँ आईं और उन्होंने जोन को अपना सन्देश दिया—"परमात्मा की पुत्री, तुम युवराज को अपने साथ रेम को ले जाओ, ताकि वहाँ उसका राज्याभिषेक हो सके।"

"परन्तु मैं क्या कर सकूँगी? मैं न तो युद्ध करना जानती हूँ, न घोड़े की सवारी जानती हूँ, मैं इस कार्य को किस प्रकार सम्पादन कर सकूँगी?"—जोन ने पूछा।

"तुम कर सकोगी। ईश्वर के दूत तुम्हें सदा मार्ग-प्रदर्शन करते रहेंगे।"

यह सन्देश पाने के बाद जोन की इच्छा शीनों (Chinon) नगर को जाने की हुई, जहाँ युवराज उस समय निवास करता था। उसके इस विचार का पता जब उसके पिता को लगा तो वह बहुत बिगड़ा और उसने जोन को धमकी दी कि यदि वह सीधी तरह काम न करेगी और अपने पागलपन के विचारों को न छोड़ेगी तो वह उसे मार डालेगा। उसकी माता ने भी उसे बहुत समझाया। परन्तु उसने किसी की भी न सुनी। जो कुछ वह करने वाली थी, वह मनोरञ्जन या खिलवाड़ समझ कर तो कर ही न रही थी। वह तो उसे दैव की प्रेरणा समझती थी और इसीलिए उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो गई थी।

वह पास ही रहने वाले एक जज के पास पहुँची

ताकि उससे परीक्षा करा के यह सिद्ध करा सके कि वह न तो पागल थी और न जादूगरनी, बल्कि उसके विचार दैवी प्रेरणा के आधार पर स्थिर थे । जज ने उससे वार्तालाप करके उसे घर लौटा दिया । वह घर लौट कर आई तो बड़ी निराश थी ।

उन्हीं दिनों अङ्गरेज़ी सेना ने फ़्रान्स के नगर ऑर्लेन के ड्यूक को गिरफ़्तार कर लिया और नगर पर आक्रमण करके उसे ले लेना चाहा । परन्तु नगर-निवासी बड़ी वीरता से लड़े । फल यह हुआ कि अङ्गरेज़ी सेना ने नगर की चहार-दीवारी के बाहर घेरा डाल दिया और आस-पास के प्रान्त पर अधिकार जमा लिया । न तो ड्यूक की सेना गढ़ को अङ्गरेज़ों को देने के लिए तैयार थी और न अङ्गरेज़ी सेना ही गढ़ के चारों ओर से घेरा उठाने को तैयार थी ।

एक दिन जोन को फिर वही स्वर्ग की देवियाँ दिखाई पड़ीं और उन्होंने जोन से कहा—"परमात्मा ने तुझे दो काम बताए हैं, जो तुझे करने हैं । एक तो ऑर्लेन के घेरे को छिन्न-भिन्न करना है और दूसरा युवराज को ले जाकर रेम नगर में उसका राज्याभिषेक कराना है ।"

इस बार जोन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह युवराज के पास अवश्य जाएगी और परमात्मा के बताए हुए कामों को सम्पन्न करेगी ।

युवराज से भेंट

कुछ ही दिनों में जोन शीनों पहुँच गई । वहाँ पर युवराज चार्ल्स ने उसके स्वागत का काफ़ी आयोजन कर रक्खा था । परन्तु सब के हृदयों में जोन की ओर से शङ्का अवश्य थी । जोन में किसी का पूर्ण विश्वास न था । कोई खुल कर यह भी कहने के लिए तैयार न था कि वह जोन में अविश्वास करता था, न कोई यही कहता था कि जोन के इलहाम में उसका विश्वास था । यही दशा चार्ल्स की भी थी । वह भी इस बालिका की परीक्षा करना चाहता था । इसलिए जब जोन राज-दरबार में लाई गई तो वह साधारण वस्त्र पहन कर एक ओर बैठ गया । जोन सीधी उसी के पास पहुँची और झुक कर उसका अभिवादन किया । इस घटना से दरबारियों को और स्वयं चार्ल्स को बड़ा आश्चर्य हुआ । वहाँ पहुँचते ही जोन ने दहाड़ कर निम्नलिखित घोषणा की :—

"अङ्गरेज़ देश के बाहर भगा दिए जायँगे और नष्ट कर दिए जायँगे । ऑर्लेन नगर पर जो घेरा पड़ा है, उसे छिन्न-भिन्न कर दिया जायगा और उसे शत्रुओं के पञ्जे से मुक्त किया जायगा, यदि वे 'स्वर्ग के पिता' के नाम पर आत्म-समर्पण न कर देंगे । युवराज का राज्याभिषेक रेम में होगा । पैरिस पर चार्ल्स का झण्डा फहराएगा और ड्यूक ऑफ़ ऑर्लेन को मुक्त किया जायगा ।"

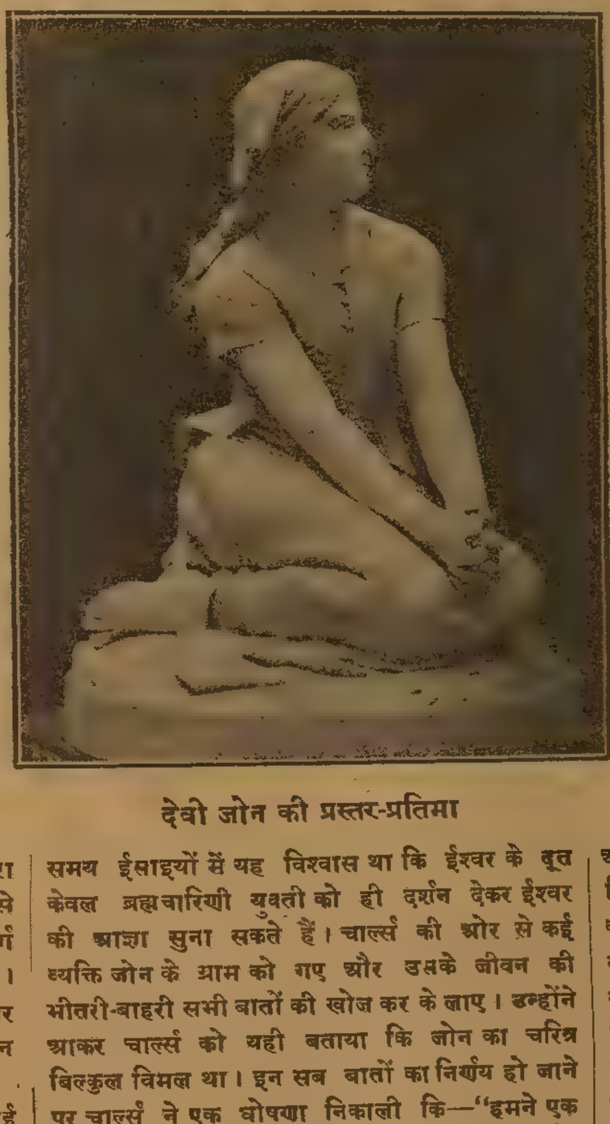
सब हैरान थे कि यह ग्रामीण बालिका, जिसने कोई शिक्षा नहीं पाई, न कभी युद्ध को देखा ही, ये सारे कार्य कैसे कर सकेगी ? जोन उनसे कहती थी—यह सब कुछ मैं नहीं करूँगी । यह परमात्मा का आदेश है, जो मुझे उसके दूतों के द्वारा मिला है । उसके दूत ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करेंगे । परमात्मा के दूत सबके पास आते हैं, परन्तु सबको दिखाई नहीं देते । मैं उनको देख सकती हूँ । मेरा विश्वास करो । मुझे सिपाही दो और ऑर्लेन की ओर जाने दो ।"

जब उसने यह कहा तो प्रत्येक दरबारी ने तथा चार्ल्स ने भी उससे कोई ऐसा चिन्ह माँगा, जिससे उन्हें यह विश्वास हो जाय कि हाँ, वह ईश्वर का आदेश पूरा कर रही थी । क्योंकि उस समय एक अफ़वाह यह फैल गई थी कि जोन को अङ्गरेज़ों ने अपनी ओर से चार्ल्स के पास इसलिए भेजा था कि उसे धोखा देकर उसकी पराजय करा दे । इस पर जोन ने केवल यही कहा—"मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है । मेरा चिन्ह केवल ऑर्लेन होगा । यदि वहाँ हमारी विजय हो जाय और अङ्गरेज़ लोग घेरा तोड़ कर वहाँ से भाग जायँ, तो तुम मुझे सच्ची समझना ।"

परन्तु फिर भी लोगों को पूर्ण सन्तोष न हुआ । चार्ल्स ने कई डॉक्टरों तथा कई दरबारियों की एक कमिटी बनाई, जिसका काम था जोन की परीक्षा करना और यह बताना कि उसे वास्तव में इलहाम होता था या वह एक जादूगरनी थी । डॉक्टरों और दरबारियों ने छः सप्ताह तक अपना अन्वेषण किया और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जोन का कथन सत्य था ।

ऑर्लेन की ओर

जब यह परीक्षा समाप्त हो गई तो एक प्रश्न और उठा; कि जोन ब्रह्मचारिणी थी या नहीं । क्योंकि उस



देवी जोन की प्रस्तर-प्रतिमा

समय ईसाइयों में यह विश्वास था कि ईश्वर के दूत केवल ब्रह्मचारिणी युवती को ही दर्शन देकर ईश्वर की आज्ञा सुना सकते हैं । चार्ल्स की ओर से कई व्यक्ति जोन के ग्राम को गए और उसके जीवन की भीतरी-बाहरी सभी बातों की खोज कर के लाए । उन्होंने आकर चार्ल्स को यही बताया कि जोन का चरित्र बिल्कुल विमल था । इन सब बातों का निर्णय हो जाने पर चार्ल्स ने एक घोषणा निकाली कि—"हमने एक कमिटी नियुक्त करके देवी जोन की परीक्षा कराई है और परीक्षकों ने यह निर्णय किया है कि जोन का चरित्र बिल्कुल विमल है और वास्तव में उसे ईश्वरीय दूतों द्वारा सन्देश मिलते हैं । ईश्वर की इच्छानुसार हम जोन को सिपाहियों के साथ ऑर्लेन भेजते हैं, ताकि वह वहाँ शत्रुओं से युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके ।"

इस प्रकार की घोषणा निकल जाने पर फ़्रान्सनिवासियों को बड़ा हर्ष हुआ । वे बड़ी उत्सुकता से उस दिवस की प्रतीक्षा करने लगे जब देवी जोन फ़्रान्स के उद्धार के लिए फ़्रान्सीसी सेना को साथ लेकर निकलेगी । उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । शीघ्र ही देवी जोन बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र कर अपने साथ ऑर्लेन की ओर ले चली । मार्ग में जहाँ-जहाँ हो कर वह चली, ग्रामवासियों के झुण्ड के झुण्ड उसके दर्शनों के लिए एकत्र होने लगे । जब ऑर्लेन कुछ दूर रह गया तो जोन ने एक पत्र लिख कर अङ्गरेज़ों के पास भिजवाया । उस समय अङ्गरेज़ी बादशाह हेनरी नाबालिग़ था, अतः उसका कार्य देखते थे ड्यूक ऑफ़ बैडफ़ोर्ड, जिनको रीजेण्ट कह कर पुकारा जाता था । ड्यूक ऑफ़ बैडफ़ोर्ड ने तीन सेनापति ऑर्लेन के मोर्चे पर मुक़र्रर किए थे—अर्ल ऑफ़ सलफ़ोर्ड, जेहान तथा थौमस । जोन ने जो पत्र इनकी सेना के लिए भेजा था, उसमें इन सब के नाम थे । पत्र इस प्रकार है :—

"इङ्गलैण्ड के बादशाह, और तुम ड्यूक बैडफ़ोर्ड, जो अपने को फ़्रान्स का रीजेण्ट कहते हो, तुम अर्ल ऑफ़ सलफ़ोर्ड, जेहान, और तुम थौमस, जो अपने को ड्यूक बैडफ़ोर्ड का नायब कहते हो; 'स्वर्ग के पिता' परमात्मा के प्रकाश में न्याय से काम लो । मैं परमात्मा की ओर से भेजी गई हूँ । अतः मुझे फ़्रान्स के जितने भी सुन्दर नगर तुम्हारे अधिकार में हों, उनकी चाबियाँ सौंप दो । मैं तुमसे सन्धि कर लूँगी, यदि तुम वह सब चीज़ें तथा नगर आदि जो तुम्हारे अधीन हैं, मुझे लौटा दोगे । यदि तुम मेरी बात न मानोगे, तो मैं तुम्हें बहुत क्षति पहुँचाऊँगी । मैं तुम्हारे सारे सिपाहियों का वध करा दूँगी । परमात्मा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें फ़्रान्स के बाहर भगा दूँ । परमात्मा के आदेश के अनुसार चार्ल्स फ़्रान्स का स्वामी है । वह पैरिस पर आक्रमण करेगा और तुम्हारे साथ युद्ध करेगा ।"

इस पत्र की भाषा बड़ी साधारण थी । कुछ लोगों का तो अब यह मत है कि जोन को इस पत्र को अङ्गरेज़ों के पास भेजना ही न चाहिए था, क्योंकि इसमें एक भी ऐसी बात न थी, जो एक सेना के परिचालक को लिखनी चाहिए । परन्तु जोन को इस पत्र पर बड़ा ही विश्वास था । उसकी धारणा थी कि चूँकि वह पत्र उसने ईश्वरीय दूतों की प्रेरणा से लिखवाया था, अङ्गरेज़ों के सेनापतियों पर उसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और वे शीघ्र ही फ़्रान्स को छोड़ कर इङ्गलैण्ड को चले जायँगे । परन्तु प्रभाव हुआ बिल्कुल उलटा । उन्होंने जोन का बड़ा उपहास किया और उसको जादूगरनी आदि नामों से सम्बोधन किया । इतना ही नहीं, जो दूत उस पत्र को लेकर गया था, उसके साथ भी अङ्गरेज़ों के सेनापति ने बड़ी नीचता का व्यवहार किया । यह अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून रहा है कि जो दूत युद्ध का समाचार लेकर जाता है, वह एक प्रकार से 'उदासीन दल' का समझा जाता है और उसके साथ बड़ी सौजन्यता का व्यवहार किया जाता है । परन्तु अङ्गरेज़ों ने उसे एक जादूगरनी का दूत कह कर, बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया और यह धमकी दी कि उसे जीवित ही जला देंगे । इतिहास के पृष्ठों पर अङ्गरेज़ों की यह कालिमा इतनी गहराई के साथ अङ्कित है कि प्रयत्न करने पर भी धुल नहीं सकती । कोई भी अङ्गरेज़ ऐसा न होगा, जो इस घटना को पढ़ कर अपना शिर लज्जा से नीचा न कर ले ।

जोन की पहली विजय

अङ्गरेज़ों की ओर से अपने पत्र का कोई उत्तर न पाकर जोन को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, उसे पूर्ण विश्वास था कि अङ्गरेज़ उसकी बात सुनेंगे । दूत के लौट कर न आने के कारण तो उसे और भी अधिक क्लेश

हुआ। परन्तु वह साहस छोड़ने वाली नहीं थी। अपने वीर सैनिकों को साथ लिए, ईश्वर पर भरोसा करती हुई, वह ऑर्लेन की ओर चल पड़ी और कुछ दिनों में ही नगर के बिलकुल निकट पहुँच गई। नगर नदी के उस पार था और जोन अपने साथियों सहित इस पार। अङ्गरेज़ों की अधिकांश सेना नगर की ओर थी। उसे यह पता भी न चला कि जोन की सेना कब आ चढ़ी। यदि उसे पता भी लग जाता तब भी वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वह ऑर्लेन वालों से युद्ध में लगी हुई थी। इस पार जो अङ्गरेज़ सिपाही थे, वे जोन की सेना से लड़े, परन्तु जोन ने उन सबको पराजित कर के ऑर्लेन में प्रवेश किया। यह उसकी पहली विजय थी। उसके सिपाही हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नगर-निवासियों ने उसका स्वागत बड़े समारोह से किया। वह एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर नगर में प्रविष्ट हुई। लोग उसके दर्शनों के लिए पागल हो रहे थे। उसने सब से बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लोग उस पर जान देने लगे। वे अपने सरदारों से अप्रसन्न थे, क्योंकि वे उन्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते थे और उन्हें इस प्रकार बन्दी की भाँति क़िले के भीतर बन्द किए हुए थे। आज उन्हें एक देवी मिली थी, जो उनके उद्धार के लिए आई थी, उसे सबने अपनी नेत्री चुना।

यहाँ वह ड्यूक ऑफ़ ऑर्लेन के कोषाध्यक्ष के घर ठहरी। उन दिनों शरीफ़ घरों में यह रीति थी कि जब कोई अतिथि अपने घर आता था तो यदि वह पुरुष हुआ तो घर के मालिक की चारपाई पर ही उसे सोना पड़ता था और यदि स्त्री होती तो उसे घर की मालकिन के पास सोना पड़ता था। जोन पहली रात कोषाध्यक्ष की छोटी बच्ची के पास सोई। यहाँ उसका रहन-सहन बहुत ही सादा था, वह बहुधा उपवास किया करती थी; यदि खाती, तो बहुत कम। प्रार्थना में काफ़ी समय लगाती। उस समय उसका इतना ऊँचा पद होते हुए भी उसमें अहङ्कार न आया।

कुछ दिनों बाद वह अङ्गरेज़ों की सेना की ओर स्वयं पहुँची। उसका हृदय इतना दयालु था कि वह अकारण ही रक्तपात करना ठीक नहीं समझती थी। अतः वह चिल्ला कर उनसे बोली—"ईश्वर के नाम पर आत्म-समर्पण कर दो। मैं तुम्हें जीवित चली जाने दूँगी।"

इस पर अङ्गरेज़ों ने चिल्ला कर उत्तर दिया—"ग्वालिन (Milkmaid), यदि कभी हम तुझे पकड़ पावें तो जीवित ही जला देंगे।"

इस उत्तर से वह बहुत दुखी हुई। अन्त में उसने युद्ध की घोषणा कर दी। तीन घण्टे लगातार युद्ध हुआ और अन्त में अङ्गरेज़ दुम दबा कर वहाँ से भाग गए। इस प्रकार उसने ऑर्लेन को शत्रुओं के हाथों से मुक्त किया। घेरा कुल २०९ दिन रहा था और जोन ने कुल ९ दिनों में उसका अन्त कर दिया। इस विजय से फ्रेञ्च सेना में बड़ा साहस और बड़ी आशा का सञ्चार हो गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि शत्रु को वे ऑर्लेन के सारे इलाक़े से भगा देंगे। यही नहीं, चारों ओर उसके प्रति लोगों के हृदयों में जो सन्देह था, वह दूर हो गया। उसने कहा था, 'ऑर्लेन मेरा चिन्ह होगा। यदि वहाँ मैं विजयिनी होऊँ तो तुम मेरा विश्वास करना।' अब वह विजयिनी हो गई थी, फिर कोई उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था?

अङ्गरेज़ी सरदार का आत्म-समर्पण

जोन का कार्य ऑर्लेन का घेरा तोड़ कर ही समाप्त नहीं हो गया था। अभी तो अङ्गरेज़ ऑर्लेन के इर्द-गिर्द के प्रान्त में अपना अधिकार जमाए हुए थे। उन्हें वहाँ से भगाना था। जोन ऑर्लेन नगर से इस कार्य के लिए चल पड़ी। अब तक उसके नाम का आतङ्क बहुत छा गया था। थी वह केवल १७-१८ वर्ष की ही, परन्तु उसका मान करते थे सेना के बड़े-बड़े सेनापति। एक बार ऑर्लेन में एक अफ़सर मार्ग में खड़ा ईश्वर का नाम लेकर गालियाँ दे रहा था। जोन उधर होकर जा रही थी। उसने ऐसा सुनते ही कहा—इन बातों में ईश्वर के नाम को व्यर्थ में क्यों घसीट रहे हो?

अफ़सर ने कुछ न कहा और गर्दन नीची करके एक ओर चल दिया। यह अफ़सर ऐसा था कि यदि और कोई उससे ऐसा कहता तो उसको दण्ड दिए बिना न रहता।

इस घटना से ही पाठक अनुमान कर सकते हैं कि चार्ल्स के अनुयायियों में जोन का कितना आतङ्क जम चुका था। अङ्गरेज़ भी जोन से डरने लगे थे, क्योंकि वे जोन के द्वारा बड़ी बुरी तरह परास्त हुए थे। जोन जब युद्ध के लिए निकली तो उसके साथ ऑर्लेन के सभी रणबाँकुरे थे, जो उसकी अधीनता में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। सबसे पहले इन्होंने ले तूरैल (Les Tourelle) पर मोरचा जमाया। यहाँ बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोन को स्वयं चोट लगी। अङ्गरेज़ों की ओर से एक तीरन्दाज़ ने कई बाण जोन को निशाना करके मारे, क्योंकि उनका विश्वास था कि तीर से यदि जोन के शरीर से रक्त बहने लगेगा तो उसकी सारी दैवी शक्ति नष्ट हो जायगी और फिर फ़्रान्सीसियों का विजयी होना असम्भव हो जायगा। उनकी इच्छा पूर्ण न हुई, क्योंकि उनके तीरों से जोन का रक्त नहीं बहा। यहाँ से भी अङ्गरेज़ों को भागना पड़ा।

ले तूरैल के बाद आरज़ों (Argean) नगर में तो अङ्गरेज़ों को बड़ी करारी हार खानी पड़ी। उसके लगभग सभी अफ़सर क़ैद कर लिए गए। अर्ल ऑफ़ सफ़ोक ने एक सिपाही के हाथ आत्म-समर्पण करते हुए पूछा—'तू नाइट (Knight) है?' सिपाही ने उत्तर दिया—'नहीं।'

'जा, मैंने तुझे नाइट बना दिया।' अर्ल ने कहा, क्योंकि उसे एक साधारण सिपाही के हाथों आत्म-समर्पण करते लज्जा लगी।

चार्ल्स का राज्याभिषेक

ऑर्लेन की विजय के बाद जोन चार्ल्स से मिलने आई। चार्ल्स ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया। इस प्रकार का स्वागत बड़े-बड़े सेनाध्यक्षों का नहीं हुआ था। चार्ल्स की प्रजा भी उसको अपनी नेत्री मानने लगी। यही नहीं, लोग उसको ईश्वर की दूत समझ कर अनेकों प्रकार के आशीर्वाद उससे माँगने लगे। प्रसिद्ध है कि उसने कई बड़े आश्चर्यजनक कार्य किए और कई बार भविष्यवाणी की, जो प्रत्येक बार ठीक हुई। एक बार एक सिपाही ईश्वर के विषय में अपशब्दों का व्यवहार कर रहा था। जोन ने उससे कहा—तू ईश्वर के लिए ऐसा कह रहा है, तुझे पता नहीं कि वर्ष भर के भीतर ही तू मर जायगा? वह सिपाही वर्ष भर के भीतर ही मर गया। एक स्थान पर एक बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ था। चूँकि उसका बप्तिस्मा नहीं हो सकता था, अतः उसके माता-पिता को बड़ी चिन्ता हुई। क्योंकि यह प्रसिद्ध था कि जो बप्तिस्मा कराए बिना मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। जोन का नाम सुन कर ग्राम वालों ने उसे वहाँ बुलाया और उससे कुछ करने के लिए बड़ी अनुनय-विनय की। जोन ने उस बालक से हाथ लगाया। ऐसा करते ही बच्चे का रङ्ग बदलने लगा। नीलापन से उसके शरीर पर लाली आने लगी। उसने हाथ-पैर हिलाए और वह जीवित हो गया। जब उसका बप्तिस्मा हो गया, तो धीरे-धीरे वह बच्चा फिर मर गया।

इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर जोन ने चार्ल्स को रेम नगर चल कर राज्याभिषेक करने के लिए विवश किया। उस समय उसने यह बड़ी भूल की कि अङ्गरेज़ों के ऊपर अन्य प्रान्तों में भी आक्रमण न कर दिया। उस समय अङ्गरेज़ डरे हुए थे और अपनी पराजय से बहुत कुछ साहस तथा अध्यवसाय खो चुके थे। उस समय उन्हें नौर्मण्डी आदि प्रान्तों से भगाना कठिन नहीं था। परन्तु जोन को राज्याभिषेक की शीघ्रता थी। अतः वह चार्ल्स को लेकर रेम की ओर चल दी। बड़ी कठिनाइयों के बाद और काफ़ी युद्ध करने पर वे रेम पहुँचे और बड़ी धूम-धाम से चार्ल्स का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ ज़ाके-द-आर्क भी आया हुआ था। अब वह जोन से अप्रसन्न नहीं था। उसके कहने पर जोन ने उसके ग्राम का सारा लगान माफ़ करा दिया। पिता-पुत्री का यह अन्तिम मिलन था।

गिरफ़्तारी

इसके बाद जोन ने पैरिस पर चढ़ाई की। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। परन्तु बर्गण्डी वालों की मक्कारी से तथा पैरिस के कुछ निवासियों के विश्वासघात के कारण जोन को इस बार सफलता न मिली और उसे पीछे हटना पड़ा। बाद में उसने पैरिस लेने का विचार स्थगित कर दिया।

पैरिस की पराजय के बाद जोन ने उन नगरों पर चढ़ाई करना प्रारम्भ किया, जो बर्गण्डी के ड्यूक के अधीन थे। परन्तु अन्त में चार्ल्स और ड्यूक में कुछ दिनों के लिए सन्धि हो गई। सन्धि के अनुसार चार्ल्स ने एक अपना नगर ड्यूक को दे देने की स्वीकृति दे दी, परन्तु उस नगर के निवासी चार्ल्स को छोड़ कर ड्यूक की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे, अतः चार्ल्स ने ड्यूक को दूसरा नगर बदले में दे दिया, जिसे पाकर ड्यूक सन्तुष्ट हो गया। सन्धि का समय जब समाप्त हो गया तो ड्यूक के मन में बेईमानी आई। उसने पहले नगर पर भी चढ़ाई कर दी और उसे जीत लिया। जोन को यह समाचार मिला, तो वह वहाँ दौड़ी हुई अपने सैनिकों के साथ गई। वहाँ पर बड़ा भीषण युद्ध हुआ और ख़ूब मार-काट हुई, परन्तु विधि को कुछ और ही करना था। यद्यपि जोन ईश्वरीय दूतों को नित्य देखा करती थी, और उनकी बातें सुना करती थी, उस दिन उसे उनका दर्शन नहीं हुआ, न उनका शब्द ही सुन पड़ा। उसे यह तो विश्वास हो गया था कि वह पकड़ ली जायगी, परन्तु कब, कहाँ और किस प्रकार, यह ईश्वर के दूतों ने उससे नहीं कहा था।

इधर मार-काट हो ही रही थी और शायद जोन विजयिनी होकर गढ़ अपने अधिकार में कर लेती, परन्तु उसके साथ धोखा हुआ। वह युद्ध की चालबाज़ियों से भिज्ञ न थी। एक ओर से बर्गण्डी की सेना की एक और टुकड़ी ने प्रहार किया और दूसरी ओर से अङ्गरेज़ों की सेना उधर आ डटी। अब क्या था; तीन ओर से जोन की सेना पर प्रहार होने लगा, जो उनके लिए, जितना सहन कर सकते थे, उससे अधिक था। भगदड़ पड़ गई। यदि थोड़ा सा समय और मिलता तो जोन के सिपाही गढ़ की दीवारों तक पहुँच जाते, परन्तु ऐसा न हो सका। युद्ध बन्द हो गया। एक तीरन्दाज़ ने जोन के पास आकर कहा—आत्म-समर्पण कर दो।

जोन ने बिना कुछ कहे आत्म-समर्पण कर दिया। वह तीरन्दाज़ उसे लेकर ड्यूक के अन्यतम सहायक ज़ों-द-लुक्सेम्बूर्ग (Jean de Luxembourg) के पास ले गया और उस दिन से जोन ड्यूक ऑफ़ बर्गण्डी की बन्दिनी हो गई।

जोन के विरोधी और मित्र

ज्योंही जोन गिरफ़्तार हुई, लोगों में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे। चार्ल्स के पक्ष वालों को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ। वे बड़े निराश हुए, क्योंकि अब तक जहाँ-जहाँ वे विजयी हुए थे, वहाँ-वहाँ जोन का आत्मबल तथा ईश्वर-विश्वास उनके साथ था। अब कौन उन्हें उस तरह से उत्तेजित तथा उत्साहित करके युद्ध-क्षेत्र में ले जायगा? चार्ल्स की प्रजा ने जोन के लिए भक्ति का स्रोत उमड़ा दिया। जहाँ-जहाँ वह हो आई थी, वहाँ-वहाँ लोगों ने उसकी स्मृति में और आदर में जुलूस निकाले, जिनमें उसकी मूर्तियाँ बना-बना कर आगे रक्खी गई थीं। चार्ल्स के राज्य में जितने गिर्जे थे, सभी में जोन की मूर्ति की स्थापना हुई और सारी प्रजा ने उसके लिए प्रार्थना की।

दूसरे भाव वाले थे बर्गण्डी के लोग। ये उसी प्रकार नीच और देशद्रोही थे, जिस प्रकार पृथ्वीराज के काल में हमारे यहाँ जयचन्द था। जब अङ्गरेज़ों ने फ़्रान्स में राज्य-विस्तार करने की ठान ली तो बर्गण्डी के ड्यूक तथा उसके अनुयायियों ने उन्हें हर प्रकार की सहायता दी तथा और भी सहायता देने का वचन दिया। और यह सब केवल इसीलिए कि बर्गण्डी का ड्यूक चार्ल्स से अपने पिता के बध का बदला लेना चाहता था और वह कभी सहन नहीं कर सकता था कि चार्ल्स के शिर पर राज्यमुकुट रक्खा जाय। द्वेष तथा ईर्षा की इन कुत्सित भावनाओं के पीछे वे लोग अपने देश को विदेशियों के हाथ बेचने के लिए तैयार हो गए थे। जोन उनकी आँखों में खटकती थी; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब तक जोन जीवित थी और चार्ल्स के साथ थी, तब तक ड्यूक को स्वयं फ़्रान्स का बादशाह होने का कोई भी अवसर न था। ऐसी दशा में जोन के गिरफ़्तार हो जाने पर उन्हें जो प्रसन्नता हुई होगी, उसका अन्दाज़ा पाठक लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें एक और आशा थी, वह यह कि यदि अङ्गरेज़ों ने या चार्ल्स ने जोन को प्राप्त करने का काफ़ी प्रयत्न किया तो ड्यूक को बदले में एक बड़ी रक़म हाथ लग जायगी।

तीसरा दल, जो जोन के विरुद्ध था और जिसे जोन के पकड़े जाने पर बड़ा हर्ष हुआ था, पैरिस विश्वविद्यालय के पादरियों का था। उस समय विश्वविद्यालय आजकल के विश्वविद्यालयों की भाँति नहीं होते थे। वहाँ अधिकतर धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। जोन की गिरफ़्तारी पर हर्ष प्रकट करने के इनके लिए दो कारण थे—पहला तो यह, कि पैरिस में अङ्गरेज़ों का राज्य था और बर्गण्डी का ड्यूक उनका सहायक था, अतः वे अङ्गरेज़ों तथा बर्गण्डी के ड्यूक से डरते थे। और चूँकि अङ्गरेज़ तथा ड्यूक जोन के विरुद्ध थे, अतः इनका भला भी इसी में था कि चार्ल्स और जोन का वे भी विरोध करें। दूसरा कारण यह था कि ये धर्मान्ध पादरी इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि चर्च से भी अधिक फ़्रान्स की प्रजा एक अशिक्षित बालिका का सम्मान करे और उसके नेतृत्व में काम करे। इसीलिए उन्होंने जोन पर यह दोषारोपण किया था कि वह जादूगरनी थी और शैतान के इलहाम को ईश्वर का इलहाम बता रही थी। वे उसका नाश करने के लिए इतने तुले हुए थे कि उन्होंने ड्यूक से इस बात की प्रार्थना की कि जोन पैरिस विश्वविद्यालय के सुपुर्द कर दी जाय, ताकि वहाँ उसका मुक़दमा हो सके और उसे यथोचित दण्ड दिया जा सके। जहाँ जोन रक्खी गई थी, वह स्थान बोवे (Beauvais) नामक नगर के गिर्जे के इलाक़े में था। वहाँ का पादरी बिशप कोशों (Bishop Caushon) बड़ा मक्कार था और निर्दय भी था। वह, न जाने क्यों, जोन से बड़ा द्वेष रखता था। वह तो यह मना रहा था कि शीघ्रातिशीघ्र वह जोन को जीवित जलता हुआ देखने की अपनी पाशविक पिपासा को शान्त करे। उसी को पैरिस विश्वविद्यालय ने अपना दूत नियत किया और उससे कहला भेजा कि जितना रुपया भी देना पड़े दो, परन्तु जोन को ड्यूक से ख़रीद लो।

यही नहीं, एक स्त्री, जो जोन की प्रशंसा करती हुई पकड़ी गई थी, विश्वविद्यालय के सामने मुक़दमे के लिए लाई गई। पादरी जज ने उससे पूछा—

'जोन को तुम जानती हो?'

'हाँ!'—उसने उत्तर दिया।

"क्या उसे इलहाम होता है?"

"हाँ।"

"ईश्वरीय?"

"हाँ।"

"तुम इस बात में विश्वास करती हो?"

"हाँ।"

बस इतना काफ़ी था, और उन नर-पिशाच धर्म-गुरुओं ने उस निर्दोष बालिका को जीवित अग्नि में जला दिया।

सब से बड़े शत्रु जोन के थे अङ्गरेज़। जोन न होती तो सारा फ़्रान्स वे अपने अधिकार में कर लेते। उसी ने बीच में पड़ कर अङ्गरेज़ों को नीचा दिखाया था। वे इस बात से डरते थे कि यदि जोन जीवित रही तो उनके सारे स्वप्न भङ्ग हो जायँगे। इसीलिए उन्होंने उस पर जादूगरनी होने का लाञ्छन लगाया था। उनकी यह इच्छा थी कि ड्यूक से जोन को ख़रीद लिया जाय और एक थैले में बन्द करके उसे नदी में फेंक दिया जाय। परन्तु अर्ल ऑफ़ वारिक (Earl of Warwick) को यह बात पसन्द न आई। वह बड़ी दुष्ट प्रकृति का आदमी था। वह बोला—'इस प्रकार तो जोन का ही अन्त होगा। परन्तु यदि हम दिखाने के लिए उस पर मुक़दमा चलावेंगे और उसे जीवित जला देंगे, तो संसार को यह विदित हो जायगा कि चार्ल्स का राज्याभिषेक एक ऐसी जादूगरनी की सहायता से हुआ था, अतः वह वास्तविक बादशाह नहीं है।' यह बात सबको जँच गई और वे इस बात का प्रयत्न करने लगे कि किसी प्रकार जोन को ड्यूक से ख़रीद लिया जाय, चाहे व्यय कितना ही हो जाय।

जोन अङ्गरेज़ों के हाथ बेच दी गई

ज़ों-द-लुक्सेम्बूर्ग, जो अब तक जोन का जेलर था, बहुत घबराया, कि कहीं ऐसा न हो कि रुपए के लोभ से कोई जोन को वहाँ से निकालने का प्रयत्न करे। अतः जोन को उसने आरा (Aras) पहुँचा दिया, जो ड्यूक का बहुत ही सुदृढ़ गढ़ था। कुछ दिनों तक सौदे की बातचीत होती रही। अन्त में ड्यूक ने जोन को अङ्गरेज़ों के हाथ दस हज़ार फ़्राङ्क में बेंच डाला। यहाँ पर यह लिखना असङ्गत न होगा कि बादशाह चार्ल्स ने ऐसे समय में जोन के प्रति बड़ी कृतघ्नता दिखाई। यह तो सभी ऐतिहासिक मानते हैं कि यदि चार्ल्स प्रयत्न भी करता, तो भी जोन को नहीं छुड़ा सकता था; अङ्गरेज़ों के हाथ बेचा जाना, यह स्वयं-सिद्ध बात थी। परन्तु फिर भी जिस जोन ने चार्ल्स के साथ इतना उपकार किया था, उसकी मुक्ति के लिए चार्ल्स को कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए था। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चार्ल्स ने कभी ड्यूक को जोन के छोड़ने के लिए रुपयों का प्रलोभन दिया हो।

अङ्गरेज़ों ने जोन को ख़रीदा और साथ ही साथ इस बात की घोषणा भी कर दी कि जोन का मुक़दमा चर्च के नियमों के अनुसार होगा। यह अङ्गरेज़ों की केवल कूटनीति थी, जिसके लिए वे सदा से प्रसिद्ध हैं। संसार को दिखाने के लिए तो मुक़दमे की घोषणा का ढोंग रच दिया, परन्तु भीतर-भीतर ऐसे नीचतापूर्ण षड्यन्त्र रचे कि जिनका वर्णन पढ़ते ही जोन के प्रति दया का भाव तथा उन कूटनीतिज्ञों के प्रति रोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। सब से पहले तो उन्होंने जोन को नौर्मण्डी प्रान्त को हटा ले जाने की व्यवस्था की, जहाँ अङ्गरेज़ों का राज्य था। उन्हें ड्यूक पर भी विश्वास नहीं था। दूसरी बात उन्होंने यह की कि पैरिस विश्वविद्यालय से मुक़दमा चलाने की अनुमति ले ली। अब उन्हें चिन्ता इस बात की हुई कि जज ऐसा पादरी हो, जो उनके वश में हो और साथ ही जोन से भी उसे घृणा हो। उन्हें ऐसा आदमी बिशप कोशों के अतिरिक्त और कोई दिखाई न दिया। बिशप कोशों भी, जैसा पाठक पहले देख चुके हैं, इस बात के लिए तैयार ही बैठा था। बस, अङ्गरेज़ों ने विश्वविद्यालय को लिख कर कोशों को बोवे से रुआँ (Rouen) बुलवा लिया, जहाँ जोन रक्खी जाने वाली थी तथा उसका मुक़दमा होने वाला था।

बन्दीगृह में

जोन का बन्दी-जीवन बड़ा करुणा-पूर्ण है। रुआँ के प्राचीन क़िले में जोन एक कमरे में रक्खी गई। इसके झरोखों को बन्द करवा दिया गया था, ताकि भली-भाँति प्रकाश भी न आ सके। यहाँ पर पाठकों को यह भी बतला देना उचित होगा कि इस प्रकार जेल में रख कर मुक़दमा चलाना क़ानून के विरुद्ध था, क्योंकि जोन युद्ध में लड़ते हुए गिरफ़्तार की गई थी, और यदि मुक़दमा चला भी था, तो वह चर्च की ओर से था। ऐसी दशा में जोन को चर्च के बन्दी-गृह में न रख कर, अङ्गरेज़ों के बन्दीगृह में रखना बिशप कोशों और उसके महाप्रभु अङ्गरेज़ी सरदारों की मक्कारी की पहली सोपान थी।

रुआँ में जोन किस प्रकार रक्खी गई थी, इसके वर्णन मिलते-जुलते नहीं हैं। कुछ लोगों का विचार है कि अङ्गरेज़ों ने एक लोहे का पिञ्जर बनवाया था, जिसमें कोई मनुष्य सीधी तरह खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसी पिञ्जर में देवी जोन को उन्होंने रात-दिन बन्द रक्खा और उसके पैरों, हाथों और कमर से ज़ञ्जीरें बाँध दी जाती थीं। दूसरा मत यह है कि जोन के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहती थीं और उसकी कमर में एक ज़ञ्जीर बँधी रहती थी। रात को वह ज़ञ्जीर एक लोहे के लट्ठे में बाँध दी जाती थी और उसमें ताला जड़ दिया जाता था। पाँच अङ्गरेज़ उसके पहरे पर रहते थे। ये बड़े दुष्ट थे। जोन को कभी चैन न लेने देते थे, हर समय उससे उपहास किया करते थे। कुछ तो उनमें से ऐसे दुष्ट थे कि बातों में लगा कर जोन से वे उसके विषय में अनेकों बातें पूछते और वह इतनी भोली थी कि उन्हें अपनी सारी बातें सत्यरूप में बता देती थी। वे ही बातें पीछे से उसके मुक़दमे में उसके विरुद्ध प्रयोग में लाई गईं।

जब जोन को बन्दीगृह में कुछ दिन बीत गए तो एक दिन ज़ों-द-लुक्सेम्बूर्ग वहाँ आया और बोला—

'जोन, अभी तो मेरे हाथ में तुम्हारा छुड़ाना है। अगर तुम यह प्रतिज्ञा करो कि अङ्गरेज़ों तथा ड्यूक ऑफ़ बर्गण्डी के विरुद्ध कभी अस्त्र न उठाओगी, तो मैं अङ्गरेज़ों का रुपया लौटा कर तुम्हें छुड़ा सकता हूँ।'

'तुम मज़ाक़ कर रहे हो। मेरे दूतों ने मुझे बताया है, कि मुझे इङ्गलैण्ड के बादशाह का सामना करना ही पड़ेगा!'—जोन ने निःशङ्क होकर कहा।

ज़ों ने फिर वही बात दुहराई।

'मैं जानती हूँ कि इसमें कुछ भी सार नहीं है।

क्योंकि अङ्गरेज़ मेरी जान अवश्य ही लेंगे, इस विचार से कि मेरी मृत्यु के बाद वे सरलता से फ़्रान्स को अपने वश में कर लेंगे।'

अर्ल लज्जित होकर चला गया।

इसके कुछ ही दिन बाद जोन ने कई अङ्गरेज़ सेनापतियों के सामने कहा—यदि अङ्गरेज़ों की संख्या आज से कई लाख और बढ़ जाय, वे चार्ल्स को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते, न वे इस देश को जीत सकते हैं!

इन बातों को सुन कर कायर अर्ल ऑफ़ वारिक को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और जोन पर आक्रमण करने को चला। परन्तु उसके एक साथी ने यह कह कर रोक लिया—क्या करते हो? एक स्त्री पर वार करते हो?

उस १६ वर्ष की भोली-भाली बालिका को जेल में बन्द करके अङ्गरेज़ी योद्धा इस प्रकार उसके सामने अपनी वीरता दिखाते थे?

न्याय का नाटक!

न्याय का नाटक दिखाने के लिए कोशों ने मुक़दमे का बड़े विशाल रूप से आयोजन किया। पैरिस से कई क़ानूनी डॉक्टर तथा पादरी जाँच करने के लिए आए थे। कोशों स्वयं जज था। ४१ असेसर मुक़दमे में बैठने के लिए बुलाए गए थे। जोन की ओर से न कोई वकील था, न कोई गवाह। इस मुक़दमे में चार्ल्स पर भी लाञ्छन आता था और नियमानुसार वहाँ उसका अथवा उसके वकील का होना आवश्यक था, परन्तु उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया था। इसके पूर्व, पाठकों को याद होगा, चार्ल्स के नियत हुए क़ानूनी डॉक्टर तथा पादरियों ने छः सप्ताह तक जोन की परीक्षा करके यह घोषित किया था कि जोन पर वास्तव में इलहाम होता था। वर्तमान अभियोग उस कमिटी के निर्णय के विरुद्ध था, अतः न्याय का तो यही तक़ाज़ा था कि उस कमिटी के सदस्यों में से कुछ को गवाह के रूप में ही बुलाया जाता, परन्तु ऐसा भी न किया गया।

जोन पर जो अपराध लगाया गया था, उसके प्रमाण क्या थे? इसका वृत्तान्त भी बड़ा कौतूहलपूर्ण है। वास्तव में ऐसा प्रमाण कोई भी न था, जिससे कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश जोन को दण्डित कर सकता। प्रमाण-स्वरूप अदालत के सामने वे बातें रक्खी थीं, जो बिशप कोशों के दूतों ने इधर-उधर से एकत्रित करके उसके सामने रख दी थीं। जब उन व्यक्तियों को अदालत के सामने पेश करने का प्रश्न छिड़ा, तो कोशों ने कहा—उन गवाहों को यहाँ पर लाना और सार्वजनिक रूप से अदालत के सामने पेश करना सर्वथा असम्भव है। क्योंकि वे चार्ल्स की प्रजा हैं और चार्ल्स के विरुद्ध गवाही देने में उन्हें अपने जीवन का भय है।

और दूसरे प्रमाण क्या थे, यह भी सुनिए। वे थे जोन के मुख से कहे हुए अपने वाक्य। और इन वाक्यों का संग्रह किस प्रकार हुआ था? पाठक पढ़ चुके हैं कि जोन के पहरे पर जो अङ्गरेज़ सिपाही थे, वे जोन से उसके इलहाम के विषय में बातें किया करते थे और जोन जो कुछ कहती थी, उसे जज तक पहुँचा देते थे। ये बातें कोशों जोन के विरुद्ध अदालत में काम में लाता था। यह तो रही एक रीति। दूसरी रीति इससे भी नीचतापूर्ण थी। बिशप कोशों और अङ्गरेज़ अपने जासूसों को भिन्न-भिन्न भेषों में भेजते थे और ये जासूस जोन से वार्तालाप करके उसकी रिपोर्ट जज कोशों को देते थे। एक जासूस पेण्टर (चित्रकार) बन कर जोन के पास गया और उससे पूछा—"शायद मैं कभी तुम्हारा चित्र बनाऊँ। तुम मुझे बता सकती हो कि कौन-कौन से शस्त्र तुमने युद्ध में अपने शरीर पर धारण किए थे?" इसका उत्तर पाने पर उसने इसकी रिपोर्ट अदालत में दे दी और फल यह हुआ कि जोन पर एक अभियोग यह लग गया कि वह अस्त्र-शस्त्र धारण करके अपनी धाक प्रजा में जमाना चाहती थी।

इसी प्रकार एक पादरी निकोला (Nicolas) नाम का था। वह एक दिन फटे-पुराने वस्त्र पहन कर जेल में गया और जोन से कहने लगा—मैं तुम्हारे ग्राम के निकट का रहने वाला एक चर्मकार हूँ। मुझे भी अङ्गरेज़ों ने क़ैद कर लिया है।

कुछ दिनों में यही मक्कार पादरी जोन से भेद लेने लगा और एक दूसरे कमरे में बैठे हुए अदालत के क्लर्क, जो एक छेद में से सब कुछ देखा करते थे, जोन की बातों को नोट करने लगे। यही नहीं, यह पादरी ही कभी-कभी अपने वास्तविक रूप में आकर जोन को सान्त्वना देकर दया दिखाया करता था। जोन का यह स्वभाव था कि वह प्रायः किसी पादरी के सामने अपनी बातों का रहस्योद्घाटन (Confession) किया करती थी। यह धार्मिक नियम है कि पादरी किसी के रहस्यों को मरते दम तक भी न प्रकट करे। परन्तु इस मुक़दमे में सब ने धर्म को तो बालाए-ताक़ रख दिया था, सत्य हृदय से जोन ने जो रहस्य इस पादरी को बताए, वे ही उसके विरुद्ध अदालत में काम में लाए गए।

बन्दी-गृह में एक और ऐसी ही घटना हो गई, जिससे अङ्गरेज़ों की मनोवृत्ति का पता चलता है। अदालत को यह जानने की इच्छा हुई कि जोन वास्तव में ब्रह्मचारिणी है या नहीं। इसके लिए डचेज़ ऑफ़ बेडफ़ोर्ड ने जाकर एकान्त में जोन की परीक्षा की। इस परीक्षा के समय ड्यूक ऑफ़ बेडफ़ोर्ड पास के कमरे में था और एक छेद में से सारी कार्यवाही देख रहा था। इस बात के प्रकट हो जाने पर बड़ी हलचल मची, परन्तु अङ्गरेज़ों की ओर से यह कहा गया कि चूँकि जोन एक जादूगरनी और टोटका-टनका करने वाली थी, अतः उसके साथ एक सभ्य रमणी का सा व्यवहार नहीं किया जा सकता था! परन्तु ध्यान करने की बात यह है कि उस समय तक जोन एक विचाराधीन बन्दिनी थी, उसका अपराध तब तक प्रमाणित नहीं हुआ था, अतः ड्यूक बेडफ़ोर्ड का यह भद्दा व्यवहार किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता।

एक बार जेल में जोन बीमार पड़ गई। अङ्गरेज़ों को उसकी बड़ी चिन्ता रहती थी, इसलिए नहीं कि जोन के प्रति उनका भाव बदल गया था, किन्तु इसलिए कि उन्हें भय था कि कहीं जोन रोग से ही न मर जाय और अङ्गरेज़ों को उसके जीवित जलाये जाने का तमाशा देखने को न मिले। इसी कारण अर्ल वारिक ने डॉक्टर से विशेष रूप से प्रार्थना की थी कि जोन को नीरोग कर दिया जाय।

मुक़दमा ता० २१ फ़रवरी १४३१ को प्रारम्भ हुआ और कई दिन तक होता रहा। इस बीच में जोन से अनेकों प्रश्नों पर बहस हुई। परन्तु वह अपनी बात पर दृढ़ रही। क़िले में एक कमरा ऐसा था, जहाँ क़ैदी को भाँति-भाँति की यन्त्रणाएँ दी जाती थीं, ताकि वह अपना भेद बता दे और अभियोग को स्वीकार करले। इस बात पर असेसरों में मतभेद था कि जोन को वे यन्त्रणाएँ दी जायँ या नहीं। जोन ने जब इस बात को सुना तो वह बोली—"मैंने जो कुछ भी मुक़दमे की पेशियों में कहा है, मैं सदा वही कहूँगी। यदि मुझे आग में भी जलाया जाय, तो भी मैं अपने निश्चय को नहीं बदलूँगी!"

मुक़दमे में कुछ असेसर तो जोन को निर्दोष समझते थे। उनके विचार में जोन के विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाण न था कि उसका अपराध सिद्ध हो जाय। परन्तु वे इतने साहसी न थे कि स्पष्ट रूप से उन बातों को कह सकें। उन्हें पैरिस विश्वविद्यालय तथा अङ्गरेज़ों का भय था।

जब मुक़दमे की जाँच समाप्त हुई तो जज और असेसर अपना फ़ैसला लिखने लगे। फ़ैसले दो लिखे गए थे। एक तो उस दशा के लिए, जब जोन अपना दोष न माने। उसमें उसे जीवित जलाने का दण्ड दिया गया था। दूसरा फ़ैसला उस दशा के लिए था, जब कि जोन अपना अपराध स्वीकार कर ले। इसका दण्ड था कि वह चर्च को आत्म-समर्पण कर दे और आजन्म चर्च के बन्दीगृह में रहे। भरी सभा में जोन को बुलाया गया और उसके अपराधों की सूची सुना दी, जो बारह धाराओं में विभाजित की गई थी। पहले तो जोन दृढ़ रही, परन्तु पीछे, जब दण्ड सुनाने का समय आया तो वह विचलित हो उठी और कहने लगी—'ठहरो, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ, यदि मुझे चर्च के बन्दीगृह में रक्खा जाय और प्रार्थना में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी जाय।'

जज ने उसे दूसरा दण्ड सुना दिया। दण्ड तो सुना दिया, परन्तु अङ्गरेज़ इस बात से बहुत बिगड़े। उन्हें यह सहन न हो सका कि जोन इस प्रकार जीवित रही आवे, अतः उन्होंने बड़ा उपद्रव मचाया और अन्त में फल यह हुआ कि जोन, चर्च के सुपुर्द न की जाकर, उसी जेल में रक्खी गई और अङ्गरेज़ ही उसके पहरेदार नियुक्त किए गए। जोन अब तक पुरुषों के से वस्त्र पहनती थी, अब उसने स्त्रियों के वस्त्र धारण कर लिए।

इस प्रकार दो ही दिन व्यतीत हुए थे कि तीसरे दिन जोन को लोगों ने पुरुषों की पोशाक में देखा। बस चारों ओर तहलक़ा मच गया।

दूसरा मुक़दमा और अन्त

उन दिनों यह अपराध था कि पुरुष स्त्री-वेश में रहे अथवा स्त्री पुरुष-वेश में रहे। जोन पर यह भी अभियोग लगाया गया था। दोष स्वीकार करते समय जोन ने स्त्रियों के वस्त्र पहन लिए थे। अब फिर उसके शरीर पर पुरुषों की पोशाक हो, यह बात चर्च तथा क़ानून की दृष्टि में दण्डनीय थी। कुछ ऐतिहासिकों का कहना है कि अङ्गरेज़ों ने स्वयं ऐसा कराया था। पहरेदारों ने उसका और सब सामान तो हथिया लिया था, परन्तु उसकी पुरुषों की पोशाक उसकी कोठरी ही में छोड़ दी थी। वे उसे नित्य ताने भी दिया करते थे। इसी कारण जोन ने फिर वह पोशाक धारण कर ली। यदि उसे उस वातावरण से हटा कर चर्च के बन्दी-गृह में रक्खा जाता तो ऐसा कभी न होता। कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि जोन को दण्ड सुनाते समय दूतों का शब्द सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। दूसरे दिन उसे दूतों ने उस शिथिलता के लिए बुरा-भला कहा, इसलिए अपने वही वस्त्र उसने फिर पहन लिए।

इस घटना के कारण उस पर दुबारा अभियोग लगाया गया। इस बार, जज और असेसर जहाँ बैठे थे, उसके सामने ही एक ऊँचे चबूतरे पर एक खम्भा गाड़ दिया गया था और उसके इर्द-गिर्द लट्ठे चुन दिए गए थे, क्योंकि इस बार सबको यह विश्वास था कि जोन अवश्य ही जीवित जलाई जायगी। मुक़दमे में उससे फिर पूछा गया—क्या तुम्हारा इलहाम ईश्वरीय था?

'हाँ।'—उसने कहा।

'तुम अब भी दूतों की बातें सुना करती हो?'

'हाँ।'

(शेष मैटर ६३वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ





राजकुमार और महारानी साहेबा सहित काश्मीर और जम्मू के वर्तमान शासक

महाराजा हरिसिंह जी बहादुर



काश्मीर और जम्मू के वफ़ादार सेवक
लाला शिवदास जी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०



काश्मीर और जम्मू सी० आई० डी० (पुलीस)
के प्रधान—पं० गुरुदयाल जी, रामपाल



काश्मीर और जम्मू के प्रधान सचिव
राजा सर हरिकिशन कौल

महाकवि दाग़ (देहलवी) और उनका प्रतिभाशाली वंशज

(आप लोगों की विस्तृत रचनाओं का रसास्वादन अन्यत्र कीजिए)

महाकवि 'दाग़' देहलवी



हमारी चार दिन की ज़िन्दगी में,
नहीं कुछ और सब कुछ है इसी में।
दुआ ले ले के रञ्जो-ग़म दिए जाएँ,
हम अपनी सी वह अपनी सी किए जाएँ।
दिल कहीं मुट्ठी से खुल कर गिर पड़ा,
हर गली की ख़ाक छानी जाएगी।
मेरे पहलू में जब तक दिल है ऐ "नूह"
किसी की आरज़ू है और मैं हूँ॥



नाख़दाय-सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी

कभी फ़लक को पड़ा दिल-जलों से काम नहीं। अगर न आग लगा दूँ तो "दाग़" नाम नहीं।
देख कर वह "दाग़" की तस्वीर यह कहने लगे; आदमी अच्छा है, अच्छी हो अगर तक़दीर भी॥

श्री० प्रतापनारायण; 'वफ़ा' शाहजहाँपुरी





हज़रते "अहमन" मारहरवी



श्री० त्रिवेणीसहाय 'ज़ाहिद' इलाहाबादी

दिल रहा पहलू में जब तक सौ बलाएँ सर पे थीं; क्यों कहूँ उसके बिछुड़ जाने का मुझको ग़म हुआ।
ऐ "वफ़ा" एक बेवफ़ा पर जान दे देने के बाद; हर जगह मशहूर मेरा क़िस्सए पुरग़म हुआ॥

महाकवि दाग़ (देहलवी) और उनका प्रतिभाशाली वंशज



हिज़ एक्सेलेन्सी महाराजा सर किशन-
प्रसाद "शाद" हैदराबादी

सुरूरे मै से तेरी आँख अगर मख़मूर हो जाए,
बलाएँ ले परी, क़ुर्बान तुझ पर हूर हो जाए।
तुम्हारे दौर में अच्छा है यह दस्तूर हो जाए,
तुम्हें जो देख ले, देने को दिल मजबूर हो जाए।
अदाएँ हुस्नो उलफ़त की छुपें क्यों चश्मे आलम से,
तेरी ग़फ़लत मेरी दीवानगी मशहूर हो जाए।
मज़ा यह दाग़ उल्फ़त का है दिल में हज़रते 'सायल',
उभर कर आबला हो, बैठ कर नासूर हो जाए।



हज़रत "सायल" देहलवी

नहीं है तेरे सिवा दर्द आशना कोई,
नज़र नहीं मुझे आता है दूसरा कोई।
ग़रज़ बुरे से है हमको न है भले से काम,
कोई भला हो हमें क्या, कि हो बुरा कोई।
तेरे ही नूर का जलवा है दैरो काबा में,
बस एक तू है, नहीं और दूसरा कोई।
कभी हैं दैर में जाते, कभी हरम में मगर—
हमारे यार का देता नहीं पता कोई।



कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी

जो बेरुख़ी थी यही रुख़ यूँही छुपाना था,
मेरे ख़याल में भी आपको न आना था।
आइना भी था कोई क्या ज़िन्दगी का आइना,
देखने पर मौत की सूरत नज़र आई मुझे।
जमाले रुए अनवर देख कर ऐ हज़रते 'बिस्मिल'
कहा था किसने तुमसे सूरते तस्वीर हो जाना?



क्यों आप यह कहते हैं देखा न करो मुझको,
जो सब की नज़र में है वह मेरी नज़र में है।
एक दुनियाए जुनूँ साथ लिए फिरता है,
कोई देखे तो यह आलम तेरे दीवाने का।



हज़रत "शातिर" इलाहाबादी

श्री० हरिश्चन्द्र 'ज़िया' देवानन्दपुरी

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



स्वर्गवासी प्रिन्सिपल एस० सी० साहनी, एम० ए०, एम० एल० सी०—आप सिन्ध प्रान्त के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता, समाज-सुधारक और विद्या-प्रचारक थे। अभी हाल में ही आप स्वर्गवासी हुए हैं।



श्रीमती लीलावती आर० बाहरी। आप राष्ट्रीय स्त्री-मण्डल की सभानेत्री, महिला सत्याग्रह स्वयंसेविका दल की मन्त्रिणी और गाँधी अस्पताल की भूतपूर्व अध्यक्षा हैं। आप ही सिन्ध-प्रान्त की वह महिला-रत्न हैं, जिन्होंने सब से पहले शराब, विदेशी वस्त्र और मन्दिरों के विरुद्ध पिकेटिङ्ग आरम्भ किया था।



सुविख्यात-नरेश श्रीमान कृष्णराज वडियार। हाल में कर्नाटक और बम्बई प्रान्त में बड़ी धूमधाम से आपकी वर्षगाँठ मनाई गई है। आप अपने प्रजा वात्सल्य के लिए प्रसिद्ध हैं।



श्री० बेके, जो शोलापुर के 'गिरनी कामगर सङ्घ' के प्रमुख कार्यकर्त्ता हैं। आपको तीन मास तक भाषण न देने की आज्ञा प्रदान की गई है।



स्व० सरदार पूर्णसिंह जी—आप पञ्जाबी भाषा के महान् कवि और लेखक थे। आपकी रचनाएँ राष्ट्रीय भावापन्न होती थीं। इसलिए आपकी आकस्मिक मृत्यु से पञ्जाब की विशेष क्षति हुई है।



पण्डित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, भूतपूर्व एम० एल० सी० 'सैनिक'-सम्पादक, आगरा। आप बम्बई की हिन्दी लिटरेरी कॉन्फ्रेन्स के प्रधान चुने गए हैं।



कुमारी राजूबाई शाहा, बी० ए०—आप शोलापुर की पहली महिला ग्रेजुएट हैं और कृषि-सम्बन्धी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा से अमेरिका गई हैं।



श्रीमती के० शेषम्मा—आप गण्टूर (मद्रास) की प्रमुख कार्यकर्त्री हैं। आपने गण्टूर में एक महिला-आश्रम स्थापित किया है और गत सत्याग्रह संग्राम में भी प्रशंसनीय कार्य किया है।



डॉक्टर कुमारी मैत्रेयी बोस, एम० बी०, जो कलकत्ता के चितरञ्जन सेवा-सदन स्त्री-चिकित्सालय की हाउस-सर्जन हैं और जिन्हें जर्मनी के एक विश्वविद्यालय द्वारा, औषधि-शास्त्र का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई है।



निकाली दुश्मनी तूने कहाँ की आसमाँ हमसे, बहार आने न पाई और छूटा आशियाँ हमसे।
ख़ुदा मालूम क्या गुज़रे हमारे इक न रहने पर, अकेले तो न छोड़ा जायगा यह आशियाँ हम से ॥

ज़माने से नहीं मतलब हमें तो तुम से मतलब है,
अगर बरगश्ता[1] होता हो तो हो सारा जहाँ हमसे !
—"सिद्दीक़" देहलवी

हमारा भी ख़ुदा है, हम भी हैं अल्लाह के बन्दे,
क़ुदूरत[2] दिल में रखता है, तो रक्खे आस्माँ हमसे।
—"अरमान" कानपुरी

मेरी मय्यत पे रो-रोकर किसी का हाय यह कहना,
बताओ तो चले हो रूठ कर तुम अब कहाँ हमसे !
—"आशुफ़्ता" अकबराबादी

क़ुसूर ऐसा हुआ है क्या बता ऐ आस्माँ हम से,
छुटे हैं आशियाँ[3] से हम, छुटा है आशियाँ हमसे।
—"बख़्त" मेरठी

बहुत पुरदर्द है क़िस्सा, बड़ी लम्बी कहानी है,
अगर दिल है तो सुन लो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे।
—"जौहर" साहब

नज़र गुलचीं[4] की टेढ़ी है, ख़फ़ा है बाग़बाँ हमसे,
यही अनबन है तो छूटेगा इक दिन गुलसिताँ[5] हमसे।
मिटाना ही अगर मन्ज़ूर है हमको तो बिस्मिल्लाह,
हमारा पूछते हैं आप क्यों नामो-निशाँ हमसे।
यह इनका पाँव पड़ना ख़ाली अज़ग़ज़ज़त[6] नहीं "जोया",
हमें मालूम है जो चाहती हैं बेड़ियाँ हमसे।
—"जोया" बरेलवी

बहुत कोशिश से रक्खा था दबाए इसको पहलू में,
छिपाए से नहीं छिपता है अब सोज़े निहाँ[7] हमसे।
नज़र उसके करम की हम पे गर इक बार हो जाए।
नहीं परवाह हमें रूठा रहे सारा जहाँ हमसे।
—"ख़ुशदिल" लाहौरी

नहीं मिलते हैं तेरे हार के क़ाबिल जो फूल उनको,
हमारे दाग़े दिल ले जाएँ आकर बाग़बाँ हमसे।
—"राना" ग्वालियारी

असर ऐसा दिखा ऐ दिल, वह ख़ुद घबरा के आ जाएँ,
न रगड़ी जाएँगी इस तरह बरसों एड़ियाँ हमसे।
उदू[8] आकर तेरी महफ़िल में बैठे और हम देखें,
न होगा, यह न होगा, यह न होगा, मेहरबाँ हमसे।
तेरे आगे कलेजा, दिल, जिगर, सर रख दिया हमने,
न होंगे मेहमाँ तुझसे, न होंगे मेज़बाँ[9] हमसे।
—"शाकिर" ग्वालियारी

१—फिरा हुआ २—मैल ३—घोंसला ४—फूल चुनने वाला ५—बाग़ ६—मतलब रखता है ७—छुपी हुई आग ८—दुश्मन ९—जिसके यहाँ मेहमान रहे

तअज्जुब सा तअज्जुब है, हमें हैरत सी हैरत है,
कि ज़र्रे-ज़र्रे में रह कर भी क्योंकर हो नेहाँ हमसे।
—"शाकिर" लखनवी

जलाया किस तरह बर्क़े सितम[10] ने आशियाँ अपना,
अगर दिल है तो सुन लो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे।
बहार आई चमन में इतना कह देना ही क्या कम था,
कि छेड़ा तूने फिर सैयाद[11] ज़िक्रे आशियाँ हमसे।
बचे दो-चार क़तरे ख़ून के दिल में जो हैं "शैदा",
उन्हें भी माँगती है आज चश्मे ख़ूँ चकाँ[12] हमसे।
—"शैदा" कानपुरी

नहीं खुलता है कुछ इक़रार और इन्कार का उक़दा[13]
न कहते हैं 'नहीं' हमसे, न वह कहते हैं 'हाँ' हमसे।
—"बेचैन" काशीपुरी

कलेजा थाम लो पहले तुम अपना दोनों हाथों से,
जो सुनना चाहते हो दर्दे दिल की दास्ताँ हम से।
—"फ़िदा" ग्वालियारी

अबस[14] है बर-सरे पैकार[15] अब तक आस्माँ हमसे,
बहुत मुद्दत हुई छूटा हुआ है गुलसिताँ हम से।
ज़बाँ से सहल है नालों को बे तासीर कह देना,
अगर दिल है तो सुन लो दुख-भरी यह दास्ताँ हमसे।
—"फ़ज़्ल" अकबराबादी

हज़ारों बार की हैं शम्आ[16] ने सरगोशियाँ[17] हमसे,
मिलेंगे दिल-जलों को कब जहाँ में राज़दाँ[18] हमसे।
तू कर ले अपनी-सी हर एक ऐ बर्क़े तपाँ[19] हमसे,
न रक्खी जाएगी क्या फिर बिनाए आशियाँ हमसे।
चलो गर्दाबे हस्ती[20] में डुबो दें इस सफ़ीने[21] को,
सँभल सकती नहीं जो कश्तिए उम्रे-रवाँ हमसे।
—"कामिल" साहब

जफ़ाओं[22] पर जफ़ाएँ हैं मगर हम उफ़ नहीं करते,
अभी कुछ और लेगा इम्तिहाँ क्या आसमाँ हमसे ?
—"निश्चल" देहलवी

हमारा माजराए ग़म सुना तुमने कहाँ हमसे,
यह ऐसी दास्ताँ है, हो नहीं सकती बयाँ हमसे।
फ़लक[23] से गिर के बिजली ने वह ढाँचा ही बदल डाला,
कि अब देखा नहीं जाता है सूये आशियाँ हमसे।
तमन्ना बस निकल जाए तमन्ना है यही दिल की,
किसी दिन आप सुनिए तो हमारी दास्ताँ हमसे।

१०—ज़ुल्म की बिजली ११—बहेलिया १२—ख़ून टपकाने वाली १३—गिरह १४—बेकार १५—लड़ने पर तैयार १६—दीपक १७—कानाफुसकी १८—भेद जानने वाला १९—तड़पने वाली बिजली २०—ज़िन्दगी की भँवर २१—नाव २२—ज़ुल्म २३—आकाश

ख़ुदा मालूम क्या गुज़रे हमारे एक न रहने पर,
अकेले तो न छोड़ा जाएगा यह आशियाँ हमसे।
अज़ल[24] ही से लिखा है बख़्त[25] में शौक़े जबींसाई[26],
न छूटा है, न छूटेगा किसी का आस्ताँ[27] हमसे।
इसी से और शौक़े मैकशी[28] बढ़ती है ऐ "ज़ाहिद",
किया करता है बातें लुत्फ़ की पीरेमुग़ाँ[29] हमसे।
—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

चमन वाले उजड़वाते हैं होकर बदगुमाँ हमसे,
बनेगा किस तरह अब इस तरह का आशियाँ हमसे।
निकाली दुश्मनी तूने कहाँ की आस्माँ हमसे,
बहार आने न पाई और छूटा आशियाँ हमसे।
ख़ुदा के वास्ते इसको न पूछ ऐ बाग़बाँ हमसे,
चमन में आशियाँ से हम थे, या था आशियाँ हमसे ?
ज़बाँ भी जब नहीं खुलती, नहीं चलती, नहीं फिरती,
वह सुनने के लिए कब आए दिल की दास्ताँ हमसे।
वफ़ूरे[30] हसरतो ग़म से कलेजा मुँह को आता है,
न पूछ ऐ हमनशीं अब क़िस्सए उम्रेरवाँ हमसे।
अगर हम रह नहीं सकते, तो यह भी रह नहीं सकता,
चमन में हम-सफ़ीरो[31] है हमारा आशियाँ हमसे ?
जफ़ा वाले हमें क्यों गिन रहे हैं बेवफ़ाओं में,
गया है कौन सा वक्ते मुहब्बत रायगाँ[32] हमसे ?
वह नाहक़ पूछते हैं, मुफ़्त का एहसान रखते हैं,
हमारा हाले रञ्जो ग़म नहीं होता बयाँ हमसे।
दिले गुम गश्ता[33] की है जुस्तजू शायद कुछ उनको भी,
वह आख़िर पूछते हैं किसलिए उसका निशाँ हमसे।
अज़ल से फ़िक्र उनको, जुस्तजू उनकी, तलाश उनकी,
अबद[34] तक रह नहीं सकते वह परदे में नेहाँ हमसे।
चमन में सौ तरह की जब बहारें हमने लूटी हैं,
तो आँखों से न देखा जायगा ज़ुल्मे ख़ेज़ाँ हमसे।
बताएँ या छिपाएँ कुछ समझ ही में नहीं आता,
ज़माना पूछता है दर्दे दिल की दास्ताँ हमसे।
चमन ऐ हम सफ़ीराने चमन तुमको मुबारक हो,
हमेशा के लिए अब छुट रहा है आशियाँ हमसे।
हमारा सिलसिला है ख़ानदाने "दाग़" से "बिस्मिल",
जिसे हो सीखनी वह सीख ले उर्दू ज़बाँ हमसे।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२४—आदि २५—तक़दीर २६—माथा घिसना २७—चौखट २८—शराब पीना २९—शराब ख़ाने का मालिक ३०—बहुत ३१—साथी ३२—बेकार ३३—खोया हुआ ३४—अन्त।

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

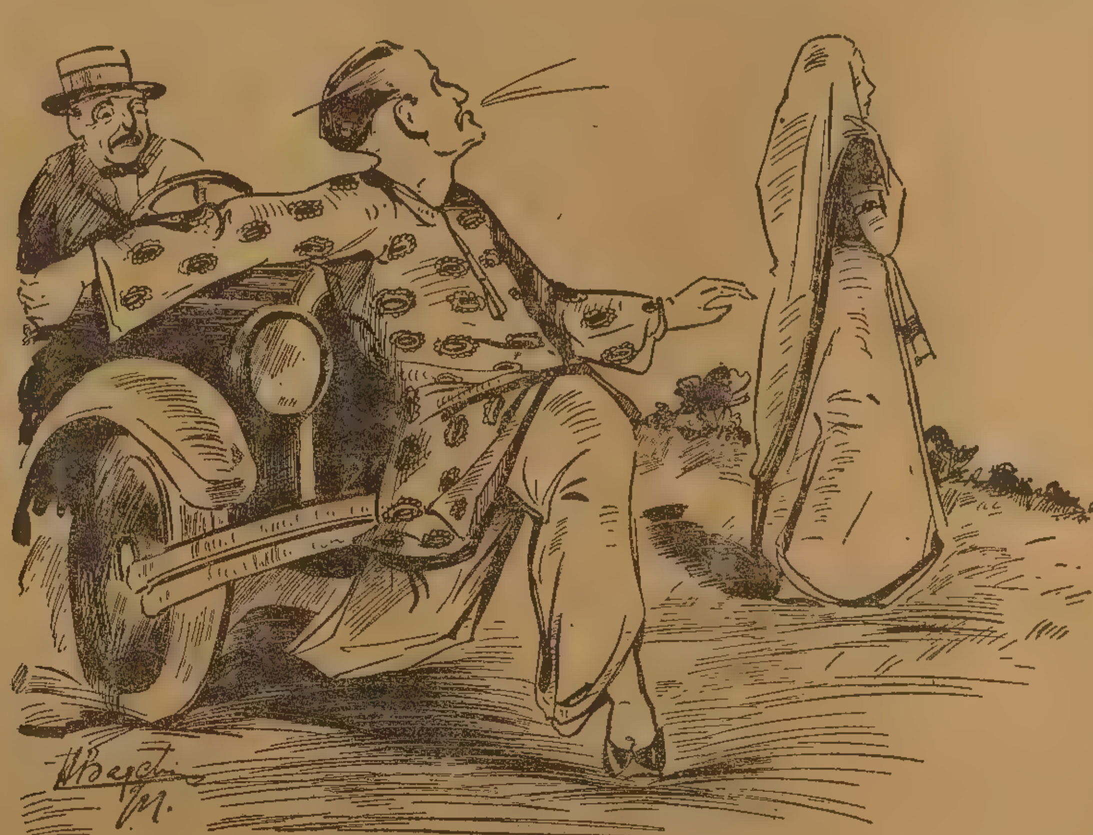
किसी बाइस्कोप में यदि "बड़के भय्या" नामक तमाशा खेला जाता तो और चाहे जो भी हो, उसमें निम्न-लिखित ७ सीन अवश्य ही दिखाए जाते !!



१—अरब से— २—राष्ट्रीयता का दबाव ३—साम्प्रदायिकता में पौ बारह



४—विचार-धारा ५—महात्मा गाँधी जेब में ६—जेब से बाहर ७—सैकड़ों हज़ारों गाँधी से लड़ने की तय्यारी



आकर्षण

धर्म और ईश्वर

[श्री० राधामोहन गोकुलजी]

जब हम देखते हैं कि मनुष्य भी पशु ही है, किन्तु वह अन्य पशुओं से बहुत ऊँचा है। वह ऐसी परिस्थिति को पहुँच गया है कि पशु-जीवन से भिन्न नज़र आता है। इसीलिए उसे हम पशु नहीं कहते। इसका कारण उसका विकाश और उत्कर्ष है। हम सोचते हैं, तो हमें उसके विकाश के दो कारण प्रतीत होते हैं। पहली उसको उठाने वाली बात शक्ति और ज्ञान है, जिन्हें प्राप्त करके वह धीरे-धीरे प्रकृति के वश से निकल कर, उसके ऊपर प्रभुत्व करने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। वह मनुष्य-जाति की आवश्यक, सुख और सुविधाजनक चीज़ों को प्रकृति से छीन कर, अपने सजातियों में प्रसारित करता या बाँटता है। वह समझ गया है कि उसके पारस्परिक सम्बन्ध, बिना प्रकृति से प्राप्त पदार्थ जैसा चाहिए, वैसा आराम नहीं दे सकते। मनुष्य स्वयम् प्रकृति-जन्य सम्पत्ति है, क्योंकि वह बुद्धि और शरीर से काम करता है और अपनी जाति को नष्ट न होने देने के उद्देश से उसकी अभिवृद्धि करता रहता है, इसमें उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है।

फिर यह भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवी उन्नति और उत्कर्ष का किंवा संस्कृति का सहज शत्रु भी होता है। एक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की तरह अकेला नहीं रह सकता ; एकान्तवास उसे असह्य दण्ड प्रतीत होने लगता है, दूसरी ओर सामाजिकता के लिए जिस त्याग की नितान्त आवश्यकता है; जिसके बिना सामाजिक जीवन असम्भव है, उससे जी चुराता है। इसलिए व्यक्तियों की अयौक्तिक और व्याघातक बातों से मनुष्य को संस्कृति की रक्षा करनी अवश्यम्भावी हो जाती है। सामाजिकता और वैयक्तिक स्वार्थ-तत्परता दोनों युगपत् चल नहीं सकतीं; एक दूसरे की बाधक है। इसीलिए समाज में नियमों, प्रतिबन्धों और शृङ्खला की ज़रूरत होती है। बिना इसके न पदार्थ ठीक-ठीक उत्पन्न हो सकते हैं, न समाज में वितरण हो सकते हैं। जो कला और विज्ञान हमें समुन्नत और सुखी बनाता है, वही हमारा सर्वनाश भी कर सकता है।

इस विचार से जब समाज में निरङ्कुशता और नृशंसता की रोक-थाम करने के लिए थोड़े से वैज्ञानिक, कलाकुशल और बलशाली लोग शासन-दण्ड धारण करते हैं तो वह बहुसंख्यक प्रजा को धीरे-धीरे पीसने लगते हैं ! स्पष्ट है कि यह दोष उन्नति और उत्कर्ष या दोनों के योग और संस्कृति में, स्वाभाविक नहीं होते। संस्कृति और समाज के निर्माण में ही कमी रहती है। हमें देखना है कि वह कमी क्या है। निस्सन्देह मनुष्य ने बहुत अच्छी और प्रशस्त उन्नति की है, करता जा रहा है और करता रहेगा। उसने प्रकृति को जीता है और अभी और अच्छी तरह से उस पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उसने अपने समाज के प्रबन्ध में उतनी उन्नति नहीं की कि जिससे लोगों की आपत्तियाँ और शङ्काएँ बढ़ने के बदले कम होतीं। हम ख़याल कर सकते हैं कि मनुष्यों के सामाजिक या पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे होने सम्भव हैं, जिनसे मनुष्य की सहज भावनाओं को कुचलना और दबाना बन्द करके हम उन निमित्तों को ही मिटा दें, जिनसे संस्कृति के प्रति लोगों में असन्तोष पैदा होता है। इससे भीतरी खींच-तान मिट कर, आदमी प्रकृति के पदार्थों की प्राप्ति में लग जायँगे और उनका शान्तिपूर्वक उपभोग करेंगे। सारांश यह कि मनुष्य-जाति के भीतर से समाज के विरोध का भाव एकदम मिटा देना ही सर्वोपरि अभीष्ट है। अब यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न बन जाता है, अतः दृश्य जगत् के नैसर्गिक प्रश्न के साथ-साथ मनोवृत्ति का प्रश्न भी उपस्थित हो जाता है। अगर हम किसी प्रकार जनता की बड़ी संख्या को कला-कुशल और वैज्ञानिक बना दें और उसका शासन थोड़े से ज्ञात मूढ़ों और नादानों पर रहे, तो यह संस्कृति के भीतर घुसा हुआ दोष क्रमशः दूर हो सकता है।

लोग कहते हैं, मनुष्य स्वभाव से ही आलसी और कामचोर होता है, लेकिन प्रत्यक्षवादी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में समाज की संस्कृति के दोष से ऐसा दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक सम्पत्ति और सोने-चाँदी सदृश रद्दी पदार्थों को अन्न-वस्त्र से अधिक प्रतिष्ठा देना अगर समाज से हट जाय, तो मनुष्यों में से बहुत बड़ी सीमा तक ईर्ष्या, कटुता, विषमता और प्रतिद्वन्द्वता आदि मिट सकती हैं। एक नई पीढ़ी युक्ति, तर्क और विशुद्ध ज्ञान के आधार पर प्रेमपूर्वक शिक्षित और दीक्षित की जाय, जिसे संस्कृति के मधुर फलों के सिवा कटुता का अनुभव न करना पड़े, तो वह निस्सन्देह समाज और संस्कृति का कोई दूसरा ही भाव-सद्भाव रखने वाली जनता होगी। इसमें त्याग और सच्ची सामाजिकता का स्वयम् आविर्भाव होगा। ये लोग सताना और दबाना छोड़ कर हमारे वर्तमान शासकों और नेताओं से कहीं भिन्न स्वभाव वाले सच्चे मनुष्य बनेंगे।

ऐसा होने को असम्भव समझ कर बैठे रहना, सहल इन्कारी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न के कई पहलू हैं, हम यहाँ पर साम्पत्तिक और मानसिक पहलुओं को ध्यान में रख कर, कुछ जानने योग्य बातें लिखना चाहते हैं।

जब हमें मालूम हो गया कि प्रत्येक संस्कृति का आधार अनिवार्य श्रम और सहज समझ अनुमोदित त्याग है, तब उसका यह अनिवार्य फल भी होगा कि जिन पर इसका बोझ पड़े, वे विरोधी हो उठें। अब स्पष्ट हो गया कि पदार्थ, उनके प्राप्ति के साधन और उनको समाज में वितरण करने के प्रबन्ध मात्र संस्कृति के आवश्यक लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कृति के अन्दर ही बग़ावत और विध्वंसक वासनाएँ प्रस्तुत मिलेंगी। इनको दबा कर संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ बल के प्रयोग की भी ज़रूरत होगी, साथ ही विरोधियों को उनका सुखद बदला दिखला कर, राज़ी करना पड़ेगा। यह संस्कृति का मानसिक अङ्ग या स्थान है।

परन्तु इतना करने पर भी मनुष्य की उद्दण्डता एकदम मिटती नहीं दीखती। हत्या, मार-पीट, व्यभिचार आदि किस देश या समाज की संस्कृति में नहीं हैं ? और इन अनेक विषयों पर विभिन्न संस्कृतियों में मतभेद भी हैं। बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं, जो संस्कृति-विरुद्ध और समाज से वर्जित होती हुई भी एकदम मिट नहीं सकीं, कई बातें तो मिटीं ही नहीं या बहुत कम मिटी हैं। यद्यपि मनुष्य की बुद्धि और मन ने प्राचीन काल की अपेक्षा अब बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी उसकी पशु-बुद्धि आज तक उसमें ज्यों की त्यों और जहाँ की तहाँ बनी है। बहुत बातों के लिए मनुष्यों को अब बाहरी दण्ड-विधान की ज़रूरत नहीं रही, उनके भीतर ऐसे भाव घुस गए हैं कि वे बहुत-कुछ स्वतः समझ-बूझ कर रहते हैं, लेकिन पशुता का नितान्त उन्मूलन असम्भव बना हुआ है।

मनुष्यस-माज में इसी संस्कृति की रक्षा के उपायों का नाम नीति रक्खा गया है। इसीसे भले-बुरे का भेद अपनी-अपनी समझ के अनुसार प्रत्येक संस्कृति-संस्थापकों ने रक्खा है और उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी होता रहता है ; क्योंकि मनुष्य का ज्ञान और उसका अनुभव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस नीतिमत्ता की स्थापना और स्थिरता का सब से बड़ा कारण यह है कि उसे दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ा करती है। उसने प्रकृति को एक सीमा तक जीता है, परन्तु उसे पूरा-पूरा वश में करना मानवी शक्ति के बाहर है। जल, वायु, अग्नि आदि कभी-कभी हमारी सारी चतुरता को चुटकी में उड़ा देते हैं। भूकम्प धरती को उलट सकता है, जल की बाढ़ हमें जल-समाधि दे

देवी जोन

(५६वें पृष्ठ का शेषांश)

बस, अपराध सिद्ध हो गया। परन्तु दण्ड सुनाते-सुनाते वह चिल्ला कर बोली—मुझे चाहे मार डालो, परन्तु याद रक्खो, इसमें मेरे बादशाह चार्ल्स का कोई दोष नहीं था।

उसके इन करुण वाक्यों पर अनेकों फ़्रान्सीसी रोने लगे, परन्तु अनेकों अङ्गरेज़ खड़े हँस रहे थे। दण्ड सुना दिया गया। उस दिन ३० मई थी। १७८ दिवस के कारावास के जीवन के बाद जोन उस दिन मुक्त हो रही थी, कारावास से ही नहीं, इस संसार से भी। जल्लाद ने सब तैयारी कर ही ली थी। जोन को उस खम्भे से बाँध दिया गया। आग जला दी गई। जब उसकी लपटें ऊँची होकर जोन का आलिङ्गन कर रही थीं, जोन शान्त थी; उसने केवल तीन बार 'जीसस' शब्द ही अपने मुख से निकाला। कुछ ही देर में वह सोने सा शरीर उस धधकती हुई चिता में स्वाहा हो गया। इस प्रकार बर्गण्डी वालों और अङ्गरेज़ों की प्रतिहिंसा और रक्त-पिपासा ने एक निर्दोष तथा वीर बालिका का महान बलिदान ले लिया !

अङ्गरेज़ों और बर्गण्डी वालों की तूती अधिक दिनों तक न बोल सकी। वह दिन आया, जबकि चार्ल्स समस्त फ़्रान्स का बादशाह हुआ। उस समय उसे जोन के प्रति की गई अपनी अकृतज्ञता का स्मरण हुआ। सन् १४५५ में चार्ल्स ने जोन की विधवा माता और एक जीवित भाई द्वारा जोन के मुक़द्दमे को फिर से देखने का प्रार्थना-पत्र दिलवाया और फलतः पैरिस विश्वविद्यालय के पादरियों ने जोन को निर्दोष घोषित किया। परन्तु अब क्या था, बलिदान तो चढ़ चुका था! आज देवी जोन नहीं है, परन्तु फ़्रान्स के प्रत्येक बड़े नगर और गिर्जे में देवी जोन की मूर्ति और उसके नाम पर बने हुए स्मारक उसकी वीरता, साधुता तथा बलिदान की याद दिला देते हैं !

❀ ❀ ❀

सकती है; आग, क्षण भर में दूर-दूर तक प्रलय का दृश्य दिखा सकती है; बीमारी सबको या अधिकांश को एक साथ नष्ट कर सकती है। इन अवस्थाओं में हम पारस्परिक विरोध भूल जाते हैं, हममें दया का भाव उदय होता है। इसी प्रकार हमें अनेक कामों में दूसरे के हाथ-पैरों और बुद्धि की सहायता अनिवार्य होती है, इसीलिए हममें सहयोग-बुद्धि का उदय होता है। सहयोग के भाव को स्थिर रखने के लिए और एक-दूसरे के प्रेम की हममें जो स्वाभाविक बातें हैं, उन सबकी रक्षा के लिए जो ज़रूरी नियम अनुभव से स्थिर हो जाते हैं, वही नीति है। यह सब मन से सम्बन्ध रखने वाले व्यापार हैं। इन्हीं मानसिक विचारों में धर्म और ईश्वर की कल्पना उत्पन्न हो उठती है।

❀ ❀ ❀

अब हम देखते हैं कि धर्म का उपयोग क्या है। जब संस्कृति, जो दबाव हम पर डालती है और जिस सहज त्याग को वह हमसे चाहती है, उसी के कारण उसका विरोध होता है, तो हम इन बाधाओं को मनुष्य के जीवन-मार्ग से हटा क्यों न दें? मान लें कि ये बाधाएँ हटा दी गईं। इस दशा में हम यही देखेंगे कि जो जिसका जी चाहता है, करता है। कोई पुरुष प्रतिबन्ध-हीनता से अपनी काम-वासना की परितुष्टि के लिए चाहे जिस स्त्री को पसन्द करके व्यवहार में लावेगा, इसी तरह स्त्री भी करेगी। हर एक अपने प्रतिस्पर्धी को बिना रोक-टोक पीट सकेगा, या जान से मार सकेगा। लूट-खसोट, छीना-झपटी जैसी पशुओं में देखी जाती है, मनुष्य में भी दीखेगी। यह निरङ्कुश जीवन कितना सुन्दर होगा? प्रत्येक आदमी को स्वेच्छाचार की इच्छा होगी, जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करेगा, वैसा ही दूसरा भी उसके साथ करेगा। इस तरह के समाज में वही एक आदमी सारे सुखों के साधन का स्वामी बन जायगा, जिसमें शक्ति है, जिसके हाथ में सब पर अत्याचार करने का साधन और बल है। दूसरे देशों का जीतना और दूसरा क्या अर्थ रख सकता है?

लेकिन बात धीरे-धीरे उसको भी खलने लगेगी, जो संस्कृति को मिटाने का पक्षपाती था। क्योंकि अव्यवस्था से हम अपनी प्राचीनतम प्राकृत अवस्था पर पहुँच जाएँगे। इसमें सन्देह नहीं, कि प्रकृति हमारे सहज समझ के अनुसार किए कामों में प्रकट में कोई बाधा नहीं देती, परन्तु वह परोक्ष रूप से अवश्य बाधक होती है और हमें बड़ी बेदर्दी के साथ मिटा कर छोड़ती है। इसीलिए हम सङ्घ रूप में सङ्गठित होकर रहते हैं और एक संस्कृति उत्पन्न कर लेते हैं। इसी के सहारे हमारा जीवन सम्भव होता है। संस्कृति का यह प्रधान काम है कि वह हमारी रक्षा करे। प्राकृतिक अवस्था में रहने से हमें जो कष्ट होते हैं, उनसे हमें सम्मिलित उत्कर्ष और सभ्यता के महत्व का पता चलता है। हमें मनुष्य जाति को सुरक्षित रखने की चिन्ता पैदा होती है और साधन समझते हैं।

जिस तरह छोटा लड़का विवशता और पराधीनता की दशा में पिता-माता से डरता है और उनकी दया पर ही उसका जीवन निर्भर होता है, इसलिए वह पिता-माता की बहुत प्रतिष्ठा भी करता है और उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। इसी तरह प्रकृति से विवश होकर पहिले के कम उन्नत मनुष्य, उसके अत्याचारों से डर कर, उसे पूजने लगे। जल, वायु, अग्नि प्रभृति मनुष्य के उपास्य देव हुए। इन देवताओं का काम हुआ प्रकृति के भय को दूर करना, निसर्ग की निर्दयता के समय सान्त्वना देना, सन्तोष सिखाना और मनुष्य पर जो कष्ट सामाजिक संस्कृति की अधीनता से हो जायँ, उनका हटाना। इस अभिप्राय से मनुष्य ने अपने कल्पित देवताओं को प्रकृति का स्वामी माना।

जब हमने देखा कि देवताओं से हमारे कष्ट दूर नहीं किए जा सकते, तब ध्यान होने लगा कि भवितव्यता भी कोई चीज़ है, जिसका दर्जा देवताओं से भी ऊँचा है; देवता लोग भी भवितव्यता के अधीन रहते हैं। फिर धीरे-धीरे संस्कृति सम्बन्धी नियमों को भी दैवी विभूति मानने लगते हैं और उनका दर्जा मनुष्य समाज से भी ऊँचा बना देते हैं और इन नियमों को प्रकृति का भी अधिकारी मान बैठते हैं।

इस तरह मनुष्य की विवशता ऐसे-ऐसे मनोरञ्जक, काल्पनिक, सुख-शान्ति-परक विचार का ढेर कर देती है और लोग समझने लगते हैं कि अब हम इनके द्वारा प्रकृति और भाग्य के अत्याचारों से बचेंगे और हमें सामाजिक बुराइयों से भी त्राण मिलेगा।

लोग कहने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य बहुत ऊँचा है। इसमें सन्देह नहीं कि उस ऊँचे उद्देश्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ यह अवश्य मान लेते हैं कि इससे मानव-जीवन दोषरहित सर्वाङ्ग-पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार धीरे-धीरे मनुष्य जीवात्मा को शरीर से अलग कर लेता है और उसी को इस महत् और उच्च स्थान का अधिकारी जान लेता है। उसे ख़्याल होता रहता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, या होना है, वह हमसे कहीं अधिक किसी बुद्धि का किया हुआ काम है। वह सर्वाङ्गपूर्ण निर्दोष बुद्धि, जो मनुष्य की बुद्धि से बहुत उच्च स्थानीय है, जो करती है, सब हमारे हित के लिए ही करती है। एक बड़ी भारी सहृदय-शक्ति, जो देखने में कठोर है, सबकी निरीक्षिका और नियन्त्री है। वह हमें प्राकृत शक्तियों की क्रूरता की वेदी पर बलि नहीं होने देगी, हमारी रक्षा करेगी। हम समझने लगते हैं कि मृत्यु से हम मिट नहीं जाते, किन्तु हमको नए प्रकार का कोई जीवन प्राप्त होता है और हम अधिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। हमारे सामाजिक और नैतिक नियम, जिनसे संस्कृति बनती है, वे भी सारे विश्व पर शासन करते हैं। सामञ्जस्य के साथ सर्वोच्च न्यायालय से स्थिर रक्खे जाते हैं, परिपुष्टि पाते रहते हैं। इस तरह हर भलाई का पुरस्कार मिलता है और हर बुराई के लिए दण्ड। यदि यह पुरस्कार या दण्ड इस जीवन में नहीं मिलता तो क्या मरने के पश्चात् के जीवन में मिलेगा। इस प्रकार मनुष्य-जीवन के सारे भय, कष्ट और दुःख अवश्य ही मिट जाने वाले हैं। उस अदृश्य जीवन में उन सारी कमियों की पूर्त्ति हो जायगी, जो हम यहाँ पूरी नहीं कर सके, वह सारे सुख हमें मिलेंगे, जिनसे हम आज वञ्चित हैं। ये दैवी जीवों के गुण हैं, दैवी नियमों के महत्व हैं, इसी में सारे देवताओं को घनीभूत करके रख दिया गया है। जिन जातियों ने इस अनोखी बात को सोच कर गढ़ा, वे अपनी इस उन्नति के लिए बड़ा अभिमान करती हैं।

यह धार्मिक भाव निस्सन्देह बहुत काल में समुन्नत होते-होते यहाँ तक पहुँचे और इन्हें जुदा-जुदा देशों की विभिन्न संस्कृतियों ने विभिन्न रूपों में माना है। आज यही धर्म सभ्यता का सर्वोत्तम रत्न समझा जाता है। इससे हमारे सारे ऐहिक और पारमार्थिक अभावों और अभियोगों की पूर्ति होती है। जो आदमी इसका विरोध करता है, उसका जीवन समाज को असह्य हो जाता है, कितने अन्धविश्वासी मूर्खों ने इस मतभेद के कारण अपने विरोधी को जान से मार डाला।

यहाँ यह शङ्का की जाती है कि तुम्हारी यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि 'संस्कृति धार्मिक भावों को पैदा करके उन्हें अपने परिकर में फैलाती है।' यह बात उतनी विस्पष्ट और प्राकृतिक नहीं प्रतीत होती, जितना यह कहना कि संस्कृति ने ही श्रम के फल को सब लोगों तक पहुँचाने के नियम बनाए और स्त्री-बच्चों पर अधिकार स्थापित किया।

ऐसी शङ्का अनुचित नहीं कही जा सकती। प्रकट में तो यही जान पड़ता है कि धार्मिक भाव भी उसी आवश्यकता से प्रादुर्भूत हुआ, जैसे संस्कृति के और दूसरे फल हमें मिले। इसका भी अभिप्राय प्रकृति के घातक प्रभुत्व से संस्कृति की रक्षा करना है। दूसरा अभीष्ट यह है कि इसके (धर्म के) द्वारा संस्कृति की त्रुटियों को मिटाया जाय। संस्कृति ही अपने अनुकूल एक धर्म की कल्पना कराने का कारण होती है। धर्म में भी मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह दीक्षित होता रहता है, जैसे गणित विद्या में। अन्तर यही होता है कि गणित आदि सच्चे और प्रत्यक्ष विज्ञान हैं और धर्म परोक्ष कल्पना ही ईश्वर के नाम पर ईश्वरीय ज्ञान कह कर सामने देखी जाती है। ईश्वरीय कल्पनाजनित धर्म अपनी ऐतिहासिक व्युत्पत्ति और क्रमशः विकाश और उत्कर्ष का कोई पता नहीं देता, जिस पर तर्क और दूसरे विज्ञान को विश्वास हो सके। इसका भी कोई कारण नहीं मिलता कि जुदा-जुदा युगों और विभिन्न संस्कृतियों में यह अलग-अलग क्यों हैं, एक सा धर्म सर्वत्र क्यों नहीं है? अनुधावन से अनुमान होता है कि मनुष्य जाति ने अपनी बाल्यकालीन अज्ञानावस्था में जो कुछ प्राकृत दृश्य देखे, उन्हें यही समझा कि यह मेरे सदृश किसी मनुष्य के ही कृत्य हैं। यही उस व्यक्ति के मान लेने का कारण हुआ—लेकिन यह कारण स्वयम् सिद्ध नहीं है। फिर भी मनुष्य ने इससे सन्तोष प्राप्त किया। इसीलिए हमारे यहाँ के अनेक सरल हृदय विद्वान भी फ़्रान्सीसी विद्वान वाल्टेयर की तरह कहते हैं कि धर्म और ईश्वर से समाज को बड़ा लाभ हुआ और होता है; इसे अक्षुण्ण बना रहने देना चाहिए।

सच तो यह है कि जब मनुष्य प्रकृति के बल (Force) को विभिन्न रूप में देख कर उनको पृथक्-पृथक् व्यक्ति समझ लेता है, तो यह उसकी बाल्यावस्था की सी नादानी ही है। जिस तरह बालक एक खिलौने को लेकर फिर उसे नहीं छोड़ता, जो छुड़ाता है उससे नाराज़ होता है, उसी तरह धर्म और ईश्वर के सम्बन्ध में विचारहीन लोगों का हाल है। हमें कोई भी विश्वास के लायक़ ऐसी बात नहीं मिलती, जिसके आधार पर इन निराधार कल्पनाओं पर विश्वास कर लें और उन्हें विज्ञान का स्थान दें। बालकों को नाना प्रकार के नामों से भय दिखलाया जाता है, बाबा जी और हौवा हमारे प्रान्त के लोगों में बहुत प्रचलित हैं। बच्चा इन्हें सच्ची व्यक्तियाँ समझ कर डर जाता है, किन्तु बड़े होने पर वह समझता है कि यह कल्पना-मात्र थी, वास्तव में कुछ न था। इसी प्रकार मनुष्य जाति की अवस्था और ज्ञान ज्यों-ज्यों परिपक्व होते जाते हैं, वह दैवी शक्ति की कल्पना को अच्छी तरह धीरे-धीरे समझता जाता है।

प्रकट है कि धर्म कुछ सिद्धान्त-समुच्चय का नाम है, कुछ ऐसी घटनाओं और आन्तरिक या बाह्य (भीतरी या बाहरी) वास्तविकता का कथन मात्र है, जिनसे हमें ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, जो कभी हमारे अनुभव में नहीं आईं। फिर वह बातें इसलिए कही जाती हैं कि हम उन पर विश्वास करें। बातें भी ऐसी होती हैं, जिनको हम हितकारी और लाभदायिनी समझने लग जाते हैं। इसलिए बिना तर्क और खोज के उन्हें मान लेते हैं। इन तर्क, युक्ति और प्रमाणहीन बातों को जो बहुत सी जान लेता है, विद्या और बुद्धि का भाण्डागार माना जाता है और जो नहीं जानता वह मूर्ख है। दूध-दही के समुद्र, अमृत और मद्य की नहरें, स्वर्ग के विविध भोग, हमारे भौगोलिक ज्ञान पर पानी फेरने को तैयार रहते हैं। फिर भी हमारे

मूर्ख भाई ही नहीं, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे, कभी-कभी स्वार्थ-वश और कभी अविचार से उन्हीं बातों की परिपुष्टि करते रहते हैं, जिनके त्यागने में ही मनुष्य जाति का कल्याण है। कहा यह जाता है कि हम जो कुछ धर्म और ईश्वर की बाबत कह रहे हैं, संसार के विद्वानों के बहुकालव्यापी अनुभव और विचार का फल है। ठीक है, लेकिन क्या इनका कोई युक्तियुक्त, तर्कानुकूल वर्तमान अनुभव-अनुमोदित प्रमाण भी है? इसका उत्तर हमें नहीं मिलता।

जब हम पूछते हैं कि आपका धर्म-सम्बन्धी ज्ञान किस आधार पर है, तो उत्तर मिलता है कि 'पहले तो वह विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि हमारे बाप-दादे आदिकाल से ही उसे मानते और उस पर विश्वास करते आए हैं। दूसरे, हमारे पास पुस्तकी प्रमाण है, जो बहुत प्राचीन समय से हमारे पास चले आते हैं। तीसरे यह कि धर्म और ईश्वर के मामले में शङ्का करना मना है; बहुत बुरा है। अब पाठक स्वयम् देख लें कि पहिली और तीसरी बातें इतनी वाहियात हैं कि कोई भी सज्ञान प्राणी इनको सुन कर हँसे बिना नहीं रह सकता। दूसरी बात पुस्तकों या शाब्द प्रमाण वाली रहती है। इसका भी कोई प्रमाण मान्य नहीं हो सकता, जब तक यह न सिद्ध कर दिया जाय कि यह पुस्तकें ऐतिहासिक प्रमाण कहलाने और मानने के योग्य हैं। ऐतहासिक प्रमाण किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए विद्वानों ने बड़ा-बड़ा पुस्तकें महत्वपूर्ण विचार के साथ लिखी हैं, और हमारी प्रमा उन कसौटियों को, जो इन पुस्तकों में हैं, ग्रहण भी करती है। हमें संसार की धार्मिक पुस्तकों में से कोई भी ऐसी नहीं मिली, जिसे हम ऐतिहासिक प्रामाणिकता की सनद दे सकें।

फिर यह कहना कि धर्म में शङ्का करना ही उचित नहीं है, धर्म की सारी पोल खोल देता है। हमें तो सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही मानवी ज्ञान का महत्व है। यह कहना मूर्खता है कि अमुक-पुस्तक में स्वयम् ईश्वर या अल्लाह ने अमुक बात लिखी है, इसे मान लो। कोई-कोई आदमी कह देते हैं कि 'ईश्वर और धर्म का मर्म हमारे मन और मेधा के बाहर की बात है।' इसके उत्तर में सिवा इसके और क्या कह सकते हैं कि 'तब तो यह विषय पागलख़ाने के लोग ही ठीक समझ सकते हैं।' धर्मान्ध लोगों ने धर्म के नाम पर बड़े-बड़े अत्याचार उन सत्यवादियों पर किए हैं, जिन्होंने उनकी तर्कहीन कल्पनाओं को सत्य मानने से इन्कार किया। हमारे पास यूरोप, अरब और भारत के धार्मिक लोगों के अत्याचार के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत हैं और हम आज भी धर्म के नाम पर की जाने वाली नर-हत्याओं के आँखों देखने वाले साक्षि हैं। अतः हमारा विश्वास ईश्वर और धर्म की निर्मूलता पर और भी दृढ़ हो जाता है। पुनः हम धर्म के निर्दिष्ट मतों, मूल सूत्रों या सिद्धान्तों पर केवल विवेक-दृष्टि से विचार करते हैं तो भी कहना पड़ता है कि धर्म के सारे के सारे सिद्धान्त भ्रम-मूलक हैं। उनका प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उनके सत्य मान लेने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता, न किसी को विश्वास करने के लिए दबाया जा सकता है। कोई-कोई तो इतने असम्भवनीय और संसार की उन सच्चाइयों से दूर हैं, जिन्हें मनुष्य ने बड़े श्रम से ढूँढा और समझा है। उनमें से बहुतों की सच्चाई के मूल्य का निर्णय हो ही नहीं सकता, न हम उन्हें सत्य सिद्ध कर सकते हैं। उनका खण्डन करके असत्य प्रतिपादित कर सकते हैं। संसार की पहेली को हम धीरे-धीरे खोज करते-करते जानते जाते हैं, लेकिन बहुत बातें ऐसी हैं जिनका स्पष्ट उत्तर देना विज्ञान के बल के बाहर है। लेकिन वैज्ञानिक क्रिया ही एकमात्र साधन हमारे पास है, जिससे हम बाह्य सत्य का ज्ञान पा सकते हैं। यह आशा करना भी भ्रम है कि हमें स्वानुभूति से, योग की समाधि से कुछ मालूम हो सकता है। इनसे सिवा विशिष्ट अवस्था के और कुछ नहीं जान पड़ता, इस प्रकार के विशिष्ट भावों को व्यक्त करके बताना भी दुस्साध्य होता है। धार्मिक सिद्धान्तों से हमारे मानसिक जीवन की भी कोई विश्वस्त बात नहीं मिलती। किसी बात का कोई जवाब जो उपनिषदें देती हैं, वह घोर तिमिराच्छादित शब्दों में। इनके स्पष्टीकरण में लोग अपनी टाँग अड़ा देते हैं, यह सर्वथा अनुचित है।

हमारे प्रतिपक्षी यह शङ्का कर सकते हैं कि जब तुम धार्मिक अनेक सिद्धान्तों का यथावत् खण्डन नहीं कर सकते और संसार का विज्ञान-बल अभी तक कच्चा ही है, तो फिर हम उन पर विश्वास क्यों न कर लें। क्योंकि जनश्रुति, परम्परागत दन्तकथा और बहुत बड़ा लोकमत, और बहुकालव्यापी मनुष्य जाति के ज्ञान का भाण्डार, और धर्मजनित सन्तोष हमारे पक्ष में हैं। इसका उत्तर हम पहले यही देते हैं कि हमारी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। हमें अधिकार है कि हम ऐसी बातों का आँख बन्द करके विश्वास कर लें अथवा बिल्कुल विश्वास न करें। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप अपने को धोके में डाल कर, यह न समझ बैठें कि आपका यह तर्क आपको विशुद्ध निर्णय की ओर ले जा रहा है। अज्ञान, अज्ञान ही है, उससे किसी बात के मान लेने या विश्वास करने का अधिकार नहीं होता, यही कह सकते हैं कि यह बात अभी तक अनिश्चित है।

हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते, पर अपने आपको और दूसरों को धोका देते रहते हैं कि हम धर्म के बड़े पक्के मानने वाले हैं। धर्म के मामले में हम मुक्त-कण्ठ से कह सकते हैं कि लोग बड़े ही कपटी, कुटिल और चतुराई से अनाचार करने वाले होते हैं। बड़े-बड़े पण्डित या दर्शनज्ञ शब्दों और वाक्यों का मनमाना अर्थ खींच-तान कर लगा लेते हैं। यहाँ तक कि मूल का नाम-निशान तक बाक़ी नहीं रहता। ईश्वर का ऐसा अनिश्चित कल्पित अर्थ कर देते हैं, जो बुद्धि के बाहर होता है और ईश्वर-भक्त बन बैठते हैं। बहुतों को हमने द्रव्यगत गति शक्ति को ही ईश्वर कहते पाया है। यद्यपि इन नई कल्पनाओं से उस सर्व-शक्तिमान, दयालु, न्यायकारी ईश्वर का पता ही नहीं रहता, जिसकी धर्मों ने कल्पना की है। जो मनुष्य इस बहुत बड़े अज्ञेय विश्व में अपने को तुच्छ और सर्वथा निर्बल समझता है उसे लोग बड़ा धार्मिक मानते हैं, किन्तु यह तो धर्म के भाव के विधायक लक्षण नहीं हैं। धर्म तो वह है जो इसके विरुद्ध होकर इस भाव को हटाने का इलाज ढूँढे। क्योंकि सर्वशक्तिमान् ईश्वर तो सब जानता है। अच्छा उपासक धर्म के बल से इस अज्ञान को हटा सकता है, अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह स्वयम् ईश्वर का इन्कारी है। यह तो नास्तिक भी कहता है कि मैंने प्रकृति के सारे भेद नहीं जान पाए और इस महान विश्व में एक अकिञ्चन प्राणी हूँ। बात वास्तव में यह है कि ईश्वर और धर्म की कल्पना प्राचीन काल के कम ज्ञान वाले लोगों ने भय और अज्ञान के कारण की है। अपने लिए एक मिथ्या अवलम्ब स्थापित किया है और बाद में स्वार्थी लोगों ने अपना मतलब गाँठने के लिए उसे ख़ूब दृढ़ किया और रँगा।

इन बातों को सुन कर हमारे बहुत से भोले भाई कह उठते हैं कि अगर धर्म और ईश्वर भ्रम है, तो आपकी और भी सामाजिक, नैतिक बातें भी भ्रमात्मक हैं। लेकिन यह अगर वह क्रोध में कहते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर वह यह बात सच्चे मन से कहते हैं तो हमारा उत्तर सीधा और सरल है।

जिन बातों की सच्चाई की हम तर्क की कसौटियों द्वारा जाँच कर सकते हैं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कार्य के फल को देख कर जान सकते हैं, उनमें और निराधार मन-कल्पित धर्म में बड़ा अन्तर है। हमें मनुष्यों की रक्षा के लिए या अपने ही देश की जनता की रक्षा के लिए संस्कृति की रक्षा की ज़रूरत है। समयानुसार इस संस्कृति में हेर-फेर भी होता रहता है. यहाँ कोई बात आँख बन्द करके मान लेने की नहीं होती न तर्क-वितर्क या विरोध-समर्थन की रोक-थाम है। इसलिए हम संस्कृति को धर्म की तरह भ्रममूलक नहीं मान सकते।

अगर यह कहा जाय कि धर्म के सिद्धान्तों और परमात्मा के न्याय और सर्वशक्तिमत्ता में संसार के अधिकांश लोगों का आत्मविश्वास है, इसके हट जाने से लोग असामाजिकता के भावों से भर जायँगे, निडर और निस्सङ्कोच होकर मनमानी करने लग पड़ेंगे, तो सारा समाज खण्ड-खण्ड हो जायगा। हज़ारों वर्ष की बनी संस्था के टूट जाने से अनेकों ख़राबियाँ फैलेंगी और सारी सभ्यता नष्ट हो जायगी। इसलिए अगर यह मालूम भी हो जाय कि धर्म में सचाई नहीं है, तो भी हमें यह बात दिल में ही रखनी चाहिए। धर्म और ईश्वर को हटा कर तुम जनता की शान्ति और सन्तोष के लिए उन्हें दूसरी चीज़ दे सकते हो?

हमारा तो यह ख़्याल है कि मिथ्या ईश्वर और धर्म की संस्थापना से लाभ के बदले हानि ही होती है। हम से पहले भी बहुत लोगों ने इस विषय पर लिखा है, किन्तु उससे कहीं की भी संस्कृति का मटियामेट नहीं हुआ। इस युग में अज्ञान का पर्दा फटने लगा है, लोग धर्म और ईश्वर का निर्मूल और भ्रमात्मक होना समझने लगे हैं। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, पहले समय में न अब, कोई इन पर पूरा विश्वास रखता है। लाखों या हज़ारों वर्ष से कल्पित धर्म और ईश्वर के बनावटी भय ने संसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ या हानि होनी थी, हो ली। अब तो हम देखते हैं कि मनुष्यों की बड़ी संख्या इस संस्कृति से, जो धर्म के आधार पर है, दुखी हो रही है और इस असह्य भार को अपने सर पर से उतार कर फेंक देना चाहती है। ये लोग अब अपनी सहज समझ के ऊपर बन्धन रखना नापसन्द करते हैं और संस्कृति से सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहते हैं। हमारे विरोधी कह सकते हैं कि विज्ञान-विज्ञान की पुकार से और विज्ञान की क्रमशः अग्रसरता से समाज की यह दशा हुई जो बहुत शोकजनक है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जब धर्म का पूरा आतङ्क था, जब धर्म-याजक ही शासन करते थे, तब लोग अधिक दुखी थे, आजकल धर्म का फन्दा ढीला पड़ने से लोग खुले में साँस लेने लगे हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। पुरोहित लोग भी संसार की प्रगति देख कर धर्म के ढकोसले की कड़ाई को ढीला करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके प्रमाण हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। हमने यहाँ उदाहरणों से अपने छोटे से लेख को बढ़ाना उचित नहीं समझा। प्रायश्चित्त कफ़्फ़ारा और पीनेन्स का अर्थ ही है बन्धन का ढीला करना या मूर्खों से माल ऐंठना। कुछ भी हो, पर धर्म का बन्धन ढीला ज़रूर हुआ और होता है।

ईसाइयों में एक सम्प्रदाय है, जो सम्भवतः रूस में अधिक पाया जाता है। यह समझता है कि पाप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ईश्वर की पूरी दया, आशीर्वाद और क्षमा का उपभोग असम्भव है। मुसलमानों का ख़ुदा भी बड़ा माफ़ करने वाला है। हिन्दू तो मिनट-मिनट अपने पूर्वकृत अपराधों को धोकर बहा सकते हैं। इसलिए ईश्वर और धर्म से बुराइयों की रोक-थाम नहीं हुई, न हो सकती है। ऐसे आदमी बहुत हैं, जो बुराई करने से ईश्वर को

तभी तक डरते हैं जब तक उन्हें कोई देखता नहीं। अगर कोई आदमी न देखता हो, तो ईश्वर को ताक पर रख कर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए समाज ईश्वर से बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो रात-दिन पादड़ी साहब, मौलवी साहब और पण्डित महोदय को यही पुकारते सुनते हैं कि अब धर्म का ह्रास हो रहा है, लोगों में से ईश्वर का डर कम होता जाता है, धर्म-कार्यों के लिए रुपया नहीं मिलता, चढ़ावा कम आता है, कथा और मालूद में पहले की सी भीड़ें नहीं होतीं।

ज्ञातव्य यह है कि ज्यों-ज्यों विद्या-बुद्धि बढ़ती जाती है, विद्या सुलभ होने के कारण अधिक आदमियों में फैलती जाती है, त्यों-त्यों ईश्वर का डेरा दूर हटता जाता है। अब बेचारा रोग-शय्या पर पड़ा अपने जीवन की घड़ियाँ गिन रहा है। लेकिन यह तो मात्र हँसी है। न ईश्वर कभी था, न है, न हो सकता है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब लोग यह समझ लेंगे कि समाज के नियमों को तोड़ने से उनकी भी हानि है, अगर हम किसी को मार डालेंगे तो उसके परिवार के लोग हमें मार डालेंगे, तो समाज में मार-काट सर्वत्र फैल कर मनुष्य का सामाजिक जीवन दूभर कर देगी। यह ज्ञान मनुष्य को बुराई से रोकता है और ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ेगा अधिक रोकेगा। ईश्वरीय भय का पता उपासरों, ख़ानकाहो, ननेरीज़, मन्दिर, मस्जिद और गिर्जों में कुछ दिन रह कर देखो तो ठीक-ठीक मिल जायगा। अगर कहोगे कि किसी की हत्या मत करो, इससे ईश्वर अप्रसन्न होगा और इस लोक और परलोक में तुम्हें दण्ड मिलेगा, तो तुम्हारी कोई न सुनेगा और न अब सुनता है।

हमको मालूम है, जन्नत की हक़ीक़त, लेकिन—
दिल के ख़ुश रखने को 'ग़ालिब' यह ख़्याल अच्छा है।
—महाकवि ग़ालिब

इसलिए अशिक्षित जन-समूह को चाहे ज्ञानवान और समझदार बना कर बुराइयों से रोकें, चाहे लट्ठ के बल उन्हें पशुओं की तरह हाँकते रहें, ईश्वर और धर्म से कुछ होना जाना नहीं है।

हम मानते हैं कि जनता को शिक्षित बनाने का काम एक तो श्रम-साध्य है, दूसरे धन-पात्र, धर्म-याजक और सरकार इन्हें वास्तविक सज्ञान प्राणी बनाना नहीं चाहती, नहीं तो हमारे सामने रूस है, जिसे हम हूस कहा करते थे। रूस में १९१७ के पहिले शिक्षितों की संख्या भारत से भी कम थी। आज शिक्षितों की संख्या वहाँ संसार के सब बड़े देशों से अधिक है।

अगर आज हम न्यायालयों को हटा दें तो मालूम हो जाय कि ईश्वर और धर्म मनुष्य-समाज की कितनी रक्षा करते हैं। आज भी ज्ञान-वृद्धि होने पर लोग अपनी वासनाओं और इच्छाओं के ऐसे दास हो गए हैं कि समाज के नियमों को तोड़े बग़ैर नहीं रहते। तो पिछले समय के कम ज्ञान वाले लोग ज़्यादा उद्दण्ड और प्रचण्ड होंगे, इसमें सन्देह नहीं। इन्हें सदा संस्कृति के नियमों को पालन करने के लिए दण्ड बाध्य करता रहा है, न कि कल्पित ईश्वर और निर्मूल धर्म? बालक हौवा से डर सकता है, लेकिन जवान होने पर वह उसकी शक्ति को समझ जाता है; लड़कियाँ, गुड़िया खेल सकती हैं, पर युवतियाँ गुड़ियों का खेल नहीं पसन्द करतीं। अब संसार में ईश्वर और धर्म का तमाशा बहुत दिन नहीं रह सकता।

कल मुझसे एक लड़के ने प्रश्न किया कि 'आपकी बात सत्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर और धर्म को माने तो आपकी इसमें क्या हानि?' मैंने हँस कर कहा कि मेरे वैयक्तिक हानि का प्रश्न नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूँ कि मेरी बात मान ही ले। यहाँ बात है समाज के हानि-लाभ की, उन्हीं लोगों को इससे हानि पहुँचती है जो इस भ्रम में पड़े हैं। बात को बिना समझे मान लेने और उसके अनुकूल चलने में ज्ञान की वृद्धि रुकती है। ईश्वर और धर्म के नाम से जो समय नष्ट किया जाता है वह समाज-सेवा में लगाया जा सकता है। झूठे भय से काम करने की अपेक्षा सच्चे भय और भाव से काम करना अधिक अच्छा और पवित्र है। समाज को सुसङ्गठित और श्रृङ्खलित रखने के लिए, हमें समाज के नियमों को ज्ञान के आधार पर मानना उचित है और कल्पित ईश्वर के भय से डरना बच्चों की तरह 'झोली वाले बाबा जी' से डरना है। एक ज्ञान की जागृतावस्था है और दूसरी अज्ञान की निद्रित परिस्थिति है। जो लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास न रख कर अपने मतलब के लिए रात-दिन झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, आदमी की दृष्टि बचा कर किसी भी समाज-द्रोही काम को कर लेते हैं, वे दूसरों को ईश्वर और धर्म का भय दिखाते फिरते हैं, यह क्या प्रत्यक्ष जनता को धोखा देना नहीं है? यह कहना ग़लत है कि लोगों के जी से ईश्वर का भय निकाल देना, समाज को नष्ट-भ्रष्ट कर डालेगा। ऐसा ही फ़्रान्स के विद्वान् वाल्टेयर ने भी कहा था कि 'अगर ईश्वर न हो तो हम एक ईश्वर की कल्पना करके रक्खेंगे। क्योंकि साधारण जन-समूहों को ईश्वर की ज़रूरत है। लेकिन इसका ठीक उत्तर एक रूसी विद्वान 'मिकाईल बेकुनिन' ने यह दिया कि 'अगर ईश्वर हो भी तो हम उसे अर्द्धचन्द्र देकर निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि वह बुराइयों की जड़ है।' इस विवाद को हम अच्छी तरह समझ लें तो कूटनीति के आसरे हमें ईश्वर को बनाए रखने की हानि और सचाई के निमित्त उसके हटा देने के लाभ विस्पष्ट हो जाएँगे, इसमें सन्देह नहीं। कल्पित ईश्वर ने चाहे सहस्रों वर्ष पहिले जङ्गली लोगों को कितना भी लाभ पहुँचाया हो, परन्तु आज तो हमें उससे हानि ही हानि नज़र आती है।

हमारा विपक्षी कहता है कि आप तो ऐसी वदतो-व्याघातपूर्ण बातें कहते हैं, जिनमें परस्पर सामञ्जस्य नहीं दीखता। एक ओर तो आप कहते हैं कि मनुष्य अपनी सहज समझ और वासनाओं से प्रेरित और शासित होता है, उन्हीं के अनुसार चलता है, बुद्धि और ज्ञान का अनुमान करना कम पसन्द करता है, दूसरी ओर यह भी कहते जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान के आधार पर संस्कृति की रक्षा करते रहो, उसका साथ देते रहो। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि फ़्रान्स को क्रान्ति में धर्म को हटा दिया गया था, पर यह बात चल न सकी। अब रूस ने धर्म का पूरा बहिष्कार किया है, देखें यह बहिष्कार कितने दिन चलता है। सच तो यह है कि मनुष्य धर्म बिना जी नहीं सकता। आप कहते हैं कि धर्म एक रोग है जो मनुष्य की नाड़ियों को बेकार कर डालता है, और वह मनुष्य के भीतर घुस बैठा है, इस रोग के हटाने में ही भलाई है। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि इस रोग को दूर कर देने से और कौन-कौन से घातक रोग मनुष्य में घुस बैठेंगे।

कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें धर्म के साथ ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है, जैसे नशेबाज़ को नशे के साथ। यह लोग धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन्हें चाहे जितना समझावे यह न समझेंगे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो धर्म के पीछे इतने दीवाने नहीं हैं। यह लोग सामाजिक नियमों को अर्थात् संस्कृति के नियमों को इसीलिए नहीं तोड़ते कि धर्म उन्हें धमकी देता रहता है, रिश्वत का लालच दिखाता रहता है और बहलाता रहता है। यह लोग धर्म की उसी समय तक परवा करते हैं, जब तक वह समझते हैं कि सचमुच कोई-कोई बाधा देने वाली वस्तु धर्म है। जहाँ धर्म की सत्यता को स्वीकार करने से उनका दिल हटा कि वह बाग़ी हो जाते हैं। यह फिर धर्म की परवा नहीं करते, न इन पर किसी तर्क-वितर्क का प्रभाव पड़ता है। इनके हृदयों से धर्म का भय उठ जाता है, क्योंकि यह देखते हैं कि दूसरे लोग भी धर्म को नहीं डरते। इस तरह धीरे-धीरे धर्म का बनावटी डर उठता जाता है, चाहे हम धर्म और ईश्वर के विरुद्ध कुछ लिखें या न लिखें।

पुनः, निस्सन्देह लोग तर्कों और युक्तियों की बहुत कम परवा करते हैं, अपनी स्वाभाविक समझ के नितान्त वशवर्ती होते हैं, उसी के अनुसार जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को पूरा करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। लेकिन क्या धर्म के पक्षपातियों ने कभी अपने दिल से यह पूछा है कि क्या मनुष्य का ऐसा होना अच्छा है? क्या उनकी अन्तरात्मा को ऐसी ज़रूरत है कि वह धोखे में कम से कम जब तक रह सकें, रहें? सामाजिक जीव मनुष्य के स्वभावों और विकास के इतिहास आदि विषयों का ज्ञाता पण्डित क्या आपको ऐसे मनुष्यों के मस्तिष्क को आवृत करने वाली हड्डी की दशा बता सकता है, जिनके शिरों को बाल्यकाल से ही कड़ी पट्टी बाँध कर ख़राब कर दिया गया हो। जो लोग हाथों में फँसे हुए गहने पहने रहते हैं, क्या उनकी नाड़ी का ठीक पता वैद्य को मिल सकता है? ज़रा निर्भय, निश्चल, चमकते हुए, स्वस्थ चेहरे वाले बालक की तीव्र बुद्धि का और नवजवान की कमज़ोर समझ का मुक़ाबला करो और समझो, तो तुमको मालूम होगा कि इस बुराई के भीतर एक प्रधान कारण धर्म भी है। होश सँभालते ही बच्चे के लिए 'ईश्वर' नाम के दूसरे हौवे का डर खड़ा कर दिया जाता है। उसके हृदय में दूसरे लोक, नर्क और स्वर्ग की चिन्ता पैदा करके उसका दिमाग़ ख़राब कर दिया जाता है। बड़े होने पर आदमी के सिर में बाप-दादों के ढङ्ग, भाव, विचार आप ही घुस बैठते हैं, लेकिन हमारे भोले भाई उस समय तक ठहरना नहीं चाहते, बाल्यकाल से सन्तान के सर में धर्म, ईश्वर, परलोक को ठूँसना आरम्भ कर देते हैं, जब कि न उसमें इन बातों के समझने की बुद्धि होती है और न उसका इनमें जी ही लगता है। बच्चों में लैङ्गिक (Sexual) समुन्नति का रोकना और बहुत जल्द धर्म का रोगी बना डालना, आजकल लोग शिक्षा का सार समझते हैं। बच्चों में स्वतन्त्र विचार की शक्ति की वृद्धि को रोकना और मानसिक शक्ति में धर्म-रूपी घुन लगा देना, कोई चतुराई की बात नहीं है। नरक की धमकी से बच्चे के कलेजे को कमज़ोर बना देना हितैषी माता-पिता का काम नहीं है, यह तो एक प्रकार की शत्रुता है, मनुष्य-जीवन की उन्नति को रोकना है। जिस धर्म में जितनी अधिक कट्टरता होती है, उसमें उतने ही अधिक मूर्ख होते हैं। एशिया में ख़ासकर निकट पूर्व के देशों में धार्मिक कट्टरता के कारण विज्ञान-वेत्ताओं और वैज्ञानिक आविष्कर्ताओं का कहीं पता नहीं है। भारत में ही हम देखते हैं कि धर्म की कट्टरता हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में ज़्यादा है, इसलिए मुसलमानों में हिन्दुओं से कहीं अधिक मूर्खता पाई जाती है। हिन्दुओं में चाहे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले मिलें, पर मुसलमानों में ढूँढने से नहीं निकलेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है कि मनुष्य अपने को धार्मिक कट्टरता से मूर्ख बना डालता है, अन्ध-विश्वासी कर देता है और किसी भी सच्ची खोज के लायक़ नहीं रखता। राज-नीतिज्ञ-जगत जानता है कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बदले मुसलमानों ने इसकी ग़ुलामी को स्थिर रखने में अधिक परिश्रम किया है। इसका कारण धार्मिक कट्टरता या धर्मान्धता का आधिक्य ही है। मिस्र और टर्की में धर्मान्धता के विनाश के साथ-साथ उनका उत्थान हुआ है, भारत में धर्मान्धता के साथ-साथ

(शेष मैटर ६९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

भारत की अञ्जुमन का इनको चराग़ कहिए !

[जनाब "शातिर" इलाहाबादी]

आलम में नाम इनका, दुनिया में नाम इनका,
एक-एक जानता है कैसा है काम इनका,
चर्चा कहाँ नहीं है अब सुबहो शाम इनका,
सुनते हैं गोश दिल से सामे[१] पयाम[२] इनका !
क़ुरबान कर रही हैं जान अपनी यूँ वतन पर,
परवाना जैसे सदक़[३] हो शम्आ[४] अञ्जुमन[५] पर।

भारत का दम भरा था, भारत का दम भरेंगी,
क्या-क्या नहीं किया है, क्या-क्या नहीं करेंगी,
सेवा में देश की यह क्यों कर दबें-डरेंगी,
पीछे न पाँव अपना इस राह में धरेंगी !
सींचा है, सींचती हैं, हरदम चमन को अपने,
सैराब यह करेंगी प्यासे वतन को अपने।



भारत-कोकिला—श्रीमती सरोजिनी नायडू

रौशन ज़मीर[६] इनका, रौशन दमाग़ इनका,
हर घर में जल रहा है रौशन चराग़ इनका,
है मुल्क की ख़ुशी से दिल बाग़-बाग़ इनका,
कैसा मए[७] वतन से पुर[८] है अयाग़[९] इनका।
बदमस्त है ज़माना, दिल भी क़रार में है,
कोई सुरूर[१०] में है, कोई ख़ुमार में है।

इसलाहे बाहमी[११] में उम्र इस क़दर बसर की,
ज़हमत में दिन गुज़ारे, मेहनत ही में गुज़र की,
यह राय है मुनासिब हर फ़र्द, हर बशर की,
सारी इन्हीं के दम से रौनक़ है अपने घर की।
आली मिज़ाज़ कहिए, रौशन दमाग़ कहिए,
भारत की अञ्जुमन का इनको चराग़ कहिए।

१—सुनने वाला, २—सन्देश, ३—निछावर, ४—दीपक, ५—सभा, ६—दिल, ७—शराब, ८—भरा हुआ, ९—प्याला, १०—मस्ती में, ११—आपस में मेल-जोल।

कविता-कुञ्ज

प्यार

[श्री० त्रिभुवनशङ्कर जी तिवारी, इन्दौर]

तुम्हारे ये आँसू के बूँद,
खींच कर मेरी क्यों तस्वीर,
वेदना भरी पलक में झुला,
बनाया करते तुम्हें अधीर !

❀

तुम्हारे रोम-रोम में सदा,
छलकता रहता मेरा प्यार।
तुम्हारे स्वप्न-जगत में नित्य,
खड़ा हँसता मेरा आकार।

❀

तुम्हारे आकुल नयनों बीच,
छिपा सोता मेरा इतिहास।
तुम्हारी वीणा में है भरा,
हृदय का मेरा कुछ आभास।

❀

प्यार का भोला-सा उपहार,
चढ़ाने आते मेरे द्वार।
बताते हो इसको अधिकार,
और कहते "कर लो स्वीकार।"

❀

तुम्हारा प्यार भरा अधिकार,
बन गया मेरे उर का भार।
अरे ! लौटा लो अपना प्यार,
मधुर नन्हा-सा प्रिय उपहार !

❀

तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा,
इधर है हृदय प्रेम से हीन।
नहीं, पगले ! मत इसको छुओ,
मौन है मेरी टूटी बीन !

❀

मचल जावेंगे फिर ये तार,
धधकने लग जावेगी आग।
इन्हीं ज्वालाओं को संसार—
कह उठेगा मेरा अनुराग।

❀

अरे—कोमल, नन्हें, नादान !
कठिन पथ में आप अनजान।
विश्व गाता यह निर्भय गान,
"प्यार में भरा हुआ बलिदान।"

❀

चढ़ाते हो यदि अपने फूल,
चढ़ा दो चरणों पर सब मौन।
कहेगा कभी निर्दयी जाग,
"प्यार करता है मुझको कौन ?"

❀ ❀ ❀

वीर-नख-शिख

वीर-रदन

[राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट, अम्बिकेश]

कैधौं शेष कुण्डली लै कुण्डल बनायो विधि,
कैधौं प्रलै-भानु को प्रखर पुञ्ज कण हैं।
कैधौं चुनि-चुनि बनूँ वज्र के कणूका धरे,
टूका करिबै को बैरिवृन्द अनगन हैं।
खण्ड हैं अखण्ड कैधौं अस्थि ये दधीच जू के,
मुख-मानसर बज्र मुक्त के लरन हैं।
काल का सदन, दीन दुःख को कदन कैधौं,
विसद वदन वीर रावरे रदन हैं।

❀

कट-कट होन जबै काटत बिकट कट,
काल को कलेऊ देत किलकि अनन्त हैं।
लूमि ललकारैं, दिग्गजान मान फारैं,
झुकि बैरिन को झारैं, त्यों विदारैं करैं अन्त हैं।
ओंठ जो चबात तो प्रलै-सी मचि जात जङ्ग,
कौन समुहात तेरे वीर बलवन्त हैं।
ज्वाल सो जलन्त, करैं बैरिन को अन्त, ऐसो,
तेज तीक्ष्णवन्त बीर तेरे वज्रदन्त हैं।

❀

धावै धाक धसकि धमाक भुव छोरन लौ,
सारो भूमि मण्डल, खमण्डल कँपावै तू।
धीरन छुटावै बड़े-बड़े रन-धीरन के,
भेदि भानु-मण्डल को वीरन पढ़ावै तू।
छावत विशोक त्यों सशोक होत लोकालोक,
भूतल पै शोणित को सिन्धु लहरावै तू।
अन्त करै अधम अनन्त मानधारिन को,
पीसि दन्त जोपै कहूँ ओंठ को चबावै तू।

❀ ❀ ❀

राखी की लाज *

[श्री० भगवतीप्रसाद जी चन्दोला, 'सुकुमार']

बहिन, अहो ! राखी लाई हो
पहिनाने को आज मुझे ?
या अच्छा मौका पा आई
शरमाने को आज मुझे ?
कैसे हा ! निज हाथ बढ़ाऊँ
राखी शुचि बँधवाने को !
बहिन ! स्वयं हो भाल झुका
आशीस तुम्हारी पाने को !
शक्ति-हीन हैं बनी भुजाएँ
साजा नहीं वह रण का साज !
दशा नहीं क्या देख रही हो
दीन-हीन भाई की आज ?
भाई है किस योग्य कहो वह,
आया जो न बहिन के काज !
रख लेगी यह दीन कलाई
हा ! कैसे राखी की लाज ?

[* गत रक्षा-बन्धन के अवसर पर लिखित]

❀ ❀ ❀

ईश-प्रार्थना

[श्री० कालीचरण जी, विशारद]

ईश ! झण्डा तिरङ्गा हमारा रहे—
सर्वदा विश्व में ख़ूब उचा खड़ा,
देश सारा रहे छत्र-छाया तले,
कामना है यही, शीघ्र पूरी करो।
देश के कोटि पैंतीस सन्तान ये,
बाल वृद्धादि सारे यहीं हों खड़े,
प्राण से भी बड़ा मानते जो इसे
ध्येय हो एक ही 'पूर्ण रक्षा' यहाँ।
भूल द्वेषादि सारे निजी ये सभी,
काम ऐसा करें—विश्व भी जान ले,
देश जो है कहाता गिरा आज वो
सत्य ही है गुणों में सबों से बड़ा।
(सत्य ही सह्य होगा नहीं अन्य को,
देश का प्रेम, झण्डा उड़ाना तथा,
शक्तियाँ लीन होंगी विरोधी तभी
'नष्ट हो देश' जी में किए कामना)।
ईश ! देना तभी शक्ति ऐसी इसे,
शक्ति कोई विरोधी न क्यों आ पड़े,
वीर सा सामना विश्व का भी करे,
काल से भी लड़े, ईश से ही डरे।
तोप गोले सभी दें हमें भी बना
शीघ्र आधार झण्डा, न हो अन्यथा.
मृत्यु पश्चात भी रक्त सींचा करे
प्राणप्यारा हमारा तिरङ्गा सदा।

❀ ❀ ❀

अतीत

[श्री० ओमप्रकाश जी भार्गव "उमेश"]

सुरभ-सौरभ से युक्त महान,
कामनामय कलुषित संसार।
हृदय की आकांक्षा का सार,
क्षुद्र जीवन का उपसंहार।
कहाँ वह जीवन का पट पीत !
गया मेरा सर्वस्व, अतीत !!

❀

विरह बाला के नभ का सूर्य,
निशा का सौम्य सुधाकर वेश !
किसी प्रेमी की मृदु मुसकान,
मुदित हो देती सुख-सन्देश !
छेड़ तन्त्री गा, प्यारा गीत !
गया मेरा सर्वस्व अतीत !!

❀

मुझे है चाह नहीं सुख की,
नहीं मैं माँगूँ प्रिय सम्मान !
नहीं अभिलाषा किञ्चित् मात्र,
विषम पीड़ा का हो अवसान !
यही इच्छा मेरे मन मीत !
प्राप्त कर लूँ सर्वस्व अतीत !!

❀ ❀ ❀

धर्म और ईश्वर

(६६वें पृष्ठ का शेषांश)

हमारा पतन होता जा रहा है। फिर भी ऐसे बुद्धि-भाण्डागारों की कमी नहीं है, जो कहते हैं कि हमें क़ुरान और वेद में शान्ति मिलती है।

यदि मनुष्य बाल्यकाल से ही आँखें और कान बन्द करके धार्मिक बेहूदगियों को अपने सर में कूट-कूट कर भरता रहा, धार्मिक पुस्तकों के प्रत्यक्ष बदतोव्याघातों को नहीं देख सकता; उसका मनुष्यत्व से गिर जाना स्वाभाविक है। पशु-बुद्धि को समाज के हित के लिए उच्छृङ्खल न होने देने का काम ज्ञान का है, ज्ञान के सर पर जब आरम्भ से ही कुठाराघात होने लगे तो बेचारे ज्ञान का प्राण हमारे घर में कैसे बच सकता है? हमारे देश में ऐसे पापिष्ठ हृदयों की कमी नहीं है जो देश के ९० प्रति सौ भूख मरतों की चिन्ता से एक क्षण भी व्यथित नहीं होते, किन्तु परलोक की चिन्ता में सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। जिस देश में अन्धे बसते हों, उस देश में निश्चय ही कान की महिमा आँखों से अधिक होगी। यहाँ बेचारा ज्ञान कैसे ठहर सकता है? 'धोबी बस कर क्या करे, दिगम्बर के ग्राम'।

लोग स्त्रियों को 'नाक़िसुल-अक़्ल' कहते हैं, कहीं-कहीं भले आदमियों ने तो उनके सर बहुत से स्वाभाविक दोष मढ़ दिए हैं, एक ज्ञान-राशि हिन्दू तो कहता है "ढोल गँवार शूद्र पशु नारी" जैन हज़रत फ़रमाते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति ही नहीं होती और यहूदियों में तो प्रार्थना की जाती है, 'हे प्रभो, आपने बड़ी कृपा की, हमें स्त्री नहीं बनाया।' क्या यह सब बेहूदगियाँ हमें धर्म को धिक्कारने की ओर प्रवृत्त नहीं करतीं? हम स्त्रियों के सम्बन्ध में अनेक प्रबन्ध अनेक मासिक पत्रिकाओं में लिख चुके हैं और दूसरे स्वतन्त्र लेखों के लिखने का विचार है, जिनमें स्त्रियों पर पुरुषों के दीर्घकाल व्यापी अत्याचार को ऐतिहासिक प्रमाण के साथ दिखाया जाय, पर यह सब जीवन और स्वास्थ्य के हाथ की बात है। अस्तु, हम यहाँ स्त्रियों के पक्ष में लिख कर विषयान्तरित नहीं होना चाहते। पर इतना हम ज़रूर कहेंगे कि स्त्रियों की निर्बलता और मूर्खता के ज़िम्मेदार पुरुष हैं, स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक मूर्ख हैं। इसीलिए धार्मिक ठगों के हाथों यह अधिक ठगी जाती हैं। मेरे प्राणप्यारे धर्मान्धताग्रस्त मनुष्य भाइयो! एक बार धर्म को और ईश्वर को २५ वर्ष के लिए त्याग कर देखो, अगर आप अच्छे न बने तो फिर इन्हीं ख़याली पुलाव के पकाने में लग जाना। अगर आज आप नहीं छोड़ते तो आपकी आगे आने वाली आपसे अधिक चतुर सन्तति इन ढकोसलों को निस्सन्देह समाज से बहिष्कृत करेगी। आजकल पुरोहिती-ठगी पहिले की तरह नहीं चलती, यह प्रमाण है हमारी भविष्यद्वाणी के सिद्ध होने का।

अफ़ीमची की अफ़ीम छुड़ाना कठिन है, इसे मैं समझता हूँ, किन्तु वह स्वयं चाहे तो धीरे-धीरे छोड़ सकता है। एकदम अगर किसी का दुर्गुण छुड़ाया जाता है तो वह दुराचारी छिप कर अपनी दुर्वासना को पूरी करने लगता है, जैसा कि रूस में देखते हैं। अनेक मूर्ख घरों में छिप-छिप कर नमाज़ों में अपना समय ख़राब किया करते हैं।

ईश्वर और धर्म के ढकोसले को छोड़ने के बाद हम सच्ची अवस्था में आ जाते हैं, हम निर्बलता को समझ कर उसके दूर करने के लिए अपने हाथ-पैरों का हिलाना सीखते हैं। सन्ध्या, पूजा, व्रत और नमाज़ के ज़ोर से अपने दुखों के मिटाने की बेहूदा हरकत छोड़ देते हैं। हम समझने लगते हैं कि मैं अनुपचार, विवश और तुच्छ प्राणी हूँ। प्रकृति का ज्ञान अथाह है, लेकिन उससे कोई ईश्वर या धर्म मेरी मदद और रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वयम् अपनी रक्षा का उपाय सोचूँ। अपने हित के लिए काम करूँ।

पश्चिम के जितने आविष्कर्ता हुए हैं, उन्होंने चाहे ईश्वर का खण्डन न किया हो, पर यह ज़रूर है उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए कोई आविष्कार नहीं किया। बल्कि अनेक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नमाज़ पढ़ने वालों ने सताया ज़रूर है। जब कोई नवयुवक घर छोड़ कर निकल जाता है और उसके सामने कोई शरण-स्थल नहीं रहता तब वह श्रमशील और काम का आदमी जल्दी बनता है। आदमी सदा बालक नहीं रह सकता। वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से श्रमशील, स्वतन्त्र जवान बनता जा रहा है। उसको इस उन्नति और इस उत्कर्ष में बाधा डालना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना है।

भाग्य एक और नष्ट वस्तु है। इससे आदमी निकम्मा और आलसी हो जाता है। वह लगातार अदृश्य शक्ति का ही आश्रय ढूँढने लगता है। किसी भी घटना का, अच्छी हो या बुरी, कारण नहीं ढूँढता। भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाता है। अगर आदमी सावधान हो जायगा तो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी कामों के करने में दत्तचित्त रहेगा। स्वर्ग और ईश्वर के भूत को जिन, फ़रिश्ते, यक्ष आदि के लिए छोड़ कर आप अपनी पृथ्वी पर ही अपना स्वर्ग बनाने में लग जायगा। ईश्वर, धर्म और भाग्य का वशीभूत न रहेगा।

सर्वम् परवशं दुखम्

सर्वम् आत्मवशं सुखम्

❀ ❀ ❀

अक़्ल का शेर

[श्री० हज़ारीलाल खरे उर्फ़ मि० खरे]

मेरा नाम बुद्धि-सिंह है, किन्तु लोग मुझे, लाड़ से कहिए अथवा अपनी कम्बख़्ती से, 'बुद्धू' कहते हैं। आजकल नाम बिगाड़ने की कुछ प्रथा सी चल गई है। लोग अक्सर भले आदमियों के नामों को बिगाड़ डालते हैं। जैसे, घासीराम से 'घस्सू', चोखेलाल से 'चुक्खू' और पचकौड़ीलाल से 'पच्चू' इत्यादि। सरकार की ओर से इस कुप्रथा को दूर करने का शायद कोई क़ानून नहीं है, वरना ऐसा घोर अन्याय नामों के साथ कदापि नहीं हो सकता था। ख़ैर, मैंने निश्चय किया है कि यदि नाम वालों के सौभाग्य से मैं कभी एसेम्बली का मेम्बर बना तो सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूँगा और अगर वह इस कुरीति की ओर कुछ ध्यान न देगी तो मुझे बाध्य होकर Tit for Tat (जैसे को तैसा) का आश्रय लेना पड़ेगा। तब मैं श्रीमान् लाट साहब को 'लट्टू', मि० मैकडॉनल्ड को 'मैक्कू', मि० बैजवुड बैन को 'बिज्जू' और मि० सेमुएल होर को 'सम्मू' आदि कहा करूँगा।

आह! आज न जाने कितने भले आदमियों के शुभ-नामों की कमरें, पूँछें तथा गर्दनें ज़बान-ए-ख़ुञ्जर से काटी जा रही हैं, परन्तु सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। भला, इस उदासीनता का भी कोई ठिकाना है? अस्तु—

मेरे पूज्य पिता का नाम 'सुद्दू' उर्फ़ सुदर्शन सिंह है और मेरे दादा का नाम 'कुन्दू' उर्फ़ कन्दर्प सिंह था। मेरे पिता तीन वर्ष की उम्र से ही 'अ आँ, इ ईं, उँ ऊँ, ए बौ, ओ बऊ, और अम्हा' पढ़ने लगे थे, किन्तु उन्होंने मुझे पाँच वर्ष की अवस्था में स्कूल में भरती कराया।

मेरी पढ़ाई की गाड़ी सरपट चाल से चलते-चलते मेट्रिकुलेशन-परीक्षा में तीन बार अड़ी। प्रथम वर्ष मुझे परीक्षा के पूर्ण विषयों में बैठने ही नहीं दिया गया। दूसरे वर्ष जब परीक्षा देने जाने लगा तब एक अपशकुन हो गया। मेरे 'सालारजङ्ग' (अर्थात् जिनके सम्बन्ध में अनादिकाल से यह किम्वदन्ती है कि सारी ख़ुदाई एक तरफ़, जोड़ का भाई एक तरफ़) बोल उठे—जनाब, इस साल मेहरबानी करके ज़रा सावधान रहिएगा। गत वर्ष जिस तरह सहपाठी की कॉपी चोरी करते समय पकड़े गए थे, परीक्षा-भवन से निकाले गए थे और अन्त में रेस्टीकेट होते-होते बच गए थे, उसी तरह इस साल भी न कर बैठिएगा। इस अपशकुन से मैं समझ गया कि बड़े बेमौक़े उल्लू बोला है, फलतः इस साल भी ख़ैर नहीं है। परन्तु 'हिम्मते मरदाँ, मददे ख़ुदा', इस घोर अपशकुन के होते हुए भी अपनी अक़्ल के बल से मैंने पर्चे अच्छे किए और मेरे पिता जी को विश्वास हो गया कि अब की मैं फ़र्स्ट-डिवीज़न में अवश्य पास हो जाऊँगा। किन्तु जब परीक्षा-फल-सूची में युनिवर्सिटी के कम्बख़्तों ने मेरा नाम न छापा तो 'खेत खाय गदहा और मार खाय जुलाहा' के अनुसार मेरे पिता भी मुझ पर बिगड़ उठे। मुझे फ़ेल होने का उतना डर और रञ्ज नहीं होता, जितना पिता के लेक्चर का डर रहता है। आख़िर वही हुआ, पिता जी का लेक्चर, जो पूरे डेढ़ घण्टे में समाप्त हुआ, सुनना ही पड़ा। उस समय यदि कोई अख़बार का रिपोर्टर होता तो वह उनके 'उल्लू', 'पाजी', 'गधे की दुम' और 'मस्तिष्क में गोबर भरा है' आदि विशेषणयुक्त लेक्चर अवश्य ही नोट किए बिना न रहता।

तीसरे वर्ष, यदि सच पूछिए तो मैंने ख़ूब पढ़ा। एक दिन किसी कारणवश जब अपने छोटे भाई को मैंने एक 'चपत' जड़ दी, तब उस कम्बख़्त ने पिता जी से कह दिया कि "भैया के फ़ेल होने का सबब यह है कि ये कोर्स की किताबों की जगह उपन्यास और शृङ्गार-रस की पुस्तकें बहुत पढ़ा करते हैं।" यही नहीं, पाजी ने क़रीब आठ-दस पुस्तकें पिता जी के सामने लाकर रख दीं। अब क्या किया जाए! मेरे छोटे भाई ने अपना कथन मय प्रमाण के प्रमाणित कर दिया। इसमें मेरा कोई क़सूर न था। बस, मेरी परिस्थिति का अनुभव वे लोग अच्छी तरह कर सकते हैं, जिनकी शादियाँ छात्र-जीवन ही में हो चुकी हैं। बताइए, वह समय क्या कोर्स की नीरस पुस्तकें रटने का होता है? बस, मैंने भी सनातन प्रथा के अनुसार कोर्स की किताबों को आलमारी में विश्राम करने दिया था। यदि फ़ेल होने के डर से कभी किताब खोलता भी था तो मन में वही मुखमण्डल, वही मधुर मुस्कुराहट, वही चुलबुली बातें नृत्य करने लगती थीं। ख़ैर, पिता जी का लेक्चर इस बार मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। सौभाग्य से मुझे एक कीड़े की भन-भनाहट सुनाई पड़ गई। बस, इस डर से कि वह कान में घुस न जावे, मैंने अपने दोनों कानों को उँगली से

अच्छी तरह बन्द कर लिया था। यह मेरी बुद्धिमानी थी कि यह काम मैंने पिता जी की नज़र बचा कर किया था, अन्यथा यदि उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो मेरी खोपड़ी का शनीचर फिर मर्त्यलोक में आने का नाम भी न लेता। एक बार ऐसा ही करने पर पिता जी ने क्रोधित होकर कहा था, "देखो बेवक़ूफ़ को, मेरी बातों को व्यर्थ समझ कर, कान बन्द करता है।"

हाँ, तो तीसरे वर्ष भी कम्बख़्त परीक्षक ने मुझे फ़ेल कर ही दिया। इसलिए मैंने अब प्रण कर लिया है कि जब तक 'पनागर❀ युनिवर्सिटी' न खुल जावेगी, तब तक मैं परीक्षा में न बैठूँगा। भला मेरे जैसे अक़्ल के शेर को तीन बार फ़ेल करने की क्या आवश्यकता थी? दो साल फ़ेल होने की Qualification (योग्यता) क्या तीसरे साल पास कर देने के लिए काफ़ी न थी? इसके अलावा एक ख़ास वजह पढ़ाई छोड़ने की और थी। अर्थात् मेरा लड़का पहिली कक्षा में पढ़ता था। इसलिए मुझे डर था कि यदि मैं परीक्षक की शरारत से फिर फ़ेल हो गया तो मुझे अन्त में अपने पुत्र के साथ ही 'स्टैण्ड-अप ऑन दी बेञ्च' का मज़ा लेना पड़ेगा। फल यह होगा कि लोगों को मुझे 'बुद्धू' कहने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो जावेगा और फिर मुझे एसेम्बली में कुछ कहने का दावा ही न रह जाएगा।

ख़ैर साहब, पढ़ना छोड़ा। घर में मेरे भाग्य से खाने की कमी न थी। पिता जी में यों बहुत से ऐब थे; परन्तु उन्होंने मेरे लिए धनोपार्जन काफ़ी कर लिया था। इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर पिता जी लायक़ न होते तो न जाने मेरी क्या दुर्दशा होती? बड़े-बड़े एम० ए०, बी० ए० नौकरी की तलाश में बैरङ्ग घूमा करते हैं, फिर तो मैं नान-मेट्रिक ही ठहरा। एक दिन एक एम० ए० साहब मेरे पास भी पहुँचे और कहने लगे—'मालगुज़ार साहेब, मुझ पर बड़ी विपत्ति है, कोई नौकरी दिलवाइए।

मैंने सिर खुजलाते हुए पूछा—आप क्या काम कर सकते हैं?

'लिखा-पढ़ी।'

'इसके अलावा।'

'और जो कुछ आप कहें।'

मैंने कहा—भाई, मेरे यहाँ तो हल-कुदाल का काम है।

यह सुनते ही उन्होंने एक बार आपाद-मस्तक मेरी ओर देखा, फिर चलते बने। अस्तु।

एक दिन मेरी अक़्ल ने सलाह दी कि मालगुज़ार साहब, इतनी अक़्ल के सोल प्रोप्राइटर होकर भी तुम बेकार रहते हो, यह ठीक नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। यह सोच कर बड़ी कठिनाई, परेशानी और चापलूसी के पश्चात मैं म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बन गया। मैंने निश्चित् कर रक्खा था कि मैं म्युनिसिपैलिटी का सदस्य होकर अच्छे-अच्छे सुधार करूँगा, जनता को किसी क़िस्म का कष्ट न होने पावेगा। किन्तु वहाँ जाते ही मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। एक दिन 'विशेष-सभा' हुई। बड़े-बड़े सभ्य-पुरुष आए थे। बड़े-बड़े प्रस्ताव रक्खे जाने वाले थे। मुझे अपनी अक़्ल का नमूना दिखाने का यह अच्छा अवसर था। जब मेरी बारी आई तो मैंने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

'हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, कि शहर के कुत्तों के लिए हम लोगों ने कपड़ों का इन्तज़ाम नहीं किया। बड़े-बड़े लोग सभ्य तथा सज्जन पुरुष शहर में निवास करते हैं। किन्तु ये कुत्ते ऐसे बेअदब और बद-तमीज़ हैं कि नङ्ग-धड़ङ्ग इधर-उधर घूमते फिरते हैं। परन्तु इसमें कुत्तों का कोई क़सूर नहीं, वरन् यह हम लोगों की ग़लती है। इसलिए म्युनिसिपैलिटी की ओर से कुत्तों के लिए कपड़ों का प्रबन्ध किया जाना ज़रूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। इसमें म्युनिसिपैलिटी का अधिक ख़र्च भी न होगा। मैं बज़ाजों से कॉङ्ग्रेस-सील-शोभित विदेशी कपड़ों की गाँठें खुलवा कर कुत्तों को कपड़े दिलाने का ज़िम्मा लेता हूँ। म्युनिसिपैलिटी को केवल सिलाई ख़र्च का भार सहन करना पड़ेगा।'

मगर बात तो यह थी कि इस म्युनिसिपैलिटी के सभी मेम्बर अक़्ल के दुश्मन थे। उन्हें साधारण शिष्टाचार-अर्थात् 'एटीकेट' का बिल्कुल ज्ञान न था। इसलिए ये लोग मेरी हँसी उड़ाने लगे। और मेरे प्रस्ताव का कोई भी समर्थक न हुआ। एक सज्जन ने अलबत्ता यह प्रश्न किया, कि 'जनाब, जब कुत्तों के लिए कपड़ों का प्रबन्ध किया जावेगा, तब बिल्लियों और घोड़े वग़ैरा जानवरों के Complaints (शिकायतों) का क्या जवाब दिया जावेगा?'

मैंने कहा—भाई साहब, कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है, जो आवारा फिरा करता है, परन्तु मनुष्यों के साथ सदैव रहता है। यहाँ तक कि अन्तःपुर में भी उसका अबाध प्रवेश होता है, इसलिए लोगों की निगाह उस पर अवश्य पड़ती है। किन्तु दूसरे जानवरों का यह हाल नहीं है।

मेरी यह ज़ोरदार दलील सुन कर वे चुप हो गए। लेकिन मेरे प्रस्ताव पर ध्यान न दिया गया। बतलाइए, ऐसा घोर अपमान मैं श्रीमान बुद्धिसिंह—भला कैसे बरदाश्त कर लेता? बस, मैंने म्युनिसिपल-बीबी को फ़ौरन तलाक़ दे दिया। वह पहले से ही इस बात के लिए मेरी अक़्ल देख कर कोशिश कर रही थीं।

अब मैं अपने घर का काम देखा करता हूँ। मेरी उम्र इस समय ठीक २६ वर्ष ११ माह २७ दिन, २३ घण्टे ५९ मिनट ५९ सेकेण्ड की है—पूरे सत्ताइस वर्ष होने में एक सेकेण्ड की कमी है। लेकिन देखने-सुनने में मैं कम से कम ५० वर्ष का जहाँदीदा, अनुभवी और बुज़ुर्ग मालूम होता हूँ। लोगों का ऐसा भ्रम है कि छोटी उम्र में ख़ास कर छात्र जीवन में शादी होने की वजह से ही मुझे बुज़ुर्गी प्राप्त हो गई है। परन्तु यहाँ पर मुझे कुछ शक सा प्रतीत होता है, कि शायद लोग मुझे बुज़ुर्ग समझ कर ही 'बुद्धू' कहते हों। शायद इसी वजह से या लोगों की देखादेखी मेरा छोटा लड़का भी मुझे एक रोज़ 'बुद्धु' कह रहा था। मैंने कहा, बेटा, जब तक, 'नाम'-क़ानून नहीं पास होता, तब तक मैं किसी नियम के अनुसार तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता। परन्तु क़ानून बन जाने के पश्चात् तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगा कि छट्टी का दूध याद आ जायगा!

एसेम्बली का चुनाव पास ही है। इसलिए मैं मेम्बर होने की तैयारी में लगा हूँ। मेम्बर होने के पश्चात् लोग मुझे 'अक़्ल का शेर' इस उपाधि से विभूषित किए बिना न रहेंगे। हिन्दुस्तान में एक विशेष क्रान्ति मच जावेगी। मेरे मेम्बर होने के पश्चात् हिन्दुस्तान में कोई नाम न बिगाड़ सकेगा, छात्र जीवन में शादी न हो सकेगी और कुत्ते विदेशी कपड़े पहने नज़र आएँगे?

आप ही बतलाइए, क्या मैं 'अक़्ल का शेर' नहीं हूँ? मेरा नाम 'बुद्धि-सिंह' भी तो है?

❀ ❀ ❀

❀ पनागर जबलपुर से आठ मील की दूरी पर एक गाँव है।

—लेखक

तूफ़ाने-ज़राफ़त

हम पियानो भी बजाने लगे अब बीन के साथ

[महाकवि 'अकबर' इलाहाबादी]

क्या रहे दौरे फ़लक[1] में कोई तमकीन[2] के साथ,
जब ज़माना न चले एक ही आईन[3] के साथ ?
ग़र्ब[4] की मद्‌ह[5] भी है शर्क़[6] की तहसीन[7] के साथ,
हम पियानो भी बजाने लगे अब बीन के साथ।
इस तमाशा-गहे हस्ती[8] में मुझे हैरत है,
इक नया फ़लसफ़ा हो जाता है हर 'सीन' के साथ।
मुख़लिसाना[9] जो न हो मद्‌ह तो क्या लुत्फ़ आए,
चश्मे[10] ग़म्माज़ की गर्दिश भी है तहसीन के साथ।
दिल दिया, माल दिया, प्यार किया, उनको मगर,
इन बुतों को वही काविश[11] है मेरे दीन के साथ।

❀

.ख़ुशी क्या हो जो मेरी बात वह बुत मान जाता है,
मज़ा तो बेहद आता है, मगर ईमान जाता है।
जहाँ दिल में यह आई कुछ कहूँ वह चल दिया उठ कर,
ग़ज़ब है, फ़ितना है, ज़ालिम नज़र पहचान जाता है।
'थिएटर' रात को और दिन को यारों की यह 'स्पीचें',
दुहाई लाट साहब की मेरा ईमान जाता है।
नई तहज़ीब में दिक्क़त ज़्यादा तो नहीं होती,
मज़ाहिब[12] रहते हैं क़ायम, फ़क़त ईमान जाता है।

❀

सब्र रह जाता है, और इश्क़ की चल जाती है,
ज़ब्त करता हूँ, मगर आह निकल जाती है।
कुछ नतीजा न सही इश्क़ की उम्मीदों का,
दिल तो बढ़ता है, तबीयत तो बहल जाती है।
वाइए बोसए अबरू[13] का न कर ग़ैर से ज़िक्र,
दिल्लगी में कभी तलवार भी चल जाती है।

❀

हम क्यों यह मुब्तिलाए बेताबिए[14] नज़र हैं,
तसकीने दिल की यारब वह सूरतें किधर हैं !
ज़र्रे जो गुल[15] बने थे, वह बन गए बगूले,
जो ज़ीनते चमन थे वह ख़ाके रहगुज़र[16] हैं।
'अकबर' के शेर सुन कर, कहते हैं अहले[17] बातिन,
अब भी ख़ुदा के बन्दे, कुछ साहबे नज़र हैं।

❀

कामयाबी ख़ारिज अज़मिल्लत[18] से नाकामी भली,
लुत्फ़ दुश्मन ही से शुहरत हो, तो बदनामी भली।
पुख़ता[19] होकर अपनी शाख़ोबुन[20] से होता है जुदा,
ऐ समर[21] चश्मे मुहब्बत में तेरी ख़ामी[22] भली
बेवफ़ा समझें तुम्हें अहले[23] हरम इससे बचो,
दैर वाले[24] कजअदा[25] कह दें यह बदनामी भली।

❀ ❀ ❀

१—आकाश का चक्कर, २—शान, ३—तरीक़ा, ४—पश्चिम, ५—तारीफ़, ६—पूर्व, ७—सराहना, ८—संसार, ९—प्रेम, १०—चुग़लख़ोर आँखें, ११—रञ्ज, १२—मज़हब, १३—भँवों का चुम्बन, १४—बला में फँसना, १५—फूल, १६—रास्ते की ख़ाक, १७—दिल वाले, १८—मज़हब से बाहर, १९—पक्का, २०—जड़, २१—फल, २२—कच्चापन, २३—काबे वाले, २४—मन्दिर वाले, २५—टेढ़े,

न तो जापान के हम साथ, न हैं चीन के साथ

[कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी]

चाहिए लुत्फ़ भी दुनिया का हमें दीन के साथ,
कुछ मिठाई भी रहे मेज़ पे नमकीन के साथ।
एक मेरे दोस्त ने अज़ राहे[26] करम बँगले पर,
मुझको साहब से मिलाया बड़े तहसीन के साथ।
है यह कॉलिज की पढ़ाई तो नतीजा मालूम,
कोई दुनिया में रहेगा न कभी दीन के साथ।
देखना हो जो तमाशा तो क्लब में देखो,
एक नया 'सीन' नज़र आएगा हर 'सीन' के साथ।
हिन्द की ख़ैर मनाने से है काम ऐ "बिस्मिल",
न तो जापान के हम साथ, न हैं चीन के साथ।

निछावर कोई होता है कोई .क़ुरबान जाता है,
नई चालें वह चलते हैं, ज़माना जान जाता है।
हुसूले ज़र[27] की हसरत ख़ाक छनवाती है दुनिया की,
कोई जाता है लन्दन, तो कोई जापान जाता है।
पढ़ा करता हूँ मैं 'स्पीच' हर लीडर की 'लीडर' में,
मगर सरकार का इनकी तरफ़ कब ध्यान जाता है ?
ज़माने में नई तहज़ीब देखी मैंने ऐ "बिस्मिल",
कुछ इसका ग़म नहीं मुझको, अगर ईमान जाता है।

❀

वह दहलते नहीं मख़लूक़[28] दहल जाती है,
मेरे मुँह से जो मेरी आह निकल जाती है।
तेरी फ़ोटो का नतीजा न हो कुछ और कि हो।
देख लेने से तबीयत तो बहल जाती है।
शकवए ज़ुल्मो-सितम की नहीं ताब ऐ "बिस्मिल"
देख कर उनको मेरी जान निकल जाती है।

❀

नज़रें उठा के देखें जो साहबे नज़र हैं,
शक्लें वह अब कहाँ हैं, वह सूरतें किधर हैं ?
ज़र्रे यह कह रहे हैं, पस्ती[29] में है बलन्दी।
गरदूँ[30] नशीं वह होंगे जो ख़ाके रहगुज़र हैं।
मेरा कमाल देखें, परखें वह मुझको "बिस्मिल"
जो साहबे नज़र हैं, जो साहबे हुनर हैं।

मेरी मायूसी[31] है अच्छी, मेरी नाकामी भली,
लेकिन इसको कह नहीं सकता कि बदनामी भली।
दिल में अहले क़ौम के बैठा हुआ है यह ख़याल,
पुख़्तगी उनके लिए, अपने लिए ख़ामी भली।
वाक़ई इल्मो-हुनर की क़द्र ऐ "बिस्मिल" नहीं,
इस ज़माने में तो शुहरत से है गुमनामी[32] भली

❀ ❀ ❀

२६—कृपा से, २७—रुपया पैदा करना, २८—दुनिया, २९—नीचा, ३०—आकाश पर बैठने वाले, ३१—निराशा, ३२—कोई न जाने।

काँटा छुरी बग़ैर तो ख :

[जनाब "ज़ाहिद" इलाहाबादी]

फ़ेवर में अपने उनको जो पाता नहीं हूँ मैं,
इस वास्ते सलाम को जाता नहीं हूँ मैं।
बैठा हुआ सूरते नक़्शे क़दम यहाँ,
बँगले से उठ कर अब कहीं जाता नहीं हूँ मैं।
सुनने का लुत्फ़ जब है सुनो दास्ताने दिल,
सुनते नहीं हो तुम तो, सुनाता नहीं हूँ मैं।
वह हैं मेरी नज़र में समाए हुए मगर—
उनकी नज़र में फिर भी समाता नहीं हूँ मैं।
यह सच है, इस तरह नहीं जीने से फ़ायदा,
जब ज़िन्दगी का लुत्फ़ भी पाता नहीं हूँ मैं।
तहज़ीबे मग़रबी का यहाँ तक लेहाज़ है,
काँटा छुरी बग़ैर तो खाता नहीं हूँ मैं।
दुनिया कहेगी रिन्द भला किस तरह मुझे,
"ज़ाहिद" क्लब में भूल के जाता नहीं हूँ मैं।

❀ ❀ ❀

हर तरफ़ फैली है अब बूए-लवेण्डर देखिए !

[जनाब "ग़ाफ़िल" इलाहाबादी]

इन्क़िलाबे गर्दिशे चर्ख़े सितमगर देखिए,
था कभी आबाद अब उजड़ा हुआ घर देखिए !
हिस्ट्री कहती है, सब कुछ हिस्ट्री में दर्ज है,
आप क्या से क्या हुए हैं, इसको पढ़ कर देखिए
मग़रबी फ़ैशन के आगे इत्र को क्या पूछे गच्छ,
हर तरफ़ फैली है अब बूए लवेण्डर देखिए !
देखते ही देखते बदली ज़माने की हवा,
बह रहा है हर तरफ़ फ़ैशन का सरसर देखिए !
उसमें-इसमें तो ज़मीनो आस्माँ का फ़र्क़ है,
'पायनियर' हम देखते हैं आप 'लीडर' देखिए !
तार भेजा है किसी मिस्टर ने यह मिस मेयो के पास
मिस मिलर के शुद्ध हो जाने का मञ्ज़र देखिए !
ग़फ़लतों की नींद में "ग़ाफ़िल" ज़माना मस्त है,
रङ्ग लाएगा अभी क्या-क्या मुक़द्दर देखिए !

❀ ❀ ❀

बीबियाँ .ख़ुद मुनतख़िब करती हैं शौहर देखना

[जनाब "ताज" साहब]

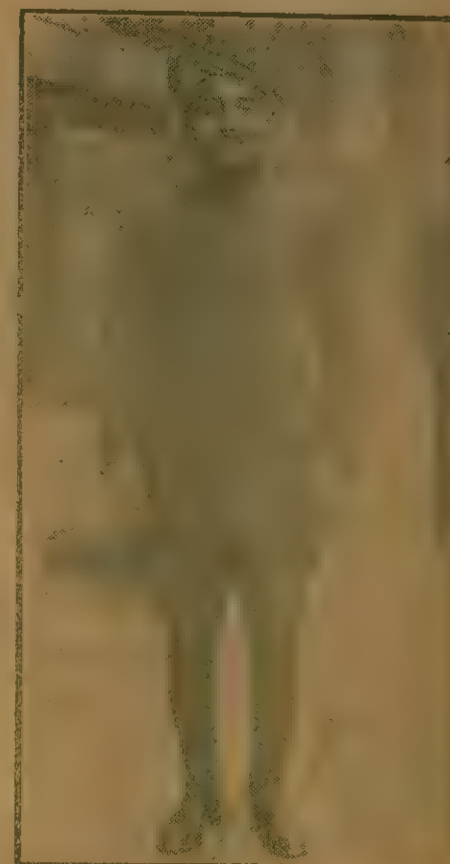
हीला साज़ो पुरजफ़ाओ कीना परवर देखना,
ख़ल्क़ कह देगी तेरे मुँह पर सितमगर देखना !
दौड़ कर वह मिस न बढ़ जाए कहीं मैदान में,
थाम कर पतलून तुम अपने को मिस्टर देखना !
हम से यह होता नहीं, यह हम से होने का नहीं,
अपने ही हाथों से अपना हाल अबतर देखना !
आस्माँ की गर्दिशें तो हमने देखी हैं बहुत,
रह गया है अब ज़मीं का सिर्फ़ चक्कर देखना !
अब कहाँ तहज़ीबे निसवाँ, अब कहाँ वह रोक थाम,
बीबियाँ ख़ुद मुनतख़िब करती हैं शोहर देखना !
.क़ूवते साइन्स ने अच्छा एअरशिप दे दिया,
यूँ हवा में हम उड़ा करते हैं बे पर देखना !
गो इलेक्शन के लिए सब पाँव पड़ते हैं अभी,
हाथ जुड़वाएँगे हम से फिर यह मेम्बर देखना !
आप गो तक़लीद समझें मैं तो समझूँगा उरूज,
जाँघिया भी हो गई अब बढ़ के नेकर देखना !
खटमलों से आजकल तकलीफ़ होती है बहुत,
.ख़ून आलूदा ज़रा हर तारे बिस्तर देखना !
सर झुकाओ "ताज" अपना सजदये हक़ के लिए,
हो मुबारक तुम को बुतख़ाने का मञ्ज़र देखना !

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



प्रधान सचिव मि० रामज़े मेकडॉनल्ड—हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने जिनमें विश्वास का प्रस्ताव पास किया है।



गोलमेज़ के प्रतिनिधि रीवा के महाराजा साहब, जो सङ्घ-शासन के विरोधी हैं।



गोलमेज़ के प्रतिनिधि बर्दवान (बङ्गाल) के महाराजा साहब।



अपनी धर्मपत्नी—लेडी इमाम सहित पटना (बिहार) के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता—सर अली इमाम, जो राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की ओर से गोलमेज़ के एक मात्र 'प्रतिनिधि' चुने गए हैं।

गोलमेज़ परिषद के कुछ भारतीय प्रतिनिधि



साँगली के चीफ़



महाराजा पटियाला



महाराज राणा धौलपुर



अपनी धर्मपत्नी लेडी हैदरी सहित नवाब सर अकबर हैदरी। आपके बगल में पाठक लन्दन के 'इस्लामिक एसोसिएशन' के प्रधान—ख़लीद शेलड्रेक को खड़े देखेंगे। आपका यह चित्र लन्दन पहुँचते ही लिया गया है।



महाराजा बड़ौदा



पार्लाकिमेडी के राजा साहब



नवाब भोपाल

गोलमेज़ परिषद के कुछ भारतीय प्रतिनिधि



[illegible]
महिलाओं की प्रतिनिधि-स्वरूप आमन्त्रित की गई हैं।



[illegible]
आपका यह चित्र फ़ोक्स्टोन पहुँचते ही एक प्रेस-
प्रतिनिधि द्वारा लिया गया था।



[illegible]
भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से बुलाए गए हैं। आपका यह
चित्र आपके लन्दन के निवास-स्थान में लिया गया है।



बम्बई के देशसेविका सङ्घ की कुछ सदस्याएँ—जिन्होंने गत राष्ट्रीय सङ्ग्राम में महिला-शक्ति का अद्भुत परिचय देकर सारे संसार को आश्चर्य में डाल दिया था।



प्रथम वार्षिक सङ्गीत सम्मेलन में भाग लेने वाले बम्बई के कुछ शिक्षित परिवार—जिसका अधिवेशन उस दिन सर सी० जे० हाल में हुआ था। बीच में पाठक सुप्रसिद्ध पारसी-सङ्गीतज्ञ—श्री० एफ़० श्रॉफ़ को बैठे देखेंगे।

लिञ्चिङ्ग

(अमेरिका निवासियों का एक पैशाचिक कृत्य)

['प्रेम']

मिस मेयो की पुस्तक 'मदर इण्डिया' को पाठक अभी तक भूले न होंगे। मिस मेयो ने भारत-वासियों—और विशेष कर हिन्दुओं—की अनेक प्रथाओं को घृणित और पाशविक बता कर, उन्हें संसार के सामने पिशाच-रूप में चित्रित करने की चेष्टा की है। परन्तु मिस मेयो ने इस बात के अन्वेषण की ओर संसार के सामने रखने की कभी चेष्टा नहीं की कि अमेरिका में भी इन प्रथाओं से अधिक घृण्य और पाशविक कृत्य नित्यप्रति होते रहते हैं ! इनमें से सबसे अधिक पैशाचिक कृत्य वह है, जिसे अङ्गरेज़ी में 'लिञ्चिङ्ग' कहते हैं। हमने इस लेख का शीर्षक 'लिञ्चिङ्ग' इसलिए रक्खा है कि हिन्दी भाषा में इसके जोड़ का कोई शब्द है ही नहीं ; क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना है, हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में कभी कोई कृत्य, सामूहिक रूप से, इतना पैशाचिक, इतना जघन्य और इतना पतित बना देने वाला हुआ ही नहीं है।

'लिञ्चिङ्ग' क्या है ? यह बात एक शब्द या एक पंक्ति में नहीं बताई जा सकती, न पाठक ही, जिन्हें कभी इस कृत्य के देखने का अवसर नहीं मिला, इसका अनुमान इतने थोड़े वर्णन से लगा सकते हैं। पाठकों को इस बात का पता है, कि अमेरिका में गोरे और काले दो प्रकार के 'जीव' रहते हैं ! गोरे वे हैं जो यूरोप के देशों से भाग कर वहाँ बसे थे ; काले वे हैं, जो 'हब्शी' कहलाते हैं और जो अफ़्रीका से ग़ुलाम बना कर अमेरिका को ले जाए गए थे। वर्षों हुए, जब अमेरिका की पार्लामेण्ट ने एक क़ानून बना कर ग़ुलामी की प्रथा को नष्ट कर दिया था। तब से हब्शी लोगों को न्याय की और क़ानून की दृष्टि में गोरों के समान ही अधिकार है। परन्तु, यह वहीं तक है, जहाँ तक काग़ज़ और क़लम का सम्बन्ध है। वास्तव में, अमेरिका की कई स्टेट अब भी ऐसी हैं, जहाँ हब्शी को जङ्गली कुत्ते से भी अधिक भयानक, मरे हुए सुअर से भी अधिक घृण्य और नरक के कीड़े से भी अधिक अपवित्र समझा जाता है; जहाँ, वस्तुतः, वे अब भी ग़ुलामों की भाँति रक्खे जाते हैं; जहाँ उनका दर्शन मनहूसी की निशानी और उनका दुःख उपहास की सामग्री समझा जाता है। इन्हीं प्रान्तों में, यदि कभी गोरे लोगों को इस बात का सन्देह हो जाय कि किसी हब्शी ने किसी गोरी लड़की की ओर देख कर हँस भी दिया था, तो बस, उसकी ख़ैर नहीं। गोरों का एक झुण्ड, जिनमें स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे सभी होते हैं, उस बेचारे हब्शी का रक्त पीने के लिए निकल पड़ता है, उसे पा जाने पर जितने भी जघन्य कार्य एक राक्षस कर सकता है, वे सब कार्य ये 'सभ्य' कहलाने वाले गोरे उस असहाय हब्शी से बदला लेने के लिए करते हैं। इसी बदला लेने को 'लिञ्चिङ्ग' कहते हैं। उनके ये कृत्य इतने भयानक और वीभत्समय होते हैं कि पढ़ने वालों के हृदय थर्रा जाएँगे। परन्तु वे गोरे नर-पिशाच हँसते-कूदते, हाहा-हूहू करते उस हब्शी को एक गाड़ी से बाँध कर सारे नगर में घुमाते हैं। जब देखते हैं, कि वह मरने के निकट है तो उसे पानी पीने के लिए देते हैं। परन्तु इसके पूर्व कि वह बेचारा उस पानी को होंठों तक ले जाय, भीड़ में से एक उसके हाथ में जूते की एक ठोकर मार कर उस पानी को पृथ्वी पर गिरा देता है। सारी भीड़ अट्टहास करने लगती है। उस सिसकते हुए, आहत, भूखे-प्यासे हब्शी को फिर एक पेड़ से बाँधा जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है। लिञ्चिङ्ग की यह जघन्य प्रथा केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी काम में लाई जाती है। उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, उनका वृत्तान्त तो इतना मर्म-भेदी है कि पढ़ कर आँखों से आँसू निकलने लगते हैं।

वॉल्टर व्हाइट नाम के एक लेखक ने अपनी पुस्तक 'Rope and Faggot' में ऐसी ही एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है :—

"एक हब्शी स्त्री, जो गर्भवती थी, को बच्चा पैदा होने का जो दिन था, उससे एक रात पहले, गोरे आततायियों के एक झुण्ड ने आकर चारपाई से उठा लिया। उसके पैरों को रस्से से बाँध दिया और उसका शिर नीचा करके एक पेड़ पर लटका दिया। फिर उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर दियासलाई लगा दी। कुछ देर ही में वह छटपटाती हुई अग्नि की भेंट होने लगी। इतने पर भी उन राक्षसों को सन्तोष न हुआ और एक व्यक्ति ने चाक़ू से उसका पेट चीर दिया।

"सभ्य समाज के व्यक्तियों को यह कृत्य जङ्गली असभ्यों का किया हुआ प्रतीत होगा। परन्तु यह घटना अमेरिका के सभ्य प्रान्त जॉर्जिया की है।

"मैं कुछ दिन बाद ही घटनास्थल को देखने गया। किसी ने मुझसे कुछ छिपाया नहीं। आततायियों में से एक ने, बड़ी प्रसन्नता और बड़े गर्व से कहा, 'ओह मिस्टर, क्या ही मज़ा होता, यदि तुम उस कमबख़्त हब्शिन को पीड़ा से चिल्लाते हुए सुनते', मानो वह किसी पुण्य-कृत्य की बात सुना रहा हो।"

और इस पाशविक कृत्य का कारण क्या था ? उसके पति को कुछ दिन पूर्व आततायियों ने उसी प्रकार लिञ्च कर दिया था, इस अपराध में कि उसने एक गोरे किसान के क़त्ल में सहायता दी थी और यह अपराध पीछे से झूठा साबित हुआ था। उस दीन हब्शिन ने अपने मुख से इतना कह दिया था कि वह मुख्य आततायियों के विरुद्ध अदालत में शिकायत करेगी और उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट निकलवाएगी।

इस लिञ्चिङ्ग का इतिहास भी बड़ा मनोरञ्जक है। वर्जिनिया प्रान्त में लिञ्चबर्ग नाम का एक छोटा-सा नगर है। वहाँ सन् १७३६ में 'लिन्च' नाम का एक गोरा पैदा हुआ था। उन दिनों यह प्रान्त बिलकुल जङ्गली और असभ्य था। उस समय लिञ्च ने एक छोटी-सी अदालत स्थापित की थी, जहाँ अपराधी को कोड़े लगाने का दण्ड मिलता था।

सन् १८६१ में, जब ग़ुलामी के प्रश्न के ऊपर दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में मतभेद हुआ और ग़ुलामी के विरुद्ध क़ानून पास हो गया, अमेरिका में एक आन्दोलन की सृष्टि हुई, जिसे 'क्लू-क्लक्स-क्लान' (K. K. K.) कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य काले आदमियों के विरुद्ध विष उगलना था। लिञ्चिङ्ग आज जिस रूप में होता है, वह रूप उसे क्लू-क्लक्स-क्लान ने दिया था। पहले-पहल फाँसी पर लटका देना इनका कार्य था। परन्तु पीछे फाँसी के स्थान पर जीवित जला देना तथा अन्य प्रकार के अत्याचार होने लगे। सन् १८८२ से लेकर सन् १९२७ तक, ४५ वर्ष में, लगभग ५,००० व्यक्ति लिञ्च कर दिए गए, जिनमें से लगभग १०० स्त्रियाँ थीं।

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र 'न्यूयार्क ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुआ था—

"डौडसविल स्थान के निकट ६ फ़रवरी १९०४ को एक हब्शी लूथर होलवर्ट तथा उसकी स्त्री को लगभग १,००० गोरों के समूह ने बड़ी बेदर्दी से लिञ्च किया।

"लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा कर आततायियों ने दोनों हब्शियों को उस पर बाँध दिया। फिर बलपूर्वक उनके हाथ बाहर निकलवाए। उधर लकड़ी के ढेर में आग लगाने की तैयारी की जा रही थी, इधर लोगों ने उनके हाथों की एक-एक उँगली चाक़ू से काटी और उन कटी हुई उँगलियों के टुकड़ों को भीड़ ने आपस में स्मृति-स्वरूप विभाजित कर लिया। इसके अनन्तर उनके कान काटे गए, और स्त्री की बेइज़्ज़ती की गई। इतना ही नहीं, काग खोलने का जो यन्त्र होता है (Cork Screw) उसके द्वारा उनके सारे शरीर में छेद किए गए।

"होल्वर्ट का अपराध यह था कि एक गोरे किसान से उसका झगड़ा हो गया था और जब उस गोरे ने उससे कुछ अपशब्द कहे, तो होल्वर्ट ने उसे गोली से मार दिया। परन्तु उसकी स्त्री का कोई भी अपराध नहीं था।"

एक ऐसी ही दूसरी घटना सन् १९२१ में सार्डीस स्थान पर हुई थी। एक लौरी नाम का हब्शी एक गोरे किसान के खेत पर काम करता था। एक दिन लौरी को किसान के पुत्र ने गोली मार कर घायल कर दिया। इस पर लौरी और किसान में कुछ कहा-सुनी हुई और लौरी ने किसान को मार डाला। लिञ्चिङ्ग के डर से लौरी टैक्सास की ओर भाग गया, परन्तु गोरे आततायियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ कर ले आए। उसका लिञ्चिङ्ग किस प्रकार हुआ, यह 'मैम्फ़ीस प्रेस' नामक पत्र के एक सम्वाददाता के शब्दों में पढ़िए—

"लौरी को जीवित जलाया गया, यहाँ तक कि उसका सारा मांस इस प्रकार पकने लगा, मानो एक कड़ाई में चूल्हे पर रक्खा हो। परन्तु वीर लौरी न तो हिला-डुला, न उसने कभी दया के लिए प्रार्थना की। एक-दो बार, प्रारम्भ में, उसने जलती हुई लकड़ियों के छोटे-छोटे टुकड़े उठा कर मुख में रखने का प्रयत्न किया, ताकि उसका अन्त शीघ्र आ जाय। परन्तु प्रत्येक बार अत्याचारियों ने उसके हाथ में ठोकर मार कर वे जलते हुए टुकड़े गिरा दिए।

"केवल एक बार उसने आह ली, और वह भी उस समय, जब कि अत्याचारियों ने उसकी स्त्री और नन्हीं बच्ची को यह दारुण व्यवसाय देखने के लिए, वहाँ ला खड़ा किया। अत्याचारियों के इस कृत्य के सामने स्वयं क्रूरता और नीचता तक शर्मा जाती !"

कभी-कभी, जब किसी हब्शी के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है और वह जेल में बन्द होता है, तो यह रक्त के प्यासे शिकारी कुत्ते (!) जेल का फाटक तोड़ कर उस अभागे को बाहर निकाल लाते हैं और मुक़दमा चलने के पूर्व ही और बिना यह प्रमाणित किए कि वह वास्तव में अपराधी है, लिञ्चिङ्ग द्वारा उसकी दुर्दशा कर देते हैं। जेल के अधिकारी इन सब घटनाओं को देखते हैं और, झूठी बन्दूक़ दाग़ने के अतिरिक्त, कुछ भी नहीं करते। पुलिस भी यह तमाशा देखती है और अत्याचारियों में से एक की गिरफ़्तारी तक नहीं होती।

यूरोपीय महाभारत के पश्चात् भी अमेरिकनों की यह पाशविक मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं हुई है। सहस्रों

(शेष मैटर ७६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

"होमियोपैथीक दवायों"

१ पैसे फ़ी ड्राम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ भी इलाज कर सकती हैं। गृह-चिकित्सा बक्स में असली अमृत तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मूल्य क्रमानुसार उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा ड्रापर सहित २), ३), ३॥), ४।), ६।=), ६), १०॥=) है। सब प्रकार की होमियोपैथिक सम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दवाएँ ग्लोबिल्स, सुगर आफ़ मिल्क ट्यूब, शीशी, वेलवेट कार्क, बुख़ार देखने का थर्मामीटर मू० ॥) और छाती की परीक्षा करने का यन्त्र मू० २) इत्यादि। सब डॉक्टरी सामान सस्ते दाम में मिलते हैं। १२ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से "Biochemic Twelve Tissue Remedies" Book मुफ़्त भेजी जाती है।

एस० आर० विश्वास एण्ड सन्स ७५—१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

(रजिस्टर्ड) हैज़े का जानी दुश्मन (रजिस्टर्ड)

रत्नामृत

मूल्य ॥।) शीशी नमूना ≈), डाक-ख़र्च अलग

"रत्नाकर" पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ़्त मँगाइए !

पता—रत्नाकर भवन इटावा (यू० पी०)

यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं



हैं तो आज ही हमारे कारख़ाने का अङ्गरेज़ी सूचीपत्र मँगाइए। इस कारख़ाने में हर तरह को, हर साइज़ का और हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टैंक्स् (ऑइल इञ्जिन) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में जल सकती है।

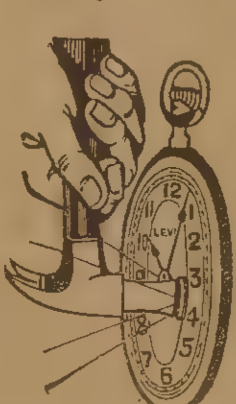
जी० घोष एण्ड को०, ६४ हरीसन रोड, कलकत्ता

२०वीं सदी का आश्चर्य

यह एक लीवर जेबी घड़ी है और उसके साथ इक्स्ट्रा "जार प्रूफ़ मूवमेण्ट" और कभी न टूटने वाला शीशा भी है।

५ साल की गारण्टी

घड़ी कैसी है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए इसको कहीं मज़बूत ज़मीन पर पटक दीजिए। अगर इसकी कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो उसको वापस कर दीजिए।



पसन्द न होने पर दाम वापस

क़ीमत सिर्फ़ २।−) ; डाक-महसूल ६ आने अलग ; तीन घड़ी एक साथ लेने से डाक-महसूल माफ़ और ६ घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त में मिलेगी। इस पते से पत्र-व्यवहार कीजिए :—

दि यङ्ग इण्डिया वाच कम्पनी,
१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता

बृहत होमियोपैथिक दवाख़ाना

होमियोपैथिक दवा—−)।, −)॥ मदर टिञ्चर ।) ड्राम।

सब बीमारी के दवाओं के बक्स, किताब और ड्रापर के साथ १२ शीशी के बक्स का २), २४ शीशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५।), ६० शीशी के ६।=), ८४ शीशी के ६) और १०४ शीशी के १०॥=) डाक ख़र्च अलग। होमियोपैथिक हिन्दी किताबें—गृहस्त चिकित्सा सजिल्द १), चिकित्सा शिक्षा ॥=), हैजा चिकित्सा ।=) डा० म० अलग।

एन० के० मजुमदार एण्ड को० ३४ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता

मुश्क की

अत्यन्त आश्चर्यजनक ख़ुशबू



इस "मुश्क-सोप" का रङ्ग, उसकी सुगन्धि, पवित्रता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है।

नेशनल सोप एण्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड

फ़ैक्टरी :— १०८ ए०, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट

ऑफ़िस :— ७, स्वैलो लेन, कलकत्ता



पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जायेगा मुफ़्त मंगवाओ पता साफ़ लिखो।

गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए ! पता—इण्टर नेशनल कॉलेज, (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड) ३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

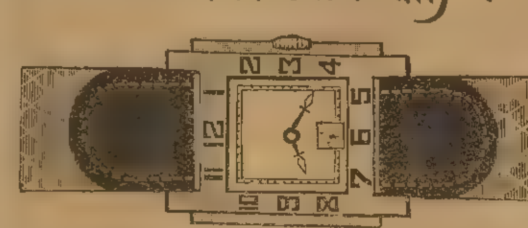
असल रुद्राक्ष माला

−) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०

३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

जक्सन लीवर रिस्टवाच २॥।) में



यह हाथ-घड़ी अभी विलायत से बन कर आई है। देखने में अति सुन्दर और चलने में मज़बूत, क़ीमत में कम, दूसरी घड़ी आपको न मिलेगी, मौक़ा न चूकें, वरना पछताना पड़ेगा। क़ीमत २॥।); एक साथ तीन मँगाने से पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल टाइमपीस और १२ लेने से एक यही रिस्टवाच इनाम मिलेगी। हर घड़ी की गारण्टी १० साल और रेशमी बैन्ड मुफ़्त दिया जायगा।

पता—भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी

पो० बक्स २३७४ से ७ कलकत्ता

मातृ-शक्ति

[श्री० सत्यवीर]

संसार के विश्वस्त इतिहास के जन्म-काल से आज-पर्यन्त के मनुष्य-जीवन और मानव-समाज की आलोचना करने बैठें तो हमें हाथ उठा कर ज़ोर के साथ यह कहना पड़ेगा कि मातृ-शक्ति ही मनुष्य-जीवन और मानव-समाज को उच्च बनाने वाली महा-शक्ति है। बेटी, बहिन या पत्नी के रूप में स्त्री ने समाज का न इतना उपकार किया, न उस पर इतना प्रभाव डाला जितना, माता बन कर। इसीलिए माता का स्थान सबसे, यहाँ तक कि पिता, राजा और गुरु से भी, ऊँचा माना गया है। आर्य-नीति-कारों ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि माता का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता। कुपुत्र बहुत होते हैं, पर कुमाता नहीं होती। मातृ-महिमा की बाबत एक स्थल पर शेख़ सादी कहता है :—

आँ कुन किरिज़ाय मादरानस्त।
फ़िरदौस ज़ेर कफ़े पाय मादरानस्त।

अर्थात्—वही काम करो जो माताओं की आज्ञानुसार हो, क्योंकि माताओं के पैर के तलुओं के तले स्वर्ग है।

मनुष्य-जाति ने सदा माताओं को पूजा और प्रतिष्ठा की है, भक्तिपूर्वक मनुष्य ने आदिकाल से ही माताओं के आगे सर झुकाया है। पत्नी के रूप में जहाँ स्त्री सेवा करती रही है, वहाँ वह माता के रूप में शासन करती चली आती है। पत्नी आज्ञा मानने वाली होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का सम्बन्ध ही बच्चों को उनकी साहजिक बुद्धि के अनुसार प्रतिष्ठा करने को बाध्य करता है।

सब कल्पों और युगों में माता ही धारण व पालन करने वाली धर्म का रूपान्तर पाई जाती है, वही संरक्षिका और मनुष्य-जाति की आदिम शिक्षिका है। मनुष्य जाति के ऐतिहासिक रङ्ग-मञ्च पर माता का अभिनय अत्यन्त स्मरणीय और महत्वपूर्ण पाया जाता है। माता के ही हाथ सामाजिकता को आरम्भ करने वाले हाथ हैं, माता पालने पर हमें सुला कर उसे हिलाते हुए, सभ्यता के पथ पर अग्रसर करती है, माता ही भाई-बहिनों को परस्पर प्रेम करने की शिक्षा देती है, गान गाकर, सिखा कर भ्रातृ-भाव उत्पन्न करती है। माता ही युवा लड़कों और लड़कियों को दाम्पत्य प्रेम और जीवन की व्यावहारिक शिक्षा देती है—सार यह कि माता ही सामाजिक सम्बन्धों की निर्मात्री शक्ति है, सामाजिकता की जन्मदात्री है। बचपन के सुख, जवानी के आनन्द, नैतिक और सामाजिक योग्यताएँ माता के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। माता ही हमें सभ्य बनाती, हमारा जङ्गलीपन छुड़ाती है—नास्ति मातृ समोगुरुः।

सावयवीय (Organic) प्रकृति का एक महदुद्देश्य माताओं की रचना था। सबसे बड़ा काम जो प्रकृति ने किया यही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। यह दायित्व माता को पदे-पदे सावधान करता रहता है और बच्चों के हृदय में माता के प्रति नित्य नई श्रद्धा उत्पन्न करता है। प्रकृति के उच्च मन्तव्य में इस बात का नया विश्वास उत्पन्न होता है कि समस्त उद्भिज और पिण्डज-जगत् में उसका अभिमत एक ऐसे कुल का उत्पन्न करना था, जिसे बच्चा देने वाला प्राणी कहते हैं। समस्त प्राणियों को माता के गर्भ में निवास करना और माता के आश्रित रह कर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। माता के प्रेम छोटे-बड़े सभी प्राणियों में प्रकट दीखता है। कीड़े-मकोड़े भी अपने अति लघु जीवन में अपने बच्चों के भावी सुख और खान-पान के लिए परिवेष्टित परिकर और वातावरण के अनुसार उचित प्रबन्ध में नहीं चूकते।

इसी प्रकार मकोड़ों, चिड़ियों आदि का परिभावेक्षण करते हुए हम क्रमशः मनुष्य-श्रेणी पर पहुँचते हैं, तो हमें मातृत्व की महत्ता कहीं अधिक ऊँची नज़र आने लगती है। कोल, भील, नागा, परिया जिन्हें महा-अविद्या-ग्रस्त जङ्गली समझा जाता है, उनकी माताएँ भी जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को गोद में लेकर खेलाती और प्यार करती हैं तो उनके विचार, उनकी भावनाएँ और उनकी परिकल्पनाएँ न जाने कितने उच्च लोक तक उड़ान मारती हैं। माता अपने को भूल कर, अपने परिकर और परिकोटे की परवा न कर के निर्बल और निस्सहाय बच्चे की रक्षा के लिए सर्वथा दया से पिघली रहती है। अपने बेटे-बेटी के लिए ही नहीं, किन्तु प्रत्येक प्राणी के लिए, क्योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्दिगन्त-व्यापी करुणा और अनुकम्पा से छलक उठता है। माताओं के ही कष्ट-सहन से मनुष्यता का जन्म होता है और यह मनुष्यता उसके स्वभाव को दिन-दिन अधिक प्रेममयी, उच्च और कृपालु बनाती रहती है। माता इतनी कोमल-हृत, दयालु, प्रेम-परिपूर्ण होते हुए भी अपने बच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिंसक प्राणी के सामने अपने में अमोघ और अतुल चातुरी और बल का अनुभव करती है, और प्राण-विसर्जन करने को प्रस्तुत हो जाती है। माता अपने बच्चों की रक्षा के समय जो वीरता, प्रचण्डता और उग्रता धारण करती है, वह अतुल, अनुपम और आदर्श होती है।

संसार के सारे प्रेमों में बच्चों के प्रति माता का प्रेम सब अवस्था में अत्यन्त दृढ़, अमिट, प्रभावशाली और निस्स्वार्थ होता है। इतनी उत्कृष्ट प्रेम की प्रतिमा संसार में अभ्यन्त्र कहीं नहीं देखी जाती। माता मनुष्य-जाति की अधिष्ठात्री और स्त्री-पुरुष दोनों की समान सम्पत्ति है, दोनों के लिए आदर्श और पूजार्ह है।

माता का आदर्श पृथ्वी-माता में भी मिलता है, वह हमारा पालन करती है, हमें गोद में सँभाले रहती है, हमें खाने को देती है, हमारी सान्त्वना करती है, हममें नित्य अभिनव जीवन, प्राण और शक्ति सञ्चार करती है, और मरने के पश्चात् शान्ति के साथ हमें थके हुए बालक के समान अपनी पवित्र गोद में सुला लेती है।

हम देखते हैं कि सारे भूमण्डल में उत्कृष्ट शक्तियों के नाम और रूप सब स्त्री के ही हैं। सरस्वती, विद्या, वीरता, चतुरता इत्यादि हिन्दुओं में, अक़्ल, दानिश, शुजाअत इत्यादि ईरान और अरब वालों में, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी आदि यूरोप में इत्यादि-इत्यादि।

प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृ-शक्ति की अवज्ञा नहीं की, उसे अपराध नहीं लगाया, न उसे भूला। आदर्श माता की सब जगह पूजा होती है; प्रतिष्ठा और प्रीति व परतीत होती है। कल्पान्तर में माता ने वर्तमान पूर्णता प्राप्त की है और दिन-दिन वह मातृत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है।

माता हमेशा यही सोचती, चाहती और विश्वास करती है कि मेरा पुत्र देवमूर्ति, सर्व-गुण-सम्पन्न होगा। अत्यन्त कुमार्गी पुत्रों में भी पूर्ण-स्नेह रखते हुए, माता यही विश्वास करती है कि समय पाकर यह अच्छा हो जायगा। जब पुत्र हिम्मत हार कर, दुखी होकर, कष्ट के समय हतप्रतिभ होकर घर में बैठ जाता है तो माता उसे हँस कर प्रोत्साहन देती है। माता स्वयम् वीरों की तरह कष्ट सहन करने को तैयार रहती है और समय पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयों का निर्भीकता के साथ सामना करने को तैयार करती है। भारत के इतिहास-गत वीर-गाथाओं में हमारे कथन का जीता-जागता प्रमाण हज़ारों स्थल पर मिलेगा।

माता को बच्चे को जन्म देने में अत्यन्त कष्ट का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह बच्चों को जन्म देना अपने बड़े सौभाग्य की बात समझती है। हिन्दू माताएँ अपनी वधुओं को नमस्कार के उत्तर में जो आशीर्वाद देती हैं, उससे उनके हार्दिक भाव का ख़ूब पता लगता है। जब कोई वधू आकर किसी वृद्धा के पावों को स्पर्श करती है तो वृद्धा कहती है'—शीलवती सुहागी, सपूती रहो।' अर्थात्—'तुम पति-अनुरक्ता, सौभाग्यवती और पुत्रवती रहो।' इन वाक्यों में हमारी प्राचीन आर्य-सभ्यता का एक छोटा सा इतिहास भरा है, जिस पर प्रत्येक हिन्दू बालक को अभिमान होना स्वाभाविक है। मुसलमानों की सभ्यता भी मातृ-प्रेम और शौर्य से ख़ाली नहीं है, हमें अरब का इतिहास इस बात की साक्षि देता है।

स्त्रियों की क्या यह कम बहादुरी है कि मनुष्य-जाति को नष्ट न होने देने के लिए, उसे संसार में बनाए रखने के निमित्त, निर्बल होते हुए, जान-बूझ कर अपने प्राणों को सङ्कट में डाल देती हैं। यह मातृ-शक्ति की महिमा है, उसका असीम स्नेह है। सच तो यह है कि माता ही के द्वारा, मनुष्य-भक्ति का सच्चा पाठ, मनुष्य पढ़ सकता है, प्रत्यक्ष सीख सकता है और संसृत के कल्याण के लिए कष्ट उठाने की हिम्मत कर सकता है।

लिञ्चिङ्ग

(७७वें पृष्ठ का शेषांश)

हब्शियों ने युद्ध में अनेकों प्रकार की सहायता दी, परन्तु उसका बदला उन्हें क्या मिला? सन् १९१९ में दस हब्शी सिपाहियों को लिञ्च करके मार डाला गया, इनमें से कई तो उस समय भी अमेरिकन सेना की वर्दी पहने हुए थे।

कभी-कभी, जब हब्शियों के रक्त से इनकी प्यास नहीं बुझती, तो इनका हाथ किसी यूरोपियन पर पड़ता है। परन्तु ऐसा करने का अधिक साहस इन्हें नहीं होता, क्योंकि सारे यूरोप में अमेरिका के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो जाय। सन् १८९१ में कुछ इटालियन लोग, षड्यन्त्र रचने के सन्देह में, न्यू ऑर्लीन्स में लिञ्च कर दिए गए थे। इस बात पर इटली में इतना तहलका मचा कि इटली और अमेरिका का राजनैतिक सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। परन्तु पीछे से अमेरिका की सरकार ने ७०,००० रुपए हर्जाने के रूप में इटली की सरकार को दिए, जो लिञ्च किए गए व्यक्तियों के कुटुम्बियों में बाँट दिए गए। तब जाकर झगड़ा मिटा। परन्तु अभागे हब्शियों के लिए आन्दोलन करने वाला कौन है? उनके आदमी और स्त्रियाँ आज तक लिञ्च किए जाते हैं। मिस मेयो जैसी दयालु (?) आत्मा परोपकार के लिए ही अल्लाह ताला के दरबार से उतरती हैं। अपने किए गए अत्याचार तो उनकी दृष्टि में पुरस्कार हैं।

* * *

विज्ञान की क्रमशः उन्नति के साथ-साथ हमारा सामाजिक ज्ञान, कर्तव्य-ज्ञान और पवित्र अभिलाषाएँ भी बढ़ती जाती हैं। ज्ञान और ज्ञातव्य के बीच में नई-नई संयोग-शृङ्खला उत्पन्न होती रहती हैं। मन का शरीर पर, शरीर का मन पर, इसी तरह एक अङ्ग का दूसरे अङ्ग पर, जो प्रभाव पड़ता रहता है, उनसे प्रत्यङ्गों की पारस्परिक समवेदना का पता चलता है। इसलिए समुचित नर-नारी की उत्पत्ति के लिए मातृत्व की पवित्र अवस्था पर भी हमारा विचार रहना ज़रूरी है। आदमी वैसा ही बनता है, जैसा उन्हें माताएँ बनाती हैं। इसलिए माताओं की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। माता का असीम प्रेम स्वाभाविक है, किन्तु मनुष्य-जाति के इतिहास के ज्ञान के साथ उन्हें देखना होगा। यह प्यार सन्तति में मनुष्य उत्पादन करने के काम लाने की आवश्यकता है। माताएँ बच्चों को मनुष्य बनाएँ, उन्हें साँप, बिच्छू और भेड़िए न बनाएँ। हाँ, उनमें इतनी शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दें कि वह साँप, बिच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में असमर्थ न रहें।

विज्ञान की वृद्धि और वर्तमान जगत् के अनुभव के साथ-साथ हम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत् में नियम, शृङ्खला और विचार-शीलता जो समाज को हितकारी हैं, थोथे आनन्द के लए ध्यान से हटा दिए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य-समाज के विद्वान चाहते हैं कि बच्चे कम उत्पन्न हों तो चिन्ता नहीं, किन्तु जो हों वह निरोग, सुयोग्य, मानव-कुल-भूषण हों।

हम अपने अभागे भारत में देखते हैं कि माताएँ देश-जनसंख्या की वृद्धि बड़े कष्ट सहन करके सीमातीत करती जा रही हैं। यह नहीं देखतीं और समझतीं कि इनके बच्चे हाँडूरास, डमरेरा, केनिया, यूगेण्डा, ट्रान्सवाल, आसाम आदि स्थानों में क़ुली का काम करते हैं, अथवा विदेशियों का मुँह १५)-२०) रुपए की मासिक नौकरियों के लिए ताकते रहते हैं। माताओं को जान लेना चाहिए कि उनका धर्म है शेर, शूर, वीर, ज्ञानी, मनुष्य-कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को जन्म देना, न कि गीदड़ों से देश को भरना। भीख माँगने वाले, बिना घर-बार सड़कों पर दिन-रात बिताने वाले, दूसरों के लिए रात-दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए बाध्य मनुष्य, नारी हो या नर, न अपना मुँह उज्ज्वल करता है न अपने माता-पिता का, न अपनी जाति, अपने देश और मनुष्य-समाज का।

एक नीतिकार कहता है कि—

गुणिगण गणनारम्भे न पतति कठिनी यस्यसम्भ्रमः।
तस्य माता यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी नाम।

अर्थात्—"गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उस की माता भी पुत्रवती कहलाती है तो फिर वन्ध्या कौन सी है?" यहाँ कवि व्यङ्ग के साथ कहता है कि निगुण, गीदड़ को जो माता जन्म देती है, वह वन्ध्या के समान है। मातृ-शक्ति चाहे तो देश की इस बुराई को हटा सकती है। हमें आशा है कि भावी और वर्तमान माताएँ इस ओर ध्यान देंगी।

बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता, किन्तु मनुष्य-समाज-हितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश पूज्य और प्रतिष्ठित होता है। स्वस्थ माता-पिता स्वस्थ बच्चों को जन्म दें, उन्हें मनुष्योचित स्वाभिमान, देशाभिमान, सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें। इसके विपरीत आचरण से देश को निकम्मे आदमियों से भरना पाप है।

माता को उचित है कि एक सन्तान होने के बाद पाँच वर्ष पर्यन्त, बल्कि सात वर्ष तक दूसरी सन्तति को जन्म देने का कष्ट न उठावें। नर-नारी का विवाह-संयोग तभी होना उचित है, जब वह उत्तम सन्तान पैदा करने की कामना करें। हमारी समझ में सन्तान-निग्रह के उचित उपाय बुरे नहीं हैं। हम कभी दूसरे लेख में इस विषय पर तर्क करेंगे। क्योंकि बहुत समय तक बलात् ब्रह्मचर्य रखने से नर-नारी दोनों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, यह विज्ञान-सिद्ध बात है। आयुर्वेद इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें बतलाता है।

प्रत्येक दम्पत्ति को सावधान किया जाता है कि गर्भ-स्थिति के बाद काम-वासना की तृप्ति के लिए दम्पति का मिलना गर्भाशय को ख़राब करता है, गर्भस्थ प्राणी और उसकी माता को बहुत हानि पहुँचाता है।

एक अङ्गरेज़ हम एशिया-निवासियों पर व्यङ्ग करता है और कहता है कि चीनी और हिन्दुस्तानी अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाली जातियाँ हैं, इस मामले में इनसे बढ़ी-चढ़ी और कोई जाति नहीं है। लेकिन किसी जाति का बड़प्पन मोल से होता है तोल से नहीं। अर्थात् गुण से जाति पुजती है, बहुत आदमी होने से नहीं। बहुत से कपूत किसी काम के नहीं, थोड़े से सपूत सब कुछ होते हैं। एक मज़बूत ऐङ्गलो सेक्शन दस निर्बल करोड़ों की संख्या वालों से लोहा ले सकते हैं। क्या यह बात एशिया वालों के विचार करने की नहीं है? इसीलिए हमने कहा है कि अगर हम शेर पैदा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो गीदड़ों का पैदा करना बन्द कर दें।

आर्य विद्वानों और जर्मनी के शास्त्रज्ञों का मत है कि—

१—पुरुषों को २५ वर्ष की अवस्था के पहले विवाह न करना चाहिए। अगर करेंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ और शक्तिशाली न होंगे।

२—कोई स्त्री जो तीस वर्ष से कम अवस्था की हो, ३०-३५ वर्ष की अवस्था तक हो, उसे चाहिए कि ५० वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाह न करे। हाँ, यदि वह निर्बल और रोगी सन्तान उत्पन्न करना चाहती हो तो दूसरी बात है।

३—जब तक सारे अङ्ग परिपक्व व परिपुष्ट न हो जायँ, स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति की ओर ध्यान न देना चाहिए। अच्छा हो जो २५ वर्ष की अवस्था तक स्त्रियाँ माता बनने की चेष्टा न करें।

इङ्गलैण्ड में भी ५,०००-६,००० स्त्रियाँ प्रसूतिका-गृह में प्राण विसर्जन कर देती हैं। भारत में इस तरह की मरने वाली लड़कियों की संख्या और भी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सामाजिक सुधार की बड़ी ज़रूरत है। अन्य देश की महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया है, परन्तु भारत के कट्टर हिन्दू मुसलमान अभी आँखें बन्द करके गढ़े में उतरने को तैयार देखे जाते हैं। आजकल भी शारदा-ऐक्ट के विरोध में मौलवी साहब और पण्डित महाराज ज़मीन और आकाश हिलाए डालते हैं।

एक विद्वान कहता है कि स्त्री-पुरुष संयोग सन्तानोत्पत्ति के लिए है। जब किसी पुरुष और स्त्री में सन्तानोत्पत्ति की योग्यता पैदा हो जाय—नर को नारी की और नारी को नर की आवश्यकता प्रतीत होने लगे, तो दोनों मिल कर सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं। बलात् ब्रह्मचर्य रखने से स्त्री हो या पुरुष सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता खो बैठता है। इसलिए बलात् ब्रह्मचर्य का बोझ या सबके लिए अवस्था की क़ैद न लगानी चाहिए। आवश्यकता होने से सन्तान-निग्रह के साधन काम में लाए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इस विद्वान के मत पर सविस्तार लिखना नहीं चाहते।

एक मूर्ख ऐङ्गलो सेक्शन जात्याभिमानी अङ्गरेज़ कहता है कि अङ्गरेज़ों को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने के लिए रङ्ग वाली स्त्रियों में सन्तान न उत्पन्न करनी चाहिए। माँओं को चाहिए कि अपने पुत्रों को समझाया करें, ताकि वह ऐसा निषिद्ध काम न करें। इस बेचारे को स्वतन्त्रता, प्रेम-स्वातन्त्र्य, मनुष्य-जाति मात्र के बन्धुत्व का क्या पता? यह तो अपने जातीय प्रेम और विजातियों के प्रति द्रोह के नशे में चूर है। इस मनोवृत्ति को अङ्गरेज़ी में Chaúvinism (शोविनिज़्म) कहते हैं। जो हो, अब २०वीं सदी में यह बेहूदगी नहीं चल सकती। अब तो मनुष्य मात्र की एक जाति होगी। मनुष्य का बच्चा किसी मनुष्य की ही बच्ची के साथ विवाह करता है तो उसमें पाप नहीं; परन्तु विवाह स्वच्छन्द प्रेम से हो, अन्य किसी कारणवश नहीं।

लेकिन एक बात अवश्य ही संयुक्त होने वाले लड़के और लड़की को समझ रखना चाहिए कि सन्तति में माता-पिता के गुणों, दोषों और स्वभाव का प्रायः प्रभाव देखा जाता है, जिसे अङ्गरेज़ी में Heredity (हिरेडिटी) कहते हैं। माताएँ अपना अधिक प्रभाव सन्तान पर डालती हैं; इसलिए अगर वह चाहे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख कर अपने बच्चों को अच्छा बना सकती है। बहुधा यह भी देखा गया है कि माताएँ अपने सद्भाव, सद्विचार और प्रेम से बच्चों को जीत लेती हैं और उनमें पिता के अवगुण जो आ जाते हैं उन को मटा देती हैं।

* * *

हमें भी देखना अब यह है, कितने बेवफ़ा तुम हो!

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

मुझे परवा नहीं इसकी, अगर मुझसे ख़फ़ा तुम हो,
तुम अपने को समझते क्या हो, क्या मेरे ख़ुदा तुम हो?
जफ़ाजू[1] फ़ितना गर[2], अय्यार, ज़ालिम, ख़ुदनुमा[3] तुम हो,
तुम्हें जितना समझता हूँ, बहुत उससे सिवा तुम हो!
तुम्हीं कह दो मनाऊँ तो, मनाऊँ किस को मैं पहिले,
इधर मुझसे ख़फ़ा दिल है, उधर दिल से ख़फ़ा तुम हो!
अकेले में किसी का जी, बहलना ग़ैरमुमकिन है,
हमीं हम हैं तो क्या हम हैं, तुम्हीं तुम हो तो क्या तुम हो?
ख़ुदा के डर से तुमको हम, ख़ुदा तो कह नहीं सकते,
मगर लुत्फ़े ख़ुदा, क़हरे[4] ख़ुदा, शाने ख़ुदा तुम हो!
जफ़ाएँ[5] तुम किए जाओ, वफ़ाएँ हम किए जाएँ,
हमें भी देखना अब यह है, कितने बेवफ़ा तुम हो!
क़यामत में तो मुझसे झूठ, अब बोला नहीं जाता,
ख़ुदा के सामने क्योंकर उन्हें कह दूँ ख़ुदा तुम हो?
जनाबे "नूह" से उनका यह कहना एक तमाशा है,
अभी तूफ़ाने बहरे[6] इश्क़ से नाआशना[7] तुम हो!

१—ज़ालिम, २—फ़िसादी, ३—घमण्डी, ४—ग़ज़ब, ५—ज़ुल्म, ६—समुद्र, ७—अपरिचित।

इंगलैण्ड में शिनफ़ीनरों का जासूसी विभाग

[श्री० सत्यभक्त जी]

आयलैंण्ड का शिनफ़ीन आन्दोलन और आई० आर० ए० (आयरिश प्रजातन्त्री सेना) तथा अङ्गरेज़ी फ़ौज का भीषण संग्राम इतिहास की एक अमर घटना है। उससे प्रगट होता है कि किस प्रकार मुट्ठी भर देशभक्त, जब वे अपने देश की स्वाधीनता के लिए प्राणों की बाज़ी लगाने को तैयार हो जाते हैं, संसार की अजेय शक्ति के भी दाँत खट्टे कर सकते हैं। वैसे तो आयलैंण्ड वाले कई सौ वर्षों से इङ्गलैण्ड द्वारा पहिनाई गई पराधीनता-शृङ्खल को तोड़ने की बार-बार चेष्टा करते आए थे और इसके लिए अनेक महान आत्माओं ने अपना बलिदान किया था, पर सन् १९२० में उन लोगों ने एक ऐसा नया ढङ्ग अख़्तियार किया कि ब्रिटिश शासन का चलना असम्भव हो गया। उन्होंने अङ्गरेज़ी सेना, पुलीस, अदालतों, डाकख़ानों, रेलों आदि पर प्रति दिन छापे मार कर ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि तमाम सरकारी कार-बार रुक गया और बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी तक अपने घरों या ऑफ़िसों में क़ैदियों की तरह रहने लगे।

शिनफ़ीनरों ने अपना 'संग्राम-क्षेत्र' आयलैंण्ड में ही परिमित नहीं रक्खा, वे इङ्गलैण्ड में भी तरह-तरह के उपद्रव मचा कर, ब्रिटिश-सरकार को चेतावनी देने लगे कि यदि वह आयलैंण्ड में ज़ुल्म करना बन्द नहीं करती और उसे ज़बर्दस्ती अपनी अधीनता में रखने की चेष्टा करती है तो वे उसे सुख की नींद नहीं सोने देंगे। इङ्गलैण्ड में इन लोगों का एक मज़बूत सङ्गठन था, जिसकी शाखाएँ ख़ास लण्डन तथा बड़े-बड़े व्यापारिक नगरों में थीं, जहाँ आयरिश लोग अधिक संख्या में क्लर्की और दूसरी नौकरियाँ करते थे। इनको सङ्गठित करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर आयलैंण्ड से एकाध बड़े कार्यकर्ता आते रहते थे। ये लोग बड़ी-बड़ी दुकानों में आग लगा देते थे, खेतों को जला देते थे, तारों को काट देते थे, और सरकारी इमारतों को उड़ा देते थे। इसके सिवाय अङ्गरेज़ी सेना और पुलीस के जो लोग आयलैंण्ड में विशेष ज़ुल्म करते थे और शिनफ़ीनरों के हाथ से बचे रहते थे, उनको किसी कार्यवश इङ्गलैण्ड में आने पर मार देना, शिनफ़ीनरों की आज्ञा न मान कर, इङ्गलैण्ड में भाग आने वालों को दण्ड देना और सब तरह के हथियार और गोली-बारूद एकत्र करके गुप्त रूप से आयलैंण्ड पहुँचाना भी उनका काम था। इन लोगों के कई विभाग थे, जिनमें कार्यकर्ताओं की नियुक्ति उनकी योग्यता और विश्वासपात्रता के अनुसार होती थी। इसी गुप्त सेना के अन्तरङ्ग विभाग के एक सदस्य मि० एडवर्ड एम० ब्रैडी ने अब अपने अनुभव पुस्तकाकार प्रकाशित किए हैं, जिनसे इसके बहुत से रहस्यों का, जो अभी तक समस्त जगत के लिए पहेली की तरह बने थे, पता चलता है। जब शिनफ़ीन आन्दोलन आरम्भ हुआ, उन दिनों में मि० ब्रैडी लिवरपूल में रह कर व्यवसाय सम्बन्धी काम करते थे और उनका जीवन बड़े चैन के साथ कटता था। अनेक अङ्गरेज़ सद्गृहस्थों और महिलाओं से उनकी मित्रता थी और वे प्रायः वहाँ की फ़ैशनेबिल समाज में मिलते-जुलते रहते थे। पर आयलैंण्ड के स्वाधीनता-संग्राम की घटनाओं ने उनका ध्यान इतना अधिक आकर्षित किया कि वे शिनफ़ीन दल के सदस्य बन गए और शीघ्र ही व्यावहारिक रूप से उसके कार्यों में भाग लेने लगे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और भयपूर्ण कार्य को इतनी योग्यता और तत्परता से किया कि अन्त में वे समस्त लङ्काशायर विभाग के मुख्य-सञ्चालक नियत कर दिए गए। नीचे हम मि० ब्रैडी की वर्णन की हुई कुछ रोचक घटनाएँ उन्हीं के शब्दों में देते हैं, जिनसे पाठकों को पता चलेगा कि 'शत्रु की भूमि' पर रह कर संग्राम करने वाले इन आयरिश वीरों को कितनी चतुराई और गुप्त रीति से काम करना पड़ता था।

हम लोगों का सबसे पहला महत्वपूर्ण अभियान लिवरपूल की २० बड़ी-बड़ी दुकानों को आग लगा कर नष्ट करने का था। इसके लिए आई० आर० ए० के ख़ुफ़िया विभाग ने पहले से ही काफ़ी परिमाण में पेट्रोल, पैरेफ़ीन और बोल्ट काटने के औज़ार इकट्ठे कर रक्खे थे। पर नया आदमी होने के कारण मुझे इसका पता २० नवम्बर, १९२० की रात्रि को उस समय लगा जब कि अभियान के आरम्भ होने में केवल कुछ घण्टे की देर थी। यह आज्ञा पहले तो मुझे बम के धड़ाके समान प्रतीत हुई और मैं सोचने लगा कि इस प्रकार का कार्य उचित है या अनुचित। पर मुझे इस प्रकार आगा-पीछा करने के लिए अधिक समय नहीं मिला और शीघ्र ही मुझे कार्य के लिए तैयार हो जाना पड़ा। मैंने यह सोच कर सन्तोष कर लिया कि मैं कोई नैतिक दृष्टि से जघन्य कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने जेबों में रक्खे तमाम काग़ज़ों और चिट्ठियों की जाँच की और उन सब चीज़ों को नष्ट कर डाला, जो मेरे गिरफ़्तार हो जाने की दशा में, मेरे विरुद्ध प्रमाण-स्वरूप पेश की जा सकती थीं। मुझे एक कॉल्ट रिवॉल्वर और बीस कारतूस दिए गए। मैंने नक़ली वेश धारण करने के बजाय एक बढ़िया सूट और टोप पहन कर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझ पर कोई शिनफ़ीन सैनिक होने का सन्देह नहीं करता था।

जब मैं सायङ्काल के समय अभियान-स्थान की तरफ़ रवाना हुआ तो रास्ते में अनेक अङ्गरेज़ दोस्तों से मेरा दुआ-सलाम हुआ, पर मैंने ऐसा भाव ज़रा भी प्रकट न होने दिया, जिससे उनको पता लग सके कि मैं कैसे भयङ्कर कार्य के लिए जा रहा हूँ। उन लोगों में से एक तो अङ्गरेज़ी सेना का अफ़सर था और उसने मुझसे अपने साथ चल कर होटल में खाना-पीना करने के लिए बड़ा आग्रह किया। पर मैंने यह कह कर इन्कार कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रेम-पात्री को मेरी राह अधिक देर तक देखनी पड़े। इस प्रकार उससे छुटकारा पाकर मैं नियत स्थल पर पहुँचा, जहाँ मेरे चार सहकारी पहले से मौजूद थे। हम लोगों को जिस दुकान के जलाने का भार दिया गया था, वह शहर के मध्य में थी और पुलीस का थाना वहाँ से बिल्कुल पास ही था। मुझे एक अन्य व्यक्ति के साथ पहरे का काम दिया गया और कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपनी पिस्तौलों को तैयार रक्खें। बाक़ी तीन आदमी दुकान के दरवाज़े में लगे क़ब्ज़ों को काट कर भीतर घुस गए। भीतर रुई की गाँठें भरी हुई थीं, जिन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें निकलने लगीं। हमको वहाँ से बच कर भागने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय वहाँ कोई पुलिसमैन या राहगीर न था। मैं पचास गज़ भी न गया हूँगा कि लोगों की भीड़ जलती हुई दुकान के पास इकट्ठी होने लगी। पर शोर-गुल और उत्तेजना के कारण मेरी तरफ़ किसी का ख़्याल नहीं गया और मैं ट्राम गाड़ी पर चढ़ कर काफ़ी दूरी पर उतर गया। वहाँ मैंने अपनी पिस्तौल और कारतूसों को एक ऐसी जगह छिपा दिया, जहाँ दुबारा काम पड़ने पर उनसे काम लिया जा सके।

❀ ❀ ❀

हम लोगों को ऐसे लोगों का भी इलाज करना पड़ता था जिन पर अङ्गरेज़ी पुलीस से मिले रहने का सन्देह होता था। ऐसे लोगों को या तो जान से मार दिया जाता था या इतना भयभीत कर दिया जाता था कि उस काम को छोड़ दें। इसके लिए शिनफ़ीन दल वाले बड़ी चालाकी से काम लेते थे। एक ऐसी ही घटना उन दिनों हमारे यहाँ हुई। हमको महिला-सैनिकों की तरफ़ से ख़बर मिली कि एक व्यक्ति आयलैंण्ड के आयरिश प्रजातन्त्री सेना के लिए पिस्तौलें और गोली-बारूद ख़रीद रहा है, उसके विषय में लोगों का यह भी ख़्याल है कि वह कोई सरकार के पञ्जे से भागा हुआ शिनफ़ीनर है। उसने कितने ही लोगों को इन बातों का विश्वास दिला कर खाना वग़ैरह खाया था और कई जगह से रुपया भी वसूल किया था। हम लोगों के जासूसों ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि वह आदमी धूर्त है और अपना पेट भरने को यह सब झूठी बातें करता है। हम उसे स्पष्टतया शहर छोड़ कर चले जाने की सूचना दे सकते थे, पर भय था कि कहीं वह इसकी इत्तला पुलीस में न दे दे और इत्तला देने वालों की हुलिया न बतला दे, इसलिए एक नई युक्ति सोची गई। जिस औरत ने उसका पता लगाया था, उसे आदेश दिया गया कि वह उसके साथ परिचय प्राप्त करे और उसके कामों की निगरानी रक्खे। उसने एक-दिन उस आदमी का परिचय दूसरे व्यक्ति से कराया और बतलाया कि वह लिवरपूल की सेना में सारजेण्ट है और बहुत बड़ी तादाद में पिस्तौलें और कारतूस दे सकता है। वह आदमी पहले अङ्गरेज़ी सेना में रह चुका था और उस समय भी सारजेण्ट की पोशाक पहने था, पर दर-असल इन दिनों वह शिनफ़िन दल में सम्मिलित था, कुछ इधर-उधर की बातों के पश्चात् उस धूर्त ने अपना पता सारजेण्ट को बतला दिया और हथियारों के ख़रीदने के लिए एक दिन नियत किया। दो-चार दिन बाद उस धूर्त के पास एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें लिखा था कि अब वह वायदा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह सारजेण्ट सेना की छावनी से हथियार प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए, गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही उसको भी सलाह दी गई कि अगर वह ख़तरे में पड़ना नहीं चाहता तो उसे भी बाहर चला जाना चाहिए। यह चाल चल गई और वह धूर्त उसी दिन डबलिन को रवाना हो गया।

❀ ❀ ❀

जब दुकानों के जलने की हलचल कुछ शान्त पड़ गई तो हम फिर किसी नवीन अभियान के लिए आतुर होने लगे। फलस्वरूप लिवरपूल के आस-पास के खेत और खलिहानों को जलाने का निश्चय किया गया। मेष्टे वैलेसी नाम का विभाग मेरे सुपुर्द किया गया। अपने नियमानुसार हमने सबसे पहले अपने विभाग की भूमि का भली प्रकार निरीक्षण किया और जिन

स्थानों को जलाना था उनके कामचलाऊ नक़्शे भी तैयार कर डाले। पहली बार की तरह इस समय भी पेट्रोल और पैरेफ़ीन से काम लेना था। अभियान से एक दिन पहले हम सब एक गुप्त-स्थान में एकत्रित हुए, जहाँ हर एक को एक पिस्तौल और चालीस कारतूस दिए गए। हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए जो समय-विभाग बना लेते थे उस पर पूरी तरह से अमल करते थे। पर जैसे ही सब लोग बाहर निकलने को प्रस्तुत हुए, एक दुर्घटना हो गई। एक नवीन आदमी की पिस्तौल अटक गई और जैसे ही वह उसे ठीक करने लगा, एकाएक गोली छूट गई।

इससे पहले तो लोगों में भगदड़ मच गई, पर दो-चार साहसी लोगों ने सबको समझा-बुझा कर रोका, और सबको शान्ति के साथ धीरे-धीरे बाहर निकाला, जिससे किसी को सन्देह न हो सके।

दूसरे दिन अँधेरा होने पर हम शहर से बाहर निकले। पुलीस की निगाह से बचने के लिए हमको बहुत कुछ चालें चलनी पड़ीं। जब हम पहले खेत पर पहुँचे तो वहाँ के कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से भूँकने लगे। आस-पास में कितने ही आदमी भी चलते-फिरते दिखलाई पड़े, इसलिए हमने उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा समझा और दूसरे खेत की तरफ़ रवाना हुए। वहाँ पर हमारे कार्य में बाधा पहुँचाने वाला कोई न था और हमने घास के ढेर और मकानों में आग लगा दी। इसी प्रकार हमने चार खेतों में आग लगाई और उसके पश्चात् हम शहर को लौटे। पर अब हम सड़क पर होकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जगह-जगह पुलीस के सिपाही घूमने लगे थे। इसलिए हम खेतों में होकर ही चलने लगे। रास्ते में हमको घास का एक और बड़ा ढेर दिखलाई पड़ा, उसमें भी हमने आग लगा दी। इस बात के लिए मुझे कमर तक गहरे मैले पानी के एक नाले को पार करना पड़ा, जिससे मेरे कपड़े ख़राब हो गए। थोड़ी दूर जाकर मैंने अपने कपड़े धो डाले, क्योंकि उस मैली हालत में शहर में जाने से लोगों को मुझ पर सहज में सन्देह हो सकता था। साथ ही मैंने सब लोगों के तमञ्चों को भी वहीं पर गाड़ दिया। केवल अपनी पिस्तौल भर कर मैंने जेब में रख ली। उसमें एक कारतूस कम था, क्योंकि इसके बिना उसके अटक जाने का डर बना रहता है। मैंने अपने चारों साथियों को नाव द्वारा लिवरपूल भेज दिया और ख़ुद पैदल सड़क की तरफ़ चला। वहाँ मुझे लोगों के झुण्ड के झुण्ड मिले, जो आग का तमाशा देख रहे थे और इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यह किसका काम है? उनको देख कर मैं एक गढ़े में घुस गया और वहाँ मुझे ठण्ड और थकावट के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं फिर कुछ दूरी तक खेत में चल कर सड़क पर पहुँचा, पर वहाँ दो पुलीस वाले दिखलाई पड़े। मैं हिम्मत करके उनकी तरफ़ बिना आँख उठाए, अपने रास्ते चलता रहा। उनसे कुछ दूर पहुँच कर जब मैं एक बेजर के खेत को पार कर रहा था तो मुझे एक आदमी अपनी तरफ़ आता दिखलाई पड़ा। मैंने समझा कि पुलीस वालों ने उसे मेरा पीछा करने को भेजा है और इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल जेब से निकाल ली। पर मेरा ख़्याल नेक न था और वह व्यक्ति दूसरे रास्ते चला गया। इस प्रकार बार-बार बचता मैं रात के एक बजे अपने मुक़ाम पर पहुँचा।

❀ ❀ ❀

उपरोक्त घटना के पश्चात् थोड़े दिनों के लिए अङ्गरेज़ों की जायदाद पर आक्रमण स्थगित कर दिया गया। पर इससे इङ्गलैण्ड की जनता में और भी घबराहट फैलने लगी कि न मालूम शिनफ़ीनरों के गुप्त दूत अब कौन से नए उपद्रव की तैयारी कर रहे हैं। पर दरअसल हमको इन दिनों एक ऐसा काम दिया गया था, जिसमें हमको अङ्गरेज़ों की बजाय अपने देशवासियों का ही विरोध करना आवश्यक था। शिनफ़ीनरों की गुप्त-शासन-सभा डेलारियन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि आयर्लैण्ड का कोई व्यक्ति विदेश में बसने को न जाय, क्योंकि देश में ही सबके लिए काफ़ी स्थान और कार्य है। जो लोग इस आज्ञा को मानना नहीं चाहते थे उनको देश-द्रोही बतलाया गया। हम लोगों को हुक्म दिया गया कि इस प्रकार के जो लोग लिवरपूल आकर जहाज़ पर चढ़ कर अमेरिका जाने की चेष्टा करें उनको रोक लिया जाय, चाहे इसके लिए बल-प्रयोग भी क्यों न करना पड़े। इसके लिए हम आयर्लैण्ड से आने वाले स्टीमरों और शहर के होटलों पर कड़ी निगरानी रखते थे। इसमें हम को महिला-सैनिकों से विशेष सहायता मिलती थी। एक बार हमको समाचार मिला कि अगले दिन बहुत से लोग अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। समय बहुत थोड़ा था, तो भी शाम के समय समस्त सैनिक एक नियत स्थान में इकट्ठे हो गए। पुलीस के आकस्मिक आगमन से बचने के लिए चारों तरफ़ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पहरेदार नियुक्त कर दिए गए थे। अभियान के लिए ४५ व्यक्ति छाँट कर तीन भागों में विभाजित कर दिए गए, क्योंकि प्रवास के लिए उद्यत यात्री तीन होटलों में ठहरे थे। सब लोगों को आवश्यक सूचनाएँ और एक-एक रिवॉल्वर दे दी गई। हमको अपना कार्य आधी रात के समय करना था, इसलिए तब तक ताश खेल कर समय काटने लगे। आक्रमण के लिए निश्चय किया गया कि लोग होटलों के इधर-उधर घूमते रहें या दरवाज़ों की निगरानी करते रहें, और जब 'नेता' इशारा दे तो होटल के पास चले आवें। जब कि हम इस तरह राह देख रहे थे, हमारी भेंट कितने ही पुलीस-अफ़सरों से हुई जो "गुड नाइट" कहते हुए चले गए। कुछ मौक़ों पर आक्रमणकारियों ने शराब पीकर ख़ुशी से घूमने का ढोंग किया और शृङ्गार-रस के प्रचलित गाने गाते रहे। यह तमाम चालें किसी तरह का सन्देह उत्पन्न न होने देने के लिए थीं, और वे उपयोगी सिद्ध हुईं। ठीक बारह बजे प्रत्येक दल होटल के दरवाज़े पर जा पहुँचा। जो होटल मेरे ज़िम्मे सौंपा गया था, उसकी मालकिन एक अधेड़ महिला थी। उसने पूछा कि हम क्या चाहते हैं। मैंने नम्रता के साथ कहा कि "हमको मालूम हुआ है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए हैं जो अभी आयर्लैण्ड से आए हैं। हम सी० आई० डी० के कर्मचारी हैं और उनमें से कुछ लोगों से, जिन पर हमको शिनफ़ीन दल के सैनिक होने का सन्देह है, पूछा-ताछी करना चाहते हैं।" वह सीधी-सादी औरत इस बात को सुन कर भौचकी रह गई और निश्चय न कर सकी कि क्या करे। देर करना मुनासिब न था, क्योंकि हम बिलकुल खुली हुई जगह में खड़े थे और सूचना पाकर पुलीस हम पर धावा बोल सकती थी। हमने महिला को धीरे से एक तरफ़ हटा दिया और अपने चुने हुए कमरों की तरफ़ दौड़े। भीतर पहुँच कर हमने तमाम दरवाज़ों को मज़बूती के साथ बन्द कर दिया और हथियारबन्द पहरेदार खड़े कर दिए गए। नीचे के तल्ले की खिड़कियों का भी यही इन्तज़ाम किया। किसी को बाहर निकलने की आज्ञा न थी। पर यदि प्रवासियों में से कोई बाहर रह गया हो और भीतर आना चाहे तो उसे आने देने का आदेश दिया गया। इसी समय मुख्य दरवाज़े को किसी ने खटखटाया और मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि एक पुलीस वाला किसी व्यक्ति के साथ खड़ा है। मैंने शान्तिपूर्वक उससे 'गुड नाइट' कहा। मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विदेश जाने वाला था और कहीं आश्रय न पाने से इधर-उधर भटक रहा था। कॉन्स्टेबिल ने पूछा कि क्या उसे होटल में स्थान मिल सकता है? मैंने उत्तर दिया—'ज़रूर' और इस पर कॉन्स्टेबिल उसे छोड़ कर चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति भीतर पहुँचा, अपने को चारों तरफ़ से हथियार-बन्द लोगों से घिरा देख कर भौंचक्का रह गया। वह इतना भयभीत हो गया कि उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पर हमने पता लगा लिया कि वह उन लोगों में से नहीं है जिनको हम खोज रहे हैं। इस दरम्यान में दूसरे लोगों ने अन्य यात्रियों की जाँच करना शुरू किया और क़रीब तीस ऐसे आयरिशों को ढूँढ़ निकाला जो अमेरिका जाना चाहते थे। उनमें से कुछ लोग इस प्रकार के हस्तक्षेप पर बड़े बिगड़े, पर अपने सामने हथियारबन्द लोगों को खड़े देख कर, उन्होंने चुप हो जाना ही बेहतर समझा। उनको एक छोटे कमरे में ले जाकर सवाल किए गए कि आयर्लैण्ड में क्या करते थे? और अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? उनमें से कितने ही लोग काफ़ी साहसी थे और अगर उनको किसी अकेले आदमी से काम पड़ता तो ज़रूर उससे भिड़ जाते। पर यहाँ उनको अपने चारों तरफ़ तमञ्चे ही तमञ्चे उठे हुए दिखलाई पड़ते थे। हमने उन सब से टिकिट और पासपोर्ट माँगे। इसके लिए कितने ही लोगों के ट्रङ्कों की तलाशी लेनी पड़ी। कितनों ही ने अपने टिकिट अपनी साथी महिलाओं को दे दिए थे। पर इनमें से कोई भी चाल काम न दे सकी। जब यह काम ख़त्म हो गया तो हमने उन सबको दूसरे ही स्टीमर से आयर्लैण्ड लौट जाने की चेतावनी दी। जब हम चलने लगे तो हमने अन्य यात्रियों और होटल की मालकिन से कष्ट के लिए क्षमा-प्रार्थना की और बतलाया कि हम आई० आर० ए० के आदमी हैं और अपनी 'सरकार' के हुक्म से हमने यह काम किया है। यह भी कह दिया गया कि किसी भी हालत में इस धावे के सम्बन्ध में या हम लोगों की हुलिया के सम्बन्ध में किसी तरह की सूचना पुलीस को न दी जाय। कुछ दूर निकल जाने पर हमने देखा कि चारों तरफ़ बड़ी हलचल मची हुई है और पुलीस-कर्मचारी तेज़ी के साथ हम लोगों की खोज में जा रहे हैं। पर हम लोग चारों तरफ़ बिखर गए और सकुशल अपने स्थानों पर जा पहुँचे। इस घटना ने दूसरे अनेक लोगों का जो प्रवास के उत्सुक हो रहे थे, उत्साह ठण्डा कर दिया।

❀ ❀ ❀

प्रवासियों के आक्रमण के पश्चात् हमने अपना काम फिर कुछ दिनों के लिए रोक दिया। पर भीतर ही भीतर एक बड़ी योजना तैयार हो रही थी, जिसका उद्देश्य बहुत बड़े परिमाण में अङ्गरेज़ों की सम्पत्ति का नाश करना था। यह योजना अवश्य ही कार्य रूप में परिणत की जाती, अगर थोड़े ही दिनों बाद क्षणिक सन्धि न हो जाती। इस योजना के अनुसार एक्सचेञ्ज बिल्डिङ्ग्स, विभिन्न पदार्थों और तेल के बहुत से गोदामों, कितनी ही बड़ी-बड़ी दुकानों और होटलों में आग लगाने का निश्चय किया गया था। इसके लिए एक ख़ास दिन सुबह ६॥ बजे का समय चुना गया था। यह समय नियत करने का कारण यह था कि इस समय घर के नौकरों के लिए मकानों का दरवाज़ा खोला जाता है और उसी समय पुलीस का पहरा भी बदलता है।

इस भयङ्कर आयोजन में भाग लेने को पूर्ण रूप से सशस्त्र एक सौ बीस व्यक्ति चुने गए थे, जिनको हिदायत कर दी गई थी कि चाहे कैसी भी बाधा पड़े, वे बढ़ते चले जायँ। यह भी निश्चय किया गया कि आग बुझाने वाले प्रधान स्थानों को भी ख़राब कर दिया, जिससे वे जल्दी से अग्नि-काण्ड को रोक न दें। एक सौ बीस आदमियों का एक पृथक दल सेण्ट हेलन के वाटर-वर्क्स पर आक्रमण करने लिए नियुक्त किया

क्लर्क-जीवन

१



जगे एक दिन, घर वाली ने कहा—नहीं है कुछ घर में,
बोले—बड़ी विपत है, पैसा रहा नहीं है अब कर में।
बोली वह—उधार ले आना, क्या भूखे जाओगे तुम ?
कैसे काम करोगे ? कैसे चलके घर आओगे तुम ?

२



लेकर झोली चले अन्त में वे सौदा लाने बाज़ार,
धड़क रहा था जी पहले का, अभी पटा है नहीं उधार !
चले जा रहे थे वे पथ पर किसी भाँति अपना मन मार,
क़र्ज़ वालों से होता है देखें किस प्रकार उद्धार !!

३



बनिया मिल ही गया बीच में, हाथ पकड़, पकड़ी गरदन,
चिल्लाने वे लगे कोसने उसको अपने मन ही मन।
इज़्ज़त गई, किन्तु क्या करते, लौटे वे पिट कर चुपचाप,
सौदा कुछ भी मिला न; भयङ्कर हाय ! भूख का भावी ताप !

४



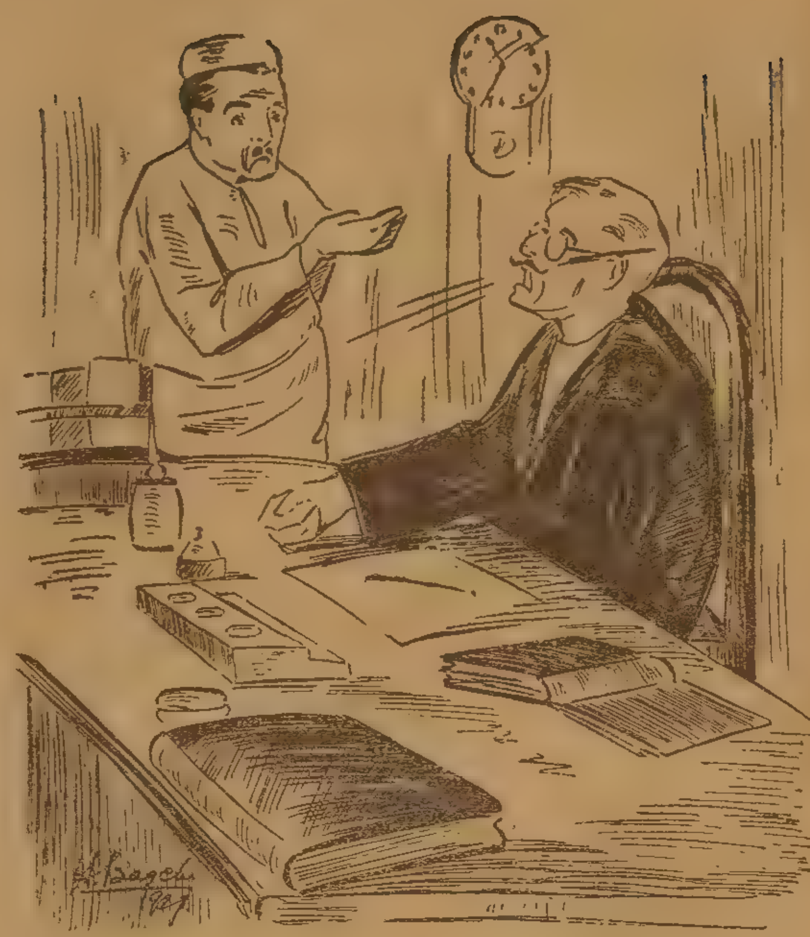
लौटे घर तो कहा हाल सब, माथ पकड़ गृहिणी बैठो,
क्या दूँ भोजन इन्हें आज मैं, मन में यह चिन्ता पैठी।
पर रह गई विकल होकर वह, कोई भी था नहीं उपाय,
'भारत की क्लर्की के ऊपर क्यों न गाज पड़ती है हाय !'

५



भूखे ही रह गए न थे वे, ऑफ़िस को भी हुआ विलम्ब,
काँटा पहुँचा था ग्यारह पर, अब क्या था, उनको अवलम्ब ?
किया प्रवेश उन्होंने दफ़्तर में होकर के बहुत उदास,
सोचा—'आज होगया मेरा सचमुच ही क्या सत्यानाश !'

६



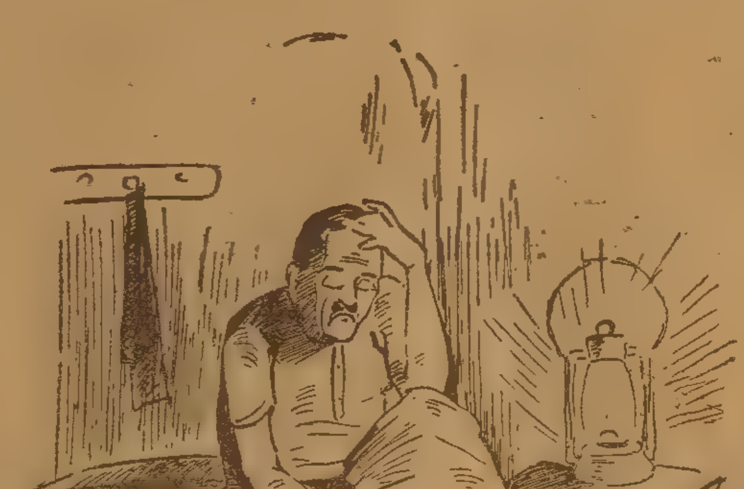
डाँट बताई तब अफ़सर ने जिसको सुन कर काँप गए,
बेचारे जब लगे बोलने, कुछ न कह सके, हाँप गए !
हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगी, तब मुशकिल से बचे कहीं !
सोचा, बड़ा भाग्य है ! हा ! जो रह जाती नौकरी नहीं !

७



घर को अब तो वे जाते हैं, दफ़्तर से पोथा लेकर,
काम पड़ा है उनके पीछे, सभी समय धक्का देकर !
चल सकते हैं नहीं, भूख है, बोझ लदा है, पैर अशक्त,
बड़ी व्यथा है, किन्तु किसी से कर सकते हैं उसे न व्यक्त !

८



आए घर, बहु रात्रि गई है, पर करते जाते हैं काम,
शिर करता है दर्द, पर नहीं कर सकते हैं वे विश्राम !
कब होगा ऐसी क्लर्कों से भगवन्, भारत का उद्धार ?
इतनी थोड़ी तलब ! और हा ! इतना अधिक कार्य का भार !!

—आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव

वकील बनाम वेश्या

१



दोनों बनाव-श्रृङ्गार के उपासक, बिना ठाट-बाट तथा
बनाव-श्रृङ्गार के कौड़ी के तीन !

२



दोनों ही ईमान-फ़रोश—वेश्या रुपया लेकर अपना तन बेचती है
और प्रायः वकील मुवक्किलों से रुपए
लेकर अपनी आत्मा

३



एक बिसवा ज़मीन के लिए भाई से लड़ कर मूर्खानन्द मुक़दमा
लड़ने जा रहे हैं। बाप-दादों का सारा सञ्चित धन स्वाहा
हो चुका है, अब स्त्री के ज़ेवर की बारी है।

४



चौपटानन्द वेश्याओं के चरणारविन्द में बाप-दादों की सारी
गाढ़े की कमाई अर्पण कर चुके हैं, अब स्त्री के
ज़ेवर छीन रहे हैं।

५



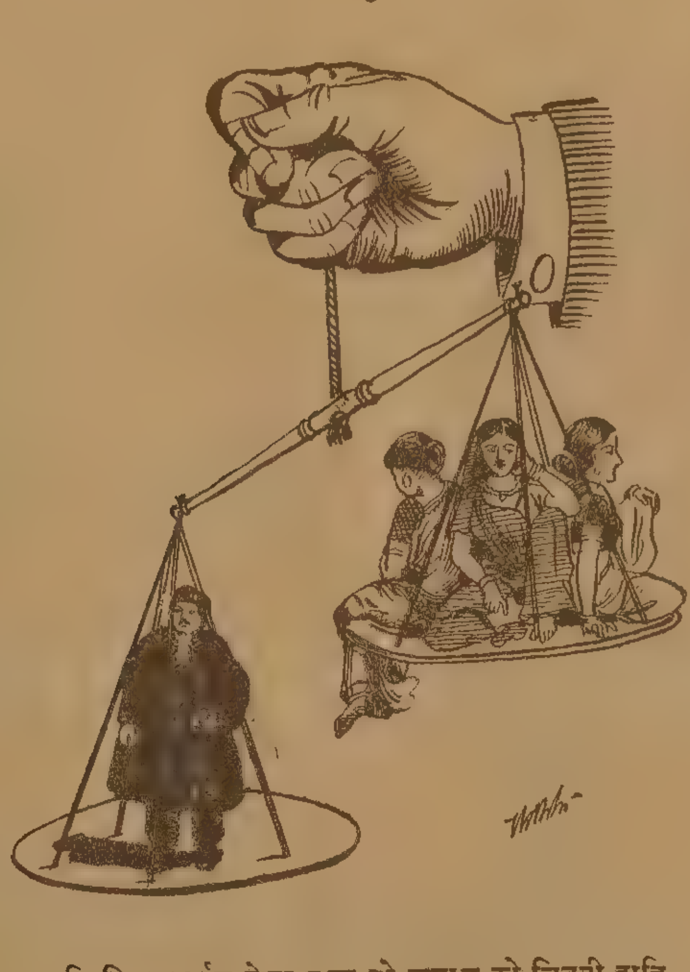
निर्धन एवं असहाय परिवारों के रक्त से आज अनेक वकील लाल हो रहे हैं। शायद बतलाना न होगा, १९२१ के आँकड़ों के अनुसार वकीलों की वार्षिक आमदनी २५ करोड़ आँकी गई है !!

६



वकीलों का दलाल मुवक्किल फाँस रहा है। बेचारा अन्तिम बार अपने भाग्य की परीक्षा करने हाईकोर्ट जाना चाहता है। ३ लाख की सम्पत्ति मुक़दमेबाज़ी में स्वाहा हो चुकी है !!

७



यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो समाज को जितनी हानि वकीलों से हो रही है, उतनी वेश्याओं से नहीं !

गया, जहाँ से समस्त लिवरपूल में पानी आता था। उस स्थान के पास ही बहुत सा विस्फोटक पदार्थ छुपा कर रक्खा गया था, जिसे नियत समय पर इञ्जिन-घर में रख कर बिजली की बैटरी से उड़ा दिया जाता। इसके लिए कई बैटरियाँ इकट्ठी की गईं। पर जब सब प्रबन्ध हो चुका तो अन्तिम क्षण में यह पता लगा कि वे बैटरियाँ इतनी ताक़तवर नहीं हैं कि विस्फोटक पदार्थ को उड़ा सकें। इस कारण यह योजना उस समय अपूर्ण रह गई और बाद में क्षणिक सन्धि के कारण सदा के लिए छोड़ दी गई। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि यही कार्य रूप में परिणत हो जाती तो लीवरपूल निवासियों की अकथनीय दुर्दशा होती और जानोमाल का बड़ा नुक़सान होता।

× × ×

इन्हीं दिनों आयलैंण्ड में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक कार्यालय को, जिसका नाम ट्रिम कम्पनी था, अङ्गरेज़ी सेना वालों ने लूटा और जला दिया। इसका बदला लेने को हमारे दल ने बर्कनहेड और होलके नामक स्थानों के बीच के छोटे गाँवों और क़स्बों पर आक्रमण करके आतङ्क फैलाने का निश्चय किया। ख़तरे से बचने के लिए हमने कितनी ही तरह के उपायों का अवलम्बन किया, जैसे टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़ के तारों को काट डालना, सड़कों पर पहरा क़ायम करना आदि। कुछ मकानों पर गोलियाँ चलाई गईं और तमाम मकानों पर धावा किया गया। उनमें रहने वालों को इस कार्य का उद्देश्य बतला दिया गया और इस आशय के नोटिस चिपका दिए गए कि हम वहाँ के लोगों को इस व्यवहार का कुछ नमूना दिखलाना चाहते हैं, जो उनके देश वाले आयलैंण्ड में बड़े परिमाण में कर रहे हैं।

× × ×

कुछ समय बाद हमको इङ्गलैण्ड में रहने वाले 'ब्लैक-एण्डटेन्स' दल वालों के घरों को जलाने का हुक्म मिला। इन लोगों के पते शिनफ़ीन दल वालों को लूटी हुई सरकारी डाक में मिले पत्रों से लगे थे। हमारे विभाग में १४ घरों का जलाना निश्चय किया गया और एक रात को ११॥ बजे हम लोग इस कार्य के लिए पैट्रोल-पैरेफ़ीन आदि लेकर मौक़े पर पहुँचे। मेरे ज़िम्मे जो घर दिया गया था, उसमें हमारे दल को घुसते देख, एक स्त्री ने शोर मचा दिया। इससे बहुत से राह चलते लोग इकट्ठे हो गए और हमको भागना पड़ा। पर तो भी १४ में से ८ घर जला दिए गए। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतङ्क फैलाना ही था।

× × ×

हमारे पास आयलैंण्ड से हुक्म आया कि अमुक सैनिक अफ़सर, जो आजकल लिवरपूल के पास एक देहाती होटल में ठहरा है, शिनफ़ीन दल का अपराधी है। इसलिए जैसे हो सके, उसे मार दिया जाय। जिस होटल में वह रहता था, उसी में मैंने भी एक व्यापारी का रूप रख के कमरा भाड़े पर लिया। दो-तीन दिन में ही मैंने उससे जान-पहिचान कर ली और तमाम आवश्यक बातों का पता लगा लिया। मुझे मालूम हुआ कि वह प्रायः जल्दी सो जाता है। इसलिए हमने रात के ११॥ बजे उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सात व्यक्ति चुने गए, जिनमें से एक चतुर मोटर-ड्राइवर था। हमने निश्चय किया कि उस होटल तक कुछ लोग रेल द्वारा और कुछ टैक्सी द्वारा जायँ। यह भी तय हुआ कि एक निश्चित मुक़ाम पर टैक्सी वाले को पकड़ कर बाँध दिया जाय और हमारा ड्राइवर उसकी वर्दी पहिन ले। पर इस बार दुर्भाग्यवश हमारी योजना बुरी तरह असफल हुई। जब हम रेल द्वारा नियत स्थान पर पहुँचे, तो देखा कि टैक्सी का अथवा हमारे साथियों का कुछ भी पता नहीं है। आधी रात हुई, एक बजा, दो बज गए, तो भी कोई न आया। हमारे हृदयों में निराशा का सञ्चार होने लगा। हम तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगे। वे सब गिरफ़्तार हो गए या सरकारी सिपाहियों से मुक़ाबला हो गया, या कोई और दुर्घटना हो गई। दो-एक बार हमने यह भी सोचा कि हम अकेले ही चल कर उस अफ़सर को मार दें, पर यह क़तई नामुमकिन था, उस वक़्त हम लिवरपूल पहुँचने के लिए, जो उस मुक़ाम से बारह मील था, कुछ भी साधन नहीं पा सकते थे। यदि पुलीस हमको गिरफ़्तार कर लेती तो हमारे पास इतना सामान मिलता कि मुक़दमे के साबित होने में किसी तरह का सन्देह न था। अन्त में हमने सोचा कि इधर-उधर घूम कर देखा जाय, शायद कोई उपाय मिले। चलते-चलते हम लोग उसी होटल पर जा पहुँचे, जिसमें हमारा शिकार ठहरा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर भीतर से साफ़ जवाब मिल गया कि इतनी रात गए किसी को वहाँ नहीं ठहराया जा सकता। तब हमने विचारा कि किसी खलिहान में जाकर घास पर सोने का इन्तज़ाम किया जाय। हम यह सोच ही रहे थे कि तीन पुलीस वाले हमारी तरफ़ आते दिखलाई दिए, मैंने अपने साथियों से कहा—"घबड़ाना मत, केवल मुझी को बात करने देना। हम शराब के नशे में होने का बहाना करेंगे"। हमने सोचा कि अगर यह चाल चल जाय तो बेहतर है, नहीं तो जो कुछ होगा, देखा जायगा। हम अपनी पिस्तौलों को जेब के भीतर हाथ में पकड़े हुए थे। सौभाग्यवश पुलीस वालों को हमारी बातों पर सन्देह न हुआ और वे समझ गए कि हम शराब के नशे में घूमते हुए यहाँ निकल आए हैं। उन्हीं लोगों ने मेहरबानी करके हमारे लिए एक टैक्सी गाड़ी ठीक करा दी जिस पर सवार हो कर हम सकुशल शहर जा पहुँचे। बाद में पता लगा कि हमारे चार साथी टैक्सी लेकर मौक़े पर पहुँचे थे, पर जैसे ही वे ड्राइवर को क़ाबू में लाने का प्रयत्न करने लगे, वह गाड़ी दौड़ा कर निकल भागा।

इस घटना के चन्द दिन बाद लिवरपूल की सी० आई० डी० ने संयोगवश कितने ही आई० आर० ए० के सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें मरसी साइड विभाग का नेता भी था। इस कारण मुझे उसके स्थान में नेता नियुक्त किया गया। मैंने तमाम सैनिकों को इकट्ठा करके पुनर्सङ्गठन करने का निश्चय किया, जिससे काम अधिक मज़बूती से हो। मैंने सबको अच्छी तरह समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति घरेलू कार्यवश या किसी अन्य कारण से पृथक होना चाहता हो, तो वह मुझसे एकान्त में अपना विचार बतला दे, मैं ख़ुशी से उसके लिए उचित प्रबन्ध कर दूँगा, पर कोई भी इसके लिए राज़ी न हुआ और सबने अन्त तक इस लड़ाई में भाग लेने का निश्चय प्रकट किया। सबसे पहला काम, जो हम लोगों के सुपुर्द हुआ, वह उस किसान को सज़ा देने का था जिसने हमारे हमला करने वाले सैनिकों पर गोली चलाई थी और बाद में अख़बार में घमण्ड के साथ लिखा था कि—"मैंने शिनफ़ीनरों को अच्छा सबक़ सिखलाया है और इससे मैं बहुत ख़ुश हूँ।" हम लोग एक रात को चुपचाप उसके घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। पूँछने पर हमने कहा कि हम पुलीस के आदमी हैं, डेल स्ट्रीट के थाने से आए हैं। इस पर वह टेलीफ़ोन द्वारा थाने से पता लगाने लगा कि सचमुच वहाँ से कोई आदमी उसके यहाँ जाँच करने आया है। यह देख कर हमने भीतर घुसने का इरादा छोड़ दिया और जल्दी से बाहर के घरों और छप्परों में आग लगाने लगे। थोड़े से आदमी एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर गोलियों की बाढ़ पर बाढ़ दाग़ने लगे। पाँच मिनट में ही आग ख़ूब जलने लगी और मकान वालों के प्राण सङ्कट में पड़ गए। हमने भी ज़्यादा ठहरना मुनासिब न समझा, क्योंकि पुलीस को इत्तला पहुँच चुकी थी और और आग की लपटें कोसों तक दिखलाई पड़ रही थीं। इसलिए हम वहाँ से बाहर आए और दो दलों में बँट कर दो तरफ़ को रवाना हुए। रास्ते में हमको जगह-जगह लोगों के झुण्ड आग की तरफ़ ताकते मिले, पर हम उनसे बचते हुए चले गए और बिना किसी दुर्घटना के अपने मुक़ामों पर जा पहुँचे।

× × ×

अब हमने अपनी उस बड़ी योजना में हाथ लगाया, जिसका ज़िक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ, और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं का एकदम नाश कर देना था। इसके लिए सबसे पहला क़दम, जो हमने सोचा था, लिवरपूल से सम्बन्धित तारों (टेलीग्राफ़ लाइन्स) को काट डालना था। इसके लिए हमने शहर से सात-आठ मील के फ़ासले पर एक स्थान चुना, जहाँ होकर अधिकांश लाइनें गुज़रती थीं। इस कार्य के लिए तार काटने के आवश्यक औज़ार और लोहा काटने की आरियाँ काफ़ी तादाद में इकट्ठी की गईं। नियत दिन पर सब सैनिक १०॥ बजे रात के एक बड़े पब्लिक हॉल में इकट्ठे हुए, जहाँ बड़ी-बड़ी मेज़ों पर औज़ारों, पिस्तौलों और कारतूसों के ढेर लगे थे। वह स्थान लाइम स्ट्रीट के बड़े पुलीस स्टेशन के पास ही था। अगर किसी तरह पुलीस को पता लग जाता तो वह बहुत बड़े परिमाण में युद्ध-सामग्री ही न पाती, वरन् मर्सी साइड की शिनफ़ीन सेना के तमाम सैनिक भी उसके हाथ लग जाते। पर हमने भी पूर्ण तैयारी कर रक्खी थी। तमाम कार्रवाई चन्द मिनटों में ख़तम होगई और १०॥ बजे वहाँ एक भी व्यक्ति दिखलाई न दिया।

इस अभियान के कई दिन पहले से प्रत्येक दल के नेता ने अपने लिए निश्चित किए गए हिस्से की ख़ूब जाँच-पड़ताल कर ली थी और नक़्शे द्वारा प्रत्येक रास्ते और पगडण्डी का पता लगा लिया था। मेरे हिस्से में ऐसी जगह आई थी जहाँ प्रधान सड़क और दो रेल की लाइनें आकर मिलती थीं। हम लोग कुल मिला कर आठ आदमी थे। हम लोगों के पास तार काटने के औज़ार, आरी, पिस्तौलें, क़रीब २५० कारतूस, बिजली के लैम्प और नक़्शे थीं। हम लोग ठीक आधी रात के मौक़े पर पहुँचे। लाइन के दोनों तरफ़ दो हथियारबन्द पहरेदार नियत करके हमने अपना कार्य आरम्भ किया। हमने दोनों खम्भों और तमाम तारों को काट डाला। यह काम बड़ा कठिन निकला। हमको इसका ख़्याल भी न था कि खम्भों के काटने में इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। किसी तरह वे काटे गए और रेलवे लाइनों के ठीक आर पार गिरे। यद्यपि हमारा इरादा ऐसा करने का न था, पर इन खम्भों के कारण गाड़ियों के पटरी से उतर जाने और लोगों की जान ख़तरे में पड़ने की पूरी सम्भावना थी।

वहाँ से हम लोग दूसरे स्थान की तरफ़ चले, जहाँ हमको केवल तारों को काट कर अलग कर देना था। इसलिए हमने आरियों को वहीं झाड़ी में छिपा दिया। रास्ते में हमको एक परिचित पुलीस सारजण्ट मिला। और दुआ-सलाम भी हुआ, पर वह अपने रास्ते चला गया। कुछ देर में हमने दूसरी जगह के तार भी काट डाले और सूरज निकलने के पहले हम अपने घरों को लौट गए।

तारों के काटने की घटना से सर्व-साधारण में बड़ी हलचल मच गई, और लोग शिनफ़ीनरों की निन्दा

(शेष मैटर ६९वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)



नाविक

श्री० रमाशङ्कर जैतली, बी० एस-स०

कड़-कड़-कड़-कड़—कड़ !

बिजली कौंधी। भीषण अन्धकार का वक्ष-स्थल चीरती हुई एक भयङ्कर गर्जना ने सारे संसार को कँपा दिया। एक क्षण के लिए सब गोचर—किन्तु फिर वही गहन अन्धकार !

पोत उद्वेलित सिन्धु के वक्षस्थल पर कन्दुक की भाँति कूद रहा था। किसी अदृश्य प्रेरणा से सारा सिन्धु उथल-पुथल हो गया था। गम्भीरता छिन्न-भिन्न हो गई थी।

पथरीली भूमि पर सिन्धु की अन्धी तरङ्गें सर मार कर स्वयं हज़ारों बूँदों में टूट-टूट हो कर फैल जाती थीं। भयानक समय था। न जाने कब किस चट्टान से पोत टकरा जावे। सबका हृदय एक भयानक आशङ्का से काँप रहा था। पाल खोल दिए गए थे।

पोताध्यक्ष ने पूछा—पुण्डरीक, हम किस स्थान पर हैं ? कुछ आशा है ?

पोत-रक्षक ने गम्भीर स्वर से कहा—पिङ्गलरास के निकट, स्वामि ! वरुण भगवान कुपित हैं। बलिदान ही सन्तुष्ट कर सकता है।

सुन कर माँझियों के मुख सूख गए। किसका बलिदान होगा ?

पोताध्यक्ष ने कहा—एक प्राण के लिए एक सहस्र मुद्रा !

सब स्तब्ध थे।

एक प्राण के लिए सहस्र मुद्रा और इतने प्राण बचाने का पुण्य ! फिर भी बच जाने की सम्भावना ! कुटुम्ब-रक्षण का मूलोच्छेदन ! किन्तु सब चुप थे। सारा संसार प्रलय के हाथों में पड़ा अस्त-व्यस्त हो रहा था। ऊँची-ऊँची लहरें आकाश चूमने का प्रयत्न कर रही थीं। पोत सहसा एक बार घूम गया। आपत्ति चरम-सीमा पर खड़ी अँगड़ा रही थी। प्रलोभन के सहारे धन-प्राण क्रय करना चाहता था। किन्तु व्यर्थ ! वर्षों बाद पोत लौट रहा था। माँझी अपने घर पर पहुँचने को ही स्वर्गारोहण समझते थे। किसी के हृदय में अपने वृद्ध माता-पिता से मिलने की अभिलाषा थी, किसी के हृदय में अपनी स्त्री से मिलने की कल्पना और कोई अपने बच्चों को हृदय से लगाने के लिए आतुर था। सुखमय कल्पनाओं ने क्षण भर के लिए इस भीषण तूफ़ान को भुला दिया।

पोत-रक्षक ने अत्यन्त गम्भीर स्वर में कहा—एक प्राण और एक सहस्र मुद्रा ! फिर बलिदान ! क्या यहाँ एक भी स्वामिभक्त नाविक नहीं है ?

मानो निद्रा सी टूट गई। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। पोत पर रहना भी मृत्यु का आवाहन करना ही था। किन्तु सम्भवतः प्राण बच ही जावें। सिन्धु—भयानक सिन्धु; जल—अगम्य-जल। कौन जावे ? एक अधेड़ माँझी ने उठ कर कहा—मैं तत्पर हूँ !

सारे नेत्र उसी की ओर देखने लगे। धीरे-धीरे चार-पाँच माँझी स्वामि-आज्ञा पर अपने प्राण निछावर करने को तत्पर हो गए। हाँ, उस समय उनके हृदय में अपने कुटुम्ब को, आत्मोत्सर्ग कर, रङ्कता के भीषण दाँतों से बचाने की लालसा थी या उनके हृदय स्वामि-भक्ति की तरङ्ग-माला पर नाच रहे थे—यह कौन जान सकता है ?

पोताध्यक्ष ने उस अधेड़ माँझी को माला पहिनाते हुए उसका नाम पूछा।

'चमूक।'

एक पीला वस्त्र उसके सिर पर लपेटा गया। सारे पोत की परिक्रमा कराई गई। वह पोत के पूर्वीय पार्श्व पर लाया गया। उस भीषण गड़गड़ाहट में शङ्ख-ध्वनि क्या सुनाई दे सकती थी ? उस भयानक उथल-पुथल में एक छपाका...वह बलिदान क्या वरुण देवता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था ?

हाँ, वह छपाका हर एक हृदय में अनुभूत हुआ। तुमुल ध्वनिपूरित भयङ्कर समुद्र के थपेड़े जितनी दूर तक न पहुँच सके थे, उतनी दूर यह अकिञ्चन छपाका पहुँच गया। वह प्रत्येक माँझी के हृदय में वहाँ तक पहुँच गया, जहाँ वरुण-कुपित महासागर की फुफकारें न पहुँच सकी थीं। नेत्र भीग गए।

गोपा का आकाश-दीप आज भी अपने मन्द प्रकाश से कुपित सिन्धु की उत्ताल तरङ्गों को देख रहा था। भयानक मेघों से घिरे हुए भयावनी निलय में केवल गोपा का आकाश-दीप टिमटिमा रहा था। हवा के थपेड़े निर्दयता से उसे कभी-कभी बुझा देते थे, परन्तु गोपा फिर उसे जला देती थी। उसने सिन्धु की ओर देखते हुए कहा—आह, आज प्रलय का आगमन है। भीषण तूफ़ान ! क्या हो रहा है, भगवान !

उसने अपना द्वार बन्द कर दिया। कलेजा काँप रहा था। उसका आकाश-दीप प्रलय में, हवा के उन झोंकों में बार-बार झूल रहा था। किसी ने द्वार खटखटाया।

'कौन' ?

बादलों की गड़गड़ाहट में उत्तर न सुना जा सका।

गोपा द्वार पर आई। किसी सुखमय कल्पना से उसका शरीर प्रफुल्लित था। साँकल पर हाथ रखते हुए एक बार उसने फिर पूछा—कौन ?

'अतिथि'

उसके हाथ ढीले पड़ गए।

'कृपया द्वार खोलिए !'

इसी अस्पष्ट भावना से प्रेरित होकर उसने साँकल खोल दी। ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में तर एक युवक ने द्वार को अपने शिथिल हाथों से पकड़ कर हाँफते हुए कहा—दया, विश्राम; भोजन। उसकी साँस बैठती न थी, शरीर काँप रहा था।

'गोपा, मैं तुम्हारे उपकार का मूल्य क्या चुका सकूँगा ? बोलो ?'—कहते हुए युवक ने उसका चिबुक उठाते हुए, क्षणिक भावुकता के वश होकर कहा—'संसार कैसा सुखमय है ? यह क्या मृत्यु पर्यन्त इसी प्रकार बना रहेगा, गोपा ?'

उदासवदना गोपा कुछ न सुन सकी थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें किसी पुरानी बात की याद आने के कारण भर आई थीं। उसने युवक की ओर देखते हुए कहा—क्या ?

युवक ने कुछ रुकते हुए कहा—गोपा, संसार कैसा सुखमय है !

'भ्रम है' उसकी आँखों से बहता हुआ एक अश्रुबिन्दु धीरे-धीरे उतर कर गाल पर आ गया था। उसने उसे पोंछते हुए युवक की ओर देखा। युवक की निर्निमेष आँखें यह सब देख रही थीं। उसने गोपा की ओर बढ़ते हुए कहा। रोती क्यों हो गोपा ?

'एक बात याद हो आई, नाविक।'

'मुझसे न कहोगी ?'

'प्रश्न का यह बीभत्स रूप, रूठने के पाली पर खड़ा हो कर मुझे डराता है। नाविक, तुम बड़े कठोर हो।'

नाविक ने उसके गले में अपने भुजपाश डाल दिए। गोपा ने ठण्डी साँस लेते हुए कहा, मेरे पिता एक माँझी थे। प्रख्यात व्यवसायी दत्तगुप्त के यहाँ वह नौकर थे। दत्तगुप्त ने सिन्धु-व्यवसाय में ही अपार धन संग्रह किया था। तीन वर्ष की बात है—हाँ, तीन ही वर्ष की। दो विशाल पोतों पर बहुत से मोती तथा सीपें भर कर वे कारुक द्वीप की ओर व्यवसाय करने गए थे। स्थान अति दूर था ! बहुत सा प्रलोभन देने पर माँझियों की टोली उनके सङ्ग जाने को तैयार हुई थी। आज तक उनका पता न चला।

नाविक ने प्रसिद्ध व्यवसायी दत्तगुप्त का नाम दोहराते हुए कहा—दत्तगुप्त, उसने तो सारे मालद्वीप पर अपने व्यवसाय के कारण अधिकार जमा लिया था। सुना है, वह किसी रोग से मर गया। उसका पुत्र विश्वगुप्त आज भी पूर्वीय सिन्धु का सारा व्यवसाय अपनी मुट्ठी में किए बैठा है।

गोपा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा—ठहरो, ठहरो, तनिक मुझे उस दीप को जला लेने दो। सन्ध्या हो गई है।

मूँज की रस्सी हाथ में पकड़ कर एकटक दीप पर आँख लगाए, गोपा ढील देने लगी। नाविक उसके मुख की ओर देख रहा था। अपनी कोमल उँगलियों से मञ्जूषा में दीप रख कर गोपा ने उसे ऊपर चढ़ा कर बाँध दिया।

'नाविक एक काम करोगे ?'

'अवश्य।'

'मेरे आकाश-दीप को तारकाओं से जड़े इस गगन-मण्डल तक पहुँचा दोगे ?'

'हाँ' कह कर नाविक ने हँस दिया। गोपा अपनी भोली मूर्खता को आप ही समझ कर चुप हो गई। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा—तो इसे आकाश में पहुँचा दूँ ?'

'नहीं !'

'क्यों ?'

'मुझसे बहुत दूर हो जावेगा।'

नाविक ने गोपा के भोलेपन पर आश्चर्य करते हुए कहा—गोपा, तुम इस आकाश-दीप से इतना प्रेम करती हो ?

'कितना ?'

'इतना !'

'हाँ, यह मेरी माता की पुण्य-स्मृति है। यह मेरे सुखमय संसार का प्रतिबिम्ब है, नाविक ! दूर—अति दूर भयावनी जल-राशि की भीषण तरङ्गों से भटके हुए नाविक इस दीप-ज्योति के सहारे घर लौट सकेंगे। मेरे पिता इसी क्षीण रेखा-सूत्र के सहारे इस झोंपड़ी तक आ सकेंगे।'

नाविक उसका मुख देखता रह गया। उसने कुछ देर बाद पूछा—गोपा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था?

'चमूक'

नाविक ने एक बार फिर दोहराया—चमूक?

'हाँ'

'गोपा, तुम मुझसे प्रेम करती हो?'

'क्या? हाँ, सम्भवतः।'

'तुम मुझे जानती नहीं हो, गोपा! याद है वह दिन, शीत से काँपते हुए मैंने तुमसे आश्रय-याचना की थी। हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम करती हो? तनिक शीतल जल पिलाओ!'

'तनिक ठहरो। इतना अधिक जल पीना हानिकारक नहीं तो क्या है? ज्वर उतर जाने पर जितना चाहे, जल पी लेना।'

ज्वर बहुत तीव्र था। आँखें निकली आती थीं। होठ फड़क रहे थे। माथा भुन रहा था।

इसी तरह ज्वर में पड़े दो दिन हो गए। नाविक बहुत दुर्बल हो गया था। तीसरे दिन ज्वर उतरा। देह हलकी हुई। उसने गोपा की ओर देखते हुए कहा—गोपा, तुम मुझसे प्रेम करती हो?

'हाँ।'

'क्या विवाह कर सकोगी?'

'हाँ, यदि......, यदि तुम मेरे पिता का पता लगा दोगे।'

'और यदि न लगा सका?'

'तब नहीं।'

'किन्तु प्रेम करती रहोगी?'

'हाँ!'

'चाहे मैं दस्यु होऊँ!'

'हाँ!'

'चाहे मैं तुम्हारे पिता का बैरी होऊँ?'

'तनिक सोचने दो।'

'हाँ, सोचो।'

'हाँ!'

'चाहे मैंने स्वयं तुम्हारे पिता के प्राण लेने की चेष्टा की हो?'

'क्या कह रहे हो नाविक! तुम चुप रहो। अभी पूर्णरूप से स्वस्थ नहीं हो।'

'बोलो, यदि मैंने स्वयं उन्हें मारा हो!'

'क्या कह रहे हो, चुप रहो।'

'बोलो, पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी?'

'न'

❀ ❀ ❀

'अच्छा, तनिक जल पिलाओ।'

पत्ते के चोंगे में भर कर गोपा ने जल पिलाया। कण्ठ से उतरते ही नाविक सो गया। उसकी चौड़ी छाती उछल रही थी। ज्वर का वेग फिर बढ़ने लगा। उसके नथुने फटे जा रहे थे। वह न जाने क्या-क्या बड़बड़ा रहा था। कुछ सन्निपात की बहक थी।

सन्ध्या हो गई थी। गोपा अपनी जाँघ पर उसका सिर रक्खे बैठी थी। उसने आँख खोली।

'गोपा!'

'हाँ।'

'आज क्या आकाश-दीप न जलेगा?'

'आप अच्छे हो जावें तो जलेगा।'

उसने करवट ली। उसके हाथ-पैर चल रहे थे। दाँत काले पड़ गए थे।

पोत-रक्षक—पुण्डरीक, हम किस स्थान पर हैं? क्या कहा पिङ्गलरास?

गोपा ने उसके मुख पर आँखें गड़ाते हुए कहा—हाँ।

'ओह, कैसा भयानक तूफ़ान है!'

रोगी ने फिर एक करवट ली।

'वरुण को प्रसन्न करने के लिए बलिदान? बलिदान की आवश्यकता है? अच्छा, एक प्राण के लिए सहस्र मुद्रा!'

'एक प्राण के लिए सहस्र मुद्रा। परमार्थ! बलिदान!'

'पानी, पानी।'

गोपा ने पानी पिलाया।

पोत-रक्षक—हो गया! डूब गया!! गृह पहुँचते ही सहस्र मुद्रा!

'हाँ, सहस्र मुद्रा भिजवा देना। सुन रहे हो?'

गोपा—हाँ!

'क्या नाम था उसका? क्या कहा—चमूक? डूब गया?'

गोपा काँप उठी, उसने उसे हिलाते हुए पूछा—नाविक! नाविक!!

'अपने पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी? न! अच्छा जल पिलाओ!'

रात्रि हो गई थी। आकाश-दीप—आज आकाश-दीप अन्धा था। सिन्धु गम्भीर शान्त था। वह प्रलय-तूफ़ान, जिसको न बुझा सका, वह आज कैसे बुझ गया? गोपा चेतनाहीन नाविक का मुँह देख रही थी। उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे। वह फिर बर्राया—दया, विश्राम; आह!

गोपा स्तब्ध थी।

❀ ❀ ❀

कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची

गीतावली (इं० प्रे०) १)
तुलसी ग्रन्थावली (बेल० प्रे०) ४)
दादूदयाल की वाणी (इं० प्रे०) ॥)
" " (") १)
नयनामृत प्रवाह (ख० प्रे०) ॥)
पूर्तिप्रमोद (") ।=)
भूषण ग्रन्थावली (हिं० मं०) १।)
मेघदूत (लक्ष्मणसिंह) ॥=)
रहिमन शतक (रहीम) (बेल० प्रे०) =)
रहीम (हिं० मं०) ≡)
रामचरित मानस (इं० प्रे०) २॥)
" " (सटीक) (") ६)
" " (हिन्दी पु० ए०) १॥।=)
रामायण (सटीक) (ज्वालाप्रसाद) ४)
" " (रामेश्वर) ४)
" (बेल० प्रे०) ४॥), ६)
रामायण (सटीक) (न० कि० बु० डि०) १०)
वृन्द सतसई (मे० चं० ख० दा०) ।॥)
विद्यापति की पदावली (इं० प्रे०) २)
विनय-पत्रिका (सटीक) (वियोगी) २॥), २॥।), ३)
" " (बेल० प्रे०) २॥), ३)
" " (रा० ना० ला०) २)
विहारी सतसई (न० कि० प्रे०) १=)
विहारी सतसई (पद्मसिंह) (दो भाग) ४॥)
व्यङ्गार्थ कौमुदी (ख०प्रे०)।)
संक्षिप्त सूरसागर (इं० प्रे०) २॥)
सुन्दर विलास (बेल० प्रे०) १-)
सूक्ति-सरोवर (मि० बं० का०) २॥)
सूक्ति-सुधा (हिं० सं०) १)
सूर-पञ्चरत्न (रा० ना० ला०) १॥)
हिन्दी में मुसलमान कवि (ल० प्रे०) १॥।)

२—वर्तमान कवियों की कविता-पुस्तकें

(क) पं० श्रीधर जी पाठक की पुस्तकें

ऊजड़ ग्राम ।=)
आराध्य शोकाञ्जलि ।≡)
एकान्तवासी योगी ≡)
काश्मीर-सुषमा =)
गोखले गुणाष्टक =)
देहरादून ।=)
श्रान्त पथिक ।)

(ख) बाबू मैथिलीशरण गुप्त कृत

अनघ ॥।)
किसान ।=)
जयद्रथ-बध =)
झङ्कार ॥=)
पत्रावली ।-)
पलासी-युद्ध १॥)
पञ्चवटी ।=)
भारत-भारती १), २)
मेघनाद-बध ३॥)
रङ्ग में भङ्ग ।)
विरहिणी व्रजाङ्गना ।)
वीराङ्गना ॥।)
वैतालिक ।)
शकुन्तला ।=)
शक्ति ।)
स्वदेश-सङ्गीत ॥।)
हिन्दू ॥)

(ग) पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत

काव्योपवन (ख० वि० प्रे०) ॥।)
चुभते चौपदे १॥)
चोखे चौपदे १॥)
पद्य-प्रसून १॥)
पद्य-प्रमोद ॥।)
प्रिय-प्रवास २।)

(घ) अन्यान्य सुकवियों के काव्य-ग्रन्थ

अनाथ (सियारामशरण) ।)
अनामिका (सु० ग्रं० प्रे० मं०) ।=)
अन्त्याक्षरी (मि० बं० का०) ॥।)
अहिरावण-बध (राधेश्याम) ≡)
आत्मार्पण (गं० पु० मा०)॥)
एकतारा (हिं० सा० भ०)१)
कविता-कलाप (इं० प्रे०) ३)
कविता-कौमुदी (द्वितीय) ३)
कीचक-बध (वर्मन) ॥=)
कुमार-सम्भव (इं० प्रे०) ।)
गङ्गावतरण (इं० प्रे०) ॥।), १)
ग्राम्य गीत (हिं० मं०) ३)
चयनिका (रा० ना० ला०) ॥)
जज़बाते-बिस्मिल (दो भा०) (अभ्यु० प्रेस) २)
तृष्यन्ताम् (ख० वि० प्रे०) ≡)॥
त्रिशूल-तरङ्ग (प्रका० पु०) ॥=)
दूर्वादल (सियारामशरण) ।=)
दुर्गा-चरित्र (राधेश्याम) ≡)
नवीन बीन (हिं० पु० भं०) ।)
निर्माल्य (") १)
पल्लव (इं० प्रे०) ।)
प्रह्लाद चरित्र (रा० श्या०) ।)
प्रेम-पुष्पाञ्जलि (") ॥=)
वीर सतसई (सा० भ० लि०) ।)
बूढ़े का ब्याह (हिं० ग्रं० र०) ।=)
भीष्म-पराक्रम (रा० श्या०) ।)
भीष्म-प्रतिज्ञा (रा० श्या०) ।)
मन की लहर (प्रताप शा०) ≡)॥
मानसी (हिं० मं०) ।)
मीठी गुञ्जार (रा०श्या०) =)
मेघदूत (इं० प्रे०) ॥)
मौर्य-विजय (सियाराम०) ।)
राधेश्याम-कीर्तन (रा० श्या०) ॥)
राधेश्याम गीता (") १=)
राधेश्याम रामायण (") ४)
" " महाभारत (") ॥।)
राष्ट्रीय गान (चाँ० का०) ।)
राष्ट्रीय झङ्कार (दो भाग) १)
राष्ट्रीय वीणा (") १)
वीणा (इं० प्रे०) १)
वीर पञ्चरत्न (व० प्रे०) २॥।), ३)
श्यामायन (राधेश्याम) ॥)
श्रीकृष्ण उपदेश (पु०भं०) ॥)
श्रीमद्भगवद्गीता (हिं० प्रे०) ॥=)
" " (गी० प्रे० गोरखपुर) १।)
" " (") ॥≡), ॥।=)
सत्यनारायण-कथा (रा० श्या०) ।)
सुदामा-चरित्र (रा०श्या०) ।)
स्वप्न (हिं० मं०) ॥)

३—सन्तबानी संग्रह

हर एक महात्मा का जीवन-चरित्र उनकी बानी के आदि में दिया हुआ है।

कबीर-साखी-संग्रह १=)
कबीर साहब की अखरावती =)
कबीर साहब की ज्ञान-गुदड़ी ।=)
कबीर साहब की शब्दावली
" (पहिला भाग) ॥।)
" (दूसरा भाग) ॥।)
" (तीसरा भाग) ।≡)
" (चौथा भाग) ≡)
केशवदास की अमी-घूँट -)।
ग़रीबदास जी की बानी १।-)
गुरु नानक की प्राणसङ्गली
" (पहला भाग) १॥)
" (दूसरा भाग) १॥।)
गुलाल साहब की बानी ॥।=)
चरनदास की बानी ॥।-)
" (दूसरा भाग) ॥।)
तुलसी साहब की शब्दावली १=)
" " (दूसरा) १॥)
दरिया साहब (बिहार वाले) ।-)
दरिया साहब (मारवाड़) ।≡)
दादूदयाल की बानी १॥)
" " (दूसरा भाग)१।)
पलटू साहब (भाग १) ॥।)
" " (भाग २) ॥।)
" " (भाग ३) ॥।)
बाबा मलूकदास ।)॥
बुल्ला साहब ।)
भीखा साहब ॥=)
यारी साहब =)
रैदास जी की बानी ॥)
सन्तबानी-संग्रह (भाग १) साखी तथा जीवन-चरित्र १॥)
सन्तबानी-संग्रह (भाग २) १॥)

ऐय्यारी, तिलस्मी, जादूगरी, जासूसी और डकैती आदि विषय के उपन्यास

अनोखा जासूस (मा० दा० सं०) २)
अभागे का भाग्य (ब० बु० डि०) ३)
अमीरअली ठग (व० प्रे०) ॥।=), १।=)
अरब सरदार (व० प्रे०) ॥)
अर्थ में अनर्थ (ल० बु० प्रे०) १॥=)
अङ्गरेज़ डाकू (व० प्रे०) ॥=)
आहुतियाँ (छा० हि० पु०) ॥।)
आफ़त की पुड़िया (हिं० पु० ए०) १॥)
काजर की कोठरी (ल० बु० डि०) ॥।)
कापालिक डाकू (व० प्रे०) १॥), २)
काला कुत्ता (व० प्रे०) ॥)
काला साँप (") ।=)
क़िले की रानी (ब० बु० डि०) ॥।)
कुसुमकुमारी (") १।)
कृष्णवसना सुन्दरी (नि० चं०) १॥।), २।)
क़ैदी की करामात (व० प्रे०) १॥), २)
ख़ूनी औरत (व० प्रे०) १।)
खोई हुई दुलहिन (ब० प्रे०) ।)
गुप्त गुफा (व० प्रे०) १॥), २)
गुलबदन (व० प्रे०) १॥), २)
गुलाब में काँटा (") १॥), २।)
गङ्गाजमुनी (हिं० पुं० ए०) ४॥)

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

इङ्गलैण्ड में शिनफ़ीनरों का जासूसी विभाग

(८९वें पृष्ठ का शेषांश)

करने लगे। पर हमें अङ्गरेज़ों की सम्मति की तनिक भी परवाह नहीं थी, और हमारे दल के लोग भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रायः तारों को काटते रहते थे। इतना ही नहीं, वे उन तारों को भी फिर से काट डालते थे जिनकी मरम्मत की जाती थी।

दूसरी बार जब मुझे तार काटने को जाने का आदेश दिया गया, और हम सब मिल कर मौक़े पर पहुँचे, तो थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि अब की बार का काम पहले की तरह सहज नहीं है। बार-बार तारों के काटे जाने से पुलिस ने काटने वालों को पकड़ने का विशेष प्रबन्ध किया था और जगह-जगह पुलिस की टुकड़ियाँ छुपी हुई बैठी थीं। जैसे ही तारों को काट कर हम जङ्गल में से भागते हुए बाहर निकलने को तैयार हुए, हमने देखा कि हमारा रास्ता पुलिस ने रोक रक्खा है। हमने उनसे लड़-भिड़ कर निकल जाने की चेष्टा की, पर गोलियों से बचने को हमें झाड़ियों के पीछे छुप जाना पड़ा। हमने भी जवाब में गोलियाँ चलाईं और जङ्गल के बीच में जा छुपे। जब हम जङ्गल के दूसरे सिरे पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ का रास्ता भी पुलिस ने रोक रक्खा है। इस प्रकार हम बिलकुल जाल में फँस गए। इस पर हमने एक चाल सोची। हम सब एक जगह इकट्ठे होकर पुलिस के एक दल पर, जो छोटे रास्ते की चौकसी कर रहा था, एक साथ गोली चलाने लगे। उन्होंने भी जवाब दिया और धीरे-धीरे हमारी तरफ़ बढ़ने लगे। जब मैंने समझ लिया कि रास्ता साफ़ है तो एक के सिवाय तमाम लोगों को बाहर निकल जाने को कहा। हम दोनों ज़ोरों से गोली चलाते रहे, जिससे पुलिस वाले समझते रहें कि हम वहीं मौजूद हैं। कुछ देर बाद हमने भी गोली चलाना बन्द कर दिया, तेज़ी से भाग कर अपने साथियों से जा मिले। जब हम ख़तरे से दूर पहुँच गए तो हमने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आज उसी की कृपा से हम बच सके।

'शत्रु की भूमि' पर मि० ब्रैडी के अभिमानों और संग्राम का वर्णन यहीं समाप्त हो जाता है। वे उस रात को तो जङ्गल से बच कर निकल आए, पर उनके कितने ही अन्य सहयोगी दूसरे मुक़ामों में गिरफ़्तार कर लिए गए। उनकी जाँच करने से पुलिस को मि० ब्रैडी का भी पता लग गया और वे गिरफ़्तार कर लिए गए। कई महीनों तक इङ्गलैण्ड की हवालातों की हवा खाने के बाद वे आयलैंण्ड में भेज कर नज़रबन्द कर दिए गए। पर शीघ्र ही अङ्गरेज़ी सरकार और शिनफ़ीनरों में सुलह हो गई और मि० ब्रैडी फिर एक बार स्वतन्त्र हो गया।

❀ ❀ ❀

रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम

[श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी०]

रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम आज सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। इसी से इस विषय पर हिन्दी में भी बहुधा लेख निकलते रहते हैं, पाँच वर्ष—केवल पाँच वर्ष के थोड़े समय में वह संसार का सर्वोत्कृष्ट व्यापारिक शक्ति बनने का दावा करता है। इस धुन में वह ऐसा लगा है कि उसे खाना, पीना और सोना तक हराम हो रहा है। रूस जैसे कुचले हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए पाँच वर्ष का समय उतना ही है, जितना जल में बुलबुले का जीवन-काल। किन्तु इसी समय में वह असम्भव को सम्भव करने पर तुला हुआ है। देखना चाहिए कि इस समय के अन्त में वह कहाँ तक सफल होता है।

रूस का विस्तार पृथ्वी के सारे स्थल भाग का छठाँ हिस्सा है। इस में तरह-तरह के पदार्थ अपनी प्राकृतावस्था में पड़े हुए हैं, जिनका आज दिन बहुत कम उपयोग होता है। ऐसे पदार्थों को अधिक उपयोग में लाने के लिए रूस के पास साधन—जैसे कारख़ाने, मेशीन और योग्य अनुभवी मनुष्य—नहीं हैं। सबसे भारी कठिनाई यह है कि अन्य देशों में रूस की साख भी नहीं रही। एक पैसे मूल्य वाली वस्तु भी उसे दाम देकर ही लेनी पड़ती है। ऐसी हालत में वह प्रायः एक खरब रुपए लगा कर अपने गिरे हुए देश को महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में परिणत करना चाहता है। वह अपनी जन-संख्या के १६ करोड़ मनुष्यों को मज़दूर बना कर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। इस विशाल आयोजन का आरम्भ १९२८ ई० में हुआ था। १९३३ ई० में यह पूर्णता को प्राप्त होगा। यह स्कीम क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इन बातों को ठीक-ठीक जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि रूस आजकल किस प्रकार शासित होता है।

यदि सच पूछिए तो आजकल "रशिया" नाम का कोई देश ही नहीं है। वह विस्तृत साम्राज्य, जो ८०,००,००० वर्ग मील भूमि में फैला हुआ है, जो यूरोप के आधे और एशिया के तिहाई भाग को छेके हुए है, इस समय The Union of Socialist Soviet Russia के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसके शासक मज़दूर हैं अर्थात वहाँ की १६,००,००,००० आबादी में १६,००,००० सैकड़े एक मनुष्य शासक हैं। ये सैकड़े एक मानुष्य-शासक-दल—कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं। केवल मज़दूर और किसानों को 'वोट' देने का अधिकार है। गवर्नमेण्ट के सभी प्रधान-प्रधान कार्यालय कम्युनिस्टों के हाथ में हैं। यह दल सम्पूर्ण-रूपेण सेना और नौ-विभाग (Army and Navy) को हथियाए हुए हैं।

ज़ार के राज्यच्युत होने के बाद सन् १९१७ ई० में कम्युनिस्ट शक्तिशाली हुए। शासन-भार ग्रहण करने के बाद इन्होंने पुराने साम्राज्य को छः प्रधान हिस्सों (Republics) में बाँटा। ये सोविएटों या कमिटियों द्वारा शासित होते हैं। हर एक गाँव और नगर के अपने-अपने 'सोविएट' या शासन करने वाली पञ्चायत है। इसे उस गाँव या नगर वाले चुनते हैं। ये ग्राम्य पञ्चायतें प्रान्तीय पञ्चायतों (County Soviet) के लिए प्रतिनिधि चुनती हैं। प्रान्तीय पञ्चायतें व्यवस्थापिका सभा (State Legislature) के लिए प्रतिनिधि चुनती है। अन्त में ये सभाएँ Union Congress of Soviet का चुनाव करती हैं। उपरिलिखित काँङ्ग्रेस में २,००० से ३,००० तक मेम्बर होते हैं। इसकी बैठक हर दो वर्षों में एक बार होती है और यह अपने मेम्बरों में से एक सेण्ट्रल एक्ज़िक्यूटिव कमिटी (केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समिति) चुनती है, जिसमें प्रायः ४०० कमिश्नर होते हैं। ये कमिश्नर एक छोटी एक्ज़िक्यूटिव कमिटी निर्वाचित करते हैं। यह कमिटी 'प्रेसिडियम' (Presidium) के नाम से विख्यात है। इसमें २१ मेम्बर होते हैं। ये ही रशिया के वास्तविक शासक हैं।

जोसेफ़, स्टैलिन, रशिया के डिक्टेटर, सेण्ट्रल एक्ज़िक्यूटिव कमिटी के मन्त्री तथा प्रेसिडियम के एक मेम्बर हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान सेक्रेटरी तथा उत्साही कार्यकर्ता भी हैं। इसी कारण आजकल उनकी चलती है।

गत तेरह वर्षों से रूस का शासन-क्रम यही रहा है। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला रहा है। इस पार्टी के थोड़े से सिद्धान्त ये हैं:—भूमि और स्वाभाविक उपज, जैसे खान आदि, राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। राष्ट्र ही उपज और वितरण का (Production & Distribution) मालिक है। कम्युनिस्ट राज्य में निज की कोई सम्पत्ति नहीं है। निज का न धन है और न लाभ। सभी नागरिक या तो राष्ट्र के कर्मचारी हैं या राष्ट्र के पेन्शनयाफ़्ता। रूस ही एक देश है जहाँ कम्युनिज़्म के सिद्धान्तों की परीक्षा विस्तृत-रूप से तथा कुछ कालव्यापी हुई है।

कम्युनिज़्म कैपिटलिज़्म (पूँजीवाद) का ठीक विरोधी है। कैपिटलिज़्म का प्रचार अन्य सभी देशों में है। इस सिद्धान्तानुसार धन निज की सम्पत्ति है और अपनी चेष्टाओं तथा उद्योग का फल एक व्यक्ति उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र है। सोशियलिज़्म के भी वे ही सिद्धान्त हैं जो कम्युनिज़्म के; फ़र्क़ सिर्फ़ इतना ही है कि सोशियलिस्ट क्रान्ति के बदले क़ानून द्वारा अपना काम निकालना चाहते हैं। इस प्रकार एक कम्युनिस्ट अधीर सोशियलिस्ट कहा जा सकता है।

आधुनिक कम्युनिज़्म के पिता कार्ल मॉर्क्स एक जर्मन थे। इनकी मृत्यु १८८३ ई० में हुई। १९१७ ई० की रूस-क्रान्ति के नेता निकोलाई लेनिन तथा लियन ट्रॉटज़्की ने मॉर्क्स के सिद्धान्त को तुरत काम में लाने की चेष्टा की। नई सरकार ने देश के सारे कारख़ानों, खानों, रेलों को अपने हाथ में कर लिया और सभी निजी दूकानों तथा बैङ्कों को बन्द करने के लिए बाधित किया। इसके बाद ही चार वर्ष व्यापी अभ्यान्तरिक युद्ध (Civil War) छिड़ गया। सरकार कारख़ानों या रेलों को न चला सकी। किसानों ने खेतों में काम करने से इन्कार कर दिया; फल यह हुआ कि १९२१ में ३०,००,००० मनुष्य दुर्भिक्ष के शिकार हुए।

लेनिन ने असफलता स्वीकार की और कम्युनिज़्म तथा कैपिटलिज़्म के हिमायतियों में सन्धि करा दी। ट्रॉटज़्की ने इसका घोर विरोध किया और उसे देश-निकाले की सज़ा हुई। सरकार अब कारख़ानों को चलाने

लगी और निजी कारबारों को पुनः खोलने का अधिकार दे दिया। दूकानें और बैङ्कें खुल गईं। किसान खेतों पर काम करने लगे; व्यवसाय पूर्ववत चलने लगे। स्टैलिन ने ट्रॉटज़्की का स्थान ग्रहण किया। यह नई पद्धति चालाकी से भरी हुई एक सन्धि थी। क्योंकि लेनिन और स्टैलिन ने उसी समय कहा था कि मॉर्क्स के सिद्धान्त से हम लोग एक पग भी नहीं हटे हैं। १९२४ ई० में लेनिन के मरने के बाद उसके काम को दूसरों ने जारी रक्खा। १९२७ ई० तक देश पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्टैलिन अब सर्वेसर्वा बना, उसने देखा कि लेनिन के पुराने कार्यक्रम को कार्य में परिणत करने का समय आ गया है। किन्तु उसने नए ढङ्ग से काम करने का विचार किया, क्योंकि उसने सोचा कि यदि कम्युनिज़्म को सफल बनाना है तो धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा, जिसमें लोगों के मन में घबराहट पैदा न हो और न पृथ्वी के दूसरे देश ही चौंक उठें। उसने यह भी अनुभव किया कि यदि राष्ट्र को सारे कारबार का भार अपने ऊपर लेना है तो उसे यह भी सीखना पड़ेगा कि पूँजीवाले किस प्रकार अपना कारबार चलाते हैं।

इसलिए संसार के बड़े-बड़े पूँजीवादी देशों तथा बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थाओं से उसने मित्रता कर ली। इसके बाद, उसने एक State Planning Commission स्थापित किया, जिसके मेम्बर कई विज्ञान-विशारद थे। उससे यह जाँच करने को कहा गया कि किस वैज्ञानिक रीति के अवलम्बन से पाँच वर्ष में ही लेनिन का कार्यक्रम पूरा किया जा सकेगा। उक्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी।

१९३३ ई० तक सोविएट रशिया इस्पात, तेल और कोयले की उत्पत्ति को दुगना, धातुओं की उत्पत्ति को तिगुना और मैशीनों की उत्पत्ति को चौगुना बढ़ाना चाहता है, सोविएट सरकार की अन्य देशों में साख नहीं है। विदेशी मैशीनों को ख़रीदने तथा विदेशी विशारदों (Experts) को वेतन देने के लिए धन चाहिए। इसलिए वह अपना बहुत सा ग़ल्ला, मैङ्गनीज़ (खनिज पदार्थ विशेष) और कुण्डों (Lumbar) को बाहर भेज रहा है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए वह भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों को बड़े-बड़े टुकड़ों में परिणत कर स्तम्भ के पशुओं, औज़ारों और सरकार द्वारा दी हुई मैशीनों से जुतवाता है। रशिया की सारी भूमि अब सरकार के क़ब्ज़े में है। किसान जब तक खेत जोत सकें और सरकारी कर अदा कर सकें तब तक भूमि उन्हें मुफ़्त मिलती है। गत अक्टूबर में ऐसे बड़े-बड़े खलिहानों में ६०,००,००० परिवार काम करते थे। इनके अलावा, सरकार ३,००० से भी अधिक खलिहानों का स्वयं इन्तज़ाम करती है। १९३३ ई० तक रशिया की सारी भूमि या तो सम्मिलित समाजों द्वारा जोती जायगी या सरकार द्वारा।

इस पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रशिया के पास आवश्यकीय धन है, मनुष्य हैं, लोहा, कोयला, तेल तथा अन्य स्वाभाविक उपादान हैं किन्तु उसके पास योग्य, अनुभवी अफ़सर नहीं हैं। रशियन इञ्जीनियरों में आवश्यकीय शिक्षा तथा अनुभव का अभाव है। इसलिए उसने अमेरिका से २,००० तथा जर्मनी, इटली, स्वेडन, ज़ेकोस्लोवेकिया आदि देशों से १,००० इञ्जीनियरों को बुला कर काम में लगाया है। सोविएट सरकार यह स्वीकार करती है कि ये इञ्जीनियर रशिया के उत्थान के लिए अनिवार्य हैं।

इसके अलावा, रशिया के पास मैशीनें भी नहीं हैं। संसार की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ रशिया के लिए मैशीनें बनाने में व्यस्त हैं।

ये इञ्जीनियर या संसार की कम्पनियाँ कम्युनिस्ट विचार वाली नहीं हैं। उन्हें कार्ल मॉर्क्स के सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं, न वे स्टैलिन, लेनिन या ट्राटज़्की की राजनीति से ही सहमत हैं। वे सिर्फ़ भाड़े के टट्टू हैं, जो दुगनी तेज़ गति से काम करने के लिए वेतन पाते हैं। रुपया मिलने पर ये ही लोग भारतवर्ष के लिए भी वही कार्य कर सकते हैं।

डेनीयर नदी के पास पुकराइन में ये एक विद्युत् शक्ति-उत्पादक यन्त्र तैयार कर रहे हैं; नोवगोरोड में मोटर बनाने का एक बृहत कारख़ाना बन रहा है। युरेल पहाड़ में एक छोटी-सी जगह मैगनेटोगोरक्स नाम की है, वहाँ लोहे और इस्पात की एक बहुत बड़ी फ़ैक्टरी प्रायः शेष हो आई है। साइबेरिया के ऐजवेस्ट स्थान में 'ऐस्वेस्टस' की खान खोदने का प्रबन्ध किया जा रहा है। यहाँ प्रायः ३६ मील व्यापी एक खान है, जिससे प्रायः १२, ०००, ००० टन के क़रीब 'ऐस्वेस्टस' निकल सकता है। चेलियाविन्क्स स्थान में संसार का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का कारख़ाना भी बनाया जा रहा है। पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम के ये पाँच प्रधान अङ्ग हैं। यदि ये सफल हुए तब तो कोई बात ही नहीं! किन्तु असफलता होने पर रशिया की मिट्टी पलीद हो जायगी। किन्तु असफल होने का कोई कारण नहीं। अब-तब की प्रगति को देख कर कहा जा सकता है कि जिस तीव्र गति से काम हो रहा है वैसी हालत में पाँच वर्ष के बदले चार ही वर्ष में सारा काम ख़तम हो जायगा।

इसके अलावा ये इञ्जीनियर नई-नई खानें खोद रहे हैं, नदियों के जल को काम में लगा रहे हैं, तेल-कूपों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ कर उससे रास्ता निकाल रहे हैं, नदियों में पुल जड़ रहे हैं, रेलों के लिए पटरी बिछा रहे हैं और शक्ति-उत्पादन के लिए 'पावर हाउस' बना रहे हैं। तरह-तरह की वस्तु बनाने के लिए ये सारे रशिया में फ़ैक्टरियों का जाल सा बिछाने की भरपूर चेष्टा की जा रही है। विदेशी इञ्जीनियरों का रशिया में सर्वप्रथम आगमन १९२८ ई० में हुआ। पार साल उनके आए केवल दो वर्ष हुए थे। इस समय में उन लोगों ने रशिया की उत्पत्ति को १९१३ ई० की उत्पत्ति का प्रायः दूना कर दिया है।

अभी हाल तक रशिया की रेल की सड़कें व्यापारिक केन्द्र रूपी मधु पर मक्खियों जैसी फैली हुई थीं। ज़ार के बाद जब रशिया का शासन-भार सोविएटों के हाथ में आया, उस समय वहाँ ६०,००० मील में रेल की सड़कें बिछी हुई थीं और प्रायः १७,००० रेल के इञ्जन थे, किन्तु ये दोनों ही बड़ी रद्दी हालत में थे। प्रायः दस लाख आदमी इस विभाग में काम कर रहे थे। इनमें अधिकांश नाम ही के थे, काम करने वाले बहुत थोड़े थे। भला ऐसा विभाग सोविएट की तीव्र गति को कब सहन कर सकता था? दो वर्ष ही में वह बेकाम हो गया।

रशिया के पास योग्य व्यक्ति तो थे नहीं। उसे पुनः बाहर से अनुभवी इञ्जीनियरों को अत्यधिक वेतन देकर बुलाना पड़ा। इस काम के लिए उसने प्रायः २७५ करोड़ ख़र्च करने का विचार किया है।

जिस विद्युत् उत्पादक-यन्त्र के विषय में ऊपर लिखा गया है, जो डेनीयर नदी के पास बन रहा है, उसके तैयार हो जाने पर वह २,५०,००,००,००० किलोवैट घण्टे की शक्ति ७०,००० वर्ग मील में प्रति साल पहुँचाया करेगा, इसे हम यों कह सकते हैं कि यही एक यन्त्र बिहार-उड़ीसा जैसे प्रान्त के अन्दर जितने कारख़ाने बन सकते हैं उनके लिए शक्ति पहुँचाने के लिए काफ़ी है, यह संस्था ८० लाख मज़दूरों की रोटी का प्रश्न हल कर देगी।

यह रूस के शक्ति-उत्पादन शक्ति को पाँच गुणा बढ़ा देगी और उसे इस विषय में आज जो दशम स्थान प्राप्त है उसे उठा कर तीसरे स्थान में ला रक्खेगी। अमेरिका के संयुक्त राज्य और जर्मनी के शक्ति के ख़ज़ाने के बाद रूस के पास उसका भण्डार आकर जमा हो जायगा। यह संस्था सवा मील की लम्बाई में फैली रहेगी जिसमें ८२० फ़ीट में 'पावर हाउस' होगा। यहाँ नौ "टरबाइन" Turbines बैठाए जायँगे और उनमें से प्रत्येक की ८५,००० अश्व-शक्ति की शक्ति पैदा करने की योग्यता होगी। इस प्रकार वे ७,६५,००० अश्व-शक्ति की विद्युत् शक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों में भेजने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। यह बृहत कार्य प्रायः आधा शेष हो चुका है, अस्तु।

रूस के उत्थान में सिर्फ़ विदेशी इञ्जीनियरों या विशारदों (Experts) ही का हाथ नहीं है। ये तो इने-गिने हैं। इनकी देख-रेख में रशिया का एक बहुत बड़ा मज़दूर-दल काम कर रहा है। उनके विषय में भी यहाँ कुछ लिख देना असङ्गत नहीं होगा। ये मज़दूर जी-जान से अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें वेतन भी अधिक नहीं मिलता। देश से खाद्य-पदार्थों के बाहर चले जाने के कारण मामूली से मामूली भोजन पदार्थ के लिए उन्हें अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है। एक मज़दूर का औसत मासिक वेतन प्रायः सौ रुपया है और आधे सेर घटिया मक्खन का मूल्य प्रायः ६ रुपया। इसलिए अधिकांश मनुष्य रोटी, मछली और तरकारी ही पर अपनी गुज़र कर लेते हैं।

चूँकि सभी व्यापार सरकार के हाथ में हैं, वह मैशीनों को छोड़ कर कुछ भी बाहर से नहीं मँगाती। इसलिए कपड़ों और जूतों की बड़ी मँहगी है। इतना होने पर भी ज़ार के समय (१९१३) में एक औसत मज़दूर ने जितना काम किया था उसका डेढ़ा सोविएटों के अमल में किया है और कर रहा है। इसका क्या रहस्य है?

इसका सब से गूढ़ रहस्य यह है कि सरकार ने अपने मज़दूरों के आराम के लिए कितने ही प्रकार की व्यवस्था कर रक्खी है। यह सही है कि उसे सौ रुपए से अधिक मासिक वेतन नहीं मिलता, किन्तु उसे विश्वास है कि जब वह बुड्ढा हो जायगा और उसमें काम करने की शक्ति नहीं रहेगी, उस समय उसे सरकार से काफ़ी पेन्शन मिलेगी। काम छूट जाने पर भी उसे Unemployement Insurance Fund से मदद या खाने को मिलता है। किन्तु यदि सच्ची बात पूछी जाय तो आजकल रशिया में बेकारी हई नहीं है—वहाँ तो मज़दूरों की कमी है। जब मज़दूर बीमार पड़ता है उसे मुफ़्त में दवा-दारू का प्रबन्ध है। जब उसकी औरत को लड़का होता है, अस्पताल में उसके रहने, खाने और लड़के की देख-रेख के लिए मुफ़्त इन्तज़ाम है। हर साल उसे मुशाहरे के साथ दो हफ़्ते की छुट्टी मिलती है। यदि वह खन्दकों में या किसी जोखिम के स्थान पर काम करता है तो उसकी वार्षिक छुट्टी एक महीने की होती है। हर पाँच दिन काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी मिलना अनिवार्य है। दिन में ७-८ घण्टे से अधिक उसे काम नहीं करना पड़ता।

यदि किसी मज़दूर को कोई सख़्त बीमारी हुई तो उसे सरकारी ख़र्च से 'रेड-रिविएरा'-स्थान को भेज देते हैं। इसे भारतवर्ष का धरमपूर या सोलन समझना चाहिए। यहाँ की आब-हवा बड़ी ही अच्छी है। यहाँ ज़ार और बड़े-बड़े लोगों के जो मकान बने हुए थे, वे ही अब मज़दूरों के रहने के स्थान, होटल और क्लब-घर हैं। इन सब सुविधाओं को देखते हुए कहना पड़ेगा कि रूसी मज़दूरों की अवस्था ज़ार के समय से कहीं अच्छी है। उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं है; जब तक वह काम करता है उसे भर-पेट खाने को मिलता है। उसे और भी कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। सोविएट सरकार ने मज़दूरों को जितनी स्वतन्त्रता दी है उतनी उन्हें कभी

(शेष मैटर ९९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

सोचा था कि श्रीमान क्रेरार साहब का 'प्रेस-पछाड़' बिल शीघ्र ही क़ानून का रूप धारण कर अख़बारों के ऑफ़िसों में अठखेलियाँ आरम्भ कर देगा, तो आए दिन की फ़तवाबाज़ी से पिण्ड छूटेगा और आनन्द से दोवक़्ता बूटी छना करेगी ; न ऊधो का लेना रहेगा, न माधो का देना । नीचे कुण्डी रहेगी और ऊपर श्री जगद्गुरु का विशाल भँगघोटना और बीच में रहेंगी श्रीमती भगवती विजया ।

❀

परन्तु ये 'बिन काम दाहिने बायें' वाले हज़रात दाल भात में मूसरचन्द की तरह प्रत्येक अच्छे कार्य में विघ्न डालने के लिए न जाने कहाँ से टपक पड़ते हैं । देखिए न, सारी प्रसव-वेदना समाप्त हो चुकी थी, मङ्गल-बधावा बजने में सिर्फ़ इञ्च भर की कसर रह गई थी—बङ्गाली बङ्गालियों के ठीक 'होबो होबो' की अवस्था थी । इतने में श्री० एस० सी० सेन की बुद्धि 'परी परी सी टूटि !'

❀

गर्भ का बच्चा गर्भ में ही रहा और बेचारी भावी प्रसूती सूतिकागार में तड़पती ही रह गई । भले आदमी ने ऐसी निष्ठुरता दिखाई कि कुछ न पूछिए ! ऐसे मौक़े पर लोग 'चक्रव्यूह' का चित्र बना कर प्रसूती को दिखलाते हैं, वैद्य लोग 'अपामार्ग' की जड़ मस्तक पर रख देते हैं और डॉक्टर लोग कोई इञ्जेकशन देते हैं, ताकि शीघ्र 'डिलेवरी' हो जाए और बेचारी प्रसूती की जान बचे । मगर सेन महोदय हैं कि ऐन मौक़े पर अशकुन करके सारे मङ्गलानुष्ठान को ही चौपट कर दिया !!!

❀

ख़ैर, 'देर आयद दुरुस्त आयद ।' अच्छे कामों में विघ्न तो हुआ ही करता है । एक सप्ताह बाद ही सही । जब श्रीमान् लाट साहब और उनके मीर मुन्शी श्रीमान् क्रेरार साहब भारत के देशी अख़बारों को 'विषहीन भुजङ्गवत्' बना देने पर तुल ही गए हैं, तो उन्हें ऐसी-ऐसी नगण्य बाधाओं की परवाह ही क्या है । माशा अल्लाह, बच्चा कुछ दिन गर्भ में रहेगा तो परिपुष्ट ही होगा ।

❀

यह ठीक है कि डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव और हिजली के मङ्गलानुष्ठान के बाद सम्पूर्ण शान्ति प्रतिष्ठार्थ, इस 'प्रेस-पछाड़' की शीघ्र ही आवश्यकता थी । ताकि अख़बार वाले अपनी अमङ्गल वाणी द्वारा इन महान कृत्यों की उज्ज्वलता को धूमिल न कर दें । इसीलिए शुभस्य शीघ्रम् का आयोजन किया गया था । मगर, ख़ैर, कोई चिन्ता नहीं । क्योंकि 'एके बाद दीगरे' का जो ताँता लगा हुआ है, उसे अख़बार क्या अख़बारों के बाप की भी मजाल नहीं, जो धूमिल या म्लान कर सकें ।

❀

चले आइए, आँख मूँद कर लकुटिया टेकते हुए, भारत की पश्चिमोत्तरीय सीमा पर ! यहीं वह सौभाग्यशाली डेराइस्माइलख़ाँ नाम का नगर प्रतिष्ठित है, जहाँ नौकरशाही के नौनिहालों ने अपनी जन्मदात्री, आश्रयदात्री और अन्नदात्री की विमल कीर्त्ति स्थापित की है । यहाँ के बहुत से हिन्दू रुपया-पैसा, घर-द्वार और माल-पत्र आदि सब प्रकार की जायदाद मनक़ूला और ग़ैर-मनक़ूला के झञ्झट से बरी कर दिए गए हैं । बस, ऐसी हालत है कि जब चाहें तब इस असार संसार को छोड़ कर परम धाम को चले आ सकते हैं । मजाल नहीं, किसी माया के बन्धन की जो उन्हें बाँध सके ।

❀

डेराइस्माइलख़ाँ के हिन्दुओं का यह महान उपकार किया है, वहाँ के अज़ीज़ुलक़द्र मुसलमान भाइयों ने और कराया है, खड़ी होकर, आयुष्मती पुलिस ने, जिनकी एक-एक अदा पर, यह जगद्गुरु उपाधिधारी वृकोदर बुड्ढा, सौ सौ बार मर चुका है और अभी हज़ार-हज़ार बार मरने की इच्छा रखता है । वल्लाह, हमारा दृढ़ विश्वास है कि सौभाग्यशाली भारत ने अनादि-काल से जो अनवरत पुण्य सञ्चय किया है, यह आयुष्मती जी उसी की सजीव प्रतिमा हैं । हे अल्लाह मियाँ, तुम्हें तुम्हारे बाप की क़सम, आयुष्मती को अलोमष सी आयु प्रदान करना ।

❀

ख़ैर, जनाब, डेराइस्माइलख़ाँ में आयुष्मती ने जो कमाल दिखाया, उससे सारा भारतवर्ष मुग्ध हो गया, उनके सुयश का मानो डङ्का पिट गया और भक्तों ने जप-योग छोड़ कर, परलोक सुधारने की अभिलाषा से उनका अविरत गुण गान आरम्भ कर दिया । सारे पञ्चनद प्रदेश में उनके जानोमाल की ख़ैर मनाई जाने लगी, और श्री जगद्गुरु ने गहरी छान कर निश्चिन्ततापूर्वक लम्बी तान दी । सोचा था कि उधर से थिरकती हुई आएँगी तो अपने राम भी अपनी बूढ़ी आँखों को सेंक कर जीवन सफल कर लेंगे ।

❀

परन्तु यह लीजिए, जगद्गुरु चौमुहानी पर चादर ताने पड़े ही रह गए और आप एक ही जुम्बिश में चटगाँव पहुँच गईं । फिर वहाँ जिस अभिनव और अलौकिक कला का प्रदर्शन हुआ, उसे देख कर तो उर्वशी और मेनका ने भी दाँतों अँगुली दबा लिया होगा । आह ! अगर आप उस अनुपम दृश्य को देख लेते, तो सच मानिए, इतना पुण्य प्राप्त हो जाता कि अनन्त काल तक आपकी आँखें बैकुण्ठ-धाम में निवास करती रहतीं ।

❀

चटगाँव के कितने ही हिन्दू पुश्त-दर-पुश्त से माया-जाल में जकड़े पड़े थे । बङ्गाल की श्रीमती नौकरशाही वर्षों से उनकी मुक्ति की चिन्ता में थीं । बहुत से उपाय भी काम में लाए गए थे । उदाहरणार्थ उस ज़िले के बावन गाँवों में, शान्ति की स्थापना के लिए 'पिटनी पुलीस' की व्यवस्था की गई थी । कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए वहाँ के हिन्दू नौजवानों को शाम के बाद घर से निकलने नहीं दिया जाता था । सी० आई० डी०, तलाशी, धर-पकड़, जेल-जुर्माना—बस, अँगुलियों पर गिनते रहिए ।

❀

परन्तु शान्ति कोई साधारण चीज़ थोड़े ही है कि इन साधारण आयोजनों से ही स्थापित हो जाए । इसलिए, विख्यात 'भारत-बन्धु' 'स्टेट्समैन' के 'एडॉप्टेड' श्री० आर्थर मूर दोनों हाथों से सिर धुनने लगे, बेचारा 'स्टेट्समैन' 'त्राहि-त्राहि' पुकार उठा । कलकत्ते की गोरी सभा को मूर्च्छा पर मूर्च्छा आने लगी । अर्थात् ऐसा कुहराम मचा कि शङ्कर की समाधि भङ्ग हो जाए तो बेचारी नौकरशाही की नींद की क्या हस्ती !

❀

इतने में एक बङ्गाली छोकड़े ने एक मुसलमान इन्स्पेक्टर की हत्या कर डाली ! फिर क्या था, वही कहावत हुई कि "गिलास मुँह से लगनी चाहिए, शरारत तो पेट में भरी है ।" मानो—"कोई साँवरि कोई गोरी" ब्रज बाला" कन्हैया से होली खेलने निकल पड़ीं । श्री० सेन गुप्त महाशय के शब्दों में—" . . . three days town and villages destruction, burning Hindoo houses by Gurkhas, Police, British officers and non-official Europeans."

❀

उल्था की आवश्यकता नहीं; बस, समझ लीजिए कि श्रीमती नौकरशाही के सारे कुटुम्ब ने मिल कर चटगाँव के हिन्दुओं का अच्छी तरह श्राद्ध कर डाला । भावी विघ्न-बाधाओं को शान्ति तथा कुल-मर्यादा को निष्कलङ्क रखने के लिए कुछ मुसलमान गुण्डे भी बुला लिए गए थे, ताकि 'मांस-रोटी बच्चे खायँ और हत्या लेकर पाहुने जायँ !'

❀

मगर यह समझने की ग़लती न कर बैठिएगा कि 'पाहुने लोगों' के हत्या ही हाथ रही । अजी, राम कहिए, उनके भी पौ-बारह रहे । जन्म-जन्मान्तर की दरिद्रता दूर हो गई—करोड़ों की रक़म हाथ लग गई और सुरमा-सलाई तथा टिकिया तम्बाकू बेच कर जीवन यापन की ज़हमत से पिण्ड छूट गया । ज़रा मामला पट पड़ जाय, फिर देखिए न वो हबीबन के गले में सुनहला तौक़ और नसीबन की नाक में जड़ाऊ नकबेसर !

❀

मगर अपने राम तो मुग्ध हैं 'उस मुनादी पर' जो चटगाँव की लूट के दूसरे दिन की गई थी, आयुष्मती पुलिस की ओर से, कि चौबीस घण्टे के अन्दर लूट का माल वापस कर दो, नहीं तो तलाशी आरम्भ कर दी जाएगी ! भला बताइए, ऐसा कौन दिलेर डाकू होगा,

जो ऐसी दिल दहलाने वाली और बहादुरी से परिपूर्ण मुनादी सुन कर सारा माल चुपचाप लाकर आप के घर न पहुँचा जाय?

❀

बस, इस नुसख़े को अपनी 'नोटबुक' में नोट कर लीजिए और जब कभी आपके या आपकी पड़ोसिन के घर चोरी हो जाए, लूट हो जाए, लल्ला की लँगोटी भूल जाए या बीवी की बुलाक खो जाए तो फ़ौरन श्रीमती नौकरशाही का नाम लेकर किसी ऊँचे स्थान पर चढ़ जाइए और ज़ोर से आवाज़ लगाइए, कि 'हे भाई चोर, डाकू, उचक्के, ठग और उठाईगीर' हमारा जो माल तुमने लिया है, उसे चौबीस घण्टे के अन्दर वापस कर दो, नहीं तो हम तलाशी आरम्भ कर देंगे। बस, वह जहाँ कहीं होगा, मन्त्रमुग्ध की भाँति आपका माल आपके घर पहुँचा जाएगा।

❀

आप नई रोशनी के मनुष्य हैं—२०वीं सदी के सुसभ्य जीव, मन्त्रशक्ति पर आपको विश्वास न होगा। परन्तु अगर ख़ुदा ने आपकी खोपड़ी में चुटकी भर भी अक़्ल रख दी होगी और आप दीन व दुनिया की ज़रा भी ख़बर रखते होंगे तो आपको मालूम हो गया होगा कि डेराइस्माइलख़ाँ और चटगाँव में इसी महा मन्त्र से काम लिया गया है और माशा अल्लाह, सारा लूट का माल लुटेरों ने वापस कर दिया। पुलिस को न तो किसी को पकड़ने की ज़रूरत पड़ी और न किसी के घर से माल बरामद करने की। नहीं तो आप ही बताइए, कौन पकड़ा गया है?

❀

इसके बाद जब लोगों ने चटगाँव के लिए चेंन्चें करके 'चर्वित चर्वण' वाली कहावत चरितार्थ की, तो ज़ायक़ा बदलने के लिए हिजली (मेदिनीपुर) के स्पेशल जेल के कुछ राजबन्दी भून डाले गए! ख़ुदा के फ़ज़्ल से इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। बस, एक करुणाजनक बात यह होगई कि बङ्गाल के स्वनाम-धन्य गवर्नर सर स्टेनली जैक्सन बहादुर को दार्जिलिङ्ग शैल-शिखर के शरदागम का लुत्फ़ छोड़ कर कई दिन के लिए कलकत्ता आ जाना पड़ा। सो इस कष्ट के लिए हम गवर्नर बहादुर से क्षमाप्रार्थी हैं और जिन लोगों की चीख़-पुकार के कारण आपको यह कष्ट उठाना पड़ा है, उनके प्रति अपना आन्तरिक रोष प्रकट करते हैं।

❀

हमारी राय है कि हिजली के कठिन-कलेवर राज-बन्दियों को भूनने में आयुष्मान 'भुनक्कड़ों' को जो तकलीफ़ हुई है, इस पुण्यपूत कार्य में जो मूल्यवान गोलियाँ ख़र्च हुई हैं और राजबन्दियों पर गोली चलाने के कारण जेल की निर्दोष दीवारों की जो क्षति हुई है, उसके हरजाने के लिए, जीवित और मृत 'भूनितों' की सारी पैतृक सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाए और अगर वे विवाहित हों तो उनकी जोड़ुओं के गहने छीन लिए जाएँ, अविवाहित हों तो उनकी भावी जोड़ुओं के साथ वही बर्ताव किया जाए।

❀

कुछ बात नहीं थी जनाब, हिजली जेल के कुछ राजबन्दियों को मार डालना, कुछ को अर्द्ध-मृत और कुछ को घायल कर देना अत्यावश्यक था। परन्तु लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया। और तो और, साथ-साथ लँगड़ी भी दीवार फाँदने के लिए चल पड़ी। यानी बङ्गाल के बूढ़े कवीन्द्र भी शान्ति-निकेतन के गोशए तनहाई से निकल कर क़िले के मैदान में व्याख्यान देने चले आए। ज़रा उस 'सर' का भी ख़्याल न किया जिसे नौकरशाही ने एक मुद्दत से उनके सर पर लाद रक्खा है। भला, यह कौन सा कविता का विषय था, जो आप भी चले आए?

❀

क्या बताएँ, श्री० जगद्गुरु से उनकी दाढ़ी मिलती-जुलती है, वरना हमारी सखी के साथ इस मौक़े पर उन्होंने जो एहसान-फ़रामोशी की है, उसका बदला लिए बिना हर्गिज़ नहीं रहते। आह! बेचारी ने क्या इसी दिन के लिए उन्हें 'रवि' से 'नाइट' (रात) बनाया था? दो नवयुवक मर गए थे, तो कौन सा ज्वालामुखी फट पड़ा था? जलियाँवाले बाग़ से लेकर हिजली तक—रोज़ ही तो गोलियाँ चलती हैं और नवयुवक, बूढ़े तथा बालक भुट्टे की तरह भुन जाते हैं, परन्तु आज न तो कभी कविवर की कविता में बाधा पड़ी, न उनके 'विश्व-प्रेम' को ठेस लगी, तो बक़ौल लक्ष्मण जी—'यहि धनु पर ममता केहि हेतू?'

❀

इसलिए श्रीमती नौकरशाही को चाहिए कि यथा-सम्भव शीघ्र कवीन्द्र का 'सर' उतार लें और भारत सरकार के अर्थ-सचिव श्रीमान शुस्टर साहब उनकी पकी-पुरानी दाढ़ी पर, फ़ी बाल, कम से कम, चार पाई टेक्स लगा दें। नहीं तो क़सम ख़ुदा की, सखी नौकरशाही का सारा 'श्रुति-मार्ग' भ्रष्ट हो जाएगा, प्रेस्टिज पिघल कर बह जाएगी और शान सिकुड़ कर अँठई (किलनी) हो जाएगा। फिर तो ऐसे 'नरमेध' यज्ञों के अवसरों पर सारे देश के 'सर' सर पटक-पटक कर सखी के चौखट की चैली निकाल डालेंगे।

* * *

रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम

(६६ पृष्ठ का शेषांश)

भी प्राप्त नहीं थी। उन्हें उनका प्यारा वोडका (एक प्रकार की शराब) पीने को मिला है, जिसे ज़ार ने लड़ाई के समय में पीने की मनाही कर दी थी। शादी और तलाक़ के नियमों में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। सिर्फ़ सरकारी रजिस्टरी ऑफ़िस में जाकर कोई भी दम्पति विवाह-सूत्र में बँध जा सकती है। यदि तलाक़ देना हो तो पुरुष या स्त्री कोई भी जा कर सरकारी ऑफ़िस में दरख़्वास्त दे दे, तलाक़ मन्ज़ूर हो जायगा। कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं। अगर बन्धन है तो यही कि पिता लड़कों की ख़बरगीरी करेगा।

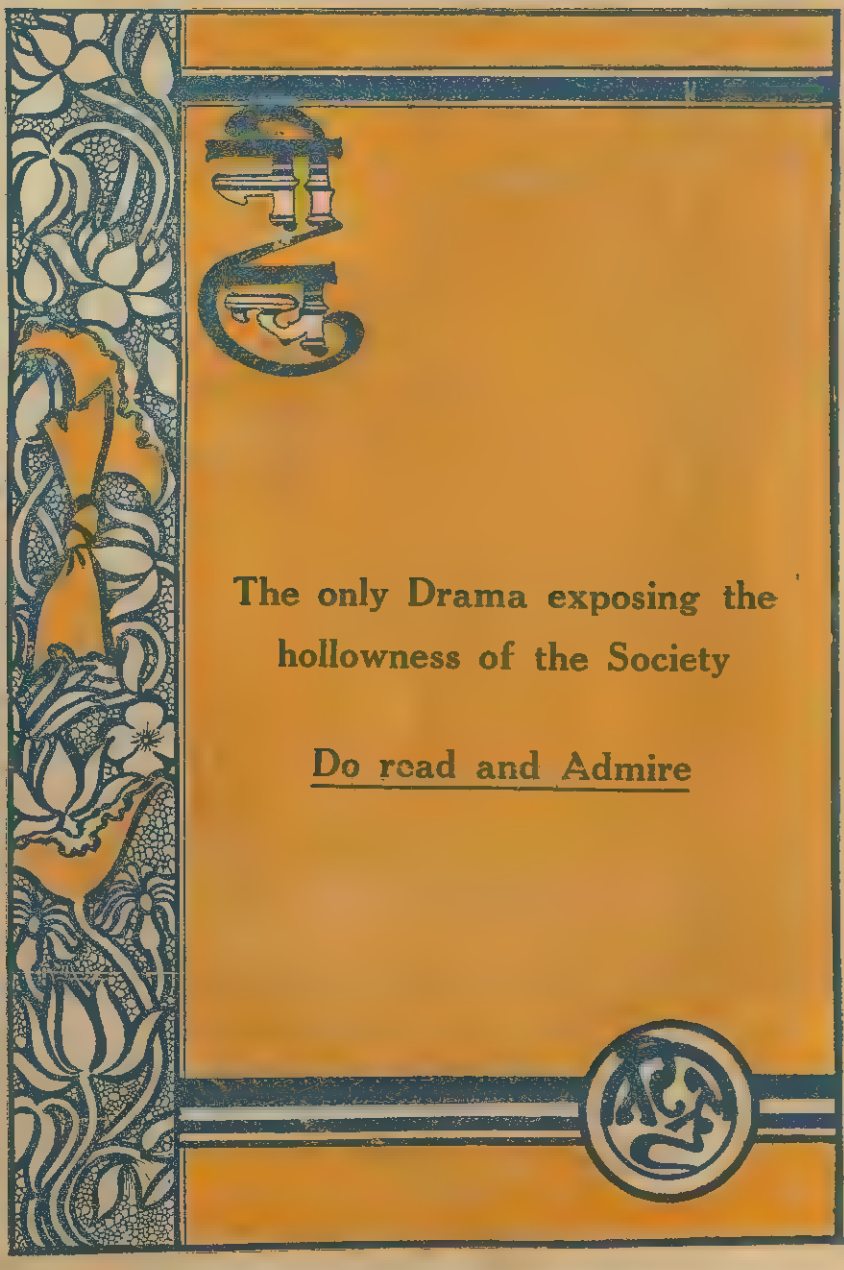
कम्युनिस्ट नेताओं ने मज़दूरों के हृदय में अदम्य उत्साह भर दिया है। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि वह सिर्फ़ अपने या अपने परिवार ही के लिए नहीं काम करता, किन्तु राष्ट्र की भलाई के लिए करता है। वे अपनी सारी शक्ति लगा कर अपने काम में डटे रहते हैं। उन्हें एक और आशा दी गई है। उनसे कहा गया है कि १९३३ ई० में रशिया में सभी पदार्थों की प्रचुरता हो जायगी। वहाँ दूध, घी की नदियाँ बहने लगेंगी। मज़दूरों को इसमें विश्वास है और इस स्वर्गीय अवस्था को निकट बुलाने में वह यथासाध्य सहायता करते हैं। इसके अलावा, उसकी दृष्टि सारे संसार पर लगी हुई है और दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षा भी उसके हृदय हिलोरें मारा करती है।

उसमें एकाएक उत्साह जागृति का यही कारण है। इसी आकांक्षा को लेकर वहाँ के मज़दूर निरन्तर रात-दिन काम में भिड़े रहते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर नोवगोरोड में प्रायः १०,००० आदमी एक विशाल मोटर का कारख़ाना बनाने में लगे हुए हैं। वहीं एक आदर्श कम्युनिस्ट शहर भी बसाया जा रहा है। इस शहर में २५,००० मनुष्यों के रहने का इन्तज़ाम किया जा रहा है। रहने के घरों के अतिरिक्त यहाँ स्कूल, अस्पताल, भोजनालय, लाइब्रेरी, थिएटर आदि भी होंगे, किन्तु गिरजा घर नहीं रहेगा। क्योंकि सोवियट-सरकार ईश्वर में विश्वास नहीं करती और वह पृथ्वी से धर्म नामक वस्तु का बहिष्कार कर देना चाहती है। यह आश्चर्य-जनक शहर धनियों या उनके लड़कों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि रूस में कोई धनी मनुष्य नहीं है। यह रूसी मज़दूरों और उनके लड़कों के लिए बनाया जा रहा है।

रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम आज सफल दीख रहा है, यद्यपि कम्युनिस्ट सरकार की स्थिति अभी भी सन्देहात्मक है। यह सच है कि भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति हो रही है। प्रायः सारा व्यापार राष्ट्र के हाथ में आ रहा है, किन्तु सभी व्यापारिक उन्नति की जड़ में कैपिटलिस्ट का घृणित भाव काम कर रहा है। कैपिटलिस्टों के तरीक़ों को अख़्तियार कर, उन्हीं की मैशीन तथा मस्तिष्क से यह उन्नति साधन हो रही है। अस्तु, यदि रशिया की यह महत्वाकांक्षा सफल हुई, तब क्या उसके मज़दूर मज़दूरी पेशे से ही सन्तोष कर लेंगे? क्या उसके नेता रशिया में ही रह कर सन्तुष्ट होंगे या संसार-व्यापी साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा में लगेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं, जो संसार के राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रहे हैं। सारा संसार रूस के कार्यक्रम को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है।

❀ ❀ ❀





गया है । स्थायी ग्राहकों से ।।

व्यवस्थापक 'चाँद कार्यालय,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Sh. Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.



६॥) में एक वर्ष 'चाँद' पढ़िए; और हर महीने पुरस्कार लीजिए !

क्या आप 'चाँद' के ग्राहक हैं ?

यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइए !

क्योंकि

अक्टूबर मास से 'चाँद' में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे :–

१—'चाँद' का सम्पादन इङ्गलैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया मासिक पत्रों के ढङ्ग पर होने लगा है।

२—'चाँद' में हर महीने से सिनेमा तथा रङ्गमञ्च सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र प्रकाशित होने लगे हैं।

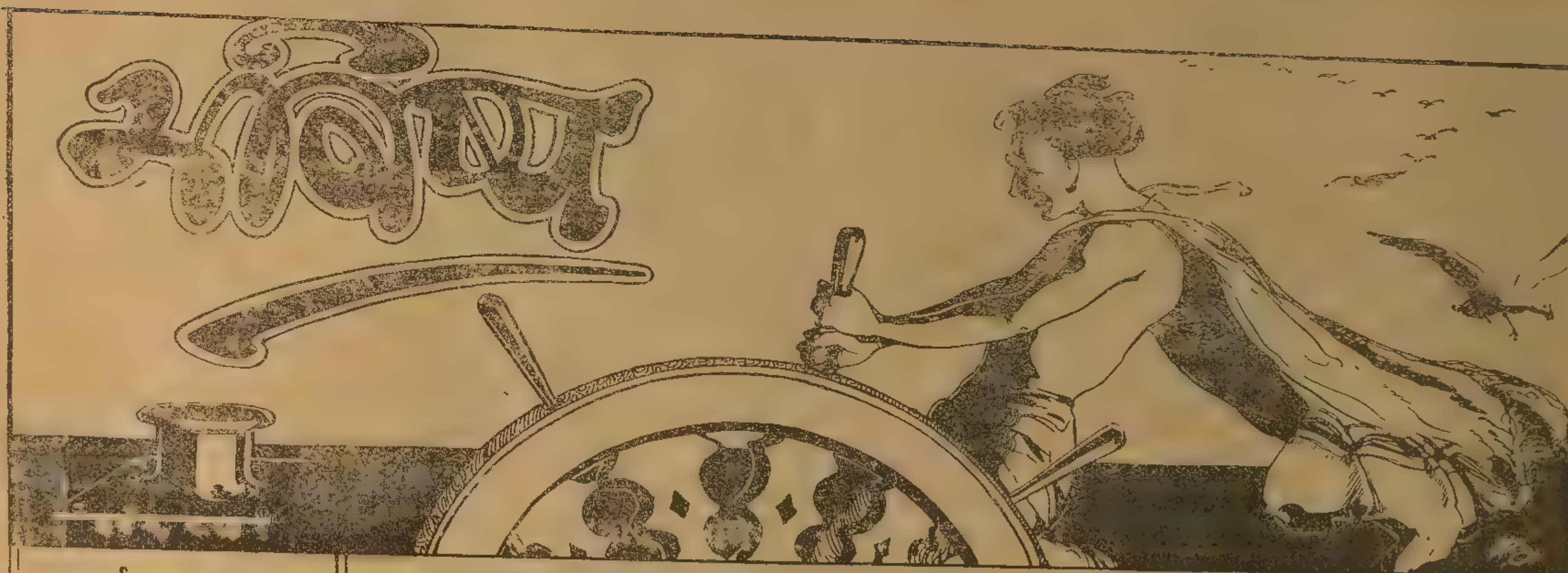
३—'चाँद' में वैज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया स्तम्भ खोल दिया गया है।

४—'चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टैण्डर्ड और भी ऊँचा कर दिया गया है।

५—'चाँद' की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायँगे।

६—'चाँद' में जो सबसे बड़ी नई विशेषता है, वह है इसका 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' विभाग। 'चाँद' में प्रतिमास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके हल करने वाले ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अक्टूबर के 'चाँद' में ही एक खाना-पूर्ति (Cross-word puzzle) निकला है, जिसके सही उत्तर देने वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा। नवम्बर के विशेषाङ्क में भी पुरस्कार के लिए एक पहेली रहेगी। परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल 'चाँद' के रजिस्टर्ड ग्राहकों को ही मिलेगा।

आज ही अक्टूबर का 'चाँद' मँगा कर पढ़िए और स्थाई ग्राहकों में नाम लिखा लीजिए !



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १२ अक्टूबर, १९३१ | संख्या २, पूर्ण संख्या ५२

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने वालों से--

[मौलाना 'जोश' साहब बङ्गलोरी]

मिटा कर तफ़रक़े[1] आपस के होकर इकज़बाँ कहना,
जो टूटा हिन्द पर जौरो सितम[2] का आसमाँ कहना !
हुई सरज़द[3] जो इनसे आज तक बदनज़्मियाँ[4] कहना !
अरे ऐ जाने वालो, दर्दे दिल की दास्ताँ कहना !
सितम गुलचीं के कहना और जफ़ाए बाग़बाँ कहना !!

रहो साबित क़दम और अज़्म[5] से पहले क़सम खा लो,
ख़ुसूमत[6] का जो ज़ज़्बा[7] है उसे दिल से मिटा डालो !
कहीं उनकी ख़ुशामद पर न अपना सर झुका डालो !
सयासी[8] मसअलों[9] पर ग़ौर करना ऐ वतन वालो !
यहाँ की कशमकश कहना, यहाँ की सख़्तियाँ कहना !!

हमारी हक़परस्ती[10] के जहाँ में होंगे अफ़साने,
न छेड़ो हमको, हैं हम शम्ए हुर्रियत[11] के परवाने !
नहीं मालूम आख़िर हश्र[12] क्या होगा ख़ुदा जाने !
जुनूँ[13] के जोश से बेख़ुद हैं आज़ादी के दीवाने !
उड़ाते फिरते हैं दामन की अपने धज्जियाँ कहना !

चमन जब से हुआ ताराज[14] दिल अफ़गार[15] रहते हैं,
ख़िज़ाँ जब से कि आई है बरङ्गे ख़ार रहते हैं !
हमेशा यास[16] से वह सूरते बीमार रहते हैं !
क़फ़स[17] में अब असीराने-क़फ़स बेज़ार रहते हैं !
ख़िज़ाँ का लुत्फ़ देती है बहारे बोस्ताँ[18] कहना !!

जिन्हें दावा है आज़ादी का, हैं वह ख़ुदसिताई[19] में,
अभी इस्लाह की हाजत है उनकी रहनुमाई में !
अजब इन्साफ़ देखा हमने इस फ़रमाँ-रवाई[20] में !
जवाँमर्दाने सरहद मर गए क़ौमी लड़ाई में !
पेशावर के पठानो पर चलाई गोलियाँ कहना !!

बड़ा अन्धेर है बर्बाद अपना गुलिस्ताँ[21] करना,
बनारस ढाका वो कश्मीर को वक़्फ़े ख़िज़ाँ करना !
और इनको ख़ानुमाँ बर्बाद करना नीमजाँ करना !
ज़रा मदरास व शोलापूर के क़िस्से बयाँ करना !
हमारा सब्र कहना और पुलिस की सख़्तियाँ कहना !

बहुत ही हौसला फ़र्सा[22] हैं अपने बेहिसी[23] के दिन,
तशद्दुद के, सितम के, मुफ़लिसी के, बेकसी के दिन !
न पूछो इससे बढ़ कर और क्या हैं बेबसी के दिन !
मुसीबत झेलते हैं, काटते हैं ज़िन्दगी के दिन !
सयासी क़ैदियों पर जेल की पाबन्दियाँ कहना !!

ख़ताकारों में सबसे पहले अपने नाम होते हैं,
जफ़ा की तेग़ चलती है, सितम के काम होते हैं !
हमारे दरपये[24] आज़ार क्यों हुक्काम होते हैं ?
किसानों की ज़मीनों पर यह क्यों नीलाम होते हैं ?
ज़बरदस्ती उजाड़ी जा रही हैं बस्तियाँ कहना !!

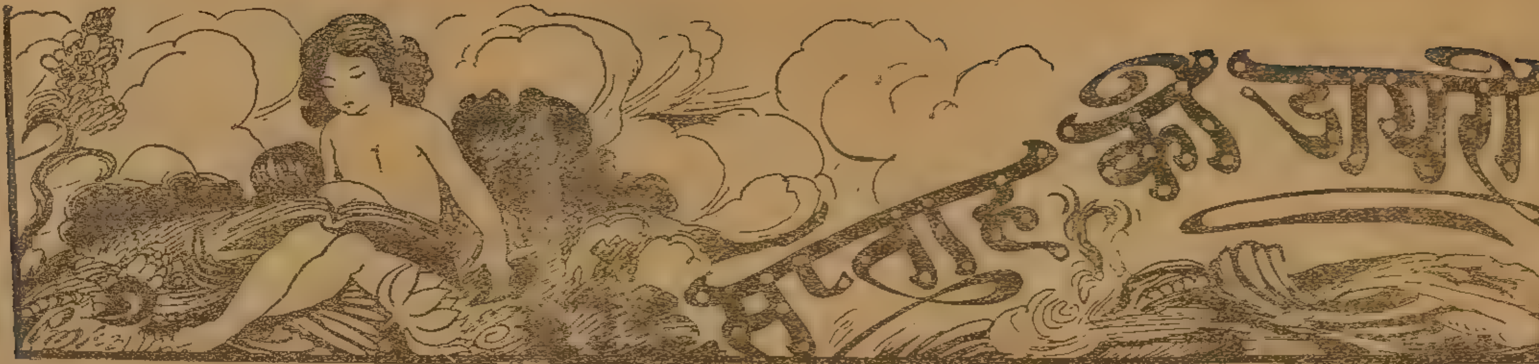
हज़ारों इस तरह के और भी उजड़े गुलिस्ताँ हैं,
कि 'हिन्दी ग़मज़दा' की जान पर आफ़त के सामाँ हैं !
वफ़ूरे[25] जज़्बए जौरो सितम से अब परीशाँ हैं !
उजाड़े गाँव लाखों ख़ानुमाँ बर्बाद देहक़ाँ[26] हैं !
तशद्दुद की गिराईं ख़िरमनों[27] पर बिजलियाँ कहना

हवाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते,
बलाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
फ़िज़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
जफ़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
क़रीब मञ्ज़िले मक़सूद है अब कारवाँ[28] कहना !!

ज़रर[29] है और भी बहरे नुमायश[30] आपका जाना,
मज़ा जब है कि आज़ादी लिए हिन्दोस्ताँ आना !
वगरनः जौहरे मरहूम[31] के जैसा है मर जाना !
गए हो तो, मगर देखो वतन की आबरू जाना !
यह पैग़ामे वतन है, इसको तुम ऐ मेहरबाँ कहना !!

कहो, हम मीठी बातों पर न आएँगे, न आएँगे,
है दिल में जोशे आज़ादी न मानेंगे, न मानेंगे !
वतन को हाथ ख़ाली हम न जाएँगे, न जाएँगे !
तुम्हारे अहदोपैमाँ को न मानेंगे, न मानेंगे !
हुकूमत अख़्तियारी चाहते हैं नौजवाँ कहना !!

१—भेद, २—अत्याचार, ३—की गई, ४—कुप्रबन्ध, ५—यात्रा का विचार, ६—शत्रुता, ७—भाव ८—राजनीतिक, ९—प्रश्न, १०—ईमानदारी, ११—स्वतन्त्रता के परवाने, १२—परिणाम, १३—पागलपन, १४—बर्बाद, १५—फटा हुआ, १६—नैराश्य, १७—पिंजड़ा, १८—बाग़, १९—आत्मश्लाघा, २०—राज्य, २१—बाग़, २२—हौसला बढ़ाने वाले, २३—काहिली, २४—अत्याचार-परायण, २५—अधिकता, २६—किसान, २७—खलिहान, २८—यात्रिदल, २९—नुक़सान, ३०—दिखाने के लिए, ३१—स्व० मौलाना मुहम्मदअली।



गोलमेज़ से नेताओं की निराशा

श्री० टण्डन जी का वक्तव्य

'भविष्य' के इन्हीं स्तम्भों में पाठक अन्य छोटे-मोटे नेताओं ही के नहीं, बल्कि गोलमेज़ रूपी माया-जाल के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गाँधी का निराशा-जनक वक्तव्य पढ़ चुके हैं। महात्मा गाँधी के अतिरिक्त (भूतपूर्व) प्रेज़िडेण्ट पटेल, डॉक्टर किचलू, पं० जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा वर्तमान राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने भी एक स्वर से इस गोरख-धन्धे की निन्दा तथा अपनी निराशा प्रकट की है। ९वीं अक्टूबर को इलाहाबाद की श्री० तसद्दुक़ अहमद शेरवानी के सभापतित्व में होने वाली एक वृहत् सार्वजनिक सभा में



त्याग-मूर्ति श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन

व्याख्यान देते हुए त्यागमूर्ति श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "गोलमेज़ परिषद् केवल एक ढोंग है, जैसा कि कॉङ्ग्रेस के अनुयायी पहिले से ही समझे बैठे थे।" 'गोलमेज़' से आपने कहा हमें कुछ भी आशा न करनी चाहिए। अपने देशवासियों से अपील करते हुए आपने पग-पग पर युद्ध प्रारम्भ होने की शङ्का प्रकट की और देशवासियों से प्रत्येक क्षण उस विषम परिस्थिति का मुक़ाबला करने को तैयार रहने का आदेश दिया; जो निकट भविष्य में उपस्थित होने वाली है और जो अनिवार्य है।

—बङ्गाल गवर्नमेण्ट ने श्री० ज्ञानाञ्जन नियोगी लिखित और देशबन्धु-ग्राम-संस्कार समिति द्वारा प्रकाशित "बस यही भारत है" नामक पुस्तक ज़ब्त कर ली है। कहा गया है कि इसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जो दफ़ा १२४-ए के अनुसार दण्डनीय हैं।

—बम्बई के विल्सन कॉलेज के होस्टल में श्रीमती लीलावती चिटनिस, कॉलेज के कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री० एम० एन० राय के मुक़दमे की पैरवी के लिए चन्दा एकत्र कर रही थीं और एम० एन० राय के लाकेट बेच रही थीं। कॉलेज के अधिकारियों ने उन लोगों से यह कार्य बन्द करने और होस्टल के बाहर जाने के लिए कहा। इस पर सारे विद्यार्थी होस्टल से निकल आए और उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बहुत भीड़ एकत्रित हो गई।

श्रीमती चिटनिस और विद्यार्थियों ने काफ़ी चन्दा एकत्र कर लिया है।

महात्मा गाँधी की निराशा !

ग़ैर-सरकारी अल्पमत कमिटी की कॉन्फ़्रेंस सोमवार १९वीं अक्टूबर को ३ बजे दोपहर के बाद आरम्भ हुई। आज की बैठक में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति का वर्णन किया और विशेषतः प्रतिनिधित्व की प्रतिशत संख्या, महत्व और सीटों के संरक्षण के प्रश्न पर मुबाहसे हुए।

गाँधी जी खीझ उठे

अन्य साम्प्रदायिक नेताओं के अभिभाषणों के बाद महात्मा जी की बारी आई। अनेक अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की पृथक् निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व की माँग पर महात्मा जी खीझ उठे और उन्होंने कहा कि विशेष अधिकारों की माँग के बाहुल्य से तो मैं आजिज़ आ गया हूँ। आपने कहा कि यद्यपि मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों के हल में सहायता कर सकता हूँ, किन्तु मेरा कॉन्फ़्रेन्स से यह कहना है कि वह चाहे तो मेरी जगह पर कोई दूसरा चेयरमैन चुन ले, क्योंकि मुझे यह कहने में ज़रा भी शर्म नहीं मालूम होगी कि मैंने प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहा। आगे चल कर महात्मा जी ने मित्रता के भाव की आवश्यकता बतलाते हुए कहा कि कॉन्फ़्रेन्स यदि आवश्यक समझे तो इस मसले के हल के लिए और अधिक समय ले सकती है। परन्तु मैं मूल सिद्धान्तों पर झुकना नहीं चाहता। भारतीय कॉङ्ग्रेस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को कभी स्वीकार नहीं करेगी और यदि उसने पृथक् निर्वाचन को स्वीकार किया, तो वह अपने नाम को कलङ्कित कर देगी। अन्त में महात्मा जी ने कहा कि यदि बृहस्पतिवार तक कोई समझौता न हुआ, तो मैं मि० मैकडॉनेल्ड को बतला दूँगा कि मैं अपने प्रयत्न में असफल रहा।

बाद का समाचार है कि महात्मा जी के लाख प्रयत्न करने पर भी साम्प्रदायिक समझौता नहीं हो सका, जिससे महात्मा जी को घोर निराशा हुई है।

—आसाम कौन्सिल में मन्त्रियों का वेतन घटा कर २,०००)रु० कर देने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

—बरीसाल (बङ्गाल) की ख़बर है कि बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य श्री० निर्मल रञ्जन दास गुप्त खुलना मेल स्टीमर पर पिरोजपुर नामक स्थान की यात्रा कर रहे थे। रात के तीन बजे पुलीस के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने कितने ही कॉन्स्टेबिलों और ख़ुफ़िया वालों के साथ उनको जगा कर तलाशी ली। उनके बक्स और बिस्तर को बहुत ढूँढ़ा गया, पर कोई आपत्तिजनक चीज़ न मिल सकी।

—ढाका का समाचार है कि कुछ दिन हुए कि ख़ुफ़िया पुलिस का एक कॉन्स्टेबिल 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के एक हॉकर के घर में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर घुस गया और उसे धमकाने लगा। इस पर आस-पास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसे पकड़ कर रस्सी से बाँध दिया। इसकी सूचना थाने में भेजी गई और वह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने अपने बचाव के लिए कहा कि लोगों ने मुझे मारा और रिवॉल्वर छीन लिया है। पर पुलिस इन्स्पेक्टर श्री० राधाचरण दास असली रहस्य समझ गए और उन्होंने उस पर मुक़दमा दायर कर दिया। अभी मामले की जाँच हो रही है।

विमल प्रतिभा देवी गिरफ़्तार

कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता डॉ० बनर्जी की पत्नी श्रीमती विमल प्रतिभा देवी दूसरी अक्टूबर को दो नवयुवकों के साथ गिरफ़्तार की गई हैं। ये गिरफ़्तारियाँ नगर के उत्तरी भाग में हुईं पहले एक दूकान में सशस्त्र डाका डाला गया था। कहा जाता है कि विमल प्रतिभा देवी की गिरफ़्तारी इस घटना में भाग लेने के सन्देह में हुई है। समाचार मिला है कि ये अपनी मोटर में जा रही थीं जबकि कई नवयुवकों ने पिस्तौल दिखा कर उनको रोका और गाड़ी पर



श्रीमती विमल प्रतिभा देवी

चढ़ गए। इसके बाद गाड़ी पूरी तेज़ी के साथ चलाई जाने लगी। पर सड़क की मरम्मत होने के कारण उसको रुकना पड़ा। नवयुवक गाड़ी से उतर कर भागे पर दो तुरन्त पकड़ लिए गए। शेष का पता नहीं है। विमल प्रतिभा देवी भी गाड़ी से उतरीं और गिरफ़्तार करके हवालात में भेज दी गईं। यह भी ख़बर है कि गिरफ़्तारी के मुक़ाम के पास ही नवयुवकों के पास से डकैती का माल रिवॉल्वर और कुछ कारतूस मिले हैं।

—ए० प्रे०

कुमिल्ला में महिलाओं की तलाशी

कुमिल्ला में गर्ल्स एच० ई० स्कूल की दो छात्राओं—श्रीमती प्रफुल्ल माई ब्रह्मो और शान्ति घोष के घरों की ७ ता० को तलाशी ली गई। ये दोनों क्रमशः 'छात्री-सङ्घ' की प्रेज़िडेण्ट और सेक्रेटरी हैं पुलिस कितने ही काग़ज़-पत्र और 'छात्री-सङ्घ' के सदस्यों की सूची उठा ले गई। दोनों से श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के सम्बन्ध में अनेकों प्रश्न पूछे गए। श्रीमती उर्मिला सिंह और नवनीत कोमलासिंह के घरों की भी तलाशी ली गई पर कोई चीज़ आपत्तिजनक वस्तु न मिली।

—गण्टूर ज़िला के टाण्डोपाली नामक स्थान की कृष्ण कॉटन मिल ने कॉङ्ग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है।

* * *

"स्वाधीनता न मिली तो भारत में किसान बलवा कर देंगे"

गाँधी जी ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत अधिक झुक रहे हैं !

लन्दन में प्रेज़िडेण्ट-पटेल का सिंहनाद

गत २८ सितम्बर को लन्दन के एसेक्स हॉल में स्टुडेण्ट एसोसिएशन की ओर से एक विशाल सभा हुई थी, जिसमें माननीय श्री० विट्ठलभाई पटेल, मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू की वक्तृताएँ हुईं। श्री० पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स से कुछ होना-जाना नहीं है और भारत पूर्ण स्वाधीनता के सिवा, दूसरी कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता। आपके भाषण का सारांश नीचे दिया जाता है:—

"मैं ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की मानसिक स्थिति को नहीं जानता और इसलिए मुझे यह कहने में कोई सङ्कोच नहीं है कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का असफल होना निश्चय है, इसका निर्माण भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने की अपेक्षा इङ्गलैण्ड का उद्देश्य पूरा करना है। मुझे गाँधी जी के लङ्काशायर और मैञ्चेस्टर



श्री० विट्ठलभाई पटेल

के भाषणों को पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत को स्वाधीनता दे दी जाय, तो वे इङ्गलैण्ड की बातों को मान लेंगे। मैं अनुभव करता हूँ कि यह साफ़ तौर पर 'इम्पीरियल प्रीफ़रेन्स' है, जिसे मानने को कोई भी भारतवासी, यहाँ तक कि मालवीय जी भी तैयार न होंगा मुझे जान पड़ता है कि कॉन्फ्रेन्स मूल प्रश्नों को हाथ में लेने के बजाय, जान-बूझ कर चालें चल रही है। इङ्गलैण्ड वाले विवरण-सम्बन्धी बातों में समय बरबाद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इङ्गलैण्ड सदा के लिए सब प्रकार की ज़िम्मेदारी भारतवासियों को देने के लिए राज़ी है? इस ज़िम्मेदारी में सेना, देश की रक्षा, आय-व्यय और विदेशों से सम्बन्ध भी शामिल हैं। सरकारी क़र्ज़ का प्रश्न एक निष्पक्ष पञ्चायत द्वारा तय होना चाहिए!

मेरी राय में कॉन्फ्रेन्स के मेम्बरों का प्रतिनिधियों से यह पूछना, कि भारत के भावी शासन में किस सम्प्रदाय का कितना भाग रहेगा, केवल एक चाल है! इसका आशय यही है कि उनकी गन्दगी अङ्गरेज़ी जनता के सामने खुल जाय!!!

पूर्ण स्वाधीनता

प्रधान मन्त्री ने, जो कि नाम मात्र की 'राष्ट्रीय' सरकार के नेता हैं, प्रतिनिधियों को दो दिन की मुहलत, इसलिए दी है कि वे छोटी सम्प्रदायों के प्रश्न को तय कर लें! पर हम यह नहीं चाहते। हम एक पक्की ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा पूर्ण स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा चाहते हैं—'यह पूर्ण स्वाधीनता लो और जैसा चाहो करो।" अगर ऐसा किया जाय तो मुझे निश्चय कि साम्प्रदायिक प्रश्न फ़ौरन ही हल हो जाएगा।

कॉन्फ्रेन्स की देशी रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों के शामिल न होने की बात गाँधी जी ने भी मान ली है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। कॉङ्ग्रेस का ध्येय प्रत्येक बालिग़ को मताधिकार देना है। यह अनोखी बात है कि व्यवस्थापक सभा में एक तरफ़ तो ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और दूसरी ओर नामज़द राजे-महाराजे। इसलिए इस प्रकार का कोई समझौता देशी राज्यों की प्रजा को सन्तुष्ट नहीं कर सकता।

तरुण-भारत की उपेक्षा!

गाँधी जी ने कॉन्फ्रेन्स में जो सब से पहला भाषण किया है, वह यद्यपि महान, सुन्दर और एक महापुरुष के योग्य है, पर उसमें भारत के उस दल का कोई भी ज़िक्र नहीं है, जिसकी संख्या यद्यपि कम है, पर जो निरन्तर व्यावहारिक रूप से स्वाधीनता की पुकार मचा रहा है। भारतीय नवयुवकों का बहुत बड़ा अंश पूर्ण स्वाधीनता का पक्षपाती है, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य का। पर हाल ही में भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर ने सिक्के के सम्बन्ध में जिस नीति से काम लिया है, उससे भारत के सम्बन्ध में अङ्गरेज़ों का मानसिक भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है। इस मानसिक भाव से हम कॉन्फ्रेन्स के भङ्ग होने के अलावा और किस बात की आशा कर सकते हैं, यद्यपि इसका फल भारत के लिए बुरा और इङ्गलैण्ड के लिए उससे भी बुरा होगा!! इसका फल यह होगा, कि सदा के लिए अङ्गरेज़ी माल, अङ्गरेज़ी संस्थाओं और अन्य तमाम सम्बन्धों का बॉयकॉट कर दिया जायगा।

मैं ब्रिटिश सरकार को गम्भीरतापूर्वक चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह गाँधी जी की माँगों को स्वीकार कर ले और अपना भविष्य निश्चित करने का भार भारत के ही हाथों में छोड़ दे। चाहे यह औपनिवेशिक स्वराज्य पसन्द करे और चाहे पूर्ण स्वाधीनता।

श्री० पटेल के उपर्युक्त भाषण का इङ्गलैण्ड में बहुत विरोध किया गया। इस सम्बन्ध में जब श्री० पटेल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब भी अपनी कल की बातों पर स्थिर हूँ। मैंने तमाम बातें गाँधी जी को पहले ही बतला दी थीं; पर मुझे यह देख कर खेद हुआ कि गाँधी जी बहुत अधिक झुके जा रहे हैं और भारत के उस दिन पर दिन बढ़ते हुए महान दल के अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं, जो पूर्ण स्वाधीनता लेने और अङ्गरेज़ों से सम्बन्ध विच्छेद की पुकार मचा रहा है।

यद्यपि मुझे बहुत दुःखजनक कार्य करना पड़ा है, पर वह अत्यन्त आवश्यक था। हमारे देशवासियों को यह ज़रूर मालूम हो जाना चाहिए, कि यहाँ क्या हो रहा है? स्वाधीनतावादी दल के साथ न्याय करने की दृष्टि से मैंने उचित कार्य ही किया है। हमको पूरी शक्ति जनता के हाथ में दे देनी चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारत में बहुत शीघ्र किसानों का बलवा हो जायगा और उसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकेगी।

भारतवासी अपने ख़ून की गङ्गा बहा देंगे

गोलमेज़ परिषद की असलियत मुझसे छिपी नहीं है

लन्दन में स्वयं महात्मा जी की निराशा

दूसरी अक्टूबर को लन्दन के गिल्ड हाउस में इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी, इण्डियन नेशनल कॉङ्ग्रेस लीग और गाँधी सोसाइटी की ओर से महात्मा गाँधी की ६३वीं वर्ष गाँठ मनाई गई। उस अवसर पर जो भाषण हुए उनका उत्तर देते हुए म० गाँधी ने कहा:—

"जब मैंने एक आदरणीय अङ्गरेज़ सज्जन (लॉर्ड इर्विन) से किए वायदे के अनुसार लन्दन की यात्रा की, उस समय मेरे दिमाग़ में गोलमेज़ परिषद के सम्बन्ध में किसी तरह की ग़लतफ़हमी नहीं थी। मुझे कॉङ्ग्रेस के आदेश में से कोई बात कम करने की आज़ादी नहीं है, सिवा उस हद तक जितने के लिए उस आदेश में आज्ञा दी गई है। पर जैसे-जैसे मेरे दिन यहाँ बीत रहे हैं मुझे जान पड़ता है कि यह कार्य मानुषी शक्ति से बाहर है। यहाँ भारत के सम्बन्ध में घोर अज्ञान फैला हुआ है। यह ठीक है, कि भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अपने शासकों का ख़ून बहाना नहीं चाहता, पर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के दावे की रक्षा करने के लिए जिसकी इतने दिनों तक अवहेलना की गई है, वह अपने ख़ून की गङ्गा बहा देने से ज़रा नहीं हिचकेगा।" सभा में इङ्गलैण्ड-स्थित-भारतवासियों की तरफ़ से महात्मा जी को २६४ पौण्ड की एक थैली श्री० विट्ठलभाई पटेल ने भेंट की।



महात्मा गाँधी

हिजली-कैम्प में नज़रबन्दों पर गोली-वर्षा की जाँच

खड्गपुर, ६ अक्टूबर

हिजली के मामले की जाँच कमाण्डेन्ट ई० बी० एच० बेकर के दफ़्तर में होनी शुरू हुई। नज़रबन्दों की ओर से मि० बी० सी० चटर्जी, मि० एच० एम० बोस और मि० एन० आर० दास गुप्त पैरोकार थे। मि० सुभाषचन्द्र बोस और मि० सतीन सेन इनकी सहायता पर थे। सरकार के पक्ष से बर्दवान के हलके के डि० इ० जनरल पुलिस, मिदनापूर के डि० मैजिस्ट्रेट और २४ परगने के सरकारी वकील कार्रवाई के निरीक्षण पर थे। आज चार गवाहों के बयान हुए।

पहले गवाह नज़रबन्द श्री० मनोहर मुकर्जी थे। आपने कहा कि घटना की रात में १६ सितम्बर को मैं एक मित्र के कमरे में था, जब अचानक पगली घण्टी सुनाई पड़ी। बाहर आकर हमें मालूम हुआ कि केम्प के असली मकान के सदर दरवाज़े पर शोर हो रहा है। फ़ुटबाल खेलने के मैदान में होकर एक सन्तरी यह कहता हुआ दौड़ रहा था कि—'कुछ नहीं हुआ।' ठीक उसी समय मैंने देखा कि दूसरी तरफ़ से पचास सिपाही दौड़े हुए मुख्य इमारत की ओर आ रहे हैं। उनमें कुछ पुकार-पुकार कर कह रहे थे—'हुक्म मिल गया, मारो।' इसी समय मैंने बन्दूक़ की आवाज़ सुनी। इतने ही में नज़रबन्द गोविन्द दत्त, जो पास में खड़े थे, पुकार उठे, 'मुझे गोली लगी।' मेरे हथेली में भी हरिण मारने के छर्रे के टुकड़े लगे। गोविन्द गिर गया और हम खींच कर उसे कमरे के अन्दर ले गए, जिसकी ओर फिर और फ़ैर हुए। तब नज़रबन्द शैलेश ने द्वार बन्द करने की चेष्टा की, लेकिन बन्द न कर सका और जब मैंने द्वार बन्द करना चाहा तब मुझ पर बन्दूक़ के कुन्दे का आघात हुआ और मैं गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया, मैं गोविन्द के कमरे में गया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि बहुतों को ज़ख़्मी किया गया है। और उनमें से दो या तीन को घातक चोटें लगी हैं। इसके बाद मैंने सन्तोष मित्र को मरा, शशि को बेहोश और हेमन्त तालुक़दार व शरत् दत्त को सख़्त घायल पाया।

तब मैं छत पर गया। वहाँ मैंने देखा कि तारक पड़ा है और उसके चारों तरफ़ दूसरे नज़रबन्द बैठे हैं। आदित्य भी सर पर गहरी चोट आने के कारण बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद मुझे खड्गपूर के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया।

सभापति की मारफ़त सरकारी वकील के प्रश्न करने पर मिस्टर मुकरजी ने कहा कि 'कमाण्डेण्ट घटना से आधे घण्टे के भीतर केम्प में पहुँचे। इस समय तक मरहम-पट्टी का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ।'

मैंने अपने आत्मीयों को तार के द्वारा घटना के सम्बन्ध में ख़बरें भेजीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं की।

गवाह ने कहा कि नज़रबन्द लोग सरकार पर ग़ैर-सरकारी जाँच करने का ज़ोर डालते थे और उन्होंने महात्मा गाँधी और अन्य लोगों को इस घटना के सम्बन्ध में तार दिए।

दूसरे गवाह श्री० शरत् दत्त ने कहा कि कमाण्डेण्ट इस घटना के ५० घण्टे बाद केम्प में आया और सन्तरियों का निरीक्षण किया। बाज़े-बाज़े नज़रबन्दों ने कहा कि आप वहाँ आकर देखें, हममें से कइयों को गहरी चोटें लगी हैं, बाज़े-बाज़े मरणासन्न हैं, तब मि० बेकर मकान में आए और उन ज़ख़्मों को देखने की ज़िद की, जिन पर पट्टी बँधी थी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि केम्प में गोली चली है। जब नज़रबन्दों ने विश्वास दिलाया कि कमाण्डेण्ट जिस दवा करने वाले को लाए हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न होगा, तब वह खड्गपुर के डॉक्टर माजुमदार को लेकर घटना के डेढ़ घण्टे बाद आए।

सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं की। घटना के बाद जो तार की ख़बरें मैंने भेजी हैं, उनमें शिकायत नहीं की। और दो गवाहों के बयान होने के बाद जाँच स्थगित की गई।

जाँच कमिटी का घटना-स्थल-निरीक्षण

खड्गपुर, ७ अक्टूबर

सरकारी जाँच कमिटी के अध्यक्ष ने कमाण्डेण्ट बेकर और श्री० सुभाषचन्द्र बोस के साथ आज प्रभात में उस स्थान का निरीक्षण किया, जहाँ से गोली चलाई गई थी।

आज के प्रथम गवाह श्री० सुबोध चौधरी ने कहा कि जिस रात में ६ और ६॥ के बीच में घटना हुई, मैं सो रहा था और बन्दूक़ चलने की आवाज़ से जाग पड़ा। मैंने बरामदे में आने पर हल्ला सुना। जब मैं नीचे उतरने लगा तो मेरे बाईं कलाई पर किसी ने लाठी मारी, जिसको मैं अन्धेरा होने के कारण पहचान न सका। मारो-मारो की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मैं दूसरे दरवाज़े की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे पास से एक गोली निकल गई और दरवाज़े में लगी। तब मैं दूसरे तल्ले पर गया, वहाँ सन्तरियों के मकान की तरफ़ से गोलियों के चलने की आवाज़ आती सुनी। गोली १० मिनट तक चलती रही। मैं फिर नीचे आया तो देखा कि सन्तोष मित्र मरे पड़े थे। घटना के आध घण्टे बाद मिस्टर बेकर आए और सन्तोष मित्र के कमरे में गए। इसके बाद वह चले गए और फिर एक घण्टे में डॉक्टर लेकर आए, इसके पश्चात् एक 'मोटर-बस' आ और मैं कई दूसरे लोगों के साथ उस पर बैठ कर खड्गपूर अस्पताल पहुँचाया गया। जब मि० बेकर आए तो मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उस समय उनका मिज़ाज ऐसा न था कि उनसे शिकायत की जाती। मैंने किसी दूसरे अफ़सर से भी शिकायत नहीं की।

मिस्टर एन० आर० दास गुप्त, कौन्सेल के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि गोली मुझसे एक फ़ुट के फ़ासले से होकर निकल गई थी, जिसका चिन्ह अब भी दीख पड़ता है।

सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने गोली का निशान मिस्टर बेकर को नहीं दिखलाया और ऐसा भी कोई अन्दाज़ा नहीं बतला सकता कि कितनी गोलियाँ चलीं। बीस और पचास के भीतर गोलियाँ चली होंगी। गोली चलने का मैं कोई कारण नहीं कह सकता। इस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। नज़रबन्द लोग समय-समय पर दीपावली करते थे, लेकिन कभी कोई गम्भीर घटना नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिन पूर्व केम्प के भीतर अतिरिक्त मन्त्री नियत किए गए थे, यह मामूली ड्यूटी वालों के अलावा थे।

❀ ❀ ❀

स्वाधीनता-संग्राम के लिए तैयार रहो !

सरकार स्वराज्य की भावना को कुचल देना चाहती है !

बाबू राजेन्द्रप्रसाद का ओजस्वी भाषण

४थी अक्टूबर को पटना के टैङ्क पार्क में एक विराट सभा के सम्मुख भाषण देते हुए बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने वर्त्तमान राजनितिक अवस्था के सम्बन्ध में कितनी ही



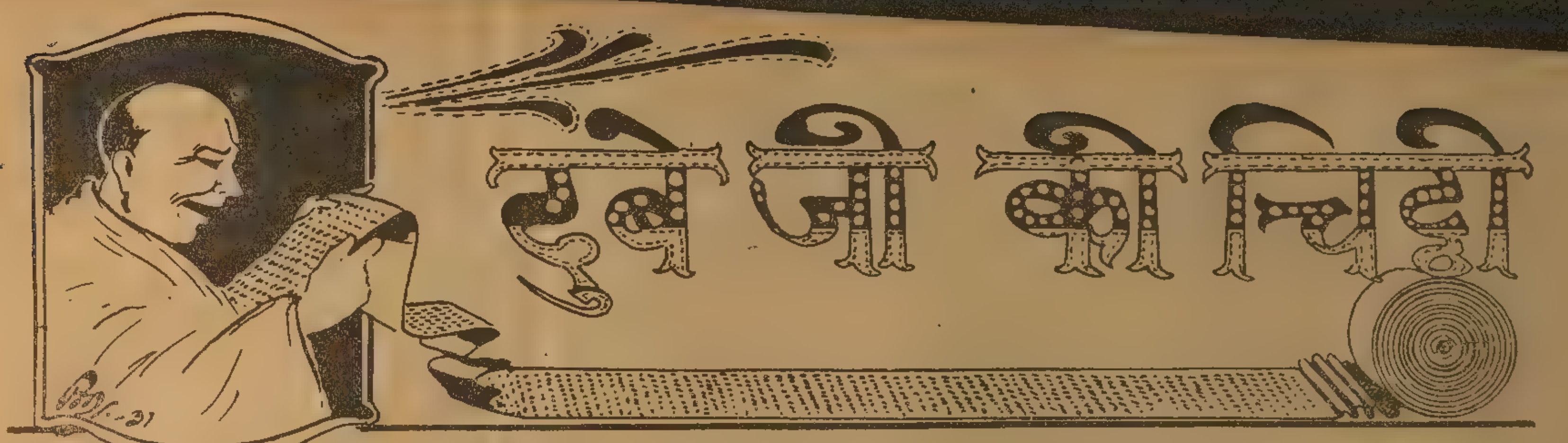
बिहार के गाँधी—बाबू राजेन्द्रप्रसाद

महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी बातें कहीं। आपने प्रेस-बिल, रुपए का पौण्ड से सम्बन्ध, हिजली-काण्ड और कॉङ्ग्रेस कार्य-कर्त्ताओं के दमन का ज़िक्र करते हुए कहा कि "ये सब कार्य एक-दूसरे से पृथक नहीं हैं। मुझे जान पड़ता है कि सरकार ने जनता में फैली हुई जागृति और उनके हृदयों में उत्पन्न हुए न्यायानुमोदित स्वराज्य की भावना को कुचलने के लिए एक गहरी और गुप्त योजना प्रस्तुत की है और ये सब कार्य उसी को प्रदर्शित करने वाले चिह्न हैं। मुझे यह भी जान पड़ता है कि सरकार जनता को शासन का भार देने के बजाय दरअसल उसके साथ लड़ने की तैयारी कर रही है।

"इसलिए मेरा अनुमान है कि लड़ाई शीघ्र ही शुरू होगी और मेरी लोगों से अपील है कि जिस समय उनका आह्वान किया जाय, वे युद्ध में कूदने को तैयार रहें।

"स्मरण रक्खो, कि भावी युद्ध, अगर वह सचमुच आरम्भ हुआ, तो निश्चय ही बहुत भयङ्कर होगा और आप लोगों से गत वर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक बलिदान करने को कहा जायगा। मैं आपसे उसके लिए तैयार रहने की अपील करता हूँ।

"बहिनो और भाइयो! यह देश आपका है। यह देश जो आपको खाने को भोजन और पीने को पानी देता है, आप में से हर एक से—अपने पुत्रों से—आशा करता है कि अगर यह संग्राम सचमुच आरम्भ हो तो आप उसके उद्धार के लए—उसकी गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए इस संग्राम में भाग लगे। आगामी संग्राम में आपको या तो कॉङ्ग्रेस का साथ देना होगा या गवर्नमेण्ट का। आपमें से हर एक को या तो हमारे पक्ष में होना होगा या विपक्ष में, या तो आपको कॉङ्ग्रेस में शामिल होकर सत्य या अहिंसा के हथियार से गवर्नमेण्ट के साथ लड़ना होगा; अथवा गवर्नमेण्ट के साथ मिल कर हमको सङ्गीनों, तलवारों, लाठियों और गोलियों से मारना होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आ रहा है और इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि उस अवसर पर आप हमारे साथ, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात न करें।"



दुबे जी की चिट्ठी

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स तो साँपों की गठरी हो रही है। महात्मा जी परेशान हैं कि इस गठरी को कैसे सँभाला जाय ! मुसलमान भाई किसी ऐसी योजना पर, जो कि भारत के लिए सब प्रकार से हितकर हो, सहमत नहीं होते। उन्हें तो अपने हलवे-माण्डे से मतलब है, मुर्दा चाहे दोज़ख़ में जाय या बिहिश्त में। अपने राम की समझ में तो यदि महात्मा जी मुसलमानों के प्रतिनिधि मि० जिन्ना, सर आग़ा ख़ाँ तथा बड़े भैया से कह दें कि—अच्छा, जाओ तुम्हें पञ्जाब, बङ्गाल, सिन्ध, सीमाप्रान्त इनाम में दिया—तुम इन स्थानों में चाहे नङ्गे होकर नाचो, हमारी बला से। तो फिर देखिए, अभी मामला तय हो जाय। बड़े भैया फिर नए सिरे से "बापू जी" के भक्त हो जायँ। मि० जिन्ना के सिर से जिन उतर जाय। सर आग़ा को घुड़दौड़ों के लिए नया उत्साह मिल जाय। परन्तु अफ़सोस तो यह है कि फिर भी अड़ङ्गा लगा ही रहेगा। तब अल्पसंख्यक जाति वाले हाय-तोबा मचाएँगे कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए अपने राम की सलाह यह है कि उन्हें भी एक-एक शहर बाँट दिया जाय और कह दिया जाय 'जाओ कमा खाओ', शेष जो बचे उसमें हिन्दू अपना गुज़र चलावें। और यदि न भी बचे तो चिन्ता नहीं। घास-फूस खाने वाली जाति ठहरी। जङ्गलों की घास और पत्तियाँ खाकर रह सकती है। आज़ादी तो मिल जायगी। आनन्द से बेखटके जङ्गलों में विचर रहे हैं। जब जी चाहा घूमे फिरे, जब चाहा दरख़्तों पर चढ़ कर सो रहे। इससे बढ़ कर स्वतन्त्रता और क्या हो सकती है ? फ़िलहाल तो खद्दर की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर इससे भी मोक्ष मिल जायगी। जी चाहे तो जर्मनी के नङ्गे सम्प्रदाय की भाँति प्रकृति देवी के सुपूत बन कर विचरें अन्यथा वही पुराने वल्कल वस्त्र तथा मृगछालाएँ पहन-ओढ़ कर ब्रह्म का चिन्तवन करें।

स्वराज्य में क्या धरा है ? यह सब नश्वर है—माया का खेल है। मनुष्य को मोक्ष का उपाय सोचना चाहिए।

कोई चाहे जो कहे, परन्तु अपने राम तो मुसलमानों के दमख़म के क़ायल हैं। कष्ट सहे हिन्दुओं ने, जेल गए हिन्दू, लाठियाँ तथा गोलियाँ खाईं हिन्दुओं ने और जब हिस्सा बँटाने का समय आया तो मुसलमान भाई सबसे आगे मौजूद हैं कि पहले हमारा पेट भर दो तब किसी को कुछ दो। अब वह न हिन्दुओं की सुनते हैं और न उन थोड़े से मुसलमानों की जो राष्ट्रीयता की भावना से सबके लिए बराबर अधिकार चाहते हैं। ईश्वर की दया से सरकार ने गोलमेज़ सभा में भेजा भी ऐसे टर्रों को है कि पुट्ठे पर हाथ ही नहीं धरने देते। उनकी इच्छा है कि बिल्कुल बे-लगाम रहें और न अगाड़ी का खटका हो न पिछाड़ी का। जब उनकी इच्छा हो हिन्दुओं पर दुलत्तियाँ झाड़ दें। उनकी देखा-देखी अल्पसंख्यक लोग भी उछल कूद मचा रहे हैं कि कदाचित इस गड़बड़ में हमें भी छुटकारा मिल जाय तो हम भी अललबछेड़े होकर घूमें। बेचारे महात्मा जी परेशान हैं कि इनको किस प्रकार समझाया जाय। अपने राम को तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि मुसलमान प्रतिनिधि कॉन्फ़्रेन्स को भङ्ग करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि उनका सिद्धान्त यह है कि यदि हमें इच्छा-भोजन नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी न खाने देंगे।

इधर भारत में यह समझा जा रहा है कि यदि कॉन्फ़्रेन्स फ़ेल हुई तो बड़े ज़ोर का संग्राम छिड़ेगा। और साथ ही रुपए में बारह आने यह निश्चित है कि कॉन्फ़्रेन्स फ़ेल हो जायगी। अथवा अधिक से अधिक औपनिवेशिक स्वराज्य पर सौदा तय हो जाय। पूर्ण-स्वतन्त्रता पर मियाँ भाई कभी सहमत न होंगे। क्योंकि वे समझते हैं कि पूर्ण स्वराज्य मिलते ही उनकी शामत आ जायगी। भगवान जाने इन्होंने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिसके कारण ये पूर्ण-स्वतन्त्रता से इतना घबराते हैं। पालतू तोता पिंजड़े के बाहर निकलते हुए डरता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं पिंजड़े के बजाय चीलदेवी के उदर में वास न करना पड़े। इससे भाई, पिंजड़े में ही भले हैं। जान सलामत है तो पिंजड़े में ही कभी-कभी मस्त होकर बोली बोल लिया करेंगे। यह माना कि पिंजड़े में सुख नहीं है—परन्तु बाहर तो जान के भी लाले हैं। ऐसी स्वतन्त्रता पर लानत। हाँ, यदि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भी अङ्गरेज़ पीठ पर हाथ धरे रहें, तो फिर क्या है, एक-एक को समझ लेंगे।

इधर सिक्ख लोग समझते हैं कि हम न हिन्दू हैं न मुसलमान। स्वतन्त्रता मिल जाने पर दोनों ही हमारे शत्रु हो जाएँगे। उस समय धरते-उठाते न बन पड़ेगा। इसलिए अभी सवेरा है। पक्की-पोढ़ी लिखा-पढ़ी हो जाना चाहिए, जिससे यदि हम नङ्गे भी नाचें तो कोई चूँ न कर सके। इस प्रकार ये लोग भारत की स्वतन्त्रता नहीं, अपनी स्वतन्त्रता चाहते हैं। ऐसी खींचा-तानी और स्वार्थपरता में भारत का क्या हित हो सकता है ?

उधर तो यह हो रहा है, इधर भारत में दनादन टैक्सों की वृद्धि हो रही है। भारत-सरकार भी समझती है कि स्वराज्य-वराज्य तो कुछ मिलना नहीं है। अतएव अपने इन्तज़ाम से क्यों चूको। लोग ख़ुश थे कि सब चीज़ें सस्ती हैं—चैन से कटेगी। परन्तु अब आटे-दाल का भाव मालूम होगा। चाहे सस्ता हो चाहे मन्दा, भारतवासियों के भाग्य में तो वही टिकिया-रोटी बदी है। भारत सरकार अपना बजट तो पूरा करेगी ही, चाहे कोई मरे या जिए, उसकी बला से। कुछ लोगों का कथन है कि फ़ौज तथा सिविल-सर्विस वालों का ख़र्च कम करके बजट पूरा किया जाय, नए टैक्स न लगाए जायँ और न पुरानों में वृद्धि की जाय। ऐसा भला कैसे हो सकता है ? ऐसे कठिन समय में, जब कि भारत बग़ावत पर कमर बाँधे है, फ़ौज तथा सिविल-सर्विस वालों ही का भरोसा है। इनको नाराज़ करना ठीक नहीं। ये लोग नाराज़ हो जायँगे तो भारतवर्ष में पड़े हुए इन भोले-भाले परोपकारी, निस्सहाय तथा परदेशी अङ्गरेज़ों तथा यूरोपियनों की रक्षा कौन करेगा ? हिन्दुस्तानी चाहे मरें चाहे जिएँ, परन्तु इनकी रक्षा का प्रबन्ध सबसे पहले होना चाहिए। यदि इनका बाल बाँका हुआ तो न जाने कितनी प्रोषित-पतिकाओं की हाय भारत सरकार पर पड़ेगी। और यह मानी हुई बात है कि गोरी प्रोषित पतिका नायिका की हाय भगवान जल्दी सुन लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक खटका यह भी है कि यदि किसी समय इन काले आदमियों पर गोली चलाने का अवसर आया तो फ़ौज वाले कहेंगे—"हमारी तनख़्वाह कम कर दी गई, इसलिए हम गोली नहीं चलावेंगे।" अथवा यदि गोली चलावें भी तो ठीक निशाने पर न चलावें, ऊटपटाँग चला दें। सिविल-सर्विस वाले बाग़ियों को गिरफ़्तार ही न करें अथवा उन्हें हलकी सज़ा दें, या बिल्कुल ही छोड़ दें। एक खटका हो तो उसका ख़्याल न किया जाय, यहाँ तो सैकड़ों खटके ही खटके हैं। ऐसी दशा में इन लोगों की तनख़्वाहें कैसे कम की जा सकती हैं ? यही ग़नीमत समझना चाहिए जो ऐसे अवसर पर उनकी तनख़्वाहें बढ़ाई नहीं जा रही हैं। हालाँकि समय ऐसा ही है कि उनके वेतन में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा वक़्त आ रहा है कि इन लोगों को बहुत परिश्रम पड़ेगा। पिछले आन्दोलन में सिविल-सर्विस वालों तथा पुलीस को कितना परिश्रम पड़ा, कितना परिश्रम पड़ा है कि वैसे परिश्रम से भगवान बचावे। उसका कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए था। सो लोग उलटा वेतन घटाना चाहते हैं—अच्छे रहे। जो कुछ घटा है उससे ही सरकार की नेकनीयती पर शक पैदा हो गया है। हाँ, जितने काले आदमी हैं उनकी तनख़्वाहें अवश्य घटाई जानी चाहिएँ। क्योंकि इन लोगों का ख़र्च कम है। ये लोग भूखे-नङ्गे भी रह सकते हैं—कष्ट सहन कर सकते हैं। सच पूछिए तो आवश्यकता से अधिक मिलने पर ये लोग शेर हो जाते हैं और अफ़सरों से दबते नहीं। अतएव इन्हें तो आधे पेट ही भोजन मिलना चाहिए। जहाँ इन्हें भर पेट भोजन मिला कि इन्होंने सिर उठाया।

गोरे आदमियों की तनख़्वाहें नहीं घट रही हैं, यह बात भी नहीं है। देखिए लाट गवर्नर लोगों ने अपनी तनख़्वाहें कितनी घटा दीं। उन्हें दस हज़ार रुपए मासिक वेतन मिलता था, अब उन्हें केवल साढ़े आठ हज़ार रुपए मिलेंगे। पन्द्रह सौ रुपए महीना कम हो गया। कुछ ठिकाना है—पन्द्रह सौ !! रह कितने गए, केवल साढ़े आठ हज़ार ! अब इतने में उन बेचारों का गुज़र भगवान जाने कैसे चलेगा। न जाने उन्हें कौन-कौन सी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की सेवा में यह दशा है। विलायत में होते तो दस हज़ार के बजाय न जाने कितने पैदा करते होते। वॉयसरॉय ही को लीजिए। अभी तक उन्हें २१ हज़ार से कुछ ऊपर मासिक वेतन मिलता था। अब वह बेचारे केवल १७ हज़ार के लगभग लेंगे। कुछ ठिकाना है ! बयालिस सौ की कमी हो गई ! बयालिस सौ में उनके न जाने कितने काम निकलते थे, अब वे सब रुक जायँगे या नहीं ? इस पर भी लोग कहते हैं कि गोरों के वेतन में कुछ कमी नहीं की जाती। इससे अधिक और क्या कमी की जाय ? क्या उनके हाथ में ठीकरा थमा दिया जावे। विलायत में होते तो क्या यह

(शेष मैटर ६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

बंगाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेलन

साम्प्रदायिकता का दलबद्ध होकर नाश करो

सारा भारत नज़रबन्दों का आवास है

बङ्गाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेलन ने श्रीयुत सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में १६ प्रस्ताव पास किए हैं, उनको संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जाता है:—

पहला और दूसरा प्रस्ताव पं० मोतीलाल नेहरू और मौ० मुहम्मदअली आदि गण्यमान्य पुरुषों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के सम्बन्ध में सभापति की ओर से पेश हुआ।

तीसरे प्रस्ताव में हिजली के नज़रबन्दों पर किए गए अत्याचारों पर घृणा प्रकट की गई। चौथे प्रस्ताव में चटगाँव और हिजली की घटनाओं के विषय में कॉङ्ग्रेस की निर्ममता पर दुःख प्रकाशित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्रीयुत बेनर्जी ने कहा कि अगर यही दोनों घटनाएँ बारसद और बारदोली में होतीं तो काँङ्ग्रेस की कार्यकारिणी कभी चुप न रह सकती।

पाँचवें प्रस्ताव में बहुत ज़ोर के साथ इस सम्मेलन ने गवर्नमेण्ट की निन्दा की कि उसने चटगाँव की लूट-मार और गृह-दाह आदि की उचित और निरपेक्ष जाँच नहीं की।

छठें प्रस्ताव में बिना मामला चलाए साक्षि प्रमाण के बिना ही लोगों को पकड़ कर नज़रबन्द करने की नीति का विरोध किया। इसके समर्थक श्री० चौधरी ने कहा—'सारा भारत नज़रबन्दों का जेल है।'

सातवें प्रस्ताव में शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में इस सुधार की आवश्यकता बतलाई गई कि कलकत्ता और ढाका के विश्वविद्यालयों को चाहिए कि जो विद्यार्थी जिस विषय में फेल हो उसकी दुबारा परीक्षा केवल उसी विषय में लेने का नियम कर दें, न कि उन विषयों में भी जिनमें वह उत्तीर्ण हो चुका है।

आठवें प्रस्ताव में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के जल्दी-जल्दी पाठ्य पुस्तकों के बदलने की निन्दा की गई, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा होती है और शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी लूटे जाते हैं।

नवें प्रस्ताव द्वारा छात्रों की शिक्षा की फ़ीस (शुल्क) २५) सैकड़ा घटाने का परामर्श दिया गया। क्योंकि इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है।

दसवें प्रस्ताव में 'डाइरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' के उस आज्ञा का प्रतिवाद किया गया, जिसके द्वारा उसने बङ्गाल के छात्रों का राजनीति में भाग लेने को निषिद्ध ठहराया है।

ग्यारहवें और बारहवें प्रस्तावों के द्वारा छात्रों को सङ्गठित होकर साम्प्रदायिकता का रोग मिटाने की कोशिश करने पर ज़ोर दिया गया। और छात्रों की जल्द एक सेना सङ्गठित करने का अनुरोध किया गया।

तेरहवें प्रस्ताव में श्री० सुभाषचन्द्र बोस की प्रशंसा की गई और चौदहवें प्रस्ताव में ग़रीब लड़कों के लिए प्राइवेट तौर पर कॉलेज की परीक्षाओं में बैठने का अधिकार माँगा गया।

अन्त में १५वाँ १६वाँ प्रस्ताव सभापति द्वारा पेश हुआ। इनमें छात्रों को स्वदेशी वस्तु व्यवहार के व्रत का व्रती होने पर ज़ोर दिया गया। और प्रेस-बिल की निन्दा की गई।

अन्त में सभापति श्री० सत्यमूर्त्ति ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए हिजली और चटगाँव के सम्बन्ध में कहा कि 'ब्लेक और टैन' (ब्रिटिश सेना आयर्लैण्ड में इसी नाम से प्रसिद्ध थी) आयर्लैण्ड को न बचा सके, जेमसन का धावा दक्षिण अफ़्रीका को न बचा सका, तो हिजली-काण्ड हिन्दुस्तान में ब्रिटेन को नहीं बचा सकता।

दुबे जी की चिट्ठी

(२५वें पृष्ठ का शेषांश)

मुसीबत झेलनी पड़ती? सच बात तो यह है कि जिस पर बीतती है, वही जानता है। जिसके पैर न जाय बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। धन्य है इन लाट साहबों को कि इतना महान त्याग करके भारत की सेवा कर रहे हैं। ऐसे-वैसे का साहस नहीं हो सकता। और यह लुत्फ़ है कि स्वयम् तो २० तथा १५ रुपए सैकड़ा कम लेंगे और अपने मातहतों से केवल १५ तथा १० सैकड़ा कम कराया है। ठीक भी यही था। अफ़सर को मातहत से अधिक क़ुर्बानी करना चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो अफ़सर तथा मातहत में भेद ही क्या रह गया। इसके अतिरिक्त मातहत बेचारों को कौन बड़ी लम्बी-चौड़ी तनख़्वाह मिलती है। २ हज़ार से लेकर ६ हज़ार से अधिक किसी को एक कौड़ी भी नहीं मिलती। होम-मेम्बर सर जेम्स क्रेरार एसेम्बली में ख़ून-पसीना एक कर देते हैं, परन्तु उन्हें वेतन केवल साढ़े ६ हज़ार के लगभग मिलता है। अब यदि इतने कम वेतन में से भी कमी हुई तो वह पूरा बलिदान समझना चाहिए। कोई भला और शरीफ़ अङ्गरेज़ हिन्दुस्तान में इतनी कम तनख़्वाह पर नहीं रह सकता। परन्तु ये बेचारे तो अपने देश की सेवा के निमित्त इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, परन्तु फिर भी लोगों की आँखों में इनकी तनख़्वाहें मूसल की तरह खटकती हैं? मरभुक्खे हिन्दुस्तानी इनके त्याग की क्या क़द्र कर सकते हैं। इन्हें तो यदि दोनों समय पेट भर दाल-रोटी या खिचड़ी मिल जाय तो बस ये उसी को बड़ी भारी न्यामत समझते हैं।

अपने राम का तो यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार नौकरशाही को ख़ामख़ाह इतना घोर कष्ट न दे और तनख़्वाहें घटाने के बजाय कुछ और बढ़ा दे, जिससे कि ऐसे नाज़ुक समय में ख़ूब काम करने का उत्साह रहे। क्यों सम्पादक जी, मेरा प्रस्ताव ग़लत तो नहीं है?

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

हिजली के नज़रबन्दों का अनशन समाप्त

'मुझे इससे मतलब नहीं कि घायलों को नींद आती है या नहीं'

खड़गपुर के अस्पताल की रिपोर्ट से विदित होता है कि श्री० गोविन्द पद दत्त, जिनका बायाँ हाथ काटा गया था, अब कुछ अच्छी हालत में हैं। उनका घाव अच्छा हो रहा है और नाड़ी की गति भी, जो पहले बहुत अधिक तेज़ हो गई थी, कम हो गई है। शशीन्द्र घोष की अवस्था भी अब आशाजनक है। पर अभी उसके पैर में दो गोलियाँ घुसी हैं जो बहुत अधिक शारीरिक कमज़ोरी के कारण नहीं निकाली जा सकी हैं। श्री० कृष्ण बनर्जी के पैर का घाव अभी अच्छा नहीं हुआ है और कभी-कभी उसमें बड़ा भयङ्कर दर्द होता है। 'एक्सरे' से जाँच करने पर उसमें कोई गोली वग़ैरह नहीं दिखलाई पड़ी। घायलों के रिश्तेदार हिजली-कैम्प के अफ़सर की आज्ञा से उनके साथ भेंट कर सकते हैं।

अस्पताल में पड़े हुए घायलों की देख-रेख के लिए एक नज़रबन्द नियुक्त किया गया है। अभी हाल में उसकी एक पुलिस अफ़सर के साथ कहा-सुनी हो गई। उसने कहा कि रात को पहरा देने वाले सन्तरी फ़ौजी बूट पहन इधर-उधर चक्कर लगाते हैं, उनकी आवाज़ से उन घायलों की नींद में ख़लल पड़ता है, जिनको डॉक्टर इञ्जेक्शन देकर सुलाते हैं। पुलिस अफ़सर इस बात को मानने के लिए तैयार न हुआ और अन्त में कह बैठा कि उसका फ़र्ज़ नज़रबन्दों की निगरानी करना है, यह देखना डॉक्टरों का काम है कि घायलों को ठीक नींद आती है या नहीं।

अनशन समाप्त

समाचार आया है कि हिजली के नज़रबन्दों ने, अपनी माँग के पूरी किए जाने का आश्वासन मिलने पर अनशन त्याग दिया है। इस सम्बन्ध में श्री० जे० एम० सेन गुप्त ने उसके पास निम्नलिखित तार हिजली-कैम्प के कमाण्डमेण्ट की मार्फ़त भेजा है:—

"उचित निर्णय के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी स्वेच्छाकृत यन्त्रणा समाप्त हो गई, यह जान कर समस्त देश को सन्तोष हुआ। देशवासी आपको और आपके कार्य को असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकते।"

श्री० सेन गुप्त ने मैमनसिंह, मिदनापुर की जेलों तथा बक्सा फ़ोर्ट के राजनीतिक क़ैदियों और नज़रबन्दों के नाम भी, जिन्होंने हिजली वालों से सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए अनशन कर रक्खा है, नीचे लिखा तार भेजा है:—

"हिजली का अनशन समाप्त हो गया। देशवासियों ने उनके और आपके कार्य को अपने हाथों में ले लिया है। कृपा करके अपने अनशन को भी त्याग दें।"

बातचीत

['भविष्य' के प्रत्येक ग्राहक तथा एजण्ट को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए !]

ग्राहकों से—

पाठकों को विदित हो होगा कि शीघ्र ही पोस्टकार्ड का मूल्य दो से तीन पैसा और लिफ़ाफ़ों का मूल्य एक से डेढ़ आना होने जा रहा है! काग़ज़ पर १०) रु० सैकड़े की ड्यूटी लग चुकी है और आज ही कल में ५) रु० सैकड़ा और भी ड्यूटी बढ़ जाने की ख़बर है। सारांश यह कि आम तौर से प्रकाशकों को और ख़ास तौर से पत्र-सञ्चालकों के रास्ते में अधिक से अधिक रोड़े अटकाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसी हालत में समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दों में चलाना दिनोंदिन असम्भव होता जा रहा है। पत्रकारों के पास दो ही साधन शेष रह गए हैं—(१) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया जाय या (२) वर्तमान ख़र्च में अधिक से अधिक कमी की जाय। अस्तु।

हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का ही निश्चय किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र चला सकें। ख़र्च की कमी के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि जहाँ तक सम्भव हो सका है, अब तक कोई बात उठाई नहीं रक्खी गई है। अब केवल हमारे पास ख़र्च घटाने की एक ही सूरत शेष रह गई है और वह यह कि अनावश्यक पत्रों का उत्तर कार्यालय से न जाय। पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक ग्राहक के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर 'भविष्य' के प्रत्येक अङ्क में प्रकाशित होता रहेगा। (१) चन्दे के समाप्ती की सूचना (२) पता बदलने की सूचना (३) चन्दा पहुँचने की सूचना तथा इसी प्रकार की कुल सूचनाएँ 'भविष्य' तथा 'चाँद' के प्रत्येक अङ्क में छपा करेंगी। पाठकों से प्रार्थना है कि भविष्य में वे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा न करके, "बातचीत" शीर्षक स्तम्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें और निम्न-लिखित बातों का ध्यान रक्खें :—

(१) अपना ग्राहक-नम्बर हमेशा याद रक्खें, नोट कर लें (क्योंकि प्रायः नम्बरों के हिसाब से ही उन्हें उत्तर मिला करेगा)

(२) अपना चन्दा समाप्त होते ही जब तक भी उन्हें ग्राहक रहना हो, उतने दिनों का चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दिया करें (क्योंकि रजिस्ट्री के ख़र्च में भी एक आने की वृद्धि हो गई है और वी० पी० मँगाने से व्यर्थ में उन्हें रजिस्ट्री के तीन आने अधिक देने होंगे।)

(३) यदि ग्राहक बनना हो तो अपना चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दें और व्यर्थ में पत्र न लिख कर 'कूपन' पर ही अपना आशय प्रकट कर दें (यह स्मरण रक्खें कि पुराने ग्राहकों को अपना ग्राहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को "नया ग्राहक" 'कूपन' पर अवश्य लिख देना चाहिए।)

(४) पता आदि बदलने की सूचना आते ही कार्रवाई कर दी जायगी और इस बात की सूचना 'भविष्य' के उसी सप्ताह के अङ्क में प्रकाशित कर दी जायगी (यदि सूचना प्रकाशित न हो तो समझना चाहिए कि पत्र कार्यालय में नहीं पहुँचा)।

(५) जिन लोगों को पत्रोत्तर की आवश्यकता हो उन्हें या तो जवाबी पोस्टकार्ड अथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए नहीं तो पत्रोत्तर नहीं दिया जायगा।

बधाई

अध्यापक ज़हूरबख़्श जी लिखते हैं :—

आपकी सिपाहियाना तबीयत ने वास्तव में हम लोगों को अत्यन्त गौरवान्वित किया है। इतनी आपत्तियों के आते हुए भी, वज्र जैसी कठोर छाती लिए, खड़े रहना आपका ही कार्य है। हिन्दी-संसार में आप-जैसा यह सौभाग्य और किसे नसीब हुआ है? हे हिन्दी-संसार के नार्थक्लिफ़ और दूसरे शब्द में नेपोलियन! मैं तो निरन्तर आपकी दिग्विजय की ही एकान्त कामना करता हूँ, और इस कामना के साथ जब आपको भाई कह कर पुकारता हूँ, तब मेरा मस्तक आप ही आप उन्नत हो जाता है, हृदय आनन्द से विभोर हो उठता है। आज ही दैनिक 'भविष्य' की प्रति मिली। उसमें जीवन के जो लक्षण दिखाई दिए हैं, उनसे यही अनुमान क्या, विश्वास करना पड़ता है, कि वह अत्यन्त शीघ्र साप्ताहिक 'भविष्य' के समान ही सफलता प्राप्त करेगा, और कदाचित हिन्दी-संसार का सर्वश्रेष्ठ दैनिक भी वही होगा। चीज़ अपनी ही है, अतः आपको क्या बधाई दूँ।

यदि ग्राहकों ने हमारी इस विनम्र प्रार्थना पर समुचित ध्यान दिया तो हज़ारों रुपए, जो डाकख़ाने की भेंट हो जाते हैं, बच जायँगे और इन्हीं रुपयों को पत्र-सञ्चालन में लगा कर चन्दा न बढ़ाया जायगा।

एजेन्टों से—

'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों को उपरोक्त सारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना चाहिए और साथ ही निम्नलिखित बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :—

(१) अपना हिसाब एक निश्चित तिथि को बिना तक़ाज़ा किए अथवा बिल भेजे भेज देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल नहीं भेजा जायगा।

(२) जिस सप्ताह से 'भविष्य' (साप्ताहिक) की कॉपियाँ घटाना या बढ़ाना हो उससे ठीक ८ रोज़ पूर्व इस बात की सूचना कार्यालय को दे देनी चाहिए। दैनिक "भविष्य" सम्बन्धी इस प्रकार की सूचना कम से कम दो दिन पहले कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

(३) 'भविष्य' में प्रकाशित प्रत्येक सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(४) हमें खेद है, छपे हुए 'कूपन' (टिकट) भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी एजन्टों ने 'जुबली-अङ्क' के सम्बन्ध में ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ घट गईं तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ रोज़ के भीतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग ५० तार आए हैं। इसके अर्थ यह हुए कि ३७॥) रु० तार वालों की भेंट हो गए और फल भी कुछ नहीं हुआ। यदि पहले से ही हमारी सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो दूनी-तिगुनी संख्या में "जुबली-अङ्क" बेच कर वे स्वयं भी लाभ उठा सकते थे और देशवासियों की सेवा भी कर सकते थे। व्यर्थ का तार और पत्रों का व्यय भी बचाया जा सकता था। जिन लोगों का हिसाब नहीं आया था उनकी कॉपियाँ रोक दी जाने से उनको जो हानि हुई वह तो हुई ही, पर साथ ही उनके स्थायी ख़रीदारों को भी इस अङ्क के लाभ से वञ्चित रक्खा गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण कितना भारी नैतिक अपराध किया—यह वे स्वयं समझ सकते हैं।

(५) सारांश यह कि 'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों से हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में हिसाब के लिए यहाँ से तक़ाज़े तथा तार आदि नहीं भेजे जायँगे।

जिन एजन्टों का हिसाब ठीक समय पर हमें नहीं मिलेगा, उनकी कॉपियाँ, बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही रोक दी जावेंगी और ये सारी हानि उनके ज़मानत में से काट ली जावेगी और यदि दूसरे सप्ताह भी ऐसा ही हुआ तो ज़मानत ज़ब्त करके उनका नाम एजेन्टों की श्रेणी से तुरन्त अलग कर दिया जायगा।

जिन एजन्टों से इन साधारण सी बातों का भी पालन नहीं हो सकता, उन्हें तुरन्त अलग हो जाना चाहिए।

—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर की आज्ञा से

* * *

विप्लवकारी नवयुवकों को सुधारने का भागीरथ प्रयत्न

डॉक्टर केदारनाथ, माननीय मि० महमूद शुहरावर्दी, मिस्टर एस० बी० बलवन्तसिंह पुरी, मिसेस वी० भट्टाचार्य और मिस्टर कालीमोहन सेन के हस्ताक्षरों से एक सूचना निकली है कि एक कॉन्फ्रेन्स ९ अक्टूबर को काली बाड़ी हॉल में इस अभिप्राय से होगी कि नवयुवकों को अराजकता की ओर प्रवृत्त होने से बचाने, सुधारने और रक्षा करने के लिए प्रबन्ध किया जाय। इसमें इस काम से प्रेम और सहानुभूति रखने वाले व कार्यकर्त्ता लोग सम्मिलित हों और बड़े लाट और गवर्नर लोग इस काम के संरक्षक हों। इस कॉन्फ्रेन्स में सभापति का आसन राजा सर दलजीत सिंह ग्रहण करेंगे।

परीक्षात्मक एक तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है। उद्देश्य यह होंगे :—

१—अराजकतावादियों में सत्य और अहिंसा की शिक्षा के साथ उन्हें नवीन स्वास्थ्य-रक्षा विधि की शिक्षा और खेल-कूद का प्रोत्साहन देना।

२—उन अराजकतावादियों के, जो नादार हों, जिनके माता-पिता उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ हों, उनकी शिक्षा का भार उठाना।

३—ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना, सौदागरों की कोठियों में नौकर करा देना, या औद्योगिक कारख़ानों में काम पर लगाना अथवा सेना में भरती कराना।

एक वक्तव्य के बीच में हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि ढाका के पिछले सारस्वत समाज कान्वोकेशन (संसद्) के अवसर पर बङ्गाल के अन्दर बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिए गवर्नर ने सर्व-साधारण को सहयोग और सहायता करने के लिए अनुरोध किया था। एनारकिस्टों द्वारा की हुई राजनैतिक डकैतियों की भयानक बाढ़ और बङ्गाल और पञ्जाब में यूरोपियन और हिन्दुस्तानी अफ़सरों की बहुत सी हत्याओं ने, जो इधर कुछ वर्षों में हुई हैं, ज़रूर ही उच्चतन सरकारी कर्मचारियों की आँखें खोल दी होंगी कि पिछले कई वर्षों में बङ्गाल और पञ्जाब में सरकार ने जिन दमनकारी क़ानूनों से काम लिया है, उनसे पञ्जाब और बङ्गाल में होने वाले विप्लवकारी अपराधों की रोक नहीं हो सकी। निस्सन्देह स्वर्गीय सी० आर० दास ने अनेक बार बङ्गाल कौन्सिल में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था और कहा था कि बङ्गाल ऑर्डिनेन्स और दूसरे क़ानूनों के होते हुए भी विप्लवकारी अपराध बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए अधिकारियों को इसके मौलिक कारण की खोज करनी चाहिए कि बङ्गाल के नवयुवकों में इतना असन्तोष क्यों फैला हुआ है। विशेषतः उन लोगों में, जो विदेशों से लौट कर आए हैं और उन्होंने भविष्यद्वाणी की थी कि बिना रोग के मौलिक कारण को जाने उन दवाइयों से, जो सरकार कर रही है, यह रोग न मिटेगा।

बङ्गाल के समाज-सेवक-सङ्घ के कुछ सदस्य और राष्ट्रीय दल के लोग अब अपना कर्तव्य समझते हैं और जानते हैं कि यही उचित समय है जब कि देश के सच्चे भक्त और हितैषी सरकार के साथ सहयोग करके इस लोकोपकारी काम को हाथ में लें, जिससे भटके हुए युवक देशभक्तों के मूल्यवान् प्राण, फाँसी से बचें और देशी और विलायती उच्चतन सरकारी कर्मचारियों की क़ीमती जानों की रक्षा हो। साथ ही देश के धनवान और सम्पन्न लोगों को उन लूट और डकैतियों से परित्राण मिलेगा जो अराजकतावादी सोसाइटियों के भटके हुए नवजवान देश-प्रेमियों के हाथों से हुआ करती हैं।

काम का संक्षिप्त कार्य-क्रम :—

१—विस्तार के साथ प्रचार-कार्य करना, जिससे नवयुवक के सत्य और अहिंसा के मूल्य को वह लोग समझने लगें। सत्य और अहिंसा जैसे गहन विषय का उपदेश हो सकता है कि नवयुवकों के चित्तों को न आकृष्ट कर सके, इसलिए शिक्षा-क्रम में नवीन स्वास्थ्य-रक्षा की विधि भी लालटेन द्वारा बतलाई जायगी, जिससे युवक देशभक्तों का ध्यान अपने शरीर और मन को नीरोग बनाने की ओर खिंचे। क्योंकि कलकत्ता और बम्बई के विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य-निरीक्षक वैद्यों ने परीक्षा करके कहा है कि १०० में ७५ छात्र बङ्गाल और कराची में अस्वस्थ पाए गए।

२—यह सोसाइटी ग़रीब, कुराह पड़े हुए नवयुवकों को वेतन देकर मदद करेगी कि वह अपना पढ़ना-लिखना जारी रख सकें।

३—जब नवयुवक कुमार्ग से बचा लिए जायँगे और अधिकारी प्रतीत होंगे तो उन्हें तो जहाँ तक बनेगा, सरकारी या ख़ानग़ी, कोई नौकरी दिला दी जायगी अथवा काम सीखने के लिए किसी कारख़ाने या कोठी में उम्मीदवार करा दिया जायगा, जिससे उनकी गुज़र होती रहेगी।

यदि विचारपूर्ण दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने औपनिवेशिक शासन प्रदान कर दिया, जैसा कि लॉर्ड इर्विन और मिस्टर रैमज़े मैकडॉनेल्ड ने कहा है तो इन भटके हुए देशभक्तों की बहुत सी शिकायतें दूर हो जायँगी। भावी भारतीय पार्लामेण्ट को केवल इनसे रोटी का प्रश्न हल करना रह जायगा? प्रस्तावित गोष्ठि देश के नेताओं से अनुरोध करेगी कि वह बड़े लाट पर दबाव डाले कि देशप्रेमियों या अण्डर ग्रेजुएटों की एक रेजिमेण्ट की फ़ौज में सृष्टि करें, जिससे नवयुवक देशभक्तों को लाभ पहुँचे, जैसे कि लड़ाई के समय बङ्गाली रेजिमेण्ट और बङ्गाली लाइटहार्स की सृष्टि की गई थी। इस विशेष प्रकार की भारतीय सैन्य में बङ्गाल के मध्य श्रेणी के लोगों में से भरती की जाय और पञ्जाब में उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा का भार इसे देकर देखा जाय, जो कि सेना के लिए एक भयानक काम है। ऊपर कहा हुआ प्रतिषेधक प्रयत्न इन बहके हुए नवजवानों की शक्ति और ज्ञान को सीधे रास्ते पर लगाने में समर्थ होगा और यह लोग सिपाही के रूप में प्रत्यक्ष अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जायँगे। विनय बोस, दिनेश गुप्त और बहुत से दूसरे भटके हुए देशप्रेमियों की आत्म-हत्या से प्रकट है कि कुमार्गी देश-प्रेम से शिक्षित और ज्ञानवान लोगों की बहुमूल्य जानें नष्ट हो जाती हैं? कोटि-कोटि अज्ञान प्रजा का अपने देश-प्रेमी भाइयों पर पुलिस की गोली चलते देखना कोई सुखद दृश्य नहीं होता, यह उसी तरह दुखद है जैसे बहुत से भटके हुए देशप्रेमियों को सूली पर लटकाने का दृश्य।

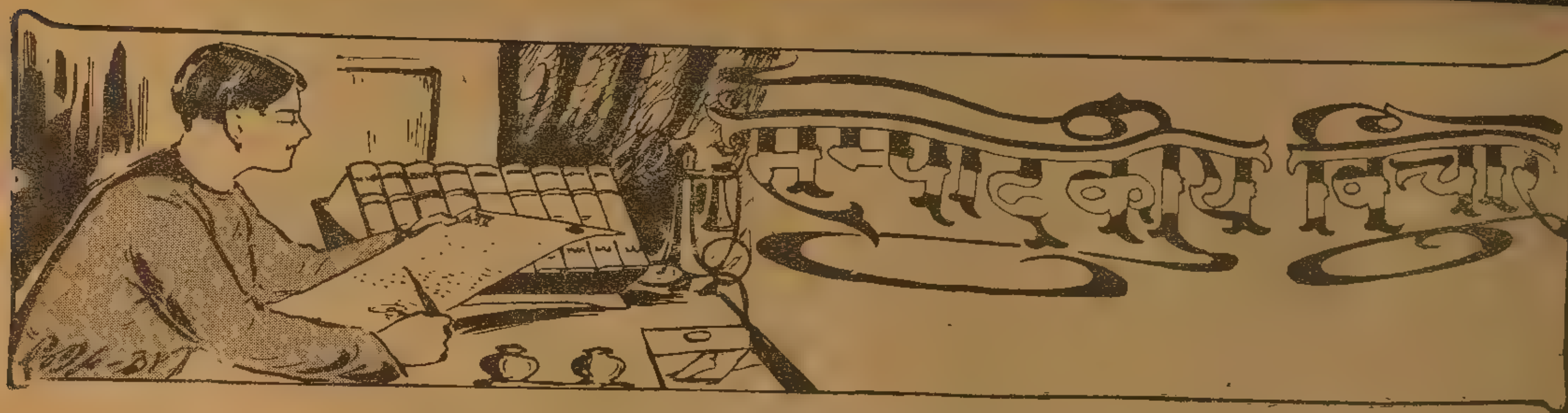
हमने देखा है कि किस प्रकार गवर्नर जनरल लॉर्ड मेओ मामूली क़ैदी के हाथ से मारा जा सकता है, कैसे बङ्गाल के, पञ्जाब के और बम्बई के छोटे लाटों पर वार हुए और वह सौभाग्य से बच गए और लॉर्ड हार्डिङ्ग चामत्कारिक रूप से बच गए, जब कि उन पर बम्ब फेंका गया था। अगर इस बला को न रोका गया और देश से न निकाला गया तो बड़े लाटों, गवर्नरों की ही नहीं, बल्कि महात्मा गाँधी और दूसरे शान्तिशील और उच्च विचार वाले लोगों की जानें भी अराजकतावादियों के हाथों से सुरक्षित न रह सकेंगे। अगर बङ्गाल के लेफ़्टीनेण्ट गवर्नर सर चार्ल्स इलियट १८९२-९६ में बङ्गाल के नवजवानों का हृदय और सम्मान दया और सहानुभूति से जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बङ्गाल में नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिए एक सोसाइटी संस्थापित की। वाइसरॉय और गवर्नर लोग भी सर चार्ल्स इलियट के उत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग का अनुसरण करके अराजकता के प्रवाह को रोक सकते हैं। प्रस्तावित सोसाइटी मुख्यतः महात्मा गाँधी के काम को ही पूर्ण करेगी। महात्मा जी की ही प्रेरणा से भारत के बहुत से अराजकतावादी नवयुवक कॉङ्ग्रेस में सम्मिलित होकर भारत को स्वाधीन करने के निमित्त शान्तिशील मार्ग का अवलम्बन करने लगे हैं। यह सुधारे हुए नवयुवक महात्मा गाँधी के अनुगामी हैं, इन्होंने शान्तिशील पद्धति की कृतकार्यता के फल और मूल्य को समझ लिया है, विशेषतः अङ्गरेज़ी माल के बहिष्कार और सानुनय अवज्ञा को, जिसमें इन देशभक्त नवयुवकों ने देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देश की स्वतन्त्रता के लिए ख़ूब हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश प्रत्येक प्रान्त में अब भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो महात्मा जी का अनुसरण करने में आगा-पीछा करते हैं, इनमें से कोई-कोई तो महात्मा जी की इस परामर्श का भी विरोध करते हैं कि कुछ दिन ठहरे रह कर उनके शान्तिशील तरीक़ों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पद्धति की आज़माइश का अवसर दिया जाय। प्रस्तावित सोसाइटी का काम होगा कि इन विरोधी विचार के लड़कों से मिले और उनको स्पष्टरूप से बतला दे कि देश में बहुसंख्यक देशभक्तों का दिल उनसे इसलिए दुखी है कि वह उन्हें अगणित डकैती करते और बम्ब व रिवॉल्वरों के ज़रिए हिन्दुस्तानी और अङ्गरेज़ अफ़सरों का प्राणघात करते देखते हैं; वह भी दूसरों के क़सूर के लिए, जब कि असली अपराधी, जिसने अत्याचार किया था, बच जाता है, ऐसे काम को कोई भी देश का समझदार आदमी समर्थन नहीं कर सकता।

* * *

—"हिन्दुस्तान टाइम्स" के रिपोर्टर श्री० चमनलाल, जिन्हें नेकचलनी की ज़मानत देने से इन्कार करने के कारण एक साल की सज़ा दी गई है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल से हटा कर मुल्तान सेन्ट्रल जेल भेजे गए हैं। आपने सज़ा के विरुद्ध अपील करने की इच्छा अदालत और डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट दोनों के सामने प्रकट कर दी थी, परन्तु इसकी परवाह न करके अधिकारियों ने सिर्फ़ इस भय से कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल में श्री० चमनलाल कहीं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से न मिलें, उन्हें बहुत शीघ्र मुल्तान भेज दिया। दिल्ली स्टेशन ले जाते समय आपको १२ सशस्त्र पुलीस के आदमी घेरे हुए थे। सम्बन्धी मिलने गए थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। श्री० चमनलाल के वकील अपील दायर करेंगे।

—पटना बम के मामले में श्री० सूरजनाथ चौबे को ऐडिशनल सेशन्स जज ने जो ७ वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी थी, उसे बढ़ाने के लिए, कहा जाता है, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील होगी।

* * *



हमारी दरिद्रता के कुछ कारण

प्रकृति के नियम सब जगह एक-से काम करते हैं। जिन साम्पत्तिक कार्यों का जो फल यूरोप में होता है, उनका वैसा ही फल भारत में भी होना अनिवार्य है। स्थानान्तर-भेद से सामाजिक अवस्था-व्यवस्था के कारण किसी सुफल-कुफल में तारतम्य दिखाई दे सकता है, किन्तु किसी नैसर्गिक कारण के फल में अन्तर नहीं पड़ सकता। अस्तु।

जब तक भारतवर्ष में ज़मींदारी प्रथा न थी और राजस्व पैदावार में लिया जाता था, न कि रुपयों में, तब तक किसानों को उन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका सामना उन्हें आज करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में खेत, खदान आदि की पैदावार दशांश और किसी-किसी स्थिति में चतुर्थांश या षष्ठांश राजा को राज्य में सुप्रबन्ध रखने के लिए दिया जाता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि खेत में पैदावार चाहे दस मन हो, चाहे सौ मन, किन्तु किसान अपना कर चाँदी या सोने के एक निश्चित परिमाण में अवश्य चुकाए। यह तो एक प्रकार का जुआ है। कोई नहीं कह सकता, कि किस वर्ष किस खेत में कितना माल पैदा होगा और किस साल कैसी वर्षा और धूप होगी। इसलिए यह भी कोई नहीं कह सकता, कि किसी खेत में प्रतिवर्ष एक ख़ास मिक़दार में पैदावार होती ही रहेगी। बाज़ार का दर भी सदा एक-सा नहीं रह सकता। जब पैदावार प्रतिवर्ष एक समान होना असम्भव है, तो राजस्व का प्रतिवर्ष एक समान लेते रहना, बल्कि बीच-बीच में और बढ़ाते जाना राज्य की एक ऐसी अनुचित तथा घृणित कार्रवाई है, जिसकी जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी है!

सम्राट् अकबर के शासन-काल से सोने और रुपयों में निश्चित कर लिए जाने की प्रथा चली, तभी से किसानों के सन्ताप का विष-वृक्ष आरोपित हुआ। इस सिलसिले में इतना हम कह देना चाहते हैं, कि अकबर और उसके बाद के दूसरे राजा देशी थे और उनका हित और अहित, उनका जीवन और मरण, उनका भला और बुरा, देश के हिताहित पर अवलम्बित था। इसलिए वे लोग प्रजा पर कर की वसूली में वह अत्याचार नहीं करते थे, जो आज विदेशी शासन काल में देखा जाता है।

इसी प्रकार विदेशी वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार के साथ देश में दरिद्रता की अभिवृद्धि हुई। हम देखते हैं, कि प्राचीन काल की सड़कों के किनारे की सराय, आबादियाँ, दुकानें आज सब उजड़ी पड़ी हैं। जिनसे लाखों भठियारे और लाखों दूकानदार, अगणित मज़दूर, कारीगर, गाड़ीवाले, घोड़ेवाले आदि-आदि परिपालित होते थे, वे सारे साधन रेलगाड़ी की बदौलत धूल में मिल गए। कोटि-कोटि जन-समुदाय बेकार होकर दूसरों के दरवाज़ों पर मज़दूरी करने या भीख माँगने के लिए खड़ा दिखाई देता है!

बिजली के पङ्खों ने मज़दूरों को कितना बेकार किया, बिजली की रोशनी ने कितने तेलियों का सत्यानाश किया, पुतलीघरों ने कितने जुलाहों के घर घाले, आटे की चक्कियों ने कितनी विधवाओं के मुँह का टुकड़ा छीना? यह तो थोड़ी सी बातें दिखलाई गई हैं, अगर विस्तार से सब बातों का विवरण दिया जाय, तो हमारे दुःख की गाथा बहुत बढ़ जाय।

क्या उस गवर्नमेण्ट ने—जिसके शासन काल में इतने आविष्कार हुए, जिनसे जनता का सारा धन सिमट-सिमट कर थोड़े से लोगों के हाथों में चला गया और ८९ प्रतिशत नर-नारी भूख की ज्वाला से तड़पने लगे, प्रजा के वास्तविक हित के लिए कभी कोई उपाय सोचा? मनुष्य जाति में विज्ञान की वृद्धि होना, कला-कौशल का विकास होना कोई भी समझदार आदमी बुरा नहीं बतला सकता, लेकिन उसी दशा में जब कि यह सब मनुष्य-जाति-मात्र के लिए हितकारी हों। जो विज्ञान का फल थोड़े से इज़ारदारों को ही लाभ पहुँचाने वाला हो और शेष जनता उससे वञ्चित रहे, बल्कि अपने पूर्व सुखों को भी नाश कर बैठे, वह अज्ञानपूर्ण ज्ञान कभी संसार के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य-भक्त विद्वानों ने ऐसी कुछ बातें बतलाई हैं जिनसे संसार मनुष्य-मात्र के शान्तिमय जीवन का पवित्र स्थल हो और मनुष्य जाति में कुत्तों की तरह टुकड़ों के लिए लड़ना बन्द हो जाय। वह उपाय यह है, कि देश के छोटे-छोटे सुविधाजनक स्वतन्त्र टुकड़े हों, हरेक टुकड़ा अपनी पैदावर को सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में एकत्र रक्खे और प्रत्येक नर-नारी को उसके भोग में समान अधिकार हो।

* * *

प्रेस का काल

जब स्वार्थ-तिमिरान्ध अपनी इच्छापूर्ति के लिए निर्बल के नैसर्गिक स्वत्वापहरण पर तुल बैठता है, तो उसके आगे संसार की सारी दलील बेकार, सारी युक्तियाँ व्यर्थ, सारे तर्क निष्फल सिद्ध होते हैं। कभी-कभी आश्चर्य होता है, कि क्या भारत में उसी ब्रिटेन का शासन है, जिसने सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दार्शनिक मट्ज़ीनी (मेज़िनी) को और हङ्गेरी के देशभक्त लुई कसूथ को शरण दिया था, जिसने 'प्लीमाउथ' के समुद्र तट पर सेनापति गेरीबाल्डी को अमेरिका से लौटने पर प्रशंसा-पूर्वक खड्ग प्रदान किया था। जो हो, स्वार्थी दोषों को नहीं देखता, नहीं तो अङ्गरेज़ इतने मूर्ख नहीं हैं, जो यह न जानते हों, कि शासक-मण्डल अपनी जनता को तभी तक स्थिर और अक्षुण्ण रख सकता है, जब तक वह शासित समुदाय के हृदय में अपनी विश्वास-पात्रता स्थापित करता रहे, विश्वास लट्ठ के बल से नहीं जमाया जा सकता, लट्ठ का बल तो विश्वासपात्रता का घातक ही सिद्ध होता है।

हमें सबसे अधिक दुःख तो जनता के चुने हुए या जनता के हित की डींग मारने वाले देशी प्रतिनिधियों के आचरण पर होता है, जो जिस नाव पर सवार होकर पार जाना चाहते हैं, उसी के पेंदे में बड़े-बड़े छेद करते रहते हैं। जिस समय परिषत् में बिल पेश हुआ उस समय के पहिले ही बहुत से मेम्बर उदासीन होकर चले गए थे; जो थे, उनमें से तीन-चार के सिवा अन्य नामधारी सदस्यों ने इस विषय में समुचित तत्परता नहीं दिखलाई। जिस परिषत् में जनता के पक्ष की बहुमत्ता हो, वहाँ जनता के अहितकारक क़ानून के ५५ समर्थक और कुल २४ विरोधी निकलें? यह बात व्यवस्थापिका परिषत् के सदस्यों की अकर्मण्यता की घोषणा डङ्के की चोट कर रही है। ११६ संशोधनों का गिर जाना भला और क्या सिद्ध कर सकता है?

यहाँ हम मानते हैं, कि अगर हमारे सब देश-पक्ष के देशी सदस्य उपस्थित होते और सब के सब विरोध करके प्रेस-बिल को गिरा देते, तो भी यह मर नहीं सकता था। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट और बड़े लाट की विशिष्ट शक्तियाँ उसे जीवित रख सकती थीं, परन्तु उस दशा में हमें यह सन्तोष अवश्य होता कि जनता की ओर से अन्याय का समुचित विरोध हुआ। अब हमें विदेशी विरोधियों की अपेक्षा अपने देशवासियों की अकर्मण्यता पर अधिक शोक हो रहा है।

इस नाम-मात्र के विचार-स्वातन्त्र्य के भी छिन जाने पर क्या होगा, यह तो भविष्य ही बतलाएगा। हम तो पहले ही किसी अङ्क में कह चुके हैं, कि क़ानून-द्वारा वास्तविक रोग की दवा न कभी हुई, और न हो सकती है। हाँ, इसके बहाने से निर्दोषों का अपकार यथेष्ट रूप से होना सम्भव है और होगा। अत्याचार करने के लिए बहाना ढूँढना न दलील है, न चातुर्य, न सहृदयता है और न बुद्धि की शुद्धता! हम इन थोड़े से सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निर्भीकता-पूर्वक जनता के पक्ष को व्यक्त किया और इनकी दयनीय विफलता पर हम इन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने युद्ध-स्थल में ठीक मौक़े पर अपने साथियों के विश्वासघात करने पर भी मैदान नहीं छोड़ा, अन्त तक अपने कर्तव्य पर अटल बने रहे।

एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कि जनता को जिस सरलता और सुन्दरता से उनके आदमी समझा सकते हैं, उतना उसे विदेशी लट्ठ नहीं समझा सकता। हम जनता की गति-मति, आचार-विचार और अवस्था-व्यवस्था के जितने जानकार हैं, उतनी जानकार विदेशी सरकार एक हज़ार वर्ष में भी नहीं हो सकती। अगर देश से अथवा संसार से बल-प्रयोग द्वारा अभीष्ट सिद्ध को असार्थकता को सिद्ध करने की योग्यता इस समय किसी जाति में है, तो वह भारतवासियों में है। शराबो, शराबी को शराब नहीं छुड़ा सकता, न अन्धे को अन्धा राह बता सकता है। ब्रिटिश-सरकार की दमन नीति ने ही भारत में बमबाज़ी को जन्म दिया है और अब अधिक दमन से वह उसी विष-वृक्ष को सींच कर सुन्दर फल खाने की इच्छा करती है, यह उसकी भूल है, जिसके लिए उसे अनन्त काल तक पछताना पड़ेगा! आज अगर कॉङ्ग्रेस के पक्षपाती और महात्मा गाँधी के अनुगामी सम्वाद-पत्र न होते, तो न जाने कितने मनुष्यों के तप्त रक्त से मेदिनी सिञ्चित हो जाती, लेकिन अगर ईसाई बनने वाली सरकार प्रेम के मूल्य को समझ सकने में असमर्थ है तो इसका इलाज ही हमारे पास क्या है?

* * *

भारतीय शासन-पद्धति

नैसर्गिक शासन-पद्धति वही होती है, जो ऐसी सरकार द्वारा तैयार हो, जिसकी शासन-शक्ति का निर्माण और सञ्चालन देशवासियों की इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार हो। किसी जाति की

शासन करने वाली शक्ति का बिना उस जाति की इच्छा और प्रसन्नता के उत्पन्न हो जाना एक इतना बड़ा दोष है कि जिसके आगे अन्य सारे दोष पीछे पड़ जाते हैं। भारतवर्ष की सरकार में भी यही दोष है, इसीलिए इस शासन शक्ति द्वारा बनी हुई शासन-पद्धति से भारत में सदा असन्तोष बना रहता है।

ऐसी अनैसर्गिक सरकार को जनता के मत के विरुद्ध चलाने के लिए यदि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों को जो अमानुषिक कृत्यों का आश्रय लेना पड़े, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? एक असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। साथ ही इस अनैसर्गिक परिस्थिति में यदि प्रजा विद्रोही हो जाय, तो भी उसमें हमें कोई अस्वाभाविकता प्रतीत नहीं होती।

जब हम देखते हैं कि हमारे हितों, हमारी इच्छाओं और अभिलाषाओं के विरुद्ध एक विदेशी कर्मचारी एक क्षण में अपना मन गढ़ित अनुशासन (ऑर्डिनेन्स) निकाल कर हमारे प्राकृत अधिकारों का अपहरण कर लेता है, जब हम देखते हैं कि हमारे मुँह में ताला लगाना, हमारी लेखनी को छीन लेना सर्वथा एक बाहरी आदमी की इच्छा पर निर्भर है, तो हमारे हृदय को शान्ति कैसे मिल सकती है? जब हमारे प्राकृतिक नियमों के अनुसार किए हुए कामों के लिए हमें पुलीस और फौज के अस्त्र-शस्त्रों से आहत, विताड़ित और अपमानित किया जाय, जब हमारे ही सताने के लिए, हमारे ही कर से, शिकारी कुत्ते पाले जायँ, तो हमारे हृदयों के क्रोध, क्षोभ, घृणा का पैदा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कही जा सकती।

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर महात्मा जी ने असली बात को थोड़े से शब्दों में ब्रिटिश पार्लामेण्ट की सर्व-दल-सभा में और कुछ सङ्घ-योजना-उपसमिति में स्पष्टतया कह दी है। आपका कथन सूत्र-रूप में था, लेकिन इनकी व्याख्या कठिन नहीं है। सच है, भारत सच्चा स्वराज्य चाहता है, नक़ली, बनावटी और मिलावटी धोके की टट्टी नहीं। हम अपने मामलों में इतने ही स्वतन्त्र होना चाहते हैं, जितना ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका, फ़्रान्स इत्यादि अपने देश के मामले में हैं।

हम ऐसे प्रतिबन्धों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, जिनसे हमारे देश की आय का सौ में से ८० रुपया विदेशियों के हाथ में, उनकी इच्छा के अनुसार खर्च करने को, सौंप दिया जाय और बाक़ी २० रुपयों में हम अपने देश भर की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे उपयोगी कामों का प्रबन्ध करें। इस प्रकार की स्वाधीनता को भारत हाथ भी नहीं लगाना चाहता। यह हो सकता है कि भारत विवशता-जनित पराधीनता में पड़ा रहे, अपने को राजविद्रोही विघोषित कर दे, लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता, कि यह ऐसी सरकार का भार अपने ऊपर ले, जिसका आज नहीं, तो कल दिवालिया होना एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए।

आज हम मुक्त-कण्ठ से कह सकते हैं, कि महात्मा गाँधी ने भारत के एकमात्र चुने हुए विश्वस्त प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य बड़े सौन्दर्य, सचाई और निर्भीकता से पालन किया है। आज भारत में महात्मा जी के प्रति उनके कामों से अभिनव श्रद्धा और भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा है। परमात्मा न करे, कि गोलमेज़ का प्रयास और प्रयत्न विफल हो। अगर विफल हुआ, तो इस बार के शान्तिशील समर में भारत का बच्चा-बच्चा योगदान देगा, या तो देश जनशून्य हो जायगा, या अभीष्ट प्राप्त करके रहेगा।

प्राण-दण्ड की घातक प्रथा

संसार के अनेक देशों के विद्वानों, शासन-तन्त्रज्ञों और समाज-शास्त्रवेत्ताओं ने बहुत दिनों से इस विषय को मनन करने के पश्चात् तर्क और युक्ति-सहित प्राण-दण्ड को अमानुषिक और समाजहित-घातक बतलाया है। विद्वानों के इस प्रकार के मत के कारण अनेक स्थानों में 'फाँसी' की अर्थात् प्राण-दण्ड की प्रथा उठाई जा चुकी है। भारत में थोड़े दिनों के भीतर जो कितने ही सुशील, विद्वान्, स्वार्थत्यागी, वीर-हृदय भारतीय नवयुवकों को बुरे रास्ते पर जाने के कारण राजनैतिक अपराधों में फाँसी दी गई है, उनके कारण भारतवासियों का मन अधिक विचलित हो उठा है। विशेषतः इनके मनों की गति का आशातीत उलट जाने का कारण भारत में अनेक निर्दोषों को प्राण-दण्ड दिया जाना है। अस्तु।

मनुष्य सारी बुद्धि और ज्ञान के उपार्जन के बाद भी यह दावा नहीं कर सकता कि उससे भूल होना असम्भव है। जज लोग भी मनुष्य हैं, उनसे भी भूल होना सम्भव है। इस दशा में अगर किसी को अपराधी मान कर प्राण-दण्ड दे दिया गया और वह अपराधी न हुआ, तो कितनी भारी बुराई की बात होगी। इसीसे बचने के लिए न्याय-तत्त्व-वेत्ताओं का स्पष्ट मत है कि 'चाहे ९९ अपराधी बिना दण्ड पाए छूट जायँ; किन्तु एक भी निरपराधी को दण्ड न दिया जाय।' पुनः मान्य प्रमाण-शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि 'जहाँ किसी व्यक्ति के अपराधी होने में तनिक भी सन्देह हो, वहाँ न्यायाधीश का कर्तव्य है कि अपराधी को छोड़ दे।

किसी को प्राण-दण्ड दे देना सरल है, किन्तु उस प्राणी का पुनः उसी अवस्था में ला देना सर्वथा असम्भव है। इसलिए प्राण-दण्ड देना, मनुष्यता, ज्ञान, न्याय, दया और सच्चारित्र्य के विरुद्ध, बर्बरता, नीचता, क्रूरता और अदूरदर्शिता है।

किसी अपराधी को प्राण-दण्ड इसलिए दिया जाता है कि (१) वह फिर समाज का अनिष्ट करने के लिए संसार में बाक़ी न रहे। (२) समाज के दूसरे लोगों को प्राणों के भय से वैसा काम करने की हिम्मत न पड़े।

हम इन दोनों तर्कों में कोई तत्त्व नहीं पाते। एक प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराधी प्राण-दण्ड पाने के बाद न उस व्यक्ति को जिला देता है, जिसे उसने मारा था और न देश के दूसरे लोगों में भय सञ्चारित करता है। अगर वही आदमी प्राण-दण्ड पाने की अपेक्षा २० वर्ष तक अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहे—देश की जेल में ही अथवा देश के बाहर किसी स्थान में—तो उसने जितना अपकार किया है, उसका बदला चुका सकता है, और शायद वह बाद में सुधर कर समाज का अत्यन्त ही हितैषी बन जाय। इस दशा में साफ़ है कि प्राण-दण्ड देने से उतना लाभ नहीं है, जितना मनुष्य को जीवित रख कर उसे सच्चरित्र बनाने और समाज उपयोगी काम लेने से। जब हम दूसरे कारण को देखते हैं तो वह भी सत्य नहीं प्रतीत होता, न इष्ट ही जान पड़ता है। हम देखते हैं कि भारत में, आयर्लैण्ड में, रूस में—इतिहास से जहाँ कहीं का पता चलता है—ज्यों-ज्यों लोगों को प्राण-दण्ड दिए गए, त्यों-त्यों हत्याएँ बढ़ती ही गईं, घटीं नहीं। इसलिए समाज को प्राण-दण्ड से ऐसे कामों में तो बिल्कुल भय नहीं होता, जो निस्स्वार्थ भाव से उसी समाज के हित के लिए किए जाते हैं—जिसके हित के लिए सरकार हत्यारे को फाँसी देती है। यहाँ तो दोनों पक्षों का उद्देश्य एक होने के कारण बड़ा भारी तर्क खड़ा हो जाता है। साधारण अपराधों में भी मनुष्य स्वभाव-जनित दोष और भाव के बदलने से ही मिट सकते हैं, भय और दण्ड दिखाने से नहीं। आजकल शिक्षा-संस्थाओं में भयभीत करना और मारना जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य से रोका गया है, वही उद्देश्य यहाँ भी न्यायाधीशों का होना चाहिए; न कि प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर दण्ड देना।

नाटक का अन्धा

संसार के जितने नेत्र-रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी दवा सम्भव है, किन्तु नाटक के अन्धे को आँख वाला बना देना सर्वथा असम्भव है। इसका कारण यही है कि वह अन्धा नहीं है, किन्तु अन्धा बनने का कारणवशात् बहाना करता है। आज हमारे मुसलमान भाइयों की भी यही दशा है। मुसलमान नेता—सर आग़ा ख़ाँ हों या मि० जिन्ना अथवा मौलाना शौकत या कोई और—यह लोग देश के हिताहित को समझते हैं, यह अपने माँगों के भीतर छिपी हुई अराष्ट्रीयता के ढङ्ग को पहचानते हैं, इनके मन में भी स्वतन्त्रता की आकांक्षा है, परन्तु लाचार हैं। यह नौ नक़द के आगे तेरह उधार की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं?

भारत की स्वतन्त्रता के द्रोही बाज़ी हारते देख अपना ट्रम्प-कार्ड बड़ी होशियारी के साथ काम में लाना चाहते हैं। इसीसे इनकी हार बच सकती है। भारतवर्ष की बाज़ी में एक ही चोर है। यह चोर है हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न और विपक्ष का ट्रम्प-कार्ड है हिन्दू-मुस्लिम फूट !!

हमारे भारत के ऐंग्लो-इण्डियन कृपा-निधान और विलायत के सङ्कीर्ण दलयुक्त गौराङ्ग-महाप्रभु और भारत के हलालख़ोर अङ्गरेज़ पेन्शनर, मुसलमानों को बहुत दिनों से अपने मुट्ठी में करने की चेष्टा करते आ रहे हैं और मुसलमान नेता भी उनके हाथ की पुतली बने हैं। सर आग़ा ख़ाँ अङ्गरेज़ों के पुराने दिलदादः और भारत के तमाम हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर आमादः हैं। मौलाना शौकत साहब को भी ख़िलाफ़त आन्दोलन समाप्त होने पर ऐसे मुरब्बी की ज़रूरत हुई और बिला लिहाज़ शिआ और सुन्नी के,उन्हीं की गोद में वे भी जा बैठे। मिस्टर जिन्ना, जो कल तक पहले हिन्दी बाद में मुस्लिम बनते थे, अपना ध्येय बदलने को बाध्य हुए !!!

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो या न हो, मुसलमानों को इतना लाभ अवश्य होगा :—

१—हिन्दुस्तान में अङ्गरेज़ों के रुपए से विलायती माल बेच कर धनवान होना और मज़े उड़ाना।

२—हिन्दुस्तान की पुलिस की सारी नौकरियाँ और दूसरे मुहकमों की आधी जगहें आत्मसात् करना।

३—विदेशियों के साथ मिल कर उनका हित साधन करते हुए अपना भी काम बनाना।

हमारे शासक महाप्रभू न लॉर्ड डफ़रिन के महामन्त्र को भूल सकते हैं, न सर बोम्फ़ाइल्ड फ़ुलर की प्यारी बीवी की अवज्ञा कर सकते हैं !!

हमारे सामने मालाबार, गुलबर्गा, कोहाट, लुण्डी-कोतल, मुल्तान, डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव प्रभृति स्थानों की घटनाओं का इतिहास है। ये सारी घटनाएँ हमें बतला रही हैं, कि हमारे मुसलमान धर्मावलम्बीय हिन्दू-भारत को किसी न किसी कारण स्वतन्त्र न होने देंगे। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स या लम्बी मेज़ परिषद् इस अवसर में भारत के सार्वजनिक हित की दृष्टि से सफल होने वाली नहीं है। महात्मा गाँधी के मन्त्रों से मुसलमान भाइयों के सर पर चढ़ा हुआ जिन अभी उतरना सम्भव नहीं है। यह भूत अगर धर्मान्धता का ही भूत होता, तो इसे टर्की और मिश्र के विद्वान

उतार सकते थे, लेकिन यह भूत असाधारण श्रेणी का है और कभी ब्रिटेन के उतारने से ही इसे उतरना पड़ेगा—लेकिन वह समय बुरा होगा।

हम सुदूर-भविष्य में नहीं, किन्तु निकट भविष्य में ही देख रहे हैं कि अखिल विश्व इस्लामी आन्दोलन और ख़िलाफ़त शोर-शर धराशाई हुआ धरा है। मुसलमान धर्मावलम्बी हिन्दू या तो स्पेन की तरह सब के सब ईसाई हो जायँगे या आज जो हिन्दुओं की दशा है, उससे अधिक बुरी इनकी दशा होगी। भारत को इस्लाम प्रेम के छल से ग़ुलाम बनाए रहने में विदेशियों की सहायता करने वाले देशघाती, न केवल भारत का ही बुरा करेंगे; बल्कि अपना, ईरान का, मिश्र का और टर्की आदि कई और एशियाई मुस्लिम शक्तियों का भी बुरा करेंगे।

अगर संसार की गति कुछ और ज़ोर पकड़ गई तो जिस क्रान्ति और मार धार को हरेक शान्ति-प्रेमी चाहता है कि न हो, वह बहुत जल्द पैदा होगी। इससे न केवल भारत की धरती नर-रक्त-रञ्जित नज़र आएगी, वरन् एशिया के अनेक भागों में भूकम्प होगा, धरा धसकेगी, समुद्र मर्यादा छोड़ेंगे, योगिनी, भूत तथा बैताल खप्पर लेकर नाचेंगे। महात्मा जी इस वीभत्स काण्ड को रोकना चाहते हैं, पर स्यात् अब न रोक सकेंगे।

❀ ❀ ❀

"सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं"

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

इसके बाद अभियुक्त ने अदालत की घटना के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किए। सफ़ाई के वकील ने कहा कि अभियुक्त यह प्रमाणित करना चाहता है कि गवाह ने अदालत में अपने आपको मज़ाक़ की वस्तु बना रक्खी थी, इसलिए उन मज़ाक़ों से सम्बन्ध रखने वाली बातें प्रासङ्गिक हैं।

कोर्ट इन्स्पेक्टर द्वारा गवाह से फिर प्रश्न करने पर गवाह ने कहा कि भवानीसहाय के दोषारोपण झूठे हैं और अदालत ने ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ४७६ के अनुसार अभियुक्त पर झूठा बयान देने का मामला चलाया है।

अभियुक्त रुद्रदत्त के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट मि० ईसर ने अभियुक्त रुद्रदत्त पर ताज़ीरात हिन्द की ३३२ और ३२३, दो दफ़ाओं के अनुसार अभियोग लगाया है। दफ़ा ३३२ में ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर आक्रमण करने का और दफ़ा ३२३ में केवल आक्रमण करने का अभियोग है। इन दोनों में से किसी अपराध के अपराधी पाए जाने पर अभियुक्त को दण्ड दिया जा सकता है।

अभियुक्त रुद्रदत्त ने कहा कि मैंने आक्रमण तो ज़रूर किया है, परन्तु उत्तेजना में किया था। मैं अपना पूरा बयान आगे दूँगा।

इसके बाद सरदार भागसिंह से सफ़ाई के वकील ने फिर जिरह प्रारम्भ की। जिरह में कई अफ़सरों पर सफ़ाई के वकील और सरदार भागसिंह में मनोरञ्जक मुठभेड़ें हुईं। इसके बाद सफ़ाई के वकील ने गवाह से कुछ आचरण सम्बन्धी प्रश्न किए, परन्तु अदालत ने उन प्रश्नों की इजाज़त नहीं दी।

प्र०—अदालत के जलपान के समय क्या आपसे और सरकारी वकील ख़ाँ साहब मोहम्मद अमीन से झगड़ा हो गया था और क्या आपने उन पर इस बात का आक्षेप किया था कि उन्होंने अपना बयान आपके बयान के बहुत कुछ विरुद्ध दिया था?

अदालत ने इस प्रश्न की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अभियुक्त रुद्रदत्त ने गवाह से फिर जिरह की।

श्री० एम० एन० रॉय के विरुद्ध पुलिस के भीषण अभियोग

कानपुर में २८वीं सितम्बर को मुक़दमा शुरू होने पर मि० दामोदर बरमन कार्निक सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, बम्बई की गवाही हुई। आपने कहा कि मैंने बहुत सी चिट्ठियाँ पकड़ी थीं और पुलिस के डिप्टी-कमिश्नर को दिखला कर ख़ुफ़िया पुलिस के डाइरेक्टर के पास भेज दी थीं। आपने अदालत के सामने चिट्ठियों की शिनाख़्त की। आपने कहा कि एक चिट्ठी किशनबिहारी रॉय के नाम से आई थी। किरनबिहारी रॉय न्यू इन्स्योरेन्स कम्पनी, बम्बई में नौकर था। आपने कहा कि मैं डाँगे को जानता हूँ, मैंने उन्हें १९२३ ई० में बम्बई में और १९२४ में कानपुर में देखा था।

श्री० एम० एन० रॉय ने कहा कि मेरी तरफ़ से कोई क़ानूनी सलाहकार नहीं है। आपने कहा कि मि० इक़बाल किशन मेरे निजी सलाहकार हैं। मिस्टर किशन को मेरे क़ानूनी सलाहकार होने का अधिकार नहीं मिला है। मुझे मजबूरन् तीन अर्ज़ियाँ देनी पड़ रही हैं। एक यह कि मुझे मि० ब्रजेशसिंह से मिलने दिया जाय। दूसरी यह कि मेरा बयान छापा जाय। तीसरी यह कि मुझे सब काग़ज़ात दिखाए जाएँ ताकि मैं अदालत के सामने अपना बयान दे सकूँ। श्री० एम० एन० रॉय ने कहा कि मुझे काग़ज़ात देखने में एक सप्ताह लगेगा।

इसके बाद बम्बई के ख़ुफ़िया पुलीस के इन्स्पेक्टर शेख़ हसन का बयान लिया गया। आपने कहा कि मैंने कुछ चिट्ठियाँ पकड़ी थीं और शिमला में ख़ुफ़िया विभाग के डाईरेक्टर के पास भेज दी थीं। इसके बाद ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट मि० एल० मुदालियर और कर्नलगञ्ज स्टेशन के अफ़सर मि० नादिरअली ख़ाँ की गवाहियाँ हुईं। नादिरअली ख़ाँ ने कहा कि मैं शौकत उसमानी को जानता हूँ। वह हबीब अहमद के नाम से राष्ट्रीय मुस्लिम स्कूल कानपुर में पढ़ाता था।

जलपान के बाद शशिभूषण भट्टाचार्जी ने बयान दिया। आपने कहा कि मैं नरेन्द्र भट्टाचार्जी को ख़ूब जानता हूँ, मैंने इन्हें पहिले-पहिल दिसम्बर, १९०६ में कॉङ्ग्रेस में देखा था। सरकारी वकील ने कहा कि इस बयान से यह साबित किया जाएगा कि अभियुक्त कौन है और इसका पहले चाल-चलन कैसा था? सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध, भारतवर्ष के बाहर जाना और सरकार के प्रति घृणा का भाव होना अक्षरशः सत्य है। श्री० रॉय ने कहा कि इन बातों पर राय क़ायम करना क़ानून के ख़िलाफ़ है। मेरे नाम वारण्ट निकलने के दस वर्ष पहले मैं भारतवर्ष से चला गया था। यदि सरकार से घृणा करने का दोष मुझ पर लगाया जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के ९० फ़ीसदी आदमी दोषी हैं। इस गवाह का इस मुक़दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह काम मेरे मुक़दमे को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है।

इसके बाद शशिभूषण ने बयान देते हुए कहा कि १९०७ में जो चाँदीपट्टा स्टेशन पर डकैती हुई थी वह मुझे ख़ूब याद है। रेलवे-स्टेशन, नरेन्द्र भट्टाचार्जी के गाँव कडोलिया से, एक मील से भी कम है। यह डकैती क्रान्तिकारियों द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुई थी, जिनमें एक नरेन्द्र भट्टाचार्जी भी थे। मैं क्रान्तिकारियों द्वारा की गई नतरा डकैती को भी जानता हूँ। नौ आदमी पकड़े गए थे, जिनमें नरेन्द्र भट्टाचार्जी भी थे। बाद में अभियुक्त छोड़ दिया गया था। मुझे नरेन्द्र भट्टाचार्जी पर विशेष नज़र रखने के लिए कहा गया था। १९१५ में कलकत्ता में गार्डन रीच में मोटर-डकैती हुई थी। अभियुक्त कलकत्ते में पकड़ा गया था और बाद में ज़मानत पर छोड़ दिया गया था। उसी दिन रात को बेलिया घाट में डकैती हुई। ख़बर मिलते ही नरेन्द्र भट्टाचार्जी को खोजा गया, मगर वह फ़रार हो गया। बाद में फ़रार असामी क़रार दिया गया। १९१५ के सितम्बर मास में मालूम हुआ कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी बटेविया पहुँच गया है और मि० सी० ए० मारटिन के नाम से पुकारा जाता है। मुझे १९१८-१९ में मालूम हुआ कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी बर्लिन में एम० एन० रॉय के नाम से रह रहा है। इसके बाद नरेन्द्र भट्टाचार्जी मास्को गया और थर्ड इण्टर नेशनल का सदस्य हो गया। मुझसे कहा गया था कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी का पता लगाओ, क्योंकि उसका घर मेरे घर से क़रीब तीन मील फ़ासले पर था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह बम्बई में पकड़ा गया है। नरेन्द्र भट्टाचार्जी का जन्म २४ परगने में अरबेलिया बदूरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पण्डित दीनबन्धु भट्टाचार्जी एक स्कूल में मास्टर थे। मि० एम० एन० रॉय असल में नरेन्द्र भट्टाचार्जी हैं।

इसके बाद मि० रॉय ने बतलाया कि ऊपर का बयान इस मुक़दमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता। मुक़दमे की कार्रवाई ९ अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री० रॉय ने हाईकोर्ट के नाम एक तार भेजा है कि मेरी ज़मानत की अर्ज़ी की सुनवाई की तारीख़ की सूचना मेरठ षड्यन्त्र-केस के सफ़ाई के वकील मि० सिनहा के पास भेज दी जाय। सरकारी गवाहियाँ ख़तम हो गई हैं। अब श्री रॉय अपना बयान अदालत के सामने देंगे।

❀ ❀ ❀

दूसरा गवाह

दूसरे गवाह सार्जेण्ट बैलक ने कहा कि मैं अदालत में मौजूद था, जब अभियुक्त ने सरदार भागसिंह पर आक्रमण किया था।

सफ़ाई के वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं अभियुक्तों से अक्सर मज़ाक़ किया करता था, परन्तु उस मज़ाक़ में कोई आपत्तिजनक बात न होती थी। चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ भी ऐसा ही किया करते थे।

प्र०—क्या अभियुक्तों के व्यवहार से आपका यह अनुभव है कि वे बिल्कुल सभ्य पुरुष हैं?

उ०—मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ।

सबूत पक्ष ने डॉ० किचलू को गवाही में नहीं पेश किया।

इसके बाद मामले की कार्रवाई आठ अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई।

❀ ❀ ❀

"सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं"

"ताँगे का किराया दिया था ?" डी० एस० पी० के अपमान का अत्यन्त मनोरञ्जक मामला

दिल्ली षड्यन्त्र केस की स्पेशल ट्रिब्यूनल की अदालत में डी० एस० पी० सरदार भागसिंह पर अभियुक्त रुद्रदत्त ने जो थप्पड़ लगाया था, उसके सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० ए० ईसर के सामने सबूत की ओर से गवाही हुई।

सरदार भागसिंह ने कहा कि २६ अगस्त को अभियुक्त भवानीसहाय के लाए जाने के लिए दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई थी। इस बीच में जब मैं अदालत के कमरे से टेलीफ़ोन के कमरे में जा रहा था, तब अभियुक्त हज़ारीलाल ने मुझसे मज़ाक़ किया। हज़ारीलाल ने कहा—"यह आपके मित्र कैलाशपति के लिए है।" मैं आगे जा ही रहा था कि अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन ने अपमानजनक ढङ्ग से कहा—"चुप रहो, निकल जाओ" या ऐसा ही कुछ कहा। इस पर मैं रुक गया और मैंने इस प्रकार से बातचीत करने के लिए मना किया। इतने में अभियुक्त रुद्रदत्त ने कटघरे पर से झुक कर मेरे चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद जब मैं टेलीफ़ोन के कमरे की ओर बढ़ा तब अभियुक्त ने एक जूता फेंक कर मारा जो कि मेरे माथे पर लगा। कठघरे के सीख़चों के बाहर डॉ० किचलू अभियुक्त बिमलप्रसाद के नज़दीक खड़े थे। मैंने उन्हें अभियुक्त को मना करते हुए देखा। अभियुक्त ने पहले-पहल जो कुछ मुझसे कहा था उसकी भाषा बहुत ही घृणित थी। अभियुक्त के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप मुझे बहुत दर्द रहा। मैं आगे नहीं गया और अदालत के कमरे में ही बैठ गया। इसके बाद मैंने ज़बानी और लिख कर प्रेज़िडेण्ट से रिपोर्ट की।

घर पहुँचने पर मुझे दर्द मालूम हुआ और मैंने आईने में देखा कि कोई देख पड़ने लायक़ चोट तो नहीं है। मैंने अपने माथे पर साफ़े के नीचे एक लाल चिन्ह देखा।

कोर्ट इन्स्पेक्टर के पूछने पर गवाह ने कहा कि दिल्ली षड्यन्त्र-केस की कार्रवाई प्रारम्भ होने के समय कुछ दिनों तक सबूत पक्ष का प्रबन्ध मेरे ही अधिकार में था। दो सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो जाने के बाद भी मैं सबूत पक्ष की कार्रवाइयों में डी० एस० पी० की हैसियत से भाग लिया करता था।

कोर्ट इन्स्पेक्टर—"क्या अदालत में आपके विरुद्ध अभियुक्तों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था?

अदालत—इस प्रश्न का क्या प्रसङ्ग है?

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने प्रश्न के तात्पर्य को बतलाया। इस पर अदालत ने उपर्युक्त प्रश्न पूछने की इजाज़त दे दी। गवाह ने कहा कि अभियुक्त अदालत में रोज़ ही मेरे विरुद्ध आक्षेपजनक शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। क़रीब एक महीना हुआ, अभियुक्त रुद्रदत्त ने एक बार कहा था कि, "सरदार जी, याद रखिए, हम सभी लोग हिरासत में नहीं हैं, हमारे कुछ साथी बाहर हैं और वे आपको ज़रा देर में समाप्त कर सकते हैं।" दिल्ली षड्यन्त्र केस के दूसरे अभियुक्त विद्याभूषण ने भी कहा कि तुम जल्दी ही समाप्त कर दिए जाओगे। अदालत ने विद्याभूषण की बात नहीं दर्ज की, क्योंकि विद्याभूषण इस मामले का अभियुक्त नहीं था।

जिरह

सफ़ाई के वकील मि० रघुबीरसिंह की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मेरा कार्य मामला चलाना और उसके लिए काग़ज़ों की तैयारी करना है।

प्र०—क्या आपने षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में पुलिस के सामने दिए हुए बयानों का सम्पादन किया था?

गवाह—"मैं सम्पादक नहीं हूँ।" (इस पर हँसी हुई)

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया।

प्र०—क्या दिल्ली षड्यन्त्र केस की जाँच के समय जो बयान दर्ज किए गए थे, वे आपके पास भेजे गए थे?

उ०—बयान मेरे पास नहीं भेजे गए थे, परन्तु मि० पील ने मेरे पास 'इण्टेरिम' (मध्यवर्त्ती) रिपोर्ट भेजी थी। दिल्ली आने पर मि० पील ने मुझे दिल्ली षड्यन्त्र सम्बन्धी कुछ काग़ज़ात दिए थे।

प्र०—क्या उस समय तुम्हें बयान दिए गए थे?

अदालत ने इस प्रश्न को प्रसङ्गहीन कह कर उसे पूछने की इजाज़त नहीं दी।

प्र०—मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते थे, क्या उनके दर्ज करने का अधिकार आप ही को दिया गया था?

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न पर आपत्ति करते हुए कहा कि अभियुक्त पक्ष केवल इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों को पूछ सकता है, षड्यन्त्र केस के बाहर के कार्यों के सम्बन्ध में गवाह से प्रश्न नहीं किया जा सकता।

सरदार रघुबीरसिंह ने कहा कि मैं गवाह की ड्यूटी की हद के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, सबूत पक्ष का विरोध हास्यास्पद है।

अदालत ने प्रश्न की इजाज़त दे दी।

गवाह ने प्रश्न के उत्तर में कहा—कि हाँ, बयानों के दर्ज करने का अधिकार मुझे दिया गया था। गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध गवाहियों का संक्षिप्त विवरण भी तैयार किया था। जाँच करना मेरा कार्य नहीं था। सन् १६१८ में मैं सबूत पक्ष का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु सन् १६१६ में गुजराँवाला के मार्शल लॉ काण्ड की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद दो या तीन बार और भी मैं जाँच के कार्य में नियुक्त किया गया था। परन्तु मुझे जाँच का कार्य याद नहीं है। मैं कुछ समय तक पञ्जाब पुलिस के सी० आई० डी० विभाग में रह चुका हूँ। रावलपिण्डी में मेरे मकान में सेंध लगी थी। उसमें जिस अभियुक्त का चालान किया गया था, वह मेरा एसिस्टैण्ट था।

हरद्वारीलाल ने मुझसे कुछ शब्द ऐसे कहे जो कि मैंने मुख़बिर कैलाशपति के सम्बन्ध में, जब कि वह बीमार था, अदालत में एक बार जल्दी में कहा था। मैंने उसे मज़ाक़ समझा। मैंने हरद्वारीलाल से "दोस्त" शब्द का प्रयोग व्यङ्ग में नहीं किया था। जूता जो मेरी ओर फेंका गया था, वह बिलकुल चप्पल की तरह था।

प्रेज़िडेण्ट ने मुझसे यह नहीं कहा था कि घटना अदालत के स्थगित रहने के समय हुई है, इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, गवाह चाहे तो अलग अपनी तरफ़ से दावा दायर कर सकता है। अभियुक्त मेरे प्रति कटु आक्षेप किया करते थे। उदाहरण के लिए वे अक्सर कहा करते थे कि, "सरदार जी, अब इस समय १२ बजे दोपहर का समय है।" (इस पर हँसी हुई) रुद्रदत्त भी अक्सर कहा करता था, "सरदार जी, आपका ताँगा खड़ा है, क्या आपने किराया दे दिया है।" (इस पर फिर हँसी हुई)

प्र०—क्या आपने कभी उनसे मज़ाक़ किया?

उ०—नहीं।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

दूसरे दिन जिरह के उत्तर में डी० एस० पी० सरदार भागसिंह ने कहा कि १७ जुलाई को एक गवाह को, जो कुछ काग़ज़ात दिखला दिए गए थे, उसके सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने मुझसे बयान देने को कहा था। आपने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे विरुद्ध गवाहों को सिखलाने का दोषारोपण किया गया था। यह ठीक है कि अभियुक्त भवानीसहाय ने ट्रिब्यूनल के सामने कहा था कि मैंने उसे डराया, धमकाया और कुछ बयानों के देने के लिए प्रलोभन दिया था। यह मुझे याद है कि ट्रिब्यूनल के सामने एक बार शिकायत की गई थी कि कठघरे के पास खड़े हुए कॉन्स्टेबिल अभियुक्तों की बातचीत सुन लेते हैं। इस विषय में मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। अभियुक्तों ने या सफ़ाई के वकीलों ने मुझसे अभियुक्तों के कठघरे से दूर रहने के लिए कभी नहीं कहा था। मुझे यह ठीक-ठीक याद नहीं है कि अभियुक्त बिमल और रुद्रदत्त ने किन शब्दों का प्रयोग किया था। भाषा घृणित थी। मैं इस तरह की बातों से कभी क्रुद्ध नहीं हुआ। सार्वजनिक नौकर की हैसियत से मुझे ऐसी गालियों को धैर्य के साथ सहन करनी पड़ती हैं।

अभियुक्तों ने इस पर हर्षध्वनि की।

घटना की थोड़ी ही देर बाद डॉ० किचलू ने मुझसे इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा, क्योंकि अभियुक्त थोड़ी उम्र का लड़का है। उन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न करूँगा कि वह माफ़ी माँग ले।

मैंने डॉ० किचलू से कहा कि इस विषय पर विचार करूँगा। मैंने लिखित शिकायत अदालत की कार्रवाई स्थगित हो जाने के बाद प्रेज़िडेण्ट को दे दी थी। मैं इस मामले को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे माफ़ी माँगने का प्रस्ताव ही क्यों न किया जाय। मैं अभियुक्तों से कठघरे में बातचीत किया करता था।

अभियुक्त द्वारा जिरह

इसके बाद अभियुक्त रुद्रदत्त ने सरदार भागसिंह से जिरह की। गवाह ने कहा कि यह बात ठीक है कि एक बार जब सरकारी वकील विषय के बाहर बात करने लगे थे, तब मैंने उन्हें खींच कर बैठा दिया था।

अभियुक्त ने अन्य अनेक प्रश्न किए जिन्हें अदालत ने अप्रासङ्गिक कह कर नहीं पूछने दिया।

अभियुक्त—क्या आप जालन्धर की अदालत से किसी बेईमानी के लिए बाहर कर दिए गए थे?

गवाह—नहीं। मैं 'बेईमानी' शब्द का ज़बरदस्त विरोध करता हूँ।

अदालत—आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए, जब तक कि इस विषय पर सलाह न ले लें।

रुद्रदत्त—कृपया बेईमानी के लिए मुझे दूसरा शब्द बतला दीजिए।

इसके बाद गवाह ने कहा कि जब से चन्द्रावती का कैलाशपति के नाम लिखा हुआ पत्र अदालत में पेश किया तब से चन्द्रावती मुझसे नहीं मिली।

(शेष मैटर ११वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



देश की वेदी पर

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

वह भिखारिणी थी। उसका कोई नाम नहीं था; न तो वह स्वयं अपना नाम जानती थी और न और दूसरे लोग। विएना के प्रातर मुहल्ले में वह अधिक दिखाई दिया करती थी, इसीलिए लोग उसे प्रातर की भिखारिणी के नाम से पुकारते थे। वह युवती थी, उसके मुख पर माधुर्य था; परन्तु जिस प्रकार मिश्री का मिठास अरहर की दाल में पड़ कर नष्ट हो जाता है, या छिप जाता है, इसी प्रकार उसकी माधुरी दरिद्रता के कारण पैदा हुई चिन्ताओं में निहित रहती थी।

आगे-पीछे उसका कोई न था। ऐसा भी नहीं कि जिसे वह अपना समझ भी सके। उसका कोई घर भी न था। वह यह न जानती थी कि वह कहाँ उत्पन्न हुई थी और न उसे इस बात का ही ज्ञान था कि वह कहाँ धराशाई होगी। संसार में रहते हुए भी वह संसार से बिल्कुल अपरिचित थी।

उसका कोई सहायक भी न था, जो कभी-कभी उससे कुछ सहानुभूति ही दिखा दे। वह, जो कुछ मिल जाता, उसे खा लेती, जो कुछ मिल जाता, उसे पहन लेती। लोगों की उसके विषय में अनेकों धारणाएँ थीं और उन्हीं धारणाओं के आधार पर लोगों के हृदयों और घरों में उसके लिए स्थान था। कोई उसे मायाविनी समझता और इसीलिए उसका तिरस्कार करता। कोई उसे वेश्या समझता और इसीलिए उससे घृणा करता। कोई उसे पागल समझता और इसीलिए उसकी हँसी उड़ाता। बदनामी—और वह भी असत्य—दरिद्रता की सगी बहन है। धन सारे दोषों पर पर्दा डाल देता है, दरिद्रता गुणों को भी दोष के रूप में दिखाती है। दरिद्रता वह दर्पण है, जिसका शीशा समतल नहीं होता और जिसमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का रूप विकृत दिखाई पड़ता है।

❀ ❀ ❀

अर्द्धरात्रि का समय था। रिंगस्रास-स्थित औपरा में खेल समाप्त हो चुका था। लोग लौट कर अपने घरों को जा रहे थे। औपरा से लौटे हुओं में दो सिपाही भी थे। सैनिकों की वर्दी पहने दोनों घर की ओर जाने के लिए एक छोटी गली में मुड़े। उन्हें एक चीख़ सुनाई दी। सामने से एक बालिका भागी हुई आ रही थी। वह थी भिखारिणी। उसके पीछे एक व्यक्ति शराब के नशे में चूर दौड़ रहा था। दोनों सैनिक उस ओर दौड़े। उन्हें देख कर शराबी एक ओर को भाग गया। भिखारिणी वहाँ खड़ी रही। सैनिक उसके पास पहुँचे तो वह दौड़ने के कारण लम्बी-लम्बी श्वासें ले रही थी। सैनिकों ने जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और पास ही पड़ी हुई एक बेञ्च पर उसे बिठा दिया।

'वार तो नहीं कर दिया था उसने?'—एक सैनिक ने पूछा।

'वार तो करता, परन्तु आप लोग आ गए।'

'तुम प्रसन्न नहीं हो, कि हम लोगों ने तुम्हारी रक्षा की?'

'प्रसन्न तो हूँ, परन्तु यह नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं।'

'क्या रक्षक के विषय में न जानने से रक्षा का महत्त्व कम हो जाता है?'

'कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है।'

'यह क्यों?'

'रक्षा के उद्देश्य से।'

'रक्षा के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं?'

'क्यों नहीं। कोई डूबते हुए को तालाब से इसी लिए निकालता है कि उसे एक अन्धकूप में ढकेल दे। कोई अन्धकूप से इसलिए निकालता है कि उसे प्रकाश में ला बिठाए।'

'हमारा उद्देश समझती हो?'

'बिना आपको जाने?'

'परिचय करा दें?'—एक सैनिक ने कहा।

'अच्छा होगा।'

'मेरा नाम कार्ल है। मैं ऑस्ट्रियन सेना में एक अफ़सर हूँ। कुछ दिन हुए मैं विएना में आया हूँ और तुम्हें देख कर प्रसन्न ही हूँ।'

'और आप?'—कह कर भिखारिणी ने दूसरे सैनिक की ओर देखा।

'मेरा नाम पीट्रोविच है। मैं रशियन सेना में एक अफ़सर हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं ऑस्ट्रिया आया हूँ और अपने परम मित्र कार्ल के साथ विएना की सैर कर रहा हूँ। मैं भी आपको देख कर अत्यन्त प्रसन्न हूँ।'

जिस समय पीट्रोविच यह कह रहा था, उसके नेत्र भिखारिणी की ओर गड़े हुए थे। उस दृष्टि में जो भाव थे, वे भिखारिणी को अच्छे न लगे। भिखारिणी ने कुछ कहा नहीं, परन्तु वह दृष्टि उसके हृदय में अङ्कित हो गई।

'तुम भी अपने विषय में कुछ बतलाओ।'—कार्ल बोला।

'क्या करेंगे पूछ कर?'

'कुछ हानि है?'

'आप जान कर पछताएँगे।'

'क्यों?'

'क्योंकि मेरा परिचय कुछ है ही नहीं।'

'कुछ तो होगा ही।'

'कुछ होता तो बता न देती!'

'नाम क्या है?'

'मुझे पता नहीं।'

उत्तर सुन कर दोनों सैनिक हँसने लगे।

'आप हँसते क्यों हैं?'—भिखारिणी ने पूछा।

'तुम्हारे उत्तर पर। भला कोई ऐसा भी व्यक्ति है, जिसका नाम न हो?'

'मैं ही एक ऐसी हूँ।'

'पुकारी किस प्रकार जाती हो?'

'भिखारिणी के नाम से।'

'भिखारिणी?'

'हाँ! इस भाग में सब यही कह कर मुझे पुकारते हैं।'

यह सुन कर दोनों सैनिक हँस कर भिखारिणी का मज़ाक़ बनाने लगे। भिखारिणी बिना कुछ कहे चल दी। सैनिक कुछ देर देखते रहे। पीट्रोविच अब भी हँस रहा था। कार्ल ने कुछ देर विचारा और कहा—पीट्रोविच, हँसी रोक दो। हमने यह बड़ा अपराध किया है। वह बुरी लड़की नहीं है।

'यह सब बातें व्यर्थ हैं।'

'मैं गम्भीर हूँ, पीट्रोविच!'

'फिर क्या करोगे?'

'उससे क्षमा माँगेंगे?'

'माँगेंगे? मैं नहीं।'

'तो मैं जाता हूँ।'

कार्ल आगे बढ़ा। पीट्रोविच कुछ देर देखता रहा, वहाँ से हटा नहीं। सामने सड़क पर भिखारिणी बढ़ी चली जा रही थी, कार्ल ने दौड़ कर उसे पकड़ा।

'और मज़ाक़ बनाओगे? इसी उद्देश्य से मेरी रक्षा की थी? सभ्य-समाज के सपूत!'—भिखारिणी ने कहा।

'मज़ाक़ बनाने नहीं आया, भिखारिणी, क्षमा माँगने आया हूँ।'

'क्षमा क्यों माँगते हो? यह तो नई बात है। आज तक सैकड़ों पुरुषों ने भिखारिणी को मज़ाक़, विनोद, तिरस्कार, सन्देह की दृष्टि से देखा है, परन्तु किसी ने क्षमा नहीं माँगी।'

'यह उनका अत्याचार है। परन्तु मैं तुमसे क्षमा अवश्य माँगूँगा। नहीं तो मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश होगा।'

'अच्छा, क्षमा कर दिया!'—भिखारिणी ने हँस कर कहा।

कार्ल भी हँस दिया, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा कर कहा—शेक!

भिखारिणी ने हाथ मिलाया।

'अब हम मित्र हैं।'—कार्ल ने कहा।

'भिखारिणी के मित्र?'—भिखारिणी ने पूछा।

'हाँ।'

इतने ही में पीट्रोविच भी वहाँ आ गया। वह यह सब कुछ देख रहा था। कार्ल को भिखारिणी से घनिष्ठता बढ़ाते हुए देख कर उससे भी न रहा गया। वह क्यों घाटे में रहे और भिखारिणी तथा कार्ल की दृष्टि में बुरा बने। उसने आते ही कहा—मुझे क्षमा करना, भिखारिणी! मैं देर से आया हूँ।

'दुःख प्रकाशित करने?'

'हाँ।'

'सोच-विचार के बाद?'

'हाँ। क्या वे बातें भुला दी जायँगी?'

सबने 'हाँ' कहा और हँसने लगे।

'तुम्हें घर पहुँचा आवें?'—कार्ल ने कहा।

'भिखारिणी का घर कहाँ?'

'रात को कहाँ रहती हो?'

'कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ जगह देखी, पड़ रही।'

'अब कहाँ जाओगी ?'

'ऐसी ही जगह की खोज में।'

कार्ल और पीट्रोविच दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर कार्ल बोला—पीट्रोविच, यदि इन्हें होटल लाया जाय तो कैसा ?

'होटल में, किस लिए ?'—भिखारिणि ने पूछा।

'डरती हो ?'

'नहीं।'

'तो फिर आपत्ति कैसी ?'

'आपको इतना कष्ट क्यों दूँ ?'

'अब तो मित्रता के नाते इस बात का तुम्हें अधिकार है।'

'कब तक ?'

'कल तक। फिर एक घर ले लेंगे। तुम घर की देख-रेख करोगी और हम उसमें रहेंगे। स्वीकार है ?'

भिखारिणि ने कुछ देर कार्ल की ओर देखा, कुछ देर पीट्रोविच की ओर। फिर कार्ल की ओर एक कृतज्ञता की दृष्टि डालते हुए उसने कहा—स्वीकार है, क्योंकि.........

'क्योंकि........?'—कार्ल ने पूछा। और साथ ही दोनों मित्र उत्तर के लिए उसके मुख की ओर देखने लगे।

'आप लोग इतने दयालु हैं।'—कुछ देर सोच कर भिखारिणि ने कहा। उसने किसी एक का नाम नहीं लिया था, अतः दोनों का इस उत्तर से कुछ सन्तोष नहीं हुआ, परन्तु उत्तर देते समय भिखारिणि ने जिस प्रकार कार्ल की ओर देखा, उससे कार्ल को प्रसन्नता हो गई।

'हाँ, तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे ?'—चलते-चलते कार्ल ने पूछा।

'भिखारिणि।'

'अब नहीं।'

'फिर ?'

'कोई नाम रक्खेंगे। क्यों पीट्रो ?'

'तुम्हीं रक्खो। मैं तो औस्ट्रियन नाम जानता ही नहीं।'—पीट्रोविच ने कहा।

'फ़्रिस्सी ! कहो, कैसा रहेगा ?'—कार्ल ने पूछा।

दोनों ने अपनी सम्मति दे दी।

२

कार्ल, पीट्रोविच तथा फ़्रिस्सी तीनों उस घर में रहने लगे। फ़्रिस्सी घर के काम-काज में इतनी निपुण होगई कि मानो वह सदा से उसी प्रकार के वातावरण में रही थी। वह घर की सफ़ाई करती, भोजन बनाती, दोनों मित्रों के वस्त्रों का हिसाब रखती, हर प्रकार से उनकी सेवा करती। उसे, एक आधार मिल जाने के कारण, काम करने में एक अभूतपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती थी। वह कार्ल और पीट्रोविच की दयालुता से दबी हुई थी और उस भार को हलका करने के लिए वह सदा इस बात की चिन्ता रखती थी कि उन दोनों को किसी प्रकार का दुःख न होने पाए। उनके लिए छोटे-छोटे काम करने में भी उसे अपार सुख होता था। उसने अपने रहन-सहन, बोल-चाल में भी इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह वही प्रातर की भिखारिणी है। कार्ल ने उसे पढ़ने का शौक़ लगा दिया था। वह कार्ल से जर्मन पढ़ती थी और पीट्रोविच से रशियन। कभी-कभी जब कार्ल और पीट्रोविच झगड़ते तो वह माता का काम करती। उन्हें डाँटती, समझाती, आँसू पोंछती और उनमें फिर से मेल करा देती थी। फ़्रिस्सी पीट्रोविच को इतना पसन्द नहीं करती थी, जितना कार्ल को; फिर भी वह दोनों को समान दृष्टि से देखती थी।

कार्ल और पीट्रोविच दोनों ही फ़्रिस्सी को प्रेम की दृष्टि से देखने लगे थे। फ़्रिस्सी चाहे जो कुछ रही थी, परन्तु अब वह एक आदर्श बालिका थी। दोनों को उसे प्राप्त करने की आशा थी, परन्तु कोई इस विषय में दूसरे से कुछ भी न कहता था। न तो कार्ल को यह पता था कि पीट्रोविच फ़्रिस्सी को इस दृष्टि से देखता था और न पीट्रोविच इस बात को जानता था कि कार्ल फ़्रिस्सी को प्रेम करता था। न उनमें से किसी ने अभी तक अपनी इच्छा फ़्रिस्सी को ही जताई थी।

कुछ समय इस प्रकार निकल गया। यूरोप के आकाश में महायुद्ध के बादल मँडराने लगे। औस्ट्रिया और सर्विया में युद्ध छिड़ गया और रूस ने सर्विया का पक्ष लिया। युद्ध की घोषणा होते ही सारे देश में हलचल मच गई। जहाँ-जहाँ सैनिक लोग थे, वहाँ-वहाँ उनके पास तार पहुँचने लगे कि शीघ्र ही वे सेनाध्यक्ष के यहाँ अपनी हाज़िरी दें।

कार्ल के मकान में नीचे फ़्रिस्सी रहती थी और ऊपर अलग-अलग दो कमरों में कार्ल और पीट्रोविच। एक समय पर ही तार वाले ने एक तार पीट्रोविच को दिया और दूसरा कार्ल को। उस समय रात्रि थी। फ़्रिस्सी ने जाग कर ही तार वाले से वे तार लिए थे और दोनों मित्रों के कमरे में पहुँचाए थे। पीट्रोविच ने तार पढ़ा। उसे औस्ट्रिया छोड़ कर रूस के सीमान्त प्रदेश में शीघ्र पहुँचने का आदेश था। उसने घड़ी देखी, गाड़ी में दो घण्टे थे। वह सामान बाँध कर फ़्रिस्सी और कार्ल से मिल सकता था। फ़्रिस्सी से वह विशेष रूप से मिलना चाहता था। वह आज फ़्रिस्सी के सामने अपना प्रेम प्रकट करना चाहता था और चाहता था उससे विवाह की सम्मति प्राप्त करना और उसे अपने साथ रूस ले जाना। उसे फ़्रिस्सी की सम्मति की विशेष आशा नहीं थी; फिर भी वह निराश न था। उसे यह पता न था कि फ़्रिस्सी के हृदय में कार्ल के प्रति कैसे भाव हैं। उसने स्वयं मुस्कुराते हुए सामान बाँधना शुरू कर दिया।

कार्ल ने भी तार पढ़ा। उसे भी सेनाध्यक्ष के यहाँ उपस्थित होने का आदेश था। वह तार पढ़ कर घड़ी देखना और गाड़ी का समय ठीक करना और सामान बाँधना सब कुछ भूल गया। उसके सामने केवल एक समस्या थी। फ़्रिस्सी का क्या होगा, यही विचार उसके मस्तिष्क को घेरे हुए था। उसके कारण फ़्रिस्सी यहाँ आकर रही थी। उसीने उसे इस योग्य बनाया था। अब वह उसे इस प्रकार निस्सहाय नहीं छोड़ सकेगा। वह उससे विवाह ही क्यों न कर ले और उसे अपने ग्राम में छोड़ कर, युद्ध पर चला जाय ? वह उसे प्रेम करता ही था। उसने भाग्य-परीक्षा करनी चाही। लबादा पहन कर वह नीचे पहुँचा। फ़्रिस्सी अभी सोई न थी, उसके कमरे में प्रकाश था। कार्ल ने पुकारा—फ़्रिस्सी !

'कार्ल !'—कमरे में से फ़्रिस्सी ने पुकारा।

'हाँ, मैं हूँ कार्ल, फ़्रिस्सी ! भीतर आ जाऊँ ?'

'आओ !'

फ़्रिस्सी ने द्वार खोल दिया। कार्ल भीतर जाकर कुर्सी पर बैठ गया।

'कहो कार्ल !'—फ़्रिस्सी ने पूछा।

'यह पढ़ो।'—कह कर कार्ल ने तार उसके हाथ में दे दिया।

'युद्ध के लिए !'—ओह, भगवान ! फ़्रिस्सी ने तार पढ़ कर कहा।

'क्यों, युद्ध के नाम से इतना भय, फ़्रिस्सी ?'

'नहीं कार्ल, युद्ध के नाम से नहीं, किसी और विपत्ति से भी नहीं। डर मैंने सीखा नहीं है। परन्तु मैं कुछ और सोच रही थी।'

'अपने विषय में ?'

'नहीं।'

'पीट्रो के विषय में ?'

'नहीं।

'फिर ?'

'कार्ल के विषय में।'

'क्यों ?'

'यह न पूछो, कार्ल ! कभी इसके बताने के लिए समय मिलेगा। अभी तो जाओ, युद्ध के लिए। औस्ट्रिया को तुम्हारी सेवाओं की, तुम्हारे बल की, तुम्हारी विद्या की और तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है।'

'तुम्हारा क्या होगा, फ़्रिस्सी ?'

'कुछ नहीं, कार्ल, मेरी चिन्ता न करो। मैं तो उसी जगत में फिर चली जाऊँगी, जहाँ से आई थी।'

'भिखारिणि होकर ?'

'हाँ।'

'अब उस जगत में रह सकोगी ?'

'हाँ, रह सकूँगी—इन महीनों की मधुर स्मृतियों के सहारे।'

'फ़्रिस्सी।'

'कार्ल !'

'ऐसा न करो।'

'फिर ?'

'मेरे साथ चलो।'

'कहाँ ?'

'मेरे ग्राम को।'

'इस प्रकार ?'

'नहीं।'

'तो ?'

'ज़रा गम्भीर होकर सुन सकोगी ?'

'हाँ, कहो।'

'साहस नहीं होता।'

'कह भी दो। देर न करो।'

'मेरी...स्त्री...होकर।'—कह कर कार्ल ने शिर नीचा कर लिया।

'कार्ल !'—कह कर फ़्रिस्सी उसकी ओर देखने लगी।

'मैंने अब तक तुम्हें न बताया था, फ़्रिस्सी ! परन्तु मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ।'

'और मैं भी कार्ल !'

'फ़्रिस्सी !'—कार्ल चिल्ला उठा और अपनी मस्त आँखें फ़्रिस्सी की आँखों के सामने ले गया। उसके हाथों में फ़्रिस्सी के हाथ थे।

'स्वीकार है ?'—उसने पूछा।

फ़्रिस्सी ने शिर 'हाँ' में हिला दिया।

कार्ल के वक्षस्थल में फ़्रिस्सी छुपी हुई थी कि पीट्रोविच आ गया। कार्ल और फ़्रिस्सी को इस प्रकार अकेले में देख कर, उसकी क्रोधानल प्रज्वलित हो गई। उसका मुख तमतमा गया। वह शायद इसे कार्ल के लिए अनधिकार चेष्टा समझता था, इसलिए वह कार्ल का नाम लेकर तेज़ी से बोला—कार्ल ! तुम्हारी यह धृष्टता !

'धृष्टता नहीं अधिकार, पीट्रोविच सुख-सम्वाद सुनने के लिए तुम ठीक समय पर आए हो।'—कार्ल ने हँस कर उत्तर दिया।

'सुख-सम्वाद कैसा ?'

'मैं और फ़्रिस्सी विवाह करने जा रहे हैं।'

'विवाह ?'

'हाँ'

'फ़्रिस्सी का और तुम्हारा ?'

'हाँ।'

'यह तुम्हें भ्रम है, कार्ल। तुम नहीं जानते कि फ़्रिस्सी से विवाह की स्वीकृति लेने ही मैं आया हूँ।'

'इसका निर्णय तो फ़्रित्सी ने कर दिया।'

'कर कैसे दिया? बिना मुझसे मिले?'

'तुम्हारी उसमें क्या आवश्यकता थी?

'मैं फ़्रित्सी को प्रेम करता हूँ।'

'फ़्रित्सी को भी तो प्रेम करने का अधिकार है।'

'है।'

'फ़्रित्सी तुम्हें प्रेम नहीं करती।'

पीट्रोविच ने फ़्रित्सी की ओर देखा और पूछा—फ़्रित्सी, क्या कार्ल को?

'हाँ, पीट्रो।'

'यह मुझे पता न था। मैं धोखे में मारा गया और इसीलिए तुम्हें हाथ से खो रहा हूँ।'

'धोखा नहीं, पीट्रो, बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। एक स्त्री दो पुरुषों की सेविका हो सकती है, परन्तु उसके प्रेम पर केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार हो सकता है। वह अधिकार मैं कार्ल को दे चुकी हूँ।'

'अच्छा फ़्रित्सी, रक्खो अपने कार्ल को और उसके क्षुद्र प्रेम को!'—कह कर पीट्रोविच द्वार की ओर जाने लगा।

'मुझे दुःख है, पीट्रो!'—फ़्रित्सी ने कहा।

'सब ठीक है।'—पीट्रो ने उत्तर दिया। वह अभी द्वार तक न पहुँचा था कि कार्ल ने उसको पुकारा। पीट्रो खड़ा हो गया।

'अन्तिम बार मुझसे न मिलोगे, पीट्रो?'—कार्ल ने बड़े करुण स्वर में कहा।

'तुम से मिलूँगा! अब हमारा-तुम्हारा मिलन उस समय होगा जब रूस की फ़ौजें ऑस्ट्रिया के नगरों को ध्वंस कर रही होंगी और जब तुम एक क़ैदी की भाँति मेरे सामने लाए जाओगे।'

वह चला गया। कार्ल और फ़्रित्सी कुछ समय तक स्तब्ध बैठे रहे।

३

कार्ल और फ़्रित्सी का विवाह उसी दिन हो गया। कार्ल ने अपने ग्राम में फ़्रित्सी को छोड़ दिया और वह युद्ध में लड़ने के लिए चल दिया। कार्ल अकेला था, उसके माता-पिता का देहान्त हो चुका था। अतः फ़्रित्सी को घर में अकेले ही रहना पड़ा।

फ़्रित्सी इस प्रकार कुछ दिनों तक ही रही थी कि ग्राम में रशियन सेना के आक्रमण की बात फैल गई। 'रूसी लोग आ रहे हैं, रूसी लोग आ रहे हैं' की ध्वनि ही चारों ओर सुनाई देती थी। कुछ व्यक्तियों ने ग्राम को छोड़ दिया था और वे विएना चले गए थे। फ़्रित्सी कहीं नहीं जा सकती थी। न तो वह कार्ल से इसके लिए आज्ञा ही प्राप्त कर सकती थी, न कहीं जाने के लिए उसके पास स्थान ही था।

कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद फ़्रित्सी को कार्ल का एक पत्र मिला:—

"प्यारी फ़्रित्सी,

ग्राम पर रूसी सेना का आक्रमण होने वाला है। हमारी सेना की एक टुकड़ी उधर भेजी जा रही है। परन्तु फिर भी, उधर कुछ भय है। इसलिए तुम शीघ्र ही ग्राम छोड़ कर विएना को चली आओ। वहाँ मैं तुम से मिलूँगा और तुम्हारे रहने का प्रबन्ध कर दूँगा। प्यार!"

जिस समय फ़्रित्सी को यह पत्र मिला, उसी समय वह तैयारी करके घर से निकली। परन्तु ज्योंही वह ग्राम के फाटक पर पहुँची, उसे कुछ सिपाहियों ने रोक लिया। सिपाही रूसी सेना के थे। रूसियों ने सारा ग्राम चारों ओर से घेर लिया था। फाटक पर नोटिस लगा था—

'किसी व्यक्ति को भी ग्राम छोड़ने की आज्ञा नहीं है। जिस किसी को ग्राम से बाहर जाना हो, उसे अफ़सर से पास लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति बिना पास के ग्राम से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा, उसे दण्ड मिलेगा।'

फ़्रित्सी को इतना शीघ्र रूसी फ़ौज के चङ्गुल में फँस जाने की आशा नहीं थी। वह कार्ल से मिलने के लिए छटपटा रही थी। कार्ल भी उसके लिए विएना में प्रतीक्षा कर रहा था। उससे रुका न गया। आज्ञा मिले या न मिले, वह जायगी अवश्य। यह निश्चय करके वह अफ़सर की ओर चली। परन्तु वहाँ पता लगा कि अफ़सर से कोई दूसरे दिन तक न मिल सकेगा। ज्यों-त्यों फ़्रित्सी ने रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा की। कुछ अन्धकार हो जाने पर वह घर से निकली और एक पगडण्डी से उसने ग्राम से निकलने का विचार कर लिया। कुछ दूर गई थी कि इधर-उधर से सिपाही निकल आए और उसे गिरफ़्तार कर लिया। उसे यह पता न था कि चारों ओर के नाके घिरे हुए थे।

एक पुराने अधटूटे गिर्जे में रूसी अफ़सर ने अपना दफ़्तर खोला हुआ था। वहीं सिपाही फ़्रित्सी को ले गए। वहाँ तीन-चार वैसे ही क़ैदी और थे। एक उनमें से थे महन्त। दूसरे लोग उस सभ्य समाज के व्यक्ति थे, जो फ़्रित्सी को कभी विएना में तिरस्कार, उपेक्षा और उपहास की दृष्टि से देखता था।

अफ़सर के समक्ष क़ैदी पेश किए गए। सबसे पहले फ़्रित्सी का नम्बर था। अफ़सर मेज़ के ऊपर बैठा था। फ़्रित्सी सामने जा खड़ी हुई। अफ़सर ने सिर ऊँचा किया, कुछ देर फ़्रित्सी की ओर देखा और चिल्ला उठा—फ़्रित्सी।

अफ़सर वही पिट्रोविच था।

'हाँ, पिट्रोविच, यह फ़्रित्सी है...', फ़्रित्सी ने शान्ति-पूर्वक कहा।'

'सो मेरी बात पूरी होगई।'

'क्या?'

'यही कि युद्ध-क्षेत्र में हमारा मिलन होगा।'

'इस बात का तुम्हें बड़ा गर्व है?'

'क्यों नहीं? जिस फ़्रित्सी ने कभी मेरा तिरस्कार किया था, मेरे प्रेम की अवहेलना की थी, आज वही फ़्रित्सी मेरे सामने एक क़ैदी, एक अपराधिणी, के रूप में खड़ी है।'

'कह लो पीट्रो, यह सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर कार्ल तुम्हारी इन बातों का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है। कार्ल होता तो तुम्हारा यह साहस न होता।'

'कार्ल? अब भी कार्ल? अब कार्ल को भूल जाओ, फ़्रित्सी! उसका नाम मेरे आगे अब न लेना। मुझे उसके नाम से क्रोध हो आता है। अब तुम पीट्रोविच के अधीन हो।'

'पिट्रोविच के अधीन नहीं, एक रूसी अफ़सर के अधीन हूँ। केवल एक युद्ध की क़ैदी हूँ। तुम अपनी व्यक्तिगत बातों को इस बीच में नहीं ला सकते।'

'नहीं? इसे देखना चाहती हो? रूसी अफ़सर सर्वशक्तिशाली है। वह जो कुछ कहता है और करता है, उसके विरोध की शक्ति केवल सम्राट् में ही है। जानती हो, तुम्हारा अपराध कैसा है?'

'नहीं।'

'गुरुतम।'

फ़्रित्सी चुप रही।

'जानती हो इसका दण्ड क्या होगा?'

'अधिक से अधिक मृत्यु।'

'यह अधिक से अधिक नहीं है। यह साधारण मृत्यु नहीं है। पीट्रोविच के द्वारा तुम्हें जो मृत्यु मिलेगी वह बड़ी भयानक, बड़ी दारुण, बड़ी पीड़ाजनक होगी।'

'मुझे इसकी कुछ चिन्ता नहीं।'

'ख़ैर, तब और बात है। परन्तु यदि इस मृत्यु से छुटकारा चाहो, तो उसका उपाय भी मेरे पास ही है।'

'मैं मृत्यु से छुटकारा नहीं चाहती, पीट्रो! मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ।'

'मुझसे? अब भी उतनी ही घृणा।'

'उतनी ही नहीं, उससे अधिक।'

'परन्तु फिर भी मैं तुम्हें फाँसी के तख़्तों पर लटकने से बचाना चाहता हूँ। उपाय बहुत सरल है।'

'मैं उपाय नहीं जानना चाहती।'

फ़्रित्सी चुप रही।

'एक बार सुन लेने में क्या हानि है?'

'कार्ल की आशा छोड़ दो। अब भी मेरे पास आ जाओ, मेरी होकर रहो तो सब काम बन जाय।'—पीट्रोविच ने कहा। परन्तु इसके पहले ही कि वह यह वाक्य समाप्त करे, फ़्रित्सी क्रोध में भरी हुई दोनों हाथ फैलाए उसकी ओर दौड़ी। परन्तु पीट्रोविच ने बीच ही में उसे पकड़ कर एक बन्द कोठरी में रखवा दिया।

जब अन्य क़ैदी पीट्रोविच के सामने आए तो उसने उनके सामने यही शर्त रक्खी कि यदि फ़्रित्सी उसके पास दो दिन रहना स्वीकार करे तो उन सबको न केवल छोड़ ही दिया जायगा, बल्कि बाहर जाने के लिए पास भी दे दिए जायँगे।

जीवन सबको प्यारा होता है। इस समय सब क़ैदियों को अपने-अपने प्राण की चिन्ता थी, उन्हें फ़्रित्सी के सतीत्व की क्या चिन्ता थी। वे सब फ़्रित्सी के पास गए, उसकी अनुनय-विनय की, समझाया, देश-सेवा के नाम पर अपील की। परन्तु फ़्रित्सी ने अपने सतीत्व को किसी भी दामों बेचना स्वीकार न किया।

अन्त में महन्त फ़्रित्सी के पास पहुँचे।

'फ़्रित्सी!'—महन्त ने कहा।

'हाँ'—फ़्रित्सी ने उत्तर दिया।

'तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो?'

'हाँ।'

'बाइबिल में?'

'हाँ।'

'अच्छा, मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहता हूँ। तुम सुनने के पूर्व ईश्वर के सामने बाइबिल हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा करो कि किसी पर मेरे भेद न खोलोगी।'

फ़्रित्सी ने प्रतिज्ञा ली।

'तुम जानती हो, मैं कौन हूँ?'—महन्त ने पूछा।

'किसी गिर्जे के महन्त।'

'नहीं।'

'फिर?'

'मैं ऑस्ट्रिया का प्रसिद्ध जासूस गुस्ताव हूँ।'

'गुस्ताव?'—फ़्रित्सी ने विस्मय से कहा।

गुस्ताव ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जासूस था, फ़्रित्सी यह स्वप्न में भी विचार न करती थी कि कभी इस प्रकार उससे भेंट होगी। वह बोली—आप यहाँ क्या कर रहे हैं?

'मैं शत्रु की सेना का पता लगाने आया हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी?'

'कहिए।'

'मुझे विएना आज रात तक पहुँचना चाहिए। नहीं तो सारा देश सङ्कट में पड़ जायगा।'

'पर यहाँ से कैसे निकलना होगा?'

'उसका एक ही उपाय है।'

'मैं?'

'हाँ।'

'आप यह चाहते हैं कि मैं अपना सतीत्व आपको बचाने के लिए नष्ट कर दूँ?'

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

क्रान्ति

[श्री० सियावरशरण जी]

मैं आती हूँ—वायुवेग से प्रलय मचाती आती हूँ ।

उन्नत को पदमर्द्दित करती,
नत में उन्नति की गति भरती,
सीमाहीन महोदधि तरती, विप्लव-शङ्ख बजाती हूँ ।
मैं.... .... आती हूँ ॥१॥

बड़े-बड़े वन नगर पार कर,
रत्नाकार का वक्ष फाड़ कर,
मत्त सिंहिनी सी दहाड़ कर;नव सन्देश सुनाती हूँ ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥२॥

मृतकों में नवजीवन लाती,
जड़ में विद्युत-स्फूर्ति कराती,
मरी हुई जातियाँ जिलाती, अलख जगाती जाती हूँ ।
मैं.... .... आती हूँ ॥३॥

सिद्ध हमारा जादू-टोना,
लोहा बन जाता है सोना,
अनहोना हो जाता होना, काया पलट कराती हूँ ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥४॥

ये बाबा, मुल्ला, पाखण्डी,
मठ-मन्दिर पापों की मण्डी-
भीरु, कापुरुष, नीच शिखण्डी, इनको धूल चटाती हूँ ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥५॥

पर-पीड़क, पर-अत्याचारी,
पर-श्रम-निर्भर, पर-धन-हारी,
पूँजीपति, नृप-सत्ता-धारी, इनका ध्वंस कराती हूँ ।
मैं... .... आती हूँ ॥६॥

जन पर एक मनुज की सत्ता,
अनियन्त्रित-अधिकार-महत्ता,
राजा, राय, नरेश, चकत्ता-इनका चिन्ह मिटाती हूँ ।
मैं.... ... ... आती हूँ ॥७॥

ये सोने से भरे ख़ज़ाने,
हीरे-मोती के तहख़ाने,
ये सम्पद के ताने-बाने, जाती जहाँ, लुटाती हूँ ।
मैं... .... आती हूँ ॥८॥

ये ऊँचे प्रासाद सजीले,
(मनुज-रक्त-आरञ्जित टीले)
ये सब साज-बाज भड़कीले, इनको तोड़ ढहाती हूँ ।
मैं... ... . आती हूँ ॥९॥

अनुचित रस्म-रिवाज पुराने,
फटे-चिटे चिथड़े-बेगाने,
झूठे नियम-निगड़ मनमाने, तोड़ स्वतन्त्र बनाती हूँ ।
... ...आती हूँ ॥१०॥

सरल, साम्यमय, सुखमय शासन,
सम-अधिकार, असम-निष्कासन,
आर्थिक,सामाजिक सम-आसन की शुभ नींव बँधाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥११॥

निस्समता के अन्धकार में-
वैषम्यों में-अनाचार में-
दीन-दुखी के दैन्य-भार में,साम्य-चन्द्र प्रकटाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१२॥

आलस, जड़ता मूक दीनता,
पराधीनता, शक्ति-हीनता,
भीरु-हृदयता, मतिमलीनता, इनको दूर भगाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१३॥

आएँ विपुल, विघ्न-बाधाएँ-
घन सम घेर-घेर घिर आएँ-
इन्हें झाड़ कर दाएँ-बाएँ, विप्लव यज्ञ रचाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१४॥

मैं हूँ आदि-शक्ति काली-सी,
विश्व जननि-सी विकराली-सी,
विष-सी,अमृतकी-प्याली-सी अनुपम दृश्य दिखाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१५॥

मेरी गति अबाध है जग में,
कभी नहीं रुकती मैं मग में,
विश्व काँप उठता डग-डग में,जब मैं चरण उठाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१६॥

मेरा प्रलय-प्रचण्ड घोर-स्वर,
सुन, कँपती सत्ता थर-थर-थर,
हर-हर कर उठते प्रलयङ्कर, जब मैं भौंह चढ़ाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१७॥

जब अन्याय-बोझ के मारे,
दलित दीन असहाय बिचारे,
बोल न सकें,अबोल पुकारे,तब मैं विश्व हिलाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१८॥

पापी, अन्यायी, अविचारी,
घातक, दुष्ट, छली, अपकारी,
धरा-पट्ट से इनका भारी, काला दाग़ मिटाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१९॥

कभी ख़ून से रँगी रँगीली,
प्रतिहिंसा की मूर्ति सजीली,
कहीं शान्ति की रूप फबीली सुन्दर साज सजाती हूँ ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥२०॥

आयलैंण्ड की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

सन् १९२१ के मई महीने में आयलैंड के अन्तिम वायसरॉय ने अपना पद ग्रहण किया। उस समय आयलैंड में पूरी अशान्ति मची हुई थी और देश भर में आतङ्क छाया हुआ था। उच्चतम सरकारी अफ़सर भी प्राणों के भय से सशस्त्र पहरे में घिरे रहते थे। वायसरॉय-भवन के प्रत्येक फाटक पर दिन-रात सशस्त्र पहरा रहता था।

सरकार शान्ति स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी। डबलिन तथा अन्य कई स्थानों में 'कर्फ़्यू' (Curfew) ऑर्डर जारी कर दिया था। १० बजे रात के बाद कोई भी पुरुष बिना विशेष आज्ञा के घर से बाहर नहीं निकल सकता था। परन्तु इन सब असुविधाओं के होते हुए भी शान्त नागरिकों को कोई तकलीफ़ न थी। सरकारी कर्मचारियों में भी कुछ ऐसे मनुष्य थे, जो अधिक कठोरता से काम लेना पसन्द नहीं करते थे। नवीन सहायक मन्त्री अल्फ़्रेड कॉप (Alfred Cope) ने प्रारम्भ में ही कुछ अविश्वसनीय सिविल-अफ़सरों को निकाल दिया था। इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज स्वयं एक ओर शान्ति स्थापित करने के लिए कठोरता से काम ले रहे थे और दूसरी ओर सन्धि करने के लिए तैयार थे। वे समझ गए थे कि सन् १९२० का एक्ट, जिससे दक्षिणीय आयलैंण्ड पूर्णतया असन्तुष्ट था, रियायत की अन्तिम सीढ़ी न थी। सन् १९२१ की २४वीं मार्च तथा ५वीं अप्रैल को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मि० लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि सरकार सुलह की बातचीत प्रारम्भ करने के लिए तैयार है। २२वीं अप्रैल को लॉयड जॉर्ज ने यह भी बता दिया था कि किन-किन शर्तों पर समझौता हो सकता है।

आयलैंण्ड की साधारण जनता भी शान्ति के लिए उत्सुक थी। ५वीं मई को अलस्टर के नेता सर जेम्स क्रेग ने डी-विलेरा के साथ बातचीत करने के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया था। दो विरोधी दल के नेताओं के इस मिलन को विशेष महत्व दिया जा रहा था। उपर्युक्त सन् १९२० के एक्ट के लागू होते ही 'सिन फ़ीन' (Sinn Fein) दल ने अलस्टर के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी थी। लोगों का कहना था कि डी-वेलेरा ने विरोधी दल के नेता जेम्स क्रेग को केवल इसलिए निमन्त्रण दिया था कि अलस्टर-वासियों और 'प्रजातन्त्र' में सन्धि हो जावे। सर एडवर्ड कारसन पहिले ही घोषित कर चुके थे कि उत्तरीय आयलैंण्ड की नवीन सरकार शान्ति के लिए उत्सुक है। सर जेम्स क्रेग ने भी अपने प्रोग्राम में आयलैंण्ड में शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न को प्रथम स्थान दिया था। पर इतने पर भी दोनों दलों में समझौता न हो सका। किसी भी दल ने कोई रियायत न करनी चाही। विशेषतः 'सिनफ़ीन' दल अपनी स्थिति से एक इञ्च भी हटना नहीं चाहता था।

इसी बीच में 'सिनफ़ीन' दल ने पार्लामेण्ट के भावी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। इस दल का जनता पर इतना प्रभाव था कि पार्लामेण्ट के चुनाव में दक्षिणीय और पश्चिमीय आयलैंण्ड के १२८ स्थानों में से १२४ स्थानों से सिनफ़ीन उम्मेदवार बिना विरोध के चुन लिए गए। चुनाव की इस विजय से उत्साहित होकर सिनफ़ीनों ने घमासान युद्ध छेड़ दिया। १४ से १६ मई तक लण्डन और लिवरपूल आदि नगरों में सशस्त्र बुरक़ा लगाए लोग आग लगाते और गोलियाँ चलाते रहे। आयलैंण्ड में भी दो निर्मम हत्याएँ कर, कुछ लोगों ने अपने हाथ कलुषित किए। २५वीं मई सन् १९२१ को एक सशस्त्र दल चुङ्गी-भवन (Customs House) में घुस गया और उसमें आग लगा कर नष्ट कर दिया। तीन दिन तक अठारवीं शताब्दी का चिन्ह-स्वरूप वह सुन्दर भवन जलता रहा। सरकारी काग़ज़ों के जल जाने से सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ी। और इससे भी अधिक हानि उठानी पड़ी उन व्यक्तियों को, जिनके आवश्यकीय काग़ज़ात उस भवन में थे। इस बढ़ती हुई हिंसा-वृत्ति को देख कर सरकार का रुख़ कड़ा हो गया। २१वीं मई को प्रधान मन्त्री ने घोषित किया कि हिंसा को दबाने के लिए तथा शान्ति स्थापित करने के लिए आयलैंण्ड में सेनाएँ भेजी जावेंगी। दूसरे दिन प्रधान सेक्रेटरी सर हैमर ग्रीनउड ने घोषित किया कि सरकार उस समय तक चैन न लेगी, जब तक कि आयलैंण्ड के अन्तिम हिंसक के हाथ से अन्तिम तमञ्चा छीन न लिया जावेगा।

इसी बीच में सर जेम्स क्रेग आयलैंण्ड से लण्डन आ गए थे। ३१वीं मई को घोषित किया गया कि सन्धि के लिए पुनः प्रयत्न किया जावेगा। पर सन्धि के कुछ लक्षण दिखाई न पड़ते थे। सिनफ़ीनरों का काम जारी था। तार और टेलीफ़ोन काट दिए गए थे। सड़कों पर खाइयाँ खोद दी गई थीं। देश का आर्थिक जीवन सङ्कट में था। लण्डन के आस-पास भी सिनफ़ीन अपना काम कर रहे थे। ९वीं जून को सरकार ने बोलशेविकों और सिनफ़ीनरों के बीच प्रस्तावित सन्धि को प्रकाशित किया। ७वीं जून को बेलफ़ास्ट नगर में उत्तरीय पार्लामेण्ट का उद्घाटन हुआ और आयलैंण्ड की नई सरकार का निर्माण किया गया। सर जेम्स क्रेग प्रधान मन्त्री बनाए गए।

२१वीं जून को डानथमोर के अर्ल ने इङ्गलैण्ड के हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में प्रस्ताव किया कि आयलैंण्ड की स्थिति यह तक़ाज़ा करती है कि सम्राट् की सरकार उन शर्तों पर बातचीत प्रारम्भ करे, जिससे कि आयलैंण्ड की भयावह स्थिति का अन्त हो जावे। लॉर्ड चान्सलर ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए और आयलैंण्ड की भयावह स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि विरोधियों को दबाने में सरकारी प्रयत्न निष्फल हुए हैं। उत्तरीय पार्लामेण्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयलैंण्ड में दो दल हैं। और जब तक दोनों दलों में एक मत न हो जावे, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। लॉर्ड चान्सलर ने यह भी कहा कि आयलैंण्ड की स्थिति को हाथ में रखने के लिए जितने त्याग की आवश्यकता पड़ेगी, इङ्गलैण्ड की जनता सहर्ष उतना त्याग करेगी। आपने अपने व्याख्यान के अन्त में यह भी कहा कि जब तक एक हिंसा की नीति का समर्थन करने वालों से राज़ीनामा न हो जाएगा, तब तक शान्ति नहीं होगी। डानथमोर के अर्ल का उपर्युक्त प्रस्ताव हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से भी गिर गया। जिस दिन हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने उपर्युक्त प्रस्ताव रद्द किया, उसी दिन इङ्गलैण्ड के राजा और रानी उत्तरीय आयलैंण्ड की नवीन पार्लामेण्ट का उद्घाटन करने के लिए बेलफ़ास्ट गए। उत्तरीय आयलैंण्ड ने उनका स्वागत किया। पर सिंहासन से व्याख्यान देते

देश की वेदी पर

(१९वें पृष्ठ का शेषांश)

'सतीत्व क्या चीज़ है, बेटी? देश के सामने यह सब बातें क्या मूल्य रखती हैं? तुम औस्ट्रियन हो, तुम्हारा देश सङ्कट में पड़ा हुआ है, तुमसे देश एक बलिदान चाहता है, क्या अपने लाखों देशवासियों को, अपने देश की प्रतिष्ठा तथा यश को बचाने के लिए तुम यह बलिदान नहीं कर सकतीं, देश यदि युद्ध में विजयी होगा तो तुम जैसे व्यक्तियों का नाम ही अमर रहेगा; जिन्होंने देश की वेदी पर अपनी बहुमूल्य आहुतियाँ चढ़ाई थीं। सो चलो, एक ओर तुम्हारा सतीत्व है, दूसरी ओर तुम्हारी मातृभूमि का भविष्य। विचार कर लो, किसको तुम अधिक प्यारा समझती हो।'

फ़िरसी सोचने लगी। क्या वह पीट्रोविच की कुत्सित इच्छा को पूर्ण कर दे? फिर वह कार्ल को और अपने आपको भी अपना मुख दिखाने योग्य न रह जायगी। फिर उसे अपने जीवन का भी अन्त करना पड़ेगा। और उसका अर्थ होगा—कार्ल से सदा के लिए वियोग। हा! वह कार्ल के साथ कुछ दिनों भी तो न रह पाई। उसके प्रेम का, उसके साथ निवास करने का जो सुख होता, उसका उसे तनिक भी तो अनुभव न हो पाया। वह नेत्रों में आँसू ले आई।

'तुम माया-मोह में पड़ी हो, फ़िरसी। परन्तु मातृभूमि के मोह से बड़ा मोह कौन सा है? क्या यह सतीत्व तुम्हारे काम आएगा, जब देश विदेशियों के हाथ में होगा और सहस्रों नारियों का सतीत्व उनके द्वारा नष्ट होगा? देश की वेदी पर यह तुम्हारी बड़ी मूल्यवान आहुति होगी, परन्तु यदि तुम थोड़ी वीरता से काम लोगी तो तुम इसे कर सकोगी। बोलो, क्या उत्तर है?'

'करूँगी।'—फ़िरसी ने कहा!

* * *

दूसरे दिन विएना से सेना, कार्ल की अध्यक्षता में वहाँ आ चढ़ी। शत्रुओं को मार कर भगा दिया। कार्ल बड़े चाव से गिर्जे के भीतर फ़िरसी को ढूँढ़ने गया। परन्तु वहाँ उसे केवल दो शव मिले। एक उनमें से फ़िरसी का था और दूसरा पीट्रोविच का!

* * *

हुए बादशाह ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल उत्तरीय आयलैंण्ड के लिए वहाँ नहीं आए हैं। बादशाह ने अपने व्याख्यान में कहा कि मैं तमाम आयलैंण्ड के निवासियों से अपील करता हूँ कि वे ठहर कर सोचें और धैर्य तथा शान्ति का हाथ आगे बढ़ावें, क्षमा करें, गई-गुज़री बातें भूल जावें और सब मिल कर देश में शान्ति, सन्तोष तथा सदिच्छा का नवीन युग प्रारम्भ करें।

दक्षिणीय आयलैंण्ड के शान्तिप्रिय नागरिकों ने बादशाह के उपर्युक्त व्याख्यान का स्वागत किया। परन्तु जो लोग पूर्ण स्वतन्त्रता पर तुले हुए थे, उनके भावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। निर्मम हत्याएँ होती रहीं। अस्तु।

लॉयड जॉर्ज ने दक्षिणीय आयलैंण्ड के विशेष बहुमत के अन्यतम नेता मि० डी-वेलेरा के नाम एक पत्र लिखा और उन्हें लण्डन में आकर कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने का निमन्त्रण दिया। पत्र में कहा गया था कि कॉन्फ्रेन्स में समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। लॉयड जॉर्ज ने पत्र में यह भी लिखा था कि डी-वेलेरा जिन साथियों को चाहें अपने साथ लण्डन ला सकते हैं। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि दो ही दिन पहिले हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स सन्धि के प्रस्ताव को रद्द कर चुका था।

अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जहाँ तक दक्षिणीय आयलैंण्ड का सम्बन्ध था, सन् १९२० के एक्ट का अन्त हो चुका था। फिर भी कृषि-विभाग के कौन्सिल चैम्बर में दक्षिणीय पार्लामेण्ट का उद्घाटन करके एक्ट को जीवित साबित करने का प्रयत्न किया गया। हाउस ऑफ़ कॉमन्स के १२८ सदस्यों में से ट्रिनिटी कॉलेज के केवल चार प्रतिनिधि उपस्थित थे। ६४ सिनेटरों में से केवल १५ सिनेटर उपस्थित थे। 'स्पीकर' को चुनने के पश्चात् पार्लामेण्ट स्थगित हो गई और फिर कभी भी उसकी बैठक नहीं हुई।

लॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेरा के साथ ही अलस्टर के प्रधान मन्त्री सर जेम्स क्रेग को भी निमन्त्रित किया था। सर जेम्स क्रेग ने निमन्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। लॉयड जॉर्ज के पत्र के उत्तर में डी-वेलेरा ने लॉयड जॉर्ज को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में डी-वेलेरा ने लिखा था, कि 'मैं इङ्गलैण्ड के साथ स्थायी सन्धि करने को इच्छुक हूँ। परन्तु सन्धि ऐसी होनी सम्भव नहीं, यदि इङ्गलैण्ड आयलैंण्ड की एकता और स्वभाग्य निर्णय (Self-determination) के सिद्धान्त को स्वीकार न करे।' अपने पत्र में डी-वेलेरा ने यह भी लिखा था कि यह देश के अल्पमत के प्रतिनिधियों के साथ एक कॉन्फ्रेन्स कर रहा था। जिन लोगों को डी-वेलेरा ने कॉन्फ्रेन्स में बुलाया था, उनमें सर जेम्स क्रेग भी था। परन्तु उन्होंने डी-वेलेरा का निमन्त्रण यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मैंने इङ्गलैन्ड के प्रधान मन्त्री का निमन्त्रण पहिले ही स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त घटना से सिनफ़ीनरों और यूनियनिस्टों का भेद स्पष्ट हो गया। सिनफ़ीनरों के प्रेज़ीडेण्ट ने लिखा कि लॉयड जॉर्ज का प्रस्ताव वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उसका कहना था कि आयलैंण्ड के मतभेद आयलैंण्ड में ही तय होने चाहिए। और आयलैंण्ड को एक होकर इङ्गलैण्ड से बातचीत करनी चाहिए। ३०वीं जून को अपना हृदय-परिवर्तन प्रगट करने के लिए सरकार ने 'डेल' (Dail Eireann) के चार सदस्यों को जेल से बाहर कर दिया, ताकि वे बहस में भाग ले सकें। इसी बीच में अल्पमत के चार प्रतिनिधियों ने डी-वेलेरा का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था। चौथी जुलाई को उनके तथा सिनफ़ीन नेताओं के बीच में डब्लिन में कॉन्फ्रेन्स हुई। परन्तु वह कॉन्फ्रेन्स शीघ्र ही स्थगित कर दी गई।

दक्षिणीय अफ़्रीका यूनियन के प्रधान मन्त्री जनरल स्मट्स (General Smuts) इस समय लण्डन में थे। उन्होंने इङ्गलैण्ड और आयलैंण्ड के बीच मध्यस्थ बनने का इरादा प्रगट किया। सरकार ने उनकी इस सेवा को स्वीकार कर लिया। ५वीं जुलाई को जनरल स्मट्स डब्लिन गए और प्रजातन्त्रीय नेताओं से बातचीत की, परन्तु जनरल के इस प्रयत्न का कोई विशेष परिणाम न निकला। जनरल का कहना था कि डी-वेलेरा कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। ख़ैर, इससे इतना हुआ कि दूसरी कॉन्फ्रेन्स के अन्त में, ८वीं जुलाई को, प्रेज़ीडेण्ट ने, प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिख कर उनके लण्डन वाली कॉन्फ्रेन्स के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। ९वीं जुलाई को विराम सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए। डब्लिन की जनता ने विराम सन्धि का स्वागत किया और आन्दोलन बन्द कर दिया गया। सरकार ने भी 'कर्फ़्यू' ऑर्डर उठा लिया और सैनिकों को निःशस्त्र कर दिया। डी-वेलेरा ने सैनिकों और नागरिकों के नाम एक घोषणा निकाल कर स्थिति को हाथ में रखने की प्रार्थना की।

९वीं जुलाई को डी-वेलेरा ने अमेरिका, फ़ान्स, नॉर्वे और डेनमार्क को सन्देश भेजे। इन सन्देशों में कहा गया था कि यदि कॉन्फ्रेन्स में आयलैंण्ड की माँगें स्वीकार कर ली गईं, तो वह उन आदर्शों को बचा लेगा, जिनके लिए गत यूरोपीय महायुद्ध में हज़ारों ने अपनी जानें दी थीं।

१२वीं जुलाई को प्रेज़ीडेण्ट डी-वेलेरा लण्डन गए। उनके साथ आर्थर ग्रिफ़िथ, ऑस्टिन स्टेक, आर० सी० बार्टन और इर्सकिन चिल्डर्स थे। दो दिन पश्चात् लॉयड जॉर्ज से डी-वेलेरा की पहली भेंट हुई। सर जेम्स क्रेग तथा उत्तरीय पार्लियामेण्ट के अन्य मेम्बरों से भी लायड जॉर्ज ने मुलाक़ात की।

प्रधान मन्त्री और डी-वेलेरा से बराबर मुलाक़ातें होती रहीं; २०वीं जुलाई को लायड जॉर्ज ने सरकार के प्रस्ताव डी-वेलेरा को दिए। सरकारी प्रस्ताव में आयलैंण्ड को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि टैक्स तथा आर्थिक मामलों में आयलैंण्ड को पूरी स्वतन्त्रता रहेगी और वह अपने न्यायालय तथा न्यायाधीश रख सकेगा। अपनी रक्षा के लिए आयलैंण्ड अपनी सेना रख सकेगा और पुलीस भी आयलैंण्ड की ही होगी। सरकार की तरफ़ से ६ शर्तें भी लगाई गई थीं, जिन्हें सरकार इङ्गलैण्ड और आयलैंण्ड के हित के लिए अत्यावश्यक समझती थी। सरकार की शर्तें ये थीं—(१) आयलैंण्ड के चारों तरफ़ के समुद्र पर इङ्गलैण्ड का अधिकार रहेगा, (२) आयलैंण्ड की सेना एक निश्चित संख्या के अन्दर ही रहेगी, ताकि वह इङ्गलैण्ड की सेना से बढ़ न जावे। (३) सरकारी वायु-सेना को आयलैंण्ड में विशेष अधिकार रहेंगे, (४) आयलैंण्ड के जो नागरिक साम्राज्य की सेना में भर्ती होना चाहेंगे, उन्हें रोका न जाएगा, (५) इङ्गलैण्ड के विपरीत संरक्षक कर (Protective duties) नहीं लगाया जाएगा और (६) इङ्गलैण्ड के क़र्ज़ आदि के एक भाग का ज़िम्मेदार आयलैंण्ड रहेगा। वह समझौता सन्धि के रूप में होगा और दोनों देशों की पार्लामेण्टें उस सन्धि को स्वीकार करेंगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि उत्तरीय पार्लामेण्ट या सरकार को वह समझौता रद्द न करेगा। आयलैंण्ड के निवासी ही आपस में निश्चित करें कि तमाम आयलैंण्ड के लिए एक सरकार रहेगी या उत्तरीय और दक्षिणीय आयलैंण्ड की दो पृथक-पृथक सरकारें।

अपने साथियों से सलाह करने डी-वेलेरा डब्लिन लौट आए। सरकार ने भी 'डेल' की बैठक करने की आज्ञा दे दी। डी-वेलेरा ने अपने साथियों से सलाह करने के पश्चात् इङ्गलैण्ड के प्रधान-मन्त्री को सूचित किया कि इङ्गलैण्ड के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते। डी-वेलेरा का कहना था कि औपनिवेशिक स्वराज्य धोखे की टट्टी है, जब तक कि आयलैंण्ड को अलग होने का अधिकार (Right to secede) न दिया जावे। डी-वेलेरा का कहना था कि क़र्ज़े के प्रश्न पर एक कमिटी बनाई जावे, जिसमें तीन सदस्य हों—एक इङ्गलैण्ड का प्रतिनिधि, एक आयलैंण्ड का प्रतिनिधि और तीसरे प्रतिनिधि को दोनों मिल कर चुनें, या यदि दोनों में एकमत न हो सके तो उसे अमेरिका का प्रेज़ीडेण्ट नियुक्त कर दे। उत्तरीय आयलैंण्ड के प्रश्न को आयलैंण्ड स्वयं तय कर लेगा। अल्पमत की ओर से इङ्गलैण्ड को इस मामले में न पड़ना चाहिए। अन्त में डी-वेलेरा ने यह भी कहा था कि यदि अलस्टर का प्रश्न आपस में तय न हो सके, तो वह प्रश्न निर्णय के लिए एक तीसरे आदमी को सौंप दिया जावे।

जनरल स्मट्स ने एक पत्र लिख कर डी-वेलेरा को सलाह दी कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लें और अलस्टर की अभी अवहेलना की जावे। जनरल स्मट्स का कहना था कि आगे चल कर आर्थिक कारणों के कारण अलस्टर को स्वयं तमाम आयलैंण्ड के साथ रहना पड़ेगा। लॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेरा के पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि आयलैंण्ड को अलग होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और न आयलैंण्ड का यह दावा कि वह एक स्वतन्त्र विदेशी राज्य की भाँति इङ्गलैण्ड से बातचीत करे, माना जा सकता है। लॉयड जॉर्ज ने यह भी लिखा कि आयलैंण्ड के किसी भी प्रश्न को निर्णय के लिए किसी विदेशी राष्ट्र को नहीं सौंपा जा सकता।

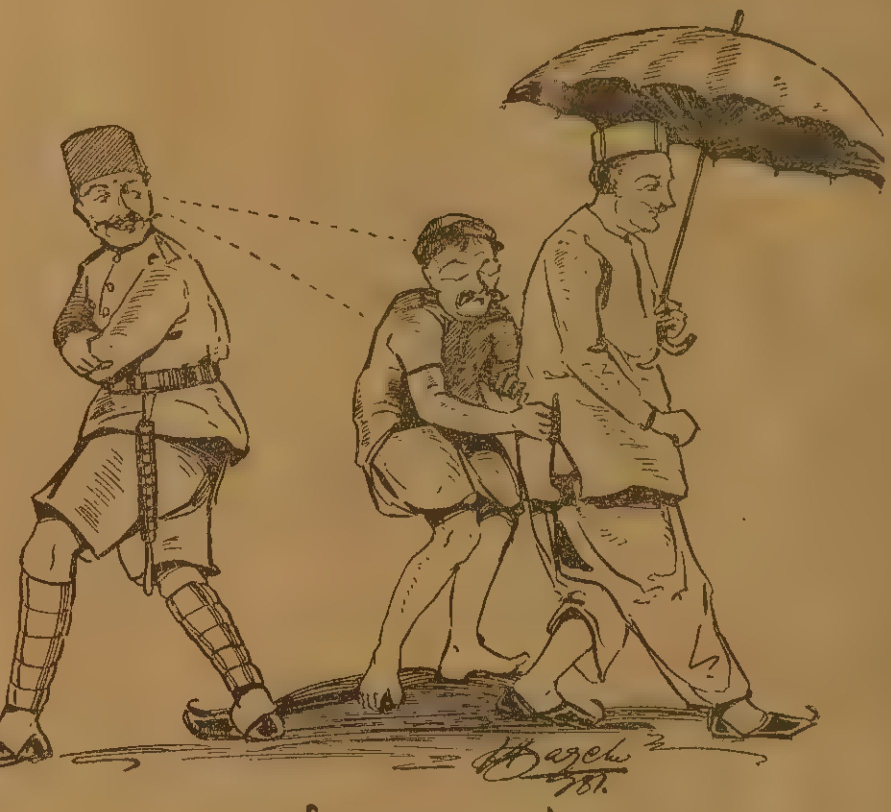
'डेल' की बैठक १६ अगस्त को हुई। सब सदस्यों ने आयलैंण्ड के प्रजातन्त्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। प्रेज़ीडेण्ट डी-वेलेरा ने एक व्याख्यान देकर आयलैंण्ड के पूर्ण स्वतन्त्रता के दावे को दुहराया और प्रजातन्त्र का समर्थन किया। डी-वेलेरा ने यह भी कहा कि इङ्गलैण्ड से बातचीत करना असम्भव है, क्योंकि दोनों देशों के सिद्धान्त एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। डी-वेलेरा ने घोषणा की कि अलस्टर को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा। अपने व्याख्यान के अन्त में डी-वेलेरा ने कहा कि आयलैंण्ड के अल्पमत की समस्या का कारण इङ्गलैण्ड की नीति है।

येन-केन-प्रकारेण दो महीने की बातचीत के पश्चात् गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की बैठक हुई। प्रारम्भिक कॉन्फ्रेन्स की बैठक १० अक्टूबर १९२१ को प्रधान मन्त्री के सरकारी भवन, डाउनिङ्ग स्ट्रीट में हुई। इङ्गलैण्ड की ओर से दोनों दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इङ्गलैण्ड के प्रतिनिधियों में मि० विन्सेण्ट चर्चिल भी थे। आयलैंण्ड के प्रतिनिधियों में डी-वेलेरा न थे। वे डब्लिन में ही रह गए थे। कॉन्फ्रेन्स के प्रारम्भ होते ही ऐसा मालूम हुआ कि वह भङ्ग हो जावेगी, परन्तु ऐसा न हुआ। कुछ दिन तक कॉन्फ्रेन्स में केवल बातें ही होती रहीं; वास्तविक कार्य कुछ भी न हुआ। ५वीं अक्टूबर को सरकार की ओर से यह धमकी दी गई कि यदि आज रात तक समझौता न हुआ, तो कॉन्फ्रेन्स भङ्ग कर दी जावेगी। तत्पश्चात् रात के तीन बजे समझौता हुआ और उस पर दोनों ओर से हस्ताक्षर हो गए। 'आयरिश फ़्री स्टेट' (Irish Free State) की नींव रख दी गई।

उपर्युक्त समझौते के अनुसार अङ्गरेज़ी साम्राज्य में आयलैंण्ड की वही वैध स्थिति होगी, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा दक्षिणीय अफ़्रीका के यूनि

यन की है। लॉर्ड-लेफ़्टिनेण्ट (Lord-Lieutenant) का प्राचीन पद तोड़ दिया गया। आयर्लैण्ड में बादशाह का प्रतिनिधि वैसे ही नियुक्त होगा, जैसे कनाडा का गवर्नर-जनरल होता है। राजभक्ति की शपथ (Oath of allegiance) का रूप भी बदल दिया गया *। राष्ट्रीय ऋण तथा युद्ध-पेन्शन के एक भाग का उत्तरदायी आयर्लैण्ड रहेगा। पर इस सम्बन्ध में आयर्लैण्ड को अपने दावे रखने का अधिकार होगा। ऋण के किस भाग का आयर्लैण्ड उत्तरदायी होगा, यह प्रश्न यदि आपस में तय न हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्णय करने के लिए सौंप दिया जावेगा। आयर्लैण्ड के चारों ओर के समुद्र की रक्षा इङ्गलैण्ड करेगा और पाँच वर्ष पश्चात् आयर्लैण्ड को भी इस रक्षा का कुछ कार्य सौंप दिया जावेगा। आयर्लैण्ड की सेना इङ्गलैण्ड की सेना से बढ़ न सकेगी। जब उपर्युक्त सन्धि को पार्लामेण्ट स्वीकार कर लेगी, उसके एक महीने पश्चात् तक स्वतन्त्र स्टेट का उत्तरीय आयर्लैण्ड पर कोई अधिकार न होगा और वहाँ १९२० का एक्ट लागू रहेगा। यदि एक महीने के अन्दर उत्तरीय पार्लामेण्ट की दोनों सभाएँ बादशाह से संयुक्त प्रार्थना करेंगी, तो सन् १९२० का एक्ट उत्तरीय आयर्लैण्ड में सर्वदा लागू रहेगा और स्वतन्त्र आयर्लैण्ड की पार्लामेण्ट का उस पर कुछ अधिकार न होगा। आवश्यकता पड़ने पर एक कमीशन नियुक्त किया जावेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे। एक सदस्य स्वतन्त्र आयर्लैण्ड का होगा, दूसरा सदस्य उत्तरीय आयर्लैण्ड का होगा और तीसरा सदस्य, जो कमीशन का चेयरमैन भी होगा, अङ्गरेज़ी सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा। यह कमीशन उत्तरीय आयर्लैण्ड तथा शेष आयर्लैण्ड के मध्य की सीमा निश्चित करेगा। यदि कभी भविष्य में उत्तरीय आयर्लैण्ड स्वतन्त्र आयर्लैण्ड के साथ मिलना चाहेगा, तो भी उत्तरीय पार्लामेण्ट के वे अधिकार बने रहेंगे, जो उसे सन् १९२० के एक्ट ने दिए हैं। लोगों का विचार था कि उपर्युक्त सन्धि से इङ्गलैण्ड और आयर्लैण्ड के बीच की कटुता ही न मिट जावेगी, वरन् आयर्लैण्ड में शान्ति भी स्थापित हो जावेगी। परन्तु बहुत शीघ्र लोगों के विचार बदल गए। आयर्लैण्ड के प्रजातन्त्र-वादियों में दो दल हो गए। एक दल डी-वेलेरा का था, जो सन्धि को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इस दल का कहना था कि सन्धि को स्वीकार करना आयर्लैण्ड के साथ विश्वासघात करना है। दूसरा दल आर्थर ग्रिफ़िथ का था, जो सन्धि को स्वीकार करने के पक्ष में था। इस दल का कहना था कि सिनफ़ीनर जो चाहते थे, वह उन्हें मिल गया है। अतः उन्हें सन्धि स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि सन्धि स्वीकार न करके पुनः आन्दोलन किया जावेगा, तो आयर्लैण्ड को हानि उठानी पड़ेगी। अमेरिका तथा उपनिवेशों की सहानुभूति अब हमारी ओर न रहेगी। इन दो दलों के मध्य में एक तीसरा दल भी था, जो कहता था कि सन्धि स्वीकार कर ली जावे और तत्पश्चात् प्रजातन्त्र के लिए पुनः युद्ध किया जावे। इस दल का मुखिया कोलिन्स था। आयर्लैण्ड की पार्लामेण्ट ने बहुत थोड़े बहुमत से सन्धि को स्वीकार किया। ६४ वोट सन्धि के पक्ष में थे तथा ५७ वोट सन्धि के विरुद्ध। सन्धि के स्वीकार हो जाने पर भी डी-वेलेरा ने अपने विचार नहीं बदले। उसने जनता से प्रजातन्त्र के लिए युद्ध करने की अपील की। प्रेज़ीडेन्सी से उसने अपना स्तीफ़ा दे दिया। उसको पुनः प्रेज़ीडेण्ट चुनने का प्रस्ताव ५८ के विपरीत ६० वोट से गिर गया। डी-वेलेरा के स्थान पर आर्थर ग्रिफ़िथ प्रेज़ीडेण्ट चुना गया। आर्थर ग्रिफ़िथ ने जब तक कि अस्थायी सरकार का निर्माण न हो जावे, तब तक के लिए एक मन्त्रिमण्डल बनाया। बहुत शीघ्र माइकेल कोलिन्स के आधिपत्य में अस्थायी सरकार का निर्माण हो गया।

पर आयर्लैण्ड के भाग्य में अभी शान्ति नहीं बदी थी। डी-वेलेरा का दल अस्थायी सरकार का विरोध करता रहा और प्रजातन्त्र की स्थापना का प्रयत्न करता रहा। सिनफ़ीनरों ने अपना पुराना काम पुनः प्रारम्भ कर दिया और आयर्लैण्ड में पूर्ववत् हत्याएँ होती रहीं। सिनफ़ीन उत्तरीय आयर्लैण्ड में अशान्ति मचाते रहे। आयर्लैण्ड के दोनों दल एक दूसरे से लड़ते रहे। देश के शुभचिन्तकों ने दोनों दलों में एकता स्थापित करने का दो-तीन बार प्रयत्न किया। पर उन्हें सफलता न मिली। आयर्लैण्ड में बहुत दिनों तक गृह-युद्ध होता रहा। सड़कें और रेलें नष्ट की जाने लगीं। जहाँ-तहाँ आग लगाई जाने लगीं। और फिर एक बार आयर्लैण्ड में अशान्ति का राज्य हो गया।



कर्तव्य पालन (१)



कर्तव्य पालन (२)

* आयर्लैण्ड की पार्लामेण्ट के सदस्यों को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ेगी :—

"I . . . . . do solemnly swear true faith and allegiance to the constitution of the Irish Free State as by law established, and that I will be faithful to H. M. King George V, his heirs and successors by law, in virtue of common citizenship of Ireland and with Great Britain and his adherence to and membership of the group of nations forming the British Commonwealth of Nations.'

भारतीय महिलाएँ

[राजकवि "अम्बिकेश"]

परम प्रवीरता सुकर्म धर्मधीरता का,
पावन सुपाठ आज विश्व को सिखा रहीं।
क्रुद्धित उमङ्ग में जुड़ी हैं रन-चण्डिका सी,
वीरन को स्वाद ज़ोर जङ्ग का चखा रहीं॥
ठेल भयभीत को पछाड़ी, हो अगाड़ी आप,
जग में अमरता के लेख को लिखा रहीं।
धारे केसरिया पट, अड़ीं स्वत्व सङ्कर में,
देवो व्रत-जौहर के जौहर दिखा रहीं॥

❀

पुतली रहीं जो बनी मनसिज-मन्दिर की,
देश दुखहारी चिनगारी बन निकसीं।
गईं जो बखानी प्रतिमूर्ति विषय-वासना की,
सोई आज पुण्य की पिटारी बन निकसीं॥
सड़तीं पड़ी जो अन्धकार के गुफा में रहीं,
फाड़ तम-तोम वे तमारी बन निकसीं।
पाँवों को जो बेड़ियाँ बनी थीं, जननी की आज,
बन्दि काटने को वे कटारी बन निकसीं॥

❀

रहने न पातीं कभी भीति भावनाएँ पास,
आप ही ते विषम बलाएँ हट जाती हैं।
देखतीं जहाँ पै प्रेम भरे मञ्जु लोचनों से,
रिद्धि-सिद्धि भूरि सम्पदाएँ पट जाती हैं।
चूर-चूर करतीं ग़रूर मगरूरियों के,
धूल हो समूल आपदाएँ छँट जाती हैं।
हीतल कँपातीं, दहलातीं दृढ़ता का दिल,
सिंहिनी सी जहाँ पै सक्रुद्ध डट जाती हैं॥

❀

सत्याग्रह अस्त्र ले, अहिंसा का कवच कसे,
राष्ट्र धर्मध्वजा फहरातीं आसमान पर।
बढ़तीं समर में, मिटातीं मानियों का मान;
होतीं कुरबान एक देश अभिमान पर॥
विश्व है चकित आज साहस महान पर;
आन पर, शान पर, इस बलिदान पर।
झेल जातीं आपदा; दुरापदाएँ ठेल जातीं,
हँस-हँस जेल जातीं, खेल जातीं जान पर!!

❀

साधना हैं परम समस्त सुख साधनों की,
क्लेश झेलने को बनी धैर्य की निशानी हैं।
रेणु हैं बनातीं पालने में कामधेनु को भी,
दलतीं दयालुता में गौरि की कहानी हैं॥
सोते हुए देश को जगातीं प्रहरी सी बनी;
जीवन सजीवन सी शक्ति की प्रदानी हैं।
धाम में रमा हैं; उपवन में शची हैं चारु,
बानी हैं सभा में और युद्ध में भवानी हैं॥

* * *

पावस

[श्री० रमाशङ्कर जी जैतली 'विश्व', बी० एस्-सी०]

पावस के ठण्डे निश्वास!
उमड़ि-उमड़ि घन घुमड़ि-घुमड़ि सखि छाय गए-आकास,
तड़प-तड़प चपला चपला सी छन में करत प्रकास,
रिम-झिम बरस रहे पावस घन,
बिखर रहा विद्युत मुक्ताधन,
दारुण दुःख प्रकास! पावस०।

विरहिनि रहें लगाए पतियाँ छतियन सों निशि-वास
आह, एक आशा लिपटी है, मन में है विसवास।
चलत वायु शीतल पुरवाई,
सोई व्यथा हाय उसकाई,
बुझी न अजहुँ पियास। पावस०।

'विश्व' लिए पयोध पतियाँ को छोड़ रही निश्वास,
भोली प्राची, अश्रुधार से लिपि धो भरे हुलास,
इसीलिए पयोधि हैं कोरे,
उमड़त हाय व्यथा मन मोरे,
करता जग उपहास। पावस०।

दिवस स्वप्न में आलिङ्गन का करती जब विश्वास
बौछारों से जगा मेघ करते मेरा उपहास,
झूम रही मादक अँधियारी,
झपक रही चञ्चल उजियारी,
बहुत हो चुका दारुण हास! पावस०।

* * *

देशसेवकोद्गार

[श्री० नर्मदाप्रसाद जी मिश्र "कविकेसरी"]

हे जगन्नियन्ता जननी को,
यह मेरा जीवन अर्पण हो!
भारत-माता के चरणों में,
सद्-उपहार समर्पण हो!!
अति विशुद्ध भावों से पूरित,
पावन प्यारा मानस हो!
मातृ-भक्ति की अनुपमता का,
मन-मन्दिर में आसन हो!!
दीर्घ-सूत्रता, अकर्मण्यता,
कायरता का वास न हो!
हृदय-विदारक देशद्रोहता,
"मिश्र" कभी सञ्चार न हो!!
हृदय-पटल पर ऐसे अक्षर,
अङ्कित नाथ करा देना!
माता की बलि-वेदी पर—
होना बलिदान, सिखा देना!!

* * *

पथिक

[श्री० भगवतीबख़्श सिंह 'राजीव' बी० ए०, (ऑनर्स) क्लास]

ऐ पथिक कहाँ के भूले,
आए हो इस उपवन में,
गाते आते शुभ गायन,
पाया क्या जीवन-धन में?

❀

कैसी यह घटा घनेरी,
छाती आती अँधियारी।
जाओगे तुम किस पथ पर!
वह कौन साधना न्यारी?

❀

किससे वह आस मिलन की,
करती तुमको मतवाला;
तुम फूले नहीं समाते,
पी-पीकर स्मृति-प्याला।

❀

आए हो सूने वन में,
कितने उद्गार छिपाए।
लेकर यह भेंट मनोहर,
तुम सहम-सहम कर आए।

❀

कैसा वह महा-मिलन है?
कैसा वह प्रियतम प्यारा?
इन सलिल अश्रु-बुन्दों की,
बहती जो अविरल धारा।

❀

आशा के नीरव पथ पर,
ढाले हैं मोती कितने?
इस दग्ध-हृदय-वारिधि से,
निकले हैं आँसू जितने।

❀

इस स्वप्न-जगत में आकर,
खोया क्यों यों हिय-धन को?
वह निकला निठुर निराला,
करके नीरस जीवन को।

❀

घूमो मत इस उपवन में,
लेकर सूनी अभिलाषा।
तुम यों ही लुट जाओगे,
होगी सब निष्फल आशा।

❀ ❀

मानी

[श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय "वारीश"]

शूरता का सौरभ उड़ाते थे समर-मध्य,
स्वत्व-स्वाधिकार में प्रवृत्त स्वाभिमानी वे!
पानी-पानी करते थे प्राणियों को पल ही में,
प्रबल-पराक्रमी सा रखते थे पानी वे!
सानी रखते थे सृष्टि में न, शौर्य-साहस में,
साहस की शूरता की अमिट निशानी वे!
मान मारते थे मानियों का सदा, मान रख,
मान पर मरते थे कहाँ गए मानी वे!

* * *

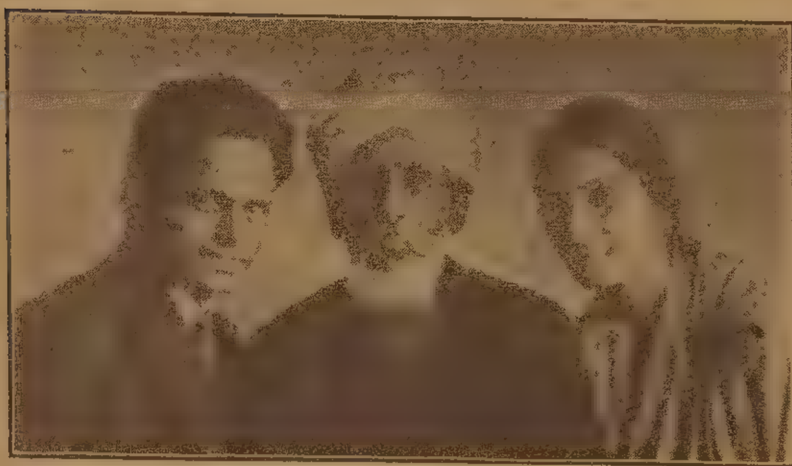
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

श्रीमती रागिनी देवी



श्रीमती रागिनी देवी एक अमेरिकन महिला हैं और श्रीयुत बी० वाजपेयी नाम के एक भारतीय से आपने विवाह किया है। विदेशी नृत्य-कला और सङ्गीत-विद्या में यथेष्ट पारदर्शिता प्राप्त करने के बाद, आजकल आप भारतीय सङ्गीत-विद्या और नृत्य-कला का गम्भीर अध्ययन करने की इच्छा से भारत-भ्रमण कर रही हैं। यहाँ की नृत्य-कला और सङ्गीत-विद्या पर आपको अपार श्रद्धा है। आप इन भारतीय कलाओं का सारे संसार में प्रचार करना चाहती हैं। अमेरिका रहते समय आप कई बार भारतीय कलाओं के प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को मुग्ध कर चुकी हैं। आप बहुधा भारतीय वेश में रहती हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



आचार्य एस० के० कर्वे (बीच में)—आप पूना के महिला विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता हैं और हाल में दक्षिण अफ़्रिका गए हैं।



कुमारी ईसाबेल चेटियर, बी० ए० गोल्ड मेडलिस्ट, आप नागपुर की महिला रत्न हैं और एल० पी० की परीक्षा पास करने के लिए इङ्गलैण्ड गई हैं।



डॉक्टर अनथोलिकर एम० बी० बी० एस०, आप शोलापुर के गिरनी कामगार सङ्घ के प्रमुख नेता हैं, मार्शल लॉ के अनुसार क़ैद की सज़ा काट चुके हैं और आजकल मिल-मज़दूरों की सेवा में लगे हैं।



श्रीमती सरस्वती बाई गाडगील—आप साँगली स्टेट से प्रकाशित होने वाली 'आर्य स्त्री' पत्रिका की सम्पादिका हैं।



पण्डित रामचन्द्र पालीवाल—आप फ़िरोज़ाबाद के यशस्वी नेता और आगरा ज़िले के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपने गत १० अगस्त को एक विधवा का पाणिग्रहण किया है। आप तीन बार और आपकी सद्य प्रणीता पत्नी महोदय एक बार जेल हो आए हैं।



श्रीमती पार्वती बाई। आप इचलकर्णी स्टेट (सिन्ध) की रहने वाली हैं। बुनाई और सुई के कार्य के लिए आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आप इस प्रान्त की प्रसिद्ध सुधारवादिनी महिला हैं।



श्रीमती कमलम सेमुएल, जिन्होंने मद्रास युनिवर्सिटी से 'लाईब्रेरियन ट्रेनिङ्ग' की परीक्षा पास की है; और युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के स्टाफ़ में रक्खी गई हैं।



श्रीमती सीताबाई अन्नीगेरी, जो बम्बई की एक कन्या-शाला की प्रिन्सिपल हैं। आप स्वर्गीय सेठ विट्ठलदास ठाकरसी के साथ सारे संसार का भ्रमण कर चुकी हैं और अभी हाल में ही अमेरिका गई हैं।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



ब्रह्मपूर (ज़िला गञ्जम, मद्रास) की म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती पी० सौभाग्यवती अम्मा गारू।



लाहौर के लेडी एटचिसन हॉस्पिटल की हाउस-सर्जन—डॉक्टर इन्दुमती बलराम सेनजित, एम० बी०, बी० एस०।



मध्य-प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा की सदस्या—श्रीमती अनुसुइयाबाई काले—आप लेबर-कमीशन की मनोनीत सदस्या भी रह चुकी हैं।



राजपूताने की ४८ लाख स्त्रियों में सर्व-प्रथम महिला-डॉक्टर—श्रीमती सुशीलाबाई जागीरदार, एल० सी० पी० एण्ड एस० (बम्बई), एल०एम० (डबलिन)—आपने फ़्रान्स, इटली, स्विट्ज़रलैण्ड तथा आयर्लैंण्ड आदि प्रदेशों में भ्रमण कर, प्रायः प्रत्येक बड़े-बड़े महिला चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है।



मद्रास की वाद्य-प्रतिद्वन्दिता में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण होने वाली—श्रीमती रुक्मिणी अम्मल—सङ्गीत कलो ही आपने जीवन की साधना मान लिया है।



स्त्री-शिक्षा तथा सामाजिक सुधार की अनन्य पक्ष-पातिनी—श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, जो आजकल इङ्गलैण्ड में प्रचार-कार्य कर रही हैं।



पञ्जाब विश्वविद्यालय से गत वर्ष हिन्दी की उत्तमा परीक्षा में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण होने वाली—कुमारी विद्यावती।



मालाबार की ज़िला शिक्षा-बोर्ड की सदस्या—श्रीमती मञ्जरी गोपालकृष्ण कमलाम्मल।

'भविष्य' की सासाहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बम्बई के न्यू चारनी रोड पर अवस्थित पारसियों की विवाह-शाला। इसी इमारत में पारसी-दम्पति विवाह-सूत्र में बाँधे जाते हैं।



बम्बई के गोवालिया टैङ्क पर अवस्थित पारसियों का औद्योगिक भवन (Polytechnic Institute)



जिन ज़ोरस्तानियों ने गत महायुद्ध में अङ्गरेज़ी साम्राज्य की रक्षार्थ अपने जीवन की आहुति दे दी थी, उन्हीं की स्मृति-रक्षा के लिए बना हुआ कॉलम।



बम्बई के प्रिन्सेज़ स्ट्रीट में अवस्थित पारसियों का सुप्रसिद्ध वाड़िया अग्नि-मन्दिर (Fire Temple)



कोलाबा (बम्बई) में अवस्थित पारसियों के सेनिटोरियम का बाहिरी दृश्य।



बम्बई के धोबी तालाब पर अवस्थित पारसियों का दूसरा अग्नि-मन्दिर (Fire Temple)



मुझसे नफ़रत हो गई ग़ैरों से उल्फ़त हो गई, साफ़ ज़ाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने।
जो न था मञ्ज़ूर लिखना कातिबे-तक़दीर को, वह मेरी तक़दीर में लिखवा दिया तक़दीर ने॥

"आफ़ताबे" सोख़्ता[1] जाँ की न हालत पूछिए,
दिल के टुकड़े कर दिए बेदाद[2] की शमशीर[3] ने।
—"आफ़ताब" पानीपती

तोड़ कर देखा असर वहशत का तूने ऐ जुनूँ,
हश्र सा बरपा किया है पाँव की ज़ंजीर ने।
—"बकुट" मुरादाबादी

की कभी गर्दिश में जब कुछ आस्माने पीर ने,
खोल डाले बन्द दरवाजे मेरी तक़दीर ने।
—"तीर" चकरावती

लिख दिया रोज़े[4] अज़ल यह कातिबे[5] तक़दीर ने,
यह वह बन्दा है कि फूँका है जिसे अकसीर ने।
दिल ने बुतख़ाना उजाड़ा, काबा वीराना किया,
लाख बर्बादी की पैदा एक इस तामीर[6] ने।
—"हसरत" रामपुरी

रह गए जलभुन के आँसू आते-आते चश्म तक,
आग पानी में लगा दी आहे-आतशगीर[7] ने।
"दास" सद महशर[8] बपा थे दिल की दुनिया में मेरी,
कर दिए सौ हश्र बर्पा उनके एक-एक तीर ने।
—"दास" मुरादाबादी

कर दिया उनको भी अब बेताब[9] मुज़्तर बेहवास,
उनपे डाला वह असर आहे दिले दिलगीर ने।
ख़ाक में उसने मिलाए कैसे-कैसे नौजवाँ,
ढाए हैं क्या-क्या ग़ज़ब इस आसमाने पीर ने।
हुस्न ने उनके किया उनको जो मशहूरे जहाँ,
"दर" को रुसवा कर दिया उसके दिले दिलगीर ने।
—"दर" ग्वालियारी

परदए ग़फ़लत उठाया हुस्न की तशहीर[10] ने,
महव-हैरत कर दिया आलम तेरी तस्वीर ने।
अश्क[11] आँखों में, ख़लिश दिल में, जिगर में टीस है,
कर दिया वादाशिकन क्या-क्या तेरी तस्वीर ने।
आँख क्या उट्ठी तेरी, नख़्चीर[12] आलम को किया,
तेग़े[13] अबरू नश्तरे मिज़गाँ[14] नज़र के तीर ने।
—"दिलावर" अकबराबादी

१—दिल जला २—ज़ुल्म ३—तलवार ४—आदि का दिन ५—भाग्य लेखक ६—इमारत ७—आग की तरह ८—प्रलय ९—बेचैन १०—शुहरत ११—आँसू १२—शिकार १३—तलवार १४—बरौनी।

जो मुक़द्दर में लिखा है पेश आएगा ज़रूर,
बाँध रक्खा है हमें तक़दीर की ज़ंजीर ने।
—"रशीद" साहब

तेरा पर्दा भी रहा दीदार हमको हो गया,
मोजिज़ा[15] अच्छा दिखाया यह तेरी तस्वीर ने।
—"रज़ा" जालन्धरी

इश्क़ पर चलती नहीं है सख़्त जानों का बुरा,
ख़ून चाटा है हज़ारों का तेरी शमशीर ने।
बाद मुद्दत राह पर आया है वह काफ़िर अदा,
दावते ख़ूने जिगर मञ्ज़ूर की है तीर ने।
मुझसे नफ़रत हो गई, ग़ैरों से उल्फ़त हो गई,
साफ़ ज़ाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने।
"शौक़" दुनिया में सिवाए रञ्जोग़म के कुछ नहीं,
लफ़्ज़ दो सीखे हैं लिखने कातिबे तक़दीर ने।
—"शौक़" बलन्दशहरी

मैंने ख़ामोशी से उनके दिल में घर था कर लिया,
कर दिया बे-आबरू एक बे महल तक़दीर ने।
कशमकश रहती थी बाहम यास[16] और उम्मीद में,
फ़ैसला ही कर दिया क़ातिल तेरी शमशीर ने।
—"सूफ़ी" रवन्नवी

राज़ेदिल जब कह दिया एक आशिक़े दिलगीर ने,
और आँखें फेर लीं सुन कर बुते बेपीर ने।
दर्दं दिल बख़्शा मुझे दरमाने[17] बे तासीर ने,
नक़्श हैरत कर दिया मुझको तेरी तस्वीर ने।
ताब है इतनी किसे देखे जो तुझको बे नक़ाब[18],
कर दिया बेहोश मूसा को तेरी तनवीर[19] ने।
—"अज़मत" बलन्दशहरी

परतवे[20] हक़[21] का हुआ जब बज़्मे[22] आलम में ज़हूर,
नूर की दुनिया बसाई नूर की तस्वीर ने।
मुख़लसी[23] होने न पाई थी किसी के इश्क़ से,
एक नई दुनिया बना दी फिर मेरी तक़दीर ने।
—"फ़रहत" कानपुरी

१५—चमत्कार १६—निराशता १७—इलाज १८—परदा, घूँघट १९—रोशनी २०—साया २१—ईश्वर २२—समा २३—छुटकारा।

हम तो आए थे कि देखें जलवए बज़्मे जहाँ,
कर दिया बेहोश लेकिन आप की तस्वीर ने।
—"क़मर" चिरथावली

ताबिशे[24] नज़्ज़ारा ने बेहोश मूसा को किया,
नूर का आलम किया पैदा तेरी तस्वीर ने,
—"मुहसिन" रामपुरी

दाग़े सीना, दर्द दिल, ज़ख़्मे जिगर, सोज़े[25] नेहाँ,
हमनशीं कैसे बनाए हैं मेरी तक़दीर ने।
—"नसीम" कुचटवीं

रहबरी तो की तरीक़े[26] इश्क़ में तदबीर ने,
ऐन मनज़िल पर मगर धोका दिया तक़दीर ने।
जिस क़दर पिछली शिकायत थी वह सब जाती रही,
मुझको समझाया कुछ इस तदबीर से तक़दीर ने।
गिर पड़ी बिजली क़फ़स[27] पर जल गई सब कायनात[28],
दी रेहाई इस तरह मुझको मेरी तक़दीर ने।
जो न था मञ्ज़ूर लिखना कातिबे तक़दीर को,
वह मेरी तक़दीर में लिखवा दिया तक़दीर ने।
वह चली आँधी कि सारा आशियाँ[29] ही उड़ गया,
एक तिनका भी नहीं छोड़ा मेरी तक़दीर ने।
मैं तमाशागाहे आलम में तमाशा बन गया,
जो न देखा था दिखाया मुझको वह तक़दीर ने।
बैठे थे तदबीर वाले तोड़ कर पाये तलब,
ख़ाक दुनिया भर की छनवाई मगर तक़दीर ने।
किस तरह पहुँचूँगा अब मैं साहिले[30] तदबीर पर,
मुझको दरिया में डुबोया कश्तिये-तक़दीर ने।
मेरे जीने की न कर तदबीर तू ऐ चारागर,
ठान ली अब दुश्मनी तदबीर से तक़दीर ने।
क्यों न ऐ "बिस्मिल" उठे हर सिम्त तूफ़ाने ग़ज़ल,
"नूह" साहब से मिलाया ख़ूबिये तक़दीर ने।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२४—देखने की ताक़त २५—छुपी हुई आग २६—रास्ता २७—पिंजड़ा २८—पूँजी २९—घोंसला ३०—किनारा।

* * *



प्राचीन भारत में राज-व्यवस्था

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

संसार में ऐसा कोई भी देश न होगा, जहाँ कि किसी न किसी प्रकार की राज-व्यवस्था न हो। प्रत्येक सभ्य या असभ्य देश में राज-व्यवस्था होती ही है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि प्रत्येक देश की व्यवस्था वहाँ की सभ्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। फलतः किसी देश की सभ्यता का परिचय प्राप्त करने के लिए और वहाँ के निवासियों की योग्यता और विद्वत्ता आदि का अन्दाज़ा लगाने के लिए उस देश की राज-व्यवस्था का जानना आवश्यक है। यदि किसी देश पर लुटेरों का राज्य है, तो उस देश की सभ्यता भी वैसी ही होगी और यदि किसी देश पर विदेशियों का आधिपत्य है तो वहाँ के लोग अवश्य ही कायर, भीरु, निरुत्साही और आलसी होंगे। तात्पर्य यह कि किसी देश की राज-व्यवस्था ही उस देश की सभ्यता का प्रधान परिचायक है।

इस भू-मण्डल पर भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ अनादि काल से लेकर आज तक प्रत्येक प्रकार की राज-व्यवस्थाएँ आविर्भूत और समाप्त हो चुकी हैं। एकाधिपत्य शासन, निरङ्कुश शासन, प्रजातन्त्र, साम्राज्यवाद आदि प्रायः सब प्रकार की राज-व्यवस्थाएँ समय-सङ्गम पर स्थापित हो चुकी हैं। इस देश पर कितने ही आक्रमण हुए, कितनी ही आपदाएँ आईं—भारत ग़ुलाम हुआ, आज़ाद हुआ, पुनः ग़ुलाम हुआ। इसने अपने जीवन का आनन्दमय प्रभात देखा, मध्यान्ह में प्रचण्ड शक्ति को प्राप्त कर संसार को अपने आतप से उद्भासित और चकित किया, अब स्वयं घोर अन्धकार में पड़ा हुआ है। अतः यदि यह दावा करे कि प्रायः सर्व प्रकार की राज्य-व्यवस्थाओं का उपयोग इस देश में हो चुका है तो कोई अत्युक्ति न होगी। यहाँ तक कि वर्तमान युग का स्वायत्त शासन-व्यवस्था की जन्म-भूमि भी भारत ही है और यहाँ की प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था इसका प्रमाण है, जिसकी झलक आज भी देहातों में मौजूद है।

प्राचीन काल में भारत की प्रजा राजा को देवता का अंश समझती थी, और आज भी समझती है। परन्तु राजा अपने अधिकार को दैवी अधिकार नहीं मानता था, न अपने पद को ईश्वर-प्रदत्त समझता था जैसा कि पाश्चात्य देशों के राजा लोग मध्य युग में समझते थे। इसलिए भारत के निरङ्कुश शासकों तथा पाश्चात्य देशों के निरङ्कुश शासकों में बड़ा अन्तर है।

पाश्चात्य देशों के निरङ्कुश शासक की इच्छा ही शासन-व्यवस्था थी, वह स्वयं राज-व्यवस्था बना और बिगाड़ सकता था। परन्तु भारत में यह बात न थी। वहाँ धर्म, शास्त्र तथा स्मृतियाँ ये दोनों सिपाही के रूप में सर्वदा राजा के आगे-पीछे चलते थे। यदि कहीं राजा ने इन दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो वे झट वहीं राज-शक्ति की लगाम खींच लेते थे। यूरोप के राजा लोग अपनी निजी सम्पत्ति को अपनी इच्छानुसार बर्त सकते थे, परन्तु भारत में राजाओं के पास कोई निजी सम्पत्ति होती ही न थी। जो कुछ उसके पास होता था, वह प्रजा का धन होता था। जब तक राजा बल-पौरुष से युक्त होता था तब तक वह उसके उपयोग का अधिकारी था। जब वह शासन के अयोग्य हो जाता था, उसे उपभोग से मुँह मोड़ कर जङ्गल की राह लेनी पड़ती थी। राजा हर्षवर्धन, अशोक, हरिश्चन्द्र आदि के ऐसी अवस्था आने के पूर्व ही राज-सम्पत्ति छोड़ कर चले जाने का वृत्तान्त इतिहास में लिखा हुआ है।*

राजा की सहायता के लिए एक कौन्सिल होती थी† शासन का आरम्भ ग्रामों से ही होता था। ग्रामों के अधिपति ही राज्य की सभा (General Assembly) के सदस्य होते थे। इन्हीं में से राज्य-परिषद् के सदस्य चुने जाते थे और ये राज्य-परिषद् के सदस्य ही देश के वास्तविक शासक होते थे। शासन की दो व्यवस्थाएँ थीं। एक तो यह कि ऐसे परिषद् केवल सभापति चुन कर ही शासन करते थे। ऐसे राज्यों को 'गणराज्य' कहते थे। दूसरे, ऐसे परिषदों द्वारा राजा भी चुने जाते थे। जहाँ राजा चुने जाते थे वह परिषद् द्वारा ही चुने जाते थे। "तुम्हें तमाम ग्रामपति राजा चुनेंगे" (अथर्ववेद)।‡ यह चुनाव राजवंश से ही होता था। राजा चुनने का प्रथम प्रस्ताव तात्कालिक राजा ही करता था। परिषद् की स्वीकृति उसके लिए आवश्यक होती थी। तात्कालिक राजा जब तक शासक के रूप में उपस्थित रहता था तब तक वह निर्वाचित राजा 'युवराज' के नाम से सम्बोधित होता था। यदि वह युवराज-काल में अयोग्य प्रमाणित होता तो अन्य शासक चुना जाता था। युवराज का राज्याभिषेक महामन्त्री अथवा राजगुरु ही करता था।§

प्रजातन्त्र

कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का कथन है, तथा उन्हीं को प्रमाण मानने वाले भारतीय इतिहास की असलियत से अनभिज्ञ अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह मान लिया है कि भारत में 'प्रजातन्त्र शासन' जैसी कोई राज्य-व्यवस्था कभी नहीं थी। वे प्रजातन्त्रात्मक शासन का जन्मदाता ग्रीस (यूनान) को मानते हैं।

"अलक्षेन्द्र (Alexander) के आने के पहिले भारत की जातियाँ" "और ६०० ई० पू० से ३२३ ई०पू०" नामक पुस्तकों में माननीय रमेशचन्द्र दत्त विनसेण्ट स्मिथ के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहते हैं —

* Dr. Pramath Nath Bannerji 'Ancient Government,' p. 343.

† 'Early History of India' V. Smith.

‡ Quoted by Dr. Besant in her 'Lecture on Political Science' Published by the Madras Theosophical Society 1920.

§ 'Ramayana' (Balmiki) Balkand quoted by Dr. Besant in her Lectures on Politics Page 140.

"हिमालय से लेकर दक्षिण में, नर्बदा नदी तक के बीच के बसे हुए भू-भागों में, अनेक राज्य स्थापित हो गए थे। वे भाग राजाओं के हाथ में थे। वहाँ वे सङ्घ-शासन द्वारा शासित होते थे और कहीं-कहीं गण-तन्त्र राज्य-व्यवस्था थी। उनका कोई एक निरङ्कुश शासक न था।"

हुएन सांग के एक विवरण को उद्धृत करते हुए श्री० जायसवाल जी कहते हैं कि, "कपिलवस्तु में कोई राजा ही न था। हर एक नगर स्वयं अपना शासक नियुक्त कर लेता था।"

प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली वाले राज्य, 'सङ्घ' अथवा 'गण' कहलाते थे। प्राकृतिक भाषा में गण के बदले 'गण रायानी' शब्द मिलता है।

श्री० जायसवाल जी अपनी पुस्तक 'हिन्दू राजनीति' (Hindu Polity) में महाभारत, शान्ति-पर्व ६-८-१९ का उल्लेख करते हुए गणराज्य के विषय में लिखते हैं—

"गणराज्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे, अन्य राज्यों से मैत्री स्थापित करते थे, नीति निर्धारित करते थे, कर वसूल करते थे, मुद्रा चलाते थे और राष्ट्र में जितनी बातें होनी आवश्यक होती हैं, वे सभी बातें करते थे।"

कौटिल्य [अर्थशास्त्र पुस्तक ९, अध्याय १, पृष्ठ ४२२-२६] महाराज चन्द्रगुप्त को राज्यशासन-व्यवस्था के उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं—"कम्बोज के वीरों का सङ्घ, सौराष्ट्र आदि देशों के खेतिहरों का सङ्घ, व्यापारियों का सङ्घ, शास्त्र निर्माताओं का सङ्घ, लिच्छवियों का सङ्घ, व्रित्तिकों का सङ्घ, मल्लकों का सङ्घ तथा अन्य कतिपय सङ्घ, जो अपने को शासक कहते हैं, जो प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के मानने वाले हैं, उनसे आप मैत्री स्थापित करें। क्योंकि इन लोगों से मैत्री करना मानो किसी बड़े राज्य पर अधिकार जमाने से विशेष सम्बन्ध रखता है।

"यन्धियों का भी एक सङ्घ-राज्य था। उनका पेशा शस्त्र बनाना और उसीका व्यापार करना था। शिलालेखों से यह पता चलता है कि उनके यहाँ गणराज्य था।"*

"मालवा, क्षुद्रक तथा मल्लों राज्य का गणराज्य था। ग्रीक इतिहास-लेखक यादवों के राज्य को भी गणराज्य लिखते हैं। परन्तु यादव लोग अपनी राज-प्रणाली को 'स्वराज्य' या 'स्वराट्' नाम से पुकारते थे। महाभारत में इसका एक प्रबल प्रमाण मिलता है। भगवान कृष्ण, यद्यपि हर प्रकार से द्वारिका के शासक थे, परन्तु वे 'राजा' नहीं कहलाते थे। इसका क्या कारण है? कृष्ण के पूर्वज भी 'राजा' नहीं कहलाते थे। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही यादवों में गण-राज्य प्रणाली रही होगी और श्रीकृष्ण के पूर्वज चुने हुए शासक (सभापति) के रूप में रहते होंगे। 'ऐतरेय ब्राह्मण' (अध्याय ७, श्लोक १४) भोज तथा स्वराट् शासन-प्रणाली को 'विराज्य' के नाम से सम्बोधित करता है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्रास के भूभागों में गणतन्त्र-राज्य स्थापित था। वहाँ का हर एक निवासी स्वयं अपना शासक था। सम्राटों और राजाओं

* 'Panini' quoted by Mr. Jayaswal in his 'Hindu Polity.'

का शासन केवल पूर्व तथा मध्य के देशों में होना बताया गया है।

एक बार अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से कहला भेजा था कि वह वाज्जियासङ्घ-राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, आपकी क्या आज्ञा है? इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्दभिक्षु से पूछा—

"आनन्द, क्या तुमने सुना है कि वाज्जिया निवासी कभी-कभी सभाएँ करते हैं?"

"तथागत, हाँ, मैंने सुना है।"—आनन्द ने कहा।

महात्मा बुद्ध ने पुनः पूछा—"आनन्द, जब तक वाज्जिया निवासी मिल कर सभाएँ करते हैं, सभा और समिति द्वारा अपने ऊपर शासन करते हैं, तब तक उनकी अवनति न होगी। वे उन्नति-पथ की ओर ही बढ़ेंगे। जब तक वाज्जिया निवासी साथ-साथ रहते हैं, आपस में ही अपने विवादों का निर्णय कर लेते हैं, स्वयं नियम बनाते और उसका पालन करते हैं, वाज्जिया-परिषद की आज्ञा मानते हैं, वृद्धों का आदर करते हैं और वाज्जिया के प्राचीन सिद्धान्तों पर चलते हैं, तब तक वाज्जिया की उन्नति ही होती रहेगी, न कि अवनति*।"

महात्मा गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धर्म ही सङ्घ कहा जाता था। जो उक्त धर्म को पहले-पहल स्वीकार करता था, उससे ये दो वाक्य कहलवाए जाते थे—

"बुद्धं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि।"

महात्मा बुद्ध के सङ्घ में सबको समानाधिकार प्राप्त थे। बहुमत द्वारा सब बातें तय होती थीं। उनका धर्म ही प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित था। ग़रीबों का उत्थान ही उनका उद्देश्य था। जब कभी सङ्घ में कोई आवश्यक प्रश्न उपस्थित होता था, तो उस पर प्रत्येक सदस्य से सम्मति ली जाती थी। सङ्घ में विषय उपस्थित किया जाता था और उस पर तीन बार मत लिया जाता था। जिन्हें प्रश्न का विरोध करना होता था, वे ही बोलते थे, जो समर्थक होते वे चुप रहते थे। फिर बहुमत से वह प्रस्ताव पास होकर कार्यान्वित हो सकता था। फलतः पाश्चात्य इतिहासकारों का यह कहना है कि बहुमत से प्रस्ताव पास करने की क्रिया यूनानियों की निकाली है, भ्रमपूर्ण है। भारत में यह प्रणाली अनादि काल से चली आ रही है। मत रङ्गीन टिकटों द्वारा लिए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। 'सङ्घ में जितने भी 'भिक्षु' होंगे, उनमें से अधिक मत जिस पक्ष में होगा उसी पक्ष की विजय मानी जायगी।' (चलवग्ग चतुर्थ पद २४)। टिकट इकट्ठा और वितरित करने के लिए वर्तमान 'स्पीकरों' की तरह एक ही मनुष्य नियुक्त किया जाता था†। जायसवाल महोदय का कहना है कि कुरु, पाञ्चाल आदि में भी सङ्घ-राज्य प्रणाली थी। विदेहों का राज्य भी गण-राज्य था, जो ६ शताब्दी ई० पूर्व राज्य तथा साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया था।

अतः यह सिद्ध है कि ईसा की ६ शताब्दी पूर्व भारत में जातीय सङ्घों का अन्त हो चुका था तथा उनके स्थान पर सङ्घ तथा गण-राज्य प्रणालियाँ पूर्ण रूप से व्याप्त थीं। उनके शासन का प्रबन्ध लोक-समिति द्वारा ही होता था‡।

जिस तरह छोटे-छोटे ग्रामों में प्रजातन्त्रवाद का जन्म हुआ, उसी तरह इन्हीं छोटे-छोटे ग्रामों के एक में मिल जाने से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। जो पहिले दस ग्राम या बीस ग्राम के अधिपति थे, वे सरदार बन गए। ऐसे दस-बीस सरदारों के अधिपति राजा तथा ऐसे दस-बीस राज्यों के मिल जाने से साम्राज्य की सृष्टि हुई। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में राजा की उत्पत्ति का कारण आततायियों, चोरों और डाकुओं से दुखियों, निर्बलों की रक्षा करना लिखा है।

मनु कहते हैं—जब जीव अराजकता से भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, तब ईश्वर ने राजा की सृष्टि की (मनु अध्याय ७, श्लोक ३)

मनु महाराज स्वयं प्रथम राजा बने। पहिले के राजाओं का शासन निरङ्कुश न होता था। इसका प्रबल प्रमाण यह है कि एक-एक राज-वंश के सहस्रों वर्ष तक निर्विघ्नतापूर्वक राज्य करने का वर्णन मिलता है। जैसे सूर्य-वंश और निमि-वंश आदि राजाओं को स्वेच्छाचारी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक होता था कि वह मन्त्रिमण्डल की सहायता से राज-काज चलावें*। वह स्वयं तब तक शासन नहीं कर सकता था, जब तक उसके पास मन्त्रिमण्डल न हो। यदि राजा अत्याचारपूर्वक प्रजा पर शासन करे, तो वह तथा उसके सम्बन्धी को तुरन्त अपने प्राणों से हाथ धो लेना पड़ता था†।

मनु लिखते हैं—"उसे (राजा को) कर बहुत अल्प लेना चाहिए। आठवाँ, छठवाँ या बारहवाँ भाग पैदावार का कर-स्वरूप उसे लेना चाहिए। (मनुस्मृति, १२८-१३२)। यन्त्रकार, कलाकार, श्रमजीवी तथा अन्य कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के यहाँ निःशुल्क काम करना चाहिए। जो गाड़ी, रथ या बहली चला कर या नाव द्वारा व्यापार करते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार राज-सेवा में उपस्थित होना चाहिए।" (मनु० १३७-३८)।

राजा ही प्रधान शासक होता था, परन्तु उसके हाथ में ही सारी शक्ति नहीं होती थी। राज्य में सुप्रबन्ध के लिए वही उत्तरदायी होता था। राजा के पास राज्य-परिषद का रहना अनिवार्य था। कौटिल्य का कहना है कि परिषद की सहायता के बिना राजा शासन कर ही नहीं सकता। राज्य-सञ्चालन रूपी रथ के दो पहियों में एक राजा और दूसरा परिषद है। बिना एक दूसरे की सहायता के राज्य का काम नहीं चल सकता। अतः राजा नियमानुकूल राज्य-परिषद अवश्य रक्खे (कौटि० प्रथम, अध्याय ७, पृष्ठ १३-१४)।

मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय में भारतीय राजनीतिज्ञों में मतभेद है। मनु के अनुसार मन्त्रिमण्डल की संख्या १२ होनी चाहिए। बृहस्पति के मतानुसार १६; नृप उशन के अनुसार २०, परन्तु कौटिल्य का कहना है कि राजा जितने मन्त्री रखना उचित समझे, जितने से राज-काज चल सके, उतने रक्खे। (कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम पुस्तक, अध्याय २५, पृष्ठ २६, ३२, ३३)। मन्त्रिमण्डल में जो बात विशेष विवाद-ग्रस्त होती, उस पर अन्तिम राय राजा की ही ली जाती थी। राजा हर एक आज्ञा को लिख कर अपने मन्त्रिमण्डल के पास भेजता था। उस पर उसे अपनी मुहर देनी पड़ती थी। बिना मुहर के वह आज्ञा अप्रामाणिक समझी जाती थी। जायसवाल महोदय पञ्चतन्त्र के आधार पर कहते हैं कि "राजा की मुहर ही 'राजा' समझी जाती थी।" उनका कहना है कि जिस विभाग से उक्त आज्ञा का सम्बन्ध रहता था, उस पर उक्त विभाग के मन्त्री की भी मुहर रहना आवश्यकीय समझा जाता था।

शुक्रनीति में निम्न-लिखित विवरण मिलता है:—

"राजकीय पत्रों को भली-भाँति देख लेने के पश्चात् उस पर यथास्थान राजा को हस्ताक्षर करना चाहिए। मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान राजदूत तथा राज-पण्डित को भी हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर के ऊपर निम्न-लिखित वाक्य भी लिख देना चाहिए, 'यह आज्ञापत्र मेरे मत से ठीक है।' आमात्य को लिखना चाहिए 'यह आज्ञा-पत्र अच्छी तरह लिखा गया है।' सुमन्त को लिखना चाहिए, 'अच्छी तरह विचार किया गया है।' प्रतिनिधि लिखेगा, 'इसे अब स्वीकृत कर लेना चाहिए।' प्रधान लिखेगा, 'सही'। राजकुमार लिखेंगे, 'इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए।' पुरोहित लिखेगा, 'स्वीकार'। इस तरह लिख कर हर एक उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेगा। फिर वह पत्र राजा के सामने उपस्थित किया जायगा। राजा 'स्वीकृत' लिख कर उस पर हस्ताक्षर तथा मुहर करेगा। राजा को अन्य कार्यों के कारण इतना समय न रहेगा कि वह उक्त पत्र को अच्छी तरह पढ़े, अतः राजकुमार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसे अच्छी तरह पढ़े और उचित-अनुचित समझ कर राजा को बतावे। राजा शीघ्र उस पर 'देखा' शब्द लिख कर अन्य कार्य में लग जाय*।"

मेगस्थनीज़ के भी विवरण से इसकी पुष्टि होती है। एक 'आज्ञापत्र' पर सब मन्त्रिमण्डल का हस्ताक्षर तथा मुहर होना आवश्यक था। यह इस बात का साक्षी है कि राजा का शासन स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था। मन्त्रियों को इस बात का अधिकार था कि वह किसी आज्ञा के विरुद्ध अपना मत दे सकें। स्मिथ ने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है कि चन्द्रगुप्त-ऐसे प्रबल शासक के लिए मन्त्रिमण्डल की बात का मानना या न मानना आवश्यक न था। उनका यह लिखना भ्रमपूर्ण है। राजा से अधिक अधिकार मन्त्रिमण्डल को प्राप्त था। वह किसी स्वेच्छाचारी राजा को गद्दी से उतार सकता था, उसे पदच्युत कर सकता था। पुराणों में ऐसे कितने पदच्युत राजाओं का विवरण आया है, जो कि मन्त्रिमण्डल तथा प्रजा की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने के कारण सिंहासन से उतार दिए गए थे। यहाँ तक वर्णन आया है, कि जब किसी राजा को किसी अन्य कारण से गद्दी से उतारना होता था अथवा उसका राज्य छीनना होता था तो उस पर आक्रमण कर, विजय प्राप्त करना कठिन समझ, उसके द्वारा प्रजा पर अत्याचार करा कर, उसका स्वेच्छाचारी प्रमाणित कर पदच्युत कराया जाता था। जैसे नहुष और त्रिशङ्कु आदि।

राज की बागडोर मन्त्रिमण्डल के ही हाथ में रहती थी। जायसवाल महाशय अपनी पुस्तक 'Hindu Polity' (हिन्दू राजनीति) में एक स्थान पर कहते हैं—"राज-शासन की प्रधान-प्रधान बातों पर मन्त्रिमण्डल का ही अधिकार होता था। हिन्दू-मन्त्रिमण्डल के आरम्भ का इतिहास बहुत पुराना है। मन्त्रिमण्डल का सङ्गठन राज द्वारा नहीं होता था, बल्कि वह पहिले ही से बना होता था। पहिले मन्त्रिमण्डल होता था, उसके बाद राजा; न कि पहिले राजा और तब मन्त्रिमण्डल। मन्त्रिमण्डल ही राजा को चुनता था अथवा उसके लिए स्वीकृति देता था। 'शतपथ ब्राह्मण' तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि जब राजा चुन लिया जाय तो उसे राज्य के प्रधान-प्रधान व्यक्तियों—गुरु, पुरोहित, महामन्त्री, कुबेर (ख़ज़ाञ्ची) वन-विभाग के अधिपति और सेनापति आदि के यहाँ जाकर मैत्री भाव से उनसे मिलना चाहिए। राजा 'हे शासको' नाम से पहिले उनका सम्बोधन करे।

* 'Mahaparnibhana Suttant' quoted by Dr. Pramath Nath Bannerji Loc. Cit. Chap. VII, pp. 95, 96.

† जायसवाल महोदय ('हिन्दू राजनीति' पृष्ठ ८-१०)

‡ Dr. Besant's 'Lecture on Political Science'.

* मनुस्मृति ७,५५-५६

† १११-११२

* 'Shukra-Niti' Translated by Dr. Bannerji, Page 729, 744 Chap. ii.

वे लोग (मन्त्री) प्राचीन ग्रन्थों में राज-कर्त्ता—राजा की सृष्टि करने वाले—आदि नाम से सम्बोधित किए गए हैं। हिन्दू-मन्त्रिमण्डल का आरम्भ प्रजातन्त्र-वाद के आरम्भ के साथ ही हुआ था। उस समय मन्त्रिमण्डल का नाम 'समिति' था। जब राजा चुना जाने लगा तो समिति का नाम मन्त्रिमण्डल रख दिया गया। यही मन्त्रिमण्डल फिर 'मन्त्रि-परिषद्' और 'राज्य-परिषद्' के नाम से भी पुकारा जाने लगा। हिन्दू-राजनीति में मन्त्रिमण्डल को विशेष महत्व का स्थान प्राप्त था। मन्त्रिमण्डल कभी परतन्त्र नहीं रहता था। मन्त्रिमण्डल के इतिहास का अध्ययन करने से इस बात का पता चलता है कि भारतीय राजनीति शास्त्र कितना महत्व प्राप्त कर चुका था। आज भी हमारे सामाजिक या राजनीतिक जीवन में 'मन्त्रणा' को विशेष महत्व प्राप्त है। साधारण से साधारण काम ग्राम के पुरोहित, ज्योतिषी, पटवारी, वृद्ध तथा घर के मालिक और घर की वृद्धा स्त्री से राय लेकर ही किया जाता है।

इसी तरह हिन्दू राजनीति का यह परम सिद्धान्त है कि राजा बिना मन्त्रिमण्डल की सहायता तथा उसकी आज्ञा के एक इञ्च भी आगे न बढ़े। इस बात पर हमारे यहाँ धर्म-शास्त्र तथा नियम-क़ायदों की पुस्तकों की कमी नहीं है। रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ और पुराण आदि ग्रन्थों में ये सब बातें भरी पड़ी हैं। जिस चन्द्रगुप्त तथा उसके पौत्र अशोक को पाश्चात्य इतिहासवेत्ता एकतन्त्र सम्राट मानते हैं, उनके राज्य में भी मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख आता है। 'Rock Edict VI' नामक शिलालेख में इसका भी विवरण मिलता है कि "मन्त्रिमण्डल किसी प्रश्न विशेष पर राजाज्ञा से सहमत नहीं है !" वे शिला-लेख जो महाराज अशोक की ओर से प्रान्तीय शासकों को लिखे गए मालूम होते हैं, उनमें मन्त्रियों का भी नाम आया है। सिंहल लिपि वे ताम्र-पत्र जिन पर हुक्मनामे लिखे गए हैं, उन पर 'मन्त्रि-परिषद तथा राजा की आज्ञा' यह वाक्य भी लिखा हुआ मिलता है। यदि राजा अयोग्य होता था तो मन्त्रिमण्डल उसके स्थान पर दूसरा राजा चुन लेता था। इसका भी विवरण अशोक कालीन इतिहास से मिलता है। अशोक के मरने के उपरान्त पहिली शताब्दी ई० पू० में दशरथ नाम के किसी अयोग्य राजा को मन्त्रिमण्डल ने सिंहासन से उतार कर किसी अन्य को राजा बनाया था। एक दूसरे स्थान पर एक और आश्चर्यजनक विवरण मिलता है, जिससे मन्त्रिमण्डल की शक्ति का पता चलता है। 'राधागुप्त' नाम के निधिपति ने जब सुना कि अशोक राज-निधि का सारा द्रव्य बौद्ध मठों को दे देता है तब उसने 'निधि-भवन' पर ताला लगा दिया और यह घोषित कर दिया कि यह निधि प्रजा की है; इस पर अशोक का कोई अधिकार नहीं है *।

पञ्चतन्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि जो मन्त्री राजा की चाटुकारिता करता था, अथवा लोभ में आकर राजा की तरफ़दारी करता था, प्रजा उससे घृणा करती थी।

गिरनार पर्वत पर, सिंचाई के लिए एक विशाल जलाशय अनादि काल से बना चला आया है। सामयिक राजा को उस जलाशय की मरम्मत करवानी पड़ती थी। क्षत्रप रुद्रदमन ने भी उक्त जलाशय की मरम्मत करवाई थी। उस सम्बन्ध में उसका लिखवाया हुआ जो शिला-लेख मिला है, उसका विवरण इस प्रकार है—"मेरे मन्त्रिमण्डल तथा राज्य-परिषद्—दोनों ने मुझे उक्त जलाशय के मरम्मत कराने की आज्ञा नहीं दी। क्योंकि राज्य की विशेष आय लग जाने पर भी उसका व्यय पूरा न पड़ता था, अतः मुझे लाचार हो, अपनी निजी सम्पत्ति लगवा कर जलाशय को ठीक करवाना पड़ा।"

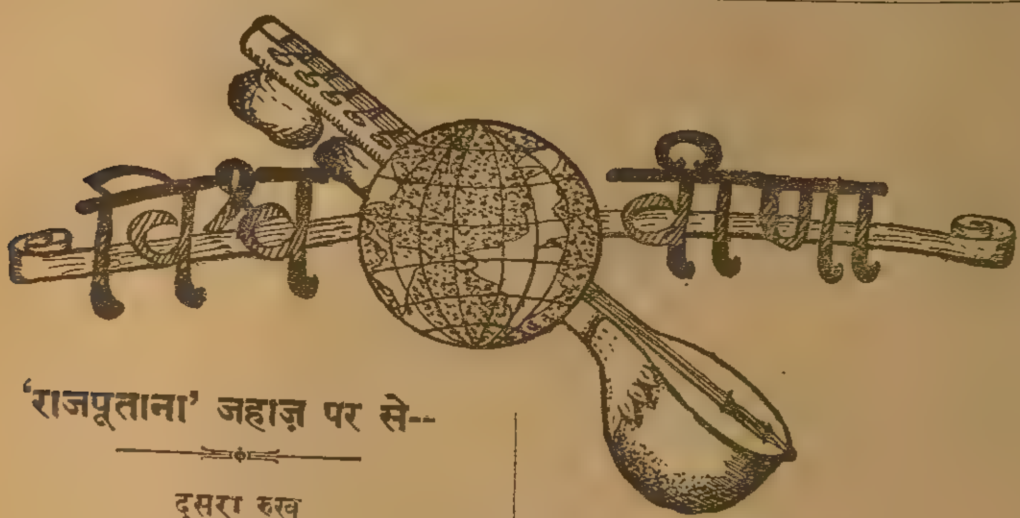
मन्त्रि-परिषद् के सिवाय राजा पर सबसे बड़ा मन्त्री तो धर्मशास्त्र था, जिसके विरुद्ध रह कर राजा को एक दिन भी शासन करना कठिन था।

पाश्चात्य विद्वान् जो भारत की असभ्यता को ही संसार के समक्ष रखना अपना कर्तव्य समझते हैं, अवश्य ही भारतीय इतिहास से निरे अनभिज्ञ हैं। ईसा के पूर्व की चौथी शताब्दी में जो राज्य-शासन के नियम थे वही ई० ग० ८वीं शताब्दी में भी रहे। मौर्य-साम्राज्य तथा गुप्त-साम्राज्य के राजनियमों में बहुत कम हेर-फेर हुआ। दोनों को धर्म-शास्त्रों—स्मृतियों के बताए मार्गों पर ही चलना पड़ा। फिर स्वेच्छाचारी शासन कहाँ रहा? उस समय की बात तो जाने दीजिए, ईसा मसीह की सत्रहवीं शताब्दी में, जब कि हिन्दू-साम्राज्य का प्रदीप बिल्कुल बुझ चुका था, शिवाजी के राज्य में भी इन्हीं नियमों द्वारा शासन होता था। इनका भी एक मन्त्रिपरिषद् था और उसकी आठ श्रेणियाँ थीं। अलग-अलग आठ विभाग थे। समर्थ गुरु रामदास उनके सञ्चालक थे।

नन्द वंश के विनाश का कारण क्या अकेले चाणक्य हो सकता था? वास्तव में सारा मन्त्रिमण्डल तथा प्रजा, नन्द के अत्याचार से घबरा उठी थी और मन्त्रिमण्डल भी उसके विरुद्ध हो गया था, तब कहीं चन्द्रगुप्त और चाणक्य को सफलता मिली थी। जब इस तरह की सुराजव्यवस्था थी तभी देश भी धन-धान्य से परिपूर्ण था; लक्ष्मी उसके पैरों तले लोटती थी। प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के ऊपर, प्रजा के प्रतिनिधि शासन करते थे। राजा तो केवल एक प्रधान का काम करता था। वह प्रजा का नौकर बन कर रहता था। जिस दिन से भारत में स्वेच्छाचारी शासन का आरम्भ हुआ, राजा प्रजा के भावों की अवहेलना करने लगे, उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर शासन करने लगे, उसी दिन से भारत के अभाग्य का केतु भी उदित हुआ। पृथ्वीराज के विनाश का यही कारण था। बार-बार मन्त्रिमण्डल के विरोध करने पर उनका होश ठिकाने न हुआ। उसी दिन भारत की स्वतन्त्रता देवी रूठ गई। मन्त्रिमण्डल का जहाँ अपमान हो, राजा जहाँ स्वेच्छाचारी, प्रजा के मत की जहाँ अवहेलना हो, वहाँ स्वतन्त्रता देवी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। यही नहीं, ऐसा राज्य या साम्राज्य भी, जिसमें प्रजा के ऊपर अत्याचार हो, प्रजा की बातों की सुनवाई न हो, स्वेच्छाचारपूर्ण शासन के अन्दर वे कुचले जाएँ, शीघ्र ही विनष्ट होता है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है और ईश्वर स्वयं ऐसे शासनतन्त्र का नाश करने के लिए अवतरित होता है।

* * *

* 'Lecture on Political Science' byDr. Besant, page 157.



'राजपूताना' जहाज़ पर से--

दूसरा रुख़

[गत सप्ताह के सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' में महात्मा गाँधी ने एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा है। दोनों पक्षों के विचार देशवासियों के समक्ष उपस्थित करने के अभिप्राय से महात्मा जी ने अपने एक सम्वाददाता के विचार भी उद्धृत कर दिए हैं; पाठकों के विचारार्थ महात्मा जी का यह लेख 'हिन्दी-नवजीवन' से हम यहाँ अविकल रूप से उद्धृत कर रहे हैं। —स० 'भविष्य']

फ़र्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थी के बम्बई के अस्थायी गवर्नर की हत्या करने के प्रयत्न की मैंने जो निन्दा की थी, उसका विरोध करते हुए एक सम्वाददाता ने उपर्युक्त शीर्षक से मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। मैं उसका अत्यन्त संक्षिप्त सार नीचे देता हूँ:—

"गुजराती नवजीवन" के गताङ्क में 'गाँडपण' (पागलपन) शीर्षक आपका नोट पढ़ कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सन् १९२१ से ही मैं अहिंसात्मक असहयोगी रहा हूँ और कॉङ्ग्रेस के अहिंसा के ध्येय को जितना अधिक से अधिक सम्भव हो सकता है, विश्वास के रूप में और स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण होने अथवा राष्ट्रीय झण्डे के अपमान जैसे अपवादित अवसरों के लिए नीति के तौर पर स्वीकार करता हूँ। जब तक इन दोनों पर कोई वास्तविक ख़तरा नहीं होता, तब तक अत्यन्त उत्तेजना के समय भी सच्ची अहिंसा सम्भव हो सकती है। लेकिन जब कभी स्त्रियों के सतीत्व पर हमला अथवा राष्ट्रीय झण्डे का अपमान होता हो, उस अवसर पर मुझे भय है कि मेरी अहिंसा ग़ायब हो जायगी, और यदि ऐसा न हो, तो उसका कारण मेरा कोई गुण न होगा, वरन् अधिकांश अवसरों पर मेरी शारीरिक दुर्बलता और केवल कभी-कभी अपवाद के रूप में मेरा समझ-बूझ कर किया हुआ आत्मसंयम ही इसका कारण होगा। यदि मैं बिना किसी आत्मश्लाघा के कह सकूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि शोलापुर के मार्शल-लॉ की अवज्ञा करने का विचार फैलाने वाला और वास्तविक अवज्ञा कर जेल जाने वाला पहिला व्यक्ति मैं ही था। यह सब कुछ अपनी सफ़ाई के रूप में है। अस्तु।

"मेरे विचार में, जो व्यक्ति सर्वथा मृत्यु के पञ्जे में फँसा हुआ है, उसका तिरस्कार करने से कोई लाभ नहीं। वह तो केवल दया का ही पात्र है। क्रियात्मक हिंसा ऐसा गुण या अवगुण है, जो न तो किसी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक प्रशंसा से विकसित हो सकता है, क्योंकि यह एक जीवन और मरण का प्रश्न है; और न किसी तीव्र से तीव्र सार्वजनिक निन्दा अथवा सरकारी दमन या दोनों से समूल मिटाया ही जा सकता है, क्योंकि यह परिणाम है विद्रोही भावनाओं का। जो लोग फाँसी से नहीं डरते, वे जनता की राय से न हिचकिचावेंगे। गुण या अवगुण अपवाद है और केवल भयङ्कर दमन अथवा स्त्रियों के सतीत्व पर हमला होने के बाद ही फूट निकलता है; उसका समूल नाश केवल तभी हो सकता है, जब कि या तो शासक अपने तर्ज़-अमल को सुधारें या अपना अन्त कर लें।

"हम अपने मृत्यु-काल के समीप तक सुरक्षित और निर्विघ्न रहने की न्याय्य इच्छा केवल तभी रख सकते हैं, जब हम नेक और पाप-भीरु हों; किन्तु निकृष्ट से निकृष्टतम पाप करने के बाद यदि हमारे साथ कुछ धोखेबाज़ी की जाय, तो उससे दुखी होने का हमें क्या अधिकार है, और ख़ासकर उस दशा में जबकि हमने बदला लेने के खुले, उचित, ईमानदारीपूर्ण और बिना धोखेबाज़ी के सब मार्ग रोक दिए हों? किसी भी बड़े से बड़े देश की, भारत तक की ख्याति दब्बूपने से, अन्याय एवम् ज़ुल्म और पाशविक अत्याचार सह लेने में नहीं है। 'प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं है' यह एक आम कहावत है, और दो असमान दलों में यह कमज़ोर के लिए अधिक उपयुक्त है।

"अब यजमान और मेहमान की फ़िलॉसफ़ी को लीजिए। श्री० हॉटसन किसके मेहमान थे? क्या फ़र्ग्यूसन कॉलेज के? अवश्य ही वे प्रिन्सिपल के और प्रोफ़ेसरों के भी मेहमान थे; किन्तु अनिच्छुक विद्यार्थियों के किसी भी हालत में नहीं। क्या ऐसे माननीय मित्र को निमन्त्रित करने से पहिले विद्यार्थियों की राय ली गई थी? क्या प्रिन्स ऑफ़ वेल्स—युवराज—भारत-सरकार के और उसी दलील से भारत के मेहमान न थे? लेकिन उनका स्वागत किस तरह किया गया? इसीलिए इस मामले में असाधारण संयम न रख सकने के लिए श्री० गोगटे पर तो अन्तिम दोषारोप होना चाहिए; असली ज़िम्मेवारी या ग़ैर-ज़िम्मेवारी तो प्रिन्सिपल श्री० महाजनी की है और असली अपराधी या असली अर्थ में अपराध के लिए उकसाने वाला तो बम्बई का स्थायी गवर्नर है; जिसे अच्छे बर्ताव से पेश आने की सलाह दी जानी चाहिए।

"मैं अस्थायी गवर्नर की उस स्थिरचित्तता और साथ ही असाधारण सर्द-मिज़ाजी की सराहना करता हूँ, जिससे उन्होंने हत्या के असफल प्रयत्न के तुरन्त बाद श्री० गोगटे से कहा—'मेरे बच्चे, ऐसा करना बेवक़ूफ़ी है,' और पूछा—'तुम ऐसा किस कारण से कर रहे हो?' किन्तु अस्थायी गवर्नर का यह उदार और प्रेमपूर्ण भाव सर्वथा क्षणिक था। यदि उन्होंने इस तरह मानो कोई असाधारण बात हुई ही नहीं, श्री० गोगटे को उसी पर छोड़ कर उस भाव को साहस-पूर्वक ज़रा अधिक समय तक रक्षित रक्खा होता, तो देश के क्रान्तिकारी समुदाय की मनोवृत्ति पर इसका कैसा अद्भुत प्रभाव हुआ होता? सदैव अपने ए० डी० सी० (शरीर-रक्षकों) और सेना की संरक्षता में रहने वाले अस्थायी गवर्नर को इक्के-दुक्के गोगटे के ऐसे बेवक़ूफ़ी के कामों से डरने की ज़रूरत नहीं। अब भी समय निकल नहीं गया है। विश्वास से विश्वास पैदा होता है। क्षमा भयङ्कर से भयङ्कर शत्रु को पिघला देती है। किन्तु क्षमा सबल की ओर से होनी चाहिए, निर्बल की हर्गिज़ नहीं। इस ओर श्रीगणेश करने के लिए अस्थायी गवर्नर उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु समय-चिह्न साफ़ तौर पर बताते हैं कि ऐसी सद्बुद्धि के उदय होने की बहुत कम सम्भावना है।"

क्योंकि यह लेख राजपूताना जहाज़ पर से लिखा जा रहा है, इसलिए यह लिखे जाने के तीन सप्ताह बाद प्रकाशित होगा। किन्तु दुर्भाग्य से विषय के सदा ताज़ा होने के कारण, लेख को बासी समझने की ज़रूरत नहीं। इस बात की बड़ी आशङ्का है कि सम्वाददाता की मनोवृत्ति उसी मनोवृत्ति की परिचायक है, जो बहुत से विद्यार्थियों में फैली हुई है। लेकिन तरीक़ा और भी अधिक ज़हरीला और हानिप्रद है, क्योंकि वह ईमानदारी से अख़्तियार किया गया है। जैसा कि सम्वाददाता का कथन है, यह कहना अनुभव के विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक आस-पास के वातावरण का कुछ भी ख़्याल न कर, क्षणिक उत्तेजना के अनुसार काम कर डालेंगे। उनकी साहसिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह नहीं हो सकता; लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वे इतने अभि-मानशून्य हैं कि अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा की ओर सर्वथा उदासीन हों। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्हें यह मालूम हो जाय कि उनके कार्य की सर्वत्र एक स्वर से निन्दा होगी, तो वे अपनी क़ीमती ज़िन्दगी को योंही हर्गिज़ न गँवावेंगे। इसलिए मुझे इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि जो लोग अनुभव करते हैं कि ऐसे कार्यों से उद्देश्य को भयङ्कर हानि पहुँचती है, उनका यह कर्तव्य है कि वे ऐसे कृत्यों की एक स्वर से निन्दा करें। शोलापुर के मार्शल-लॉ या उसके अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिए अस्थायी गवर्नर को ज़िम्मेदार ठहराना सर्वथा भ्रमात्मक है। यह तो प्रणाली का दोष है। इस-लिए कॉङ्ग्रेस इस मुख्य बात को अनुभव करके इस प्रणाली का नाश करने का प्रयत्न कर रही है, शासकों का नहीं। भारत जैसे विशाल देश को एक शक्तिशाली संस्था द्वारा लूटने के आधार पर स्थित प्रणाली को कार्य में परिणत करने का काम यदि किसी देवदूत या फ़रि-श्ते के सुपुर्द किया जाय तो वह देवदूत भी अपने को असहाय अनुभव करेगा, और अवसर आने पर ठीक वही करेगा, जो अस्थायी गवर्नर ने किया। दश शीशधारी रावण कोई मानवी राक्षस नहीं था; वरन् रावण के रूप में एक प्रथा थी, जिसके पुराने सिर काटते ही नए उग आते थे। और राम के लिए उक्त रावण का मार सकना तभी सम्भव हुआ, जब उनका ध्यान उस मूल स्थान की ओर दिलाया गया, जहाँ से सिर पैदा हो जाते थे।

हमारे सामने अनेक हत्याएँ हुई हैं और मारे गए प्रत्येक अफ़सर की जगह नए की नियुक्ति हो गई, और शासन-तन्त्र वैसा ही मज़े में चलता रहा, जैसा हमेशा चलता था। लेकिन यदि हम एक बार बुराई की जड़ को ही उखाड़ने में सफल हो सकें, तो न तो शोलापुर ही दुहराया जायगा, न अप्रिय फाँसियों की ही पुनरा-वृत्ति होगी। इसलिए जहाँ तक ऐसी बुराइयों की निन्दा का सम्बन्ध है, जोकि नवयुवकों के हृदय में चुभती रहती हैं, मैं उनकी उतनी ही सख़्ती से निन्दा करूँगा, जितनी कि वे करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे लम्बी-चौड़ी दलीलें छोड़ दें और इस प्रणाली का नाश करने में कॉङ्ग्रेस को सहयोग दें। व्यक्तियों की हत्या

का मार्ग इस प्रणाली को जीवित रहने का और नया पट्टा दे देता है। अहिंसात्मक युद्ध उसके जीवन को घटाता है, और यदि उसे पूर्ण रूप से अङ्गीकृत कर लिया जाय, तो इस प्रणाली के पूर्ण रूप से मूलविच्छेद का निश्चय कराता है। जो लोग सम्वाददाता की तरह दलीलें देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि हत्या की नीति की प्रगति की रोक न की गई, तो वह उल्टी हमारे अपने सिर पर पड़ेगी और इसलिए हमारी वह स्थिति पूर्व स्थिति से भी बदतर होगी। हमें उक्त प्रणाली को नए पोशाक में पुनरुज्जीवित करने का अत्यन्त भयङ्कर ख़तरा मोल न लेना चाहिए। सफ़ेद आदमियों के बजाय भूरे आदमियों द्वारा उसी प्रणाली के अनुसार शासन-कार्य होने के परिणाम में यदि अमर्याद अनर्थ नहीं तो वैसा ही अनर्थ अवश्य होगा, जैसा कि आज हो रहा है।

* * *

अदन

[अदन के सम्बन्ध में देसाई महोदय ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' में लिखा है, जिसका हिन्दी रूपान्तर हम सहयोगी 'नवजीवन' से यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। साधारण जानकारी के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी यह लेख एक विशेष स्थान रखता है। हमें आशा है, पाठकगण इसे ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। इजिप्ट के दो तारों का हिन्दी-अनुवाद हम सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' से दे रहे हैं। इन तारों तथा बधाइयों से पाठकगण समझ सकेंगे कि भारत के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इस आन्दोलन से अन्य देशवासियों को किस हद तक सहानुभूति है।

—स० 'भविष्य']

बम्बई से ठीक पश्चिम की तरफ़ के १,६६० मील के थका देने वाले समुद्री-सफ़र के बाद पहिला विश्राम का बन्दरगाह अदन है। नगर ज्वालामुखी चट्टानों का समूह है—नगर का केन्द्र भाग अभी तक 'क्रेटर' (ज्वालामुखी का मुख) कहलाता है और यात्री को जहाज़ पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर और शहर के चारों ओर की वृक्षहीन, कोयले सी काली चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। कहा जाता है कि सदियों से इस पर अनेक शासकों ने शासन किया, और अब भी बयान किया जाता है कि जिस समय सन् १८३६ में इस पर अधिकार किया गया था, यह मछली के शिकार का एक छोटा सा गाँव था, जिसमें मुश्किल से ६०० प्राणी रहते थे। यदि विश्वस्त विवरण मालूम हो सके तो इसके अधिकृत किए जाने की कथा भी बड़ी मनोरञ्जक होगी और कदाचित साम्राज्यवादी लुटेरों की उन्नीसवीं सदी की लूट में एक और वृद्धि करेगी। अवश्य ही अङ्गरेज़ी स्कूल के विद्यार्थी को तो यह पढ़ाया जाता है कि लाहेज का सुल्तान, जो कि सालाना ख़िराज के तौर पर अदन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अपने वादे से फिर गया और एक अङ्गरेज़ी जहाज़ पर हमला करके उसे लूट लिया। नतीजा यह हुआ कि क़िलों पर धावा करना ज़रूरी हो गया और तदनुसार सन् १८३६ में उन पर आक्रमण करके उन्हें अधिकृत कर लिया गया। लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महासागर—संसार के सबसे बड़े जल-मार्ग—पर अपना निश्चित अधिकार बनाए रखना ज़रूरी था, और यह तब तक सम्भव न था, जब तक अदन और पेरिम में एक ज़बर्दस्त फ़ौज न रक्खी जाती। पेरिम अदन से सुदूर पश्चिम की ओर १०० मील के फ़ासले पर एक द्वीप है और उस पर इतनी सख़्ती से निगरानी रक्खी जाती है, कि अदन के रेज़ीडेण्ट की स्वीकृति बिना वहाँ कोई भी नहीं ठहर सकता।

शहर की आबादी ४३,००० है, जिसमें ३१,००० अरब, ६,९०० सोमाली और ४,५०० हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें अधिकांश बम्बई के गुजराती और कच्छी हैं। इन कुल ९२ वर्षों से वह अभी तक बम्बई-सरकार के अधीन था, लेकिन अब एक प्रस्ताव इसे भारत-सरकार के अधीन कर देने का चल रहा है। अनेक स्पष्ट कारणों से अदन के भारतीय इस परिवर्त्तन का विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक सर्वथा स्वाभाविक कारण यह है कि वहाँ के अधिकांश निवासी बम्बई के हैं और उनका व्यापार-सम्बन्ध भी बम्बई से ही है, इसलिए उनके लिए सबसे अधिक सुविधा बम्बई के अन्तर्गत रहने में ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि बम्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधिकार मिलें, जो कि अब अवश्य ही मिलेंगे, तो अदन उसके लाभ से वञ्चित न किया जाना चाहिए। एक और भी कारण है और वह यह कि यदि अदन केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव है कि वह एक बन्दोबस्ती ज़िला या अर्द्ध-फ़ौजी क्षेत्र बना दिया जायगा और इस प्रकार वहाँ का सारा सार्वजनिक जीवन नष्ट हो जायगा।

कॉङ्ग्रेस का सन्देश

किन्तु यदि कोई एक-दो बातों से निर्णय करना चाहे, तो मालूम होगा कि सार्वजनिक जीवन का वहाँ प्रायः अब भी अभाव है। वहाँ के हिन्दुस्तानी गाँधी जी तथा गोलमेज़ परिषद् के दूसरे प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय झण्डा साथ रखना चाहते थे। किन्तु रेज़ीडेण्ट ने राष्ट्रीय झण्डा साथ रखने की इजाज़त न दी और जब तक स्वयं गाँधी जी ने इस स्वेच्छाचारी बन्धन को दूर करने के लिए स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री० फ़ामरोज़ कावसजी को यह न सुझाया कि रेज़ीडेण्ट से टेलीफ़ोन द्वारा कहा जाय कि वे (गाँधी जी) इन शर्तों के रहते अभिनन्दन-पत्र के स्वीकार करने की कल्पना तक नहीं कर सकते, और जब कि सरकार और कॉङ्ग्रेस में सन्धि है, तब कम से कम सन्धि के अनुसार सरकार को राष्ट्रीय झण्डे का विरोध नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को भी रेज़ीडेण्ट के इस कार्य का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। यह दलील काम कर गई, और गाँधी जी को अभिनन्दन-पत्र दिए जाने की जगह राष्ट्रीय झण्डा फहराने की स्वीकृति देकर रेज़ीडेण्ट ने इस अप्रिय स्थिति को बचा लिया।

दूसरी बात जो मैंने देखी वह यह थी कि यद्यपि अदन के भारत-सरकार के अधीन किए जाने का प्रश्न कई दिनों से सामने था, फिर भी गाँधी जी को दिए गए अभिनन्दन-पत्र में उस सम्बन्ध में एक शब्द तक न था। मैं इसका कारण अधिकारियों के भय के सिवा और कुछ नहीं समझता। किन्तु कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो बम्बई के कॉङ्ग्रेस के उत्साहप्रद वातावरण की कुछ चिनगारियाँ वहाँ ले गए हैं, और गुजरातियों के कारण, जो कि प्रत्यक्षतः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहाँ काफ़ी खादी दिखाई दी, मैं नहीं कह सकता कि वह सब शुद्ध खादी थी या नहीं।

इस स्थिति से गाँधी जी को कॉङ्ग्रेस का सन्देश सुनाने का मौक़ा मिल गया, और क्योंकि स्वागत की तैयारी में अरबों ने भी योग दिया था—स्वागत का अभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाओं में पढ़ा गया था—इसलिए अरबों को भी वे अपना सन्देश सुना सके।

अभिनन्दन-पत्र का उत्तर और ३२८ गिन्नियों की थैली के लिए धन्यवाद देते हुए गाँधी जी ने कहा—

"आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन् गोलमेज़ परिषद् में जिस कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसका है। मुझे मालूम हुआ है कि अभिनन्दन के इस कार्यक्रम में आपके सामने राष्ट्रीय झण्डे के कारण कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, ख़ास कर जब कि राष्ट्रीय नेता निमन्त्रित किए गए हों, कल्पना करना ही असम्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराता हो। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झण्डे के सम्मान की रक्षा में बहुतों ने लाठियों के प्रहार सहे हैं और कईयों ने अपने प्राण तक दे दिए हैं, और इसलिए आप राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान किए बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता का सम्मान नहीं कर सकते। फिर सरकार और कॉङ्ग्रेस के बीच समझौता हो चुका है, और कॉङ्ग्रेस इस समय उसकी विरोधी पार्टी नहीं, वरन् मित्रवत् है। इसलिए सिर्फ़ राष्ट्रीय झण्डे का केवल फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाज़त दे देना ही काफ़ी नहीं है; वरन् जहाँ कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि निमन्त्रित किए जायँ, वहाँ उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए।

"कॉङ्ग्रेस की ओर से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि कॉङ्ग्रेस का उद्देश्य केवल सूखी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना नहीं है, जो कि आसानी से संसार के लिए ख़तरा बन सकती है। वरन् सत्य और अहिंसा के अपने ध्येय के कारण कॉङ्ग्रेस संसार के लिए ख़तरा नहीं हो सकती। मेरा यह विश्वास है कि मानव-जाति का पञ्चम भाग, भारत, सत्य और अहिंसा द्वारा स्वतन्त्र होने पर समस्त मनुष्य जाति की सेवा की एक ज़बर्दस्त शक्ति हो सकता है। इसके विरुद्ध आज का पराधीन भारत संसार के लिए एक ख़तरा है। वर्तमान भारत असहाय है और इसे सदैव लूटते रहने वाले दूसरे देशों की ईर्षा और लालच को इससे उत्तेजना मिलती रहती है। लेकिन जब भारत इस तरह लुटने से इन्कार कर, अपना काम स्वयं अपने हाथ में लेने में काफ़ी समर्थ होगा, और अहिंसा और सत्य के द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा, तब वह शान्ति की एक शक्ति होगा और अपने इस पीड़ित भूमण्डल पर शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने में समर्थ होगा।

"इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोह के सङ्गठन में अरब और अन्य लोगों ने हिन्दुस्तानियों का साथ दिया। शान्ति के सब उपासकों को शान्ति को चिरस्थायी बनाने के काम में सहयोग देना ही चाहिए। मुहम्मद और इस्लाम की जन्म-भूमि, यह महाद्वीप, हिन्दू-मुस्लिम समस्या के हल करने में मदद कर सकती है। मेरे लिए यह स्वीकार करना लज्जा की बात है कि अपने घर में हम एक दूसरे से अलग हैं। कायरता और भय से हम एक दूसरे का गला काटने को दौड़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण मुसलमानों का अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी वैसी ही कायरता और कल्पित भय से हिन्दुओं का अविश्वास करते हैं। इतिहास में शुरू से अख़ीर तक इस्लाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा है। इसलिए मुसलमानों के लिए यह गौरव की बात नहीं है कि वे हिन्दुओं से भयभीत हों। इसी तरह हिन्दुओं के लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानों से, चाहे उन्हें संसार भर के मुसलमानों की सहायता क्यों न मिली हो, भयभीत हों। क्या हम इतने पतित

कि हम अपनी ही परछाईं से डरें? आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि पठान लोग हमारे साथ शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। पिछले आन्दोलन में वे हमारे साथ कन्धे से कन्धा भिड़ा कर खड़े रहे और स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने नौजवानों का उन्होंने ख़ुशी-ख़ुशी बलिदान किया। मैं आप से, जो कि पैग़म्बर की जन्म-भूमि के निवासी हैं, चाहता हूँ कि भारत के हिन्दू-मुसलमानों में शान्ति क़ायम रखने में आप अपने हिस्से का सहयोग दें। मैं यह नहीं बता सकता कि आप यह किस तरह करें, लेकिन जहाँ इच्छा होती है, वहाँ कुछ रास्ता निकल ही आता है। मैं अरब के अरबों से चाहता हूँ कि वे हमारी मदद के लिए आगे बढ़ें और ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी सहायता करें, जिसमें कि मुसलमान हिन्दुओं की और हिन्दू मुसलमानों की सहायता करना अपने लिए इज़्ज़त और सम्मान की बात समझें।

"बाक़ी के लिए मैं आपको अपने घरों में चर्ख़ा और कर्घा चलाने का सन्देश भी देना चाहता हूँ। कई ख़लीफ़ाओं ने अपना जीवन अनुकरणीय सादगी से बिताया है, और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा स्वयं बना सकें, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात न होगी। इसके अलावा शराबख़ोरी का भी सवाल है, जो कि आपके लिए दुहेरा पाप होना चाहिए। यहाँ पर शराब की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समझता हूँ अरब लोग उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि अदन में शराब की सर्वथा बन्दी हो जाय।"

लाल-सागर से पोर्ट सईद को

इस समय हम लोग लाल-सागर के क़रीब १२०० मील समाप्त कर, स्वेज़ नहर के निकट पहुँच रहे हैं। नहर में प्रवेश करने के कुछ घण्टों बाद जहाज़ अनेक प्रकाश-स्तम्भों के पास से गुज़रता है, जिनसे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में इस रास्ते से जहाज़रानी कितनी कठिन रही होगी; क्योंकि नहर का दक्षिणी हिस्सा चट्टानों और टीलों से भरा पड़ा है। आगे बढ़ने पर आपको सिनाई की पर्वत-श्रेणी दिखाई देगी। कुछ मील दूरी से रेगिस्तानी ज़रख़ेज़ सोतों के खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे। ये सोते मूसा के कुएँ कहलाते हैं जहाँ कि मूसा और इसराइल के अनुयाइयों ने लाल-समुद्र पार कर, फ़ेराओं की सेना से उनके छुटकारे का उत्सव मनाया था। स्वेज़ नहर के पूर्वीय किनारे का प्रत्येक खण्ड और पहाड़ी में हमारे देश के पवित्र पर्वतों और पहाड़ियों की तरह भूतकालीन कथाओं का ख़ज़ाना छिपा हुआ है। इसके विपरीत लाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पहाड़ियाँ सर्द और बेडौल हैं और किसी तरह सुविधाजनक नहीं हैं और इसलिए आश्चर्य होता है कि किस प्रकार इन प्रदेशों से संसार के तीन सुप्रसिद्ध—जुडाइज़्म, क्रिश्चियानिटी और इस्लाम धर्म पैदा हुए।

जब हम इन तीनों धर्मों के एक ही उद्गम-स्थान का ख़याल करते हैं और एक क़दम आगे बढ़ कर यह सोचते हैं कि संसार के सब बड़े धर्म एशिया की पवित्र भूमि से पैदा हुए हैं, तब यह देख कर हम अपने को लज्जित और अपमानित अनुभव किए गए बिना नहीं रह सकते कि किस प्रकार इन धर्मों के क्षुद्र अनुयायी, इन धर्मों के महान् उत्पादकों और उन्हें प्रकाश देने वाले ईश्वर को यहाँ तक भुला सकते हैं कि उन्हें इनमें सब को आपस में एक सूत्र में बाँधने की कोई बात दिखाई नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक दूसरे से और इस तरह अवश्य ही ईश्वर से भी, अलग रहने की सूझती है।

जब तक वास्को डी गामा ने केप ऑफ़ गुडहोप का पता लगा कर अधिक सुरक्षित और सस्ता राजमार्ग नहीं खोला, तब तक सारे मध्ययुग में लाल-सागर ही बड़ा व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज़ नहर के जारी होने से लाल-सागर का, संसार के एक सबसे बड़े राजमार्ग होने का पद क़ायम रह गया है। स्वेज़ नहर फ़्रान्स के एक महान् इञ्जिनियर फ़र्डिनेण्ड डि लेसेप्स की कृति है, मेडीटरेनियन समुद्र के प्रवेश-मार्ग के जल-बाँध पर खड़ी हुई समुद्री हरे रङ्ग की भव्य प्रस्तर-मूर्ति प्रत्येक यात्री की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। स्वेज़ नहर के बनने में दस वर्ष से अधिक समय लगे और स्वेज़ नहर कम्पनी को इसके लिए २,६७,२५,००० पौण्ड से अधिक ख़र्च पड़ा, जिसका आधा फ़्रान्स ने दिया और आधा मिश्र के ख़दीव ने। किन्तु नहर के जारी होते ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षा की जीभ लपलपाने लगी। भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के लिए इसकी महती आवश्यकता अनुभव हुई। निश्चय ही भारत पर अधिकार जमाए रखने के लिए स्वेज़ पर अङ्गरेज़ी क़ब्ज़ा रहना लाज़मी था; और इसलिए उसे दूसरों के हाथ में रहने देकर ख़तरे के लिए कभी ख़ाली छोड़ा नहीं जा सकता था। तब यह सोचा जाने लगा कि यह क़ब्ज़ा किस तरह प्राप्त किया जाय—फ़्रान्सीसी इञ्जिनियर के परिश्रम के फल का ब्रिटेन किस तरह उपयोग करे? यह तरकीब सूझी कि किसी तरह ख़दीव का हिस्सा हथियाया जाय। उन दिनों प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादियों ने उत्तरी अफ़्रीका में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, सफलतापूर्वक यह युक्ति चला रक्खी थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से खुल कर क़र्ज़ लेने और इस प्रकार अपने आपको भारी क़र्ज़दार बना लेने के लिए वे फुसलाते रहें। फ़्रान्स ने टेनिस पर इसी तरह क़ब्ज़ा किया। मिश्र के ख़दीव को भी इसी तरह लगभग १० करोड़ पौण्ड मुख्यतः इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स से क़र्ज़ लेने के लिए फुसलाया गया, और इसीलिए उसकी साख इतनी गिर गई कि स्वेज़ नहर कम्पनी के अपने सब शेयर्स बेचने के सिवा उसके पास कोई चारा न रहा। सन् १८७४ में इङ्गलैण्ड में साम्राज्य-विरोधी नीति का अन्त हुआ और देसराइली ने ख़दीव के सब (१,७६,६०२) शेयर्स ३६,८०,००० पौण्ड में ग्रेटब्रिटेन के लिए ख़रीद लिए। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में इतना ही लिखना काफ़ी है। इस्माइल पाशा पर इस प्रकार ज़बर्दस्ती लादे गए दिवालेपन का कारण क्या था, यह बताने के लिए हमें मिश्र पर क़ब्ज़ा करने के गुप्त इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है। यह कहना काफ़ी होगा कि सन् १९२७ में इन शेयर्स की क़ीमत उनकी असली क़ीमत से नौगुनी थी और इस नहर के रास्ते होने वाली जहाज़रानी में लगभग ६० प्रतिशत जहाज़ अङ्गरेज़ों के चलते हैं।

मित्र के रूप में मिश्र

पिछले पत्र में मैं श्रीमती ज़गलुल पाशा और वफ़्द के अध्यक्ष श्री० मुस्तफ़ा नहास पाशा के हार्दिक बधाई के सन्देशों का उल्लेख कर चुका हूँ। जहाज़ पर कई मिश्री अख़बारों के प्रतिनिधि गाँधी जी से मिले और स्वेज़ तथा पोर्ट सईद दोनों जगह नहास पाशा के प्रतिनिधि ने उनसे भेंट की। केरो के भारतीय प्रतिनिधियों का, जिनमें अधिकांश सिन्धी थे, एक डेपुटेशन स्वेज़ और पोर्ट सईद दोनों जगह गाँधी जी से मिला, उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र दिया और वापसी पर केरो ठहरने के लिए आग्रह किया। पोर्ट सईद पर मुझे यह बात निश्चित रूप से मालूम हुई कि यद्यपि इस भारतीय डेपुटेशन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया; किन्तु अधिकारी मिश्रवासियों के डेपुटेशन को इजाज़त देने के ख़िलाफ़ थे, और यह बड़ी मुश्किल से सम्भव हुआ कि नहास पाशा के मात्र एक प्रतिनिधि को गाँधी जी से मिलने की आज्ञा मिल सकी।

इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वर्तमान स्थिति पर संक्षेप में कुछ कहना असङ्गत न होगा। मैं उनकी स्थिति के अध्ययन का दावा नहीं करता; किन्तु अब तक अनेक मिश्रवासियों से बातचीत का मुझे लाभ मिल चुका है, और इससे वे जिस स्थिति में गुज़र रहे हैं उसका काफ़ी अन्दाज़ लग गया है। निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के तरीक़े सब जगह एक से ही होते हैं, यहाँ तक कि यदि आपको कुछ ऊपरी बातें बताई जायँ, तो असली हालत का आप आसानी से अन्दाज़ लगा सकते हैं। मेरा ख़याल है, कोई भी इस भ्रम में नहीं है कि मिश्र स्वतन्त्रता का आभास मात्र उपभोग कर रहा है। किन्तु मैं यह सुनने को तैयार न था कि वह क़रीब-क़रीब वैसी ही यातनाओं में से गुज़र रहा है जैसा कि विदेशी शासकों के पैरों तले कुचला जाने वाला कोई भी देश गुज़रता हो।

मिश्र की दिक़्क़त यह है कि वहाँ मिश्री राजा और मिश्री प्रधान मन्त्री होने पर भी मिश्र भारत से अधिक स्वतन्त्र नहीं है। ज़गलुल पाशा ने 'वफ़्द मिश्री'—मिश्र के प्रतिनिधियों की संस्था—नामक संस्था स्थापित की थी, जिसके अध्यक्ष इस समय नहास पाशा हैं, जो ज़गलुल पाशा के प्राइवेट सेक्रेटरी और कुछ समय के लिए प्रधान मन्त्री थे। किन्तु ब्रिटिश सरकार वफ़्द की महत्वाकांक्षाओं को सहन न कर सकी और उसने शाह फ़ॉड और सिदक़ी पाशा को तुरन्त अपना हथियार बना लिया। ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के साथ बातचीत में नहास पाशा असफल हो गए और शाह फ़ॉड ने पार्लामेण्ट को स्थगित कर दिया और सिदक़ी पाशा को वास्तविक डिक्टेटर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि गत वर्ष के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हुआ और सर्वत्र आम हड़ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए ऐसा भयङ्कर दमन हुआ कि मिश्र वाले उसे तीन 'क़त्ले-आम' के नाम से पुकारते हैं। मैं तत्सम्बन्धी विवरण के सत्यासत्य की जाँच न कर सका; लेकिन मुझे बताया गया कि जब रेलवे कारख़ाने के मज़दूरों ने हड़ताल कर, वफ़्द का जयघोष किया तो फ़ौज ने उन पर गोलियाँ चलाईं। मैंने पूछा—'क्या मज़दूर सर्वथा अहिंसक थे?' उत्तर मिला—'उनके पास हथियार न थे, किन्तु उन्होंने फ़ौज वालों की तरफ़ लोहे के टुकड़े फेंके थे। फ़ौज वालों ने ७० मज़दूरों को जान से मार डाला और क़रीब एक हज़ार को घायल कर दिया था। ये घायल जब तक अस्पताल में रहे, इन पर फ़ौज का सख़्त पहरा रहा, और वहाँ से छुट्टी मिलते ही इन पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में मुक़दमा चलाया गया! मौजूदा कौन्सिल में सर्वथा सरकारी पिट्ठू भरे हुए हैं और शासन सिदक़ी पाशा के आदमियों के हाथ में है।' मैंने पूछा, 'प्रेस—अख़बारों, की क्या हालत है?' और उत्तर में वैसी ही हालत मालूम हुई, बल्कि उससे भी अधिक गिरी हुई, जैसी कि हमारे यहाँ भारत में। 'हमारे प्रेसों पर पुलिस तैनात रहती है। पहली प्रूफ़-कॉपी उसे बतानी पड़ती है और यदि वह उसमें कुछ आपत्तिजनक बात समझती है, तो उस अङ्क को रोक देती है।' फिर पूछा—'विद्यार्थियों और साधारण जनता की क्या हालत है?' जवाब मिला—'विद्यार्थी सब हमारे साथ हैं। श्रीमती ज़गलुल पाशा के नेतृत्व में स्त्रियाँ भी सजग हैं और मॉडरेट या लिबरल पार्टी, जो पहिले वफ़्द का विरोध किया करती थी, अब उसका समर्थन कर रही है। उसके प्रेज़ीडेण्ट श्री० मुहम्मद महमूद को एक उपद्रव के समय पीटा गया था, तब से वे वफ़्द के कट्टर समर्थक हो गए हैं।'

अवश्य ही बधाई के तारों में एक तार उक्त श्री० मुहम्मद महमूद और एक स्त्रियों की सआद कमिटी की अध्यक्षा श्री० शेरिफ़ा रियाज़ पाशा का भी था।

अख़बारों पर कड़ी निगरानी होने पर भी मैं कह सकता हूँ कि कम से कम बारह मिश्री अख़बारों ने, जिनमें तीन का तो दैनिक प्रचार लगभग ४० से ५० हज़ार तक है, गाँधी जी के सम्बन्ध में विशेष लेख लिखे, दो ने विशेषाङ्क निकाले और सबने नहास पाशा, श्रीमती ज़गलुल पाशा तथा मुहम्मद महमूद पाशा आदि के सन्देश छापे।

कोई आश्चर्य नहीं, यदि मिश्र हमारी ही तरह अङ्गरेज़ी जूए से उकता गया है, और नहास पाशा के शब्दों में 'इङ्गलैण्ड की यात्रा का कुछ भी परिणाम निकले' सब लोग चाहते हैं कि गाँधी जी वापसी के समय मिश्र अवश्य आवें। प्रत्येक ने गाँधी जी अथवा भारत से उसकी 'छोटी बहिन मिश्र' के लिए सन्देश माँगा, और गाँधी जी ने अपने प्रत्येक सन्देश में उस महान् देश के लिए सर्वोत्तम शुभ-कामनाएँ प्रकट कीं, जिनकी मुख्य बात यह थी—'यह कितना अच्छा होगा, यदि मिश्र अहिंसा के सन्देश को अपनावे?' स्वेज़ में एक अङ्गरेज़ी पत्रकार के पूछने पर उन्होंने कहा—"मैं पूर्व और पश्चिम के सङ्ग का हृदय से स्वागत करूँगा, बशर्ते कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो।'

—महादेव हरीभाई देसाई

* * *

व्यय में कमी करने के लिए

व्यय में कमी करने के नाम पर रेलवे कर्मचारियों पर कौन-कौन से अत्याचार नहीं किए जाते। सर्व-साधारण को यह भली-भाँति मालूम है कि ई० बी० रेलवे में ढाका सेक्शन के तीन सौ कर्मचारियों को अलग करने का निश्चय हुआ था। ई० आई० रेलवे ने उसका अनुकरण किया और देश में बेकारों की संख्या बढ़ा दी। इन कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने की ज़रूरत न पड़ती, अगर रेलवे-विभाग के बड़े-बड़े वेतनों के पाने वाले यूरोपियन कर्मचारियों के वेतनों में बहुत थोड़ी सी कमी कर दी जाती। इन यूरोपियन कर्मचारियों में कुछ तो ऐसे हैं, जो दूसरी जगह से पेन्शन भी पा रहे हैं। परन्तु पानी की अपेक्षा ख़ून अधिक घना होता है। ग़रीब भारतीय व्यय में कमी के नाम पर बलिदान कर दिए गए। ई० आई० रेलवे के ट्रैफ़िक एकाउण्ट्स ऑफ़िस के चालीस और कर्मचारी २४ घण्टे की नोटिस देकर बर्ख़ास्त किए गए हैं। यह कार्य केवल कठोरता और विश्वासघातकतापूर्ण नहीं है, बल्कि रेलवे-बोर्ड के उन अधिकारियों के नाम खुला चैलेञ्ज है, जिन्होंने अभी थोड़े ही दिन हुए, घोषणा निकाली कि जाँच के समय तक और कर्मचारी न बर्ख़ास्त किए जाएँगे। हम इस घोषणा के विरुद्ध की गई अनेक कार्रवाइयों को देखते रहे हैं। उनमें से यह केवल एक है। —एडवान्स

* * *

काश्मीर

वह तूफ़ान, जो काश्मीर में बहुत समय से तैयार हो रहा था, अपनी पूर्ण भयानकता के साथ प्रकट हो गया। उस छोटे से राज्य के शासन की परीक्षा ली जा रही है। क्या वह प्रवाह में बह जायगा? अगर ऐसा हुआ तो यह उन लोगों के कार्यों का अत्यन्त बुरा उदाहरण होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य और जिनकी अभिलाषा काश्मीर के विरुद्ध जहाद खड़ा कर देना है। काश्मीर के शासन की बुराइयों को दूर करने के ऊपरी उद्देश्य को लेकर मुसलमानों और एङ्गलो-इण्डियनों की एक श्रेणी ने आपस में मिल कर षड्यन्त्र कर लिया है। परन्तु जनता ऐसी मूर्ख नहीं है कि वह एङ्गलो-मुस्लिम दल के रचे हुए किसी भी क़िस्से के द्वारा मूर्ख बनाई जा सके। काश्मीर-राज्य में सुधार करने या शासन की बुराइयों के दूर करने का सब शोर नक़ली है। वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही है। काश्मीर-महाराज हिन्दू हैं, यह धर्मान्धों की उच्छृङ्खलता को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी है।

—'एडवान्स'

* * *

शौकतअली और 'मैशीन'

लन्दन में हमारे सम्वाददाता से मि० शौकतअली ने जो कुछ कहा है, वह बड़ा मनोरञ्जक है। आपने कहा, मैं मैशीन का केवल एक पुर्ज़ा हूँ, परन्तु समझौता करने के लिए मैं कोई बात उठा न रक्खूँगा। मि० शौकतअली के इस कथन में करुणापूर्ण वास्तविकता है। आख़िरकार मि० शौकतअली ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स मैशीन का पुर्ज़ा हूँ; जो कि पहले सदैव आपके लिए अपरिचित रही है। मालूम होता है कि मि० शौकतअली यह बात समझते हैं कि वे मैशीन नहीं हैं और न मैशीन के सञ्चालक हैं। मैशीन का सञ्चालन शफ़ात अहमद ख़ाँ सरीखे व्यक्ति कर रहे हैं। मि० शौकतअली ने समझौते के लिए पूर्ण प्रयत्न करने का जो वचन दिया है, उसका स्वागत है। परन्तु खेद है कि उस वचन पर दृढ़ आशा नहीं क़ायम की जा सकती। यह पहला मौक़ा नहीं है, जब कि बड़े भैया ने साम्प्रदायिक भ्रान्ति से कुछ देर के लिए स्वतन्त्र होकर ऐसी बात कही है। एक बार आप "शिमला के वातावरण" का सनसनीपूर्ण स्पष्टता के साथ वर्णन कर चुके हैं। आपने "मैशीन" की कार्रवाइयों का परिचय भी दिया था। आख़िर में परिणाम क्या हुआ? मि० शौकतअली आज स्वयम् इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे उसी मैशीन के एक पुर्ज़ा हैं, जिसकी वह एक बार निन्दा कर चुके हैं। हम उनकी इस वास्तविक बात की स्वीकृति का स्वागत करते हैं। बाक़ी के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे।

—'बॉम्बे क्रॉनिकल'

* * *

वैदेशिक बिल

जनता की राय जानने के लिए वैदेशिक बिल के वितरित किए जाने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एसेम्बली के मौजूदा स्वरूप और उसके दलों की स्थिति को देखते हुए यह पहले से समझी हुई बात थी। प्रस्ताव का पास न होना खेद का विषय है, क्योंकि इस बिल में सरकार की ओर से शरारत किए जाने की अपरिमित शक्ति है। अगर यह बिल इसी रूप में पास हो गया, तो देश में वैदेशिक मामलों के विषय में बुद्धिमानी और स्वतन्त्रता के साथ विचार न किया जा सकेगा। किसी भी विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध टीका करना "सम्राट् की गवर्नमेण्ट के साथ उस राष्ट्र की मैत्री में विरोध-भाव उत्पन्न करने वाला कहा जा सकेगा।" बिल का उद्देश्य इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी क़ानून को इङ्गलैण्ड के क़ानून की तरह कर देना बतलाया गया है। अङ्गरेज़ी क़ानून के अनुसार विदेशी शासकों, उपाधिधारियों, दूतों और शासन के प्रमुख सञ्चालकों के प्रति केवल अपमान और निन्दा ही दण्डनीय समझे गए हैं। यह बात निर्विवाद है कि अङ्गरेज़ी क़ानून के अनुसार लोगों को सार्वजनिक हित की बातों की टीका करने का पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध में वहाँ, अदालत ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि विदेश सम्बन्धी काग़ज़ात का इङ्गलैण्ड में प्रकाशित किया जाना अपमान या निन्दा का अपराध नहीं है। यद्यपि उसके प्रकाशित करने से उस देश के शासन में गड़बड़ होने की आशङ्का है। फ़ैसले में कहा गया है कि अगर इसे अपराध समझा गया तो बलगेरिया के विद्रोह के समय टर्कों के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाना निन्दात्मक अपराध हो जायगा और देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ अपराधी पाए जाएँगे।

सार्वजनिक हित की बातों की टीका करने की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा होगा। इसका अर्थ यह होगा कि विदेश के लोग इस देश के प्रति टीका करने के लिए इस देश की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र रहेंगे।

बिल के नियम ऐसे हैं, जिनसे कम्यूनिस्ट रूस या फ़ैसिस्ट इटली की हालतों पर भी स्वतन्त्रतापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता। निस्सन्देह किसी भी विदेशी राष्ट्र को इस सम्बन्ध में भारत की अपेक्षा अधिक सुविधा पाने का अधिकार नहीं है। चाहे जिस दृष्टि से भी इस बिल पर विचार किया जाय, यह बिल हानिकारक है।

—'हिन्दू'

* * *

बीकानेर का लीडर प्रिन्स

भारत के जिन देशी नरेशों को लीडर बनने का शौक़ है, उनमें महाराज बीकानेर का नाम अन्यतम है। आपके मतानुसार देशसेवा का सबसे उत्तम तरीक़ा ज़बानी जमाख़र्च है। निदान अपनी लेक्चरबाज़ियों की बदौलत आपने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है और अपनी ज़बान की तर्रारी से आप संसार को यह बताना चाहते हैं कि बीकानेर एक आदर्श राज्य है। स्वदेश-भक्त महाराज की कृपा से इस मरु-प्रदेश में उच्च विचारों की गङ्गा बह रही है। परन्तु जिस दक़ियानूसी राज्यप्रबन्ध को प्रचार के पॉलिश द्वारा चमकीला बना कर संसार के सामने रक्खा जाता है, उसकी असली हालत क्या है? इसका उत्तर उन अभियोगों से मिलता है, जो महाराजा बीकानेर की प्रजा के एक व्यक्ति ने, एक खुली चिट्ठी द्वारा महाराज पर लगाए हैं।

इस खुली चिट्ठी को पढ़ने से साफ़ पता चलता है कि बीकानेरी ढोल के अन्दर भी पोल है और महाराजा बीकानेर उतने ही प्रजापालक हैं, जितने कि नवाब भूपाल या उन्हीं की तरह के और देशी नरेश। बीकानेर की आमदनी एक करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक है। इसमें से प्रायः दो लाख (अर्थात् प्रायः डेढ़ प्रतिशत) शिक्षा विभाग के लिए ख़र्च किया जाता है। साढ़े तेईस हज़ार वर्गमील क्षेत्रफल के अन्दर कोई पृथक् श्रेणी का कॉलेज नहीं है। केवल एक इण्टरमीडिएट कॉलेज सर्व-साधारण के लिए और हाईस्कूल राज-कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए है। ऐसी रियासत में, जिसमें २,७०० शहर, क़स्बे और गाँव हैं, मिडिल और प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या केवल ७१ है। ऐसी दशा में यह निश्चित है कि एक पाठशाला दूसरे से दूर पर है और बच्चे शायद हवाई जहाज़ पर बैठ कर पढ़ने जाते होंगे। इसी तरह सारे राज्य के छोटे-बड़े सब मिला कर अस्पतालों की संख्या केवल ३१ है। अर्थात् ७८० वर्गमील की यात्रा समाप्त करने पर एक अस्पताल मिलता है, जिसमें एक रेलवे विभाग भी है और महाराजा बहादुर उसकी प्रसार-वृद्धि में सचेष्ट हैं। परन्तु यह रेलवे लाईन रियासत की सम्पत्ति है, इसलिए इसका प्रबन्ध भी वैसा ही है।

यह तो आदर्श महाराज की रियाया के सुख-स्वच्छन्दता का हाल है। अब ज़रा स्वयं महाराज के त्याग का हाल सुन लीजिए। आप राज्य की आमदनी



लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जायँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस्कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि का आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए !



Registered No A—2085

दीवाली का अनूठा उपहार

इस अङ्क का मूल्य लगभग ३) रु०

चाँद

ग्राहकों को मुफ़्त !

का

राजपूताना-अङ्क

"भविष्य" और "चाँद" के विद्वान् लेखक—

डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी-लिट्, विशारद

के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा !

इसकी विशेषताएँ :—

राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का

सच्चा चित्र और सुधार के उपाय

इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :—

वर्तमान राजपूत कौन हैं—हूण या आर्य ?
मेवाड़—प्रताप से पूर्व और पीछे (सचित्र)
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध
राजपूताने के प्रसिद्ध क़िले (सचित्र)
जौहर और भीषण आत्मोत्सर्ग (सचित्र)
मुग़ल-कालीन राजपूताना (सचित्र)
राजपूताने की रियासतों से अङ्गरेज़ी सरकार की सन्धियाँ।
राजपूताना और मराठे
राजपूतों के अन्तःपुर
रियासतों का राज-प्रबन्ध
राजपूताने में राजनैतिक असन्तोष
बीजोलिया और बूँदी
ग़ुलाम और बेगार
राजपूताने के कर
मारवाड़ी व्यापारी
राजपूताने के अङ्गरेज़ी अफ़सर
डिङ्गलकाव्य
मीराबाई के भजन
जयपुर का अजायबघर
राजपूत चित्र-कला
इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि।

शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage.

वर्ष २
खण्ड १

भविष्य

संख्या २
पूर्ण संख्या
५





वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १९ अक्टूबर, १९३१ | संख्या ३, पूर्ण संख्या ५३

ढाका में फिर भयङ्कर डकैती :: डाक के थैले लूटे गए

इलाहाबाद के किसानों में असन्तोष की भीषण आग

लगान चुकाने के लिए बैल और जेवर बिक गए

(निज सम्वाददाता द्वारा)

इलाहाबाद, १७ अक्टूबर

श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने इलाहाबाद ज़िले में सत्याग्रह की आज्ञा दिए जाने के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी को जो पत्र लिखा है उसका कुछ अंश इस प्रकार है :—

जब दिल्ली समझौते के अनुसार हमने करबन्दी के आन्दोलन को रोका था तो हम को आशा थी कि अब गवर्नमेण्ट सहानुभूति से काम लेगी और किसानों पर अत्याचार न होंगे। पर अब हो यह रहा है कि कॉङ्ग्रेस के आन्दोलन से छुट्टी पाकर गवर्नमेण्ट ज़मींदारों के साथ मिल कर किसानों को कुचलने में जुट पड़ी है। किसानों को दबाना, बेदख़ल करना, मारपीट करना, पुलिस की सहायता से लगान वसूल करना मामूली बातें हो गई हैं। सन् १३३८ फ़सली का लगान चुकाने के लिए ही किसानों को बैल और अपने घर के दो चार ज़ेवर बेच देने पड़े थे, या बहुत अधिक ब्याज पर क़र्ज़ लेना पड़ा था। अब सन् १३३९ के नए वर्ष में सरकार ने २ आना ७ पाई फ़ी रुपया छूट देने की घोषणा की है। पर खेती की उपज का दाम आधे से भी कम हो गया है। इसलिए यह सम्भव नहीं कि किसान अनाज आदि की बिक्री से लगान चुका सकें। फल यही होगा कि फिर उनको तङ्ग किया जायगा और मार-पीट होने लगेगी। इस परिस्थिति में हम को यही उचित जान पड़ता है कि किसानों को लगान क़तई न देने को कहें। हम जानते हैं कि इससे भी कष्ट में पड़ना, होगा पर बराबर चक्की में पिसते रहने की अपेक्षा लड़कर मर जाना अधिक अच्छा है।

लाहौर में षड्यन्त्रों का लम्बा सिलसिला

आठ आदमियों पर गुप्त-पर्चे बाँटने का अभियोग

लाहौर, १६ अक्टूबर

तीसरा षड्यन्त्र का मुक़दमा आज क्रान्तिकुमार, सोहनलाल, मोहम्मद अफ़ज़ल, प्यारेलाल, गुरुदासराम, कल्यानसिंह, टीकाराम और हरीदत्त के विरुद्ध ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० लेविस के इजलास में पेश हुआ। लाला दुनीचन्द पाँच अभियुक्तों की ओर से सफ़ाई के वकील की हैसियत से उपस्थित हुए और दो की ओर से मि० सरनदास। क्रान्तिकुमार ने इस बात के विरोध में कि उनके एक सम्बन्धी को अदालत में आने की आज्ञा नहीं मिली थी, कोई वकील नहीं खड़ा किया। रायबहादुर ईशरदास मेहता सरकारी वकील थे। पहिला सरकारी गवाह खरायतचन्द्र कॉन्स्टेबिल ने कहा कि गत १ अगस्त को तिलक-दिवस की मीटिङ्ग में मैंने अभियुक्त सोहनलाल को भीड़ के अन्दर हरे पर्चे फेंकते हुए देखा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, किन्तु पकड़ नहीं सका। मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस को फ़ोन किया और उनका हुक्म पाकर पर्चों को उनके स्थान पर ले गया। खरायतचन्द्र ने कहा कि सोहनलाल मेरे साथ दयालसिंह कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। मैं सोहनलाल को नौजवान-भारत-सभा की मीटिङ्गों और जुलूस में शामिल होते देखता था। मीटिङ्ग में उपस्थित अन्य अभियुक्तों को भी मैं जानता हूँ। जिरह में खरायतचन्द्र ने कहा कि पर्चे जब फेंके गए, उस वक्त भीड़ तितर-बितर हो रही थी।

दूसरे गवाह भारत प्रिण्टिङ्ग प्रेस के स्वामी के लड़के रामनाथ ने कहा कि वे पर्चे मेरे पिता के प्रेस में छपे थे। अभियुक्त कल्यानसिंह प्रेस में फ़ोरमैन था। इस तरह के पर्चे मेरे प्रेस में जुलाई, १९३१ में छपते थे। पुलीस ने ३० अगस्त को तलाशी ली और रङ्गीन पर्चे उठा ले गई। कुछ दिन पहले अभियुक्त मोहम्मद अफ़ज़ल ने दु-पिठे पर्चे की छपाई पूछी थी। मैंने बतला दी। अफ़ज़ल ने मुझसे कहा कि वह पर्चे की कॉपी कल्यानसिंह को दे देगा। शनिवार को मोहम्मद अफ़ज़ल और हरीदत्त आए और सीधे कल्यानसिंह के पास चले गए और पर्चे की कॉपी उसको दे दी। कल्यानसिंह ने मुझसे कहा कि १ रु० ५ आने उसने काग़ज़ में ख़र्च किए और बाक़ी मुझे दे दिया! दूसरे दिन पुलीस पर्चे ले गई। मुक़दमा २३ अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया गया।

बम्बई, १७ अक्टूबर

आज गोलमेज़ परिषद् के प्रतिनिधियों का आख़िरी दल 'वायसरॉय' जहाज़ से लन्दन के लिए रवाना हो गया। प्रतिनिधियों में सर चिमनलाल सेतलवाड, कावसजी जहाँगीर, अब्दुल क़य्यूम, ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, जमाल मुहम्मद, राजा शेर मुहम्मद ख़ाँ और श्री० जाधव थे। जहाज़ पर सम्वाद-दाता के पूछने पर अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि मैं प्रान्तों के फिर से बाँटे जाने में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि इससे राष्ट्रीयता की वृद्धि नहीं होगी, वरन् एक जाति पर दूसरी जाति का अधिकार अधिक बढ़ जायगा। सर जमाल मुहम्मद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि साम्प्रदायिक प्रश्न का ऐसा निर्णय हो सकेगा जो सब के लिए सन्तोषजनक हो। सर कावसजी जहाँगीर ने आशा प्रकट की कि जब हम भारत लौट कर आएँगे तो यहाँ के व्यापार और कारबार की दशा उन्नत हो जायगी।

ढाका, १७ अक्टूबर

जिनार्दी रेलवे स्टेशन पर रात के समय नवयुवकों के एक सशस्त्र दल ने डाक पर फिर डाका डाला। डाकू डाक के चार थैले लेकर ग़ायब हो गए।

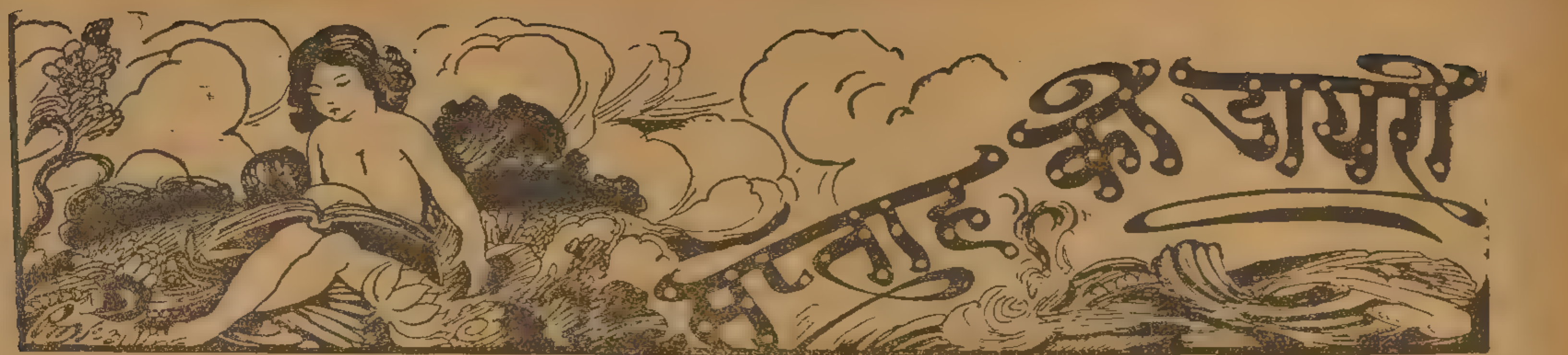
—ऑल' इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने प्रकाशित किया है कि वर्किङ्ग कमिटी की बैठक ता० २७ अक्टूबर को दोपहर के समय दिल्ली में डॉ० अन्सारी के मकान पर होगी।

—बम्बई के अछूतों की तरफ़ से श्री० बी० जे० देउरकर ने नीचे लिखा तार महात्मा गाँधी और भारत-मन्त्री को भेजा है :—

"बम्बई के अछूत, जिनमें महार, चमार, मोची, मेहतर, भङ्गी आदि सम्मिलित हैं; आपकी राष्ट्रीय माँगों के पक्ष में हैं। वे डॉ० अम्बेदकर के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करते हैं और उन्होंने आप पर जो असामयिक और नीच आक्षेप किए हैं, उनकी निन्दा करते हैं।"

लन्दन, १७ अक्टूबर

म० गाँधी आज दिन के ग्यारह बजे सेण्ट पैङ्क्रास से नटिङ्घम् के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे रविवार को रहेंगे। उनके साथ में उनके लड़के, श्रीमती मीरा बहिन और उनके सेक्रेटरी हैं। रवाना होते समय कुछ लोग उनको देखने को इकट्ठे हो गए थे।



—ढाका में एक व्यापारी ६० तोला सोना लिए हुए अपने घर लौट रहा था। रास्ते में दो नवयुवकों ने, जिनके पास रिवॉल्वर थे, आक्रमण करके सोना छीन लिया और भागने का प्रयत्न किया। परन्तु लोगों ने पकड़ लिया। माल उनके पास नहीं मिला।

श्री० परेशनाथ मुकर्जी नामक व्यक्ति को कलकत्ते के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने एक कारतूस रखने के अभियोग में छः मास की सख़्त क़ैद की सज़ा दी है। अभियुक्त ने बेकर होस्टल में जाकर कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा पास खो गया है। उसने लोगों से कुछ रुपया माँगा, जिससे वह ढाका पहुँच सके। होस्टल वालों को उस पर ठग होने का शक हुआ और उसे पुलीस के सुपुर्द कर दिया। तलाशी लेने पर उसके पास एक भरा हुआ कारतूस मिला।

—चटगाँव के पुलीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ बहादुर एहसानउल्ला की हत्या के मुक़दमे की कार्रवाई में अभियुक्त हरीप्रसाद ने एक घण्टे तक अपना बयान दिया। उन्होंने कहा—३० अगस्त को मैं निज़ामत पल्टन में फ़ुटबॉल मैच देखने गया था। खेल समाप्त होने पर क्रैकर फटने की ख़बर सुनी और देखा कि लोग दौड़ रहे हैं। मैं भी दक्षिण की ओर दौड़ा और पीछे से मुझे किसी ने मारा। मैं बेहोश हो गया और जब होश आया, तो मैंने अपने को कोतवाली में पाया। वहाँ मुझे बुरी तरह पीटा गया और दूसरे प्रकार से सताया गया और मुझसे क़बूल कर लेने के लिए कहा गया। तकलीफ़ों को सहन न कर सकने पर मैंने वह बयान देना मन्ज़ूर कर लिया, जो मुझसे क़बूल करने को कहा गया था। दूसरे दिन मुझे अपने गाँव ले जाया गया। वहाँ मुझे और मेरे बालदैन को बाँधा गया और पीटा गया। घर भी जला दिया गया। शहर लौटने पर मुझे सब डिवीज़नल ऑफ़िसर के मकान पर ले जाया गया, जहाँ मैंने क़बूल करने से इन्कार कर दिया। जेल में भी मुझे पीटा गया। वहाँ सब डिवीज़नल ऑफ़िसर ने काग़ज़ों से, जो उन्हें पुलिस द्वारा दिए गए थे, बयान लिखा। अभियुक्त ने कहा, मुझे धमका कर हस्ताक्षर कराया गया था। अभियुक्त ने मैजिस्ट्रेट को चोट के निशान भी दिखाए।

—इन्स्पेक्टर पुलिस की हत्या वाले मुक़दमे के अभियुक्त हरीप्रसाद भट्टाचार्य ने अपने बयान में कहा है कि छः महीने पहले मेरा परिचय 'आरमरी रेड केस' के अभियुक्त सूर्यसेन (जिसकी गिरफ़्तारी के लिए सरकार ने ५ हज़ार रुपए इनाम देने की घोषणा की है) से हुआ। सूर्यसेन ने मुझसे इन्स्पेक्टर अहसानुल्ला को मारने को कहा और एक रिवॉल्वर तथा १२ कारतूस दिए। उनको लेकर मैं शहर में आया। २६ अगस्त को खेल मैदान में पहुँचा। पर उस दिन मौक़ा न लगा। दूसरे दिन मुझे इन्स्पेक्टर के मारने में कामयाबी हुई। मैंने चार गोलियाँ छोड़ीं और दो अपने को रक्खीं, पर रिवॉल्वर बिगड़ गया और न चल सका। तब मैंने उसे फेंक दिया।" यह बयान ज्यूरी के सामने पढ़ा गया और जज ने इसे गवाहियों में शामिल कर लिया।

—सिक्खों के राष्ट्रीय नेता सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर ने एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि—"ऑल पार्टीज़ सिक्ख कॉन्फ्रेन्स ने जो प्रस्ताव पास किए हैं, वे राष्ट्रीय दल के सिक्खों के मत को प्रकट नहीं करते, सिक्ख कॉङ्ग्रेसमैनों को निमन्त्रण पत्र नहीं भेजे गए थे। जिन दो-चार लोगों को किसी तरह बुलाया गया था, उन्होंने कॉन्फ्रेन्स को स्थगित करने की प्रार्थना की, क्योंकि फ़ञ्ज की प्रान्तीय राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स भी उन्हीं तारीख़ों में होने वाली थी, और उसमें इन लोगों का जाना ज़रूरी था। फ़ञ्ज कॉन्फ्रेन्स की तारीख़ें बहुत पहले से नियत भी की जा चुकी थीं। पर इन लोगों की प्रार्थना बिना विचार के अस्वीकृत कर दी गई।

"कॉङ्ग्रेस ने अब भी सिक्ख लीग या अन्य किसी सिक्ख संस्था की अपेक्षा अधिक सिक्ख प्रतिनिधियों की माँग पेश की है। सिक्ख कॉङ्ग्रेसमैनों की बात की उपेक्षा करने से ऑल पार्टीज़ सिक्ख कॉन्फ्रेन्स के प्रस्तावों का महत्व बढ़ नहीं गया है। राष्ट्रीय दल के सिक्खों की निगाह में सम्प्रदायवादी सिक्खों की १७ माँगें उसी प्रकार उन्नति-विरोधी हैं, जैसी कि मुस्लिम लीग की १४ माँगें।

श्री० रॉय को छोड़ दो !

विदेशों में ज़ोरदार आन्दोलन

श्री० एम० एन० रॉय की डिफेन्स कमिटी के संयुक्त मन्त्री श्री० व्रजेशसिंह सूचित करते हैं:—

"जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से श्री० एम० एन० रॉय की गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए हैम्बर्ग नगर में एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई है। सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके श्री० एम० एन० रॉय की गिरफ़्तारी का विरोध किया है और पत्र के रूप में इस प्रस्ताव को हैम्बर्ग में रहने वाले ब्रिटिश राजदूत के पास भेज दिया है। पत्र में श्री० एम० एन० रॉय को छोड़ देने के लिए कहा गया है। जर्मन पार्लामेण्ट के कम्यूनिस्ट सदस्य हि० जड्डाश ने सभा में भाषण करते हुए प्रस्ताव का हृदय से समर्थन किया। जनता ने भी उसे हर्ष-ध्वनि के साथ स्वीकार कर लिया।"

"श्री० एम० एन० रॉय को छोड़ने के प्रस्ताव, जर्मनी के अनेक भागों से और स्वीडेन, एस्तका और जेकोस्लोवैकिया देशों से बराबर आ रहे हैं।"

—दिल्ली के मुसलमानों का एक डेपुटेशन वायसरॉय से भेंट करने वाला है। वह उनको बतलाएगा कि किसी प्रान्त का बटवारा तब तक न किया जाय जब तक उस प्रान्त की मुसलमान जनता की सम्मति न जान ली जाय।

—भारत सरकार का कम्यूनिक है कि १६ अक्टूबर, १९३१ से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले 'एक्सप्रेस' तारों पर दो आना और 'ऑर्डिनरी' पर एक आना 'सरचार्ज' वसूल किया जायगा। उसी तारीख़ से सरकारी अफ़सरों और व्यापारी फ़र्मों के तार के पतों पर २५ रु० सालाना या १५) छःमाही की फ़ीस ली जायगी फ़ीस उस समय से ली जायगी। जब कि तार के पतों की वर्तमान मियाद ख़त्म हो जायगी और उनको फिर से जारी कराय जायगा।

—लाल कुर्ती वालों और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं का झगड़ा दोनों तरफ़ के नेताओं के बीच बहुत देर तक बातचीत होने के पश्चात् तय हो गया। श्री० अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने अफ़ग़ान जिरगा और पुरानी सीमा प्रान्त कॉङ्ग्रेस कमिटी के बन्द होने की घोषणा की है। अब एक नई संस्था 'सीमा प्रान्तीय जिरगा' के नाम से स्थापित की गई है, जिसमें २४ सदस्य हैं। इनमें से पाँच पुरानी कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य हैं। इस नई संस्था का सदर मुक़ाम उटमनगई में रहेगा

—गवर्नर-जनरल ने एक नया ऑर्डिनेन्स जारी किया है जिसका नाम है 'सन् १९३१ का ऑर्डिनेन्स न० ८' इसके अनुसार पञ्जाब एमेण्डमेण्ट, द्वारा जो अधिकार विशेष अदालतों के कमिश्नरों को दिए गए हैं, वे देहली प्रान्त में भी प्रचलित किए जायँगे। इस एमेण्डमेण्ट का आशय यह है कि अगर कोई अभियुक्त जान-बूझ कर ऐसा काम करे कि वह अदालत में न आ सके अथवा मुक़दमे की कार्रवाई में बाधा डाले, तो कमिश्नरों को अधिकार है कि उसकी ग़ैरहाज़िरी में मुक़दमे की कार्रवाई जारी रक्खें। अभियुक्त को इस बात का अधिकार रहेगा कि उसका वकील अदालत में मौजूद रहे।

—पञ्जाब-मेल में सफ़र करते हुए कर्नल हैक्स्ट की हत्या के सम्बन्ध में यशवन्तसिंह और दलपत को कालेपानी की जो सज़ा सुनाई थी, उस फ़ैसले के विरुद्ध अभियुक्तों की ओर से एडीशनल जुडिशियल कमिश्नर की अदालत में अपील की गई है। अपील की सुनवाई २८ अक्टूबर को होगी।

—लाहौर नौजवान भारत सभा की प्रेज़िडेण्ट श्रीमती शकुन्तला देवी और शिमला की कॉङ्ग्रेस कार्य करने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी, जिन्होंने ज़मानत न देकर एक साल की सज़ा स्वीकार कर ली थी, कल ज़मानतों के दे दिए जाने के कारण छोड़ दी गईं। दोनों महिलाएँ मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले के विरुद्ध अपील करने वाली हैं।

—चटगाँव का १२ वीं अक्टूबर का समाचार है कि ज्यूरी के फ़ैसले से सहमत न होकर एडीशनल सेशन्स जज ने हरिप्रसाद भट्टाचार्य के मामले को, जिस पर ख़ान-बहादुर अहसानुल्ला पुलिस इन्स्पेक्टर की हत्या करने और बिना लाइसेन्स हथियार रखने का अभियोग लगाया गया है, हाई कोर्ट में विचारार्थ भेज दिया है।

—कलकत्ता की सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में नोआखाली (बङ्गाल) के श्री० रजनीचन्द्र मित्र वकील के मकान की तलाशी हुई। आपके बड़े लड़के श्री० सुबोधचन्द्र मित्र के नाम, जो कि कलकत्ता में क़ानून के विद्यार्थी हैं, डकैती के सम्बन्ध में कलकत्ता की पुलीस की तरफ़ से वारण्ट निकाला गया है।

विमल प्रतिभा देवी की ज़मानत मञ्ज़ूर

कलकत्ता, १६ अक्टूबर

स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्रीमती विमल प्रतिभा देवी को उनके स्वास्थ्य के विषय में दो डॉक्टरों की गवाहियाँ लेकर, दो हजार की दो ज़मानतों पर छोड़ दिया। अदालत में उनके मुँह से ख़ून फिर निकला था।

—ढाका में ताँतो बाज़ार लूट के सम्बन्ध में हृषीन्द्र सरकार, कृष्णपद चक्रवर्ती और एक नवयुवक १४ अक्टूबर की रात को गिरफ़्तार कर लिए गए। १३ अक्टूबर की रात में गिरफ़्तार अपूर्व रॉय, लालन नाहा और डॉ० शैलेन रॉय का भतीजा आज छोड़ दिए गए।

—कलकत्ते के श्री० मणिशील को जो हिजली नज़रबन्द-कैम्प से स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रेज़िडेन्सी-जेल में बदल दिए गए थे, वीरभूमि ज़िले के नलहाटी ग्राम भेज दिया गया है। उनका स्वास्थ्य अब भी बहुत ही ख़राब । उनकी माँ मरण-शय्या पर पड़ी हैं, जिन्हें देखने की उन्होंने आज्ञा माँगी थी, किन्तु वह नामन्ज़ूर कर दी गई।

—वर्मा के आलनताङ्ग विद्रोह के मामले में विशेष अदालत ने २६ आदमियों में से ११ को फाँसी और शेष को कालेपानी की सज़ा दी थी। अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसमें ६ आदमियों को फाँसी की सज़ा बहाल रही और २ को कालेपानी की कर दी गई और १८ कालेपानी की सज़ा वालों में से २ की अपील मन्ज़ूर हुई और १६ की अपील ख़ारिज कर दी गई।

— सूरत में भी हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय दल की स्थापना हो गई। रसूल मियाँ साहब नवगाँव, प्रेसीडेण्ट और मेसर्स आज़िम के० शेख़ और नूरमियाँ एच० शेख़ मन्त्री चुने गए।

—१४ अक्टूबर को बेरारहाट (बङ्गाल) में ३ बजे शाम को हथियार-बन्द और सादे कॉन्स्टेबिलों तथा पुलिस अफ़सरों से भरी हुई एक लॉरी पहुँची और उसने रघुनाथपुर डकैती तथा विस्फोटक पदार्थों की तलाश में श्री० मणीन्द्रनाथ बसु, निशिकान्त चक्रवर्ती, मन्मथनाथ मित्र, रानदजान्त राय चौधरी, मणीन्द्रनाथ घोष, भूपेन्द्रनाथ नाग और जतीन्द्रनाथ विश्वास, इन सात सज्जनों के मकानों की तलाशियाँ ली गईं। किसी मकान में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

— पुर्निया ज़िला के किशनगञ्ज से पिपरीथान रेलवे स्टेशन में डाका पड़ने का समाचार आया है। कहा जाता है कि डाकुओं के एक दल ने स्टेशन के मुसाफ़िरों पर आक्रमण किया जिससे दो मर गए और अनेक घायल हुए और रेलवे कर्मचारी भाग गए।

डाकू नक़द और सोना लेकर ग़ायब हो गए। एक सोनार जिसके पास सोना, चाँदी और रुपए थे, मरा हुआ पाया गया।

—कलकत्ते में चटगाँव-काण्ड पर वक्तृता देने के सम्बन्ध में श्री० नरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती राजद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—पटना के अवसर प्राप्त डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज रायबहादुर ज्योतिर्मय चटर्जी के घर में सेंध लगा कर चोर काफ़ी नक़द और ज़ेवर चुरा ले गए।

—शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी को टेलीफ़ोन द्वारा शिमले से ख़बर मिली है कि प्रसिद्ध अकाली नेता सरदार खड़गसिंह, जो १११ आदमियों का जत्था लेकर दस्का सत्याग्रह के लिए जा रहे थे, १२४-ए दफ़ा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए और स्यालकोट जेल भेज दिए गए। जत्था आगे बढ़ता जा रहा है।

१६ अक्टूबर का तार है, उन्नाव कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट पं० विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी पर डिप्टी कलेक्टर पं० चन्द्रमोहन नाथ द्वारा चलाया गया मानहानि का मुक़दमा आज अदालत में पेश हुआ। पं० चन्द्रमोहन नाथ आज अदालत में आए, किन्तु उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से मामला आज फिर मुल्तवी किया जाय। पं० विश्वम्भर दयाल के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि डिप्टी कलेक्टर के स्वाथ्य की सिविल-सर्जन द्वारा जाँच कराई जाय और इसका ख़र्च अभियुक्त की ओर से दिया जाएगा। अदालत ने स्वाथ्य की जाँच कराना अनावश्यक समझा और मुक़दमे को ३० अक्टूबर तक के लिए मुल्तवी कर दिया।

विदेश

—इटली देश में २४१ आदमियों का एक बहुत पुराना दल गिरफ़्तार हुआ है। अदालत में वे लोहे के एक बड़े पिंजड़े में लाए गए थे। ये अभियुक्त एक बहुत बड़े और पुराने आतङ्कजनक कार्य करने वाले दल के बचे हुए सदस्य हैं। आधी शताब्दी से यह दल सिसली में मनमानी करता आ रहा है। लड़कियों को दल के सदस्यों के साथ विवाह करने के लिए बाध्य करना, लोगों को दल के सदस्यों को नौकर रखने लिए बाध्य करना और ज़मींदारों को अपनी जायदादें नाम-मात्र मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करना, इस दल के कार्य रहे हैं। दल के हुक्म के अनुसार कार्य न करने पर हत्या तक का दण्ड दिया जाता था।

—कैनसास (अमेरिका) से 'ईसा के शिष्य' नामक सम्प्रदाय वालों ने, जिसके अनुयाइयों की संख्या अमेरिका में १५ लाख है, महात्मा गाँधी को भारत लौटने से पहले अमेरिका आने का निमन्त्रण देने का निश्चय किया है। सम्प्रदाय के पादरियों ने भी महात्मा जी को यह विश्वास दिलाने का निश्चय किया है कि "अमेरिका में वे एक तमाशे की तरह न समझे जाएँगे, वरन् एक महान नेता के समान उनका आदर होगा।"

'चाँद' की पुरस्कार-प्रतियोगिता का परिणाम

'भविष्य' की आगामी संख्या

(ता० २६ अक्टूबर)

में प्रकाशित होगा।

अपनी कॉपी के लिए हमारे एजेण्ट से कह रखिए।

— लन्दन का समाचार है कि 'साम्राज्यवाद विरोधिनी लीग' ने अङ्गरेज़ मज़दूरों के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित कराई है कि टोरी गवर्नमेण्ट के साथ ही लेबर-गवर्नमेण्ट भी इस बात के लिए दोषी है कि उसने भारत के ३१ मज़दूर-दल के नेताओं पर मुक़दमा चला रक्खा है। ये नेता भारत में मज़दूर-दल का सङ्गठन कर रहे थे। उन पर जो दफ़ा लगाई गई है उसमें आजन्म कालेपानी तक की सज़ा दी जा सकती है। अङ्गरेज़ मज़दूरों का कर्तव्य है कि मि० मैकडॉनेल्ड और टॉमस के इस कुकृत्य का पूर्ण विरोध करें।

— ख़बर है कि विलायती कपड़ों पर भारी चुङ्गी लगने और देशी कपड़ों की ओर भारतीयों का ज़्यादा झुकाव होने के कारण विलायती व्यापारी, ख़ासकर जापानी मिल-मालिक, भारत में कपड़े की मिल खोलने और देशी मिलों को ख़रीदने का विचार कर रहे हैं।

—अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ की कौन्सिल ने एक गुप्त सभा करके चीन-जापान युद्ध के मामले में विचार करने के लिए अमेरिका को भी निमन्त्रित करने का निश्चय किया। कहा जाता हैं कि चीन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, परन्तु जापानी प्रतिनिधि ने इस विषय में जापान गवर्नमेण्ट को लिखा है। सम्भवतः जापान गवर्नमेण्ट का रुख़ अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के विधान के अनुसार होगा।

—६४ वोटों के विरुद्ध ८२ वोटों से आयर्लैण्ड की पार्लामेण्ट ने मौजूदा शासन विधान स्थगित कर देने का निश्चय किया है। प्रेसिडेण्ट ने कहा कि राज्य उलट देने का व्यापक षड्यन्त्र किया गया है।

—जेरूसलम के समाचार-पत्रों की इस ख़बर से बड़ी सनसनी फैल गई है कि पदच्युत ख़लीफ़ा अब्दुल मजीद विश्व मुस्लिम कॉङ्ग्रेस में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आ रहे हैं और वह फिर ख़लीफ़ा घोषित किए जायँगे। बीरुन की एक ख़बर है कि ईराक़ के बादशाह फ़ैज़ल और पदच्युत ख़लीफ़ा में इस विषय पर समझौता हो गया है और भारतीय मुस्लिम राजे और नवाब जेरूसलम में ख़िलाफ़त स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देंगे। परन्तु इस विषय पर बारीकी के साथ विचार करने वालों का कहना है कि न तो बादशाह फ़ैज़ल और न उनके भाई अमीर अब्दुला अपने ख़ानदान के बाहर वाले को ख़लीफ़ा नियुक्त करने का समर्थन करेंगे।

—मि० बाल्डविन ने कन्ज़रवेटिव दल के नाम एक मेनीफ़ेस्टो निकाला है, जिसमें आग्रह किया है कि नेशनल गवर्नमेण्ट में उनका बराबर शामिल रहना आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र के व्यापार की दशा को सन्तोषप्रद बनाए बिना दिवाला निकल जाना निश्चित है। यह आवश्यक है कि सरकार को जनता द्वारा अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्र इस बात को प्रकट कर दे कि वह उस पार्टी से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता, जो इस गम्भीर परिस्थिति को बिगाड़ कर घोर हलचल उत्पन्न कर देना चाहती है। मि० बाल्डविन ने कहा कि पौण्ड की क़ीमत घटा देने से काम नहीं चलेगा। शीघ्र सफलता देने वाला और प्रभावशाली अस्त्र; कर लगाना ही है। इससे आने वाले माल में ही कमी न पड़ेगी, बल्कि दूसरे मुल्क अपने यहाँ के कर कम कर देंगे। खेती की दशा ऐसी भयङ्कर हो रही है कि उसके उद्धार के लिए शीघ्र ही कोई ज़ोरदार उपाय करना आवश्यक है। मि० बाल्डविन ने कहा है—"सहायता का सब से अच्छा तरीक़ा गेहूँ का बाक़ायदा और निश्चित भाव बाँध देना है। बाहर से सस्ता माल आना रोक देना चाहिए। इस सम्बन्ध में साम्राज्य के आपस के समझौते बहुत महत्वपूर्ण हैं। साम्राज्य की समस्या उस आर्थिक एकता को प्राप्त करने से हल हो सकती है, जिसके लिए हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि कनाडा साम्राज्य की आर्थिक कॉन्फ़्रेन्स का निमन्त्रण फिर से भेजेगा। यह अवसर इसके लिए अत्युत्तम है, क्योंकि इस समय इस निमन्त्रण को किसी एक पार्टी ही नहीं, वरन् राष्ट्रीय सरकार स्वीकार करेगी। मेरा विश्वास है कि इस समय साम्राज्य की आर्थिक एकता का आदर्श चारों तरफ़ फैला है, और इस एकता की नींव बहुत अच्छी और पक्की तरह से तथा समस्त ब्रिटिश जनता की सम्मति से रक्खी जा सकती है।

लन्दन में नेशनल लेबर क्लब की ओर से महात्मा गाँधी का स्वागत करते हुए १३ अक्टूबर को मि० हेण्डरसन ने कहा, कि मुझे आशा है कि चुनाव के बाद गोलमेज़ के प्रतिनिधि फिर से कार्य प्रारम्भ कर देंगे और कॉन्फ़्रेन्स को सन्तोषजनक रूप से समाप्त करेंगे। महात्मा गाँधी ने कहा कि, "अगर हमें अपनी स्वाधीनता के लिए लाखों जानें भी देनी पड़ेंगी तो मैं उसे कुछ नहीं समझूँगा। परन्तु मुझे आशा है कि कॉङ्ग्रेस अपना युद्ध बराबर अहिंसामय और सत्यमय रक्खेगी। चाहे एक जान देकर हो या लाखों जानों को देकर हो। मैं आशा और प्रार्थना कर रहा हूँ कि भावी इतिहास लिखने वाला यह कह सके कि हिन्दुस्तान लड़ा और उसने अपनी स्वधीनता बिना रक्त बहाए प्राप्त कर ली।

बातचीत

['भविष्य' के प्रत्येक ग्राहक तथा एजण्ट को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए !]

ग्राहकों से—

पाठकों को विदित ही होगा कि शीघ्र ही पोस्टकार्ड का मूल्य दो से तीन पैसा और लिफ़ाफ़ों का मूल्य एक से डेढ़ आना होने जा रहा है ! काग़ज़ पर १०) रुपया सैकड़े की ड्यूटी लग चुकी है और आज ही कल में ५) रुपया सैकड़ा और भी ड्यूटी बढ़ जाने की ख़बर है। सारांश यह कि आम तौर से पत्र-सञ्चालकों के रास्ते में अधिक से अधिक रोड़े अटकाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसी हालत में समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दों में चलाना दिनोंदिन असम्भव होता जा रहा है। पत्रकारों के पास दो ही साधन शेष रह गए हैं—(१) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया जाय या (२) वर्तमान ख़र्च में अधिक से अधिक कमी की जाय। अस्तु।

हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का ही निश्चय किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र चला सकें। ख़र्च की कमी के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि जहाँ तक सम्भव हो सका है, अब तक कोई बात उठाई नहीं रक्खी गई है। अब केवल हमारे पास ख़र्च घटाने की एक ही सूरत शेष रह गई है और वह यह कि अनावश्यक पत्रों का उत्तर कार्यालय से न जाय। पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक ग्राहक के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर 'भविष्य' के प्रत्येक अङ्क में प्रकाशित होता रहेगा। (१) चन्दे के समाप्ति की सूचना, (२) पता बदलने की सूचना; (३) चन्दा पहुँचने की सूचना तथा इसी प्रकार की कुल सूचनाएँ "भविष्य" तथा "चाँद" के प्रत्येक अङ्क में छपा करेंगी। पाठकों से प्रार्थना है कि भविष्य में वे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा न करके "बातचीत" शीर्षक स्तम्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें और निम्न-लिखित बातों का ध्यान रक्खें :—

(१) अपना ग्राहक-नम्बर हमेशा याद रक्खें, नोट कर लें (क्योंकि प्रायः नम्बरों के हिसाब से ही उन्हें उत्तर मिला करेगा)

(२) अपना चन्दा समाप्त होते ही, जब तक भी उन्हें ग्राहक रहना हो, उतने दिनों का चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दिया करें (क्योंकि रजिस्ट्री के ख़र्च में भी एक आने की वृद्धि हो गई है और वी० पी० मँगाने से व्यर्थ में उन्हें रजिस्ट्री के तीन आने अधिक देने होंगे।

(३) यदि ग्राहक बनना हो तो अपना चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दें और व्यर्थ में पत्र न लिख कर 'कूपन' पर ही अपना आशय प्रकट कर दें (यह स्मरण रक्खें कि पुराने ग्राहकों को अपना ग्राहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को "नया ग्राहक" 'कूपन' पर अवश्य लिख देना चाहिए)।

(४) पता आदि बदलने की सूचना आते ही कारँवाई कर दी जायगी और इस बात की सूचना 'भविष्य' के उसी सप्ताह के अङ्क में प्रकाशित कर दी जायगी (यदि सूचना प्रकाशित न हो तो समझना चाहिए कि पत्र कार्यालय में नहीं पहुँचा)।

(५) जिन लोगों को पत्रोत्तर की आवश्यकता हो, उन्हें या तो जवाबी पोस्टकार्ड अथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए नहीं तो पत्रोत्तर नहीं दिया जायगा।

यदि ग्राहकों ने हमारी इस विनम्र प्रार्थना पर समुचित ध्यान दिया तो हज़ारों रुपए, जो डाकख़ाने की भेंट हो जाते हैं, बच जायँगे और इन्हीं रुपयों को पत्र-सञ्चालन में लगा कर चन्दा न बढ़ाया जायगा।

एजेन्टों से—

'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों को उपरोक्त सारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना चाहिए और साथ ही निम्नलिखित बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :—

(१) अपना हिसाब एक निश्चित तिथि को बिना तक़ाज़ा किए अथवा बिल भेजे भेज देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल नहीं भेजा जायगा।

(२) जिस सप्ताह से 'भविष्य' (साप्ताहिक) की कॉपियाँ घटाना या बढ़ाना हो उससे ठीक ८ रोज़ पूर्व इस बात की सूचना कार्यालय को दे देनी चाहिए। दैनिक "भविष्य" सम्बन्धी इस प्रकार की सूचना कम से कम दो दिन पहले कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

(३) 'भविष्य' में प्रकाशित प्रत्येक सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(४) हमें खेद है, छपे हुए 'कूपन' (टिकट) भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी एजन्टों ने 'जुबली-अङ्क' के सम्बन्ध में ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ घट गईं तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ रोज़ के भीतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग ५० तार आए हैं। इसके अर्थ यह हुए कि ३७) रु० तार वालों को भेंट हो गए और फल भी कुछ नहीं हुआ। यदि पहले से ही हमारी सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो दूनी-तिगुनी संख्या में "जुबली-अङ्क" बेच कर वे स्वयं भी लाभ उठा सकते थे और देशवासियों की सेवा भी कर सकते थे। व्यर्थ का तार और पत्रों का व्यय भी बचाया जा सकता था। जिन लोगों का हिसाब नहीं आया था उनकी कॉपियाँ रोक दी जाने से उनको जो हानि हुई वह तो हुई ही, पर साथ ही उनके स्थायी ख़रीदारों को भी इस अङ्क के लाभ से वञ्चित रक्खा गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण कितना भारी नैतिक अपराध किया—यह वे स्वयं समझ सकते हैं।

(५) सारांश यह कि 'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों से हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में हिसाब के लिए यहाँ से तक़ाज़े तथा तार आदि नहीं भेजे जायँगे।

जिन एजन्टों का हिसाब ठीक समय पर हमें नहीं मिलेगा, उनकी कॉपियाँ, बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही, रोक दी जावेंगी और वे सारी हानि उनके ज़मानत से काट ली जावेगी और यदि दूसरे सप्ताह भी ऐसा ही हुआ तो ज़मानत ज़ब्त करके उनका नाम एजन्टों की श्रेणी से तुरन्त अलग कर दिया जायगा।

जिन एजन्टों से इन साधारण सी बातों का भी पालन नहीं हो सकता, उन्हें तुरन्त अलग हो जाना चाहिए।

—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर की आज्ञा से

* * *

हिजली गोली-काण्ड-कमीशन की कार्यवाही और मनोरञ्जक बयान

["भविष्य" के विशेष तार]

खड़गपूर, ७ अक्टूबर

नरेश सोम ने कहा कि पगली घण्टी बजने पर मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सन्तोष मित्र के पास खड़ा हो गया। उसी समय गोली चलने लगी। दो और जो पास में खड़े थे, गिर पड़े। उसके बाद सन्तोष को गोली लगी और वह पीड़ा से चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। मैं सन्तोष को अपने कमरे में ले जाना चाहता था। ज्योंही मैं उसको उठाने के लिए झुका कि मेरे भी गोली लगी। मैं भी सन्तोष के पास गिर पड़ा और किसी को यह कहते सुना कि कुछ नज़रबन्द मर गए।

घटना के बाद जब कमाण्डेण्ट आया, मैंने उससे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ हुआ है, वह अधिकारियों की अनुमति से हुआ है, नहीं तो सिपाही अकारण गोली नहीं चला सकते थे। गवाह ने फिर कहा, एक महीने के अनुमान गुज़रा होगा, जब हम लोगों का मासिक भत्ता ३२ रुपए से घटा कर २७ कर दिया गया था। मैंने अख़बारों में पढ़ा था कि यह मकान के बुर्ज पर रोशनी करने के कारण हुआ है। मैंने सुना कि दो-तीन अवसरों पर कैम्प के कुछ झोपड़ों में आग लग गई।

मिस्टर दास गुप्त के प्रश्न पर गवाह ने उत्तर दिया कि मुझे कमाण्डेण्ट से भत्ता घटाने की बाबत कोई सूचना नहीं मिली।

सरकारी वकील रायबहादुर नरेन्द्रनाथ बैनर्जी के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि हम लोग घर में तमाशे के लिए रोशनी करते थे। उसका किसी ख़ास घटना से कोई सम्बन्ध होता था, यह मैं नहीं कह सकता। मैं इस कैम्प में चार महीनों से हूँ। इस बीच में १२ बार से अधिक रोशनी की गई है। मुझे नहीं मालूम कि पहिली बार रोशनी करने के बाद बुर्ज का रास्ता रोक दिया गया था। कई बार बुर्ज के रास्ते का अड़गड़ा (Bar) नज़रबन्दों ने हटा कर रोशनी की थी। मुझे नहीं मालूम कि कैम्प के डॉक्टर को किसी नज़रबन्द ने छुरी मारी थी।

गवाह के कहने के अनुसार गोली २०-३० मिनिट तक चलती रही और १०० से १२० फ़ैर तक हुए होंगे।

दास गुप्त के जवाब में गवाह ने कहा कि सारी चिल्लाहट, जो मैंने सुनी, सिपाहियों की ही थीं।

खड़गपूर, ८ अक्टूबर

हिजली जाँच-कमिटी के सामने आज नज़रबन्द कुञ्ज बोस ने अपने बयान में कहा कि नज़रबन्दों के कैम्प के बुर्ज में बहुधा रोशनी की जाती थी। अब भी की जाती है। इसने ज़ोर देकर कहा कि इससे किसी भी बाहरी घटना का सम्बन्ध न था। ता० १६ सितम्बर की रात वाली घटना का सङ्केत करते हुए कहा कि जब मैं तारक की परिचर्या कर रहा था, क्योंकि उसको घातक चोट लगी थी, कुछ सिपाही अन्दर घुस आए और हम दोनों को मारा। इसके बाद तारक में प्राण का पता न था।

दास गुप्त के उत्तर में गवाह ने कहा कि इन्स्पेक्टर मार्शल का व्यवहार नज़रबन्दों के साथ अच्छा न था, नज़रबन्दों और इन्स्पेक्टर में तहत्तुक हो जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इन्स्पेक्टर को कैम्प में घुसने से कमाण्डेण्ट ने रोक दिया था। उसके बाद मैंने इन्स्पेक्टर को कैम्प के भीतर १५ सितम्बर को देखा था।

दूसरे गवाह मनोरञ्जन राय ने, जो नज़रबन्दों के कैम्प में एक मेस (भोजन प्रबन्ध) का मैनेजर था, मिस्टर दास गुप्त के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैनेजर होने के कारण मिस्टर बेकर से मुझे बहुत काम पड़ता था। मैंने उन्हें सदा युक्ति-सङ्गत और शिष्टाचार वाला पाया। कमाण्डेण्ट नज़रबन्दों के गान-वाद्य में शामिल हुआ करते थे और सप्ताह में तीन दिन कैम्प के भीतर दफ़्तर किया करते थे। यह बात डलहाउसी इन्स्टीट्यूट की घटना तक रही। इस घटना पर एङ्गलो-इण्डियन सम्वाद-पत्रों में भयभीत करने वालों के अत्याचारों की तीव्र आलोचना की गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे मिस्टर बेकर के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा, यहाँ तक कि वह अशिष्ट हो गए और मालूम होने लगा कि वह हम लोगों की बात सुनना नहीं पसन्द करते, जैसा कि पहिले करते थे। इन्स्पेक्टर मार्शल की बाबत गवाह ने कहा कि मैंने सुना है कि इन्स्पेक्टर नज़रबन्दों के आचरण पर क़वायद के समय ताने के साथ आलोचना करते थे, इसका नज़रबन्दों ने प्रतिवाद किया और नज़रबन्दों की शिकायत पर मिस्टर बेकर ने इन्स्पेक्टर को कैम्प में आने की मनाही कर दी। इसके बाद मैंने १५ सितम्बर की रात तक इन्स्पेक्टर मार्शल को कैम्प में नहीं देखा। घटना के दिन अनुमान ८ बजे सायङ्काल को मुझे इन्स्पेक्टर मार्शल प्राङ्गण में दिखाई पड़े थे। बहुत से सन्तरी उनकी आज्ञा पर परेड कर रहे थे। उसी समय मैंने इन्स्पेक्टर को यह कहते सुना कि 'काहे गोली नहीं किया।"

घटना के दिन ही तीसरे पहर मैं और कई दूसरे नज़रबन्द प्राङ्गण में नज़रबन्द दिनेश सेन को बिदा करने व मिलने गए उस समय एक सिपाही ने हमें गाली दी। जब मैंने उसके शब्दों का प्रतिवाद किया तो मेरे पास जो खड़े थे उन्हें सिपाही ने धक्का दिया। मैंने फिर प्रतिवाद किया और दूसरे नज़रबन्द से कहा कि आओ कैम्प को लौट चलें। ज्योंही हम लोग मकान पहुँचे थे कि पगली घण्टी सुनाई पड़ी। मिस्टर बेकर तब इन्स्पेक्टर मार्शल के साथ कुछ सिपाही लिए हुए दाख़िल हुए। कमाण्डेण्ट ने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि फाटक पर नज़रबन्दों ने सिपाहियों के ऊपर आक्रमण किया था? गवाह ने सिपाहियों पर नज़रबन्दों के हमला करने का इन्कार किया और जो दरवाज़े पर खड़े थे उनकी तरफ़ इशारा किया। फिर गवाह ने कहा कि जब मिस्टर बेकर निरीक्षण करने के बाद कैम्प से जाने लगे, मैंने उनसे कहा कि पगली घण्टी बजाने के बदले आप हम लोगों को ही बुला लेते। इस पर मिस्टर बेकर ने जवाब दिया कि अगर ज़रूरत होगी तो बुलवा लेंगे। दूसरे दिन प्रभात में हमें मिस्टर बेकर ने बुलवाया, लेकिन हम लोग उस समय आती हुई दुर्गापूजा के प्रबन्ध पर बातचीत में लगे थे, न जा सके और तीसरे पहर मिस्टर बेकर से मिले। सिपाही का बयान लिया गया, लेकिन वह अपने कुव्यवहार का कोई कारण न दे सका। हम लोग यह समझ कर लौट आए कि मिस्टर बेकर सिपाही के साथ उचित कार्रवाई करेंगे।

फिर गवाह ने कहा कि मिस्टर आर० आर० गार्लिक की हत्या के बाद फिर बुर्ज पर रोशनी की गई। मैंने निश्चय किया तो मालूम हुआ कि रोशनी करने का कारण कुछ आरोपितों का डलहाउसी स्क्वायर बॉम्ब के मुक़दमे में छूट जाना था, क्योंकि वह कुछ नज़रबन्दों के मित्र थे।

गवाह ने कहा कि गोली चलने के बाद हमने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने समझा कि बिना उच्च अधिकारियों की आज्ञा के सिपाही लोग गोली नहीं चला सकते थे।

सरकारी वकील के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैंने मिस्टर बेकर से सुना कि नज़रबन्द पङ्कज को कोठरी में बन्द रहने की आज्ञा दी गई थी, क्योंकि उसने कैम्प के डॉक्टर पर आक्रमण किया था।

मिस्टर दास गुप्त के प्रश्न पर गवाह ने कहा कि मैं कम से कम एक सिपाही को तो पहचान सकता हूँ, वह लम्बा, गोरा और दाढ़ी वाला था, इसने १६ सितम्बर की घटना में भाग लिया था।

खड़गपूर, १० अक्टूबर

सिराजुलहसन सन्तरी ने अपने बयान में कहा, कि चन्द्रसिंह सन्तरी के एक या आधी मिनट गोली चलाने के बाद मैंने देखा कि १५-१६ बाबू तार के बीच के छेद में होकर मेरी तरफ़ झपटे आ रहे हैं। मैंने टोका तो एक ने आकर मेरी किरच छीन ली, तब मैंने हट कर गोली चलाई और किरच माँगी और चले जाने को कहा। फिर गोली चलाई। अन्त में तीसरे फ़ैर के बाद बाबू लोग फाटक की ओर हट कर चले गए। पहली फ़ैर हवा में की थी, दूसरी-तीसरी फ़ैरें हलकी थीं। मैंने बाबुओं का चिल्लाना और गोलियों की आवाज़ सुनी थी। रहमान ख़ाँ हवलदार के आने पर गोली चलाना बन्द हुआ। बाद में मि० बेकर व मि० मार्शल आए, और सन्तरियों का निरीक्षण करते हुए फाटक की ओर चले गए।

नज़रबन्दों के वकील के जवाब में साक्षि ने कहा कि यह सत्य नहीं है कि गारद झपट पड़ी, जो कोई भी हमारी बन्दूक़ पर से किरच छीनने की चेष्टा करे उस पर गोली चलाना हमारा साधारण कर्तव्य है। पहरे पर ख़ाली बन्दूक़ रखने की आज्ञा थी, वैसी ही मेरी बन्दूक़ थी। हुक्म था कि कोई किरच छीने तो उस पर तीन फ़ैर छर्रों का करो। इन छर्रों से ५-६ क़दम पर खड़े हुए बाबुओं को चोट नहीं आई। यह असत्य है कि मेरी फ़ैर से १ बाबू को खाने के कमरे में चोट आई। मैं बन्दूक़ छीनने वालों में से किसी को नहीं पहचान सकता।

हवलदार रहमान ख़ाँ ने बयान किया कि मैं पगली घण्टी सुन कर जागा और गोली-बारूद लेकर भीतर गया और पहले फ़ैर करने वाले के पास जाकर सब पूछा, उसने गोली चलाने से रोका। वकील के उत्तर में गवाह ने कहा कि बेकर साहब घटनास्थल पर १० बजे रात में आए। पहले सुना था कि दो नज़रबन्द मरे और १५-१६ घायल हुए। यह सच नहीं है कि मैं फाटक पर इसलिए नहीं गया कि जो हिदायत मैंने बङ्गाली बाबुओं को मारने की दी है, मेरी ग़ैर-हाज़िरी में उसके अनुसार काम हो। मैं अपने को सरकार का नौकर समझता हूँ, बङ्गाली जनता का नहीं। नज़रबन्दों के वकील ने कहा कि यही मनोवृत्ति तो इस दुर्घटना की जड़ है।

११ तारीख़ को और बहुत से सिपाहियों के बयान हुए। इन्होंने कहा कि बाबुओं को डराने के लिए फ़ैर किए थे, मारने के लिए नहीं। फ़ैर हवा में किए थे। हमें फ़ैर करने का हुक्म नहीं मिला था।

सरजकसिंह ने कहा १०० गज़ के अन्तर से गोली चली थी। वकील के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने बाबुओं को रोकने के लिए बन्दूक़ के कुन्दों से काम नहीं लिया। बात असल यह थी कि कुन्दों से काम लेने से बन्दूक़ ख़राब हो जाती। मैं सरकारी माल को एक बाबू की जान से ज़्यादा क़ीमती समझता हूँ।

तीनकौड़ी सेन रिज़र्व सब इन्स्पेक्टर ने कहा कि १६ सितम्बर को नज़रबन्द हेमन्तकुमार तालुक़ेदार का भाई मिलने आया था। उस मुलाक़ात के समय मैं था। मैंने तालुक़ेदार को अपने भाई से कहते सुना कि नज़रबन्द लोग लोहे के छड़ों और मसहरी के बाँसों से सिपाहियों पर हमला करने को तैयार थे। इन्होंने यह भी कहा कि इस तैयारी की ख़बर सुनने के बाद तुरन्त ही उपद्रव आरम्भ हो गया।

सभापति के पूछने पर साक्षि ने कहा कि मुझे याद नहीं कि यह बात मैंने पुलिस से कही है या नहीं। इन्स्पेक्टर सी० डब्ल्यू० मार्शल ने बयान किया कि मैं नज़रबन्दों के कैम्प में घटना के बाद तुरन्त पहुँचा। कमाण्डेण्ट बेकर के साथ अन्दर घुसा, सन्तरियों के पास सब जगह गया और फ़ैरों का हाल सुना। किसी-किसी नज़रबन्द ने मुझसे कहा कि हममें कुछ घायल हो गए हैं और डॉक्टरी सहायता की दरकार है। मैं और कमाण्डेण्ट बेकर घर में गए, ज़ख़्मी देखे और अस्पताल सर्जन के पास गए और तुरन्त चिकित्सा का प्रबन्ध हुआ। मैंने हवलदार शेखरसिंह से पूछा कि बिना हुक्म आदमियों ने गोली कैसे चलाई? उसने कहा कि जाँच से मालूम हुआ है कि नज़रबन्दों ने सिपाहियों पर सोडा की बोतलों, मसहरी के बाँसों और लोहे के छड़ों से आक्रमण किया था जिससे दो सिपाही ज़ख़्मी हुए। सब फ़ैर किए गए। जो नज़रबन्द जान से मरे या घायल हुए उनकी बाबत गवाह ने कहा कि मैंने किसी को प्रधान मकान के बाहर नहीं पाया। नज़रबन्दों से मालूम हुआ था कि दो मरे और २७ घायल हुए। सिपाहियों ने अलबत्ता कहा था कि हम लोग मकान के भीतर नहीं गए, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि कुछ सिपाहियों की बाबुओं के साथ हाथा-पाई हुई।

मई में एक दिन नज़रबन्द फ़ौजी क़वायद करते थे। मैंने इसे अनुचित समझ कर क़वायद के निरीक्षक से रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि कमाण्डेण्ट से लिखा लाओ तब मानेंगे। मैं कैम्प से चल दिया तो वह हल्ला करने लगे। इस झगड़े में कमाण्डेण्ट ने मुझे कैम्प में आयन्दा जाने से रोक दिया।

सरकारी वकील के प्रश्न पर गवाह ने कहा कि मुझे १६ छर्रों के और १२ गोलियों के कारतूस ख़र्च हुए मिले।

१२ अक्टूबर को हिजली-काण्ड की जाँच-कमिटी के सामने गवाही देते हुए इन्स्पेक्टर मार्शल ने कहा कि मैं नज़रबन्दों को साम्राज्य का दुश्मन नहीं, वरन् उत्तम नवयुवक सज्जन समझता हूँ। १६ सितम्बर की रात की घटना का ज़िक्र करते हुए जिरह में उन्होंने कहा कि मैंने शेखरसिंह से टेलीफ़ोन द्वारा ख़बर पाई कि कैम्प में कुछ उपद्रव हुआ है और गोलियाँ चलाई गई हैं। दस मिनटों के अन्दर मैं घटना-स्थल पर आ गया। गोली चलाने के बारे में मुझे रहमत ख़ाँ के बयान पर इतमीनान हो गया। मुझे सिपाहियों से दूसरे दिन मालूम हुआ कि उनसे कुछ नज़रबन्दों से हाथा-पाई हुई थी। कैम्प के अन्दर उस रात को घुसने वाले सिपाहियों की ठीक संख्या ३० और ४० थी। मैंने यह जाँच नहीं की कि मार-पीट में किस-किस ने हिस्सा लिया, क्योंकि मैंने इसे अनावश्यक समझा। बालराउण्ड गोलियाँ २०० गज़ तक जाती हैं और मनुष्य को ज़ख़्मी या घायल करती हैं और छर्रा ३० या ४० गज़ तक। गवाह ने कहा कि यह परिस्थिति पर निर्भर है कि सिपाही बिना उच्च अफ़सर की आज्ञा के भी गोली चला सकता है। मैं कमाण्डेण्ट से यह सुन कर प्रसन्न हुआ कि मैं कैम्प में न जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कामों की झंझट से बच जाऊँगा। मैंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि सिपाही मेरी या कमाण्डेण्ट की ग़ैर-हाज़िरी में कैम्प के अन्दर जा सकते हैं। ब्लाक 'ए' के मेस-मैनेजर पूर्णेन्दु दस्तीदार ने जिरह में कहा कि खड़गपुर के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस ने कहा कि नज़रबन्द 'बम-चिह्नित' हैं। डलहौज़ी स्क्वायर की मीटिङ्ग के बारे में गवाह ने कहा कि आतङ्ककारी आक्रमणों की उसमें निन्दा की गई और सरकार से कार्रवाई करने को कहा गया। मिदनापुर के सिविल सर्जन कैप्टेन एन० एन० चौधरी ने कहा कि मैंने सन्तोष मित्र और तारकेश्वर सेन की लाशों की पोस्टमार्टम जाँच की। दोनों की मृत्यु बन्दूक़ की गोली से हुई थी। जिस आदमी ने गोली मारी है, वह सन्तोष के सामने और दाहिनी ओर रहा होगा, किन्तु बहुत पास नहीं। तारकेश्वर को चार ज़ख़्म लगे थे जिनमें दो गोली के थे और दो तेज़ और नोकीले हथियारों के। रायसाहब अनन्त-बन्धु चक्रवर्ती, असिस्टेण्ट कमाण्डेण्ट ने कहा कि गोलियाँ पाँच मिनटों तक चलती रहीं। नज़रबन्द सावित्रीशेखर, जिनके शरीर पर लाठी और बन्दूक़ के कुन्दे की चोट के निशान थे, ने कहा कि सिपाही मेरे कमरे में घुसे और मुझे बन्दूक़ों के कुन्दों से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। खड़गपुर के पुलीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ साहब अलताफ़ हुसेन ने रायबहादुर नरेन्द्रनाथ बैनर्जी के उत्तर में कहा कि मैंने नज़रबन्दों के विरुद्ध दङ्गा करने का मुक़द्दमा चलाया है, सिपाहियों के विरुद्ध नहीं, क्योंकि सिपाहियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है। मि० निशीथ सेन के जवाब में गवाह ने कहा कि मुझे यह पता लगा है कि गोली चलाने के लिए सिपाही ज़िम्मेदार थे। मैंने सिपाहियों से प्रश्न करके यह जानने का प्रयत्न किया कि किसने दोनों नज़रबन्दों पर गोली चलाई, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार आदमियों का पता अभी तक नहीं लग सका। मुझे बतलाया गया कि गोली-काण्ड इमारत के बाहर हुआ है। मैं दीवारों के गोलियों के निशान देखना चाहता था, किन्तु मैं इमारत के अन्दर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे बतलाया गया कि नज़रबन्द लोग पुलीस-अफ़सरों को देखना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कमाण्डेण्ट से पूछने पर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आने तक ठहरो, क्योंकि तुम्हारे जाने से अप्रिय बातें हो जाने का अन्देशा है। इसलिए मैं दो दिनों तक इमारत के अन्दर नहीं जा सका। मुझे यह भी बतलाया गया कि दो हमले एक साथ ही दो सन्तरी बाक्सों पर किए गए और फ़ौरन ही दूसरे पर।

'गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स ज़रूर भङ्ग होगी'

म० गाँधी गोलमेज़ में भाग न लें :: श्री० विट्ठलभाई पटेल का वक्तव्य

भूतपूर्व प्रेज़ीडेण्ट श्री० विट्ठलभाई पटेल ने एक सम्वाददाता से प्रधान मन्त्री की वक्तृता के सम्बन्ध में बातें करते हुए यह विचार प्रकट किया है—'यदि प्रधान मन्त्री की फ़ेडरल कमिटी की वक्तृता से गोलमेज़ के भारतीय प्रतिनिधियों को यह विश्वास नहीं पाया कि अङ्गरेज़ी सरकार कुछ करना-धरना नहीं चाहती, तो किसी भी बात से उन्हें विश्वास नहीं हो सकता कि प्रधान मन्त्री की वक्तृता गुस्ताख़ाना और अपमानजनक है। उससे यह मालूम हो जाता है कि हवा का रुख़ क्या है। यह गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार द्वारा की हुई पिछली घोषणाओं पर पानी फेर देती है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्गरेज़ी सरकार अपनी इच्छानुसार भारत के शासन में सुधार करना चाहता है और भारतीय प्रतिनिधियों की बातों की उसे परवा नहीं है। वक्तृता में असहयोग आन्दोलन का मज़ाक़ उड़ाया गया है। यह वक्तृता गाँधी-इरविन समझौते की भावना से बिल्कुल दूर है। इन सबके अतिरिक्त इनके इस कथन का कि "महाशयो, ईमानदार बनो" प्रत्येक आत्मसम्मान-प्रिय प्रतिनिधि को ज़ोरों से विरोध करना चाहिए। मेरे विचार में उनका यह कथन केवल कॉङ्ग्रेस और उनके प्रतिनिधियों के ही नहीं; वरन् समस्त भारतीय जनता के लिए कम अपमानजनक नहीं है।

"मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को इन कथनों के बाद गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा यह पहिले ही से विचार है और उसको ओर मैंने जब से महात्मा जी यहाँ आए हैं, तभी से उनका ध्यान दिलाया है कि अगर प्रतिनिधियों को पहले यह मालूम हो जाय कि हम लोगों को मिलेगा क्या, तो साम्प्रदायिक समस्या के हल होने में बहुत सुविधा हो। इसलिए महात्मा जी का यह कहना कि सरकार जो कुछ देना चाहती है, पहिले उसे बतला दे, बिल्कुल न्यायोचित है।

"मेरा बड़े अदब के साथ यह कहना है कि महात्मा गाँधी का यह कर्तव्य है कि वह गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में भाग लेने से इनकार कर दें, अगर ब्रिटिश सरकार यह रास्ता नहीं अख़्तियार करती। मेरी राय में तो यह बात शुरू में ही होनी चाहिए थी, किन्तु अब भी बहुत देर नहीं हो गई है। मेरा यह पूरा विश्वास है कि गोलमेज़ में



श्री० विट्ठलभाई पटेल

जब मूल सिद्धान्तों का प्रश्न आएगा, तो उसका भङ्ग होना अवश्यम्भावी है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जैसी सरकार कॉङ्ग्रेस चाहती है, वैसी देने को तैयार नहीं है। उसी प्रकार मेरा यह भी विश्वास है कि ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों ने जान-बूझ कर चालाकी से कॉन्फ़्रेन्स का क्रम ऐसा रक्खा है कि मूल सिद्धान्तों के निर्णय के पहिले प्रतिनिधिगण साम्प्रदायिक प्रश्नों के विवाद में पड़ जायँ और मुझे खेद है कि अङ्गरेज़ों की इन चालों को भारतीय प्रतिनिधियों ने नहीं समझा।"

पक्षपात का एक दयनीय पहलू!

मैजिस्ट्रेट को श्री० सहगल जी का पत्र

'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० आर० सहगल ने विगत २२वीं सितम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के नाम एक पत्र भेजा है। इसकी एक प्रति हमारे पास प्रकाशनार्थ आई है। पत्र सार्वजनिक दिलचस्पी का है, इसलिए हम उसका अनुवाद पाठकों की भेंट करते हैं। श्री० सहगल जी का कहना है कि आज तक (१७-१०-३१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर गवर्नर तक ने इस पत्र के पहुँच तक की स्वीकृति भेजने की सज्जनता प्रगट नहीं की है, यद्यपि जवाब के लिए तक़ाज़े भी किए जा चुके हैं। पत्र का अविकल अनुवाद इस प्रकार है :—

महाशय,

सम्भवतः आपको यह बात मालूम होगी कि मिस्टर डबल्यू० टी० डे ने 'पायोनियर' प्रेस इलाहाबाद के कीपर, मुद्रक और प्रकाशक होने का डिक्लेरेशन दिया था। वह 'पायोनियर' पत्र के भी, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, मुद्रक और प्रकाशक थे। मुझे विश्वास है कि आपको यह तथ्य भी ज्ञात है, कि मि० डे गत ५-६ महीनों से इङ्गलैण्ड में हैं। यह भी आपको अवश्य ज्ञात होना चाहिए, कि प्रेस और पुस्तकों की रजिस्ट्री के क़ानून नं० २५ सन् १८६७ की धारा ५ की उपधारा ४ के अनुसार मुद्रक और प्रकाशक, जिसने डिक्लेरेशन दिया हो, जितनी बार ब्रिटिश इण्डिया से बाहर जाय, उतनी ही बार ऐसे मुद्रक और प्रकाशक को डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है, जो हिन्दुस्तान में रहता हो।

आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस महीने (सितम्बर) की १७ तारीख़ को मि० पी० एम० पोथेकारी नाम के एक महाशय ने नया डिक्लेरेशन दिया है।

उक्त बातों से प्रकट है कि 'पायोनियर' छापाख़ाना और 'पायोनियर' सम्वाद-पत्र बहुत अर्से तक बिना डिक्लेरेशन के ही चलते रहे हैं।

क्या आप मेहरबानी करके मुझे सूचित करेंगे, कि उक्त मामले में कोई सरकारी कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार हो रहा है?

यह बात सार्वजनिक लाभ से सम्बन्ध रखने वाली होने के कारण मैं इसकी नक़ल नीचे लिखे अधिकारियों के पास तथा प्रेस को भी भेज रहा हूँ :—

१—कमिश्नर इलाहाबाद डिवीज़न, इलाहाबाद

२—चीफ़ सेक्रेटरी, संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट, नैनीताल

३—होम-मेम्बर, संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट

४—प्राइवेट सेक्रेटरी टु हिज़ एक्सीलेन्सी दि गवर्नर संयुक्त प्रान्त।

भवदीय,

—आर० सहगल

मालिक बनाम 'कीपर' का मामला

हाईकोर्ट से तबादले की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर

इलाहाबाद, १२ अक्टूबर

पाठकों को स्मरण होगा कि अनेक पक्षपातों को दृष्टि में रखते हुए 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी की ओर से २१ सितम्बर को एक दरख़्वास्त और हलफ़नामा हाईकोर्ट में इस अभिप्राय से पेश किया गया था, कि चूँकि अब तक मैजिस्ट्रेट का रुख़ सदा पक्षपातपूर्ण रहा है इसलिए "मालिक बनाम कीपर" वाला मामला ख़ाँ साहब मौलवी रहमानबख़्श क़ादरी के इजलास से बदल कर किसी दूसरी अदालत में भेज दिया जाय। श्री० सहगल जी की ओर से कहा गया था कि (१) पहिले ही दिन सम्मन ग़लत होने पर भी मैजिस्ट्रेट का श्री० सहगल जी को एक विशेष प्रकार के पेचीदे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करना, (२) श्री० सहगल जी भ्रातृबधू के देहान्त होने पर तथा एक ऐसी परिस्थिति में, जबकि स्वयं उन्हें ही दाह-कर्म करना पड़ा हो, मुक़दमा मुल्तवी न करने, (३) श्रीमती लक्ष्मीदेवी को सरकारी गवाह की हैसियत से न बुला कर, अदालती गवाह की हैसियत से तलब करने तथा इसी प्रकार की कई अन्य बातें करके मैजिस्ट्रेट ने पक्षपात का परिचय दिया है। श्री० सहगल जी की ओर से बहस करते हुए इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर श्री० अखिलनाथ सान्याल ने अदालत से यह भी निवेदन किया कि चूँकि इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री० मूडी से सहगल जी का झगड़ा हो चुका है, जिसे स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने बयान में स्वीकार किया है और चूँकि स्वयं श्री० मूडी की ओर से यह विचित्र (Unique) मामला चलाया गया है और चूँकि ख़ाँ साहब श्री० मूडी के पर्सनल असिस्टेण्ट हैं इसलिए श्री० सहगल जी को इस बात का भय है कि इस मामले में ख़ाँ साहब श्री० सहगल जी के साथ न्याय नहीं करेंगे, अतएव मामला दूसरी अदालत में भेजा जाय।

ठीक एक बजे से ३॥ बजे शाम तक बहसें होती रहीं; किन्तु जज महोदय (श्री० न्यामतुल्ला साहब) ने अन्त में श्री० सहगल जी की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर कर दी, परन्तु अपनी आज्ञा में जज महोदय ने श्री० सहगल जी की भ्रातृबधू की मृत्यु के अवसर पर मामला १३ दिन के लिए स्थगित न करने की निन्दा करते हुए लिखा है कि "मैजिस्ट्रेट को इस मामले में विशेष बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए था।" जज महोदय ने यह भी कहा है कि यदि सहगल जी की ओर से प्रार्थना की जाय, तो मैजिस्ट्रेट को उन गवाहों को दोबारा तलब करने की प्रार्थना पर विचार करना चाहिए, जिनकी गवाही एक ऐसे समय ली जा चुकी है, जबकि अपनी भ्रातृबधू की मृत्यु के कारण श्री० सहगल जी अदालत की कार्रवाई में भाग नहीं ले सके थे।

श्री० सहगल जी की ओर से श्री० अखिलनाथ सान्याल बैरिस्टर तथा श्री० मुकर्जी एडवोकेट ने पैरवी की तथा गवर्नमेण्ट की ओर से श्री० उमाशङ्कर वाजपेई (प्रधान गवर्नमेण्ट एडवोकेट) तथा श्री० अम्बिकाप्रसाद पाण्डेय ने, जो गवर्नमेण्ट की ओर से इस मामले में विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं और जिन पर श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र वाले मामले के बाद से स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० मूडी की विशेष कृपा रही है। बहस के सिलसिले में एक बार जज महोदय ने पूछा भी था कि मि० पाण्डेय, आप इस मामले में कैसे दिलचस्पी ले रहे हैं? पाण्डेय जी ने उत्तर दि कि वे सरकार की ओर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। सान्याल महोदय को भी कहना पड़ा कि "मि० मूडी की ही कृपा का यह फल है।" अब यह मामला २३वीं अक्टूबर को उन्हीं ख़ाँ साहब के इजलास में पेश होगा।

—नोआखाली (बङ्गाल) शहर के डॉक्टर मनमोहन चटर्जी के मकान, उनके दवाख़ाने, बङ्गाल की उनके पुत्र गोपाल चटर्जी की दर्ज़ी की दूकान आदि की स्थानीय पुलीस ने बड़े तड़के तलाशी ली। गोपाल के नाम कलकत्ता की स्पेशल ब्राञ्च पुलीस का वारण्ट था। कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

—बागरहाट बङ्गाल की पुलीस ने नवाबअली सराय के मीर की तलाशी ली। कहा जाता है कि कई कारतूसें मिलीं। नवाबअली गिरफ़्तार कर लिए गए।

—पेशावर ज़िले की होतीमर्दान तहसील में सब तरह की सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों को, सिवाय उनके, जो केवल धार्मिक हों, दफ़ा १४४ के अनुसार दो महीने के लिए रोक दिया गया है।

—दिनाजपुर के मैजिस्ट्रेट से वारण्ट प्राप्त कर, पुलीस ने गत शनिवार को बड़े तड़के बालूरघाट के बाबू सुकुमारदास ग्रोवर, श्री० महीन्द्रनाथ सरकार, श्री० अनिल घोष तथा श्री० आधार सिनहा के मकानों की तलाशी ली। तलाशियाँ कई घण्टे तक होती रहीं, किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली।

—गत शनिवार को बड़े तड़के फ़रीदपुर पुलीस ने चौधरी मोहज़्ज़म हुसेन, डॉ० रासबिहारी सेन और बा० प्रफुल्लकुमार गुह, मजूमदार, भूतपूर्व मन्त्री, ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मकानों की तलाशियाँ लीं। कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली और न कोई गिरफ़्तारी हुई।

—पिछले दो वर्षों में उत्तर भारत में १७० नवयुवकों पर हिंसात्मक और क्रान्तिकारी मुक़दमे चलाए गए और ६० युवकों के विरुद्ध इस समय मुक़दमा चल रहा है। ११ युवक मुख़बिर बन गए, ४१ को फाँसी और लम्बी-लम्बी क़ैद की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और २० नवयुवक फ़रार हैं। इन अभियुक्तों में सिर्फ़ ५ मुसलमान हैं और बाक़ी हिन्दू और सिक्ख हैं, जिनमें हिन्दुओं की ही संख्या अधिक है।

क्रान्तिकारी नवयुवकों के सुधार का जो आन्दोलन राजा सर दलजीतसिंह की अध्यक्षता में शिमले में आरम्भ हुआ था, उस पर आरम्भिक विचार शिमले में हो चुका है। शेष कार्रवाई लाहौर में शीघ्र ही होगी।

—लक्खीसराय का समाचार है कि पोस्टऑफ़िस का एक चपरासी डाक का थैला लिए हुए स्टेशन जा रहा था। रास्ते में किसी ने आक्रमण करके उससे थैला छीन लिया और भाग गया।

—कलकत्ते में दुर्गा-पूजा के उत्सव में बड़ाबाज़ार सार्वजनिक दुर्गोत्सव की ओर से एक स्वदेशी प्रदर्शिनी सर पी० सी० रॉय की अध्यक्षता में खोली गई है।

—कलकत्ते में विलायती वस्त्रों की दूकानों पर महिलाओं की पिकेटिङ्ग जारी है। बड़ा बाज़ार तथा अन्य स्थानों में भी पिकेटिङ्ग हो रही है

—मेरठ-षड्यन्त्र के अभियुक्त श्री० कासले का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया है। अभी उनकी ज़मानत की अर्ज़ी पर सेशन्स जज ने विचार नहीं किया है। केदारनाथ सहगल, जो अभी हाल में ज़मानत पर छोड़े गए थे, बवासीर से पीड़ित हैं और बीमारी के अच्छे होने के चिन्ह दिखलाई नहीं पड़ते।

—अलीबाग़ (बम्बई) में श्री० हरिभाऊ जोशी पर राज-विद्रोह का अभियोग चलाया गया है।

—पुलिस ने काशी के भारत सेवा-मण्डल के शिक्षक श्री० रामानन्द के मकान की तलाशी ली थी। तीन पैकट, जिसमें कुछ मसाला, था, दो नैपाली बरछे, और दो ख़ाली कारतूस मिले बतलाए जाते हैं। श्री० रामानन्द जी गिरफ़्तार कर लिए गए थे, किन्तु बाद में ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

कलकत्ता की सशस्त्र डकैती का मामला

श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के लिए ज़मानत की अर्ज़ी

कलकत्ता, १२ अक्टूबर

स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने कलकत्ता की सशस्त्र डकैती का मामला पेश होने पर सरकारी वकील ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि डकैती के २७१) अभियुक्त कालीपद के पास पाए गए थे जिसने कि कहा जाता है, अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सरकारी वकील ने श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के सम्बन्ध में कहा कि २ अक्टूबर को सवेरे धीरेन ड्राइवर कालीपद को बुलाने के लिए भेजा गया था जो कि भवानीपुर में रहता था। धीरेन ने कालीपद से कहा कि ,रात को डाका डालना है, उसमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। कालीपद धीरेन के साथ हो लिया। निश्चय हुआ कि कालीपद जागूबाबू बाज़ार के सामने शाम को मिलेगा। कालीपद शाम को वहाँ गया। श्रीमती विमल प्रतिभा देवी भी मोटर पर मौजूद थीं। पेट्रोल ख़रीदने के बाद मोटर एम्पायर थिएटर के पास पहुँची। वहाँ कालीपद अपने किसी सम्बन्धी से मिलने के लिए उतर पड़ा। इसके बाद वह धीरेन और श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के साथ सेन्ट्रल एवेन्यू होता हुआ हार्डिञ्ज होस्टल के पास आया, जहाँ धीरेन के कुछ कहने पर मोटर धीमी कर दी गई। इसके बाद वे देशबन्धु पार्क में आए, जहाँ और लोग भी उनके साथ हो गए। महिला मोटर से उतर पड़ी और पद्मराज जैन के मकान में चली गई। धीरेन घटना-स्थल पर लोगों को पहुँचा आने और गाड़ी दिखला देने के बाद पद्मराज जैन के मकान से महिला को लेने के लिए आया। श्रीमती विमल प्रतिभा देवी घटनास्थल के कुछ दूर मोटर पर दूसरे लोगों की प्रतीक्षा करती रहीं। घटना के बाद डाकू उनके साथ हो गए और मोटर रवाना हो गई। परन्तु आगे चल कर सड़क बनने की रुकावटों के कारण रुक गई और लोग गिरफ़्तार कर लिए गए।

जलपान के बाद ट्रिब्यूनल के फिर बैठने पर अभियुक्त नरहरि सेन ने अपने बयान को बदल दिया। उसने कहा कि मेरा वह बयान सिखलाया हुआ था। श्रीमती विमल प्रतिभा देवी कठघरे में अपनी कुर्सी पर झुकी हुई बैठी थीं। ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेण्ट के कहने से आपको कठघरे से हटा कर अदालत के क्लर्क के सामने बैठने को कुर्सी दी गई।

सफ़ाई के वकील श्री० ए० सी० मुकर्जी ने श्रीमती विमल प्रतिभा देवी की ओर से ज़मानत पर छोड़ने के लिए अर्ज़ी पेश की। आपने कहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे बहुत उच्च कुल की स्त्री हैं। प्रेसिडेण्ट ने कहा कि अभियोग लगाने के समय इस पर विचार किया जाएगा; तब तक वे जेल से उसी दिन अदालत में लाई जाएँगी जिस दिन उनकी ज़रूरत होगी। सफ़ाई के वकील ने कहा कि अभियुक्त यह वचन देने को तैयार है कि ज़मानत पर छूटने पर वे अपने कमरे से बाहर न निकलेंगी। इसके अतिरिक्त उनके मकान पर पुलीस का पहरा नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी वकील ने ज़मानत का विरोध किया-आपने कहा कि श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के विरुद्ध बहुत ज़बरदस्त प्रमाण मौजूद हैं अस्वास्थ्य के सम्बन्ध में जेल के अस्पताल में प्रबन्ध किया जा सकता है। सफ़ाई के वकील के फिर प्रार्थना करने पर प्रेसिडेण्ट ने कहा कि कल अर्ज़ी पेश कीजिए।

इलाहाबाद स्वदेशी प्रदर्शिनी

आगामी ३ नवम्बर को स्वराज्य-भवन में होने वाली इलाहाबाद स्वदेशी प्रदर्शिनी की तैयारियाँ हो रही हैं। स्वराज्य-भवन के भीतर और बाहर सब मिला कर १७२ दुकानें लगेंगी। काश्मीर और डेराइस्माइल-ख़ाँ सदृश दूर-दूर के शहरों से दूकानदार अपनी चीज़ें लेकर आएंगे। प्रदर्शिनी की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कॉङ्ग्रेस अस्पताल को दिया जायगा।

—सिलचर (आसाम) का समाचार है कि एक मनीपुरी पुलीस कॉन्स्टेबिल ने कुछ समय पहले नरसिंह हाईस्कूल के एक विद्यार्थी को पीटा था। मुक़द्दमा चलने पर मैजिस्ट्रेट ने उस पर ५१) रु० जुर्माना किया।

नज़रबन्द की माता का आर्तनाद

घर बिकने पर दर-दर की भिखारिणी हो जाऊँगी

चटगाँव के श्री० उत्तरकुमार घर, जो हिजली कैम्प में नज़रबन्द हैं, उनकी वृद्धा माता श्री० जानकी बाला देवी ने समाचार-पत्रों में एक चिट्ठी प्रकाशित कराई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पुत्र श्री० उत्तरकुमार घर ने बङ्गाल-सरकार के पोलीटिकल सेक्रेटरी को लिखा था कि मुझ पर ५०० रु० का जो क़र्ज़ है वह अदा कर दिया जाय, किन्तु सरकार ने कोई ध्यान न दिया। अब क़र्ज़दार लोग मकान को, जिसमें मैं रहती हूँ, बिकवाने पर तैयार हैं। अगर मेरा मकान बिक गया तो मैं दर-दर की भिखारिणी बन जाऊँगी। मैं सरकार से पूछती हूँ कि क्या वह नैतिक रूप से इसे उचित समझती है कि वह एक निर्दोष विधवा के प्रति यह रुख़ अख़्त्यार करे? सरकार मुझे केवल १० रुपए मासिक जीवन व्यतीत करने के लिए देती है। क्या कोई स्त्री इतनी थोड़ी रक़म में अपना काम चला सकती है? न्याय और औचित्य के नाम पर सरकार से यह प्रश्न करती हूँ। जनता से मेरी अपील है कि वह सरकार पर यह दबाव डाले कि वह एक निर्धन परिवार के प्रति उचित व्यवहार करे। इस सङ्कट के समय में मैं और क्या कह सकती हूँ?

—कलकत्ते में बङ्गाल प्रान्तीय हिन्दू सभा के दफ़्तर की तलाशी श्रीमती विमल प्रतिभा की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में ली गई। सभा के दो टाइप-राइटरों पुलीस उठा ले गई और कहा गया कि श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के मामले की जाँच के लिए इन टाइप-राइटरों की ज़रूरत है। श्री० पद्मराज जैन के मकान की भी तलाशी इसी सम्बन्ध में ली गई।

—१२ अक्टूबर के दोपहर को ढाका के बड़े डाकख़ाने में एक सशस्त्र दल ने डाका डाला। वहाँ पहरे पर नियुक्त पुलिस वालों ने उन पर गोलियाँ चलाईं, पर निशाना चूक गया। डाकुओं ने भी गोली चलाई जिस से दो कॉन्स्टेबिल घायल हुए, इनमें से एक की दशा चिन्ताजनक है। दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, जिनके पास कहा जाता है, दो रिवॉल्वर और लूटा हुआ रुपया मिला। इस सम्बन्ध में कितने ही घरों की तलाशियाँ ली जा चुकी हैं। गॉडरिया में डॉ० बनेरा० राय और दीगा बाज़ार में श्री० शशाङ्ककुमार के घरों की भी तलाशी ली गई।

मुस्लिम 'प्रतिनिधियों' की पोल!

प्रयाग में श्री० शेरवानी का ज़ोरदार भाषण!

'गाँधी-सप्ताह' के आख़िरी दिन के उत्सव में खद्दर भण्डार से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और श्रीमती कमला नेहरू और बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व में शहर के मुख्य-मुख्य भागों से होता हुआ पुरुषोत्तमदास पार्क में पहुँचा, जहाँ वह सभा के रूप में परिणत हो गया। जुलूस में नगर के भिन्न-भिन्न मुहल्लों से १३ चौकियाँ शामिल हुई थीं, जिनमें शराब की पिकेटिङ्ग और बहिष्कार से लङ्काशायर की हालत का दृश्य दिखलाया गया था। अङ्गरेज़ी शासन से पहले और उसके बाद के भारत की दशा का भी दृश्य दिखलाया गया था। जुलूस में स्त्रियाँ भी काफ़ी संख्या में शामिल थीं।

श्री० शेरवानी के सभापतित्व में सभा हुई। आपने कहा कि महात्मा गाँधी के जीवन के दो मुख्य सिद्धान्त, सत्य और अहिंसा हैं। पहले सिद्धान्त का प्रयोग तो पहले भी अनेक उच्च आत्माओं ने किया है, परन्तु दूसरे सिद्धान्त के प्रयोग के साथ आपका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त का जैसा सार्वजनिक प्रयोग सन् १९३१ में हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ है। हमारे संग्राम ने संसार की सभ्यता में एक नई बात पैदा कर दी है। एक साल के अन्दर सम्पूर्ण आधुनिक विचारशील जगत का ध्यान इस देश की ओर खिंच गया है। संसार का यह सबसे बड़ा प्रयोग है।

गोलमेज़ के सम्बन्ध में आपने कहा कि कॉङ्ग्रेसमैन गोलमेज़ की मौजूदा बातों से ज़रा भी निराश नहीं हैं। उन्हें तो गोलमेज़ से कोई आशा ही नहीं रही। हम शुरू से जानते थे कि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वे कभी समझौता नहीं कर सकते। कुछ लोग गोलमेज़ भङ्ग करने के लिए ही गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश मुस्लिम प्रतिनिधि किसी के भी प्रतिनिधि नहीं हैं।

मैं सर मुहम्मद शफ़ी से पूछता हूँ कि मुस्लिम लीग, ख़िलाफ़त कमिटी और अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स के कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य अपना वार्षिक चन्दा अदा कर चुके हैं? मैं कह सकता हूँ कि कॉङ्ग्रेस के मुस्लिम सदस्य इन संस्थाओं के सदस्यों से हज़ार गुना ज़्यादा हैं। केवल राष्ट्रीय मुस्लिम दल की देश भर में ८० शाखाएँ हैं। मि० शफ़ी और मि० जिन्ना अपनी कही हुई बातों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। पृथक निर्वाचन को आप लोग मुसलमानों के लिए ज़हर बतला चुके हैं। आपने कहा कि राष्ट्रीय मुस्लिम दल की स्कीम ही समस्या का हल कर सकती है। मैं इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे जातिवालों को किस सफलता के साथ खेल का पाँसा बनाया है।

इसके बाद बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन और मौ० शाहिद के भाषण हुए।



१९ अक्टूबर, सन् १९३१

अभी दिल्ली दूर है

भारत के भाग्य का निर्णय करने को नियुक्त की गई लन्दन की राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में अनेक लोगों को जो आशङ्का थी, वह दिन पर दिन सत्य सिद्ध होती जा रही है। उसमें होने वाले वाद-विवाद के फल-स्वरूप भारत की राजनीतिक समस्या सुलझने के बदले दिन पर दिन पेचीदी और मुश्किल बनती जा रही है। साम्प्रदायिक समझौते की चेष्टा के असफल होने से कॉन्फ्रेन्स के रास्ते में ऐसा रोड़ा अटक गया है कि उसका आगे बढ़ सकना ही नामुमकिन है। यद्यपि अभी कॉन्फ्रेन्स की कार्रवाई जारी है और ऐसे विषयों पर विचार किया जा रहा है, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध नहीं; पर जनता समझ रही है कि कॉन्फ्रेन्स ख़त्म हो गई और अब जो कुछ हो रहा है, वह अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए है।

इसका नतीजा यह हुआ है, कि भारत की राजनीतिक समस्या पहले से कहीं ज़्यादा भयजनक हो गई है। सर तेजबहादुर सप्रू जैसे कॉन्फ्रेन्स के भक्त ने भी अपने भाषण में बार-बार कहा है कि साम्प्रदायिक समझौते के असफल होने का नतीजा भारत में ऐसा भयङ्कर सिद्ध होगा कि उसको ज़बान पर भी लाना गुनाह है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके कारण कैसे भीषण दृश्य देखने में आएँगे।

भारतीय कॉङ्ग्रेस के नेता भी इस बात को भली भाँति समझ गए हैं, और सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री० राजेन्द्रप्रसाद आदि ने स्पष्ट शब्दों में जनता को सत्याग्रह-संग्राम की तैयारी करने का आदेश दे दिया है। प्रेज़िडेण्ट पटेल तो लन्दन में बैठे हुए नित्य-प्रति महात्मा गाँधी को सबसे पहले जहाज़ से भारत लौट जाने की सलाह देते रहते हैं। उन्होंने साफ़ कह दिया है कि गोलमेज़ परिषद इङ्गलैण्ड के हित के लिए की गई है, भारत के हित के लिए नहीं।

भारत सरकार भी इस परिस्थिति की वास्तविकता से अनजान नहीं है। जहाँ भारतीय नेता शब्दों द्वारा मन के ग़ुबार को निकाल रहे हैं, वह कार्य-रूप से भावी आन्दोलन का मुक़ाबला करने के लिए तैयारी कर रही है। नया प्रेस-ऐक्ट उसका एक बहुत प्रभावशाली अस्त्र है। आर्थिक दृष्टि से यद्यपि भारत खोखला हो चुका है, तो भी वह उसे अधिकाधिक पङ्गु और आश्रित बनाने की चेष्टा कर रही है, जिससे भारतवासी ब्रिटिश माल का बॉयकॉट करने में कामयाब न हों। साथ ही वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्र-सम्पादकों तथा लेखकों पर इतने ज़ोरों से दमन कर रही है, जितना आन्दोलन के ज़माने में भी देखने में न आया था।

अब यह सवाल है कि अगर स्वराज्य आन्दोलन ने फिर से सर उठाया तो नतीजा क्या होगा? भारतीय नेता कह रहे हैं कि चाहे हमको कैसा भी भयङ्कर बलिदान क्यों न करना पड़े, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। महात्मा गाँधी 'भारतवासियों के ख़ून की गङ्गा बहाने को' उद्यत हैं। पर हमको जान पड़ता है कि इस बार सरकार का पक्ष पहले से अधिक मज़बूत हो गया है। सरकार को तीन बड़े साथी मिल गए हैं। जो ये हैं—(१) मुसलमान, (२) देशी रियासतें, और (३) अछूत।

मौ० शौकतअली साफ़ कह चुके हैं कि अगर सरकार मुसलमानों को सन्तुष्ट कर दे तो वे हर हालत में उसका साथ देंगे। वे यह भी कह चुके हैं कि चाहे गाँधी जी रहें या लौट जाएँ, हम गोलमेज़ परिषद का कार्य जारी रक्खेंगे। डॉ० अम्बेडकर कहते हैं कि गाँधी जी अछूतों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते और अछूतों का हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। देशी रियासतों का तो आदर्श ही ब्रिटिश सिंहासन के प्रति वफ़ादार बने रहना है, और सर अकबर हैदरी के उद्गारों से प्रकट होता है कि सबसे आगे देशी रियासतें ब्रिटिश भारत के स्वाधीनता-संग्राम पर अच्छी तरह से विरोध करेंगी।

राष्ट्रीय दल के अधिकांश लोगों के ख़्याल से ये बातें कोरी बकवाद हैं। वे कहते हैं कि पिछले वर्ष आन्दोलन के समय भी ये सब लोग सरकार के साथ थे, और हमारे कार्य में बाधा नहीं डाल सके। पर यह ख़्याल ग़लत है। पिछली बार ये कॉङ्ग्रेस का सङ्गठित रूप से विरोध नहीं कर सके थे। दूसरी तरफ़ कॉङ्ग्रेस के स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ताओं का सङ्गठन काफ़ी मज़बूत था, और इसलिए विरोधी लोग उससे पार न पा सके। अब गोलमेज़ परिषद में सरकार उनको नए अधिकार और सब प्रकार के साधन देकर राष्ट्रीय आन्दोलन का मुक़ाबला करने भेजेगी। पञ्जाब में मुसलमानों की अहरार पार्टी ठीक कॉङ्ग्रेस वालों की तरह ही सत्याग्रह और पिकेटिङ्ग कर रही है। यू० पी० में भी एक 'ख़लील-दल' की स्थापना हुई है। और भी ऐसे कितने ही सङ्गठन शीघ्र बन सकते हैं। अछूतों की आदि-हिन्दू सभा अभी बहुत ज़ोरदार नहीं है, पर कौन कह सकता है कि डॉ० अम्बेडकर और उनके मित्र सरकारी सहायता पाकर अछूतों का कोई मज़बूत सङ्गठन न बना डालेंगे? कलकत्ते के अङ्गरेज़ नवयुवक भी 'राजभक्त दल' (रॉयलिस्ट) के नाम से अपना सङ्गठन कर रहे हैं, ताकि वे ब्रिटिश सरकार के विरोधियों का दमन कर सकें।

इन सब बातों को देख कर मालूम पड़ रहा है कि जो लोग महात्मा गाँधी के सरकार से समझौता करके स्वराज्य आन्दोलन को बन्द करने का विरोध करते थे, वे परिस्थिति को ठीक समझ रहे थे। साथ ही जो लोग महात्मा जी की लन्दन-यात्रा का विरोध करते थे, वे भी मूर्ख न थे। कुछ लोग ख़्याल करते थे कि महात्मा जी के लन्दन जाने से भारत की माँगों की चर्चा संसार भर में होने लगेगी और बड़े-बड़े राष्ट्रों की सम्मति हमारे पक्ष में हो जायगी; पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हम लोगों से अधिक चालाक और कूटनीति के ज्ञाता हैं। उन्होंने गोलमेज़ परिषद द्वारा संसार को समझा दिया कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में घोर फूट है और कॉङ्ग्रेस उसे मिटा सकने में असमर्थ है। इसलिए भारतवासी स्वराज्य के अयोग्य हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के शत्रुओं को कॉङ्ग्रेस का पहले से कहीं अधिक विरोधी बना दिया।

इस प्रकार अब राष्ट्रीय दल वालों का कार्य बहुत कठिन हो गया है और सफलता की आशा पिछली बार की अपेक्षा भी कम हो गई है। यह सम्भव है कि आशा के भङ्ग हो जाने से राष्ट्रीय दल रोष से भर जाय और स्वाधीनता के लिए प्राणों का बलिदान करने को तैयार हो जाय, पर मुसलमानों, अछूतों और देशी रियासतों के सहयोग से सरकार उसके मार्ग में ज़बर्दस्त बाधा पैदा कर देगी और यह भविष्यवाणी कर सकना आसान नहीं है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा?

❀ ❀ ❀

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न

हम देख रहे हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न दिनोंदिन जटिल होता जा रहा है। यद्यपि बीच-बीच में कोई-कोई मनमोहक समाचार आकर आशा का सञ्चार करते रहते हैं; पर वास्तव में समझौते की कोई आशा नज़र नहीं आती।

मुसलमान सदस्य अपनी १४ बातों पर अटल होकर बैठे हैं, सिक्ख और देशी नरेश भी अपना पैर पीछे हटाना नहीं चाहते। ऐसी दशा में अल्पसंख्यक समुदायों और नरेशों के प्रश्न की मीमांसा असम्भव सी हो रही है। किन्तु मुसलमानों का प्रश्न अधिक बाधक है, अगर मुसलमान एक साथ मिल कर काम नहीं करते, तो हिन्दू समुदाय किसी प्रकार भी आँख बन्द करके आत्म-समर्पण को तैयार नहीं है। श्री० जयकर ने स्पष्ट ही कह दिया है कि जब मुसलमान लोगों की माँग युक्ति-युक्त नहीं है, तो मामला पञ्चायत को चाहे अब सौंप दिया जाय, चाहे सङ्घ-शासन-विधान में बाद में पञ्चायत द्वारा तय कराने का अधिकार रख दिया जाय अथवा सरकार स्वयं इसका निश्चय कर दे। यदि सरकार निर्णय करना अस्वीकार कर दे और मुसलमान पञ्चायत की दोनों विधियों को अस्वीकार कर दें, तो गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का टूट जाना ही वाञ्छनीय है।

हम समझते हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ही टूटेगी, क्योंकि मुसलमान लोग बिना पहले अपना प्रश्न तय किए हुए कॉन्फ्रेन्स का काम आगे चलने में बाधा देने को प्रस्तुत हो रहे हैं; यही कारण है कि महात्मा जी भी कॉन्फ्रेन्स से खीज उठे हैं।

महात्मा जी के ढकताने के और भी कारण हैं, जैसे सरकार का अभिप्राय अभी स्पष्ट न होना, कि वह क्या करना चाहता है, दूसरे पार्लामेण्ट का साधारण चुनाव शीघ्र होने के कारण गोलमेज़ का काम टलना, तीसरे अङ्गरेज़ मेम्बरों की मनोवृत्ति, किन्तु सब से बड़ा कारण हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न ही जान पड़ता है।

कैन्द्रिक शासन के सम्बन्ध में प्रथम तो मुसलमान सदस्य अपनी सारी माँगों के तय होने के पहले कोई बात उठाने ही नहीं देते, न वह डॉक्टर अन्सारी के निमन्त्रण के पक्ष में हैं, क्योंकि वह डरते हैं कि डॉक्टर अन्सारी के आने से मुसलमानों में दो दल हो

जायँगे दूसरे केन्द्रिक व्यवस्थापिका परिषद के सदस्यों की संख्या में कितने किस वर्ग के होंगे, इसका प्रश्न हास्यजनक हो उठा है। देशी नरेश अपने पक्ष के ४० सदस्य चाहते हैं, मुसलमान लोग ३३ सदस्यों की माँग खड़ी करते हैं, दलितों और सिक्खों को भी अवश्य ही कुछ जगह देनी पड़ेगी। इस तरह अगर सौ में ३३ मुसलमानों के, ४० नरेशों के, १५ अन्य अल्पसंख्यकों के सदस्य हों तो ८८ सदस्य बँट जाते हैं। बाक़ी २० करोड़ हिन्दुओं के लिए १२ जगहें बचती हैं, जो प्रत्यक्ष ही न्यायसङ्गत नहीं कही जा सकतीं। इस परिस्थिति को हिन्दू कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

हम राष्ट्रपति सरदार पटेल की इस बात से कि देश को भीषण शान्तिशील समर के वास्ते तैयार रहना चाहिए और महात्मा गाँधी के इस कहने से भी, कि भारतवासी स्वतन्त्रता के लिए अपने ख़ून की गङ्गा बहा देंगे, यही अनुमान करते हैं कि सङ्घ-योजना-उपसमिति की सम्भवतः अन्त्येष्टि बहुत समीप है।

लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है, कि क्या इस बार इस लड़ाई में मुसलमान, सिक्ख और दलित कहलाने वाले भाई भाग लेंगे या केवल २० करोड़ हिन्दुओं को ही सत्याग्रह संग्राम को चलाना पड़ेगा? इस प्रश्न से हमारा यह मतलब नहीं है कि २० करोड़ हिन्दू सत्याग्रह संग्राम चलाने में अयोग्य सिद्ध होंगे, हमारा मतलब यही है कि सत्याग्रह संग्राम में विजयी होने पर, फिर यही देशी मुसलमान नेता, जो अखिल विश्व-मुस्लिम-सङ्घ का स्वप्न देख रहे हैं, क्या बाधक न होंगे?

इस बार सत्याग्रह संग्राम की कृतकार्यता और उसके बाद के उचित शासन-सङ्गठन बन सकने के लिए हमारे राष्ट्रीय दल के मुसलमानों को अभी से जी-जान से कोशिश करनी चाहिए। अगर यह लोग देश की मुसलमान जनता को सङ्कुचित और ग़लत विचार वाले नेताओं के पञ्जे से छुड़ा कर, उसे वास्तविक परिस्थिति के समझाने में कृतकार्य हुए, तो हमें अपनी विजय का मधुर फल खाने को निश्चय मिल सकता है—अन्यथा परिस्थिति आज की अपेक्षा कहीं अधिक भीषण हो जायगी

❀ ❀ ❀

मनुष्यता का लोप

उस समय मनुष्य की बर्बरता की पराकाष्ठा हो जाती है, जब वह स्वार्थान्ध होकर ज्ञान से नाता तोड़ लेता है और पशुता पर उतर आता है। हम नित्य ही देखते हैं, बानरी, कड़ी धूप में जब धरती जलती है, अपने बच्चे को नीचे रख कर उस पर बैठ जाती है, सर्पिणी, कुतिया और बिल्ली प्रभृति जीव भूख की ज्वाला में अपने नवजात अण्डे-बच्चों को उदर-दरी में धर लेता है! पशु भूख में दूसरे का चारा छीन कर खा लेता है, लेकिन वह मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ है, जो भूखा नहीं है; किन्तु दूसरे के मुँह का टुकड़ा, इसलिए छीनता है कि उससे सुन्दरतर भोजन अपने लिए प्रस्तुत कर सके अथवा उसे सञ्चित रख कर भावी भोग-विलास के पदार्थों की प्राप्ति के लिए निश्चिन्त हो बैठे!!

जब एक जाति दूसरी जाति पर अस्त्र-शस्त्र लेकर आक्रमण करती है और उसका धन, धरा-धाम छीन कर उसे अपना ग़ुलाम बनाती है, तो उसमें सिवा आक्रमणकारी के मानसिक और भौतिक पतन के कोई मानवी महत्ता की बात नहीं होती। जो जातियाँ अकारण किसी जाति का रक्तपात करके उस पर अपना धर्म, अपनी सभ्यता और अपना प्रभुत्व लादती हैं और फिर अपने विजेता होने का अभिमान करती हैं, वह इस बात को व्यवहार द्वारा सिद्ध करती हैं कि अभी तक सारे विज्ञान, कला, कौशल आदि की उन्नति कर लेने पर भी मनुष्य जङ्गली कुत्ते से अधिक अच्छा नहीं है!

हम देख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा समुदाय भी है, जो अपनी सभ्यता, विद्वत्ता, चतुरता तथा अभिमान के बोझ से दब कर मरा जाता है, किन्तु फिर भी रात-दिन वह इसी चिन्ता में रहता है कि जहाँ तक हो, निर्बल का रक्तपान किया जाय। और कहाँ तक कहें, यह समुदाय, काश्मीर, चटगाँव, हिजली इत्यादि स्थानों की अमानुषिक घटनाओं को देख कर दुखी होने के बदले अपने अन्तस्तल में सुख अनुभव करता है। इसी प्रकार एक ऐसा समुदाय है, जो लूटना, मारना, काटना और नाना प्रकार की गुण्डागिरी को अपना धर्म समझता है। ऐसे लोगों को सभ्य मनुष्य कहना और समझना सभ्यता और मनुष्यता का उपहास करना मात्र नहीं, तो और क्या है?

ऐसी विपरीत बुद्धि और कुटिल नीति के लोगों का यह नियम है कि वह अपनी नीचता के लिए अहमित हों और दूसरे को उन्हीं नीच कर्मों के लिए बुरा कहें—लाञ्छित और अपमानित करने का उद्योग करें!

भारत की जल-वायु में पल कर लाल होने वाले अधिकांश अङ्गरेज़ों और उनके सम्वाद-पत्रों में भी हम इसी दुर्बुद्धि और पतित मनोवृत्ति का समावेश पाते हैं। ये लोग क्लाइव, हेस्टिंग्स वग़ैरह पुराने और डायर, ओडायर प्रभृति नए दुष्कृति-प्रेमी और पापियों को अभिमान की दृष्टि से देखते हैं; लेकिन भारतवासी अगर अपने देश के उपकृक्त दुष्कृत्यों से कम घृणित काम करने वालों की उसी दृष्टि से प्रशंसा करते हैं, जिससे वह करते हैं, तो वह राज-विद्रोही समझे जाते हैं!!

जब कभी कलकत्ते के बाहर किसी क्रान्तिकारी ने किसी अङ्गरेज़ या हिन्दुस्तानी की हत्या की है या हत्या करने की चेष्टा की है, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन ने उस कृत्य की निन्दा की। इस प्रकार की निन्दा में गोरे, काले दोनों शामिल रहे। लेकिन आज कलकत्ते के समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है, कि हिजली और चटगाँव की पैशाचिक लीला की कॉरपोरेशन निन्दा करने उठता है तो उसके विरोध के लिए साधारण गोरे ही नहीं, किन्तु ईसाई-धर्म के ज्ञाता तथा 'स्टेट्समैन' वाले भारत-विख्यात महापुरुष (?) सर आर्थर मूर, मि० विलिअर्स और मिस्टर चैपमैन मोर्टीमर वग़ैरह खड्ग-हस्त हो जाते हैं!!

अमानुषिक काम अमानुषिक ही है; अतः हेय और निन्दनीय है, चाहे उसका करने वाला गोरा हो या काला; पीला हो या लाल; हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई। यदि सभ्यता की स्थापना का अर्थ है मनुष्यता की स्थापना तो मनुष्य मात्र के प्राणों को, पुत्र-कलत्र को और मान-मर्यादा को समान दृष्टि से देखना होगा। सत्य को सिंहासनासीन करके स्वाधीनता और दुर्वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब विद्वान लोग, जन-पद के मत को बनाने और ठीक करने वाले सम्पादकगण, जनता के अग्रगण्य लोग ही इतने पतित हो जाएँगे, कि बर्बरता और पाशविकता का समर्थन करने लगेंगे तो दूसरे लोग भी उनका अवश्य ही अनुकरण करेंगे। न्याय, नीति, समता और स्वतन्त्रता का नाम मिट जायगा और बर्बरता पराकाष्ठा को पहुँच जायगी!!

❀ ❀ ❀

हमारी देशी रियासतें

हमारी अधिकांश देशी रियासतों में होने वाले अमानुषिक अत्याचारों की कहानी इतनी दारुण है; जिसकी कल्पना भी ब्रिटिश-इण्डिया में रहने वाले नहीं कर सकते। और ऐसा होने का कारण भी स्पष्ट है। हमारे देशी नामधारी राजाओं और नवाबों को कभी इतनी फ़ुर्सत ही नहीं मिलती, कि राज के काम को अपनी आँखों से देखें, अपनी प्रजा के दुख-सुख के हाल का स्वयम् अनुभव करें। जो अपनी प्रजा के दुख-सुख का हाल सीधा जाकर देखना नहीं चाहता, वह उनके दुखों के दूर करने का भला क्या प्रबन्ध करेगा?

रियासत का स्वामी हिन्दू हो या मुसलमान, जो रुपया रियाया से लेता है, वह उसे अपनी निज की सम्पत्ति समझता है। अपने भोग-विलास में ख़र्च करने के बाद जो बचता है, उसमें से थोड़ा रुपया दुनिया के दिखलावे के लिए रियाया के काम में लगाता है, बाक़ी अपने उन महाप्रभुओं की प्रसन्नता के लिए समर्पण कर देता है, जिनके प्रसाद से उसे प्रजा के धन से मौज उड़ाने का मौक़ा मिलता है।

जो राजा लोग विलायत जाते हैं, वह पेरिस और इङ्गलैण्ड के होटलों, बाज़ारों और महलों में जितनी रक़में उड़ा देते हैं, उनका हिसाब ब्योरेवार लिखा जाय तो मालूम होगा कि कितना रुपया ख़र्च हुआ और किस-किस काम में ख़र्च हुआ। हमें विश्वास है कि ब्योरा देखने से लज्जा को भी लज्जा से अपना सर नीचा कर लेना पड़ेगा। हम राजा लोगों की बातों को जानते हैं, लेकिन क़ानून हमें अनुमति नहीं देता कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से लिख कर हम अपने मनोभावों को स्वतन्त्रतापूर्वक पाठकों के सामने उपस्थित कर सकें। अस्तु।

मुसलमान रियासतों में एक बड़ी भारी बात यह है कि वहाँ के मुसलमान रईस, अमीर और धनवान हिन्दुओं को अधिक सताते हैं और हिन्दुओं को, फ़र्याद करने पर प्रायः उन्हें न्याय नहीं मिलता। हिन्दू-प्रजा को मुसलमान बनाने की सीमातीत चेष्टा की जाती है। प्रायः देखा जाता है कि रियासत के स्वामी इतने बुरे नहीं होते, जितने दूसरे अफ़सर और साधारण कर्मचारी होते हैं।

रियासतों में शिक्षा का नाम तक देखने में नहीं आता। केवल राजधानी में दिखलाने के वास्ते कुछ शिक्षा का प्रबन्ध देखा जाता है। बीमारों के लिए दवा का प्रबन्ध राज्य की ओर से, शिक्षा से भी कम देखा जाता है। देहातों में अदालतें ऐसे न्यायाधीशों के हाथ में होती हैं कि जो न्याय को नीलाम करते हैं। कई छोटी रियासतों में स्वयम् राजा को भी रुपयों की ज़रूरत इसी तरह पूरी करनी पड़ती है।

बहुतों का ख़्याल है कि अङ्गरेज़ ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा राज्य का प्रबन्ध अच्छा होता है; लेकिन यह नितान्त भ्रम और भूल है। भरतपुर की प्रजा अङ्गरेज़ प्रबन्ध-कर्ता के होते हुए भी पहले की ही तरह असन्तुष्ट है। रियासतें प्रायः कर वसूल करने और अपनी हुकूमत की शान जमाने में ब्रिटिश भारत का अनुकरण करती हैं, लेकिन और बातों में ब्रिटिश भारत से भी गई बीती हैं। किसी भी रियासत में स्वतन्त्र मत देने वाला सम्वाद-पत्र नहीं पाया जाता। कोई आदमी राजनीति पर व्याख्यान नहीं दे सकता। राजा के सम्बन्ध में रियासत के अन्दर बैठ कर कुछ कहना या लिखना तो बहुत दूर की बात है। राजाओं की रक्षा के लिए जब से अङ्गरेज़ी सरकार ने क़ानून बना दिया है, तब से ब्रिटिश भारत के सम्वाद-पत्रों और वक्ताओं की लेखनी और जिह्वा रियासतों के सम्बन्ध में लिखने और कहने की बहुत कम हिम्मत करती हैं।

बड़े भारी साम्राज्य के भीतर माण्डलिकों का होना जनता के लिए हितकारी नहीं होता। महात्मा मटजीनी का भी यही मत है, अनुभव भी यही कहता है। लेकिन रियासतों के दोषों को मिटाने पर वहाँ की प्रजा

कटिबद्ध हो जाए, तो शक्तिशील सत्याग्रह के द्वारा अपना सुधार कर सकती है।

इस सम्बन्ध में सब से मज़ेदार बात तो यह है कि यही रियासतें भारत के भावी शासन-विधान में ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व का कोलाहल कर रही हैं, ताकि उनकी केल-लीला में किसी प्रकार का 'अनुचित' हस्त-क्षेप न हो सके और हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे राजा-महाराजाओं की यह आशा पूर्णतः सफल भी होगी—आमीन !

* * *

विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की आवश्यकता

पहले कपड़े और सूत आदि की मिलें ब्रिटेन में ही थीं। वहाँ का माल सब जगह जाकर खपता था और उसे बड़ा नफ़ा होता था। धीरे-धीरे अमेरिका, जर्मनी, जापान में कारख़ानों की बहुतायत हो गई। यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी मज़दूरी सस्ती होने या जल-वायु की सुविधा के कारण थोड़े-बहुत कारख़ाने खुल गए। उन्नति की दौड़ में सब से पीछे पड़े हुए भारत में भी हम देखते हैं कि कपड़े, सूत, जूट के अनेक भारी-भारी कारख़ाने मौजूद हैं।

इन कारख़ानों में, चाहे वे भारत में हों या और कहीं, माल की खपत का हिसाब करके माल नहीं तैयार किया जाता। जो माल मँगा कर बेचने वाले लोग हैं, वह भी अन्दाज़ से ही माल मँगाते हैं, कोई खपत का लेखा ऐसा नहीं रखते, जिससे फ़ालतू स्टॉक जमा न हो। इस तरह अब अनेक देशों में बेहिसाब माल तैयार होने लगा, तो उस सब माल के लिए पूरे ख़रीदारों का मिलना कठिन हो गया।

जिस भारत में पहले केवल ब्रिटेन का सारा माल खपता था, आज वहाँ जर्मनी, अमेरिका, इटली, तथा जापान का भी बहुत सा माल आने लगा है। भारत में जो माल तैयार होने लगा है, वह अलग ! इस दशा में ब्रिटेन के माल की खपत कम होने से ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचनी स्वाभाविक है। इसी प्रकार दूसरे देश भी, जो बहुत तादाद में माल पैदा करते हैं, उनको भी अपने माल के खपाने में कठिनाई पड़ती है। माल का स्टॉक बड़े-बड़े कारख़ानों से लेकर बाज़ार के छोटे से छोटे खुदरा दूकानदार तक के पास जब इकट्ठा हो जाता है, तब रुपए की ख़ुश्की व्यापती है। इङ्गलैण्ड का माल पहले की अपेक्षा भारत और चीन में बहुत कम बिकने लगा, इधर भारत और मिश्र आदि दूसरे स्थानों में इङ्गलैण्ड के प्रति अनेक राजनैतिक कारणों से जनता की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इन देशों में जो ग्रेट-ब्रिटेन का माल बिकता था, उसमें भी कमी आ गई। अनेक भौतिक और शासन-सम्बन्धी कारणों से भारत के जनता की ख़रीदने वाली शक्ति का ह्रास हो गया, यहाँ तक कि पूरा-पूरा सरकारी कर चुकाने में भी वह असमर्थ हो गई। इसलिए ग्रेट-ब्रिटेन की ओर भारत की सरकार पर रुपए की ख़ुश्की का बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब हमें कोई ऐसा प्रयत्न नज़र नहीं आता जिससे ग्रेट-ब्रिटेन अपनी पहले वाली स्थिति पर पहुँच सके। यही बात दूसरी बड़ी-बड़ी ऐसी शक्तियों की है, जिनमें नाना प्रकार के पदार्थ पैदा किए और बनाए जाते हैं। इस तरह पर सभी देशों में ग़रीबी की लहर अपना रङ्ग दिखला रही है।

उद्योग-धन्धों में, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान आदि अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं। इनमें अपना-अपना माल देश के बाहर भेज कर बेचने की तीव्र लाग-डाट चल रही है, इनमें से हर एक अपने माल तैयार करने के कारख़ानों में अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी दौलत लगा कर ऐसा माल तैयार करने की चिन्ता में निरत रहता है और चाहा करता है कि हमारा ही माल दूसरे बाज़ारों में जाकर बिके और नफ़े में सबसे अधिक सोने की थैलियाँ हमारे ही देश में बाहर से आवें !

ऐसी परिस्थिति में अगर भारतवासी ज़रा भी ढीले पड़े, तो भारत का सारा बाज़ार सस्ते विदेशी माल से भर जायगा और रही-सही थोड़ी सी कारीगरी भी मारी जायगी, खादी के प्रचार से जो थोड़ा सा काम करने को ग़रीबों को मौक़ा मिला है, समूल नष्ट हो जायगा। मौलाना शौकतअली और उनके ३-४ साथी मुसलमान चाहते हैं कि उनका लाभ हो, चाहे भारत में रहने वाले ७ करोड़ ग़रीब मुसलमान, जिनमें जुलाहे तथा दरी-क़ालीन वग़ैरह बनाने वाले और खेती करने वालों की तादाद १०० में ६४ से ज़्यादा है, भूखे मर जाएँ।

उचित यह है कि भारतवासी कारख़ाने वाले माल को कम नफ़े पर बेचें मज़दूरों को बारी बारी से बदल कर और अधिक मैशीन लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार करें। साथ ही, हाथ से काम करने वाले कारीगरों को श्रमशीलता से काम लेना चाहिए, और देश के रहने वालों को देशी माल के व्यवहार करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

अगर हम लोग इस कठिन समय में देश को न सँभाल सके तो फिर हमारे सँभलने की आशा बहुत कम हो जायगी। जो लोग विलायती माल ख़रीदने और बेचने में ही बहिश्त का दरवाज़ा देखते हैं, उनको तो समझाना कठिन है, लेकिन जो समझते हैं कि बग़ैर रोटी खाए नमाज़ रोज़ा, भजन-पूजा असम्भव है, उन्हें तुरन्त सँभल जाना चाहिए। इस सम्पत्तिक उथल-पुथल के समय ऐसा न हो कि स्वार्थी लोग हमें धर्म के नाम पर या और तरह पर बहका कर आगे के लिए किसी काम का न रक्खें !

* * *

अखिल बङ्गाल छात्र-सम्मेलन

समस्त बङ्गाल के मुसलमान छात्रों के सम्मेलन में स्वागत-समिति के सभापति श्री० हबीबुल रहमान साहब ने जो शिक्षा छात्रों को दी है, उससे प्रकट होता है कि समझदार और निःस्वार्थ देशप्रेमी मुसलमानों में राष्ट्रीयता का भाव पूर्णरूप से जागृत हो उठा

आपने कहा कि "आप लोग बङ्गाली हैं, और आपकी मातृभाषा बङ्गला है। आपका अरब या टर्की की ओर आँख लगा कर बैठना या अपनी मातृभाषा उर्दू बनाने का परिश्रम करना आपको कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता। मकतबों और मदरसों में साम्प्रदायिकता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करने से मुसलमान विद्यार्थियों का जो अनिष्ट होता है, वह अमङ्गल का ही हेतु है।" राजशाही कॉलेज के प्रोफ़ेसर अबू हिना साहब ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया।

क्या ही अच्छा होता, यदि इसी प्रकार के देश-प्रेम का पवित्र स्रोत भारत के बच्चे-बच्चे के हृदय में उबल पड़ता और साम्प्रदायिकता-जनित भेदभाव का मुँह काला होता ! समय है कि हमारे देशवासी धार्मिक भेदभाव डालने वाले स्वार्थियों को, हिन्दू हों या मुसलमान, पहचान कर चलने लगें। समय चूकने पर हमें अपनी मूर्खता के लिए बहुत पछताना पड़ेगा।

* * *

मौलाना शौकतअली कुछ दूसरे इराक़ के मुल्लाओं से मिल कर कुदुस या दमिश्क में फिर से ख़िलाफ़त स्थापित करने की कोशिश में हैं। हाल में आप फ़्रान्स जाकर टर्की के भूतपूर्व ख़लीफ़ा अब्दुल मजीद से बात करके आए हैं।

पदच्युत ख़लीफ़ा के ख़र्च के लिए ३०० पौण्ड मासिक निज़ाम हैदराबाद से और १०० पौण्ड मासिक नवाब-भूपाल से मिलता है। हम समझते हैं कि सर आग़ा ख़ाँ भी ज़रूर कुछ मदद करते होंगे। लेकिन भारत के कम्बख़्त मुसलमान, जो बङ्गाल में बाढ़ के कारण भूखों मर रहे हैं, उन्हें कोई एक शम्बी भी नहीं देता। इस्लामी उख़ुवत और तबलीग़ तो इस बेवफ़ाई के ख़िलाफ़ है।

* * *

दुबे जी की चिट्ठी

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

"ब्रिटिश सरकार का यह क़ानून है कि करे चाहे जो, परन्तु दोष उन्हीं का समझा जायगा, जिनकी संख्या अधिक हो।"

"यह अच्छा क़ानून है। ख़ैर, आगे चलिए।"

"सो जनाब, जब हिन्दू लोग स्वराज्य के अयोग्य समझे जाएँगे, तो वही स्वराज्य मुसलमानों को सौंप दिया जायगा।"

"मुसलमानों को कैसे सौंप दिया जायगा, वह भी क्या कोई चरस की पुड़िया है, जो दे दी जायगी कि जाओ पी डालो।"

"वह इस तरह कि स्वराज्य में जो सुविधाएँ मिलेंगी वे केवल मुसलमानों को मिलेंगी—हिन्दुओं को नहीं। मौलाना शौकतअली हिन्दुस्तान के वायसराय बनाए जाएँगे। मुसलमानों को बड़े-बड़े पद तथा नौकरियाँ मिलेंगी। उन्हें हथियार बाँधने की स्वतन्त्रता रहेगी। उन पर कोई टैक्स न होगा। जितनी भूमि है वह हिन्दुओं से छीन कर मुसलमानों को दे दी जायगी।"

"अजी बस रहने दीजिए। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन भारत में प्रलय-काल हो जायगा—दिल्लगी थोड़ा ही है। एक नहीं, बावन शौकतअली हों तो क्या परवा है।"

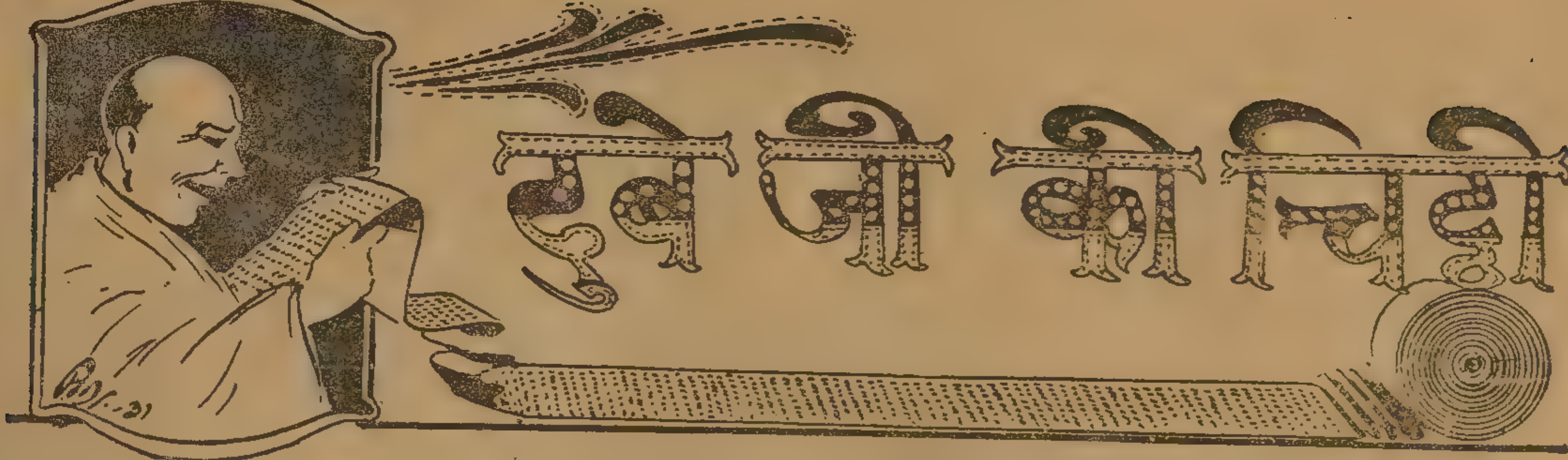
मैंने कहा—बस ऐसी ही हिम्मत रक्खो तो सब ठीक हो जायगा।

"हिम्मत का आनन्द देखिएगा, ज़रा गोलमेज़ पूरी तरह से असफल हो जाने दीजिए। देखिएगा कैसे ज़ोरों से सत्याग्रह छिड़ता है।"

"अच्छी बात है, यदि गोलमेज़ असफल होने में कुछ क़सर रह गई, तो तुम विलायत चले जाना और पूरी तरह से असफल कर आना—क्यों, है न ठीक ?"

"अजी क्या ठीक है, लेकिन मामला बेढब है, भगवान ही मालिक है। ख़ैर जो पड़ेगी उसे भुगतेंगे।" इतना कह कर वह चले गए। भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

अपने राम से बहुधा लोग पूछा करते हैं कि गोलमेज़-सभा में क्या हो रहा है ? अपने राम उन्हें क्या उत्तर दें ? कुछ हो रहा हो तो बतावें। वहाँ तो जो कुछ हो रहा है उससे यदि कुछ न होता तो अच्छा था। भला बताइए तो सही, ये हिन्दुस्तानी स्वराज्य के योग्य हैं ? ज़रा सी बात का फ़ैसला नहीं कर सकते। अङ्गरेज़ बेचारे तो स्वराज्य की गठरी बाँधे तैयार बैठे हैं, परन्तु दें किसे, कोई इस योग्य भी तो हो। जब तक साम्प्रदायिक समस्या हल न हो जाय, तब तक स्वराज्य कैसे दिया जा सकता है ? कोई युक्ति ही नहीं, कोई तरीक़ा ही नहीं। इस प्रकार स्वराज्य देकर हिन्दुस्तान की जानोमाल को ख़तरे में डालना बहुत ही बड़ी ग़लती है। अङ्गरेज़ लोग अन्य प्रकार की ग़लतियाँ कर सकते हैं, परन्तु ऐसी ग़लती कभी नहीं कर सकते। अन्य प्रकार की ग़लतियाँ कैसी ? यह प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि भारत में अधाधुन्ध दमन करने की ग़लती अङ्गरेज़ कर सकते हैं। गोलमेज़-सभा के लिए देश के सच्चे प्रतिनिधियों को न चुनने की ग़लती कर सकते हैं। देश में साम्प्रदायिकता की ज्वाला भड़का कर हिन्दू-मुसलमानों को लड़वाने की ग़लती कर सकते हैं। भारत की माँगों को ठुकरा देने की ग़लती कर सकते हैं। क्योंकि ग़लती इन्सान से ही होती है—जानवरों से नहीं। परन्तु बिना साम्प्रदायिक समस्या सुलझाए स्वराज्य दे देना एक ऐसी ग़लती है, जो इन्सान से न होनी चाहिए—विशेषतः इन्सानों को इन्सानियत का पाठ पढ़ाने वाले अङ्गरेज़ों से तो ऐसी भयानक ग़लती होना असम्भव है। कल को यदि भारत में उपद्रव आरम्भ हो गया और कोई ऊँच-नीच बात हो गई तो दूसरे राष्ट्र अङ्गरेज़ों को ही बेवक़ूफ़ बनाएँगे। उन्हीं को बदनाम करेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति थी तो स्वराज्य क्यों दिया। हिन्दुस्तानियों को कोई कुछ न कहेगा। बल्कि कोई ताज्जुब नहीं, यदि हिन्दुस्तानी भी यह कहने लगें कि "इन कमबख़्त अङ्गरेज़ों ने बैठे-बिठाए हम लोगों की जान अज़ाब में डाल दी। अभी स्वराज्य देने की कौन जल्दी पड़ी थी।" उस समय भला बताइए तो सही, अङ्गरेज़ बेचारे क्या उत्तर देंगे ! है कोई उत्तर ? कोई भी नहीं। एक तो स्वराज्य दें, ऊपर से उल्लू बनें, सो जनाब ऐसा नहीं होगा। अङ्गरेज़ तब तक स्वराज्य न देंगे जब तक उन्हें यह इतमीनान न हो जायगा कि हिन्दू-मुसलमान कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, यदि तबीयत न मानी तो कभी-कभी केवल चपतबाज़ी कर लिया करेंगे। चपतबाज़ी पूर्ण अहिंसात्मक कार्य है। चपतबाज़ी में न किसी की जान जाती है और न शरीर को विशेष कष्ट होता है। बल्कि खोपड़ी की मज़बूती पके हुए बेल की भाँति बढ़ जाती है। और फिर जो परस्पर कभी-कभी चपतबाज़ी भी न करेगा, वह शत्रु का सामना कैसे कर सकेगा ? अतएव चपतबाज़ी अवश्य हुआ करे। बल्कि चपतबाज़ी का टूर्नामेण्ट हुआ करे और सबसे अच्छे चपतबाज़ को पारितोषिक दिया जाया करे, तो बहुत ही अच्छा है। यदि ऐसा हो जाय तो अपने राम भी एक सोने का कटोरा इनाम में रख दें। बशर्ते कि वह चपतबाज़ों द्वारा ज़बर्दस्ती न छीन लिया जावे, विशेषतः ऐसे समय में जब कि सोना इतना दुष्प्राप्य हो रहा है। ख़ैर, यदि सोने का कटोरा रखने में ख़तरा होगा, तो चाँदी का रख देंगे। परन्तु रक्खेंगे ज़रूर !

हाँ, तो अङ्गरेज़ लोग ऐसी ग़लती कभी न कभी कदापि न करेंगे। कुछ लोग अङ्गरेज़ों पर यह दोषारोपण करते हैं कि ये लोग स्वराज्य नहीं देना चाहते। सो यह भी अपने राम को यदि सोलह आने नहीं तो साढ़े पन्द्रह आने छः पाई अवश्य ग़लत मालूम होता है। प्रधान मन्त्री श्री० मैकडॉनेल्ड रामजी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वह हिन्दुस्तान को स्वराज्य देने के लिए उतने ही बेक़रार हैं, जितना कि कोई भला आदमी अपना ऋण चुकाने के लिए होता है। केवल बेक़रार ही नहीं, वह इसमें हिन्दुस्तानियों की सहायता करने के लिए सूट-बूट पहने तैयार हैं। परन्तु—हें-हें-हें ! पहले साम्प्रदायिक समस्या, जिसके कि हल होने की उम्मीद क़यामत तक नहीं है, हल हो जाना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि बेचारे रामजी मैकडॉनेल्ड इस समय बहुत ही परेशान हैं। सुना है, बहुधा रात में सोते से चौंक-चौंक पड़ते हैं और कहते हैं कि "हे पिता ! भारत को स्वराज्य दिलवा दे ! मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं भारत को स्वराज्य दिला सकूँ।" और इस समय तो उन्हें यह सोच खाए जा रहा है कि "यदि आगामी चुनाव में मैं प्रधान मन्त्री न बन सका, तो फिर भारत को स्वराज्य कौन देगा ? इसलिए मेरा प्रधान मन्त्री बनना बहुत ही आवश्यक है। इतना आवश्यक कि जिसका कोई हद-हिसाब इस दुनिया के पर्दे पर है ही नहीं।" अतएव अपने राम का यह खुला एलान है कि इङ्गलैण्ड की वह जनता, जो भारत को स्वराज्य-सम्पन्न देखने के लिए मरी जा रही है, वह रामजी मैकडॉनेल्ड की पार्टी को इस प्रकार पार्लामेण्ट में भेजे, जिस प्रकार किसी ज़माने में भारत से फ़िजी तथा मिर्च के देश (मॉरीशस) को कुली भेजे जाते थे। तभी भारत का कल्याण होगा। अन्यथा मुसीबत ही मुसीबत है। भारत-मन्त्री तक ने इस मुसीबत का वर्णन करते हुए कहा है कि "यदि कॉन्फ़्रेन्स असफल हुई तो भारत में जो कुछ होगा उसका ध्यान करने से मेरा कलेजा काँपता है।" अवश्य काँपता होगा। इसकी गवाही अपने राम अल्लाह मियाँ के दरबार में देने तक को तैयार हैं। और सच बात तो यह है कि काँपने की बात भी है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य देने के लिए इतने पापड़ बेले हैं कि सारा संसार भी उन्हें हज़म नहीं कर सकता। सत्याग्रह स्थगित कराया, राजबन्दियों को छोड़ा महात्मा जी के नख़रे सहे, इतना ख़र्च उठाया, अपने देशवासियों की खरी-खोटी बातें सहीं। फिर भी स्वराज्य न मिले तो डूब मरने की बात है। किसके लिए ? ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं, भारतवासियों के लिए ! ब्रिटिश सरकार तो अमर है, वह तो समुद्र में भी नहीं डूब सकती।

यह भी अफ़वाह है कि सर आग़ा ख़ाँ, मि० जिन्ना, शौकतअली इत्यादि की चौकड़ी कुछ भारत-विरोधी अङ्गरेज़ों के इशारों पर नाच रही है। और यह उन्हीं की चेष्टा का फल है, जो यह चौकड़ी किसी समझौते पर स्थिर नहीं होती। यह बात भी अपने राम की समझ में नहीं आने पाती। सर आग़ा ख़ाँ बहुधा लोगों की दावतें करते रहते हैं और अपने निवास-स्थान में बुला कर गुपचुप परामर्श करते रहते हैं। बस इसी से लोगों ने यह उड़ा दिया कि मुसलमान प्रतिनिधि भारत-विरोधी अङ्गरेज़ों से मिल गए हैं। किसी को बुला कर उसका सत्कार करना भी पाप हो गया। सर आग़ा ख़ाँ अपने निवास-स्थान में दावतें न दें तो क्या सड़क पर दें। लोगों में इतनी भी समझ नहीं—हद हो गई। सर आग़ा ख़ाँ मालदार आदमी ठहरे। दूसरे इस समय मुसलमानों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनको अपनी शान के अनुसार काम करना ही पड़ता है। इस पर यह सवाल उठ सकता है कि वह और लोगों को क्यों नहीं बुलाते। सो इसका उत्तर यह है कि जिससे घनिष्ठता होगी उसी को बुलाया जायगा। ऐरे-ग़ैरे नत्थू-ख़ैरों को बुला कर क्या करें। पता नहीं, लोग इन छोटी-छोटी बातों पर कैसे इतने बेढङ्गे अनुमान बाँध लेते हैं। इसका कारण यही मालूम होता है कि हृदय में जब खोट उत्पन्न हो जाता है, तो रस्सी का साँप दिखाई पड़ता है। अपने राम ऐसी बातों के इतने ख़िलाफ़ हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। ऐसी बातों पर तो समझदार आदमियों को ध्यान भी न देना चाहिए। ध्यान देने से ख़राबी के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं। उस दिन एक साहब ने अपने राम से पूछा—"यह जो शौकतअली ने कहा है कि 'यदि हिन्दुओं ने मुझसे सुलह न की, तो मैं अङ्गरेज़ों से सुलह कर लूँगा' इसका क्या मतलब है ?"

अपने राम ने उत्तर दिया—इसका मतलब यह है कि शौकतअली अङ्गरेज़ों से सुलह करके हिन्दोस्तान पर क़ब्ज़ा कर लेंगे।

उन्होंने घबरा कर पूछा—हिन्दुस्तान पर क़ब्ज़ा कर लेंगे—यह कैसे ?

"जब कर लेंगे तब देख लीजिएगा।"

"ख़ैर तब तो देखेंगे ही, इस समय आप तो कुछ बताइए।"

"सुनिए। अङ्गरेज़ तो भारत को स्वराज्य देने के लिए दाद तथा खाज के रोगी की भाँति व्याकुल हैं। कहिए हाँ।"

"अच्छा हाँ, आगे चलिए।"

"सो जनाब, जब अङ्गरेज़ देखेंगे कि हिन्दू लोग स्वराज्य नहीं लेते......।"

वह बिगड़ कर बोले—वाह ! लेते कैसे नहीं, कोई भकुआ है भी।

"मतलब यह है कि वह आपस में समझौता नहीं करते।"

"यह भी सरासर ग़लत है, समझौता मुसलमान नहीं करते।"

"हाँ-हाँ, मुसलमान नहीं करते, परन्तु इसमें दोष हिन्दुओं का ही है।"

"किस प्रकार ?"

(शेष मैटर ११वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



माँ और मातृभूमि

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

महात्मा गाँधी ने असहयोग की दुन्दुभि बजा दी थी। सारे देश में चारों ओर एक बिजली सी दौड़ गई थी। सन् १९१८ में लोगों को राजनैतिक विषयों पर वार्तालाप करने का भी साहस न होता था। वे किसी नेता की—और नेता भी उन दिनों इने-गिने ही थे—वक्तृता सुनने जाते थे, तो लुक-छिप कर। जो विद्यार्थी थे, वे अपने अध्यापकों से डरते थे; जो क्लर्क थे, वे अपने अफ़सरों से डरते थे; जो दूकानदारी आदि का व्यवसाय करते थे, वे पुलीस से डरते थे। सभाएँ होती थीं, परन्तु बहुत कम। श्रोता आते थे, परन्तु बहुत कम। छोटे-छोटे ग्रामों में तो और भी अधिक आतङ्क छाया हुआ था। लोगों के हृदयों में से स्वाभिमान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपनी बहिनों और बेटियों की प्रतिष्ठा का विचार, ये सब बिल्कुल ही लुप्त हो गए थे। जो आता, ग्रामीणों पर अपना रोब जमा लेता, जिसकी इच्छा होती, उनसे अनुचित कार्य करा लेता। अधिकांश उनमें से अशिक्षित थे। वे अपना बुरा-भला, अपनी ऊँच-नीच को नहीं समझ सकते थे। जो उनमें से कुछ समझते भी थे, वे अत्याचार सहते-सहते इतने निकम्मे होगए थे कि शिर को उठाते तक न थे। जो उनमें से शिर उठाने का साहस भी करते, वे सर्व-शक्तिमयी पुलीस तथा सर्व-शक्तिमान ज़मींदारों द्वारा मार्ग में से हटा दिए जाते थे। ऐसे थे असहयोग के प्रारम्भ होने से कुछ वर्ष पहले के दिन।

कुछ वर्षों में ही उस स्वतन्त्रता के पुजारी ने क्रान्ति ला उपस्थित की थी। असहयोग का शङ्खनाद होते ही सारे देश में जागृति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो राष्ट्रीय शक्ति-रूपी 'पॉवर हाउस' फ़ेल हो गया था, परन्तु महात्मा के केन्द्रीय-स्विच के दबाते ही सारे देश में विद्युत-प्रकाश हो गया था। उसे जागृति कहें, उसे आत्मोत्थान कहें, उसे आत्मज्ञान कहें? वह प्रकाश जागृति से भी अधिक जाज्वल्यमान था, आत्मोत्थान से भी अधिक उत्कर्षपूर्ण था, आत्मज्ञान से भी अधिक वास्तविक था। कुछ ही वर्षों में देश की काया-पलट हो गई थी। जिधर भी दृष्टि जाती, नए प्रकाश का चकाचौंध। न उससे नगर ख़ाली थे, न ग्राम। न उससे शिक्षित लोग अछूत थे, न अशिक्षित। न उससे हिन्दू वञ्चित थे, न मुसलमान। वह आन्दोलन सर्वव्यापी था; सब उसमें समाए हुए थे, वह सब में समाया हुआ था।

जनता में से वह डर निकल गया था। वे अब न तो ज़मींदार से भय खाते थे, न पुलीस से। उनमें भी इस भाव का उदय हो गया था कि वे भी मनुष्य थे और किसी को उनके ऊपर बेजा अत्याचार करने का अधिकार नहीं था। अब सभाएँ होती थीं, और अगणित। अब नेता चारों ओर मिलते थे, और बहुतायत से। अब श्रोता आते थे और सहस्रों की संख्या में। अब लोग राजनीति की चर्चा करते थे और खुले आम। ये थे असहयोग के दिन।

२

'माँ!'

'बेटा!'

'तुमने गाँधी जी के असहयोग के बारे में सुना है?'

'हाँ!'

'यह भी सुना है कि कितने ही विद्यार्थी अपने-अपने कॉलेज और स्कूल छोड़ रहे हैं?'

'हाँ, पर इससे तुम्हारा अर्थ क्या है विमल?'

'कुछ नहीं, माँ!'

'फिर क्यों ये सब बातें कर रहे हो?'

'इसलिए कि........'

'हाँ?'

'महात्मा गाँधी ने विद्यार्थियों के नाम यह घोषणा निकाली है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ना पाप है।'

'तो क्या हुआ?'

'हुआ यही कि पाप से बचना चाहिए।'

'कॉलेज छोड़ने की इच्छा है?'

'नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। सुना है, कलकत्ते में दो सहस्र विद्यार्थी कॉलेज से निकल आए।'

'हाँ!'

'और माँ, देखो अलीगढ़ कॉलेज तो बिल्कुल बन्द ही हो रहा है। सारे लड़के राष्ट्रीय विद्यालय में आकर पढ़ रहे हैं।'

'यह सब बातें किस लिए हैं?'

'कुछ नहीं, अभी शिवराम पाँडे का लड़का भी कॉलेज छोड़ आया है। हमारी ही क्लास में था। उसका प्रिन्सिपल के नाम पत्र तुम पढ़तीं माँ! ऐसा जोशीला पत्र लिखा है कि उसे पढ़ते ही देशभक्ति उमड़ पड़ती है।'

'अच्छा, ये बातें तो बन्द कर दो। और इतना याद रक्खो कि जब तक सब लड़के कॉलेज छोड़ने को तैयार न हों, तब तक तुम पढ़ने जा रहे हो।'

'पढ़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन पाप......'

'लेकिन कुछ नहीं।'

विमल अपनी माता का अकेला पुत्र था। उसकी एक बहिन और थी, जिसका नाम था शारदा। माँ अपने परिश्रम से इन्हें बड़े यत्न से पाल-पोस रही थी। कई वर्ष पूर्व विमल के पिता षड्यन्त्र के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए गए थे। उन्हें दस वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। परन्तु वे जेल की यातनाओं के कारण अधिक काल तक जीवित न रह सके। जिस दिन से विमल के पिता उनके परिवार से अलग कर लिए गए थे, उसी दिन से विमल की माता ने दोनों सन्तानों को उपयोगी नागरिक बनाने के लिए समुचित शिक्षा दी थी। वह हिंसा के विरुद्ध थी। उसे अपने पति पर इतना विश्वास था कि वह उसे सर्वथा निर्दोष समझती थी। इसीलिए उसने कभी भी उससे उन बातों के भेद नहीं पूछे थे, जिनके आधार पर उस पर मुक़दमा चला था। अब जब महात्मा गाँधी ने अपना अहिंसात्मक आन्दोलन जारी किया था तो वह बड़ी प्रसन्न थी। जहाँ तक हो सकता था, वह उसमें भाग लेती थी। विमल को स्वयं उसने कॉलेज छोड़ने का आदेश नहीं दिया था। क्योंकि वह चाहती थी कि विमल स्वयं ही कॉलेज छोड़ने की व्यग्रता दिखाए। वह स्वयं उसी के हृदय में उन भावों की उत्पत्ति कराना चाहती थी, जिन भावों के द्वारा वह विमल को कॉलेज छोड़ने के लिए समझाती। जिस समय विमल ने डरते-डरते कॉलेज छोड़ने की बात कही, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। परन्तु उसने अपनी स्वीकृति न दी। वह देखना चाहती थी कि विमल कितने गहरे में था। वह विमल की दृढ़ता की परीक्षा करना चाहती थी।

दूसरे दिन विमल कॉलेज की ओर चला। मार्ग में भीड़ बहुत हो रही थी। वह साइकिल उस भीड़ में से नहीं चला सकता था, अतः वह साइकिल से उतर कर पैदल चलने लगा।

'आज यहाँ क्या है?'—उसने एक व्यक्ति से पूछा।

'एक सभा है।'

'कैसी सभा?'

'गाँधी जी की।'

'तो क्या गाँधी जी यहाँ स्वयं ही आ रहे हैं?'

'नहीं, उनके एक चेला का आज मुक़दमा है, उसी की सभा है।'

विमल की दृष्टि में वह व्यक्ति, जो जेल जाने के लिए तैयार था, एक देवता मालूम होने लगा। उसको देखने की उसे उतनी ही उत्कण्ठा हुई, जितनी भगवान के मन्दिर के पट खुलने पर भक्तगणों को भगवान के दर्शनों की होती है। वह साइकिल एक पास की दूकान पर रख कर सभा देखने के लिए चल पड़ा। सहस्रों का जमघट था। उस नगर से जेल जाने के लिए वह पहला ही व्यक्ति था, अतः सभी नगर-निवासी उसके दर्शनों के लिए और उस पर फूल बरसा कर अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए आए थे। बड़ी कठिनता से विमल को एक ऐसा स्थान मिला, जहाँ से वह सभा के मञ्च पर का सारा दृश्य देख सकता था।

पहले सभापति का भाषण प्रारम्भ हुआ:—

'भाइयो, यह आपको विदित ही है कि महात्मा गाँधी ने अपने अहिंसात्मक असहयोग के युद्ध को छेड़ कर घर-घर में स्वतन्त्रता देवी का सन्देश पहुँचा दिया है। भारतवासी आज नींद से जग गए हैं और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के निमित्त प्रत्येक प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं। स्वतन्त्रता देवी के खप्पर में आज हमारे देशवासी प्रसन्नता से अपना बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमें गर्व है कि हम भी अपने नगर का सब से पहला और एक बहुमूल्य बलिदान उस खप्पर में डाल रहे हैं। मुझे आशा है कि यह बलिदान हमारे नगर ही नहीं, बल्कि प्रान्त के लिए भी एक आदर्श के रूप में काम करेगा।'

जब सभा समाप्त होने लगी और सब लोग कचहरी जाने के लिए तैयारी करने लगे, तब वह युवक उठा। उसका मुख-मण्डल प्रसन्नता से दमक रहा था। वह जेल जाने के लिए उतना ही प्रसन्न था, जितना कि एक निर्धन कुबेर के भण्डार को पाकर होता है या वह, जिसको अचानक किसी घुड़दौड़ में लाखों रुपया मिल जाता है। वह विमल के ही समवयस्क था। विमल के शरीर में उसे देख कर एक विद्युत् की धारा सी दौड़ गई। क्या वह भी इसी प्रकार किसी दिन बलिदान चढ़ाता होगा और उसका मुख-मण्डल भी इसी प्रकार

ही दमक रहा होगा! इतने ही में शान्ति हुई। नवयुवक विदाई की एक कविता बना कर लाया था, उसीको वह करुण तथा वीर-रस मिश्रित स्वर में गाने लगा :—

भाई, विदा करो जाने दो।
तपस्वियों की तपोभूमि का दर्शन कर आने दो!
जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था,
मान कंस का चूर्ण किया था,
वहीं मेज़ दासत्व-पाश माता का कटवाने दो!
जहाँ तिलक भगवान रहे थे,
करते गीता-गान रहे थे,
उसी पुण्य-भू में तसले पर राष्ट्र-गीत गाने दो!
गाँधी, मोती, 'लाल' जहाँ हैं,
अली, दास, आज़ाद जहाँ हैं,
सनद देश-सेवा की जाकर मुझे वहीं पाने दो!
पारतन्त्र्य माँ का हरने को,
मणिमय मुकुट शीश धरने को,
मेरा भी बलिदान तनिक वेदी पर चढ़ जाने दो!

विमल ने यह गाना सुना, उसके सारे शरीर में सनसनी पैदा हो गई। वह गाना नहीं था, उसके लिए क्षेत्र में आने का आह्वान था। क्या ऐसी दशा में वह कॉलेज जा सकता था? वह कॉलेज की ओर चला, परन्तु उसके पैर आगे बढ़ने के लिए तैयार न थे। जब सारा देश मर-मिटने के लिए आगे आ रहा था, जब पतित से पतित व्यक्ति भी माता की वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए क्षेत्र में आ रहे थे, तो क्या उसका यह कर्तव्य था कि वह फिर 'ग़ुलामी के मन्दिर' में उसी प्रकार जाता रहे? उसके हृदय में विद्रोह मचने लगा, सड़क के किनारे पड़े हुए एक पत्थर पर वह बैठ गया और सोचने लगा। अन्त में उसने अपना निश्चय बना लिया—देश की सेवा, स्वतन्त्रता का युद्ध, यही उसका कर्तव्य होगा। वह कॉलेज न जाकर घर की ओर चल दिया।

घर में शारदा बैठी हुई थी। माँ वहाँ नहीं थी। शारदा ने विमल को देखते ही कहा—भैया, क्या कॉलेज नहीं गए?

'नहीं शारदा!'

'क्यों?'

'अब नहीं जाऊँगा।'

'छोड़ दिया?'

'हाँ, इस बार ऐसी ही बात है।'

'माँ के समझाने के बाद भी?'

'तुम समझ सकती हो शारदा! हम लोगों का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि इस प्रकार अपना समय नष्ट करते फिरें, जबकि देश अपने दासत्व का पाश तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम नवयुवकों पर ही तो देश की आशाएँ हैं। क्या हम कॉलेजों में जाकर देश की कुछ सहायता कर सकते हैं। वहाँ जाकर तो हम दासता के बन्धनों को और भी सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। मुझसे यह सहन न हो सकेगा शारदा! आज मैंने देखा है, एक ऐसा दृश्य, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। साधारण नवयुवक देश के लिए हँसते हुए त्याग कर रहे हैं। क्या हम शिक्षित लोग उनसे आधा त्याग भी नहीं कर सकते?'

'अब क्या करोगे?'

'ग्रामों में जाकर महात्मा गाँधी का सन्देश लोगों को सुनाऊँगा।'

इतने ही में माँ बाहर से आ गई।

'यहाँ?'—विमल को देखते ही उन्होंने पूछा।

'हाँ माँ, मैं कॉलेज नहीं गया।'

'नहीं?'

'जाही नहीं सका।'

'क्यों?'

'अब मैं कभी न जाऊँगा।'

'यह तुमने मेरी बिना आज्ञा के क्यों किया?'

'लेकिन तुम इस काम से अप्रसन्न नहीं हो सकतीं। तुम्हारे हृदय में जो घाव है, वैसे ही अनेकों घावों को भरने के लिए यह युद्ध छिड़ा है। जिस शासन-प्रणाली ने पिता जी को इस प्रकार नारकीय यातनाएँ देकर मार डाला, उसी शासन-प्रणाली को नष्ट करने के लिए यह आन्दोलन छिड़ा है। क्या तुम अपने पुत्र को उसी आन्दोलन में भाग लेने से रोकोगी?'

'आन्दोलन में भाग लेने का दृढ़ विचार है?'

'सुदृढ़।'

'कभी विचलित तो न होगे?'

'कभी नहीं।'

'तुम्हारे पीछे एक नाम है, तुम्हारे पिता का नाम। उसकी मुझे चिन्ता है, यदि उस नाम की रक्षा कर सको, यदि उस नाम पर कभी कलङ्क न लगाओ, तो मैं तुम्हें आन्दोलन में भाग लेने की सहर्ष आज्ञा दे दूँगी।'

'माँ!'

'मैं ठीक कहती हूँ, विमल।'

'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता के नाम पर कोई धब्बा न आने पावेगा।'

'युद्ध में जा सकते हो।'

विमल माँ से बच्चे की भाँति लिपट गया। माँ की आँखों से हठात् दो आँसू निकल आए, जो उसने शीघ्रता से अपने अञ्चल से पोंछ लिए।

३

दो दिन के अनन्तर ही विमल कॉङ्ग्रेस के दफ़्तर में बैठा था। वह शिक्षित था, उत्साही था; अतः उसकी गणना स्थानीय कार्यकर्ताओं में होने लगी। विमल को नगर में रह कर [illegible] करने में इतना आनन्द न आता था। वह चाहता था कुछ वास्तविक कार्य करना, और वास्तविक कार्य केवल ग्रामों में ही हो सकता था। ये ग्रामीण थे, जिन्हें शिक्षित व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता थी। ये ग्रामीण थे, जिन पर सब से अधिक अत्याचार हो रहे थे। अतः विमल ने अपना डेरा एक छोटी सी [illegible]ल के सदर मुक़ाम में जाकर डाला।

यह तहसील बड़ी बीहड़ तहसील थी। केवल एक पक्की सड़क थी, जो तहसील के सदर मुक़ाम को ज़िले के सदर मुक़ाम से मिलाती थी। कोई बड़ी नदी नहीं थी, केवल एक छोटी नदी थी, जो तहसील की छाती को चीरती हुई चली [illegible]ती थी। भूमि अधिकतर ऊसर थी या रेतीली थी। गर्मी के दिनों में ऊपर से सूर्य अग्नि बरसाता था, नीचे से पृथ्वी आग उगलती थी। चारों ओर रेत उड़ता था। मार्ग में चलने के लिए छोटी-छोटी पगडण्डियाँ थीं, उन पर भी मनों रेत रहता था। वृक्षों का दर्शन होना भी दुर्लभ था। यदि कुछ थे, तो वे काँटों के छोटे-छोटे पौधे, जो इधर-उधर कभी-कभी उग आते थे।

तहसील का सदर मुक़ाम भी तहसील के ही अनुरूप था। छोटा सा स्थान था। न तो उसे क़स्बा कह सकते थे और न उसे ग्राम ही कह सकते थे। तहसील, स्कूल आदि की इमारतों के कारण तो वह क़स्बा कहा जा सकता था; यदि वे इमारतें उसमें से निकाल दी जातीं, तो वह एक ग्राम से भी कुछ कम ही रह जाता। इधर-उधर कुछ मड़ैयाँ थीं और तहसील के पास कुछ कच्चे मकान। जो व्यक्ति धनिक समझे जाते थे, उनके मकानों पर क़लई हो रही थी, वह भी केवल बाहरी भाग पर। भीतर से वही कच्ची ईंटें और वही गोबर की लिपाई। एक दूकान थी उस स्थान पर। वही हलवाई था, वही किराने वाला, वही पनवाड़ी और वही बजाज़ और वही कभी-कभी हकीम का काम भी करता था। जो वस्तुएँ उसके यहाँ नहीं मिलती थीं, वे और कहीं नहीं मिल सकती थीं और उनके लिए पेठ की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जो महीने में दो बार लगती थी।

उन दिनों मोटर-लॉरी की सवारी इतनी प्रचलित नहीं हुई थी, अतः विमल एक इक्के में चढ़ कर अपने शहर से चला। पाँच घण्टे के सफ़र के बाद वह उस स्थान पर पहुँचा। रात हो गई थी। गलियों में लालटेनें नहीं थीं, अतः घोर अन्धकार का राज्य था। उन्हें और भी अँधेरा बनाने के लिए कृष्ण-पक्ष सहायता के लिए आ गया था। बड़ी कठिनता के बाद विमल को लाला जी की दूकान मिली।

'पूड़ियाँ हैं आपके यहाँ?'—उसने दूकानदार से पूछा।

'नहीं तो।'

'बना नहीं सकते?'

'कितनी चाहिए?'

'यही पाव भर!'

'पाव भर के लिए भट्टी नहीं चढ़ाई जाती!'

'अकेले आदमी के लिए और क्या मन भर की आवश्यकता पड़ेगी?'

'तो हम क्या करें?'

'कोई परदेशी आता है तो तुम्हारे यहाँ यही उत्तर मिलता है?'

'परदेशी घर से बाँध कर क्यों न चले, रात-बिरात हम कहाँ तक बनावें।'

विमल को इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पहले कभी शहर से बाहर नहीं निकला था। उसने कोई ग्राम नहीं देखा था। वह समझता था कि ग्रामवाले बड़े भलेमानुस तथा अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। यह व्यवहार उसकी समझ ही में न आया।

'और कुछ है?'—उसने दूकानदार से पूछा।

'पेड़े हैं।'

'खोए के या खाँड के?'

'खा के देख लो न।'

विमल ने पेड़े का एक टुकड़ा मुख में रक्खा। ऐसा पेड़ा कभी उसने जन्म भर न खाया था। खोए का नाम तक उसमें नहीं था। न मालूम कितने दिनों का बना हुआ रक्खा था, उसमें पुरानेपन की बू आ रही थी। विमल को भूख लगी थी, परन्तु यह पेड़ा उसके मुख में नहीं चल सकता था।

'कुछ और भी है?'

'और तो चना-गुड़ हैं।'

'लाओ वही दो।'

आध पाव चना और एक पैसे का गुड़ लेकर विमल ने अपनी क्षुधा शान्त की और पानी पीकर एक चौपाल में बिछे हुए तख़्त पर पड़ रहा।

प्रातःकाल विमल उठा। उठते ही वह रात्रि की सारी घटनाओं पर विचार करता रहा। अब उसे इस तहसील में कार्य करने की और भी आवश्यकता प्रतीत हुई। वह जानता था कि, और यदि पहले नहीं जानता था, तो अब जान गया था कि वह तहसील ज़िले में सब से अधिक पिछड़ी हुई थी, यहाँ तक कि वहाँ कॉङ्ग्रेस कमिटी तक भी न थी। जितनी ही बीहड़ तहसील थी, उतनी ही बीहड़ वहाँ की प्रजा भी थी। उसका एक कारण यह भी था कि उस तहसील में कई ज़मींदार थे, जो उतने ही बीहड़ थे। उन्हीं के कारण असहयोग का नाद वहाँ सुनाई नहीं देता था। महात्मा की पुकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। इन सब विपत्तियों को सामने देख कर भी विमल विचलित न हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि वह अवश्य ही वहाँ पर राष्ट्रीयता का

(शेष मैटर १७वें पेज के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



वर्त्तमान रूस

[डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डि-लिट्]

गत शताब्दी के आरम्भ में महर्षि कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे प्रजातन्त्र राज्य की कल्पना की थी, जहाँ जनता में वैषम्य का अभाव हो, जहाँ जीवन-निर्वाह के साधन सबको सुलभ हों, जहाँ व्यक्तिवाद समष्टिवाद में विलीन हो गया हो और जहाँ सामाजिक नियन्त्रण का अन्त कर दिया गया हो। मार्क्स ने इस कल्पना की सृष्टि पूँजी और श्रम के सङ्घर्ष के आधार पर की थी। उसकी धारणा थी कि वैज्ञानिक उन्नति और कल-कारख़ानों की वृद्धि के कारण जब सम्पत्ति सिमट-सिमट कर संसार के अल्पसंख्यक लोगों के पास आ जायगी और श्रमजीवी संसार अनुपयुक्त वेतन के कारण जीवन-निर्वाह की कठिनाइयों से तङ्ग आ जायगा, तब पूँजी और श्रम में घोर सङ्घर्ष होगा और अन्त में श्रमजीवियों की विजय होकर शासन-सूत्र उन लोगों के हाथ में आ जाएगा। श्रमजीवी लोग शासन का सञ्चालन इस प्रकार करेंगे, जिससे उद्योग-धन्धों का लाभ सबको समान मिले और पूँजीपतियों का हिस्सा राज्य की सम्पत्ति समझा जावे। राज्य इस सम्पत्ति को जनता के हितार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में व्यय करे। इस प्रकार पूँजीपतियों का अन्त हो जाने से वैषम्य के अन्त की और उद्योग-धन्धों के लाभ से जन-कल्याण सम्पादन की कल्पना की गई थी। थोड़े शब्दों में यही साम्यवादी शासन का आदर्श था, जो कार्ल मार्क्स ने संसार के सामने रक्खा था।

कार्ल मार्क्स की यह भयावह भविष्य-वाणी सुन कर संसार के शासक और पूँजीपति सतर्क हो गए और इधर श्रमजीवी लोग भी सङ्गठित होकर भावी सुख का स्वप्न देखने लगे। शासकों और पूँजीपतियों ने १९वीं शताब्दी में अनेक ऐसी चालों से काम लिया, जिसके कारण न तो श्रमजीवियों की दशा ही भली प्रकार सुधरी और न उनमें भारी प्रक्षोभ ही उत्पन्न हुआ। जब श्रमजीवी लोग हड़तालें करके पूँजीपतियों को वेतन-वृद्धि के लिए विवश करने का यत्न करते थे, तब सेठ लोग कारख़ानों को कुछ दिन बन्द रख कर मज़दूरों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया करते थे, जिससे वे लोग भूखों मरने लगते थे और अन्त में दण्ड भोग कर पुनः काम करने लगते थे। कभी-कभी राज्य से पूँजीपतियों की सहायता की जाती थी और हड़तालियों को पुलिस तथा सेना द्वारा काम पर वापस भेजा जाता था। पूँजीपतियों की रक्षा करना शासन का कर्तव्य माना जाता था। जब स्थिति क़ाबू से बाहर जान पड़ती थी, तो मज़दूरों का कुछ वेतन बढ़ा कर उनके आँसू पोंछ दिए जाते थे और शासक लोग उनके काम की अवधि निश्चित करके तथा स्त्री-बच्चों के लिए कुछ नियम बना कर उनको सन्तुष्ट कर दिया करते थे। इस प्रकार की दुरङ्गी चालों के कारण पूँजी और श्रम के सङ्घर्ष ने गत शताब्दी में भयङ्कर रूप धारण नहीं किया और ऐसा मालूम होने लगा था कि कार्ल मार्क्स की कल्पना शायद कभी सत्य सिद्ध न हो सकेगी।

इस शताब्दी के आरम्भ में जो यूरोपीय महासमर हुआ, उसने अनेक असम्भव बातों को सम्भव कर दिया और अनेक कल्पनाओं को वास्तविकता का रूप दे दिया। संसार की अनेक परम्परागत रूढ़ियाँ महासमर के चक्र में पड़ कर चूर-चूर हो गईं, अनेक नरेशों के वंशक्रमानुगत राजमुकुट छिन गए, कई देशों की दासत्व-शृङ्खलाएँ झड़ पड़ीं, और संसार के सामाजिक सङ्गठन, धार्मिक विचार, विवाह-संस्था तथा शासन-सिद्धान्तों में भारी उथल-पुथल पैदा हो गई। इस विश्व-व्यापी घोर परिवर्तन ने कार्ल मार्क्स की कल्पना को सम्भव कर दिया और रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई। महासमर के समय युयुत्सु सरकारें गला फाड़-फाड़ कर यह घोषणा किया करती थीं कि युद्ध का ध्येय परतन्त्र जातियों को स्वतन्त्र करना और जगत में न्याय का डङ्का बजाना है। परन्तु सूक्ष्म-द्रष्टाओं को शीघ्र ही पता लग गया था कि ये निस्सार बातें हैं और रङ्गरूट तथा धन एकत्र करने की चालें हैं। सन् १९१८ के आरम्भ में प्रत्येक देश में युद्ध के विपरीत आन्दोलन होने लगा था और लोग कहने लगे थे कि महत्वाकांक्षी उन्मत्त शासक साम्राज्यवाद तथा अपनी व्यक्तिगत तरङ्गों की वेदी पर देश के नवयुवकों का बलिदान कर रहे हैं, विजय या पराजय से जनता का कोई सम्बन्ध नहीं है। भीषण नर-संहार और अर्थ-नाश से लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि सर्वत्र युद्ध बन्द करने के लिए पुकार सुनाई देती थी। यह आन्दोलन जर्मनी में और विशेषकर रूस में लेनिन के नेतृत्व के कारण इतना प्रबल हो गया था कि सन् १९१७ में ही वहाँ रङ्गरूटों की भरती बन्द हो गई, रूसी सेना ने युद्ध करने से इन्कार कर दिया, श्रमजीवियों का प्रभुत्व हो गया, ज़ार को सिंहासन से उतार कर सपरिवार गोली से मार डाला गया और साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। रूस में ज़ारशाही के विपरीत कई वर्षों से आन्दोलन जारी था और स्वतन्त्रता के उपासक अनेक यन्त्रणाएँ भोग चुके थे। स्वयं लेनिन कई बार देश-निर्वासन का दण्ड पा चुका था और अन्य कई देशभक्त फाँसी पर लटकाए जा चुके थे। महासमर न होता तो भी रूस एक दिन स्वतन्त्र अवश्य होता, परन्तु इसके कारण जन-जागृति, आन्दोलन, असन्तोष और प्रक्षोभ को सहायता मिल गई और जो घटनाएँ एक अरसे में क्रमशः घटित होतीं, वे बात की बात में घट गईं। जब ज़ार को ताज छीन कर गोली का शिकार बना दिया और शाही महलों में प्रजा-परिषद का अधिवेशन हुआ, तो साम्राज्यवादी सरकारों के कान खड़े हो गए और इस नवीन विचार-धारा, नवीन शासन-प्रणाली और नवीन समाज-रचना के प्रवाह को रोकने के लिए कई सरकारों ने सङ्गठित होकर तैयारियाँ कीं। रूस को तीन साल तक निरन्तर युद्ध करना पड़ा और अश्रुतपूर्व घोर आर्थिक सङ्कट तथा दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा। परन्तु उसके योग्य नेता लेनिन ने धैर्य नहीं छोड़ा। अन्त में साम्राज्यवादी मित्र हार खाकर बैठ गए और साम्यवादी शासन की जड़ जम गई। जब से यह शासन स्थापित हुआ है, तब से अब तक क्या यूरोप, क्या अमेरिका—सर्वत्र सरकारें इसका विरोध करती रही हैं। वर्षों तक ग्रेट-ब्रिटेन ने इसको सरकार ही नहीं माना और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने भी यही नीति जारी रक्खी। परन्तु यूरोप के सङ्गठित यत्न से भी रूस का बाल बाँका नहीं हुआ। राष्ट्र-सङ्घ में रूस को शामिल नहीं किया गया, इसकी भी उसने चिन्ता न की। कई देशों ने रूसियों को प्लेग के कीड़ों के समान समझ कर अपने देशों के बाहर किया, इससे भी रूस नहीं घबराया। फलतः अब उसकी संसार में तूती बोलने लगी है। साम्यवादी विचारों ने नगर-नगर और गाँव-गाँव में प्रवेश कर लिया है। साम्यवादी सङ्घ भी कहीं प्रकट और कहीं गुप्त—सर्वत्र स्थापित हो गए हैं और संसार के श्रमजीवियों तथा कृषकों में एक विशेष जीवन का सञ्चार हो रहा है। जर्मनी, पोलैण्ड, लुथवेनिया, फ़िनलैण्ड आदि राज्यों में साम्यवादियों की संख्या बढ़ती जाती है। स्पेन में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई है और चीन में साम्यवादी-दल सरकार से सतत युद्ध कर रहा है। रूसी सरकार को चाहे कई देश स्वीकार न करें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि रूस की इस समय संसार में धाक है। उसका समाज, उसका शासन, उसका साहित्य और उसके उद्योग-धन्धे इस समय संसार के ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं। संसार के राजनीतिज्ञ रूस की चालों को सतर्क होकर देखा करते हैं, उसके शासन-विधान का वे लोग चाहे विरोध करें, परन्तु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। राजनीति-शास्त्र के पण्डित रूस के शासन-विधान का ज्ञान प्राप्त किए बिना पण्डित ही नहीं माने जाते। साम्यवाद का अध्ययन इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति का अङ्ग बन गया है। लेनिन, ट्राटस्की, बुख़ारिन, स्टेलिन और टॉल्सटॉय संसार के इने-गिने पुरुषों में माने जाते हैं। वास्तव में वर्तमान शताब्दी के इतिहास में यूरोपीय महासमर और रूस का साम्यवादी शासन, ये दो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। इन दो घटनाओं को सर्वांश में समझे बिना वर्तमान जगत की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति समझ में नहीं आ सकती।

लेनिन कार्ल मार्क्स का परम भक्त था। मॉर्क्स के विचार उसके विचार थे और उसके ग्रन्थ लेनिन का दैनिक स्वाध्याय था। ज़ार की नृशंसता और पड़ोस में जर्मन-कैसर की निरङ्कुशता देख कर उसकी दृढ़ धारणा हो गई थी कि राज-संस्था संसार के लिए व्याधि है। अपने विचार और प्रचार के कारण उसको कई बार देश-निर्वासित होकर साइबेरिया के जङ्गलों में जब अपने दिन काटने पड़े, तब उसका यह अटल विश्वास हो गया कि राजवंश का अन्त हुए बिना संसार में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और जनता सुखी नहीं हो सकती। उत्पीड़ित जनता की निरन्तर यन्त्रणाएँ देखते-देखते जीवन की कोमलता, धर्म की सान्त्वना और समाज की मर्यादा को वह हानिकर समझने लगा। इसलिए लेनिन ने एक ऐसे संसार की कल्पना की, जिसमें न राजा के अत्याचारों की सम्भावना हो और न धर्माचार्यों के दबाव की गुञ्जायश; जहाँ न परम्परागत

सामाजिक रूढ़ियों की अड़चनें हों और न पुरातन निष्फल संस्थाओं के कारण उन्नति में रुकावट। लेनिन ने रूस में एक नया आदर्श खड़ा किया और उसका अनुसरण करने के लिए संसार को आह्वान किया। विरोधी संसार ने इस नवीन जगत के उदय को रोकना चाहा, उसको कुचलने के लिए भरसक प्रयत्न किए। युद्ध-प्रचार, कूटनीति आदि सब अस्त्रों का प्रयोग किया गया, लेकिन लेनिन का अदम्य साहस और दुर्दम्य-धैर्य नहीं दब सका। रूस में नवीन संसार का उदय हो ही गया, और नई शासन-प्रणाली स्थापित हो गई। इस समय जो देश साम्राज्यवादी हैं या जो निरङ्कुश सत्ता से आक्रान्त हैं, उनमें भी साम्यवादियों का अभाव नहीं है। सोशलिस्ट शासन वर्तमान मज़दूर और किसानों के नेताओं का सुख-स्वप्न है और सुन्दर ध्येय है। वे समता स्थापना के भावों से प्रेरित होकर अनेक प्रकार की आपदाओं को सहन कर रहे हैं और अपने ध्येय की वेदी पर प्राण न्योछावर कर रहे हैं।

रूस की वर्तमान सरकार सोशलिस्ट सरकार है और स्टेलिन उसका प्रधान है। सोशलिस्ट शासन का प्रधान उद्देश्य सम्पूर्ण जनता के लिए उपयुक्त भोजन, उपयुक्त शिक्षा और उपयुक्त वस्त्र तथा निवास प्राप्त हो सकें, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है। लेनिन के साम्यवाद के बाद मध्य यूरोप में जितनी नई सरकारें स्थापित हुईं, उन सबका भी उद्देश्य यही स्थिर किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोशलिस्ट सरकार प्रत्येक व्यक्ति से स्वस्थावस्था में प्रतिदिन निश्चित समय तक अनिवार्य रूप से काम करवाती है। उसका कहना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकार से यह आशा करता है कि उसकी जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए सरकार अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करे, तो सरकार भी उससे यह आशा करती है कि वह प्रति दिन काम करे और सुस्त न रहे।

रूस ने ज़ार का अन्त कर दिया और उसके वंश को निःशेष करके भविष्य में उसके वंशजों द्वारा राज्य-स्थापना की आशङ्का को असम्भव बना दिया। इस समय रूस में सम्राट या जागीरदार की चर्चा कहीं भी सुनाई नहीं देती। ज़ार के ज़माने के बड़े-बड़े सत्ताधारी जागीरदार बोलशेविक राज्य-क्रान्ति की प्रबल धारा में पड़ कर बह गए। और जो बचे, उन्होंने नवीन परिस्थिति का अनुसरण करके अपने प्राण और वंश की रक्षा की। इस समय रूस में सम्राट का नाम लेना पाप है और सोवियट सरकार की निन्दा करना राज-विद्रोह। जिस साहित्य में साम्राज्यवाद की प्रशंसा हो, राजा की आवश्यकता प्रतिपादित की गई हो और प्रजातन्त्र शासन की मीमांसा की गई हो, ऐसा साहित्य रूस में तत्काल ज़ब्त हो जाता है और लेखकों को भारी दण्ड दिया जाता है। रूसी शासन का ध्येय स्वतन्त्रता है, लेकिन इस विषय में विचार-स्वातन्त्र्य वहाँ नहीं है। पाठशालाओं में बच्चों को आरम्भ से यही शिक्षा दी जाती है कि राजा एक अत्यन्त हानिकर संस्था है। राजा के ही कारण संसार में समय-समय पर घोर रक्तपात हुए हैं, जनता की उन्नति रुकी है, और विस्तृत देशों को नारकीय यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ी हैं। इस प्रकार रूसी बच्चे जन्म से ही बोलशेविक संस्कारों में पल कर राजसत्ता के कट्टर विरोधी बन गए हैं। रूस के देहातों में मैजिक लालटेनों, रेडियो और उपदेशकों द्वारा राज-संस्था की हानि और सोशलिस्ट शासन के लाभ बतलाए जाते हैं। प्रतिवर्ष सोवियट शासन की वर्ष-गाँठ मनाई जाती है, जिसमें किसान-राज्य की महत्ता और अन्य प्रकार के शासन की हीनता पर व्याख्यान होते हैं और अन्य कई प्रकार के प्रदर्शनों द्वारा जनता में सोवियट शासन की परमावश्यकता का प्रचार किया जाता है। वर्तमान रूस में राजा अतीत का विषय बन गया है और राज-संस्था एक प्रकार का रोग समझा जाने लगा है। क्रान्ति का सूत्रपात करते समय लेनिन का जो ध्येय था, वह वर्तमान रूस में पूरा हो गया है। जिस संसार की उसने कल्पना की थी, वह रूस में दिखाई देने लगा है। वह जिस प्रकार की सन्तान उत्पन्न करना चाहता था, वे रूस में दिखाई देने लगी हैं।

इसी प्रकार रूस ने धर्म-संस्थाओं पर भी क्रूर और निर्मम आक्रमण कर दिया है। लेनिन धर्म को मानव-समाज के लिए एक अत्यन्त हानिकर संस्था समझता था। उसकी धारणा थी कि धर्म-प्रचार की सहायता से शासक लोग प्रजा को भ्रान्त करके उसकी दासत्व-शृङ्खलाओं को सुदृढ़ बनाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी धर्म-प्रचार को राज्य-सत्ता का सहायक मानता था और वह कहा करता था कि जो लोग पुरोहितों से डरने के आदी हो जाते हैं, उनका राज्याधिकारियों से भयभीत होना स्वाभाविक बात है। इस विषय की सत्यता या असत्यता पर विस्तारपूर्वक लिखना हम अप्रासङ्गिक समझते हैं। प्रस्तुत प्रसङ्ग केवल इतना ही है कि लेनिन का मत नेपोलियन के मत से मिलता-जुलता था, इसलिए ज़ार-वंश को नष्ट करने के साथ ही साथ उसने पुरोहितों और पुजारियों के वंश को भी शक्तिहीन और निःशेष करने का प्रयत्न करना आरम्भ किया। लेनिन के जीवन-काल में यह महान कार्य समाप्त नहीं हो सका, लेकिन ट्राटस्की और स्टेलिन ने इसमें आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस समय रूस में धर्म-प्रचार करना या धर्म का अनुसरण करना, यहाँ तक कि गुप्त या प्रकट रूप से धार्मिक गीत गाना भी वहाँ जुर्म माना जाता है। अनेक भव्य और विशाल गिरजाघर सोवियट सरकार ने बन्द करा दिए हैं या उनमें सरकारी या जनता के दफ़्तर हैं; कई पाठशालाओं का काम देते हैं और कइयों में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हो गए हैं। घोर दुख से दुखी होकर और भारी सङ्कट से घिर कर भी यदि कोई परमात्मा को स्मरण करके शान्ति-लाभ करना चाहता है तो सोवियट सरकार उसको अपराधी मानती है। गिरजाघर के घण्टों का नाद, ऑरगन की ध्वनि और प्रार्थना का स्वर रूस में लेनिनग्राड से व्लाडीवास्टक तक कहीं भी सुनाई नहीं देते। अनेक भगवद्भक्त ईसाई, जिनको धर्म का त्याग सहन नहीं हो सकता था, देश छोड़ कर विदेशों में जा बसे हैं या जेलों में ही अपना जीवन काट रहे हैं। धर्म के विरुद्ध क़ानून बनाते समय लेनिन को सब से अधिक भय की आशङ्का रशियन तुर्किस्तान में थी, परन्तु सोवियट सरकार ने मुसलमानों के विरोध को बड़ी दृढ़ता और वीरता के साथ शान्त कर दिया! पुराने मुल्लाओं ने जनता को बहुत भड़काया, जिहाद के लिए अल्लाह के भक्तों को आह्वान किया, लेकिन रूसी सरकार अपनी निर्धारित नीति से विचलित नहीं हुई। सैकड़ों आदमियों को जेल जाना पड़ा, कितनों ही को फाँसी पर चढ़ना पड़ा, कितनों की सम्पत्ति ज़ब्त हुई, पर सरकार ने दमन-नीति शिथिल नहीं की। आख़िर विरोध शान्त हो गया और रूसी तुर्किस्तान धर्म से मुक्त हो गया। इस समय ख़ीवा, बुख़ारा, ताशकन्द तथा समरक़न्द आदि मुस्लिम सभ्यता के प्राचीन नगरों में क़ुरान पढ़ना, पढ़ाना, लिखना या बेचना भारी अपराध माना जाता है। जिन मसजिदों में सहस्रों मुसलमान नित्य नमाज़ पढ़ते थे और जिनके व्योम-चुम्बी मीनारों से प्रातः और सायं मुल्लाओं की अज़ान-ध्वनि लोगों को सचेत करती थी, उन्हीं मसजिदों में अब न मुल्लाओं का पता है और न अज़ान की ध्वनि है; न वहाँ नमाज़ का पता है, न क़ुरान की चर्चा। अन्त में इसका क्या परिणाम होगा, नास्तिकता का लोगों के नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और धार्मिक भावों से शून्य मानव-हृदयों में कोमलता, दया और दाक्षिण्य आदि वाञ्छनीय गुण बने रहेंगे या नहीं, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तो सम्पूर्ण रूस सोवियट सरकार के प्रचार के कारण विश्वास करने लग गया है कि ईश्वर स्वार्थी राजाओं की सृष्टि है और धर्म पापी पुरोहितों का जाल है।

राजनैतिक और धार्मिक रूढ़ियों का अन्त करके ही सोवियट नेताओं को सन्तोष नहीं हुआ। वास्तव में केवल इन दोनों अङ्गों में क्रान्ति पैदा करने से संसार का स्वरूप नहीं बदल सकता था। परम्परागत सामाजिक रूढ़ियाँ भी ऐसी सुदृढ़ शृङ्खलाएँ हैं कि उनमें जकड़ा हुआ मानव-समाज इधर-उधर नहीं हिल सकता। सामाजिक अत्याचार राजनैतिक अत्याचारों से भी अधिक कठोर और भयावह होते हैं। इन अचल रूढ़ियों की भीषणता को लेनिन स्वयं अपने और अपने देश के जीवन में अनुभव कर चुका था, इसलिए उसके क्रान्ति के प्रोग्राम में सामाजिक उथल-पुथल भी एक आवश्यक कार्य था। यों तो राजनैतिक और धार्मिक क्रान्ति का होना अवश्यम्भावी था, लेकिन यदि सरकार सामाजिक रूढ़ियों की रक्षा करने का प्रयत्न करती या सुधारकों पर सामाजिक कट्टरों का दबाव बनाए रखती, तो रूस का समाज इतने थोड़े अरसे में इतना नहीं बदल सकता था। इस समय सम्पूर्ण यूरोप का समाज भी और का और ही हो गया है, लेकिन रूस के समाज के तो प्रत्येक अङ्ग में घोर परिवर्तन हो चला है। परिवार का सङ्गठन, पिता-पुत्र का सम्बन्ध, विवाह-संस्था, मेल-मिलाप, दावतों में व्यवहार, खेल-कूद, निवास-शैली, यात्रा, पोशाक, भोजनालय, होटलों का प्रबन्ध, जिधर देखो उधर ही परिवर्तन है, और वह ऐसा परिवर्तन है, जो कालचक्र के कारण नहीं, किन्तु राजनैतिक परिस्थिति और सरकार के प्रयत्न के कारण हुआ है। रूस के बच्चे अब देश के और सरकार के बच्चे माने जाते हैं, माता पिताओं के नहीं। माता-पिता कारख़ानों में मज़दूरी करते हैं, जिस समय स्त्री गर्भवती होती है, उसको प्रसव से पर्याप्त समय पूर्व छुट्टी मिल जाती है। प्रसव-गृह सरकार की ओर से बने हुए हैं; वहाँ बच्चा पैदा होता है, और वहीं अनेक धात्रियाँ सरकार की ओर से बच्चों का पालन और पोषण करने के लिए नियत हैं। प्रसव के बाद माता चाहे तो समय-समय पर बच्चे से मिल सकती है और वह चाहे तो उससे अपना सम्बन्ध भी तोड़ सकती है। पालन-पोषण का सम्पूर्ण भार सरकार पर होता है। सरकार ही इन बच्चों को अपने देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देती है और सोवियट संस्कारों से इनको परिपुष्ट करती है। इस प्रकार पले हुए बच्चों को अपने माता-पिता से कोई स्नेह नहीं होता और न उनको किसी घर से मोह होता है। सम्पूर्ण देश उनका घर है और सोवियट सरकार उनकी माँ-बाप है। उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य हो जाता है और यही उनको जन्म से सिखाया जाता है। इन बच्चों का जीवन सैनिक ढङ्ग से सधा हुआ, धार्मिक भावों से शून्य और पारिवारिक ममता से मुक्त होता है। वे मैशीनों की भाँति सोवियट सरकार की आज्ञा मानते हैं और उसकी जय मनाते हैं। इस प्रकार के पालन-पोषण के कारण रूस की नई सन्तानों का व्यक्तित्व नष्ट होता जाता है। इनका सोना-बैठना, काम करना, चलना-फिरना, सब नम्बरों द्वारा होता है। धात्री-गृहों में बच्चों की देख-रेख नम्बरों से होती है। डॉक्टरनियाँ जब इनको सँभालती हैं, तो नम्बर से सँभालती हैं, पाठशाला में इनको नम्बरों से पुकारा जाता है और परेड के मैदान में उनसे नम्बरों से काम लिया जाता है। अवस्था के अनुकूल बच्चों के समूह बना दिए जाते हैं और जो कुछ काम लिया जाता

है, सब समूह से लिया जाता है। साम्यवादी जुलूसों में रूसी लड़के और लड़कियाँ सोशलिस्ट गाने गाते हुए और लेनिन की जय बोलते हुए निकलते हैं। इन लोगों क शिक्षा, रहन-सहन और व्यवसाय, सब में साम्यवाद है। साम्यवाद के अतिरिक्त और दूसरे ध्येय की ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आरम्भ से ही प्रयत्न इस बात का किया जाता है कि सोशलिज़्म के अतिरिक्त और किसी ओर इन लोगों की मानसिक रुचि ही न हो, और ये लोग अन्य प्रकार के सामाजिक सङ्गठन की कल्पना भी न कर सकें।

इस प्रकार के ढङ्ग में पले हुए बच्चे पारिवारिक बन्धनों को क्या जान सकते हैं? न इन लोगों को माँ-बाप से स्नेह है, न पारिवारिक अभ्युदय की चिन्ता है, इनका ध्येय है सोशलिज़्म की सफलता और इनका उपास्य है कर्मवीर लेनिन। रूस की जनता ने ईसा और अन्य ईसाई सन्तों की उपासना करना त्याग दिया है और धर्म को तिलाञ्जलि दे दी है, परन्तु वास्तव में रूसी लोगों ने परम्परागत सन्तों की उपासना को छोड़ कर लेनिन की उपासना आरम्भ कर दी है। अनेक सन्तों की क़ब्रों को रूस में ढहा दिया गया है और अनेक सुन्दर गिरजाघरों के दर्वाज़े बन्द कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि रूसियों के हृदय-तल में से उपासना की प्रवृत्ति अभी निकली नहीं है। सन्तों की उपासना छोड़ दी गई है, परन्तु लेनिन की उपासना ने उसका स्थान ले लिया है। बात यह है कि अपनी शक्ति को परिमित समझना और किसी अतीत तथा अज्ञेय शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना और उसकी उपासना करना मानव-हृदय का नैसर्गिक गुण है। जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करते, वे सगुण ब्रह्म को स्थूल पदार्थों के स्वरूप में पूजते हैं और जो लोग इससे भी नीचे हैं, वे मनुष्य-पूजा करते हैं। किसी को भी पूजे, पर मनुष्य का



साम्यवाद के आचार्य कॉर्ल

हृदय पूजेगा अवश्य। जब रूसी सरकार ने परम्परागत धार्मिक उपासना को जुर्म बना दिया, तो मानव-हृदय उधर से हट कर एक ऐसे पदार्थ की खोज करने लगा, जिसकी आराधना, प्रशंसा और स्मृति में उसको अभीष्ट शान्ति प्राप्त हो सके। यही कारण है कि लेनिन रूसियों का आराध्य देव बन गया है। लेनिन के सिद्धान्त रूसियों का दर्शन-शास्त्र हैं, उसके शब्द उनकी गीता है और उसका कार्य-क्रम उनके जीवन का उद्देश्य है। आबाल-वृद्ध सभी स्त्री-पुरुष लेनिन के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, सबको यही धुन है कि सोशलिज़्म की संसार में विजय हो और इसका जगत में प्रचार हो। लेनिन और सोशलिज़्म रूसियों का 'राम नाम' और संग्राम के समय उनका यह 'हर-हर महादेव' है। यों तो सम्पूर्ण यूरोप की महिलाएँ संसार के अन्य भू-खण्डों की स्त्रियों से अधिक स्वतन्त्र हैं, लेकिन वर्तमान रूस की स्त्रियाँ उनसे भी आगे बढ़ी हुई हैं; जीवन के किसी भी विभाग में अब वे पुरुषों का मुक़ाबिला कर सकती हैं। और परम्परागत स्त्री-पुरुष के भेद को शीघ्रता के साथ मिटाया जा रहा है। कारख़ानों में, दफ़्तरों में और पाठशाला, अस्पताल आदि संस्थाओं में तो स्त्रियाँ पुरुषों के साथ काम करती ही हैं, लेकिन अब सैनिक शिक्षा भी स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। खुले हुए विस्तृत मैदानों में हज़ारों रूसी नवयुवतियाँ फ़ौजी क़वायद करती हैं और सैनिक शिक्षा ग्रहण करती हैं। यहाँ तक कि रूसी तुर्किस्तान में भी, जहाँ की मुस्लिम जनता कल-परसों तक पर्दे को धर्म का एक अङ्ग मानती थी, वहाँ भी मुस्लिम युवतियाँ मैदानों में क़वायद करती हैं और फ़ीलडिङ्ग तथा फ़ायरिङ्ग सीखती हैं। प्रचार-कार्य में रूसी सरकार स्त्रियों से बहुत काम लेती है। सरकारी धात्री-गृहों में पली हुई लड़कियाँ पारिवारिक स्नेह और नियन्त्रण से शून्य होती ही हैं। परम्परागत नैतिकता और चरित्र को वर्तमान रूस में एक अवाञ्छनीय रूढ़ि माना जाता है। इसलिए वहाँ की वर्तमान युवतियों को अपने विवाह-सम्बन्ध की पवित्रता आदि के विषय में कोई चिन्ता नहीं रहती। विषय-भोग और सन्तान उत्पन्न करना इतनी ही साधारण बात मानी जाती है कि जैसे स्नान करना या भोजन करना। अमेरिका के अन्दर युवक और युवतियों में विवाह सम्बन्धी जो उच्छृङ्खलता बढ़ती जाती है, उसके विषय में जस्टिस लिंडसे की सम्मति को पढ़ कर जगत हैरान हो गया था, लेकिन वर्तमान रूस में अब विषयावेश की शान्ति के लिए यथानियम विवाह आवश्यक नहीं माना जाता। जो युवक और युवतियाँ कारख़ानों में साथ-साथ काम करती हैं, वे सप्ताह के अन्त में दो दिन के लिए विवाहित दम्पति की भाँति अपनी छुट्टी मना कर पुनः सप्ताह के आरम्भ में अपना काम शुरू कर देते हैं और यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनका प्रेम सम्बन्ध बना ही रहे। दूसरे सप्ताह के अन्त में वही युवक दूसरी युवती के साथ अपनी छुट्टी मनाता है और वह युवती भी दूसरे युवक को अपना साथी बना लेती है। इस प्रकार के सम्बन्धों से जो सन्तानें उत्पन्न होती हैं, उनका पालन-पोषण कैसे होता है, इसका उल्लेख हम पहिले ही कर चुके हैं।

वर्तमान रूस एक अत्यन्त नया जगत है और उसके जीवन के प्रत्येक अङ्ग में घोर क्रान्ति है। राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक किसी भी प्रकार की पुरातन परम्परा को रूस वाञ्छनीय नहीं मानता। वहाँ लेनिन के ध्येय और आकांक्षाओं के अनुकूल एक अभूत पूर्व जगत की रचना की गई है, जिसमें न पुराना समाज है, न पुराना धर्म; न पहले की भाँति राजा है और न प्रजा; न वैसे बाप हैं न माँ और न सन्तान, न पुरानी कामनाएँ और न अभिलाषाएँ। इस समय सबके जीवन का ध्येय और साम्यवादी शासन का उद्देश्य है, पञ्चवर्षीय आयोजन को चार ही वर्ष में पूरा करना। रूस एक मैशीनमय देश बन रहा है। जिधर देखो उधर शीघ्रता और विपुलता के साथ जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। यूरोप ही नहीं, सारे संसार के बाज़ार रूस की सस्ती चीज़ों से पटते जाते हैं, जिनके कारण आर्थिक जगत में अनेक प्रकार की जटिल समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं। वर्तमान रूस में थिएटर, सिनेमा, नाच, खेल, सर्वत्र पञ्चवर्षीय आयोजन की बात है और उसीसे सम्बन्ध रखने वाले कारण और परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है। गलियों में

(शेष मैटर १८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

माँ और मातृभूमि

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

प्रचार करेगा, उन ग्रामीणों में स्वतन्त्रता के भावों का उदय करेगा।

उसने एक छोटी-सी कोठरी किराए पर ली और अपने ही हाथ से भोजन बनाने की व्यवस्था की। दोपहर होने पर वह ग्रामों की ओर को निकल चला। सवारी कोई मिलती नहीं थी, क्योंकि सड़कें ही नहीं थीं। ग्राम एक-दूसरे से दूर-दूर पर थे। उन को मिलाने वाली वही रेतीली पगडण्डियाँ थीं। विमल उन्हीं में से एक पर अपना खादी का कुर्ता पहने और गाँधी-टोपी लगाए चल दिया। खाने के लिए साथ में उसने गुड़ और चने ले लिए थे। जून के दिन थे। चारों ओर आग बरस रही थी, लुएँ चल रही थीं, रेता उड़ रहा था, परन्तु विमल चलता जा रहा था। वह तो तपस्या का प्रारम्भ ही था, अभी न जाने कितनी बड़ी और अधिक कष्टकर तपस्याएँ करनी पड़ें। चलते-चलते सामने एक नदी पड़ी। नदी की चौड़ाई अधिक नहीं थी, न गहराई अधिक थी; परन्तु पानी का वेग अधिक था। विमल को किसी न किसी भाँति नदी को पार करना ही था, क्योंकि उधर कोई पुल नहीं था। न रेलें थीं, न पक्की सड़कें; पुलों की ही क्या आवश्यकता थी?

विमल ने धोती ऊपर को चढ़ा ली। गुड़ और चने की पोटली को शिर से बाँध लिया। जूतों के विषय में उसके सामने समस्या आ गई। उनको किस प्रकार बिना भिगोए ले जाया जाय। अन्त में उसे एक युक्ति सूझ पड़ी। उसने सोचा कि जूतों को उस पार फेंक क्यों न दिया जाय, ताकि उस पार जाकर उन्हें उठा लिया जाय। उसने उस उलझन से दूर होने का यही एक उपाय देखा। पहला जूता फेंका, वह उस पार जा पड़ा। दूसरा जूता फेंका, निशाना चूक गया। जूता पार न जाकर नदी में ही गिर पड़ा। शायद नदी में उस ओर देखने पर मिल जाय, यह विचार कर विमल एक लकड़ी की सहायता से नदी में घुस गया। उस ओर पहुँचने पर नदी में ठहरना कठिन हो गया, क्योंकि पानी का वेग बहुत था। वह किनारे पर निकल गया। अब क्या करे? एक ही उपाय था, नङ्गे पैरों चलना। वह चल दिया। नीचे बालू जल रही थी, परन्तु उसने चिन्ता न की। कष्ट को चुपचाप सहन करता हुआ वह धीरे-धीरे सामने के ग्राम की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँच तो गया, परन्तु पैरों पर बारह बज रहे थे। दोनों पैर बड़े-बड़े फफोलों से भर गए थे। हाँ, वह कष्टकर तपस्या की साधना की प्रथम सोपान थी, और विमल ने उसे वीरतापूर्वक समाप्त कर दिया था। उसके सामने वह एक परीक्षा थी। उसका पहला पर्चा अच्छा हुआ था। विमल अब दूसरे पर्चों की प्रतीक्षा में था।

(क्रमशः)

* * *

महात्मा गाँधी का अर्थशास्त्र

[श्री० व्योहार राजेन्द्रसिंह जी, भूतपूर्व एम० एल० सी०]

आज पूँजीवाद तथा यन्त्रवाद संसार के ग़रीबों को पीस कर थोड़े से लोगों को अधिक धनवान बना रहा है। यन्त्रवाद गृह-उद्योगों को नष्ट कर, बड़ी-बड़ी मिलें और कारख़ाने बना कर पूजी को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। पश्चिमी पूँजीवाद तथा यन्त्रवाद के कुफल यूरोप भोग रहा है और उसकी हवा भारत में भी आने लगी है। लोगों ने उसीके आधार पर देश की आर्थिक उन्नति करना चाहा, किन्तु गाँधी जी ने इसका विरोध किया। क्योंकि पश्चिमी साधन भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। यहाँ का अर्थ-शास्त्र यूरोप के अर्थशास्त्र से भिन्न है। ग्रामों का अर्थ-शास्त्र शहरों से भिन्न है। भारत ग्रामों तथा गृह-उद्योगों का देश है। अतः उन्हीं की उन्नति से यहाँ की आर्थिक दशा सुधर सकती है। गृह-उद्योगों को मिटा कर मिलें क़ायम करने का प्रयत्न हमारे ग्रामों को मिटा कर ही छोड़ेगा। अधिकांश जनता ग्रामीण है और वह अपनी मूलाधार कृषि को छोड़ कर शहरों की मिलों में काम नहीं कर सकती। अतः उनके घरों ही में रोज़गार पहुँचाना होगा। गाँधी जी ने इस बात का भी अनुभव किया कि केवल कृषि से किसानों की माली हालत नहीं सुधर सकती। क्योंकि वे साल में चार मास बेकार रहते हैं। इस ज़बरदस्ती की बेकारी को दूर करना ही गाँधी जी का प्रधान प्रयत्न रहा है और इसके लिए उन्होंने ऐसा रोज़गार ढूढ़ा कि वह घर बैठे उन्हें काम दे सके। अन्त में उन्हें चर्ख़ा तथा करघा ही ऐसा धन्धा मिला, जोकि सरलता से गाँव-गाँव पहुँचाया जा सकता है।

रेनी .फुलप मिलर नामक एक जर्मन लेखक ने अपनी पुस्तक 'लेनिन एण्ड गाँधी' (Lenin and Gandhi) में तो यहाँ तक कहा है कि "महात्मा गाँधी ने लेनिन की अपेक्षा कहीं अधिक कार्ल मार्क्स की आर्थिक नीति को समझा है और उसके अनुसार उन्होंने अपने देश को औद्योगिकवाद के कुफलों से बचा लिया। लेनिन का रूस में औद्योगिक क्रान्ति करने का प्रयत्न एक लम्बी छलाँग मारने के समान था, किन्तु गाँधी ने देश की प्राचीन कला तथा उद्योग का पुनरुद्धार कर अपने को लेनिन की अपेक्षा कहीं अधिक क्रियात्मक राजनीतिज्ञ होना सिद्ध कर दिया है। रूस के क्रान्तिकारी औद्योगिक परिवर्तन ने देश की आर्थिक स्थिति पर कृत्रिम रूप से आघात किया। किन्तु खादी का आन्दोलन भारतीय आर्थिक स्थिति के अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ है।"

ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध साम्यवादी श्री० जूलियस ब्रेनथाल (Julius Braunthal) ने 'महात्मा गाँधी एण्ड इण्डियन रिवोल्यूशन' (Mahatma Gandhi and Indian Revolution) नामक पुस्तक में गाँधी जी तथा विलायत के मज़दूर नेता मि० नेड ल्यूड (Mr. Ned Lud) के सन् १८११ के आन्दोलन से तुलना कर यह बतलाया है कि नेड ल्यूड के आर्थिक आन्दोलन के कारण बहुत .खूनी क्रान्तियाँ हुईं। किन्तु गाँधी के आन्दोलन ने शान्ति स्थापना की तथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गाँधी ने पूँजीवाद के विरुद्ध जो आन्दोलन किया, वह ल्यूड के आन्दोलन की अपेक्षा कहीं अधिक क्रान्तिकारी है। आगे चल कर उस लेखक ने बतलाया है कि गाँधी जी ने पूँजीवाद तथा यन्त्रवाद का इसीलिए विरोध किया, क्योंकि उसके द्वारा भारतीय गृह-उद्योगों का नाश किया जा रहा था। उन्होंने इस प्रकार केवल मैशीन के दुरुपयोग का घोर विरोध किया है। गाँधी जी ने स्वयं कहा है कि "मैं मैशीनों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस पागलपन का विरोधी हूँ कि मैशीनों से मज़दूरी बच सकती है। मैं मनुष्य-समाज के सब मनुष्यों को काम देना चाहता हूँ—थोड़े से लोगों के लिए बहुतों को भूखों नहीं मारना चाहता।"

उनकी इस नीति का बहुत विरोध भी हुआ, किन्तु १० वर्षों के अनुभव से सब लोगों ने गाँधी जी के तर्क को स्वीकार कर लिया। वे मैशीनों के विरोधी समझे जाते हैं, किन्तु वे वैसे नहीं हैं। वे मैशीनों को केवल मनुष्य की सेवा में लगाना चाहते हैं, न कि मनुष्य को मैशीन की ग़ुलामी में। आजकल अधिकांश मनुष्य मैशीनों के ग़ुलाम हैं और थोड़े से आदमी उसके मालिक हैं। गाँधी जी सभी को मैशीन का मालिक बनाना चाहते हैं। मैशीनों से समय तथा मज़दूरी बचती है, पर मनुष्य और मज़दूर मरते हैं, किन्तु चर्ख़े से मनुष्यों की रक्षा होती है। कार्ल मार्क्स ने स्वयं इस मैशीनवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है—"मैशीन काम के घण्टों को कम करती है, पर काम करने के दिन को लम्बा करती है। वह काम हल्का करती है, पर इसका प्रयोग मज़दूरों पर कार्य-भार बढ़ाने में होता है। वह मनुष्य को मैशीन पर विजय देती है, पर बहुत लोगों को उसका ग़ुलाम बनाती है। यूरोप की समस्या है थोड़े समय में अधिक काम करना, किन्तु भारत की समस्या है बेकार आदमियों को अधिक काम देना। समय बचाने वाली मैशीनों से बेकारी अधिकाधिक बढ़ती है।" गाँधी जी कहते हैं कि भारत के बेकारों को दान नहीं चाहिए—काम चाहिए, और चर्ख़ा ही वह काम दे सकता है। रिचर्ड ग्रेग सरीखे विद्वानों ने खद्दर के अर्थशास्त्र का आधुनिक विज्ञान तथा इञ्जीनियरिङ्ग की दृष्टि से समर्थन किया है और बतलाया है कि भारत के किसान ही ऐसी कलें हैं, जिन्हें काम में लगाना आवश्यक है।

इस प्रकार गाँधी जी ने अर्थशास्त्र को भी ग़रीबों के लिए उपयोग किया, जिससे थोड़ी पूँजी तथा अधिक फ़ालतू समय रखने वाले लोग भी लाभ उठा सकें। उसमें पूँजीवाद के अत्याचार तथा यन्त्रवाद के दुष्परिणाम दोनों ही मिट जावेंगे।

ग़रीबों का दुख दूर करने के लिए संसार में और भी प्रयत्न हुए हैं। रूस में पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ने, सारी सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना देने तथा सम्पत्ति का बराबर विभाजन करने का जो प्रयत्न चल रहा है, उससे बहुत-कुछ सफलता मिली है, किन्तु उसे गाँधी जी भारत के लिए उपयुक्त नहीं समझते। न वे पूँजी वालों ही को मिटाना चाहते हैं और न ज़मींदारों ही को। व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना को मनुष्य के हृदय से बिल्कुल निकाल देने को वे असम्भव मानते हैं। सब सम्पत्ति का बराबर-बराबर बँटवारा न कभी संसार में हुआ है, न हो सकता है। उनका आदर्श केवल यह है कि सम्पत्ति का उपयोग ग़रीबों की सेवा में किया जावे, जैसा कि प्राचीन भारत में होता रहा है। ग़रीबों और अमीरों के बीच में जो इतनी अधिक विषमता है, वह न रहनी चाहिए। एक तरफ़ तो घनघोर ग़रीबी और दूसरी ओर कुबेर सरीखी अटूट धन-राशि—यह विषमता दूर होनी चाहिए। सभी मनुष्य यदि बराबर धनवान नहीं

"जुबली-नम्बर"

[कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी]

देखने वाले तआज्जुब में बहुत रहते हैं,
ख़ूब अख़बार है, अख़बार इसे कहते हैं !
हर बड़े-छोटे को मरग़ूब है "जुबली-नम्बर",
मुख़तसिर यह, कि बहुत .खूब है "जुबली-नम्बर" !
आइना बन के चमकती है सफ़ाई इसकी,
और सोने पे सुहागा है छपाई इसकी !
है सजावट में अजब रङ्ग का "जुबली-नम्बर",
हमने देखा नहीं, इस ढङ्ग का "जुबली-नम्बर" !
क्यों निछावर न हो क़ुर्बान न क्यों दिल हो जाय ?
कोई देखे इसे 'बिस्मिल' तो वह बिस्मिल हो जाय!

* * *

[श्री० 'शातिर' इलाहाबादी]

"जुबली-नम्बर" तो ऐसा निकला, कि देखते ही बनता है। किस-किस चीज़ की तारीफ़ की जाय, हर पहलू से लाजवाब है। मैं तो सिर्फ़ इतना ही कह के चुप हूँ :—

'जो बात की .खुदा की क़सम लाजवाब की'

* * *

किन्तु कोई सज्जन मँगाने के लिए ऑर्डर न दें। क्योंकि एक भी कॉपी शेष नहीं बची है।

—व्यवस्थापक 'भविष्य'

वर्त्तमान रूस

(१७वें पृष्ठ का शेषांश)

और सड़कों पर जगह-जगह दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे हुए अख़बार चिपके रहते हैं, जिनमें पञ्चवर्षीय आयोजन का परिणाम, सोशलिस्ट शासन की उत्तमता और धर्म की अनावश्यकता और उसके कुपरिणाम आदि विषयक समाचार होते हैं। ये पत्र सरकार की ओर से प्रकाशित होते हैं और सरकार ही इनको इस प्रकार मुफ़्त वितरण करती है।

वर्तमान रूस में शरीर की महत्ता है और आत्मा की उपेक्षा। खाने-पीने और पहनने के पदार्थों की विपुलता होती जाती है और आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के साधनों का अभाव कर दिया गया है। ज़ार की नृशंसता से देश मुक्त है, परन्तु लोगों में विचार-स्वातन्त्र्य नहीं है, सोवियट सरकार के शासन, ध्येय और उद्देश्य की कोई मीमांसा नहीं हो सकती और इस विषय में कोई अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकता। इसका क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। अभी तो वर्तमान रूस संसार में खलबली उत्पन्न कर रहा है और सब राजनीतिज्ञ दिग्गजों की आँखें उसकी ओर लगी हुई हैं।

* * *

हो सकते तो कम से कम उन्हें भरपेट खाने, बदन पर कपड़ा पहिनने, साफ़-सुथरे मकानों में रहने तथा उत्सव या बीमारी के समय के लिए काफ़ी सम्पत्ति होना चाहिए।

इस स्थिति को लाने के लिए महात्मा जी केवल एक उपाय बतलाते हैं, वह यह कि प्रत्येक मनुष्य अपनी ज़रूरत से अधिक सामग्री जोड़ने को हराम समझे। उनके अस्तेय-व्रत के अनुसार अपनी कम से कम आवश्यकताओं से अधिक चीज़ें रखना चोरी करने के बराबर है। इससे भी आगे बढ़ कर उनका एक और व्रत अपरिग्रह है, जिसके अनुसार स्वेच्छा से ग़रीबी स्वीकार करना सब से ऊँचा आदर्श माना जाता है। गाँधी जी चाहते हैं कि हम ग़रीबों के समान जीवन बिता कर उनसे अपने को एकाकार कर दें, तभी ग़रीबी की समस्या दूर हो सकती है। अभी विलायत के गिरजाघर में भाषण देते समय भी गाँधी जी ने यही उपदेश दिया है कि वे स्वेच्छा से ग़रीबी स्वीकार करें। यही महात्मा गाँधी जी का संसार को सब से महान सन्देश है, जिसे वे अपने नित्य-जीवन में आचरण करके आदर्श रूप से बतला रहे हैं।

एक दूसरा व्रत है, जिसे उन्होंने सप्त महाव्रतों में स्थान दिया है—वह व्रत है स्वदेशी। शायद ऐसा और कोई शब्द नहीं है, जिसका इतना अधिक अनर्थ किया गया हो जितना कि स्वदेशी का। किन्तु शायद ही कोई शब्द इसके समान सीधा तथा सरल हो। गाँधी जी स्वदेशी का अर्थ करते हैं कि जो हमारा पड़ोसी बना सकता है, उसे हम दूर लेने को न जावें; क्योंकि पहिले अपने निकटतम पड़ोसी की सहायता करना हमारा प्रधान धर्म है। इसके अनुसार पहिले नगर या ग्राम, फिर ज़िला, फिर प्रान्त, उसके बाद देश तथा अन्त में सारे संसार की सेवा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। पड़ोसी को भूखों मरने देकर दूर के मनुष्यों को खिलाना कभी धर्म नहीं हो सकता। इस भावना में विदेशियों आदि के प्रति घृणा की कोई भावना नहीं है, जैसा कि समझा जाता है। यह तत्व स्वदेशी उद्योगों की उन्नति के लिए मूलमन्त्र के समान है। ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का यह एकमात्र उपाय है। यदि हमारे नगर या ग्राम का निवासी दूसरी जगह के कारीगर की अपेक्षा ख़राब वस्तुएँ भी बनाता है, तो भी हमारा कर्तव्य है कि पहिले उसी की वस्तुएँ ख़रीदें।

इस स्वदेशी की धार्मिक भावना तथा पश्चिम के के बॉयकाट शब्द में कोई साम्य नहीं है। स्वदेशी घृणा या बदले की भावना से प्रेरित नहीं, बल्कि ग़रीबों के हित के उच्चादर्श से प्रेरित है। यद्यपि इसका फल विदेशी बहिष्कार होता है, किन्तु उद्देश्य स्वदेशी की उन्नति ही है। इसका प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में भी किया गया है, क्योंकि आर्थिक तथा राजनीतिक बातें इतनी अधिक सम्बद्ध हो गई हैं कि उनको अलग-अलग करना असम्भव हो गया है।

महात्मा जी ने स्वदेशी तथा खादी को धार्मिक रूप दे दिया है। वे चर्ख़े से बढ़ कर ईश्वर की पूजा दूसरा उपाय नहीं समझते, क्योंकि इसके द्वारा ग़रीबों की सहायत सकती है। वे इसे भारत की स्वाधीनता—आर्थिक तथा राजनीतिक स्वराज्य—का साधन मान सब से श्रेष्ठ कार्य समझते हैं। एक अङ्गरेज़ ने जब उनसे पूछा कि आपके जीवन का सब से बड़ा उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा—"यदि मैं भारत के प्रत्येक घर में चर्ख़े को पहुँचा सका तो मैं अपने जीवन-कार्य से सन्तुष्ट हो जाऊँगा। मेरे दूसरे आदर्श ईश्वर की कृपा से दूसरे जन्म में पूरे हो जावेंगे।"

* * *



महात्मा गाँधी के सामने—



जॉनबुल के सामने—

कविता-कुञ्ज

माँझी से--

[श्री० कमलाप्रसाद जी]

उस पार ! जहाँ मानस में
हो चोट नहीं तीरों की,
नीरों की जहाँ न आज्ञा
ले घूँट नयन-नीरों की।
हो शान्त स्निग्ध जगती-तल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

उस पार ! जहाँ मानस में—
लेकर न व्यथा की ढेरी,
रो ज़ार-ज़ार अबलागण
हों ज़ाराज़ा की चेरी—
कर कोमल तन को चलदल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

उस पार ! जहाँ मानस में
चिन्ताएँ व्यथित धँसी हों,
लाखों अनाथ हो जाएँ,
उनकी बस एक हँसी हो।
दीखे न कहीं ऐसा स्थल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

मानस न जहाँ फट जाए
उनके छोटे खेलों में,
युवकों का मदमय यौवन
बीते न फ़क़त जेलों में
हो जहाँ न दग्ध दृगञ्चल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

हो जहाँ न सुकुमारों पर
सबलों की सीनाज़ोरी,
नित ताण्डव-काण्ड दिखाए
फाँसी की जहाँ न डोरी।
हो शस्य-श्यामला अविकल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

दिल दहल उठे शिशुओं का
काँपें अबलागण थर-थर,
जगती की नादिरशाही
कर पुञ्जीभूत जहाँ पर—
खेले न खेल कोपानल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

क्या कहा ? कौन सा दुख है ?
क्यों है जग से घबड़ाया ?
माँझी, तू पागल भी है !
यह सब कैसी है माया ?
जो देख रहा तू प्रति पल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

क्या ? वंश ? कौन सा घर है ?
फिर कथा ? अरे अज्ञानी,
मेरी है कथा व्यथा ही
है मेरी अजब कहानी।
क्यों बहक रहा ओ पागल !
उस पार मुझे भी ले चल॥

ससीम के पार--

[श्री० लक्ष्मीनारायण जी गुप्त]

जिनमें महासिन्धु के उर के—
छिपे छलकते से अवसाद—
उन घन-खण्डों को अनन्त में,
बिखराता है मन्द-बतास।

विश्वोच्छ्वास बढ़े आँधी से,
टकराते हैं वहीं समीप।
ओहो ! बुझने ही वाले हैं—
यह झिलमिल तारों के दीप।

फेनायित मदिरा ले आता—
किसकी आज्ञा से बातास ?
प्राणों में मतवाला होकर—
अब सोता है बेसुध हास।

पतिता का श्रम-बिन्दु ढुलक कर—
आगत-निर्यातन का गान।
सुना पराग-कणों को, क्योंकर—
किस अणु में है अन्तर्धान।

अखिल प्रेम थे वक्षस्थल पर—
कर अपने स्वरूप का ध्यान।
वह विषाद हाँ, माँग रहा था—
उस सुदूर से कुछ आदान।

मैं यह सोच रहा था त्योंही—
वह चढ़ मेघों पर अविराम।
कहने लगा किलक कर कुछ-कुछ,
चमकी चपला सतत ललाम।

× × ×

"वज्र का सुन मधुमय सङ्गीत,
विसर्जन का लेकर उपहार !
क्षुद्रताओं का कर-कर अन्त,
चला अब मैं ससीम के पार !!"

❁ ❁ ❁

तू सुन कर क्या कर लेगा
तेरा है कौन ठिकाना
उर थाम सकेगा क्या तू
मैं ? मैं तो हूँ दीवाना !
यह है कठोर वक्षस्थल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

सुनना ही है तो सुन ले
हिमशृङ्ग ! काँप मत जाना,
तारागण ! इधर न देखो
री वायु ! इधर मत आना।
वेदने ! न हो तू चञ्चल।
उस पार मुझे भी ले चल॥

❁ ❁ ❁

आह्वान--

[श्री० मोहनलाल जी "श्रीपति", बी० ए०

हाथ लेखनी लिख कर क्या तू,
दिखलाएगी नग्न स्वरूप ?
अत्याचारों से यह भारत—
होता जाता है विद्रूप॥
इधर धर्म-अन्धों के द्वारा,
नष्ट हुआ जा रहा समाज।
उधर धनिक मद से मदान्ध हो,
छीन रहे नारी की लाज !!
होगा आज पतन फिर क्यों ना,
जाएँ क्यों न रसातल में।
सति का सत्य भङ्ग करने से—
क्यों न वज्र टूटे पल में॥
धर्म-परायणता फैली थी—
जिस भारत के चारों ओर।
धर्म-ओट में अब शिकार का
वहीं मचा है काफ़ी शोर !!
थे जो परम-पुनीत पुरी-पुर,
अथवा धवल-धर्म के क्षेत्र।
अड्डे और अखाड़े अघ के—
देख, बहाते आँसू नेत्र॥
ऋषी-मुनी, साधू-संन्यासी,
करते थे जहँ तत्व विचार।
वहाँ आज पण्डे-पुजारिगण—
करते हैं नित पापाचार !!
हे भगवान ! भक्त-भय-हारी,
करहु कृपा कर इतना काज।
एक बार फिर से तुम आकर—
रख लो भारत-माँ की लाज॥

❁ ❁ ❁

गोलमेज़-भविष्य

[श्री० गङ्गाविष्णु जी पाण्डेय, विद्याभूषण, "विष्णु"]

टैक्स में हैं लेते कुछ, माल में हैं लेते कुछ,
बचा-खुचा द्रव्य खींच लेते एक्सचेञ्ज में।
गाँधी-इरविन-सन्धि का जो हो रहा है हाल,
ऐसा और भी कहीं है देखा ओल्ड एज में ?
भारत स्वतन्त्र कर देने का उदार भाव,
देता है दिखाई क्या किसी भी अँगरेज़ में।
दौड़े आप लोग यों भले ही जायँ लन्दन को,
किन्तु कुछ होना-जाना है न, गोलमेज़ में।

सत्याग्रह-शक्ति

सैकड़ों उपाय करते हैं, किन्तु होते व्यर्थ,
चालें कोई भी विदेशियों की चलतीं नहीं।
हो निशङ्क कार्य करती ही जाती है, ज़रा भी,
'विष्णु' जनता है लाठियों से डरती नहीं।
गाँधी के बताए हुए मार्ग पर जाती चली,
सत्य से परन्तु एक पग टलती नहीं।
शान्तिपूर्ण हिंसाहीन सत्याग्रह के समक्ष,
ब्रिटेन की कोई शक्ति काम करती नहीं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बम्बई की एक प्रतिभाशाली पारसी-युवती—कुमारी पीलू एम० वेसेवा वाला, जिन्हें लीड्स (इङ्गलैण्ड) विश्व-विद्यालय ने इस वर्ष "मास्टर ऑफ़ एजुकेशन" की डिग्री से विभूषित किया है।



मद्रास नेथाबाई कन्याशाला की श्रीमती सीताभाई—जो अर्थ-शास्त्र का गम्भीर अध्ययन करने के अभिप्राय से शीघ्र ही अमेरिका जाने वाली हैं।



श्रीमती सी० मायादास—जो जनेवा में होने वाली अखिल-विश्व-अन्तर्राष्ट्रीय महिला-परिषद में भारतीय-महिला प्रतिनिधि की हैसियत से पधारी हैं।



मद्रास के क्वीन्स मेरी कॉलेज की वे छात्राएँ, जो इस वर्ष ग्रेजुएट हुई हैं। यह ग्रुप केवल उन्हीं छात्राओं का है, जो केवल क्वीन्स मेरी कॉलेज से विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुई थीं।



श्रीमती लीलादेवी—जो इस वर्ष गुण्टूर (मद्रास) की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं।



मेजर-जनरल जनकसिंह—जो मेजर दुबे के स्थान पर काश्मीर-स्टेट के अर्थ-सचिव नियुक्त हुए हैं।



बर्लिन (जर्मनी) के अजायबघर में रक्खा हुआ 'सारन' नामक विशाल पक्षी का ढाँचा। संसार के किसी दूसरे अजायबघर में इस विचित्र पक्षी का ढाँचा नहीं मिलेगा।



काश्मीर और जम्मू स्टेट के नए प्रधान-सचिव—राजा हरिकिशन कौल—जो शासन-चातुर्य में अपना सानी नहीं रखते।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



हवाई द्वीप की नर्तकियाँ—जो नृत्य-कला में अत्यन्त प्रवीण होती हैं। ये फूलों से सजी रहती हैं। इनके नृत्य के विषय में ग्राम के कवि लोग कविताएँ बना कर गाते फिरते हैं।



कौमारवेश और चटाई के साथ टोंगा द्वीप की एक कन्या।



☞

पाजामा पहने हुए स्कुटारी की तीन सुन्दरियाँ

स्कुटारी (अलबेनिया) में प्रायः ईसाइयों और मुसलमानों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध होते हैं। स्त्रियाँ रेशम अथवा सूत के ढीले और बड़े-बड़े पाजामे पहिनती हैं। घर के बाहर ये अपने शरीर को बुर्क़ों से ढँक लेती हैं।



सीसी और सुअर के दाँत के आभूषणों से युक्त पाली-नीशिया की एक सुन्दरी।



बर्मा का बहुत प्राचीन और सुप्रसिद्ध श्वेडेगोन नामक विशाल मन्दिर—जो अपनी नाना प्रकार की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।



आयर्लैंड के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता—स्वर्गीय मेक्स्विनी—जिन्होंने उपवास को ही मुक्ति का साधन मान कर, विदेशी सत्ता की जड़ हिला दी थी।



अपनी धर्मपत्नी सहित श्री० सुखदेव जी अग्रवाल आप गोंदिया कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री तथा उत्साही कार्यकर्ता हैं और नौ मास तक कठिन कारागार भोग चुके हैं। देवी जी पर्दा-प्रथा तोड़ने वाली सर्व-प्रथम मारवाड़ी महिला हैं।



अमेरिका-पुलिस की एक मेक्ज़िको—बालिका—जो पुलिस के एक पुरुष-अफ़सर को 'जियू जित्सु' नामक दाव-पेंच सिखा रही है।



राजपूताना के सुप्रसिद्ध दार्शनिक—महात्मा श्री० उत्तमनाथ जी महाराज



श्रीमती डॉ० मालिनीबाई भालचन्द्र सुखतङ्कर, एम० बी०, बी० एस०—जिन्हें बम्बई के कॉरपोरेशन ने अपना कौन्सिलर निर्वाचित किया है।



श्री० नरसिंहदास जी अग्रवाल, विशारद—आप जबलपुर ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सभापति हैं और साल भर की सज़ा काट चुके हैं।



मिस एम० हण्डरसन, जिनकी चित्रकला सम्बन्धी निपुणता के लिए बम्बई के सर जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट ने 'मेयो मेडल' नाम का पदक प्रदान किया है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



संसार की यह सबसे छोटी किश्ती है। इसकी लम्बान कुल ३ फ़ीट है, जिसे बर्लिन (जर्मनी) के एक कारीगर ने तैयार की है। बीच के सूराख़ में धड़ डाल कर और हाथ से दोनों ओर लगी हुई चर्ख़ी घुमाने से किश्ती बहुत तेज़ भागती है। आगे अथवा पीछे दोनों ओर इसे चलाया जा सकता है।



श्रीमती शकुन्तलाबाई इनामदार—आप औंध रियासत की रहने वाली हैं। चर्ख़ा प्रतियोगिता में आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।



श्रीमती भारती अम्मल, बी० ए०, एल० पी०—जो ट्रावङ्कोर राज्य द्वारा वहाँ की कन्या-पाठशालाओं की असिस्टेण्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त हुई हैं। इस राज्य की यह पहली महिला हैं, जिन्हें यह उच्च पद प्रदान किया गया है।



शिमला-शैल पर वायसरॉय के रहने का गगनचुम्बी राज-महल



डॉक्टर रामनाथ, एम० एस्-सी०, डी० आई० सी०, पी० एच०,डी० (लण्डन)—काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय ने आपको भूगर्भ विद्यान्तर्गत शिलाजात (Paleontology) विद्या का प्रोफ़ेसर नियुक्त किया है।



स्वर्गवासिनी श्रीमती त्रिवेणी बाई वीरापुरी—आप वारसी (ज़िला शोलापुर) की एक प्रमुख कार्यकर्त्री और 'वीर प्रभा' नाम की विख्यात पत्रिका की सम्पादिका थीं। आपके अकाल स्वर्गवास से इस ज़िले की बड़ी क्षति हुई है।



बुरा ज़माने के हम इसलिए नहीं कहते, कि है शुमार तुम्हारा भी तो ज़माने में !
अभी तो मेरी वफ़ाओं की क़द्र ख़ाक नहीं, ज़माना याद करेगा किसी ज़माने में ।

लड़ें वह मेरी एवज़ मुझसे रहम खा-खाकर,
अगर हों लैलीयो शीरीं तेरे ज़माने में !
मआले[1] कार ख़ुदा जाने "दाग़" क्या होगा,
ख़ुदा से काम पड़ा आख़िरी ज़माने में !

—"दाग़" देहलवी

लिखा गया यह मेरी उम्र के फ़िसाने[2] में,
बहुत से ग़म हुए इस मुख़्तसिर[3] ज़माने में !
वह कह रहा है, जो की हो वफ़ा तो मैं भी करूँ,
किसी के साथ, किसी ने, किसी ज़माने में !
चलो ख़ुशी न मिली, हमको रंजोग़म तो मिले,
किसी तरह तो बसर हो गई ज़माने में !
बुरा ज़माने को हम इसलिए नहीं कहते,
कि है शुमार तुम्हारा भी तो ज़माने में !
बहारे उम्र, कोई बाग़ की बहार नहीं,
गई ज़माने से और आ गई ज़माने में !
बयाने ऐशे-गुज़शिता[4] से अब है क्या हासिल,
पुराने वक़्त की बातें नए ज़माने में !
निगाहे ग़ौर से मैं देखता हूँ तारों को,
यह उनके ज़र्रे हैं जो मिट गए ज़माने में !
हमें कुछ और तरद्दुद, तुम्हें कुछ और अफ़कार[5],
ग़रज़ कोई भी नहीं चैन से ज़माने में !
हमीं हैं वजह मसर्रत[6], हमीं हैं बाइसे[7] ग़म,
अगर हमीं नहीं, तो कुछ नहीं ज़माने में !
यह वाक़िआ नहीं दुनिया को भूलने वाला,
ज़माना ग़र्क़[8] हुआ "नूह" के ज़माने में !

—"नूह" नारवी

वफ़ा में हम हैं, वह कामिल हैं ज़ुल्म ढाने में,
यह बात फैल गई हर तरफ़ ज़माने में !
फ़ुज़ूल सर्फ़[5] किया वक़्त, आने-जाने में,
हमारी सैर न पूरी हुई ज़माने में !
अभी तो मेरी वफ़ाओं की क़द्र ख़ाक नहीं,
ज़माना याद करेगा किसी ज़माने में !
यह क्या ग़ज़ब है, कहीं वह नज़र नहीं आता,
निगाहें ढूँढ़ रही हैं उसे ज़माने में !
किसी को क़त्ल, किसी को हलाक कर डाला,
वह चाहते हैं हमीं हम रहें ज़माने में !
फ़ना[9] के बाद यह इश्क़ो वफ़ा की क़द्र हुई,
फिराई जाती है मैयत[10] मेरी ज़माने में !

१—नतीजा, २—कहानी, ३—संक्षेप, ४—गुज़रा हुआ आनन्द, ५—फ़िक्र, ६—आनन्द, ७—सबब, ८—डूबा, ९—मरने पर, १०—लाश,

ज़माने भर में तो है उसके हुस्न का चर्चा,
किसी ने शक्ल न देखी मगर ज़माने में !
करो जो ग़ौर तो दिल ही ज़लीलो ख़्वार नहीं,
निगाहे नाज़ भी बदनाम है ज़माने में !

घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी क्या थे, अभी क्या हो ?

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

अगर उसका मेरा झगड़ा यहीं तै हो तो अच्छा हो,
ख़ुदा जाने ख़ुदा के सामने कल क्या न हो, क्या हो ?
न उल्फ़त हो, न आफ़त हो, न शिकवा[1] हो, न झगड़ा हो !
बुरा उनको जो अपने दिल में हम समझें तो अच्छा हो,
गुज़रती है बहारे[2] ज़िन्दगी किस वहम[3] बातिल में,
जो ऐसा हो, तो ऐसा हो, जो ऐसा हो तो ऐसा हो !
हमें उस शोख़ हरजाई पे क्योंकर एतबार आए,
किसे मालूम किसका था, वह किसका है, वह किसका हो ?
वह हरदम की अयादत[4] से, मेरी घबरा के कहते हैं,
ग़ज़ब में जान है अपनी; न मर जाए, न अच्छा हो !
तुम्हारे वादए फ़रदा[5] पे क्योंकर एतबार आए,
घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी क्या थे, अभी क्या हो ?
बजा है वाक़ई तक़सीर[6] जो कुछ है हमारी है,
न हम शिकवा करें उनका, न हमसे उनसे झगड़ा हो !
उन्हीं के ज़ुल्म का शिकवा उन्हीं से क्यों किया मैंने,
वह क्या जानें करें क्या जौर[7] अब क्या जानिए क्या हो ?
मुहब्बत में हज़ारों ज़ुल्म लाखों रंज होते हैं,
मुनासिब तो यही अब है ; न मैं चाहूँ न तुम चाहो !
नहीं एक चाल तुम चलते, नहीं एक तरह तुम रहते,
ज़माना हो, फ़लक[8] हो, गरदिशे तक़दीर, हो क्या हो ?
हज़ार अफ़सोस उस पर और उसकी कमनसीबी पर,
जिसे हसरत की हसरत हो, तमन्ना की तमन्ना हो !
वह फ़रमाते हैं मुझको देख कर मैं तो न मानूँगा,
अगर यह "नूह" है तूफ़ान उठाए ग़र्क़ दुनिया हो !

१—शिकायत, २—पुरुष, ३—झूठा ख़याल, ४—किसी बीमार को देखने जाना, ५—कल का वादा, ६—क़सूर, ७—ज़ुल्म, ८—आकाश ।

नज़र न आओ किसी को तो है नज़र का क़ुसूर,
हज़ार शक्ल से ज़ाहिर हो तुम ज़माने में !
मेरी निगाह से देखें वह तेरी आँखों को,
दिखा रही हैं जो आँखें मुझे ज़माने में !
हज़ार बार जिए, हम हज़ार बार मरे,
यह ज़िन्दगी थी, कोई ज़िन्दगी ज़माने में !

ख़ुद उनको चाहने वालों की आरज़ू होगी,
अगर बदल गई दुनिया किसी ज़माने में !
किसी को नाज़, किसी को है रश्क[11] ऐ "बिस्मिल",
कि इतने हो गए मशहूर हम ज़माने में !

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

मिला जो लुत्फ़ हसीनों को दिल दुखाने में,
रहा न चैन से दम भर कोई ज़माने में !
हिजाब[12] इसलिए है उनको बाहर आने में,
कि देख ले न ज़माना कहीं ज़माने में !
मेरी फ़ुग़ाँ[13] को समझते हैं आप बेतासीर,
कहीं न आग लगा दे यही ज़माने में !
वह कहते हैं कि ज़माना है चाहने वाला,
मगर मिलेगा न मुझसा उन्हें ज़माने में !
हवाए शौक़ ने बरबादे इश्क़ ही रक्खा,
फिरा रही है मुझे हर तरफ़ ज़माने में !
मिलेंगे और हसीं दिल अगर सलामत है,
फ़क़त नहीं हो तुम्हीं ख़ूबरू[14] ज़माने में !
शिकायते ग़मो आज़ार[15] क्या करूँ सरे हश्र[16],
यह ख़त्म हो नहीं सकती किसी ज़माने में !
अज़ल[17] की याद दिलाएँगे उनको हश्र के दिन,
कि हम-तुम एक जगह थे किसी ज़माने में !
ग़ज़ल यह ख़ूब कही तुमने हज़रते "बिस्मिल",
कई ज़माने नज़र आए इक ज़माने में !

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

यह कह के महव है आँसू कोई बहाने में,
मुझे भी ऐश था हासिल किसी ज़माने में !
मज़ा इसे बहुत आने लगा सताने में,
मिटा रहा है ज़माना हमें ज़माने में !
हम अपने हाल पे रोते हैं बैठ कर क्या-क्या,
उड़ाई जाती है ऐसी हँसी ज़माने में !
यूँहीं जिएँगे जो बेनामो बेनिशाँ होकर,
हमारा नामोनिशाँ रह चुका ज़माने में !
अगर यह सच है कि इनक़ेलाबे[18] आलम को,
हमारे दिन भी फिरेंगे किसी ज़माने में !
हम इसको जानते हैं, यह हमें भी है मालूम,
कि साथ देगा न कोई गिरे ज़माने में !
सबब यह है जो निशाना बने हैं ऐ "बिस्मिल",
हमीं को ताक लिया सबने अब ज़माने में !

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

११—जलन, १२—पर्दा, १३—फ़रियाद, १४—अच्छी सूरत वाले, १५—दुख, १६—प्रलय, १७—आदि, १८—उलट-पलट ।



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

जर्मनी का शासन-विधान

सन् १९१८ तक जर्मनी में कैसर-शाही की तूती बोलती थी। राजतन्त्र का बोलबाला था। जर्मन-साम्राज्य संसार में एक सुसङ्गठित साम्राज्य समझा जाता था। प्रजा भी अपने सम्राट से सन्तुष्ट थी। साम्राज्यवाद में चालीस वर्ष के इतिहास में जर्मनी ने आशातीत उन्नति की थी। दूसरे देशों में भी जर्मन-साम्राज्य की बड़ी प्रशंसा होती थी।

परन्तु गत यूरोपीय महायुद्ध ने जर्मन-साम्राज्य के बारे में लोगों के बिचार बदल दिए। संसार को साम्राज्यवाद के मख़मली दस्ताने के अन्दर से फ़ौलादी पञ्जा स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रजातन्त्रवाद संक्रामक रोग की भाँति सारे यूरोप में फैल रहा था। उसकी लहरें राजसिंहासनों से टकरा रही थीं। रूस में ज़ार-शाही का अन्त हो रहा था और शासन की बागडोर जनता के हाथों में आ रही थी। भला जर्मनी इस लहर से कैसे बच सकता था? परन्तु उस समय जर्मन-साम्राज्य का भाग्यविधाता सम्राट होता था, जिसे क़ैसर (Caesar) कहते थे। सन् १८६७ में जिस समय उत्तरीय जर्मन-सङ्घ (North German Confederation) का निर्माण हुआ था, तो जर्मनी के प्रशा नामक प्रदेश का राजा उनका सभापति चुना गया था। परन्तु चार वर्ष पश्चात् वह जर्मन-साम्राज्य का सम्राट बन बैठा, पर ऐसा करने से उसके अधिकारों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इसके लिए किसी सिंहासन का निर्माण न किया गया था और न कोर्ट, वेतन आदि ही निश्चित हुआ था।

परन्तु प्रशा के राजा को सम्राट की हैसियत से दो क्षेत्रों में विशेष शासनाधिकार प्राप्त थे। उनमें प्रथम राष्ट्रीय रक्षा (National Defence) और द्वितीय था वैदेशिक सम्बन्ध। इसके सिवा साम्राज्य की सेना का वह प्रधान सेनापति था। शान्ति के समय जर्मनी की सेना के सङ्गठन का वही निरीक्षण करता था और युद्ध के समय तो वह सेना का सर्वेसर्वा ही था। स्थल-सेना की तरह जल-सेना का भी वही प्रधान सेनापति था। वह युद्ध की घोषणा कर सकता था, पर साम्राज्य की पार्लामेण्ट की बड़ी सभा से उसे मञ्ज़ूरी लेनी पड़ती थी। पर यदि हठात् कोई शत्रु जर्मनी पर चढ़ आवे तो वह बिना किसी की मञ्ज़ूरी लिए ही युद्ध-घोषणा कर सकता था।

पूर्वोक्त वैदेशिक नीति सम्बन्धी अधिकार से अन्य देशों में जर्मन दूतों की नियुक्ति वही करता था। विदेशी दूत उसी के आदेशानुसार कार्य करते थे। इस सम्बन्ध में उसके अधिकार वही होते थे, जो आजकल अमेरिका के प्रेज़ीडेण्ट के हैं। वह अन्य देशों के साथ सन्धियाँ और उनसे मित्रता कर सकता था, इसके लिए उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता न थी। पुराने विधान के अनुसार जर्मनी में एक पार्लामेण्ट होती थी, जिसकी छोटी और बड़ी दो शाखाएँ होती थीं। बड़ी सभा को बण्डस्रट (Bundesret) और छोटी को रीचस्टेग (Reichstag) कहते थे। पहली सभा जर्मनी-साम्राज्य के अन्तर्गत राज्यों की प्रतिनिधि सभा थी और दूसरी में जनता के प्रतिनिधि होते थे। बड़ी सभा में ५८ सदस्य होते थे। इनकी नियुक्ति राज्यों की तरफ़ से होती थी। प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होता था। अनेक राज्यों के दो, चार या छः सदस्य भी होते थे। प्रशा के १७ सदस्य होते थे। फलतः कुल सभा के तिहाई से कुछ कम सदस्य प्रशा के प्रतिनिधि होते थे। तथापि आबादी के अनुसार प्रशा के सदस्यों की संख्या आधे से कुछ अधिक होनी चाहिए थी। इन सदस्यों के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि न थी। प्रत्येक राज्य अपने सदस्यों को जब चाहता, वापस बुला सकता था। सदस्य-गण अपने-अपने राजा के आदेशानुसार मत देते थे। प्रत्येक राज्य के सदस्य एक होकर मत देते थे। अर्थात् मत राज्य का होता था, न कि सदस्य का। राज्य का एक सदस्य भी वोट दे सकता था। इसलिए यह आवश्यक न था कि राज्य के सभी सदस्य उपस्थित हों। वास्तव में यह सभा जर्मन साम्राज्यान्तर्गत राज्यों के दूतों की सभा होती थी।

छोटी सभा में प्रायः ४०० सदस्य होते थे। इनको जनता चुनती थी। प्रत्येक निर्वाचन-स्थान से एक सदस्य चुना जाता था। यों तो क़ानून बनाने में दोनों सभाओं के अधिकार बराबर थे, पर वास्तव में बड़ी सभा का अधिक हाथ होता था। प्रायः सभी आवश्यकीय बिल वहीं से प्रारम्भ होते थे। सम्राट जब चाहता, बड़ी सभा की सम्मति से छोटी सभा को तोड़ सकता था। अनेक अवसरों पर बड़ी सभा से सहमत न होने पर छोटी सभा तोड़ दी जाती थी। छोटी सभा का शासन पर कोई अधिकार न था। इन्हीं सब कारणों से छोटी सभा का प्रभुत्व नहीं के बराबर था। वह सदा बड़ी सभा का अनुकरण किया करती थी। किसी एक दल का छोटी सभा में बहुमत न होता था, और शासकगण एक दल को दूसरे दल से भिड़ाया करते थे।

पार्लामेण्ट की छोटी और बड़ी दोनों सभाओं को सम्राट् ही बुलाता था। छोटी सभा को वह बड़ी सभा की मञ्ज़ूरी से तोड़ भी सकता था। पार्लामेण्ट द्वारा पास किए गए तमाम क़ानूनों को वही जारी करता था। पर वह किसी क़ानून को रोक नहीं सकता था। दोनों सभाओं से पास होते ही बिल क़ानून बन जाता था। परन्तु जर्मन सम्राट् होने के अतिरिक्त वह अपने प्रशा-प्रदेश का स्वतन्त्र राजा भी था, अतः बड़ी सभा के तिहाई सदस्य उसके अधीन थे। फलतः वह जिस बिल को नापसन्द करता था, उसका बड़ी सभा से पास होना अत्यन्त कठिन था।

इसके सिवा उन दिनों जर्मनी में एक चान्सलर होता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती थी। सम्राट् की तमाम आज्ञाओं पर चान्सलर के हस्ताक्षर होते थे। वह अपने कामों के लिए पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। वह केवल सम्राट् के प्रति ही उत्तरदायी होता था। यह चान्सलर बड़ी सभा का सभापति भी होता था। इसके सिवा छोटी सभा के वाद-विवादों में भी वह भाग ले सकता था। चान्सलर के अधीन मन्त्री होते थे। मन्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न होती थी। उनका काम था, चान्सलर की आज्ञाओं को कार्यान्वित करना। प्रिन्स बिसमार्क जर्मनी का प्रथम चान्सलर था। लोगों की धारणा है कि लूथर के बाद बिसमार्क ही सबसे बड़ा जर्मन राजनीतिज्ञ था।

जर्मनी के पुराने शासन-विधान को समझने के लिए प्रशा का शासन-विधान समझना अत्यावश्यक है। जर्मनी के अन्य सब राज्य मिल कर भी प्रशा से छोटे पड़ते थे। इसलिए जर्मन-पार्लामेण्ट में प्रशा की ही तूती बोलती थी। प्रशा में एक मन्त्रि-मण्डल तथा एक प्रधान मन्त्री होता था। पर वे जर्मन-पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी न थे। इसके सिवा जर्मन-पार्लामेण्ट के चुनाव का ढङ्ग ऐसा था कि बड़े-बड़े टैक्स देने वालों का पार्लामेण्ट में प्रभाव था। बिसमार्क ने एक अवसर पर कहा था कि जर्मनी की उन्नति का श्रेय उसकी सेना को है, न कि पार्लामेण्ट को। सेना ही सदा जर्मन-साम्राज्य का प्रधान अङ्ग रही है। क़ैसर ने एक बार अपनी प्रजा से कहा था कि 'वोट' तुम्हारे हैं, पर गोलियाँ हमारी हैं ("Ballots are yours, but bullets are mine".)।

जर्मनी की पुरानी सरकार का अन्त ९ नवम्बर, सन् १९१८ को हुआ। परन्तु यूरोपीय महायुद्ध के पूर्व से ही साम्राज्य का प्रभाव जनता पर से हट रहा था। सामाजिक लोकतन्त्रवादी (Social Democrats) ज़ोरों से सुधार माँग रहे थे। सन् १९०८ में सम्राट् ने उत्तर-दायित्व के सिद्धान्त को मानने का जनता को आश्वासन दिया था, पर उसने अपने वचन को कार्यान्वित नहीं किया। सन् १९१२ में छोटी सभा ने चान्सलर पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर, उससे त्यागपत्र देने को कहा। परन्तु चान्सलर ने स्तीफ़ा नहीं दिया और कहा कि मैं केवल सम्राट् के प्रति उत्तरदायी हूँ, पार्लामेण्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद से धीरे-धीरे जनता में असन्तोष बढ़ता रहा।

परन्तु युद्ध प्रारम्भ होते ही जनता चुप हो गई और सुधार के लिए आन्दोलन करना स्थगित कर दिया। इस समय सामाजिक लोकतन्त्रवादियों ने भी सरकार का पूर्ण समर्थन किया और युद्ध के लिए उसे प्रचुर धन दिया गया। इसके बाद जर्मनी की प्रारम्भिक जीतों ने जनता में और भी उत्साह भर दिया, इसलिए जनता सुधार की बात एकदम भूल गई। परन्तु बहुत शीघ्र जनता को असलियत का पता लगने लगा। वह समझ गई कि जर्मनी की विजय कोई सरल कार्य नहीं है। न मालूम युद्ध कब तक चले और अन्त में किस पक्ष की विजय हो। जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। अब तक तो वह शीघ्र विजय की आशा से उन कष्टों को सह रही थी, पर जब उसे शीघ्र विजय के कोई लक्षण न दिखाई पड़े, तो वह कष्टों से ऊबने लगी। और देश में राजनीतिक असन्तोष बढ़ने लगा। शासकों ने कठोरता से काम लिया। विरोधी पत्रों को दबा दिया गया। विरोधी या तो जेलों में बन्द कर दिए गए या युद्ध-क्षेत्र में भेज दिए गए। पर इतना प्रयत्न करने पर भी जनता में असन्तोष बढ़ता ही गया। फलतः अन्त में सरकार

को झुकना पड़ा। उसने कुछ सुधारों को स्वीकार किया। पर साथ ही यह शर्त लगा दी कि युद्ध के पश्चात् ही सुधारों को कार्यान्वित किया जावेगा।

इसी बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं और इन दोनों घटनाओं ने जर्मनी के इतिहास को एकदम बदल दिया। इनके कारण जनता का असन्तोष इतना बढ़ गया कि सरकार से कुछ करते-धरते न बना। पहिली घटना थी, मार्च १९१७ की रूसी-क्रान्ति। इस क्रान्ति ने जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादियों में नई रूह फूँक दी। यदि रूसी जनता ज़ारशाही का नाश कर सकती थी, तो जर्मनी की जनता भी क़ैसरशाही को दफ़ना सकती थी। लोकतन्त्रवादियों ने असन्तुष्ट जनता को भड़काना प्रारम्भ किया। पार्लामेण्ट की छोटी सभा का एक साम्यवादी सदस्य मञ्च पर चढ़ गया और घोषित किया कि जर्मनी में शीघ्रातिशीघ्र प्रजातन्त्र स्थापित होगा। सभा में तूफ़ानी वाद-विवाद होने लगे। फलतः सरकार को सभा भङ्ग कर देनी पड़ी।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही जर्मनी की जनता समझ गई कि या तो युद्ध अब और भी बहुत दिनों तक चलेगा या शीघ्र ही जर्मनी की हार होगी। सरकार ने जनता से बारम्बार कहा कि अमेरिका की सेना के युद्ध-क्षेत्र में आने से पहिले ही हमारी विजय होगी, परन्तु जनता ने इस बात पर विश्वास नहीं किया।

इन दोनों घटनाओं के कारण जनता में असन्तोष की आग बुरी तरह भड़क उठी। सरकार ने भी स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वह सुधारों को बराबर टालती रही। वह अब भी विजय का स्वप्न देख रही थी। परन्तु शीघ्र ही उसकी आँखें खुल गईं। क्योंकि जर्मन-सेना बराबर पीछे हटने लगी। उसके जीते हुए स्थान एक के बाद एक तेज़ी से उसके अधिकार से निकलने लगे। सरकार घबरा उठी और शीघ्रातिशीघ्र शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करने लगी। अन्त में यहाँ तक नौबत आई कि उसने अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट विलसन के पास सन्देशा भेज कर शान्ति की प्रार्थना की। इधर प्रजातन्त्रवादियों का भी ज़ोर बढ़ गया और सरकार को बाध्य होकर उनकी अधिकांश माँगें स्वीकार करनी पड़ीं। नवीन चान्सलर चुना गया। चुनाव-सम्बन्धी सुधार जारी किए गए। मन्त्रियों को पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और छोटी सभा के स्थान पुनः बाँटे गए।

परन्तु सामाजिक लोकतन्त्रवादी और स्वतन्त्र साम्यवादी अब इतने ही सुधारों से सन्तुष्ट न हो सकते थे। वे पूर्ण प्रजातन्त्र चाहते थे। जर्मनी के श्रमजीवी भी उनकी माँगों का समर्थन कर रहे थे। प्रेज़िडेण्ट विलसन ने भी कहा कि जर्मनी के साथ उस समय तक रियायत न की जायगी, जब तक क़ैसरशाही का अन्त न कर दिया जावेगा। इधर कील नामक स्थान में जर्मनी के एक बेड़े ने विद्रोह कर दिया। इसके तीन दिन बाद ही बवेरिया ने भी बग़ावत का झण्डा खड़ा कर दिया। जनता ने क़ैसर से सिंहासन छोड़ देने और प्रजातन्त्र की स्थापना करने का तक़ाज़ा किया। यह विद्रोहानल बढ़ते-बढ़ते बर्लिन तक जा पहुँची। सरकार को यह आग बुझाने की हिम्मत ही न पड़ी। राजधानी को चान्सलर के अधिकार में छोड़ कर क़ैसर सेना के निवास-स्थान में जाकर छिप गया और अन्त में ९ नवम्बर को चान्सलर ने घोषणा की कि सम्राट ने सिंहासन छोड़ दिया।

इसके बाद सामाजिक लोकतन्त्रवादियों का नेता फ़्रीडरिक एबर्ट (Friedrich Ebert) नवीन चान्सलर नियुक्त किया गया। क़ैसर हॉलैण्ड भाग गया। पुराने सैनिक नेता प्राण लेकर स्वीडन या स्वीटज़रलैण्ड भाग गए। सारे देश में उलट-पलट होने लगा। राजाओं, बड़े ड्यूकों और छोटे ड्यूकों तथा शाहज़ादों ने अपने-अपने अधिकार छोड़े। उनके स्थानों पर अस्थायी कौन्सिलों की स्थापना हुई। इस प्रकार एक सप्ताह में ही जर्मनी एकतन्त्र से साम्यवाद प्रजातन्त्र में परवर्तित हो गया और तुर्रा यह कि ख़ून का एक बूँद भी नहीं गिरा।

पुरानी सरकार के स्थान पर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। एबर्ट ने छः सदस्यों की एक कौन्सिल बनाई। तीन सदस्य सामाजिक लोकतन्त्र दल के थे और बाक़ी तीन स्वतन्त्र साम्यवादी दल के। उसी समय यह भी घोषणा की गई कि जनता एक विधान-विधायिनी सभा चुनेगी और वही सभा भावी सरकार का निर्माण करेगी। जब तक भावी सरकार का निर्माण न हो जावे, तब तक उपर्युक्त कौन्सिल देश का शासन करेगी। इसी अस्थायी सरकार ने शान्ति स्थापित की।

परन्तु युद्ध समाप्त होते ही कौन्सिल में दो दल हो गए। तीन सामाजिक लोकतन्त्रवादी सदस्य केवल राजनीतिक क्रान्ति चाहते थे और जो कुछ हो गया था, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। परन्तु स्वतन्त्र साम्यवादी आर्थिक क्रान्ति भी चाहते थे। वे अपने काम को अधूरा समझते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। जर्मनी भर में रूस की भाँति मज़दूरों और सैनिकों की कौन्सिलों का सङ्गठन किया गया। कौन्सिल में सामाजिक लोकतन्त्रवादियों की विजय हुई। स्वतन्त्र साम्यवादी कौन्सिल से अलग हो गए। उनके अलग होते ही जहाँ-तहाँ कम्यूनिस्ट विद्रोह होने लगा। एबर्ट ने रिक्त स्थानों को सामाजिक लोकतन्त्रवादियों से भर कर पूरा कर लिया और क्रान्ति दबा दी गई।

जनवरी सन् १९१९ में विधान-विधायिनी सभा का चुनाव हुआ। जर्मनी भर में चुनाव की धूम मच गई। ४२३ सदस्य चुने गए। इनमें ३९ औरतें भी थीं। दूसरे महीने वीमर (Weimer) नामक स्थान में सभा की बैठक हुई। सभा का काम था नवीन जर्मन-प्रजातन्त्र के लिए एक विधान तैयार करना।

वीमर-सभा (Weimer Assembly) में सभी पुराने दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। सामाजिक लोकतन्त्रवादियों के १६५, यानी कुल सभा के तिहाई सदस्य थे। सभा ने शीघ्रता से कार्य आरम्भ किया। चार दिनों में भावी सरकार की एक अस्थायी योजना तैयार हो गई। एबर्ट अस्थायी प्रेज़िडेण्ट नियुक्त हुआ। फ़िलिप स्चीडमैन (Philip Scheidmann) उसका चान्सलर बनाया गया। मन्त्रि-मण्डल का भी निर्माण किया गया। सभा ने कुछ अस्थायी क़ानून भी बनाए। काम पूरा करने के लिए कुछ कमिटियाँ भी बनाई गईं।

३१ जुलाई, १९१९ को सभा ने एक विधान पास किया। ग्यारह दिन पश्चात् विधान लागू हो गया। स्वीकृति के लिए यह विधान जनता के सम्मुख नहीं रक्खा गया। यह विधान जर्मनी का वर्तमान शासन-विधान है।

पार्लामेण्ट की दोनों सभाओं के दो-तिहाई वोट से विधान में संशोधन किए जा सकते हैं। अगर बड़ी सभा, छोटी सभा द्वारा पास किए हुए किसी संशोधन को स्वीकार न करे, तो दो सप्ताह में उक्त संशोधन लागू हो जाता है, बशर्ते कि बड़ी सभा उसे जनता के सामने रखने को न कहे। परन्तु जनता के सामने जाने पर जब तक जनता संशोधन को पास न कर दे, तब तक वह लागू नहीं हो सकता। जनता स्वयं भी किसी संशोधन को एक प्रार्थना (Initiative Petition) द्वारा उपस्थित कर सकती है और तत्पश्चात् उसे वोटों (Referendum) द्वारा स्वीकार कर सकती है। पर एक संशोधन उसी समय जनता द्वारा स्वीकृत समझा जाता है, जब कुल वोटरों का बहुमत उसके पक्ष में अपनी राय दे दे। यही नहीं कि केवल वोट डालने वाले वोटरों का बहुमत ही पक्ष में हो।

विधान में कहा गया है, "जर्मनी एक प्रजातन्त्र राज्य है और जनता ही तमाम राजनीतिक अधिकारों की जननी है।" जर्मनी के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य प्रजातन्त्र होना चाहिए। उसमें एक ज़िम्मेदार मन्त्रि-मण्डल होना चाहिए। धारा-सभा का चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के सिद्धान्त पर। उपर्युक्त बातों को मानते हुए प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता है कि वह अपना विधान स्वयं तैयार कर ले और अपनी सरकार का स्वयं सङ्गठन करे।

कुछ स्पष्ट अधिकार राष्ट्रीय सरकार को दे दिए गए हैं। बाक़ी अधिकार अधीन राज्यों के हाथों में हैं। इस बारे में जर्मनी में एक विशेषता है। कुछ बातों में केवल राष्ट्रीय सरकार को ही अधिकार (Exclusive Jurisdiction) दिए गए हैं और कुछ बातें ऐसी हैं कि यदि राष्ट्रीय सरकार उनको अपने हाथ में नहीं लेती तो वह राज्यों के हाथ में चली जाती हैं। कुछ बातों में विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय सरकार को अधिकार दिए गए हैं। कुछ बातों में राष्ट्रीय सरकार मुख्य-मुख्य सिद्धान्त निश्चित कर देती है। बाक़ी काम राज्य करते हैं। टैक्स के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार के अधिकार असीम हैं। पर यदि राष्ट्रीय सरकार राज्यों से आमदनी का कोई ज़रिया ले, तो उसे उन राज्यों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर कितना ध्यान रखना चाहिए, यह विधान बिल्कुल नहीं बतलाता। किन-किन बातों पर कितना और कैसे टैक्स लगाना चाहिए, यह भी विधान नहीं बतलाता।

प्रेज़िडेण्ट ही देश का उच्चतम शासक है। वह सात वर्ष के लिए चुना जाता है और दुबारा भी चुना जा सकता है। जर्मनी में वाइस-प्रेज़िडेण्ट नहीं होता। प्रेज़िडेण्ट का स्थान ख़ाली होने पर शासन का कार्य कैसे चले, यह क़ानून निश्चित करता है। क़ानून के अनुसार प्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी उम्मीदवार को प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत नहीं मिलता तो पन्द्रह दिन पश्चात् दुबारा चुनाव होता है। इस चुनाव में बहुमत से ही काम चल जाता है।

मार्च १९२५ में प्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में आठ उम्मीदवार थे। उनमें से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। पन्द्रह दिन बाद क्षेत्र में दो ही उम्मीदवार रह गए—हिण्डनबर्ग और डॉक्टर मार्क्स। हिण्डनबर्ग को दस लाख वोट अधिक मिले और वह चुन लिया गया।

उच्चतम अदालत के सम्मुख प्रेज़िडेण्ट पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। और इस भाँति वह हटाया जा सकता है। अन्य देशों में पार्लामेण्ट की बड़ी सभा के सम्मुख देश के उच्चतम शासक पर मुक़दमा चलाया जाता है, पर जर्मनी में यह काम उच्चतम अदालत ही करती है। अवधि समाप्त होने के पूर्व प्रेज़िडेण्ट एक और उपाय से अपने पद से हटाया जा सकता है। पार्लामेण्ट की छोटी सभा (Reichstag) प्रेज़िडेण्ट को हटाने का प्रस्ताव दो-तिहाई मत से पास करती है। ऐसा होते ही प्रेज़िडेण्ट अपने पद से अस्थायी तौर पर अलग हो जाता है। तत्पश्चात् उपर्युक्त प्रस्ताव जनता के सामने रक्खा जाता है। यदि जनता बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देती है, तो प्रेज़िडेण्ट पद से एकदम अलग हो जाता है और दूसरा प्रेज़िडेण्ट चुना जाता है। परन्तु

(शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

'धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर'

[श्री० रायज़ादा हरदेवसहाय जी, बी० ए०]

"भविष्य" के गत ३० जुलाई, १९३१ के अङ्क में एक महाशय बड़े ज़ोर-शोर से "धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर" नामक लेख में अपनी विद्वत्ता और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए धर्म और भगवान का तीव्र शब्दों में तिरस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि में जो मनुष्य धर्म और भगवान से प्रेम रखते हैं, वे प्रथम श्रेणी के मूर्ख हैं।

मैं प्रथम इसके कि अपना वक्तव्य आरम्भ करूँ, ऐसे महानुभावों के साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, जो ईश्वर पर भी छींटे डालने में नहीं हिचकिचाते। वास्तव में ऐसे उच्च कोटि के विज्ञान-विशारदों से सब कुछ सम्भव है। इससे पूर्व भी कई विज्ञान-विशारदों ने भगवान में लोगों की श्रद्धा को हास्यप्रद बताया है और भगवद्भक्तों को 'मूर्खता' का पुरस्कार प्रदान किया है। इसका मूल कारण यही है कि बेचारे अपने विज्ञान के बल से, जिससे वह संसार को, दुष्कर से दुष्कर वस्तु को सरल तथा सहज तथा अप्राप्त से अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को, सर्वव्यापी को नहीं देख सकते। बेचारे यह नहीं जानते कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए असीम योग-बल की आवश्यकता है। भला, जिसने सारे संसार की रचना की है और जो इतना महाशक्तिशाली है, वह विज्ञाना-कला के द्वारा कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है, वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है। सत्यवादी, पुरुषार्थी तथा धर्म के अनुयायी ही उस तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं। परन्तु विज्ञानियों को तो अपने विज्ञान पर अभिमान है, वे उसी के बल से संसार की सारी वस्तुओं को और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने का दावा करते हैं। और जब वे ईश्वर को अपने विज्ञान के द्वारा जानने में असमर्थ होते हैं, तो बस यही कह देते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, यह लोगों का मिथ्या विचार है, भ्रम है। ख़ैर, अगर उपर्युक्त महानुभाव भी केवल ईश्वर पर ही आक्षेप करते, तो कोई आश्चर्य न था। परन्तु जहाँ तक मेरा अनुमान है, वैज्ञानिकों में आप पहले सज्जन हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ ही धर्म का भी बहिष्कार किया है। वास्तव में आपने यह नूतन वैज्ञानिक आविष्कार करके संसार का अतुल उपकार किया है।

समय का परिवर्तन स्वतः अनोखा है। एक समय था, जब कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा न था, जो धर्म और ईश्वर से विमुख हो। लोग इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे। उनके हृदय में इनके लिए सच्चा प्रेम था। इनके अभाव में वे अपने जीवन को भी तुच्छ समझते थे। धर्म और ईश्वर पर वे अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने को उद्यत रहते थे। इसके अनेकानेक उदाहरण हमें प्राचीन इतिहास में मिलते हैं। प्राचीन-काल के मनुष्य यह भली-भाँति समझते थे कि अगर वे अपने धर्म से च्युत हो गए, तो फिर उनके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए। "यतो अभ्युदय निश्रेयस्य स धर्मः" का वह पूर्ण रूप से अनुसरण करते थे। ईश्वर की आराधना में वे सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रेमी और धर्मावलम्बी होते हुए भी उन्होंने सांसारिक कामों से मुख नहीं मोड़ लिया। वे सर्व कलाकौशल-सम्पन्न थे, जिसकी चर्चा दूर-दूर के देशों में थी। दूर-दूर से मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने के हेतु इस देश में आते थे। उस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर था, सभी देशों की सभ्यता पर भारतवर्ष की सभ्यता की छाप थी। मैसोपोटैमिया, ग्रीस और रोम इत्यादि भी इसके सामने पानी भरते थे। इसकी शिल्प-कला, विज्ञान, चिकित्सा, सांख्य, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष आदि जगद्विख्यात थे। विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्चर्य-जनक काम कर दिए थे, जिन तक आजकल के विज्ञान का पहुँचना तो दूर रहा, उसे समझने में भी वह असमर्थ है। उस समय के मनुष्य वीर, यशस्वी, तेजस्वी और विद्वान थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण थे। वे अपने कर्तव्य, धर्म तथा जन्मदाता—ईश्वर—दोनों से भली-भाँति परिचित थे। इसीसे इतने ज्योति-स्वरूप और शक्तिशाली थे।

परन्तु यह सर्वथा सत्य और स्पष्ट है कि चिराग़ तले अँधेरा होता है। यही कारण है कि भारत जैसे धर्म-प्रधान देश में भी ईश्वर और धर्म के विरोधी दिखाई देने लगे हैं। अस्तु, श्री० कालाकाँकर-कुमार ने अपने "धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर" लेख में प्रिन्सिपल श्री० बासुदेव कृष्ण ताटके जी का, जिन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति में धर्म और भगवान की रक्षा के हेतु एक लेख लिखा था, बुरी तरह से मज़ाक़ उड़ाया है। और उसका मुख्य कारण वह यह बताते हैं कि अपने मत की पुष्टि में श्री० ताटके जी ने प्रमाण तो कोई दिया नहीं, वरन् इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए जैसा कि उनकी राय में प्रायः सभी समालोचक करते हैं, लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया है। हो सकता है, परन्तु मैं श्री० कुमार जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस उपदेश का उन्होंने स्वयं कहाँ तक पालन किया है? उन्होंने स्वयं अपने लेख के समर्थन में कौन से प्रमाण दिए हैं? वह किन कारणों से धर्म और भगवान को त्याग देने का उपदेश देते हैं? वास्तव में दूसरों को उपदेश देना सहज है, परन्तु स्वयं उसको व्यवहार में लाना कठिन। आगे चल कर श्री० कुमार जी स्वयं ही फ़रमाते हैं:—"जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें ईश्वर का भूत नहीं सताता था। तब वे पशुओं के समान प्रकृति के उपादानों के अधीन रह कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी उदरपूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी। उस समय उनमें दैवी-शक्ति का कभी आभास भी नहीं हुआ था।" ठीक, उनका कहना सर्वथा सत्य है। अब उनको धर्म और भगवान का बोध कराने के लिए किसी विशेष तर्क की आवश्यकता नहीं है। उनकी क़लम स्वयं ही इसको प्रमाणित कर रही है। वास्तव में सत्य अनिवार्य है और अन्त में उसी की विजय होती है। चन्द्रमा बादलों की कालिमा में अल्प समय के लिए ढँक जाय, परन्तु वे बादल उसको सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते। वह उज्ज्वल प्रकाश से मनुष्यों के हृदय को आनन्दित करता है। हर मनुष्य के अन्तःकरण में सत्य विराजमान है, भेद केवल इतना ही है कि वह अज्ञानता के वश उसको पहचान नहीं सकता। उसको पहचानने के लिए उसे अन्धकाररूपी बादल को अपने हृदय के आकाश-मण्डल से हटाना पड़ेगा। जहाँ अज्ञानता है, वहाँ सत्य का लोप होता है और जहाँ ज्ञान है, वहाँ वह प्रकट हो जाता है। अनजान में, श्री० कालाकाँकर जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को पशुओं की अवस्था में, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होता था। उस समय उनको उदर-पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था। दूसरे मानी में, इस पशुता से निकलने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर और धर्म को अपनाए। जो मनुष्य इनको अपमान और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वे पशु हैं। पशुओं और मनुष्यों का भेद इन्हीं दो वस्तुओं अर्थात् धर्म और भगवान पर निर्भर है।

ईश्वर है या नहीं? इसका बहुत सुगमता से पता चल सकता है। इस बात को मानने में किसी को भी हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। इसी के आधार पर हम संसार में मनुष्यों की बनाई हुई सब वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। अब यह सोचना स्वाभाविक और आवश्यक है कि उन उपादानों (Raw Materials) का, जिन से मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाए हैं, अथवा इस समस्त सृष्टि का रचयिता कौन है? क्योंकि रचयिता होना चाहिए अवश्य। विज्ञानकार सृष्टि की उत्पत्ति एक क्षुद्र व सूक्ष्म ज़र्रें, जिसको वह 'एटम' (Atom) प्रमाणु के नाम से पुकारते हैं, बताते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ऐसा ही है, परन्तु फिर यह भी पूछना अनिवार्य है कि वह एटम कहाँ से पैदा हुआ? उसको किसने बनाया? फिर, क्या अगर एटम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात् हम सब ख़ाक में सदा के लिए नष्ट हो जायँगे? क्या हमारी इतनी कठिनाइयों से संग्रह की हुई विद्या और कीर्ति का परिणाम कुछ नहीं है? क्या जीवन का उद्देश्य उदर-पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? अगर सचमुच हमें अपने कर्मों का उत्तरदायी न

विश्वदर्शन

(२९वें पृष्ठ का शेषांश)

अगर जनता प्रस्ताव को बहुमत से पास नहीं करती, तो उसके मानी यह लगाए जाते हैं कि वही प्रेज़िडेण्ट दुबारा चुना गया है और वह तब से सात वर्ष तक फिर प्रेज़िडेण्ट रहता है। यही नहीं, प्रेज़िडेण्ट को हटाने का प्रस्ताव करने वाली पार्लामेण्ट की छोटी सभा फ़ौरन तोड़ दी जाती है। अगर छोटी सभा प्रेज़िडेण्ट को हटाने का प्रयत्न करती है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे स्वयं हटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

जर्मनी के प्रेज़िडेण्ट के अधिकार फ़्रान्स के प्रेज़िडेण्ट की भाँति देखने में बहुत कुछ हैं, पर वास्तव में मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण वास्तविक अधिकार बहुत कम हैं। प्रेज़िडेण्ट के तमाम आज्ञाओं और आदेशों पर चान्सलर या मन्त्री का हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर करते ही चान्सलर या मन्त्री कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रेज़िडेण्ट क़ानूनों को कार्यान्वित करता है, शान्ति क़ायम रखता है; सिविल और सैनिक अफ़सरों को नियुक्त करता है और हटाता है; वैदेशिक नीति को सञ्चालन करता है, सन्धियाँ करता है। पर युद्ध और सन्धि के लिए छोटी सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

(अगले अङ्क में समाप्त)

❀ ❀ ❀

होना पड़ेगा, तो फिर क्यों न हम ख़ूब मज़े उड़ाएँ और मनमाना अत्याचार करें ? क्या हमें जीवन के बाद समूलोच्छेद न होना पड़ेगा ? आज ही लोगों को ऐसा विश्वास हो जाय तो फिर देखिए, संसार में अनाचारों व दुष्कर्मों का रङ्ग। इससे हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि संसार की उत्पत्ति एटम या ऐसे ही अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती। संसार का बनाने वाला, अवश्य कोई बुद्धि वाला, गुण वाला तथा शक्तिशाली है, जिसने हमें जीवन प्रदान कर उसको व्यतीत करने में पूर्ण स्वतन्त्रता दी है। परन्तु हमारे सब कामों का निश्चय होना अवश्य है। हमारे सब कामों को वह अपने अनेक नेत्रों से देखता है और इसीलिए पूर्ण स्वतन्त्रता होते हुए भी हम मनमाना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमें धर्म के अनुकूल ही चलना पड़ेगा, प्रतिकूल नहीं। ईश्वर से डर कर ही हर एक कार्य को करना पड़ेगा, निडर होकर नहीं।

पाठक हँसे बग़ैर नहीं रह सकेंगे कि श्री० कुमार जी धर्म और ईश्वर की उत्पत्ति 'स्वप्न' से बताते हैं। यह विज्ञानकारों में ध्रुव तारे की भाँति अलग जगमगाते हैं। मालूम होता है कि इनके वेद-शास्त्र पृथक् ही हैं। आप फ़रमाते हैं कि जिस समय मनुष्यों को रात्रि में अपने पिता अथवा मुखिया स्वप्न में दिखाई दिए, तो वह "स्वप्न के वास्तविक कारण न जानने से यही समझने लगे कि इस संसार के अतिरिक्त दूसरा संसार भी है।" इस प्रकार, उनके कथनानुसार, धर्म और भगवान का बीज मनुष्यों के हृदयों में बोया गया। इन बातों से मालूम होता है कि कुमार जी ने पाश्चात्य विद्वानों की सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करके यह बात लिख मारा है, ईश्वर के सम्बन्ध में स्वयं कुछ जानने की चेष्टा नहीं की। वास्तव में ईश्वर को मानने का कारण स्वप्न नहीं, वरन् वर्तमान संसार है।

मेरा अभिप्राय इस लेख को लिखने का विज्ञान पर आक्षेप करना किञ्चित-मात्र नहीं है। विज्ञान ने अपने स्थान पर जो लाभ संसार को पहुँचाया है, उसको मैं हृदय से मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु जब यह दूसरों के कार्यक्षेत्र में भी पैर पसारने का प्रयत्न करता है, जैसा कि उक्त महोदय ने कहा है, तो यह घोर प्रतिवाद के योग्य है। ऐसे मनुष्यों को मैं विज्ञान के अन्ध-हिमायती ही कहूँगा। सर औलाइवर लौज (Sir Oliver Lodge) लिखते हैं :—

"When it (Science) endeavours to conclude that its scope is complete and all-inclusive, that nothing exists, in the universe but mechanism, and that the aspect of things from a scientific point of view is their only aspect—then it is becoming narrow and bigoted and deserving of rebuke."

अर्थात्—"जब यह (विज्ञान) यह समझने का साहस करता है कि इसकी सीमा सबके अन्तर्गत है, कि इसके बाहर संसार में अन्यथा कुछ नहीं है, अथवा इसके रूप से ही चीज़ों की कल्पना ठीक है—उस समय यह सङ्कीर्ण व सङ्कुचित हो रही है और अपमान के योग्य है।"

अन्त में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि धर्म के विरोधियों को वह सुबुद्धि दे, ताकि उनकी वह अज्ञानता, जिसके अधीन वह व्यर्थ के तर्क-वितर्क में पड़ जाते हैं और भले व बुरे के भेद से विस्मरण हो जाते हैं, दूर हो।

* * *

भारतवर्ष के जेलख़ाने

[श्री० विश्वम्भरसहाय जी 'विनोद', बी० ए०, एसिस्टेण्ट एडिटर 'टुडे']

गत अहिंसात्मक युद्ध के फल-स्वरूप भारतवर्ष की कारागार-समस्या हमारे सामने और भी नग्न रूप में आ उपस्थित हुई है। जेलख़ाने, जो दूसरे सभ्य देशों में सुधार-गृह (Reformatory) के नाम से विख्यात हैं, हमारे देश में उसका बिल्कुल उलटा है। जो नवयुवक तथा नेतागण जेलख़ानों से लौटे हैं, वे अच्छी तरह बतला सकते हैं कि वहाँ मनुष्य को जानवर बनाने में कोई कमी नहीं की जाती। यदि इन बन्दी-गृहों को 'पशु-गृह' (Cattle House) भी कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी। पिछले चार मास हुए, मद्रास-कौन्सिल में वहाँ की सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह एक कमिटी बना कर अपने प्रान्त के जेलख़ानों की जाँच कराएगी। ऐसी ही प्रतिज्ञा भारत-सरकार ने भी कुछ दबी ज़बान से की थी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ; कोई कमिटी इत्यादि नहीं बनी। इससे प्रतीत होता है कि गवर्नमेण्ट इस प्रकार की जाँच के लिए अन्दर से तैयार नहीं है। बम्बई के एक सुप्रसिद्ध अङ्गरेज़ी दैनिक पत्र ने अपने ३१ मई, सन् १९३१ के अङ्क में इस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था—"भारत के जेलख़ानों की समस्या का शीघ्र से शीघ्र संशोधन होना चाहिए। जनता ने बहुत समय तक इस बुराई को बर्दाश्त किया, अब यह असहनीय हो गई है। परन्तु नौकरशाही यह कभी भी स्वीकार न करेगी कि इस विषय में रूस से सहायता ली जाय, कारण कि हमारी सरकार तो अपने घमण्ड में ही चूर है।"

इससे पूर्व कि हम आगे कुछ लिखें, कुछ शब्दों में यह बता देना चाहते हैं कि जेलख़ानों की आवश्यकता क्यों होती है ? प्रत्येक देश की सरकार का और कर्तव्यों के साथ-साथ यह कर्तव्य होता है कि देश में शान्ति रहे, शान्ति क़ायम रखने के नियमों को जो भङ्ग करे, उसे दण्ड दिया जाय तथा दण्ड स्वरूप उसे कारागार में बन्द किया जाय। परन्तु विलायत का "माई मैगज़ीन" (My Magazine) अपने अक्टूबर की संख्या में लिखता है—"जेलख़ाना एक भयानक शब्द है। संसार के सभ्य लोगों की इसके प्रति घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जनता का विश्वास इस पर से हटता जा रहा है कि इससे पतित मनुष्य का सुधार हो सकता है। एक समय ऐसा था कि पाँच-पाँच शिलिङ्ग की चोरी के लिए मनुष्यों को प्राणदण्ड दिया जाता था। ऐसे लोगों को क़तारों में खड़ा करके गोली से मार दिया जाता था। भेड़ चुराने तक के लिए प्राणदण्ड निश्चित था। मनुष्य को इस बात पर ही सूली पर लटका दिया जाता था कि उसने दूसरे मनुष्य के घर में सेंध क्यों लगाई।"

इङ्गलैण्ड में यह दशा सन् १८६१ तक रही। जनता ने जेलख़ाने के पाशविक नियमों का कड़ा विरोध किया। अन्त में सन् १८६१ में कुछ बातों को छोड़ कर प्राणदण्ड लगभग उठा ही लिया गया। अमर शहीद श्री० जोहन होवर्ड तथा एलिज़बेथ फ़्राई ने आजीवन यह प्रयत्न जारी रक्खा कि इङ्गलैण्ड के जेलख़ानों में सुधार हो, और महारानी विक्टोरिया के शासन-काल में बहुत से सुधार हुए भी। इतना ही नहीं, चार्ल्स डिकेन्स तथा चार्ल्स रीड ने इस विषय पर बहुत से लेख लिखे तथा लोकमत को सङ्गठित किया कि इन "पशु-गृहों" का सुधार किया जाय। जेलख़ानों का सुधार कराने के लिए बहुत से नवयुवकों ने जेल-यन्त्रणाएँ भोगीं ; परन्तु अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए। इस सब यत्न का फल यह हुआ कि इङ्गलैण्ड के जेलख़ानों में बहुत से सुधार हो गए हैं। वहाँ की सरकार अपना यह कर्तव्य समझती है कि मार्ग से विचलित मनुष्य, जो कारावास में आते हैं, उनका उचित सुधार किया जाय। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनके स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रक्खा जाता है, उन्हें समाचार-पत्र पढ़ने को दिए जाते हैं और बहुत सी सुविधाएँ उन्हें पहुँचाई जाती हैं। क्या हमारी सरकार इन अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती ? उठा सकती है। लेकिन इसको क्या ग़रज़, जो इन व्यर्थ की बातों में अपनी मगज़पची करे। कहा यह जाता है कि राज्य-कोष में धन की कमी है; नहीं तो न जाने हम क्या-क्या कर देते। क्या कभी कोई समय ऐसा था अथवा आएगा, जब कि धन की कमी न होगी ? लेकिन नहीं, यह बहाना है। इसे कौन नहीं समझता। इङ्गलैण्ड के जेलख़ानों में एक क़ैदी दूसरे क़ैदियों के ऊपर अफ़सर या वार्डर नहीं बनाया जाता। इस कार्य के लिए अलग से संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। सरकारी अस्पताल का सिविल-सर्जन जेलख़ाने का सुपरिण्टेण्डेण्ट नहीं बनाया जाता। दोनों व्यक्ति भिन्न-भिन्न होते हैं। एक का कर्तव्य होता है, जेलख़ाने में शान्ति स्थापित रखना तथा दूसरा यह देखता है कि किसी क़ैदी का स्वास्थ्य तो ख़राब नहीं होता। परन्तु यहाँ एक ही व्यक्ति से दोनों काम लिए जाते हैं। क्या भारत-सरकार नहीं समझती कि हमारे देश के जेलख़ाने नरक बने हुए हैं; इनके सुधार का कोई उपाय सोचा जाय। घोर आन्दोलन के पश्चात् सन् १९१८ में भारत-सरकार ने एक कमिटी देश भर के जेलख़ानों की जाँच के लिए बैठाई थी। कमिटी की सिफ़ारिशें भी निकल गईं। सब कुछ हो गया। लेकिन आज १३ वर्ष व्यतीत हो गए, जेलख़ाने के रङ्ग-ढङ्ग में कोई भी तबदीली नहीं हुई।

इस कमिटी के प्रधान सर अलेक्ज़ैण्डर कार्डिव नियुक्त किए गए थे। २२ अक्टूबर, सन् १९२३ को इस कमिटी ने अपनी जाँच पूरी की। लन्दन के 'पूर्व भारत-सङ्घ' के सम्मुख अलैक्ज़ैण्डर महाशय ने 'भारत के जेलख़ानों' पर एक निबन्ध पढ़ा था। आपका कहना था—"भारत के जेलख़ानों में ३०-४० वर्ष के अन्दर क़ैदियों के रहन-सहन में तो तरक़्क़ी हुई है, लेकिन उनके चरित्र-सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। साथ ही भारत के उन अधिकारियों ने, जो जेल की देख-भाल के लिए नियुक्त हैं, यूरोप और अमेरिका के जेल-सुधार-विभागों से कोई लाभ नहीं उठाया। फल यह हुआ है कि भारत के जेलख़ाने क़ैदियों को लाभ पहुँचाने की अपेक्षा हानिप्रद साबित हुए हैं।" सर एडवर्ड हैनरी, जो कभी बङ्गाल-सरकार में नौकरी कर चुके थे, उस सभा

कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची

गीतावली (इं० प्रे०) १)
तुलसी ग्रन्थावली (बेल० प्रे०) ४)
दादूदयाल की वाणी (इं० प्रे०) ॥)
" " (") १)
नयनामृत प्रवाह (ब० प्रे०) ॥)
पूर्तिप्रमोद (") ।=)
भूषण ग्रन्थावली (हिं० मं०) १।)
मेघदूत (लक्ष्मणसिंह) ॥=)
रहिमन शतक (रहीम) (बेल० प्रे०) =)
रहीम (हिं० मं०) =)
रामचरित मानस (इं० प्रे०) २॥)
" " (सटीक) (") ६)
" " (हिन्दी पु० ए०) १॥=)
रामायण (सटीक) (ज्वालाप्रसाद) ४)
" " (रामेश्वर) ४)
" (बेल० प्रे०) ४॥), ६)
रामायण (सटीक) (न० कि० पु० डि०) १०)
वृन्द सतसई (मे० चं० ब० दा०) ॥)
विद्यापति की पदावली (इं० प्रे०) २)
विनय-पत्रिका (सटीक) (वियोगी) २॥), २॥), ३)
" " (बेल० प्रे०) २॥), ३)
" " (रा० ना० ला०) २)
विहारी सतसई (न० कि० प्रे०) १=)
विहारी सतसई (पद्मसिंह) (दो भाग) ४॥)
व्यङ्गार्थ कौमुदी (ब०प्रे०) ।)
संक्षिप्त सूरसागर (इं० प्रे०) २॥)
सुन्दर विलास (बेल० प्रे०) १-)
सूक्ति-सरोवर (मि० बं० का०) २॥)
सूक्ति-सुधा (हिं० मं०) १)
सूर-पञ्चरत्न (रा० ना० ला०) १॥)
हिन्दी में मुसलमान कवि (ब० प्रे०) १॥)

२—वर्तमान कवियों की कविता-पुस्तकें

(क) पं० श्रीधर जी पाठक की [illegible]

ऊजड़ ग्राम ।=)
आराध्य शोकाञ्जलि =)
एकान्तवासी योगी =)
काश्मीर-सुषमा =)
गोखले गुणाष्टक =)
देहरादून ।=)
श्रान्त पथिक ।)

(ख) बाबू मैथिलीशरण गुप्त कृत

अनघ ॥)
किसान ।=)
जयद्रथ-बध =)
झङ्कार ॥=)
पत्रावली ।-)
पलासी-युद्ध १॥)
पञ्चवटी ।=)
भारत-भारती १), २)
मेघनाद-बध ३॥)
रङ्ग में भङ्ग ।)
विरहिणी ब्रजाङ्गना ।)
वीराङ्गना ॥)
वैतालिक ।)
शकुन्तला ।=)
शक्ति ।)
स्वदेश-सङ्गीत ॥)
हिन्दू ॥)

(ग) पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत

काव्योपवन (ब० वि० प्रे०) ॥)
चुभते चौपदे १॥)
चोखे चौपदे १॥)
पद्य-प्रसून १॥)
पद्य-प्रमोद ॥)
प्रिय-प्रवास २।)

(घ) अन्यान्य सुकवियों के काव्य-ग्रन्थ

अनाथ (सियारामशरण) ।)
अनामिका (सु० ग्रं० प्रे० मं०) ।=)
अन्योक्तरी (मि० बं० का०) ॥)
अहिरावण-बध (राधेश्याम) =)
आत्मार्पण (गं० पु० मा०) ॥)
एकतारा (हिं० सा० मं०) १)
कविता-कलाप (इं० प्रे०) ३)
कविता-कौमुदी (द्वितीय) ३)
कीचक-बध (वर्मन) ॥=)
कुमार-सम्भव (इं० प्रे०) ।)
गङ्गावतरण (इं० प्रे०) ॥), १)
ग्राम्य गीत (हिं० मं०) ३)
चयनिका (रा० ना० ला०) ॥)
जज़बाते-बिस्मिल (दो भा०) (अभ्यु० प्रेस) २)
तृप्यन्ताम् (ख० वि० प्रे०) =)॥
त्रिशूल-तरङ्ग (प्रका० पु०) ॥=)
दूर्वादल (सियारामशरण) ॥=)
दुर्गा-चरित्र (राधेश्याम) =)
नवीन बीन (हिं० पु० भं०) २)
निर्माल्य („) १)
पल्लव (इं० प्रे०) २)
प्रह्लाद चरित्र (रा० श्या०) ।)
प्रेम-पुष्पाञ्जलि („) ॥=)
वीर सतसई (सा० भ० लि०) ।)
बूढ़े का ब्याह (हिं० ग्रं० र०) ।=)
भीष्म-पराक्रम (रा० श्या०) ।)
भीष्म-प्रतिज्ञा (रा० श्या०) ।)
मन की लहर (प्रताप का०) =)॥
मानसी (हिं० मं०) ।)
मीठी गुञ्जार (रा०श्या०) =)
मेघदूत (इं० प्रे०) ॥)
मौर्य-विजय (सियाराम०) ।)
राधेश्याम-कीर्तन (रा० श्या०) ॥)
राधेश्याम गीता („) १=)
राधेश्याम रामायण („) ४)
„ „ महाभारत („) ॥)
राष्ट्रीय गान (चाँ० का०) ।)
राष्ट्रीय झङ्कार (दो भाग) १)
राष्ट्रीय वीणा („) १)
वीणा (इं० प्रे०) १)
वीरपञ्चरत्न (ब० प्रे०) २॥), ३)
श्यामायन (राधेश्याम) ॥)
श्रीकृष्ण उपदेश (पु०भं०) ॥)
श्रीमद्भगवद् गीता (हिं० प्रे०) ॥=)
" " (गी० प्रे० गोरखपुर) १।)
" " („) ॥=), ॥=)
सत्यनारायण-कथा (रा० श्या०) ।)
सुदामा-चरित्र (रा०श्या०) ।)
स्वप्न (हिं० मं०) ।)

३—सन्तबानी संग्रह

हर एक महात्मा का जीवन-चरित्र उनकी बानी के आदि में दिया हुआ है।

कबीर-साखी-संग्रह १=)
कबीर साहब की अखरावती =)
कबीर साहब की ज्ञान-गुदड़ी ।=)
कबीर साहब की शब्दावली
" (पहिला भाग) ॥)
" (दूसरा भाग) ॥)
" (तीसरा भाग) ।=)
" (चौथा भाग) =)
केशवदास की अमी-घूँट -)।
ग़रीबदास जी की बानी १।-)
गुरु नानक की प्राणसङ्गली
" (पहला भाग) १॥)
" (दूसरा भाग) १।॥)
गुलाल साहब की बानी ॥=)
चरनदास की बानी ॥-)
" (दूसरा भाग) ॥)
तुलसी साहब की शब्दावली १=)
" " (दूसरा) १॥)
दरिया साहब (बिहार वाले) ।-)
दरिया साहब (मारवाड़) ।=)
दादूदयाल की बानी १॥)
" " (दूसरा भाग) १।)
पलटू साहब (भाग १) ॥)
" " (भाग २) ॥)
" " (भाग ३) ॥)
बाबा मलूकदास ।)॥
बुल्ला साहब ।)
भीखा साहब ॥=)॥
यारी साहब =)
रैदास जी की बानी ॥)
सन्तबानी-संग्रह (भाग १) साखी तथा जीवन-चरित्र १॥)
सन्तबानी-संग्रह (भाग २) १॥)

ऐयारी, तिलस्मी, जादूगरी, जासूसी और डकैती आदि विषय के उपन्यास

अनोखा जासूस (ना० द्वा० सं०) २)
अभागे का भाग्य (ब० पु० डि०) ३)
अमीरअली ठग (ब० प्रे०) ॥=), १।=)
अरब सरदार (ब० प्रे०) ॥)
अर्थ में अनर्थ (ब० पु० प्रे०) १॥=)
अङ्गरेज़ डाकू (ब० प्रे०) ॥=)
आहुतियाँ (ज्ञा० हिं० पु०) ॥)
आफ़त की पुड़िया (हिं० पु० ए०) १॥)
काजर की कोठरी (ब० पु० डि०) ॥)
कापालिक डाकू (ब० प्रे०) १॥), २)
काला कुत्ता (ब० प्रे०) ॥)
काला साँप („) ।=)
क़िले की रानी (ब० पु० डि०) ॥)
कुसुमकुमारी („) १)
कृष्णवसना सुन्दरी (नि० चं०) १॥), २)
क़ैदी की करामात (ब० प्रे०) १॥), २)
ख़ूनी औरत (ब० प्रे०) १)
खोई हुई दुलहिन (ब० प्रे०) ।)
गुप्तगुफा (ब० प्रे०) १॥), २)
गुलबदन (ब० प्रे०) १॥), २)
गुलाब में काँटा („) १॥), २)
गङ्गाजमुनी (हिं० पु० ए०) ४॥)

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

के अध्यक्ष। आपने अपना अन्तिम भाषण देते हुए कहा था—"भारतवर्ष में जेलख़ानों की दशा अत्यन्त शोचनीय है, जब मैं प्रथम बार भारत में गया था, जेलख़ानों में हज़ार पीछे ८० मनुष्य के मरने की रिपोर्ट आती थी। इतना सुधार अवश्य हुआ कि वह संख्या ८० से २० उतर आई, परन्तु क़ैदियों के चरित्र-सुधार में कोई तबदीली नहीं हुई। जेल में क़ैदियों को ही दूसरे क़ैदियों के ऊपर अफ़सर बनाने का तरीक़ा भी ठीक नहीं है। इसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है। वेतन देकर संरक्षक रक्खे जायँ तो कहीं अच्छा हो, लेकिन धन की कमी कुछ नहीं करने देती।" इत्यादि, इसे तो सरकारी अथवा नीम सरकारी मत समझिए। अब यदि आप उन लोगों के बयान पढ़ें, जो पिछले युद्ध के शिकार हुए थे, जिन्हें अपने बङ्गले-कोठियाँ छोड़ कर अङ्गरेज़ी सरकार के मेहमान बनने का मौक़ा मिला था, तो आप अपने दाँतों तले उँगली दबाएँगे कि आख़िर जेलख़ानों में इतना अन्याय क्यों है?

सर अलैक्ज़ैण्डर कार्डिव ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया था कि "भारत की स्थिति ही कुछ निराली है, यहाँ क़ैदी ही उपयुक्त अफ़सर समझा गया है। वह वार्डर होने पर दूसरे क़ैदियों को दबा कर रख सकता है।" वास्तव में देखा जाय तो जो क़ैदी वार्डर बनाए जाते हैं, वह प्रायः ऐसे होते हैं जो कड़ी-कड़ी सज़ाएँ काटने को जेलों में आते हैं; जिनमें न कोई शिक्षा होती है, और न सभ्यतापूर्वक किसी से बोलना ही जानते हैं। दीवान-बहादुर केशव पिल्ले ने एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने पर निम्न-लिखित मत प्रकट किया था—"जब मैं जेल में निरीक्षणार्थ पहुँचा, तो एक क़ैदी वार्डर को, जो साफ़ा और पायजामा पहने था, देखा। उसके हाथ में एक बड़ा मज़बूत बेत था और वह कुछ दूसरे क़ैदियों से, जिसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, काम ले रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उसका उत्तर था—'मैं डोम जाति का हूँ, हमारा पेशा कला करने का है। मुझे डाके में चार साल की सज़ा मिली है।' देश के भले-भले मनुष्यों और स्त्रियों को, जो एक विशेष ध्येय के लिए जेलों में गए थे, इसके निरीक्षण में रक्खा जाता है। साधारण क़ैदी बेड़ियाँ पहना कर खेतों में काम करने भेजे जाते हैं। इनकी देख-भाल के लिए इन्हीं में से किसी को ओवर्सियर बना दिया जाता है। यह ओवर्सियर दूसरे क़ैदियों से कुछ अच्छे वस्त्र पहनता है। इनके ऊपर क़ैदियों में से ही वार्डर होता है, इसी को जेलख़ाने का भैरव समझना चाहिए। यहाँ तक इसका आतङ्क जेल में छाया रहता है कि मामूली जेल-अफ़सर भी इससे दबते हैं, क्योंकि इसकी पहुँच बड़े-बड़े अफ़सरों तक रहती है। अफ़सर लोग यदि दिन को रात और रात को दिन कहें तो इसका उत्तर यही होगा कि 'हुज़ूर, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था।' कहने का तात्पर्य यह है कि वह लोग इससे जो चाहे सो काम ले सकते हैं। जेलख़ाने में शान्ति क़ायम रखने के ढोंग में जो चाहे किया जाय, कोई कुछ कहने वाला नहीं! वहाँ 'अमन' के अर्थ किए जाते हैं कि चाहे अफ़सर लोगों की कैसी ही अनुचित आज्ञा हो, उसको ज्यों का त्यों काम में लाना। यह क़ैदी वार्डर अफ़सरों का दाहिना हाथ समझा जाता है। इसे कुछ थोड़े से पैसे भी, तनख़्वाह के रूप में दिए जाते हैं। इसे काम भी मामूली ही करना पड़ता है। जब कभी कोई निकृष्ट काम जेल में होता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात् किसी को पीटना या जब कभी और कोई भयानक कष्ट पहुँचाना हो।"

श्रीयुत रावेश्वकर शुक्ल जी अखिल भारतवर्षीय स्वतन्त्रता-सङ्घ के प्रधान थे तथा शाहपुर नमक-सत्याग्रह के नेता थे। वे जेल से लौटने पर लिखते हैं—"मैं लगभग ४ महीने यरवदा जेल में रहा, मुझे मुख्य जेल तथा कैम्प-जेल दोनों का अनुभव है। 'सी' क्लास के क़ैदियों के साथ जिस असभ्यता तथा सख़्ती का बर्ताव किया जाता था, उसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। जो चोरी, डाके तथा जारी के जुर्मों में सज़ा पाकर जेलख़ाने में आए थे, वे इनके अफ़सर बनाए जाते थे। देश के सम्मानित नेता तथा पुरुष इनके हाथों से ठुकते थे। इन वार्डर लोगों को सत्य का अवतार माना जाता है। इनके सामने सब मनुष्य झूठ समझे जाते हैं, चाहे वह कितने ही शिक्षित तथा सम्मानित क्यों न हों।" एक दूसरे राजनैतिक क़ैदी, जो युक्त-प्रान्त की जेल में रह चुके थे, अपने वक्तव्य में कहते हैं—"राजनैतिक क़ैदियों के ऊपर क़ैदियों में से ही ओवर्सियर नियुक्त कर दिए जाते हैं। उन्हें सदैव यह डर लगा रहता है कि न जाने यह अफ़सर कब किस क़सूर पर डण्डा रोल दे।" प्रमाण पर प्रमाण इस दारुण कथा के दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या लाभ, कोई सुनने वाला ही नहीं। इस पर तुर्रा यह है कि इसमें अङ्गरेज़ों का क्या दोष, बहुधा जेलख़ाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट हिन्दुस्तानी ही होते हैं। वह यदि चाहें तो अपने भाइयों के सुधार की बातें कर सकते हैं! यह कौन कहता है? गोरे अख़बार। मेरठ में, जो कभी सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट रह चुके थे, एक बार बातचीत करते हुए बोले कि माना अधिकार हमको है, लेकिन हम इन्सपेक्टर जनरल की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यह उनके अधिकार हैं!

अब हम आपको पश्चिम के जेलख़ानों का दिग्दर्शन कराएँगे। वहाँ क्या हालत है? अमेरिका एक प्रजातन्त्र राज्य समझा जाता है। होना यह चाहिए था कि वहाँ जेलख़ानों की दशा सर्वोत्तम होती, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी भारतवर्ष से तो हज़ार गुना वहाँ क़ैदियों के सुधार का ध्यान रक्खा जाता है। जब क़ैदी जेल में दाख़िल होता है, उसे नीच, अधम, पशु नहीं समझा जाता, उसके साथ मनुष्यता का बर्ताव किया जाता है। जेलख़ाने में देश भर के प्रमुख पत्र आते हैं, क़ैदियों के विभाग उनके अमीर-ग़रीब होने पर निश्चित नहीं किए जाते, बल्कि उनकी योग्यता देखी जाती है कि कौन किस श्रेणी में रक्खा जाय। हमारे यहाँ अमुक क़ैदी की हैसियत क्या है, क्या इसकी सालाना आमदनी है, इत्यादि बातों को देख कर उसको श्रेणी-बद्ध किया जाता है। जेलख़ानों में गिरजे बने हुए हैं, जो क़ैदी चाहे रविवार को ईसा मसीह की आराधना-पूजा गिरजे में जाकर कर सकता है। हर एक जेलख़ाने में एक पुस्तकालय होता है, जिसमें साधारणतया चरित्र-सुधार विषय पर पुस्तकें रक्खी जाती हैं। यदि क़ैदी चाहता है कि बाहर से पुस्तकें मँगा कर पढ़ें तो भी पूरी सहायता की जाती है। किसी क़ैदी पर डण्डे की मार नहीं पड़ सकती, नियम भङ्ग करने पर यथावत् दण्ड दिया जाता है। जहाँ तक भोजन से सम्बन्ध है, साधारण क़ैदियों को जेलख़ाने में अपने घर से अच्छा भोजन मिलता है। इङ्गलैण्ड में अमेरिका से अधिक सुविधाएँ क़ैदियों को पहुँचाई जाती हैं, कुछ क़ैदी तो ऐसे भी होते हैं, जिनको पुलिस की संरक्षता में अपने सम्बन्धियों से घर पर भी मिलने जाने की सुविधा है। सब से बड़ी जो बात वहाँ के जेलख़ानों में देखी जाती है, वह है आपस का विश्वास। यदि क़ैदी से जेलख़ाने के अन्दर कोई क़सूर हो जाता है, तो वह झूठ नहीं बोलता। पूछने पर सच-सच कह देता है। क़ैदी की बात का विश्वास किया जाता है। यदि वह क़सूर करता है, तो उसे स्वीकार कर लेता है, और यदि नहीं तो साफ़-साफ़ कह देता है कि नहीं। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उसका अविश्वास करे। इससे भी अच्छी हालत आप यूरोप के दूसरे देशों में पाएँगे। फ़्रान्स, जर्मनी तथा रूस, इन देशों में जेलख़ानों का प्रबन्ध करने में बड़ी मेहनत की जाती है। अफ़सर लोग बड़े प्रेम से क़ैदियों को सुधारना अपना कर्तव्य समझते हैं। रूस के जेलख़ानों की दशा इन सब में उत्तम समझी जाती है। वहाँ सफ़ाई का बड़ा ध्यान रक्खा जाता है। इतना ही नहीं, यदि बाहर की संस्थाएँ भी जेल-अफ़सरों को किसी रूप में क़ैदियों के सुधारने के हेतु कुछ सहायता देना चाहें, तो वह बड़े धन्यवादपूर्वक स्वीकार की जाती है। फ़्रान्स और जर्मनी में तो ऐसा भी है कि सार्वजनिक, धार्मिक अथवा सामाजिक संस्थाएँ यदि जेलख़ाने में जाकर धर्म-प्रचार करना चाहें, तो उन्हें बिना सङ्कोच के वहाँ जाने की आज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार प्रायः जब सामाजिक संस्थाएँ कभी-कभी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर मैजिक लालटेन द्वारा क़ैदियों को उपदेश करना चाहती हैं, तो उन्हें हर प्रकार की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है। किसी-किसी जेलख़ाने के अन्दर ही बायस्कोप क़ैदियों के मनोविनोदार्थ बने हुए हैं। वे वहाँ फ़ुटबाल, हॉकी तथा दूसरे खेल भी खेल सकते हैं। क़ैदियों में आपस में 'टीम' बन जाती है और सब खेल जेलख़ाने के अन्दर ही होते हैं। रूस में तो इतना भी कहीं-कहीं होता आ रहा है कि जेल के बहुत से प्रबन्ध में क़ैदियों का हाथ रहता है। जेल के अन्दर ही उनकी सोवियट बन जाती है, जो साधारण प्रबन्ध स्वयं करती है। यह है स्वतन्त्र देश के जेलख़ानों की झाँकी।

इस अभागे देश में पहिले तो कुछ होता ही नहीं, यदि बहुत मार-पुकार मचाई तो कमीशन बैठ गया या कोई कमिटी बैठा दी गई, इसलिए कि जेलों का निरीक्षण करे और जो-जो सुधार हो सकते हैं, उनको बतावे। कमीशन को लम्बे-लम्बे भत्ते दिए जाते हैं, साल-छः महीने कमीशन दो-चार जगह बैठकें करता है, फिर साल-डेढ़ साल रिपोर्ट छपने में लग जाता है, इस प्रकार बात ३-४ साल को टल जाती है। फिर कहीं रिपोर्ट निकली; कौन्सिलों में प्रश्न किए गए कि सरकार अमुक रिपोर्ट पर क्या सोच रही है? टका सा उत्तर मिलता है कि अभी कोष में रुपया नहीं है, इसलिए गवर्नर महोदय मय मन्त्रि-मण्डल के खेद प्रकट करते हैं कि रिपोर्ट की सिफ़ारिश पर कोई कार्यवाही न होगी। फिर सुधार हो तो कैसे हो? समस्या बड़ी टेढ़ी है। आवश्यकता है कि प्रत्येक ज़िले में जेल-सुधार कमिटियाँ बनाई जाएँ तथा भरसक आन्दोलन किया जाय, ताकि इस संस्था में उचित सुधार हो। पत्रकार इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ सहायता दे सकते हैं।

* * *

डॉक्टर सुधीन्द्र बोस की चिट्ठी

अमेरिका में बेकारी की समस्या

यह प्रत्यक्ष है कि अमेरिका के संयुक्त-राज्य की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कहा जाता है कि आगामी छः मास में वहाँ विकट सङ्कट उपस्थित होने वाला है। अमेरिका के मज़दूर-सङ्घ के सभापति ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकन सरकार ने किसी ऐसे जन-कार्य का कार्यक्रम प्रारम्भ न किया, जो अधिकाधिक बेकारों को काम बता सके, तो भय है कि देश की आर्थिक रचना विध्वंस न हो जाए। माना कि आर्थिक रचना इतनी शीघ्र विध्वंस नहीं हो सकती, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के सामने समस्या बड़ी जटिल उपस्थित हो गई है।

आज वहाँ लगभग ७०,००,००० जन बेकार हैं—अर्थात् न तो वे आवश्यक रोटी ही प्राप्त कर सकते हैं, न वस्त्र और न घर। परन्तु यह तो गणना हुई वास्तविक बेकारों की। उनके सम्बन्धियों को मिला कर तादाद लगभग ३,००,००,००० तक पहुँचेगी, जो समस्त आबादी का चौथाई हिस्सा है।

अभी तो मौसम भी कुछ अच्छा है, परन्तु कुछ मास में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगेगा, तो डर है कि बेकारों की गिनती और भी बढ़ जाएगी। गत वर्ष के शरद् ऋतु में तो उनके पास कुछ साधन शेष रह भी गए थे, परन्तु इस वर्ष वे बिलकुल निस्सहाय होंगे। यदि दिसम्बर मास तक उनको काम दिलाने का कोई निश्चित साधन न निकला, तो भीषण सङ्कट का सामना होगा।

हाल में ही सरकारी सभा में प्रेसीडेण्ट हूवर ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि बेकारों को केन्द्रीय सङ्घ द्वारा कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए। उनका मत यह है कि यह स्थानीय प्रश्न है, इसलिए इस समस्या का हल निश्चय ही उन प्रान्तों को करना चाहिए, जहाँ-जहाँ यह विपदा उत्पन्न हुई हो। उन्होंने इस सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया कि सङ्कट के निवारण का उपयुक्त साधन यह है कि केन्द्रीय, सरकारी तथा स्थानीय बेकारों की संस्थाएँ अधिकतः सहयोग करें। परन्तु इस बात में शङ्का है कि क्या उक्त संस्थाओं के केवल पुनर्संङ्गठन तथा सहयोग से ही यह समस्या हल हो जाएगी। प्रेसीडेण्ट साहब ने बेकारों की हालत की जाँच के लिए एक कमिटी नियत की थी, उस कमिटी ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे ज्ञात होता है कि आगामी शरद् ऋतु में सहायता की आवश्यकता यदि सन् १९३०-३१ के जाड़े से अधिक न हुई, तो उसके बराबर अवश्य रहेगी। व्यक्तिगत रूप से इस कारण जो दान प्राप्त हुआ था, उसका अन्त हो चला है। स्थानीय (प्रान्तिक) सरकारों ने भी, जिनमें से कई का कोष ख़ाली हो रहा है, सहायतार्थ कार्यों के निमित्त रक़म में बहुत बड़ी कमी कर दी है। फिर यदि करोड़ों बेकार व भूखे अपने उद्धार के लिए केन्द्रीय (सङ्घ) सरकार पर आँखें न लगाएँ तो किधर जाएँ। मिस्टर हूवर केन्द्रीय कोष द्वारा सहायता प्रदान करने का विरोध सम्भवतः इसलिए कर रहे हैं कि वे सङ्घ सरकार के कार्यों में कमी करना चाहते हैं। कुछ भी हो, यह प्रत्यक्ष है कि सामाजिक राज्य-प्रणाली में बेकारी का प्रश्न विशेष महत्व का है।

अमेरिका में कई वर्षों से पैदावार असाधारण रूप से ज़्यादा हो रही थी। परन्तु कहीं-कहीं कृषक अपना लगान नहीं चुका सकते थे, जिसकी वजह से लगान स्थगित कर दिया गया था। हुआ यह कि ज़्यादा पैदावार होने के कारण भाव मन्दा हो गया, जिससे यथेष्ट दाम न मिले। अब यह कहा जाता है कि भावों को स्थित रखने के लिए पैदावार में कमी करनी चाहिए।

टेक्साज़ प्रान्त के गवर्नर ने रूई के विषय में परामर्श करने के लिए आवश्यकतावश एक कॉन्फ़्रेन्स की, जिसमें अमेरिका के सभी रूई पैदा करने वाले प्रान्तों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। इस कॉन्फ़्रेन्स ने यह सलाह दी है कि रूई पैदा करने वाले प्रान्तों में ऐसा क़ानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे रूई की पैदावार में कमी हो। कॉन्फ़्रेन्स ने टेक्साज़ प्रान्त को (जो सब से ज़्यादा रूई उत्पन्न करता है) ही परामर्श दिया है कि वह ऐसा क़ानून बनाने में अग्रसर हो और अन्य सब प्रान्त भी उसका अनुकरण करें।

आजकल टेक्साज़ प्रान्त की धारा-सभा का विशेष अधिवेशन हो रहा है, जिसमें इस आशय का एक बिल पेश है कि आगामी २ वर्षों तक रूई की फ़सल न बोई जावे। कौन जानता है कि यह माँग कहाँ तक पूरी की जा सकेगी, परन्तु इसके विशेष महत्त्व में किसी को शङ्का नहीं है।

अब तक जो बातचीत खेती की ज़मीन में कमी करने की हो रही थी, वह सब व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर थी। अन्य देशों में यह कार्य सरकारी निश्चय द्वारा होना क्या नवीन बात नहीं? परन्तु अमेरिका में व्यक्तिगत भावों को इतना विस्तार दिया गया है कि उनके कारण ऐसा कोई नियम अब तक न बन सका।

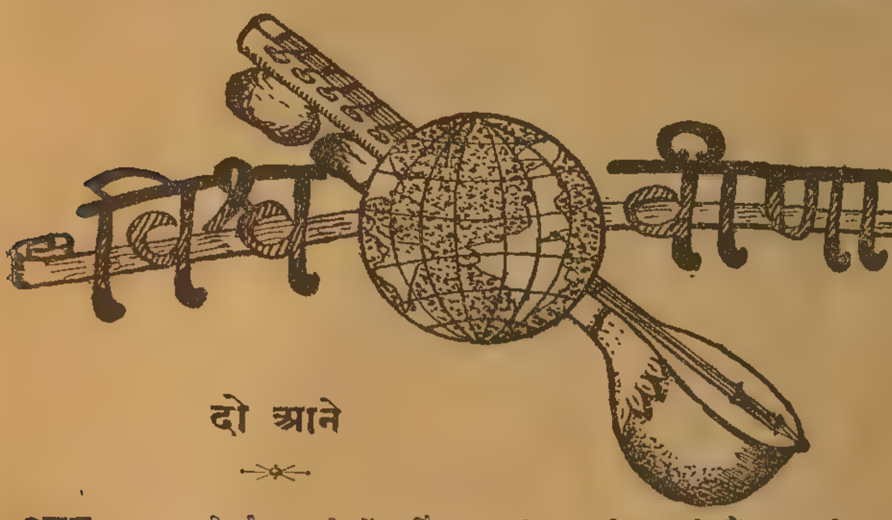
अब इस रूई सम्बन्धी नए क़ानून के पास हो जाने के बाद देखना है कि क्या अमेरिका-निवासी इस बात को सहन कर सकेंगे कि उनके शख़्सी अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए सरकार उनसे वे ज़मीनें छीन ले, जिनमें पैदावार ज़्यादा होने से आर्थिक सङ्कट वर्तमान हो जाता है।

क़ानून द्वारा रूई के पैदावार में कमी की माँग निस्सार नहीं कही जा सकती। तेल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पहिले ही यह सब कार्रवाई हो चुकी है। तेल के प्रान्त और रूई के प्रान्तों में बहुत-कुछ समानता भी है और यह भी एक विशेष बात है।

अमेरिका की उच्चतम धारा-सभा शख़्सी अधिकारों को स्थित रखने के लिए पूरी तरह इच्छुक है। यहाँ तक कि इस गुण में उससे कोई अमेरिकन व्यक्ति आगे नहीं निकल सकता। परन्तु अब देखना है कि वह इन अधिकारों में सरकारी आज्ञाओं द्वारा बाधा डालने पर क्या करती है। तेल के सम्बन्ध में जो बाधाएँ डाली गई थीं, उनके लिए वह केवल इच्छुक ही नहीं थी, बल्कि चिन्तित थी और उसको कार्यरूप में सिद्ध करने के हेतु यथासम्भव सब कुछ किया भी था।

—'हिन्दू'

❀ ❀



दो आने

शासन-सम्बन्धी ईमानदारी में मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज ने संसार में अपनी उपमाएँ नहीं रक्खीं। कहा जाता है कि कैण्डी सिविल कोर्ट और ख़ज़ाने की रसीद में कहीं दो आने की ग़लती थी। बङ्गाल के एकाउण्टैण्ट जेनरल ने इस ग़लती को पकड़ लिया। फिर क्या था, साम्राज्य सङ्कट में पड़ गया। अगर ईमानदारी, जोकि अङ्गरेज़ों का कॉपी-राइट गुण है और जिसके आधार पर भारत का शासन चल रहा है, न रही तो रह क्या गया! ज़िला के दो बड़े अधिकारी मैजिस्ट्रेट और जज कैण्डी की ओर रवाना हो गए और दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों के कर्मचारियों और दीवानी अदालत के चपरासी की जाँच की। आख़ीर में दो आना अपने पास से देकर और यह कह को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एकाउण्ट पूरा कर दिया कि मैं इस मामले में किसी को दोषी नहीं पाता। यह त्याग अभूतपूर्व और व्यावहारिक ईमानदारी पवित्र है! दो आने के लिए शासन-सम्बन्धी इस ईमानदारी के प्रदर्शन का मूल्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज का सफ़र-ख़र्च और दूसरा ख़र्च है। उनका कहना है कि बहुत अधिक विरोध करना अच्छा उपाय नहीं है।

—"लिबर्टी"

❀ ❀ ❀

मरे घोड़े को मारना

मरे घोड़े को कोड़े से मारने से क्या लाभ? भारत-मन्त्री ने रुपए का सम्बन्ध स्टर्लिङ्ग से कर दिया है और स्पष्ट कह दिया है कि यह उपाय ब्रिटिश व्यापार के लिए लाभदायक है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर यही बात है तो हम नहीं समझते कि गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के प्रतिनिधियों के सामने वे अपना दृष्टिकोण समझाने का कष्ट क्यों करते हैं। आर्थिक मामलों में ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण बिल्कुल विरोधी रहे हैं और ब्रिटेन हमारे प्रबल विरोध करते रहने पर भी अपने प्रत्येक कार्य को करता रहा है। ब्रिटेन के आर्थिक सङ्कट में पड़ते ही विनिमय-दर की पवित्रता और आर्थिक स्थिरता की बात बिल्कुल ग़ायब हो गई।

—"एडवान्स"

❀ ❀ ❀

मिथ्या भावुकता

मज़दूर-दल ने भारत के सम्बन्ध में एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें "ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के लोगों में मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए अभूतपूर्व अवसर" का ज़िक्र किया गया है। हिन्दुस्तान इस प्रकार की भावुकताओं से ऊब गया है। वह कुछ ठोस वस्तु चाहता है। हम लोग "मैत्रीपूर्ण सहयोग" की बात बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, अब ये भावुक वाक्य हमें अधिक उत्साहित नहीं करते। हिन्दुस्तान तीन दलों में से किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं कर सकता, उसे अपने ध्येय पर पहुँचने के लिए अपने आप प्रयत्न करना होगा। पहले हिन्दुस्तान इनमें से एक पार्टी का साथ देकर ग़लती कर चुका है, परन्तु अब उसका अनुभव बढ़ गया है। मज़दूर-दल अपने शासन के समय सायमन कमीशन, दमन, और पहली गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स का समर्थन कर चुका है। भारत के भविष्य के सम्बन्ध में मज़दूर-दल के जो विचार हैं, उन्हें जानते हुए हम कह सकते हैं कि भ्रातृ-सङ्घ को सफल बनाने की बातें बिलकुल मिथ्या हैं।

—"इण्डियन डेली मेल"

❀ ❀ ❀

घृणित से भी निकृष्ट!

प्रेस-बिल जैसा सेलेक्ट कमिटी में निर्धारित और एसेम्बली में पास हुआ था, वैसा ही, बिना किसी प्रकार परिवर्तन और बहस के कौन्सिल ऑफ़ स्टेट में भी पास हो गया। इस कौन्सिल में केवल एक सदस्य मि० सय्यद हसन इमाम की रुचि इस बिल की ओर दिखलाई पड़ी, जिन्होंने ११५ संशोधन पेश किए थे। पहला संशोधन नए प्रेस से ज़मानत माँगने के सम्बन्ध में था। परन्तु इस संशोधन का समर्थक केवल प्रस्ताव पेश करने वाला था। इस प्रकार बड़े राजनीतिज्ञों की गम्भीरता और बुद्धिमानी की थाह लेकर आप बाक़ी संशोधनों को बग़ल में दबा कर बाहर चले आए। नौकरशाही के प्रेमियों, गोलमेज़ के ब्रिटिश विरोधियों और जनता से घृणा करने वालों को, कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के इन्हीं बड़े लोगों के आचरणों से शासन-विधान में दूसरी व्यवस्थापक सभा करने का उत्साह मिलता है। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के इन बड़े लोगों के आचरण घृणित से भी निकृष्ट हैं।

—"अमृतबाज़ार पत्रिका"

❀ ❀ ❀

मुसलमानों में शिक्षा की कमी

काश्मीर-दङ्गा जाँच-कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में मुसलमानों की शिकायतें उचित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी कारण से लोगों में विद्वेष फैलता है और स्वार्थी लोगों के प्रचार से जनता के भी विचार दूषित हो जाते हैं। कमिटी का कहना है कि राज्य की नौकरियों में मुसलमानों की कमी का कारण उनका मुसलमान होना नहीं है, बल्कि मुसलमानों में शिक्षा की कमी होना है। कमिटी ने सिफ़ारिश की है कि जहाँ मुसलमान बहुत कम हैं, वहाँ नौकरियों में हिन्दू ग्रेजुएटों की जगह मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्ट्रेन्स पास मुसलमान रक्खे जा सकते हैं। नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने की सिफ़ारिश का समर्थन करते हुए भी हमें यह कहना पड़ता है कि कमिटी की यह सिफ़ारिश कि हिन्दू ग्रेजुएटों की जगह इन्ट्रेन्स पास मुसलमान रक्खे जायँ, शिक्षा की कमी पर ब्याज देना है। इससे शिक्षा की उन्नति में सहायता नहीं मिलती। राज्य की नौकरियों में कार्य की उत्तमता में बिना कमी किए हुए मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का उचित उपाय यह है कि जहाँ हिन्दू और मुसलमान उम्मीदवारों की योग्यता क़रीब-क़रीब एक सी हो, वहाँ हिन्दू की जगह मुसलमान लिया जाय। अगर देश के शासन में मुसलमान अधिक भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्हें शिक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए और उच्छृङ्खलता कम दिखलानी चाहिए, जिसका परिणाम आख़ीर में उनके लिए और राज्य भर के लिए हानिकारक होता है।

—"सिन्ध ऑब्ज़र्वर"

* * *

शासन-व्यय में कमी करने के प्रस्ताव

हम सर जॉर्ज शुस्टर के, शासन-व्यय में कमी करने के आर्थिक प्रस्तावों पर पहले विचार कर चुके हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, त्यों-त्यों यह भाव दृढ़ होता जा रहा है कि गवर्नमेण्ट की स्थिति बचाने की चिन्ता में वे ग़रीबों के हितों की उपेक्षा करते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि आय और व्यय में भारी अन्तर है। सरकार उनको बराबर नहीं कर सकती और नए टैक्सों का लगाना और शासन-व्यय में कमी करना आवश्यक है। परन्तु इसके साथ ही हम अनुभव करते हैं कि चाक़ू चलाने का कार्य बुद्धिमानी और न्याय के साथ होना चाहिए। सर जॉर्ज शुस्टर के प्रस्तावों से कोई भी ख़ुश नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ख़ुशी से टैक्स नहीं देता, यहाँ तक कि वे भी, जो दे सकते हैं। परन्तु टैक्स लगाने वाले अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि टैक्स दया के साथ नहीं, तो विचार के साथ लगाएँ।

१,०००) रु० वार्षिक आमदनी इनकम टैक्स लगाने के लिए बहुत कम है। यह उन लोगों के लिए हानिकारक है, जो अपने आपको सभ्य कहते हैं और ऊपर से अपने आपको बनाए रहते हैं। यह ठीक है कि गल्ले का भाव सस्ता है, लेकिन उसी हिसाब से रुपया भी कम है और दूसरे व्यय ज़्यादा हैं। लड़कों की पढ़ाई में काफ़ी ख़र्च होता है। मकान के किराए बढ़ते ही जा रहे हैं। जो व्यक्ति ८३) रु० महीने पाता है, वह मुश्किल से अपना ख़र्च चला पाता है और क़र्ज़ में रहता है। उसी से इनकम टैक्स लेने का विचार हो रहा है। कम से कम रुपयों के देने से भी उसके कुटुम्ब का बजट अस्त-व्यस्त हो जायगा। जीवन की किसी न किसी आवश्यक वस्तु में उसे कमी करनी ही पड़ेगी। निस्सन्देह उच्च वेतन पाने वाले अफ़सरों पर भी इस टैक्स का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उन्हें उतनी कठिनाई न होगी। उन्हें अपनी आवश्यकताओं को न रोकना पड़ेगा। उन्हें केवल अपनी विलासिता में कमी करनी पड़ेगी। इसलिए बिल के विचार में इस बात को न भूलना चाहिए। वेतनों में कमी का भी प्रबन्ध न्यायोचित ढङ्ग से होना चाहिए।

वेतन की जो हद कमी न करने के लिए बतलाई गई है, वह सन्तोषजनक नहीं है। हम जानते हैं कि कमी करना अनिवार्य है, परन्तु उसमें एक क्रम होना चाहिए। ५००) रु० महीना पाने वाला व्यक्ति अपने व्यय में कमी करके ५०) रु० आसानी से बचा सकता है, परन्तु

२०) रु० महीना पाने वाले व्यक्ति के वेतन से २) रु० कम कर देना कष्टकारक होगा। सम्भवतः उस व्यक्ति को एक बार बिना भोजन ही रह जाना पड़े। जब हम देखते हैं कि उच्च अफ़सरों के वेतनों में जो १० फ़ी सदी कमी की जायगी, उसमें इनकम टैक्स वग़ैरह भी शामिल रहेगा, तब मालूम होता है कि उनके वेतन में वास्तव में साढ़े सात फ़ी सदी कमी को इन प्रस्तावों के विरुद्ध कम वेतन पाने वाले क्लर्कों की शिकायतें उचित हैं और हम समझते हैं कि इनमें बाद संशोधन करना पड़ेगा।

कम वेतन पाने वाले क्लर्कों को इनकम टैक्स देने के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ेगा। उन्हें लिफ़ाफ़े, पोस्टकार्ड, तम्बाकू, नमक और प्रत्येक विदेश से आई हुई वस्तु के लिए अधिक देना पड़ेगा, जिसका वे प्रयोग करते हैं। हम अर्थ-मन्त्री की कठिनाइयों को समझते हैं, परन्तु हमें विश्वास है कि वे ग़रीबों पर अनुचित बोझ का लादना रोक सकते थे। बहुत-कुछ भाग उन लोगों पर रक्खा जा सकता था, जो अधिक दे सकते हैं। वर्तमान नीति परिस्थिति को केवल और भी गम्भीर बनाने वाली प्रमाणित होगी। —"इण्डियन नेशन"

Registered No. A—2085



लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जायँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस्कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि की आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए!

व्यवस्थापक—'चाँद' कार्यालय,
चन्द्रलोक इलाहाबाद,



Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

वर्ष २
खण्ड १

संख्या ४
पूर्ण संख्या ५४

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक



अवध के भूतपूर्व शासक



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २६ अक्टूबर, १९३१ | संख्या ४, पूर्ण संख्या ५४

साइप्रस में अङ्गरेज़ी शासन के विरुद्ध भीषण बलवा

गवर्नमेण्ट हाउस और कमिश्नर के घर जला दिए गए

पादरियों ने हिंसात्मक आन्दोलन का समर्थन किया

निकोसिया, २२ अक्टूबर

साइप्रस टापू के निवासी (जो इङ्गलैण्ड के अधीन हैं) बहुत दिनों से ग्रीस (यूनान) के साथ मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके लिए वह बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ २२ ता० को भीषण उपद्रव हो गया। टापू की राजधानी निकोसिया पर कई घण्टे तक जन-समूह का अधिकार रहा, जिसके नेता लेजिस्लेटिव कौन्सिल के तीन चुने हुए मेम्बर थे। उत्तेजित जनता ने गवर्नमेण्ट हाउस को जला कर ख़ाक कर दिया। लियासोल नामक स्थान में कमिश्नर का घर जला दिया गया।

इस सम्बन्ध में जो विस्तृत समाचार आए हैं उनसे पता लगता है कि लरनाडा के 'ग्रीक ऑर्थोडॉक्स' सम्प्रदाय के बिशप ने २० ता० को एक विराट सार्वजनिक सभा में 'क्रॉस' (ईसाइयों का धर्म-चिन्ह) ऊँचा करके कहा कि "परमात्मा और पितृभूमि के नाम पर हमको साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाने का युद्ध आरम्भ कर देना चाहिए।" उसी क्षण से यह विद्रोहाग्नि समस्त टापू में फैल गई और विद्रोहियों ने गिर्जों के घण्टे बजा कर घोषणा कर दी—'विदेशियों को बाहर निकाल दो', 'अत्याचारियों का नाश करो', 'संयुक्त शासन की स्थापना करो।'

पादरियों ने अल्पसंख्यक, पर ज़बर्दस्त तुर्की जनता के विरोध की परवा न करके साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाने की घोषणा इस आधार पर कर दी कि यही जनता की आकांक्षा है।

बिशप की इस कार्रवाई के फल से समस्त टापू में भयङ्कर उपद्रव फैल गया। जन-समूह ने गवर्नमेण्ट हाउस में आग लगा दी जिससे गवर्नर सर रोनाल्ड स्टॉर्स का तमाम सामान भस्म हो गया। उसमें बेश क़ीमत तस्वीरों का संग्रह भी था, जिनका अब प्राप्त हो सकना असम्भव है।

पुलिस और फ़ौजी सिपाहियों ने गवर्नमेण्ट ऑफ़िसों के आस-पास पिछली रात से ही काँटेदार तारों का घेरा बना दिया था। जब जन-समूह तारों के पास पहुँचा तो सिपाहियों ने कहा कि अगर घेरे को तोड़ने की चेष्टा की जायगी तो वे गोली चलाने में न हिचकेंगे। इस पर भीड़ बाहर ही रुक गई।

उस रात को लियासोल में, जो विद्रोहियों का मुख्य केन्द्र था, पुलिस की आज्ञा की अवज्ञा की गई और जो मोटर लॉरियाँ फ़ौजों के लिए रसद ले जा रही थीं उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। इसके पश्चात् कमिश्नर के घर में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने ४ बजे सुबह निकोसिया से रसद मँगा कर सिपाहियों को बाँटी।

विद्रोह प्रायः सभी क़स्बों में फैल गया है और इसलिए सेना को इधर से उधर भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। विद्रोहियों ने एक घोषणा-पत्र निकाला है कि साइप्रस ग्रीस के साथ मिला दिया गया और जनता को अधिकारियों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए।

इस समय मेडीटेरेनियन समुद्र का अङ्गरेज़ी बेड़ा क्रीट में इकट्ठा हो रहा है। कमाण्डर चीफ़ ने वहाँ हुक्म भेजा है कि दो क्रूज़र 'लन्दन' और 'शायरशाइर' साइप्रस भेजे जायँ। ये दोनों २३ ता० को साइप्रस पहुँचने वाले थे। पूर्वीय विभाग से हवाई जहाज़ भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। साइप्रस में इस समय वाल्श रेजिमेण्ट की एक कम्पनी मौजूद है और किङ्गस रेजिमेण्ट की एक कम्पनी कैरो (मिश्र) से भेजी गई है।

ग्रीस की सरकार यद्यपि इस आन्दोलन से बिल्कुल तटस्थ रह रही है, पर वहाँ के समाचार-पत्रों में अपने जातीय भाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही है।

लन्दन, २३ अक्टूबर

औपनिवेशिक मन्त्री मि० टॉमस ने रियूटर के सम्वाददाता के दरियाफ़्त करने पर कहा है कि "यद्यपि साइप्रस से बड़े भयङ्कर समाचार आए हैं, पर जनता को विश्वास रखना चाहिए कि अवस्था चिन्ताजनक नहीं है। इस घटना से यह भी प्रकट होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु कितने अधिक हैं और उनको मज़बूती के साथ दबाए रखना कितना आवश्यक है।"

माल्टा, २३ अक्टूबर

साइप्रस के उपद्रव को दबाने के लिए जो लड़ाकू-जहाज़ भेजे गए हैं वे आज सवेरे वहाँ पहुँच गए। उनको इस तरह तक़सीम किया गया है—क्रूज़र लन्दन लरनाडा को ; क्रूज़र शायरशाइर लिमासोल को ; डेस्ट्रायर एकास्टा पाफ़ोस को और डेस्ट्रायर एकाटेस फामागुस्टा को। अभी साइप्रस को और जहाज़ नहीं भेजे गए हैं।

सर्व प्रथम साइप्रस के टापू में बहुत प्राचीन ज़माने में ग्रीक और फ़िनीशियन लोगों की बस्ती क़ायम हुई थी। बाद में यह पर्शियन और रोमन साम्राज्यों का अङ्ग रहा। सन् १५७१ में इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ४ जून, सन् १८७८ में टर्की के सुल्तान से अङ्गरेज़ों ने यह टापू शासन प्रबन्ध के लिए अपने हाथ में ले लिया और सन् १९१४ में टर्की से युद्ध छिड़ने पर इस पर पूरी तरह क़ब्ज़ा कर लिया गया। सन् १९२५ में इस टापू को उपनिवेश के अधिकार दे दिए गए।

इस टापू का क्षेत्रफल ३,५८४ वर्ग मील और आबादी २,७९,००० है। अधिकांश निवासी ईसाई हैं और पाँचवाँ भाग मुसलमान हैं।

❀ ❀ ❀

"आयरलैण्ड ख़ून में डूब जायगा"

स्वाधीनतावादियों को दबाने की गुप्त कार्रवाई

डब्लिन, २० अक्टूबर

षड्यन्त्र और विद्रोह के भाव को दबाने का फ़्रीस्टेट के अधिकारियों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। 'पबलिक सेफ़्टी बिल' बाक़ायदा गज़ट में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके अनुसार एक फ़ौजी अदालत नियत की जायगी जो देशद्रोह, राजद्रोह और बिना लायसेन्स हथियार रखने के अभियोगों का निर्णय गुप्त रीति से करेगी। यह बिना किसी बाधा के कोड़े मारने और फाँसी की सज़ा दे सकेगी। यह अदालत सम्भवतः सबसे पहले उन बारह क़ैदियों का मुक़दमा सुनेगी, जो इस समय 'माउण्ड-जाय' जेल में बन्द हैं। ये लोग एक गुफ़ा में छुपा हुआ बड़ा भारी शस्त्रालय पाए जाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। इस बीच में गवर्नमेण्ट की चेतावनी के अनुसार स्वाधीनतावादी दल के कितने ही युवकों ने अपने हथियार पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। फ़ौजी अदालत के अधिकारियों के नाम भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, जो सब फ़ौज के बड़े-बड़े अफ़सर हैं। इसके साथ ही 'आयरिश, रीपब्लिकन, आर्मी' 'फ़्रेण्ड्स ऑफ़ सोवियट रशा' आदि १२ संस्थाएँ नए क़ानून के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दी गई हैं।

बाद का तार है कि डब्लिन में पब्लिक सेफ़्टी बिल का विरोध करने के लिए, आयर्लैण्ड की कितनी ही सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ़ से एक सभा की गई। उसमें भाषण करते हुए एक महिला ने कहा कि अगर फ़ौजी अदालत मृत्यु-दण्ड देगी, तो उसका बदला लिया जायगा और तमाम आयर्लैण्ड ख़ून में डूब जायगा।

* * *

—अ० भा० चरखा-सङ्घ के श्री० मणिलाल कोठारी का कहना है कि गाँधी-सप्ताह में सब मिला कर ८,२०,००० रु० की खादी बिकी।



—मज़ारशरीफ़ से आई हुई निजी ख़बरों से मालूम पड़ता है कि रूस, अफ़ग़ानिस्तान के बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। उसको आमद-रफ़्त की आसानी और सस्ती मज़दूरी का सुभीता है। उसने अभी उत्तरी प्रान्तों को अपने सूती कपड़े, चाय, चीनी, गेहूँ आदि से पाट दिया है।

—हिजली काण्ड में प्राण देने वाले श्री० तारकेश्वर सेन की अस्थियों को श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने २४ अक्टूबर को 'गोलिया' सेवाश्रम के अहाते में गाड़ा। कलकत्ते से और भी कई प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता इस अवसर पर गोलिया में उपस्थित थे।

—खुलना (बङ्गाल) का समाचार है कि अलीपुर डाक की लूट के मामले का फ़ैसला सदर सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट ने सुना दिया। श्री० जोगेश्वरनाथ सरकार, अनन्त मुकर्जी और रामप्रसादचटर्जी तीनों विद्यार्थियों को एक-एक साल की सख़्त क़ैद और सौ-सौ रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई। उन पर अभियोग यह था कि नईहाटी से अलीपुर जाते हुए डाक के थैलों को, जिनमें ७० रु० थे, इन लोगों ने लूट लिया था और उसके बाद भाग कर उत्तरी भारत का भ्रमण कर रहे थे।

—अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह नादिरशाह ने १२वीं अक्टूबर को अपनी बादशाहत का तीसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। अफ़ग़ानिस्तान में विद्रोह को दबा कर शान्ति स्थापित करने का स्मारक उन्होंने १६ अक्टूबर को प्रातःकाल नजाते-वतन में स्थापित किया। सभी विदेशों के काबुल स्थित राज-दूत, सिविल और फ़ौजी—समस्त उच्च अफ़सर, नेशनल एसेम्बली के सभी सदस्य अपने-अपने यूनीफ़ॉर्म में उपस्थित थे। बादशाह सलामत ने एक वक्तृता भी दी। रूसी दूत ने समस्त विदेशी दूतों की ओर से सम्राट नादिरशाह को बधाई दी। फ़ौज घुड़सवार, हवाई जहाज़ आदि १० हज़ार लोगों का जुलूस भी निकला।

—बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने फिर यह निश्चय किया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आगामी चुनाव में कॉङ्ग्रेस के उम्मीदवार खड़े किए जायँ।

—बलूचिस्तान से 'मग्नीज़' एक पूरी जाति, जिसकी संख्या ४० हज़ार है, अपना घरबार छोड़ कर जैकोबाबाद और लरकाना (सिन्ध) के ज़िलों में चली आई है! इससे तमाम सिन्ध में उपद्रव और झगड़े-फ़साद का भय उत्पन्न हो गया है! कहा जाता है कि ये लोग बलूचिस्तान के प्रधान-मन्त्री के अत्याचार से तङ्ग आकर देश से चले आए हैं। इस सम्बन्ध में सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून ने भारत सरकार के वैदेशिक सचिव और गृह सचिव को लिखा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और ऐसा प्रबन्ध करें कि ये लोग अपने मुल्क को वापस चले जायँ, जिससे सिन्ध में अमन क़ायम रहे।

—चाँदपुर के सब-डिवीज़नल ऑफ़ीसर मि० आर० गुप्ता ने ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के एसिस्टेण्ट सेक्रेटरी मौ० हकीम अब्दुल हलीम और आठ स्वयंसेवकों को, जिन पर पूरनबाज़ार में बम फेंकने का अभियोग चलाया गया था, यह कह कर छोड़ दिया, कि उनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं है।

—२२ अक्टूबर की शाम को मोहम्मद अली पार्क (इलाहाबाद) में अहरारे वतन की ओर से मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें मि० शेरवानी और डॉक्टर सैयद महमूद की वक्तृताएँ हुईं। मि० शेरवानी ने कहा कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में कुछ भी नहीं होता दिखाई देता। इसलिए हमें बड़ी-बड़ी क़ुरबानियाँ करनी पड़ेंगी, जिनके लिए तैयार रहना चाहिए। आपने कहा कि हम मुक़ाबले की सरकार (Parallel Govt.) स्थापित करेंगे और वर्तमान शासन-प्रणाली मिटा देंगे। डा० सैयद महमूद ने कहा कि मुसलमान और अछूत प्रतिनिधियों की वजह से गोलमेज़ में कुछ नहीं होने पाया। ये लोग सरकार के आदमी हैं और उसी के इशारे पर नाच रहे हैं। सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि ये आपस में लड़ते हैं और स्वराज्य के क़ाबिल नहीं हैं। सभा में पं० जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू भी उपस्थित थीं।

—सेठ गोविन्ददास ने सहारनपुर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि लोगों को आगामी स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि अगर सरकार ने महात्मा गाँधी को स्वाधीनता के अधिकार न दिए, तो शीघ्र ही आरम्भ होगा। यह ऐसा अहिंसात्मक युद्ध होगा, कि जिसकी मिसाल संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी।

हथियारों को होशियारी से रक्खो?

बम्बई, २२ अक्टूबर

'ईवनिङ्ग न्यूज़' (बम्बई) के पूनास्थित सम्वाददाता ने समाचार भेजा है कि—"सेना विभाग की तरफ़ से अफ़सरों और अन्य फ़ौजी कर्मचारियों को सूचना दी गई है कि वे हथियारों और कारतूसों को होशियारी से रक्खें। हुक्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि चाहे हथियार सरकारी ढङ्ग या अन्य ढङ्ग के हों उनकी ख़ास तौर पर ख़बरदारी की जाय। जहाँ अफ़सर लोग पिस्तौलों को निजी स्थानों में रखते हैं वहाँ सावधानी की विशेष आवश्यकता है। सब हथियारों को बनाने वाले के नाम नम्बर सहित रजिस्टर्ड करा लेना आवश्यक है। अगर कोई हथियार चोरी जाय या खो जाय तो उसकी रिपोर्ट फ़ौरन पुलीस में की जानी चाहिए। पता लगा है कि इन दिनों क्रान्तिकारियों के पास से जो हथियार मिले हैं उनमें से बहुत से सरकारी हैं। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट पुलीस में न करने से उसको इस बात का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती है कि वे हथियार क्रान्तिकारियों को कहाँ से मिले? हिज़ एक्सेलेन्सी कमाण्डर-इन-चीफ़ ने हाल में इसी कारण एक कमाण्डिङ्ग ऑफ़ीसर को दण्ड दिया है और वे ऐसी लापरवाही से बहुत नाराज़ होते हैं।

—हाल ही में कुमारी मीराबाई (मिस स्लेड) की माता का देहान्त विलायत में हो गया था। अब मीरा बहिन को विलायत में मालूम हुआ है कि उनकी माँ अपनी सम्पत्ति, जो १०,२३१ पौण्ड थी, अपनी दूसरी लड़की के नाम लिख गई है। इस सम्बन्ध में मीराबहिन ने एक सम्वाददाता से कहा है कि—'मेरी माँ ने उत्तराधिकार पत्र से जो मेरा नाम बिल्कुल उड़ा दिया है यह मेरी मर्ज़ी से हुआ है, और मैंने इसको हृदय से पसन्द किया है। कई वर्ष पहले, जब मैं महात्मा गाँधी की अनुगामिनी बनी थी, मैंने त्याग का व्रत लिया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि अपनी माता का कुछ अंश ग्रहण करना मेरे जीवन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होता। इस अफ़वाह में कुछ भी सच्चाई नहीं है कि मेरे माँ बाप या रिश्तेदारों ने मुझे त्याग दिया था और मुझ से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़ लिया था।

—बनारस सेण्ट्रल जेल में श्रीमती मृणालिनी देवी और श्री० सुबिमलकुमार राय विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट के सम्बन्ध में १४ वर्ष की सज़ा भुगत रहे हैं। इन लोगों ने अपने साथ 'सी' क्लास के क़ैदी का व्यवहार होने के कारण अनशन शुरू कर दिया था। यह जानकर कि सरकार इन लोगों की हैसियत के बारे में जाँच कर रही है, इन दोनों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

—राजशाही की डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट श्री० प्रभासचन्द्र लाहिड़ी दफ़ा १०८ में गिरफ़्तार किए गए थे। उनको ज़मानत पर छोड़ने का हुक्म दिया गया था, पर उन्होंने ज़मानत देना अस्वीकार किया। वे अपनी पैरवी ख़ुद ही कर रहे हैं।

—चीन और जापान के युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्र-सङ्घ की कौन्सिल की एक गुप्त बैठक हुई थी। बैठक करने के बाद राष्ट्र-सङ्घ ने चीन और जापान की सरकारों को तार भेजे हैं कि युद्ध बन्द कर आपस में शान्ति के साथ समझौता कर लिया जाय।

—स्पेन में गृह-युद्ध की सम्भावना दिन पर दिन बढ़ती जाती है। बेकारों की संख्या भयङ्कर रूप से बढ़ रही है और शासन-सभा के २२ कैथलिक सदस्यों ने वहाँ के धर्म-विरोधी कार्यों के प्रतिवाद में स्तीफ़ा दे दिया है। जेसुइटों की धार्मिक जायदादों की ज़ब्ती का प्रभाव भी कितने ही लोगों पर बुरा पड़ा है। जेसुइट लोगों ने निश्चय किया है कि अपनी जायदाद पर किसी तरह के हस्तक्षेप का वे सशस्त्र प्रतिकार करेंगे।

—न्यूयार्क का १७ अक्टूबर का समाचार है कि जब से ब्रिटेन ने 'गोल्डस्टैण्डर्ड' को छोड़ा है, तब से अमेरिका से ६० करोड़ ७० लाख डालर का सोना विदेश जा चुका है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा फ़्रान्स को गया है।

—स्पेन की नई प्रजातन्त्र शासन परिषद ने एक क़ानून पास किया है कि विवाह का आधार समान अधिकारों पर है। इसलिए अगर स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई विवाह सम्बन्ध को तोड़ना चाहे और वे दोनों राज़ी हों तो उचित कारण पेश करने पर उनका सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है। पर पिता-माता को बच्चों की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वे पैदा हुए हों अथवा गर्भ में हों। जो बच्चे त्याग दिए जाएँगे, उनके पालन-पोषण का प्रबन्ध सरकार करेगी।

—लीग ऑफ़ नेशन्स मञ्चूरिया सम्बन्धी चीन-जापान के झगड़े को मिटाने के लिए चेष्टा कर रही है। उसने इस सम्बन्ध में अमेरिका के प्रतिनिधियों को भी दर्शक-रूप से बुलाया है। इस पर जापान बहुत नाराज़ हुआ है और उसने लीग से अलग हो जाने की धमकी दी है। वह इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप किसी रूप में नहीं चाहता।

—ख़बर है कि २० हज़ार वहाबी, जोकि मुसलमानों में कट्टर सम्प्रदाय के समझे जाते हैं, ब्रिटिश ट्रान्स जारडानिया पर आक्रमण करने को तैयारी कर रहे हैं। कैरो के समाचार-पत्र से जेरुसलम के समाचार-पत्रों को मालूम हुआ है कि इस आक्रमण के सम्बन्ध में इराक़ के बादशाह फ़ैज़ल ने ट्रान्स जारडानिया में अपने भाई अमीर अब्दुल्ला को सावधान किया है।

किसानों को लगानबन्दी के लिए तैयारी

अगर सरकार ने किसानों की माँगें स्वीकार न की तो ज़बर्दस्त सत्याग्रह शुरू होगा

[निज सम्वाददाता द्वारा]

इलाहाबाद ज़िला किसान-सम्मेलन का अधिवेशन प्रयाग में २३ अक्टूबर को बड़े समारोह और धूमधाम के साथ हुआ। प्रातःकाल से ही इलाहाबाद ज़िले की नवों तहसीलों के किसान-प्रतिनिधि और कार्यकर्तागण आने शुरू हुए थे। चारों ओर किसानों के झुण्ड राष्ट्रीय घोष करते हुए दिखाई देते थे। प्रयाग नगर कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से किसानों के स्वागत और भोजन का प्रबन्ध किया गया था। मुट्ठीगञ्ज के कलवार पाठशाला में सब को भोजन कराया गया और वहीं से ढाई बजे किसानों का जुलूस उठा और कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस से पण्डित जवाहरलाल नेहरू और ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेसीडेण्ट श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन की अध्यक्षता में जानसेनगञ्ज होता हुआ ४॥ बजे पुरुषोत्तमदास पार्क पहुँचा।

सम्मेलन की कार्रवाई

जुलूस के पहुँचने पर सम्मेलन की कार्रवाई हुई। आरम्भ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झण्डा फहराया और उसके बाद श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन की अध्यक्षता में कार्रवाई आरम्भ हुई। टण्डन जी ने अपनी वक्तृता में सत्याग्रह आन्दोलन लगानबन्दी और उसमें किसानों द्वारा किए त्याग और कष्ट-सहन का इतिहास बताते हुए किसानों पर सरकार और ज़मींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों का ज़िक्र किया। आपने कहा कि दोनों को सचेत हो जाना चाहिए। जब तक कॉङ्ग्रेस वाले ज़िन्दा हैं, किसानों पर ज़ुल्म नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें किसानों को सताना होगा, तो उन्हें हम लोगों की छाती के ऊपर से चढ़ कर जाना होगा। गोलमेज़ का ज़िक्र करते हुए आपने कहा कि वहाँ कुछ होगा नहीं। आज़ादी की लड़ाई जल्दी शुरू होगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अन्त में लगान बढ़ाए जाने, छूट आदि पर विस्तृत विचार करते हुए आपने कहा कि लगान इतनी बढ़ गई है और उसके वसूल करने में किसानों पर जो ज़ुल्म हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए मालूम होता है कि हमें जल्दी ही लगानबन्दी शुरू करनी होगी। इस सम्बन्ध में महात्मा जी का आशीर्वाद भी मिल गया है। आप लोग सत्याग्रह की बातों को और उसके लिए होने वाले कष्टों को समझ लीजिए और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके पास आ रहा है, उस पर अपना निश्चय प्रकट कीजिए।

प्रस्ताव

टण्डन जी की वक्तृता के बाद ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० लालबहादुर जी ने इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया कि सरकार ने लगान में जितनी कमी करने का एलान किया था, उसका भी पालन इस ज़िले में नहीं हो रहा है। ग़ल्ले का भाव ५५ फ़ी सदी गिर गया है, उसी हिसाब से ५५ फ़ी सदी लगान में कमी होनी चाहिए थी। परन्तु चूँकि सरकार ने जितनी छूट करने को कहा वह भी नहीं हुई इसलिए यह सभा एलान करती है कि अगर किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार मुनासिब कार्रवाई न करेगी, तो ज़िले भर के किसान लगानबन्दी कर, गवर्नमेण्ट का मुक़ाबला करेंगे। इस प्रस्ताव का अनुमोदन तहसील सोरॉंव के प्रमुख कार्यकर्ता श्री० केदारनाथ ने किया। इनके बाद—

पं० जवाहरलाल नेहरू

ने प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करते हुए कहा कि सुलह करते वक़्त हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि किसानों पर अत्याचार न होंगे, किन्तु किसान बराबर सताए गए हैं और जो अत्याचार आप लोगों पर हुए हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। जब हमारे दिल पक गए, जब हमसे नहीं सहा गया, तब हम आपके कष्टों को दूर करने को कटिबद्ध हुए हैं। दिल्ली समझौते के बाद हमने अपने सत्याग्रह रूपी हथियार को म्यान के अन्दर रख दिया था, पर हमने काफ़ी ज़िल्लतें सह ली हैं और हमें अब फिर सत्याग्रह के हथियार को उठाना होगा। गोलमेज़ का ज़िक्र करते हुए आपने कहा कि महात्मा जी ने कह दिया है कि यहाँ पर कुछ न होगा। वहाँ के वज़ीर आज़म ने हमारे सरदार की बड़ी बेइज़्ज़ती की है। इससे हमें विश्वास हो गया है कि लड़ाई होगी। मैं तो चाहता था कि महात्मा जी के हिन्दुस्तान आ जाने पर लड़ाई शुरू होती, किन्तु सरकार के अत्याचार बढ़ते जाते हैं। आपने कहा कि लगानबन्दी का आन्दोलन स्वराज्य का आन्दोलन होगा। इस लड़ाई में आपको पहले से अधिक कष्ट सहना होगा। इसलिए आप लोग प्रस्ताव पास करते वक़्त इन बातों को अच्छी तरह समझ लें।

पण्डित जवाहरलाल जी के बाद श्री० शेरवानी ने ज़ोरदार भाषण के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया और वह पास हुआ। इसके बाद किसानों पर अत्याचार करने में ज़मींदारों की पुलिस द्वारा मदद मिलने की निन्दा करने, बेदख़लियाँ रद्द कराने और बेदख़ल किए गए किसानों को उनकी ज़मीन दिलाने, किसानों को दी गई सज़ाओं को मन्सूख़ कराने, बक़ाया लगान को माफ़ कराने, मालगुज़ारी में छूट कराने, हरी-बेगारी, नज़राना आदि न देने, शिकमी किसानों को भी छूट देने आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए। इन प्रस्तावों पर श्रीमती कमला नेहरू, पं० मोहनलाल गौतम, पं० रूपनारायण त्रिपाठी, श्री० मुनवर जी, श्री० कन्हैयालाल आदि प्रस्ताव के समर्थन में बोले।

पत्रकारों तथा प्रकाशकों पर भीषण वज्रपात

काग़ज़, मैशीन, स्याही तथा डाक-व्यय की कर-वृद्धि

भारतीय समाचार-पत्र समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की है :—

प्रेस वाले पहले ही से नए प्रेस-एक्ट के कारण घोर विपत्ति में पड़े हैं ! यह विपत्ति केवल सम्वाद-पत्र छापने वाले प्रेसों पर ही नहीं है, किन्तु छपाई के व्यापार मात्र पर है। फिर भी जो लोग राजनीति से दूर रह कर अपना काम करते रहें, वे प्रेस-एक्ट से बच सकते हैं, लेकिन इन नए वज्र से ग़ैर-राजनैतिक बातों के छापने वाले राजभक्त हों अथवा मॉडरेट—कोई भी नहीं बच सकता, यह वज्र है नए करों का विधान। इन करों का प्रत्यक्ष में यही मतलब है कि सरकारी ख़ज़ाने की खुश्की मिटे, लेकिन इससे व्यापार को भारी धक्का लगेगा।

छापे की कलों पर कर

टाइप और छापने का सामान, जैसे छापने और कम्पोज़ करने की मैशीनें और मैशीनों के हिस्से या पुर्ज़े कुछ महीने पहिले बिना किसी विशेष कर के ही आते थे। पिछले मार्च महीने में टाइप को छोड़ कर बाक़ी सामान पर थोड़ा सा महसूल लगा था। अब इन चीज़ों पर १०) रु० सैकड़ा कर बढ़ा दिया गया है। इससे अब मैशीन के टुकड़ों पर, कम्पोज़ करने की 'मैटरिसेज़' (टाइप ढालने का साँचा, पर दो आना रुपया अधिक कर लगेगा। टाइप ढालने के लिए जो धातु बाहर से मँगाई जायगी उस पर २५) सैकड़ा कर देना पड़ेगा। यह ऐसी चीज़ें हैं, जिनका ख़र्च प्रायः छापेख़ानों में लगा रहता है। अगर इन रोज़मर्रा प्रयोग में आने वाली चीज़ों पर, जो बारम्बार मँगानी पड़ती हैं, इतना भारी कर लगेगा तो छपाई का दाम बढ़ जाना अनिवार्य है। और छपाई का ख़र्च इतना ज़्यादा बढ़ जाने से छापाख़ाने वालों के पास बहुत हद तक छपाई का काम ही आना बन्द हो जायगा।

बड़े-बड़े कारख़ानों के सिवा जो अपना कम्पोज़िङ्ग और छपाई का काम बिजली या इञ्जिन से करते हैं, बाक़ी बहुत बड़ी संख्या ऐसे छापने के प्रेस हैं, जो छोटे-छोटे छपाई के फ़ुटकर काम छोटी मैशीनों पर करते हैं, इन्हें क़ुली लोग हाथ से चलाते हैं, इन मैशीनों पर २५) सैकड़ा कर बढ़ा दिया गया है। अब छोटे-छोटे छपाई का काम करके जीने वालों को भी छोटी मैशीनों पर चार आना फ़ी रुपया कर देना होगा। अन्याय यह है, कि बड़े-बड़े मैशीन वाले तो थोड़ा कर देकर बच जायँगे, लेकिन ग़रीब छोटे-छोटे छापने वाले पिस जायँगे !

काग़ज़ पर बढ़ा हुआ कर

छापने के लिए दूसरी अनिवार्य वस्तु काग़ज़ है। हलके दामों के काग़ज़ पर ।) रुपया कर काग़ज़ के वर्तमान दर पर लगा दिया गया है। यह भी जान लेने की बात है कि यह ।) रुपए का कर ख़रीद के दामों के अनुसार, जो बीजक में होता है, नहीं लगेगा, बल्कि सरकार काग़ज़ की दर मनमाना मान कर उस पर कर लगाएगी !! सरकार को इस निर्धारित दर के अनुसार फैलाए हुए दाम का नाम होगा 'टैरिफ़-मूल्य', जो बीजक में लगे दाम से ज़्यादा होगा। हाल में एक आना पाँच पाई (अनुमानतः डेढ़ आना) पाउण्ड हम लोग काग़ज़ ख़रीदते हैं—अब विदेश से काग़ज़ मँगाने वालों को चार पाई प्रति पाउण्ड कर देना होगा, लेकिन वास्तव में देना पड़ेगा ५॥ पाई प्रति पाउण्ड, क्योंकि टैरिफ़ के अनुसार काग़ज़ की दर एक आना १० पाई पाउण्ड माना जायगा। सार यह कि २५०) के काग़ज़ पर भविष्य में हमें ६४) कर देना पड़ेगा !!

यह तो कम दाम के काग़ज़ की बात है, जिन पर साधारणतः सम्वाद-पत्र छपा करते हैं। बढ़िया काग़ज़, जिस पर पुस्तकें और मासिक पत्र छपते हैं, उस पर विशेष आयात-कर लगा दिया गया है। अब तक हम लोग एक आना पाउण्ड देते आए हैं, अब सवा आना देना पड़ेगा। एक टन पर अब तक १४०) कर देना पड़ता था अब १७५) देना पड़ेगा।

यह तो बाहर से आने वाले काग़ज़ की बात है, देशी काग़ज़ वालों ने भी बाहिरी काग़ज़ तेज़ पड़ने

के कारण अपना दाम चढ़ा दिया है। अब छपाई का सारा काम देशी काग़ज़ वालों की मुट्ठी में है और इन्हें ३५) टन अधिक देना पड़ता है।

काग़ज़ बनाने वाली कम्पनियाँ बाहर से जो काग़ज़ बनाने का मण्ड (पल्प) मँगाती हैं उस पर उन्हें कोई महसूल नहीं देना पड़ता, इसलिए यह ख़ूब लम्बा फ़ायदा उठा रही हैं। अगर इस मण्ड पर थोड़ा सा कर लगा दिया जाय जो अनुमानतः २२,००० टन (एक टन =२७ मन का), तो देशी काग़ज़ का व्यापार अनायास ही सुरक्षित हो जाय और देशी व्यापार को कोई हानि भी न पहुँचे, साथ ही ख़ज़ाने में मनोनीत धन भी आ सकता है ?

इन करों से छपाई और प्रकाशन के काम को भारी धक्का पहुँचा है। बाहरी काग़ज़ महँगे होने के साथ-साथ देशी काग़ज़ का भी इतना महँगा हो जाना, इस व्यापार को चौपट कर डालेगा। इस व्यापार के चौपट होने से यही नहीं, कि जो किसी काम में लगे हैं वही लाख-दो लाख भूखे मरने लगेंगे, बल्कि अशिक्षित जन-समूहों में शिक्षा का प्रचार रुक जायगा। व्यापारी अपने व्यापार के विज्ञापन आदि न दे सकेंगे। इससे देश को शिक्षा-प्रचार की ही नहीं, किन्तु रुपए की भी हानि पहुँचेगी और अवश्य ही देश की आमदनी कम हो जायगी।

डाक-विभाग में कर-वृद्धि

सम्वाद-पत्रों को ग्राहकों, लेखकों और सौदागरों के साथ बहुत ही ज़्यादा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। इससे डाकख़ाने के ख़र्च बढ़ जाने से भी हानि अधिक होगी और असन्तोष फैलेगा। सरकार समझती है कि डाकख़ाने की आमदनी बढ़ जायगी, किन्तु इस कर-वृद्धि से वह उल्टी घट जायगी। इससे बेकारी भी पढ़े-लिखे मध्य-श्रेणी के लोगों में बढ़ेगी।

मुद्रण और प्रकाशन के काम में जो भारी कर लगा है वह बहुत ज़्यादा है।

१—पावर से चलने वाली मेशीनें और उनके पुर्ज़ों पर १२।) सैकड़ा।

२—हाथ से चलने वाली मेशीनों पर २५) सैकड़ा।

३—धातु और सामान पर २५) सैकड़ा।

४—सस्ते काग़ज़ पर २६) सैकड़ा।

५—बढ़िया काग़ज़ पर ३५) और ४५) सैकड़ा।

६—डाकख़ाने सम्बन्धी टिकट आदि पर ५०) सैकड़ा।

इनकम टैक्स की बात तो अभी दूर की है, नफ़ा ही नहीं होता दीखता, इनकम टैक्स किस पर लगेगा ?

नए प्रेसों को ज़मानत के लिए भी तैयार रहना होगा !!!

* * *

'पैर के नीचे ज्वालामुखी'

अहमदाबाद, २२ अक्टूबर

श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने, जो महिला-स्वयं-सेविकाओं का सङ्गठन करने के लिए भ्रमण कर रही हैं, आज शाम को एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा—"हमारे पैरों के नीचे एक ज्वालामुखी किसी भी समय स्फोट होने को मौजूद है। कॉङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट के बीच जो समझौता हुआ है, उसके भार से हम दबे जा रहे हैं। इस समय तमाम प्रान्तों की दशा गत वर्ष की अपेक्षा बुरी है, जब कि चारों तरफ़ क़ानून-भङ्ग और दमन का दौर-दौरा था। हमारे प्रतिनिधियों का इङ्गलैण्ड में जो स्वागत हो रहा है इससे हमको भुलावे में डाला जा रहा है। पर भारत अपनी शर्तें तभी सफलतापूर्वक पेश कर सकता था, जब कि इङ्गलैण्ड स्वयं शान्ति की भिक्षा माँगता हमारे पास आता।" अन्त में आपने किसानों का सुदृढ़ सङ्गठन करने पर ज़ोर दिया

काश्मीर के विद्रोह का असली रहस्य क्या है ?

बाहिरी कुचक्रियों का हाथ :: मि० वेकफ़ील्ड के हथकण्डे !!

हाल ही में पं० शिवनारायण जी हक्सर (भूतपूर्व मैकेनिकल इञ्जिनियर ग्वालियर) ने काश्मीर से लौटने पर एक प्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि :—

"मुझे काश्मीर से लौट कर आए अभी तीन दिन हुए हैं। हिन्दुओं पर विद्रोही मुसलमानों ने जो अत्याचार किए हैं, उन्हें सुन कर हृदय काँप उठता है। स्त्रियों और बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया गया है, उससे विद्रोहियों की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। मैं अपनी जाँच के अनुसार कह सकता हूँ कि यह विद्रोह बहुत सोच-समझ के साथ किए हुए षड्यन्त्र का फल है।

"यह अविदित नहीं है कि राज्य ने पहले ही से मुसलमानों को बहुत रियायतें दे रक्खी हैं। बी० ए०, एम० ए० पास हिन्दुओं को छोड़ कर, एण्ट्रेन्स पास मुसलमानों को दायित्वपूर्ण काम सौंप रक्खे हैं। हिन्दुओं का मुसलमानों पर जो ऋण था, उसका ब्याज हिन्दुओं पर दबाव डाल कर कम कराया गया था। फिर भी जब से वर्तमान महाराजा गद्दी पर बैठे हैं मुसलमान लोग रियासत काश्मीर को बरबाद करने को उद्यत हो रहे हैं।

महाराजा को मार डालने की चेष्टा

"घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान महाराजा को विष देने और एक बार उनकी नाव को उलट देने तक की भी चेष्टा की गई थी !

बाहरी कुचक्रियों का हाथ

"इस बात को विश्वास करने के कारण पाए जाते हैं कि बाहरी मुसलमान बहुत दिनों से काश्मीरी मुसलमानों को भड़का रहे थे और गुप्त कुचक्र रचे जा रहे थे। विद्रोही मुसलमानों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करना और सङ्गम के पुल में आग लगाना, ठीक जब कि फ़ौज पुल पर से जाने वाली हो, ऐसे काम हैं, जो पूरे षड्यन्त्र का पता देते हैं। अब मुसलमान लोग चाहते हैं कि पुल में आग लगाने वाली घटना की जाँच न हो, इसका सिवा इसके और क्या कारण हो सकता है, कि जाँच-पड़ताल से आश्चर्यजनक भेद खुलेंगे और बहुत से ऐसे मुसलमान सामने आ जायँगे, जो बहुत दिनों से महाराजा को निकालने के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे।

मिस्टर वेकफ़ील्ड

"पुलीस और फ़ौज के सर्वेसर्वा यही मि० वेकफ़ील्ड हैं। तमाम गुप्तचर-विभाग (ख़ुफ़िया पुलिस) की रिपोर्टें इन्हीं के पास जाती थीं, जिन्हें आप रद्दी की टोकरी में डाल देते थे। एक बार आपने बड़े लाट साहब का तार, जो महाराजा साहब के नाम आया था, तीन दिन तक अपनी जेब में रख छोड़ा था।

महाराजा बहादुर ने अपनी वर्षगाँठ के दिन बहुत से क़ैदी छोड़े, उनमें षड्यन्त्र के मामले के क़ैदी भी अधिक हैं, लेकिन मुसलमानों की मनोवृत्ति नहीं बदली। जब मैं काश्मीर से आ रहा था, तो सुचितगढ़ स्टेशन पर, जो काश्मीर-राज्य में ही है, मुसलमान लोग 'महाराजा मुर्दाबाद, ग़ारतबाद' आदि शब्दों के बुलन्द नारे लगा रहे थे।

पण्डित जी की निजी राय

अन्त में पण्डित जी ने अपनी सम्मति देते हुए कहा कि "बाहर के कुछ मुसलमान व्यक्तियों को अलग-अलग काश्मीर में आने की अनुमति देकर दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया। क्योंकि ये लोग बहुत सा गुप्त प्रचार कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक जिस नर्म-नीति से काम लिया है, वह विद्रोह को रोक नहीं सकती, इस विद्रोह के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े हाथों से काम लेना पड़ेगा।"

अर्ध सरकारी सम्वाद-पत्र

सहयोगी 'मिलाप' का कहना है कि 'स्टेट्समैन' और 'सिविल एण्ड मिलिटरी ग़ज़ट' ने मुसलमानों की उन माँगों का मसविदा (पाण्डु-लिपि) भी छाप दिया, जो मुसलमान लोग महाराजा काश्मीर से चाहते हैं। लेकिन अभी कोई भी माँग-पत्र न महाराजा साहब को मिला है और न ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के पास पहुँचा है।

गोलमेज़ असफल होगी या नहीं ?

पं० जवाहरलाल नेहरू के तार के सम्बन्ध में म० गाँधी का उत्तर

लन्दन, २३ अक्टूबर

आज रियूटर के प्रतिनिधि ने म० गाँधी से भेंट करके पूछा कि क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह ख़बर सच है कि आपने पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा है कि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स से कोई आशा नहीं ? म० गाँधी ने उत्तर दिया कि वह मेरे दिल का ख़्याल था। पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पं० जवाहरलाल ने संयुक्त प्रान्त के किसानों की परिस्थिति के सम्बन्ध में एक तार मेरे पास भेजा था और मेरा तार उसी के उत्तर में था। उसका सम्बन्ध भी उसी विषय से था। सम्वाददाता ने पूछा कि क्या आपके तार का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आप गोलमेज़ परिषद् को सफलता का मौक़ा नहीं देना चाहते ? गाँधी जी ने कहा कि मालूम होता है कि पं० जवाहरलाल को मैंने तार भेजा है, उसके सम्बन्ध में लोगों को ग़लतफ़हमी हो गई है। उस तार का गोलमेज़ परिषद् की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध न था और उसमें केवल संयुक्त प्रान्त की परिस्थिति का ज़िक्र किया गया था। कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं अपनी शक्ति भर कॉन्फ्रेन्स को हर तरह से मौक़ा देने को राज़ी हूँ। मुझसे जहाँ तक सम्भव है मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। और उसके रास्ते में किसी तरह की बाधा नहीं डाल रहा हूँ, अगर कॉन्फ्रेंन्स असफल हुई तो अपने दोष से ही होगी और इस कारण से चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट कॉङ्ग्रेस के दावे पर ध्यान नहीं दे रही है।

—रियूटर

हिजली-कैम्प गोली-काण्ड की जाँच का उपसंहार

नज़रबन्दों पर कायरतापूर्ण आक्रमण : : सिपाहियों की जघन्य मनोवृत्ति का एक नमूना

अभियुक्त-पक्ष के वकील श्री० चटर्जी की ज़ोरदार बहस कमाण्डेण्ट बेकर छुट्टी पर गए !!

"वर्तमान समय में सबसे बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म लेना ही है।"

['भविष्य' के विशेष सम्वाददाता द्वारा]

कमाण्डेण्ट-बेकर की गवाही

१३वीं अक्टूबर को हिजली गोली-काण्ड की जाँच कमीशन के सामने गवाही देते हुए कमाण्डेण्ट बेकर ने कहा कि नज़रबन्दों का व्यवहार तारीख़ २६ जुलाई तक समुचित अच्छा रहा। उस रात को (घटना की रात १६ सितम्बर को) हल्ला-गुल्ला ज़्यादा था और बुर्ज में रोशनी की गई थी। यह मिस्टर गार्लिक की हत्या के दूसरे दिन की बात है। बाजे नज़रबन्दों ने मान लिया है कि यह दीपावली कलकत्ते में एक स्वदेशवासी की गौरवान्वित मृत्यु के उपलक्ष में हुई थी। दूसरों ने कहा कि कुछ मित्र जेल से छूटे हैं, उनके आनन्द में यह रोशनी हुई थी। इनका भत्ता ५) कम कर दिया गया था। उसके दूसरे दिन एक कोठरी में आग दे दी गई, और अगस्त महीने में फिर कोठरियों में आग लगाने की चेष्टा की गई।

ख़ान बहादुर अहसानुल्लाह की हत्या की ख़बर पर फिर बुर्ज में रोशनी हुई। तब बुर्ज के ज़ीने का रास्ता रूँध दिया गया। ९ सितम्बर को धुलाई-घर जला दिया गया, तब पहरे के लिए और सन्तरी नियत किए गए। नज़रबन्दों ने इस प्रबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं की।

१५ सितम्बर को जब दिनेश सेन दूसरे जेल को भेजे जा रहे थे तब फाटक पर एक सन्तरी के ऊपर आक्रमण हुआ, दूसरे सिपाही ने हल्ला मचाया और उनका एक दल लाठी लेकर भीतर जाना चाहता था, मैंने उन्हें इजाज़त नहीं दी। जाँच-पड़ताल हुई, पर दोषी नज़रबन्द का पता न लग सका।

इसके दूसरे दिन नज़रबन्द पङ्कज बेनर्जी ने असिस्टेण्ट सर्जन के मुँह पर मार दिया। अधिक खान-पान का झगड़ा था, उसकी जाँच के बाद पङ्कज को सात दिन के लिए तनहाई (कोठरी) दे दी गई।

जब घटना हुई, मैं खड़गपुर क्लब में था, फ़ौरन टेलीफ़ोन पाकर मैं कैम्प पर आया और इन्स्पेक्टर मार्शल के साथ अन्दर गया। मैं सन्तरियों के पास गया, उस समय तक मुझे पता न था कि क्या हुआ है। जब मैं जाँच करके लौटा तो प्रफुल्ल घोष ने मुझे घायलों को देखने के लिए अन्दर बुलाया। मैंने जुदा-जुदा कई कमरों में नज़रबन्दों को घायल पड़ा पाया। यह छत पर भी थे और नीचे भी। मैंने इनकी मरहम-पट्टी का प्रबन्ध किया। बाद में मालूम हुआ कि सन्तोष मित्र और तारकेश्वर सेन मर गए। खड़गपुर के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस मिस्टर एस० एन० चटर्जी के सहयोग से लॉरियों पर धर कर नज़रबन्दों को खड़गपुर अस्पताल भेजा गया और इसके बाद मैं खड़गपुर अस्पताल गया। जिन पाँच आदमियों की दशा भयावह थी, उनके रहने का प्रबन्ध किया।

मैं जब कैम्प में लौट कर आया तो मामूली सन्तरियों के सिवा और किसी को नहीं देखा। कोई नज़रबन्द बाहर न था। मुख्य मकान के दक्खिन-पूर्व कोने में दो-तीन टुकड़े एक टूटी कुर्सी के मिले थे। बाद में मालूम हुआ कि एक किरच गुम है। सब मिला कर २७ फ़ैर हुए थे। प्रश्न के उत्तर में मि० बेकर ने कहा कि रात अँधेरी थी, साढ़े नौ बजे चाँदनी न थी।

सभापति के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहिली ख़बर मुझे यही मिली कि कैम्प में दङ्गा हो गया। जब मैं टेलीफ़ोन के पास था, बन्दूक़ की तीन आवाज़ें सुनीं और दस मिनिट में कैम्प आ पहुँचा, फाटक पर हवलदार ने दङ्गे का हाल कहा। मैं सीधा अन्दर गया और सब शान्त पाया। मैंने अपनी मोटर पर बैठाल कर तीन घायलों को अस्पताल पहुँचाया और वहाँ प्रातः साढ़े तीन बजे तक रहा।

इन्स्पेक्टर मार्शल का हवाला देकर गवाह ने कहा कि मैंने हुक्म दे दिया था कि वह कैम्प के अन्दर बिना मेरी इजाज़त के न आवें।

सरकारी वकील के उत्तर में कहा कि मैंने सुना था कि कैम्प के अन्दर पटाख़े बनते थे। लेकिन मुझे याद नहीं कि यह ख़बर मुझे किसने दी थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि मिस्टर केसेल्स पर आक्रमण होने के बाद बुर्ज में रोशनी हुई थी।

कई अवसरों पर बुर्ज से बिजली की हाथ-बत्ती की रोशनी फेंकी जाती थी। मैंने बुर्ज का रास्ता रोक दिया था, पर ईंट की दीवार के हिस्से दो बार हटा दिए गए। मैं इस काम के करने वाले दोषियों का पता न लगा सका।

नज़रबन्दों के भत्ते की कमी के सम्बन्ध में नज़रबन्द शिवशङ्कर मुझसे दफ़्तर में आकर मिले और कहा कि आप अपना हुक्म रद्द कर दीजिए, नहीं तो नज़रबन्द लोग कैम्प का प्रबन्ध असम्भव कर देंगे।

सरकारी वकील के पूछने पर मिस्टर बेकर ने कहा कि यह बात सत्य नहीं है कि डलहाउसी इन्स्टीट्यूट की सभा के बाद नज़रबन्दों के साथ मेरा बर्ताव बदल गया। जहाँ तक उस सभा का सम्बन्ध है उसका नज़रबन्दों पर कुछ असर नहीं पड़ा। जिससे उनके साथ मेरे बर्ताव में अन्तर होता।

श्री० निशीथ सेन के पूछने पर गवाह ने कहा कि १६ सितम्बर की घटना के बाद स्वभावतः मेरे और नज़रबन्दों के सम्बन्ध खिंच गए। यह भी वास्तविक बात नहीं है कि मिस्टर आर० आर० गार्लिक की हत्या के बाद मैंने नज़रबन्दों के साथ उस साधारण शिष्टता के व्यवहार में सङ्कोच किया जो कि पहले मैं करता था। इस घटना के बाद, जो अगस्त में हुई, मैंने नज़रबन्दों की सुविधाओं को कम नहीं किया। यह मैं मानता हूँ कि मैंने कैम्प जाना बन्द कर दिया, क्योंकि मुझे प्रायः भोजनालय के प्रबन्धकर्ता देर तक इन्तज़ार में खड़ा रखते थे और यह भी सत्य है कि बाज़-बाज़ नज़रबन्द समझने लगे थे कि मैं उनसे प्रेम-भाव नहीं रखता जैसा कि पहले रखता था।

१६ सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में गवाह ने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेण्ट को भेजी थी वह मैजिस्ट्रेट की जाँच के आधार पर नहीं थी। मैंने कोई जाँच नहीं की कि नज़रबन्दों के कमरों के अन्दर गोली चली या नहीं, क्योंकि नज़रबन्दों ने मुझे कोई बयान नहीं दिया। कमरों के अन्दर गोली चलाने की बाबत मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला, ऐसी रिपोर्ट मैंने सम्वाद-पत्रों में पढ़ीं।

गवाह ने नज़रबन्दों से कहा था कि मैं सरकारी विज्ञप्ति (कम्यूनिक) के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इस विज्ञप्ति को राजनैतिक विभाग के उपमन्त्री ने सिपाहियों के बयान के आधार पर निकाली थी, गवाह ने स्वीकार किया कि 'मैंने अपने बयान में लिखा था कि मकान के भीतर मैंने लोहू के चिन्ह देखे।'

गोलमाल की ख़बर सुनते ही मैं खड़गपूर क्लब से कैम्प की ओर दौड़ा। कैम्प में सन्तरियों ने कहा कि सब ख़ैरियत है, यहाँ कोई गोलमाल नहीं हुआ। एक बजे तक मैं यही जानता था कि सिर्फ़ चार फ़ायर हुए हैं और जब नज़रबन्दों ने घायलों को दिखलाया तो मैं यह न समझ सका कि यह घाव कैसे हुए। नज़रबन्द सन्तोष मित्र कराहता था और अस्पताल में कुछ देर जीता रहा। तारकेश्वर सेन भी व्यथित था और चलने में असमर्थ था। जब मैं मकान में घुसा था तो जान-बूझ कर मैंने नज़रबन्दों से घटना के सम्बन्ध में कोई बात नहीं पूछी।

रिपोर्ट की बाबत पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि मैंने जो कुछ सुना था उसीके आधार पर गवर्नमेण्ट को रिपोर्ट की थी।

डिप्टी सेक्रेटरी के सामने नज़रबन्दों के बयान देने से इन्कार करने की बाबत गवाह ने कहा कि मैंने नज़रबन्दों को सूचना दी थी कि तुम लोग आकर अपने बयान दे सकते हो, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ काल ठहरे रहे, बाद में चले गए।

कौन्सिल (बैरिस्टर सेन) के पूछने पर गवाह ने स्वीकार किया कि नज़रबन्दों ने एक पुर्ज़ा भेजा था कि हम लोग सेक्रेटरी के सामने बयान देने को तैयार हैं, लेकिन मुझे यह पुर्ज़ा तब मिला जब कि सेक्रेटरी कैम्प से चले जा चुके थे।

डॉक्टर मजूमदार की गवाही

खड़गपुर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर सी० एम० मजूमदार ने बयान किया कि मैं कैम्प में कमाण्डेण्ट बेकर के साथ आया था। इतने आदमियों को घायल देख कर मेरा दिल दहल उठा और मैंने कमाण्डेण्ट बेकर से कहा कि या तो कैम्प को हस्पताल बना डालो या

इन सब घायलों को रेलवे अस्पताल भेज दो। मैंने पाँच भारी घायलों को रख लिया, दूसरों को उचित चिकित्सा के बाद जाने को कह दिया। गवाह ने इसके बाद नज़रबन्दों के घावों का विवरण दिया, जिनमें से कुछ के घाव सड़ने लगे थे।

नज़रबन्द मनीन्द्रकिशोर राय ने कमिटी के सामने गोलियों के कुछ टुकड़े पेश किए, जो उसे कैम्प और अस्पताल में मिले थे और बतलाया कि यह उसे कहाँ मिले।

इसके बाद दो और गवाहों के बयान हुए, जिनका नाम है नज़रबन्द मनीन्द्र सेन गुप्त और रामालकसिंह दरबान। कमिटी ने खड़गपुर की जाँच इसी के साथ समाप्त कर दी। रायबहादुर एस० एन० बनर्जी, मेसर्स वाटरवर्थ, एन० सी० सेन और जे० सी० गुप्त ने कमिटी के साथ उस जगह का निरीक्षण किया, जहाँ कि गोली गड़ी मिली थी।

हिजली गोली-काण्ड जाँच-कमिटी के सामने गवाहियों के समाप्त होने पर नज़रबन्दों के वकील श्री० बी० सी० चटर्जी ने कहा—

"यह एक इस तरह का मामला है, जो हमारी आँखें खोल कर बतलाता है कि आजकल भारत में सब से बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म लेना ही है। जब मैंने गवाहों की बातें सुनीं; जब मैंने सिपाहियों, मि० बेकर और इन्स्पेक्टर मार्शल को कमिटी के सामने गवाही देते सुना, तो मेरे दिमाग़ में यह ख़्याल बड़ी मज़बूती के साथ जम गया कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में, हम हिन्दुस्तानी लोग उस अति सामान्य मनुष्य के दर्जे से भी गिरे हुए हैं, जैसा कि ईश्वर ने हमको बनाया है। हम देखते हैं कि यहाँ सिपाहियों के भेष में कितने ही बाज़ारू गुण्डों ने एक ख़ूनी हवलदार की अधीनता में कितने ही बङ्गाली युवकों पर हमला किया और गोलियाँ चलाईं। ये युवक इस जगह केवल इस कारण बन्द कर दिए गए थे कि अधिकारियों को उन पर राजनीतिक अपराधों में भाग लेने का सन्देह था। यहाँ पर उनके पास आत्म-रक्षा का कुछ भी साधन न था। इन गुण्डों की गोलियों से उनमें से कुछ मर गए और कुछ भयङ्कर रूप से घायल हुए। इतने पर भी कमाण्डेण्ट बेकर ने स्वयम् उसी रात को गवर्नमेण्ट के पास एक तार भेजा, जिसमें इन ख़ूनियों का बयान किया गया था। यद्यपि यह बचाव बिल्कुल झूठ, बिल्कुल अन्याययुक्त और उन बातों के बिल्कुल विरुद्ध था, जो उसे घटना के सम्बन्ध में उसी समय मालूम हो गई थीं। उसने गवर्नमेण्ट को भेजे हुए तार में लिखा था—"कैम्प के पहरे वालों को गोली चलाने को लाचार होना पड़ा। दो नज़रबन्द मारे गए और पाँच सख़्त घायल हुए।" उसने हमारे सामने गवाही में कहा है, कि सन्तरी नं० ३ ने उससे कहा कि मैंने हवा में एक फ़ैर किया था और सन्तरी नं० ७ ने कहा कि मैंने रसोई-घर की तरफ़ ३ फ़ैर किए थे। सिपाहियों से गोली चलाने के सम्बन्ध में उसने इतनी ही रिपोर्ट सुनी। पर वह उसी समय इस रिपोर्ट की असत्यता जान सकता था, क्योंकि कैम्प के भीतर जाने पर उसने स्वयम् देख लिया कि सिपाहियों के आक्रमण से दो व्यक्ति मारे गए हैं और बहुत से घायल हुए हैं। सिपाहियों के कथन की असत्यता उसे आगे चल कर तब भी मालूम हो सकती, जब कि इन्स्पेक्टर मार्शल ने उससे टेलीफ़ोन द्वारा कहा कि मैंने जाँच करके मालूम किया है कि २७ कारतूस कम हैं। तब उसने यह तार किस आधार पर भेजा कि पहरेवाले गोली चलाने को लाचार हो गए? उसने वह तार यह जानते हुए भेजा कि वह झूठी ख़बर दे रहा है। यहाँ पर हम इस मामले में अफ़सरों के स्वाभाविक नियम की मिसाल पाते हैं कि चाहे तुम्हारे नौकर कितने भी बदमाश क्यों न हों, तुमको उनका पक्ष-समर्थन ही करना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि निशितसेन के जाने के बाद मैंने उससे इस तार के विषय में जिरह की थी, पर वह इसमें बुरी तरह असफल हुआ। यदि मि० मार्शल ने सिपाहियों के बचाव के लिए झूठ बोला तो वह किसी तरह क्षम्य समझा जा सकता है, क्योंकि उसका जीवन एक 'टामी' (गोरा सिपाही) के दर्जे से आरम्भ हुआ था। पर कमाण्डेण्ट बेकर सिविल सर्विस का आदमी है, उसने अच्छी शिक्षा पाई है, उसने सरकार को भेजे गए अपने पहले ही तार में सिपाहियों के बचाव में झूठी बातें लिखीं, उनके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता।"

नज़रबन्दों की गवाही नहीं ली गई

इसके बाद जब बङ्गाल गवर्नमेण्ट के डिप्टी सेक्रेटरी मि० हचिनसन आए तो उन्होंने घटना के सम्बन्ध में सिपाहियों की ही गवाहियाँ लीं।

कहा गया है कि वे नज़रबन्दों की भी गवाही लेना चाहते थे। हमको मालूम हुआ है कि कैम्प से मि० बेकर के पास एक पुर्ज़ा भेजा गया था कि दो नज़रबन्द घटना के सम्बन्ध में बयान देने को राज़ी हैं। पर कहा जाता है, कि यह पुर्ज़ा मि० बेकर को। मि० हचिनसन के जाने के बाद मिला। मि० बेकर ने इसकी सूचना मि० हचिनसन को दी, पर हम नहीं समझ सकते कि किस लिए डिप्टी सेक्रेटरी ने उन नज़रबन्दों की गवाहियाँ नहीं लीं। पर तो भी उन्होंने जनता के लिए एक कम्यूनिक प्रकाशित कर दिया, जिसमें सिवाय सफ़ाई की उन झूठी बातों के कोई काम की बात न थी, जो उन ख़ूनी बदमाशों ने कही थीं।

कमाण्डेण्ट छुट्टी पर चले !

हिजली कैम्प जेल के कमाण्डेण्ट मि० बेकर, ख़बर है, शीघ्र ही छुट्टी पर जा रहे हैं। वह आगामी जनवरी माससे छुट्टी ले ली और कहा जाता है कि वह दार्जिलिङ्ग रवाना हो गए। उनकी जगह पर अब मिदनापुर के ऐडीशनल सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस मि० पी० एन० जोन्स कमाण्डेण्ट नियुक्त किए गए हैं।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० डगलस ने जाँच की और सिपाहियों की गवाहियाँ लीं। पर मि० डगलस श्री० सन्तोषकुमार और तारकेश्वर की मृतदेहों पर और दूसरे घायलों को लगे घावों के प्रत्यक्ष प्रमाण से अच्छी तरह जान सकते थे कि सिपाहियों की बातें झूठ हैं। इन घायलों की जाँच डॉ० मजूमदार ने की थी और उनकी रिपोर्ट से पता लगता है, कि मि० डगलस ने कुछ युवकों के घावों को 'सङ्गीन द्वारा लगा' लिखा था, और वे जानते थे कि बदमाशों ने कुछ युवकों को सङ्गीन से मारा है। पर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में सिपाहियों का बचाव किया है।

जस्टिस मल्लिक—इन रिपोर्टों और कम्यूनिकों पर विचार करना हमारी सीमा से बाहर है। हमको यही कार्य सौंपा गया है कि घटना की वास्तविक बातों की जाँच करें और उनकी रिपोर्ट दें। हम आपकी बहस सिर्फ़ इसी सम्बन्ध में सुन सकते हैं।

नज़रबन्दों की असहाय दशा !

श्री० चटर्जी—मैं केवल यह दिखलाना चाहता था कि नज़रबन्दों की दशा कैसी निराशापूर्ण और असहाय थी। समस्त अधिकारीवर्ग, मि० बेकर और मि० डगलस से लेकर ऊपर वाले हाकिम तक इन युवकों के विरुद्ध थे। यह समझ सकना कठिन नहीं है कि यदि यह कमिटी नियुक्त न की जाती, तो कैसा ग़ज़ब हो जाता।

इस मुक़दमे की असली घटनाओं पर विचार करने से पहले मैं गवाहियों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति का सारांश बतला देना चाहता हूँ......।

(इसी समय मि० ड्रूमण्ड के कहने से जस्टिस मल्लिक ने सरकारी वकील से पूछा कि वे मि० चटर्जी के गवाहों से जिरह के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं?)

सरकारी वकील—मेरा कहना यह है कि सन्तरियों को छेड़ा गया था और डॉ० मजूमदार का यह कहना, कि बिल्कुल पास से गोली चलाई गई, ठीक नहीं है। इसलिए यह नतीजा निकालना कि सिपाही मकान के भीतर गए थे, ग़लत है। पर साथ ही मैं सिपाहियों के इस कथन को भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि वे टीले के पास खड़े रहे और वहीं से गोली चलाते रहे।

श्री० चटर्जी—और उन दो सिपाहियों के बारे में आप क्या कहते हैं, जो हाथ जोड़े हुए थे?

सरकारी वकील—उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा है।

श्री० चटर्जी—इससे स्थिति बहुत-कुछ स्पष्ट हो गई और काम भी बहुत घट गया।

हमले की पहले से तैयारी !!

श्री० चटर्जी—१६ ता० का आक्रमण पहले से सोच कर किया गया था, और ख़तरे की घण्टी सिर्फ़ इसलिए बजाई गई थी कि सिपाहियों को रहमानबख़्श हवलदार के नेतृत्व में कैम्प पर हमला करने का बहाना मिल जाय। हमको यह बात पक्की तरह से मालूम हो चुकी है कि १५ ता० के दोपहर को सिपाही लोग कैम्प के फाटक पर दौड़ कर गए थे और भीतर घुस कर 'बाबुओं' को सबक़ सिखलाना चाहते थे। यदि मि० बेकर उनको भीतर घुसने से न रोक देते, तो १६ तारीख़ की घटना १५ ता० को ही हो जाती। पर सिपाहियों का निश्चय था कि यह काम जल्दी से जल्दी अपने मन के माफ़िक़ पूरा कर लिया जाय। इसलिए दूसरे दिन रात के समय, जब कि मि० बेकर और इन्स्पेक्टर मार्शल चले गए, उन्होंने अपना इरादा पूरा कर दिखाया। अब अगर यह पूछा जाय कि इन दो व्यक्तियों पर घटना की कितनी ज़िम्मेदारी है, मुझे ऐसी कोई प्रत्यक्ष गवाही नहीं मिली है कि ये १६ तारीख़ की घटना के मशविरे में शामिल थे। हमको मि० मार्शल की जिरह और नज़रबन्द मनोरञ्जन की गवाही से इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि १५ ता० की शाम को वह सिपाहियों को इस बात के लिए डाट रहा था कि उन्होंने 'बाबुओं' पर, जब वे हुक्म के ख़िलाफ़ दोनों दरवाज़ों के बीच के रास्ते में घुस गए थे, गोली क्यों न चलाई? यह घटना स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध है।

जस्टिस मल्लिक—क्या आपका आशय यह है कि उपरोक्त बात कह कर मि० मार्शल ने सिपाहियों को गोली न चलाने के लिए सिर्फ़ डाँटा था, या उसने सिपाहियों को १६ ता० वाली घटना के लिए उत्तेजित किया।

श्री० चटर्जी—आपको जस्टिस रायन का यह वाक्य स्मरण होगा कि—"इस बात को दैव भी नहीं जानता कि मनुष्य के हृदय में क्या है।" हमारे लिए भी यह कह सकना सम्भव नहीं है कि मि० मार्शल के मन में क्या था। यह उत्तेजित करना न था, तो उनको इस बात के लिए उत्साहित करना अवश्य था कि वे 'बाबुओं' पर निस्सङ्कोच गोली चला सकते हैं। मि० मार्शल की गवाही स्पष्टतः असत्य जान पड़ती है। उनकी बातों और युवकों की ईमानदारी का उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। जो युवक मनोरञ्जन के साथ था, यदि चाहता तो कह

सकता था कि उसने भी मि० मार्शल को सिपाहियों से उपरोक्त बात कहते सुना था। पर उसने ऐसा नहीं किया और कहा कि उसने यह बात मनोरञ्जन से सुनी थी।

मि० बेकर के व्यवहार से भी सिपाहियों को उत्साह मिला और उनको विश्वास हो गया कि 'बड़े साहब' और 'बाबुओं' में खटपट हो गई है और वे आज़ादी के साथ उनको मार सकते हैं और घायल कर सकते हैं।

मि० बेकर का क्रमशः परिवर्तन

यहाँ पर श्री० चटर्जी ने मि० बेकर के मनोभाव में क्रमशः परिवर्तन का ब्यौरेवार वर्णन किया। उन्होंने कहा कि १२ ता० की शाम को कैम्प के मैनेजर के घोर विरोध करने पर भी वे सन्तरी को लेकर कैम्प के मकान में चारों तरफ़ इसलिए घूमे कि वह अपने ऊपर हमला करने वाले को पहिचाने। यह साफ़ तौर पर नज़रबन्दों की हतक करना था।

जस्टिस मल्लिक—क्या आप समझते हैं कि १६ ता० की सम्पूर्ण घटना, ख़तरे की घण्टी का बजाना भी, पहिले से सोचा हुआ था? अगर यह मामला पहले से ही तय कर लिया गया था, तो कुछ सिपाही बन्दूक़ लेकर और कुछ लाठी लेकर क्यों गए?

श्री० चटर्जी—क्योंकि क़ायदे के माफ़िक़ उनको इसी तरह जाना ज़रूरी था।

जस्टिस मल्लिक—मैं इन सब बातों को समझता हूँ। पर आप पूरब के सिपाहियों को अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि वे लोग इतने चालाक हैं कि इन सब बातों को पहले से सोच सकें? उदाहरण के लिए वे दो दलों में बँट कर क्यों गए।

केवल धोखा था

श्री० चटर्जी—दरअसल हवलदार रहमान की अध्यक्षता में एक ही दल हमला करने गया था। यह बात उनके उस बयान से मालूम होता है, जो उन्होंने पुलीस इन्स्पेक्टर के सामने दिया था। मेरा कहना यह है कि जो सिपाही कहते हैं कि हम शेखरसिंह के साथ गए थे, वे असल में हवलदार रहमानख़ाँ के साथ ही थे। हमको इस घटना की कुछ सचाई पुलीस इन्स्पेक्टर के सामने दिए गए बयानों की जाँच करने से मालूम हो सकती है। उससे मालूम होता है कि हवलदार रहमान ख़ाँ ने, हवलदार रामसेवकसिंह की सम्मति से, जो उस वक़्त ड्यूटी पर था, नज़रबन्दों पर ख़ूनी हमला किया। पीछे यह क़िस्सा गढ़ लिया गया कि शेखरसिंह सिपाहियों के एक दल को रामसेवकसिंह के हुक्म से हमला करने को लेकर गया। यह सिर्फ़ रहमान और रामसेवक इन दो हवलदारों को बचाने के लिए एक बहाना था।

जस्टिस मल्लिक—क्या आप यह नहीं समझ सकते कि नज़रबन्दों और सन्तरियों में नए क़ायदे के सम्बन्ध में, कि नज़रबन्द सन्तरियों से २० गज़ के फ़ासले पर रहें, कुछ झगड़ा हुआ हो?

श्री० चटर्जी—चूँकि कमिटी ने कैम्प में रहने वाले तमाम १७० नज़रबन्दों की गवाही ली है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मामूली झगड़ा उस दिन शाम को न हुआ होगा। यह बहुत सम्भव है कि जब सन्तरियों ने नज़रबन्दों से नए नियम के विषय में कहा हो, तो उन्होंने उसका सबब पूछा हो। यह भी सम्भव है कि वे इस विषय में दलील करने लगे हों, क्योंकि आप जानते ही हैं, हम बङ्गाली लोग कैसे तर्क-प्रिय होते हैं। और इससे सिपाहियों को ख़तरे की घण्टी बजाने का बहाना मिल गया हो। पर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सन्तरियों ने जो क़िस्सा कहा है, वह बिल्कुल झूठ है और दूसरी यह कि जिन घायल होने वाले और अन्य नज़रबन्दों ने आपके सामने गवाही दी है, उनको इस प्रकार की घटना की बिल्कुल ख़बर न थी।

जस्टिस मल्लिक—हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।

आत्म-रक्षा की दलील

श्री० चटर्जी—पेश्तर इसके कि इस बारे में अपने ख़्यालात ज़ाहिर करूँ, कि सिपाहियों ने सचमुच मकान के भीतर जाकर नज़रबन्दों को मारा था नहीं, जैसा कि नज़रबन्द कहते हैं, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट की जाँच के समय किसी चतुर व्यक्ति ने सिपाहियों के बयान को नया ही रूप दिलवा दिया। पुलीस इन्स्पेक्टर अलताफ़हुसेन के सामने दिए हुए बयान को बदल कर उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाने की बात कही।

बङ्गाल को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए

श्री० सुभाष चन्द्र बोस ने बङ्गाल के नाम चटगाँव और हिजली-काण्डों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा है, 'अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने बङ्गाल के सम्बन्ध में जो रुख़ अख़्तियार किया है, उस पर मुझे बहुत खेद है। पिछले कुछ दिनों से मैंने वर्किङ्ग कमिटी से बङ्गाल के सम्बन्ध में कुछ भी आशा करना छोड़ दिया है और मेरा ख़्याल है कि यही भावना प्रान्त में ज़ोर पकड़ती दिखाई देती है। इसलिए बङ्गाल के लिए सब से अच्छा उपाय यही है कि वह वर्किङ्ग कमिटी को भूल जाय और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो। सन् १९०५ में बङ्गाल ने स्वयं अपनी रक्षा की थी और अब कोई कारण नहीं है कि वह १९३१ में अपनी रक्षा न कर सके। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि बङ्गाल अवसर पर खड़ा हो जाय और वर्तमान काण्डों का मुक़ाबला करे, तो वह अपनी समस्त शिकायतों को दूर करा लेगा, चाहे भारत के अन्य प्रान्त उसको सहायता न भी करें। अन्त में आपने कहा कि बङ्गाल में नागरिकों के अधिकारों की इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हत्या हो जाती है कि मेरी राय में 'जन-अधिकार समिति' नामक एक स्थायी संस्था की स्थापना समस्त अन्यायों और अधिकार हरणों का सामना करने के लिए आवश्यक है।

मि० ड्रमण्ड—उन्होंने इन्स्पेक्टर अलताफ़हुसेन से भी कहा था कि जब उन पर हमला किया गया तो उन्होंने गोली चलाई। इस प्रकार इस बात में भी आत्म-रक्षा की दलील मौजूद है, यद्यपि बहुत स्पष्ट नहीं है।

श्री० चटर्जी—पर इन्स्पेक्टर के सामने उन्होंने कहा था कि घटना के समय नज़रबन्द कह रहे थे कि "देखेंगे तुम लोग कैसे गारद देता है।" पर मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने इस बात को बदल कर कहा कि नज़रबन्द कह रहे थे कि "हम लोक तुम लोक का जान लेगा, नहीं छोड़ेगा।" इस बात से उनकी आत्म-रक्षा की बात बनावटी सिद्ध हो जाती है। हारिङ्गी और रामजतन दो सन्तरियों ने, जिनका कहना है कि हमने हाथ जोड़ कर नज़रबन्दों को अपने कमरों में लौट जाने को समझाया, पर उन्होंने हमको लाठियों से मारा, सब से पहिले मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी चोटों को दिखलाया। हारिङ्गी ने अपने माथे पर लगी एक पुरानी चोट के दाग़ को १६ ता० को नज़रबन्दों द्वारा लगा बतलाया और रामजतन ने अपने पैर की बीमारी से उत्पन्न हुई सूजन को लाठी की चोट के रूप में प्रकट किया। इस रहस्य के खुल जाने से मैजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण जाँच असत्य सिद्ध हो जाती है। खेद है कि जिस चतुर व्यक्ति ने यह तरकीब निकाली थी, हम उसका पता नहीं पा सके। यह शर्म की बात है कि मेरे एक देशवासी ने, जो कि सब असिस्टेण्ट सार्जन के पद पर काम करता है, इन चोटों को झूठे रूप में प्रकट किया सचमुच यह डॉक्टर जनता के लिए ख़तरनाक है।

गोली नज़दीक से चलाई गई

सिपाहियों के टीले के पास खड़ा रहने और दूसरे दल के शेखरसिंह के साथ जाने के क़िस्से मैजिस्ट्रेट की जाँच के समय गढ़े गए हैं। पर उनके विषय में अधिक विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी वकील ने ख़ुद उनको व्यर्थ समझ कर छोड़ दिया है। अब मैं उस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर मेरा सरकारी वकील के साथ मतभेद है। मेरी सम्मति में यह घटना ठीक उसी प्रकार हुई है, जैसा कि नवयुवकों ने बयान किया है। मैं आपका ध्यान युवकों की बिलकुल स्पष्ट रूप में दी गई गवाहियों का तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने न किसी बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा है, न किसी व्यक्ति को झूठे ही फँसाने की चेष्टा की है। इसके सिवाय यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सरकारी वकील ने अपनी जिरह में उनकी गवाहियों पर ज़रा भी सन्देह प्रकट नहीं किया है। सब से बढ़ कर जब हम देखते हैं कि सिपाहियों की गवाहियाँ ऐसी झूठ हैं कि सरकारी वकील ने भी उनको सच मानने से इनकार कर दिया है, तो कमिटी को नवयुवकों की गवाहियों को स्वीकार करना ही चाहिए। यह बात उस दशा में और भी पक्की हो जाती है, जब हम देखते हैं कि युवकों का बयान अन्य प्रमाणों से भी मिलता हुआ है। अगर सिपाहियों ने पास से गोली न चलाई होती, तो दरवाजे की चौखटों और किवाड़ों में छर्रों के इतने गहरे गढ़े नहीं पड़ सकते थे।

सरकारी वकील—पर इससे यह ज़ाहिर नहीं होता कि सिपाही मकान के भीतर गए थे।

श्री० चटर्जी ने कहा कि घायलों के घावों की दशा देखने से भी जान पड़ता है कि गोली बहुत नज़दीक से चलाई गई थी। तारकेश्वर और सविता की देहों पर सङ्गीन के जो घाव लगे हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि सिपाहियों ने ऊपर की मञ्जिल में जाकर उन पर सङ्गीन से हमला किया था। कमिटी को मि० बेकर के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि तारकेश्वर के घुटने में चोट लगी थी और वह चल-फिर सकने में असमर्थ था।

सङ्गीनों की मार

सरकारी वकील की दलीलों को सुन कर जस्टिस मल्लिक ने कहा कि यह असम्भव है कि तारकेश्वर (जो मि० बेकर के बयान के अनुसार चल-फिर सकने में असमर्थ था) पहले नीचे अहाते में गया हो और वहाँ सिपाहियों के द्वारा सङ्गीन से घायल होकर फिर आकर बरामदे में खड़ा हुआ हो, और वहाँ से गोली लगने के बाद कमरे में गया हो। यह भी प्रकट हो चुका है सविता के सर के और देह के गहरे घाव सङ्गीन से लगे हैं और अगर वे नीचे अहाते में लगे होते तो वहाँ अवश्य ख़ून बहा होता। पर अहाते में ख़ून का एक

भी दाग़ नहीं मिला है। न नीचे से ऊपर आने के रास्ते में एक भी ख़ून का दाग़ पाया गया था।

श्री० चटर्जी ने आगे चल कर कहा कि नवयुवकों के कितने ही घाव साफ़ तौर पर लाठी से लगे हैं और इससे भी यही साबित होता है कि सिपाहियों ने मकान के भीतर आकर लाठियाँ चलाई थीं। पर सिपाहियों ने कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर एक भी लाठी अहाते में नहीं चलाई। साथ ही सिपाही इस बात का भी कोई कारण पेश नहीं कर सके कि युवकों को ये घाव कैसे लगे। इसलिए घायलों के घावों की दशा के अखण्डनीय प्रमाण के आधार पर कमिटी को नज़रबन्दों की गवाहियों को ही सच मानना चाहिए कि किस प्रकार उन पर गोलियाँ, सङ्गीनें और लाठियाँ चलाई गईं।

गवर्नमेण्ट की जायदाद बाबुओं की जान से क़ीमती है

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि सिपाहियों ने कमिटी के सामने बयान दिया है, कि वे इन युवकों की जान का कोई मूल्य नहीं समझते और सरकारी जायदाद को—जैसे कि बन्दूक़ का कुन्दा—बाबुओं की जानों से ज़्यादा क़ीमती समझते हैं। इस बयान से साबित हो जाता है कि ये सिपाही सचमुच ऐसे नर-पशु हैं, जो निहत्थे और असहाय युवकों पर कायरतापूर्ण आक्रमण करने में नहीं हिचकिचा सकते।

अभियुक्त-पक्ष के वकील की बहस ख़त्म होते समय कमिटी के मेम्बरों, श्री० चटर्जी और सरकारी वकील राय नगेन्द्रनाथ बनर्जी बहादुर में जो बातचीत हुई, उसमें सरकारी वकील ने आख़िरकार जस्टिस मल्लिक के सामने यह स्वीकार कर लिया कि सविता और तारकेश्वर के सङ्गीन के घावों का कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं बतलाया जा सकता कि सिपाहियों ने मकान के ऊपर चढ़ कर उनको मारा था।

अन्त में श्री० चटर्जी ने कमिटी के कमिश्नरों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जाँच के समय नज़रबन्दों को अपने मामला की अच्छी तरह पेश करने का हर तरह से सुभीता दिया।

❀ ❀ ❀

'समझौता न होने का दोष सरकार पर है'

'यदि ब्रिटेन भारत से हट जाय, तो समझौता फ़ौरन हो जायगा'

'कॉङ्ग्रेस शासन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है' : : महात्मा जी की गर्जना

[हमारे रियूटर के गोलमेज़ सम्बन्धी विशेष तार]

लन्दन १८, अक्टूबर

बरमिङ्घम पहुँचने पर महात्मा जी का सोसाइटी ऑफ़ फ्रेण्ड्स की ओर से स्वागत किया गया। बरमिङ्घम के बड़े पादरी और लॉर्ड मेयर भी उपस्थित थे। महात्मा जी ने भारत के सम्बन्ध में वक्तृता दी। वक्तृता के बाद महात्मा जी ने जनता से प्रश्न पूछने के लिए कहा। महात्मा जी से बहुत प्रश्न किए गए। महात्मा जी ने कहा कि भारत में एक दल दूसरे के ख़िलाफ़ जो लड़ रहा है, उसका दोष सरकार पर है। हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों में एकता स्थापित करना बड़ा भारी काम



"समझौता"

है। आपने कहा कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सरकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि साम्प्रदायिक समझौता करने को स्वतन्त्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की इस धमकी से कि यदि प्रतिनिधिगण आपस में समझौता न करेंगे, तो सरकार स्वयं उन प्रश्नों का निर्णय करेगी, अल्पसंख्यकों को यह आशा हो गई है कि यदि वे कॉन्फ्रेन्स को असफल करा सकें, तो जो कुछ पाने के वे अधिकारी हैं, उससे अधिक ही उन्हें मिलेगा। कॉन्फ्रेन्स से इस बात की किसी को भी आशा नहीं थी कि भारत की माँगें पूरी होंगी, बल्कि सबको यह आशा थी कि भारत को कुछ दे दिया जायगा। उस कुछ से भारतीय जनता का ब्रिटिश द्वारा रक्तशोषण होगा और कॉन्फ्रेन्स का प्रत्येक प्रतिनिधि इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि उसकी जाति के लिए जितना ज़्यादा मिल सके, मिल जाय। यदि ब्रिटेन इस बात की घोषणा कर दे कि वह भारत से हट जायगा, तो विभिन्न सम्प्रदाय फ़ौरन समझौता कर लेंगे। भारत सरकार सम्प्रदायों के बीच मार्ग का रोड़ा है और विदेशी प्रभाव भारत के सङ्गठनशील जीवन के लिए ज़हर हो रहा है। महात्मा जी ने कहा जब तक ब्रिटिश जनता सरकार पर ज़ोर न डालेगी, तब तक गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स से कोई फल न निकलेगा। अन्त में महात्मा जी ने कहा कि आग़ा ख़ाँ और अन्य मुसलमानों से समझौता होने की मुझे अब कोई आशा नहीं है।

महात्मा जी की वक्तृता के बाद उनसे यह प्रश्न किया गया कि लन्दन में प्रतिनिधियों ने समझौता नहीं किया, किन्तु भारत में क्या सम्प्रदायों ने समझौता कर लिया है? गाँधी जी ने जवाब दिया कि कॉङ्ग्रेस ने एक समझौता तैयार किया है, कि और जिसे हिन्दू-मुसलमान और सिक्खों ने स्वीकार कर लिया है, किन्तु लन्दन में कॉङ्ग्रेस के समझौते के स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेन्स में कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधि बहुत-संस्थाओं के मुक़ाबले में केवल एक है, जब कि भारत में कॉङ्ग्रेस ने प्रत्येक दूसरी संस्था को निस्तेज कर दिया है। कॉङ्ग्रेस भारत-सरकार की ज़िम्मेदारियों को लेने को तैयार है। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट देश को कॉङ्ग्रेस को सौंप दे और अल्प-संख्यकों से समझौता करने का काम कॉङ्ग्रेस पर छोड़ दे। भारत की ग़रीबी का मुख्य कारण अङ्गरेज़ी शासन है और उस दशा में नई दिल्ली का बनाया जाना ज़ुल्म है, जब कि भारत में लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, ऐसे समय में वाइसरॉय के नाच और खेल-तमाशे करने की महात्मा जी ने निन्दा की।

❀ ❀ ❀

दुबे जी की चिट्ठी

(९वें पृष्ठ का शेषांश)

मौ० शौकतअली बोले—हाँ, यह बात ठीक है! जिसको अल्लाह ताला चाहेगा उसका नाम निकल आवेगा।

यह सुन कर अपने राम बोल उठे—जब यह बात है तो यारो "दुबे जी" का नाम भी शामिल कर लो शायद अल्लाह मियाँ इधर ही ढुलक पड़ें। बस जनाब, झट काग़ज़ के टुकड़ों पर नाम लिखे गए और चिट्ठियाँ छोड़ी गईं।

मौलाना से कहा गया कि आप चिट्ठी उठाइए।

मौलाना बोले—मैं?

"हाँ आप!"

मौलाना—"अजी यह काम तो कोई दूसरा करता तो बेहतर था। ख़ैर, जैसी आपकी मर्ज़ी!" यह कह कर मौलाना ने चिट्ठियाँ उठाईं।

चिट्ठी में मि० जिन्ना का नाम निकला। जिन्ना साहब उछल कर बोले—देखा, आख़िर मेरा ही नाम निकला।

सर शफ़ी बोले—इसमें कुछ ग़लती हो गई, फिर से चिट्ठी उठाई जाय।

सर आग़ा ख़ाँ—हाँ, यही मेरी भी राय है।

मि० जिन्ना बोले—नहीं, फिर से नहीं उठाई जा सकती, आप लोग बेईमानी करते हैं।

सर शफ़ी बोले—हम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बेईमानी नहीं करेंगे, यह आप इतमीनान रखिए।

अपने राम बोले—बेशक! गवर्नरी सी छोटी चीज़ के लिए बेईमानी क्या करना। हाँ, डिप्टी कलेक्टरी या तहसीलदारी का सवाल होता तो बात दूसरी थी।

मि० जिन्ना बोले—दोबारा चिट्ठी नहीं पड़ेंगी अगर पड़ेंगी तो मैं गाँधी जी से सुलह कर लूँगा।

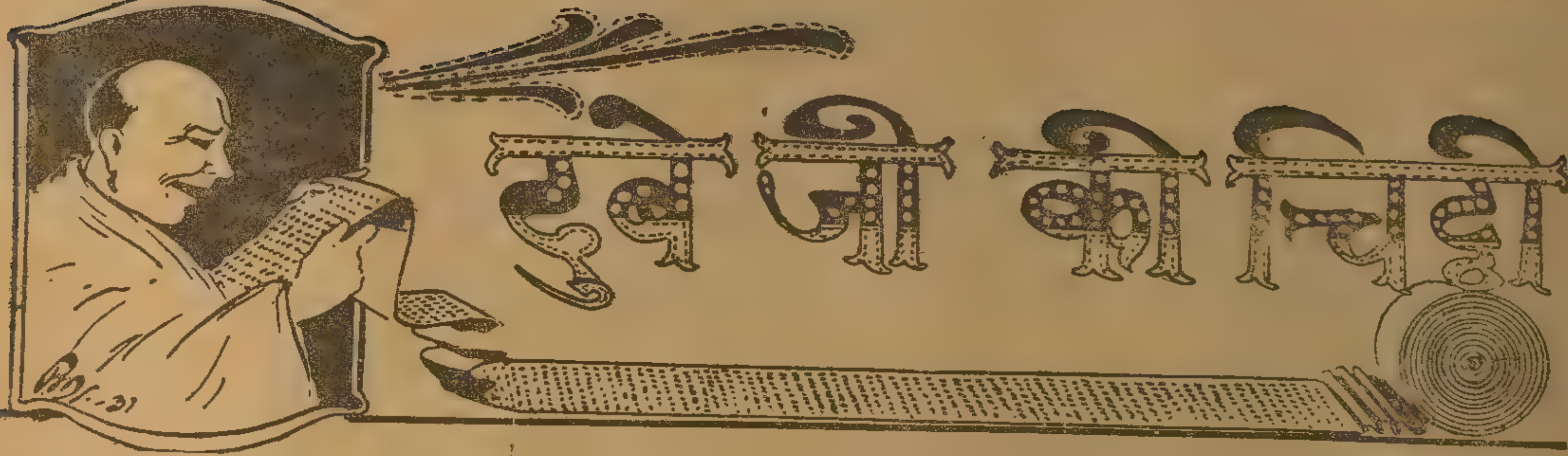
मौ० शौकतअली बोले—गाँधी जी से सुलह कर लोगे तो हमारा क्या बना लोगे।

इस पर तू-तू मैं-मैं होने लगी। परिणाम यह हुआ कि मार-पीट होने लगी। अङ्गरेज़ लोग तो मार-पीट शुरू होते ही खिसके—अपने राम ने भी वहाँ ठहरना उचित न समझा। इसलिए वहाँ से भाग कर दूसरी ओर पहुँचे। दूसरी ओर क्या हो रहा था, इसका वृत्तान्त अगली चिट्ठी में लिखूँगा।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

❀ ❀ ❀



अजी सम्पादक जो महाराज,

जय राम जी की !

तीन-चार दिन हुए अपने राम विजया की तरङ्ग में गोलमेज़ सभा पर विचार करते हुए सो गए। आँखें बन्द होते ही "प्रोपेलरलेस वायुयान" द्वारा सीधे लन्दन पहुँच गए। लन्दन तो पहुँच गए, परन्तु अब जायँ तो किधर जायँ ! कहीं का रास्ता नहीं मालूम, किसी का घर नहीं जानते ! बीच सड़क पर खड़े होकर आँखें बन्द कर लीं (अथवा खोल लीं ? यह ठीक याद नहीं) और नाक पकड़ कर तीन चक्कर काटे, तत्पश्चात् जिधर मुँह उठा उसी ओर चले। चलते-चलते एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत के सामने पहुँचे। उसके द्वार पर पहरा था। परन्तु पहरेदार कदाचित् अन्धा था, क्योंकि अपने राम दर्राते हुए अन्दर घुस गए और उसने रोका ही नहीं। अन्दर पहुँच कर देखा, बहुत से "वेटर" इधर-उधर दौड़ रहे हैं। कोई आता है, कोई जाता है। यह सब देखते हुए अपने राम एक बड़े ज़ीने से ऊपर पहुँचे। वहाँ भी साहब बहादुरों की भीड़भाड़ थी। इसके पश्चात् एक और ज़ीने पर चढ़ गए। यह तीसरा खण्ड था। वहाँ भी काफ़ी चहल-पहल थी। अपने राम एक-एक कमरे को देखते हुए टहलने लगे। हठात् एक कमरे से यह शब्द सुनाई पड़े—"इन्शा अल्लाह, अगर गाँधी जी को नाकों चने न चबवा दूँ, तो शौकतअली नाम नहीं।" यह सुनते ही अपने राम के कान खड़े हुए कि "गिटपिट गिटपिटों" के बीच में "इन्शा अल्लाह" का क्या काम ! परन्तु शौकतअली का नाम सुनते ही समझ लिया कि बगुलों के बीच में कहीं कौए का घोंसला भी है। अतएव जिधर से आवाज़ आई थी उधर ही चले। जिस कमरे से आवाज़ निकल रही थी, उसके द्वार पर पहुँच कर अन्दर की ओर झाँका। एक बड़ा और ख़ूब सजा हुआ कमरा था। बीच में एक मेज़ थी। उस मेज़ के चारों ओर सर आग़ा ख़ाँ, मौ० शौकतअली, मि० जिन्ना, सर शफ़ी इत्यादि बैठे हुए थे। दो-तीन अङ्गरेज़ भी थे, जिन्हें अपने राम भली-भाँति पहचान न सके, क्योंकि अपने राम को सब गोरे चमड़े वाले एक ही शक्ल के दिखाई पड़ते हैं। इससे उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है। एक पर सर माइकेल ओडायर होने का सन्देह हुआ था, पर ठीक तरह से निश्चय नहीं हो सका। अस्तु ! ये सब बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। ख़ूब हँस-हँस कर बातें कर रहे थे। बीच-बीच में क़हक़हा भी लगता जाता था। सब से अधिक जोश में मौलाना शौकतअली दिखाई पड़ रहे थे। बात-बात में मेज़ पर थप्पड़ और घूँसों की वर्षा कर रहे थे। कभी उठ कर खड़े हो जाते थे, कभी टहलने लगते थे। हठात् एक अङ्गरेज़ ने अङ्गरेज़ी में कहा—"मौलाना शौकत संसार के सब से बड़े महापुरुष हैं।" सब लोग चिल्ला उठे—"बेशक ! बेशक !" इतना सुनते ही अपने राम भी चिल्ला उठे कि "हैं और थे, अभी तक किसी ने पहचाना नहीं था। सब से पहले कुछ अङ्गरेज़ों ने पहचाना है।" परन्तु अपने राम की बात किसी ने सुनी ही नहीं। मौलाना शौकत बोले—"यह आप लोगों की नवाज़िश है, जो ऐसा ख़्याल करते हैं, वरना बन्दा तो एक निहायत ही नालायक़ और पाजी आदमी है।"

इस पर लोग बोल उठे—आपके मुख से (अथवा "मुख पर" ? ठीक याद नहीं) यही शोभा देता है। लेकिन इसमें कोई शको-शुबह की गुञ्जायश नहीं कि आप महापुरुष हैं।

एक अङ्गरेज़ बोल उठा—मैं यह साबित कर सकता हूँ कि आप महापुरुष हैं। सुनिए—मि० गाँधी को संसार महापुरुष मानता है—क्यों ? यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा अगर मि० गाँधी महापुरुष हैं, तो मि० गाँधी से मोर्चा लेने वाला उनसे भी बड़ा महापुरुष हुआ। क्यों, है न ठीक ?

सब लोग बोल उठे—बेशक ! बेशक !

वही अङ्गरेज़ पुनः बोला—गाँधी से मोर्चा कौन ले रहा है ?

सब लोग बोले—मौलाना शौकतअली।

तो बस मौलाना शौकतअली गाँधी से भी बड़े महापुरुष हो गए।

सब लोग चिल्ला उठे—वाह वा ! ख़ूब साबित किया, पूरी तरह से साबित कर दिया।

अपने राम भी चिल्ला उठे—वल्लाह ! क्या दिमाग़ है, क्या भेजा है, क्या खोपड़ी है, पूरी तरह साबित कर दिया।

एक अङ्गरेज़ बोला—मौलाना शौकतअली तो इस योग्य हैं कि हिन्दुस्तान के किसी सूबे के गवर्नर बनाए जायँ

मि० जिन्ना बोल उठे—अजी नहीं, महापुरुष लोग गवर्नर नहीं बनते ! यह काम तो हमारे जैसे छोटे आदमियों के लायक़ है।

सर शफ़ी बोले—यह बिल्कुल ग़लत है कि आप छोटे आदमी हैं। आप भी बहुत बड़े हैं, छोटा तो बन्दा है।

सर आग़ा ख़ाँ बोले—आप सब लोग बड़े हैं, बन्दा बहुत छोटा आदमी है। गवर्नरों का काम ख़िदमत करना है। लिहाज़ा ख़िदमत करने का काम इस हक़ीर को सौंपा जाय ! मेरी बहुत दिनों से यह दिली आरज़ू है कि मैं मुल्क हिन्दुस्तान की कुछ ख़िदमत करूँ। लिहाज़ा अगर आप लोग मुझे यह मौक़ा दें तो क़यामत तक अहसान मानूँगा।

एक दूसरा अङ्गरेज़ बोल उठा—मौलाना शौकतअली तो महापुरुष हैं, वह तो गवर्नरी कभी क़ुबूल नहीं करेंगे। अब बाक़ी रहे आप तीन व्यक्ति, सो आप लोग आपस में तय कर लीजिए।

मौलाना शौकतअली बोल उठे—महापुरुष होते हुए भी जो ख़िदमत मुझे सौंपी जायगी, उसे मैं जानो-दिल से बजा लाऊँगा। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबों का असली काम ख़िदमत ही करना था।

मि० जिन्ना बोले—यह ठीक है, लेकिन अब आपकी उम्र इस क़ाबिल नहीं रही कि आप किसी की ख़िदमत करें—अब तो आपको यादे-ख़ुदा करना चाहिए। क्योंकि आप मौलाना हैं। मौलानाओं का काम है ख़ुदा की इबादत करना।

मौलाना बोले—मुझमें इतनी ताक़त है कि मैं सब काम एक साथ कर सकता हूँ। गवर्नरी भी कर सकता हूँ, साथ ही लीडरी भी कर सकता हूँ; इबादत भी कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो मार-पीट और कुश्तम-कुश्ता भी कर सकता हूँ। आप मुझे समझते क्या हैं ?

एक अङ्गरेज़ बोला—हम आपको जो कुछ समझते हैं, उसको मुँह से न निकालना ही अच्छा है। वैसे महापुरुष आप हई हैं।

मौलाना शौकतअली बोले—ख़ैर, यह मसला सरकार आलिया पर छोड़ दिया जावे। वह जिसे चाहे गवर्नरी दे। मैं सरकार की बात मान सकता हूँ—उसके अलावा और किसी की नहीं मान सकता। सरकार अगर मुझे कॉन्स्टेबुल बना दे, तब भी मैं बिना किसी उज़्र के उसे क़ुबूल कर लूँगा। क्योंकि मेरा यह अक़ीदा है कि सरकार जिसे चाहे इज़्ज़त दे सकती है, जिसे चाहे ज़िल्लत दे सकती है। उसके ख़िलाफ़ होना ख़ुदा के ख़िलाफ़ होना है।

"हियर ! हियर !"

अपने राम चिल्ला उठे—"बट, देर ? देर ?" परन्तु अपने राम की बात किसी ने सुनी ही नहीं।

मि० जिन्ना बोले—सरकार तो सब कुछ हई है, मगर हमारी अर्ज़ तो पहले आप ही से है मौलाना ! आप जो चाहेंगे वह होगा।

मौलाना—बेशक ! मैं जो चाहूँगा वही होगा। क्योंकि जो मैं चाहूँगा, वही सरकार को भी मानना पड़ेगा, वरना जनाब हिन्दुस्तान भर के मुसलमान मेरी दुम से बँधे हैं, यह याद रहना चाहिए।

सर शफ़ी बोले—ख़ुदा उसे सलामत रक्खे और बुरी नज़र से बचाए, हमें भी तो आपने उसी में जकड़ लिया है। लेकिन ख़ुदा के वास्ते अब गवर्नरी पर तो दाँत न लगाइए। आपके लायक़ वह नहीं है। अगर ख़ुदा वह वक़्त लाया, तो आपको गवर्नर-जनरल बनाएँगे। और वह वक्त ज़ुरूर आएगा।

शौकतअली—इन्शा अल्लाह ! अगर तुम लोग ईमान सलामत रक्खोगे, तो वह वक़्त आने में देर नहीं लगेगी। ज़ुरूर आएगा।

अपने राम बोले—चला तो वह अपने राम के साथ ही था, मगर न जाने रास्ते में कहाँ अटक गया।

सर आग़ा ख़ाँ बोले—वह वक़्त इस तरह आवेगा, जिस तरह बन्दे का घोड़ा सब घोड़ों के आगे आता है। क्यों, कैसी कही ?

"वाह वा ! वाह वा ! क्या कही है, ख़ूब कही।"

अपने राम भी बोले—वल्लाह ! ऐसी कही कि लखनऊ याद आ गया।

मि० शफ़ी बोले—ख़ैर, जब तक वह वक़्त आवे तब तक के लिए गवर्नर कौन बनाया जायगा ?

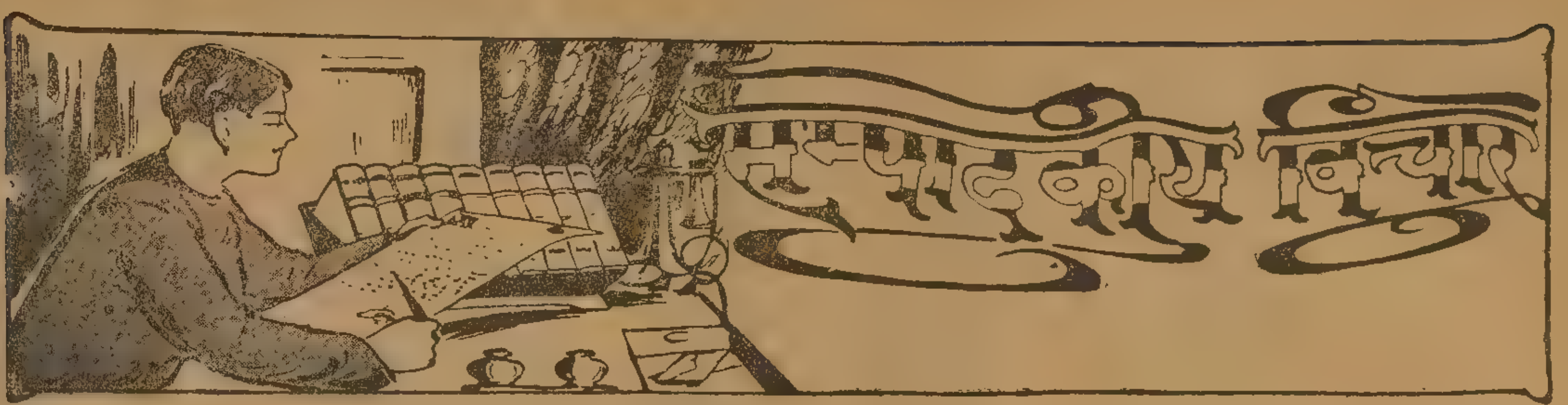
मि० जिन्ना बोले—वह तो तय ही सा है, फ़िलहाल उस ख़िदमत को मैं बजाऊँगा।

मि० शफ़ी—नहीं मैं !

सर आग़ा ख़ाँ—नहीं मैं !

एक अङ्गरेज़ बोला—मेरी समझ में तो चिट्ठी छोड़ ली जाय तो अच्छा है।

(शेष मैटर ८वें पृष्ठ में देखिए)



भविष्य

२६ अक्टूबर, सन् १९३१

पराधीनता

हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग दो प्रकार की पराधीनता में दबे हैं। एक भीतरी, दूसरी बाहरी। भीतरी पराधीनता हम उसे कहते हैं, जो मनुष्य अपनी नादानी, अदूरदर्शिता अथवा मोहवश अपने गले बाँध लेता है।

लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे, जो गाँजा, भाँग, चरस, अफ़ीम और शराब इत्यादि नशों के अधीन हो गए हैं, वह इन्हें किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। बहुत से जुआ आदिक अनेक दुराचारों के हाथ अपने को ख़ुशी-ख़ुशी इस तरह बेच चुके हैं कि उनके छुटकारे की मरने के समय तक कोई आशा बाक़ी नहीं। यह लोग क्रीतदास की भाँति अपनी भूलों के ग़ुलाम बन चुके हैं।

ऐसे भी करोड़ों प्राणी मिलेंगे कि जिनको बनाव-श्रृङ्गार का इतना मिथ्या और बुरा रोग लग चुका है कि वह उसके लिए जाति, देश, धर्म, किसी का भी कुछ विचार नहीं करते। हमारे भारत के बाज़ारों में करोड़ों रुपयों के खिलौने, आतिशबाज़ी, कॉलर, नेकटाई, हैट, और सहस्रों प्रकार के मञ्जन, पाउडर, रङ्ग, रोगन, शर्बत, एसेन्स विदेशों से आकर बिक जाते हैं। वास्तव में इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती इनके कारण देश में दरिद्रता आती है, स्वभाव व्यर्थ शौक़ीन बन जाता है, जो धन देश में दूसरे अच्छे कामों में लग सकता है, विदेश चला जाता है। फिर भी लोग इस बनाव-श्रृङ्गार के ग़ुलाम अपने मन से बने बैठे हैं।

विलायती कपड़े की बाबत देश के विद्वान लोग सन् १८८९ से कह रहे हैं कि यह हमारी निर्धनता, हमारे देश की कारीगरी नष्ट करने का और हमें नाज़ुक-मिज़ाज बनाने का कारण है। अनेक धर्म-भीरु पुरुषों ने धर्म की भी हानि इससे प्रत्यक्ष दिखलाई, लेकिन देश आँखें बन्द करके कितने ही करोड़ रुपए इन कपड़ों की ख़रीदारी में लगा देता है। हमारे ही देश के आदमी इसे बाहर से मँगा कर भारत में बेचना अपना प्रधान धर्म और कर्म समझे बैठे हैं।

विदेशी चीनी, जो स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली, खाने में देशी चीनी से कम मज़ेदार है, हमारे देश में बहुत परिमाण में बिकती है। विलायती शराब, कोकीन वग़ैरह के लिए भी लोग कम रुपया विलायत नहीं भेजते। यह सब अपनी जानकारी में अपने हाथों की ख़रीदी हुई पराधीनता नहीं तो क्या है?

अगर हममें ज्ञान हो, हमें अपने मन और शरीर की भलाई का विचार हो, हममें अपने देश का दर्द हो तो हम इन चीज़ों को सहज ही छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता।

जब हम अपने हाथों अपने को ऐसी ग़ुलामी में डाल देते हैं, जिसके लिए कोई दबाता नहीं, हमें कोई मजबूर नहीं करता, सताता नहीं, जिनके करने न करने के लिए कोई क़ानून हमारे सर पर नहीं है, बल्कि इस सम्बन्ध में हम सब प्रकार से स्वतन्त्र हैं, तो हमारी नादानी का अन्त हो जाता है।

जो देश अपने जीवन को संसार में अच्छी तरह पर शक्तिशाली, चतुर और कर्मनिष्ठ होकर बिना दूसरे देशों की सहायता के नहीं चला सकता, उसकी पराधीनता पर जितना दुख किया जाय, थोड़ा है। जब तक हम अपनी भीतरी स्वाधीनता को नहीं जीत लेते, बाहरी पराधीनता को हटा कर स्वतन्त्र होने में अधिक कठिनाइयों का होना ज़रूरी है। जब एक विरोधी से लड़ना कठिन होता है, तो दो विरोधियों से लड़ना कैसे कठिन न होगा। इसी भीतरी—अपनी लाई हुई पराधीनता को दूर करने का नाम साम्पत्तिक, आर्थिक और सामाजिक आत्म-शुद्धि है।

हम लोग यह देखते हुए कि हम अपने आन्तरिक भेद-भावों के कारण दुर्बल और जर्जर हो रहे हैं, हज़ारों वर्ष से दासता की असह्य वेदना भोग रहे हैं, फिर भी हम अपनी सामाजिक कुरीतियों और कुविचारों को हटाने के लिए दृढ़ सङ्कल्प के साथ कटिबद्ध नहीं होते। यह अनुचित सामाजिक और धार्मिक बन्धन ज़बरदस्त ग़ुलामी की ज़ञ्जीरें ही तो हैं।

जिस देश में बाहरी ग़ुलामी नहीं है, जो देश स्वतन्त्र है, वह अपना सामाजिक सुधार अपना सारा तन, मन, धन लगा कर सहज में ही कर सकता है। जिनको भीतरी दासता का रोग नहीं है, वे एकमत होकर बाहरी दासता को प्रबल हाथों से मिटाने में अधिक समर्थ होते हैं। हमारे लिए दो प्रकार की ग़ुलामी हैं जिनसे छुटकारा पाना ज़रूरी है। इसलिए पहले भीतरी ग़ुलामी को हटाने के लिए जल्दी हमें तैयार होना चाहिए।

बाहरी ग़ुलामी का हटाना भी बहुत कठिन नहीं है, जो कुछ कठिनाई हमें नज़र आती है, वह भीतरी ग़ुलामी के ही कारण है।

बाहरी ग़ुलामी की बाबत हमें यह कहावत याद आती है—

उवर याचक अरु पाहुना, चौथा माँगनहार।
लङ्घन चार कराइए फेर न आवें द्वार॥

घर में कोई मेहमान आवे और खाने को न पावे तो आप ही चला जायगा। यही हाल उधार या मगना माँगने वाले और भिखारी का होता है। ज्वर का भी उपवास करने से हट जाना आयुर्वेद का मत है।

लेकिन हम तो बराबर विदेशियों को पुष्कल आहार देते जा रहे हैं। ऐसी दशा में हमारे पाहुने हमारा घर छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। हमारे किसान अन्न पैदा कर-कर के सस्ते से सस्ता तुरन्त बेच डालते हैं और सरकार, ज़मींदार, साहूकार की झोली भर देते हैं, अपने खाने तक के लिए नहीं रखते। इस दशा में उनकी ग़ुलामी का अन्त कैसे सम्भव है?

हमें महात्मा गाँधी अपने पवित्र उपदेशों द्वारा भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की ग़ुलामी से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझते कि वैद्य के दवा लिख देने से रोग का नाश नहीं होता, दवा लाकर बनानी और पीनी पड़ती है। महात्मा जी के उपदेशों को सुन कर उनकी जय बोलने वाले, जो उनके उपदेशों के अनुसार नहीं चलते, वह उस तोते के समान हैं, जो 'पिंजड़े में मत फँसना, पिंजड़े में मत फँसना' रटते हुए भी अपने आप पकड़ने वाले के पिंजड़े में जा फँसता है। अगर हम ज़बरदस्त मेहमान को खाना न देना चाहें तो वह हमारे घर की मौजूदा चीज़ों को छीन कर खा सकता है, लेकिन कितने दिन? जब तक ऐसे अवाञ्छनीय मेहमान को अपने घर से चला गया न देख लें, हमें चाहिए कि हम नया सामान ख़रीद कर घर में न लावें। आप भी भूखे रहें और मेहमान को भी भूख से तड़पा दें। इसमें कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन यह कष्ट उस कष्ट से बहुत कम है, जो हम पीढ़ियों से अपनी नादानी के कारण भोग रहे हैं और आगे आने वाली सन्तति को भोगने के लिए छोड़ जाते हैं।

* *

पौण्ड स्टर्लिङ्ग और सोना

जब ग्रेटब्रिटेन में 'स्वर्णमान' था तब क्या बात थी और अब क्या है, इसी को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से एक विद्वान अङ्गरेज़ 'हार्टले' का लेख हम अपनी भाषा में और भी सरल बना कर उद्धृत करते हैं।

विलायत में बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड के एक-एक पौण्ड के नोट चलते हैं। जब 'स्वर्णमान' था तब जिन नोटों से वहाँ ख़रीद-बिक्री होती थी, उनको हम बैङ्क ले जाकर बदले में सोना ला सकते थे। इसी अधिकार का नाम 'स्वर्णमान' है। अब पौण्ड नोटों के बदले में सोना नहीं मिलता, यही 'स्वर्णमान' त्याग देना या उठा देना है। असल बात यह है कि हरेक आदमी को पौण्ड के बदले सोना लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खाने-पहनने और दूसरी सब तरह की चीज़ें नोट देकर ख़रीदी जा सकती हैं। लेकिन नोट (अर्थात् पौण्ड या पौण्ड-नोट) के बदले सोना ख़रीदने की ज़रूरत उस समय लोगों को होती थी, जब उन्हें दूसरे देश से माल ख़रीदना पड़ता था। एक बात ज़रूर है कि जब नोट के बदले सोना मिलता था, उसका विनिमय मूल्य सोना होने से उसकी प्रतिष्ठा थी या यों कहें कि उसका एतबार था, इसलिए बाज़ार में उसका दाम खिंचा रहता था। उसके बदले में इङ्गलैण्ड के बाज़ार में दूसरे देशों के सिक्के ख़रीदे जा सकते थे। इसीलिए नोट का दाम स्वदेश में भी स्थिर बना रहता था।

अब दो-एक जान रखने की बातें हैं, जिनसे हमारी बात और स्पष्ट रीति से समझ में आ जाएगी।

जब 'स्वर्णमान' था तो एक पौण्ड का नोट, जो पौण्ड के नाम से मशहूर है, हम बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड ले जाकर उसका सोना लेना चाहते तो बैङ्क हमें ११३ ग्रेन सोना देने को बाध्य थी, पर देती नहीं थी। क्योंकि देश में सोने का सिक्का चलाने से क्या लाभ? सोना घिसता है, इसलिए नोटों से ही काम चलाना अच्छा है। हाँ, जब विदेश से माल ख़रीदने की ज़रूरत होती तो कम से कम १,६०० पौण्ड देने पर ऊपर बतलाए

हुए हिसाब से चार सौ औन्स सोना बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड दे देती थी।* बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड इसी भाव से सोना लेने को भी बाध्य थी।

बहुत से दूसरे देशों में भी यही या ऐसा ही तरीक़ा बर्ता जाता है। अमेरिकन डॉलर का दाम है, २३·२२ (लगभग २३।) ग्रेन सोना। अर्थात् १ डॉलर का नोट देने से सवा तेइस ग्रेन सोना मिलता है। इसलिए जब अङ्गरेज़ी पौण्ड और अमेरिकन डॉलर में बट्टा नहीं था, बराबर का भाव था, तब एक पौण्ड ४·८६ डॉलर (अनुमान पौने पाँच डॉलर) का होता था। जब तक दोनों जगहों पर स्वर्णमान था, पाउण्ड और डॉलर के दर में क़रीब-क़रीब यही सम्बन्ध रहता था, ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता था।

बदले की दर

सराफ़ लोग जब एक सिक्का के बदले में दूसरा सिक्का देते हैं, तो उसे बदला या अङ्गरेज़ी में 'एक्सचेञ्ज' कहते हैं। इसी का ठीक हिन्दी नाम विनिमय है। लन्दन और न्यूयार्क (अमेरिका) की बदले या विनिमय की दर, अर्थात् जिस भाव से पौण्डों को डॉलरों में और डॉलरों को पौण्डों में बदल सकें, उसके बट्टे की दर सराफ़े में कुछ घटती-बढ़ती रहती है। इस बट्टे के घटने-बढ़ने का कारण 'लेवाली बिकवाली' है। किसी को बहुत से डॉलरों की ज़रूरत है तो डॉलर कुछ महँगा मिलेगा; अगर बहुत से डॉलर बेचने हैं तो कुछ सस्ते बिकेंगे। यह बात सब भारतवासी समझते हैं, इसलिए अधिक व्याख्या व्यर्थ है। अगर अमेरिका आदि अन्य देश इङ्गलैण्ड के हाथ अपना माल बेचेंगे; तो पौण्ड पावेंगे और उन्हें अपने घर पर अर्थात् अमेरिका में ख़र्च करने के लिए पौण्डों को बदल कर डॉलर लेने पड़ेंगे, इसी तरह अङ्गरेज़ों को अपने माल के दाम में डॉलर मिलने पर डॉलरों को देकर पौण्ड लेने पड़ते हैं। इसी तरह अमेरिका वाला इङ्गलैण्ड में माल ख़रीदेगा तो उसे पौण्ड देने पड़ेंगे, इसलिए अपने डॉलरों के बदले पौण्ड ख़रीदेगा। ऐसे ही अङ्गरेज़ों को अमेरिका से माल ख़रीदने पर पौण्डों को बेंच कर डालर बना कर दाम चुकाना पड़ेगा। यह अदल-बदल सराफ़े के द्वारा होती है। वह बीच में कुछ बट्टा लेकर अपनी जेब में डालता है। अगर, बेचने वाला जितने पौण्ड बेचना चाहता है, ख़रीदार को उतने की ज़रूरत नहीं है, तो पौण्ड का बट्टा कुछ बढ़ जायगा। यह तो हम रोज़ देखते हैं कि जब बाज़ार में चना, जव, और गेहूँ आदि ज़्यादा आ जाता है और ख़रीदार कम होते हैं, तो अन्न मन्दा हो जाता है और जब ख़रीदार ज़्यादा होते हैं तो भाव बाज़ार में तेज हो जाता है। फ़र्क़ इतना ही होता है कि गेहूँ तो कितना भी मन्दा हो सकता है, २५ सेर भी बिक सकता है और ५ सेर भी, परन्तु पौण्ड इतना नहीं गिर सकता। क्योंकि हम पौण्डों का सोना ख़रीद कर, सोने से डॉलर ख़रीद सकते हैं, इसलिए स्वर्णमान पौण्ड को एक ख़ास हद के नीचे नहीं जाने देता था। कोई ज़्यादा मन्दा माँगे तो जिस अमेरिका वाले के पास पौण्ड (नोट) हैं, सोना दे दिया जायगा। वह जाकर अमेरिका में उस सोने के डॉलर बनवा ले। इसलिए जब तक इङ्गलैण्ड में स्वर्णमान रहा, तब तक पौण्ड बट्टे की मामूली हद से ज़्यादा सस्ते नहीं हुए। बट्टे की दर का विचार जहाज़-भाड़ा, बीमा और ब्याज के हिसाब से होता है। जो आदमी अमेरिका में बैठा हुआ अङ्गरेज़ी पौण्ड लेगा, वह ज़रूर देखेगा कि इङ्गलैण्ड से सोना मँगाने में जहाज़-भाड़ा, बीमा का ख़र्च लगेगा और जितने दिन में सोना आएगा उतने दिन का ब्याज भी मिलना चाहिए। इसी तरह अमेरिका में पौण्ड की दर बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं हो सकती, अगर कोई ज़्यादा वहाँ माँगेगा तो डॉलरों का सोना ख़रीद कर इङ्गलैण्ड भेज दिया जायगा।

जब दूसरे देश के साथ व्यापार करना होता है, तो यह बात सर्वत्र संसार भर में योंही हुआ करती है। इसलिए बट्टे की दर बँधी सी रहती है। अगर ऐसा न हो तो विदेश का व्यापार जुए का दाँव हो जाय, जैसा कि लड़ाई के बाद स्वर्णमान के स्थगित होने से हुआ था। उन दिनों बट्टे की दर बेहिसाब घटती-बढ़ती थी। अगर पौण्ड बहुत नीचा गिर गया तो इङ्गलैण्ड को विदेशी व्यापार में बड़ी गड़बड़ी का सामना करना पड़ेगा। लन्दन व्यापार और धन का सब से बड़ा केन्द्र होने के कारण, उसीके द्वारा प्रायः पौण्ड के आधार पर देश-देशान्तर आपस में व्यापार करते हैं। अगर लन्दन में गड़बड़ी हुई तो दूसरे देशों में भी गड़बड़ी होगी।

पौण्ड की क़ीमत घट जाने से लन्दन का माल बाहर अधिक जायगा। अगर पौण्ड, जो पाँच डॉलर का था, चार डॉलर का रह जाय तो इङ्गलैण्ड के माल बनाने वाले, जो अपना माल अमेरिका के हाथ बेचते हैं, कुछ दिन बड़े मज़े में रहेंगे। क्योंकि अगर वह १,००० डॉलर का माल बेचेंगे तो उन्हें २५० पौण्ड मिलेगा और पहले उन्हें २०० पौण्ड मिलता। इसीसे बहुतों का ख़्याल है कि पौण्ड का दाम घट जाने से हमारे व्यापार को लाभ पहुँचेगा। अगर जान-बूझ कर पौण्ड का दाम गिरा दिया जाय, तो इसका अर्थ है कि हमने बाहर से जो क़र्ज़ पौण्डों में ले रक्खे हैं, उनको पूरा-पूरा अदा नहीं करना चाहते; क्योंकि हम उन्हें कम दाम के पौण्डों में अदा करेंगे।

इसी बात को उलट कर देखें तो जो माल बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, उन्हें पौण्डों में दाम देने से देना भी ज़्यादा होगा। इसलिए बाहर से ख़रीदे हुए माल का दाम तेज़ हो जायगा। इससे बाहर का माल आना आप ही रुक या घट जायगा। इस तरह हमारी (इङ्गलैण्ड की) व्यापारिक दशा कुछ दिनों में सुधर जायगी।

अगर पौण्डों का आधार सोना न रक्खा जाता तो अगणित नोट मनमाने छापे जा सकते थे, बशर्ते कि सरकार यह समझती कि इससे उसका काम निकलता है, और जब नोट बाज़ार में बहुत ज़्यादा हो जाते तो उनका दाम गिर जाता, जैसा पिछले महासमर के समय देखा गया था और हमें अति-वृद्धि का कुफल भोगना पड़ता। रोज़-रोज़ पौण्ड का दाम घटता रहता और चीज़ों का दाम तेज़ होता चला जाता, तो देश में हाहाकार मचता। यह बातें सुव्यवस्थित और सुशासित देश में न होनी चाहिए।

उक्त लेख से साफ़ ज़ाहिर है कि पौण्ड का मूल्य घटाने से इङ्गलैण्ड अपना माल ख़ूब निकालना चाहता है और बाहर का माल महँगा पड़ने से अपने यहाँ आना रोकता है। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर देखें तो रुपए का दाम बढ़ा कर १ शिलिङ्ग छः पेन्स करना और पौण्ड के गले बाँधना प्रत्यक्ष हिन्दुस्तान को नुक़सान पहुँचाने वाला काम है। यह अब इतनी स्पष्ट बात हो गई है कि किसी भी फ़ाइनेन्स मेम्बर या सम्पत्ति-शास्त्रज्ञ की बाजीगरी हमारी नज़रों को नहीं बाँध सकती।

* * *

ब्रिटेन की सैनिक नीति

कौन नहीं जानता कि भारतीय सरकार की सारी आमदनी का आधे से कुछ ही कम सेना-विभाग में ख़र्च हो जाता है? सैनिक विभाग का ख़र्च १९१४ के महासमर से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस समय सेना का ख़र्च अनुमानतः ५२ करोड़ रुपए सालाना है।

हाल ही में सेना-विभाग के ख़र्च में कमी करने के अभिप्राय से भारत-सरकार ने एक सलाहकार-उपसमिति जाँच करने के लिए नियुक्त की है। इसमें पाँच हिन्दुस्तानी और दो अङ्गरेज़ हैं। एसेम्बली के राष्ट्रीय दल के अग्रगण्य श्री० दीवानबहादुर रङ्गाचार्य इसके प्रधान हैं! इस उपसमिति की रिपोर्ट का जो भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उससे अनेक महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होता है।

इस कमिटी को यह भार सौंपा गया है, कि वह ख़र्च की पर्यालोचना करे और बतलाए, कि किस तरह और किस मद में किफ़ायत हो सकती है; किन्तु शर्त यह रक्खी गई है कि सैनिक प्रबन्ध की मौलिक नीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए!

कमिटी का कहना है कि भारतीय सेना की योग्यता को तनिक भी किसी तरह कम न होने दें; तो भी कमिटी की तजवीज़ की हुई कमी बड़ी आसानी से हो सकती है।

सेना की योग्यता, उसका वर्तमान सङ्गठन (बनावट), हथियार वग़ैरह का प्रमाण भी उसी विचार के भीतर आ जाता है, जिस उद्देश्य से सेना रक्खी गई है। यह कहना, कि भारत में जो सेना रक्खी गई है, उसका मतलब केवल बाहर के आक्रमण से भारत को बचाना और देश के भीतर शान्ति स्थापित रखना है, ठीक नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह प्रकट होता है, कि संसार में जहाँ कहीं अङ्गरेज़ी साम्राज्य से युद्ध छिड़े उसमें जाकर भारतीय सेना मदद करे। इसका सब से बड़ा प्रमाण भारतीय सेना का इतिहास है। भारत में जो सेना रक्खी जाती है, वह भारत की ही ज़रूरत के मुताबिक़ नहीं रक्खी जाती। अफ़्रीका, चीन, टर्की, अफ़ग़ानिस्तान, फ़ान्स और रूस आदि जगहों में या भू-मण्डल पर जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी है, भारत से सेना भेजी गई है।

इसीलिए भारतीय सेना अस्त्र-वस्त्र से सब तरह ब्रिटिश सेना के समान दर्जे की रक्खी जाती है, जिससे जब उसे ब्रिटिश सेना के साथ मिल कर काम करना पड़े, तो उसमें किसी भी प्रकार की विषमता न हो, नहीं तो सहयोग दुस्तर हो जायगा। इस प्रकार भारत की सेना को इङ्गलैण्ड की सेना का ही एक अङ्ग मान कर, इस ख़र्च घटाने वाली 'रङ्गाचार्य कमिटी' को सेना का ख़र्च घटाने के प्रश्न पर विचार करना पड़ा है।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त कमिटी ने फ़ौजी ख़र्च की कई मदों में कमी करने का परामर्श दिया है। कमिटी ने साफ़ कहा है कि—'इतना अधिक ख़र्च तो १९१४ के बाद बढ़ा है। गत महासमर के पहले जितनी सेना रहती थी, वह सन्तोषजनक काम करती थी। यह बात दूसरी है कि गत महासमर के अनुभव से सेना के पुनर्सङ्गठन आदि पर बदली हुई दशा के अनुसार विचार बदल गया हो।'

फ़ौजी अङ्गरेज़ अफ़सर कहते हैं कि 'सेना में ज़्यादा हिन्दुस्तानी हों, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह निश्चय होना चाहिए कि सेना की योग्यता में कमी न होगी। लेकिन हम लोगों का बहुत दिनों का अनुभव

---

* एक रुपया तौल में १७९ ग्रेन होता है। एक ग्रेन अनुमान पौने दो रत्ती के होता है। अङ्गरेज़ी तौल सोने की है। २४ ग्रेन का १ पेनीवेट, २० पेनीवेट का एक औन्स होता है। —सं० 'भविष्य'

है कि सेना में हिन्दुस्तानियों का होना और उनका योग्य होना—दोनों एक साथ नहीं हो सकता।'

इस सिद्धान्त को देखते हुए स्पष्ट है कि व्यय-सङ्कोच कमिटी कितनी भी जाँच करे—अनुचित खर्च की कमी का परामर्श दे, किन्तु जब तक इङ्गलैण्ड के समर-विभाग की बात मान्य रहेगी, तब तक यथेष्ट ख़र्चे के कम होने की आशा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि इङ्गलैण्ड फ़ौज को पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहता है। यदि भारत की रक्षा का अधिकार इङ्गलैण्ड के ज़िम्मे न होगा, तो वह अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर सकेगा; फ़ौज के द्वारा जो प्रचुर धन आज इङ्गलैण्ड जाता है, वह भी बन्द हो जायगा, साथ ही भारत के ऊपर से उसका आतङ्क भी कम हो जायगा !!

हमारी इस धारणा का समर्थन सर सेमुएल होर के उस उत्तर से भी होता है, जो उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रे़न्स के सदस्यों को दिया, जब कि यह लोग सेना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए सर सेमुएल होर और इण्डिया ऑफ़िस के सैनिक सलाहकारों से उस दिन मिले थे। इस सम्मिलन में महात्मा गाँधी प्रभृति १५-२० सदस्य सम्मिलित थे और अनुमान २ घण्टे तक बातचीत हुई।

सर सेमुएल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कि 'ब्रिटिश सेना ग़ैर-ब्रिटिश अफ़सरों की आज्ञाओं का कदापि पालन न करेगी।'

इस पर महात्मा गाँधी ने प्रश्न किया—'इस बात के निर्णय करने का अधिकार किसको रहेगा कि कितनी ब्रिटिश (गोरी) सेना रखने की भारत को ज़रूरत है ?'

इस प्रश्न का उत्तर सर सेमुएल ने कुछ न दिया, तब सर सेठना ने फिर महात्मा जी के प्रश्न को अक्षरशः दोहराया। इस पर बाध्य होकर सर होर को कहना पड़ा कि एकमात्र ग्रेटब्रिटेन की सरकार को ही यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि भारत में गोरी सेना कितनी रक्खी जाय !!

इसके बाद सरकार के पक्ष से पुनः सर होर ने अपने हवाई सेना के अमात्य होने के कारण वैयक्तिक अनुभव के आधार पर कहा कि भारत की रक्षा में तीन उद्देश्य हैं। १—(क) साम्राज्य के संसर्ग (कम्यूनीकेशन) की रक्षा, (ख) इङ्गलैण्ड को हवाई हमलों से सुरक्षित रखना, (ग) भारत की सीमा की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना।

२—इङ्गलैण्ड की सरकार हिन्दुस्तान की निजी ज़रूरत से अधिक सेना वहाँ रखने की इच्छा नहीं करती।

३—भारतीय सेना साम्राज्य की रक्षा के लिए गुप्त सुरक्षित भाण्डार नहीं है।

साथ ही आपने यह भी कहा कि भारतीय सेना के साज़ व सामान में अपव्यय नहीं होता, बल्कि उसमें ज़रूरत से अधिक किफ़ायत (मितव्ययता) की जाती है। धीरे-धीरे सेना कम की जा रही है और बिना रोक-टोक सेना में भारतवासियों की वृद्धि होती चली जा रही है। पहले भारतीय सेना को सर्वोत्तम नए लड़ाई के सामान (गोली, बारूद तथा बन्दूक़ आदि) नहीं मिलते थे, अब उनको वही सब सामान मिलते हैं, जो गोरी सेना को दिए जाते हैं। अन्ततः बात यह है कि गोरी सेना गोरे अफ़सरों के सिवा दूसरे किसी से हुक्म नहीं लेती अर्थात् दूसरे किसी की आज्ञा नहीं मानना चाहती।

मेजर जनरल मसग्रेव ने सर होर के बाद भारत में पिछली लड़ाई के अनन्तर पुनर्संङ्गठित सेना के भारत में रखने के तीन उद्देश्य बतलाए :—

(क) बाहिरी शत्रु से रक्षा करना।
(ख) निरन्तर पहरेदारी करना।
(ग) देश के भीतर अमन बनाए रखना।

आपने उपर्युक्त ३ बातों की व्याख्या करते हुए कहा, कि सीमा-प्रान्त में साढ़े चार लाख जुदा-जुदा फ़िर्क़ों के लोग रहते हैं, इनमें एक तिहाई हथियारबन्द लोग हैं। अगर यह आक्रमण कर दें, तो अकेली हिन्दुस्तानी सेना हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं कर सकती। भीतरी निरशङ्कता स्थापित रखने के लिए वर्तमान सेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हिसाब करने से प्रत्येक तीन हज़ार मनुष्यों के प्रति औसतन एक सिपाही पड़ता है।

फ़ौज के खर्च के सम्बन्ध में अपने कहा कि १९१३ से गोरी सेना की तादाद घटती आई है। १३,००० गोरी और २०,००० देशी सेना कम हुई है। सेना का ख़र्च बढ़ने का कारण वेतन की वृद्धि और भीतरी सेना के क़ाम करने की योग्यता का ऊँचा करना है। फिर भी भारतीय सेना का साज़-सामान ख़ास ब्रिटेन की सेना के साज़-सामान से नीचे दर्जे का है। इङ्गलैण्ड में ब्रिटिश डिविज़न के पास ८४ तोपें हैं, भारत के डिविज़न के पास केवल ४८ तोपें ही हैं। इङ्गलैण्ड के डिविज़न के पास १६ विक्टर तोपें हैं, भारत में केवल ८ हैं। लड़ाई के टैङ्क भारत में हैं ही नहीं।

अन्त में आपने कहा कि भारत में कितनी सेना रहनी चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता।

इन बातों से यह स्पष्ट है, कि ब्रिटेन अपना लोहे का पञ्जा हमारे सर से हटाना नहीं चाहता, हमें स्वाधीनता देने की बात एक निर्मूल कल्पना मात्र है। महात्मा जी ने यह साफ़ कह दिया है कि आवश्यकता के अनुसार कुछ काल तक सेना पर सरकारी अधिकार रह सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि ग्रेट-ब्रिटेन चाहे जितनी सेना रक्खे और उस पर चाहे जितना रुपया योग्यता आदि के बहाने लुटावे।

दूसरे देशों में सेना है और योग्य सेना है, उनके ख़र्चों को और भारत के ख़र्चों को जब हम देखते हैं, तो बड़ा अन्तर मिलता है। भारत में गत महासमर के समय बहुत कम सेना रह गई थी, फिर भी भारत का कोई अनिष्ट नहीं हुआ।

सेना की संख्या, उसके वेतन व पेन्शन, भर्ती करने और कम करने का सारा अधिकार भारतवासियों की बनी हुई राज-परिषद को होना चाहिए। यह कहना बड़ी हिमाक़त है कि ब्रिटिश सेना सिवा ब्रिटिश अफ़सरों के दूसरे की आज्ञा का पालन न करेगी। जो आदमी हमारे देश का अन्न खाएगा, कपड़ा पहनेगा, हमारी नौकरी में रहेगा और हमारा हुक्म न मानेगा, उसे नमकहलाल कभी नहीं कहा जा सकता। नमकहरामों से देश का उपकार नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातों से हमें गोलमेज़ का चर्ख़ा जल्दी ही टूटता नज़र आता है !!

* * *

गोलमेज़ की असफलता

अब एक प्रकार से गोलमेज़ की सफलता की तो आशा नहीं दीखती। हाल ही में भारतीय व्यवस्थापिका सभा के भूतपूर्व सभापति श्रीयुत विट्ठलभाई पटेल ने लन्दन में अपने एक व्याख्यान में कहा है, और हमारी समझ में ठीक ही कहा कि "जब ब्रिटिश सरकार यह नहीं बतलाती कि वास्तव में उसकी मन्शा क्या है और वह क्या करना चाहती है ? ऐसी दशा में महात्मा जी को इस अनिश्चित परिस्थिति से तुरन्त हट जाना चाहिए। बिना जड़ के पता लगाए पत्तों के लिए फिरना व्यर्थ है।"

इसके अतिरिक्त आपकी राय में जो वक्तृता मिस्टर मैकडॉनेल्ड ने दी है, वह भारतीय सदस्यों के लिए बहुत अपमानजनक है। इसमें ईमानदारी से काम करने का परामर्श तो बहुत ही अपमानजनक है, साथ ही मिस्टर मैकडॉनेल्ड ने एक प्रकार भारतवासियों की हँसी उड़ाई है। इस दशा में यह आशा करना, कि ब्रिटेन हमारी बातों को मान कर काम करेगा, दुराशा मात्र है। यदि आज नहीं तो कल—जब कभी सिद्धान्तों का प्रश्न आएगा, तब राष्ट्रीयतावादियों को गोलमेज़ से हटना ही पड़ेगा।

हम यह भी देखते हैं कि ब्रिटेन ने अपने मनोभावों को छुपा कर भारतीय 'प्रतिनिधियों' का ध्यान व्यर्थ के वितण्डावाद में लगा दिया है और साम्प्रदायिक झगड़े की उलझन का एक नया खेल खड़ा करके वह हमारी अन्दरूनी कमज़ोरियों का तमाशा देख रहा है। हमें दुख है, साम्प्रदायिकता के पक्षपाती भारतवासी इस बात की तह तक अभी तक नहीं पहुँच सके !

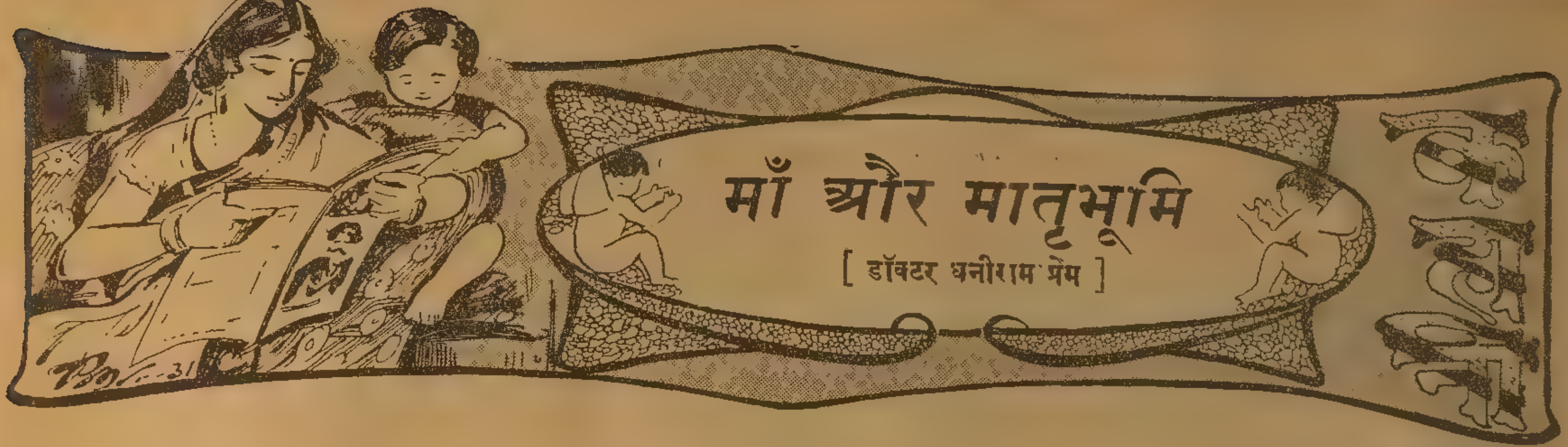
मुसलमानों का रुख़ तो हमें निश्चय करा रहा है कि वह महात्मा जी की शर्त को मान कर—अपनी सारी माँगों को पाने पर भी—देश के लिए वाञ्छित स्वतन्त्रता का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। अब हमारे देश के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि मौलाना शौकतअली, मि० जिन्ना, सर आग़ा ख़ाँ आदि आख़िर किधर जा रहे हैं ? क्या ये लोग वास्तव में देश का हित चाहते हैं ? क्या वह सचमुच भारत के मुसलमानों के कल्याण के लिए चिन्तित हैं ? यदि ये मुसलमानों के वास्तविक हितचिन्तक होते तो मि० जिन्ना की चौदह माँगों के स्वीकार कर लेने पर वे अवश्य ही महात्मा जी का साथ देते, लेकिन तब भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं !

ये सारी बातें हम किसी न किसी रूप में पहले ही 'भविष्य' के पाठकों को बतला चुके हैं। अब हम देखते हैं, कि हिन्दू-महासभा ने अपना जो वक्तव्य ता० १० अक्टूबर को प्रकाशित किया है, उसमें लगभग यही सारी शिकायतें हैं। महासभा का कहना है, कि "हमें प्रसन्नता है कि तमाशा समाप्त हो गया, अब हमारे सामने प्रश्न स्पष्ट रूप में आ गया कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेण्ट सचमुच ही हमें अपने देश पर शासन करने का अधिकार देना चाहती है या नहीं ?"

पुनः हिन्दू-सभा कहती है :—"प्रधान मन्त्री की वक्तृता से इसके अतिरिक्त और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट साम्प्रदायिक भेदों को तिल का ताड़ बना रही है। यह साम्प्रदायिक झगड़े तो हैं और जब तक कि एक तीसरा दल प्रधानता रखता रहेगा, तब तक रहेंगे भी। और वह चाहेगा कि किसी न किसी बहाने हमारी प्रधानता अक्षुण्ण बनी रहे ; किन्तु हिन्दू-मुस्लिम भेद-भावों को अनुचित महत्व देना और इनका निन्दनीय प्रचार करना किसी भी सभ्य देश के लिए शोभनीय नहीं होता।"

भारत में आज जो अत्याचार चारों ओर किसानों पर और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं, वे भी यही प्रमाणित करते हैं कि गोलमेज़ से वास्तविक किसी अधिकार के मिलने की आशा करना भ्रम है। गोलमेज़ परिषद वास्तव में नामाकूल एक गोलमोल वस्तु है। गोल वस्तु का अन्त कभी नहीं होता; ऐसी परिस्थिति में गोलमेज़ परिषद से लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाँधना—पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान दुराशा मात्र है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अपने २१ अक्टूबर वाले तार में स्वयं महात्मा गाँधी ने भी पं० जवाहरलाल नेहरू के तार में स्पष्ट कर दिया है कि "यहाँ किसी भी प्रकार की आशा नहीं है।"

* * *



माँ और मातृभूमि

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

(गताङ्क से आगे)

४

पैर में छाले लिए हुए विमल उस ग्राम में पहुँचा था। ग्राम के बाहर एक कुएँ पर पैर चल रहा था। कुएँ के पास ही नीम का एक वृक्ष था। खेत में पानी लगाने वाले किसान सप्तम स्वर में गा रहे थे—

अरे जब भीर परी मलखे पै,
वाने ऊदलु तुरत पठायो, जो बगदि सँदेसो लायो

विमल कुछ तो थका हुआ था, कुछ वह उस गाने को भी सुनना चाहता था, अतः वह अपना दुपट्टा उस नीम के वृक्ष के नीचे बिछा कर उसी पर बैठ गया। पानी लगाने वाले अपना गीत पूर्ववत गाते रहे, परन्तु पुर निकालने वाला विमल को देख कर चुप न रह सका—

'कहाँ रहते हो?'

'जमालपुर तहसील से आया हूँ।'

'कौन ठाकुर हो?'

'क्या करोगे जान कर?'

'बताने में कौन जाति चली जायगी?'

'ब्राह्मण हूँ।'

'पालागें पण्डित जी'—कह कर किसान ने दूर से ही विमल को प्रणाम किया। उसे, जैसा पहले कहा जा चुका है, कभी घर से बाहर निकलने का सावकाश नहीं हुआ था। वह इन प्रश्नों पर आश्चर्य कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि ग्रामीणों का यह नियम है कि कोई भी मार्ग में उधर से जा रहा हो, सब का इतिहास वे अवश्य पूछ लेते हैं। चाहे वह यात्री उनसे एक खेत दूर चल रहा हो, फिर भी वे चिल्ला कर पूछ लेंगे—'कहाँ जाओगे?', 'कौन ठाकुर हो?', 'कहाँ से आए हो?' इत्यादि। ग्रामों के निवासी तो इन बातों के सुनने और पूछने के आदी होते हैं, परन्तु शहर से जाने वालों को ये बातें अखर जाती हैं।

कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद विमल उठा और कुएँ पर हाथ-मुँह धोने के लिए पहुँचा। पुर खींचने वाले ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी! पूछने के प्रश्न थे, वे भी पूछे; न पूछने के थे, वे भी पूछे। विमल ने अब समझा कि वह शायद ग्रामीणों की आदत ही थी। इसलिए उल्टे-सीधे उत्तर देकर उसने पीछा छुड़ाया। हाथ-मुँह धो लेने के बाद वह ग्राम की ओर बढ़ा। ग्राम बहुत बड़ा नहीं था, परन्तु उस तहसील के लिए काफ़ी बड़ा था। वहाँ एक पुलिस का थाना था और ज़मींदार की एक गढ़ी। इसीलिए उस ग्राम को तहसील का एक मुख्य ग्राम समझा जाता था। विमल ग्राम में पहुँचा तो कुछ अन्धकार हो चला था। ग्राम के बाहर, परन्तु ग्राम से लगी हुई, एक चौपाल थी। वहाँ एक तख़्त बिछा हुआ था, एक निवाड़ का पलँग और दो सरकण्डे के बने हुए मोढ़े रक्खे हुए थे। विमल ने समझा, वह किसी रईस की चौपाल थी। वह ऊपर पहुँच गया। एक अधेड़ व्यक्ति पलँग पर तकिए के सहारे लेटा हुआ लम्बी नली का हुक़्क़ा पी रहा था। विमल को देखते ही वह सावधान होकर पलँग पर सीधा बैठ गया। विमल खादी के सारे कपड़े पहने हु था, अतः वह व्यक्ति समझ गया कि विमल कौन हो सकता था।

'कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं?'—उसने विमल से पूछा।

विमल ने एक मोढ़ा उधर सरकाया और उस पर बैठते हुए उसने उत्तर दिया—जमालपुर से।

'जमालपुर से या ज़िले से?'

'रहता तो ज़िले ही में हूँ, परन्तु इस समय जमालपुर से ही आया हूँ।'

'यहाँ किस काम से आप आए हैं?'

'यहाँ मैं सभा करना चाहता हूँ।'

'सभा?'

'हाँ, सभा।'

'कैसी?'

'काँङ्ग्रेस की।'

'गाँधी की?'

'हाँ।'

'तो आप गाँधी के चेले हैं?'

'चेला नहीं, उनका एक अनुयायी हूँ। यहाँ के निवासियों को उन्हीं का सन्देश सुनाने आया हूँ।'

'यहाँ उनका सन्देश?'

'क्यों?'

'यह ज़मींदारी का ग्राम है।'

'तो क्या हुआ?'

'क्या हुआ? यहाँ सरकार के विरुद्ध कोई काम हो कैसे सकता है?'

'जिस तरह दूसरी तहसीलों में और दूसरे ग्रामों में होता है।'

'जब तक यहाँ थानेदार और ज़मींदार की चलती है, तब तक यहाँ गाँधी का कोई काम नहीं हो सकता।'

विमल के सामने यह बड़ी भारी कठिनाई थी। परन्तु वह विचलित न हुआ। उसने वह चौपाल छोड़ दी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह निकला, जो न तो पुलिस-पक्ष का हो और न ज़मींदार-पक्ष का। परन्तु जहाँ वह जाता, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई आ ही जाती। कइयों ने तो उसे अपने यहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं पुलिस वाले या ज़मींदार के लोग पीछे से तङ्ग न करें। जिनकी चौपालें थीं, वे ही विमल को वहाँ सभा करने की आज्ञा देने के लिए राज़ी न होते थे। इस चर्चा में विमल के पीछे ग्राम के लोगों का एक झुण्ड लग गया था। लोग उसे तमाशा समझते थे। स्तम्भित दर्शकों की भाँति वे उसके इर्द-गिर्द खड़े हुए थे। विमल ने उनको ललकार कर कहा—खड़े क्या कर रहे हो? चलो, मेरे साथ सामने के खेत में। वहाँ हम गाँधी जी के सन्देश पर विचार करेंगे। हमें सभा के लिए फ़र्श की क्या ज़रूरत है? हमें शामियाने की क्या ज़रूरत है? हमें तख़्त और कुर्सियों की क्या ज़रूरत है? आकाश हमारा शामियाना होगा, पृथ्वी हमारा फ़र्श होगी। खेत की मेड़ें हमारे तख़्त और कुर्सियाँ होंगी। कौन-कौन आता है मेरे साथ?

किसी ने कुछ उत्तर न दिया, सब मूर्तिवत चुप खड़े रहे। विमल के साथ जाने को कोई तैयार न था। पहले तो विमल को लोगों की इस मनोवृत्ति पर निराशा हुई। परन्तु फिर उसने एक क्षण में ही सोच कर यह निश्चय कर लिया कि वह इसी ग्राम में सभा अवश्य ही करेगा और वहीं सब से पहले काँङ्ग्रेस कमिटी खोलेगा। कट्टरता के ऐसे सुदृढ़ गढ़ में वह प्रवेश करना चाहता था। यह बात सरल न थी, परन्तु विमल वहाँ सरल बातों का सामना करने नहीं आया था। उसे तो किसी न किसी प्रकार वह गढ़ जीतना ही था।

सामने एक टूटा हुआ कनस्तर का टुकड़ा पड़ा था। उसे और पास ही पड़े हुए एक डण्डे को उठा कर विमल एक गली में चल पड़ा। भीड़ भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। लोग कुछ करने के लिए तथा विमल का साथ देने के लिए तैयार न थे। परन्तु वे यह देखना चाहते थे कि विमल करता क्या है। जिस ओर वह निकलता, कनस्तर बजा कर चिल्लाता—थाने के पास वाले खेत में गाँधी जी की सभा होगी, आप लोग वहाँ व्याख्यान सुनने आवें। जब वह कनस्तर बजा कर दूसरी गली में जाता, तो भीड़ का आकार बढ़ता ही जाता। स्त्रियाँ अपने दूध पीते बच्चों को गोद में लेकर बाहर आतीं, यह देखने के लिए ही कि गाँधी जी का यह चेला क्या करेगा। जो बाहर नहीं आ सकती थीं, वे कनखियों से ही विमल का तमाशा देख लेतीं। अधिकांश पुरुष, जो खेती का काम करके लौटे थे और खाना खा रहे थे, वे खाना अधूरा ही छोड़ कर बाहर भागे आए। सारे ग्राम में हल्ला मच गया कि खेत में गाँधी जी की सभा होगी। लोगों के लिए इतना काफ़ी था। उन्होंने अपनी चौपालें छोड़ीं, हुक़्क़ा भरा हुआ ही छोड़ दिया। जो कहानियाँ कह रहे थे, उन्होंने कहानी अधूरी छोड़ दी, जो रसिया या चौबोला गा रहे थे, वे बीच ही में उन्हें छोड़ आए। झुण्ड के झुण्ड विमल के पीछे चलने लगे, बिना यह जाने कि वे किधर जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं। धीरे-धीरे लोगों की संख्या एक सौ के लगभग हो गई।

उस भीड़ के साथ विमल उस खेत में पहुँचा। भीड़ में से कुछ आदमी तो खड़े हो रहे, कुछ मेड़ों पर और कुछ मिट्टी के बड़े-बड़े ढेलों पर बैठ गए। विमल ने अपना व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया—लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। सीधी-सादी भाषा में उसने लोगों को गाँधी का उद्देश्य, काँङ्ग्रेस का इतिहास, अङ्गरेज़ी राज्य से होने वाली बुराइयाँ, स्वराज्य का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता, असहयोग का उद्देश्य तथा देशवासियों के कर्तव्य आदि विषयों को भली-भाँति समझा दिया। किसानों ने सुना कि देश का कितना रुपया विदेशी

कपड़ा ख़रीदने में अन्य देशों को चला जाता है। उन्होंने सुना कि कृषक के ऊपर अत्याचारों का कितना बोझ लदा हुआ था और उन अत्याचारों को नष्ट करने के लिए ही महात्मा गाँधी ने असहयोग का युद्ध शुरू किया था। वे सारी बातें सुन कर चकित हो गए। वे गाँधी का नाम सुनते थे, परन्तु उस नाम का अर्थ क्या था, गाँधी का सन्देश क्या था, उसने असहयोग क्यों छेड़ा था, ये सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी थीं। कॉङ्ग्रेस की ओर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। वे ये समझते थे कि कॉङ्ग्रेस धनिकों तथा शहर में रहने वालों की कोई चीज़ थी, निर्धन ग्रामीणों का उससे कोई सरोकार नहीं था। आज विमल के मुख से इन सब बातों की चर्चा सुन कर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह जान कर परम सन्तोष हुआ कि गाँधी और कॉङ्ग्रेस शहर वालों के ही लिए नहीं, वरन् सारे भारतवासियों के लिए थे और उनका मुख्य उद्देश्य ग़रीब ग्रामीणों को ही अत्याचारों से छुड़ाना था। आज तक पण्डितों ने और मौलवियों ने उन्हें यह सिखाया था कि 'राजा देवता या ईश्वर होता है, उसकी अवज्ञा करना पाप है।' इसीलिए वे एक छोटे से छोटे चौकीदार के अत्याचार भी चुपचाप सहन कर लेते थे, क्योंकि वे समझते थे कि वह राजा का दूत है और राजा ईश्वर का अंश है। अभी तक उनके हृदय में दो विचार घर किए हुए थे। एक तो यह कि राजा बदला नहीं जा सकता, जब परमेश्वर की ही इच्छा होगी तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। दूसरी यह कि जिन अत्याचारों को वे सहन करते थे, उन्हें सहन करना वे अपना कर्तव्य-धर्म समझने लग गए थे। उनका विचार था कि जितने भी अत्याचार हो सकते थे, उनको सहन करने के ही लिए उनका जन्म हुआ था। इन सब विचारों को लेकर वे अपना जीवन बिता रहे थे, मानो सृष्टि उसी प्रकार रही थी और उसी प्रकार चलती जायगी। परन्तु उस दिन विमल की बातें सुन कर उनकी आँखें खुल गईं। वे राजा को बदल सकते थे; अत्याचार करना ज़मींदारों और पुलिसवालों का जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं था; अत्याचारी राजा ईश्वर का अंश नहीं होता, वरन एक राक्षस होता है, जिसको गद्दी से उतार देना प्रजा का परम धर्म है; उनका जन्म केवल अत्याचार सहने के लिए ही नहीं हुआ था, वे अत्याचारों का विरोध करने के लिए मुख खोलने के अधिकारी थे। इन विचारों ने उनके हृदय में वह आत्म-ज्ञान जगा दिया, जो वर्षों की दासता ने उनके भीतर से नष्ट कर दिया था। इसी की आवश्यकता थी, यही असहयोग की सब से बड़ी विजय थी। विमल ने लाला लाजपतराय की उक्ति People once awakened and rightly awakened cannot be put down, ' (किसी देश के निवासी जब जागृत हो जाते हैं और वह जागृति वास्तविक जागृति होती है, तो उन्हें फिर कोई दबा नहीं सकता) पढ़ी थी। वह इन ग्रामीणों में जागृति के भाव भरना चाहता था। वह तो रोगी को यह बताना चाहता था कि उस रोगी को वास्तव में रोग था। जिस समय रोगी को स्वयं यह ज्ञान हो जाता है कि उसे रोग है तो वह उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करता ही है।

विमल ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और जब वहाँ उसने कॉङ्ग्रेस कमिटी स्थापित करने के लिए कहा तो सब ने स्वीकार कर लिया और उसी रात को उस ग्राम में कॉङ्ग्रेस कमिटी की स्थापना हो गई और उसका सभापति बना वह व्यक्ति, जिसने विमल को पहले अपनी चौपाल से उठा दिया था।

* * *

दूसरे दिन विमल तहसील को लौट कर चला। आज मार्ग चलना उतना सरल नहीं था, क्योंकि पैरों के छाले कष्ट दे रहे थे। तलाश करने पर भी उस ग्राम में जूतों का मिलना कठिन था। उसी नदी के किनारे विमल आया, जिसने उसके जूते की भेंट ली थी। नदी का वेग आज बहुत कम था, पानी भी उसमें अधिक नहीं था, विमल ने उस जूते को खोजने की बात सोची। परन्तु जब उसने वह जूता खोजा, जिसे कि वह किनारे पर एक आक के पेड़ के नीचे छोड़ गया था, तो उसका पता न था। अब नदी वाले जूते को खोजने से लाभ ही क्या था? वह बिना जूतों के फिर उसी जलती हुई बालू पर चल कर तहसील में पहुँचा।

५

उस ग्राम में जो सफलता विमल को मिली थी, उससे उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने सारी तहसील छान डाली। दिन और रात एक करके उसने प्रत्येक ग्राम का दौरा लगाया और फल-स्वरूप दो महीने के प्रयत्न से ही वहाँ पर तहसील कॉङ्ग्रेस कमिटी की स्थापना भी हो गई। अब प्रत्येक ग्राम में विमल का नाम था। तहसील वाले उस पर जान देते थे। वह भी उनके लिए अपने दुख और सुख की चिन्ता नहीं करता था। जहाँ कहीं बेगार की शिकायत हुई और वह पहुँचा। कहीं किसी चौकीदार या पुलिसमैन ने ज़्यादती की और वह ग्रामीणों की सहायता के लिए पहुँचा। कहीं ज़मींदार द्वारा अत्याचार हुआ और विमल ने जाकर ग्रामीणों का पक्ष लिया।

इन कामों ने विमल को ग्रामीणों का प्यारा तो बना दिया था, परन्तु ज़िले के अधिकारी और ज़मींदार उससे तङ्ग आ गए थे। तहसील भर में अब ज़मींदारों का रोब कम हो गया था। पुलिस के थानेदार से भी अब लोग न डरते थे। यह तहसील पहले जितनी पिछड़ी हुई थी, अब वह उतनी ही अग्रगण्य थी। यह कारण अधिकारियों को और भी भयभीत बनाए हुए था।

सारी तहसील को अपने हाथ में करने पर भी विमल के लिए एक गढ़ जीतना शेष रह गया था, और वह था स्वयं ज़मींदार का ग्राम। जिस ग्राम में ज़मींदार रहता था, वहाँ अभी तक कोई सभा नहीं हो पाई थी। एक बार विमल ने कुछ स्वयंसेवकों को वहाँ पर सभा करने के लिए भेजा भी था, परन्तु ज़मींदार के नौकरों ने उनको पीट कर वहाँ से बाहर कर दिया। यही नहीं, उस ज़मींदार ने तथा अन्य छोटे ज़मींदारों ने परामर्श करके उस ग्राम में एक अमन-सभा क़ायम की, जिसका उद्देश्य असहयोग की बाढ़ को रोकना था। यह अमन-सभा सभा क्या थी, एक खिलौना था। इन ज़मींदारों को यह विदित था कि बिना सरकारी सहायता के अमन-सभा को कुछ भी सफलता नहीं मिल सकती थी, इसीलिए उसमें कलक्टर, डिप्टी कलक्टर तथा थानेदार का सहयोग भी लिया गया था। डिप्टी कलक्टर साहब उस सभा के प्रधान थे और एक ज़मींदार थे उसके मन्त्री। जनता को यह दिखाने के लिए कि सरकार से सहयोग करने वालों का भी एक शक्तिशाली दल है, इन लोगों ने कलक्टर की अध्यक्षता में एक जलसा करने का आयोजन किया। जिस प्रकार सभा स्वयं एक खिलौना थी, उसी प्रकार उस जलसे को भी लोग एक दिखावट समझते थे। इसी कारण ज़मींदारों ने उसे सफल बनाने की बड़ी कोशिश की। चारों ओर किसानों को निमन्त्रण भेजे गए। उन्हें आने-जाने का किराया ज़मींदारों की ओर से मिलेगा और ठहरने और भोजन का मुफ़्त प्रबन्ध होगा, यह घोषणा कर दी गई थी। पुलिस ने भी डरा कर, धमका कर, ऊँच-नीच सुझा कर किसानों को वहाँ लाने में बड़ा उद्योग किया था। इसके अतिरिक्त स्कूल के लड़कों को मिठाई और पारितोषिक बाँटने का भी आयोजन किया गया था। इस प्रकार जनता को ज़मींदार लोग जितना भी लोभ दे सकते थे, उन्होंने दिया। उन्हें अपनी सफलता की पूर्ण आशा भी थी। परन्तु एक समाचार ने उनकी आशा पर पानी डाल दिया।

अब तक विमल स्वयं इस ग्राम में नहीं जा पाया था। कलक्टर साहब की अध्यक्षता में अमन-सभा का जलसा होगा, यह सुन कर वह वहाँ जाने को तैयार हो गया। उसे इस सुदृढ़ गढ़ पर विजय प्राप्त करनी थी। उसे यह दिखाना था कि महात्मा गाँधी के पीछे लाखों व्यक्ति हैं और ज़मींदारों और सरकार के पिट्ठुओं के पीछे सैकड़ों भी नहीं। वह यह दिखाना चाहता था कि भारत के छोटे-छोटे ग्रामों में भी महात्मा के सन्देशे ने लोकमत पैदा कर दिया था और वह लोकमत इतना प्रबल हो गया था कि उसके मार्ग में ज़मींदारों या सरकार के अधिकारियों की पैदा की हुई बाधाएँ सफल नहीं हो सकती थीं। ज़मींदारों ने जब यह सुना कि विमल वहाँ सभा करने आ रहा है तो उन्हें चिन्ता हुई। परन्तु करते क्या? बिना किसी कारण सरकार उनकी सभा को रोक नहीं सकती थी। यह साधारण स्वयंसेवक थे नहीं, जिन्हें ज़मींदारों के नौकर अपनी नीचतापूर्ण नीति से निकाल बाहर करते। यह था विमल, वह विमल जिसकी धूम चारों ओर मची हुई थी, जिसके नाम से ज़मींदारों को भय लगता था, जिसके काम से कलक्टर तक थर्राता था। इस विमल के लिए वे नीतियाँ काम नहीं कर सकती थीं। उनके लाठी के प्रहार उन्हीं के सिर पर आकर गिरते, इस बात का उन्हें भय था, अतः ज़मींदारों ने एक उपाय सोचा। जो कोई सभा में आने को राज़ी हो जाता, उसे नक़द रुपए दिए जाते। इस प्रकार सभा में उपस्थित रहने वालों को पैसे से वे ख़रीद रहे थे, क्योंकि उन्हें कलक्टर साहब को यह दिखाना था कि इतना आन्दोलन होने पर भी उनकी प्रजा महात्मा गाँधी की बातों में न आई थी।

अमन-सभा का जलसा शुरू हो गया। एक बन्द अहाते में वह जलसा किया गया था, ताकि किसी को पता न चले कि उपस्थित होने वाले व्यक्ति कितने थे। इतना होने पर भी उपस्थित होने वालों की संख्या १०० से अधिक नहीं थी। इनमें से आधे तो पुलिस के चौकीदार, ज़मींदारों के नौकर तथा तहसील के सरकारी अफ़सर थे और आधे वे किसान थे, जो पैसा देकर मोल लिए गए थे। इन सब बातों का भेद न लग जाय, इसलिए किसी खद्दरधारी को सभा में आने की आज्ञा नहीं थी। थोड़ी देर ही में विमल सहस्रों किसानों की भीड़ के साथ 'महात्मा गाँधी की जय', 'भारत-माता की जय', 'बन्देमातरम्!' आदि के नारे लगाता हुआ उसी अहाते के फाटक के पास आ पहुँचा। इस गगन-भेदी शब्द को सुनते ही अमन-सभा में तहलका मच गया। एक मोटी तोंद के रायसाहब अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में सरकार का गुणानुवाद कर रहे थे। वे इतने घबराए कि यह कहने के बजाय कि 'सरकार भगवान की कृपा से कुछ दिनों में ही गाँधी को दबा देगी', वह यह कह गए, 'गाँधी भगवान की कृपा से कुछ दिनों में ही सरकार को दबा देगी।' कुछ लोग रायसाहब के इन सच्चे-झूठे और झूठे-सच्चे वाक्यों पर हँसे, कुछ क्रोधित हुए और कलक्टर साहब ने, अच्छा हुआ, उस वाक्य को नहीं समझा, नहीं तो शायद उनकी रायसाहबी ही ख़तरे में आ जाती। हाँ, डिप्टी कलक्टर साहब अपने मन ही मन झुलस गए और शायद अगले साल के रायबहादुरों की सूची से उन्होंने रायसाहब का नाम ही निकाल दिया। रायसाहब बैठे तो किसी ज़मींदार का यह हियाव न पड़ा, कि वह सामने आवे

और माँ-बाप सरकार का यशगान करे। यह देख कर उसी ग्राम के ज़मींदार साहब आग-बबूला हो बाहर निकले और विमल के पास पहुँच कर बोले—

'यह शोर यहाँ पर नहीं मचने पाएगा।'

'ऐसा ?'

'हाँ !'

'भाइयो, बोलो 'महात्मा गाँधी की जय !'—विमल ज़ोर से चिल्लाया और साथ ही उन सहस्रों ने उसी नाद को दुहरा कर ज़मींदार साहब के दिल को हिला दिया !

'मैं कहता हूँ कि यहाँ सभा न होगी'—उन्होंने क्रोध में भर कर कहा।

'क्यों न होगी ?'

'क्योंकि यह मेरा ग्राम है !'

'ग्राम तो आपका नहीं है। आप तो केवल माल-गुज़ारी जमा करने के एजेण्ट हैं।'

'मैं तो अपने मकान के सामने सभा करने की आज्ञा नहीं दे सकता।'

'तो फिर अपने मकान के भीतर सभा करने की आज्ञा दे दीजिए। आपके डिप्टी कलक्टर, कलक्टर, थानेदार, ज़मींदार, इन सब को महात्मा जी का सन्देश सुनने को मिल जायगा।'

'कलक्टर साहब के सामने तुम्हारा बोलने का साहस नहीं होगा।'

'साहस नहीं होगा ? यह तो बहुत आसानी से देख सकते हो। मुझे अपनी अमन-सभा के जलसे में ले चलो और फिर देख लो कि किसका साहस बोलने का होता है और किसका नहीं होता।'

ज़मींदार साहब अब विमल से कुछ न कह कर भीड़ की ओर फिरे।

'तुम लोग यहाँ से चले जाओ !'—उन्होंने चिल्ला कर कहा। लोग जैसे खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे। टस से मस न हुए।

'अगर यहाँ से नहीं जाओगे, तो मैं एक-एक को पकड़वा कर जेल में डलवा दूँगा।' परन्तु इससे भी भीड़ पर कोई प्रभाव न हुआ, विमल अभी तक चुप-चाप खड़ा था, अब हँस कर बोला—'आपने आज़मा ली अपनी शक्ति ? शायद आप लोगों को यह पता नहीं है कि लोगों के दिलों में अब डर नहीं रह गया है। अब आप-की धमकियाँ काम नहीं कर सकतीं। यह मैदान जनता का स्थान है और हमें इस पर सभा करने का पूर्ण अधि-कार है।'

यह कह कर वह भीड़ से बोला—आप लोग सब बैठ जाइए !

भीड़ महात्मा गाँधी का जयनाद करती हुई पृथ्वी पर बैठ गई। विमल ने अपना व्याख्यान शुरू किया। ज़मींदार साहब खिसिया कर भीतर चले गए। जब विमल ने व्याख्यान समाप्त किया और भीड़ में से निकल कर वह बाहर आया तो देखा, कलक्टर अपनी मोटर के पास खड़ा था।

'मैंने तुम्हारा व्याख्यान सुना था, विमल !'

'पसन्द आया आपको ?'—विमल ने मुसकुरा कर पूछा।

'जेल में जाने के लिए काफ़ी अच्छा था।'

'तो फिर भेजते क्यों नहीं ?'

'तुम्हारी आयु बहुत कम है।'

'जेल जाने के लिए आयु का क्या विचार है ?'

'अभी कुछ है।'

'यह आपका दुर्भाग्य है।'

(क्रमशः)

* * *



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

(शेषांश)

जर्मनी का शासन-विधान

जर्मनी में क़ानूनों को प्रेज़ीडेण्ट के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु फ्रान्स की भाँति प्रेज़ीडेण्ट ही क़ानून को जारी करता है। एक महीने के अन्दर ही उसे स्वीकृत क़ानूनों को जारी कर देना पड़ता है, बशर्ते कि छोटी सभा के एक तिहाई सदस्य देरी के लिए प्रार्थना न करें। प्रार्थना की जाने पर वह दो महीने तक रुक सकता है, अगर दोनों सभाएँ क़ानून को आवश्यक बता कर शीघ्रता न करें। सब से पहिले प्रेज़ीडेण्ट स्वीकृत क़ानून को जनता के सामने उपस्थित कर सकता है, और जब तक जनता उसे स्वीकार न कर ले तब तक वह क़ानून किसी हालत में जारी नहीं होता। पर अभी तक कभी भी किसी क़ानून को जारी करने में देर नहीं की गई है। क्योंकि बिना मन्त्री की सम्मति के प्रेज़ीडेण्ट ऐसा नहीं कर सकता और मन्त्री शासन-सभा की इच्छा के विपरीत कभी ऐसी सलाह नहीं दे सकता।

चान्सलर ही जर्मनी का प्रधान राज-मन्त्री होता है। वह साधारण नीति का सञ्चालन करता है और सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी नियुक्ति प्रेज़ीडेण्ट द्वारा होती है। तत्पश्चात् वह अपने मन्त्रियों को चुनता है। मन्त्री और चान्सलर ही 'राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल' हैं। इस मन्त्रि-मण्डल तथा प्रत्येक मन्त्री के पक्ष में दोनों सभाओं का पृथक-पृथक बहुमत होना चाहिए। जिस मन्त्री के पक्ष में सभा का बहुमत नहीं होता, उसे स्तीफ़ा दे देना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं, कि कोई मन्त्री छोटी सभा का सदस्य हो, पर वह उसकी बैठकों में उपस्थित रह सकता है और प्रस्ताव भी उपस्थित कर सकता है। बड़ी सभा के सम्बन्ध में भी उनके वही अधिकार हैं।

मन्त्रि-मण्डल में कितने मन्त्री हों, इसके सम्बन्ध में विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। भावी चान्सलर की सलाह पर प्रेज़ीडेण्ट ही इस बात का निश्चय करता है। पर छोटी सभा का भी मन्त्रियों की संख्या पर अधिकार है। क्योंकि उनके वेतन वही मञ्जूर करती है। इस समय जर्मनी के मन्त्रि-मण्डल में बारह मन्त्री हैं। इसी में चान्सलर और वाइस-चान्स-लर भी शामिल हैं। चान्सलर अपने हाथ में कोई विशेष शासकीय विभाग नहीं लेता। वह साधारणतया अन्तर्विभागीय सम्बन्धों का ही निरीक्षण करता है। प्रत्येक मन्त्री के पास एक विभाग रहता है। सब मन्त्री मिल कर सरकार की नीति निर्धारित करते हैं और आवश्यक प्रश्नों पर सभाओं के विचारार्थ ड्राफ़्ट (Draft) तैयार करते हैं।

जर्मन-पार्लामेण्ट में जो दो सभाएँ होती हैं, उनके क़ानूनी अधिकार बराबर नहीं हैं। वीमर-सभा में ऐसे बहुत से लोग थे जो केवल एक ही चैम्बर चाहते थे। वे द्वितीय चैम्बर को प्रतिक्रियावादियों का एक विशाल अड्डा समझते थे। पर अन्त में उपर्युक्त सभा ने दोनों चैम्बर रखना ही निश्चित किया।

हम ऊपर बता चुके हैं कि जर्मन-पार्लामेण्ट की छोटी सभा में तमाम राज्यों और स्वतन्त्र नगरों के प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक राज्य अपने मन्त्रियों में से एक या दो को अपना प्रतिनिधि बना कर छोटी सभा में भेजता है। जिस राज्य के जितने 'वोट' होते हैं, उतने ही मन्त्रियों को वह भेज सकता है। आबादी के अनुसार दस लाख मनुष्यों पर एक वोट प्रत्येक राज्य को मिलता है, पर साथ ही छोटे से छोटे राज्य को भी एक वोट अवश्य मिलता है और बड़े से बड़े राज्य के भी सभा के कुल सदस्यों के $\frac{2}{5}$ भाग से अधिक सदस्य नहीं रह सकते। प्रशा प्रान्त के सदस्यों में से आधे सदस्य तो मन्त्रि-मण्डल द्वारा चुने जाते हैं और शेष आधे सदस्यों को प्रशा की प्रान्तीय सरकारें चुनती हैं। छोटी सभा की बैठकें खुली होती हैं, और प्रत्येक सदस्य अपना व्यक्तिगत वोट देता है। भिन्न-भिन्न कमिटियों के सङ्गठन में किसी राज्य को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

द्वितीय चैम्बर या बड़ी सभा का काम होता है, बहुधा प्रथम चैम्बर द्वारा बनाए हुए क़ानूनों में संशो-धन और काट छाँट करना और किसी क़ानून को शीघ्रता में बनाने से रोकना।

मन्त्रि-मण्डल द्वारा बनाए हुए बिल आदि पहिले द्वितीय चैम्बर के पास आते हैं। वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगर वह किसी बिल को अस्वीकार कर देती है, तो मन्त्रि-मण्डल उसे छोटी सभा के सम्मुख रख सकता है। साथ ही बड़ी सभा के अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी छोटी सभा के सम्मुख किया जाता है। बड़ी सभा स्वयं कोई बिल बना कर मन्त्रि-मण्डल को दे सकती है। तत्पश्चात् मन्त्रि-मण्डल उस बिल को छोटी सभा के सम्मुख रखता है और अपने स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण भी छोटी सभा को बतलाता है।

यद्यपि बड़ी सभा को उपर्युक्त अधिकार दिए गए हैं, पर विधान बनाने वालों की यह इच्छा न थी कि क़ानून के बनाने में बड़ी सभा को छोटी सभा के बराबर अधिकार हों। विधान में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय क़ानून छोटी सभा द्वारा ही निर्माण होते हैं। क़ानूनों को दोनों सभाओं के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। छोटी सभा द्वारा जब कोई क़ानून बन जाता है, तो वह बड़ी सभा के पास स्वीकृति के लिए नहीं जाता। अधिकतर वह क़ानून सीधा प्रेज़ीडेण्ट के पास भेज दिया जाता है और प्रेज़ीडेण्ट द्वारा जारी किए जाने पर चौदह दिन पश्चात् वह क़ानून लागू हो जाता है। इसी बीच में यदि बड़ी सभा मन्त्रि-मण्डल के सम्मुख उपर्युक्त क़ानून का विरोध कर देती है, तो वह क़ानून

पुनः विचारार्थ छोटी सभा के पास भेज दिया जाता है। तत्पश्चात् यदि दोनों सभाओं में एक मत नहीं हो जाता तो प्रेज़ीडेण्ट उस क़ानून पर जनता की राय लेता है। यदि प्रेज़ीडेण्ट ऐसा नहीं करता तो क़ानून उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि छोटी सभा दो-तिहाई वोटों से बड़ी सभा के विरोध को रद्द न कर दे। छोटी सभा द्वारा दो-तिहाई वोटों से बड़ी सभा का विरोध रद्द होने पर या तो प्रेज़ीडेण्ट उस क़ानून को लागू कर देता है या उस पर जनता की सम्मति लेता है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि प्रेज़ीडेण्ट जो कुछ करता है, वह मन्त्री की सलाह पर ही करता है और मन्त्री छोटी सभा के प्रति उत्तरदायी है।

छोटी सभा के सदस्यों की अवधि चार वर्ष की होती है। विधान में कहा गया है कि चुनाव सीधा (Direct), बराबर (Equal), गुप्त (Secret) होना चाहिए और वोटाधिकार सबको होना चाहिए। चुनाव बेडन-योजना (Baden System) के अनुसार होता है। जर्मनी ३५ ज़िलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ज़िला चुनाव में पड़ने वाले वोटों पर प्रत्येक ६०,००० वोटों पर, एक सदस्य के हिसाब से छोटी सभा के लिए सदस्य चुनता है। सभा में कितने सदस्य होंगे, यह चुनाव के पहिले कोई भी नहीं जानता, न कोई यही जानता है कि सभा में किस ज़िले के कितने सदस्य होंगे। ये दोनों बातें चुनाव में किस ज़िले में कितने वोट पड़ते हैं, इस पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल या वोटरों का कोई भी एक गिरोह प्रत्येक ज़िले के लिए अपने उम्मेदवारों की एक सूची तैयार करता है। इस सूची में उम्मेदवारों की संख्या मनमानी रक्खी जा सकती है। तत्पश्चात् ज़िला-सूचियाँ सहित बैलट (Ballot) छापे जाते हैं। प्रत्येक वोटाधिकारी चुनाव के दिन जब वोट देने जाता है, तो वह व्यक्तिगत उम्मेदवारों को वोट न देकर किसी एक पूरी सूची को वोट देता है। प्रत्येक राजनीतिक दल एक यूनियन-सूची तथा तमाम देश के लिए एक राष्ट्रीय सूची तैयार करता है। पर ये सूचियाँ चुनाव के अवसर पर वोटरों को नहीं दी जातीं। वोट पड़ जाने के पश्चात् जिस ज़िला-सूची के जितने वोट मिले हैं, उस पर प्रत्येक ६०,००० वोटरों पर एक सदस्य के हिसाब से उस ज़िला-सूची को उतने सदस्य दिए जाते हैं। मान लीजिए ३५ ज़िलों में से एक ज़िले में सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों की सूची को २,४२,००० वोट मिले हैं तो उस सूची में से प्रथम चार उम्मेदवार चुन लिए जाएँगे। अगर कम्यूनिस्ट सूची को ६३,००० वोट मिले हैं तो जिस उम्मेदवार का नाम उस सूची में सबसे पहिले होगा, वह चुन लिया जावेगा।

पर उन वोटों का क्या होता है, जो शेष रह जाते हैं? सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों के २,००० वोट बच रहे, क्या वे व्यर्थ जाते हैं? नहीं। इस प्रकार बचे हुए वोटों को काम में लाने के लिए ३५ ज़िलों को १७ यूनियनों में बाँट दिया गया है। और प्रत्येक यूनियन के अन्तर्गत दो या अधिक ज़िलों के प्रत्येक सूची के बचे हुए वोट जोड़ दिए जाते हैं। यदि इस प्रकार जोड़े जाने पर बचे हुए वोट ६०,००० वोटों से अधिक होते हैं तो उस दल का एक सदस्य और चुन लिया जाता है। फिर भी कुछ वोट बचे रह सकते हैं और इस योजना के अनुसार कोई भी वोट व्यर्थ न जाना चाहिए। अतएव १७ यूनियनों के प्रत्येक दल की सूची के बचे हुए वोट जोड़ कर देश भर के बचे हुए वोटों का पता लगा लिया जाता है और देश भर के बचे हुए वोटों पर, उसी ६०,००० वोटों पर, एक सदस्य के हिसाब से प्रत्येक दल की राष्ट्रीय सूची से सदस्य चुन लिए जाते हैं। उस सूची में जिसका नाम पहले होता है वह पहले चुना जाता है। फिर भी यदि वोट बच रहते हैं और अगर बचे हुए वोट ३०,००० से अधिक हों तो उस दल का एक सदस्य और चुन लिया जाता है। क़ानून ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूनियनों और तमाम देश के बचे हुए वोटों को जोड़ देने पर भी किसी दल के जितने उसके सदस्य ३५ ज़िलों में चुने गए हैं उससे अधिक सदस्य नहीं चुने जा सकते।

प्रतिवर्ष नवम्बर के प्रथम बुधवार को 'रीचस्टैग' की वार्षिक बैठक होती है, पर आवश्यकता पड़ने पर प्रेज़ीडेण्ट उसकी बैठक उससे पहले भी बुला सकता है। इसके सिवा यदि एक तिहाई सदस्य नियत तिथि से पहले बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रेज़ीडेण्ट को सभा बुलानी पड़ती है। चान्सलर की सलाह से प्रेज़ीडेण्ट 'रीचस्टैग' को भङ्ग भी कर सकता है। पर किसी एक कारण पर 'रीचस्टैग' केवल एक ही बार भङ्ग की जा सकती है। सभा भङ्ग होने के ६० दिन के अन्दर ही नवीन चुनाव होना चाहिए। प्रेज़ीडेण्ट सभा की बैठक को मुल्तवी नहीं कर सकता। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यह बात अन्य देशों में नहीं पाई जाती। इङ्गलैण्ड में 'कैबिनेट' की सलाह पर बादशाह हाउस ऑफ़ कॉमन्स की बैठक को मुल्तवी या भङ्ग कर सकता है। फ़ान्स में मन्त्रिमण्डल की सलाह पर प्रेज़िडेण्ट दोनों सभाओं को स्थगित कर सकता है तथा बड़ी सभा की सम्मति से छोटी सभा को भङ्ग कर सकता है। अमेरिका में प्रेज़िडेण्ट छोटी सभा को किसी भी हालत में न स्थगित कर सकता है और न भङ्ग ही कर सकता है।

"रीचस्टैग" स्वयं अपनी कार्य-शैली निर्धारित करती है, स्वयं अपना सभापति चुनती है और स्वयं अपने सेक्रेटरियों को नियुक्त करती है। कमिटियों के निर्माण करने का ढङ्ग अमेरिका तथा इङ्गलैण्ड से भिन्न है। प्रत्येक पार्टी—यदि उसके सदस्य १५ से कम न हों—आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर प्रत्येक कमिटी के लिए एक या अधिक सदस्य नियुक्त करती है। यदि एक कमिटी में २४ सदस्य हैं तो और एक पार्टी के सदस्यों की संख्या सभा के कुल सदस्यों के संख्या की तिहाई है तो उस पार्टी के उपर्युक्त कमिटी में ८ सदस्य लिए जावेंगे। फलतः बहुमत पार्टी का प्रत्येक पार्टी में बहुमत होता है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्य "रीचस्टैग" की तमाम बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं। वे किसी भी प्रश्न पर किसी भी समय बोल सकते हैं, 'रीचस्टैग' का कोई भी सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न कर सकता है। पर ये प्रश्न सर्वदा लिख कर किए जाते हैं और मन्त्री भी इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर पढ़ता है। तत्पश्चात उन प्रश्नों पर न बहस होती है और न वोट ही लिया जाता है। प्रत्येक बैठक में प्रश्नों की भरमार रहती है। १३ सदस्य मिल कर मन्त्रियों से किसी बात पर जवाब तलब कर सकते हैं, जिसे अङ्गरेज़ी में 'इन्टरपलेशन्स' (Interpellations) कहते हैं। 'इन्टरपलेशन्स' लिख कर सभापति को दे दिए जाते हैं। सभापति उनको मन्त्री को दे देता है और उस पर बहस के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया जाता है। जब तक कि कोई विशेष कारण न हो, मन्त्री 'इन्टरपलेशन' को स्वीकार करने से नाहीं नहीं करता। निश्चित दिन मन्त्री उसका उत्तर देता है। यदि पचास सदस्य चाहते हैं तो मन्त्री के उत्तर पर वादविवाद होता है। वह वादविवाद उस समय तक होता रहता है, जब तक कि प्रत्येक सदस्य, जो बोलना चाहता है, बोल नहीं चुकता है। फ़ान्स की भाँति वादविवाद को समाप्त करने के लिए वोट नहीं लिए जाते और न इस वादविवाद से लाभ उठा कर मन्त्रियों को निकाला जाता है। किसी भी समय सभा में मन्त्रियों पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिसके पास हो जाने पर मन्त्रियों को स्तीफ़ा देना पड़ता है।

सभा के सम्मुख 'बिल' के लाने का जर्मनी में एक विशेष प्रबन्ध है। यदि जनता कोई क़ानून बनवाना चाहती है तो कुल वोटरों के दसवें भाग के हस्ताक्षर से वह एक प्रार्थना-पत्र भेज कर उपर्युक्त क़ानून को बनाने की जनता प्रार्थना करती है। इस ढङ्ग को अङ्गरेज़ी में 'Initiative' कहते हैं। यदि वह क़ानून जैसा का तैसा बना दिया गया तब तो कोई बात नहीं और यदि उसमें कोई संशोधन किया गया तो संशोधित क़ानून पर जनता के वोट लिए जाते हैं, जिसे अङ्गरेज़ी में 'रिफ़रन्डम' (Referendum) कहते हैं। जो लोग वोट डालते हैं, उनका बहुमत ही क़ानून बनाने के लिए पर्याप्त है। पर विधान में संशोधन के लिए वास्तविक वोटों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि किसी क़ानून के पास होजाने पर सभा के तिहाई सदस्य उस क़ानून को दो महीने तक रोकने की माँग करें और इसी बीच में कुल वोटरों का बीसवाँ भाग उस क़ानून पर जनता का वोट लेने की प्रार्थना करे तो 'रिफ़रण्डम' की पुनः आवश्यकता पड़ती है। प्रेज़ीडेण्ट किसी क़ानून को जारी करने से रोक सकता है, जब तक कि जनता 'रिफ़रण्डम' द्वारा उस क़ानून को स्वीकार न कर ले। इस भाँति तीन अवसरों पर जर्मनी में 'रिफ़रण्डम' की आवश्यकता पड़ती है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि 'इनीशियेटिव' और 'रिफ़रण्डम' का प्रयोग अत्यन्त कठिन है। जर्मनी में तीन करोड़ के लगभग वोट देने वाले हैं। अतः 'इनीशियेटिव' की प्रार्थना के लिए ३० लाख हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। 'रिफ़रण्डम' की प्रार्थना के लिए १५ लाख हस्ताक्षर चाहिए। फलतः जब तक कि कोई अत्यन्त विशेष बात न हो, इतने हस्ताक्षरों का होना अत्यन्त दुष्कर है। और इसीलिए अभी तक एक भी अवसर पर उपर्युक्त दो में से एक भी योजना का प्रयोग नहीं किया गया।

जर्मनी में दो प्रकार की अदालतें होती हैं—एक साधारण, दूसरी शासकीय अदालतें (Administrative Court)। दूसरी भाँति की अदालतों का काम होता है "शासकों (Administrative authorities) की आज्ञाओं और डिक्रियों से व्यक्तियों की रक्षा करना।" वे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करती हैं। इन शासकीय अदालतों का वही ढङ्ग है, जो फ़ान्स की शासकीय अदालतों का है।

जर्मनी के विधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की भी घोषणा की गई है, पर उसमें यह शर्त भी लगा दी गई है कि समय पर इन अधिकारों में क़ानून द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

जर्मनी में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एक दूसरे में समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि गत यूरोपीय महायुद्ध के पूर्व जर्मनी एक लोकतन्त्रीय देश न था, पर तो भी किसी भी अन्य बड़े राष्ट्र की अपेक्षा वह अधिक साम्यवादी था। अतः क्रान्ति के बाद भी देश के आर्थिक जीवन पर सरकार का अधिकार रखने का प्रयत्न किया गया। स्वतन्त्र साम्यवादी रूस की भाँति ऐसा शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते थे। सामाजिक लोकतन्त्रवादी क्रमशः तथा सतर्कता से आगे बढ़ना चाहते थे। अन्त में सामाजिक लोकतन्त्रवादियों की विजय हुई, पर उन्हें स्वतन्त्र साम्यवादियों को आश्वासन देना पड़ा कि नवीन विधान में श्रमिकों की कौन्सिलों तथा आर्थिक पार्लामेण्ट को स्थान दिया जावेगा। वीमर सम्मेलन ने पार्लामेण्ट का निर्माण तो राजनीतिक ढङ्ग पर ही किया, पर श्रमिकों

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

अवध के मुसलमान शासक

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

अवध के मुसलमान शासकों में मिरज़ा महम्मद अमीन या नवाब सआदत ख़ाँ बुर्हानुल-मुल्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही लखनऊ में नवाबी की नींव डाली थी। जिस समय दिल्ली के राजसिंहासन पर मुहम्मदशाह रँगीले विराजमान थे, उस समय सूबा अवध की शासन-व्यवस्था अत्यन्त शिथिल हो गई थी। लखनऊ के शेख़ बड़े ही दुर्धर्ष और ढीठ हो गए थे। उनकी देखादेखी आसपास के अन्यान्य ज़मींदार भी अपने को स्वतन्त्र समझने लगे थे। दिल्लीपति के कई सूबेदारों की इन्होंने हत्याएँ भी कर डाली थीं। इसलिए बादशाह किसी ज़बरदस्त शासक को अवध की सूबेदारी पर भेजना चाहते थे।

उधर दिल्ली के शाही दरबार में मिरज़ा साहब का बड़ा दबदबा था। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत भी इनके प्रभाव से घबराया करते थे। इसलिए वह इन्हें सम्मानपूर्वक दरबार से हटाने की युक्ति सोचा भी करते थे। फलतः इस अवसर से इन्होंने लाभ उठाने का विचार किया और मिरज़ा साहब को अवध की सूबेदारी पर प्रतिष्ठित करके बड़ी आसानी से एक कण्टक दूर कर दिया।

बादशाह ने मिरज़ा साहब को अवध की सूबेदारी और ख़िल्लत तो दे दी, परन्तु उनकी मदद के लिए फ़ौज या रिसाले का कोई प्रबन्ध नहीं किया। परन्तु मिरज़ा चतुर और साहसी मनुष्य थे, उन्होंने बेकार और आवारे मुसलमान युवकों का एक दल तैयार किया और उन्हें समझाया कि यों बेकार पड़े-पड़े क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। आओ, मेरे साथ अवध चलो। अगर ख़ुदा ने मेहरबानी की तो बड़े आनन्द से जीवन बिता सकोगे।

इन लोगों ने मिरज़ा की सलाह मान ली और हज़ारों की तादाद में उनके साथ अवध जाने को तैयार हो गए। शाही अस्त्रागार से कुछ शस्त्रास्त्र और कई तोपख़ाने भी मिल गए। सेना का ख़र्च तथा तोपों को ले जाने के लिए बैल ख़रीदने को मिरज़ा ने अपनी बेगम के मूल्यवान गहने बेच डाले।

इस प्रकार सारी तैयारी हो जाने पर मिरज़ा का बृहत् दल एक दिन अवध के लिए रवाना हो गया। रास्ते में आगरे के सूबेदार ने स्वागत किया और मिरज़ा साहब यानी नवाब बुर्हानुलमुल्क बहादुर की मेहमानदारी करने का विचार प्रकट किया, परन्तु नवाब ने कहा कि दावत और मेहमानदारी में जो रुपए आप ख़र्च करेंगे, उन्हें नक़द ही मुझे दे दीजिए; क्योंकि इस समय मुझे रुपयों की बड़ी आवश्यकता है। आगरे के सूबेदार ने इसे स्वीकार कर लिया। वहाँ से बरेली पहुँचे और वहाँ के सूबेदार से भी दावत के बदले रुपए लेकर फ़र्रुख़ाबाद आए। यहाँ के नवाब ने सलाह दी कि अवध के निवासी अत्यन्त सरकश और ख़ासकर लखनऊ के शेख़ तो बड़े ही लड़ाके और ढीठ हैं। इसलिए आप गङ्गा पार होकर अकस्मात् दाख़िल न हों, बल्कि पहले आसपास के ज़मींदारों और रईसों को अपनी ओर मिला लें और उनकी मदद से लखनऊ पर चढ़ाई करें। बुर्हानुलमुल्क ने यह सलाह मान ली और वहाँ से चल कर काकोरी नामक स्थान में डेरा डाला। यहाँ के शेख़ से लखनऊ के शेख़ों से शत्रुता थी। इस सुयोग से नवाब ने लाभ उठाया और उसकी सलाह से अपने आने की ख़बर लखनऊ के शेख़ों के पास भेज दी। शेख़ों ने लिखा कि आप अपनी सेना का पड़ाव गोमती के उस पार डालें। नवाब ने यह बात मान ली और गोमती के उस पार, मच्छी-भवन नामक क़िले के सामने अपना पड़ाव डाल दिया।

शेख़ों ने नवाब की महती सेना के सामने सिर उठाना उचित नहीं समझा और उनके रहने के लिए लखनऊ का मच्छी-भवन नामक क़िला चुपचाप ख़ाली कर दिया। बुर्हानुलमुल्क को स्वप्न में भी यह आशा न थी कि लखनऊ के शेख़ बिना उत्पात मचाए ही दब जायँगे। इस सफलता के लिए उन्होंने ख़ुदा का शुक्रिया अदा किया।

नवाब बुर्हानुलमुल्क बड़े चतुर और अच्छे शासक थे। थोड़े ही दिनों में इन्होंने सूबे की आमदनी सत्तर लाख से बढ़ा कर एक करोड़ सात लाख कर दी और अट्ठाइस वर्षों तक बड़ी नेकनामी के साथ सूबेदारी करने के बाद सन् ११५० हिजरी में इस संसार से चल बसे। इनकी मृत्यु के बाद नवाबी ख़ज़ाने में ९ करोड़ रुपए थे।

नवाब सफ़दरजङ्ग ख़ाँ

नवाब बुर्हानुलमुल्क के बाद इनके भानजे और दामाद मिरज़ा मुहम्मद मुक़ीम अबुलमन्सूर ख़ाँ सफ़दर-जङ्ग बहादुर अवध के वज़ीर नवाब नियुक्त हुए।

नवाब सफ़दरजङ्ग ने अपनी राजधानी फ़ैज़ाबाद में बनाई। वहाँ नवाब बुर्हानुलमुल्क ने एक बँगला बनवा रक्खा था और सेना की छावनी भी थी। यह अच्छे शासक न थे, इसलिए इन्हें अपना सारा जीवन युद्ध और विग्रह में ही व्यतीत करना पड़ा। लखनऊ से फ़ैज़ाबाद जाने-आने से वहाँ के शेख़ों का साहस फिर पूर्ववत् बढ़ गया। अन्यान्य सरदार भी बाग़ी हो गए। इन्हें अपनी बीबी नवाब सदरजहाँ बेगम से बड़ा प्रेम था। इन्हें मुसलमान बादशाहों और नवाबों का अपवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये एक नारी-व्रती थे। बेगम भी छाया की भाँति इनके साथ रहती थीं। यहाँ तक कि युद्धस्थलों में भी वह साथ नहीं छोड़ती थीं। सन् ११६६ हिजरी में, सुलतानपुर निज़ामत के बादरघाट नामक स्थान में मरे थे। बेगम ने इस बात को गुप्त रक्खा और एक हाथी पर पति का शव लेकर फ़ैज़ाबाद चली आईं। फ़ैज़ाबाद के गुलाबबाड़ी नामक स्थान में इनका मक़बरा है। इन्होंने सोलह वर्षों तक अवध की वज़ारत की थी।

नवाब शुजाउद्दौला

सन् ११६६ हिजरी में, सफ़दरजङ्ग के बाद मिरज़ा जलालुद्दीन हैदर लखनऊ की नवाबी की मसनद पर बैठे। इन्होंने अपना नाम नवाब शुजाउद्दौला बहादुर रक्खा। इस समय इनकी उमर कुल चौबीस वर्ष की थी। शुजाउद्दौला थे तो एक वीर और साहसी युवक, परन्तु इनमें चरित्र-बल की अत्यन्त कमी थी। मसनद-नशीन होते ही इन्होंने एक हिन्दू-स्त्री के सम्बन्ध में हिन्दुओं को नाराज़ कर दिया। परन्तु उनकी माँ की बुद्धिमानी के झगड़ा बड़ी आसानी से तय हो गया। उसने दरबार के हिन्दू-सरदारों को बुला कर बहुत समझाया-बुझाया और इस मामले की उपेक्षा कर जाने की सलाह दी। हिन्दू-दरबारियों में राजा रामनारायण नाम के एक पुराने दरबारी भी थे। मृत नवाब इन्हें बहुत मानते थे। बेगम ने उन्हें बुला कर नवाब की पुरानी मेहरबानियों की याद दिलाई। फलतः राजा रामनारायण ने हिन्दुओं को समझा-बुझा कर शान्त कर दिया। शुजाउद्दौला का चचेरा भाई मुहम्मदक़ुली ख़ाँ इस अवसर से लाभ उठाने की फ़िक्र में था और इस्माइल ख़ाँ काबुली नाम के एक सेनाध्यक्ष की सहायता से नवाब को गद्दी पर से उतरवा देना चाहता था। परन्तु स्वर्गीय नवाब की विधवा बेगम ने इस्माइल ख़ाँ को भी समझा-बुझा कर दबा दिया।

इसके बाद शुजाउद्दौला ने फिर कोई ऐसी हरकत न की और बाइस वर्ष तक लखनऊ की नवाबी करने के बाद सन् ११८८ हि० में मर गए।

नवाब आसफ़ुद्दौला

नवाब आसफ़ुद्दौला, शुजाउद्दौला के तीसरे पुत्र थे। इनका नाम मिरज़ा अमानीअली ख़ाँ उर्फ़ मिरज़ा अमानी था। इन्होंने सन् १७७४ में पिता की परित्यक्त नवाबी प्राप्त की और अपना नाम नवाब आसफ़ुद्दौला ख़ाँ रक्खा। ७ वर्ष फ़ैज़ाबाद रहने के बाद, सन् १७८१

जर्मनी का शासन-विधान

(१६वें पृष्ठ का शेषांश)

की कौन्सिलों तथा आर्थिक कौन्सिलों का भी निर्माण किया गया। विधान के १६५ आर्टिकल में कहा गया है कि वेतन आदि उद्योग-धन्धों के सारे मामलों का सञ्चालन श्रमिकों और आर्थिक कौन्सिलों द्वारा होगा। इन कौन्सिलों में श्रमिकों का तथा उनके मालिकों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा।

प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों की एक कौन्सिल होती है। ये कौन्सिलें ज़िले की कौन्सिल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। ज़िले की कौन्सिलें राष्ट्रीय श्रमिक कौन्सिल—देश भर की कौन्सिल—के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। मालिकों की भी ज़िला तथा राष्ट्रीय कौन्सिलें होती हैं, तत्पश्चात् श्रमिकों की कौन्सिलें तथा मालिकों की कौन्सिलें समान पद पर ज़िले की आर्थिक कौन्सिलों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिलों में एक-दूसरे से मिल कर काम करती हैं।

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल एक प्रकार की आर्थिक पार्लामेण्ट है। पर इसका कार्य केवल सलाह देना है। जब आर्थिक तथा सामाजिक नीति पर कोई क़ानून बनने को होता है तो 'रीचस्टैग' में जाने से पहिले वह क़ानून उपर्युक्त राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल के पास जाता है। पर यदि राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल क़ानून को पसन्द न करे तो भी वह क़ानून 'रीचस्टैग' के पास जा सकता है और पास किया जा सकता है। राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल स्वयम् कोई क़ानून 'रीचस्टैग' के पास सीधा या मन्त्रिमण्डल द्वारा भेज सकती है।

श्रमिकों तथा आर्थिक कौन्सिलों को उनसे सम्बन्ध रखने वाले निरीक्षण के कार्य तथा शासकीय कार्य सौंपे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल में ३२६ सदस्य हैं। इस कौन्सिल में तमाम क्षेत्रों के श्रमिकों और मालिकों के, सरकारी नौकरों के तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। कुल मिला कर इसमें दस दलों के प्रतिनिधि हैं।

* * *

में लखनऊ चले आए और उसे ही अवध की राजधानी बनाया। यों तो लखनऊ भारतवर्ष का अतीव प्राचीन नगर है। पुराणों के अनुसार रामानुज श्रीलक्ष्मण जी के पुत्रों ने त्रेतायुग में इसका निर्माण किया था और अपने पिता के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणवती रक्खा था। लखनऊ के लक्ष्मणटीला नामक स्थान पर जो मस्जिद बनी है, वहाँ पहले लक्ष्मण जी का मन्दिर भी था। मुग़ल सम्राट औरङ्गज़ेब ने उसे नष्ट करके वहाँ यह मस्जिद बनवाई थी।

नवाब आसफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ एक साधारण क़स्बा था, परन्तु आसफ़ुद्दौला ने उसे एक अच्छे नगर के रूप में परिणत कर दिया। नवाबी ज़माने के अतुल ऐश्वर्य के जो चिन्ह लखनऊ में दिखाई पड़ते हैं, उनका अधिकांश नवाब आसफ़ुद्दौला का बनवाया हुआ है। लखनऊ के कई मुहल्ले और बाज़ार भी नवाब आसफ़ुद्दौला के बनवाए हैं। ये एक स्वतन्त्र प्रकृति के शासक, दिलेर और ख़र्चीले थे। नवाबी मसनद पर बैठते ही इन्होंने कितने ही कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगह नए कर्मचारी नियुक्त किए। इनके समय में लखनऊ-दरबार की शान-शौकत सीमा पार कर गई थी। दानशीलता और उदारता की यह हालत थी कि "जिसको न दे मौला, उसको दे आसफ़ुद्दौला" यह किम्बदन्ती चल गई थी। यहाँ तक कि नवाब का ख़र्चीलापन देख कर उनकी माँ मुन्नी बेगम को चिन्ता होने लगी कि कहीं यह सारा ख़ज़ाना ही न लुटा दे। इसलिए उन्होंने ईस्ट इण्डियन कम्पनी के रेज़िडेण्ट से कह-सुन कर सारा शाही ख़ज़ाना अपने तत्वावधान में करा लिया। परन्तु इससे नवाब बहुत नाराज़ हुए और माता से लड़-झगड़ कर ६२ लाख रुपए ले लिए। होली, दीवाली, ईद तथा मुहर्रम के अवसरों पर लाखों रुपए स्वाहा हो जाते थे। ब्याह-शादी की दावतों में पाँच-पाँच, छः-छः लाख रुपयों पर पानी फिर जाता था। प्रति दिन का मामूली ख़र्च भी कम न था। नवाब साहब के यहाँ १,२०० हाथी, ३,००० घोड़े, १,००० कुत्ते, अगणित मुर्ग़ियाँ, कबूतर, बटेर, हिरन, बन्दर, साँप, बिच्छू और नाना प्रकार के जानवर थे। इनके लिए हज़ारों रुपए रोज़ ख़र्च होते थे। इन जानवरों के रहने के लिए लाखों की लागत से इमारतें बनी थीं। नवाब के निजी नौकरों में २,००० फ़राश, १०० चोबदार और ख़िदमतगार तथा सैकड़ों लौंडियाँ थीं। मालियों की संख्या चार हज़ार थी। दो-तीन हज़ार रुपए रोज़ाना का ख़र्च तो केवल बावर्चीख़ाने का था। सैकड़ों बावर्ची थे। शाहज़ादा वज़ीरअली की शादी में तीस लाख रुपए ख़र्च हुए थे।

इस उदारता और अमित-व्ययता के साथ ही नवाब आसफ़ुद्दौला एक योग्य शासक माने जाते थे। इनके दरबार में गुणियों का बड़ा आदर था। मीर, सौदा और हसरत आदि उर्दू के नामी कवि इनके दरबारी कवि थे। इनके अलावा हज़ारों ऐसे कवि और गायक थे, जो साल में सिर्फ़ एक बार दरबार में हाज़िर होते और हज़ारों रुपए पाते थे। सङ्गीत-समारोह और काव्य-चर्चा प्रतिदिन का व्यापार था। एक-एक शेर पर कवि लोग हज़ारों रुपए पुरस्कार पा जाते थे।

नवाब आसफ़ुद्दौला को इमारतें बनवाने का भी बड़ा शौक़ था। इस कार्य में प्रायः दस लाख रुपए प्रति वर्ष ख़र्च हुआ करते थे। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, बिबियापुर की कोठी, चिनहट की कोठी, मूसाबाग़, ऐशबाग़, चारबाग़, नौबस्ता, पक्का पुल, लखनऊ का चौक बाज़ार और हसनबाग़ आदि इन्हीं के बनवाए हुए हैं। दौलतगञ्ज या दौलतख़ाना नवाब का ख़ास निवास-स्थान था। एक दिन इसकी शोभा इन्द्र-भवन को भी मात करती थी।

इनके दरबारियों में भी कई बड़े उदार और दानी थे, जिनमें राजा टिकैतराय और लाला झाऊलाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये दोनों ही सज्जन बड़े धर्मात्मा और दरियादिल थे। बाराबङ्की, कानपुर, बिठूर और प्रयाग आदि स्थानों में इनकी भी कई कीर्तियाँ मौजूद हैं, जिनसे इनकी दानशीलता का पता मिलता है।

आसफ़ुद्दौला की दानशीलता का ज़िक्र हम ऊपर कर ही आए हैं। इन्हें लोगों ने 'हातिमेसानी' (दूसरा हातिम) की पदवी प्रदान की थी। एक बार भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। लोग दाने-दाने को तरसने लगे। हज़ारों आदमी भूख की ज्वाला से तड़प-तड़प कर प्राण विसर्जन करने लगे। नवाब को यह ख़बर मिली तो उन्होंने फ़ौरन इमामबाड़े का कार्य आरम्भ करा दिया। लाखों अन्न-कष्ट पीड़ितों को रोज़ी मिल गई। जो एक ईंट उठा कर रख देता था, उसे भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था।

इस समय भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का दौरदौरा था और मुग़ल साम्राज्य का चिराग़ टिमटिमा रहा था। अन्यान्य कई रियासतों की तरह लखनऊ में भी कम्पनी का एक रेज़िडेण्ट रहता था। परन्तु आजकल के रियासती रेज़िडेण्टों की तरह वही रियासत का सर्वेसर्वा न होता था। इसलिए उस समय के रेज़िडेण्ट बहादुर को भी नवाब साहब के सामने आने पर दरबार के नियमों तथा अदब-क़ायदे का पालन करना पड़ता था। और जिस तरह अन्यान्य दरबारी अदब से नवाब से मिलते थे, उसी तरह रेज़िडेण्ट भी मिलता था।

नवाब आसफ़ुद्दौला का बनवाया हुआ लखनऊ का इमामबाड़ा, एक दर्शनीय भवन है। उसकी भूल-भुलैया, उसकी सजावट, बेगमों के बैठ कर क़ुरान सुनने का स्थान और हौज़ आदि देख कर दर्शक चकित रह जाते हैं।

बिबियापुर का महल नवाब के सैरगाह के लिए बना था। जब शिकार आदि के लिए वे शहर से बाहर जाते, तो इसी महल में ठहरा करते थे।

मूसाबाग़ नवाब आसफ़ुद्दौला का अत्यन्त प्रिय स्थान था। इसी बाग़ में उनके मनोरञ्जनार्थ जानवरों की लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इस बाग़ का इतिहास भी कम मनोरञ्जक नहीं है। कहते हैं, एक बार नवाब बहादुर घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। एकाएक घोड़े के टाप के नीचे एक चूहा पड़ गया और दब कर मर गया। इससे नवाब अत्यन्त दुखी हुए और वहीं चूहे की एक क़ब्र बनवा दी और बाग़ का नाम 'मूसाबाग़' रख दिया।

लखनऊ की रेज़िडेन्सी नाम की विख्यात इमारत भी नवाब आसफ़ुद्दौला की ही बनवाई हुई है। यह इमारत रेज़िडेण्ट के रहने के लिए बनवाई गई थी। परन्तु सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह ने इसे एक और ही ऐतिहासिक महत्व दे डाला और अब वह उस विद्रोह की एक स्मृति का काम दे रही है।

बेली गारद, रेज़िडेन्सी की मस्जिद, ख़ज़ाना, डॉ० फ़ेरार का निवास-स्थान और लॉरेन्स मेमोरियल आदि लखनऊ की कई दर्शनीय इमारतें, आसफ़ुद्दौला की बनवाई हुई न होने पर भी उनके शासन-काल से उनका कम सम्बन्ध नहीं है। इसलिए पाठकों के अवलोकनार्थ उनके चित्र भी इसी अङ्क में अन्यत्र दे दिए गए हैं।

तेईस वर्षों तक बड़ी शान से राज्य-शासन करके सन् १७९७ में नवाब आसफ़ुद्दौला ने संसार को छोड़ कर अमर-धाम के लिए प्रस्थान किया।

नवाब मिरज़ा वज़ीरअली ख़ाँ

नवाब आसफ़ुद्दौला की वसीयत के अनुसार उनके मरने पर, नवाब मिरज़ा वज़ीरअली ख़ाँ, वज़ारत की गद्दी पर विराजमान हुए। इनका शासन-काल क्षणिक था, क्योंकि ये कुछ साल भर तक ही नवाबी-सुख का उपभोग कर सके थे। मसनद-नशीन होते ही इन्होंने नवाब आसफ़ुद्दौला के ज़माने के मन्त्रि-मण्डल को तोड़ कर अपना नवीन मन्त्रि-मण्डल बनाया। फलतः दरबार के अधिकांश पुराने अहलकार शत्रु बन गए और इन लोगों ने यह आन्दोलन आरम्भ किया कि ये नवाब के वंशज नहीं हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नर जनरल ने इन्हें गद्दी से उतार दिया और ये ब्रिटिश सरकार की हिरासत में बनारस भेज दिए गए। ख़र्च के लिए तीन लाख रुपए सालाने का वज़ीफ़ा मुक़र्रर हो गया। परन्तु नवाबी की लालसा इनके दिल से दूर नहीं हुई थी। इसलिए इन्होंने नवाब तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गुप्त षड्यन्त्र आरम्भ किया। अवध के कई ताल्लुक़ेदारों और अफ़ग़ानिस्तान के अमीर के पास पत्र लिखने के साथ ही उन्होंने थोड़ी सी सेना भी इकट्ठी कर ली, परन्तु इसकी ख़बर गवर्नर जनरल को लग गई और उसने तत्कालीन रेज़िडेण्ट मि० चेरी को लिखा कि नवाब वज़ीरअली को कलकत्ता भेज दो। चेरी साहब ने नवाब को बुलवा कर गवर्नर का पैग़ाम सुनाया, तो उन्होंने इस आज्ञा का पालन करने से साफ़ इन्कार कर दिया। इस पर कुछ गर्मागरम बहस हो गई। मि० चेरी ने नवाब की शान के ख़िलाफ़ कुछ बातें कह दीं। इससे वे बिगड़ उठे और तलवार खींच कर फ़ौरन साहब पर टूट पड़े। साहब ने भाग जाने की चेष्टा की, परन्तु कुर्सी से उलझ कर गिर गए। इतने में नवाब ने दूसरा वार किया। साहब बुरी तरह घायल होकर थोड़ी देर के बाद ही मर गए। इसके बाद नवाब मि० चेरी की मेम की ओर लपके, परन्तु वह भाग कर ऊपर चली गई और सीढ़ियों का द्वार बन्द कर लिया। रेज़िडेन्सी के रक्षक सिपाहियों ने रङ्ग बेढब देखा तो वे भी वहाँ से नौ-दो ग्यारह हो गए। इतने में नवाब के छोटे भाई मिरज़ा जुमा हाथी पर सवार होकर पहुँच गए और भाई को अपने साथ लेकर रेज़िडेन्सी से बाहर निकल आए। परन्तु थोड़ी दूर जाने के बाद ही मालूम हुआ कि अङ्गरेज़ी फ़ौज पीछा करती हुई आ रही है, इसलिए नवाब ठहर गए और एक वीर की भाँति लड़ कर प्राण दे देने का इरादा कर लिया। परन्तु भाई के अनुरोध से ऐसा नहीं कर सके। अगत्या वहाँ से भाग कर किसी तरह आश्रम जा पहुँचे। परन्तु वहाँ रहना भी निरापद न समझा। इसलिए वहाँ से भाग कर गोरखपुर चले गए और बहुत दिनों तक नेपाल के बनों में मारे-मारे फिरते रहे। अन्त में फ़क़ीर के भेष में फ़ैज़ाबाद आए और वहाँ कुछ दिन रह कर बैरागी के वेष में लखनऊ गए। सरकारी जासूस बराबर पीछा कर रहे थे। इसलिए वहाँ से भी भाग कर जयनगर गए। जयनगर के राजा ने समझाया कि इस तरह मारे-मारे फिरने की अपेक्षा यह अच्छा होगा कि आप सरकार से समझौता कर लें। अन्यथा अगर गिरफ़्तार हो गए तो अङ्गरेज़ बिना सूली पर लटकाए न मानेंगे। अन्यान्य शुभचिन्तकों ने भी बहुत-कुछ ऊँच-नीच समझाया। बेचारे राज़ी हो गए। परन्तु वास्तव में यह जयनगर के राजा का षड्यन्त्र था। उसने धोखा देकर नवाब को पकड़वा दिया। बेचारे वहाँ से कलकत्ता लाए गए। मि० चेरी की हत्या के अभियोग में मुक़द्दमा चला। परन्तु कोई चश्मदीद गवाह न मिला, इसलिए फाँसी से बच गए और आजीवन कलकत्ते में नज़रबन्द रहे। रहने के लिए एक बँगला मिला था, जो चारों ओर से लोहे के छड़ों से बन्द था। भोजन इच्छानुसार मिलता था। परन्तु किसी हिन्दुस्तानी से मिलने नहीं दिया जाता था। पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाती थीं और उन्हीं के साथ किसी तरह समय व्यतीत कर लेते थे। अन्त में सिपाहियों की निगरानी में हवाख़ोरी की आज्ञा मिल

गई थी। परन्तु इस आजीवन क़ैद के कारण वे छत्तीस वर्ष की उम्र में ही मर गए।

नवाब सआदतअली ख़ाँ

नवाब आसफ़ुद्दौला के सौतेले भाई; नवाब सआदतअली ख़ाँ सन् १७९८ में गद्दीनशीन हुए। इस समय इनकी उम्र ६० वर्ष की थी। इनका पूरा नाम नाज़िमुलमुल्क यमीनुद्दौला नवाब सआदतअली ख़ाँ मुबाज़िरेजङ्ग था। ये बड़े बुद्धिमान, ईमानदार, दूरदर्शी, मितव्ययी और सुयोग्य शासक थे। नवाब आसफ़ुद्दौला के ज़माने में जिन लोगों ने अपनी मुट्ठियाँ गरम की थीं, वे इन्हें कञ्जूस कहा करते थे। परन्तु वास्तव में ये समय पर ख़र्च करने में कभी कञ्जूसी नहीं करते थे। इन्होंने कई इमारतें भी बनवाई थीं। नवाब सआदतअली ख़ाँ की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि ये अङ्गरेज़ी सरकार के अनन्य भक्त थे। सेना विभाग के ख़र्च के लिए नवाब की सरकार की ओर से जो रक़म अङ्गरेज़ सरकार को दी जाती थी, उसमें इन्होंने १९,२२,३६२) की वृद्धि कर दी। इसके सिवा प्रायः डेढ़ करोड़ की वार्षिक आय के इलाक़े भी इन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिए थे। ये सरल-हृदय, दयालु और प्रजापालक शासक थे। जिस तरह अङ्गरेज़ों को प्रसन्न रखना अपना धर्म समझते थे, उसी तरह प्रजा की भलाई करना भी अपना कर्तव्य समझते थे। कभी किसी से कड़ाई का बर्ताव नहीं करते थे। इन्हीं की तरह इनका मन्त्रि-मण्डल भी उदार, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। नवाब सआदतअली के शासन-काल में अवधवासी अत्यन्त सुखी थे। सारे राज्य में कहीं अशान्ति का नामोनिशान भी न था।

परन्तु इन सद्गुणों के होते हुए भी नवाब सआदतअली में एक भयङ्कर दुर्गुण था। वे शराबी और विलासी थे। अपने शासन-काल के मध्य भाग में तो ये इन दुर्गुणों में ऐसे लिप्त हो गए थे कि राज-काज की सुध भी जाती रही थी। परन्तु सन् १८०१ में एकाएक इनकी आँखें खुल गईं और अधःपतन की वह भयङ्कर सीमा दिखाई देने लगी, जहाँ पहुँच कर मनुष्य फिर उठ नहीं सकता। फलतः नवाब ने इस दुर्व्यसन को परित्याग कर देने का इरादा किया और एक रोज़ हज़रत अब्बास की दरगाह में जाकर क़सम खा ली कि शराब नहीं पिएँगे।

सुन्दर मकानात बनवाने में यह अपने पूर्ववर्ती नवाब आसफ़ुद्दौला से कम न थे। लखनऊ का विख्यात मोती-महल, बादशाह मञ्ज़िल, चाँदी वाली बारहदरी आदि सुविशाल और सुन्दर इमारतें इन्हीं की बनवाई हुई हैं। इन्होंने 'ख़ुर्शेद मञ्ज़िल' नाम का एक महल बनवाना भी आरम्भ किया था, परन्तु उसके तैयार होने से पहले ही चल बसे थे। इसलिए उसकी पूर्ति नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर ने की थी। इसके सिवा और भी बहुत सी इमारतें इनकी बनवाई हुई हैं, जो अब तक इनकी स्मृति का काम दे रही हैं। इनमें से कई कोठियाँ इन्होंने अपने लड़कों को रहने के लिए दे दी थीं और बाक़ी अपने मनोरञ्जन के लिए रक्खी थीं। ये लखनऊ को एक सुन्दर शहर के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए भव्य मकानों के सिवा इन्होंने कई महल्ले भी बसाए थे। सआदतअलीख़ाँ, अहाता मुहम्मदअली ख़ाँ, कटरा बिजनबेग ख़ाँ, कटरा सय्यद हुसैन, कटरा अबूतुराब और बाग़ महानारायण आदि लखनऊ के महल्ले इन्हीं के बसाए हुए हैं।

इनकी मृत्यु सन् १८१४ में हुई थी। इनका विशाल मक़बरा वर्तमान कैनिङ्ग कॉलेज के पास है। यहीं इनकी बेगम का शव भी दफ़नाया गया था।

शाह ग़ाज़ीउद्दीन हैदर

नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर सन् १८१४ में मसनदनशीन हुए थे। ये नवाब सआदतअली ख़ाँ के बड़े लड़के थे। इन्होंने ही नवाब वज़ीर के बदले पहले-पहल बादशाह की पदवी प्राप्त की थी। फलतः ये अपने वंश के पहले बादशाह थे। बादशाह की पदवी प्राप्त करने के बाद इनका पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुइनुद्दीन शाहज़िमन ग़ाज़ीउद्दीन हैदर बादशाह पड़ा। इनके चलाए स्वतन्त्र सिक्के पर नीचे लिखा फ़ारसी भाषा का शेर खुदा होता था—

सिक्क ज़िदबर सीमोज़र अज़ फ़ज़्ल रब्बे ज़ुल्मेनम्,
गाज़िउद्दीं हैदरे आलीन सब शाहे ज़िमन।

ग़ाज़ीउद्दीन हैदर एक उदार-हृदय, साहित्य-प्रेमी और गुणग्राही नरेश थे। इनके दरबार में गुणियों, गवैयों और कवियों का बड़ा आदर था। मिरज़ा महम्मद ख़ाँ नसीबी किरमानी इनके दरबारी कवि थे। उर्दू के मशहूर शायर 'नासिख़' और आतिश इन्हीं के ज़माने में थे। दरबारे-शाही में इनकी भी बड़ी इज़्ज़त थी। ईद के अवसर पर इन कवियों की बड़ी तैयारी से विदाई होती थी। बादशाह स्वयं अपने हाथों से इन्हें इनाम-इकराम दिया करते थे। तत्कालीन विख्यात गवैये रजबअली और फ़ज़लअली का भी ख़ूब मान था। ये दोनों गायक 'ख़याल' गाने में अपना सानी नहीं रखते थे। सहरोबाई दखिया वाली नाम की गायिका का "ऐ नसीमे सहर आरा मगहे यार कुजास्त" गीत बादशाह को बहुत पसन्द था। वे बहुधा यह ग़ज़ल सुना करते थे।

इनके प्रधान-मन्त्री नवाब मोतमिदउद्दौला आग़ा मीर थे। दरबार में इनकी तूती बोलती थी। परन्तु अन्त में कुछ चुग़लख़ोरों के बहकाने से बादशाह इनसे नाराज़ हो गए और इन्हें नज़रबन्द कर लिया था। मीर साहब एक साधारण स्थिति से महामन्त्री के महान पद पर पहुँचे थे। अपनी कार्यकुशलता से इन्होंने राज्य की उन्नति भी यथेष्ट की थी।

बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन के शासन-काल में बादशाही ख़ज़ाना ख़ूब भरा-पुरा था। राज्य में चारों ओर अक्षुण्ण शान्ति विराज रही थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इन्होंने कई करोड़ रुपए उधार दिए थे।

ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की प्रधान बेगम बादशाह बेगम के नाम से विख्यात थीं और बड़े ठाठ-बाट से एक स्वतन्त्र महल में रहती थीं। इनकी रक्षा के लिए स्त्रियों की फ़ौज रक्खी गई थी। परन्तु बादशाह से इनकी कम बनती थी, इसलिए वे इनसे बहुत कम मिला-जुला करते थे। अन्त में तो यह पारस्परिक वैमनस्य यहाँ तक बढ़ गया था कि इनके कारण ही बादशाह अपने शाहज़ादे नासिरुद्दीन का प्राण ले लेने पर उतारू हो गए थे। परन्तु बादशाह बेगम की सहायता से प्राण बच गए।

शाह ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की स्मृतियों में इस समय सब से मुख्य और प्रसिद्ध लखनऊ का 'शाह नजफ़' नाम का इमामबाड़ा है, जिसे बादशाह ने बहुत सा रुपया ख़र्च करके, सन् १८१७ में तैयार कराया था। यह विख्यात इमामबाड़ा गोमती नदी के किनारे बना है। इसके सिवा इन्होंने मोती-महल के साथ मुबारक मञ्ज़िल नाम की इमारत भी निर्माण कराई थी। 'गुलशने हरम्' और दर्शन-विलास' नाम के भव्य भवन भी इन्हीं के बनवाए हुए हैं।

'शाह नजफ़' का दूसरा नाम 'नजफ़ अशरफ़' भी है। किम्बदन्ती है कि मुसलमानों के पैग़म्बर हज़रत महम्मद के दमाद और उत्तराधिकारी हज़रत अली की समाधि ईरान के नजफ़ नामक पहाड़ पर बनी हुई है और यह शाह नजफ़ उसी का अनुकरण है, इसीलिए इसका नाम 'नजफ़ अशरफ़,' भी है। अस्तु, शाह नजफ़ लखनऊ की एक दर्शनीय इमारत है। इसकी कारीगरी और बनावट बड़ी ही चित्ताकर्षक है। अन्दर बादशाहों तथा बेगमों के हस्त-लिखित चित्र टँगे हैं।

इसके सिवा जन्नत आरामगाह नाम के दो और मक़बरे भी ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ने बनवाए थे, जिनमें उनके माता और पिता की समाधियाँ हैं। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर ये समाधियाँ बनी हैं, वहीं इनके पिता का निवास-स्थान था और लड़कपन में ग़ाज़ीउद्दीन भी वहीं रहा करते थे। इसलिए जब वे राजसिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता का घर ले लिया है, तो मुझे भी अपना घर अपने पिता को दे देना चाहिए। तदनुसार अपना महल तुड़वा कर वहीं ये समाधियाँ बनवाईं।

लोहे का पुल जो गोमती नदी पर बना है, यह भी शाह ग़ाज़ीउद्दीन की ही कीर्ति है। इसे उन्होंने विलायत से बनवा कर मँगवाया था। परन्तु इसके भारत पहुँचने से पहले ही आपकी मृत्यु हो गई। इसके सिवा वह गङ्गा से गोमती तक एक नहर भी बनवाना चाहते थे। कार्य भी आरम्भ कर दिया था। परन्तु पूरा न हो सका। वह नहर आज भी 'सूखा नाला' के नाम से मशहूर है।

९६ वर्षों तक अवध के शाही तख़्त पर विराजमान रहने के बाद, हिजरी सन् १२४२ में बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ने इस संसार से अमर-धाम की यात्रा की। इनकी क़ब्र शाह नजफ़ में दी गई थी, जिसे इसी काम के लिए इन्होंने बनवाया था।

बादशाह नसीरुद्दीन हैदर

अवध के प्रथम बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन के बाद उनके बड़े लड़के ग़ाज़ी नसीरुद्दीन हैदर राजसिंहासनारूढ़ हुए और अपना नाम अबुलनस्र क़ुतुबुद्दीन सुलेमान जाह नसीरुद्दीन हैदर बादशाह रक्खा। इस समय इनकी उमर कुल २५ वर्ष की थी। ये २१ अक्टूबर सन् १८२७ ई० में राजसिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने सब से पहले अपने पिता के पुराने मन्त्री मोतमिदउद्दौला आग़ामीर को बरख़ास्त करके कानपुर भेजवाया और उसकी जगह मीर फ़ज़लअली ख़ाँ नाम के एक फ़ीलवान को दी। इसे एतमादुद्दौला का ख़िताब मिला। परन्तु साल भर के बाद ही बेचारे एतमादुद्दौला साहब चल बसे और फिर नवाब मुन्तज़िमुद्दौला हकीम मेहदी अली ख़ाँ वज़ीर हुए। ये बड़े नेक-दिल, प्रजा-प्रेमी और धर्मात्मा थे। इनके उत्साह-दान से बादशाह ने लखनऊ के ग़रीबों के लिए अस्पताल बनवाए। अन्धे, लँगड़े और लूलों के लिए एक 'ख़ैरातख़ाना' भी खुलवाया था। इस ख़ैरातख़ाने के लिए एक हज़ार रुपए महीना राजकोष से ख़र्च होता था। इसके सिवा 'सुलतानी लीथो छापाख़ाना' नाम का एक प्रेस भी खुलवाया था। एक अङ्गरेज़ी स्कूल खुला तथा रसदख़ाने की स्थापना हुई, जो अब तक सतारा वाली कोठी के नाम से विख्यात है।

बादशाह नसीरुद्दीन हैदर पूर्ण विलासी और शराबी थे। इनके रङ्गमहल में कई विलायती लेडियाँ भी थीं। परन्तु मृत्यु से पहले ही एक बार बीमार पड़ने पर उन्होंने शराब पीना एकदम बन्द कर दिया और विलायती बीबियों को भी विदा कर दिया।

बादशाह नसीरुद्दीन ने गोमती नदी के किनारे एक आलीशान महल बनवाया था, जो आज तक 'छतर-मञ्ज़िल' के नाम से विख्यात है। इसीके अन्तर्गत शाह मञ्ज़िल नाम का स्थान है। यहाँ बादशाह की पशुशाला थी। इसके सिवा 'क़ैसर-पसन्द' रौशनुद्दौला और तारावाली कोठी आदि इमारतें भी बादशाह नसीरुद्दीन की ही बनवाई हुई हैं। तारावाली कोठी एक 'वेधशाला' (Observatory) है। उस समय राज-ज्योतिषी कर्नल विलकॉक्स (Colonel Wilcox) के हाथ वेधशाला का प्रबन्ध था। नक्षत्रों की गति-विधि देखने के कई अच्छे-अच्छे यन्त्रादि भी इस वेधशाला में संग्रहीत थे। अन्त में वाजिदअली शाह ने इसे बन्द कर

दिया था और गत सिपाही-विद्रोह के समय इसके यन्त्रादि भी नष्ट-भ्रष्ट हो गए।

नसीरुद्दीन को विलायती फूलों और पौधों का बड़ा शौक़ था, इसलिए उन्होंने विलायती बाग़ नाम का एक बाग़ भी बनवाया था, जिसमें बहुत से विलायती पेड़-पौधे लगे थे।

इन्होंने केवल दस वर्ष तक राज्य-शासन किया था और कुल पैंतीस वर्ष की उमर में इस नश्वर-जगत से कूच कर गए।

बादशाह मुन्नाजान

कहते हैं, नसीरुद्दीन हैदर की अपनी स्त्री से कोई लड़का न था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी वेश्या का पुत्र मुन्नाजान राजसिंहासन पर बैठा और अपना नाम रफ़ीउद्दीन फ़रीदूँबख़्श मिरज़ा महम्मद मेहदी उर्फ़ मुन्नाजान बादशाह रक्खा। परन्तु नसीरुद्दीन हैदर की माता बादशाह बेगम को यह बात पसन्द न आई और उन्होंने बड़ी कोशिश करके मृत बादशाह के चचा नसीरुद्दौला को तख़्त पर बिठाया।

परन्तु कुछ इतिहासकारों का मत इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका कथन है कि मुन्नाजान उनकी ख़ास बेगम का लड़का था। परन्तु उसकी परवरिश बादशाह बेगम ने की थी और बादशाह अपनी माता अर्थात् बादशाह बेगम से असन्तुष्ट रहा करते थे। इसलिए उन्होंने मुन्नाजान को उत्तराधिकार से वञ्चित कर दिया था। फलतः उनकी मृत्यु के बाद अवध के रेज़िडेण्ट जनरल लू ने उनके चचा को तख़्त पर बिठाने का प्रबन्ध किया और बादशाह के मरते ही शाही ख़ज़ाना, महल और अन्यान्य स्थानों पर फ़ौज का पहरा बिठा दिया। इधर बादशाह बेगम मुन्नाजान को लेकर दो हज़ार सेना की निगरानी में फ़रहतबख़्श नामक महल में आने लगी। रेज़िडेण्ट ने आदमी भेज कर कहलाया कि आप यहाँ न आएँ। परन्तु बेगम के आदमियों ने इसका कुछ भी ख़्याल न किया और फाटक तोड़ कर अन्दर घुस गए, महल के रक्षकों से लड़ाई भी हो गई। अन्त में रेज़िडेण्ट ने कहलाया कि आप पन्द्रह मिनट में मकान ख़ाली कर दें। परन्तु बेगम ने इस आज्ञा की भी परवाह न की। मुन्नाजान तख़्त पर बैठा दिया गया। अहलकार नए बादशाह का अभिवादन करने लगे। दूसरे दिन दरबार आरम्भ हुआ। नृत्य-गीत आरम्भ हुआ। फ़ाटक पर शहनाई बजने लगी। दस्तरख़ान तैयार हुआ। खूब धूमधाम से दावतें हुईं। इसी समय रेज़िडेण्ट की आज्ञा से कप्तान मेगनिन ने महल पर धावा बोल दिया और गोलेबारी आरम्भ कर दी। नए बादशाह कमर में तलवार बाँधे और हाथ में बन्दूक लिए क्रोधावेश में इधर-उधर टहल रहे थे। लगातार पाँच-छः गोले गिरे, धुएँ से सारा महल भर गया। नूरा भाँड़ का लड़का नाचते-नाचते जल-भुन गया। और भी कितनी ही जानें गईं। फ़ौज के सिपाही बाहर से सीढ़ियाँ लगा कर अन्दर घुस आए। एक हवलदार ने बादशाह मुन्नाजान को बाँध लिया। शाही ताज उनके सर से उतार लिया गया और तख़्त लूट लिया गया। इसके बाद शाह मुन्नाजान की बेगम अफ़ज़ल महल और स्वयं मुन्नाजान फ़ौज की संरक्षता में कानपुर भेज दिए गए और वहाँ से फिर चुनारगढ़ में लाकर क़ैद किए गए।

मिरज़ा मुहम्मदअली

अबुलफ़तेह मुईनुद्दीन मिरज़ा मुहम्मदअली शाह, नवाब सआदतअली ख़ाँ के द्वितीय पुत्र थे और शाह मुन्नाजान के हङ्गामे के बाद सिंहासनारूढ़ हुए। उस समय उनकी उमर साठ वर्ष से अधिक थी। इन्होंने अपने राजत्व-काल में कई अच्छे काम किए थे। ये बड़े उदार, विद्या-व्यसनी और शान्तिप्रिय मनुष्य थे। लखनऊ के हुसेनाबाद का मशहूर इमामबाड़ा इन्हीं की स्थायी कीर्ति है। राज-भवन से हुसेनाबाद तक एक सड़क भी इन्होंने बनवाई थी, जो अब तक मौजूद है। इसके सिवा विख्यात जामा-मस्जिद भी इन्हीं की बनवाई हुई है। इन कामों में इन्होंने बीस लाख से अधिक रुपए ख़र्च किए थे। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ-स्थान मक्का और मदीने को भी इन्होंने अधिक सहायता प्रदान की थी। इनके शासन-काल में कई प्रधान मन्त्रियों की मृत्युएँ हुई थीं। इन्होंने स्वयं भी केवल पाँच ही वर्ष तक बादशाहत की थी और मरने पर हुसेनाबाद के इमामबाड़े में दफ़नाए गए थे। मुहर्रम के दिनों में इस इमामबाड़े की सजावट और रोशनी दर्शनीय होती है। हुसेनाबाद पार्क के पास ही अङ्गरेज़ों का बनवाया हुआ विक्टोरिया टॉवर नाम का स्मृति-स्तम्भ है, जिसमें ३६ लाख रुपए लगे हैं। इसके बनवाने का ख़र्च इमामबाड़े के फ़ण्ड से ही लिया गया था। इस स्मृति-स्तम्भ पर जो घड़ी लगी है, वैसी घड़ी, कहते हैं, भारतवर्ष में दूसरी नहीं है।

मिरज़ा मुहम्मद अमजदअली ख़ाँ

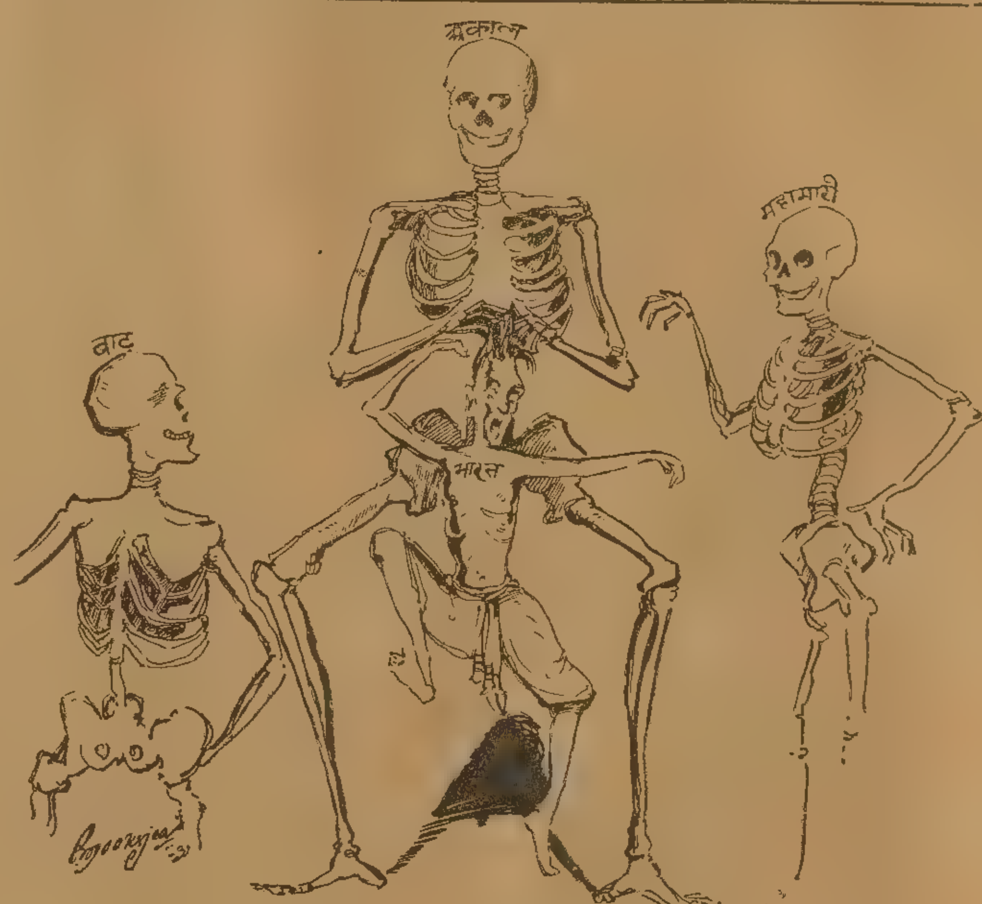
इनका बादशाही नाम सिरियाजाह मिरज़ा मुहम्मद अमजदअली ख़ाँ बादशाह था। ये शाह मुहम्मदअली के पुत्र थे और इन्होंने भी केवल पाँच ही वर्ष तक बादशाहत की थी। कतिपय राजकर्मचारियों को बरख़ास्त और बहाल करने के सिवा अपने शासन-काल में इन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। एक नायब दारोग़ा को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया था। इनकी मृत्यु सन् १८४७ ई० में हुई थी। अपने लिए क़ब्र ये स्वयं बनवा गए थे।

मिरज़ा वाजिदअली शाह

जाने-आलम मिरज़ा वाजिदअली शाह अवध के बादशाहों में अन्तिम और विशेष विख्यात हैं। ये सन् १२६२ हिज्री में तख़्तनशीन हुए थे। इस समय इनकी उम्र कुल २५ वर्ष की थी। बड़े शौक़ीन, विलासी और आमोद-प्रिय थे। सारा समय आमोद-प्रमोद में ही व्यतीत किया करते थे। इनकी विलासिता की कहानी बड़ी लम्बी-चौड़ी और बड़ी ही दिलचस्प है। बड़े अल्हड़ स्वभाव के आदमी थे। इन्होंने नए फ़ैशन की टोपियाँ, कुरते और अँगरखे भी ईजाद कराए थे। वाजिदअली शाह का रङ्ग-महल मानो सुन्दरियों का अखाड़ा था। चौबीस घण्टे-राग-रङ्ग का समाँ बँधा रहता था। स्वयं भी नाचने और गाने का शौक़ था। इनके ज़माने में भाँड़ों, सफ़रदाइयों और दूसरे ऐसे लोगों की बड़ी मौज थी।

इन्होंने अपनी प्यारी बेगम सिकन्दर महल के लिए सिकन्दरबाग़ नाम का एक सुन्दर महल और बग़ीचा बनवाया था। इसके सिवा क़ैसरबाग़, चौलक्खी-महल आदि इमारतें और बाग़ भी इन्होंने ही बनवाए थे। अन्त में सन् १८५६ में लॉर्ड डलहौज़ी ने इन्हें शासन-कार्य के अयोग्य समझ कर कलकत्ते के पास मटियाबुर्ज नामक स्थान में क़ैद कर रक्खा। इन्हें ख़र्च के लिए एक लाख रुपए मासिक मिला करते थे। अन्त में वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। इनके निवास-स्थान का भग्नावशेष वहाँ आज भी मौजूद है

* * *



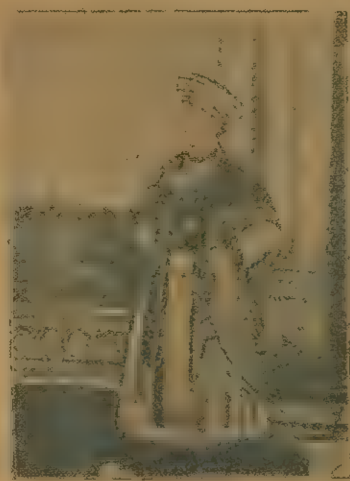
देश-दशा

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

अवध के भूतपूर्व शासक और उनकी स्मृतियाँ



नवाब आसफ़द्दौला



वज़ीर आग़ामीर मौतमुद्दौला



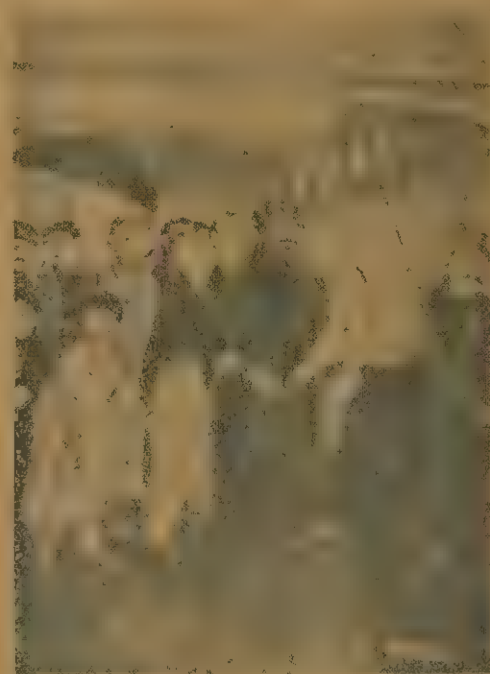
बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन हैदर



हुसेनाबाद का तालाब और घण्टाघर
(विक्टोरिया टॉवर)



नवाब सआदतअली ख़ाँ



नवाब आसफ़द्दौला के दरबार में अङ्गरेज़ रेज़िडेण्ट



डॉ० फ़ेरार का निवास-स्थान

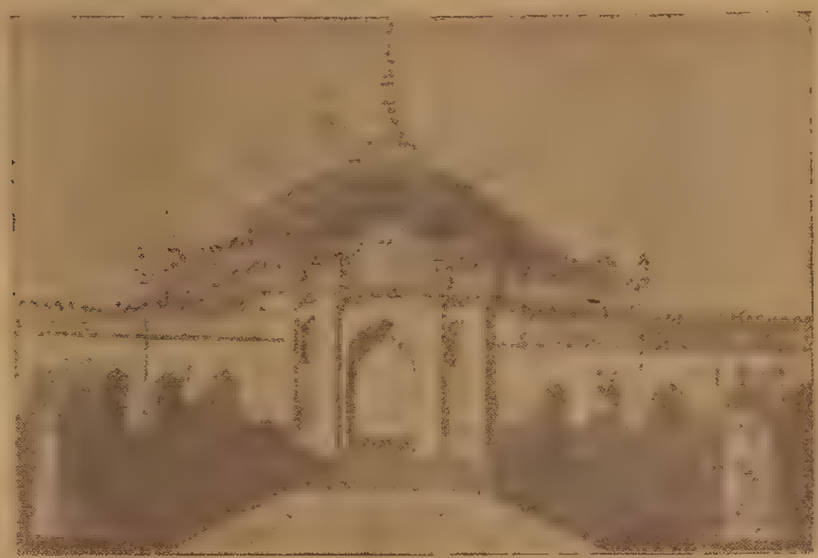


मार्टिनियरी के पास की नहर और मीनार का दृश्य

लखनऊ की सैर



हैवलॉक कोठी



शाह नजफ़ के भीतरी फाटक का दृश्य



मुबारक-मञ्ज़िल या मोती-महल



लॉरेन्स मेमोरियल



बेला गारद का फाटक



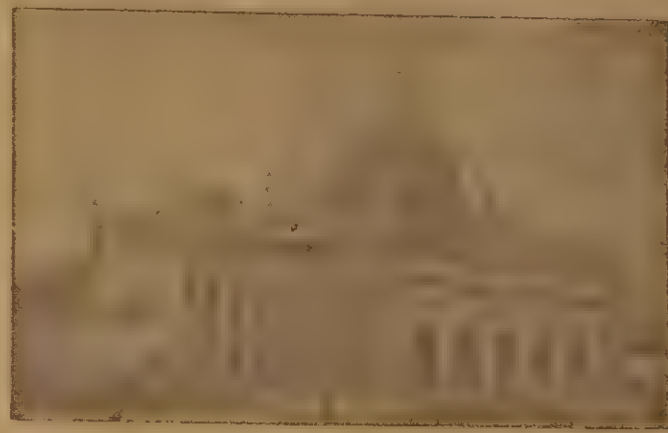
मस्जिद रौज़ङ्गा

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

लखनऊ की सैर



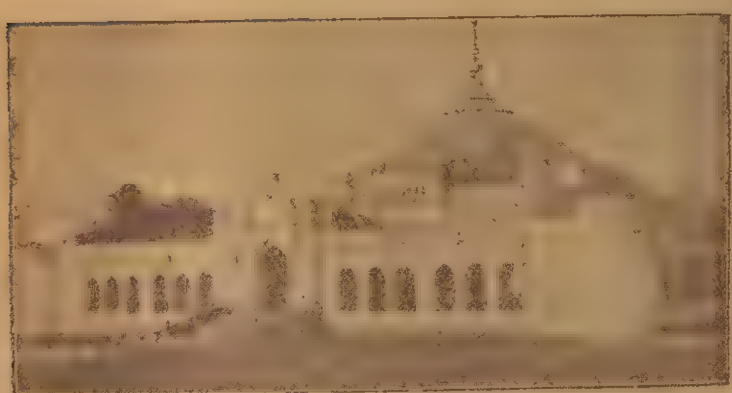
क़ैसरबाग़ का लक्खी-दरवाज़ा



हुसैनाबाद का इमामबाड़ा



गोमती-तट से सूर्यास्त का दृश्य



शाह नजफ़ के बाहरी फाटक का दृश्य



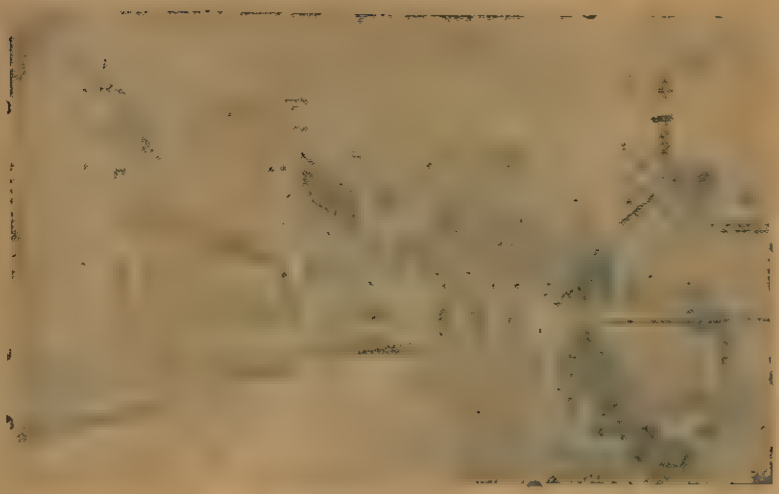
जुमा-मस्जिद



ख़ज़ाना

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

लखनऊ को सैर



रूमी दरवाज़ा



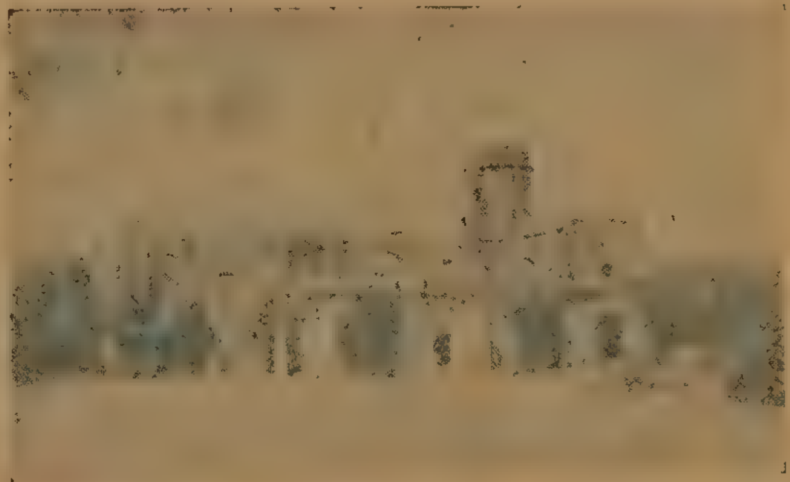
मार्टिनियरी



इमामबाड़ा



दिलकुशा-महल



रेज़िडेन्सी



कोठी फ़रहतबख़्श



नवाब सआदतअली और उनकी बीबी का मक़बरा



क़ैसरबाग़ की बारहदरी



नामे ख़ुदा नमूद है उन पर शबाब की, अब शाख़ियों से जङ्ग छिड़ेगी हिजाब की !
यह जाने वाली चीज़ है इतराइए न आप, मेहमान चार रोज़ है दौलत शबाब की !

हालत न पूछिए, दिले ख़ाना ख़राब की,
है कश्मकश[१] में जान हज़ीं[२] 'आफ़ताब' की।
फलने से पहिले शाख़े तमन्ना[३] क़लम हुई,
मिट्टी में मिल गई हैं उमङ्गें शबाब की !
रुसवा हुआ हूँ उनसे मुहब्बत[४] में दर-बदर,
इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी ख़राब की।
—"आफ़ताब" पानीपती

देखा कोई हसीन तो फ़ौरन मचल गया,
आदत ख़राब है, दिले ख़ाना ख़राब की।
—"अदना" देहलवी

बदली हुई है आज ज़माने की क्या हवा,
हर दिल से आ रही है सदा इन्क़िलाब की।
रङ्गे शफ़क़[५] को देख कर 'आनन्द' .ख़ुश न हो,
आतिश[६] भड़क रही है यह हक़[७] के अताब[८] की।
—"आनन्द" लखनवी

गुलशन[९] में मेरे उस गुलेराना[१०] को देख कर,
शर्मिन्दा हो रही है किरन आफ़ताब की।
—"साबिर" लखनवी

ज़ाहिद तेरी नज़र में तिलस्मे हिजाब[११] है,
वरना है बेहिजाब हर एक शै हिजाब[१२] की।
हर शै में यह अयाँ[१३] है हर एक रङ्ग में अयाँ,
नैरङ्गियाँ[१४] हैं यार के हुस्नो शबाब की।
—"बर्क़" मैनपूरी

जाने भी दीजिए कि यह बातें हैं ख़्वाब की,
रूदाद[१५] कुछ न पूछिए अहदे शबाब[१६] की।
.ज़ुल्फ़े[१७] सियाह आज है बरहम तो किस लिए,
आख़िर है कोई वजह भी इस पेचो ताब[१८] की।
ठोकर लगा के नाज़ से कहता है कोई यूँ,
क्या क़ब्र है यह "मूनिसे" ख़ाना ख़राब की।
—"मूनिस" सेवाहारी

बेताब चश्मे शौक़ है, दीदार के लिए,
आती नहीं है ख़ैर नज़र अब नक़ाब[१९] की।
बख़्शो न वह यह शाने-करीमी[२०] से है बईद[२१],
"दानिश" न फ़िक्र कीजिए रोजे[२२] हिसाब की।
—"दानिश" सेवाहारी

क्या हो गया है दीदए मैगूँ[२३] को देख कर,
फीकी है आज किस लिए रङ्गत शबाब की।
पामाल कर न "अब्र" को ऐ चर्ख़ फ़ितनागर[२४],
दिल में अभी हैं चन्द उमङ्गें शबाब की।
—"अब्र" सेवाहारी

१—सोच-विचार। २—दुखी। ३—इच्छा की डाली। ४—प्रेम। ५—आकाश की लाली। ६—आग। ७—ईश्वर। ८—क्रोध। ९—बाग़। १०—फूल। ११—परदे का जादू। १२—परदा। १३—ज़ाहिर। १४—तमाशे। १५—हाल। १६—जवानी का समय। १७—काले बाल। १८—उलझन। १९—घूँघट। २०—ईश्वरी कृपा। २१—दूर। २२—प्रलय। २३—मदभरी आँखें। २४—फ़िसादी।

नामे ख़ुदा नमूद[२५] शबाब की,
अब शोख़ियों से जङ्ग छिड़ेगी हिजाब की।
महसूस[२६] दिल में होने लगी दर्द की चमक,
देखी थी एक झलक जो रुख़े बेनक़ाब की।
"बेताब" मुख़्तसिर है यह बेताबियों का हाल,
करती है बर्क़ नक़्ल मेरे इज़तिराब[२७] की।
—"बेताब" पीलीभीती

वह मुझ पे ढा रहे हैं सितम रोज़ बरमला,
क्या उनको फ़िक्र कुछ नहीं रोजे़ हिसाब की ?
ऐ "बह्र" वक़्त यह है हमारा कोई नहीं,
रुसवा हुए हैं इश्क़ में मिट्टी ख़राब की।
—"बह्र" मुज़फ़्फ़रनगरी

क्या फ़िक्र तेरे बन्दों को रोजे़ हिसाब की,
हर दम खुली है राह तेरी रहमत के बाब की।
चाहो तो दाग़े "हसरते" हस्ती का हो शुमार,
पूछो न बात मुझसे गुनह के हिसाब की।
—"हसरत" रामपूरी

शातिर बिसाते[२८] दह पे चालें हज़ार चल,
चालें खुलेंगी देखना एक दिन जनाब की।
इबरत[२९] की जा है आँखों में अब तक .ख़ुमार है,
हस्तिये[३०] दहख़ास है ताबीर[३१] ख़्वाब की।
—"साक़िब" मङ्गलोरी

पूछो न कैफ़ियत दिले नाकामयाब की,
इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी ख़राब की।
क्यों लोग फिर लगाते हैं तुहमत अज़ाब की,
तक़दीर जब बनाई हुई है जनाब की।
पीरी[३२] में याद आती है अहदे शबाब की,
वह ख़्वाब था यह मिल गई ताबीर ख़्वाब की।
ऐ जज़्बे इश्क़ ज़ब्त को देना न हाथ से,
जाए न आबरू तेरे चश्मे-पुरआब[३३] की।
—"दिलावर" अकबराबादी

वह वलवले, वह दिल, वह तबीयत, वह तमकनत[३४],
पीरी में याद आती हैं बातें शबाब की।
रुख़ पर है उनके रङ्गे तिलाई[३५] की वह चमक,
नज़रों से गिर गई है चमक माहताब की।
यारब तेरी .ख़ुदाई में अन्धेर है यह क्या,
सुनता नहीं है कोई भी नाकामयाब की।
जिस सिम्त जिसको शौक़ हो जाए वह उस तरफ़,
राहें खुली हुई हैं अज़ाबो शबाब की।
—"दर" गवालियारी

पीरी में मोल दर्द सरीलें ख़िज़ाब की,
आएँगी पर कहाँ से उमङ्गें शबाब की।

२५—उभार। २६—मालूम होना। २७—बेचैनी। २८—संसार। २९—नसीहत लेना। ३०—संसार की रचना। ३१—स्वप्न का नतीजा। ३२—बुढ़ापा। ३३—आँसू भरी आँखें। ३४—शान। ३५—सुनहरा।

देखी जो हमने शक्लो शबाहत[३६] गुलाब की।
कुछ-कुछ झलक सी पाई तुम्हारे शबाब की।
फ़सले बहार में हो मुबद्दल[३७] ख़िज़ाँ का दौर,
यारब वह जल्द आए घड़ी इन्क़िलाब[३८] की।
—"दास" मुरादाबादी

बिजली सी तेग़[३९] मौज है जामे शराब की,
ग़ैरत से कर रही है किरन आफ़ताब की।
सूरत बिगाड़ी, हौसले खोए, मिटाए जोश,
पीरी ने आके एक न रक्खा शबाब की।
—"रहमत" साहब

आमाल[४०] अपने तोल लें अपनी निगाह में,
आँखें हों काश उनको तराज़ू हिसाब की।
बहरे[४१] जहाँ में क्यों न उभर कर चले हबाब,
सर में भरी हुई है हवा इन्क़िलाब की।
—"शैदा" देहलवी

तनवीर[४२] देखते ही रुख़े बेनक़ाब की,
आँखें फ़लक पे बन्द हुईं आफ़ताब की।
"अख़गर" मेरी नज़र में यह हासिल हैं .ज़ीस्त[४३] के,
दुनिया में दिन बहार के, रातें शबाब की !
—"अख़गर" लखनवी

नैरङ्गियो-जहान को धोका न दो मुझे,
मैं .ख़ूब जानता हूँ हक़ीक़त सुराब[४४] की।
—"शर्मा" मार्छरवी

यह जाने वाली चीज़ है इतराइए न आप,
मेहमान चार रोज़ है दौलत शबाब की।
दबते नहीं दबाए से अब दिल के वलवले,
बेचैन कर रही हैं उमङ्गें शबाब की।
बिजली की तरह दिल में तड़पती हैं हसरतें,
लेती हैं चुटकियाँ जो निगाहें हिजाब की।
कोई हसीं न दिल के बराबर नज़र पड़ा,
डाली जो हमने आँख कभी इन्तेख़ाब[४५] की।
दावत है किसकी आपके घर ऐ जनाबे "जोश",
हैं बोतलें जो मेज़ पे रक्खीं शराब की ?
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

अच्छी यह क़द्र, अच्छी यह इज़्ज़त जनाब की,
अहले वफ़ा[४६] की आपने मिट्टी ख़राब की।
यह कह के टालते हैं वह मतलब की बात को,
.फ़ुर्सत हमें नहीं है सवालो जवाब की।
क़ायम न रह सकेगा कभी नशअए .ग़ुरूर,
एक दिन उतर ही जाएगी मस्ती शराब की।
महशर[४७] में दोगे दावरे महशर[४८] को क्या जवाब,
तुमको ख़बर नहीं, अभी रोज़े हिसाब की ?
मारा हवा ने एक थपेड़ा तो मिट गया,
बहरे जहाँ में कुछ नहीं हस्ती हबाब[४९] की।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३६—सूरत। ३७—बदल जाना। ३८—उलट-पलट। ३९—तलवार। ४०—अपने काम। ४१—संसार का समुद्र। ४२—ज्योति। ४३—ज़िन्दगी। ४४—धोका। ४५—जाँचने वाली। ४६—वफ़ा वाले। ४७—प्रलय। ४८—ईश्वर। ४९—पानी का बुलबुला।

कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची

घटनाचक्र (व०प्रे०) २।), २।।।)
घर का भेदिया (व०प्रे०) ।।)
चतुर जासूस (") ।-)
चन्द्रकान्ता (ल० बु० डि०) १।।)
चन्द्रकान्ता-सन्तति (२४ भाग)(ल० बु० डि०)७।।)
चन्द्रभागा (") १।।)
चालाक चोर (व० प्रे०) १।।), २)
चीना सुन्दरी (") १।।), २)
जवाहरात का गोला (व० प्रे०) ।।)
ज़हर का प्याला (ड० व० ऑ०) १)
जर्मन जासूस (व० प्रे०) १।।), २)
जर्मनी षड्यन्त्र (व० प्रे०) १।।), २)
जादू का महल (नि० चं०) १।।)
जादूगरनी (") १)
जाली ज़मींदार (") ।)
जासूस की झोली (नि० चं०) १), १।।)
जासूस की डाली (गं० (पु० मा०) १।।), २)
जासूस के घर ख़ून (व० प्रे०) १।।), २)
जासूसी चक्कर (व० प्रे०) २।।), ३)
जासूसी पिटारा (व० प्रे०) ।।।)
टर्की का क़ैदी (व० प्रे०) १।।।), २।)
टापू की रानी (व० प्रे०) १।।।), २।)
डबल जासूस (व० प्रे०) १।।), २)
डॉक्टर साहब (व० प्रे०) १।।), २)
दिल्ली का व्यभिचार (हिं० पु०) १।।)
धनकुबेर (व० प्रे०) १।।।), २।)
नराधम (व० प्रे०) १=), १।।=)
पुतली-महल (चार भाग) (व० प्रे०) ३।।।)

बोलशेविक रहस्य (") १।।।), २।)
भीषण डकैती (व० प्रे०) १।।), २।)
भूतनाथ (६ भाग) (ल० बु० डि०) १२)
मयङ्क मोहिनी (व० प्रे०) १)
महेन्द्र कुमार (४ भाग) (व० प्रे०) ५)
माया-महल (") १)
मोती-महल (६ भाग) (नि० चं०) ३।।।)
लण्डन-रहस्य (४४ भाग) (व० प्रे०) २२।।)
विचित्र बूढ़ा (हिं० पु० ए०) १।।।)
वेश्या-पुत्र (पु० भं०) २।।)
शैतानी करामात (नि० चं०) १।।), २।)
शैतान की शैतानी (हिं० पु० ए०) ३)
सुन्दरी अमेलिया (व० प्रे०) १।।।), २।)
सुन्दरी डाकू (व० प्रे०) १।।।), २।)
हवाई डाकू (व० प्रे०) १।।)

गद्य-काव्य

अन्तस्तल(हिं० ग्रं० र०) ।।=)
अन्तर्नाद (सा० भ० लि०) ।।।)
तरङ्गित हृदय (स० सा० प्र० मं०) ।≡)
मिस्टर व्यास की कथा (गं० पु० मा०) २।।),३)
मेघनाद-बध (प्रका० पु० मा०) ।।।)
विचित्र प्रबन्ध (इं० प्रे०) २)
सौ अजान और एक सुजान (गं० पु० मा०) २)
सौन्दर्योपासक (ख० वि० प्रे०) ।।।)

संस्कृत-काव्य गद्य हिन्दी में

कविता-कौमुदी (ह० भा०) ३)
कादम्बरी (सा० भ० लि०) २।।।), ३।)
" " (इं० प्रे०) ।।)
किरातार्जुनीय (इं० प्रे०)२)
कुमारसम्भव (") १)
महाभारत (भाषा टीका) (आर्ष० ग्रं०) १२)
महाभारत (वार्तिक, दो भाग) १०)
" (इं० प्रे०) ७)
" (सचित्र) (बर्मन) ३), ३।)
महाभारत-मीमांसा (इं० प्रे०) ४)
मेघदूत (द्विवेदी जी) ।-)
" (राजा लक्ष्मणसिंह) ।।=)
रघुवंश (इं० प्रे०) ३)
वाल्मीकि रामायण (भाषा)(इं० प्रे०)१०)
वाल्मीकि रामायण (भाषा) १५)
वाल्मीकि रामायण (भाषा टीका) (आर्ष० ग्रं०) ७।।
सुखसागर बड़ा (न० कि० प्रे०) १०)
" मझोला (") ५)
" गुटका (") २।।)
संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ(हिं० पु० ए०) ।=)
हितोपदेश (भाषा टीका) १=), १।।)

उर्दू, फ़ारसी और अरबी काव्य-ग्रन्थ

उर्दू कविता-कौमुदी (हिं० मं०) ३)
उर्दू कविता-कलाप (हिं० पु० ए०) ।।=)
कविरत्न मीर (हिं० पु० भं०) १।।।)
दाग़े-ज़िगर (हिं० पु० ए०) १।)
महाकवि अकबर (इं० प्रे०) १)
" ग़ालिब ।।)
" ज़ौक़ ।।।)
" दाग़ १)
" नज़ीर १)
मौलाना रूम और उनका काव्य (हिं० पु० ए०) १।)
मौलाना हाली और उनका काव्य (इं० प्रे०) १।।)
सुबह वतन (इं० प्रे०) २)

समालोचना

कालिदास और भवभूति (हिं० ग्रं० र०) १।।)
कालिदास और शेक्सपियर २)
कालिदास की निरङ्कुशता (इं० प्रे०) ।=)
देव और बिहारी (गं० पु० मा०) १।।।), २।)
प्राचीन पण्डित और कवि (गं० पु० मा०) ।।=), १।=)
भवभूति (") ।।=), १=)
मिश्रबन्धु विनोद (चार भाग) १०)
मतिराम-ग्रन्थावली (गं० पु० मा०) २।।), ३)
रवीन्द्र-कविता-कानन (निहाल०) २)
रामचरितमानस की भूमिका (हिं० पु० ए०) ३)
बिहारी सतसई (पद्मसिंह) (एक भाग) २)
विश्व-साहित्य (गं० पु० मा०) १।।), २)
साहित्य-मीमांसा (हिं० ग्रं० र०) १।=)
हिन्दी नवरत्न (गं० पु० मा०) ४।।), ५)

लेख-संग्रह और कथा-ग्रन्थ

अद्भुत आलाप (गं० पु० मा०) १), १।।)
गद्य कुसुमावली (इं० प्रे०) २)
निबन्ध-निचय (गं० पु० मा०) १), १।।।)
प्रेम-सागर (हिं० पु० ए०)२)
बिहार का साहित्य (हिं० पु० भं०) १।।)
बङ्किम-निबन्धावली (हिं० गं० र०) १)
मिश्रबन्धु-विनोद (तीन भाग) ६।।।), ८।)
साहित्य रत्न-मञ्जूषा (सर० भं०) ।।।=)
साहित्य विहार (सा० भ० लि०) १)
साहित्य सुमन (गं० पु० मा०) ।।=), १=)

अर्थशास्त्र और व्यापार

अर्थशास्त्र-प्रवेशिका (इं० प्रे०) ।=)
ऋद्धि (इं० प्रे०) १।।।)
औद्योगिकी (रा० हिं० मं०) ।।।), १)
करेन्सी (वि० घ० ब० ज्ञा० मं०) १।।)
कौटिल्य अर्थशास्त्र-मीमांसा (इं०प्रे०) १।।)
गृह-शिल्प (ज्ञा० मं०) ।।)
दूकानदारी (स० हिं०) ।।।)
मितव्यय (इं० प्रे०) ।।)
मितव्ययता (हिं० ग्रं० र०) ।।।=)
रोशनाई बनाने की पुस्तक (वि० हु० मा०)।।)
वाणिज्य (हिं० पु० ए०) ।।।=)
विक्रय-कला (हिं०पु०ए०) ।।)
विज्ञापन-विज्ञान(") १।।)
साबुन बनाने की पुस्तक (वि० हु० मा०) १)

खेती और पशु-पालन

आलू (वि० परि०) ।)
उद्यान (गं० पु० मा०) १=), १।।=)
किसानों की कामधेनु (गं० पु० मा०) ।=)
कृषि-कौमुदी (इं० प्रे०) १।)
कृषि-सिद्धान्त (कृ० भं०) ।-)
खाद (हिं० पु० ए०) १)
खाद और उसका व्यवहार (कृ०भं०) ।)
खाद का उपयोग (ज्ञा० मं०) १)
खेती पौड़ा गन्ना ऊख (कृ० भं०) ।।)
गोपालन (इं० प्रे०) ।।।)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

मातृ-मन्दिर के लिए अपील

१४ महीनों में लगभग ४० स्त्री तथा बच्चों की जानें बचाई गईं !

यह संस्था जिस महान् उद्देश्य को लक्ष्य कर स्थापित की गई है वह पाठकों पर पूर्णतया प्रगट है; पर हमें खेद है, देशवासियों की ओर से जैसी सहायता इसे प्राप्त होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है और यदि यही क्रम जारी रहा तो हमें भय है, संस्था को शीघ्र ही बन्द कर देना पड़ेगा। अब तक संस्था को बीकानेर के सुप्रसिद्ध सुधारक एवं दानवीर सेठ रामगोपाल जी मोहता १००) मासिक सहायता प्रदान करते रहे हैं ; किन्तु भविष्य में वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। यदि 'चाँद' तथा 'भविष्य' के पाठक चाहें तो सहज ही संस्था का आर्थिक कष्ट निवारण कर सकते हैं। यदि चार आने से १) मासिक दान भी प्रत्येक पाठक दिया करें तो बात की बात में संस्था की आर्थिक कठिनाई कम हो सकती है। पिछले १४ महीनों में लगभग ४० महिलाओं एवं बच्चों की जानें तथा सैकड़ों प्रतिष्ठित परिवारों की मान-मर्यादा इस संस्था द्वारा बचाई जा सकी है। मातृ-मन्दिर की वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, जिसके द्वारा पाठकों को इस संस्था द्वारा की गई ठोस सेवाओं का पता चलेगा। एक ऐसी उपयोगी संस्था का आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाना भारतवासियों की वह कलङ्क-कालिमा होगी, जिसे सारे समुद्र का जल भी न धो सकेगा। अतएव हमें आशा है, पाठक यथाशक्ति सहायता प्रदान कर अपना कर्तव्य पालन करेंगे। प्राप्त हुए दान की सूची को 'भविष्य' के प्रत्येक अङ्क में सहर्ष स्थान दिया जायगा। सब प्रकार की सहायता श्री० आर० सहगल, अवैतनिक मन्त्री, मातृ-मन्दिर, इलाहाबाद के पते से भेजनी चाहिए।

—स० 'भविष्य'

संस्था के उद्देश्य

(क) निर्धन, निराश्रय तथा असहाय महिलाओं और बच्चों की यथाशक्ति सहायता करना।

(ख) ऐसी स्त्रियों को, जो सुमार्ग से विचलित होकर किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति में फँस गई हों, सहायता प्रदान कर उनके जीवन को आदर्श और उपयोगी बनाना।

(ग) असहाय तथा अनाथ विधवाओं की यथाशक्ति सेवा करना।

(घ) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सङ्गीत आदि सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना।

(च) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा रखती हों, किन्तु धनाभाव के कारण पढ़ न सकती हों, उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना।

(छ) ऐसी स्त्रियों के साथ यदि बच्चे भी हों, तो उनके खान-पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना।

(ज) कुमार्ग द्वारा उत्पन्न बच्चों का पालन-पोषण करना, तथा उनकी शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध करना।

(झ) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अथवा पहले ही, विवाह करना चाहती हों, और संस्था की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर का प्रबन्ध कर विवाह करा देना।

* * *

कुछ प्रतिष्ठित दर्शकों की सम्मतियाँ

Miss H. G. Stuart, M.A., O.B.E., Chief Inspector of Girls Schools, U. P.

Mr. Saigal has shown me *Matri-Mandir* and I am much impressed by its possibilities. It has a very good building in beautiful surroundings which should make an ideal home for the girls who come to it, and the plans which have been formed for the Education and training, will, if carried out, make them useful members of society. I hope the Institution will prosper, and so meet a very pressing need.

Capt. L. H. Nibblett, Joint Magistrate, Naini Tal.

I visited the *Matri-Mandir* about a month ago and was shown around by my friend Mr. Saigal. Nothing could have brought me greater pleasure. During the course of my Executive and Magisterial experience I have been impressed with the need for such an institution. Frequently I have observed cases in which a poor fallen woman, condemned by Society, out-casted by her co-religionists, forsaken by her tempter, evicted from home by her relations, despised by



संस्था के प्रधान सञ्चालक—
सेठ रामगोपाल जी मोहता

so-called reformers and religious preachers and teachers, has sought refuge and comfort in suicide. Frequently I have seen worse cases than that. The poor outcast, relegated to the dust-bin of society has saved her life only to lose it again, together with her soul, in the quagmire of prostitution as the only remaining means of earning a livelihood. That is not all. Suicide and self-hiring is bad enough; but over and over again we see these poor hounded creatures indulging in murder of their own offspring —poor innocent sacrifice offered at the alter of so-called moral theologians. Every S. D. O. is aware of the almost daily reports that come in from his charge of "accidental" deaths—but these are always 90 per cent, women. We need not ask why?

Where could these poor distracted creatures find sympathy, where could they find comfort, where could they, whose sins were as scarlet, find rest and peace. To-day they have their heaven in *Matri-Mandir* with its beautiful surroundings and kindly considerate treatment, to say nothing of nourishing food and warm shelter.

The *Matri-Mandir* is a picture of cleanliness. A beautiful garden is growing up, vegetable culture is being introduced, cottage industries are being encouraged, a highly educated Indian lady is in charge of the Home and all is under the watchful eye of Mr. Saigal, who takes a parental interest in this child of his kindly disposition and sympathetic heart. He is to me a real missionary and I pray that God will bless him and his Institution abundantly. What little I myself am able to do to help, I am now and always shall be prepared to do. I humbly dedicate half the profits of my book "Flashlights of India" to this Institution.

Prof. Ram Kumar Verma, M. A., University of Allahabad.

To-day I feel immensely pleased to see *Matri-Mandir* an institution which

is unique in India. The moral uplift which is the watchword of the Institution is a matter of great delight to me. The pernicious and obnoxious result which would have been fallen to the fate of poor helpless girls if they were allowed to have their own lot after their moral deterioration, is turned into a heavenly bliss in the calm and healthy atmosphere of *Matri-Mandir*. The amelioration and betterment of the women class as a whole, I strongly believe will be greatly encouraged by the *Matri-Mandir*. I have a great confidence and appreciation for the selfless services of Mr. Saigal who is the pioneer in this field.

I wish the Institution every success.

Mr. G. P. Srivastava, B. A., LL. B., Vakil, Gonda (Oudh.)

I had the good fortune to see the *Matri-Mandir* to-day. Mr. Saigal the pioneer of the Institution is highly to be thanked for starting it for the moral uplift of our fallen women. The Institution is properly kept and doing its work most satisfactorily. I don't think any other institution in India for the above purpose and aim can match with it in its efficiency. I wish it every success.

M. Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advocate, Allahabad High Court.

When in May last, Mr. Saigal told me of his plans regarding the opening of the *Matri-Mandir* in my *Krishna-Kutir*—I could never think that the Institution would be what it is within about six months—for actually the *Matri-Mandir* was started sometime in July.

The need of an institution for the help of helpless ladies can hardly be too much emphasised. The way in which this Institution is working does great credit to the General Secretary. The whole building is neatly kept and whatever we have seen, shows that all is kept in a very orderly fashion. The children are very well-looked after, the garden is beautifully kept and the sewing-work of the inmates is very good. I was particularly impressed by the oil paintings on the velvet cushions. The Institution is such which needs that it should attract the attention and get support by all those who are in a position to help the cause of such deserving institutions.

Dr. B. L. Atreya, M. A. D. Litt., Hindu University, Benares.

Kindly excuse me for a little delay in expressing my thanks to you for the trouble you took in showing me the *Chand* Press and the *Matri-Mandir*. My visit to Allahabad has really become sanctified by my pilgrimage to these two places, from where I have brought a good deal of inspiration. In the person of Mr. Saigal I have discovered a really great man of both thought and action, whose name will go to the posterity as one of the builders of free India. Political freedom is only an external expression of intellectual, moral and religious freedom, to bring about which the CHAND has been striving so long. I wish I could partake in this *Mahayajna* which is being performed by you for awakening the soul of India which is even now dreaming the dreams of superstition ignorance, social injustice, slavery and persecution of the fair sex—dreams from which other nations have already freed themselves. I pray to the Almighty to give you more and more power to continue the work you have undertaken.

With best compliments.

Mrs. Dinlaw Ganpat Rai, Lt. Col. I. M. S., accompanied by Mrs. Dhawan, Major, I. M. S., Shrimati Damyanti, B.A., and Mr. and Mrs. H. C. Suri, Distt. Medical Officer, E. I. Railway.

आज मैं, डॉक्टर हरीशचन्द्र सूरी, श्रीमती सीता, श्रीमती विद्यावती और श्रीमती दमयन्ती सब मिल कर "मातृ-मन्दिर" देखने गए। श्रीमान रामरखसिंह सहगल और श्रीमती विद्यावती सहगल, जोकि इस संस्था के निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले जाकर हम सबको "मातृ-मन्दिर" का अवलोकन करवाया।

यह स्थान शहर के कोलाहल से कुछ दूर, अति रमणीक वाटिका में स्थापित है। अभी तक तो यहाँ पाँच-छः स्त्रियाँ ही निवास कर रही हैं, परन्तु आशा है कि संख्या शीघ्र ही बहुत बढ़ जाएगी, उनके रहन-सहन व भोजन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है, सब स्त्रियाँ प्रसन्न दिखाई देती हैं, और अपना समय सीने-पिरोने और शिल्प-कार्य में व्यतीत करती हैं। थोड़े समय में ही उन्होंने कई सुन्दर फ्रॉक, मेज़पोश, कुशन इत्यादि तैयार कर लिए हैं, जिनकी बिक्री का धन आश्रम में ही ख़र्च किया जावेगा।

हमारे देश में ऐसे मातृ-मन्दिर की आवश्यकता बहुत ही थी। ऐसा स्थान न होने के कारण कई अबलाएँ, जो किसी प्रलोभन में फँस कर अपना सतीत्व नष्ट कर बैठती हैं, कहीं आश्रय न पाकर आत्म-हत्या करके इस संसार से विदा होती हैं। जो आत्म-हत्या नहीं करतीं, वह अपना जीवन-निर्वाह वेश्या-वृत्ति से करती हैं। कई भ्रूण और सैकड़ों निर्दोष बालकों की हत्याएँ होती हैं। सो इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए और प्रलोभन में फँस कर जो अबला पतित हो चुकी हैं, उन्हें इस पाप-पङ्क से निकाल कर उनके जीवन को धार्मिक बनाने के लिए यह 'मातृ-मन्दिर' स्थापित किया गया है। इस आश्रम में किसी धर्मपरायण, परोपकारिणी देवी की आवश्यकता है, जो मातृ-प्रेम के साथ इन अबला स्त्रियों की रक्षा करे और इन्हें धर्म-पुस्तकों का अध्ययन करावे, और इन्हें धर्मोपदेश देकर इनका जीवन धार्मिक बनाने का यत्न करे। शारीरिक और मानसिक रक्षा के अतिरिक्त "मातृ-मन्दिर" की निवासिनियों को आत्मिक रक्षा व आत्मिक उन्नति की अधिक आवश्यकता है।

ईश्वर "मातृ-मन्दिर" की निवासिनियों को कृपा करके बल देवे, ताकि वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके अब सदाचारिणी बनने का यत्न करें। वह पतित-पावन हरी अपनी गिरी हुई सन्तान को कदापि नहीं त्यागते। वह हमारे अपराधों को क्षमा करके सदा ही हमें अपनी पवित्र गोद में लेने के लिए तैयार हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है :—

समोहं सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

फिर श्रीकृष्ण ने कहा है :—

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति।
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।

ईश्वर श्रीमान रामरखसिंह सहगल के शुभ उत्साह को दिनोंदिन बढ़ावे और इस परोपकार के कार्य में उनकी सहायता करे। जनता का कर्तव्य है कि इस "मातृ-मन्दिर" की आर्थिक सहायता करके इसे Barnard Shaw जैसा आश्रम बनावे।

—बसन्ती
धर्मपत्नी दीवान गनपतराय
ले० क०; आई० एम० एस०

इलाहाबाद बोहोमिया
१७-८-३० शिमला ईस्ट

राव बहादुर सेठ शिवरत्न मोहता, कराची

आज मुझे श्रीमातृ-मन्दिर को देखने का सौभाग्य मिला। इस संस्था के प्रशंसनीय कार्य को कानों से सुने हुए थे, परन्तु आँखों से आज देखे तो प्रसन्नता से चित्त अति गद्गद होकर श्रीमान रामरखसिंह जी के सदुद्योग की हार्दिक प्रशंसा किए बिना मन नहीं मानता। ऐसी संस्था की भारतवर्ष में हर एक बड़े-बड़े शहरों में—ख़ास करके तीर्थ-स्थानों में, अति आवश्यकता है। भारतवर्ष के नेता व धनी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि स्वयं अपने उद्योग व धन से एक-एक मन्दिर स्थापित न कर सकें, तो जहाँ पर ऐसी संस्थाएँ विद्यमान हैं, उनकी अवश्य सहायता करें। इस संस्था का कार्य बहुत ही सुचारु रूप से श्रीमान सहगल जी के पितृवत निरीक्षण में चल रहा है। मैंने ऐसा अच्छा सुप्रबन्ध कहीं नहीं देखा। ईश्वर श्रीमान सहगल जी के उत्साह की दिनोंदिन वृद्धि करें।*

तारीख़ ३-२-३१ —शिवरत्न मोहता

श्रीमती प्रयाग देवी दुबे, धर्मपत्नी कैप्टन दुबे, सर्वेण्ट ऑफ़ इण्डिया सोसाइटी, लखनऊ

मैंने आज मातृ-मन्दिर देखा, जिसमें देख कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने की उम्मीद पाई जाती है। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी उन्नति हो और श्रीमान रामरखसिंह सहगल के शुभ उत्साह को बढ़ावे। मुझे आज हार्दिक प्रसन्नता हुई, जिसे कि किसी प्रकार प्रकट करना असम्भव है।*

—प्रयाग देवी दुबे

श्री० जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज' एम० ए०

प्रिय सहगल जी, काशी, ८-८-३१

परसों सायङ्काल आप द्वारा संस्थापित प्रयाग के मातृ-मन्दिर का परिदर्शन करके मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, कह नहीं सकता, इसकी प्रतिष्ठा से निस्सन्देह एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है—इसके अस्तित्व की बड़ी आवश्यकता थी।

आश्रयहीन बहिनों और माताओं का संरक्षण हमारी कर्तव्य-चेष्टा का वह मार्मिक अङ्ग है, जिसकी उपेक्षा करके हम किसी तरह भी जीवित नहीं रह सकते। मातृत्व का उत्थान जातीय जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। मेरा

(शेष मैटर २९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

* श्रीमान सेठ शिवरत्न जी मोहता तथा श्रीमती प्रयाग देवी दुबे—दोनों ही ने निरीक्षण के समय संस्था को १०१) रुपयों का दान भी दिया था।



देवी वीरा*

[श्री० वेङ्कटेशनारायण जी तिवारी, एम० ए०]

'देवी वीरा' एक रूसी महिला की आत्म-कहानी है। यह पुस्तक एक अङ्गरेज़ी ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है, जिसका नाम Memoir of a Revolutionist अथवा एक क्रान्तिकारिणी महिला की स्मृतियाँ है। विषय जितना चित्ताकर्षक है, उतनी ही सजीव और मनोहर भाषा में श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने 'देवी वीरा' के नाम से हिन्दी पुस्तक लिखी है। मुझे आशा है कि हिन्दी के पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर कर, लेखक और प्रकाशक के उत्साह को बढ़ावेंगे।

क्रान्ति भारत में हो रही है। वह क्रान्ति नहीं, जिसको लोग बम और पिस्तौल का पर्यायवाची समझते हैं। हिन्दुस्तान की, इस समय न केवल राजनीतिक संस्थाओं, किन्तु सामाजिक और साम्पत्तिक रूढ़ियों, की नींव इस समय डावाँडोल हो रही है। हिन्दू समाज का सङ्गठन इस्लाम के आगमन से बहुत-कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन आधुनिक काल की विश्व-व्यापी प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान को इतने ज़ोर से प्रभावित कर रही हैं कि यह कहना कठिन है कि हमारे और आपके देखते-देखते कुछ इने-गिने ही वर्षों के अन्दर भारतवर्ष का भावी मानचित्र किस रङ्ग से रञ्जित हो जायगा। यह निस्सन्देह है कि पुराने रङ्ग अब धुँधले होते जाते हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि वह कौन-सा नया रङ्ग होगा, जिससे यह चित्र रँगा जायगा, इसका हमें कोई अन्दाज़ा नहीं है। हमें यदि अन्दाज़ा है तो केवल इस बात का कि, हमारे राष्ट्रीय जीवन में द्रुत गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। भारत, जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता का पुजारी है, वहाँ सामाजिक दासता और पूँजीपतियों की अधीनता का समूल नाश भी कर देना चाहता है। देश की भयङ्कर और हृदय-विदारक कङ्गाली का ताण्डव देख कर कौन ऐसा स्वदेशाभिमानी होगा, जिसकी आँखों से आग की चिनगारियाँ न निकलती हों और जो खड्गहस्त होकर इस अस्वाभाविक समाज-सङ्गठन को विध्वंस करने के लिए मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार न हो उठे। पिछले असहयोग आन्दोलन में पर्दे की, जिस तेज़ी के साथ हमारी देवियों ने देश-सेवा की पुकार सुन कर अवहेलना की, वह इसी देशव्यापी क्रान्ति की एक छोटी सी मिसाल है। क्रान्ति है, क्रान्ति रहेगी। क्रान्ति का अन्त भारत का विनाश है। क्रान्ति की सफलता भारत के नवीन जीवन की द्योतक है।

इसलिए जो हिन्दुस्तान में क्रान्ति के मन्दिर को बनाने और सजाने में लगे हैं, उनके लिए 'देवी वीरा' एक विशेष सन्देश लेकर आई है। वह सन्देश यह है कि क्रान्ति करने वाले को सब वस्तुओं से, सब बन्धनों से, अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। 'देवी वीरा' का सन्देश वही है, जो दूसरे उद्देश्य से और भिन्न परिस्थिति में, काशी के गङ्गा-तट पर कई सौ वर्ष पहले देशवासियों को कबीर ने दिया था।

क्रान्ति की तरफ़ इशारा करके हम अपने देशवासियों को मैदान में उतरने के लिए उत्तेजना देने में कबीर के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उन्होंने भगवद्भक्ति के सम्बन्ध में उद्घोषित किए थे। कबीर का प्रेम उस क्रान्ति का नाम था, जो हिन्दू-मुसलमानों और ऊँच-नीच के भेद-भाव को मिटा कर मनुष्य-मात्र की समानता और विशिष्टता को स्थापित करना चाहता था।

"यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं।
सीस काटि भुइँ में धरै, तब पैठे घर माहिं॥
सीस काटि भुइँ में धरै, तापर राखै पाँव।
दास कबीरा यों कहै, ऐसा होइ तौ आव॥"

जो क्रान्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, वह 'देवी वीरा' की तरह, रहीम के शब्दों, में तैयार हो जाय—

"प्राणन बाज़ी राखिए, हार होइ कै जीत।"

जो अपने जीवन का मरणान्त साथी बनाने को तैयार नहीं, वह क्रान्ति का पुजारी होने का अधिकारी नहीं है 'देवी वीरा' की तरह जो जीवन के सुख-दुःखों को क्रान्ति की उपासना में स्वाहा करने को तैयार नहीं, वह समझ ले कि आधुनिक काल के भारत में उसका जन्म लेना निरर्थक है। क्रान्ति रण-चण्डी की तरह दिन-रात अपने भक्तों और उपासकों से उनके—दूसरों के नहीं—रक्त और मुण्ड की नैवेद्य चाहती है। दूसरों की हत्या नहीं, किन्तु अपने स्वार्थ की हत्या ही इस महादेवी की सन्तुष्टि का एकमात्र साधन है।

रूस के क्रान्तिकारियों ने, जब तक व्यक्तियों की, वह चाहे जैसे अत्याचारी या दुराचारी क्यों न रहे हों, हत्या के द्वारा स्वतन्त्रता के सुदृढ़ गढ़ के अन्दर प्रविष्ट होने की चेष्टा की, तब तक उन्हें कोई सफलता नहीं हुई। किन्तु दूसरे देश वालों के साधनों की, परिस्थिति-विशेष का समुचित बोध न होते हुए, समालोचना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। रूस से हमारे देश की परिस्थिति भिन्न है। हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक प्रगति उस देश से भिन्न है। इसलिए, साधन भी हमारे भिन्न होंगे। प्रह्लाद, ध्रुव और मीराबाई के साधन हमारे साधन हैं। अत्याचार अपने अत्याचार से लज्जित हो जायगा, यदि हम उसके मुक़ाबले में संयमित और सविनय अवज्ञा का प्रयोग करें। लेकिन यह जीत हमारी तभी होगी, जब 'देवी वीरा' के जीवन को हम ध्यान-पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी धीरता, तल्लीनता और अन्याय तथा अत्याचार के प्रति निरन्तर जाग्रत विरोध-भावना को अपने जीवन की सहचरी बना लेंगे।

पुस्तक सुन्दर है और समयोपयोगी भी है। आशा है कि इस दृष्टि से लोग इसे पढ़ेंगे। कम से कम श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने इसी भाव से प्रेरित होकर और यही सन्देश देने की ग़रज़ से यह पुस्तक लिखी है।

* * *

* देवी वीरा (एक क्रान्तिकारिणी महिला की आत्म-कथा) मूल लेखिका वीरा फ़िगनर, भाषान्तरकार श्री० सुरेन्द्र शर्मा, प्रकाशक शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग। पृष्ठ सं० २७२, तीन सुन्दर चित्रों से सुशोभित। मूल्य १॥)

मातृ-मन्दिर के लिए अपील

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

विश्वास है, यह संस्था इस उत्कर्ष की परिवृद्धि में बड़ी सबल सहायता पहुँचाएगी।

यहाँ की सादगी, स्वच्छता, सुन्दरता, शान्ति और सुव्यवस्था ने मुझे बहुत ही अधिक प्रभावान्वित किया, उपवन की सजावट में सौन्दर्य और उपयोगिता का वह आकर्षक समन्वय है, जिसे देखते ही हृदय का हर्ष नाच उठता है। 'मन्दिर' में रहने वाली देवियों को सीने-पिरोने की कला में इतनी अच्छी प्रवीणता प्राप्त है कि कपड़ों पर किए हुए उनकी विविध भाँति की कारीगरी के काम देख कर विस्मय-विमुग्ध हो जाना पड़ता है।

समस्त वातावरण ही इस बात की सुस्पष्ट घोषणा करता है कि यह संस्था आपकी कर्त्तव्य-लता का वह मनोहर पुष्प है, जिसके सौरभ से हमारी समाज-सेवा का वायुमण्डल सदैव स्वस्थ बना रहेगा।

ईश्वर आपके सहायक बने रहें, यही मेरी अन्तिम कामना है।

आपका,

—जनार्दन प्रसाद झा 'द्विज'

मनोरञ्जन और शिक्षा

दिल अपना वृत्तान्त स्वयं लिख देता है

वैज्ञानिकों ने 'एलेक्ट्रो कारडिओग्राफ़' नामक एक यन्त्र तैयार किया है, जो हृदय में लगा देने से हृदय अपना वृत्तान्त स्वयं लिखने लगता है। इस यन्त्र का आविष्कार सन् १६०३ में ही हुआ था, किन्तु अब उसका प्रचार अधिक हो गया है और अस्पतालों तथा दवाख़ानों में अक्सर रहता है। लगाने वाले मरीज़ों को अब तक यह पता नहीं चलता कि बिजली की करेण्ट के साथ जो बात अन्दर से आती है, वह वास्तव में अपने ही हृदय की धड़कन से निकलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल हृदय ही नहीं, शरीर के जिस किसी अङ्ग में यह यन्त्र लगा दिया जाय, वही अङ्ग आत्म-कथा लिखने लगता है। क्योंकि शरीर का प्रत्येक अङ्ग 'डायनामो' है।

❀

ख़ूँख़्वार अजगर का हमला

मद्रास के राचल नामक गाँव के कुछ किसान ख़र-गोश के शिकार करने और लकड़ियाँ चुनने के लिए जङ्गल की ओर गए थे। ख़रगोशों की तलाश में वे लोग एक झाड़ी में लाठियाँ मारने लगे। इसी बीच में झाड़ी में से एक भयङ्कर अजगर क्रोधित होकर निकला और सबसे आगे वाले कुन्दूवादू नाम के आदमी के गले में लपट गया और उसे बुरी तरह से कई जगह काटा। कुन्दू-वादू की सहायता के लिए उसके साथियों ने बड़े ज़ोर का शोर मचाया, जिससे अजगर कुन्दूवादू को छोड़ कर जङ्गल में भाग गया। कुन्दूवादू को उसके साथी अस्पताल में ले गए, किन्तु वहाँ जाकर वह मर गया!

❀

अपराधियों की वैज्ञानिक जाँच

पेरिस के पुलिस अधिकारियों ने एक वैज्ञानिक समिति बनाई है, जिसमें प्रो० सेनी नामक डॉक्टर की अध्यक्षता में बारह सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक, विज्ञान की किसी न किसी विद्या, जैसे कण-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, विद्युत-शास्त्र, नेत्र-विज्ञान, फ़ोटोग्राफ़ी, अल्ट्रावाएलेट किरण, विष-विज्ञान, केश-विज्ञान में निपुण हैं। जब कोई ऐसी गुप्त अपराध सम्बन्धी घटना हो जाती है, जिसका पता पुलिस नहीं लगा सकती, तो इन वैज्ञानिकों को सूचना दी जाती है और वे तुरन्त अपनी प्रयोगशाला में पहुँच जाते हैं। पुलिस जिन सन्दिग्ध व्यक्तियों को उनके पास भेजती है, उनकी ये लोग इस तरह जाँच करते हैं कि जिसकी उनको कल्पना भी नहीं होती। वे लोग उसके ख़ून की परीक्षा करते हैं, एक्स-रे से उसके शरीर के भीतर का हाल देखते हैं, उसके कपड़ों की धूल झाड़ कर परीक्षा करते हैं, उसके नाख़ूनों के भीतर का मैल निकाल कर जाँच करते हैं, तथा इसके सिवाय और कई तरह की परीक्षाएँ बिजली की सहायता से करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस नवीन योजना से न्याय होने में बड़ी सहायता मिलेगी और भविष्य में पुलिस, वैज्ञानिक जाँच द्वारा, पूरा सबूत प्राप्त किए बिना किसी अभियोग को अदालत में नहीं चलाएगी।

❀

कई मील दूर से टाइप का काम

लन्दन के तार-घर में एक ऐसा यन्त्र लगाया जा रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य एक जगह बैठ कर कई मील दूर पर टाइप कर सकता है। टाइप करने वाला अपनी जगह पर बैठ कर टाइप-राइटर पर उँगली मारेगा, और कई मील दूर पर दूसरी जगह रक्खी हुई दूसरी मैशीन, काग़ज़ पर छाप देगी। इस यन्त्र का नाम 'टेली प्रिन्टर' है। लन्दन के लिए यह यन्त्र नया नहीं है। अनेक व्यापारी अपने निजी तार लगा कर इस मैशीन से काम लेते थे। परन्तु अब सरकारी तार-घरों में यह मैशीनें लगाई जायँगी।

❀

दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़

आजकल यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में बड़े जहाज़ बनाने की प्रतियोगिता चल रही है। इङ्गलैण्ड के क्लाइड नामक स्थान में एक जहाज़ बनाया जा रहा है, जिसका वज़न ७३ हज़ार टन है उसकी चार 'फ़नल्स' ४०-४० फ़ीट चौड़ी हैं, जिनमें चार-पाँच मामूली घर समा सकते हैं। उनके 'रडर' का बोझ १५० टन है, जो क़रीब २० बड़ी ट्रामगाड़ियों के बराबर है। उसकी चाल घण्टे में क़रीब-क़रीब ५० मील होगी। अब तक ख़्याल था कि यह आगामी जून तक तैयार हो जायगा, पर चूँकि फ़्रान्स, जर्मनी, अमेरिका आदि भी बड़े-बड़े जहाज़ बना रहे हैं, इसलिए चेष्टा की जा रही है कि यह फ़रवरी में ही तैयार हो जाय।

❀

शेर मारने का नई तरकीब

अफ़्रीका के ल्यूली नामक गाँव में एक शेर कई आदमियों को मार कर खा गया। उसको मारने के लिए वहाँ कोई बन्दूक भी न थी। इस पर एक नर्स ने एक बैल को मार कर उसके भीतर अफ़ीम का सत्त भर दिया, जिसकी क़ीमत ५ रु०, २ आना थी। शेर उसे खाते ही बेहोश होकर मर गया।

❀

दस लाख पौण्ड की दियासलाई

डॉ० फ़र्डिनेण्ड रिङ्गर नामक रसायन-शास्त्रवेत्ता ने एक ऐसी दियासलाई ईजाद की है, जो दो हज़ार दफ़ा जलाई जा सकती है। इसके ईजाद होने का इतिहास भी बड़ा शिक्षाप्रद है। डॉ० रिङ्गर एक दिन किसी बड़े फ़र्म के मुखिया से मिलने गए थे, जिसने उनको पीने के लिए सिगरेट दी और ख़ुद भी एक सिगरेट निकाली। रासायनिक ने दोनों सिगरेटों को जलाने के लिए एक दियासलाई घिसी, पर दुर्भाग्यवश दियासलाई का मसाला उछट कर फ़र्म के मुखिया पर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह जल गया। यह देख कर रासायनिक ने कहा "बस अब यह दियासलाई बेकाम है। मैं ऐसी दिया-सलाई बनाऊँगा, जो सचमुच सेफ़्टी हो।" वह इस काम में जुट गया और उसने ऐसी दियासलाई बना डाली, जो एक मसाले को छूते ही जल उठती है और दूसरे को छूने से बुझ जाती है। इसका बनाना भी सहज है और दाम भी ज़्यादा नहीं लगता। इसमें किसी तरह का ख़तरा नहीं है। इस आविष्कार के फल से प्रति वर्ष संसार के लाखों चीड़ के पेड़ बच जायँगे, जो आजकल दियासलाइयों की लकड़ी के लिए काट डाले जाते हैं। दुनिया की एक सबसे बड़ी दियासलाई की कम्पनी ने इस आविष्कार के बदले में दस लाख पौण्ड (क़रीब १ करोड़ तीस लाख रुपए) देने को कहा है।

❀

सम्राट पञ्चम जॉर्ज की आमदनी

यूरोपीय युद्ध के पहले सम्राट पञ्चम जार्ज की आमदनी अनेक विदेशी राजाओं की आम-दनी से अधिक थी। रूस के ज़ार की आमदनी २० लाख पाउण्ड के ऊपर थी, परन्तु सम्राट जॉर्ज की आमदनी इससे भी अधिक थी।

सन् १६१० में १४ जून को सम्राट् ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में अपने एक सन्देश द्वारा घोषणा की कि परम्परागत नियम के अनुसार मैं अपनी आमदनी हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सिपुर्द करता हूँ।

सन् १६१० में सिविल लिस्ट ऐक्ट पास हुआ। उस क़ानून के अनुसार सिविल लिस्ट में दर्ज की हुई आय सम्राट् की समझी जाती है। सिविल लिस्ट ऐक्ट के अनुसार ४ लाख ७० हज़ार पाउण्ड सम्राट के व्यय के लिए नियत कर दिया गया था। इसके व्यय का ब्योरा इस प्रकार है:—

	पौण्ड
सम्राट् और सम्राज्ञी का पॉकेट-ख़र्च	„ १,१०,०००
सम्राट् के गृहस्थी के कार्य करने वालों के वेतन और पेन्शन ...	„ १,२५,८००
सम्राट् के गृहस्थी का ख़र्च ...	„ १,९३,०००
राजभवन के कार्यों के ख़र्च ...	„ २०,०००
दान, सहायता आदि का ख़र्च ...	„ १३,२००
अतिरिक्त	„ ८,०००
कुल	४,७०,०००

इसके अतिरिक्त सम्राट् को लैंकस्टर की रियासत की आमदनी भी मिलती है। सन् १६२६ में वह ६२ हज़ार पाउण्ड थी।

यह प्रबन्ध राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं समझा जाता, क्योंकि सम्राट् की रियासत से जो वार्षिक आमदनी होती है, वह सिविल लिस्ट की आमदनी से क़रीब-क़रीब बराबर या कभी-कभी उससे ज़्यादा ही होती है।

सम्राट के कुटुम्बियों के व्यय के लिए पार्लमेण्ट ने प्रबन्ध कर दिया है। सन् १६२७ में १ लाख ६ हज़ार पाउण्ड दिया गया था। इसका ब्योरा इस प्रकार है:—

	पौण्ड
ड्यूक ऑफ़ योर्क ...	„ २५,०००
राजकुमारी ड्यूकेस ऑफ़ आरगिल	„ ६,०००
ड्यूक ऑफ़ कैनाट ...	„ २५,०००
राजकुमारी बेट्रिस ...	„ ६,०००
एडवर्ड सातवें की लड़कियाँ ...	„ १८,०००
सम्राट के छोटे बच्चे	„ २६,०००
कुल	१,०६,०००

सिविल लिस्ट में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि उन्हें कार्नवाल की रियासत की आमदनी मिलती है, जो कि सन् १६२७ में ७२ हज़ार ६१७ पौण्ड थी।

* * *

कुत्तों के नक़ली दाँत

विलायत के रॉयल वेटरनरी कॉलेज में कुत्तों का आश्चर्यजनक इलाज होता है। अगर किसी बूढ़े कुत्ते के दाँत गिर गए हों तो एक बढ़िया नक़ली दाँत लगा दिए जाते हैं। जिन्हें देख कर जवान कुत्ते भी ललचाने लगें। अगर किसी के बाल उड़ने लगे हों तो नक़ली बाल लगा दिए जाते हैं या एक विशेष इलाज द्वारा फिर से बाल उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के नक़ली टाँगें और नक़ली आँखें भी लगाई जाती हैं। टाँगों में ऐसी स्प्रिङ्ग लगी रहती है कि उनके चलने से लँगड़ाने का ज़रा भी पता नहीं चलता। इसके सिवाय इस कॉलेज के उद्योग से कुत्तों के कितने ही रोगों का नाम-निशान ही मिट गया है।



आर्थिक सङ्कट

सरकार की मुद्रा तथा विनिमय-नीति को कार्यान्वित करने के लिए वायसरॉय की नामधारी 'आकस्मिक प्रसङ्ग के उपयोग की विशेष सत्ता' का पिछले सप्ताह स्वच्छन्दतापूर्वक उपयोग हुआ। इस 'आकस्मिक प्रसङ्ग' का कारण क्या था, और राष्ट्रीय हित-साधन में इसका किस दर्जे तक उपयोग हुआ? पाउण्ड के नोटों के परिवर्तन में सोने के पाट देने का जो प्रतिबन्ध सन् १९२५ में बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड पर लगाया गया था, उसे स्थगित करके यूरोप में जिस आर्थिक सङ्कट का समाधान किया गया है, वह सङ्कट अचानक नहीं आ पड़ा था। जो ज्वालामुखी इस समय अकस्मात फट पड़ा है, उसकी गड़गड़ाहट सन् १९१४ से ही सुनाई देने लगी थी। अपने पर आ पड़ने वाले सङ्कट का पूरा अर्थ समझने के लिए हमें इङ्गलैण्ड की स्थिति का कुछ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सन् १८९२ से अपने देश की मुद्रा-प्रथा का उनकी मुद्रा-प्रथा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध चला आ रहा है, और इसलिए जिस बात से एक पर असर होता है, उसका प्रतिघात दूसरे पर भी अवश्य होता है।

यूरोपीय देशों की मुद्रा के आधार के तौर पर सेण्ट्रल बैङ्कों में जो सोना रहता था, सन् १९१४ से और ख़ासकर महायुद्ध के समय में उसका अधिकांश भाग, गोला-बारूद और हथियार ख़रीदने में अमेरिका के बैङ्कों में जा पहुँचा। गोला-बारूद व्यर्थ में ऐसी बरबाद करने वाली चीज़ है, और उसकी प्रचुर प्रमाण में निरन्तर ख़रीदी के कारण यूरोप का सोना अमेरिका की ओर बहा जाने लगा, क्योंकि उस समय यूरोपीय देश उसके बदले में अमेरिका को दूसरी कोई चीज़ देने में समर्थ न थे। यदि कोई व्यक्ति निरन्तर गोला-बारूद ख़रीदता रहे और उसे धुएँ में उड़ाता रहे, तो कुछ ही अर्से में उसकी सब पूँजी गोला-बारूद बेचने वाले की तिजोरी में चली जायगी। यूरोप के सोने का भी यही हाल हुआ। साधारण समय के नियमित व्यापार में तो सोने की आवक-जावक का मूल की दर के अनुसार अपने आप नियन्त्रण होता रहता है। यदि अमेरिका में सोने का संग्रह ख़ूब बढ़ जाय तो मूल्य के दर में भी वृद्धि हो जाय, और इस प्रकार वहाँ के माल की रफ़्तनी अथवा जावक कम हो जाय। किन्तु महायुद्ध के अवसर पर, युद्ध में फँसे हुए देश बढ़ी हुई क़ीमतों से चौंक कर पीछे न हटते थे, साथ ही उन्हें दूसरी जगह से गोला-बारूद मिल भी नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने इस प्रकार प्राप्त एकाधिकार का ख़ूब अच्छी तरह उपयोग कर लिया, और परिणाम में आज सारे संसार के कुल सोने का ४० प्रतिशत भाग उसके पास है।

किन्तु दूसरी ओर इङ्गलैण्ड औद्योगिक जगत को आर्थिक सहायता देने वाले परोक्ष साझेदार की अपनी उच्च स्थिति को निरन्तर रूप से गँवाता जा रहा था। (१) उसने गोले-बारूद के निरर्थक व्यय में अभी इतनी कमी नहीं की थी, जिससे कि महायुद्ध में हुई असीम फ़िज़ूलख़र्ची को वह किसी प्रकार पूरी कर सके। वह अब भी उस पर लगभग ३,००,००० पाउण्ड प्रतिदिन ख़र्च करता है, जब कि अमेरिका के प्रति उसका क़र्ज़ा १,००,००० पाउण्ड दैनिक कहा जा सकता है। (२) इङ्गलैण्ड की जनता ने अपने जीवन-निर्वाह के ढङ्ग को इतना ऊँचा बना दिया है कि जहाँ सन् १९२४ में वे अपनी कुल आय का २१·९ प्रतिशत ख़र्च करते थे, वहाँ आज वे २९·२ ख़र्च कर डालते हैं। यदि विदेशों के साथ के व्यापार में इङ्गलैण्ड की आय बढ़ी होती, तो उसके ज़रिए वह अपने बढ़े हुए ख़र्च और खपत को अपना सोना बाहर भेजे बिना भी पूरी कर सकता था। किन्तु अपने दुर्भाग्यवश वह इस बात में भी पिछड़ता जाता है। सन् १९१३ में उसके पक्के माल की निकास संसार के कुल पक्के माल की २९·४ प्रतिशत थी; जब कि आज वह केवल १९·९ प्रतिशत रह गई है। इस वर्ष की उसकी कुल निकास पिछले वर्ष की अपेक्षा ४४ प्रतिशत कम हो गई है और भारत में आने वाले माल की तो ६० प्रतिशत घटी हुई है। इसका कारण सामान्यतया सारी दुनिया की ग़रीबी और ख़ास कर कच्चे माल की क़ीमत की गिरावट के कारण उसके ग्राहकों की ख़रीद करने की शक्ति कमी ही नहीं है, प्रत्युत उसके यहाँ पक्का माल तैयार करने में होने वाले अधिक व्यय के कारण, उसके माल की बढ़ी हुई क़ीमत भी इसका एक मुख्य कारण है। एक ओर भाव घटता जाता है; किन्तु उसके प्रमाण में मज़दूरी की दर नहीं घटती, इससे भी माल तैयार करने में अधिक ख़र्च पड़ता है। इसके परिणाम में फिर बेकारी खड़ी हो जाती है। आज वहाँ तीस लाख बेकारों को राज्य की ओर से मुफ़्त खाना देना पड़ता है, और इस प्रकार फिर राष्ट्रीय ख़र्च में वृद्धि होती है। उसकी निकास में इतनी घटी हो गई है, यह बात इङ्गलैण्ड के लिए बड़ी गम्भीर समझी जाती है; क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलम्बी देश नहीं है, प्रत्युत अपने खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के लिए उसे दूसरे देशों में अपने माल की निकासी पर निर्भर रहना पड़ता है। बाहर से मँगाए हुए माल की क़ीमत उसे अपने यहाँ से उतनी क़ीमत का माल बाहर भेज कर चुकानी चाहिए और यदि यह निकास काफ़ी न हो तो उसे अपना उतना सोना विदेशों में बाहर भेज देना पड़ेगा। सन् १९२० में उसके व्यापार का समतौल २,८०० लाख पाउण्ड था, जब कि गत वर्ष वह गिर कर केवल ३९० लाख ही रह गया। इसी प्रकार १९१३ में लन्दन के रुपयों वाले बाज़ार में दिए गए क़र्ज़ का ८२ प्रतिशत भाग विदेशों के व्यवसाय के लिए था, जबकि १९२८ में घट कर वह २६ प्रतिशत रह गया।

गत मई मास में ही जब भारत-सरकार ने ६ प्रति सैकड़ा की दर से एक करोड़ पाउण्ड का क़र्ज़ा लेना चाहा, तो उसमें से केवल ३८ प्रति सैकड़ा ही साधारण जनता ने लिया, शेष भाग दलालों की मार्फ़त पूरा करवाना पड़ा और इसके लिए उन्हें ख़ासी दलाली देनी पड़ी थी। इन सब बातों से पता चलता है क विदेशों में इङ्गलैण्ड की साख कितनी गिर गई है और उसका आर्थिक आधार कितना कमज़ोर हो गया है। जिस प्रकार किसी व्यापारी का व्यवसाय बन्द हो जाने पर भी वह अपने घर का ख़र्च बढ़ाता ही जाय, उसी तरह की स्थिति आज इङ्गलैण्ड की है। यद्यपि उसके पास सम्पत्ति का बेहद संग्रह है; किन्तु यदि वह अपनी उपरोक्त कुढङ्गी स्थिति को सुधारने के लिए कड़े उपाय काम में न लावेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार में आज जो उसकी प्रमुखता है, वह अमेरिका के हाथ में चली जायगी। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी यह गिरावट अस्थायी परिवर्तन नहीं है, प्रत्युत एक निरन्तर होती जाने वाली अधोगति है। गत जुलाई से इङ्गलैण्ड को २० करोड़ पाउण्ड का सोना बाहर भेज देना पड़ा है जिससे उसके लिए नोटों के बदले में सोना देने के उत्तरदायित्व को कुछ अर्से के लिए स्थगित कर देना आवश्यक हो गया है। इङ्गलैण्ड के बैङ्कों ने थोड़े समय के लिए रक़म उधार ली और लम्बे अर्से के लिए जर्मनी को उधार दे दी। ऐसी दशा में विदेशी पूँजीपतियों ने इङ्गलैण्ड को अपना ख़र्च कम करने पर ज़ोर दिया और ऐसा न होने पर रुपया न देने के लिए गम्भीरतापूर्वक कहा तो कौन सी आश्चर्य की बात है? मज़दूर-सरकार के टूटने और 'राष्ट्रीय' सरकार के बनने का यही कारण है।

वस्तुस्थिति यह है। ऐसी दशा में भारत का हित क्या है, यह हमें ठीक निश्चय करना चाहिए। जिस स्टर्लिङ्ग* को सोने से अलग किया गया है, उसके साथ बँधे रहना हमारे लिए किस तरह उपयुक्त हो सकता है? स्वतन्त्र भारत को स्वतन्त्र ही मुद्रा बनाना होगा। किसी भी तरह हो, पिछले सप्ताह तक अपनी मुद्रा को प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सोने का सुदूर सहारा था। क्योंकि भारत-सरकार हमें स्टर्लिङ्ग पूरा करने के लिए बाध्य थी और हम वह स्टर्लिङ्ग बटा कर सोना मोल ले सकते थे। किन्तु अब तो सोने का वह दूर का सम्बन्ध भी तोड़ दिया गया है। प्रत्येक सच्ची सरकार अपने देश की मुद्रा की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना अपना मुख्य कर्तव्य समझती है। किन्तु पिछले केवल पाँच महीनों में ही भारत-सरकार को अपनी मुद्रा में ३२ करोड़ की भयङ्कर कमी कर डालनी पड़ी है। भारत में हमारे पास इस समय ऐसी प्रचलित मुद्रा है, कि जिसकी अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है और अब तो उसे एक ऐसी विदेशी मुद्रा से बाँध दिया गया है कि जिसका सोने से कुछ सम्बन्ध नहीं है। भारत क़र्ज़दार देश है। मूल्य की दर में कमी हो जाने से देश की वास्तविक आय में घटी हुई है, जिस पर प्रचलित मुद्रा के प्रमाण में घटी होने से पहिले की अपेक्षा उसका क़र्ज़ और भी बढ़ गया है। इस प्रकार हमारे करोड़ों मूक लोगों पर अधिक भयङ्कर आर्थिक बोझ लादा गया है। इसलिए कॉङ्ग्रेस अपने मौलिक अधिकारों की घोषणा में मुद्रा और विनिमय को देश के हित की दृष्टि से व्यवस्थित करने का अधिकार शामिल करे तो वह उचित ही है। भारत को अपनी स्वतन्त्र मुद्रा की अत्यन्त आवश्यकता है। वह अब अधिक समय तक विदेशी रथ के पहिए से बँधे रहने में सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

(यं० इं०)　　—जे० सी० कुमाराप्पा

* पाउण्ड के बदले अमुक तौल सोना बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड देने के लिए बाध्य थी, यही पाउण्ड की स्टर्लिङ्ग क़ीमत हुई।

❀　❀　❀

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों का एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास की क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

*　　*　　*

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,

इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) की वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद' / 'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर————————— है।

हस्ताक्षर—————————

पूरा पता—————————

—————————

—————————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।

बरार का मूल्य १२ करोड़

लन्दन के एक तार से मालूम हुआ है कि निज़ाम के प्रतिनिधि और हैदराबाद के प्रधान-मन्त्री सर अकबर हैदरी ने ब्रिटिश सरकार को बारह करोड़ रुपए का सोना उधार देना स्वीकार कर लिया है और इसी सम्बन्ध में निज़ाम बहादुर आगामी फ़रवरी में वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली आने वाले हैं।

इस बारह करोड़ रुपए के सोने के साथ 'उधार' शब्द देख कर हमें रियासतों की 'क़र्ज़बाज़ी' की घटनाएँ याद आ गईं। प्रायः सभी रियासतों में यह रिवाज़ है कि वहाँ के कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रियासत के ख़ज़ाने से उधार रुपए ले लेते हैं और मय सूद के 'प्रो नोट' तक लिख कर दे देते हैं। परन्तु ये कर्मचारी सदैव अवसर की ताक में रहते हैं और जब कभी रियासत के मालिक महोदय उक्त कर्मचारी पर प्रसन्न होते हैं, तो झट ऋण की चर्चा आरम्भ कर दी जाती है और प्रार्थना करने लगते हैं कि सरकार, राजकोष का ऋण सिर पर है और वेतन भी थोड़ा ही मिलता है! इसलिए उसका शीघ्र उतरना मुश्किल है। परन्तु सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसे माफ़ कर दें। इस अवसर पर 'सरकार' तो ख़ुश होती ही है, बस तुरन्त आज्ञा मिल जाती है कि अच्छा माफ़ कर दिया गया।

फलतः हमें तो मालूम होता है कि हैदराबाद का यह बारह करोड़ का ऋण भी प्रायः इसी प्रकार की ख़ुशी की नज़र हो जायगा और निज़ाम अपनी राजभक्ति का परिचय देकर इस रक़म से हाथ खींच लेंगे।

हम निज़ाम बहादुर को भाग्यवान समझते हैं कि केवल बारह करोड़ रुपए में ही आपका छुटकारा हो गया। क्योंकि लोगों का तो ख़्याल था कि सर अकबरी ख़ज़ाने का एक-एक पैसा गवर्नमेण्ट के हवाले कर देंगे और निज़ाम को एक अरब रुपए से हाथ धोना पड़ेगा। परन्तु इस बारह करोड़ के रूप में भी यह प्रश्न है कि हैदराबाद की प्रजा को, जिसकी जेब से यह रुपया निकला था, क्या फ़ायदा पहुँचा? और बरार के बरायनाम पट्टे को (वह भी अगर लिखा गया। क्या हैदराबाद के लोग चाहेंगे?

—'रियासत' (उर्दू)

❀

साम्प्रदायिक समस्या की विफलता का दायित्व

यह सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी ने साम्प्रदायिकतावादियों को सन्तुष्ट करने के लिए यथासाध्य ख़ूब चेष्टा की। यहाँ तक कि उनकी चौदह शर्तों में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया। किन्तु उनकी केवल एक शर्त थी कि मुसलमान अन्यान्य विषयों में कॉङ्ग्रेस का साथ देंगे। परन्तु मुसलमान नेताओं ने महात्मा जी की यह बात नहीं मानी। क्योंकि उनकी नीति थी—Heads I win tails I lose—! इसका सीधा अर्थ यह है कि अपने दावे में से हम लोग एक कानी कौड़ी भी कम न करेंगे और तुम्हारा प्राप्य भी तुम्हें न देंगे। जिनकी ऐसी मनोवृत्ति है, उनके साथ समझौता होना ही असम्भव है और वही हुआ भी।

परन्तु थोड़े से अदूरदर्शी हिन्दुओं और सिक्खों के सिर पर ही सारा अपराध मढ़ देना चाहते हैं! विलायत से किसी विशेष सम्वाददाता ने गवेषणा करके लिखा है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पञ्चायत द्वारा झगड़े को निपटा लेने का जो प्रस्ताव किया था, उसे हिन्दुओं और सिक्खों ने स्वीकार नहीं किया। मुसलमानों का कहना था कि प्रतिनिधियों में से ही पञ्च चुने जायँ, परन्तु हिन्दुओं और सिक्खों का कहना था कि किसी बाहरी निरपेक्ष आदमी को पञ्च बनाया जावे। इस सम्बन्ध में मतभेद इतना प्रबल हो उठा कि अन्त में कोई मीमांसा नहीं हो सकी। विशेष सम्वाददाता का कहना है कि हिन्दुओं और सिक्खों के दोष से ही ऐसा हुआ। महात्मा गाँधी, मालवीय जी और सर सप्रू पर उनकी आस्था नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधियों में से किसी को पञ्च मानना स्वीकार नहीं किया। परन्तु वास्तव में इस प्रकार के अभिमत का कोई मूल्य नहीं है। जो लोग यहाँ से प्रतिनिधि बन कर गए हैं, उनकी राय इस सम्बन्ध में प्रकट है। ऐसी दशा में अगर हिन्दुओं और सिक्खों ने निरपेक्ष पञ्चायत के लिए प्रस्ताव किया था, न्यायसङ्गत ही किया था, और मुसलमानों ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया, इसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं है। मुसलमान निरपेक्ष लोगों पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सकते। क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माँगें न्यायोचित नहीं हैं। परन्तु उपर्युक्त विशेष सम्वाददाता ने इन बातों पर विचार न करके सारा अपराध हिन्दुओं और सिक्खों के मत्थे मढ़ देना ही उचित समझा है।

—'आनन्द बाज़ार पत्रिका' (बङ्गला)

* * *

'चाँद' की इस मास की पुरस्कार-प्रतियोगिता का परिणाम

इस मास की प्रतियोगिता के लिए जितने उत्तर आए थे, उनमें से कोई भी बिलकुल सही नहीं था। दो ग्राहकों के उत्तरों में तीन-तीन अशुद्धियाँ थीं, अतः १५) का पारितोषिक उनमें बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। पुरस्कार पाने वालों के नाम इस प्रकार हैं:—

१—मन्त्री, गरियाबन्द क्लब, गरियाबन्द, सी० पी०।

२—मन्त्री, हैकट पुस्तकालय, कटनी।

नवम्बर के 'चाँद' में सही उत्तर तथा पूरा विवरण प्रकाशित होगा।

याद रखिए

नवम्बर के अङ्क में एक चित्र-पहेली निकलेगी, जिसके सही उत्तरदाता को नक़द २५) का पुरस्कार मिलेगा।

—स० 'चाँद'



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

सर मुहम्मद इक़बाल के गर्भस्थ 'मुस्लिम-भारत' का अर्थ, यद्यपि त्रिकालज्ञ श्रीजगद्गुरु जी महाराज ने उसी समय अच्छी तरह समझ लिया था, परन्तु संसार में सभी इन्हीं की तरह 'बुद्धि-बटलोही' तो होते नहीं, इसीलिए कुछ लोगों ने उसका अर्थ समझने में फ़ाश ग़लती कर दी थी और समझने लगे थे, कि इक़बाल बहादुर इस मुल्क को लेकर अपने देश अर्थात् मक्का शरीफ़ चले जाएँगे।

❀

इसलिए इक़बाल साहब ने बराह करम व नवाज़िश अभी हाल में ही अपने 'गर्भस्थ' राज्य की तशरीह की है। यानी आपका पश्चिमोत्तर भारत का भावी मुस्लिम राज्य ब्रिटिश राष्ट्र-सङ्घ के बाहर न होगा। क्योंकि ऐसा होने से तो 'देहि पदपल्लवमुदारम्' का मज़ा ही चला जायगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम-राज्य स्थापित न होगा, तब तक समस्त भारत की जान ख़तरे में रहेगी।

❀

क्योंकि नेपाल, तिब्बत और हिमालय के ख़ूँख़ार जन्तुओं से इस देश की रक्षा केवल मुसलमान ही कर सकते हैं। बक़ौल सर इक़बाल पश्चिमोत्तर भारत का मुस्लिम-राज्य देश की रक्षा के लिए चीन की 'क़हक़हा दीवार' का काम करेगा। आप निश्चिन्ततापूर्वक टाँगें फैला कर सोइए, जानोंमाल की रक्षा का भार सर इक़बाल को सौंप दीजिए। न ताले-चाभी की ज़हमत, न एक पैसा चौकीदारी टैक्स देने की ज़रूरत। मजाल नहीं किसी की, जो आपका बाल बाँका कर सके।

❀

बस, इसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर—केवल परोपकारार्थ—हमारे इक़बाल जी यह ज़हमत अपने सर पर उठाने के लिए तैयार हैं; और कोई मतलब आपका नहीं है। और अगर भारत की रक्षा का कोई दूसरा उपाय होता तो आप कदापि मुसलमानों के सर पर ऐसा बोझ न लादते। परन्तु लोगों की बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गया है और ख़ासकर हिन्दुओं की। ये कमबख़्त ऐसी औंधी खोपड़ी के हैं, कि अपनी भलाई की बात भी नहीं समझ सकते। वही कहावत है कि 'घी देत घोड़ नरियाय।'

❀

इसके सिवा काबुल में क्या गदहे नहीं होते? भारत के भुईंफोड़ भाग्य-विधाता और इस्तमरारी पट्टेदार महाप्रभु गौराङ्गदेव भी तो मुस्लिम-भारत के नाम से भड़क सकते हैं। क्योंकि 'सदा एकाकिन के भवन, कबहुँ कि नारि खटाँहि।' वे हज़रत अपनी मौरूसी में किसी ग़ैर की हिस्सेदारी क्यों पसन्द करने लगे। इसी से यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता थी कि चाहे मुसलमान 'मुस्लिम-भारत' में रहें या फ़िलस्तीन में; अरब में रहें या अफ़ग़ानिस्तान में—'कहू भेस में रहेंगे, तऊ रावरे कहावेंगे।' आप निश्चिन्त रहिए।

❀

इस तशरीह के लिए, माशा अल्लाह, मौक़ा भी नायाब मिल गया था। क्योंकि आबाध्य वाणिज्य के साथ ही अपनी मौरूसी को क़ायम रखने के लिए 'उन्हें' भी मुसलमानों की मदद की आवश्यकता है। 'मन तुरा हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो' का व्यापार है। इधर तख़्त ताऊस बनेगा और उधर साम्राज्य के 'मुकुट-मणि' की रक्षा होगी वल्लाह—

कलयुग नहीं करजुग है यह,
यहाँ दिन को दे और रात ले।
क्या ख़ूब सौदा नक़्द है,
इस हाथ दे उस हाथ ले॥
यह सौदा दस्त-बदस्ती है।

❀

कहावत है कि 'जिसके लिए चोरी की उसी ने कहा चोर!' अछूतों के 'एडॉप्टेड अभिभावक' श्रीमान अम्बेदकर बेचारे अछूतों की भलाई के लिए, लन्दन की कड़ाके की सर्दी में ब्रिटिश सरकार की मेहमानदारी कर रहे हैं और बनारस के अछूत-प्रतिनिधि चौधरी जगन्नाथ जी और श्री० भरोसे जी, एम० एल० सी० कहते हैं कि श्री० अम्बेदकर हमारे प्रतिनिधि ही नहीं हैं! देखी आपने यह एहसान फ़रामोशी! अब भला, इस ज़माने में कैसे कोई किसी की भलाई करेगा!

❀

यही नहीं, उपर्युक्त चौधरी और श्री० भरोसे जी परम अछूतोद्धारिनी पृथक निर्वाचन-प्रथा के भी विरोधी हैं। ये लोग बालिग़ मताधिकार के समर्थक हैं। यह है, अम्बेदकर जी की नेकी और अलौकिक त्याग का परिणाम! बेचारे ने अछूतों के लिए अब तक, ख़ुदा झूठ न बुलवाए तो, पाव दर्जन लेक्चर—और वह भी अङ्गरेज़ी में—दे डाला है। अछूतों को शीत, धूप और वर्षा से बचाने के लिए मोटे मौलाना की बड़ी तोंद में काफ़ी स्थान भी 'रिज़र्व' करा चुके हैं। बतलाइए, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है?

❀

ख़ैर, सन्तोष की बात है कि अछूतों की बी-अम्माँ यानी सखी नौकरशाही किसी के झाँसापट्टी में नहीं आने वाली हैं। उन्होंने अपने सारे बाल-गोपालों के लिए अपनी इच्छा और पसन्द के अनुसार 'प्रतिनिधि' चुन लिया है। फलतः जिसको माँ माने, वह बाप! सारे देश के अछूत चिल्लाते ही रहें कि श्री० अम्बेदकर हमारे कोई नहीं हैं, तो भी कुछ बनना-बिगड़ना नहीं है। क्योंकि आप अछूतों की बी-अम्माँ द्वारा मनोनीत अभिभावक हैं!!

❀

इसके सिवा, जब उत्तर भारत में सर इक़बाल साहब अपना मुस्लिम-राज्य क़ायम करेंगे तो क्या श्री० अम्बेदकर बैठे रहेंगे? अजी, राम कहिए, वह भी दक्षिण भारत में अपना कोई 'अम्बेदकर-राज्य' या 'अछूत-राज्य' स्थापित करेंगे। क्योंकि अगर सर महोदय उत्तर भारत के जन्मसिद्ध अधिकारी हैं, तो श्री० अम्बेदकर जी भी 'आदि हिन्दू' हैं। बाक़ी बीच वाले—या नक़ली हिन्दू, तो मङ्गोलिया से आए हैं; इनका इस देश पर क्या अधिकार है?

❀

हमारी नौकरशाही भी, माशा अल्लाह, कनखजूरे की नानी हैं; चिपकना और चिपकाना दोनों ही जानती हैं। क्योंकि आपने बड़ी होशियारी से मौ० शौकतअली और श्री० अम्बेदकर को एक साथ ही छाती से चिपका कर अपना उल्लू सीधा करने का विचार किया है। ये दोनों पार्श्व-रक्षक 'अगिया बैताल' की तरह जब तक सखी के दाहिने और बाएँ डटे रहेंगे, तब तक किसकी मजाल है जो उनके राज-सिंहासन की ओर उँगली उठा सके। लोग ऐसे मौक़े पर तिनके का सहारा ढूँढ़ते हैं, परन्तु सखी ने तो दो शहतीरें पकड़ रक्खी हैं। बताइए, इस सौभाग्य का कोई ठिकाना है?

❀

हिज़ होलीनेस के डियरेस्ट दाढ़ी-फ़ेलो श्रद्धेय बूढ़े पटेल ने तो आफ़त कर दी है। अपना इलाज कराने क्या गए, बेचारी नौकरशाही को रोग-ग्रस्त करके रख दिया। जब मौक़ा पाते हैं तभी निर्दयतापूर्वक बख़िया उधेड़ने लगते हैं। कभी उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को दाल-भात में मूसलचन्द बताते और कभी सखी की नीयत पर कुठाराघात कर देते हैं। लक्षणों से मालूम होता है कि 'बुढ़ऊ' सठिया गए हैं।

❀

उस दिन परम ईमानदार, धर्ममूर्ति दादा मुग्धानल देव ने भारतीय प्रतिनिधियों को ईमानदार बन जाने का उपदेश दे दिया था। बाल-बच्चों को बुद्धि सिखाना तो अभिभावकों का काम ही ठहरा। परन्तु बूढ़े पटेल दादा बिगड़ उठे और कहने लगे कि यह भारतीय राष्ट्र का अपमान है! लीजिए साहब, लोग सरासर बेईमानी पर कमर बाँधे खड़े हैं, कोई स्वतन्त्रता माँगता है और कोई स्वराज! ऐसे लोगों को अगर ईमानदारी का उपदेश दिया गया, तो इसमें अपमान की कौन सी बात हो गई!

❀

और फिर हमारे स्वयम्भु-प्रतिनिधिगण भी तो कम चतुर नहीं हैं। मान, अपमान, आत्माभिमान, लज्जा, सङ्कोच और आदमीयत आदि नाज़ुक चीज़ें लेकर वे विलायत थोड़े ही गए हैं। रहा कॉङ्ग्रेस के लँगोटी-बन्द प्रतिनिधि की बात, सो वह तो 'मुग्धानली ईमानदारी' का पक्का जानकार है, इसलिए वह अवश्य ही मियाँ मुग्धानल का उपदेश सुनने पर 'अबड़ा खेलावे बच्चा' यह कहावत याद करके हँस पड़ा होगा।

❀

बर्मा की बग़ावत से तो मालूम होता है, सखी नौकरशाही का चोली-दामन का सम्बन्ध हो गया है। मानो पूर्व-जन्म की प्रीति है। अभी तक कवचधारी और गोदनावाले बाग़ियों का ताँता ही नहीं टूटता। मालूम

होता है सखी की क़ब्र तक आशिक़ों की टोली चली जाएगी। कहीं डकैतियाँ जारी हैं तो कहीं लूट-पाट मची है। ऐसी दीर्घ स्थायी चहल-पहल तो सखी नौकरशाही की शादी में भी न हुई होगी।

❀

परम शान्ति-विधायक श्रीमान वायसरॉय महोदय ने प्रेस-एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। बड़ी ख़ुशी हुई। बम, पिस्तौल और गोली-बारूद से बेचारे ग़रीब भारत की जान बची! अब सरकार को भी कर लगाने और उसे वसूल करके भारत को समृद्धिशाली, समुन्नत और शान्त-शिष्ट बनाने की निश्चिन्तता मिल गई। सखी नौकरशाही अब आनन्द से गुलछर्रे उड़ाएँगी और शिमला-शिखर की स्वास्थ्यकर हवा पीकर मौ० शौकत-अली की तरह मोटी हो जाएँगी।

❀

लन्दन की अल्प संख्यक समिति की विफलता का समाचार सुन कर मद्रास की मुस्लिम लीग को बड़ा दुख हुआ है। उसने प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे समझौता कराने का पुनः प्रयत्न करें। यह तो ठीक है, परन्तु लीग ने समझौते के लिए पथ प्रशस्त करने वाले मुसलमान प्रतिनिधियों की तारीफ़ बिल्कुल नहीं की है और न उनकी ग़ुलामी मिश्रित स्वतन्त्रता की माँग के लिए ही उनकी पीठ ठोंकी है। आख़िर वे बेचारे क्या दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं।

❀

भाई, ये तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी भी तो अजीब खोपड़ी के आदमी मालूम होते हैं। सर महम्मद शफ़ी ने महात्मा गाँधी को मुँहतोड़ उत्तर देकर जो आत्मगरिमा लाभ की थी, उसे हज़रत ने हफ़्ते दो हफ़्ते भी ज़िन्दा न रहने दिया। शायद शेरवानी साहब को मालूम नहीं कि सर महम्मद शफ़ी ने अभी हाल में ही श्री० सुग्धानल देव से ईमानदारी की शिक्षा ली है। इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, वह बावन तोले पाव रत्ती ठीक है।

❀

वे और उनके साथी जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, उनमें सदस्य नहीं हुआ करते और न उन लोगों को इसकी आवश्यकता है। क्योंकि वे बेचारे तो 'जिसको पिया मानें, वह सुहागिन' के अनुयाई हैं। सरकार ने उन्हें जनता का प्रतिनिधि मान, लिया है। बस, जनता उन्हें माने या न माने इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जनता की भलाई का बीड़ा लिया है, उसे अपनी इच्छा और विचार के अनुसार पूरा करेंगे। माताएँ अपने बीमार बच्चे की राय लेकर उसकी चिकित्सा थोड़े ही कराया करती हैं।

❀

लन्दन की 'गोरखधन्धा कॉन्फ्रेन्स' की दुक्तरे-नेक अख़्तर अर्थात् फ़ेडरल स्टरक्चर कमिटी के इजलास में दादा सर सप्रू ने जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-दाता 'गौराङ्ग-महिम्न' पाठ किया है, उसे पढ़ कर हिज़ होलीनेस को भारत के भावी 'सुप्रीम कोर्ट' की जजी याद आ गई। गङ्गा मैया की शपथ, अगर अपने राम राजा होते तो निश्चय ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करके दादा जी को 'जस्टिस ऑफ़ दी पीस' की पदवी प्रदान कर देते और अपने बाप के विरोध की भी परवाह न करते।

❀

बक़ौल दादा जी, अङ्गरेज़ों ने जो सबसे नायाब चीज़ इस देश को दी है, वह हाईकोर्ट है। क्योंकि वहाँ जाते ही दूध और पानी ऐसे अलग-अलग हो जाते हैं, जैसे हिन्दू और मुसलमान! यही नहीं जनाब, कितने ही तक़दीर के साँड तो वहाँ पहुँचते-पहुँचते स्वच्छन्द साँड ही नहीं, वरन् एकदम जीवन-मुक्त हो जाते हैं, अर्थात् सदा के लिए ज़र-ज़मीन के झञ्झट से बरी हो जाते हैं। और क्या? हाईकोर्ट का न्याय कुछ टके सेर बिकने वाला साग-भाजी थोड़े ही है!

❀

मगर आप यह न समझ लीजिएगा कि हाईकोर्ट ने केवल न्याय का ही मूल्य बढ़ाया है, वल्लाह, वकीलों की वृद्धि करके सत्यता, न्यायपरता और ईमानदारी की बाढ़ सी ला दी है। द्वापर में एक सत्यवादी युधिष्ठिर थे। यहाँ हाईकोर्ट की बदौलत चोग़ा-चपकनधारी युधिष्ठिरों का यह हाल है कि—

बानर कटक उमाँ मैं देखा,
सो मूरख जो किय चह लेखा!

❀

कुछ भी हो, दादा जी को तो हाईकोर्ट का कृतज्ञ होना ही चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं और हाईकोर्ट ठहरी, वकीलों की धात्री! ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता है कि चोली-दामन का इतिहास-प्रसिद्ध रिश्ता भी इसके सामने झख मारा करे। जिस तरह श्रीजगद्गुरु की सारी विभूति भगवती विजया के कारण है, उसी तरह दादा जी की विमल विभूति भी हाईकोर्ट की बदौलत है।

❀

परन्तु अपने राम की राय में तो सबसे अधिक अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य अङ्गरेज़ों ने इस देश में 'सरों' की सृष्टि करके किया है। जिसके सर पर यह 'सर' रख दिया वही दो सर का हो गया और लगा मृदु-मधुर स्वर से 'देहि पदपल्लव' का राग अलापने और कृतज्ञता के गीत गाने। इस 'सर' की बदौलत कितने ही मूक वाचाल हो गए और पङ्गु समुद्र नाँघ गए!

❀ ❀ ❀



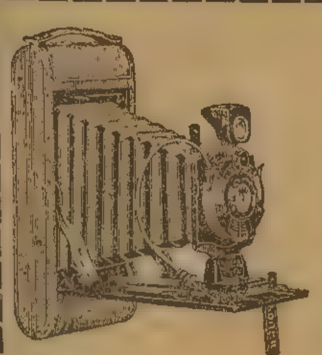
धोखा साबित करनेवालेको ५००) रु० ईनाम ।

नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम-पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे सुनहरी कलाई घड़ी मुफ्त ईनाम। प्रत्येक घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष। डाक खर्च अलग देना होगा।

[नोट—अर्क कपूर ।) पुदीना ।≈ का ।), सुरमा ॥) का, कामिनी तैल ॥।) का ॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दी जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों-को खास दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे।]

अर्क कपूर—हैजेकी शर्तिया दवा	कीमत ।)	**दादका मलहम**—२४ घंटेमें शर्तिया फायदा कीमत	।)
अर्क पुदीना सब्ज—अजीर्ण व पेट दर्द आदिमें	„ ।)	**प्राणदा**—सब तरहके बुखारोंमें अक्सीर	„ ।)
अर्क पीपरमेन्ट (तैल)—खाने व लगानेका	„ ।)	**सप्तगुण तैल**—जला, चोट, वाय-दर्द आदिमें	„ ।)
सुरमा—भीमसेनी कपूरसे बना हुआ	„ ।)	**अग्निमुख चूर्ण**—अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक	„ ।)
नमक सुलेमानी—पेट रोगोंमें मशहूर	„ ।)	**कामिनी बिलास तैल**—सुगन्ध की खान	„ ॥)

पता—श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टबक्स ६८३५, कलकत्ता।



इस प्रतिष्ठित फ़र्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी शिकायत करने का मौक़ा न मिलेगा।

—स० "भविष्य"

ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, गृह-सिनेमा, घरेलू जर्मन औषधियाँ, परफ़्यूमरी इत्यादि के थोक तथा खुदरा विक्रेता—

बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी

नं० १५ चितरञ्जन एभेन्यु, साउथ कलकत्ता

सूचीपत्र के लिए लिखें

"फेनका" बाल बनाने का साबुन



यह अत्यन्त सुगन्धित, निर्विकार, कृमिनाशक, पवित्र और स्निग्ध साबुन है। फेन में अधिकता और स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं।



बनाने वाले :—

जादवपुरसोप-वर्क्स, ९ स्ट्रयड रोड, कलकत्ता

व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पते से कीजिए :—

ब्रॉडकास्ट कम्पनी, ५८ जॉन्स्टनगञ्ज, इलाहाबाद

धातु पौष्टिक चूर्ण

यह चूर्ण—तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा गिरती हुई धातु को रोकता है, पानी समान पतले वीर्य को एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह (गनोरिया-सुज़ाक) रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो देता है तथा शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है। यह स्वप्नदोष, हस्तमैथुन, धातुक्षीणता, स्मरण-मात्र से ही पतन, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक विलासिता के कारण कमर में दर्द, कमज़ोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना, नामर्दी हो जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दाम २) रु० डिब्बा, डा० म० ।।।) यह चूर्ण औरतों की भी क्षीणता तथा श्वेतप्रदर आदि रोगों को आराम करता है। इस चूर्ण को स्त्री और पुरुष दोनों ही हर मौसम में खा सकते हैं।

भारत भैषज्य भण्डार

७८ नं० काटन स्ट्रीट, कलकत्ता

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए! पता—

इण्टर नेशनल कॉलेज (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)

३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

दुखदाई बवासीर

ख़ूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब चाहे जैसी बवासीर, भगन्दर हो, सिर्फ़ एक दिन में "हमारी दवा" बिना ऑपरेशन के जादू की तरह असर कर, अद्भुत फ़ायदा करेगी, तीन दिन में जड़ से आराम। अधिक प्रशंसा व्यर्थ है, फ़ायदा न हो तो चौगुना दाम वापस देंगे। क़ीमत २)

नेत्र सुधा-सागर सुर्मा

असली मोती तथा ममीरा आदि जङ्गली जड़ी-बूटियाँ मिला कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, परवाल, रतौंधी, दिनौंधा, रोहे, गुहेरी, लाली, मोतियाबिन्द को आराम करने में रामबाण है, रोज़ाना लगाने से बुढ़ाई तक दृष्टि कम न होगी, यह नेत्र-रोगों की महौषधि है। क़ीमत १।), तीन शीशी ३)

बहिरापन

कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, जलन, खुजली, कान में भयङ्कर वेदना, कान बहना तथा बहिरापन नाश करने में हमारा चमत्कारी 'बहिरापन तेल' अमोघ है। हज़ारों कम सुनने वाले अच्छे हुए हैं। फ़ायदा न हो तो दाम वापस। क़ीमत २)

पता—शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई न० ४

५) की पुस्तकें १॥) में

१—विश्वव्यापार-भण्डार—अर्क कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिगरेट, शर्बत, रबड़ की मुहर बना धन कमाओ। मू० १)

२—साबुनसाज़ी—हर प्रकार के साबुन बनाना सीख लो। मू० १)

३—हिन्दी-इङ्गलिश टीचर—बिना मास्टर अङ्गरेज़ी पढ़ना-लिखना, बोलना, तार, अर्ज़ी वग़ैरह सीख लो। मू० १)

४—हारमोनियम, तबला, सितार गाइड—२-३ माह में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख लो। मू० १)

पूरा सेट १॥) में ख़र्च ।) एक पुस्तक का पूरा दाम

पता—सत्यसागर कार्यालय, नं० २५, अलीगढ़ सिटी

६॥) में एक वर्ष 'चाँद' पढ़िए; और हर महीने पुरस्कार लीजिए !

क्या आप 'चाँद' के ग्राहक हैं ?

यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइए !

क्योंकि

अक्टूबर मास से 'चाँद' में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे :-

१—'चाँद' का सम्पादन इङ्गलैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया मासिक पत्रों के ढङ्ग पर होने लगा है।

२—'चाँद' में इस महीने से सिनेमा तथा रङ्गमञ्च सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र प्रकाशित होने लगे हैं।

३—'चाँद' में वैज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया स्तम्भ खोल दिया गया है।

४—'चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टैण्डर्ड और भी ऊँचा कर दिया गया है।

५—'चाँद' की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायँगे।

६—'चाँद' में जो सबसे बड़ी नई विशेषता है, वह है इसका 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' विभाग। 'चाँद' में प्रति मास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके हल करने वाले ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अक्टूबर के 'चाँद' में ही एक खाना-पूर्ति (Cross-word puzzle) निकली है, जिसके सही उत्तर देने वाले को ५५) का पुरस्कार मिलेगा। नवम्बर के विशेषाङ्क में भी पुरस्कार के लिए एक पहेली रहेगी। परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल 'चाँद' रजिस्टर्ड ग्राहकों को ही मिलेगा।

आज ही अक्टूबर का 'चाँद' मँगा कर पढ़िए और स्थाई ग्राहकों में नाम लिखा लीजिए !

Registered No. A—2085



लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी' उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जायँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस-कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि का आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए!



Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage. 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

टेलीफ़ोन-नम्बर : २०५

भविष्य

तार का पता : 'भविष्य'

वर्ष २ खण्ड १ | इलाहाबाद–सोमवार ; २ नवम्बर, १९३१ | सं० ५, पूर्ण सं० ५५





लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी' उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जायँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस्कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि का आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए!



व्यवस्थापक—'चाँद' कार्यालय,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २ नवम्बर, १९३१ | संख्या ५, पूर्ण संख्या ५५

बङ्गाल पर दमन के भीषण बादल मँडरा रहे हैं

क्या सरकार ने दमन पर कमर कस ली ?

मार्शल लॉ, देश-निकाला और गुप्त अदालतों की योजना

दिल्ली, ३० अक्टूबर

'पायोनीयर' का विशेष सम्वाददाता लिखता है कि वाइसरॉय की कौन्सिल में बङ्गाल की समस्या पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार हो रहा है। विचार बहुत गुप्त रीति से हो रहा है और आतङ्ककारी आन्दोलन को दबाने का क्या उपाय सोचा जा रहा है, यह कुछ ही दिनों में प्रकट हो जायगा। यहाँ लोगों की आम धारणा है कि कोई कड़ा उपाय निकाला जायगा और भारत सरकार जो कोई भी उपाय निकालेगी, वह व्यापक और आयर्लैण्ड की भाँति होगा, जिसमें मुक़दमों की गुप्त जाँच और 'समरी' फ़ैसला होगा, और अभियुक्त को देश-निकाला दे दिया जायगा। और इस प्रकार आतङ्ककारी कार्यों द्वारा कानून को जो भङ्ग किया जा रहा है, उसी प्रकार उसका प्रतिकार होगा।

ख़बर है, कि जिन ज़िलों में आवश्यकता है, उनमें फ़ौज के प्रदर्शन करने का प्रबन्ध पहिले ही कर दिया गया है, जैसा कि इस शताब्दी के प्रथम भाग में किया गया था। कुछ सीमाओं में मार्शल-लॉ जारी करने का भी विचार प्रकट किया जाता रहा है, किन्तु इस समय उसका प्रश्न उठता नहीं दिखाई देता, क्योंकि आतङ्ककारी आन्दोलन में किसानों और आम जनता की सहानुभूति या सम्बन्ध नहीं है और मार्शल-लॉ का केवल अनिश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा ; बल्कि उसके दायरे में गुमराह युवक और गुप्त आतङ्ककारी दल नहीं आ सकेंगे। इसके विपरीत ऐसे स्थानों में फ़ौजें बैठाने और फ़ौजी झण्डा घुमाने से आबादी पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा कि सरकार अभी क़ायम है। इससे भी ज़्यादा यह ज़रूरी इसलिए है कि इससे सम्राट् के कर्मचारियों का अपना कर्तव्य पालन करने में उत्साह बढ़े। सम्वाददाता का कहना है कि हर तरफ़ यह विचार प्रकट किया जा रहा है कि वर्तमान स्थिति बङ्गाल की साधारण पुलीस और मौजूदा क़ानूनों से बाहर हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि ऑर्डिनेन्स के अलावा और भी क़ानून बनाने की ज़रूरत है। जिन लोगों को यहाँ की पूरी जानकारी है, उनका ख़याल है कि भारत सरकार इङ्गलैण्ड की राष्ट्रीय सरकार के पूर्ण-समर्थन के विश्वास पर और भारत के ज़िम्मेदार लोगों तथा गोलमेज़ में गए हुओं के पूर्ण-समर्थन की आशा पर परिस्थिति का मुक़ाबला करना चाहती है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे विश्वास होता है कि नए ऑर्डिनेन्स के साथ-साथ और भी क़ानून बनाए जाने में अब देर नहीं है।

राजनीतिक हत्याओं का कारण सरकार की नीति ही है

बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के विषय में म० गाँधी की सम्मति

लन्दन, ३१ अक्टूबर

आज कॉमन वेल्थ इण्डिया लीग की मीटिङ्ग में म० गाँधी ने नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स पर आक्षेप करते हुए कहा कि अब तक भी सरकार के हाथ में काफ़ी शक्ति थी। गाँधी जी ने मि० विलियर्स और ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर किए गए आक्रमणों को निन्दनीय और लज्जाजनक बतलाया और यह भी कहा कि ये मेरे लिए बाधा-स्वरूप हैं। पर साथ ही उन्होंने क्रान्तिकारियों के कार्य के लिए चटगाँव में प्रतिहिंसापूर्ण बदला लेने और हिजली की घटना की तरफ़ इशारा करके कहा कि ये बातें एक दूसरे के कारण और फल हैं और इस परम्परा का बराबर बढ़ते जाना स्वाभाविक है। इसका इलाज यही है कि ख़राबी के मूल कारण को ढूँढ़ा जाय और भारत को स्वतन्त्रता दी जाय। गाँधी जी ने कहा कि चटगाँव और हिजली की घटनाएँ ऐसी थीं कि जो मुझे भारत को लौट जाने का इशारा करती थीं। पर मैंने सोचा कि मुझे जल्दबाज़ी या अधैर्य से काम न लेना चाहिए। "मैं क्रोधित होकर कॉन्फ्रेन्स को न छोड़ जाऊँगा, वरन् मैं प्रतीक्षा करूँगा, प्रार्थना करूँगा और पैरवी करूँगा। पर मैंने अपना सत्याग्रह का अधिकार भी रक्षित रक्खा है और यदि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स कॉङ्ग्रेस की माँग को स्वीकार न करेगी तो हम उसे आरम्भ कर देंगे।" गाँधी जी ने साम्प्रदायिक मतभेद के लिए सरकार दोषी बतलाया और कहा कि यदि राउण्ड टेबिल कान्फ्रेन्स असफल हुई तो वह असहयोग को फिर से शुरू करने में न हिचकिचाएँगे और इस तरह पारस्परिक कलह की जड़ ही पर कुठाराघात करेंगे।

"गाँधी को गोली मार कर ख़ुश होंगे"

रूस को अतिरिक्त सेना रखनी पड़ेगी

मि० बर्नार्डशा के विचार

ख्यातानामा अङ्गरेज़ लेखक मिस्टर बर्नार्डशा ने इङ्गलैण्ड के चुनाव के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 'मैञ्चेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधि से कहा—"मि० मैकडॉनेल्ड कट्टरों के प्रमुख हो गए हैं। कट्टर लोग नए कट्टर दल वालों की अपेक्षा पुराने साम्यवादी को अधिक पसन्द करते हैं। कट्टर दल वालों के इस बड़े बहुमत के कारण स्टालिन को रूस में, मालूम होता है, अतिरिक्त सेना सङ्गठित करनी होगी।......यदि मैकडॉनेल्ड कट्टरों पर अङ्कुश न रक्खेंगे तो पिछली बातें फिर होंगी।"

यह पूछने पर कि क्या महात्मा गाँधी निराश भारत लौटा दिए जाएँगे। मि० बर्नार्डशा ने कहा—"वे सिर्फ़ गाँधी को घर ही नहीं लौटा देंगे, बल्कि उन्हें गोली मार देंगे। बहुत से टोरी (कट्टर) दल वाले इस काम को करने में बहुत प्रसन्न होंगे।"

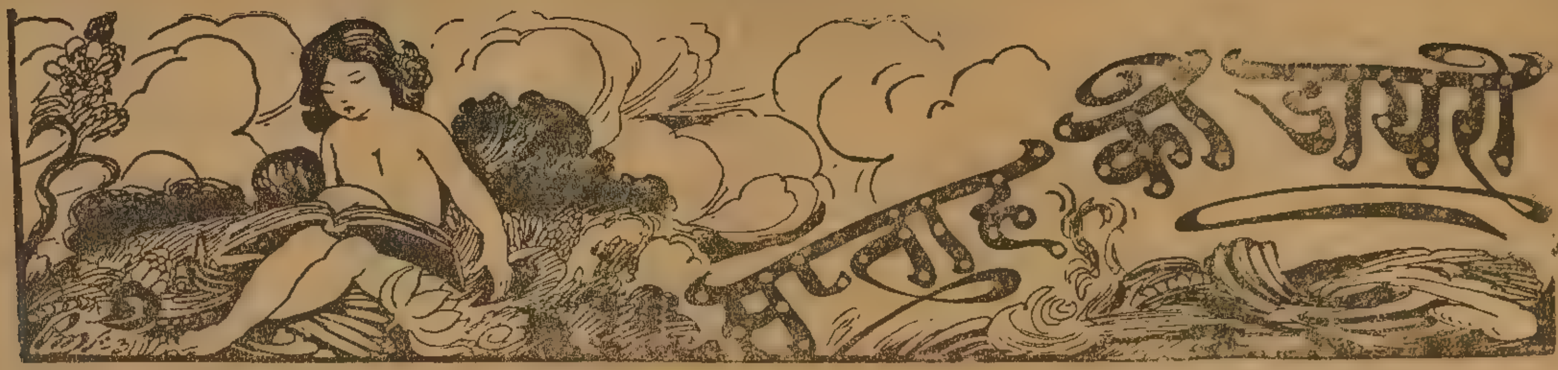
दिल्ली षड्यन्त्र केस

३० अक्टूबर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई आरम्भ हुई। अभियुक्त वात्सायन और विमलप्रसाद जैन ने उसमें भाग न लिया। पर नए ऑर्डिनेन्स के आधार पर उनकी ग़ैरहाज़िरी के कारण मुक़दमा स्थगित करना आवश्यक न समझा गया। पर चूँकि अभियुक्त विद्याभूषण हाईकोर्ट में मुक़दमे को दूसरी अदालत में बदलने की अर्ज़ी देने वाला है, इसलिए मुक़दमा ३ नवम्बर के लिए स्थगित कर दिया गया।

डाक के थैले फिर लूटे गए

खुलना, ३० अक्टूबर

ताला से खुलना जाते हुए तीन डाक ढोने वालों पर चार युवकों ने हमला किया और लाठियों से उन्हें ज़ख़्मी कर १९ थैले छीन ले गए। तीनों घायल सदर अस्पताल में पहुँचाए गए।



आगामी कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट

—वर्किङ्ग कमिटी के सम्बन्ध में आए हुए कॉङ्ग्रेसी नेताओं की बातों से मालूम होता है कि आगामी कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट पद के लिए श्री० राजगोपालाचारी और बाबू राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में अधिक लोगों की सम्मति है। प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियों से कहा गया है कि वे आगामी ३० नवम्बर तक प्रेज़िडेण्ट के सम्बन्ध में अपनी राय भेज दें।

—नागपुर में गत २८ अक्टूबर को जी० आई० पी० रेलवे और बङ्गाल नागपुर रेलवे के कर्मचारियों की एक सम्मिलित सभा हुई और उसमें एक प्रस्ताव पास कर, यह अपील की गई कि समस्त भारतीय रेलवों में आम हड़ताल कर दी जाय और कर्मचारियों के अधिकार उपस्थित करते हुए यह माँग पेश की जाय, कि जो लोग निकाल दिए गए हैं वे फिर रक्खे जायँ और दूसरे लोग अब न निकाले जायँ। अखिल भारतीय रेलवेमेन्स फ़ेडरेशन से प्रार्थना की गई कि वह इन लोगों की माँगों पर आम हड़ताल घोषित कर दे।

—बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्री ने बड़ी जाति के हिन्दुओं से प्रार्थना की है कि समाज से अछूतपन दूर करने और दलितों को ऊपर उठाने के लिए उनके लड़कों को अपने घरों में नौकर रक्खा जाय। इससे बड़ी जाति वालों में अछूतों के प्रति घृणा का भाव दूर होगा और अन्त्यज बालक समाज में अच्छे प्रकार से रहना सीखेंगे और शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इस कॉङ्ग्रेस कमिटी ने अन्त्यज बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल और रात्रि-पाठशालाएँ खोली हैं और उनकी शारीरिक दशा सुधारने के लिए व्यायामशालाएँ भी स्थापित की हैं। कमिटी के पास कुछ दलित जाति के लोग ऐसे भी हैं, जो मोटर ड्राइवरी और मैशीन-पुर्ज़े आदि का काम सीखे हुए हैं।

—बम्बई में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से ताड़ी की दूकानों पर ज़ोरों से पिकेटिङ्ग होती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस रोज़ वालण्टियरों पर हमले न होते हों। उस दिन चन्द्राप्पा नामक एक वालण्टियर क्रासलेन में बेजन जी काउस जी की दूकान पर पिकेटिङ्ग कर रहा था। इसी बीच में किसी ने पीछे से वालण्टियर पर पटाखों का एक गुच्छा फेंका। जिससे वालण्टियर का कन्धा और हाथ की गदोरी जल गई। शीघ्र ही वह अस्पताल पहुँचाया गया। इस तरह की कार्रवाइयाँ वालण्टियरों को डराने और निरुत्साहित करने के लिए की जा रही हैं। कॉङ्ग्रेस ने निश्चय किया है कि जहाँ वालण्टियरों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, वहाँ और भी ज़ोरों से पिकेटिङ्ग की जायगी।

—बरार यूथ लीग कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन गत २४ और २५ अक्टूबर को अमरावती में बम्बई के श्री० मेहरअली की अध्यक्षता में हुआ। कॉन्फ्रेन्स में श्री० एम० एन० रॉय की गिरफ़्तारी और बरार को निज़ाम को देने की बात पर बहुत असन्तोष प्रकट किया गया। अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कॉन्फ्रेन्स में पास हुए, जिनमें भारत की आज़ादी का ध्येय ब्रिटिश साम्राज्य से बिल्कुल सम्बन्ध न रख कर पूर्ण-स्वतन्त्रता रक्खा गया। समाज को साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर पुनर्सङ्गठित करने को कहा गया।

मालवीय जी अमेरिका जाएँगे ?

इस बात की बहुत सम्भावना है कि मालवीय जी गोलमेज़ समाप्त होने के बाद अमेरिका जाएँगे। क्योंकि उनके पास बहुत से निमन्त्रण आए हैं। यदि प्रबन्ध ठीक हुआ, तो मालवीय जी जाने को उत्सुक हैं।

—बम्बई में बेकारी के कारण अभी हाल ही में एक हिन्दू ने अपनी दो लड़कियों को ज़हर देकर आत्म-हत्या कर ली थी। उसके बाद एक दूसरे हिन्दू ने पिछले मङ्गलवार को जीविका उपार्जन के लिए कोई काम न मिलने के कारण मकान की तीसरी मञ्ज़िल से गिर कर आत्म-हत्या कर ली। अब तीसरी घटना यह है कि एक मुरारजी नौरोजीनामक व्यक्ति जिसकी अवस्था केवल ३० वर्ष की थी अफ़ीम खाकर मर गया। अफ़ीम खाने से पहिले उसने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा कि जीवन से वह ऊब गया था और बेकारी के कारण उसने अफ़ीम खा ली है।

२५) नक़द पुरस्कार

चाँद की आगामी प्रतियोगिता के लिए

नवम्बर के 'चाँद' में प्रकाशित चित्र-पहेली के सही उत्तरदाता को २५) का नक़द पुरस्कार मिलेगा। विस्तृत विवरण जानने के लिए 'चाँद' के ग्राहक बन जाइए और नवम्बर का अङ्क पढ़िए।

प्रतीक्षा कीजिए

इसी महीने से हम 'भविष्य' में भी पुरस्कार-प्रतियोगिता प्रारम्भ करेंगे। इसके लिए कई पुरस्कार दिए जाया करेंगे। अपनी कॉपी नियम-पूर्वक पाने का प्रबन्ध कर लीजिए, और विस्तृत विवरण के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

—दक्षिण अफ़्रीका के हीलब्रोन ऑरेञ्ज फ़्रीस्टेट के निकट पृथ्वी के अन्दर से खोद कर अत्यन्त प्राचीन नगर निकाला गया है। नगर दो मील लम्बा और आध मील चौड़ा है। उसमें कुछ दफ़नाई हुई लाशें भी मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि मनुष्य जाति के आदि-काल का यह नगर की अनेक बातें देख कर डॉ० लेडलर का कहना है कि मनुष्य जाति का आदि निवास-एशिया नहीं, अफ़्रीका में था।

—मैसूर-राज्य प्रजा-कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन समाप्त हो गया। कॉन्फ्रेन्स में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पास हुआ कि राज्य के बड़े-बड़े अफ़सरों के वेतन घटाने में जो देरी की जा रही है, उस पर कॉन्फ्रेन्स खेद प्रकट करती है और इस बात पर ज़ोर देती है कि अफ़सरों की तनख़्वाहें इस प्रकार घटाई जायँ :—दीवान के वेतन में ३३। फ़ी सैकड़ा, एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिलरों के वेतन में २५ फ़ी सैकड़ा, विभिन्न के अधिकारियों के वेतनों में २० फ़ी सैकड़ा और इसी हिसाब से १०० रु० पाने वालों की तनख़्वाहें घटाई जायँ।

—बङ्गाल गवर्नमेण्ट ने हिजली गोली-काण्ड की जाँच करने के लिए जस्टिस मल्लिक और मि० जे० डी० ड्रमण्ड की जो कमिटी नियत की थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। कमिटी इस निर्णय पर पहुँची है कि सन्तरी नं० ३ ने किसी बात से उत्तेजित होकर ख़तरे की घण्टी बजा दी। इस पर हवलदार रहमान बख़्श के हुक्म से गारद और सन्तरी दरवाजे के भीतर घुस गए और उन्होंने कुछ नज़रबन्दों को, जो शायद दक्खिन वाले सिरे पर घूम रहे थे, मार कर हटा दिया। सन्तरियों ने कुछ गोलियाँ भी चलाईं। इसके बाद कुछ नज़रबन्दों ने बदला लेने की साधारण सी चेष्टा की, जिस पर सिपाहियों ने बिना किसी उचित कारण के नज़रबन्दों के निवास स्थान-पर मनमाने ढङ्ग से गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया। फल-स्वरूप दो नज़रबन्द मारे गए और कितने ही घायल हुए।

—फ़तेहपुर कांङ्ग्रेस कमिटी की कार्यकारिणी ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के पास तार भेजा है कि फ़तेहपुर में १३१५ फ़सली की भाँति लगान लगाई गई है। ३१ लाख में सिर्फ़ ५ लाख की छूट बिल्कुल नाकाफ़ी है। ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी सत्याग्रह शुरू करने की तजवीज़ करती है और इलाहाबाद का अनुकरण करने को तैयार है।

—बम्बई के मेयर मि० जे० बी० बोमन बहराम ने सिटीज़न कन्सिलिएशन कमिटी के कहने पर चार जिमख़ानों की एक मीटिङ्ग जाड़े के दिनों में क्रीकेट मैच होने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई थी। मीटिङ्ग में तय हुआ कि गोलमेज़ कान्फ्रेन्स का नतीजा न मालूम होने तक इस प्रश्न पर विचार करना स्थगित रक्खा जाय।

—स्वीटज़लैंण्ड में अफ़ग़ानिस्तान के पदच्युत नादशाह अमानुल्लाख़ाँ के सम्बन्ध में तरह-तरह की ख़बरें उड़ रही हैं। एकाएक वह अपने मकान से ग़ायब हो गए। कुछ अख़बारों का कहना है कि कुछ दिनों से वह टर्कों के समर्थकों की सहायता से अफ़ग़ानिस्तान के वर्तमान बादशाह नादिरशाह को गद्दी से हटाने का गुप्त प्रयत्न कर रहे हैं।

—बनारस का २६ ता० का समाचार है कि अछूत कमिटी के सेक्रेटरी ने महात्मा गाँधी के पास नीचे लिखा प्रस्ताव तार द्वारा भेजा है। यह प्रस्ताव अछूतों की एक सार्वजनिक सभा में, जिसके अध्यक्ष श्री० गौरीशङ्कर प्रसाद थे, पास किया था। प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"बनारस के अछूतों की सार्वजनिक मीटिङ्ग डॉ० अम्बेडकर में अविश्वास प्रकट करती है और कॉङ्ग्रेस की माँग का समर्थन करती है।

—चीन-जापान युद्ध का मामला जो राष्ट्र-सङ्घ के सामने पेश हुआ था, उसमें जापान की ज़बरदस्त नैतिक हार हो गई। ख़बर है कि राष्ट्र-सङ्घ के चीन-प्रतिनिधि डॉ० जे राष्ट्र-सङ्घ से यह अनुमति माँगेंगे कि यदि जापान अपनी सेना न हटाए, तो उसका आर्थिक बायकॉट किया जाय। जापान के प्रस्तावों से राष्ट्र-सङ्घ में असन्तोष फैला है। जापान वाले कहते हैं कि जापान अपने निश्चय पर दृढ़ रहेगा, चाहे सारा संसार उसके विरुद्ध हो जाय।

जापान-सरकार राष्ट्र सङ्घ से अलग हो जाने पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है।

*

शासन की बागडोर शीघ्र ही भारतवासियों के हाथ आनी चाहिए

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने सरकारी नीति का भण्डा फोड़ा

नई दिल्ली, २८ अक्टूबर, आज सुबह की बैठक में कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने करेन्सी और एक्सचेञ्ज की नीति, फायनेन्स बिल और कॉङ्ग्रेस के चुनाव के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव पास किए, जो इस प्रकार हैं :—

(१) वर्किङ्ग कमिटी की सम्मति में भारत सरकार ने हाल में जो करेन्सी और एक्सचेञ्ज की नीति अख़्तियार की है, उसमें भारतवासियों की सम्मति की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने रुपए का सम्बन्ध पौण्ड के साथ जोड़ कर, बजाय इसके कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने को छोड़ दिया जाता, अप्रत्यक्ष रीति से इङ्गलैण्ड के व्यापार के लिए मार्ग खोल दिया है। यह कार्य भारत की जनता के हित के विरुद्ध है, क्योंकि इससे भारत का छोटा सा सुवर्ण-भण्डार और भी घट जायगा। इससे भारत में रिज़र्व बैङ्क की स्थापना में बाधा पड़ेगी और वह अपने विदेशों से किए वायदों को भी पूरा न कर सकेगा। कमिटी ब्रिटिश सरकार को आगाह करती है कि ऐसी ख़ुदग़र्ज़ी की पॉलिसी की पूरी ज़िम्मेदारी उसी के कन्धों पर रहेगी, और इससे भारत की जो हानि होगी उसका हिसाब-किताब भारत और इङ्गलैण्ड के बीच में आर्थिक समझौता होते समय पूरी तरह से किया जायगा।

(२) कमिटी की सम्मति है कि वर्तमान आर्थिक-सङ्कट में अपने बजट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जिस अर्थनीति का सहारा लिया है और नए-नए भारी टैक्स लगाए हैं, बजाय इसके कि वह अपने ख़र्च में एकदम कमी कर देती, उससे सिद्ध होता है कि शासन की बागडोर का शीघ्र ही भारतवासियों के हाथ में दिया जाना और भी आवश्यक है। कमिटी ख़ास तौर पर नमक पर लगाए जाने वाले नए टैक्स का विरोध करती है, जोकि दिल्ली-समझौते को भङ्ग करना है, जिसका आशय यह था कि इस विषय में ग़रीबों को जल्दी ही पूरी तरह से भार-मुक्त कर दिया जाय।

(३) यह जानते हुए कि चूँकि प्रान्तों में कॉङ्ग्रेस का चुनाव कुछ ही समय पहले हुआ है, और नया सार्वजनिक चुनाव शीघ्र ही करना उचित नहीं है, यह निश्चय किया जाता है कि नीचे लिखे चुनावों के सिवाय और सब स्थानीय तथा प्रान्तीय चुनाव उस समय तक स्थगित रहें, जब तक कि दूसरी सूचना न दी जाय। पर ऑल इण्डिया कमिटी के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय कमिटियों को ३१ जनवरी, १९३२ से पहले कर डालना चाहिए। पर इस सम्बन्ध में बङ्गाल के लिए यह शर्त है कि स्थानीय और प्रान्तीय-कमिटियों का चुनाव श्री० अणे के फ़ैसले के अनुसार हो जाय। पञ्जाब के स्थानीय और प्रान्तीय चुनाव भी अपने नियत समय पर हो जाने चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव ज़्यादातर कितने ही दलों के पारस्परिक समझौते के आधार पर किए गए थे। सीमा-प्रान्त में भी वे स्थानीय और प्रान्तीय चुनाव हो जाने चाहिए, जिससे पुनर्सङ्गठन का कार्य जनवरी, १९३२ के अन्त तक पूरा हो जाय।

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी की इस अर्ज़ी के सम्बन्ध में, कि यू० पी० गवर्नमेण्ट की वर्तमान किसानों सम्बन्धी नीति और वर्तमान आर्थिक सङ्कट के समय लगान और कर वसूल करने के विरुद्ध किसानों की तरफ़ से रक्षात्मक सत्याग्रह करने की आज्ञा दी जाय, एक प्रस्ताव पास किया है। वर्किङ्ग कमिटी ने उक्त अर्ज़ी को विचारार्थ संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सुपुर्द कर दिया है। अगर संयुक्त प्रान्तीय कमिटी समझेगी कि सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए उचित कारण हैं तो कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट (सरदार पटेल) अर्ज़ी पर विचार करेंगे और उसके सम्बन्ध में फ़ैसला सुनाएँगे।

क्या गोलमेज़ परिषद् सचमुच ख़त्म होने वाली है ?

कञ्ज़रवेटिवों के प्रधान समर्थ 'पोस्ट' की सम्मति 'मॉरनिङ्ग'

'बॉम्बे क्रॉनिकल' के सम्वाददाता ने लन्दन से समाचार भेजा है कि गोलमेज़ परिषद् के ख़ात्मे के सम्बन्ध में जो चर्चा फैल रही है, उसके विषय में पूछ-ताछ करने के लिए मैं २२ ता० को सुबह भारतीय प्रतिनिधियों से मिला। उनकी बातों से यह प्रकट नहीं होता था कि उन्होंने ६ और १३ नवम्बर को रवाना होने वाले जहाज़ों में जो जगहें रिज़र्व कराई हैं उस सम्बन्ध में उन्होंने अपने इरादे को बदल दिया है। सच पूछा जाय तो हर एक की यही राय है कि कॉन्फ़्रेन्स तब तक बिना कुछ फ़ैसला किए ख़त्म हो जायगी।

'डेली हेरल्ड' ने गाँधी जी और लॉर्ड इर्विन की भेंट के सम्बन्ध में जो ख़बर प्रकाशित की थी वह भी सच निकली। गाँधी जी २१ ता० को लॉर्ड इर्विन से मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके आग्रह से लन्दन आया, पर अब तक की कॉन्फ़्रेन्स की कार्रवाई से यहाँ मुझे कुछ आशा नहीं जान पड़ती है और इसलिए मैं लौट जाना चाहता हूँ। लॉर्ड इर्विन ने उनसे कहा कि वे चुनाव होने तक सब्र करें और उसका नतीजा देख कर कोई बात तय करें।

यद्यपि प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड और भारत-मन्त्री ने 'डेली हेरल्ड' पर झूठी अफ़वाह फैलाने का दोष लगाया था, पर कञ्ज़रवेटिवों के प्रमुख पत्र 'मॉरनिङ्ग पोस्ट' में भी उसी ढङ्ग की बातें छपी हैं। उसके मतानुसार प्रतिनिधि १३ ता० तक भारत वापस आ सकेंगे।

'लिबर्टी' को मालूम हुआ है कि बङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के एक ज़िम्मेदार और प्रमुख मेम्बर ने इङ्गलैण्ड से कलकत्ते को तार भेजा है कि गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स का भङ्ग होना बिल्कुल निश्चित है।

मैजिस्ट्रेट लोग तैयार रहें

'लिबर्टी' का कहना है कि इस बात की पुष्टि हमें मिली हुई इस ख़बर से होती है कि बङ्गाल सरकार ने प्रान्त भर के मैजिस्ट्रेटों को पहिले ही लिख दिया है कि तैयार रहो।

लन्दन में भारत के ऋषियों का सन्देश

हिन्दू सिद्धान्त ईसा से ४,००० वर्ष पहिले के हैं

लन्दन, २६ अक्टूबर

मालवीय जी ने कल अङ्गरेज़ पुरुषों और स्त्रियों की सभा में 'भारतवर्ष के ऋषियों का सन्देश' सुनाया, आपने हिन्दू दर्शन-शास्त्र अनुसार आत्मा के आवागमन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मा अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। आपने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतवर्ष ने ईसा के जन्म से ४,००० वर्ष पहिले ही इस तथ्य को प्रकट किया था। आपने कहा कि ईश्वर का केवल अस्तित्व ही नहीं है, वरन् वह संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ईश्वर हम में से प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ईश्वर हममें से प्रत्येक में मौजूद है, इसलिए जाति, रङ्ग या धर्म का भेद करना केवल अज्ञानता है। हम सब को यह समझ लेना चाहिए कि हमें एक ही पिता की सन्तान की भाँति एक साथ काम करना है, चाहे हमारा विश्वास ईसा, बुद्ध, राम, मूसा या अल्ला किसी में हो। इसी प्रकार बहुत देर तक मालवीय जी ने हिन्दू-धर्म का सन्देश सुनाया और ओ३म् शान्ति, शान्ति, शान्ति कह कर अपना उपदेश समाप्त किया।

* * *

भारत स्वतन्त्रता के लिए निर्भय होकर प्रयत्न करे

अङ्गरेज़ आई० सी० एस० की राय

'बॉम्बे क्रॉनिकल' के विशेष प्रतिनिधि से बातें करते हुए एक अवकाश-प्राप्त भारत के पुराने आई० सी० एस० मि० बेर्नार्ड हफ़न ने बातें करते हुए कहा कि—"अब फिर लॉर्ड बर्कनहेड का ज़माना आ गया। भारत के हित के लिए निर्भीक साम्राज्यवाद कोरी बातों से, जिसमें भारत पिछले दो वर्षों से पड़ा रहा, कहीं अच्छा है। यह निश्चित है कि भारत के साथ कट्टर दल वालों के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार होगा, किन्तु आर्थिक सङ्कट के कारण वे लोग अपने घरेलू मामलों में अधिक ध्यान देंगे। इस समय भारत को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य इस समय या तो बिखर रहा है और या विद्रोह की दशा में है, इसलिए भारत को निर्भीकता के साथ अपनी ३० करोड़ भूखों मरने वाली जनता के लिए आज़ादी का प्रयत्न करना चाहिए।"

* * *

—लन्दन के 'डेली एक्सप्रेस' का कहना है कि निज़ाम के युवराज नवाब मीर हिमायतअली ख़ाँ आज़म जान की शादी पदच्युत ख़लीफ़ा की लड़की से पक्की हो गई। कहा जाता है कि पिछले मई में निज़ाम के दो राजकुमार इसी बातचीत को पक्की करने के लिए इङ्गलैण्ड गए थे।

ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर गोली

ढाका, २८ अक्टूबर

आज दोपहर के पश्चात् ढाका के कलक्टर पर गोली चलाई गई, जो उनके मुँह पर लगी। कलक्टर अस्पताल में भेजे गए। आक्रमणकारी भाग गए।

ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० एल० जी० डुरनो आज शाम को मोटर बस द्वारा गोआलन्दो के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी, सिविल सर्जन कर्नल ओब्रान, डॉ० एस० सी० घोष सर्जन, मिलफ़ोर्ड अस्पताल के सुप० हिल डिप्टी और नर्स मिस शार्प थे। रवानगी के वक्त उनकी दशा पहले से अच्छी जान पड़ती थी। इस गोली-काण्ड के सम्बन्ध में शहर में कितने ही घरों की तलाशियाँ ली गईं, पर कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। मि० डुरनो पर आक्रमण के सम्बन्ध में विशेष जाँच करने पर पता लगा है कि उन पर दो बङ्गाली नवयुवकों ने, जब कि वे अपनी मोटर में बैठे थे, कई गोलियाँ चलाईं। मोटर पर छः गोलियों के निशान हैं। पुलीस ने अब तक दो गोलियों को निकाला है और अन्दाज़ा है कि बाक़ी चार गोलियाँ अभी मोटर के भीतर हैं।

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रधान पर गोली

बङ्गाल में क्रान्तिकारी दल का उपद्रव

कलकत्ता में गोली चली :: सरकारी दमन प्रारम्भ हो गया

कलकत्ता, २६ अक्टूबर

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट मि० विलियर्स पर आज सुबह उनके ऑफ़िस में गोली चलाई गई, जिससे उनकी पीठ में साधारण घाव लगा है। जब मि० विलियर्स अपने क्लाइव स्ट्रीट के ऑफिस में बैठे हुए 'रॉयलिस्ट दल'—जिसकी स्थापना क्रान्तिकारियों का मुक़ाबला करने के लिए कलकत्ता में हाल ही में की गई है—के तीन सदस्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नवयुवक एकाएक उनका दरवाज़ा खोल कर भीतर घुस आया। उसने घुसते ही धड़ाधड़ तीन गोलियाँ चलाईं। गोलियाँ किसी मर्म-स्थान में न लगीं, केवल पीठ में साधारण चोट आई। रॉयलिस्ट सदस्यों ने फ़ौरन ही आक्रमणकारी को गिरफ़्तार कर लिया। कहा जाता है कि वह विमलदास गुप्त है जिसने मिदनापुर के कलक्टर मि० पैढी को मारा था। पर पुलीस अभी तक उसकी शनाख़्त नहीं कर सकी। उसके जेब में एक काग़ज़ पाया गया है जिसमें यूरोपियन एसोसिएशन से बदला लेने की क़सम ली गई है। उसके पास से सफ़ेद पाउडर की दो पुड़ियाँ भी मिली हैं, जिसे सङ्खिया ख़याल किया जाता है। अनुमान किया जाता है कि आक्रमणकारी का विचार गोली चलाने के बाद आत्म-हत्या कर लेने का था, पर वह इसमें सफल न हो सका। उसके जेब में एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल भी पाई गई। यद्यपि वह मुसलमानों के से कपड़े पहिने था, पर इस बात का प्रमाण दृढ़ होता जाता है कि वह विमलदास गुप्त है। मि० विलियर्स की पीठ से गोली निकाल ली गई है और उससे प्रकट होता है कि पीछे की तरफ़ मुड़ जाने से ही उनके प्राण बच गए।

पबना में कल राजशाही कॉलेज के थर्ड इयर का विद्यार्थी सुधेन्दु सरकार बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके पिता श्री० सुरेश सरकार मुख़्तार के घर की तलाशी भी ली गई।

बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार आज दिन निकलने से पहले ही छत्रपति रॉय ननी गोपाल बागची, दान्तु चटर्जी और तारा प्रसन्न सर्वाधिकारी के घरों की तलाशी ली गई और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया।

आज बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट (१६३०) का संशोधित ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया गया।

भारत में अङ्गरेज़ों की रक्षा का प्रयत्न

कलकत्ते में 'रॉयलिस्ट' दल की स्थापना

कलकत्ता, २६ अक्टूबर

अङ्गरेज़ों के हितों और व्यवसाय की रक्षा और हत्याकारी आक्रमणों का मुक़ाबला करने के लिए 'रॉयलिस्ट' नामक एक दल की स्थापना हुई है। इस दल की स्थापना यों तो कुछ सप्ताह पहले ही चुपके से हुई थी, किन्तु ढाका के मैजिस्ट्रेट मि० डुरनो और कलकत्ता यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़ीडेण्ट मि० विलियर्स पर आक्रमण होने के बाद से यह दल मैदान में आ गया है। आज कलकत्ते में रॉयलिस्ट दल की ओर से लाल पर्चे बाँटे गए, जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था—"कॉङ्ग्रेस की आतङ्ककारिता को ज़रूर कुचल देना चाहिए।" पर्चे में अब तक हत्या किए गए और ज़ख़्मी अफ़सरों की सूची देते हुए लिखा था—"कल डुरनो", "आज विलियर्स" अन्त में लिखा था—"हम लोग काम करना चाहते हैं।"

इस दल की स्थापना क्यों की गई, इस सम्बन्ध में दल की कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों ने कहा कि यह देखते हुए कि सरकार इस बात की बहुत कम परवाह करती है कि अङ्गरेज़ी व्यवसाय और अङ्गरेज़ी हितों का क्या हो रहा है इसलिए इस उदासीनता को दूर करने और अङ्गरेज़ जाति को एक करने तथा मज़बूती के साथ मुक़ाबला करने के लिए दल की स्थापना की गई है। इसी उद्देश्य के लिए अङ्गरेज़ जाति के नवयुवकों का यह दल सङ्गठन किया गया है। यह दल सरकार पर इस बात का दबाव डालेगा कि वह अमन-आमान क़ायम रक्खे, साथ ही ध्वंसात्मक आन्दोलनों और हिंसात्म संस्थाओं का यह विरोध करेगा। इसी दल की नीति और स्कीम पर विचार करते समय मि० विलियर्स पर आक्रमण किया गया था।

❀

ढाका में ५८ नवयुवक गिरफ़्तार

कलकत्ते में तलाशियों की धूम :: मि० डुरनो की एक आँख जाती रही

कलकत्ता, ३० अक्टूबर

लेफ़्टिनेण्ट कर्नल ए० एच० प्रोक्टर ने ढाका के कलक्टर मि० एल० जी० डुरनो का ऑपरेशन किया, जिसमें तीन घण्टे लगे। ऑपरेशन करने से पहले मि० डुरनो के शरीर में पिचकारी द्वारा ख़ून भरा गया। उनकी दाहिनी आँख बिलकुल निकाल ली गई है। दूसरी गोली जबड़े से निकाली है। उनकी दशा आशाजनक है। दूसरी आँख को किसी तरह का नुक़सान पहुँचने का डर नहीं है।

आज सुबह हाल के राजनीतिक उपद्रवों के सम्बन्ध में कलकत्ते के बहुत से मकानों की तलाशियाँ ली गईं और बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार चार व्यक्ति, जिनमें दो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए। इसी प्रकार बरहमपुर और कुष्टिया में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। ढाका में अब तक कुल मिला कर ५८ व्यक्ति गिरफ़्तार किए जा चुके हैं।

यूरोपियन बिना हथियार नहीं निकलते

ढाका, २६ अक्टूबर

ढाका के यूरोपियनों में बड़ी सनसनी फैली है। पिछले १२ महीनों में २० हत्याकारी आक्रमण हुए हैं और सरकारी तथा प्राइवेट रुपए लूटने का प्रयत्न किए गए हैं। ढाका शहर के सभी ख़ज़ानों पर हथियार बन्द पहरे बैठा दिए गए हैं। कहा जाता है यहाँ के यूरोपियन बहुत दिनों से ख़तरे में हैं और कोई यूरोपियन (सरकारी या ग़ैर-सरकारी) बिना हथियार लिए नहीं निकलते।

दुबे जी की चिट्ठी

(२वें पृष्ठ का शेषांश)

"नहीं कमज़ोरी की बात नहीं, बदनामी की बात है।"

"बदनामी! कैसी बदनामी? बदनामी-वदनामी कुछ नहीं, यह सब बहता हुआ पानी है। आज कुछ है तो कल कुछ।"

अपने राम बोल उठे—बेशक! बहता हुआ पानी और वह भी 'फ़ादर टेम्स' का, जिसमें बड़े-बड़े जहाज़ बह जाते हैं।

"तो क्या आपको आशा है कि आप पार्लामेण्ट के लिए चुन लिए जायँगे?"

"निश्चय! न चुना जाना क्या मानी रखता है? देखना लोग मुझे कैसी ख़ुशी से चुनते हैं। मैंने ब्रिटिश जाति की ठोस सेवा की है बेटा! भारत का विरोध भी सेवा ही है। अपनी नेकनामी का बलिदान देकर यह सेवा की है। इसे इङ्गलैण्ड के आदमी भूल थोड़ा ही जाएँगे।"

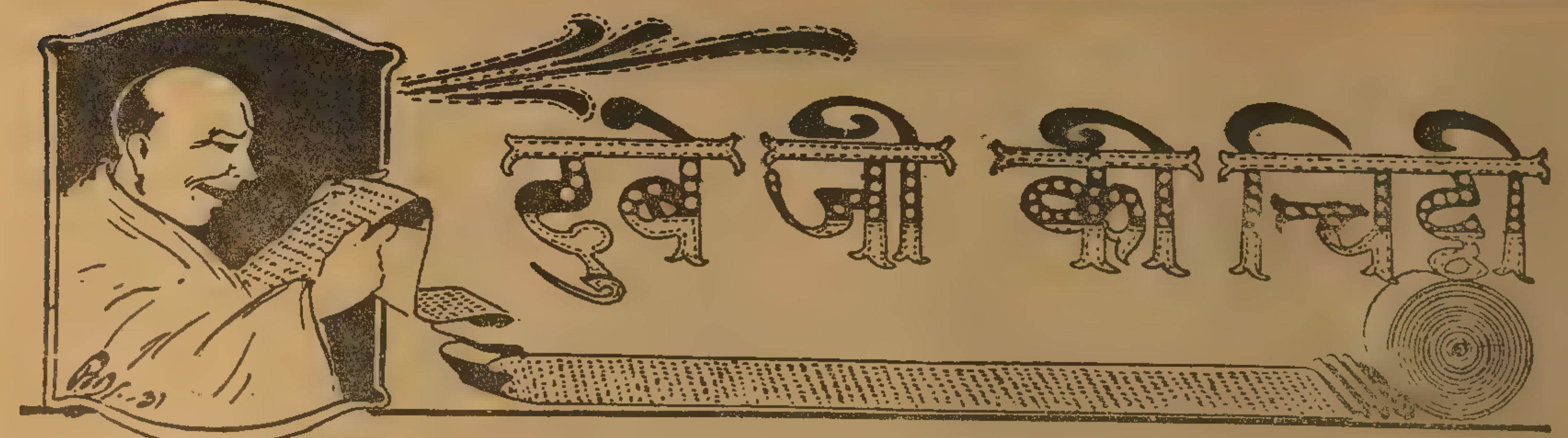
सम्पादक जी! इतना सुनना था कि अपने राम के तो होश गुम हो गए। सोचा ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, इनकी माया समझना बड़ा कठिन है। चलो अपने घर।

यह सोच कर वहाँ से रस्सियाँ तुड़ा कर भागा और सवेरा होते-होते अपने झोपड़े में आ गया।

भवदीय,

विजयानन्द (दुबे जी)

❀ ❀ ❀



श्रजी सम्पादक जी महाराज

जय राम जी की।

पिछली चिट्ठी में अपने राम ने लिखा था कि स्वप्न का शेष वृत्तान्त अगली चिट्ठी में लिखूँगा। सो वही लिखता हूँ, ज़रा ग़ौर से पढ़ियेगा।

जब गोलमेज़ के मुस्लिम प्रतिनिधियों में चित-पट की नौबत आ पहुँची तो अपने राम वहाँ से नौ-दो ग्यारह हुए।

घूमते-घामते एक स्थान पर पहुँचे। एक मकान के कमरे में रोशनी देख कर चौंक पड़े। रात का एक बज चुका था। म्युज़िक हॉल, कैबेरेट, थियेटर और कुछ प्राइवेट "डान्स" के अतिरिक्त और सब मकानों में अँधेरा था। सब ख़र्राटे की नींद सो रहे थे। परन्तु इस मकान में उजाले का क्या कारण था। एक खिड़की से झाँक कर देखा तो मि० रामजी मेकडॉनेल बैठे दिखाई पड़े। उनके सामने मेज़ पर कुछ काग़ज़ात फैले हुए थे। मेज़ के दूसरी ओर दो अन्य अङ्गरेज़ बैठे थे। मि० रामजी बोले—आप लोगों ने ख़ूब जाँच लिया है। इस लिस्ट में जिन वोटरों के नाम हैं, वे सब मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं?

एक अङ्गरेज़ बोला—सब तैयार हैं। स्वयम् तो वे तैयार हई हैं, दूसरों को भी तैयार करेंगे। आपकी परसों वाली स्पीच से लोग बड़े प्रभावित हुए हैं। आपने वादे भी तो बड़े-बड़े कर दिए हैं।

मि० रामजी मुस्करा कर बोले—जो शब्द मैंने कहे हैं उनके न जाने कितने अर्थ निकल सकते हैं। जब जैसा अवसर आएगा, उस समय वैसे अर्थ लगा लिये जायँगे। फ़िलहाल मुझे सब से बड़ी चिन्ता भारत की है। यदि मैं प्रधान मन्त्री न हुआ तो भारत की आज़ादी ख़तरे में पड़ जायगी।

एक दूसरे अङ्गरेज़ ने पूछा—आप सचमुच भारत को आज़ाद करना चाहते हैं?

मि० रामजी मुँह बना कर बोले—करना ही पड़ेगा।

"यदि न किया जाय तो क्या होगा?"—एक अङ्गरेज़ ने पूछा।

"सत्याग्रह होगा, लगानबन्दी होगी, राजविद्रोह बढ़ेगा!"

"परन्तु हिन्दू-मुस्लिम समस्या तो अभी सुलझी नहीं।"

"हाँ, मैं यह कहना भूल गया था कि भारत की आज़ादी हिन्दू-मुस्लिम समस्या सुलझने पर निर्भर है। पहले हिन्दू-मुस्लिम समझौता हो जाना बड़ा आवश्यक है।"

"सो तो होता दिखाई नहीं देता।"

"यही तो मुझे बड़ी भारी चिन्ता है। यदि हिन्दू-मुस्लिम समझौता न हुआ तो कुछ न हो सकेगा। और हिन्दू-मुस्लिम समझौता कराना मेरे सिवा और कोई जानता नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि मेरा प्रधान मन्त्री होना बड़ा ही आवश्यक है। दुआ माँगो, ईसा मसीह से दुआ माँगो कि मैं प्रधान मन्त्री हो जाऊँ, अन्यथा ब्रिटिश जाति की ख़ैर नहीं।

इस अवसर पर अपने राम बोल उठे—सरकार, यदि किसी मरे-खपे का वोट दलवाना हो तो अपने राम बिल्कुल तैयार हैं। भारत को स्वराज्य मिले या न मिले परन्तु प्रधान मन्त्री आप ही को बनना चाहिए।

एक अङ्गरेज़ ने पूछा—"ब्रिटिश जाति की ख़ैर क्यों नहीं?"

"बस यही मत पूछो। जो मैं कहता हूँ उसे आँख-कान बन्द करके मान लो।"

अपने राम ने कहा—ईमानिब बिना आँख-कान बन्द किए मानने को तैयार हैं।

मि० रामजी कहते गए—यह समझ लो कि इस समय "साँप मर जाय और लाठी न टूटे" वाली नीति में ही हमारी ख़ैर है। हमारा ज़ोर हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर रहना चाहिए। यह कहते रहो कि हम हिन्दुस्तान को आज़ादी देने को तैयार हैं, परन्तु पहिले हिन्दू-मुस्लिम समस्या सुलझ जानी चाहिए। बस इस महामन्त्र में ही हमारा कल्याण है।

"परन्तु मान लीजिए किसी प्रकार हिन्दू-मुस्लिम समस्या सुलझ गई?"

मि० राम तब मुस्करा कर बोले—देखते चलो। हमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की राजभक्ति पर पूरा विश्वास है। वे इतने बुद्धिमान हैं कि बिना हमारा सङ्केत पाये कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कुछ आदमी मुस्लिम प्रतिनिधियों के जिगरी दोस्त तथा मन्त्री बने हुए हैं!

अपने राम ने कहा—बेशक! बेशक! उनकी मन्त्रणा का दृश्य अपने राम अभी-अभी देखे चले आ रहे हैं। यदि ऐसी ही मन्त्रणा तथा दोस्ती रही तो मुसलमानों का बेड़ा निश्चय पार लग जायगा।

दूसरा अङ्गरेज़ बोला—परन्तु इनको तो मि० गाँधी हिन्दुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधि ही नहीं मानते।

"मि० गाँधी न मानें, हम तो मानते हैं। वे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं, परन्तु हमारी दृष्टि में जैसे प्रतिनिधि उन्हें होना चाहिए वैसे हैं।"

"और सब सुशिक्षित हैं!"—पहले अङ्गरेज़ ने हँस कर कहा।

"यह हमारा सौभाग्य है कि लोग उन्हें सुशिक्षित समझते हैं।" मि० रामजी ने दाहिनी आँख दाब कर कहा।

"आप निश्चय प्रधान मन्त्री बनाने योग्य हैं।"

"मानते हो?"—मि० रामजी ने मुस्करा कर पूछा।

"बेशक, बिना माने छुटकारा नहीं।"

"तब तो तुम्हें जानो-दिल से मेरे लिए कोशिश करना चाहिए।"

"जानो-दिल से कोशिश करेंगे और आपको प्रधान मन्त्री बना कर ही छोड़ेंगे। अच्छा तो अब विदा दीजिए।"

"बहुत अच्छा! गुड नाइट"

वे दोनों बाहर आकर मोटर पर बैठे और चल दिए। मोटर ऐसे अँधेरे में खड़ी थी कि अपने राम ने पहले देखी ही नहीं।

उन दोनों के चले जाने के पश्चात् मि० रामजी ने काग़ज़ात समेट कर मेज़ की दराज में रक्खा। इसी समय एक युवती आकर बोली—"हलो पापा! अब तक जाग रहे हो?"

"हाँ बेटी, दो बेवक़ूफ़ों को राह पर लाना था।"

"आ गए राह पर?"

"हाँ, इसके लिए मैं उनकी अज्ञानता को धन्यवाद देता हूँ।"

"परन्तु पापा! एक बात तो बताओ। तुम सब से वादे कर रहे हो। इतने वादे पूरे कैसे करोगे?"

"जिन वादों के पक्ष में बहुमत होगा अथवा जिनके पक्ष में मैं बहुमत को बना सकूँगा—केवल उन्हीं को।"

"और शेष?"

"उनका किसी को ध्यान भी न आएगा।"

"यदि आया तो।"

"ओह! प्रधान मन्त्री कोई वादा पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता।"

"अच्छा पापा! गुड नाइट! अब आराम करो।"

"हाँ, अब सोऊँगा।"

युवती चली गई।

अपने राम ने कहा—सरकार, हमारे जी में भी बहुत सी बातें पूछने की इच्छा थी। परन्तु अब न पूछेंगे। क्योंकि हमें भी इसी प्रकार उल्लू बना कर चलता करोगे।

"आल राइट! गुडनाइट एण्ड ए हेपी ड्रीम ऑफ़ प्रीमियरशिप!"

इसके पश्चात् सोचा कि अब कहाँ चलें। सोचते-सोचते ध्यान आया कि अपने पुराने कृपापात्र मिस्टर चर्चिल को तो देखते चलें कि किस रङ्ग में हैं। जब से उनकी बोलती बन्द हुई, तब से अपने राम का तो मज़ा ही किरकिरा हो गया। परन्तु लाख बोलती बन्द हो, लाख अज्ञातवास में बैठे हों, परन्तु पार्लामेण्ट में पहुँचने की चेष्टा अवश्य करेंगे। इससे चूक नहीं सकते। और कुछ न सही, टर्र-टर्र करने का मौक़ा तो मिलेगा ही। यह सोच कर मि० चर्चिल के भवन में पहुँचे। भीतर जाना ख़तरनाक समझ कर बाहर ही से झाँका। मि० चर्चिल टहल रहे थे और उनके सुपुत्र बैठे हुए थे। टहलते हुए कह रहे थे—पार्लामेण्ट में तो मेरा पहुँचना आवश्यक है। इस बार निश्चय अनुदार दल का बहुमत होगा।

"परन्तु पिता जी, यदि मेरा इतना विरोध होता तो मैं तो कभी पार्लामेण्ट में जाने का नाम भी न लेता।"

"राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे विरोध का कोई मूल्य नहीं होता बेटा, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। आज जो विरोध कर रहे हैं, सम्भव है कल वही हमारे अनुकूल हो जायँ।"

"परन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भारत के सम्बन्ध में आपकी नीति ठीक नहीं रही।"

"बहुत ठीक रही। तुम यही तो ग़लती करते हो कि बात की तह तक नहीं पहुँचते। यदि सब लोग भारत की स्वाधीनता का समर्थन करने लगें तो काम ही बिगड़ जाय। कुछ विरोधी भी रहना चाहिए।"

"विरोध करने का कार्य आप स्वयम् न लेकर किसी दूसरे को सौंप देते तो अच्छा था।"

"क्यों? क्या मैं किसी से कमज़ोर हूँ?"

(शेष मैटर चौथे पृष्ठ में देखिए)

बातचीत

एजेण्टों से—

आवश्यक सूचना

हमारे जो एजेण्ट 'चाँद' के विशेषाङ्क 'राजपूताना-अङ्क' की प्रतियाँ मँगाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह शीघ्र ही कॉपियों का मूल्य कमीशन काट कर मनीऑर्डर से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय को भेज दें। रुपया न मिलने पर कॉपियाँ भेजना सम्भव नहीं है। जिन एजेण्टों ने अभी तक कॉपियों के लिए ऑर्डर नहीं दिया है, वह भी शीघ्र ही ऑर्डर भेज दें ताकि बाद में प्रतियाँ समाप्त होने पर उन्हें व्यर्थ में लिखा-पढ़ी करने का अवसर न मिले।

—प्रबन्धक

निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें साप्ताहिक 'भविष्य' की बिक्री के हिसाब में प्राप्त हुआ है :—

संख्या	नाम एजेण्ट	प्राप्त रक़म	विवरण
१	मेसर्स रामचरन लाल एण्ड सन्स, बेतूल, ...	=)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
२	मेसर्स ईश्वरदत्त लीलाधर जोशी, हापुड़ ...	१०)	जुबली अङ्क तक के मूल्य में
३	सरस्वती पुस्तकालय, भागलपुर	४॥=)	सितम्बर मास के हिसाब में
४	श्री० आर० बी० गुप्ता, खण्डवा (सी० पी०) ...	६॥)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
५	श्री० दुलीचन्द जी, रीवाँ	३।=)	सितम्बर की बिक्री का रुपया
६	श्री० हरिप्रसाद जी शर्मा, एटा	६।=)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
७	श्री० मिट्ठूमल जी, चन्दौसी	१०)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
८	श्री० रमाशङ्कर जी, फ़तेहपुर	५॥=)	अक्टूबर की ३० कॉपी का मूल्य
९	श्री० गौरीशङ्कर जी मित्तल, भरतपुर ...	१८॥)	जुबली-अङ्क तक का मूल्य
१०	श्री० मङ्गतराम जी वरतरिया, देहरादून ...	१६॥=)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
११	मेसर्स न्यूज़ पेपर एजेन्सी, जोधपुर	२५)	
१२	श्री० पुरुषोत्तमदास जी, रङ्गून	१०)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
१३	श्री० रामवल्लभप्रसाद जी, समस्तीपूर	४॥=)	सितम्बर के हिसाब में
१४	श्री० रघुनन्दनप्रसाद जी, उन्नाव	१८)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
१५	श्री० एस० आर० सिनहा, बाराबङ्की	३।=)	सितम्बर का मूल्य
१६	श्री० सुखराम जी वर्मा, खैरागढ़	३≡)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
१७	राष्ट्रीय महावीर पुस्तकालय, दमोह	१६॥≡)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
१८	श्री० रामदास साहू, ग़ाज़ीपूर	१३।≡)	साप्ताहिक तथा दैनिक के सितम्बर के हिसाब में
१९	श्री० सन्तराम जी खन्ना, जालन्धर	४॥=)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
२०	श्री० चिरञ्जीलाल जी, रायपुर	२५)	जुबली-अङ्क तक के हिसाब में
२१	मेसर्स काशीनाथ सरजूप्रसाद, बस्ती	६।=)	सितम्बर के हिसाब में
२२	बाबू कर्णसिंह जी वर्मा, बिजनौर	१३॥)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
२३	श्री० विशम्भरदयाल अग्रवाल, कासगञ्ज	११।)	जुबली-अङ्क तक के मूल्य में
२४	श्री० चन्द्रभूषण जी, सीवान	१०)	सितम्बर के हिसाब में
२५	श्री० मोहनलाल हुकुमचन्द, हरिद्वार	५–)	सितम्बर का रुपया
२६	श्री० जोतीप्रसाद जी, सहारनपूर	४॥)	सितम्बर के हिसाब में
२७	लाला नाथूराम जी, कनखल	८=)	'भविष्य' तथा 'चाँद' के सितम्बर के हिसाब में
२८	श्री० ब्रजमोहन जी, नवादा	८॥=)	सितम्बर के हिसाब में
२९	श्री० रामनारायण जी, इटावा	२०)	जुबली-अङ्क तक के 'भविष्य' के तथा सितम्बर के 'चाँद' के हिसाब में
३०	श्री० कन्हैयालाल जी, खुर्जा	१०)	'भविष्य' के जुबली-अङ्क तक के मूल्य में।
३१	श्री० देवराज जी, बरनाला मण्डी	५)	
३२	श्री० गणेशप्रसाद जी, बनारस	४६।)	'भविष्य' का सितम्बर का मूल्य
३३	श्री० रामानन्दसिंह, रङ्गून	१०)	सितम्बर तक के मूल्य में

ग्राहकों से—

निम्नाङ्कित ग्राहकों के पते इस सप्ताह से बदल दिए गए हैं :—

२६३७, ३०६६, २८५७, २५८३, ६०३, ३१३२, २६१० और २६०२।

निम्नाङ्कित ग्राहकों की सेवा में नीचे लिखे अङ्क दुबारा भेजे गए हैं :—

४६वाँ—१३८५

५२ वाँ—५०७, २५५६, २३३५, २६७० और ३०३६

५३। वाँ—५०७, ८६६, २५५६ और ३२०८

गत सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ। जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है :—

ग्राहक नं०			प्राप्त रकम
२५६२	...	...	१२)
२५५०	...	...	६॥)
२५३७	...	...	६॥)
७६७	...	...	८॥)
२४२२	...	...	३॥)

हमारे पास बहुत से ग्राहकों की शिकायतें 'जुबली-अङ्क' न मिलने के विषय में आई हैं। परन्तु हमें अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि जुबली-अङ्क अब सर्वथा अप्राप्य है, अतएव दुबारा भेजने में असमर्थ हैं। ग्राहक-गण कृपया हमारी असमर्थता के लिए क्षमा करते हुए अब जुबली-अङ्क के लिए सन्तोष करें।

गत सप्ताह 'भविष्य' के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक हुए हैं। जिन-जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा ग्राहक-नम्बर के साथ चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना न भूलें, ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी भाँति का विलम्ब न हो :—

ग्रा० नं०	नाम ग्राहक	रक़म
३२२६	बा० हरीराम जी सरावगी, कलकत्ता ...	३॥)
३२२७	कु० विवेकानन्दसिंह जी रईस, आज़मगढ़	३॥)
३२२८	मिस्टर तेजप्रतापसिंह, इलाहाबाद ...	३॥)
३२२९	श्री० सनवियालाल वैद्य, बीकानेर ...	१२)
३२३०	श्री० बालमुकुन्द सेठी, शाहपुर ...	१२)
३२३१	श्री० रामगोपाल चेयरमैन, जालौन ...	१२)
३२३२	सेक्रेटरी श्री० सरस्वती बालसंस्था, मण्डले (बर्मा)	६॥)
३२३३	श्री० बनबिहारी लाल दुबे, बीजावर स्टेट	३॥)
३२३४	रे० जे० खलखो, राँची	६॥)
३२३५	पं० श्रीनारायण मिश्र, आरा	६॥)
३२३६	सेक्रेटरी श्री० महावीर जैन लायब्रेरी, भागलपुर	१२)
३२३७	श्री० विश्वनाथ वैद्य सीरोही	१२)
३२३८	डॉ० बी० विशाल, वाजपेई, सिलहट ...	६)
३२३९	श्री० जेठानन्द संघर (सिन्ध) ...	३॥)

निम्न-लिखित ग्राहकों की सेवा में साप्ताहिक 'भविष्य' आगामी सप्ताह में वी० पी० द्वारा भेजा जायगा। आशा है, ग्राहकगण स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे। चन्दा समाप्त होने की सूचना पहले दी जा चुकी है :—

११०६, ११३९, ११००, १५२२, २२९०, २२९१, २३०९, २३३१, २३३९, ११७४, १२०६, २८७८, २९११, २९९२, २९९४, २९९५, २०३९ २७२९, २७३२, २७३५, २७३७, २७४७, २७४८, २७५१, २७५२, १७५९, ३०४३ ए, ३०५१, ३०५६ ३०९४, १६५०।

❀

"न तो मैं साधु हूँ न शैतान"

चरख़ा मुक्ति-चिह्न है :: कमर को लँगोटो सिद्धान्तों का परिच्छद है

[गत २८ सितम्बर को लन्दन के 'डेली-हेरल्ड' नामक पत्र में महात्मा गाँधी ने एक अतीव महत्वपूर्ण लेख लिखा था, जो गत १६ अक्टूबर के 'सर्च लाइट' में उद्धृत किया गया है। उसी का अनुवाद श्री० दिवाकरप्रसाद जी विद्यार्थी ने हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।

—स० 'भविष्य']

मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? किस वस्तु में मेरा विश्वास है? मैं कैसे भारत का निर्माण चाहता हूँ? अच्छा, मैं और सभी बातों के पहले आपके सामने 'सत्य' की माँग पेश करने आया हूँ। सत्य जिस रूप में मैं उसे देखता हूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि सत्य ही जीवन की कुञ्जी है। इसी की नींव पर अन्यान्य वस्तुएँ टिकी हैं। जीवन की अथ-इति में सर्वत्र सत्य व्याप्त है तथा सभी बातों में सत्य को सर्वथा आगे रखना पूर्णतया सम्भव है। अपने लिए मैं यही करने की सदा चेष्टा करता हूँ। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में झूठ फ़रेब को कोई स्थान नहीं है। किसी भी ध्येय की प्राप्ति के लिए मैं छल की शरण नहीं जा सकता।

मेरे जो बहुत से उलटे-सीधे वर्णन निकले हैं, उन्हें मैंने ध्यान से पढ़ा है। कुछ लोग मुझे साधु कहते हैं। दूसरे शैतान समझते हैं। परन्तु मैं न तो साधु हूँ न शैतान। मेरी एक-मात्र आकांक्षा ईमानदार तथा ईश्वर-भीरु बनने की है और मेरा विश्वास है कि मैं कुछ अंशों में सफल हुआ हूँ।

अपने सम्बन्ध की जो बहुत सी भिन्न-भिन्न बातें मैं पढ़ता हूँ, वे मुझे क्षुब्ध नहीं करतीं। करें ही क्यों? मेरी अपनी अलग 'फ़िलॉसफ़ी' है और अपना ख़ास लक्ष्य। प्रत्येक दिन कुछ समय तक मैं चरख़ा कातता हूँ। कातता रहता हूँ और सोचा करता हूँ। बहुत सी बातें सोचता हूँ। पर उन विचारों से अप्रिय तीखापन दूर रखने की सर्वथा चेष्टा करता हूँ।

मेरे इस चरख़े का अध्ययन कीजिए। यह आपको ऐसी बहुत सी बातें सिखलाएगा, जिन्हें स्वयम् मैं सिखलाने में असमर्थ हूँ—अध्यवसाय, धन्धा और सादगी। भारत के करोड़ों भूखों के लिए यह चरख़ा मुक्ति-चिह्न है।

कमर की लँगोटी

मेरी पोशाक की, जिसे अख़बारों में 'कमर की लँगोटी' कहा गया है, समालोचना हुई है। इसकी खिल्ली उड़ाई गई है, तमाशा बनाया गया है। मैं इसे क्यों पहिनता हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ लोग इस पहनावे से क्रुद्ध भी गए हैं।

जब अङ्गरेज़ भारत जाते हैं तो क्या वे यूरोपीय वेश-भूषा छोड़ कर, जल वायु के लिहाज़ से अधिक उपयुक्त पूर्वीय पोशाक धारण कर लेते हैं? नहीं। और यही उन लोगों को मेरा उत्तर है जो पूछते हैं—मैं इङ्गलैण्ड में क्यों वही भारतीय पोशाक पहनता हूँ, जिसका मैं चिर-अभ्यस्त हूँ।

अङ्गरेज़ नागरिक की हैसियत से यदि मैं ज़िन्दगी बसर करने यहाँ आया होता तो यहाँ का रहन-सहन अपनाता और अङ्गरेज़ों की पोशाक पहनता। पर मैं तो यहाँ एक महान ध्येय-विशेष लेकर आया हूँ और यह मेरी 'कमर की लँगोटी' (यदि आप इसे यही कहना पसन्द करते हैं) मेरे सिद्धान्तों का परिच्छद है; भारतीयों की पोशाक है। एक पवित्र विश्वास की रक्षा का भार मुझे सौंपा गया है। मुझे एक ख़ास काम करने को दिया गया है। अतएव अपने ध्येय के, लक्ष्य का चिह्न धारण करना मेरे लिए आवश्यक है। अपने सम्बन्ध की विभिन्न व्याख्याएँ मुझे मनोरञ्जक जान पड़ती हैं, कभी-कभी आमोदप्रद भी। पर मैं अपनी जनता का केवल प्रतिनिधि हूँ। जिस कार्य का भार उसने मुझे सौंपा है, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।

हाँ, मैं स्त्रियों के लिए पूर्ण समानता का पक्षपाती हूँ तथा जिस भारत के निर्माण की चेष्टा कर रहा हूँ, उसमें स्त्रियों को पूर्ण समानता अवश्य मिलेगी। मुझे जो इतनी सहसेविकाएँ मिली हैं, उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा पवित्र ब्रह्मचर्य और स्त्रियों के प्रति मेरी स्वाभाविक सहानुभूति है।

सम्भवतः आपने सुना होगा, मेरे यहाँ स्त्रियों का स्थान नीचा है। पर यह समस्या का केवल बाहरी पहलू है। वास्तव में उनका प्रभाव सर्वदा सबसे ज़्यादा मज़बूत रहा है। सदियों से स्त्रियाँ पुरुषों के साथ-साथ, एक ही क्षेत्र में, काम करती आई हैं। यदि वे अपना हाथ खींच लेतीं तो कितने पुरुष भूखों मर गए होते।

खिलौने

फ़सलों की उपज में हमारी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ-साथ मिहनत मज़दूरी करती हैं। स्त्रियों का भी जीवन परिश्रमपूर्ण होता है। केवल अवकाश-प्राप्त अमीरों की श्रेणी में ही स्त्री-पुरुष की स्थिति विभाजक रेखा स्पष्टतः पाई जाती है। ऐश्वर्य-सम्पन्नता ने स्त्रियों के मस्तिष्क से व्यावहारिकता का धर्म भुला कर दूर कर दिया है। इस प्रकार ऐश्वर्यशालिनी स्त्रियों में एक प्रगति ज़ोर पकड़ रही है, महज़ आभूषण पहनने की, निरे खिलौने बन जाने की।

मैं कुल दफ़्तरों, रोज़गारों तथा उद्योग-धन्धों का द्वार स्त्रियों के लिए खुला देखना चाहता हूँ, नहीं तो वास्तविक समानता हो ही नहीं सकती। पर मैं पूरी सचाई के साथ विश्वास करता हूँ, स्त्री अपने लिए 'घर की रानी' का पुराना प्रतिष्ठित पद अक्षुण्ण रक्खेगी।

स्त्रियाँ इस राजपद से कभी हटाई नहीं जा सकतीं। सचमुच ही वह सूना घर होगा, जहाँ के सारे कार्य गृहिणी में केन्द्रीभूत न हों। उदाहरण के लिए मैं उस घर के सचमुच सुखी होने की कल्पना कदापि नहीं कर सकता, जहाँ पत्नी 'टाइपिस्ट' हो और घर में रहने का शायद ही मौक़ा पाती हो। ऐसी परिस्थिति में महा-दरिद्र परिवार के भी उज्ज्वल सितारे—उगते बच्चों की देख-रेख कौन करेगा?

पहले परिवार

ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जहाँ कर्तव्य-कुशल गृहिणी अपने बच्चों की रक्षा का भार किसी वेतन-भोगी व्यक्ति पर छोड़ कर बाहर निकलती है, अपनी रोटी आप पैदा कर सकती है और परिणाम-स्वरूप बच्चों के लिए अधिक द्रव्य दे सकती है। पर ऐसी स्त्री-विशेष की बात ही दूसरी है। जीवन के प्रत्येक पहलू में अपवाद होते ही हैं और इन अपवादों की भित्ति पर कोई सार्वभौमिक सत्य या सिद्धान्त नहीं खड़ा कर सकता।

साधारणतः परिवार के लिए रोटी कमाने का भार पिता पर है। यह जान कर कि उसे भरी-पूरी स्वस्थ गृहस्थी है, वह और जी-तोड़ परिश्रम कर सकेगा और सुकुमार शिशुओं के समुचित लालन-पालन का सुख, जिसे वे केवल अपनी माताओं ही से पाने की आशा रखते हैं, हड़प बैठना घोर अन्याय होगा।

अपने बच्चों का उचित पालन-पोषण तथा उनका चरित्र-निर्माण माता के पावन कर्तव्य हैं। मेरी मनो-कामना है, स्त्रियाँ पुरुषों के साथ पूरी स्थिति-समानता पाने का अमोघ प्रयत्न अवश्य करें। पर यदि माता सन्तान के प्रति अपने सारे फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकी तो कोई भी इस घोर क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता।

कोई भी जाति, कैसा भी परिवार क्यों न हो, बच्चे का जीवन उसके लिए अग्रतम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इसकी पावनता की रक्षा करनी ही होगी। इसी पर राष्ट्र का मङ्गल, जाति का कल्याण निर्भर करता है। बुरा हो या भला, पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव पड़ता ही है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता। कोई भी समाज क़ायम नहीं रह सकता, अगर पारिवारिक जीवन के स्वत्वों की रक्षा न की जाय।

कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी महान ध्येय या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मेरे ही समान पारि-वारिक जीवन का मधुर आनन्द छोड़, आत्म-बलिदान और कठोर ब्रह्मचर्य का जीवन अपने लिए अधिक पसन्द करें। पर जनता के लिए—सर्व-साधारण के लिए—पारिवारिक जीवन की सुविधाएँ सुरक्षित रखना आवश्यक हैं।

❀

मि० ब्रेल्सफ़र्ड और महात्मा गाँधी की मनोरञ्जक बातचीत

[इङ्गलैण्ड के विख्यात पत्रकार मि० ब्रेल्सफ़र्ड को 'भविष्य' के पाठक भूले न होंगे। गत सत्याग्रह संग्राम के समय आप भारतवर्ष का भ्रमण करने आए थे और कई पक्षपातहीन लेखों द्वारा यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति और उसके भविष्य पर प्रकाश डाला था।

गत ५ अक्टूबर को आपने महात्मा गाँधी से मुलाकात करके भारत की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में जो आलोचना की थी, उसका विस्तृत विवरण इङ्गलैण्ड के कई अख़बारों में छपा है, उसी का मर्मानुवाद हम 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे देते हैं :—

—स० 'भविष्य']

मि० ब्रेल्सफ़र्ड—नमक पर जो कर लगाया गया है, उसके उठ जाने पर सरकार की आमदनी घट जाएगी। इस घाटे की पूर्त्ति के लिए आप कौन सा उपाय काम में लाएँगे ?

महात्मा गाँधी—नमक-कर एक मामूली कर है, इसके उठ जाने से विशेष घाटा नहीं होगा। वास्तविक समस्या है ताड़ी और शराब आदि मादक द्रव्यों के कर से होने वाली आमदनी। अगर मादक द्रव्यों का प्रचलन बन्द कर दिया गया तो भारतीय राज-कर में विशेष कमी की सम्भावना है। परन्तु इसकी पूर्त्ति का एक मात्र उपाय है, सामरिक व्यय में कमी करना। यह फ़ौजी ख़र्च ही राक्षस की तरह हमारा रक्त चूस रहा है। इस शोषण को अवश्य ही बन्द कर देना होगा।

ब्रे०—हमारा ख़्याल है कि यही गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में प्रधान आलोच्य विषय होगा।

म०—निश्चय ही। इस प्रश्न को किसी तरह भी छोड़ा नहीं जा सकता।



मि० ब्रेल्सफ़र्ड

ब्रे०—तो क्या गोरी फ़ौज को एकदम भगा देना ही आपका अभिप्राय है ?

म०—निश्चय ही मैं उन्हें बिदा कर देना चाहता हूँ।

ब्रे०—परन्तु सेना-विभाग के अलावे जो और गोरे राज-कर्मचारी हैं, उनकी भी गणना क्या आप फ़ौजी कर्मचारियों के साथ ही करेंगे ?

म०—हमारे ऊपर जो भार लदा है, उसके लिए कुछ अंशों में ये भी ज़िम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण हमारे देश का शासन-सम्बन्धी ख़र्च इतना बढ़ा हुआ है। ये लोग जो वेतन लिया करते हैं, वह कदापि न्याय-सङ्गत नहीं है। विलायत में इस श्रेणी के राज-कर्मचारी जिस प्रकार जीवन यापन करते हैं, उनकी अपेक्षा ये भारतीय गोरे कर्मचारी अधिक ख़र्चीला जीवन बिताते हैं।

ब्रे०—बड़ी तनख़्वाहों के बारे में क्या कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये बेचारे गोरे राज-कर्मचारी अपने बाल-बच्चों को छोड़ कर निर्वासित की तरह विदेश में रहते और वहाँ की भीषण गर्मी में रहने को बाध्य होते हैं। क्या इसका बदला उन्हें नहीं मिलना चाहिए ?

म०—नहीं। क्योंकि आजकल वह पुरानी अवस्था नहीं है। आने-जाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। इसके फल-स्वरूप प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। प्रत्येक दो सप्ताह के बाद विलायती डाक बँटती है। इसलिए गोरे कर्मचारी आसानी से अपने परिवार-वर्ग के साथ पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में शैल-शिखर पर चले जाने की व्यवस्था है। इससे उनकी तकलीफ़ बहुत कुछ कम हो गई है। वे अगर हमारे साथ मिल कर भारतवासी की तरह रहना स्वीकार करें, हम बड़े आदर के साथ उनकी अभ्यर्थना करेंगे। परन्तु वे तो हमसे अलग रहते हैं, हमारे साथ मिल-जुल कर रहना पसन्द ही नहीं करते। कैण्टोन्मेण्ट ही उन्हें अधिक पसन्द है। उन कैण्टोन्मेण्टों में आज भी फ़ौजी क़ानून जारी है। कैण्टोण्मेण्ट की सीमा के अन्दर के हर एक मकान को सरकार जब चाहे दख़ल कर सकती है। सैनिक अगर कह दें कि इस मकान की हमें ज़रूरत है तो उसकी रक्षा नहीं, उसे सरकार अवश्य ही दख़ल कर लेगी।

ब्रे०—सेना विभाग के सम्बन्ध में प्रधानतः दो प्रश्न उठ सकते हैं। पहला यह कि सेना पर भारतवासियों का अधिकार रहना उचित होगा या नहीं। यह नीतिगत प्रश्न है। दूसरा यह कि सेना की संख्या घटा कर ख़र्च कम करना चाहिए या नहीं। यह अर्थनीतिक प्रश्न है। क्या आप इन दोनों प्रश्नों पर ज़ोर देना चाहते हैं ?

म०—हमें पहले तो यही देखना होगा कि अपने देश के सेना-विभाग पर हमारा अधिकार है या नहीं ?

ब्रे०—जिस जाति का ऐसा कोई अधिकार नहीं, उसे तो एक सम्पूर्ण राष्ट्र स्वीकार ही नहीं किया जा सकता।

म०—जो लोग यह कहा करते हैं कि पठानों के आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए गोरी सेना का रहना अनिवार्य है। उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी संरक्षता में रहना अब हमें स्वीकार नहीं है। हमें अपनी इच्छानुसार रहने का अधिकार मिलना चाहिए। हम पठानों के साथ लड़ सकते हैं और प्रयोजन होने पर उन्हें प्रसन्न रखने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। असल बात यह है कि स्वाधीन भाव से काम करने का अधिकार हमें होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए गोरी सेना को भारत में रखने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता। परन्तु हमसे कहा जाता है कि किसी भी भारतीय सरकार को गोरी सेना पर शासन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

ब्रे०—उनकी सम्मति के बिना गोरी सेना भारतवासियों के अधीनता में नहीं रक्खी जा सकती। परन्तु मेरा ख़्याल है कि सन्तोषजनक व्यवस्था होने पर इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो भारतवासियों की अधीनता में काम करना स्वीकार कर लेंगे।

म०—(प्रसन्नता से) हाँ, इसी उपाय से समस्या का समाधान हो सकता है। परन्तु मुझे आशङ्का हो रही है कि सैन्य संख्या कम कर देने से आपके देश के बेकारों की संख्या कुछ और बढ़ जायगी।

ब्रे०—अच्छा, अगर नीति के हिसाब से ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर भारतवासियों का कर्तृत्व स्वीकार कर लिया जाय तो क्या आप सेना की संख्या, उनका ख़र्च और अन्यान्य विषयों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँगे।

म०—हाँ, अगर भारत के स्वार्थ के विरुद्ध कोई बात न हो तो इस प्रस्ताव पर विचार करने को हम तैयार हैं।

ब्रे०—हम समझते हैं, वह प्रस्ताव आपकी अपेक्षा हमारे स्वार्थों के ही अधिकतर अनुकूल होगा।

म०—(हँस कर) जो हो, हम इसमें राज़ी हैं।

ब्रे०—सेना-विभाग पर अधिकार करने के सम्बन्ध में जो नीतिगत बात आपने कही है, वही सारी जटिलता का कारण है। इसी नीति के कारण ही सारा झमेला हो रहा है। नीति के अनुसार आपको ऐसा अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह की बात हमारे ख़्याल में नहीं आती। परन्तु सेना की संख्या में कमी करने की बात अलग है। किसी अंश में उसी की पूर्त्ति होगी। निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्मेलन में ब्रिटिश जाति का आग्रह है। शीघ्र ही हम लोग इस सम्बन्ध में अग्रसर होंगे। इस सुयोग के समय भारतीय सेना में कमी हो जाना कुछ असम्भव नहीं है।



महात्मा गाँधी

म०-हमें जो चाहिए, वह मैंने बता दिया है। मैं क्या चाहता हूँ, वह सब ने जान लिया है। परन्तु अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कितना वे मञ्ज़ूर करेंगे, यह बताने में मानो उन्हें भय मालूम हो रहा है। परन्तु मैं अपेक्षा करने के लिए भी प्रस्तुत हूँ।

ब्रे०—अर्थ-सङ्कट के कारण हम लोग परेशान हैं, इस समय विशेष कुछ काम न होगा। इसलिए अपेक्षा करना ही उचित होगा।

म०—इससे शायद सुविधा ही हुई है।

ब्रे०—मैं एक बाहरी आदमी हूँ और उसी के अनुसार प्रश्न भी कर रहा हूँ। क्या आपके पथ में और कोई अड़चन नहीं है ? भारतीय नरेश क्या आपकी अभीष्ट-सिद्धि के पथ में रोड़े नहीं हैं ?

म०—भारतीय नरेश वास्तव में ब्रिटिश सरकार के ही कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सरकार का आदेश उन्हें मानना पड़ता है। इसलिए वे भारतीय वेष में ब्रिटेन के ग़ुलाम होने के सिवा और कुछ नहीं हैं।

(शेष मैटर १२वें पृष्ठ में देखिए)



भविष्य

२ नवम्बर, सन् १९३१

ग्रेट-ब्रिटेन की मनोवृत्ति

आज़ादी की प्यास भारत के प्रत्येक प्राणी में असह्य वेदना उत्पन्न कर रही है। हमारे देश के विद्वान, जो समझदारी और दूरन्देशी में संसार की किसी भी जाति से कम नहीं हैं, उस उपाय को काम में लाने के अगुआ हैं, जिससे हमारी ग़ुलामी मिट सकती है। हमारे दूकानदार और दूसरे ग़ुलामी में फँसे हुए औसत दर्जे के लोग आज़ादी हासिल करने की आशा और उत्साह से भरे हुए काम करने को तैयार खड़े हैं। हमारे देश के कारीगर, मज़दूर और कला-कौशल के पण्डित अब अधिक पूँजीवादियों की एड़ी तले पिस कर जान देने को पाप समझ चुके हैं। वह दिन अब नहीं रहे, जब हमारे किसान रात-दिन खेतों में जान खपा कर भी धरती के ऊपर और आसमान के नीचे अपना कोई स्थान नहीं देखते थे, पके हुए खेतों से बहुत सा अनाज इकट्ठा कर लेने पर भी भूखे-प्यासे सो जाते थे और चूं तक भी न करते थे। आज हमारे अधिकांश बच्चे कॉलेजों और स्कूलों में केवल इसलिए पढ़ना नापसन्द करते हैं, कि वह अपने देश में रहते विदेश की ग़ुलामी करके आधे पेट खाने से सन्तुष्ट नहीं हैं। आज हमारे देश की स्त्रियाँ अपने प्रकृत अधिकार, मान-मर्यादा और अपने तथा अपने बच्चों के प्यारे प्राण बचाने के लिए सब तरह की कठिनाइयाँ झेलने को सहर्ष दौड़ पड़ती हैं।

यह भारत की बेचैनी है, यह उसकी स्वराज्य-प्राप्ति की उत्कण्ठा है, जिसे वह प्रत्यक्ष व्यवहार में—ऐसे प्रकाश रूप में दिखा रहा है, कि जिससे कोई आँख खोल कर देखने वाला इन्कार नहीं कर सकता। अगर ग्रेट-ब्रिटेन के विद्वान, जिनके हाथों में शासन की बाग-डोर है, हुकूमत के अख़्तियारात हैं, नहीं देख सकते तो यह मनुष्य-जाति के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि आज ब्रिटेन भारत की शक्ति को नहीं देख सकता तो वह अपनी त्रुटियों और कमियों के लिए ज़िम्मेदार है।

भारत समझने लगा है कि उसके लिए विदेशी तलवार के साए में जीवन व्यतीत करना घोर अपमान है। वह दूसरों को सताने का स्वप्न में भी विचार नहीं रखता, लेकिन वह दूसरों से भी सताया जाना पसन्द नहीं करता, वह औरों पर अत्याचार नहीं करता तो औरों का अत्याचार भी मौन होकर नहीं सह सकता। इसी प्रकार जब भारत पर अङ्गरेज़ों का विश्वास नहीं रहा तो अङ्गरेज़ों पर भारत का भी विश्वास न होना बहुत स्वाभाविक है। विश्वास से विश्वास और अविश्वास से अविश्वास ही उत्पन्न होता है। यदि हमारे सद्भावों और धार्मिकता पर ग्रेट-ब्रिटेन का विश्वास होता तो भारत में अपने हाथ के नीचे एक प्रबल सेना का केवल भारतवासियों को दबाए रखने के उद्देश्य से रखना, वह ज़रूरी न समझता, न ऐसी अनुचित बात के लिए हठ करता।

सम्भव है कि हमारे देश के मुट्ठी भर लोग, चाहे वे राजा-रईस हों, चाहे ताल्लुक़ेदार-ज़मींदार अथवा स्वार्थी धर्मान्धों का जत्था—अपने देश को ग़ुलाम बनाए रखने ही में अपना भला देखते हों। यह थोड़े से लोग भारत की करोड़ों आदमियों की आबादी में अगण्य हैं। भारत इनसे नहीं बनता, भारतवर्ष ८९ प्रति सौ लोगों का नाम है, जो वर्तमान हुकूमत से नाराज़ और बेज़ार हो चुका है। इतनी बड़ी जनता का नाम-निशान ज़मीन पर से मिटा देना असम्भव है इतनी बड़ी जनता के नामोनिशान मिटाने की कोशिश करना नादानी है। यह तो प्रेम से ही बँध सकती है, न कि सेना की तलवार और बन्दूक़ के भय से। लेकिन दुख से देखा जाता है कि ग्रेट-ब्रिटेन के हथियारख़ाने में बहुत तरह के क़ातिल, मारात्मक हथियारों के होते हुए भी प्रेम और विश्वास के नागफाँस नहीं हैं।

जब तक भारत को अपने देश के वसूल किए हुए कर को अपनी सुविधा और ज़रूरत को देख कर ख़र्च करने का अधिकार न होगा, जब तक उसे यह अधिकार न होगा कि अपनी समझ के मुताबिक़ कर लगाए, अपनी ज़रूरत देख कर नौकर रक्खे, अपने ख़ज़ाने की शक्ति देख कर वेतन दे और अपनी आर्थिक रक्षा अपने ढङ्ग से करे; तब तक देश की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। और जब तक कि दरिद्रता दूर न हो तब तक शान्ति का होना असम्भव है।

इधर के नवीन सम्वादों से, जो देशी और विलायती समाचार-पत्रों से अथवा निज सम्वाददाताओं से मिलते रहते हैं, निश्चय किया जाता है कि भारत को अपने धन पर कोई अधिकार न होगा और वह इसलिए कि अगर ख़ज़ाने पर भारत का अधिकार होगा तो ग्रेट-ब्रिटेन हर साल भारत की सारी आमदनी का तीन चौथाई से अधिक रुपया फ़ौज और सिविलियनों के ख़र्च के नाम से आज़ादी के साथ बरबाद न कर सकेगी, न मनमाना टैक्स लगा सकेगी।

सेना की बाबत हमारे 'एक-मात्र प्रतिनिधि' के घोर विरोध करने पर भी जो तजवीज़, भारत को स्वराज्य देने की, लॉर्ड साङ्की तैयार कर रहे हैं, उसमें साफ़ यह बात रक्खी गई है कि फ़ौज और पर-राष्ट्र-नीति (विदेशों के सम्बन्ध की नीति) सदा की भाँति इङ्गलैण्ड के महाराज के हाथ में रहेगी और इन मुहकमों का काम उन मिनिस्टरों (सचिवों=वज़ीरों) के हाथ में रहेगा जो महाराज इङ्गलैण्ड के सामने अपने कामों के ज़िम्मेदार होंगे, न कि भारत की सरकार के सामने! इससे भी साफ़ ज़ाहिर है कि इङ्गलैण्ड की नौकरशाही (केबीनेट) और भारत की नौकरशाही का ही लड्डू सदा की भाँति पुजता रहेगा। (पाठकों को जान लेना चाहिए कि जैसे पुजारी लोग देवी-देवता का नाम लेकर अपनी मनमानी करते हैं, वैसे ही महाराज इङ्गलैण्ड (क्राउन) के नाम की दुहाई देकर इङ्गलैण्ड के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं)

हमें तो यही गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की दो बार की लम्बी-चौड़ी बैठकों का नतीजा नज़र आ रहा है।

❀ ❀ ❀

देशी रजवाड़े और भारत-सरकार

किसी आदमी के लिए भारत-सरकार की नीति को जान लेना एक कूट-पहेली है, इसके न्याय का रूप पहचान लेना एक असम्भव काम है। अलवर की रियासत के भीतर नीमुचाना में लोमहर्षण-काण्ड हो गया, गाँव जलाया गया, कितनों के प्राण-कीट पतङ्गों की तरह अधिकारियों की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का आसन नहीं डोला, न तो कोई जाँच-कमिटी बैठी, और न कोई कमीशन ही नियत हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर देना सरकार के अधिकार-प्राप्त कर्मचारियों का ही काम है। बाहिरी आदमी तो अनुमान मात्र कर सकता है।

फिर रियासत निज़ाम हैदराबाद की गुलबर्गा की घटना को याद करते हैं, तो भी यही मालूम होता है कि गवर्नमेण्ट ने हिन्दुओं के प्राणों का मूल्य इतना भी नहीं समझा कि वहाँ कोई जाँच-कमिटी या कमीशन नियत करती। गुलबर्गा के मामले में हिन्दुओं ने कोई राज-विद्रोह नहीं करना चाहा था।

ब्रिटिश सरकार को यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि निज़ाम हैदराबाद में १०० में ९० हिन्दू हैं, इन हिन्दुओं को अपने मन्दिरों के जीर्णोद्धार की इजाज़त नहीं दी जाती, इनके लिए इनकी मातृ-भाषा तेलगू और धर्म-भाषा संस्कृत पढ़ाने का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है। क्या सम्भव नहीं है कि इस प्रकार के अनेक कष्टों और अत्याचारों को सहते-सहते कभी प्रजा में घोर असन्तोष पैदा होकर विद्रोह के रूप में फूट पड़े? क्या इस प्रकार के उपद्रवों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य नहीं है कि पहले से ही प्रबन्ध करे?

हाल में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने काश्मीर-काण्ड की तहक़ीक़ात के लिए एक कमीशन बैठाया है। मुसलमानों की माँगें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। सम्भवतः इन पर विचार होगा।

कोई भी समझदार आदमी नहीं चाहता कि देश के किसी भी राज्य में फ़ज़ूल ख़र्च, बदचलन, नशेबाज़ और अत्याचारी शासक हो। देशी रजवाड़ों में जो अन्याय होते हैं, उन्हें देख कर यह कहना अत्युक्ति न होगा, कि देशी रियासतों की रहने वाली जनता मनुष्य ही नहीं समझी जाती! यह परिस्थिति सर्वथा अवाञ्छनीय है।

ब्रिटिश सरकार का प्रधान धर्म यह होना चाहिए कि वह सब रजवाड़ों के लिए ऐसा प्रबन्ध करे कि कोई राजा, नवाब कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो, जनता के धर्म और संस्कृति में, घर की पवित्रता और कुल-मर्यादा में हस्तक्षेप न कर सके, मनुष्यों के प्राणों की पवित्रता को न भूले। सरकार की ओर से इस धर्म

का पालन नहीं होता। धर्म, सच्चाई और ईमानदारी चाहता है। जो बातें काश्मीर के मुसलमान काश्मीर में राज-नियम के अनुसार कराना चाहते हैं, वैसी ही परिस्थिति भोपाल और निज़ाम हैदराबाद में होनी चाहिए।

यह हम जानते हैं कि देशी रियासतों के शासक ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों की तरह बिल्कुल फ़जूल हैं, परन्तु विदेशी सरकार की सुविधा इसीमें है कि वह बने रहें, सरकार को पैसे की तहसील-वसूल में कष्ट न उठाना पड़े। इसलिए जब तक भारत की बहुत सी जनता इस ग़ुलामी दरग़ुलामी के प्राणघातक पञ्जे से छुटकारा न पावे, तब तक यह ज़रूरी है, कि कम से कम उतनी स्वतन्त्रता तो उन्हें मिले, जितना कि ब्रिटिश भारत की जनता को प्राप्त है!

ब्रिटिश भारत में हो या देशी राज्यों में, ब्रिटिश सरकार द्वारा हो या देशी राजाओं के द्वारा हो, पक्षपात का होना किसी दशा में हितकारी नहीं होता। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को कम से कम अपने न्याय, अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी का विश्वास स्थापित करने के लिए वही काम करना चाहिए, जिसमें जनता उसे पक्षपात का लाञ्छन न लगा सके। जो प्रचार महाराजा काश्मीर के विरुद्ध लन्दन में और भारत में हो रहा है, उसे देख कर भारतवासियों को पुराना काश्मीर का षड्यन्त्र याद आता है और अनुमान होता है कि इस बार भी काश्मीर को बरबाद करने के लिए वही हाथ काम कर रहे हैं, जो महाराजा गुलाबसिंह के समय में करते थे।

हैदराबाद में जो ज़ुल्म होते हैं और हो सकते हैं, उनका अनुमान हमको लखनऊ के 'हमदर्द' के उन शब्दों में मिलता है, जो उसने महाशय ख़ुशहालचन्द, मालिक 'मिलाप' लाहौर, के सम्बन्ध में इसलिए लिखा है, कि उन्होंने हैदराबाद रियासत में होने वाले अत्याचारों का उल्लेख किया था। ऊपर सङ्केत किए गए शब्द ये हैं:—

"महाशय ख़ुशहालचन्द अगर कहीं दकन में मौजूद होते तो उनको जान सलामत लाना दुशवार हो जाता। लाहौर में बैठ कर वह जो चाहें, लिख सकते हैं।"

❀ ❀ ❀

बिजली कम्पनियों की लूट

विलायत में मेहनत अर्थात् मज़दूरी महँगी है, कोयले और तेल का दाम भी महँगा है, फिर भी वहाँ एक पेनी प्रति यूनिट बिजली ग़रीबों को मिल सकती है। भारत में यह सब चीज़ें सस्ती हैं। इसके अतिरिक्त 'हाइड्रो इलेक्ट्रिक सरवे' ने सिद्ध कर दिया है कि भारत में सस्ती और बलवती बिजली की शक्ति भरी पड़ी है, ज़रूरत है ऐसे समझदार व्यापार-बुद्धि वाले की, जो अपने स्वार्थ का अन्धा न हो, किन्तु देश की जनता का हित ईमानदारी के साथ देखता हो।

कोयले और कच्चे तेल के दाम के ऊपर ही बिजली पैदा करने के ख़र्च की कमी या बेशी निर्भर होती है। आठ आना टन की कमी-बेशी से बिजली पैदा करने के ख़र्च ·०१ आना का अन्तर पड़ता है।

अगर कलकत्ते में ·१९२ आना प्रति यूनिट बिजली पैदा करने में ख़र्च पड़ता है, तो लाहौर में, जहाँ कोयले का दाम ५) टन अधिक पड़ता है, ·२८२ आना पड़ेगा, (१० × ·०१ × ·१९२) इसलिए कलकत्ते और लाहौर के बीच की जगहों में इसी हिसाब से कम ख़र्च पड़ेगा। ·२९२ आना का अर्थ है साढ़े तीन पाई प्रति यूनिट (१२ पाई का आना होता है)।

कलकत्ते और उससे लगी हुई जगहों में पौन आना से एक आना यूनिट तक सड़क पर रोशनी करने के लिए बिजली दी जाती है और बड़े-बड़े कारख़ाने वालों को ·२९३ अर्थात् साढ़े तीन पाई यूनिट दी जाती है, फिर भी ७० लाख रुपयों का नफ़ा होता है। ज़मीन के नीचे के तारों, ऊपर के तारों और मैशीन आदि की घिसाई और खपत का ख़र्च काट कर इस दर पर बिजली बेच कर इतना भारी नफ़ा कलकत्ते में हो सकता है, तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता?

संयुक्तप्रान्त में और आगे उत्तर की ओर ।=) यूनिट दाम लिया जाता है अर्थात् ग्यारह गुणा से भी अधिक नफ़ा किया जाता है; दो पैसे की चीज़ का ।=) लेना नफ़ा नहीं है, डकैती है, लूट है, ठगी है, जिसे गवर्नमेण्ट भी रोकना नहीं चाहती। या तो गवर्नमेण्ट में सब नालायक़ लोग हैं, हिसाब-किताब नहीं समझते, इसलिए जनता के हिताहित का इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं कर सकते या उनका निज का स्वार्थ है। दोनों दशाएँ बुरी हैं। नालायक़ और स्वार्थी व्यक्ति पब्लिक सरविस से जितनी जल्दी निकाला जाय, उतना ही अच्छा है।

मद्रास में पङ्खे और रोशनी के साधारण कामों के लिए बिजली कम्पनी चार आने यूनिट लेती है, किन्तु इसमें भी कम लूट नहीं है।

मद्रास के सम्बन्ध में यू० पी० कौन्सिल के प्रश्नों से ही प्रकट है कि:—

१—बाज़ार की लेम्पों के, जो ४० 'वॉट्स' की होती है, पाँच घण्टा रोज़ जलाने के लिए १॥) महीना लगता है।

२—सौदागरों की दुकानों, मकानों और क्लब वग़ैरह से =)॥ यूनिट लिया जाता है।

३—दूसरे अनेक कामों के लिए (मकान गर्म करने, खाना बनाने वग़ैरह) एक आना यूनिट और पाँच रुपया महीना अलग लगता है।

४—मैशीन चलाने के लिए -)। यूनिट लिया जाता है।

ज़मानत जमा करने में भी लूट देखी जाती है। यू० पी० की बिजली कम्पनी का पेट प्रसिद्ध लम्बोदर के पेट से भी बड़ा जान पड़ता है। बिजली ख़र्च करने वालों से यह दिन-दिन ज़मानत जमा करने की रक़म भी बढ़ाती रहती है। इण्डियन इलेक्ट्रो-सिटी ऐक्ट ज़मानत के सम्बन्ध में धारा ६ की उपधारा १ की वाक्यावलि 'अ' बतलाती है कि 'पर्याप्त' ज़मानत जमा की जाए (न कि अनाप-शनाप) और उसका उचित प्रतिफल लाइसेन्सी को दिया जाए।' ज़्यादा ज़मानत जमा कराना कम्पनी की धृष्टता है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि बिजली पैदा करने में लगभग आध आना यूनिट था ३=) प्रति १०० यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च पड़ता है। अभी तक किसी बिजली कम्पनी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। अगर कोई बिजली कम्पनी इसका प्रतिवाद करेगी और हमको मालूम होगा, तो हम सहर्ष उसके प्रश्नों का ब्योरेवार उत्तर देने को तैयार हैं।

हम चाहते हैं, देशवासी इस नादिरशाही लूट के विरुद्ध अधिक से अधिक आन्दोलन उठावें और तब तक शान्त न हों, जब तक उनके साथ न्याय न किया जाय। आवश्यकता पड़ने पर हम बिजली का तब तक बहिष्कार भी करने के पक्ष में हैं, जब तक बिजली कम्पनी की बुद्धि ठिकाने पर न आ जाय। हमारा विश्वास है कि विशेष-कर कानपूर तथा इलाहाबाद की जनता इस मामले में अग्रगण्य होकर अन्य प्रान्तों के लिए एक सबल उदाहरण उपस्थित करेगी।

हम स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं।

❀ ❀ ❀

निराशा की काली रेखा

हमको तो अपने जीवन में कभी भी यह विश्वास नहीं हुआ कि ग्रेट-ब्रिटेन भारत के साथ न्याय करेगा और सहर्ष हमें हमारे देश का शासन सौंप देगा, ख़ास कर उस रूप में, जिस रूप में महात्मा जी ने कॉन्फ्रेन्स के सामने रक्खा है।

इस समय यह परिस्थिति है कि महात्मा जी चाहते हैं कि ख़ज़ाने और सेना पर भी हमारा पूरा अधिकार हो और हम इस बात के लिए भी स्वतन्त्र रहें कि जब चाहें अपना नाता ग्रेट-ब्रिटेन से तोड़ लें। ब्रिटिश जाति के शासन की बागडोर जिनके हाथ में है, वे लोग यह चाहते हैं कि तलवार और दौलत हमारे हाथ में हो, और सब कुछ भारतवासी ले लें। यह एक प्रकार का वैसा ही बटवारा है, जैसे ईरान का एक प्रहसन प्रसिद्ध है। प्रहसन इस प्रकार है:—

दो भाइयों में झगड़ा हो जाने के कारण उन्हें आपस में अपनी सम्पत्ति बाँटने की ज़रूरत पड़ी। छोटे भाई ने कहा कि इस प्रकार की घरू लड़ाई में सम्पत्ति बाँटने के लिए बाहिरी आदमियों को बुलाना अच्छा नहीं जान पड़ता। मैं यथोचित बटवारा स्वयम् किए देता हूँ, यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप बड़े भाई हैं, आपका हक़ है कि आप हिस्से में मुझसे कुछ ज़्यादा पाएँ। इसी विचार के अनुसार जब बटवारा शुरू हुआ तो पहले उसने घर का हिस्सा इस प्रकार किया:—

अज़ सोरा ता लबे खाना अज़ाने मन।
अज़ लबे बाम ता सुरैया अज़ाने तो।

अर्थात्—धरती से लेकर मकान के ऊपर तक तो मेरी सम्पत्ति होगी और मकान के ऊपर से लेकर सातवें आसमान तक तेरी जायदाद रहेगी।

ठीक इसी प्रकार ग्रेट-ब्रिटेन भी अपनी पूर्ण उदारता से हमें सारे मुक़दमों का भार देने को तैयार है, हमारी किसी माँग को वह ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन आख़िर कुछ थोड़ा सा उसे भी चाहिए और वह थोड़ा अधिकार है ख़ज़ाना और सेना!!

अब तो डॉक्टर सर तेजबहादुर सप्रू सदृश गौराङ्ग-चरणानुरक्तों के भी होश ठिकाने आ गए हैं। सभी प्रतिनिधि, जो गोलमेज़ में भारत से गए हैं, यह कहते सुनाई देते हैं कि सैनिक प्रश्न पर जब ब्रिटिश सरकार का रुख़ इतना कड़ा है कि जिससे भारत से प्रत्यक्ष विरोध और अविश्वास की झलक आ रही हो, जब ब्रिटिश सरकार अपनी अर्थ-नीति पर इतनी अटल है कि हमारी कुछ सुनना और मानना ही नहीं चाहती, तो हमारे देश के ८९ प्रति सौ ग़रीबों के परित्राण का कोई उपाय ही शेष नहीं रहता। इस दशा में गोलमेज़ का परिणाम कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आता।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के इस कहने पर कि 'करेन्सी कमीशन' ने निर्णय कर दिया था कि रुपए को स्टर्लिङ्ग के साथ नत्थी न किया जायगा, क्योंकि कमीशन को सन्देह था कि 'स्टर्लिङ्ग' स्वर्णमान का सम्बन्ध तोड़े तो क्या हो। इसके बाद सर पुरुषोत्तमदास ने पूछा कि सरकार १८ पेन्स का रुपया कैसे स्थिर रखना चाहती है। सरकार का कर्तव्य तो यह है कि रुपया को अपने बल पर छोड़ दे। इससे किसानों को पैदावार के बदले में कुछ ज़्यादा रुपए मिलें और उनको दुख में सहारा देंगे।

सर हेनरी स्ट्रेकोश सर पुरुषोत्तमदास की बात का उत्तर घूँट जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें दूसरे सदस्यों ने गला दबा कर उत्तर देने के लिए बाध्य किया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने सोच-समझ कर स्टर्लिङ्ग

के बिक्री का भाव नियत किया है। सरकार स्टर्लिङ्ग को १६-२० पेन्स तक जाने देने को तैयार है।

अन्त में महात्मा जी ने साफ़ कह दिया कि मैं वर्तमान सम्मिलन से यह बात ख़ूब समझ कर जाता हूँ कि सरकार की सिक्के की नीति साधारण जनता के हिताहित के विचार के ऊपर आधार नहीं रखती और ऐसा ही मेरा विश्वास उस समय तक रहेगा, जिस समय तक सर बेसल ब्लेकर और सर हेनरी स्ट्रेकोश जनता के हित की दृष्टि से अपना पक्ष सत्य न सिद्ध कर देंगे।

❀ ❀ ❀

संयुक्त-प्रान्त और अवध में लगातार किसानों पर कर के लिए अमानुषिक व्यवहारों के करने की ख़बरें आ रही हैं। सरकार अपनी घोषणा में उनका खण्डन करती है। लेकिन जिन बातों को कॉङ्ग्रेस के विश्वस्त कार्यकर्ता अपनी आँखों से देख कर आते हैं, जिन बातों को ग्रामों के निवासी अपनी राम-कहानी में हमें सुनाते हैं, जिन कृत्यों को हम मनुष्यों के शरीर पर देखते हैं, उन्हें कैसे झूठ मान लिया जाय? मनुष्य का स्वभाव है कि वह आँखों का विश्वास कानों की अपेक्षा अधिक करता है।

❀ ❀ ❀

सर सपरू के सुख-स्वप्न

गत २१वीं अक्टूबर को सङ्घ-योजना कमिटी में भाषण देते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर सर तेजबहादुर सप्रू ने भारतीय हाईकोर्टों की प्रशंसा करने में चारणों तथा भाटों तक को मात कर दिया। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के स्थापना की आवश्यकता बतलाते हुए आपने यहाँ तक कह डाला—

"....if there was one institution established in British India by British Rule of which people could be proud, it was High Courts. They were institutions to which people looked for protection of their lives, safety, honour and freedom....."

सारांश यह कि "यदि भारत में अङ्गरेज़ी शासन द्वारा कोई प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, तो वह हाईकोर्टों का संस्थापन है। एक यही संस्था ऐसी है, जिस पर भारत की जनता अभिमान कर सकती है और यही ऐसी संस्था है, जिससे भारतवासी सहायता, रक्षा, न्याय तथा स्वतन्त्रता की आशा करते हैं।"

सर सपरू अपनी ओर से हाईकोर्टों के संस्थापन की चाहे जितनी प्रशंसा करते, हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसी की बदौलत उनका विकास हुआ है, उनकी उन्नति हुई है और उन्होंने उसीके द्वारा प्रचुर ऐश्वर्य संग्रह किया है; किन्तु भारतवासियों की ओर से उनका यह कहना कि प्रत्येक भारतवासी हाईकोर्टों के न्याय और धर्म पर गर्व करता है और उस पर लट्टू है; अपने आपको धोखा देना है। यदि सर सपरू को कभी स्वयं न्याय के लिए हाईकोर्टों का दर्वाज़ा खटखटाना पड़ता, तो हमारा विश्वास है, वे कदापि इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते थे। अभागे भारतवासियों के पास 'कमज़ोर दिल्ली वालों की' एक लम्बी सूची है, जो अङ्गरेज़ों के आघात से स्वर्ग सिधार चुके हैं, पर अङ्गरेज़ों को इस 'सुकृति' के लिए बेदाग़ छोड़ दिया गया। पर यह रोना तो निर्धन असहाय भारतवासियों का है। सर सपरू को इन अभागों से क्या सरोकार हो सकता है? आपकी एकमात्र साधना तो यह है कि देहली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो और आप उसके प्रधान जज नियुक्त किए जायँ, और वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए ऐसा हो जाना हमें कठिन भी प्रतीत नहीं होता।

❀ ❀ ❀



महात्मा गाँधी का बोझ

ब्रिटेन की समुद्री-सेना में अशान्ति

अङ्गरेज़ों के एटलाण्टिक महासागर के बेड़े के लोगों की अशान्ति पर जर्मनी की जनता और जर्मनी के प्रेसों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। जर्मनी में यह घटना साधारण मज़दूरी का नगण्य झगड़ा समझ कर नहीं छोड़ दी गई, बल्कि उसे बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। सब प्रधान सम्वाद-पत्रों ने इस घटना को बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर मुखपृष्ठ पर छापा है। इस घटना के वर्णन करने में जिसे हमने अशान्ति (हलचल) कहा है, जर्मनी के सारे सम्वाद-पत्रों ने बग़ावत का नाम दिया है। सम्वाद-पत्रों की शैली में उद्दण्डता नहीं है, आलोचना भी सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा गया, आभास मात्र दिया गया है। सङ्कीर्ण, उदार और साम्यवादी दल के पत्रों ने एक समान ब्रिटेन के नौसैन्य विभाग और उसके अफ़सरों की परिस्थिति सँभालने की चतुराई की प्रशंसा की है।

बर्लिन का उदारनीतिक पत्र, 'बर्लिनर टेगब्लैट' लिखता है:—

"इनवरगोरडन की घटना ने इङ्गलैण्ड की शान को भारी धक्का दिया है, ख़ास कर ऐसे मौक़े पर जब कि पौण्डका पुराना विश्वास लोगों में कमज़ोर पड़ता जाता है। दूसरा 'पत्र ड० अ० ओरङ्ग' कहता है, 'जिन दो बातों पर ब्रिटेन की शक्ति और अभिमान का आधार था, अर्थात् भारत और नौसैन्य, वह दोनों इस सप्ताह में आगे आ गईं'। इस पत्र ने एक साल पहले रणतरी 'रीवेञ्ज' और इस वर्ष के आरम्भ में पनडुब्बी 'लूसिया' के नाविकों के उभाड़ का भी वर्णन किया है। फिर कहता है कि इङ्गलैण्ड के बजट में १० करोड़ पौण्ड का ख़र्च कम होने को है, उसमें से आधी कमी नौसैन्य के हिस्से में आएगी, जिसमें से २० लाख पौण्ड नाविकों (जहाज़ियों) के वेतन से काटा जायगा। जहाज़ियों की मज़दूरी ४ शिलिङ्ग रोज़ से ३ शिलिङ्ग रोज़ होगी, जब कि ६ पौण्ड ६ शिलिङ्ग १० पेन्स रोज़ पाने वाले अफ़सर से ८ शिलिङ्ग २पेन्स रोज़ काटा जायगा। समान त्याग का यह सुन्दर नमूना है।

एक दूसरे पत्र ने, जिसका नाम 'रोटेफ़ा हने' है, लिखा था कि "जर्मनी के क्रान्तिकारी मज़दूर आप लोगों को (बेचैनी फैलाने वाले अङ्गरेज़ी जहाज़ियों को) आपकी उस मरदानगी के लिए बधाई देते हैं जो आपने अङ्गरेज़ी सरकार और वामपथगामी अफ़सरों के विरुद्ध दिखलाई है।" इसके बाद उसने जहाज़ियों को उपद्रव जारी रखने के लिए भड़काया है।

इस पत्र का प्रकाशन उक्त बात छापने के अपराध में चार सप्ताह के लिए बन्द कर दिया गया, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की राय में इस प्रकार के लेखों से जर्मनी और इङ्गलैण्ड की दोस्ती में कटुता पैदा होने का भय है, साथ ही इससे जर्मनी को भी वरू मामले को नुक़सान पहुँच सकता।

बर्लिनर 'टेकब्लैट' कहता है कि खींचतान कर यह तो समझ सकते हैं, कि इससे जर्मनी और इङ्गलैण्ड के प्रेम-भाव में अन्तर पड़ सकता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि घरेलू मामले में कौन सी ख़राबी पैदा हो जायगी?

❀ ❀ ❀

(८वें पृष्ठ का शेषांश)

ब्रे०—तो क्या आप इन राजाओं को बड़े लाट की अधीनता में छोड़ दे सकते हैं ?

म०—नहीं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सारा अधिकार भारतीय सरकार का हो ।

ब्रे०—परन्तु राजे क्या बड़े लाट की अधीनता में रहना ही पसन्द न करेंगे ?

म०—उनमें से किसी से भी पूछिएगा तो वह यही उत्तर देगा। परन्तु वास्तव में क्या वे सोचते हैं, कि बड़े लाट की अधीनता में रह कर सुखी हो सकेंगे। दर-असल हम लोग जैसे भावापन्न हैं, वही आदर्श उनका भी है। आख़िर वे भी तो भारतवासी ही हैं।

ब्रे०—परन्तु यह याद रखने की बात है कि वर्तमान अवस्था में उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे आप उन्हें कदापि नहीं दे सकेंगे । सरकारी कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार दिखाने के लिए देशी रजवाड़े बाध्य हैं। क्योंकि इससे वे अपनी प्रजा के साथ समता का व्यवहार कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की कृपा से ही उन्हें यह सुविधा प्राप्त है ।

म०—परन्तु उन्हें शिष्टाचार न कह कर कापुरुषोचित आत्म-समर्थन कहना चाहिए । स्वाधीन चिन्ता के अनुसार चलने की क्षमता इन लोगों में नहीं है । हैदराबाद के निज़ाम अगर कोई कार्य आरम्भ करें, तो बड़े लाट की क्रोध भरी चिट्ठी उसे रोक देने के लिए यथेष्ट है। लॉर्ड रीडिङ्ग के ज़माने में जो हुआ था, वह आप से छिपा नहीं है ।

ब्रे०—ख़ैर, भारतीय नरेशों पर अधिकार रखने की बात छोड़ दीजिए और इस पर विचार कीजिए कि अगर संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था-परिषद् में ४० प्रति शत सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत हों तो बेचारी ग़रीब और आधेपेट खाकर जीने वाली करोड़ों प्रजा के लिए कौन सी सुविधा हो जायगी ?

म०—आप लोगों के साथ जो कार्य किया है, इनके साथ भी वैसी ही व्यवस्था कर सकूँगा। बल्कि इनके साथ समझौता कर लेना आसान भी होगा ।

ब्रे०—परन्तु मेरी तो धारणा है कि हमारे उत्तर की अपेक्षा उनका उत्तर अधिक कठोर होगा। हमने लाठी का प्रयोग किया था । परन्तु वे राइफ़ल और बन्दूक़ का प्रयोग करेंगे ।

म०—यह आप लोगों के लिए जातिगत गौरव की बात है। परन्तु आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है, इसलिए मैं आपको अधिक पसन्द करता हूँ। राइफ़ल और बन्दूक़ के लिए प्रस्तुत रहना हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है। 'प्रेस्टिज' और मर्यादा पर ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व निर्भर है। आपकी जाति बड़ी साहसी है और आपकी ख्याति ने ही हमें आतङ्क ग्रस्त कर रक्खा है। मैंने दक्षिण अफ़्रीका में भी ठीक यही बात देखी है। जूलूगण स्वभावतः एक युद्ध-प्रिय जाति है। परन्तु वे भी रिवॉल्वर देख कर काँप उठते हैं। भारतीय-नरेशों के साथ अगर संग्राम करने की ज़रूरत हो तो और कुछ हो या न हो, परन्तु आप लोगों की तरह भयग्रस्त करने की शक्ति वे नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

दक्षिण अफ़्रिका के जिसके कारण एक और उदाहरण याद आ गया, भारतीय नरेशों के साथ हम लोगों का जो सम्बन्ध है, उसे हम लोग बदलना चाहते हैं। इससे पूर्व स्वीटज़रलैण्ड पर लन्दन के डाउनिङ्ग स्ट्रीट का प्रभुत्व था, परन्तु यूनियन का सङ्गठन हो जाने के कारण वह प्रभुत्व हस्तान्तरित हो चुका है। ठीक उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों को भारत सरकार के अधीन कर देना ही उचित है।

❀ ❀ ❀

"भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा"

महात्मा गाँधी की आत्मशक्ति का अद्भुत चमत्कार !

न्यूयार्क (अमेरिका) का 'नेशन' पत्र कहता है—"सेण्टजेम्स पैलेस में महात्मा गाँधी की मौजूदगी से समता करने योग्य दृश्य संसार ने पहिले कब देखा था ? देखिए न, एक नग्न दुबला-पतला छोटा सा आदमी, जिसका भौतिक शरीर देख कर हँसी आती है, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सन्धि की बातचीत कर रहा है। गोलमेज़ में एक ओर गाँधी है और दूसरी ओर सारा साम्राज्य ! एक में विजयों के इतिहास की गरिमा है, जातिगौरव है, अत्याचार है, अर्थ-लोलुपता है और भय है, कि कहीं जो हेर-फेर सर पर है उसके विनाश का द्योतक तो नहीं ? साथ ही बहुत से अङ्गरेज़ों का यह भी ख़्याल है कि जो परिवर्त्तन होगा, उससे विपत्ति, अराजकता और विशृङ्खलता ही भारत में बढ़ेगी ! दूसरी ओर महात्मा गाँधी एक हाथ में अपनी बकरी के दूध की बोतल और दूसरे हाथ में छुहारे और सूखे अन्न की टोकरी लिए खड़े हैं और अपने अगण्य शरीर, धीमी, शान्ति अङ्गरेज़ी भाषा से परिकल्पना के गौरव का उदाहरण दे रहे हैं। यह क्षमाशील प्रतिरोध का सिद्धान्त है जो उन्हें इतना बल प्रदान करता है, जो उनके मुख में बैठ कर बोलता है और जो अगर अन्त तक एक रस निबाहा गया, तो निश्चय ही विजय प्राप्त करके रहेगा।

"भारतीय और अङ्गरेज़—सब की आशा के विपरीत महात्मा जी ने अपनी पहली वक्तृता में राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में सरल, शान्त और मधुर भाषा में जो कहा, उससे सब की मानसिक चञ्चलता जाती रही और वह इस बात को कहने से भी नहीं चूके, जो वह अनेक बार कह चुके थे कि 'भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा।'

आपने कहा—"यदि हम पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय किए बैठे हैं तो उसका कारण दम्भ का भाव नहीं है, न हम यह संसार को बतलाना चाहते हैं कि देखो हमने ब्रिटिश जाति से सम्बन्ध तोड़ लिया। इसके विपरीत आप इस अनुज्ञा में देखेंगे कि कॉङ्ग्रेस का विचार साझेदारी का है ! कॉङ्ग्रेस ब्रिटिश जाति के साथ वह सम्बन्ध चाहती है जो सम्बन्ध दो बिलकुल स्वाधीन जातियों में होता है—मैं इसी दावे को जहाँ तक सम्भव है, अत्यन्त सरल, किन्तु जहाँ तक सम्भव है अत्यन्त दृढ़ता के साथ अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ पेश करने लिए यहाँ आया हूँ।"

'नेशन' महात्मा जी के उक्त शब्दों को उद्धृत करने के बाद फिर कहता है—"यद्यपि यह शब्द सरलता से कहे गए हों, किन्तु कड़े शब्द हैं और गाँधी को निश्चय ही अपनी शक्ति का पता होगा। बातचीत करने के अधिकारी की हैसियत से महात्मा जी पर यह कह कर आलोचना हुई है कि वह असङ्गत ब्योरों पर बड़ा ज़ोर देते हैं और मुस्लिम अथवा अपने परिकर की कोई स्पष्ट नीति नहीं बतलाते, जिसके अनुसार काम आगे बढ़ सके। लेकिन अब उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया है कि साधारण सिद्धान्त पहले तय कर लिया जाय और ब्योरा या तफ़सील को बाद के लिए छोड़ दिया जाय । प्रतिनिधियों के चुनाव सम्बन्ध में जो बहस हो रही थी उसमें महात्मा जी ने कहा :—

"एक समय था कि मैं अभिमान के साथ अपने को ब्रिटिश प्रजा कहता था। अब मैं प्रजा की अपेक्षा विद्रोही कहलाना बहुत ज्यादः पसन्द करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी अभिलाषा थी और अब भी है कि मैं साम्राज्य का तो नहीं, पर स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक बनूँ । यह साझीदारी, यदि ईश्वर को मञ्जूर है ऐसी हो जो टूट न सके, लेकिन ऐसी साझीदारी नहीं, जो एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के गले बाँधी हो ।"

फिर 'नेशन' के शब्दों में "गाँधी जी हर बार इसी एक प्रश्न पर आ जाते हैं कि भारत एक राष्ट्र हो, और राष्ट्रों की मण्डली में इङ्गलैण्ड के समान वह भी एक हो। वह यह सब कोमलता से, धीरे से और नम्रता से कहते हैं, लेकिन उनके पीछे कोटि-कोटि उनके देशवासी ऐसे हैं जिनके लिए यह एक ही स्वर और एक ही शब्द हैं। इन सब के पीछे वही भाव है, वही परिकल्पना है, वही उद्देश्य है।'

"पिछली गोलमेज़ में स्वर्गीय मुहम्मदअली ने भी यही कहा था कि "कोई भी लड़ाई में नहीं जीतता। उसमें तो बध करने को ही लालसा होती है, लेकिन हमारी ३२ करोड़ जनता भारत के उद्धार और स्वतन्त्र राष्ट्र के बनाने के लिए मरने की इच्छा रखती है।

"जब प्रजा अपने शासक से इस तरह कहती है तब मनुष्य को ऐसे शासक की शोचनीय दशा पर दया आती है; क्योंकि विश्लेषण करने पर अन्त में शासक को शासक बने रहने के लिए कोई कारण बतलाने को नहीं रह जाता है। ऐसी बात करने वाली प्रजा, प्रजा ही नहीं रहती !"

गोलमेज़ को सफल कराने का आन्दोलन

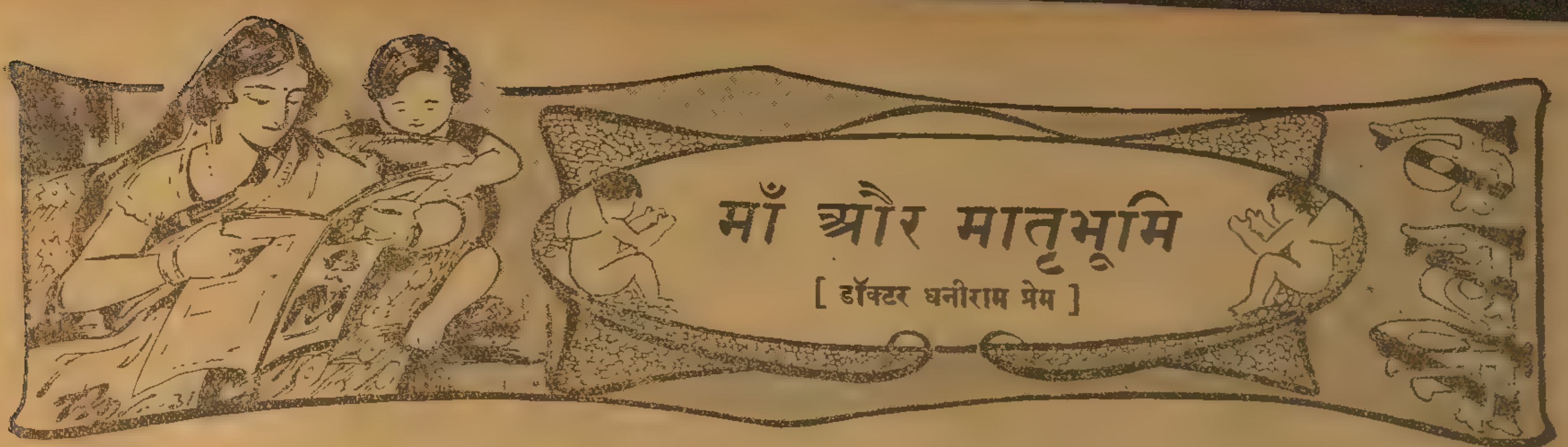
लन्दन के बड़े-बड़े अङ्गरेज़ और पादरी मन्त्रि-मण्डल के पास मेमोरियल भेजेंगे

समझदार और दक्ष ब्रिटिश जनता का मत इस बात पर ज़ोर से बढ़ता जाता है कि जहाँ तक हो, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स विफल न होने पाए। यह लोग महात्मा गाँधी की इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर वह ख़ाली हाथ लौटे, तो इङ्गलैण्ड को बड़े विकट बहिष्कार और ब्रिटिश व्यापार को पूरी हानि की आशा कर लेनी चाहिए। लोग समझते हैं कि गोलमेज़ का असफल होना भारत और ब्रिटेन में भारी दुर्भाव पैदा कर देगा और सविनय क़ानून भङ्ग की पराकाष्ठा होगी। इस लड़ाई के एक बार आरम्भ होने पर फिर कोई उसे रोक न सकेगा।

कहा जाता है कि इस बात का आन्दोलन ब्रिटिश समझदार समुदाय ने आरम्भ कर दिया है कि गवर्नमेण्ट को ज़ोर देकर समझाया जाय कि वह गाँधी जी के साथ सम्मानपूर्वक शर्तों पर समझौता कर ले और ऐसे सुअवसर को न चूके।

यह निश्चय हो गया है कि इस आशय का एक मेमोरियल गवर्नमेण्ट को भेजा जाय। ख़बर हो तो बड़े-बड़े पादरी, आर्क बिशप, कलर्जीमैन वग़ैरह—उस पर हस्ताक्षर करेंगे। लङ्काशायर वाले भी इस काम में रोड़ा न अटकाएँगे।

❀



माँ और मातृभूमि

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

[गताङ्क से आगे]

६

उस दिन की सफलता केवल विमल की ही सफलता नहीं थी, केवल उस तहसील की ही सफलता नहीं थी, केवल उस ज़िले की ही सफलता नहीं थी ; वह थी एक सिद्धान्त की सफलता और उस आन्दोलन की सफलता, जो उस सिद्धान्त के आधार पर चल रहा था। जो तहसील कभी पीछे थी, वही अब अग्रगण्य गिनी जाने लगी। जिधर देखो उधर ही असहयोग, महात्मा गाँधी, कॉङ्ग्रेस, चर्ख़ा, तिलक-स्वराज्य फ़ण्ड, खद्दर आदि की चर्चा थी।

इस सफलता के कारण ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी ने विमल को एक तहसील को ही अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य द्वारा लाभ देने को ठीक नहीं समझा और उससे प्रार्थना की कि वह ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी का मन्त्री बन जाय। यद्यपि उस तहसील से विमल को बहुत-कुछ मोह हो गया था और वहाँ के निवासी भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी ज़िले की जनता के आह्वान से विमल पराङ्मुख न हो सका। वह उस निमन्त्रण की उपेक्षा न कर सका और उसने अन्त में ज़िले का भार उठा लिया। उसका कार्य गुरुतम महत्व तथा उत्तरदायित्व का था, क्योंकि उन दिनों असहयोग का वेग बड़े ज़ोरों पर था और प्रत्येक विभाग का काम द्रुतगति से हो रहा था। विदेशी कपड़े के व्यापारियों की दूकानों पर धरना दिया जा रहा था, शराब और ताड़ी की दूकानों पर धरना दिया जा रहा था, दफ़ा १४४ तोड़ी जा रही थी, लड़के स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई जा रही थीं। और इन सब कामों का अधिनायकत्व कर रहा था विमल।

ज़िले का कलक्टर बदल गया था। दूसरा जो आया था, उसके शासन में दमन का चक्र भी पूरे ज़ोर से चलने लगा। चारों ओर गिरफ़्तारियाँ होने लगीं। लोग जेल भेजे जाने लगे, जुर्माने होने लगे, इस प्रकार नौकरशाही के अत्याचार नग्न नृत्य करने लगे और उन अत्याचारों से विमल भी बचा हुआ न रह सका।

पहले तो विमल के पीछे सी० आई० डी० के आदमी लगाए गए। जिधर वह जाता, उधर ही वे भूत की भाँति पीछे पड़ जाते। बाहर जाय, तो वे साथ थे और कहीं नगर में ही जाय, तो वे साथ थे। पहले तो विमल ने उन्हें तङ्ग करना शुरू किया। कभी-कभी वह किसी ग्राम को जाता तो पहले तो कुछ दूर पैदल चलता, ताकि सी० आई० डी० वाला भी उसके पीछे पैदल चले। परन्तु कुछ दूर पहुँच कर वह एक घोड़े पर चढ़ कर भागता और सी० आई० डी० पीछे-पीछे अपने पैरों की दौड़ लगाता। यदि कभी वर्षा हो रही होती तो विमल किसी मित्र के घर में घुस जाता और सी० आई० डी० को घण्टों बाहर उसकी प्रतीक्षा में वर्षा में भीगना पड़ता। इसी प्रकार वह अपने इन यमदूतों को नित्य छकाया करता था। अन्त में उन्होंने विमल से दया की प्रार्थना की, यह कह कर कि वे विमल के विरुद्ध नहीं थे, परन्तु पेट की ख़ातिर वे सब कुछ कर रहे थे।

उनकी इन बातों को सुन कर विमल ने अपना व्यवहार बदल दिया।

परन्तु इतने ही से अधिकारी सन्तुष्ट थोड़े ही हो सकते थे। वे विमल की अग्नि-वर्षा का सामना नहीं कर सकते थे। एक बार तो वह अग्नि-वर्षा बहुत ही भीषण हो गई। जलियानवाला बाग़-दिवस मनाया जा रहा था। लोग लगभग २० सहस्र की संख्या में कम्पनी-पार्क में एकत्रित हुए थे। कुछ तो जलियानवाले की पुण्य-स्मृति इतने लोगों को खींच कर लाई थी और कुछ विमल के व्याख्यान की सूचना।

विमल का व्याख्यान हुआ। विमल के जोशीले व्याख्यान में एक वाक्य यह भी था, 'इन सब बातों के होते हुए क्या हम जलियानवाला का बदला न लेंगे ?' इस पर सारी जनता एक स्वर से चिल्ला कर बोल उठी—'हम तैयार हैं. बदला लेने को।'

मीटिङ्ग के रिपोर्टर महाशय हिन्दी का अधिक ज्ञान नहीं रखते थे, परन्तु फिर भी वह रिपोर्टर थे। आपने अपनी रिपोर्ट में इस वाक्य के लिए लिख दिया—व्याख्यानदाता ने लोगों से क्रोधित वाणी में पूछा, 'क्या आप लोग इसका बदला न लेंगे ?' भीड़ में सबने अपनी-अपनी लाठी सँभाली और लाठी को ऊँचा करके वे चिल्ला कर बोले—'हाँ, हम तैयार हैं।'

इस वाक्य के पीछे विमल ने कहा था—'स्वतन्त्रता की देवी रक्त की प्यासी है। जब तक उनका खप्पर रक्त से नहीं भर जाता, तब तक वह प्रसन्न नहीं होतीं। यह तो अवश्य होना है कि इस संग्राम में गली-गली में ख़ून की नदियाँ बह जायँगी। परन्तु याद रखिए, वह ख़ून किसी अङ्गरेज़ अफ़सर का न होगा, बल्कि हमारे ही देशवासियों का होगा।' रिपोर्टर साहब ने इस पूरे अवतरण को अपनी रिपोर्ट में देने की आवश्यकता नहीं समझी थी, अतः आपने उसे काट-छाँट कर मुक़दमा चलाने लायक़ बना लिया। उनकी रिपोर्ट थी—'विमल ने लोगों से कहा कि उन्हें गली-गली में शत्रु का ख़ून बहाना होगा, तब उन्हें स्वतन्त्रता मिलेगी।'

ऐसी ही साधार रिपोर्टें (रिपोर्ट का आधार स्वयं रिपोर्टर साहब का दिमाग़ था) विमल के विरुद्ध कलक्टर के यहाँ पहुँची थीं। और फल यह हुआ कि एक दिन प्रातःकाल विमल अपने स्थापित किए हुए स्वराज्य-आश्रम में गिरफ़्तार कर लिया गया।

७

विमल का गिरफ़्तार होना था कि सारे नगर में सनसनी फैल गई। जिसने सुना, वही कचहरी की ओर चल दिया। स्वयंसेवक डुग्गियाँ पीटते हुए नगर भर में चिल्लाते फिरे—'विमल गिरफ़्तार हो गए। सबको कचहरी की ओर जाना चाहिए।' बात की बात में सहस्रों की भीड़ कचहरी के आगे एकत्रित हो गई। पुलीस का बड़ा कड़ा पहरा था। अदालत के कमरों में जाने की आज्ञा केवल कुछ व्यक्तियों को ही मिली थी। उनमें ही एक ओर थीं विमल की माँ और शारदा।

विमल ने एक बार माँ की ओर देखा। माँ ने एक बार विमल की ओर देखा। विमल की आँखों ने माँ को बता दिया कि वह वीरतापूर्वक दण्ड की आज्ञा सुनेगा। माँ की आँखों ने विमल को दृढ़ रहने का उपदेश और अपना आशीर्वाद दिया। मुक़दमा क्या था, न्याय का नाटक था—गम्भीर नाटक नहीं, प्रत्युत एक फ़ार्स'। विमल ने पैरवी नहीं की थी, क्योंकि असहयोगियों का सिद्धान्त था अदालतों में विश्वास न करना। यह तो पहले से ही तय हो चुका था कि विमल को क्या दण्ड मिलेगा, अब उसको क़ानून का रूप दिया जा रहा था। सी० आई० डी० और सरकारी गवाहों के बयानों के बाद विमल ने अपना वक्तव्य सुनाया, जिसमें निर्भीकतापूर्वक उसने ब्रिटिश राज्य की निन्दा की थी। पीछे से उसने कहा—'मैं यह कहे देता हूँ कि जब तक भारत का एक बच्चा भी जिएगा, तब तक ब्रिटिश राज्य के प्रति जो असहयोग का झण्डा फहराया गया है, वह नीचा न होगा। या तो भारत भारतवासियों का होगा, या भारत का नाम ही संसार के पर्दे से मिट जायगा।'

उसके इतना कहते ही कचहरी 'वन्देमातरम्' और 'महात्मा गाँधी की जय' के नाद से गूँज उठी। मैजिस्ट्रेट ने विमल को एक वर्ष के सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया था।

माँ और बेटा तथा बहिन और भाई का मिलन था; माँ का बेटा और बहिन का भाई एक वर्ष के लिए उनसे छीना जा रहा था।

'विमल !'

'माँ !'

'तुम जानते हो, मेरे लिए यह अवसर कितनी प्रसन्नता का है ?'

'हाँ, माँ।'

'तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारा भी कुछ बलिदान मातृभूमि की वेदी पर चढ़ जाय, यही मेरी इच्छा थी।'

'मैं अपना कर्तव्य तुम्हारे आशीर्वाद से पूरा कर रहा हूँ, माँ !'

'तुम्हारे पीछे शारदा तुम्हारे काम को पूरा करेगी।'

शारदा के मुख पर अभिमान और वीरता की एक रेखा दौड़ गई।

'क्यों, शारदा ?'—विमल ने पूछा।

'हाँ, भैया।'

'एक बात और है, शारदा।'

'क्या, भैया ?'

'मातृभूमि के साथ ही माँ की सेवा। इसे न भूलना, बहिन ! हम लोगों के लिए माँ क्या हैं, यह तुम जानती हो।'

'माँ की तुम चिन्ता न करना, बेटा !' माँ ने कहा।

'यह कैसे हो सकेगा, माँ ? यदि जेल में मुझे कोई बात बाहर की याद आएगी, तो वह होगी मेरी माँ। तुम्हारे लिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका हूँ।'

'बहुत-कुछ कर सकोगे, विमल ! परन्तु अभी, इस समय, मुझे अपने मानसिक जगत से निकाल दो !'

'अच्छा, माँ।'

विमल ने माता के पैर छुए और बहिन को हृदय से लगा लिया। माता और बहिन ने उसे हार पहनाए और उसका तिलक किया। पुलीस वाले विमल को जेल की ओर ले चले। 'विमल की जय' के नारे जनता ने लगाए। जब विमल आँखों से ओझल हो गया, तो माँ और शारदा की आँखों में दो-दो आँसू थे।

८

जेल की खिड़की खुली और विमल ने भीतर प्रवेश किया। उस छोटी सी खिड़की के बन्द होते ही विमल को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो किसी ने उसे संसार से बाहर निकाल कर पीछे से उसका द्वार बन्द कर लिया हो। सन्ध्या का समय था, अतः उसकी भेंट जेलर या सुपरिण्टेण्डेण्ट से नहीं हुई। एक वार्डर ने उसको अपने चार्ज में ले लिया।

उन दिनों से कुछ पहले राजनैतिक क़ैदियों को 'प्रथम' और 'द्वितीय' श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता था। 'प्रथम' श्रेणी वाले पहले आगरा जेल में रक्खे गए थे, पीछे उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया गया था। उन्हें खाने-पीने के लिए १॥) रोज़ मिलता था, तथा अन्य सभी सुविधाएँ दी जाती थीं। द्वितीय श्रेणी वालों को फ़ैज़ाबाद जेल में रक्खा गया था। इन्हें इतनी सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं, जितनी प्रथम श्रेणी वालों को थीं। इन्हें भोजन जेल से ही मिलता था, अपने पास से वे नहीं मँगा सकते थे। पत्र भेजने और अपने मित्रों से मुलाक़ात करने की इन्हें उतनी सुविधा नहीं थी, जितनी प्रथम श्रेणी वालों को।

यह प्रबन्ध कुछ महीनों तक ही रहा था, क्योंकि सरकार ने देखा कि इस प्रकार तो राजनैतिक क़ैदियों की संख्या सीमा से बाहर हो जायगी। अतः कुछ समय के अनन्तर ही राजनैतिक अपराधियों को साधारण क़ैदियों की भाँति ही रक्खा जाने लगा। उन्हें साधारण क़ैदियों के साथ ही बैरकों में बन्द किया जाता था। उन्हीं का सा भोजन दिया जाता था। उन्हीं की भाँति उनको काम दिया जाता था—चक्की, रामबाँस की कुटाई, मूँज की रस्सी बँटना, ईंटों को तोड़ना आदि। इन्हें छः महीने में एक बार अपने मित्रों से मिलने की आज्ञा होती थी और छः महीने में ही एक बार पत्र-व्यवहार की आज्ञा थी। इस प्रकार उनको राजनैतिक क़ैदी न मान कर साधारण अपराधी ही माना जाता था।

विमल भी एक साधारण क़ैदी बनाया गया था, अतः उसको कोई भी विशेष सुविधा मिलने की मनाही थी। परन्तु चूँकि जेलर उस समय वहाँ नहीं था, वार्डर ने बिना जाने विमल की माता के भेजे हुए फल और बिस्तर उसे दे दिए। अभी तक विमल ने जेल के विषय में सुना ही था, उसे देखा नहीं था! और सुने भी थे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के क़ैदियों के विवरण। अतः उसकी यह धारणा थी कि जेलख़ाना एक ऐसा स्थान है, जहाँ एक व्यक्ति की स्वाधीनता अपहरण कर ली जाती है, परन्तु वह रक्खा जाता है एक मनुष्य की भाँति। उसके मस्तिष्क में द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के क़ैदियों का जेल घूम रहा था। उसे यह पता न था कि साधारण क़ैदियों का जेल उससे बिलकुल ही भिन्न था, उन दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर था। अतः जब विमल को अपनी चप्पलें बाहर ही छोड़ देने को कहा गया, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।

'यह किस लिए?'—उसने वार्डर से पूछा।

'यहाँ का नियम है।'

'यह अच्छा नियम है। क्या बिना चप्पल के ही क़ैदियों को रहना पड़ता है?'

'यह जेलख़ाना है, दफ़्तर नहीं है।'

'परन्तु मैं इसका विरोध करूँगा।'

'विरोध कल करना, जब जेलर के सामने पहुँचो।'

चप्पलें विमल से ले ली गईं। सन्ध्या का समय था, क़ैदी अपनी अपनी बैरकों में जा चुके थे, अतः जमादार को विमल के लिए एक बैरक का द्वार खोलना पड़ा। वह बैरक बड़ी लम्बी थी, लगभग ८० क़ैदी उसमें सोए हुए थे। वह एक घुड़साल मालूम देती थी। थोड़ी-थोड़ी दूर पर मिट्टी के ओटे बने हुए थे, जो चारपाई के बराबर ऊँचे थे, परन्तु उसके बराबर चौड़े नहीं थे। एक व्यक्ति उस पर भली-भाँति करवट भी नहीं बदल सकता था। उन्हीं ओटों पर वे अभागे क़ैदी पड़े हुए थे। एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, परन्तु धीरे-धीरे और अपने-अपने ओटे से ही। जमादार का डण्डा उनके सामने था। विमल को खादी के कुर्ता-टोपी पहने देख कर सारे क़ैदी समझ गए कि वह गाँधी का चेला था। भय होते हुए भी क़ैदी अपनी लालसा को न रोक सके और जिस ओटे पर विमल को स्थान मिला था, उसके चारों ओर वे इकट्ठे हो गए। विमल को वे अपने संसार के व्यक्ति मालूम नहीं पड़े। उसने अपने संसार में भी क़ानून के अपराधियों को देखा होगा, परन्तु वहाँ उसको उनमें कोई विशेषता नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि वहाँ उनकी संख्या पूरी जनता में बहुत छोटी थी। यहाँ वह बात न थी। यहाँ वे ही वे थे। अतः विमल को वे एक विचित्र प्रकार के प्राणी प्रतीत हुए।

'गाँधी बाबा के चेला हैं आप?'—उनमें से एक ने प्रश्न किया।

'हाँ।'

वे सब प्रसन्न हुए।

'गाँधी बाबा अच्छी तरह हैं?'

'ख़ूब अच्छी तरह!'

'अब स्वराज्य कब लाएँगे वह?'

'लाएँगे कहाँ से?'

'अङ्गरेज़ों से छीनेंगे नहीं?'

'छीनने में अभी कुछ दिन हैं।'

'जल्दी हो जाय तो अच्छा है।'

'तुम लोगों को क्यों जल्दी है?'

'हमारा भी तो उद्धार हो जायगा। जब गाँधी बाबा का राज होगा, तो हम सब लोग जेलख़ाने से छोड़ दिए जाएँगे।'

'परन्तु जिन्होंने चोरी और हत्या की है, वे तो स्वराज्य में भी जेल में रक्खे जायँगे।'

'यह क्यों?'

'तो क्या तुम लोग समझते हो कि स्वराज्य में चोरों और हत्यारों को दण्ड ही न दिया जायगा? स्वराज्य में तो सबको यही शिक्षा दी जायगी कि कोई ऐसे अपराध न करे।'

'परन्तु हम समझते थे कि स्वराज्य में सबको खुला छोड़ दिया जायगा, जिसकी जो इच्छा हो, सो करे।'

इतने ही में क़ैदी-जमादार ने जमादार के आने की सूचना दी और सब क़ैदी चुपचाप अपने-अपने ओटों पर चले गए। विमल अपने ओटे पर पड़ा इन क़ैदियों के विचारों के विषय में सोचता रहा। उनके स्वराज्य का अर्थ क्या था, यह विचार कर उसे बड़ी हँसी आई। इसी प्रकार वह कुछ देर तक इन बातों पर और कुछ देर अपने मुक़दमे पर, अपने वाह्य संसार के दृश्यों पर विचार करता रहा। पहली रात थी, जोश के बाद की रात्रि थी, बाहरी संसार की विजय की रात्रि थी, अतः जेल के वातावरण का विमल के हृदय पर विशेष प्रभाव न पड़ा। परन्तु कुछ देर बाद ही उसे प्रतीत होने लगा कि वह जेल में था। क़ैदी-जमादार ने एक ओर से क़ैदियों को गिनना शुरू किया और जब वह उन्हें गिन चुका तो बड़े ज़ोर से चिल्ला कर वह बोला—

'अस्सी क़ैदी, ताला, जँगला, बेल, लालटेन सब ठीक है साहब!'

ऐसी ही आवाज़ें विमल को प्रत्येक कोने से सुनाई पड़ीं। प्रत्येक बैरक में यही हो रहा था। 'यह क्या बला है?'—विमल ने अपने पास वाले एक क़ैदी से पूछा।

'सङ्गीत!'—उसने हँस कर उत्तर दिया।

'क्या?'

'सङ्गीत, जेल का सङ्गीत! क्या अच्छा नहीं लगता?'

'अच्छा? कानों के पर्दे फटे जाते हैं!'

'अभी से?'

'क्यों, क्या नित्य ऐसा ही होता है?'

'नित्य।'

'कै बार?'

'घण्टे में बारह बार।'

'बारह बार? हर पाँच मिनट बाद?'

'हाँ!'

'हे भगवान! नींद कैसे आती होगी?'

'क़ैदी की नींद की परवाह उतनी नहीं है, जितनी उसके खो जाने की। देखो न, सरकार की हम कितनी मूल्यवान सम्पत्ति हैं। हर पाँच मिनट बाद ही हमारी गिनती होती है। रुपयों का हिसाब भी मिनटों में न रहता होगा।'

विमल चुप हो गया। कहता ही क्या? करवटें बदलता रहा और भावी जीवन की कल्पना करता रहा। बड़े उद्योग से कई घण्टों बाद उसकी आँख लगी। वह स्वप्न देखने लगा, घर के पलँग के। वह घर अपने पलँग पर सो रहा था। उसने करवट लिया, यह समझकर कि वह घर पलँग पर ही लेटा हुआ था। धम से नीचे जा गिरा। उसे अब विदित हो गया कि ओटे पर करवट लेने के लिए भी जागने की आवश्यकता थी। नींद उचट गई। फिर उसका आना कठिन हो गया। इतने में जेल के फाटक के घण्टे पर बारह बजे। सारे जेल में खलबली मच गई। विमल की बैरक के क़ैदियों को क़ैदी-जमादार जगाने लगा।

'यह किस लिए?'—विमल ने पूछा।

'गिनती होगी।'

'तो उठने की क्या आवश्यकता है?'

'ज़मीन पर बैठ कर गिनती होगी।'

'अब यह क्या हो गया? अभी तक तो पड़े-पड़े गिनती हो रही था।'

'पहरा बदला है। दूसरा जमादार पहले से तालियाँ लेगा।'

इस अदला-बदली ने नाक में दम कर दिया। क्या ये ही जेल की रातें थीं? न सोते चैन, न जागते। चारों ओर, हर समय शोर। क्या क़ैदियों को गिनने का अर्थ यह था कि उन्हें तमाम दिन के कठिन परिश्रम के बाद, जमादारों और जेलरों के लात-डण्डे खाने के बाद कुछ घण्टे चैन की नींद भी न सोने दिया जाय? कितनी अमानुषिकता का था वह व्यवहार! उस समय विमल के हृदय में दो विचार काम कर रहे थे। एक तो क़ैदियों के प्रति दया का था और दूसरा जेल-जीवन की कल्पना का। पहले से वह दुखी होता, दूसरे से काँप जाता। इसी प्रकार उसकी रात व्यतीत हुई।

प्रातःकाल हुआ। घण्टी बजते ही सारे क़ैदी जाग पड़े। उनकी फिर गिनती हुई, क्योंकि अब दिन वाले जमादार ने पहरा अपने हाथ में लिया था। मूँछों पर ताव दिए, जमादार वहाँ आकर अपना शासन दिखाने लगा, मानो जेल उसके बाबा का घर था और वह उसका एकमात्र वारिस था।

'जल्दी करो, तुम्हारी...... ...।' उसने हुक्म दे

दिया। क़ैदी अपना तसला पानी से भर कर शौच करने गए। ओफ़, कितना दारुण दृश्य था, विमल देख कर सिहुर गया। शौच के स्थान पर कोई अपना परदा नहीं रख सकता था। सारा स्थान सामने से खुला हुआ था। यही नहीं, उस स्थान के बाहर, खुले हुए मैदान में, क़ैदी लाइन लगाए बैठे थे, उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग किसी के मृतक संस्कार के समय सामने पत्तलें डाल कर एक लाइन में बैठ जाते हैं। पुराने क़ैदी तो इन बातों के अभ्यस्त हो जाते थे, परन्तु कठिनता प्रतीत होती थी उनको, जो नए ही आते थे। सब के सामने इस प्रकार बैठना ही पड़ता, तब भी ग़नीमत थी; परन्तु वहाँ तो इससे भी अधिक यन्त्रणा भुगतनी पड़ती थी—घण्टी या सीटी बजने पर ही शौच से फ़ौरन उठना पड़ता था, चाहे शौच से निवृत्ति हुई हो या नहीं।

कुछ ही देर में हाथ-मुँह धोकर सारे क़ैदी लाइन लगा कर बैठ गए। लोहे की कटोरियों में पानी भरा था और लोहे के तसले ख़ाली सामने रक्खे थे। एक जमादार के साथ एक क़ैदी एक लोहे की बाल्टी उठा कर लाया। बाल्टी के भीतर काला-काला दलिया भरा था और उसी में लोहे का एक काला करछुल पड़ा था। उसी करछुल से दलिया सब क़ैदियों को मिला। विमल को उस लाइन में बैठना न पड़ा। उसका दलिया उसे बैरक में ही मिल गया, परन्तु उस दलिया को वह खा न सका। कोई भी मनुष्य, जब तक कि वह अत्यन्त क्षुधा-पीड़ित न हो, उसे खाना क्या, उसे सूँघ भी न सकता था। वह काला ही न था, उसमें बदबू भी आती थी। और पानी इतना था कि ग़ोते लगाने पर भी दलिया का एक दाना पाना अत्यन्त दुष्कर था।

विमल ने अब तक जो कुछ भी देखा था, वह बहुत ही थोड़ा था। वह तो जेल-जीवन का केवल एक नमूना मात्र था। परन्तु इतने ही से विमल को अपने भावी जेल-जीवन का आभास हो गया। यह सब हो जाने पर वह दफ़्तर के पास लाया गया और कई घण्टे की प्रतीक्षा के बाद उसने जेलर, सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा डॉक्टर के दर्शन किए। वह तौला गया, उसके शरीर की परीक्षा हुई। उसका इतिहास लिखा गया, उसको शिक्षा दी गई, उसके सामने जेल के कठिन जीवन की व्याख्या की गई और माफ़ी माँग लेने के लाभों पर उसके सामने एक भाषण दिया गया।

इन सब के अनन्तर जब वह एक पूरा और वास्तविक क़ैदी हुआ तो उसके शरीर पर जेल के वस्त्र—एक कुर्ता, एक जाँघिया, एक टोपी—थे, उसके बग़ल में एक कम्बल, एक मूज का फट्टा थे तथा उसके हाथ में एक तसला और एक कटोरी थे। उसकी सारी वस्तुएँ उससे छीन ली गई थीं।

(क्रमशः)

* * *



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

स्वीटज़रलैण्ड का शासन-विधान

Among the modern democracies which are true democracies, Switzerland has the highest claim to be studied. . . . It contains a greater variety of institutions based on democratic principles than any other country.

—Lord Bryce.

स्वीटज़रलैण्ड यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र है। वहाँ की जनता किसी एक जाति की नहीं है। उनकी कोई राष्ट्र-भाषा भी नहीं है। वहाँ अधिकतर जर्मन-भाषा बोली जाती है। इसके सिवा कुछ भागों में फ़्रान्स और इटली की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। यही नहीं, स्वीटज़रलैण्ड की जनता किसी एक धर्म को भी नहीं मानती। स्वीटज़रलैण्ड में कुल २२ प्रान्त हैं। इनमें बारह प्रान्तों की अधिकांश जनता प्रोटेस्टैण्ट धर्म को मानती है, शेष १० प्रान्तों की अधिकतर जनता कैथोलिक धर्म की अनुयायिनी है। फलतः स्वीटज़रलैण्ड में उन बहुत सी बातों का अभाव है, जो राष्ट्र-निर्माण के लिए अत्यावश्यक समझी जाती हैं। फिर भी स्वीटज़रलैण्ड एक राष्ट्र है और वहाँ की जनता अपने को एक समझती है। यहाँ तक कि यूरोप के किसी भी राष्ट्र की जनता इतनी देशाभिमानिनी नहीं है, जितनी स्वीटज़रलैण्ड की।

आज से ६०० वर्ष पहिले आल्पस् पहाड़ की घाटियों में बसे हुए तीन प्रान्तों ने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए आपस में मिल कर अपना एक गुट्ट बनाया था। क्रमशः अन्य प्रान्त भी इस गुट्ट में शामिल होने लगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद इस गुट्ट में १३ प्रान्त शामिल हो गए। तत्पश्चात् उपर्युक्त गुट्ट को 'स्विस कॉनफ़ेडरेसी' (Swiss Confederacy) के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। उसके पड़ोसी राष्ट्रों ने स्वीटज़रलैण्ड पर बार-बार धावे किए, पर उन्हें सर्वदा अपने मुँह की खानी पड़ी। अन्त में सन् १६४८ में वेस्टफ़ेलिया की सन्धि द्वारा यूरोप के राष्ट्रों ने उपर्युक्त कॉनफ़ेडरेसी को स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन राष्ट्र मान लिया। उपर्युक्त कॉनफ़ेडरेशन की कोई स्थायी केन्द्रीय सरकार न थी। प्रत्येक प्रान्त पूर्णतया स्वतन्त्र था और उसके कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सब प्रान्तों से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रश्न के उपस्थित होने पर सब प्रान्तों के प्रतिनिधियों की एक सभा (Congress) बुलाई जाती थी और यही सर्वसम्मति से कोई निर्णय करती थी, बहुमत का कार्य अल्पमत पर लागू नहीं होता था।

सन् १७८९ में फ़्रान्स की क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही स्वीटज़रलैण्ड पर आफ़त आ पड़ी। सन् १७९८ में फ़्रान्स की सेनाओं ने स्वीटज़रलैण्ड को धर दबाया और स्वीटज़रलैण्ड को फ़्रान्स का ग़ुलाम बनना पड़ा। परन्तु स्वीटज़रलैण्ड की जनता इस ग़ुलामी को पसन्द नहीं करती थी। उसने विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ कर दिया। अन्त में नेपोलियन ने शासनारूढ़ होने पर स्वीटज़रलैण्ड के प्राचीन कॉनफ़ेडरेशन को पुनर्जीवित किया और साथ ही एक फ़ेडरेल कॉङ्ग्रेस की भी स्थापना की, जिसमें तमाम प्रान्तों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सन् १८१९ में वीयना की कॉङ्ग्रेस ने तीन अन्य प्रान्तों को भी 'कॉनफ़ेडरेसी' में शामिल होने की आज्ञा दे दी। इस तरह सभी प्रान्त कॉनफ़ेडरेसी में हो गए।

सन् १८४७ में स्वीटज़रलैण्ड में एक गृह-युद्ध हुआ। कैथोलिक प्रान्तों ने प्रोटेस्टैण्ट प्रान्तों से अपनी रक्षा करने के लिए गुट्ट बनाया और अपनी सहायता के लिए फ़्रान्स तथा ऑस्ट्रिया को बुलाने को तैयार हो गए। यही उस गृह-युद्ध का कारण था। इस युद्ध में प्रोटेस्टैण्ट प्रान्त विजयी हुए और कैथोलिक प्रान्तों का गुट्ट छिन्न-भिन्न कर दिया गया। परन्तु इस गृह-युद्ध का एक शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता समझ गई कि उसका कॉनफ़ेडरेशन अत्यन्त कमज़ोर है और उसे मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उसने एक ऐसे नवीन विधान की आवश्यकता का अनुभव किया, जिसके द्वारा अल्पमत के अधिकारों की रक्षा हो सके। विधान तैयार करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। उसने एक विधान बनाया, जो सन् १८४८ में सब प्रान्तों द्वारा मान लिया गया। इस विधान ने एक फ़ेडरेशन की भी स्थापना की। परन्तु फ़ेडरेल सरकार के अधिकार पर्याप्त न थे, इसलिए सन् १८७४ में विधान में संशोधन किया गया। यह संशोधित विधान ही स्वीटज़रलैण्ड का वर्तमान विधान है।

जनता के बहुमत की सम्मति के बिना इस विधान में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी प्रश्न को जनता के सम्मुख लाने के लिए दो उपाय हैं, या तो फ़ेडरेल कॉङ्ग्रेस ऐसा कर सकती है या पचास सहस्र वोटर प्रार्थना-पत्र (Initiative petition) द्वारा ऐसा करा सकते हैं। विधान में संशोधन करने का ढङ्ग भी सरल नहीं है, परन्तु अमेरिका की अपेक्षा स्वीटज़रलैण्ड में संशोधन सरलता से किए जा सकते हैं।

स्वीटज़रलैण्ड एक फ़ेडरेल प्रजातन्त्र है। उसके सभी प्रान्त स्वाधीन हैं, जहाँ तक उनकी स्वाधीनता में फ़ेडरेल-विधान द्वारा कोई कमी नहीं की गई है। फ़ेडरेल सरकार को वही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे प्रान्तों द्वारा दिए गए हैं। शेष सारे अधिकार प्रान्तों के हैं। प्रान्तों के अपने अलग-अलग विधान हैं। प्रत्येक प्रान्त अपना विधान जैसा चाहे, रख सकता है। केवल उसे तीन बातों को अवश्यमेव मानना पड़ता है। यानी प्रत्येक प्रान्त की एक प्रजातन्त्रीय सरकार होनी चाहिए, जनता के बहुमत द्वारा विधान में परिवर्तन या संशोधन होना चाहिए और प्रान्त के विधान में फ़ेडरेल-विधान के विरुद्ध कुछ न होना चाहिए।

फ़ेडरेल सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच अमेरिका के ढङ्ग पर अधिकार बाँटे गए हैं। वैदेशिक सम्बन्ध पर फ़ेडरेल सरकार का अधिकार रहता है। पर विधान में कहा गया है कि फ़ेडरेल सरकार की सम्मति के बाद प्रान्त भी कुछ बातों के सम्बन्ध में अन्य देशों से समझौता कर सकते हैं। फ़ेडरेल सरकार ही युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करती है तथा सन्धियाँ करती है। सैनिक योजना (Military System) पर फ़ेडरेल सरकार का ही अधिकार रहता है। डाक-विभाग, रेल-विभाग तार तथा टेलीफ़ोन-विभाग, करेन्सी तथा बैङ्क—ये सभी फ़ेडरेल सरकार के आधिपत्य में ही काम करते हैं। फ़ेडरेल सरकार ही काग़ज़ का सिक्का भी चला सकती है। इसके सिवा कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका सञ्चालन दोनों सरकारें करती हैं।

फ़ेडरेल धारा-सभा की दो शाखाएँ होती हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी सभा को 'कौन्सिल ऑफ़ स्टेट' (Council of State) और छोटी को राष्ट्रीय कौन्सिल (National Council) कहते हैं। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट में प्रत्येक प्रान्त के दो सदस्य होते हैं। इनका चुनाव प्रान्तों की इच्छानुसार होता है। कुछ प्रान्तों में इनको जनता चुनती है और शेष प्रान्तों में इनका चुनाव प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा होता है। सदस्यों की अवधि एक वर्ष से चार वर्ष तक रहती है। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के कोई विशेष अधिकार नहीं होते। इसके छोटी सभा के बराबर ही क़ानूनी अधिकार हैं। पर वास्तव में क़ानूनों के निर्माण में इसका हाथ बहुत कम रहता है।

छोटी सभा या राष्ट्रीय कौन्सिल में २०० सदस्य होते हैं। ये सदस्य सभी प्रान्तों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के सिद्धान्त पर चुने जाते हैं। प्रत्येक तृतीय वर्ष चुनाव होता है। स्वीट्ज़रलैण्ड के प्रत्येक पुरुष नागरिक को, जिसकी उम्र बीस वर्ष की पूरी हो चुकी है, मताधिकार दिया गया है। प्रत्येक मताधिकारी यदि पादरी नहीं है तो, चुनाव में उम्मेदवार हो सकता है। राष्ट्रीय कौन्सिल की वर्ष में दो बैठकें होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर तीसरी बैठक भी हो सकती है। एक बैठक अधिकतर चार सप्ताह के अन्दर समाप्त हो जाती है। कौन्सिल अपना सभापति स्वयम् चुनती है। इसके अधिकार वही हैं जो ऐसी सभाओं के आमतौर से होते हैं। सदस्य जर्मन, फ़्रान्स तथा इटली की भाषाओं में बोलते हैं। किसी भी एक बैठक में उपर्युक्त सभी भाषाएँ बोली जाती हैं। इसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक शिक्षित नागरिक ये सभी भाषाएँ जानता है। तीनों भाषाएँ सरकारी भाषाएँ मानी जाती हैं। फलतः अधिकतर सरकारी काग़ज़ तीनों भाषाओं में छपते हैं। स्वीट्ज़रलैण्ड की पार्लामेण्ट के बर्ताव की अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की है।

प्रत्येक 'बिल' दोनों सभाओं में एक साथ ही पेश किया जाता है। फलतः प्रत्येक 'बिल' पर दोनों सभाएँ स्वतन्त्रता से विचार करती हैं। दोनों सभाओं का कोई भी सदस्य 'बिल' पेश कर सकता है। पर अधिकतर आवश्यकीय 'बिल' मन्त्रि-मण्डल या फ़ेडरेल कौन्सिल द्वारा पेश किए जाते हैं। कोई भी सभा एक प्रस्ताव द्वारा किसी विशेष विषय पर एक 'बिल' बनाने की मन्त्रि-मण्डल से प्रार्थना कर सकती है॥

कमिटी का कार्य आवश्यक नहीं समझा जाता। केवल आवश्यकीय बातें किसी सभा की आज्ञा पर कमिटी के पास भेजी जाती हैं। अन्यथा कमिटियों से काम नहीं लिया जाता। जब तक दोनों सभाएँ किसी बिल को पास न कर दें, तब तक वह क़ानून नहीं बन सकता। यदि कोई एक सभा किसी बिल को रद्द कर देती है या उसमें संशोधन करती है तो दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ़्रेन्स होती है और दोनों सभाओं की एक राय की जाती है। आमतौर पर बड़ी सभा छोटी सभा का विरोध नहीं करती।

दोनों सभाओं की बैठकें अपने-अपने सभा-भवन में पृथक-पृथक होती हैं। कुछ अवसरों पर तथा कुछ मामलों के लिए उनकी संयुक्त बैठकें भी होती हैं। संयुक्त सभा में ही उच्च पदाधिकारी चुने जाते हैं—जैसे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य, चान्सलर, फ़ेडरेल अदालत के न्यायाधीश, तथा फ़ेडरेल सेना के प्रधान सेनापति। फ़ेडरेल अधिकारियों के अधिकारों में सङ्घर्ष होने पर संयुक्त सभा ही निर्णय करती है। संयुक्त सभा ही क्षमादान (Pardons) देती है और इसके लिए संयुक्त सभा की वर्ष में दो बैठकें होती हैं!

स्वीट्ज़रलैण्ड का शासन फ़ेडरेल कौन्सिल द्वारा होता है जिसे मन्त्रि-मण्डल भी कहते हैं। इस कौन्सिल में सात सदस्य होते हैं। ये सदस्य दोनों सभाओं की संयुक्त सभा द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद



यह ग़ार्डन पार्टी तेरी तरह मरभुक्खों के लिए नहीं, साहब लोगों के लिए है!

कौन्सिल का निर्माण होता है। सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष का होता है, बशर्ते कि छोटी सभा इसी बीच में तोड़ न दी जावे। आमतौर से ये सदस्य दोनों सभाओं के सदस्यों में से चुने जाते हैं, परन्तु बहुधा बाहर के लोग भी चुने जा सकते हैं। चुन लिए जाने पर वे सदस्य सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पुनः चुनाव होता है। कौन्सिल के पुराने सदस्य को कौन्सिल के लिए फिर चुनने का रिवाज़ हो गया है। फलतः कौन्सिल का एक सदस्य जब तक वह चाहे कौन्सिल का सदस्य बना रहता है।

प्रत्येक वर्ष कौन्सिल का एक सदस्य कौन्सिल का सभापति चुना जाता है। वही देश भर का प्रेज़ीडेण्ट होता है। पर कौन्सिल की बैठकों का सभापति होने के अलावा विधान ने उसे और कोई आवश्यकीय अधिकार नहीं दिए हैं। पर अब वह प्रचलित प्रथा के अनुसार तमाम शासकीय विभागों का निरीक्षक हो गया है। तथा फ़ेडरेल कौन्सिल अपने नाम पर काम करने का उसे अधिकार दे सकती है। बहुधा विशेष अवसरों पर कौन्सिल ऐसा करती भी है। पर इस हैसियत से प्रेज़ीडेण्ट जो कार्य करता है वह उस समय तक लागू नहीं होता, जब तक कि उन पर कौन्सिल की सही न हो जावे।

फ़ेडरेल कौन्सिल के एक सदस्य को संयुक्त सभा वाइस-प्रेज़ीडेण्ट भी चुनती है। प्रेज़ीडेण्ट की अनुपस्थिति में वाइस-प्रेज़ीडेण्ट कौन्सिल का सभापति होता है। दूसरे वर्ष वाइस-प्रेज़ीडेण्ट ही प्रेज़ीडेण्ट बना दिया जाता है। चान्सलर फ़ेडरेल कौन्सिल का सदस्य नहीं होता। पर वह भी संयुक्त सभा द्वारा ही चुना जाता है। स्वीट्ज़रलैण्ड के चान्सलर को फ़ेडरेल सरकार का जनरल सेक्रेटरी समझना चाहिए। सरकारी काग़ज़ों को वही रखता है। क़ानूनों, प्रस्तावों तथा सरकारी काग़ज़ों पर वह सही करता है। चुनाव उसी की निगरानी में होते हैं। चान्सलर के पद का कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं होता। वह केवल एक क्लर्क के समान होता है।

फ़ेडरेल कौन्सिल ही प्रजातन्त्र की प्रधान शासन संस्था है। इसे प्रजातन्त्र का मन्त्रि-मण्डल समझना चाहिए। इस पर पार्लामेण्ट का पूरा अधिकार रहता है तथा दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत सभी प्रस्तावों को फ़ेडरेल कौन्सिल को अवश्यमेव मानना पड़ता है। फ़ेडरेल कौन्सिल ही वैदेशिक नीति का भी सञ्चालन करती है। इसके सिवा वह क़ानूनों को कार्यान्वित करती है और फ़ेडरेल सेना पर भी अधिकार रखती है। शेष उन तमाम पदाधिकारियों को नियुक्त करती है जो संयुक्त सभा द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। वार्षिक बजट भी इसी कौन्सिल द्वारा तैयार किया जाता है। वह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पार्लामेण्ट के सन्मुख रखती है। किसी भी समय तथा किसी भी प्रश्न पर कौन्सिल के सदस्यों से पार्लामेण्ट में प्रश्न किए जा सकते हैं। पार्लामेण्ट के विचारार्थ कौन्सिल ही 'बिल' तैयार करती है। व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा पार्लामेण्ट में जो 'बिल' उपस्थित किए जाते हैं उस पर भी सदा कौन्सिल की राय ले ली जाती है। बहुधा पार्लामेण्ट प्रस्ताव द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यों पर आज्ञाएँ तथा डिग्रियाँ जारी करने का अधिकार कौन्सिल को दे देती है। विधायक क़ानूनों के मतभेदों को कौन्सिल ही निपटाया करती थी। पर अब उसका यह अधिकार उससे लेकर फ़ेडरेल अदालतों को दे दिया गया है। फ़ेडरेल कौन्सिल ही प्रजातन्त्र की उच्चतम शासकीय अदालत है। कौन्सिल की प्रति सप्ताह दो बैठकें होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर तीसरी बैठक भी हो सकती है। इसकी बैठकें गुप्त होती हैं तथा निर्णय बहुमत से ही होता है। बहुधा महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर कौन्सिल के सदस्यों का भिन्न-भिन्न मत होता है। यही नहीं, कौन्सिल के सदस्य पार्लामेण्ट में किसी प्रश्न के पक्ष-विपक्ष में बोल कर अपने मतभेद को जनता में प्रगट कर देते हैं। मतभेद के कारण कौन्सिल के किसी सदस्य को स्तीफ़ा नहीं देना पड़ता। अगर कौन्सिल के 'बिल' को पार्लामेण्ट रद्द भी कर देती है तो सदस्यों को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। वे पार्लामेण्ट की राय को मान लेते हैं और उसके आदेश को कार्यान्वित करते हैं। उपर्युक्त कारणों से कौन्सिल और भी अधिक स्थायी होती है, स्वीट्ज़रलैण्ड की फ़ेडरेल कौन्सिल में उत्तरदायित्व तथा स्थिरता दोनों गुण पाए जाते हैं। यही स्वीट्ज़रलैण्ड के विधान की विशेषता है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक (Modern Democracies) में उपर्युक्त गुण की बड़ी प्रशंसा की है। कौन्सिल का प्रत्येक सदस्य, जिनकी कुल संख्या सात होती है, एक शासकीय विभाग का प्रधान होता है। प्रेज़ीडेण्ट तथा वाइस-प्रेज़ीडेण्ट के अधीन भी एक-एक विभाग होता है।

(अगामी अङ्क में समाप्त)

❀ ❀ ❀

मनुष्य और मैशीन

[मूल-ले० सर जॉन रसल ; अनु० डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०]

सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में जब विज्ञान का विकास होने लगा तो इसका उद्देश्य था, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। इसके कारण संसार का ज्ञान प्राप्त करने की और प्रकृति के खेलों को समझने की मनुष्य-जाति में एक अपूर्व अभिरुचि उत्पन्न हुई। सन् १६१० में बेकन ने पदार्थों के गुप्त रहस्य को जानने के लिए, मनुष्य के ज्ञान को विस्तृत करने के लिए और प्रकृति के अन्तःकरण में प्रवेश करने के लिए एक कॉलेज स्थापित किया। सन् १६६३ में रॉयल सोसाइटी स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य भी अन्वेषण के लिए ज्ञान की खोज करना था। इसके पश्चात् ज्ञान के अन्वेषकों में एक भारी मतभेद उत्पन्न हुआ और वह इस विषय पर कि ज्ञान का अन्वेषण केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिए किया जावे, या मनुष्य-जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। थोड़े ही समय में विद्वान दो दलों में विभक्त हो गए। एक दल का उद्देश्य था, ज्ञान को ज्ञान के लिए खोजना और दूसरे दल ने अपना उद्देश्य निश्चित किया, मनुष्य-जाति के आराम के लिए उसका उपयोग करना। इस विभाग के फल-स्वरूप रसायनशास्त्र के वेत्ताओं ने पता लगाया कि पौधे किन पदार्थों से बने हुए हैं, उनकी वृद्धि किस प्रकार होती है, और उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। परन्तु इस ज्ञान का उपयोग १८३६ के लगभग किया गया। उस वर्ष विलायत के रोथम स्टेड में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई, जहाँ पर श्री० लोयेज़ ने घोषणा की कि विज्ञान के बल से पौधे अधिक उपयोगी बनाए जा सकते हैं। तत्पश्चात् श्री० गिलबर्ट ने बतलाया कि भूमि में कुछ ऐसे पदार्थों का खाद देने से, जो सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं, पौधों की वृद्धि में उन्नति की जा सकती है. उनकी काश्त अधिक निश्चित हो सकती है, और उनके गुणों में भी तरक़्क़ी की जा सकती है। विज्ञान-वेत्ताओं ने ऐसे खाद बनाए और पिछले कितने ही वर्षों से कृषकगण इन खादों का प्रचुर परिमाण में उपयोग कर रहे हैं। सन् १९१९ और १९३० के बीच में ही लगभग ३,९०,००,००० टन ऐसे खाद उपयोग में लाए जा चुके हैं। इनमें से कितने ही खाद वायु से बनाए जाते हैं और ये इतने गुणकारी हैं कि उपज को कई गुणा कर देते हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि एक आदमी के रहने योग्य कमरे में जितना वायु होता है, उससे इतना खाद उत्पन्न किया जा सकता है, जो मनुष्य की उम्र भर खाने योग्य अन्न पैदा कर दे। कविवर शेक्सपीयर ने अपने नाटक के पात्र हेमलेट से कहलाया है—"मैं वायु भक्षण करता हूँ और प्रतिज्ञाओं से ठसाठस भरा हुआ हूँ।" लिखते समय कवि को शायद यह कल्पना भी नहीं हुई होगी कि एक समय ऐसा आवेगा कि जब मनुष्य वास्तव में वायु भक्षण करेगा।

विज्ञान के बल से पौधों के भी अनेक रोगों का पता लग गया है और इस क्षेत्र में विज्ञान ने आश्चर्यकारिणी उन्नति की है। आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व आयर्लैण्ड में आलू के पौधों पर एक ऐसे भयङ्कर और व्यापक रोग का आक्रमण हुआ, जिसके कारण सारी खेती नष्ट हो गई और इस सुन्दर टापू के सुन्दर निवासी भूखों मरने लगे, सहस्रों नर-नारी बच्चे और युवा भूख से पीड़ित होकर मृत्यु की भेंट हो गए। परन्तु संसार के लोग सहानुभूति के अतिरिक्त उनको और कोई सहायता नहीं पहुँचा सके। सन्तप्त किसानों की आँखों के सामने कठिनता से पाले हुए उनके पौधे मुरझा-मुरझा कर लटक रहे थे, सूखते जाते थे और ख़ाक बन कर उड़ रहे थे, और किसान जी मसोस कर इस करुण दृश्य और प्राण-शोषक विनाश को देख रहे थे। यह सन् १८८० की घटना है। उसके पश्चात् पौधों के रोग का विज्ञान ने निदान कर लिया और थोड़े ही अर्से में उसकी चिकित्सा का भी आविष्कार हो गया। इस समय बनस्पति रोग के विशेषज्ञ पौधों की नस-नस को पहिचानने लग गए हैं। उनको पौधों के माँ-बाप का पता है और उनके लक्षण तथा गति का पूरा ज्ञान है। उनको यह भी मालूम है कि विशेष पौधे के बीज से विशेष क्रियाओं के द्वारा कैसा पौधा उत्पन्न होगा और अङ्कुर जमने के पश्चात् वैज्ञानिक पालन, पोषण और शिक्षा के द्वारा उसको कैसा बनाया जा सकता है।

कुछ वर्ष पूर्व तक केनेडा के प्रेरीज़ (ऊसर मैदान) में गेहूँ नहीं पनपता था। उगने के बाद या तो पौधा बढ़ता न था या बढ़ता था तो शीघ्र पकता नहीं था। लेकिन विज्ञान के बल से गेहूँ के एक ऐसे पौधे का पता लग गया, जो उस भूमि में फल-फूल सकता था। इससे पूर्व मनुष्य-जाति को गेहूँ के केवल ऐसे पौधों का ज्ञान था, जिनको पकने में १३० दिन से कम नहीं लगते थे। केनेडा के प्रेरी मैदानों में इतने समय तक गर्मी नहीं रहती, इसलिए वहाँ गेहूँ पैदा नहीं किया जा सकता था। लेकिन विज्ञानवेत्ता गेहूँ के खेतों को शनैः-शनैः केनेडा के दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बढ़ाने लगे। इस क्रिया से पौधों को धीरे-धीरे उत्तरी मौसम को सहन करने की और उसके अनुकूल बनने की आदत पड़ गई। इस विधि के प्रभाव से अब ऐसे पौधे तैयार किए जा चुके हैं, जिनके बीजों को उत्तरी केनेडा में बोया जा सकता है। इन पौधों को पकने में १३० दिन नहीं, किन्तु केवल १०० दिन ही लगते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ की खेती के पौधों के विषय में इससे मिलती-जुलती समस्या विज्ञान ने हल की है। वहाँ पर शीत का भय नहीं था। बल्कि वर्षा की कमी का प्रश्न था। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र-तट पर तो पर्याप्त वर्षा होती है। परन्तु अन्दर की ओर कम होती जाती है। किनारों पर लगभग १८ इञ्च पानी बरसता है और अन्दर की तरफ़ कम होते-होते ९-६ इञ्च ही रह जाता है। जिस विधि का केनेडा ने अनुसरण किया था, उसीके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अब ऐसे स्थानों पर भी सफलतापूर्वक गेहूँ की खेती होने लगी है, जहाँ केवल १२ इञ्च ही वृष्टि होती है। यह विज्ञान ही की महिमा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ़्रीका के जो प्रदेश अत्यन्त ऊसर और अनुर्वर समझे जाते थे, वे अब अत्यन्त उर्वर भूमि बन गए हैं। वहाँ अब लाखों मन अन्न उत्पन्न होता है और करोड़ों मनुष्यों का उससे पोषण होता है। पिछले ३० वर्षों में इस विषय में बहुत उन्नति हुई है। सन् १८९८ में सर विलियम क्रूक्स ने कहा था कि तत्कालीन कृषि-विधि और कृषि-ज्ञान के द्वारा इतना अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा संसार की धड़ाधड़ बढ़ती हुई जन-संख्या अपनी जठराग्नि को शान्त कर सके। सर क्रूक्स का कहना था कि यदि वैज्ञानिक साधनों से अन्न की उत्पत्ति को कई गुणा न कर दिया गया, तो सन् १९३१ के लगभग संसार के सामने एक भयङ्कर अन्नाभाव उपस्थित हो जायगा। पिछले वर्षों ने सिद्ध कर दिया है कि सर क्रूक्स का कहना बिल्कुल यथार्थ था। यदि कृषि-विज्ञान इस समय उसी अवस्था में होता, जिसमें वह सन् १८९८ में था, तो इस समय सम्पूर्ण संसार में हमको एक भयङ्कर जठर-ज्वाला धधकती हुई दिखाई देती। लेकिन विज्ञान के माहात्म्य से आज जगत के पास इतना अन्न है कि उसकी खपत एक समस्या बन कर खड़ी हो गई है।

गेहूँ के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति भी आश्चर्यकारिणी गति के साथ बढ़ गई है और बढ़ती जाती है।

अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के साधन विज्ञान के बल से बहुत उन्नत हो गए हैं। स्वल्प परिश्रम से अब बहुत काम हो जाता है। आज से साठ वर्ष पूर्व जितने परिश्रम की आवश्यकता होती थी, अब गेहूँ की खेती में उसके तृतीयांश से ही काम चल जाता है।

कला-कौशल में भी विज्ञान के बल से भारी हेर-फेर हो गए हैं। जिस छोटे से काम के लिए एक शिल्पकार को पहिले कई दिन लग जाते थे, वह काम अब बात की बात में तैयार हो जाता है। दस वर्ष पूर्व अमेरिका में जिस काम को करने के लिए सौ मनुष्यों की आवश्यकता होती थी, वही काम अब केवल ४९ मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता है! मैशीनों की सहायता से मानव-परिश्रम की मात्रा दिन-दिन घटाई जा रही है। पाँच वर्ष पूर्व एक मज़दूर दस मोटर-टायर एक दिन में बना सकता था, लेकिन अब वह एक दिन में सौ टायर बना सकता है। इस समय अमेरिका में एक दिन में एक आदमी इतना सामान तैयार कर देता है कि उसको बेचने के लिए पूरे दो दिन लग जाते हैं। मनुष्य-जाति के पास विज्ञान की सहायता से अब ऐसी मैशीनें तैयार हो गई हैं, जिनका हमारे पूर्वजों को स्वप्न भी नहीं था। इस अत्यधिक उत्पत्ति और मानव-परिश्रम की घटती हुई आवश्यकता के कारण इस समय कई समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं। संसार की जन-संख्या बढ़ती जाती है और परिश्रम की आवश्यकता कम होती जाती है। विज्ञान ने जीवनोपयोगी पदार्थों को सुलभ बना दिया है, रोगों को कम कर दिया है। आयु बढ़ा दी है और चिकित्सा के नए-नए ढङ्ग आविष्कृत हो गए हैं। इससे निकम्मे और निर्बल आदमियों की संख्या बढ़ गई है। जहाँ हज़ारों आदमियों की ज़रूरत होती थी, वहाँ अब मैशीनों से सौ-पचास आदमियों से ही काम चल जाता है।

इस मैशीन-युग के कुप्रभाव को संसार अब अनुभव करने लग गया है, कम से कम दो बातें सभी जानते हैं। प्रथम यह कि यह मनुष्य के मस्तिष्क को सङ्कुचित कर रहा है। मैशीनों के सञ्चालन के लिए असंख्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। मैशीन-परिचय इन लोगों का जीवन-धेय बन जाता है। इस विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए बचपन से ही

अन्य विषयों का अध्ययन छोड़ कर ये लोग मैशीनों की उपासना करने लगते हैं। जीवन को सुन्दर, सुखी और विकसित बनाने वाले विषयों के अध्ययन से वञ्चित रहने के कारण इन लोगों का जीवन नीरस, शुष्क और जड़ बन जाता है। स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटियों में, इन लोगों को सदैव मैशीनों के संसर्ग में रहना पड़ता है। कला, साहित्य और दर्शन को ये लोग निरर्थक विषय समझने लगते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ लोग जीवन की सुन्दरताओं का, साहित्य की मधुरता का और प्रभु की अलौकिक शक्ति का आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते। उनके मस्तिष्क जड़ोपासना के कारण जड़ बन जाते हैं। उनमें संस्कृति और सुन्दरता नहीं होती। सौभाग्य से किसी को स्वतः ही अन्य विषयों की ओर रुचि हो, तो दूसरी बात है, वरना उनका संसार मैशीनमय है, उनका मस्तिष्क मैशीनमय है और उनकी प्रवृत्तियाँ मैशीनमय हैं। मैशीन सत्य है, और सब असत्य; मैशीन जाग्रति है और सब सुषुप्ति। इस मैशीन-युग में इन विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी संख्या तैयार हो रही है, जिनका जीवन सङ्कुचित और जिनका विचार-क्षितिज अत्यन्त परिमित है। ये लोग भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म विषयों पर बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें कर सकते हैं, परन्तु ऊषाकाल की बड़ी सुन्दर अरुणिमा और सायङ्काल की मनमोहिनी लालिमा का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता! प्राकृतिक सौन्दर्य इन लोगों के लिए एक अनावश्यक पदार्थ है।

जन-साधारण पर जो मैशीन का प्रभाव पड़ रहा है, वह अभी लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि सर्वत्र कला की कमी हो रही है। पारस्परिक वार्तालाप में सुन्दरता नहीं है, पत्र-व्यवहार में भद्दापन है। गायन की ओर लोगों की उपेक्षा है। दार्शनिक और आत्म-विकासक विषयों को अनावश्यक समझा जाता है। पहिले घरों में जो गायन होता था, उसका स्थान अब सिनेमा, ग्रामोफ़ोन और रेडियो ने ले लिया है। अमेरिका में पुस्तकों के बजाय अब लोग मासिक पत्र पढ़ते हैं। और लेख का शीर्षक मात्र पढ़ कर ही सन्तोष कर लेते हैं। मैशीनों ने जीवन को त्वरामय और शान्तिहीन बना दिया है। अन्तःकरण को शुद्ध करने वाले, आत्मिक सौन्दर्य का विकास करने वाले, और चित्त को शाश्वत सुख देने वाले विषयों की न बातचीत होती है और न उन पर सुन्दर ग्रन्थ ही लिखे जाते हैं। सम्भव है कि यह स्थिति शीघ्र ही सुधर जाय। अनुमान होता है कि कला और साहित्य के प्रति मनुष्य के हृदय में रुचि का पुनः उदय होगा। इसका आरम्भ एक प्रकार से हो चुका है। रेडियो के द्वारा अब लाखों घरों में सुन्दर गायन, सुन्दर वार्तालाप और सुन्दर व्याख्यान पहुँचते हैं। यदि मनुष्य की कला के प्रति अभिरुचि है तो घर बैठा हुआ ही वह अच्छे से अच्छे गायक का गाना सुन सकता है, और भाषा-सौन्दर्य का आनन्द लूट सकता है। सिनेमा के कारण छोटे से छोटे और ग़रीब से ग़रीब गाँव में भी अच्छे से अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियों की कला तथा निपुण नर्तकियों का नाच देखा जा सकता है। मैशीन के बल से मनोविनोद के साधन बहुत बढ़ गए हैं और सुप्राप्य हो गए हैं। इस समय एक मज़दूर भी चार्ली चैप्लिन का अभिनय दो आने ख़र्च करके देख सकता है। रेलगाड़ी और मोटर के कारण थोड़े ख़र्च से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और रमणीय वन, हिमाच्छादित पर्वत-श्रेणियाँ तथा अन्य रमणीय दृश्यों को देख सकते हैं। मनोविनोद के साधनों की प्रचुरता के कारण मद्यपान की मात्रा घट गई है।

मनुष्य-जाति पर मैशीनों का कुप्रभाव भी गहरा पड़ा है। १९वीं शताब्दी में विलियम मॉरिस आदि विद्वानों ने मत प्रकट किया था कि मैशीन के कारण जब मानव-परिश्रम की आवश्यकता कम हो जायगी, तो श्रमजीवियों को निरन्तर परिश्रम न करना पड़ेगा और प्रतिदिन केवल चन्द घण्टे ही काम करके वे अपनी रोज़ी कमा सकेंगे। इससे उनको अपने परिवार की देख-रेख करने का, बच्चों को शिक्षा देने का, मन-बहलाव का तथा आत्म-चिन्तन करने का समय मिल सकेगा। और अधिकांश लोगों का जीवन सुखमय बन जावेगा। वास्तव में मैशीन के आरम्भ-युग में ऐसा सोचना निराधार कल्पना नहीं थी। यदि शासन-प्रणाली भी मैशीनों की उन्नति के साथ ही साथ उन्नत होती जाती तो श्री० विलियम मॉरिस का यह सुख-स्वप्न सच्चा हो जाता। लेकिन व्यापारिक प्रतियोगिता और मानवी स्वार्थ-बुद्धि ने पूँजीवाद का जन्म देकर श्रमजीवियों के जीवन को अधिक सुखमय बनाने के बजाय उसको और भी अधिक दुखी और असह्य बना दिया। निरन्तर परिश्रम, बेकारी, बीमारी, बुरे मकान, बच्चों की उपेक्षा, किशोर-वयस्क बच्चों से अत्यधिक परिश्रम आदि अनेक जटिल समस्याएँ मैशीन-वृक्ष के कटु-फल हैं। जो मज़दूर कारख़ानों में नौकर हैं, उनको रात-दिन अथक परिश्रम करने के पश्चात् भी भरपेट भोजन और पर्याप्त वस्त्र प्राप्त नहीं होता। जहाँ पहिले सौ श्रमजीवियों की आवश्यकता होती थी, वहाँ अब पाँच से काम चल जाता है और शेष ९५ व्यवसाय के अभाव के कारण बेकार हैं। वर्तमान उन्नत राष्ट्रों के सामने बेकारी का प्रश्न एक महान प्रश्न है। जिसके हल करने में बड़े-बड़े राजनीतिक दिग्गजों की बुद्धियाँ भी चक्कर खाने लगती हैं। इस समय संसार में करोड़ों मनुष्य बेकार हैं। न वे मनुष्य-जाति के उपकार के लिए कोई पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं और न उनमें किसी पदार्थ के ख़रीदने की शक्ति है। वर्तमान समाज में मानव-परिश्रम की आवश्यकता एक भारी समस्या है, जिसकी भयङ्करता मैशीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ अधिकाधिक भयङ्कर होती जाती है। एक तरफ़ हम लोग वर्तमान व्यापार-शैथिल्य के निवारण की आशा कर रहे हैं और दूसरी ओर विज्ञानवेत्ता ऐसी मैशीनों के आविष्कार की चिन्ता कर रहे हैं, जो मानव-परिश्रम को और भी अधिक अनावश्यक बना दे।

इस प्रकार मैशीनों ने दो ऐसे नाज़ुक प्रश्न खड़े किए हैं, जिनकी गत शताब्दी में आशा नहीं थी। प्रथम नैतिक और बौद्धिक ऊसरता और द्वितीय बेकारी। द्वितीय प्रश्न की भयङ्करता प्रत्येक व्यवसायी और उन्नत राष्ट्र में अनुभव की जाने लगी है। वर्तमान राष्ट्रों में सरकार का यह सर्व-प्रथम कर्तव्य माना जाता है कि बेकारी को हटावे। इसके लिए प्रायः तीन उपायों का अवलम्बन किया गया है। बेकार लोगों को सरकारी कोष से निर्वाह के निमित्त सहायता देना, उनके वास्ते काम तलाश करना या अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में उनको बसाना। इन तीनों साधनों में सरकारी कोष से बेकारों को सहायता देना सब से बुरा है। इससे लोगों का नैतिक पतन होता है और स्वावलम्बन का भाव नष्ट हो जाता है। पब्लिक धन से सहायता मिलते रहने के कारण बेकार मज़दूर आर्थिक सङ्घर्ष में नहीं पड़ते और शनैः-शनैः बेकार बैठे हुए खाने की उनकी आदत पड़ जाती है। प्रजासत्तात्मक शासन में प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि लोग अपने कर्तव्य को दूसरों पर टाला करते हैं और व्यक्तिगत सफलता या असफलता की ज़िम्मेवारी भी लोग सरकार पर आरोपित करते हैं। यदि किसी को काम नहीं मिलता तो सरकार ज़िम्मेवार है। यदि नगरों में बीमारी है तो सरकार ज़िम्मेवार है और कोई अन्य प्रकार का व्यापक कष्ट है तो भी सरकार ज़िम्मेवार है। कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इन विषयों में सरकार को ज़िम्मेवार न ठहराया जाय, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति से बेकार लोग और भी बेकार हो जाते हैं। दूसरा साधन अर्थात् बेकारों के लिए काम निकालना और भी अधिक दोषयुक्त है। इसके दो स्वरूप हैं। या तो सरकार अनावश्यक काम खोलती है या अन्य देशों में अपने पक्के माल को खपा कर अपने व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है। नए काम खोलने से पब्लिक कोष पर भारी भार पड़ता है और एक समस्या को हल करने में दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। इङ्गलैण्ड में इस प्रकार के कामों में प्रत्येक आदमी पर पाँच सौ पौण्ड सालाना ख़र्च हो जाता है और काम भी सन्तोषजनक नहीं होता। वास्तव में अनावश्यक काम में न सरकार की रुचि होती है और न मज़दूरों का दिल होता है। सरकार उस ख़र्च को फ़ालतू समझती है और मज़दूर लोग उसको केवल समय काटने का साधन मानते हैं। अन्य देशों में अपना पक्का माल खपाने से उपज की आवश्यकता बढ़ जाती है और बेकारी हटने लगती है, परन्तु इससे अधिक समय तक काम नहीं चलता। बात यह है कि खपत चाहे जितनी अधिक हो, वह मैशीनों के द्वारा पूरी हो जाती है। जब अधिक उपज की आवश्यकता होती है तो कुछ दिन के लिए तो बेकारों को काम मिलने लगता है, परन्तु शीघ्र ही उनके स्थान में मैशीनें आ विराजती हैं और बेकारी का प्रश्न फिर वही रूप धारण कर लेता है। खपत चाहे जितनी हो, वह मैशीनों के द्वारा पूरी हो जाती है, बल्कि इस समय तो मैशीनों से इतना पक्का माल तैयार किया जा रहा है कि संसार में उसकी खपत का कहीं भी मौक़ा नहीं है। अभी थोड़े ही दिन हुए, सर टॉमस हॉलेण्ड ने एक लेख में बतलाया था कि पिछले पच्चीस वर्षों में जितने खनिज पदार्थ, रुई और लकड़ी पक्का माल तैयार करने के उद्योग में लाए गए हैं, उतने कभी पहले काम में नहीं लाए गए थे। इस समय विस्तृत जङ्गल सुन्दर वृक्षों को काट-काट कर सूने किए जा रहे हैं। इस लकड़ी से तैयार किया हुआ माल कहीं खपता नहीं है और जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, उतने उनके स्थान में पैदा नहीं हो रहे हैं।

बेकारी को हटाने का तीसरा साधन है लोगों को अन्य देशों में बसाना। यह विधि अत्यन्त पुरातन है

'टपकती है जमुना से शाने कन्हैया'

[जनाब "शातिर" इलाहाबादी]

कोई क्या कहे दास्ताने[1] कन्हैया,
बयाँ से है बाहर बयाने कन्हैया।
न मथुरा में अब वह, न गोकुल में अब वह,
कहाँ कोई ढूँढ़े निशाने कन्हैया।
कहीं चीर-लीला, कहीं रास-मण्डल,
हमें याद है दास्ताने कन्हैया।
दिया साथ अर्जुन का रथवान बन कर,
चली तेग़[2] बन कर ज़बाने कन्हैया।
रहे ख़ूब आनन्द में नन्द जी भी,
यशोदा को प्यारी थी जाने कन्हैया।
धरी रह गई कंस की सारी ताक़त,
बहुत कुछ लिया इम्तहाने कन्हैया।
वही रङ्ग उनका, वही रङ्ग इसका,
टपकती है जमुना से शाने कन्हैया।
कहाँ तक लिखेगा कोई इसको "शातिर",
बहुत तूल[3] है दास्ताने कन्हैया।

१—क़िस्सा, २—तलवार, ३—बड़ी।

और भूतकाल में इसके कारण बहुत उन्नति हुई है। महासमर के अन्त में इस विषय में कई बार विचार किया गया था और कई तजवीज़ें भी तैयार हुई थीं। लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हुई। सन् १९१३ में ग्रेट-ब्रिटेन से लगभग चार लाख लोग अन्य देशों में जाकर बसे थे लेकिन सन् १९२७ में केवल एक लाख अस्सी हज़ार लोग ही बाहर गए। ध्यान देने की बात यह है कि ग्रेट-ब्रिटेन की जन-संख्या सन् १९१३ में चार करोड़ पचास लाख थी और सन् १९२७ में चार करोड़ अस्सी लाख हो गई थी। उन्नीसवीं शताब्दी में कई उद्देश्यों से हज़ारों अङ्गरेज़ ग्रेट-ब्रिटेन छोड़ कर अन्यान्य देशों में जा बसे थे और इससे वहाँ की आबादी की भीड़ भी कुछ छँट गई थी, लेकिन अब बीसवीं शताब्दी में इसकी भी गुञ्जायश नहीं रही।

मैशीन ने मानव-शक्ति को विस्तृत करके प्रकृति को उसकी दासी बना दिया परन्तु साथ ही मैशीन प्राधान्य के कारण संसार के सामने एक ऐसा महाप्रश्न भी उपस्थित हो गया, जिसकी भयङ्करता प्रति दिन बढ़ती जाती है और जिसको हल करने के लिए संसार के बड़े-बड़े महारथी अपने दिमाग़ लगाते हैं, परन्तु वह हल नहीं होता। हमारी गति, हमारी दशा उस पुरुष के समान है, जिसको अकस्मात् विपुल सम्पत्ति मिल गई हो और जिसने एक अत्यन्त सुन्दर मोटरकार ख़रीद ली हो तथा एक अत्यन्त निपुण ड्राइवर को अपने यहाँ नियत कर लिया हो, परन्तु जिसको यह पता न हो कि उस शीघ्रगामी वाहन में बैठ कर उसको कहाँ और किधर से जाना है। पाठक! हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कोई बतला सकता है? भगवान करे हमको हमारे उद्देश्य का पता लग जाय! प्रभु करे कोई महान नेता उत्पन्न होकर हमारे सामने कोई व्यावहारिक आयोजन उपस्थित करे! फिर उस नवीन उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त हम इन बीसवीं शताब्दी के साधनों से काम लेंगे। बात की बात में हम उस नवीन आयोजन को पूरा कर देंगे। परन्तु उस आयोजन का पता लगे तब न! यदि हम 'अन्धेन नीयमाना यथान्धाः' की भाँति इधर-उधर भटकते रहे तो ये मैशीनें ही हमको चूर-चूर कर देंगी। यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो पता नहीं कौन से अन्धगर्त में पहुँचेंगे। इस समय हम एक ऐसी अदृश्य और अन्ध-शक्ति के हाथ में पड़े हुए हैं, जो हमको न मालूम कहाँ ले जाना चाहती है। शायद स्वयम् उसको भी पता नहीं कि वह हमको कहाँ ले जावेगी। आचार्य मार्क्स ने इस शक्ति को आर्थिक सङ्घर्ष का नाम दिया था, प्रोफ़ेसर हण्टिङ्गटन इसको भौगोलिक परिस्थिति के नाम से पुकारते हैं और स्पेङ्गलर इसको उत्थान और पतन का कोई अदृष्ट कारण बतलाता है।

आख़िर इस महाप्रश्न का उत्तर क्या है? विज्ञान की सहायता से हमको इसका उत्तर नहीं मिल सकता, विज्ञान के पास इसका उत्तर है भी नहीं। यह हमको और भी अधिक प्रबल मैशीन दे सकता है, जो हमारे प्रश्न को और भी जटिल बना देगी। राजनीति भी इस महाप्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक गहरी मौलिकता की आवश्यकता है। इसके लिए अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि की ज़रूरत है। हमको जानना है कि वास्तव में एक मनुष्य-समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ क्या सम्बन्ध है और इस विराट ब्रह्माण्ड में मनुष्य का क्या स्थान है और क्या कर्त्तव्य है। इस प्रश्न का उत्तर अपूर्व होगा। यह प्रश्न सृष्टा और सृष्टि के सम्बन्ध में नहीं है। हमको व्यक्तिगत कर्त्तव्यों की खोज नहीं करना है और न चरित्र की व्याख्या ढूँढ़ना है। हमको ऐसे तात्त्विकों और उपदेशकों की खोज है, जिनकी दृष्टि इस क्षणिक और आकस्मिक जञ्जाल से परे पहुँच चुकी हो, जो हमको इस भूल-भुलैया में से निकाल कर सीधा मार्ग बतलावे।

* * *

प्रयाग का कृषि-विद्यालय

[श्रीमती एम० एस० हेच]

गत शताब्दी के—रेल, तार टेलीफ़ोन, रेडियो और वायुयान के आविष्कारों की ओर देखने पर हमें बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है। इन अनुसन्धानों ने मानव-जाति के दैनन्दिन जीवन में कितना महान परिवर्तन उपस्थित कर दिया है! एक प्रकार से दुनिया की काया-पलट ही कर दी है।

इधर खेती के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसे ही आविष्कार हुए हैं, जिनसे अनाजों की क़िस्म की और पैदावार की तरक़्क़ी होने में बहुत मदद मिली है। इन अनुसन्धानों में जो सबसे बड़ी तारीफ़ की बात है, वह यह कि इनमें से बहुतों का प्रयोग देश के ग़रीब किसान भी कर सकते हैं और इनसे वे उतना ही लाभ उठा सकते हैं, जितना कोई धनी ज़मींदार।

प्रायः पचीस वर्ष पहले की बात है, डॉक्टर साम हिगिनबॉटम उन दिनों प्रयाग के ईविङ्ग क्रिश्चियन कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सोचा, कोई ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान के लाखों ग़रीबों को भरपेट भोजन मिल सके और जीवन की दूसरी ज़रूरतों के अभाव में भी उन्हें दुःख न भोगना पड़े। वे जानते थे कि देश की अधिकांश जनता खेती-बारी से अपना निर्वाह करती है और भविष्य में आने वाले बहुत वर्षों तक वह यही व्यवसाय करने के लिए विवश है। उन्हें यह भी मालूम था कि आजकल किसानों की दशा सुधारने के लिए कौन-कौन से आविष्कार हुए हैं तथा उन आविष्कारों ने दूसरे देशों में और स्वयं भारतवर्ष के कई स्थानों में भी किसानों की दशा किस प्रकार सुधार दी है। उन्होंने अपने मन में सोचा—"क्यों न हम लोग कोई ऐसी संस्था क़ायम करें, जो आस-पास के किसानों की सहायता कर सके, जो खेती की शिक्षा देकर ऐसे मनुष्यों को तैयार कर सके, जो गाँवों में जायँ और वहाँ के किसानों को वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती करना सिखावें तथा स्वयं भी उसी ढङ्ग से अपनी ज़मीन में खेती करके लोगों के सामने एक नमूना पेश करें।" उन्होंने इस विषय में अमेरिकन प्रिस्बिटेरियन मिशन के अपने साथियों से भी परामर्श किया।

हिगिनबॉटम सपना देखने वाले आदमी हैं; किन्तु



विद्यालय का छात्रावास, जिसमें १२४ विद्यार्थियों के रहने की जगह है।

साथ ही साथ वे कर्मशील भी हैं। उन्होंने विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने तथा इस प्रकार की एक संस्था के निर्माण के लिए धन एकत्रित करने की इच्छा से अमेरिका की यात्रा की। उनकी इस यात्रा तथा उनके सपनों और प्रार्थनाओं का परिणाम यह हुआ कि आज से १९ वर्ष पहले, ख़ास प्रयाग नगर के सामने, यमुना के उस पार कृषि-विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय में ६०० एकड़ भूमि है, जिसका कुछ हिस्सा वहाँ के किसान जोतते हैं। इस विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के विद्यार्थी तो आते ही हैं, इसके अतिरिक्त फ़ारस, ईराक और फ़ीज़ी के विद्यार्थी भी आते हैं।

विद्यालय के लिए जो ज़मीन चुनी गई थी, वह यमुना के किनारे होने के कारण, नालों और गड्ढों से भरी हुई थी। उसके ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बरसात का पानी हर साल नदी में बहा ले जाता था। इसलिए वह ज़मीन खेती के काम लायक़ बिलकुल न रह गई थी। उसमें 'ख़स' और 'कुश' नाम की दो घासें, जिसकी जड़ मिट्टी में दूर तक धँसी होती है, बहुतायत से जमी हुई

थीं। वहाँ की मिट्टी इतनी सख़्त और बञ्जर थी कि वहाँ के बाशिन्दे कहा करते थे कि किसी भी आदमी ने उसमें कभी हल चलते देखा ही नहीं। वहाँ के किसानों का ख़्याल था कि उस ज़मीन के ज़्यादा हिस्से में विद्यालय कोई फ़सल नहीं उगा सकेगा। और यही पहली बात थी जिसमें विद्यालय को नए आविष्कारों के लाभ दिखाने का मौक़ा मिला। इस विषय में विद्यालय ने पहला काम यह किया कि उसने उन सभी रास्तों को, जिनसे बरसात का पानी उस ज़मीन के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता था, रोक कर बाँध बाँध दिए। बरसात में उन बाँधों के पीछे पानी इकट्ठा होकर झील सा बन जाता था और पानी के स्थिर होने पर उसमें घुली हुई उपजाऊ मिट्टी की एक तह ज़मीन पर बैठ जाती थी। इस प्रकार, आजकल वहाँ बारह फ़ीट से भी ज़्यादा गहरी मिट्टी बैठ गई है। बरसात निकल जाने पर पानी बहा दिया जाता और उस ज़मीन में अच्छे क़िस्म के गेहूँ का बीज बोया जाता था। इससे कुछ को छोड़ कर, प्रायः प्रति वर्ष ही अच्छी फ़सल हुई। जो ज़मीन कुछ ही समय पहले बिलकुल निकम्मी और खेती के लिए बेकार थी, इन प्रयोगों से वही ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो गई है। चित्र में बाँध के पीछे जो ज़मीन दिखलाई पड़ती है, पहले वह बिलकुल ऊसर थी, लेकिन अब उसी में २२ मन से भी कुछ अधिक प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूँ पैदा होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आस-पास के गाँवों में फ़ी एकड़ ८ मन की उपज भी अच्छी उपज समझी जाती है। क्या यह जादू की सी सफलता नहीं है? इन बाँधों के विषय में जो सबसे अच्छी बात है, वह यह है कि किसान भी बिना किसी तरद्दुद या ख़र्च के इन्हें बाँध सकते और अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं।

बीजों की सुधरी हुई, सबसे अच्छी क़िस्म ही शायद कृषि-सम्बन्धी पहली चीज़ है, जिसका उपयोग पुराने ख़्याल के किसान भी कर सकते हैं। प्रति वर्ष अड़ोस-पड़ोस के किसानों में बहुतेरे इस प्रकार के सुधरे हुए बीज बोते हैं। वे लोग अब नवीन ढङ्ग के हलों का भी उपयोग करने लगे हैं। ये हल पुराने हलों की तरह केवल मिट्टी को खुरच कर ही नहीं रह जाते, किन्तु उसे ख़ूब गहराई से उखाड़ कर अच्छी तरह उलट-पलट देते हैं, जिससे खेत की उपज कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है।

किसानों के लिए उस प्रकार के गड्ढे तैयार कर लेना भी मुश्किल नहीं है, जैसा कृषि-विद्यालय में बना हुआ है। ये गड्ढे बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। इनमें जानवरों के खाने योग्य घास और चारा तो इकट्ठा किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त बरसात में पैदा होने वाली उन निकम्मी घासों को भी इसमें रख छोड़ते हैं, जिन्हें साधारणतः गाय-बैल नहीं खाते। यह घास बरसात से लेकर गर्मी तक बराबर उसी गड्ढे में पड़ी हुई अचार के समान बन जाती है। उस समय इसका स्वाद कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और यह पुष्टिकारक भी हो जाती है। गाय-बैल उस समय इसे बड़े चाव से खाते हैं। इन गड्ढों तथा इनके समान अन्य बहुत सी वस्तुओं को किसान तथा कृषि-सम्बन्धी बातों में दिलचस्पी रखने वाले महानुभाव और विद्यार्थी इस विद्यालय में आकर देख-सुन सकते और उनके सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

जैसे यह आवश्यक है कि इन प्रयोगों को करके जनता को दिखलाया जाय वैसे ही विद्यालय इस बात की भी आवश्यकता अनुभव करता है कि ऐसे मनुष्य तैयार किए जाएँ जो बड़े-बड़े खेतों का प्रबन्ध कर सकें, जो स्वयं अपनी ज़मीन में नए ढङ्ग से खेती कर सकें और दूसरों को भी ऐसा करना सिखला सकें, जो गाय-बैलों का पालन करें और बड़ी-बड़ी गोशालाएँ चला सकें; विद्यालय ऐसे आदमियों को तैयार करना भी आवश्यक समझता है जो सरकारी नौकरियों तथा व्यापारिक संस्थाओं में प्रवेश करके उन पदों पर काम कर सकें जिनमें कृषि और पशु-पालन के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी से विद्यालय की शिक्षा के दो विभाग कर दिए गए हैं—एक साधारण कृषि-सम्बन्धी और दूसरा डेरी-फ़ार्मिङ्ग या गोपालन सम्बन्धी। ये दोनों ही पाठक्रम गवर्नमेण्ट से स्वीकृत हैं।

विद्यार्थी खेतों में जाकर स्वयं अपने हाथ से काम करते हैं और उन्हें विद्यालय की कक्षाओं तथा प्रयोगशाला में सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है, जिनके अनुसार वे खेती या गोपालन का काम करना सीखते हैं।

गोपालन का पाठक्रम—जिसे इम्पीरियल डेरी डिप्लोमा कोर्स कहते हैं—दो वर्षों का है। भारतवर्ष के शहरों में बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या का एक बड़ा कारण यह भी है कि एक तो इन नगरों में शुद्ध और ताज़ा दूध मिलता ही नहीं, यदि मिलता भी है तो इतने मँहगे दाम पर कि ग़रीब आदमी उसे ख़रीद नहीं सकते और देश में ग़रीबों की ही सबसे बड़ी संख्या है। अतः यह विद्यालय इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि गायों की ऐसी नस्लें पैदा की जायँ, जिनमें थोड़े ही ख़र्च से शुद्ध और पुष्टिकारक दूध काफ़ी परिणाम में मिल सके। इस व्यवसाय को सिखाने वाली भारतवर्ष में केवल दो ही संस्थाएँ हैं, जिनमें यह विद्यालय एक है।

अमेरिका के मित्रों ने विद्यालय को अच्छे वंश वाले कई सुन्दर साँड़ दिए हैं,। ऐसी आशा की जाती है कि इन साँड़ों के द्वारा, भारतीय गौओं से उत्पन्न होने वाली बछियाँ, इस देश की गायों के मुक़ाबले दुगुने से पाँचगुना तक दूध दे सकेंगी। अभी इस प्रयोग का आरम्भ ही हुआ है। इसलिए अभी तक इसमें अधिक सफलता नहीं मिली है। परन्तु जितनी सफलता मिली है, वह निराशाजनक नहीं है। हमारी नई नस्ल की सबसे अच्छी गाय ने प्रथम दुहान में अर्थात् बछड़ा पैदा होने के समय से दूध बन्द हो जाने के समय तक ८,००० पाउण्ड दूध दिया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि पहले दुहान का समय पिछले दुहानों के समय से बराबर छोटा हुआ करता है। गवर्नमेण्ट की फ़ौजी डेरियों में नई नस्ल की कई गायों ने एक दुहान में १६,००० से लेकर २०,००० पाउण्ड तक दूध दिया है। इस प्रकार की गायों की एक अच्छी नस्ल पैदा कर लेना कोई आसान या जल्दी हो जाने वाला काम नहीं है, परन्तु इस प्रयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने से निस्सन्देह मनुष्य जाति का बहुत कल्याण हो सकता है।

इन दो पाठ-क्रमों के अतिरिक्त—जो कॉलेज में प्रवेश करने की योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए है—एक तीसरा पाठ-क्रम भी है, जिसे फ़ार्म मैकेनिक्स ऐपरेण्टिस कहते हैं। इसमें ऐसी कारीगरी के काम सिखाए जाते हैं, जिनका सम्बन्ध खेती से होता है, जैसे बढ़ई, लोहार, फ़िटर (जो मैशीनों की मरम्मत करता है) इत्यादि का काम। यह कोर्स तीन वर्ष का है। इतने दिनों में खेती के काम में आने वाले मैशीनों को बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा उन्हें चलाने का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ये बालक खाने-पहनने लायक़ अच्छी आमदनी करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की शिक्षा पाए हुए बच्चे देहातों में बड़ा काम कर सकते हैं। विद्यालय में इन बच्चों को बढ़ईगिरी, लोहारी और साधारण बिजली के कामों के अतिरिक्त, सन्ध्या को होने वाले क्लासों में भी, इस सम्बन्ध की ज़रूरी बातें बतलाई जाती हैं। इस पढ़ाई को समाप्त करके दो-तीन साल के भीतर ही अनेक लड़के ४०-५० और इससे भी अधिक रुपए प्रति मास की आमदनी कर चुके हैं। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले आत्मनिर्भर और योग्य लड़कों के लिए अपने जीवन को उन्नत बनाने को अनेक सुविधाएँ तथा सुनहले मौक़े हैं।

विज्ञानशाला और छात्रावास के अतिरिक्त विद्यालय में कृषि-सम्बन्धी मैशीनें, प्रयोगशाला, गोशाला, खलियान और कार्यकर्ताओं के रहने के मकानात भी हैं। इन मकानों में से प्रायः सभी अमेरिका के उन प्रेमी और उदार मित्रों के द्वारा दी गई रक़म से बनाए गए हैं, जो भारत की दारिद्र्य-समस्या के विरुद्ध युद्ध करने में सहायता देने के लिए सदा ही उत्सुक रहते हैं।

विद्यालय का मासिक ख़र्च जितना है, विद्यार्थियों की फ़ीस से उसका एक बहुत ही मामुली हिस्सा उसे मिलता है। किन्तु आशा की जाती है कि इस देश में ज्यों-ज्यों कृषि-विज्ञान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता जायगा, त्यों ही त्यों वे अधिक से अधिक संख्या में आर्थिक सहायता के द्वारा विद्यालय को आश्रय देने के लिए अग्रसर होंगे और साथ ही वे इस संस्था के कामों में भी दिलचस्पी दिखाएँगे तथा ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि वह इस संस्था को भारतवर्ष की सेवा करने के लिए दिनोंदिन अधिकाधिक उपयोगी बनावे। कुछ ही समय पहले महात्मा गाँधी यहाँ आए थे और यहाँ की मुख्य-मुख्य चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया था। खेती कराने की नवीन पद्धति और उन्नत साधनों को देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

यह विद्यालय, जहाँ कृषि-विज्ञान की उन्नति के लिए उत्सुक है, जहाँ यह इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि पहले जिस खेत में एक मन अन्न उपजता था, उसी में अब दो मन उपजाया जा सके, वहाँ इसे इस बात का भी गर्व है कि इसका ध्यान अपने छात्रों के चारित्रिक विकास की ओर भी कम नहीं है। यहाँ व्याख्यानों और कथाओं, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी वाद-विवाद हुआ करता है। अनेक छात्र—पहले जिनके विचार अत्यन्त सङ्कुचित और स्वार्थपूर्ण थे—यहाँ आकर उदार और परोपकारी बन गए हैं। इस प्रकार खेती से सम्बन्ध रखने वाले आश्चर्यजनक उन्नतियों के साथ ही साथ मानव-स्वभाव को भी उन्नति करने की चेष्टा यहाँ की जा रही है। यहाँ के विद्यार्थियों ने 'समाज-सेवा-सङ्घ' (Social Service League) नामक एक संस्था कायम की है। इसके सदस्य मज़दूरी करके पैसे इकट्ठा करते हैं और उनसे ग़रीब बालकों की बीमारी में दवा उन्हें ख़रीद कर देते हैं। वे आसपास के गाँवों में भी जाते हैं और ग्रामीण लोगों की शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य की उन्नति और मनोरञ्जन का प्रबन्ध करने में उनकी सहायता करते हैं। वे प्रति रविवार को अपनी समिति का एक अधिवेशन करते हैं, जिसमें ईश्वर, बन्धुत्व, प्रेम, त्याग, उदारता तथा इसी प्रकार के अन्यान्य विषयों पर विवाद हुआ करता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि डॉ० साम हिगिनबॉटम और उनके भारतीय तथा अमेरिकन सहयोगियों के त्याग और सेवा का भाव विद्यार्थियों के हृदय में प्रवेश कर जाता है और वे भी ईश्वर तथा मानव-जाति की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं।

* * *

डॉक्टर साम हिगिनबॉटम



आप प्रयाग कृषि-विद्यालय के प्रिन्सिपल हैं। आपका हृदय दीन और दुखियों के प्रति अगाध करुणा से ओत-प्रोत है। प्रयाग का कुष्ठ-चिकित्सालय भी आप ही की तपस्या का फल है।

THE FINE ART PRINTING COTTAGE. CHANDRALOK. ALLAHABAD.

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

प्रयाग कृषि-विद्यालय सम्बन्धी कुछ दुर्लभ चित्र



विद्यार्थी मैशीन से गन्ना पेर रहे हैं।



इस ज़मीन में एक साल में चार पैदावारें होती हैं—दो घास की, उसके बाद एक आलू की, फिर एक मकई की।
इसी ज़मीन में, जब तक विद्यालय ने इसे समतल करवा कर सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया था,
मकई की तो कौन कहे, आलू और घास की भी अच्छी उपज नहीं होती थी।



विद्यार्थी नवीन ढङ्ग के हलों से खेत जोतना सीख रहे हैं। देखिए, एक ही चास में यह हल ज़मीन को कितनी गहराई तक खोद देता है।



डेरी क्लास में विद्यार्थी मक्खन बनाना तथा मैशीन की सहायता से बोतलों में दूध भरना सीख रहे हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

प्रयाग कृषि-विद्यालय सम्बन्धी कुछ दुर्लभ चित्र



विद्यार्थी पनीर बनाना सीख रहे हैं।



अमेरिका से लाए हुए साँड़।



अमेरिकन साँड़ों द्वारा भारतीय गौओं से उत्पन्न हुई बछियाँ।



विज्ञानशाला का एक भाग।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

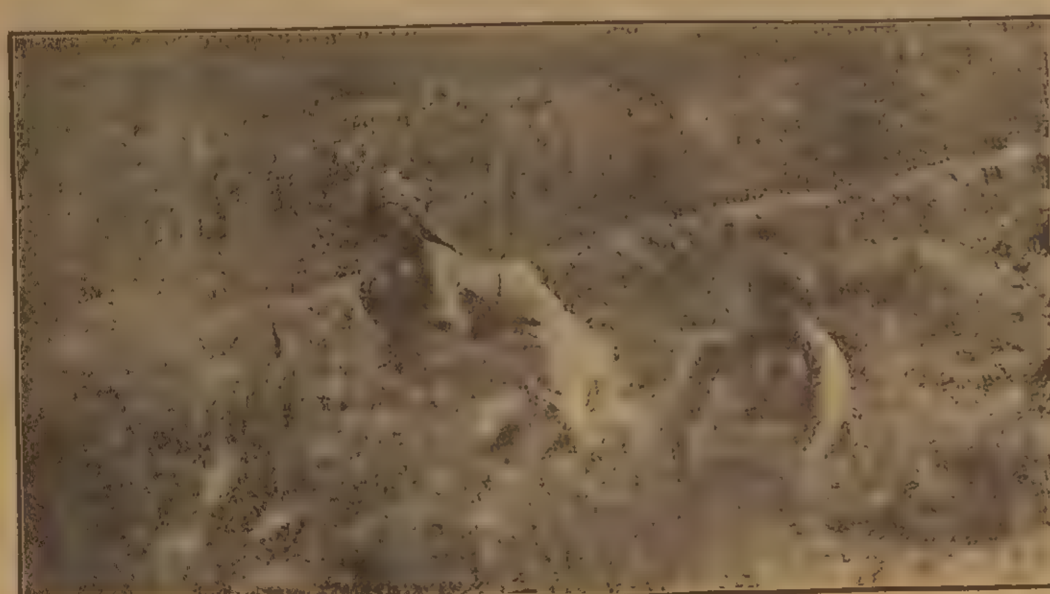
प्रयाग कृषि-विद्यालय सम्बन्धी कुछ दुर्लभ चित्र



यही वह ज़मीन है, जिस पर विद्यालय ने पहले-पहल कार्य आरम्भ किया था। यह गड्ढों और नालियों से इस बुरी तरह भरी हुई थी कि इस पर मनुष्य या जानवर किसी के भी काम लायक़ कोई चीज़ पैदा न होती थी।



खेत को उपजाऊ बनाने वाला बाँध। विद्यालय ने ऐसे बाँध बाँध कर अपनी ऊसर और बञ्जर ज़मीन को भी अत्यन्त उपजाऊ बना लिया है।



विद्यालय के समीपवर्ती, किसान अपने खेत में जौ और चने की फ़सल काट रहे हैं। इस ज़मीन में सिंचाई न होने के कारण गेहूँ नहीं पैदा होता। लेकिन ठीक इसी तरह की ज़मीन में कृषि-विद्यालय गेहूँ भी पैदा कर लेता है।



विद्यार्थी घास जमा करने के गड्ढे में घास भर रहे हैं। ये गड्ढे एक प्रकार के घास के बैङ्क हैं, जिनमें से ज़रूरत के समय घास निकाल कर काम चलाया जा सकता है।



सितम है नुकीली छुरी उस निगह की, कलेजे में रखने के क़ाबिल यही है ।
जलाए सताए कोई मेरे दिल को, सताने जलाने के क़ाबिल यही है ॥

मेरे दिल को ठुकरा के, मुझसे वह बोले,
बड़ी धूम जिसकी थी वह दिल यही है !
न घबरा तहे ख़ञ्जरे[१] इश्क़ दम ले,
मज़ा का तो वक्त इसमें पे दिल यही है !
कली फूल की मल के चुटकी से उसने,
कहा मुझसे क्यों आपका दिल यही है !
जिसे शीशा समझा है पे मुहतसिब[२] तू,
न तोड़ इसको ज़ालिम मेरा दिल यही है !
मेरे नातवाँ दिल को देखा तो बोले,
हिला देगा जो अर्श[३], वह दिल यही है !
—"अमीर" लखनवी

.ख़ुदा के लिए मेरे घर भूले-बिसरे,
चले आइए हसरते दिल यही है !
—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

न है कोई ख़्वाहिश, न है कोई अरमाँ,
मिलो हमसे तुम हसरते दिल यही है !
तमाशा दिखाए जो दोनों जहाँ का,
ज़रा आप देखें तो वह दिल यही है !
वह मुट्ठी में क्या शै[४] छुपाए हुए हैं,
दिखाएँ, दिखाएँ, मेरा दिल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

तेरा दोस्त मेरा उदू[५] दिल यही है,
तेरा बिस्मिलो मेरा क़ातिल यही है !
न छोड़ूँगा मैं तेरे नावक को ज़ालिम,
कि हसरत भरे दिल का क़ातिल यही है !
तड़प कर हमें दिल ने मारा तो समझे,
कि बिस्मिल के परदे में क़ातिल यही है !
मेरा दिल ही दुश्मन है, दिलबर[६] करे क्या,
वह है मुफ़्त बदनाम क़ातिल यही है !
—"अमीर" लखनवी

छुपेगी न महशर[७] में .ख़ूँरेज़[८] चितवन,
जो देखेगा कह देगा क़ातिल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

कहीं वह क़यामत में घबरा न जाएँ,
.ख़ुदाई कहेगी कि क़ातिल यही है !
—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

जफ़ा[९] तुम किए जाओ आने दो महशर,
हज़ारों में कह देंगे क़ातिल यही है !
यह किसने पुकारा कि ऐ मरने वालो,
इधर आओ तुम कूए क़ातिल[१०] यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

सितम है नुकीली छुरी उस निगह की,
कलेजे में रखने क क़ाबिल यही है !

तमाशा मेरे दिल के दाग़ों का देखो,
चमन सैर करने के क़ाबिल यही है !
"अमीर" इस करम[११] पर मैं सदक़े कि उसने,
कहा मेरी रहमत[१२] के क़ाबिल यही है !
—"अमीर" लखनवी

मेरा बावफ़ा दिल, मेरा चुलबुला दिल,
कलेजे में रखने के क़ाबिल यही है !
कहें हम वह तस्वीर अपनी जो देखें,
गले से लगाने के क़ाबिल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

वह क्यों मेरे दिल से न रक्खें कुदूरत[१३],
कि मिट्टी में मिलने के क़ाबिल यही है !
जलाए, सताए, कोई मेरे दिल को,
जलाने, सताने के क़ाबिल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

रहे इश्क़[१४] में जिस जगह गिर पड़ा मैं,
कहा ज़ोफ़[१५] ने तेरी मञ्ज़िल यही है !
.ख़ुदा वादिए[१६] इश्तिहाँ में सँभाले,
कड़ी राहे उल्फ़त में मञ्ज़िल यही है !
अदम[१७] में फ़िराक़े अहिब्बा[१८] का ग़म क्या,
यहीं आएँगे सबकी मञ्ज़िल यही है !
दिले दुश्मन उस हूर का घर बना है,
जहन्नुम में फ़िरदौस[१९] मञ्ज़िल यही है !
—"अमीर" लखनवी

मुहब्बत ही है दोनों दुनिया का मरकज़,
मजाज़ो[२०] हक़ीक़त[२१] की मञ्ज़िल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

ठहरिए ठहरिए, मेरा दिल यही है,
यही है, यही ऐश[२२] मञ्ज़िल यही है !
ज़माने पे रौशन है हालाते दुनिया,
न ठहरें जहाँ हम वह मञ्ज़िल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

नहीं उसको दुश्वार कुछ ज़िबह करना,
मैं हूँ सख़्त जाँ सख़्त मुश्किल यही है !
उदू को मैं उस बज़्म[२३] से तो उठाऊँ,
जगह उसकी दिल में है मुश्किल यही है !
—"अमीर" लखनवी

मुहब्बत की बातों पे रूठे हुए हैं,
मनाएँ उन्हें कैसे मुश्किल यही है !
—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

कहाँ दिल है तुम हाथ रखते कहाँ हो,
निहायत ही भूले हो मुश्किल यही है ।
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

बुतों का न चाहें, बुतों को न पूछें,
हमारे लिए सख़्त मुश्किल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

मेरी लाश पामाल[२४] करता है ज़ालिम,
अरे जान देने का हासिल यही है !
—"अमीर" लखनवी

रहो दिल में तुम हसरते दिल यही है,
यही है मुहब्बत का हासिल यही है !
लिपट जाओ सोने से क्यों मुनफ़इल[२५] हो,
हिकायत[२६] शिकायत का हासिल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

तुम्हारी अदाओं पे क़ुर्बान जाऊँ,
यही है मुहब्बत का हासिल यही है !
—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

कभी इस पे मरना, कभी उस पे मरना,
अगर है तो जीने का हासिल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

खिला तड़पता लाले[२७] का तो मैं यह समझा,
कि उसके शहीदों की महफ़िल यही है !
—"अमीर" लखनवी

तरसते हैं हम आज एक जुरआ[२८] मै[२९] को,
तेरा नज़्म[३०] साक़िए महफ़िल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

भरोसा नहीं इम्बिसाते[३१] जहाँ का,
जो उड़ जाए वह रङ्ग महफ़िल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

जो तुम हो मेरे दिल में तो दिल यही है,
यही घर है लैला का महमिल[३२] यही है !
—"अमीर" लखनवी

बगूला जब उठता है तो दिल में मजनूँ,
समझता है लैला का महमिल यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

"अमीर" उससे तेवर मेरे कह रहे हैं,
तेरी बाँकी चितवन का बिस्मिल[३३] यही है !
—"अमीर" लखनवी

उछलता तड़पता जो है दिल यही है,
तुम्हारी अदाओं का बिस्मिल यही है !
—"जोश" मुज़फ़्फ़रपुरी

जो क़ातिल पे सदक़े हो वह दिल यही है,
जो दिन-रात तड़पे वह बिस्मिल यही है !
इसे देख ले, और पहिचान भी ले,
जो बिस्मिल है तेरा वह "बिस्मिल" यही है !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—ख़ञ्जर के नीचे, २—हिसाब करने वाला, ३—आकाश, ४—चीज़, ५—दुश्मन, ६—प्रेमिका, ७—प्रलय, ८—.ख़ून बरसाने वाली, ९—.ज़ुल्म, १०—क़ातिल की गली।

११—कृपा, १२—दया, १३—मैल, १४—इश्क़ का मार्ग, १५—कमज़ोरी, १६—घाटी, १७—परलोक, १८—दोस्तों का बिरह, १९—बैकुण्ठ, २०—नक़ली इश्क़, २१—असली इश्क़, २२—आनन्द-भवन, २३—सभा।

२४—कुचलना, २५—लज्जित, २६—कहना-सुनना, २७—एक फूल का नाम है, जिसके सीने में दाग़ होता है, २८—घूँट, २९—शराब, ३० इन्तज़ाम, ३१—आनन्द, ३२—एक तरह का पर्दा होता है, जो अरब में ज़नानी सवारी के लिए होता है, ३३—विह्वल।

कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची

घटनाचक्र (व॰प्रे॰) २।), २॥।)
घर का भेदिया (व॰प्रे॰) ।)
चतुर जासूस (") ।-)
चन्द्रकान्ता (ब॰ बु॰ डि॰) १॥)
चन्द्रकान्ता-सन्तति (२४ भाग)(ब॰ बु॰ डि॰) ७॥)
चन्द्रभागा (") १॥)
चालाक चोर (व॰ प्रे॰) १॥), २)
चीना सुन्दरी (") १॥), २)
जवाहरात का गोला (व॰ प्रे॰) ॥)
ज़हर का प्याला (व॰ ब॰ ऑ॰) १)
जर्मन जासूस (व॰ प्रे॰) १॥), २)
जर्मनी षड्यन्त्र (व॰ प्रे॰) १॥), २)
जादू का महल (नि॰ चं॰) १॥)
जादूगरनी (") १।)
जाली ज़मींदार (") ।)
जासूस की झोली (नि॰ चं॰) १।), १॥)
जासूस की डाली (गं॰ (पु॰ मा॰) १॥), २)
जासूस के घर ख़ून (व॰ प्रे॰) १॥), २)
जासूसी चक्कर (व॰ प्रे॰) २॥), ३)
जासूसी पिटारा (व॰ प्रे॰) ॥।)
टर्की का क़ैदी (व॰ प्रे॰) १॥।), २।)
टापू की रानी (व॰ प्रे॰) १॥।), २।)
डबल जासूस (व॰ प्रे॰) १॥), २)
डॉक्टर साहब (व॰ प्रे॰) १॥), २)
दिल्ली का व्यभिचार (हिं॰ पु॰) १॥)
धनकुबेर (व॰ प्रे॰) १॥।), २।)
नराधम (व॰ प्रे॰) १≡), १॥≡)
पुतली-महल (चार भाग) (व॰ प्रे॰) ३॥।)
बोलशेविक रहस्य (") १॥।), २।)
भीषण डकैती (व॰ प्रे॰) १॥), २।)
भूतनाथ (६ भाग) (ब॰ बु॰ डि॰) १२)
मयङ्क मोहिनी (व॰ प्रे॰) १)
महेन्द्र कुमार (५ भाग) (व॰ प्रे॰) ५)
माया-महल (") १)
मोती-महल (६ भाग) (नि॰ चं॰) ३॥।)
लण्डन-रहस्य (४५ भाग) (व॰ प्रे॰) २२॥)
विचित्र बूढ़ा (हिं॰ पु॰ ए॰) १॥)
वेश्या-पुत्र (पु॰ भं॰) २॥)
शैतानी करामात (नि॰ चं॰) १॥), २।)
शैतान की शैतानी (हिं॰ पु॰ ए॰) ३)
सुन्दरी अमेलिया (व॰ प्रे॰) १॥।), २।)
सुन्दरी डाकू (व॰ प्रे॰) १॥।), २।)
हवाई डाकू (व॰ प्रे॰) १॥)

गद्य-काव्य

अन्तस्तल(हिं॰ ग्रं॰ र॰) ॥≡)
अन्तर्नाद (सा॰ म॰ लि॰) ॥।)
तरङ्गित हृदय (स॰ सा॰ प्र॰ मं॰) ।≡)
मिस्टर व्यास की कथा (गं॰ पु॰ मा॰) २।),३)
मेघनाद-बध (प्रका॰ पु॰ मा॰) ॥।)
विचित्र प्रबन्ध (इं॰ प्रे॰) २)
सौ अजान और एक सुजान (गं॰ पु॰ मा॰) २)
सौन्दर्योपासक (व॰ वि॰ प्रे॰) ॥।)

संस्कृत-काव्य गद्य हिन्दी में

कविता-कौमुदी (ग्रा॰ भा॰) ३)
कादम्बरी (सा॰ म॰ लि॰) २॥।), ३।)
" " (इं॰ प्रे॰) ।।)
किरातार्जुनीय (इं॰ प्रे॰)२)
कुमारसम्भव (") १)
महाभारत (भाषा टीका) (आर्य॰ ग्रं॰) १२)
महाभारत (वार्तिक, दो भाग) १०)
" (इं॰ प्रे॰) ७)
" (सचित्र) (बर्मन) ३), ३।)
महाभारत-मीमांसा (इं॰ प्रे॰) ४)
मेघदूत (द्विवेदी जी) ।-)
" (राजा लक्ष्मणसिंह) ॥≡)
रघुवंश (इं॰ प्रे॰) ३)
वाल्मीकि रामायण (भाषा)(इं॰ प्रे॰)१०)
वाल्मीकि रामायण (भाषा) १५)
वाल्मीकि रामायण (भाषा टीका) (आर्य॰ ग्रं॰) १०)
सुखसागर बड़ा (न॰ कि॰ प्रे॰) १०)
" मझोला (") ५)
" गुटका (") २॥)
संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ(हिं॰ पु॰ ए॰) ।≡)
हितोपदेश (भाषा टीका) १≡), १॥)

उर्दू, फ़ारसी और अरबी काव्य-ग्रन्थ

उर्दू कविता-कौमुदी (हिं॰ मं॰) ३)
उर्दू कविता-कलाप (हिं॰ पु॰ ए॰) ॥≡)
कविरत्न मीर (हिं॰ पु॰ भं॰) १॥।)
दाग़े-ज़िगर (हिं॰ पु॰ ए॰) १।)
महाकवि अकबर (इं॰ प्रे॰) १)
" ग़ालिब ॥)
" ज़ौक़ ॥।)
" दाग़ १)
" नज़ीर १)
मौलाना रूम और उनका काव्य (हिं॰ पु॰ ए॰) १।)
मौलाना हाली और उनका काव्य (इं॰ प्रे॰) १॥)
सुबह वतन (इं॰ प्रे॰) २)

समालोचना

कालिदास और भवभूति (हिं॰ ग्रं॰ र॰) १॥)
कालिदास और शेक्सपियर २)
कालिदास की निरङ्कुशता (इं॰ प्रे॰) ।≡)
देव और बिहारी (गं॰ पु॰ मा॰) १॥।), २।)
प्राचीन पण्डित और कवि (गं॰ पु॰ मा॰) ॥≡), १।≡)
भवभूति (") ॥≡), १≡)
मिश्रबन्धु विनोद (चार भाग) १०)
मतिराम-ग्रन्थावली (गं॰ पु॰ मा॰) २॥), ३)
रवीन्द्र-कविता-कानन (निहाल॰) २)
रामचरितमानस की भूमिका (हिं॰ पु॰ ए॰) ३)
बिहारी सतसई (पद्मसिंह) (एक भाग) २)
विश्व-साहित्य (गं॰ पु॰ मा॰) १॥), ३)
साहित्य-मीमांसा (हिं॰ ग्रं॰ र॰) १।≡)
हिन्दी नवरत्न (गं॰ पु॰ मा॰) ४॥), ५)

लेख-संग्रह और कथा-ग्रन्थ

अद्भुत अलाप (गं॰ पु॰ मा॰) १), १॥)
गद्य कुसुमावली (इं॰ प्रे॰) २)
निबन्ध-निचय (गं॰ पु॰ मा॰) १।), १॥।)
प्रेम-सागर (हिं॰ पु॰ ए॰)२)
बिहार का साहित्य (हिं॰ पु॰ भं॰) १॥)
बङ्किम-निबन्धावली (हिं॰ गं॰ र॰) १)
मिश्रबन्धु-विनोद (तीन भाग) ६॥।), ८।)
साहित्य रत्न-मञ्जूषा (सर॰ भं॰) ॥≡)
साहित्य विहार (सा॰ म॰ लि॰) १)
साहित्य सुमन (गं॰ पु॰ मा॰) ॥≡), १≡)

अर्थशास्त्र और व्यापार

अर्थशास्त्र-प्रवेशिका (इं॰ प्रे॰) ।≡)
ऋद्धि (इं॰ प्रे॰) १॥।)
औद्योगिकी (रा॰ हिं॰ मं॰) ॥।), १)
करेन्सी (वि॰ प॰ व॰ ज्ञा॰ मं॰) १॥)
कौटिल्य अर्थशास्त्र-मीमांसा (इं॰प्रे॰) १॥)
गृह-शिल्प (ज्ञा॰ मं॰) ॥)
दूकानदारी (स॰ हि॰) ॥।)
मितव्यय (इं॰ प्रे॰) ॥)
मितव्ययता (हि॰ ग्रं॰ र॰) ॥।≡)
रोशनाई बनाने की पुस्तक (वि॰ हु॰ मा॰)॥)
वाणिज्य (हि॰ पु॰ ए॰) ॥।≡)
विक्रय-कला (हिं॰पु॰ए॰) ॥)
विज्ञापन-विज्ञान(") १॥)
साबुन बनाने की पुस्तक (वि॰ हु॰ मा॰) १)

खेती और पशु-पालन

आलू (वि॰ परि॰) ।)
उद्यान (गं॰ पु॰ मा॰) १≡), १॥≡)
किसानों की कामधेनु (गं॰ पु॰ मा॰) ।≡)
कृषि-कौमुदी (इं॰ प्रे॰) १।)
कृषि-सिद्धान्त (कृ॰ भं॰) ।-)
खाद (हिं॰ पु॰ ए॰) १)
खाद और उसका व्यवहार (कृ॰भं॰) ।)
खाद का उपयोग (ज्ञा॰ मं॰) १)
खेती पौंड़ा गन्ना ऊख (कृ॰ भं॰) ॥)
गोपालन (इं॰ प्रे॰) ॥।)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

भारत में राज-विद्रोह क़ानून

[श्री० ब्रजमोहन भटनागर]

सन् १८३७ का ज़माना था। भारत के लिए क़ानून बनाने की बात छिड़ी हुई थी। लॉर्ड मेकॉले, जो भारत के सर्व-प्रथम क़ानून-सचिव थे, यह दावा करते थे कि उनको भारत का पूरा-पूरा ज्ञान है। भारत के अनेक धार्मिक भाव, अनेकानेक सामाजिक रीतियाँ तथा रहन-सहन इत्यादिकों से एक विदेशी का इतने थोड़े समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना एक विचित्र बात है और फिर लॉर्ड मेकॉले तो हाकिम थे। जो हो, इसी घमण्ड में आकर उन्होंने भारत के लिए एक फ़ौजदारी क़ानून का मसौदा तैयार कर डाला और यह पार्लामेण्ट के सामने उपस्थित किया गया। परन्तु पार्लामेण्ट को उस समय इतना अनुराग कहाँ से आया कि करोड़ों विदेशियों से सम्बन्ध रखने वाली बात को यथेष्ट रूप से जाँचती। उसके लिए तो यही काफ़ी था कि एक माननीय सभासद अपनी पूरी जानकारी का दावा कर रहे थे और उस दावे का फल भोगना था, एक दूसरी जाति को। फिर क़सम खाने की गुञ्जाइश यह थी कि लॉर्ड मेकॉले भारत के शासन से सम्बन्ध रख चुके थे। बस, मसौदा विचार के लिए स्वीकार हुआ और प्रचलित प्रथा के अनुसार अङ्गरेज़ों की एक कमिटी के सुपुर्द कर दिया गया।

कहावत है कि जब कोई चीज़ सस्ती हाथ लग जाती है तो उसकी विशेष देख-रेख नहीं होती। अङ्गरेज़ जाति को जिस बात से मतलब था, वह यह थी कि भारत रूपी सोने की चिड़िया हाथ से न निकल जावे। बस, इसके आगे क्या होता है, यह उसके लिए कोई महत्व की बात न तब थी और न अब है। इस समय हमारा प्रसङ्ग केवल क़ानून का ही है इसलिए अन्य बातों से प्रयोजन नहीं। इस सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष है कि इङ्गलैण्ड और भारत के क़ानून और क़ानून बनाने की शैली में बड़ा अन्तर है। उनकी आवश्यकताएँ मनुष्यों की सी हैं परन्तु हमारी--ओह, शासित जाति की सुविधा पर विशेष ध्यान देने का अवकाश मिलना कठिन है। अपने लिए क्या एक व्यक्ति करोड़ों मनुष्यों पर लागू होने वाला क़ानून बना सकता था? माना कि वे बड़े क़ाबिल थे, परन्तु क्या उनकी क़ाबलियत अपनी जाति के लिए न थी; केवल हमारे ही लिए थी।

फिर भारत के ग़ैर-क़ानूनी क़ानून—रेग्यूलेशन व ऑर्डिनेन्स की शैली शासकों की अद्भुत रचना-शक्ति का और भी दुखद दिग्दर्शन करा देती है। हम अपने महान शक्तिशाली और सर्व अधिकार सम्पन्न ताज़ीरात (तथा अन्य फ़ौजदारी क़ानून के विधान) को ईश्वरीय दस आज्ञाओं से तुलना करें तो अनुचित न होगा। परन्तु, यह तो ख़ुदाई झञ्झट है, जिसको यदि छोड़ भी दें तो भी समझ में नहीं आता कि मेकॉले ने यह धृष्टता क्यों की। किसी किताब से तो पता चलता नहीं और दुर्भाग्यवश अपने लगाए हुए पौदे के फल खाने को वे आज जीवित भी नहीं हैं कि उनसे पूछ कर ही निश्चय कर लेते कि आख़िर उन पर इस ताज़ीरात हिन्द का इलहाम हुआ था या इस मुक़द्दस किताब को उन्होंने केवल कल्पना द्वारा ही डेढ़ दिन के झोंपड़े की तरह रच डाला। यदि माई लॉर्ड जीवित होते तो देखते कि सन् १८३७ में तो क्या आज सन् १९३१ में (९४ वर्ष और देखते रहने के बाद) भी उनको इस अभागे देश का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं। उनका ज्ञान जो कुछ भी उस दिन था (अथवा जो आज होता) वह विशेष रूप से इतना ही था कि वे स्वयं विजेता और सत्ताधारी हैं और हम पराजित और पराधीन। बस, और कुछ नहीं।

हम मानते हैं कि सुलेमान, ड्रेस, लाईसरजस आदि ने भी क़ानून-निर्माण करने का काम किया था, परन्तु इस तरह नहीं जैसे कि मेकॉले ने किया। पूर्वोक्त महाशयों ने स्वयं अग्रसर न होकर जनता के अनुरोध से ही इस काम में हाथ डाला। परन्तु मेकॉले के सम्बन्ध में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भारत निवासियों ने क़ानून बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया हो। सुलेमानादि का समय था एक-राज-शासन का और मेकॉले का समय था विधान-युक्त शासन का। जो काम उन लोगों के पुराने समय में भी नहीं हुआ करता था, वह भारत के लिए हुआ १९वीं शताब्दी के मध्य में। हा! स्वार्थ, तुम्हारी सिद्धि के लिए कोई समय नियत नहीं, तुम जब चाहो आ सकते हो और आकर स्वर्ग को भी नरक बना सकते हो। १९वीं शताब्दी में स्वतन्त्र प्रेम की बढ़ती हुई लहर भी तुम्हारे ही कारण दब गई थी। आज़ादी के प्रदीप्त उजाले में केवल तुम्हारी ही एक महिमा ऐसी है जो अन्धकार फैला सकती है। लॉर्ड मेकॉले की निजी योग्यता चाहे कुछ भी रही हो, यहाँ निजी जीवन का प्रश्न भी नहीं है। परन्तु यह कार्य तो उनकी स्वेच्छाचारिता और अनुदारता का पूरा-पूरा परिचय देता है। भला यह कैसे सम्भव है कि इस विधान को हम न्याय की युक्ति मान लें? वैसे तो वह स्वीकार है ही है—अब तक रहा है और आगे भी जब तक रहेगा, रहेगा। एक पराजित जाति पर सब कुछ लादा जा सकता है—'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं!' परन्तु प्रश्न तो यह है कि वह काम जो न्याय के नाम पर किया गया था, क्या सचमुच न्याययुक्त था? क्या यह उचित था कि एक गाँठ के मिल जाने से ही अपने को पंसारी समझ बैठने वाले लॉर्ड मेकॉले ने करोड़ों मनुष्यों के लिए बिना उनसे पूछे ही क़ानून बना डाला? क्या अङ्गरेज़ी सरकार को यह शोभा देता था कि वह इस प्रकार न्याय का विधान रचती? क्या तत्कालीन भारतीय धारा-सभा ने मेकॉले के उस आविष्कार को स्वीकार करके अनर्थ नहीं किया?

भारत के बड़े लाट साहब की कौन्सिल ख़ूब जानती थी कि उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा हुई है और उस नियुक्ति में भारत-निवासियों का कोई हाथ नहीं। इसलिए अङ्गरेज़ी हितों का साधन और रक्षण स्वभावतः उसका प्राथमिक कर्तव्य था। उस पर उत्तरदायित्व था ब्रिटिश सम्राट का, न कि भारतीय जनता का। इसलिए यह असम्भव नहीं कि उसको कल की जगह आज ही पूर्ण-शक्ति सञ्चय कर लेने की उत्सुकता और आवश्यकता हो। ऐसे विधान की जिसके द्वारा "न्याय" के नाम पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हो जाय। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो साफ़-साफ़ मालूम हो जाएगा कि "राज्य में विरुद्ध अभियोगों" को इतना विस्तार दिए बिना ही जनता के हित में शासन किया जा सकता था। अस्तु।

सम्राट का भारत से सम्बन्ध

ब्रिटिश सम्राट का भारत से सम्बन्ध स्थापित होने की घटना ऐतिहासिक है। सम्राट को भारत निश्चय ही अद्भुत रीति से प्राप्त हुआ। इस क्रय का आरम्भ एक अङ्गरेज़ी व्यापार-मण्डली से होता है, जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से भारत में पदार्पण किया था। धीरे-धीरे इस कम्पनी ने इतनी "उन्नति" की कि जिसका शुमार भी कठिन है। प्रो० एडम्स ने कहा है कि "सम्भवतः सृष्टि के आदि से लेकर अब तक किसी धन्धे से इतना लाभ नहीं हुआ होगा, जितना कि भारत की लूट से।" ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों ने भी कहा है कि "हमारे विचार में देशीय व्यापार से जो अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई है, वह अनेकानेक अति भयानक अत्याचारों द्वारा ही हासिल की गई है। ऐसा ज़ालिमाना बर्ताव कभी किसी देश में नहीं हुआ।" अस्तु। धीरे-धीरे इसने मुग़ल-वंशीय भारत-साम्राट पर इतना सिक्का जमा लिया कि लगभग सौ वर्ष तक उनके नाम पर ख़ुद भारत का राज्य करती रही।

इस कम्पनी की स्थिति बड़ी मज़ेदार थी। यथार्थ में उसका सारा अस्तित्व अङ्गरेज़ी पार्लामेण्ट की एक आज्ञा (Magna Charta) पर निर्भर था। इसी आज्ञा के आधार पर आगे चल कर यह व्यापार-मण्डली इङ्गलैण्ड की सरकार का एक विभाग बन गई थी। क्यों न होता, "विभाग" "कमाऊ पूत" था, एक तो अपना और फिर कमाऊ—फिर भी उसको शासन-कार्य में सम्मिलित क्यों न किया जाता? दूसरी बात यह कि, भारतीय सम्राट द्वारा सम्मिलित होकर तो यह भारत का शासन करती थी, परन्तु उस पर आतङ्क और उत्तरदायित्व वर्तमान मुग़ल सम्राट का नहीं, बल्कि भावी अङ्गरेज़ी सम्राट का था। क्या ख़ूब, खाएँ तो हमारा और गुण गाएँ दूसरों का। यह बात उस समय खुली जब कि भारत के शासन की बागडोर मुग़ल सम्राट (जो केवल नाममात्र के ही सम्राट रह गए थे) के हाथों से निकल कर इसी मण्डली द्वारा अङ्गरेज़ी सम्राट को प्राप्त हुई। भारतीय, इस शान्तिमय परिवर्तन के लिए क्या कह सकते थे? मुग़ल सम्राट ने न तो अपनी इच्छा से आत्म-समर्पण ही किया और न पद-परित्याग ही किया।

कम्पनी को मध्यस्थ बनाने की तो केवल एक युक्ति ही थी, जो राज-विज्ञान की नीति पर निर्भर थी। इस बात का उदाहरण इससे बढ़ कर और क्या हो सकता है कि इङ्गलैण्ड और फ्रान्स में सप्त-वर्षीय युद्ध के अन्त में (सन् १७६३) जो पेरिस की सन्धि हुई थी, उस समय फ्रान्स ने यह प्रस्ताव किया था कि कम्पनी द्वारा उसके जीते हुए भारतीय प्रदेश उसको लौटा दिए जाएँ। परन्तु इङ्गलैण्ड ने उक्त प्रस्ताव को इस कारण से स्वीकार न किया कि कम्पनी प्रजापात्र है और भारतीय जायदाद उसकी निजी है, जिस पर उसको पूर्ण अधिकार है—राजा अपनी प्रजा की किसी भी निजी जायदाद पर निगाह नहीं डाल सकता।

मामला ख़त्म हुआ और बात आई-गई हो गई। परन्तु केवल १० वर्ष ही पीछे (सन् १७७३ ई० के) ब्रिटिश पार्लामेण्ट ने 'रेग्यूलेटिङ्ग ऐक्ट' के नाम से एक क़ानून बनाया, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि अङ्गरेज़ी फ़ौज द्वारा अथवा विदेशी राजाओं से सन्धि

करके जो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, उस पर सरकार का अधिकार होगा। इस तरह अङ्गरेज़ी सरकार ने कम्पनी की भारतीय प्राप्ति में दाँत ही नहीं लगाए, वरन् वर्तमान शासन-प्रणाली की नींव भी डाली। जब अङ्गरेज़ी सरकार ने जल और स्थल-सेना द्वारा भारत में कम्पनी की सहायता की, तो क्या कम्पनी की हिमायत करने के उत्तरदायित्व से बच सकती है? स्पष्ट है कि कम्पनी ने भारत में ख़ूब कमाई की—जैसे बना वैसे लिया। लूट-मार, छीना-झपटी, चोरी, जाल-साज़ी, मक्कारी इत्यादि करने में भी सङ्कोच नहीं किया। फिर इन सब बातों के कारण यह कैसे कहा जा सकता है कि बुराई जो कुछ भी थी वह कम्पनी की और भलाई अङ्गरेज़ सरकार की।

सन् १८३३ ई० में चार्टर की जब बदली होने को थी तो यह बात उठी कि भारतीय सल्तनत का सञ्चालन कम्पनी के द्वारा ही जारी रक्खा जाए या स्वयं सम्राट शासन-भार को बराहरास्त ग्रहण कर लें। तत्कालीन मन्त्रि-मण्डल अन्य कामों की वजह से इस काम का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता था, इसलिए पार्लामेण्ट ने यही निश्चय किया कि अभी कम्पनी की मध्यस्थता ही जारी रहे। इस समय से कम्पनी व्यापार-मण्डली न रही, बल्कि सम्राट की सरकार में एक विभाग के रूप में परिणत हो गई। यही वह समय था, जब क़ानून बनाने की तजवीज़ हुई और प्रथम बार घोषणा की गई कि "न तो किसी भारतीय को और न जन्म के कारण स्वाभाविक प्रजा के किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त होने में उसके धर्म, जन्म स्थान, नस्ल या रङ्ग के कारण कोई रुकावट न होगी।"

लॉर्ड मेकॉले के ताज़ीरात के मसौदे की जाँच के लिए जो कमीशन बैठा था, उसने सम्राट की स्थिति के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया कि कम्पनी को दीवानी (१२ अगस्त, सन् १७६९ ई०) मिलने के पश्चात् स्थिति में सचमुच ही गहरा परिवर्तन हो गया था, परन्तु यह कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि यद्यपि भारतवासियों को अङ्गरेज़ी सम्राट की प्रजा बनना पड़ा, परन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस नियत समय से प्रजा हुए। वास्तव में यह बात बड़े महत्व की है, क्योंकि इसके अनुसार अङ्गरेज़ी सरकार का क़ानून की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी प्रसङ्ग में यह बात भी जानने योग्य है कि अङ्गरेज़ी क़ानून में राज-विद्रोह सम्बन्धी जिस धारा का समावेश तीसरे एडवर्ड के शासन-काल में हुआ था, उसी आधार पर मेकॉले साहब ने अपने मसौदे में भारत के लिए भी राज-विद्रोह-विधान रच डाला था। परन्तु इसके बारे में उक्त कमीशन ने यह मत प्रकट किया कि "कम्पनी के कई तीव्र बुद्धि और प्रतिष्ठित न्याय-अधिकारियों की राय में इङ्गलैण्ड का राज-विद्रोह क़ानून भारत जैसे देश पर न्यायतः लागू नहीं किया जा सकता।" इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि अङ्गरेज़ों को जो भक्ति अपने सम्राट के प्रति रखना अनिवार्य था, उस भक्ति की अङ्गरेज़ी न्याय-अधिकारी १९वीं शताब्दी के मध्य-काल में भी भारतवासियों से आशा नहीं करते थे। फिर भी सन् १८७० में उस सन्देहयुक्त बात को भी क़ानूनी प्रमाण प्राप्त हो गया और वह पूर्णरूप से ताज़ीरात में सम्मिलित हो गई।

इसी जाँच-कमीशन ने यह मत भी प्रकट किया था कि "भारतीय धारा-सभा को राज-विद्रोह सम्बन्धी क़ानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।" इन सब बातों से यह तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि जिस संस्था ने यह क़ानून पास किया वह केवल विदेशी नीति के ही अधीन काम कर रही थी।

सम्राट के सम्बन्ध के बारे में यह सब कुछ इसलिए कहा गया है कि इङ्गलैण्ड और भारतवर्ष की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जावे। इन प्रमाणयुक्त घटनाओं के मुक़ाबिले में यदि राज्य के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है, तो यही कि ब्रिटिश सम्राट भारतवासियों की रज़ामन्दी से ही भारत का शासन कर रहे हैं। उन पक्षपातियों के हाथ के पत्तों में बस एक यही तुरुप है। परन्तु दुर्भाग्यवश वह भी कमज़ोर—दुग्गी, तिग्गी, जिससे इस मुर्ग़ों का लड़ना भी कठिन है। वर्तमान काल में (सन् १९२९ के बाद से) तो पूर्ण-स्वतन्त्रता की माँग खुले तरीक़े से की जा रही है। इससे पूर्व के लिए जिस दशा को रज़ामन्दी कहा जाता है, वह यथार्थ में मजबूरी थी या असहाय अवस्था की ख़ामोशी।

यद्यपि सन् १७७३ ई० से आतङ्क जमाने की चेष्टा आरम्भ हो गई थी, परन्तु पहिली घोषणा जिसमें सम्राट ने भारतीय जनता को प्रजा स्वीकार किया, वह कदाचित सन् १८३३ ई० में हुई थी। उसके उपरान्त मार-काट बराबर चलती रही। फिर, सन् ५७ का ग़दर आया और सन् १८६० में ताज़ीरात बन गया। इस तरह से सन् १८६० से सन् १८७० तक का ही काल है जिसको रज़ामन्दी का ज़माना कह सकते हैं। यह अधिक से अधिक है, परन्तु इस भय से ख़ाली नहीं कि स्यात् भारतीय जनता ग़दर दबाने में अङ्गरेज़ों के नाना प्रकार के अत्याचार देख कर सन्नाटे में आ गई हो और भयभीत होकर कान दबाए हुए निर्जीव सी पड़ रही हो। क्रान्ति के बाद अधःपतन बहुधा देखा गया है, इसलिए सन् ६० से सन् ७० तक का निस्तब्ध काल कोई आश्चर्यजनक बात नहीं।

आज भारत में अङ्गरेज़ी राज्य सफल-मनोरथ है, परन्तु क्या सफलता का प्रमाण यही है कि उसके कारण एक रोए और दूसरा हँसे। अफ़लातून का मत है कि यदि अपने बाहुबल द्वारा हम किसी से कुछ छीन लें, तो हमारी यह प्राप्ति उस सफलता की गणना में नहीं आती, जिसका आदर्श ऊँचा है या जो अच्छी मानी जाती है।

पादरी (फ़ादर) जेरिए ने कहा था कि "क्या इने-गिने प्रशंसा या जय-घोष व्यक्तिगत और हार्दिक स्वीकृति के वास्तविक रूप माने जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा समझौता उन करोड़ों आदमियों पर लागू हो सकता है, जिन्होंने समझौते को न तो सुना ही हो और न उसका समर्थन ही किया हो—अस्तु, साथ-साथ बिना अपने जान-माल को ख़तरे में डाले हुए जिसको अस्वीकार भी न कर सकते हों?"

हे समृद्धिशाली साम्राज्य, इतना न भूल कि आँखें खुली रहने पर भी अन्धा ही बना रह जाना पड़े। देख, तेरी इस दमन-नीति ने हमें जाग्रत कर दिया है और तुझे ख़ाना-ख़राब, तेरी वर्तमान स्थिति हम से दुर्बलों की आहों का ही नतीजा है! क्या आज भी तू हमारी प्यारी स्वतन्त्रता, हमारा वास्तविक अधिकार, हमारा जन्म-सिद्ध सम्मान, मनुष्य का प्राथमिक अधिकार हमसे पृथक रखना चाहता है? यह तेरी १२१ (अ) व १२४ (अ) तेरा नग्न-रूप दरसा रही हैं—यह तेरा कब तक साथ दे सकेंगी? उठ, देख और समझ; सन्तुष्ट भारत तेरा मित्र हो सकता है, परन्तु रुष्ट भारत अधीन होते हुए भी तेरा दुख निवारण नहीं कर सकता। ग़दर केवल परिवर्तन की इच्छा से कभी नहीं हुआ करता—उसका स्वाभाविक कारण है दुखों का बढ़ते-बढ़ते असह्य हो जाना। हम अब सहन की अन्त सीमा तक पहुँच गए हैं। हा! तेरे लिए भारतीय किस तरह लड़े, कटे और मरे, परन्तु बदले में क्या मिला—दुख और महान दुख! वह विजय लड़ने वालों की नहीं थी, बल्कि साम्राज्य और पूँजीवाद की थी। इसीलिए तो गत महायुद्ध ने संसार की गति ही बदल दी है।

सन् १८३७ ई० में लॉर्ड मेकॉले ने भारत के लिए फ़ौजदारी क़ानून का विधान बनाया और अङ्गरेज़ी राजद्रोह की धारा के आधार पर इस मसौदे में भी इसी आशय की धाराएँ जोड़ दीं। परन्तु उक्त मसौदा लगभग २० वर्ष तक योंही पड़ा हुआ सड़ता रहा, उसका प्रथम उपयोग सन् १८६० में हुआ और वह भी राजद्रोह सम्बन्धी धारा के बग़ैर। दस वर्ष पीछे आवश्यकता प्रतीत हुई कि यहाँ के फ़ौजदारी क़ानून में भी ऐसी गुञ्जाइश होनी चाहिए। बस, तत्कालीन ताज़ीरात को संशोधन करने के भाव से एक विशेष क़ानून (सन् १८७० का एक्ट नम्बर २७) पास हुआ। यह विशेष धारा मेकॉले की वही असली धारा थी, जिसने गर्भ में पदार्पण करने के लगभग ३३ वर्ष पीछे जन्म लिया।

सर जेम्स स्टीफ़न ने २ री अगस्त, सन् १८७० को धारा-सभा के सामने इस बिल को उपस्थित करते हुए कहा था कि उक्त राज-विद्रोह सम्बन्धी धारा सन् १८३७ के सर्व-प्रथम अङ्कित मसौदे में ११३ नम्बर पर विद्यमान थी, परन्तु ग़लती से ताज़ीरात हिन्द में शामिल होने से रह गई। इस धारा के अनुसार सरकार के प्रति अप्रीति-भाव उत्तेजित करने को अभियोग का रूप दिया गया है। परन्तु अप्रीति तथा विमति (विरुद्ध मत) में अन्तर है। सरकार के किसी काम से ऐसी कोई विमति रखना, जिसके द्वारा सरकार के क़ानूनी अधिकारों की अवज्ञा करने के भाव उत्पन्न न हों, और सरकार के क़ानूनी अधिकारों में बाधा डालने वालों से या सरकार काइतफ़्ता ही उलट देने वालों को नाजायज़ कार्रवाइयों के विरुद्ध सरकार की सहायता करना दूषित नहीं कहा जा सकता। इससे यह भली-भाँति ज़ाहिर है कि सरकार के कामों की ऐसी आलोचना करना, जिससे केवल उक्त प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो सके, इस धारा की सीमा के बाहर है।

उसी वर्ष २५ नवम्बर को जाँच-कमिटी की रिपोर्ट पेश करते हुए माननीय सर स्टीफ़न ने कहा था कि "यह धारा जल्दी में नहीं बनाई गई, बल्कि यथार्थ में लॉर्ड मेकॉले के विधान में मौजूद थी, और प्रारम्भिक मसौदे के साथ-साथ जब संशोधित मसौदा डबल कॉलम में छापा गया, उस समय भी वर्तमान थी। परन्तु धारा-सभा में विचार करते समय, ग़लती से इस पर विचार ही न हुआ, इसलिए यह ताज़ीरात हिन्द में शामिल न हो सकी। अनुमान तो यही है कि कमिटी की भूल के कारण ही ऐसा हुआ।"

आगे चल कर आपने कहा कि "ऐसी भूल हो जाने पर सरकार का कर्तव्य यही है कि उसका निवारण करे। सर बारनीज़ पीकौक (क़ानून-मन्त्री जिनके काल में ताज़ीरात हिन्द पास हुआ था) ने इस धारा के आशय की ही धारा ताज़ीरात हिन्द में शामिल की थी। परन्तु उनकी बनाई हुई धारा प्रारम्भिक धारा से कहीं ज़्यादा कठोर होने के कारण कमीशन ने यही उचित समझा कि उनकी रचना की अपेक्षा प्रारम्भिक धारा को ही धारा-प्रमाण दिया जाए।

प्रारम्भिक धारा भी, जो इस समय उपस्थित है, इस विषय पर अत्युत्तम नहीं है, परन्तु कमिटी का मत यह है कि कमिश्नरों ने उसको जैसा निश्चित कर दिया था वैसा ही रहने देना चाहिए। यद्यपि यह धारा इङ्गलैण्ड की राजद्रोह सम्बन्धी धारा के आधार पर ही करवाई गई थी, फिर भी यह उससे अधिक विहित और स्पष्ट है तथा उसकी सी मलीन या अनिश्चित नहीं है, इत्यादि।"

यह विचित्र बात थी कि भारत के जजों में न्याय-प्रेम के लिए इतना ऊँचा दर्जा रखने वाले जज को, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव की जीवनी के सुविख्यात लेखक (मेकॉले) द्वारा बनाई हुई धारा से भी कहीं ज़्यादा कठोर धारा निर्माण करनी पड़ी।

धारा १२४ (अ) का आशय इस प्रकार है :—

"जो कोई बोल कर या लिख कर अथवा इशारों से या प्रत्यक्ष में कुछ प्रदर्शन करके या किसी भी और तरीक़े से, सम्राट के या ब्रिटिश भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा और तिरस्कार के भावों को उत्तेजित करता हो या उत्तेजित करने की चेष्टा करता हो या अप्रीति फैलाता हो या फैलाने का चेष्टा करता हो तो उसे निम्न-लिखित दण्ड दिया जायगा—

आजन्म या थोड़े काल के लिए कालापानी, जिसके साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। और ३ वर्ष तक की जेल, जिसके साथ भी जुर्माना किया जा सकता है।

व्याख्या १—"अप्रीति" शब्द में राज-भक्ति का लोप तथा वैर-भाव, दोनों ही शामिल हैं।

व्याख्या २—बिना घृणा, तिरस्कार या अप्रीति उत्तेजित किए हुए (अथवा उत्तेजित करने की चेष्टा किए हुए) सरकार के कामों से ऐसी विरुद्ध सम्मत्ति रखना जिसका भाव यह हो कि क़ानून युक्त रीति से उन कामों में परिवर्तन कराया जा सके, तो वह विरुद्ध सम्मति इस धारा की सीमा के बाहर होगी।

व्याख्या ३—बिना घृणा, तिरस्कार या अप्रीति उत्तेजित किए हुए (या उत्तेजित करने की चेष्टा किए हुए) सरकार के शासन-सम्बन्धी या अन्य कामों से विरुद्ध मत प्रकट करने के हेतु आलोचना करना भी इस धारा के अनुसार अभियोग नहीं होगा।

शब्द

क़ानून में शब्द और भाषा का बड़ा महत्त्व है, क्योंकि सारा खेल उनसे ही बनता और बिगड़ता है। धारा को पढ़ने से ही मालूम हो जाता है कि हमारे निजी विचारों पर उसका कोई असर नहीं, बल्कि इसके अनुसार अभियोग केवल उस समय ही लग सकेगा कि जब हम दूसरे के विचारों में अप्रीति, घृणा और तिरस्कार के भाव उत्तेजित करें।

इस विषय पर अभी और अधिक न लिख कर केवल शब्दों पर ही विचार करेंगे।

सब से पहिले जो शब्द हमारे सामने उपस्थित होते हैं, वे हैं—"अप्रीति", "घृणा" और "तिरस्कार"। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तीनों ही एक-दूसरे से भिन्न आशय के शब्द हैं। किसी विशेष दशा में यदि कुछ मिलते-जुलते हुए मान भी लिए जाएँ, तो इससे उनका असली भाव विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीनों ही भिन्न-भिन्न गतियों को प्रकट करते हैं। "अप्रीति" शब्द को पहिली व्याख्या में काफ़ी बड़ा विस्तार दे दिया गया है। यानी यह कि राज-भक्ति का लोप और वैर-भाव दोनों ही उस परिभाषा में आ जाते हैं। परन्तु और दोनों शब्द ऐसे निश्चित भाव से सम्बन्ध रखते हैं कि उनकी न व्याख्या की ज़रूरत है और न किसी मीमांसा की।

इन शब्दों के बाद ही 'उत्तेजना' पर निगाह पड़ती है। 'उत्तेजना'—किसी वर्तमान चीज़ में हो सकती है। 'उत्तेजना' 'उत्पत्ति' से भिन्न है; क्योंकि उत्तेजना तो किसी वर्तमान चीज़ में तेज़ी या ज़्यादती करती है, परन्तु 'उत्पत्ति' किसी चीज़ का बिल्कुल ही नव-विकास करती है। उसका यह स्वाभाविक गुण है, जिसमें न किसी दलील की ज़रूरत है और न किसी सबूत की। उत्तेजना के प्रसङ्ग में ही 'प्रकाशन' भी आ जाता है। यह दोनों भी एक नहीं, क्योंकि हम अपने विचार को केवल प्रकट करके ही तो दूसरे को उत्तेजित नहीं कर देते। यथार्थ में दूसरे को उत्तेजना उसी समय होती है, जब हम दूसरे को उत्तेजित करना चाहें। यदि हम अपने विचार (चाहे वे ईश्वर के ख़िलाफ़ हों या सरकार के या और किसी के) केवल 'प्रकाशन' मात्र ही करें, तो हम कोई गुनाह नहीं करते; क्योंकि अपने विचार ज़ाहिर कर देने में हमारे लिए कोई रोक नहीं। साहित्य और इतिहासादि इसीसे तो बचे हुए हैं। सारांश यह कि कोई भी घटना या अपना स्वतन्त्र विचार, हम निर्भय होकर प्रकट कर सकते हैं। जब तक उनसे दूसरों को उत्तेजना न मिले, उस समय तक वे १२४ (अ) की सीमा के बाहर हैं।

अब, उत्तेजना भी एक विशेष प्रकार से क्रम-बद्ध की गई है। अर्थात् वह उत्तेजना सम्राट या क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए। सम्राट का भारत से जो सम्बन्ध है, उस पर ऐतिहासिक दृष्टि पहिले ही डाल चुके हैं, फिर भी, क़ानून का जो विधान है वह शिरोधार्य है, परन्तु क़ानूनी रीति से ही। सम्राट की राजनीतिक या शासन-सम्बन्धी स्थिति जो कुछ भी है, उसके सिवाय उनका व्यक्तिगत रूप भी है! इसलिए यह नहीं हो सकता कि उनके विरुद्ध जो कुछ भी लिखा या बोला जाए, वह सब केवल विद्रोह ही माना जा सके। सम्राट को बुज़दिल अथवा मूर्ख कहना राज-द्रोह नहीं। इसी तरह उनको झूठा, धोखेबाज़, प्रजा के साथ विश्वास-घात करने वाला, सिंहासन की प्रतिष्ठा भङ्ग करने वाला इत्यादि कहने से भी दफ़ा १२४ (अ) का जुर्म क़ायम नहीं होता। वह पागल है, मन्त्रि-मण्डल के हाथ की कठपुतली है, नीति के बड़े-बड़े प्रश्नों को भी उलटा ही समझता है, भी इस गिनती में नहीं आते। उक्त बातों के कारण निन्दा या हतक-इज़्ज़ती का अभियोग लग सकता है, परन्तु राजद्रोह का नहीं।

अब, ब्रिटिश भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार का महत्त्व नहीं है, जिसका उल्लेख ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १७ में किया गया है। क़ानून द्वारा स्थापित सरकार तो हमेशा ही हुआ करती है। क्या कोई सरकार ऐसी होती है जो अपने को ग़ैर-क़ानूनी कहते हुए भी शासन जारी रक्खे? यथार्थ में किसी भी सरकार का क़ानूनी या ग़ैर-क़ानूनी होना उसके वर्तमान काल में निश्चय नहीं हुआ करता, यह बात तो उस सरकार के अन्त होने पर ही उठती है। हाँ, यदि कोई विशेषण ऐसा लगा हुआ होता, जैसा कि "अङ्गरेज़ी सरकार," "मुस्लिम सरकार" इत्यादि तो और बात थी। केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व की मौजूदा माँग इस बात को सिद्ध करती है कि वर्तमान सरकार के अलावा और सरकार भी क़ानूनी हो सकती हैं। इस धारा की दूसरी व तीसरी व्याख्याओं में आलोचना को क्षमता प्रदान करने का अर्थ यही है कि सरकार अपनी अपूर्ण दशा को स्वीकार करती हुई सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव करती है। इन सब प्रत्यक्ष बातों के साथ केवल एक पेचीदगी उपस्थित हो गई है और वह है आलोचना की कोटि (Standard) और सीमा। कुछ काल पहिले यदि हम वे सब बातें कहते जो आज खुले तरीक़े पर कहते हैं, तो निश्चय ही जहन्नुम भेज दिए गए होते। एक ज़माना था, जब 'सेल्फ़ गवर्नमेण्ट' भी नहीं कह सकते थे, परन्तु धीरे-धीरे होम-रूल भी कहा, स्वराज्य भी कहा और अब डङ्के की चोट पूर्ण-स्वतन्त्रता की कामना कर रहे हैं। वही संस्था, जिसका नाम कॉङ्ग्रेस है, अपने प्रारम्भिक काल के सङ्कोच को परित्याग करके पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव ही पास नहीं कर सकती, बल्कि सरकार से सम्मुख लड़ाई भी लड़ सकती है। न तो अब वह दबी हुई ज़बान ही है और न कहते-कहते गर्दन मटका कर अपने चारों तरफ़ देखने की आदत। कहने का मतलब यह कि यदि हमारे इस उन्नत-स्वभाव को यथेष्ट महत्त्व दिया जाए, तो वक़्त बेवक़्त जो हम १२४ (अ) के नाम पर परेशान किए जाते हैं, वह बन्द हो जाएगा।

धारानुसार अप्रीति-भाव उत्तेजित करके असन्तोष फैलाना, जिससे बग़ावत खड़ी हो जाए अथवा सरकार का इतना तिरस्कार करना कि उसके न्याय-विधान पर प्रजा की श्रद्धा न रहे और प्रजा विमुख हो जाए, तो यह कार्य, यदि हम जान-बूझ कर करें, तो निश्चय ही राज द्रोहात्मक होगा।

धारा १२४ (अ) में "अथवा" शब्द का कई दफ़े प्रयोग किया गया है। इसका कारण यही मालूम होता है कि धारा का विस्तार अधिकाधिक बढ़ जाए। अस्तु। धारा के दो मुख्य भाग हैं :—

(१) जो कोई वक्तृता या लेखादि द्वारा सम्राट या अधिकार-सम्पन्न सरकार के प्रति अप्रीति, घृणा या तिरस्कार के भाव उत्तेजित करता है; और (२) जो कोई ऐसे भाव उत्तेजित करने की चेष्टा करता है।

यह दोनों ही भाग लगभग एक से हैं—दण्ड भी समान है और महत्त्व भी बराबर ही। परन्तु अन्तर यह है कि एक में नियत रूप से 'उत्तेजना' का उल्लेख है और दूसरे में उस उत्तेजना की चेष्टा का। राज-द्रोहात्मक उत्तेजना का कार्य निश्चय ही प्रत्यक्ष घटना की बात होने के कारण सरल है, परन्तु उत्तेजना की चेष्टा ऐसी बात है, जिस पर बहुत-कुछ कहा जा सकता है, इसलिए अब इस पर ही विचार करेंगे।

सबसे पहिले तो यही देखना है कि चेष्टा क्या है? चेष्टा निश्चय ही वह विचारयुक्त, पूर्व अङ्कित और कल्पित कार्य है, जिसका सिद्ध होना स्वाभाविक हो। अर्थात् उस काम के शुरू से आख़िर तक का पूरा नक़्शा बना लिया गया हो और दर्जा-बदर्जा कामयाबी की तदबीर निकाल ली गई हो। इतना कर लेने पर भी यदि वह इच्छित फल हाथ न लगे, तो उस असफलता का कारण केवल अपना स्वतन्त्र कार्यक्रम न हो, बल्कि कोई ऐसा संयोग उपस्थित हो जाए जो हमारे अधिकार के बाहर हो। इस विषय पर उपयुक्त उदाहरण यह है कि एक मनुष्य दूसरे को मार डालने की इच्छा से बन्दूक़ भरे, निशाना स्थिर करके घोड़ा भी दबाए, परन्तु अन्य किसी शक्ति के द्वारा अकस्मात् एक दीवार सी बीच में खड़ी होकर गोली को जज़्ब कर ले और निशाना न लगने दे। विदित होगा कि यद्यपि निशाना नहीं लगा, परन्तु कर्ता की चेष्टा में कोई भी कमी नहीं रह गई थी। यदि कर्ता को असफलता प्राप्त हुई तो अपने कार्य-क्रम की त्रुटि की वजह से नहीं, बल्कि ऐसी वजह से कि जिस पर उसका कोई प्रभुत्व न था।

ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ५११ में एक और प्रकार की अधूरी चेष्टा का भी उल्लेख है, परन्तु दफ़ा ५११ की और दफ़ा १२४ (अ) की चेष्टाओं में अन्तर यह है कि १२४ (अ) की चेष्टा चेष्टा ही नहीं, जब तक कि वह उदाहरण की सी पूरी न हो—अर्थात् सिद्धि की हद तक की गई हो और यदि असफल रहे तो किसी बाहिरी प्रभाव के कारण। इसलिए अप्रीति उत्तेजित करने की चेष्टा भी इस हद तक होनी चाहिए कि ज्योंही सफलता प्राप्त होने वाली हो कि फ़ौज, पुलिस आदि का बाहरी कारण अकस्मात् उपस्थित होकर उस उत्तेजना के इच्छित परिणाम को रोक दे।

यह तो हुई चेष्टा की परिभाषा, अब वह कब और कैसे की जा सकती है? अभियुक्त का विचार ही इस चेष्टा का एकमात्र कारण और आधार हुआ करता है। वैर-भाव या अप्रीति-भाव बिना सोचे हुए स्वयम् उत्पन्न नहीं हो सकते। भावना और कल्पना, यह प्रत्येक इरादे के लिए आवश्यक गुण हैं।

समझने की बात है कि जब तक किसी मनुष्य के हृदय में दूसरे के प्रति घृणा या अप्रीति के भाव न हों, तो वह उन भावों को फैलाएगा कहाँ से? बिना विचार किए हुए कोई भी किसी दूसरे के ख़िलाफ़ अप्रीति नहीं फैला सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि इरादे का

वर्तमान होना दफ़ा १२४ (अ) के जुर्म के लिए भी अति आवश्यक है। ऐसा भी सुना गया है कि किसी जगह राजद्रोह अभियोग के लिए इरादे का कोई महत्व ही नहीं रक्खा गया है। जिसका अर्थ यह होता है कि बिना विचार किए हुए भी राजद्रोह किया जा सकता है। यह क्रान्तिकारी धारणा है, जिससे बेचारे पागल को भी छुट्टी नहीं मिलती। ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ८४ के अनुसार यदि कोई पागल मनुष्य दिमाग़ सही न होने की वजह से अपने कर्म का गुण और स्वभाव न समझ सके तो वह कार्य चाहे क़ानून के विरुद्ध हो, परन्तु जुर्म नहीं माना जाता। किसी भी जुर्म के करने से पहिले मुजरिम के दिमाग़ में उस जुर्म का अस्तित्व होना अनिवार्य है। और उस मानसिक दशा के दो गुण हैं—(१) उद्देश या आशय; और (२) इरादे का ग़ैर-क़ानूनी भाव। क़ानून-शहादत की धारा ४ के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को उस समय तक निर्दोषी ही अनुमान करना स्वाभाविक है जब तक कि अभियोग साबित न हो जावे। इसलिए इरादे का गुण और स्वभाव स्वतन्त्र रूप से ही प्रमाणित करना चाहिए। जैसे कि वे शब्द, जिनके कारण अभियोग लगाया गया हो, यदि स्वतन्त्र रूप से स्वयं ही राजद्रोहात्मक हों, तो वे रिपोर्टर महाशय (चाहे पुलिस के हों या कोई और) भी मुजरिम हो जाएँगे, जिन्होंने नोट लिए और अभियोग चलाते समय अदालत के सामने पढ़े। परन्तु पढ़ने मात्र के लिए रिपोर्टर पर मुक़दमा चलते किसी ने न सुना होगा। केवल शब्द ही राजद्रोह का स्पष्ट जुर्म (Prima Facie) प्रस्तुत नहीं करते। नहीं तो एक भी कोष न बचता, सब किताबें ज़ब्त होतीं और कोषकार जी कालेपानी भेज दिए जाते। परन्तु जुर्म के सरज़द होने से पहिले तो इरादा लाज़मी है, इसीलिए रिपोर्टर और कोषकार दोनों ही जहाँ के तहाँ वर्तमान हैं और चैन की छानते हैं।

शब्द स्वयम् निर्जीव हैं उनमें जान डालने वाली कुछ और ही चीज़ है। दफ़ा १२४ (अ) में कहा गया है कि जो कोई उत्तेजित करने की चेष्टा करता है वह जुर्म करता है। ये नियत शब्द हैं और निश्चित भाव की ओर सङ्केत करते हैं। इस बात से भी आशय और इरादे की आवश्यकता प्रकट होती है। यदि उक्त धारा के शब्द कुछ और होते, जैसे "जो कोई ऐसा काम करे जिससे अप्रीति फैलाने की सम्भावना हो" तो समस्या बिल्कुल ही तीन की छः हो जाती। अर्थात् प्रसङ्ग और चारों तरफ़ की उपस्थित परिस्थिति भी इतनी दूषित होनी चाहिए कि बात का फ़ौरन ही असर हो सके। बारूद के कोठार में खड़े होकर दियासलाई घिसना एक ऐसा कार्य है जो तुरन्त ही कृतकार्य हो सकता है, परन्तु अभियोग तो उस समय ही होगा जब प्रसङ्गादि से यह प्रमाणित हो कि निश्चित इरादा बारूद में आग लगा देने का था। हृदयगत भाव यद्यपि उन कार्यों से ही जाने जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष में दिखाई दें, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि बारूद के गोदाम में खड़े होकर दियासलाई घिसना उसके इरादे का प्रमाण है—यह कार्य असावधानी के कारण भी किया जा सकता है और इस हालत में उस पर बारूद में आग लगा देने का जुर्म क़ायम नहीं होता।

इसका दूसरा उदाहरण यह है कि केवल यह कह देने से कि "इस सरकार का अन्त हो जाना चाहिए" राजद्रोह का जुर्म नहीं बन गया। यदि कोई महाशय शासन-विधान की मीमांसा करते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार की राज्य-संस्थाओं का आपस में मुक़ाबला या तुलना करें और फिर उनकी परिमित भलाई-बुराई भी बतावें तो क्या इससे ही वे अपराधी हो जाएँगे? नहीं, और केवल यही नहीं, बल्कि यदि वे यह भी कहें कि इस देश के लिए अमुक सरकार उपयुक्त नहीं, तो भी उन पर कोई आँच नहीं आ सकती। कारण यह कि इतना ही कह देने से सरकार से कोई दुश्मनी साबित नहीं हो जाती। और दुश्मनी के भाव (= जुर्म का इरादा) ही न हो तो दोषारोपण नहीं हो सकता। इसका समान्तर भाव यह है कि मालदार होने की इच्छा प्रकट कर देने से ही डकैती का मुक़दमा क़ायम नहीं हो सकता। इसी तरह जब यह कहा जाय कि वर्तमान सरकार में दोष है, उपयुक्त नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता है, तो यह कैसे मान लिया जा सकता है कि यह सब कुछ ग़दर करा डालने की चेष्टा-रूप में ही कहा जा रहा है। केवल विचार मात्र पर दण्ड देना न्याय की युक्ति तो होती नहीं, नीति की भले ही हो।

हमारे विचार, भावना, इच्छादि को क्रम-बद्ध करने का क़ानून में कोई विधान नहीं। कौन कह सकता है कि हम किससे, कब, क्यों और कैसे प्रीति करेंगे। इसी तरह सरकार को भी प्रीति कराने का न अधिकार है और न उस बेचारी ने चेष्टा ही की है। यह तो सचमुच का एक मज़ाक ही हो जाएगा। वह सब किसी से कहती फिरे कि उससे प्रीति की जाय? भला, अपने मुँह से भी इस तरह कहीं कहा जा सकता है? यथार्थ में जो बात है वह यह कि उसके प्रति अप्रीति उत्तेजित न की जाए। यदि कोई उससे प्रीति नहीं करता तो न करे, परन्तु दूसरों को भी वैसा ही करने की सलाह भी न दे, बस १२४ (अ) का यही सार है। निश्चय ही उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, जो कुछ है वह यह कि हम अपने भावों का दूसरों पर ऐसा प्रभाव न डालें कि वे सरकार के विरुद्ध उत्तेजित हो जाएँ। यदि केवल प्रकाशन मात्र से हम अपने अप्रीति भाव प्रकट भी कर दें तो रोक तो कोई नहीं, पर इतना भय ज़रूर है कि शायद उसका मतलब, हमारी भावना के विरुद्ध, दूसरों में अप्रीति भाव उत्तेजित करना न समझ लिया जाए।

राजद्रोह का प्रमाण यह है कि (१) अभियुक्त ने राजद्रोहात्मक शब्द कहे या लिखे; (२) अभियुक्त ने उन शब्दों के द्वारा घृणा या तिरस्कार या अप्रीति के भाव उत्तेजित किए या उत्तेजित करने की चेष्टा की। (३) उक्त घृणा या तिरस्कार या अप्रीति सम्राट या सरकार के प्रति थी। यथार्थ में राजद्रोह भी वर्तमान सरकार की निन्दा का ही एक रूप है और सरकार का मतलब है शासन-प्रणाली से न कि शासक-व्यक्तियों से—इनके प्रति तो राजद्रोह केवल उस समय ही हो सकता है, कि जब अभियुक्त का मतलब अव्यक्त रूप में सरकार से ही हो।

उक्त प्रमाण उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि यह निश्चय न हो जाए कि अभियुक्त का असली भाव क्या था और उसके कामों का असर क्या हुआ। क्या उसके शब्दादि निश्चय ही ऐसे थे जिनसे अप्रीति, घृणा या तिरस्कार उत्तेजित हो सकें? क्या इस काम के लिए अन्य आवश्यक साधन (जो कुछ भी हों) सब ठीक कर लिए गए थे और असन्तोष के बीज का नष्ट हो जाना सम्भव नहीं था? वक्तृता या लेख का असली मतलब क्या था? इधर-उधर से एक दो शब्द ले लेने से काम नहीं चल सकता, बल्कि यह आवश्यक है कि प्रसङ्ग भी देख लिया जाए। याद रहे कि समझदार आदमी को भुलावा देना उतना आसान नहीं जितना कि अपढ़ जनता को। यदि वक्तृता से कुछ उत्तेजना हुई भी तो क्यों हुई, वक्ता ने जान-बूझ कर ऐसा किया या केवल अज्ञानतावश। अज्ञानता की हालत में असावधानी का दोष भले ही लग जाए, परन्तु राजद्रोह का जुर्म नहीं हो सकता।

ज़ाब्ता की एक बात यह भी है कि इरादा को अटकल से न निकाल कर स्पष्ट रूप से साबित करना चाहिए। यानी, यह पूरी तरह से प्रमाणित हो जाना चाहिए कि अभियुक्त में घृणा और दुश्मनी के नियत भाव वर्तमान थे जिनके कारण ही उसने अमुक शब्द कहे या लिखे और फल-स्वरूप असन्तोष तथा अप्रीति सचमुच ही उत्तेजित हुई। इङ्गलैण्ड में एक व्यक्ति ने कहा था कि हम सब शान्ति चाहते हैं—ख़ून बहाना बुरा काम है, परन्तु यदि राजनीतिक सुधारों के हेतु प्राणों की ही बाज़ी लगानी पड़ेगी तो पीछे न हटेंगे।

मुक़दमा चला तो ज़रूर, परन्तु शुभ भावों के कारण वे वक्ता महाशय छोड़ दिए गए। एक दूसरे साहब तो इतने बढ़े कि वे सरकार की काया-पलट तबदीली चाहते थे, परन्तु वे भी इसीलिए छोड़ दिए गए। जब तक कि भाव शुद्ध हैं, उस समय तक तो राजद्रोह नहीं चल सकता, आगे जो हो।

न्याय और नीति यह दो चीज़ें हैं, जिनमें न्याय ही अधिक श्रेष्ठ है। यदि न्याय की युक्ति नीति के अधीन न की जाए, बल्कि स्वतन्त्र रूप से न्याय के आधार पर और उस शुभ नाम पर ही स्थित रक्खी जा सके तो लाइए हम अपने ख़ून से लिख दें कि कभी कोई दुखद अन्याय उपस्थित ही नहीं हो सकता।*

* History and Law of Sedition, by *W. R. Donogh* के आधार पर।

* * *

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) की वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद' / 'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर—————— है।

हस्ताक्षर——————

पूरा पता——————

——————

——————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।



साहित्य-समालोचना

लेखक प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा; प्रकाशक साहित्य-मन्दिर, दारागञ्ज, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या २६२, मूल्य १)

वास्तव में समालोचना सम्बन्धी यह एक उत्कृष्ट पुस्तक है। इसके विचार गम्भीर, विवेचनात्मक, स्वच्छ, सुन्दर और विशद हैं। इसमें कविता, कहानी, रङ्ग-मञ्च और समालोचना, इन्हीं चार विषयों पर विचार किया गया है। हिन्दी-साहित्य में अपने ढङ्ग की यह एक अनूठी पुस्तक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। उसी साहित्य-मन्दिर से निम्न-लिखित तीन पुस्तकें भी निकली हैं :—

(१) समाधि—अनुवादक श्रीयुत पं० गणेश पाण्डेय; मूल्य १।); यह लॉर्ड लिटन के "लास्टडेज़ आव पाम्पियाई" का अनुवाद है।

(२) यौवन और उसका विकाश—लेखक श्री० केशवकुमार ठाकुर; मूल्य ॥।); पृष्ठ-संख्या ११७

(३) महात्मा गाँधी का विश्वव्यापी प्रभाव—लेखक श्री० केशवकुमार ठाकुर; मूल्य ॥=)

रसाल वन

लेखक पं० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'; प्रकाशक लेखक मण्डल; दारागञ्ज, प्रयाग। पृष्ठ-संख्या ६३, मूल्य ॥)

रसाल-वन की प्रशंसा में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि यह उसका तीसरा संस्करण है। इस पुस्तक में कई प्रकार की स्त्रियों का अच्छा चरित्र-चित्रण किया गया है। कथा रोचक तथा सुन्दर है और भाषा प्राञ्जल है। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति का अच्छा चित्र खींचा गया है :—

अम्मा मुझे क्लेश देती थीं, इसकी थी परवाह नहीं।
रो-धोकर सह लेती थी मैं, थी अपार वह दाह नहीं॥
हृदयेश्वर के चरण-कमल का दर्शन जब-जब पाती थी।
उसी लाभ से अपनी सारी, वह ताड़ना भुलाती थी॥

उक्त बातें किसी नायिका ने अपनी सखी से कही हैं, वास्तव में यह अत्यन्त ही सुन्दर है। इस संस्करण में और भी कई अध्याय जोड़ दिए गए हैं, जिनसे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। इसी लेखक-मण्डल से 'गिरीश' जी की लिखी हुई जगद्गुरु का विचित्र-चरित्र नामक एक सुन्दर पुस्तक निकली है, इसका मूल्य केवल आठ आना है। हास्यरस की यह बहुत सुन्दर पुस्तक है। इसमें गन्दी हँसी नहीं हैं।

कबीर का रहस्यवाद

लेखक श्री० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, अध्यापक, हिन्दी विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग; प्रकाशक गाँधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या लगभग २०५; मूल्य २)

उक्त पुस्तक को पढ़ कर यह आशा अधिक बलवती हो गई कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। पुस्तक पाण्डित्यपूर्ण है। इस पुस्तक में रहस्यवाद की परिभाषा, उसकी परिस्थितियाँ, अद्वैतवाद और सूफ़ी-मत आदि कई विषयों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। रहस्यवाद की विशेषताओं का भी बहुत अच्छा वर्णन है। पुस्तक के विचार गम्भीर, विचारपूर्ण और प्रामाणिक हैं। सारी पुस्तक पढ़ जाने से मालूम हो जाता है कि पुस्तक पर्याप्त अध्ययन के बाद लिखी गई है। आजकल ऐरे-ग़ैरे नत्थू-ख़ैरे भी रहस्यवाद के ऊपर क़लम-कुल्हाड़ा चलाने लग गए हैं और कल्पना के मैदान में अपने सड़े और गन्दे दिमाग़ का घोड़ा दौड़ाने लग जाते हैं। जिसे देखो, वही इस पर कुछ न कुछ लिख ही तो मारता है और अपने को हास्यास्पद बनाता है। परन्तु वर्मा जी ने ख़ूब सोच-विचार कर लिखा है और अध्ययन के बाद लिखना प्रारम्भ किया है। हम वर्मा जी को ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखने के लिए हृदय से बधाई देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक हिन्दी-भाषा में रहस्यवाद पर ऐसी सुन्दर पुस्तक नहीं लिखी गई है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इस अंश में वर्मा जी ने पथ-दर्शक का काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्मा जी मेरी निम्न-लिखित बातों पर अवश्य विचार करेंगे। पृष्ठ ८ में वर्मा जी ने लिखा है—"कबीर की बानी" को आद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। कई और स्थानों पर वर्म्मा जी ने इसी बात की पुष्टि की है, परन्तु फिर पृष्ठ २१ में उन्होंने कबीर के रहस्यवाद का आधार अद्वैतवाद और सूफ़ी-मत बतलाया है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दोनों बातों की सङ्गति कैसे बैठाई जा सकती है। यदि कबीर सच्चे रहस्यवादी थे तो उन्हें आधार पर लिखने की क्या आवश्यकता थी और यदि उन्होंने आधार पर ही लिखा है तो वे सच्चे रहस्यवादी कैसे हुए !!

इसी प्रकार कुछ और स्थानों पर भी पुस्तक में ऐसी बातें आ गई हैं। पृष्ठ २४ में लेखक ने "सम्पूर्ण हृदय" शब्द का प्रयोग किया है और उसी के लिए पृष्ठ २२ में "आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा" का प्रयोग किया है। इस प्रकार पृष्ठ २४ का प्रयोग विरोधात्मक ही नहीं, ग़लत भी है।

पृष्ठ ७९ में तथा उसके आगे ग्रन्थ-कर्ता ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आनन्द के बारे में विचार किया है। उसके लिए जितनी दलीलें दी गई हैं, लँगड़ी मालूम होती हैं। जेम्स आदि प्रधान मनोविज्ञानकों को इस सम्बन्ध में विचार प्रगट करना आवश्यक था। जितनी जल्दी लेखक ने उन भेदों के उड़ा देने का प्रयत्न किया है, यह काम इतना आसान नहीं। हमारे यहाँ जड़-समाधि की सत्ता में लोग केवल विश्वास ही नहीं करते हैं, परन्तु इसे सत्य भी मानते आए हैं।

हठ-योग के प्रकरण में लेखक ने बहुत कुछ लिखा है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि हठयोग में पतञ्जलि ऋषि के अष्टाङ्ग योग की गणना क्यों की गई? इसके अतिरिक्त हठयोग का प्रकरण असम्बद्ध भी प्रतीत होता है। संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार उनके वर्णन करने से कुछ भी लाभ नहीं, यदि उनका सामञ्जस्य कबीर के विचारों से न किया जाय। इस प्रकरण में पाण्डित्य-प्रदर्शन अधिक है और सत्य कम। पुस्तक के पढ़ जाने से पता चलता है कि ग्रन्थकार ने अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कबीर-ग्रन्थों पर कम ज़ोर दिया है और उसके अध्ययन की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं समझी है।

इसीलिए इसमें कई तरह की ग़लतियाँ हो गई हैं, जो दूसरे संस्करण में सुधार दी जानी चाहिए। पहले तो कविता में रहस्यवाद, दर्शन में रहस्यवाद और धर्म में रहस्यवाद के भेदों के करने से पुस्तक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण पुस्तक में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, जो परस्पर विरोधी मालूम होने लगती हैं, दूसरे कबीर के ग्रन्थों के अध्ययन की कमी के कारण भी कुछ अशुद्ध बातें लिखी गई हैं। इस प्रकार के उदाहरण के लिए मैं 'अनाहद' और 'सुन्न' शब्द लेना अच्छा समझता हूँ। अनाहद का जो अर्थ लेखक ने लिखा है वह वास्तव में नहीं है। समाधि से अनाहद से सम्बन्ध अवश्य है और यह बात सच है कि समाधि योग-अवस्था में योगी लोग अनाहद शब्द सुनते हैं। परन्तु बिना समाधि के भी यह शब्द सदा योगी सुना करते हैं। इसी प्रकार 'सुन्न' के लिए ब्रह्म-रन्ध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म-रन्ध्र तो इसी शरीर की खोपड़ी का एक अङ्ग है और मरने के समय कुछ योगियों का यह फूट जाता है। परन्तु कबीर का 'गगन' और 'सुन्न' इससे सर्वथा भिन्न है, वह आकाश है, बहुत सूक्ष्म है और ब्रह्म-रन्ध्र से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

परन्तु इन बातों से पुस्तक का महत्व कुछ कम नहीं होता। हिन्दी-प्रेमियों तथा कबीर के विद्यार्थियों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

कालिदास और भवभूति

लेखक स्व० द्विजेन्द्रलाल राय; अनुवादक पण्डित रूपनारायण पाण्डेय; प्रकाशक श्री० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीरा बाग़, पो० गिरगाँव, बम्बई।

इस ग्रन्थ में द्विजेन्द्रलाल राय ने कालिदास और भवभूति की तुलना की है। तुलनात्मक-समालोचना का यह बहुत ही अच्छा ग्रन्थ है। वास्तव में द्विजेन्द्रलाल राय एक सफल नाटक-लेखक थे। इनके ग्रन्थों का बँगला में बड़ा आदर है। इनके सब नाटकों का हिन्दी में भी अनुवाद हो गया है और यहाँ बड़ा आदर है। द्विजेन्द्रलाल राय एक अच्छे नाटक-लेखक समझे जाते हैं, इसलिए वे नाटकों की तुलनात्मक समालोचना लिखने के भी उपयुक्त पात्र थे। उनकी समालोचना-शक्ति भी बड़ी तीव्र थी। वह ऊपर ही ऊपर उछल-कूद नहीं मचाते थे, बल्कि साहित्य-सागर की तह तक पहुँचने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने आख्यान वस्तु, चरित्र-चित्रण, नाटकत्व, कवित्व, भाषा और छन्द आदि सभी विषयों पर ख़ूब अच्छा विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि कोई भी आदमी पुस्तक की सब बातों से सहमत नहीं हो सकता, तथापि इसमें भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थ की समालोचना पाण्डित्यपूर्ण तथा सुन्दर है। हम चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में इस ग्रन्थ का ख़ूब प्रचार हो।



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

राष्ट्रवादी मुसलमानों के लाहौरी जलसे के कारण आजकल 'ख़िलाफ़ती भठिहारख़ाने' में ख़ासी चहल-पहल मच गई है और हिज़ होलीनेस को ईर्ष्या हो रही है, डॉ० अन्सारी और मलिक बरकतअली की ख़ुश-नसीबी पर, कि दोनों भाग्यवानों को घर बैठे ही सुसराल के मज़े मिल रहे हैं।

❀

विश्वास न हो तो किसी ख़िलाफ़ती अख़बार के पन्ने उलट डालिए। मानो सभी एक साथ ही अपनी-अपनी ज़बानों की काई साफ़ करने में लगे हैं। राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ-साथ कॉङ्ग्रेसी और हिन्दू-सभाई हिन्दुओं की भी ख़ूब ख़बर ली जा रही है। मानो दूल्हे के साथ ही बरातियों की भी ख़ातिरतवाज़ा हो रही है। आख़िर वे भी तो अपने मेहमान ही ठहरे।

❀

और अगर सच पूछिए तो हिन्दू भी इस 'सुसराली ख़ातिरदारी' के कम मुस्तहक़ नहीं हैं। क्योंकि ये 'पैन इस्लाम' के ही विरोधी नहीं, वरन् भारत की आज़ादी के भी ख़्वाहाँ हैं। इन्होंने कुछ मुसलमानों को बहका कर सर शफ़ी और मि० ग़ज़नवी की भावी गवर्नरी की आशा पर एक दम पानी फेर दिया है। इसलिए सारी ख़ुराफ़ात की जड़ तो यही हैं।

❀

इन्हीं कमबख़्त काफ़िरों के बहकावे में आकर कुछ मुसलमान राष्ट्रवादी बन गए हैं और भावी मुस्लिम राज्य की राह के रोड़े बन रहे हैं। ऐसे मौक़े पर, जब कि मोटे मौलाना और उनके अनुचरों ने भी गोलमेज़ का फ़ातिहा पढ़ डाला है और अङ्गरेज़ों से समझौता करके ग़ुलामी के बन्धन को मज़बूत करने में पौने सोलह आने सफलता प्राप्त कर चुके हैं, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अपने प्रबल अस्तित्व का परिचय देकर सारा गुड़ गोबर कर दिया है। ऐसी दशा में अगर दाढ़ीदार बिल्लियाँ ग़ुस्से में आकर खम्भे नोचना आरम्भ कर दें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

❀

दक्षिण भारत के कोई श्री० रामानुजम आयङ्गर नामक ब्राह्मण-कुल तिलक महोदय सर इक़बाल के भावी मुस्लिम राज्य की ख़बर पाकर फूल कर कुप्पा हो रहे हैं और अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए सपरिवार और सकुटुम्ब वहीं आकर बस जाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी राय है कि भावी मुस्लिम-राज्य में निश्चिन्तता-पूर्ण धर्म-कर्म करने का ख़ासा मौक़ा मिलेगा।

❀

इसलिए हिज़ होलीनेस की दुआ है कि पण्डित-प्रवर श्री० रामानुजम की यह शुभ कामना शीघ्र पूर्ण हो और साथ ही रामानुजम जी से अनुरोध है कि कुछ दिन हैदराबाद में जाकर धर्म-रक्षा का रिहर्सल कर आवें, ताकि अभ्यास बना रहेगा तो आसानी से इक़बाली मुस्लिम राज्य में आकर सनातन-धर्म की सुन्नत करा सकेंगे।

❀

अल्लाह मियाँ की इस पुरानी झोली अर्थात् भारत-वर्ष में एक से एक ख़ुराफ़ाती दिमाग़ वाले आदमी मौजूद हैं। कोई जाति-पाँति की कमर तोड़ कर छुआछूत-जैसे पवित्र धार्मिक कृत्य का गला घोंटने को तैयार है, तो कोई विधवाओं को सधवा बना कर सनातन-धर्म की जड़ में मट्ठा डाल रहा है। कोई बाल-विवाह के विरोध में आकाश-पाताल एक किए डालता है, कोई बेचारे बूढ़ों को षोडशी-पाणि-पीड़न-जैसे परम धार्मिक कृत्य से वञ्चित कर देना चाहता है।

❀

परन्तु इन तमाम ख़ुराफ़ाती दिमाग़ वालों से बढ़ा-चढ़ा दिमाग़ सेठ जमनालाल बजाज़ का है। अन्यान्य ख़ुराफ़ातियों ने तो अपने अधार्मिक कृत्यों द्वारा सनातन-धर्म की थोड़ी सी हानि मात्र की है और कतिपय वेद-विहित सुन्दर प्रथाओं का सत्यानाश कर डाला है; परन्तु इस सेठ ने तो एकदम सनातन-धर्म के तैंतीस कोटि देवताओं पर ही धावा बोल दिया है।

❀

ख़ुदा झूठ न बुलवाए तो इस आए दिन की 'जमना लाली' उत्पात के मारे बेचारे देवताओं की नींद-भूख हराम हो रही है। सेठ जी वैसे तो बड़े शान्त-शिष्ट जान पड़ते हैं, परन्तु मौक़ा पाते ही अपनी अछूत-वाहिनी के साथ देव-मन्दिरों पर चढ़ाई कर देते हैं और बेचारे देवता जी का भोग-राग छूकर उन्हें बिना रमज़ान के ही रोज़ा रखने को बाध्य कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आख़िर इन पत्थर के देवताओं ने सेठ जी का क्या बिगाड़ा है?

❀

वर्षों से ये हाथ धोकर देवताओं के पीछे पड़ गए हैं। आज तक दर्जनों देवताओं की जाति मार चुके हैं—उनका हुक़ा-पानी और बेटी-रोटी बन्द करा चुके हैं। बताइए, जिस देवता के घर में अछूत घुस जाएँगे, उसे भला कौन पूछेगा? मनुष्यों की तरह उनके यहाँ कोई प्रायश्चित्त विधान भी तो नहीं है कि उसके अनुसार बालू फाँक कर या पञ्चगव्य पीकर किसी तरह पवित्र हो सकें। बस, बेचारों के लिए आत्म-हत्या के सिवा और कोई उपाय ही नहीं रह जाता।

❀

उस दिन हज़रत पुरी पहुँचे। परन्तु अपने राम निश्चिन्त थे। क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी के यहाँ सेठ जी की दाल नहीं गलेगी। क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ छूत-छात का झगड़ा पहले से ही मिटा रक्खा है और ऐसा पक्का नियम बना दिया है कि आपका महाप्रसाद अगर कुत्ते का भी जूठा हो तो वह अपवित्र नहीं हो सकता। बल्कि उलटे उसके खाने से जन्म-जन्मान्तर के पातक-पुञ्ज उसके साथ ही पच कर दूसरे दिन बाहर निकल जाते हैं और प्राणी परमगति लाभ कर लेता है।

❀

बल्कि श्रीजगन्नाथ जी महाराज के दरबार में जूठन का ही महत्व है; जो जितने मनुष्यों का जूठा खा लेता है, वह शायद, उतनी ही बार सद्गति लाभ करता है और जो जूठन खाने में सङ्कोच या घृणा करता है, वह पुण्य-फल से ही हाथ नहीं धो लेता, वरन् महा-पाप का भी भागी होता है और मरने पर कल्पान्त तक नरक में वास करता है।

❀

ऐसी दशा में अपने राम का यह आशा करना, कि सेठ जी बाबा जगन्नाथ देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, स्वाभाविक ही था। परन्तु वाह रे सेठ जी की ख़ुराफ़ाती खोपड़ी! आख़िरश बेचारे जगन्नाथ जी को भी तङ्ग करने का एक ज़रिया ढूँढ ही तो निकाला। बाबा कबीरदास कह गए हैं—'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ!' परन्तु यहाँ सेठ जी ने 'पाइयाँ' सब से ऊँचे ताक!

❀

बस, फिर क्या था, वही हालत हुई कि अब 'कैसे... बचाओगी गोरी!' झट आपने श्रीजगन्नाथ जी के मोटे-मोटे अनुचरों को बुला कर फ़रमाया कि जगन्नाथ-मन्दिर के कङ्गूरों की शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियाँ अश्लील और हिन्दू धर्म तथा संस्कृति को कलङ्कित करने वाली हैं; इन्हें फ़ौरन हटा दो, नहीं तो हम सत्याग्रह आरम्भ कर देंगे! देखा आपने नीरस खोपड़ी का खूसटपना?

❀

हज़ारों धर्म-प्रेमी हिन्दू अपनी बहू-बेटियों के साथ भगवान के दर्शन से पहले और पीछे इन स्फूर्तिदायिनी मनोहर मूर्तियों के दर्शन कर, आँखों का मोरचा छुड़ाने के साथ अपना जीवन-जन्म सफल करते हैं। भगवान की लुण्ड-मूर्ति का दृश्य चाहे स्मृति-पट से विलुप्त हो जाए, परन्तु उन मूर्तियों का नेत्ररञ्जक दृश्य कभी नहीं भूलता।

❀

अक्सर जब भगवान भोग-राग ग्रहण करने में या किसी धनवान यात्री की मूल्यवान श्रद्धाञ्जलि ग्रहण करने में व्यस्त रहते हैं, तो यात्रियों को मन्दिर के प्राङ्गण में ठहर कर उपेक्षा करनी पड़ती है। उस वक़्त उन्हीं मूर्तियों द्वारा उनका थोड़ा-सा दिल-बहलाव हो जाता है। इसके बाद नमकीन के बाद माधुर्य में कुछ विशेष मज़ा भी तो मिलता है। इसलिए हमारी तो राय है कि यात्रियों को आँखों का ज़ायक़ा बदलने के लिए वे मूर्तियाँ अत्यन्त आवश्यक हैं।

❀

भगवान की पावनपुरी में छूतछात, जूठ-अजूठ का कोई भेद-भाव नहीं है, तो सलज्जता और निर्लज्जता तथा श्लीलता और अश्लीलता का ही बखेड़ा क्यों रक्खा जाय। बड़े-बड़े आचार-विचार वाले वहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए अपना आचार-विचार भूल जाते हैं तो उसके साथ ही अगर थोड़ी देर के लिए लज्जाशीलता और सभ्यता को भी बालाए-ताक़ रख देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है?

❀

जाड़े की बहार ? जवानी का सच्चा आनन्द ?? शक्ति का सञ्चार ???

धातु पौष्टिक गोलियाँ

तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हैं, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा के दस्त साफ़ करती हैं। सब प्रकार का दर्द; पीड़ा को रोकती हैं, शरीर को बलवान कर के स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्नदोष, धातु क्षीणता, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक विलासिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना ये सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। दाम २॥) रु० डिब्बा, डा० म० ॥) अवश्य लीजिए। इन गोलियों को हर मौसम में खा सकते हैं। और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं। सूचीपत्र मुफ़्त !

विजय ट्रेडिङ्ग कम्पनी, अलीगढ़

'ब्लॉक' हमसे ख़रीदिए !

'चाँद' तथा 'भविष्य' में छपे हुए इकरङ्गे ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात् ३ आने प्रति वर्ग इञ्च के हिसाब से दे दिए जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) से कम न होगा। डाक-ख़र्च ख़रीदार को देना होगा।

'भविष्य' चन्द्रलोक—इलाहाबाद

मेरी लकड़ी छूट गई

नवाब मीर महमूद अली खाँ उमर ७० साल हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि मैं बेहद कमजोर हो गया था, लकड़ी के सहारे चलता था बहुत सी इश्तिहारी दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर मैंने (मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ५) छोटी शीशी २॥)

महाशिव साहब खुफ़िया पुलिस

मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह अली इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाते हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भू० पं० मनोहरलाल की दवा (अर्श कुठार) ने २४ घन्टे में मेरी तकलीफ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत है कीमत ५) शीशी छोटी २॥)

आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान ख़ाँ
हैदराबाद दक्षिण

मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!!



जो कवच २) में मिलता था, आज वह सिर्फ़ १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष-चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्तान-लाभ, हर तरह के सङ्कटों से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे वश कर लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे हुओं से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है। १५ दिन तक फ़्री, बाद १५ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ५॥), डाक-महसूल ॥=); ध्यान रहे, मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम। सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें।

पता—एस० कुटी, हाटखोला (कलकत्ता)

बीसों प्रकार के प्रमेहों पर विजय प्राप्त कराने वाला

(रजिस्टर्ड) धातु पौष्टिक चूर्ण

यह चूर्ण जङ्गल की जड़ी-बूटियों एवं अष्टवर्गादि द्वारा धातु रहित शुद्ध बनाया गया है। सब के खाने योग्य है। केवल २१ दिन के सेवन से पानी के समान पतले वीर्य को घन तुल्य गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर वीर्य-विकारों को दूर कर नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन्दर्यता का देने वाला है। मूल्य फ़ी डिब्बा २) मय डाक-ख़र्च, वी० पी० द्वारा। पेशगी १॥) भेजने से डाक ख़र्च माफ़। नोट—स्वास्थ्योपयोगी मासिक पत्र 'रत्नाकर' का नमूना १ कार्ड डाल कर मुफ़्त मँगाइए।

पता—'रत्नाकर' भवन, इटावा—यू० पी०

"Victoria" Safe



Unparalleled in Quality. Workmanship and Price. Detailed catalogue on request.

G. GHOSE & Co.,
94, Harrison Road, Calcutta

दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥)



"दाद की अक्सीर दवा"—कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो सिर्फ़ १२ घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त जो कि आज तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर "डमी रिस्टवाच", एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, (बायसकोप), पाकिट चरखा, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता—आर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग।

पताः—शरमा ब्रदर्स एण्ड को०
पो० ब० ६७६५ सेक्सन ७१ कलकत्ता।

भृगुसंहिता का

चमत्कारी, अपूर्व, बृहत् खण्ड हिन्दी में छप गया, अवश्य मँगा पूरा धन व यश कमावें मूल्य प्रचारार्थ २)

बिजली का

फ़ान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा प्रेम व हर्ष उत्पन्न करता है, मुर्दा दिलों और शिथिल नाड़ियों में भी आनन्द और उमङ्ग की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु भर काम देगा, प्रचारार्थ ६)

सी० यस० एन्ड ब्रादर्स, महराजगञ्ज,
ज़िला सारन

☞ आवश्यक सूचना ☜

'चाँद' और साप्ताहिक 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूर्व लाभ उठाइए! इसका रेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है। आज ही पत्र भेज कर नियमावली मँगाइए।

अरे भाई, बेचारे धर्म और पुण्य कुछ नपुंसक थोड़े ही हैं—उनके भी तो कोई 'धर्माइन' और 'पुण्याइन' होती होगी। इसलिए हम तो समझते हैं कि जगन्नाथ-मन्दिर के कङ्गूरों पर उन्हीं धर्म-भगवान की ही 'युगल मूर्तियाँ' बनी हैं, फलतः उनके दर्शन से महापुण्य का प्राप्त होना अनिवार्य है।

❀

इस साल पुरी में कॉङ्ग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। भारत के विभिन्न प्रान्तों से लाखों मनुष्य वहाँ जाएँगे। नीरस राजनीतिक चर्चा के बाद कुछ सरस और मनोरञ्जक दृश्य तो उनके लिए होना ही चाहिए। इसलिए हमारी पक्की राय है कि वे मूर्तियाँ उसी तरह रहने दी जाएँ और श्लीलता की रक्षा के फेर में पड़ कर सनातन-धर्म की शोभा न नष्ट की जाए।

❀

चेहरे पर दाढ़ी और हिन्दुओं को 'काफ़िर' आदि कह कर गालियाँ देने का शऊर—बस, एक मुसलमान के लिए इतनी योग्यता काफ़ी है। परन्तु काश्मीर के मुसलमान कुछ ऐसे ईमानदार, हक़परस्त और न्याय-परवर हैं कि अपनी उस 'योग्यता' को भूल कर काश्मीर-नरेश को एक इण्ट्रेन्स पास मुसलमान को एक ग्रेज्युएट अ-मुसलमान पर तरजीह देने को कह रहे हैं।

❀

यानी अगर किसी कॉलेज के अण्डर-ग्रेज्युएटों को पढ़ाने के लिए किसी प्रोफ़ेसर की आवश्यकता हो, और उसके लिए कोई एम० ए० पास हिन्दू उम्मेदवार हो तो वह जगह उसे न देकर, किसी इण्ट्रेन्स पास मुसलमान को दी जाए। बस, यही सीधी सी बात है, जिसके लिए काश्मीर के आसपास के तमाम हिन्दू अख़बारों ने तूफ़ाने बे-तमीज़ी बरपा कर रक्खा है। आख़िर काफ़िर ही तो ठहरे। कमबख़्त ईमानदारी क्या जानें!

❀

काश्मीर में ७५ फ़ी सदी नौकरियाँ मुसलमानों को ज़रूर मिलनी चाहिएँ और अगर इसकी पूर्ति के लिए ७५ फ़ी सदी योग्य मुसलमान काश्मीर में न मिलें तो बाहर से अर्थात् ईरान और तुर्किस्तान से बुलाएँ जाएँ, परन्तु काफ़िरों को वह जगह कदापि न दी जाय, वरना सारा इस्लाम नापाक हो जाएगा। यह है, काश्मीर के मुसलमानों की हक़परस्ती नं० २।

❀

काश्मीर की सारी मिनिस्टरियाँ मुसलमानों को मिलनी चाहिएँ, योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि वे 'मिनिस्टरी पास' की सनद लेकर अम्मीजान की गर्भस्थली से निकलते हैं। आपको विश्वास न हो तो हदीस देख लीजिए। यह अल्लाह का फ़रमान है।

❀

वास्तव में यह मुसलमानों की ईमानदारी और दयाशीलता है कि उन्होंने उपर्युक्त माँगों के साथ ही काश्मीर के हिन्दुओं को वहाँ से निकाल बाहर करने की बात नहीं कही है। वरना, हिन्दुओं का कोई हक़ नहीं कि वे काश्मीर में रहें। उन्हें कोपीन धारण करके हिमालय में चला जाना चाहिए या समुद्र की तलहटी में अपनी बस्ती बनानी चाहिए।

❀

मुसलमानों के वालिद माजिद कभी इस देश के बादशाह थे। काफ़िर उनकी रिआया थे। हज़रत आदम की सलाह से अल्लाह मियाँ ने यह व्यवस्था की थी और जिबराईल की मार्फ़त इसकी सूचना भी भेजवा दी थी। बस, काश्मीर उनका, पञ्जाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और बङ्गाल उनका है। हिन्दू अगर इस धरा-धाम पर रहना चाहते हैं, तो मुसलमानों के ग़ुलाम बन कर रह सकते हैं।

❀

कुछ हिन्दू हैदराबाद, भूपाल, भावलपुर, रामपुर आदि मुसलमानी रियासतों का उदाहरण देते हैं और जानना चाहते हैं कि इन रियासतों में हिन्दुओं को कितनी नौकरियाँ दी जाती हैं और वहाँ उन्हें कैसी-कैसी सुविधाएँ प्राप्त हैं? बताइए, इन मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर कोई भला आदमी क्या दे सकता है?

❀

[illegible]



[illegible]

राजपूताना-अङ्क

"भविष्य" और "चाँद" के विद्वान् लेखक—

[illegible]

के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा !

[illegible]सकी विशेषताएँ :—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

वर्तमान राजपूत कौन हैं—हूण या आर्य ?
मेवाड़—प्रताप से पूर्व और पीछे (सचित्र)
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध
राजपूताने के प्रसिद्ध क़िले (सचित्र)
[illegible]
मुग़ल-कालीन राजपूताना (सचित्र)
राजपूताने की रियासतों से अङ्गरेज़ी सरकार की सन्धियाँ।
राजपूताना और मराठे
राजपूतों के अन्तःपुर
[illegible]

राजपूताने में राजनैतिक असन्तोष
बीजोलिया और बूँदी
ग़ुलाम और बेगार
राजपूताने के कर
[illegible]
राजपूताने के अङ्गरेज़ी अफ़सर
डिङ्गलकाव्य
मीराबाई के भजन
जयपुर का अजायबघर
राजपूत चित्र-कला
[illegible]

शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए

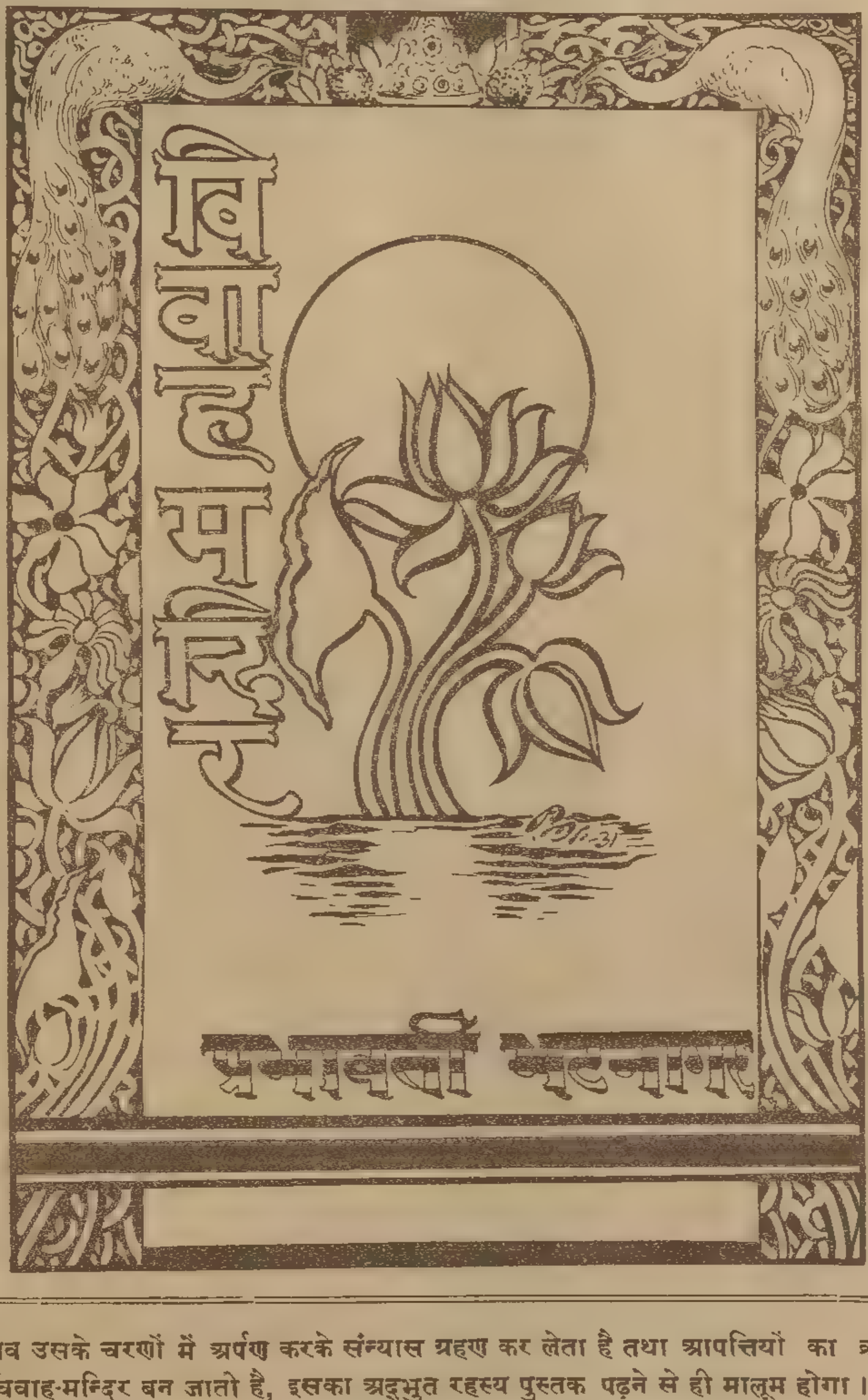
[illegible]

Registered No. A—2085

उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूतन उपहार

[अत्यन्त मनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास]

सांसारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, धैर्यवान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग-व्रत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-सुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ख़ून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस



प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अर्पण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल—एक दरिद्र की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती है, इसका अद्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा।

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्न है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्री अपना जीवन सफल बना सकती है। उसका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-भाव, एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए पति को धैर्य एवं साहस प्रदान कर क्षण-मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वह अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-शैली अत्यन्त मनोहर है। पुस्तक छप रही है; शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

मूल्य केवल ।) आना

टेलीफ़ोन-नम्बर : २०५

तार का पता : 'भविष्य'

भविष्य

वर्ष २ खण्ड १

इलाहाबाद—सोमवार ; ६ नवम्बर, १६३१

सं० ६, पूर्ण सं० ५६

देहली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० एच० एस० वात्स्यायन, एम० ए०



(गिरफ़्तार होने के पूर्व बिना लाइसेन्स के हथियार रखने के अपराध में भी आपको २ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड दिया जा चुका है)



वर्ष २, खण्ड १। | इलाहाबाद—सोमवार ; ९ नवम्बर, १९३१ | संख्या ६, पूर्ण संख्या ५६

"गोलमेज़ का जनाज़ा शीघ्र ही निकलने वाला है"

कॉङ्ग्रेस किसानों की रक्षा के लिए सत्याग्रह-संग्राम आरम्भ करेगी

मोती-पार्क की सभा में पं॰ जवाहरलाल नेहरू की गर्जना

६ नवम्बर की शाम को इलाहाबाद के मोती-पार्क की एक सार्वजनिक सभा में श्री॰ जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि—"मैं हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न का कुछ अर्थ ही नहीं समझता। उनकी समझ में ऐसे किसी प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं है, और राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स ने इस बात का भेद अच्छी तरह खोल दिया है कि इस तरह का प्रश्न क्यों उठाया जाता है। यह उन लोगों का पैदा किया एक बहाना मात्र है, जो भारत की स्वाधीनता के अधिकार के विरोधी हैं और इसलिए कॉङ्ग्रेस की माँगों का विरोध करते हैं।"

आगे चल कर पण्डित जी ने कहा कि—"राउण्ड-टेबिल कॉन्फ़्रेन्स से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। थोड़े ही दिनों में राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स का जनाज़ा निकलने वाला है और तब हमको फिर से अपना स्वाधीनता-संग्राम आरम्भ करना पड़ेगा। दरअसल सत्याग्रह आरम्भ करने का प्रश्न तो किसानों की दुर्दशा के कारण हमारे सामने अभी मौजूद है। कॉङ्ग्रेस इस सम्बन्ध में समझौता करने की हर तरह से चेष्टा कर रही है, पर यदि उसकी इन सब चेष्टाओं से भी किसानों की विपत्ति का अन्त न हुआ, तो उसे सहन कर सकना उसके लिए असम्भव होगा।

—ढाका की पुलिस ने ४ नवम्बर की रात को रेलवे स्टेशन पर श्री॰ सुरेन्द्रकुमार चक्रवर्ती नामक कॉलेज के विद्यार्थी को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी मि॰ डुर्नो पर किए गए आक्रमण के सम्बन्ध में हुई है। इसी सम्बन्ध में श्री॰ सुधांशुकुमार बोस को, जो विन्ध्याचल में गिरफ़्तार किए गए थे, ढाका लाए गए हैं।

—बङ्गाल-सरकार ने श्री॰ ललितचन्द्र राहा के मुक़दमे की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत नियुक्त की है। इन पर २१ अगस्त को रङ्गाइल में ढाका कमिश्नर मि॰ कैसल्स पर गोली चलाने का अभियोग लगाया गया है। इसी अदालत में अठारावाड़ी में १९ सितम्बर को डाक पर डाका डालने के सम्बन्ध में श्री॰ हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, गोपालचन्द्र आचार्य और श्री॰ शचीन्द्रनाथ बोस पर मुक़दमा चलाया जायगा।

—नारायणगञ्ज में जयगोविन्द राय की दुकान की डकैती के सम्बन्ध में पुलिस ने चार नवयुवकों को गिरफ़्तार किया है। इनमें से एक श्री॰ चाँदमियाँ नामक मुसलमान विद्यार्थी भी है।

—मैमनसिंह में श्री॰ अशोकचन्द्र राय, कुवेन्द्र चन्द्र गुहराय और क्षितीशचन्द्र सेन नाम के तीन व्यक्ति षड्यन्त्रकारी होने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—सीवान (सारन, बिहार) में दो ज़मींदारों में सदलबल दङ्गा हो गया। छः आदमियों को ज़र्रा लगा है, जिनमें से तीन की हालत चिन्ताजनक है।

—ढाका के कमिश्नर मि॰ कैसल्स, जो ९ ता॰ को अस्पताल से लौटे हैं, उसी दिन इङ्गलैण्ड को रवाना हो गए। आप पर रङ्गाइल में गोली चलाई गई थी।

—लन्दन का ६ नवम्बर का समाचार है कि जापान की सेनाओं और चीन के ९,००० सिपाहियों में खुल्लम-खुल्ला युद्ध शुरू हो गया है। इस घटना की गम्भीरता इस कारण और भी बढ़ जाती है चूँकि घटनास्थल से सोवियट रूस का प्रभाव-क्षेत्र बिल्कुल पास है। यह युद्ध बराबर २४ घण्टे तक जारी रहा। पहले जापानियों को हटना पड़ा, पर बाद में सहायता मिल जाने पर उन्होंने चीनी फ़ौजों को भगा दिया। ख़बर है चीन वालों के एक सौ आदमी मारे गए। चीन के दूत ने लीग ऑफ़ नेशन्स से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की है।

—९ ता॰ को महात्मा गाँधी इङ्गलैण्ड के पोस्ट-मैनों के यूनियन के कार्यकर्ताओं से मिले। आपने भारत के डाकख़ाने वालों की योग्यता की बहुत प्रशंसा की, पर कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की चिट्ठियों को छुप के खोल लेते हैं। काश्मीर के उपद्रव के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि चाहे इस घटना से यह सिद्ध होता हो कि हिन्दू और मुसलमान मिल कर प्रेमपूर्वक नहीं रह सकते, पर इसकी ज़िम्मेदारी अङ्गरेज़ी सरकार पर है। उसने देशी नरेशों को इस बात की स्वाधीनता नहीं दी है कि समय पर अपनी प्रजा की कठिनाइयों को उचित रीति से हल कर सकें।

—श्रीमती मीराबाई ने लन्दन से सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती को एक पत्र भेजा है, जो १६ अक्टूबर का लिखा है। इसमें कहा गया है कि म॰ गान्धी कॉन्फ़्रेन्स से छुटकारा पाने के बाद एक महीने तक यूरोप के देशों का भ्रमण करेंगे। इसमें से दस दिन वे रोमाँरोलाँ के निवास-स्थान पर बिताएँगे।

—यू॰ पी॰ सरकार ने ९ नवम्बर को एक कम्यूनिक प्रकाशित करके घोषणा की है कि अनाज का भाव सस्ता हो जाने से लगान में से १ करोड़ ६ लाख ४१ हज़ार रुपया किसानों के लिए माफ़ कर दिया जायगा।

—काश्मीर की दुर्घटना के सम्बन्ध में नवीन समाचारों से विदित होता है कि ३ नवम्बर के दङ्गे में ४ मुसलमान और २ हिन्दू मारे गए थे। अब शहर में गोरी सेना का पहरा है और किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ। झेलम से एक गोरी रेजिमेण्ट मीरपुर भेजी गई है। ९ ता॰ को स्यालकोट से १००० हज़ार वालण्टियरों का एक जत्था काश्मीर को रवाना हुआ है। स्यालकोट के गाँवों में जो नए जत्थे बन रहे थे, वे जम्मू में गोरी सेना के पहुँचने की ख़बर सुन कर तितर-बितर हो गए। गिरफ़्तार स्वयंसेवकों के प्रबन्ध के लिए सरकार ने एक अनुभवी मुसलमान अफ़सर को नियुक्त किया है और वालण्टियरों को कम्बल आदि आवश्यक चीज़ें भी दे दी गई हैं।

—एसेम्बली के ९ सिक्ख सदस्यों ने महाराज काश्मीर को तार-द्वारा सूचित किया है कि वे उनकी सेवा और सहायता के लिए हर तरह से तैयार हैं।

—६ नवम्बर को सुबह बम्बई की गिरनी कामगार (लाल झण्डा) यूनियन के प्रेज़िडेण्ट श्री॰ जी॰ एल॰ खण्डालकर गिरफ़्तार कर लिए गए।

—नासिक के अछूतों का मन्दिर-सत्याग्रह ९ ता॰ को आरम्भ हुआ और उसी दिन समाप्त हो गया। मैजिस्ट्रेट ने उपद्रव की आशङ्का से नगर में दफ़ा १४४ लगा कर लाठी आदि लेकर निकलना रोक दिया था। अछूतों का एक जुलूस मन्दिर तक गया और भीतर जाने का रास्ता बन्द पाकर लौट आया। अब वे मेले के समय, जो जनवरी में होता है, सत्याग्रह करेंगे।

—पटना का ९ ता॰ का समाचार है कि हेमन्त-कुमार चक्रवर्ती और प्रबोधकुमार राय नाम के दो नवयुवक हाईकोर्ट में रात के समय फिरते पाए गए। सन्देह में उनको कोतवाली ले जाया गया, जहाँ से वे पूछताछ करके छोड़ दिए गए।

—विज़गापट्टम का समाचार है कि हाल में यहाँ जो भारी बाढ़ आई थी, उससे सैकड़ों जगह मिट्टी कट कर गिरी है, और आने-जाने के रास्ते बिल्कुल बन्द हो गए हैं। सब मिला कर २०० मनुष्यों के मरने की सूचना मिली है।

—दरभङ्गा के महाराज कामेश्वरसिंह, जो आजकल राउण्डटेबल कॉन्फ़्रेन्स में भाग लेने के लिए लन्दन गए हुए हैं, के दस हज़ार पौण्ड के जवाहरात चोरी चले गए।

—मद्रास-सरकार ने अपने प्रान्त में अनाज के भाव की जाँच के लिए एक कमीशन नियत किया है।



—पूना का १ नवम्बर का समाचार है कि महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० वापट डमरगाँव (ज़िला थाना) में दफ़ा ३०२ और ११७ में गिरफ़्तार कर लिए गए। आप मुल्शीपेठा सत्याग्रह के प्रधान सञ्चालक थे, और पिछले मई मास में सात वर्ष की सख़्त सज़ा काट कर छूटे थे।

—गत २६ अक्टूबर को कुमिल्ला (बङ्गाल) के बौरा नामक गाँव में पुलिस ने धावा किया, जिसके फल से कितने ही लोगों को चोट लगने की ख़बर है। एक मुसलमान बुढ़िया चोट के कारण मर गई। इस घटना से समस्त गाँव में बड़ा असन्तोष फैला है। कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से मामले की जाँच के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई है।

—नारायणगञ्ज (ढाका) में २ नवम्बर की रात को बाबू जयगोविन्द राव की दुकान में सशस्त्र डाका पड़ा। दो नवयुवक एकाएक दुकान के भीतर घुस गए और लोगों को पिस्तौल से धमका कर ५००) रु० लेकर भाग गए।

—उन्नाव ज़िले में २५ अक्टूबर को एक डाका पड़ा था। उसकी जाँच करके पुलिस ने उन्नाव और कानपुर ज़िलों में नौ व्यक्तियों को पकड़ा है। कहा जाता है कि डकैती में बम, बन्दूक़ें और पिस्तौलें चलाई गई थीं। एक गाँव वाले ने बड़ी कठिनाई से और लड़ाई के बाद एक डाकू को पकड़ा। दूसरा गाँव वाला उसी झगड़े में मारा गया।

—श्री० एम० एन० रॉय का मुक़दमा ३ नवम्बर को कानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में पेश हुआ। श्री० रॉय ने अदालत के सामने आने से इनकार किया। इस पर वे बलपूर्वक अपने कमरे से लाए गए। उन्होंने कहा कि यह अदालत नियमानुकूल नहीं है और मैं इसे नहीं मान सकता, इसके सिवाय उन्होंने हाईकोर्ट में जूरी द्वारा सुनवाई होने की अर्ज़ी दी है। मुक़दमा १२ नवम्बर तक स्थगित कर दिया गया। १२ और १३ ता० को बहस होगी और १६ से गवाहियाँ ली जायँगी।

—कानपुर यूथ-लीग के वाइस प्रेज़िडेण्ट श्री० गोपीनाथसिंह और सेक्रेटरी श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना को दफ़ा १०८ में नेकचलनी के लिए ५०० रु० का मुचलका और एक-एक हज़ार की दो ज़मानतें देने की आज्ञा दी गई थी। इसकी अपील एडीशनल सेशन्स जज की अदालत में की गई थी जो २ नवम्बर को ख़ारिज कर दी गई।

—देहली कॉन्सपिरेसी केस बार-बार मुल्तवी हो रहा है; क्योंकि अभियुक्तों को स्पेशल अदालत के जजों पर विश्वास नहीं है और वे हाईकोर्ट में मुक़दमे को दूसरी अदालत में बदलवाने की दरख़्वास्त देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में श्री० विद्याभूषण की दरख़्वास्त ३ नवम्बर को नामञ्जूर कर दी गई। पर वात्स्यायन की दरख़्वास्त पर मुक़दमा १३ नवम्बर तक मुल्तवी कर दिया गया।

—पूना के फ़र्गुसन कॉलेज के होस्टल का अधिक अच्छी तरह से निरीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए थे। कॉलेज के प्रबन्धकों ने होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या नियमित करने और कॉलेज की फ़ीस बढ़ाने के सिवाय अन्य प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि बम्बई के गवर्नर सर हॉटसन पर गोली चलाने वाला विद्यार्थी श्री० गोगटे इसी होस्टल में रहता था।

—बर्मा-विद्रोह के नेता श्री० सायासान ने, जिसे फाँसी की सज़ा दी गई है, वायसरॉय से दया-प्रार्थना की थी। पर वह नामञ्जूर कर दी गई। अब प्रिवी कौन्सिल में अपील करने की चेष्टा की जा रही है और इसलिए बर्मा-सरकार ने फाँसी २४ नवम्बर तक स्थगित कर दी है।

—'लिबर्टी' के सम्वाददाता ने मालूम किया है कि मि० डुनों की हालत बराबर सुधरती जाती है, और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब उनके प्राणों के लिए किसी तरह का ख़तरा नहीं है। मि० विलियर्स अच्छे होकर अस्पताल से चले आए।

—हाल में ढाका के बड़े डाकख़ाने में जो सशस्त्र डाका पड़ा था और जिसके सम्बन्ध में बङ्गेश्वर राय तथा विनय बोस नामक दो नवयुवक पकड़े गए थे, उनके पास मिली हुई दोनों पिस्तौलों की शनाख़्त हो गई है। उनमें से एक ढाका पुलिस के सारजैण्ट सैक्सटन की है और दूसरी ढाका के मेडिकल स्कूल के शिक्षक श्री० बी० बोस की। ये दोनों कुछ दिनों पहले चोरी गई थीं।

पुरी-कॉङ्ग्रेस में क्या होगा ?

लन्दन में एक सम्वाददाता से श्री० विट्ठलभाई पटेल ने कहा है कि यद्यपि कॉङ्ग्रेस में गाँधी जी का असीम प्रभाव है, पर यदि उन्होंने वैदेशिक मामलों, सेना और अर्थ-व्यवस्था आदि के अधिकारों में कमी करना स्वीकार किया तो पुरी-कॉङ्ग्रेस में भारी फूट पड़ जायगी और मैं श्री० सुभाष बोस आदि गर्म दल वालों से मिल जाऊँगा।

—मिदनापुर सेण्ट्रल जेल में तीसरी श्रेणी के राजनीतिक क़ैदियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ख़बर है कि उनको नियम-विरुद्ध २४ घण्टे काल-कोठरियों में बन्द रक्खा जाता है और खाना भी मामूली क़ैदियों का दिया जाता है।

—पेशावर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ द्वारा सब प्रकार के जुलूसों का सार्वजनिक रास्तों में निकलना और सभाओं का बाज़ारों में होना दो महीने के लिए रोक दिया है। क्योंकि इन दिनों में सीमाप्रान्त के निवासी पेशावर में आते हैं और उपद्रव हो सकने की बहुत-कुछ सम्भावना रहती है।

—हिन्दुस्तान के पोस्टमैनों और छोटे कर्मचारियों की यूनियन ने निश्चय किया है कि वे लोग आर० एम० एस० वालों के साथ मिल कर सरकार की नौकरों की संख्या घटाने की योजना का विरोध करेंगे।

—लखनऊ में संयुक्त प्रान्तीय महिला-राजनीतिक कॉन्फ़्रेन्स का अधिवेशन श्रीमती कमला नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। आपने एक ज़ोरदार अभिभाषण दिया, जिसमें आगामी स्वाधीनता-संग्राम के लिए स्त्रियों को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि उनको सिवाय खद्दर के दूसरा कपड़ा छूना भी न चाहिए।

—अब यह निश्चय रूप से मालूम हो चुका है कि निज़ाम हैदराबाद के युवराज की शादी टर्की के भूतपूर्व सुलतान की इकलौती लड़की से होने वाली है। शादी की रस्म नीस नामक स्थान में १२ तारीख़ को अदा होगी। उसी समय निज़ाम के दूसरे लड़के शाहज़ादे मुअज़्ज़म जाह की शादी सुलतान की एक रिश्तेदार शाहज़ादी नीलूफ़र से होगी।

—ढाका का ४ नवम्बर का समाचार है कि हिन्दू-मुस्लिम दङ्गे की गर्म अफ़वाहों के कारण बहुत से लोग घर-बार सहित शहर छोड़ कर भागे जा रहे हैं। शान्ति-कमिटी के प्रेज़िडेण्ट ढाका के नवाब ने एक घोषणापत्र निकाला है कि लोग इन अफ़वाहों पर विश्वास न करें।

—३१ अक्टूबर को 'मज़दूर-दिवस' मनाने के लिए कलकत्ता के बी० एन० रेलवे हाउस में एक बड़ी सभा की गई। सभा में श्रोता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उत्साह भी ख़ूब फैला हुआ था। सभा में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सरकार की ख़र्च घटाने की नीति और नए टैक्सों की निन्दा की गई। इन दोनों का असर मज़दूरों पर बड़ा घातक पड़ता है।

—५ तारीख़ को प्रातःकाल डॉ० अन्सारी ने स्वराज्य-भवन, प्रयाग के स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्तमान विनिमय की नीति के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि लोग स्वदेशी चीज़ों के व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। इससे भारत के कार-बार की वृद्धि ही न होगी, वरन् रुपए की दर गिर जाने से विदेशी माल लेने में जो आर्थिक हानि होती है, उससे भी देश बच जायगा। इसके बाद उन्होंने पं० मोतीलाल की मूर्ति का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने स्वयं स्वराज्य-भवन के लिए प्रदान किया है।

—इलाहाबाद ज़िले के ग्रामों में लगान के सम्बन्ध में अनेक सभाएँ हो रही हैं। एक सभा मञ्झनपुर में ४ तारीख़ को हुई जिसमें श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन और श्री० वेङ्कटेशनारायण तिवारी के भाषण हुए।

—सप्लीमेण्टरी फ़ायनेन्स बिल पर विचार करने के लिए एसेम्बली का विशेष अधिवेशन ४ नवम्बर से आरम्भ हुआ। सर जॉर्ज शुस्टर ने बतलाया कि सरकारी नौकरों की तनख़्वाह में से १० प्रति सैकड़ा कमी करने से, रेलवे और सेना-विभाग को छोड़ कर, एक करोड़ २८ लाख वार्षिक की बचत हुई है।

—दार्जिलिङ्ग की महिलाओं ने एक सभा करके शारदा-एक्ट का समर्थन किया है और वायसरॉय से प्रार्थना की है कि उसके किसी अंश को रद्द न किया जाय, वरन् उसे और भी प्रभावशाली बनाया जाय।

—कानपुर की पुलिस ने रोटी गोदाम मुहल्ले में बीस जुआरियों को गिरफ़्तार किया। उनके पास एक करौली भी पाई गई।

—लाहौर में २२ जुआरी १,२०० रु०, २ सोने की घड़ियों और खेलने के ताशों के साथ पकड़े गए हैं।

—लाहौर की देवदयाल डिस्ट्रीब्यूटरी से एक सिक्ख की मृत-देह मिली है। डॉक्टरी जाँच से मालूम हुआ कि उसकी गर्दन की एक नस किसी तेज़ हथियार से काटी गई है।

—कुरला स्वदेशी मिल (बम्बई) के हड़तालियों और नए मज़दूरों में ३ नवम्बर को मार-पीट हो गई है। इस पर वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ द्वारा सब प्रकार की सभाओं, जुलूसों और पाँच आदमियों के एक जगह इकट्ठे होने का निषेध कर दिया है।

—अवध के तालुक़ेदारों की एसोसिएशन की बैठक २ नवम्बर को लखनऊ में हुई, जिसमें कुर्री सुदौली के राजा रामपालसिंह उसके प्रेज़िडेण्ट चुने गए।

—ढाका के मेडिकल स्कूल की हड़ताल समाप्त हो गई। गवर्नमेण्ट ने विद्यार्थियों की शिकायतों की जाँच करना स्वीकार कर लिया है।

—ख़बर है कि भारत-सरकार की तरफ़ से एक डेप्युटेशन १६ दिसम्बर को दक्षिण अफ़्रिका के लिए रवाना होगा, जो 'केप-टाउन' के समझौते का संशोधन कराएगा।

—श्री० भूपतसिंह एम० एल० ए० ने बड़ी व्यवस्थापिका के आगामी अधिवेशन में पूछने के लिए नीचे लिखे प्रश्न का नोटिस भेजा है :—

"क्या अधिकारी-वर्ग भारतीय चित्रकारों को इतनी नफ़रत की निगाह से देखते हैं कि उनको रेलवे पब्लिसिटी ब्यूरो से कुछ भी काम नहीं दिया जाता ?"

—बिहार के शाहाबाद ज़िले में कुलपाल-छपरा नामक गाँव एक रुपए में बिक गया। जब दो बार नीलाम किए जाने पर भी किसी ने उसके लिए बोली न बोली तो सरकार ने स्वयम् उसे ख़रीद लिया।

—बेलगाम (बम्बई प्रान्त) का समाचार है कि एक मोटर-लॉरी रास्ते में खड़ी भैंस से बचने की चेष्टा करते हुए पेड़ से टकरा गई। लॉरी में बैठे हुए तमाम स्त्री-पुरुषों को, जिनकी संख्या १२ थी, चोट आई।

—इलाहाबाद के रेलवे मैजिस्ट्रेट ने पी० आर० कॉकसेल नामक ऐंग्लो इण्डियन को बिना टिकिट सफ़र करने के अभियोग में १० रु० जुर्माना या १२ दिन की क़ैद की सज़ा दी है।

—मैमनसिंह का समाचार है कि नासिम सरकार नामक बौहरा, जब कि वह अपने घर में बीबी और बच्चों के साथ सो रहा था, जान से मार डाला गया।

—लाहौर का समाचार है कि जी० मस्कैल नामक गोरे सिपाही ने पिस्तौल से गोली मार कर आत्म-हत्या कर ली।

—कॉंकर बाग़ (पटना) के ख़ून के मामले में पुलिस ने श्यामकृष्ण लाल और भोला कहार को गिरफ़्तार किया है। इनमें से पहला अभियुक्त पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री० बनवारीलाल का पुत्र है।

—सिकन्दराबाद में राव साहब सेठ रामलाल के पुत्र सेठ लक्ष्मीनिवास ३,००० रु० की अफ़ीम और गाँजा बिना लायसेन्स के रखने के क़सूर में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—इन्दौर के सेठ हुकुमचन्द ने बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में एक दिगम्बर-जैन होस्टल बनाने के लिए २७ हज़ार रुपया दान किया है।

—कुष्ठिया (बङ्गाल) में एक सँपेरा साँप का खेल दिखला रहा था। साँप नया था और उसने एकाएक सँपेरे को काट खाया। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, पर कोई फल न निकला।

—छपरा के अछूतों ने डॉ० अम्बेडकर में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है।

—कालाकाँकर (प्रतापगढ़) के और आस-पास के गाँवों के बहुत से अछूतों की एक सभा कालाकाँकर में श्री० दीनदयाल मेहतर की अध्यक्षता में हुई। सभा में म० गाँधी में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और कहा गया कि डॉ० अम्बेडकर का नाम भी हम लोग इसके पहले नहीं जानते थे और वे हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते।

—कुरवायुर (मद्रास) में श्रीकृष्ण के मन्दिर के सामने सत्याग्रह किया जाय कि उसमें अछूतों को भी दर्शन करने की इजाज़त दी जाय। सत्याग्रह का सञ्चालन केरल प्रान्त की कॉङ्ग्रेस कमिटी कर रही है, इसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को शिक्षा देने के लिए टेलीचेरी में एक आश्रम खोला गया है। मन्दिर वालों ने २०० गज़ के फ़ासले पर एक बाड़ा बाँध दिया है जिसके भीतर सत्याग्रही नहीं घुस सकते। मन्दिर में जाने वालों में से प्रत्येक की जाति और उद्देश्य पहले पूछ लिया जाता है।

राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स

४ नवम्बर को महात्मा गाँधी ने गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के क़रीब १५ प्रतिनिधियों की एक प्राइवेट मीटिङ्ग की, जिसमें उनके प्रधान-मन्त्री, मि० बाल्डविन और भारत-मन्त्री की बातचीत का सारांश बतलाया गया। महात्मा जी ने अपने साथियों से पूछा कि यदि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में कोई सारयुक्त निर्णय न हो तो वे क्या करेंगे ? क्या वे प्रान्तीय अधिकारों से सन्तुष्ट हो जायँगे और केन्द्रीय सरकार के अधिकारों को भविष्य के लिए छोड़ देंगे ? प्रतिनिधियों की सम्मति के अनुसार ऐसा होने से शासन-यन्त्र की पेचीदगी बहुत अधिक बढ़ जायगी और सच्ची उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की सम्भावना दिन पर दिन दूर होती चली जायगी।

—५ नवम्बर को महात्मा गाँधी सम्राट से भेंट करने बकिङ्घम पैलेस गए। वे नङ्गे सर, लँगोटी बाँधे और एक चादर ओढ़े थे। इनके साथ में श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्री० महादेव देसाई थे। महात्मा जी को देखने के लिए घण्टों से लोगों की भीड़ पैलेस के पास खड़ी थी। जब गाड़ी महल के बड़े फाटक में घुसी तो पुलिस के सिपाही ने महात्मा जी को सलामी दी, जिससे उनके मुख पर एक क्षण के लिए मुस्कराहट का भाव आ गया। महात्मा जी ने बादशाह से हाथ मिलाया और उसके पश्चात् वे दूसरे कमरे में जाकर अन्य प्रतिनिधियों से बातें करने लगे।

भारत-सरकार की चिन्ता

लन्दन से 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के निज सम्वाददाता ने ख़बर भेजी है कि भारत-सरकार ने विलायत के अधिकारियों के पास एक डिस्पैच भेजा है, जिसमें कहा गया कि भारत की राजनीतिक दशा दिन-दिन ख़राब होती जा रही है और कॉङ्ग्रेस के साथ कोई सन्तोषजनक समझौता करना आवश्यक है।

—ख़बर है कि श्री० तेजबहादुर सप्रू और श्री० जयकर ने १३ नवम्बर को भारत के लिए रवाना होना स्थगित कर दिया है। अब वे २० या २७ ता० को रवाना होने वाले जहाज़ से आएँगे।

—४ नवम्बर का समाचार है कि मौलाना शौकतअली उस दिन दोपहर के समय भारत-मन्त्री से भेंट करने वाले थे।

—४ ता० को लॉर्ड इर्विन ने राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के प्रतिनिधियों को एक भोज दिया, जिसमें प्रायः सब प्रतिनिधि उपस्थित थे।

—इङ्गलैण्ड की एक कोयले की खान में भयङ्कर धड़ाका हुआ जिसके फल-स्वरूप दस मज़दूर मर गए।

—लन्दन की ३१ अक्टूबर की ख़बर है कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी के लेबर-क्लब हॉल की सभा में कितने ही रङ्गीन पोस्टर लगाए गए थे। एक विद्यार्थी ने यह कह कर एतराज़ किया कि उनमें रूसी भाषा में ऐसे शब्द लिखे हैं जो धर्म की निन्दा करते हैं और अङ्गरेज़ी क़ानून के विरुद्ध है, उसने उन्हें फाड़ डाला, जिस पर दूसरे लोग उससे मार-पीट करने लगे और बड़ी देर तक सभा में गड़बड़ी मची रही।

—इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट के चुनाव के अन्तिम समाचारों के अनुसार विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:—कन्ज़रवेटिव ४७३; नेशनल लेबर १३, सायमन लिबरल ३५; सैमुअल लिबरल ३३। ये ५५४ नई सरकार के पक्ष में हैं। सरकार के विरोध में मज़दूर-दल के ५० और लायड जॉर्ज के अनुयायी तथा स्वतन्त्र ४ लिबरल सदस्य हैं। अन्य स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या ७ है।

—इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट के मन्त्रि-मण्डल का सङ्गठन हो गया। प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड के सिवाय सर जॉन सायमन वैदेशिक सचिव और मि० बाल्डविन लॉर्ड प्रेज़िडेण्ट ऑफ़ कौन्सिल नियुक्त हुए हैं।

—लन्दन के म्युनिसिपल चुनाव में कन्ज़रवेटिव दल के ३३८ उम्मेदवार चुने गए। मज़दूर दल के उम्मेदवारों की संख्या ४१६ कम रही।

—साइप्रस टापू में 'करफ़्यू' ऑर्डर जारी है। गवर्नर ने हुक्म निकाला है कि दङ्गे में जितनी हानि की गई है उसका हर्जाना यूनानियों और ईसाइयों से लिया जायगा; मुसलमानों और तुर्कों को हर्जाना न देना पड़ेगा।

—न्यूयार्क का समाचार है कि मञ्चूरिया में जापान और रूस का सहयोग हो जाने और रूसी फ़ौजों के इकट्ठे होने के समाचारों की सचाई की जाँच करने के लिए अमेरिका ने अपना एक नीरीक्षक मञ्चूरिया भेजने का निश्चय किया है।

—ग्रीस के ४५ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की एक कमिटी ने इङ्गलैण्ड के नाम एक मैनीफ़ेस्टो प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि—"हम अपने महान संरक्षक इङ्गलैण्ड के अहसानों को भुलाना नहीं चाहते, पर हम उदार और श्रेष्ठ अङ्गरेज़ जाति का ध्यान साइप्रस निवासियों के ग्रीस के साथ संयुक्त हो सकने के अधिकार की तरफ़ आकर्षित करना चाहते हैं।

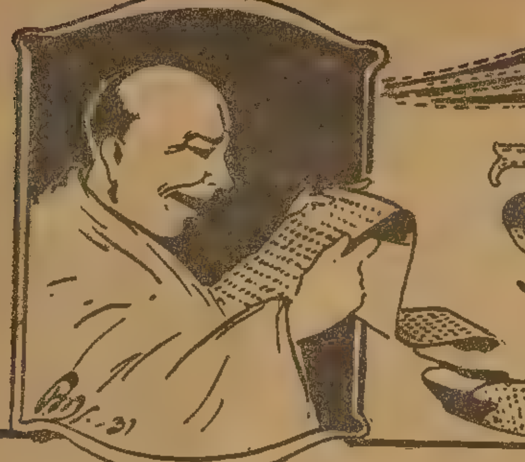
—इङ्गलैण्ड की कोयले की खानों के नेता मि० ए० जे० कुक का देहान्त हो गया।

—भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर कॉन्फ़्रेन्स के प्रतिनिधियों को एक भोज १२ ता० को कैक्सटन गार्डेन में देने वाले हैं।

—पेरिस में रहने वाली एक ७१ वर्ष की आयरिश बुढ़िया मिस मिनी गोमन को एक वकील द्वारा सूचना मिली कि उसका कोई सम्बन्धी उसके लिए ८ हज़ार पौण्ड उत्तराधिकार में छोड़ गया है। इस ख़ुशी की ख़बर को पढ़ कर बेचारी बुढ़िया उसी दम चल बसी। उसने अपना तमाम जीवन बड़ी ग़रीबी में बिताया था और तीस साल तक एक दर्ज़ी की दुकान में नौकरी करती रही।

—ऑस्ट्रेलिया की मिसेज़ नेली कोले नामक स्त्री बड़े दिन में अपने बच्चों से मिलने के लिए एक हज़ार मील की यात्रा पैदल कर रही है। वह कई महीने पहिले व्यापार के लिए मेलबोर्न से ब्रिसबेन नामक क़स्बे को गई थी। पर उसे व्यापार में घाटा हुआ और पास में कुछ भी न बचा। पर बच्चों की मुहब्बत से उसे वहाँ चैन न पड़ी और पैदल ही रवाना हो गई। वह ३० मील रोज़ चलती है और उसे आशा है कि वह १५ दिसम्बर तक घर पहुँच जायगी।

दुबे जी की चिट्ठी



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

आख़िर काश्मीर के सम्बन्ध में वायसरॉय को ऑर्डिनेन्स पास करना ही पड़ा। चलिए मुसलमान भी लहू लगा कर शहीदों में दाख़िल हो गए। कॉङ्ग्रेस और कॉङ्ग्रेसवादियों के लिए तो ऑर्डिनेन्सों की झड़ी लग गई थी। अब एक ऑर्डिनेन्स साम्प्रदायिकतावादी मुसलमानों के लिए भी पास हो गया, यह अच्छा हुआ। अब मुसलमान भाई भी गर्व से सिर उठा कर कह सकेंगे कि हम भी पाँचवें सवारों में हैं। हमने भी देश-सेवा की है। जिनके लिए वायसरॉय को ऑर्डिनेन्स का निर्माण करना पड़े, वे देश-भक्त न होंगे तो फिर कौन होगा ! मुसलमानों ने देखा कि देशभक्ति का सारा श्रेय हिन्दू लोग लूटे लिए जा रहे हैं और हम फिसड्डी ही रहे जाते हैं, इसलिए .ख़ूब सोच-समझ कर हाथ-पैर बचाते हुए काश्मीर को ताका। सोचा कि भारत-सरकार तो अपनी है। क्योंकि भारत-सरकार तथा ब्रिटिश जाति की जो सेवा मुसलमानों ने की है वह कोई मकुआ इस भू-मण्डल पर कर ही नहीं सकता। आन्दोलन में हिन्दुओं का साथ नहीं दिया, राष्ट्रीय मुसलमानों को जाति बाहर कर दिया, खद्दर तथा स्वदेशी कपड़े से उसी प्रकार घृणा की जैसे घृत से मक्खी घृणा करती है, विलायती कपड़े पर ऐसे गिरे जैसे मुर्ग़ी खखार पर—केवल इतना ही नहीं, लङ्काशायर वालों की निस्स्वार्थ सेवा करने के लिए एक कम्पनी भी खोल दी। इन सब सेवाओं के बल पर उनको यह अभिमान था कि हमारे सैय्याँ तो कोतवाल ही हैं अब डर काहे का। एक-एक करके जितने हिन्दू राज्य हैं सब पर अर्द्धचन्द्र का झण्डा फहरा दो। काश्मीर तो बिहिश्त समझा ही जाता है। सोचा सब से पहले बिहिश्त पर ही क़ब्ज़ा जमाओ। वल्लाह अगर बिहिश्त हाथ आ गया तो फिर क्या है—क़यामत का इन्तज़ार करने से पिण्ड छूट जायगा, अल्लाह मियाँ के एहसान से मुक्त हो जायँगे। यह सोच कर पहले तो काश्मीर के मुसलमानों को भड़काया कि यदि पकी-पकाई हँडिया मिल जाय तो क्या लेना है। काश्मीर के मुसलमान पहले तो हज़रत आदम की तरह बहक गए, परन्तु जब देखा कि ऐसा करने से आदम की ही तरह निकाल बाहर किए जाएँगे तो कुछ समझ आई। इधर जब पञ्जाब के मुसलमानों ने देखा कि सारा गुड़ गोबर हुआ जाता है तो अपने दिल ही दिल में महात्मा जी का स्मरण करके जत्थे भेजने पर कमर बाँधी। परन्तु इसी शर्त पर कि भारत-सरकार तो अपनी चहेती है, जत्थे तो क्या, यदि फ़ौज भी ले जायँ तब भी चूँ न करेगी। फ़िलहाल जत्थों से आरम्भ किया जाय और मौक़ा पाकर वे ही जत्थे फ़ौज बन जायँ। भारत-सरकार ने भी पहले अपने लाडलों के इस कृत्य को प्यार भरी दृष्टि से देखा। सोचा चलो अच्छा है, अपने हितैषी और अपने प्यारों का जी बहलता है, अपना क्या हर्ज है। यदि इन्होंने इस खेल ही खेल में बिहिश्त को हथिया लिया तो लेकर जायँगे कहाँ, आख़िर हमारे ही बाल-बच्चों के काम आएगा। प्रथम तो राजभक्त मुसलमान स्वयम् ही उसे हमारे अर्पण कर देंगे और यदि .ख़ुशी से न किया तो थोड़ा कर्ण-मर्दन करने से तो निश्चय ही दे देंगे; समझदार हैं—हिन्दुओं की तरह औंधी खोपड़ी के नहीं हैं। परन्तु जब देखा कि इस तरह तो बदनामी भी हो जायगी और लाभ कुछ भी न होगा तो झट ऑर्डिनेन्स निकाला। ठीक भी है—खड़ी किसकी जोरू और भड़वा किसका साला ! हालाँकि अपने राम कभी भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं हो सकते कि यह ऑर्डिनेन्स मजबूरी से निकाला गया है। अपने राम का तो यह मत है कि भारत-सरकार पहले यह देखती रही कि कश्मीर-राज्य यथेष्ट शक्तिशाली है, अपना प्रबन्ध स्वयम् करेगा—हम हस्तक्षेप क्यों करें। परन्तु जब बाहर के मुसलमान भी कश्मीर की ज़ियारत करने को तैयार हुए तब उसने उन्हें रोकने के लिए यह इन्तज़ाम किया है। ठीक भी है, इसके अतिरिक्त बेचारी भारत-सरकार और कर ही क्या सकती है ? अब देखना है कि ब्रिटिश भारत के मुसलमान जत्थे भेजते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो उन्हें इस ऑर्डिनेन्स पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ होगा और होने की बात भी है ! जिसकी उन्होंने इतनी सेवा की, जिसके लिए बदनामी सही, देशद्रोही बने, उसकी ओर से यह पुरस्कार ! शिव ! शिव !! भारत-सरकार को उचित तो यह था कि इस कार्य में मुसलमानों की सहायता करती। जत्थों के लिए मार्ग में स्थान-स्थान पर सबीलें और बावर्चीख़ाने खुलवा देती। यदि रेल पर जाते तो मुफ़्त में रेल देती। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जत्थों की रक्षा के लिए एक फ़ौजी दस्ता साथ कर देती। सो तो किया नहीं—उलटा ऑर्डिनेन्स पास कर दिया—वाह भई वाह ! .ख़ूब क़द्रदानी की। वाक़ई यह कहावत ठीक है कि नेकी का ज़माना फ़िलहाल इधर दो-चार दिनों से नहीं रहा। रहता तो मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार कभी हो सकता था ? अजी अल्ला-अल्ला कीजिए ! इस बात का क़लक़ और अफ़सोस मुसलमानों को कम से कम क़यामत तक तो रहेगी ही। क़यामत होने के पश्चात् जब अल्लाह मियाँ न्याय की तराज़ू उठाएँगे तो सब धान बाइस पसेरी हो जाएँगे। क़यामत के पहले तो न्याय किसी प्रकार हो ही नहीं सकता वरनः अभी मज़ा चखा दिया जा सकता। अभी तो सब मामला अन्याय पर चल रहा है। इसीलिए बेचारे मुसलमान मजबूर होकर रह जाते हैं। वाक़ई मजबूरी सब कुछ करा लेती है। मगर कुछ भी हो, मुसलमान भाई बड़े जीवट के आदमी हैं। यदि सरकार ने किसी मुसलमान को गिरफ़्तार करके जेल न भेजा तो जत्थे बराबर नाक की सीध चले ही जाएँगे। वहाँ तक पहुँचें या न पहुँचें। और अगर .ख़ुदा न ख़्वास्ता स्वेच्छा से कहीं पञ्जाब सरकार ने जत्थों के मार्ग में खाई-ख़न्दक खुदवा दिए, काँटे बिछवा दिए अथवा जेल बनवा दिए तो फिर देखिएगा, क्या मज़ा आता है। एक भी मुसलमान यदि गर्मी के दिनों में काश्मीर के बाहर रहना पसन्द करे तो अपने राम इस बात की क़सम खा लेंगे कि इस जीवन में कभी काश्मीर का मुँह न देखेंगे। परन्तु मुसलमान भाई हैं आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान ! इस अवसर पर यदि कलाबाज़ी खा जायँ तो कोई आश्चर्य नहीं। और है भी ठीक ! चौबे जी चले थे छब्बे होने सो अपने राम की तरह दुबे ही रह गए। मुसलमान भाई चले थे बिहिश्त को, परन्तु यदि पहुँच गए जेल में तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जायगा। वल्लाह क्या सोचा था और क्या हो गया। वाक़ई बात यह है कि "सब यार हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं।" जिस पर भरोसा किया, जिसके सम्बन्ध में सोचा था कि आड़े वक़्त पर काम आएगा, जब वही ऐन मौक़े पर दग़ा दे रहा है तो यह कहना ही पड़ता है कि यह संसार असार है—बस जो कुछ है मौला का नाम है, उसी से लौ लगाना ठीक है। इन्सान इन्सान की मदद नहीं कर सकता, मदद करने वाला वह मालिक है जिसने यह ज़मीनो-आसमान और चाँद और सूरज बनाया है।

अपने राम को महाराज-काश्मीर की बुद्धि पर भी थोड़ी दया आती है। बहुत दिनों राज्य कर लिया, बहुत दिनों सुख भोग लिया। व्यर्थ में क्यों मुसलमान भाइयों का दिल दुखाते हैं। यदि महाराज-काश्मीर अपने राम से और इस प्रान्त के दो-एक उन नेताओं से जो मुसलमानों के प्रति उदारता में महात्मा जी से भी बाज़ी मार ले जाने का दिल रखते हैं, सलाह लें और उस सलाह को मानें तो उन्हें अपना राज्य मुसलमानों को सौंप कर वन में तपस्या करने चला जाना चाहिए। देखिए, कानपुर वालों ने मुसलमान भाइयों की ख़ातिर साइनबोर्ड उतार दिया—क्यों ? इसलिए कि उनका नन्हा सा दिल न दुखे और झगड़ा शान्त हो जाय ! अतएव यदि महाराज-काश्मीर भी झगड़ा शान्त करने के लिए तथा मुसलमानों के दिल का दुख दूर करने के लिए अपना राज्य उनके हवाले कर दें तो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े का अन्त सदैव के लिए हो जाय ! अथवा महाराज-काश्मीर एक ऐसा कमीशन नियुक्त करें जो इस बात पर विचार करे कि उन्हें अपना राज्य मुसलमानों को सौंप देना चाहिए या नहीं तो इस झगड़े का निबटारा क्षण भर में हो जाय। परन्तु शर्त यह है कि उस कमीशन में अपने राम अवश्य रक्खे जायँ और वे दो-एक नेता जिनका उल्लेख अपने राम ऊपर कर चुके हैं। सो अपने राम तो इसी समय कह रहे हैं कि जाँच करने से यह उचित मालूम होता है कि महाराज-काश्मीर अब बहुत दिन राज्य कर चुके, अब उन्हें अपना राज्य मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। नेता लोग भी ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ी हुई है कि मुसलमानों को ज़रा भी दुखी नहीं देख सकते। उनका दुख देखते ही आँखों से अश्रु-धारा फूट निकलती है, हृदय विदीर्ण होने लगता है। कुछ भी हो, परन्तु मुसलमान अपने भाई ही हैं। उनको प्रसन्न रखना प्राणि-मात्र का कर्तव्य है। इसलिए महाराज-काश्मीर को उनके प्रति उदारता का—नहीं, बिल्कुल ग़लत—अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करेंगे तब तक सच्चे राजा कहलाने के अधिकारी इस असार संसार में हो ही नहीं सकते।

सम्पादक जी, आप भी इस सम्बन्ध में .ख़ूब आन्दोलन कीजिए और अपने पत्र द्वारा महाराज-काश्मीर को उनके कर्तव्य का स्मरण दिला ही दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो देश की ठसाठस ठोस सेवा होगी।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

❀ ❀ ❀

मनोरञ्जन और शिक्षा

प्राचीन काल में घुड़दौड़

मैसोपोटेमियाँ में कुछ ऐसे प्राचीन लेख ज़मीन के भीतर से मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि प्राचीन काल के राजा भी आजकल के समान घुड़दौड़ के खेल के शौक़ीन थे। ये लेख ३,००० वर्ष पुराने हैं और इनमें बड़ी घुड़दौड़ों के लिए घोड़े को किस प्रकार सिखलाया जाय, लिखा है। प्रो० होओ, जिन्होंने इन लेखों का अर्थ निकाला है, कहते हैं कि उस पुराने ज़माने के शिक्षकों की चतुराई और घोड़ों को सिखलाने की नियमबद्ध रीति आश्चर्यजनक थी। पहले घोड़ों को ख़ास तरह का खाना देकर उनकी तमाम बढ़ी हुई चर्बी निकाल दी जाती थी। इसके सिवाय लेखों में घोड़ों के विशेष स्नानों का भी वर्णन है। चाल की तेज़ी और दम पहले दुलकी और फिर सरपट दौड़ा कर क्रमशः बढ़ाई जाती थी। शिक्षा-काल की अवधि प्रायः छः महीने की होती थी। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने और भी कितनी ही खोजें की हैं और उनसे सिद्ध होता है कि घुड़दौड़ का खेल कम से कम ५ हज़ार वर्ष पुराना है।

साँप के काटने की दवा

स्याम देश में बहुत अधिक ज़हरीले साँप पाए जाते हैं, जिनके काटने से आदमी का बचना प्रायः असम्भव होता है। उनके कारण वहाँ प्रति वर्ष हज़ारों मनुष्य काल के गाल में चले जाते हैं। इन लोगों की प्राण-रक्षा के लिए क़रीब दस वर्ष से वहाँ एक प्रयोग-शाला स्थापित की गई है, जिसमें क़रीब ५०० ख़ूब ज़हरीले साँप पले हुए हैं। उनका रखवाला 'नेलिआम' नाम का एक क़ुली है जो बड़े से बड़े और साक्षात काल-स्वरूप काले नाग को भी एक क्षण में पकड़ लेता है और उसके मुँह में लकड़ी घुसा कर उसका ज़हर निकाल लेता है। वह इस तरह हर रोज़ सैकड़ों साँपों को इसी तरह पकड़ता है। इस ज़हर को पिचकारी द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके प्रति दिन घोड़ों के शरीर में डाला जाता है। क़रीब साल भर बाद उन घोड़ों का ख़ून ऐसा हो जाता है कि उन पर ज़हर का असर ही नहीं होता। तब उन घोड़ों के बदन में से ख़ून निकाल कर दवा बनाई जाती है जिसकी पिचकारी देने से साँप का काटा आदमी प्रायः अच्छा हो जाता है। पिछले वर्ष केवल बैङ्कॉक (स्याम की राजधानी) में इस दवा द्वारा ५३४ व्यक्तियों की जानें बचाई गई थीं।

समुद्री लताओं का काग़ज़

आजकल एक बड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुई है कि काग़ज़ बनाने के लिए कौन सी नई चीज़ इस्तेमाल की जाय। अब तक अधिकांश काग़ज़ लकड़ी का बनता है। पर शिक्षा-प्रचार और राजनीतिक आन्दोलन के कारण काग़ज़ का ख़र्च आजकल जैसा बेहद बढ़ता जाता है, उससे आशङ्का है कि संसार के लकड़ी के जङ्गल कुछ दिनों में बहुत घट जायँगे। अब रूस के एक इञ्जीनियर ने, जिसका नाम वेलीजैक है, समुद्री लताओं से काग़ज़ बनाने की तरकीब निकाली है, जो बड़ी जल्दी बन जाता है और सस्ता भी पड़ता है। इस काम के लिए साइबेरिया में एक बड़ी समुद्री झील के किनारे एक कारख़ाना तैयार किया गया है जो हर साल एक टन काग़ज़ समुद्री लताओं से तैयार करेगा। उसमें ऐसी नई-नई मैशीनें लगाई गई हैं जो आध घण्टे में समुद्री लताओं को काग़ज़ की शक्ल में बदल देती हैं। इन लताओं से १६ तरह का काग़ज़ और कार्डबोर्ड तथा चिपकाने का मसाला बनाया जाता है। जो मैल बचता है उसकी ईंटें बनाई जाती हैं, जो कि आग में नहीं जल सकतीं।

हवाई जहाज़ों से पेड़ों की रक्षा

दुनिया के कितने ही भागों में कुहरा के कारण कोमल फलों की फ़स्ल और खेती मारी जाती है। यह देखा जाता है कि जिस रात को आसमान में बादल रहते हैं उस रोज़ कुहरा नहीं पड़ता। बादल पर्दे का काम करते हैं और ज़मीन की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। इसी उसूल पर यूरोप और अमेरिका के ठण्डे स्थानों में जिस रात को बदली नहीं होती और कुहरा की आशङ्का होती है, किसान और बग़ीचों के रखवाले ख़ूब धुँआ करते हैं, जो आसमान में छा जाता है और कुहरे से पेड़ों और पौदों की रक्षा करता है। अब प्रयोग द्वारा यह पता लगाया गया है कि इस काम को हवाई जहाज़ बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। वे बग़ीचों के ऊपर इधर से उधर उड़ते फिरते हैं और ख़ूब धुँआ छोड़ते हैं, जिससे नीचे गर्मी बनी रहती है।

कितनी ही बार आग लगने से बड़े-बड़े जङ्गल जल जाते हैं। उनको यदि फिर हाथ से लगाने की कोशिश की जाय तो यह असम्भव है। पर हवाई जहाज़ जली हुई ज़मीन पर आसानी से बीज बखेर देते हैं और इससे बड़ी जल्दी पौधे निकलते हैं।

क़ैदी का अनोखा आविष्कार

अमेरिका में एक क़ैदी ने, जो जन्म-क़ैद की सज़ा भोग रहा है, हवाई जहाज़ के लिए एक नई तरह का 'प्रोपेलर' (हवाई जहाज़ के सामने घूमने वाला पङ्खे की शक्ल का पुर्ज़ा) बनाया है। पुरानी चाल के 'प्रोपेलर' हवा को ठीक तरह से नहीं काट सकते और इससे शक्ति नष्ट जाती है, पर यह 'प्रोपेलर' इस दोष से सर्वथा मुक्त है, और इसके द्वारा इञ्जिन से जितनी ताक़त पैदा होती है सब काम में आ जाती है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वह क़ैदी पन्द्रह साल से जेलख़ाने में बन्द है और उसने सिवाय उड़ते हुए हवाई जहाज़ के उसे कभी अच्छी तरह अपनी आँखों से नहीं देखा। उसका कहना है कि यह कल्पना मुझे स्वप्न द्वारा प्राप्त हुई है। कितने ही कारख़ाने वाले इस आविष्कार का अधिकार प्राप्त करने को उसे लाखों रुपया देने का वादा करते हैं, पर उसका कहना है कि इसका दाम केवल मेरी आज़ादी है।

लन्दन का विचित्र मकान

लन्दन में एक ऐसा पाँच मञ्ज़िल का मकान है जिसमें दरवाज़े, खिड़कियाँ, बरामदा आदि सब चीज़ें हैं, पर उसकी चौड़ाई केवल पाँच फ़ीट है। उसमें न ताला लगाने की जगह है, न सूचना देने को घण्टी है, न लेटर-बक्स है और न उसमें कोई रहता है। इस अजीब मकान के सम्बन्ध में एक क़िस्सा है कि बहुत वर्ष पहले जब लन्दन की ज़मीन के भीतर चलने वाली रेलवे लीन्सटर गार्डन नामक मुहल्ले में होकर अपनी लाइन निकाली तो सुरङ्ग के खुले हुए मुँह के पास ईंटों का एक मामूली चबूतरा सा बना दिया। लीन्सटर गार्डन बड़े-बड़े धनवानों और शौक़ीनों के रहने की जगह है और उन्होंने इस बदसूरत चीज़ का बड़ा विरोध किया। इस पर रेलवे कम्पनी ने वहाँ एक नक़ली मकान बना दिया। रेलवे की तरफ़ से वह एक मामूली दीवार की तरह जान पड़ता है और सामने से एक बढ़िया मकान दिखलाई पड़ता है जिसमें किसी बात की त्रुटि नहीं है। इस मकान के कारण कितनी ही मज़ाक़ की घटनाएँ हुआ करती हैं। कुछ दिनों पहले किसी विनोदी व्यक्ति ने बहुत से लोगों को उक्त मकान में दावत खाने के लिए निमन्त्रित कर दिया था। इसके सिवाय व्यापारियों के एजण्ट और दूसरे सौदा बेचने वाले प्रायः हैरान होकर सड़क पर पहरा देने वाले पुलिस के सिपाही से पूछा करते हैं कि इस मकान की घण्टी और लेटर-बक्स कहाँ है?

विज्ञापन का नया तरीक़ा

इङ्गलैण्ड में कई रेलवे कम्पनियों ने अपने टिकटों में विज्ञापन बाँटना शुरू किया है। यह विज्ञापन टिकिट के बीच में एक ख़ाने में छुपा रहता है। टिकिट के बीच में एक छोटा छेद रहता है, जिसमें से एक छोटा सा फ़ीता निकला रहता है उस पर छपा होता है 'खींचो।' बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो उसे खींचने का लोभ सम्वरण कर सकें। जैसे ही फ़ीते को खींचा जाता है एक छोटी सी स्लिप निकल आती है जिस पर विज्ञापन छपा होता है। रेल के यात्रियों के पास फ़ालतू समय बहुत होता है और उनमें विज्ञापन देने का प्रभाव हमेशा अच्छा निकलता है।

लेखक की सफलता

कुछ समय पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था 'पश्चिमी मोर्चे पर पूर्ण शान्ति है।' इसकी बिक्री का जो हिसाब प्रकाशकों ने प्रकट किया है वह आश्चर्यजनक है। कुछ ही महीनों में मूल-पुस्तक और उसके अनुवादों की क़रीब सोलह लाख प्रतियाँ बिक गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है:—जर्मनी १०,००,०००; फ़्रान्स ४,४०,०००; अमेरिका ३,२५,०००; इङ्गलैण्ड ३,१०,०००; जैकोस्लोविका ८१,०००; स्पेन ७५,००० नॉर्वे-स्वीडन १,३७,०००; हॉलैण्ड ७०,०००; और जापान ५०,०००; दूसरे मुल्क १,१२,००० से ज़्यादा। केवल एक बड़े मुल्क में इस पुस्तक का कोई संस्करण नहीं निकला है और वह है इटाली। वहाँ इसे सरकारी आज्ञा द्वारा रोक दिया गया है।

कीड़ों को मारने वाली किरणें

मि० एच० नील नामक बिजली के इञ्जीनियर ने एक ऐसी बिजली की रोशनी निकाली है, जिससे पौधों को खाने वाले कीड़े मर जाते हैं। उसके बाग़ में कीड़ों ने पौधों का ऐसा सत्यानाश किया कि उन्होंने उनके नाश की प्रतिज्ञा कर ली, और कुछ दिनों के परिश्रम से ऐसी लैम्प बनाई जिसकी रोशनी से कीड़े हज़ारों की संख्या में फ़ौरन नष्ट हो जाते हैं, पर पौधों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचती।

—गत वर्ष इङ्गलैण्ड की प्रधान रेलवे लाइनों से १ अरब ३० करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। इसका अर्थ होता है कि इङ्गलैण्ड के मर्द, औरत और बच्चे ने एक वर्ष में तीस बार यात्रा की।

—स्कॉटलैण्ड की एक रेलगाड़ी जिसका नाम "फ़्लाइङ्ग स्कॉटमैन" है, बिना ठहरे ३९२.७ मील की यात्रा करती है। संसार में इससे ज़्यादा दूरी तक बिना ठहरे चलने वाली गाड़ी दूसरी नहीं है। इसके सिवाय इङ्गलैण्ड की अन्य दो गाड़ियाँ भी बिना ठहरे क्रमशः ३०१ और २२५ मील की यात्रा करती हैं।

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स का क्या फल निकला?

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व क़ायम :: रियासतों को असीम अधिकार

फ़ेडरल स्ट्रक्चर (सङ्घ-योजना) कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स की जो फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी भारतीय शासन-विधान की रचना करने के लिए नियुक्त की गई थी और जिसकी कार्रवाई पाठक इतने दिनों तक 'भविष्य' और अन्य पत्रों में पढ़ते रहे होंगे, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। वह एक ख़ासा लम्बा मसौदा है और उसमें शासन-सङ्गठन, सङ्घ-शासन-सभाओं का आकार और विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों के चुनने के तरीक़े, विशेष समुदायों के प्रतिनिधित्व, दोनों शासन-सभाओं के सम्बन्ध और आर्थिक व्यवस्था पर विचार किया गया है।

रिपोर्ट में मुख्यतया पाँच बातों पर ध्यान दिया गया है। वे यह हैं—भारतवासियों की यह आम तौर पर फैली हुई इच्छा कि उनके राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि हो, रियासतों की यह आकांक्षा कि उनके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय, अल्प-संख्यक समुदायों का यह निर्विवाद दावा कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाय, सम्राट की सरकार का भार और उत्तरदायित्व और आर्थिक दशा तथा व्यवस्था का सन्तोषजनक होना।

व्यवस्थापक सभाओं का सङ्गठन

दोनों व्यवस्थापक सभाओं के सङ्गठन पर रिपोर्ट में यह कल्पना करके, विचार आरम्भ किया गया है कि उनके सदस्यों की संख्या क्रमशः २०० और ३०० रहेगी। बड़ी सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ४० प्रति सैकड़ा और छोटी में ३३⅓ प्रति सैकड़ा रहेगी। यह विभाग इस कल्पना पर निश्चित किया गया है कि तमाम रियासतें सङ्घ-शासन में भाग लेंगी।

बड़ी सभा

कमिटी की सिफ़ारिश है कि बड़ी सभा के प्रतिनिधि अपने-अपने विभागों की तरफ़ से हों और विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि वहाँ की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा चुने जायँ। छोटी सभा में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाने चाहिएँ।

विभिन्न प्रान्तों के सदस्यों की संख्या

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रान्तों में बाँटने के सम्बन्ध में कमिटी की सम्मति है कि केवल जन-संख्या के अनुसार बँटवारा कर देने से काम न चलेगा, वरन् अन्य बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। बड़ी सभा में इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि हर एक विभाग के प्रतिनिधि क़रीब-क़रीब बराबर हों। यद्यपि कमिटी इस समय ठीक-ठीक बँटवारा कर सकने में असमर्थ है, पर एक सम्भव तरीक़ा यह हो सकता है कि जिन प्रान्तों की जन-संख्या २ करोड़ से ऊपर है, उनमें से प्रत्येक को १७ प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश को (अगर उसमें बरार भी शामिल रहे) ७, आसाम को ५, सीमा-प्रान्त को २ और देहली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बिलूचिस्तान को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाय।

छोटी सभा के प्रतिनिधियों का बँटवारा यथासम्भव जन-संख्या के अनुसार ही होगा। तो भी बम्बई के व्यापारिक महत्त्व और पञ्जाब के अन्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होने को निगाह में रखते हुए, इसमें कुछ रद्दोबदल करना होगा। इन बातों को निगाह में रख कर कमिटी मोटे तौर पर प्रतिनिधियों का बँटवारा इस तरह होना सम्भव समझती है :—पञ्जाब, बम्बई, बिहार और उड़ीसा में से हर एक को २६; मद्रास, बङ्गाल और संयुक्तप्रान्त में से हर एक को ३२; मध्यप्रदेश को १२; आसाम को ७; सीमा-प्रान्त को ३ तथा अन्य छोटे-छोटे प्रान्तों में से हर एक को १।

रियासतों के प्रतिनिधि

रियासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में कमिटी का मत है कि जिन रियासतों को पृथक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, उनके प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएँगे। छोटी सभा के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार रियासतों की एक कमिटी पर छोड़ देना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन रियासतों ने, जिनमें व्यवस्थापक सभाएँ मौजूद हैं, विश्वास दिलाया है कि वे उनकी सम्मति लेकर निर्णय करेंगी। छोटी रियासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में सबसे अच्छी बात तो यही है कि वे स्वयम् परस्पर में विचार करके इसका निर्णय करलें। इसके लिए उनको मार्च १९३२ तक अवसर दिया जा सकता है। तब तक अगर निर्णय न हो तो फिर सम्राट की सरकार इसके लिए एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त करेगी।

विशेष समुदायों के प्रतिनिधि

अछूतों, देशी ईसाइयों, यूरोपियनों और एङ्गलो इण्डियनों के अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में कमिटी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसके लिए एक पृथक कमिटी नियुक्त हो चुकी है और उसने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। पर अन्य समुदायों के विषय में वह अपनी पिछली सिफ़ारिशों को फिर पेश करना चाहती है कि ज़मींदारों, यूरोपियन और भारतीय व्यापारियों तथा मज़दूरों के लिए विशेष प्रतिनिधियों का अधिकार दिया जाय। इनकी संख्या और चुनाव के तरीक़े का फ़ैसला 'मताधिकार कमिटी' करेगी।

मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ विचार करने के पश्चात् कमिटी ने अपने पहले निर्णय को, कि वायसरॉय को हर एक सभा के लिए अधिक से अधिक १० सदस्य मनोनीत करने का अधिकार हो, निरर्थक समझ कर छोड़ दिया है, क्योंकि यदि ये सदस्य ग़ैर-सरकारी होंगे तो उनको रक्षित विभागों के सम्बन्ध में किसी तरह का विशेष ज्ञान न होगा, और यदि सरकारी कर्मचारी होंगे तो वर्तमान समय की तरह यही कठिनाई पेश आएगी कि उनको सभा में हाज़िर रहने के लिए अपना लाभ छोड़ना पड़ेगा। इसके सिवाय उनके वोटों की संख्या नाम-मात्र को होगी, अथवा वे अपना एक 'सरकारी ब्लॉक' बना लेंगे। यह बात नवीन शासन-विधान के उपयुक्त नहीं है। इसलिए कमिटी ने विचार किया है कि बड़ी सभा में कुछ जगहें रिज़र्व रक्खी जायँ और उनके लिए वायसरॉय बड़ी उम्र के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों को नियत करें, जिनको सार्वजनिक कामों का अनुभव हो। इनमें कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति न रक्खा जायगा और इस प्रकार 'ऑफ़ीशियल ब्लॉक' बनने की आशङ्का जाती रहेगी।

मेम्बरी की योग्यता

छोटी सभा के प्रतिनिधियों के लिए वे ही शर्तें काफ़ी होंगी, जो वोटरों के लिए रक्खी जायँगी। पर सीनेट के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों का होना ज़रूरी जान पड़ता है। इसके निर्णय का भार तो 'मताधिकार कमिटी' पर रहेगा। पर इस कमिटी का ख़याल है कि वर्तमान समय में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के वोटरों और उम्मेदवारों के लिए जो नियम प्रचलित हैं, वे उदाहरण-स्वरूप ग्रहण किए जा सकते हैं, सिवाय इसके कि उम्र कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए। वोटरों की अयोग्यता के वर्तमान नियम भी उचित हैं, पर कमिटी की राय में राजनीतिक और साधारण जुर्मों के क़ैदियों के सम्बन्ध में कुछ भेद करना आवश्यक है। पर जो व्यक्ति चुनाव के समय नज़रबन्दी की सज़ा भोग रहा हो और चुने जाने पर जिसका व्यवस्थापक सभा के कार्य में भाग लेना सम्भव न हो, उसे उम्मेदवार होने की अनुमति न दी जाय। कमिटी के ख़याल से रियासतों और ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधियों की योग्यता की शर्तों का समान होना तो असम्भव है, पर अयोग्यता के सम्बन्ध में पूरी तरह से समानता होनी आवश्यक है।

दोनों सभाओं का सम्बन्ध

कमिटी ने राजभक्ति की शपथ के लिए कोई विशेष स्वरूप नहीं बतलाया है, और दोनों सभाओं के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसकी राय है कि विधान में कोई बात ऐसी न होनी चाहिए, जिससे एक सभा दूसरी के अधीन समझी जाय। इसलिए जब तक कोई बिल दोनों सभाओं द्वारा पास न हो जाय, तब तक वह क़ानून न बनाया जाय। दोनों सभाओं को बिलों में कमी-बेशी और संशोधन करने का अधिकार हो। यदि किसी बिल के सम्बन्ध में दोनों में मतभेद हो तो गवर्नर-जनरल दोनों सभाओं का एक विशेष अधिवेशन बुला कर उसका निर्णय करे।

म० गाँधी की सम्मति

फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी की रिपोर्ट पर विभिन्न मत प्रकट किए जा रहे हैं। कितने ही भारतीय प्रतिनिधियों ने, जिनमें सर तेजबहादुर सप्रू भी हैं, उसे बहुत ही बढ़िया बतलाया है। पर महात्मा गाँधी उससे बहुत कम सन्तुष्ट हैं। उन्होंने कमिटी के प्रेज़िडेण्ट लॉर्ड सैङ्की को एक छोटा सा पत्र लिख कर अपना मतभेद प्रकट किया है। महात्मा जी कहते हैं :—

"सब से अच्छा तो यही था कि शासन-सभा एक ही रक्खी जाती, पर कुछ आवश्यक शर्तों को रख कर वे सर मिर्ज़ा इसमाईल के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार थे कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की एक बड़ी सभा, जिसके सदस्यों की संख्या बहुत कम हो, बना दी जाय, और वह केवल सम्मति देने का अधिकार रक्खे।"

आगे चल कर महात्मा गाँधी कहते हैं—"कॉङ्ग्रेस इस बात की घोर विरोधी है कि ज़मींदारों, यूरोपियन और भारतीय व्यापारियों तथा मज़दूरों को विशेष प्रतिनिधि भेजने के अधिकार दिए जायँ, इन समुदायों के प्रतिनिधियों को साधारण वोटरों से ही अपील करनी चाहिए। इसी तरह कॉङ्ग्रेस सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का विरोध करती है। इसके बजाय विशेषज्ञों को सभा के सामने अपने विचार प्रकट करने का सुभीता मिलना चाहिए। मैं रियासतों के प्रतिनिधित्व और उसमें रियासतों की प्रजा के भाग के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहना चाहता हूँ, पर कुछ दिनों तक मैं अपनी सम्मति को प्रकट करना उचित नहीं समझता। मैं अपने पहले प्रस्ताव पर अब भी क़ायम हूँ कि चुनाव अप्रत्यक्ष हो अथवा ग्रामों के प्रतिनिधियों द्वारा हो। यह तभी होगा जबकि प्रत्येक बालिग़ आदमी को वोट का अधिकार मिल जायगा, जैसा कि कॉङ्ग्रेस का सिद्धान्त है।"

श्रीमती सुब्बरायन के उद्योग से चुनाव के सम्बन्ध में यह बात भी शामिल कर दी गई है कि स्त्रियों को व्यवस्थापक सभा के लिए उम्मेदवार होने का पूरा अधिकार होगा। यह भी निश्चय हुआ है कि एक व्यक्ति एक ही समय में प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं का सदस्य नहीं रह सकता।

कॉङ्ग्रेस के ख़िलाफ़ भयङ्कर इलज़ाम !

"बङ्गाल का एक कॉङ्ग्रेसी-नेता खुल्लम-खुल्ला ख़ूनी क्रान्ति में विश्वास रखता है ।"

यूरोपियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का विष वमन

" न तो धमकियों और न गुप्त-हत्याओं से अङ्गरेज़ भारत में अपनी नीति को त्याग सकते हैं। उन्होंने उस नीति को इसलिए अङ्गीकार किया है चूँकि वे उसकी सचाई में विश्वास रखते हैं। उनका उद्देश्य न्याययुक्त है और इससे उनकी ताक़त दुगुनी हो जाती है।"

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़ीडेण्ट मि० ई० विलियर्स का उपर्युक्त सन्देश ३१ अक्टूबर को दार्जिलिङ्ग की यूरोपियन एसोसिएशन के सामने उसके सेक्रेटरी मि० चैपमैन मॉर्टीमर ने पढ़ कर सुनाया।

इस सम्बन्ध में भाषण करते हुए मि० मॉर्टीमर ने कहा—"जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कॉङ्ग्रेस के नेता बार-बार क़ानून-भङ्ग आन्दोलन को फिर से जारी करने की बात कह रहे हैं। ये नेता इस बात को भूल जाते हैं कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग़ैर-सरकारी अङ्गरेज़ लोग एक नीति के सूत्र में बँधे हैं। अगर भारत के किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ने इस समय या भविष्य में सङ्गठित रूप में असहयोग या क़ानून-भङ्ग आन्दोलन को फिर से जारी करने का ज़रा सा भी इशारा किया, तो फिर शासन-सुधार के कार्य में उनको अङ्गरेज़ों से नाम-मात्र की सहायता भी नहीं मिल सकती।"

उन्नति की कसौटी

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स का सबसे अधिक महत्व इसी बात में है कि उसने सबसे पहली बार इस बात का प्रबन्ध किया है। बिना सहयोग के अङ्गरेज़ भारत में शासन-सुधार नहीं कर सकते।

औपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में भाषणकर्ता ने याद दिलाई कि लॉर्ड इर्विन ने दो वर्ष पहले इस सम्बन्ध में जो मत प्रकट किया था उसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया था—"औपनिवेशिक स्वराज्य की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देशी रियासतों को अपनी जगह निश्चित करने का मौक़ा दिया जाय। इसके साथ ही इस समय जो क़दम रक्खा गया है वह ब्रिटिश भारत अथवा देशी रियासतों के अन्तिम लक्ष्य के प्रतिकूल नहीं है।"

कितने ही स्वार्थी लोग इस समय यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं कि सन् १९२९ में इङ्गलैण्ड ने जो वादा किया था वह केवल ब्रिटिश भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य था। इससे बढ़ कर असत्य और कोई बात नहीं हो सकती और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का कर्तव्य है कि वह फिर से सच्ची स्थिति को स्पष्ट कर दे और यह भी बतला दे कि लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता और स्वयम् लक्ष्य दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं, जैसा कि लॉर्ड इर्विन ने बार-बार बतलाया था।

बङ्गाल में हत्याएँ

इङ्गलैण्ड के निवासियों और वहाँ की पार्लामेण्ट को बङ्गाल की वास्तविक वर्तमान दुर्दशा का ज़रा सा भी पता नहीं है। यहाँ का एक भी सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है और कितने ही ग़ैर-सरकारी लोगों को भी जान से मारे जाने की धमकी दी गई है। यहाँ की दशा इतनी गम्भीर हो गई है कि कितने ही मुसलमान नेता यह सिफ़ारिश करने का विचार कर रहे हैं कि जब तक आतङ्कवाद का अन्त न हो जाय तब तक यहाँ किसी तरह के शासन-सुधार न किए जायँ।

इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अगर स्वराज्य प्राप्त, बङ्गाल में बक्सा और हिजली के कैम्पों के नज़रबन्द ख़ूनी व्यक्ति छोड़ दिए जायँ तो यहाँ की क्या गति होगी?

इतने पर भी बङ्गाल के दो प्रमुख कॉङ्ग्रेस नेताओं में से एक खुल्लमखुल्ला ख़ूनी क्रान्ति में विश्वास रखता है। दूसरा यह दावा करता है कि वह कुछ ही सप्ताह में स्वराज्य प्राप्त कर लेगा और यदि राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स के पश्चात् भारत को पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त न हुई तो वह हत्याकारियों का साथ देगा।

जो व्यक्ति इन बातों को कहता है वह कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी का मेम्बर है। इसी वर्किङ्ग कमिटी ने देहली के समझौते को मञ्ज़ूर किया था और इसलिए उसे मालूम होना चाहिए कि उस समझौते के अनुसार भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो सकने का सवाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।

इस परिस्थिति में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बङ्गाल के यूरोपियनों ने इस बात का गम्भीरता-पूर्वक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो आतङ्कवाद की जड़ निर्दयतापूर्वक उखाड़ फेंकी जाय और सरकारी अफ़सरों के प्राणों की रक्षा की जाय।

इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक है कि एसोसिएशन की नीति के अनुसार भारत में कोई भी नया शासन-सुधार जारी करने से पहले यहाँ के गोरे सिविल सर्विस वालों का भविष्य निश्चय कर लिया जाय। —ए० प्रे०

* * *

कॉलेजों में राजद्रोह की शिक्षा

कलकत्ता यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़ीडेण्ट मि० एडवर्ड विलियर्स ने अस्पताल से लन्दन के 'डेली एक्सप्रेस' को तार भेजा है कि भारत में क्रान्तिकारी दल के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि स्कूलों और कॉलेजों में गुप्त राजद्रोही शिक्षा का प्रचार रोका जाय। इसका कुछ दोष तो उन नेताओं पर है जो इस तरह के अपराधों की प्रशंसा करते हैं और कुछ सरकार पर है जो यह जान कर भी कि वहाँ राजद्रोही शिक्षा दी जाती है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं करती।

* * *

बङ्गाल में गिरफ़्तारियों का धूम

नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार कलकत्ता में कॉरपोरेशन प्रायमरी स्कूल के शिक्षक श्री० सुरेन्द्रनाथ रॉय गिरफ़्तार कर लिए गए। बारीसाल में प्रेमांशुदास गुप्ता और दीनबन्धु घोषाल नामक दो स्कूल के विद्यार्थी क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। सिराजगञ्ज कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० उपेन्द्रनाथ रॉय भी ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं।

रिवॉलवरें मिलीं

सोमवार को सुबह कलकत्ता पुलिस की स्पेशल ब्राञ्च ने एक ही समय १३ स्थानों की तलाशी ली, इनमें चार बोर्डिङ्ग हाउस थे और बाक़ी प्राइवेट मकान। पाँच नवयुवक गिरफ़्तार किए गए। पंटेश विश्वास नामक व्यक्ति के पास दो रिवॉलवरें और कारतूस मिले। पुलिस और भी १२ नवयुवकों को जाँच के लिए पकड़ ले गई। कहा जाता है कि तलाशियाँ यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़ीडेण्ट को गोली मारने के सम्बन्ध में हुई हैं।

श्री० विमलदास गुप्ता

यह भी कहा जाता है कि मि० विलियर्स को गोली मारने वाले की पूरी तरह शनाख़्त हो गई है और वह विमलदास गुप्ता ही है, जिसका मिदनापुर के कलक्टर मि० पैड़ी की हत्या के सम्बन्ध में तलाश किया जा रहा था।

चटगाँव में तलाशियाँ

चटगाँव में २ नवम्बर को ढाका और कलकत्ता के गोलीकाण्डों के सम्बन्ध में कितने ही मकानों की तलाशी ली गई और कोआपरा स्कूल के शिक्षक श्री० विनय सेन, श्री० द्विजेन्द्र दास और श्री० रमणीदेव बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिए गए। अन्दर क़िला मुहल्ले में एक पुस्तकों की दुकान की तलाशी ली गई, पर कोई चीज़ आपत्ति-जनक नहीं पाई गई।

डकैती के लिए गिरफ़्तारी

मदारीपुर का समाचार है कि श्री० दिव्येन्दु सुन्दर मुखोपाध्याय, एम० एस-सी० हाल की एक डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। श्री० पुष्परञ्जन चट्टोपाध्याय भी, जिनको दासपुर के सब-इन्सपेक्टर की हत्या वाले मामले में दण्ड मिला था, और जो अपनी पूरी सज़ा भोग कर अभी घर लौटे थे, इसी मामले में गिरफ़्तार किए गए हैं। दोनों हवालात में रक्खे गए हैं।

मैमनसिंह में गिरफ़्तारियाँ

४ तारीख़ को मैमनसिंह में कितने ही मकानों की तलाशियाँ ली गईं और कई व्यक्ति बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में पकड़े गए। मालूम हुआ है, ये तलाशियाँ हाल के राजनीतिक उपद्रवों के कारण ली गई हैं।

—कलकत्ता कॉङ्ग्रेस की प्रमुख कार्यकर्त्री श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के ऊपर डकैती में भाग लेने का जो अभियोग लगाया गया, अभी तक उसकी सुनवाई श्री० लालबिहारी चटर्जी सेशन जज करते थे। उन्होंने स्वास्थ्य के ख़राब होने के कारण पेन्शन ले ली है और अब उनके स्थान पर राय राजेन्द्रनाथ रायबहादुर नियुक्त हुए हैं।

—३ नवम्बर को ढाका की मेडिकल स्टूडेण्ट एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट श्री० प्रबोधचन्द्र मजूमदार मि० डुर्नो पर गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए।

—राजबाड़ी (बङ्गाल) में कोरकदी कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० श्यामेन्द्रनाथ भट्टाचार्य दफ़ा १२१ ताज़ीरात हिन्द में गिरफ़्तार कर लिए गए। आप फ़रीदपुर कॉलेज में बी० ए० के विद्यार्थी हैं!

—नीचे लिखे व्यक्ति भी बङ्गाल ऑर्डिनेन्स या बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं:—

(१) बाबू प्रफुल्लकुमार मजूमदार, भूतपूर्व सेक्रेटरी फ़रीदपुर डि० कॉङ्ग्रेस कमिटी (२) श्री० अमूल्यकाञ्चन दत्त गोकुलपारा, (३) श्री० अमरनाग मैमनसिंह, (४) श्री० पुलिनबख़्शी, मैमनसिंह, (५) श्री० शचीन्द्रलाल खान, असिस्टेण्ट सेक्रेटरी कॉङ्ग्रेस कमिटी राजशाही, (६) श्री० तारादास भट्टाचार्य, राजशाही, (७) श्री० राधारमण भट्टाचार्य, राजशाही (८) श्री० सुधेंदुकुमार चटर्जी, बोगरा, (९) श्री० बगला प्रसन्न गुह राय, फ़रीदपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रमुख कार्यकर्ता (१०) श्री० जीवनकृष्ण सन्याल, पबना स्टूडेण्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ता।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम 'कीपर' का मनोरञ्जक मामला

'चाँद' और 'भविष्य' के सञ्चालक श्री० आर० सहगल पर 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट' की दफ़ा १३ के अनुसार जो मुक़दमा चल रहा है, उसकी पेशी ३० अक्टूबर को ख़ाँ साहब मौलवी रहमान बख़्श क़ादरी के इजलास में हुई। चूँकि सरकारी गवाहों के बयान बुधवार को ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी से पूछा :—

सवाल—आपने इस मुक़दमे में अपने विरुद्ध तमाम गवाहियों को सुन लिया और आप पर जो इलज़ाम लगाया गया है, वह भी आपको मालूम हो गया। अब आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है।

जवाब—मैं अपना लिखा हुआ बयान पेश करने वाला हूँ और अभी सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह मुक़दमा बिल्कुल द्वेषवश चलाया गया है। मि० मुडी के साथ मेरी अनबन थी, जिसे वे अपने बयान में मञ्ज़ूर भी कर चुके हैं। मैं सफ़ाई के गवाह पेश करूँगा।

श्री० मोहनलाल नेहरू सफ़ाई के सब से पहले गवाह थे। उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के मैनेजिङ्ग डायरेक्टर हैं। यह कम्पनी लिमिटेड है और उनको तनख़्वाह मिलती है। प्रेस की मालिक इलाहाबाद लॉ जर्नल कम्पनी है। सन् १९२१ तक, जब कि लिमिटेड कम्पनी बनाई गई, वे ही प्रेस के मालिक और कीपर थे। मैनेजिङ्ग डायरेक्टर का काम कम्पनी के तमाम इन्तज़ाम की देख-रेख करना है। डायरेक्टर एडीटरों को नौकर रखते हैं और बरख़ास्त करते हैं। आजकल श्री० कृष्णप्रसाद दर प्रेस के कीपर हैं। वे डायरेक्टरों की मञ्ज़ूरी से ही नियुक्त किए गए हैं।

सरकार की तरफ़ के अतिरिक्त वकील मि० ए० पी० पाण्डे के जिरह करने पर आपने कहा कि वे प्रेस का ऊपरी इन्तज़ाम करते हैं। सन् १९२१ से पं० कृष्णप्रसाद दर प्रेस के कीपर हैं। वे उनके साले लगते हैं। प्रेस की स्थापना सन् १९०९ में हुई थी।

दूसरे गवाह पं० कृष्णप्रसाद दर ने कहा कि वे आज कल इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के कीपर हैं और २५०) रु० मासिक पाते हैं। इन्तज़ाम के मामलों में पण्डित मोहनलाल नेहरू मैनेजिङ्ग डायरेक्टर उनके बड़े अफ़सर हैं और नौकरों के रखने तथा निकालने का उनको पूरा अख़्तियार है।

मैजिस्ट्रेट—डायरेक्टरों की सम्मति से या उसके बिना?

गवाह—बेशक, डायरेक्टरों की सम्मति से। गवाह ने यह भी कहा कि अख़बार में जो कुछ छपता है, प्रिण्टर और पब्लिशर की हैसियत से उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है।

मि० मुकर्जी (सफ़ाई के वकील)—कीपर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

गवाह—मैं नहीं जानता कि कीपर की, इसके सिवाय और कोई ज़िम्मेदारी है, कि प्रेस में जो कुछ छपे उसका क़ानूनी उत्तरदायित्व उस पर रहे।

मि० पाण्डेय के जिरह करने पर आपने कहा कि वे फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज को जानते हैं और जहाँ तक उनको पता है, श्री० आर० सहगल उसके मालिक हैं। पर वे यह नहीं कह सकते कि वहाँ के कारबार की देख रेख दरअसल कौन करता है।

श्री० एच० के० घोष ने कहा कि इण्डियन प्रेस एक लिमिटेड कम्पनी है, जिसमें डायरेक्टर और हिस्सेदार वग़ैरह शामिल हैं। गवाह प्रेस का जनरल मैनेजर है और प्रतिमास अपनी तनख़्वाह पाता है। इस प्रेस की एक शाखा बनारस में है, जिसके मैनेजर मि० ए० के० बोस हैं। श्री० घोष बनारस की शाखा के कीपर हैं। उनके प्रेस से 'सरस्वती' 'बालसखा' और 'बच्चों की दुनिया' मासिक पत्र निकलते हैं। उन मासिक पत्रों की ज़िम्मेदारी एडीटर और प्रिण्टर पर रहती है और उनमें प्रकाशित होने वाले मज़मूनों का भार सम्पादकों पर रहता है। वे इलाहाबाद के भी प्रेस के कीपर हैं। मैनेजर की हैसियत से वे प्रेस में लोगों को नौकर रखते हैं और निकालते हैं।

सवाल—कीपर की हैसियत से आप अपनी ज़िम्मेदारी क्या समझते हैं?

जवाब—क़ानून के अनुसार कीपर की जो ज़िम्मेदारियाँ बतलाई गई हैं, उनके सिवाय मैं कुछ और नहीं जानता। हमारे यहाँ से जो कुछ प्रकाशित होता है, उसके प्रिण्टर और प्रकाशक मि० के० मित्र हैं।

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि वे कभी-कभी बनारस की ब्राञ्च का हिसाब-किताब जाँचने वहाँ जाते हैं।

इण्डियन प्रेस के प्रिण्टर और प्रकाशक मि० के० मित्र ने कहा कि प्रिण्टर का कर्तव्य प्रेस में छपने को आने वाले मैटर को देखना है। अगर वह मञ्ज़ूर होने लायक़ हुआ तो मञ्ज़ूर कर लिया जाता है, अन्यथा इन्कार कर दिया जाता है।

दूसरा दिन

दूसरे दिन ३१ ता० को केवल दो गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

बेलवेडियर प्रेस के मैनेजिङ्ग प्रोप्राइटर श्री० भक्त-शिरोमणि ने कहा कि प्रेस के कारबार पर उनका पूरा क़ब्ज़ा है। उनके बाप प्रेस के कीपर हैं। प्रेस के प्रिण्टर और प्रकाशक मि० ई० हॉल हैं, जो हिन्दी या उर्दू नहीं जानते। उनके प्रेस में अङ्गरेज़ी, उर्दू और हिन्दी की किताबें छपती हैं।

फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० एच० पी० मैत्र ने कहा कि प्रेस के सुपरिण्टेण्डेण्ट की हैसियत से उनका कर्तव्य सुशृङ्खलित रूप से काम चलाना, काम करने वालों को काम बाँटना, उनसे काफ़ी काम कराना, हाज़िरी के रजिस्टर की जाँच करना आदि हैं। अख़बारों की कॉपी उनको सम्पादकों से मिलती है। किताबों की कॉपी मैनेजर के यहाँ से मिलती है और कभी-कभी सम्पादकों से भी। श्रीमती लक्ष्मीदेवी प्रेस की प्रिण्टर और पब्लिशर हैं। वे प्रेस की कीपर भी हैं। आजकल उनको श्री० आर० सहगल से पत्रों के लिए कुछ भी कॉपी नहीं मिलती। जब वे प्रिण्टर, प्रकाशक और सम्पादक थे, तो कुछ कॉपी मिला करती थी। श्रीमती लक्ष्मीदेवी अक्सर उनके विभाग में प्रिण्टर, पब्लिशर और कीपर की हैसियत से आया-जाया करती हैं।

जिरह करने पर मि० मैत्र ने कहा कि जहाँ तक उनको मालूम है, श्री० सहगल इन्तज़ाम में कुछ भी हाथ नहीं डालते। उनके कामों के विषय में वे बहुत कम जानते हैं। वे इतना ही जानते हैं कि श्री० सहगल आर्थिक मामलों पर निगाह रखते हैं। अगर किसी काम में या विभाग में नुक़सान हो, तो वे मैनेजर से या गवाह से जवाब तलब करते हैं।

मि० पाण्डेय—अगर आपके प्रेस में कोई किताब छापने को आए तो उसका निर्णय कौन करता है?

गवाह—मैं नहीं कह सकता? पर जब सम्पादकों के पास से मेरे पास कॉपी आती है, तो मैं उसे छाप कर तैयार करता हूँ।

मि० मैत्र ने कहा कि वे प्रेस के कीपर की ज़िम्मेदारी कुछ नहीं बतला सकते। श्रीमती लक्ष्मीदेवी उनके विभाग में काम की रफ़्तार देखने आती हैं। वे प्रेस के अहाते में ही रहते हैं और दो साल से नौकरी कर रहे हैं।

तीसरा दिन

२ नवम्बर को सबसे पहले गवाह ज्ञान-मण्डल प्रेस (बनारस) के कीपर श्री० माधवविष्णु पराड़कर ने कहा कि मैंने प्रेस के असिस्टेण्ट मैनेजर बाबू बलदेवदास की आज्ञा से कीपर का डिक्लेरेशन दाख़िल किया था। प्रेस के मालिक बाबू शिवप्रसाद गुप्त और मैनेजर श्री० श्रीप्रकाश हैं। मुझे ७०) रु० मासिक और असिस्टेण्ट मैनेजर को ५०) रु० मासिक वेतन मिलता है।

सवाल—कीपर का क्या कर्तव्य है?

जवाब—मालिक की जायदाद की रखवाली करना और उसे सँभाल कर रखना।

मि० पाण्डेय के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं सन् १९२३ से १९२९ तक प्रेस का कीपर था।

पायोनियर प्रेस के एकाउण्टेण्ट मि० ए० आर० बिन्स ने कहा कि एक हफ़्ते पहले मैंने पायोनियर प्रेस के कीपर का डिक्लेरेशन दिया है। मुझसे पहले मि० पोथैकेरी कीपर थे।

सवाल—प्रेस के कीपर की हैसियत से आपकी क्या ज़िम्मेदारी है?

जवाब—कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं है।

तीसरे गवाह लीडर प्रेस के श्री० कृष्णराम मेहता थे। यह पूछने पर कि लीडर प्रेस का कीपर कौन है, उन्होंने कहा—मैं समझता हूँ कि मैं ही कीपर हूँ।

सवाल—कीपर की हैसियत से आप क्या कार्य करते हैं?

जवाब—मुझे कीपर के कार्यों का विशेष रूप से पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह प्रेस की जनरल ज़िम्मेदारी रखने वाला एक अफ़सर होता है।

सवाल—आपकी ग़ैरहाज़िरी में आपके काम की देख-भाल कौन करता है?

जवाब—कोई भी, जिसे मैं अधिकार दे जाऊँ।

सवाल—क्या सम्पादक की हैसियत से आप अख़बार में छपने वाले सब मैटर को देख लेते हैं?

मैं देखने की कोशिश करता हूँ, पर यह स्वभावतः असम्भव है कि मैं अख़बार में छपने वाली हर एक चीज़ की जाँच कर सकूँ।

इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के कर्मचारी मुन्शी दिलदारअली ने कहा कि मैं हिन्दुस्तान प्रेस का कीपर हूँ और मेरे भाई उसके मालिक हैं। मुझे कीपर के कर्तव्य और अधिकारों का कुछ पता नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे डिक्लेरेशन देने को कहा और मैंने दे दिया।

हीरालाल प्रिण्टिङ्ग वर्क्स, अलीगढ़ के श्री० हरीशङ्कर नागर ने कहा कि मैं पहली बार ११ महीने, दूसरी बार ६ महीने और तीसरी बार ५ महीने तक फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज में नौकरी कर चुका हूँ। तीसरी बार मैं सम्पादकीय विभाग में काम करता था। मुझे श्री० आर० सहगल ने नौकर रक्खा था, जो उस समय 'चाँद' के सम्पादक थे। उसके बाद श्री० शुकदेवराय 'चाँद' के सम्पादक नियत हुए। श्री० शुकदेवराय छापने के लिए आने वाले लेखों को देखते थे और वे ही पुस्तकों आदि को ठीक करके प्रेस में देते थे। मैंने ढाई साल तक कलकत्ते के 'हिन्दू-पञ्च' में काम किया है। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि श्री० आर० सहगल आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान रखते थे।

(शेष मैटर १२वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

भारत के राजद्रोह आन्दोलन का मूल कारण

बदला लेने और हिंसा की वृत्ति देश के लिए घातक है

हिजली-काण्ड की रिपोर्ट पर महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सम्मति

श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हिजली-गोली-काण्ड जाँच-कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत प्रकाश किया है :—

"हिजली नज़रबन्द-कैम्प के वार्डरों के प्रति ईसाइयों के अनुकूल मनोवृत्ति द्वारा बार-बार सहानुभूति प्रकट की जा रही है। यह बात अभी मैंने एक ऐंग्लो-इण्डियन पत्र में देखी है। इन्हीं वार्डरों ने अपने अधीन रहने वाले नज़रबन्दों की हत्या की थी। इस अपराध के करने वालों के प्रति उनके भारी काम के भार की दुहाई देकर दया प्रकट की गई है। उस ऐंग्लो-इण्डियन पत्र के मतानुसार इस तरह की अवस्था में वे लोग धैर्यपूर्वक क़ानून के अनुसार काम करेंगे, इसकी किसी प्रकार आशा नहीं की जा सकती।

वे सब घमण्ड में चूर लोग सुख-पूर्वक बारकों में रह कर स्वाधीनता और आत्म-मर्यादा का आनन्द उपभोग करते हैं। इन्होंने मिल कर बर्बरों की तरह क़ैद में पड़े हुए और भाग्य की अनिश्चितता के कारण व्याकुल निरीह नज़रबन्दों पर रात के अँधेरे में घातक आक्रमण किया था। इन लोगों के इसी कार्य के लिए उनके प्रति लेखों-द्वारा बार-बार सहानुभूति प्रकट करके उनको सन्तोष प्रदान किया जा रहा है।

क्षोभ, कष्ट और क्रोध के अत्यन्त बढ़ जाने से मनुष्य एक ऐसी दशा में पहुँच जाता है, जब कि वह समाज के प्रति अपने उत्तर-दायित्व की ओर फल की चिन्ता भूल जाता है और उसका भले-बुरे का ज्ञान लोप हो जाता है। इसी प्रकार के दारुण मनोकष्ट के कारण अधिकांश अपराधों की उत्पत्ति होती है। इस तरह के अपराध यद्यपि अत्यन्त मानसिक उत्तेजनावश और स्वप्न की सी हालत में होते हैं; पर क़ानून उनको क्षमा नहीं करता और इसलिए मनुष्य भय और आत्म-संयम द्वारा अपराधी भावों को रोकता रहता है। पर यदि सरकारी नौकरों के लिए, ख़ून के लिए दया का भण्डार पहले ही से भर कर रक्खा गया हो, और जो लोग क़ानून के रक्षक होते हुए भी उसको घमण्ड के साथ तोड़ते हैं, उनके लिए एक नई ही तरह का क़ानून बना दिया गया हो, तो कहना पड़ेगा कि यह सभ्य देश की न्यायपरायणता का ही अपमान करना है। इसके फल से सर्व-साधारण के मनों पर जैसा कुप्रभाव पड़ेगा, वैसा कितने ही राजद्रोही आन्दोलन से भी नहीं डाला जा सकता।

इसके विपरीत इस बात की आशा मैं एक क्षण के लिए भी नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ के गर्म विचारों के राजनीतिक व्यक्ति, जिनको किसी नियमानुसार स्थापित अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया हो, इस कारण से छोड़े जा सकते हैं कि, दिल दहलाने वाले दृश्यों और कायरतापूर्ण अपराधों के बदले में किसी प्रकार का दण्ड न दिया जाता देख कर वे अपने आत्म-संयम को बिलकुल खो बैठे हैं। अपने अन्याय-पीड़ित भाइयों के प्रति और अपने मनुष्यत्व के भाव का अपमान के कारण जिस कार्य को उन्होंने अपना कर्तव्य समझ कर किया है, उसका पूरा प्रतिफल उनको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे विद्यार्थी अपने गोरे स्कूल-मास्टरों के द्वारा पश्चिमी देशों के स्वाधीनता-संग्रामों का जो इतिहास पढ़ते हैं, उसमें दोनों दलों के प्रकट या गुप्त हिंसात्मक अपराधों के दृष्टान्त भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए आयर्लैण्ड का ही नाम लिया जा सकता है।

हिंसा सफल नहीं हो सकती

पर चाहे जो हो, अपराध को अपराध समझना ही पड़ेगा और उसका न्यायानुसार फल भी अनिवार्य मानना होगा। पर यह बात भी इतिहास द्वारा सत्य सिद्ध हो चुकी है कि जिन राजकर्मचारियों अथवा स्वेच्छाचारी शासकों के हाथ में सैनिक और शासन-सम्बन्धी शक्ति होती है, अथवा जो ऐसी शक्ति द्वारा अधिकारयुक्त तथा संरक्षित होते हैं, वे प्रायः मदोन्मत्त होकर, न्याय का विचार छोड़ कर और जनता के मत की परवा न करके अन्याय की हद कर देते हैं।



पहिले किस का हक़ है ?

रूस का ज़ार और अन्य निरंकुश शासक इसके उदाहरण हैं। पर मनुष्य जाति के सौभाग्य से इस प्रकार की नीति कभी अन्त में सफल नहीं होती।

शासकों से अपील

मैं सरकार से और साथ ही अपने देशवासियों से हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि आपस में बदला लेने और एक-दूसरे के प्रति हिंसा का भाव प्रकट करने को बन्द करें। क्योंकि यह एक ऐसा निन्दनीय चक्र है, जिसका अन्त कभी नहीं होता। यद्यपि साधारण मनुष्य के लिए अपने क्रोध और रोष के भाव को प्रकट करना स्वाभाविक है, पर न तो यह हमारे शासकों की राजनीतिज्ञता का परिचायक है और न शासितों की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। आपस में इस तरह का क्रोध का भाव बनाए रखना सब तरह से नाशकारी और अनर्थपूर्ण है और उससे हमारे कष्टों और विफलता की सदा वृद्धि होती रहेगी। उसके फल से हम अपना शासकों के नैतिक मनुष्यत्व पर विश्वास रखना बिलकुल छोड़ बैठेंगे और यही मनुष्यत्व सच्ची शक्ति और प्रभाव है।

—नेपाल के प्रधान-मन्त्री को ब्रिटिश सेना के ऑनरेरी लेफ़्टिनेण्ट जनरल का पद दिया गया है।

—बनारस का समाचार है कि श्रीमती कमला नेहरू को संयुक्त प्रान्त में महिला-स्वयंसेविकाओं का सङ्गठन करने का भार दिया गया है। श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, जो इसी कार्य के लिए देश-भ्रमण कर रही हैं, ११ नवम्बर को बनारस पहुँचेंगी।

—जयपुर के महाराज के पुत्र होने की ख़ुशी में मण्डावा (शेखावाटी) के जागीरदार ने किसानों का दस हज़ार रुपए का लगान माफ़ कर दिया।

—श्री० मनीलाल कोठारी ने सूचना प्रकाशित की है कि गाँधी-जयन्ती के फ़ण्ड से २७ हज़ार रुपए की खादी बङ्गाल, कोकन, बिहार और उड़ीसा के बाढ़ और अकाल-पीड़ितों में बाँटी जा चुकी है। इसमें से एक हज़ार रुपया किसी गुमनाम अङ्गरेज़ ने दिया था और इस रुपए की खादी दाता की इच्छानुसार डॉ० सय्यद महमूद द्वारा यू० पी० में और सरदार पटेल द्वारा बारदोली में बाँटी गई है।

—तिरुपुर (मद्रास) का समाचार है कि विदेशी कपड़े की दुकानों की पिकेटिङ्ग करने वाले दो स्वयंसेवकों पर तारकोल और मिट्टी का तेल डाल दिया गया।

—मुरादाबाद की ज़मींदार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया है कि इलाहाबाद ज़िले में किसानों के लगानबन्दी सत्याग्रह की जो तैयारियाँ हो रही हैं, और बाद में जिसके समस्त प्रान्त में फैल जाने की आशङ्का है वह ज़मींदारों के लिए ही नहीं, वरन् समस्त जनता के लिए हानिकारक है। यह आन्दोलन भावी गृह-युद्ध का सूचक है। यह भी कहा गया कि सरकार दिन पर दिन किसानों के आन्दोलन से दबती जाती है, जिसका फल अन्त में यह निकलेगा कि ज़मींदारों की अपनी रैयत और सरकार दोनों के साथ लड़ाई छिड़ जायगी।

—भ्राङ्गध्रा रियासत में हड़ताल जारी है और वहाँ के निवासी शहर छोड़ कर दूसरी रियासतों में जा रहे हैं। अगर रियासत ने अब भी काठियावाड़ राजनीतिक कॉन्फ़्रेन्स के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा नहीं हटाई तो वहाँ सत्याग्रह किया जायगा, जिसके लिए स्वयंसेवक तैयार हैं।

—महात्मा गाँधी ने सरदार वल्लभभाई पटेल से यूरोप में अपने प्रोग्राम और भारत लौटने के सम्बन्ध में सम्मति पूछी है। सरदार वल्लभभाई ने इस सम्बन्ध में निर्णय करने को वर्किङ्ग कमिटी का एक विशेष अधिवेशन ७ नवम्बर को बम्बई में करने का निश्चय किया है।

—कानपुर के रासी नामक गाँव के रहने वाले फ़त्तन नामक किसान को बिना लायसेन्स के बन्दूक़ रखने के अभियोग में नौ महीने की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई।

—लखनऊ का समाचार है कि आल इण्डिया शिया पोलीटिकल कॉन्फ़्रेन्स की स्टैण्डिङ्ग कमिटी ने सर सय्यद सुलतान अहमद, म० गाँधी और मि० मैकडॉनेल्ड के नाम तार भेजने का निश्चय किया है कि वे लोग संयुक्त निर्वाचन के पक्षपाती हैं और बिना इसके वे किसी शासन-सुधार की स्कीम को स्वीकार नहीं करेंगे।

—दक्षिणी वज़ीरिस्तान (सीमा प्रान्त) में ले० टी० राम० सिङ्गे और प्राइवेट ह्वावेल को गोली मारी गई। ले० सिङ्गे मर गए और ह्वावेल घायल हुआ।

—ढाका डिवीज़न के कमिश्नर मि० ए० कैसल्स पर कुछ समय पहले ट्रङ्गाइल में गोली चलाई गई थी। अब उनको सरकार की तरफ़ से सी० आई० ई० की उपाधि प्रदान की गई है।

* * *

काश्मीर पर 'कट्टर' मुसलमानों की शनि-दृष्टि

पञ्जाब के हज़ारों पठान रियासत की सीमा में उपद्रव मचा रहे हैं

भारत-सरकार ने उपद्रवियों को दबाने को सेनाएँ भेजीं

काश्मीर की विपत्ति का अन्त होता दिखलाई नहीं देता। कुछ दिनों पहले काश्मीर के शासकों ने वहाँ के तमाम मुसलमान क़ैदियों को, जो आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, छोड़ दिया था और मुसलमानों की माँगों के लिए एक कमीशन भी नियुक्त कर दिया था। इस पर लोग ख़्याल करने लगे थे कि अब वहाँ की गड़बड़ी शान्त हो जायगी और मुसलमान पूर्ववत् चैन से रहने लगेंगे। यद्यपि रियासत के मुसलमान इन उपायों से बहुत कुछ सन्तुष्ट हो गए और उनमें से कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने काश्मीर-नरेश की प्रशंसा भी सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके की, पर पञ्जाब के चन्द आन्दोलनकारी मुसलमान, जिन्होंने असल में यह आग भड़काई थी, सन्तुष्ट न हुए। उन्होंने तरह-तरह की झूठी-सच्ची बातें फैला कर रियासत के ख़िलाफ़ प्रचार जारी रक्खा और उसी का फल है कि अब दुबारा वही आन्दोलन और भी भयङ्कर रूप में आरम्भ हुआ है।

जत्थों की गिरफ़्तारी

पहली बार इस आन्दोलन में ख़ास कर स्यालकोट और उसके आस-पास के मुसलमानों ने भाग लिया था, पर इस बार सीमा प्रान्त के लालकुर्ती वाले स्वयंसेवक भी, जो पठान हैं, इसमें कूद पड़े। इस सम्बन्ध में श्रीनगर से २ नवम्बर को काश्मीर सरकार की तरफ़ से एक कम्यूनिक प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि—"अब तक क़रीब दो हज़ार लालकुर्ती वाले गिरफ़्तार करके हवालात में रक्खे गए हैं, और अभी अधिक जत्थों के आने की आशङ्का है। ख़बर है कि कितने ही जत्थे उपद्रव को तैयार हो गए। मीरपुर में ६० व्यक्तियों के एक जत्थे ने इतना उपद्रव मचाया कि उसे शान्त करने की चेष्टा में एक हेड कॉन्स्टेबिल को सख़्त चोट लगी और पुलिस सुप० तथा जेलदार मामूली घायल हुए। एक जत्थेदार मारा गया और दूसरा सङ्गीन से घायल हुआ। जम्मू की ख़बर है कि जत्थों के कारण वहाँ उत्तेजना फैल रही है और २७ व्यक्तियों को, जिन्होंने एक डिक्टेटर की अधीनता में अपना एक दल बनाया था, गिरफ़्तार कर लेना पड़ा। उस स्थान के हिन्दुओं में बड़ा आतङ्क फैला हुआ है।"

स्यालकोट के सम्बन्ध में एक दूसरे कम्यूनिक से मालूम होता है कि—"मज़हरअली अज़हार ने, जो स्यालकोट में जत्थों का सङ्गठन कर रहा था, जम्मू के गवर्नर से कहा है, कि उसको अपनी माँगें विचारार्थ भेजने की आज्ञा नहीं दी गई और इसी लिए वह यह कार्य कर रहा है। इस पर उसे तार द्वारा सूचित किया गया कि वह अपनी माँगें डाक-द्वारा भेज दें, उन पर पूर्ण-रूप से विचार किया जायगा। इतने पर भी वह ११२ व्यक्तियों का एक जत्था लेकर सुचेतगढ़ तक चला आया और मैजिस्ट्रेट के हुक्म के ख़िलाफ़ रियासत की सीमा में घुस गया। इस पर वह जत्थे सहित गिरफ़्तार कर लिया गया।"

भारत-सरकार का बयान

इसके पश्चात् दशा बिगड़ती ही गई और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि रियासत के लिए इन अन्ध-विश्वासी आक्रमणकारियों का मुक़ाबला कर सकना कठिन हो गया और उसने भारत-सरकार से सैनिक-सहायता की प्रार्थना की। इस सम्बन्ध में भारत-सरकार ने ४ नवम्बर को कम्यूनिक प्रकाशित किया है, जिससे तमाम मामले पर बहुत कुछ रोशनी पड़ती है। उसमें कहा गया है :—

"इन जत्थों का उद्देश्य यह बतलाया जाता है कि वे काश्मीर-नरेश पर इस बात का दबाव डालें कि रियासत की मुसलमान प्रजा की शिकायतें दूर की जायँ। अब तक जत्थों का व्यवहार ब्रिटिश भारत में क़ानून के अन्दर रहा है, पर हाल की घटनाओं से प्रकट होता है कि रियासत की शान्ति के लिए वे बड़े भयजनक हैं।......काश्मीर-दरबार ने इन जत्थों को रोक सकने या उनके रियासत की सीमा में घुसने से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को क़ाबू में रखने में असमर्थता प्रकट की है। इस हालत में दरबार की प्रार्थना पर सरकार ने मीरपुर और जम्मू में अङ्गरेज़ी सेनाएँ भेजने का निश्चय किया है, जिनका कर्त्तव्य उन स्थानों में शान्ति क़ायम रखना होगा। ये सेनाएँ गोरे सिपाहियों की होंगी और अपने अफ़सरों की आज्ञानुसार कार्य करेंगी।

"इसके सिवाय गवर्नर-जेनरल ने एक नया ऑर्डिनेन्स भी जारी किया है जिसके द्वारा पञ्जाब गवर्नमेण्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह काश्मीर की सीमा में इन जत्थों का घुसना रोक सके। भारत सरकार का विश्वास है कि ये उपाय ब्रिटिश भारत तथा काश्मीर और जम्मू, दोनों के अधिवासियों के लिए हितकर होंगे।"

"१२ अक्टूबर को काश्मीर के महाराजा ने एक ब्रिटिश अफ़सर इसलिए माँगा था कि वह उस जाँच-कमिटी की अध्यक्षता करे, जो मुसलमानों की उन माँगों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है, जो बिना जाँच के मञ्ज़ूर नहीं की जा सकतीं या जिनमें अन्य सम्प्रदायों का प्रश्न भी सम्मिलित है। इस प्रार्थना के उत्तर में सरकार ने 'फ़ॉरेन और पोलीटिकल डिपार्टमेण्ट' के मि० बी० जे० ग्लैन्सी सी० आई० ई० को, जिनको काश्मीर रियासत का पहले से भी अनुभव था, दरबार के हवाले कर दिया। मि० ग्लैन्सी अपने नए पद पर ३१ अक्टूबर को हाज़िर हो गए हैं। मालूम हुआ है कि जिस जाँच-कमिटी की उनको अध्यक्षता करनी है, उसका कार्य इसी हफ़्ते में, जहाँ तक मुमकिन होगा, जल्द शुरू हो जायगा।

"भारत-सरकार महाराजा काश्मीर से इस विषय में पूर्ण-रूप से सहमत है कि इस जाँच का सबसे अच्छा फल तभी निकल सकता है जब कि काश्मीर की सीमा के भीतर शान्ति बनी रहे और वह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। इस परिस्थिति को उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही, जिससे महाराजा काश्मीर एक स्थायी निर्णय पर पहुँच सकें, भारत-सरकार ने उपरोक्त उपायों का अवलम्बन किया है। उसकी तमाम ब्रिटिश भारत की प्रजा से हार्दिक अपील है कि वे ऐसे कार्यों से पृथक रहें, जिससे उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़े।"

नया ऑर्डिनेन्स

भारत-सरकार ने जो नया ऑर्डिनेन्स निकाला है उसका नाम है 'काश्मीर रियासत (उपद्रवों से रक्षा करने वाला) ऑर्डिनेन्स' न० १० सन् १९३१। इसका उद्देश्य "उन लोगों को जो ब्रिटिश भारत से जम्मू और काश्मीर के महाराजा की हद में अशान्ति फैलाने जाते हैं, इकट्ठा होने से रोकना है।"

यह ऑर्डिनेन्स समस्त पञ्जाब प्रान्त पर लागू होगा। इसकी दूसरी धारा में कहा गया है कि—"जहाँ-कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह जान पड़े कि उसके ज़िले में पाँच या अधिक व्यक्ति इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वे देशी नरेश की रियासत के भीतर दाख़िल हों, और उनके उस सीमा में दाख़िल होने से रियासत के शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप होने की सम्भावना हो, या मनुष्यों के जीवन और रक्षा का ख़तरा हो, या शान्ति-भङ्ग की आशङ्का हो, या दङ्गा-फ़साद की सम्भावना हो, तो वह उस मामले की वास्तविक बातों को दर्ज करके उन लोगों को तितर-बितर हो जाने की आज्ञा दे सकता है। इस हुक्म की एक नक़ल उस जगह चस्पा कर दी जायगी, जहाँ उक्त प्रकार के लोग इकट्ठे हुए हों, और इसकी इत्तला डुग्गी पिटवा कर भी कर दी जायगी। इस हुक्म के जारी होने के बाद जो पाँच या ज़्यादा लोग पहली जगह पर या उसके आस-पास या किसी दूर के फ़ासले पर इकट्ठा रहेंगे या फिर से इकट्ठा होंगे, वे ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १४१ के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी मजमा समझे जायँगे।"

तीसरी धारा में ऐसे समुदायों की स्थापना को रोकने की व्यवस्था की गई है। कोई भी पुलिस अफ़सर, जो पद में सब-इन्स्पेक्टर से कम न हो, ऐसे लोगों से उनके इकट्ठे होने का उद्देश्य पूछ सकता है और यदि वे इसका उत्तर न दें या सन्तोषजनक कारण न बतला सकें तो वह उनको तितर-बितर होने को कह सकता है। इस धारा का कोई भी हुक्म दो महीने से अधिक अमल में रहेगा जब तक कि वैसी सूचना न दी जाय।

जम्मू में तीन मुसलमान मारे गए

२ नवम्बर को जम्मू में हिन्दू-मुसलमानों के उपद्रव के फल-स्वरूप तीन मुसलमान और एक हिन्दू मारे गए। मुसलमानों ने हिन्दुओं की दुकानें जला दीं और रानी बिआलुर्रा के मन्दिर को लूट लिया, सरकारी फ़ौज पर उपद्रवियों ने पिस्तौल से गोलियाँ चलाईं। आठ हिन्दुओं की और आठ मुसलमानों की दूकानें लूट ली गईं। मुसलमान वालण्टियर सड़कों पर नङ्गी तलवारें लेकर निकले जिनको ज़ब्त करने की आज्ञा दी गई। अभी और जत्थे आ रहे हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों की शान्ति कमिटियाँ बना दी गई हैं, जिनके ऊपर शहर में शान्ति स्थापित रखने की ज़िम्मेवारी है। जत्थों पर दफ़ा १९१ क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड का प्रयोग किया जा रहा है।

नए इन्स्पेक्टर-जनरल

पेशावर का समाचार है कि मि० लॉथर काश्मीर रियासत के इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस नियुक्त हुए हैं। वे २ नवम्बर को पेशावर से मोटर द्वारा श्रीनगर को रवाना हुए। सरकारी कर्मचारियों, सी० आई० डी० के कर्मचारियों और आपके मित्रों ने आपको विदाई के समय हार पहिनाए।

—ब्यावर (राजपूताना) की कॉङ्ग्रेस कमिटी के दो प्रमुख कार्यकर्ता अतर मुहम्मद और गोपीलाल किसान-कॉन्फ़्रेन्स में दिए हुए भाषणों के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। इसका विरोध करने को स्वामी कुमारानन्द की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें सरकार की दमन-नीति की घोर निन्दा की गई।

❀ ❀ ❀



भविष्य

९ नवम्बर, सन् १९३१

हिजली गोली-काण्ड की जाँच

हिजली गोली-काण्ड की जाँच के सम्बन्ध में बङ्गाल सरकार ने जस्टिस एस० सी० मलिक और मि० जे० जी० ड्रमण्ड की जो कमिटी नियुक्त की थी और जिसके सामने होने वाली गवाहियों का विवरण हमारे पाठक पिछले अङ्कों में पढ़ चुके हैं, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। जाँच के समय कमिटी के कमिश्नरों का रुख़ नज़रबन्दों के प्रति बहुत सहानुभूति-पूर्ण था और उसी के फल से वे लोग अपने ऊपर होने वाले अमानुषिक अत्याचार और नृशंसता की कहानी इतने स्पष्ट रूप में प्रकट कर सके। कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट में कई जगह इस बात को स्वीकार किया है कि नज़रबन्दों ने अपने बयानों में बहुत अधिक सचाई और ईमानदारी से काम लिया है, और आक्रमण करने वाले कुछ लोगों को, जिन्हें वे झूठ बोल कर सहज में फँसा सकते थे, बरी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सिपाहियों के बयान की असत्यता को भी कई जगह प्रकट किया है और उनकी गवाहियों को बहुत कम विश्वस्त समझा है।

इस रिपोर्ट से एक लाभ यह भी हुआ है कि उससे इस घटना के आरम्भ में प्रकाशित सरकारी कम्यूनिकों का पूरी तरह खण्डन हो गया है। जिस समय सबसे पहले इस घटना की ख़बर प्रकट हुई थी, उस समय सरकार ने अपने कम्यूनिक में कहा था कि कितने ही नज़रबन्दों ने सन्तरियों पर आक्रमण किया और एक सन्तरी की सङ्गीन छीन ली। उन सन्तरियों की रक्षा के लिए सिपाहियों को गोली चलानी पड़ी। पर रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि नज़रबन्दों पर लगाया गया यह इलज़ाम बिल्कुल ग़लत था और गोली अकारण ही चलाई गई थी। उसमें लिखा है :—

"हमारी सम्मति में नज़रबन्दों के निवास-स्थान पर सिपाहियों के मनमाने ढङ्ग से गोली चलाने का, जिसके फल से दो नज़रबन्दों की मृत्यु हुई और कितने ही घायल हुए, कोई भी उचित कारण न था।............ सिराजुल नाम के सन्तरी का उसकी बन्दूक़ से सङ्गीन छीन लेने का क़िस्सा हमको बहुत ही सन्देहपूर्ण जान पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कमाण्डेण्ट बेकर के सामने बयान देते हुए सिराजुल ने इस घटना का कुछ भी ज़िक्र नहीं किया था। इसके सिवाय उसकी बन्दूक़ में जो सङ्गीन लगी वह थी, खींच कर नहीं निकाली जा सकती। जिस किसी ने उसे निकाला, उसे यह मालूम होना चाहिए था कि निकालने से पहले उसे किस तरह घुमाया जाता है।"

घटना के दो-तीन दिन बाद जब समाचार-पत्रों में यह प्रकट हुआ कि नज़रबन्दों पर बिना सोचे-समझे गोली चलाई गई और उनके निवास-स्थान के भीतर घुस कर सिपाहियों ने उन पर आक्रमण किया तो सरकार ने इसके खण्डन में एक कम्यूनिक निकाला, जिसमें कहा गया था कि इस बात का एक भी प्रमाण नहीं है कि सिपाहियों में से एक भी निवास-स्थान के भीतर घुसा था। अब रिपोर्ट से मालूम होता है कि अख़बारों की ख़बर बिल्कुल ठीक थी और सरकार का कम्यूनिक सर्वथा निराधार था। रिपोर्ट के लेखकों का मत है :—

"हमारे सामने जो गवाहियाँ हुई हैं, उन पर विचार करने से हम स्पष्टतया इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सिपाहियों में से कुछ मकान के भीतर गए थे और मकान के पूर्वी भाग में घायल होने वाले लोगों में से कुछ के ज़िम्मेदार वे ही हैं।"

पर खेद है कि इन बातों को मान लेने के पश्चात् भी कमिटी ने अपने निर्णय में स्पष्टता से काम नहीं लिया है और केवल अनुमान के आधार पर इस घटना का कुछ दोष नज़रबन्दों के सर पर भी मढ़ दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वे पहले प्रमाणों को देखते हुए बिल्कुल कच्चे हैं। तारापद नाम के नज़रबन्द ने उनके सामने कहा कि 'मैंने गोली चलने से कुछ देर पहले टॉवर के दक्षिण-पश्चिम से, जहाँ सन्तरी नं० ३ का पहरा था, कुछ शोर-गुल सुना था!' केवल इसी कथन के आधार पर उन्होंने यह नतीजा निकाल लिया है कि गोली चलने से पहले नज़रबन्दों और सन्तरियों में कुछ खटपट ज़रूर हुई थी और नज़रबन्दों ने उनको उत्तेजित किया था। यद्यपि तारापद ने जिस शोर-गुल का ज़िक्र किया था उसके कितने ही कारण हो सकते थे। सम्भव है कि सन्तरी ने उसे पूर्व निश्चित योजना के अनुसार स्वयम् ही मचाया हो, ताकि सिपाहियों को नज़रबन्दों पर हमला करने का बहाना मिल जाय। इसी प्रकार तीनकौड़ी सेन नामक सब-इन्स्पेक्टर ने कमिटी के सामने कहा कि, मैंने श्री० हेमन्तकुमार तरफ़दार को अपने भाई से, जो जाँच के दिन उनसे भेंट करने आए थे, यह कहते सुना कि कुछ नज़रबन्द सन्तरियों पर मसहरी के डण्डों से आक्रमण करना चाहते थे और मैंने उनको ऐसा करने से रोका। कमिटी ने इस बात को भी सच मान लिया, यद्यपि पूछे जाने पर हेमन्तकुमार ने इससे साफ़ झूठ बतलाया। इसी प्रकार के अधूरे प्रमाणों के आधार पर कमिटी ने सिपाहियों के दोष को कुछ अंशों में कम करने की चेष्टा की है और यह दिखलाना चाहा है कि उन्होंने क़सूर तो अवश्य किया, पर इस सम्बन्ध में नज़रबन्दों ने उन्हें उत्तेजित किया था।

दूसरी बात यह कि कमिटी ने कैम्प के यूरोपियन अधिकारी कमाण्डेण्ट बेकर और इन्स्पेक्टर मार्शल को भी बिल्कुल दोष-मुक्त करने की चेष्टा की है। इसमें तो सन्देह नहीं कि घटना के समय ये दोनों कर्मचारी कैम्प में मौजूद न थे और वहाँ की तमाम ज़िम्मेदारी कुछ हवलदारों के ऊपर थी। यद्यपि नज़रबन्दों के वकील श्री० चटर्जी ने अपनी बहस में यह कहा था कि उक्त दोनों अफ़सरों के विरुद्ध कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, जिसके आधार पर उनको इस घटना में भीतरी तौर पर शामिल समझा जाय, पर उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का भार चन्द जाहिल और नीच प्रकृति के व्यक्तियों पर छोड़ दिया और दुर्घटना के पश्चात् सरकार के पास ग़लत रिपोर्ट भेज कर उनको बचाने की चेष्टा की, यही उनका काफ़ी दोष है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ने बहुत कम चर्चा की है और मामले को गोलमोल रक्खा है।

इसमें सन्देह नहीं कि हिजली का गोली-काण्ड ब्रिटिश-शासन के लिए कलङ्क-स्वरूप है। यदि सरकारी रिपोर्ट को ही सच माना जाय तो उससे भी यह साफ़ तौर पर साबित होता है कि जिन लोगों को सरकार ने बिना किसी प्रकार के अभियोग और मुक़दमे के केवल सन्देह पर बन्द कर रक्खा था, जिनके पास अपनी रक्षा का कोई साधन न था, और जिनके कुशल की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार पर थी; उन पर सरकार के नौकरों ने बिना क़सूर के गोलियाँ चलाईं। यदि सरकार अब भी इस कलङ्क से कुछ अंशों में मुक्त होना चाहती है, तो उसे भी सुभाष-बाबू के शब्दों में उचित है कि मरने और घायल होने वालों का पूरा हर्जाना, घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों को न्यायानुकूल उचित दण्ड दे और भविष्य में कभी ऐसी घटना न होने पावे, इसका पक्का इन्तज़ाम करे।

* * *

कॉन्फ़्रेन्स का खेल ख़त्म

विलायत से आने वाले समाचारों से प्रकट हो रहा है कि अब राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के खेल के ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं है और शीघ्र ही सब लोग अपने-अपने घरों को रवाना हो जायँगे। कहने के लिए कॉन्फ़्रेन्स की धूमधाम ख़ूब रही, और उसमें लाखों क्या, करोड़ों रुपया ख़र्च हो गया। पर जब हम उसके फल पर विचार करते हैं, तो कोई सार दिखलाई नहीं पड़ता। वैसे तो इङ्गलैण्ड में महात्मा गाँधी की ख़ूब आवभगत की गई, उनको वहाँ मिलने वाला बड़े से बड़ा सम्मान दिया गया, उनके आराम के लिए सब तरह का सम्भव प्रबन्ध किया गया, पर जब भारत के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न उठा, तो सिवाय चिकनी-चुपड़ी बातों के कुछ हाथ न आया। म० गाँधी ने विलायत में क़दम रखते ही ब्रिटिश अधिकारियों से पूँछा था कि वे स्पष्ट बतला दें कि भारत को क्या राजनीतिक अधिकार देने की उनकी इच्छा है। इसके बाद उन्होंने राउण्ड-टेबिल के अधिवेशनों में अनेक बार और प्रत्येक अधिकारी के सामने, जिससे वे मिले, इसी प्रश्न को दुहराया, पर आज तक उनको कामयाबी नहीं हुई। इस सम्बन्ध में जो कुछ उत्तर अप्रत्यक्ष रीति से उनको मिला है, वह निराशाजनक ही है, और उसके आधार पर भविष्य में किसी सुफल की आशा नहीं की जा सकती।

सच बात तो यह है कि इङ्गलैण्ड के राजनीतिक अधिकारियों को भारत की परिस्थिति के सम्बन्ध में कुछ पता ही नहीं है। म० गाँधी के एक प्रधान साथी के मतानुसार, "जो इङ्गलैण्ड का जितना बड़ा और

महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ है, वह भारत की परिस्थिति के सम्बन्ध में उतना ही अधिक अनभिज्ञ है।" उन लोगों की आकांक्षा केवल इतनी ही है कि भारत किसी प्रकार उनके अधिकार में बना रहे और इङ्गलैण्ड उससे जो लाभ उठाता है, उसमें किसी तरह का अन्तर न पड़े। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनको भारत सरकार और भारत के सिविल-सर्विस के गोरे कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है और ये लोग जो कुछ सलाह दे देते हैं, वही इङ्गलैण्ड के ह्वाइट हॉल में वेद-वाक्य की तरह मान ली जाती है। शायद यही सोच कर उपरोक्त लेखक ने यह सम्मति प्रकट की है कि—"मुझे कोई आश्चर्य न होगा कि यदि भारत सरकार का डिस्पैच ही भावी शासन-विधान का आधार बना दिया जाय। यहाँ की (विलायत की) सरकार केवल समय टाल रही है और अपने ही मामलों में व्यस्त है।"

यद्यपि अभी यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश सरकार भारत के शासन-विधान का रूप क्या रक्खेगी, क्योंकि फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के प्रेज़िडेण्ट लॉर्ड सैङ्की ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, वह बहुत अधूरी है और उसमें कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय आगे के लिए छोड़ दिया गया है। पर उससे इतना प्रकट अवश्य हो जाता है कि सरकार कॉङ्ग्रेस की माँगों को स्वीकार करे। इसकी आशा कोसों दूर है। रिपोर्ट में सार्वजनिक मताधिकार का ज़िक्र भी नहीं किया गया है, जोकि कॉङ्ग्रेस की एक ख़ास माँग थी। इसी तरह सेना-विभाग और अर्थ-व्यवस्था पर भारतीयों के अधिकार के सम्बन्ध में भी निराशापूर्ण उद्गार सुने जा चुके हैं। ऐसी दशा में इसके सिवाय और क्या कहा जा सकता है कि अभी भारत के लिए सुख-शान्ति के दिन दूर हैं और उसे अपनी स्वाधीनता के लिए फिर से कष्ट-सहन और बलिदान के मार्ग पर चलना आवश्यक होगा।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम 'कीपर' का मनोरञ्जक मामला

(८वें पृष्ठ का शेषांश)

चौथा दिन

३ नवम्बर को 'चाँद' के भूतपूर्व सह० सम्पादक श्री० नन्दकिशोर तिवारी और श्री० विश्वम्भरसिंह की गवाही हुई। तिवारी जी ने कहा कि सन् १९२६ से १९३१ तक मैंने 'चाँद' के सम्पादकीय विभाग में थोड़े-थोड़े अर्से के लिए तीन बार काम किया। सम्पादक जो काम बतला देता था, वही मुझे करना होता था, जैसे अनुवाद करना प्रूफ़ पढ़ना, लेख तैयार करना आदि। मेरे दूसरी और तीसरी बार काम करते समय श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव, श्री० भुनेश्वरनाथ मिश्र और श्रीमती लक्ष्मीदेवी क्रमशः प्रेस के कीपर, प्रिण्टर, प्रकाशक और सम्पादक नियत हुए। ये लोग एडीटर की हैसियत से सम्पादकीय विभाग की देख-भाल करते थे और कीपर की हैसियत से प्रेस की। श्री० आर० सहगल मुख्यतया संस्था के आर्थिक प्रबन्ध पर ध्यान रखते थे। जब श्रीमती लक्ष्मीदेवी डि० मैजिस्ट्रेट मि० मुडी के सामने डिक्लेरेशन देने गईं तो मैं ही उनके साथ गया था और उन दोनों की बातचीत मेरे ही सामने हुई थी मि० मुडी के पूछने पर श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने कहा था कि प्रेस के मालिक वे नहीं हैं वरन् उनके भाई श्री० सहगल जी हैं। इस पर भी मि० मुडी ने कहा कि वे डिक्लेरेशन मञ्ज़ूर नहीं कर सकते।

सरकारी वकील श्री० पाण्डेय के जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैं नहीं जानता कि श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र ने डिक्लेरेशन कब दिया था। मुझे कुछ मित्रों की ज़ुबानी और पत्रों द्वारा यह विदित हुआ था कि मि० मुडी ने लक्ष्मीदेवी का डिक्लेरेशन मञ्ज़ूर नहीं किया। लक्ष्मीदेवी प्रायः सम्पादकीय विभाग में आकर पत्रों तथा लेखों आदि को देखा करती थीं और हमको काम बतलाया करती थीं। यह पूछने पर कि श्री० सहगल और लक्ष्मीदेवी कैसे भाई-बहिन हैं, तिवारी जी ने कहा कि वे न एक माँ-बाप की सन्तान हैं, न उनकी जाति एक है, वरन् वे एक दूसरे को भाई-बहिन की तरह समझते हैं।

श्री० विश्वम्भरसिंह, मैजिस्ट्रेट खिलचीपुर स्टेट ने कहा कि सन् १९२९ और १९३० में क़रीब वर्ष भर उन्होंने फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के असि० मैनेजर की हैसियत से काम किया था। जहाँ तक उनको मालूम है, श्री० आर० सहगल कारबार के आर्थिक प्रबन्ध पर ध्यान देते थे और श्री० एन० सहगल अन्य बातों का प्रबन्ध करते थे।

इस बयान के होने के पश्चात् सफ़ाई की गवाही समाप्त हो गई। अब १४ तारीख़ से दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस आरम्भ होगी।

❀ ❀ ❀

'मज़दूरों का दिन'

गत ३१ अक्टूबर को तमाम भारत में 'मज़दूरों का दिन' मनाया गया। आजकल देश भर में जो भयङ्कर आर्थिक हलचल मची हुई है, उसका बुरा प्रभाव सबसे अधिक मज़दूरों पर ही पड़ रहा है। अगर नौकरों को घटाने का सवाल आता है तो वे ही नौकरी से निकाले जाते हैं; और यदि ख़र्च कम करने की ज़रूरत होती है तो उन्हीं की तनख़्वाह घटाई जाती है। यों दिखलाने के लिए कुछ बड़े लोग भी नौकरी से हटाए जाते हैं और वायसरॉय तथा गवर्नरों तक ने अपनी तनख़्वाह घटा दी है, पर इन दोनों दशाओं में ज़मीन-आसमान का भेद है। बड़े लोगों की तनख़्वाह घटने से हद से हद उनके सैर-तमाशे में कुछ कमी पड़ सकती है, पर मज़दूरों की तनख़्वाह कम होने से उनके आधे पेट खाने वाले बच्चों के मुँह से एक टुकड़ा और छीन लिया जाता है। 'मज़दूरों का दिन' इसी विकट परिस्थिति की तरफ़ मज़दूरों और उनके हितैषियों का ध्यान आकर्षित करता है। यह सच है कि अभी भारतीय मज़दूरों का सङ्गठन बहुत नया और कमज़ोर है, और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी आवाज़ पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। पर इसमें भी सन्देह नहीं कि वे समाज के एक परमावश्यक अङ्ग हैं और उनके बिना देश का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। इसलिए आवश्यकता यही है कि वे अपने सङ्गठन को जहाँ तक हो सके शीघ्र दृढ़ करें और अपनी माँगों की पूर्ति के लिए सब तरह का स्वार्थ-त्याग करने को तैयार हो जायँ। ऐसा होने पर उनके ज़बर्दस्त विरोधियों को भी उनके सामने सर झुकाना होगा।

❀ ❀ ❀

विलायत के पत्रों में भारत की ख़बरें

हाल में 'कॉमन वेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग' की तरफ़ से म० गाँधी के सम्मानार्थ एक सभा की गई थी। उसमें एक प्रस्ताव इस आशय का उपस्थित किया गया कि—"इङ्गलैण्ड के अख़बारों के तमाम सञ्चालक, सम्पादक और सम्वाददाता भारत के सम्बन्ध में पूर्ण और पक्षपात-रहित ख़बरें देने के महत्व को समझें। उनको यह भी समझ लेना चाहिए कि सचाई का छिपाना इङ्गलैण्ड और भारत दोनों देशों की जनता को बड़ी हानि पहुँचाना है।" इस प्रस्ताव का विरोध कितने ही समाचार-पत्र वालों ने किया और कहा कि वे जहाँ तक बन पड़ता है, भारत की ख़बरें अधिक से अधिक और सचाई के साथ प्रकाशित करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अख़बार वालों के इस कथन में सत्य का अंश बहुत कम था। जहाँ तक हम जानते हैं, एकाध पत्र को छोड़ कर तमाम विलायती अख़बार इस सम्बन्ध में पक्षपात से काम लेते हैं। जिन ख़बरों से भारत की बदनामी हो अथवा अङ्गरेज़ी सरकार का समर्थन हो, उन्हें तो वे बड़े-बड़े सनसनीदार और रोचक हेडिङ्ग देकर निकालते हैं, और जिनसे भारतवासियों पर होने वाले अन्याय-अत्याचारों का रहस्य प्रकट होता है, उनको प्रायः हज़म ही कर जाते हैं। इसलिए जब महात्मा गाँधी ने कहा कि—"अच्छा, यदि आप लोग ऐसे ही सच्चे हैं, तो मैं हिजली और चटगाँव की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण लिख कर आपको देता हूँ, आप उसे प्रकाशित कीजिए। इसके बाद मैं भारत से नियमित रूप से ख़बरें मँगा कर बिना दाम के अख़बार वालों को दूँगा", तो वे सब चक्कर में पड़ गए। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर महात्मा जी अवश्य ही विलायती अख़बारों की परीक्षा करें और संसार को दिखला दें कि वे कहाँ तक सम्पादकीय धर्म का पालन करते हैं।

❀ ❀ ❀

देशी रियासतों के प्रतिनिधि

लन्दन की राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में यह प्रश्न उपस्थित होने पर कि, भारत की भावी व्यवस्थापिका सभाओं के लिए देशी रियासतों के प्रतिनिधि किस तरह चुने जायँ, हैदराबाद के प्रतिनिधि सर अकबर हैदरी ने एक बड़ी अजीब बात कह डाली है, जिसे सुन कर कोई भी समझदार व्यक्ति हँसे बिना नहीं रह सकता। आपकी सम्मति थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस मत के समर्थन में आपने यह दलील दी है कि—"जिस प्रकार कॉङ्ग्रेस का दावा है कि वह भारत की करोड़ों 'गूँगी-जनता' की प्रतिनिधि है, उसी प्रकार देशी नरेश भी अपने यहाँ की 'गूँगी-जनता' के प्रतिनिधि हैं।" सर हैदरी के इस साहस की जितनी तारीफ़ की जाय, कम है। उन्होंने गोलमेज़ परिषद के तमाम अङ्गरेज़ और भारतीय प्रतिनिधियों के मुँह पर बिना सङ्कोच के एक ऐसी बात कह डाली, जिसकी यदि जाँच की जाय तो उसमें राई भर भी सचाई न निकले। हैदराबाद को मिसाल ही लीजिए। वहाँ की जन-संख्या में ८० प्रति सैकड़ा से अधिक हिन्दू हैं। पर उनको शिकायत है कि उनकी संख्या को देखते हुए उनको शासन के अधिकार और सरकारी नौकरियाँ नाम-मात्र को दी गई हैं। उस रियासत में न म्युनिसिपैलिटियाँ आदि हैं, न किसी प्रकार की व्यवस्थापिका सभा है, जिनके द्वारा जनता अपना मत किसी भी अंश में प्रकट कर सके। राजपूताने और सेण्ट्रल इण्डिया की छोटी और कितनी ही बड़ी रियासतों में भी प्रजा को अपनी जायदाद की तरह समझा जाता है और उसके साथ पशुओं के समान बर्ताव होता है। कितने ही छोटे मुकामों में तो लोग अपने धन को छिपा कर रखते हैं, चूँकि यदि किसी का धनवान होना प्रकट हो जाय तो उस पर राजा साहब या जागीरदार की शनि-दृष्टि पड़ना बहुत सम्भव होता है। बोलने, लिखने और विचारों की स्वाधीनता की तो बात ही क्या? ऐसे लोगों से ग़रीब जनता के प्रतिनिधित्व की आशा करना वैसा ही है, जैसा भेड़िए को भेड़ का प्रतिनिधि बना देना।

❀ ❀ ❀



माँ और मातृभूमि

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

(गताङ्क से आगे)

९

अकेली कोठरी में विमल को रक्खा गया। किसी क़ैदी को उससे मिलने या बातचीत करने की आज्ञा न थी, न उसे कोई पुस्तक ही दी गई थी। उस कोठरी का साथी विमल था, और विमल का साथ देने वाली वह कोठरी थी। एक ओर पृथ्वी पर विमल ने अपना फट्टा बिछा लिया और कम्बल सिरहाने रख लिया। दूसरी ओर तसला और कटोरी रख लिए। यही उसकी गृहस्थी थी।

जोश उतर गया था। विजय का उत्साह ठण्डा पड़ गया था। 'जय-जय' का नाद, देश पर बलिदान होने की बातें, फाँसी पर चढ़ जाने की भावनाएँ—अभी तक सब कल्पना के गर्भ का विषय थीं। उनसे और वास्तविकता से अभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। परन्तु अब? जेल की एक कोठरी में, जहाँ बातें करने को कोई व्यक्ति नहीं था, पढ़ने को कोई काग़ज़ का टुकड़ा भी नहीं था, करने को कोई काम भी न था, विमल को इन सब प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिला। उसके मस्तिष्क में भीतर के और बाहर के सारे दृश्य नाचने लगे। वह जेल के उस जीवन पर विचार करने लगा। कैसा भयानक जीवन था वह! क्या वह उसे पूर्ण कर सकेगा? इस विचार के आते ही वह घबराने लगा। कहीं वह शिथिलता न दिखा दे—कायर की भाँति रणाङ्गण से पीठ फेर कर भाग न दे। उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी काँपने लगी।

वह धीरे-धीरे उठ कर उसी कोठरी में इधर से उधर और उधर से इधर घूमने लगा। परन्तु कुछ ही देर में ऊब कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। परन्तु वह शरीर की उद्विग्नता न थी, वह थी मन की उद्विग्नता। बैठने से मन तो शान्त नहीं हो सकता था। बैठने से भी बेचैनी उतनी ही रही—न बैठे चैन, न घूमते चैन, न लेटे चैन। इस प्रकार बड़ी कठिनता से उसने कुछ घण्टे व्यतीत किए। खाने का समय हो गया था। उसके द्वार का ताला खोला गया। जमादार के साथ दो क़ैदी उसके लिए खाना लाए। एक के हाथ में एक काली बाल्टी थी, जिसमें दाल थी। दूसरे के हाथ में रोटियाँ थीं। दाल भी काली थी और रोटियाँ भी काली थीं। विमल ने अपनी कटोरी में दाल ले ली और हाथ में रोटियाँ। तसले में पानी भरा हुआ था। जेल की ओर से यह पहला भोजन था। विमल ने उस भोजन की ओर देखा—जी काँप गया। रोटी का एक ग्रास मुख में दिया, दाँतों के नीचे ही वह ग्रास रह गया। रोटी में मिट्टी मिली हुई थी, जिसे दाँत सरलता से पहचान गए थे। उसने दाल को देखा। वही हाल, जो दलिया का था। काला-काला पानी था, दाल के दाने का तो नाम भी नहीं था। विमल ने उस दाल को पृथ्वी पर फेंक दिया। कुछ देर में पृथ्वी पर केवल एक काली रेखा बन गई। कोई नहीं कह सकता था कि वह दाल का चिन्ह था। यह भोजन, दो बार प्रतिदिन, बारह महीनों तक! क़ैदियों का जीवन कुत्ते के जीवन से भी बुरा था। एक कुत्ता भी उस दाल को न सूँघता। और वही दाल मानव-हृदय के टुकड़ों को खाने को दी जा रही थी। वे रोटियाँ, जिन्हें पशु भी खा न सकेगा, क़ैदियों के भाग में पड़ी थीं। भारतीय क़ैदियों और पशुओं में इतना बड़ा अन्तर! क़ैदी इतने निकृष्ट, इतने असहाय! विमल ने थोड़ा नमक रोटियों के साथ खाने को माँगा, परन्तु वह उसे नहीं मिला। विमल ने उस समय रोटी नहीं खाई।

सन्ध्या हुई। विमल यह देखना चाहता था कि सन्ध्या का भोजन कैसा होगा? भोजन उसने देखा। वही बात थी। रोटियाँ वैसी ही। दाल के स्थान पर काली कढ़िया थी। यही कढ़िया जेल की बड़ी प्रिय तरकारी होती है। आलू या बैंगन तो छठे-छमाहे किसी त्योहार के अवसर पर ही देखने को मिलते हैं; नहीं तो प्रतिदिन सन्ध्या को कढ़िया, कढ़िया और कढ़िया। यह तरकारी एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो इतनी बेशर्म होती है कि जेल के बाग़ में पूरे वर्ष उगती रहती है। क़ैदी उसी को काट कर और गँड़ासे से टुकड़े-टुकड़े करके ले आते हैं। कभी उसमें नीम के पत्ते, कभी काँटे और बहुधा मिट्टी तथा पत्थर के टुकड़े भी चले आते हैं। यह कटी हुई घास धोई नहीं जाती, वैसे ही पानी के साथ एक लोहे के बड़े हण्डे में उबलने को रख दी जाती है और कुछ देर के बाद उसमें नमक और तेल मिला दिए जाते हैं। यही काली कुत्सित कढ़िया क़ैदियों के मत्थे मढ़ी जाती है। विमल ने उसे भी देखा। यदि पशुओं को पका कर भोजन दिया जाता, तो वे भी इस प्रकार की कढ़िया न खाते। परन्तु क़ैदियों के भी हृदय और आत्मा होते हैं, इसका विचार तो जेल के अधिकारियों को होता ही नहीं। विमल ने बड़ी कठिनता से सूखी रोटी के कुछ टुकड़े पानी के साथ गले से नीचे उतारे। रात भी उसे नींद नहीं आई। कुछ देर तो वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और कुछ देर कोठरी में घड़ी के पेण्डुलम की भाँति चक्कर लगाता रहा। कड़ी गर्मी पड़ रही थी। वायु का प्रवेश उस कोठरी में नहीं हो सकता था। मच्छरों के मारे जान आफ़त में थी। उस समय विमल का दृढ़ हृदय भी एक बार विचलित हो गया।

१०

प्रातःकाल हुआ, बड़ी प्रतीक्षा के बाद। विमल को प्रातःकाल की कभी इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी। वास्तव में, उसे पहले कभी यह जानने की आवश्यकता ही न पड़ी थी कि प्रातःकाल कब आता है और रात्रि का अवसान कब हो जाता है।

शौचादि से निवृत्त होकर विमल ने देखा कि उसकी कोठरी के कम्पाउण्ड में अनेकों क़ैदी बैठे हैं। जमादार और नायब जेलर उन सबको काम दे रहे थे। जमादार ने जब क़ैदियों को गिना तो उनमें एक की कमी थी।

'किधर है नम्बर २१?'—जमादार चिल्लाया।

सब क़ैदी चुप रहे। नायब जेलर का दिमाग़ गर्म हो गया।

'कैसे चुप बैठे हैं, ये .....! मारो सबको जूते।'—उसने जमादार की ओर देख कर कहा। जमादार ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे पास बैठे हुए कई क़ैदियों को चपतें लगा दीं, मानो वे मनुष्य नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ थे। इतने ही में नम्बर २१ उधर आ गया। वह धीरे-धीरे आ रहा था, लँगड़ाता हुआ, कराहता हुआ। उसकी आकृति देखने पर विदित होता था कि वह रुग्ण था। वह पास भी नहीं आया था कि जमादार ने उसे कई गालियाँ सुना दीं।

'कहाँ था बे उल्लू के पट्ठे, अब तक?'—नायब जेलर गर्म होकर नं० २१ से बोले।

'हुज़ूर, रात से तबियत ख़राब हो गई है।'—क़ैदी विनम्र होकर बोला।

'तबियत ख़राब हो गई है? हम तेरे बाबा के नौकर हैं कि इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे? इतनी ही नवाबी थी तो जेल ही में क्यों आया था?'

'हुज़ूर, आप मालिक हैं, मुदा तबियत ख़राब होने से ....।'

'लगे......में। बकता ही जाता है, चुप होकर सुना भी नहीं जाता!'—नायब साहब ने हुक्म दे दिया।

जमादार ने नं० २१ को एक धक्का दिया, जिससे वह 'हा' करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जमादार ने अपना डण्डा निकाला और क़ैदी के तलवों पर ताड़-ताड़ लगाने लगा। क़ैदी ने पहले 'हाय-हाय' की, फिर वह चीत्कार करके रोने लगा। अन्त में वह 'दुहाई नायब साहब की, दुहाई सरकार की'—कह कर चिल्लाने लगा। नायब की बर्बरता अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देख रहा था, उसी प्रकार, जैसे एक शिकारी एक असहाय आहत पक्षी को तड़पते हुए देख कर हर्षित होता है। या तो वह नायब हृदय लेकर ही पैदा नहीं हुआ था या फिर उसका हृदय जेल के जीवन से मर चुका था। वह क़ैदी की 'हाय-हाय' और 'दुहाई' को सुन कर और भी उत्तेजित हो गया, मानो बदले की भावना उसके हृदय में जाग्रत हो गई हो। वह धीरे-धीरे अपनी कुर्सी से उठा और जमादार के राक्षसी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए उसके निकट पहुँच गया। क़ैदी अब भी दुहाई देकर चिल्ला रहा था। नायब ने उसके निकट पहुँच कर जूते से एक गहरी ठोकर उसके शिर पर लगाई। क़ैदी ने कुछ कहा नहीं। वह शिथिल होने लगा, उसके नेत्र अधखुले थे और वे नायब की ओर देख रहे थे। पता नहीं कि उनमें नायब के प्रति कैसे भाव थे—वह उन्हें शाप दे रहा था या उनके प्रति दया दिखा रहा था।

उसकी यह दशा देख कर नायब चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। जमादार ने क़ैदी के पैर छोड़ दिए और उसे पीटना बन्द कर दिया।

'मर न जाय कहीं, हुज़ूर!'—जमादार बोला।

'बहाना कर रहा है। यहाँ तो सैकड़ों ऐसे मामले देखे हैं।'—नायब साहब ने उपेक्षा से उत्तर दिया।

परन्तु क़ैदी बहाना नहीं कर रहा था। उसको ज़ोर से खाँसी आई और उसीके साथ उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी। नायब साहब ने उसे अच्छा होने के लिए—या मरने के लिए—अस्पताल भिजवा दिया। परन्तु जब दूसरों का नम्बर आया तो वे ही

कृत्य फिर किए जाने लगे। वह तो एक वधशाला थी, एक-दो के मरने की वहाँ किसे चिन्ता !

११

विमल ने यह सारा नाटक देखा। अमानुषिकता, शैतानियत और अत्याचारों का इतना वीभत्समय तथा रोमाञ्चकारी दृश्य उसने अभी तक कहीं नहीं देखा था। उसका सारा शरीर काँप उठा। रात भर सोया नहीं था, भोजन ठीक से मिला नहीं था, एक-एक सेकण्ड व्यतीत करना कठिन हो रहा था। तिस पर भी वह दृश्य देखना पड़ा। यह जेल था या जीवित-मृत्यु ! क्या यह वही जेल था, जिसके विषय में उसने इतना सुन रक्खा था। यहाँ १॥) रोज़ का भोजन क्या, सूखी दाल-रोटी भी भली-भाँति नहीं मिलती थी। मशायरे, कवि-सम्मेलन आदि क्या, किसी से एक बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था ! क्या तीन सौ पैंसठ दिन उसे इसी प्रकार व्यतीत करने पड़ेंगे। इन सब विचारों में ही उसके सामने माता की सौम्य मूर्ति आ गई, साथ ही याद आ गए माता के अन्तिम शब्द। कहीं ऐसा न हो कि वह इन विपत्तियों से घबरा कर माफ़ी माँग ले। उसे अपने पर ही अविश्वास होने लगा, अपने से ही वह डरने लगा। बड़ी कठिनता से उसने वह दिन बिताया।

दूसरे दिन रविवार था। उसे आशा थी कि माँ और शारदा उससे मिलने आएँगी। मुलाक़ात का समय हुआ। वह जेलर के कमरे में बुलाया गया। एक कोने में शारदा खड़ी थी। विमल ने शारदा को देखा। शारदा ने विमल को देखा।

'भैया !'

'शारदा !'

कुछ देर वे दोनों चुप रहे। शारदा के नेत्रों से इतने ही में आँसू बहने लगे।

'यह क्यों, शारदा ?'

शारदा चुप रही।

'माँ क्यों नहीं आईं ?'

'माँ आ नहीं सकीं।'

'माँ आ नहीं सकीं ? यह कैसे हो सकता है शारदा ? मैं तो इस दिन की प्रतीक्षा बड़ी लगन से कर रहा था। माँ को देखने की बड़ी लालसा थी। न जाने फिर कब दूसरी मुलाक़ात हो। ओह, माँ को बिना देखे...... वे क्यों नहीं आ सकीं शारदा ?'

'काम लग गया।'

'सत्य को छिपा रही हो, बहिन ! अपने विमल को देखने से बढ़ कर उनके लिए कोई काम नहीं हो सकता था। बोलो बात क्या है ? क्या वह बीमार हैं ?'

'नहीं।'

'नहीं ? सच कहती हो ? मेरे शिर की...'

'क़सम न खाओ, भैया, माँ अस्वस्थ हैं।'

'अधिक ?'

'हाँ।'

विमल कुछ देर चुप रहा। फिर उसके नेत्रों से भी आँसू बहने लगे।

'यह क्या, भैया ?'

'माँ की याद, शारदा !'

'माँ तो अच्छी हो जाएँगी।'

'मेरा हृदय उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है।'

'अधीर न होओ भैया ! दृढ़ता से काम लो। माँ ने तुम्हारे लिए यही सन्देशा भेजा है कि तुम वीरता-पूर्वक इस वर्ष को व्यतीत करना। उन्हें भूल जाओ, भैया ! इस समय तुम्हारे सामने अन्य आवश्यक प्रश्न हैं—अपना सिद्धान्त, अपना नाम, पिता का नाम। इन सबकी रक्षा करनी है।'

'कैसे भूल जाऊँ बहिन ! जितना ही माँ को भूलने की चेष्टा करता हूँ, उतना ही हृदय उनके पास पहुँचने को व्याकुल हो जाता है। तुम जानती हो सब से बढ़ कर मेरे लिए संसार में माँ हैं !'

'और मातृभूमि ?'

'मातृभूमि के लिए तो अनेकों सन्तानें हैं, परन्तु माँ की देख-भाल के लिए तो मैं अकेला ही हूँ। इस समय मुझे माँ की रोग-शय्या के पास होना चाहिए था।'

'साहस न खोओ, भैया ! इन विचारों को अपने मन से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हें शिथिल बना देंगे। ये पहले दिन तुम्हारे सामने बहुत कठिन होंगे, इन्हें किसी प्रकार बिताने का उद्योग करना। फिर तो यह जीवन तुम्हारा हो जायगा, और तुम इसके।'

'समझता हूँ, शारदा !'

'दृढ़ता से काम लोगे ?'

'उद्योग करूँगा।'

'ईश्वर और माँ का आशीर्वाद तुम्हें बल देगा। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूँगी कि मैं अपने भैया को वर्ष भर बाद सकुशल वापस पा लूँ।'

'जाओ शारदा, माँ को न छोड़ना।'

'माँ की तुम चिन्ता न करो, भैया ! मैं माँ के साथ हूँ।'

समय हो गया था। जेलर ने इशारा किया। विमल ने शारदा का हाथ थपथपाया। शारदा के नेत्रों से दो आँसू निकल आए।

'तुम ऐसा न करो, शारदा।'

'रोक न सकी, भैया ! इस वर्ष की राखी तुम्हारे हाथ में न बाँध सकूँगी।'

'जाओ।'—कह कर विमल ने उसका हाथ छोड़ दिया। जमादार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विमल उसके साथ भीतर की ओर चला गया। शारदा आँसू पोंछती हुई बाहर चली गई। बाहर आकर वह आँखें फाड़-फाड़ कर जेल की उस चहारदीवारी की ओर देख रही थी, जिसके भीतर विमल बन्द था। उस छोटी सी दीवार के भीतर एक अद्भुत संसार बन्द था।

❀ ❀ ❀

अपनी कोठरी में वह आया तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। पहले कुछ दिनों बेचैनी और उद्विग्नता का प्रत्येक नए क़ैदी में होना स्वाभाविक है, चाहे वह क़ैदी उसे बाह्य जगत पर प्रकट ही न करे। परन्तु ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं, त्यों-त्यों वह उद्विग्नता कम होती चली जाती है और एक दिन आता है, जब कि जेल का जीवन बिल्कुल ही नहीं अखरता। परिस्थितियों के परिवर्तन पर ऐसे भावों का होना स्वाभाविक है। हाँ, बात यह है कि कुछ व्यक्ति तो उन प्रारम्भ के दिनों को खींच ले जाते हैं और वे ही बाह्य जगत के वीर-योद्धा और सफल सैनिक समझे जाते हैं। और कुछ व्यक्ति उन दिनों में ही घबरा कर फिसल पड़ते हैं और वे ही संसार में कायर, देशद्रोही आदि नामों से पुकारे जाते हैं।

उन दिनों को खींच ले जाना विमल के लिए असम्भव नहीं था। कुछ नैतिक बल सञ्चय करके वह उन्हें व्यतीत कर सकता था, परन्तु माँ की बीमारी के समाचार ने उसके मन में एक विप्लव उत्पन्न कर दिया। जब से वह शारदा से विलग होकर आया था, उसके नेत्रों के आगे माँ की मूर्ति ही नाच रही थी। वे सारे दृश्य माँ की मृत्यु-शय्या के थे। उसके हृदय में ऐसा विश्वास सा पैदा हो गया था कि माँ बचेंगी नहीं। क्या वह माँ को एक बार देख भी न सकेगा। क्या अन्तिम बार वह उनके चरणों का स्पर्श न कर सकेगा। उसकी आत्मा छटपटाने लगी। क्या वह बाहर आ सकेगा ? यदि बाहर गया तो संसार क्या कहेगा ? परन्तु संसार की उसे क्या परवाह ? संसार उसकी माँ को मृत्यु से न बचा लेगा, फिर वह संसार की परवाह करे क्यों ? जिस प्रकार भी हो सकेगा, वह माँ के पास पहुँचेगा। उस दिन उसने भोजन नहीं किया था। सारे दिन कोठरी में इधर से उधर घूमता रहा और उसी प्रश्न पर विचार करता रहा। अन्त में उसने अपना निश्चय बना लिया। वह जेलर के सामने खड़ा था।

'तुम्हारे छूटने का केवल एक ही उपाय है।'

'क्या ?'

'तुम्हें यह लिखना पड़ेगा कि तुम भविष्य में राष्ट्रीय कार्यों में भाग न लोगे।'

'और कोई उपाय नहीं है कि मैं एक दिन के लिए ही बाहर आ सकूँ ?'

'कोई नहीं।'

विमल कुछ देर तक विचार करता रहा।

'लिखोगे ?'

विमल ने फिर भी कुछ न कहा।

'लिखोगे ?'—जेलर ने फिर पूछा।

विमल क्या उत्तर दे, उसके सामने यह एक समस्या थी। क्या वह 'हाँ' कह कर छुटकारा प्राप्त कर ले और अपनी माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हो जाय ? अथवा वह 'नहीं' कह कर फिर उसी कोठरी में फिंक जाने को तैयार हो जाय ?

'बोलो'—जेलर ने कहा।

'बहुत कठिन है।'

'कठिन क्या है ?'

'हाँ कहना।'

'तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।'

'मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब समझता हूँ। इसीलिए मेरी आत्मा मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती।'

'तुम आत्मा की बात करते हो ? जेल में सड़ने से तुम्हारी आत्मा को क्या उच्चता प्राप्त हो जायगी ? तुम कष्ट सहकर भी वहीं रहोगे, नाम तो उन थोड़े से व्यक्तियों का होगा, जो नेता कहाते हैं।'

'मुझे नाम की परवाह नहीं।'

'नाम की परवाह नहीं ? फिर किस बात की परवाह थी ?'

'देश-सेवा की।'

'देश-सेवा के लिए कष्टों को सह रहे थे ?'

'हाँ।'

'जेल के कष्ट भी सह सकोगे ?'

'मुझे इन कष्टों से अधिक दुःख नहीं होता। अभी मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। आगे चल कर इनसे अधिक भयानक कष्टों को सहन करने की भी क्षमता मुझमें हो जायगी। मैंने इनसे अधिक कष्ट पहले ही देखे हैं। ये मेरे लिए नए नहीं हैं।'

'फिर छुटकारा किसलिए चाहते हो ?'

'अपनी एक शिथिलता के कारण।'

'वह क्या ?'

'मातृप्रेम।'

'माता को इतना प्यार करते हो ?'

'हाँ, संसार में सब से बढ़ कर। वह मृत्यु-शय्या पर पड़ी है। उसके अन्तिम दर्शनों की लालसा है। यदि बिना देशद्रोही बने यह हो सकता।'

'अपनी शिथिलता का मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा।'

'इसका मूल्य देश के साथ विश्वासघात ?'

'या फिर मातृवियोग और जेल की यातनाएँ।'

'दोनों ही कठिन हैं।'

'एक दूसरे से कुछ सरल अवश्य होगा, सोच लो।'

(शेष मैटर १९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च-स्कॉलर]

(शेषांश)

स्वीज़रलैण्ड का शासन-विधान

स्वीज़रलैण्ड में एक फ़ेडरेल अदालत होती है, जिसे बन्डेसगरिच्ट (Bundesgericht) कहते हैं। इस अदालत में २४ न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश दोनों धारा-सभाओं की संयुक्त बैठक द्वारा चुने जाते हैं और उनका कार्य-काल ६ वर्ष का होता है। परन्तु कार्य-काल समाप्त होने पर भी बहुधा पुराने न्यायाधीश ही पुनः चुन लिए जाते हैं और इस तरह वे जब तक चाहते हैं, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। माली मुक़द्दमे के लिए अदालत का कार्य तीन विभागों में बँटा होता है। कुछ मामलों की प्रथम सुनवाई इसी अदालत में होती है। अन्यथा यह प्रान्तिक अदालतों के निर्णय की अपील सुनती है। प्रजातन्त्र तथा फ़ेडरेल क़ानूनों से सम्बन्ध रखने वाले अभियोगों को भी यही अदालत सुनती है। विशेष प्रान्तीय सरकारें फ़ौजदारी के अभियोगों को भी इस अदालत में भेज सकती हैं। फ़ौजदारी के मामलों की सुनवाई के लिए अदालत के चार विभाग हो जाते हैं।

यदि कोई प्रान्तीय क़ानून फ़ेडरेल विधान या फ़ेडरेल क़ानून के विपरीत हो तो फ़ेडरेल अदालत उस प्रान्तीय क़ानून को रद्द कर सकती है। पर किसी फ़ेडरेल क़ानून पर इस अदालत का कोई अधिकार नहीं रहता और न यह उस क़ानून को रद्द कर सकती है। स्वीज़रलैण्ड के विधान में स्पष्ट कहा गया है कि पार्लामेण्ट द्वारा बनाए हुए तमाम क़ानूनों को कार्यान्वित करना फ़ेडरेल अदालत का ही कार्य है।

शासन करने वाले क़ानूनों की (Administrative Law) योजना तो स्वीज़रलैण्ड में है, परन्तु शासन करने वाली अदालतें वहाँ नहीं होतीं। जब फ़ेडरेल सरकार और नागरिकों में कोई मतभेद विद्यमान होता है—जिसमें शासन सम्बन्धी क़ानून का प्रश्न भी सम्मिलित रहता है, तो वह मतभेद किसी अदालत के सम्मुख न लाया जाकर सर्व-प्रथम फ़ेडरेल कौन्सिल या मन्त्रि-मण्डल के सामने लाया जाता है। यदि मन्त्रिमण्डल का निर्णय मान्य नहीं होता तो दोनों धारा-सभाओं की संयुक्त सभा अपील सुनती है।

पाठक सोचते होंगे कि स्वीज़रलैण्ड में, जहाँ भिन्न-भिन्न जाति के लोग रहते हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी बसते हैं, तथा जहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, अवश्य ही अगणित 'पार्टियाँ' होती होंगी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र में दलबन्दियों के लिए इतना मसाला न मिलेगा, जितना स्वीज़रलैण्ड में है। परन्तु पाठक सम्भवतः आश्चर्य करेंगे कि पड़ोसी राष्ट्रों की अपेक्षा स्वीज़रलैण्ड में बहुत कम 'पार्टियाँ' हैं। अर्थात् वहाँ केवल चार ही महत्वपूर्ण पार्टियाँ हैं। आजकल 'इनीशियेटिव' (Initiative) तथा 'रिफ़रण्डम' (Referendum) लोकतन्त्रवाद के दो अमोघ शस्त्र हैं। इन्हीं के बल पर जनता अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कराती है। 'इनीशियेटिव' वह योजना है, जिसके द्वारा मताधिकारों की निश्चित संख्या किसी क़ानून को तैयार कर यह तक़ाज़ा करती है कि या तो धारा-सभा उस क़ानून का निर्माण करे या उस क़ानून को स्वीकृति के लिए जनता के सामने रक्खे। तत्पश्चात् यदि जनता उस क़ानून को निश्चित बहुमत से स्वीकार कर लेती है, तो वह क़ानून बन जाता है। 'रिफ़रण्डम' वह योजना है, जिसके द्वारा धारा-सभा द्वारा बनाया हुआ कोई क़ानून उस समय तक लागू होने से रुका रहता है, जब तक कि वह मताधिकारियों के सामने न रख दिया जाय तथा वे उसे स्वीकार न कर लें। उपर्युक्त दोनों योजनाएँ एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। प्रथम योजना का लक्ष्य है, जनता-द्वारा इच्छित क़ानून को बनाना, जिसको बनाना धारा-सभा भूल गई है या जिसको वह नहीं बनाना चाहती। दूसरी योजना का लक्ष्य है धारा-सभा द्वारा बनाए गए उस क़ानून को लागू होने से रोके रहना, जिसे जनता पसन्द नहीं करती। इन दोनों अत्यन्त उपयोगी योजनाओं का पुश्तैनी घर स्वीज़रलैण्ड ही है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्वीज़रलैण्ड के अधिक प्रान्तों में 'रिफ़रन्डम' का प्रयोग बराबर होता था। सन् १८७४ में एक संशोधन द्वारा इसका प्रयोग फ़ेडरेल क़ानूनों में लागू कर दिया गया। तीस सहस्र मताधिकारी धारा-सभा से प्रार्थना कर सकते थे कि वह किसी क़ानून को लागू न करे, जब तक कि जनता उसे स्वीकार न कर ले। 'इनीशियेटिव' का प्रयोग भी प्रान्तीय सरकारों में लागू कर दिया गया और फ़ेडरेल विधान में संशोधन के लिए उसका प्रयोग होने लगा। दोनों योजनाओं का प्रयोग स्वीज़रलैण्ड में निम्नलिखित ढङ्ग से होता है—'इनीशियेटिव' का प्रयोग (१) जेनेवा को छोड़ कर शेष प्रान्तों में प्रान्तीय विधान को दोहराने तथा सुधारने के लिए होता है; (२) लुसर्ने, वलेस, और फ़्रिबर्ग को छोड़ कर शेष प्रान्तों में नवीन क़ानून बनाने के लिए, और (३) कनफ़ेडरेशन में विधान में संशोधन करने के लिए, परन्तु क़ानून बनाने के लिए नहीं। 'रिफ़रण्डम' का प्रयोग—(१) तमाम प्रान्तों के प्रान्तीय विधानों में संशोधन करने के लिए, (२) फ़्रिबर्ग को छोड़ कर शेष अन्य प्रान्तों में मामूली क़ानूनों की स्वीकृति के लिए (३) कनफ़ेडरेशन में धारा-सभा द्वारा प्रस्तावित वैध संशोधनों की स्वीकृति के लिए, और (४) कनफ़ेडरेशन में प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रस्तावित मामूली क़ानूनों के निमित्त होता है। कुछ प्रान्तों में तो प्रत्येक क़ानून पर जनता की राय अवश्यमेव ली जाती है और कुछ प्रान्तों में एकदम नहीं ली जाती, जब तक कि मताधिकारियों की निश्चित संख्या उसके लिए प्रार्थना न करे।

पाठकों को समझ लेना चाहिए कि वहाँ के प्रान्तों में 'इनीशियेटिव' का प्रयोग कैसे होता है। कुछ लोग या कोई संस्था क़ानून तैयार करती है। यदि प्रान्तीय कौन्सिल उपर्युक्त क़ानून को पसन्द नहीं करती, तो एक प्रार्थना-पत्र तैयार कर जनता में घुमाया जाता है और हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तत्पश्चात् प्रार्थना-पत्र प्रान्तीय अधिकारियों के पास भेजा जाता है। प्रस्तावित क़ानून की छपी हुई कॉपियाँ जनता में बाँट दी जाती हैं। इसके बाद जनता की राय ली जाती है।

जहाँ तक 'रिफ़रन्डम' का सम्बन्ध है, कोई क़ानून पास होते ही लागू नहीं होता, उस पर जनता की राय ली जाती है और जब जनता उपर्युक्त क़ानून को स्वीकार कर लेती है, तभी वह लागू होता है। कुछ प्रान्तों में जनता के प्रार्थना करने पर ऐसा किया जाता है। शेष प्रान्तों में स्वयं ऐसा होता है, जनता को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती।

प्रान्तों में उपर्युक्त दोनों योजनाओं का प्रयोग काफ़ी होता है। पर फ़ेडरेल क़ानून के सम्बन्ध में उनका प्रयोग कम ही होता है। पिछले पचास वर्षों में विधान में केवल १९ संशोधन 'इनीशियेटिव' द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से केवल तीन संशोधनों को जनता ने स्वीकार किया। इन्हीं पचास वर्षों में 'रिफ़रन्डम' का प्रयोग लगभग ४० फ़ेडरेल क़ानूनों के सम्बन्ध में किया गया। इनमें भी आधे से अधिक जनता ने रद्द कर दिए।

उपर्युक्त दोनों योजनाओं की उपयोगिता के सम्बन्ध में लोगों में मतभेद है। विरोधी दल का कहना है कि इनसे धारा-सभाओं का उत्तरदायित्व कमज़ोर पड़ता है; धारा-सभाओं की शान में बट्टा लगता है; व्यर्थ का व्यय बढ़ता है तथा पुनः पुनः वोट देने से ऊब कर जनता पूर्णतया उदासीन हो जाती है और बहुत ही कम दिलचस्पी लेती है। पर उपर्युक्त दोनों योजनाओं के बल पर ही जनता अपनी इच्छा को कार्यान्वित करा सकती है।

स्वीज़रलैण्ड के प्रत्येक प्रान्त का अपना निजी विधान होता है और अपने ढङ्ग की सरकार होती है। कुछ प्रान्तों में तमाम जनता शासन करती है। ऐसे प्रान्तों में प्रत्येक वर्ष बालिग़ पुरुष नागरिकों की एक सभा होती है। इसी सभा में आवश्यकीय समस्याएँ हल की जाती हैं। यह सभा पाँच सदस्यों की कौन्सिल चुनती है और यह कौन्सिल वर्ष भर तक काम करती है। पर ऐसा केवल कुछ ही प्रान्तों में होता है। अधिकतर प्रान्तों में नागरिकों की कोई आम सभा नहीं

माँ और मातृभूमि

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

विमल कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मस्तिष्क में विचारों का विप्लव मचा हुआ था। ओह, कितना उपद्रवकारी, नोचने वाला था वह विप्लव। विमल उसके फलस्वरूप ज़ोर से चिल्ला कर अपने शिर के बालों को नोच डालता, परन्तु जेलर उसके सामने खड़ा था।

'लिखोगे ?' जेलर ने पूछा। विमल के नेत्रों के सामने एक ओर माँ और दूसरी ओर मातृभूमि आ गई। एक ओर माँ अपने हाथ फैलाए कह रही थी—आ, बेटा, इधर आ। दूसरी ओर मातृभूमि पुकार कर कह रही थी—नहीं, मेरी ओर आ! मुझे तेरी आवश्यकता है। विमल कुछ कह न सका। धीरे-धीरे उसे प्रतीत हुआ कि मातृभूमि का चित्र उसके नेत्रों के सामने से ओझल हुआ जा रहा है और माँ का चित्र सजीव सा हुआ जा रहा है। वह सिर नीचा करके चिल्ला उठा—हाँ लिखूँगा!

(क्रमशः)

* * *

होती। मताधिकारी एक कौन्सिल चुनते हैं, जिसे बड़ी कौन्सिल (Grand Council) कहते हैं। इस कौन्सिल की बैठक बहुधा होती है और यह कौन्सिल ही प्रान्तीय धारा-सभा का काम करती है। इस कौन्सिल का चुनाव अधिकतर आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के सिद्धान्त पर होता है। इन प्रान्तों की जनता एक शासकीय कौन्सिल भी चुनती है। इस कौन्सिल में पाँच या सात सदस्य होते हैं। यह कौन्सिल ही प्रान्त पर शासन करती है। दो प्रान्तों में इस कौन्सिल में सदस्यों को बड़ी कौन्सिल नियुक्त करती है।

स्वीज़रलैण्ड की सैनिक योजना के सम्बन्ध में भी पाठकों को दो-एक बात जान लेनी चाहिए। विधान में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सैनिक सेवा अवश्यमेव करनी होगी। पर स्वीज़रलैण्ड में कोई सेना (Standing Army) नहीं होती, अतः सैनिक शिक्षा के लिए एक विशाल योजना तैयार की गई है। बहुधा शिक्षा स्कूल से आरम्भ होती है। १९ वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक की सैनिक योग्यता के लिए परीक्षा होती है। यदि उसमें कोई कमी होती है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। योग्य नागरिक सैनिक शिक्षा के रङ्गरूटों के स्कूल में भेज दिए जाते हैं। इस शिक्षा की अवधि ६५ दिन से लेकर ९० दिन तक होती है। २० वर्ष की उम्र से लेकर ३२ वर्ष की उम्र तक नागरिक सेना में भरती किया जाता है। इस काल में उसे समय-समय पर सैनिक कैम्प में शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा की अवधि प्रत्येक वर्ष ग्यारह से लेकर पन्द्रह दिन तक होती है।

स्वीज़रलैण्ड में आपको लोकतन्त्रवाद मिलेगा, पर लोकतन्त्रवाद की वे बुराइयाँ न मिलेंगी, जो अन्य लोकतन्त्रीय देशों में अधिकता से पाई जाती हैं। स्वीज़रलैण्ड के लोकतन्त्रवाद को काँटों रहित गुलाब का फूल समझना चाहिए। स्वीज़रलैण्ड को यह दुर्लभ सौभाग्य क्यों प्राप्त है? उनका देश छोटा है, प्रकृति ने इसकी रक्षा कर रक्खी है, तथा इसके साधन असीम हैं। जनता में भले-बुरे की पहिचान करने की शक्ति है, समझने की योग्यता है तथा देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। अमीर और ग़रीब में वहाँ अधिक भेद नहीं है; सम्पत्ति समान रूप से बँटी हुई है। लॉर्ड ब्राइस नाम के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में इस विषय का एक मनोरञ्जक उदाहरण दिया है। एक समय लार्ड ब्राइस स्वीज़रलैण्ड की सरकार का अध्ययन करने के लिए बर्न गए हुए थे। उन्होंने एक विद्वान नागरिक से स्वीज़रलैण्ड की सरकार की बुराइयों के सम्बन्ध में बातचीत की। उस नागरिक ने कहा—"हाँ, सरकार में घोर बुराइयाँ हैं। उदाहरण के लिए धारा-सभा की एक कमिटी गर्मी के महीनों में पहाड़ों में किसी एक अच्छे होटल में चली जाती है और जनता के रुपयों पर कई दिनों तक आनन्द लूटा करती है। यह घोर पाप है।" लॉर्ड ब्राइस ने उत्तर दिया—"यदि आपकी समझ में यही घोरतम पाप है तो आप केवल पैरिस, माण्ट्रील, पिट्सबर्ग, या सानफ्रान्सिस्को हो आइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं।"

❀ ❀ ❀

१९वीं शताब्दी की धार्मिक जागृति

[डॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०]

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में प्रायः सम्पूर्ण जगत् में यूरोपीय शक्ति का प्राधान्य स्थापित हो गया था। एशिया के बड़े-बड़े देशों में कहीं व्यापारियों की हैसियत से, कहीं सलाहकारों की हैसियत से, और कहीं शासकों की हैसियत से यूरोपीय लोग प्रवेश कर चुके थे। सर्वत्र उच्चश्रेणी के लोगों में यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय कला-विज्ञान तथा यूरोपीय धर्म की चर्चा होने लगी थी। इसी समय सम्पूर्ण एशिया में एक अपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न हुई। सोलहवीं शताब्दी में इसी प्रकार की स्फूर्ति यूरोप में भी हुई थी। उस समय वहाँ के लोग धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक परम्परा के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे थे, और मनुष्यों के हृदय तथा जीवन में व्यापक परिवर्तन होने लगा था। इस यूरोपीय नवयुग के कारण थे, धरातल के स्थानों का आकस्मिक ज्ञान, स्पेन और पोर्चुगाल के साहसी नाविकों की विश्व-परिक्रमा और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यन्त्रों का आविष्कार, किन्तु एशियाई नवयुग का कारण था, यूरोप का सम्पर्क। जब दो महासंस्कृतियों का सम्पर्क होता है, तो दोनों में एक नवीन जीवन का सञ्चार हो उठता है, यह बात पारस्परिक प्रभाव के विषय में नहीं है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव तो सदा पड़ा ही करता है और इसके कारण संस्कृतियों का स्वरूप बदला करता है, परन्तु इसके अतिरिक्त जो सम्पर्क और सङ्घर्ष से जागृति होती है, उसका स्वरूप निराला ही होता है। दूसरी संस्कृति की प्रौढ़ता और उच्चता देख कर संस्कृति अपने हृदय को टटोलने लगती है, अपने अतीत गौरव का स्मरण करती है, अपने विलीन वैभव की पुनः प्राप्ति के लिए लालायित हो उठती है, अपने उज्ज्वल कार्यों को संसार के सामने और भी अधिक उज्ज्वल करके रखती है और अपने भूत को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सुन्दर बतलाने का यत्न करती है। ग्रीक और रोम का जब सम्पर्क हुआ था तब यही क्रियाएँ दोनों सभ्यताओं में हुई थीं। आर्य और द्रविड़ लोगों के सम्पर्क के समय भी जो दोनों तरफ़ जागृति हुई, वह अथर्व-वेद तथा हरप्पा और मोहिंजोदाड़ो के खण्डहरों से प्रत्यक्ष है। यों तो यूरोपीय लोग १४९८ से ही भारत में आने लग गए थे, परन्तु उस समय कई अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते थे। उसके पश्चात् दो शताब्दियों में उधर यूरोपीय देश अनेक प्रकार के कला-कौशल, विज्ञान, आविष्कार और खोज के कारण उन्नत होते गए और भारतवर्ष विदेशियों के शासन, सङ्कुचित धर्म-नीति, शिक्षाहीनता और प्रधानतः औरङ्गज़ेब की क्रूरता और असहिष्णुता के कारण अवनत होता गया। औरङ्गज़ेब की मृत्यु के पश्चात् भारतवर्ष पर मराठों का क्षणिक अधिकार स्थापित हो गया था और मैसूर तथा बङ्गाल के शासक अपनी प्रबन्ध-पटुता और नीति-निपुणता का परिचय देने लग गए थे। परन्तु यूरोप के विज्ञान-बल और कपट-कौशल के सामने जीर्ण-शीर्ण भारत कब तक टिक सकता था। फ्रेञ्च और डच लोगों को अखाड़े से निकाल कर अङ्गरेज़ लोग १७४० के लगभग से भारत पर अपना राज्य जमाने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न में इतनी कूटनीति और कपट-चातुरी भरी हुई थी कि भारतवासी उसके उद्देश्य को नहीं पहचान सकते थे। इस कूटनीति के माहात्म्य से पचास वर्ष के अन्दर ही सम्पूर्ण भारत को अङ्गरेज़ों ने एक ऐसे राजनैतिक जाल में जकड़ लिया, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसकी विकीर्ण शक्ति और सङ्कुचित तथा परिमित ज्ञान कुछ काम नहीं दे सकते थे। सन् १८०५ में पञ्जाब के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत ने अङ्गरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और सन् १८४९ में पञ्जाब भी इनके अधिकार में आ गया।

इस प्रकार जब अङ्गरेज़ों की राजनैतिक सत्ता स्थापित हो गई, तो शासन, साहित्य, समाज और धर्म, सब क्षेत्रों में उनकी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। शासन का स्वरूप स्थूलतः अकबर के शासन की नक़ल थी, परन्तु अनेक विभागों का नया सङ्गठन किया गया, फ़ारसी का स्थान अङ्गरेज़ी को दिया गया और मालगुज़ारी के कई तरीक़े जारी किए गए। शिक्षा का माध्यम अङ्गरेज़ी भाषा बनाई गई और शासकों के कृपा-पात्र बनने के लिए तथा ऊँचे दर्जे की सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थीगण अङ्गरेज़ी साहित्य का विशेष रुचि से अध्ययन करने लगे। अङ्गरेज़ी सभ्यता की चकाचौंध में पड़ कर जातिभेद, स्पर्शास्पर्श, खाद्याखाद्य, कुलीन और अकुलीन और ऊँच-नीच आदि पुरातन परम्पराओं को हेय समझने लगे। ईसाई लोग सरकार की छत्रछाया में अपने धर्म का प्रचार करने लगे और बड़े-बड़े भारतीय विद्वान अपनी सामाजिक कुरीतियों से ऊब कर तथा धार्मिक सङ्कीर्णता से तङ्ग आकर ईसाई-मत की शरण ग्रहण करने लगे। यह समय भारत के इतिहास में बड़ी चिन्ता का था। अङ्गरेज़ी संस्कृति-रूपी सुरसा अपना विकराल मुँह फाड़ कर भारतीय संस्कृति को निगलना चाहती थी। अमेरिका के आदि निवासियों को, अफ़्रीका के हबशियों को, न्यूज़ीलैण्ड और ऑस्ट्रिया के अर्ध-सभ्य लोगों को तथा अन्य कई द्वीप-द्वीपान्तरों के निवासियों को जिस प्रकार यह अपने पेट में स्वाहा कर गई, उसी प्रकार भारतीय सभ्यता भी स्वाहा हो जाती। परन्तु हमारी सभ्यता सौभाग्य से काफ़ी सुदृढ़, बलवती, महती और पुरानी थी। यह सुरसा के मुँह या पेट में नहीं समा सकती थी। अतः "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा" का नाटक यहाँ होने लगा। अङ्गरेज़ी सभ्यता के सम्पर्क से हमारी सभ्यता का क्या रूपान्तर हुआ, यह एक अन्य विषय है। यहाँ हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि जिस समय अङ्गरेज़ी सभ्यता इस देश में हाथ-पैर फैलाने लगी और उसका प्राधान्य जमने लगा, तो भारतीय सभ्यता में एक अपूर्व जाग्रति हुई। इस जाग्रति के आलोक में भारतीयों ने अपनी विस्मृत रत्नराशि का पुनर्दर्शन किया। उन्होंने अपने गौरवमय अतीत को देखा और प्राचीन ऋषि-मुनियों के प्रति, अपने सुन्दर साहित्य के प्रति तथा अपने ज्ञान और धर्म के प्रति फिर उनकी श्रद्धा उमड़ पड़ी।

इस भारतीय जागृति के प्रथम सूत्रधार राजा राममोहन राय हैं। मुसलमानों में जो स्थान सर सय्यद अहमद ख़ाँ का है, हिन्दुओं में वही स्थान राजा राममोहन राय का है। राजा राममोहन राय ने एक ब्राह्मण-कुल में जन्म लिया था, इसलिए धर्म और दर्शन के अध्ययन की ओर उनकी स्वाभाविक अभिरुचि थी। उन्होंने अरबी और फ़ारसी का भी अध्ययन किया था। भारत के प्रत्येक प्रान्त में वे घूम चुके थे और एक समय तिब्बत की भी यात्रा की थी। अङ्गरेज़ी सभ्यता के कारण जो देश पर चकाचौंध छाई हुई थी, उसका उन्होंने शीघ्र ही अनुभव कर लिया था। सती-प्रथा की लोमहर्षण लीला कई स्थानों पर उन्होंने अपनी आँखों से देखी थी और अपनी मित्र-मण्डली में अपने परिवार में, इस अमानुषिकता का उन्होंने कई बार विरोध किया था, जिसके कारण उनके कुटुम्बी लोग उनसे रुष्ट रहने लगे थे। राजा राममोहन राय ने दस वर्ष तक सरकार की नौकरी की। परन्तु उनकी महान आत्मा केवल जठर-ज्वाला के लिए समिधा जुटाने भर से सन्तुष्ट नहीं रह सकती थी। अपने पद को त्याग कर राजा राममोहन राय ने अङ्गरेज़ी भाषा का तथा अपने धर्म का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने उपनिषदों का अङ्गरेज़ी भाषा में अनुवाद किया और बतलाया कि उपनिषद्-धर्म शाश्वत धर्म है और किसी अन्य धर्म से इसका विरोध नहीं है। मूर्ति-पूजा और कर्म-काण्ड के जटिल जाल को राजा राममोहन राय अनावश्यक समझते थे। वे धर्म के तत्व में घुसने का अनुरोध करते थे। ईसा के असली उपदेशों को वे सुन्दर और ग्राह्य मानते थे। लेकिन ईसाई-मत में जो पीछे से बुराइयाँ घुस गई हैं, उनका भी वे प्रबल विरोध करते थे।

छप्पन वर्ष की अवस्था में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज की स्थापना की। ब्रह्म-समाज ईसाई, इस्लाम या किसी अन्य धर्म का विरोध या खण्डन नहीं करता था। इसका उद्देश्य था वैदिक ज्ञान-काण्ड की पुनर्जागृति। १८३० में ब्रह्म-समाज का एक भव्य भवन निर्माण हुआ और उसके प्रचार के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। इस समाज में सम्मिलित होने के लिए किसी विशेष जाति की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग शाश्वत अनिर्वचनीय, नित्य जगन्नियन्ता की श्रद्धा, भक्ति और सरलता के साथ उपासना करना चाहते थे, वे ब्रह्म-समाज में सम्मिलित हो सकते थे। यह एक क़ैद ज़रूर थी कि उसकी उपासना किसी विशेष साम्प्रदायिक नाम के द्वारा न की जावेगी और न किसी चित्र, प्रतिमा आदि का अर्चन किया जावेगा। किसी प्राणी का वध धर्म के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। साप्ताहिक अधिवेशनों में उपनिषदों की कथा होती थी और बङ्गला में उसका अनुवाद करके जनता को सुनाया जाता था। वाद्य के साथ वैदिक मन्त्रों का पाठ किया जाता था और बङ्गला में किसी आध्यात्मिक विषय पर भाषण होता था। राजा राममोहन राय थोथे कर्म-काण्ड में विश्वास नहीं करते थे परन्तु साथ ही स्मृति और पुराणों के उपदेशों का विरोध भी नहीं करते थे।

राजा राममोहन राय भारत की वास्तविक धर्म-भावना को जागृत करना और बाहरी थोथेपन को हटाना चाहते थे। परन्तु साथ ही वे आधुनिक बातों से भी घृणा नहीं करते थे। राजा राममोहन राय ही प्रथम हिन्दू थे, जिन्होंने सामाजिक विरोध की परवा न करके यूरोप की यात्रा की थी। इस यात्रा से उनके ज्ञान और अनुभव का क्षितिज और भी अधिक विस्तृत हो गया और वे यूरोप तथा एशिया की संस्कृतियों के सुन्दर समन्वय का स्वप्न देखने लगे। राममोहन राय इन दो सभ्यताओं का समन्वय अवश्य चाहते थे, परन्तु वे इस बात के विरोधी थे कि यूरोपीय संस्कृति के गर्त्त में एशिया का व्यक्तित्व विलीन हो जाए। उनका आदर्श था, यूरोपीय तथा एशियाई सभ्यताओं का व्यक्तित्व तो बना रहे, परन्तु पारस्परिक सम्पर्क से एक सभ्यता के विकास और विस्तार में दूसरी से सहायता मिले। वे चाहते थे कि भारत का पुरातन आदर्श, उसका साहित्य और उसकी और सुन्दर परम्पराएँ तो बनी रहें, परन्तु यूरोप के विज्ञान और विस्तृत अनुभव से लाभ उठाता हुआ भारत अपनी सभ्यता को अधिक सुन्दर, स्वस्थ और सुदृढ़ बनावे।

सन् १८३३ में राजा राममोहन राय का देहावसान हुआ। भारत में ही नहीं, इङ्गलैण्ड में भी उनका बड़ा आदर था। वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान और सुधारक श्री० बैन्थम उनको बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे और मनुष्य-जाति के सेवकों में उनको बड़ा आसन देते थे। राजा राममोहन राय के प्रयत्न से यूरोपीय विचारों ने भारतीय मस्तिष्क में प्रवेश करना आरम्भ किया। उस समय ऐसे लोगों की संख्या अत्यन्त अल्प थी, जो पुराने सङ्कुचित भावों को त्याग कर नए प्रकाश को ग्रहण करना चाहते थे। यह अल्प संख्या भी राममोहन राय के स्तुत्य प्रयास का फल था। उनके शिष्यों ने एक ज्ञान-प्राप्ति सभा की स्थापना की और एक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था, प्रकाश की खोज और उसका स्वागत।



राजा राममोहन राय

उनके सुधार-कार्य में स्वर्गीय श्री० द्वारकानाथ ठाकुर राजा राममोहन राय के साथी थे। ये एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार के पुत्र थे और अपनी दयालुता, दानशीलता तथा कुलीनता के कारण समाज पर अच्छा प्रभाव डाल सकते थे। दुर्भाग्यवश श्री० द्वारकानाथ अल्पावस्था में ही इस संसार से चल बसे। इङ्गलैण्ड जाते समय जहाज़ पर ही इनका देहावसान हो गया। राजा राममोहन के पश्चात् श्री० देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म-समाज का नेतृत्व ग्रहण किया। उनके समय में ब्रह्म-समाज प्राचीन आर्यत्व की ओर अधिकाधिक झुकने लगा। एक समय वेदों की अपौरुषेयता भी स्वीकार कर ली गई थी, परन्तु इस विषय पर भारी विवाद छिड़ा और अन्त को यह ठहरा कि वेदों को ईश्वरकृत तथा स्वतः प्रमाण नहीं माना जावे और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रकृति तथा मानव-हृदय के अन्तस्तल को टटोला जावे। देवेन्द्रनाथ ठाकुर अत्यन्त साधु-प्रकृति के सज्जन थे। उनका हृदय नितान्त निर्मल और निश्छल था। उनका अधिकांश समय एकान्त में ध्यान और ब्रह्म-चिन्तन में व्यतीत हुआ करता था। उनकी साधुता और ब्रह्मनिष्ठा के कारण लोग उनको महर्षि देवेन्द्रनाथ कहा करते थे। ईश्वरोपासना के लिए महर्षि ने उपनिषदों के सुन्दर स्थलों का एक मनोहर संग्रह किया था, जो ब्रह्मधर्म के नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया था। ब्रह्म-समाज में उस समय इस संग्रह का बड़ा आदर था। देवेन्द्रनाथ ठाकुर के सात पुत्र-रत्न हुए, जिनमें श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस समय विश्वविदित कविरत्न हैं।

जब श्री० केशवचन्द्र सेन ब्रह्म-समाज के सदस्य बने तो इस संस्था का रूपान्तर होने लगा। ईश्वरोपासना, ध्यान और आत्मचिन्तन की ओर लोगों की उदासीनता होने लगी और ऐहिक विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ने लगी। केशवचन्द्र सेन १७ वर्ष की आयु में ही ब्रह्म-समाज के सदस्य बन गए थे। ये बड़े होनहार नवयुवक थे और महर्षि देवेन्द्रनाथ इनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति में ये महाशय अपने नेता से बिल्कुल भिन्न थे। महर्षि आत्मोन्नति और ब्रह्म-चिन्तन पर ज़ोर देते थे और चित्त-शुद्धि को जीवन की सार्थकता के लिए अत्यन्त आवश्यक समझते थे, लेकिन केशव बाबू को इस विषय की चिन्ता नहीं थी। सामाजिक कुरीतियाँ और परम्परागत सङ्कुचित विचार उनको काँटे की तरह चुभते थे और बचपन से ही उनकी धारणा हो गई थी कि समाज-सुधार के बिना और अनुदारता को त्यागे बिना न देश का कल्याण हो सकता है और न आत्मा की उन्नति सम्भव है। अतः ब्रह्म-समाज में सम्मिलित होते ही उन्होंने कुप्रथाओं को निवारण करने का प्रयास आरम्भ कर दिया। जाति-भेद, पर्दा, बहु-विवाह, बाल-विवाह, महिला-पारतन्त्र्य, स्पर्शास्पर्श आदि विषयों का केशव बाबू ज़ोरदार शब्दों में विरोध करने लगे। उनकी मर्मस्पर्शिनी भाषा और अकाट्य युक्तियों से लोग आकर्षित होने लगे और बङ्गाली समाज में भारी हलचल मच गया। अनुदार तथा रूढ़ियों के उपासक लोग उनको नास्तिक, ईसाई, म्लेच्छ आदि उपाधियों से सम्मानित करने लगे, परन्तु केशव बाबू अपने निश्चित पथ से किञ्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए। उनके पूर्व ब्रह्म-समाज में भी ईश्वरोपासना ब्राह्मण ही किया करता था, पर अब कोई भी कर सकता था. इस नियम का भङ्ग सर्वप्रथम केशव बाबू ने ही किया था। वे स्वयम् कायस्थ (या वैद्य ? —स० 'भविष्य') थे और ब्रह्म-समाज के आदि नियमों के अनुसार उनको जनता के सामने प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था। परन्तु स्वतन्त्र प्रकृति केशव इस अन्याय को कब स्वीकार कर सकते थे? उन्होंने कहा कि परमात्मा केवल ब्राह्मणों की ही सम्पत्ति नहीं है। वह राजा, रङ्क, ब्राह्मण, शूद्र सब का समान संरक्षक और समान उपास्य है। इस दलील के साथ केशव बाबू एक दिन स्वयम् ही आसन पर जा बैठे और प्रार्थना करने लगे। लोग देख कर अवाक् तथा अचम्भित हो गए, परन्तु उसी दिन से ब्रह्म-समाज में पुरोहित की आवश्यकता न रही। भविष्य में कोई भी जाति का सदस्य प्रार्थना करवा सकता था। कुछ दिन तक इसका धीमा विरोध चला, पर वह शीघ्र ही शान्त हो गया।

उस समय तक ब्रह्म-समाज में स्त्रियों को कोई स्वतन्त्रता नहीं थी और पर्दा-प्रथा जारी थी। सुधार-प्रिय केशव बाबू को महिला-पारतन्त्र्य घोर अन्याय मालूम होता था। इसलिए उन्होंने इस प्रथा का घोर विरोध करना आरम्भ कर दिया और एक दिन स्वयम् अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ब्रह्म-समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में आए। पुरुषों के समाज में एक उच्चकुलीन महिला को खुले मुँह अपने पति के पास बैठी हुई देख कर लोग दङ्ग रह गए और कुछ अर्से तक इस कार्य की ख़ूब टीका होती रही। लेकिन शीघ्र ही लोग महिला-स्वातन्त्र्य की आवश्यकता को अनुभव करने लगे। थोड़े समय के अन्दर ही सैकड़ों उच्चकुलीन महिलाओं ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समाज में स्त्रियों का सम्मिलित होना एक साधारण सी बात मानी जाने

लगी। साथ ही केशव बाबू ने स्त्री-शिक्षा को भी उत्साहित किया। उन्होंने कई कन्या-पाठशालाएँ खुलवाईं और उनके यत्न से कई उच्चकुलों की लड़कियाँ उनमें शिक्षा ग्रहण करने लगीं।

अनेक उग्र और क्रान्तिकारी सुधारों के कारण केशव बाबू आदि ब्रह्म-समाज में नहीं निभ सके। अपने सुधारों का घोर विरोध देख कर उन्होंने समाज को छोड़ कर अपना एक नया समाज स्थापित किया। इस प्रकार ब्रह्म-समाज के दो भेद प्रचलित हुए—आदि ब्रह्म-समाज और नवीन ब्रह्म-समाज। नवीन ब्रह्म-समाज की विशेषता थी उदारता। इसमें पुरातन आर्य-रूढ़ियों का पालन किञ्चिन्मात्र भी आवश्यक नहीं समझा जाता था। प्रार्थना के समय हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी सब के धर्म-ग्रन्थों का पाठ किया जाता था। इस समाज में कोई भी सम्मिलित हो सकता था और स्पर्शास्पर्श, विवाह-सम्बन्ध, खान-पान किसी भी बात में कोई सामाजिक बाधा नहीं थी। सन् १८७० में श्री० केशवचन्द्र सेन ने इङ्गलैण्ड की यात्रा की और वहाँ से वापिस लौटने पर उन्होंने और भी अधिक ज़ोर के साथ धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्ति की तरफ़ पैर बढ़ाया। इतना ही नहीं, केशव बाबू एक नवीन धर्म की स्थापना का यत्न करने लगे। एक छोटी सी शिष्य-मण्डली उनको अवतार मानने लगी और उनसे दीक्षा ग्रहण करने लगी। यदि केशव बाबू अधिक समय तक जीवित रहते तो शायद एक पन्थ की स्थापना हो जाती, परन्तु सन् १८८४ में उनका देहान्त हो गया। अकबर के दीन-इलाही के समान उनके पन्थ का आदि और अन्त दोनों ही साथ हो गए।

ब्रह्म-समाज की स्थापना वर्तमान जागृति का श्रीगणेश था। राजा राममोहन राय ने सुषुप्त बङ्गाल को जगाया था और केशव बाबू ने अपने क्रान्तिकारी सुधारों द्वारा इस नवयुग का सूत्रपात किया था। श्री० विपिनचन्द्र पाल के शब्दों में राजा—राममोहन राय आधुनिक जागृति का जन्मदाता था और ब्रह्म-समाज नवीन भारत का जन्म दिन था।

राजा राममोहन राय के स्वतन्त्र और उदार विचार भारत के शिक्षित समाज में तीव्र वेग से फैलने लगे। बम्बई में प्रार्थना-समाज नाम की एक संस्था स्थापित की गई; जिसका उद्देश्य ब्रह्म-समाज से मिलता-जुलता था। इस संस्था के स्थापक थे धर्ममूर्त्ति श्री० महादेव गोविन्द रानाडे। श्री० रानाडे उन इने-गिने हिन्दुओं में थे, जिन्होंने सर्व-प्रथम बम्बई के विश्व-विद्यालय से बी० ए० पास किया था। रानाडे समाज-सुधारक और स्त्री-शिक्षा तथा विधवा-विवाह के बड़े पक्षपाती थे। राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस की स्थापना में भी रानाडे का बड़ा हाथ था। उदारता और सुधारप्रियता में प्रार्थना-समाज ब्रह्म-समाज से मिलता-जुलता था, परन्तु प्रार्थना-समाज की विशेषता यह थी कि वह भारत की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन साहित्य, प्राचीन दर्शन और प्राचीन कला की रक्षा करता हुआ आगे बढ़ना चाहता था। रानाडे कहा करते थे कि सदियों की विपत्तियाँ और धक्के सहते हुए भी, संसार की पञ्चमांश जन-संख्या जो भारत में अब तक जीवित है और प्राचीन सभ्यता के चिह्न जो अब तक सुरक्षित हैं, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि भगवान भारतीय जनता का फिर उद्धार करना चाहता है। इन भावों से प्रेरित होकर श्री० रानाडे प्राचीनता की रक्षा करना चाहते थे और साथ ही हानिकर रूढ़ियों को त्याग कर वर्तमान उन्नति से लाभ भी उठाना चाहते थे। प्रार्थना-समाज की स्थापना सन् १८६७ में की गई थी। इससे बम्बई प्रान्त में एक भारी हलचल मच गई और नवीन विचार-धाराएँ उत्तरोत्तर प्रबल होती गईं। श्री० महादेव गोविन्द रानाडे बड़े धर्मात्मा, सरल प्रकृति, न्यायप्रिय, विद्वान और मधुरभाषी सज्जन थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनके विरोधी भी उनके सामने मौन धारण कर लेते थे।

प्रार्थना-समाज की स्थापना के आठ वर्ष बाद ही बम्बई नगर में एक नई संस्था स्थापित हुई। यह था 'आर्य-समाज'। आर्य-समाज भी ब्रह्म-समाज और प्रार्थना-समाज के सदृश १९वीं शताब्दी की जागृति का स्फुटीकरण था, परन्तु इसमें विशेषता यह थी कि प्राचीन और पुरातन उच्च संस्कृति को पुनर्जीवित करके वर्तमान भारत को प्राचीन भारत बनाना चाहता था। इसके संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती वैदिक साहित्य के धुरन्धर विद्वान थे और उनका स्वप्न था गौतम, कणाद, भीम और अर्जुन का गौरवमय भारत। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्राचीन शिक्षा-पद्धति जारी की। वैदिक शिक्षा के आधार पर स्त्रियों के समान अधिकार बतलाए और उनके सामने सीता और सावित्री का आदर्श रक्खा। उन्होंने चारों आश्रमों पर ज़ोर दिया और यज्ञ-हवन की परिमार्जित विधि को तथा षोडश संस्कारों का पुनः प्रचलित किया। वे प्राचीन सभ्यता के इतने ज़ोरदार हामी थे कि उन्होंने 'हिन्दू' शब्द को भी विदेशी बतला कर हेय समझा और उनके अनुयाई अपने आपको 'आर्य' कहने लगे। वे स्वयम् वर्षों तक संस्कृत भाषा द्वारा ही अपने उद्देश्यों का प्रचार करते रहे, लेकिन जब श्री० केशवचन्द्र सेन से उनकी भेंट हुई तो उनके अनुरोध से वे प्रचार-कार्य में हिन्दी भाषा का उपयोग करने लगे।

आर्य-समाज वैसे तो धार्मिक संस्था थी, परन्तु इसके अनुयाइयों में आपसे आप ही राष्ट्रीय भावों का उदय हुए बिना नहीं रह सकता था। ऋषि दयानन्द केवल ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों के अध्ययन का उपदेश करते थे, वेदों को सम्पूर्ण विद्याओं का मूल समझते थे, प्रतिमा-पूजन तथा अवतारवाद को अवैदिक मानते थे, अनेक सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं को हानिकर सिद्ध करते थे और ज़ोरदार शब्दों में यह सिद्ध करते थे कि आधुनिक भारत शताब्दियों की परतन्त्रता के कारण अपने पुरातन विमल वैभव को खो चुका है, और उसकी दशा अत्यन्त दीन और हीन है, लेकिन वैदिक धर्म को ग्रहण करने से वह पुनः गौरवमय बन सकता है और संसार की सभ्य जातियों के सामने उसका मस्तक पुनः ऊँचा हो सकता है। इस प्रकार के उपदेशों से लोगों में स्वदेशाभिमान जागृत होता था और राष्ट्रीय भावों का उदय होता था।

ऋषि दयानन्द के अनुयाइयों ने सन् १८८६ में दयानन्द एङ्गलो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और उसके कुछ अर्से बाद ही काँगड़ी में गुरुकुल स्थापित हुआ। इन दोनों संस्थाओं ने सरकार से कोई मदद नहीं ली। गुरुकुल में प्राचीन पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी और दयानन्द कॉलेज में प्राचीनता और नवीनता का सहयोग करने का प्रयत्न किया जाने लगा। ऋषि दयानन्द के देहावसान के कुछ ही वर्ष बाद पञ्जाब और संयुक्तप्रान्त के प्रायः समस्त बड़े-बड़े नगरों में आर्य-समाज स्थापित हो गए और वैदिक प्रचार, स्त्री-स्वातन्त्र्य, स्त्री-शिक्षा, दलितोद्धार, शुद्धि, अनाथ-रक्षा आदि आर्य-समाज के कार्यों की सम्पूर्ण उत्तर भारत में धूम मच गई। सन् १९०७ में 'टाइम्स' पत्र के सम्वाददाता सर विलेण्टाइन चिरोल जब भारतीय स्थिति का निरीक्षण करने आए तो उन्होंने देखा कि आर्य-समाज एक ज़ोरदार सङ्गठन है जिससे इङ्गलैण्ड की भारतीय सरकार को भी सचेत रहना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा था कि आर्य-समाज एक प्रकार की गुप्त सरकार है।

आर्य-समाज से मिलती-जुलती और भी कई संस्थाएँ १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्थापित हुईं। इनमें 'साधारण धर्म-समाज' विशेष उल्लेखनीय है। इसका उद्देश्य भी आर्य-समाज की भाँति एक ईश्वरोपासना, मतमतान्तरों का अन्त, शिक्षा-प्रचार, जाति-भेद निवारण और देश में व्यापक जागृति फैलाना था। इस संस्था ने विशेष उन्नति नहीं की और कुछ अर्से तक अच्छा कार्य करके तत्कालीन विशाल संस्थाओं में यह विलीन हो गई।

धार्मिक जागृति नवीन संस्थाओं द्वारा ही प्रकट नहीं हुई थी। जो लोग किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे और बुरी-भली सब सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों की रक्षा करना चाहते थे, उनमें भी एक नवीन जीवन का सञ्चार हो रहा था। इस प्रकार के जीवन के सञ्चारक थे श्री० रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म सन् १८३४ में बङ्गाल के उच्च ब्राह्मण-कुल में हुआ था। कुछ समय तक योग और वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करके इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपनी भगवद्निष्ठा, असीम तितिक्षा तथा प्रगाढ़ भक्ति के द्वारा सहस्रों लोगों को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सन् १८८६ में इनका देहान्त हुआ और इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने गुरु का कार्य अपने हाथ में लिया। स्वामी विवेकानन्द बड़े प्रौढ़ विद्वान थे और साथ ही वेदान्त के गूढ़ तत्वों को सरल तथा ज़ोरदार भाषा में जनता के सामने रखते थे। वे भी सुधारों के पक्षपाती थे, परन्तु अधिक ज़ोर भगवद्भक्ति पर ही दिया करते थे। जाति-पाँति के बन्धन को वे नहीं मानते थे और नवयुवकों को अपने देश की सेवा करने के लिए तथा स्वास्थ्य और ब्रह्मचर्य द्वारा अपने शरीर को बलवान बनाने का उपदेश किया करते थे। वे हिन्दू-धर्म को सार्व-भौम बनने के योग्य समझते थे और प्रत्येक प्राचीन रूढ़ि में कुछ न कुछ रहस्य भरा हुआ मानते थे। उनको भारत की प्राचीन सभ्यता की उच्चता में बड़ा विश्वास था। स्वामी रामकृष्ण के दूसरे शिष्य थे स्वामी रामतीर्थ। ये महाशय पञ्जाब युनिवर्सिटी के एक बड़े योग्य स्नातक थे और आरम्भ में गणित-शास्त्र के एक प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर रह चुके थे। फिर संन्यास धारण करके इन्होंने सम्पूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया था और अपनी काव्यमयी भाषा में लोगों को भक्ति का उपदेश दिया करते थे। इन्होंने नदी में डूब कर अपना शरीर त्यागा था।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही महाराजा दरभङ्गा ने सनातन-धर्म को सङ्गठित करने का प्रयत्न आरम्भ किया था, 'भारत-धर्म महामण्डल' की स्थापना सन् १९०२ में हुई थी। उसी समय जैन और सिक्खों में भी जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे थे और मुसलमानों में भी धार्मिक कट्टरता जाग्रत हो उठी थी। सन् १८८५ में लाहौर नगर में 'अन्जुमन हिमायते इस्लाम' की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था इस्लाम में अभिरुचि उत्पन्न करना, ईसाइयों का विरोध करना और अरबी मकतब खोलना।

जिस समय इन प्राचीन धर्मों को पुनर्जाग्रत करने के प्रयत्न किए जा रहे थे, उसी समय अछूतों और दलित लोगों में भी कुलबुलाहट शुरू हो गई थी। मालाबार प्रदेश के 'तिया' लोगों में इस समय एक अपूर्व सुधार-लहर चली। इससे पहिले वह कई जातियों में बँटे हुए थे, परन्तु अब सब एक होकर आपस में विवाह-सम्बन्ध करने लगे। सन् १८९० में श्रीनारायण उनका नेता बना और तिया लोगों में शिक्षा-प्रचार द्वारा धार्मिक भाव तथा आत्मोन्नति की आकांक्षा उत्पन्न करने लगा। ट्रावनकोर-सरकार में उनको नौकरियाँ मिलने लगीं

(शेष मैटर २०वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

कविता-कुञ्ज

सच्ची विजया

[राजकवि श्री० 'अम्बिकेश' रीवाँ]

विजय का स्वाँग है बना कर दिखाना व्यर्थ,
टूट जो न पाया अभी दासता का थाना है।
खाए हुए बीड़ा तुम क्रीड़ा करते हो व्यर्थ,
बीड़ा तुम्हें अभी देश-प्रेम का उठाना है।
सीना उठा कैसे झूँठी तोप को चला रहे हो,
सीने को तुम्हें तो अभी तोप से लगाना है।
बाना वीरता का है दिखाना जगती के मध्य,
विजयी बिना ही व्यर्थ विजया मनाना है।

❀

हरा जो स्वतन्त्रता की सीता है निशाचरों ने,
करके उपाय उसे शीघ्र यहाँ लाना है।
मारना मृगों को है कपट कूट-नीतियों के,
अमित, अनीति गढ़ लङ्क को जलाना है।
रखना मुकुट है विभीषन के देश-शीश,
सुखद स्वराज्य रामराज्य प्रकटाना है।
विजय पताके फहराना है वसुन्धरा में,
सार्थक तुम्हारा तब विजया मनाना है।

❀

माँ से—

[श्री० कृष्णस्वरूप जी शर्मा]

सदियों से तू पड़ी हुई है,
पहिन ग़ुलामी की ज़ञ्जीर।
क्षीण हो गई प्रतिभा तेरी,
दुर्बल तेरा हुआ शरीर॥
लूट लिया तुमको दुष्टों ने,
किया तुझे मजबूर!
किन्तु भुला दे उन कष्टों को—
गया समय वह दूर॥

❀

सुन्दरी !

[श्री० भगवतीप्रसाद जी सकलानी, 'सुमन']

सजनि कहो तुम किस उपवन की,
सुन्दर सी पिक हो!
किस सरिता की लहर अनोखी;
औ' किस मादक की लय हो?
किस तरुवर की शीतलता हो,
औ' किस कवि की कविता सी?
या सुरबाला की मुसकान भली हो,
या प्रिय हो अश्रु-धारा सी!
कहो-कहो कल्पना सी सुन्दर हो,
या भावुकता सी आकर्षक!
या तुम बालक सी सरला हो,
या मदिरा सी मतवाली!
मातृ-स्नेह सी स्नेहमयी हो,
कुसुम सदृश हो कोमल!
माता के आँचल का प्रेम तुम्हीं हो,
या गङ्गा-जल सी हो निर्मल!

❀

स्वतन्त्रते

[श्री० चतुर्भुजसहाय जी माहेश्वरी]

ऐ स्वतन्त्रते जहाँ-जहाँ तू,
दया-दृष्टि दिखलाती है!
शान्ति, सुमति, सम्पदा स्वयं,
आ विजय-माल पहिनाती है!!
जब तक तेरा वास यहाँ था,
सुख अनन्त हम पाते थे!
हम पर थी जब कृपा-कोर,
तब जग-विजयी कहलाते थे!!
रुष्ट हुई हो सदियों से माँ!
दाने को मोहताज हुए!
खोकर सारी सम्पति सब विधि,
दीन-हीन हम आज हुए!!
अत्याचारी! हुआ कुशासन,
पराधीन हम हुए सभी!
होता है अपमान निरन्तर,
हाय! न जिसको सहा कभी!!
मिटी मान-मर्यादा सारी,
भारत दीन ग़ुलाम हुआ!
बढ़ा परस्पर बैर और,
बर्बाद सभी धन-धाम हुआ!!

× × ×

सौख्यदायिनी! ऐ स्वतन्त्रते!
आकर धैर्य बँधाओ माँ!
दलित देश अति दीन-दुखी है,
इसको अब अपनाओ माँ!!

❀

ठहर

[श्री० ललितकुमार सिंह 'नटवर']

परिवर्तन-प्रिय-प्रकृति-पियारी,
दैवयोग-दावाग्नि-दुलारी,
कारण-क्रान्ति, शान्ति शुभकारी;
चञ्चल-चित्त-चारु चिनगारी!
बार-बार क्यों धधक रही है?
व्यर्थ अभी क्यों भभक रही है?
कुसमय में क्यों बमक रही है?
रह-रह कर क्यों दमक रही है?
पूँजी उतनी करले पूरी—
शक्ति न तेरी रहे अधूरी,
कभी न हो समुचित मज़दूरी,
कहीं न पीछे मजबूरी।
अतः अभी सब कुछ सहती रह,
सीमा में सिमटी बहती रह,
दबे रूप में ही दहती रह,
मन की मन ही में कहती रह।
जप अवसर की माला,
ओ अन्तर की ज्वाला!

❀

सन्तोष

[श्री० त्रिभुवनशङ्कर जी तिवारी, इन्दौर]

कम्पित हो उठता है मेरा छोटा सा संसार,
इन कोमल तारों से पगले! मत खींचो उस पार।
गीली पुतली में चित्रित कर तीरों का व्यापार,
करुणा की पलकों में मत बाँधो मेरा आकार।
रहने दो न बुझाओ मेरी विकल पुरानी प्यास,
व्याकुल प्राणों में रहने दो छिपी हुई अभिलाष।
जीवन-तट के इसी किनारे बैठ मुझे एकान्त,
तेरे स्वागत में निशिदिन गाने दो होकर शान्त।
इसी तरह गाने दो तुम मत आना मेरे पास,
अरे! विरह में मधुर मिलन का है सच्चा उल्लास।
सदा रहा करता है चातक की आशा में सार,
स्वाति-बूँद के गिरते ही वह हो जाता निस्सार।
बरस चुके काले बादल कहाँ रहा सम्मान,
नहीं मोर फिर मन से उनका करते हैं आह्वान।
नाटक पर ज्यों खुला हुआ कौतूहल का अवसान,
तेरे मिलते उसी तरह आशा भी होगी अन्तर्धान।
विरही बन कर हो जाने दे मस्त और दीवाना,
अपने रँग में रँग लेने दे दुनिया को मनमाना।

❀

माली से—

[श्री० माताप्रसाद जी त्रिपाठी 'महेश', साहित्याचार्य]

न तोड़ो अभी मुझे माली!
हुई न विकसित,
अल्हड़ हूँ अति—
छाई ज़रा नहीं लाली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

❀

भय है अलि का—
मलयानिल का!
कलिका हूँ भोली-भाली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

❀

सखियों से मिल!
मन्द-मन्द हिल—
निरखूँ जग की हरियाली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

❀

शिशु-जीवन में!
रह उपवन में—
भूलूँ सुख से तरु-डाली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

❀

शैशव खोकर!
तरुणी होकर—
पिऊँ प्रेम से मद-प्याली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

❀

मधु-रस जीभर,
प्रिय सँग पीकर—
बिहसूँ बन में मतवाली!
न तोड़ो अभी मुझे माली!!

कलकत्ते की दलित-सुधार सोसाइटी

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

संसार में कोई भी सभ्य राष्ट्र ऐसा नहीं है, जो अपने अल्पसंख्यक अनुन्नत भाइयों को दलित या अपने से हीन न समझता हो। अमेरिका के श्वेताङ्ग अधिवासी आज भी वहाँ के आदिम-निवासियों—हबशियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और सामान्य कारण-वश उनके ऊपर ऐसे राक्षसी अत्याचार करते हैं, जिसे देख-सुन कर निर्दयता भी काँप उठेगी। वर्जीनिया और केनिया के आदिम-निवासियों की भी वही दशा है। वहाँ भी अल्पसंख्यक तथा अनुन्नत समाज के व्यक्तियों पर नाना प्रकार के दिल दहलाने वाले अत्याचार होते हैं। भारत में भी काले और गोरे ईसाइयों के गिर्जे अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी शेख़ और सय्यद का भेद-भाव मौजूद है। सय्यदवंशीय अपने को सब मुसलमानों से प्रतिष्ठित और पूज्य समझते हैं।

परन्तु यह सब होते हुए भी अछूतपन की कलङ्क कालिमा का जैसा गहरा दाग़ हिन्दुओं के ललाट पर लगा है, वैसा और किसी जाति के ललाट पर नहीं है। हमारे विधर्मी भाई हमारी इस कमज़ोरी से केवल लाभ ही नहीं उठाते, बल्कि अछूतों को हमसे अलग करके अपना उल्लू सीधा कर लेने की चेष्टा में हैं। साम्राज्यवादी गोरे और भारत में मुस्लिम राज्य का स्वप्न देखने वाले हमारे कुछ मुसलमान भाई भी आज भारत के अछूतों की चिन्ता में दुबले हो रहे हैं। उन्हें 'आदि हिन्दू' की आख्या प्रदान कर, हमसे अलग कर देने की प्रबल चेष्टाएँ हो रही हैं। इसके लिए प्रचुर रुपए भी ख़र्च किए जा रहे हैं। वास्तव में इस धराधाम से हिन्दू जाति का अस्तित्व मिटा डालने के लिए ये तदबीरें हो रही हैं। मोहग्रस्त, रूढ़िवादिनी हिन्दू-जाति इन बातों को समझती है, देखती है, परन्तु अपनी दुर्बलता के कारण अछूतों को अपनाने की चेष्टा नहीं करती।

१९वीं शताब्दी की धार्मिक जागृति

(१८वें पृष्ठ का शेषांश)

और सङ्गठित होकर तिया लोग उन्नति की ओर बढ़ने लगे। इसी प्रकार मैसोर और मद्रास प्रान्त में भी कई अछूत जातियों के सङ्गठन हुए।

यह देश-व्यापी धार्मिक जागृति राष्ट्रीय जागृति का प्रथम-चरण था। यूरोप में भी प्रथम धार्मिक जागृति ही हुई थी। तदनन्तर लोग राजसत्ता का विरोध करने लगे थे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने लगे थे। वास्तव में मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुए बिना अन्य किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। पुरोहित और पण्डों से पिण्ड छुट जाने के बाद जब मानव-मस्तिष्क स्वतन्त्र हो जाता है और सामाजिक कुरीतियों के निवारण से जन-समाज उन्नत और स्वतन्त्र बन जाता है तब राजनैतिक स्वतन्त्रता की चिन्ता होने लगती है। यूरोप और एशिया का इतिहास इसका साक्षी है।

* * *

अभी हाल में ही बम्बई प्रान्त की कॉङ्ग्रेस कमिटी ने हिन्दुओं का ध्यान इधर आकर्षित किया है और प्रार्थना की है कि उच्च जाति के हिन्दू अपने निम्न श्रेणी के भाइयों को नौकर रक्खें और छुआछूत के भेद-भाव को मिटाने के लिए उन्हें अपने संसर्ग में रक्खें। उच्च जातियों के संसर्ग में आने से अछूत भी सफ़ाई और सभ्यता से रहना सीख सकेंगे और धीरे-धीरे अछूतपन का भेद-भाव भी तिरोहित हो जाएगा। निस्सन्देह यह युक्ति अच्छी है और हमें आशा है कि उच्च श्रेणी के हिन्दू बम्बई प्रान्त की कॉङ्ग्रेस कमिटी की इस समयोचित प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे।

साथ ही हम 'भविष्य' के पाठकों का ध्यान कलकत्ते की दलित-सुधार सोसाइटी की ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने इस सम्बन्ध में सुन्दर और अनुकरणीय आदर्श हिन्दू-जनता के सामने रक्खा है। हम समझते हैं कि अगर सोसाइटी के आदर्शानुसार कार्य हो तो बड़ी जल्दी यह घोर कलङ्क हमारे सिर से मिट सकता है।



श्री० भोलानाथ जी बर्मन

कलकत्ता बड़ा बाज़ार के मशहूर दानी श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला, श्री० प्रभुदयाल जी हिम्मतसिंहका, श्री० दुर्गाप्रसाद जी खेतान, श्री० पद्मराम जी जैन तथा श्री० बसन्तलाल जी मुरारका के दान, उद्योग और प्रयत्न से गत सन् १९२६ के जून मास में सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले सोसाइटी ने अछूतों में शिक्षा-प्रचार का काम आरम्भ किया। कलकत्ता के आस-पास की अछूत बस्तियों में कई रात्रि और दिवस-पाठशालाएँ खोली गईं। जिनकी संख्या इस समय १५ है और उनमें प्रायः ७०० अछूत (मेहतर,चमार, डोम और दुसाध आदि) बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्या-शिक्षा के साथ ही उन्हें सफ़ाई और स्वास्थ्य की भी यथासम्भव शिक्षा दी जाती है। इसके सिवा सोसाइटी ने शिल्पकला और उद्योग-धन्धों के प्रचार-कार्य की ओर भी ध्यान दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलकत्ता के १४० सरकार लेन में सोसाइटी की ओर से एक शिल्प-विद्यालय की भी स्थापना की गई है, जहाँ शिक्षार्थियों को सिलाई, मोज़े बुनना, टीन के खिलौने बनाना, छापेख़ाने का काम और बढ़ई का काम सिखाया जाता है। इस विद्यालय से अब तक २५० विद्यार्थी सिलाई का काम सीख कर निकले हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों में दूकानें खोल कर स्वतन्त्र-रूप से जीविकार्जन कर रहे हैं।

सोसाइटी का प्रचार-विभाग सुयोग्य उपदेशकों द्वारा जन-समाज में सोसाइटी के उद्देश्यों का प्रचार करता है। मौखिक उपदेशों, व्याख्यानों और छाया-चित्रों के प्रदर्शन द्वारा अछूतों को मद्यपान तथा गोमांस भक्षण आदि निन्दनीय कृत्यों से बचने और मायावी विधर्मियों के मायाजाल में न फँसने का उपदेश दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सोसाइटी ने आशातीत सफलता भी प्राप्त की है। स्थायी प्रचार के लिए प्रत्येक बस्ती में पञ्चायतें क़ायम की गई हैं, जो बड़ी मुस्तैदी से अछूतों को जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करती हैं।

शिल्पकला के प्रचार तथा गृहशिल्प की उन्नति के लिए सोसाइटी ने 'उद्योग-धन्धा' नाम के एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया है। इस सुन्दर और अत्यावश्यक मासिक पत्र में कृषि, शिल्प और वाणिज्य सम्बन्धी लेखादि छपा करते हैं। यदि सोसाइटी ने इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त की तो वह केवल अछूतों का ही नहीं, वरन् समस्त हिन्दू जाति का महान उपकार कर सकेगी।

इस सोसाइटी ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह है सहयोग समिति द्वारा आर्थिक सहायता-कार्य। इस समिति द्वारा अछूतों को बिना ब्याज के ही रुपए उधार दिए जाते हैं, जिससे सूदख़ोर काबुली मुसलमानों से उनकी रक्षा होती है और उनके नाना प्रकार के अत्याचारों से परित्राण पाते हैं। इसके साथ ही सोसाइटी के सुयोग्य कार्यकर्त्ता अछूतों को लागत मूल्य में खाद्य-पदार्थ और कपड़े देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं।

इस सोसाइटी के वर्त्तमान कार्यकर्त्ता और 'उद्योग-धन्धा' नामक मासिक पत्र के सञ्चालक श्री० भोलानाथ जी बर्मन एक सच्ची लगन वाले राष्ट्रीय सैनिक हैं। इस वीर सिपाही ने देश-सेवा की धुन में अपना लाखों रुपए का कारबार चौपट कर दिया है और देश-सेवा के पुरस्कार-स्वरूप एकाधिक बार जेल-यातना भी भोग चुके हैं। आप शिल्पकला के प्रेमी ही नहीं, स्वयं कई प्रकार की कलाओं के जानकार भी हैं। आपका जीवन त्यागमय है और आजकल तन-मन से दलितों के उद्धार-कार्य में लगे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि कलकत्ते के उत्साही और जाति-प्रेमी धनवानों की सहायता से आप इस सोसाइटी को तथा शिल्प-विद्यालय को एक आदर्श संस्था के रूप में परिणत कर डालेंगे।

अब देशवासियों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक अछूत जाति में विवेक, सम्मान और धर्म के भावों का उदय न होगा, तब तक हिन्दू जाति भी पददलित और निर्बल बनी रहेगी। जब तक हम अपने त्याग और सेवा-भाव द्वारा अछूतों को न अपनाएँगे, तब तक स्वतन्त्रता या स्वराज्य हमारे लिए आकाश कुसुमवत् ही रहेगा। अपने सात करोड़ भाइयों को पददलित और पराधीन रख कर हम कदापि स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि वे हमारी जाति के प्रधान अङ्ग हैं, हमारे बाहुबल हैं।

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बाईं ओर से—(१) पञ्जाब नौजवान सभा की प्रधाना—श्रीमती शकुन्तला देवी तथा (२) शिमला ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान की धर्मपत्नी—श्रीमती लक्ष्मी देवी ; जिनसे हाल ही में भारतीय दण्ड-विधान की १०८ वीं धारा के अनुसार ज़मानत तलब की गई थी और ज़मानत देने से इन्कार करने पर इन दोनों देवियों को १-१ वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया था। इन दोनों देवियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है।



अभी हाल ही में महात्मा गाँधी कपड़े की मिलों के निरीक्षणार्थ डारवेन (ब्लैकबर्न के समीप) तथा लङ्काशायर आदि स्थानों में गए थे। आपका यह चित्र उसी समय लिया गया था। इस चित्र में पाठक बाईं ओर से—(१) श्री० सी० एफ़० एण्ड्रयूज़, (२) महात्मा गाँधी, (३) महात्मा गाँधी की एक भक्त-रमणी तथा (४) कुमारी मीराबाई (मिस स्लेड) को देखेंगे। आपके पीछे श्री० महादेव देसाई आदि कई सज्जन खड़े हैं। दाहिनी ओर पाठक उन महिलाओं को भी चित्र में खड़ी देखेंगे, लङ्काशायर में महात्मा गाँधी जिनके मेहमान थे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

इङ्गलैण्ड में बेकारी की समस्या दिनों-दिन गम्भीर होती जा रही है। बेकारों के जुलूसों से पुलिस का मुठभेड़ हो जाना एक साधारण बात हो गई है। इस चित्र में पाठक देखेंगे, लन्दन की कुछ 'उपद्रवी' महिलाओं को पुलिस गिरफ़्तार किए ले जा रही है, जो बार-बार रोकने पर भी पुलिस की आज्ञाओं की अवज्ञा कर रही थीं।





कलकत्ता दलितोद्धार सोसाइटी के प्रमुख कार्य-कर्त्ता, शिक्षक-गण और दलित भाई-बहिनों का एक ग्रुप। इस संस्था द्वारा सैकड़ों दलितों को जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त हो रही है। संस्था का पूरा विवरण अन्यत्र प्रकाशित लेख में देखिए।

मैनचेस्टर (इङ्गलैण्ड) के बेकारों का एक भारी जुलूस, जो पेट की ज्वाला से पीड़ित होकर सड़कों पर नाना प्रकार के प्रदर्शन कर रहा था। पाठक इस चित्र में देखेंगे, पुलिस और सवार जुलूस को भङ्ग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब इनके सारे उपाय निष्फल हुए तो अन्त में आग बुझाने वाली मोटरों को लाकर इनके पाइप द्वारा इन पर जल-वर्षा की गई तब कहीं जुलूस भङ्ग हो सका।



'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



अपने होटल से निकल कर गोलमेज़ परिषद् में जाने के लिए तैयार खड़े श्रीमती महारानी साहबा सहित, बड़ोदा के महाराजा साहब बहादुर।



श्री० सी० एल० सिंह तथा श्रीमती नेरिसा पी० सिंह, जो दक्षिण अमेरिका और भारत में व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में आजकल विशेष रूप से प्रचार-कार्य कर रहे हैं।



कलकत्ता के हिन्दू-शिल्प-विद्यालय के कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों और शिक्षार्थियों का एक ग्रूप। बीच में प्रमुख कार्यकर्त्ता और स्थानापन्न मन्त्री श्री० भोलानाथ जी वर्मन विराजमान हैं। यह संस्था आपके ही अटूट लगन का फल है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



मैनचेस्टर (इङ्गलैण्ड) के 'ह्वेज़ फ़ार्म' नामक अतिथि-गृह में एक यूरोपियन परिवार सहित महात्मा गाँधी—जहाँ वे हाल ही में निरीक्षणार्थ गए थे।



कानपुर की सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्त्री और कॉङ्ग्रेस की संयुक्त मन्त्रिणी—श्रीमती सरला देवी शर्मा



संसार के सुप्रसिद्ध सिनेमा-विदूषक चार्ली चैपलिन के अभूतपूर्व स्वागत का दृश्य; जब कि हाल ही में महात्मा गाँधी से मिलने के लिए वे डॉक्टर कटियाल के निवास-स्थान पर पधारे थे।



हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की, मिलती नहीं फ़रियाद से फ़रियाद किसी की।
क़ातिल की भी आखों से कुछ आँसू निकल आए, गर्दन हुई जिस दम तहे-शमशीर किसी की॥

क्या ज़ौक़ है उनको जो मिले दाद[१] किसी की,
कुछ खाए तो जाती नहीं फ़रियाद किसी की !
हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की,
मिलती नहीं, फ़रियाद से फ़रियाद किसी की।
मुन्सिफ़ हो अगर, दोहीगे तुम दाद किसी की,
सुननी ही पड़ेगी तुम्हें फ़रियाद किसी की।
जब क़त्आ[२] तआल्लुक़ है तो फिर पास[३] कहाँ का,
रखता लगी-लिपटी नहीं आज़ाद किसी की।
उस हुस्ने जहाँ सोज़[४] से बरपा है क़यामत,
ऐसे में करे क्या कोई इम्दाद किसी की ?
बढ़ती है मुहब्बत की असीरी[५] में असीरी,
पूरी नहीं होती कभी मीयाद किसी की।
पड़ती ही नहीं कल किसी करवट, किसी पहलू,
आएं तुझे आई दिले-नाशाद[६] किसी की।
निकली तो सही जान अगर सहल न निकली,
अटकी नहीं रहती मेरे जल्लाद किसी की !
जब देखती है नालए[७] बुलबुल में असर कुछ,
उसको भी उचक लेती है फ़रियाद किसी की।
अल्लाह करे ज़िन्दा रहें देखने वाले,
उफ़-उफ़ वह हसीं-शक्ल ख़ुदा[८]दाद किसी की।
घबरा के अगर मौत भी माँगूँ तो कहें वह,
जागीर नहीं है अदम-आबाद[९] किसी की।
क्या ऐश[१०] भुला देगा यह आज़ार[११], यह तकलीफ़,
जन्नत में भी याद आएगी बेदाद[१२] किसी की।
है उल्फ़ते-दुश्मन में बुरा हाल किसी का,
ऐ हज़रते दिल कीजिए इम्दाद किसी की !
ईमान तो जब लाएँ हम ऐ शाने करीमी[१३],
मिट जाय अगर लज़्ज़ते बेदाद[१४] किसी की।
कमबख़्त[१५] वही "दाग़" न हो देखो तो चल कर,
बेचैन किए देती है फ़रियाद किसी की।
—(महाकवि) "दाग़" देहलवी

मशहूरे जहाँ क्यों न हो बेदाद किसी की,
फिरती है उड़ाए हुए फ़रियाद किसी की।
सुनते नहीं तुम किस लिए फ़रियाद किसी की,
पुरदर्द है, पुरलुत्फ़ है रूदाद[१६] किसी की।

१—वाहवाही, २—अलग हो जाना, ३—ध्यान, ४—संसार को जलाने वाला, ५—बन्दी-जीवन, ६—दुखी हृदय, ७—कराहना, ८—ईश्वरी देन, ९—स्वर्ग, १०—आनन्द, ११—दुख, १२—ज़ुल्म, १३—ईश्वरी महिमा, १४—ज़ुल्म का मज़ा, १५—बुरी क़िस्मत वाला, १६—कहानी,

अन्दाज़े तग़ाफ़ुल[१७] से कहाँ इतनी है फ़ुरसत,
तुम बैठते-उठते, जो करो याद किसी की।
तू भी तो हो वाक़िफ़ कि सितम सहते हैं क्योंकर,
उल्फ़त हो तुझे भी सितम ईजाद[१८] किसी की।
इस नाज़ो-नज़ाकत पे यह दावा ही अबस[१९] है,
तुमसे न सुनी जायगी फ़रियाद किसी की।
वह अन्जुमने[२०] नाज़ में तस्वीर बने हैं,
शायद उन्हें फिर आ गई है याद किसी की।
महशर[२१] में भी अल्लाह से फ़रियाद करेंगे,
हम भूलने वाले नहीं बेदाद किसी की।
सब कहते हैं तू हाथ मुहब्बत से उठा ले,
सुनता नहीं क्यों ऐ दिले-नाशाद किसी की !
ऐ भूलने वाले यह तग़ाफ़ुल नहीं अच्छा।
तू आठवें दसवें तो करे याद किसी की !
क्या इससे यह मतलब है कि गुलशन[२२] को भुला दे,
ख़ातिर जो किया करता है सय्याद किसी की।
मग़रूर न क्यों ख़ूबिए क़िस्मत पे कोई हो,
वह भूलने वाला जो करे याद किसी की।
वह नाज़ से चलते हैं लरज़ता है मेरा दिल,
मिट्टी कहीं हो जाय न बरबाद किसी की।
सय्याद यह कहता है असीराने चमन से,
कम हो नहीं सकती कभी मीयाद किसी की !
कल रात तड़पते रहे तुम बिस्तरे-ग़म पर,
"बिस्मिल" तुम्हें क्या आ गई थी याद किसी की ?
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

है कौन बला ज़ुल्फ़े गिरहगीर[२३] किसी की,
सौ पेच दिखा सकती है तक़दीर किसी की।
हर रोज़ तरक़्क़ी पे जो है हुस्न की सूरत,
एक-एक से मिलती नहीं तस्वीर किसी की।
क्या हो जो ज़रा हाथ जनाज़े को लगा दो,
इतने में हुई जाती है तौक़ीर[२४] किसी की ?
अब फ़र्ज़ मेरे घर में है बस दिन की नमाज़ें,
शब[२५] होने नहीं देती है तनवीर[२६] किसी की।
अक्सीर है गोया तपे[२७] दीवानगीए इश्क़,
सोने की हुई जाती है ज़न्जीर किसी की।
पहुँची है तेरे हुस्न की शुहरत के बराबर,
क्या नामवरी पा गई तशहीर[२८] किसी की।

१७—बेपरवाही, १८—ज़ालिम, १९—बेकार, २०—सभा, २१—प्रलय, २२—बाग़, २३—उलझे हुए केश, २४—आदर, २५—रात, २६—ज्योति, २७—गरमी, २८—बदनामी,

पहुँचा है जुनूँ तक असरे जोशे गुल[२९] ऐसा,
बुलबुल-सी चहकने लगी ज़न्जीर किसी की।
कुछ देर है "शौक़" उसको न बनते न बिगड़ते,
लड़कों का घिरौंदा हुई तक़दीर किसी की।
—"शौक़" क़िदवाई

कुछ भी न चली इश्क़ में तदबीर किसी की,
तदबीर पे हँसती रही तक़दीर किसी की।
जादू यह अजब कर गई तक़रीर[३०] किसी की,
सुनता नहीं अब आशिक़े दिलगीर किसी की।
कहती है न अपनी, न यह सुनती है हमारी,
यूँ हमसे खिंची रहती है तस्वीर किसी की।
मिल-मिल के शबे वस्ल[३१] जुदा होता है कोई,
बन-बन के बिगड़ जाती है तक़दीर किसी की।
नज़रों को तो जलवा नज़र आता नहीं लेकिन,
आँखों में फिरा करती है तस्वीर किसी की।
दिल में है मेरे काकुले पेचाँ[३२] का तसव्वुर[३३],
पड़ने को है अब पाँव में ज़न्जीर किसी की।
बहलाते हैं हम यूँ दिले-बेताब को अपने,
हाथों में लिए बैठे हैं तस्वीर किसी की।
दुनिया से निराला है यह इन्साफ़े-मुहब्बत,
मिलती है सज़ा मुझको हो तक़सीर[३४] किसी की !
होता है जो बेताब दिले-ज़ार हमारा,
सीने से लगा लेते हैं तस्वीर किसी की।
कोशिश तो बहुत की गई मिलने की किसी से,
तदबीर पे ग़ालिब रही तक़दीर किसी की।
करती ही नहीं बात कभी फ़र्ते[३५] हया से,
अल्लाह रे ! अल्लाह रे !! तस्वीर किसी की।
क़ातिल की भी आँखों से कुछ आँसू निकल आए,
गर्दन हुई जिस दम तहे-शमशीर[३६] किसी की।
सीने पे मेरे लोट गया साँप शबे-हिज्र,[३७]
याद आ गई जब ज़ुल्फ़े गिरहगीर किसी की।
दुनिया में कोई शाद, हो नाशाद हो कोई;
क़िस्मत यह किसी की है, यह तक़दीर किसी की।
"बिस्मिल" है यही सिर्फ़ मेरे दिल की तमन्ना[३८],
चलती रहे, फिरती रहे, शमशीर किसी की !
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२९—फूल, ३०—बातचीत, ३१—मिलन की रात, ३२—घूँघर वाले केश, ३३—ध्यान, ३४—दोष, ३५—लज्जा, ३६—तलवार के नीचे, ३७—विरह की रात, ३८—इच्छा।

❀ ❀ ❀

जाड़े की बहार ? जवानी का सच्चा आनन्द ?? शक्ति का सञ्चार ???

धातु-पौष्टिक गोलियाँ

तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हैं, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा के दस्त साफ़ करती हैं। सब प्रकार का दर्द; पीड़ा को रोकती हैं, शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्नदोष, धातु-क्षीणता, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक विलासिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना, ये सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। दाम २॥) रु० डिब्बा, डा० म० ।) अवश्य लीजिए। इन गोलियों को हर मौसम में खा सकते हैं। और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं। सूचीपत्र मुफ़्त !

विजय ट्रेडिङ्ग कम्पनी, अलीगढ़

'ब्लॉक' हमसे ख़रीदिए !

'चाँद' तथा 'भविष्य' में छपे हुए इकरङ्गे ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात् ३ आने प्रति वर्ग इञ्च के हिसाब से दे दिए जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) से कम न होगा। डाक-ख़र्च ख़रीदार को देना होगा।

'भविष्य' चन्द्रलोक—इलाहाबाद

मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!!



जो कवच २) में मिलता था, आज वह सिर्फ़ १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष-चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्तान-लाभ, हर तरह के सङ्कटों से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे वस कर लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे हुओं से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है। १५ दिन तक फ़्री, बाद १५ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ५॥), डाक-महसूल ॥=); ध्यान रहे, मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम। सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें।

पता—एस० कुटी, हाटखोला (कलकत्ता)

मेरी लकड़ी छूट गई

नवाब मीर महमूद अली खाँ उमर ७० साल हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि मैं बेहद कमजोर हो गया था, लकड़ी के सहारे चलता था बहुत सी इश्तिहारी दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर मैंने (मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ५) छोटी शीशी २॥)

महासिव साहब खुफ़िया पुलिस

मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह अली इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाते हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भू० पं० मनोहरलाल की दवा (अर्श कुठार) ने २४ घन्टे में मेरी तकलीफ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत है कीमत ५) छोटी शीशी २॥)

आयुर्वैदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ
हैदराबाद दक्षिण

बीसों प्रकार के प्रमेहों पर विजय प्राप्त कराने वाला

(रजिस्टर्ड) धातु पौष्टिक चूर्ण

यह चूर्ण जङ्गल की जड़ी-बूटियों एवं अष्टवर्गादि द्वारा धातु रहित शुद्ध बनाया गया है। सब के खाने योग्य है। केवल २१ दिन के सेवन से पानी के समान पतले वीर्य को घन तुल्य गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर वीर्य-विकारों को दूर कर नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन्दर्यता का देने वाला है। मूल्य फ़ी डिब्बा २) मय डाक-ख़र्च, वी० पी० द्वारा। पेशगी १।॥) भेजने से डाक-ख़र्च माफ़। नोट—स्वास्थ्योपयोगी मासिक पत्र 'रत्नाकर' का नमूना १ कार्ड डाल कर मुफ़्त मँगाइए।

पता—'रत्नाकर' भवन, इटावा—यू० पी०

३० साल पुरानी कलकत्ते की विश्वसनीय आढ़त

हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक या खुदरा १) से १ लाख रुपया तक का अपने शौक़ या घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए। अन्दाज़ चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार भाव माल भेजेंगे। चिट्ठी-पत्री से भाव वग़ैरह पूछ सकते हैं। खुदरा माल पर आढ़त ～) फ़ी रुपया और थोक माल पर १) सैकड़ा लेंगे। याद रखिए ठगाए जाने की सम्भावना नहीं, पक्की गारण्टी से काम होता है।

भोलानाथ ब्रादर्स, २६ बलराम स्ट्रीट, कलकत्ता



दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥)

"दाद की अक्सीर दवा"—कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिर्फ़ १२ घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर "डमी रिस्टवाच", एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, (बायसकोप), पाकिट चरखा, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता—आर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पे० पो० अलग।

पताः—शरमा ब्रदर्स एण्ड को०
पो० ब० ६७६५, सेक्सन ७१, कलकत्ता।

भृगुसंहिता का

चमत्कारी, अपूर्व, बृहत् खण्ड हिन्दी में छप गया, अवश्य मँगा पूरा धन व यश कमावें मूल्य प्रचारार्थ २)

बिजली का

फ़्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा प्रेम व हर्ष उत्पन्न करता है, मुर्दा दिलों और शिथिल नाड़ियों में भी आनन्द और उमङ्ग की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु भर काम देगा, मूल्य प्रचारार्थ ६)

सी० यस० एन्ड ब्रादर्स, महराजगञ्ज,
ज़िला सारन

☞ आवश्यक सूचना ☜

'चाँद' और साप्ताहिक 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूर्व लाभ उठाइए ! इसका रेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है। आज ही पत्र भेज कर नियमावली मँगाइए।

'यदि ईसा ईसाई थे, तो गाँधी जी भी ईसाई हैं।'

पादरी होम्स की महात्मा जी से अपील

यदि गाँधी जी अमेरिका आवें तो सब से पहिला काम जो वे करेंगे, वह यह होगा कि हमको हमारे धर्म का अर्थ समझावें। यह कथन दो कारणों से विशेषतः अनोखा मालूम पड़ता है।

पहिला कारण तो यह है, कि गाँधी जी ईसाई नहीं, वरन् हिन्दू हैं। माना कि उनका अनुराग ईसाई-धर्म के साथ रह चुका है, वे कई बार कह भी चुके हैं कि इञ्जील ने और विशेष रूप से प्रभु ईसा के पहाड़ वाले उपदेश ने मेरा बड़ा उपकार किया है। परन्तु वे आज भी बाल्यावस्था की भाँति अपने पूर्वजों के धर्म के अनुरक्त हैं।

दूसरा कारण यह है कि गाँधी जी की जीवन-प्रणाली तथा रहन-सहन में हमको कोई भी ऐसी (पूर्व परिचित) बात नहीं दिखाई देती, जिसको हम पश्चिमी रूप में ईसाई-धर्म से सम्बन्ध रखने वाली कह सकें। हाल में जब गाँधी जी जेल में थे, तो वे अपनी आत्मा की शान्ति के हेतु श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ा करते थे, न कि इञ्जील। नित्य प्रति अपने आश्रम में सवेरे और शाम की प्रार्थना में भी वे ईसाई धर्मानुसार "आसमानी बाप" की याद न करके, अपने देश के ही ईश्वर की वन्दना करते हैं। मुझे तो बड़ा कठिन मालूम होता है कि उनको रोम के पोप जैसे कपड़े पहिनाए जा सकेंगे। गिर्जों की वेदी की जगमगाहट में देखा जा सके, अथवा प्रोटेस्टेण्ट मजमे में आराम से बैठ सकें।

उनके गिर्जे में आने की एक विख्यात घटना है। बात दक्षिण अफ़्रिका की है। जब गाँधी जी अपने अङ्गरेज़ मित्र श्री० सी० एफ़० एण्ड्यूज़ का उपदेश वहाँ के एक प्रोटेस्टेण्ट गिर्जे में सुनने के लिए जाना चाहते थे। रविवार की शाम को उक्त गिर्जे में जाकर वे बैठना ही चाहते थे कि चुपके से धीमे स्वर में बताया गया कि वे उस गिर्जे में ठहर भी नहीं सकते, क्योंकि वह गोरों के लिए है, कालों के लिए नहीं।

गाँधी जी धर्मावलम्बी के रूप में ईसाई नहीं हैं और न वे ईसाइयों की उन रीतियों का ही प्रतिपालन करते हैं, जिनसे हम परिचित हैं। इसलिए यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी दशा में हम क्यों मान लें कि गाँधी जी हम लोगों को ईसाई-धर्म का अर्थ समझा सकेंगे?

परन्तु इस प्रश्न के साथ-साथ ही हमको ध्यान आता है कि गाँधी जी के सम्बन्ध में जो बातें हम ऊपर कह आए हैं वे प्रभु ईसा मसीह के लिए भी समान रूप से कही जा सकती हैं। वे भी यहूदी थे, न कि ईसाई और उनका पालन यहूदियों के मन्दिर में हुआ था, न कि ईसाई गिर्जे में; उन्होंने इञ्जील का केवल पुराना भाग (Old Testament) ही पढ़ा था, न कि नया (New Testament); वे यहूदी-ईश्वर (Jehovah) का ही स्मरण किया करते थे न कि ईसाई-पिता का। साधु पीटर की गद्दी पर बैठे हुए देखना, मैं तो ईसा के लिए उतना ही कठिन समझता हूँ जितना कि गाँधी के लिए। यूरोप और अमेरिका के जिन-जिन गिर्जों में मैं गया हूँ, उनमें से किसी में भी ठीक-ठीक ईसा दृष्टि-गोचर नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आज न्यूयार्क नगर में ईसा आवें तो मेरे ध्यान में कोई भी ऐसा गिर्जा नहीं है, जहाँ उनका स्वागत हो सके। यह सब बातें हमारे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ करती हैं कि ईसाई-धर्म का तत्व, रीति-रिवाज, छोटे-बड़े गिर्जे इत्यादि में नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति, बुराई से घृणा, अत्याचार से डर, मनुष्य-मात्र से प्रेम और बैरी के प्रति भी क्षमा का भाव ईसाई-धर्म के प्रमुख गुण हैं। आज इस पृथ्वी पर बसे हुए प्राणियों में सबसे अधिक महात्मा गाँधी ने इस भेद की व्याख्या की है और ईसा की भाँति जीवनचर्या पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। मैं जानता हूँ कि आज ये हिन्दू-साधु अमेरिकावासियों को उस ईसाई-धर्म का अर्थ सिखा सकेंगे, जिसको हम स्वीकार तो करते हैं, परन्तु उसके अनुसार व्यवहार बिल्कुल नहीं करते।

इसके अतिरिक्त और जो काम गाँधी जी अमेरिका तथा सारे संसार के लिए कर सकेंगे वह होगा, सादे जीवन की शक्ति और उसका प्रभाव। एक समय था, जब साधारण जीवन हमारे अमेरिका के समाज का नियम था। उस समय अधिकाधिक (अनात्मीय) द्रव्य-मय सामग्री के झञ्झटों और उत्तरदायित्व से जीवन बचा हुआ था। कहना पड़ेगा कि यह नियम प्रबल आवश्यकता के कारण बना देना पड़ा था।

कई नसलों तक आगन्तुक तथा उनके उत्तराधिकारी कभी साधारण जीवन के उच्चतम उद्देश्यों का प्रतिपालन करते रहे। तत्पश्चात् जब वह आवश्यकता जाती रही तो वह अमल अमेरिका के धर्म का एक निस्तब्ध सिद्धान्त मात्र रह गया। वर्डस्वर्थ के सुविख्यात महावरे की याद दिलाते हुए श्री० राल्फ़ एमरसन अपने सहयोगियों से अनुरोधपूर्वक कहा करते थे कि "साधारण रूप से जीवनचर्या रखते हुए उच्च विचार रखना" अति आवश्यक है।

बहुत काल नहीं बीता, जब श्री० थियोडोर रूज़वेल्ट ने असाधारण बात यह की थी कि पादरी वेगनर (Pastor Wagner) द्वारा लिखित पुस्तक "साधारण जीवन" (The Simple Life) की जनता से बड़ी प्रशंसा की, यहाँ तक कि वह पुस्तक कई मास तक बड़ी कामयाबी के साथ अधिकाधिक बिकती रही। परन्तु अमेरिका के उक्त अध्यक्ष श्री० रूज़वेल्ट बढ़े हुए प्रभाव के कारण भी अपने अन्तिम समय में अमेरिकावासियों में साधारण जीवन बिताने की शैली प्रचलित करने में ठीक ऐसे ही नाकामयाब रहे, जैसे कि एमरसन और थोरियो अपने आरम्भ काल में। रुपया हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था और हम अपनी एकत्र की हुई सांसारिक सामग्री के बोझ से दब गए थे।

आज अमेरिका की बढ़ी हुई विलासप्रियता के कारण ही तो इस बात के विचार मात्र से हँसी सी आती है कि महात्मा जी लँगोटी लगाते हैं, पाँव और टाँगें नङ्गी रहती हैं, कुछ छुआरे खाकर ही सारा दिन बिता देते हैं। पलङ्ग छोड़ कर ऊँचे-नीचे फ़र्श पर ही सो जाते हैं।

महात्मा गाँधी की यह व्यक्तिगत आदतें जानने के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके विचारों का आधार संन्यस्थ जीवन का सिद्धान्त है और यह सिद्धान्त पूर्वीय मनुष्यों में लगभग धर्म के रूप में ही माना जाता है।

यह आदतें महात्मा गाँधी ने सोच-समझ कर हथियारों के सदृश ग्रहण की हैं, जिनके द्वारा वे एक दरिद्र जाति का नेतृत्व करते हुए इतिहास के एक महान् साम्राज्य का मुक़ाबला करके, उसको राजनीतिक तथा आर्थिक लूट से रोकना चाहते हैं। सच तो यह है कि यह लँगोटी, नङ्गे पाँव, थोड़े से छुआरे (खजूर) तथा एक प्याला बकरी का दूध सारे भारत का प्रदर्शन नहीं करते और न भारत के स्वाधीनता-संग्राम का, बल्कि उस आत्मा को जिसने लगातार वर्षों तक नियमित रूप में जीवन-निर्वाह करके सत्य के अनन्त गौरव को प्राप्त कर लिया है। ठीक ऐसे ही, सदियों पहिले, ईसा ने भी किया था और कहा था कि "जीवन मांस से विशेष महत्व की चीज़ है और शरीर वस्त्रों से!"

परन्तु गाँधी जी ने केवल जीवन की सुन्दरता को ही प्राप्त और प्रदर्शित नहीं किया है, वरन् साधारण जीवन की महान् शक्ति को भी। आज महात्मा जी की सबसे प्रबल शक्ति केवल इस बात में है कि उस लड़ाई में, जो वे अपने देशवासियों के हेतु लड़ रहे हैं, उनकी कोई भी हानि नहीं हो सकती, इसलिए उनको परिणाम का कोई भय नहीं हो सकता। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जितनी अधिक सामग्री आप इस संसार में इकट्ठी करेंगे उतने ही अधिक आप निर्बल होंगे। वह मनुष्य, जिसकी सम्पन्नता से कोठार भरे हों, रात-दिन हानि और टोटे के भय से ग्रस्त रहता है तथा वह जाति जिसका साम्राज्य (राष्ट्र) सविस्तार हो, धन-दौलत भरी पड़ी हो, व्यापार उन्नति के शिखर पर हो, सदा युद्ध या युद्ध की अफ़वाहों से काँपा करती है। इस संसार में भयरहित तथा चैन से सोने वाले केवल सामग्री-हीन व्यक्ति तथा छोटे राष्ट्र ही हैं।

आप में से कितनों ने वह सुन्दर वार्तालाप पढ़ा है जो गाँधी जी और साम्यवादी नवयुवकों से कराची में हुआ था। महात्मा जी कॉङ्ग्रेस के लिए गए हुए थे और नवयुवक उनकी निन्दा ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि कदाचित आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत थे।

महात्मा जी कराची उस समय पहुँचे थे, जब अङ्ग्रेज़ी सरकार ने तीन हिन्दुस्तानियों को एक अङ्ग्रेज़ अफ़सर को मार डालने के अपराध में प्राण-दण्ड दिया था। साम्यवादियों ने यह दोष लगा कर कि उन्होंने उक्त तीनों की प्राण-रक्षा नहीं की, गाँधी जी पर कराची पहुँचते ही आक्रमण किया और सम्भव था कि वे (साम्यवादी) उनको मार डालते, या कम से कम बुरी तरह घायल कर देते, परन्तु साथियों ने उनको बचा लिया। फिर इन साम्यवादियों ने अनुरोध किया कि उनके प्रतिनिधियों को गाँधी जी से मुलाक़ात करने का अवसर दिया जाए, जिससे गाँधी जी को उनकी वेदना का ठीक-ठीक पता लगे। गाँधी जी ने केवल यह स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उनसे अकेले ही मिले। जब कि ये उग्र भारतीय नवयुवक सामने आए तो गाँधी जी ने उनके कथन को बड़ी सौम्यता तथा सन्तोष के साथ सुना। तब वे अपने असली रूप में बातचीत करने लगे। गाँधी जी कहने लगे—"यदि आप लोग मुझे पीटें भी तो मैं कोई शिकायत न करूँगा। ईश्वर के

अतिरिक्त मेरा कोई शरीर-रक्षक नहीं है। मैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता हूँ—इसलिए कोई मुझे पागल और मूर्ख समझता है, परन्तु यही वह सिद्धान्त है जिस पर मेरा मत तथा सारे जीवन का कार्यक्रम निर्माण किया गया है। त्याग करने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं रहा—मेरे पास सांसारिक सामग्री कुछ भी नहीं—मैं भिक्षुक हूँ। परन्तु जिस दिन भी भारत अहिंसा के पवित्र सिद्धान्त को त्याग देगा, उसी दिन मैं अपने क्षीण शरीर का अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। यदि आप कहें कि मेरे द्वारा भारत का अहित हो रहा है, तो आपको यह कहने का अधिकार है। परन्तु मेरा यह धर्म है कि मैं आपको प्रेम और सत्य के मार्ग पर अग्रसर कराऊँ। आपका विरोध करने के लिए मेरे पास प्रेम के सिवा और कोई हथियार नहीं। मेरी रक्षा का भार कोई भी अपने ऊपर न ले, यह कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है।"

समाचार-पत्र का कहना है कि गाँधी जी का वक्तव्य समाप्त होने के पूर्व ही सब विरोधी पश्चात्ताप करने लगे थे और वे सब अनुताप करते हुए विनीत भाव से लौटे।

मैं अमेरिकावासियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मुझे गर्व है कि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। परन्तु हम लोग अनात्मवाद के पूरे-पूरे शिकार हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वर्तमान व्यावहारिक हीनता को हम जाति तथा सरकार की सबसे भयावनी आपत्ति मान रहे हैं। हम इस बात से इतने अधिक व्यथित हो रहे हैं कि अपने अध्यक्ष पर रुष्ट हैं, यद्यपि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं। हम उन पर यह दोष भी लगाने को तैयार हैं कि उन्होंने अपने अध्यक्ष-काल में व्यवसाय-सम्बन्धी सङ्कट उपस्थित होने दिया। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी घटना नहीं, जिसके कारण हम उत्तेजित हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टता तथा विलास-प्रियता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ख़्याल तो कीजिए कि Warren Gamalial Harding के शासन-काल में क्या हुआ था।

वर्तमान व्यापारिक हीनता निस्सन्देह दुर्घटना है और विशेषकर इसलिए कि उसके ही कारण लाखों जन बेकार हो गए हैं। परन्तु ऐसी समृद्धि-वृद्धि की अवनति, जिसमें हम कुछ वर्षों से गिरते चले जा रहे हैं, स्वयं कदापि आपत्ति नहीं कही जा सकती। इसके विपरीत यदि हममें आत्मिक श्रद्धा कुछ भी होती तो हम इस अवनति को निश्चय ही शुभ समझते और अपनी उन्नति का कारण मानते। तीन वर्ष हुए, जब एक महान अमेरिकन व्यक्ति, जो बड़े अच्छे ईसाई-नेता तथा महाचरित्रवान श्रद्धालु सज्जन भी थे, भारत जाकर गाँधी जी से मिले। ये महाशय भी अपने रहन-सहन में कुछ स्वाभाविक विशेषता रखते थे—जैसे कि हम सब अमेरिका-निवासी रखते हैं। जब उनसे पूछा कि गाँधी जी के सामने बैठते समय आपका विचार क्या हो रहा था, तो कहने लगे—"जब मैंने उनकी लँगोटी देखी तो मुझे अपने बढ़िया पोशाक के सिवा और कुछ ध्यान न हुआ तथा जब मैंने उनके (गाँधी जी के) पवित्र और नग्न शरीर को देखा तो मेरे पापी शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। अपने समृद्ध भद्देपन का स्मरण करके पापमय शरीर की नसों में उत्तेजना पैदा हुई और बिजली सी दौड़ गई।"

"हमारे अनात्मवाद से सबसे अधिक हानि क्या हो सकती है? हम अपनी सांसारिक वृद्धि का भोग करते हुए भी अन्तर्गत भयभीत क्यों हैं? हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए भी उसकी निन्दा क्यों करते हैं? क्या इन प्रश्नों का उत्तर हमें मनुष्य-प्रकृति के उन उच्चतम गुणों तथा स्वभाव के लोप होकर धन-प्रेम तथा दौलत सञ्चय करने की चेष्टा के भावों की उत्पत्ति में नहीं मिलता?"

इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि मनुष्य-प्रकृति परिवर्तित हो गई है। प्रकृति का उच्चतम गुण तथा स्वभाव अब रह गया है, केवल दौलत से प्रेम तथा धन-सञ्चय करने की नव-विकसित भावनाओं में।

श्री० मेथ्यू ऑरनॉल्ड ने इसी उदासीन सत्यता का गान अपनी "Buried Life" नामक कविता में किया है। अपने समय के व्यवसायी इङ्गलैण्ड को देख कर उनका विचार हुआ कि सांसारिक आकृति को देख कर मनुष्य-जीवन का उच्च आदेश दब गया है और इतना नीचे गिर गया है कि उसके पुनः विकास और ज्ञान की कदाचित सम्भावना ही नहीं। परन्तु उसका बिल्कुल लोप नहीं हुआ है। वे कहते हैं, संसार के उन बाज़ारों में, जहाँ सदा चहल-पहल नहीं रहती है तथा जीवन-संग्राम के मध्य में भी इस बात की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है कि अपने निर्जीव जीवन का ज्ञान तो प्राप्त करें। आकांक्षा होती है कि हमारे हृदय का भेद क्या है, जो कभी आवारा मालूम होता है और कभी इतना गहरा—हमारा "जीवन" कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, हमारे जीवन का आदि और अन्त क्या है?"

आज भी हम अपने जीवन-संग्राम की व्यस्त दशा में एक अकथनीय अभिलाषा का अस्तित्व अनुभव कर रहे हैं, जो यह जानने के लिए व्यग्र है कि आख़िर हमारा यह निर्जीव और निस्वार्थ जीवन है क्या? यह भावना इस भय के कारण और भी तीव्र हो रही है कि कहीं जीवन के ज्ञान को न भुला बैठें। यदि गाँधी जी यहाँ आ गए तो वे निश्चय ही हमें इसका स्मरण करा सकेंगे; क्योंकि वे स्वयं इसके गहरे मर्म को नहीं भूलते। वे नियम-बद्ध होकर स्मरण करते हैं, जिससे भूलने की सम्भावना ही जाती रहे। आश्रम में रहते समय नित्य-प्रति प्रातः सूर्योदय के समय वे अपने चेलों के साथ आश्रम के नीचे बहती हुई नदी से मिली हुई छोटी सी पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ नग्न पृथ्वी पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं और अपने देश की बनाई हुई प्रार्थना द्वारा ईश्वर की वन्दना करते हैं। इसी भाँति सायङ्काल को भी सूर्यास्त के समय अपने आश्रमवासियों को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं और पश्चिम की ओर मुँह करके फिर प्रार्थना करते हैं। सात दिन में एक दफ़े गाँधी जी अपने संसार के अनेक झगड़ों को भूल कर भगवद्भक्ति में लीन रहते हैं। सप्ताह में एक दिन वे मौन रहते हैं। उस समय न किसी से मिलते हैं और न एक शब्द उच्चारण करते हैं; क्योंकि उस दिन वे अपने मतानुसार अपनी आत्मा से साक्षात करके अपने में उस शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, जो संसार और मनुष्य-मात्र को एक करती है। इस मौन व्रत का वे कभी परित्याग नहीं करते, चाहे क्रान्ति की प्रचण्ड ज्वाला धधक रही हो और चाहे राजनीतिक समस्याओं का भारी बोझ सर पर हो।

आप चाहें तो इसको मिथ्यावाद कह दें। मैं मानता हूँ कि हमारे निश्चिन्त मनोवृत्ति वाले, अनात्मवादी अमेरिका-निवासी प्रार्थना और मौन व्रत में भी विनोद की सामग्री पा लेंगे, परन्तु इस उथले निर्मूल सत्याभास के साथ मैं महात्मा जी के प्रमाण की तुलना करने को तैयार हूँ और विश्वास है कि उक्त प्रमाण प्रार्थना के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

गाँधी जी अपने देश में जो कुछ भी कर सके हैं तथा हमारे देश में कर सकेंगे, वह यह है कि अपने अस्तित्व का दैविक कारण पुनः विकास करें। उन्होंने विश्व की आध्यात्मिक वास्तविकता को जान लिया है और प्रमाणित कर दिया है। उक्त कविता में मेथ्यू ऑरनॉल्ड ने जिस भाव को अन्तिम पंक्तियों में दर्शाया है, उसको गाँधी जी ने अपने ही जीवन में अनुभव कर लिया है। मेथ्यू ऑरनॉल्ड ने आत्मा को पहिचान लेने पर जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसी का उल्लेख किया है।

यही वह जानकारी है, जो महात्मा गाँधी अमेरिका के भटके हुए निवासियों को आज प्रदान कर सकते हैं। सारे विश्व में केवल वे ही एक व्यक्ति हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।

गाँधी जी के इस देश में आने के बाद जो उत्तेजना फैलेगी, मेरे विचार में उसको सहन करना चाहिए; क्योंकि उसके बदले में वे हमारी आत्माओं को आराम, शान्ति और शक्ति प्रदान करेंगे।

इस भारतीय महान पुरुष और अङ्गरेज़ी वायसरॉय लॉर्ड इर्विन के मध्य जो लगातार परामर्श होते रहे, उनके पश्चात् लॉर्ड इर्विन पूरी तरह थक गए थे, परन्तु गाँधी जी इसके विपरीत बिल्कुल ताज़ा और वैसे के वैसे ही बने रहे। यह सब कुछ उस समय हुआ जब उनका शरीर दुर्बल था। वे ८ मास का कारावास काटकर निकले थे, जिसमें कि उन्हें भारतीय प्रचण्ड गर्मी भी बितानी पड़ी थी।

गाँधी जी से इस सम्बन्ध में पूछा गया कि आप में इतना बल कहाँ से आ गया है कि आप वर्तमान आनन्द और अपने करोड़ों देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य का उत्तरदायित्व ग्रहण किए हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसका भेद यह है:—

"एक स्वच्छ हृदय। पवित्र अन्तःकरण। शान्त चित्त। ईश्वर से लगातार सम्बन्ध। उत्तेजक भोजन और विषय-वासना से परहेज़। शराब, तम्बाकू और मसालों से बचाव। पूर्णतया शाकाहारी भोजन और सब साथियों से प्रेम।"

नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी

[मुन्शी सुखदेवप्रसाद जी सिन्हा "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हज़रत नूह नारवी के पूज्य पिता का नाम मौलवी अब्दुल मजीद था। १८५७ के ग़दर में सरकार ने ख़ैरख़्वाही के उपलक्ष्य में आपको एक इलाक़ा दिया, जिसकी सालाना आमदनी दस हज़ार रुपए से अधिक है। हज़रत "नूह" सन १८७८ में भवानीपूर ज़िला रायबरेली में पैदा हुए। अभी आपका बचपन ही था कि आपके पूज्य पिता सब-जजी के ओहदे तक पहुँच कर २६ जून, सन् १८८३ को स्वर्गवासी हो गए। तमाम रियासत का इन्तज़ाम रिश्तेदारों के हाथ में पड़ा और ख़ान्दान के पारस्परिक झगड़े में बड़ी आर्थिक क्षति हुई। चौदह साल की उम्र में आपने अपनी जायदाद का इन्तज़ाम अपने हाथ में लिया और बड़ी ख़ूबी से उसकी देख-भाल आज तक करते चले आते हैं। कविता का शौक़ आपको मीर नजफ़ अली साहब के सत्सङ्ग से हुआ। पहले आप इन्हीं से अपनी कविता का संशोधन कराते थे, परन्तु आप इतने तेज मेधावी और उच्च विचार के थे कि उस्ताद ने दूसरे उस्ताद से कविता संशोधन के लिए आपको आज्ञा दी। इसलिए बहुत सोच-विचार के बाद महाकवि "दाग़" देहलवी के शिष्य हुए। कविता संशोधन कराते हुए दो साल भी न बीते थे कि उस्ताद दाग़ के चरणों में उपस्थित होने की अभिलाषा पैदा हुई और आप हैदराबाद पहुँचे।

आपको देख कर महाकवि 'दाग़' ने कहा, मुझे तुम्हारे 'नूह' होने में शक है, क्योंकि तुम्हारी कविता से मुझे मालूम होता था कि नूह कोई वृद्ध पुरुष होंगे। मगर जब आपने विश्वास दिलाया तो हज़रत दाग़ बड़ी ख़ातिर से पेश आए और व्यङ्ग के तौर पर कहा कि हम जानते थे कि 'नूह' हज़रत नूह की अवस्था के होंगे, परन्तु आपकी अवस्था बहुत कम है। आपको उस्ताद का कलाम बहुत याद था, इसलिए आपके सम्बन्ध में हज़रत दाग़ का यह क़िस्सा भी याद रखने के क़ाबिल है कि दीवाने-हाफ़िज़ (हाफ़िज़ कवि की कविताओं का संग्रह) पहले देखा था, परन्तु 'हाफ़िज़े दीवान' (संग्रह को कण्ठस्थ करने वाला) आज देखा। अस्तु, कुछ दिनोंके बाद अपने वतन नारा वापस आए और पत्र द्वारा कविताओं का संशोधन कराते रहे। जब तक हज़रत दाग़ ज़िन्दा रहे, तब तक यही सिलसिला बराबर जारी रहा। आपकी कविता से प्रसन्न होकर महाकवि दाग़ ने आपको एक सनद दी थी; जिसमें का एक शैर उल्लेखनीय है—

> एक से होता है हासिल एक को फ़ैज़े सख़ुन,
> मैंने सीखा "ज़ौक़" से और मुझसे सीखा 'नूह' ने।

हज़रत नूह हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े मशायरों में शरीक होकर अपनी तूफ़ानी कविता की धाक जमा चुके हैं। आपके दो दीवान प्रकाशित होकर कविता-प्रेमी जनता द्वारा पसन्द किए जा चुके हैं और तीसरा संग्रह भी बहुत शीघ्र जनता में आने वाला है। मेरे ख़्याल में इस समय कोई ऐसा बड़ा शहर न होगा, जहाँ कोई न कोई आपका शिष्य न हो। आपके शिष्यों की तादाद तीन-चार सौ के लगभग है और इनमें से बीस-पचीस शिष्य तो बहुत ही अच्छे कवि समझे जाते हैं। हज़रत नूह की कविता उर्दू और हिन्दी पत्रों में बहुतायत से प्रकाशित होती है। हिन्दोस्तान भर में आपकी कविताओं की



नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी

प्रशंसा होती है। प्रसाद-गुण आपकी कविता की विशेषता है। आपकी कविता समझने में दिल और दिमाग़ को अधिक ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा में सादगी इतनी है कि एक दरिया अपनी मौज (लहर) में दिखाई देता है। भाव इतना साफ़ और सुलझा हुआ होता है कि शैर पढ़ा और दिल में उतरा। बन्दिशें इतनी ठोस कि कोई शब्द अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता, भरती का कहीं नाम भी नहीं। जिस कविता को देखिए, अपने रङ्ग में सराबोर है। प्रत्येक शब्द से उस्तादी टपकती है। हज़रत नूह ने महाकवि दाग़ के पथ पर चल कर भाषा को बिलकुल परिमार्जित कर दिया है। आपकी कविता दिल्ली की टकसाली ज़बान का नमूना है। जिस महावरे को कविता में बाँधते हैं, वह मानो साँचे की तरह ढल जाता है। मिसरे पर मिसरा इस ख़ूबी से लगते हैं कि जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। आपकी कविता में काव्य सम्बन्धी गुण भी मौजूद हैं। जिस रङ्ग में कलम उठाते हैं उसमें तूफ़ान उठा देते हैं। आपका कलाम सुनते या पढ़ते वक़्त यह मालूम होता है कि इस तरह जो चाहे लिख सकता है। मगर जो उस रङ्ग के कहने वाले हैं, वही जान सकते हैं कि हज़रत नूह के रङ्ग में कहना कितना कठिन है। भाषा इतनी सरल और साफ़ होती है कि गद्य और पद्य में कुछ अन्तर नहीं मालूम होता। सीधी-सादी भाषा में—रोज़ की बोल-चाल में—अनूठे भावों को कूट-कूट भर कर देना आपके लिए खेल है। शब्दों के उलट-फेर में कमाल कर देते हैं, इसका सेहरा इन्हीं के सर है। हज़रत नूह अपने दिल से निकली हुई बातें कहते हैं और यही वजह है जो उनके शैर लोगों की ज़बान पर आ जाते हैं। इस वक़्त हिन्दोस्तान के कवियों में आपकी गणना उच्चकोटि के कवियों में की जाती है। ज़बान के आप बादशाह समझे जाते हैं और महाकवि दाग़ के जानशीन हैं। स्वर्गीय महाकवि अकबर इलाहाबादी इनकी बड़ी क़द्र करते थे और जब तक जीवित रहे, इनको अपनी कोठी पर ठहराते रहे। नूह साहब जब इलाहाबाद आते थे, तो बराबर महाकवि अकबर ही के मेहमान होते थे। महाकवि अकबर ने हज़रत नूह की प्रशंसा इस तरह की है, जो नूह साहब के दूसरे दीवान 'तूफ़ान नूह' में दर्ज है। पाठक महाकवि अकबर के इस लिखने से समझ सकेंगे कि हज़रत नूह क्या हैं और किस कोटि के शायर हैं। अकबर फ़रमाते हैं—"हज़रत नूह को मैं बहुत दिनों से जानने की तरह जानता हूँ। ये इलाहाबाद जब आते हैं, मेरी कोठी ही पर ठहरते हैं और जितने दिनों तक रहते हैं, यहीं रहते हैं। मनुष्य के गुण-दोष जाँचने के लिए, बशर्ते कि जाँचने वाला भी कुछ क़ाबिलियत रखता हो, बहुत कम समय की ज़रूरत है।

"मैंने इनको इस मुद्दत में हर तरह देखा-भाला, जाँचा-परखा है और दृढ़ता के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि वंश-परम्परागत विशेषताओं और सम्मान के अतिरिक्त यह एक प्रशंसनीय और उच्चकोटि के कवि हैं। परमात्मा ने इस काम के लिए इनको विशेष योग्यता प्रदान की है। इनकी ख्याति और इनकी कविता अब किसी परिचय की अपेक्षित नहीं है। इनकी कविता के बारे में ख़ुद उनके उस्ताद नवाब मिर्ज़ा दाग़ देहलवी की तहरीर, जो इनके पास मौजूद है, और जो मैंने देखा है, उससे पता लगता है कि यह क्या चीज़ हैं। ख़ुदा इनको चिरायु रक्खें, क्योंकि इन पर शायरी दुनिया की हज़ारों आशाएं निर्भर हैं।"

अब पाठकों के सामने मैं महाकवि नूह की हर रङ्ग की कविताओं के कुछ नमूने पेश करता हूँ, जिससे पाठकों को ख़ुद अन्दाज़ा हो जायगा कि हज़रत नूह के क़लम में क्या असर और कैसा जादू है :—

जो किसी की अदा पे फ़िदा न हुआ,
जो किसी की अदा पे फ़िदा न रहा।
वह जिगर ही नहीं, वह तो दिल ही नहीं,
वह रहे न रहे, वह रहा न रहा।
मेरे ज़ेहन में है, मेरे होश में है,
मेरी अक़्ल में है, मेरी याद में है।
वह अलग भी हुआ तो अलग न रहा,
वह जुदा भी हुआ तो जुदा न रहा।
जो वह ग़म न रहा, तो वह दिल न रहा,
जो वह दिल न रहा तो वह हम न रहे।
जो वह हम न रहे, तो वह तुम न रहे,
जो वह तुम न रहे तो मज़ा न रहा।

❀

ताबे सितम।अगर न हो तो कोई दिल लगाए क्या,
रोज़ की आह-आह क्यों, रोज़ की हाय-हाय क्या।
मैंने न कुछ कहा अभी तुमने न कुछ सुना अभी,
यों जो मिले तो क्या मिले, आए जो यूँ तो आए क्या।
आतिशे इश्क़ क्या है कम, उसपे है सोजे़ दिल सितम,
आप ही जल रहा हूँ मैं, कोई मुझे जलाए क्या।

❀

मिला न आराम मुझको दम भर,
ज़मीं के ऊपर फ़लक के नीचे।
इलाही मैं क्या करूँ ठहर कर,
ज़मीं के ऊपर फ़लक के नीचे।
न ज़िन्दगानी में लुत्फ़ उठाया,
न बाद मरने के चैन पाया,
ज़मीं के नीचे फ़लक के ऊपर,
ज़मीं के ऊपर फ़लक के नीचे।
वह दूसरी कौन सी जगह है,
जहाँ रहें हम जहाँ बसें हम,
ज़मीं से हट कर फ़लक से बच कर,
ज़मीं के ऊपर फ़लक के नीचे।

देखिए, क्या महकते हुए पद हैं जिनके पढ़ने से दिल और दिमाग़ दोनों बाग़-बाग़ हो जाते हैं :—

बुलबुल का चुराया दिल नाहक़
यह ख़ाम-ख़याली फूलों की,
लेती है तलाशी बादे सबा
अब डाली-डाली फूलों की।
माना कि लुटाया रातों को,
गुलज़ार में मोती शबनम ने,
जब सुबह हुई सूरज निकला
तो जेब थी ख़ाली फूलों की।
आती है ख़िज़ाँ अब रुख़सत कर,
ज़िन्दा जो रहे फिर आएँगे,
हमसे तो न देखी जाएगी
माली पामाली फूलों की।
फिर रुत बदली फिर अब्र उठा,
फिर सर्द हवाएँ चलने लगीं,
हो जाए परी बन जाए दुल्हन
अब डाली-डाली फूलों की।
हारों में गुँधे जकड़े भी गए,
गुलशन भी छुटा सीना भी छिदा,
पहुँचे मगर उनकी गर्दन तक
यह ख़ुश-इक़बाली फूलों की।
बुलबुल को यह समझा दे कोई
क्यों ख़ून के आँसू रोती है,
उड़ जाएगी सुर्ख़ी फूलों से
मिट जाएगी लाली फूलों की।
गुलशन में कभी हम सुनते थे,
वह क्या था ज़माना फूलों का,
कलियों से कहानी कलियों की
फूलों से फ़िसाना फूलों का।
क्या मौसिमे गुल पर इतरा कर
हम गाएँ तराना फूलों का,
दो रोज़ में आने वाला है,
एक और ज़माना फूलों का!
जब अहले-चमन सो जाते हैं
तो हुस्न के डाकू आते हैं,
कुछ रात गए, कुछ रात रहे
लुटता है ख़ज़ाना फूलों का!
अय्यामे ख़िज़ाँ में ऐ बुलबुल,
तकलीफ़ मेरी बढ़ जाएगी,
फूलों की क़सम देता हूँ तुझे
छेड़ अब न तराना फूलों का!
ऐ "नूह" असर तुम पर भी किया,
इतना तो चमन के मन्ज़र ने,
तूफ़ान उठाना भूल गए,
ले बैठे फ़िसाना फूलों का।

❀

जो तेरी समझ में न आ सके
तेरे आशिक़ों का वह हाल है।
कभी मरते हैं, कभी जीते हैं,
यह बड़ा ही इनमें कमाल है।
वह करम, वह लुत्फ़ किधर गया,
वह ख़ुशी का वक़्त गुज़र गया,
उन्हें अब जो नहीं मलाल भी
मुझे एक यह भी मलाल है।
न वह आएँगे, न बुलाएँगे,
यूँ ही जान लेंगे सताएँगे,
उन्हें और धुन है बँधी हुई,
मेरे दिल को और ख़याल है।

❀

तेरी नज़र है मेरी तबीयत,
मेरी तबीयत तेरी नज़र है,
कभी यहाँ है, कभी वहाँ है,
कभी इधर है कभी उधर है।
तुम्हें मुबारक हो ऐशो-इशरत,
इलाही रक्खे तुम्हें सलामत,
जो रंज है वह है मेरे दिल को,
जो ग़म है वह मेरी जान पर है।
यह छुपके ग़ैरों से क्या मिलेगी,
यह मिल के औरों से क्या लड़ेगी,
मेरी नज़र में तेरी नज़र है
तेरी नज़र पर मेरी नज़र है।

❀

हम अपनी क़ज़ा का ग़म न करें
मरने का हमें क्यों रोना है।
वह एक न एक दिन आनी है,
यह एक न एक दिन होना है।
मरना है तेरी शोख़ी पे हमें,
क़ुर्बान हया पर होना है,
यह भी है सितम, वह भी है ग़ज़ब,
यह जादू है, वह टोना है।
कोई न यहाँ ठहरा अब तक,
कोई न यहाँ ठहरेगा कभी,
दुनिया में हमें दो दिन के लिए,
क्या हँसना है क्या रोना है।
दस-बीस अगर बह जाते थे,
तो हलका भी हो जाता था,
आँसू भी नहीं अब आँखों में,
अब इसका हमको रोना है।

सर देकर हमने रंज लिया,
उनको पाया दिल को खोकर,
यह देना है, यह लेना है,
यह पाना है, यह खोना है!

❀

फ़लक के पार होती है कलेजे में उतरती है,
हमारी एक-एक फ़रियाद दो-दो काम करती है।
ख़ुदा रक्खे मेरी हसरत भी क्या-क्या रूप भरती है,
यह अक्सर मर के जीती है, यह अक्सर जी के मरती है!
उठाई थी हमारी लाश किसने अपने हाथों से,
ज़मीं भी गोद में ले-लेकर इसको प्यार करती है!
पतिङ्गों की तो बेताबी है दुनिया की निगाहों में,
कोई यह शम्अ से पूछे कि तुझ पर क्या गुज़रती है!

❀

मिज़ाज उनका बिगाड़ा है, उन्हें दे-दे के दिल किसने,
कभी हमने कभी तुमने, कभी उसने कभी इसने।
हसीनाने जहाँ के चाहने से फ़ायदा क्या है,
उसी को क्यों न चाहें हुस्न को पैदा किया जिसने।

❀

साथ है जिसके कोई या जो किसी के साथ है,
ज़िन्दगी का लुत्फ़ उसकी ज़िन्दगी के साथ है।
मर भी जाऊँ तो न रोए कोई मेरी मौत पर,
आदमी को लाग कितनी आदमी के साथ है।
उसका ग़म, उसका तसव्वुर, उसकी याद, उसकी तलाश,
एक हङ्गामा हमारी ज़िन्दगी के साथ है।

❀

लोग कहते थे कि यह नाज़ों के हैं पाले हुए,
दिल किसी ज़ालिम को देकर हम भी दिल वाले हुए।
हम यह कहते हैं कि दिल अब दीजिए वापस हमें,
वह यह फ़रमाते हैं कब से आप दिल वाले हुए?

❀

बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के ग़म में है,
हम नहीं दुनिया में लेकिन, एक दुनिया हममें है।
पड़ गए लेने के देने और भी मरने के बाद,
हम हैं अपने दिल के ग़म में दिल हमारे ग़म में है।
और तो उल्फ़त न निभने का सबब कोई नहीं,
या बुराई आप में है या बुराई हममें है।

❀

वह जवानी हो चुकी वह नौजवानी हो चुकी,
सिर्फ़ मरना रह गया अब ज़िन्दगानी हो चुकी।
क्या कहें क्या-क्या कहा, क्या-क्या सुना, क्या-क्या किया,
होश भी आया न हमको ज़िन्दगानी हो चुकी।

❀

बदली हुई निगाह की तासीर देख ली,
आँखों से मैंने गर्दिशे तक़दीर देख ली।
आया न जब क़रार दिले बेक़रार को,
हमने उठा कर आपकी तस्वीर देख ली।

❀

बदल कर भेस अरमाने दिले मुज़्तर निकलते हैं,
अदा होकर समाते हैं, दुआ बन कर निकलते हैं।
मेरे तलवों से काँटे टूट कर अक्सर निकलते हैं,
जो नावक दिल में चुभ जाते हैं वह क्योंकर निकलते हैं।

❀

अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी भोली-भाली सूरतें,
एक से हैं एक दुनिया में निराली सूरतें।
हम वहाँ रहते नहीं होती नहीं हैं जिस जगह,
रूप वाली, हुस्न वाली, नाज़ वाली सूरतें।
गुलशने आफ़ाक़ भी गोया है कोई बुतकदा,
पत्ती-पत्ती सूरतें हैं डाली-डाली सूरतें।

❀

मैं वजहे रौनक़े चमने रोज़गार हूँ,
खिलने को फूल हूँ तो खटकने को ख़ार हूँ।
कहती है ख़ाक क़ब्र पे उड़-उड़ के बार-बार,
मैं भी किसी मिटे हुए की यादगार हूँ।

❀

अहद में, क़ौल में, इक़रार में, पैमाँ में नहीं,
जो मज़ा तेरी नहीं में है, तेरी हाँ में नहीं !
आशियाँ बादे मुख़ालिफ़ ने उजाड़ा मेरा,
मुझको तिनके का सहारा भी गुलिस्ताँ में नहीं !

❀

तुम्हारे मूए मिज़गाँ हर तरह तड़पाने वाले हैं ?
यह घट जाएँ तो नश्तर हैं, यह बढ़ जाएँ तो भाले हैं।
वहीं तक आप समझें ख़ैर जब तक दिल में नाले हैं,
मेरे आगे यह सातों आस्माँ मकड़ी के जाले हैं।
न पूछा हमको इतना भी किसी ने उनकी महफ़िल में,
कहाँ से आप आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं !

❀

आप ही आप कभी जी से गुज़र जाते हैं,
मरने वाले तेरे बेमौत भी मर जाते हैं।
कभी अपना था यही शग़ल मगर, अब है यह हाल,
इश्क़ का नाम जो सुनते हैं, तो डर जाते हैं !
आज तक उनकी वही छेड़ चली जाती है,
फूल काग़ज़ के मेरी क़ब्र पे धर जाते हैं !

❀

या ख़ुदा मैं किसी काफ़िर की अदा बन जाऊँ,
दिल में शोख़ी बनूँ आँखों में हया बन जाऊँ !
हर घड़ी अब यही क़ौल उस बुते मग़रूर का है,
कोई सिजदा करे मुझको तो ख़ुदा बन जाऊँ !
क्या चला मैं जो रहे शौक़ में रुक-रुक के चला,
लुत्फ़ चलने का तो जब है कि हवा बन जाऊँ।
ज़ब्ते दिल का यह तक़ाज़ा है कि न निकले कोई अश्क,
चश्मेतर की यह तमन्ना कि घटा बन जाऊँ !
मर्तबा ख़ाक का ऐसा है कि ऐ हज़रते "नूह",
ख़ाक बन जाऊँ तो क्या जानिए क्या बन जाऊँ।

❀

रोने वालों से यह बे मौक़ा हँसी अच्छी नहीं,
आप तो अच्छे हैं, आदत आपकी अच्छी नहीं !

■

कभी दर्दे दिले बेताब जताया न गया,
उनसे देखा न गया, हमसे दिखाया न गया !
बे तलब अन्जुमने नाज़ में क्यों जाए कोई,
जब बुलाया तो गया, जब न बुलाया न गया।

❀

हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है,
बुत हैं क्या चीज़ कि ढूँढे से ख़ुदा मिलता है।
यह क़ुदूरत, यह अदावत, यह जफ़ा ख़ूब नहीं,
मुझको मिट्टी में मिला कर तुम्हें क्या मिलता है !
शर्त है इश्क़ हक़ीक़ी के लिए इश्क़े मजाज़,
बे वसीला कहीं बन्दे को ख़ुदा मिलता है !
हमने यह बात मुहब्बत में निराली देखी,
रोज़ गुम होता है दिल रोज़ नया मिलता है !
"नूह" हमको नज़र आया न यहाँ बुत भी कोई,
लोग कहते थे कि काबे में ख़ुदा मिलता है !

❀

इस तरह इज़हारे उल्फ़त कर गया,
खींच कर एक आह कोई मर गया।
मैं किसी को देखते ही मर गया,
कुछ न करने पर भी सब कुछ कर गया !

❀

उस सितम ईजाद पर मरते हैं हम,
फिर हमीं कहते हैं क्या करते हैं हम !
आपका यह हुक्म था मर जाइए,
लीजिए, अब देखिए मरते हैं हम!

❀

कुछ ऐसे हो गए ज़ारो हज़ीं हम,
कि हैं भी और दुनिया में नहीं हम !
हमारी ज़िन्दगी क्या और हम क्या,
बहुत कुछ हों, मगर कुछ भी नहीं हम !

❀

दिल चुरा ले जाने वाला कौन है,
आप हैं और आने वाला कौन है !
कोई नासेह को यह समझाता नहीं,
यह मेरा समझाने वाला कौन है ?
आईना भी आज तक देखा नहीं,
आपसा शरमाने वाला कौन है ?

❀

जो दिल में आरज़ूए दिल नहीं है,
कोई क़ातिल कोई बिस्मिल नहीं है !
गुज़रती है बड़े आराम के साथ,
मेरे पहलू में जब से दिल नहीं है !

❀

दिल कहाँ हर किसी से मिलता है,
अच्छे ही आदमी से मिलता है।
जिस तरह मुझसे आप मिलते हैं,
यूँ भी कोई किसी से मिलता है ?
क्यों इताअत से बुत हमें न मिलें,
जब ख़ुदा बन्दगी से मिलता है।

❀

यह समझ लो ख़ाक में अब मिल गया,
दिल नहीं आया हमारा दिल गया।
वह जो परदे थे दुई के उठ गए,
मैं मिला उससे वह मुझसे मिल गया।

*

देख सकता है कौन जलवए यार,
यही बाइस है मुँह छुपाने का।

*

क़यामत में तो अब वादा वफ़ा हो,
कहूँगा थाम कर दामन किसी का।

■

लीजिए-लीजिए मेरे दिल को,
देखिए-देखिए पछताइएगा।
चुप रहें आप जनाबे नासेह,
मैं समझता हूँ जो समझाइएगा।
"नूह" मैख़ाने से मस्जिद की तरफ़,
कभी फ़ुरसत हो तो हो आइएगा।

*

रोज़ आने ही को फ़रमाएँगे आप,
या मेरे घर भी कभी आएँगे आप ?

*

क्यों मुझे आप क़त्ल करते हैं,
मरने वाले पे लोग मरते हैं !

*

क्यों न दिल इस ख़्याल से ख़ुश हो,
कि तुम्हारा ख़्याल है दिल में।
मेरे पहलू में जिस तरह दिल है,
यूँ तुम्हारा ख़्याल है दिल में।
क्यों न दिल इस ख़्याल से ख़ुश हो,
कि तुम्हारा ख़्याल है दिल में।

*

सुना करता हूँ बातें प्यारी-प्यारी,
किसी की गुफ़्तगू है और मैं हूँ।
न तुझसा है न अब कोई है मुझसा,
ज़माने भर में तू है और मैं हूँ।

❀

सब अदा को अदा समझते हैं,
हम अदा को क़ज़ा समझते हैं।
हम तो क्या जाने कह रहे हैं क्या,
आप क्या जाने क्या समझते हैं।
मेरे नाले ग़ज़ब के हैं लेकिन,
वह इन्हें भी हवा समझते हैं।
दिल अगर है तो ख़ूबरू लाखों,
आप अपने को क्या समझते हैं ?

*

इस तरफ़ उस तरफ़ नज़र डाली,
उम्र योंही तमाम कर डाली।
दिल न था आईने के पहलू में,
किस नज़र से उधर नज़र डाली।
पत्ती-पत्ती में तुझको देख लिया,
डाली-डाली पे यूँ नज़र डाली।
पढ़ रहे थे वह ग़ैर की तहरीर,
छीन कर हमने चाक कर डाली।
सामना जब हुआ क़यामत में,
"नूह" पर "नूह" ने नज़र डाली।

❀

कोई देखे रूए जाना की बहार,
यह चमन है वह जहाँ माली नहीं।
लोटता है दिल तड़पता है जिगर,
कोई अपने काम से ख़ाली नहीं।
"नूह" को तूफ़ाने ग़म से ख़ौफ़ क्या,
उसकी कश्ती डूबने वाली नहीं।
मैं उन्हें पाकर इसे पाता नहीं,
वह जब आते हैं तो होश आता नहीं।
बस मुझी को लोग समझाते हैं सब,
कोई उस ज़ालिम को समझाता नहीं।

❀

पाठक हज़रत "नूह" की शायरी का अन्दाज़ा कर चुके होंगे। जो शेर है अपनी जगह लाजवाब है। ज़बान की सफ़ाई महाकवि "दाग़" से मिलती हुई है। इनका कलाम और उनका कलाम मिला कर देखा जाए तो एक ही मालूम होता है। एक जगह हज़रत "नूह" ख़ुद फ़रमाते हैं। और बजा फ़रमाते हैं।

वह कहते हैं बताओ फ़र्क़ क्या है,
जनाबे 'दाग़' 'नूहे' नारवी में।

❀

अब हमें यह दिखाना है कि हज़रत "नूह" किसी की ग़ज़ल पर मिसरे लगा कर उसे किस ख़ूबी से ख़मसा बनाते हैं। देखिए महाकवि "दाग़" की यह ग़ज़ल दाग़ साहब का यह मतला है :—

तेरे कूचे में जो हम बादीदए तर बैठते,
सैकड़ों तूफ़ान उठते सैकड़ों घर बैठते।

इस पर हज़रत नूह के मिसरे :—

इस तरफ़ दीवार उठती उस तरफ़ दर बैठते,
फिर उठाते लोग उनको फिर मुक़र्रर बैठते।
अलग़रज़ बन कर बिगड़ते उठ कर अकसर बैठते,
तेरे कूचे में जो हम बादीदए-तर बैठते,
सैकड़ों तूफ़ान उठते सैकड़ों घर बैठते।

स्वर्गीय निज़ाम हैदराबाद जनाब "आसिफ़" का यह मतला है :—

वही है .ख़ूबरू जो नेक .ख़ू हो,
वही है फूल जिसमें रङ्गो बू हो ।

नूह साहब फ़रमाते हैं :—

यह है तसलीम मुझको .ख़ूबरू हो,
इसे मैं मानता हूँ .ख़ुश गुलू हो ।
मगर किस काम के जब जङ्ग जू हो,
वही है .ख़ूबरू जो नेक .ख़ू हो,
वही है फूल जिसमें रङ्गो-बू हो ।

जनाब "ज़ौक़" के मशहूर शागिर्द हज़रत "ज़हीर" देहलवी की ग़ज़ल पर मिसरे मुलाहज़ा कीजिए—

शाना .ज़ुल्फ़ों में किसने फेरा है,
कि जिगर चाक-चाक मेरा है ।
—"ज़हीर"

सौ बलाओं ने मुझको घेरा है,
हर जगह तीरगी का डेरा है ।
को देखे अभी सवेरा है
शाना ज़ुल्फ़ों में किसने फेरा है !
कि जिगर चाक-चाक मेरा है ।
तेरे कूचे में तेरे वादे पर
दूसरा तीसरा यह फेरा है,
—"ज़हीर"

क्या मिसरे लगाए हैं :—

इस तरफ़ से उधर, उधर से इधर
मैं लगाता हूँ रात-दिन चक्कर,
आज भी दीलजू सितम परवर,
तेरे कूचे में तेरे वादे पर ।
दूसरा तीसरा यह फेरा है ।

❀

हज़रत नूह ने दरबार देहली का क्या अच्छा नक़्शा शायरी में खींचा है :—

साक़ी मुझको चाय पिला दे
साक़ी मुझको और सिवा दे ।
साक़ी मुझको शक्ल दिखा दे,
साक़ी मुझको मस्त बना दे ।
उट्ठे काले-काले बादल,
भर देंगे पानी से जल-थल ।
निकलेगी शाखों में कोंपल,
जङ्गल में भी होगा मङ्गल ।
.ख़ूब सजी है डाली-डाली,
हर पत्ती दिल लेने वाली ।
रङ्ग अनोखा वज़ा निराली,
प्यारी-प्यारी भोली-भाली ।
नौबतख़ाने में है नै भी,
मैख़ाने में है जाइज़ मै भी ।
मस्जिद में हू हक़ की लै भी,
मन्दिर में बम-बम जय-जय भी ।
दिल्ली के दरबार को देखो,
दिल्ली के बाज़ार को देखो ।
दिल्ली की सरकार को देखो,
दिल्ली की भरमार को देखो ।
पाइप में पानी की कसरत,
टाइप में सामाने किताबत ।
टेलीफ़ून में बेकी सुरअत,
फ़ोनों में पोशीदा हिकमत ।
राजा आए नवाब आए,
अपनी-अपनी फ़ौजें लाए ।
कैसे-कैसे लुत्फ़ उठाए,
रुतबा पाए तमग़े पाए ।
इसके उसके मेरे तेरे,
हाथी घोड़े ख़ेमे डेरे ।
सौ-सौ चक्कर सौ सौ फेरे,
आते-जाते शाम सवेरे ।
झाड़ पे नख़्ले तूर काशक है,
ज़ाहिर बातिन एक चमक है ।
फ़ानूसों में ख़ास झलक है,
बिजली की बिजली गाहक है ।
आपस में बेबाकी देखी,
हुशियारी चालाकी देखी ।
पोलो देखा, हॉकी देखी,
क्या-क्या शान .ख़ुदा की देखो ।

❀

अपने उस्ताद महाकवि "दाग़" के मर जाने पर जो मरसिया लिखा है, किस क़दर असर में, दर्द में डूबा हुआ है :—

न रही अब वह शान दिल्ली की,
जिस्म से निकली जान दिल्ली की ।
है कहाँ इसमें वह मताए सख़ुन,
क्या चलेगी दुकान दिल्ली की ।
चल बसे ज़ौक़ो ग़ालिबो मोमिन,
गई साथ इनके आन दिल्ली की ।
एक थे "दाग़" वह भी रह न गए,
ख़त्म है दास्तान दिल्ली की ।
ताज़ियत कर रहे हैं यह कह कर,
आज दोनों जहान दिल्ली की ।
क्या कहें किस क़दर मलाल हुआ,
हज़रते "दाग़" का विसाल हुआ ।
दाग़ का ग़म भुलाएगा अब कौन,
दाग़ उनका मिटाएगा अब कौन ।
क्यों न शागिर्द उनके ग़मगीं हों,
इनकी बिगड़ी बनाएगा अब कौन ।
इस तरह की सनद हमें देकर,
दिल हमारा बढ़ाएगा अब कौन ।
नारे आने को हमसे कहते थे,
मगर अफ़सोस आएगा अब कौन ।
नूह दिल में लगी हुई है आग,
इस लगी को बुझाएगा अब कौन ।
क्या कहें किस क़दर मलाल हुआ,
हज़रते दाग़ का विसाल हुआ ।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के आप बड़े ज़बरदस्त हामी हैं । देखिए फ़रमाते हैं :—

हिन्द की आन-बान हैं दोनों,
तन है एक और जान हैं दोनों ।
ख़लक इस पर ज़रा निगाह करे,
अपने ख़ालिक़ की शान हैं दोनों ।
बार अपना उठा नहीं सकते,
इस क़दर नातवान हैं दोनों ।
फ़र्ज़ है इन पर इसकी रखवाली,
मुल्क के पासबान हैं दोनों ।
न हरम है न अब वह बुतख़ाना,
टूटे-फूटे मकान हैं दोनों ।
तीर औरों पे क्या लगाएँगे,
.ख़ुद वह उतरी कमान हैं दोनों ।
कोई सूरत नहीं सफ़ाई की,
दिल में यूँ बदगुमान हैं दोनों को ।
फिर पढ़ो "नूह" तुम वही मिसरा,
हिन्द की आन-बान हैं दोनों ।

❀

अब मैं कुछ हास्य-रस की कविता के नमूने पाठकों के सामने रखता हूँ । इसमें भी हज़रत "नूह" ने कमाल कर दिखाया है :—

बदले वह सब तरीक़े यारों ने ज़िन्दगी के,
शरबत पे ख़ाक डाली होटल में चाय पीके ।
इसलाह औरतों की मरदों के बाद होगी,
साए की भी मरम्मत लाज़िम है कोट सीके ।

हैट को मिलने लगी सर पर जगह,
.ख़ैर माँगे शेख़ की दस्तार की ।
पहले लेते थे ख़बर अख़बार से,
अब वह लेते हैं ख़बर अख़बार की ।

❀

ए-बी जो न कहते बने बी-बी कहाइए,
वाइन जो न कहते बने विहसकी कहाइए ।
कम भी हो कोई हर्फ़ तो कुछ हर्ज नहीं,
नकटाई न कहते बने नकटी कहाइए ।
डण्डे से न खेलेगा कोई बैट के आगे,
क्या क़द्र है कनटोप की अब हैट के आगे ।

❀

हर वक़्त हमें सूझती है बात नई,
गो होते एक काम में नुक़सान कई ।
क्या कीजिए महरूमिये क़िस्मत का गिला,
बिसकुट न मिला और चपाती भी गई ।

❀

क्योंकर निभेगी शेख़ से लेडी की रस्मो राह,
मोटा सा है वह बाँस यह पतली सी केन है ।

❀

ख़र्च गो सारी कमाई होगई,
लाट साहब तक रसाई होगई ।
कौन जाए अब कलब को छोड़ कर,
लेडियों से आशनाई होगई ।
हमने यूँ जो खोल कर चन्दे दिए,
मालो दौलत को सफ़ाई होगई ।
पास आया के जो मैं आया-गया,
ख़ानसामाँ से लड़ाई होगई ।

❀

नौकरी मिलने में आसानी नहीं,
पास हो जाना बहुत आसान है ।
सर जो टेबुल से कभी उठता नहीं,
क्या किसी अङ्गरेज़ का एहसान है ।
"नूह" ईसाई न होते हों कहीं,
आज गिरजा में बड़ा सामान है ।

❀

ग़रज़ यह कि पाठक समझ गए होंगे कि हज़रत "नूह" को शायरी में क्या कमाल हासिल है । इस समय उर्दू शायरी में उनका दम ग़नीमत है । जिस क़दर भी नूह साहब की तारीफ़ की जाय, कम है । आप अपने वतन नारा में जब रहते हैं, तो सात बजे से ग्यारह बजे तक अपने शागिर्दों की कविताओं का संशोधन करते हैं । बात की बात में कविता देखते हैं । जो लफ़्ज़ रख देते हैं, वह अपनी जगह पर नगीना का काम देता है । उस्तादी इसी का नाम है । उदाहरण के तौर पर मैं अपने दो-एक शेर नीचे लिखता हूँ । देखिए, उस्ताद साहब शेर को संशोधन करके कितना रोचक कर दिया है :—

तीरे निगाहे यार .ख़ुदा की तुझे क़सम—
दिल में लहू रहे न जिगर में लहू रहे ।

इसलाह फ़रमाते हैं—

तीरे निगाहे यार अदा की तुझे क़सम
दिल में लहू रहे न जिगर में लहू रहे,

.ख़ुदा के शब्द को काट कर अदा रख दिया, तीर के लिए अदा का शब्द लाजवाब है और अपनी जगह नगीना है, यह उस्तादी नहीं तो

(शेष मैटर ३७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

देखते-देखते लोगों ने हिजली-काण्ड को तिल का ताड़ बना दिया और इस ज़रा सी बात के लिए ऐसा गुल-गपाड़ा मचाया कि बेचारी नौकरशाही का शिशिरा-रम्भ का मज़ा ही किरकिरा हुआ चाहता है।

❀

भला बङ्गाल के इस बूढ़े कवीन्द्र को देखो, विश्व-प्रेम का नीरव-निरापद प्रचार छोड़ कर 'हाय हिजली' 'हाय हिजली' कर रहे हैं और शिशिर-वर्णन का सरस कार्य छोड़ कर नीरस 'मर्सियाख़्वानी' में लग गए हैं। दो नवयुवकों के मर जाने से व बीस के घायल हो जाने से ऐसा कौन सा आसमान फट पड़ा था, जिसके लिए लँगड़े भी दीवार फाँदने को उद्यत हो रहे हैं!

❀

अपने राम तो जनाब, इस सम्बन्ध में चिरञ्जीव 'स्टेट्समैन' की दलील के क़ायल हैं कि मानसिक उत्तेजना के समय ऐसा हो ही जाता है। इसमें बेचारे सन्तरियों का कोई अपराध नहीं है, इसलिए इसके लिए उन्हें दण्ड देना ब्रिटिश न्यायशीलता के मुख पर कालिख पोत देना है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि बङ्गाल की सुशीला सरकार रानी हमारे चिरञ्जीव की बात न टालेंगी।

❀

कुछ बाल की खाल निकालने वाले कठदलीलियों का कहना है कि अगर मानसिक उत्तेजना के समय किसी को मार डालना अपराध नहीं है तो ख़ूनियों को फाँसी क्यों हो जाती है? क्या ख़ून करने के समय उनमें मानसिक उत्तेजना नहीं हुआ करती? हुआ करती है भाई साहब, परन्तु इन सब बातों का सम्बन्ध मनुष्य और मनुष्यत्व है और यहाँ इन दोनों में से कुछ भी नहीं। क्यों, क्या समझे?

❀

हिजली के कैम्प-जेल में जो क़ैद थे, वे राजबन्दी थे, जिन्होंने उन पर मानसिक उत्तेजना के कारण गोलियाँ दाग़ी थीं, वे सरकार के कर्मचारी हैं। ये बने हैं, मारने के लिए और उनकी सृष्टि हुई है मरने के लिए। दोनों ने अपने-अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कुछ काले मर गए तो अच्छा ही हुआ।

❀

हमारे उपर्युक्त चिरञ्जीव चूँकि दया और करुणा की पिटारी हैं, इसलिए हिजली-काण्ड की सरकारी रिपोर्ट में सन्तरियों के विरुद्ध अभिमत देख कर बेचारे विचलित हो रहे हैं और डर रहे हैं कि बङ्गालियों के हो-हल्ला मचाने के कारण इस महँगी के ज़माने में श्रीमती सरकार भावावेश में आकर उन पर कुछ दो-चार रुपए जुर्माना आदि न कर दें। इसीसे बेचारे अभी से उन्हें सत्पथ पर लाने की साधु-चेष्टा में लग गए हैं। वास्तव में चिरञ्जीव बड़े दूरन्देश हैं।

❀

इसके अलावा, इधर कवीन्द्र ने और उधर महात्मा गाँधी ने भी इस ज़रा सी बात के लिए श्रीमती सरकार की न्यायपरता को ललकार डाला है। ऐसा हालत में चिरञ्जीव का चौकन्ना हो जाना तो अत्यावश्यक ही ठहरा। क्योंकि कुल-मर्यादा की रक्षा तो होनी ही चाहिए।

❀

'राजबन्दी' नामधारी वे अभागे युवक 'हिजली में किस अपराध के कारण क़ैद थे, यह तो शायद अल्लाह मियाँ को भी मालूम न होगा, परन्तु इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि जिस तरह मौ० शौकत से लेकर अम्बेद-कर तक सरकार द्वारा 'मनोनीत' भारत के प्रतिनिधि हैं, उसी तरह वे युवक भी सरकार की पुलिस द्वारा 'मनोनीत' (?) सरकार के शत्रु हैं। ऐसी दशा में सन्तरियों ने उन्हें मार कर और घायल करके सरकार का उपकार ही किया है। फलतः वे पुरस्कार के पात्र हैं, न कि तिरस्कार के।

❀

अच्छे रहे, चटगाँव-काण्ड के चतुर जाँचकर्त्ता, जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट ही नहीं दाख़िल की। बेचारों ने सचमुच बड़ी दूरन्देशी से काम लिया है और चिरञ्जीव 'स्टेट्समैन' का काम भी हलका कर दिया है। क्योंकि आख़िर चटगाँव के उपकारियों की चिन्ता भी तो बेचारे को इसी समय करनी पड़ती। और आश्चर्य नहीं कि दोतरफ़ी चिन्ता की गरमी से दया का कुल्हड़ ही सूख जाता।

❀

कुछ आँखों के अन्धे, पर नाम नयनसुखों का कहना है कि लण्डन की गोरखधन्धा कॉन्फ़्रेन्स विफल हो गई, परन्तु भगवती विजया की कृपा से हिज़ होलीनेस को मालूम हो गया है कि इस कॉन्फ़्रेन्स में बी-ब्रितानियाँ की एकदम पौ बारह रहेगी और ऐसी सफलता प्राप्त होगी कि जैसी मि० जॉनबुल के बाप ने भी कभी प्राप्त न की होगी।

❀

अब तक तो बूढ़े भारत की सद्गति के लिए केवल 'दाढ़ी-चोटी-सम्मेलन' करा कर ही सन्तोष कर लिया जाता था, परन्तु अब बी-कॉन्फ़्रेन्स की सफलता की बदौलत 'चोटी-चोटी'-सम्मेलन भी हुआ करेगा। अर्थात्—आवश्यकता पड़ने पर 'अम्बेदकरी दल' भी अखाड़े में उतारा जाएगा। बी-ब्रितानियाँ हैं कि कोई खेलवाड़ हैं। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाली हैं। यार लोग टापते ही रह गए और बीबी ने बाज़ी मार ली।

❀

रङ्ग गहरा गँठा है जनाब, भारत के साथ ही लगे हाथ मध्य एशिया की छाती पर भी अनादि काल तक बालडाम्स की व्यवस्था हो रही है। बक़ौल डॉक्टर सय्यद महमूद, अरब के जेरुसलम में बी-ब्रितानियाँ के आँचल की छाया में कोई ख़िलाफ़त क़ायम होगी, हमारे मोटे-मोटे मौलाना डिप्टी ख़लीफ़ा होकर अपनी नवीन लीला आरम्भ करेंगे और मध्य एशिया के 'पेट्रोल-क्षेत्रों' पर बी साहबा का अधिकार रहेगा।

❀

एक तो ठाले का दिन, दूसरे ख़िलाफ़त न रहने से ख़िलाफ़त के नाम पर कोई कुछ देता नहीं, अथच मौलाना की मूज़ी की क़ब्र सी तोंद को माले-मुफ़्त दिले बेरहम का चसका लग चुका है, इसलिए ख़िलाफ़त क़ायम करने के लिए उन्हें भी बी-ब्रितानियाँ की मदद की आवश्यकता है। उधर पुराने ख़लीफ़ा भी फ़्रान्स के 'क़ब्रिस्तान' में विगत ख़िलाफ़त के मज़े की याद कर-करके होंठ चाट रहे हैं। तात्पर्य यह कि ठठेरे-ठठेरे बदलौअल का पूरा तार है।

❀

बड़ा मज़ा रहेगा, भारत की भावी व्यवस्थापिका सभाओं में फ़ी सैकड़ा डेढ़ सौ जगहें ब्रितानियाँ के अल्प-संख्यक लाड़लों (अर्थात् मुसलमान, एँग्लो-इण्डियन और अछूत आदि) को मिलेंगी। बीबी साहबा मेथेमेटिक्स की एक नवीन 'थ्यूरी' संसार के सामने उपस्थित करेंगी, संसार के हिसाबियों को चाहिए कि अभी से मुँह बाकर इस थ्यूरी के इन्तज़ार में लग जाएँ।

❀

जिस तरह श्रीमती एनी बेसेण्ट ने मद्रासी कुमार मि० कृष्णमूर्ति को जगद्गुरु बना कर ही दम लिया था, उसी तरह मौ० शौकतअली भी निज़ाम-कुमार को ख़लीफ़ा बनाने की फ़िक्र में लग गए हैं। बिस्मिल्ला हो चुकी है—उद्योग-पर्व आरम्भ है। भावी ख़लीफ़ा, भूत ख़लीफ़ा के घर—नीस (फ़्रान्स) पहुँच गए हैं। सम्भवतः कोर्टशिप आरम्भ है। मुबारक! मुबारक!!

❀

(नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी)

(३२वें पृष्ठ का शेषांश)

फिर क्या है। अब शैर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और सुनिए। मेरा शैर है—

जब बगूला दश्त में उठ कर कहीं ऊँचा हुआ,
क़ैस यह समझा कि बस लैला इसी महमिल में है।

इस शैर को यूँ बनाया और ख़ूब बनायाः—

जब बगूला दश्त में उठ कर ज़रा ऊँचा हुआ,
क़ैस यह समझा कि बस लैला इसी महमिल में है।

कहीं की जगह पहले मिसरे में ज़रा कर दिया। क्या से क्या शैर बन गया।

आप अपने शागिर्दों को बहुत मानते भी हैं, उनसे बिलकुल बेतकल्लुफ़ रहते हैं। हिन्दू और मुसलमान, दोनों आपके शागिर्दी में दाख़िल हैं। तअस्सुब तो आप में नाम को भी नहीं है। बड़े ज़िन्दा-दिल और मिलनसार हैं। एक मामूली शायर की कविता सुन कर आप बेहद तारीफ़ करते हैं। उस्ताद वह जो अपने शागिर्द को शायरी में उस्ताद बनाए। लेख तूल हो जाने के भय से अब मैं ख़तम करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि हज़रत "नूह" नूह की उमर पावें!

❀ ❀ ❀

दिल्ली से ख़बर आई है कि श्रीमान वायसरॉय महोदय के भ्रमणार्थ कञ्जूस कमिटी (फ़ायनेन्स कमिटी) ने उन्हें एक व्योमयान प्रदान करने की सलाह दी है। कमिटी का कहना है कि इससे वायसरॉय के भ्रमण का ख़र्च बहुत कम हो जायगा। ख़ैर, वायसरॉय महोदय की स्पेशल ट्रेन की मरम्मत में प्रायः पौन लाख स्वाहा हो जाने से यह विचरण-ख़र्च में कमी की सूझ समयोचित ही कही जायगी।

❀

इससे व्योम-विहार भी होगा और थोड़े ख़र्च में वायसरॉय महोदय यात्रा भी कर सकेंगे। परन्तु सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि हमारे वायसरॉय कमबख़्त डायनों की नज़र लगने से बचे रहेंगे। इसलिए श्रीजगद्गुरु का विमल अन्तःकरण इस सद्युक्ति के लिए श्रीमती कञ्जूस कमिटी को धन्यवाद देने के लिए बाध्य है।

❀

मगर जनाब आली, थोड़े ख़र्च में उड़ने का सुन्दर साधन—जैसा कि अपने राम का युग-युगान्तर का अनुभव है—विजय-व्यवहार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। पिस्ता, बादाम, गोलमिर्च और गुजराती इलायची के साथ ठिकाने से घुटी हुई विजया का एक बनारसी पुरवा जमा लीजिए, न कहीं आने-जाने की ज़रूरत, न उठने-बैठने की—बस, लेटे ही लेटे, और कुल ढाई घण्टे में, भूः भुवः और स्वः आदि सातों लोकों की सैर कर लीजिए।

❀

इसलिए हमारी राय है कि अगर उपर्युक्त कञ्जूस-कमिटी ने शासन-व्यय घटा कर भारत को निहाल कर देने का मुसम्मिम इरादा कर लिया है (जैसा कि उसकी आज तक की कार्रवाइयों से विदित हो चुका है) तो उसे हिज़ होलीनेस के इस कम ख़र्च बाला-नशीन नुसख़े की एक बार अवश्य आज़माइश करनी चाहिए।

❀

भगवती विजया अपने 'छनकड़ों' अर्थात् उपासकों पर कृपा भी वैसी ही रखती हैं, जैसी सखी नौकरशाही सम्प्रदायवादियों पर रखती हैं। नज़र लगना तो दर-किनार, अगर छनकड़ चाहें तो एक यमराज को भी अँगूठा दिखा दें।

❀

सुनते हैं, भारत-सचिव सर सेमुअल होर ने अपने मन की बात चुपके से दादा सप्रू के कान में बता दी है।

ख़बरों से मालूम होता है कि श्रीमती ब्रिटिश सरकार ने एकदम थैली खोल दी है और भारतवासियों को सर्वस्व दे देना चाहती है। केवल सौभाग्य-चिन्ह (जैसे काजल, सिन्दूर, चूड़ी और रङ्गीन साड़ी) स्वरूप अर्थ-प्रबन्ध, मुद्रा, सेना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बस यही चार चीज़ें अपने लिए रक्खेंगी। ठीक ही है, अहिवाती गृहस्थिन के लिए कम से कम ये चीज़ें तो चाहिए ही।

❀

फिर अबोध बालकों के हाथ में रुपया-पैसा दे देना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। कहीं खेल-कूद में खो दें या दीवाली के छक्के-पौके फेर में हार बैठें तो बेचारी की सात पुश्तों की कमाई हुई रक़म डूब जाय। आख़िर उन्हें भी तो बुढ़ौती निभाना है कि नहीं। इस कलियुग में आयु की कोई मर्यादा नहीं। ईश्वर न करे, कहीं क़िस्मत ने धोखा दिया और वैधव्य का सामना करना पड़ा तो चार पैसे पल्ले रहेंगे तो वक़्त पर काम दे जाएँगे।

❀

सेना, हथियार—छुरी-कटारी—कोई हँसी-खेल की चीज़ें नहीं हैं। कहीं अँव-कुठाँव लग गया तो हल्दी-चूना ढूँढ़ते फिरो। इसी से चतुरा गृहिणियाँ बाल-बच्चे वाले घरों में इन ख़तरनाक चीज़ों से हमेशा सावधान रहती हैं। फिर जब बचुआ, बड़े होकर हथियार पकड़ना सीख लेंगे तो बेचारी अपने आप सब कुछ सौंप देंगी। और क्या, धन-दौलत, हाथी-घोड़ा और तलवार-बन्दूक़ अपने साथ चिता पर थोड़े ही लेती जाएँगी।

❀

पड़ोसी एक से एक बढ़ कर चघड़ हैं बाबा! कोई बोलशेविज़्म का फन्दा लिए फिरता है और कोई ख़तना कर डालने के लिए छुरी तेज़ कर रहा है। अबोधों को फुसला, माल ऐंठ लेते इन्हें देर ही क्या लगेगी? बस, रेवड़ी या बताशे का लालच देकर सारी जमा-पूँजी हड़प कर लेंगे। इसीलिए श्रीमती जी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अन्यथा सांसारिक झमेलों से छुट्टी पाकर बुढ़ौती के स्वल्प समय को भगवद्चिन्तन में बिताने की अभिलाषा किसे नहीं होती।

❀

इसलिए सहयोगी 'आज' की राय से कोर्टशिप करके श्रीजगद्गुरु भी इसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं कि बूढ़े लँगोटी बाबा अब अपनी झोंपड़ी में लौट आवें और श्रीमती ब्रितानिया के अचल सौभाग्य के लिए सत्य और अहिंसा की माला फेरना आरम्भ कर दें। क्योंकि बाबा जी जब तक अपना प्रचुर तप-फल श्रीमती की अठखेलियों पर निछावर न कर देंगे, तब तक उनके हृदय की वात्सल्य-बाढ़ न रुकेगी।

❀

बात यह है कि उनकी उमर चाहे अधिक हो गई हो, परन्तु जवानी की वह चुलबुलाहट ज्यों की त्यों है, 'चहल साल उमरे अज़ीज़त गुज़श्त, मिज़ाजे तो अज़ हाल तिफ़्ली न गश्त'[❀] की अवस्था है। वही अठखेलियाँ, वही अल्हड़पन, वही 'आँखमुदौअल' के वक़्त की लुका-छिपी और किसी की न सुन कर अपने मन की करते जाना! हाय रे तिफ़्ली (लड़कपन), कमबख़्त इस बूढ़े दढ़ियल को तो कभी का छोड़ कर चली गई, परन्तु सखी से चिपकी ही रह गई!

❀

ज़ोम में आकर गाँधी-इर्विन समझौते को झपटते ही ऐसी ठोकर जमाई कि कमबख़्त रद्दी की टोकरी में पड़ा-पड़ा अन्तिम साँसें ले रहा है। उधर लण्डन में महात्मा गाँधी से समझौते की बातें हो रही हैं, इधर शिमला-शिखरस्थ वायसरॉय ऑर्डिनेन्स के अण्डे दे रहे हैं, जिनकी संख्या पौन दर्जन तक पहुँच चुकी है। मार, धर, जेल और जुर्माने के बाज़ार भी पूर्ववत् गर्म हैं। बीच-बीच में हिजली और चटगाँव काण्ड की भी सृष्टि हो जाती है। ग़र्ज़ कि बारहमासी ईद मची हुई है।

❀

इन लक्षणों से तो यही मालूम होता है कि अभी खेल तमाशे से उनका मन नहीं भरा है। जीवन के सारे दिन ऐशो-इशरत और उछल-कूद में ही व्यतीत कर देना चाहती हैं। न बदनामी का डर है, न लोक-लज्जा की परवाह। एक क्षण भी चैन से बैठना मञ्ज़ूर नहीं। फलतः श्रीजगद्गुरु की तो अब यह निर्भ्रान्त धारणा हो गई है कि:—

ठोकरें खिलवाएगी यह चाल इठलाई हुई।

❀

❀ उमर के चालीस बरस बीत गए, परन्तु अभी तक लड़कपन नहीं गया।

बातचीत

एजेण्टों से—

आवश्यक सूचना

एजेण्टों को सूचित किया जाता है कि वह अक्टूबर मास की बिक्री का रुपया तुरन्त ही भेज दें। रुपया न मिलने के कारण कॉपियाँ भेजने में असुविधा होती है। एजेण्टों को रुपया भेजने की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

अब बिल भेजने का नियम उठा दिया गया है, एजेण्ट स्वयम् हिसाब बना कर रुपया भेजा करें। जिनका रुपया नहीं रहेगा, हम 'भविष्य' की प्रतियाँ बिना किसी सूचना के भेजना बन्द कर देंगे, यह बात एजेण्टों को स्मरण रखनी चाहिए।

निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें २९-१०-३१ से ५-११-३१ तक के सप्ताह में बिक्री के हिसाब में मिला है :—

१—श्रीयुत चिं० ला० जी, रायपुर ... ५०)
२—श्री० आर० एच० वर्मा, कल्याण ... ३)
३—श्री० एम० टी० हुसैन, मुँगेर ...११॥=)
४—श्री० ब० ला० माली, दरभङ्गा ... ११।-)
५—श्री० ही० ला०, खण्डवा ... १०)
६—श्री० ला० मो०, सुल्तानपुर ... १४-)
७—श्री० म० प्र० खत्री, बलरामपुर ... २५)
८—श्री० सि० ला०, चन्दौसी ... ३॥=)
९—श्री० ब० रा० दास, फ़ैज़ाबाद ... १०)
१०—मेसर्स सिंहल कं०, अलीगढ़ ... १०)
११—श्री० बा० रा० गोयल, रुड़की ... १०)
१२—मेसर्स ई० ली० जोशी, हापुड़ ... ७=)
१३—मेसर्स गौ० शं० रा० गो०,शाहजहाँपुर ११॥-)

ग्राहकों से—

निम्नाङ्कित ग्राहकों का पता बदल दिया गया है :— २९३७, ३१४६, १२२४, २३१४, २५०९, ६२९ और १०५४।

निम्नाङ्कित ग्राहकों को नीचे लिखे अङ्क दुबारा भेजे गए हैं :—

५२ वाँ—२२७१ और १३६८
५३ वाँ—२२२८
५४ वाँ—२१४०, २२२८, २६०२, २९६८ और २३७६। ४७,४८,४९ और ५० वाँ—२२५३

गत सप्ताह में २९ अक्टूबर से ५ नवम्बर तक निम्न-लिखित 'भविष्य' के नवीन ग्राहक हुए हैं। जिन-जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा ग्राहक-नम्बर के साथ चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना न भूलें, ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी भाँति का विलम्ब न हो।

३२४१—बा० कुञ्जबिहारी सिंह, पुसद (यवतमहाल) ... ... १२)
३२४२—श्री० फालूराम जी सेठ, जयपूर स्टेट ... ६॥)
३२४३—श्री० सेक्रेटरी जैन स्वेताम्बर पब्लिक लायब्रेरी, लखनऊ ... ... १०)
३२४४—पं० सागरमल शर्मा, बहावलपूर स्टेट ... ६॥)
३२४५—श्री० मोतीचन्द ढपिडया, जयपूर ... १२)
३२४६—डा० बिहारी सिंह, जी बलिया ... ३॥)
३२४७—पं० मोतीराम हसीपाव (बर्मा) ... ६॥)
३२४८—सेठ रामगोपाल प्रबन्धकर्ता, मेरठ ... ३॥)

गत सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ। जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है :—

ग्राहक नं०	प्राप्त रक़म
२१८०	६)
२५२२	६॥)
२५९९	६॥)
२९५४	३॥)
२६४८	३॥)
२६५३	६॥)
२६००	६॥)
३०२९	६॥)
२६६२	६॥)
२९५२	३॥)
२६६३	६॥)
६२९	१२)

❀

Registered No. A—2085

उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूतन उपहार !

[अत्यन्त मनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास]

सांसारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, धैर्यवान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग-व्रत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-सुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ख़ून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस

छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर व [illegible] ! मूल्य केवल [illegible] !



पुस्तक छप रही है! अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए!

प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अर्पण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल—एक दरिद्र की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती है, इसका अद्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा।

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्न है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्री अपना जीवन सफल बना सकती है। उसका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को धैर्य एवं साहस प्रदान कर, क्षण-मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-शैली अत्यन्त मनोहर है। पुस्तक छप रही है; शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

[illegible]

Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

भविष्य

इलाहाबाद—सोमवार





वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १६ नवम्बर, १९३१ | संख्या ७, पूर्ण संख्या ५७

'सच्ची दिवाली तभी होगी जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे'

"चटगाँव और हिजली को याद रक्खो"

'अगर सरकार हमारी माँग स्वीकार न करे तो ब्रिटिश माल का बॉयकाट और पिकेटिङ्ग आरम्भ कर देना चाहिए'

जेल जाते समय श्री० सुभाषचन्द्र बोस का सन्देश !

११ ता० को दोपहर के समय श्री० सुभाषचन्द्र बोस ढाका से चार मील के फ़ासले पर तेजगाँव नामक स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिए गए। वे ढाका में पुलिस के अत्याचारों की जाँच करने वाली ग़ैर-सरकारी कमिटी में शामिल होने जा रहे थे। सब-डिविज़नल ऑफ़िसर ने उनको लौट जाने को कहा, और इस आज्ञा के न मानने पर वे ढाका सेन्ट्रल जेल में भेज दिए गए। जेल जाते समय सुभाष बाबू ने बङ्गाल के राजनीतिक कार्य-कर्ताओं को सन्देश दिया कि "चटगाँव और हिजली को याद रक्खो। इन घटनाओं का पूरा प्रतिकार और क्षति-पूर्ति हुए बिना हम शान्त नहीं हो सकते। मैं अपने देश-वासियों से अपील करता हूँ कि वे चटगाँव और हिजली के सम्बन्ध में हमारी सार्वजनिक माँग से सहयोग करें और इसके लिए देश-व्यापी आन्दोलन करें। अगर सरकार हमारी माँग को स्वीकार न करे तो हमको ब्रिटिश माल के बायकॉट का आन्दोलन और पिकेटिङ्ग आरम्भ कर देना चाहिए। यदि कॉङ्ग्रेस किसी कारण से इस कार्य को अपने ऊपर लेने में आगा-पीछा करे तो जनता को यह स्वयं आरम्भ करना चाहिए; क्योंकि यह प्रश्न आत्म-सम्मान, मनुष्यत्व और जनता के अधिकारों की रक्षा का है। अन्त में मैं समस्त भारतवासियों से प्रत्येक महीने की १६ तारीख़ को 'चटगाँव और हिजली-दिन' मनाने की अपील करता हूँ।"

—दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० रुद्रदत्त मिश्र को सरदार भागसिंह डिप्टी-सुपरि०टेण्डेण्ट पुलिस को तमाचा मारने के अभियोग में नौ मास की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है। सज़ा पूरी हो जाने के बाद नेकचलनी के लिए ५००)-५००) की दो ज़मानतें दो वर्ष के लिए देनी पड़ेंगी। ज़मानत न दे सकने पर दो साल की सादी क़ैद की सज़ा होगी।

—चिनसुरा (बङ्गाल) का समाचार है कि मन कुण्डा सशस्त्र मोटर डकैती के अभियुक्त श्री० देवेन्द्र-नाथ भट्टाचार्य और श्यामविहारी मुकर्जी को क्रमशः सात और चार वर्ष की क़ैद की सज़ा दी गई।

—यू० पी० सरकार ने सूचना प्रकाशित की है कि २ नवम्बर को लगान वसूल करने के सम्बन्ध में फ़तेहपुर ज़िले में एक ज़मींदार को किसानों ने मार डाला और उसके साथी को सख़्त घायल किया।

—पबना की ख़बर है कि बाबू रञ्जीतचन्द्र लाहिड़ी नामक एक प्रसिद्ध वकील की छः नली पिस्तौल छः कारतूसों सहित उनके गाँव के घर से चोरी चली गई। वे उस समय पूजा की छुट्टियों में बाहर गए थे।

—मेरठ षड्यन्त्र-केस के अभियुक्त श्री०घाटे, जो डेढ़ वर्ष पहले स्वास्थ्य के ख़राब हो जाने से ज़मानत पर छोड़ दिए गए थे, स्वास्थ्य सुधर जाने से फिर जेल भेज दिए गए।

—१० तारीख़ को पुठिया (राजशाही, बङ्गाल) में डाक के थैले लूट लिए गए। गाँव वालों ने दोनों आक्रमणकारियों को, जिनके नाम श्री० विजनकुमार सेन गुप्ता और श्री० अमलेन्दु बागची हैं, बहुत बीमा किए हुए लिफ़ाफ़ों, एक रिवॉल्वर और एक खुकरी (नैपाली छुरा) के साथ पकड़ लिया। कहा जाता है कि अभियुक्तों ने डाक के हरकारे पर तीन गोलियाँ चलाईं जिससे डर कर वह भाग गया।

स्पेन के बादशाह को जन्म क़ैद

स्पेन की नई प्रजातन्त्र सरकार ने पुराने शासन-कर्ताओं के दोषों की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियत की थी। उसने बादशाह अलफ़ोन्ज़ो को आजन्म क़ैद और समस्त सम्पत्ति की ज़ब्ती का दण्ड दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि सरकार ने फाँसी की सज़ा रद्द न कर दी होती तो अलफ़ोन्ज़ो इसी के पात्र थे। इस समय अलफोन्ज़ो स्पेन छोड़ कर विदेश में भाग गए हैं।

—लाहौर की ख़बर है कि १३ तारीख़ को काश्मीर के जत्थे भेजने के सम्बन्ध में अहरार पार्टी के तीन नेता हबीबुर्रहमान, अहमदअली और मुहम्मदशफ़ी गिर-फ़्तार कर लिए गए। लाहौर की अहरार पार्टी के दफ़्तर की तलाशी भी ली गई है।

महात्मा गाँधी का सन्देश

दिवाली के दिन महात्मा गाँधी ने एक सम्वाददाता को सन्देश दिया है कि—"सच्ची दिवाली तभी होगी जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। हमको याद रखना चाहिए कि दीवाली का उत्सव रामचन्द्र जी की सेनाओं —अर्थात् अहिंसा और सत्य—की रावण की सेनाओं —अर्थात् हिंसा और असत्य—पर विजय पाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

—मेरठ षड्यन्त्र केस में सरकार की तरफ़ से गत ३० सितम्बर तक १२ लाख १८ हज़ार रु० ख़र्च हो चुका था।

—१३ ता० को लाहौर के उर्दू दैनिक पत्र "ज़मींदार" के कार्यालय की पुलिस ने तलाशी ली।

—पटने की १० ता० की ख़बर है कि पटना बम केस में आजन्म क़ैद की सज़ा पाने वाले हज़ारीलाल ने एक बयान दिया है जिससे बिहार के एक क्रान्तिकारी सङ्गठन का भेद खुला है।

—ख़बर है कि पटना के दीहन मुहल्ला का रहने वाला राधाकिशन लोहार गत सोमवार को विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में गिरफ़्तार किया गया है। यह गिरफ़्तारी पटना बमकेस के अभियुक्त हज़ारीलाल के बयान के आधार पर हुई है, जो उसी मुहल्ले का रहने वाला था।

श्रीनगर का समाचार है कि स्पेशल ऑफ़ीसर मि० जेङ्किस के सामने बयान देते हुए कितने ही सत्याग्रह करने वाले मुसलमान वालण्टियरों ने कहा है कि अहरार पार्टी ने इस वायदे पर उनको वालण्टियर बनाया था कि उन्हें सिर्फ़ दस दिन जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद अपनी जीत हो जायगी और स्वराज्य क़ायम हो जायगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमको मज़दूरी के नाम से रोज़ाना तनख़ाह पर जत्थों में भेजा गया है।

—साइप्रस के दङ्गे के सम्बन्ध में सर फ़िलिप लिस्टर ने पार्लमेण्ट में १२ नवम्बर को कहा कि दङ्गे के फल-स्वरूप ६ नागरिक मारे गए और ३० घायल हुए। ३९ पुलिस वालों को चोट लगी। गवर्नमेण्ट हाउस का मकान, जहाँ तक सम्भव होगा, जल्दी फिर बनाया जायगा। जब तक साइप्रस के शासन-विधान पर पुन-र्विचार न हो तब तक के लिए वहाँ की व्यवस्थापक सभा रद कर दी गई है और उसके अधिकार गवर्नर को दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने दङ्गा किया है वे ही तमाम हर्जाने के ज़िम्मेदार होंगे।



—कलकत्ता के एक वर्कशाप में काम करने वाले गुहरामदास नामक व्यक्ति ने एक खेलने की तोप बनाई थी। उसने उसमें छोटे-छोटे कङ्कड़ भर कर दोस्तों के सामने चला कर दिखलाया। एक कङ्कड़ रमेशचन्द्र नामक व्यक्ति को ऐसे ज़ोर से लगा कि उसका सर फट गया और वह अस्पताल में आठ घण्टे बाद मर गया। गुहरामदास गिरफ़्तार किया गया है।

—कालीकट (मद्रास) से प्रकाशित होने वाले 'युग भारथम्' नामक पत्र के सम्पादक श्री० कृष्ण-अय्यर सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में एक कविता छापने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—बिहार के नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने इस घोषणा के सम्बन्ध में कि, प्रधान-मन्त्री की १६ जनवरी वाली घोषणा में निर्धारित नीति पर सरकार क़ायम रहेगी, कहा कि अगर अब भी सरकार उसी नीति का दम भरती है, तो गोलमेज़ परिषद् में इतना रुपया और समय ख़र्च करना फ़ज़ूलख़र्ची ही नहीं, वरन् अपराध समझा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्वाधीनता-संग्राम शुरू हुआ, तो लोग उसमें भाग लेने को पूरी तरह से तैयार हैं।

—श्री० कालीमोहन सेन गुप्ता नामक नज़रबन्द ने, जिसे कलिमपोङ्ग (दार्जिलिङ्ग) के एस० डी० ओ० ने पुलिस के बतलाए हुए घर में न रहने के कारण छः मास की सख़्त क़ैद की सज़ा दी थी, सेशन जज की अदालत में अपील की है। अभियुक्त सन् १६२४ से तीन वर्ष तक ज़िला मुर्शिदाबाद में नज़रबन्द रह चुका है और अब डेढ़ वर्ष से बक्सर के क़िले में नज़रबन्द था। सेशन जज ने अपील मन्ज़ूर करके मुक़दमे को फिर से विचार करने को भेजा है।

—बाँकुड़ा (बङ्गाल) का ६ तारीख़ का समाचार है कि जूनबनी गाँव में अखिलचन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के यहाँ डाकुओं के एक बड़े दल ने डाका डाला। घर के लोग डर कर ऊपर के खण्ड में भाग गए। डाकू जब ऊपर न जा सके तो उन्होंने मकान में आग लगा दी और थोड़ा-बहुत माल नीचे के खण्ड से लेकर चलते बने। आग के बढ़ जाने से छः बड़ी उमर के व्यक्ति और एक बच्चा घर के भीतर ही जल मरे।

—बम्बई के मज़दूर-दल के कार्यकर्ता श्री० लालजी पैंडसे ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि उनका मुक़दमा चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में न होकर सेशन जज के यहाँ हो, क्योंकि मैजिस्ट्रेट मराठी नहीं जानता और वह जिस भाषण के लिए मुक़दमा चलाया गया है, उसे न समझ सकेगा। अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई।

—ढाका का ११ ता० का समाचार है कि श्री० जे० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा ने मि० डुर्नो पर किए गए आक्रमण और अन्य क्रान्तिकारी दल के उपद्रवों की निन्दा का प्रस्ताव पास किया जनता से आग्रह किया गया कि वह अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल रहे, क्योंकि उसीसे देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है। दूसरे प्रस्ताव में पुलिस के उन ज़ुल्मों की निन्दा की गई, जो मि० डुर्नो के आक्रमण के बाद किए गए थे। सुभाष बाबू की गिरफ़्तारी के विरोध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया।

—कुमिल्ला का समाचार है कि टिपरा ज़िला छात्र-सङ्घ के कार्यकर्ता श्री० हरेन्द्रचन्द्र भट्टाचार्य और अमूल्य-कञ्चन दत्त नए ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—बर्मा की पुलिस ने यह ख़बर पाकर कि विद्रोहियों की 'व्याघ्र सेना' का मुखिया बहुत से साथियों के साथ एक मठ में ठहरा है, उस स्थान को घेर लिया। मठ का अधिकारी साधू गिरफ़्तार कर लिया गया और एक अन्य व्यक्ति भागने की चेष्टा करता हुआ गोली से मारा गया।

—भारत सरकार ने सूचना प्रकाशित की है कि जम्मू और उसके आस-पास के स्थानों में अब शान्ति है। ६ ता० को काश्मीर के सिपाहियों और उपद्रवियों में मुठभेड़ होने से जो तीन व्यक्ति घायल हुए थे, उनमें से एक अकस्मात ११ ता० को मर गया। श्रीनगर और अन्य स्थानों में जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, उनकी जाँच के लिए रावलपिण्डी के सेशन जज मि० मिडलटन, आई० सी० एस० नियत किए गए हैं।

—अयोध्या के अखिल भारतवर्षीय साधु-सम्मेलन ने कुछ साधुओं को ऋषीकेश भेजा है, जिन्होंने महाराज काश्मीर को आशीर्वाद दिया और परमात्मा से प्रार्थना की कि उनकी कठिनाइयाँ शीघ्र मिट जाएँ तथा वहाँ शान्ति की स्थापना हो। उन्होंने मुसलमानों के एक विशेष दल के नीचतापूर्ण प्रचार-कार्य की निन्दा की है, और महाराज को विश्वास दिलाया है कि वे जत्थों के रोकने में महाराज की सहायता करने को तैयार हैं।

विलियर्स गोली-काण्ड का फ़ैसला

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट पर गोली चलाने वाले श्री० विमल कुमारदास गुप्त का मुक़दमा ११ ता० को कलकत्ते में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख पेश हुआ। अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और अदालत ने उसे दस वर्ष की सख़्त क़ैद की सज़ा दी। अदालत में अभियुक्त के भाई श्री० विजयकुमार दास गुप्त ने उसकी शिनाख़्त की।

—इलाहाबाद ज़िले के किसानों में लगान-सम्बन्धी आन्दोलन जारी है। हाल में श्री० टण्डन जी, श्री० वेङ्कटेशनारायण तिवारी, श्री० मोहनलाल गौतम और अन्य कार्यकर्त्ताओं ने फूलपुर, जगतपुर और बरौत की सभाओं में भाषण किए। एक सभा में टण्डन जी ने कहा कि "यदि किसान अपनी शक्ति को समझ लें तो उनकी जीत निश्चित है। वर्तमान सरकार किसानों की और अधिक सहायता करती नहीं जान पड़ती। म० गाँधी और दूसरे नेता राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स से बिलकुल निराश हो चुके हैं। चाहे हम देश में राजनैतिक संग्राम शुरू करें या न करें, पर आर्थिक बातों के लिए हमको सदा लड़ने का अधिकार है।"

—ए० आई० और बी० ई० एसोसिएशन के यू० पी० ब्राञ्च ने एक प्रस्ताव पास किया है कि इलाहाबाद के निवासियों की मकानों का भाड़ा घटाने की माँग उचित है। गवर्नमेण्ट को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे मकानों के भाड़े में क़रीब एक तिहाई कमी हो सके।

—मालाबार की मुस्लिम जमायत के प्रेज़ीडेण्ट ने सन्देश भेजा है कि मि० जमाल मुहम्मद ने लन्दन में प्रधान-मन्त्री के पास भेजे गए पत्र पर दस्तख़त करके मुसलमानों के हित के विरुद्ध काम किया है और इसलिए उनको 'केरल प्रान्तीय मुस्लिम मजलिस' के प्रेज़िडेण्ट के पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।

—श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय १२ ता० को इलाहाबाद आई और १३ तारीख़ को उन्होंने मुन्शी रामप्रसाद की बग़िया में महिलाओं की एक सभा में भाषण किया।

—श्रीमती एनी बीसेण्ट का स्वास्थ्य आजकल बहुत चिन्ताजनक हालत में है। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा है कि उनका इस जन्म का कार्य समाप्त हो चुका और अब वे हिन्दू के घर में नया जन्म लेकर भावी भारत के निर्माण का कार्य करेंगी।

—११ नवम्बर को बनारस के पास सारनाथ में बौद्ध-धर्म वालों के एक 'विहार' की स्थापना की गई। उसके उद्घाटन के उत्सव में भाग लेने को लङ्का, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, कम्बोडिया और बर्मा आदि दूर-दूर के देशों के बौद्ध आए थे। यह विहार उसी स्थान पर स्थापित किया गया है, जहाँ राजा अशोक का बनवाया प्राचीन विहार स्थापित था, और जो ८ सौ वर्ष पहले नष्ट हो गया था।

—पञ्जाब कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़ीडेण्ट लाला दुनीचन्द ने तमाम कॉङ्ग्रेस कमिटियों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से अपील की है कि १७ नवम्बर को स्वर्गीय ला० लाजपतराय की मृत्यु-तिथि का उत्सव मनाया जाय।

—सहारनपुर स्टेशन पर मि० डोनाल्ड क्लार्क नामक युवक को मार देने के अभियोग में लेफ़्टिनेण्ट शीहन पर जो अभियोग चलाया गया था, उसमें उनको निर्दोष कह कर छोड़ दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने फ़ैसले में लिखा है कि अभियुक्त ने वादी पक्ष के इलज़ाम को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उसका कहना यही है कि मैं उस समय घबराया हुआ था। यह व्यवहार किसी दोषी व्यक्ति का नहीं हो सकता।

—कुम्भकोनम (मद्रास) के कुछ मुसलमान विदेशी कपड़े के व्यापारियों ने बम्बई की सेण्ट्रल ख़िलाफ़त कमिटी के पास एक अर्ज़ी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय नौजवान सभा के वालण्टियरों और कुछ बाहरी वालण्टियरों ने दिवाली के अवसर पर उनकी दुकानों की पिकेटिङ्ग की। पर हिन्दुओं की दुकानों की पिकेटिङ्ग नहीं की गई।

—बम्बई में स्वदेशी कपड़े की थोक बिक्री बड़े ज़ोरों से बढ़ रही है। केवल ६ नवम्बर को ६५ हज़ार गाँठों का ऑर्डर दिया गया। इसके मुक़ाबले में जापानी और विलायती कपड़े की क्रमशः ५५०० और ६८० गाँठों की बिक्री हुई। स्वदेशी कपड़े के व्यापारियों को आशा है कि यदि माँग इसी तरह बनी रही तो थोड़े ही दिनों में उनका स्टाक ख़त्म हो जायगा। पर विदेशी कपड़े के व्यापारी बड़े चिन्तित हैं। राउण्ड-टेबिल कॉन्फ्रेन्स की असफलता की ख़बरों से घबड़ा कर उन्होंने विदेशी कपड़े के लिए ऑर्डर भेजना बन्द कर रक्खा है।

—पेशावर की ख़बर है कि सीमा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य मौलवी रहीमबख़्श ग़ज़नवी को राजद्रोही भाषण देने के अभियोग में तीन साल की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई।

—जबलपुर का समाचार है कि १० ता० को शाम के पौने छै बजे हिन्दी के प्राचीन सेवक और सुलेखक श्री० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री का देहान्त हो गया। इधर कई वर्षों से आप अपनी लेखनी द्वारा केवल गो-सेवा कर रहे थे।

—झाबुआ से सत्याग्रहियों के भयङ्कर कष्टों की कहानी सुनने में आई है। झबुआ में जो सत्याग्रही क़ैद हैं, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। स्त्रियों से अपमानजनक भाषा में बातें की जाती हैं और गाँव वालों को धमकाया जाता है। सत्याग्रहियों के सम्बन्धियों को उनसे भेंट नहीं करने दी जाती। शारदा बहिन नामक सत्याग्रही महिला की माँ और सास को उससे भेंट करने के लिए रियासत में नहीं घुसने दिया गया। ८ ता० को सत्याग्रही बिना भोजन के दिन भर जलती हुई धूप में स्टेशन के बाहर पड़े रहे।

—नासिक के मन्दिर-सत्याग्रह के सम्बन्ध में ८ ता० रविवार को ४० महार गिरफ़्तार किए गए। मन्दिर में घुसने की चेष्टा करते हुए सनातनी हिन्दुओं के साथ उनकी मुठभेड़ भी हो गई। शनिवार को भी अछूतों और सनातनियों का झगड़ा हुआ, जिसके सम्बन्ध में ५ अछूत और ६ सनातनी पकड़े गए हैं।

—१ अक्टूबर, १९२९ से ३१ मार्च, १९३१ तक डेढ़ वर्ष में बम्बई कॉङ्ग्रेस कमिटी ने ३ लाख २४ हज़ार ३४० रु० ख़र्च किया। इसमें ८६,८९९ वालण्टियरों के भोजन में, ५१,६२१ वालण्टियरों के अन्य कामों में, २१,०९३ सफ़र-ख़र्च में व्यय हुआ। प्रकाशन और प्रचार-कार्य में क़रीब ७१ हज़ार रु० ख़र्च किया गया। कुल आमदनी ख़र्च की अपेक्षा १०,०९२ रु० अधिक हुई।

—महाराजा बीकानेर ८ ता० को विलायत से लौट कर बम्बई पहुँच गए। आप विलायत गोलमेज़ परिषद् के लिए गए थे, पर स्वास्थ्य की ख़राबी से आपको समय के पहले ही चला आना पड़ा।

—कानपुर का ९ ता० का समाचार है कि एक नामी कोकीन-फ़रोश के घर की तलाशी लेते समय पुलीस पर लाठियों से हमला किया गया, जिससे सब-इन्सपेक्टर अतहरअली और दो कॉन्सटेबिलों को सख़्त चोट आई। इस सम्बन्ध में बाद में हुकुमअली और जुलाई नाम के दो मुसलमान गिरफ़्तार किए गए हैं।

—संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स का २६ वाँ अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में इटावा में होगा।

—मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस नेता श्री० सुन्दरलाल जी की अध्यक्षता में ता० १७ और १८ नवम्बर को होने वाला है।

—कानपुर के अछूतों की एक कॉन्फ्रेन्स ने, जिसके सभापति लखनऊ के श्री० रामचरण रुल्लाह, एम० एल० ए० थे, डॉ० अम्बेडकर में विश्वास का प्रस्ताव पास किया है।

—बम्बई के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने मेहरबाई मेहरवानजी दिवेचा नामक बुड्ढी औरत को, जिस पर अपनी १७ साल की लड़की से वेश्या-कर्म कराके रुपया कमाने का अभियोग लगाया गया था, एक साल की सख़्त क़ैद की सज़ा दी। दूसरे अभियुक्त आर्देशर सोराबजी वकील को तीन महीने की सज़ा दी गई। दूसरा अभियुक्त लड़की को उसकी माँ की अनुमति से विभिन्न स्थानों में ले जाता था, जहाँ उसके साथ कुकर्म किया जाता था। अब लड़की बच्चों की संस्था में रक्खी गई है।

—लाहौर हाईकोर्ट ने श्री० चमूपति की लिखी 'चाँदनी का चाँद' नामक पुस्तक की ज़ब्ती के विरुद्ध अपील ख़ारिज कर दी।

—बनारस में १३ तारीख़ को एक खेत में पाँच वर्ष की एक मुसलमान लड़की की मृत-देह पाई गई। उसे गला घोंट कर मारा गया है और उसके ज़ेवर भी त्यों के त्यों मौजूद हैं।

संयुक्त प्रान्त में ख़र्च की कमी

इलाहाबाद पर नई चोट

संयुक्त प्रान्त की गवर्नमेण्ट का ख़र्च घटाने के सम्बन्ध में जो रिट्रेञ्चमेण्ट कमिटी नियत की गई थी, उसने प्रस्ताव किया है कि सिविल सेक्रेटेरियट का ऑफ़िस इलाहाबाद से उठा कर लखनऊ ले जाया जाय। उसने कहा है कि एक प्रान्त की तीन राजधानियाँ—अर्थात् इलाहाबाद, लखनऊ और नैनीताल—होना बदइन्तज़ामी की एक ऐसी मिसाल है जिसका उदाहरण संसार में मिल सकना कठिन है। सेक्रेटेरियट के इलाहाबाद में रहने से सरकारी काग़ज़ात दो-तीन बार यहाँ से लखनऊ या नैनीताल आते-जाते हैं, जिसमें ख़र्च बहुत पड़ता है और देर भी बहुत लग जाती है। यद्यपि लखनऊ में अभी सेक्रेटेरियट के लिए कोई सरकारी मकान नहीं है और इसलिए किराए के मकान में ऑफ़िस रखना पड़ेगा, पर उसका ख़र्च उस रक़म से जो आजकल डाकव्यय और टेलीफ़ोन में ख़र्च होती है, कहीं कम होगा।

इसके सिवाय कमिटी ने प्रतापगढ़, बलिया, हमीरपुर, पीलीभीत, मैनपुरी, बाराबङ्की, देहरादून, उन्नाव, उरई और जौनपुर के ज़िलों को तोड़ देने की सम्मति दी है। कितनी ही तहसीलों को भी तोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है। कमिटी ने कितने अफ़सर, आबकारी विभाग के असिस्टेण्ट कमिश्नरों, डिवीज़नल कमिश्नरों के पदों को कम करने की सिफ़ारिश की है। इनके द्वारा ख़र्च में एक करोड़ तीन लाख रु० की कमी होने का अनुमान किया गया है।

—कलकत्ते में कॉङ्ग्रेस की एक प्रमुख कार्यकर्त्री श्री० विमल प्रतिभा देवी और अन्य चार युवकों पर जो मोटर डकैती का अभियोग चल रहा था, उसका विचार करने वाली स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों पर डकैती का इल्ज़ाम लगा दिया है। पाँचों अभियुक्तों ने इससे इन्कार किया है और तीन की तरफ़ से सफ़ाई के गवाह पेश किए जायँगे।

—बनारस में क्राउन सिनेमा वालों ने एक खेल के १२ हिस्से दिखाने का इश्तहार दिया था, पर छः ही हिस्से दिखा कर तमाशा ख़त्म कर दिया। इस पर लोग सिनेमा के सामने इकट्ठे होकर बाक़ी छः हिस्सा दिखलाने पर ज़ोर देने लगे। सूचना पाकर पुलिस आई और लोगों को लाठी मार कर हटाने लगी। इससे कितने ही लोगों को चोट आई है।

—१२ ता० को मद्रास में विक्टर नाम के एँग्लो-इण्डियन ने रसल नाम के दूसरे एँग्लो इण्डियन को मार डाला और उसकी लड़की को सख़्त घायल किया। इसके बाद उसने कुएँ में कूद कर आत्म-हत्या कर ली। विक्टर लड़की से शादी करना चाहता था और इससे इनकार किए जाने पर यह काण्ड हुआ।

—भारत के प्रधान सेनापति हिज़ एक्सीलेन्सी चेस्टवुड नेपाल की यात्रा से वापस आ गए। उनको नेपाल सरकार की तरफ़ से 'स्टार ऑफ़ नेपाल' की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की गई है। उनके स्वागतार्थ २ नवम्बर को २० हज़ार नेपाली सेना की परेड भी की गई थी।

—नेपाल के महाराज १६ दिसम्बर को कलकत्ता आकर वायसरॉय से भेंट करने वाले हैं।

—११ ता० की रात को अछल्दा स्टेशन (इटावा) के पास एक पैसेञ्जर गाड़ी और एक मालगाड़ी लड़ गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों और फ़ायरमैनों को चोट लगी, पर मुसाफ़िर बच गए।

विदेश

—लन्दन का १० नवम्बर का समाचार है कि मुसलमान प्रतिनिधि इङ्गलैण्ड के बड़े व्यापारियों से व्यापार सम्बन्धी बातें कर रहे हैं और उसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है। अनुमान किया जाता है कि भारत में एक बड़ी कम्पनी स्थापित करने की योजना तैयार की गई है, जो मुसलमानों की सहायता से इङ्गलैण्ड के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करेगी। अङ्गरेज़ व्यापारी भी हिन्दू व्यापारियों के हाथ से विदेशी कपड़े का व्यापार निकाल लेने की फ़िक्र में हैं। एक कारण यह भी है कि इन्हीं व्यापारियों ने पिछले सत्याग्रह आन्दोलन में कॉङ्ग्रेस की सहायता की थी। कहा जाता है कि आग़ा ख़ाँ ने इस योजना का समर्थन किया है और वे इस कम्पनी में डायरेक्टर होने को राज़ी हैं।

—मञ्चूरिया में चीन और जापान का झगड़ा बराबर जारी है। ११ तारीख़ को नौनी नदी के पुल के पास जापानी सेना ने लौटती हुई चीनी सेना पर गोलाबारी की। जापान के चार क्रूज़र जहाज़ झगड़े के बढ़ने के अन्देशे से पोर्ट आर्थर भेजे जा रहे हैं। टोकियो का १२ ता० का समाचार है कि नौनी नदी पर अवस्थित दो हज़ार जापानी सेना पर २० हज़ार चीनी सेना आक्रमण की तैयारी कर रही है। इन घटनाओं के साथ अन्य राष्ट्र इस झगड़े को समझौते द्वारा समाप्त करने की चेष्टा में लगे हुए हैं जिससे शीघ्र ही इसके अन्त हो जाने की सम्भावना प्रकट की जा रही है।

—टीयन्ट्सीन (चीन) का समाचार है कि चीन के भूतपूर्व सम्राट को मारने के लिए किसी ने फूल की एक डाली उनको भेंट भेजी जिसमें एक भयङ्कर बम छुपा था। संयोगवश एक नौकर ने उसे देख लिया और सम्राट बाल-बाल बच गए।

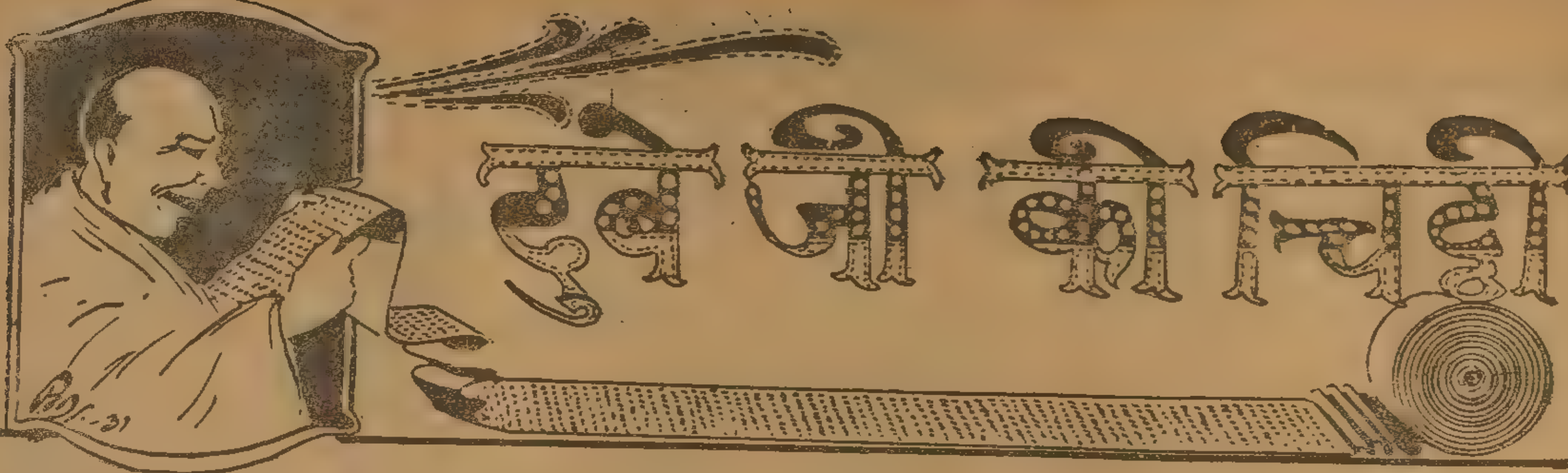
—शङ्घाई का १२ ता० का समाचार है कि चीन के भूतपूर्व सम्राट मञ्चूरिया की राजधानी मुकदन में फिर से अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि यह षड्यन्त्र जापान ने रचा है और इसी को रोकने के लिए सम्राट की हत्या की चेष्टा की गई थी।

—१२ तारीख़ को नीस (फ्रान्स) में निज़ाम हैदराबाद के युवराज और टर्की के भूतपूर्व सुलतान की लड़की का विवाह हो गया। विवाह के समय दुलहिन मौजूद न थी, उसकी तरफ़ से अन्य पुरुषों ने स्वीकृति दे दी।

राउण्ड-टेबिल कॉन्फ्रेन्स

लन्दन का ७ तारीख़ का समाचार है कि महात्मा गाँधी, मालवीय जी, सर सप्रू, शास्त्री जी आदि २७ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ने प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड के नाम एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग यह अफ़वाह सुन कर कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट भारत को केवल 'प्रान्तीय स्वराज्य' देना चाहती है, बड़े चिन्तित हुए हैं। विभिन्न हिस्सों को अधिकार देकर केन्द्रीय शक्ति की अधीनता में रखना ऐसी बात है, जिससे लोगों को स्वभावतः सरकार के इरादे पर सन्देह हो सकता है। यह सच है कि अभी तक अल्प-संख्यक सम्प्रदायों का प्रश्न हल हुआ है, पर इसके कारण भारत को पूर्ण उत्तरदायित्वयुक्त शासन मिलने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

❀ ❀ ❀



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

गोलमेज़ सभा का स्वाँग तो समाप्त हो रहा है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा ! लाखों रुपए इस सभा में स्वाहा हो गए, परन्तु काम धेले का भी न हुआ। हो भी कैसे ? कॉङ्ग्रेस की माँग पूर्ण-स्वाधीनता है और अङ्गरेज़ लोग भारत के सम्बन्ध में स्वाधीनता के शब्द से उतना ही चौंकते हैं, जितना कि बेवक़ूफ़ घोड़ा अपनी छाया से ! सच बात तो यह है कि 'स्वाधीनता' शब्द अङ्गरेज़ जाति के लिए जितना शोभा देता है, उतना किसी के लिए दे ही नहीं सकता। विशेषतः भारत के साथ तो स्वाधीनता कभी जुड़नी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इससे अङ्गरेज़ों का बहादुर कलेजा दहलने लगता है। संसार में अपने चोले के अतिरिक्त और किसी की स्वाधीनता अच्छी नहीं होती, यह ब्रिटिश नीति का वाक्य है। भारत, जो इतने दिनों तक ग़ुलाम रहा है, यदि एकदम से स्वाधीन कर दिया जायगा, तो उसकी दशा उस कुत्ते की सी हो जायगी, जो दिन भर बँधे रहने के पश्चात् रात को खोला जाता है। ऐसा कुत्ता चोरों और उठाईगीरों के लिए कितना ख़ूँख़्वार होता है—यह आप जानते ही हैं ! इसका परिणाम यह होगा कि उसका जब मौक़ा लगेगा, अङ्गरेज़ों ही की टाँग धरेगा। अङ्गरेज़ लोग भारत छोड़ कर चले जायँ, यह सम्भव नहीं। ईश्वर ने उनका हृदय ही ऐसा बनाया है। वे तो परोपकार के लिए देश-विदेशों में मारे-मारे फिरते हैं—और कोई अभिप्राय थोड़ा ही है ! देखिए, अफ़्रीका के घनघोर जङ्गलों में आदमख़ोरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते घूमते हैं। जङ्गली लोग सभ्यता का पाठ पढ़ कर सब से पहली जो बात सीखते हैं, वह यह कि अङ्गरेज़ लोग संसार में सब से अधिक सभ्य, परोपकारी, बहादुर, ईमानदार, सच्चे, बलवान् तथा शक्तिशाली हैं। और शेष सब संसार स्वार्थी तथा धूर्त है। यह ज्ञान उदय होते ही सब से पहला काम जो जङ्गली करते हैं, वह यह है कि अपने जानो-माल की रक्षा का भार अङ्गरेज़ों को सौंप देते हैं। अङ्गरेज़ बेचारे केवल परोपकार के ख़याल से यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। हालाँकि यह बहुत बड़ी भारी बुरी बात है कि जो राह बताए वही आगे चले। परन्तु लोग इस बात को नहीं समझते। परिश्रम से बचने के लिए अपना भार दूसरों पर लादने का मौक़ा ताका करते हैं। बेचारे अङ्गरेज़ यद्यपि इस बात से दुखी हैं कि जहाँ वे सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार करते हैं, वहाँ के लोग इन्हें ही अपनी जानो-माल का रक्षक नियुक्त कर देते हैं, परन्तु ईसामसीह की आज्ञा से विवश होकर उन्हें रक्षक बनना ही पड़ता है। ऐसी दशा में यदि वे ही जङ्गली लोग अङ्गरेज़ों से स्वाधीनता माँगने लगें तो अङ्गरेज़ कैसे दे सकते हैं ! जिनमें स्वाधीन बनने की योग्यता नहीं, जिनमें अपने घर का प्रबन्ध स्वयम् करने का माद्दा नहीं, उनको स्वाधीनता देना मानो उन्हें कुएँ में धकेलना है। इसीलिए बेचारे अङ्गरेज़ बहुत सोच समझ कर किसी को स्वाधीनता प्रदान करते हैं। भारत के साथ भी अङ्गरेज़ों ने थोड़ी नेकी नहीं की। अशिक्षित भारत को शिक्षित तथा सभ्य बनाया। हालाँकि कॉङ्ग्रेस का सङ्गठन देख कर अङ्गरेज़ों के साथ-साथ अपने राम को भी इसमें सन्देह उत्पन्न हो गया है कि भारत अभी पूर्णतया सभ्य और शिक्षित हो गया है। कॉङ्ग्रेस जो कार्य कर रही है, वह सभ्यता तथा शिक्षा का द्योतक ज़रा भी नहीं—ऐसा अक्ल के ठेकेदारों का ख़याल है। शिक्षित और सभ्य केवल मुसलमान भाई कहे जा सकते हैं, जो यह भली-भाँति समझते हैं कि उनपर से अङ्गरेज़ों की छत्रछाया हटते ही अल्लाह मियाँ क़यामत नाज़िल कर देंगे। जब तक उन पर अङ्गरेज़ों का साया सलामत है, तब तक अल्लाह मियाँ के पितामह भी क़यामत नाज़िल करने का साहस नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सभ्यता और शिक्षा का दिमाग़ ! क्यों न हो, आख़िर हुकूमती दिमाग़ ठहरा; जो सत्रहवीं शताब्दी तक शासक रहे हों उनके दिमाग़ से हुकूमत की बू कैसे जा सकती है ! यह बात दूसरी है, कि वह बू दिमाग़ की डिबिया में बन्द रहने के कारण बदबू में बदल गई हो, परन्तु है बू ! इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। ऐसी दशा में मुसलमान-भाई यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि अङ्गरेज़ लोग उनको इतने बड़े मुल्क में अकेला और निस्सहाय छोड़ कर चल दें ! इसलिए मुसलमान भाई यह चाहते हैं कि या तो अङ्गरेज़ सब कुछ हमें सौंप दें या फिर अपने ही क़ब्ज़े में रक्खें। इन दो के अतिरिक्त हिन्दुस्तान जैसे लावारिस माल का और कौन वारिस हो सकता है ? हिन्दुओं के हाथ से तो हिन्दुस्तान को निकले हुए इतने दिन हो चुके कि तमादी हो गई। अब क़ानूनन् भी हिन्दुओं का कोई हक़ नहीं रहा। ऐसी दशा में हिन्दू लोग न जाने स्वराज्य और स्वाधीनता माँगने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं ? पागल हो गए हैं, घास खा गए हैं ; क्योंकि पेट भर रोटियाँ नहीं मिलतीं ! इतना होते हुए भी अपने राम अङ्गरेज़ों की उदारता पर उसी प्रकार फ़िदा हैं जैसे कि दीपक पर पतङ्ग। अङ्गरेज़ बेचारे सब कुछ तो देने को तैयार हैं—ख़ाली सेना तथा कोष अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सो ठीक भी है, जिसके पास कोष रहेगा उसे उसकी रक्षा के लिए सेना भी रखनी पड़ेगी और जिसे सेना रखनी पड़ेगी उसे सेना के भरण-पोषणार्थ कोष भी रखना पड़ेगा—सीधा सा हिसाब है, सीधी सी बात है। परन्तु इतनी मोटी बात भी हिन्दुओं की खोपड़ी-शरीफ़ा में नहीं समाती। अपने राम तो यह समझते हैं कि सेना को जहाँ तक दूर ही रक्खें, अच्छा है। सेना को पास रखना ख़तरनाक है। और आजकल जब कि चारों ओर डाके, चोरी इत्यादि होते रहते हैं। कोष भी अपने पास रखना जोखिम से ख़ाली नहीं। ये दोनों झगड़े की जड़ हैं और झगड़े से जहाँ तक दूर रहे, अच्छा है। हिन्दुस्तानी लोग फ़ौज रक्खेंगे तो नित्य लड़ाई होगी। फ़ौज कुछ बैठो तो खायगी नहीं, कुछ न कुछ काम तो उनसे लिया ही जायगा। और न कुछ होगा तो आपस ही में लड़ेगी ! जिसकी लड़ने की आदत है, वह हर जगह और हर हालत में लड़ेगा। वह कभी चूक नहीं सकता। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानियों को नई-नई फ़ौज मिलेगी तो ज़रा फ़ौज से काम लेने का शौक़ भी रहेगा। जिस प्रकार नया मुसलमान प्याज़ बहुत खाता है, उसी प्रकार फ़ौज के नए स्वामी आरम्भ में ख़ूब लड़ेंगे। बात-बात में पिस्तौल और बन्दूक़ें चलेंगी। ज़रा किसी नगर में कोई गड़बड़ हुई, बस गोली चल गई। जिनके अधिकार में ये फ़ौजें रहेंगी, उनके अफ़सरों का क्या कहना। यदि अफ़सर लोग आपस में कभी लड़े तो बस ग़ज़ब ही हो जायगा। वे लोग ज़बानी जमा-ख़र्च तो रक्खेंगे ही नहीं—झट अपनी-अपनी फ़ौज लेकर डट जायँगे कि "आओ निबट लो।" यह भी हो सकता है कि यही फ़ौज वाले लूट-पाट करने लगें, डाके डालने लगें—आख़िर फ़ौज ही ठहरी, उसे रोक कौन सकेगा ? इन्हीं सब खटकों के कारण अङ्गरेज़ फ़ौजें हिन्दुस्तानियों के अधिकार में नहीं देना चाहते। रहे अङ्गरेज़, सो एक तो वे फ़ौजों का प्रबन्ध करना जानते हैं। अङ्गरेज़ को चाहे जितनी बड़ी फ़ौज दे दीजिए, परन्तु वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। जब मौक़ा होगा, दूसरों पर ही गोलियाँ बरसाएँगे। आपस में जब लड़ेंगे, तो घूसों से ! दूसरे फ़ौज का बेकार पड़े रह कर रोटियाँ तोड़ना उन्हें ज़रा भी न अखरेगा—क्योंकि अपनी जेब से उन्हें धेला भी न देना पड़ेगा। यदि कोई दूसरा ख़र्च उठाने को तैयार हो, तो अङ्गरेज़ लोग हिन्दुस्तान में प्रति मनुष्य के लिए एक सिपाही रखने को तैयार हो सकते हैं; परन्तु इतना ख़र्च उठाने वाला है कौन ? बेचारे थोड़ी सी फ़ौज रक्खे हुए हैं, उसी पर लोग हाय-तोबा मचा रहे हैं कि हिन्दुस्तान की फ़ौजें लूटे खा रही हैं। यह अन्धेर देखिए। लूटे खा रही हैं तो रक्षा भी तो वही करती हैं, वरना जनाब, अभी बोलशेविक आकर गर्दन नापने लगें। हालाँकि किसकी गर्दन नापें, हिन्दुस्तानियों की या अङ्गरेज़ों की ? इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं है, परन्तु फिर भी फ़ौजें रखना आवश्यक है। तीसरे कोई अङ्गरेज़ हिन्दुस्तानी की मातहती में नहीं रहना चाहता। रहे भी कैसे ? मालिक कहीं नौकर की मातहती में रह सकता है ? कोई भूला-भटका रह भी गया तो हिन्दुस्तानी अफ़सर उससे सारा बदला चुकाने का प्रयत्न करेगा। आख़िर अङ्गरेज़ बेवक़ूफ़ तो हैं नहीं, अपने भले-बुरे कार्य जानते हैं। उन्होंने अपने मातहत हिन्दुस्तानियों के साथ जो व्यवहार किए हैं, उससे अच्छे व्यवहार की प्रत्याशा वह कैसे रख सकते हैं ! मान लीजिए, अफ़सर ने किसी अङ्गरेज़ से अङ्गरेज़ों पर गोली चलाने के लिए कहा, तो वह ऐसा कभी न करेगा। यह फ़ौजी नियम तो केवल हिन्दुस्तानियों पर लागू है कि अङ्गरेज़ अफ़सर कहे तो हिन्दुस्तानियों को अपने बाप पर भी गोली चलानी पड़ेगी। यदि वह नहीं चलाता तो हुक्म-उदूली के अपराध में कोर्टमार्शल का शिकार बनता है। अङ्गरेज़ पर यह नियम लागू न हो सकेगा। इसलिए अङ्गरेज़ हिन्दुस्तानी अफ़सर की मातहती नहीं करना माँगता। अपने पापों से सब डरते हैं। इन सब बातों को सोच-समझ कर सम्पादक जी, अपने राम की भी यही राय है कि अङ्गरेज़ लोग फ़ौज तथा कोष अपने ही हाथ में रक्खें—इसी में उनका कल्याण है।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

भारतीय युवकों की पतित दशा का दिग्दर्शन

ग्राम-सुधार के बिना भारत के स्वराज्य की आशा नहीं

"उस जाति को धिक्कार है जो दासत्व में पड़ी माताओं के गर्भ से जन्म लेती है"

"अगर तुम बोलते हो तो उन करोड़ों व्यक्तियों के साथ बोलो, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं है ; उनके साथ जो अन्याय के तले दबे हुए हैं ; उनके साथ जो निरन्तर बीमारी और भूख के कारण समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं ; उन स्त्रियों के साथ, जो परिश्रम से क्लान्त हो चुकी हैं और अपने शिशुओं के सूखे ओठों के लिए दूधरहित स्तन देती हैं, क्योंकि सेवा से बढ़ कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और मनुष्यत्व से बढ़ कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है।"

उपरोक्त सन्देश श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने लाहौर में होने वाली पञ्जाब विद्यार्थी-परिषद के अध्यक्ष-पद से सुनाया है। आगे चल कर उन्होंने कहा—

"आजकल भारत की विद्यार्थी-परिषदों की दशा बड़ी करुणाजनक है ! क्योंकि प्रायः उनमें जीवनी शक्ति और वास्तविकता का सर्वथा अभाव होता है।

"स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थी-संसार साहसपूर्ण कृत्यों का स्थल है। पर भारत की दशा स्वाभाविक से बहुत विपरीत है। यहाँ पर विद्यार्थी की स्वाभाविक बुद्धि उसे एक रास्ता दिखलाती है और विदेशी भावपूर्ण शिक्षा दूसरा। इन दोनों की टक्कर में ग़रीब विद्यार्थी चूर-चूर हो जाता है। भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है, वह इस देश की मिट्टी और हवा के अनुकूल नहीं है। यह एक ऐसा ढाँचा है, जो हमारी नाप का नहीं है, और चूँकि उसको हमने अपने गले में डाल लिया है, इसलिए वह धीरे-धीरे हमें दम घोट कर मार रहा है। इस प्रकार इस देश की शिक्षा आनन्द का ज़रिया होने की अपेक्षा घोर कष्टों का कारण बन रही है। यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों में मित्रता के बजाय दुश्मनी का भाव पाया जाता है। फल यह होता है कि शिक्षा-प्रचार द्वारा जहाँ शक्ति, साहस, चैतन्यता और बुद्धिमत्तायुक्त मनुष्य-समाज की उत्पत्ति होनी चाहिए थी वहाँ उसके बिल्कुल विपरीत देखने में आता है।

इङ्गलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली

सच पूछा जाय तो इस समय संसार के कुछ भागों में शिक्षा शक्तिहीन दशा में है और कुछ भागों में उसने ऐसी बीमारी का रूप धारण कर रक्खा है, जिससे दुनिया को घोर हानि पहुँच रही है। उदाहरण के लिए इङ्गलैण्ड में सार्वजनिक स्कूलों का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो देश और विदेशों में शासन कर सकें। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन चुने हुए लोगों के सद्भावों का पूर्णतः नाश कर दिया जाता है। उनकी स्वाभाविक बुद्धि का इसलिए बलिदान कर दिया जाता है कि वे अङ्गरेज़ जाति के संसार के रक्षक होने में सन्देह न करें। सहानुभूति का बलिदान इसलिए किया जाता है कि अन्य जातियों पर हुकूमत करने में किसी तरह का ख़लल न पड़े। दया का भाव इसलिए निकाल फेंका जाता है कि उनके रोब-दाब में किसी तरह की कमी न पड़ जाय। विवेक-बुद्धि इसलिए दबा दी जाती है, ताकि 'क़ानून और शान्ति' का मज़बूती के साथ पालन किया जाय।

मृत्यु का मुख

हमारे देश की वर्तमान शिक्षा-संस्थाएँ प्राचीन युग के उन अज़दहों की भाँति हैं, जो मुँह खोले पड़े रहते थे और जो कोई भी उस मुँह में जा पड़ता था उसे पेट में हज़म कर लेते थे। इन संस्थाओं में हमारे विद्यार्थी जीवन्मृत दशा में रहते हैं और भविष्य के लिए भी उनको किसी तरह की आशा नहीं होती। इन संस्थाओं से आज तक जो क्रियात्मक फल प्राप्त हुआ है वह नाममात्र का है। कहने के लिए हम टैगोर, बोस और रमन का नाम ले सकते हैं। पर भारत की विशालता और साधनों को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के लाखों व्यक्ति पाए जाने चाहिए थे।

दुर्दशा का कारण

हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कैसी कमी है, हमारे आदर्श कैसे छोटे हैं ? पर इसमें आश्चर्य ही क्या है ? आप ज़रा आँखें खोलें, चारों तरफ़ दरिद्रता और अन्याय-अत्याचार ही दिखलाई देंगे। सब जगह भूख की कराल ज्वाला जीभ लपलपाती नज़र आती है, और हमारे जीवन-स्रोत के बचे खुचे रस को भी सोखती जाती है।

वर्तमान युग आत्म-निर्भरता, साहस और श्रद्धा का है। प्रत्येक देश में विद्यार्थी ही हर एक उन्नतिशील आन्दोलन के अगुआ बने हैं। भारतीय विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि साधारण जनता में आन्दोलन, प्रचारक और सङ्गठनकर्ता हो जाँय। उनको चाहिए कि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करें और जनता को इसकी शिक्षा दें। उनको चाहिए कि सर्वसाधारण को उनकी लज्जाजनक स्थिति का ज्ञान कराएँ और उनके भीतर शक्ति का भाव जागृत करें। उनको प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा बतलाना चाहिए कि उनके जीवन की कैसी दशा हो रही है, और यदि वे अपने चरित्र-बल से काम लें तो उसमें कहाँ तक परिवर्तन हो सकता है।

ग्राम-सङ्गठन

अगर भारत को सचमुच स्वाधीन बनना है, तो उसे अपने सात लाख गाँवों का उद्धार करना चाहिए, जोकि ऐसी नाशक प्रथा के फन्दे में फँसे हैं, जो उनका ख़ून चूसे जा रही है। प्रत्येक किसान के हिस्से में दो एकड़ ज़मीन आती है और इसी के द्वारा उसे चार-पाँच प्राणियों का पेट भरना होता है। इतना भी सबको नहीं मिलता, क़रीब छः करोड़ लोगों को प्रायः भूखों मरना पड़ता है। इसके सिवाय सात करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिनको ज़मीन के न होने से बेकार रहना पड़ता है। उनके लिए शीघ्र ही कोई ऐसा कार्य ढूँढ़ना चाहिए जिसमें वे लग सकें। पर रुपए की कमी, विदेशों की प्रतियोगिता तथा अन्य कारणों से यहाँ के व्यवसाय स्थायी नहीं होने पाते।

आबादी का प्रश्न

आबादी के दिन पर दिन बेहद बढ़ते जाने पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे देशवासियों को यह अन्धविश्वास त्याग देना चाहिए कि अधिक सन्तान होना परमात्मा का आशीर्वाद है। उनको समझना चाहिए कि कमज़ोर आदमी ही बहुत अधिक सन्तान पैदा करना चाहता है। ग़रीब आदमी अमीरों की अपेक्षा अधिक बच्चों की ख़्वाहिश करते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य सभ्य होता जाता है, वह सन्तान-वृद्धि के परिमाण को कम करता जाता है। यही कारण है कि भारत में करोड़ों आदमी संक्रामक बीमारियों के शिकार बनते रहते हैं। इनफ़्लूएन्ज़ा ने केवल नौ महीनों में १ करोड़ ३० लाख प्राणियों का सफ़ाया कर दिया था और पिछले दस सालों में ३० लाख व्यक्ति हैज़े की भेंट हो चुके हैं। ये संख्याएँ हमको आँख खोल कर बतलाती हैं कि भूख, अस्वास्थ्यकर रहन-सहन और शिक्षा की कमी से हमारी जीवनी शक्ति बहुत अधिक घट गई है।

स्वदेशी

इससे हमारा ध्यान स्वदेशी के प्रश्न की तरफ़ जाता है, जोकि दरिद्रता मिटाने का सर्वप्रधान शक्तिशाली साधन है। आधुनिक इतिहास से हमको पता चलता है कि प्रायः सभी पश्चिमी देशों में मनुष्यों का जीवन-काल दुगुना हो गया है और संसार की सम्पत्ति पिछले १५० सालों में दस गुनी बढ़ गई है। पर भारत का क़िस्सा ही निराला है, और यहाँ की दरिद्रता दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। इन बातों पर ध्यान देने के पश्चात् स्वदेशी की आवश्यकता पर अधिक समझाना निरर्थक जान पड़ता है। भारत ने विदेशी वस्त्रों का जो बॉयकाट किया था, उसकी बहुत निन्दा की गई थी कि यह आत्म-हत्या और संसार से पृथक हो जाने के तुल्य है। पर आज प्रत्येक देश विदेशी माल पर कर लगा कर अपने उद्योग धन्धों की रक्षा का प्रयत्न करता नज़र आता है। धनकुबेर अमेरिका तक ने अपने चारों तरफ़ 'टेरिफ़' की अभेद्य दीवाल खड़ी कर ली है। सत्रहवीं शताब्दी में, जब कि भारत का कपड़ा इङ्गलैण्ड में जाता था, और वहाँ वालों को जान पड़ा कि इससे उनके व्यवसाय को हानि पहुँचती है, तो वहाँ बड़ी हाय-तोबा मचाई गई और इस बात का साधन ढूँढ़ा जाने लगा कि बजाय भारत का माल इङ्गलैण्ड जाने के इङ्गलैण्ड का बना माल भारत में भेजा जाय। इस प्रकार भारत निरुपाय होकर केवल खेती-बाड़ी पर अवलम्बित हो गया।

विद्यार्थियों की कार्य-प्रणाली

आजकल भारत में केवल यूनीवर्सिटियों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दस हज़ार के क़रीब है, जो अमेरिका को छोड़ कर अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक है। अगर यह महान शक्ति देश की खोज और उन्नति करने में लगा दी जाय, तो इससे अत्यन्त आश्चर्यजनक फल निकल सकता है। इसके लिए सङ्गठित रूप में छोटे-छोटे दल बना कर काम करने की आवश्यकता है। यह ख़्याल करना ठीक नहीं कि विद्यार्थी होने से पाँच साल तक तुम्हारी सब ज़िम्मेदारी मिट जाती है। रूस के पञ्च-वर्षीय आयोजन में प्रत्येक बच्चे से देश का काम कराया जा रहा है। बच्चों के दल बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके दिखला रहे हैं। उन्होंने पानी और हवा की चक्कियाँ बनाई हैं, बिजली के यन्त्र लगा कर मज़दूरों की बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध किया है। वे लोग खोज करने के लिए अज्ञात स्थानों की यात्रा करते हैं और इससे करोड़ों रुपए की सामग्री का पता लग रहा है। उन्होंने बिना किसी से ज़रा भी सहायता लिए मास्को में एक सड़क तैयार की है और उसके दोनों तरफ़ सेब के पेड़ लगाए हैं। वे लोग बग़ीचे लगा रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि अपनी मामूली ज़िम्मेदारी को पूरा कर दो, फिर बड़ा भारी काम ख़ुद हो जायगा।

पर्दे की भयङ्करता

मैं अपने भाषण को, सामाजिक बुराइयों की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित किए बिना ख़त्म नहीं कर सकती। इनमें सबसे कलङ्कपूर्ण प्रथा पर्दे का रिवाज है। आज चार करोड़ से अधिक स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो

(शेष मैटर ६ठे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

इंगलैण्ड के व्यवसाय की क्रमशः अधोगति

अङ्गरेज़ भारत की स्वराज्य की माँग का विरोध दरअसल क्यों करते हैं ?

वर्तमान समय में भारत की आर्थिक दशा ही नहीं, राजनीतिक दशा भी बहुत निराशापूर्ण है। पहले लोग राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स से बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रहे थे, पर अब उनका बहुत कम अंश बाक़ी है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि अगर मज़दूर-सरकार अपने पद पर बनी रहती, तो भारत को स्वराज्य के कुछ अधिक अधिकार मिल सकते थे। पर यह विचार निस्सार है। उस दशा में अगर कोई लाभ होता तो इतना ही कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के भाषण कुछ नर्म होते। इङ्गलैण्ड की कोई भी सरकार—चाहे वह मज़दूर हो, चाहे मिली-जुली हो और चाहे कञ्ज़रवेटिव हो—भारत की स्वराज्य की माँग को सहज में स्वीकार नहीं कर सकती।

उपरोक्त अवस्था के सम्बन्ध में जो कारण प्रोफ़ेसर ब्रजनारायण ने अपने एक लेख में बतलाए हैं, वे यहाँ दिए जाते हैं :—

इङ्गलैण्ड ने भारत में बहुत सा रुपया व्यापार में लगा रक्खा है और भारत अङ्गरेज़ी माल का एक महत्व-पूर्ण बाज़ार है। इङ्गलैण्ड न तो अपनी रक़म को खोना चाहता है, न अपने बाज़ार को। पिछले वर्षों में अङ्गरेज़ी माल की रफ्तनी में गहरा घाटा पड़ने से इस समय भारतीय बाज़ार की आवश्यकता इङ्गलैण्ड के कारख़ाने वालों को पहले से कहीं अधिक है।

इङ्गलैण्ड की सम्पत्ति और वैभव का आधार कुछ ख़ास कारीगरियों पर है। चूँकि इङ्गलैण्ड में ख़रीदारों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ के कारख़ाने वालों को लाचार होकर अपने माल के लिए दूसरे देशों में बाज़ार ढूँढ़ने पड़ते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें तैयार होती हैं, उनमें कुछ का आधे से कुछ कम, कुछ का आधे से अधिक और कुछ का पौन भाग विदेशों को भेजना पड़ता है। उदाहरणार्थ रूई के कपड़ों का ७५ प्रति सैकड़ा, लोहे और स्टील के माल का ४० से ५० प्रति सैकड़ा, ऊनी माल का ४५ से ४८ प्रति सैकड़ा, जूट का ४० सैकड़ा भाग बाहर भेजा जाता है। इङ्गलैण्ड का कोयला भी बहुत बड़े परिमाण में बाहर भेजा जाता है।

सन् १९२९ में इङ्गलैण्ड से ७३ करोड़ पौण्ड का माल बाहर भेजा गया, जब कि सन् १९१३ में ५२ करोड़ ५० लाख का भेजा गया था। पर जब चीज़ों की बढ़ी हुई क़ीमत का हिसाब लगाया जाता है तो मालूम होता है कि सन् १९२९ में सन् १९१३ की अपेक्षा ८ प्रति सैकड़ा माल कम भेजा गया था। सन् १९१३ से सन् १९२७ तक इङ्गलैण्ड की रफ़्तनी में औसत से २१ प्रति सैकड़े की कमी पड़ी, जब कि संसार के अन्य देशों की रफ़्तनी १८ प्रति सैकड़ा अधिक बढ़ गई और अमेरिका की ५१ प्रति सैकड़ा बढ़ी।

रफ़्तनी की कमी के कारण

पहला कारण तो यह था कि सन् १९१८-१९ में जो 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' की आर्थिक नीति ग्रहण की गई, वह ग़लत थी। इस नीति का सहारा इज़्ज़त और शान की रक्षा के ख़्याल से लिया गया था। पौण्ड का मुक़ाबला डालर से किया गया, पर इङ्गलैण्ड की ख़ुरदा बिक्री की क़ीमत और लागत तथा विनिमय की दर में मेल न रह सका। अनुभव से मालूम हुआ कि इस नीति के कारण विनिमय की ख़ातिर व्यवसाय का गला घोंट दिया गया। पौण्ड की रक्षा के लिए व्यवसाय को हानि उठानी पड़ी। अब इतने दिनों बाद इङ्गलैण्ड ने अपनी इस भूल का सुधार किया है।

रफ़्तनी के घटने का दूसरा कारण अङ्गरेज़ी माल बनाने वालों के ढङ्ग का पुराना पड़ जाना है। इस सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड के व्यवसाय की दशा वैसी ही है, जैसे किसी जङ्गल में पुराने जीर्ण दरख़्त नए पौधों के साथ खड़े हों। व्यवसाय की कुछ शाखाओं में युद्ध के बाद से बहुत-कुछ उन्नति की गई है, पर कितने ही व्यवसायों में अभी ऐसी मैशीनों से काम लिया जा रहा है, जिनका उचित स्थान प्राचीन वस्तुओं का कोई अजायबघर ही हो सकता है।

तीसरा कारण यह कि अन्य कितने ही देशों की अपेक्षा इङ्गलैण्ड में मज़दूरों का वेतन अधिक है। यह बात नीचे लिखे नक़्शे से साबित हो सकती है :—

इङ्गलैण्ड	...	...	१००
अमेरिका	...	...	१७५
कनाडा	...	...	१५०-१५५
डेनमार्क	...	...	१०५-११०
हॉलैण्ड	...	...	८५-९०
जर्मनी	...	...	६५-७०
फ़्रान्स	...	...	५५-६०
बेलजियम	...	...	५०-५५
इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैण्ड			४५-५०

अमेरिका में मज़दूरी यद्यपि ७५ सैकड़ा अधिक है, पर वहाँ माल एक ही जगह इतने अधिक परिमाण में तैयार किया जाता है कि वह उसे इङ्गलैण्ड की अपेक्षा सस्ते दामों में बेच सकता है।

अन्तिम कारण यह है कि इङ्गलैण्ड ने संसार की माँग में परिवर्तन होने पर बहुत कम ध्यान रक्खा है। जब कि पुराने तरीक़े से पुराने ढङ्ग की चीज़ें बनाने में लगा हुआ अमेरिका मोटरें, सिनेमा की फ़िल्म, बिजली का सामान, रेडियो के यन्त्र, लिखने और हिसाब की मैशीनें, खेती की मैशीनें आदि बनाने में बहुत अधिक बढ़ गया, और वे सब चीज़ें दुनिया के लिए अधिक आवश्यक सिद्ध हुईं।

एक समय ऐसा था, जब कि संसार में केवल इङ्गलैण्ड ही कारख़ानों में माल बनाने का स्थान था। उसके एकाधिपत्य को सबसे पहले जर्मनी ने तोड़ा। जर्मनी के व्यवसाय की उन्नति और बाद में संसार के अन्य देशों के व्यवसाय-क्षेत्र में बढ़ने से इङ्गलैण्ड की रफ़्तनी दिन पर दिन घटने लगी। इस सम्बन्ध में नीचे दिया हुआ नक़्शा बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे मालूम होता है कि अब से तीस-चालीस साल पहले किस देश के कुल आयात में कितना प्रति सैकड़ा अङ्गरेज़ी माल जाता था और सन् १९१३ में कितना जाता था :—

			प्रति सै०	प्रति सैकड़ा सन् १९१३ में
रूस	...	१८८६–९०	२३·८	१२·८
फ़िनलैण्ड	...	१८८६–९०	१४·०	१२·२
डेनमार्क	...	१८७६–८०	२३·७	१५·३
स्वीडेन	...	१८७१–७५	३२·९	२४·४
नॉर्वे	...	१८७६–८०	२६·९	२४·८
हॉलैण्ड	...	१८८१–८५	२६·२	८·७
बेलजियम	...	१८७६–८०	१४·७	१०·५
स्पेन	...	१८९७	२१·५	१७·३
पोर्तुगाल	...	१८८६–९०	३२·०	२९·०
इटली	...	१८७८–८०	२१·२	१६·३
ऑस्ट्रिया-हङ्गरी		१८९१–९५	१०·३	६·४
बालकान	...	१८८६–९०	२४·५	१४·९
रूमेनियाँ		१८८६–९०	२६·८	९·५
बलगेरिया		१८८६–९०	२८·६	९·८
द० अमेरिका		१९०१–५	३१·०	२८·०
अमेरिका		१९०१–५	१५·०	१२·०
केनाडा		१८६८–७०	५६·१	२०·७
ऑस्ट्रेलिया		१८८७–९०	७१·४	५९·७

इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वह नक़्शा है, जिससे मालूम होता है कि भारत में आने वाले माल का परिमाण किस तरह घटता गया और उसके विरोधियों के माल का परिमाण बढ़ता गया :—

		१८७१–७६	१९१३–१४	१९३०–३१
इङ्गलैण्ड	...	७७·९	६४·२	३७·२
जर्मनी	...	०·१	६·९	७·५
अमेरिका	...	०·३	२·६	९·२
जापान	...	०·०	२·६	८·८

इन संख्याओं से पाठक समझ सकते हैं कि इङ्गलैण्ड भारत को ख़ुशी से स्वराज्य क्यों नहीं दे सकता। जब तक उसके हाथ में यहाँ के शासन की बागडोर है, तब तक तो उसे आशा है कि वह ज़ोर ज़बर्दस्ती या चालाकी से अपने माल को यहाँ खपाता रहेगा। पर यदि भारत को स्वराज्य दे दिया जाय और वह भी संसार के अन्य देशों की भाँति बाहर से आने वाले माल पर भारी कर लगा कर अपने उद्योग-धन्धों की तरक़्क़ी करने लगे तो इङ्गलैण्ड का कहीं ठिकाना न रहेगा। इसलिए या तो भारत को इम्पीरियल प्रीफ़रेन्स की नीति स्वीकार करनी पड़ेगी, या फिर 'ग़ैर रज़ामन्द' हाथों से स्वराज्य लेना पड़ेगा।

❀ ❀ ❀

(पाँचवें पृष्ठ का शेषांश)

सूर्य की धूप और ताज़ी हवा से वञ्चित हैं, ज्ञान के आनन्द का जिनको पता नहीं, और जिनको पिंजड़े में बन्द करके शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हीन बनाया जा रहा है। यहाँ पर भय स्त्रियों का गुण समझा जाता है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि जिन स्त्रियों में से मनुष्यत्व के गुणों का इस तरह उच्छेद कर दिया जाता है, वे मनुष्यों के पाशविकता के भाव की वृद्धि करने वाली होती हैं और अपने बच्चों की स्वाभाविक ज्ञान-वृत्तियों को भी बर्बाद कर देती हैं। निर्भय बच्चों की एक पीढ़ी संसार की कायापलट कर सकती है। स्वाधीनता ही चरित्र की कसौटी है। यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्त्रियों के लिए इससे इन्कार करके मनुष्य एक बड़ा पाप और स्त्रियों का घोर अपमान करते हैं।

विद्रोह की पुकार

इस भयङ्कर कुप्रथा से जो शोचनीय परिणाम निकलते हैं, उनका वर्णन कर सकना भी कठिन है। इसके कारण स्त्रियाँ प्रायः भयङ्कर रोगों में फँस जाती हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। नवयुवक स्त्री और पुरुष, दोनों को ही इस घृणित रिवाज के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। ग़ुलामी का अन्त धीरे-धीरे सुधार होने से नहीं हो सकता, वरन् इसको एकदम जड़मूल से काटने से ही काम चल सकता है। तभी हम स्वाधीनता के दर्शन कर सकते हैं—उस सच्ची स्वाधीनता के, जो नवीन आशाओं और नवीन प्रकाश को जन्म देती है। उस जाति को धिक्कार है, जो दासत्व में पड़ी हुई माताओं के गर्भ से जन्म लेती है। तुम मर्द और औरत, कब तक इस अन्याय, इस ज़ुल्म, इस कुकृत्य को सहन करते रहोगे? जब कि करोड़ों महिलाएँ इन खेद और लज्जाजनक ज़ञ्जीरों में बँधी हुई हैं तो हम किस बल पर स्वाधीन भारत का स्वप्न देख सकते हैं?

❀ ❀ ❀

बंगाल में भयंकर दमन-लीला की तैयारी

सरकार शीघ्र ही दमन का सब से अधिक शक्तिशाली उपाय काम में लाने वाली है

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट की कॉङ्ग्रेस को धमकी

शनिवार ता० ७ नवम्बर को कानकिनारा (बङ्गाल) की यूरोपियन एसोसिएशन की अध्यक्षता में मि० विल्सिवर्स का भाषण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर हुआ। आरम्भ में आपने उन बधाइयों का उत्तर दिया, जो आपको घातक की गोली से बचने के उपलक्ष में दी गई थीं। फिर अपने उस कार्य का संक्षेप में वर्णन किया, जो आपने इङ्गलैण्ड में किया है। इसके पश्चात् आपने कहा—

"मैं उन लोगों में से एक हूँ, जो अभी तक यह विश्वास करते हैं कि लॉर्ड इर्विन की नीति बिल्कुल ठीक थी। यह कहते हुए मैं उन भयङ्कर कठिनाइयों को नहीं भूला हूँ, जो उस नीति के फल-स्वरूप उत्पन्न हुई हैं, न उस बड़ी क़ीमत को मैंने अपने ख़्याल से हटाया है, जो उस नीति के बदले में देनी पड़ रही है। पर मैं आपको दो ऐसे कारण बतलाऊँगा, जिससे प्रकट होगा कि मैं लॉर्ड इर्विन की नीति में क्यों विश्वास रखता हूँ। पहला तो यह कि कितने ही मानने लायक़ कारणों से दुहरा शासन (डायर्की) भारत में असफल रहा और भारतवासियों ने उसमें बहुत कम सहयोग किया। इसलिए यह आवश्यक जान पड़ा कि मित्रता और विश्वास के भाव का अधिक से अधिक परिचय दिया जाय, जिससे भारत को उसी प्रकार उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर मिले और वह अपने भले के लिए इङ्गलैण्ड के साथ पूर्ण रूप से सहयोग कर सके।

"दूसरा कारण, जो मुझे इङ्गलैण्ड की यात्रा के फल-स्वरूप मालूम हुआ है—यह है कि अगर हमने कोई अन्य नीति अख़्तियार की होती और अब से १८ महीने पहले सख़्त उपायों से काम लिया होता, जिनके लिए बार-बार पर्याप्त उचित कारण मौजूद थे, तो भारत की नीति के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड में मतभेद हो जाता। इस सम्बन्ध में मि० लॉयड जॉर्ज ने मुझसे खुले शब्दों में कहा कि हम अपने घर में मतभेद रखते हुए, भारत की समस्या का उसी प्रकार मुक़ाबला नहीं कर सकते, जिस प्रकार ऐसी परिस्थिति में महायुद्ध में शामिल हो सकना हमारे लिए असम्भव होता। पर अब इङ्गलैण्ड इस विषय में एकमत हो गया है।



डॉक्टर अन्सारी—नहीं यह रङ्ग अच्छा, मैं अभी बदरङ्ग करता हूँ, निडर होकर तुम्हारी पार्टी से जङ्ग करता हूँ !

बड़के भय्या (साथियों को लक्ष्य कर)—कभी डरेंगे न ऐसों की गर्म-जोशी से, हमें तो काम है बस एक वतन-फ़रोशी से !!

बहुत बड़ी क़ीमत

"इस एकता को प्राप्त करने के लिए लॉर्ड इर्विन ने एक बहुत बड़ी क़ीमत दे डाली। यह साम्राज्य के लिए सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर एक ऐसा महान व्यक्ति मिल सका, जिसने उस क़ीमत के देने का साहस किया। इस प्रकार एक बार फिर भारत का भाग्य उसके ही हाथों में आ गया। आजकल इङ्गलैण्ड में कन्ज़रवेटिव भाव का जैसा साम्राज्य है, उसे देखते हुए उसके सम्बन्ध की नीति बहुत ही सहज में बदली जा सकती है, क्योंकि भारत अब भी इस प्रकार के परिवर्तन के मौक़े बार-बार दे रहा है। पर मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ कर हानिकारक बात दूसरी नहीं होगी। भारत के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किए गए हैं, वे सब शर्तों के साथ हैं और इसलिए मुझे उनसे हटने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। अगर हम अपनी नीति पर क़ायम रहें, तो भारत फिर कभी हमारी सचाई के विषय में सन्देह नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं फिर यह कह सकता हूँ कि इस समय भारत बार-बार ऐसे कारण उत्पन्न कर रहा है, जिनसे राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में पहले दिन घोषित की गई नीति को बहुत सहज में बदला जा सकता है।

"हम चाहे अपनी नीति पर कैसी भी मज़बूती से क़ायम रहें, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि गवर्नमेण्ट क़ानून और अमन की रक्षा करने के कर्तव्य से बरी हो सके। इस सम्बन्ध में मैं आपसे सावधानीपूर्वक आतङ्कवाद और सविनय क़ानून-भङ्ग के भेद पर ध्यान देने को कहता हूँ। इसमें से पहला, अर्थात् आतङ्कवाद को—यद्यपि इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से सविनय क़ानून-भङ्ग की अपेक्षा दशमांश भी नहीं है—अवश्य ही कुचल डालना आवश्यक है, और मैं यह जानकारी के साथ कह सकता हूँ कि बङ्गाल की सरकार इसे कुचलने के लिए सब से शक्तिशाली उपाय की घोषणा करने ही वाली है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, आतङ्कवादियों और कॉङ्ग्रेस के गर्म दल वालों में निश्चय रूप से सम्बन्ध है। इसलिए आतङ्कवाद सरकार का सच्चा विरोधी नहीं है। सच्चा विरोधी सविनय क़ानून-भङ्ग है, जो फिर से आरम्भ हो सकता है। इसलिए यदि इस देश में सविनय क़ानून-भङ्ग को फिर से जारी किया जाय, तो इसे बिना विलम्ब निर्दयतापूर्वक कुचल डालना आवश्यक है। पिछले वर्ष सरकार ने इस नीति पर अमल नहीं किया था, और जैसा मैं ऊपर बतला चुका हूँ, ऐसा कर सकना बड़ा कठिन था, पर लॉर्ड इर्विन की नीति का औचित्य इसी में है कि भविष्य में ऐसी ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों का पूरी तरह मुक़ाबला किया जाय।

दमन की आवश्यकता

"अगर गवर्नमेण्ट मुस्तैद और मज़बूत है, और मुझे हर तरह से विश्वास है कि वह ऐसी ही है, तो उसे दिखला देना चाहिए कि पिछले ज़माने में उसने जो अपने हाथ को रोके रक्खा था, वह उसने दब कर नहीं, वरन् अपनी मर्ज़ी से किया था और उसका कारण उसकी कमज़ोरी नहीं; वरन् ताक़त थी। अगर सरकार ऐसा करेगी तो मुझे विश्वास है कि इस देश के करोड़ों व्यक्ति उसके झण्डे के नीचे इकट्ठे हो जाएँगे। ये लोग पिछले ज़माने में गुमराह बनाए गए थे और इससे अधिक कुछ नहीं चाहते कि उनको अपनी रोटी कमाने का मौक़ा मिले तथा वे बादशाह सलामत के वफ़ादार बने रहें। अगर सविनय क़ानून-भङ्ग सचमुच ही आरम्भ हो, तो स्वराज्य के सम्बन्ध में जितने शासन-सुधार किए गए हैं, वे सब तब तक के लिए वापस ले लेने चाहिए जब तक कि देश में क़ानून और अमन फिर से क़ायम न हो जाय। और इस उद्देश्य को सिद्ध करने का उपाय, बिना सङ्कोच के जल्दी से जल्दी अमल करना और निर्दय शक्ति से काम लेना ही है।"

रेलवे नौकरों पर चारों तरफ़ से हमला

५० हज़ार बरख़ास्त और एक लाख से ज़्यादा के समय में कमी !

'अगर तनख्वाह घटाई गई तो बच्चों को पूरा भोजन और शिक्षा भी न मिल सकेगी'

रेलवे रिट्रेञ्चमेण्ट सब-कमिटी की रिपोर्ट पर रेल-कर्मचारियों की फ़ेडरेशन ने रेलवे-बोर्ड के सम्मुख नीचे लिखा वक्तव्य पेश किया है :—

फ़ेडरेशन प्रकट करना चाहती है कि सरकारी नौकरों में रेलवे कर्मचारी ही ऐसे हैं, जिनके वेतनों में एक साथ कई तरफ़ से कमी की गई है। पेश्तर इसके कि विभिन्न रेलवे रिट्रेञ्चमेण्ट कमिटियों ने अपना काम शुरू किया, रेलवे अधिकारियों ने ४०,२०२ कर्मचारियों को बरख़ास्त कर दिया, ६,००० की तनख़्वाह घटा दी और १,२०,००० को थोड़े समय तक काम करने की आज्ञा दी। अब रेलवे-बोर्ड ने फिर ७,६०० कर्मचारियों को बरख़ास्त करने और थोड़े समय काम करने वालों के समय का परिमाण और भी घटाने की घोषणा की है। मानो इतनी कमी यथेष्ट नहीं थी, रेलवे रिट्रेञ्चमेण्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के १८४ वें पैरा में कर्मचारियों के वेतनों में ३½ से लेकर २० प्रति सैकड़ा तक घटाने की सलाह दी है। जहाँ तक इस कमी का सम्बन्ध १००) या अधिक प्रतिमास पाने वालों से है, हम इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। क्योंकि पिछले जून मास में फ़ेडरेशन ने स्वयं रेलवे-बोर्ड के सम्मुख यह प्रस्ताव किया था। हम अभी अपनी उस राय पर क़ायम हैं।

इनकम-टैक्स में वृद्धि

यह भूल नहीं जाना चाहिए कि कर्मचारियों की मामूली तनख़्वाह में इन कमियों के सिवाय सप्लीमेण्टरी फ़ायनेन्स-बिल के कारण और भी प्रभाव पड़ने की आशङ्का है। उसके अनुसार एक हज़ार से लेकर दो हज़ार तक की आमदनी वालों को इनकम-टैक्स लगाया गया है, बाहर से आने वाले माल पर आयात-कर और नमक का महसूल बढ़ाया गया है, और डाक के महसूल को भी बढ़ा दिया गया है। इस सब के ऊपर विनिमय की दर को बदल देने के कारण रुपए की क़ीमत १६ प्रति सैकड़ा घट गई है।

कमी १००) से ऊपर हो

१००) और उससे कम पाने वालों के वेतन में कमी किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में हम पूर्ण शक्ति से अनुरोध करते हैं कि रेलवे-बोर्ड किसी हालत में उसे स्वीकार न करे। इसके कारण छोटे नौकरों की तनख़्वाह में, जिससे उनके कुटुम्बों का काम अब भी बड़ी मुश्किल से चलता है, और भी कमी हो जायगी। इसका अर्थ होगा कि उनके बच्चों को पूरा खाना भी न मिल सकेगा और अधिकांश हालतों में बच्चों की शिक्षा सर्वथा रुक जायगी। पिछली बात इस तमाम मामले में सब से अधिक खेदजनक है। फ़ेडरेशन की सम्मति में यह बात देश के बालकों के विरुद्ध, मनुष्य-जाति के विरुद्ध और सभ्यता की वृद्धि के विरुद्ध पाप-स्वरूप है।

फ़ेडरेशन को सब-कमिटी के नं० १८२ और १८३ पैराओं पर बहुत अधिक आपत्ति है, जिनमें दी गई दलीलों का सम्पूर्ण आशय यह है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी केवल भोजन पाने के अधिकारी हैं, जब कि ऊँची तनख़्वाह वाले भोजन के साथ ही जीवन के अन्य समस्त सुखों के भी अधिकारी हैं। हमें कहना पड़ता है कि हमने आज तक कभी ऐसा खेदजनक और लज्जापूर्ण प्रस्ताव नहीं सुना कि ऊँचे पदों के कर्मचारी के जीवन-निर्वाह का स्टैण्डर्ड ज्यों का त्यों क़ायम रखना चाहिए। छोटे कर्मचारियों के बच्चों के नाम पर, और समस्त समाज की उन्नति के नाम फ़ेडरेशन इस कसौटी का विरोध करती है। उसकी सम्मति में इस प्रकार का सिद्धान्त मनुष्यत्व के विपरीत है।

रिट्रेञ्चमेण्ट की सीमा

फ़ेडरेशन अन्त में यह बतलाना चाहती है, सब-कमिटी के रिपोर्ट के नं० २० पैरा से बहुत ग़लतफ़हमी पैदा होने की सम्भावना है। उसके मतानुसार छः करोड़ रुपए की आवश्यकता तो रेलवे के ख़र्च पूरा पड़ने के लिए है और १३ या १४ करोड़ की आवश्यकता इसलिए है कि रेलवे में जितना मूलधन लगा है, उस पर ५½ सैकड़ा सूद मिल सके। हमारा कहना है कि रिट्रेञ्चमेण्ट केवल उतनी ही रक़म के लिए किया जाय, जो कि रेलवे का ख़र्च पूरा करने के लिए आवश्यक है, न कि ब्याज की रक़म के ख़्याल से। इसमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊँची तनख़्वाह वालों से ही त्याग कराया जाय और १००) कम पाने वालों को बरी रक्खा जाय।

"किसी विदेशी जाति को भारत पर शासन करने का अधिकार नहीं"

साम्प्रदायिक झगड़े मचाने वाले किराए के टट्टू हैं।

इङ्गलैण्ड की 'फ़्रेण्ड्स ऑफ़ इण्डिया' नामक संस्था ने अङ्गरेज़ी जनता को भारत की दशा का परिचय कराने के लिए विभिन्न स्थानों में सार्वजनिक सभाओं का प्रबन्ध किया है। ऐसी एक सभा में, जो ५ नवम्बर को विक्टरी हॉल में हुई थी, भाषण करते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा :—

"इङ्गलैण्ड का यह सवाल करना मुनासिब नहीं कि भारत के सीमा प्रान्त और दूसरी हदों की कौन रक्षा करेगा! उसे इस बात पर शर्मिन्दा होना चाहिए कि उसी ने हिन्दुस्तान को ऐसा नामर्द बनाया है। अब वह समय आ पहुँचा है जब कि भारत ने निश्चय कर लिया है कि वह अब से आगे इङ्गलैण्ड के आदेश के आगे सर न झुकाएगा। मैं स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रीयता की मानने वाली हूँ, और यदि मेरे देश ने किसी दूसरे देश को इस तरह लूटा होता तो मैं उसके ख़िलाफ़ लड़ने से भी बाज़ न आती। मैं अपने देश की बर्बादी देख सकती हूँ, पर उसे ऐसी पाशविकता करते नहीं देख सकती कि वह दूसरे देशों को नपुंसक बना दे। पर जिन अङ्गरेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया है, उनका यही आदर्श रहा है—"मेरा देश जो ग़लत या सही करे, ठीक है।"

"भारत में जो साम्प्रदायिक झगड़े चल रहे हैं, वे हमारे घर में समझने की बातें हैं। मैं इङ्गलैण्ड को उनमें हस्तक्षेप करने की आज्ञा हर्गिज़ नहीं दे सकती। जो लोग उनमें हस्तक्षेप करते हैं, वे गुप्त सहायता के आधार पर ऐसा करते हैं। उनकी मदद करने को कुछ किराए के टट्टू भी मिल जाते हैं, जो अपनी मूर्खता के कारण ऐसा नीच कृत्य करते हैं। मैं यह इलज़ाम जान-बूझ कर और ख़ूब सोच-समझ कर लगा रही हूँ, और इसकी सचाई साबित करने को पूरी तरह से तैयार हूँ।

"जब तक भारतवासी महात्मा गाँधी का अनुसरण करते हैं, तब तक वे शान्तिमय बने रहेंगे। पर इस शान्ति का अर्थ कायरता नहीं है। भारतवासी न साहस-हीन हैं और न भयभीत हैं। वे लोग अपना ख़ून बहाने को तैयार हैं। उनके हृदयों में स्वाधीनता की जो आग जल रही है, वे उसे ठण्डा करने को तैयार थे। साथ ही क्रान्ति की मशाल भी वहाँ जल रही है। अब इङ्गलैण्ड को अधिकार है कि वह दोनों में से जिसको चाहे चुन ले।

"इङ्गलैण्ड भारत को अब पाशविक शक्ति द्वारा अपना बाज़ार बना कर नहीं रख सकता। भारत उसके साथ किसी तरह का व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रक्खेगा। महात्मा गाँधी भारत को उपद्रवों और ख़ून-ख़राबी से अलग रख कर एक बार और इङ्गलैण्ड को अवसर दे रहे हैं।"

एक प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या हमने भारत को बड़ा नहीं बनाया है? श्रीमती सरोजिनी ने कहा—"हाँ, भारत की समस्त सम्पत्ति हरण करके, उसके गाँवों को लूट कर और भारतीय सिपाहियों की सहायता से युद्धों में विजय पाकर। भारत के बिना इङ्गलैण्ड तीसरे दर्जे की ताक़त होता और संसार की निगाहों में वह किसी गिनती में न होता।"

अन्त में आपने कहा—"मैं विद्रोही हूँ, मेरे हृदय का एक-एक बूँद विद्रोही है और मैं भारत पर किसी विदेशी जाति का शासन सहन नहीं कर सकती।"

—डॉ० अम्बेडकर ने नासिक के मन्दिर-सत्याग्रहियों के पास सहानुभूति का तार भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हमको अपना अधिकार न सरकार से माँगना है न पुरानी चाल के हिन्दुओं से, वरन् स्वयम् अपनी ताक़त से ही लेना है।

—अफ़ग़ानिस्तान में डाक और तार-विभाग की तेज़ी के साथ वृद्धि की जा रही है। बादशाह नादिरशाह ने क़ाबुल में इन विभागों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलने की योजना तैयार की है, जिसकी पढ़ाई एक वर्ष में समाप्त होगी।

—बहुत वर्ष पहले 'ईजिप्ट' नाम का जहाज़, जिस पर बहुत सा सोना था, समुद्र में डूब गया था। कई वर्षों से उसका सोना निकालने की चेष्टा हो रही थी। अब पेरिस से ख़बर आई है कि गोताख़ोर उस जहाज़ के ख़ज़ाने के कमरे को तोड़ने में सफल हुए हैं और अब सोने का बाहर लाना आरम्भ हो गया है।

साइप्रस के स्वाधीनता-संग्राम की कहानी

राष्ट्रीय आन्दोलनकारियों की स्वाधीनता की माँग के प्रति इङ्गलैण्ड का सूखा उत्तर !

साइप्रस टापू में क्रान्ति की आग जिस प्रकार अचानक लग गई और उसने दो-चार दिन में ही जैसा भयङ्कर रूप धारण कर लिया, उससे संसार भर का ध्यान उसकी तरफ़ आकृष्ट हो गया है। एक छोटे से टापू का ऐसा साहस लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। हम नीचे एक गुजराती पत्र 'प्रजामित्र' और 'केसरी' से इस घटना का कुछ पूर्व वृत्तान्त नीचे देते हैं, जिससे पाठकों को विदित होगा कि इङ्गलैण्ड के साम्राज्यवादी अपने हित की रक्षा में कैसे कट्टर हैं और किस प्रकार वे एक छोटे से टापू को भी, उसके न्यायोचित अधिकार देने के लिए राज़ी नहीं होते।

"एशिया, यूरोप और अफ़्रीका से घिरे हुए भूमध्य-सागर में कितने ही ऐसे स्थान हैं जो सैकड़ों वर्षों से ग़ुलामी की ज़ञ्जीरों में बँधे हैं। साइप्रस भी इन्हीं में से एक है और क़रीब पचास वर्ष से उसके ऊपर अङ्गरेज़ों का यूनियन जैक फहराता है। इस साइप्रस ने क़रीब तीन सप्ताह से ग़ुलामी के इक़रारनामे को फाड़ कर समुद्र में फेंक दिया है और अङ्गरेज़ों की असीम शक्ति की परवाह न करके 'स्वाधीन साइप्रस' की घोषणा कर दी है। यद्यपि इस समय उसे अङ्गरेज़ी लड़ाई के जहाज़ों, बम बरसाने वाले हवाई जहाज़ों और स्थल-सेना की तोपों ने घेर रक्खा है, पर उसने अपने स्वाधीनता के झण्डे को नीचे नहीं झुकाया है।

"साइप्रस टापू भूमध्यसागर के अन्य टापुओं की अपेक्षा बड़ा है। उसका क्षेत्रफल ३,५८४ वर्गमील है और उसमें २ लाख ७५ हज़ार मनुष्य निवास करते हैं। सन् १८७८ के रूस-टर्की संग्राम के पश्चात् से इस टापू पर अङ्गरेज़ों का अधिकार है। यह टापू एशिया माइनर से साठ मील और सीरिया से चालीस मील दक्षिण दिशा में है और इससे अङ्गरेज़ी साम्राज्य को कितनी ही तरह के लाभ पहुँचते हैं। टापू की कुल आबादी का अस्सी प्रति सैकड़ा भाग ग्रीक लोगों का है और ये ही अपनी मातृभूमि ग्रीस (यूनान) से मिलने के लिए अङ्गरेज़ों के प्रति विद्रोही हुए हैं। इस समय यद्यपि साइप्रस को अन्य उपनिवेशों के बराबर स्वतन्त्रता है, पर वहाँ के ग्रीक लोग अङ्गरेज़ी शासन से बिल्कुल अलग होकर यूनान के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं।

सदियों की ग़ुलामी

"साइप्रस सैकड़ों वर्षों से सत्ता के भूखे साम्राज्यों की तृष्णा का शिकार बना हुआ है। छठी शताब्दी में मिश्र (ईजिप्ट) ने उस पर अधिकार किया। उसके बाद ईरान, रोम और टर्की के शासकों ने क्रमशः उसे अपनी अधीनता में रक्खा। टर्की का उस पर अधिकार १६वीं सदी में क़ायम हुआ और तीन सौ वर्ष तक वह उसका स्वामी बना रहा, और उसके पश्चात् सन् १८७८ में स्टीफ्रेन की सन्धि के अनुसार उसने शासन-प्रबन्ध के लिए उसे इङ्गलैण्ड के सुपुर्द कर दिया। टर्की ने रूस से आर्मीनिया का प्रदेश लेकर, एशियाई टर्की की रक्षा के सम्बन्ध में अङ्गरेज़ों की सहायता चाही। अङ्गरेज़ों ने ज़रूरत पड़ने पर सेना द्वारा टर्की के एशियाई प्रदेशों की रक्षा का वचन दिया और इसके बदले में टर्की ने भूमध्यसागर का साइप्रस टापू अङ्गरेज़ों के हवाले कर दिया। यही उन्नीसवीं शताब्दी तक का साइप्रस का इतिहास है। बीसवीं सदी के आरम्भ में ग्रीस के शासकों ने साइप्रस को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा की। पर अङ्गरेज़ों की कूटनीति के सामने उसका वश न चल सका। पर वहाँ के ग्रीक निवासियों ने आन्दोलन जारी रक्खा और सन् १९२५ में इङ्गलैण्ड को उसे औपनिवेशिक अधिकार देने पड़े। उसी समय से उपनिवेश के गवर्नर की सहायता के लिए तीन सरकारी और तीन ग़ैर-सरकारी मेम्बरों की एक कार्यकारिणी कौन्सिल क़ायम की गई और उसके बाद इस कौन्सिल ने व्यवस्थापक सभा का निर्माण किया। साइप्रस में थोड़े से मुसलमान भी रहते हैं और व्यवस्थापक सभा में इनके प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया। पर इस व्यवस्थापक सभा के नियम और अधिकार इतने सङ्कुचित और पराधीनतापूर्ण थे कि उससे साइप्रस की किसी तरह की उन्नति होने की आशा न थी। इसलिए सन् १९२८ में ग्रीस के शासकों की सहायता से साइप्रस के ग्रीक युवकों ने इङ्गलैण्ड की ग़ुलामी को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया।

व्यवस्थापक सभा का तमाशा

ग्रीक युवकों के नेता ज़ीनोनरो ने बहुत प्रयत्न करके व्यवस्थापक सभा में एक ऐसा प्रतिनिधि भेजा, जो साइप्रस की पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन करे। सन् १९२६ के व्यवस्थापक सभा के चुनाव में ज़ीनोनरो और उसके साथियों ने खुल्लमखुल्ला साइप्रस की स्वाधीनता का दावा पेश किया और एक ही वर्ष के भीतर साइप्रस के हज़ारों व्यक्तियों ने दस्तख़त करके एक आवेदन-पत्र इङ्गलैण्ड के औपनिवेशिक मन्त्री के सम्मुख पेश किया। इस आवेदन-पत्र में साइप्रस के लिए पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार माँगा गया था। इस आवेदन-पत्र की माँग की और भी पुष्टि करने के लिए ज़ीनोनरो की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन जुलाई सन् १९२९ में लन्दन गया। इस डेपुटेशन ने भी इङ्गलैण्ड के शासकों के सम्मुख यही स्वाधीनता का दावा पेश किया। जब इङ्गलैण्ड के अधिकारियों को इस बात का विश्वास हो गया कि साइप्रस के नवयुवक सचमुच स्वाधीनता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ग्रीस की सरकार उनकी भीतरी सहायक बनी है, तो इस आन्दोलन को कुचलने के लिए तैयार हो गए।

रोटी के बदले पत्थर

साइप्रस की जनता की माँग के उत्तर में ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल ने स्पष्ट शब्दों में कहा—"साइप्रस को ब्रिटेन से अलग नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, वरन् यह भी मालूम होता है कि साइप्रस अभी उत्तरदायी शासन के योग्य भी नहीं हुआ है।" इङ्गलैण्ड के इस कटु उत्तर को सुन कर साइप्रस के प्रतिनिधि ज़ीनोनरो ने उसी समय जवाब दिया—"इङ्गलैण्ड के इस निर्णय को सुन कर साइप्रस की जनता हताश नहीं हो सकती, वरन् वह अन्तिम स्वाधीनता-संग्राम के लिए आतुर हो जायगी।" इन शब्दों के अनुसार सन् १९३० से ही साइप्रस वालों ने स्वाधीनता के लिए प्राणपण से निश्चय करके आन्दोलन शुरू किया।

ग्रीक युवकों की जागृति

ग्रीक जाति की एक विशेषता है, जो इस कहावत से प्रकट होती है कि "ग्रीक जो माँगते हैं, उसे प्राप्त करके ही मानते हैं।" इस कारण साइप्रस की जनता की, जिसमें अधिकांश भाग ग्रीक लोगों का है, स्वाधीनता की भावना को कुचल सकना बड़ा कठिन काम है। साइप्रस की स्वाधीनता की भावना को नष्ट करने के साथ ही इङ्गलैण्ड ने साइप्रस को आर्थिक लूट भी जारी रक्खी है। प्रतिवर्ष साइप्रस के ख़ज़ाने में से ९२,००० पौण्ड की रक़म इङ्गलैण्ड को भेंट की जाती है। इसके सिवाय सन् १९१४ में ब्रिटेन ने एकदम बीस लाख पौण्ड की रक़म साइप्रस के ख़ज़ाने से ले ली थी। इस प्रकार जिस देश की कुल आय ७१ लाख पौण्ड है, उसमें से इतनी रक़म प्रतिवर्ष इङ्गलैण्ड के ख़ज़ाने में चली जाने के बाद, उसकी औद्योगिक उन्नति की क्या आशा की जा सकती है।

ब्रिटेन की अभिलाषा

ब्रिटिश सत्ता का पञ्जा साइप्रस पर सदा क़ायम रहे, यही इस समय ब्रिटेन की अभिलाषा है। ब्रिटेन की जल-सेना के सुभीते के लिए, ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए, ब्रिटेन के निवासियों को बड़ी तनख़्वाह की नौकरियाँ मिलने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर सेना की सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों ने साइप्रस को ग़ुलामी की ज़ञ्जीरों में बाँध रखने का निश्चय कर रक्खा है। साइप्रस के निवासी अब ब्रिटेन की इस शोषण-नीति को घड़ी भर के लिए सहन करने को तैयार नहीं हैं, और जब तक ब्रिटेन उस टापू पर से अपना अधिकार सदा के लिए न हटा ले, तब तक उन्होंने क्रान्ति का झण्डा ऊँचा रखने का निश्चय किया है। ग्रीक युवकों का नेतृत्व ग्रीक पादरियों ने ग्रहण किया है और वे ब्रिटेन के विरुद्ध साइप्रस-वासियों में विद्रोह की आग फैला रहे हैं।

यही साइप्रस के विद्रोह का संक्षिप्त इतिहास है। इसके पश्चात २० अक्टूबर से, जब से साइप्रस में सशस्त्र ग़दर आरम्भ हुआ है और वहाँ के गवर्नर का महल आग लगा कर फूँक दिया गया है, जो घटनाएँ हुई हैं, वे दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में यथासमय प्रकट होती ही रही हैं। अब यद्यपि ब्रिटिश सेना ने अपनी ताक़त के ज़ोर से वहाँ के क्रान्तिकारियों को ज़बर्दस्ती दबा दिया है, और अनुमानतः वे जल्दी सर न उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, इङ्गलैण्ड की सरकार ने घोषणा की है कि साइप्रस वालों की इस नालायक़ी के बदले वहाँ के शासन-विधान पर फिर से विचार किया जायगा। सम्भव है कि उसे जो औपनिवेशिक स्वराज्य के अधिकार मिले हैं, वे छीन लिए जायँ। पर प्रश्न यह है कि क्या इन उपायों से साइप्रस की ग्रीक जनता के हृदयों में लगी हुई स्वाधीनता की अग्नि बुझ सकेगी अथवा वह भीतर ही भीतर सुलगती रह कर फिर किसी समय दूने वेग से भड़केगी? हमारा अनुमान है कि यह देखते हुए कि इङ्गलैण्ड जैसे सामरिक शक्ति में प्रधान देश से शस्त्र-प्रतियोगिता में पार पा सकना छोटे से साइप्रस के लिए ही नहीं, वरन् उसके सहायक ग्रीस के लिए भी सर्वथा असम्भव है, साइप्रस के आन्दोलनकारी अब निष्क्रिय प्रतिरोध और बॉयकाट का सहारा लेंगे। भारत का उदाहरण उनके सामने मौजूद ही है, और महात्मा गाँधी की लन्दन-यात्रा के फल से इस सिद्धान्त का सन्देश इस समय संसार के कोने-कोने में स्पष्ट रूप में पहुँच रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं, यदि अब साइप्रस वाले भी इसी मार्ग का अनुसरण करें।

खद्दर और चर्खे का एक नया उपासक

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता समस्त पूर्वीय देशों के लिए उदाहरण-स्वरूप होगी।

ईजिप्ट (मिश्र) से प्रकाशित होने वाले 'अलबलग़' नामक पत्र ने भारत और ईजिप्ट के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इन दोनों आन्दोलनों के नेता महात्मा गाँधी और ज़ग़लुल पाशा की तुलना करते हुए एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका आशय इस प्रकार है :—

"महात्मा गाँधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका किसी देश में होकर एक बार निकल जाना ही वहाँ के निवासियों को हिला देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने भारत के ३५ करोड़ निवासियों को, जिनके जाग्रत होने की कुछ भी सम्भावना न थी, उठा कर राष्ट्रीय झण्डे के नीचे खड़ा किया है। यदि विचार किया जाय तो एक आदमी कुछ गिनती के आदमियों का ही नेतृत्व कर सकता है। पर पैंतीस करोड़ व्यक्तियों को अग्रसर कर सकना कोई मज़ाक़ की बात नहीं है। यह ऐसा काम है, जिसे कोई असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही करके दिखला सकता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महात्मा गाँधी ने जो काम किया है वह वर्तमान युग का एक चमत्कार समझा जाता है और किसी भी पूर्वीय अथवा पश्चिमी देश में उनका नाम उच्चारण करने से ही आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है।

"म० गाँधी और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र बिना स्वर्गीय सम्राट् ज़ग़लुल पाशा और ईजिप्ट के राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र किए नहीं हो सकता। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ईजिप्ट का आन्दोलन भारत के आन्दोलन से कुछ वर्ष पहले आरम्भ हुआ था और जो कुछ ईजिप्ट ने सन् १९१९ और उसके बाद के वर्षों में किया, उससे भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध और स्वाधीनता का दावा पेश करने का उत्साह मिला। केवल कुछ वर्ष पहले ही जब भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ हुआ, वहाँ के नवयुवक ईजिप्ट और उसके आन्दोलन को उदाहरण-स्वरूप समझ कर उसका ज़िक्र किया करते थे। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि अभी हाल में जब सायमन कमीशन भारत गया, तो वहाँ के नवयुवक कहते थे कि उसका उसी तरह बॉयकाट किया जाना चाहिए, जैसा ईजिप्ट में मिलनर कमीशन का किया गया था। भारत में ईजिप्ट का आन्दोलन उदाहरण-स्वरूप समझा जाता था। यह एक ऐसी बात है, जिसे स्वयं भारतवासी स्वीकार करते हैं।

ईजिप्ट ने क्या किया ?

"अङ्गरेज़ लोग ईजिप्ट के आन्दोलन से इतना नहीं डरते थे, जितना इससे कि उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। पाठकों को यह बात अच्छी तरह याद होगा कि उस ज़माने में विलायती अख़बार इस विषय में बड़ी चिन्ता प्रकट किया करते थे कि ईजिप्ट का उदाहरण भारत में मज़बूती के साथ जड़ पकड़ लेगा और दूसरे पूर्वीय देश भी उसकी नक़ल करने लगेंगे। ईजिप्ट वालों ने अपने आन्दोलन में कितने ही विरोध-प्रदर्शक उपायों से काम लिया था। तमाम सरकारी नौकरों ने तीन दिन तक हड़ताल रक्खी थी। मज़दूरों और मेहतरों तक ने हड़ताल की थी। यह हथियार बड़ा तीक्ष्ण था। यह ऐसा तीक्ष्ण था कि ईजिप्ट के शासक लॉर्ड एलेनबी को विलायत के वैदेशिक विभाग के सामने इस सम्बन्ध में अपना दुखड़ा रोना पड़ा था, ईजिप्ट वालों की तरह भारतवासियों ने भी इस उपाय का अवलम्बन किया। वे लोग सरकारी कर्मचारियों के सामने इस्तीफ़ा देने के लिए चिल्लाए और इसके फल से सैकड़ों कर्मचारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन इस्तीफ़ों से भारत के अङ्गरेज़ी राज्य की जड़ हिल गई या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। पर इतना हम जानते हैं कि इस चोट को अङ्गरेज़ी शासन ने सह लिया और वह सही-सलामत बच गया।

ज़ग़लुल पाशा की मृत्यु के पश्चात् अङ्गरेज़ों की चालों का ईजिप्ट पर प्रभाव पड़ने लगा और उन्हें कुछ ऐसे ईजिप्ट-निवासी मिल गए, जो अपने देश के विरुद्ध उनकी सहायता करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि आज सन् १९३१ में हम देख रहे हैं कि ईजिप्ट के आन्दोलन की गर्मी बहुत-कुछ जाती रही है और सन् १९२१ में बहुत-कुछ जद्दोजहद के बाद हमें जो हक़ मिले थे वे भी जाते रहे हैं। इस प्रकार जब हम पीछे की तरफ़ हट रहे हैं और जब कि अङ्गरेज़ों की चालें हमको मार रही हैं, तब भारतीय आन्दोलन आगे क़दम बढ़ाता जाता है। महात्मा गाँधी के प्रताप से उसे एक शक्तिशाली विरोध-प्रदर्शक उपाय मिल गया है। इस उपाय पर हमारा भी ध्यान है; पर हम उसे काम में नहीं ला सके। इस उपाय के अनुसार अङ्गरेज़ी माल के बजाय अपने घर का बना माल इस्तेमाल करना चाहिए। गाँधी जी अपना चर्ख़ा लेकर सामने आए और जनता से अपना अनुकरण करने को कहा। जनता ने उनके कथन को स्वीकार किया और इसके फल से इङ्गलैण्ड के व्यापार-व्यवसाय को बड़ी हानि पहुँची और वहाँ के कारख़ाने वाले गाँधी जी और उनके अनुयायियों से समझौता करने की पुकार मचाने लगे। हम लोग भी सन् १९२२ में कुछ इसी तरह का काम करना चाहते थे। पर जैसे ही इस सम्बन्ध में एक योजना निश्चित की गई, कैरो के ब्रिटिश शासक डर गए और उन्होंने उस योजना पर दस्तख़त करने वाले तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। जब कुछ दिन बीत गए तो ब्रिटिश शासकों को विश्वास हो गया कि उनका भय उचित न था और अङ्गरेज़ी माल के बॉयकाट का ईजिप्ट पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता।

"पिछले वर्ष भी ईजिप्ट के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के नाम पर हमने फिर एक बार अङ्गरेज़ी माल के बॉयकाट की चेष्टा की। पर हम लोगों ने बातें ज़्यादा की तथा काम कम किया। अङ्गरेज़ लोग भी जानते थे कि हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने इस विषय में किसी तरह की चिन्ता न की।

भारत का उदाहरण

"यह एक ऐसी बात है, जिसमें भारत का आन्दोलन ईजिप्ट के आन्दोलन से बाज़ी मार ले गया है। अब भारत ईजिप्ट के उदाहरण का अनुकरण नहीं कर रहा है, वरन् वह ख़ुद ही एक ऐसा उदाहरण बन गया है, जिसका अनुकरण ईजिप्ट को करना चाहिए। वह हाथ का बना कपड़ा, जिसे म० गाँधी पहिनते हैं और चर्ख़ा जिसे वे सदा हाथ में लेकर चलते हैं, एक ऐसा उपाय है जिससे भारत ईजिप्ट से आगे निकल गया है। ईजिप्ट को चाहिए कि वह इस उपाय की नक़ल करे, जिससे अपने दोस्त भारत के मुक़ाबले में पहुँच सके और इसके बाद वह शायद इससे आगे भी क़दम बढ़ा सकेगा।

"इस समय भारत जिस परिस्थिति में होकर गुज़र रहा है, वह ठीक वही है जिसमें होकर ईजिप्ट वाले उस समय गुज़रे थे, जब कि उनकी राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस (वफ़्द) और मिलनर कमीशन में लन्दन में समझौता हुआ था। अगर भारतवासी आरम्भ में ही हमारे उदाहरण पर ध्यान देते और उपरोक्त मिलनर कमीशन वाले समझौते के पश्चात् हमको जो फल भोगना पड़ा है, उससे शिक्षा ग्रहण करते, तो वे उस ग़लती से बच जाते, जिसके कारण हमको गिरना पड़ा। उनको चाहिए था कि वे उन घटनाओं पर मनन करते और उससे प्राप्त अनुभव की सहायता से आगे बढ़ते।

"हम अपने भाई भारतवासियों की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं और सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह म० गाँधी को दीर्घजीवन प्रदान करे, जिससे वे उस भवन को पूर्ण कर सकें, जिसकी नींव उन्होंने रक्खी है। क्योंकि अगर भारतवर्ष अङ्गरेज़ों की उस देश को अपनाने की नीति का सफलतापूर्वक विरोध कर सका, तो यह सफलता केवल भारतवासियों की ही न होगी, वरन् इसका अर्थ यह होगा कि तमाम पूर्वीय देश अङ्गरेज़ों और अन्य विदेशियों की औपनिवेशिक नीति का विरोध कर सकेंगे।"

❀　❀　❀

बङ्गाल में गिरफ़्तारियाँ

पबना का ८ ता० का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता बाबू प्रभासचन्द्र लाहिड़ी आज कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस में नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। आप डि० कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी थे। शहर में आपके घर की तलाशी ली गई, पर कोई चीज़ आपत्तिजनक न मिली। श्री० सुधीन्द्रनाथ सरकार नामक विद्यार्थी भी गिरफ़्तार करके जेल में रक्खे गए हैं।

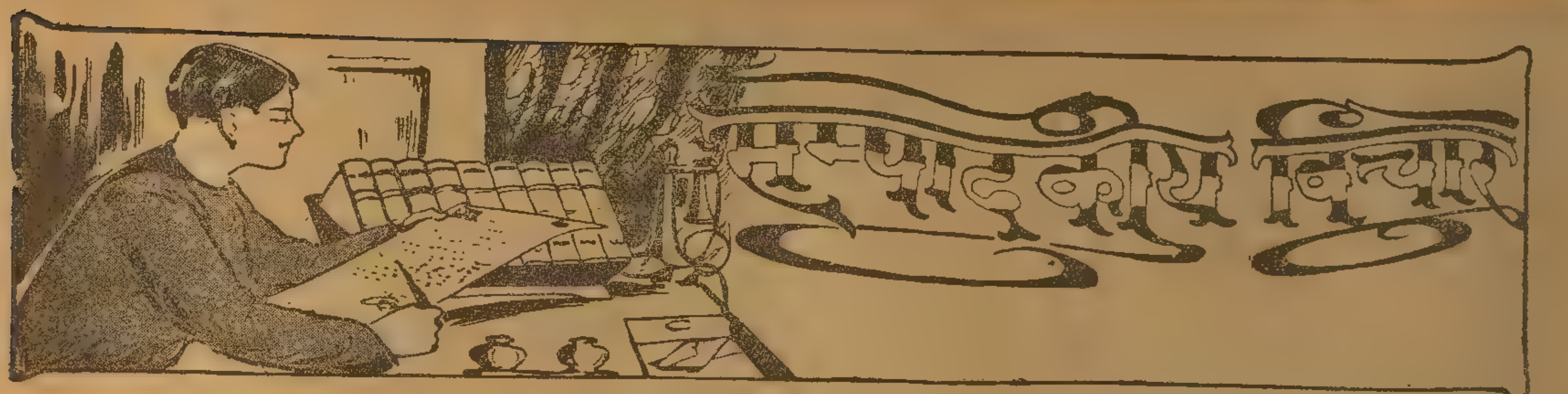
टङ्गाइल का ९ ता० का समाचार है कि एक प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता बाबू चारुचन्द्र राय, कलिहारी कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी बाबू भूदेवप्रसाद सूर और बाबू क्षितीशचन्द्र बोस ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिए गए। इनमें से पिछले दो व्यक्ति मि० कैसल्स पर गोली चलाने के अभियोग में पकड़े गए थे और ज़मानत पर छूटे थे।

मुन्शीगञ्ज (ढाका) का ९ ता० का समाचार है कि बालीगाँव के श्री० हीरालाल चक्रवर्ती और श्री० श्यामविनोद पाल चौधरी गिरफ़्तार किए गए हैं। वे हवालात में रक्खे गए हैं। श्री० श्यामविनोद गत वर्ष इच्छापुरा की डाकख़ाने की डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, पर गवाही की कमी के कारण छोड़ दिए गए थे।

मुन्शीगञ्ज की कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० सुनीलकुमार मुकर्जी भी ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं। उनके घर की तलाशी भी ली गई, पर कुछ मिला नहीं।

नेत्रकोना की ख़बर है कि ९ ता० को बड़े सवेरे पुलिस ने बाबू रमेशचन्द्र चौधरी नामक व्यापारी और बाबू उपेन्द्रचन्द्र मजूमदार नामक सरकारी नौकर के घरों पर धावा किया। उपरोक्त दोनों व्यक्ति और एक तीसरे व्यक्ति श्री० सुधीरचन्द्र मजूमदार ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिए गए।

बारीसाल में ८ ता० की शाम को श्री० सुरेन्द्रनाथ घोष और श्री० सत्यव्रत घोष गिरफ़्तार कर लिए गए। उनके मकानों की तलाशी ली गई और पुलिस कितनी ही किताबें उठा ले गई।



भविष्य

१९ नवम्बर, सन् १९३१

स्वराज्य का सच्चा मार्ग

देश की दुर्दशा

हिन्दुस्तान की हालत इस समय शोचनीय हो रही है। एक हज़ार वर्षों से यह विदेशियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। दुनिया में शायद ही कोई देश इतने दिनों तक ऐसी निपट पराधीनता की दशा में रहा होगा। ख़ासकर इन दिनों, जब कि छोटे-छोटे देश स्वाधीन-राष्ट्र बनते जाते हैं, हिन्दुस्तान जैसा बड़ा मनुष्य जाति के पाँचवें हिस्से का निवास-स्थान देश सब तरह से बेबस और गिरी हुई दशा में पड़ा है। इससे बढ़ कर खेद और लज्जा की बात दूसरी क्या हो सकती है? इस समय दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रजातन्त्र या प्रतिनिधि-सभाओं द्वारा शासन होता है और तमाम सभ्य देशों में हर एक व्यक्ति को शासन में भाग ले सकने का हक़ है। पर हमारे देश के एक तिहाई हिस्से अर्थात् देशी रियासतों में तो बिल्कुल ही निरङ्कुश शासन होता है, और ब्रिटिश भारत में जनता को जो थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, वे भी ज़्यादातर दिखावटी हैं। इस देश के शासन की असली कुञ्जी वायसरॉय और भारत-मन्त्री के हाथ में रहती है और वे जनता की राय पर ध्यान देने की शायद ही तकलीफ़ करते हैं। इस देश में आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट, रेगुलेशन नं० ३, बङ्गाल ऑर्डिनेन्स जैसे मनुष्यत्व को कुचलने वाले क़ानून अमल में लाए जाते हैं। इस देश के सबसे अधिक विद्वान और सब तरह से योग्य व्यक्तियों को भी साधारण दर्जे के विदेशी के आगे सर झुकाना पड़ता है और उनकी ख़ुशामद करने को लाचार होना पड़ता है।

इस देश के समान कङ्गाली किसी दूसरे देश में नहीं है। यहाँ के निवासियों की औसत आमदनी यूरोप और अमेरिका वालों के मुक़ाबले में नाम-मात्र को है। यहाँ हर साल जो भयङ्कर अकाल पड़ते रहते हैं और उनमें जितने आदमी मरते हैं, उनकी तादाद तमाम संसार में होने वाले युद्धों की मृत्यु-संख्या से अधिक होती है। ग़रीबों की तो क्या बात, मध्यम श्रेणी वालों को भी काफ़ी खाने-पीने की चीज़ें नहीं मिलतीं और हर शहर में हज़ारों पढ़े-लिखे आदमी नौकरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं। किसान और मज़दूरों की दुर्दशा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ये बेचारे दिन-रात पसीना बहा कर काम करते हैं, तो भी भरपेट सूखा अनाज और मोटा कपड़ा नहीं पाते।

सुधार की चेष्टा

इस दुर्दशा को दूर करके हिन्दुस्तान को उन्नति के पथ पर चलाने के लिए देशहितैषी व्यक्ति वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं। सब से पहले कॉङ्ग्रेस ने राजनीतिक सुधार की तरफ़ क़दम उठाया, और धीरे-धीरे उसने इस क्षेत्र में बहुत-कुछ काम करके दिखलाया। उसकी चेष्टा से राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल तैयार हो गया है और सर्व-साधारण को अपनी बुरी हालत का बहुत-कुछ पता लग चुका है। समाज-सुधार के लिए भी बहुत सी संस्थाएँ क़ायम हो गई हैं और अब दो-चार वर्षों से लोगों की मनोवृत्ति में इस सम्बन्ध में एक विशेष परिवर्तन दिखलाई दे रहा है। पुराने कठिन बन्धन ढीले पड़ते जाते हैं और लोग सामाजिक और धार्मिक मामलों में कुछ-कुछ आज़ादी से काम लेने लगे हैं। आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए भी चेष्टा जारी है, पर इस सम्बन्ध में तमाम सूत्र सरकार के अधिकार में रहते हैं, और जनता की चेष्टा का फल बहुत कम निकलता है।

पर हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए ये साधन काफ़ी नहीं हो सकते। यद्यपि कॉङ्ग्रेस अब पहले ज़माने की अपेक्षा बहुत अधिक आगे बढ़ गई है और उसने देश की आज़ादी के संग्राम को बहुत-कुछ आगे बढ़ाया है, तो भी भारतीय नवयुवकों का आदर्श उससे बहुत सी बातों में भिन्न है। भारत के नवयुवक जहाँ पूर्ण स्वाधीनता से कम अधिकार को सब तरह से निरर्थक समझते हैं, वहाँ कॉङ्ग्रेस के प्रमुख नेता कितनी ही बार औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए ही तैयार हो जाते हैं। साधारण जनता का सङ्गठन और जागृति ही राजनीतिक उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इस बात को स्वीकार करते हुए भी कॉङ्ग्रेस ने अब तक इस पर अमल बहुत कम किया है। यद्यपि आज राजनीतिक संग्राम की सफलता को दृष्टिगोचर रखते हुए किसान-सङ्गठन पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है, पर यह कह सकना कठिन है कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी यह सिद्धान्त क़ायम रहेगा। क्या आश्चर्य है कि सन् १९२३ की भाँति कॉङ्ग्रेस का रुख़ फिर कौन्सिलों की तरफ़ हो जाय और किसान बेचारे इसी दलदल में पड़े रह जायँ।

मज़दूर-सङ्गठन का प्रश्न इससे भी ज़्यादा सन्देहपूर्ण है। कॉङ्ग्रेस में इस समय पूँजीपतियों की संख्या काफ़ी है और कॉङ्ग्रेस का ख़र्च तो ख़ासकर उन्हीं की सहायता से चलता है। दूर जाने की क्या ज़रूरत, अभी महीने भर पहले गाँधी-जयन्ती में जब सरदार पटेल को १५ लाख की खादी का स्टॉक बेच डालने की आवश्यकता पड़ी तो उसे बम्बई और अन्य स्थानों के बड़े-बड़े मालदारों ने ही विशेष रूप से ख़रीदा। इस दशा में यह समझ सकना कठिन है कि कॉङ्ग्रेस मज़दूरों की दुर्दशा का इलाज कैसे कर सकेगी। क्योंकि मज़दूरों की लड़ाई सरकार से नहीं है, वरन् पूँजीपतियों से है। जब तक पूँजीपति अपने लाभ का परिमाण कम न करेंगे, तब तक मज़दूरों को कुछ हासिल नहीं हो सकता। जिन देशों को पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे इङ्गलैण्ड और अमेरिका आदि, उनमें भी मज़दूरों की यही दशा है। इसलिए स्वराज्य मिलने से ही मज़दूरों की समस्या हल नहीं हो सकती। उसके लिए पूँजीपतियों का विरोध करना अनिवार्य है और अब तक कॉङ्ग्रेस इससे सोलहों आने बच कर रही है।

सुधार का मार्ग

हिन्दुस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार का एकमात्र रास्ता हमारी सम्मति में किसान, मज़दूर और दूसरे नौकरी पेशा वालों का सङ्गठन करना है। यह ज़माना पूँजीवाद (कैपिटैलिज़्म) का है और इस समय अगर कोई सङ्गठन दरअसल मज़बूत हो सकता है, तो वह पेशे के आधार पर ही हो सकता है। क्योंकि एक तरह के काम करने वालों का हित हमेशा एक सा रहता है और जात-पाँत और मज़हब का अन्तर उसे नहीं बदल सकता। सन् १९२१ में असहयोग के समय हिन्दू-मुसलमानों का जो सङ्गठन ख़िलाफ़त के नाम पर किया गया था, वह दो वर्षों में ही ख़त्म हो गया और उसके बाद आज तक हिन्दू-मुसलमान सैकड़ों क्या हज़ारों स्थानों में एक दूसरे का सर फोड़ चुके हैं। पर किसी कारख़ाने की हड़ताल में ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखने में आवे। कोई कारख़ाने वाला हिन्दू या मुसलमान मज़दूरों को मज़हब या जात के नाम पर हड़ताल से अलग नहीं कर सकता। कारण यह कि तमाम मज़दूरों को एक ही बात की तकलीफ़ होती है और उसका असर सब मज़हब वालों पर एक सा पड़ता है। यही दशा किसानों की है। अगर कोई ज़मींदार अनुचित टैक्स या बेगार लेता है या किसानों पर कुछ अन्याय करता है, तो उससे सभी जाति और मज़हब वालों को एक सी तकलीफ़ होती है और वे सब बिना किसी भेद-भाव के उसका विरोध करते हैं। सरकारी या प्राइवेट ऑफ़िसों के नौकर भी जब तनख़्वाह बढ़ाने के लिए आन्दोलन करते हैं, तो यह नहीं कहा जाता कि एक जात वाले नौकरों की तनख़्वाह बढ़ाई जाय और दूसरी जात वालों की नहीं।

हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हिन्दुस्तान को जब कभी सच्चा स्वराज्य मिलेगा, तो इसी प्रकार श्रमजीवी सङ्गठन के द्वारा मिलेगा। क्योंकि जब तक ये ९६ या ९७ प्रति सैकड़ा लोग निर्बल तथा अज्ञान दशा में पड़े रहेंगे, तब तक थोड़े से धनवान और पढ़े-लिखे व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेण्ट पर बहुत कम दबाव डाल सकते हैं। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि स्वराज्य और देशोद्धार के नाम पर जिन किसानों का दशमांश भी आन्दोलन में भाग लेने को तैयार नहीं होता था, लगान के सवाल पर वे प्रायः सब अधिकारियों का मुक़ाबला करने और कष्ट-सहन के लिए तैयार हो जाते हैं।

पर इन श्रमजीवियों का सङ्गठन कैसे हो, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। जैसा हम कह चुके हैं, यद्यपि कॉङ्ग्रेस इस समय किसान-सङ्गठन का कार्य कर रही है, पर यह कह सकना कठिन है कि कहाँ तक वह स्थायी होगा। मज़दूर-सङ्गठन के विषय में तो ज़बानी जमा-ख़र्च के सिवाय बहुत कम असली काम देखने में आता है। ऐसी हालत में सफलता का एक यही मार्ग है कि या तो नवयुवक दल कॉङ्ग्रेस की बागडोर को अपने हाथ में ले, या यह कार्य नौजवान-भारत-सभा, किसान-मज़दूर-पार्टी आदि जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाय। इन संस्थाओं का कर्त्तव्य है कि साधारण जनता को इस बात का विश्वास

दिखा दें कि हम जो स्वराज्य चाहते हैं, वह ग़रीबों का स्वराज्य होगा, उसमें किसी को भूखों, नङ्गे न भटकना होगा, देश के शासन और सम्पत्ति में सबका समान अधिकार होगा, और वर्तमान समय की असमानता, अन्याय, अत्याचार मिट कर सब लोग स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जब तक ऐसा न किया जायगा, इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि श्रमजीवी दिल से स्वराज्य आन्दोलन में भाग लें। हम तो स्वराज्य का अर्थ यही समझते हैं कि किसान अपनी ज़मीन और पैदावार के पूरे मालिक हों और कोई ज़मींदार या तालुक़ेदार उनको बेदख़ल न कर सकें और न सैकड़ों तरह के टैक्स ले सकें। मज़दूरों को इतनी मज़दूरी दी जाय, जिससे वे एक भले आदमी की तरह आराम से रह सकें और उनके बच्चे ऊँची से ऊँची तालीम हासिल कर सकें। पढ़े-लिखे नौजवानों को आजकल की तरह नौकरी के लिए जूतियाँ चटकाते न फिरना पड़े, और न ऐसा दृश्य देखने में आवे कि सिर्फ़ दस्तख़त करने वाला अफ़सर तो एक-दो हज़ार रु० माहवारी पावे तथा नौ बजे से छः बजे तक जानवर की तरह काम करने वाले क्लर्क को पच्चीस-तीस रुपए में ही टरका दिया जाय। कोई व्यक्ति अछूत न समझा जाय और इन नीची जाति के समझे जाने वाले लोगों को केवल पास बैठने या मन्दिरों में जाने का ही अधिकार न दिया जाय, वरन् उनकी आर्थिक दशा की उन्नति की जाय, जिससे सब आवश्यक सुधारों को वे ख़ुद ही कर सकें। स्त्रियों को सामाजिक दासता के बन्धन से छुड़ाना भी आवश्यक है। उनको स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-निर्वाह करने का वैसा ही अधिकार होना चाहिए, जैसा कि एक पुरुष को होता है।

इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि इस आदर्श के अनुसार स्वराज्य केवल उद्योगी, साहसी और स्वार्थ-त्यागी नवयुवक ही स्थापित कर सकते हैं, चाहे वे कॉङ्ग्रेस के नाम से काम करें और चाहे किसी नवीन संस्था के रूप में। क्योंकि उन्हीं में इतनी शक्ति है कि घर-बार को त्याग कर निकल पड़ें और प्रत्येक गाँव तथा प्रत्येक कारख़ाने में घुस कर वहीं के अङ्ग बन जायँ और किसानों तथा मज़दूरों की काया-पलट कर दें। दुनिया आज रूस को दस साल के भीतर मध्यकालीन अर्द्ध-सभ्य देश से पूर्ण रूप से आधुनिक, सुसंस्कृत और नवीन आदर्शों में यूरोप और अमेरिका के सब देशों से बढ़ा देख कर दाँतों तले अँगुली दबा रही है। पर इस सम्बन्ध में अधिकांश लोग इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि इस उन्नति का श्रेय उन अनगिनत नवयुवकों और युवतियों को है, जिन्होंने अब से पचास-साठ वर्ष पहले अपने जीवन की समस्त अभिलाषाएँ और विद्या-बुद्धि जनसमूह की उन्नति के लिए अर्पण कर दी थी। ये युवक और युवतियाँ बड़े-बड़े विद्वान और उपाधिधारी होने पर भी भेष बदल कर गाँवों में किसानों की तरह और कारख़ानों में मज़दूरों की तरह रहते थे और धीरे-धीरे उन सीधे-सादे लोगों के विचारों को बदलते रहते थे। इस उपाय से काम करने में समय तो अवश्य अधिक लगा और परिश्रम भी बहुत करना पड़ा, पर देशोन्नति के कार्य बिल्कुल ठोस और स्थायी हुए और उसने रूस की काया-पलट कर दी। इसके प्रभाव से उस देश की जनता में ऐसी जागृति उत्पन्न हो गई कि वह हृदय से निरङ्कुश शासन का विरोधी बन गई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्राणपण से कटिबद्ध हो गई। इसी तरह के ठोस कार्य की आवश्यकता हमारे देश को है और यही स्वराज्य का सच्चा रास्ता है।

❀ ❀ ❀

काश्मीर की समस्या

काश्मीर रियासत की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है। पञ्जाब के कुछ कट्टर और स्वार्थी मुसलमान नेताओं तथा उनका साथ देने वाले अख़बारों ने, उस रियासत के सम्बन्ध में तरह-तरह की झूठी-झूठी और अतिशयोक्तिपूर्ण ख़बरें फैला कर एक ऐसी विकट समस्या पैदा कर दी है, जिसके फल से काश्मीर का अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ गया है। इस नीचतापूर्ण प्रचार-कार्य में कुछ एङ्गलो इण्डियन पत्रों ने भी भाग लिया है, और वे बराबर अपने सम्वाददाताओं की भेजी ऐसी ख़बरें छापते रहे हैं, जिनसे प्रकट होता है कि काश्मीर की मुसलमान प्रजा और आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए मुसलमान क़ैदियों पर सचमुच ही बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। काश्मीर के महाराज और अन्य अधिकारियों ने इस परिस्थिति का मुक़ाबला बड़ी सावधानी और राजनीतिज्ञता से किया और वे जहाँ तक सम्भव था, इन अफ़वाहों का खण्डन लिख कर और कार्य-रूप में बराबर करते रहे। उन्होंने मुसलमानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें कीं, उनकी प्रायः सभी माँगों को स्वीकार कर लिया और जैसे ही शान्ति के लक्षण दिखलाई पड़े, उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए तमाम क़ैदियों को छोड़ दिया।

इन बातों से आशा होने लगी थी कि अब यह निराधार आन्दोलन बन्द हो जायगा और रियासत को शान्तिपूर्वक साँस लेने का अवसर मिलेगा। पर मालूम होता है कि बाहरी आन्दोलनकारियों का मतलब केवल रियासत के मुसलमानों को विशेष अधिकार दिलाने का ही नहीं है, वरन् इसके सिवाय उनका और भी कोई गुप्त उद्देश्य है। इसीलिए काश्मीर के शासकों के इतनी उदारता दिखलाने पर भी ये 'कट्टर' आन्दोलनकारी शान्त नहीं होते और बार-बार रियासत के भीतर अशान्ति फैलाने की चेष्टा करते हैं। इनका यह काम कितना अनुचित और न्याय-विरुद्ध है, इसका पता जालन्धर के एक मुसलमान मौलवी अहमद हुसेन के उस पत्र से लगता है, जो उन्होंने इस आन्दोलन के नायक 'मजलिसे अहरार' को लिखा है। इस पत्र में मौलवी साहब यह वर्णन करके कि काश्मीर सम्बन्धी पहला आन्दोलन काश्मीरी मुसलमानों के अभाव अभियोगों को दूर कराने के लिए किया गया था और उससे वास्तव में उनका हित हुआ, कहते हैं :—

"मैं काश्मीर रियासत की शासन-पद्धति का प्रशंसक नहीं हूँ, और पिछले महीनों में बराबर ज़ोरदार आन्दोलन करने का समर्थन करता रहा हूँ। पर इस मौक़े पर, जब कि रिफ़ार्म कमीशन के सदस्यों के नामों की घोषणा की जा चुकी है, सक्रिय आन्दोलन का मैं विरोधी हूँ। इन विषयों में साहस की अपेक्षा बुद्धिमानी से काम लेना आवश्यकीय है। अब तक भी हमने बिना सोचे-विचारे जिस ढङ्ग से काम किया है उसके कारण ग़ैर-मुस्लिम हमारे विरोधी बन गए हैं और काश्मीर की तमाम जातियाँ तरह-तरह की माँगें पेश कर रही हैं। इस मौक़े पर अहरार जत्थों का भेजा जाना और उनकी गिरफ़्तारी बड़ी खेदजनक है और मेरी सम्मति में मजलिसे अहरार को कुछ समय तक परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए था। हमारी लड़ाई साम्प्रदायिक लड़ाई नहीं कही जा सकती। हम सिर्फ़ काश्मीर के मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, पर हमने अपनी कार्रवाइयों से कितने ही हिन्दू नेताओं को भड़का दिया है और वे मुसलमानी रियासतों में हिन्दू जनता द्वारा ऐसा ही आन्दोलन खड़ा करने को कह रहे हैं। यह बात बड़ी शोचनीय है। इसके सिवाय यह भी इलज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ मुसलमान नेता इन जत्थों को इसलिए भेज रहे हैं कि काश्मीर के महाराज से रुपया वसूल करें। इस प्रकार का कथन निश्चय ही गर्हित है, पर इस मौक़े पर जत्थों को भेज कर, जब कि उनकी ज़रूरत नहीं है, हम ख़ुद ही ऐसे द्वेषपूर्ण प्रचार के लिए मौक़ा दे रहे हैं। मैं अपने इन विचारों को अपने उन सहधर्मियों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जो मेरी तरह काश्मीर के पीड़ित मुसलमानों की सेवा करना चाहते हैं, न कि उनके द्वारा अपना मतलब सिद्ध करना।"

भारत-सरकार ने भी काश्मीर के सम्बन्ध में जो उपाय अवलम्बित किया है, वह विचारणीय है। इतने दिनों तक समाचार-पत्रों ने और सार्वजनिक नेताओं ने उससे काश्मीर-विरोधी आन्दोलन के रोकने का आग्रह किया, पर उसने ज़रा भी ध्यान न दिया। अब उसने एकाएक उसकी रक्षा के लिए ऑर्डिनेन्स बना दिया और साथ ही अङ्गरेज़ी सेना भी वहाँ भेज दी, इसका अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता। यह झगड़ा तो ऑर्डिनेन्स द्वारा पञ्जाब के मुस्लिम जत्थों को रोक देने से ही ख़त्म हो सकता था। अगर काश्मीर के भीतर थोड़ा-बहुत उपद्रव होता, तो उसके लायक़ सेना काश्मीर में मौजूद ही है। तब अङ्गरेज़ी सेना को वहाँ भेजने से क्या लाभ? इसके विपरीत काश्मीर पर जिस तरह सदा अङ्गरेज़ों की आँख लगी रही है और पिछले ज़माने में भारत-सरकार ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया है, उससे यह बात बहुत सन्देहजनक जान पड़ती है। इन बातों से यही कहना पड़ता है कि काश्मीर का भविष्य अब भी अनिश्चित है।

❀ ❀

सरकार की फ़िज़ूलख़र्ची

आजकल जब कि हम एक तरफ़ अपनी आँखों से नित्यप्रति देश की बढ़ती हुई आर्थिक दुर्दशा को देख रहे हैं, जब कि हम सुनते हैं कि सरकार ख़र्च घटाने के लिए एक-एक विभाग से हज़ारों नौकरों को निकालने की तजवीज़ कर रही है; जब कि पचास और साठ रुपया पाने वाले सरकारी नौकरों की, जिनके बाल-बच्चों को इस समय भी काफ़ी अन्न-वस्त्र नहीं मिलता, तनख़्वाह में भी दस प्रति सैकड़ा कमी की जा रही है, और दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारियों के ऐश-आराम के लिए लाखों रुपया ऐसे कामों में ख़र्च किया जा रहा है, जिनके बिना सहज में काम चल सकता था, तो मन में आश्चर्य और खेद का भाव आए बिना नहीं रहता। अभी हाल में बहुत सा रुपया लगा कर वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन की शोभा और सुख-सामग्री बढ़ाई गई थी। अब ख़बर मिली है, १ लाख १६ हज़ार रुपया लगा कर वायसरॉय के आकाश-विहार के लिए एक हवाई जहाज़ ख़रीदा जा रहा है। हम नहीं समझते कि जब सरकारी अधिकारियों का जनता की कष्ट की कमाई के प्रति यह भाव है, तो इस बात की क्या आशा की जा सकती है कि वे गर्मी में सरकारी ऑफ़िसों का पहाड़ों पर ले जाना और उन अन्य फ़िज़ूलख़र्चियों को कम कर सकेंगे, जो पहले से चली आ रही हैं। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जब तक भारत के ख़ज़ाने की कुञ्जी भारतवासियों के हाथ नहीं आती, तब तक ऐसी घटनाएँ होती ही रहेंगी।

❀ ❀ ❀



माँ और मातृभूमि

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

(शेषांश)

[पिछले परिच्छेदों का सार—विमल एक देशभक्त माता-पिता का पुत्र था। शारदा उसकी बहिन थी। असहयोग में कॉलेज छोड़ कर, विमल ने ग्रामों में प्रचार-कार्य किया और पीछे ज़िला कॉङ्ग्रेस-कमिटी का मन्त्री बन गया। राजद्रोह के अपराध में विमल को कारागार में जाना पड़ा। शारदा जेल में उससे मिलने आई और उसे माता की निराशापूर्ण बीमारी का समाचार सुनाया। विमल अपनी माता को बहुत मानता था। वह उसके दर्शनों के लिए छटपटा उठा। माँ के दर्शनों का एक साधन था—माफ़ी। विमल ने अन्त में उसी साधन का आश्रय लिया और जेल से मुक्ति पाई।

१२

एक छोटे से कमरे में विमल की माँ रुग्ण-शय्या पर पड़ी थी। पास ही शारदा बैठी हुई थी। माँ की दशा चिन्ताजनक थी। शरीर जर्जर हो गया था, नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ गई थी। कमरे में शान्ति थी, केवल शारदा ही कभी-कभी दबी हुई सिसकियाँ भर लेती थी।

अचानक द्वार खुला और ज्योंही शारदा उसकी ओर मुड़ी, उसने विमल को कमरे में आते हुए देखा।

'भैया!' कह कर वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी।

माँ की आँखें धीरे-धीरे खुलीं। उसने द्वार की ओर देखा। विमल तेज़ी से माँ की ओर आया। माँ जैसे सतर्क हो गई हो।

'विमल!' माँ ने शक्ति सञ्चय कर कहा।

'हाँ, माँ!'

'तुम यहाँ?'

'हाँ!'

'क्या छूट गए?'

'हाँ।'

'यह क्योंकर?'

विमल ने शिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था।

माँ समझ गई।

'माफ़ी माँग ली?'

विमल ने 'हाँ' में शिर हिला दिया।

'मेरा पुत्र होकर, अपने पिता का पुत्र होकर माफ़ी माँग ली! मेरे जन्म में कलङ्क का टीका लगा दिया! जिसके पिता ने देश के लिए हँसते-हँसते प्राण अर्पण कर दिए, जिसके देशवासी भाँति-भाँति के बलिदान मातृ-भूमि के वेदी पर चढ़ा रहे हैं, वह कायर निकला, वह देश-द्रोही निकला। उसने मातृ-भूमि को और अपनी माँ को धोखा दिया। मेरा एक पुत्र और वह ऐसा! लोग चारों ओर से उँगली उठाएँगे, मैं देशद्रोही की, एक कायर की माँ कही जाऊँगी! जिस पुत्र से वीरता की आशा थी, उसने ही बुढ़ापे में मुझे ऐसा दिन दिखाया। हे भगवान! ऐसा पुत्र पैदा होते ही क्यों न मर गया? यदि निपुत्री ही होती तो यह दिन तो देखने को न मिलता! हाय, मैं पुत्र के होते भी निपुत्री से भी बुरी हूँ।'

माँ बिलख-बिलख कर रोने लगी, उसकी हिचकियाँ बँध गईं। विमल के नेत्रों से भी आँसू बह रहे थे।

'माँ!' वह करुणा-जनक स्वर में बोला।

'माँ? मैं नहीं हूँ, तेरी माँ। मुझे 'माँ' पुकार कर मेरा अपमान न कर!' माँ के शब्दों में ज़ोर आ गया था।

'माँ, तुम समझी नहीं हो।'

'समझी नहीं हूँ? अब समझने को शेष क्या रहा है? तुम माफ़ी माँग कर जेल से छूटे हो, इससे अधिक और क्या समझा सकते हो? तुमसे एक वर्ष भी जेल में न रहा गया, ग्रामों में इतने दिन तपस्या का जीवन बिताने के बाद भी जेल की यातनाएँ सहन न हो सकीं, और मुझे समझाने आए हो।'

'परन्तु मैं यातनाओं के डर से छुटकारा पाकर नहीं आया हूँ।'

'फिर?'

'तुम्हारे लिए।'

'मेरे लिए?'

'हाँ, 'माँ' के लिए।'

माँ ने विमल की ओर प्रश्नभरी दृष्टि से देखा।

'मैं सच कहता हूँ, माँ! जेल की यातनाओं ने मुझसे माफ़ी नहीं मँगवाई है। जेल की यातनाएँ दुःसह अवश्य थीं, परन्तु उनसे मैं नहीं घबराया। जेल के कष्ट दृढ़ हृदय को भी विचलित करने वाले थे अवश्य, परन्तु उन्होंने मुझ पर अधिक प्रभाव नहीं किया था। कुछ दिन बीतने पर मैं उनका आदी हो जाता, परन्तु मैं तुम्हारी दशा का समाचार सुन कर एकदम अधीर हो उठा था। किसी प्रकार तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं आतुर हो उठा था। माँ के विचार ने मेरे अन्य सब विचारों पर पर्दा डाल दिया था। उसी विचार ने......मुझसे माफ़ी तक मँगवाई थी!'

'माँ के लिए कायरता, देशद्रोह?'

'मैं कायर नहीं हूँ, माँ, मैं कायर नहीं हूँ। मैं देश के लिए मर सकता हूँ। परन्तु साथ ही माँ का मुझ पर पहिला अधिकार है।'

'क्यों किया तुमने यह, विमल? क्या माँ का विचार मातृ-भूमि से भी बढ़ कर है? माँ और मातृ-भूमि, इनमें से क्या तुम नहीं समझते कि मातृ-भूमि का तुम पर पहिला अधिकार है। एक माँ क्या, असंख्य माँएँ मातृ-भूमि के सामने तुच्छ हैं। यदि तुम माँ को भूल जाओ तो वह क्षम्य है, परन्तु मातृ भूमि को भूलना—यह कभी क्षम्य नहीं हो सकता। यदि मातृ-भूमि की रक्षा न हो सकेगी तो माँ की रक्षा तुम कैसे कर सकते हो? ग़ुलामों की माताओं का मान क्या, उनकी प्रतिष्ठा क्या? मातृ-भूमि की रक्षा करके तुम उन लाखों माताओं की रक्षा कर सकते हो, जो परतन्त्रता के कारण स्वयं अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, और अपने मान की रक्षा नहीं कर सकतीं। भूल जाओ माँ को, विमल! छोड़ दो इस ममता को!'

'माँ की ममता छोड़ सकूँगा?' विमल रोने लगा।

'न छोड़ सको तो अपना मन्त्र बना लो—माँ और मातृ-भूमि!'

विमल माँ के चरणों पर शिर रख कर रोने लगा। माँ की इच्छा हुई कि विमल के शिर पर हाथ फेरे, परन्तु वह दृढ़ रही आई।

'क्षमा करो माँ! मैंने बड़ा अपराध किया है।'

'क्षमा मैं नहीं कर सकती?'

'फिर?'

'मातृ-भूमि से क्षमा माँगो?'

'किस प्रकार?'

'फिर रण में जाकर और एक वीर सिपाही की भाँति लड़ कर।'

'असहयोग के रण में?'

'हाँ!'

इतने ही में नीचे से स्वयंसेवकों का गाना सुनाई पड़ा। वे दल बनाए हुए असहयोग के युद्ध में जा रहे थे। माँ, शारदा और विमल सब एकचित्त होकर गाने को सुनने लगे। स्वयंसेवक गा रहे थे:—

(१)

सुना दिया है सेनापति ने रुचिर रणभेरी का नाद,
रण प्राङ्गण को चले सुभट सब भरे हृदय में अति आह्लाद।
छेड़ दिया है असहयोग का अनुपम शान्त सुभग संग्राम,
लड़ने को हैं खड़े निहत्थे वीर असहयोगी निष्काम।
सुनो, सुनो, प्यारी भारत-जननी का करुणामय आह्वान,
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान॥

(२)

माना तुम हो निरे निहत्थे, अति बलशाली है सरकार,
माना तुम पर नित्य नए होते अमानुषिक अत्याचार।
पर यदि तुम्हें मातृ-भू का दासत्व-पाश है कटवाना,
सुभग सुखद स्वातन्त्र्य-सूर्य से पारतन्त्र्य-तम हटवाना,
आलिङ्गन आपत्ति-पुञ्ज का तो कर लो निज बन्धु समान,
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान॥

(३)

पिनल-कोड के नागपाश में फँसा रहे फँस जाने दो,
भेज-भेज कर सैनिक कारागारों को भरवाने दो।
तोपों से गोले बरसाते हैं, सुख से बरसाने दो,
अथवा वायुयान द्वारा ऊपर से बम्ब गिराने दो।
कर लेने दो ज़ुल्म न रह जाए उनके जी में अरमान,
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान॥

(४)

ज़ुल्मों की बिजली गिरती है, तुम न मगर परवाह करो,
पहले आह किया करते थे पर अब केवल वाह करो।
ज़ुल्मों का ग़म करो न हरगिज़ न अब कहीं फ़रियाद करो,
करो प्रार्थना यही, दयामय, जल्लादों को शाद करो।
गाते रहो सदा प्रमुदित हो शान्ति, अहिंसा के कल गान,
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान॥

(२)

दास, लाल, आज़ाद, नेहरू चढ़ा गए हैं बलि-प्रदान,
हुए वीरवर गाँधी जी भी भारतमाता पर क़ुरबान।
आओ, भारत-वीर देश पर करो निछावर तुम भी जान,
दूर करो नौकरशाही का शान्ति-अस्त्र से ही अभिमान।
'प्रेम' मुकुट माँ के सिर रख दो, फहरा दो आज़ाद निशान,
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान॥

सब ने निस्तब्ध होकर गाना सुना। विमल ने भी वह गाना सुना। वह कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने अच्छी तरह माँ की ओर देखा और कुछ न कह कर वह द्वार की ओर चल दिया। माँ अभी तक दृढ़ थी, परन्तु अब दृढ़ता का बाँध टूटने लगा, मातृ-प्रेम की धारा का प्रवाह इतना प्रबल हो उठा था। उसके नेत्रों से आँसू बहने लगे। जिस पुत्र के लिए वह रुग्ण-शय्या पर पड़ी हुई छटपटाया करती थी, जिसे देखने के लिए वह तरसती थी, वह पास आकर भी जा रहा था, न जाने किधर, न जाने कितने समय के लिए। शायद वह फिर उसे न मिले, शायद यही दोनों का अन्तिम मिलन हो। इन विचारों से वह व्याकुल हो उठी। उसने अपने हाथ द्वार की ओर फैलाए और वह चिल्लाना चाहती थी—'विमल न जाओ!' इतने ही में उसके कानों में स्वयंसेवकों के गीत का यह अंश सुन पड़ा—

"सुनो, सुनो, प्यारी भारत-जननी का करुणामय आह्वान!
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान!"

उसने दृष्टि द्वार से हटा ली। फैले हुए हाथ पीछे कर लिए। आँखों में दो आँसू आकर उसने तकिए में अपना मुख छिपा लिया।

* * *

शारदा विमल के पीछे-पीछे द्वार तक आई थी। जब विमल ज़ीने के पास पहुँच गया और नीचे उतरना चाहता था, तब शारदा ने उसे पुकारा—

'भैया!'

विमल पीछे मुड़ा।

'बहिन से बिना मिले ही चले जाओगे?'

'मैं इस योग्य नहीं रहा, शारदा!'

'क्यों नहीं?'

'मैं देशद्रोही हूँ, कायर हूँ।'

'थे, तब थे, अब नहीं हो। अब तो वीरता से तुम शत्रु के अत्याचारों का लोहा लेने जा रहे हो। उस क्षणिक दुर्बलता को भूल जाओ!'

'तो तुम समझती हो?'

'समझती हूँ, भैया! मानव-हृदय इसी का नाम है!'

'मुझे हर्ष है, शारदा, कि तुम मुझे कायर नहीं समझती हो, अपराधी नहीं समझती हो, अब मुझे चिन्ता नहीं कि संसार मुझे क्या कहेगा। तुम जानती हो, शारदा, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को पाना भी, जो मुझे अपराधी नहीं समझता, सान्त्वना से हृदय को भर देता है। मैं अब जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी रहूँगा, जो कुछ भी करूँगा, इस बात का मुझे सन्तोष रहेगा कि मेरी बहिन मेरे साथ है।'

'ईश्वर तुम्हें इस परीक्षा में सफल करें।'

भाई-बहिन, दोनों, एक-दूसरे के गले से लिपट गए।

१३

विमल घर से बाहर निकला तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो सारा नगर उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देख रहा हो। सारे नगर में तब तक यह समाचार फैल गया था कि विमल माफ़ी माँग कर छूट आया था। जिसे देखिए वही विमल की बातचीत कर रहा था। जहाँ देखिए, वहीं उसकी चर्चा हो रही थी।

एक रायसाहब की शराब की दूकान पर बड़े ज़ोरों से धरना दिया जाने वाला था। स्वयंसेवकों का पहला जत्था राष्ट्रीय गीत गाता हुआ उधर ही गया था। वह एक मार्के की लड़ाई थी। रायसाहब ने कलक्टर से पुलिस की सहायता माँगी थी और कलक्टर ने उसे सहर्ष प्रदान कर दिया था। शराब की दूकान के चारों ओर लाल साफ़े वाले सिपाहियों का समूह ही दिखलाई देता था। दर्शकों की भी बड़ी भारी भीड़ वहाँ लगी हुई थी। लोग यह देखना चाहते थे कि पुलिस कैसे-कैसे अत्याचार निहत्थे, शान्त स्वयंसेवकों पर करती है और स्वयंसेवक किस प्रकार चुपचाप उन अत्याचारों को सहन करते हैं। अभी तक उस नगर में पुलिस और स्वयंसेवकों की ऐसी मुठभेड़ का अवसर नहीं आया था।

स्वयंसेवक बढ़े हुए चले आ रहे थे, अपने Marching Song को गाते हुए, बीच-बीच में भारतमाता की जय-जयकार बोलते हुए। जिधर-जिधर होकर वे जा रहे थे, वहीं-वहीं भीड़ उनका हर्षनाद से स्वागत कर रही थी। देवियाँ अपने-अपने मकानों की छतों से पुष्प-वर्षा कर रही थीं। सारे नगर में एक विद्युत-सी दौड़ गई थी। बुड्ढे, बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष—सभी इस जत्थे के लिए विजय-कामना कर रहे थे।

उसी समय विमल वहाँ पहुँचा। वह सड़क पर जत्थे को देखने के लिए खड़ा हो गया। जत्थे में वे स्वयंसेवक थे, जिनका नेतृत्व कभी स्वयं उसी ने किया था। यदि वह सम्मान-सहित जेल से छूट कर आता तो आज वह उस जत्थे का अधिनायक होता। स्वयंसेवकों ने विमल को देखा। उनके देखने में घृणा और दया का अपूर्व भाव भरा हुआ था। विमल उस दृष्टि को सहन न कर सका। यदि पृथ्वी फट जाती तो वह उसमें समा जाता। उसे आत्म-ग्लानि हो रही थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर जत्थे के साथ ही सड़क के एक ओर चल दिया। जत्था कुछ दूर आगे पहुँचा तो लोगों ने 'भारतमाता की जय' बोली। स्वयंसेवकों ने भी 'भारतमाता की जय' के नाद से आकाश हिला दिया। विमल के मुख से भी अनायास 'भारतमाता की जय' निकल पड़ी। लोगों ने इसे देखा, लोगों ने इसे सुना। स्वयंसेवकों ने इसे देखा, स्वयंसेवकों ने इसे सुना। विमल के ऊपर आवाज़ें कसी जाने लगीं।

'कायर!'—एक ने कहा।

'देशद्रोही!'—दूसरे ने कहा।

'माफ़ी माँग कर आ गया!'—तीसरा बोला।

'लँहगा और चूड़ियाँ पहन कर घर बैठ जा!'—चौथा चिल्लाया।

'मुख दिखाने में शर्म भी नहीं आती!'—कुछ और लोगों ने पुकार कर कहा।

विमल का रक्त खौलने लगा। उसका मुख तमतमा गया। वह ज़ोर से चिल्ला कर बोला—ठहर जाओ!

स्वयंसेवक मन्त्र-मुग्ध की भाँति वहीं खड़े हो गए। उनका गाना बन्द हो गया। वे और भीड़ सब विमल की ओर आश्चर्य से देखने लगे।

'मैं कायर नहीं हूँ, मैं देशद्रोही नहीं हूँ।'—विमल चिल्ला कर बोला।

'फिर माफ़ी माँग कर क्यों आए?'—एक स्वयंसेवक ने पूछा।

'माफ़ी मैंने जेल के कष्टों से घबरा कर नहीं माँगी। मैं मातृभूमि के लिए उसी प्रकार मर सकता हूँ, जिस प्रकार आप सब!'

'फिर किसलिए?'—प्रश्न हुआ।

'माँ के लिए। मेरी माँ मृत्यु-शय्या पर है। यदि तुममें से कोई अपनी माँ को उतना ही मानता है, जितना मैं मानता हूँ, तो वह मेरी स्थिति को समझ सकेगा।'

भीड़ में सब हँसने लगे।

'आप लोगों को विश्वास नहीं है तो देखिए, मैं अभी जेल में जाने के लिए तैयार हूँ।'—इतना कह कर विमल तेज़ी से स्वयंसेवकों के सामने पहुँचा और अधिनायक से उसने झण्डा छीन कर अपने हाथ में ले लिया। सब लोग विस्मय से यह देख रहे थे।

'भारतमाता की जय!'—विमल ने पुकारा!

'भारतमाता की जय!'—भीड़ ने पुकारा।

जत्था विमल की अधिनायकता में धरना देने के लिए चल दिया। उस समय विमल भी सब के साथ गा रहा था—

सुनो, सुनो, प्यारी भारतमाता का करुणामय आह्वान।
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान!

१४

पहला जत्था शीघ्र ही गिरफ़्तार हो गया। विमल से पुलिस बहुत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि वह एक दिन पहले तो माफ़ी माँग कर आया था और दूसरे ही दिन फिर राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगा था। यही नहीं जैसे ही वह जेल में पहुँचा, जेलर की वक्र-दृष्टि उसके ऊपर गई।

'तुम अपने लिखे को भूल गए?'

'वह मेरी भूल थी।'

'उस दिन वह भूल नहीं थी?'

'उस दिन भी वह भूल थी, परन्तु उस दिन मुझे ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। आज भी वह भूल है, परन्तु आज मुझे उसका ज्ञान हो गया है।'

'किसने कराया?'

'माँ ने!'

'बीमार माँ ने?'

'हाँ। यदि मैं दृढ़तापूर्वक इस बार पार हो जाऊँगा तो उसका श्रेय मेरी माँ को होगा।'

'परन्तु इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।'

'जो कुछ भी हो।'

परिणाम वास्तव में बहुत बुरा हुआ। विमल को एक तङ्ग कोठरी में बन्द कर दिया। पहले विमल जिस कोठरी में बन्द किया गया था, वह कोठरी उससे बहुत छोटी तथा अँधेरी थी। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। द्वार छोटा सा था, लोहे का। उसी में ऊपर की ओर कुछ सींकचे थे, जिसमें होकर कुछ हवा आ-जा सकती थी। मच्छरों का तो वहाँ निवास ही था। वह कोठरी केवल दो बार खोली जाती थी, प्रातःकाल और तीसरे पहर। उसी समय मैले की प्यालियाँ हटा ली जाती थीं और भोजन दे दिया जाता था। बीच में तो मैला वहीं पड़ा दुर्गन्ध करता रहता था।

काम करने के लिए रामबाँस का कूटना विमल को मिला था। रामबाँस की कुटाई कितनी कठिन थी, यह विमल जानता था। उसने पहले कई बार अपनी कोठरी से क़ैदियों को गाते हुए सुना था—

"रामबाँस की कड़ी मशक़्क़त चक्की से इन्कार नहीं,
जेलख़ाने का बुरा रवैया, कोई किसी का यार नहीं।"

और वास्तव में रामबाँस की कड़ी मशक़्क़त थी, उसे कूटने वाले को अपने हाथों को तो आहत ही कर लेना पड़ता था। परन्तु विमल सहर्ष उस काम को करता था। उसके हृदय में अब एक अपूर्व बल आ गया था। उसे अब वे कष्ट, कष्ट नहीं प्रतीत होते थे। अब जब उसे माँ की याद आती थी, तो वह मातृभूमि की भी याद कर लिया करता था और सदा इसी बात का विचार किया करता था कि उसके लिए संसार में दो शब्द पूज्य थे, 'माँ और मातृभूमि'। अपनी इस दृढ़ता को और भी दृढ़ करने के लिए उसने इसी बात का निश्चय कर लिया था कि वह बाह्य संसार से कोई भी सम्पर्क न रक्खेगा। न वह किसी को पत्र लिखता था, न किसी से मिलता था। एक बार शारदा उससे मिलने

आई थी, परन्तु उसने कहलवा भेजा कि वह अब उनसे जेल के बाहर ही मिलेगा।

इस प्रकार कुछ दिन बीते थे कि राजनैतिक क़ैदियों को पता लगा कि रोटियाँ बनाने का आटा क़ैदी लोग पैरों से गूँधते हैं। इस बात की शिकायत विमल ने उस दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट से की। उत्तर में कहा गया—यदि अच्छा खाना खाना हो तो माफ़ी माँग लो।

यही नहीं, उस दिन जो दाल आई, उसमें विमल ने देखा कि काले-काले असंख्य कीड़े ऊपर तैर रहे थे। वे भी दाल के साथ ही दल दिए थे और उसी के साथ पका भी दिए थे। इस प्रकार के भोजन को अन्य क़ैदी तो खा सकते थे, परन्तु राजनैतिक क़ैदियों ने ऐसा करना उचित न समझा। अनशन-व्रत शुरू हो गया। विमल ने प्रयत्न करके सभी जत्थे वालों के पास समाचार भिजवा दिया था, ज्योंही जेलर ने सुना, वह जल-भुन कर ख़ाक हो गया, उसने विमल को ही इस रोग की जड़ समझा। पहले ही वह उससे जला हुआ था, अब तो उसका क्रोध सीमा को पार कर गया था। शीघ्र ही तार द्वारा स्वीकृति मँगा कर अन्य सब राजनैतिक क़ैदी दूसरी जेलों में भेज दिए गए। विमल को वहीं रख लिया गया। जेलर अपने प्रतिहिंसा के भाव का प्रदर्शन करना चाहता था।

❀ ❀ ❀

जेलर की प्रतिहिंसा शुरू हुई और विमल का साहसपूर्वक कष्ट सहन। उसको बेड़ियाँ पहना दी गईं, परन्तु उसने चूँ नहीं किया। वह किसी प्रकार भोजन करने को तैयार नहीं था, जब तक कि उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया जाय। यह अत्याचार की पहली श्रेणी थी। जब विमल इससे विचलित न हुआ, तो उसे उन क़ैदियों के साथ बन्द कर दिया गया, जो हत्या या डकैती करके आए थे। जेलर ने सोचा था कि वह उनके बीच में रह कर घबरा जायगा। परन्तु हुआ इसके विरुद्ध। रात भर क़ैदी विमल का राजनैतिक विषयों पर व्याख्यान सुनते रहे। और फल यह हुआ कि विमल एक ऐसी अकेली कोठरी में बन्द किया गया, जिसका नाम जेल भर में बहुत बदनाम था। उसमें किसी क़ैदी ने फाँसी लगा कर आत्म-हत्या कर ली थी और सबका यह विश्वास था कि उस कोठरी में उसी व्यक्ति का भूत निवास करता था। यह विश्वास इतना गहरा था कि जो क़ैदी भी उसमें रक्खा जाता था, वही बीमार हो जाता था।

एक दीवार में हथकड़ी टँगी हुई थी और उन्हीं में विमल के हाथों को कस कर रात भर के लिए उसको खड़ा कर दिया। विमल कई दिनों का भूखा था। शरीर शिथिल हो रहा था। गर्मी सख़्त पड़ रही थी। कोठरी में वायु का प्रवेश भी नहीं हो रहा था। ऐसी दशा में रात भर उसको हथकड़ी लगा कर खड़ा रक्खा गया। उसका शरीर इतना आघात सहन न कर सका। प्रातःकाल जब उसके हाथ खोले गए तो वह बेहोश पाया गया। उसे कुछ ज्वर भी हो रहा था।

विमल को इसी दशा में अस्पताल ले जाया गया। उसकी अधिक चिन्ता नहीं की गई। किसे उसकी या उसके जीवन की चिन्ता होती? डॉक्टर अवश्य कुछ सहृदय था, परन्तु वह कुछ अधिक नहीं कर सकता था।

कई दिनों तक विमल इसी प्रकार पड़ा रहा। उसकी दशा चिन्ताजनक हो गई थी। उस समय शारदा विमल से मिलने आई। उस दिन विमल ने आँखें खोली थीं और दो-एक शब्द अपने मुख से निकाले थे।

डॉक्टर ने शारदा को देख कर कहा—विमल सदा बेहोशी में 'माँ' पुकारा करता है। क्या तुम्हारी माता यहाँ नहीं आ सकती थीं?

शारदा के नेत्रों में आँसू भर आए।

'नहीं।'—उसने रोते हुए उत्तर दिया।

'क्यों?'

'उसकी......मृत्यु हो गई!'

'मृत्यु! कैसा दुर्भाग्य है!'

'उसको यह समाचार न देना, उसका हृदय टूट जायगा।'

'नहीं दूँगा, विश्वास रक्खो।'

विमल अपनी अन्तिम श्वासें ले रहा था, शारदा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पुकारा—'भैया!' विमल ने धीरे-धीरे आँखें खोलीं और क्षीण स्वर में कहा—'शारदा'!

'हाँ भैया, मैं हूँ, शारदा!'

'माँ नहीं आईं?'

'नहीं आ सकीं।'

'अच्छी हैं वह?'

'हाँ।'—शारदा ने बड़ी कठिनता से आँसुओं को रोकते हुए कहा।

'मैं तो जा रहा हूँ, शारदा!'

'ऐसा न कहो, भैया!'—शारदा रोती हुई बोली।

'अब मैं कायर नहीं हूँ, बहिन! अब मुझे मृत्यु से डर नहीं है।'

'तुम वीर हो, भैया!'

विमल का टिमटिमाता हुआ दीपक बुझने लगा, परन्तु बुझने के पहले उसने शारदा से कह दिया—माँ से जाकर कह देना कि मरते समय मेरे होठों पर दो शब्द थे।

'माँ और मातृभूमि'

❀ ❀ ❀



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

इटली का शासन-विधान

इटली यूरोप का प्राचीनतम देश है। यूरोप के किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक इतिहास इतना प्राचीन तथा मनोरञ्जक नहीं है, जितना इटली का। इटली दो भागों में बँटा हुआ है—उत्तरीय तथा दक्षिणीय। उत्तरीय भाग में लॉम्बॉर्डी, पीडमाण्ट, टसकनी तथा वनेशिया हैं। दक्षिणीय भाग में रोम, नेपल्स का प्राचीन राज्य तथा सारडिनिया और सिसिली के द्वीप-पुञ्ज हैं। सारा देश ४०,००० वर्ग मील में फैला हुआ है और इसकी आबादी ३ करोड़ ८० लाख से भी अधिक है।

रोम की स्थापना ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व की गई थी। क्रमशः इस नगर ने आशातीत उन्नति की। इसका अधिकार चारों तरफ़ फैलने लगा। यहाँ तक कि एक समय रोम का आधिपत्य तत्कालीन तमाम संसार में फैल गया था। संसार की तमाम सड़कें रोम को जाती थीं। कई सौ वर्ष तक इटली सार्वभौम साम्राज्य रहा और संसार की सभ्यता का केन्द्र माना जाता था। परन्तु 'हर कमाले रा ज़वाल' के अनुसार धीरे-धीरे रोम साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। पाँचवीं शताब्दी में तो इसका पूरा पतन हो गया। उत्तर से इटली पर आक्रमण होने लगे। आक्रमणकारियों की सेनाओं ने देश को अच्छी तरह रौंद डाला, नगरों को नष्ट कर दिया, शासन-व्यवस्था को तहस-नहस कर डाला और सारे देश में अशान्ति मचा दी। दसवीं सदी तक इटली में कई राज्य स्थापित हुए। परन्तु देश में अशान्ति मची ही रही।

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इटली में पुनः जीवन-सञ्चार हुआ। उत्तरीय भाग के नगरों ने पुनः उन्नति करना प्रारम्भ किया। राजकुमारों और सामन्तों (ड्यूकों) ने अपने अधिकारों को स्थायी बनाया। कम्यूनिस्टों और प्रजातन्त्रवादियों ने नगरों में शान्ति स्थापित की। इटली में इस समय सैकड़ों राज्य थे, जो बहुधा आपस में लड़ा करते थे। इन राज्यों को मिला कर इटली को एक करना—यह राजनीतिज्ञों के सामने एक महान समस्या थी। पर इटली के भाग्य में अभी सुख नहीं बदा था, वहाँ तो स्थानीय देशभक्ति का बोलबाला था। लोगों की मनोवृत्ति स्थानीय थी। राष्ट्रीय भाव को कोई स्थान ही न था।

सन् १७९६ में इटली के भाग्य कुछ पलटे। उस वर्ष नेपोलियन ने इटली पर धावा किया। उसकी विजयिनी सेना ने देश को अपने अधिकार में कर लिया। नेपोलियन ने अनेक छोटे-छोटे राज्यों को मिला कर एक प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की और तत्पश्चात् तमाम देश को एक करके फ़्रान्स के अधीन कर दिया। कुछ समय तक इटली एक बना रहा। परन्तु नेपोलियन के साम्राज्य के पतन होते ही इटली में वही पुराने नज़्ज़ारे दिखाई देने लगे।

सन् १८१४-१५ में वीयना नामक स्थान में एक कॉङ्ग्रेस हुई। उसके सामने सबसे कठिन प्रश्न इटली का ही था। कॉङ्ग्रेस का कोई भी सदस्य इटली से सहानुभूति नहीं रखता था। ऑस्ट्रिया अपना उल्लू सीधा करना चाहता था और चाहता था कि इटली एक न होने पावे तथा दुर्बल बना रहे। इटली के राज्यों पर ऑस्ट्रिया अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वीनिशिया और मिलान ऑस्ट्रिया को सौंप दिए गए। पार्मा, माडना, टसकनी, नेपल्स आदि विदेशी राष्ट्रों को सौंप दिए गए। रोम पोप को दे दिया गया। इस भाँति वीयना की कॉङ्ग्रेस ने इटली की एकता को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

पर कॉङ्ग्रेस एकता के भाव को नष्ट नहीं कर सकती थी। स्वतन्त्रता और एकता का महत्व इटली के लोग समझ चुके थे। जब नेपोलियन हेलना में क़ैद था तो उसने कहा था कि संसार की कोई भी कॉङ्ग्रेस इटली को एक होने से रोक नहीं सकती। उसने लिखा था कि इटली की भाषा, रीति और साहित्य की एकता अवश्यमेव इटली में राजनीतिक एकता स्थापित करेगी; भले ही इसमें कुछ देर लग जावे।

एकता के भाव का श्रीगणेश सारडिनिया के राज्य में हुआ, जिसमें पीडमाण्ट और सेवाय भी शामिल थे।

सन् १८४८ में सारडिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान कीं। चार्ल्स एल्बर्ट के उपर्युक्त कार्य ने ऑस्ट्रिया को कोधित कर दिया। फल-स्वरूप एल्बर्ट को सिंहासन छोड़ना पड़ा। उसके पुत्र ने सिंहासन पाने पर सन् १८४८ के विधान को वापस लेने से इन्कार कर दिया,यद्यपि उस पर बहुत दबाव डाले गए ? अन्य राज्यों में भी जनता को विधान दिए गए थे। पर वे सब दूसरे वर्ष वापस ले लिए गए थे। अस्तु, अगले बीस वर्षों में सारडिनिया ने इटली में एकता स्थापित करने का भगीरथ प्रयत्न किया।

प्रारम्भ में इस आन्दोलन का नेता था, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ कवूर (Cavour) जो सन् १८५२ में सारडिनिया का प्रधान मन्त्री था। कवूर को इटली का बिसमार्क समझना चाहिए। उसकी धारणा थी कि ऑस्ट्रिया ही इटली की एकता के मार्ग में सबसे बड़ा काँटा है। जब तक यह काँटा दूर न किया जावेगा, तब तक इटली में एकता की स्थापना नहीं की जा सकती। पर ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित करना सारडिनिया की ताक़त के बाहर की बात थी। अतः कवूर ने निश्चय किया कि यूरोपियन राष्ट्रों से मिल कर ऑस्ट्रिया को हराया जावे। सन् १८५५ में फ़्रान्स और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था। सारडिनिया ने फ़्रान्स की इस युद्ध में सहायता की और इस भाँति फ़्रान्स से मित्रता स्थापित की। सन् १८५९ में फ़्रान्स और इटली ने मिल कर ऑस्ट्रिया को हराया। लॉम्बार्डी ऑस्ट्रिया से लेकर सारडिनिया को दे दिया गया। पर वनेशिया ऑस्ट्रिया के पास बना रहा।

इटली में आन्दोलन बढ़ता ही गया। अनेक छोटे राज्यों ने अपने विदेशी राजाओं को सिंहासन से उतार दिया और सारडिनिया में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। गेरीबाल्डी के नेतृत्व में सन् १८६० में नेपल्स और सिसली ने अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सारडिनिया के अधीन होने की इच्छा की। इस भाँति वनेशिया जो अब भी ऑस्ट्रिया के अधीन था तथा रोम को छोड़ कर शेष तमाम इटली सारडिनिया के अधीन हो गया।

सन् १८६६ में प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ गया। इधर प्रशा के मारे ऑस्ट्रिया का नाक में दम हो रहा था, उधर इटली की सेना ने वनेशिया पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया को इटली से खदेड़ दिया। इटली की सेनाएँ रोम पर भी अधिकार कर लेना चाहती थीं पर फ़्रान्स की सेनाएँ रोम की रक्षा करने आ गईं। पाँच वर्ष तक लगातार फ़्रान्स की सेना रोम की रक्षा करती रही। पर सन् १८७० में प्रशा से युद्ध छिड़ने पर फ़्रान्स को अपनी सेना इटली से बुला लेनी पड़ी। अवसर पाकर इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया और अब तमाम इटली एक हो गया।

सारडिनिया का इटली का राज्य बनने के पश्चात्, सारडिनिया का सन् १८४८ का विधान ही इटली का विधान बन गया और वही विधान इटली का वर्तमान विधान है। इसके संशोधन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस ख़ामोशी का मतलब इटली में यह लगाया गया है कि क़ानून द्वारा मामूली ढङ्ग से संशोधन किया जा सकता है। यदि इटली की पार्लामेण्ट कोई क़ानून बनाती है, जो विधान की किसी बात के विपरीत होता है तो विधान की वह बात रद्द हो जाती है और क़ानून लागू माना जाता है और उसी हद तक इटली के विधान में संशोधन हो जाता है। इस भाँति इटली का लिखित-विधान में इङ्गलैण्ड के अलिखित-विधान की भाँति संशोधन किया जा सकता है—और उसी ढङ्ग से पार्लामेण्ट के किसी भी निश्चय को इटली की कोई भी अदालत रद्द नहीं कर सकती।

यूरोपीय देशों के विधानों में इटली का विधान सबसे छोटा है। इटली में राजतन्त्र है। इटली के राजा के वैसे अधिकार नहीं होते हैं जैसे इङ्गलैण्ड के राजा के होते हैं। राजा के अधिकारों का प्रयोग उत्तरदायी मन्त्रियों की निगरानी में होता है। विधान में स्पष्ट कहा गया है कि तमाम क़ानून और डिग्रियों में मन्त्रियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मन्त्री पार्लामेण्ट की छोटी सभा, जिसे 'चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़' कहते हैं—के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक उस सभा का बहुमत उनके पक्ष में होता है, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। सन् १९२३ के पूर्व चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में अनेक पार्टियाँ थीं। अतः प्रत्येक मन्त्रि-मण्डल को कई दलों की सहायता लेनी पड़ती थी। फलतः एक मन्त्रि-मण्डल बहुत समय तक नहीं टिकता था। अब तक बहुत कम मन्त्रि मण्डल एक या दो वर्ष से अधिक टिक सके थे। सन् १९२३ में इटली में एक सुधार जारी किया गया था कि जो राजनीतिक पार्टी चुनाव में सबसे अधिक मज़बूत दिखाई दे, उसी को चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में सबसे अधिक स्थान मिलना चाहिए।

प्रधान मन्त्री का चुनाव इङ्गलैण्ड के ढङ्ग पर होता है। चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के बहुमत से पार्टी के नेता को राजा बुला कर मन्त्रि-मण्डल बनाने को कहता है। प्रत्येक मन्त्री पार्लामेण्ट का सदस्य होता है। मन्त्री को दोनों सभाओं में बोलने का अधिकार है। प्रत्येक मन्त्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जिसे प्रधान मन्त्री ही नियुक्त करता है। भिन्न-भिन्न विभागों का सङ्गठन फ़्रान्स के ढङ्ग पर किया गया है। पर इटली के प्रधान मन्त्री के अधिकार फ़्रान्स के प्रधान मन्त्री के अधिकारों से कहीं अधिक हैं।

इटली के प्रधान मन्त्री का अपने मन्त्रि-मण्डल पर वास्तविक अधिकार होता है। इस मन्त्रि-मण्डल पर फ़्रान्स और इङ्गलैण्ड—दोनों स्थानों के मन्त्रि-मण्डलों की छाया पड़ी है। पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न में इङ्गलैण्ड की नक़ल की गई है। सङ्गठन में, कार्यों में,तथा कार्य करने के ढङ्ग में फ़्रान्स का अनुकरण किया गया है। इटली में भी क़ानूनों को मोटा रूप दे दिया जाता है। बाक़ी कार्य ऑर्डिनेन्स तथा डिग्रियों द्वारा किया जाता है। इटली में मन्त्रियों के ऑर्डिनेन्स-अधिकार फ़्रान्स की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। डिग्रियों की इटली में भरमार रहती है।

यूरोप की अन्यान्य पार्लामेण्टों की तरह इटली की पार्लामेण्ट में भी दो सभाएँ होती हैं—छोटी और बड़ी। बड़ी सभा को सिनेट कहते हैं और छोटी सभा का नाम जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ है। परन्तु बड़ी सभा का सङ्गठन संसार की अन्य ऐसी सभाओं से भिन्न है। अगर आप इङ्गलैण्ड तथा कनाडा की बड़ी सभाओं को एक में मिला दीजिए तो इटली की बड़ी सभा बन जावेगी। इसके कुछ सदस्य तो ख़ानदानी होते हैं और अधिकतर सदस्य ज़िन्दगी भर के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इटली के बादशाही वंश के शाहज़ादे ख़ानदानी अधिकार के कारण निश्चय ही सिनेट के सदस्य होते हैं। प्रधान मन्त्री की सलाह से राजा सिनेट के सदस्यों के नियुक्त करता है। चालीस वर्ष से कम का कोई भी पुरुष सिनेट का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये सदस्य निम्न-लिखित चार प्रकार के होते हैं:—(१) बिशप आदि गिर्जाघर के ऊँचे अधिकारी; (२) जो लोग सरकारी ऊँचे, सैनिक या नाविक पदों पर हैं या रह चुके हैं; (३) वे लोग जिन्होंने विज्ञान या साहित्य में कुछ कमाल कर दिखाया है, और (४) वे लोग जो निश्चित वार्षिक टैक्स देते हैं।

सिनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इसे न विधान ने ही निश्चित किया है और न क़ानून ने ही कोई निश्चित संख्या बतलाई है। सन् १८७० से कोई बिशप या गिर्जाघर का ऊँचा अधिकारी सिनेट का सदस्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि पोप और सरकार में बड़ी तनातनी रहती है।

यों तो जहाँ तक लिखित-विधान का सम्बन्ध है बिलों को छोड़ कर, जो सर्वदा छोटी सभा में ही जन्मते हैं, सिनेट के अधिकार चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के समान ही हैं, पर वास्तव में सिनेट के अधिकार चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ से बहुत कम हैं। क्योंकि अधिकतर बिल आदि छोटी सभा से ही प्रारम्भ होते हैं। छोटी सभा द्वारा पास किए हुए किसी प्रस्ताव को रद्द करने की हिम्मत सिनेट को बहुत कम होती है। सिनेट बहुधा संशोधन पेश करती है पर जब चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ संशोधन को स्वीकार नहीं करता तो वह चुप हो जाती है, अन्यथा मन्त्रि-मण्डल नवीन सदस्यों को नियुक्त करा कर अपनी बात सिनेट से स्वीकार करा सकता है। मन्त्रि-मण्डल ने ऐसा दो बार किया भी है। सन् १८९० में विरोधियों को हराने के लिए ७५ सदस्य एकदम सिनेट में नियुक्त किए गए थे। सन् १८९२ में ४२ नवीन सदस्य नियुक्त किए गए थे। तब से चैम्बर की बात को मानने का सिनेट ने सबक़ सीख लिया है।

सिनेट का मन्त्रि-मण्डल पर कोई अधिकार नहीं रहता। मन्त्री केवल चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। फलतः छोटी सभा का ही शासन-नीति पर पूरा अधिकार होता है।

चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में ५३५ सदस्य होते हैं। इटली के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम नहीं है, मताधिकार प्राप्त है। 'गुप्त गोलक' द्वारा चुनाव होता है। पहिले प्रत्येक स्थान से एक सदस्य चुना जाता था, पर आगे चल कर चुनाव-क्षेत्र बड़े कर दिए गए और प्रत्येक स्थान से दो से लेकर पाँच सदस्य तक चुने जाने लगे। पर इससे भी लोग सन्तुष्ट नहीं हुए और पुनः पुराने ढङ्ग से चुनाव होने लगा। सन् १९१९ में बड़े-बड़े चुनाव-क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार हुआ था। अन्त में सन् १९२३ में मुसोलिनी के शासन ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया और चुनाव का एक नया ढङ्ग निकाला। जब चुनाव का समय आता है तब प्रत्येक राजनीतिक पार्टी तमाम देश भर के लिए अपने उम्मेदवारों की सूची प्रकाशित करती है। लोग किसी एक उम्मेदवार को अपना वोट न देकर एक सूची को देते हैं। जिस सूची को सब से अधिक वोट मिलते हैं, वे वोट कुल का बहुमत चाहे न भी हो—उसे तमाम चैम्बर के दो-तिहाई स्थान दे दिए जाते हैं। सन् १९२४ के चुनाव में 'फ़ैसिस्ट' सूची को कुल ४० प्रति सैकड़ा वोट मिले थे। परन्तु फ़ैसिस्ट-पार्टी को ३५६ जगहें दे दी गई थीं। बाक़ी जगहें शेष पार्टियों में उनकी शक्ति के अनुसार बाँट दी गई थीं। उपर्युक्त योजना द्वारा मुसोलिनी चाहता था कि किसी एक पार्टी का सभा में विशेष बहुमत हो और वह पार्टी पूरी तरह उत्तरदायी हो। अगर किसी एक पार्टी का सभा में विशेष बहुमत न होगा तो किसी भी पार्टी का सभा पर अधिकार नहीं होगा और फलतः कोई भी पार्टी पूर्णतया उत्तरदायी नहीं होगी। पर मुसोलिनी की उपर्युक्त योजना लोगों को पसन्द नहीं आई। लोग नहीं चाहते थे कि ४० प्रति सैकड़ा वोट पाने वाली पार्टी को सभा में दो-तिहाई जगहें मिल जावें। अतः लोगों ने इस योजना का घोर विरोध किया। विरोध से सहम कर सन् १९२५ में मुसोलिनी ने घोषणा की कि चुनाव के क़ानूनों

को सुधारने के लिए तथा राष्ट्रीय विधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष कमीशन नियुक्त किया जावेगा। शीघ्र ही वह कमीशन नियुक्त किया गया और उसने एक योजना तैयार की। कमीशन का कहना था कि चैम्बर के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ६०० कर दी जावे। ३०० सदस्य भौगोलिक ढङ्ग (Geographical Basis) पर चुने जावें और शेष तीन सौ सदस्य (Vocational Basis) पर। मन्त्रि-मण्डल केवल चैम्बर के प्रति ही उत्तरदायी न रहा करे। अगर मन्त्रि-मण्डल चैम्बर में हार जावे तो उसे अधिकार रहे कि वह चैम्बर तथा सिनेट की संयुक्त सभा में अपील कर सके। पर अभी तक उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

चैम्बर का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता है। पर प्रधान मन्त्री की सलाह पर राजा कभी भी चैम्बर को तोड़ सकता है। चैम्बर की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। बहुधा लगातार बारह महीने बैठक हुआ करती है। चैम्बर स्वयम् अपना सभापति चुनती है, चैम्बर का काम कमिटियों द्वारा होता है। सभा के तमाम सदस्य ९ विभागों में बाँट दिए जाते हैं। जब किसी कमिटी की आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्येक विभाग से एक-एक सदस्य ले लिया जाता है और इस भाँति ९ सदस्यों की एक कमिटी बन जाती है। कुछ महत्वपूर्ण कमिटियों का निर्माण तमाम सभा द्वारा होता है। 'नियम-कमिटी' (Committee on Rules) को सभापति नियुक्त करता है।

चैम्बर में मन्त्रियों से प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्नों से सम्बन्ध रखने के नियम अधिकतर वही हैं जो फ़्रान्स में हैं। केवल एक बात में भेद है। फ़्रान्स में नियम यह है कि मन्त्री के उत्तर दे देने के पश्चात् ही वाद-विवाद होता है और वोट लिए जाते हैं, परन्तु इटली में ऐसा एक सप्ताह के बाद होता है, ताकि इसी बीच में सदस्यगण मन्त्रियों के उत्तर को ठीक तरह मनन कर लें और उस पर जनता की राय भी जान लें। सन् १९२३ से प्रश्नों का महत्व बहुत घट गया है। क्योंकि सभा में मुसोलिनी का इतना बहुमत रहता है कि वह प्रश्नों की परवाह ही नहीं करता। उपर्युक्त बातों को छोड़ कर चैम्बर का काम करने का शेष ढङ्ग वही है, जो अन्य देशों की ऐसी धाराओं का होता है। तमाम आर्थिक बिलों का श्रीगणेश चैम्बर में ही होता है। सरकारी बिल आदि मन्त्रियों द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। अन्य बिलों को सभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। प्रत्येक बिल दोनों सभाओं में तीन-तीन दफ़े पेश होता है। तत्पश्चात् उसे राजा की स्वीकृति मिलती है। राजा सर्वदा अपनी स्वीकृति दे देता है।

इटली में क़ानून दो प्रकार के होते हैं जैसा कि फ़्रान्स में भी है—(१) मामूली क़ानून और (२) शासकीय क़ानून। पर दोनों में इतना अधिक भेद नहीं है। पाठकों को स्मरण होगा कि फ़्रान्स में किसी सरकारी अफ़सर पर अपना सरकारी काम करने के सिलसिले में मामूली क़ानून द्वारा, मामूली अदालत में मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। पर इटली में विशेष अवसर पर सरकारी नौकर पर मामूली अदालत में मुक़दमा चलाया जा सकता है।

(अगले अङ्क में समाप्त)

❀ ❀ ❀

राष्ट्रीय महायज्ञ में स्त्रियों की आहुतियाँ

[श्री० प्रेमनारायण जी अग्रवाल]

"किसी जाति या राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी सहायता पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ उनकी अपेक्षा किसी तरह कम सहायता नहीं कर सकतीं।"—वर्नरलैण्ड

भारत के वर्तमान स्वातन्त्र्य महासंग्राम के प्रधान सेनापति, शान्ति के अनन्य पुजारी, महात्मा गाँधी ने आज से लगभग सवा साल पूर्व जब अहिंसात्मक युद्ध की घोषणा की थी, उस समय प्रत्येक भारतीय के चेहरे दासता-जनित दैन्यता सूचक आशा की सुनहली किरणों से खिल उठे थे। देशी-विदेशी विद्वानों तथा समाचार-पत्रों ने जो भारत के सच्चे हितू और शुभचिन्तक होने का दम भरते हैं, एक महान् आपत्ति की कल्पना की! महासेनानी गाँधी को उन्होंने इसके अवश्यम्भावी भयङ्कर दुष्परिणामों की सूचना देकर अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का ज़ोरदार प्रयत्न किया। परन्तु दरिद्रनारायण के सच्चे प्रतिनिधि गाँधी को ऐसा करने की ध्वनि अन्तरात्मा से मिली थी, उनको इनकी चेतावनियों में कुछ सार नहीं दिखाई दिया। उन सहृदय व्यक्तियों और पत्रों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि :—

It was in Lahore I had told a journalist that I saw nothing on the Horizon to warrant civil resistance. But suddenly, as in a flash, I saw the light in the Asharam. Self-confidence returned. Englishmen and some Indian critics have been warning me against the hazard. *But the voice within is clear.* I must put forth all my efforts or retire all together and for all time from public life. I feel that now is the time or it will be never. (Young India Vol. XII No. 14. 3rd April, 1930).

आज संसार के समस्त राष्ट्र उस "ख़तरनाक अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर" के सेना-सञ्चालन के अनोखे ढङ्ग पर मुग्ध हैं। वे अत्यन्त आश्चर्यान्वित होकर इस स्वातन्त्र्य महासमर की, जो पराधीन देशों के स्वाधीनता प्राप्त करने के इतिहास में एकदम नवीन है, श्रेष्ठता और शस्त्रीकरण की निस्सारता पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। उनको स्वप्न में भी आशा न थी कि इस अल्पकाल के संग्राम के प्रभाव से संसार की सर्वश्रेष्ठ और बलशाली शक्ति का मज़बूत आसन भी डाँवाडोल हो जायगा और उसी गाँधी के, जिसने संग्राम छेड़ने से पहिले घुटने टेक कर भारत-सम्राट के प्रतिनिधि वायसरॉय से प्रार्थना की थी, सम्मुख घुटने टेक देने पड़ेंगे। नमक-क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार के साथ शराब तथा ताड़ी आदि पर ज़ोरदार धरना बैठा दिया गया। करबन्दी का कार्य भी प्रारम्भ किया ही जाने वाला था कि सरकार की मेशीनरी ढीली पड़ गई—समझौता हो गया। जहाँ सेनापति गाँधी ने पुरुषों को क़ानून तोड़ने की आज्ञा दी थी, वहाँ स्त्रियों को धरना देने की भी!

धरना देने के कठिनतर कार्य में और तत्पश्चात् आन्दोलन के दूसरे क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से भीषण सामाजिक कुरीतियों के बन्धनों में बुरी तरह जकड़े हुए महिला-समाज ने क्या-क्या कष्ट सहन किए और संग्राम में क्या सहायता दी, हम नीचे की पंक्तियों में उन्हीं को रखने का प्रयत्न करेंगे।

नारी-हृदय कोमलता, दया, सहानुभूति और स्नेह की सजीव प्रतिमा है। जब महात्मा जी ने यह घोषणा की कि यह मेरे जीवन का अन्तिम संग्राम है और इसमें या तो मैं जो चाहता हूँ, उसे करके लौटूँगा, या मेरी लाश समुद्र पर उतराएगी, तो भारतीय वीराङ्गनाओं के दल के दल सामाजिक रूढ़ियों को त्याग की प्रबल अग्नि में भस्मीभूत करके, कौटुम्बिक बन्धनों से छुटकारा पाकर, अपने बन्धु-बान्धवों, पतियों और पुत्रों सहित पर्दों को फाड़ कर (जो वर्षों के निरन्तर परिश्रम करने पर ही हटाया जा सका था) अपनी-अपनी आहुति लेकर इस राष्ट्रीय महायज्ञ में कूद पड़े।

अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति तीन दलों पर अवलम्बित है, जो भिन्न-भिन्न मार्गों को ग्रहण कर अपने अन्तिम लक्ष्य पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त करना चाहते हैं। पहिला दल है क्रान्तिकारियों (Revolutionaries) का, जो सन् १८५७ ई० से ही अपने विश्वासानुसार पूर्ण स्वाधीनता को अपना ध्येय निर्धारित किए हुए प्रयत्नशील है तथा जो बम और पिस्तौल के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए अपने बलिदानों में सबसे आगे है। दूसरा दल उन लोगों का है, जो लिबरल या मॉडरेट (उदार) हैं, और जिनका ध्येय है भारत के लिए वैध (Constitutional) ढङ्ग से स्वराज्य प्राप्त करना। अब रहा तीसरा दल, जो कॉङ्ग्रेसवादियों का है, जिसके प्रवर्तक और सर्वेसर्वा गाँधी जी हैं, और जो बिना ख़ून-ख़राबी के पूर्ण अहिंसात्मक रह कर, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने का ज़बरदस्त हामी है। आधुनिक भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात् कैलाश से कन्याकुमारी तक तथा अटक से कटक तक इसी दल की तूती बोल रही है। करोड़ों की विशाल संख्या में इसके अनुयायी, समर्थक तथा उपासक हैं। वास्तव में यही आधुनिक भारत की सच्ची प्रतिनिधि-संस्था है!

हिंसात्मक क्रान्ति में—

मनुष्य-मात्र का स्वभाव है कि वह एक ही ध्येय को प्राप्त करने के लिए भी भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न मार्गों का अनुसरण करता है। अतएव जब महिला-समाज राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ, तो उसने भी अपनी-अपनी रुचि, स्वभाव और विश्वास के अनुकूल विभिन्न मार्ग पकड़े। तीनों अर्थात् क्रान्तिकारी, लिबरल और कॉङ्ग्रेस दलों में वह बड़ी लगन से कार्य कर रही हैं। क्रान्तिकारी दल में महिलाएँ जो भाग ले रही हैं, उसका पता अभी हाल ही में पुलिस द्वारा चलाए हुए मुक़दमे से मिला है। क्रान्तिकारी दल के प्रत्येक कार्य, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तक गुप्त रीति से किए जाते हैं और उसे भरसक छिपाए रखने का प्रयत्न बराबर जारी रहता है। कभी-कभी जब इनकी कार्यवाहियों का भण्डाफोड़ हो जाता है तो उनके आश्चर्यजनक करतूतों को जनता जान पाती है, परन्तु ठीक-ठाक नहीं। अतएव जब तक क्रान्तिकारिणी रमणियों के साहसी प्रयत्न खुल्लमखुल्ला जनता की दृष्टि में न आवें, तब तक कोई ठीक राय क़ायम नहीं की जा सकती। परन्तु पुलिस की कारवाइयों से मालूम होता है कि स्त्रियों का भी इस दल

में भाग है। अभी जो देश के विभिन्न नगरों में षड्यन्त्र के मामले चल रहे हैं; उनसे मेरे कथन की पुष्टि होती हैं, क्योंकि लाहौर के नए षड्यन्त्र केस, देहली तथा कलकत्ता के षड्यन्त्रों में स्त्रियों के नाम आए हैं। इनमें अधिकतर फ़रार हैं। बनारस के एक षड्यन्त्र केस में तो कई सुकुमार बालिकाएँ भी सम्मिलित कर ली गई हैं।

लिबरल दल में—

पुरुष-लिबरलों की भाँति कुछ महिलाओं का भी विश्वास है कि भारत को यदि स्वराज्य दिलाने का कोई सर्वोत्तम उपाय है, तो वह यही वैध (Constitutional) ढङ्ग है। अतः वे इस दल में बड़ी तत्परता-पूर्वक कार्य कर रही हैं। प्रथम गोलमेज़ सभा में, जिसमें अधिकतर लिबरल और साम्प्रदायिक प्रतिनिधि ही सम्मिलित हुए थे, दो महिलाएँ, श्रीमती सुब्बारायन और बेगम शाहनवाज़, भारत की प्रतिनिधि बन कर लन्दन गई थीं। वहाँ उन्होंने अपना पार्ट अत्यन्त सुन्दरता तथा विद्वत्तापूर्वक अदा किया था।

अहिंसात्मक संग्राम में—

इस अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्राम में महिला-समाज ने बड़ी विशाल संख्या में भाग लिया। पहिले तो उसका कार्य केवल धरना देना ही था; परन्तु बाद में ज्यों-ज्यों



श्रीमती कमला नेहरू

संग्राम का क्षेत्र बढ़ता गया, उसका भी कार्यक्षेत्र विस्तृत होता गया और उसने अपना कर्तव्य सच्ची लगन से पूरा किया। स्त्रियाँ कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी सभा (Working Committee) की मेम्बर से लेकर प्रान्तों, ज़िलों और बड़े-बड़े शहरों की डिक्टेटर तक हुईं। युवक-हृदय सम्राट पण्डित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू वर्किङ्ग कमिटी की सदस्य थीं। युक्त-प्रान्त की डिक्टेटर श्रीमती उमा नेहरू थीं। इसके अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता और देहली आदि विशाल शहरों की भी डिक्टेटर महिलाएँ रह चुकी हैं। श्रीमती हंसा मेहता बम्बई युद्ध-समिति (War Council) की प्रधाना थीं, जिनके पिता बीकानेर स्टेट के दीवान सर मनुभाई मेहता गोलमेज़ परिषद में भाग लेने लन्दन गए थे, परन्तु आप स्वयम् ब्रिटेन के लन्दन के स्थान पर भारत के लन्दन (जेल) गई थीं। महासेनानी की गिरफ़्तारी के बाद उनके गुरुतर कार्य-भार को सँभालने वाली भारत-कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ही थीं। स्वातन्त्र्य-महासंग्राम के प्रारम्भ होने के पहिले वे विदेशों को भारत की वास्तविक परिस्थिति, उत्कृष्टता, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा और गाँधी का दिव्य सन्देश सुनाने के लिए जा चुकी थीं। उन देशों ने आपका बड़ा स्वागत किया। लौटने पर संग्राम छिड़ गया और उनको फिर जेल-यात्रा करनी पड़ी।

समस्त संसार के देश दाँतों तले उँगली दबा रहे हैं कि भारतीय स्त्रियों ने इस महासंग्राम में आशातीत भाग लिया, जब कि उनका सामाजिक जीवन अत्यन्त विषम होकर, उन्नति-मार्ग में हिमालय पहाड़ की भाँति अड़ा था। उनको इस बात पर कि वे सारे झञ्झटों से छुटकारा पाकर कार्य-क्षेत्र में उतर आईं, देख कर महात्मा का व्यापक प्रभाव समझ में अनायास ही आ जाता है। संसार के पराधीन तथा स्वाधीन देश इस भीषण सामाजिक क्रान्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं। वे भली-भाँति समझने लग गए कि समय आने पर भारत अपनी प्राचीनतम रूढ़ियों को, जो शायद वर्षों के अथक परिश्रम से भी न टूट सकती हों, कितनी निर्भयता और निर्दयता से तोड़ कर फेंक सकता है। मि० जॉर्ज स्लोकोम्ब ने, जिन्होंने पं० मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं से मिल कर सन्धि का सर्व-प्रथम प्रस्ताव किया था, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्र 'नेशन' में लिखा था कि "मैंने ऐसी हज़ारों उच्च श्रेणी की हिन्दू-महिलाओं को देखा, जो पर्दे को लात मार कर शराब और विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने को घर से बाहर निकल आई थीं और जो सुकुमार ललनाएँ पुलिस द्वारा जुलूस रोके जाने पर रात-भर रास्तों में खड़ी रहतीं।' एक दूसरे अङ्गरेज़ सज्जन मि० एच० एन० ब्रेल्सफ़ोर्ड ने, जो 'Independent Labour Party' के पार्लामेण्ट में मेम्बर थे तथा सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, लिखा था कि "हज़ारों करोड़पति तथा मिल-मालिकों की स्त्रियाँ तथा लड़कियाँ केसरिया साड़ी पहिन कर दूकानों पर धरना देती हैं। इनमें सैकड़ों, हिन्दू, पारसी महिलाएँ ख़ुशी से कारागार में निवास कर रही हैं।"

संसार का महिला-समाज भारत के महिला-समाज को सङ्कीर्णता और रूढ़िवाद आदि के व्यर्थ के झञ्झटों में फँसा होने के कारण हीन दृष्टि से देखता था। अब आदर और श्रद्धा-भरी दृष्टि से देखने लगा है। वास्तव में इनके भाग लेने से लड़ाई को जो महत्व प्राप्त हुआ था, उसने तो सरकार के भी छक्के छुड़ा दिए थे। भारत-सरकार तो एक बारगी अत्यन्त घबरा गई थी, उसकी स्थिति डाँवाडोल सी दृष्टिगोचर होने लगी थी। इनकी कार्य-प्रणाली, कर्तव्य-परायणता और कार्य-पटुता को देख कर अपने को उन्नतिशील समझा हुआ अन्तर्राष्ट्रीय महिला-समाज आशा-भरी दृष्टि से भारत की ओर ताकने लगा।

कष्ट-सहन

जब ललनाओं ने महासंग्राम में भाग लेने को पैर बढ़ाया, तो भारत-सरकार के सम्मुख एक भीषण समस्या आ उपस्थित हो गई। इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह प्रश्न उसको परेशान करने लगा। कारण यह था कि अभी तक स्त्रियों ने इतना भाग नहीं लिया था तथा सरकार के पास पिछला कोई अनुभव भी नहीं था। नवीन समस्या को सुलझाने में किन्हीं बातों पर विशेष सोच-विचार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि दमन एकदम करने से यह लड़ाई महा विकराल रूप धारण कर लेगी। भारतीयों की प्रकृति है कि वे अपने सामने महिला-समाज पर किए गए अत्याचारों को नहीं देख सकते, उनका ख़ून तुरन्त खौलने लग जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे सैकड़ों प्रमाण आसानी से ही मिल जाएँगे। दूसरी बात यह थी कि इङ्गलैण्ड आदि पाश्चात्य देश महिलाओं को अत्यन्त आदर और सम्मान की वस्तु समझते हैं। सम्भव था कि भीषण पाशविक और अमानुषिक अत्याचारों से उनके हृदयों में भी उथल-पुथल मच जाती तथा उनकी सहानुभूति भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम के साथ हो जाती। लोकमत की उपेक्षा करना इङ्गलैण्ड की शक्ति के बाहर था। परन्तु चिरञ्जीव रहें भारतमाता की वह प्यारी वीर-सन्तान, जिनके उर्वर मस्तिष्क (Fertile brain) की अपूर्व प्रतिभा ने इस विकट समस्या को आसानी से सुलझा दिया!

कहा जा चुका है कि संग्राम की प्रगति के साथ-साथ महिलाओं का कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत होता गया और जहाँ पहिले धरना देने तक ही परिमित था, बढ़ कर संग्राम की प्रत्येक शाखा-उपशाखा में व्याप्त हो गया।

सरकार ने चिरवाञ्छित दमन-चक्र छोड़ा, पर प्रभाव उल्टा ही हुआ। महिला-समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रथम तो स्त्रियों से कुछ नहीं बोला गया, परन्तु



श्रीमती हंसा मेहता

धीरे-धीरे दमन-चक्र को तीव्रता उग्र होती गई। उनको पकड़ कर शहर के बाहर मीलों दूर छोड़ आना प्रारम्भ हुआ, साधारण क़ैद की सज़ा भी दी जाने लगी, फिर सख़्त सज़ा ने तो अनिवार्य रूप धारण किया। पहिले 'ए' क्लास दिया गया, थोड़े दिनों बाद 'बी' फिर 'सी' ही हर एक को दिया जाने लगा!! कहीं-कहीं पुरुषों पर ही लाठियाँ बरसती थीं, पर जब उनका बरसना वर्षा-ऋतु की भाँति रेगिस्तानों में भी कभी-कभी हो जाया करता तो फिर महिलाओं का नम्बर आया!!! अभी तक जो लाठियाँ पुरुषों पर भी एकदम न चलाई जातीं, स्त्रियों पर निःसङ्कोच भाव से चलाई जाने लगीं। सैकड़ों स्त्रियाँ उसकी शिकार हुईं और बुरी तरह घायल भी हुईं। बम्बई प्रान्त का संग्राम, जो भारत के अन्य प्रान्तों से भीषणतर और घनघोर था, वहाँ नौकरशाही की दमन-नीति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। भाँति-भाँति के भीषण अत्याचार हुए, मगर वे सभापति विल्सन के कथनानुसार Repression is the seed of Revolution अर्थात् दमन-नीति ही

क्रान्ति का बीज वपन करती है। उनको अपने कर्तव्य-पथ से भ्रष्ट न कर सके, वरन् वे द्विगुण उत्साह से उनका मुक़ाबिला करने को तैयार होती गईं।

सैनिक महिलाओं में वृद्धा-युवती और सुकुमार लड़कियाँ तक शामिल थीं, या यों कहिए कि ७० वर्ष



श्रीमती सरोजिनी नायडू

की वृद्धा स्त्रियाँ, जो आसानी से चल फिर भी नहीं सकती थीं, तथा ८ और १० वर्ष तक की दुधमुहीं बालिकाएँ तक संग्राम में सम्मिलित थीं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि स्वतन्त्र होने की उज्ज्वल भावना ने न केवल पुरुषों में ही, वरन् स्त्रियों के हृदयों में भी जड़ जमा ली है। जेलों की चहारदीवारी के अन्दर केवल प्रौढ़ावस्था की स्त्रियाँ ही नहीं, ६०-७० वर्ष की वृद्धाएँ और ८-१० वर्ष की बालिकाएँ पर्याप्त संख्या में भरी गई थीं, जहाँ उनको अनेक प्रकार की भीषण यातनाएँ दी जाती थीं। पहिले तो अधिक कष्ट नहीं था, क्योंकि 'ए' और 'बी' क्लास मिल जाता था, परन्तु जैसे-जैसे सरकार का दमन बढ़ता गया, क्रूरता और नृशंसता बढ़ती गई।



श्रीमती सुब्बारायन

जेल की चहारदीवारियों के अन्दर भी इसकी शक्तियाँ पहुँच गईं और कारागार में बन्द, कठोर यातनाओं की शिकार असहाय अबलाओं की चूड़ियाँ और बिछुए आदि तक—जो भारतीय स्त्री-समाज के सौभाग्य-चिन्ह और जिनकी रक्षा वे प्राणपण से करती हैं—फोड़े और छीन लिए गए! इन जेलों की चहारदीवारियों में अनेक स्त्रियाँ ऐसी थीं, जो गर्भवती थीं! हृदय थाम कर कल्पना कीजिए कि इस अमानुषिक व्यवहार से उन गर्भवती रमणियों को कितनी मानसिक तथा शारीरिक वेदना हुई होगी और इसका प्रभाव उस गर्भ-स्थित बालक की मनोवृत्ति पर कितना कुत्सित पड़ा होगा! जो स्त्रियाँ अपने सुकुमार नन्हें बच्चों को लेकर जेल गई थीं, उनके कष्टों का भी ध्यान कीजिए! नौकरशाही की क्रूरता का यहाँ भी अन्त नहीं हुआ। ज़रा सोचिए कि उन पिताओं की क्या दुर्दशा हुई होगी, जिनकी गर्भवती स्त्रियों के जेल में पुत्र उत्पन्न हुए, और जो अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र थे। परन्तु जेल की पाशविक नृशंसता और क्रूरता के शिकार होकर चन्द दिनों में ही वे इस पार्थिव शरीर को त्याग कर ब्रिटेन की साम्राज्य-पिपासा की, उस जगतनियन्ता के दरबार में, शिकायत का ढिंढोरा पीटने के लिए अपनी माता को पुत्रहीन छोड़ कर चले गए? इन महान दैवी आपत्तियों का साहस तथा दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए भी वे अपने स्वदेश-प्रेम के पवित्र कर्तव्य से पराङ्मुख नहीं हुईं! यह हैं उनके देशानुराग के ज्वलन्त उदाहरण?

निस्सन्देह स्वातन्त्र्य महासंग्राम में भाग लेने वालों में, त्याग, बलिदान और कष्ट-सहन में यह अबला कहलाने वाली जाति सब से आगे रही है। इनकी 'चूड़ी-सभाओं' ने विदेशी वस्तु-बहिष्कार आन्दोलन को भारी सहायता दी थी।

संसार के लगभग सभी स्वाधीन तथा पराधीन देशों में स्वातन्त्र्य युद्ध के समय वहाँ के महिला-समाज ने अपने अपूर्व स्वदेशानुराग का परिचय महान त्याग के बल पर दिया है। भारत का स्त्री-समाज अपने स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग न लेकर स्त्री-जाति पर कलङ्क का टीका लगवाने को कदापि तैयार न था। अतएव पराधीनता-पाश को काट कर फेंकने में इसने उतनी ही शीघ्रतापूर्वक पग बढ़ाया, जितना अन्य देशों की स्त्री-जाति ने बढ़ाया था।

भारत के नेताओं ने उनके तप-त्याग की प्रशंसा की है। उन्होंने जहाँ अन्य समाजों के कम कार्य करने की शिकायत की है, वहाँ स्त्री-जाति की सेवाओं को बधाई दी है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र भारत इनकी अमूल्य सेवाओं का उचित आदर करेगा और उनकी दशा संसार की स्त्री-जाति की वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक सुन्दर होगा!

❀ ❀ ❀

तूफ़ाने-ज़राफ़त

[महाकवि "अकबर" इलाहाबादी]

शेख़ ने नाक़ूस के सुर में जो ख़ुद ही तान ली,
फिर तो यारों ने भजन गाने को खुल कर ठान ली।
मुद्दतों क़ायम रहेंगी अब दिलों में गरमियाँ,
मैंने फ़ोटो ले लिया उसने नज़र पहिचान ली।
रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेअख़्तियार,
यह नहीं दरियाफ़्त करते किसने इसकी जान ली।
हज़रते 'अकबर' के इस्तक़लाल का हूँ मोतरिफ़,
ता बमर्ग उस पर रहे क़ायम जो दिल में ठान ली।

× × ×

मुरीदे दह हुए वज़्आ मग़रबी कर ली,
नये जन्म की तमन्ना में ख़ुदकुशी कर ली।
ज़वाले क़ौम की तो इब्तिदा वही थी कि जब,
तिजारत आपने की तर्क नौकरी कर ली।

× × ×

तूने जिसे बनाया उस को बिगाड़ डाला,
ऐ चर्ख़ मैंने अपनी अरज़ी को फाड़ डाला।
बरबाद क्या अजल ने मुझको किया यह कहिए,
रूहे रवाँ ने अपने दामन को झाड़ डाला।
बुनियाद दीं हवाए दुनिया ने मुनहदिम की,
तूफ़ान ने शजर को जड़ से उखाड़ डाला।
अच्छा मिला नतीजा मुझको मरासलत का,
क़ासिद को क़त्ल कर के नामे को फाड़ डाला।

❀ ❀ ❀

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

तुमने ऐसे वक़्त ऐसी बेसुरी क्यों तान ली,
बेदिली के साथ गाते हो सदा पहिचान ली।
जान जाने की शिकायत मैं करूँ तो क्या करूँ,
जब मुझे यह भी नहीं मालूम किसने जान ली।
ख़ुद ही देता है पुजारी शौक़ से परशाद अब,
उसके मन्दिर में भजन गाने को मैंने ठान ली।
हज़रते "बिस्मिल" हुआ कब हमको तनहाई का शौक़,
हमने दुनिया भर की ख़ाक अच्छी तरह जब छान ली

× × ×

किसी ने सैर ज़माने की सरसरी कर ली,
किसी ने लीडरी कर ली पिलीडरी कर ली।
शिकम-पुरी की तमन्ना में हज़रते "बिस्मिल,"
जो हमसे कुछ न बन आई तो नौकरी कर ली।

× × ×

बनता था खेल अपना उसको बिगाड़ डाला,
हाकिम का हुक्म हमने बेकार फाड़ डाला।
सोये हुए बिलआख़िर इससे अकड़ने वाले,
आकर क़ज़ा ने सबको कैसा पछाड़ डाला।
शादाब हो कहाँ से, फूले-फले वह क्योंकर,
जिस पेड़ को किसी ने जड़ से उखाड़ डाला।
"बिस्मिल" समझ लो दिल में वारण्ट आएगा अब
तुमने यह क्या समझ कर नोटिस को फाड़ डाला।

❀ ❀ ❀

कविता-कुञ्ज

वीर नख-सिख

[राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट, "अम्बिकेश"]

वीर-श्रवण

सुनत सदा ही रहैं, वीर रन हाँकन को,
तोपन तड़ाकन को लागत पवन हैं।
दीन के वचन, सुनि पावत अधीन भरे,
छीन है बिठारैं तिन्हैं उर के भवन हैं।
चुगुल चवाइन के चोखे आततायन के,
बातन की घातन को करत हवन हैं।
दीन पै द्रवन, शोक सङ्कट समन,
दीह दुःख को दमन, वीर रावरे श्रवन हैं॥
देखत कुदृष्टि हैं जो, पैंठि दीन-हीनन को,
लोचन मैं पैठि ताके छार परि जायगी।
आर-पार ह्वैहै छूटि गरब गरूरिन को,
सारी विश्व-रचना मैं भार परि जायगी।
लोचन सी जैहै बेगि उघरि त्रिलोचन की,
त्राहि की पुकार बेशुमार परि जायगी।
झार परि जायगी खमण्डल में वीर जोपै,
तेरे कान दीन की गुहार परि जायगी॥

❀

सुमन

[श्री० 'लहरी']

फूल रहा हूँ फुलवाड़ी में,
किरणों का वैभव लेकर।
इतराता हूँ उनके बल पर,
मारुत को मदिरा देकर॥

इसी कटीली झुरमुट में,
भय है, झड़ पड़ूँ न धन खोकर।
ले न सकूँगा सिसकी भी,
पथिकों की मैं खाकर ठोकर॥

दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ,
पय-पीयूष पिला कर।
कौन जानता, प्यार-प्यार में,
देगी पटक शिला पर॥

मधुपों का ममत्व ही कितना,
स्वार्थमयी जगती में।
लेंगे लूट सुरभि बहुरुपिए,
स्नेह न उनके जी में॥

मालाकार, न निष्ठुर बन,
चुन लेना, बिखर न जाऊँ।
उग्र-झकोरों से क्षण में,
अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ॥

उपयोगी जीवन, जीवन है,
स्वर्ग-सौख्य से बढ़ कर।
अमर-बनूँगा उस शहीद की,
जड़-समाधि पर चढ़ कर॥

❀

श्याम

[श्री० कमलाप्रसाद जी 'कमल']

भूल सकते हो तुम जल यमुना का श्याम,
भूल सकते हो मोह मञ्जु-वनमाला का।
विप्र का प्रसाद तुम क्षिप्र भूल सकते हो,
भूल भले जाओ रूप एक-एक ग्वाला का।
ब्रज के विपुल भूल जाओ तुम वैभव को,
भूल द्रौपदी के दृश्य जाओ द्यूतशाला का।
भूल न यशोदा का दुलार सकते हो तुम,
भूल न सकोगे तुम प्यार ब्रज बाला का॥
माख न रखाते आज लाखों ललनाओं की तो,
मालहीन क्या तुम्हारा माखन चुराना था।
दीन लाख गृह में क्षुधा से जलते हैं नित्य,
व्यर्थ पाण्डवों का लाख-गृह बचाना था।
अत्याचारियों पै ना उठाते गिरिधर! कर,
व्यर्थ ही तुम्हारा गिरिवर का उठाना था॥
अब न त्रिलोक को विलोकते हो श्याम! तब—
किस काम का वह त्रिलोक दिखलाना था॥

❀

प्रण

[श्री० हरिश्चन्द्रप्रसाद जी "इन्दु"]

दुख दारुण सब सहित हर्ष हम नित्य सहेंगे।
छोड़ सभी सुख-साज द्वार घर भी भटकेंगे॥
होंगे वस्त्र-विहीन हीन सब से होवेंगे।
समय परे पर घास-फूस भी खा लेवेंगे॥
तड़प-तड़प कर भूख से या हम सब मर जायँगे।
शीश समुन्नत पर नहीं रिपु को कभी नवायँगे॥
सब विपत्ति की घटा हमीं सब पर घिर आवे।
रिपुगण होकर क्रुद्ध खुशी से वज्र गिरावे॥
देख हमारी दशा धरा भी धीरज छोड़े।
वज्र-हृदय भी पावस-सरि हो सीमा तोड़े॥
प्रिय शरीर रिपु खर्ग से टूक-टूक हो जायँगे।
शीश समुन्नत पर नहीं रिपु को कभी नवायँगे॥

❀

वेश्या और वकील

[कविरत्न मुन्शी रामाधीनलाल जी खरे]

धन ठग लेना टाल-टूल कर जाना खूब,
अनृत बताना, समझाना झूठे शील में।
फ़ीस मिलने के लिए करना आडम्बर को;
भेष भर लेना अति सुन्दर सुडील में।
'रामाधीन' भाषै अच्छे स्वागत सुहायल में।
कायल बनाना जानते हैं वे दलील में।
स्वार्थ बिन भूल के निगाह फेरने के नहीं,
एकी ढङ्ग देखे गए वेश्या में वकील में॥
उनके समीपता में सुनिए भजन ख़ासे,
इनके निकट मामलातन की पेशी हैं।
उन्हें धन दीजिए तो मिलता मज़ा है विश्व,
इन्हें धन दीन्हें हार जैबे को अँदेशा हैं।

जीवन-गीत

[श्री० नरेन्द्र]

धीरे-धीरे धीरे चल,
ओ! मेरे जीवन के साथी,
प्रलय निगोड़े धीरे चल।
चढ़ कर निज-निज टूटे रथ पर,
जीवन के इस स्वप्निल पथ पर,
मैंने तूने होड़ लगाई—
खोने अपनापन चञ्चल।
खो बैठा पर अपने को मैं,
अपनापन क्या खोऊँ अब मैं,
ठहर ढूँढ़ लेने दे मुझको—
अपने छवि-जल का लघु पल।
छोड़ दौड़ में पीछे मुझको,
बता लाभ क्या होगा तुझको,
अभी जीत कर पावेगा कुछ—
बिखरे मन-मोती केवल।
मुझे गूँथ लेने दे माला,
भर लेने दे जीवन-प्याला,
साथ-साथ फिर चले चलेंगे
हम औ' तू ओ रे पागल।*

❀

अनुनय

[श्री० ठाकुर हृदयनारायण सिंह]

भला, होगे जो मुझसे रुष्ट,
कहो, मैं जोऊँगी किस भाँति?
सरोवर यदि हो जावे क्रुद्ध,
बसेगी कहाँ कुमुदिनी-पाँति?
कहाँ पावेगी वह अवलम्ब,
अरुण यदि ऊषा को दे त्याग?
कहाँ पावेगी निद्रा शान्ति,
दिखावें उससे नयन विराग?
तुम्हारी आँखों के अतिरिक्त,
नींद-सी मुझे कौन है ठौर?
वहाँ से दोगे अगर निकाल,
मिलेगा ठाँव कहाँ पर और?
सहन कर तिरस्कार भवदीय,
रहूँगी पड़ी तुम्हारे द्वार?
करूँगी सेवा बस चुपचाप,
हमारा और कौन व्यापार?
रूठ लो रूठ, प्राण के प्राण,
तुम्हारा तो है यह अधिकार?
मनाऊँगी मैं धर कर पावँ,
हमारा यही एक आधार?

❀

*अप्रकाशित "निर्वासित" नाटक से।

उनके प्रसङ्गन में चाहे सत्य सूझि आवै,
झूठ रचिबोई इनके में या हमेशो हैं।
लोक-सुख देतीं वे, ये दोनों लोक लूट लेत,
गुन गनिकान तें वकीलन में बेशी हैं।

❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

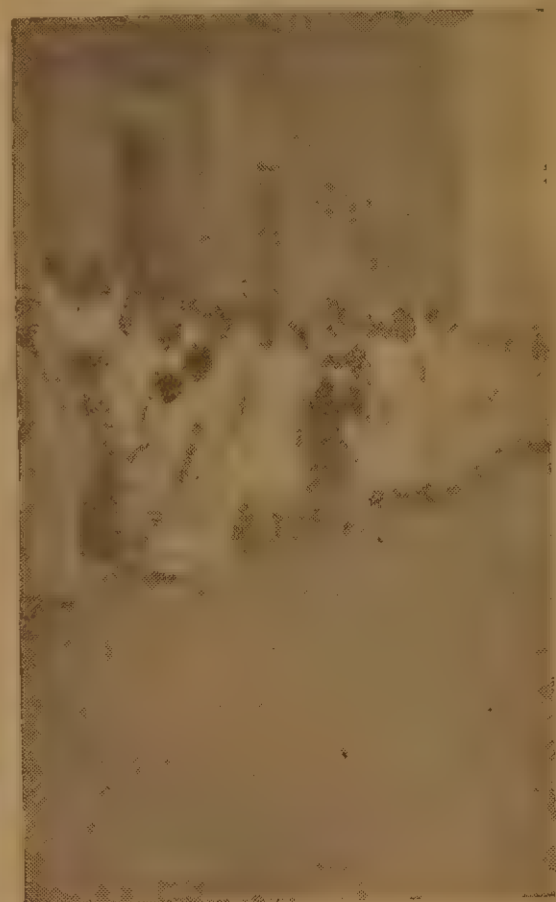


'भविष्य' के इस चित्र में पाठक अमेरिका के सुप्रसिद्ध कलाविद् (Sculptor) मि० जे० डेविडसन को महात्मा गाँधी की प्रस्तर-मूर्ति (Bust) बनाते हुए देखेंगे। महात्मा गाँधी नाइट्स ब्रिज (लन्दन) के अपने दफ़्तर में बैठे अपना रोज़ाना कार्य कर रहे हैं।



पञ्जाब के प्रथम विद्यार्थी-पार्लामेण्ट के कुछ प्रमुख सदस्यों का ग्रूप। पाठक बीच में सर्दार शार्दूलसिंह जी को बैठे देखेंगे।

पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि भारत के अतिरिक्त, जहाँ कहीं भी भारतवासी हैं—सभों ने महात्मा गाँधी की वर्षगाँठ बड़ी धूमधाम से मनाई थी। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक देखेंगे, मोम्बासा (अफ़्रीका) के सुप्रसिद्ध कन्या-पाठशाला की बालिकाएँ गाँधी-जयन्ती के उपलक्ष में की जाने वाली एक महती सभा में भाग लेने के अभिप्राय से स्कूल में छुट्टी न रहते हुए भी, 'हड़ताल' करके सड़कों पर जा रही हैं। यह चित्र अनेक ग्रूपों में से केवल एक का है, इसे विस्मरण न करना चाहिए!





पञ्जाब-विद्यार्थी-सम्मेलन के विषय-निर्धारिणी सभा (Subject Committee) के सदस्यों का ग्रूप, जिसका ४था अधिवेशन उस दिन लाहौर में बड़ी धूमधाम से श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय के सभापतित्व में मनाया गया।

'भविष्य' के—इस ग्रूप के बीच में पाठक श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय (प्रधाना) तथा उनकी बग़ल में सर्दार शार्दूलसिंह जी को बैठे देखेंगे।

महापुरुष गाँधी की वर्षगाँठ मनाने के लिए और उनके प्रति अपना हार्दिक सम्मान और मङ्गल-कामना प्रदर्शित करने के लिए जितना उद्योग भारतवर्ष में किया गया था, उससे कहीं अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया गया था, प्रवासी भारतवासियों द्वारा—'भविष्य' के इस चित्र में पाठक इस अवसर पर मोम्बासा (अफ़्रीका) की एक महती सार्वजनिक महिला-सभा का दृश्य देखेंगे।





पाठकों ने 'भविष्य' के गताङ्क में पढ़ा होगा कि आगामी सम्भावनीय राष्ट्रीय संग्राम में महिलाओं के अधिकाधिक भाग लेने के लिए उत्साहित करने के अभिप्राय से बम्बई की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्री—श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय (जिन्होंने बम्बई में पिछले युद्ध के अवसर पर सर्व-प्रथम महिलाओं में यह अग्नि प्रज्ज्वलित की थी) ने 'हिन्दोस्तानी सेवा-दल' की ओर से समस्त भारत में भ्रमण एवं महिलाओं के सङ्गठन करने का सङ्कल्प ही नहीं, बल्कि दौरा भी आरम्भ कर दिया है। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक श्रीमती चट्टोपाध्याय को अहमदाबाद की एक महती महिला-सभा में व्याख्यान देते हुए देखेंगे। आजकल देवी जी इसी अभिप्राय से संयुक्त प्रान्त में दौरा कर रही हैं।

पाठकों को स्मरण होगा, गत २२वीं अक्टूबर को अमेरिका के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० शैलेन्द्र घोष की धर्मपत्नी तथा ७ और ४ वर्ष की दो बालिकाएँ लन्दन में महात्मा गाँधी को निमन्त्रित करने के अभिप्राय से पधारी थीं। 'भविष्य' का यह चित्र उस समय लिया गया था, जबकि ये लोग महात्मा गाँधी से मिले थे। महात्मा जी की बग़ल में खड़ी हुई पाठक कुमारी मीरा (Miss Slade) को देखेंगे।



❀ 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ❀



बम्बई के महाराष्ट्र सङ्गीत-विद्यालय की कुछ लगनशील छात्राएँ, जिन्होंने उच्च सङ्गीत-शिक्षा प्राप्ति को ही अपने जीवन का एक-मात्र ध्येय मान लिया है। यह सुप्रसिद्ध सङ्गीत-विद्यालय प्रोफ़ेसर बाबूराव गोखले की तपस्या का फल है।



राजपूताना किसान-कॉन्फ़्रेन्स के प्रमुख कार्यकर्ताओं का ग्रूप। पाठक इस ग्रूप के बीच में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० अर्जुनलाल जी सेठी को बैठे देखेंगे; जो हाल ही में गिरफ़्तार कर लिए गए थे; किन्तु एक क़ानूनी नुक़्ताचीनी के कारण छोड़ दिए गए थे। ८ नवम्बर का समाचार है कि अजमेर में आपको फिर भारतीय दण्ड-विधान की १०८ वीं धारा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नोटिस निकाल कर आपसे पूछा है कि उनसे १ वर्ष तक की 'नेकचलनी' देने को क्यों न बाध्य किया जाय?



बम्बई के सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र सङ्गीत-विद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ताओं का ग्रूप—बीच में पाठक कोल्हापूर के गान्धर्व महाविद्यालय के आचार्य प्रोफ़ेसर वामनराव पाध्येय को बैठा देखेंगे, जो वाद्य-कला में अपना सानी नहीं रखते।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि क्षणिक गाँधी-इर्विन समझौते के कारण यदि कोई ऐसा प्रान्त है, जिसमें नाम-मात्र को भी शिथिलता न आई हो और जो आगामी सम्भावनीय युद्ध के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहा हो तो वह प्रान्त गुजरात ही है। इस चित्र में 'बोर्डी' नामक स्थान में गाँधी-आश्रम के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति सर्दार वल्लभभाई पटेल को राष्ट्रीय झण्डा फहराते हुए देखेंगे।



महात्मा गाँधी के वर्षगाँठ मनाए जाने वाले सप्ताह में भारत के अतिरिक्त, लगभग सभी अन्य प्रदेशों में भी गाँधी-जयन्ती बड़े उत्साह से मनाई गई थी। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक देखेंगे, मोम्बासा (अफ़्रीका) की जनता बड़े समारोह से संसार के महापुरुष की जयन्ती मना रही है।



'भविष्य' के इस चित्र में भी पाठक देखेंगे 'गाँधी-जयन्ती' के सुअवसर पर मोम्बासा (अफ़्रीका) की प्रतिष्ठित महिलाएँ 'गर्बे' नामक अनुष्ठान करके अपने पूज्य नेता के मङ्गल-कामना एवं दीर्घ-जीवी होने का अनुष्ठान कर रही हैं।



[तुलसीजयन्ती के अवसर पर इस साल गया में उर्दू कवियों का एक बृहत् मशायरा (कवि-सम्मेलन) हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर "बिस्मिल" भी पधारे थे। आप ही इस मशायरे के सभापति थे। इस मशायरे में अच्छी-अच्छी कविताएँ पढ़ी गई थीं। आपकी सरस एवं मधुर कविताओं की बड़ी प्रशंसा हुई। 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ वहाँ की ख़ास-ख़ास कविताएँ दी जाती हैं, जो वास्तव में बड़ी ही मनोरञ्जक हैं। आशा है, 'भविष्य' के उर्दू कविता-प्रेमी पाठक इसे पसन्द करेंगे। —स० 'भविष्य']

मेरी आँखों में सूरत फिरती है एक-एक तिनके की, नशेमन सामने है दूर रह कर भी नशेमन से।

क़फ़स में जब से हूँ दुनिया उसे बर्बाद करती है, मेरे होते न पाता था कोई तिनका नशेमन से।

बचेगा दिल हमारा किस तरह उस शोख़ पुरफ़न[1] से,
जो हरदम काम ख़ञ्जर का लिया करता है चितवन से।
छुरी सय्याद ने फेरी है शायद हल्क़े बुलबुल पर,
सबा क्यों ख़ाक उड़ाती आ रही है आज गुलशन[2] से।
जो दिल पहले चुराते थे, वह अब आँखें चुराते हैं,
ग़रज़ चोरी की आदत है जवानी तक लड़कपन से।
असीरों[3] की रिहाई की तमन्ना हो तो क्यों कर हो,
बनाया है क़फ़स[4] सय्याद ने शाख़े नशेमन[5] से।
फ़ना[6] के बाद भी है ज़ोर बाक़ी नातवानी का,
कि उठ कर बैठ जाते हैं बगूले मेरे मदफ़न[7] से।
मुहब्बत ने दिखाई ख़ल्क़[8] में वर अक्स तासीरें,
बुतों ने हक़ शिनासी[9] का सबक़ पाया बिरहमन से।
ठहरती ही नहीं जम कर, किसो मुश्ताक़[10] की नज़रें,
कभी लड़ती हैं रौज़न[11] से, कभी लड़ती हैं चिलमन से।
पये तफ़रीह[12] दीवाने किसी के आते जाते हैं,
कभी सहरा[13] से गुल्शन में, कभी सहरा में गुलशन से।
मेरी आँखों को हिजरे[14] यार में रोने से मतलब है,
नहीं हैं कम बरसने में यह भादों और सावन से।
क़फ़स में रह के वह हरदम चमन का राग गाते हैं,
असीराने वतन सीखें सबक़ मुर्ग़ाने गुल्शन[15] से।
मेरी आँखों में सूरत फिरती है एक-एक तिनके की,
नशेमन सामने है दूर रह कर भी नशेमन से।
ख़ुदा भी एक हो जाए, ख़ुदाई एक होने पर,
ख़ुदा के वास्ते ज़ाहिद अगर मिल ले बिरहमन से।
सख़ुन[16] में यह अजब तासीर है अहले सख़ुन[17] देखें,
ग़ज़ल गोई को "कुश्ता" भी निकल आता है मदफ़न से।
—"कुश्ता" गयावी

यह किस अन्दाज़ के ज़ालिम ने झाँका मुझको रौज़न से,
निकलने के लिए रूहे रवाँ बेचैन है तन से।
फ़लक़[18] का हो बुरा बिजली गिराई भी तो कब उसने,
निकलने भी न पाया था मैं जब अपने नशेमन से।
सिरहाने बैठ कर क्या नज़्आ[19] में आँसू बहाते हो,
चराग़े ज़िन्दगानी भी कहीं जलता है रौग़न से।
—"लाला" गयावी

१—चलता हुआ, २—बाग़, ३—क़ैदियों, ४—पिंजड़ा, ५—घोंसला, ६—मिट जाना, ७—दफ़न होने की जगह, ८—संसार, ९—ईश्वरी ज्ञान, १०—दर्शक, ११—झरोका, १२—दिल बहलाव, १३—जङ्गल, १४—बिरह, १५—बाग़ के पत्ती, १६—कविता, १७—कविता के मर्मज्ञ, १८—आकाश, १९—आख़िरी समय,

ख़ुदा जाने किया क्या सेह्र[20] तुमने चश्मे पुरफ़न से,
हज़ारों हो गए बिस्मिल तुम्हारी बाँकी चितवन से।
नक़ाब उलटो दमे गुलगश्त[21] अपने रूए रौशन से,
नुमायाँ फूल है सूरजमुखी का सहने गुल्शन से।
जुनूँ में मेरी हालत पर तरस खाते हैं दुश्मन भी,
उलझ जाते हैं ख़ारे दश्त[22] बढ़ कर मेरे दामन से।
मुहब्बत क्यों हुई मुझको यह पूछो हुस्न से अपने,
तड़प क्यों है मेरे दिल में यह पूछो शोख़ चितवन से।
क़यामत क्यों न हो बरपा, क़यामत से नहीं यह कम,
कलेजा थाम कर रोते हुए उट्ठे वह मदफ़न से।
मुबारक मौत हो क़ातिल अगर इस तरह पेश आए,
कि सर को काट कर मेरे छुपाए अपने दामन से।
बिखर आई है रुख़ पर ज़ुल्फ़े जानाँ[23] चैन क्या आए,
परेशाँ हो रहे हैं हम अब अपने दिल की उलझन से।
मेरी आहेरसा "मक़सूद" ऐसी बा-असर निकली,
मेरे घर आए दिल थामे हुए वह बज़्मे दुश्मन से।
—"मक़सूद" गयावी

न मिल उस ज़ुल्फ़ से दिल रह ज़रा हुशियार नागन से,
चला है दोस्ती करने तू ऐ नादान दुश्मन से।
कहाँ यह आबोताब उसमें, कहाँ यह बात है उसमें,
क़मर[24] को क्या भला निस्बत तुम्हारे रूए रौशन से।
जुदा तन से किया सर मैं तेरा मशकूर[25] हूँ क़ातिल,
सुबुकदोशी[26] हुई, तूने उतारा बोझ गर्दन से।
बुरे दिन अपने जब आए जुदा सब होगए "आजिज़",
जो थे हमदर्द वह भी अब नज़र आते हैं दुश्मन से।
—"आजिज़" गयावी

मरीज़े इश्क़ को दे दो हवा तुम अपने दामन से,
कि निकले जान आसानी से ऐ जाने जहाँ तन से।
मिटा सकती नहीं गरदूँ[27] की गर्दिश नाम उल्फ़त का,
सदा आती है यह सुबहो मसा[28] मजनूँ के मदफ़न से।
निशानी शम्आ[29] थी जो दाग़े दिल की मेरी तुर्बत[30] पर,
उसे भी नाज़ से ठुकरा दिया गुज़रे जो मदफ़न से।
—"मस्त" गयावी

२०—जादू, २१—सैर करते समय, २२—जङ्गल के काँटे, २३—प्रियतम के केश, २४—चाँद, २५—कृतज्ञ, २६—हलका हो जाना, २७—आकाश, २८—शाम, २९—दीपक, ३०—क़ब्र,

निकलने को निकलते हैं वह बच कर मेरे मदफ़न से,
मगर फिर भी लिपट जाती है उड़ कर ख़ाक दामन से।
टपकता है लहू मक़तल में रिस-रिस कर सरोतन से,
किसी की तेग़[31] जब मिलती है खिंच कर मेरी गर्दन से।
तजल्ली[32] हुस्न की फैली यह उनके रूए रौशन से,
गरेबाँ जल गया अपना चराग़े ज़ेरे दामन[33] से।
ग़श आया हमको जिसके जलवए रुख़सारे रौशन से,
वह बालीं[34] पर हवाएँ दे रहा है अपने दामन से।
हवा भरती है आहे सर्द, पत्ते हाथ मलते हैं,
ख़ुदा जाने यह किसकी लाश अब उठती है गुलशन से।
क़फ़स में जब से हूँ दुनिया उसे बर्बाद करती है,
मेरे होते न पाता था कोई तिनका नशेमन से।
ख़िरामे नाज़[35] जानाँ देखने को आज महशर[36] में,
कोई अँगड़ाइयाँ लेता हुआ उठता है मदफ़न से।
असीरी फिर न ऐ सय्याद मैं समझूँ असीरी को,
बनाए तू क़फ़स तिनके अगर लेकर नशेमन से।
दमे रुख़सत तो ऐ अहले चमन आओ गले मिल लूँ,
कि अब मैं उम्र भर के वास्ते जाता हूँ गुलशन से।
मिटा कर मुझसे कहते हैं वह मेरे दाग़े हस्ती को,
"तेरे मरने पर एक धब्बा छुटा दुनिया के दामन से।
फ़लक हो, बर्क़[37] हो, सय्याद हो, या बादे सरसर[38] हो
जिसे देखो उसी को लाग है मेरे नशेमन से।
यहाँ के एक-एक पत्थर से होता है गुमाँ मुझ को,
पड़ी है नींव भी काबे की तो दस्ते[39] बिरहमन से।
करिश्मे हैं यह क़िस्मत के, यह ख़ूबी है मुक़द्दर[40] की,
कोई दामन में गुल चुनता है, कोई ख़ार गुलशन से।
असीरी में मज़ा आता है मुझको सैरे गुलशन का,
कि हर गोशा[41] क़फ़स का मिलता जुलता है नशेमन से।
अब उनके तालिबे दीदार, यह कह-कह के बैठे हैं,
न झाँकेंगे, न ताकेंगे वह कब तक अपने रौज़न से।
यह रङ्गआमेज़िए[42] क़ातिल कहीं कम होने वाली है,
बहेगा हश्र तक यूँही लहू "बिस्मिल" की गर्दन से।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

❀ ❀ ❀

३१—तलवार, ३२—ज्योति, ३३—दामन के नीचे, ३४—सिरहाना, ३५—अदा से चलना, ३६—प्रलय, ३७—बिजली, ३८—आँधी, ३९—हाथ, ४०—तक़दीर, ४१—कोना, ४२—रङ्ग लाना।

जापान और मञ्चूरिया

जापानी राजदूत का बम्बई के रोटेरी क्लब में भाषण

चीन प्रजातन्त्र के उत्तरी सरहद पर मञ्चूरिया नाम का देश है। रूसी साइबेरिया का कुछ अंश और जापानी कोरिया के कुछ हिस्से मञ्चूरिया के उत्तर-पूर्व सरहद पर हैं। इसका क्षेत्रफल ३,८२,००० वर्ग मील के लगभग है और यहाँ की आबोहवा क़रीब-क़रीब वैसी ही है जैसी मिश्र की।

प्रकृति पैदावार

चीन के दूसरे भागों से भिन्न, मञ्चूरिया की नैसर्गिक उपज बहुत है, ख़ासकर खेती, खान और जङ्गल में पैदा होने वाली सम्पत्ति ख़ूब है। समस्त क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा खेती के लायक़ उर्वरा है। बहुत सी खेती की भूमि अभी तक बेजुते कोरी पड़ी है, विशेष करके उत्तर मञ्चूरिया में। मञ्चूरिया में पहले कोई जा नहीं सकता था, ख़ासकर चीनी स्वयम् नहीं जाने पाते थे।

मञ्चूरिया का नाम संसार में रण-क्षेत्र होने के नाते प्रसिद्ध हुआ। १८९४-९५ का चीन-जापान युद्ध और १९०४-५ का रूस-जापान समर मञ्चूरिया में ही हुए थे। चीन-जापान की लड़ाई के बाद रूस वालों ने चीन की पूर्वीय रेल (Chinese eastern Railway) निकाल कर मञ्चूरिया के कुछ हिस्सों का द्वार खोल दिया। लेकिन उसका एक टुकड़ा रूस-जापान युद्ध के बाद जापानियों के हाथ पड़ गया। जापानियों के हाथ में जाने से, मञ्चूरिया संसार भर के लिए—क्या चीन, क्या रूस, क्या दूसरे देशों को सुअवसर देने वाली भूमि हो गई।

उत्तर और दक्षिण मञ्चूरिया का नाम सम्वाद-पत्रों में बहुधा आता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का कोई भेद साफ़ तौर पर तय नहीं है।

चीन की पूर्वीय रेलवे की बाबत जुलाई सन् १८९८ में रूस और जापान के शर्तनामे की दफ़ा तीन में पहली बार उत्तर-दक्षिण के भेद के साथ मञ्चूरिया का नाम लिखा गया था। चीन-जापान की १९१५ वाली सन्धि में ये शब्द बहुधा आए हैं। जहाँ तक इधर से उधर आने-जाने या लाने-लेजाने का सम्बन्ध है, कह सकते हैं कि चीन वालों की पूर्वीय रेल की अपेक्षा, उत्तर मञ्चूरिया और दक्षिण मञ्चूरिया की रेलवे बहुत सुरक्षित है।

जलवायु

जापान, इङ्गलैण्ड और जर्मनी से मञ्चूरिया का जलवायु अधिक देहाती है, यद्यपि वास्तव में मञ्चूरिया उसी मेखलाओं (Zones) में है, जैसे उपर्युक्त देश उत्तरी अक्षांश (Latitude) में हैं। इस पर समुद्र के प्रवाह का कम असर पड़ता है, लेकिन मङ्गोलिया के मरु जङ्गल की समीपता का अधिक असर पड़ता है। मञ्चूरिया जापान से स्वाभाविक रूप में अधिक शुष्क है। इसमें शीत बहुत पड़ती है और गर्मी का मौसम छोटा होता है। १९२९ में मञ्चूरिया की जन-संख्या दो करोड़ पचास लाख और दो करोड़ नब्बे लाख के भीतर अनुमान की जाती थी।

प्रति वर्ग मील मञ्चूरिया की आबादी ७६ है; क़रीब-क़रीब जैसी यूरोपीय रूस में है, और कुछ संयुक्त राज्यों से अधिक है, क्योंकि संयुक्त राज्यों की आबादी हाल में ३५·५ प्रति वर्गमील बतलाई जाती है। लेकिन जापान की तुलना में, जहाँ पर प्रति वर्गमील की आबादी ४२१ है, मञ्चूरिया बहुत पतली (क्षीण) बसी है। मञ्चूरिया में विदेशियों की जन-संख्या में दस लाख जापानी, जिनमें कोरिया वाले भी शामिल हैं, एक लाख चालीस हज़ार रूसी, पाँच सौ अङ्गरेज़, प्रायः चार सौ जर्मन, तीन सौ फ़्रान्सीसी, तीन सौ अमेरिकन और अनुमान १७०० दूसरी जाति वाले हैं। यह अनुमान १९२९ का है।

प्रबन्ध

मञ्चूरिया में शान्ति और नियम का स्थिर रखना, आजकल पूरा-पूरा चीनियों के अधिकार में है, परन्तु रेलवे के हद में और पट्टे की ज़मीन पर जापानियों का शासन-प्रबन्ध है।

पोर्ट्समाउथ की सन्धि से कानटङ्ग प्रायद्वीप के पट्टे की जगहें और दक्षिण मञ्चूरिया की रेलवे लाइन की शाखा चाँगचाऊ से पोर्ट ऑर्थर के बन्दर तक जापान और रूस को सौंप दी गई है; उन्हीं को अधिकार है, कि अपने रेलवे संरक्षक रक्खें और मञ्चूरिया में अपनी-अपनी रेलवे लाइनों की रक्षा करें। ऐसे संरक्षकों की संख्या प्रति किलोमीटर* १५ आदमी से अधिक न होनी चाहिए।

पेकिङ्ग की सन्धि के साथ जो अतिरिक्त दफ़ाएँ जोड़ी गई हैं, उनके अनुसार जापान को अधिकार है कि अपनी रेलवे का संरक्षण उस समय तक रक्खे, जब तक कि चीन विदेशियों के जान-माल की रक्षा करने के लायक़ न हो।

जापानी सेना का रहना, यद्यपि सन्धिपत्र के अनुसार सेना दक्षिण मञ्चूरिया की रेलवे लाइनों में रहती है, पिछले दिनों सन्देह का कारण हुआ। लेकिन जापान मञ्चूरिया की वर्तमान परिस्थिति में अपनी सेना को बनाए रहने की अनिवार्य आवश्यकता देखता है। क्योंकि यह प्रान्त डाकुओं की दुष्कृति के लिए बदनाम है। जापानी सेना के रहते हुए भी इन डाकू दलों ने रेलवे की काँची (Zone) पर बारम्बार आक्रमण करने की चेष्टा की है।

डाकुओं की दया पर निर्भरता

अनेक बार दस्यु-दल ने तार काट डाले और दूसरी दुष्टताएँ कीं। अगर दक्षिण मञ्चूरिया की रेलवे से जापानी पहरा उठा लिया जाय, तो निस्सन्देह इन ज़िलों को डाकुओं की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा और यही दशा बेचैनी की मञ्चूरिया के दूर-दूर जगहों में भी पैदा हो जायगी।

इस बात को मनोयोग से आप लोग सुनेंगे। कई समुदाय के लोग मञ्चूरिया में विदेशियों के प्रभुत्व को दोष देते हैं, लेकिन उत्तर चीन शाँटङ्ग से आकर बसे हुए लोग ज़ोर के साथ मञ्चूरिया छोड़ कर भागे जा रहे हैं। यह भी एक मार्के की बात है कि चीन वाले मञ्चूरिया के उसी भाग को अधिक पसन्द करते हैं, जो जापानियों के अधिकार में है।

जब कि समस्त मञ्चूरिया में जापानी आबादी पिछले २० वर्षों में मोटी तौर पर दूनी हो गई है, रेलवे की हद के भीतर की चीनी आबादी, जो १९०७ में ९,००० थी, वह १९२७ में २,०२,००० हो गई है। दूसरे शब्दों में यों कहें कि जहाँ साधारणतः मञ्चूरिया में चीन की आबादी दो प्रतिशत बढ़ी है, वहाँ जापान के हलके में २० बढ़ी है।

चीनी क्यों जापानी हल्क़ा पसन्द करते हैं, इसका कारण स्पष्ट है। क्योंकि जापानी हल्क़े में नवीन सुधार हुए हैं, वहाँ कम और निश्चित कर हैं तथा पुलिस और जान-माल की रक्षा का उत्तम प्रबन्ध है।

अँधेरा अतीत

वर्तमान मञ्चूरिया को अच्छी तरह जानने के लिए हम जापान के आने से पहले की मञ्चूरिया को देखें और उन दिनों की मञ्चूरिया का असली चीन से मिलान करें, तब मालूम होगा कि वह अनुन्नत प्रदेश था।

शेष चीन के साथ मिलान करें तो मञ्चूरिया डाकुओं से तङ्ग जङ्गली प्रदेश था, जिसकी असली चीन को बहुत थोड़ी ख़बर और उससे भी कम चिन्ता थी। मुख्य चीन में हम नवीन उन्नति देखने को पा सकते हैं, जैसे रेलवे, बन्दरगाह, तार और अनेक दूसरी नवीन सभ्यता की चीज़ें, लेकिन मञ्चूरिया उसी अनुन्नति दशा में पड़ी थी।

पिछले तीस वर्षों में मञ्चूरिया ने न केवल मुख्य चीन को उन्नति की दौड़ में पकड़ लिया है, किन्तु अनेक बातों में उससे आगे बढ़ गई है। जहाँ चीन ख़ास में घरू लड़ाई (सिविल वार) और दूसरे उपद्रवों ने सारी उन्नति को एकदम रोक दिया है, ख़ास कर आने-जाने की सुविधा को, वहाँ मञ्चूरिया आगे बढ़ती जा रही है। हारबिन में जहाँ तीस वर्ष पहले एकमात्र चीनी नगर था, आज चार लाख निवासियों की महती नगरी है। डायरन का उजाड़ समुद्र तट, जिसका किसी ने नाम भी न सुना था, आज चीन का दूसरा बन्दरगाह है। पिछले २० वर्ष में चीन की आबादी दूनी हो गई है और मञ्चूरिया का विदेशी व्यापार दो करोड़ से बढ़ कर ७० करोड़ 'कैकवान टेल्स' (चीनी सिक्का) वार्षिक हो गया। इस तरह मञ्चूरिया जङ्गली अवस्था से अनेक बातों में चीन का अत्यन्त सम्पन्न प्रान्त बन गया है और अब चीन का एक तिहाई विदेशी व्यापार इसके द्वारा होता है।

विदेशी साहाय्य

भूलना न चाहिए कि मञ्चूरिया की समुन्नति में प्रत्यक्ष और परोक्ष-रूप से जुदा-जुदा कई देशों ने बड़ी सहायता की है। ग्रेट-ब्रिटेन ने 'पेकिङ्ग केडन' रेलवे लाइन बनाई, जिसका एक लाभप्रद हिस्सा मञ्चूरिया में है। ब्रिटेन ने दक्षिण मञ्चूरिया रेल बनाने के लिए सबसे पहले रुपया उधार दिया।

दक्षिण मञ्चूरिया रेलवे कम्पनी, ख़ास कर अपने जीवन के आरम्भ में, अपना माल ख़रीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आश्रित रही, यहाँ तक कि

(शेष मैटर २९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

* एक किलोमीटर ५ फ़र्लाङ्ग अर्थात् १,१०० गज़ का होता है। यह फ़्रान्सीसी ज़मीन का नाप है, जो १,००० मीटर का होता है। एक मीटर एक गज़ से कुछ अधिक समझना चाहिए।

—स० 'भविष्य'

जापान की प्रगति

डॉ० तारकनाथ दास ने 'लिबर्टी' में जापान के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य बात लिखी हैं, हम उन्हें नीचे उद्धृत करते हैं :—

—सं० 'भविष्य'

टोकियो में ख़बर है कि अफ़ग़ान-सरकार ने जापान से कुछ इञ्जिनियर इसलिए माँगे हैं कि वे अफ़ग़ानों को इञ्जिनियरी सिखाएँ और उस रेलवे के काम का निरीक्षण करें, जो रूस की पद्धति के अनुसार थोलेनटान से क्वैटा के पास अब्दुल्लाह तक बनेगी। यह भी कहा गया है कि जापान अपना पाँच करोड़ 'यन' (५०,००,००० पौण्ड अर्थात् ६,६६,६६,६६६ रुपया) इस काम में लगाए।

एशिया के निकट पूर्व में इस समाचार का एक ख़ास महत्व है, क्योंकि इससे अफ़ग़ानिस्तान में जापान का प्रभाव बढ़ेगा और जापान की राजनैतिक जागृति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गत यूरोपीय महासमर की समाप्ति के बाद से जापान ने नियमबद्ध रूप से उस नीति का अनुसरण किया है, जिससे तुर्की और फ़ारस के साथ उसके राजनीतिक और साम्पत्तिक सम्बन्ध बढ़ते रहें। अब उसने अफ़ग़ानिस्तान की ओर पैर बढ़ाया है। यहाँ यह बतला देना अच्छा होगा कि पिछले महासमर के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने अपने परराष्ट्रीय विषयों पर से ब्रिटिश अधिकार हटा कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है। यह बात ज़ारशाही युग के रूस और ब्रिटेन में उस समय तय हो चुकी थी, जब ब्रिटेन के परराष्ट्र विषयों के सञ्चालक सर एडवर्ड ग्रे थे, जो अब अलग हो गए हैं। रूस की अतिक्रान्ति (Revolution) और उसके फ़ारस तथा अफ़ग़ानिस्तान के सम्बन्ध में पुराने ऐंग्लो इण्डियन समझौतों के मानने से इन्कार कर देने पर ऊपर कहे हुए दोनों देशों को अर्थात् अफ़ग़ानिस्तान और फ़ारस को अपनी स्वाधीनता की स्थापना का अवसर मिल गया। अफ़ग़ानिस्तान की पूर्ण-स्वाधीनता को पुष्ट करते हुए भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह ने तुर्की से एक नई सन्धि द्वारा दृढ़ मैत्री जोड़ी और तुर्कों को अफ़ग़ानी सेना का सङ्गठन करने के लिए बुलाया। साथ ही फ़ारस, अफ़ग़ानिस्तान और तुर्की ने रूसी सोवियट प्रजातन्त्र के साथ यह शर्त की कि रूस के साथ किसी का युद्ध होगा, तो हम तटस्थ रहेंगे और इसी तरह रूस भी हमारे शत्रु के साथ न मिल कर तटस्थ रहेगा।

बाद में जब अमीर अमानुल्लाह इङ्गलैण्ड गए तो उनसे प्रस्ताव किया गया कि इङ्गलैण्ड और अफ़ग़ानिस्तान का प्रेम-समझौता हो जाय अथवा अफ़ग़ानिस्तान रुपया लिया करे, जैसा पहले अफ़ग़ानिस्तान को दिया जाता था और अब नैपाल को सालाना एक लाख रुपया मिलता है। इस प्रस्ताव को अमीर अमानुल्लाह ने स्वीकार नहीं किया। इसके अनन्तर अफ़ग़ानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया। परन्तु इस रहस्य का पता नहीं लगा कि विद्रोह का मूल कारण क्या था? अवश्य यह ख़बरें मिलती रहीं कि विद्रोहियों को धन और दूसरी चीज़ों की सहायता बाहर से मिल रही है। परन्तु पानी भरने वाले भिश्ती का बेटा बच्चा सक़्क़ा, अमानुल्लाह के विरुद्ध बग़ावत का झण्डा उठाने वाला बहुत दिन न ठहर सका और अन्त में वर्तमान अमीर नादिर ख़ाँ ने क़ाबुल के सिंहासन पर अधिकार जमाया। इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं कि अमीर नादिर ख़ाँ अङ्गरेज़ सरकार के विश्वासपात्र हैं।

अमीर नादिर ख़ाँ

जान पड़ता है कि अमीर नादिर ख़ाँ अफ़ग़ानिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चिन्तित हैं और चाहते हैं कि इस निमित्त रूसी सोवियट के साथ साधारण सद्भाव पैदा हो जाय और फ़्रान्स तथा जापान के साथ भी मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो।

तुर्की, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान के साथ दोस्ती पैदा करने की नियमबद्ध कोशिश करने में जापान की भीतरी मन्शा क्या है? यहाँ यह प्रश्न उठता है, लेकिन इसका उत्तर ज़रा पेचीदा है। हाँ, यह कह सकते हैं कि तुर्की, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान के साथ जापान की कोई विशेष मनोवृत्ति नहीं है, सिवा इसके कि रूस-जापान, इङ्गलैण्ड-जापान और चीन-जापान के सम्बन्धों का प्रतिक्षेप मात्र है। पिछले महासमर के पहले जापान की मैत्री ब्रिटेन, रूस और फ़्रान्स से थी। फ़्रान्स और जापान की एकता अब भी मौजूद है, क्योंकि न कभी यह तोड़ी गई, न इसकी बदगोई उड़ी, लेकिन १९२१-२२ के वाशिङ्गटन की नौसैना कॉन्फ़्रेन्स (Naval Conference) के बाद इङ्गलैण्ड और जापान की मित्रता का विच्छेद हो गया। रूस की सोवियट सरकार ने ज़ार के समय की सारी सन्धियों को रद्द कर दिया, जिससे चीन की राजसत्ता में बाधा पड़ती थी।

एशियाई राजनीति

निस्सन्देह सुदूर पूर्व में जापान अपने को कठिन अवस्था में पाता है और वह ऐसी एशियाई शक्तियों की सहायता चाहता है, जिनके स्वार्थ जापान के स्वार्थों के विरुद्ध न पड़ते हों। कोई बात जिससे टर्की, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान को मज़बूती मिलती हो, जापान के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि ब्रिटेन और रूस को इन शक्तियों पर चौकसी करने में मदद करनी पड़ेगी। वास्तव में यदि भारत स्वतन्त्र होता या भारत को अपने परराष्ट्र प्रबन्ध, धन और सेना के निश्चय करने की स्वतन्त्रता होती तो जापान हिन्दुस्थान से भी मेल करने की चेष्टा करता, क्योंकि इससे जापान का ब्रिटेन, रूस और चीन के साथ जो सम्बन्ध है, सुरक्षित हो जाता।

जापान के साथ मिल कर काम करने वाली कोई शक्ति एशिया में न होने के कारण जापान के राजनीतिज्ञ टर्की, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान का मुँह ताकते हैं।

अफ़ग़ानिस्तान के युद्ध-कौशल के लिए उपयुक्त अवस्थिति और उसकी जनता की वीरता-पूर्ण भावना संसार की राजनीति में एक विशेष महत्ता रखती है और जापान इनसे काम लेना चाहता है।

❀ ❀ ❀

जापान और मञ्चूरिया

(२७वें पृष्ठ का शेषांश)

आज भी वह अमेरिका के किस्म की रेल समझी जाती है।

चीन की पूर्वी रेलवे रूस ने बनाई, फ़्रान्स ने इसकी तैयारी में बहुत से रुपयों की मदद दी। लेकिन मैं आशा करता हूँ, आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे, कि सारी मञ्चूरिया को ध्यान में लेकर देखें तो उसकी उन्नति का सब से अधिक श्रेय जापान को है।

उपसंहार में मैं कहना चाहता हूँ कि आज मञ्चूरिया में जापान, चीन और साधारणतः सारा संसार एक ही बात देखना चाहता है और वह यह कि वहाँ शान्ति और समृद्धि स्थापित हो। इस परस्पर आश्रित संसार में हर एक राष्ट्र के जीवन की कुञ्जी होनी चाहिए; 'तुम भी रहो और दूसरों को भी रहने दो'। कोई भी देश कितना ही धनवान क्यों न हो, संसार में अकेला नहीं स्थिर रह सकता।

इस दशा में जो एक बात ज़रूरी है, वह यह है कि जब कि हम सबके समान सुख की चेष्टा करते हों, तो परस्पर सहयोग से काम करें और मञ्चूरिया को न केवल अत्यन्त समृद्धिशाली प्रदेश बनावें, बल्कि सारे संसार के लिए एक नमूना खड़ा कर दें।

❀ ❀ ❀

कैदी

[श्री॰ विश्वेश्वरप्रसाद जी कोईराला]

मैं ,कैदी हूँ—प्रत्येक क्षण इस अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ। मैं यदि कुछ सोचता भी हूँ, तो ,कैदी होने की हैसियत से। कोई भी सोचने में स्वतन्त्र है, लेकिन मुझे क्यों सोचने की भी स्वतन्त्रता नहीं? मैं सोच सकता हूँ कि मैं क़ैदी नहीं हूँ, फिर क्यों नहीं सोच पाता? अपनी इस अवस्था को किस तरह भूल जाऊँ? आँखें मूँद लेने पर भी, क्यों मुझे जेल की भीषण दीवारें, बेड़ी, हथकड़ी और अपना यह नम्बर ही साफ़-साफ़ दिखाई पड़ता है? मैं अपने पीछे देखता हूँ तो सब कुछ धुँधला दिखाई पड़ता है। स्मृति भी एक धुँधली चित्रपटी-सी दीख पड़ती है—स्वप्नों के ऊपर भी बादलों-सा पर्दा पड़ा मिलता है।

मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं क़ैदी हूँ और सब स्वप्न समान। क्या यह सच बात है कि मेरे बाहर भी कोई सृष्टि है? जिसका कभी मैं भी एक प्राणी था। क्या यह सच है कि मैं भी कभी घूमता-फिरता, सबके साथ हँसता, खेलता, कूदता था। क्या यह भी सच है कि मेरे भी माता-पिता हैं, भाई-बहिन हैं! ये बातें सच हो सकती हैं, किन्तु इन सब पर इस काल-कोठरी की दीवारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है।

मुझे यहाँ आए कितने दिन हुए, पता नहीं। कब सुबह होती है, कब शाम, इतना भी तो नहीं जान पाता। हाँ, मेरे लिए सुबह उस समय होती है, जब सन्तरी बड़ी-बड़ी चाभियों के गुच्छे गर्दन में लटकाए हुए झम-झम आवाज़ करते आता और दरवाज़ों के छेदों में से सुबह होने का सम्वाद दे जाता। और, शाम उस समय होती, जब किसी अज्ञात वेदना से चिल्लाती हुई चाभियों की ध्वनि फिर सुनाई पड़ती, साथ ही वह सन्तरी मेरे दरवाज़े के पास आकर २५ तक गिनती गिनता तथा लोहे के मोटे तालों को ज़ोर से खड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। कुछ ही देर में उन चाभियों की झनझनाहट सन्ध्या के सन्नाटे में विलीन हो जाती।

मेरी काल-कोठरी में चींटियों की एक नन्हीं-सी गुफ़ा है। उसमें से वे किस उत्साह से निकल पड़ती हैं—क़तार की क़तार! एक दिन मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, अन्त में रहा न गया। सबको एक-दो-तीन नम्बर देता हुआ गिनने लगा। इस तरह एक ट्रेन को पार कर लिया—आह कठिनता से!

ओह, चींटियाँ भी स्वाधीन हैं! मैं रह-रह कर उन्हें देखता था, अपने को भूल-भूल कर उन्हें फिर-फिर गिनता था। किन्तु धीरे-धीरे अन्धकार फैला और वे स्वाधीनता के शिशु, मेरी पराधीन दृष्टि से ओझल हो गए!

सुबह—

फिर वही चाभियों की झुनझुन-झुनझुन! प्रत्येक चाभी इस तरह टकरा रही थी, मानो वह कड़ी में बन्दी रहना नहीं चाहती। वे अपनी वेदना को जिस भाषा में कह रही थीं, उससे मैं अनभिज्ञ था; तो भी उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति थी। मैं उनकी विकलता का इज़हार अधिक सुन न सका, दर्द से कानों को बन्द कर लिया।

× × ×

"कोठरी नम्बर पाँच! उठो, सवेरा हुआ!"—अभी द्वार अच्छी तरह खुला भी न था कि सन्तरी ने चिल्ला कर जगा दिया। मैं आँखें मल कर उठ बैठा। मैं अपनी कोठरी से, कल्पना के अभिन्न सखा—स्वप्नों—के दिव्य-लोक में जा पहुँचा था। वहीं स्वतन्त्रता के संग खेल रहा था। किन्तु वाह रे सन्तरी, मुझे मेरा इतना सुख भी............!

तो भी, मैं बता दूँ—,कैदियों का जीवन जेल में ,ज़्यादा नहीं बीतता; वे अधिकतर अपनी कल्पनाओं के मुक्त-वायुमण्डल में ही विचरते रहते हैं। इसीलिए तो ,कैदी जेल में जी भी सकते हैं। वे बच्चों की तरह अपने अन्तर्जगत में आनन्दमयी अभिलाषाओं के घरौंधे बनाते-ढहाते, उसी में मग्न रहते हैं।

उसी कल्पना-लोक में मैं भी कितनी ही बार चींटी बन कर नन्हें-नन्हें छिद्रों से जेल के बाहर निकल जाता। कितनी ही बार पक्षी बन कर आकाश में उड़ जाता। कितनी ही बार दिन का प्रकाश बन कर, द्वार के बन्द रहते हुए भी, बाहर, सायङ्काल में मिल जाता। कितनी ही बार अन्धकार बन कर, प्रातःकाल में ग़ायब हो जाता! कितनी ही बार पवन बन कर, अदृश्य हो जाता! किन्तु, इतना स्वतन्त्र होकर भी मैं अपनी साढ़े तीन हाथ की जर्जरित देह को स्वतन्त्र नहीं कर पाता। क्यों? इसीलिए न, कि एक क़ैदी हूँ—केवल एक कैदी!

हिन्दी-साहित्य में चरित्र-चित्रण

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

महापुरुषों की जीवनियाँ प्रायः सभी देशों में लिखी और पढ़ी जाती हैं। ये जीवनियाँ उनके काल के इतिहास हैं। क्योंकि किसी देश का इतिहास, वहाँ के महापुरुषों के ही कार्य-कलाप का परिणाम होता है; वे ही अपने आदर्श कार्यों द्वारा देश के इतिहास का निर्माण करते हैं। यदि संसार में महात्मा गौतम बुद्ध अवतीर्ण न हुए होते तो बौद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव कहाँ से होता ? नेपोलियन ने क्रान्ति न मचाई होती तो फ्रान्स का इतिहास कैसा होता ? इन प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं, तो उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि महापुरुषों की जीवनियाँ साधारण वस्तु नहीं हैं। देशवासियों को उन्हें अमूल्य सम्पत्ति समझ कर सञ्चित करना चाहिए।

जीवनियाँ प्रायः दो प्रकार की लिखी जाती हैं। एक तो ऐतिहासिक ढङ्ग से और दूसरी साहित्यिक ढङ्ग से। ऐतिहासिक जीवनियाँ एक प्रकार से इतिहास के पन्ने ही होते हैं। वे राजनीतिक प्रभाव से रँगी रहती हैं। ऐसी जीवनियाँ प्रायः इतिहासज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं। साहित्यिक ढङ्ग से लिखी गई जीवनियाँ, ऐतिहासिक ढङ्ग से लिखी गई जीवनियों से विशेष महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं। दोनों में विशेष सामञ्जस्य पाया जाता है। उनकी घटनाएँ प्रायः एक ही रहती हैं। परन्तु एक कला से युक्त होती है और दूसरी कला से हीन, एक नीरस होती है और दूसरी सरस।

परन्तु दोनों प्रकार की जीवनियाँ अपने काल की जीती-जागती तस्वीरें होती हैं, वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा तत्समय सम्बन्धी भिन्न-भिन्न दशाओं का समष्टीकरण करती हैं। आधार तो केवल एक महापुरुष का चरित्र होता है, परन्तु उसके पीछे उस समय की सारी अवस्थाओं का दिग्दर्शन होता है।

ऐसी जीवनियों का लिखना उतना आसान नहीं है, जितना कि आजकल के लेखक महोदयगण समझते हैं। इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी भूतकाल के ऐतिहासिक महापुरुष की जीवनी लिखना उतना कठिन नहीं है, जितना कि वर्तमान काल के महापुरुषों का है।

वर्तमान काल के महापुरुषों के सम्बन्ध में हम ऐसी बातें कदापि नहीं लिख सकते, जो इतिहास के ख़्याल से भ्रमपूर्ण हों। क्योंकि उनके समय के लोग वर्तमान रहते हैं और उनका शीघ्र प्रतिवाद कर सकते हैं। परन्तु एक ऐतिहासिक महापुरुष के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें भी जोड़ दी जा सकती हैं, जिनका उल्लेख किसी पूर्ववर्ती इतिहासकार के ग्रन्थ में नहीं होता। बहुधा लोग ऐसा करते हैं। परन्तु उसके लिए प्रबल प्रमाण की आवश्यकता होती है।

जीवन-चरित्रों के लिखने का अधिकारी कौन हो सकता है ? यह विषय विवाद-ग्रस्त है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जीवन-चरित्र लिखने के अधिकारी केवल वही हो सकते हैं, जोकि चरित्रनायक के साथ कुछ दिन रहे हों, जिसने चरित्रनायक का मनोवैज्ञानिक (Psychological Study) अध्ययन किया हो। यदि सच पूछा जाय तो ऐसे ही लोग चरित्रनायक की सर्वाङ्गीण जीवनी लिख सकते हैं। उन्हीं की लिखी जीवनियाँ प्रमाणित मानी जायँगी। उनके आधार पर दूसरी जीवनियाँ तैयार हो सकती हैं। परन्तु जिन लेखकों ने चरित्रनायक का दर्शन तक भी नहीं किया है, चरित्रनायक के साथ एक दिन भी रहने का जिन्हें अवसर नहीं प्राप्त हुआ, उनकी लिखी हुई जीवनियाँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं।

हिन्दी-साहित्य में ऐसी ही जीवनियाँ पाई जाती हैं। जिन-जिन लेखकों ने जीवनियाँ लिखने का व्यवसाय आरम्भ किया है, उनका न तो कोई अध्ययन हुआ है और न वे चरित्रनायक के विषय में कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें जानते हैं, जिनसे उनके चरित्र पर प्रकाश पड़े। ऐसे लोग कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही अमुक महापुरुष के जीवन-चरित्र के नाम पर कुछ पन्ने रँग डालते हैं।

इतिहास-प्रधान विषयों में तत्कालीन महापुरुषों की जीवनियाँ विशेष स्थान रखती हैं। उनके बिना उस काल का इतिहास अधूरा रह जाता है। दो-एक जीवनियों को छोड़ कर हमारे साहित्य में जितनी जीवनियाँ लिखी गई हैं, उनमें से कोई १२० पृष्ठ से अधिक की नहीं मिलती। इतने कम पृष्ठों में एक 'काल' का इतिहास किस तरह पूरा लिखा जा सका है !!

साहित्य के कई अङ्ग माने गए हैं। किसी भाषा का साहित्य तब तक सर्वाङ्गीण समुन्नत नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसके प्रत्येक अङ्ग की पूर्ति न हो। हिन्दी-साहित्य की जहाँ एक ओर वृद्धि हो रही है और वह राष्ट्र-भाषा के स्थान को सुशोभित करने जा रही है, वहाँ उसमें कुछ ऐसी ख़ामियाँ हैं, जो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति को खटकती हैं। इन ख़ामियों में 'जीवन-चरित्रों' की ख़ामी कम महत्त्व नहीं रखती। जब हम पाश्चात्य भाषाओं तथा बङ्गला और गुजराती आदि देशी भाषाओं में चार-चार, छः-छः भाग की मोटी-मोटी पुस्तकें इस विषय पर देखते हैं, तो हमें अपनी हिन्दी की दशा पर बड़ा खेद होता है। बङ्गला में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की एक जीवनी है, जो लगभग ६०० पृष्ठों की है। उसका हिन्दी-अनुवाद भी हो चुका है। इतनी बड़ी जीवनी हिन्दी-साहित्य में औरों की कौन कहे, स्वयं महात्मा गाँधी और मालवीय जी की शायद ही हो। पाश्चात्य साहित्यों की तो बात ही न्यारी है, वहाँ तो साधारण कोटि के महापुरुषों की जीवनियाँ भी चार-चार खण्डों की निकलती हैं ? राजनैतिक महापुरुषों की अलग, वैज्ञानिकों की अलग, सङ्गीत शास्त्रियों, अभिनय-नेताओं और पात्रों अर्थात् प्रत्येक गुण के गुणियों की जीवनियाँ उनके यहाँ वर्तमान हैं। परन्तु हमारे साहित्य में नोबुल पुरस्कार के विजेता श्री० रमण की जीवनी दस पन्ने की भी नहीं है। जब उन्हें पुरस्कार मिला था, तो दो-एक समाचार-पत्रों में छोटे-मोटे 'नोट' निकल गए थे। स्वर्गीय गायनाचार्य विष्णु-दिगम्बर जैसे पुरुष यदि पाश्चात्य देश में होते तो इनकी 'जीवनी' कम से कम दो-तीन खण्ड की अवश्य प्रकाशित की जाती और आज उन्हें सारा संसार जानता होता।

यह हिन्दी का दुर्भाग्य है कि इधर न तो बड़े-बड़े लेखकों का ही ध्यान आकर्षित हुआ है और न प्रकाशक ही इस ओर आगे बढ़े। छोटी-मोटी जीवनियाँ निकालने का श्रेय स्वर्गीय पं० रामजीलाल शर्मा को है। वहाँ से अब तक कुल ४० के लगभग महापुरुषों की जीवनियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। परन्तु वे सभी १०० पृष्ठों से कम की हैं। अधिकतर बालकों के लिए लिखी गई हैं। पं० ओङ्कारनाथ वाजपेयी ने भी कुछ जीवनियाँ प्रकाशित करना आरम्भ किया था, परन्तु उनके अवसानोपरान्त उनके उत्तराधिकारियों ने 'रीडरबाज़ी की दौड़ (??)' में पण्डित जी के उस शुभकार्य को ताक़ पर उठा कर रख दिया।

लेखकवृन्द भी जीवनियाँ लिखने में उतना परिश्रम करना नहीं चाहते, जितना कि 'कहानी' और उपन्यास लिखने में। कहानियाँ आजकल बेतरह लिखी जा रही हैं और इतनी अधिक संख्या में कि जब सम्पादक-गण 'सधन्यवाद वापिस' करते-करते थक गए, तो लौटाने के लिए पेशगी टिकट मँगाने लगे। इसमें भी जब कुछ अधिक परिश्रम जान पड़ा, तो उन्हें रद्दी की टोकरियों में डालने लगे। लेखकों को मालूम होना चाहिए कि ये कहानियाँ १०० पीछे ५ ही सम्पादकों द्वारा पढ़ी जाती हैं। और ऐसी दस पढ़ी गई कहानियों में से एक या दो को 'काले अक्षरों में,' प्रेस-मैशीन पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई सम्पादक तो खुल्लमखुल्ला अपने पत्रों में नोटिस तक देने लग गए हैं कि हमारे यहाँ कहानियाँ तब तक न भेजिए, जब तक कि माँगी न जायँ।

लेखकगण यदि कल्पित कहानियाँ लिखना छोड़ कर महापुरुषों के जीवन की कहानियाँ लिखा करें और सम्पादक लोग इन कहानियों को अपने पत्र-पत्रिकाओं में स्थान दें, तो उनसे जनता का विशेष उपकार हो। प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक नगर में ऐसे-ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए यथेष्ट त्याग स्वीकार किया है; देश की उन्नति में जिनके परिश्रम काम आए हैं, परन्तु ऐसे लोगों को, सिवाय उस स्थान के, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं और कोई नहीं जानता। यहाँ मैं दो-एक उदाहरण दे देना उचित समझता हूँ।

प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीलाल और पं० जवाहरलाल को छोड़ कर और भी कतिपय बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़ा काम किया है, परन्तु उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और यदि जानते भी हैं तो केवल उनके नाम को। ऐसे लोगों में श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, श्री० सी० वाई० चिन्तामणि, श्री० तेजबहादुर सप्रू आदि महापुरुष हैं।

इसी तरह काशी को लीजिए। बाबू श्यामसुन्दर दास जी ऐसे हिन्दी-साहित्य-सेवी, बाबू शिवप्रसाद गुप्त से दानी, बाबू भगवानदास जी से दार्शनिक, पं० रामनारायण मिश्र से शिक्षा-जगत् में कार्य करने वाले, आचार्य ध्रुव से पण्डित भारतवर्ष में बहुत कम होंगे। परन्तु उनके जीवन की घटनाओं से जन-समाज बिल्कुल अनभिज्ञ है। इन मध्यम श्रेणी के महापुरुषों ने देश के उत्थान में जितना ठोस कार्य किया है, उतना ठोस कार्य बड़े-बड़े 'महापुरुषों' ने भी नहीं किया है। इसके बदले हम इतना भी नहीं करते कि हम उनकी स्मृति तो बनाए रक्खें। जिन-जिन स्थितियों में पड़ कर उन्होंने कार्य किया है और कर रहे हैं, उन्हें लिपिबद्ध कर, भावी सन्तान के लिए कुछ 'मसाला' तो तैयार रक्खें।

जीवन-चरित्रों के लिखने में हम दो भयङ्कर भूलें करते हैं। ऐसी भूलें पाश्चात्य देशों के लेखक कभी भी नहीं करते। हम बहुधा इस सम्बन्ध में पक्षपात और सङ्कीर्णता से काम लेने लगते हैं। दूसरे हम उन्हीं मनुष्यों की जीवनी लिखते हैं, जो बहुत बड़े अर्थात्

सबसे बड़े होते हैं। हमारे साहित्य में छोटी-मोटी जितनी भी जीवनियाँ हैं, उनमें उन्हीं लोगों की अधिक पाई जाती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जागृति में विशेष महत्व प्राप्त किया है। यहाँ तक कि रवीन्द्रनाथ टैगोर और जे० सी० बोस जैसे महापुरुषों की भी कभी-कभी उपेक्षा कर दी जाती है, क्योंकि वे राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग नहीं ले सकते हैं। यह सच है कि देश की पराधीनता के कारण वर्तमान समय में भारतवासियों के लिए 'देशभक्ति तथा देशभक्त' जितना महत्वपूर्ण है उतना अन्य वस्तु नहीं! परन्तु कौन कह सकता है कि सच्चा देशभक्त कौन है? क्या राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले ही सच्चे देशभक्त हैं। लेखक, कारीगर, वैज्ञानिक, पत्रकार, चित्रकार आदि क्या देशभक्त नहीं कहे जा सकते? आज यूरोप में श्री० उदयशङ्कर तथा श्री० तिमिरवरण नाथ के दो भारतीय युवक सङ्गीत-कला की जो श्रेष्ठता दरशा रहे हैं, क्या वे इसके द्वारा देश की कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हैं? फिर हम ऐसे देश-सेवकों की उतनी मान-प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? हमारी इस मनोवृत्ति से काफ़ी हानि हो चुकी है। सैकड़ों देशभक्त आत्माएँ तड़पती हुई चली गईं। न तो हमने जीते जी उनका सम्मान किया और न मरने पर उन्हें इतिहास में स्थान दिया। क्या यह हमारी अकृतज्ञता नहीं है? हिन्दी साहित्य-सेवियों को ही लीजिए। पं० प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन, पं० बालकृष्ण भट्ट, बाबू बालमुकुन्द गुप्त और पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी तक का जीवन-चरित्र नहीं है।

यह तो हुईं चरित्रनायकों के चुनाव के सम्बन्ध की तथा लेखक के सम्बन्ध की बातें। जब हम जीवनियाँ लिखने लगते हैं, तो पात्रों के सब गुणों को एक ही जगह पर उठा कर रख देते हैं। उसकी देशभक्ति, उसकी विद्या, उसकी नीतिज्ञता आदि का वर्णन खली-भूसे की तरह एक ही में मिश्रित कर देते हैं। इससे पाठक को यह नहीं समझ में आता कि वह जिस महापुरुष के जीवन का अध्ययन कर रहा है, उसने किस-किस क्षेत्र में, कितनी उन्नति की है। अङ्गरेज़ी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में किसी चरित्रनायक का वर्णन करेंगे, तो उसके प्रत्येक गुण को अलग-अलग कहेंगे, जैसे अब्राहम-लिङ्कन की जीवनी है। इसकी, Abraham as a La'weer, Abraham as a Politician, as a President. as a Statesman. आदि अलग-अलग रूप में कई जीवनियाँ प्रस्तुत हैं। इससे चरित्रनायक के प्रत्येक गुण का थोड़ा-थोड़ा परिचय पाठक को मिल जाता है। अङ्गरेज़ी जीवन-चरित्र-लेखकों की यह प्रवृत्ति इतनी आगे बढ़ी है कि वे साहित्यिक पुरुषों के भी राजनीतिक तथा धार्मिक गुणों की और राजनीतिक पुरुषों के साहित्य तथा धार्मिक गुणों का वर्णन करते हैं। मैथ्यू ऑरनॉल्ड अङ्गरेज़ी भाषा के एक बड़े कवि हो गए हैं। परन्तु उनकी जीवनी में उनकी राजनीतिक पहुँच तक का वर्णन किया गया है। हमारे लेखकवृन्द कहेंगे कि मैथ्यू ऑरनॉल्ड से राजनीति से क्या सम्बन्ध, वह तो केवल कवि था। इससे आप देखेंगे कि लेखकों की इस भावना ने कहाँ तक हमारे महापुरुषों के जीवन के विशेष भागों को अन्धकार में रख छोड़ा है। महाकवि तुलसीदास की जितनी जीवनियाँ लिखी गई हैं और जिन-जिन लोगों ने लिखी हैं, उनको केवल भक्त-कवि के रूप में ही दिखाया गया है। परन्तु क्या तुलसीदास जी समाज-सुधारक न थे? क्या वे केवल कवि और भक्त ही थे? अन्य रूप में उनका महत्व कुछ भी न था? परन्तु उनकी रामायण और अन्य ग्रन्थ इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि वे एक कट्टर सामाजिक क्रान्तिकारी थे। यही नहीं, वे राजनीति के भी पण्डित थे। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण लीजिए। महात्मा गाँधी की प्रत्येक जीवनी में हम उनके 'सत्याग्रह' को और कहीं-कहीं कुछ समाज सुधार को छोड़ कर अन्य गुणों का वर्णन नहीं पाते। परन्तु महात्मा गाँधी क्या केवल सत्याग्रही ही हैं? हमारी समझ में वे साहित्यिक हैं, हास्य-रस के प्रेमी हैं। परिमार्जित और गूढ़ मज़ाक़ करने में बड़े पटु हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गुजराती में जो उनकी रचनाएँ हैं, वे 'क्लासिक' साहित्य से टक्कर लेती हैं। अङ्गरेज़ी में लिखने का ढङ्ग भी उनका सराहनीय है। परन्तु शायद ही किसी जीवन में Gandhi Ji as Literary man का वर्णन किया गया हो। अथवा उनकी बैरिस्टरी की पहुँच आदि का वर्णन हो। इस तरह जब तक हम चरित्र-नायक के जीवन के प्रत्येक भाग पर प्रकाश नहीं डालेंगे, तब तक यह जीवनी अपूर्ण ही रह जायगी और चरित्र-चित्रण किसी काम का न होगा।

आशा है, लेखक, प्रकाशक तथा पाठक हिन्दी-साहित्य की इस ख़ामी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

❀ ❀ ❀

२५) का नक़द पुरस्कार

पुरस्कार-प्रतियोगिता

नियम

१—इस प्रतियोगिता में 'भविष्य' के सभी पाठक भाग ले सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ, कूपन अवश्य आना चाहिए।

२—इसमें भाग लेने वालों को कोष्ठक के ख़ानों की पूर्ति करनी है। सहायता के लिए नीचे तालिका दी गई है। उदाहरणार्थ नं० १ से ३ तक के ख़ानों में एक-एक ऐसा अक्षर हो कि तीनों अक्षरों को मिला कर जो शब्द बने, वह 'रामायण के एक पात्र का नाम' हो।

३—ख़ानों को पूरा करके तथा कूपन भर के पृष्ठ के इस भाग को काट कर सम्पादक-'भविष्य' के पास लिफ़ाफ़े में इस प्रकार भेजिए कि यहाँ वह ता० २६ नवम्बर तक मिल जाय। लिफ़ाफ़े के ऊपर बाईं ओर 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' अवश्य लिखा हो, नहीं तो हमें लिफ़ाफ़े के मिलने में विलम्ब हो जायगा, जिसके उत्तरदाता हम न होंगे।

४—निर्णय का अधिकार सम्पादक को है। इस विषय में किसी पत्र-व्यवहार पर ध्यान न दिया जायगा। अतः पाठक लिफ़ाफ़े में कोई पत्र या टिकट न रक्खें।

५—जिसका उत्तर सम्पादक के उत्तर से मिल जायगा, उस पाठक को, यदि वह 'भविष्य' का स्थायी ग्राहक होगा तो, २५) नक़द पुरस्कार मिलेगा। यदि ग्राहक न होगा तो २०) नक़द पुरस्कार मिलेगा। यदि कोई उत्तर सही न होगा तो १५) की 'चाँद कार्यालय' की पुस्तकें सबसे कम अशुद्धियों वाले पाठक या पाठकों को दी जायँगी।

६—'चाँद' तथा 'भविष्य' से सम्बन्ध रखने वालों (कर्मचारी आदि) को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है।

१	२	३	४	५	६
७	८		१०	११	१२
१३	१४	१५	१६	१७	
१९	२०	२१	२२	२३	२४
२५	२६	२७		२९	३०
३१	३२		३४	३५	३६

तालिका

सीधे चलने वाले—

१–३ रामायण के एक पात्र का नाम
४–६ यूरोप का एक ऐतिहासिक नगर
७–८ शरीर का एक भाग
११–१२ सङ्गीत में काम आता है
१४–१७ मन जिसमें रम जाय
१९–२० एक फल
२०–२३ एक औषधि
२३–२४ मार्ग
२५–२७ संग्रह में काम आने वाली एक संख्या
३१–३२ गीत
३४–३६ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम

नीचे चलने वाले—

१–१३ एक फल
१९–३१ नदी
२–८ हाथ-पैरों का एक भाग
१४–२० सम्बन्धवाचक प्रथम पुरुष सर्वनाम (संस्कृत)
२०–३२ किसान खेत रखाने के लिए बनाता है
२१–२७ निचोड़ कर निकाला जाता है
४–२२ सफलता विषयक एक कहावत
५–११ वही जो २३-२४ में है।
१७–२३ 'अहम्' की एक विभक्ति
२९–३५ एक संख्या
६–१२ एक रङ्ग
२४–३६ अखाड़े का एक अस्त्र

कूपन

ग्राहक-नम्बर (यदि ग्राहक हैं) ________
नाम ________
पता ________

❀ ❀ ❀

आवश्यक सूचना

'चाँद' और साप्ताहिक 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूर्व लाभ उठाइए! इसका रेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है। आज ही पत्र भेज कर नियमावली मँगाइए।

महात्मा ईसा

इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी बातें आद्यन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों तथा चमत्कारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से की गई है। एक बार अवश्य पढ़िए! मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥=)

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

आर० एल० बर्मन कम्पनी की

सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मँगाइए !

चीना सुन्दरी	१॥)
जर्मन षड्यन्त्र	१॥)
ताया का ख़ून	।)
भक्त सूरदास	१)
वीर चरितावली	१)
जेल-रहस्य	१॥)
भीषण भण्डाफोड़	॥)
राजर्षि प्रह्लाद	१।)
काला साँप	।=)
काला कुत्ता	॥)
ख़ूनी औरत	१)
बालक श्रीकृष्ण	१)
वीर अभिमन्यु	१)

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद



[हिज़ हालोनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

जिस तरह श्रीमती जगद्गुरुआनी जी की असीम अनुकम्पा से श्रीजगद्गुरु की झोली रुपए-पैसे की ज़हमत से बरी रहती है, उसी तरह जब तक श्रीमान् सुस्टर साहब मौजूद हैं, तब तक बूढ़े भारत की झोली भी उन ख़तरनाक चीज़ों से महफ़ूज़ रहेगी। कम से कम अपने राम की तो ऐसी ही धारणा है।

❀

बात यह है कि श्रीमान् का 'बावन करोड़ी' बजट एसेम्बली के स्पेशल अधिवेशन में पेश है। और जब 'पेश' है तो 'पास' होते कितनी देर लगती है? क्योंकि सरकार द्वारा 'पेश' का परिणाम "पास" अनिवार्य है। यह सनातन नियम है।

❀

इसके सिवा भगवद्कृपा से आजकल वहाँ सखी नौकरशाही का रामराज्य है; उनके नाज़ो-अन्दाज़ पर—उनकी एक-एक अदा पर, सौ-सौ जान से क़ुर्बान जाने वालों की वहाँ भरमार है। बागडोर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं, बस एक बार इशारा कर देना ही काफ़ी है।

❀

इसके सिवा दूरदर्शी अर्थ-सचिव अर्थात् श्रीमान् सुस्टर साहब ने अपने भाषण द्वारा सबको सावधान भी कर दिया है कि देखना यारों, व्यर्थ ही संशोधन आदि का अड़ङ्गा खड़ा करके भारत-अन्त्येष्टि के इस परम माङ्गलिक कार्य में बाधा डालने की बेवक़ूफ़ी न कर बैठना, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा और भारत की सद्गति भी न होगी।

❀

ऐसी दशा में एसेम्बली के किस सदस्य को कुत्ते ने काटा होगा जो संशोधन आदि पेश करके पाप का भागी बनेगा! इसीलिए तो कितने ही धर्मभीरु तथा चतुर सदस्य दिल्ली की ओर गए ही नहीं। इससे सरकार का भी काम बन जाएगा और देश के सामने भी मूँछें ऊँची रह जाएँगी। भई वाह, इसे कहते हैं, कर्तव्यपरायणता!!!

❀

फिर, महज़ बावन करोड़ का तो मामला था। युग-युगान्तर के समृद्धिशाली भारत के लिए यह कौन बड़ी सी रक़म है, जो इसके लिए हमारे प्रतिनिधि महोदयगण अपनी श्रीमतियों का अनिर्वचनीय सुखद पार्श्व छोड़ कर दिल्ली दौड़े जाते और अपनी अन्नदात्री और सम्मानदात्री श्रीमती नौकरशाही के आमदनी के मार्ग में ख़लल डाल कर, अपने हाथों अपना परलोक नष्ट करते?

❀

सर जार्ज सुस्टर महोदय के बुज़ुर्गों ने कोदो देकर इन्हें हिसाब नहीं पढ़ाया था। उनका बजट बिल्कुल ठीक और दुरुस्त था। करदाताओं ने कञ्जूसी कर दी, इसी से साढ़े उन्नीस करोड़ के घाटे की सम्भावना दिखाई देने लगी। फलतः इसकी पूर्ति तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर टका ही नहीं तो राज्य किस काम का।

❀

सरकार स्वयं अपने सामरिक और असामरिक विभागों के ख़र्च में एकदम नौ करोड़ की कमी कर देने को तैयार है। थोड़े से गोरे ग़रीबों को छोड़ कर बाक़ी सब कर्मचारियों का वेतन दस सैकड़ा घटा रही है—यहाँ तक कि ४०) वेतन वाले काले क्लर्क भी नहीं बचने पाए हैं। ऐसी हालत में यह इतना बड़ा विशाल भारत बावन करोड़ भी न देगा तो क्या देगा?

❀

लोग एतराज़ करते हैं कि इस ग़रीब देश में सिवीलियनों को बहुत रुपए दिए जाते हैं, उनकी छुट्टियों का वेतन, भत्ता, विलायत जाने-आने का ख़र्च—ली कमीशन के प्रतवे के अनुसार प्रायः तीन करोड़ और बढ़ गया है। सरकार अगर चाहती तो इसमें कमी कर सकती थी।

❀

परन्तु इन हज़रात को यह मालूम नहीं कि हमारी सरकार कुछ पत्थर की पुतली नहीं है, जो ऐसा निर्मम कार्य कर डालेगी! और फिर, जब तक भारत के लँगोटीबन्द अधिवासी नमक और किरासिन तेल का व्यवहार करते हैं, तब तक हज़ारों कोस से आए हुए गोरे कर्मचारियों के आराम में ख़लल डालना कोई बुद्धिमानी भी तो नहीं है।

❀

कहीं विजया भवानी कृपा कर दें और थोड़ी देर के लिए सर जार्ज सुस्टर की जगह इस बूढ़े भङ्गड़ को मिल जाय (घबराइए नहीं, कार्य हो जाने पर गङ्गा नहा लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा) तो क़सम ख़ुदा की 'लँगोटी-टैक्स' लगा कर सखी नौकरशाही को मालामाल कर दें। वह राज्य ही क्या, जिसकी प्रजा लँगोटी पहने और टैक्स न दे।

❀

एसोसिएटेड प्रेस ने ख़बर दी है कि लूट-तराज़ और दङ्गा-फ़साद के भय से ढाका के बहुत से हिन्दू बोरिया-बँधना समेट कर इधर-उधर भाग रहे हैं। अच्छी बात है, इससे संसार को हिन्दुओं की 'पलायन-पटुता' का परिचय तो प्राप्त ही होगा, साथ ही बङ्गाल सरकार के गौरव की भी वृद्धि होगी। हमारी तो राय है कि अगर ये हिन्दुस्तान ही छोड़ दें तो सारा बखेड़ा तय हो जाय और हमारे वृकोदर मौलाना को तोंद पसारने के लिए काफ़ी जगह भी मिल जाय।

❀

एक तो 'कुफ़्रिस्तान' उस पर यह जगहतङ्गी। अगर हिन्दू इस देश में बने रहे तो एक दिन मौलाना का दम ही घुट जाय, तो आश्चर्य नहीं। इसीलिए बेचारे आजकल जी-जान से इसे इस्लामिस्तान बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं और माशा अल्लाह सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं।

❀

यही नहीं, मौलाना के तोंद-चक्रव्यूह में पड़ कर दादा मुग्धानल देव भी राह भूल गए हैं और उसमें से निकलने के लिए पिंजड़ाबद्ध पक्षी की तरह पर फड़फड़ा रहे हैं। ख़ुदा बचाए दादा जी को। बेचारे क्या जानते थे कि यह अपना ही बनाया हुआ फन्दा अपने को ही फाँस लेगा।

❀

गत २१ नवम्बर को उदार-हृदय साम्राज्यवादियों ने गत यूरोपीय महासमर का अवसान-दिवस मना डाला। साम्राज्य के बड़े आदमियों के लिए जिन लोगों ने समर में जूझ कर जानें दी थीं, उनके स्मृति-स्तम्भों पर पुष्पमालाएँ चढ़ा दी गईं और गिर्जाघरों में उनकी आत्माओं की चिर शान्ति के लिए 'स्वर्गस्थ पिता' से सिफ़ारिश भी (प्रार्थना?) कर दी गई। दोनों ज़रूरी काम एक साथ ही हो गए।

❀

आशा है, स्वर्गस्थ पिता जी ने अपने इन परम दयालु पुत्रों की सिफ़ारिश के अनुसार गत युद्ध में शरीर त्यागने वाली आत्माओं की शान्ति के लिए कोई 'स्पेशल अरेञ्जमेण्ट' कर डाला होगा। क्योंकि अपने परम भक्तों के अनुरोध की उपेक्षा भला वे कैसे कर सकते हैं और वह भी अपने गोरे लाड़लों का।

❀

और सुनिए, परम पिता से सिफ़ारिश करने के बाद दयालुओं ने दो मिनिटों तक उन स्वर्गस्थ आत्माओं के लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं। इन दो मिनिटों में उन्होंने क्या सोचा और क्यों आँखें बन्द कर लीं, इसका वास्तविक रहस्य तो वे और उनके 'पिता जी' को ही मालूम होगा। परन्तु अपने राम तो इस दया और करुणा के ढोंग पर दिलोजान से फ़िदा हैं। साथ ही अपने राम का यह भी विश्वास है कि हयादारी का यह सम्पूर्ण अभिनव अभिनय देख कर बेचारी निर्लज्जता ने भी लज्जा से सिर झुका लिया होगा।

❀

साम्राज्य की रक्षा के लिए लाखों मासूमों ने अपनी जानें निछावर कर दीं, हज़ारों लँगड़े-लूले और अन्धे होकर जीवन-यापन कर रहे हैं। हज़ारों अपने प्रिय परिजनों को खोकर अनाथ बन गए! इनके लिए यह दो मिनिट की 'आँख मुँदौअल!' माशा अल्लाह, यह अलौकिक उदारता और अनुपम त्याग गोरे साम्राज्यवादियों के लिए ही सम्भव है।

❀

किसी उर्दू कवि का कथन है,—"कहाँ ले जाऊँ दिल दोनों जहाँ में सख़्त मुश्किल है। यहाँ परियों का मजमा है, वहाँ हूरों की महफ़िल है।" अर्थात् 'यहाँ' और 'वहाँ'—कहीं भी हसीनों की कमी नहीं। एक से एक ख़ूबरू भरे पड़े हैं। मगर माशा अल्लाह, जैसा आकर्षक रूप बङ्गाल के नौनिहाल लीडर श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने पाया है वैसा न तो किसी परी को नसीब है, न किसी हूर को।

❀

हुस्नपरस्तों की नानी अर्थात् हमारी सखी नौकरशाही को तो बोस बाबू के इस आकर्षक रूप ने परेशान कर डाला है। बेचारी दिन-रात उनके पीछे

(शेष मैटर ३६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

❀

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़द्मे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास की क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़द्मा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,
इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) की वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद'/'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर ———————— है।

हस्ताक्षर————————

पूरा पता————————

————————

————————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।

बातचीत

एजेण्टों से—

'भविष्य' की बिक्री के हिसाब में हमें ६-११-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया मिला है। बहुत से एजेण्टों ने अभी तक न तो रुपया ही भेजा है और न हिसाब ही! अतएव उन्हें चाहिए कि वापसी डाक से कुल रक़म भेज कर अक्टूबर मास का हिसाब साफ़ कर दें। जो एजेण्ट बिना बिकी हुई कॉपियाँ वापस करें, उन्हें चाहिए कि वह १० सैकड़ा से अधिक न लौटाएँ, अन्यथा हिसाब में जमा न की जा सकेंगी। जिन एजन्टों का रुपया समय पर नहीं मिला, उनको कॉपियाँ नहीं भेजी जायँगी!

१ मेसर्स ला० च० रा० च० देहरादून ... २०)
२ श्री० बी० एम० गुप्ता, आगरा (चेक से) ३१|≡)|||
३ श्री० एस० आर० सिन्हा, बाराबङ्की (चेक) १०≈)
४ श्री० ज० झा, मधुबनी ... १३|–)
५ श्री० अ० प्र० जी, आरा ... १८)
६ श्री० प० रा० जायसवाल, जम्होर ... १०)
७ मेसर्स म० प्र० रा० गो० होशङ्गाबाद ... ३ ||≡)
८ श्री० ती० रा० पटना ... १०)
९ श्री० वि० प्र० गुप्ता, आज़मगढ़ ... १०)
१० श्री० एन० एस० कालकर, नागपुर ... ३०)
११ मेसर्स मो० ला० हु० च० हरद्वार ... १०)
१२ श्री० आ० श० पटना ... २५)
१३ मेसर्स सू० न० तिवारी ऐण्ड अ०, फ़ैज़ाबाद २५)
१४ श्री० रा० न० दीक्षित, इटावा ... १५)
१५ श्री० प० रा० दुबे, इटारसी ... १२|||–)
१६ मेसर्स स० ज० न्यू० ए० ग़ाज़ियाबाद ४||)
१७ श्रीमती फू० दे० अजमेर ... १०)
१८ श्री० क० ला० जी खुर्जा, 'चाँद' के लिए १३||)
१९ श्री० चि० ला० रायपुर, 'चाँद' के लिए ४५)

इसके अतिरिक्त श्री० ज० झा मधुबनी की २ कॉपी, जोकि १० सैकड़ा के हिसाब से अधिक वापस की हैं, जमा नहीं की गई हैं, अतएव इनका मूल्य |≈) नाम निकल रहा है।

—मैनेजर 'भविष्य'

श्रीजगद्गुरु का फ़तवा

(३७वें पृष्ठ का शेषांश)

फिरकी सी फिरा करती हैं और मौक़ा पाते ही Gulliver's Travels की उस 'याहुनी' की तरह बोस बाबू से चिपट जाती हैं, जो मि० गुलीवर को नग्न नहाते देख, 'याहू-याहू' कह कर चिपट गई थीं।

ढाका के मैजिस्ट्रेट मि० डुर्नो की हत्या के बाद से वहाँ की पुलिस ने जो ताण्डव आरम्भ किया था, उसकी एक ग़ैर-सरकारी जाँच होने वाली है। श्री० बोस उसी के लिए ढाका जा रहे थे। परन्तु बीच में गिरफ़्तार कर लिए गए। यद्यपि और भी बहुत कार्यकर्ता इस जाँच के लिए वहाँ गए हैं, परन्तु उनमें कोई आकर्षण न होने के कारण सखी ने श्री० बोस को ही पसन्द किया है। 'जाहि जाहि सों मन रमै, ताहि-ताहि सों काम!'

❀ ❀ ❀

ग्राहकों से—

निम्न-लिखित ग्राहकों की सेवा में निम्नाङ्कित अङ्क दुबारा भेजे गए हैं।

४८वाँ अङ्क १३८५ को।
५२वाँ अङ्क ३०३६, ३०२८, और १३८५ को।
५३वाँ अङ्क २७९२, २९८२, और २१०९ को।
५४वाँ अङ्क २९८२, १९४६, २४९२, १२२१ और २५५३ को।
५५वाँ अङ्क ३०३६, ९०३, ३१८० और ३१९२ को।

निम्नाङ्कित नम्बर वाले ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं।

२६७२, ३१६३, १७४४, २९८२, ३१७२, २२६८ २८०० और १२४५।

गत ६-११-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ। जिनका चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है :—

ग्राहक-नम्बर	प्राप्त रक़म
११०६	३||)
२५८६	६||)
२६८१	६||)
२५८७	६||)
२६२०	६||)
२७०४	६||)
२९३९	३||)
२९९२	३||)

गत ६-११-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में निम्न-लिखित 'भविष्य' के नवीन ग्राहक हुए हैं। जिन-जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा ग्राहक-नम्बर के साथ चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना न भूलें, ताकि उचित कार्रवाई करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

ग्राहक-नम्बर	नाम ग्राहक	रक़म
३२५१	श्री० सेक्रेटरी महोदय, आर्य-वाचनालय, मोमीनाबाद ...	३)
३२५२	मेसर्स हीरालाल शिवनारायण, धुलिया (खानदेश) ...	६||)
३२५५	श्री० अनरूपलाल, नायब-तहसीलदार, चकिया (बनारस स्टेट)	६)
३२५६	श्रीमती प्रतापबहादुर, लखनऊ	६||)
३२५७	श्री० सेक्रेटरी महोदय, रिक्रिएशन क्लब, नरहन (दरभङ्गा) ...	६||)
३२५८	लाला निरञ्जनलाल, अल्मोड़ा	३||)
३२५९	बाबू गोविन्दराव सेक्रेटरी, भैंसदेही (बैतूल) ...	१२)
३२६०	ठा० रघुबीरसिंह रावत, चौमासू	३||)
३२६१	श्री० मोतीराम त्रिपाठी, भीमताल (नैनीताल) ...	६||)
३२६४	श्री० झगड़सिंह, शाहजहाँपुर (मेरठ) ...	२||≈)

निम्न-लिखित ग्राहकों को अगले सप्ताह में साप्ताहिक 'भविष्य' की वी० पी० भेजी जाएगी। आशा है, ग्राहकगण वी० पी० स्वीकार कर पूर्ववत् 'भविष्य' को अपनाए रहेंगे।

३०८४	३०९२	३०८१	३०४०
१२४७	१३१७	१३५८	३०४१
२७८८	२७९३	२७९६	३०५०
३०४२	३०४६	३०४७	१४०१
३०५८	३०५९	१३७९	२८०३
१४११	२८०१	२८०२	२८१०
२८०५	२८०७	२८०८	३०८८
३०६९	३०७३	३०७७	...
३०८५	३०९०	२९१०	...

विद्याविनोद-ग्रन्थमाला

की

विख्यात पुस्तकें

मानिक-मन्दिर

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होती है—इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

मनोरमा

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर दुष्परिणामों का इसमें नग्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और पतिव्रत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

नयन के प्रति

हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद'-परिवार के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव होती हैं—सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है। जिन ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को धिक्कारा और लज्जित किया है, वह देखने ही की चीज़ है—व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही तबियत फड़क उठती है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रङ्गों में छपी हुई इस रचना का न्योछावर लागत-मात्र केवल ।=) ; स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !

शुक्ल और सोफ़िया

इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढङ्ग से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनों का प्रणय और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्‌गद हो जाता है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥)

गौरी-शङ्कर

आदर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। शङ्कर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। बालिका गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तङ्ग किया। बेचारी बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और उसका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया। यह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। छपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ॥।)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Price As. 4 only

Registered No. A—2085

उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूतन उपहार !

[अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास]

सांसारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, धैर्यवान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग-व्रत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-सुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ख़ून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस

छपाई-सफ़ाई अत्यन्त



पुस्तक छप रही है !

प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अर्पण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल—एक दरिद्र की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती है, इसका अद्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा।

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्न है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्री अपना जीवन सफल बना सकती है। उसका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को धैर्य एवं साहस प्रदान कर, क्षण-मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-शैली अत्यन्त मनोहर है। पुस्तक छप रही है; शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Price As. 4 only

मूल्य चार आने

टेलीफ़ोन-नम्बर : २०५

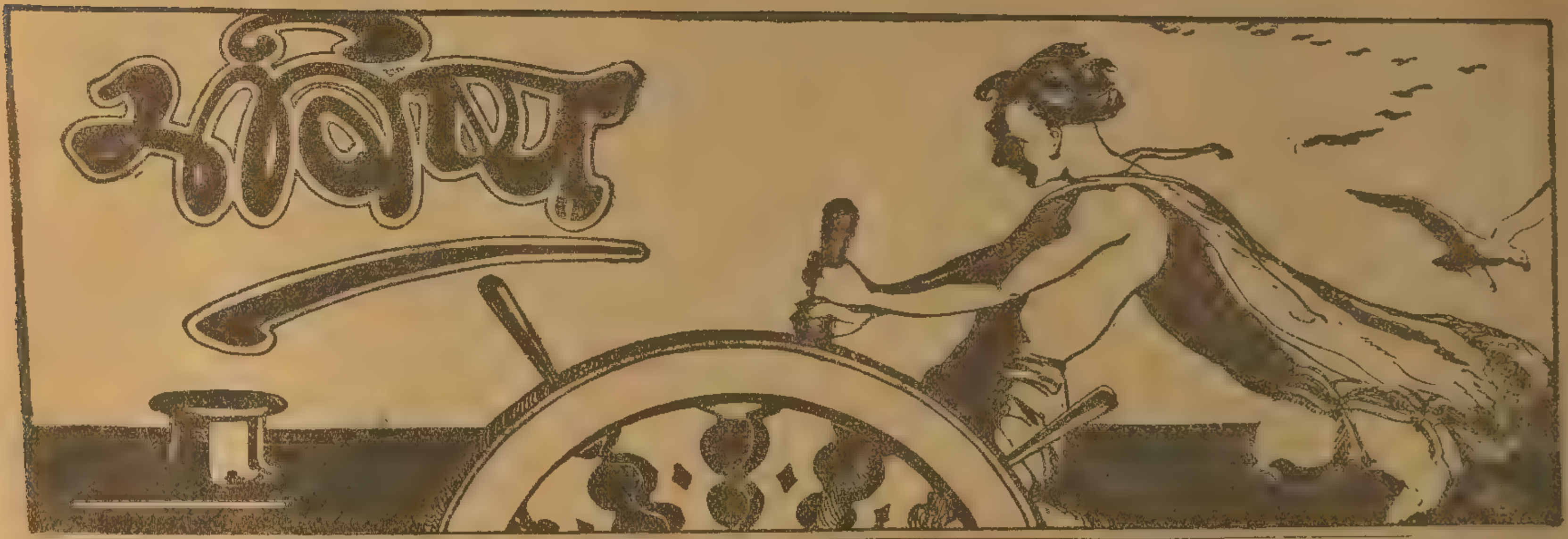
भविष्य

तार का पता : 'भविष्य'

वर्ष २ खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २३ नवम्बर, १९३१ | सं० ८, पूर्ण सं० ५८



ART PRINTING COTTAGE ALLAHABAD



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २३ नवम्बर, १९३१ | संख्या ८, पूर्ण संख्या ५८

इलाहाबाद में सत्याग्रह की तैयारी :: सरकार की चिन्ता

कॉङ्ग्रेस कमिटी ने लगान-बन्दी की घोषणा की

कॉङ्ग्रेस नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त नोटिस गाँवों में बाँटे गए!

इलाहाबाद ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी ने १८ ता० की शाम को एक मीटिङ्ग करके निश्चय किया है कि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की सम्मति के अनुसार किसानों से इस फ़सल का लगान तब तक रोके रखने को कहा जाय, जब तक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पर इसके साथ ही उनको सत्याग्रह के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने सन्तोष-जनक फ़ैसला न किया तो किसानों की रक्षा के लिए इसी उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। इस आशय के इश्तहार छपवा कर गाँवों में बाँटे जाने के लिए भेज दिए गए हैं। उन पर कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन और मन्त्री सरदार नर्मदाप्रसाद सिंह, श्री० शिवमूर्तिसिंह तथा श्री० लालबहादुर के हस्ताक्षर हैं।

२० तारीख़ की ख़बर है कि इलाहाबाद ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के लगान रोकने के निश्चय करने और इस आशय के नोटिस गाँवों में बाँटे जाने से स्थानीय अधिकारियों में बेचैनी फैल गई है। २० ता० की शाम को यू० पी० के गवर्नर बहुत देर तक बन्द कमरे में इलाहाबाद डिवीज़न के कमिश्नर मि० ब्लण्ट और कलक्टर मि० बम्फ़र्ड से इस सम्बन्ध में सलाह-मशविरा करते रहे। मि० बम्फ़र्ड स्वयं किसानों के खातों की जाँच कर रहे हैं कि उनके आधार पर लगान में अधिक कमी करने की गुञ्जाइश है या नहीं।

महात्मा गाँधी की बोलशेविक-ढंग की बातें

स्वराज्य प्राप्त भारत में अनुचित रीति से प्राप्त सम्पत्ति पर कड़ी नज़र रक्खी जायगी!

१९ तारीख़ को राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में व्यापार सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बहस हुई। लॉर्ड रीडिङ्ग, मि० जिन्ना और सर सप्रू के भाषणों के बाद महात्मा जी खड़े हुए और आपने आरम्भ में ही यह कहा कि भावी स्वराज्य प्राप्त भारत की राष्ट्रीय सरकार को यह अधिकार मिलना चाहिए कि भारत के भूखों मरने वाले लोगों की रक्षा के लिए वह समय-समय पर अनुचित रीति से प्राप्त सम्पत्ति की जाँच कर सके। महात्मा जी की इस बात से हर एक आदमी चौंक पड़ा है और यूरोपियन तथा भारतीय सदस्यों में बड़ी हलचल मच गई है। वे लोग भयभीत हो रहे हैं कि इसके फल-स्वरूप परिस्थिति और भी पेचीदा हो जायगी। महात्मा जी के इस भाषण की ध्वनि और उसका आशय सर्वथा आकस्मिक था और किसी को इसकी आशा न थी।

फ़ेडरल स्ट्रकचर कमिटी के मङ्गलवार तक मुल्तवी हो जाने के कारण प्रतिनिधियों के २७ नवम्बर को चल देने की आशा जाती रही है। अब वे ४ दिसम्बर या ११ दिसम्बर से पहले नहीं चल सकेंगे, ऐसा ख़याल किया जाता है। बेन और मि० ली स्मिथ की सम्मति में महात्मा गाँधी का रुख़ अछूत जातियों के सम्बन्ध में खेदजनक है। मि० ली स्मिथ कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेन्स समाप्त होने से पहले महात्मा गाँधी और डॉक्टर आम्बेडकर में समझौता हो जाय।

एसेम्बली ने फ़ाइनेन्स बिल को ठुकरा दिया

सदस्यों ने गवर्नर जेनरल की सिफ़ारिश को स्वीकृत नहीं किया

नई दिल्ली का २० ता० का समाचार है कि एसेम्बली के प्रेज़ीडेण्ट ने गवर्नर जेनरल का सन्देश पढ़ कर सुनाया जिसमें फ़ायनेन्स बिल को फिर से स्वीकृति के लिए पेश करने की सिफ़ारिश की गई थी। गवर्नर जेनरल ने ज़ोर देकर कहा था कि देश के हित के लिए और विशेष कर उसकी आर्थिक दशा को दृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ष के अन्त तक का आय और व्यय समान हो, इसलिए वे एसेम्बली के निर्णय के अनुसार चार करोड़ की कमी को मञ्ज़ूर नहीं कर सकते।

इसके पश्चात् बिल दुबारा एसेम्बली के सम्मुख रखा गया। विपक्ष के नेता सर हरीसिंह गौड़ ने कहा कि नेशनैलिस्ट दल के सदस्य अब यही कर सकते हैं कि बिल सम्बन्धी आगामी कार्यवाही से अपने को बिल्कुल पृथक कर लें। सर अब्दुर्रहीम ने इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी की तरफ़ से कहा कि समस्त जनता के मत की अवहेलना कर सकना कठिन है। बहस शुरू होने पर सर हरीसिंह गौड़, सर अब्दुर्रहीम और मि० यासीन ख़ाँ अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ उठ कर विश्राम के कमरों में चले गए, इसलिए सरकार के संशोधन पास होते चले गए। पर जब फ़ायनेन्स मेम्बर ने बिल को पास होने के लिए पेश किया तो सब सदस्य भीतर आगए और उन्होंने बिल के विरुद्ध वोट दिया और वह पक्ष में ४८ तथा विपक्ष में ६२ वोटों से रद्द कर दिया गया। इसके बाद एसेम्बली का यह अधिवेशन समाप्त होगया।

अब वह बिल गवर्नर जेनरल की सार्टीफ़िकेट द्वारा स्वीकृति के साथ सोमवार के दिन कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के सम्मुख पेश किया जायगा।

—२१ ता० शनिवार को १२ बजे ख़ाँ साहेब रहमान बख़्श क़ादरी ने 'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० आर० सहगल के "कीपर बनाम मालिक" वाले मामले का फ़ैसला सुना दिया। सहगल जी को दोषी ठहरा कर १५०) रु० जुर्माना, और यदि जुर्माना अदा न किया जाय तो छः सप्ताह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है। सहगल जी के अर्ज़ी देने पर जुर्माना जमा करने के लिए सात दिन की मुहलत दी गई है। इस फ़ैसले के विरुद्ध सेशन्सकोर्ट में अपील की जाने वाली है।

—ख़बर है कि इलाहाबाद के कलक्टर मि० बम्फ़र्ड इसी डिविज़न के कमिश्नर नियत किए जाने वाले हैं और उनके स्थान पर ता० १ दिसम्बर से मि० मुडी फिर से यहाँ पधारने वाले हैं।

—१७ तारीख़ को म० गाँधी को टेलीफ़ोन द्वारा अमरीका से फिर बुलावा आया, पर उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया कि कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने मुझे कॉन्फ्रेन्स ख़त्म होते ही चले आने को कहा है।



देश

—लाहौर में अब्दुल मलक और हरप्रसाद नाम के जो दो युवक नेशनल बैङ्क के ख़ज़ाञ्ची को लूटने की चेष्टा करते हुए पिस्तौलों के साथ पकड़े गए थे, उनका मुक़दमा १७ ता० से आरम्भ हो गया। अब्दुल मलक ने अपने पास पिस्तौल और कारतूसों का होना स्वीकार कर लिया, पर ख़ज़ाञ्ची को लूटने के इरादे से इन्कार किया। हरप्रसाद ने बयान देने से इन्कार किया।

—पञ्जाब-मेल-हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में यशवन्तसिंह और देवनारायण नामक दो युवकों को फाँसी का दण्ड दिया गया था, उसकी अपील नागपुर चीफ़कोर्ट से ख़ारिज कर दी गई। जज ने फ़ैसले में कहा है कि इस प्रकार सोते आदमी पर गाड़ी में घुसते ही आक्रमण करना कायरतापूर्ण था और यह काम स्पष्टतः हत्या के उद्देश्य से किया गया था।

—मदारीपुर (ढाका) में कालीपद चटर्जी और कालीपद सेन नाम के दो युवक नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं। चटगाँव में भी कितनी ही गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

—११ तारीख़ को 'आर्मिस्टिक डे' के भोज में भाषण करते हुए बङ्गाल के गवर्नर ने कहा कि षड्यन्त्रकारी दल देश भर में फैल गया। सरकार अवश्य ही इसके लिए उचित उपाय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि सरकार के ख़र्च में कमी की जा रही है, पर आशा है कि ऐसी कमी कदापि न की जायगी जिससे सरकारी सेना की शक्ति कम हो जाय।

—१७ ता० को कलकत्ता के श्रद्धानन्द-पार्क में 'लाजपतराय-दिवस' की सभा में भाषण करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने क्रान्तिकारी दल के हिंसात्मक कार्यों की निन्दा की और कहा कि उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। बङ्गाल की जनता को ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देना चाहिए, जिससे नवयुवक समझने लगें कि ख़ून-ख़राबी करने से वे देश की कुछ भी सेवा नहीं करते।

—दिल्ली षड्यन्त्र का मुक़दमा दो महीने से अधिक समय तक बन्द रह कर इस सप्ताह से आरम्भ हो गया है। एप्रूवर कैलाशपति ने अपना बयान फिर शुरू किया है।

—राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल ने म० गाँधी को तार भेजा है कि बारदोली की जाँच करने वाले जज ने ६२ लगान सम्बन्धी रजिस्टरों और ७१ गवाहों को समझौते की शर्तों के विरुद्ध बतला कर पेश करना अस्वीकार कर दिया है। सरकार की तरफ़ से सब से पहली गवाही मामलतदार की हुई और उसने जिरह में कितनी ही महत्वपूर्ण बातें मञ्जूर कीं। उसके बाद ही जज ने हुक्म दिया कि हम कोई भी सरकारी काग़ज़ात न देख सकते हैं, न पेश करा सकते हैं। इस प्रकार जाँच का रुख़ पक्षपातपूर्ण और विरोधी हो गया है। इस कारण हमारे वकील श्री० बालूभाई देसाई ने अपना काम बन्द कर दिया है।

—श्री० जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता के अलबर्ट हॉल की एक विद्यार्थी-सभा में कहा कि गाँधी-इर्विन समझौते के दिन अब इने-गिने रह गए हैं और उसके बाद उसे अच्छी तरह दफ़ना दिया जायगा। जब हमारा भावी संग्राम आरम्भ होगा, तो उसका आधार वही होगा, जो गत वर्ष के आन्दोलन का था।

—लाहौर का समाचार है कि पञ्जाब-सरकार ने काश्मीर ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार ६२६ अहरार स्वयंसेवकों को छोड़ दिया है। उन लोगों ने भविष्य में ऐसा कार्य न करने की प्रतिज्ञा की है।

—अफ़वाह है कि काश्मीर में जो गोरी फ़ौजें भेजी गई हैं,वे मुसलमान नेताओं के आग्रह से शीघ्र ही वापस बुलाई जाने वाली हैं। पर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इसमें कुछ भी सचाई नहीं है।

—सी० पी० प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस ने किसानों की दशा की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियत की है, जो विभिन्न स्थानों का दौरा करके किसानों की हालत का पता लगा रही है।

दफ़ा १२४-ए

पेशावर से प्रकाशित होने वाले 'सरफ़रोश' नामक कम्यूनिस्ट अख़बार के सम्पादक श्री० काँसूराम को दफ़ा १२४-ए में दो वर्ष की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई।

—बेजवाड़ा (मद्रास) का समाचार है कि एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य श्री० एन० जी० रङ्गा राजविद्रोही व्याख्यान देने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—लाहौर की नौजवान भारत-सभा के सेक्रेटरी श्री० मङ्गलदास को राजविद्रोही व्याख्यानों के अभियोग में ४-४ हज़ार की दो ज़मानतें देने या साल भर की सादी क़ैद भोगने का दण्ड दिया गया है।

—अमृतसर का १६ तारीख़ का समाचार है कि पुलिस ने 'मज़दूर-किसान' नामक साम्यवादी पत्र के सम्पादक, प्रकाशक और प्रिण्टर श्री० जीवनसिंह मसकीन को राजद्रोही लेख के लिए दफ़ा १२४-ए में गिरफ़्तार किया है। श्री० सरदारासिंह नामक प्रमुख अकाली कार्यकर्ता राजविद्रोही भाषण के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया गया है।

—पेशावर में १६ ता० को आचार्य राम नाम का नौजवान भारत-सभा का सदस्य राजद्रोही पर्चे बाँटते समय गिरफ़्तार किया गया। इनमें सरकार को धमकी देकर दमन बन्द करने को कहा गया था।

—१८ ता० को कलकत्ते में प्रो० नृपेन्द्रचन्द्र बनर्जी दफ़ा १२४-ए में गिरफ़्तार कर लिए गए। आप पर कुछ सप्ताह पहले अलबर्ट हॉल में राजविद्रोही भाषण करने का अभियोग लगाया गया है।

—पटना में पुलिस काँकरबाग़ हत्या-काण्ड के सम्बन्ध में अब तक ११ व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर चुकी है।

—लखनऊ का १६ ता० का समाचार है कि भारत सरकार के होम सेक्रेटरी, जोकि गाँधी-इर्विन समझौते के निरीक्षक हैं, वहाँ आए थे। उन्होंने संयुक्त प्रान्त में लगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिल के मेम्बरों तथा चीफ़ सेक्रेटरी से बातचीत की।

—१७ ता० को इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास पार्क में स्वर्गीय लाला लाजपतराय की स्मृति में एक सभा की गई, जिसके प्रेज़िडेण्ट पं० हृदयनाथ कुँज़रू थे। उनके सिवाय पण्डित बलदेवप्रसाद चौबे, सय्यद नाज़िरअली, श्रीमती उमा नेहरू और बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के भी भाषण हुए, जिनमें लाला जी का गुणगान किया गया।

—यू० पी० के फ़ायनेन्स मेम्बर सर जॉर्ज लैम्बर्ट और चीफ़ सेक्रेटरी कुँवर जगदीशसिंह ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके स्थानों पर क्रमशः मि० ब्लण्ट और मि० हेग नियुक्त किए गए हैं। मि० हेग आजकल राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड गए हैं। उनको जल्दी ही वापस बुलाया गया है। इस प्रबन्ध के लिए वायसरॉय १८ ता० को हवाई जहाज़ द्वारा लखनऊ आए थे।

—वायसरॉय की पत्नी श्रीमती विलिङ्गडन १८ तारीख़ को हवाई जहाज़ द्वारा कलकत्ते को रवाना हुईं और उसी दिन शाम को ३॥ बजे वहाँ जा पहुँचीं। आप वहाँ बड़े दिन में वायसरॉय के आगमन का प्रबन्ध करने गई हैं।

—सेठ जमनालाल बजाज ने सी० पी० के नगजारी और देवकी नामक क़स्बों में २१ कुओं पर अछूतों को पानी भरने का अधिकार दिलाया। नगजारी में आपने हनुमान जी के एक मन्दिर में भी अछूतों का प्रवेश कराया।

—बङ्गाल के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का १७ ता० की रात को कलकत्ता में देहान्त हो गया। आपकी अवस्था ७९ वर्ष की थी।

एसेम्बली में सरकार का भारी हार

एसेम्बली के ग़ैर-सरकारी सदस्यों के मैशीनों, पोस्टकार्ड, लिफ़ाफ़ों और इनकम टैक्स के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देने से सरकार की प्रस्तावित आमदनी में चार करोड़ रुपए की कमी हुई है। नए टैक्सों से कुल मिला कर पाँच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस पर सरकार केवल एक करोड़ टैक्स के प्रस्तावों को स्वीकृत करा सकी है। इससे सरकारी अधिकारियों में बड़ी बेचैनी फैली है और २० ता० को वायसरॉय विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ़्रेन्स करने वाले थे। इस बात की सम्भावना प्रकट की गई है कि शायद इन टैक्सों का प्रस्ताव वायसरॉय की मञ्जरी से फिर एसेम्बली के सामने पेश किया जायगा।

—देहरादून में तापूराम नामक मोची, जो अछूतों की तरफ़ से यू० पी० कौन्सिल में सदस्य है, एक दूसरे मोची को मारने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया है। उसका तत्ता नामक व्यक्ति से किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसमें तापूराम की चोट से तत्ता मर गया।

—कानपुर के प्रसिद्ध नागरिक रायबहादुर बाबू आनन्दस्वरूप का १८ ता० को देहान्त हो गया।

—१९ ता० को कलकत्ता के एक जूट-गोदाम में आग लग जाने से २॥ लाख रुपए की हानि हुई।

—१२ तारीख़ को पूना के सेशन से तीन गोरे सिपाही, जो पहरे में अपनी बारकों की हवालात में ले जाए जा रहे थे, भाग गए।

—११ तारीख़ को कलकत्ता के प्रिन्सेप घाट पर दो गोरे सिपाही वहाँ खड़ी एक मोटर गाड़ी को लेजाने की चेष्टा कर रहे थे। एक मुसलमान ने इसमें हस्तक्षेप किया तो सिपाहियों ने उसे ठोकरों और ईंटों से मार डाला। उन्होंने दो अन्य मुसलमानों को भी घायल किया। इस पर मोटर के मालिक ने पुलिस को ख़बर दी। वे दोनों पकड़े जाने के पहले पुलिस वालों से भी ख़ूब लड़े, जिससे उन दोनों को तथा कई कॉन्स्टेबिलों को चोट लगी।

—लाहौर का समाचार है कि लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी चुन्नीलाल ने गुरुदत्त-भवन अस्पताल से दस्त की गोलियाँ मँगाईं। पर ग़लती से पारे की ज़हरीली गोलियाँ भेज दी गईं, जिनको खाने से चुन्नीलाल ख़ून की क़ै करके मर गया। अस्पताल के सुप० और चपरासी पकड़े गए हैं।

—लाहौर हाईकोर्ट में फ़ारसी के 'अफ़ग़ानिस्तान' नामक पत्र ने 'वैदेशिक ऑर्डिनेन्स' के अनुसार एक साल की सज़ा के विरुद्ध अपील की थी। उसके एक अङ्क में "अफ़ग़ानिस्तान की वर्तमान सरकार इस्तीफ़ा क्यों नहीं देती" शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था। अपील ख़ारिज कर दी गई।

—यू० पी० सरकार ने सूचना प्रकाशित की है कि वह इलाहाबाद और लखनऊ की बिजली कम्पनी की रेट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कम्पनी की तरफ़ से सरकार के सामने एक बयान पेश किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि कम्पनी को पिछले दो वर्षों में नया प्रबन्ध करने में बहुत अधिक रुपया ख़र्च करना पड़ा है।

—श्री० सुभाषचन्द्र बोस को हाल में जब ढाका जाने से रोका गया था तो वहाँ के अधिकारियों ने उनको स्टीमर द्वारा वापस भेज दिया था। सरकार की तरफ़ से श्री० बोस के लिए लाजरिया नामक स्थान तक का टिकट ख़रीद दिया गया था, पर उनको वहाँ उतरने नहीं दिया गया और स्टीमर उनको बिना टिकट ही लेकर चाँदपुर तक गया। श्री० बोस और उनके साथी फ़र्स्ट क्लास में सवार थे और जब उनसे भाड़ा माँगा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। अब कम्पनी सरकारी अधिकारियों से भाड़े का ज़ोरदार तक़ाज़ा कर रही है और वे इस चिन्ता में पड़े हैं कि भाड़ा चुकाया जाय या नहीं।

—श्रीनगर का समाचार है कि १८ ता० को एक सब इन्स्पेक्टर पुलिस और दो-तीन कॉन्सटेबिल हेसामा नामक गाँव में स्त्री भगाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करने गए थे। वहाँ पर लोगों ने उनको अपने कर्तव्य पालन से रोकना चाहा और सब इन्स्पेक्टर के सर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी। इस पर उसने गोली चलाई, जिससे दो व्यक्ति घायल हुए। उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है और अवस्था सन्तोषजनक है। इस सम्बन्ध में २० नवम्बर को श्रीनगर के मुसलमानों में यह अफ़वाह उड़ाई गई कि गोली चलाने से कितने ही मुसलमान मारे गए हैं। इससे चारों तरफ़ बड़ी हलचल मच गई और मुसलमान वालण्टियर हड़ताल कराने लगे। लड़कों का एक जलूस भी बाज़ार में होकर निकला। अन्त में सच ख़बर के मालूम होने पर किसी तरह शान्ति हुई।

—१८ ता० को कानपुर में यू० पी० योरोपियन एसोसिएशन की एक मीटिङ्ग हुई। उसमें निश्चय किया गया कि संयुक्त प्रान्त में जो लगानबन्दी का आन्दोलन चल रहा है उसका परिणाम बड़ा भयङ्कर होगा, इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि उसे अपनी पूरी शक्ति से दबाए। इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी करने का भी निश्चय किया गया है।

—बनारस सिल्क और कॉटन मिल के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल का कारण कुछ मज़दूरों का बरख़ास्त कर दिया जाना है, जो स्थानीय मज़दूर सभा में बहुत अधिक भाग लेते थे। मज़दूरों की तरफ़ से स्थानीय पत्रों में कितनी ही माँगें प्रकाशित कराई गई हैं। पाँच हड़ताली गिरफ़्तार भी किए गए हैं।

—कलकत्ता की स्पेशल ब्राञ्च पुलीस ने मैमनसिंह में डाक पर डाका डालने के सम्बन्ध में दो नवयुवकों को गिरफ़्तार किया है।

—मद्रास के स्वर्गीय गोविन्द स्वामी मुदालियर एडवोकेट की विधवा पत्नी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट पर इसलिए दस हज़ार रु० हर्जाने की नालिश की थी कि उसका पति पुलिस की गोली से अप्रैल, १९३० में मारा गया था। मुक़दमा हाईकोर्ट में आरम्भ हो गया है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उस समय की परिस्थिति में गोली चलाना उचित था या नहीं, और यदि अनुचित था तो विधवा को सहायता मिलनी चाहिए या नहीं।

—पञ्जाब के डायरेक्टर इन्फ़ारमेशन ब्यूरो ने सूचना प्रकाशित की है कि एक मुसलमान-अख़बार 'इनक़िलाब' में अहरार वालण्टियरों के साथ लाहौर-जेल में बुरा व्यवहार होने की जो ख़बर प्रकाशित हुई है, वह बिल्कुल ग़लत है। इन वालण्टियरों को अधिकांश में मुसलमान वार्डरों की अधीनता में ही रक्खा गया है और उनको हर रोज़ आधा सेर चपाती, भुना चना, दाल और तरकारी दी जाती है। हर एक को तीन कम्बल भी दिए गए हैं।

—सीमा-प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के भतीजे को, जिसे एक मास की सज़ा दी गई थी और जो १३ अक्टूबर से जेल में अनशन किए हुए था, १९ तारीख़ को छोड़ दिया गया।

—लाहौर के पास कानाकचा नामक क़स्बे में एक सिख लुहार नक़ली सिक्के बनाने के अभियोग में पकड़ा गया है। उसके पास से कुछ नक़ली सिक्के और सिक्के बनाने के ठप्पे मिले हैं।

विदेश

राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स

—१८ नवम्बर को फ़ेडरल स्ट्रकचर कमिटी में भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर ने टोरी-पार्टी वालों के दबाव में से कॉन्फ़्रेन्स के काम में अड़ङ्गा लगाने की बहुत चेष्टा की। इस पर सर तेजबहादुर सप्रू, पण्डित मदनमोहन मालवीय, मि० बेन और मि० ली स्मिथ से उनकी बहुत-कुछ कहा-सुनी हुई। कहा जाता है कि अगर उस मौक़े पर लॉर्ड रीडिङ्ग और लोथियाँ समझौते की कोशिश न करते, तो कॉन्फ़्रेन्स का भङ्ग हो जाना बिल्कुल सम्भव था। इन लोगों ने लॉर्ड सैङ्की, सर होर और इण्डिया ऑफ़िस के अधिकारियों से मिल कर बातचीत की, जिसके फल-स्वरूप अन्त में चान्सलर ने कितने ही विषयों की रिपोर्टें प्रकाशित कराने और उन पर कमिटी में बहस होने का प्रबन्ध किया।

—१७ नवम्बर को फ़ेडरल स्ट्रकचर कमिटी में म० गाँधी ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में भाषण करते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ होना चाहिए, उसके कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। विदेशी शासकों द्वारा उत्पन्न की गई अत्यन्त कठिन परिस्थिति में भारत के शासन का भार अपने कन्धों पर लेने से पहले मैं ज़ोर के साथ कहूँगा कि अगर भारतीय सेना मेरे अधिकार में नहीं आती तो वह एकदम तोड़ देनी चाहिए। अगर विलायत के शासक और यहाँ की जनता सचमुच भारत से सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, और यदि वे इस समय हमको शासन-अधिकार देना चाहते हैं, तो उसकी सबसे आवश्यक शर्त यही है कि सेना पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए।

—१८ ता० को म० गाँधी ने मि० लॉयड जार्ज से उनके निवास-स्थान पर भेंट की।

—फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी २४ ता० तक के लिए स्थगित हो गई है। उसके फिर खुलने पर व्यापारिक विषयों पर बहस शुरू होगी।

—अछूतों के प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर और श्री० श्रीनिवास ने कहा है कि उनको भारतवर्ष के अछूतों की तरफ़ से ४४ तार मिले हैं, जिनमें उनके ऊपर विश्वास प्रकट किया गया है और म० गाँधी के अछूतों का प्रतिनिधि होने के दावे का विरोध किया गया है।

—लन्दन का १३ ता० का समाचार है कि मुसलमानों के एक डेपुटेशन ने म० गाँधी से भेंट करके कहा कि अगर वे उनकी माँगों को मान लें, तो अछूतों और अन्य अल्प-संख्यक समुदायों की माँगों का विरोध करने में वे उनका साथ देंगे। महात्मा जी ने यह प्रस्ताव नामञ्ज़ूर कर दिया।

—राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में हाफ़िज़ हिदायत-हुसैन ने अवध को संयुक्त प्रान्त से अलग करके अलग प्रान्त बनाने की सम्मति दी है।

—लन्दन का १४ ता० का समाचार है कि वायसरॉय के लिए नए ख़रीदे हुए हवाई जहाज़ को लेकर हवाई सेना के रिज़र्व विभाग के अफ़सर नेविल विन्सेण्ट भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। नेविल विन्सेण्ट ही वायसरॉय के जहाज़ के चलाने वाले नियुक्त होंगे।

चीन-जापान-संग्राम

३,३०० सिपाही मरे और घायल हुए !!

१८ नवम्बर का समाचार है कि जापानी सेना ने मञ्चूरिया के एक मुख्य नगर सीतसीहर पर अधिकार कर लिया है। इसके लिए दोनों दलों में बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ, जिसमें जापान के ३०० और चीन के ३,००० सिपाही मरे और घायल हुए। जापानियों ने इसकी बख़्तरदार मोटरों, बढ़िया क़िस्म की तोपों और हवाई जहाज़ों से काम लिया। ख़बर है कि रूस की सेनाएँ भी ब्लाडीवॉस्टक से चीन की सीमा की तरफ़ रवाना हो गई हैं। जापान ने अपने मॉस्को स्थित राजदूत द्वारा इसका विरोध किया है, कि इसके फल से बड़ी भयङ्कर अवस्था उत्पन्न हो सकती है।

१०० प्रति सैकड़ा महसूल

विलायत की पार्लामेण्ट में विदेशों से आने वाले माल पर १०० प्रति सैकड़ा महसूल लगाने का निश्चय किया गया है। सिर्फ़ खेती से उत्पन्न होने वाली चीज़ों पर महसूल न लगाया जायगा।

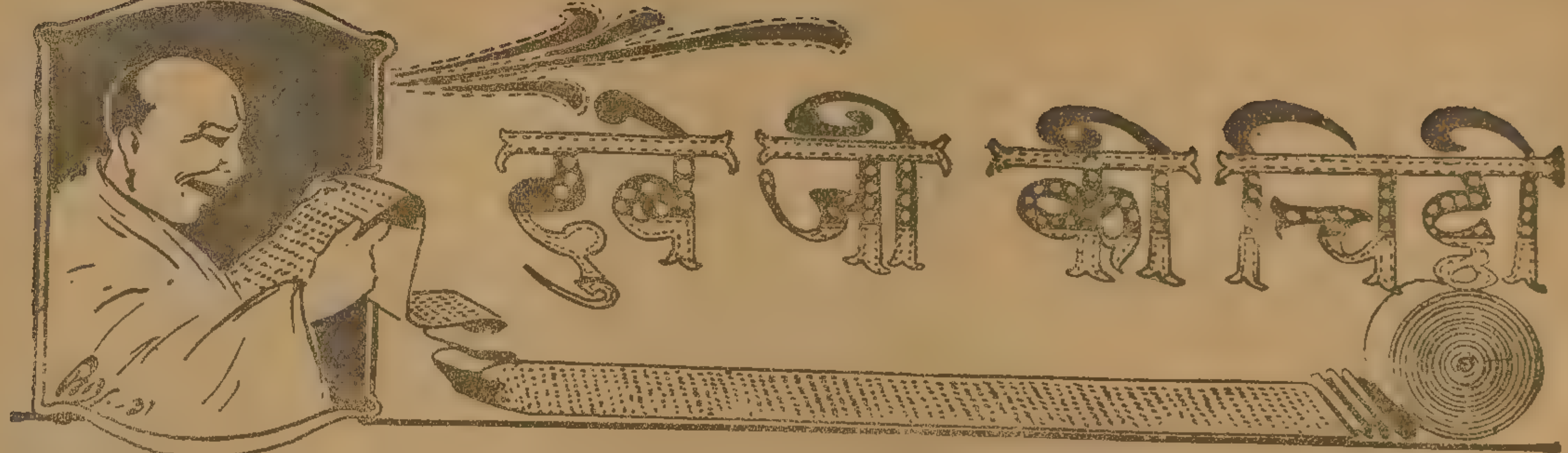
—फ़्रान्स ने इङ्गलैण्ड की नई अर्थ-नीति के जवाब में इङ्गलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले तमाम माल पर १५ सैकड़ा तथा भारत के माल पर ७ सैकड़ा महसूल लगाया है। स्वीडेन, डेनमार्क और मैक्सिको के माल पर भी १५ सैकड़ा महसूल लगाया गया है।

—टर्की में इङ्गलैण्ड, फ़्रान्स और अन्य देशों के बने माल को आने से रोकने के लिए सख़्त क़ानून बनाया गया है। जो चीज़ें राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों की वृद्धि के लिए आवश्यकीय नहीं हैं, उनको एक नियमित परिमाण में ही आने दिया जायगा।

—मुकदन (मञ्चूरिया) को ख़बर है कि चीन का बाल-सम्राट डेरन और पोर्ट आर्थर के बीच कहीं छुपा है और मुकदन में राज्यसिंहासन पर बैठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।

—चीन-सरकार की तरफ़ से 'लीग ऑफ़ नेशन्स' को सूचना दी गई है कि अगर चीन के भूतपूर्व सम्राट पूपी 'नक़ली' सरकार के बादशाह बनाए जायँ तो उनका कार्य राजविद्रोही क़रार दिया जायगा।

❀ ❀ ❀



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

हिन्दुस्तान में रहने वाले अङ्गरेज़ तथा एँग्लो-इण्डियन जान पड़ता कि ठीक श्रावणी के दिन अन्धे हुए उन्हें चारों ओर हरा ही हरा दीखता। हिन्दुस्तान में जो ख़ुश्की छा रही है, उसका उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। और सच पूछिए तो हो भी कैसे ? उनकी मक्खन-रोटी ईश्वर की दया से बिल्कुल बरक़रार है—उसमें फ़िलहाल फ़र्क़ आने के कोई आसार नहीं हैं। अलबत्ता क्रान्तिकारियों के कारण कुछ-कुछ जान का खटका लगा रहता है। बस मज़े में केवल इतना ही किरकिरापन आगया है, वरना जनाब, हिन्दुस्तान की ख़ुश्की की अङ्गरेज़ बहादुर कोई परवा नहीं करते, क्योंकि ये लोग ख़ुश्की ही में नाव चलाने वाले प्राणी हैं। विज्ञानवेत्ता ठहरे, कोई गधे और ख़च्चर नहीं हैं—ख़ुश्की तो क्या, रेगिस्तान और दलदल में भी नाव चला सकते हैं। परन्तु कुछ क्रान्तिकारी बहके हुए नवयुवक इनके आराम में खटमल और मच्छर की तरह खलल डाल रहे हैं। इसलिए मज़ा किरकिरा होने से ये लोग किरकिरा उठते हैं और कफ़न फाड़ कर चिल्लाते हैं कि "कहाँ है गवर्नमेण्ट, जो इन उत्पातियों का अन्त नहीं करती ? लॉर्ड इर्विन ने समझौता करके सख़्त ग़लती की। कॉङ्ग्रेस को कुचल दो, बाग़ियों को फाँसी पर लटका दो, क्रान्तिकारियों को कालेपानी भिजवा दो, गाँधी जी को जेल में डाल दो।" यद्यपि अपने राम को इसमें सन्देह है कि ये लोग वाक़ई ऐसी बातें कहते हैं या सोते में बर्रा उठते हैं। भई, यदि सोते में बर्राते हैं तब तो इनकी बातों का बुरा मानना व्यर्थ! परन्तु अपने राम जब यह पढ़ते हैं कि अमुक अङ्गरेज़ ने अमुक क्लब या एसोसिएशन में यह भाषण दिया तो यह ख़्याल आता है कि कदाचित होशो-हवास में सोच-समझ कर ऐसा कहा है। लेकिन फिर यह विचार उत्पन्न होता है कि ऐसे अवसरों पर भाषण देने के पहले यार लोग ढालते अवश्य हैं। बिना ढाले व्याख्यान देने में मज़ा ही नहीं आता। अपने राम भी जब कभी व्याख्यान देते हैं, तो पहले गहरी छान लेते हैं। इससे यह लाभ होता है कि आँखें तो बन्द रहती हैं—कोई दिखाई पड़ता नहीं। विश्व में केवल अपना ही अस्तित्व दिखाई पड़ता है, इसलिए बेधड़क होकर जो मुँह में आया, कहते चले गए—और क्या ! जो कुछ होगा, देखा जायगा। हाय ! हाय ! इस "देखा जायगा" की युगल जोड़ी ने संसार में न जाने कितना अनर्थ किया है। इसी "देखा जायगा" ने बड़े-बड़े युद्ध करवा दिए, असंख्य ख़ून करवा दिए, क्रान्तियाँ करवा दीं—और कुछ नहीं तो इसके कारण जेलें तो नित्य ही भरती रहती हैं। सो जनाब, यदि नशे की झोंक में "देखा जायगा" के बल पर ये लनतरानियाँ हाँकी गई हैं, तब तो ये लोग दया के पात्र हैं। आख़िर मनुष्य ही हैं, क्रोध आगया, सो भी नशे में ! अतएव इनकी बात का बुरा न मानना ही ठीक है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी खोपड़ी में तड़ातड़ पड़ते रहें और उसे क्रोध न आवे, विशेषतः जब वह डबल नशे में है। एक तो हुकूमत का नशा, दूसरे बो रम का नशा ! एक ही नशा आफ़त ढाता है, यहाँ तो कमबख़्त दो-दो हैं। ऐसी दशा में मनुष्य के होशो-हवास कहाँ तक ठीक रह सकते हैं—इसका अनुमान आप स्वयम् लगा सकते हैं। यही कारण है कि इनकी बातों पर ब्रिटिश सरकार भी कुछ ध्यान नहीं देती। वरना जनाब, अभी प्रलय हो जाय।

ये लोग अपने होशो-हवास में ऐसी बातें नहीं कहते, इसका एक और प्रबल प्रमाण है। वह यह कि करे चाहे जो, परन्तु ये लोग कॉङ्ग्रेस तथा गाँधी जी ही को कोसते हैं। यह जो कहावत है कि "करे चाहे कोई, परन्तु धरा मशालची ही जाता है।" इसका कारण यही है कि बेचारों की आँखें तो बन्द हैं—खोपड़ी पर किसी ने भी चपत रसीद की और पूछा—"किसने मारी ?" तो झट चिल्ला उठते हैं—"गाँधी ने ! कॉङ्ग्रेस ने।" अब आप ही बताइए कि इन सूरदासों की दयनीय दशा है या नहीं ? इन बेचारों को क्या पता कि गाँधी और कॉङ्ग्रेस इन बातों से कोसों दूर रहते हैं। और यह कॉङ्ग्रेस तथा गाँधी जी का ही प्रभाव है कि खोपड़ी शरीफ़ा की ख़ातिर महीने में एक-दो बार "हेर कटिङ्ग सेलून" की सैर करनी ही पड़ती है—वरना जनाब, "हेर कटिङ्ग सेलून" में जाने के बदले हाथी-दाँत के बुरादे की खोज करते फिरें। लेकिन कहें किससे ? उससे जो आँख वाला हो—न दोनों आँखें हों तो कम से कम एक तो हो; परन्तु यहाँ तो ईश्वर की दया से दोनों ही ग़ायब हैं। रही गवर्नमेण्ट, सो अपने बाप की है; हुक्म लगा दिया कि गवर्नमेण्ट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। चाहिए तो सब कुछ, परन्तु जब करते-धरते बने तब न। यहाँ तो वह दशा है कि "पहले अपनी बुझाऊँ या तेरी !" गवर्नमेण्ट बेचारी इस समय ख़ुद ही दलदल में है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। एक तो इतनी नाप-तौल और काट-छाँट करने पर भी बजट कमबख़्त की चूलें नहीं बैठ रही हैं, उस पर लगान-बन्दी और सत्याग्रह का दानव सामने खड़ा हुआ जीभ लपलपा रहा है। न मालूम कितना कष्ट उठा कर, कितनी रातें जाग कर बजट को पूरा करने के लिए नए टेक्सों का गर्भ धारण किया, सो कमबख़्त एसेम्बली उनकी भ्रूणहत्या किए डाल रही है। हाय ! हाय ! ये कमाऊ पूत संसार में आने के पहले ही काल के ग्रास बने जा रहे हैं—अब सिवाय वायसरॉय महोदय के इनको जीवन-बूँटी पिलाने वाला कोई नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा रोना तो यह है कि सरकार के ख़ास-उल-ख़ास अपने आदमी—अपने वे आदमी, जो कॉङ्ग्रेस और गाँधी जी को कुचलने के लिए सरकार की चुटिया पकड़ कर हिलाते हैं—इन टेक्सों का विरोध कर रहे हैं। यह समय की बात है, भाग्य का खेल है। जिनकी रक्षा के लिए, जिनकी सहायता के लिए यह सब किया जा रहा है, वे ही इसका विरोध करें ! नारायण ! नारायण ! परन्तु अपने राम को इसमें ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं है। सरकार ने अपने आदमियों की जेबें टटोलीं ही क्यों ? उनकी जेबों की तरफ़ न देख कर सरकार जो कुछ भी करती ठीक, था। टेक्स ही लगाने थे तो हिन्दुस्तानी कमबख़्त कौन कम हैं—इन पर चाहे जितना टेक्स लाद देती, परन्तु गोरा लोगों पर टेक्स लगाने का उसे क्या अधिकार है ? गोरा लोग और सब बात में साथ दे सकता है, मगर जब उनकी जेब पर बुरी निगाह डाली जायगी तो कभी साथ नहीं देगा। क्योंकि जेब को ही भरा रखने के लिए वह घर-द्वार छोड़े सात समुद्र पार पड़ा हुआ है। अन्यथा ख़ाली जेब लेकर तो वह "होम" में भी रह सकता है। फ़ाइनेन्स मेम्बर इतनी लम्बी तनख़्वाह लेते हैं, मगर कोई तरकीब ऐसी न निकाल सके जिससे कि साहब लोगों की जेब ताके बिना ही काम निकल जाता। कोई ऐसा टेक्स क्यों नहीं ईजाद किया, जो केवल काले आदमियों को देना पड़ता, गोरे आदमी उससे बिलकुल बरी रहते। अगर कोई ऐसा टेक्स निकलता तो साहब लोग बराबर उसका समर्थन करते। केवल समर्थन ही न करते, वरन् यह हुक्म लगा देते कि काला आदमी सीधी तरह न दे तो जेल में डाल कर जायदाद क़ुर्क़ करके वसूल करो। लेकिन अब जब कि अपनी गाँठ भी कट रही है, तो काला आदमी जो विरोध कर रहा है, वह बिलकुल ठीक है।

ऐसा टेक्स कभी न लगना चाहिए। ऐसा टेक्स हिन्दुस्तान के ग़रीब आदमी कभी सहन नहीं कर सकते।

यदि "फ़ाइनेन्स मेम्बर" अपने राम की बात मानें तो अपने राम एक ऐसी युक्ति बता सकते हैं जिससे कि केवल हिन्दुस्तानियों पर ही टेक्स लगे और साहब लोग उससे साफ़ बच जायँ ! यद्यपि अपने राम ऐसी तरकीबें बहुत कम बताते हैं, परन्तु क्या करें, साहब लोगों की परेशानी देख अपने राम का हृदय पिघल कर "टेक्स" नदी की ओर भागा जा रहा है। अतएव इस कमबख़्त को रोकने के लिए ऐसी क़ीमती बात बतानी पड़ रही है। सुनिए—एक तो काले रङ्ग पर ही टेक्स लगाया जावे। जिनका रङ्ग अङ्गरेज़ों की तरह गोरा न हो, वे सब टैक्स अदा करें। यदि टैक्स अदा न करना चाहें, तो रङ्ग गोरा बनावें। दूसरा टैक्स—अङ्गरेज़ी के अतिरिक्त अन्य किसी भी देशी भाषा में पत्र-व्यवहार करने वालों से पोस्ट कार्ड का दाम तीन पैसे और लिफ़ाफ़े का दाम छः पैसे लिया जाया करे। जो ये टैक्स न देना चाहें वे अङ्गरेज़ी में पत्र-व्यवहार करें। क्यों सम्पादक जी, कितना अच्छा टैक्स है ? लोग चाहें तो इन टैक्सों से बच भी सकते हैं। इससे बढ़ कर न्याय की बात और क्या होगी ? तीसरा टैक्स—जिनके वर्ण में नमक हो उनसे "साल्ट-टैक्स" लिया जाया करे, जिनके वर्ण में नमक न हो, उनसे साल्ट-टैक्स क़तई न लिया जाय ! कहिए सम्पादक जी, कितना अच्छा टैक्स है ! गोरों के वर्ण में नमक का नाम भी नहीं—नमक केवल हिन्दुस्तानियों के वर्ण में होता है, इसलिए यह टैक्स केवल हिन्दुस्तानियों को ही देना पड़ेगा। अङ्गरेज़ लोग इससे साफ़ बचे रहेंगे। फ़िलहाल ये तीन टैक्स बताता हूँ। आशा है, इनसे बजट मशक की तरह फूल जायगा। यदि इस पर भी कुछ कसर रह गई तो अपने राम फिर कोई लटका बता देंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आशा है, इन टैक्सों का समर्थन साहब लोग एसेम्बली तो क्या, अल्लाह मियाँ के घर तक करेंगे।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

❀ ❀ ❀

मनोरञ्जन और शिक्षा

दो सिर वाला कछुआ

दो सिर वाले जीवित प्राणी संसार में बहुत कम देखने में आते हैं। सम्भव है कि ऐसे प्राणी प्रायः उत्पन्न होते हों, पर वे मनुष्यों के देखने में बहुत कम आते हैं। क्योंकि ऐसे प्राणी या तो मुर्दा उत्पन्न होते हैं या जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं।

पर अब अमेरिका की एक प्राणी-विज्ञान की यूनिवर्सिटी में एक ऐसा दो सिर वाला कछुआ लाया गया है, जो अभी तक जीवित है। यह कछुवा एक टापू में दो छोटे बालकों को खेलते हुए मिल गया। उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ इसे १२ आने में बेच डाला। उस व्यक्ति ने इसे यूनिवर्सिटी को दान दे दिया। इस कछुए का सारा शरीर दूसरे कछुओं का सा ही है, पर उसके सर दो हैं। दोनों सर स्पष्टतः अलग हैं और वह दोनों से खाता-पीता और हरकत करता है। एक्स-रे की मदद से इसके शरीर के भीतर का फ़ोटो खींचा गया है, जिससे मालूम होता है; दोनों गर्दनों की नसों की संख्या पूरी है। इस कछुए के खाने और रहने की फ़िल्म भी खींची गई है।

सङ्गीत-प्रेमी गाएँ

हेलवुड (इङ्गलैण्ड) के मि० डब्लू० एच० ग्रेस कितनी ही गायों के स्वामी हैं। उनको मालूम होता था कि उनकी गाएँ कुछ सुस्त रहती हैं। मि० ग्रेस ने इसके कारण की बहुत-कुछ खोज की, पर सफलता न मिली। एक दिन उन्होंने देखा कि तमाम गाएँ दीवार के ऊपर सर रख कर एक पड़ोसी के घर में बजते हुए ग्रामोफ़ोन के गाने को सुन रही हैं, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता का एक विशेष भाव जान पड़ता है। बस, मि० ग्रेस को एक नया उपाय सूझ गया और उन्होंने गायों के छप्पर में एक बेतार का 'लाउड स्पीकर' लगवा दिया। पहले दिन तो इसमें सफलता न मिली, क्योंकि उस रोज़ केवल कुछ बातचीत सुनने में आई, और गाएँ जल्दी ही सो गईं। पर दूसरे दिन जब कि नया शक्तिशाली यन्त्र लगाया गया और गाना अच्छी तरह सुनाई देने लगा तो गाएँ ख़ूब ख़ुश होकर उसे सुनने लगीं। अब वे देर तक नहीं सोतीं और कान उठा-उठा कर लाउड स्पीकर की तरफ़ देखती रहती हैं। सब से आश्चर्य की बात यह है कि वे अब पहले से कहीं ज़्यादा दूध देती हैं और मि० ग्रेस को स्थानीय नुमायशों से गायों के लिए ख़ूब इनाम मिलता है।

एक आने में नेक सलाह

विलायत में सार्वजनिक स्थानों में ऐसी मैशीनें लगाई जा रही हैं, जिनमें एक पेनी (आना) डाल देने से और उनके ऊपर खड़े हो जाने से वे स्पष्ट आवाज़ में आदमी की तोल बतला देती हैं और उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर सलाह भी देती हैं। मिसाल के लिए आप मोटे आदमी हैं। जब आप मैशीन में एक आना डाल कर खड़े हुए, तो अन्दर से कुछ आक्षेपयुक्त आवाज़ आई—"दो मन, २२ सेर। तुम दिन में तीन बार 'स्लिमो' (मोटाई घटाने की दवा) क्यों नहीं लेते।" इसी तरह यदि आप बहुत दुर्बल हैं तो मैशीन आपको किसी मोटे होने की दवा का नाम बतलाएगी। इस मैशीन के भीतर इस तरह के बहुत से ग्रामोफ़ोन के रिकार्ड बड़ी सावधानी से चुन कर रक्खे गए हैं, पर कभी-कभी पुर्जों में बड़ी गड़बड़ी होने से मैशीन हास्यपूर्ण सलाह भी दे डालती है। जैसे एक स्त्री को मैशीन ने मूँछें बढ़ाने की दवा इस्तेमाल करने को कहा था।

क्या हम ख़रगोश की तरह दिखाई देंगे !

पाश्चात्य शरीर-वेत्ताओं का मत है कि मनुष्यों के जबड़े दिन पर दिन छोटे होते जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने के मनुष्यों के जबड़े ख़ूब चौड़े और मज़बूत देखने में आते हैं। पर जैसे-जैसे मनुष्य नर्म भोजन के खाने के आदी होते जाते हैं, जिसके चबाने में मसूढ़ों को कुछ भी मिहनत नहीं करनी पड़ती, उसके साथ ही जबड़े भी छोटे होते जाते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का मत है कि जबड़ों के छोटे होने से मनुष्य सुन्दर दिखलाई देने लगेंगे। पर दूसरे लोगों का कहना है कि इससे उनकी शक्ल ख़रगोशों की सी हो जायगी। कुछ भी हो, प्राकृतिक नियमों के उल्लङ्घन का परिणाम मनुष्य-जाति के लिए हितकर नहीं हो सकता और यदि विज्ञानवेत्ता भोजन को दिन पर दिन कोमल और द्रव रूप में बनाते गए, तो कुछ हज़ार वर्षों में मनुष्यों को जबड़ों से ही नहीं, दाँतों से भी हाथ धोना पड़ेगा और वे केवल रस चूस कर जीने लगेंगे।

उर्दू का नया टाइप

उर्दू और फ़ारसी को टाइप में छापना सदा से बड़ी टेढ़ी समस्या रही है। उर्दू छापने के लिए कितनी ही तरह के टाइप आज तक बनाए गए, पर उनमें कोई न कोई त्रुटि रही। इसलिए आज तक उर्दू की छपाई का अधिकांश काम पत्थर के प्रेसों पर ही होता रहा और लिखने का काम कॉपीनवीसों से ही कराया जाता रहा। इस बड़ी त्रुटि के कारण उर्दू के प्रचार में बड़ी बाधा पड़ रही थी। इसलिए हैदराबाद (निज़ाम) की तरफ़ से विशेष रूप से जाँच कराई जा रही थी, और अब सात वर्ष की चेष्टा के बाद इस कार्य में सफलता मिली है। इसका श्रेय वहाँ के गवर्नमेण्ट प्रेस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री० आर० वी० पिले और उनके सहकारी मि० सय्यद अब्दुल करीम को है। इन्होंने जो टाइप बनाए हैं, उनकी संख्या ५५० है। उसकी छपाई का नमूना देखने से उसमें और हाथ के लिखे अक्षरों में बहुत समानता दिखलाई पड़ती है। इन टाइपों की जाँच भारत-सरकार के प्रेस के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने की है और उनको सब तरह से सन्तोषजनक बतलाया है। आशा है, इस नए आविष्कार से उर्दू भाषा की बहुत उन्नति होगी, और उर्दू प्रेसों की काया-पलट हो जायगी।

नाटक की सफलता

अङ्गरेज़ी में हाल में 'दी बारलेट ऑफ़ विम्पल स्ट्रीट' नामक नाटक लिखा गया था। अमेरिका और इङ्गलैण्ड में एक वर्ष के भीतर इससे २६ लाख रुपए की आमदनी हुई है। इसमें से लेखक को रॉयल्टी स्वरूप २ लाख, ६० हज़ार रुपया मिला है।

आठ मन की मछली

मैमनसिंह ज़िले की काङ्शा नामक नदी में ७ नवम्बर को एक मछली पकड़ी गई है, जो ७ फ़ीट १० इञ्च लम्बी और पाँच फ़ीट की गोलाई की है। उसका बोझ क़रीब आठ मन है। बङ्गाल की नदियों में इतनी भारी मछली प्रायः देखने में नहीं आती।

फ़्रान्स में मोटरों की वृद्धि

कुछ दिनों से फ़्रान्स में मोटरों की बड़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और सन् १९३० में वहाँ पर अमेरिका की अपेक्षा अधिक मोटरों की रजिस्ट्री कराई गई है। १९३० में विभिन्न देशों में जितनी मोटरों की रजिस्ट्री कराई गई, उसका हिसाब इस प्रकार है :—

फ़्रान्स	...	...	१,७८,०००
अमेरिका	...	...	१,२६,०००
इङ्गलैण्ड	...	...	३३,०००
जर्मनी	...	...	४६,७००
कनाडा	...	...	४१,६००
इटाली	...	...	२८,०००
अर्जेनटाइन	...	...	२१,७००
बेलजियम	...	...	१७,७००
हॉलैण्ड	...	...	१७,०००
न्यूज़ीलैण्ड	...	...	१६,०००
साउथ अफ़्रिका		...	१४,६००
स्वीडेन	...	...	१४,३००

फ़्रान्स में प्रत्येक २८ व्यक्ति पीछे एक मोटर है, और इस निगाह से वह यूरोप के सब देशों से आगे बढ़ा हुआ है। अमेरिका में ४.६ व्यक्तियों, कनाडा और न्यूज़ीलैण्ड में ७.५ व्यक्तियों और ऑस्ट्रेलिया में १० व्यक्तियों के पीछे एक मोटर है।

संसार के जिन पाँच देशों में सब से अधिक मोटरें हैं, उनका हिसाब इस तरह है :—

अमेरिका	...	...	२,६६,९१,०००
इङ्गलैण्ड	...	...	१५,५८,०००
फ़्रॉन्स	...	...	१५,००,०००
कनाडा	...	...	१२,१५,०००
जर्मनी	...	...	६,५३,०००

मोटर की चाल

हाल में अमेरिका फ़ोर्ड के कारख़ाने ने एक गाड़ी तैयार की है, जो २,७७५ घण्टे, ४६ मिनट तक बराबर चलती रही। इतने समय में उसने ४७,१३८.२ मील की यात्रा की। उसमें ऐसा इन्तज़ाम किया गया था, जिससे पङ्क्चर हो जाने पर पहिए चलते-चलते ही बदल दिए जाते थे।

अजीब सज़ा

अमेरिका के डेट्रोइट नामक स्थान में बिशगी नामक हब्शी लड़के पर बिना देखे-भाले तेज़ मोटर चलाने के लिए मुक़दमा चलाया गया था। जज ने उसको सज़ा दी कि वह छः महीने तक मोटर चलाना सीखे और हर महीने अदालत में आकर अपनी मोटर की जाँच कराए।

❀ * *

—राजपूताना मध्यभारत कॉन्फ़्रेन्स का अधिवेशन पुष्कर में २३-२४ नवम्बर को होने वाला है कॉन्फ़्रेन्स के जेनरल सेक्रेटरी श्री० नरसिंह दास ने रियासतों के प्रतिनिधियों से उसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है।

—मद्रास का ११ ता० का समाचार है कि पिछले १५ दिनों में कोलार की सोने की खानों में चट्टानों के फटने से छः आदमी मरे और नौ घायल हुए।

—भारत के शिक्षकों की फ़ेडरेशन का ७वाँ अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में बङ्गलोर में होने वाला है। मैसूर के महाराज से उसका उद्घाटन करने और अलीगढ़ मुसलिम यूनीवर्सिटी के वायस चान्सलर नवाब सैयद रौस मसूद से अध्यक्ष-पद ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है।

भारतवर्ष फिर भी अग्नि-परीक्षा के लिए तैयार है

"हमारे पीछे लौटने का रास्ता बन्द हो गया है और हम सर को हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं।"

—म० गाँधी

गत ६ नवम्बर को लन्दन के 'फ्रेण्ड्स हाउस' में म० गाँधी का एक भाषण भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में हुआ था। जनता की भीड़ इतनी अधिक थी कि हज़ारों लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ा। इस अवसर पर महात्मा जी ने बतलाया कि कॉङ्ग्रेस किस हद तक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आपने कहा :—

कॉङ्ग्रेस की माँग

आपने मुझसे पूछा है कि अगर्चे भारत में स्वाधीनता की पुकार उठी है, पर क्या वहाँ इस तरह के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो देश की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा सकें। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जहाँ तक सम्भव होगा, संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दरअसल मामला यह है कि एक तरफ़ कॉङ्ग्रेस की माँग है और दूसरी तरफ़ है अधिकारीवर्ग का उसे पूर्ण करने में सङ्कोच। कॉङ्ग्रेस स्वाधीनता चाहती है, जिसका अर्थ है देश-रक्षा, विदेशों से सम्बन्ध और आर्थिक व्यवस्था आदि के ऊपर अधिकार, स्वेच्छापूर्वक सहयोग और स्वभाग्य-निर्णय की शक्ति। यही कॉङ्ग्रेस की माँग का मूल तत्व है; क्योंकि उसका विश्वास है कि अब देश में योग्य पुरुष इतनी संख्या में मौजूद हैं, जो विदेशी सरकार के हाथों से कार्य-भार ले सकें।

पर उन उत्तरदायी व्यक्तियों की तरफ़ से, जिनके हाथों में शक्ति है और जिनसे अपने भ्रमण में मुझे बातें करने का मौक़ा मिलता है, मैं आशा की कोई बात नहीं पाता। इसके बजाय मैं यह देखता हूँ कि कॉङ्ग्रेस की न्यायानुमोदित माँग के रास्ते में तरह-तरह की भीषण कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपसे बिना किसी प्रकार के अहङ्कार के कह सकता हूँ कि कॉङ्ग्रेस समस्त भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करती है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष गाँव में बसा है, न कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में। कॉङ्ग्रेस देशी राजाओं की भी प्रतिनिधि है, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। यह ठीक है कि कॉङ्ग्रेस उनके अधिकारों का अपहरण नहीं करना चाहती, वरन् उनकी माँगों के साथ उस हद तक न्याय करना चाहती है, जहाँ तक वे जन-समूह के हित के विरुद्ध न हों।

दैवी प्रेरणा

चूँकि आप लोग शान्ति-रक्षा का उपाय ढूँढ़ने के प्रयत्न में लगे हैं, इसलिए आपको कॉङ्ग्रेस की माँग के समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं पड़ सकती। देहली-समझौते से पहले पन्द्रह महीनों के इतिहास से आप जान सकते हैं कि भारतीय जन-समूह और गवर्नमेण्ट के बीच लड़ाई ठनी हुई थी, पर यह लड़ाई अहिंसात्मक थी। चूँकि जनता ने बिना ख़ून का एक बूँद गिराए स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रण किया था, इस संग्राम में हज़ारों ही नहीं, लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों ने लाठियों की चोटें सहीं। पचासों हज़ार आदमी जेल गए। भारतीय महिलाओं में ऐसी जागृति देखने में आई, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। उनकी जागृति एक अभूतपूर्व घटना थी। हज़ारों गाँवों ने कॉग्रेङ्स के सन्देश पर अमल किया। मैं नहीं कह सकता कि न मालूम क्यों मैं स्वयं इस तरह के चमत्कारपूर्ण फल की आशा नहीं रखता था। अवश्य ही यह घटना दैवी प्रेरणा के फल-स्वरूप थी। यह तमाम गाँव और गाँव वाले निहत्थे थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम लोगों के देश में हथियार रख सकने की क़ानूनन् मुमानियत है।

अहिंसा-व्रत

पर जिन लोगों ने लाठियाँ और सङ्गीनें चलाईं वे यह समझ सकने में असमर्थ थे कि इन स्त्रियों और देहातियों के पास एक ऐसा अस्त्र था, जो नाशवान नहीं है और जिसकी शक्ति अमोघ है। यह अस्त्र प्रेम, अहिंसा और सत्य का था, जो उन लोगों के हथियारों और पाशविक बल का मुक़ाबिला करने को मौजूद था।

यद्यपि 'स्वाधीनता' शब्द का अङ्गरेज़ी डिक्शनरी में एक ख़ास अर्थ है, पर भारतीय जनता के लिए इसका अर्थ और भी व्यापक और गम्भीर है। यद्यपि वह पार्लामेण्ट, उत्तरदायी सरकार, और कौन्सिलों का अर्थ नहीं समझती, पर 'स्वराज्य' शब्द का आशय वे एक क्षण में समझ जाते हैं। आजकल वहाँ की जनता ज़मीन का लगान देती है, पर उसे नहीं मालूम कि उसके देश के हित के लिए कितना और किस तरह ख़र्च किया जाता है। उसे यह भी नहीं मालूम कि सेना के लिए ५५ करोड़ रुपया ख़र्च किया जाता है। इसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि इस ग्रामीण जनता को न सीमा-प्रान्त का भय है, न अफ़ग़ानों या अन्य किसी देश की चढ़ाई का डर है। सच तो यह है कि चढ़ाइयों से भारत के गाँव वालों को कभी तङ्ग नहीं होना पड़ा। हिन्दुस्तान पर बहुत पुराने ज़माने से कितनी ही बार चढ़ाइयाँ की गई हैं, पर चढ़ाई करने वाले शहरों में ही रहे। वे लोग प्रायः देहली से आगे नहीं बढ़े। पर यह बात आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि भारत की अधिकांश जनता देहातों में रहती है और उस पर इन चढ़ाइयों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके सिवाय भीतरी लड़ाई-झगड़ों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उनको रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल करोड़ों जनता भूखों रह कर दिन काट रही है। उनको यह भी पता नहीं कि दिन में दो बार खाना कैसा होता है। उनके पास न अपने लिए रोटी और मक्खन है और न बच्चों के लिए एक बूँद दूध।

चर्ख़ा ने गाँव वालों के जीवन में एक महत्व तथा आत्म-सम्मान का भाव उत्पन्न कर दिया है। वे लोग मीलों चल कर आश्रमों से चर्ख़ा और कताई का दाम लेने आते हैं। इससे उन लोगों को इस बात का विश्वास हो गया है कि वे भावी आपत्तियों से बचे रहेंगे।

राजनीति की शुद्धि

कॉङ्ग्रेस ने राजनीति की अशुद्धता को दूर कर दिया है। उसने उसमें एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव भर दिया है। हम लोगों ने अहिंसा और सत्य द्वारा विजय प्राप्त करने का निश्चय किया है। हम अछूतपन का नाश करना चाहते हैं और हर एक ग्रामीण को मनुष्यत्व का अधिकार दिलाना चाहते हैं। हमारे असहयोग संग्राम का आशय यह है कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी पर अत्याचार न करे। हमारा समस्त आन्दोलन चरित्र-बल पर आधार रखता है। हम अपने शासकों की मधुर अभिलाषाओं पर विश्वास नहीं रखते। आप जानते हैं कि हम भारत में क्या करते हैं। जब सरकारी अधिकारी हमसे किसी काम के लिए कहते हैं, जिसे हम अनुचित समझते हों, तो हम जवाब दे देते हैं—धन्यवाद! हम यह नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि हम ऐसा कोई काम न करेंगे, जो हमारे आत्म-सम्मान की हानि करता है और हमारे मनुष्यत्व को हीन बनाता है। इस तरह के संग्राम में लखपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति का त्याग कर दिया और अन्त में वे भारतीय ग्रामीणों की उन्नति के संरक्षक बन गए।

अग्नि-परीक्षा

अगर इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट के मन्त्रीगण हमारी माँगों को स्वीकार न करेंगे, और हमारी गर्दन पर ग़ुलामी का जुआ रक्खे रहना चाहेंगे, तो हम फिर एक बार अग्नि-परीक्षा में ही गुज़रेंगे। हम समझेंगे कि शायद अभी हमारे अधिक कष्ट-सहन करने की आवश्यकता है। आप लोगों की सरकार ने मेरे देश को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाया है। इसने उसे केवल नपुंसक बना दिया है। यह शर्म की बात है कि हम अपने को विदेशी शासन के जुआ से बचा सकने में असमर्थ कर दिए गए हैं और अपने भीतरी मामलों को भी हम नहीं सुलझा सकते। यह बड़ी शर्म की बात है। पर सवाल यह है कि हम इसका क्या उपाय करें? इस कथन में कुछ भी झूठ नहीं है। इसके कारण हमारी दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। इस समय हमने प्रत्येक गाँव में स्वार्थ-त्यागी कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं। वे ही हमारी सिविल सर्विस हैं, और वे कॉङ्ग्रेस की आज्ञा पाने पर प्रत्येक काम करने को तैयार हैं। वे देश का शासन करने की योग्यता रखते हैं। वे सब मेरी ही तरह अच्छी तरह जानते हैं कि अब हमारे वापस लौटने का रास्ता बन्द हो गया है और हम सर को हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं; क्योंकि हमारा उद्देश्य अनगिनती जनता के लिए स्वाधीनता प्राप्त करना है।

❀ ❀ ❀

—गत १४ ता० को सुबह ४॥ बजे नागपुर के मॉरिस कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० हण्टर को ख़बर मिली की कॉलेज के हॉल में क़रीब २५ अनजान आदमी जुआ खेल रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मौक़े पर पहुँचे। दोनों के पास पिस्तौलें थीं। उनको देख कर वे लोग भागने लगे। डॉ० हण्टर ने उनको डराने को छत की तरफ़ गोली चलाई। एक व्यक्ति उनकी पत्नी से आकर टकराया और उनकी पिस्तौल से घायल हो गया। दो को छोड़ कर सब लोग भाग गए। पुलिस जाँच कर रही है।

—रायबरेली कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने सूचना प्रकाशित है कि बछरावन नामक क़स्बे के सबसे बड़े दूकानदार हाजी अलादीन ने विदेशी कपड़े की गाँठों पर से कॉङ्ग्रेस की मुहर तोड़ कर प्रतिज्ञा भङ्ग की है। इसलिए उसकी दूकान पर शान्तिमय पिकेटिङ्ग आरम्भ की गई है।

—श्री० परेश मुकर्जी नामक नज़रबन्द, जो अभी तक हिजली कैम्प में थे, कलकत्ता की प्रेज़िडेन्सी जेल में भेजे गए हैं। उनको संग्रहणी तथा बवासीर की बीमारी थी।

मालिक बनाम 'कीपर' का मनोरञ्जक मामला

दोनों पक्ष के वकीलों की बहसें

१४ नवम्बर को 'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी का प्रेस ऐण्ड बुक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सम्बन्धी मुक़द्दमा फिर आरम्भ हुआ। सहगल जी ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना लिखा हुआ बयान पेश किया कि वे फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, 'चाँद' और 'भविष्य' तथा 'चाँद बुकडिपो' के मुख्य प्रोप्राइटर हैं। अब तक उनके प्रेस से विभिन्न विषयों की क़रीब १५० पुस्तकें छप कर प्रकाशित हो चुकी हैं। वे सब समाज सुधार या भारतीय समाज की उन्नति के उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कितनी ही पुस्तकें सिर्फ़ घरेलू विषयों से सम्बन्ध रखती हैं। जैसे सङ्गीत, पाक-शिक्षा, सीना-पिरोना, बच्चों का पालन, दम्पति-विज्ञान आदि। इन दस वर्षों में, जब से यह कारबार आरम्भ किया गया है, केवल दो पुस्तकें इतिहास और राजनीति के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई हैं। इतिहास की पुस्तक 'भारत में अङ्गरेज़ी राज्य' थी, जिसे सरकार ने सन् १९२९ में ज़ब्त कर लिया, पर उसके सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। 'चाँद' सर्वथा सामाजिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाला मासिक पत्र है और यद्यपि उसकी एक संख्या 'फाँसी-अङ्क' यू० पी० सरकार ने १९२८ में ज़ब्त की थी, पर उसके लिए भी कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया।

'फ़ाइन आर्ट प्रिंटिङ्ग कॉटेज' की स्थापना सन् १९२५ में की गई थी और उसके कीपर का डिक्लेरेशन श्री० सहगल जी ने ही दाख़िल किया था, जो ६ मार्च, १९३० तक क़ायम रहा। चूँकि सहगल जी जलवायु के परिवर्तनार्थ इङ्गलैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए श्री० शुकदेवराय ने ७ मार्च, १९३० को प्रेस के कीपर और 'चाँद' के प्रिन्टर तथा प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाख़िल किया। २ मार्च, १९३१ को सहगल जी एक लेख के सम्बन्ध में दफ़ा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार किए गए। वह लेख 'भविष्य' में श्री० अभयङ्कर वर्मा नामक लेखक ने लिखा था। पर यह मुक़द्दमा गाँधी-इर्विन समझौते के कारण वापस ले लिया गया। सहगल जी को फिर पासपोर्ट मिलने की आशा हुई और इसलिए १५ अप्रेल, १९३१ को श्री० त्रिवेणीप्रसाद ने प्रेस के कीपर तथा 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रिण्टर और प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाख़िल किया। श्री० त्रिवेणीप्रसाद १३ जून, १९३१ को एक पुस्तक छापने के अभियोग में पकड़े गए और मि० मुडी ने उनको सज़ा दे दी। तब १९ जून को श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र ने कीपर, प्रिण्टर और पब्लिशर की हैसियत से डिक्लेरेशन दाख़िल किया। १७ जुलाई को वे भी गिरफ़्तार कर लिए गए, पर अन्त में छोड़ दिए गए। २२ जुलाई को श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव ने डिक्लेरेशन दिया, पर वे कुछ घरेलू कारणों से शीघ्र ही चले गए। फल-स्वरूप ४ अगस्त, १९३१ को श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने कीपर, प्रिण्टर और पब्लिशर की हैसियत से डिक्लेरेशन दाख़िल किया।

उपरोक्त बातों को, और इस बात को कि मि० मुडी और सहगल जी का सम्बन्ध कटुतापूर्ण हो गया था, उनको (सहगल जी को) यह कहने में किसी तरह का सङ्कोच नहीं जान पड़ता कि यह मुक़द्दमा मि० मुडी ने केवल द्वेषवश और उनको तङ्ग करने को चलाया है।

श्री० मुकर्जी की बहस

श्री० सहगल जी के वकील श्री० जे० सी० मुकर्जी ने कहा कि इस मुक़द्दमे में सरकारी पक्ष को सबसे पहली बात यह सिद्ध करनी चाहिए कि सहगल जी ही प्रेस को अपने अधिकार में रखते हैं। अगर यह बात साबित न हो सके तो उनके विरुद्ध लगाया गया अभियोग नहीं टिक सकता। दूसरी बात यह सिद्ध की जानी चाहिए कि सहगल जी ने बिना डिक्लेरेशन दिए प्रेस को अधिकार में रक्खा है, क्योंकि इस मुक़द्दमे का दारमदार प्रेस के अधिकार और कीपर होने से है। एडीटर, प्रिण्टर और पब्लिशर का इस मुक़द्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं। चाहे ग़लती से और चाहे सही तौर पर फ़ाइन आर्ट प्रिंटिङ्ग कॉटेज के लिए कीपर के जो डिक्लेरेशन पेश्तर दाख़िल किए गए थे, वे मञ्ज़ूर कर लिए गए। यह कठिनाई केवल तब पेश आई जब कि २२ जुलाई, १९३१ को श्री० शङ्करदयाल का डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर किया गया। दूसरी बात, जो मैं सरकारी पक्ष से पूछना चाहता हूँ, यह है कि २२ जुलाई से—जब कि श्री० शङ्करदयाल का डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर किया गया—६ अगस्त तक, जब कि यह मुक़द्दमा दायर किया गया, प्रेस किसके अधिकार में रहा? सचमुच मैं यह समझ सकने में असमर्थ हूँ कि यह मुक़द्दमा किसके हित के लिए चलाया गया है? यह कहना कि मि० मुडी ने यह अभियोग अपनी समझ से चलाया, ठीक नहीं है, और न यह सरकार के हित की दृष्टि से चलाया कहा जा सकता है। किसी भी मैजिस्ट्रेट को हरगिज़ इस बात का अख़्तियार नहीं है कि वह किसी डिक्लेरेशन को नामञ्ज़ूर कर सके। क़ानून के अनुसार मैजिस्ट्रेट के सामने केवल डिक्लेरेशन पेश कर देना काफ़ी है। इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह मञ्ज़ूर हुआ या नहीं। किसी मैजिस्ट्रेट के लिए यह कहना बिल्कुल बेमतलब है कि अमुक तरह का आदमी प्रेस चला सकता है और अमुक तरह का नहीं। प्रेस का कारबार कोई भी आदमी चला सकता है और इसके लिए किसी तरह का लायसेन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में मद्रास हाईकोर्ट का 'न्यू इण्डिया' का फ़ैसला देखने लायक़ है, जिसमें जस्टिस शेषाद्रि अय्यर ने सम्मति प्रकट की थी कि प्रेस खोलने और उसे अधिकार में रखने का अधिकार क़ानून के अनुसार सब किसी को है और यह हरगिज़ कोई ऐसा पेशा नहीं है, जिसके लिए लायसेन्स की ज़रूरत हो। उस दिन डिक्लेरेशनों को नामञ्ज़ूर करना मैजिस्ट्रेट के लिए सर्वथा अनुचित हस्तक्षेप करना था।

सन् १८२२ से आज तक प्रेस के सम्बन्ध में जितने क़ानून बने हैं, उन सब में प्रेस के कीपर और प्रिण्टर-प्रकाशक में स्पष्ट भेद रक्खा गया है। सरकार की रक्षा की दृष्टि से प्रिण्टर-प्रकाशक ही प्रेस का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इङ्गलैण्ड के क़ानून में 'कीपर' का शब्द ही नहीं है। क़ानून बनाने वालों की वह मन्शा हर्गिज़ न थी कि 'कीपर' और मालिक का एक ही अर्थ है। अगर यह कहा जाय कि 'कीपर' को प्रेस पर अधिकार और निरीक्षण रखना ही चाहिए, तो सरकारी पक्ष को साफ़ तौर पर यह साबित करना चाहिए कि वह अधिकार कितना हो और कैसा हो।

क़ानून के अनुसार 'कीपर' को प्रेस पर किसी तरह का अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं। इसके बजाय एडीटर को प्रेस पर जितना अधिकार रखना चाहिए, वह १९२२ के संशोधित क़ानून में स्पष्ट कर दिया गया है। अवध चीफ़ कोर्ट के सामने पेश एक इसी तरह के मुक़द्दमे में जस्टिस पुलन ने सम्मति प्रकट की थी कि जब एक बार डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया जाय, तो दुबारा डिक्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि मि० मुडी को किसी कारणवश यह विचार हुआ कि श्री० सहगल जी को सज़ा देनी चाहिए और इसलिए उन्होंने यह सारी योजना की। इसीलिए जब सहगल जी उनको समझाने के लिए गए, तो उन्होंने कोई भी बात सुनने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे सहगल जी को अधिक से अधिक विपत्ति में डालना चाहते थे, अर्थात् या तो आर्थिक दृष्टि से उनकी बर्बादी हो या उन पर मुक़द्दमा चलाया जाय। दोनों तरफ़ के गवाहों का मुक़ाबला करने से भी यह प्रकट होता है कि सरकारी पक्ष के गवाह विश्वास योग्य न थे। वे सब के सब सहगल जी के यहाँ से बरख़ास्त किए गए या उनके पुराने नौकर थे, जब कि सफ़ाई के गवाह सब ऊँचे दर्जे के व्यक्ति थे।

सरकारी वकील की बहस

१९ तारीख़ को मुक़द्दमा शुरू होने पर सरकारी पक्ष के स्पेशल वकील श्री० ए० पी० पाण्डेय ने कहा कि यह मुक़द्दमा इसलिए चलाया गया है चूँकि सरकारी अधिकारी को यह मालूम हुआ कि श्री० सहगल ने एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार नक़ली सम्पादक और प्रिण्टर जेल भेजे जायँ, जो आदमी बागडोर हाथ में रखता हो तथा अपना जेब भर रहा हो, वह अछूता बचा रहे। इसलिए डि० मैजिस्ट्रेट ने इस योजना को नष्ट करने के लिए तथा न्याय और सरकार की रक्षा के लिए, यह मुक़द्दमा चलाया। श्री० सहगल के ख़िलाफ़ अभियोग यह है कि प्रेस-ऐक्ट की ४थी धारा की शर्तों को पूर्ण किए बिना एक प्रेस को अधिकार में रक्खे हुए हैं। उस धारा के अनुसार 'कीपर' और 'मालिक' का एक ही अर्थ है। बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस चन्दावरकर के मतानुसार ४थी धारा का उद्देश्य उस व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी रखना है, जो डिक्लेरेशन दाख़िल करता है। वह व्यक्ति मालिक ही होना चाहिए, न कि चाहे जो ऐरा-ग़ैरा आदमी। केवल डिक्लेरेशन पेश कर देने से ही उस धारा के आशय की पूर्ति नहीं होती। अदालत में पेश प्रमाणों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे मि० मुडी का श्री० सहगल जी के प्रति द्वेष प्रमाणित हो। २२ जुलाई से, जब कि श्री० शङ्करदयाल का डिक्लेरेशन ख़ारिज किया गया, ४ अगस्त तक, जब कि श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने डिक्लेरेशन दिया, श्री० सहगल जी ने ही प्रेस को अपने अधिकार में रक्खा। श्री० सहगल जी का इरादा यही था कि जब तक उनको डिक्लेरेशन देने के लिए कोई भी व्यक्ति मिल जाय, वे किसी भी आपत्तिजनक लेख आदि कि ज़िम्मेदारी से बरी रहें। जब कि क़ानून ने एक ख़ास डिक्लेरेशन देने की व्यवस्था की है, तो डिक्लेरेशन देने वाले को स्वभावतः यह देखना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी उसकी सचाई से सन्तुष्ट हो जाय। सरकारी कर्मचारी को डिक्लेरेशन के मञ्ज़ूर करने या ख़ारिज करने का पूरा अधिकार है। अगर सरकारी कर्मचारी उसे ख़ारिज कर दे, तो डिक्लेरेशन दाख़िल करने वाले को अधिकार है कि वह ऊँचे अधिकारियों से प्रार्थना करके उसका प्रतिकार कराए। उसे क़ानून की अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है। इस मुक़द्दमे में यह जान कर भी कि २२ जुलाई और ४ अगस्त के डिक्लेरेशन ख़ारिज कर दिए गए, प्रेस ऐण्ड बुक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की खुल्लम-

खुला अवज्ञा की गई है। इसमें शक नहीं कि श्री० सहगल जी इस कारबार के पूर्ण अधिकारी, मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर, मैनेजिङ्ग प्रोप्राइटर और कर्ता-धर्ता हैं, वे प्रेस की उन्नति और वृद्धि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, न कि जैसा कुछ गवाहों ने कहा है, वे केवल आर्थिक मामलों पर नज़र रखते हैं। वे इस कारबार के सर्वेसर्वा हैं और उनका हाथ हर एक विभाग में रहता है। प्रिण्टर, प्रकाशक, एडीटर, कीपर, सुपरिण्टेण्डेण्ट और मैनेजर सबके कार्यों का समावेश उन्हीं में है। इसलिए वे ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिसे डिक्लेरेशन दाख़िल करना चाहिए और ज़िम्मेदारी से पीछे न हटना चाहिए। रही उनकी इङ्गलैण्ड यात्रा, वह केवल इस योजना को ढकने की एक चाल थी। किसी प्रेस के मालिक को यह अख़्तियार नहीं है कि प्रेस के चाहे जिस कर्मचारी से 'कीपर' की डिक्लेरेशन दिला दे। १४वीं धारा के अनुसार झूठा डिक्लेरेशन देने वाले दण्ड के पात्र हैं, और इससे यह साबित होता है कि ४थी धारा के अनुसार डिक्लेरेशन देने वाला मालिक ही होना चाहिए।

१७ तारीख़ को मुक़दमे की कार्यवाही आरम्भ होने पर सरकारी वकील श्री० पाण्डेय ने अदालत की आज्ञा से फिर कुछ देर तक बहस की। आपने कहा कि जस्टिस पुलन के जिस फ़ैसले का ज़िक्र सफ़ाई के वकील ने किया है, वह फ़ैसला क़ानून की दृष्टि से सर्वथा असमर्थनीय है। उस फ़ैसले में जस्टिस पुलन ने कहा है कि अभियुक्त ने प्रेस-ऐक्ट की दफ़ा ४ भङ्ग नहीं की है। यह बात बड़ी सन्देहजनक जान पड़ती है। उस मुक़दमे में प्रेस के कीपर के बदले जाने पर नया डिक्लेरेशन देना आवश्यक था। पर 'कीपर' के बदले जाने का प्रश्न श्री० सहगल जी के मामले में लागू ही नहीं होता, जब श्री० सहगल जी शङ्करदयाल श्रीवास्तव को 'कीपर' का डिक्लेरेशन दिलाने ले गए, तो उनका अपना दिया हुआ डिक्लेरेशन ख़ुदबख़ुद ख़ारिज हो गया। अगर त्रिवेणीप्रसाद, भुवनेश्वरनाथ मिश्र, शङ्करदयाल श्रीवास्तव और लक्ष्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को रद्द मान लिया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि श्री० सहगल जी का १२ सितम्बर सन् १९३० का दिया हुआ डिक्लेरेशन क़ायम रहा। अगर इस मामले में कोई चाल न होती, तो श्री० सहगल के इङ्गलैण्ड जाने का इरादा करने पर उनके सगे छोटे भाई श्री० एन० सहगल ने, जो कारबार के मैनेजर हैं और सब बातों का अधिकार रखते हैं, अपने नाम से डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया? यह भी एक प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि यह परिवर्तन गुप्त योजना के अनुसार किया गया था।

श्री० मुकर्जी का उत्तर

श्री० मुकर्जी ने सरकारी वकील की बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं कि 'कीपर' और 'मालिक' का एक ही अर्थ है। 'कीपर' मालिक भी हो सकता है, पर यह कोई अनिवार्य बात नहीं है। सन् १८३५ के ऐक्ट में यह लिखा था कि प्रेस का मालिक 'कीपर' होना चाहिए, पर १८६७ के ऐक्ट में से यह बात निकाल दी गई। यह किसी जगह नहीं लिखा है कि 'कीपर' वही व्यक्ति होना चाहिए, जो वास्तव में प्रेस पर अधिकार रखता हो। प्रिण्टर और पब्लिशर पर राजद्रोह का अभियोग चलाया जा सकता है और इसलिए उनके लिए नया डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। पर 'कीपर' के लिए ऐसे किसी शारीरिक दण्ड का विधान नहीं है। प्रेस-ऐक्ट का मुख्य आशय है राजद्रोह का रोकना। १९२२ के प्रेस-ऐक्ट में कहा गया है कि एडीटर, प्रिण्टर और पब्लिशर बालिग़ होने चाहिएँ। इससे यह ध्वनि निकलती है कि कोई नाबालिग़ व्यक्ति भी 'कीपर' हो सकता है, जो प्रेस पर अधिकार न रख सकता हो। अगर यह साबित कर भी दिया जाय कि श्री० सहगल जी प्रेस पर क़ब्ज़ा रखते हैं, तो भी यह ज़रूरी नहीं कि वे 'कीपर' का डिक्लेरेशन दें। सन् १९१० और १९३१ के प्रेस-ऐक्टों में 'कीपर' का शब्द डिक्लेरेशन देने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। अगर 'कीपर' ख़ुद ज़िम्मेदारी मञ्ज़ूर करता है, तो किसी को उसमें टाँग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या नुक़सान है, अगर श्री० सहगल जी दिखलाने के लिए वह काम कर रहे हैं और दूसरा आदमी 'कीपर' का डिक्लेरेशन देकर उसकी तमाम ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। सरकार का इसमें क्या जाता है?

गवाहियों की आलोचना करते हुए श्री० मुकर्जी ने कहा कि सरकारी पक्ष मुक़दमे को साबित नहीं कर सका है। उसकी तरफ़ से श्री० त्रिवेणीप्रसाद और श्री० शङ्करदयाल को पेश नहीं किया गया, जब कि वे आसानी से श्री० सहगल के विरुद्ध अभियोग की सचाई साबित करने के लिए ऐसा करते थे।

'नक़ली सम्पादक' का शब्द बिल्कुल अर्थ-हीन है। जब त्रिवेणीप्रसाद और भुवनेश्वरनाथ मिश्र के डिक्लेरेशन मञ्ज़ूर कर लिए गए, तो मैजिस्ट्रेट को शङ्करदयाल और लक्ष्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को मञ्ज़ूर करना लाज़िमी था। उनकी असलियत के सम्बन्ध में जाँच करने का उसे अधिकार न था। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मि० मुडी का २२ जुलाई का हुक्म पक्षपातपूर्ण था। उनके २२ जुलाई के व्यवहार को देखने से यही मालूम होता है कि वे श्री० सहगल जी के इस बयान को, कि मैं प्रेस का अधिकारी हूँ, क़ायम रखने के लिए बड़े चिन्तित थे, जिससे आगे चल कर मुक़दमा चलाया जा सके।

मालूम होता है कि मि० मुडी के दिमाग़ में पहले से ही कुछ सन्देह था, क्योंकि उन्होंने सब मैजिस्ट्रेटों के नाम एक सर्कुलर भेजा कि श्री० सहगल जी के प्रेस का कोई डिक्लेरेशन न लिया जाय। सबसे मुख्य और अन्तिम बात यही है कि कोई भी व्यक्ति प्रेस का कीपर हो सकता है, बशर्ते वह क़ानून के अनुसार ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हो। अन्यथा एक की जगह अनेक डिक्लेरेशन देने आवश्यक होंगे, जो क़ानून के आशय के विरुद्ध है।

फ़ैसले की तारीख़

इस प्रकार पूरे तीन महीने बाद यह मुक़दमा समाप्त हुआ। मैजिस्ट्रेट ने २१ नवम्बर को फ़ैसला सुनाने का वायदा किया है।

❀ ❀ ❀

समाचार-पत्रों को नष्ट होने से बचाओ!

एसेम्बली के मेम्बरों से पत्र-सम्पादकों की अपील

'आनन्द बाज़ार पत्रिका' (कलकत्ता) के सम्पादक श्री० एस० एन० मजूमदार ने बङ्गाल के समाचार-पत्रों की तरफ़ से ७ नवम्बर को नीचे लिखा पत्र एसेम्बली के एक सदस्य के पास भेजा है, जिसकी नक़लें और भी कितने ही सदस्यों के पास भेजी गई हैं:—

"इस समय आप दिल्ली में एसेम्बली के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसमें उन ख़ास टैक्सों पर विचार किया जायगा, जिनको फ़ायनेन्स मेम्बर ने देश की विशेष आर्थिक परिस्थिति का मुक़ाबला करने को लगाने का विचार किया है। हम गवर्नमेण्ट की कठिनाइयों से सहानुभूति प्रकट करते हुए भी इस बात का ज़ोरों से विरोध किए बिना नहीं रह सकते कि नए टैक्सों का प्रभाव छापेख़ानों के व्यवसाय पर और ख़ासकर समाचार-पत्रों पर बहुत बुरा पड़ेगा। मुझे भय है, इन नए टैक्सों से अख़बारों पर जो अतिरिक्त भार पड़ता है, उसका न किसी ने हिसाब लगाया है, न समझा है। इसलिए मैं बङ्गाल के समाचार-पत्रों की तरफ़ से, जिन पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ा है, नीचे लिखे तथ्य पेश करना चाहता हूँ। आप कृपा कर उनको एसेम्बली के सामने रक्खें।

हल्के दाम के काग़ज़ पर, जिस पर प्रायः अख़बार छपते हैं, २० प्रति सैकड़ा महसूल लगाया गया है। ऐसे काग़ज़ का भाव साधारणतया १ आना ५ पाई प्रति पौण्ड है, पर कस्टम-विभाग वाले अपने मन से उसका दाम १ आना १०॥ पाई प्रति पौण्ड लगा कर उसके अनुसार महसूल लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि १ टन काग़ज़ के लिए, जिसका दाम २५०) होता है, ख़रीदार को ६४ रु० महसूल देना पड़ता है। अब जो २५ प्रति सैकड़ा का सरचार्ज लगाया गया है, उसका अर्थ यह है कि काग़ज़ पर ३५ से ४० प्रति सैकड़ा तक महसूल देना होगा। इससे सचमुच समाचार-पत्रों का व्यवसाय चौपट हो जायगा, क्योंकि व्यापार की मन्दी के कारण इस समय भी उनको योंही हानि उठानी पड़ रही है और वे बड़ी कठिनाई से गुज़र कर रहे हैं, यह अतिरिक्त सरचार्ज उनके लिए ऊँट की पीठ पर अन्तिम तिनका सिद्ध होगा।

प्रकाशन कार्य में बाधा

किताबों और मासिक पत्रिकाओं में जो कुछ ऊँची श्रेणी का काग़ज़ लगाया जाता है, उस पर भी अभी तक १ आना प्रति पौण्ड महसूल लगता था। अब यह बढ़ा कर १ आना ३ पाई कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि १ टन ऊँचे दर्जे के काग़ज़ के लिए ख़रीदार को १७५ रु० महसूल देना होगा, जिसके लिए इस समय १४० रु० देना पड़ता है।

लकड़ी के पल्प पर महसूल

अगर सरकार सचमुच यह चाहती है कि भारतीय काग़ज़ की मिलें इस देश की सामग्री का ही उपयोग करें, तो हम नहीं समझते की फ़ायनेन्स मेम्बर लकड़ी के पल्प पर थोड़ा सा महसूल क्यों नहीं लगाते? आँकड़ों से पता लगता है कि लकड़ी के पल्प पर मामूली टैक्स लगने से यहाँ की काग़ज़ की मिलों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। लकड़ी के पल्प की क़ीमत सन् १९२४-२५ में २१९ रु० ८ आना प्रति टन थी, जो धीरे-धीरे घट कर अब १८५ रु० प्रति टन रह गई है। इस बीच में पल्प १०,५०३ टन प्रति वर्ष के स्थान में २२,७१६ टन आने लगा है। मैं यह भी कह देना उचित समझता हूँ कि इस व्यापार में भयङ्कर मन्दी के समय में भी बङ्गाल के काग़ज़ की मिलें ३४ से ४० सैकड़ा तक मुनाफ़ा बाँट रही हैं। पर ये मिलें इस बात की चेष्टा बिल्कुल नहीं करतीं कि कम से कम विदेशी काग़ज़ के दामों के मुक़ाबले में काग़ज़ बेचें, जब कि विदेशी काग़ज़ पर इतना अधिक महसूल और भाड़ा लगता है और ये इससे सर्वथा बची हैं। अगर सरकार इस पल्प पर ३५ रु० प्रति टन का महसूल लगा दे, तो उसे सहज में ८ लाख रुपए मिल जायँ और ऊँचे दर्जे के काग़ज़ के महसूल की कमी उससे पूरी हो जाए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह बड़ा अन्यायपूर्ण कार्य होगा कि समाचार-पत्रों की सी एक आवश्यक वस्तु पर एक बार भारी कर लगा कर फिर से नया बोझ डाला जाय।"

❀ ❀ ❀

भारतवर्ष की दरिद्रता का एक और कारण

"बुड्ढे और कमज़ोर पशुओं के पालन में भारत को समस्त भूमि-कर से चौगुना ख़र्च करना पड़ता है और चूहों के कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के ख़र्च से कहीं अधिक है।"

—मि० एच० एन० ब्रेल्सफ़र्ड

महात्मा गाँधी और अन्यान्य भारतीय नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत की घोर दरिद्रता और असीम कष्टों का मुख्य कारण अङ्गरेज़ों द्वारा भारत का चूसा जाना ही है। यहाँ के ब्रिटिश अफ़सरों को जैसी बड़ी-बड़ी तनख़्वाहें मिलती हैं, सेना के ऊपर जैसी बेरहमी से करोड़ों रुपया ख़र्च किया जाता है, और क़र्ज़ के व्याज तथा पेन्शनों के नाम से जो बहुत बड़ी रक़म हर साल देश के बाहर भेज दी जाती है, इन्हीं सब बातों से भारत दिन पर दिन दीन-हीन होता चला जाता है।

पर भारत की दरिद्रता का इसके सिवाय एक और भी बड़ा कारण है, जो इङ्गलैण्ड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी लेखक मि० एच० एन० ब्रेल्सफ़र्ड, जिनके नाम से भारतीय समाचार-पत्रों के अधिकांश पाठक परिचित हैं, ने अपनी नई पुस्तक 'विद्रोही भारत' में बतलाया है। यद्यपि आपने अपनी पुस्तक में भारत को स्वराज्य का अधिकार दिए जाने पर उसी प्रकार ज़ोर दिया है जैसा कि भारतीय नेता देते हैं, पर इस देश के कष्टों और दरिद्रता का मुख्य कारण आपकी राय में इस देश में विदेशी शासन का होना नहीं है, वरन् "यहाँ के सामाजिक सङ्गठन और हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास के स्वाभाविक दोष हैं।"

अपनी पुस्तक में मि० ब्रेल्सफ़र्ड ने भारतीय दरिद्रता की भयङ्करता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। उन्होंने इस देश के 'स्टेटिसटिक्स' के डायरेक्टर मि० फ़िण्डले शिरास का, जिन्होंने सन् १९११ में यहाँ जाँच का कार्य किया था, उद्धरण देकर बतलाया है कि भारतवासियों की औसत सालाना आमदनी प्रति व्यक्ति ६६ शिलिङ्ग ८ पेन्स या प्रति दिन दो आना से भी कम है। इस देश की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ कपड़ों और मकान में कम ख़र्च की आवश्यकता होती है। भारतवासियों के भोजन में भी अधिक ख़र्च नहीं होता। तो भी किसी विदेशी यात्री को चारों तरफ़ आँख डालते ही मालूम हो सकता है कि इन भूखे और अस्थि-पञ्जर मात्र नर-देहों, इन श्रीविहीन और टूटे-फूटे झोंपड़ों, इन मैले-कुचैले चिथड़ों और रद्दी हालत में पड़ी सड़कों का एक ही अर्थ है, और वह यह कि भारतवासियों की आमदनी हमारी आमदनी का एक बहुत छोटा अंश है। इसका कारण क्या है? भारत के काम करने वाले व्यक्तियों का ७३ प्रतिशत भाग खेती में लगा है और केवल १०·५ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में भाग लेता है। स्त्रियाँ पैदावार के कार्य में बहुत कम सहयोग देती हैं। छोटी जाति की स्त्रियाँ खेतों में और शहरों में बहुत ही रद्दी कामों में लगी रहती हैं। पर अभी तक उन्होंने व्यापार अथवा सरकारी नौकरियों में भाग लेना आरम्भ नहीं किया है।

जितने लोग काम करते हैं उनका दर्जा, शक्ति सहने की ताक़त और योग्यता की दृष्टि से पश्चिमी मज़दूरों से बहुत नीचा है। भारतवासियों की उम्र की औसत २५·५ वर्ष है, जब कि इङ्गलैण्ड के निवासियों की औसत ५८ वर्ष तक जा पहुँची है। भारतीय मज़दूरों का जीवन शारीरिक आराम की निगाह से बहुत हीन होता है। डॉक्टरी जाँच द्वारा सिद्ध हुआ है कि रोकी जा सकने वाली बीमारियों के कारण भारतीय मज़दूरों की उम्र में प्रति वर्ष दो-तीन सप्ताह घट जाते हैं और पौष्टिक भोजन के अभाव तथा बीमारियों के फल-स्वरूप कम से कम २० प्रति सैकड़ा शक्ति नष्ट जाती है।

मि० ब्रेल्सफ़र्ड ने इन सब बातों का हिसाब लगा कर अनुमान किया है कि रोकी जा सकने वाली बीमारियों और पौष्टिक पदार्थों की कमी तथा स्त्रियों की शक्ति के बेकार रहने या बहुत कम इस्तेमाल किए जाने के फल से भारत का केवल आधा भाग काम करता है।

खेती का दक़ियानूसी तरीक़ा

इसके बाद खेती के दक़ियानूसी तरीक़े का नम्बर है। भारत में गेहूँ की उपज प्रति एकड़ इङ्गलैण्ड की अपेक्षा आधी होती है। कपास की उपज अमेरिका की अपेक्षा आधी है। चीनी क्यूबा की अपेक्षा आधी उत्पन्न होती है। हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा के अनुसार जायदाद पुत्रों में बँटती जाती है और इससे खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं। इस ख़राबी के कारण आधुनिक ढङ्ग पर खेती की उन्नति हो सकनी असम्भव है। गोबर को जला देने और मल-मूत्र के छूने से अशुद्ध होने का ख़्याल करने के कारण भारतीय किसान खेतों में काफ़ी खाद भी नहीं डाल सकते। गौ के सम्बन्ध में हिन्दुओं के अन्धविश्वास के कारण मवेशी का प्रबन्ध ठीक नहीं हो पाता। अहिंसा के सिद्धान्त का फल यह हुआ है कि भारत में सूखे और बुड्ढे तथा कमज़ोर पशु बहुत अधिक हैं। यही अहिंसा चूहों और बन्दरों की रक्षा करती है, जिससे होने वाली हानि को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अनुमान से बुड्ढे और कमज़ोर पशुओं के पालन में भारत को समस्त भूमि-कर की अपेक्षा चौगुना ख़र्च करना पड़ता है
कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के ख़र्च से कहीं अधिक है।

भारत के बोहरे और ज़मींदार किसानों को बेतरह लूटते हैं। किसानों के ऊपर सब मिला कर क़रीब ५ अरब से लेकर ६॥ अरब रुपए तक का क़र्ज़ है, जिसका व्याज कम से कम सवा अरब रुपया देना पड़ता है। इसके बाद ज़मींदारों का हिस्सा। बङ्गाल में जितना रुपया भूमि-कर के लिए सरकार को दिया जाता है, उससे तिगुना ज़मींदार लेते हैं और पञ्जाब में जितना रुपया किसानों को मिलता है उससे तिगुना ज़मींदारों के पास पहुँच जाता है।

ज़मींदारी की प्रथा

इन बातों के साथ-साथ मि० ब्रेल्सफ़र्ड ने इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया है कि ज़मींदारी की प्रथा को क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर है। उन्होंने यह भी मञ्ज़ूर किया है कि अङ्गरेज़ लोग भारत से प्रतिवर्ष क़रीब आठ-नौ अरब रुपया ले जाते हैं और सेना के ऊपर देश की समस्त आय का एक तिहाई भाग ख़र्च कर दिया जाता है। पर उनका कहना है कि केवल विदेशी राज्य को ही हटा देने से ही भारतीय जनता का पीछा दरिद्रता से नहीं छूट सकता। उसके साथ ही अन्धविश्वासों को दूर करने, ज़मींदारी-प्रथा का नाश करने और आधुनिक ढङ्ग से बड़े पैमाने पर खेती का तरीक़ा जारी करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा।

अन्त में मि० ब्रेल्सफ़र्ड ने इस सच्चाई को भी स्वीकार कर लिया है कि ये सब बातें तभी सम्भव हैं, जब कि भारत विदेशी शासन से मुक्त हो जाय। उसी दशा में भारतीय नेताओं से इन बातों की तरफ़ ध्यान देने की आशा की जा सकती है।

यूरोपियन वर्तमान दमन से सन्तुष्ट नहीं हैं!

क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए कड़े उपायों की माँग!

गत सप्ताह यूरोपियन एसोसिएशन की कलकत्ता ब्राञ्च की एक बड़ी मीटिङ्ग की गई, जिसमें क़रीब एक हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। लोग इस विषय में बड़े चिन्तित थे कि सरकार ने अभी तक क्रान्तिकारी दल के दमन के लिए कोई सख़्त उपाय निश्चय नहीं किया है। पर मीटिङ्ग के सभापति मि० सी० सी० मिलर ने उनको समझाया कि गवर्नमेण्ट के कामों में कुछ देर लगना स्वाभाविक है, पर बङ्गाल के गवर्नर ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इस बात का विश्वास दिला दिया है कि सरकार इस विषय में यथोचित चेष्टा कर रही है। मि० मिलर ने कहा कि यदि वर्तमान उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए, तो और भी कड़े उपायों की माँग की जायगी।

इसके पश्चात् मि० पी० बी० ब्राउन के पेश करने और मि० मुलक के समर्थन करने पर नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया गया:—

"यह मीटिङ्ग सरकार को याद दिलाना चाहती है कि मि० गार्लिक की हत्या के पश्चात् २९ जुलाई को कलकत्ता के समस्त सम्प्रदायों की एक सार्वजनिक सभा ने सरकार का ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित किया था कि क़ानून के अनुसार चलने वाले समस्त सम्प्रदाय के लोगों का धैर्य अब हद पर पहुँच चुका है और सम्भव है, वह सहनशक्ति से बाहर हो जाय।

"मीटिङ्ग ने सरकार से आग्रह किया था कि वह अपनी तमाम शक्तियों को हिंसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन के कुचलने में लगावे।

"यह जान पड़ता है कि उस समय और आज दिन के बीच परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बजाय प्रान्त की दशा और भी ख़राब होती जाती है।

"इसलिए यह मीटिङ्ग बङ्गाल में बढ़ते हुए अराजकतावाद और ग़ैर क़ानूनी कार्यों के लिए अपना घोर असन्तोष प्रकट करती है। इसलिए इस पब्लिक डेपुटेशन की इस माँग का कि बङ्गाल सरकार अधिक अधिकारों की माँग करे तथा वर्तमान अधिकारों को पूर्णरूप से काम में लाए, हार्दिक समर्थन करती है।

"यह मीटिङ्ग डेपुटेशन से आग्रह करती है कि वह बराबर गवर्नमेण्ट पर इस बात का दबाव डालता रहे कि वह नागरिकों की सम्पत्ति तथा प्राणों की रक्षा करके अपने प्राथमिक कर्त्तव्य का पालन करे और प्रान्त में क़ानून और अमन के भाव की फिर स्थापना करके अपनी नेकनामी को फिर से क़ायम करे।"

ढाका निवासियों पर पुलिस की नादिरशाही

आधी रात के समय घरों का दरवाज़ा तोड़ कर भीतर घुस गए

पेन्शनयाफ़्ता मैजिस्ट्रेट के साथ असभ्यता का व्यवहार::साइकल और दूसरी चीज़ें चोरी गईं

९ नवम्बर को कलकत्ता के नागरिकों की सभा ने, जो आचार्य पी० सी० राय के सभापतित्व में अलबर्ट हॉल में हुई थी, ढाका में कलक्टर पर आक्रमण होने के पश्चात् किए गए पुलिस के ज़ुल्मों की जाँच के लिए एक कमिटी नियुक्त की थी। इस कमिटी के तीन सदस्य श्री० सुभाषचन्द्र बोस, श्री० जे० सी० गुप्ता और श्री० हेमेन्द्रनाथ दास गुप्ता थे। इसमें से श्री० सुभाष बोस दफ़ा १४४ में ढाका से चार मील पर तेजगाँव स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिए गए। बचे हुए दो सदस्यों ने कितने ही गवाहों के बयान लिए, जिनका सारांश नीचे दिया जाता है :—

एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट

रायबहादुर गिरीशचन्द्र नाग पेन्शनयाफ़्ता डिप्टी मैजिस्ट्रेट और बड़ी व्यवस्थापक सभा के भूतपूर्व मेम्बर ने अपने बयान में कहा :—

"२१ अक्टूबर को आधी रात के समय पुलिस ने मेरे घर पर धावा किया। हम सब लोग उस समय अपने बिस्तरों पर थे—यद्यपि मैं जग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर ज़ोरों से ठोकने की आवाज़ सुनी, मैं नीचे गया और दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस वालों के साथ एक साहब था, जो बाद में मालूम हुआ कि पुलिस का एडीशनल सुप० था। उसके सिवाय उस दल में और भी चार सारजेण्ट, चार-पाँच ग़ैर सरकारी यूरोपियन, एक हिन्दुस्तानी थानेदार, चार-पाँच कॉन्स्टेबिल और तीन-चार अन्य व्यक्ति थे, जिनमें से एक का नाम वासुदेव दे था। सुप० ने मुझसे कहा कि वे मेरे दो लड़कों—श्री० सुधीरचन्द्र नाग और श्री० प्रभातचन्द्र नाग को, मि० डुर्नो पर गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार करने आए हैं।

मैं—सुधीरचन्द्र नाग मेरा लड़का नहीं है, वरन् एक दूर का रिश्तेदार है जो मेरे यहाँ रहता था। अब कई दिनों से वह अपने घर चला गया है! प्रभात मेरा लड़का है और वह पूना के एग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट में दाख़िल होने को जाने वाला है।

सुप०—वह अब नहीं जा सकता।

मैंने प्रभात को बुलाया, जो ऊपर के हिस्से में था। सुप० ने उसे गिरफ़्तार करके एक कॉन्स्टेबिल के सुपुर्द कर दिया। पुलिस वालों ने गिरफ़्तारी या तलाशी का कोई वारण्ट नहीं दिखलाया।

सुप० ने मुझसे प्रभात का कमरा दिखलाने को कहा। इस समय पुलिस-दल तीन भागों में बँट गया। एक बैठकख़ाना में घुस गया, दूसरा ऊपर के खण्ड में चला गया और तीसरा मेरे साथ प्रभात के कमरे में गया। प्रभात के कमरे से उन्होंने एक हाथ-बक्स, जिसमें काग़ज़-पत्र थे, और एक धोया हुआ धोती-जोड़ा ले लिया। तब सुप० ने मुझसे सुधीर का कमरा दिखलाने को कहा। सुधीर बाहर अहाते में रहता था और इस समय वह पूजा की छुट्टियों में घर गया था, इसलिए उसके कमरे में ताला बन्द था। मैंने घर के भीतर से ताली मँगाई, पर उसके पहले ही पुलिस वाले ताला तोड़ कर भीतर घुस गए। वहाँ पर एक कोने में कॉङ्ग्रेस का तिरङ्गा झण्डा पड़ा मिला। मैं नहीं जानता वह वहाँ कहाँ से आया। उसे देख कर सुप० बहुत बिगड़ा और उसके साथ मेरी नीचे लिखी बातचीत हुई :—

राष्ट्रीय झण्डा क्यों रक्खा ?

सुप०—तुमने राष्ट्रीय झण्डा क्यों रक्खा? यूनियन जैक क्यों नहीं रक्खा?

मैं—राष्ट्रीय झण्डा रखने में मैं कोई हानि नहीं समझता।

सुप०—तुम कौन हो?

मैं—पेन्शनर हूँ।

सुप०—तुमको पेन्शन कौन देता है?

मैं—आसाम गवर्नमेण्ट।

इस पर वह कुछ बड़बड़ाया, जिसे मैं न समझ सका।

सुप०—मि० कौटम ने कहा है कि तुमने उनको बहुत तङ्ग किया है। अगर वे यहाँ होते तो तुमको पीटते।

मैं—पर मैं ज़िन्दगी भर मि० कौटम से कभी मिला ही नहीं।

सुधीर के कमरे से पुलिस वाले फिर अन्दर के मकान में आए। सुप० ने थानेदार से पूछा कि क्या तलाशी की फ़ेहरिस्त तैयार है। थानेदार ने एक लिस्ट दी, जिसमें दो-तीन चीज़ों के नाम लिखे थे, जिनको मैं धीमी रोशनी में न पढ़ सका। जब मुझसे उस पर दस्तख़त करने को कहा गया, तो मैंने जवाब दिया—पहले हाथ-बक्स को खोल कर उसके काग़ज़ात की लिस्ट बनाई जानी चाहिए।

सुप०—बातें मत करो—दलील मत करो।

मैंने देखा कि प्रतिवाद करना बिल्कुल व्यर्थ है और इसलिए उसी लिस्ट पर दस्तख़त कर दिए।

इसके बाद वे लोग मेरी लड़की के पढ़ने के कमरे में गए, पर कुछ न मिला। वहाँ से निकल कर हम दूसरे कमरों में गए, जहाँ पुलिस वालों ने मेरे पीछे से ही बक्सों और आलमारियों को तोड़-फोड़ कर तलाशी ली थी और सब चीज़ों को बखेर दिया था।

तलाशी करने में पुलिस ने रात को १ बजा दिया। सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और घर से जाने लगा। चलते समय उसने कहा—"क्या अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं?" पर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह अहाते से बाहर निकल कर श्री० अरुणचन्द्र राय के मकान की तरफ़ चला गया। इसके बाद ही मैंने अपने मकान से देखा कि थोड़ी दूर पर स्थित व्यायामशाला में आग लग गई।

पुलिस के जाने के बाद बिखरी हुई चीज़ों को ठीक करके बक्सों में रक्खा गया। दो बक्सों में जो थोड़ा सा रुपया-पैसा रक्खा था, वह और अन्य कुछ चीज़ें ग़ायब पाई गईं। इनमें ४॥ रु० एक ग़रीब विधवा के थे, जो मेरी लड़की के साथ कलकत्ते में पढ़ती है और जिसे मेरे घर में आश्रय दिया गया है।"

बाइसिकिल ग़ायब

इन्स्पेक्टर ऑफ़ स्कूल्स के सुपरिण्टेण्डेण्ट और हेड असिस्टेण्ट श्री० अरुणचन्द्र राय ने कहा :—

"२१ अक्टूबर को आधी रात के कुछ देर बाद कितने ही यूरोपियन और देशी पुलिस वाले मेरे मकान का दरवाज़ा तोड़ कर भीतर घुस आए। वे लोग सीधे मेरे भतीजे श्री० अपूर्वकृष्ण राय के कमरे में पहुँचे। अपूर्व उस दिन घर नहीं था और उसके कमरे में ताला बन्द था। मैं उठ कर बरामदे में गया, तो एक यूरोपियन ने मुझसे पूछा—तुम कौन हो?

मैं—मैं इन्सपेक्टर्स ऑफ़ स्कूल्स का हेड असिस्टेण्ट हूँ।

सवाल—तुम्हारा भतीजा कहाँ है?

जवाब—वह यहाँ नहीं है।

सवाल—वह कहाँ रहता है?

मैंने अहाते की दूसरी तरफ़ वाला कमरा दिखला दिया, जिसमें ताला बन्द था।

मैंने कहा कि अगर ताली की ज़रूरत हो, तो मैं दे सकता हूँ। पर इसके पहले ही वे ताला तोड़ कर भीतर घुस गए थे। मुझे कोई तलाशी का वारण्ट नहीं दिखलाया गया। उन्होंने अपनी तलाशी भी नहीं दी। मैंने कमरे के भीतर से फ़र्नीचर और अन्य चीज़ों के तोड़ने की आवाज़ सुनी। वहाँ से वे भण्डार घर में गए और बोतलों तथा शीशे के बर्तनों से भरी हुई आलमारी को गिरा कर सब चीज़ों को तोड़ डाला। वे मेरे यहाँ १०-१२ मिनट तक रहे। उनके चले जाने के बाद मैंने पास की व्यायामशाला को जलते देखा। बाद में देखा कि कमरे के दरवाज़े और खिड़कियाँ टूटी हैं और सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। एक साइकिल, जो नीचे दरवाज़े में रक्खी थी, ग़ायब पाई गई।

सवाल—क्या इसकी रिपोर्ट आपने थाने में लिखाई?

जवाब—हाँ, कुछ दिन बाद मैंने रिपोर्ट लिखाई। पर साइकिल का नम्बर मुझे नहीं मिल सका।

सहायता देने से इन्कार

कमिटी के सदस्यों ने ढाका के मैजिस्ट्रेट से जेल में बन्द युवकों से मिलने और कुछ सरकारी काग़ज़ात देखने की आज्ञा माँगी, पर वह नामञ्ज़ूर कर दी गई। सुप० पुलिस से प्रार्थना करने पर भी वैसा ही उत्तर मिला।

❀ ❀ ❀

—लाहौर में 'सरवेण्ट्स ऑफ़ पीपिल सोसाइटी' और द्वारकादास लायब्रेरी की तलाशी लेकर पुलिस 'धरसाना में काला-शासन' नामक पुस्तक की २५० प्रतियाँ उठा ले गई। यह पुस्तक धरसाना-काण्ड की रिपोर्ट के रूप में थी और गत वर्ष गुजरात प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने प्रकाशित की थी।

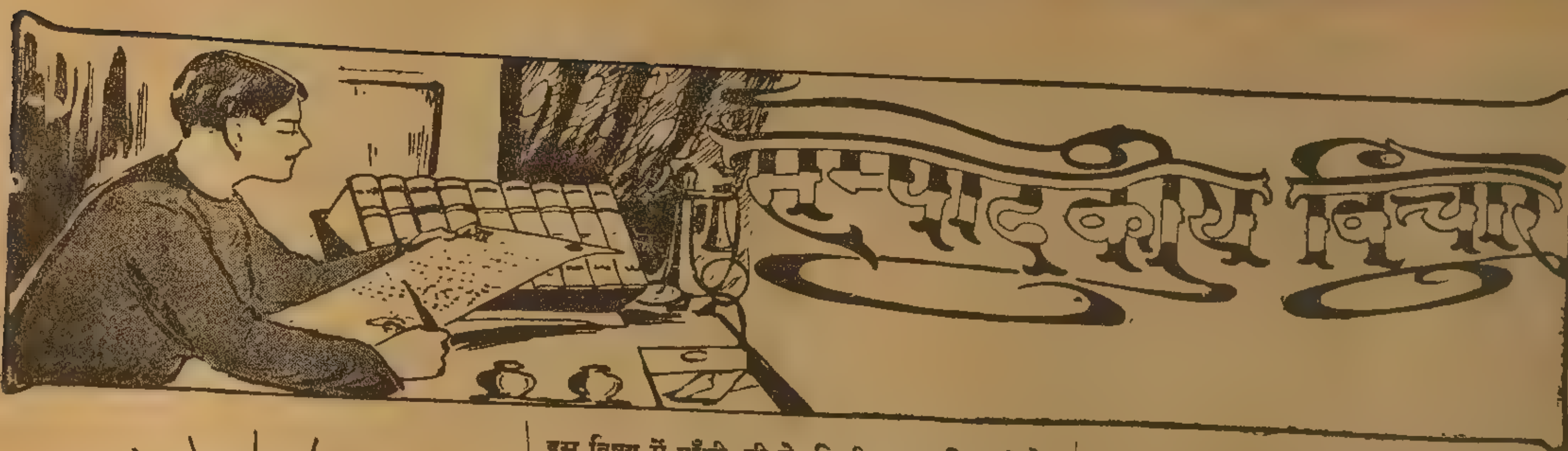
—नई देहली का २४ ता० का समाचार है कि ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डरों को कनाडा में मञ्ज़ूर नहीं किया जायगा।

—१३ नवम्बर को म० गाँधी ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मि० जॉर्ज लैंसबरी से भेंट की। उनकी बातचीत का भेद बिल्कुल गुप्त रक्खा गया है।

श्रीनगर का समाचार है कि मीरपुर में मुस्लिम जत्थों के १,८४० क़ैदी माफ़ी माँग कर छूट गए।

—पेशावर की ख़बर है कि स्मिथ और मॉर्ग्रे नाम के दो गोरे सिपाहियों को डिप्टी कमिश्नर की मोटर चुराने के क़सूर में १॥-१॥ साल की सख़्त क़ैद और १००-१०० रु० जुर्माना की सज़ा दी गई। वे लोग रात के समय मोटर को एक सर्कस के बाहर से चुरा कर रावलपिण्डी चल दिए थे।

❀ ❀ ❀



भविष्य

२३ नवम्बर, सन् १९३१

अछूत और पृथक निर्वाचन

लन्दन की राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में तीन सम्प्रदाय पृथक निर्वाचन पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं, मुसलमान, सिख और अछूत। इनमें से मुसलमानों और सिक्खों का पृथक निर्वाचन-अधिकार तो किसी न किसी कारणवश महात्मा गाँधी ने स्वीकार कर लिया है, पर अछूतों के सम्बन्ध में आपने १३ नवम्बर को अपने अन्तिम भाषण में भी कहा है कि—"हम अछूतों को एक पृथक दल बना कर नहीं रखना चाहते। सिक्ख इस तरह सदा के लिए पृथक रह सकते हैं। इसी तरह मुसलमान और यूरोपियन भी रह सकते हैं। पर क्या अछूत सदा अछूत ही बने रहेंगे? मैं इस बात को कहीं ज़्यादा पसन्द करूँगा कि हिन्दू जाति मर जाय, बजाय इसके कि अछूतपन कायम रहे।..... मैं अछूतों के अधिकार को समस्त संसार का राज्य पाकर भी नहीं बेच सकता। मैं यह बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि डॉ० आम्बेडकर का समस्त भारत के अछूतों की तरफ़ से बोलने का दावा करना उचित नहीं है। इसके फल से हिन्दू जाति में ऐसे दो भाग हो जायँगे, जिन्हें मैं कदापि सन्तोष की दृष्टि से नहीं देख सकता। मुझे इसकी विशेष चिन्ता नहीं कि अछूत लोग मुसलमान या ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। मैं इस बात को सहन कर सकता हूँ, पर उस दशा को कभी सहन नहीं कर सकता जो कि गाँवों में इस तरह के विभाग उत्पन्न होने से हिन्दू जाति के सामने आएगी। जो लोग अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की बात कहते हैं, वे भारतवर्ष को नहीं जानते और न उनको यह पता है कि वर्तमान भारतीय समाज किस तरह सङ्गठित हुआ है। इसलिए मैं अपनी पूर्ण शक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस बात का अकेले ही विरोध करना पड़े, तो भी मैं अपनी जान देकर भी इसका विरोध करूँगा।"

यद्यपि महात्मा गाँधी की सचाई और नेकनीयती पर अविश्वास करने वाले व्यक्ति भारत में बहुत कम निकलेंगे, और उनके अनुयायी ही नहीं, विरोधी तक उनके वचनों पर पूरा भरोसा रखते हैं; तो भी अनेक अछूत नेता इस सम्बन्ध में उनके आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गाँधी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर भारतीय अछूतों का मत-संग्रह किया जाय तो अधिकांश लोग डॉ० आम्बेडकर के बजाय उन्हीं पर विश्वास प्रकट करेंगे। तो भी अछूतों के जाग्रत और समझदार लोगों में बहुत से ऐसे हैं, जो इस विषय में गाँधी जी से विपरीत सम्मति रखते हैं। थोड़े दिन हुए गुड़गाँव (पञ्जाब) में होने वाले 'अखिल भारतवर्षीय अछूत सम्मेलन' के सभापति श्री० एम० सी० राजा ने कहा था:—

"मैं भारत को भावी शासन अधिकार दिए जाने के पहले इस बात का विश्वास कर लेना चाहता हूँ कि इसके द्वारा हम पर अत्याचार करने वालों (अर्थात् ऊँची जाति के हिन्दुओं) को अधिक शक्ति तो नहीं मिल जायगी। क्योंकि ऐसा होने से वे हम पर अधिक अत्याचार करने लगेंगे और हमारी स्थिति असहाय और शक्तिहीन हो जायगी, तथा उससे छूटने का उपाय सिर्फ़ विद्रोह या बग़ावत रह जायगा। यह कह देना बहुत सहल है कि 'पहले हमको स्वराज्य या डोमीनियन स्टेट्स मिलने दो, उसके बाद हम अपने पारस्परिक झगड़ों को मिटा लेंगे और अछूतों के साथ होने वाले अन्याय को दूर करेंगे।' यह बनियों या दुकानदारों की सी बातें हैं। हर एक आम बेचने वाला कहता है कि उसके आम बहुत मीठे हैं और अगर वे खट्टे निकलें तो वह उनके दाम वापस करने को तैयार है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो दाम एक बार चला गया, फिर कभी वापस नहीं मिलता और इसी तरह जो स्वराज्य एक बार मिल गया वह फिर लौटाया नहीं जा सकता। उन ग़रीब लोगों को, जो उस स्वराज्य में कष्ट सहन करेंगे, अपने भाग्य पर सन्तोष करना होगा और तब वे ख़ुद अपने ऊपर क्रोधित होंगे कि स्वराज्य मिलने से पहले उन्होंने उसके नतीजे को क्यों नहीं समझा और वे चुपचाप क्यों बैठे रहे।"

श्री० एम० सी० राजा भी म० गाँधी के व्यक्तिगत महत्व और उनकी सज्जनता तथा दयाशीलता का आदर करते हैं, पर वे कहते हैं कि "एक राजनीतिक की दृष्टि से उनको अछूतों का मित्र नहीं कहा जा सकता। वे राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में भारत की राजनीतिक संस्था राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस के मुखिया के रूप में हैं।.....................कॉङ्ग्रेस कमिटी के एक सदस्य की हैसियत से उनके हाथ बँधे हुए हैं और वे उस कमिटी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते।"

श्री० राजा की मुख्य दलील यही है कि जब ७ करोड़ मुसलमानों और २० लाख सिक्खों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है, तो ५ करोड़ अछूत उससे क्यों वञ्चित रक्खे जायँ। क्योंकि अगर विचार किया जाय तो संरक्षण की आवश्यकता सिक्खों और मुसलमानों की अपेक्षा अछूतों को बहुत अधिक है, क्योंकि वे जातियाँ अछूतों की तरह नागरिकों के अधिकार से वञ्चित नहीं हैं। इसके सिवाय मुसलमानों की समस्या केवल पञ्जाब और बङ्गाल के प्रान्तों में है तथा सिक्खों की समस्या केवल पञ्जाब में है, पर अछूतों की समस्या अखिल भारतीय है। इन प्रमाणों के आधार पर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार अधिक आवश्यकीय और न्यायोचित है।

हम श्री० राजा के कथन की सचाई बहुत अंशों में स्वीकार करते हैं और इस बात के मानने से हमें कुछ भी इन्कार नहीं कि ऊँची जाति के हिन्दुओं ने अछूतों के साथ पाशविकता का बर्ताव किया है और अब भी उसमें बहुत कम सुधार हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि अछूतपन की प्रथा हिन्दू जाति के सर पर घोर कलङ्क स्वरूप है और उसकी वर्तमान दुर्दशा का एक कारण यह घोर पाप भी है।

पर इन बातों के साथ ही हम यह समझते हैं कि वर्तमान समय में अछूतों का हिन्दुओं से अलग होने की चेष्टा करना उनके लिए मङ्गलजनक न होगा। आजकल भारत में एक तो वैसे ही अशिक्षा और अन्धकार का साम्राज्य छाया हुआ है, उस पर भी अछूत जातियों की दशा तो और भी हीन और निराशाजनक है। अगर वे लोग हिन्दुओं से अलग हो जायँ तो सम्भवतः उनका समाज एक महत्वहीन वस्तु हो जायगा और उसकी उन्नति की गति बहुत धीमी पड़ जायगी। क्योंकि अछूतों के पास न तो उन्नति के साधन हैं और न उनमें योग्य तथा स्वार्थत्यागी नेताओं की काफ़ी तादाद है, जिनके द्वारा वे तेज़ी से आगे बढ़ सकें। इस समय वे एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जाति के अङ्ग बने हुए हैं और उसकी उन्नति में वे भी हिस्सेदार हैं। यह बात दूसरी है, कि इस समय उनको उनका प्राप्य भाग नहीं दिया जा रहा है, पर कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिस्थिति शीघ्र बदल जाय और वे अपना न्यायोचित हिस्सा पा सकें। उस दशा में वे पृथक होने की अपेक्षा बहुत लाभ में रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

इसके सिवाय इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अछूतों के सम्बन्ध में हिन्दू जाति का भाव वास्तव में बदल रहा है। ऐसे सुधारकों का एक काफ़ी बड़ा दल उत्पन्न हो गया है, जिन्होंने इस पापपूर्ण प्रथा को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है। सच पूछा जाय तो अछूतों में प्रचार और सुधार का काम करने वाली बड़ी और प्रभावशाली संस्थाएँ ऐसे ही सुधारक व्यक्तियों या दलों के द्वारा चलाई जा रही हैं। कॉङ्ग्रेस के सदस्य अधिकांश अवसरों पर अछूतों का पक्ष समर्थन करते रहते हैं, और आजकल मद्रास प्रान्त की एक प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कमिटी मन्दिर सत्याग्रह का सञ्चालन कर रही है। आर्य-समाज बहुत वर्षों से अछूतों की उन्नति के लिए परिश्रम कर रहा है और आज उत्तर भारत में अछूतों की जो कुछ जागृति देखने में आती है, उसका बहुत कुछ श्रेय उसको है। उसने अछूतों के लिए हज़ारों पाठशालाएँ खोली हैं, जिनसे उन लोगों का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। समय-समय पर सब जातियों के सम्मिलित भोज कराके भी, जिनमें अधिकांश संख्या अछूत कहे जाने वाले व्यक्तियों की होती है—उसने ऊँची जाति वालों की इस दूषित मनोवृत्ति को थोड़ा बहुत कम किया है।

इन सब बातों के लिखने से हमारा आशय यह नहीं है कि हम इनको अछूतों के कष्ट-निवारण के लिए काफ़ी समझते हैं, या इनके द्वारा अछूतों पर अहसान लादना चाहते हैं कि वे इसके बदले में ऊँची जाति के हिन्दुओं के अन्यायों को सहते रहें। इन बातों से हम केवल इतना ही प्रकट करना चाहते हैं कि अछूतों के लिए भविष्य में आशा रखना असङ्गत नहीं है। चाहे परिवर्तन की गति मन्द ही हो, पर उसका बीज मौजूद है और दिन पर दिन उसके अधिक परिमाण में बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए अछूत जातियों का हित इसी में जान पड़ता है कि वे हिन्दू जाति से पृथक होने या पृथक निर्वाचन की चेष्टा करने के बजाय उसके साथ रह

कर ही आन्दोलन, प्रचार और शक्ति द्वारा भी अपने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करें। वे लोग भी असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा ले सकते हैं। अगर वे इस प्रकार ऊँची जाति वालों को अपनी शक्ति का परिचय दें और उनके अन्यायों का क्रियात्मक विरोध करें, तो अनेक कट्टर और अन्धविश्वासी लोगों का दिमाग़ ठिकाने आ सकता है।

पर इन बातों से ऊँची जाति के हिन्दुओं तथा भारत की राष्ट्रीय संस्था कहलाने वाली कॉङ्ग्रेस के कर्तव्य की इति-श्री नहीं हो जाती। ऊँची जाति के हिन्दुओं को अब भी इस विषय में सँभल जाना चाहिए। कितने खेद की बात है कि वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक वातावरण को देखते हुए भी कितने ही बेवक़ूफ़ हिन्दू, नासिक और कालीकट के मन्दिरों में अछूतों को भीतर जाने से रोकने के लिए लाठियों का प्रयोग करते हैं और पुलिस को लाकर दरवाजे पर खड़ा करते हैं। जिस देवता अथवा ईश्वर को वे प्रत्येक प्राणी का जन्मदाता और पिता मानते हैं, उसके पास मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को न जाने देना मूर्खता का कैसा जीता-जागता उदाहरण है। जिन मन्दिरों में चूहे, बिल्ली और कुत्ते तक घुस जायँ, उनको अछूतों के प्रवेश से अशुद्ध मानने वाले के लिए यही कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। इन अन्धविश्वासी व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि अब उनके ये जड़तापूर्ण ढङ्ग अधिक दिनों तक नहीं टिक सकते और यदि उनको अधिक बुरे परिणामों से बचना है, तो उचित है कि वे अछूतों के साथ मनुष्यत्व का बर्ताव करना सीखें।

कॉङ्ग्रेस यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न कर रही है, पर अभी उसमें बहुत गुञ्जायश है। अभी तक उसने अधिक सहानुभूति व्याख्यानों अथवा प्रस्तावों द्वारा दिखलाई है और क्रियात्मक आन्दोलन बहुत कम किया गया है। अगर वह इस कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ हाथ में ले और इसके लिए सार्वदेशिक आन्दोलन खड़ा करे, तो बहुत-कुछ सफलता हो सकती है। जब वह विदेशी कपड़े, शराब तथा ताड़ी की दुकानों पर हज़ारों स्वयंसेवकों को जेल के लिए भेज सकती है और सरकारी आज्ञा द्वारा निषिद्ध सभाओं और जुलूसों के लिए लाखों व्यक्तियों को लाठियाँ और गोलियाँ खाने को तैयार कर सकती है, तो कोई कारण नहीं कि इन साधनों का उपयोग अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए क्यों न किया जाय। यदि हमारे सत्याग्रह और कष्ट-सहन से हमारे जाति-भाई ही नहीं मान सकते, तो विदेशी और विजातीय लोगों के मान सकने की क्या आशा की जा सकती है? यह भी नहीं कहा जा सकता कि विदेशी कपड़े या शराब-ताड़ी या दफ़ा १४४ के भङ्ग करने की अपेक्षा अछूतों का प्रश्न कम महत्वपूर्ण है। अब तक अधिकांश लोग इसे केवल सामाजिक प्रश्न समझते थे, पर अब राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स की कार्रवाई से उनकी आँखें खुल जानी चाहिएँ, यदि सरकार ने अछूतों को पृथक निर्वाचन अधिकार दे दिया तो जैसा महात्मा गाँधी ने कहा है, उसका फल हिन्दू-जाति के लिए और इस कारण सम्पूर्ण भारत देश के भविष्य के लिए बड़ा विषमय होगा। तब विदेशी शासन की ग़ुलामी से छूटने और स्वाधीनता तथा स्वराज्य के अधिकार पाने का आन्दोलन वे किस बल पर करेंगे? इसलिए महात्मा गाँधी के उपरोक्त भाषण के पश्चात् कॉङ्ग्रेस का यह और भी अधिक आवश्यक कर्तव्य हो गया है कि वह अछूतों की दशा सुधारने और नागरिकों के पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के लिए ज़ोर-शोर से क्रियात्मक आन्दोलन आरम्भ करे।

❀ ❀ ❀

मुसलमानों का षड्यन्त्र

हाल में एसेम्बली के सदस्यों के दो डेपुटेशन भारत-सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी और वायसरॉय से मिले थे और उन्होंने प्रकट किया था कि काश्मीर का आन्दोलन मुसलमानों के षड्यन्त्र का फल है, जिसका उद्देश्य पञ्जाब और काश्मीर को मिला कर एक बड़ा मुसलमानी प्रान्त तैयार करना है। इस बात के प्रतिवाद-स्वरूप एसेम्बली के चार मुसलमान सदस्यों ने यह चैलेञ्ज दिया था कि डेपुटेशन के सदस्य यह सिद्ध करें कि काश्मीर का आन्दोलन पैन-इस्लाम आन्दोलन का अङ्ग है।

एसेम्बली के मेम्बर और हिन्दू-महासभा के प्रेज़िडेण्ट श्री० भाई परमानन्द जी ने इस चैलेञ्ज को स्वीकार करके उन अभियोगों की एक लम्बी सूची पेश की है, जिनसे काश्मीर के झगड़े का पैन-इस्लाम आन्दोलन का अङ्ग होना सिद्ध होता है। उन्होंने क्रमवार घटनाओं के आधार पर यह स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है कि काश्मीर का आन्दोलन वहाँ के मुस्लिम निवासियों द्वारा तथा उनके हित के लिए आरम्भ नहीं किया गया है, वरन् इसके कर्त्ताधर्त्ता ब्रिटिश भारत के कुछ चालाक मुसलमान नेता हैं, जिनका उद्देश्य किसी तरह काश्मीर के मुसलमानों को भड़का कर वहाँ के शासक को सङ्कटपूर्ण अवस्था में डाल देना है। जिससे या तो अङ्गरेज़ी सरकार उसे गद्दी से उतार दे अथवा वह स्वयं ही धर्मान्ध मुसलमानों का शिकार बन कर राज्य से बरतरफ़ हो जाय।

भाई जी ने बतलाया है कि इस आन्दोलन के आरम्भ होने से कई महीने पहले दिसम्बर, १९३० में ही ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग के सभापति सर मुहम्मद इक़बाल ने भारत को हिन्दू-भारत और मुसलमान-भारत इस तरह के दो भागों में बाँटने का विचार प्रकट किया था। मुसलमानी-भारत का अधिकार-क्षेत्र उन्होंने भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग अर्थात् पञ्जाब, सीमा प्रान्त और काश्मीर बतलाया था। उसी महीने में काश्मीरी मुसलमानों की एक कॉन्फ़्रेन्स लाहौर में हुई, जिसके सभापति ढाका के नवाब थे। उन्होंने अपने गर्म भाषण में साफ़ कहा कि काश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात है कि वे अल्प-संख्यक हिन्दुओं के शासन में रहें। बस इस इशारे को पाकर कट्टर मुसलमान-अख़बारों ने काश्मीर के विरुद्ध ज़हरीला आन्दोलन आरम्भ कर दिया। ये अख़बार बिल्कुल टुच्चे और बेशर्म थे और उनको सच-झूठ की कुछ परवा न थी, उन्होंने काश्मीर के शासक पर तरह-तरह के झूठे और गन्दे इल्ज़ाम लगाना और इस बात का प्रचार करना आरम्भ किया कि काश्मीर के मुसलमानों को डोंगरा राज्य के विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए। 'दौराए जदीद' नामक पत्र की जुलाई, १९३१ की एक संख्या से प्रकट होता है कि पञ्जाब के कुछ गुमनाम मुस्लिम नेता गुप्त रूप से काश्मीर भेजे गए थे, ताकि महाराज के ख़िलाफ़ राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ करें। इसके बाद शिमला में भारतवर्ष के कई बड़े-बड़े मुसलमान नेताओं की मीटिङ्ग हुई, जिसमें ख़्वाजा हसन निज़ामी और 'मुस्लिम आउटलुक' के सञ्चालक जैसे धर्मान्ध व्यक्ति शामिल थे। इस मीटिङ्ग ने एक तरफ़ तो काश्मीर के महाराज के पास एक डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया और दूसरी तरफ़ समस्त भारत में काश्मीर के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करने के लिए 'काश्मीर-दिवस' मनाने की घोषणा की।

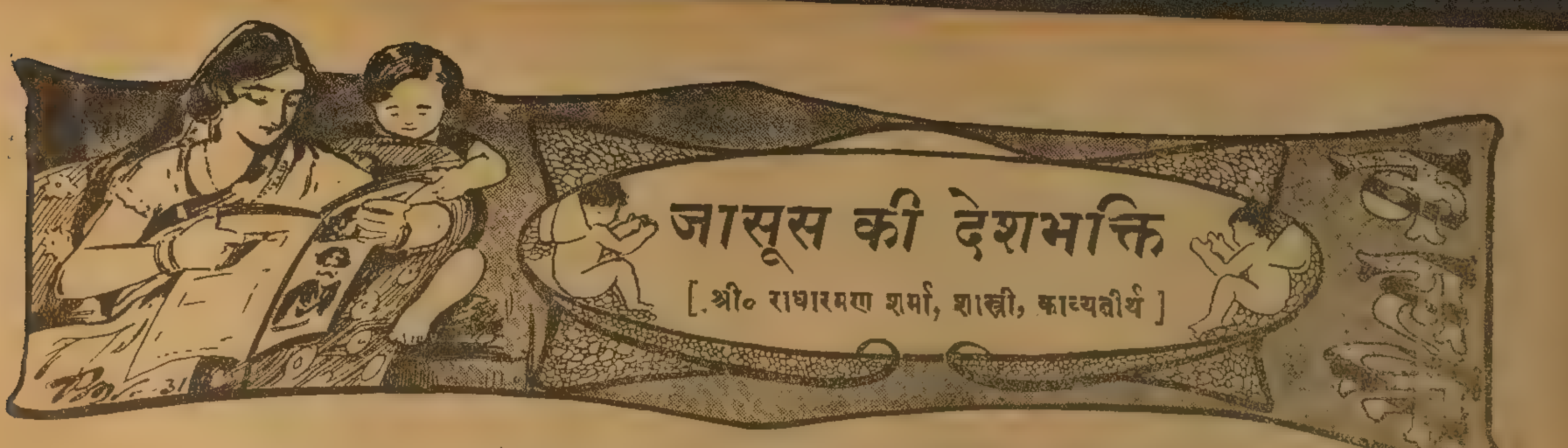
इन सब बातों को देखते हुए यह कहना कि काश्मीर का आन्दोलन केवल वहाँ के पीड़ित बतलाए जाने वाले मुसलमानों के सहायतार्थ आरम्भ किया गया है, सच नहीं माना जा सकता। यदि काश्मीर की मुस्लिम जनता और उसको भड़काने वाले पञ्जाब के मुस्लिम नेता केवल महाराज से उनके कष्टों और अभावों को निवारण कराना चाहते थे, तो वे कभी काश्मीर के सीधे-सादे और लड़ाई-झगड़े से अलग रहने वाले हिन्दुओं पर आक्रमण न करते और उनकी लाखों रुपए की सम्पत्ति को नष्ट न करते। मुसलमानों की इन चालों को देख कर भारतीय नेताओं ने ही नहीं, वरन् विलायती पार्लामेण्ट के सदस्य कमाण्डर केनवर्दी जैसे बाहरी लोगों को भी कहना पड़ा है कि काश्मीर का आन्दोलन साफ़ तौर पर पैन-इस्लाम सम्बन्धी है और उसका उद्देश्य काश्मीर, सीमा-प्रान्त तथा अफ़ग़ानिस्तान के बीच में एक नया सम्बन्ध जोड़ना है। ऐसी दशा में मुसलमान नेताओं का इस भेद को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। प्रत्येक समझदार भारतवासी उनके इस काम और ढङ्ग की निन्दा करेगा। इसे देश के साथ विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं समझा जा सकता।

❀ ❀ ❀

भारतीय जेलों के लिए एक उदाहरण

हाल में समाचार पत्रों में स्वीडेन की एक नई तरह की जेल का वर्णन प्रकाशित हुआ है, जोकि वहाँ परीक्षण के तौर पर खोली गई है। इस जेल में प्रायः सब लम्बी क़ैद की सज़ा पाने वाले क़ैदी रक्खे गए हैं। पर इसके चारों तरफ़ न तो ऊँची-ऊँची दीवालें हैं न किसी तरह के पहरे का सख़्त इन्तज़ाम। सब क़ैदी स्वेच्छापूर्वक नियमित काम करते रहते हैं। आवश्यकता होने पर उनको घर जाने की छुट्टी भी मिल सकती है, जहाँ से वे म्याद ख़त्म होने पर स्वयम् लौट आते हैं। अमेरिका की जेलों में भी इसी तरह क़ैदियों को बहुत-कुछ स्वाधीनता दी जाती है और उनके ऊपर विश्वास किया जाता है। अभी इङ्गलैण्ड के एक जेल-कमिश्नर अमेरिका की जेलों का निरीक्षण करने गए थे। एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने के पश्चात् जब उनको दूसरे शहर जाने की आवश्यकता पड़ी तो एक क़ैदी उनको मोटर में बैठा कर २०० मील तक ले गया और फिर ख़ुद जेल में वापस आ गया। उनमें से कितने ही शहर में क्लर्क की नौकरी करते हैं और रात में जेल में वापस चले जाते हैं। अपनी आमदनी से क़ैदी अपनी इच्छानुसार कपड़े बनवा सकते हैं और इसलिए वे क़ैदियों की तरह नहीं, वरन् अन्य सब लोगों की तरह दिखलाई देते हैं। इन सब बातों का मुक़ाबला जब हम अपने यहाँ की जेलों से करते हैं तो ज़मीन-आसमान का अन्तर दिखलाई देता है। हमारे यहाँ की जेलों में बदमाशों की तो क्या बात, भले से भले राजनीतिक क़ैदियों को काल कोठरियों में बन्द रक्खा जाता है, और केवल सन्देह में गिरफ़्तार राजनीतिक नज़रबन्दों के कैम्पों को बिजली के तारों से घेर कर रक्खा जाता है। इन बातों के फल से भारतीय जेलों के क़ैदियों की कुछ भलाई नहीं होती, वरन् जहाँ उपरोक्त देशों के क़ैदी अपनी म्याद समाप्त होने के बाद बहुत कुछ सुधर जाते हैं अथवा कम से कम जैसे के तैसे बने रहते हैं, हमारे यहाँ की जेलों में प्रायः भले आदमी बदमाश, और साधारण दर्जे के बदमाश पक्के चोर और डाकू होकर निकलते हैं। भारतवासी सचाई, ईमानदारी और विश्वास-पात्रता में किसी अन्य देश वालों से कम नहीं हैं और यदि जेलों में उनके साथ अधिक कड़ाई का बर्ताव न करके, उनको स्वाधीनता दी जाय, तो उससे सरकार का ख़र्च भी कम हो सकता है और क़ैदियों की भी बहुत कुछ भलाई हो सकती है।

❀ ❀ ❀



जासूस की देशभक्ति

[श्री० राधारमण शर्मा, शास्त्री, काव्यतीर्थ]

दे

सायङ्काल था। सूर्य का सौभाग्य-सूर्य अस्त हो चुका था। अन्धकार नीरवता और विभीषिका बिखेरता हुआ प्रतिक्षण पास चला आ रहा था। समीर पत्तों में छिप-छिप कर अपना प्राण बचा रहा था। पक्षीगण कोटरों में बैठे चीख़ रहे थे। चन्द्र कहाँ थे, पता नहीं।

कार्थेज प्रदेश मृत्यु की क्रीड़ास्थली बना हुआ था। नित्य सैकड़ों मनुष्यों के जीवन की सन्ध्या प्रभात-हीन सन्ध्या हो रही थी। कार्थेज के निवासी सदा से स्वतन्त्र थे। किसी ने उनकी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं दी थी। उनका शासक अपना था, अतः वे सुख से जीवन बिताते चले जा रहे थे। परन्तु दिन के बाद रात का होना अवश्यम्भावी है। उसी तरह उनकी स्वतन्त्रता और सुख को छीनने के लिए भी एक दूसरे राज्य सैरीन ने उन पर चढ़ाई कर दी। साथ ही कार्थेज निवासियों ने भी अपने-अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिए कमर कस लिया। 'स्वतन्त्रता सुख है और परतन्त्रता दुःख, स्वाधीनता जीवन है, पराधीनता मृत्यु'—यह बात उनके हृदय-पट पर अमिट अक्षरों में लिखी हुई थी। अतः स्वाधीनता के लिए वे मानो होड़ बद-बद कर अपने प्राणों का बलिदान कर रहे थे।

कार्थेज और सैरीन का युद्ध दिन-दिन भीषण होता जा रहा था, पर दुर्भाग्यवश कार्थेज को पूरी तरह सफलता मिल नहीं रही थी। अपने प्राण-पुष्पों को युद्ध-प्राङ्गण में निर्ममता से बिखेरने पर भी मानो स्वाधीनता देवी उन पर प्रसन्न नहीं होना चाहती थीं, अतः उनका सेनापति ग्रीसियन अत्यधिक चिन्तित हो रहा था। उस दिन सन्ध्या को वे अपने प्रमुख सैनिकों के साथ बैठे इसी प्रश्न पर विचार कर रहे थे। सेनापति के मुख-मण्डल पर विषाद का काला पर्दा पड़ा हुआ था। वे सोच रहे थे, क्या प्राणों की बाज़ी लगा कर घोर प्रयत्न करने पर भी अन्त में उन्हें ग़ुलामी की ज़ञ्जीर में जकड़ कर जीवन व्यतीत करना होगा। उन्हें अपनी प्यारी मातृभूमि की पराधीनता का ख़याल नारकीय यन्त्रणा से भी बढ़ कर कष्टप्रद मालूम हो रहा था। अचानक उनके मुखमण्डल पर आनन्द की एक हल्की रेखा खिंच गई।

"मेरे प्यारे दोस्तो !"—सेनापति ग्रीसियन कहने लगे—"मैं जानता हूँ, अपने प्यारे स्वदेश के लिए मेरे दिल में जितना दर्द है, आप लोगों को उससे कम नहीं है। आप भी उसे पराधीनता की बेड़ी से बचाने के लिए उतना ही चिन्तित हैं, जितना मैं हूँ। युद्ध-क्षेत्र में आप लोगों का युद्ध-कौशल देख कर मुझे गर्व होता है। पर दुख है कि सफलता अभी हमसे कोसों दूर है। प्राणपण से चेष्टा करने पर भी विजय-श्री हमारे हाथ नहीं आ रही है, हम उत्तरोत्तर हारते ही जा रहे हैं। इसका कारण और कुछ नहीं, शत्रुओं की चालबाज़ियाँ हैं। इसलिए उनकी धूर्तता को बेकार कर, विजय प्राप्त करने के लिए अभी-अभी एक उपाय मुझे सूझा है। मुझे विश्वास है, हम उसमें सफलता पाकर शत्रुओं को मार भगाएँगे और हमारी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रह जाएगी। मैं जानता हूँ, आप में से प्रत्येक मनुष्य वीर है, देशभक्त है। देश के लिए जान पर खेल जाना आप खेल समझते हैं। पर युद्ध में मारते हुए मरना दूसरी बात है, और शत्रु के हाथों में पड़ कर पशुता को भी लजाने वाला मर्मान्तिक दण्ड सहते हुए मरना दूसरी बात। यदि आप लोगों में से कोई उस दण्ड को भी सहने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाए।"

कहने की देर थी, पचासों हाथ ऊपर उठ गए।

"नहीं" सेनापति ने कहा—"मैं सिर्फ़ एक मनुष्य चाहता हूँ। उसे जासूस बन कर शत्रुओं के प्रधान सेनापति के यहाँ किसी तरह नौकरी करके वहाँ के भेद की बातें आकर मुझे बताना होगा। जो इस जोखिम भरे काम को भली-भाँति पूरा कर सकता हो, सामने आए।"

क्रमशः ८-१० नवयुवक आगे बढ़ आए। परन्तु सेनापति ने उनमें से एक को, उसके प्रबल अनुरोध पर, इस काम के लिए चुन लिया। वह एक दुर्बल नवयुवक था। पर उसके मुख पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। नाम था उसका 'कोरिन्थियस'।

श

"तुम कौन हो ?"—सैरीन के प्रधान सेनापति ग्रेट ने पूछा।

"मैं एक ग़रीब व्यक्ति हूँ। धर्मावतार, आपसे कुछ सहायता पाने की इच्छा से आपकी सेवा में आया हूँ।"—कोरिन्थियस ने कहा।

"क्या चाहते हो ?"

"आपकी सेवा और अपनी उदर-पूर्ति।"

"क्या कर सकते हो ?"

"जो आप आज्ञा देंगे। युद्ध में सैनिक का काम भी कर सकता हूँ, पर कुछ दिनों के बाद।

"कुछ दिनों के बाद क्यों ?"

"अभी कमज़ोर हूँ। ज़रा बल सञ्चय कर लूँ।"

"तुम कहाँ रहते हो ?"

"सैरीन के डीलक्स नगर में।"

"अच्छी बात है। खाना बनाना जानते हो ?"

"ख़ूब अच्छी तरह।"

"अच्छा, तो तुम मेरे यहाँ खाना बनाने का काम करो। कल मेरा रसोइया अचानक मारा गया है।"

"जैसी आज्ञा।"

कोरिन्थियस चतुर था और भाग्यवान भी। सैरीन के सेनापति को उस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं हुआ। उसे उनके यहाँ आसानी से नौकरी मिल गई। वह सेनापति की छावनी में ही रहने और उनका खाना बनाने का काम करने लगा। ग्रेट का स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। उद्दण्डता तो उसमें हद दर्जे की थी। अपने नौकरों के साथ उसका व्यवहार पाशविकतापूर्ण रहता था। कोरिन्थियस को भी नित्य इन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। परन्तु उसे यह सब बर्दाश्त करना पड़ता था। क्योंकि जब तक उसका उद्देश्य पूरा न हो, उसे हँसते हुए इन सारी मुसीबतों को गले लगाना था। ऊखली में सर डाल देने पर मूसल का डर कैसा ! कोरिन्थियस खाना बनाने के साथ ही युद्ध-सम्बन्धी बातों का भी चुपके-चुपके पता लेने लगा। सेनापति किससे क्या बातें करते हैं, वे किसे क्या आज्ञा देते हैं, युद्ध के लिए क्या प्रोग्राम बनता है, दूसरे दिन का प्लान क्या है, इन तमाम बातों का वह मनोयोग-सहित अध्ययन करने लगा।

कोरिन्थियस जैसा साहसी था, वैसा ही परिवर्तन करने में भी दक्ष था। रात्रि में जिस समय ग्रेट सो जाता था, कोरिन्थियस ग्रेट सा वेश बना कर चुपके से छावनी से बाहर निकल जाता और कार्थेज की छावनी की सीमा पर पहरा देने वाले सन्तरी को पते की बातें बता आता था। सन्तरी उन बातों को अपने सेनापति ग्रीसियन से कह देता था। सैरीन की सेना के सन्तरी और सैनिक यह समझ कर कि हमारे सेनापति हम लोगों का कृत्य देखने के लिए चुपके-चुपके घूमा करते हैं, कोरिन्थियस को रोक-टोक नहीं करते थे। सैरीन की छावनी से कार्थेज की छावनी भी अधिक दूरी पर न थी, अतः कोरिन्थियस को अपने कार्य में कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ती थी। इस तरह सैरीन वालों के सारे विचार कार्यरूप में परिणत होने के पहले ही कार्थेज वालों को मालूम होने लगे। उन्हें सँभलने का अच्छा मौक़ा हाथ लगा।

से

"सन्तरी !"

"कहिए।"

"पहचाना ?"

"हाँ।"

"बोलो, कौन हूँ ?"

"सेनापति ग्रेट।"

"उर्फ़ ?"

"कोरिन्थियस।"

"ठीक है। अभी जाकर मिस्टर ग्रीसियन को बुलाओ। जल्दी करो।"

"क्यों, आज की बात मुझसे कहने लायक़ नहीं है ?"

"नहीं। जाओ, जल्दी करो। मैं इधर पेड़ों के झुरमुट में टहलता हूँ।"

सन्तरी ने जाकर सेनापति ग्रीसियन को सूचना दी। वे शीघ्र ही आ गए। आते ही उन्होंने कोरिन्थियस से कहा—"भाई, मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, जिनके द्वारा मैं आपको धन्यवाद दूँ। आपके अनुपम साहस के कारण ही आजकल हम लोग रोज़ विजय..."

कोरिन्थियस ने बात काटते हुए कहा—"महाशय, कर्त्तव्य-पालन के लिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं हुआ करती। मैं सोते हुए ग्रेट को क्लोरोफ़ार्म्ड करके यहाँ आया हूँ। यदि मुझे देर हुई और कोई उसके कमरे में चला जाएगा, तो बात खुल जाएगी और सारा काम नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मेरी बातें जल्द सुन लें।"

"कहिए।"

"आप लोगों की रोज़-रोज़ जीत होती देख आज ग्रेट बहुत क्षुब्ध है। उसने अपने सभी सेनानायकों को बुला कर बहुत डाँटा है। नायकों ने कल जी खोल कर मरने-मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। फलतः कल भयङ्कर अग्नि-वर्षा होगी। विषैली गैस का प्रयोग भी

अन्धाधुन्ध होगा। ग्रेट ने जासूसों को भी इस बात का पता लगाने के लिए कड़ी चेतावनी दी है कि यहाँ की बातों को कार्थेज वालों को कौन बताता है। इधर मैंने भी यह सोच रक्खा है कि महीनों का काम मिनिटों में समाप्त कर दूँ।"

"कैसे ?"

"कल रात को उसके बारूदख़ाने में मैंने एक छोटा सा छेद बना लिया है। बस, यहाँ से जाकर सुबह होते न होते उसमें एक पलीता लगा कर मैं आग लगा दूँगा। कल आप भी पूरी सेना लेकर भयङ्कर चढ़ाई करें। बस, यही मेरा निवेदन है।"

"बड़ी अच्छी बात है," ग्रीसियन ने हर्षोत्फुल्ल हो कर कहा, "मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। पर आपका क्या होगा ?"

"मेरा ?"

"हाँ ! यदि पलीता में आग लगाते हुए आप देख लिए गए तो ?"

"तो चिन्ता क्या है, जन्मभूमि के प्रति अपने ऋण को अदा कर दूँगा।"

"आप धन्य हैं।"

"हाँ, मैं धन्य कहा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु से मेरे स्वदेश को कुछ तो लाभ होगा।"

"तो आप चले ?"

"हाँ, अपने मित्रों से अन्तिम विदा ले ही चुका हूँ। आज आपसे भी अन्तिम विदा चाहता हूँ।"

ग्रीसियन आँसू भरी आँखों से उस साहसी युवक की ओर देखते रहे। कोरिन्थियस बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए सेनापति से हाथ मिला कर तीर की भाँति झुरमुट में ओझल हो गया।

।

प्रातःकाल का समय था। ऊषादेवी ख़ूनी साड़ी पहने कार्थेज और सैरीन वालों का युद्ध देखने के लिए मैदान में आ गई थीं। शीघ्र ही भीषण युद्ध आरम्भ होने वाला था। शीघ्र ही सहस्रों का जीवन-चन्द्र सदा के लिए राहु-ग्रस्त हो जाने को था। मिस्टर ग्रेट अपने ख़ीमे में बैठे हुए, अपने अनुयायियों से कुछ गुप्त परामर्श कर रहे थे। अचानक एक भीषण धड़ाका हुआ। भय से लोगों की पलकें गिर गईं। कान सन्न हो गए। ग्रेट ने देखा, शस्त्रागार धू-धू करके जल रहा है। प्रलयङ्कर दावाग्नि की लहरें आकाश को चूम रही हैं। हज़ारों सैनिकों का अस्तिपञ्जर अङ्गार बना हुआ है। ग्रेट का कलेजा काँप उठा। वह तेज़ी से उस ओर दौड़ा। कुछ दूर जाते ही उसने देखा, ५-६ सशस्त्र सैनिकों के सतर्क पहरे में कोरिन्थियस चला आ रहा है। ग्रेट रुक गया, उसने कड़क कर पूछा—क्या है ? इसे बाँध कर क्यों ला रहे हो ?

"सरकार !"—एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा—"इसी ने हमारे मेगज़ीन में आग लगाई है। सारा अस्त्रागार चौपट हो गया। पचास हज़ार से अधिक सैनिक इस धड़ाके में मरे हैं।"

ग्रेट क्रोध से काँपने लगा। उसने पूछा—कैसे जानते हो कि इसी ने आग लगाई है ?

सैनिक ने अपने दूसरे साथी की ओर सङ्केत करके कहा—मैं इनके साथ अस्त्रागार से थोड़ी दूर पर खड़ा बातें कर रहा था। अचानक मैंने देखा, अस्त्रागार के दरवाज़े के पास से एक मनुष्य बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा है; और उसके हाथ में एक छोटा सा जलता हुआ मशाल है। हम लोगों ने दौड़ कर इसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर यह हमारे हाथ आया। इसे बाँध कर मैं जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, मैंने धड़ाके की भीषण आवाज़ सुनी।

क्रोध और क्षोभ से ग्रेट बेचैन हो उठा था। उसने पुकारा—कोरिन्थियस !

कोरिन्थियस ने बड़ी ही शान्ति से उत्तर दिया—क्या है ?

"सन्तरी का कहना सच है ?"

"हाँ !"

(साश्चर्य) "हाँ ?"

"हाँ"

"तुमने अस्त्रागार में आग लगाई ?"

"हाँ"

"क्यों लगाई ?"

"अपने स्वदेश की रक्षा के लिए। आप अकारण ही हमारे देश का नाश कर रहे हैं। हमारी स्वाधीनता, हमारे जीवन पर आपकी लालची आँखें लगी हुई हैं। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है।"

"तुम्हारा स्वदेश कौन है ?"

"कार्थेज"

"तो क्या तुम सैरीन के रहने वाले नहीं हो ?"

"नहीं, मैं कार्थेज का निवासी हूँ। कार्थेज मेरी मातृभूमि है।

"नीच ! तुम्हें अपने काम का परिणाम मालूम है ?"

"ख़ूब मालूम है। अधिक से अधिक मृत्यु।"

"तो तुम्हें उसका डर नहीं है ?"

"मृत्यु से डर ! बिलकुल नहीं, जीवन का ही तो दूसरा नाम मृत्यु है।"

ग्रेट क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कड़क कर कहा—अभी इस कुत्ते को गोली से उड़ा दो।

आज्ञा की देर थी। तुरन्त कई बन्दूकों के व्याघ्र-मुख कोरिन्थियस की ओर हो गए। परन्तु दूसरे ही क्षण ग्रेट के हृदय का शैतान जाग उठा। उसने सोचा, ऐसे भीषण अपराधी की इतनी सहज मौत। उसने सैनिकों को रोका—ठहरो, आज इसे क़ैद रक्खो, कल विचार करके इसे ऐसा दण्ड दिया जाएगा, जिसे देख कर देखने वाले जन्म भर याद रक्खें और इसे भी इसकी करनी का उचित फल मिले।

ग्रेट आगे बढ़ गया। सैनिकों के पहरे में कोरिन्थियस क़ैदख़ाने की ओर चला।

क

ग्रेट ने अपने सहकारी जी० हैमलेट से पूछा—क्यों ? तुम्हें मालूम हुआ, यहाँ की बातों को कार्थेज वालों को कौन बतलाया करता है ?

"जी हाँ।"

"फ़ौरन उसे मेरे सामने लाओ।"

"वह आपकी आज्ञा से क़ैदख़ाने में बन्द है। आज्ञा हो तो मँगवाऊँ।"

"हाँ, मँगवाओ। उसका नाम क्या है ?"

"कोरिन्थियस।"

कोरिन्थियस का नाम सुन ग्रेट मर्माहत विषधर की तरह चौंक उठा। उसने क्रोध-कम्पित स्वर से पूछा—तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई ?

"कोरिन्थियस ने जेल में यह बात स्वयं स्वीकार किया है।"

ग्रेट की आज्ञा से कोरिन्थियस तुरन्त हाज़िर किया गया। ग्रेट ने उससे पूछा—कोरिन्थियस ! कार्थेज वालों को यहाँ की ख़बरें तुम्हीं से मिलती थीं ?

कोरिन्थियस ने बड़ी ही शान्ति से उत्तर दिया—जी हाँ।

"तुम उन्हें कैसे सब बातें बताया करते थे ?"

"क्या यह भी बताना होगा ?"

"अवश्य।"

"और अगर नहीं बताऊँ ?"

"तो तुम्हें भीषण यन्त्रणा देकर मार डाला जाएगा।"

कोरिन्थियस ने उठ कर हँसते हुए कहा—मैगज़ीन में आग लगाने के कारण आप मुझे मृत्यु-दण्ड देंगे ही ; फिर न बताने के कारण क्या मुझे दूसरी बार भी मरना होगा ?

निरुत्तर ग्रेट ने तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा। कोरिन्थियस फिर कहने लगा—नहीं बताने में मुझे कोई लाभ नहीं, इसलिए बताता हूँ। रात में जब आप सो जाया करते थे, मैं आपका वेश बना कर धीरे से निकल जाया करता था। आपके वेश में होने के कारण आपके सैनिक कोई रोक-टोक नहीं करते थे।

ग्रेट का क्रोध से बुरा हाल था। पर उसने अपने क्रोध और प्रतिहिंसा के भाव को भलमनसाहत का जामा पहनाते हुए कहा—कोरिन्थियस ! तुम कार्थेज सेना की कुछ बातें यदि मुझे बता दो तो ऐसा भीषण अपराध करने पर भी मैं तुम्हें केवल मुक्त ही न कर दूँगा, बल्कि अपना सेनापति भी बना लूँगा।

कोरिन्थियस ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया—यह असम्भव है।

"असम्भव है ?"

"जी हाँ।"

"तो तुम नहीं बताओगे ?"

"कदापि नहीं।"

"तो नीच, मरने के लिए तैयार हो जा।"

"मैं तैयार हूँ। आप अपनी इच्छा पूरी करें।"

ग्रेट ने सैनिकों को हुक्म दिया—इसे छाती तक ज़मीन में ज़िन्दा गाड़ कर कुत्ते से नुचवा डालो।

सैनिकों ने ज़मीन खोद कर तुरन्त आज्ञा का पालन किया। देखते-देखते कोरिन्थियस, देशसेवक, भाग्यवान् कोरिन्थियस ज़मीन में गाड़ दिया गया। ग्रेट ने पूछा—कोरिन्थियस, अभी भी समय है, तुम भेद की बातें बता कर छूट सकते हो। बोलो, बताते हो !

"कभी नहीं।"

ग्रेट ने दूसरी आज्ञा दी—इसके सर पर किरोसिन तेल में भिगोया हुआ कपड़ा रख कर आग लगा दो।

आज्ञा पूरी हुई। कोरिन्थियस के बाल जलने लगे, उसे मर्मान्तक पीड़ा होने लगी। ग्रेट ने कहा—अभी भी बचाए जा सकते हो। कोरिन्थियस ने बड़ी ही दृढ़ता से उत्तर दिया—"चुप रहो।"

ग्रेट की आज्ञा से बचे हुए कसर को पूरा करने के लिए उस अनुपम देशसेवक पर कुत्ते भी छोड़ दिए गए। वे मृत्यु-दूत कोरिन्थियस के अङ्गों से उलझने लग गए।

उस दृश्य को देख, सूर्य पर शोक का काला बादल छा गया। समीर सहम गया। देवगण आँसू बरसाने लगे। पर वे पिशाच कोरिन्थियस को तड़प-तड़प कर मरते देख अट्टहास कर रहे थे।

❀ ❀ ❀

कार्थेज स्वतन्त्र हो गया। कोरिन्थियस के आत्म-बलिदान को देख, स्वतन्त्रता देवी को कार्थेज वालों को छोड़ जाने का साहस नहीं हुआ। वे वहीं रह गईं। उनके स्वागत-सम्मान के लिए कार्थेज दुलहन की भाँति सजाया गया था। लोगों में आनन्द और उत्साह का पारावार न था। कहीं कोरिन्थियस के 'स्टेचू' की और कहीं उसके तस्वीर की देवता की भाँति पूजा हो रही थी। उसकी अमर कीर्त्ति, उसकी उज्ज्वल देशभक्ति और उसका गौरवपूर्ण नाम सभी की ज़बान पर अठखेलियाँ कर रहे थे।

* * *



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

(शेषांश)

इटली का शासन-विधान

साधारण अदालतों के न्यायाधीशों को, न्याय-मन्त्री की सलाह से राजा नियुक्त करता है। आमतौर से तीन वर्ष पश्चात् ये न्यायाधीश अपने पद से नहीं हटाए जा सकते।

शासकीय अदालतों का सङ्गठन फ़्रान्स के ढङ्ग पर किया गया है। प्रत्येक प्रान्त में एक शासकीय अदालत होती है, जिसमें कुछ प्रान्तीय अफ़सर बैठते हैं। इस अदालत की अपील कौन्सिल ऑफ़ स्टेट (Council of State) के एक विशेष विभाग द्वारा सुनी जाती है। इसकी बैठक रोम में होती है और इसके सदस्यों को, मन्त्रियों की सलाह से, राजा नियुक्त करता है। इस अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सदा बड़ी तत्परता से की है।

इटली में ७९ प्रान्त हैं। प्रान्त के शासक को 'प्रीफ़ेक्ट' (Prefect) कहते हैं। उसे भी मन्त्री की सलाह से राजा ही नियुक्त करता है। 'प्रीफ़ेक्ट' प्रान्त का शासक होने के अलावा सरकार का स्थानीय एजेण्ट भी होता है। उसके अधिकार और कर्तव्य बिल्कुल वही होते हैं, जो फ़्रान्स में एक 'प्रीफेक्ट' के होते हैं। यही नहीं, फ़्रान्स के 'प्रीफ़ेक्ट' की भाँति वह राजनीति में ज़ोरों से भाग लेता रहता है और चुनाव में अपने पार्टी को जिताने का सदा प्रयत्न करता है। 'प्रीफेक्ट' की सहायता के लिए कई अफ़सर रहते हैं, जो मिल कर प्रान्तीय कैबिनेट बनाते हैं।

प्रत्येक प्रान्त में एक 'प्रान्तीय कौन्सिल' होती है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा होता है। इस कौन्सिल के कार्य वही होते हैं, जो फ़्रान्स की प्रान्तीय कौन्सिलों के होते हैं। प्रान्तीय कौन्सिल की बैठक प्रत्येक वर्ष कई महीने तक होती है। जब बैठक समाप्त होने को होती है, तो काम करने के लिए कौन्सिल अपने सदस्यों में से एक कमीशन नियुक्त कर देती है। 'प्रीफ़ेक्ट' पर प्रान्तीय कौन्सिल का कोई अधिकार नहीं रहता। कौन्सिल भी किसी 'प्रीफ़ेक्ट' को उसके पद से हटा नहीं सकती। पर शासन चलाने के लिए 'प्रीफ़ेक्ट' को जितने रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, उतने रुपए उसे कौन्सिल द्वारा ही मिलते हैं। फलतः 'प्रीफेक्ट' को कौन्सिल को सदा सन्तुष्ट रखना पड़ता है।

प्रान्त के भागों को arrondissements तथा canton कहते हैं। अन्त में 'कम्यून' होते हैं। इटली में लगभग ८,२०० कम्यून हैं। प्रत्येक 'कम्यून' में एक कौन्सिल होती है। इन कौन्सिलों को जनता चुनती है। इनका अधिकार नगरों या क़स्बों पर रहता है। प्रत्येक कौन्सिल अपना एक मेम्बर चुनती है तथा उसकी सहायता के लिए एक कमीशन नियुक्त करती है। मेयर का कार्य-काल तीन वर्ष का होता है।

इटली की शासन-पद्धति समझने के लिए इटली की राजनीतिक पार्टियों को समझाना अत्यावश्यक है। बिना राजनीतिक पार्टियों को समझे इटली की वर्तमान समस्याओं का समझना महान् कठिन है। इटली की आधुनिक राजनीति का श्रीगणेश १९वीं सदी से होता है। कवूर जो सन् १८९२ में प्रधान मन्त्री बना था, किसी विशेष दल का आदमी न था। वह अनुदार विचार का आदमी था, यद्यपि बहुधा उसके विचार उदार हो जाते थे। उसने अपने बहुत से राजनीतिक चेले बना लिए थे। कवूर के मरने के पश्चात् तथा इटली में एकता हो जाने के बाद दो दल हो गए। एक अनुदार दल तथा दूसरा उदार दल कहलाता था। अनुदार दल का उत्तर इटली में अधिक ज़ोर था और दक्षिण इटली में उदार दल का बोलबाला था। सन् १८७० से लेकर कुछ वर्षों तक अनुदार दल का ही वहाँ की चैम्बर में बहुमत था। परन्तु सन् १८७६ से लेकर बीस वर्ष तक उदार दल का बहुमत बना रहा। सन् १८९६ में अनुदार दल के हाथों में पुनः शासन-भार आया, परन्तु यह दल बहुत काल तक बहुमत को अपने पक्ष में न रख सका।

इटली के इतिहास में तीन राजनीतिक समस्याओं का विशेष स्थान है। पहिली समस्या का सम्बन्ध गिर्जाघरों से है। इटली की सरकार के सम्मुख अब तक जितने प्रश्न आए हैं, उनमें गिर्जाघर का प्रश्न सबसे कठिन है। इटली एक कैथोलिक प्रधान देश है। अतः पाठक आश्चर्य करेंगे कि एक कैथोलिक देश में गिर्जाघरों की यह हालत क्यों है? पाठकों को स्मरण होगा कि वियेना की कॉङ्ग्रेस ने रोम तथा अन्य पोप के राज्य पोप को दे दिए थे। पोप उन पर एक राजा की भाँति शासन करता था। फलतः सन् १८७० तक पोप की दो सूरतें थीं। प्रथमतः तो वह तमाम देशों के रोमन कैथोलिक का प्रधान पादड़ी था और साथ ही वह रोम आदि कई स्थानों का राजा भी था। पोप के राज्य में कोई विधान न था। राजा की हैसियत से उसके अधिकार असीम थे। उसके मन्त्री तो होते थे, पर कोई पार्लामेण्ट न थी। वह स्वयं गवर्नरों तथा मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करता था। वही क़ानून बनाता, उन्हें लागू करता और टैक्स लगाता था। इसलिए पोप के राज्यों की जनता उपर्युक्त स्थिति से सन्तुष्ट न थी। वह प्रतिनिधित्व-मूलक सरकार चाहती थी। इसलिए सन् १८४९ में उन्होंने एक राज्य-विधान के लिए घोर आन्दोलन किया। फलतः पोप नवे पियस (Pius IX) ने जनता को एक विधान दिया। पर इससे जनता सन्तुष्ट नहीं हुई और कुछ समय के लिए रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई थी। परन्तु शीघ्र ही फ़्रान्स ने बीच में पड़ कर पोप को पुनः सिंहासन पर बिठा दिया। पोप ने प्रजातन्त्र सम्बन्धी विधान वापस ले लिया और पुराने ढङ्ग से शासन करने लगा। परन्तु इटली में आन्दोलन बढ़ता ही जाता था। इटली सङ्गठित होने पर तुला हुआ था और रोम नगर को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। पाठकों को स्मरण होगा कि जब फ़्रान्स ने अपनी सेना इटली से हटा ली, तब इटली की सेना ने अवसर पाकर पोप के राज्यों को अपने में मिला लिया।

इटली की जनता पोप के धार्मिक अधिकारों का अन्त नहीं करना चाहती थी। बल्कि वह चाहती थी कि पोप कैथोलिकों का प्रधान बना रहे। अतः सन् १८७१ में इटली की पार्लामेण्ट ने एक क़ानून पास किया, जिसे Law of the Popal Guarantees कहते हैं। इस क़ानून ने पोप को राजाओं के समान बहुत से अधिकार दिए। पोप के विरुद्ध मुक़दमों को वही महत्व दिया गया, जो राजा के विरुद्ध मुक़दमों को दिया जाता है। अपने विशाल भवनों, अन्य कई इमारतों तथा उसकी निजी ज़मींदारी पर पोप को पूरा अधिकार दे दिया गया। उन पर कभी टैक्स नहीं लग सकता था। पोप के पास आए हुए दूतों को सब उचित अधिकार दिए गए। सरकारी अफ़सर पोप की भूमि पर बिना पोप की आज्ञा के नहीं जा सकते थे। सरकारी ख़ज़ाने से पोप को ६,२०,००० पौण्ड वार्षिक दिया जाता था। अस्तु—

इस क़ानून ने इटली में कैथोलिक गिर्जाघर के प्रति भी अनेक रियायतें कीं। पादड़ियों पर से अनेक बन्धन उठा लिए गए। पर इन सब बातों से पोप सन्तुष्ट नहीं हुआ। पोप का घाव बहुत गहरा था और उपर्युक्त क़ानून रूपी मलहम से अच्छा न हो सकता था। फलतः उसने क़ानून को मानने से एकदम इन्कार कर दिया। उस समय से लेकर अब तक किसी भी पोप ने अपने भूमि के बाहर पैर नहीं रक्खा और न एक पैसा सरकारी ख़ज़ाने से लिया। पोप और सरकार में तनातनी बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पोप तेरहवें लिओ (Leo) ने कैथोलिकों को आज्ञा दी कि वे चुनाव में वोट न दें और न कोई सरकारी पद ही स्वीकार करें। पर यह असहयोग की नीति सफल न हुई। १९०९ में पोप ने अपनी नीति बदल दी और कैथोलिकों से वोट देने को कहा गया, ताकि पोप के विरोधी न चुने जा सकें। फलतः एक कैथोलिक पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। पर युद्ध

मर न जाते तो और क्या करते?

[श्री० प्रतापनारायण जी 'वफ़ा', एम० ए०, शाहजहाँपुरी]

तेरे बीमार और क्या करते,
करते तो मौत की दुआ करते!
फिर अगर हम कोई ख़ता करते,
तो वह कुछ और भी सज़ा करते!
बे-वफ़ाई की हद भी है कोई,
आप वादा कभी वफ़ा करते!
हम तेरे इश्क़, तेरी उल्फ़त में,
मर न जाते तो और क्या करते?
आरज़ू है कि आरज़ू दिल की,
वह सुना करते, हम कहा करते।
जीने-मरने का लुत्फ़ तो जब था,
रोज़ मर-मर के हम जिया करते।
तुमको ग़ैरों से जब न थी फ़ुरसत,
किस तरह हमसे फिर मिला करते!
हम समझते तुम्हें है पासे वफ़ा,
तुम 'वफ़ा' से अगर वफ़ा करते।

❀ ❀ ❀

के अन्त के पहिले तक इस पार्टी का चैम्बर में ज़ोर न था। युद्ध के समय पोप और सरकार में बहुत-कुछ मित्रता हो गई और युद्ध के अन्त होते ही कैथोलिक पार्टी का पुनः सङ्गठन किया गया। इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब यह पार्टी निम्नलिखित बातें चाहती है—(१) औरतों को मताधिकार, (२) आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और (३) सिनेट का पुनः सङ्गठन इत्यादि। यह पार्टी साम्यवाद की घोर विरोधिनी है।

साम्यवाद का प्रश्न पिछले पचास वर्षों में इटली के सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इटली के एक हो जाने पर कुछ काल तक साम्यवाद ने कुछ उन्नति नहीं की। क्योंकि गरम-दल वाले अराजकता को साम्यवाद से अधिक पसन्द करते थे। जब-जब साम्यवादियों ने अपनी कोई पार्टी खड़ी करनी चाही, तब-तब अराजकों ने उनकी दाल न गलने दी। सन् १८६० के पश्चात् साम्यवादी एक पार्टी बना सके। और तब से क्रमशः पार्टी उन्नति करती गई। गत यूरोपीय महायुद्ध के समय साम्यवादियों ने सरकार की पूरी सहायता की, जैसा कि अन्य देशों के साम्यवादियों ने भी किया था। युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपना काम प्रारम्भ कर दिया। रूस और जर्मनी की क्रान्तियों से उत्साहित होकर वे कम्यूनिस्ट बन बैठे। सन् १९१९ की साम्यवादी कॉङ्ग्रेस के अवसर पर साम्यवादियों ने अपने सम्मुख एक गरम योजना रक्खी। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) से अपना सम्बन्ध स्थापित किया। पूँजीवाद के अन्त करने की माँग पेश की तथा सोवियट-योजना को कार्यान्वित करना चाहा। सन् १९१९ के चुनाव में साम्यवादी पार्टी के लोग सबसे अधिक चुने गए। देश में हड़तालों की धूम मच गई। स्थानीय सोवियटों का सङ्गठन किया गया। मज़दूरों ने फ़ैक्टरियों पर अपना अधिकार जमाना चाहा। रोम में मन्त्रिमण्डल चुपचाप बैठा था। प्रधान-मन्त्री गिओलिटी (Giolitti) को आन्दोलन के दबाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इटली कम्यूनिज़्म की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था।

इसी अवसर पर मुसोलिनी का फ़ेसिज़्म (Fascism) आ टपका। फ़ेसिज़्म इटली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसका श्रीगणेश युद्ध के प्रारम्भ-काल से हुआ था, जब इटली युद्ध में भाग नहीं ले रहा था। उस समय इटली में एक आन्दोलन चल पड़ा जो चाहता था कि इटली युद्ध में रूस, इङ्गलैण्ड तथा फ़्रान्स की तरफ़ से भाग ले। वे लोग साम्यवादियों के विरोधी केवल इसी मानी में थे कि उनकी धारणा थी कि साम्यवादी ही इटली को युद्ध से अलग किए हुए थे। सन् १९१५ में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से इटली युद्ध में शामिल हो गया। फलतः उपर्युक्त सङ्गठन की कोई आवश्यकता न रही। युद्ध का अन्त हो जाने पर सङ्गठन पुनः जीवित किया गया। इस समय इस सङ्गठन का प्रधान बेनिटो मुसोलिनी (Banito Mussolini) था। मुसोलिनी एक जर्नलिस्ट था और कभी साम्यवादी भी रह चुका था। इस फ़ेसिस्ट सङ्गठन के सामने दो प्रधान काम थे—(१) राष्ट्रीय भाव को जीवित रख कर देश में शान्ति क़ायम रखना और (२) कम्यूनिस्ट योजना का विरोध करना। आवश्यकता पड़ने पर तलवार से भी। पहिले तो इसके अनुयायियों की संख्या अधिक न थी, पर सन् १९२० में इटली में कम्यूनिस्टों ने उधम मचा दिया और देश भर में अशान्ति फैला दी थी। फलतः इसके अनुयायियों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। भूतपूर्व सैनिक अफ़सर, रोज़गारी, अध्यापक, विद्यार्थी, किसान तथा मज़दूर, सभी इसमें शामिल होने लगे। ये लोग काली क़मीज़ें पहनते थे, इन लोगों का सङ्गठन कम्पनियों में किया गया था और इन्हें सैनिक डिसिप्लिन माननी पड़ती थी। ये लोग सशस्त्र रहते थे और खुल्लमखुल्ला क़वायद सीखते थे।

इधर यह सब हो रहा था, उधर साम्यवादियों में आपस में फूट पड़ गई। नरम विचार के लोग बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और रूस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सभा से अपना सम्बन्ध तोड़ देना चाहते थे। आपस की फूट के कारण पार्टी कमज़ोर हो गई।

कम्यूनिस्टों ने मज़दूरों से आम हड़ताल करने को कहा। फ़ैसिस्टों ने कम्यूनिस्टों की चुनौती को स्वीकार कर लिया और लोहा लेने को तैयार होगए। जहाँ-जहाँ मज़दूरों ने हड़तालें कीं, वहाँ-वहाँ फ़ैसिस्टों ने अपने आदमी रख दिए। उन्होंने फ़ैक्टरियों और कारख़ानों से कम्यूनिस्टों को मार भगाया और उन्हें पुराने मालिकों को सौंप दिया। स्थानीय सोवियट तहस-नहस कर डाले गए। फ़ैसिस्टों के मारे कम्यूनिस्टों का नाक में दम आ गया। देश भर में फ़ैसिस्टों की तूती बोलने लगी।

अवसर से लाभ उठा कर फ़ैसिस्टों ने मन्त्रि-मण्डल को अल्टीमेटम दे दिया। सन् १९२२ के अक्टूबर को चारों तरफ़ से फ़ैसिस्ट सङ्गठन ने रोम पर धावा बोल दिया। उन्होंने रोम के चारों तरफ़ पड़ाव डाल दिया और मन्त्रि-मण्डल से कहा कि वह शासन की बागडोर फ़ैसिस्टों को सौंप दे।

मन्त्रि-मण्डल से कुछ करते-धरते न बना। उसने घुटने टेक दिए। मुसोलिनी प्रधान मन्त्री बनाया गया। उसने अपनी पसन्द की एक कैबिनेट बना ली और चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ से स्पष्ट कह दिया कि यदि वह उसका समर्थन नहीं करेगी तो वह तोड़ दी जावेगी। चैम्बर ने मुसोलिनी की आज्ञाओं को मानना स्वीकार कर लिया। सन् १९२३ का क़ानून चैम्बर द्वारा मान लिया गया। पचास वर्षों में आज पहले-पहल इटली को एक ऐसा प्रधान मन्त्री मिला था, जो चैम्बर को उँगलियों पर नचाता था। मुसोलिनी ने सरकारी ख़र्चे में बहुत कमी कर दी और बजट को बराबर कर दिया। उसने सैकड़ों सरकारी अफ़सरों को निकाल बाहर किया। जिसने उसका विरोध किया, वह बुरी तरह कुचल दिया गया। जिसने नुक़्ताचीनी की, वह पीस दिया गया। मुसोलिनी के सामने ठहरना मामूली बात न थी। अस्तु।

वैदेशिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर मुसोलिनी ने जनता को सन्तुष्ट कर दिया और देश भर में मुसोलिनी की धूम मच गई।

फ़ैसिज़्म क्या है? बहुधा लोग कहा करते हैं कि फ़ैसिज़्म के मानी हैं, पूँजीपतियों का निरङ्कुश शासन। उनका कहना है कि
ग़रीबों को है, फ़ैसिज़्म में वही स्थान अमीरों को है। पर फ़ैसिज़्म वास्तव में यह नहीं है। फ़ैसिज़्म का कहना है कि देश में किसी एक श्रेणी का आधिपत्य न हो, चाहे वह श्रेणी अमीरों की हो या ग़रीबों की। देश का शासन तमाम लोगों की भलाई के लिए हो तथा किसी एक श्रेणी को विशेष महत्त्व न दिया जावे। किसी एक श्रेणी को यह अधिकार नहीं है कि तमाम देश के शासन का सञ्चालन अपने भलाई के लिए करे। फ़ैसिज़्म में श्रेणी-युद्ध को कोई स्थान नहीं है; क्योंकि इस युद्ध से केवल उन्हीं लोगों को लाभ होता है जो युद्ध में भाग लेते हैं। अन्यथा अन्य सभी को हानि ही होती है। सरकार को शक्तिशाली बना कर ही श्रेणी-युद्ध बन्द किया जा सकता है। सरकार का सङ्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि तमाम जनता को लाभ हो। किसी भी एक श्रेणी का सरकार पर अधिकार न हो। उद्योग-धन्धों का सङ्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि श्रेणी-युद्ध बन्द हो जाएँ।

पर ये सब सिद्धान्त की बातें हैं। फ़ैसिज़्म का वास्तविक रूप इटली में भिन्न ही है। उसे निरङ्कुशता का नग्न चित्र समझना चाहिए। फ़ैसिज़्म ने विरोध को कभी भी सहन नहीं किया है, वह विरोध चाहे जितना वैध क्यों न हो। प्रेसों को स्वाधीनता नहीं दी गई है। वे स्वतन्त्रता से लिख नहीं सकते। प्रेसों पर सेन्सर लगा रहता है। लोगों को व्याख्यान देने की स्वतन्त्रता नहीं है। लोगों के मुँह पर ताला लगा रहता है। फलतः लोग फ़ैसिज़्म से सन्तुष्ट नहीं हैं। लोग मुसोलिनी के फ़ौलादी शासन को पसन्द नहीं करते।

फ़ैसिज़्म की वैदेशिक नीति क्या है? यूरोपीय राष्ट्रों में इटली के लिए एक ऊँचा स्थान प्राप्त करना तथा इटली के साम्राज्य का विस्तार करना। इटली के उपनिवेश हॉलैण्ड और पुर्तगाल से भी कम हैं। जब अन्य यूरोपीय राष्ट्र उपनिवेश बना रहे थे, इटली सो रहा था। पर अब भी उत्तरीय अफ़्रीका में उपनिवेश की गुञ्जाइश है। इटली की आबादी अत्यन्त अधिक है। कोयला तथा लोहा देश में नहीं के बराबर है। खाद्य सामग्री के लिए भी इसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से इटली को एक साम्राज्य की आवश्यकता है। मुसोलिनी एक साम्राज्य की तलाश में हैं। भूमध्य महासागर (Mediterranean Sea) ही इटली के लिए एक सागर है। उस पर भी इटली का अधिकार नहीं है। इङ्गलैण्ड उस पर अपना अधिकार जमाए है। मुसोलिनी उस पर इटली का अधिकार जमाना चाहता है। पर यह सब कैसे होगा, इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए मुसोलिनी तथा इटली के अन्य राजनीतिज्ञ अपना दिमाग़ ख़र्च कर रहे हैं।

❀ ❀ ❀

माई डियर का दख़ल हो हर बोल-चाल में !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

भूले से भी कभी न करेंगे सवाल में,
हिस्सा अगर मिले उन्हें मुरदे के माल में।
खेलेंगे हम न "मैच" मुहब्बत को "फ़ील्ड" पर,
"आउट" न हम यहाँ हों कहीं एक "बॉल" में।
सब को पड़ी हुई है, फ़क़त अपने पेट की,
मेहमान का लेहाज़ नहीं ऐसे काल में।
"फ़ैशन" तो कह रहा है कि ज़ेबा है हर तरह,
नाचो मिसों के साथ मटक कर जो हॉल में।
हमको तो बूए रोग़ने गुल का नहीं दिमाग़,
"एडी कूलन" हो तो लगाएँ भी बाल में।
"टाई" गले में "हैट" हो सर पर लगी हुई,
"माई डियर" का दख़ल हो हर बोल-चाल में।
यह जानती है हेच हसीनाने हिन्द को,
कहती है "मिस" कि फ़र्द हों हुस्नो जमाल में।
होटल में खा' बैठ के "बेकन" भी "बीफ़" भी,
कुछ फ़र्क़ रह गया न हरामो-हलाल में।
मशहूर किस लिए न हो "बिस्मिल" की शायरी,
सच है कि ख़ूब लिखते हैं यह बोल चाल में।

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ



बड़के भय्या—ओफ़ ! इतनी अर्क़रेज़ी करने पर भी कोई जगह नहीं ??
मि० चर्चिल—(मन में) वतन-फ़रोशों के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है !



अन्तर !!

प्रतीक्षा कीजिए !

'भविष्य' के आगामी अङ्क में कई दुर्लभ चित्र तथा कार्टून आदि प्रकाशित होंगे। पुरस्कार-प्रतियोगिता के सम्बन्ध में भी एक नई सूचना की प्रतीक्षा कीजिए !



माडर्न उमर खय्याम !



पोस्टमैन—हुज़ूर अख़बार की वी० पी० है।
पाठक—वापस कर दो। तम्बाक़ू तक मँहगा हो गया है !

FINE ART PRINTING COTTAGE ALLAHABAD

मेरी काबुल-यात्रा

[लेखक मौ० हसन निज़ामी ; अनु० चौधरी शिवनाथसिंह शाण्डिल्य]

अभी पिछले दिनों दिल्ली के मुस्लिम नेता ख़्वाजा हसन निज़ामी साहब काबुल गए थे। इस यात्रा का मनोरञ्जक वर्णन, ख़्वाजा साहब की विशेष आज्ञा से, उनके उर्दू रोज़नामचे से अनुवाद करके, 'भविष्य' के पाठकों के विनोदार्थ प्रकाशित किया जाता है। —अनुवादक

पेशावर से रवानगी

गत १७ सितम्बर सन् १९३१ को ठीक ११ बजे पेशावर से काबुल की तरफ़ रवाना हुआ। पेशावर की आबादी से बाहर निकलते ही, पहाड़ों के बीच में एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। यह वह जगह है, जहाँ सुल्तान महमूद ग़ज़नवी का हिन्दू-फ़ौज से पहिला मुक़ाबला हुआ था। यह जगह कच्ची गढ़ी के नाम से मशहूर है। इससे थोड़ी दूर आगे प्रसिद्ध सिक्ख सरदार हरिसिंह नलवा का थाना दिखाई दिया। इस स्थान को हरिसिंह का बुर्ज कहते हैं। इस इलाके में सरदार हरिसिंह ने ख़ूब प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इसी जगह वह एक अफ़ग़ान के हाथ से मारा गया था।

इसके थोड़ी दूर आगे जमरूद का क़िला आया। यह भी हरिसिंह नलवा का बनवाया हुआ है। कहते हैं, इसकी बुनियादों में अफ़रीदियों के सर काट कर रक्खे गए थे। इस समय इस क़िले में अङ्गरेज़ी फ़ौज रहती है। जमरूद के क़िले के बाद शहगई का क़िला आता है। यह बहुत मज़बूत और शानदार है। यह सड़क भारत-सरकार के अधिकार में है। परन्तु आस-पास जो सरहदी क़बीले (जातियाँ) रहते हैं, वे स्वाधीन हैं; उन पर किसी का शासन नहीं है।

सरहदी मोरचे

सरहद के इन स्वाधीन क़बीलों के मकान कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं। हर एक मकान के अन्दर एक ऊँचा मीनार होता है, जो दूर से ही दिखाई देता है। मीनार के ऊपरी हिस्से में बन्दूक़ चलाने के लिए सूराख़ बने रहते हैं। एक मीनार में चार-पाँच आदमी खड़े होकर बन्दूक़ें चला सकते हैं। यह मीनार हमेशा काम में आते रहते हैं; क्योंकि सरहदी जातियों में सदैव ही युद्ध छिड़ा रहता है। कभी वह अङ्गरेज़ सरकार से लड़ते हैं और कभी आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस प्रकार इन मोरचों का इस्तेमाल बराबर जारी रहता है।

ख़ैबर-घाटी

शहगई के क़िले के बाद अली मसजिद आई। यहीं से ख़ैबर-घाटी शुरू होती है। इस घाटी का हाल बचपन से सुनता था। प्रसिद्ध जातीय कवि हफ़ीज़ जालन्धरी जिस समय इस घाटी के सम्बन्ध की कविता सुनाते थे, तो मेरा दिल फड़क उठता था और घाटी को देखने की इच्छा बलवती हो जाती थी। किताबों में पढ़ा था, कि यह घाटी इतनी तङ्ग है कि एक समय में एक सवार मुश्किल से गुज़र सकता है और दूसरा सवार इसके बराबर नहीं चल सकता। दस-बारह मील तक यह रास्ता ऐसा ही तङ्ग है। यह वही घाटी है, जिसमें से गुज़र कर सुल्तान महमूद ग़ज़नवी, शहाबुद्दीन ग़ोरी तथा नादिरशाह दुर्रानी ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था। मुझे इस घाटी के देखने का बड़ा शौक़ था, मगर मुझे बड़ी निराशा हुई। और मेरा सारा शौक़ बरबाद हो गया। जब मैंने देखा कि इस घाटी का प्राचीन महत्व और गौरव इस समय शेष नहीं है, युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण यह घाटी चौड़ी कर दी गई है। अली मसजिद से ढक्का तक, जहाँ यह घाटी समाप्त होती है, कई चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं। यह भी सम्भव है कि वह असली घाटी दूसरी ओर रह गई हो और हमारी मोटर किसी दूसरे रास्ते से गुज़री हो। पर इसमें सन्देह नहीं कि इन नए रास्तों के कारण प्राचीन घाटी की विशेषता बिल्कुल जाती रही है, अली मसजिद से ढक्का तक लगभग बारह-तेरह मील का यह फ़ासला ख़ैबर-घाटी कहलाता है। पहिले यह घाटी अफ़ग़ानों के क़ब्ज़े में थी। लेकिन अब अङ्गरेज़ों के अधिकार में है।



ख़्वाजा हसन निज़ामी

पेशावर से २६ मील पर लण्डीकोतल की छावनी आती है। इसके बाद लण्डीख़ाना और उसके आगे तूरख़ाम नामक स्थान आता है, जहाँ पर अङ्गरेज़ सरकार की ओर से पासपोर्ट देखे जाते हैं। मैं तूरख़ाम के पासपोर्ट-ऑफ़िस में लगभग एक घण्टे बैठा रहा, यहाँ यह अजीब तमाशा दिखाई दिया कि भिन्न-भिन्न देशों के लोग अपने पासपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे थे। एक सज्जन बदख़्शाँ के रहने वाले थे। रुई का चोग़ा पहने हुए थे। मैंने पूछा—"क्यों जनाब, बदख़्शाँ में 'लाल' अब भी होते हैं।" उन्होंने जवाब दिया—"लाल क्या चीज़? लाल तो वहाँ नहीं होते।" यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तक सुनता था कि बदख़्शाँ में लाल पाए जाते हैं। मगर आज यहाँ अनुभव हुआ, कि बदख़्शाँ में ऐसे लोग भी रहते हैं, जो लालों का नाम तक नहीं जानते।

एक घण्टे आराम करने के बाद मैंने फिर अपनी यात्रा आरम्भ की। जिस मोटर में मैं सवार था, वह छः हज़ार रुपए मूल्य की थी। पर उसका मालिक बहुत फटे-पुराने कपड़े पहने हुए था। मैंने वजह दरियाफ़्त की तो कहने लगा कि ख़ुदा ने सब कुछ दिया है, मोटर से काफ़ी आमदनी भी है, मगर फटे कपड़े इस वास्ते रखता हूँ कि सरहदी लोग अमीर समझ कर लूट न लें।

तूरख़ाम से आगे ढक्का आया। यहाँ पर अफ़ग़ान सरकार की चौकी है और पासपोर्ट देखे जाते हैं। रास्ते में जगह-जगह बहुत सी क़बरें दिखाई देती थीं। दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि पिछली क्रान्ति के समय जो लड़ाइयाँ हुई थीं, उनमें ये लोग मारे गए थे। रास्ते में बहुत से पठान मिलते थे। ये सभी फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थे। मोटर-ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये सभी ज़मींदार हैं और धनवान हैं, परन्तु अपनी दशा छिपाने के लिए फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हैं।

जलालाबाद

तीसरे पहर मोटर जलालाबाद पहुँची। मगर मैं यहाँ ठहरा नहीं; क्योंकि ढक्का के अफ़ग़ान अफ़सर कर्नल मुहम्मद हुसैन साहब ने कह दिया था कि आप रात को नमीला नामक स्थान पर ठहरें। वहाँ डाक-बँगला भी है।

जलालाबाद गर्म जगह है। सरदी के मौसम में अफ़ग़ान सरकार कभी-कभी यहाँ आ जाती है। स्वर्गीय सम्राट हबीबुल्ला ख़ाँ का मज़ार भी यहीं है। मैंने रास्ते में देखा, मज़ार पक्का बना हुआ है। जलालाबाद में भी अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए हैं। और सक्का-शाही के ज़माने में बहुत से मकान जला दिए गए थे, जो इस समय बिल्कुल निर्जन पड़े हैं।

जलालाबाद से आगे फ़तहाबाद आया। यहाँ पर मुरझाए हुए ख़रबूज़ बिक रहे थे और फ़ीकी चाय की बहुत सी दूकानें थीं।

नमीला

शाम के वक़्त नमीला पहुँचे। डाक-बँगले में ठहरे। यह डाक-बँगला शाहजहाँ बादशाह के बाग़ में है। यहाँ एक सुन्दर तालाब है और सरो के पेड़ लगे हैं, जो बड़ के पेड़ की तरह झपे हुए और फैले हुए हैं। इनके नीचे का हिस्सा इतना मोटा है कि दो आदमियों की गोद में नहीं आ सकता। अस्तु, रास्ते का बचा हुआ खाना मैंने स्वयं खाया और ड्राइवर को भी दिया, बाक़ी जो बच गया था, उसे बँगले के नौकरों को बाँटा। आज मैं इतना थका हुआ था कि रात को सोते ही ख़बर न रही। सुबह तीन बजे आँखें खुलीं। गर्मी जलालाबाद में ही ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ काफ़ी ठण्ड थी।

ख़ाकजबार की चढ़ाई

सुबह को नमीले से काबुल की तरफ़ चले। दोपहर के क़रीब ख़ाकजबार नामक पहाड़ की चढ़ाई आरम्भ हुई। यह इतनी भयानक है कि उसे काबुल की यात्रा करने वाला कभी नहीं भूल सकता। पग-पग पर ऐसा मालूम होता था कि मोटर लुढ़की और किसी खोह में गिर कर ख़त्म होगई। मुसलमान आक्रमणकारी कैसे बहादुर थे कि इन रास्तों में यात्रा करना एक साधारण बात समझते थे।

ख़ाकजबार की चढ़ाई समाप्त होने के बाद बुतख़ाक की मन्ज़िल शुरू होती है। बौद्ध-काल में यह जगह बौद्ध शासकों की राजधानी थी और यहाँ पर एक सुन्दर मन्दिर भी था। पर इस समय उसका कोई चिन्ह नहीं है। बुतख़ाक से थोड़ी दूर आगे काबुल का प्रसिद्ध क़िला 'बाला हिसार' दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद हम काबुल पहुँच गए। लाहौरी दरवाज़े में मोटर ठहरी, यहीं पर चुङ्गी-घर है, पर चुङ्गी वालों ने ड्राइवर की

ज़बान से मेरे नाम के पहिले 'हज़रत' शब्द सुन कर मेरा सामान नहीं देखा और मुझे आगे जाने की आज्ञा दे दी गई। यहाँ के सभी लोग फ़क़ीरों का बहुत आदर करते हैं।

मेरा निवास-स्थान

मैंने पेशावर से अफ़ग़ान सरकार के वैदेशिक मन्त्री को अपने काबुल पहुँचने की सूचना तार द्वारा भेज दी थी। पर उनके मकान का पता मालूम न था, इसलिए एक सिपाही से पता दरियाफ़्त किया गया। वह दौड़ कर आया और मेरी मोटर में बैठ गया और कहने लगा, चलिए मैं आपको वज़ीर साहब के मकान पर ले चलूँगा। मैंने कहा, अगर वज़ीर साहब का मकान दूर है, तो फिर आपको वापस आने में तकलीफ़ होगी। सिपाही ने जवाब दिया—'अगर दररूस बाशन्द मीरुम।' अर्थात् अगर वह रूस में हो तब भी आऊँगा।

कच्ची दीवारों के एक बड़े मकान के दरवाज़े पर मोटर रुकी। बाग़ के अन्दर से एक ख़ूबसूरत लड़का भागा हुआ आया और कहने लगा—"वज़ीर साहब बैरून रफ़्ता अन्द।" अर्थात् वज़ीर साहब बाहर गए हुए हैं। वज़ीर साहब के पिता घर पर मौजूद थे। मैंने अपना कार्ड भेजा तो तुरन्त बाहर आए। सरदार गुलमोहम्मद ख़ाँ नाम है। पहिले अफ़ग़ान सरकार की ओर से राजदूत थे और दिल्ली में रहा करते थे। मेरी इनसे अठारह साल की दोस्ती है।

सरदार गुलमोहम्मद ख़ाँ ने जब मुझे देखा, तो बड़े ख़ुश हुए और कहने लगे—आज वर्षों में मेरी कामना पूरी हुई। आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। मुझे बड़े आदर से घर के अन्दर ले गए और तुरन्त 'गर्मा' मँगा कर खिलाया। यह एक प्रकार का ख़रबूज़ा होता है, जो ज़ायके में सर्दे से बहुत बढ़िया होता है।

थोड़ी देर बाद वज़ीर साहब भी आ गए और वह भी मुझे देख कर बहुत ख़ुश हुए। कहने लगे, बादशाह सलामत को आपके आने की सूचना मिल गई है और उन्होंने आपके ठहरने के लिए एक अच्छे मकान का प्रबन्ध करा दिया है। पर अभी आप मेरे मकान पर ही ठहरें। मैं भी उनकी इस बात पर सहमत हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह का टेलीफ़ोन आया। आला हज़रत ने फ़रमाया :—

"मैं आपका ख़ैर मुक़द्दम (स्वागत) करता हूँ, और ख़ुशआमदीद (स्वागतम्) कहता हूँ। आप मेरे ज़ाती (व्यक्तिगत) मेहमान हैं। मेरे दस्तरख़ान का खाना आपके लिए आएगा, अलहदा मकान का बन्दोबस्त करा दिया है। मुझे अपना भाई ख़्याल कीजिए।"

मैंने जवाब दिया :—

"ख़ुदा ने आपको फ़ातिह (विजयी) बनाया है। आपके ये अलफ़ाज़ (शब्द) दिलों को फ़तह करने वाले हैं। यक़ीनन् मैं आपको भाई समझता हूँ।"

भोजन करने के बाद वज़ीर साहब से ख़ूब बातें हुईं। ये सारे संसार की यात्रा कर चुके हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। रात को थकावट की वजह से जल्दी सो गया। यहाँ पर इस समय नवम्बर के महीने की सी सर्दी है।

१९ सितम्बर सन् १९३१ को बहुत सवेरे उठा और आवश्यकताओं से निबट कर ख़त लिखे। थोड़ी देर बाद सरदार ईश्वरसिंह मिलने आए। यह नवयुवक अमेरिका की ग़दर-पार्टी के मेम्बर हैं। हवाई जहाज़ द्वारा रूस जाने वाले हैं और वहाँ से जर्मनी जाएँगे।

मैंने दरियाफ़्त किया, आपके कोई बाल-बच्चा भी है। कहने लगे कि हाँ थे, मगर अब सुना है, एक बच्चा मर गया। मुझे तो अपने उद्देश्य की लगन है। बाल-बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। यह कहते हुए उनकी आँखें प्रसन्नता और अभिमान से चमकने लगीं।

जिस समय मैं हिन्दुस्तान से काबुल के लिए चला था, उस समय पञ्जाब के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सरदार शार्दूलसिंह साहब ने इसी नवयुवक के लिए कहा था कि मैं अफ़ग़ान सरकार से कोशिश करके इन्हें हिन्दुस्तान आने की आज्ञा दिला दूँ। मगर यह स्वयं ही भारतवर्ष जाना नहीं चाहते। जर्मनी जाने का फ़ैसला कर चुके हैं और हवाई जहाज़ का टिकिट भी ख़रीद लिया है।

मैं शाम तक अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास पढ़ता रहा, जो मुझे मन्त्री महोदय के पुस्तकालय से मिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 'इस्लाह काबुल' नामक समाचार-पत्र के सम्पादक मिलने आए, यह सरकारी अख़बार है और सप्ताह में दो-बार प्रकाशित होता है। इसके दस हज़ार ग्राहक हैं।

२० सितम्बर सन् १९३१ ई० को नए मकान में चला गया, जो सरकारी तौर पर मेरे ठहरने के लिए नियत किया गया था। दोपहर के बाद वज़ीर साहब के साथ 'दारुलअमान' देखने गया, जो भूतपूर्व सम्राट अमीर अमानुल्ला ख़ाँ ने बनवाया है। दारुलअमान को जो सड़क गई है, वह बड़ी सुन्दर है, दोनों तरफ़ चिनार के ख़ूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ सरो की तरह सीधे हैं और इनके तने दूध की तरह सफ़ेद। यहाँ एक बहुत बढ़िया बाग़ है, जो काश्मीर के शालामार बाग़ से बड़ा है और उसके मुक़ाबले में ख़ूबसूरत भी ज़्यादा है। अमीर अमानुल्ला ख़ाँ का बनवाया हुआ और जर्मन इञ्जिनियर का बनाया हुआ, एक बड़ा विशाल भवन भी है, जिसको 'दारुलहुकूमत' कहते हैं। वर्तमान सम्राट ग़ाज़ी नादिरशाह इसकी छत बनवा रहे हैं, जो अब तक अधूरी पड़ी हुई है। इसी बाग़ में स्वर्गीय सरदार अली अहमदजान के पुत्र से भी भेंट हुई। सरदार अली अहमदजान को पिछली क्रान्ति के समय बच्चा सक़ा ने क़त्ल करा दिया था।

रात को अपने निवास-स्थान पर वापस आया। बड़ा ही सुन्दर मकान है और इसमें अनेक बहुमूल्य क़ालीन बिछे और मेज़-कुर्सियाँ लगी हुई हैं। बादशाह के रसोईख़ाने से खाना आया। कई तरह के पुलाव, अनेक प्रकार के मांस, चौड़ी-चौड़ी रोटियाँ, तरह-तरह की चटनियाँ, बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ, तरह-तरह के मेवे और कई प्रकार की तरकारियाँ थीं। भोजन इतना अधिक था कि बीस आदमी भी नहीं खा सकते थे। स्वर्गीय सरदार अब्दुल क़दूस साहब के पुत्र भी भोजन में शरीक थे, जो मेरी ख़ातिरदारी के लिए बादशाह सलामत की ओर से नियत किए गए थे।

सय्यद मोमिन साहब ने बच्चा सक़ा की मौत का दिलचस्प हाल सुनाया। वह उसके क़त्ल के समय स्वयं मौजूद थे। कहते थे, बारह आदमियों को एक साथ गोली से मारा गया था। मरने से पहिले इन लोगों का ख़ून ख़ुश्क हो गया था और चेहरे सफ़ेद हो गए थे। गोलियाँ लगने के बाद ख़ून बहुत कम निकला। बच्चा सक़ा के अत्याचारों से प्रजा इतनी नाराज़ थी कि उसकी लाश पर जूते बरसाए गए और एक स्त्री ने इसका गोश्त काट कर कबाब बनाया और सबके सामने खाया।

अफ़ग़ानी शिष्टाचार

'अश्तड़े माशे' 'मौंदा न बाशीद' अर्थात् तुमको थकावट न हो, तुम प्रसन्न-चित्त रहो। अफ़ग़ानिस्तान में ये वाक्य सर्व-साधारण में ख़ूब प्रचलित हैं। पश्तो बोलने वाले जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं—"अश्तड़े माशे"; सुनने वाला जवाब देता है—"मल्ख़ारे पी" अर्थात् तुम भी प्रसन्न रहो।

फ़ारसी बोलने वाले जब किसी से मिलते हैं, तो कहते, "मौंदा न बाशीद" अर्थात् तुम प्रसन्न-चित्त रहो, प्रत्येक कष्ट से बचे रहो। सुनने वाला इसके जवाब में कहता है, 'सलामत बाशीद।' अर्थात् तुम भी ख़ुश रहो। फिर दोनों खड़े होकर "जोड़ हस्ती" (तुम स्वस्थ रहो) 'ख़ूब हस्ती' (तुम अच्छे हो) 'अहवाल अशमाँ वगू' (अपना हाल कहो), 'अयाल ऐत्फ़ाल ख़ूब हसन्द' (बाल-बच्चे अच्छे हैं?)

तात्पर्य यह है कि दो-तीन मिनिट तक यही वाक्य दोहराए जाते हैं। तब दोनों मिलने वाले बैठ जाते हैं और दूसरी बातें होने लगती हैं।

२१ सितम्बर सन् १९३१ ई० को सुबह जलपान करके सैर करने के लिए चला। सरकारी मोटर सुबह से शाम तक मेरी सवारी में रहती थी। पहिले धार्मिक महापुरुषों के मज़ार (क़ब्र) देखने गया। फिर नादिरी यतीमख़ाना देखा। यह अनाथालय वर्तमान सम्राट नादिरख़ाँ ने स्थापित किया है। ६९ अनाथ बच्चे क़ालीनों पर बैठे पढ़ रहे थे। मैंने एक अनाथ बालक से प्रश्न किया कि शिक्षा समाप्त करने के बाद क्या करोगे? उसने बड़ी निर्भयता से जवाब दिया, कि अपने देश की सेवा करूँगा। मैंने काबुल की गलियों में घूम-फिर कर देखा, सारी गलियों में दुर्गन्ध भरी रहती है और पाख़ानों की सफ़ाई का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। ग़लीज़ सण्डास में पड़ा सड़ा करता है और इसकी सफ़ाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

काबुल नदी

काबुल नदी का नाम सुन कर प्रत्येक मनुष्य यही कल्पना करेगा कि यह नदी भी गङ्गा-जमुना की तरह बहुत ही बड़ी होगी; क्योंकि काबुल का नाम ही ऐसा है। उसके सम्बन्ध की प्रत्येक वस्तु बहुत बड़ी होकर दिमाग़ में आती है। परन्तु काबुल नदी को देख कर मालूम होता है कि किसी कवि ने अत्युक्ति से इसे नदी कह दिया होगा। अन्यथा यह एक १५-२० गज़ चौड़ा छोटा सा नाला है, जो प्रायः सूखा सा रहता है और इसके अन्दर पानी इस तरह रेंग-रेंग कर चलता है जिस तरह बूढ़े आदमियों की रगों में ख़ून।

यह नदी शहर के बीच में बहती है और इसके किनारे एक बाज़ार भी है। मैंने एक आदमी से इस बाज़ार का नाम पूछा तो कहने लगा 'सहदूकान' (तीन दूकान), मैंने फिर पूछा—तीन क्यों, यहाँ तो बहुत सी दूकानें हैं। उसने जवाब दिया पहिले तीन दूकानें ही थीं, अब बढ़ गई हैं।

रास्ते में एक आदमी दूकान पर बैठा हज़रत इमाम हुसैन की लड़ाई का क़िस्सा पढ़ रहा था और बहुत से औरत-मर्द ज़मीन पर बैठे हुए यह क़िस्सा सुन रहे थे। यहाँ लोग जीवन की प्रत्येक वस्तु से अधिक, वीरता की कहानियों को पसन्द करते हैं, काबुल नदी के किनारे पर एक अत्यन्त प्राचीन मसजिद है, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि अफ़ग़ानिस्तान की यह सबसे पुरानी मसजिद है, जो हज़रत उस्मान की ख़िलाफ़त के ज़माने में मुसलमानों ने काबुल पर विजय प्राप्त करके बनवाई थी। काबुल नदी के किनारे प्राचीन मसजिद के बाद एक सड़क है। इस सड़क के किनारे शाह-दो-शमशीर का मज़ार है। जिस समय मुसलमानों ने काबुल में जहाद किया था, तो यह शाह साहब दोनों हाथों में दो तलवारें लेकर लड़े थे। इस वास्ते 'शाह-दो-शमशीर' के नाम से मशहूर है। इस मज़ार के पास सरकारी डाकख़ाना है। यहाँ से मैंने रजिस्टरी वग़ैरा भेजी। रसीद फ़ारसी भाषा में मिली। दोपहर बाद तुर्की-राजदूत

मिलने गया। रास्ते में बहुत से अफ़ग़ान क़ैदी मिले, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं और हाथों में तसबीह (माला) लिए हुए थे। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि यह लोग बचासक़्क़ा के साथी हैं और राजद्रोह के अपराध में क़ैद किए गए हैं। अफ़ग़ानिस्तान में मुसलमान क़ैदियों को नमाज़ और तसबीह (माला) की आज्ञा है। शाम को फिर दारुल-अमान की सैर करने गया। चाँदनी रात थी, इस जगह के पूर्व-इतिहास पर नज़र डाली तो आँखों में आँसू आ गए। यह जगह अमीर अमानुल्ला ख़ाँ ने बनवाई थी। पर वह इसका आनन्द न ले सके। जिस समय वह अपने देश को चोरों के सुपुर्द करके क़न्धार की तरफ़ भागे जा रहे थे, तो इस बाग़ के पास से गुज़रे और बड़ी उत्कण्ठा से इस दुखदायक दृश्य को देखते हुए चले गए।

मन्त्री की कर्तव्य-परायणता

अफ़ग़ान-सरकार के वर्तमान वैदेशिक मन्त्री मेरे मित्र सरदार फ़ैज़मोहम्मद ख़ाँ, अमीर अमानुल्ला ख़ाँ के ज़माने में शिक्षा-मन्त्री थे और बादशाह की बहिन नूरुलसिराज लड़कियों के स्कूल की इन्स्पेक्ट्रेस थीं। एक दिन उसने लड़कियों और अध्यापिकाओं के सामने मज़हब की बुराई की और नमाज़ को समय नष्ट करने की चीज़ बताया और कहा कि स्कूलों में जुमे के बजाय इतवार की छुट्टी होनी चाहिए। जब शिक्षा-मन्त्री को इस घटना की सूचना मिली, तो उन्होंने नूरुलसिराज से जवाब तलब किया। नूरुलसिराज एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बहिन थी और वैसे भी परम सुन्दरी थी। घमण्ड का क्या ठिकाना था। शिक्षा-मन्त्री के इस आचरण पर उसे बड़ा क्रोध आया। टेलीफ़ोन पर कहने लगी कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ। शिक्षा-मन्त्री ने बड़ी निर्भयता से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, तुम बादशाह की बहिन हो। पर स्कूल-इन्स्पेक्ट्रेस होने की वजह से मेरी मातहत हो और इस वास्ते मुझे जवाब तलब करने का पूरा अधिकार है। नूरुलसिराज ने कहा—'मैं तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं करती।' शिक्षा-मन्त्री ने जवाब दिया—'तो मैं तुम्हें नौकरी से बरख़ास्त करता हूँ।' थोड़ी देर बाद शिक्षा-मन्त्री को दरबार में बुलाया गया। जो कुछ होने वाला था, उसे वह अच्छी तरह जानते थे। अपनी नौकरी का इस्तीफ़ा जेब में डाल कर दरबार में पहुँचे। अमीर अमानुल्ला ख़ाँ दरबार में विराजमान थे और पास ही नूरुलसिराज भी बैठी थीं। मामला पेश हुआ। बादशाह ने कहा—'नूरुलसिराज का अभिप्राय यह था कि जुमे की छुट्टी जुमे की नमाज़ के लिए लाभदायक नहीं होती। यदि इतवार की छुट्टी होगी तो लोग जुमे की नमाज़ के लिए आ सकेंगे।

वज़ीर ने कहा—मुझे यह परिवर्तन स्वीकार नहीं है। जुमा हमारा धार्मिक दिवस है। इतवार ईसाइयों का दिन है। हम मुसलमान हैं, अगर छुट्टी का दिन बदल गया तो मेरा इस्तीफ़ा हाज़िर है।

अमीर अमानुल्ला ख़ाँ ने वज़ीर के तेवर बिगड़े देखे तो बात को हँसी में टाल दिया। छुट्टी जुमा की ही क़ायम रही।

बादशाह से भेंट

२२ सितम्बर सन् १९३१ ई० को ११ बजे वज़ीर साहब के साथ दिलकुशा महल में गया। जो इर्क (शाही क़िला) के अन्दर है। यह महल अत्यन्त सुन्दर है। हम एक सजे हुए कमरे के अन्दर से गुज़र कर सीढ़ियों पर गए। जगह-जगह अफ़ग़ान सिपाही बन्दूक़ें लिए खड़े थे। छत के ऊपर वज़ीर और फ़ौजी अफ़सर सिर झुकाए खड़े थे। मैं वज़ीर साहब के साथ सीधा शाही कमरे में चला गया।

बादशाह सलामत मेरे अन्दर पहुँचते ही कमरे में आ गए। कोट-पतलून पहने हुए थे और सिर पर रङ्गीन खाल की ऊँची टोपी थी। दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। कहीं-कहीं काले बाल हैं, गोरा रङ्ग और लम्बा क़द है। आँखों से अक़्लमन्दी टपकती है।

बादशाह आगे बढ़े और झुक कर हाथ मिलाया। अफ़ग़ानी शिष्टाचार के प्रचलित शब्द कहने के बाद हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। पौन घण्टे तक बातचीत हुई। अधिकतर बातचीत भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध में हुई। बादशाह का विश्वास है कि मनुष्य के लिए पुरुषार्थ करना परम आवश्यक है। पर सफलता ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने आप-बीती बहुत सी घटनाएँ सुना कर अपने विश्वास का समर्थन किया। बादशाह बड़ी उच्च कोटि की उर्दू बोलते थे। उनका हृदय ऐसा कोमल है कि बात करते-करते आँखों में आँसू आ जाते थे और मैं भी बिना प्रभावान्वित हुए नहीं रह सकता था।



अफ़ग़ानिस्तान के वर्तमान सम्राट नादिर शाह

मैंने दिल्ली में रहने वाले एक अफ़ग़ान-कुटुम्ब की सिफ़ारिश की कि इसको काबुल में वापस बुला लिया जाय, तो मेरी प्रार्थना तुरन्त स्वीकार कर ली गई और नोट लिख लिया। मेरा ख़्याल था कि बादशाह उन लोगों की शिकायत करेंगे, जो अमानुल्ला ख़ाँ का पक्ष लेकर बादशाह को बुरा कहते हैं और कदाचित अमानुल्ला ख़ाँ के दोषों का वर्णन भी करेंगे। क्योंकि अमानुल्ला ख़ाँ ने नादिरशाह और उनके कुटुम्ब पर सदैव अत्याचार किए हैं। एक बार नादिर ख़ाँ को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनवा कर जलालाबाद से काबुल पैदल बुलाया और बात-बात में उनका अपमान करने की कोशिश की। आख़िर नादिरशाह विवश होकर पेरिस चले गए।

परन्तु नादिरशाह के हृदय में किसी की ओर तनिक भी द्वेष नहीं है। उन्होंने किसी के विरुद्ध एक शब्द भी मुँह से न निकाला। केवल इतना कहा कि ख़ुदा ने ग़ाज़ी अमानुल्ला ख़ाँ को इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान दिया कि कदाचित ही यूरोप के बड़े-बड़े बादशाहों को इतनी इज़्ज़त मिली होगी, पर उन्होंने यह समझा कि यह सम्मान उनको अपने पुरुषार्थ और उपायों से मिला है। ख़ुदा को उनका यह अभिमान अच्छा न लगा और उसने अपना यह चमत्कार दिखाया कि बचा सक़्क़ा जैसे चोर-डाकू ने ऐसे महान व्यक्ति को पराजित कर दिया। बारह बजे की तोप चली तो मैंने बादशाह से जाने की आज्ञा माँगी। उन्होंने खड़े होकर बड़े आदर से मुझे विदा किया और मैं एक विशेष प्रभाव लेकर शाही महल से बाहर निकला।

दोपहर के बाद फिर सैर के लिए निकला। पहिले सम्राट बाबर का मज़ार देखने गया। काबुल से कई मील दूर है। बाबर ने ऊँचे पहाड़ पर एक सुन्दर बाग़ लगाया था। इसी बाग़ में इसको दफ़न किया गया है। क़ब्र सङ्गमरमर की बनी हुई है, इसीके बराबर बादशाह हुमायूँ के दो लड़कों की क़ब्रें भी हैं। इस बाग़ में एक सुन्दर भवन भी है, जिसमें पहिले जर्मन-राजदूत रहता था। पर इस समय ख़ाली पड़ा हुआ है। इस जगह शाहजहाँ बादशाह की बनवाई हुई सङ्गमरमर की एक सुन्दर मसजिद भी है, जिस पर लिखा है कि यह मसजिद तुर्किस्तान और हिरात की विजय-स्मृति में बनाई गई है।

बाबर का मज़ार देखने के बाद बालाहिसार का क़िला देखा, जिसका एक हिस्सा अङ्गरेज़ों ने अफ़ग़ान-युद्ध के समय गिरवा दिया था। यह वह क़िला है, जिसके बुर्ज पर अकबर को इसके चचा ने उस समय बैठा दिया था, जब कि हुमायूँ ने इस क़िले पर गोले बरसाने शुरू किए थे।

जर्मन और फ़्रान्सीसी स्कूल

अफ़ग़ानिस्तान में अमानिया और अमानी दो स्कूल हैं। यह स्कूल अमीर अमानुल्ला ख़ाँ ने स्थापित किए थे और वर्तमान सरकार इनको अब तक अच्छी तरह चला रही है। अमानिया स्कूल में फ़्रान्सीसी भाषा पढ़ाई जाती है, और अमानी में जर्मन भाषा। अमानिया स्कूल के प्रिन्सिपल फ़्रान्सीसी हैं, और फ़ारसी अच्छी तरह बोलते हैं। जर्मन स्कूल में बचा सक़्क़ा के कमाण्डर सय्यद हुसैन का लड़का सय्यद हसन भी पढ़ता है और स्वर्गीय अमीर हबीबुल्ला ख़ाँ का पुत्र अब्दुल शकूर भी। मैंने दोनों लड़कों को देखा। कई हिन्दू लड़के भी पढ़ते हैं। एक हिन्दू लड़के की छाती पर महात्मा गाँधी जी, पं० मोतीलाल जी और पं० जवाहरलाल जी की तस्वीरें लटकी हुई थीं। बचा सक़्क़ा के ज़माने में इस स्कूल में गधे-घोड़े बाँधे जाते थे।

काबुल में कोई अङ्गरेज़ी स्कूल नहीं है

भारतवर्ष में अङ्गरेज़ और बादशाह नादिरशाह की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोगों का ख़्याल है कि नादिरशाह ने अङ्गरेज़ों की सहायता से ही अफ़ग़ानिस्तान पर विजय प्राप्त की है। परन्तु यहाँ आकर मालूम हुआ कि अफ़ग़ानिस्तान में अङ्गरेज़ों का कुछ भी प्रभाव नहीं है। यहाँ कोई स्कूल, कोई कारख़ाना, कोई शफ़ाख़ाना या कोई व्यापारिक संस्था ऐसी नहीं है, जिसका प्रबन्ध अङ्गरेज़ों के हाथ में हो। बल्कि यहाँ पर रूसी, फ़्रान्सीसी, जर्मन और इटालियन लोगों के हाथ में बहुत सी संस्थाएँ हैं। यह बात बिल्कुल झूठ है कि पिछले युद्ध के समय नादिरशाह को अङ्गरेज़ों ने सहायता की थी। अफ़ग़ानिस्तान में कारख़ाना हथियार-साज़ी (शस्त्र कार्यालय) भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर बन्दूक़ें और बम्ब वग़ैरह बनाए जाते हैं। कारीगर सबके सब अफ़ग़ान या हिन्दुस्तानी हैं। एक ऊनी कपड़े बनाने की मिल भी है, जिसमें बढ़िया कपड़े बनाए जाते हैं। मैं सरकारी टकसाल भी देखने गया, यहाँ पर सोने-चाँदी के सिक्के बन रहे थे। यहाँ के कारीगर भी अफ़ग़ान और हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें बहुत से हिन्दू हैं।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



हिज़ मैजेस्टी किङ्ग जॉर्ज (पञ्चम) जिन्होंने ५ नवम्बर को म० गाँधी और अन्य भारतीय नेताओं से भारत की राजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में वार्तालाप किया। आपने गोलमेज़ परिषद् की सफलता की कामना की और राजनैतिक हिंसात्मक कार्यों के सम्बन्ध में विशेष चिन्ता प्रकट की।



पाठकों को सुन कर आश्चर्य होगा, जब से भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने सीलोन (लङ्का) का दौरा किया है, वहाँ एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो गई है। जिन लङ्कानिवासी भारतवासियों को दुर्भाग्यवश पता भी नहीं था, कि अभागे भारत में क्या हो रहा है, वे आज पल-पल पर अपने भारतवासी सहोदरों के कुशल-समाचार के लिए व्यग्र से हो रहे हैं। जहाँ तक हमारा अनुमान है, इधर कोई भी ऐसा भारतीय राजनैतिक आन्दोलन न होगा, जिसमें हमारे इन प्रवासी भाइयों ने समुचित भाग न लिया हो। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक देखेंगे सीलोन-निवासी हमारे भाई भारत के राष्ट्रीय झण्डे के नीचे होकर गाँधी-जयन्ती मना रहे हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



हाल ही में बम्बई में कॉङ्ग्रेस कमिटी की कार्य-कारिणी समिति का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें समय की कमी के कारण अन्य सदस्य नहीं पहुँच पाए थे। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक उन ३ सदस्यों को बैठा पावेंगे, जिन्होंने 'कोरम' पूरा किया था—(बाईं ओर से) सरदार वल्लभभाई पटेल (राष्ट्रपति), कुमारी मनीबेन तथा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी।



ट्रावङ्कोर राज्य के उत्तराधिकारी—जिन्होंने विगत शुक्रवार को ट्रावङ्कोर जैसे राम-राज्य का शासन-भार ग्रहण किया है।



इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता और कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी, जिन्होंने गोलमेज़ परिषद की कार्यवाही से अपनी निराशा प्रकट की है।

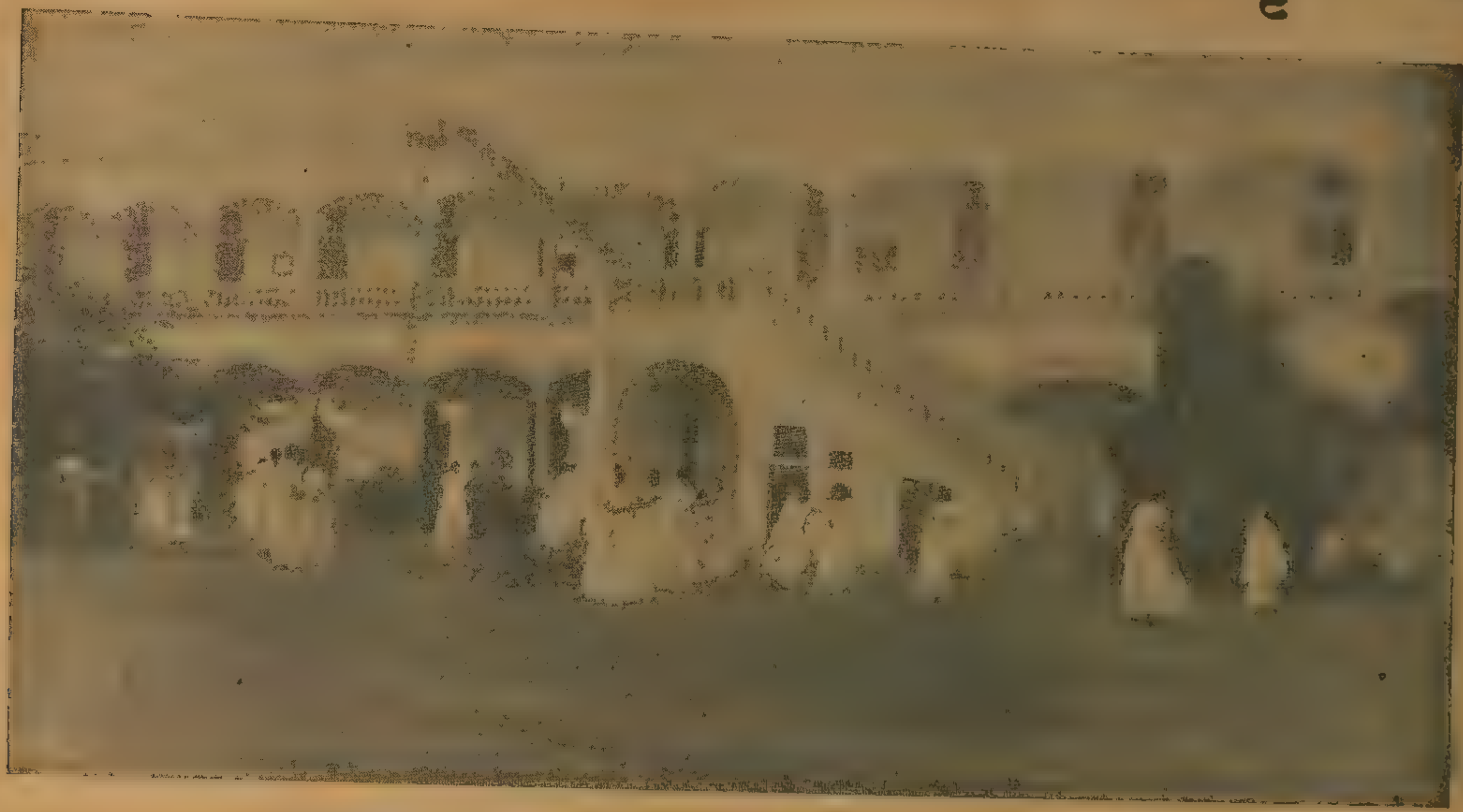


इलाहाबाद के प्रसिद्ध फ़ोटोग्राफ़र—श्री० आर० बी० विश्वकर्मा—जिन्हें हाल ही में ओड़छा-राज्य ने अपना विशेष फ़ोटोग्राफ़र नियुक्त किया है।



किसी ज़माने के राष्ट्रीय कवि—सर मोहम्मद इक़बाल—हाल ही में जिनके कविता-प्रेम की विरुदावलि विलायत में गाई गई है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



गुजरात विद्यापीठ की महिला स्वयं-सेविकाएँ जिन्हें लाठी चलाने की शिक्षा दी जा रही है।



राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ—
स्वर्गीय बाबू रामनारायण जी दूगड़—
जो यदि अमेरिका आदि स्वतन्त्र
देश में पैदा होते तो अमर
हो गए होते !

श्री० बनवारीलाल राव, मन्त्री, वेङ्कट
पुस्तकालय, कटनी, जिन्हें अक्टूबर
के 'चाँद' में प्रकाशित पुरस्कार-
प्रतियोगिता में सर्व-प्रथम
पुरस्कार मिला है।





फ़ौजी क़वायद करते हुए—गुजरात विद्यापीठ के कुछ निस्पृह स्वयं-सेवक—सम्भावनीय-महायुद्ध के लिए जिनका सङ्गठन अभी से आरम्भ हो गया है।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?





लाहौर की सुप्रसिद्ध नेत्री श्रीमती लाडोरानी ज़ुतशी (धर्मपत्नी पं० लाडलीप्रसाद ज़ुतशी, इलाहाबाद) की कन्या-रत्न – कुमारी मनमोहिनी ज़ुतशी, एम० ए०, जो अपनी स्वातन्त्र्यप्रियता के कारण अब तक दो बार जेल की हवा खा चुकी हैं।

कलकत्ता कॉरपोरेशन की भूतपूर्व सदस्या—कुमारी एल० आई० लॉयड—जिन्होंने हाल ही में अपना यह पद त्याग दिया है।



नागपूर (सी० पी०) की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट—श्रीमती सुमतिबाई देव—आप कर्नल के० पी० कुकेड; आई० एम० एस० की कन्या-रत्न हैं।



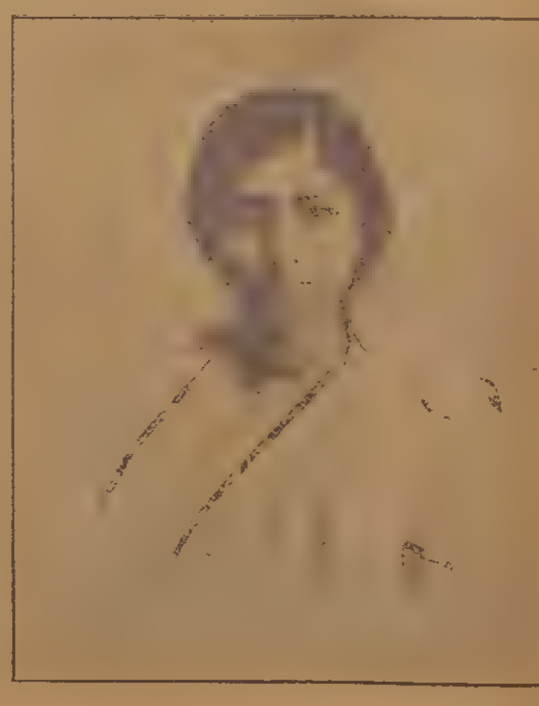
श्रीमती भाग्यवती देवी, बी० ए०, बी० टी०

आप जाट क्षत्रिय जाति की सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं, जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप चौधरी हरपालसिंह जी डिपुटी कलेक्टर मेरठ की धर्मपत्नी हैं।



मद्रास हाईकोर्ट की महिला-एडवोकेट—कुमारी बी० आनन्दीबाई, बी० ए०, बी० एल०—आप मद्रास हाईकोर्ट में वकालत करने वाली अपने प्रान्त की दूसरी महिला-रत्न हैं।





कोचीन स्टेट की शिशु-रक्षिणी समिति की मन्त्रिणी—श्रीमती सी० एच० पीरोरा।

ट्रावङ्कोर के महाराजा महिला-कॉलेज की विज्ञान की प्रोफ़ेसर—कुमारी मेरी जॉन, बी० ए०—जो आजकल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अभिप्राय से विलायत गई हुई हैं।



जाँबाज़े इश्क़ आपके ख़ञ्जर के देख कर, मरने के—जान देने के, तैयार हो गए !
क़ुदरत ने रूह जब तने-ख़ाकी में फूँक दी, आज़ाद रहने वाले गिरफ़्तार हो गए !!

जज़बाते[1] दिल से जब वह ख़बरदार हो गए,
रोज़े[2] अलस्त हमसे, कुछ एक़रार हो गए।
अँगड़ाई ले के, किसने यह चटकाई उँगलियाँ,
दो हिचकियों में ख़त्म यह बीमार हो गए।
गुज़रा जो मैं निज़ामे[3] जहाँ देखता हुआ,
दिल जिनके-जिनके पास थे बेकार हो गए।
हैरतकदे[4] में हुस्न के यह कुछ न पूछिए,
थे कितने दिल जो नक़्श बदीवार[5] हो गए।
तूले शबे[6] फ़िराक़ की कुछ इन्तिहा न पूछ,
इतने लिए कि ज़ीस्त[7] से बेज़ार हो गए।
वायज़[8] के सब्ज़ बाग़ ने धोका दिया "अज़ीज़",
जन्नत पे नाज़ करके गुनहगार हो गए।
—"अज़ीज़" लखनवी

जलवा दिखा के वह पसे दीवार[9] हो गए,
मायूस[10] कितने तालिबे-दीदार[11] हो गए।
जब से किसी के तालिबे दीदार हो गए,
बैठे बिठाए ख़ूगरे[12] आज़ार[13] हो गए।
उलझन में जान है मगर इसकी ख़बर नहीं,
कब उनके गेसुओं में गिरफ़्तार हो गए।
जाँबाज़े[14] इश्क़ आपके ख़ञ्जर को देख कर,
मरने को, जान देने को तैयार हो गए।
यह कह कर आज वह मेरी बालीं[15] से उठ गया,
किसने कहा था तुमसे जो बीमार हो गए।
अब कोई हालेज़ार का पुरसाँ[16] नहीं रहा,
जो यार थे कभी वह सब अग़ियार हो गए।
जाते हैं कोहे तूर पर अब दौड़-दौड़ कर,
हम भी किसी के तालिबे दीदार हो गए।
मुमकिन नहीं कि आएँ किसी दिन फ़रेब में,
"शातिर" वह तेरी चाल से हुशियार हो गए।
—"शातिर" इलाहाबादी

पीकर मये[17] ख़ुदी को जो हुशियार हो गए,
दफ़्तर अक़्ल के सारे ही बेकार हो गए।
कुछ-कुछ तो बेहतरी के भी आसार हो गए,
सह-सह के ज़ुल्मो और ख़बरदार हो गए।
दिखला के एक झलक, हुए ओझल नज़र से क्या,
आँखों पे, दिल पे, सख़्त यह दो वार हो गए।

१—भाव, २—आदि, ३—बन्दोबस्त, ४—हैरानी का घर, ५—दीवार के चिन्ह, ६—लम्बी-चौड़ी विरह की रात, ७—ज़िन्दगी, ८—नसीहत करने वाला, ९—दीवार के पीछे, १०—निराशा, ११—दर्शक, १२—आदी, १३—दुख, १४—जान पर खेलने वाला, १५—सिरहाना, १६—पूछने वाला, १७—शराब,

सुहबत का शुक्र है न हुआ कुछ बुरा असर,
"गुलशन" के हमख़्याल भी दो-चार हो गए।
—"गुलशन" लाहौरी

जब वह शरीके महफ़िले अग़ियार हो गए,
हम ज़िन्दगी से और भी बेज़ार हो गए।

फ़रियाद नहीं जाती है बेकार किसी की

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

परवा नहीं करते हैं सितमगार[1] किसी की,
ख़ञ्जर न किसी का है, न तलवार किसी की।
हरगिज़ न मिटे हसरते दीदार किसी की,
सूरत नज़र आए भी, जो सौ बार किसी की।
देखे तो कोई आँख उठा कर महे नौ[2] को,
अब झूलती है, अर्श[3] पे तलवार किसी की।
पहलू से तो जाते हो, मगर यह भी समझ लो,
अटकी नहीं रहती मेरे सरकार किसी की।
वह अबरुए[4] पुरख़म[5] के इशारे सरे महफ़िल,
वह छोटी सी चलती हुई तलवार किसी की।
आए भी जो महफ़िल में तो वह मुँह को छुपा कर,
पूरी न हुई हसरते दीदार किसी की।
कुछ क़त्ल का अरमान है, कुछ ख़ौफ़ ख़ुदा का,
चलती भी है, रुकती भी है, तलवार किसी की।
मैं ज़ुल्म का शाकी[6] हूँ, उदू[7] शरमो हया का,
सच है कि निगहे यार नहीं यार किसी की।
देख ऐ निगहे शौक़, यह तेज़ी नहीं अच्छी,
छलनी कहीं हो जाय न दीदार किसी की।
सुनता हूँ, बुरा हाल है नर्गिस[8] का चमन में,
क्या मेरी तरह वह भी है बीमार किसी की?
ऐ "नूह" न घबराओ, न घबराओ, न घबराओ,
फ़रियाद नहीं जाती है बेकार किसी की।

१—ज़ालिम, २—नया चाँद, ३—आकाश, ४—भौं, ५—झुके हुए, ६—शिकायत करने वाला, ७—दुश्मन, ८—एक फूल का नाम है, जो आँखों से मिलता-जुलता होता है।

❀ ❀ ❀

मैख़ानए[18] अलस्त है वह चश्मे[19] मस्ते नाज़,
हम देखते ही देखते सरशार[20] हो गए।
साक़ी से घूँट भर भी न माँगे मिली शराब,
हम जाके मैकदे[21] में गुनहगार हो गए।

१८—आदि का शराब ख़ाना, १९—आँख, २०—मस्त, २१—शराबख़ाना,

आफ़त में दिल है और मुसीबत में जान है,
हम क्यों किसी के तालिबे दीदार हो गए।
कुछ अहले दिल से और न उल्फ़त में हो सका,
यह रफ़्ता-रफ़्ता ख़ूगरे आज़ार हो गए।
महशर[22] की चाल चलते हो तुमको ख़बर भी है,
कितने शहीदे[23] शोख़िए-रफ़्तार[24] हो गए।
—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

जब से फ़िदाए गेसुए ख़मदार[25] हो गए,
हम सौ मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गए।
बरगश्तिगए[26] बख़्त[27] से बेकार हो गए,
दामन में गुल[28] जो हमने चुने ख़ार[29] हो गए।
उनको गले लगाएँ तो क्योंकर लगाएँ हम,
ऐसे खिंचे कि खिंच के वह तलवार हो गए।
आया जो उस गली में वह पामाल[30] कर गया,
हम ख़ाक हो के सायए दीवार हो गए।
क्या जानें लुत्फ़े सैरे गुलिस्ताँ[31] वह बदनसीब,
फ़सले बहार में जो गिरफ़्तार हो गए।
सेहत[32] को बख़्शी हमको, तो सेहत हुई नसीब,
बीमार तुमने कर दिया, बीमार हो गए।
जलवा दिखा के हज़रते मूसा को तूर पर,
वह क्यों छुपे, वह क्यों पसे दीवार हो गए।
आया है जोशे रहमते बारी[33] को किस क़दर,
नादिम[34] गुनाह पर जो गुनहगार हो गए।
क्या सोच कर मनाएँगे वह ख़ैर जान की,
जो अपनी ज़िन्दगी ही से बेज़ार हो गए।
फ़ुरक़त[35] की रात ऐ दिले बेताब आ गई,
तारे अब आस्माँ पे नमूदार[36] हो गए।
दुनिया में हम थे नुक़तए मौहूम[37] की तरह,
गर्दिश[38] में आके सूरते परकार[39] हो गए।
क़ुदरत ने रूह जब तने ख़ाकी[40] में फूँक दी,
आज़ाद रहने वाले गिरफ़्तार हो गए।
करते हैं आह-आह तो इसका है यह सबब,
"बिस्मिल" भी बिस्मले निगहे यार हो गए।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

❀ * *

२२—प्रलय, २३—क़त्ल, २४—अदा की चाल, २५—घुँघराले बाल, २६—फिरे हुए, २७—नसीब, २८—फूल, २९—काँटा, ३०—मिटाना, ३१—बाग़, ३२—आरोग्यता, ३३—ईश्वर की कृपा, ३४—लज्जित, ३५—विरह, ३६—ज़ाहिर, ३७—वह बिन्दी जो ख़्याल में न आए, ३८—चक्कर, ३९—गोलाई का निशान, ४०—मिट्टी का बदन।

आधुनिक साहित्य पर एक दृष्टि

[श्री० मन्नूलाल जी केजरीवाल]

"सहितस्य भावः साहित्यः।" सहित का भाव जिस रचना में हो उसे साहित्य कहते हैं। अर्थात् जिस रचना के आस्वाद से हमारे अन्दर कोमलता, सहिष्णुता, सन्तोष, सङ्गठन और विरोधाभाव का उदय हो उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य में यही सब से बड़ी विशेषता है कि इसके निरन्तर पाठ से हमारे अन्दर के सभी कुत्सित भाव नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप हमारे भीतर से समता का भाव उठ कर सभी प्राणियों के साथ सहयोगिता स्थापित करता है।

साहित्य के यों तो अनेक अङ्ग हैं, यथा—साहित्य, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि। परन्तु हम यहाँ आधुनिक रीति से ही इसका विचार करेंगे।

इस समय साहित्य के मुख्य भाग—कविता, नाटक, उपन्यास, कथा-कहानियाँ तथा समालोचना आदि हैं। आजकल सभी प्रकार की बहुल-रचना होती है और प्रत्येक विषय की ढेर की ढेर पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित भी हुआ करती हैं। जनता में उन सभी पुस्तकों की खपत हो जाती है या नहीं, यह तो सन्दिग्ध है, पर उनकी इतनी बिक्री अवश्य होती है कि उस विषय में नई पोथियाँ निरन्तर छप सकें।

साहित्य, समाज में दो प्रकार से आदृत होता है—एक तो लोकरुचि के अनुकूल होने से; दूसरे लोकरुचि के प्रतिकूल होकर भी भावों की उच्चता और चिर-कल्याण की ज्योति से।

लोक-प्रिय साहित्य में तत्कालीन भावनाओं का समावेश होता है। उनसे समाज को अथवा व्यक्ति को क्या हानि-लाभ है, इस पर विचार नहीं हो सकता। ये रचनाएँ तो केवल लोकरुचि पर दृष्टि रख अपनी स्वार्थ-सिद्धि—अर्थ-प्राप्ति की दृष्टि से ही लिखी जाती हैं। ऐसी रचनाएँ क्षणस्थायी होती हैं। कल्पना कीजिए, अभी हाल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में, उनके आदेश से समस्त देश में नमक-क़ानून भङ्ग और विदेशी वस्त्र बहिष्कार पर सत्याग्रह आरम्भ हुआ था। हज़ारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, किन्तु उनमें अधिकांश न तो सत्याग्रह का अर्थ जानते थे और न उद्देश्य। उन्हें यह भी पता नहीं था कि हम लोग क़ानून-भङ्ग करके क्या चाहते हैं। परन्तु तौभी तमाम देश में इस सत्याग्रह संग्राम को जीवित रखने की आकांक्षा थी। इस आकांक्षा की ओर लक्ष्य करके कुछ चतुर अर्थेच्छुकों ने "नमक का व्यापार," "सत्याग्रह-संग्राम" और "विदेशी वस्त्रों से हानि" शीर्षक अनेक छोटी-छोटी, दो-दो पैसे की पोथियाँ छाप कर हज़ारों की संख्या में बेंच कर कुछ पैसे बना लिए। राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है, यह जान कर कुछ लोगों ने छोटी-छोटी तुकबन्दियाँ जोड़ डालीं। कुछ लोगों ने सत्याग्रहियों पर सरकार या नौकरशाही द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन तुकबन्दियों में करके, पुस्तकाकार छाप कर बेंच लिया। कुछ ने चर्ख़े पर ही तुकबन्दियाँ लिख डालीं। किन्तु सच पूछिए तो इनमें न तो साहित्य है, न भाव। हृदय के जिस तार के झङ्कृत होने से कविता का उदय होता है, इन लेखकों में वह तार कभी बजा ही नहीं—बजा केवल स्वार्थ और यश-प्राप्ति की भयङ्कर लालसा का उग्र-तार और इसी के आधार पर उन लोगों ने अपना काम किया। यह क्षणस्थायी साहित्य है। यह लोकप्रिय अवश्य है, पर न तो विशेष शिक्षाप्रद है और न ग्रहणीय। इसी तरह समाज में विधवा-विवाह, बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह को लेकर तथा जाति-पाँति के विचार को लेकर जो उपन्यास रचे जाते हैं, उनमें बहुधा मनोरञ्जन की ही सामग्री होती है। क्रान्तिकारियों के प्रति साधारणतः मन का—देश के प्राणों का एक मधुर झुकाव है। उस झुकाव में उनके विषय में जानने की बहुत सी बातों की लालसा लोगों में जागृत है। इसलिए उस दल के किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात को लेकर, यदि कोई ऊटपटाँग पोथी भी लिख दी जाय तो एक बार लोग बड़े उत्साह और चाव से उसे ख़रीद कर पढ़ते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के अनुकूल जो रचनाएँ होती हैं, उन्हें लोक-प्रिय साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में भी निस्सन्देह सौन्दर्य है, गम्भीरता है और यह ग्रहणीय भी है, किन्तु यदि वह किसी योग्य और उत्तरदायी लेखक की लेखनी से प्रसूत हो। अस्तु।

लोकप्रिय साहित्य और लोकप्रिय ग्रन्थ में यह अन्तर है कि लोकप्रिय साहित्य तो केवल समयानुकूल समाज-रुचि और लोक-रुचि पर रचा जाता है; उसमें स्थायी वस्तु की अपेक्षा क्षणस्थायी वस्तु का ही प्राधान्य अधिक होता है और लोकप्रिय ग्रन्थ में तत्कालीन बातों के साथ समाज के भविष्य तथा सदैव विद्यमान रहने वाली बातों का भी समावेश होता है। लोकप्रिय ग्रन्थ जाति की चिरस्थायी सम्पत्ति हैं।

अङ्गरेज़ी में लॉर्ड बेकन के समय में पुस्तकों की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, जितनी आजकल हो रही है। तो भी उन्हें यह कहना पड़ा था कि सभी पुस्तकें उदरस्थ करने लायक़ नहीं होतीं। कुछ को चाटना चाहिए, कुछ को चबाना चाहिए और कुछ को निगलना चाहिए। आजकल साहित्य की वृद्धि होने से कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं, जिन्हें सिर्फ़ छूना चाहिए और कुछ तो दर्शनीय मात्र हैं। इसका यह अर्थ है कि जितनी पोथियाँ प्रकाशित हैं या होती हैं, उन सभी में ग्रहण करने योग्य बातें नहीं होतीं। जो पुस्तकें चिरस्थायी होकर जीवन को कल्याणमय और आनन्द-प्रद बनाने में समर्थ हैं, वे ही उदरस्थ करने योग्य हैं।

आजकल हम हिन्दी साहित्य में केवल लोकप्रिय साहित्य की ही विशेषता देखते हैं। लोकप्रिय ग्रन्थों का बहुत ही अभाव है। भाग्य से यदि किसी लेखक ने इस प्रकार की कोई पुस्तक लिखी भी तो उसे प्रकाशक नहीं मिलते। कारण, वे तो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही प्रकाशन का कार्य करते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई पुस्तक उच्च भावनाओं से पूर्ण और जीवन को चिर-सुखी करने वाली है, परन्तु वह सर्व-साधारण के लिए—अभावुक जनता के लिए बोधगम्य नहीं है तो वे उसे कदापि नहीं प्रकाशित करते। लाचार, योग्य लेखक को भी सर्व-साधारण की साहित्यिक रुचि के अधीन ही अपनी लेखनी को बाध्य होकर चलाना पड़ता है। हिन्दी में उपन्यास, काव्य और नाटक, कथा तथा समालोचना आदि विषयों पर काफ़ी प्रकाश डाला जा रहा है। काव्य लेखकों में दो-एक ऐसे कवि हैं, जिनकी रचना का ढङ्ग गुणों से पूर्ण और उनकी कृतियाँ चिरस्थायी सम्पत्ति हैं। उपन्यासों तथा नाटकों में अभी यह बात नहीं है। समालोचना तो अब तक केवल दो ही एक सज्जन ठीक-ठीक कर सकने में समर्थ हुए हैं और ये गुणमयी समालोचनाएँ केवल प्राचीन साहित्य पर हुई हैं। अब आवश्यकता है कि आधुनिक साहित्य को प्रगति देने के लिए, प्रत्येक दिशा में जी-तोड़ श्रम किया जाय तथा समालोचकगण निष्पक्ष भाव से उनकी जाँच तथा दूषित-अदूषित साहित्य का निर्णय कर सत्साहित्य की वृद्धि और प्रचार करें।

अन्त में हम यहाँ पर यह कह देना चाहते है कि इस समय उपन्यास-साहित्य की ही हिन्दी में बाढ़ है। पर उसमें एक बार किसान-चरित्र के नवीन उदय के बाद, समाज में फिर किसी प्रकार के नव-जीवन-सञ्चार की चेष्टा नहीं हुई।

अब यह नितान्त आवश्यक है कि उपन्यासों में उच्च भावों की स्थापना समाज, आचार और देशकाल की परिस्थिति पर विचार करते हुए की जाय। यह काम बड़े उत्तरदायित्व का है। वास्तव में इस ओर अधिकारी लेखकों को ही प्रयास करना चाहिए। नाटक आदि का तो अभी आरम्भ-काल है। इस सम्बन्ध में अभी किसी प्रकार की नीति नहीं स्थिर की जा सकती।

नए ढङ्ग से औपन्यासिक साहित्य की सृष्टि करने के लिए नए ढङ्ग का समाज बनाना पड़ेगा। बङ्ग भाषा में ब्रह्म-समाज की नवीन सृष्टि से ही, साहित्य में नवीनता आई है। ब्रह्म-समाज पाश्चात्य और प्राच्य का सन्धि-स्थल है। इसलिए जो ब्रह्म-समाजी लेखक हैं, उन्हें नए समाज के अनुकूल साहित्य-सृष्टि करने तथा उनके प्रचार में सुविधा हुई। साथ ही यहाँ के प्राचीन समाज के पक्षपाती लेखकों को भी, इस समाज के सहयोग से, इसके गुण-दोष विवेचन की प्रबल आकांक्षा से अनायास नए साहित्य की सृष्टि करने का मौक़ा मिला। परन्तु हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई समाज नहीं है, जिसे आधार मान कर हम कुछ नवीन रचना कर सकें। अतः हमें यह काम कल्पना के द्वारा ही करना पड़ता है। इस प्रकार के साहित्य-निर्माण में लेखक का उत्तरदायित्व, इसीलिए बढ़ जाता है।

आर्य-समाज हमारे यहाँ भी नया समाज है। इसकी नीति में नयापन है। इसे आधार मान कर साहित्य में नवीन प्रगति लाई जा सकती है। पर अभी तक किसी भी लेखक का ध्यान इस ओर नहीं गया। इसका एक कारण और है। देश की जिस धर्म-तत्व की भित्ति पर इस समाज की सृष्टि हुई थी, उसे पूर्ण करने के लिए इसे राजनीतिक काम को अपनाना पड़ा है। फल यह हुआ कि उसके स्नातक पुष्कल संख्या में राजनीति की ओर ही झुक गए हैं। दूसरे, उनके रहन-सहन और बोलचाल के व्यवहार में भाषा का जो रूप हमारे सामने आता है, उसमें कोमलता की अपेक्षा परुषता अधिक है, यह परुषता उनके व्यावहारिक आडम्बर के कारण है। अतः उसमें स्वयं कोमल साहित्य की सृष्टि करने की क्षमता नहीं है। सम्भवतः अभी कुछ दिनों तक उसकी यही स्थिति भी रहेगी। दूसरे समाज के लोग यदि उसे अपनी नज़र में रख कर लिखें तो सम्भव है कि कुछ कोमल और नया साहित्य उपस्थित हो। जो उपन्यास, काव्य या कथा-कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उनमें समाज का वह विश्लेषण, गुण-दोषों का वह विवेचन, जो सभी देशों और जातियों के साहित्य में होता है, नहीं होता। अनुवादों को छोड़ कर किसी मौलिक उपन्यास में समाज की साहित्यिक आलोचना नहीं पाई जाती। यह नितान्त आवश्यक है। आर्यसमाज को लेकर बहुत सुन्दर उपन्यासों की सृष्टि की जा सकती है।

❀ ❀ ❀

रूस के नौजवान

[श्री० 'व्यथित-हृदय']

वह पाप का युग था, स्वार्थ का ज्वालामुखी रूस के कोने-कोने में अपनी विषैली चिनगारियाँ बिखेर रहा था। ग़रीब किसान और अपने जन्म-सिद्ध स्वत्वों से वञ्चित अशिक्षित जनता, उन चिनगारियों को बड़े चाव से अपने अञ्चल में बटोर रही थी। वह समझती थी कि यह चिनगारियाँ ज़हरीली नहीं हैं, शरीर में फोड़े उत्पन्न करने वाली नहीं हैं, बल्कि इनमें शीतलता है—मानवता की भावनाएँ इनमें भरी हुई हैं—ये हमारे उसी महामान्य सम्राट की ओर से बिखेरी गई हैं, जिसके हाथों में हमारे भाग्य-नियन्त्रण की बागडोर है और जिसके झण्डे के नीचे हम लोग उसकी सत्ता की मङ्गल-कामना किए हुए इस समय बैठे हैं।

परन्तु यह भ्रान्ति थी, मनुष्य का अन्ध-विश्वास था और था उसका वह अपवाद, जिसके परिणाम-स्वरूप मानवी सत्ता नृशंसता की ओट में छिप जाती है और अत्याचारी उसकी छाती पर मुस्कराते हुए बैठ कर अपने स्वार्थ की धूनी रमाता है। ज़ार के ज़हरीले कणों को, उसकी स्वार्थाग्नि के दाहक स्फुलिङ्गों को अपने अञ्चल में लेकर रूस के किसानों ने अपने को उसी परिस्थिति में फेंक दिया था, जहाँ अशान्ति और कोलाहल का साम्राज्य था, जहाँ मनुष्यता नृशंसता के चपेटों में पिसी जा रही थी और जहाँ सर ऊँचा करने वाले बहादुरों के सर ज़ार की तलवारों से अलग कर दिए जाते थे।

समस्त रूस में अत्याचार का साम्राज्य और स्वेच्छा-चारिता की उच्छृङ्खल परिस्थिति फैल रही थी। ज़ार की स्वार्थपरता मानो नग्न नृत्य कर रही थी और नाच रहा था, शासन का वह भयङ्कर स्वरूप, जिसे भगवान का अन्तिम और कठिन अभिशाप कह सकते हैं। भला, इस अभिशाप से बचना, इससे अपनी रक्षा करना कितना कठिन है! इसके लिए तो चाहिए पवित्रता का बलिदान, पुण्य की भेंट! परन्तु रूस की अज्ञानता की गोद में बेख़बर सोने वाली जनता को इसका ज्ञान नहीं था। वह तो इन राक्षसी कारनामों को भेंट समझ कर हाथों से पकड़ती थी, उससे खेलती थी और उसके मुँह खोल कर उसमें अपनी अँगुलियाँ डाल देती थी। हाय, वे उसे डँस लेती, भयङ्कर विष उनके शरीर की रगों में दौड़ जाता। इस महाविष से बेचारी जनता बेहोश हो गई। उसकी सारी शक्ति शेष हो गई। शोक और वेदना नाच उठी। परन्तु फिर भी उस पर अत्याचार का वज्रपात जारी ही रहा।

अत्याचार की सीमा पर

असन्तोष और घृणा की भावना ने रूस के वायु-मण्डल को कँपा दिया, प्रकृति ने परिस्थितियों को चीर कर ज़ार को यह सूचना दी कि तुम्हारे पाप की लपटें ज़मीन से उठ कर आकाश तक पहुँच गई हैं। अब उनके लिए रूस का कोई ऐसा कोना शेष नहीं, जहाँ पहुँच कर वहाँ की मनुष्यता को जला कर ख़ाक न कर दिया हो। इसलिए अब तुम सँभल जाओ! वे तुम्हारी ही ओर बड़ी विकराल गति से बढ़ रही हैं—इसमें सन्देह नहीं कि तुम उसमें जल जाओगे! तुम्हारी हस्ती संसार से मिट जायगी और तुम्हारा पापपूर्ण शासन रसातल में जा गिरेगा।

यह असन्तोष की आवाज़ थी। परन्तु ज़ार ने इसको पैरों से ठुकरा दिया। असन्तोष की भावना से भरे हुए हृदयों को, अपनी तेज़ तलवारों की नोक से बाहर निकाल कर फेंक दिया। और लोगों को अपने अत्याचार के वास्तविक स्वरूप को दिखला कर यह बतलाया कि संसार का अस्तित्व, अन्याय और अत्याचार पर स्थिर है, तुम मनुष्य होते हुए भी एक पुजारी की भाँति इसके सामने मस्तक झुकाओ। ज़ार की इस कुत्सित भावना को उस समय रूसी पादरी भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने हृदय में पाल रहे थे। उनका काम था, जनता को अशिक्षा की ओर ले जाना और उसे धर्मान्धता के अँधेरे कुएँ में ढकेल कर, ज़ार से अपनी ग़ुलामी का पुरस्कार लेना। वे खुल्लमखुल्ला, बड़ी निर्भीकता से लोगों को बतलाते थे कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में किसी का अस्तित्व है तो सम्राट ज़ार का। तुम उन्हीं के चरणों में भक्ति करो, वही तुम्हारे कर्ता और धर्ता हैं। परन्तु असत्य कब तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता था? कब तक ज़ार के ज़ुल्मों का समर्थन करने वाले उसे पाप के पर्दे की ओट में छिपाए रह सकते थे? आख़िर एक दिन वह उसे चीर कर बाहर निकल आया और लोगों को मालूम हो गया कि यह अन्याय, अत्याचार और सरासर ज़ुल्म है।

निहलिस्ट दल

रूस की राष्ट्र-माता पीड़ा से चिल्ला रही थी। कोने-कोने से पाप की विभीषण लपटें उठ रही थीं, छोटे-छोटे दुधमुँहे बच्चे, सुकोमल शरीर और सौन्दर्य वाली स्त्रियाँ, अपङ्गु बुड्ढे उसमें पड़ कर अपने जीवन की शक्तियों से हाथ धो रहे थे—यन्त्रणा से छटपटा रहे थे। उनकी सकरुण आवाज़, उस आग की भयङ्करता को चीर कर, उनके प्राणों के साथ ही आकाश में मिल जाती और ज़ार उस पर केवल एक हँसी हँस कर शान्त हो जाता। फिर भला रूसी नवयुवकों के हृदय में कब तक उभार न उत्पन्न होता, कब तक उनका हृदय-समुद्र भीतर रहने वाले फेनों को उगल न देता, कब तक वह ज्वार-भाटा उसमें न होता, जो पृथ्वी के अन्तस्तल में बैठ कर करोड़ों ज्वालामुखी को देखते ही देखते निर्माण कर डालता है? यह असम्भव था। युवक अत्याचार को देख कर सचमुच पागल हो गए और इसी के परिणाम-स्वरूप निहलिस्ट दल की स्थापना हुई।

निहलिस्ट दल उन नवयुवकों का दल था, जो ज़ार के शासन को रूस से उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे, जिनके हृदय में ज़ार के अत्याचारों के प्रति करोड़ों चिताएँ धधक रही थीं और जो अपने मानवी स्वत्वों को ज़ार के ख़ूनी पञ्जे से छुड़ाने के लिए अपने प्राण तक देने में तनिक भी सङ्कोच नहीं करते थे। इस ओर दल की स्थापना हुई और उस ओर ज़ार राक्षसी वृत्ति की वेदी पर बैठ कर ज़ुल्मों का घृणित मन्त्र जगाने लगा, अनेकानेक षड्यन्त्रों का सहारा लेने लगा, उन्हें फाँसी के तख़्तों पर चढ़ाने लगा; परन्तु वे डरने वाले नहीं थे, वे हिचकने वाले नहीं थे। उनके प्राणों के अन्दर एक गहरी प्यास छिपी हुई थी, जब तक वह शान्त न हो जाय, वे कैसे शान्त हो सकते थे।

इस क्रान्ति की भट्टी में प्राणों की आहुति देने वाले रूस के अशिक्षित और बुभुक्षित नवयुवक तो केवल थोड़े से थे, परन्तु उनकी संख्या अधिक थी, जिन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव भी नहीं किया था। इनमें नवयुवक ही नहीं थे, बल्कि वे सुकोमल नवयुवतियाँ भी थीं, जो वैभव के उन्माद में अपने को धूप और वर्षा की तकलीफ़ों से बचाती आती थीं। देखना चाहिए उनका त्याग और उनकी तपस्या। वे घरों से अपने सुख की सामग्रियों को ठुकरा कर बाहर निकल आईं। इसलिए कि अत्याचार का विनाश हो, पापों का अन्त हो और उसके लिए उनका सिर अत्याचारियों की तलवारों की पुण्य भेंट बने!

धूप, वर्षा की परवाह नहीं, फाँसी और गोलियों का डर नहीं। वे पैदल काँटों में मार्ग पर चल कर गुप्त रीति से रूस की अशिक्षित जनता को समझाते थे—"तुम नारकीय यातना भोग रहे हो। पर यह न समझो कि यह तुम्हारी भाग्य-लिपि का दोष है और भगवान ने तुम्हें मनुष्य-योनि में उत्पन्न करके भी तुम्हारे लिए पशुओं का सा ही जीवन निर्माण किया है। नहीं, यह दोष ज़ारशाही शासन का है और है उसके उन क़ानूनों का, जिनके द्वारा तुम रौंदे जा रहे हो! सोचो और सोच कर एक बार मनुष्य की भाँति इन अत्याचारों का विरोध करो। इनके सामने अपने कमज़ोर, किन्तु दृढ़ प्रतिज्ञा के भावों से भरे हुए सीने को अड़ा कर अत्याचारियों को यह बता दो कि अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। यदि तुम अपने ज़ुल्मों को बन्द न करोगे, यदि तुम हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों को हमें सौंप कर अपनी दृष्टि में हमें भी मनुष्य न समझोगे तो समझ लो हम तुम्हारे शासन का पाया उखाड़ कर फेंक देंगे। कारण, हम बुभुक्षित हैं, पीड़ित हैं। हमारी आहों में वह शक्ति है, जो तुम्हारी हिंसक शक्तियों में नहीं।"

यह था उनका सन्देश। इसी को वे रूस के घरों में पहुँचा रहे थे। इसके लिए उनमें से अनेकों को फाँसी के तख़्ते पर चढ़ना पड़ा, अनेकों को जेलख़ानों में ही अपने शरीर को सड़ा देना पड़ा।

राजकुमार क्रोपाटकिन और देवी कैथोराइन इन्हीं नवयुवक और नवयुवतियों में थीं। इन्होंने देशभक्ति के उन्माद में सारे सांसारिक वैभवों को पैरों से कुचल दिया और मातृभूमि के चरणों पर अपनी पवित्र भेंट चढ़ाने के लिए ज़ुल्मों की रत्ती-मात्र भी परवाह न करके घर से फ़क़ीरों की भाँति निकल आए। इतना ही नहीं, देवी कैथोराइन ने तो अपनी प्रकृत सुन्दरता तक को नष्ट कर डाला। अपने सौन्दर्य-मण्डित मुख के ऊपर तेज़ाब डाल कर उसे झुलसा डाला। इसलिए कि वह ग़रीबों में मिल सकें, अशिक्षित जनता के बीच में बिना किसी सङ्कोच के काम कर सकें और उनके कामों में रूप के कारण किसी प्रकार की विघ्न-बाधा उपस्थित न हो!!

यह त्याग था और यह थी तपस्या। एक दिन इसी ने ज़ारशाही के शासन को चूर कर दिया, उसके अन्याय व कृत्यों को धूल में मिला कर उसकी हस्ती को रूस में बे-बुनियाद कर दिया और रूस एक ऐसे युग में पहुँच गया, जिसके लिए रूस की राष्ट्र-माता आकुल थी—बेचैन थी। नवयुवकों ने आकुलता को दूर कर बेचैनी शान्त की, रूस की पुरानी तथा टूटी दीवारों को फिर से

सजा कर खड़ी किया और उस पर प्रकृति ने स्वर्णाक्षरों में लिख दिया—"रूस का वर्तमान सुनहला युग, नवयुवकों के बलिदान का परिणाम है।"

वर्तमान युग में—

अन्धकार की परिस्थितियों को चीर कर रूस ने आलोक के संसार का दर्शन किया, यद्यपि इनके साथ रूस में हिंसक क्रान्तियों षड्यन्त्रों और अकालपूर्ण अभावों का एक ज़माना आ गया, परन्तु वह कुछ बिगाड़ न सका। रूस की प्रगति में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा उपस्थित न हो सकी। वह अदम्य साहस और शक्ति के साथ अधिकार-युग में अपना पैर आगे बढ़ाता ही गया।

नौजवानों के बलिदान से प्राप्त की गई रूसी स्वाधीनता नौजवानों के लिए क्यों न सुखकर हो? क्यों न उनमें उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास हो और क्यों न वे संसार में एक आदर्श युवक बन कर दुनिया के सामने बड़े अभिमान से कहें कि हम सोवियट रूस के नौजवान हैं और नौजवानी का मर्म भली-भाँति जानते हैं!

इस समय वहाँ शक्तियों के विकास का पूरा साधन है। किसी नवयुवक को ग़रीबी के कारण अपनी मानवी और साहसी शक्तियों का विवशतापूर्वक दमन नहीं करना पड़ता। यदि उसमें शक्ति है, यदि उसके मस्तिष्क में जीवन को सुन्दर बनाने वाली भावनाएँ हैं, तो उसके लिए चारों ओर के द्वार खुले हुए हैं। न तो बेकारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है और न किसी प्रकार का अभाव ही उसके पैरों को कस कर बाँध सकता है। इसीसे तो सोवियट रूस के नौजवान इस समय संसार में आदर्श कहे जा रहे हैं।

रूस में शिक्षा का पर्याप्त साधन है। शासन की ओर से इसके लिए समुचित प्रबन्ध है। करोड़ों रुपए इसके लिए प्रतिवर्ष व्यय किए जाते हैं। फिर नवयुवक साहसी और शक्ति वाले क्यों न हों, वे क्यों न संसार में अपनी अमर सत्ता स्थापित करें। नवयुवकों के लिए रूस में कई संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में केवल नवयुवक और नवयुवतियाँ ही सम्मिलित होती हैं। वे संस्थाएँ नवयुवकों को उद्यमी, परिश्रमी और साहसी बनाती हैं। उनके दिलों से मुर्दा-दिली को दूर कर, उन्हें कर्तव्य-क्षेत्र में जौहर दिखलाने का उपदेश देती हैं।

इस समय सोवियट रूस में, 'पायोनियर' और 'कोमसोमोल' नाम की संस्थाओं का अत्यन्त महत्व है। इनके सदस्य अधिक उद्यमी और देश-भक्ति की भावना से परिपूर्ण होते हैं। उनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही समान रूप से भाग लेती हैं।

'पायोनियर' प्रारम्भिक सीढ़ी के समान है। इनमें वही बालक सम्मिलित होते हैं, जिनकी अवस्था सात वर्ष की या उससे अधिक होती है। इस संस्था द्वारा बालकों को इस योग्य बनाया जाता है, जिसमें भविष्य में उनके जीवन के सामने किसी प्रकार की बाधाएँ न उपस्थित हो सकें। इस संस्था में बालकों को सरल भाषा में क्रान्ति तथा लेनिन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उनके हृदय में अनेकों प्रकार के वीरोचित भाव भरे जाते हैं। कम्यूनिस्ट इस संस्था पर अधिक ध्यान देते हैं और इसकी उन्नति के लिए सदैव दत्त-चित्त रहते हैं।

'पायोनियर' समिति के पश्चात् 'कोम सोमोल' द्वितीय श्रेणी के रूप में है। इसमें १५-१६ वर्ष के लड़के और लड़कियाँ सम्मिलित होती हैं। इस संस्था का रूस में विशेष महत्व है। यह अपने सदस्यों को जीवन के विशाल क्षेत्र में उन्नति करने के लिए अधिक रूप से प्रोत्साहित करती है और उनके सामने एक आदर्श और नैतिक उदाहरण रख कर उन्हें जीवन की सुन्दर दिशा की ओर अग्रसर करती है।

इस समिति के सदस्यों में, सेवा का भाव प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। वे बिना किसी प्रकार की इच्छा के देहातों में पर्यटन करते हैं और उनकी सेवाओं को अपने जीवन का उचित पुरस्कार समझते हैं। मास्को में समिति की ओर से विशेष काम होता है। वहाँ इसके द्वारा ६०० कार्य-केन्द्र स्थापित हुए हैं।

समिति की स्थापना सन् १९१७ में हुई थी। उस समय इसके २२,००० सदस्य थे। किन्तु अब तो इसके सदस्यों की संख्या २५,९६,४१३ तक पहुँच गई है। और पहुँचे क्यों न? रूस स्वाधीन है। उसके मानवी दायित्व उसके हाथों में हैं। वह स्वर्ण-युग में प्रवेश कर, स्वाधीनता देवी के साथ मुस्करा रहा है।

❀ ❀ ❀

सारनाथ में नवीन बौद्ध-विहार की स्थापना

[श्रीयुत अन्तर्वेदी]

काशी के पास 'सारनाथ' नामक एक छोटा सा गाँव है और इसके पास ही प्राचीन काल का बना हुआ एक विशाल स्तूप है, जिसे आसपास के गँवार 'वीर लोरिक की धमेल' कहा करते हैं। इसके पश्चिम और कुछ दूर पर एक स्तूप का भग्नावशेष दिखाई देता है, जो बड़े स्तूप से अपेक्षाकृत छोटा है। देहातियों की कपोल-कल्पना है कि किसी ज़माने में, वहीं-कहीं लोरिक नाम का एक अहीर रहता था, जो बड़ा वीर और पहलवान था, उसीने इन दोनों 'धमेलों' का निर्माण कराया था और प्रतिदिन सवेरे अखाड़े में कसरत कर लेने के बाद वह पूर्व वाले ऊँचे धमेल पर चढ़ जाता और वहाँ से उछल कर पश्चिम वाले छोटे धमेल पर जा पहुँचता। देहातियों का यह काल्पनिक अहीर-वीर इसी प्रकार के और भी बहुत से करिश्मे दिखाया करता था। इसकी वीरता की गाथा 'लोरकी' नाम से देहातों में प्रसिद्ध है और आल्हा-ऊदल की गाथा की तरह गाई और सुनी जाती है।

परन्तु पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि सारनाथ बौद्धों का एक पवित्र तीर्थ-स्थान और वहाँ का विशाल स्तूप 'वीर लोरिक की धमेल' नहीं, बल्कि भगवान बुद्धदेव का स्मृति-स्तम्भ है। बहुत दिनों से विस्मृति के गर्भ में पड़े हुए इस पवित्र स्थान का अभी हाल में ही जीर्णोद्धार हुआ है। और बौद्धों की 'महाबोधि सोसाइटी' नाम की संस्था के उद्योग से वहाँ 'मूल गन्ध कुटी विहार' नाम से एक बौद्ध-विहार की स्थापना हुई है।

गत ११ नवम्बर को इस नवीन विहार का उद्घोधनोत्सव मनाया गया था और साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-सम्मेलन भी हुआ था। चीन, जापान, सीलोन तथा संसार के अन्यान्य कई स्थानों से बहुत बौद्धधर्म-याजक इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे।

बौद्ध-धर्म के हीनयान नामक अन्यतम सम्प्रदाय के धर्माचार्य रत्नसार महानायक थेवा ने उद्बोधन सभा का सभापतित्व किया था। महाबोधि सोसाइटी के प्रधान श्री० देवमित्त धर्मपाल ने सुन्दर अभिभाषण पाठ किया था। अभ्यर्थना समिति की ओर से राजा मोतीचन्द ने अभिभाषण पाठ किया था। बनारस के कलक्टर, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सरलादेवी चौधरानी और अन्यान्य गण्य मान्य सज्जनों के अलावा पण्डित रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में हिन्दू-महासभा के भी कई प्रतिनिधि इस आनन्द-समारोह में सम्मिलित हुए थे।

सारनाथ का संक्षिप्त परिचय

हम ऊपर कह आए हैं कि सारनाथ बौद्धों का महातीर्थ-स्थान है। आज से २,५२० वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध ने इसी पवित्र स्थान के मृगदाव या मृगोद्यान नामक तपोवन में सब से पहले अपने पाँच शिष्यों को धर्मोपदेश प्रदान किया था। फलतः बौद्ध-धर्म की प्रगति के साथ इस पवित्र स्थान का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। इसीसे आज भी सारनाथ का नाम सुनते ही बौद्ध-धर्मावलम्बियों का मस्तक श्रद्धा और भक्ति से झुक जाता है।

सारनाथ की संक्षिप्त इतिवृत्ति जानने के लिए हमें हिन्दुओं के पवित्र तीर्थस्थान काशी के इतिहास पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे सत्यलाभ करके सबसे पहले भगवान बुद्ध ने काशी में ही अपने नवीन धर्म का प्रचार करने का विचार किया। परन्तु वेदपन्थी आर्यों ने अपनी संहिता के विरुद्ध मतवाद का प्रचार स्वीकार नहीं किया, इसलिए भगवान बुद्ध को काशी के निकटवर्ती स्थान मृगदाव या ऋषिपत्तन को अपना प्रचार-केन्द्र बनाना पड़ा।

काशी हिन्दुओं का एक अति प्राचीन तीर्थ-स्थान और धर्म का केन्द्र है, इसलिए वहाँ पहले बहुत से योगियों, ऋषियों, पण्डितों और धर्माचार्यों का निवास-स्थान था और काशी के जिस अंश में यह धार्मिक मण्डली रहती थी, उसका नाम ऋषिपत्तन था। बौद्ध-युग में, पाली भाषा के उच्चारण के अनुसार इस ऋषिपत्तन का नाम इसिपत्तन पड़ गया। परन्तु बौद्ध-ग्रन्थों में लिखा है, कि काशी से डेढ़ योजन के फ़ासले पर एक वन में पाँच सौ बौद्ध ऋषि रहा करते थे। अन्त में निर्वाण प्राप्त करके वे शून्य में चले गए, उनकी नश्वर वहीं पतित हुई, इसलिए उस स्थान का नाम ऋषिपतन पड़ गया। इसी ऋषिपत्तन के पास मृगदाव या (पाली के अनुसार) मृगोद्या नाम का एक उद्यान था, जहाँ भगवान बुद्ध का निवास-स्थान था। बुद्ध जातक के अनुसार भगवान बुद्ध के किसी पूर्व-जन्म में एक राजा प्रतिदिन इस मृगोद्यान में शिकार खेलने आया करता था। और बहुत से मृगों को मार डालता था। बुद्ध-को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राजा को मना किया। परन्तु उसने शिकार बन्द करना स्वीकार नहीं किया। अस्तु, अन्त में निश्चय हुआ कि वह प्रतिदिन केवल एक मृग का शिकार कर सकेगा। इस समझौते के अनुसार वह रोज़ एक मृग मार कर ले जाने लगा। कुछ दिनों के बाद एक हरिणी की बारी आई। इस हरिणी के दो छोटे-छोटे बच्चे थे और वह उन्हें छोड़ कर मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बुद्धदेव की शरण में गई और उनसे सहायता की प्रार्थना की। बुद्ध ने किसी तरह कह-सुन कर राजा को मना लिया और उस हरिणी के प्राण बच गए। साथ ही राजा ने इस वन के मृगों को कभी न मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली। उसी समय से भगवान बुद्धदेव का नाम 'मृगनाथ' या 'सारङ्गनाथ' पड़ गया। बौद्ध विद्वानों का कथन है कि इसी सारङ्गनाथ का अपभ्रंश वर्तमान 'सारनाथ' है, क्योंकि 'सारङ्ग' शब्द का एक अर्थ हरिण भी होता है। परन्तु हिन्दू-मतानुसार 'सारङ्ग' नाम शङ्कर का है और बौद्धों के इस पवित्र स्थान के पास ही अति प्राचीन काल का बना हुआ एक शिव-मन्दिर भी है और उसे 'सारनाथ' का मन्दिर कहते हैं। सम्भव है, बौद्ध-धर्म के पतन के पश्चात् हिन्दुओं ने वहाँ शिव-मन्दिर की स्थापना करके उसे 'सारनाथ' कहना आरम्भ कर दिया हो। अस्तु।

बुद्ध-गया से सिद्धि लाभ करने पर भगवान बुद्ध यहीं आकर रहने लगे। यहीं उन्हें वे पाँच शिष्य मिले। पहले उन्होंने बुद्धदेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई, परन्तु अन्त में उनके उपदेशों को सुन कर उनके शिष्य बन गए। इन भिक्षुओं से पहले-पहल भगवान बुद्ध से जहाँ भेंट हुई थी, उस स्थान का नाम 'चौखण्डी' है। यहाँ आज भी बहुत से स्तूपों और पत्थर के मकानों का भग्नावशेष मौजूद है। विख्यात चीनी परिव्राजक ह्युएन-साङ्ग ने अपनी भारत-यात्रा-सम्बन्धी पोथी में इस स्थान के तत्कालीन वैभव का विशद वर्णन किया है। यह ईसा की ७वीं शताब्दी में यहाँ आया था और भगवान बुद्ध ने यहाँ पदार्पण किया था, ईसा के जन्म से छः सौ वर्ष पूर्व। फलतः भगवान बुद्ध के इस स्थान पर आने के तेरह सौ वर्ष बाद भी, ह्युएन-साङ्ग के कथनानुसार यहाँ बौद्धों के तीस मठ थे और उनमें प्रायः तीन हज़ार श्रमनों का निवास था। इसके सिवा हिन्दू देव-देवियों के भी सैकड़ों मन्दिर वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि तत्कालीन काशी का विस्तार भी सारनाथ तक रहा होगा।

कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ कभी भारतवर्ष का प्रधान और प्रसिद्ध स्थान था। बौद्ध और आर्य दोनों ही इसे अपना पवित्र तीर्थ-स्थान मानते थे। क्योंकि बौद्ध-मठों और विहारों के भग्नावशेषों के अतिरिक्त वहाँ हिन्दू-मन्दिरों के भग्नावशेष भी बहुत से मौजूद हैं। अभी वहाँ कितनी ही स्मृतियाँ पृथ्वी के गर्भ में निहित हैं। बौद्ध-ग्रन्थों में जिन विशाल विहारों का उल्लेख है, उनका भी उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में चीन का प्रसिद्ध परिव्राजक फ़ाहियान भारत का भ्रमण करने आया था, उसने यहाँ चार बड़े-बड़े स्तूप और दो विशाल मठ देखे थे। ईसा के पूर्व छठवीं शताब्दी में हूणों ने मृगोद्यान की गौरव-गरिमा को बुरी तरह ध्वंस कर डाला। इसके बाद ईसा की ११वीं शताब्दी में सुलतान महमूद ग़ज़नवी और १२वीं शताब्दी में महम्मद ग़ोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन के आक्रमण के कारण मृगोद्यान का सम्पूर्ण रूप से ध्वंस हो गया। इन दोनों आक्रमणकारियों ने मानो होड़ बद कर बौद्धों के इस प्राचीन गौरव को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। केवल वही दो या तीन स्तूप रह गए थे, जिसे स्थानीय अज्ञान-तिमिराच्छन्न जनता वीर लोरिक की धमेल, समझ रही थी। ये दोनों स्तूप हज़ारों वर्ष से अपने निर्दिष्ट स्थान पर खड़े रह कर बौद्धकालीन विशाल भारत की गौरवपूर्ण स्मृति-स्वरूप खड़े थे। परन्तु १७९४ ईस्वी में उनमें एक को तत्काल काशी-नरेश के जगतसिंह नाम के किसी कर्मचारी ने एक गञ्ज (गढ़ ?) बनवाने की इच्छा से समूल ध्वंस करवा डाला था। उक्त गञ्ज आज भी जगतसिंह के नाम से मौजूद है।

मूलगन्धकुटी विहार

भारत के भूतपूर्व राज-प्रतिनिधि लॉर्ड कर्ज़न का ज़माना प्राचीन कीर्तियों के उद्धार के लिए विख्यात है। लॉर्ड कर्ज़न के अकीर्तिकर काल की कीर्ति भारत को सदैव याद रहेगी। इस इतिहास-प्रेमी वायसरॉय ने भारत की बहुत सी विलुप्त कीर्तियों का उद्धार करके सचमुच हमारा असीम उपकार किया है। इन कीर्तियों के पुनरुद्धार से हमारे अतीत इतिहास की गौरव-वृद्धि हुई है। इसके लिए सदैव लॉर्ड कर्ज़न महोदय का कृतज्ञ रहना चाहिए।

सन् १९०४ में सरकार ने नियमित रूप से खुदाई का कार्य आरम्भ कराया। परन्तु इससे पहले सन् १८९१ में महाबोधि सोसाइटी के सभापति

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा। अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़द्दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास की क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,

इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) का वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद' / 'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर———— है।

हस्ताक्षर————

पूरा पता————

————

————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।"

श्री० अनागरिक धर्मपाल एक बौद्ध जापानी श्रमन के साथ सारनाथ का भग्नावशेष देख आए थे। वहाँ उन्होंने एक स्तूप का भग्नावशेष और एक परित्यक्त जैन-मन्दिर देखा था। सन् १९१४ में सरकार के पुरातत्व-विभाग वाले जब इस पुनरुद्धार के कार्य में बहुत-कुछ अग्रसर हो चुके थे, तो उक्त धर्मपाल महोदय को एक बार फिर वहाँ जाने का अवसर मिला और आपने बौद्धों के इस प्राचीनतम पवित्र स्थान पर 'मूलगन्ध कुटी' नाम से एक बौद्ध-विहार बनवाने की कल्पना की। खुदाई होने के समय ज़मीन के अन्दर से अन्यान्य बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ पत्थर का एक टुकड़ा निकला था, जिस पर "मूलगन्ध कुटी' शब्द अङ्कित थे। इसीसे आपने इस नवीन विहार का नाम 'मूलगन्ध कुटी' रखने का विचार किया। १८९६ में सरकार ने मि० फ़ार्गुसन नाम के एक नीलहे अङ्गरेज़ से सारनाथ का उक्त स्थान ख़रीद लिया था। इसके बाद धर्मपाल महोदय ने थोड़ी सी ज़मीन वहाँ के ज़मींदारों से ख़रीद ली तथा अपने घोर परिश्रम और चेष्टा से सारनाथ या मृगोद्यान को विस्मृति के अन्धकारपूर्ण गह्वर से निकाल कर नए रूप में स्थापित किया। इस महाविहार के प्रधान चूड़ा की ऊँचाई ११० फ़ुट है। विहार के चारों ओर एक मकान बनाने का भार सरकार के पुरातत्व-विभाग ने ग्रहण किया है। इस विभाग के प्रस्ताव के अनुसार ही गत ११ नवम्बर को इस विहार का उद्घाटन महोत्सव सम्पन्न हुआ है।

सारनाथ के दर्शनीय स्थान

(१) चौखण्डी स्तूप, (२) विचित्रशाला, (३) जैन-मन्दिर (४) खुदाई का काम, (५) विशाल स्तूप, (६) महाबोधि अवैतनिक विद्यालय, (७) मूलगन्ध कुटी विहार, (८) शिव-मन्दिर, (९) जैन-धर्मशाला और बाग़, (१०) किसी मुसलमान पीर की समाधि, और (११) बर्मियों की धर्मशाला।

सारनाथ की विशेषता

सारनाथ केवल बौद्धों और हिन्दुओं का ही पवित्र और प्राचीन स्थान नहीं है, वरन् जैनियों का भी तीर्थ-स्थान है। क्योंकि इसके पास ही सिंहपुर नामक ग्राम है, जहाँ जैन तीर्थङ्करों ने सिद्धि लाभ की थी। बौद्ध लोग इसे दो कारणों से पवित्र स्थान मानते हैं। पहला कारण यह है कि पूर्ववर्ती बौद्धों में अन्यतम काश्यप जी ने यहीं जन्म ग्रहण किया था और दूसरा कारण यह है कि गौतम बुद्ध ने पहले-पहल यहीं अपने पवित्र धर्म का प्रचार किया था।

भारत की यह प्राचीन कीर्ति काल के दुर्विपाक में पड़ कर ख़ाक के पर्दे में छिपी हुई थी। सम्राट अशोक, हर्षवर्द्धन के सामने का यह ऐतिहासिक स्थान आज आठ सौ वर्षों से ज़मीन के अन्दर गड़ा पड़ा था। अब तक किसी ने इसके पुनरुद्धार का साहस नहीं किया था। इतने दिनों के बाद सीलोन के प्रधान धर्माध्यक्ष श्री० अनागरिक धर्मपाल के अध्यवसाय ने उसे पुनः जीवन प्रदान किया है। इसलिए धर्मपाल महोदय हमारी आन्तरिक कृतज्ञता के पात्र हैं।

भगवान गौतम बुद्ध, उनके प्रचारित धर्म से हमारा, हमारे देश का और हमारे पूर्व पुरुषों का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। भारत में हिन्दुओं ने किसी धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप नहीं किया है। 'नदिया एक घाट बहुतेरी, कहैं कबीर वचन की फेरी।' इस युक्ति के अनुसार भारत ने सभी धर्मों का आदर किया है। इसीलिए भारत ने अपने बौद्ध भाइयों—भारतमाता के धर्मपुत्रों—का सादर स्वागत किया है। ईश्वर करे, इस विहार की स्थापना, सारनाथ की पवित्र भूमि हिन्दुओं और बौद्धों के मिलन-केन्द्र के रूप में परिणत हो।

श्री० धर्मपाल के अभिभाषण का सार

इस शुभ अवसर पर श्री० देवमित्त अनागरिक धर्मपाल महोदय की ओर से जो अभिभाषण पढ़ा गया था, उसमें बहुत सी ऐतिहासिक बातों के सिवा, ख़ास कर हिन्दुओं के मानने योग्य भी बहुत सी बातें हैं। इसलिए उसका सार-मर्म नीचे दिया जाता है।

इसिपत्तन के पुण्यपूत स्थान में, संसार के विभिन्न स्थानों से आए हुए, बौद्ध श्रमनों तथा अन्यान्य सज्जनों का स्वागत करते हुए धर्मपाल ने कहा—

"आज से २,५५५ वर्ष पहले कपिलवस्तु (कसया, गोरखपुर) के पास लुम्बिनी-कुञ्ज नामक स्थान में बोधिसत्त्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म ग्रहण किया था। यह स्थान आजकल नेपाल राज्य में है और सम्राट अशोक का बनाया हुआ एक प्रस्तर-स्तूप भी वहाँ मौजूद है। इसके अतिरिक्त बुद्ध गया और कुशीनर नाम के दो और पवित्र स्थान भी बौद्धों के हैं। २,५२० वर्ष पहले बुद्ध गया में संन्यासी राजकुमार ने सिद्धि प्राप्त करके निर्वाण-पथ का आविष्कार किया था। वे लगातार ४५ वर्षों तक उसी के प्रचार में लगे रहे। इसके बाद ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनर के शालपुञ्ज में निर्वाण लाभ किया। आज से २,५२० वर्ष पहले भगवान तथागत बुद्ध ने जिस धर्म का बीजारोपण किया था, वह आज महा-महीरुह के रूप में परिणत हो चुका है। इस महावृक्ष की शाखाएँ भारत, चीन, जापान, कोरिया, मञ्चूरिया, मङ्गोलिया, तिब्बत, स्याम, कम्बोज, ब्रह्मदेश, आराकान, नेपाल और सीलोन आदि संसार के विभिन्न देशों में फैली हुई हैं। एक हज़ार वर्षों तक इस धर्म ने एशिया के इस छोर से उस छोर तक, अहिंसा, क्षमा, दया और प्रेम का प्रचार किया था। एक हज़ार वर्ष पहले तुर्किस्तान में मुसलमानों ने इसका ध्वंस आरम्भ किया। इसके बाद मूर्ति-पूजा विरोधियों के प्रबल दल ने अफ़ग़ानिस्तान और गान्धार आदि देशों में प्रवेश किया और वहाँ से बौद्ध-धर्म का मूलोच्छेद कर दिया। इस आक्रमण के कारण गान्धार से लेकर बङ्गाल तक प्राचीन सभ्यता का सूर्य अस्त हो गया। फिर पुराने बर्बर युग का आविर्भाव हुआ। एशिया का अधिकांश भाग बर्बरता और दस्युता का क्रीड़ा-निकेतन बन गया। इन विजातीय आक्रमणकारियों के कारण भारतवर्ष श्रीहीन हो गया। उन्होंने अगणित विहारों, मन्दिरों, पुस्तकागारों और मठों का ध्वंस करके लाखों किसानों और श्रमिकों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना डाला। ईसा के जन्म से प्रायः सात सौ वर्ष पहले, जब चीन का परिव्राजक यहाँ आया था, तब यहाँ केवल दो लाख भिक्षु थे और भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का प्रचार कर रहे थे।

"अस्पृश्यता किस वस्तु का नाम है, इसे बौद्ध नहीं जानते। बौद्ध भिक्षु सबको एक ही नज़र से देखते हैं। सबसे पहले शङ्कर के मतवाद ने ही विरोध भाव की सृष्टि की थी। ब्रह्मचर्य पहले आत्म-शुद्धि के लिए था। परन्तु अन्त में तान्त्रिक मतवाद के कारण ब्रह्मचर्य की इतिश्री हो गई और उसी समय से भारत भी पतन की ओर जाने लगा। इसके बाद मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना आरम्भ किया और मुस्लिम धर्म के सङ्घर्ष में पड़ कर आर्य-धर्म और आर्य-सभ्यता का ध्वंस हो गया। उसी समय मुहम्मद ग़ोरी ने आकर इस इसिपत्तन का भी ध्वंस कर डाला।

"सन् १८९१ में जब मैं पहले-पहल यहाँ आया था, तो देखा कि कुछ नीच जाति के शूकर-पालकों की यहाँ बस्ती है। केवल जैन-मन्दिर के पवित्र प्राङ्गण में इन शूकर-पालकों का प्रवेश-निषेध था। मैंने इस ज़मीन को ख़रीद लेने का विचार किया, परन्तु सफल न हो सका। अन्त में सन् १९०१ में एक अवैतनिक विद्यालय की स्थापना करने के लिए बड़ी मुश्किल से एक ज़मींदार से दो बीघा भूमि ख़रीद सका। इस भूमि को ख़रीदने के लिए रुपए मेरी माता ने दिए थे। इस समय उनकी अवस्था ८५ वर्ष की है। विद्यालय की स्थापना एक दूसरी महिला के दान से हुआ। उनका नाम मिसेस फ़ास्टर था।

"महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार किया है, वह मनुष्य की आत्मा को पवित्र, महान और मुक्त बनाता है। सुनते हैं, भारत में छः करोड़ अछूत मनुष्य हैं; वे स्वाधीनता और प्रगति के लाभ से वञ्चित हैं। यह भारत के लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक यह अभिशाप दूर न होगा, तब तक भारत की उन्नति असम्भव है। भारत जिसमें उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, उसका समय उपस्थित है, परन्तु जब तक भारत में गृह-विवाद जारी रहेगा, तब तक उसकी उन्नति न होगी।

"यूरोप वाले बौद्ध साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाली भाषा सीखते हैं, परन्तु हिन्दू ऐसा नहीं करते। आज चालीस वर्षों से महाबोधि सोसाइटी भारत की सहानुभूति पाने की चेष्टा कर रही है, किन्तु कोई फल नहीं होता।

"ज़हरीली गैस, भीषण अस्त्र-शस्त्र और हवाई जहाज़ों द्वारा किसी भी सांसारिक समस्या का हल नहीं हो सकता। यूरोप आज अनुकम्पा-प्रदर्शन की नीति को भूल गया। आधुनिक सभ्यता की विलासिता किसी को भी सुखी नहीं कर सकती। याद रखिए, कर्मवाद बड़ा ही जटिल विषय है। इसमें क्रिया या प्रतिक्रिया दोनों ही हैं। इस जीवन में अगर कोई ब्राह्मण किसी अस्पृश्य जाति के प्रति दुर्व्यवहार करे तो पर-जन्म में उसे अस्पृश्य जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। आर्य-धर्म की विशेषता है, अहिंसा। हमारा विश्वास है कि भारत में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जो अछूतों को प्यार करते हैं और ऐसे भी बहुत से हैं, जो भारत में तथागत के पवित्र आर्य-धर्म के प्रचार में सहायक होंगे।"

❀ ❀ ❀

विशेषांकों की धूम !! [बिना मूल्य भेंट]

साहित्य-अङ्क मूल्य १)
कला-अङ्क मूल्य २)
प्रवासी-अङ्क मूल्य १)

३१ नवम्बर तक नए ग्राहक बनने वालों को उक्त तीनों विशेषाङ्क बिना मूल्य भेंट !

"मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सङ्कलित करने की परिपाटी बहुत ही उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 'विशाल-भारत' अपना सानी नहीं रखता—यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है।"

—'प्रताप'

विशेषाङ्कों का पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य ६।=) मनीऑर्डर से भेजिए, या वी०पी० से मँगाइए।

'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया

१ 'कुमुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥=)
२ 'गल्पगुच्छ' कहानियाँ— " " मू० १॥) " १।-)
३ 'षोड़शी' (कहानियाँ)— " " मू० १॥) (छप रही है)
४ 'रूस की चिट्ठी' (भ्रमण-कहानी) " " मू० १॥।)ग्राहकोंको १॥-)
५ 'भेड़ियाधसान' (हास्यरस)—ले०, "परशुराम" " मू० १॥) " १।-)
६ 'लम्बकर्ण' (सचित्र हास्य)— " " मू० १।) " १=)
७ 'प्रेम-प्रपञ्च' (उपन्यास)—ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १।) " १=)
८ 'मुसोलिनी और नवीन इटली'—ले० पो० एन० राय; अनुवादक ब्रजमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है)

पता—'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०।२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की बाल-घुट्टी में बाबा नारद जी ने जो 'कलह-बिन्दु' टपका दिया था, वह माशा अल्लाह, अभी तक अपना असर दिखाए जा रहा है। सुनते हैं, झाँसी के तवेले में भी बुन्देलखण्डी जीवों ने तलिहाडन मचाना आरम्भ कर दिया है। क्योंकि जैसा आग़ाज़ वैसा अञ्जाम! जब भूमिका ही आल्हा-ऊदल के संग्राम सी रोचक है, तो फिर कथा में महाभारत का मज़ा क्यों न रहे।

❀

मालूम नहीं किसे 'कुकरौंछी' ने काट लिया था, जो सम्मेलन के सभापतित्व के लिए बूढ़े गोस्वामी जी का नाम ले बैठा। सुनते हैं, इससे साहित्यिक गोधन-दल में भयङ्कर हुःपेटौअल आरम्भ हो गई है। बछिया और कलोर से लेकर बिसुकी और बियानी तक की जुगाली बन्द हो रही है। कोई बुन्देलखण्डी गायों के लिए चिन्तित है और कोई इलाहाबादी कलोरों के लिए।

❀

ख़ैर, रहस्यवाद छोड़ कर ज़रा सीधी-सादी बात सुनिए। पण्डित किशोरीलाल जी गोस्वामी का दर्जा हिन्दी में वही है जो बङ्गला में स्व० बङ्किमचन्द्र चटर्जी का है। फलतः उन्हें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति बनाना केवल अपनी गुण-ग्राहकता का ही परिचय देना नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग के प्रति सम्मान प्रदर्शन कर के अपनी सुशीलता और सआदतमन्दी भी दिखाना है। परन्तु ईश्वर की दया से ये दोनों ही बातें हिन्दी वालों के धर्मशास्त्र में कुफ़्र हैं।

❀

इसलिए गोस्वामी जी का नाम सुनते ही जिन लोगों ने छान-पगहा तुड़ाना आरम्भ कर दिया है, उनके पैतृक धर्मानुयायी होने में अपने राम को ज़रा भी सन्देह नहीं है। और फिर, जब कि आजकल अपटूडेट फ़ैशनेबिल सभापतियों की कमी नहीं है तो एक पुराने हरिश्चन्द्र-सखा को सम्मेलन का सभापति बनाना वास्तव में महामूर्खता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जिन लोगों ने गोस्वामी जी के लिए मत दिया है, मरने पर वे नरक में पड़ें।

❀

लखनऊ के रँगीले नवाब वाजिदअली शाह का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। बड़े शौक़ीन आदमी थे। पतङ्गबाज़ी से लेकर बटेरबाज़ी तक—कोई ऐसा शौक़ न था, जिसे उन्होंने पूरा न किया हो। अपने इन शौक़ों को पूरा करने में वे प्रतिवर्ष हज़ारों नहीं, लाखों रुपए स्वाहा कर देते थे।

❀

यहाँ पर हम केवल उनकी बटेरबाज़ी का ज़िक्र करेंगे। उनके चिड़ियाख़ाने में एक से एक बढ़ कर मूल्यवान बटेर थे—हज़ार-हज़ार और दो-दो हज़ार रुपए के। इन बटेरों को फँसाने, पालने और उनकी शिक्षा में भी काफ़ी रुपए ख़र्च होते थे। एक बटेर जो 'बरख़ुरदार बटेर' के नाम से मशहूर था, उसके मरने पर नवाब साहब बहुत रोए थे। बस, इसी से समझ जाइए कि उनका बटेर-प्रेम कहाँ तक बढ़ा था।

❀

परन्तु इङ्गलैण्ड की नवाबज़ादी अर्थात् सखी नौकरशाही का शौक़ कुछ निराले ही ढङ्ग का है। बटेरबाज़ी की जगह उन्हें 'मनुष्यबाज़ी' का शौक़ है। अगर नवाब साहब बटेर बझाने और उन्हें पालने में लाखों स्वाहा कर देते थे, तो हमारी सखी, मनुष्य बझाने और उन्हें पिंजड़े में बन्द करने में लाखों पर पानी फेर देती हैं। आख़िर शौक़ ही तो है।

❀

नई दिल्ली से ख़बर आई है कि मेरठी मुक़दमे के लिए अब तक बारह लाख रुपए ख़र्च हुए हैं! होने ही चाहिए, जब हराम का माल मिल गया है तो लगे हाथ नानी का भी फ़ातिहा क्यों न पढ़ डाला जाए। बारह-पन्द्रह लाख के ख़र्च में बारह-पन्द्रह नवयुवक कुछ दिनों तक सखी के मेहमाँसराय की रौनक़ बढ़ाएँगे, इसमें घाटा ही क्या है? ऐसे चुने हुए छैल-छबीले मुफ़्त में मिलेंगे कहाँ? कहीं इनके फ़ोटो महाराज अलवरेन्द्र देख लें तो एक-एक को दो-दो हज़ार रुपए मासिक वेतन पर अपने यहाँ नौकर रखलें।

❀

भई, मुख्य बात तो यह है, जब तक बाबा औलिया पीर की दया से यह सोने के अण्डे देने वाली मुर्ग़ी क़ब्ज़े में है, तब तक न सखी को बारह लाख की परवा है, न अठारह लाख की। रुपया-पैसा तो सच पूछिए तो हाथ की मैल है—आता है और जाता है। फिर कोई शौक़ क्यों अधूरा रह जाए? कहावत है कि—'राम की चिरैया राम का खेत, खाव चिरैया भर-भर पेट!'

❀

इसके सिवा हमारी सखी भी तक़दीर की साँढ़िनी हैं। ऐसा बरकती क़दम है कि अगर मरुभूमि में पड़ जाय तो मानसरोवर लहराने लगे। भारत जैसे दरिद्र देश में, जहाँ करोड़ों आदमी रोज़ फ़ाक़ा करते हैं और करोड़ों कड़ाके की सर्दी में भी यह नहीं जानते कि ढाई गज़ का उपरना कैसा होता है, वहाँ सखी को लाखों रुपए बटेरबाज़ी के लिए मिल जाते हैं! दरअसल ख़ुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।

❀

सुनते हैं, श्रीमान दरभङ्गा-नरेश को अब की लण्डन-यात्रा बड़ी महँगी पड़ी है। क्योंकि रूटर के कथनानुसार महाराज बहादुर के प्रायः डेढ़ लाख रुपए के जवाहरात चोरी हो गए हैं। ख़ैर, दरभङ्गा की प्रजा सलामत है तो डेढ़-दो लाख की कोई चिन्ता नहीं। परन्तु चिन्ता इस बात की है कि लण्डन वाले महाराज के जड़ाऊ गहनों की जगमगाहट से वञ्चित रह गए! कमबख़्तों की तक़दीर को क्या कहा जाय?

❀

हम तो समझते हैं कि कमबख़्त चोर भी पूरा अरसिक ही रहा होगा। आख़िर उसे जल्दी क्या पड़ी थी? एक बार महाराज को वहाँ की महफ़िलों में अपना राजसी-ठाठ दिखा लेने देता तो उसका क्या बिगड़ जाता? कम से कम लण्डन वाले पहचान तो लेते कि ये जीती-जागती गुड़िया सी विचरने वाले हज़रत दरभङ्गा के महाराज बहादुर हैं।

❀

मौ० महम्मद अली मरहूम के 'विधवा-सहोदर' अर्थात् मौ० शिकम-आज़म के उद्योग से लण्डन महातीर्थ में जो इङ्ग-मुस्लिम गँठबन्धन हुआ है, उसके कारण कलकत्ते का सूरवंशीय अख़बार थिरक उठा है। अपने राम भी इस नवीन जोड़ी को 'हनीमून' के मज़े लूटने के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगामी १६३२ के नवम्बर में 'सोहर' सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा।

❀

सूरवंशीय भाई का कहना है कि जिस समय यह शुभ-सम्वाद दिल्ली में पहुँचा था, उस समय वहाँ आनन्द का तूफ़ान जारी हो गया। दिल्ली के गोरे दाढ़ीदार चेहरा देखते ही उसे चूम लेते थे और अछूतों को गले लगा कर 'तेरी मेरी जोड़ी बनी मज़ेदार' का तराना अलापने लगते थे। परन्तु इस गँठबन्धन के उपलक्ष में लङ्काशायर और मान्चेस्टर में 'बालडान्स' हुआ था या नहीं, इसका कुछ भी पता इस 'आर्यरी पेपर' ने नहीं दिया है।

❀

सचमुच इस नवीन गँठबन्धन के कारण भारत के अछूतों और मुसलमानों का विशेष उपकार होगा। मदारू चाचा अपना नाम मुहम्मद मदारबख़्श रख कर बरा साहब की अर्दलीगीरी करेंगे और अम्बेदकर वंशीय मुसई राउत साहब के कुत्तों के होम-ट्यूटर मुक़र्रर हो जाएँगे। बस और क्या उन्नति के कोई दुम हुआ करती है?

❀

फिर जनाब सिली-सिलाई सुथनी से लेकर टिकिया दियासलाई तक इङ्गलैण्ड से चली आवेगी। मियाँइन जी कोइला पीसने और गोबर बटोरने की ज़हमत से बच जाएँगी और मियाँ जी कर्घा चलाने से छुट्टी पा जाएँगे। बस काम रह जायगा, दाढ़ी में इङ्गलिश मेड ख़िज़ाब और आँखों में सुरमा लगा कर ख़ुसरू बाग़ की सैर।

❀

और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि छूत और अछूत हिन्दू आपस में लड़-झगड़ कर मर मिटेंगे और जो बच जाएँगे—अहा हाहा, उनकी सुन्नत कर डाली जायगी। बस अब आपको समझ लेना चाहिए कि दूसरे के अमङ्गल के लिए अपनी नाक कटाने में कितनी अक़्लमन्दी भरी है।

❀

वल्लाह, जब से कम्बख़्त काफ़िरों ने स्वदेशी का हल्ला मचाया है तब से अहले उम्मत की तकलीफ़ बेहद बढ़ गई है। टाँगाइल, ढाका, मुर्शिदाबाद, शान्तिपुर, मऊ और टाँडा के जुलाहे जो हवड़ा, टीटागढ़ और काँकीनाड़ा में बोरे बुना करते थे, उन्हें फिर अपने घर लौट कर अपने पैतृक रोज़गार में लग जाना पड़ा है। इस तरह बेचारे दुनिया की सैर से वञ्चित हो रहे हैं!

❀

बातचीत

एजेण्टों से—

निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें १३-११-३१ से १९-११-३१ तक मिला है। जिन एजेण्टों ने अभी तक अक्टूबर मास का हिसाब साफ़ नहीं किया है, उन्हें इस सप्ताह से अङ्क नहीं भेजे जा रहे हैं। कृपया वह लोग शीघ्र ही रुपया भेज कर हिसाब साफ़ कर दें।

१	श्री० ला० मो० सुल्तानपुर ...	१२॥।)
२	श्री० स० रा० श्री खन्ना, जालन्धर ...	५॥=)
३	मेसर्स रा० च० ला० एण्ड सन्स, बेतूल	१२॥≡)
४	श्री० बाबा स० दा०, बक्सर ...	१०)
५	मेसर्स ल० ना० सी० रा० कुर्सियोंग	६≡)
६	श्री० मं० ला० जैन, नसीराबाद ...	५॥≡)
७	मेसर्स बा० म० राव, वर्धा ...	१९)
८	श्री० सु० रा० जी वर्मा, ख़ैरागढ़ ...	७)
९	मेसर्स मो० ला० ही० ला०, अल्मोड़ा...	२५)
१०	श्री० र० प्र०, उन्नाव ...	८—)
११	श्री० क० सि० वर्मा, बिजनौर ...	३)
१२	श्री० ह० प्र०, एटा ...	५॥=)
१३	श्री० दु० च० जी, रीवाँ ...	३।=)
१४	श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर ...	१०)
१५	श्री० ब० दे० प्र० त्रि०, देवरिया ...	७)
१६	मेसर्स च० मो०, जबलपुर ...	११३—)
१७	श्री० बी० एल० निगम, लखनऊ (चेक से)	६१—)
१८	श्री० एस० सी० आचार्य गोरखपुर, (चेक से)	४०)
१९	मेसर्स गौ० ब्रादर्स, कानपुर (चेक से)	२४८॥।)॥।
२०	श्री० रा० दा० सा०, ग़ाज़ीपुर ...	३३≡)
२१	मेसर्स भा० एं० कं०, मथुरा (चेक से)	३०≡)
२२	मेसर्स गु० ब्र०, एं० कं०, देहरादून (चेक से)	११)
२३	श्री० श्री० रा० दी०, फ़र्रुख़ाबाद ...	५॥=)
२४	श्री० क० ला० श०, खुर्जा ...	२२)
२५	श्री० दु० च० जैन, इन्दौर ...	२०।≡)
२६	मन्त्री जी० रा० म० पु०, दमोह ...	११)
२७	श्री० ला० श० जी, पटना ...	२५)

ग्राहकों से—

गत १३-११-३१ से १९-११-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है:—

ग्राहक-नम्बर	प्राप्त रक़म
२५६१	६॥)
३०५१	३॥)
२९६०	३॥)
१२०६	१२)
८३४	१२)
२३३१	१२)
२७३७	६॥)
२७५१	६॥)
२७७०	६॥)

निम्नाङ्कित ग्राहकों को नीचे लिखे अङ्क दुबारा भेजे गए हैं:—

५२वाँ और ५३वाँ अङ्क ३००९
५४वाँ ३२३३, २५८३ और २६३२
५५वाँ ३२३३, ५३२ और २६३२
५६वाँ ५३२ और २५३०

निम्नाङ्कित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं:—

२५८३, १७८४, १०२२, २२६८, २८००, १२४५, २१५५ और २८९९।

गत १३-११-३१ से १९-११-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नम्बर के नीचे लिखे जाते हैं। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर सदा के लिए स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना न भूला करें, ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

ग्राहक-नम्बर	नाम ग्राहक	रक़म
३२६५	श्री० अध्यापक, ग्राम-सङ्गठन, चन्दौली (बनारस)	१२)
३२६६	श्री० प्रिन्सपल महोदय, कटिङ्ग मेमोरियल एच० स्कूल, बनारस कैन्ट ...	१२)
३२७०	श्रीमती आर० के० तिवारी, बस्ती ...	१२)
३२७१	पं० चन्दनलाल जी, बयाना, भरतपुर स्टेट	६॥)
३२७२	श्री० सेक्रेटरी महोदय, रीडिङ्ग रूम ऐन्ड लाइब्रेरी, खेरवारा, (मेवाड़)	६॥)
३२७३	श्री० ए० कृष्ण राया, कुण्डापुर एस० कनारा	१२)
३२७४	श्री० सेक्रेटरी महोदय, भाटपारा क्लब, भाटापारा	६॥)
३२७८	श्री० मिठाईलाल सोनार, पट्टी नरेन्द्रपुर, जौनपुर	१२)
३२७९	श्री० बाबूलाल गुप्ता, मटेरा, बहराइच	६॥)

आगामी सप्ताह में निम्नाङ्कित ग्राहक-नम्बर वाले ग्राहकों को 'भविष्य' की वी० पी० भेजी जायगी। प्रार्थना है कि ग्राहकगण वी० पी० स्वीकार कर बाधित करेंगे।

ग्राहक-नम्बर

१३७९	२८०२	२८०७	१६०६
१६३४	१६५२	१६७३	१६८५
२८४५	३०७७	३०९०	१५५८
२८२३	१७३७	१७५७	२६१०
२८५४	१४०१	२८०३	२८०८
१६१२	१६३९	१६५७	१६७४
१७१३	३०६९	३०८५	१२९४
२८१७	२८६८	१७४०	१९१२
२७६९	२९५०	१४११	२८०५
२८१०	१६२५	१६४७	१६६९
१६७९	१७२५	३०७३	३०८८
१५३१	२८२१	१७२८	१७४४
२४१९	२८४७	२९८०	...

❀ ❀ ❀

Registered No. A—2085

उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूतन उपहार !

[अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास]

सांसारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, धैर्यवान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग-व्रत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-सुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ख़ून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस



प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अर्पण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल—एक दरिद्र की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती है, इसका अद्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा।

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्न है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्री अपना जीवन सफल बना सकती है। उसका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को धैर्य एवं साहस प्रदान कर, क्षण-मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-शैली अत्यन्त मनोहर है। पुस्तक छप रही है; शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

वर्ष २
खण्ड १

भविष्य

संख्या ६
पूर्ण संख्या ५८

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक





वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; ३० नवम्बर, १९३१ | संख्या ९, पूर्ण संख्या ५९

"कॉङ्ग्रेस हिंसात्मक आन्दोलन के लिए उत्तरदायी नहीं"

मज़दूरों पर लाठियाँ और गोलियाँ चलीं

एक सौ व्यक्ति घायल हुए : : कितने ही गिरफ़्तार !

कुरला (बम्बई) की स्वदेशी मिल की हड़ताल ने, जो कितने ही दिनों से जारी थी, २३ ता० को भयङ्कर रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि उस दिन शाम के ४॥ बजे क़रीब ५०-६० हड़ताली स्त्रियाँ किसी शिकायत को लेकर मिल के फाटक पर पहुँचीं, उसी समय हड़तालियों की जगह रक्खे गए नए मज़दूर बाहर निकले। दोनों में पहले गाली-गलौज हुआ और बाद में पत्थर फेंके गए। इस पर पुलिस बुलाई गई और उसे देख कर मज़दूरों में बड़ी सनसनी फैल गई और मिल के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों में ख़बर फैल गई कि औरतों के साथ मार-पीट की गई है। इस पर हड़तालियों ने मिल पर पत्थर फेंके। पुलिस ने लाठियाँ चला कर हड़तालियों को पीछे हटाया। पर वे दूसरे मुक़ाम पर फिर नए मज़दूरों से लड़ने लगे। इस पर अधिक पुलिस बुलाई गई और हड़तालियों को हटाने के लिए दो बार गोली चलाई गई। इसके फल-स्वरूप क़रीब १०० व्यक्ति घायल हुए और ३० गिरफ़्तार किए गए। मज़दूरों के एक नेता भी पकड़े गए हैं।

—लन्दन का समाचार है कि पं० जवाहरलाल की कलकत्ता वाली स्पीच की विलायत में बड़ी चर्चा हो रही है। कन्ज़रवेटिव अख़बार इसे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को डराने के लिए कोरी धमकी समझते हैं ; पर भारतवासी सरकार के नाम एक अल्टीमेटम मानते हैं, जिसका आशय यह है कि भारत के साथ शीघ्र ही समझौता कर लेना चाहिए। 'नाइट्स ब्रिज' पर, जहाँ महात्मा गाँधी रहते हैं, इस भाषण के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया गया कि "यह ठीक जवाहरलाल की तरह है।" उनकी आदत है कि वे गोलमोल बातें नहीं करते और जो बात सामने होती है, उस पर स्पष्टता से अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं। श्री० सेन गुप्त ने, जो इस समय सपत्नीक इङ्गलैण्ड में हैं, पं० जवाहरलाल को तार भेजा है कि वे उनकी राय से पूर्णतया सहमत हैं, कि स्वराज्य राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता।

—लाहौर का २३ नवम्बर का समाचार है कि कोटलाखापट नामक गाँव के क़रीब जङ्गल में एक खद्दर-पोश नवयुवती हिन्दू महिला की लाश पाई गई है। यह स्थान लाहौर से सात मील के फ़ासले पर है। उसके बदन में गोलियों के छः घाव हैं और चेहरे पर भी घाव लगे हैं। लोगों का अनुमान है कि वह महिला देहली षड्यन्त्र-केस की कोई लापता अभियुक्त है !

—एसोशिएटेड प्रेस का कहना है कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने कॉङ्ग्रेस-नेताओं को लिख भेजा है कि कॉङ्ग्रेस-कमिटी ने लगान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है, उसे देखते हुए लगान घटाने के सम्बन्ध में सरकारी अफ़सर अब किसी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं हैं।

—आसनसोल का २४ ता० का समाचार है कि यूरोपियन एसोसिएशन की पश्चिमी बङ्गाल की शाखा के सामने भाषण करते हुए मि० ई० विलियर्स ने कहा कि एसोसिएशन के कितने ही सदस्यों को अब भी धमकी के पत्र मिल रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक अङ्गरेज़ के नाम पर इस चैलेञ्ज को मञ्ज़ूर करते हैं और यह कह देना चाहते हैं कि पिस्तौल और बम उनको वर्तमान नीति से बाल बराबर भी नहीं हटा सकते। हिंसात्मक आन्दोलन उनके इरादे को पस्त करने के बजाय और मज़बूत बनाएगा। इन धमकियों के फल-स्वरूप एसोसिएशन के सदस्य पहले से भी अधिक संयुक्त हो जायँगे।

—'मद्रास मेल' के सम्वाददाता ने लन्दन से ख़बर भेजी है कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के कितने ही मुस्लिम प्रतिनिधियों को इस बात की शिकायत है कि इस बार लॉर्ड रीडिङ्ग पिछली बार की तरह उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। पिछली कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी तब तक भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए, जब तक साम्प्रदायिक प्रश्न हल न हो जाय। पर इस बार के अधिवेशन में उन्होंने कोई ऐसी शर्त पेश नहीं की। इससे मुसलमानों को ख़्याल हो रहा है कि इङ्गलैण्ड के यहूदी उनकी पैलेस्टाइन सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट हैं और मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं।

—लाहौर का २२ ता० का समाचार है कि कोमागाता मारू वाले बाबा गुरुदत्तसिंह दफ़ा १२४ में गिरफ़्तार कर लिए गए। पुलिस मकान की दीवार फाँद कर भीतर घुस गई और उनको जगा कर पकड़ लिया। वे इस समय बीमार हैं और ज़मानत पर छोड़े गए हैं।

क्या म० गाँधी पकड़े जाएँगे ?

महात्मा गाँधी ने 'ईको डि पेरिस' के सम्वाददाता से कहा है कि मैं जैसे ही लौट कर भारत पहुँचूँगा, मेरे पकड़े जाने की सम्भावना है। मैं पूर्ण स्वराज्य से कम कोई शर्त नहीं मान सकता और अगर राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स टूट गई, तो मैं बिना विलम्ब फिर से संग्राम छेड़ दूँगा। मेरा अनुमान है कि तमाम नेता एक के बाद एक पकड़े जाएँ, पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन जारी रहेगा।

कॉङ्ग्रेस और हिंसा

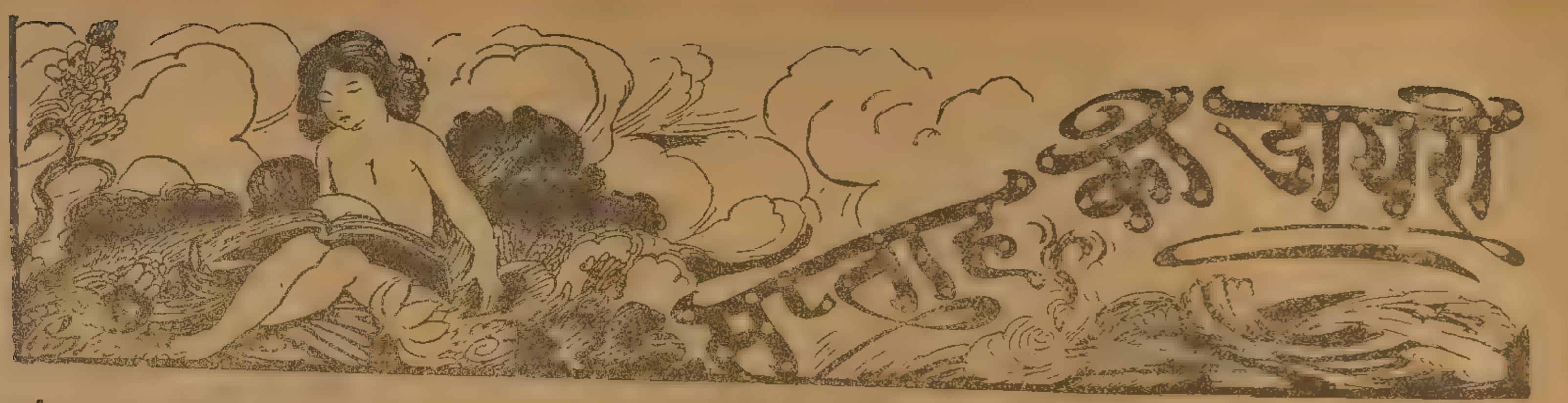
२५ ता० को राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में भाषण करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि कॉङ्ग्रेस भारत के हिंसात्मक आन्दोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके विपरीत कॉङ्ग्रेस के 'अहिंसा' के सिद्धान्त ने ही हिंसात्मक शक्तियों को दबा कर रक्खा है। हिंसावाद से किसी तरह की भलाई नहीं हो सकती। जबकि कॉङ्ग्रेस एक तरफ़ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके हिंसावाद का मुक़ाबला करेगी, दूसरी तरफ़ वह नवयुवकों के हिंसावाद के विरुद्ध भी लड़ेगी।

—कलकत्ते का २३ ता० का समाचार है कि 'सर्वहर' 'विश्वदूत' और 'वेनु' नामक तीन बङ्गला पत्रों के सम्पादकों पर राजद्रोह का मामला चलाया गया है।

—बम्बई का २७ नवम्बर का समाचार है कि जी० आई० पी० रेलवेमैन यूनियन की कार्य-कारिणी कमिटी ने नीचे लिखे आशय का प्रस्ताव पास किया है :—

"यह मीटिङ्ग रेलवे बोर्ड के इस प्रस्ताव का कि ७,५०० कर्मचारियों को फिर घटाया जाय, घोर विरोध करती है। यह कार्य ट्रेड-यूनियन आन्दोलन पर और ख़ास कर रेलवे यूनियनों पर आक्रमण-स्वरूप है। इसका एकमात्र प्रभावशाली उपाय जनरल हड़ताल है। रेलवेमैन फ़ेडरेशन का कर्तव्य है कि अफ़सरों की अन्धाधुन्धी को रोकने के लिए शीघ्र ही सब रेलों में जनरल हड़ताल की योजना करे।

—रायबरेली के किसान फ़सल के मारे जाने और लगान में बहुत कम रियायत किए जाने के कारण लगान-बन्दी का विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट से आज्ञा माँगी गई है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए और सत्याग्रह के कारणों को स्पष्ट प्रकट करने के लिए २८ नवम्बर को रायबरेली की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी का एक अधिवेशन होने वाला था।



—बर्दवान (गुजरात) का २४ ता० का समाचार है कि ध्राङ्गध्रा रियासत के मामले के शान्तिपूर्ण समाप्त होने के लक्षण अभी दिखलाई नहीं देते। श्री० मणिलाल कोठारी अभी चार दिन तक वहाँ ठहर कर लौटे हैं। उनकी रियासत के दीवान मानसिंह जी से घण्टों तक बातें हुईं। पर रियासत वाले अपने यहाँ काठियावाड़ परिषद् का अधिवेशन होने देने को राज़ी नहीं हैं। सत्याग्रहियों के जत्थे बराबर रियासत में जा रहे हैं और गिरफ़्तार किए जा रहे हैं।

—अमृतसर में २४ ता० की रात को मजलिसे अहरार के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल ग़फ़ूर ग़ज़नवी दफ़ा १०७ के ज़ाब्ता फ़ौजदारी में गिरफ़्तार कर लिए गए। गिरफ़्तारी का कारण उनके कुछ भाषण हैं, जो सार्वजनिक सभाओं में दिए गए थे और जिनसे शान्तिभङ्ग की सम्भावना है। वे एक सभा में व्याख्यान देकर रात के दस बजे घर लौट रहे थे कि महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के पास पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया।

—श्री० अज़ीज़ हिन्दी नामक व्यक्ति के पुत्र अख़्तर मसूद ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसके बाप को सरकार ने सन् १८१८ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार नज़रबन्द कर रक्खा है और उनके घरवालों को जो ख़र्च दिया जाता है वह बहुत कम है। इसलिए यह रक़म बढ़ा कर ४०० रु० प्रति मास कर दी जाय। अमृतसर की म्युनिसिपैलिटी ने इस प्रार्थना के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया है।

—श्रीनगर का २६ ता० का समाचार है कि हिन्दुओं के एक भाग ने ग्लेंसी कमीशन के बॉयकाट की आवाज़ उठाई है। उन्होंने मुस्लिम आन्दोलन के कारण यह माँग पेश की है कि जब तक हम अधिकारियों के हृदय के परिवर्तन का प्रमाण न पा लेंगे, तब तक किसी तरह की जाँच में भाग न लेंगे। जिस प्रकार काश्मीर राज्य ने मुसलमानों के साथ बकरी के टैक्स और मसजिदों के सम्बन्ध में रियायतें की हैं उसी प्रकार हिन्दुओं ने सरकार के सामने दस माँगें पेश की हैं।

—जम्मू (काश्मीर) में और उसके आस-पास के स्थानों में नवम्बर के पहले सप्ताह में जो दङ्गे हुए थे और उनके दबाने के लिए जो उपाय किए गए थे उनकी जाँच मि० मिडलटन सेशन्स जज रावलपिण्डी करने वाले हैं। इस समय आप श्रीनगर और उसके आस-पास के स्थानों के दङ्गे की जाँच कर रहे हैं।

—लाहौर की आर्य स्वराज्य सभा ने काश्मीर के हिन्दू-प्रजा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है जो हिन्दुओं, सिक्खों और जैनों की विभिन्न स्थानों की सभाओं द्वारा पास किया जायगा। इसका आशय यह है कि काश्मीर सरकार अपने राज्य के हिन्दुओं के विरासत के नियमों में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। काश्मीर सरकार ने हाल में मुसलमानों के आन्दोलन से दब कर यह प्रस्ताव किया है कि जो हिन्दू ग्लेंसी कमीशन के सामने अपने धर्म को राज़ी से त्यागना स्वीकार कर लेंगे, उनका अधिकार धर्म-परिवर्तन के पश्चात् भी अपनी सम्पत्ति पर बना रहेगा।

—चित्तूर (मद्रास) के कूपम तालुक़ा की कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी को शराब की दुकान की पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में १९ दिन की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—चटगाँव का २४ ता० का समाचार है कि मेडिकल स्कूल के दो विद्यार्थी और एक दूसरा नवयुवक बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी के मेम्बर श्री० एन० जी० रँगा से दफ़ा १२४-ए में एक वर्ष के लिए ज़मानत माँगी गई थी, ज़मानत न देने पर एक साल की सादी क़ैद की सज़ा दी गई। आपको ए-क्लास में रखने का हुक्म हुआ है।

—सी० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी ने आगामी कॉङ्ग्रेस के सभापतित्व के लिए बाबू राजेन्द्र प्रसाद, श्री० राजगोपालाचार्य, श्री० सुभाष बोस, डॉ० अन्सारी और ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ाँ के नाम पेश किए हैं।

—पटना का २६ ता० का समाचार है कि राँची ज़िला के घाघरा नामक गाँव में गाँव वालों ने एक आबकारी-इन्सपेक्टर, एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर और उनके साथियों को लाठियों से मारा। ये लोग गाँव में ग़ैर क़ानूनी शराब को पकड़ने गए थे और इन्होंने इसलिए गाँव को घेर लिया था। इस घटना की ख़बर पाकर पुलिस के डिप्टी सुप० पुलिस के दल के साथ गाँव में गए और दङ्गे के क़सूर में ७० लोगों को पकड़ा।

दफ़ा १२४-ए में सात वर्ष !!

बम्बई का २६ ता० का समाचार है कि रत्नागिरी के सेशन जज ने महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट सेनापति बापट को दफ़ा १२४-ए में सात वर्ष की सख़्त क़ैद की सज़ा दी है। जज ने इस लम्बी सज़ा का कारण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बतलाया है। सेनापति बापट मुलशीपेठा सत्याग्रह के नायक थे और एक बार आप शस्त्र-सत्याग्रह भी कर चुके हैं। इनके लिए आपको दो बार इसी तरह लम्बी-लम्बी क़ैद की सज़ा मिल चुकी है। आप कैम्ब्रिज के एक प्रसिद्ध ग्रैजुएट हैं और इस समय आपकी उम्र ५० वर्ष से ऊपर है।

—अमृतसर का २९ ता० का समाचार है कि आज २० अहरार स्वयंसेवकों का एक जत्था शहर में होकर निकला और सविनय क़ानून भङ्ग के लिए स्यालकोट को रवाना हो गया।

—बम्बई का २६ ता० का समाचार है कि नौजवान भारत-सभा ने २८ और २९ नवम्बर को होने वाली अपनी कॉन्फ्रेन्स को स्थगित कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने इसको रोकने की आज्ञा दी थी।

—२८ नवम्बर को सर मालकम हेली ने लखनऊ में 'फ़्लाइङ्ग क्लब' का उद्घाटन किया। ३० नवम्बर को आप कानपुर में भी इसी तरह के क्लब का उद्घाटन करने वाले थे।

—१ली दिसम्बर से भारत सरकार ने विदेशी डाक का महसूल बढ़ा दिया है। इङ्गलैण्ड और मिश्र की चिट्ठियों पर, जिनका बोझ १ औंस से ज़्यादा न हो, अब तक २ आना लगता था। अब उन पर २॥ आना लगेगा, इसी तरह पोस्टकार्ड का दाम छः पैसे से दो आना कर दिया गया है। अन्य देशों का महसूल ३ आना से बढ़ा कर ३॥ आना कर दिया गया है। पैकटों की दर २ पैसा प्रति २ औंस से बढ़ा कर ३ पैसा प्रति २ औंस कर दी गई है !

—फ़र्गुसन कॉलेज (पूना) के जिस श्री० वासुदेव बलवन्त गागटे नामक विद्यार्थी को बम्बई के अस्थायी गवर्नर सर हॉटसन पर गोली चलाने के लिए ८ वर्ष की सज़ा दी गई थी, उसने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की है।

देहरादून का २१ ता० का समाचार है कि आज सुबह श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन यहाँ श्रद्धानन्द अनाथालय का उद्घाटन करने पधारे। उन्होंने रात के समय दर्शनी दरवाज़ा में एक सार्वजनिक सभा में भाषण किया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा कि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स ख़ास कर ऐसे प्रतिनिधियों से भरी है जो अपने मालिक की आवाज़ को ग्रामोफ़ोन की तरह प्रकट कर देते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेन्स का असफल होना निश्चित है। अन्त में ज़ोरदार शब्दों में अपील करते हुए दर्शकों से कहा कि 'मैं आपको भावी-संग्राम में भाग लेने का निमन्त्रण देता हूँ, जोकि बहुत शीघ्र आरम्भ होने वाला है।"

—पेगू (बर्मा) में २२ नवम्बर को सरकारी सेना और विद्रोही दल में मुठभेड़ हुई, जिसमें दो विद्रोही मारे गए, एक घायल हुआ। विद्रोहियों के दो हाथी भी पकड़ लिए गए।

—फ़ायनेन्स बिल २६ ता० को कौन्सिल ऑफ़ स्टेट में पेश किया गया। अधिकांश सदस्यों ने नए टैक्स का विरोध किया और उनको अनुचित बतलाया।

—गत सोमवार को इलाहाबाद की महिलाओं की एक सभा में यू० पी० देशसेविका-सङ्घ की शाखा खोलने का निश्चय किया गया। सभा में यू० पी० देश सेविका-सङ्घ की प्रेज़िडेण्ट श्रीमती उमा नेहरू ने सङ्घ के उद्देश्यों को समझाया। इलाहाबाद की शाखा की प्रेज़िडेण्ट श्रीमती कमला नेहरू और सेक्रेटरी श्रीमती मनिया देवी तथा सरजू देवी नियत की गई हैं।

—बनारस का २५ नवम्बर का समाचार है कि रायसाहब माधोराम सन्द के भतीजे गोपाल उर्फ़ बच्चू ने आत्महत्या कर ली। वह नक़ली करेन्सी नोट बनाने के मुक़दमे में अभियुक्त था।

—श्री० एम० एन० राय के मुक़दमे में सरकारी गवाहों के बयान हो रहे हैं। २७ ता० को राय ने स्वयं ६ गवाहों से जिरह की। उनकी पैरवी श्री० देवकीनन्दन सिन्हा कर रहे हैं, जो मेरठ कॉन्सपिरेसी केस में काम करते थे।

—लायलपुर की नौजवान-भारत-सभा के सेक्रेटरी श्री० रणपालसिंह को दफ़ा १०० में एक साल की सज़ा दी गई है।

—स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू ने अपने आनन्द-भवन नामक बङ्गले को कॉङ्ग्रेस के लिए प्रदान कर दिया था। २४ ता० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रजिस्ट्री बाक़ायदा अदालत द्वारा करा दी।

—दिल्ली में कॉङ्ग्रेस की कार्यकर्त्री श्रीमती निक्कीदेवी को मैजिस्ट्रेट ने साल भर के लिए २४०) का मुचलका देने की सज़ा दी थी। उन्होंने मुचलका न देकर छः महीने के लिए जेल जाना ही उचित समझा।

—श्री० सुभाष बोस के विरुद्ध ढाका में दफ़ा १४४ का जो अभियोग चलाया गया था, वह वापस ले लिया गया।

—बङ्गवासी कॉलेज (कलकत्ता) के प्रोफ़ेसर नृपेन्द्र-चन्द्र बनर्जी पर दफ़ा १२४-ए के अनुसार राजविद्रोह का मुक़द्दमा चल रहा है। अदालत के पूछने पर आपने कहा कि 'मैं कुछ नहीं कहता। मैं न दोषी हूँ और न निर्दोषी हूँ। मैं बयान देने से इनकार करता हूँ।" अगली पेशी ३ दिसम्बर को होगी।

—नौजवान भारत-सभा के कार्यकर्ता बाबूसिंह को दफ़ा १०८ में ४-४ हज़ार रुपए की ज़मानतें दाख़िल करने या एक साल की सादी क़ैद की सज़ा भोगने का हुक्म दिया गया था। बाबूसिंह ने ज़मानत दाख़िल कर दी और इसलिए वह छोड़ दिया गया।

—'रियासत' अख़बार के प्रोप्राइटर सरदार दीवान-सिंह ने देहली के एडवोकेट मि० अब्दुल रहमान ख़ाँ और भूपाल के इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस ख़्वाजा मुहम्मद अकरम पर बेइज़्ज़ती और तकलीफ़ देने का दावा किया है।

—मद्रास की ख़बर है कि कुम्भकोनम के पुलिस-इन्स्पेक्टर मि० सुब्रमनिया पिल्ले ने काथीरवेलू नामक एक मशहूर डाकू को गोली से मार दिया। उस पर कितने ही अभियोग थे।

—चित्तूर (मद्रास) के नागारी थाने में मुनी-स्वामी नाम के कॉन्स्टेबिल ने अब्दुल क़ादिर नामक कॉन्स्टेबिल पर सोते समय दो गोलियाँ चलाईं, जिससे वह घायल होकर मर गया।

—आन्ध्र प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने ख़बर भेजी है कि वर्किङ्ग कमिटी का एक अधिवेशन २२ ता० को एलोर में हुआ। उसमें कृष्णागोदावरी सैटिलमेण्ट के कार्यकर्ताओं पर सरकारी दमन की निन्दा का प्रस्ताव पास किया गया। इस सम्बन्ध में सरदार पटेल का भेजा एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया गया। गुरूवायूर के सत्याग्रहियों के साथ सहानुभूति प्रकट की गई।

—आगरा में कॉङ्ग्रेस का काम तेज़ी से हो रहा है। अब तक ७ हज़ार मेम्बर बनाए जा चुके हैं। किसानों की सहायता के सम्बन्ध में सरकारी अधिका-रियों से लिखा-पढ़ी की जा रही है। वहाँ की कॉङ्ग्रेस कमिटी ने इलाहाबाद की कॉङ्ग्रेस कमिटी को हर तरह से सहायता देने का वचन दिया है।

—अमृतसर में पुलिस ने एक रङ्गरेज़ की दुकान से कुछ भड़कने वाले मसाले बरामद किए हैं। यह दुकान नौजवान भारत-सभा के ऑफ़िस के पास ही है।

—पेशावर में वेश्यालयों की पिकेटिङ्ग जारी है। कञ्जर जाति के कुछ लोगों ने, जिनका इस पिकेटिङ्ग से बहुत नुक़सान हो रहा है, दो बार वालण्टियरों पर हमला किया। दूसरी बार उन्होंने ख़ुद अपने एक आदमी को घायल कर दिया और पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि उसे वालण्टियरों के कप्तान श्री० रहीम-बख़्श ने मारा है। रहीमबख़्श गिरफ़्तार किए गए हैं।

—सी० पी० के गवर्नर ने पञ्जाब-मेल हत्याकाण्ड वाले मामले में फाँसी पाने वाले श्री० यशवन्तसिंह और देवनारायण की दया-प्रार्थना अस्वीकृत कर दी।

—२३ ता० को कलकत्ते में पुलिस ने १९ स्थानों पर धावा किया, जिनमें से एक लिबर्टी ऑफ़िस भी है। ये तलाशियाँ आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में ली गई थीं। एक स्थान में कुछ काग़ज़ात मिले हैं। आठ बङ्गाली युवक, जो प्रायः पूर्वी बङ्गाल के हैं, गिरफ़्तार किए गए और छः युवकों को जाँच के लिए ले जाया गया।

—अमृतसर के पास चरिन्दा नामक पुलिस के थाने से दो बन्दूक़ें चोरी गईं। कोई व्यक्ति छत को तोड़ कर कमरे में उतर गया और वहाँ रक्खी छः बन्दूक़ों में से दो को लेकर चलता बना। पुलिस के असि० सुपरिण्टेण्डेण्ट मामले की जाँच कर रहे हैं।

❀ ❀ ❀

विदेश

—२९ ता० का समाचार है कि मञ्चूरिया के हार्टी-शान नामक स्थान के पास चीन-जापान वालों में गहरी लड़ाई हुई, जिसमें साठ चीनी मारे गए।

—लीग ऑफ़ नेशन्स ने प्रस्ताव किया है कि जापानी मञ्चूरिया में अपनी सेना को रेलवे की हद से हटा लें। लीग ने इस घटना की जाँच के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन क़ायम किया है और चीन तथा जापान दोनों से कहा है कि वे दोनों अपनी सेनाओं को सख़्त हुक्म दें कि अब से आगे लड़ाई न की जाय। कमीशन मौक़े पर जाकर चीन जापान के सम्बन्ध की जाँच करेगा। चीन और जापान की तरफ़ से एक असेसर मौजूद रहेगा। अमरीका ने इस निर्णय को पसन्द किया है और चीन तथा जापान को उसे मानने की सम्मति दी है। मि० ब्राइण्ड ने चीन तथा जापान की सरकारों को तार भेज कर आग्रह किया है कि वे अब लड़ाई को क़तई बन्द कर दें।

ब्लॉकों का मूल्य घटा दिया

'चाँद' तथा 'भविष्य' में छपे हुए इकरङ्गे ब्लॉकों का मूल्य ≡) प्रति वर्ग इञ्च से घटा कर =) प्रति वर्ग इञ्च कर दिया गया है; और छोटे से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) से घटा कर १॥) कर दिया गया है। जो सज्जन ख़रीदना चाहें, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। डाक-व्यय अलग।

'भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद

—दक्षिण अफ़्रीका की व्यवस्थापक सभा ने प्रस्ताव पास किया है कि उस देश में गोल्ड स्टैण्डर्ड क़ायम रहेगा और गवर्नर जेनरल को अख़्तियार है कि वह करेन्सी, बैङ्किङ्ग और एक्सचेञ्ज के सम्बन्ध में जो रेगुले-शन आवश्यक समझे, बनावे।

—वाशिङ्गटन का २४ ता० का समाचार है कि अम-रीकन गवर्नमेण्ट इङ्गलैण्ड में बाहिरी माल पर लगाए गए महसूल का अनुकरण नहीं करना चाहती। इस मामले की पूरी जाँच करने के बाद प्रेज़िडेण्ट हूवर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अमरीका से इङ्गलैण्ड को जितना माल जाता है, उसके केवल १·६ भाग पर नए टैक्स का प्रभाव पड़ा है। इसके सिवाय गोल्ड स्टैण्डर्ड के स्थगित होने के बाद से अङ्गरेज़ी माल की आमदनी अमरीका में कुछ भी नहीं बढ़ी है।

—अरब के शासक इब्नसऊद ने जरूसलम में होने वाली विश्व-मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स में अपना प्रतिनिधि भेजने से इनकार किया है। इसका कारण कॉन्फ़्रेन्स में यमन वालों का शामिल होना बतलाया जाता है। हेजाज के युद्ध-सचिव ने कहा है कि जरूसलम में अङ्गरेज़ों का प्रभाव होने से इब्नसऊद वहाँ कॉन्फ़्रेन्स होने के विरुद्ध हैं। उनके मतानुसार इसके लिए मक्का अधिक उपयुक्त है।

—महात्मा गाँधी कई दिनों से ठण्ड लग जाने के कारण कुछ बीमार हैं। पर वे अपने सारे काम बराबर कर रहे हैं। उन्होंने बकरी का दूध पीना बन्द कर दिया है, पर वे कोई दवा नहीं खा रहे हैं।

—ख़बर है कि म० गाँधी २ दिसम्बर को लन्दन से यूरोप के अन्य देशों के लिए रवाना होंगे। कहा जाता है कि भारत को रवाना होने से पहले वे इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी से भेंट करेंगे।

—२१ तारीख़ को इङ्गलैण्ड के डनकास्टर नामक स्थान में एक कोयले की खान में भयङ्कर धड़ाका हुआ, जिसके फल से २९ मज़दूर मरे और ४० घायल हुए।

—मास्को का समाचार है कि रूसी अधिकारियों के मत से साम्राज्यवादी सरकारें रूस और जापान को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का रही हैं। पूर्वीय एशिया एक बारूद का मैगज़ीन है, जो साम्राज्यवादियों की चालों से भड़क कर फूट सकता है। ये लोग आपस में झगड़ा किए बिना जापान का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से हर एक अपने लिए फ़ायदा उठाना चाहता है।

—२९ ता० को पार्लमेण्ट में मि० ब्रैकन नामक कञ्जरवेटिव सदस्य ने कहा कि सरकार अब से राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में भारत-सम्बन्धी किसी नीति की घोषणा तब तक न करे, जब तक पार्लमेण्ट उसे मन्जूर न कर ले। मि० मैकडॉनल्ड ने इस तरह का वचन देने से इनकार कर दिया।

—इङ्गलैण्ड के रूई के कपड़ों के कारख़ाने वालों ने एक कमिटी नियुक्त की है, जो कारख़ानों का नया सङ्ग-ठन करके ख़र्च घटाने का उपाय सोचेगी।

—'हनीबाल' नामक हवाई जहाज़, जिसमें ४३ यात्रियों के लिए स्थान है, १ दिसम्बर को कैरो से रवाना होगा और ४ दिसम्बर को कराँची पहुँचेगा। यह जहाज़ इङ्गलैण्ड और भारत के बीच चला करेगा।

—'इण्डियन डेली मेल' के सम्वाददाता ने लन्दन से लिखा है कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के मुसलिम प्रति-निधियों में फूट के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। अब तक वे लोग किसी तरह आज्ञा-पालन के भाव को बनाए हुए थे, पर अब उत्तरी भारत के दो प्रसिद्ध मुसलमान नेताओं ने आग़ाख़ाँ को लिखा है कि कञ्ज़रवेटिवों के साथ खुल्लमखुल्ला दोस्ती जोड़ने से मुसलमानों की साख जाती रही है और उनके हित की हानि हुई है। क्योंकि वे लोग साइमन रिपोर्ट के सिवाय और किसी तरह के शासन सुधारों के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि म० गाँधी फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में अब जो कड़ाई का भाव प्रकट कर रहे हैं; उसका कारण उनके प्रत्येक प्रस्ताव पर मुसलमानों का विरोध ही है।

❀ ❀ ❀

दुबे जी की चिट्ठी

(४थे पृष्ठ का शेषांश)

"अच्छा! तो क्या डॉक्टर साहब अवतार हैं?"

"बेशक! जिसके साथ अछूतों इतनी बड़ी जमाअत है, वह अवतार नहीं तो और हो ही क्या सकता है। अपने राम के साथ यदि इतनी जमाअत होती तो अपने राम अपने को महावतार घोषित कर डालते।"

"वह अवतार हों चाहे जो हों, परन्तु इस समय उछल-कूद बेतरह मचा रहे हैं।"

"बँधे किस खूँटे से हैं, यह भी पता है?"

"यह पता तो नहीं है।"

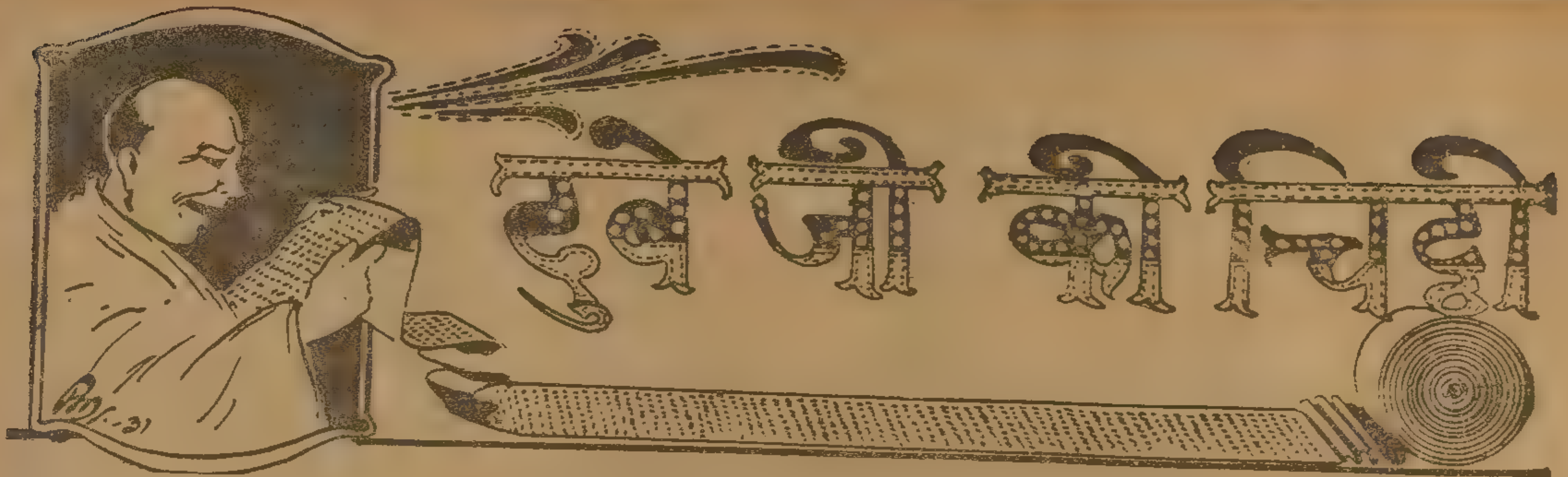
"नहीं है तो सब्र कीजिए।"

इतना सुन कर वह चुप हो गए।

सम्पादक जी, कोई माने या न माने, परन्तु इस समय डॉक्टर साहब की धूम है।

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

❀ ❀ ❀



अजी सम्पादक जी महाराज,

जयराम जी को !

यह डॉ० अम्बेदकर कौन हैं ? पहले तो कभी इनका नाम सुना नहीं। जब से गोलमेज़ का स्वाँग आरम्भ हुआ, तब से इनका नाम अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से सुनाई पड़ने लगा है। मगर कुछ भी हो, हैं बड़े जीवट के आदमी और साथ ही, मालूम होता है, बड़े ख़ूबसूरत भी हैं। यदि ऐसा न होता तो महात्मा जी को चेलेञ्ज कैसे दे डालते कि महात्मा जी भारत चल कर परीक्षा करें कि अल्पसंख्यक लोग उन पर टूटते हैं या महात्मा जी पर। अपने राम तो इस दावे पर जी-जान से फ़िदा हो गए।

मुक़ाबिल रुख़े रौशन के शमा रख कर वह कहते हैं,
उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है॥

हालाँ कि अभी तक कोई परवाना "शमा" को छोड़ कर "रुख़े रौशन" पर नहीं गिरा; परन्तु डॉ० अम्बेदकर अब यह अनहोनी बात करके दिखावेंगे। कमाल है ! वल्लाह कमाल है ! यह "रुख़े रौशन" है या किरसन का हण्डा ? किरसन के हण्डे के सामने शमा बेचारी की क्या हस्ती। कहाँ एक केण्डिल पावर और कहाँ हज़ारों केण्डिल पावर—कुछ ठिकाना है ! महात्मा जी बेचारों ने अच्छे घर बायन दिया। अब आवें भारत महात्मा जी, तब पता चलेगा कि डॉ० अम्बेदकर क्या चीज़ हैं। एक हाँक में ही अछूत लोग चूहों की तरह डॉक्टर साहब के पीछे हो लेंगे और महात्मा जी बेचारे मुँह देखते ही रह जायँगे। इस मामले में डॉक्टर साहब की कोई समता कर ही नहीं सकता। रैदास जिस समय मरे थे, उस समय अपने शिष्यों से कह गए थे कि हमारे पश्चात तुम लोगों के उद्धार के लिए एक डॉ० अम्बेदकर जन्म लेंगे, बस तुम लोग उन्हीं की बात मानना। उनके सामने, यदि ब्रह्मा भी आ जाय तो उसकी भी परवा मत करना ; हालाँ कि यह बात सब रैदासी नहीं जानते, कुछ थोड़े से रैदासी और डॉक्टर साहब इस रहस्य को जानते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर साहब को रैदास का अवतार मशहूर कर दिया जायगा, तब तो अछूत लोग झख मारेंगे और डॉक्टर साहब की बात मानेंगे। ख़ुशी से न मानेंगे तो मजबूरी से माननी पड़ेगी। कुछ अपना धर्म थोड़ा ही छोड़ देंगे। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि रैदासी लोग रैदास को छोड़ कर और किसी का मत मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। महात्मा जी लाख कहें कि—"भई, ज़रा हमारी बात भी तो सुन लो", परन्तु ये लोग यही कहेंगे कि—"ऊँहूँ, सिवाय डॉक्टर अम्बेदकर के और किसी की बात सुनने का हमें हमारे गुरू का हुकुम नहीं है।" तब महात्मा जी क्या करेंगे ? लोग कहते हैं कि यहाँ से अछूतों की अनेक सभाओं ने डॉक्टर साहब पर अविश्वास तथा महात्मा जी पर विश्वास का प्रस्ताव पास किया है। अपने राम इस समाचार का एक अक्षर भी बिलकुल सही नहीं मानते। डॉक्टर साहब पर अविश्वास करने का न तो हुकुम है और न हक़ ! प्रथम तो गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के किसी सदस्य पर अविश्वास करना ही अनुचित है। जिन्हें गवर्नमेण्ट ने स्वयम् चुन कर भेजा, उन पर विश्वास न करने का किसी को हक़ नहीं होना चाहिए; विशेषतः ऐसे प्रतिनिधि का, जो आप ही आप हो। जहाँ दो-चार प्रतिनिधि हों वहाँ तो यह हो सकता है कि एक पर विश्वास न किया दूसरे पर किया; परन्तु जहाँ सिंहनी के लाल की भाँति केवल आपरूप विद्यमान हों, वहाँ अविश्वास कैसा ? यदि डॉक्टर साहब पर अविश्वास हो गया तो फिर बेचारे अछूतों का संसार में रह कौन गया ? महात्मा जी तो केवल कॉङ्ग्रेस और हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं, अछूतों के और अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि थोड़ा ही हैं। वे लोग झख मारते हैं, जो डॉक्टर साहब पर विश्वास नहीं करते। अपने राम को तो उन पर पूर्ण विश्वास है। सच पूछिए तो गवर्नमेण्ट के भाग्य में यश बदा ही नहीं। मुसलमानों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भी लोग यही कहते हैं कि वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं—और अब डॉक्टर साहब के सम्बन्ध में भी यही सुनाई पड़ता है कि वे अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। अच्छी दिल्लगी है। डॉक्टर साहब का यही त्याग और बलिदान क्या कम है कि वे गोलमेज़ सभा में पहुँचने के लिए अछूतों के प्रतिनिधि बन तो गए, नहीं तो जनाब, आज-कल के ज़माने में, ऐसा माई का लाल कोई नहीं दिखाई पड़ता, जो इतना भारी बोझ उठाता। डॉक्टर साहब के अतिरिक्त केवल अपने राम ही यह कार्य कर सकते थे, वह भी केवल इसलिए कि चलो इसी बहाने गोलमेज़ सभा में कुर्सी तोड़ने और बात-बात में अड़ङ्गा लगाने का अवसर तो मिल जायगा। यदि गधे पर चढ़ कर भी स्वर्ग जाना पड़े तो हज़ार काम छोड़ कर चले जाना चाहिए। सवारी के लिए गधा हो या ख़च्चर, परन्तु स्वर्ग में तो पहुँच जायँगे। अपने राम को तो इस सम्बन्ध में अकबर का शेर बहुत पसन्द है। कहा है—

ईदू मियाँ भी हज़रते गाँधी के साथ हैं,
गो गर्दे राह हैं, मगर आँधी के साथ हैं।

अछूतों की बदौलत डॉक्टर साहब को इतनी शक्ति तो प्राप्त हो गई कि आज वह महात्मा जी को चेलेञ्ज दे रहे हैं। यह थोड़ी बात नहीं है। वल्लाह ! अपने राम को तो डॉक्टर साहब के सौभाग्य पर रश्क होता है। ऐसा जानते तो अपने राम भी जरायम-पेशा लोगों के प्रतिनिधि बन कर गोलमेज़ सभा में जा डटते और यह हठ पकड़ लेते कि जब तक जरायम-पेशा लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित न किए जाएँगे, तब तक अपने राम किसी की नहीं सुनेंगे, और भारत में स्वराज्य तो क्या, स्वराज्य की गन्ध तक नहीं पहुँचने देंगे। पहली शर्त तो अपने राम यह रखते कि जरायम-पेशा लोगों को चोरी करने और डाका डालने की स्वाधीनता रहे। स्वराज्य में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त रहना चाहिए। और स्वाधीनता के अर्थ यह हैं कि जो जिसका जी चाहे वह करे। जरायम-पेशा लोगों का जी चोरी करने और डाका डालने से ही ख़ुश होता है, अतएव उन्हें इसकी पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए, यदि इस पर कोई चीं-चपड़ करता तो अपने राम गोलमेज़ को तोड़-फोड़ कर ठिकाने लगा देते। जब गोलमेज़ ही न रहती, तो गोलमेज़ सभा कैसे होती ? या तो गवर्नमेण्ट दूसरी मेज़ बनवाती या फिर अपने राम की बात मानती, और कोई रास्ता ही न था। वल्लाह ! बड़ी ग़लती हुई। परन्तु अब पछताए होत का ? उस समय यदि गाँधी जी कुछ विरोध करते तो अपने राम भी कह देते कि भारत चल कर पता लगेगा कि जरायम-पेशा लोग गाँधी जी की बात मानते हैं या अपने राम की। ख़ैर, आयन्दा कोई गोलमेज़ सभा हुई, जिसकी कि उम्मीद अब बिल्कुल ही नहीं है, तो अपने राम इस बात को भली-भाँति याद रक्खेंगे। और सम्पादक जी, आप भी याद रखिएगा। यदि अपने राम भूल जायँ तो आप याद दिला दीजिएगा ; क्योंकि अपने राम बहुत ही भुलक्कड़ आदमी हैं। इस समय यह भी याद नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब का जन्म किस तिथि और नक्षत्र का है। अनुमान से यह समझ सकते हैं कि बड़ी शुभ घड़ी में डॉक्टर साहब ने अवतार लिया होगा। तभी तो इतना ऊँचा पद मिला कि महात्मा जी को चेलेञ्ज कर रहे हैं। यहाँ पर डॉ० साहब पर जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं, भगवान जाने वे असली हैं या नक़ली; क्योंकि जितने अछूत हैं, वे सब डॉक्टर साहब की ही ओर देखते हैं। "जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है" के अनुसार उन्हें और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। फ़िलहाल डॉक्टर साहब को भी अछूतों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और किसी का अस्तित्व नज़र नहीं आता। "दीद लैला के लिए दीदए मजनूँ है ज़ुरूर !" डॉक्टर साहब को देखने के लिए अछूत की आँख चाहिए और उनके गुणों की परख के लिए अछूतों का दिलो-दिमाग़। बिना इतनी योग्यता प्राप्त किए यह कोई समझ ही नहीं सकता कि वह हैं किस खेत की मूली। जिस मांसाहारी को मुद्दत से मांस न मिला हो, उसके लिए मिट्टी का शोरबा ही न्यामत है—मांस न सही, मांस की गन्ध तो है।

उस दिन एक महोदय पूछने लगे कि यह डॉ० अम्बेदकर कौन हैं ?

अपने राम ने उत्तर दिया—कोई हैं अवश्य, होते न तो नाम कैसे आता।

"यह तो मैं भी जानता हूँ कि कोई हैं अवश्य; परन्तु प्रश्न तो यह है कि आख़िर हैं कौन ?"

अपने राम ने उत्तर दिया—इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देख लीजिए—पता लग जायगा।

"यह कौन चीज़ है ? कोई चिड़ियाघर है या अजायबघर ?"

"अरे नहीं भाई, यह एक अङ्गरेज़ी विश्वकोष है, जिसमें 'ए' से लेकर 'ज़ेड' तक जितने अक्षर हैं और उन अक्षरों से जितने शब्द बन सकते हैं, उन समस्त शब्दों का पूरा परिचय दिया हुआ है।"

"अच्छा ! उसमें डॉक्टर साहब का परिचय होगा ?"

"अवश्य होगा ! जब इतने बड़े आदमी हैं, तो होना ही चाहिए।"

"मगर पहले तो कभी इनका नाम सुना नहीं।"

"नहीं सुना तो यह आपका दोष है, डॉक्टर साहब को तो अवतार धारण किए मुद्दत हो चुका।"

(शेष मैटर ३२वे पेज के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स का नतीजा क्या होगा ?

"मुझे अवश्य ही बड़ा आश्चर्य होगा, यदि कॉन्फ़्रेन्स का फल सिवाय गत वर्ष के संग्राम की पुनरावृत्ति के कुछ और हो"

इङ्गलैण्ड के प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक मि० एच० एन० ब्रेल्सफ़र्ड ने राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के वर्तमान अधिवेशन की आलोचना करते हुए एक लेख में निम्न-लिखित विचार प्रकट किए हैं :—

इस बार की राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में लन्दन वालों के लिए एक ऐसी आकर्षक वस्तु है, जिसका पिछले वर्ष के अधिवेशन में अभाव था। उसमें राजाओं के हीरों और पगड़ियों की चकाचौंध थी, उसमें फ़ेडरल यूनियन (सङ्घ-शासन) के नवीन विचार का जन्म हुआ था, और इसने भारतीय जनता के उन प्रतिनिधियों का ध्यान बिल्कुल भुला दिया था, जो जेलों में चुप बैठे थे। आज इसमें सबसे प्रधान आकर्षक बात वह छोटा सा आदमी है, जिसकी लँगोटी करोड़ों नङ्गे और भूखे भारतवासियों की याद दिलाती है। निस्सन्देह राजागण इस बार भी आए हैं और वे वैसे ही शोभा-युक्त हैं, जैसे कि अब तक थे। उनके साथ चालाक वकील, पूँजीपतियों के प्रतिनिधि, और मुसलमानों के नेता भी हैं। पर अब इनमें से किसी पर हमारी निगाह नहीं जाती। इस समय नाटक का मुख्यपात्र वह दुबला-पतला और छोटा सा व्यक्ति है, जो खद्दर पहिने है। वह बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों से दो-चार घण्टे ही बातें करते हैं, पर पूर्वी लन्दन और लङ्काशायर के मज़दूरों से बातें करने में पूरा दिन बिता देते हैं। हमारा भाग्य इस समय उन्हीं के हाथों में है। यद्यपि वह बहुत ही सज्जन और विनयशील हैं, पर वह बिना किसी सङ्कोच के उन सब स्कीमों को नष्ट कर सकते हैं, जिन्हें उपाधिधारी, किन्तु सच्चे प्रतिनिधित्व के अधिकार से रहित व्यक्ति सेण्ट जेम्स पैलेस के भव्य कमरों में तैयार कर रहे हैं। वे अपनी माँग को अच्छी तरह जानते हैं, और यदि यहाँ उसके पूरे होने की आशा न रही तो वे उसी समय अपना चर्ख़ा उठा कर भारत को लौट जायँगे। उनके केवल एक शब्द उच्चारण करने से सविनय क़ानून-भङ्ग का संग्राम फिर आरम्भ हो जायगा। उसी समय व्यापार बन्द हो जायगा और ख़ज़ाने में टैक्सों का रुपया जाना भी रुक जायगा। वर्तमान दशा में इसका परिणाम क्या होगा, इसका सोच सकना भी कठिन है। वह छोटा सा आदमी एक पूरे साम्राज्य को ख़तम कर सकता है।

म० गाँधी की माँगें

अब प्रश्न यह है कि गाँधी जी क्या चाहते हैं अथवा वह कम से कम कितने के लिए ज़िद करेंगे? इस समय कॉन्फ़्रेन्स में भारत के लिए जिस शासन-विधान के निर्माण की चेष्टा की जा रही है, उसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। उसमें केवल रियासतों के अधिकार और फ़ेडरल सरकार के अधिकार; दोनों शासन सभाओं का सम्बन्ध, प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के अधिकारों का बँटवारा और मताधिकार का ही समावेश नहीं होता, वरन् उसमें कुछ ऐसी भी बातें शामिल हैं, जिनका ख़ास भारत से ही सम्बन्ध है, जैसे अल्पसंख्यक सम्प्रदायों, विशेष कर मुसलमानों का अधिकार और नवीन संयुक्त-भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध आदि। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं, जो यद्यपि भारत की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व की हैं, पर हम उनको इसलिए विचार से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनसे समझौते को कोई भय का कारण नहीं है। इस बात की सम्भावना है कि प्रान्तों में और केन्द्रीय सरकार में भी मताधिकार का आधार सम्पत्ति पर रहेगा। इसलिए गाँवों के आधा पेट खाने वाले करोड़ों किसान राजनीति द्वारा अपनी गिरी हुई स्थिति को सुधारने में असमर्थ होंगे। पर भारत धैर्यवान है, और म० गाँधी भी, यद्यपि वे अपने को बुड्ढा कहते हैं, जल्दी नहीं करना चाहते, क्योंकि मताधिकार का संशोधन हो सकता है और शासन-विधान में ऐसा भी नियम रक्खा जा सकता है कि पाँच वर्ष बाद उस पर फिर विचार किया जायगा। मुसलमान अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की फ़िक्र में हैं। समझौते की आशा बड़ी दूर है और इन दोनों प्रधान समुदायों का पारस्परिक मनोभाव इतना ख़राब कभी न था। इन दोनों के मतभेद का मुख्य कारण यह है कि मुसलमान चाहते हैं कि उनका पृथक निर्वाचन-अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। यह एक ऐसी निन्दनीय प्रथा है, जो सहयोग के मार्ग को बन्द करती है, असहिष्णुता को बढ़ाती है, गए-गुज़रे ज़माने का भाव प्रकट करती है, अर्वाचीन सुसङ्गठित राष्ट्र के सङ्गठन में बाधा डालती है, और विभिन्न दलों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति को हानि पहुँचाती है। पर इस मतभेद को भी भारत धैर्य के साथ सहन कर सकता है। मुसलमान जाति की नई पीढ़ी के ऐसे नवयुवकों की संख्या, जो भारत के हित को पहिले देखते हैं और इस्लाम के हित को बाद में, दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ती जाती है। सम्भव है, आजकल भी बहुमत उसी का हो। पर अगर मुसलमान नेता इस बात पर राज़ी हो जाएँ कि पाँच वर्ष बाद वे इस अधिकार को छोड़ देंगे, और मुसलमान वोटरों में अधिकांश इस बात को स्वीकार कर लें, तो यह कठिनाई भी समझौते को चौपट नहीं कर सकती। भारत हमेशा अपनी निगाह दूर रखता है और वह अपने नापसन्द की बातों को भी सहन कर सकता है, यदि वह जान ले कि इसको बदलने की ताक़त एक दिन उसके हाथ में होगी।

कठिन समस्याएँ

दर-असल कठिन समस्याएँ दूसरी ही हैं, और उनका सम्बन्ध भारत और साम्राज्य के बन्धनों से है। वायसरॉय और गवर्नरों को अब भी व्यवस्थापक सभा के निर्णय को रद्द करने की पूर्ण शक्ति होगी। साम्राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से सेना, वैदेशिक सम्बन्ध और भारतीय सरकार तथा देशी राजाओं के सम्बन्ध पर वायसरॉय का अधिकार रहेगा। सेना का ख़र्च पहले से निश्चित रहेगा। अङ्गरेज़ी अफ़सरों की तनख़्वाहें इङ्गलैण्ड की सरकार की मन्ज़ूरी के बिना घटाई न जा सकेंगी। करेन्सी, सुवर्ण-भण्डार और विदेशों के क़र्ज़ पर सङ्घ-शासन-सभा को किसी तरह का अधिकार न होगा। इस तरह केन्द्रीय सरकार की आय के ८१ प्रति सैकड़ा पर भारतवासियों का कुछ अधिकार न होगा।

म० गाँधी से मेरी जो बातें हुई हैं, उनसे वे दो बातों को मुख्य समझते हैं। सेना और देशी राजाओं के सम्बन्ध पर वे वायसरॉय का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज भारतीय सेना अङ्गरेज़ों के अधिकार में रहती है। हम प्रति दिन भारत को विजय करते हैं। महात्मा गाँधी यद्यपि अध्यात्मवादी और त्यागी व्यक्ति हैं, पर उनकी निगाह बराबर बजट और टैक्सों पर रहती है। वे राजनीतिक विषयों की अधिक चिन्ता नहीं करते, वरन् वे किसानों पर से टैक्सों के बोझे को कम करना चाहते हैं, जिससे बची हुई रक़म से शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति की जा सके। पर यदि केन्द्रीय और प्रान्तीय आय का २६ सैकड़ा अब भी सेना पर ख़र्च होता रहे, तो उनका विचार कैसे कार्य-रूप में परिणत हो सकता है? क्योंकि उस दशा में जनता की उन्नति के लिए केवल ८ प्रति सैकड़ा ही बचता है। इसलिए प्रश्न यही है कि क्या अङ्गरेज़ी सरकार भारत में मौजूद गोरी सेना की संख्या में एकदम कमी करना और उसे भारतीय मन्त्रियों की अधीनता में रखना स्वीकार करेगी? यह कठिन जान पड़ता है कि कोई भी ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल गाँधी जी के विचार को स्वीकृत कर सके।

भविष्यवाणी

राजाओं का प्रश्न भी ऐसा ही महत्वपूर्ण और कठिन है। अगर इङ्गलैण्ड के कञ्ज़रवेटिव और साम्राज्यवादी लिबरल भारत को स्वराज्य देना स्वीकार करेंगे, तो इसी-

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

भारतीय प्रतिनिधि



क्रान्तिकारी गाने और नारों की मनाही

देहली षड्यन्त्र-केस में मुख़बिर का बयान :: क्रान्तिकारी दल में भर्ती कैसे होती थी ?

दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दिल्ली-षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को फिर चेतावनी दी है कि वे लोग क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाना बन्द कर दें और यदि वे इन्हें जारी रक्खेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।

दिल्ली षड्यन्त्र-केस की सुनवाई आरम्भ होने पर अभियुक्त वात्स्यायन ने प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह करनी शुरू की। जिरह में वात्सायन का ख़ास तात्पर्य यह सिद्ध करने का था कि कैलाशपति ने अपनी लिखावट का नमूना एग्ज़िबिट डी० ६ के लिखने में जान-बूझ कर उसे बिगाड़ा था कि जिसमें उसकी असली लिखावट की शिनाख़्त न की जा सके और इसी तरह उसने अपने अन्य काग़ज़ात की लिखावट को भी बिगाड़ कर लिखा है। हिन्दी लिपि की पारिभाषिक सुन्दरता और हिन्दी व्याकरण के लालित्य के सम्बन्ध में बहुत देर तक बहस होने पर दिल्ली षड्यन्त्र कमीशन के एक सदस्य रायबहादुर कँवरसेन ने कहा—"मि० वात्सायन, क्या आप यह नहीं समझते कि आपने अपने तात्पर्य की सत्यता सिद्ध करने के लिए काफ़ी जिरह कर ली है ? क्या यह ज़रूरी है कि आप इसी तरह और अधिक बहस करते रहें ?"

वात्सायन—निस्सन्देह मैं अपने तात्पर्य को सिद्ध करने के लिए जितना अधिक कह सकूँगा, कहूँगा। वह तो मेरे पक्ष में ही होगा। परन्तु यदि आप इससे सन्तुष्ट हैं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है, तो मैं जिरह को समाप्त कर दूँगा।

रायबहादुर कँवरसेन—हम अपने को वचन-बद्ध नहीं कर सकते। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हममें भी विवेकपूर्ण निर्णय की कुछ बुद्धि है।

वात्सायन—बेशक, यह ठीक है। परन्तु हमें इस बात का पूरा यक़ीन नहीं है कि हमारा मुक़दमा आप ही की फ़ाइलों में रहेगा। वह किसी दूसरी अदालत में भेजा जा सकता है। उस हालत में हमें सारी बातें फिर से करनी पड़ेंगी। और उस वक़्त यह सम्भव है कि यदि पाँच दलीलें मेरे तात्पर्य को सिद्ध न कर सकेंगी, तो दस तो कर सकेंगी। अन्ततः मेरी सभी जिरह का कुछ अधिक प्रभाव तो पड़ेगा ही।

इस पर अदालत ने अभियुक्त को जिरह जारी रखने की आज्ञा दी। जिस वक़्त एक बज रहे थे और जिरह एक घण्टे और ४९ मिनट तक हो चुकी थी, रायबहादुर कँवरसेन ने फिर हस्तक्षेप किया और कहा—मि० वात्सायन, आपको इस तरह की जिरह अब और अधिक नहीं करनी चाहिए। गवाह से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह यह सब व्याकरण जानता है।

वात्सायन—यदि वह इस बात को कहें, तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

रायबहादुर कँवरसेन—वह इस बात को कहता है, और आपने भी काफ़ी कह दिया है।

वात्सायन—अगर आप उसे काफ़ी समझते हैं, तो मैं उसे समाप्त कर दूँ।

रायबहादुर कँवरसेन—वह काफ़ी से ज़्यादा है।

वात्सायन—अच्छा है, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ।

ख़ानबहादुर शेख़ अमीरअली—धन्यवाद !

वात्सायन ने यह विश्वास दिलाए जाने पर, कि अदालत इस बात से सन्तुष्ट है कि काग़ज़ात एग्ज़िबिट्स डी० ४, ५ और ६ कैलाशपति की साधारण लिखावट शिनाख़्त के लिए नमूना नहीं समझी जायगी, अपनी जिरह समाप्त कर दी।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

जल-पान के बाद डॉ० किचलू ने कैलाशपति से जिरह आरम्भ की। कैलाशपति ने कहा कि हिन्दुस्तान साम्यवादी षड्यन्त्र दल के नियम बहुत विचार के साथ इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि पार्टी के सञ्चालन के लिए उनका अनुसरण किया जायगा। ये नियम सर्वसाधारण और पुलीस दोनों से बहुत गुप्त रक्खे जाते थे। मेम्बरों को इस बात का भय था कि यदि पुलीस को इसका पता लग गया, तो वह पार्टी के मेम्बरों को गिरफ़्तार करने का प्रयत्न करेगी। इसलिए मेम्बरों को इस बात की हिदायत दे दी गई थी कि वे इन नियमों में से किसी भी एक को पुलीस या सर्वसाधारण को न दिखावें। उन लोगों को इस बात का भी भय था कि पुलीस अपने ही किसी आदमी को दल की गुप्त बातों को जानने के लिए, दल में शामिल न कर दे। इसलिए दल के लोग मेम्बर बनाने में स्वभावतः बहुत ख़बरदारी रखते थे। यह भी स्वाभाविक था कि किसी आदमी को भरती करने के पहिले उसकी पूर्ण रूप से परीक्षा कर ली जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को भरती करने के पहिले उसका बहुत काफ़ी समय तक अध्ययन किया जाता था। पार्टी का कोई यह निश्चित नियम नहीं था कि एक जगह के मेम्बर एक दूसरे को न जानें। यह बात ठीक नहीं है कि नियम के अनुसार एक ही जगह के मेम्बरों के दल एक दूसरे को न जानें। नियमों में यह बात थी कि एक ज़िले के मेम्बर दूसरे ज़िले के मेम्बरों से परिचित न हों। यही नियम विभिन्न प्रान्तों के लिए लागू था। गवाह ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि पार्टी के मेम्बरों की सूची तैयार की गई थी। पार्टी की केन्द्रस्थ कमिटी के पास इस तरह की कोई सूची न थी और न उसके पास प्रान्तों या ज़िलों के मेम्बरों की सूची थी। दिल्ली में मेम्बरों के विभिन्न गुट्ट न थे। दिल्ली के समस्त मेम्बरों का एक गुट्ट था। परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि दिल्ली के मेम्बर एक दूसरे को जानते हों। यह सम्भव था कि जो लोग एक दूसरे को जानते थे, वे नकली नामों से जानते थे। इसके बाद कैलाशपति ने कहा कि वे नक़ली नामों से नहीं जाने जाते थे। यह आवश्यक नहीं था कि दिल्ली के मेम्बरान एक दूसरे को नक़ली नामों से जानते हों। यह भी ज़रूरी नहीं था कि दिल्ली के समस्त मेम्बरान एक दूसरे को असली नामों से जानते हों। यही बात अन्य जगहों के लिए थी।

भर्ती कैसे होती थी ?

जो लोग प्रचार का काम करते थे, वे अपना असली नाम बतलाते थे और अपनी शिनाख़्त छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे। परन्तु फ़रारों के बारे में यह बात ठीक न थी। पर वे हिंसात्मक आन्दोलन से अपना सम्बन्ध प्रकट नहीं करते थे और पार्टी से अपना सम्बन्ध छिपाते थे। पार्टी का कोई भी मेम्बर प्रचार-कार्य के लिए किसी ऐसे आदमी के पास नहीं जाता था, जिसे वह जानता न हो। लोगों को भर्ती करने में मौखिक बात चीत, साहित्यिक प्रचार और बहस-मुबाहसे के तरीक़े अख़्तियार किए जाते थे। जब यह मालूम होता है कि एक ख़ास आदमी भर्ती करने के योग्य है, तो उससे चुपके से मिला जाता था। इसमें महीनों और कभी-कभी इससे भी ज़्यादा समय लगता था। इस बीच में मेम्बर लोग अपना पता नहीं बताते थे और न पार्टी के भेद ही प्रकट होने देते थे। इस बीच में वे परस्पर विश्वास स्थापित होने का ही प्रयत्न करते थे। यह जानने के लिए कि परस्पर विश्वास स्थापित हो गया, उसकी परीक्षा की जाती थी। जिनसे मेम्बर होने की आशा की जाती था, उनसे पार्टी का कुछ काम करने को कहा जाता था। कभी-कभी यह भी होता था कि इन भावी मेम्बरों को पार्टी के रहस्य भी मालूम हो जाते थे। पार्टी इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क नहीं रहती थी। वास्तव में जब तक वे भर्ती न हो जाते थे, उन्हें पार्टी के रहस्य नहीं मालूम हो पाते थे और बहुत परीक्षा करने के बाद पार्टी में मिलाने के लिए सबसे पहिली बात जो होती थी, वह उनसे मित्रता पैदा करनी होती थी। यह बात सामाजिक रूप से मिलने-जुलने द्वारा होती थी। पर यह ज़रूरी नहीं था कि इन सब प्रयत्नों में सफलता ही होती थी। ये प्रयत्न पार्टी के मेम्बरों से भी गुप्त रक्खे जाते थे। किसी भी व्यक्ति को पार्टी का मेम्बर बनाने से पहिले, उसकी शारीरिक योग्यता, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता और चरित्र-बल पर ध्यान दिया जाता था। जो मेम्बर चाहते थे, उन्हें गोली का निशाना लगाने का अभ्यास कराया जाता था। यह उनमें क्रान्तिकारी जान भरने के लिए किया जाता था, कोई रहस्य बताने के लिए नहीं। कभी-कभी यह भी होता था कि गोली का निशाना सीखने के बाद भी कुछ लोग पार्टी के मेम्बर नहीं बनते थे। प्रत्येक केन्द्र-स्थान में एक व्यक्ति मेम्बरों को भर्ती करने के लिए नियुक्त किया जाता था। उसे कोई ख़ास पद नहीं दिया जाता था।

दिल्ली केन्द्र

यह कोई नियम नहीं था, बल्कि एक ढङ्ग था कि सभी मेम्बर उन लोगों के सम्पर्क में रहते थे, जिनसे पार्टी के मेम्बर होने की आशा रहती थी, मगर उनके लिए यह ज़रूरी था कि वे अपनी इस सम्बन्ध की कार्रवाइयों की रिपोर्ट केन्द्रस्थान के व्यक्ति को दें। एक ज़िले में कई केन्द्रस्थान हो सकते थे। दिल्ली में केवल एक केन्द्रस्थान था। राजपूताने में गवाह दो केन्द्रस्थान स्थापित करना चाहता था। परन्तु जल्दी ही गिरफ़्तार हो जाने के कारण उसकी यह स्कीम सफल न हो सकी। सभी क्रियात्मक कामों के लिए दिल्ली केन्द्रस्थान ज़िला-संस्था समझा जाता था। राजपूताने में कोई गुट्ट नहीं बनाया गया, जिस तरह कि दिल्ली में थे। एक केन्द्रस्थान के विभिन्न डिपार्टमेण्टों के मेम्बर गुट्ट कहे जा सकते हैं। किसी ख़ास व्यक्ति द्वारा किसी नियम के भङ्ग होने का सम्बन्ध ज़िला या प्रान्तीय प्रचारक से होता था। यदि ज़िले के प्रचारक से कोई ग़लती होती थी, तो उसके लिए प्रान्तीय प्रचारक ज़िम्मेदार होता था। वही दण्ड की व्यवस्था करता था, क्योंकि वह प्रान्त में नियम-पालन के लिए ज़िम्मेदार रहता था। ज़िला और प्रान्तीय प्रचारकों को नियम तोड़ने या उनके विरुद्ध कुछ करने का अधिकार नहीं रहता था। प्रान्तीय कमिटी को इस तरह का अधिकार न था। नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाता था। केन्द्रस्थ कमिटी के अतिरिक्त किसी को भी नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार न था और वह भी सर्वसम्मत राय से ही नियमों में परिवर्तन कर सकती थी। ज़िले का प्रचारक प्रान्तीय कमिटी द्वारा नियुक्त

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहिले कॉलम में देखिए)

हमारे स्वत्व पैरों तले कुचले जा रहे हैं !

राष्ट्र उनकी रक्षा के लिए उठ खड़ा हो :: श्री० सुभाष बोस की गर्जना

गत रविवार को बाँतरा, हवड़ा की एक सार्वजनिक सभा में जोशीली और मर्मस्पर्शी वक्तृता देते हुए श्री० सुभाष बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजली-काण्ड बङ्गाल की मनुष्यता के लिए चैलेञ्ज-स्वरूप हैं और वे इस बात की अशुभ सूचना देते हैं कि जनता की जान और माल बहुत बड़े ख़तरे में पड़ गए हैं। इन काण्डों का पूरा हरजाना वसूल करने के लिए समस्त बङ्गाल में घोर आन्दोलन होना चाहिए और ऐसी घटनाओं का फिर घटित होना असम्भव कर देना चाहिए। श्री० सुभाष बाबू ने कुछ हल्क़ों में फैलने वाली इस भावना का घोर विरोध किया कि बङ्गाल गृह-कलह में फँस कर नीचे की ओर जा रहा है। आगे चल कर श्री० बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजली का प्रश्न समस्त राष्ट्र की समस्या हो गई है। जब तक कि समस्त राष्ट्र उस ख़तरे का मुक़ाबला नहीं करता, जिसकी सूचना जगह-जगह पर हुई दुर्घटनाएँ देती हैं, तो देश के दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी ही घटनाएँ होंगी। बङ्गाल के साथ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है और उसके स्वत्व पैरों तले कुचले जा रहे हैं। इसी उदासीनता और उपेक्षा के कारण बङ्गाल के वक्षस्थल पर—उसी बङ्गाल पर, जिसे भारत में अत्यन्त जाग्रत प्रान्त होने का श्रेय प्राप्त है—इस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं। पिछले दो वर्षों से बङ्गाल एक के बाद दूसरा अन्याय, ऑर्डिनेन्स, बिना मुक़दमे की क़ैद, विशेष अदालतों द्वारा मुक़दमे आदि बिना अधिक प्रतिवाद के सहता आया है। समझौते की शर्तों के अनुसार भी, जब कि अन्य राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिए गए और बङ्गाल के नज़रबन्द नहीं छोड़े गए, तब असन्तोष की थोड़ी भुनभुनाहट ज़रूर हुई, किन्तु प्रबल और ज़ोरदार विरोध नहीं हुए। इसी उदासीनता के फल-स्वरूप सुभाष बाबू ने कहा कि हिजली और चटगाँव की दुर्घटनाएँ घटित हो सकीं।

सरकार अब तक क्यों चुप है ?

चटगाँव-काण्ड की जाँच के सम्बन्ध में सुभाष बाबू ने कहा कि ग़ैर-सरकारी कमिटी ने चटगाँव के अत्याचारों की जाँच की और उसने उन घटनाओं के लिए ज़िले के अफ़सरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार बतलाया। जनता के ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने ज़िले के अधिकारियों पर भीषण अपराध लगाए हैं। परन्तु सरकार चुप क्यों है? इस बात का उसके पास क्या उत्तर है कि एक करोड़ रुपए के माल दिन-दहाड़े और अफ़सरों की नाकों के नीचे कैसे लूटे और बर्बाद किए गए। श्री० बोस ने कहा कि सरकार अपना कर्तव्य भले ही न करे, किन्तु जनता अपने कर्तव्य को नहीं भुला सकती। जनता की ओर से माँगें पेश कर दी गई हैं और उन माँगों को पूरी कराने के लिए देशव्यापी आन्दोलन होना चाहिए।

हिजली का गोली-काण्ड

इसके बाद श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने उन रहस्यों का वर्णन किया, जो हिजली गोली-काण्ड की सरकारी कमिटी द्वारा जाँच होते समय मालूम हुए थे। उन्होंने कहा कि इससे अधिक हृदय को दहला देने वाली बात सोची भी नहीं जा सकती। सिपाहियों ने बड़ी बर्बरता और अमानुषिकता से काम किया। उन लोगों ने केवल यही नहीं किया कि नज़रबन्द-जेल में क़ैद प्रत्येक नज़रबन्द को बेरहमी के साथ गोली से उड़ा देते। सुभाष बाबू ने कहा कि कैसे कोई आदमी उच्च अधिकारियों को दोष से मुक्त समझ सकता है, जब कि जिस तरीक़े पर सिपाहियों ने काम किया, वह दिमाग़ में आया ?

इज़्ज़त ख़तरे में

पिछली दो दशाब्दियों में बङ्गाली जाति के सामने कोई भी इतना बड़ा प्रश्न नहीं उपस्थित हुआ, जैसा कि चटगाँव और हिजली की ग़लतियों का दुरुस्त किया जाना। यदि बङ्गाल ने इन ग़लतियों को सह लिया, तो उसकी जान और माल बिल्कुल अरक्षित दशा में हो जायँगे और उसकी इज़्ज़त, आत्म-सम्मान और मर्यादा सब ऐसे रसातल में पहुँच जायँगे, जहाँ से उनका फिर उठना असम्भव हो जायगा। बङ्गाल प्रान्तीय कॉन्फ़्रेन्स कुछ ही सप्ताहों में होने को है और उसे श्री० बोस ने कहा कि इस सम्बन्धमें देश के सामने निर्भीक और मनुष्योचित उदाहरण रखना चाहिए।

बङ्गाल और वर्किङ्ग कमिटी

आगे चल कर श्री० सुभाष बोस ने कहा कि जब मैं कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी की बङ्गाल की घटना सम्बन्धी अकर्मण्यता की आलोचना करता हूँ, तो मैं केवल उन भावनाओं को प्रदर्शित करता हूँ, जो बहुत से लोगों के दिमाग़ों में हैं। बङ्गाल को स्वभावतः ही यह देख कर चोट लगी कि उसके गाढ़े समय में वर्किङ्ग कमिटी शीघ्रता और सहानुभूति के साथ उसकी सहायता के लिए आगे न बढ़ी, जिसकी कि लोग उससे आशा रखते थे। जब जलियाँवाला बाग़ का हत्याकाण्ड हुआ था, उस समय उसे समस्त राष्ट्र का प्रश्न बना लिया गया था। बङ्गाल में उससे कम अनिष्ट घटनाएँ नहीं हुईं, किन्तु वर्किङ्ग कमिटी ने, कम से कम बाहरी रूप से, कोई कार्यशीलता नहीं प्रदर्शित की। जब पञ्जाब-काण्ड हुआ था, उस समय देशबन्धु दास अपनी वकालत की ख़ूब चमकी हुई अवस्था में, पञ्जाब में तीन महीने तक रहे। वर्किङ्ग कमिटी के मेम्बरों से इससे कम की आशा न थी। यह बड़े खेद की बात है कि बङ्गाल के ये मामले वर्किङ्ग कमिटी के विचार में, इतने गम्भीर होते हुए भी, उपयुक्त स्थान नहीं पा सके।

क्या बङ्गाल पतन की ओर जा रहा है ?

अन्त में श्री० सुभाष बोस ने लोगों की इस धारणा का ज़िक्र किया कि बङ्गाल पतन की ओर जा रहा है। सुभाष बाबू ने इस धारणा का तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार कर बड़ी शरारत की गई है। उन्होंने पूछा कि १९२९ के दिल्ली के मैनीफ़ैस्टो का किसने विरोध किया था? पूर्ण स्वाधीनता के कार्यक्रम को किसने आगे रक्खा था, जोकि यद्यपि कलकत्ता-कॉङ्ग्रेस में गिर गया था, किन्तु लाहौर में जिसकी विजय हो गई थी? क्या बङ्गाल ने कभी राजनीतिक अदूरदर्शिता दिखाई है? क्या कभी बङ्गाल के लोग स्वार्थ-त्याग, कार्य और निर्भीकता की माँग के समय उठ नहीं खड़े हुए? तब इस तरह का प्रचार क्यों किया जाता है? कुछ तबक़ों में यह बात कही जाती है कि बङ्गाल ने पिछले सत्याग्रह आन्दोलन में पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया। परन्तु संख्या—सरकारी संख्या—क्या बतलाती है? सर जेम्स क्रेरार के कथनानुसार बङ्गाल ने सबसे अधिक संख्या में लोगों को जेल भेजा। सरकारी संख्या के अनुसार विलायती चीज़ों का बॉयकाट बङ्गाल में पूरे तौर पर हुआ। तब फिर क्यों बङ्गाल के कार्यों को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है? अख़बारों और समाचारों पर रोक-थाम होने के कारण बङ्गाल के लोगों के वीरतापूर्ण त्याग की कथाओं, विशेष कर कन्ताई जैसे स्थानों की कथाओं का तनिक भी प्रचार नहीं हुआ।

सहानुभूति की आवश्यकता

सुभाष बाबू ने कहा कि बङ्गाल को इस समय जिस बात की आवश्यकता है, वह है सहानुभूति, केवल बहलाने वाली बातें नहीं।

* * *

(६वें पृष्ठ का शेषांश)

किया जाता था। दिल्ली में कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं थी, क्योंकि उसे सङ्गठित करना सम्भव नहीं हुआ। दिल्ली में काम, पार्टी के प्रमुख मेम्बरों की सलाह से होता था। दिल्ली में क़ायदे-क़ानूनों का कड़ाई के साथ पालन होता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ अपवाद भी थे। इस नियम का दिल्ली में कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था कि प्रत्येक ज़िला या प्रान्तीय प्रचारक मेम्बरों को विभिन्न गुटों में इस तरीक़े पर बाँट दे कि विभिन्न दल वाले एक दूसरे को न जान सकें।

डॉ० किचलू अपनी जिरह ख़तम नहीं कर पाए थे कि अदालत दूसरे दिन के लिए उठ गई।

* * *

(२वें पृष्ठ का शेषांश)

लिए कि वे ख़ूब समझते हैं कि ये राजा लोग वायसरॉय के शरीर-रक्षक का काम करेंगे। यह एक ऐसा दल है, जिसकी भक्ति सम्राट के प्रति, अङ्गरेज़ी हितों के प्रति और कन्ज़रवेटिवों के प्रत्येक कार्य के प्रति सन्देह से परे है। आजकल भारतीय नौकरशाही अपने आज्ञाकारी मनोनीत सदस्यों की सहायता से व्यवस्थापक सभाओं पर क़ब्ज़ा रखती है। अब ये लोग न रहेंगे, पर संयुक्त भारत की शासन सभा में उनका स्थान राजा लोग ग्रहण कर लेंगे। उन लोगों का दावा है, और उसका पूरा हो जाना सम्भव भी है, कि उनको ४० प्रति सैकड़ा जगहें दी जायँ। उनके प्रतिनिधि चुने हुए न होंगे, वरन् वे उन राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे, जो अपनी प्रजा के नागरिक अधिकारों की नाम-मात्र को भी परवा नहीं करते। इस तरह के एक अनुदार दल के मौजूद होने से, जिसकी ताक़त ब्रिटिश भारत के मुसलमान सदस्यों द्वारा और भी मज़बूत हो जायगी, उन्नतिशील दल का बहुमत हो सकना सर्वथा असम्भव है। पर भारतवासी इस प्रथा में केवल इतना ही दोष नहीं समझते। ये राजागण इतनी शान-शौक़त और सम्पत्ति रखते हुए भी नाम-मात्र के शासक हैं। वे लोग मालगुज़ारों की तरह हैं, जिनको वायसरॉय अपनी इच्छानुसार कारण बतला कर हटा सकता है। यही उनकी अपूर्व राजभक्ति का सच्चा कारण है, जिसको कुछ लोग हद दर्जे की ग़ुलामी के नाम से पुकारते हैं। जब तक यह राजाओं का दल सङ्घ-शासन—भारतीय व्यवस्थापक सभाओं पर अधिकार रक्खेगा, तब भारत पर काले चमड़े वालों की सरकार रहेगी, पर भारत उसी तरह पराधीन बना रहेगा जैसा आज है, और सरकार की असली बागडोर गोरी नौकरशाही के हाथों में ही बनी रहेगी।

इन सब बातों को भारतवासी समझते हैं। नर्म दल वाले भाग्य को प्रबल मान कर इसके सामने चुपचाप सर झुका देते हैं। पर महात्मा गाँधी का रास्ता दूसरा है। उनका दावा है कि राजाओं का सम्बन्ध वायसरॉय से न रह कर भारतीय मन्त्रियों से रहे। इस सम्बन्ध में उनकी बात स्पष्ट और अटल भाव से अस्वीकृत की जाती है। यद्यपि अभी कोई निश्चित भविष्यवाणी कर सकना कठिन है, पर मुझे तो अवश्य ही बड़ा आश्चर्य होगा, यदि कॉन्फ़्रेन्स का फल सिवाय गत वर्ष के संग्राम की पुनरावृत्ति के और कुछ हो।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम 'कीपर' का मनोरञ्जक मामला

'भविष्य' के अध्यक्ष को ७५०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह की सादी क़ैद !

'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी का कीपर का डिक्लेरेशन सम्बन्धी जो मुक़दमा तीन महीने से चल रहा था, उसका .फ़ैसला २१ नवम्बर को सुना दिया गया। उसमें श्री० सहगल जी को दोषी क़रार देकर मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादिरी ने उनको ७५०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह की सादी क़ैद की सज़ा दी। .फ़ैसले का सारांश नीचे दिया जाता है :—

"इस मुक़दमे की फ़रियाद इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने की थी। उन्होंने लिखा था कि "मुझे मालूम हुआ है कि फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के मालिक श्री० आर० सहगल सन् १८६७ के 'प्रेस एण्ड बुक-रजिस्ट्रेशन-एक्ट' के अनुसार उसके अधिकारी हैं। हाल में उन्होंने इस प्रेस के लिए दो अन्य व्यक्तियों से 'कीपर' का डिक्लेरेशन दिलवाया था। कल एक महिला को कीपर बनाने की चेष्टा की गई, जिसने प्रेस के अपने अधिकार में होने से इन्कार किया। इससे प्रकट होता है कि श्री० सहगल उक्त क़ानून की चौथी दफ़ा के अनुसार डिक्लेरेशन दिए बिना ही प्रेस को अपने अधिकार में रख रहे हैं और इसलिए उसी क़ानून की १२वीं दफ़ा के अनुसार दोषी हैं।"

इस मुक़दमे का .फ़ैसला मुख्यतः दो बातों पर निर्भर है—(१) क्या इस एक्ट की चौथी धारा के अनुसार डिक्लेरेशन किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए, जो प्रेस पर अधिकार रखता हो, या कोई भी .ग़ैर-ज़िम्मेदार आदमी डिक्लेरेशन दे सकता है, जैसा सफ़ाई के वकील ने कहा है? (२) क्या अभियुक्त श्री० आर० सहगल का प्रेस पर अधिकार है अथवा डिक्लेरेशन देने वाले भुवनेश्वरनाथ मिश्र, शङ्करदयाल श्रीवास्तव और लक्ष्मी-देवी का अधिकार है?

चौथी धारा का साफ़ अर्थ यह है कि डिक्लेरेशन देने का अर्थ प्रेस के सञ्चालन की ज़िम्मेदारी डिक्लेरेशन देने वाले व्यक्ति के ऊपर रक्खी जाय। इस धारा का वास्तविक तात्पर्य कि या तो मालिक या कोई ऐसा वास्तव में कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसे मालिक ने अपनी तरफ़ से नियुक्त किया हो, डिक्लेरेशन दाख़िल करे, अर्थात् वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे सचमुच अधिकार हो। सफ़ाई के वकील की यह दलील कि कोई भी आदमी प्रेस के लिए डिक्लेरेशन दे सकता है, मुझे निराधार जान पड़ती है, क्योंकि इसे मान लेने से १४वीं दफ़ा व्यर्थ सिद्ध होती है। १४ वीं धारा के अनुसार झूठा डिक्लेरेशन देने वाले को क़ैद की सज़ा या जुर्माना किया जाता है, जो १२वीं दफ़ा में बतलाए गए जुर्माने से कम होता है। इससे मालूम होता है कि १२ वीं धारा का आशय प्रोप्राइटर या उस व्यक्ति को; जिसके अधिकार में वास्तव में प्रेस हो, सज़ा देना है।

अवध चीफ़कोर्ट की रूलिङ्ग

मेरा ध्यान अवध चीफ़कोर्ट में जस्टिस पुलन की एक रूलिङ्ग की तरफ़ आकर्षित किया गया है। सफ़ाई के वकील का कथन है कि जो आदमी डिक्लेरेशन दे, उसे कीपर मान ही लेना चाहिए और किसी प्रेस के लिए एक बार डिक्लेरेशन दे देना काफ़ी है, नए डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं। मेरी सम्मति में यह रूलिङ्ग इस मामले में लागू नहीं होती। उस मुक़दमे की स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। उसमें प्रोप्राइटर ने प्रेस की मालिकी को अस्वीकार करने की कोई चेष्टा न की थी।

४थी धारा बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके अनुसार जो आदमी प्रेस पर अधिकार रखता है उसे डिक्लेरेशन देना चाहिए। उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के लिए कोई भी ऐरा-ग़ैरा आदमी डिक्लेरेशन दे सकता है। अगर किसी ग़लत डिक्लेरेशन देने वाले पर १४वीं धारा के अनुसार मुक़दमा चलाया जा सकता है, तो निस्सन्देह अधिकार रखने वाले असली व्यक्ति पर डिक्लेरेशन न देने के लिए मुक़दमा चल सकता है। यह भी कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट को प्रेस के व्यक्तियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मैं इसे मञ्जूर करता हूँ, पर मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार अवश्य है कि वह अभियुक्त के प्रेस के लिए नक़ली कीपर नियुक्त करने और क़ानून के पञ्जे से बचने की निन्दनीय योजना को रोकने की चेष्टा करे।

मुझे मालूम हुआ है कि श्री० सहगल केवल प्रेस के प्रोप्राइटर और मैनेजिङ्ग डायरेक्टर ही न थे, वरन् वे जिस दिन से प्रेस आरम्भ हुआ है तब से फ़रियाद होने के समय तक उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे। सहगल जी ने मि० मुंशी के सामने स्पष्ट रूप में यह स्वीकार किया था कि वे प्रेस के अधिकारी हैं। मेरे सामने बयान देते हुए भी उन्होंने प्रेस का अपने अधिकार में होना स्वीकार किया है। गवाहियों से भी यही साबित होता है कि वे प्रेस पर अधिकार रखते हैं। गवाहियों से मालूम होता है कि एडीटरों और अन्य कर्मचारियों को रखने और हटाने की शक्ति उनके ही हाथ में थी। वे प्रेस के लिए लेख आदि को पास करते थे, चिट्ठी-पत्रियों को देखते थे और यह भी सलाह देते थे कि कौन चीज़ छापी जाय और कौन चीज़ न छापी जाय। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रेस पर अधिकार न था। यह दलील कि सहगल जी विलायत जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने नाम से डिक्लेरेशन नहीं दिया, बहाना मात्र है।

.फ़ैसले पर सहयोगियों के मत

इलाहाबाद के प्रसिद्ध ऐंग्लो-इण्डियन पत्र 'पायोनियर' ने अपने २५ नवम्बर के अङ्क में उक्त फ़ैसले की आलोचना करते हुए लिखा है :—

"एक महत्वपूर्ण मुक़दमे के .फ़ैसले में, जो इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादिरी के इजलास में पेश हुआ था, उन्होंने प्रेस के कीपर सम्बन्धी क़ानून की कुछ विचित्र सी व्याख्या की है। उनका कहना है कि 'प्रेस एण्ड बुक-रजिस्ट्रेशन एक्ट' की चौथी धारा का वास्तविक तात्पर्य यह है कि 'प्रोप्राइटर या उसकी तरफ़ से वास्तविक अधिकार रखने वाला व्यक्ति प्रेस के कीपर का डिक्लेरेशन दे।' अर्थात् वह व्यक्ति दर-असल अधिकार रखने वाला हो। प्रेस-एक्ट की उक्त धारा इस प्रकार है—"कोई भी आदमी ब्रिटिश भारत के भीतर किसी प्रेस को किताब या अख़बार छापने के लिए अपने अधिकार में नहीं रख सकता, जोकि नीचे लिखा डिक्लेरेशन भर कर उस स्थान के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश न करेगा :—

"मैं..... प्रकट करता हूँ कि मेरे पास छापने के लिए एक प्रेस है। यहाँ...............।"

'इस ख़ाली जगह में प्रेस का सच्चा और पूरा पता लिखा जाना चाहिए।' इस क़ानून में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, जैसा कि मैजिस्ट्रेट ने कहा है 'कि ऐसा हर्गिज़ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऐरा-ग़ैरा आदमी डिक्लेरेशन दाख़िल कर सकता है।'

हर एक ऐरा-ग़ैरा क़ानून के अनुसार प्रेस के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है, जब वह डिक्लेरेशन दाख़िल कर देता है। क़ानून द्वारा प्रेसों के कीपरों पर कोई ख़ास ज़िम्मेदारियाँ नहीं लादी गई हैं और प्रेस का कीपर कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी दशा में 'नक़ली कीपर' का कोई अर्थ ही नहीं रहता। नैतिक दृष्टि से किसी प्रेस के प्रोप्राइटर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी रखना अनुचित है। पर यह ज़रूरी नहीं कि प्रोप्राइटर हर एक हालत में कोई एक व्यक्ति ही हो। और यदि ऐसा हो भी, तो कोई क़ानून ऐसा नहीं है, जिसके अनुसार उसे कीपर भी होना पड़े। इस बात में सन्देह नहीं है कि भारत में अधिकांश दशाओं में प्रेसों के कीपर प्रोप्राइटरों से भिन्न होते हैं; पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे सब प्रोप्राइटर क़ानून से बचना चाहते हैं। अगर क़ानून में किसी तरह की कमी है, तो वह दुरुस्त की जानी चाहिए। पर जैसा क़ानून इस समय प्रचलित है, उससे किसी प्रोप्राइटर को कीपर होने के लिए लाचार नहीं किया जा सकता। कीपर कोई नक़ली व्यक्ति भी हो सकता है; क्योंकि वह क़ानून के फन्दे से नहीं बच सकता, चाहे वह यूनीवर्सिटी का विद्यार्थी हो और चाहे उन "ग़रीब युवकों" में से हो, जो दया के पात्र हैं।"

सहयोगी 'लीडर' २७ नवम्बर के अङ्क में लिखता है

"यह मान लेने पर भी कि मैजिस्ट्रेट ने क़ानून का जो अर्थ किया है, वह सच है, और फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद के श्री० आर० सहगल ने प्रेस के 'कीपर' का डिक्लेरेशन देने में 'टेकनिकल' ग़लती की है, क्या अदालत के लिए यह आवश्यक था कि वह उन पर ७५०) की भारी रक़म का जुर्माना करती? हम ऐसा नहीं समझते! मुक़दमा चलाने का जो उद्देश्य था, वह नाम-मात्र के जुर्माने से भी सिद्ध हो सकता था। इस बात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि अभी तक हर किसी को 'कीपर' का डिक्लेरेशन दाख़िल करने की आज्ञा दे दी जाती थी और श्री० सहगल पर जो मुक़दमा चलाया गया है वह अपनी तरह का पहला ही मुक़दमा है, जो हमारी जानकारी में आया है।"

बनारस के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र 'आज' ने अपनी सम्मति इन शब्दों में प्रकट की है :—

इलाहाबाद में छापाख़ाने वालों के लिए बड़े महत्व के एक मामले में वहाँ के फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब क़ादिरी ने .फ़ैसला सुना दिया है। फ़ाईन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज नामक छापाख़ाना अपने क़ब्ज़े में रखते हुए और प्रेस के सारे अधिकारों का उपयोग करते हुए भी श्री० रामरखसिंह सहगल ने सन् १८६७ ई० के प्रेस-ऐक्ट की धारा ४ के अनुसार स्वयम् "कीपर" की घोषणा न कर दूसरों से कराई। इसलिए उसी ऐक्ट की १२वीं धारा के अनुसार उन पर यह मुक़दमा चलाया गया था। मैजिस्ट्रेट ने आपको अपराधी पाया और साढ़े सात सौ रुपया जुरमाना किया। यह मुक़दमा इसलिए महत्व का है कि "कीपर" शब्द की व्याख्या क़ानून में नहीं की गई है और शायद ही किसी प्रेस का कीपर जानता हो कि उसका कर्तव्य क्या है। प्रयाग के ही "लीडर", "पायोनियर" और "लॉजर्नल' जैसे प्रेसों के कीपरों का बयान हुआ था, उससे स्पष्ट है कि इनमें किसी सज्जन को इस बात का पता नहीं है कि 'कीपर' किस चिड़िया का नाम है। ऐसी दशा में श्री० सहगल का यदि कोई अपराध हो तो नाम का ही है, प्रकृत नहीं है। यहाँ पर, और इसी मामले के सम्बन्ध में, हम यह भी कह देना चाहते हैं कि, प्रेस का कीपर अथवा पत्र का प्रिन्टर और प्रकाशक का डिक्लेरेशन देने के लिए जो कोई जाय,

(शेष मैटर ४९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

'पीपुल' के मुक़दमे में मज़ेदार बहस

"इस देश में मैजिस्ट्रेट ही मुक़दमा चलाने वाले बन जाते हैं"

लाहौर का १६ नवम्बर का समाचार है कि 'पीपुल' के सम्पादक श्री० फ़ीरोज़चन्द की अपील सेशन-जज मि० गार्डन वाकर की इजलास में पेश हुई। आपको कुछ दिन पहले एक दिन की .कैद और २००) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई थी। अभियुक्त की तरफ़ से श्री० टेकचन्द और श्री० देवराज साहनी बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे।

श्री० टेकचन्द ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के मतानुसार अभियुक्त का इरादा ईरान और भारत की सरकारों में अप्रीति उत्पन्न करना न था। जज ने भी इस बात को मञ्ज़ूर किया, पर साथ ही कहा कि इरादा न होने से जुर्म नहीं मिट सकता। जैसे सूरज कल निकलेगा, तो इसमें यह ज़रूरी नहीं कि उसका ऐसा इरादा है।

वकील—पर सूरज प्राकृतिक नियमों के अधीन है और इसलिए यह उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता।

सेशन जज ने पूछा कि क्या अभियुक्त माफ़ी माँगने को राज़ी है ?

वकील—यह सवाल इस समय नहीं उठ सकता। अगर मुझे अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश करने की आज्ञा दी जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह अदालत के कार्य में सहायता पहुँचाना होगा।

जज—क्या आप नहीं समझते कि आप अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं।

इसके बाद जज ने उस आपत्तिजनक लेख के कुछ वाक्य पढ़ कर सुनाए और कहा कि उन में ईरान की सरकार के विरुद्ध गम्भीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। शायद वहाँ के बादशाह रिज़ा ख़ाँ उनको पढ़ें। अगर ऐसे लेखों के प्रकाशित करने के लिए दण्ड नहीं दिया जाय, तो सम्भव है वे .गुस्सा होकर इङ्गलैण्ड के साथ युद्ध छेड़ दें। एक सौ वर्ष पहले सम्भवतः फ़्रान्स और जर्मनी में एक युद्ध इसलिए हुआ था कि बादशाह ने कुछ अनुचित शब्द कह डाले थे।

सफ़ाई के वकील ने कहा कि उस लेख से दोनों देशों की सरकार के बीच में किसी तरह की अप्रीति का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, और यही एक प्रमाण है, जिससे प्रकट होता है कि यह शत्रुता उत्पन्न करने वाला नहीं है।

जज—यह हो सकता है कि रिज़ा ख़ाँ श्री० फ़ीरोज़चन्द के लिखने की कुछ परवा न करें। वह इन इल्ज़ामों को पढ़ कर हँस सकता है और सारे मामले को मज़ाक़ समझ कर टाल सकता है। पर इससे जुर्म तो नहीं मिट जाता।

वकील—मैं बतलाना चाहता हूँ कि कम से कम बम्बई में रहने वाले ईरानी दूत का (जिसका ख़त मिसिल में शामिल है) यही कहना है। और यदि यह केवल मज़ाक़ है; तो उसके लिए फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है।

जज—मैं भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को सदा मज़ाक़ ही समझा करता था। पर पिछले महीने मुझे उस मुक़दमे (पञ्जाब गवर्नर गोलीकाण्ड) का .फैसला करना पड़ा। तब मुझे मालूम हुआ कि वह हर्गिज़ मज़ाक़ नहीं है।

जज ने फिर उस आपत्तिजनक लेख का कुछ अंश पढ़ कर सुनाया और कहा कि चाहे ये इलज़ाम सच ही क्यों न हों, वे बहुत गम्भीर हैं।

वकील—अगर उनको सच माना जाता है तो मुक़दमे की कोई जड़ ही नहीं रह जाती। इसके सिवाय सरकार की तरफ़ से उनको ग़लत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

जज—क्या आप सचमुच यह कहते हैं कि लाहौर की पुलिस ईरान जाकर पता लगाती कि ये अभियोग सच हैं या नहीं ?

वकील—मैं वास्तव में यही कहता हूँ कि सरकारी पक्ष को इलज़ामों को झूठा सिद्ध करना था।

जज—आप ऐसा कह सकते हैं, पर आपको यह भी मालूम होगा कि "जितना बड़ा सत्य होता है, उतना ही बड़ा अभियोग होता है।"

वकील ने कहा कि जब कि सरकार की तरफ़ से इलज़ामों को झूठ सिद्ध नहीं किया गया है, तो उनको सच ही समझना पड़ेगा।

मि० बी० जी० हार्नीमैन ने, जो ३६ वर्ष तक एक प्रसिद्ध सम्पादक रह चुके हैं और जिन्होंने ख़ुद भी उस लेख को प्रकाशित किया है, एक विशेषज्ञ की हैसियत से मुक़दमे में पेश हुए थे। उनका कहना था कि लेख में ईरान की सच्ची तस्वीर है।

जज—मि० हार्नीमैन ईरान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ किस तरह बन गए ?

वकील—सरकार की तरफ़ से ऐसा चैलेञ्ज नहीं दिया गया था।

जज—मैं अब चैलेञ्ज देता हूँ।

वकील—अभाग्यवश मि० हार्नीमैन यहाँ चैलेञ्ज स्वीकार करने को मौजूद नहीं हैं।

मैजिस्ट्रेट का पक्षपात

आगे चल कर वकील ने कहा कि मुक़दमा सुनने वाले मैजिस्ट्रेट ने मुक़दमा तब्दील कराने की दरख़्वास्त पर कारंवाई को स्थगित करने से इन्कार किया और अभियुक्त-पक्ष की गवाहियों को पूरा होने और बहस की जाने से पहले ही .फैसला सुना दिया। इसके सिवाय, मैजिस्ट्रेट ने और भी ऐसी बातें कीं, जिनसे प्रकट होता था कि वह .खुद ही मुक़दमा चलाने वाला है।

जज—पर इस देश में हर एक मैजिस्ट्रेट ऐसा करता है और उसे ऐसा करना पड़ता है।

वकील—यह बड़ी ही खेदजनक बात है।

जज—खेदजनक है, शोचनीय है, पर है यह सच। मैं इस देश में २५ साल से हूँ और मैं इसे जानता हूँ।

वकील ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के पक्षपात से सारा .फैसला त्रुटिपूर्ण हो गया है।

अभियुक्त के वकील की बहस ख़त्म होने पर सरकारी वकील ने केवल इतना कहा कि सज़ा घटाई नहीं जानी चाहिए; क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने पहले ही सब बातों का ख़्याल करके कम सज़ा दी है।

जज ने अभियुक्त के वकील को इतनी योग्यता से बहस करने के लिए धन्यवाद दिया और जुर्माना २००) से घटा कर २५) कर दिया।

क्या श्री० रासबिहारी बोस कभी भारत लौटेंगे ?

लॉर्ड हार्डिङ्ग पर बम फेंके जाने की घटना का संस्मरण

'पायोनियर' (इलाहाबाद) के लाहौर-स्थित सम्वाददाता ने निजी तौर पर पता लगाया है कि जापान-प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारी श्री० रासबिहारी बोस ने भारत-सरकार से इस देश में वापस आने की अनुमति माँगी है। इस घटना को लेकर 'पायोनियर' अपने २१ नवम्बर के अङ्क में लिखता है:—

"यह आदमी एक तरफ़ तो चुपचाप गवर्नमेण्ट के दफ़्तर में क्लर्क की नौकरी करता था और दूसरी तरफ़ भारत के कई क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों का, जिनके समान पुलिस को चक्कर में डालने वाले षड्यन्त्र बहुत कम हुए हैं, प्रधान सलाहकार था। पर पकड़े जाने और दण्ड पाने के पहले ही वह बच कर जापान चला गया और आजकल वहाँ का नागरिक बन कर टोकियो में रहता है। वह उस षड्यन्त्र का भी सलाहकार था, जिसके फल-स्वरूप लॉर्ड हार्डिङ्ग भयङ्कर रूप से आहत हुए थे।"

घटना की स्मृति

उक्त घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि "२२ दिसम्बर, सन् १९१२ को, जबकि वायसरॉय दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, एक बम फेंका गया और उस हाथी के हौदे में फूटा, जिस पर लॉर्ड हार्डिङ्ग और उनकी पत्नी बैठे थे। उससे वायसरॉय को सख़्त चोट आई और एक अर्दली जान से मारा गया। लेडी हार्डिङ्ग यद्यपि साफ़ बच गईं, पर उनके ज्ञान-तन्तुओं में इसका ऐसा धक्का लगा कि जल्दी ही जुलाई, १९१४ में उनकी मृत्यु हो गई। बम फेंकने वाले कभी नहीं पकड़े जा सके। पर यह ख़्याल किया जाता है कि उनका क्रान्तिकारी आन्दोलन से सम्बन्ध था, जिसने बाद में जर्मन-दूतों की सहायता से भयङ्कर रूप धारण कर लिया।"

मालूम हुआ है कि इससे पहिले भी एक बार रासबिहारी बोस ने यह ज़ाहिर करते हुए कि वह निर्दोष हैं, सरकार से भारत लौटने और वहाँ शान्ति-पूर्वक रहने की आज्ञा माँगी थी। यह कहना व्यर्थ है, उन पर अभियोग चलाने को इतनी चेष्टाओं के बाद ऐसी अर्ज़ी पर विचार नहीं किया जा सकता था।

अब से कुछ दिनों पहले भारत की ओलम्पियक एसोसिएशन की तरफ़ से एक टीम जापान में खेलने के लिए भेजी गई थी। वहाँ पर अङ्गरेज़ी राजदूत को कॉङ्ग्रेस के झण्डे के विषय में हस्तक्षेप करना पड़ा और अन्त में पता चला कि उस घटना के लिए रासबिहारी बोस ही ज़िम्मेदार थे। उन्होंने ही खेलों के प्रबन्धक को एसोसिएशन का चिन्ह लगाने के बजाय, कॉङ्ग्रेस का झण्डा लगाने को उभाड़ा था।

❀ ❀ ❀

८वें पृष्ठ का शेषांश)

क़ानून से मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि लेने से इनकार करें। हाँ, यदि डिक्लेरेशन ग़लत या झूठा हो, तो उस पर धारा १४ के अनुसार मुक़दमा चलाया जा सकता है। श्री०सहगल का मामला इस दृष्टि से भी महत्त्व का है कि वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य व्यक्ति का डिक्लेरेशन स्वीकार न करके, आप पर मुक़दमा चलाया था। हम आशा करते हैं कि यह मामला यहीं समाप्त न हो जायगा और हाईकोर्ट से अन्तिम व्यवस्था लेने का यत्न किया जायगा।"

❀ ❀ ❀

नए प्रेस-एक्ट का सब से पहला वार !

'भविष्य' के प्रेस से पाँच सौ की ज़मानत माँगो गई

पाठक अन्यत्र पढ़ चुके हैं कि ख़ाँ साहब रहमान-बख़्श क़ादरी ने 'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० रामरखसिंह सहगल को 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट' की १२ वीं धारा से ७५०) जुर्माना की सज़ा दी है। इसलिए लाचार होकर श्री० सहगल जी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने नए कीपर का डिक्लेरेशन दाख़िल करना पड़ा ! मैजिस्ट्रेट ने उनसे सन् १९३१ के २३वें एक्ट के अनुसार ५००) की ज़मानत माँग ली। ज़मानत के ऑर्डर की नक़ल नीचे दी जाती है :—

सन् १९३१ के २३वें एक्ट की धारा ३ (१) के अनुसार ऑर्डर

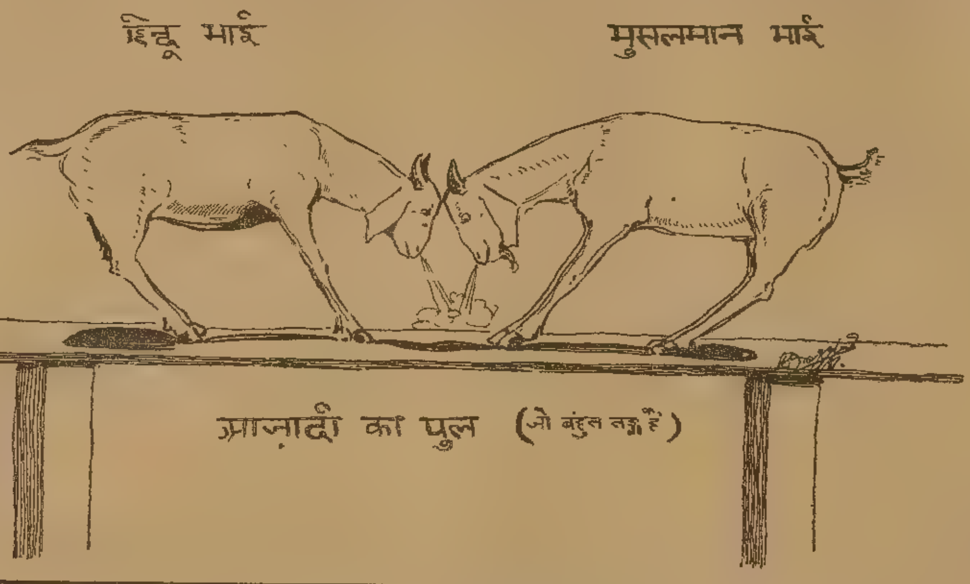
मिस्टर आर० सहगल ने फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज प्रेस के कीपर का डिक्लेरेशन फ़ाइल किया है। इस प्रेस से निकलने वाले अख़बार पिछले महीनों में आपत्तिजनक लेखों से भरे रहे हैं। इस वर्ष के भीतर दफ़ा १२४-ए के अनुसार तीन मुक़दमे चल चुके हैं। इस परिस्थिति में मैं ज़मानत छोड़ सकने में असमर्थ हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि इसके इन्तज़ाम में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है, इसलिए मैं ५००) की ही ज़मानत लेता हूँ।

(हस्ताक्षर एच० बर्फ़र्ड
२३-११-१९३१

इसके बाद श्री० सहगल ने ज़मानत जमा करने के लिए दस दिन की मुहलत माँगी और एक्ट में इस सम्बन्ध का नियम दिखलाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे इस तरह ज़मानत लेने की आवश्यकता नहीं है। मैजिस्ट्रेट ने एक्ट को देख कर सहगल जी का कहना ठीक बतलाया और उनको दस दिन की मुहलत दी, जिसमें ज़मानत का जमा हो जाना आवश्यकीय है। पर ज़मानत न माँगने की बात उनकी समझ में न आई और उन्होंने ५००) की ज़मानत के हुक्म को क़ायम रक्खा।

२५ ता० को सहगल जी ने एक और अर्ज़ी मैजिस्ट्रेट को दी, जिसमें कहा गया था कि श्रीमती लक्ष्मीदेवी का दिया हुआ 'कीपर' का डिक्लेरेशन क़ानूनन् अभी तक क़ायम है और नया डिक्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत न थी। पर अदालत के हुक्म को मानने के ख़्याल से, अपने वकील की सम्मति के अनुसार, विरोध के साथ मैंने कीपर का डिक्लेरेशन दिया है।

श्री० सहगल जी ने प्रार्थना की कि यह अर्ज़ी मिसल में रक्खी जाय, जिससे उपरोक्त परिस्थिति में नया डिक्लेरेशन देने की बात का ग़लत अर्थ न लगाया जाय और और वे सेशन्स कोर्ट में अपील करते समय यह कह सकें कि "क़ानूनन् श्रीमती लक्ष्मीदेवी का डिक्लेरेशन अब तक क़ायम है।" पर दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर कर दी गई!



मैजिस्ट्रेट के यह पूछने पर कि प्रिण्टर और पब्लिशर के डिक्लेरेशन का उन्होंने क्या किया है, श्री० सहगल ने कहा कि मुक़दमा केवल कीपर के डिक्लेरेशन के लिए चलाया गया था और दूसरे डिक्लेरेशन का प्रश्न ही नहीं उठाया गया। इसलिए श्रीमती लक्ष्मीदेवी का प्रिण्टर और पब्लिशर की हैसियत से दिया हुआ डिक्लेरेशन अभी तक क़ायम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है, जिसका निर्णय प्रेस के प्रबन्धक बोर्ड की मीटिङ्ग में सम्भवतः १४ दिसम्बर को होगा। यह प्रश्न कि कौन प्रिण्टर और पब्लिशर का डिक्लेरेशन दे, तभी तय होगा।

ज़मानत पर 'लीडर' की सम्मति

श्री० सहगल जी के 'कीपर' का डिक्लेरेशन देने पर मैजिस्ट्रेट ने जो ५००) की ज़मानत माँगी है, उस पर सहयोगी 'लीडर' अपने २८ नवम्बर के अङ्क में लिखता है :—

"फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के श्री० सहगल पर डिक्लेरेशन न देने के लिए ७५०) जुर्माना किया गया था। अब जब कि वे डिक्लेरेशन देने गए, क्या यह आवश्यकीय था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नए एक्ट के अनुसार उनसे ५००) की ज़मानत माँगते? मैजिस्ट्रेट की दलील यह है कि इस प्रेस में जो अख़बार छपता है, उस पर तीन बार मुक़दमा चलाया गया है। ठीक है। पर हमको जो बात अधिक उपयुक्त जँचती है, वह यह है कि क्या सहगल जी ने नए एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया है? नए एक्ट के पश्चात् कोई मुक़दमा नहीं चलाया गया है। हम प्रेसों के कीपरों, एडीटरों, प्रिण्टरों और पब्लिशरों को इस प्रकार के दण्ड देने के विरोधी हैं। हमको मैजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर पर इसलिए विशेष आपत्ति है, चूँकि नया एक्ट ख़ास तौर पर हिंसात्मक कार्यों के लिए उभाड़ने के लिए पास किया गया है, और यह कहीं नहीं कहा गया कि इस मामले में इस एक्ट के अनुसार कोई उभाड़ने वाली बात की गई है।"

'भविष्य' की तरफ़ से भारत-मन्त्री पर १००५।) का दावा

'भविष्य' के सञ्चालक श्री० रामरखसिंह सहगल ने २७ नवम्बर को इलाहाबाद के मुन्सिफ़ के कोर्ट में इलाहाबाद के कलक्टर की मार्फ़त भारत-मन्त्री पर १००५ रु० ४ आना का दावा दायर किया है। दावे में कहा गया है कि वादी ने ३ अक्टूबर, १९३० को इलाहाबाद के जनरल पोस्ट ऑफ़िस में 'भविष्य' की क़रीब २२ हज़ार प्रतियाँ भेजीं, जो उसके ग्राहकों के पास जाने वाली थीं। पर प्रतिवादी ने अपने कर्मचारियों द्वारा उनको पहुँचाने के बजाय, ग़ैर-क़ानूनी और ग़लत तरीक़े पर, बिना किसी उचित कारण के, उनको १२ दिन तक डाकख़ाने में रोके रक्खा और ग्राहकों को इस बात की कुछ भी सूचना न दी। इस अनुचित कृत्य के फल-स्वरूप वादी को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी, पर वह नाम-मात्र के लिए एक हज़ार रुपए हर्जाने का दावा करता है, जोकि प्रतिवादी से उसे दिलाया जाना चाहिए।

वादी ने इसके पहले प्रतिवादी के नाम पर इलाहाबाद के कलक्टर को इस सम्बन्ध में नोटिस भी दिया था, पर न तो उसका कोई जवाब मिला, न हर्जाना दिया गया। यह घटना ३ अक्टूबर से १५ अक्टूबर १९३० तक इलाहाबाद में हुई थी और इसलिए मुन्सिफ़ की अदालत को उसकी सुनवाई करने का अधिकार है। इस १००५।) में १०००) हर्जाने के हैं और ५।) नोटिस के ख़र्च के हैं। इस रक़म के सिवाय भविष्य में मुक़दमे में जो ख़र्च हो तथा रक़म पर जो सूद वाजिब हो, वह भी दिलवाया जाय।

—इङ्गलैण्ड की सरकार के वैदेशिक व्यापार विभाग के सेक्रेटरी ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कहा है कि अभी भारतीय बाज़ार में विलायती कपड़े के व्यापार के लिए कोई बड़ी आशा नहीं है।

—रङ्गून का समाचार है कि वहाँ पर विद्रोहियों का ज़ोर अभी तक बना है। मौकौङ्ग में एक विद्रोही-दल ने ग्यारह घरों को जला दिया। पेगू और इन्सीन से हत्याओं की ख़बरें भी आई हैं।

—मुकदन (मञ्चूरिया) का समाचार है कि हेलून नामक स्थान में जापानी हवाई जहाज़ों ने ३,००० चीनी सिपाहियों पर बम बरसाए, जिससे बहुत प्राण-हानि हुई। यह भी ख़बर है कि चीन के सुप्रसिद्ध सेनापति चियाङ्ग काईशेक, जो आजकल चीन के प्रेज़िडेण्ट भी हैं, स्वयम् मञ्चूरिया जा रहे हैं। इसके फल-स्वरूप भीषण युद्ध और रक्तपात की आशङ्का की जा रही है।

* * *



भविष्य

३० नवम्बर, सन् १९३१

चीन-जापान कलह

चीन-जापान की कलह धीरे-धीरे भयङ्कर रूप धारण करती जा रही है। छोटी-छोटी मुठ-भेड़ों और लड़ाइयों से नौबत यहाँ तक पहुँची है कि एक-एक दिन में तीन हज़ार सिपाही मारे जाते हैं और घायल होते हैं। लोगों का ख़याल था कि या तो जापान की प्रबल शक्ति से दब कर चीन उसकी शर्तों को मान लेगा या लीग ऑफ़ नेशन्स तथा अन्य पड़ोसी राष्ट्र आपस में समझौता करा देंगे। यद्यपि समझौते की ख़बरें बार-बार आईं और अब भी आ रही हैं, पर उनमें कितना तत्व है, यह कह सकना तब तक कठिन है, जब तक उनका अन्तिम परिणाम देख न लिया जाय।

अब तक जो समाचार आए हैं, उनसे तो जापान के जीतने की ख़बरें ही आई हैं। उसकी सेना आधुनिक ढङ्ग से शिक्षित है, उसकी तोपें अधिक ज़ोरदार हैं और दूर तक गोला फेंक सकती हैं, उसके पास हवाई जहाज़, टैङ्क, ज़हरीली गैस आदि अर्वाचीन युद्ध-सामग्री काफ़ी परिमाण में मौजूद है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं, यदि वह अशिक्षित, असङ्गठित और गए-गुज़रे ढङ्गों से काम लेने वाले चीन वालों को परास्त कर दे। यद्यपि चीन ने भी आधुनिक ढङ्ग की कुछ उन्नति की है, पर वह इतना बड़ा और असङ्गठित देश है कि वहाँ के एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के साथ मिल कर काम कर सकना और सेना तथा युद्ध-सामग्री का जल्दी स्थानान्तर कर सकना बहुत कठिन काम है। चीन ने जो कुछ उन्नति की है, उसका केन्द्र पेकिन और नानकिङ्ग आदि स्थान हैं, जो दक्षिण चीन में अवस्थित हैं। मञ्चूरिया, मङ्गोलिया आदि उत्तरी प्रान्त यद्यपि चीन के भीतर ही हैं, पर वहाँ के वास्तविक शासक उन स्थानों के सेनापति और सर्दार हैं। मालूम पड़ता है, उसी तरह के कोई सेनापति इस समय तक जापानियों से लड़ रहे हैं और उनकी अफ़ीमची सेना को जापानी अच्छी तरह रगड़ रहे हैं।

चीन-जापान की इस कलह के कारण, कहा जाता है, कि सदर्न मञ्चूरिया रेलवे है। यह रेल वर्तमान सदी के आरम्भ में रूस के ज़ार ने तैयार कराई थी। उस समय उनका प्रभाव चीन पर ख़ूब बढ़ा हुआ था और उन्होंने जापान को दबाने के लिए युद्ध की सहूलियत की निगाह से इस रेलवे लाइन को बनवाया था। पर जापान इस तरह दबने वाला न था। वह उसी समय रूस से लड़ने को तैयार हो गया। रूस-जापान युद्ध के पश्चात् विजयी जापान ने इस रेल पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय तक यह रेल बिलकुल उजाड़ प्रान्त में होकर निकली थी, जहाँ डाकुओं और लुटेरों के भय से यात्रा करना सर्वथा असम्भव था।

पर जापान व्यापार की वृद्धि करने, पुराने ज़माने के स्थानों की कायापलट करके आधुनिक ढङ्ग की सभ्यता फैलाने में अङ्गरेज़ों का भाई-बन्द ही है। उसने इन पच्चीस वर्षों में मञ्चूरियन रेलवे की कायापलट कर दी है। अब इस रेल के आस-पास बड़े-बड़े शहर क़ायम हैं, जिनमें बिजली की रोशनी, पानी के नल, होटल, ज़मीन के भीतर बहने वाले गन्दे नाले आदि सभ्यता के सब चिन्ह मौजूद हैं।

एक विचित्र बात यह है कि मञ्चूरियन रेलवे, जिस पर जापान वालों का पूर्ण अधिकार है और जिसके तमाम अफ़सर और कर्मचारी जापानी ही हैं, दुनिया की अन्य रेलों की तरह केवल यात्रियों को पहुँचाने का काम ही नहीं करती, वरन् इसने मञ्चूरिया की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति पर पूर्ण अधिकार जमा रक्खा है। इसके १२ विभाग हैं, जो मञ्चूरिया के विकास के प्रत्येक विषय का निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए एक भौगोलिक विभाग है, जो वहाँ की खनिज सम्पत्ति और अन्य प्राकृतिक उपज का पता लगाता है। दूसरा खेती-बारी का विभाग है, जो रेल के आस-पास की ज़मीन पर गाँव और क़स्बे बसाने तथा खेती बढ़ाने की चेष्टा करता है। तीसरा शिक्षा-विभाग है, जिसने २७ किण्डर गार्टन स्कूल, ३५ प्राइमरी स्कूल, ३ सैकिण्डरी स्कूल, लड़के और लड़कियों के लिए, ३४ व्यापारिक स्कूल, १३ गृह-प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले स्कूल, २ कॉलेज और १ यूनीवर्सिटी खोल रक्खे हैं। रेलवे ने दो बड़ी और २७ छोटी लायब्रेरी भी खोली हैं, जिनमें क़रीब साढ़े तीन लाख किताबें हैं। रेलवे का एक विभाग स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों पर निगाह रखता है और जिन स्थानों की आबोहवा ख़राब मानी जाती है, वहाँ के पानी और भोजन सामग्री की बराबर परीक्षा की जाती है। जापानियों के अधिकार में जितने स्कूल हैं, उनमें पढ़ने वाले लड़कों की देख-रेख के लिए रेलवे के दन्तचिकित्सक और डॉक्टर बराबर आते-जाते रहते हैं। रेलवे ने सत्रह बड़े अस्पताल भी खोल रक्खे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष २० लाख मरीज़ों को दवा दी जाती है।

इन बातों को देखने और सुनने से पहली निगाह में तो यह जान पड़ता है कि जापान वाले मञ्चूरिया का बड़ा हित-साधन कर रहे हैं और उसे जङ्गली तथा असभ्य अवस्था से निकाल कर आधुनिक ढङ्ग का सभ्य तथा सुसंस्कृत देश बना रहे हैं। पर इस पर अधिक विचार करने से मालूम होता है कि जापान उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा है, जिसका अवलम्बन प्रत्येक साम्राज्यवादी देश दूसरे के देश को अपने अधिकार में लाने के लिए किया करता है। जिस देश पर ये साम्राज्यवादी अधिकार करना चाहते हैं, उसमें पहले ऐसे कार्यों की योजना करते हैं, जो प्रकट में उस देश के लिए हितकर दिखलाई पड़ती है, पर उसके साथ ही साम्राज्यवादी देश का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसके व्यापार की भी वृद्धि होती जाती है। धीरे-धीरे यही काम उसके स्वार्थ या (Interest) का रूप धारण कर लेते हैं और इनकी रक्षा के लिए वह उस देश में सेना रखने लगता है और अवसर पड़ने पर उसका प्रयोग भी करता है। यही परिस्थिति इस समय मञ्चूरिया में चीन की है। मञ्चूरियन रेलवे के बहाने उसने वहाँ के सार्वजनिक जीवन पर अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया है, और अब वह उस देश का संरक्षक और ट्रस्टी बनने का दावा करता है तथा अपने दावे को तलवार के ज़ोर से मञ्जूर कराना चाहता है। यही आजकल के तमाम कूटनीतिज्ञ व्यापारी देशों की नीति है, और इसी के द्वारा यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ़्रीका के देशों पर अधिकार जमाया है। जापान यूरोपियन देशों की नक़ल करने में पूर्ण रूप से पटु है।

यह चीन-जापान कलह संसार की शान्ति की दृष्टि से बड़े भय का कारण है। कितने ही राजनीति के ज्ञाताओं का मत है कि मञ्चूरिया एशिया का बेलजियम है। जिस प्रकार अधिकांश यूरोपियन युद्ध बेलजियम की भूमि पर लड़े गए हैं और उसके कारण हुए हैं, उसी तरह मञ्चूरिया भी एशिया का स्वाभाविक रणक्षेत्र है। वह रूस, चीन और जापान का केन्द्र-स्थान है और इन तीनों देशों में जब कभी किसी तरह की कलह होगी, उसका प्रभाव मञ्चूरिया पर अवश्य पड़ेगा। इसके सिवाय अमेरिका का भी वहाँ पर विशेष स्वार्थ है और वह भी जापान की तरफ़ से सदा चौकन्ना रहता है। रूस ने तो चीन-जापान कलह के आरम्भ होते ही अपनी सेना को तैयार करके सीमा के पास पहुँचा दिया है। यह भी ख़बर आई थी कि जापानियों ने रूस के इस ढङ्ग का विरोध किया है और उसे विश्वास दिलाया है कि उसके हितों को किसी तरह की हानि न पहुँचेगी।

कितने आश्चर्य और खेद की बात है कि आजकल न्याय और अधिकारों की इतनी दुहाई और शोर-गुल सुनते हुए भी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है। ये साम्राज्यवादी देश पशुबल के सहारे दूसरे के घर में मनमानी कर रहे हैं और घर के मालिक की कुछ भी परवा नहीं की जाती। अगर चीन अस्त्र-शस्त्र से भलीभाँति सुसज्जित और सङ्गठित होता, तो जापान को थप्पड़ का जवाब घूँसे से देता और उसकी अक़्ल ठिकाने आ जाती। अब ख़बर आई है कि चीन के रणकुशल, अनुभवी सेनापति चियाङ्ग-काई-शेक मञ्चूरिया जा रहे हैं। अगर वे चीनी सेनाओं को सुसङ्गठित करके जापान से भिड़ा सके, तो सम्भव है चीन के न्याय-सिद्ध अधिकारों की रक्षा हो सके और जापान की अपहरण-प्रवृत्ति दबाई जा सके। अन्यथा अगर यह कलह बढ़ी और जापान का अधिकार मञ्चूरिया पर दृढ़ होता गया, तो सम्भव है कि अन्य देश भी, जिनका इस मामले में स्वार्थ है, इसमें दख़ल दें और यही बात महायुद्ध की जड़ बन जाय।

❀

क्या समझौता सम्भव है ?

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स के सम्बन्ध में हर रोज़ परस्पर विरोधी ख़बरें आ रही हैं। एक रोज़ कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिवाय और कुछ देना नहीं चाहती। दूसरे दिन ख़बर आती है कि सर सैमुअल होर ने केन्द्रीय सरकार के अधिकार दिए जाने का विश्वास दिलाया है। एक बार कहा जाता है कि सरकार कॉङ्ग्रेस का ख़याल छोड़ कर मुसलमानों और अन्य अल्प-संख्यक समुदायों को प्रसन्न करना चाहती है, दूसरी बार अन्य सम्बाद्-

दाता लिख भेजता है कि कॉन्फ़्रेन्स का ध्यान केवल गाँधी जी से किसी तरह समझौता करने पर लगा है। इस तरह आजकल लन्दन से इतनी उल्टी-सीधी ख़बरें आ रही हैं कि साधारण पाठक भ्रम में पड़ गए हैं और यह नहीं समझ सकते कि आख़िर इसका नतीजा क्या होगा।

इस दशा में अगर हम किसी वास्तविक निर्णय पर पहुँचना चाहें, तो उसकी तरकीब यही है कि इन हर रोज़ की विभिन्न ख़बरों और सम्वाददाताओं की सम्मतियों का ध्यान छोड़ कर मूल प्रश्नों और दोनों पक्षों की स्थिति पर यथाशक्ति विचार करें। इनका विश्लेषण करने से हम सम्भवतः कॉन्फ़्रेन्स के फलाफल का बहुत-कुछ सच्चा अन्दाज़ा लगा सकते हैं।

इस सूत्र को पकड़ कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि भारतवासी इस देश के शासन की कुञ्जी हासिल करना चाहते हैं। वे सेना, फ़ायनेन्स, वैदेशिक सम्बन्ध (जिसका आशय विभिन्न देशों से व्यापारिक और आर्थिक समझौता करने से है) आदि ऐसे विषयों पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिनसे दर-असल देश की उन्नति करने की शक्ति भारतवासियों के हाथ में आ जाय। सेना के सम्बन्ध में तो म० गाँधी ने अपने भाषण में यहाँ तक कहा था कि यदि सेना का अधिकार नहीं दिया जाता और वह मेरी आज्ञा को नहीं मानती, तो उसको बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। फ़ायनेन्स के विषय में तो सभी दलों के तमाम भारतीय प्रतिनिधियों की सम्मति एक है। वे सब कहते हैं कि अगर हमारे ख़ज़ाने की ताली दूसरे के पास ही रही, तो हमको अधिकार क्या ख़ाक मिला।

दूसरी तरफ़ ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति यह है कि भारतवासियों को कोई ऐसा अधिकार न दिया जाय, जिससे वे हमारे हाथ से बाहर हो जायँ। वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के अधिकांश राजनीतिक आन्दोलनकारी दिल से विदेशी शासन के विरोधी बन गए हैं और हम उनको जो कुछ अधिकार देंगे, उसका उपयोग वे हमको अपने देश से निकाल बाहर करने के लिए करेंगे। इसके सिवाय वे इस देश की अधिक आर्थिक वृद्धि को भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ इङ्गलैण्ड के उद्योग-धन्धों और व्यापार को हानि पहुँचाना है और कोई भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल इसे सहज में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यही इङ्गलैण्ड का जीवन-आधार है। इसलिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भारतवासियों को अधिकार देते हुए भी इस तरह हाथ-पाँव बाँध कर रखना चाहते हैं, जिससे वह क़ाबू से बाहर न हो जायँ।

जब दोनों दलों की मनोवृत्ति ऐसी विपरीत है और वे एक दूसरे को इतने अविश्वास की निगाह से देखते हैं, तो समझौते की आशा किस प्रकार की जा सकती है। अगर इन दोनों का अन्तर गौण विषयों पर होता, तो कुछ घटा-बढ़ा कर समझौता हो सकना सम्भव था। पर यहाँ तो मूल विषय में ही मतभेद है। इसके सिवाय इङ्गलैण्ड के नए चुनाव के फल से वहाँ कन्ज़रवेटिव दल की स्थिति अभूतपूर्व दृढ़ हो गई है। यह दल अपने देश की प्रधानता का कट्टर अनुयायी है और भारत जैसे काले लोगों के देश को उपेक्षा की निगाह से देखना उसके लिए स्वाभाविक है। इन बातों से यही जान पड़ता है कि चाहे आज और चाहे दो-चार दिन बाद कॉन्फ़्रेन्स का असफल होकर ख़त्म हो जाना एक प्रकार से निश्चिन्त है। उसके बाद हम फिर उसी जगह पहुँच जायँगे, जहाँ साल भर पहले मौजूद थे। पर इसका नतीजा दोनों देशों में से किसी के लिए शुभ नहीं हो सकता। इस समय संसार-व्यापी आर्थिक हलचल से जनता स्वयम् व्यथित हो रही है। अगर अब फिर आन्दोलन छिड़ा तो उसका प्रभाव आर्थिक जीवन पर भयङ्कर पड़ेगा और जनता के कष्ट बेहद बढ़ जायँगे। जनता के अधिक कष्ट-पीड़ित होने का क्या फल होता है, यह किसी को समझाना अनावश्यक है।

❀ ❀

'मारै घुटना फूटै आँख'

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में सर प्रभासचन्द्र मित्र ने अल्प-संख्यक समुदायों के प्रश्न पर भाषण करते हुए कहा कि—"बङ्गाल में क्रान्तिकारियों और महात्मा गाँधी के अनुयाइयों के क्रियात्मक आन्दोलन की धूम मची हुई है। अगर वहाँ की दशा की जाँच करने को एक कमीशन नियत किया जाय, जिसमें तीन अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ और दो हिन्दुस्तानी जज—एक मुसलमान और एक हिन्दू हो, तो वहाँ शान्ति हो सकती है। उसे मुख्यतः दो बातों की जाँच करनी चाहिए। एक यह कि अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्षा कैसे की जाय और दूसरी यह कि चुनाव के किस तरीक़े को काम में लाने से यह कलह अधिक से अधिक घटाई जा सकती है।" सर प्रभास मित्र का यह कथन इतना बेमौक़ा था कि सर तेजबहादुर सप्रू ने उसी समय उनको फटकार बताई। यह समझ सकना कठिन है कि अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के हितों की रक्षा, क्रान्तिकारी आन्दोलन और उसकी जाँच के लिए कमिटी बैठाने की बातों में क्या सम्बन्ध है। ऐसी विचित्र पहेलियाँ सर प्रभास मित्र की कोटि के राजनीतिज्ञ ही सुलझा सकते हैं। हमारे जैसे लोग तो यही कह सकते हैं कि सर प्रभास को कमीशन कमेटियों की सदस्यता की चाट लग गई है और इसलिए वे मौक़ा-बे-मौक़ा उन्हीं का राग गाते रहते हैं।

❀ ❀ ❀

सलाम का मूल्य

मैमनसिंह (बङ्गाल) के सिविल सार्जन भी कोई असाधारण जीव जान पड़ते हैं। समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि अभी हाल में मेडिकल स्कूल का कोई विद्यार्थी चीरने-फाड़ने के सामान को एक तश्तरी में रख कर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहा था। रास्ते में अभाग्यवश सिविल-सार्जन से उसकी भेंट हो गई और दोनों हाथों के रुके रहने से वह उन्हें सलाम न कर सका! साहब एक हिन्दुस्तानी लड़के की यह अभद्रता न सह सके और उसे रोक कर जवाब तलब करने लगे। उसी समय उनका ध्यान उसके कपड़ों की तरफ़ गया, जो खद्दर के थे। बस फ़ौरन उनके ज्ञान-चक्षु खुल गए कि वह लड़का 'कॉङ्ग्रेस वाला' है और इसीलिए इसने सलाम नहीं किया। आपने विद्यार्थी से कहा कि खद्दर पहिनने वालों के लिए गवर्नमेण्ट अस्पताल में जगह नहीं है, उनको चितरञ्जन अस्पताल में जाना चाहिए। मालूम होता है कि साहब बहादुर ने गवर्नमेण्ट अस्पताल को अपने जेब से बनवाया है अथवा वह यूरोपियन लोगों के चन्दे से तैयार किया गया है। वरना भारतवासियों द्वारा टैक्स के रूप में लिए गए रुपए से चलने वाली संस्था में खद्दर पहिन कर जाना कैसे जुर्म माना जा सकता है।

❀ ❀ ❀

बङ्गाल के नए गवर्नर

बङ्गाल के नए गवर्नर के सम्बन्ध में चारों तरफ़ आलोचनाएँ हो रही हैं। २६ ता० को इसी सम्बन्ध में राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में श्री० मालवीय और भारत-मन्त्री में कुछ कहा-सुनी हो गई। मालवीय जी ने कहा कि इस प्रकार दमन की नीति का पथ अवलम्बन करना ठीक नहीं है, इससे लोग कॉन्फ़्रेन्स में शामिल होने वालों की तीव्र आलोचना कर सकेंगे और कह सकेंगे कि उनका मत ठीक था। मि० ग़ज़नवी ने कहा कि सर जॉन एण्डरसन का व्यक्तित्व और कारनामे ऐसे हैं कि उससे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। उनको अपने कार्य में बराबर सहायता मिलती रहेगी। मि० फ़ज़लुल हक़ ने कहा कि यद्यपि समय बड़ा कठिन आ रहा है, पर आशा है कि वे बङ्गाल में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होंगे। श्री० सेन गुप्त ने कहा कि गवर्नर के व्यक्तित्व से इस समय विशेष अन्तर नहीं पड़ सकता। इस समय प्रश्न केवल यह है कि भारतवासियों के अपने देश पर शासन करने के अधिकार स्वीकार किए जायँ। हम समझते हैं कि श्री० सेन गुप्त ने वह बात कह दी है, जो इस समय प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय के मन में है। चाहे सर जॉन एण्डरसन कैसे भी कड़े शासक हों और चाहे उन्होंने आयर्लैण्ड के शिनफ़ीनरों का मुक़ाबला करने में कैसी भी कुशलता और वीरता दिखलाई हो, पर इससे हमको डरने का कोई कारण नहीं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन का मूल आधार क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों अथवा हिंसावाद पर नहीं है। इस समय अधिकांश भारतवासी कॉङ्ग्रेस के मार्ग को ही ठीक मान रहे हैं और वे गुप्त षड्यन्त्रों और व्यक्तियों की हत्याओं का सहारा लेना पसन्द नहीं कर सकते। इस समय भारत में जिस आन्दोलन की सम्भावना है, वह जन-समूह द्वारा खुल्लमखुल्ला होगा! यह सम्भव है कि परिस्थिति-वश जनता कॉङ्ग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त को पूरी तरह से पालन न कर सके, और कहीं-कहीं उपद्रव तथा दङ्गे-फ़साद हो जायँ। पर वे उपद्रव बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला और क्षणस्थायी होंगे। यह कल्पना करना कि वे षड्यन्त्रकारियों द्वारा सङ्गठित और गुप्त रूप में किए जायँगे, व्यर्थ है। न भारत में इसकी गुञ्जायश है, न आवश्यकता है। जनसमूह के सङ्गठित और प्रकट आन्दोलन में वह शक्ति है, जिसका मुक़ाबला कोई सरकार बहुत समय तक नहीं कर सकती और इसलिए वह गुप्त षड्यन्त्रों से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। ऐसी दशा में सर जॉन एण्डरसन की क्रान्तिकारियों का मुक़ाबला करने की विशेष योग्यता किस काम आएगी, यह समझ सकना कठिन है।

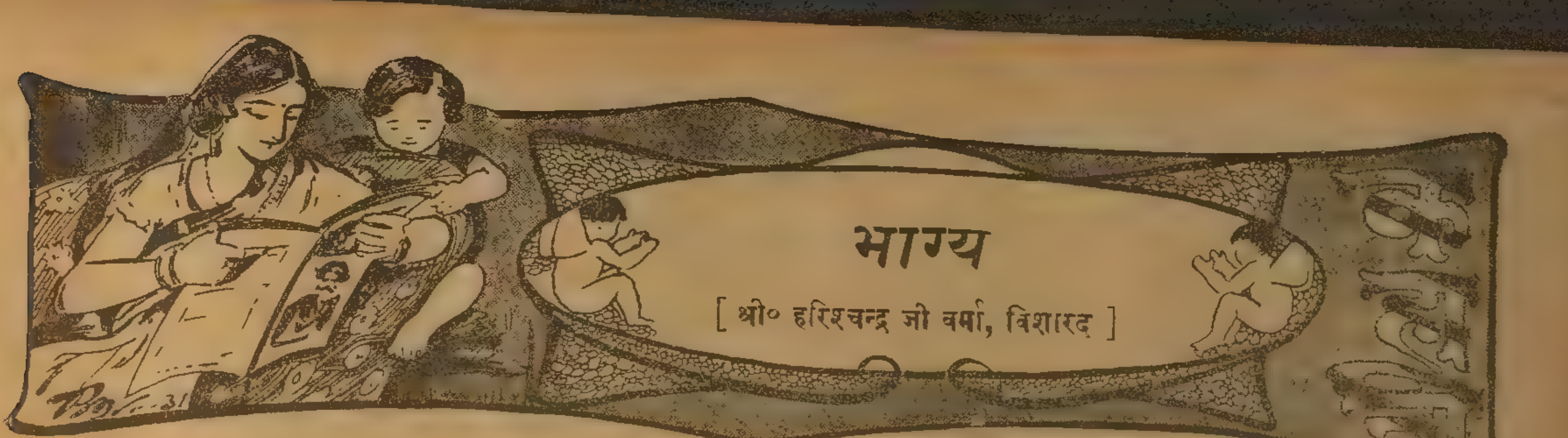
* *

—स्वदेशी कपड़ों की माँग के बहुत बढ़ जाने के फल से बम्बई की कितनी ही मिलें दिन-रात चलने लगी हैं।

—इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव को, जो ४ दिसम्बर को होने वाला था, सरकार ने अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया है।

—बङ्गाल के राष्ट्रीय नेता किरनचन्द्र दास को कालीकट (मद्रास) में एक राज-विद्रोही भाषण देने के अभियोग में (नेकचलनी के लिए) २,००० रु० का एक मुचलका और २॥-२॥ हज़ार की दो ज़मानतें एक वर्ष के लिए देने की आज्ञा दी गई है।

—विदेशी माल को मार-कर लगा कर रोकने का क़ानून पार्लामेण्ट में १६ ता० को पास हो गया।



भाग्य

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

घास के ढेर के नीचे कुछ फटे वस्त्र हिले। एक सिर घूमा और एक शरीर उठता हुआ दृष्टि-गोचर हुआ। वह एक निराश व्यक्ति था। उसके मुख की झुर्रियाँ स्पष्ट बतला रही थीं कि जीवन की निरन्तर निराशा ने उसके वस्त्रों के साथ-साथ उसके शरीर को भी जीर्ण तथा कान्तिहीन बना डाला है। खड़े होकर उसने एक लम्बी साँस ली और अपनी धुँधली आँखों से एक बार चारों ओर देखा।

प्रातःकाल का समय था। सूर्यदेव अपनी उसी सदा की-सी मनोहर आभा से धीरे-धीरे ऊपर सुनहरे आकाश में उठ रहे थे। दूर पेड़ों पर पक्षी उच्च स्वर से मग्न हो, आनन्द के राग गा रहे थे। सर्वत्र सुरम्य शान्ति छिटकी हुई थी।

'आश्चर्य !!' निराश व्यक्ति ने अपने हृदय में कहा—'लोग खेल-तमाशे देखने के लिए रुपए और आनन्द-भोग के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति तक फूँक देते हैं। परन्तु सूर्योदय को, जिसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता, कितने देखते हैं ? छिः !!!'

उसने घृणा से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया।

किसी समय में यह व्यक्ति एक अच्छा कारीगर था, परन्तु बार-बार की असफलता पर असफलता ने उसकी आशाओं को कुचल दिया। उसे पैसे-पैसे को मुहताज बना दिया। अब उसका निराश हृदय संसार की ओर से फिर गया। वह उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगा।

'उह ! मूर्ख !!' वह फिर गुनगुनाने लगा—'लोग सौभाग्य की आशा से सिर झुकाए कठिनाइयों की ओर क्यों बढ़े जाते हैं ? कदाचित वे समझते हैं कि कङ्कड़ों की भाँति सुअवसर भी अनगिनती हैं; उन्हें मिल जाएँगे। परन्तु नहीं, भाग्य की देन निर्धारित है। यदि किसी के भाग्य में कुछ वस्तु मिलना है, तो अवश्य मिलेगी, यदि नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी। इतनी सरल बात तो है। फिर कहीं सहस्रों में किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। शेष सभी निराश हृदय से बढ़े चले जाते हैं, यहाँ तक कि इसी की खोज में वे जीवन के अन्त तक पहुँच जाते हैं और फिर जब वे पीछे फिर कर देखते हैं तो पता चलता है कि शुभ अवसर तो पीछे निकल गया।'

उसने कन्धे को झटका दिया। मैले कोट के बटन लगाए और दक्षिण की ओर चल पड़ा। कुछ मिनटों ही में वह सड़क पर जा पहुँचा। सामने ही रेल का पुश्ता था, जिसके किनारे ऊँचा हाता बना हुआ था। हर ओर ओस ही ओस चमक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था, मानो सूर्य की सुनहरी किरणें उससे अठखेलियाँ कर रही हों। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत के निरीक्षण करने में व्यस्त था।

'जहाँ केवल मनुष्य ही हीन है।' निराश व्यक्ति ने मन ही मन में कहा—'यदि.........।'

सहसा वह रुक गया। पुश्ते पर बहुत ऊपर कोई वस्तु चमक रही थी। वह एक मणि सी थी। कदाचित् एक हीरे की अँगूठी, जो भगवान जाने कहाँ से आ गिरी थी। सम्भव है, किसी जाती ट्रेन से गिरी हो।

निराश व्यक्ति हँसा। एक क्षण को उसके हृदय में आशा का सञ्चार हो आया। एक हीरे की अँगूठी !! केवल कहानियों में ही ऐसी बात सम्भव है। 'परन्तु यह तो यथार्थ में मणि ही सी है।' उसने अपने मन में कहा। उसने हाते पर दृष्टि डाली, फिर पुश्ते की ओर देखा। आशा की क्षीण ज्योति अब भी उसके हृदय में चमक रही थी। यदि हाता न होता तो उसने अब तक उसे पुश्ते तक पहुँचा भी दिया होता। उसके मानव हृदय की निर्बलता के वश में पड़ने से उसे रोकने के लिए केवल यही एक रोक थी।

दम भर नहीं आराम समझता हूँ मैं

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

मैं दूँ किसे इल्ज़ाम समझता हूँ मैं,
हाले दिले नाकाम[1] समझता हूँ मैं।
हर साँस तड़पने को मिलो है 'बिस्मिल',
दम भर नहीं आराम समझता हूँ मैं।

❀

दौरे[2] सहरो[3] शाम समझता हूँ मैं,
राज़े[4] ग़मे अइयाम[5] समझता हूँ मैं।
जोना है तो मरना भी पड़ेगा 'बिस्मिल'
आग़ाज़[6] को अञ्जाम[7] समझता हूँ मैं।

❀

हुस्ने ख़ते तक़दीर समझता हूँ मैं,
नाकामिए तदबीर समझता हूँ मैं।
क्या शरह[8] करूँ तारे नफ़स[9] की 'बिस्मिल'
चलता हुआ एक तीर समझता हूँ मैं।

❀

रङ्गे फ़लके[10] पीर समझता हूँ मैं,
बे सबरोए तदबीर समझता हूँ मैं।
क़िस्मत से हैं मजबूर जनाबे 'बिस्मिल"
ऐ गर्दिशे तक़दीर समझता हूँ मैं।

१—निष्फल, २—चक्कर, ३—सुबह, ४—भेद, ५—संसार, ६—आदि, ७—अन्त, ८—बयान, ९—साँस, १०—आकाश।

'यदि मैं उस किसान से कहूँ कि वह तनिक मुझे ऊपर को उकसा दे............।' वह दुविधा में पड़ गया। हाय री आशा ! मान लो तुम उसे बुला कर लाए और उससे कहा। वह उत्तर देगा, यह तो केवल ओस है, और है ही। मूर्ख बनोगे और उसकी हँसी पर अपना सा मुँह लिए रह जाओगे। वह कुछ क्षण तक निश्चल खड़ा रहा। तदुपरान्त निराशा ने विजय पाई और वह आगे बढ़ गया।

तीन मिनट के उपरान्त किसान अपना कार्य समाप्त कर घर जाने के लिए सड़क पर आया। उसने भी पुश्ते पर की चमकती वस्तु देखी और ठहर गया। निराश व्यक्ति का विचार ठीक था। किसान में विचार-शक्ति बिल्कुल न थी। दूध और थोड़ा सा धन पैदा करने वाली खेती के अतिरिक्त उसे किसी बात की चिन्ता न थी। फिर चिन्ता करना शक्ति का नाश करना है और वह कोई वस्तु नष्ट करना न चाहता था। पुश्ते की चमकती वस्तु को देख कर वह चौंका और बोला—'हूँ ! सम्भव है, कोई टीन का टुकड़ा हो। वह हीरे की भाँति दिखलाई पड़ रहा है अवश्य, परन्तु ऐसे कठिन समय में लोग मूल्यवान वस्तु" नहीं फेंकते हैं और विशेषतया रेल के किनारे। यदि मेरे ही पास कोई बहुमूल्य अँगूठी होती तो क्या मैं उसे गिरने देता !'

उसने एक लम्बी साँस ली। वह बुद्धिमान था, उसे संसार का ज्ञान था। संसार व्यर्थ ही कोई वस्तु नहीं देता। उसने पुनः एक बार उसे देखा। वह ऐसा मूर्ख न था कि उसे हीरा समझता, परन्तु फिर भी युवावस्था की झलक उसके हृदय में चमक उठी। उसने आश्चर्य से उसे देखा। यदि हाता नीचा होता तो वह पुश्ते पर चढ़ कर देखता। उसने दूर जाते उसी निराश व्यक्ति की ओर देखा। यदि वह उसे बुलावे और ज़रा उसके पैर को सहारा दे देने को कहे ? वह आदमी कुछ माँगेगा अवश्य। कम से कम दो पेन्स ! दो पेन्स !! व्यर्थ में !!! फिर उसने भी तो इस चमकती चीज़ को देखा होगा और व्यर्थ समझा होगा। उँह ! वह इस झञ्झट में क्यों पड़े ?

वह भी आगे बढ़ गया।

२

डिक नौ का और जॉर्ज छः वर्ष का था। दोनों एक सुन्दर कुत्ते के साथ उस सड़क पर आए। कुत्ता बड़ा चञ्चल और फुर्तीला था। कभी तेज़ी से दौड़ कर आगे भाग जाता, कभी लौट कर उनके पैरों पर लोटने सा लगता। वह उन्हें प्रसन्न करना चाहता था, परन्तु आज वे दोनों कुछ चिन्तित से थे। केवल छः-सात पेन्स ही उनके पास थे। उनके लिए वह एक बड़ी सम्पत्ति थी। उनकी निर्धन माँ के लिए यही आधे महीने का किराया था। आह ! उनकी विनय अथवा विश्वास पर कहीं से कुत्ते का लाईसेन्स लेने के लिए दाम मिल जाते। परन्तु नहीं, उनकी विनय अथवा वचनों पर कौन विश्वास करेगा, फिर उनके पास ऐसी कोई वस्तु भी तो नहीं है, जिसे बेच कर वे नया लाईसेन्स ले लेते।

पुश्ते के समीप जॉर्ज अचानक ठिठक गया—वह देखो !

डिक रुका। कोट की जेब में हाथ डाले हुए उसने उस ओर देखा।

'वह एक तारा है'—जॉर्ज ने गम्भीर होकर कहा—'आकाश से गिरा है।'

डिक मुस्कराया। वह जानता था कि वह तारा नहीं, कोई मणि है। उसने वैसी मणियाँ बाज़ार में एक दूकान पर आलमारी में देखी थीं।

'मैं उसे लूँगा, उसने कहा।'

समीप ही एक बड़ा सा वृक्ष था, उसकी झुकी हुई डालें पुश्ते के ऊपर तक फैल रही थीं। डिक उस पर

चढ़ कर पुश्ते पर कूद गया और तेज़ी से ऊपर चढ़ कर वह चमकती वस्तु उठा ली और पीछे लौटा। बिना वृक्ष की सहायता के हाते के पार आना कठिन कार्य था, परन्तु किसी न किसी प्रकार वह उसे कूद ही गया और जॉर्ज के समीप पहुँच गया।

'देखो।' उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक चमकदार अँगूठी रक्खी थी। उसके बीच में एक बड़ा शीशे का नग था। जॉर्ज ने एक गहरी साँस ली। वह आश्चर्य से उस अँगूठी की ओर देख रहा था।

'यह कितने की होगी?'—उसने धीरे से पूछा।

'बड़े मूल्य की!'—डिक ने आँखें फाड़ कर उत्तर दिया।

'लाइसेन्स लेने के.........।'

'हूँ—ऊँ—ऊँ.........।'—डिक ने जल्दी से उत्तर दिया।

जॉर्ज हर्ष से खिल उठा। उसने सिर से टोपी उतार कर उछाली और आनन्द के मारे हाथ-पैर फैला कर कूदने लगा। कुत्ते ने भी अपने कान खड़े कर लिए। पूँछ हिलाता, मुँह चलाता वह उनके पास आ गया और उनकी ओर देखने लगा।

'ओह! स्पाट'—जॉर्ज ने स्नेहसिक्त हृदय से उसके गले में हाथ डाल कर कहा—'अब तुम सदा हमारे ही पास रहोगे, सदा।'

डिक ने कहा—आओ घर चलें और शीघ्र इसे बेच कर लाईसेन्स ख़रीद लें।

स्पाट आगे चल पड़ा। वे पीछे-पीछे चले। उस समय उनका हृदय हर्ष से उछल रहा था। उनका स्पाट बच गया। संसार में उनके लिए इससे बढ़ कर और क्या सुख हो सकता था?

३

अन्त में वे घर पहुँचे। जॉर्ज तेज़ी से भोजनालय में घुस गया और उत्साह से चिल्ला पड़ा—हमें एक अँगूठी मिली है, माँ! अँगूठी!! बड़े मूल्य की!!!

डिक तनिक शान्ति से भीतर आया और चुपके से मेज़ पर अँगूठी रख कर माँ की ओर देखने लगा।

माँ ने विस्मयपूर्ण दृष्टि अँगूठी की ओर डाली और फिर दोनों पुत्रों की ओर देखा।

'माँ! हम इसे बेचने जा रहे हैं। उससे स्पाट का लाईसेन्स ख़रीदेंगे।'

'नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।'—माँ ने तुरन्त कहा—'यह तुम्हारी नहीं है। किसी की गिर गई होगी।'

जॉर्ज का हृदय बैठ गया। डिक का मुख उतर गया। उनके लिए यह बड़ा कठिन अवसर था। अश्रु-पूर्ण दृष्टि से माँ की ओर देख कर डिक ने कहा—परन्तु यदि हम इसे लौटा देंगे तो हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा?

माँ ने अँगूठी उठाते हुए मुस्करा कर कहा—अवश्य।

जॉर्ज ने गहरी साँस ली। लाईसेन्स लेने लायक.........?

माँ ने सिर हिलाया और मुस्कराई। परन्तु उसके हृदय में एक पीड़ा हो रही थी। जीवन में उसे कभी हीरों से सम्बन्ध नहीं पड़ा था। उसके लिए वह साधारण शीशे के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने दृष्टि उठाई। बच्चों की भोली-भोली व्यग्र आँखें उसकी ओर एकटक लगी हुई थीं। उन्हें निराश करने की पीड़ा से माँ का हृदय विकल हो उठा।

'तुम कहते हो यह बड़ी मूल्यवान है'—उसने अशान्ति से कहा—'अच्छा इसे तुरन्त पुलिस ऑफ़िस ले जाओ। वे तुम्हें पुरस्कार बता देंगे।'

पुलिस का नाम तनिक भयकारी था; परन्तु स्पाट की रक्षा के लिए जॉर्ज सहर्ष बड़े राक्षसों तक लड़ सकता था। उसने अँगूठी उठा ली।

'डिक! आओ।'—उसने कहा और वे बाहर निकल गए।

उन्हें अनुमान भी न हुआ कि उनके जाने के उपरान्त ही उनकी माँ अपना मुख अपने हाथ में लेकर बैठ गई और उसकी धीमी-धीमी सिसकियों से समीप की वायु काँप उठी।

४

वे शीघ्र थाने पहुँचे। बाहर ही उन्होंने अपने कोट के बटन लगाए और सँभल कर भीतर घुसे। एक बड़े सार्जेण्ट ने तीव्र दृष्टि से उन्हें देखा। डिक ने साहस कर समस्त बातें उससे कह दीं।

उसने अँगूठी हाथ में ली और आश्चर्यपूर्वक उसकी ओर देखा।

'बाब! देखो'—उसने एक दूसरे सिपाही से कहा—'कभी देखा है इतना बड़ा हीरा? तुम इसका क्या मूल्य समझते हो?'

बाब सरल प्रकृति का मनुष्य था। यदि उसने अपनी ओर देखती हुई व्यग्र आँखें देखी होतीं, तो उसका उत्तर तनिक करुणापूर्ण अवश्य हो जाता। परन्तु उसने केवल उस अँगूठी ही की ओर देखा और हँस कर कहा—मूल्य? मैंने इतना बड़ा सच्चा हीरा कभी देखा ही नहीं। इसका मूल्य होगा, छै-सात पेन्स।

एक हल्की सी चीख़ जॉर्ज के मुँह से निकली।

दोनों सिपाही चौंक पड़े। डिक का मुख पीला पड़ गया था। वह बड़ी कठिनता से अपने को सँभाले चुप था। 'अरे! घबराओ नहीं।'—सार्जेन्ट ने अपनी मेज़ पर से हट कर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। वह उन्हें सान्त्वना देना चाहता था।

'बच्चे! रोओ मत'—दूसरे ने उसके काँपते अधरों की ओर देखते हुए कहा—'यह एक साधारण अँगूठी है। इसका ....'

'धन्य भाग्य।'

सुन्दर कपड़े पहने हुए एक दुर्बल मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। सार्जेण्ट आगे बढ़ा और विनम्र भाव से उसने उसकी ओर देखा। अपने को स्कॉटलैण्ड के प्रसिद्ध लखपती सर मैलिस मैकफर्सन के सम्मुख खड़ा पाकर वह दोनों बच्चों तक को भूल गया। 'यह अँगूठी'—उन्होंने कहा—'मेरी है, मुझसे कल रात को खो गई थी। जब मैं रेल की खिड़की खोल रहा था, तभी यह मेरी उँगली में से निकल पड़ी होगी।'

उन्होंने यह नहीं कहा कि उस समय वे इतनी पिए हुए थे कि अपनी हानि का उन्हें पता तक न हुआ।

'मुझे आज प्रातःकाल पता चला।'

सार्जेण्ट का मुख आश्चर्य से विवर्ण हो उठा।

'इन बच्चों ने यह पाई है, सरकार! अभी इसे लाए हैं।'

'और तुम क्या कह रहे थे?'

'कुछ नहीं सरकार, मुझसे भूल हो गई। मैंने समझा था कि इतना बड़ा हीरा हो ही नहीं सकता और बाब ने भी यही कहा और इसलिए हमने इनसे कहा था कि यह छै पेन्स की है।'

सर जॉन ने भौं सिकोड़ कर दाँत से होंठ दाब लिए। फिर तनिक देर चुप रह कर वे मुस्कराए।

'हमारे तुम्हारे मूल्य में अन्तर है। मेरे लिए यह एक स्मृति की वस्तु है।'

उन्होंने जॉर्ज की ओर देखा, वह धीरे-धीरे सिसक रहा था।

'बच्चे! इसका मूल्य इतना नहीं है; लो।'—उन्होंने जॉर्ज के हाथ पर दस शिलिङ्ग रख दिए। क्षण भर को हर्ष के मारे दोनों बच्चे स्थिर खड़े रह गए। फिर नोट ले, उन्हें धन्यवाद दे शीघ्रता से थाने से निकल कर भागे। उस समय उनका संसार स्वर्ग था। स्पाट का भविष्य सुरक्षित हो गया। वे और कुछ न चाहते थे।

५

सर जॉन अपने देश को लौट गए। मार्ग भर वे उस अँगूठी को हाथ ही में लिए रहे। उसके लिए उन्हें इतना देना पड़ा था। जब वे एकान्त में अपने ड्राइङ्ग रूम में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक नोटिस निकाला, जिसमें प्रौस्टन में रेल के किनारे खोई हुई अँगूठी के लिए पाँच सौ पौण्ड के पुरस्कार की सूचना थी। उसे एक बार सरसरी दृष्टि से देख कर उन्होंने उसे जलती अँगीठी में फेंक दिया और एक साँस ले, सिगार मुँह में लगा ली।

हमारे मुँह से बेसाख़्ता निकल गया—वाह रे भाग्य!*

❀ ❀ ❀

* एक अङ्गरेज़ी गल्प का स्वतन्त्र अनुवाद।

गोस्वामी तुलसीदास

[राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट 'अम्बिकेश']

भयो है अधार कर्णधार भवसागर को,
बूड़त मझार-धार, धारन धराके हैं।
राम-यश-मानस को सिन्धु उमगाय जौन,
पातक पहारन को वज्रन लो फाँके हैं।
धार सुरसरि की तो सीमित बहति,
ये असीम हैं तमाम विश्व-मण्डल को ढाँके हैं।
धन्य तुलसी को, हुलसी के गोद-गौरव को,
फहरत जाके अजौं सुयश-पताके हैं॥

❀

एक अविनाशी को उपासी रह्यो आठौ याम,
पुण्य को प्रकाशी जो विनाशी भव-जाल को।
वन्दन करत जग जाको अभिनन्दन कै,
चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल को।
वरनी अमल कथा, कलि-मल-हरनी जो,
तरनी तरलु भवसागर विशाल को।
तुलसी रसाल भयो हिन्दु को दिवाल भयो,
दुष्टन जवाल भयो, काल कलिकाल को॥

❀

मेटि कै त्रिताप, थाप राखी जौन धर्म ही की,
छीन परिताप भए, पाप-लता झुलसी।
पुण्य-सुरसरि सुरसरि सी बहाई नई,
जासों सुरसरि हूँ की कीर्ति गई धुलसी।
विरच्यो रामायण, उजागर अतुल चारु,
आगर अमल भव-सागर की पुलसी।
रोक्यो कलिकाल की, कराल-खरधार धन्य,
राम-यश-मानस-मराल कवि तुलसी।

❀

सुमति सुधारक, प्रचारक सुकर्म पुञ्ज,
छारक कलुष, धर्म-धारक विशाल है।
सन्तन सहायक भो, दायक दया को दीन,
चायक सुराम-गुण गायक रसाल है।
हुलसी को नन्दन, सकल जग-बन्दन है,
चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल है।
हिन्दुन को ढाल, कलिकाल को कराल काल,
विमल सुराम-यश मानस-मराल है॥

❀



रूस-जापान युद्ध तथा उसका महत्व

[श्री० शङ्करदयालु जी श्रीवास्तव्य, एम० ए०]

समय बड़ा परिवर्तनशील है। उन्नति-अवनति, सुख-दुख एवं स्वतन्त्रता-पराधीनता, कालचक्र की द्रुत-गति से, संसार में सर्वत्र, क्रम-क्रम से अपना-अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई साम्राज्य, कोई राष्ट्र अथवा कोई जाति सदैव एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकती, चाहे उसका विस्तार, बल-वैभव तथा उसकी संस्कृति और सभ्यता कितनी ही उच्च कोटि की क्यों न हो। संसार के इतिहास में उल्लिखित घटनाएँ, इस अमेट्य एवं विश्व-व्यापक सिद्धान्त की सत्यता को सम्यक रूप से प्रतिपादित करती हैं। एक समय वह था, जब कि भारत, चीन, मिश्र एवं बैविलोनिया प्रभृति देश, अपनी सभ्यता-संस्कृति, अपने बल-वैभव तथा विस्तार के लिए संसार-प्रसिद्ध तथा अग्रगण्य माने जाते थे। फिर एक समय वह आया जब उनकी श्री-सम्पन्नता, ऐश्वर्य-गरिमा उत्तरोत्तर क्षीण हो, क्रूर काल के कराल गाल में विलीन हो गई। संसार के इतिहास में किसी समय रोमन साम्राज्य, रोमन शासन-पद्धति तथा रोमन संस्कृति का ही बोलबाला था। परन्तु परिवर्तनशील काल की वेगवती प्रगति ने कतिपय शताब्दियों के अनन्तर ही वह दिन उपस्थित कर दिया, जबकि वह विश्व-विख्यात साम्राज्य जर्जरित होकर पृथ्वी माता के अदृष्ट अङ्क में सदा के लिए सो गया। एक समय था जबकि ब्रिटेन तथा गॉल (France) में असभ्य और बर्बर जातियाँ निवास करतीं और आक्रमणकारी विदेशी जातियों द्वारा त्रस्त एवं प्रपीड़ित की जाती थीं। परन्तु एक समय वह भी आ उपस्थित हुआ, जबकि एलिज़बेथ, महारानी विक्टोरिया और जॉर्ज राजाओं के समय में इङ्गलैण्ड तथा चौदहवें लुई, नैपोलियन बोनापार्ट एवं तृतीय प्रजातन्त्र शासन (The Third Republic) के समय में फ्रान्स साम्राज्य-विस्तार तथा बल-वैभव में आशातीत सफलता प्राप्त करके भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुँचे। उपरोक्त सिद्धान्त की सत्यता के आधार पर उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि यदि सत्रहवीं, अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में, यूरोपीय राष्ट्रों ने, वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा उद्भूत साधनों का अवलम्बन कर, एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीपों पर अपना पूर्ण आर्थिक और राजनैतिक आधिपत्य स्थापित किया था तथा आंशिक रूप से अपनी संस्कृति-सभ्यता का भी प्रभाव डाला था, तो बीसवीं शताब्दी की काल-प्रगति निस्सन्देह ऐसे-ऐसे चिन्ह भी संसार के सम्मुख प्रदर्शित कर रही है, जिनसे यह सहज ही अनुमान होता है कि ये पराधीनता के पद से दलित महाद्वीप, यथासम्भव शीघ्र, अपनी दासता की कठिन शृङ्खला को तोड़ कर विदेशियों के प्रभुत्व से मुक्त हो जायँगे। आज हम 'भविष्य' के पाठकों को निम्न-लिखित पंक्तियों द्वारा यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि एशिया में इस बीसवीं शताब्दी के अन्तर्गत महान् परिवर्तन उपस्थित करने वाली वास्तविक घटना कौन थी और इस महाद्वीप के इतिहास में उसका क्या महत्त्व है।

इतिहास के वर्तमान काल में जब यूरोप वाले वाणिज्य-व्यवसाय के सम्बन्ध से एशिया-निवासियों के सम्पर्क में आए और शनैः शनैः अपनी नीति एवं सैनिक सङ्गठन के द्वारा उत्तरोत्तर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने लगे, उसी समय से उनके हृदय में भ्रममूलक एक धारणा उत्पन्न हो गई थी कि शारीरिक बल, सैनिक सङ्गठन तथा विद्या-बुद्धि में पाश्चात्य देशवासी एशिया-निवासियों से अत्यधिक बढ़े-चढ़े हैं। उनको यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे कृष्ण वर्ण वालों को युद्ध के वे ही साधन तथा सैनिक शिक्षा लभ्य हों, जो यूरोपीय लोगों को उपलब्ध हैं, तथापि वे गौर चर्मधारियों की समानता किसी भी रूप और किसी अवस्था में नहीं कर सकते। वास्तव में सत्रहवीं, अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों में एशिया महाद्वीप के अनेक देश-प्रदेश एवं द्वीपसमूह यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक आधिपत्य में आ गए और कतिपय युद्धों में यद्यपि प्राच्य निवासियों ने पाश्चात्य सैनिकों के दाँत खट्टे कर दिए थे, तथापि उन्हें पूर्णरूप से पराजित कर उनका पाँव नहीं उखाड़ सके।

एशिया की पराजय का मूलकारण शारीरिक बल एवं सैनिक प्रतिभा की न्यूनता नहीं थी। राष्ट्रीय एकता का अभाव, पारस्परिक वैमनस्य, पाश्चात्य वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों की अप्राप्ति इत्यादि, उसके अनेक कारण थे। पाश्चात्य आगन्तुकों की भाँति एशिया के सैनिकों के सम्मुख कोई व्यक्तिगत प्रलोभन भी नहीं था। विदेशी सैनिकों को लूट-पाट का धन प्राप्त करने की आशा थी, उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि विजय-प्राप्ति द्वारा हमें व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकार मिलेंगे। उस समय राष्ट्रीयता का भाव यूरोप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समस्त देश-निवासियों के हृदय में व्याप्त हो गया था। वे सुसङ्गठित केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान द्वारा विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रभूत संख्या में सुलभ थे। उन्हें उच्च-कोटि की सामरिक शिक्षा दी जाती थी। एक और उल्लेखनीय कारण यह था कि साम्राज्य-विस्तार के कारण यूरोपीय सैनिकों को स्थान-स्थान देश-प्रदेश में रह कर अपने राष्ट्र-पताका तथा अर्जित अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती थी, जिसके कारण उनकी क्षमता, निपुणता तथा उत्तर-दायित्व और अधिक बढ़ता जाता था और वे युद्ध-कला में उत्तरोत्तर अभ्यस्त होते जाते थे। अन्यथा यूरोप-वासियों की धारणानुसार कोई प्राकृतिक कारण न था कि वे एशिया पर विजय प्राप्त कर लेते।

इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान-युद्ध ने पाश्चात्य सैनिकों तथा राजनीति-विशारदों की आँखों के सामने से अज्ञान तथा भय का पर्दा हटा दिया और आश्चर्य-चकित संसार के सम्मुख यह घोषित कर दिया कि पूर्व-स्थित एशिया महाद्वीप के निवासी भी समान सामरिक शिक्षा एवं साधन के उपलब्ध होने पर अपनी युद्ध-कला-चातुरी के विश्व-विमोहक दृश्य रणस्थली के रङ्ग-मञ्च पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए न, कहाँ पिपीलिका की भाँति सूक्ष्म शरीर धारी जापान द्वीप-समूह! और कहाँ मदमत्त कुञ्जर के समान पृथुल-काय रूस!! अन्तरम् महदन्तरम्!!! तथापि पिपीलिका ने मदमत्त कुञ्जर को अखाड़े में पछाड़ कर किस प्रकार धड़ाम के पटक दिया, उसका सविस्तर वर्णन यदि पाठक अन्यत्र किसी पुस्तक में पढ़ें तो जापान के युवक सैनिकों की भरपूर सराहना किए बिना नहीं रहेंगे।

हमारे लेख का यह उद्देश्य नहीं है कि हम इसके द्वारा पाठकों को उपरोक्त युद्ध का विशद वर्णन सुनावें, हम तो इस स्थल पर यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि उस युद्ध का क्या उद्देश्य था, उसके कौन-कौन से कारण थे, उस युद्ध का एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा तथा इतिहास में उसका क्या महत्त्व है। रूस तथा जापान में परस्पर बैर-भाव क्यों उत्पन्न हुआ, इसको हृदयङ्गम करने के लिए हमें उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में घटित घटनाओं पर भी संक्षेपतः दृष्टिपात करना होगा। रूस के सुविस्तृत देश के उत्तर ओर उत्तरी महासागर है जो प्रायः वर्ष भर हिमाच्छादित बना रहता है और इस कारण व्यापारिक दृष्टि से वह रूस के लिए उपादेय नहीं है। रूस के पश्चिमी भू-भाग का पर्याप्त अंश बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त, सारा देश स्थल से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर सागर-तट तक पहुँचने के लिए रूस पर्याप्त प्रयत्न कर चुका है, किन्तु उसका मनोरथ सफल नहीं हो सका। उसके पश्चात् काला सागर (Black Sea) एवं भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) तक पहुँचने के लिए भी उसने प्रयत्न किया; किन्तु इङ्गलैण्ड और फ्रान्स आदि देशों के वैमनस्य के कारण उसे इस ओर भी विफलता का सामना करना पड़ा। रूस के राजनीतिज्ञ यह भली-भाँति समझते थे कि हमारे देश की आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि हम समुद्र तक अपना मार्ग निश्चित कर लें तथा अन्य प्रदेशों पर अपनी प्रभुता स्थापित करें। यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव रूस पर भी पड़ा था, इसलिए उसके वाणिज्य-व्यवसाय की यथार्थ उन्नति के लिए खुले बन्दरगाह तथा अधिकृत प्रदेश अनिवार्य थे। पाठक देख चुके हैं कि रूस को उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण से निराश होना पड़ा था, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ करके भी वह उपर्युक्त सुविधाओं को उपलब्ध न कर सका। यहाँ पर यह भी बतला देना चाहिए कि रूस ने हिन्द महासागर तक पहुँचने तथा भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी खूब उद्योग किए तथा ब्रिटेन जैसी महान शक्ति से बैर-भाव भी बढ़ाया तथापि उसको कोई सफलता न प्राप्त हुई। निदान, रूस के राजनीतिज्ञों ने पूर्व की ओर प्रशान्त महासागर के तट तक पहुँचने तथा सुदृढ़ सम्बन्ध शृङ्खला स्थापित करने का विचार किया।

इधर एशिया में जापान, यूरोपीय राजनीतिज्ञों की नीति से सजग हो गया था। १८६७ ई० की क्रान्ति के अनन्तर जापान ने अपनी आर्थिक, साहित्यिक तथा राजनीतिक उन्नति करनी प्रारम्भ की और पाश्चात्य देशों की कलाओं तथा पद्धतियों का यथावश्यक अनुकरण

करके उसने पचीस-तीस वर्षों के अन्दर ही आशातीत सफलता प्राप्त कर ली। स्थल तथा जल-सेना, क्षेत्रफल, जन-संख्या तथा वाणिज्य-व्यवसाय—सब में बड़ी वृद्धि हुई। जन-संख्या की निरन्तर अभिवृद्धि एवं औद्योगिक क्रान्ति के कारण जापान भी प्रसरण-नीति का अवलम्बन करने के लिए विवश था। शासन-यन्त्र को सम्यक् रूप से सङ्गठित कर विज्ञान की उन्नति द्वारा पाश्चात्य देशों के सुलभ-साधनों को प्राप्त कर लिया। पाश्चात्य सामरिक शिक्षा-पद्धति का अनुसरण करके स्थल तथा जल-सेना को ख़ूब सबल बना लिया। इस प्रकार जाग्रत जापान रूस जैसी एक विदेशी शक्ति को शान्ति-महासागर के तट तक क्यों आने देता। उसे यह भी भय था कि ऐसा हो कि रूस सागर तक अपनी सम्बन्ध-शृङ्खला स्थापित कर शान्त महासागरस्थ देश-प्रदेशों को पराजित कर उस पर भी आक्रमण करे और उसकी, जाग्रत तथा उन्नत-पथ की ओर अग्रसित शक्ति को विच्छिन्न कर दे। इसके अतिरिक्त, हम जैसा ऊपर लिख चुके हैं, जापान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्रर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ एवं कोयला, लोहा इत्यादि कच्चे माल अपने देश में नहीं उत्पन्न कर सकता था, अतएव जापान भी चाहता था कि शान्त सागरस्थ प्रदेशों पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करे।

हम ऊपर एक स्थल पर बता चुके हैं कि रूस-जापान-युद्ध के कारणों को पूर्णतया हृदयङ्गम करने के लिए हमें संक्षेपतः उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में घटित घटनाओं पर दृष्टिपात करना होगा। रूस ने १८७५ ई० में सखालीन द्वीप-समूह को पराजित कर बाध्य किया और उसका दक्षिणी भू-भाग अपने अधिकार में कर लिया। जापान उसी समय से रूस की प्रसरण गति की ओर सन्दिग्ध दृष्टि से देखता था। १८७५ ई० से लेकर १८९५ ई० तक जापान बराबर रूस की कुटिल नीति सरोष देखता आता था। १८९५ ई० में एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण जापान रूस पर और भी अधिक क्रुद्ध हुआ। उस वर्ष चीन-जापान-युद्ध हुआ। जापान ने चीन को पराजित कर दिया और १७ अप्रैल, सन् १८९५ ई० को सिमोनोसेको (Simonoseki) सन्धि में चीन ने बाध्य होकर कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की। फ़ारमोसा तथा पेसकार्डीज़ द्वीप जापान को मिले, किन्तु जापान को जो सर्वाधिक उपादेय स्थान प्राप्त हुआ, वह लियोटङ्ग प्रायद्वीप (Liotung Peninsula) था। उसके बाद रूस ने जर्मनी तथा फ़्रान्स के साथ मिल कर इस सन्धि के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और अन्त में विवश होकर जापान ने प्राप्त प्रायद्वीप को वापस लौटा दिया। यही नहीं, हस्तक्षेप करने वाले देशों को पुरस्कार-स्वरूप चीन से कुछ स्थान तथा अधिकार भी प्राप्त हुए और रूस को और अधिकारों के साथ मन्चूरिया के मध्य में होती हुई ट्रान्साइबेरियन की मुख्य रेलवे की एक शाखा पूर्वी चीन रेलवे (Chinese Eastern Railway) को निर्माण करने की अनुमति प्राप्त हुई। इस रेलवे-निर्माण-आयोजना के सफल होने से मन्चूरिया और विशेषकर उसका उत्तरी भाग आर्थिक, सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से रूस के अधिकार में आ गया। इस रेलवे के निर्माण का अधिकार रूस को मिला था सन् १८९६ ई० में। सन् १८९८ ई० में रूस को २५ वर्ष के लिए लियोटङ्ग प्रायद्वीप का एक भाग ५३८ मील लम्बा प्राप्त हुआ। चीन ने इस वर्ष जर्मनी, फ़्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस को ऐसे कई अधिकार प्रदान किए थे, अन्य देशों के प्राप्त अधिकारों के वर्णन से हमें इस स्थल पर कुछ प्रयोजन नहीं है। रूस को जो भू-भाग प्राप्त हुआ उसमें डलमाई (Dalmy) एक बड़ा सुन्दर व्यापारिक बन्दरगाह बन गया और पोर्ट आर्थर, जो उसीके अन्तर्गत था, एक अभेद्य दुर्ग तथा जल-सेना का एक सुदृढ़ आधार बन गया। इसके अतिरिक्त, इसी बहुमूल्य भू-भाग के साथ, चीन ने रूस को दक्षिणी मन्चूरिया के मध्य में होती हुई एवं पोर्ट आर्थर तथा डलमाई बन्दरगाह को ट्रान्साइबेरियन से मिलाने वाली एक रेलवे की शाखा खोलने का अधिकार भी अवगत हुआ। उपरोक्त सब अधिकारों का प्रदान करने वाला था चीन का मन्चू वंशीय सम्राट। इस समय तक चीन में मन्चू-वंश तथा विदेशियों के विरुद्ध एक प्रबल राष्ट्रीय दल सङ्गठित हो रहा था। इन अधिकारों को देने के कारण चीन के बॉक्सर (Boxer) नामक स्थान में एक भयङ्कर विप्लव घटित हुआ, जिसकी प्रचण्ड ज्वाला को शान्त करने के लिए इङ्गलैण्ड, फ़्रान्स, जर्मनी, रूस तथा जापान प्रभृत्ति ग्यारह राज-शक्तियों ने अपना संयुक्त बल लगा दिया और यह भी घोषित कर दिया कि विप्लव के शान्त हो जाने के बाद हम अपनी सेनाएँ वापस बुला लेंगे और किसी स्थान को अपने स्वतन्त्राधिकार में करने की चेष्टा न करेंगे। विद्रोह की ज्वाला शान्त हुई। रूस के अतिरिक्त अन्य शक्तियों ने अपनी-अपनी सेना भी वापस बुला ली। किन्तु रूस की जो सेना मन्चूरिया में विद्रोह-शान्त करने के हेतु प्रेषित की गई थी, कार्य-समाप्ति के पश्चात् भी वापस नहीं बुलाई गई। इङ्गलैण्ड, जर्मनी, अमेरिका तथा जापान ने इस नीति का घोर विरोध किया। सब से अधिक जापान को ही इस रूसी-नीति की चिन्ता थी। उसके प्रबल विरोध के उत्तर में रूस ने सेना वापस कर लेने का वचन दिया, किन्तु बराबर विलम्ब करता गया। जर्मनी और इङ्गलैण्ड तथा इङ्गलैण्ड और जापान में इसी सम्बन्ध में सन्धि भी हुई, किन्तु रूस इन विरोध-सूचक सन्धियों की उपेक्षा करता गया। वास्तव में इङ्गलैण्ड, अमेरिका तथा जर्मनी आदि रूस को उसकी कुटिल नीति के लिए दण्ड देने को तैयार नहीं थे। कारण यह था कि जर्मनी तथा अमेरिका का मन्चूरिया से अधिक सम्बन्ध नहीं था, अतएव वे रूस के साथ अपने देश से इतनी दूर पर स्थित स्थान में युद्ध नहीं कर सकते थे। इङ्गलैण्ड उधर बोअर-युद्ध में संलग्न था। किन्तु जापान रूस की इस अन्यायपूर्ण उपेक्षा-नीति को सहन नहीं कर सकता था और यद्यपि १९०२ ई० में ब्रिटेन के साथ सन्धि हो जाने से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो गया था, तथापि वह युद्ध के लिए लालायित नहीं था। जापान रूस की राजधानी सेण्टपीटर्सबर्ग-स्थित अपने राजकीय दूत के द्वारा प्रशान्त महासागर के तटस्थ प्रदेशों में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध पहिले से ही करता था। १९०३ ई० में जब रूस ने अपनी मन्चूरिया वाली नीति को कोरिया में भी व्यवहृत करना चाहा, तब जापान ने उसका और भी घोर विरोध किया।

रूस की भूमि-लोलुपता मन्चूरिया के प्रान्तों को अधिकृत करके ही तृप्त नहीं हुई थी, अपितु वह चुपके-चुपके चीन से सन्धि की बातचीत करके और भी आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था। ८ अप्रैल, सन् १९०२ ई० को चीन के प्रस्ताव करने पर रूस मन्चूरिया से १८ मास के अन्तर्गत अपनी सेना वापस बुला लेने के लिए सहमत हो गया। अधिकृत प्रदेश को तीन भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग (Zone) से छः छः मास के अनन्तर सेना लौटाने की आयोजना की गई। ठीक ६ मास के अनन्तर अर्थात् ८ अक्टूबर, सन् १९०२ ई० को प्रथम भाग (Zone) से सेना हटा अवश्य ली गई, किन्तु इसके बदले कि उक्त सेना सीधे रूस को बुला ली जाय, दूसरे भाग में एकत्रित कर दी गई। दूसरे ६ मास के कालान्तर्गत, दूसरे भाग से सेना बिल्कुल नहीं हटाई गई, केवल मुकदन नगर से सेना हटा ली गई और कोरिया के सीमा प्रान्त की ओर उसी सेना का प्रस्थान किया गया। इसके अनन्तर शेष सेना को हटाने को अस्वीकार कर दिया, जब तक कि उसे उसके बदले में अन्य अधिकार न दिए जायँ।

रूस में इस समय तक एक दल ऐसा सङ्गठित हो गया था, जिसका उद्देश्य था कि सुदूर-स्थित पूर्व प्रदेश (Far East) में व्यावसायिक शोषण द्वारा रूस का राजनैतिक आधिपत्य स्थापित किया जाय। उस दल के लोग, जिन्हें अङ्गरेज़ लेखकों ने कोरियन्स (कोरिया वाले) कह कर पुकारा है, कोरिया को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। रूस का सम्राट ज़ार भी अब इसी दल के प्रभाव में आ गया था। कोरिया प्रदेश के शासकों ने सन् १८९६ ई० में कोरिया के उत्तरी सीमा-स्थित यालू (Yalu) तथा तूमेन (Tumen) नदियों के तटस्थ चीड़ के वृक्ष काटने का अधिकार एक रूसी को दे रक्खा था। इस समय यह अधिकार-पत्र इसी दल 'कोरियन्स' के हाथ में था। मई १९०३ ई० में रूसी सैनिक नागरिक भेष धारण करके यालू नदी के उद्गम स्थान के सन्निकट याङ्गाम्पो (Yangampo) बन्दरगाह पर उपस्थित थे। इस प्रकार यालू प्रान्त पर अधिकार स्थापित करने के सारे लक्षण दिखाई देते थे। ये कोरिया वाले रूसी दल के लोग कोरिया को जापान के राजनैतिक प्रभाव में नहीं पड़ने देना चाहते थे।

जापान चाहे किसी प्रकार मन्चूरिया में बढ़ते हुए रूस के प्रभाव को सहन कर लेता, किन्तु कोरिया के आस-पास तो किसी भी अवस्था में रूस के स्थापित प्रभुत्व को नहीं सहन कर सकता था। जापान ने पहिले विचार रक्खा था कि रूस मन्चूरिया की आर्थिक एवं व्यावसायिक उन्नति करने में अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेगा और कोरिया पर अपने प्रभुत्व को जमाने का प्रयत्न नहीं करेगा। जापान यह भी घोषित करने के लिए कटिबद्ध था कि वह मन्चूरिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा। किन्तु उसी दशा में जबकि रूस भी कोरिया से अपना हाथ हटा लेने का वचन देता। किन्तु अभी तक रूस जापान की सैनिक शक्ति को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखता चला आता था। इसीलिए वह इसके लिए भी तैयार नहीं था। रूस के राजनीतिज्ञ कोरिया के समीप सागर-तट पर एक स्थान प्राप्त करने पर तुले हुए थे। १२ अगस्त, १९०३ ई० को जापान की ओर से एक पत्र रूस को भेजा गया। जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि दोनों देश (रूस तथा जापान) चीन और कोरिया साम्राज्य की स्वतन्त्रता का सम्मान करें। व्यापार और व्यवसाय के सम्बन्ध में सब राष्ट्रों को समान अवसर व अधिकार मिलें (अङ्गरेज़ी में इसे Open Door Policy कहते हैं) दूसरा प्रस्ताव यह था कि जापान तो यह स्वीकार करे कि रूस का मन्चूरिया में अधिक स्वार्थ (Interest) है और रूस उसी प्रकार कोरिया में जापान का विशेष स्वार्थ स्वीकार करे। अवसर पड़ने पर अपने स्वार्थ तथा अधिकार की रक्षा के निमित्त जापान, कोरिया एवं रूस मन्चूरिया में अपनी सेना भेजें। किन्तु कार्य-समाप्ति के पश्चात् शीघ्र ही उसे वापस लौटा लें और आपत्ति के अवसर पर प्रेषित की जाने वाली सेना का बल एक निर्धारित संख्या से अधिक न हो। इस प्रस्ताव को रूस ने अस्वीकार कर दिया और अपने उत्तर-पत्र में एक नया किन्तु बेढङ्गा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसका आशय यह था कि मन्चूरिया तथा चीन को वाद-विवाद के क्षेत्र से बिल्कुल पृथक समझा जाय और केवल कोरिया के विषय पर बातचीत हो। किन्तु उस प्रदेश में भी

समान व्यापारिक अधिकार के सिद्धान्त को मानने के लिए रूस तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त रूस ने यह भी प्रस्ताव किया कि कोरिया के मध्य में एक तटस्थ भाग (Neutral Zone) निर्धारित कर लिया जाय और फिर दोनों देश एक एक ओर के भाग में अपना अधिकार स्थापित करें। स्पष्ट है कि जापान ने रूस के इस प्रस्ताव को असङ्गत कह कर अस्वीकृत किया। जापान, रूस जैसे बड़े राष्ट्र से युद्ध करते हुए भय खाता था, किन्तु १८९५ ई० के पश्चात् निरन्तर वह इसी उद्देश्य से अपनी सेना को ख़ूब सङ्गठित कर रहा था। जापान हृदय से इच्छुक था कि रूस से किसी प्रकार का उचित समझौता हो जाय, किन्तु रूस किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं होता था। अगस्त, १९०३ ई० और फ़रवरी, १९०४ ई० के मध्य में कम से कम दस सन्धि-प्रस्तावों पर वाद-विवाद हुआ, किन्तु सब प्रयत्न विफल रहे। ५ फ़रवरी को दोनों देशों के राजकीय सम्बन्ध का विच्छेद हो गया।

अब क्या था? रूस तथा जापान के राजनैतिक गगन-मण्डल में युद्ध के घनघोर बादल गर्जन-तर्जन करने लगे। रूस तो पहिले से ही यह समझ बैठा था कि जापान जैसी छोटी शक्ति हमसे युद्ध करने का उत्साह नहीं करेगी। इधर जापान ने सम्बन्ध-विच्छेदन के अनन्तर शीघ्र ही बड़ी द्रुत-गति से अपनी सेना का सञ्चालन किया। हम पहिले कह चुके हैं कि इस लेख में पाठकों को युद्ध का विशद वर्णन नहीं मिलेगा, किन्तु दो-एक बातों को लिख देना असङ्गत न होगा। ८ तारीख़ को प्रथम रूस के एक जलपोत ने जापान के एक जहाज़ पर आक्रमण किया। उसी रात्रि को अर्द्ध रात्रि के समय जापान ने पोर्टआर्थर स्थित रूस की जल-सेना पर धावा मारा और प्रातःकाल होते-होते जल-सेनापति टोगो (Togo) के नेतृत्व में दुर्ग पर अग्नि-वर्षा की गई। अन्तर्राष्ट्रीय विधान की दृष्टि से कोरिया इस युद्ध में तटस्थ था, किन्तु अपनी निर्बलता के कारण अपनी तटस्थता की रक्षा नहीं कर सका। रूस तथा जापान दोनों, उसके रक्षित सागर-भाग (Territorial Waters) में युद्ध कर रहे थे। युद्ध करने की घोषणा दोनों देशों ने, युद्ध प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्, १० अगस्त को की। मुकदन में जापान ने रूस की एक बड़ी भारी सेना को पराजित किया। जापान की जल-सेना ने भी रूस की जल-सेना पर विजय प्राप्त की और अनेक युद्ध-पोत छीन लिए। जापान ने रूस से युद्ध करने की जो आयोजना निर्माण की थी, वह इस प्रकार है—(१) रूस को पराजित करके कोरिया से भगा दिया जाय, (२) रूसी जल-सेना के आधार पोर्टआर्थर को छीन कर अपने अधिकार में कर ले, (३) रूसी जल-सेना तथा जल-पोत को समग्र नष्ट कर दिया जाय तथा (४) मञ्चूरिया में रूस की महती सेना (Grand Army) को पराजित कर दिया जाय।

जर्मन सम्राट एवं संयुक्त प्रान्त अमेरिका के अध्यक्ष रूज़वेल्ट महोदय के मध्यस्थ होने पर रूस-जापान के मध्य में पोर्ट्समाउथ के स्थान पर ५ सितम्बर, १९०५ को सन्धि हुई और वह सन्धि उसी स्थान के नाम से—अर्थात् पोर्ट्समाउथ-सन्धि (Portsmouth Peace) प्रसिद्ध है। इस सन्धि के परिणाम-स्वरूप जापान को पोर्टआर्थर का दुर्ग तथा बन्दरगाह प्राप्त हुआ। चङ्गचून के दक्षिण में स्थित रेलें भी रूस से जापान को मिलीं। कोरिया में जापान का राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक स्वार्थ स्वीकार किया गया। दक्षिण सखालीन द्वीप-समूह भी, जिसे रूस ने सन् १८७५ ई० में जीत कर प्राप्त किया था, इस सन्धि-द्वारा जापान के हाथ लग गए। लियोटङ्ग का प्रायद्वीप भी जापान के अधिकार में आ गया। मञ्चूरिया के सम्बन्ध में दोनों वहाँ से अपनी-अपनी प्रभुता हटा लेने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त रूस को यह भी घोषित करना पड़ा कि वह चीन की स्वतन्त्रता तथा समान-व्यापारिक अधिकार-नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। दोनों इस सन्धि के अवसर पर इस बात पर सहमत हुए कि चीन अपने व्यापार-व्यवसाय की सम्यक् उन्नति के लिए जो कुछ उचित कार्यवाही करे, उसमें किसी प्रकार का विघ्न व हस्तक्षेप न किया जाय। सन्धि के अनुसार दोनों देश मञ्चूरिया में अपनी अपनी रेल-आयोजना को कार्यरूप में परिणत करने पर सहमत हुए। किन्तु यह रेल-सम्बन्ध केवल व्यापार एव व्यवसाय की उन्नति के लिए हो सकता था, राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं।

जापान की विजय ने एशिया महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक नई भावना, एक नया स्पन्दन पैदा कर दिया। क़ुस्तुन्तुनिया पर विजय (१४५३ ई०) प्राप्त करने के पश्चात् यही पहिला युद्ध था; जिसमें एशिया के एक राष्ट्र ने यूरोप के एक भारी राष्ट्र-शक्ति को पराजित किया था। इस विजय की शङ्ख-ध्वनि ने पराधीन, पद-दलित एशियाई देशों के राष्ट्रीय दलों में एक नवीन जाग्रत-जीवन का सञ्चार कर दिया। राष्ट्रीय संस्थाओं को सुसङ्गठित कर, सबल बनाने में यह विजय बड़ी सहायक हुई। भारतवर्ष, ईस्ट इण्डीज़, फ़िलिपाइन्स, चीन इत्यादि देशों में राष्ट्रीय भावों का प्रबल प्रवाह उमड़ चला। जापान की विजय के अल्प-काल के अनन्तर ही चीन में बड़े-बड़े सुधार किए गए। टर्की तथा ईरान के शासन-विधान में उदार नीति के चिन्ह अङ्कुरित दीख पड़ने लगे। इस युद्ध के पूर्व जापान प्रसरण-नीति का पक्षपाती नहीं था और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्पष्ट नीति का ही व्यवहार करता था। सन्धि-पत्रों में उल्लिखित अपने वचन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता था। किन्तु इस युद्ध के पश्चात् वह इस परिणाम पर पहुँचा कि अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्दियों के समान वह भी राजनैतिक क्षेत्र में प्रसरण-नीति का अवलम्बन करे, इस प्रकार पाश्चात्य नीति को व्यवहृत कर अपने प्रति अन्य देशों में अविश्वास उत्पन्न करा दिया। १९०५ ई० तक जापान आगन्तुक विदेशी जातियों के विरुद्ध आन्दोलन-कार्य में एशिया का सर्वमान्य तथा प्रमुख योधा समझा जाता था, किन्तु उसके पश्चात् और विशेषकर गत यूरोपीय महायुद्ध में चीन देश के प्रति उसके अन्यायपूर्ण कुटिल व्यवहार को देख कर उसे एशिया वाले भी स्वार्थी कहने लगे।

जो कुछ हो, जिस दृष्टि से इङ्गलैण्ड, अमेरिका, फ़्रान्स तथा इटली को हम आज संसार के बलशाली राष्ट्र मानते हैं और यह समझते हैं कि सभ्यता तथा सम्पदा में वे उन्नति के शिखर पर आसीन हैं, उसी दृष्टि से यदि हम जापान राष्ट्र के ऊपर ध्यान दें, तो निस्सन्देह कहना होगा कि रूस-जापान युद्ध के अनन्तर जापान देश, सभ्य संसार का एक प्रमुख बलशाली राष्ट्र बन गया है। फ़्रान्स एवं इटली ही नहीं, अपितु इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका भी उसे अपना समकक्ष समझते हैं और उसकी दुर्भेद्य शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकार करते हैं। जापान ने इस विजय के पश्चात् अपने बल में और अधिक उन्नति कर ली और निरन्तर उन्नति करता जाता है। उसकी इसी वेगवती उन्नति-प्रगति को लक्ष्य करके निकोलस रूज़वेल्ट ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है:—

"What Rome was in ancient days, the Empire of Chenghis Khan in the middle ages and Imperial Britain to-day, Japan aims to be tomorrow—Lord of the isles of the Pacific, master of China, Sovereign of Asia."

भावार्थ यह है कि "प्राचीन काल में रोम देश की, मध्यकालीन युग में चङ्गेज़ ख़ाँ के साम्राज्य की तथा आजकल ब्रिटेन साम्राज्य की जो उन्नत अवस्था है, जापान का लक्ष्य उसी अवस्था को निकट भविष्य में प्राप्त करने का है। अर्थात् शान्त महासागरस्थ द्वीप-समूहों का स्वामी बनना चाहता है, चीन देश को अपने आधिपत्य में रखना चाहता है तथा एशिया महाद्वीप का सम्राट होना चाहता है।" एक दूसरे लेखक सर फ़्रैङ्क फ़ॉक्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है:—

"If Japan is allowed to apply her solution. Put the resources of China at its command. God knows what mighty power Japan would wield in the world Politics."

फ़ॉक्स महोदय ने चीन देश के प्रश्न पर गवेषणा करते हुए, इन पंक्तियों को लिखा है और इनका आशय यह है कि यदि जापान को स्वतन्त्र रीति से इस (चीन के) प्रश्न को हल करने दिया जाय और चीन देश में प्राप्य समस्त साधनों तथा उपकरणों को उसकी शक्ति के अधिकार में कर दिया जाय, तो फिर ईश्वर जाने जापान देश संसार के राजनैतिक क्षेत्र में कितना भारी महाबली रा हो जायगा।

युद्ध-विजय ने जापान को इतना शक्तिशाली राष्ट्र तो अवश्य बना दिया, किन्तु युद्ध के पश्चातवर्ती जापान की सर्वाङ्गीय अवस्था पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि उस युद्ध में उसका आर्थिक अङ्ग जर्जरितप्राय तथा क्लान्त हो गया था, उसके ऊपर युद्ध-ऋण का भारी बोझ लद गया। यही नहीं, कोरिया और मञ्चूरिया आदि प्रदेशों के नवीन उत्तरदायित्व को वहन करने के निमित्त सेना की शक्ति में और भी अधिक अभिवृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि जापान के निवासियों पर विशेष युद्ध-कर लगाया गया और यह क्रम कुछ वर्षों तक बराबर जारी रहा। साधारण जन और विशेषकर व्यवसायी समुदाय के लोगों ने कर को कम करने के लिए आन्दोलन किया। किन्तु कर में तो कमी तभी हो सकती थी, जब शासन-व्यय में कोई विशेष कमी की जाती। स्थल तथा जल-सेना-विभाग के सञ्चालकों ने अपनी-अपनी आवश्यकता को प्रदर्शित करके शासन-व्यय को और भी अधिक करना चाहा। श्रम-विभाग में भी पर्याप्त उथल-पुथल कुछ समय तक मचा रहा।

एशिया के हित में सब से महत्वपूर्ण परिणाम उस युद्ध से यह निकला कि यूरोप तथा अमेरिका की समस्त विदेशी शक्तियाँ भयभीत हो गईं और उनके हृदय में यह अटल विश्वास हो गया कि समान सामरिक शिक्षा तथा अन्य साधनों के उपलब्ध होने पर एशियावासी भी यूरोप वालों को युद्ध में नीचा दिखा सकते हैं। जापान की विजय के पश्चात् असंख्य पत्र-पत्रिकाओं में उसकी नई नीति के परिणामों की कल्पना की गई। संयुक्त देश अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ़्रान्स, चीन तथा प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में बड़े-बड़े लेख प्रकाशित हुए, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि रूस की पराजय तो, एशिया के पूर्वस्थ प्रान्तों (Far East) से यूरोप तथा अमेरिका के निवासियों को निकाल भगाने की आयोजना की सफलता का प्रथम चिन्ह लक्षित हुआ है। संसार में यह गरम समाचार फैल गया कि जापान इण्डो-चाइना में फ़्रान्स के ऊपर आक्रमण करेगा। फ़िलिपाइन में अमेरिका निवासियों पर भी जापान का कुठाराघात होगा। कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड तथा ऑस्ट्रेलिया वाले भी भयभीत होकर जापान के

आक्रमण से बचने के लिए सावधान होने लगे। हॉलैण्ड वालों को भी यही आशङ्का थी कि ऐसा न हो कि हमारा प्रभुत्व ईस्ट इण्डीज़ से सर्वथा के लिए उठ जाय और उस पर जापान का आधिपत्य स्थापित हो। यहीं तक नहीं, वरन् यह भी कहा जाता था कि चीन के सैनिक बल का पूर्ण सङ्गठन तथा उसके प्राकृतिक असंख्य धन-राशियों की सम्पदा का उपयोग करके जापान यूरोप के ऊपर भी अपनी राजनैतिक सत्ता की धाक जमाएगा।

चीन में सम्राज्ञी डोवागर ने भी समझ लिया कि चीन का शासन-स्वरूप अनिवार्य रूप से, और उचित मात्रा में परिवर्तित होना चाहिए, अन्यथा चीन विदेशी आगन्तुकों के पद से आक्रान्त हो जायगा। रूस-जापान-युद्ध के पश्चात् चीन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। शासन-व्यवस्था, शिक्षा-पद्धति, सैनिक-सङ्गठन, शासन-विधान के निर्माण तथा प्रतिनिधि-संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक सुधार किए गए। सुधारकों ने जापान को आदर्श रूप में अपने सामने रक्खा। सहस्रशः नवयुवक राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि से प्रस्थान कर जापान की ओर चल पड़े। उनका यह उद्देश्य था कि जापानस्थ विद्यालयों, व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करें तथा उनका सम्यक निरीक्षण कर उनके प्रचलन की विधि का ज्ञान उपार्जन करें। लगभग चालीस सहस्र चीनी विद्यार्थी इसी बात को लक्ष्य में रख कर जापान में जा बसे। यद्यपि उक्त सुधार-माला सफलता-पूर्वक कार्य-रूप में परिणत नहीं हो सकी, तथापि इतना निश्चय है कि राष्ट्रीय जीवन को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और १९११-१२ में घटित होने वाली राज्य-क्रान्ति को जन्म देने में इन आन्दोलनों तथा सुधार-कार्यों का भी पर्याप्त हाथ था। सुधार-सम्बन्धी आज्ञापत्रों के विफल होने का कारण दूसरा था। चीन का शासन जापान की भाँति एक स्थान पर केन्द्रित नहीं था, इस कारण कई प्रान्तों के शासकों ने उनका घोर विरोध किया। सुधार को कार्यान्वित करने के लिए जो राजकीय कर्मचारी नियुक्त थे, वे भी प्राचीन परिपाटी के पूर्ण भक्त थे। नवयुवकों की भाँति उनके शरीर की धमनियों में नवीन भावनाओं के उष्ण रक्त के प्रवाह का अभाव था।

हमारे देश भारतवर्ष में रूस-जापान-युद्ध तथा जापान विजय ने एक नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर दी। भारतीय नेताओं तथा युवकों के हृदय में विश्वास हो गया कि भारत भी प्रयत्न करके अपनी राष्ट्रीय सेना का सङ्गठन करे तो अपनी दासता से मुक्त हो सकता है। सैकड़ों वर्ष की ग़ुलामी के कारण हमारे हृदय में जो यह विचार उत्पन्न हो गया था, कि अङ्गरेज़ों द्वारा स्थापित शासन-विधान तथा व्यवस्था बहुत दृढ़ आधार पर अवलम्बित है और हम उसके विरुद्ध, व्यवस्थापक परिषदों में व्याख्यान देने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हाथ-पाँव नहीं हिला सकते, वह कम हो गया। अब हम लोगों ने भी अपने मन में यही प्रश्न करना आरम्भ किया कि अङ्गरेज़ हमसे बड़े तथा बलशाली क्यों हैं? किन्तु भारत जापान की भाँति स्वतन्त्र नहीं है, इन्हीं भावों ने १९०५ ई० में स्वदेशी आन्दोलन को जन्म दिया। मारले-मिण्टो सुधार-योजना भी इन्हीं सब प्रकार के आन्दोलनों का फल था। श्रीमान स्टैनली राइस महोदय ने अपनी पुस्तक "The Challenge of Asia" अर्थात् 'एशिया की चुनौती' में एक स्थान पर लिखा है :—

"The Japanese war brought the seething pot to the boil and the Partition of Bengal as the immediate grievance caused it to boil over."

भावार्थ यह है कि रूस-जापान-युद्ध ने गुनगुनाते हुए पात्र-स्थित जल को खौला दिया और बङ्गाल-विच्छेद की घटना ने उसमें उबाल उत्पन्न कर दिया।

ईरान में भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ा। १९०५ ई० में शाह के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट कर, राष्ट्रीय दल के लोगों ने प्रतिनिधि-संस्थाओं को स्थापित करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। ५ अगस्त सन् १९०६ को मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह ने एक घोषणा-पत्र द्वारा एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने का वचन दिया। ७ अक्टूबर सन् १९०६ ई० को स्वयं शाह ने मजलिस का उद्घाटन किया। जब जनवरी, १९०७ में शाह का देहान्त हो गया, तब उसका पुत्र मोहम्मदअली मिरज़ा उत्तराधिकारी नियत हुआ। दिसम्बर १९०७ ई० में तेहरान में घटित एक विद्रोह ने बढ़ कर राजनैतिक विप्लव का रूप धारण कर लिया और शाह की संरक्षक सेना नागरिक जन-समुदाय के विरुद्ध प्रेषित की गई। किन्तु शाह के राजकीय संरक्षक दल में विदेशी रूस के अधिकारी थे, इससे राष्ट्रीय दल वालों को और क्रोध आया। क़ज़्ज़ाक़ (Cossacks) जिसमें ईरानी सैनिक रूसी अधिकारियों के अधीन रक्खे जाते थे—और राष्ट्रवादियों में सामना हो गया। राष्ट्रवादियों ने इस बात का बड़ा प्रबल विरोध किया कि शाह ने अपनी राजकीय सेना में रूसी सेनापतियों को नियुक्त कर रक्खा है।

इस प्रकार ध्यान देकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि रूस-जापान-युद्ध का प्रभाव एशिया के अनेक देशों पर पड़ा। चीन में विदेशियों के विरुद्ध कई युद्ध तथा विद्रोह इस संसार-प्रसिद्ध युद्ध के पूर्व भी हुए थे, किन्तु विदेशी जातियाँ उन घटनाओं से इतना अधिक भयभीत नहीं हुई थीं। यहाँ पर यह लिखना भी आवश्यक है कि युद्ध-सम्मिलित रूस की सेना रूस-सम्राट—ज़ार—की सेना थी; रूस के लोगों की नहीं। रूस में ज़ार के विरुद्ध एक आन्दोलन सङ्गठित हो रहा था—जो रूसी राज्यक्रान्ति १९१७ ई० में घटित हुई, उसका प्रारम्भिक स्वरूप रूस की पराजय के समय प्रदर्शित हुआ था। रूस-जापान-युद्ध समाप्त भी न हो पाया था कि रूस की निरन्तर हार का समाचार पढ़ कर रूस-निवासियों ने ज़ार पर रोष प्रकट करके उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा कर दिया। किन्तु उस समय वह क्रान्ति सन् १९१७ ई० की क्रान्ति की भाँति सफल नहीं हुई, वरन् कुचल डाली गई थी। तो भी उसका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ा।

❀ ❀ ❀

काश्मीर-विद्रोही षड्यन्त्र❀

[लेखक—कमाण्डर केनवर्दी]

काश्मीर-विद्रोही आन्दोलन एशिया की आसन्न विपद का सूचक है। इस समय भारत की अवस्था के सम्बन्ध में हम लोगों (अङ्गरेज़ों) की उदासीनता हमारे लिए बड़ी ही निर्बुद्धिता का कार्य होगी। कई वर्षों से पूर्वी भू-भाग पर जिस सङ्घर्ष का आयोजन हो रहा है, वर्तमान समय में उत्तर भारत के आकाश-पट पर उसी का मेघ घनीभूत हो रहा है। कानपुर में उन्मत्त जनता की ध्वंस-लीला और काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उसकी पुनरावृत्ति जातिगत और धर्मगत विद्वेषाग्नि के धुएँ के रूप में एक इशारा है। भारतवर्ष में प्रवर्तित शासन-संस्कार—विशेषतः माण्टेगू-चेम्सफ़ोर्ड व्यवस्था में दिए हुए सीमाबद्ध अधिकारों के कारण हिन्दू-मुसलमानों में प्राचीन द्वन्द्व जग उठा है।

भारतवर्ष में अगर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली प्रतिष्ठित हो तो केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं का प्राधान्य अनिवार्य होगा। इसलिए मुसलमानों को भय हो रहा है, कि उन्हें न्याय-सङ्गत शासनाधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसीसे वे प्रतिकार के लिए कोई और ही उपाय ढूँढ़ रहे हैं। हिन्दुओं को अगर शासनाधिकार मिल जाए, तो गो-मांस-भक्षण निषिद्ध हो जायगा। इस प्रकार की बातों का प्रचार करके निरक्षर मुसलमानों को उत्तेजित किया जाता है। परन्तु वास्तव में बात कुछ और ही है। पढ़े-लिखे मुसलमानों को आशङ्का हो रही है कि अगर हिन्दुओं को प्राधान्य प्राप्त होगा तो मुसलमानगण यथोचित राज-सम्मान और नौकरियाँ न पा सकेंगे।

एक ओर तो यह हाल है और दूसरी ओर हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख युवकों में, एक साथ ही मातृ-भूमि की सेवा की प्रवृत्ति जाग्रत हो रही है। इसमें सन्देह नहीं, कि भविष्य में इस प्रवृत्ति द्वारा सुफल प्राप्त होगा, परन्तु इसके प्रसार में कुछ समय लगेगा।

इधर भारत के सीमान्त प्रदेश में भी अशान्ति की सूचना हो रही है। और इसकी सृष्टि पैनइस्लामिक आन्दोलन द्वारा हुई है। गत यूरोपीय महासमर से पहले "यङ्ग-तुर्क" द्वारा यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था और अपना मतलब गाँठने के लिए जर्मनों ने इसका पोषण किया था। परन्तु तुर्की की पराजय के साथ ही इस आन्दोलन की भी इतिश्री हो गई थी। वर्तमान काल में तुर्की के कमाल पाशा और फ़ारस के शासनकर्ता रज़ाख़ाँ पहलवी जैसे शक्तिशाली नेता और नरेश के उद्भव के कारण, वह 'पैनइस्लामिक' आन्दोलन फिर से जीवन प्राप्त कर रहा है।

इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन के नेता आजकल अरब, पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया को लेकर एक पैन-अरब राष्ट्र-मण्डल बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। मिश्र के राष्ट्रीय दल के पैलेस्टाइन के अरबों से मिल जाने के कारण इस स्वप्न की सफलता की सम्भावना हो रही है। पैलेस्टाइन राज्य पश्चिम में अफ़्रिका, उत्तर में तुर्किस्तान और पूर्व में मेसोपोटामिया के संयोग-स्थल पर अवस्थित है और अरब-अधिवासी वर्तमान शासन-तन्त्र से असन्तुष्ट हैं।

सुकौशली षड्यन्त्रकारियों का एक दल इसी पैन-अरब आन्दोलन को पैनइस्लाम में जोड़ देना चाहता है। क्योंकि ऐसा होते ही तुर्किस्तान और अफ़ग़ानिस्तान भी इसमें आ पड़ेंगे। परन्तु इसका विराम यहीं तक नहीं है। भारतवर्ष के अन्तर्गत मुसलमान-प्रधान काश्मीर और बिलूचिस्तान को भी इसी दल में खींच लाने की चेष्टा हो रही है। काश्मीर की सीमा अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से मिली हुई है। भारतवर्ष की सीमा का जहाँ अन्त होता है, वहीं मुस्लिम-प्रधान सीमान्त प्रदेश अवस्थित है। भारत की भावी शासन-व्यवस्था में इस प्रदेश को भी प्रजातन्त्र शासन प्राप्त हो, इसके लिए मुसलमानों का आन्दोलन जारी है। इसके बाद पञ्जाब है। यहाँ की मुस्लिम-प्रधानता के सिक्ख बाधक हैं। सिन्ध प्रदेश के विच्छेद का आन्दोलन अगर सफल हो गया तो अनायास ही एक मुस्लिम-प्रधान प्रदेश की सृष्टि हो जायगी। बङ्गाल में मुसलमानों की संख्या आधी है और संग्राम करने का अभ्यास भी उन्हें है। इसी तरह धीरे-

(शेष मैटर २०वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

❀ इङ्गलैण्ड के "डेली एक्सप्रेस" नामक अख़बार से श्री० अन्तर्वेदी द्वारा भाषान्तरित।

विलायत की कुछ बातें

स्कॉटलैंएड की राजधानी

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

['भविष्य' के सुपरिचित लेखक डॉक्टर धनीराम प्रेम पाठकों को विदित होगा, विलायत के तीन वर्ष के प्रवास के बाद हाल ही में लौटे हैं। आपने 'भविष्य' के पाठकों के लाभार्थ भविष्य में अपने अनुभवों का वर्णन तथा फ़्रान्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैण्ड, ऑस्ट्रिया, ज़ैकोस्लोवेकिया, इटली आदि देशों के भ्रमण का वृत्तान्त देने का वचन दिया है। उनका पहला लेख "साम्यवादी विप्लव" पाठक 'जुबली-अङ्क' में पढ़ चुके हैं। अन्य लेख 'भविष्य' के पृष्ठों में समय-समय पर प्रकाशित होते रहेंगे।

—स० 'भविष्य']

लन्दन में एक मास रहने के अनन्तर एडिनबरा जाने की तैयारी कर ली। इङ्गलैण्ड में रेल का किराया बहुत मँहगा है। लन्दन से एडिनबरा ४५० मील है और तीसरे दर्जे का किराया २॥ पौण्ड (लगभग ३३ रुपए) है; परन्तु मुझे एक बड़ा अच्छा अवसर मिल गया। एडिनबरा में Rugby Football match होने वाला था। उसके लिए एक स्पेशल जा रही थी, जिसमें वापसी किराया केवल २४ शिलिङ्ग था। मैंने अपना असबाब तो पार्सल कराके भेज दिया और मैं यूस्टन स्टेशन से स्पेशल में चल दिया। यहाँ पर एक शिलिङ्ग प्रति बण्डल देने पर रेलवे-कम्पनी आपके घर से आपका असबाब मँगा लेती है तथा निश्चित स्थान पर आपके पते पर पहुँचा देती है।

गाड़ी हमारे यहाँ की मेला-स्पेशलों की भाँति भरी हुई न थी। एक डब्बे में छः सीटें थीं। जितने टिकट बिके थे, उसके हिसाब से ही स्पेशलें छोड़ी गई थीं। रात भर का सफ़र था। सर्दी बाहर काफ़ी थी; परन्तु गाड़ियाँ गर्म थीं। प्रातःकाल गाड़ी एडिनबरा कैलिडोनियन स्टेशन पर आकर लगी।

स्टेशन से बाहर निकल कर देखा, तो लन्दन की वह चहल-पहल कहाँ? ऐसा मालूम हुआ, मानो बम्बई से अपने शहर अलीगढ़ में आकर उतरा हूँ। पास ही ग्रॉसवेनर क्रेसेण्ट है, जहाँ नं० ५ में वाई० एम० सी० ए० का इण्डियन होस्टल है। यह लन्दन की भाँति बड़ा नहीं है, परन्तु आराम का स्थान है। एक कमरे में यहीं आकर ठहरा। यहाँ आकर ही पहले-पहल भारतीय विद्यार्थी ठहरते हैं। कुछ तो यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। स्थान बहुत सुन्दर तथा स्वच्छ है। एक बिलियर्ड रूम, स्मोकिङ्ग-रूम तथा एक वाचनालय है। भारत से कई समाचार-पत्र आते हैं; परन्तु हिन्दी का एक भी नहीं दिखाई दिया। भोजन का वही प्रबन्ध है, जो लन्दन के क्रॉमवेल हाउस में था। परन्तु यहाँ रात को एक प्याला दही का मिला। एक यही नई वस्तु थी। यहाँ गैस के स्थान पर कोयला जलाने को देते हैं। यहीं क्या, एडिनबरा भर में कोयले का प्रयोग होता है। भोजन के समय महाराष्ट्रों की पर्याप्त संख्या देखी। मैं उन्हीं की मेज़ पर था। बहुत दिनों पश्चात् 'कायरे! दादा साहेब! काय पाहिज़े!' आदि वाक्यों को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। व्यय यहाँ बहुत होता है। मैं दो सीट के कमरे में था, फिर भी सब मिला कर दो दिन के अठारह शिलिङ्ग भेंट करने पड़े, जो लन्दन से भी अधिक थे। मुझे यह देख कर बड़ी शर्म आई कि 'यङ्गमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन' ने तो ग्रेट-ब्रिटेन में दो होस्टल हिन्दू-मुस्लिम भारतीयों के लिए खुलवा भी दिए हैं; पर आर्यसमाजी, जो सारे संसार को आर्यसमाजी बनाने का दावा करते हैं तथा लन्दन के ऊपर वेदों का झण्डा उड़ाना चाहते हैं, इस ओर से बिल्कुल ही उदासीन हैं। भारतवासियों की संख्या इस देश में नित्य-प्रति वृद्धि पा रही है। क्या समाज का यह कर्तव्य नहीं है कि वह वनस्पत्याहारियों के लिए लन्दन तथा एडिनबरा जैसे केन्द्रों में कुछ आश्रम खुलवा दे? परन्तु हमें अपने घर की कलह तथा खण्डन-मण्डन से अवकाश कहाँ?

ब्रिटिश-द्वीपों में लन्दन के बाद एडिनबरा ही शिक्षा का केन्द्र है। यहाँ की रॉयल इनफ़र्मरी बड़ी भारी संस्था है। यहाँ का विश्वविद्यालय भी जगत्-प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीयों की संख्या २५० के लगभग है। इनमें कई महिलाएँ भी हैं। कई एफ़० आर० सी० एस० की तैयारी कर रही हैं, कई साहित्यिक शिक्षा के लिए आई हैं। भारतीयों ने मिल कर यहाँ एडिनबरा इण्डियन एसोसिएशन (Edinburgh Indian Association) नाम की संस्था स्थापित कर दी है। यह संस्था वर्षों से उपयोगी कार्य कर रही है। इसका एक रैस्टोरेण्ट है। इसकी ओर से एक लाइब्रेरी, एक वाचनालय तथा हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बिलियार्ड आदि के लिए क्लब भी हैं। भारत से आए हुए विख्यात पुरुषों के भाषण भी कभी-कभी यहाँ होते हैं। हाई कमिश्नर की ओर से कैमिस्ट्री के लैक्चरर डॉ० मैकेञ्जी भारतीयों के परामर्शदाता नियत किए गए हैं। आप बम्बई के विक्टोरिया टेकनिकल इन्स्टीट्यूट के प्रिन्सिपल रह चुके हैं तथा बड़े सज्जन पुरुष हैं।

यहाँ आने के दूसरे दिन घर तलाश करने निकले। इनफ़र्मरी के चारों ओर अनेकों कमरे मिलते हैं; परन्तु मैं अपना भोजन आप पकाना चाहता था, यही कठिनता थी। कोई लैण्डलेडी, न तो अपने चौके में पकाने देती थी, न कमरे में खाने की आज्ञा देती थी। एक कहने लगी—"तुम भोजन स्वयं बनाना क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें दाल, रोटी, चावल—सब बना कर दे सकती हूँ।" यह औरतें अब चण्ट हो गई हैं। भोजन साथ देने से उन्हें अधिक प्राप्ति होती है। परन्तु भोजन स्वयं पकाने से आधा ही व्यय होता था। बड़ी खोज के उपरान्त एक कमरा मिला, जहाँ चौके में बनाने की आज्ञा भी मिल गई।

लन्दन की भाँति एडिनबरा में भारतीय खाद्य-पदार्थ सब नहीं मिलते हैं। जैसा आटा मैं चाहता था, यहाँ न मिल सका। डबल रोटी बनाने का आटा बहुत मोटा होता है। दूसरा आटा मैदे से भी बारीक होता है, जिसे मैं खाना नहीं चाहता था। आटा यहाँ बन्द थैलों में बिकता है, अतः कई प्रकार के आटे लाकर देखने पर एलिन्सन होलमील (Allinson Wholemeal) नामक आटा पसन्द आया। खाद्य-पदार्थ यहाँ बहुत महँगे बिकते हैं। आटा दस आने का पौने दो सेर, चने नौ आने के आध सेर, आलू चार आने के आध सेर, मूँग की दाल नौ आने की आध सेर, चावल आठ आने के आध सेर, टमाटर डेढ़ रुपए के आध सेर, केला दो आने का एक, गोभी का फूल छः से दस आने तक में एक, दियासलाई एक आने की। हाँ, दूध यहाँ पर सस्ता है। चार-पाँच आने में एक सेर मिल जाता है। परन्तु मिलावट का नाम नहीं। हम हिन्दू गोरक्षा का बड़ा भारी स्वाँग रचते हैं, नित्य चिल्लाते हैं—'यह वही भारत है, जहाँ दूध की धारें बहती थीं।' परन्तु हमें यह देख कर डूब मरना चाहिए कि जिन्हें हम गोघातक कहते हैं, उनके देश में गाय की कितनी सेवा की जाती है। यह सबको विदित है कि अनेक हिन्दू गायों को बड़ी उपेक्षा से रखते हैं। यहाँ गोपालन बड़ी सावधानी से होता है। उन्हें पर्याप्त भोजन दिया जाता है। यहाँ पर डेयरी की परिपाटी बहुत प्रचलित है। यह सब सहयोगी संस्थाएँ हैं। प्रत्येक गाय का डॉक्टरी निरीक्षण होता है। नित्य चुङ्गी के कार्यकर्त्ताओं की ओर से दूध की परीक्षा होती है। इसके बाद दूध बोतलों में बन्द करके भेज दिया जाता है। हमारे किसी भी नगर में शुद्ध दूध का मिलना कठिन हो गया है। चुङ्गी की नाम-मात्र की भी देख-भाल नहीं। मिलावट करने में दूकानदारों की बेईमानी अपनी सीमा से पार हो चुकी है। मूल्य बढ़ता जा रहा है। बेचारे सहस्रों बच्चों को दूध के दर्शन नहीं होते। क्षय-पीड़ित गायों का दूध सहस्रों प्राणियों को मृत्यु के मुख में पहुँचा रहा है। यह है शोचनीय दशा उस देश की, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं !!!

एडिनबरा अत्यन्त प्राचीन नगर है। इसका अपना इतिहास है। दन्त-कथाओं के अनुसार यह ईसा से १,००० वर्ष पूर्व बसाया गया था। सम्राट ब्रूस के समय से यह स्कॉटलैण्ड की राजधानी चला आता है। जेम्स चतुर्थ के समय में यहाँ का होलीरुड पैलेस बना था, तब से शासन का सारा कार्य यहीं से होता है। यहीं पर मेरी स्टुअर्ट ने कुछ दिनों राज्य किया था। उन दिनों ईसाइयों में रोमन कैथोलिसिज़्म तथा प्रोटैस्टेण्टिज़्म का झगड़ा चल रहा था। मैरी पहले मत वालों की नेत्री थी तथा जोन नॉक्स प्रोटैस्टेण्टों का नेता था। अन्त में मैरी को भाग कर एलिज़ाबेथ की शरण लेनी पड़ी तथा कई वर्ष बन्दी की भाँति रह कर अभागिनी को फाँसी पर अपने प्राण देने पड़े थे !!

एडिनबरा को दो बड़े कवियों तथा दो बड़े साहित्यकारों के नाम पर बड़ा गर्व है। जगत्-प्रसिद्ध औपन्यासिक स्कॉट तथा कवि आर० एल० स्टीवेन्सन का जन्म यहीं हुआ था। अब भी यहाँ इन दोनों की स्मृति के भग्नावशेष विद्यमान हैं। रॉबर्ट बर्न्स तथा कारलायल ने भी एडिनबरा में वर्षों निवास किया था।

अब एडिनबरा का विस्तार बहुत बढ़ गया है। यह हरियाली से आच्छादित बँगलों के लिए प्रसिद्ध है। जिस ओर चले जाइए, एक से एक सुन्दर मकान देखने को मिलेंगे, दोनों ओर एक से मकानों की पंक्तियाँ अपने छोटे-छोटे सामने के बाग़ीचों के साथ बड़ी शोभायमान लगती हैं। आधुनिक एडिनबरा संसार के अत्यन्त सुन्दर नगरों में से एक है। इसकी जन-संख्या सवा चार लाख है। ग्लासगो स्कॉटलैण्ड में इससे बड़ा नगर है, परन्तु बड़ा गन्दा। एडिनबरा की शोभा उसमें कहाँ! एडिनबरा वास्तव में हमारे यहाँ के पहाड़ी नगरों—जैसे नैनीताल आदि की भाँति है। यह छोटी-छोटी सात पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहाँ से दो मील समुद्र है, जिसके किनारे लीथ का बन्दरगाह है। यहाँ का जल-वायु बड़ा सुन्दर है। यही कारण है कि यहाँ रोग कम होते हैं। यहाँ की मृत्यु-संख्या केवल

१२९ प्रति सहस्र है ! बच्चों की मृत्यु-संख्या प्रति सहस्र केवल ८० है। भारत के नगरों में यह संख्या २४७ तक पहुँच गई है !! इस विषय में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओं के हल करने में चुङ्गी का उद्योग सराहनीय है। स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में चुङ्गी ने कई बातों का ध्यान रक्खा, जो हमारे यहाँ देखने को भी नहीं मिलतीं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, तङ्ग गलियाँ बहुत कम हैं। प्रत्येक मकान के सामने हरियाली है तथा मकानों की दो लाइनों के बीच में काफ़ी खुला हुआ स्थान छोड़ा जाता है। घरों में टट्टियाँ ऐसी हैं कि मैला पानी में बह कर पृथ्वी के नीचे होकर एक स्थान पर चला जाता है। सड़कें नित्य साफ़ होती हैं तथा धुलती हैं। इसके अतिरिक्त चुङ्गी की ओर से प्रत्येक मुहल्ले में एक लम्बा-चौड़ा पार्क है, जहाँ लोग शुद्ध वायु में टहलते तथा खेल खेलते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुड्ढों तक, सबको खेलने का बड़ा चाव है। चुङ्गी की ओर से हॉकी, क्रिकेट, टेनिस तथा गोल्फ़ खेलने के लिए बड़े-बड़े मैदान बने हुए हैं। गोल्फ़ यहाँ का राष्ट्रीय खेल है।

अभी तक प्राचीन नगर का कुछ अंश शेष है। यहाँ निर्धन लोग रहते हैं। धीरे-धीरे इसे तोड़ कर नए मकान बनाए जा रहे हैं। इस प्राचीन भाग में विचित्र बात यह देखी कि सैकड़ों दूकानें यहाँ प्रयोग में लाई हुई (Second-hand) वस्तुएँ बेचती हैं। पहने हुए हर प्रकार के कपड़ों से लेकर बहुमूल्य जवाहरात तक, कभी कभी बड़े सस्ते मिल जाते हैं। लोग इन्हें 'कबाड़ी' कहा करते थे। इसका एक कारण है। पश्चिमी लोग हमारे यहाँ के सूदख़ोरों को बुरा बताते हैं, परन्तु यहाँ उनसे भी बुरे लोग हैं। बहुमूल्य वस्तुओं को यह लोग गिरवी रख लेते हैं, इस शर्त पर कि अमुक काल में रुपया न आया तो चीज़ बेच दी जायगी। समय पर बहुत कम आदमी ऋण चुका सकते हैं। वे ही वस्तुएँ नीलाम कर दी जाती हैं। यहाँ की सब से सुन्दर सड़क प्रिन्सेज़ स्ट्रीट है। यह केवल एक मील लम्बी है, परन्तु नगर की नाक है। संसार में शायद ही किसी और सड़क को इतनी सुन्दर स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य हो। इसके एक ओर प्रिन्सेज़ स्ट्रीट गार्डन तथा यहाँ का पहाड़ी क़िला है। दूसरी ओर बड़े बड़े व्यापारियों की दूकानें, सर्वोत्तम सिनेमा तथा होटल हैं। यहाँ शनिवार की दोपहर को लगभग सभी दूकानें बन्द हो जाती हैं। सिनेमाओं में भीड़ का कुछ ठिकाना नहीं रहता। उस समय प्रिन्सेज़ स्ट्रीट नई दुलहिन बन जाती है। दूकानों पर काम करने वाली युवतियाँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण डाटे यहाँ घूमने आती हैं। अच्छी ख़ासी प्रदर्शिनी हो जाती है। पेण्ट तथा पाउडर लगे हुए चेहरे तथा गुलाबी होंठ ही चारों तरफ़ दीख पड़ते हैं। कुछ आँखें चलाती हैं, कुछ धक्के देती हैं। यार लोगों का भी ख़ासा जमघट होता है। कुछ आँखें सेंकते हैं, कुछ धक्के खाते हैं। रविवार काम न करने का दिन (Sabbath day) है। वृद्ध पुरुष तथा स्त्रियाँ मृत्यु-समय पास देख कर, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से गिर्जे में चली जाती हैं। नवयुवक तथा नवयुवतियों का स्वर्ग पार्क तथा पर्वतों की घाटियाँ बनती हैं, जहाँ प्रेमीगण एक सप्ताह की अपनी तमन्ना पूरी करते हैं।

प्रिन्सेज़ स्ट्रीट गार्डन, सड़क तथा क़िले की पहाड़ियों के बीच की घाटी में लगाया गया है। यहाँ पहले एक सरोवर था। बड़ा सुन्दर बाग़ है। यहाँ भाँति-भाँति के फूल दिखाई देते हैं। बसन्त-ऋतु ने नङ्गे वृक्षों तथा पौधों को पल्लव प्रदान करके अतीव मनोरम बना दिया है। वायोलेट, पेन्ज़ी, वॉल फ़्लावर, डेज़ी, ट्यूलिप आदि पुष्पों की क़तारें नेत्रों को ठण्डा कर देती हैं। यहाँ एक पुष्पों की घड़ी बनाई गई है, जो बिजली के द्वारा चलती है। यह किसी के मस्तिष्क की अद्भुत उपज है। गार्डन के पास ही नेशनल गैलेरी, स्कॉट मौन्यूमेण्ट तथा जनरल पोस्ट-ऑफ़िस हैं। पोस्ट-ऑफ़िस से कुछ आगे काल्टन हिल पर बने मौन्यूमेण्ट, नैल्सन-स्मारक आदि हैं। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की शानदार इमारत, सेण्ट-गाइल्ज़ का गिर्जा, पार्लामेण्ट-भवन तथा कुछ आगे बढ़ कर रॉयल इनफ़र्मरी के विशाल भवन हैं। किङ्ग पार्क एक पहाड़ी पर है, जिसे 'आर्थर की सीट' कहते हैं। इस पहाड़ी के नीचे एक और प्राचीन शाही इमारत 'होलीरुड पैलेस' है। यहाँ कभी-कभी सम्राट तथा सम्राज्ञी आकर निवास करते हैं।

यहाँ का क़िला एक ऊँची चट्टान पर बना है और नगर के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। इसमें यूरोपीय युद्ध का स्मारक बनवाया गया है। ब्लैकफ़ोर्ड हिल हवा खाने का बड़ा सुन्दर स्थान है। सारी पहाड़ी हरियाली से लाद दी गई है और एक कृत्रिम तालाब नीचे बनवा दिया गया है। एक ओर यहाँ रॉयल ऑब-ज़र्वेटरी (Royal observatory) है। इनके अतिरिक्त रॉयल स्कॉटिश म्यूज़ियम, चिड़िया-घर, बोटेनिकल गार्डन तथा सिटी म्यूज़ियम, जहाँ स्कॉट, स्टीवेन्सन आदि के स्मृति-चिन्ह रक्खे हैं, देखने योग्य स्थान है।

एडिनबरा के निकट ही पैण्टलैण्ड हिल हैं, जो अपनी सुन्दरता तथा प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें देखे बिना एडिनबरा अधूरा रह जाता है; स्टीवेन्सन ने इनके विषय में कई स्कॉच कविताएँ भी लिखी हैं।

एडिनबरा से कुछ दूर फ़ोर्थ की खाड़ी पर जो रेल का पुल 'फ़ोर्थ ब्रिज' बनाया गया है, वह इञ्जीनियरिङ्ग का एक ज्वलन्त नमूना है। उच्च शिक्षा का ही एडिनबरा केन्द्र नहीं है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का भी अच्छा प्रचार है। एडिनबरा एज्यूकेशन ऑथॉरिटीज़ की ओर से १०० से ऊपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ६७,००० छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। सब छात्रों को पुस्तकें तथा कुछ को भोजन तक मुफ़्त मिलता है। इसके अतिरिक्त आठ सेकेण्डरी स्कूल, चार औद्योगिक स्कूल तथा नौ स्कूल गूँगे, अन्धे, लक़वा मारे हुए तथा कूढ़-मग़ज़ बच्चों के लिए हैं। लड़कियाँ तथा लड़के साथ-साथ पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त प्राइवेट सेकेण्डरी स्कूल (हमारे यहाँ के हाई-स्कूल) अल्प शुल्क लेकर शिक्षा दे रहे हैं।

यहाँ की ऋतु बड़ी परिवर्तनशील है। आप एक ही दिन में जाड़ा, गर्मी, धूप, वर्षा—सब कुछ देख सकते हैं। ग्रीष्म-ऋतु में सूर्य प्रातः तीन बजे निकलता है तथा रात्रि को ग्यारह बजे तक प्रकाश रहता है। जाड़ों में दिन छः-सात घण्टों का ही रह जाता है।

मौसम के विषय में यहाँ लोगों की सम्मतियाँ बड़ी मनोरञ्जक होती हैं। आप कोई वस्तु ख़रीदने जाइए, बेचने वाली या वाला आपसे आते ही मौसम के विषय में कुछ प्रश्न अवश्य करेगा। एक आपसे पूछेगा 'Is it not lovely ?' दूसरे स्थान पर—'Isn't it cold to-day?' तीसरी दूकान पर 'Don't you feel warm this morning ?' चौथी जगह आप सुनेंगे, 'Oh, it is awfully rough!' सबसे अच्छी युक्ति यही है कि उनके उत्तर में उनका समर्थन कर दिया जाय। युवतियाँ बड़ी नज़ाकत दिखाती हैं। धूप निकलेगी तो कहेंगी—'Oh, we are getting sunburnt !' वर्षा होगी तो चिल्लाएँगी—'Oh, it is always pouring. Sun never shines !' तनिक ठण्डी वायु चली और वे Cold-wave की दुहाई देने लगीं, गर्मी हुई तो Heat wave आ गई। सारांश यह कि वे कभी मौसम से सन्तुष्ट न होंगी, यद्यपि कार्य सारा इसी प्रकार के मौसम में होता है।

यहाँ का चर्च (Scottish church) आर्य-समाज की भाँति प्रजातन्त्रवादी (Democratic) है। इङ्गलैण्ड के चर्च का शासन पादरियों (Bishops) द्वारा होता है तथा सम्राट उसके अध्यक्ष हैं। इस विषय में तथा यहाँ की शिक्षा-प्रणाली के विषय में कभी फिर विस्तार रूप से 'भविष्य' में लिखा जायगा !

एडिनबरा एक अद्भुत नगर है। यह सुन्दर है, जल वायु के विचार से लाभदायक है, शिक्षा का केन्द्र है, तथा है उन दुःखान्त तथा सुखान्त घटनाओं का रङ्ग-मञ्च, जो स्कॉटलैण्ड के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती हैं। भारत का यात्री इसे देख कर अपना परिश्रम सफल समझेगा, इसमें सन्देह नहीं !

❀ ❀ ❀

काश्मीर-विद्रोही षड्यन्त्र

(१८ वें पृष्ठ का शेषांश)

धीरे पैन-इस्लाम का चित्र पूर्ण हो रहा है। मिश्र से लेकर तुर्किस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से लेकर पञ्जाब और दिल्ली तक लगातार मुसलमान ही मुसलमान हैं।

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की गत वर्ष की बैठक में भारत के देशी नरेश देशात्मबोध की प्रेरणा से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र-सङ्घ में मिलने को तैयार हैं। इनमें अधिकांश राजपूत, सिक्ख या मराठे हैं। इसलिए सभी हिन्दू हैं। इनके संयोग से हिन्दू-प्राधान्य की प्रतिष्ठा होगी, यह बता कर मुसलमान जनता को आतङ्कित किया जा रहा है।

अब काश्मीर की बात लीजिए। काश्मीर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विश्वविख्यात है। और वर्तमान नरेश ने उसकी उन्नति भी ख़ूब की है। काश्मीर के बाशिन्दों में ६० फ़ी सदी मुसलमान हैं। किन्तु उनका शासक एक हिन्दू है। वंश-परम्परा से यही व्यवस्था चली आ रही है। परन्तु आज तक वहाँ कभी कोई साम्प्रदायिक सङ्घर्ष नहीं हुआ था। इस समय भी इस सङ्घर्ष के सङ्घटित होने का कोई कारण नहीं है। परन्तु इस समय वहाँ के हिन्दू-राज्य का ध्वंस करके, काश्मीर के राजसिंहासन पर अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर के भाई इनायतुल्ला ख़ाँ को बैठाने की चेष्टा हो रही है। अमानुल्ला की संस्कार-व्यवस्था से असन्तुष्ट होकर अफ़ग़ानिस्तान के कट्टर मुसलमानों ने इनायतुल्ला को अफ़ग़ानिस्तान के तख़्त पर बिठाया था, परन्तु हबीबुल्ला ने इन्हें भगा दिया।

वर्तमान अशान्ति में अगर रूस का हाथ न हो तो कहना पड़ेगा कि रूस की सरकार एक महासुयोग खो रही है। विगत कई वर्षों से अफ़ग़ानिस्तान पर रूस का प्रभाव बढ़ रहा है।

एक ओर मुस्लिम-प्रधान पञ्जाब है और दूसरी ओर अफ़ग़ानिस्तान है। इन दोनों ही स्थानों से काश्मीर आन्दोलन की सृष्टि हुई है। एशिया के इस अंश में मुसलमानों की प्रधानता स्थापित करने की जो विधिबद्ध प्रणाली निर्दिष्ट हुई है, काश्मीर का आन्दोलन उसी का एक अंश विशेष है। महात्मा गाँधी का निष्क्रिय प्रतिरोध और पहाड़ी मुसलमान जातियों को चरख़ा ग्रहण कराने की चेष्टा एकदम निष्फल है।

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

ध्रांगधरा स्टेट (गुजरात) के सत्याग्रह का मनोरञ्जक दृश्य



भ्राङ्गधरा-स्टेट (गुजरात) की पुलिस सत्याग्रहियों को मोटर-लॉरियों में भर-भर कर अज्ञात स्थानों में भेज रही है।



भ्राङ्गधरा-स्टेट (गुजरात) की सत्याग्रह करने वाली महिलाओं की एक टोली



इन्दौर की राजमाता श्रीमती महारानी चन्द्रावती जी, जिन्होंने अछूतों की सेवा करने का व्रत ग्रहण किया है।



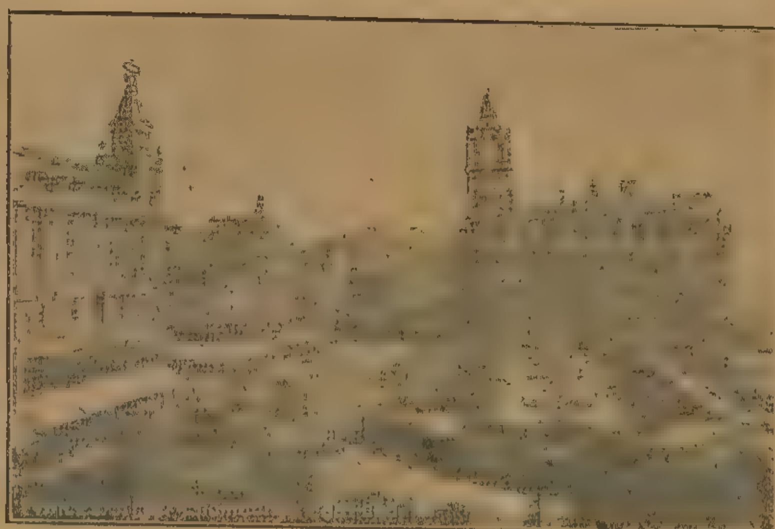
स्टेट-पुलिस का एक जत्था, जो सत्याग्रहियों को स्टेट के भीतर आने को रोक रहा है।



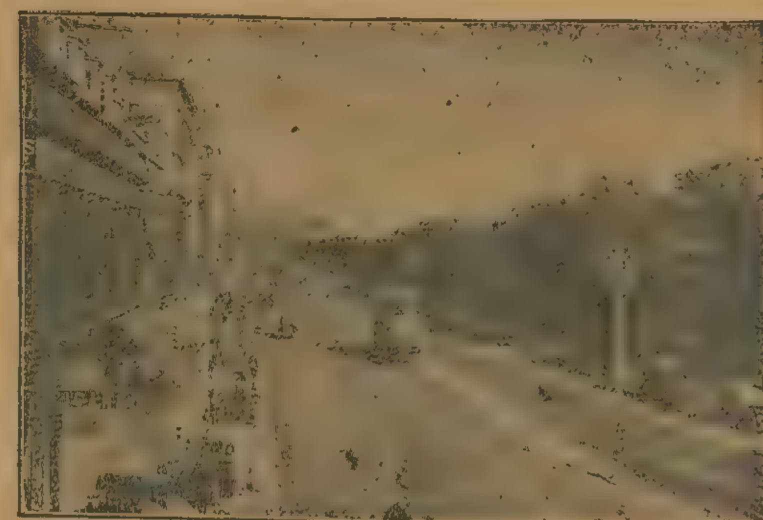
सत्याग्रहियों का एक जत्था—पाठक बीच में सत्याग्रहियों के प्रमुख नेता श्री० शिवानन्द जी को देखेंगे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

स्कॉटलैण्ड की राजधानी के कुछ दृश्य



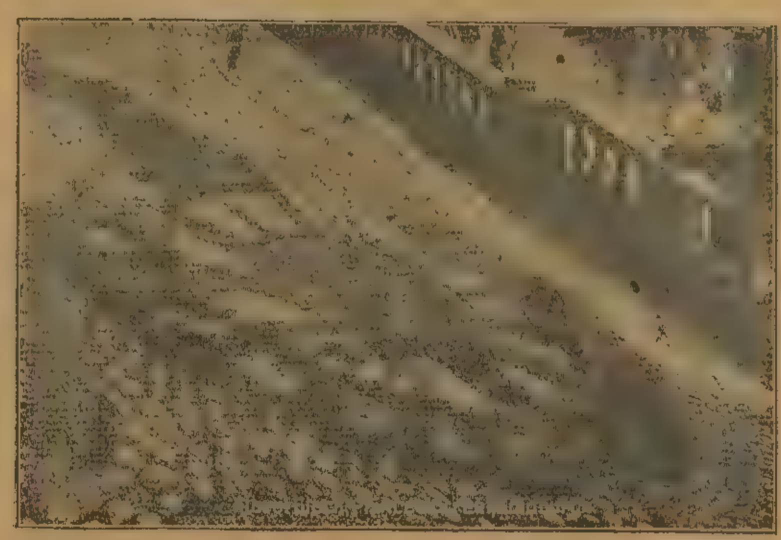
प्रिन्सेज़ स्ट्रीट का पूर्वीय छोर



एडिनबरा की सुप्रसिद्ध प्रिन्सेज़ स्ट्रीट का पूर्वीय भाग



एडिनबरा की नेशनल गैलरीज़ और प्रिन्सेज़ स्ट्रीट



प्रिन्सेज़ स्ट्रीट में स्थित, विख्यात फ्लोरल क्लॉक (फूल-घड़ी)



काल्टन नामक पहाड़ी से एडिनबरा का दृश्य



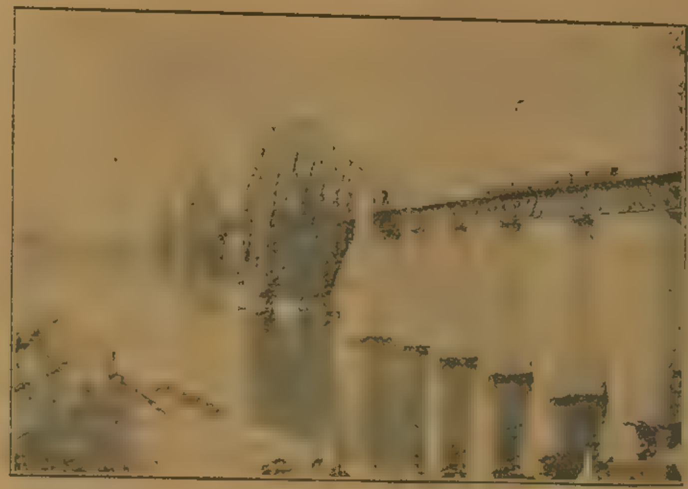
एडिनबरा कासिल और डॉक्टर गुथरी का स्मारक

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

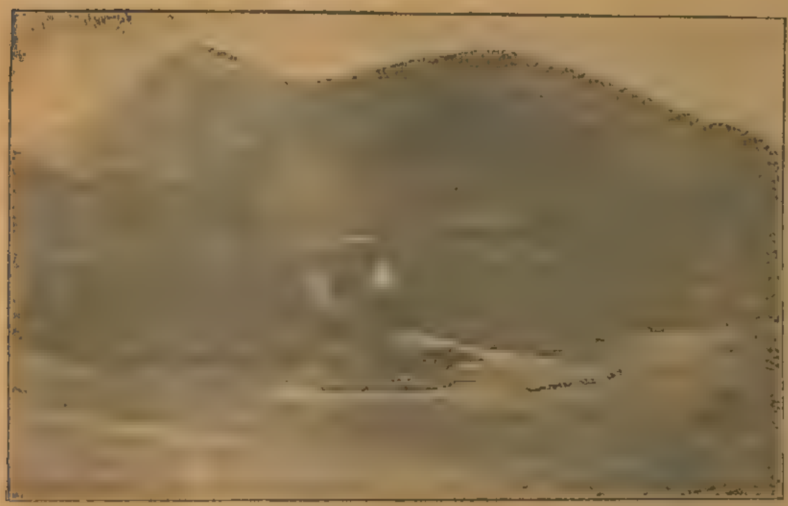
स्कॉटलैण्ड की राजधानी के कुछ दृश्य



सम्राट् एडवर्ड का स्मारक और हॉलीरूड पैलेस का फाटक



दी फ़ोर्थ-ब्रिज—यह पुल स्कॉटलैण्ड में सबसे बड़ा है। इसकी लम्बाई डेढ़ मील के लगभग है।



किंग्स पार्क का फ़व्वारा और आर्थर्स-सीट



एडिनबरा का प्रसिद्ध हॉलीरूड पैलेस

एडिनबरा के कुछ विख्यात व्यक्ति

१—सम्राज्ञी मैरी ऑफ़ स्कॉट्स
२—जॉन नौक्स
३—सर वॉल्टर स्कॉट
४—रौबर्ट बर्न
५—आर० एल० स्टीवेन्स
६—आडम स्मिथ
७—सर सिम्पसन



स्कॉटलैण्ड के विख्यात औपन्यासिक
सर स्कॉट का स्मारक

एडिनबरा के कुछ दर्शनीय स्थान

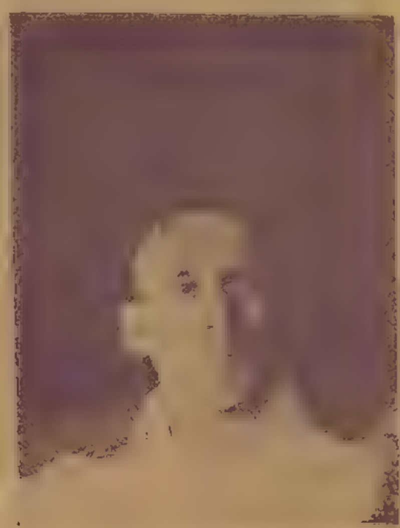
१—क़िला तथा युद्धस्मारक
२—हॉलीरूड पैलेस
३—प्रिन्सेज़ स्ट्रीट
४—फ़ोर्थ ब्रिज
५—पैण्टलैण्ड हिल्स
६—प्रिन्सेज़ गार्डन
७—रॉयल इनफ़र्मरी

यदि अवसर दिया जाय तो ये 'काले' क्या नहीं कर सकते ??

पाठकों को स्मरण होगा, हाल ही में आर्थिक कठिनाइयों के कारण 'ब्रॉडकास्टिङ्ग' सर्विस गवर्नमेण्ट की ओर से बन्द होने जा रही थी ; किन्तु कुछ 'कालों' के उद्योग एवं साहस का फल है, जिन्होंने संस्था को अपने हाथ में लेकर सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें अवसर दिया जाय तो वे पाश्चात्य देशवासियों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते । नीचे पाठक इन्हीं महानुभावों के चित्र, जो ख़ास तौर से 'भविष्य' के लिए आए हैं, देखेंगे :—



श्री० ए० के० नीमकर—भारतीय गानों एवं हिन्दी समाचारों को देने वाले ।



श्री० आर० एफ़० मेरेडिथ—अङ्गरेज़ी प्रोग्रामों को भेजने वाले ।



श्री० एम० डी० मधेकर, इञ्जीनियर



श्री० जॉन रॉडरिक्स, टेकनिकल-ऐसिस्टेण्ट



श्री० सी० बी० सेठना, स्टेशन-डाईरेक्टर



श्री० एम० ए० कटराक, इञ्जीनियर



वोर्ली (बम्बई) का ट्रान्समिटिङ्ग-स्टेशन—जहाँ से बेतार के तार द्वारा समाचार आदि भेजे जाते हैं



श्री० एल० ई० खोटे—भारतीय प्रोग्रामों को भेजने वाले ।



क्या फ़ायदा बयाँ से, मैं क्यों कहूँ ज़बाँ से, जो कुछ है हाल मेरा आँखों के रूबरू है।
हसरत जहान की है हसरत में कोई हसरत, दुनिया की आरज़ू भी क्या कोई आरज़ू है ?

उसको भी ढूँढते हैं, अपनी भी जुस्तजू[1] है,
एक वह भी है तमन्ना, एक यह भी आरज़ू है।
जिससे महक रहा है, बाग़े जहाँ[2] वह तू है,
फूलों को कौन सूँघे, इनमें ख़ुदी[3] की बू है।
जो सबको छोड़ बैठा, आशिक़ तेरा वह मैं था,
कहते हैं लोग जिसको, जाने जहाँ[4] वह तू है।
क्या कर दिया यह जादू, आँखों में बस गया तू,
हम जिसको देखते हैं, तुझ सा ही हूबहू[5] है।
मूसा के होश खोकर, ठहरा वहाँ न दम भर,
पास आके दूर रहना, मुद्दत से तेरी ख़ू[6] है।
हर सिम्त रोशनी सी, फैली हुई है कैसी,
परदे में जलवा अफ़शान[7], किसका रुख़े निकू[8] है।
जिस दिल में दर्द पाया, अपना उसे बनाया,
माशूक़ की नज़र में, आशिक़ की आबरू है।
ज़ाहिर में है ख़ुदा तू, बातिन[9] में दिलरुबा[10] तू,
यह भी है शान तेरी, इस शान में भी तू है।
जामे मुराद[11] भर दे, यक सू मुझे भी कर दे,
शुहरा तेरे करम[12] का, दुनिया में चारसू है।
आईने में हुवेदा,[13] है अक्स[14] आइने का,
मैं उसके रूबरू हूँ, वह मेरे रूबरू है।
आग़ोश[15] में भी आओ, नज़रों में भी समाओ,
दिल बक़फ़ें[16] आरज़ू है, आँखों की जुस्तजू है।
ग़ुन्चा[17] जो कोई चटका, बुलबुल ने दिल में समझा,
परदे का यह है आदी, परदे में गुफ़्तगू है।
इसियाँ[18] पसन्द मुझसा, आमुर्ज़गार[19] तुझसा,
दुनिया में मैं ही मैं हूँ, उक़बा[20] में तू ही तू है।
ज़ाहिद है जिसका शैदा, है नाम हूर उसका,
हम जिसपे मर मिटे हैं, वह और ख़ूबरू है।
वह थे हबीब[21] तेरे, महबूब[22] यह भी ठहरे,
आशिक़ वहाँ भी तू था, शैदा यहाँ भी तू है।
"बेख़ुद" शराब पीनी, आदत नहीं है तेरी,
हम तुझ को जानते हैं, मस्ते अलस्त[23] तू है।

—"बेख़ुद" देहलवी

❀

दुश्मन से यह सुना है, तुझको दग़ा की ख़ू है,
जो दिल में हो वह कह दे, हम हैं यहाँ कि तू है।
एक नातमाम फ़िक़रा, इतना सुना कि तू है,
कुछ आईना से उनकी, ख़लवत[24] में गुफ़्तगू है।

हाँ ख़ूब याद आया, एक और आरज़ू है,
इस वक़्त वह भी कह दूँ, नेकी के दम में तू है।
यह वक़्ते नज़आ[25] कैसी, आवाज़ दिल से निकली,
ख़ञ्जर न रोक लेना, बाक़ी रगे गुलू[26] है।
दुश्मन से साज़[27] करना, फिर हम से नाज़ करना।
यह भी कोई तरीक़ा, क्या यह भी कोई ख़ू है ?
मानेंगे तेरी क्योंकर, झगड़े के हम हैं ख़ूगर[28],
तू भी तो तुन्द-ख़ू[29] है, तू भी तो जङ्ग-जू[30] है।
तुम क़त्ल कर चुके हो, अब लाश पर से सरको,
पामाल[31] भी करोगे, क्या यह भी आरज़ू है ?
कहना रवा हो क्योंकर, माशूक़ को सितमगर[32],
तू दिल में ख़ुद समझ ले, हम क्यों कहें कि तू है ?

दुश्मन से दोस्ती का, अच्छा बुरा नतीजा,
क्या बेखुले रहेगा, चरचा तो चारसू है।
अपने पे तेरा धोका, किस तरह मैं न खाता,
पोशीदा[33] मेरे दिल में, मैं जानता हूँ तू है।
क़ासिद जवाब लाया, उनके क़लम का लिक्खा,
हमने जो ख़त को सूँघा, मेंहदी की उसमें बू है।
सौ वज़अदार[34] देखे, सौ पर्दादार[35] देखे,
निकली कभी न दिल से, यह कैसी आरज़ू है !

क्या फ़ायदा बयाँ से, मैं क्यों कहूँ ज़बाँ से,
जो कुछ है हाल मेरा, आँखों के रूबरू है।
देखा तो मरने वाले, सौ में न चार निकले।
यूँ दावए मुहब्बत, दुनिया में चारसू है।
"बेख़ुद" को तुमने देखा, मैख़ाने[36] से वह निकला,
एक हाथ में है बोतल, एक दोश[37] पर सुबू[38] है।

—"बेख़ुद" देहलवी

१—खोज, २—संसार, ३—ग़ुरूर, ४—संसार की जान, ५—उसी तरह, ६—आदत, ७—ज्योति डालना, ८—अच्छा चेहरा, ९—छिपा हुआ, १०—दिल ले जाने वाला, ११—इच्छा का प्याला, १२—कृपा, १३—ज़ाहिर, १४—परछाईं, १५—गोद, १६—इच्छा के लिए उतारू, १७—कली, १८—गुनाह, १९—दयावान, २०—परलोक, २१—दोस्त, २२—माशूक़, २३—आदि की मस्ती, २४—अकेले,

२५—अन्तिम समय, २६—गले की रग, जिसमें जान होती है, २७—मेलजोल, २८—आदी, २९—तेज़ मिज़ाज, ३०—लड़ाका, ३१—कुचलना, ३२—ज़ालिम, ३३—छिपा हुआ, ३४—अपने ढङ्ग के, ३५—परदा रखने वाला,

३६—शराबख़ाना, ३७—कन्धा, ३८—मटका,

रुबाई

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

अब ज़ोर तबीयत का दिखाता हूँ मैं,
हर रङ्ग के अशआर[1] सुनाता हूँ मैं।
मशहूर जो हूँ "नूह" का ख़ादिम "बिस्मिल",
तूफ़ान मज़ामीं[2] के उठाता हूँ मैं।

❀

दावा हुआ कब मुझको ग़ज़ल ख़्वानी[3] का,
कब ज़ाम हुआ मुझको ज़बाँदानी[4] का ?
"बिस्मिल" यह मेरे वास्ते क्या कम है शरफ़,[5]
शागिर्द हूँ मैं "नूह" से तूफ़ानी का।

१—पद्य, २—भाव, ३—ग़ज़ल कहना, ४—भाषा जानना, ५—मरतबा।

❀ ❀ ❀

गुलज़ारे[39] हुस्न में क्या, ख़ुश रङ्ग फूल तू है,
तेरी हवा बँधी है, फैली तेरी ही बू है।
हर लहजा दूबदू है, हर वक़्त रूबरू है,
हर चीज़ में नुमायाँ[40], अल्लाह तू ही तू है।
फिर-फिर के ढूँढ़ता हूँ, हर सिम्त[41] जुस्तजू है,
मिल जाय तू कहीं से, बस तेरी आरज़ू है।
बाग़े जहाँ में हरसू, फैली यह किस की बू है,
दुनिया महक रही है, जिस फूल से वह तू है।
हमसर[42] नहीं है तेरा, सानी नहीं है तेरा,
बे मिस्ल तू हसीं है, बे मिस्ल ख़ूबरू है।
हसरत जहान की है, हसरत में कोई हसरत,
दुनिया की आरज़ू भी, क्या कोई आरज़ू है ?
तुम तूर पर चले हो, जलवा तो देखने को,
मालूम तुमको मूसा, आदाबे[43] गुफ़्तगू है।
आँखें उठा-उठा कर, जिस सिम्त देखता हूँ,
सूरत तेरी है, जलवा तेरा है और तू है।
यह भी समझ ले दिल में, ऐ दूर रहने वाले,
बेकार जाने वाली, कब अपनी जुस्तजू है ?
तू मेरे सामने हो, मैं तेरे सामने हूँ,
क्या दिल की आरज़ू है, वह दिल की आरज़ू है।
जो मर रहा है तुझ पर, जो मिट गया है तुझ पर,
दुनियाए आशिक़ी में, बस उसकी आबरू है।
हासिल उसे न होगा, कुछ लुत्फ़ बेख़ुदी[44] का,
जिसमें ख़ुदी भरी है, जिसमें ख़ुदी की बू है।
दुनिया है दोस्त किसकी, दुनिया है दोस्त तेरी,
किसका जहाँ उदू[45] है, मेरा जहाँ उदू है।
आँखें यह कह रही हैं, महवे जमाल[46] हो कर,
पैदा है एक आलम, जिस शक्ल से वह तू है।
यह कह के गिर पड़े थे, बालाए[47] तूर मूसा,
यह कौन सामने है, यह कौन रूबरू है।
पुतला बना हुआ है, यह हसरतो हवस[48] का,
नन्हे से दिल को 'बिस्मिल' दुनिया की आरज़ू है।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

❀ ❀ ❀

३९—बाग़, ४०—ज़ाहिर, ४१—तरफ़, ४२—बराबर, ४३—बात करने का ढङ्ग, ४४—होश में न रहना, ४५—दुश्मन, ४६—प्रकृति को देख कर मग्न हो जाना, ४७—ऊपर, ४८—माया।

रिश्वत

[श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

किस मनुष्य ने सर्व-प्रथम रिश्वत दी, इतिहास इस विषय में मौन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि वह मनुष्य स्वार्थी था, जिसने कुछ देकर वह अधिकार या सेवा प्राप्त की, जिसका वह अधिकारी न था। उस मनुष्य के मन में सम्भवतः उस समय यह विचार भी न आया होगा कि इस प्रथा को जन्म देकर वह मनुष्य-समाज का कितना अपकार कर रहा है। यदि उसे इस अपकार का तनिक भी ध्यान आया होता, तो सम्भवतः उसने कदापि रिश्वत न दी होती।

इसमें सन्देह नहीं कि रिश्वत देना और उसे लेना अन्याय है। इससे देने और लेने वाले दोनों का पतन होता है। परद्रव्यापहरण का एक यह भी तरीक़ा है। दण्ड-विधान में जहाँ परद्रव्यापहरण के अन्य तरीक़े चोरी, ठगी, लूट, डकैती और ख़्यानत आदि जुर्म क़रार दिए गए हैं, वहाँ रिश्वतख़ोरी भी दण्डनीय अपराध माना गया है। परद्रव्यापहरण के अन्य अपराधों में केवल अपहरणकारी ही दण्डनीय होता है, पर रिश्वत देने और लेने वाला दोनों अपराधी ठहराए गए हैं। चोरी, ठगी, डकैती आदि में दूसरे का धन ज़बर्दस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण किया जाता है, पर रिश्वत में देने वाला अपनी ख़ुशी से और अपनी इच्छा से देता है। रिश्वत चोरी और डकैती आदि में तो आती नहीं है, पर ठगी से उसकी तुलना की जा सकती है। वास्तव में रिश्वत ठगी का ही एक प्रकार है, पर दोनों में अन्तर है। ठगा हुआ मनुष्य आरम्भ में यह नहीं जान पाता कि वह कुछ खो रहा है। पर रिश्वत देने वाला प्रारम्भ से अन्त तक यह भली-भाँति जानता रहता है कि वह कुछ खो रहा है। दूसरा भेद यह भी है कि ठगा हुआ मनुष्य बदले में कुछ प्राप्त नहीं करता, पर रिश्वत देने वाले को कुछ लाभ हो जाता है। कुछ दशाओं में यह भेद नहीं रहता है। रिश्वत देने वाले को जो लाभ होता है, अक्सर वह ऐसा होता है कि बिना रिश्वत दिए भी उस लाभ की प्राप्ति हो सकती है। रिश्वत और ठगी में एक तीसरा अन्तर भी है। ठगने में तो चातुरी की आवश्यकता होती है, पर ठगे जाने में नहीं। रिश्वत में रिश्वत देने और लेने वाले दोनों में बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। आजकल रिश्वत देना और लेना साधारण बात हो गई है, इससे उसके देने या लेने में कोई बुद्धिमानी ख़र्च नहीं करनी पड़ती। अदालत के अहलकार उसे अपना हक़ (ऊपरी आमदनी) समझते हैं और देने वाले भी उसे उनका हक़ मानने लगे हैं। पर जहाँ यह निश्चय नहीं होता है कि रिश्वत स्वीकार होगी या नहीं, वहाँ विशेष सावधानी से काम लेना पड़ता है। दोनों में एक और अन्तर भी है। ठगा जाने वाला मनुष्य अपने को निन्द्य नहीं समझता है, पर रिश्वत देने वाला जानता है कि वह अनुचित कर्म कर रहा है।

रिश्वत देने का साधारण तरीक़ा यह है कि देने वाला सीधे रुपए दे देता है। अदालतों में मुक़द्दमे होते रहते हैं, उच्च अफ़सर बैठे रहते हैं और रिश्वत का आदान-प्रदान जारी रहता है। कभी-कभी रिश्वत का रुपया विश्वस्त मनुष्य या नौकरों द्वारा पहुँचाया जाता है। यह तरीक़ा उच्च पदाधिकारियों को रिश्वत देने के समय बरता जाता है। पर इसमें सन्देह बना रहता है कि रुपया यथास्थान पहुँचा या नहीं। कभी-कभी चतुर मनुष्य रिश्वत पहुँचाने का ढोंग रच कर लोगों को ठग भी लेते हैं। एक महाशय के मकान में एक उच्च पदाधिकारी सज्जन किराए पर रहते थे। वे रिश्वत देने वालों से कह दिया करते थे कि चलिए मैं आपका रुपया आपके सामने ही पहुँचाए देता हूँ। पदाधिकारी महाशय मिलनसार थे, पर रिश्वत न लेते थे। दैवयोग से बड़े दिन की छुट्टी निकट आ गई थी। मकान-मालिक ने पदाधिकारी महाशय से कहा कि ये रुपए अमुक सज्जन को दे दीजिएगा। वे राज़ी हो गए। एक हज़ार रुपए उसी समय गिन दिए गए। वह सज्जन प्रसन्न-चित्त वापस आए; रिश्वत देने वाले को यह विश्वास हो गया कि उसकी रिश्वत की रक़म यथास्थान पहुँच गई। उधर दलाल महाशय ने पहिले से अपने मित्र से लिखा-पढ़ी कर रक्खी थी, वे अफ़सर महोदय से मिले और रुपए ले लिए। छोटी-मोटी रक़में तो लोग आसानी से वसूल कर लिया करते हैं; रिश्वत देने वाले से कह दिया कि चलिए, आपकी सारी कथा मैं आपके सामने ही अफ़सर महोदय से कहे देता हूँ। और उसको ले जाकर ज़रा दूर सड़क पर खड़ा कर दिया, जहाँ से वह उनकी और अफ़सर की बातचीत सुन तो न सके, पर देख सके। व्यापारी महोदय अफ़सर महाशय से इधर-उधर की गप्पें उड़ाते। किसी बहाने, से दूर खड़े हुए 'मूर्ख' की ओर उँगली भी उठा देते और एक-दो बातें ऐसी कह देते, जिससे अफ़सर महोदय को सर हिलाना पड़ता या हाँ कह देना होता। बस उस आदमी को विश्वास हो गया कि उसीके सम्बन्ध में बातें हो रही हैं और उसकी रिश्वत निस्सन्देह स्वीकृत हो गई है।

जिस प्रकार रिश्वत देने या पहुँचाने में कौशल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रिश्वत लेने में भी बुद्धिमानी की ज़रूरत पड़ती है। रिश्वत लेने और देने का दूसरा साधारण तरीक़ा यह है कि नक़द रुपए के स्थान में अधिकारी महोदय के लिए या उनके बच्चों और स्त्रियों के लिए कोई मूल्यवान वस्तु—वस्त्र, आभूषण, खिलौने आदि—दी जाती है। जो बड़े अफ़सर प्रत्यक्ष-रूप से रिश्वत लेना उचित नहीं समझते हैं, वे भी रिश्वत लेने का कोई न कोई साधन निकाल लेते हैं। एक अधिकारी महोदय अपने मातहतों से बाज़ार से वस्त्रादि मँगाया करते थे, पर दाम देना एकदम विस्मरण कर जाते थे। दूसरे सज्जन बाहर से कोई मूल्यवान वस्तु मँगाते थे, पर दाम देने का नाम भी न लेते थे। एक सज्जन अपने मातहतों को मनीऑर्डर फ़ॉर्म भर कर मनीऑर्डर कर आने को कह दिया करते थे और मातहत कर्मचारी चुपचाप चला जाता और मनीऑर्डर कर आता था। इस प्रकार वह मनीऑर्डर का रुपया न देते थे और न वह माँगता था। ऐसे अफ़सर के होने पर ईमानदार मातहत को भी बेईमानी करनी सीखनी पड़ती है। वह बेचारा न तो उनसे रुपए माँग सकता है और न उनकी आज्ञा टाल सकता है।

परीक्षा निकट आने पर स्कूलों के अध्यापक कई ट्यूशन कर लेते हैं और विद्यार्थी भी दुगुना-तिगुना मासिक देकर उनसे पढ़ने आते हैं। अध्यापक महोदय के घर पर शाम को १५-२० छात्र जमा हो जाते हैं और एक घण्टा योंही व्यर्थ गँवा कर वे घर वापस आते हैं। फिर उन छात्रों का प्रोमोशन निश्चित हो जाता है। कभी-कभी लोग अपना मकान अफ़सरों को रहने को दे देते हैं, पर किराया भूल कर भी नहीं माँगते। अफ़सर महाशय भी उनका या उनके लड़के, भाई, भतीजे, दामाद, वकील को 'पास' कर देते हैं। इस प्रकार दोनों लाभान्वित हो जाते हैं। एक का किराया बच जाता और दूसरे को किराए से कहीं अधिक प्राप्त हो जाता है।

रिश्वत लेने-देने के कुछ ऐसे तरीक़े भी हैं, जो रिश्वत की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्ण नाम से पुकारे जाते हैं और लोग इन्हें निन्द्य नहीं समझते। कमीशन रिश्वत का ही एक प्रकार है। दुकानदार आपको कमीशन देता है और आप समझते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है। पर बात यथार्थ में ऐसी नहीं है। दुकानदार कभी अपने पास से कमीशन नहीं देता। कमीशन लेने पर स्वामी का लाभ न हो, पर हानि अवश्य होती है। कमीशन की रक़म सौदे के मूल्य में जुड़ जाती है। तेल तिल्ली से ही निकलता है। दुकानदार या तो मूल्य अधिक लेगा या वस्तु ख़राब देगा। ठेकेदार लोग निर्ख़ बताते समय दो भाव बतलाते हैं। एक में ऊपरी ख़र्च शामिल होता है, दूसरे में नहीं। कमीशन की रक़म ठेके के रुपए में शामिल कर दी जाती है। आजकल बहुत से सज्जन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिस्पल बोर्ड के सदस्य इसीलिए होते हैं, कि इष्ट-मित्रों, सम्बन्धियों को ठेके दिला दिया करेंगे और कमीशन की रक़म स्वयम् प्राप्त करेंगे। जो लोग कुछ ईमानदार होने का ढकोसला करते हैं, वे कमीशन में रुपए के स्थान पर अनेक वस्तुएँ भेंट में लेते हैं। कभी-कभी इन वस्तुओं का नाम मात्र मूल्य भी अदा कर दिया जाता है। पर हैं यह सब रिश्वत के ही भिन्न-भिन्न रूप।

फ़ीस का लेन-देन भी रिश्वत में आता है। कमीशन गौरवपूर्ण रिश्वत है और फ़ीस बिना जोखम की। इस रिश्वत के व्यापारी कठिनता से क़ानून के शिकञ्जे में आते हैं। डॉक्टर महोदय अपनी फ़ीस लेकर १२ वर्ष की अवस्था को १५ कर देते हैं और वे किसी प्रकार इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। उन्हें यह कहने का सदैव अधिकार है कि उनकी राय में १५ वर्ष की अवस्था ही आई। फिर फ़ीस डॉक्टर साहब तो लिया ही करते हैं। फ़ीस देकर बीमारी के सार्टीफ़िकेट बहुधा प्राप्त किए जाते हैं। 'हैण्ड रायटिङ्ग इक्सपर्ट' की राय भी फ़ीस देकर अपने पक्ष में प्राप्त की जा सकती है।

बड़े आदमी भी रिश्वत लेते हैं, पर उसे अधिक गौरवपूर्ण नाम से पुकारा जाता है। वह भेंट या नज़र कही जाती है। कहा और समझाया यह जाता है कि नज़र सम्मानार्थ दी जा रही है, पर वास्तव में वह दी जाती है कुछ अनुचित लाभ उठाने के लिए। अधिक चतुर लोग होली, दिवाली, क्रिशमस और वर्षगाँठ आदि विशेष अवसरों पर मिठाई, खिलौने आदि लेकर पहुँचते हैं। साहब लोगों की डाली तो विख्यात है।

जाती बहुधा मेम साहबा या बच्चों के लिए लगाई जाती है। हिन्दुस्तानियों के यहाँ जनेऊ या लड़के-लड़कियों के ब्याह आदि अवसरों पर रिश्वत लेकर लोग हाज़िर होते हैं। कभी-कभी घर पर बुला कर चाय-पान करा दिया जाता है या दावत दे दी जाती है। यह सब शिष्टाचार का अङ्ग माना जाता है। पर सच पूछिए तो है यह सब रिश्वत। लोग इसे निन्द्य नहीं समझते हैं, पर है निन्द्य।

कुछ लोग अफ़सरों के लिए बहुत कम दाम पर शहर से वस्तुएँ ला देते हैं। वे भी यह कह कर कि अमुक मनुष्य सौदा अच्छा और सस्ता लाता है, निजी सेवा इस प्रकार लिया करते हैं। निजी सेवा के अनेक रूप हैं और यह भी रिश्वत का एक सुन्दर और निरापद प्रकार है। बाज़ार से सौदा लाने का ज़िक्र ऊपर हो चुका है। एक प्रोफ़ेसर साहब छात्रों से लेख आदि नक़ल कराया करते थे, और उनके छात्र तन-मन से उनके काम में जुटे रहते थे। बच्चों को खेल-तमाशे दिखा लाना, डॉक्टर को बुला देना, शिकार आदि कराने ले जाना, नौकर आदि तलाश कर देना, समाचार-पत्रों में या अफ़सरों से तारीफ़ कर देना आदि इसमें विविध रूप हैं। अफ़सर लोग अक्सर नए स्थानों में आते-जाते रहते हैं और उनकी आवश्यकताएँ भी अनेक होती हैं। कुछ लोग ऐसे अवसरों की खोज में रह कर अपना काम निकालते हैं। आजकल रिश्वत का यह प्रकार वकीलों में ख़ूब चल निकला है। कुछ लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं और अफ़सरों के अनुचित और निन्दनीय कामों, शौक़ों में सहायक होकर अपना तुच्छ स्वार्थ-साधन करते हैं।

रिश्वत का एक और प्रकार है। किसी अदालत में किसी वकील के 'लगने' की प्रसिद्धि हो जाने पर लोग उन्हीं को अपना वकील करते हैं और अपना काम सिद्ध करने की लालसा रखते हैं। उस अदालत के लिए वही रिश्वत हो जाती है। इस प्रकार की रिश्वत का चलन भी इधर ख़ूब होने लगा है।

हमारे देश में रिश्वत का बड़ा प्रचार है। जिधर देखिए उधर ही इसकी तूती बोलती है। पुलिस और अदालतों में तो रिश्वत का बड़ा ही ज़ोर है और क़ानून का दारमदार भी इन्हीं दोनों पर है। बड़े-बड़े अफ़सरों की रिश्वत का कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अफ़सरों के निकट रहते हुए अहलकार अदालतों में अपना 'हक़' वसूल करते रहते हैं। वकील जो न्याय कराने के लिए अदालत के अफ़सर माने जाते हैं, वे भी उसके आदान-प्रदान में प्रमुख भाग लेने लगे हैं। अदालतों में जिधर जाइए उधर दिन-दहाड़े रिश्वत का बाज़ार गर्म मिलेगा। पुलिस-विभाग इस सम्बन्ध में काफ़ी सुनाम (!!!) पा चुका है। भारतीय पुलिस की रिश्वतख़ोरी विदेशों में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। मुहर्रिर बिना अपना हक़ लिए रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। किसी गाँव में डाका पड़ गया या क़त्ल हो गया, तो फिर क्या पूछना है, थानेदार से लेकर कॉन्स्टेबिलों तक की पाँचों अँगुलियाँ घी में हो जाती हैं।

ज़मींदारों और उनके अहलकारों में रिश्वत 'नज़राना' के नाम से विख्यात है। जितनी बड़ी रियासत होगी, उतना ही ज़्यादा इसका वहाँ ज़ोर होगा। कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स का इस सम्बन्ध में कुछ कम नाम नहीं है। अब तो रिश्वत का ज़ोर व्यवस्थापक सभाओं में भी होने लगा है। भाई-भतीजों को नौकरी दिला देने के वादे पर वोट लिए जाते हैं। रिश्वत लेने-देने का चलन सभी विभागों में बढ़ रहा है। अभी तक स्कूल और डाकख़ाने इस बला से बरी समझे जाते थे, पर वहाँ भी इसके चरण पहुँच गए हैं।

लेखक को अन्य देशों का अनुभव तो नहीं है, पर जहाँ तक मालूम हुआ है, यूरोपियन देशों में रिश्वत का इतना ज़ोर नहीं है। पर वहाँ रिश्वत के भाई टिपिङ्ग (Tipping) का ख़ासा ज़ोर है। रेलवे स्टेशन, होटल, सिनेमा-हॉल, कहीं भी आप हों, टिपिङ्ग आपको करनी होगी। किसी मित्र से आप उसके गाँव में मिलने जाइए, बटलर, फ़ुटमैन, कोचमैन, ग्रूम आदि सलाम करने को खड़े हैं। किसी होटल में आप चाय-पानी कीजिए, बिल से तिगुना टिपिङ्ग में ख़र्च हो जायगा। टिपिङ्ग से लोग परेशान हो चले हैं, पर किसमें इतना साहस है कि वह इससे इन्कार कर सके? महात्मा गाँधी से भी लोग टिपिङ्ग के इच्छुक हुए थे, पर उनका सीधा उत्तर पाकर कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लोग चक्कर में आ गए थे। उनके जीवन में उनको शायद प्रथम बार ही एक ऐसे शख़्स से पाला पड़ा था, जिसने टिपिङ्ग करने से इन्कार किया।

रिश्वत देने से कभी-कभी कुछ सुविधा अवश्य हो जाती है। परन्तु अदालतों में रिश्वत एक साधारण बात हो गई है और वहाँ इससे कोई सुविधा नहीं होती। पर न देने से असुविधा अवश्य होती है। अहलकार यह समझ कर कि उनका 'हक़' उनको न मिला, रिश्वत न देने वाले को परेशान करने लगते हैं। रिश्वत पाने की आदत हो जाने पर रिश्वत नहीं मिलती, तो काम बिगाड़ दिया जाता है। मिनिटों के काम में घण्टों लगा देना, उनके लिए बाएँ हाथ का काम होता है। रिश्वत लेने वाले साधारण से साधारण काम में रिश्वत का सुभीता निकाल लेते हैं। पर इससे राष्ट्र और समाज की बड़ी क्षति हो रही है। देश और समाज के नेताओं का ध्यान इस ओर जाना परमावश्यक है। रिश्वत देना और लेना क़ानून से निषिद्ध अवश्य है, पर इसका चलन अदालतों में ही सबसे अधिक है। गवर्नमेण्ट को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। रिश्वत के विरुद्ध ज़ोरों से आन्दोलन प्रारम्भ हो जाना उचित है। रिश्वत विरोधिनी सभाओं (Anti-Bribery Leagues) की स्थापना स्थान-स्थान पर होनी चाहिए। नैतिक और सामाजिक दृष्टि से रिश्वतख़ोरी महापाप है, फिर वह चाहे जिस प्रकार की हो। प्रत्येक प्रकार की रिश्वत की निन्दा ज़ोरों से की जानी चाहिए। समय रहते चेतना लाभप्रद है। रिश्वतख़ोरी से हमारे राष्ट्रीय जीवन को बड़ा धक्का लग रहा है। अभी तक हिन्दुओं में एक-दो जातियाँ रिश्वतख़ोरी के लिए विख्यात थीं और उनके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित थीं, पर अब तो प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग में इसका प्रभाव ज़ोरों से बढ़ रहा है। बहुत थोड़े से लोग ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने रिश्वत न ली हो या न दी हो। हमें विश्वास है कि लोगों का ध्यान इस ओर शीघ्र आकर्षित होगा।

❀ ❀ ❀







'माले मुफ़्त दिले बेरहम'

गोरी सेना के लिए सरकारी व्यय का विवरण

[पूना के 'मराठा' नामक अङ्गरेज़ी अख़बार में एक विशेषज्ञ ने गोरी सेना के लिए सरकारी व्यय के सम्बन्ध में एक सुन्दर विवरणात्मक लेख प्रकाशित कराया है। सर्व-साधारण की जानकारी के लिए उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

—स० 'भविष्य']

भारत-सरकार के सेना-विभाग का ख़र्च दो भागों में विभक्त है। एक भाग गोरी सेना के लिए ख़र्च किया जाता है और दूसरा भारतीय सेना के लिए। इन दोनों भागों के ख़र्च में जो पार्थक्य और विषमता मौजूद है, उसके कतिपय प्रधान अङ्गों पर नीचे प्रकाश डाला जाता है। इस संक्षिप्त विवरण से ही पाठक समझ सकेंगे कि अगर गोरी सेना कम कर दी जाय तो सरकार के सामरिक विभाग के अन्धाधुन्ध बढ़े हुए ख़र्च में कितनी कमी हो सकती है।

भारतीय बनाम ब्रिटिश

भारत में प्रायः ६० हज़ार ब्रिटिश सैनिक (साधारण सैनिक और नन-कमीशण्ड अफ़सर) रहते हैं। इन ६० हज़ार ब्रिटिश सैनिकों की जगह अगर ६० हज़ार भारतीय सैनिक रक्खें जाएँ, तो ख़र्च में विशेष कमी हो सकती है। पहले हम इसी का विवरण प्रदान करते हैं।

सब से पहले वेतन की दर पर विचार कीजिए। प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक का वेतन भारतीय सैनिक की अपेक्षा चार गुना या पाँच गुना अधिक होता है। इसके अलावे कुछ भत्ते की रक़में हैं, जो केवल भारत में रहने वाले गोरों को ही दी जाती हैं। इनका विवरण इस प्रकार हैं :—

(१) प्रत्येक विवाहित ब्रिटिश सैनिक के असबाब आदि के लिए ३॥), (२) प्रत्येक विवाहित सैनिक को विवाहित होने के कारण ३०), (३) प्रत्येक विवाहित सैनिक को प्रत्येक सन्तान के लिए (चार सन्तान तक) १०) के हिसाब से ४०), (४) प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक को हजामत बनवाने के लिए ३) और (५) भारत में ब्रिटिश सैनिकों को जीविकार्जन करने योग्य शिक्षा देने के लिए कुल प्रायः सात लाख रुपए ख़र्च किए जाते हैं।

कुछ भत्ते ऐसे हैं, जो काले और गोरे दोनों रङ्गों के सैनिकों को दिए जाते हैं,परन्तु उनकी दरों में ज़मीन-आसमान का अन्तर है। जैसे, प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक ६॥)॥ ख़ुराकी पाता है, परन्तु भारतीय सैनिक पाता है केवल ॥=); यानी प्रत्येक गोरा सैनिक काले सैनिक की अपेक्षा ग्यारह गुना अधिक ख़ुराकी पाता है! अगर दोनों रङ्गों के सैनिकों का वेतन और भत्ता बराबर कर दिया जाए, तो प्रत्येक वर्ष २८ से ३२ करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। और अगर यह बची हुई रक़म भारत की शिक्षोन्नति सम्बन्धी कामों में ख़र्च हो तो देश की कितनी भलाई हो सकती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं।

मज़ेदार भत्ता

(१) ख़ुराकी ख़र्च—ब्रिटिश और भारतीय दोनों प्रकार के सैनिकों को ख़ुराकी बिना मूल्य दी जाती है। भारतीय सेना में इस भत्ते का नाम 'मसल्ला ख़र्च' है। अगर ब्रिटिश सेना की जगह केवल भारतीय सेना ही रक्खी जाए, तो इस 'मसल्ला ख़र्च' में साढ़े बयालीस लाख रुपए की बचत हो सकती है।

(२) धोबी और नाई का ख़र्च—इन दोनों ख़र्चों के लिए भारतीय सैनिकों से पाँच आने मासिक उनके वेतन से काट लिए जाते हैं, परन्तु गोरों को ३) अधिक मिलते हैं। इस मद में २२ लाख ७५ हज़ार रुपए की बचत हो सकती है—ब्रिटिशों का भत्ता रोक कर साढ़े बीस हज़ार और भारतीयों से जो पाँच आने ले लिए जाते हैं, उससे सवा दो लाख।

(३) पोशाक—इसके लिए ब्रिटिश सैनिकों को ५॥।≡) और भारतीय सैनिकों २॥।≡) दिया जाता है। अगर यह भेद-भाव उठा दिया जाए, तो साढ़े बीस लाख रुपए की बचत हो सकती है। पाठकों को याद रखना चाहिए कि सैनिक वर्दी जो दी जाती है, यह पोशाक ख़र्च इसके अलावा है।

(४) सरञ्जामी ख़र्च—इसके लिए गोरे सैनिक ५॥।≡) और भारतीय सैनिक २॥।≡) पाते हैं। अर्थात् प्रत्येक गोरे सिपाही को ३) अधिक दिया जाता है। अगर यह वैषम्य उठा दिया जाए, तो इस मद से साढ़े बीस लाख रुपए बच सकते हैं।

(५) शिक्षा-ख़र्च—यह ख़र्च केवल गोरे सिपाहियों के लिए ही होता है। यह याद रखने की बात है कि ब्रिटिश सैनिकों में सैकड़े ८५ पढ़े-लिखे होते हैं और देशी सैनिकों में चौदह, परन्तु शिक्षा की व्यवस्था केवल गोरों के लिए ही है, कालों के लिए नहीं। वर्तमान समय में यह कार्य वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा सम्पन्न होता है, इसलिए सैनिकों की शिक्षा की आवश्यकता है। परन्तु बेचारे देशी सैनिक इससे वञ्चित रक्खे जाते हैं।

मकान और असबाब

(६) असबाब—गोरे सैनिकों को विवाहित होने के लिए तो भत्ता मिलता ही है। अगर उन विवाहितों की स्त्रियाँ साथ रहें तो उन्हें निश्चय ही असबाब और मकान की भी आवश्यकता पड़ती है। फलतः इसके लिए उन्हें अलग भत्ता मिलता है और उसकी दर मासिक ३।) रुपए होती है। परन्तु भारतीय सैनिक को विवाहित होने पर भी असबाब आदि की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसे वृथा रुपए देकर, उसके रुपए की थैली को भाराक्रान्त नहीं होने दिया जाता। तात्पर्य यह कि बीबी और बच्चे के ख़र्च के लिए उसे एक कौड़ी भी नहीं दी जाती। अस्तु, अगर यह ख़र्च बन्द कर दिया जाए, तो इससे सरकार को तीन लाख सालाना की बचत हो सकती है।

जीविकार्जन शिक्षा

(७) भारतीय सेना-वाहिनी को जीविका उपार्जन के लिए शिक्षा देने का प्रबन्ध विलायत में है और भारत में भी। इङ्गलैण्ड में यह विद्यालय इनस्नोचिजेलन नामक स्थान में है और भारत में मऊ, नसीराबाद तथा कार्की में। इसके लिए हमारी सरकार प्रति वर्ष ६ लाख रुपए ख़र्च करती है।

भारतीय सैनिकों की तनख़्वाहें कम हैं। सैनिक कार्य-काल पूरा हो जाने पर उनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन भी नहीं रह जाता। अथच उनके लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता हमारी सरकार नहीं समझती। ख़ैर, इस मद में भी छः लाख रुपयों की बचत हो सकती है।

धार्मिक शिक्षा

(८) इस मद में हर साल साढ़े सात लाख रुपए ख़र्च होते हैं। भारतीय सैनिकों की संख्या गोरी सेना की संख्या की अपेक्षा तिगुनी है, परन्तु उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए केवल एक लाख ख़र्च होता है और बाक़ी गोरों की धार्मिक शिक्षा के लिए अर्थात् कालों की अपेक्षा गोरों की शिक्षा में १८ गुना अधिक ख़र्च किया जाता है। अगर यह धार्मिक शिक्षा का ढकोसला उठा दिया जाए, तो सात लाख रुपए इस ग़रीब देश के बच सकते हैं।

वेतन

(९) ६० हज़ार गोरों की जगह अगर ६० हज़ार भारतीय सैनिक रक्खे जाएँ, तो ४ करोड़ ४२ लाख की बचत होगी।

(१०) ब्रिटिश नन-कमीशण्ड अफ़सरों की जगह अगर भारतीय नन-कमीशण्ड अफ़सर रहें तो २१ लाख रुपए की बचत होगी।

बीबी और लड़के-लड़कियों का ख़र्च

(११) बीबी-ख़र्च, जो प्रत्येक गोरे सैनिक को दिया जाता है, अनावश्यक है। उसे बन्द करके ८ लाख रुपए बचाए जा सकते हैं।

(१२) बेटी-बेटा के लिए अतिरिक्त भत्ता गोरों को ही मिलता है, भारतीयों को नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर तो सरकार ही दे सकती है, परन्तु अगर ख़र्च बन्द हो जाए तो इससे भी आठ लाख रुपए बच सकते हैं।

(१३) ब्रिटिश सैनिकों का यह सन्तान-शिक्षा-ख़र्च उनके बच्चों की शिक्षा में ख़र्च होता है। उनके लिए स्कूल स्थापित हैं। उन्हें पुस्तकें मुफ़्त दी जाती हैं और साथ ही उनके खेलने-कूदने के लिए भी यथेष्ट प्रबन्ध रहता है। इन स्कूलों की विशेषता यह है, कि इनमें काम करने वाले शिक्षक का अङ्गरेज़ होना अनिवार्य है। ये शिक्षक अगर विवाहित होते हैं, तो सैनिकों की तरह पत्नी और सन्तान के लिए अतिरिक्त ख़र्च पाते हैं।

(१४) सेनापतियों का ख़र्च—ब्रिटिश अफ़सरों को, जो विवाहित होते हैं, उनके भत्ते का मज़ेदार हिसाब इस प्रकार है :—

लेफ़्टिनेण्ट कर्नल ७५), मेजर ९०), कप्तान १००) लेफ़्टिनेण्ट ६५) अर्थात् इसका पड़ता फ़ी अफ़सर ७५) महीना है। विवाह होते ही उन्हें यह अतिरिक्त भत्ता मिलने लगता है। परन्तु भारतीय सेनापति, जो प्रायः सभी विवाहित होते हैं; उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा ब्रिटिश अफ़सर भारतीय अफ़सरों की अपेक्षा ६ गुना से २० गुना तक अधिक वेतन पाते हैं, ऐसी अवस्था में यह उचित था कि बेचारे भारतीय अफ़सरों को भी थोड़ा बहुत वैवाहिक ख़र्च मिला करता। ज़रा यह सोचने की बात है कि ब्रिटिश अफ़सरों को तनख़्वाह के अलावा, केवल भारत में रहने के लिए भत्ता मिलता है, विवाहित होने के लिए भत्ता मिलता है, बीबी साथ रखने के लिए भत्ता मिलता है। लेफ़्टिनेण्टों को छोड़ कर (क्योंकि उनमें अधिकांश अविवाहित होते हैं) इस मद से २५ लाख की बचत हो सकती है।

(१५) सेनानायकों के प्रवास सम्बन्धी भत्ते—अपने परिवार वालों से अलग होने पर गोरे सेनानायकों को जो भत्ते की रक़म प्राप्त होती है, उसका विवरण इस प्रकार है :—प्रत्येक लेफ़्टिनेण्ट-कर्नल को १२०), मेजर ९०), कप्तान ६०) और लेफ़्टिनेण्ट ४०) प्रति मास पाता है।

"बी" कैटलॉग दाम ॥)
"सी" कैटलॉग दाम ।)



सोने-चाँदी के फ़ैन्सी ज़ेवर के लिए

सोनी मोहनलाल जेठाभाई

३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफ़ोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता



पोस्टेज भेज कर मँगाइए !

विशेषांकों की धूम !! [बिना मूल्य भेंट]

साहित्य-अङ्क मूल्य १) — **कला-अङ्क** मूल्य २) — **प्रवासी-अङ्क** मूल्य १)

३१ दिसम्बर तक नए ग्राहक बनने वालों को उक्त तीनों विशेषाङ्क बिना मूल्य भेंट !

"मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सङ्कलित करने की परिपाटी बहुत ही उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 'विशाल-भारत' अपना सानी नहीं रखता—यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है।"

—'प्रताप'

विशेषाङ्कों का पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य ६।=) मनीऑर्डर से भेजिए, या वी०पी० से मँगाइए।

'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया

१ 'कुमुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥=)
२ 'गल्पगुच्छ' कहानियाँ— " " मू० १॥) " १।–)
३ 'षोडशी' (कहानियाँ)— " " मू० १॥) (छप रही है)
४ 'रूस की चिट्ठी' (भ्रमण-कहानी) " " मू० १॥)ग्राहकोंको१।–)
५ 'भेड़ियाधसान' (हास्यरस)–ले०, "परशुराम" " मू० १॥) " १।–)
६ 'लम्बकर्ण' (सचित्र हास्य)— " " मू० १|) " १=)
७ 'प्रेम-प्रपञ्च' (उपन्यास)—ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १|) " १=)
८ 'मुसोलिनी और नवीन इटली'—ले० पो० एन० राय; अनुवादक ब्रजमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है)

पता—'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०।२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता

मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!!



मशहूर दाद की दवा। २४ घण्टे में दाद को आराम करती है ! १ डब्बी का दाम ।=), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा मँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, ५ वर्ष। और डेढ़ दर्जन मँगाने से १ किंडी ग्रामोफ़ोन इनाम। डाक-व्यय १|) पृथक।

पता—बी० बी० भवन, हाटखोला, कलकत्ता



सुन्दर और सस्ती

ऐसी घड़ी समय की पक्की, मशीन की मज़बूत, कल-पुर्ज़े की दुरुस्त इस दाम में नहीं मिल सकती। मूल्य निकल केस ४॥) रोल्ड-गोल्ड ५) डाक व पेकिङ्ग ।=) अलग

जादू की स्याही—गुप्त

पत्र-व्यवहार के लिए |) का टिकट भेज कर हमसे मँगाइए।

इन्टर नेशनल मारकेट पो० ब० १२९, कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

–) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष-माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए ! पता—

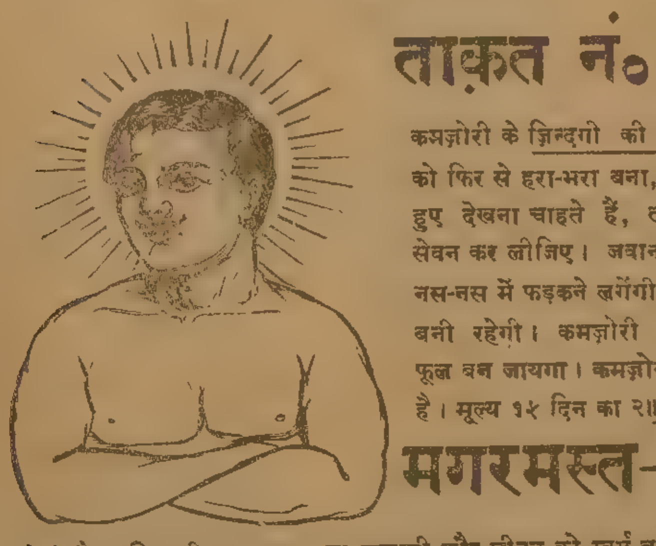
इण्टर नेशनल कॉलेज (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)
३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

बेरोज़गारों को शुभ समाचार

भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा सज्जनों से केवल ५०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर दो माह के मामूली समय में ड्राइवरी और फ़िटर का पूरा काम सिखा देता है। यह सरकार से रजिस्ट्री शुदा कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर मुफ़्त मँगा कर देखिए।

नोट—नियमावली के लिए पता पूरा और साफ़-साफ़ लिखें।

पता—मैनेजर, इम्पीरियल मोटर ट्रेनिङ्ग कॉलेज, नं० १, चाँदनी चौक, नियर इम्पीरियल बैङ्क, देहली



ताक़त नं० १

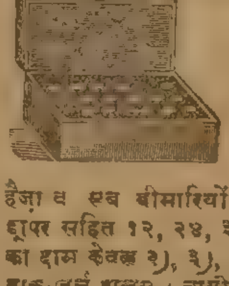
अगर आप पराक्रमी और सिंह के समान ताक़तवर बनने की इच्छा रखते हैं, अगर आप बग़ैर किसी शर्म और कमज़ोरी के ज़िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं, अगर बर्बाद जीवन को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बग़ीचे में अपने को लहलहाते हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३० दिन सेवन कर लीजिए। जवानी का जोश, नौजवानों की उमङ्गें शरीर की नस-नस में फड़कने लगेंगी। तबियत हर समय तरोताज़ा और मस्त बनी रहेगी। कमज़ोरी हमेशा के लिए काफ़ूर हो, चेहरा गुलाब का फूल बन जायगा। कमज़ोरी दूर करने के लिए ताक़त नं० १ पक्की गारन्टी है। मूल्य १५ दिन का २॥) डाक ख़र्च ॥)

मगरमस्त—

है। दुनिया में एक नई ईजाद ताक़तवर गोली सोने से घण्टा भर पहले १ गोली खाने से बदन में दूनी ताक़त व फ़ुर्ती पैदा होती है। ज़िन्दगी का सच्चा मज़ा चखाती और जीवन को स्वर्ग बनाती है। मूल्य ३० गोली ३) डाक ख़र्च ॥)

दवा मँगाने का पता—महाविश्व औषधालय, मुरादाबाद (यू० पी०)
हेड ऑफ़िस—पी-बी १२२१२, कलकत्ता

होमियोपैथिक दवाइयाँ



विशुद्ध अमेरिकन दवाइयाँ प्रति ड्राम –)।, –)॥ व अमेरिका से असली दवा, अङ्गरेज़ी पुस्तक, शीशी, काग, गोली आदि मँगा कर सस्ते दर में बेचते हैं।

हैज़ा व सब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब ड्रापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ दवाओं का दाम केवल २), ३), ३॥), ५॥), ६॥), ९), ११) रु० डाक-ख़र्च अलग। बायोकैमिक दवाइयाँ प्रति ड्राम –)॥। बायोकैमिक दवाइयों का बक्स, एक किताब व १२ दवाइयों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥|–) अलग।

सूचीपत्र मुफ़्त

पता—मजुमदार चौधुरी एण्ड कम्पनी
नं० ६८, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता

(१६) विवाहित अफ़सरों के मकान-भाड़े की रक़म—प्रत्येक विवाहित गोरे अफ़सर को मकान-भाड़े के लिए जो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, उसका ब्योरा यों है :—कर्नल १२०), मेजर ११०), कप्तान ६०) और लेफ़्टिनेण्ट ५०)।

(१७) अब ज़रा अफ़सरों के मकानों के विस्तार का हाल सुनिए। लेफ़्टिनेण्ट को २ युनिट, कप्तान साहब ३ युनिट, मेजर ४ युनिट और कर्नल ७ युनिट। एक युनिट २५० वर्ग फ़ीट के बराबर होता है। जिन अफ़सरों की बीबियाँ साथ रहती हैं, उन्हें अपेक्षाकृत दो या एक युनिट अधिक स्थान दिया जाता है। अगर किसी अफ़सर को निर्दिष्ट मकान में स्थान नहीं मिलता तो वह दूना मकान-भाड़ा पाता है।

(१८) भारतीय सैनिकों की अफ़सरी करने वाले गोरे अफ़सरों को एक और भत्ता मिलता है और यह शायद उन्हें कालों के कष्टकर संसर्ग में रहने के उपलक्ष में दिया जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है :—कर्नल २००), मेजर २००), कप्तान १२०), लेफ़्टिनेण्ट १००) और ७५ । इस कृष्णकाय संसर्ग भत्ते की कुल रक़म ५० लाख है। क्या यह रक़म बचाई नहीं जा सकती ?

(१९) इञ्जिनियरों का भत्ता—सेना-विभाग में काम करने वाले सभी गोरों को भत्ते मिलते हैं तो इञ्जिनियर साहबान क्यों वञ्चित रहें। इसलिए उन्हें भी तनख़्वाह के अलावा कुछ घेलुआ मिलता है। ये लोग होते भी हैं कर्नल-मेजर उपाधिधारी। अस्तु ! कर्नल इञ्जिनियर प्रति मास १६०), मेजर ११५), कप्तान ७०) और लेफ़्टिनेण्ट साहब ४५) पाते हैं। इस मद में साढ़े तीन लाख रुपए स्वाहा होते हैं।

वेतन-वैषम्य

(२०) आर० एम० सी० का वेतन—भारतीय सेना-वाहिनी की चिकित्सा के लिए नीचे लिखे अनुसार रुपए अतिरिक्त व्यय होते हैं और इस विभाग के अफ़सर भी कर्नल और मेजर उपाधिधारी होते हैं। प्रत्येक कर्नल को ३००), मेजर २५०), कप्तान १५०), १२०) और लेफ़्टिनेण्ट १००) से १२५) तक अतिरिक्त भत्ता पाते हैं। इस मद में ३ लाख रुपए व्यय होते हैं।

(२१) भार-प्राप्त अधिनायकों का भत्ता—प्रत्येक सेना में पाँच ऐसे अफ़सर होते हैं, जो भार-प्राप्त अधिनायक कहे जाते हैं। इनमें जो कमाण्ड या सेकेण्ड-इन-कमाण्ड कहलाते हैं ५०), ऐडजूटेण्ट और कार्टर मास्टर १००) और ७५), ट्रान्सपोर्ट ऑफ़ीसर ४०)। इनके भत्ते में १६ लाख रुपए सालाना ख़र्च होते हैं।

(२२) ब्रिटिश वाहिनी के ब्रिटिश अफ़सरों और भारतीय वाहिनी के ब्रिटिश अफ़सरों के वेतनों का पार्थक्य :—

लेफ़्टिनेण्ट कर्नल	...	१७५०)—१६५०)
मेजर	...	१२३५)—१४३५)
कप्तान	...	६५५)—११५५)
”	...	८२५)—६२५)
फ़र्स्ट लेफ़्टि०	...	६२०)—७२०)
सेकेण्ड लेफ़्टि०	...	५४५)—६२०)
”	...	४६०)—५६५)

इस गोरी और काली सेनाओं के अफ़सरों के वेतनों की विषमता के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि इस पार्थक्य का कोई युक्तिसङ्गत कारण नहीं हो सकता। फलतः सरकार चाहे तो अनायास ही इस पार्थक्यता को हटा कर इस मद से पचास लाख रुपए की बचत कर सकती है।

(२३) सामरिक विभाग की सवारियों और गर्मियों में स्थान-परिवर्तन करने आदि में प्रति वर्ष ३ करोड़ २५ लाख रुपए ख़र्च होते हैं। इसमें २ करोड़ २५ लाख भारत में और बाक़ी एक करोड़ इङ्गलैण्ड में ख़र्च होते हैं। भारत में, इस काम के लिए जो रुपए ख़र्च होते हैं, उसमें से अनायास १ करोड़ १० लाख की बचत हो सकती है।

(२४) भारतस्थ गोरी सेना के लिए इङ्गलैण्ड में तेरह करोड़ बारह लाख रुपए हर साल ख़र्च होते हैं। यह रक़म गोरी सेना का भाड़ा कही जाती है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझना अधिक सुगम होगा। भारत में ६० हज़ार गोरे सैनिक हैं, प्रत्येक सैनिक के लिए २५ पौण्ड के दर से कुल पन्द्रह लाख पौण्ड अर्थात् १ करोड़ ६५ लाख रुपए भाड़ा देना पड़ता है। गोरे सैनिक के भारत में रहने के समय उसे भारतीय सेना की अपेक्षा चौगुना वेतन मिलता है। इसके सिवा नाना प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। उनके रहने के लिए सुन्दर वासस्थान दिया जाता है। उनकी चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहती है। ग़र्ज़ें कि यहाँ उन्हें रहने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, तथापि उन्हें भाड़ा-स्वरूप इतना रुपया और दिया जाता है !

परन्तु इतने से ही बस नहीं है, इन गोरे सैनिकों के 'बेकारी के बीमा' और स्वास्थ्य के बीमे के लिए भी इस अभागे देश को प्रति वर्ष ५-७ लाख रुपए देने पड़ते हैं। इन मदों की कुल रक़म तेरह करोड़ बाईस लाख है, जो भारत की रक्षा करने वाली गोरी पल्टन के लिए इङ्गलैण्ड में ख़र्च की जाती है। हमारी समझ में यह रुपए अनायास बचाए जा सकते हैं।

(२५) भारतीय सेना-विभाग में बहुत से गोरे क्लर्क आदि काम करते हैं। उन्हें ख़ूब मोटी तनख़्वाहें दी जाती हैं। अगर उनकी जगह भारतीय क्लर्कों को दी जाय तो इस देश के हज़ारों पढ़े-लिखे बेकारों को रोज़ी मिल जाए और बड़ी आसानी से एक करोड़ पचास लाख रुपए की बचत भी हो जाए।

अब यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि अगर गोरे सैनिकों को भारतीय सैनिकों के बराबर ही वेतन दिया जाए अथवा गोरों की जगह तमाम भारतीय नियुक्त कर दिए जाएँ तो प्रति वर्ष २८ से ३२ करोड़ की बचत हो सकती है। पृथिवी पर यही एक देश है, जहाँ सरकारी आमदनी का प्रतिशत ६६ भाग सेना-विभाग के लिए ख़र्च होता है। अन्यान्य देशों में सेना-विभाग के लिए जो ख़र्च होता है, उसकी तादाद ३) से ६) तक होती है।

क्या इस अन्धाधुन्ध अपव्यय को रोकने का कोई उपाय नहीं हो सकता ?

❀ ❀ ❀

विलायत की स्त्रियों को मताधिकार दिलाने वाली श्रीमती एमिली पेङ्कहर्स्ट

[श्री० ब्रजमोहन भटनागर]

विधाता का विधान भले ही निश्चिय हो, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो मनुष्य जिस अवस्था में है, कल वह उसमें हो नहीं रहता। एक मनुष्य जब किसी नए सिद्धान्त के प्रचार के लिए उठता है, तो चारों ओर से उसकी हँसी उड़ाई जाती है, उस पर लाञ्छन लगाए जाते हैं, तरह-तरह से उसका विरोध किया जाता है—यहाँ तक कि उस पर ईंट-पत्थर की बौछार तक करने में सङ्कोच नहीं किया जाता। यदि कहीं उस सिद्धान्त का सम्बन्ध किसी तरह सरकार से भी हो, तो कुछ कहना ही नहीं, हर तरह की परेशानी, अपमान, जेल, मुचलके, ज़मानत उसके पीछे लगे रहते हैं और कभी-कभी तो नौबत गोली और फाँसी तक की पहुँच जाती है। परन्तु फिर एक दिन वह आता है, जब वही सिद्धान्त शिरोधार्य होता है और वह मनुष्य तरह-तरह से सम्मानित किया जाता है। ठीक यही हाल इङ्गलैण्ड में स्त्रियों के मताधिकार आन्दोलन की नेत्री श्रीमती पेङ्कहर्स्ट का भी हुआ।

प्रारम्भिक काल में वह कौन सा दुःख और अपमान था, जो उसको सहना नहीं पड़ा। वे अपराधी और राजद्रोही समझी जाकर ख़ूब सताई गई थीं। परन्तु अन्त में उनको विजय प्राप्त हुई। एक समय था, जब कि वे अपनी २० सहचरियों के साथ डेप्यूटेशन लेकर प्रधान-मन्त्री से भेंट करने के लिए पार्लामेण्ट-गृह की सीढ़ियों पर लगातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर भी विमुख ही लौटीं, उनकी समुचित प्रार्थना पर ध्यान भी न दिया गया। परन्तु आज उसी स्थान पर उनकी पूर्णाकार प्रतिमा खड़ी है। उनकी सङ्गमरमर की मूर्ति को ऐसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर खड़ी करने का मतलब यही है कि वे केवल उच्च आदर्श और सम्मान की ही पात्री न थीं, बल्कि उन उच्च कोटि के मनुष्यों में से थीं, जिन पर देश और जाति पर गर्व होता है। यह समय का परिवर्तन है, कि जिन सिद्धान्तों के प्रचार के कारण सन् १९१० में, उनका इतना अपमान किया गया कि पाँच घण्टे तक खड़ी रहने पर भी प्रधान मन्त्री ने उनसे मुलाक़ात न की, परन्तु केवल २० वर्ष के पश्चात् भी उन्हीं सिद्धान्तों पर अटल रहने वाली महिला की स्मृति के प्रति भक्ति और श्रद्धा की श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने के लिए उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई।

श्रीमती पेङ्कहर्स्ट क्या चाहती थीं और उनका सिद्धान्त क्या था? वे केवल इतना ही चाहती थीं कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर 'वोट' (राय) देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए वे आन्दोलन कर रही थीं और इसी के हेतु वे उस दिन डेप्युटेशन लेकर प्रधान-मन्त्री से मिलने गई थीं। परन्तु जब सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी ने उन्हें विमुख कर दिया तो उनका असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था। फलतः अपने असन्तोष का प्रदर्शन करने के लिए स्त्रियों के उस जत्थे ने पार्लामेण्ट-भवन पर पत्थरों की बौछार की, बाज़ार में दूकानों की खिड़कियाँ तोड़ीं और अनेक उपद्रव किए। यह बातें भला सरकार कब सह सकती थी? नतीजा यह हुआ कि पेङ्कहर्स्ट के साथ सभी स्त्रियाँ गिरफ़्तार करके जेल में डाल दी गईं।

जेल में भी उनके साथ ज़्यादती हुई, जिसके विरोध में उन्होंने भूख-हड़ताल शुरू की। इधर सरकार को यह भय हुआ कि आख़िर का हैं तो कोमलाङ्गी स्त्रियाँ ही, कहीं अधिक दिन भूखे रहने से किसी के प्राणों पर आ बनी तो महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मजबूर होकर झुकना पड़ा और अन्त में यह शर्त लगा कर कि बाक़ी बची हुई सज़ा काटने के लिए फिर गिरफ़्तार की जाएँगी, उस समय सभी स्त्रियाँ छोड़ दी गईं। इस भाँति बेचारी मिसेज़ पेङ्कहर्स्ट को तरह-तरह के अपमानों का सामना करना पड़ा। इन अपमानों से बचने के लिए वे एकान्तवास करने लगीं।

इसी समय (सन् १९१३ में) उनकी एक सह-कारिणी श्री० एमिली डेविसन की मृत्यु हो गई। मृत-शरीर को एक शानदार और जोशीले जुलूस के साथ (जो विस्तार में लगभग एक मील लम्बा था) लन्दन की गलियों में से निकाला गया। श्रीमती पेङ्कहर्स्ट भी एकान्तवास से निकल कर अपनी शहीद सहेली के दाह-कर्म में शामिल होने के लिए आईं और अन्त में नेत्री की हैसियत से उनको इस जुलूस का अग्रसर स्थान ग्रहण करना पड़ा। उनकी गाड़ी जनाज़े के आगे रक्खी गई। सरकार की उन पर कड़ी निगाह तो थी ही, परन्तु उनके प्रत्यक्ष एकान्तवास के कारण कुछ करते न बनता था। अब यह मौक़ा हाथ आया जान कर उनको फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया गया। परन्तु सरकार ने श्रीमती को इस तरह नियत स्थान से हटा कर अच्छा न किया। दमन-नीति के कारण स्त्रियों में असन्तोष तो था ही, अब उस एक मील लम्बे जुलूस में नेत्री की ख़ाली सवारी ने वोट देने का अधिकार माँगने वाली संस्था को और भी उत्तेजित कर दिया। सरकार की इस निष्ठुरता के सामने भी उक्त महिलाएँ पूर्ण सफलता प्राप्त करने की हिम्मत बाँध रही थीं और अपने उद्देश्य के हेतु कठिन से कठिन दुख झेलने या प्राण तक निछावर करने को तैयार थीं।

श्रीमती पेङ्कहर्स्ट गिरफ़्तार करके फिर जेल में डलवा दी गईं। उन्होंने भी पहिले की तरह ही भूख-हड़ताल जारी कर दी। परन्तु सरकार ने उन्हें छोड़ देने के बदले रबड़ की नली द्वारा ज़बरदस्ती भोजन कराने की क्रिया का प्रयोग किया। परन्तु यह बात भी अधिक दिन तक न चल सकी और आख़िर को उन्हें जेल से विदा ही करना पड़ा। यद्यपि श्रीमती जेल से छूट गई थीं, परन्तु पूर्वोक्त काले क़ानून के चङ्गुल से बचने के लिए यही आवश्यक था कि वे फिर एकान्तवास करें या छिपी रहें।

सन् १९१४ में यूरोपीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर समस्त राजनैतिक क़ैदियों को छोड़ दिया गया तो उन्हीं के साथ श्रीमती पेङ्कहर्स्ट को भी पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। परन्तु यह समय इङ्गलैण्ड के लिए ऐसा भयङ्कर था कि देश की आपत्ति को बिसार कर केवल स्त्रियों की राजनीतिक आवश्यकता या अधिकार पर दृष्टि रखना सम्भव न था। इसलिए एमिली भी सारे देश और जाति की यथोचित सेवा का उपाय ढूँढ़ने लगीं। और शीघ्र ही युद्ध सम्बन्धी स्त्री-सेवा-दल के निर्माण में योग दिया। अन्त में उनको इस महान कार्य से वह सफलता प्राप्त हुई, जिसके निमित्त उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था।

श्रीमती जी के पति डॉक्टर तथा समाज-सुधार के उत्साही पक्षपाती भी थे। उनकी अभी कोई ऐसी उम्र भी न हो पाई थी, परन्तु वे अपनी स्त्री को तीन लड़कियों और एक लड़के के साथ छोड़, परलोक सिधार गए। धन का अभाव और बच्चों के भरण-पोषण का कोई प्रबन्ध न होने के कारण श्रीमती एमिली को पति-वियोग के बाद ही नौकरी करने की आवश्यकता आ पड़ी। वे मानचेस्टर नगर में फ़ौती-पैदायश विभाग की रजिस्ट्रार हो गईं। इस तरह अपने परिश्रम से ही बच्चों की तालीम और परवरिश का भार उठाया। उनको अपनी सन्तान में से विशेषकर पुत्री क्रेसाबिल (Christabel) पर गर्व था। इस पुत्री ने सम्मान सहित एल्-एल्० बी० (LL. B.) की परीक्षा पास की और क़ानून के सम्बन्ध में हमेशा ही क़ाबिलियत का सबूत दिया।

श्रीमती पेङ्कहर्स्ट को समाचार-पत्रों में उच्छृङ्खल, पागल, बातूनी आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया था। इस दोषारोपण का कारण यही था कि वे अपनी पुत्री सहित एक ऐसी संस्था की सञ्चालिका थीं, जिसने सरकार के प्रति अपने असन्तोष का परिचय अद्भुत रूप में दिया था। यथार्थ में श्रीमती पेङ्कहर्स्ट स्वभाव की सरल, शान्त और कम बोलने वाली महिला थीं। उनकी बोली मीठी थी और आवाज़ सुरीली। चेहरे से किसी तरह भी न तेज़ी दिखाई देती थी, न कर्कशता और न जोश! शरीर से भी दुबली, पतली और छोटी सी थीं, परन्तु थीं बड़ी प्रभावशालिनी। दिखावट या बनावट तो छू भी न गई थी। अपनी सहकारी-सहेलियों के लिए तो वे माता समान थीं। जब उनका आन्दोलन आरम्भ हुआ, तो उसी समय उनके इकलौते पुत्र का देहान्त हो गया, परन्तु इस दुखद घटना से भी वे विचलित न हुईं, और न अपना कार्य ही छोड़ा। बल्कि और भी अधिक उत्साह के साथ काम करने लगीं, जिससे संसार के सभी वर्गों को उत्साह लाभ कर सकने के लिए एक आदर्श प्राप्त हो सके। गिर्जों में या सामाजिकता में उनकी रुचि न थी और न धर्म के प्रति कोई अनुराग था। वे नीतिज्ञा थीं और मनुष्यत्व उनका धर्म था। साथ ही वे जीवन के अनुभवों से परिपूर्ण थीं। उत्साह, हिम्मत और आत्म-त्याग उनमें कूट-कूट कर भरे हुए थे। लेखनी और ज़बान यदि गोली-बारूद थीं, तो निःस्वार्थ सत्यता ढाल थी। न्यायपरायणा भी पूरी थीं। प्रारम्भिक असफलताओं से हतोत्साह नहीं हुईं, लगातार काम करती रहीं। उनमें एक और भी बड़ा गुण यह था कि उनको गुस्सा नहीं आता था। जेल-जीवन के पश्चात् तन्दुरुस्ती बिगड़ गई थी। भूख-हड़ताल करने पर विशेष रीतियों से ज़बरदस्ती खिलाए जाने के कारण उनका हाज़मा बिलकुल ही बिगड़ गया था, परन्तु इन बातों से भी वे विचलित नहीं हुईं।

भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम पड़ने की वजह से उनमें मनुष्यों के परखने का अच्छा अनुभव हो गया था। इस अनुभव ने उनको उक्त आन्दोलन चलाने में भी यथेष्ट मदद दी।

श्रीमती पेङ्कहर्स्ट को आयर्लैण्ड और भारतवर्ष के प्रति भी अनुराग था। अपने मत के प्रचारार्थ उन्होंने कई बार आयर्लैण्ड का दौरा भी किया था। स्वनामधन्या श्रीमती क़ज़िन्स को उनके साथ रहने और काम करने का सुयोग प्राप्त हो चुका है। आयर्लैण्ड के

पूर्वोक्त दौरे में भी वे उनके साथ थीं। उन्होंने अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया है। कोर्क नगर की एक सभा का वर्णन करती हुई क़ज़िन्स लिखती हैं कि वहाँ के टाउन हाल में श्रीमती पेङ्कहर्स्ट का लेक्चर हुआ। स्त्री और पुरुष दोनों ही बड़ी तादाद में उपस्थित थे। लेक्चर समाप्त होने पर श्रोतागण दरवाज़े के पास आकर उनके इन्तज़ार में खड़े हो गए और जैसे ही श्रीमती जी मोटर की तरफ़ जाने के लिए बाहर निकलीं तो सबने मिल कर "ईश्वर सफल करे" का जय-घोष किया। इसका कारण केवल यह था कि श्रीमती जी ने "स्त्रियों को राय देने के अधिकार" देने के विषय को इतनी अच्छी तरह समझाया था कि सब कोई केवल समझ ही नहीं सके, बल्कि उस कथन की सत्यता उनके हृदयों पर इतनी ख़ूबी के साथ अंकित हो गई कि वे विरोध-भाव त्याग कर आन्दोलन की सफलता मानने लगे। एक दूसरी घटना का उल्लेख भी रोचक है। उससे उनके आत्मविश्वास और साहस का परिचय मिलता है। कोर्क नगर से डब्लिन नगर की यात्रा थी। रास्ते में मैलो नाम का जङ्कशन पड़ता है, जहाँ उन्होंने एक लम्बा तार लिख कर दिया कि वे (श्रीमती क़ज़िन्स) जाकर उसे तारघर से भिजवा दें। तारघर तक जाने के लिए रेल की लाइन पार करनी पड़ती थी, जिससे कुछ देर लग गई, और फिर तारघर में पहुँच कर कुछ देर और लगी। अतः तार देकर जब वे बाहर आईं तो देखा कि गाड़ी चल पड़ी है। श्रीमती क़ज़िन्स को विस्मय हुआ और वे सङ्कट में पड़ गईं, परन्तु विशेष आगा-पीछा न करके एकदम लाइन पर कूद पड़ीं और चलती गाड़ी के पीछे लपकीं। इसी समय गाड़ी में बैठे हुए कुछ मुसाफ़िरों ने उनकी दशा का अनुभव करके एक दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड़ कर उन्हें ऊपर चढ़ा लिया। आध घण्टे के बाद जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो वे श्रीमती पेङ्कहर्स्ट के पास पहुँचीं। परन्तु उन्होंने कोई भी आपत्ति या घबराहट प्रकट न करके निश्चित भाव से केवल यही कहा—"हमारे साथ की स्त्रियाँ कभी पीछे रहने वाली नहीं, बल्कि सङ्कट में से निकल आने का मार्ग स्वयं ही निकाल लेती हैं।" यह था उनका धैर्य और आत्म विश्वास।

श्रीमती पेङ्कहर्स्ट ने सन् १९१० से लेकर सन् १९१६ तक स्त्रियों के लिए समानता का व्यवहार तथा राय देने की अधिकार-प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम किया और उनके जीवन-काल में ही आठ स्त्रियाँ पार्लामेण्ट की मेम्बर भी चुनी गईं। ग्रेट-ब्रिटेन में पुरुष और स्त्रियों को बराबरी के साथ वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाने के उपलक्ष में एक विजय-भोज (Victory Dinner) भी हुआ था, परन्तु उसके पहिले ही श्रीमती जी का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि श्रीमती पेङ्कहर्स्ट वहाँ सशरीर विराजमान नहीं थीं, तो भी उनकी आत्मा तो निश्चय ही उपस्थित थी। कुछ भी हो, आज उनके उस अपमान के बदले, जो पार्लामेण्ट की सीढ़ियों पर लगातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर निराश लौटने में हुआ था, उनकी पूर्णाकार सङ्गमरमर की मूर्ति ही अपने कार्य की सफलता—अर्थात् स्त्रियों को अधिकार-सम्पन्न रूप में पार्लामेण्ट के बाहर-भीतर आते-जाते देखती है। चुपचाप दुख सहने वाली देवी के निःस्वार्थ त्याग पर आज सारी स्त्री-जाति को गौरव है और इसमें कोई सन्देह भी नहीं कि श्रीमती पेङ्कहर्स्ट के कारण स्त्री-जाति अपनी स्वतन्त्रता के भावों में विशेष अग्रसर है।

* * *

पुरस्कार-प्रतियोगिता

इस सप्ताह की नई पहेली

फिर २५) का नक़द पुरस्कार

पिछली पहेली का परिणाम

(१) 'भविष्य' के पाठकों ने हमारी पिछली पहेली का समुचित आदर किया, यह देख कर हमें हर्ष है। उत्तर भेजने वालों में देवियों की संख्या काफ़ी थी। किसी पाठक का उत्तर बिल्कुल सही नहीं था।

श्रीयुत कैलाशनाथ कपूर

विद्यार्थी कक्षा ८ हरीचन्द हाईस्कूल, लखनऊ की सबसे कम, अर्थात् तीन अशुद्धियाँ थीं, अतः १६) की पुस्तकें इन्हें पुरस्कार में मिलेंगी। श्रीयुत कैलाशनाथ को हम इस सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं।

चार अशुद्धियों वाले उत्तर लगभग तीस थे; उत्तर-दाताओं का परिश्रम सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने केवल एक अशुद्धि के कारण पुरस्कार खोया।

सही उत्तर इस प्रकार है :—

जा	न	की	पौ	म	पी
सु	ख	■	बा	ग	त
न	म	नो	र	मा	■
आ	म	र	ह	म	ग
प	चा	सा	■	ती	द
गा	न	■	कि	न	का

(२) हमें यह देख कर हर्ष है कि अधिकांश पाठकों ने हमारे नियमों के अनुसार उत्तर दिए हैं। परन्तु अनेक पाठकों ने नियमों पर ध्यान नहीं दिया। हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया भविष्य के लिए निम्नलिखित बातों को याद रक्खें :—

(अ) उत्तर 'भविष्य' में छपे हुए ख़ानों में ही भरना चाहिए। सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जाएँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जायगा।

(आ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। काग़ज़ पर हाथ से लिखा हुआ कूपन काम न देगा।

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं।

(ई) 'भविष्य' के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और किसी काग़ज़ पर न लिखा हो। न कोई पत्र ही उसके भीतर रक्खा हो। कुछ पाठक लम्बे-लम्बे पत्र साथ में रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ रङ्ग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि की सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर-दाताओं से स्वयम् ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम पूछ लेंगे।

(उ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ। यदि रक्खे भी जायँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा जाय—'सम्पादक-'भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद।'

पत्र मैनेजर, व्यवस्थापक आदि के नाम से नहीं भेजना चाहिए। याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' अवश्य लिखा हो।

(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर के साथ उसे मिला सकें। 'चाँद' की अक्टूबर की पहेली के सम्बन्ध में हमारे यहाँ कुछ पत्र आए हैं, जिनमें लेखक लिखते हैं 'हमारी एक अशुद्धि थी। पुरस्कार फिर हमें क्यों नहीं मिला?' उनके उत्तर देखने पर पता चला कि उनकी सात अशुद्धियाँ थीं। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक उत्तर की परीक्षा तीन बार की जाती है, इसीलिए हम इस विषय के पत्र-व्यवहार पर कुछ ध्यान न देंगे। पाठक यदि इस विषय में कुछ पूछना चाहें तो अपना उत्तर फिर दिखाने के लिए १) फ़ीस भेजें, अन्यथा उनके पत्रों का उत्तर न दिया जायगा।

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायँ तो उनमें फिर कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने पर उसका संशोधन पीछे हमारे पास नहीं भेजना चाहिए।

(ऐ) 'भविष्य' में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम तारीख़ छपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा।

कृपया इन नियमों को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और उत्तर भेजने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लीजिए।

सूचना

यही पहेली ता० ७ और ता० १४ और ता० २१ दिसम्बर के अङ्कों में भी प्रकाशित होगी। विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में प्रकाशित होंगे। अपनी प्रतियाँ रिज़र्व करा लीजिए और कूपन सँभाल कर रखिए, क्योंकि बिना कूपन के आप उत्तर भेजने के अधिकारी नहीं हो सकते।

—— यहाँ से फाड़िए ——

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		ना		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० १

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं) ——

नाम ——

पता ——

—— यहाँ से फाड़िए ——



[हिज़ होलोनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

कार्तिकी पूर्णिमा से कई दिन पहले ही अर्थात् गत २१ नवम्बर को, ठीक मध्याह्न काल में, जिस समय पहुँचे हुए भक्त लोग 'राक्षसी' क्षानते हैं, इलाहाबाद के अन्यतम मजिस्टर श्रीमान ख़ाँ साहब मौ० रहमानबख़्श क़ादिरी ने सरकार दौलत मदार बनाम श्री० सहगल जी या "मालिक बनाम 'कीपर' के "मनोरञ्जक" मामले का फ़ैसला सुना दिया।

❀

जैसा मज़ेदार मामला था, वैसे ही मौज़ूँ समय पर उसका फ़ैसला भी हुआ। फिर फ़ैसले के बारे में तो कुछ कहना ही फ़िज़ूल है, क्योंकि उसके वर्ण-वर्ण भगवती विजया के प्रभाव से ओतप्रोत हैं। महा लायक़ मजिस्टर जी ने एक साथ ही क़ानून और न्याय की खोपड़ियों पर ऐसी करारी जमाई है कि कमबख़्त क़यामत तक याद रक्खेंगे।

❀

और तो और, जनाब क़ादिरी साहब का फ़ैसला पढ़ कर श्रीजगद्गुरु के लँगोटिया यार मि० 'पायोनियर' भी फड़क उठे हैं और आपकी न्याय-निपुणता और क़ानूनदानी की तारीफ़ में अपना बीता भर कलेवर रङ्ग डालने को विवश हो गए हैं। भई, सच तो यह है कि ऐसे क्षणजन्मा न्यायाधीशों के नाम पर बड़े-बड़े कन्जूसों को भी कुछ निछावर कर ही देना पड़ता है। फलतः अपने राम भी क़ादिरी साहब के फ़ैसले पर दो-चार कुल्हड़ वार देने को बाध्य हैं।

❀

क़ादिरी साहब ने श्री० सहगल जी पर साढ़े सात सौ रुपए जुर्माना करके, यह प्रमाणित कर दिया है कि आप केवल क़ानून के ही 'मौलवी फ़ाज़िल' नहीं, वरन् अर्थशास्त्र में भी पारङ्गत हैं। साथ ही सरकार के वर्तमान आर्थिक दुरवस्था के भी पूर्ण ज्ञाता हैं। फलतः अगर इस मुक़दमे से सरकार को किसी प्रकार का क़ानूनी फ़ायदा नहीं पहुँचा तो कुछ घाटा भी नहीं रहा; क्योंकि इस साढ़े सात सौ में इन्शा अल्लाहताला मुक़दमे का सारा ख़र्च निकल आएगा।

❀

हमें तो मालूम होता है कि अर्थशास्त्री मजिस्ट्रेट बहादुर ने मुक़दमे का ख़र्च पाई-पाई जोड़ कर कुल मीज़ान ७५०) पाया है। अन्यथा कोई कारण न था, कि ठीक साढ़े सात सौ ही जुर्माना करते—पूरे एक हज़ार, डेढ़ हज़ार या और कुछ कर सकते थे या कुछ दिनों के लिए जेलख़ाने की ही सैर करा देते। मगर चूँकि उन्हें बेइन्साफ़ी तो करनी नहीं थी, इसीलिए ठीक साढ़े सात सौ ही किए; कम-बेश कैसे करते?

❀

इतने पर भी अगर सरकार को कुछ घाटा रह गया हो तो उसकी बदक़िस्मती! क्योंकि उसने ख़र्च का कोई बिल तो अदालत के सामने पेश नहीं किया था। ज़बानी या बिल्कुल याददाश्त के भरोसे होने वाले हिसाब-किताब में दो-चार पैसों का इधर-उधर हो जाना असम्भव नहीं। ऐसी अवस्था में हिसाबी पर कोई 'क्लेम या ब्लेम' नहीं आ सकता। इसीलिए तो व्यापार या कारबार में जो चिट्ठी-पुर्ज़े भुगतते हैं, उन पर "भूल-चूक लेनी-देनी"—यह वाक्य ज़रूर लिखा रहता है।

❀

कुछ भी हो भाई, अर्थ-सङ्कट के इन दिनों में हमारी सरकार को ऐसे ही अर्थशास्त्री मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है। अगर हिन्दुस्थान भर के सारे मजिस्टर जनाब क़ादिरी साहब के फ़ैसले से सबक़ हासिल कर लें तो माशा अल्लाह, सरकार के फ़ाइनेन्स मेम्बर बहादुर को बजट की कमी की चिन्ता से मुक्ति मिल जाय; न नमक पर कर लगाने की ज़रूरत पड़े, न किरोसिन तेल पर और न श्रीमान बड़े लाट बहादुर को ही 'सर्टीफ़िकेट' का आश्रय लेने के कारण अख़बार वालों के वाक्य-बाण बर्दाश्त करने पड़ें।

❀

हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि 'भविष्य' और 'चाँद' के आशिक़ेज़ार श्रीमान मुडी महोदय फिर इलाहाबाद आने वाले हैं! स्वागतम्! मकर के महत्वपूर्ण महीने में बहुत से योगी-यती पुण्यपूता त्रिवेणी-तट पर आकर वास करते हैं। क्योंकि मकर भर मुक्ति यहाँ बथुए के भाव रहती है। ख़ुदानाख़्वास्ता अगर आत्म-विसर्जन का मौक़ा मिल गया तो फिर पौबारह!

❀

मासिवा इसके, हमारे मुडी बहादुर शिकार के बड़े प्रेमी हैं और माशा अल्लाह, शिकार का मौसिम भी जैसा इलाहाबाद के ज़िले में आने वाला है, वैसा और तो और, अगर ख़ुदा झूठ न बुलवाए तो हिन्दोस्तान के मशहूर शिकारगाह बारडोली में भी नसीब नहीं। इसीसे मुडी बहादुर समय से पहले ही यहाँ पधार रहे हैं। आख़िर तीर-कमान दुरुस्त करने में भी तो कुछ वक़्त लगेगा या नहीं?

❀

जनाब मुडी महोदय के शुभागमन के उपलक्ष में हम 'भविष्य' और 'चाँद' के अधिकारियों को बधाई देने का लोभ किसी प्रकार भी सम्वरण नहीं कर सकते। क्योंकि आपके राम-राज्य में जितनी निश्चिन्तता इस संस्था को थी, उतनी क्षीरसागर-सुसरालवासी भगवान विष्णु को भी शायद ही रही होगी।

❀

उन दिनों कञ्जूस की कौड़ी की तरह बी-पुलिस इस प्राचीर-परिवेष्टित विस्तृत प्राङ्गण को दिन-रात आग़ोश में लिए रहती थीं। वल्लाह, 'परन्दे भी डरते थे पर मारते!' पहरे का ख़र्च पाई-पाई बच जाता था। श्रीजगद्गुरु के सुदृढ़-सुडौल काष्ठ-खण्ड उर्फ़ भङ्गघोटने सी महा मूल्यवान और देव-दुर्लभ वस्तु भी अगर चौबीस घण्टे मैदान में पड़ी रह जाए तो कोई आँख डालने की जुर्रत नहीं कर सकता था।

❀

भारत के अर्द्धनग्न फ़क़ीर को गोरी गृहिणी अर्थात् बी ब्रितानियाँ ने 'माफ़ करो बाबा' कह कर लौटा देने का पक्का इरादा कर लिया है, इसलिए बाबा के ख़ाली 'सनहक' लिए लौट आने की पूरी सम्भावना है। परन्तु 'बाबा-प्रेमिनी' बी नौकरशाही तो उनके सेवा-सत्कार के लिए सदैव ही तैयार रहती है, इसलिए इनकी मेहमानदारी के मज़े की याद में बाबा जी अभी से लार टपका रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भारत आते ही आतिथ्य स्वीकार करने का निमन्त्रण मिल जायगा!

❀

परन्तु केवल बाबा ही नहीं, बाबा के कथनानुसार, बाबा की सारी गोष्ठी के शीत-विहार का प्रबन्ध होगा और साथ ही खोपड़ियों की मरम्मत भी आरम्भ होगी। प्रायः साल भर हो गए। इतने दिन में तो बहुत से घाव भर गए होंगे। इसलिए एक बार पुनः उन्हें ताज़ा कर देने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा न करना, अन्दाज़ माशूक़ाना के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा। जो सुनेगा वह सखी को कहेगा क्या?

❀

बहुत दिनों की चुप्पी के बाद जब उस दिन पार्लामेण्ट में चचा-चर्चिल का कण्ठ एकाएक खुल गया तभी अपने राम समझ गए कि शीघ्र ही हमारी धर्मशीला सखी की यज्ञशाला में 'मुण्ड-मेध' आरम्भ होने वाला है। इसके बाद 'डेलीमेल' से लेकर 'सण्डे टाइम्स' तक मानो सारा चचावंश ही चहक उठा। न हुए सियारों की बोली सुन कर उन्हें दुशाले ओढ़ाने वाले नवाब वाजिदअली शाह; वरना इस मौक़े पर यार लोग कुछ 'आयँ बायँ शायँ' समझा कर कुछ ऐंठ लेते।

❀

सब से अन्त में बोले भारत के भूतपूर्व सहकारी सचिव अर्ल विण्टरटन। एक तो समझदार आदमी ठहरे और दूसरे भारत का कुछ दिन नमक भी खा चुके हैं, इसलिए मेकडॉनल्ड साहब को समय रहते ही सचेत कर दिया कि ख़बरदार, तैश में आकर कहीं घोषणा न कर बैठिएगा, नहीं तो भारतवासी उसे सच समझ लेंगे और कार्य में परिणत करने को कहने लगेंगे!

❀

भले आदमी की ज़बान पर विश्वास करने वाले सत्य-प्रेमी भारतवासियों के लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात न थी, परन्तु दादा विण्टरटन जी को निश्चिन्त रहना चाहिए, क्योंकि उनके भाई-बन्धुओं के संसर्ग के कारण आजकल भारतवासियों का वह ऐब एकदम दूर हो गया है। फलतः मि० मेकडॉनल्ड तो क्या, अगर इङ्गलैण्ड का कोई युधिष्ठिर, और वह भी आधी गङ्गा में खड़ा होकर, कोई घोषणा करे, तो भी भारतवासी विश्वास न करेंगे।

❀

क्योंकि महारानी विक्टोरिया की घोषणा से लेकर आज तक की सारी गोरी अथवा सुफ़ैद घोषणाओं का मूल्य उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है। वे समझ गए हैं कि क़ौल की सचाई, शराफ़त, न्यायशीलता और धर्म आदि बेहूदे दुर्गुणों से हमारे गौराङ्ग महाप्रभुओं को उनके 'स्वर्गस्थ पिता' ने एकदम मुस्तसना कर रक्खा है!!

❀ ❀ ❀

पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा प्रोटेक्टिङ्ग-कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु०

स्थायी ग्राहकों से २‖) मात्र ; पुस्तक का तीसरा संशोधित संस्करण छप कर तैयार है।

[लेखक श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०]

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The book was noticed in the LEADER when its first edition appeared in 1924. Since then it has gone through two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first, and the printing and get-up also show great improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book.

It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plates, the price being only Rs. 3. In his introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of maidens, married women and widows in the different countries, showing also that the number of widows in India has not decreased during the years 1881 to 1911. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from many points of view. He has shown from many a quotation from the *Shrutis* and *Smritis* how the Hindu religious books do not place a ban on the remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 1856, for the information of the reader, and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all people interested in the amelioration of the condition of widows.

प्रताप :—

जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा !
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !!

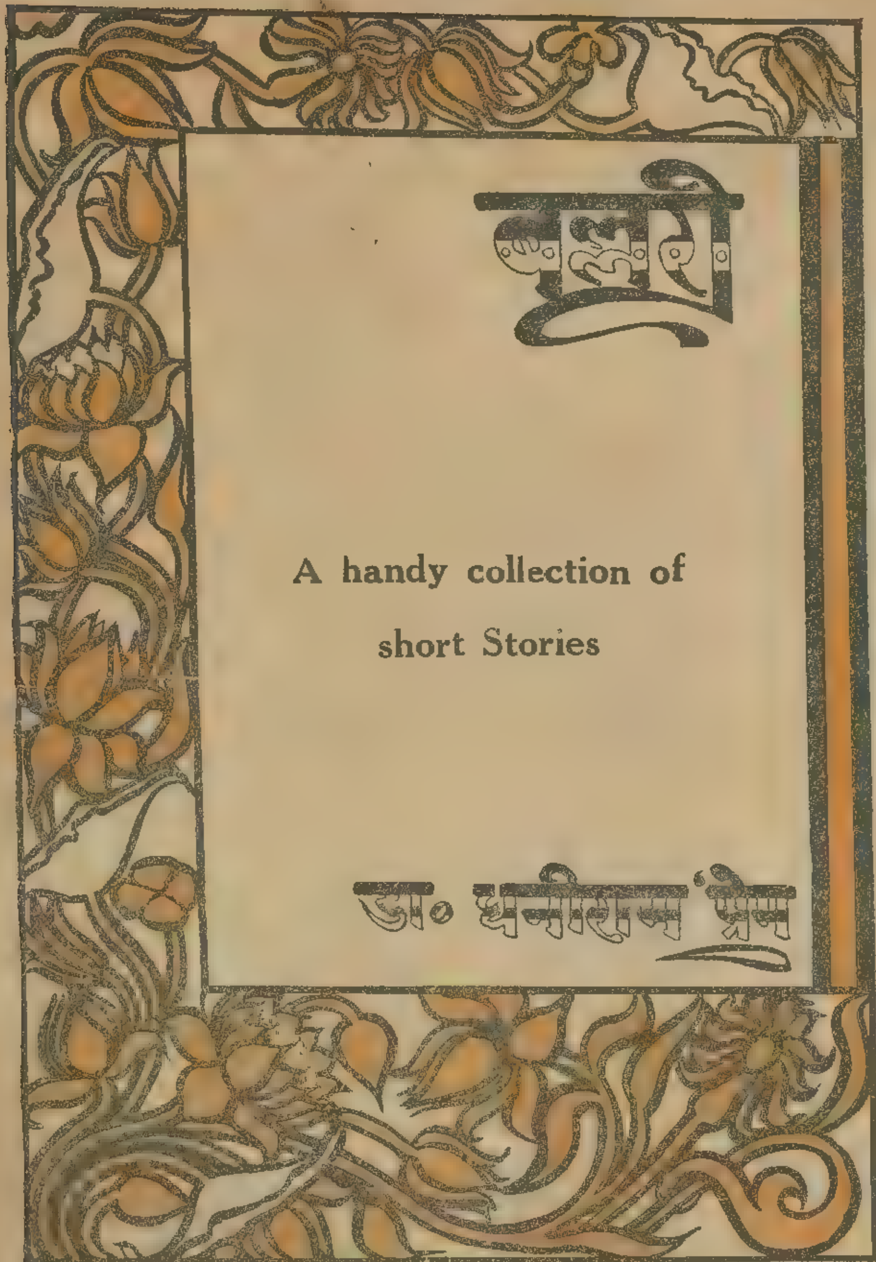
भारतवर्ष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन पर बहुत सी वक्तृताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में शास्त्रीय ढङ्ग से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदह अध्यायों में विभक्त है। प्रायः सभी अङ्गों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रूपेण विवेचन करने में असमर्थ हैं। इस विषय पर महान् पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के अतिरिक्त अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं की संख्या सम्बन्धी तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में मर्मस्पर्शी कविताओं का सङ्कलन है। कुछ कविताएँ हृदय-सागर में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं। उदाहरणार्थ :—

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं !
क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि।

देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए। पाठकों के अवलोकनार्थ अवतरित करते हैं—"पातिव्रत्य धर्म क्या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भली-भाँति अनुभव कर चुकी हैं—जो बहिनें जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणाली अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र अथवा "Matrimonial Contract" नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक अनुष्ठान और गृहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है—उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देवी हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान करना समझते हैं। हम जानते हैं कि पातिव्रत्य धर्म का पालन करने और पुनर्विवाह के सिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का अन्तर है, पर आपद्धर्म भी कोई चीज़ है।" और इसी आपद्धर्म में विधवा-विवाह न्याय-सङ्गत और आवश्यकीय बतलाया है।

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुवाद देते हैं। पुस्तक की छपाई के लिए 'चाँद-कार्यालय' का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं।

Registered No. A—2085



लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जाएँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस्-कान', 'गीत' और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने 'डोरा' नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा के रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि का आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए !



व्यवस्थापक—चाँद-प्रेस लिमिटेड,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Edited, Printed and Published by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandrlok—Allahabad.

टेलीफ़ोन-नम्बर : २०५

भविष्य

तार का पता : 'भविष्य'

वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार; ७ दिसम्बर, १९३१ | सं० १०, पूर्ण सं० ६०



श्री गुरु नानकदेव जी महाराज (विस्तृत परिचय भीतर देखिए)

पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा प्रोटेक्टिङ्ग-कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु०

स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र ; पुस्तक का तीसरा संशोधित संस्करण छप कर तैयार है।

[लेखक श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०]

The book was noticed in the LEADER when its first edition appeared in 1924. Since then it has gone through two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first, and the printing and get-up also show great improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book.

It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plates, the price being only Rs. 3. In his introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of maidens, married women and widows in the different countries, showing also that the number of widows in India has not decreased during the years 1881 to 1911. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from many points of view. He has shown from many a quotation from the *Shrutis* and *Smritis* how the Hindu religious books do not place a ban on the remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 1856, for the information of the reader, and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all people interested in the amelioration of the condition of widows.

जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा !
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !!

भारतवर्ष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन पर बहुत सी वक्तृताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में शास्त्रीय ढङ्ग से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदह अध्यायों में विभक्त है। प्रायः सभी अङ्गों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रूपेण विवेचन करने में असमर्थ हैं। इस विषय पर महान् पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के अतिरिक्त अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं की संख्या सम्बन्धी तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में मर्मस्पर्शी कविताओं का सङ्कलन है। कुछ कविताएँ हृदय-सागर में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं। उदाहरणार्थ :—

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं !
क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि।

देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए। पाठकों के अवलोकनार्थ अवतरित करते हैं—"पातिव्रत्य धर्म क्या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भली-भाँति अनुभव कर चुकी हैं—जो बहिनें जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणाली अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र अथवा "Matrimonial Contract" नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक अनुष्ठान और गृहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है—उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देवी हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान करना समझते हैं। हम जानते हैं कि पातिव्रत्य धर्म का पालन करने और पुनर्विवाह के सिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का अन्तर है, पर आपद्धर्म भी कोई चीज़ है।" और इसी आपद्धर्म में विधवा-विवाह न्याय-सङ्गत और आवश्यकीय बतलाया है।

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुवाद देते हैं। पुस्तक की छपाई के लिए 'चाँद-कार्यालय' का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं।



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार; ७ दिसम्बर, १९३१ | संख्या १०, पूर्ण संख्या ६०

लगानबन्दी का आन्दोलन समस्त प्रान्त में फैलता जाता है

भारत में किसी भी दिन सत्याग्रह छिड़ सकता है

अगर सरकार जनता की बातों पर ध्यान दे, तो समझौते की बातचीत हो सकती है।

३ ता० की आधी रात को, जब कि म० गाँधी किंग्सब्रिज पर अपने छोटे से कमरे में आग से ताप रहे थे, उनके चारों तरफ़ विभिन्न अख़बारों और समाचार-एजन्सियों के ४० प्रतिनिधि ज़मीन पर बैठे हुए उनकी सम्मति की राह देख रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि मैं अभी तक प्रधान मन्त्री की घोषणा या पार्लमेण्ट के विवाद पर निश्चयात्मक सम्मति देने में असमर्थ हूँ। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निर्णय पर पहुँचने के पहले मैं अपनी तमाम शक्ति इस घोषणा और बहस को समझने में लगा दूँगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे किसी निर्णय का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक वह कॉङ्ग्रेस की वर्किंङ्ग कमिटी के सामने पेश होकर मञ्जूर न कर लिया जाय।

सिविल डिसओबीडिएन्स

महात्मा जी ने अपनी सत्याग्रह सम्बन्धी घोषणा को फिर दुहराया और कहा कि यद्यपि मैंने प्रधान मन्त्री की घोषणा के जवाब में अपना रास्ता जुदा होने की बात कही थी, पर जैसा मैंने वायदा किया था, अभी तक मैं उस घोषणा पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सका हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए यह बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि वह तमाम राष्ट्र को फिर से अग्नि-परीक्षा में होकर गुज़रने के लिए कहे। इसलिए मैं सहज में लोगों को फिर से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने की सलाह नहीं दे सकता। पर सरकार जिस प्रकार दमन-नीति से काम ले रही है और जो नए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स से भली-भाँति प्रकट होता है, उससे सम्भव है तमाम अनुमान लौट जायँ और किसी भी दिन समस्त देश में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हो जाय।

महात्मा जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरा इङ्गलैण्ड आना लाभदायक रहा। मैंने कॉन्फ्रेन्स के बाहर जो काम किया है, वह उसके भीतर के काम से अधिक मूल्यवान है। मैं समझौते की बातचीत को जारी रखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते गवर्नमेण्ट सन्तोष-प्रदान और जनता की बात सुनने की नीति से काम ले और साथ ही यदि प्रधान मन्त्री की घोषणा में कॉङ्ग्रेस की माँगों को स्वीकृत करने की गुञ्जायश हो।

फिर ग़दर-पार्टी

अमेरिका में भारतीय षड्यन्त्रकारी पार्टी का नेता गिरफ़्तार

रायटर ने लण्डन से ख़बर दी है कि अमेरिका में एक ऐसे भारतीय क्रान्तिकारी दल का पता लगा है, जिसका उद्देश्य भारत में रक्त-क्रान्ति फैलाना कहा जाता है। इस दल का धर्मसिंह नाम का नेता अपने आठ साथियों सहित संयुक्त-राष्ट्र की पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऐसा ख़्याल किया जाता है कि धर्मसिंह ने संयुक्त-राज्य में कई ख़ून भी किए हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दल से सम्बन्ध रखने वाले प्रति वर्ष पचीस डालर सदस्यों के चन्दे से संग्रह किया करते थे। इसके सिवा जो भारतवासी अमेरिकन सरकार की आँखें बचा कर अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें धमका कर भी यह पार्टी रुपए ऐंठा करती थी। इससे भी उसे बहुत रुपए मिले हैं।

सरकार के साथ समझौते की आशा जाती रही

कितनी ही कॉङ्ग्रेस कमिटियों ने लगान-बन्दी की आज्ञा माँगी

आन्दोलन को दबाने के लिए सरकारी ऑर्डिनेन्स भी तैयार है

यू० पी० गवर्नमेण्ट और कॉङ्ग्रेस में इस प्रान्त के किसानों की परिस्थिति और लगान घटाने के सम्बन्ध में जो लिखा-पढ़ी चल रही थी, उसका अब निश्चित रूप से अन्त हो चुका है। इसलिए प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० रफ़ीअहमद किदवई ने इस सम्बन्ध का तमाम पत्र-व्यवहार समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा दिया है। समझौते के अन्त होने का प्रत्यक्ष कारण संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कौन्सिल का यह प्रस्ताव है, जिसे उसने इलाहाबाद में अपने १५ नवम्बर के अधिवेशन में पास किया था, और जिसके अनुसार इलाहाबाद ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी को अधिकार दिया गया था कि वह समझौते की बातचीत के दरमियान लगान अदा न करने की सम्मति दे सकती है।

सरकार के नए सेक्रेटरी मि० क्ले ने कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट मि० शेरवानी को ३ ता० को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी अपने १५ नवम्बर के प्रस्ताव को, जिसमें ज़िला-कमिटी को लगानबन्दी का अधिकार दिया गया है, वापस लेने को राज़ी नहीं है, और उसने ज़िला-कमिटी को उस नोटिस को रद्द करने का आदेश देने से भी इन्कार किया है, इसलिए गवर्नमेण्ट इस सम्बन्धमें बातचीत करने के वायदे को, जो कुँवर जगदीश-प्रसाद ने किया था, साफ़ तौर पर वापस लेती है।

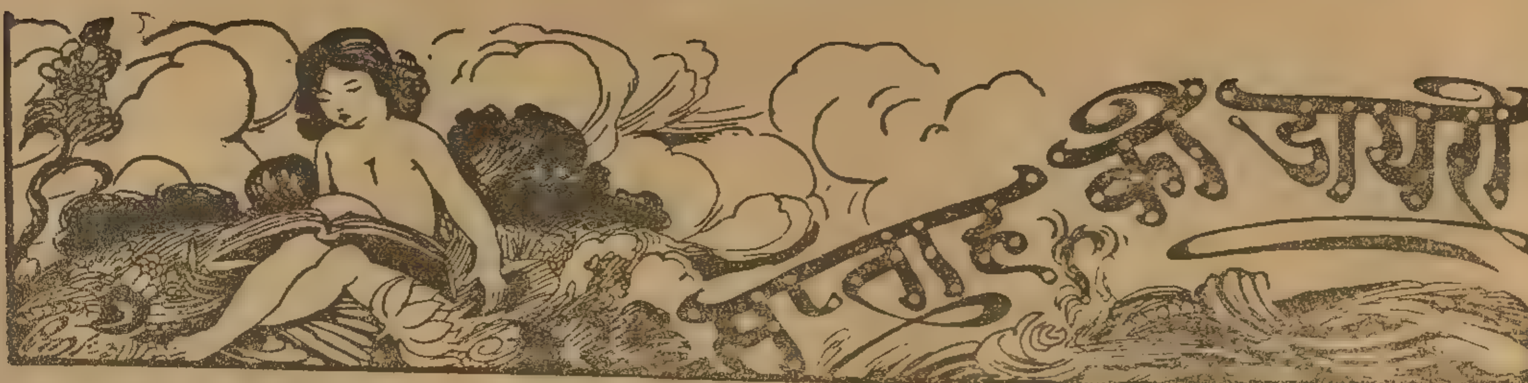
इसी तरह की सूचना भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी मि० एमरसन ने सरदार पटेल को दी है। सरदार पटेल ने मि० एमरसन को लिखा है कि अब भी इस समस्या को हल करने का एक तरीक़ा बाक़ी है।

आन्दोलन बढ़ रहा है

इधर रायबरेली, उन्नाव, इटावा और फ़र्रुख़ाबाद की कॉङ्ग्रेस कमिटियों की तरफ़ से यू० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी के पास लगानबन्दी का सत्याग्रह आरम्भ करने के प्रार्थना-पत्र आए हैं। कानपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी ने भी ऐसा ही निश्चय किया है। इस तरह के तमाम प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिए प्रान्तीय कमिटी ने एक सब-कमिटी बनाई है, जिसकी बैठक लखनऊ में ५ दिसम्बर को होने वाली थी। प्रान्तीय कमिटी की कौन्सिल की मीटिङ्ग भी उसके साथ ही होगी।

पं० जवाहरलाल नेहरू और कॉङ्ग्रेस कमिटी की कौन्सिल के अन्य मेम्बर ४ ता० को लखनऊ को रवाना हो गए। उनकी बातों से मालूम होता है कि सरकारी जवाब के कारण अब समझौते के बीच में लगान रोकने की सम्मति अब न दी जायगी। अब सम्भवतः कॉङ्ग्रेस कमिटियों को वे यही अनुमति देंगे कि जब तक लगान में काफ़ी कमी न कर दी जाय, तब तक वे किसानों को लगान अदा न करने की सम्मति दें।

नई दिल्ली की ख़बरों से मालूम होता है कि भारत-सरकार भी इस सम्बन्ध में बराबर संयुक्त प्रान्तीय सरकार से लिखा-पढ़ी करती रहती है। वह इस बात का पता लगा रही है कि अगर लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ हो, तो प्रान्तीय सरकार को किन विशेष अधिकारों की आवश्यकता होगी। इस विषय पर वायसरॉय की कार्यकारिणी कौन्सिल में बहस हो चुकी है और सरकारी नीति पर भी विचार किया जा चुका है। आशा है कि सरकार ने इस परिस्थिति का मुक़ाबला करने की जो योजना सोची है उसकी घोषणा अगले सप्ताह के आरम्भ में ही हो जायगी और वह सम्भवतः एक नए ऑर्डिनेन्स के रूप में होगी।



महात्मा को सन्तोष हो गया ?

४ दिसम्बर को सुबह महात्मा गाँधी ने प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड से पौन घण्टे तक बातें कीं। इसके बाद दोपहर को वे सवा घण्टे तक सर सैमुअल होर से बातें करते रहे। इस बातचीत के फल-स्वरूप, कहा जाता है, कि वे सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो गए हैं। उनसे कहा गया है कि अभी यह विवाद समाप्त नहीं किया गया है और कॉन्फ़्रेन्स की वर्किङ्ग-कमिटी में इस पर बहस हो सकेगी। इस बात से आशा की जाती है कि महात्मा जी उस कमिटी का सदस्य होना स्वीकार करेंगे।

—'भविष्य' के सञ्चालक श्री० आर० सहगल पर ख़ाँ साहब रहमान बख़्शक़ादरी ने प्रेस-एक्ट वाले मुक़दमे में जो ७५० रु० जुर्माना किया था, उसकी अपील सेशन्स कोर्ट में की गई है। साथ ही जुर्माने को मुल्तवी रखने की भी अर्ज़ी दी गई थी, पर उसे सेशन्स जज ने नामञ्ज़ूर कर दिया। इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई और जस्टिस कैण्डल ने विपक्ष के नाम नोटिस निकाला कि वह कारण दिखलावे कि श्री० सहगल जी की प्रार्थना क्यों न मञ्ज़ूर की जाय? इस पर मैजिस्ट्रेट ने जुर्माना जमा करने की तारीख़ २२ दिसम्बर तक बढ़ा दी।

—श्री० सहगल जी से 'फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज' के कीपर की हैसियत से जो ५००) रु० की ज़मानत माँगी गई थी, वह ३ दिसम्बर को जमा कर दी गई।

—ढाका का ३ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ कुली लोगों को, जो ढाका से ५ मील के फ़ासले पर रेलवे के किनारे ज़मीन खोद रहे थे, २२ बम गड़े हुए मिले। उनको यह मालूम न हो सका कि वे क्या हैं, इसलिए तेजगाँव स्टेशन पर ले जाकर उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

—पेशावर में कितने ही दिनों से रण्डियों के मकानों की जो पिकेटिङ्ग जारी थी, उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ग़ैर-क़ानूनी कह कर रोकने का हुक्म दिया है। ख़िलाफ़त कमिटी वालों में बड़ी सनसनी फैली है और उसकी तरफ़ से चीफ़ कमिश्नर, भारत-सरकार, इन्सपेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस तथा बड़ी व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के पास विरोध के तार भेजे गए हैं।

—चारसद्दा में असिस्टेण्ट कमिश्नर कप्तान बेकन ने दफ़ा १४४ का हुक्म जारी करके दो महीने के लिए सब प्रकार का जुलूस और प्रदर्शन, सिवाय धर्म से सम्बन्ध रखने वालों के, रोक दिए हैं। चारसद्दा की छोटी जेल के लालकुर्ती वालों के तीन नेता और नौ अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए। ये सब मर्दान जेल में भेजे गए हैं।

—इलाहाबाद ज़िले के सिरसा पोलिस स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के अवसर पर झगड़े की आशङ्का होने से कलक्टर ने वहाँ दफ़ा १४४ लगा दी है कि कोई व्यक्ति वहाँ ६ से १२ दिसम्बर तक किसी तरह का हथियार और लाठी आदि लेकर न जाय।

—बम्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने लक्ष्मीनारायण शान्तिराम उर्फ़ शिवनारायण पाठक नामक व्यक्ति को बिना लायसेन्स रिवॉल्वर रखने के क़सूर में १८ महीने की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। पुलिस की ओर से कहा गया था कि वह रिवॉल्वर और एक बड़ा चाक़ू लेकर कालबा देवी की एक दुकान के पास डाका डालने की नीयत से गया था।

—श्रीनगर की हिन्दू-सभा ने निश्चय किया है कि अगर सरकार ने हिन्दुओं के स्वीकार करने योग्य नए प्रतिनिधि नियुक्त न किए और इस बात की स्पष्ट घोषणा न की कि हिन्दू-लॉ के संशोधन पर विचार न किया जायगा, तो हिन्दू ग्लैन्सी कमीशन का बॉयकॉट करेंगे।

—बड़े दिन की छुट्टियों में इटावा में होने वाली संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक कॉन्फ़्रेन्स के प्रेज़िडेण्ट बनारस के बाबू श्रीप्रकाश चुने गए हैं।

—लाहौर का २७ नवम्बर का समाचार है कि वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट सोंधी पिण्डीदास से राजद्रोही प्रचार करने के अभियोग में दस हज़ार की ज़मानत माँगी है। दूसरे लाहौर कॉन्सपिरेसी-केस की डिफ़ेन्स-कमिटी के मेम्बर श्री० क्रान्तिकुमार से भी दस हज़ार की ज़मानत माँगी गई। सोंधी जी ज़मानत देकर छूट गए, पर क्रान्तिकुमार ने ज़मानत न देकर एक वर्ष के लिए जेल जाना स्वीकार किया।

—पटना बम-केस के अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे को सेशन्स जज ने सात साल की कड़ी क़ैद की सज़ा दी थी। सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में सज़ा को बढ़ाने की अपील की गई और उसके फल-स्वरूप अब अभियुक्त को दस वर्ष की सज़ा भोगनी होगी।

पोस्टकार्ड और लिफ़ाफ़ों का मूल्य बढ़ा

सरकारी सूचना है कि १५ दिसम्बर से लिफ़ाफ़े का दाम ५ पैसा और पोस्टकार्ड का ३ पैसा हो जायगा। जो लोग इससे कम महसूल लगाएँगे, उनकी चिट्ठियाँ जला दी जायँगी।

—इलाहाबाद ज़िले के ज़मींदारों ने कॉङ्ग्रेस के लगानबन्दी आन्दोलन का मुक़ाबला करने के लिए अपना एक सङ्गठन बनाया है। इसका उद्देश्य लगानबन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करना और ज़मींदारों की मालगुज़ारी अदा करने का उपाय करना है। उनकी तरफ़ से किसानों को पर्चों और व्याख्यानों द्वारा समझाने की कोशिश की जायगी कि उनको काफ़ी माफ़ी मिल चुकी है और यदि वे अब भी लगान अदा न करेंगे, तो उनकी ज़मीनें ज़ब्त हो जायँगी और कभी वापस न दी जायँगी।

—४ दिसम्बर को सुबह वायसरॉय सपत्नीक हवाई जहाज़ द्वारा कलकत्ता के लिए रवाना हुए। ६ बजे आप चाय-पानी के लिए लखनऊ उतरे और ४ बज कर ५० मिनट पर कलकत्ता जा पहुँचे।

—यू० पी० नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट श्री० रामसरनदास जौहरी ने हाथरस में भाषण देते हुए म्युनिसिपल चुनाव का बॉयकॉट करने की सलाह दी है। नौजवान भारत-सभा की तरफ़ से चुनाव के अवसर पर पिकेटिङ्ग की जायगी।

—पेशावर का समाचार है कि नौशेरा ब्रिगेड के कमाण्डर ने पेशावर की चारसद्दा तहसील को लालकुर्ती वालों का अड्डा घोषित किया है और हुक्म दिया है कि कोई भी यूरोपियन वहाँ बिना दो हथियारबन्द सिपाहियों को साथ लिए न जाय। पेशावर शहर में भी तमाम यूरोपियन अफ़सरों का आना बन्द कर दिया गया है, सिवाय उनके जो वहाँ अपनी ड्यूटी पर हैं।

—२ दिसम्बर को कानपूर में पुलिस और ख़ुफ़िया वालों ने कितने ही मकानों की तलाशी ली। जिन लोगों के यहाँ तलाशी ली गई, उनके नाम ये हैं—महावीर पाण्डेय जनरलगञ्ज, जहाँ से पुलिस चन्द्रशेखर आज़ाद की एक तस्वीर ले गई। किशनलाल अग्रवाल जनरलगञ्ज, जिसके घर से पुलिस एक बल्लम, एक रिवॉल्वर और कितने ही काग़ज़ात ले गई। रूपनारायण त्रिवेदी अनवरगञ्ज, रामेश्वर उर्फ़ रमेश बादशाही नाका, कपूरचन्द सीताराम मुहाल; मदनलाल खन्ना फ़ीलख़ाना; मन्नीलाल पाण्डे नाचघर; पण्डित गङ्गासहाय चौबे, हिन्दुस्तानी वाशिङ्ग कम्पनी जनरलगञ्ज; मन्नीलाल बादशाही नाका; पी० एन० मित्र चौक और पं० जगदम्बाप्रसाद हितैषी। कहा गया है कि ये तलाशियाँ हाल के राजनीतिक अपराध के सम्बन्ध में हुई हैं। तलाशियों में बहुत सा ज़ब्त साहित्य, फोटोग्राफ़ और तस्वीरें आदि मिलीं।

—बम्बई का २ दिसम्बर का समाचार है कि देशी राज्य प्रजा-परिषद् की तरफ़ से कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट को एक मेमोरियल दिया गया है, जिसमें रियासतों की प्रजा की कम से कम माँगें पेश की गई हैं। मेमोरियल पर भारत भर की रियासतों के ४६,७७८ व्यक्तियों के दस्तख़त हैं।

—आगरा का ३ दिसम्बर का समाचार है कि बली नामक गाँव में लोगों ने पुलिस पर हमला किया और गिरफ़्तार आसामी को छुड़ाने की चेष्टा की। पुलिस ने तीन गोलियाँ चलाईं, जिनसे दो आदमी मरे और एक ज़रा बच गया।

—पञ्जाब सरकार ने 'मज़लूम काश्मीर या ख़ूनी वक़ता' नामक उर्दू पैम्फ़लेट, जिसका लेखक मुहम्मदअली नामक व्यक्ति है, रियासतों के क़ानून के विरुद्ध बतला कर ज़ब्त कर लिया है।

—'युवक' के सम्पादक श्री० रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ने, जिनको दफ़ा १२४-ए में एक साल की क़ैद और २५०) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई थी, हाईकोर्ट में उसके विरुद्ध अपील की थी। जजों ने यह कह कर कि यह सज़ा अधिक कड़ी नहीं है, अपील ख़ारिज कर दी।

—विलायत के सुप्रसिद्ध लिबरल नेता मि० लॉयड जार्ज ४ दिसम्बर को बम्बई आए। आप स्वास्थ्य-सुधार के लिए अपनी पत्नी और लड़की के साथ कोलम्बो जा रहे हैं। बम्बई कारपोरेशन ने आपका स्वागत किया और आपने एक विशाल सभा के सम्मुख भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर भाषण किया। आपने कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स दो बार असफल हो चुकी है, तीसरी बार आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। महात्मा गाँधी की आपने बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की, उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है।

—३० नवम्बर को अमृतसर की वेङ्कटेश्वर मिल पर हड़ताली मज़दूरों ने पिकेटिङ्ग की। कुछ मज़दूर उनको हटा कर काम पर जाने लगे। पुलिस ने धक्का देकर पिकेटिङ्ग करनेवालों को हटाया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोट भी लगी। इतने पर भी जब पिकेटिङ्ग वाले न माने तो पुलिस-अफ़सर और मैजिस्ट्रेट ने मौक़े पर पहुँच कर उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। हड़तालियों के नौ नेता गिरफ़्तार किए गए, जो स्थानीय नौजवान-सभा के भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। उन पर दफ़ा १०७ और १५१ का मुक़दमा चलेगा।

—नई देहली का ३ तारीख़ का समाचार है कि संयुक्त-प्रान्त के अलावा चारसद्दा (पेशावर) की दशा भी सरकार को चिन्तित बना रही है। अब यह राह देखी जा रही है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा का सीमा-प्रान्त पर क्या असर पड़ता है। साथ ही रेड शर्ट वालों की कार्रवाई पर पूरी निगाह रक्खी जा रही है।

—आल इण्डिया रेलवेमैन्स फ़ेडरेशन के डेपुटेशन ने देहली में रेलवे-बोर्ड के अधिकारियों से बहस करके रेलवे कर्मचारियों को घटाने के सम्बन्ध में नई तजवीज़ तैयार कराई है। इसके अनुसार जब तक रेलवे जाँच-कमिटी का काम ख़त्म न हो, तब तक कम से कम लोग नौकरी से अलग न किए जायँगे।

—रङ्गून का ३ दिसम्बर का समाचार है कि थायेटमों में हाल में एक गाँव में डाका डालने की चेष्टा की गई, पर गाँव वालों ने पुलिस की सहायता से डाकुओं पर गोली चलाई, जिससे एक मारा गया और दूसरा घायल हुआ। पेगू की घाटी में विद्रोही दल की १५ झोपड़ियाँ फ़ौज ने जला दीं। टोंगू नामक स्थान में १४ डाकुओं का एक दल पकड़ा गया है।

—शिवदत्त नाम के कॉङ्ग्रेस किसान वालण्टियर को पीटने के क़सूर में रामदत्त तथा अन्य व्यक्तियों को दोषी क़रार देकर सज़ा दी गई थी। रायबरेली के सेशन्स जज ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी, पर तीन महीने की शेष क़ैद की सज़ा को बदल कर २०) रु० जुर्माने की सज़ा दी। एक याद रखने की बात यह है कि इस मामले का ज़िक्र म० गाँधी ने अपनी 'चार्ज-शीट' में किया था।

—सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा के कारण विभिन्न प्रान्तों के कॉङ्ग्रेस-मैनों के मौजूदा कार्यक्रम में किसी तरह का अन्तर नहीं पड़ सकता और वे जनता की सेवा के लिए जिन कामों को रहे हैं उनको कदापि नहीं रोका जा सकता। कॉङ्ग्रेसमैनों का कभी यह विश्वास न था कि अङ्गरेज़ी सरकार के वायदे सच हैं, न वे यह समझते हैं कि सरकार केवल तर्क में परास्त होकर शक्ति को अपने हाथ से छोड़ देगी। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए गाँधी जी के लौटने के बाद, सम्भवतः इस मास के अन्त तक, वर्किङ्ग कमिटी की बैठक में विचार होगा और तभी कुछ निर्णय हो सकेगा।

—जोधपुर में श्री० नरसिंह दास, जयनारायण, दाऊदास और कानमल नामक चार नवयुवकों को तीन-तीन महीने की सज़ा, १२५) रु० जुर्माना किया गया। इसके विरोध में एक सभा की जाने वाली थी।

—२६ नवम्बर को कानपुर की पुलिस ने कालिका प्रसाद वैद्य के मकान की तलाशी ली सुखदेसिंह और एक अन्य व्यक्ति को, जो भागे हुए अभियुक्त बतलाए जाते हैं, गिरफ़्तार किया। उनके यहाँ से कुछ गोली-बारूद और एक फ़रसा मिला। कहा जाता है कि यह गिरफ़्तारियाँ नरवल डकैती के सम्बन्ध में हुई हैं।

—इन्दौर की भण्डारी और स्टेट मिलों के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। वहाँ की मज़दूर-सभा ने उनके सहायतार्थ चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया है।

—गुजरात कॉङ्ग्रेस कमिटी ने आगामी पुरी-कॉङ्ग्रेस के अध्यक्ष के लिए श्री० राजेन्द्रप्रसाद और श्री० राजगोपालाचारी का नाम चुना है।

—नागपुर का समाचार है कि मराठी सी० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी के जेनरल सेक्रेटरी श्री० एस० टी० धर्माधिकारी को बेतूल के मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १२४-ए में ५०० रु० जुर्माने की सज़ा दी है। जुर्माना न देने पर छः मास की कड़ी क़ैद का दण्ड भोगना होगा। अभियुक्त को फ़ैसला होने के बाद भी हवालात में नहीं रक्खा गया।

—२७ नवम्बर को बम्बई के ऑपेरा हाउस में 'न्याय' नाम का एक नाटक खेला जाने वाला था, जिसमें एक पारसी महिला के हिन्दू-धर्म ग्रहण करके एक हिन्दू के साथ शादी करने का वर्णन था। यह बात पारसियों को बुरी लगी और वे लोग थियेटर के बाहर इकट्ठे होकर नाटक के कुछ भाग को निकाल देने की ज़िद करने लगे। भीड़ बहुत अधिक हो जाने से पुलिस-कमिश्नर पुलिस के एक ज़बर्दस्त दल के साथ मौक़े पर पहुँचे और शान्ति स्थापित की गई। पर नाटक का खेला जाना रुक गया।

—ता० १ दिसम्बर को कानपुर की जुग्गीलाल कमलापति कॉटन मिल के १७५ मज़दूरों ने हड़ताल कर दी।

—२८ नवम्बर को मौलाना शौकतअली ने रोम के पोप से भेंट की।

—महाराज काश्मीर ने २६ तारीख़ को दिल्ली में वायसरॉय से भेंट की।

—यू० पी० की रीट्रेञ्चमेण्ट कमिटी ने संयुक्त-प्रान्त के तमाम कमिश्नरों के पदों को तोड़ने की सम्मति दी है।

—बर्मा-विद्रोह के नेता सायासेन को २८ नवम्बर को फाँसी दे दी गई।

—पेशावर का समाचार है कि चारसद्दा में ८ लाल-कुरती वाले फ़ौजी सिपाहियों को गालियाँ देने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे। माफ़ी माँग लेने पर उनको छोड़ दिया गया।

—पार्लामेण्ट ने ३ दिसम्बर को मि० मैकडॉनल्ड की राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स की घोषणा को स्वीकार कर लिया। मि० चर्चिल ने उसके विरोध में एक संशोधन उपस्थित किया था, पर उसके पक्ष में केवल ४३ वोट आए और विपक्ष में ३६९।

—महात्मा गाँधी ५ ता० को लन्दन से रवाना होने वाले थे। रास्ते में वे एक दिन पेरिस में ठहर कर व्याख्यान देंगे। ६ दिसम्बर को वे विलेनेव्यू पहुँच कर वहाँ कुछ समय ठहरेंगे। वे रोम जाने का इरादा भी कर रहे हैं। १४ ता० को वे भारत के लिए रवाना हो जायँगे।

—नागपुर की मेहतर यूनियन ने मोरिस कॉलेज की घटना के सम्बन्ध में एक विरोध का प्रस्ताव पास किया है और सरकार से आग्रह किया है कि वह यूनियन के प्रतिनिधियों की सलाह से इस मामले की जाँच करे।

—लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के ३४ विद्यार्थियों ने ६ आना मज़दूरी पर कुली का काम किया, वे कुलियों के कपड़े पहने थे और उनके हाथों में फावड़े और टोकरियाँ थीं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मज़दूरी की महिमा लोगों को समझाना है, ये सब विद्यार्थी ग्रैजुएट और अण्डर-ग्रैजुएट थे।

—सरनाना (रोहतक) में अछूत लोगों की एक कॉन्फ्रेन्स ने डॉ० आम्बेडकर में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया और म० गाँधी को ही अपना सच्चा प्रतिनिधि माना।

दुबे जी की चिट्ठी

(४थे पृष्ठ का शेषांश)

बहुत मुनासिब रहा। यदि ऐसे ही दो-चार ऑर्डिनेन्स और निकल जायँ तो कम से कम पचास वर्षों के लिए भारतवासी स्वराज्य माँगना भूल जायँ! क्यों सम्पादक जी, आपकी क्या राय है?

भवदीय

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

ऑर्डिनेन्स पर लोकमत

अहमदाबाद का ३ ता० का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस-प्रेज़िडेण्ट सरदार पटेल ने एसोसिएटेड प्रेस के सम्वाददाता से कहा है कि "हम लोग इस बात का अनुमान कि भविष्य में क्या होने वाला है, अपने सामने की घटनाओं से ही लगा सकते हैं। हाल में देश में जो नए मामले पैदा हुए हैं, मुझे विशेष रूप से उन्हीं का ध्यान है। बङ्गाल, संयुक्त-प्रान्त, पञ्जाब, सीमा-प्रान्त और मद्रास में विकट समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। हर एक में दमन की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इन सबमें नया और गम्भीर मामला बङ्गाल में आरम्भ होने वाला वह क़ानूनी आतङ्कवाद है, जो भारत के इतिहास में सबसे अधिक काले-ऑर्डिनेन्स के रूप में प्रकट हुआ है। यह नया ऑर्डिनेन्स चटगाँव में और सम्भवतः अन्य ज़िलों में भी मार्शल-लॉ का शासन जारी करने का अधिकार देता है। इसमें और मार्शल-लॉ में केवल नाम का अन्तर है, अन्यथा इसमें उसकी सब भयङ्करताएँ मौजूद हैं, यह किसी तरह के क़ानूनी शासन के बजाय नग्न भयङ्करता का राज्य स्थापित करता है। यह पुलिस और मैजिस्ट्रेटों को इतनी अधिक शक्ति देता है, जिसकी परिस्थिति को देखते कुछ भी आवश्यकता नहीं। इस ऑर्डिनेन्स का दुरुपयोग किया जायगा, यह बात अब तक के तमाम दमनात्मक क़ानूनों के इतिहास से, जिनका नौकरशाही ने प्रयोग किया है, सिद्ध होती है।"

सरदार वल्लभभाई ने कहा कि जब कॉङ्ग्रेस देखती है कि दमन का फ़ौलादी पञ्जा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बढ़ता जाता है, तो वह सरकार द्वारा हाल में की गई सहयोग की घोषणा का सिर्फ़ एक ही अर्थ निकाल सकती है।

"ऑर्डिनेन्स की भयङ्करता का वर्णन कर सकने के बाहर है। मेरा विश्वास है कि यह सिवाय नियम-बद्ध कॉङ्ग्रेस आन्दोलन के, अन्य किसी उद्देश्य से जारी नहीं किया गया है। यह उन 'छोटे व्यवसाइयों' के सम्मुख आत्म-समर्पण करना है जिनका ज़िक्र स्वर्गीय देशबन्धु ने सन् १९१७ में किया था।"

—टी० सी० गोस्वामी

"यह एक ऐसा भयजनक क़ानून है जिसकी इस समय कोई ज़रूरत न थी......इसके द्वारा दरअसल समस्त बङ्गाल मार्शल लॉ के अधिकार में दे दिया गया है।"

—पी० सी० राय

"जो चोट कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के लिए बतलाई जाती है वह हमको भय है, वास्तव में कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध प्रयोग की जायगी।.........मालूम पड़ता है कि ईश्वर की इच्छा है कि बङ्गाल फिर एक बार कष्ट-सहन करे, जिससे भारत स्वाधीन हो सके।"

—किरणशङ्कर राय

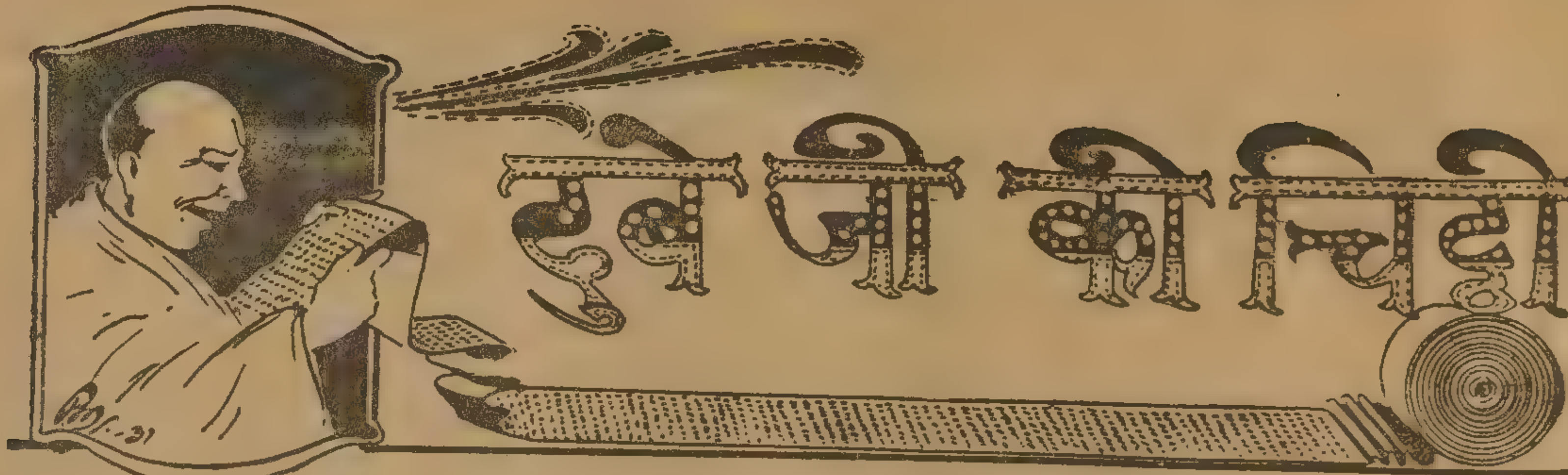
"इस प्रकार के दमन की वृद्धि से उन युवकों पर बहुत कम असर हो सकता है, जो एक ऐसे पागलपन के काम के लिए, जिसे ग़लती से वे देश-सेवा समझे हुए हैं, स्पष्टतः अपनी जानें देने को तैयार हैं।

—बी० सी० चटर्जी

ऑर्डिनेन्स को रद कराने की चेष्टा

लन्दन का ३ ता० का समाचार है कि म० गाँधी और सर सप्रू प्रधान मन्त्री से मिल कर नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स को रद कराने का आग्रह करने वाले हैं। महात्मा जी उनको बतलावेंगे कि इससे कमिटी की सफलता में बाधा पड़ेगी। महात्मा जी और मालवीय जी मिल कर ऑर्डिनेन्स को वापस लेने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने पेश किया है।

* * *



अजी सम्पादक जी महाराज,
जय राम जो की !

लीजिए एक और ऑर्डिनेन्स निकल पड़ा। वल्लाह ! इन ऑर्डिनेन्सों ने तो मुर्ग़ी के अण्डों को भी मात कर दिया। नित्य एक नया ऑर्डिनेन्स मौजूद है। इससे साबित होता है कि "ताज़ीरात हिन्द" और "ज़ाब्ता फ़ौजदारी" अब सिर्फ़ लुटिया-चोरों और गिरह-काटों के लिए रह गए। अथवा केवल उनके लिए, जो कभी-कभी आपस में धौल-धप्पा कर लिया करते हैं। इनके अतिरिक्त शेष सब के लिए केवल ऑर्डिनेन्स की ही शक्ति काम देगी। अपने राम की राय शरीफ़ा में तो यह आता है कि उपरोक्त दोनों ग्रन्थ अब निकम्मे तथा रद्दी हो गए हैं। इन्हें पचपन साला के अनुसार अलग कर देना ठीक है और बस केवल ऑर्डिनेन्सों से क़ानून तथा शान्ति की रक्षा की जाय। ओफ़ ओह ! ये 'क़ानून' तथा "शान्ति" भी कितने मूल्यवान पदार्थ हैं। इन्हें 'अशान्ति' तथा 'अक़ानून' के ज़हर से बचाने के लिए श्रीमान् वायसरॉय महोदय को नित्य एक ज़हरमोहरा उगलना पड़ता है। कितना कष्ट-साध्य कार्य है। इस पर भी अनेक लोग वायसरॉय के पद पर ईर्षा करते होंगे। उन्हें उस प्रसव-पीड़ा का क्या पता, जो वायसरॉय महोदय को ऑर्डिनेन्स के जन्म देने में सहन करनी पड़ती है। जितना बड़ा पद होता है, कष्ट भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ता है—यह मानी हुई बात है।

अपने राम को इसमें ज़रा भी शको-शुबह नहीं है कि इस ऑर्डिनेन्स के अवतार लेने से सोलहो आना लाभ ही लाभ है। इसकी छत्र-छाया में क़ानून और शान्ति बरसाती घास की तरह पनपेंगे और यह, आतङ्कवादियों से सरकार की उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे "फ़्लिट" मच्छरों से मनुष्य की रक्षा करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आतङ्कवाद है बहुत ही बुरी चीज़। और आतङ्कवादी संसार में घोर निकृष्ट प्राणी हैं। इन प्राणियों से साहब लोगों की रक्षा करना सरकार का परम धर्म है। यदि साहब लोगों की रक्षा न की जायगी तो क़ानून तथा शान्ति की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि हिन्दुस्तान में शान्ति और क़ानून की रक्षा इन्हीं साहब लोगों द्वारा होती है। काला आदमी तो इन दोनों निरपराधों की हत्या करना जानता है—रक्षा करना नहीं। यद्यपि अपने राम ऑर्डिनेन्सों के पक्ष में कुछ अधिक नहीं हैं ; परन्तु यह ऑर्डिनेन्स वायसरॉय महोदय ने नायाब निकाला। इस ऑर्डिनेन्स से अपने राम बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए हैं। अब आतङ्कवादियों को पता लगेगा कि बम और पिस्तौल चलाने में क्या मज़ा मिलता है !

अब ज़रा अपने राम इस ऑर्डिनेन्स का सिंहावलोकन करते हैं।

इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति २४ घण्टे तक केवल सन्देह पर हवालात में रक्खा जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। हालाँकि होना चाहिए था २४ दिन, परन्तु कोमल-हृदय वायसरॉय महोदय ने २४ दिन न रख कर २४ घण्टे कर दिया। सन्देह बहुत बुरी चीज़ है। और सन्देह का दूर हो जाना उतना ही आवश्यक है, जितना कि मेलेरिया ज्वर का दूर हो जाना। जिस प्रकार मेलेरिया ज्वर रह जाने से जीर्णज्वर भी हो जाता है, उसी प्रकार सन्देह रह जाने से जान का ख़तरा रहता है। इसलिए सन्देह को तो कभी रक्खे ही नहीं—चाहे किसी को २४ घण्टे नहीं, २४ दिन या २४ महीने हवालात में रखना पड़े। २४ घण्टे की मियाद क़ायम करना इसलिए भी आवश्यक था कि बाज़ आदमियों का स्वभाव ही शक्की होता है। मान लीजिए, किसी मैजिस्ट्रेट का स्वभाव ही शक्की है और ऐसा शक्की कि २४ घण्टे में वह शक दूर न हुआ—तब ? ऑर्डिनेन्स के कारण २४ घण्टे पश्चात् तो मैजिस्ट्रेट उसे हवालात में रख ही नहीं सकता। ऐसी दशा में क्या होगा ? मैजिस्ट्रेट बेचारे का तो खाया-पिया नहीं पचेगा। शक निकला ही नहीं और आसामी को छोड़ना पड़ा—हरे! हरे! कितना जोखिम का काम है। मि० एडीसन स्वर्ग सिधार गए, अन्यथा अपने राम उनसे प्रार्थना करते कि चलते-चलाते एक मैशीन ऐसी तो बनाए जाइए, जिससे २४ घण्टे में सन्देह अवश्य ही निकल जाय—या फिर सीमेण्ट के प्लास्टर की तरह दृढ़ हो जाय। या फिर कोई रसायनज्ञ ऐसी पेटेण्ट दवा तैयार करे, जिसके खा लेने से दस्तों के साथ सन्देह निकल जाया करे। जो ऐसी दवा बनावेगा, वह निश्चय ही संसार को लूट लेगा। वल्लाह ! यदि अपने राम इस समय चटगाँव में मैजिस्टेट होते तो आनन्द आ जाता। नित्य सौ-पचास आदमी सन्देह पर पकड़ कर बन्द रखते और २४ घण्टे पश्चात उन्हें छोड़ देते कि—'जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, केवल दिल्लगी के लिए तुम्हें बन्द रक्खा।" बाज़ार में निकलते और कोई सलाम न करता तो फट सन्देह में गिरफ़्तार करवा लेते। जो सरकारी आदमी को सलाम न करे, वह तो बड़ा ही सन्दिग्ध आदमी हो सकता है। और यदि सौभाग्य से कहीं पुलिस के अफ़सर होते, तो फिर क्या था ? पौबारा थे। लाख, पचास हज़ार रुपए तो महज़ शक ही शक में पैदा कर लेते। जिस बड़े आदमी से कह देते कि तुम पर अपने राम को शक है कि तुम आतङ्कवादियों से मिले हुए हो, वह कुछ न कुछ ख़ातिर करता ही। २४ घण्टे हवालात में बन्द रहना केवल वे ही पसन्द कर सकते हैं, जिनके लिए रात काटने का कहीं ठिकाना नहीं। फिर यह भी सोचते हैं कि यदि अपने राम वहाँ न हुए तो अच्छा ही हुआ। रुपया तो पैदा कर लेते, परन्तु स्वभाव घोर शक्की हो जाता। दूसरी बात, जो अपने राम को पसन्द है वह यह है कि सरकारी कार्य के लिए सरकारी अफ़सरों का किसी मकान अथवा वस्तु पर क़ब्ज़ा कर लेना। यह बिल्कुल उचित ही है। सरकार माई-बाप है। हिन्दुस्तान में जो कुछ है, सब उसी का है। वह उसे जब चाहे तब ले ले। जब तक वह किसी का मकान अथवा वस्तु नहीं लेती, तब तक उसकी कृपा समझना चाहिए। सम्पादक जी, इस पर भी अपने राम की छाती पर साँप लोटता है कि हाय हुसैन हम न हुए। यदि होते तो फिर क्या था ? कोई बहुत बड़ी कोठी ताक कर उस पर क़ब्ज़ा जमाते। चार-छः मोटरें प्रत्येक समय द्वार पर खड़ी रहतीं। सरकारी काम जो होता सो तो होता ही, बाक़ी अपने राम हर समय मोटर पर ही डटे रहते। दो-चार बड़े आदमी सेवा में हाज़िर रहते। जब अपने राम पुकारते—"कोई है ?" तब कोई रायबहादुर या ख़ानबहादुर हाथ बाँधे हुए सामने आकर कहते—"हाज़िर हुज़ूर, क्या हुक्म है ?" क्योंकि ऑर्डिनेन्स में यह भी है कि सरकारी काम के लिए ज़िलाधीश जिस व्यक्ति को चाहेगा, तलब कर सकेगा। सो अपने राम की तलब कुछ मामूली तलब नहीं है। अपने राम की तलब से लोग घबरा जाते और कुछ न कुछ भेंट देकर पिण्ड छुड़ाने की चेष्टा करते।

तीसरी बात किसी जमाअत या जनसमूह को दण्ड देने की है। यह भी बड़ी मज़ेदार बात है। एक ने किया और मुहल्ले का मुहल्ला अपराधी बना दिया गया। एक के अपराध के लिए मुहल्ले भर पर जुर्माना ; वाह वा ! हुकूमत सम्बन्धी अरमान निकालने का इससे अच्छा और कौन सा मौक़ा मिल सकता है ? परन्तु अपने राम के भाग्य में बदा ही नहीं है। 'सकल पदारथ हैं जग माहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं।' सो इस मामले में अपने राम वज्र कर्म्महीन प्रमाणित हुए। ऐसा नादिर-(शाही) मौक़ा निकला जा रहा है। ग़ज़ब है ! सितम है ! वल्लाह ! और कुछ नहीं, तो इस समय वहाँ की कॉन्स्टेबिली ही मिल जाती, तब भी कुछ तो अरमान निकल जाते।

चौथी बात जो सब से ज़बरदस्त है, वह यह है कि हत्या की चेष्टा भी मृत्यु-दण्ड दिला सकेगी। किसी आतङ्कवादी ने किसी साहब पर पिस्तौल छोड़ा, परन्तु वार ख़ाली गया। बस पिस्तौल छोड़ने वाला फाँसी के तख़्ते पर पहुँच गया—साहब की जान मुनाफ़े में बच गई। इस दफ़ा का उपयोग अपने राम से अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। दफ़ा में यद्यपि 'हत्या की चेष्टा' दी हुई है। परन्तु अपने राम तो नियत ताड़ने वाले ठहरे। सूरत देखते और पहचान लेते कि यह आदमी किसी गोरे की हत्या करने का इरादा रखता है। बस इतना ही काफ़ी था। अजी जनाब ! हत्या की चेष्टा करने का अवसर ही क्यों दिया जाय ? चेष्टा का परिणाम न जाने क्या हो। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की सूरत से ही उनका इरादा समझ कर उन्हें दण्ड दिया जाया—तभी तो आतङ्कवादी क़ब्ज़े में आवेंगे। सवेरे शहर भर के आदमी जमा किए जावें। वहाँ उन सबकी सूरत देख-देख कर उनका दिली इरादा समझ लिया जावे। जितनों की नियत ख़राब मालूम पड़े, उनको फाँसी पर लटका दिया जाय ! सीधा हिसाब है। जहाँ चार-छः रोज़ यह हुआ, बस लोग अपने समस्त इरादे बदल देंगे। कम से कम अपनी नियत सब लोग साफ़ रक्खेंगे—करें चाहे जो ! क्योंकि नियत साफ़ होने की दशा में लोग जो कुछ करेंगे, क्षणिक आवेश में आकर कर डालेंगे—पहले से इरादा करके नहीं करेंगे। और जो पहले से इरादा नहीं करेगा, वह कर ही क्या सकेगा ?

उपरोक्त सब बातों पर विचार करते हुए अपने राम की राय में तो यही आता है कि यह ऑर्डिनेन्स

(शेष मैटर ३२ पृष्ठ के २रे कॉलम के नीचे देखिए)

सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने की सम्भावना

जनता केवल इशारा मिलने की राह देख रही है

राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स की समाप्ति होने पर विलायती मज़दूर-दल के प्रसिद्ध पत्र 'न्यू लीडर' के सम्वाददाता ने महात्मा गाँधी से निम्नलिखित बातचीत की :—

सवाल—क्या आप समझते हैं कि आप निष्क्रिय प्रतिरोध के भाव को फिर जीवित कर सकेंगे? जबकि आन्दोलन एक बार रोक दिया जाता है, तो क्या उसे फिर उठाना कठिन नहीं होता?

जवाब—मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है। जिस आन्दोलन को मैंने बन्द किया है, उसे दुबारा चलाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी है, बशर्ते कि मैं अपने भीतर शक्ति का अनुभव करता हूँ। जब सन् १९२२ में हमने बारदोली में अपने आन्दोलन को ख़त्म कर दिया, तो मेरे मित्रों को उसकी बड़ी चिन्ता थी। पर सन् १९३० में हमने फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया। पर समय बिल्कुल उपयुक्त था और आन्दोलन स्थगित करने का फल बीच के वर्षों में अच्छा सिद्ध हुआ। हम लोग सुस्त नहीं बैठे रहे थे। जनता हमारे विचारों को ग्रहण करती जाती थी। हमारा रचनात्मक कार्यक्रम जारी था और उसका जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जनता हमारे आन्दोलन के वास्तविक आशय को समझ गई और वह राष्ट्र की पुकार पर एकदम तैयार हो गई।

सवाल—ठीक है, पण्डित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि लोगों को रोक कर रख सकना अब कठिन है।

जवाब—ये सब शुभ लक्षण हैं। मैं स्पष्ट से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों में स्वयमेव भाव मौजूद न हो तो मैं आन्दोलन कभी आरम्भ न करूँगा। पर इतनी दूर बैठा हुआ भी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वे केवल इशारा मिलने की राह देख रहे हैं।

सवाल—क्या सिर्फ़ किसानों का ही यह भाव है, अथवा शहर वालों के भी ऐसे ही विचार हैं?

जवाब—मैं विशेष भरोसा किसानों का ही रखता हूँ।

धनवानों का षड्यन्त्र

सवाल—आप आन्दोलन में विशेष ध्यान आर्थिक पहलू पर रखते हैं या राजनीतिक पहलू पर?

जवाब—लोगों की आर्थिक कठिनाइयों ने ही उनको राजनीतिक अवस्था के समझ सकने योग्य बनाया है। वे समझ गए हैं कि जब तक वर्तमान राजनीतिक पद्धति का जड़-मूल से नाश नहीं कर दिया जायगा, तब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधर सकती। भारत की सरकार धनवानों की रक्षक बनी हुई है। गवर्नमेण्ट की आड़ में धनवानों ने एक षड्यन्त्र किया मालूम होता है, जिसका उद्देश्य ग़रीबों से एक-एक पैसा ले लेना है। किसानों की दशा तब तक कदापि नहीं सुधर सकती, जब तक उन पर लदा हुआ टैक्सों का निष्ठुर भार नहीं हटाया जाता।

सवाल—क्या आपको इस बात का भय है कि भारत में फैले हुए अधैर्य के भाव के कारण आपका आन्दोलन अहिंसात्मक नहीं रह सकेगा?

जवाब—नहीं, मैं ऐसा ख़्याल नहीं करता। अगर जनता आन्दोलन में भाग लेने को तैयार रही और उसका सामूहिक रूप क़ायम रहा, तो हिंसा का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता।

साम्प्रदायिक समस्या

सवाल—मैं साम्प्रदायिक समस्या के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप कहते हैं कि नेशनल मुस्लिम पार्टी के अनुयायी कॉन्फ़्रेन्स में शामिल होने वाले नेताओं के मानने वालों से संख्या में अधिक हैं?

जवाब—बेशक, इसका दावा डॉ० अन्सारी, जो हमारी वर्किङ्ग कमिटी के सदस्य हैं, सदा किया करते हैं। चाहे यह बात उतनी सच न हो जितनी सच उसे डॉ० अन्सारी समझते हैं, पर यह दिन पर दिन अधिक सच बनती जा रही है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह बात नवयुवकों के विषय में सच है, जो सम्प्रदायवाद को बराबर छोड़ते जाते हैं।

सवाल—नवयुवक दल का यह भाव केवल सम्प्रदायवाद के विरोध में है अथवा वे धर्म के भी विरोधी बनते जा रहे हैं?

जवाब—यह कह सकना कठिन है। मैं यह नहीं कह सकता कि वे धर्म-विरोधी और नास्तिक हैं। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उनमें सहनशीलता का भाव बढ़ता जाता है। पर इसका कारण इस्लाम के प्रति उनकी भक्ति का घटना और धार्मिक भाव का ह्रास है, यह मैं नहीं जानता।

संयुक्त आन्दोलन की सम्भावना

सवाल—अगर कॉन्फ़्रेन्स केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी के प्रश्न पर भङ्ग हो जाय तो क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार सायमन कमीशन का सब दलों ने सम्मिलित होकर विरोध किया था, वैसा ही इस सम्बन्ध में भी किया जायगा?

जवाब—हाँ, मेरा यही ख़्याल है। लिबरल और मॉडरेट सक्रिय आन्दोलन में भाग न लेंगे, पर उनकी सम्मति पूर्ण रूप से कॉङ्ग्रेस के पक्ष में रहेगी।

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स का क्या फल निकला?

अभी विभिन्न कमिटियाँ जाँच करेंगी और फिर कॉन्फ़्रेन्स का तीसरी बार अधिवेशन होगा :: महात्मा गाँधी का रास्ता सरकार से पृथक रहेगा

राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में १ दिसम्बर को प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने भारत के शासन-विधान के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने उनको यह सूचना देने का अधिकार दिया है कि गत जनवरी की घोषणा ज्यों की त्यों क़ायम रहेगी। गवर्नमेण्ट यह भी बतला देना चाहती है कि वह अखिल भारतवर्षीय फ़ेडरेशन में विश्वास रखती है और सब कठिनाइयों को पार करके उस पर क़ायम रहेगी। उनका बयान सरकारी सूचना-पत्र के रूप में प्रकट होगा। उनका इरादा है कि वे इसकी मन्ज़ूरी पार्लामेण्ट से फ़ौरन ही लेंगे। फ़ेडरेशन का प्रस्ताव बराबर क़ायम रहेगा, प्रान्तों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन मिलेगा और वे अधिक से अधिक स्वाधीनता का भोग कर सकेंगे, सिन्ध का सूबा पृथक कर दिया जायगा। अगर उसकी आर्थिक परिस्थिति इसके अनुकूल होगी, तो इस सम्बन्ध में एक कॉन्फ़्रेन्स की जायगी।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि प्रान्तों को जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जायगा, वह पेचीदा न होगा और वह फ़ेडरेशन शासन की अपेक्षा शीघ्र कार्य-रूप में परिणत हो सकेगा। पर प्रतिनिधियों की इच्छा है कि शासन-विधान में तब तक कोई परिवर्तन न किया जाय, जब तक कि उसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर न पड़े। सरकार भी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी भारतवासियों पर डालना नहीं चाहती, जोकि समय से पूर्व या ग़लत ढङ्ग की समझी जाय। इसलिए उनका विचार, सङ्घ-शासन की योजना, जिस तरह सम्भव हो, पूरा करना है।

प्रधान मन्त्री ने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे साम्प्रदायिक समस्या को आपस में तय कर लें, अन्यथा गवर्नमेण्ट को लाचार होकर इस सम्बन्ध में कोई अस्थायी योजना बनानी होगी, क्योंकि उसका इरादा है कि इसके कारण आगे बढ़ने में कोई बाधा न पड़नी चाहिए। उस दशा में गवर्नमेण्ट को केवल विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की संख्या ही निश्चित न करनी पड़ेगी, वरन् विधान में उसे ऐसे प्रतिकार के उपाय भी रखने होंगे, जिससे अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्षा हो सके और उनके अधिकार कुचले न जायँ। ऐसा करना सन्तोषजनक न होगा। हम हर हालत आगे बढ़े चले जाना चाहते हैं।

हम लोगों ने शासन-विधान की कार्यवाही को ऐसी निश्चित समस्याओं तक पहुँचा दिया है, जिन्हें कमिटियाँ ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह विचार कर सकती हैं, न कि कॉन्फ़्रेन्सें। जब कि यह कार्य होता रहेगा, उस समय इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हमारा आपस का परामर्श भी जारी रहे। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स की एक वर्किङ्ग कमिटी नियत करने का प्रस्ताव किया है, जो भारत में रहेगी और जिसकी मार्फ़त बराबर सम्बन्ध क़ायम रहेगा।

अन्त में प्रधान मन्त्री ने कहा कि समस्त योजना पर अन्तिम बार विचार करने के लिए राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स का अधिवेशन फिर किया जायगा। सरकार फ़ौरन ही एक मताधिकार कमिटी, एक फ़ायनेन्स कमिटी और एक रियासतों की आर्थिक समस्या पर विचार करने वाली कमिटी नियुक्त करना चाहती है, जिनके चेयरमैन प्रमुख अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ होंगे। कॉन्फ़्रेन्स ने सङ्घ-शासन के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किया है, उन पर भी बिना विलम्ब विचार किया जायगा और इस बात की चेष्टा की जायगी कि उनके सम्बन्ध में अच्छी तरह समझौता हो जाय। गवर्नमेण्ट चाहती है कि रियासतों के प्रतिनिधियों के बटवारे के प्रश्न का भी निर्णय हो जाय और यदि इस कार्य में बहुत अधिक देर होती दिखलाई दी, तो सरकार ऐसे उपाय करेगी, जिससे इस प्रश्न के फ़ैसले में सहायता मिले।

प्रधान मन्त्री ने अन्त में कहा कि शासन-विधान में ऐसी व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए, जिससे सब सम्प्रदाय और धर्म वालों की रक्षा का भाव प्रतीत होने लगे। अब तक भी हमने उन्नति की तरफ़ बहुत लम्बे

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

बंगाल के लिए जीवन-मरण का प्रश्न

बॉयकॉट ही सरकार को लाचार करने का अमोघ अस्त्र है

श्री० सुभाष बोस की जनता से प्रभावशाली अपील

"चटगाँव की घटना के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों पर प्रकट रूप में जो अभियोग लगाए गए हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ भी सफ़ाई नहीं दी है। हिजली के सम्बन्ध में स्वयं सरकारी कमिटी ने गोली चलाने को अन्यायपूर्ण और अन्धाधुन्धी का काम बतलाया है। अब सरकार का कर्तव्य है कि वह क्षतिपूर्ति करे और क़ानून के महत्व की रक्षा करके लोगों के हृदयों में यह विश्वास उत्पन्न करे कि कोई भी नागरिकों के प्राथमिक अधिकारों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता।" ये वाक्य श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने देशबन्धु पार्क (कलकत्ता) की एक सार्वजनिक सभा में कहे। यह सभा २७ नवम्बर शुक्रवार को श्रीमती निस्तारिणी देवी के सभापतित्व में हुई थी।

श्री० बोस ने कहा कि बॉयकॉट एक ऐसा अस्त्र है, जिसे अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ उपयोग करें तो वह उन लोगों को झुका सकता है, जो आज हमारी माँगों पर हँसते हैं।

बॉयकॉट का महत्व

आरम्भ में श्रीमती निस्तारिणी देवी ने दर्शकों को सम्बोधन करते हुए अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि चटगाँव, हिजली और ढाका के अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ज़ोरों के साथ बॉयकॉट आरम्भ करना अत्यावश्यक है। और यही स्वराज्य का भी वास्तविक मार्ग है। यह समय इसके लिए अत्यन्त उपयुक्त है, और इसे खोना नहीं चाहिए। इसलिए देश को शीघ्र ही दृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य में जुट जाना चाहिए।

अहिंसा की शक्ति

श्रीमती मोहिनी देवी ने कहा कि चटगाँव और हिजली के अन्याय का प्रतिकार अहिंसा द्वारा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश की शोचनीय दशा पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। सब को विदेशी माल का बॉयकॉट करना चाहिए।

बड़ा भारी प्रहसन

श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि देश इस समय दमन के घोर काले बादलों के बीच में होकर गुज़र रहा है। वे संख्या में इतने अधिक हैं और ऐसी निष्ठुर प्रकृति के हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। मिसाल के लिए मैं अपनी हाल की ढाका की गिरफ़्तारी का वर्णन करना चाहता हूँ। वहाँ के अधिकारी अपने ही बनाए हुए सब क़ानून को भूल गए और केवल पाशविक बल का सहारा लेकर उन्होंने एक बड़ा भारी प्रहसन कर दिखाया। ये वे आदमी हैं, जो ८ करोड़ व्यक्तियों के भाग्य-विधाता बनाए गए हैं। जिस देश में हिजली और चटगाँव की घटनाएँ सम्भव हैं, उस देश में अगर ऐसी साधारण बातें नित्य-प्रति देखने में आवें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

लोगों का यह ख़्याल कि चटगाँव की भयङ्कर घटनाओं की ढाका में पुनरावृत्ति की गई है, निराधार नहीं है। यदि लोगों ने बहुत अधिक शोर-ग़ुल न मचाया होता और वहाँ की जाँच के लिए जनता की तरफ़ से कमिटी नियुक्त न की गई होती, तो न मालूम वहाँ क्या हो जाता। यह लोगों के चौकन्ने रहने का ही फल है कि ढाका की अधिक दुर्गति न हुई। इसलिए मेरा ख़्याल है कि यदि किसी जगह कोई अन्याय या ज़ुल्म किया जाय, तो उसके प्रतिकार की चेष्टा उसी स्थान को न करनी चाहिए, वरन् समस्त देश को एक व्यक्ति की तरह खड़े होकर उसका विरोध और प्रतिकार का उपाय करना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूँ कि कमिटी ने चटगाँव के अधिकारियों पर जो इलज़ाम प्रकट रूप में लगाए हैं, सरकार उनके सम्बन्ध में चुप क्यों है। अगर कोई आदमी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है तो एक करोड़ की जायदाद किस तरह नष्ट हो गई? और यदि कोई आदमी उसके लिए ज़िम्मेदार है, तो उसे बिना विलम्ब सज़ा क्यों न दी गई? क्षतिपूर्ति की माँग भी प्रकट रूप में पेश कर दी गई। अगर घोर आन्दोलन के फलस्वरूप कम से कम दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाया जा सके, तो शायद ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाएँ फिर न हों।

जलियानवाला बाग़ और हिजली के गोलीकाण्ड में एक अन्तर है। जलियानवाला बाग़ एक सार्वजनिक सभा का मुक़ाम था और वहाँ पर लोग अपनी ख़ुशी से गए थे। गोली चलाए जाने से पहले उनको तितर-बितर हो जाने का भी मौक़ा दिया गया था, पर हिजली में कुछ नवयुवक बिना मुक़दमा चलाए, केवल सन्देह पर, बन्द करके रक्खे गए थे और उनकी जानें सरकार की निगरानी में थीं। यही कारण है कि गम्भीरता और भीषणता में हिजली की घटना जलियानवाला बाग़ से भी बढ़ कर है। इस घटना की जाँच करने वाली कमिटी जनता की तरफ़ से नहीं, वरन् सरकार की तरफ़ से नियुक्त की गई थी और उसने सब बातों पर विचार करके फ़ैसला कर दिया था कि "गोली बिना देखे-भाले और अन्यायपूर्वक चलाई गई थी।" सरकार की तरफ़ से इससे कम और कोई बात कही नहीं जा सकती थी।

हिजली गोलीकाण्ड में सिपाहियों की तरफ़ से अपने बचाव में जो सफ़ाई दी गई थी, वह बिल्कुल ग़लत थी। उन्होंने जितनी दलीलें दीं, जितनी बातों से इन्कार किया और जिन बातों को अपने पक्ष में कहा, वे सब प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा असत्य सिद्ध हो चुकी हैं।

जब तक इन अन्यायों का प्रतिकार न हो, तब तक कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे जीने का अधिकार है। और जब तक हम इनका कोई ज़ोरदार प्रतिकार न कर सकें, तब तक हमको किसी तरह का अधिकार नहीं है।

दोष हमारा है

सच तो यह है कि इन सब ज़ुल्मों के लिए हम स्वयं ही दोषी हैं। अन्याय करने वाले का यह स्वभाव होता है कि वह अन्याय सहने वाले की सहनशक्ति की परीक्षा करता रहता है, और उसी के अनुसार अत्याचार की मात्रा को घटाता-बढ़ाता रहता है। जब यह बात प्रकट हो जायगी कि हम किसी तरह दमन को सहने को तैयार नहीं हैं, तो सरकार अवश्य ही दमन को बन्द कर देगी।

जीवन और मौत का सवाल

अन्त में मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रतिकार के उपाय क्या हैं? केवल स्वराज्य की पुकार मचाने से काम न चलेगा। आप लोग स्वराज्य के लिए कैसे लड़ सकते हैं, यदि आप अपने प्राणों और सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बङ्गाल के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है और इसके सामने प्रत्येक बात को भूल जाना चाहिए। हमारी माँग का मूल आधार हिजली और चटगाँव होना चाहिए। सन् १९०५ में हम वीरता के साथ उठ खड़े हुए थे और गवर्नमेण्ट को हमारी बात मानने के लिए लाचार होना पड़ा था। वह बॉयकॉट का ही अस्त्र था, जिसके सहारे बङ्गाल ने विजय प्राप्त की थी। पिछले वर्ष के आन्दोलन में भी बॉयकॉट ही सब से अधिक शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध हुआ था। इसलिए मैं इस कठिन अवसर पर बॉयकॉट की नीति का सहारा लेने की ही सम्मति दूँगा।

मि० विलियर्स हिंसात्मक आन्दोलन को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि पिकेटिङ्ग और सिविल डिसओबीडिएन्स बहुत बड़े ख़तरे की चीज़ है। यह वास्तव में उनके दिल की छुपी हुई बात है। वे समझते हैं कि बॉयकॉट का प्रभाव अङ्गरेज़ जाति के लिए कैसा होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि बॉयकॉट की नीति का प्रचार करने का कारण यह है कि यह पूर्णतया व्यावहारिक और सब लोगों के ग्रहण करने लायक़ है। यह कार्य-क्रम ऐसा है, जो हिजली और चटगाँव का पूर्णतया प्रतिकार कर सकेगा और हमको यदि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त न करा सकेगा, तो कम से कम स्वाधीनता के मार्ग पर पहुँचा देगा। हमारी माँग की पूर्ति सुनिश्चित है, यदि पाँच करोड़ बङ्गाली एक स्वर से इस माँग को पेश करें। पर उनका ऐसा करना सहज नहीं है और इसलिए घोर प्रचार-कार्य और आन्दोलन की आवश्यकता है।

इतना कहने के पश्चात् वन्देमातरम् की ध्वनि के साथ सुभाष बाबू ने अपना भाषण समाप्त किया और सभा का अन्त हुआ।

❀ ❀ ❀

जेल से छः महीने बाद पत्र मिला

श्री० विजयकुमार की बहिन का वक्तव्य

लाहौर षड्यन्त्र के मुक़दमे में क़ैद श्री० विजयकुमारसिंह की बहिन श्रीमती सुशीला घोष लिखती हैं—

छः महीने के बाद मद्रास की राजमहेन्द्री जेल से लाहौर षड्यन्त्र के मुक़दमे में क़ैद मेरे भाई श्री० विजयकुमार सिंह का पत्र मिला। पत्र में "सी" क्लास की जो असुविधाओं का उल्लेख था, उन सब बातों को बड़ी सावधानता के साथ मिटाया गया है। विजयकुमार के नाम से जो हिन्दी एवं बँगला पत्र भेजे जाते हैं, वे उनको समय पर नहीं दिए जाते हैं। ३ महीने पहिले विजय ने माता जी के नाम से पत्र भेजा था, वह पत्र अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है। मुझे विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है कि एसेम्बली-बम के मुक़दमे के क़ैदी श्री० बटुकेश्वर दत्त और लाहौर के मुक़दमे के क़ैदियों के साथ जेलों में बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। वे सब लड़के पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित घराने के हैं। इन लोगों के साथ "सी" क्लास का व्यवहार होना बहुत ही अनुचित है। मेरे दूसरे भाई काकोरी के क़ैदी श्री० राजकुमारसिंह को "बी" क्लास में रक्खा गया है, पर उसी के सगे भाई श्री० विजयकुमारसिंह को "सी" क्लास में रक्खा गया है। विजयकुमार गिरफ़्तारी के पहिले कानपुर में फ़्री प्रेस, एसोशिएटेड प्रेस, 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया', 'स्टेट्समैन' और 'पायोनियर' के विशेष सम्वाददाता थे। इनकी मासिक आमदनी ४०० रुपए से अधिक थी। एक ही घर के दो लड़कों को भिन्न श्रेणी में रखने का कारण कुछ समझ में नहीं आता।

हाल में श्री० दत्त और लाहौर मुक़दमे के क़ैदी श्री० कमलनाथ तिवारी आदि कई भाइयों के पत्र मिले हैं। सबकी हालत एक जैसी है। श्री० दत्त आन्दमान जाने की कोशिश कर रहे हैं। ६ महीने के बाद विजयकुमार का पत्र मिला। इस पत्र की हालत ऐसी है कि मिलना न मिलना बराबर है।

❀ ❀ ❀

बंगाल में दमन-लीला का भीषण स्वरूप

नई जेलें बनाई जा रही हैं :: नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को भेजे जा रहे हैं

तीन कॉङ्ग्रेसमैन गिरफ़्तार

शनिवार ता० २८ को सुबह कलकत्ता पुलिस ने श्री० अश्विनीकुमार गाङ्गुली, श्री० अतुलकृष्ण बोस और श्री० अमरचन्द्र बोस को बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किया। इनमें से अश्विनी बाबू कुछ समय पहले तक बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी थे। आप गत यूरोपीय महायुद्ध के ज़माने में नज़रबन्द किए गए थे। उसके बाद आप बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार सन् १९२४ में और सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अभियोग में सन् १९३० में गिरफ़्तार किए गए थे। शेष दोनों सज्जन भी, जो सगे भाई हैं, महायुद्ध के ज़माने से कई बार नज़रबन्द किए जा चुके हैं।

श्री० कालीचरण बोस, जो कुछ महीने पहले बङ्गाल एमेण्डमेण्ट एक्ट में पकड़े गए थे और हाल ही में छोड़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। आपके मकान की, जो कालीघाट में है, तलाशी ली गई, पर कोई सन्देहजनक वस्तु न मिली।

मेस पर धावा

शनिवार को सुबह ४॥ बजे कलकत्ता की पुलिस ने कालीदास सिङ्घी लेन के एक मेस पर धावा किया और हथियार तथा बम आदि बरामद करने के लिए उसकी तलाशी ली, पर कुछ न मिला। इसके बाद वह बाबू माखनलाल बोस नामक कॉरपोरेशन स्कूल के शिक्षक को पकड़ ले गई।

२७ नवम्बर को राजशाही में श्री० सतीशचन्द्र बनर्जी के घर की तलाशी ली गई और उनके पुत्र श्री० दिनेशचन्द्र बनर्जी को, जो फ़ोर्थ-इयर के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया। आप स्थानीय वालण्टियर-दल के कप्तान थे। कुछ समय पहले आप एक प्रोफ़ेसर की तनख़्वाह लूटने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे, पर बाद में छोड़ दिए गए।

२७ नवम्बर को सिलचर में पुलिस ने श्री० उपेन्द्र-शङ्कर दत्त नामक एडवोकेट के घर की तलाशी हथियार और गोली-बारूद के सम्बन्ध में ली, पर कुछ मिला नहीं।

२७ नवम्बर को नेत्रकोना (मैमनसिंह) के एक गाँव में श्री० नकुलचन्द्र सरकार के घर की तलाशी ली गई, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिली। पुलिस गृहस्वामी के पुत्र श्री० नरेन्द्रचन्द्र सरकार को पकड़ना चाहती थी, पर वह उस जगह न मिले।

गाँव पर धावा

फ़रीदपुर के पाकङ्ग नामक गाँव में पिछले कुछ महीनों में कई डाके पड़े थे। पर पुलिस अब तक उनके सम्बन्ध में कुछ भी पता न लगा सकी थी। पर हाल में पुलिस ने एकाएक आसपास के कई गाँवों पर एक साथ धावा किया और कितने ही कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ताओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों आदि को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के घरों का कोना-कोना ढूँढ़ डाला, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिली। इन सब शिक्षित और भले घरों के लोगों को पुलिस रस्सी से कस कर पैदल दो मील तक पास के थाने में घसीट कर ले गई। और भी कई लोगों के नाम के वारण्ट थे, पर वे घर पर न मिले।

लड़कियों के होस्टल पर धावा

शनिवार को पुलिस ने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज की लड़कियों के होस्टल की भी तलाशी ली, जो सुबह ६ बजे से १० बजे तक जारी रही। यह तलाशी भी हथियारों के लिए ली गई थी। पुलिस कुछ किताबें ले गई। एक छात्रा को भी स्पेशल ब्राञ्च के दफ़्तर में ले जाया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया।

एक दिन सुबह ९ बजे कार्नवालिस स्ट्रीट में आर्य-पब्लिशिङ्ग कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री० सुरेशचन्द्र बर्मन भी गिरफ़्तार कर लिए गए। उनके घर और दूकान की तलाशी ली गई और पुलिस 'चर्ख़ा' की एक किताब उठा ले गई।

एम्हर्स्ट स्ट्रीट का रहने वाला क्रान्तिभूषण गुप्त नाम का १४ वर्ष का बालक भी, जो बङ्गवासी कॉलेजियट स्कूल में पढ़ता है, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में पकड़ा गया है।

पुलिस के थानेदार का पुत्र गिरफ़्तार

बरहमपुर में श्री० त्रिदीप चौधरी नामक युवक ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किया गया है। वह एक पुलिस-सब-इन्स्पेक्टर का पुत्र है।

सिराजगञ्ज का २७ ता० का समाचार है कि पुलिस ने दुर्गानगर कॉङ्ग्रेस कमिटी के मेम्बर बाबू शचीन्द्र-प्रसाद तालुक़दार को गिरफ़्तार करके पबना भेज दिया है। उनके घर की तलाशी लेकर पुलिस कितनी ही चिट्ठियाँ उठा ले गई।

नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को रवाना

चार बङ्गाली नज़रबन्द—श्री० मनोरञ्जन गुप्त, श्री० अरुणचन्द्र गुह, श्री० भूपेन्द्रकुमार दत्त और श्री० सत्यभूषण गुप्त को मियाँवाली (पञ्जाब) जेल में भेजा गया है। अब तक वे बक्सर फ़ोर्ट में १८१८ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार नज़रबन्द थे।

अजमेर के क़िले में भी २० बङ्गाली नज़रबन्दों को रखने की व्यवस्था की जा रही है।

नई जेलें खोली गईं

ख़बर मिली है कि भावी दमन की सम्भावना और क़ैदियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने के ख़्याल से सरकारी अधिकारी दमदम स्पेशल जेल और बरहमपुर स्पेशल जेल को फिर से जारी कर रहे हैं।

पबना यूथलीग के सेक्रेटरी

२९ नवम्बर को पुलिस ने पबना डिस्ट्रिक्ट यूथलीग के सेक्रेटरी श्री० सुरेन्द्रनाथ को गिरफ़्तार किया। आप इस समय 'बङ्गीय सङ्कट-तारन समिति' की तरफ़ से भानगुरा नामक स्थान में पीड़ितों की सहायता का कार्य कर रहे थे।

एम० एस० सी० का विद्यार्थी गिरफ़्तार

शनिवार को पुलिस ने बड़े सवेरे साङ्करिया टोला, भवानीपुर में एक मकान को चारों तरफ़ से घेर लिया और उसके रहने वालों को बाहर आने से रोक दिया। दिन निकलने पर श्री० भावतोष सेन नामक विद्यार्थी, जो जबलपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए। तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

इसी दिन बेचू चटर्जी बाई लेन में श्री० प्रसन्नकुमार समादार पकड़े गए, जो साइन्स कॉलेज में एम० एस० सी० के विद्यार्थी हैं। उनको प्रेज़िडेन्सी जेल में रक्खा गया है।

चटगाँव ज़िले में फ़ौजी पहरा

चटगाँव के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखी सूचना प्रकाशित की है :—

"अप्रैल १९३० में हथियारख़ाने के धावे के बाद से कितने ही लापता अभियुक्त चटगाँव ज़िले में छिपे हैं! मालूम हुआ है कि वे बराबर क्रान्तिकारी दल के सङ्गठन में लगे हैं, जिससे फिर इस तरह के उपद्रव किए जा सकें। ज़िले में उनकी उपस्थिति यहाँ की रक्षा के लिए सदा ख़तरे की बात है और इसलिए गवर्नमेण्ट ने निश्चय किया है कि जनता के हित के लिए हर तरह से चेष्टा करके उनको गिरफ़्तार किया जाय और क्रान्तिकारियों के सङ्गठन को तोड़ दिया जाय। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कुछ मुक़ामों में सेना, पुलिस और मैजिस्ट्रेट भेजे गए हैं और सरकार ने नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार अपने हाथों में विशेष अधिकार लिए हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जायँगे, उनमें से एक यह भी है कि कुछ मुक़ामात में रात को चलना-फिरना क़तई बन्द रहेगा, और कुछ रास्तों में चलने वाले सब लोगों की तलाशी ली जायगी। इन बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना पहले से निकाल दी जायगी। इसलिए जनता को सूचना दी जाती है कि इस सम्बन्ध में जो हुक्म निकाले जायँ, वह उनकी पूरी तरह पाबन्दी करे। जैसे पुलिस या फ़ौजी सिपाही उनको रुकने को कहें, उन्हें फ़ौरन ठहर जाना चाहिए, अन्यथा इसका फल बड़ा भयङ्कर होगा। यह ठीक है कि निर्दोष व्यक्तियों को इन उपायों से डरने का कोई कारण नहीं है, पर जनता का कर्तव्य है कि वे केवल क्रान्तिकारियों को सहायता करने से ही दूर न रहें, वरन् प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि क्रान्तिकारियों का पता फ़ौरन गवर्नमेण्ट को दें और दूसरी तरह से सक्रिय रूप से उनके सङ्गठन को तोड़ने में सहायता पहुँचावें। इसमें सन्देह नहीं कि इसके फल-स्वरूप सर्वसाधारण के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप होगा और उन्हें कुछ असुविधा उठानी पड़ेगी, पर गवर्नमेण्ट ने निश्चय कर लिया है कि इन उपायों को तब तक जारी रक्खा जाय, जब तक ज़िले में से क्रान्तिकारी सङ्गठन का ख़तरा दूर न हो जाय।"

डकैती में गिरफ़्तार

बेगारहाट का समाचार है कि मऊभोग नामक गाँव के निवासी बाबू नगेन्द्रनाथ मित्र २७ ता० को अरूडाँगा डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए।

सर चार्ल्स टेगार्ट

'लिबर्टी' को मालूम हुआ है कि सर चार्ल्स टेगार्ट कलकत्ता आ पहुँचे हैं और सी० आई० डी० की स्पेशल ब्राञ्च के अफ़सर बनाए गए हैं।

❀ ❀ ❀

(४वें पृष्ठ का शेषांश)

क़दम रक्खे हैं, इतने लम्बे कि जितने की बड़े से बड़े आशावादी को भी कल्पना न होगी। गवर्नमेण्ट बराबर इस बात का उद्योग करती रहेगी कि हम सब लोगों के परिश्रम का सफलतापूर्वक अन्त हो।

महात्मा गाँधी ने प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देते हुए उनके आश्चर्यजनक परिश्रम की प्रशंसा की। उन्होंने प्रधान मन्त्री की महत्वपूर्ण घोषणा पर किसी तरह की सम्मति प्रकट किए बिना कहा कि चाहे वे ऐसे ही स्थल पर जा पहुँचे जहाँ से दोनों का रास्ता जुदा हो जाता है और मालूम नहीं कि महात्मा गाँधी का रास्ता किस दिशा की तरफ़ जाय, तो भी प्रधान मन्त्री महात्मा जी के पूर्ण हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

❀ ❀ ❀

बंगाल के अधिकारियों को असीम फ़ौजी अधिकार !

किसी स्थान के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना :: शीघ्रतापूर्वक गुप्त फ़ैसला करने को विशेष अदालतें हत्या की चेष्टा करने वालों को फाँसी का दण्ड :: यह ऑर्डिनेन्स है या मार्शल-लॉ ??

नई दिल्ली, ३० नवम्बर

वॉयसरॉय ने आज सन् १९३१ का ऑर्डिनेन्स नं० ११ जारी किया, जिसके द्वारा बङ्गाल-सरकार और उसके अफ़सरों को हिंसात्मक आन्दोलन के दबाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। साथ ही इसमें हिंसात्मक आन्दोलनों का जल्दी से फ़ैसला करने की भी व्यवस्था की गई है।

यह ऑर्डिनेन्स समस्त बङ्गाल पर लागू होगा, पर सेना की सहायता से दबाने का कार्य अभी केवल चटगाँव में ही किया जायगा। बाद में वह बङ्गाल के अन्य भागों पर भी लागू हो सकेगा। मुक़दमों का शीघ्रता से फ़ैसला करने के लिए विशेष अदालतें क़ायम की जायँगी और अगर अदालत आवश्यक समझेगी या एडवोकेट-जनरल सर्टीफ़िकेट देगा तो कार्रवाई गुप्त रीति से की जायगी। ऑर्डिनेन्स के अनुसार हत्या की चेष्टा करने वाले को फाँसी का दण्ड दिया जायगा। यह ऑर्डिनेन्स २९ अक्टूबर को जारी किए गए ऑर्डिनेन्स के साथ-साथ जारी रहेगा। ऑर्डिनेन्स की धाराएँ इस प्रकार हैं :—

पहला अध्याय

गिरफ्तारी और रोक रखना

३—(१) कोई भी सरकारी अफ़सर, जिसे इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार द्वारा जनरल या स्पेशल ऑर्डर मिला हो, किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उसे सार्वजनिक रक्षा या शान्ति के विरुद्ध कार्य करने का सन्देह हो, उसका परिचय पूछ सकता है और उसके बयान की सचाई की जाँच करने के लिए उसे अधिक से अधिक २४ घण्टे के लिए रोक सकता है।

(२) वह अफ़सर, जो इस धारा के अनुसार गिरफ़्तारी करेगा, इसके लिए कोई भी उपाय कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

मकानों और सामान पर अधिकार

४—(१) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में कोई ज़मीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या ऑफ़िस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिस या क़ैदियों या हवालात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने के लिए काम में आ सकता है, तो सरकार उस ज़मीन या मकान के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए समय पर उसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज़रूरी सामान लगा होगा और मेज़, कुर्सी, पलँग आदि भी हवाले करने होंगे। प्रान्तीय सरकार इन सब चीज़ों को जिस प्रकार आवश्यक, समझेगी व्यवहार करेगी।

(२) इस धारा में मकान का अर्थ किसी भी मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो।

(३) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार काम किए जाने से नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसे अर्ज़ी देने पर कलक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे सकता है।

५—(१) अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सम्मति में कोई भी चीज़ इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में आ सकती है, तो वह उस चीज़ के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले को उसे नियत समय और स्थान पर सरकार के हवाले करने का हुक्म दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसे जिस प्रकार उचित समझेगा, व्यवहार में लाने को दे सकेगा या काम में ला सकेगा।

(२) जिस व्यक्ति को इस धारा के कारण नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसके अर्ज़ी देने पर कलक्टर जो कुछ हर्जाना उचित समझे, उसे दिला सकता है।

किसी स्थान में लोगों को आने-जाने से रोकना

६—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर उचित और आवश्यक समझेगा, तो लिखित-आज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी मकान या स्थान के आसपास या सरकार की जल, स्थल और आकाश-सेना या पुलिस के स्वामी या अस्थायी रूप से रहने की जगहों के आसपास लोगों का आना-जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है।

७—इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझेगा, तो लिखित आज्ञा द्वारा किसी भी सड़क, रास्ते, पुल या नदी के रास्ते से आने-जाने को रोक सकेगा।

८—(१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में कोई सवारी या आने-जाने का साधन हो, हुक्म दे सकता है कि वह उसे अमुक समय अमुक अधिकारी के हवाले कर दे।

(२) इस तरह का हुक्म उतनी मुद्दत तक के लिए दिया जा सकता है, जितना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उचित समझे।

हथियारों की बिक्री की रोक

९—(१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा नीचे लिखी बातों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को जिस प्रकार वह उचित समझे, सूचना दे सकता है:—(क) किसी तरह के हथियार या उनके हिस्से, गोली-बारूद और भड़कने वाले पदार्थों की ख़रीद या बिक्री पूर्ण या आंशिक रूप से रोकना या (ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में उपरोक्त चीज़ें हों, आज्ञा देना कि वह उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह में रक्खे, जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ठीक समझता हो या उनको ऐसी जगह में हटा दे, जिसके लिए हुक्म दिया गया हो।

(२) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नीचे लिखी चीज़ों पर क़ब्ज़ा कर सकता है—(क) कोई भी हथियार, गोली-बारूद या भड़कने वाले पदार्थ या (ख) कोई भी औज़ार, मैशीन, यन्त्र या किसी अन्य तरह का सामान, जो 'शिड्यूल' में दिए गए अपराधों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह इन चीज़ों की हिफ़ाज़त और क़ब्ज़े में लेने के लिए जैसा उचित समझे, हुक्म दे सकता है।

आवश्यक काम कराना

१०—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी ज़मींदार को, किसी भी स्थानीय मेम्बर, अफ़सर या धर्मचारी को, किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को क़ानून और अमन को क़ायम रखने या गवर्नमेण्ट के अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने या किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के क़ब्ज़े में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे। यह कार्य किस ढङ्ग से और किस हद में किया जायगा, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा।

तलाशी का अधिकार

११—दण्ड-संग्रह की ९८वीं धारा के अनुसार तलाशी का वारण्ट जारी करने के अधिकारों में नीचे लिखे अधिकार और शामिल किए गए हैं—(क) अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण हो कि अमुक स्थान में 'शिड्यूल' में बतलाया गया कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तलाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा। (ख) इस तरह तलाशी ली जाने वाली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, जिसके सम्बन्ध में तलाशी लेने वाले अफ़सर को मालूम पड़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों के लिए काम में लाई गई है अथवा काम में लाई जाने वाली है, तो वह उसे अपने क़ब्ज़े में ले सकता है।

१२—इस तरह के अधिकार जिस अधिकारी को दिए जायँगे, उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह में दाख़िल होने और उसकी तलाशी लेने की इजाज़त दे सके।

किसी स्थान के निवासियों को सामूहिक रूप से दण्ड

१३—अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय की धाराओं के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्त का पालन न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश या शर्त का जारी करने वाला अधिकारी उसके विरुद्ध जो उचित समझेगा, कार्रवाई कर सकेगा या करा सकेगा।

१४—(१) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह मालूम होगा कि किसी मुक़ाम के बाशिन्दे शिड्यूल में कहे गए अपराधों के किए जाने में किसी तरह की सहायता करते हैं, या इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों की किसी तरह सहायता करते हैं, तो प्रान्तीय सरकार अपने गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस मुक़ाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक़ाम के किसी भी व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः या अंशतः बरी कर सकती है।

(३) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने की रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है, करेगा।

(४) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के ज़िम्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर पर या बक़ाया लगान की तौर पर अदा करना पड़ेगा।

(५) प्रान्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए जुर्माने में से किसी भी शख़्स को, जिसने प्रान्तीय सरकार के मतानुसार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क़ानूनी काम के फल-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर कुछ रक़म दे सकती है।

१५—जो व्यक्ति इस धारा के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्त को पालन न करेगा या अवहेलना करेगा या इस धारा के अनुसार की गई कार्यवाही में बाधा डालेगा तो छः महीने तक की जेल और जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी।

अधिकार प्रदान

१६—(१) प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ४थी धारा के अनुसार प्रान्तीय सरकार के अधिकार दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन अधिकारों को किसी भी पुलिस-अफ़सर को, जिसका पद डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस से कम न हो या किसी फ़ौजी अफ़सर को, जिसका पद कप्तान से कम न हो, दे सकता है।

(२) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी सिविल या फ़ौजी अफ़सर को लिखित आज्ञा द्वारा अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार दे सकता है। यह अधिकार किसी ख़ास मुक़ाम या ख़ास धावे के सम्बन्ध में होगा।

नियम बनाने का अधिकार

१७—प्रान्तीय सरकार, गवर्नर जनरल-इन-कौन्सिल की मञ्ज़ूरी से, प्रान्तीय सरकारी गज़ट में सूचना प्रकाशित करके, इन बातों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है—(क) लापता अभियुक्तों के साथ पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और लापता अभियुक्तों का हाल-चाल जानने के लिए; (ख) सम्राट की प्रजा के जान और माल पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए अथवा ऐसे हमलों के सम्बन्ध में पता लगाने के लिए; (ग) सम्राट की सेना और पुलिस की रक्षा के लिए; (घ) इस अध्याय के अनुसार दिए गए अधिकारों के नियमानुसार पालन के लिए; (ङ) हवालाती क़ैदियों के लिए, जिनको अदालत के सामने हाज़िर नहीं किया गया हो, और जो ऐसी परिस्थिति में हों, जिसमें दण्ड-संग्रह के नियमों का पालन अनुचित कठिनाई के बिना न हो सके; (च) इस अध्याय के उद्देश्यों को साधारणतया पूरा करने के लिए।

(२) इन नियमों के बनाने में प्रान्तीय सरकार यह भी व्यवस्था कर सकती है कि जो कोई उनको भङ्ग करेगा, उसे छः मास तक की क़ैद की सज़ा या जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएँ दी जायँगी।

अभय-प्रदान

१८—इस अध्याय की धाराओं के अनुसार जो कुछ कार्यवाही की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐतराज़ नहीं उठाया जा सकता और न इस अध्याय के अनुसार काम करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए गए काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फ़ौजदारी मामला चलाया जा सकता है।

१९—इस अध्याय में जो कुछ व्यवस्था की गई है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के लिए, अन्य क़ानूनों के अनुसार, मुक़दमा चलाए जाने से नहीं बच सकता।

ज़मानत नहीं हो सकती

२०-२१—दण्ड-संग्रह में कुछ भी व्यवस्था हो, पर इस अध्याय के अनुसार जो अपराधी पकड़े जायँगे, उनके लिए ज़मानत न हो सकेगी।

२२—अगर यह अध्याय कलकत्ता पर लागू किया जायगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आशय पुलिस-कमिश्नर से माना जायगा।

❀ ❀ ❀

दूसरा अध्याय

विशेष अदालतें

२३—इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार फ़ौजदारी मामलों के लिए निम्न-लिखित श्रेणियों की अदालतें खोली जा सकेंगी—(१) विशेष अदालतें, और (२) विशेष मैजिस्ट्रेट।

२४—(१) विशेष अदालत प्रान्तीय सरकार द्वारा उस मुक़ाम के लिए, जहाँ वह उचित समझे, नियत की जायगी। उसमें एक प्रेज़िडेण्ट और दो मेम्बर होंगे, जिन्हें प्रान्तीय सरकार मुक़र्रर करेगी। अदालत का प्रेज़िडेण्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाईकोर्ट का जज हो या जज रह चुका हो या इस पद पर काम कर रहा हो। अन्य मेम्बर भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की १०१ धारा के अनुसार हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकने की योग्यता रखते हों।

(२) अगर किसी कारणवश विशेष अदालत का कोई मेम्बर अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो, तो प्रान्तीय सरकार उसकी जगह दूसरा मेम्बर नियुक्त कर सकती है। ऐसा परिवर्तन होने की दशा में विशेष अदालत के लिए यह लाज़िमी न होगा कि वह किसी गवाह की, जो एक बार गवाही दे चुका है, फिर से गवाही ले।

२५—जिस किसी मामले में प्रान्तीय गवर्नमेण्ट के सामने यह विश्वास करने के कारण मौजूद होंगे कि अमुक व्यक्ति ने षड्यन्त्रकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में शिड्यूल में लिखा कोई अपराध किया है, तो वह लिखित आज्ञा द्वारा यह सूचित कर देगी कि उस व्यक्ति पर विशेष अदालत में मुक़दमा चलेगा।

वारण्ट के मुक़द्मों की कार्यवाही

२६—(१) विशेष अदालत अभियुक्त के अपने सामने पेश हुए बिना ही किसी मुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है। वह गवाहों के बयान का केवल सारांश लिखेगी। अदालत का कार्य किसी दशा में स्थगित न किया जायगा, सिवाय उस अवस्था के, जब कि ऐसा करना न्याय के हित के लिए आवश्यक जान पड़े।

(२) जो मामले उपर्युक्त धारा में नहीं आते उन पर विशेष अदालत दण्ड-संग्रह के अन्य एक्टों के अनुसार विचार करेगी और उस दशा में ट्रिब्यूनल का दर्जा सेशन्स कोर्ट के बराबर है।

(३) अगर विशेष अदालत के मेम्बरों में मतभेद होगा, तो बहुमत के अनुसार निर्णय होगा।

सज़ा की मञ्ज़ूरी आवश्यक नहीं

२७—जिस व्यक्ति को विशेष अदालत द्वारा दोषी माना जायगा, वह उसे क़ानून के अनुसार कोई भी सज़ा दे सकती है और उस सज़ा के लिए, चाहे वह कैसी भी सज़ा हो, किसी तरह की मञ्ज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। जिस मामले में अदालत को जान पड़ेगा कि अभियुक्त ने ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३०७ के पहले सेक्शन के अनुसार अपराध किया है, जो इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के बाद किया गया है, तो उसे फाँसी या कालेपानी की सज़ा दी जायगी।

२८—प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गज़ट में सूचना देकर नियम बनाएगी कि (१) विशेष अदालत कहाँ और कब कार्यवाही करेगी और (२) विशेष अदालत की कार्यवाही का ढङ्ग क्या होगा, प्रेज़िडेण्ट को क्या अधिकार होंगे और यदि प्रेज़िडेण्ट या अन्य कोई मेम्बर किसी अभियुक्त के विचार में क़तई भाग न ले सके, तो उस समय क्या व्यवस्था की जायगी।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट

२९—कोई भी प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या ऐसा फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जो चार वर्ष तक इस पद पर रह चुका हो, स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकेगा।

३०—जब कि प्रान्तीय सरकार या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिए होंगे, की राय में किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया होगा, जिसे फाँसी की अथवा इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार अन्य सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसका मुक़दमा स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया जायगा।

३१—(१) इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार किसी मुक़दमे की कार्यवाही करते समय मैजिस्ट्रेट विशेष अदालतों की कार्यवाही का अनुकरण करेगा, जो २६वीं धारा के पहले सेक्शन के अनुसार होगी।

(२) जो मामले १ले सेक्शन में नहीं आते हैं, उनकी कार्यवाही दण्ड-संग्रह के अनुसार की जायगी और उस दशा में स्पेशल मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट समझा जायगा।

३२—स्पेशल मैजिस्ट्रेट सिवाय फाँसी, कालेपानी और सात वर्ष से अधिक की सज़ा के अन्य सब तरह की सज़ाएँ दे सकता है।

अपील

३३—(१) जब कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट किसी को दो साल से अधिक की सज़ा देगा या एक हज़ार से अधिक जुर्माना करेगा, तो उसकी अपील उस विशेष अदालत में हो सकेगी, जो उस मुक़ाम के लिए नियत की गई हो। अगर वहाँ पर विशेष अदालत क़ायम न की गई होगी, तो उसकी अपील सेशन्स कोर्ट में हो सकेगी।

(२) इस तरह की अपील सज़ा दिए जाने के ७ दिन के भीतर हो जानी चाहिए।

३४—जो मामले इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के पहले चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में विशेष अदालत किसी तरह की सम्मति न देगी।

३५—अगर किसी मुक़दमे की कार्यवाही में किसी अभियुक्त के लिए यह प्रमाणित होगा कि उसने कोई अपराध किया है, तो वह अपराध चाहे 'शिड्यूल' में लिखा हो या नहीं, पर अदालत उसे दोषी क़रार दे सकती है और क़ानून के अनुसार दण्ड दे सकती है।

जनता को अदालतों में न आने देना

३६—विशेष अदालत का प्रेज़िडेण्ट या स्पेशल मैजिस्ट्रेट अगर उचित समझेगा तो किसी मुक़दमे की कार्यवाही में किसी भी समय आम लोगों का अथवा किसी विशेष व्यक्ति का अदालत के कमरे में आना रोक सकता है। अगर एडवोकेट-जनरल भी सार्वजनिक शान्ति या किसी गवाह की रक्षा के लिए साधारण जनता को अदालत में न आने देने का आग्रह करे, तो प्रेज़िडेण्ट या अदालत वैसा हुक्म दे सकती है।

अभियुक्त की ग़ैर-हाज़िरी

३७—(१) इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार क़ायम की गई अदालत का कोई अभियुक्त अगर जान-बूझ कर किए हुए कार्य द्वारा अपने को अदालत के सामने लाए जाने के अयोग्य बना ले, अथवा अदालत में लाए जाने का विरोध करे अथवा अदालत में लगातार अशान्तिपूर्ण तरीक़े से काम ले, तो अदालत किसी भी समय, जो कुछ उचित समझे, जाँच करके उस अभियुक्त की हाज़िरी को अनावश्यक क़रार दे सकती है और ग़ैरहाज़िरी में मुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है।

(२) इस तरह अनुपस्थिति में अभियुक्त की तरफ़ से अगर किसी विषय में उत्तर की आवश्यकता होगी, तो

यह मान लिया जायगा कि वह अपना दोष अस्वीकार करता है।

(३) जो अभियुक्त १ले सेक्शन के अनुसार अदालत में उपस्थित नहीं होता, उसको वकील की मार्फ़त अपना मुक़दमा चलाने का अधिकार होगा और वह ख़ुद जब चाहे अथवा जब इसके योग्य हो अथवा जब शान्तिपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करे, तो फिर अदालत में उपस्थित हो सकता है।

(४) १ले सेक्शन के अनुसार यदि किसी मुक़दमे में एक या तमाम अभियुक्तों की अनुपस्थिति में उसका फ़ैसला किया जाय, तो उसे कोई भी अदालत ग़ैर-क़ानूनी क़रार नहीं दे सकती, चाहे इस सम्बन्ध में दण्ड-संग्रह में कुछ भी क्यों न लिखा हो।

मृत और लापता गवाहों की गवाही

३८—जब कि मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का बयान एक बार लिख लेगा, तो वह चाहे मर जाय, लापता हो जाय अथवा गवाही देने के अयोग्य हो जाय और जब कि अदालत को यह विश्वास हो जाय कि इस प्रकार की कार्रवाई अभियुक्त के हित के लिए की गई है, तो उसकी गवाही ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों में निर्विवाद रूप से काम में लाई जायगी, चाहे इस सम्बन्ध में गवाही के क़ानून में कुछ भी क्यों न लिखा हो।

३९—जैसी कि इस अध्याय में व्यवस्था की गई है, उसके सिवाय इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों के किसी हुक्म या सज़ा की अन्य किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती। और न इस तरह की अदालतों से मुक़दमा तब्दील करने के लिए किसी दूसरी अदालत में दरख़्वास्त दी जा सकती है।

४०—इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों के सामने आए हुए मुक़दमों में जो ऐसी बातें पैदा होंगी, जिन पर दण्ड-संग्रह की धाराएँ इस ऑर्डिनेन्स की धाराओं का खण्डन किए बिना लागू हो सकती हैं, तो उनका प्रयोग बराबर किया जा सकेगा।

४१—इस ऑर्डिनेन्स की ३६वीं और ३७वीं धाराओं का अधिकार उन कमिश्नरों को भी होगा, जो सन् १९२५ के बङ्गाल क्रिमिनल-लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार मुक़दमा कर रहे हैं, चाहे ऐसे मुक़दमे पहले से चल रहे हों या अब दायर किए जायँ।

बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स पर महात्मा गाँधी

लन्दन का १ दिसम्बर का समाचार है कि महात्मा गाँधी ने बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का ज़ोरों से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार हिंसात्मक आन्दोलन के मूल-कारण को दूर करने की चेष्टा नहीं करती। सरकार और कॉङ्ग्रेस में सहयोग हो सकने की जो कुछ आशा थी, इस ऑर्डिनेन्स के कारण वह भी बहुत कम हो गई है। आने वाली घटनाओं की छाया पहले से ही दिखलाई देने लगती है। और भारत की तथा विशेषकर बङ्गाल की वर्तमान दशा ऐसी ख़राब हो रही है कि उसे देख कर इस बात की कुछ भी आशा नहीं होती कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स से कोई बड़ा फल निकल सकेगा। मेरा मतलब हाल के बङ्गाल ऑर्डिनेन्स से है। जैसे ही किसी यूरोपियन की जान पर वार होता है, सरकार भयभीत हो उठती है। मैं ऐसे अपराधों को नापसन्द करता हूँ, पर मुझे स्पष्ट रूप से यह जान पड़ता है कि सरकार ने जो विशेष अधिकार लिए हैं, वे हिंसात्मक आन्दोलन के ज़ोर को देखते हुए बहुत अधिक हैं। सरकार के पास साधारण क़ानूनों द्वारा ही काफ़ी शक्ति मौजूद है, पर वह लक्षणों का इलाज करती है, असली बीमारी का नहीं। क्रान्तिकारियों का विश्वास है कि इन कामों से स्वाधीनता प्राप्त होगी। इसलिए अगर भारत को स्वाधीनता मिले, तो फिर हिंसावाद स्वयं मिट जायगा और किसी भी यूरोपियन या सरकारी अधिकारी की जान का भय नहीं रहेगा।

बङ्गाल-सरकार को जो ग़ैर-मामूली अधिकार दिए गए हैं, वे भारत को स्वाधीनता देने के विरुद्ध हैं। इससे कॉङ्ग्रेस के सामने सरकार के साथ सहयोग करने का कोई मार्ग नहीं रह जाता।

ऑर्डिनेन्स से घबराने की आवश्यकता नहीं

"उससे मालूम होता है कि गवर्नमेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय हो गई है।"

बङ्गाल के बलिदान के प्रति पं० जवाहरलाल नेहरू का सम्मान-प्रकाश

गत ३ दिसम्बर को प्रयाग के मौ० मुहम्मदअली पार्क में नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स का विरोध करने के लिए श्री० टी० ए० के० शेरवानी के सभापतित्व में एक बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। उसमें भाषण करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मन्त्री की हाल की घोषणा का ज़िक्र करते हुए कहा कि—"ऐसी तमाम घोषणाओं को नापने के लिए हमारा पैमाना कॉङ्ग्रेस का स्वाधीनता-सम्बन्धी प्रस्ताव है। हर एक कॉङ्ग्रेस-मैन स्वयम् इस पैमाने को व्यवहार में ला सकता है और समझ सकता है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा उस कसौटी पर कहाँ तक सन्तोषजनक सिद्ध होती है। कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से उसका उत्तर महात्मा गाँधी देंगे और कॉङ्ग्रेस के प्रेज़ीडेण्ट तथा वर्किङ्ग कमिटी उसे उचित समय पर उचित रूप देंगे। यह मार्के की बात है कि इस घोषणा का अग्रगामी बङ्गाल ऑर्डिनेन्स था, जो राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में प्रधान मन्त्री की घोषणा से प्रायः २४ घण्टे पहले जारी किया गया। हिजली, चटगाँव, ढाका की घटनाएँ और बङ्गाल ऑर्डिनेन्स हमको वर्त्तमान समय की गति का ही परिचय नहीं देते, वरन् वे हमको यह भी बतलाते हैं कि भविष्य में बङ्गाल और अन्य प्रान्तों में क्या होने वाला है।

आगे चल कर पण्डित जी ने कहा कि पहली निगाह में तो ऑर्डिनेन्स। बड़ी अप्रसन्नता और रोष का भाव उत्पन्न करता है, पर दूसरे ही क्षण वे उसके कारण ख़ूब प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इसको हम मार्शल-लॉ भी कह सकते हैं और यह बतलाता है कि अब गवर्नमेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ऑर्डिनेन्स का हिन्दी और उर्दू में अनुवाद करके छपवाया जाय और उसे लाखों की संख्या में बाँटा जाय, जिससे जनता जान सके कि इङ्गलैण्ड भारत पर किस तरह शासन करता है और करना चाहता है। यह कहा गया है कि ऑर्डिनेन्स हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के विरुद्ध बनाया गया है, पर सब लोग जानते हैं कि किस तरह कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता, जिनको हिंसा से कुछ लेना-देना नहीं है, ऑर्डिनेन्स के फन्दे में फाँसे जाते हैं। इस समय तक बङ्गाल में क़रीब एक हज़ार व्यक्ति नज़रबन्द किए जा चुके हैं और प्रान्त के हर एक कोने से पीड़ा की पुकार सुनाई दे रही है। यह पुकार निराशाजनक नहीं है, क्योंकि बङ्गाल कितनी ही बार ऐसे सङ्कट का सामना कर चुका है और इस बार भी इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बाहर निकलेगा।

कॉङ्ग्रेस ने सदा अहिंसा पर ज़ोर दिया है और वह बराबर ऐसा ही करती रहेगी। हमने अपने उन साथियों को, जो दूसरे रास्ते पर चले गए हैं, तर्क और आग्रह द्वारा समझाने की चेष्टा की है। यही उनको अपनाने का एकमात्र-मार्ग था और इसके द्वारा हम बहुतों को अपने मार्ग पर लाने में सफल हुए हैं। गवर्नमेण्ट की हिंसात्मक शक्ति के ज़बर्दस्त प्रदर्शन द्वारा यह सम्भव नहीं है कि हिंसात्मक उपायों को मानने वाले व्यक्ति समझाए जा सकें। यद्यपि कॉङ्ग्रेस हिंसात्मक आन्दोलन के पूर्णतया विरुद्ध है और हर तरह से उसे रोकने की चेष्टा करती रहेगी, पर सरकार के लिए, यह आशा करना बहुत ही अनुचित है कि कोई कॉङ्ग्रेसमैन व्यक्तिगत हिंसा को दबाने के लिए इन उपायों का समर्थन कर सकता है। कॉङ्ग्रेस सरकार के इस हिंसावाद में कभी साथी नहीं हो सकती। इसका मुक़ाबला वह अपने अहिंसा के अनुपम शस्त्र से करेगी।

पण्डित जी ने अन्त में अपनी हाल की कलकत्ता-यात्रा का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनको बहुत खेद है कि उनके कुछ शब्दों का अर्थ ग़लत समझा गया है और उनसे उनके बङ्गाल के मित्रों को दुःख पहुँचा है। राजनीतिक सेना में बङ्गाल की महानता को कोई भुला नहीं सकता। उसने भूतकाल में और हाल में स्वाधीनता की वेदी पर जितना बलिदान किया है, वह भी सदा याद रहेगा। यह बङ्गाल की महानता ही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसके पुत्रों से महान कामों की आशा करता है। मित्रों के बीच में स्पष्टवादिता का भाव होना आवश्यक है और उसी भाव से मैंने कलकत्ते में विद्यार्थियों की एक सभा के सम्मुख भाषण करते हुए कहा था कि बङ्गाल के सम्मान के रक्षक वे ही हैं और उनको पारस्परिक अविश्वास और दलबन्दी के भाव से पृथक रहना चाहिए। मुझे ख़ुशी है कि यह बात अभी से देखने में आ रही है और ऑर्डिनेन्स के सार्वजनिक ख़तरे के सामने सब एक भाव से मिल कर खड़े हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बङ्गाल के सामने जो विकट परीक्षा का अवसर आ रहा है, उसका मुक़ाबला बङ्गाल अच्छी तरह से करेगा, जैसा कि वह पहले ज़माने में कर चुका है।

* * *

श्री० जवाहरलाल नेहरू

श्री० जवाहरलाल नेहरू ने एक सम्वाददाता से कहा है कि नया ऑर्डिनेन्स हिंसात्मक आन्दोलन को दबाने के लिए जारी किया गया बतलाया जाता है, पर वह स्वयं हिंसावाद का जीता-जागता नमूना है। इस ऑर्डिनेन्स और मार्शल-लॉ में बहुत थोड़ा अन्तर है। अगर किसी सरकार को इन उपायों का सहारा लेकर शासन करना पड़े, तो स्पष्ट है कि उसकी दशा कैसी शोचनीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह ऑर्डिनेन्स सब प्रकार के आन्दोलनों और अहिंसात्मक आन्दोलन को रोकने के लिए भी काम में लाया जायगा। इसे रोकने का उसमें कोई साधन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कुछ चाहे, जिस तरह चाहे और जहाँ कहीं चाहे, अपनी मर्ज़ी के माफ़िक़ काम कर सकता है।

* * *



भविष्य

७ दिसम्बर, सन् १९३१

स्त्रियाँ और स्वावलम्बन

इस समय भारतवर्ष में जितनी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें से एक मुख्य और अत्यन्त महत्व का परिवर्तन यहाँ की स्त्रियों में हो रहा है। अधिक समय की बात जाने दीजिए, जब कि स्त्रियों को अक्षर-ज्ञान कराया जाय या नहीं, यही बड़ी विकट समस्या समझी जाती थी और अधिकांश भारतवासी इस कार्य को अत्यन्त हानिकारक और अनुचित समझते थे, अभी दस वर्ष पहले तक भी सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का कोई स्थान न था। जो दस-बीस महिलाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में दिखलाई पड़ती थीं, उनको प्रायः लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। पीठ-पीछे उनका उपहास किया जाता था और तरह-तरह के लाञ्छन लगाए जाते थे। पर गत वर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन ने यहाँ की स्त्रियों में एक विचित्र जागृति पैदा कर दी है और लोगों के मनोभाव में भी अद्भुत परिवर्तन दिखलाई देने लगा है। हिन्दू-समाज के विषय में एक कहावत मशहूर है कि पीछे से चाहे हाथी चला जाय, पर सामने से पूँछ भी नहीं निगल सकते। हमारे देश के कितने ही भागों में पर्दे की प्रथा अभेद्य समझी जाती थी और उसके कारण स्त्रियाँ अवनति और अज्ञान के गढ़े से किसी तरह निकल न पाती थीं। गत वर्ष के आन्दोलन में बिना किसी के कहे-सुने अप्रकट रीति से पर्दा-प्रथा का उच्छेद होने लगा और लाखों कुलीन तथा सम्भ्रान्त वंशों की स्त्रियाँ जुलूस और सभाओं में भाग लेने को बाहर निकल पड़ीं। यद्यपि वह एक क्षणिक भाव था और उसके बाद स्त्रियाँ फिर उसी प्रकार पर्दे में रहने लगीं। तो भी वह उनके हृदयों पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, जो बराबर स्त्रियों को उन्नति की तरफ़ प्रेरित कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र में खींच रहा है। इससे और भी कितने ही शुभ परिणामों की आशा है और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही वर्षों में यहाँ की स्त्रियों में एक नए युग का प्रादुर्भाव हो जाय।

पर स्त्रियों की उन्नति के लिए उनमें शिक्षा-प्रचार होना, पर्दे की प्रथा का उच्छेद और सार्वजनिक क्षेत्र में उनका आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। यह सच है कि ये सब बातें उन्नति के अङ्ग हैं, और इनके बिना स्त्रियाँ आगे नहीं बढ़ सकतीं। पर इनसे भी बढ़ कर आवश्यक एक और बात है, जिसको उन्नति का मूल-मन्त्र ही कहना चाहिए। वह है स्वावलम्बन। कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी शिक्षित हो जाय, बहादुर बन जाय, बातें करने की चतुराई प्राप्त कर ले, स्वाधीन नहीं है, तो उसके सब गुण उसके काम न आकर दूसरे का हित-साधन करेंगे। पुराने ज़माने में कोई-कोई ग़ुलाम बड़े योग्य और विद्वान हो जाते थे, कितने ही बड़े शूरवीर भी होते थे; पर ये गुण उनके कुछ काम न आकर उनके मालिक का ही हित-साधन करते थे। यही दशा आजकल भारत ही नहीं, संसार के अधिकांश देशों में स्त्रियों की है। वे चाहे सर्वगुण-सम्पन्ना हों, चाहे कैसी भी योग्य हों, पर उनको पति, पुत्र अथवा अन्य किसी पुरुष के सहारे रहना पड़ता है, और इस अधीनता के कारण उनके सब गुणों पर पर्दा पड़ जाता है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वर्तमान युग रुपए का युग है। इसमें सारे काम धन के ज़ोर से होते हैं और उसी का सबसे बढ़ कर मान है। एक मशहूर कहावत है कि—"सर्वे गुणः काञ्चनमाश्रयन्ति।" पैसा होने से लोग मूर्ख और नीच व्यक्ति की भी प्रशंसा और ख़ुशामद करते हैं, और पैसे के अभाव से अच्छे-अच्छे विद्वानों को भी अपमानजनक परिस्थिति में रहना पड़ता है।

यह पैसे का अभाव ही स्त्रियों की अधीनता का मूल कारण है। कहने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ भी असंख्य धन की स्वामिनी होती हैं, कितनी ही स्त्रियाँ दान-पुण्य और सदावर्त, धर्मशाला आदि में लाखों ख़र्च कर देती हैं, अधिकांश स्त्रियाँ ज़ेवरों की शौक़ीन होती हैं और हज़ारों-लाखों रुपए के सोने-चाँदी और जवाहरात के ज़ेवर पहिनती हैं। पर यह सब धन ऊपरी होता है। उसके असली स्वामी पुरुष ही होते हैं और उन्हीं की राज़ी से स्त्रियाँ उसका उपयोग कर पाती हैं। थोड़ी-बहुत स्त्रियाँ अपने धन की पूर्ण रूप से भी मालिक होंगी, पर वे अपवाद-स्वरूप हैं। वैसे भी समष्टि रूप से पुरुष ही धन के स्वामी होते हैं और धनवान स्त्रियों की उनके सामने कोई गिनती नहीं हो सकती।

स्त्री-पुरुषों की यह असमानता, यह भेदभाव आज का नहीं है। शायद अति प्राचीन काल में, जिसका कोई इतिहास नहीं है और जब कि मनुष्य पशुओं से कुछ ही उन्नत और बुद्धिमान थे, स्त्री और पुरुष प्रायः बराबरी का अधिकार रखते थे। चाहे शारीरिक बल में कुछ अधिक होने से कभी-कभी पुरुष स्त्री पर अत्याचार कर सकता था, पर वह एक अपवाद-स्वरूप बात थी। अधिकांश स्त्री-पुरुष स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित या पृथक रहते थे और प्रत्येक पेट भरने के लिए कुछ न कुछ उद्योग करता था। कितनी ही बार तो भोज्य-पदार्थ संग्रह करने और गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने का सारा भार स्त्रियों पर ही रहता था और समाज में उनकी ही प्रधानता मानी जाती थी।

पर जैसे-जैसे संसार आगे बढ़ता गया और अनुभव तथा ज्ञानवृद्धि के द्वारा भोजन और वस्त्रों की सुलभता होती गई, वैसे-वैसे ही पुरुष जीवन-निर्वाह के साधनों पर शक्ति द्वारा अपना अधिकार जमाता गया और स्त्रियों की सत्ता कम होती गई। स्त्रियों ने इसका विरोध किया और कहीं-कहीं उनको सफलता भी प्राप्त हुई, पर शक्ति में हीन होने से वे अधिक दिनों तक पुरुषों का मुक़ाबला न कर सकीं। अन्त में उनको दास-भाव से पुरुषों के साथ रहना पड़ा और जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है तथा जीवन-निर्वाह के साधनों की बहुतायत और सुलभता होती जाती है, वैसे-वैसे ही स्त्रियाँ पुरुषों की अधिकाधिक अधीन बनती जाती हैं।

हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि स्त्री पुरुषों का साथ रहना कोई अनुचित या हानिकारक बात है, अथवा उनके कार्यों में भेद होना अर्थात् श्रम-विभाग में कोई बुराई है। हम यह स्वीकार करते हैं कि पुरुष और स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों में प्राकृतिक तौर पर कुछ भेद रहता है और कुछ काम पुरुषों के विशेष रूप से अनुकूल होते हैं और कुछ स्त्रियों के। इन दोनों में श्रम-विभाग होने से काम अधिक अच्छी तरह हो सकता है और लोग अधिक सुख के साथ रह सकते हैं। पर इस श्रम-विभाग के कारण यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि पुरुष तो सारे धन-वैभव के स्वामी बन जायँ और स्त्रियाँ केवल उनकी जूठन खाने वाली दासी बन जायँ? इस जगह फिर हम अपनी यह बात दुहरा देना चाहते हैं कि यद्यपि स्त्रियाँ भी सब प्रकार के सुख-भोग करती हैं और घर भर का प्रबन्ध अपने हाथ में रखती हैं, पर इसमें उनका अपना कुछ नहीं होता। सब वस्तुओं का स्वामी पुरुष ही माना जाता है और वह जब चाहे, स्त्री को हटा कर दूर कर सकता है। यही इस मामले में सबसे अधिक निन्दनीय और आपत्तिजनक बात है। अगर श्रम-विभाग के कारण कोई व्यक्ति अपने न्यायोचित भाग से रहित हो जाय तो वह श्रम-विभाग किस काम का? जब यह स्पष्ट है कि संसार का काम पुरुष और स्त्रियों से मिल कर ही चल रहा है, और जीवन-निर्वाह के लिए पुरुष यदि एक तरह का काम करते हैं, तो स्त्रियाँ दूसरी तरह का; तो यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि पुरुष को ही सब चीज़ों का मालिक माना जाय और स्त्री उसका मुख ताकने वाली बनी रहे। इसका तो यही अर्थ निकलता है कि पुरुषों ने स्त्रियों को जान-बूझ कर घर के भीतर का काम देकर कमज़ोर और बन्दी बना दिया है और वे न्यायानुसार नहीं, वरन् ताक़त के ज़ोर से सब चीज़ों के स्वामी बने हैं।

यह प्रश्न केवल धन-वैभव के अधिकार और जीवन-निर्वाह के स्वामित्व का ही नहीं है। इसके कारण स्त्री-जाति पराधीन और क़ैदी की तरह बन गई है और पराधीनता के कारण जैसे प्रत्येक देश, जाति और समुदाय में तरह-तरह के दुर्गुण घुस जाते हैं, वही दशा स्त्रियों की हुई है। आज हम बार-बार कहते हैं कि भारतवासियों में जो अनेकों महान दोष घुसे हुए हैं, उनका कारण पराधीनता है। इसी के कारण यहाँ के लोग भीरु, साहसहीन, मतमतान्तर की कलह में ग्रस्त बने हुए हैं। स्त्रियों में भी पुरुषों की अधीनता के कारण असंख्य बुराइयाँ पैदा हो गई हैं। इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता है और उनको अपने तईं उसी साँचे में ढालना पड़ता है, जो पुरुषों को पसन्द हो। यही कारण है कि आजकल अधिकांश कुलीन और सम्भ्रान्त कहे जाने वाले घरों की स्त्रियाँ सजी हुई पुतलियों के नाम से पुकारी जाती हैं। उनमें कार्य-शक्ति और इच्छा-शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है और वे कल से चलने वाले निर्जीव यन्त्र की तरह पुरुषों की केवल आज्ञा पालन किया करती हैं।

इस बुराई और दुर्दशा के सुधार का उपाय स्त्रियों का स्वावलम्बी होना है। अगर वे भी अपने अधिकार में सम्पत्ति और जीवन-निर्वाह के साधन उसी प्रकार रखती हों, जैसे पुरुष रखते हैं, तो उनको पुरुषों के इशारे पर नाचने की ज़रूरत न पड़े और न उनको ख़ुश करने के लिए अपना पतन करना पड़े। यह ज़रूरी नहीं कि उस दशा में वे सब से अलग होकर संसार में अकेली रहें। नहीं, उस समय भी वे अपने पति, पुत्र तथा भाइयों के साथ रह सकती हैं, पर जीवन-निर्वाह के सम्बन्ध में स्वाधीन रहने से उनको किसी का अनुचित व्यवहार बाध्य होकर सहन न करना पड़ेगा, जैसा आजकल प्रायः देखने में आता है।

आजकल तो दशा यह यह है कि स्त्री चाहे ज़हर खाकर या आग लगा कर या कुएँ में कूद कर जान भले ही दे दे, पर उसको इतनी सामर्थ्य और अधिकार नहीं कि अरुचिकर और कष्टप्रद परिस्थिति छोड़ कर संसार के अन्य प्राणियों के साथ स्वाधीन भाव से ज़िन्दगी बिता सके। पुरुष यदि अपने घर से, अपनी स्त्री से अथवा अन्य सम्बन्धियों से अत्यन्त विरक्त हो जाय तो वह उन्हें छोड़ कर देश या परदेश में अपना जीवन अलग रह कर व्यतीत कर सकता है और हम हर रोज़ इस तरह की असंख्य घटनाएँ देखते और सुनते हैं। पर यदि स्त्री घोर कष्ट पाकर या अन्य किसी कारण से इस तरह विरक्त हो जाय, तो उसके लिए अपनी जान दे देने के सिवाय मुक्ति का कोई रास्ता ही पुरुषों ने नहीं छोड़ा है। केवल एक रास्ता और भी है, और वह वेश्या बन कर जीवन बिताना। पर उस दशा में भी उसे पुरुषों के आधार पर ही रहना पड़ता है, उनके हाथों तरह-तरह के कष्ट और लाञ्छनाएँ सहन करनी पड़ती हैं।

अधिकांश लोग उपरोक्त सम्मति को समाज के लिए अत्यन्त अनिष्टकर समझते हैं। उन कूप-मण्डूकों की बात तो छोड़ दीजिए, जो इस तरह की कल्पना करना भी घोर पाप समझते हैं। अच्छी तरह पढ़े-लिखे और विचारवान लोग भी कहते हैं कि स्त्रियों के धन उपार्जन में लगने से गृहस्थी का आनन्द नष्ट हो जायगा और बच्चों के उचित पालन-पोषण और उन्नति में बड़ी बाधा पड़ जायगी। यह बात कुछ अंशों में सच है और हम भी स्त्रियों को क्लर्की, दुकानदारी और अन्य नौकरी करके जीवन निर्वाह करना बहुत अच्छा नहीं समझते। पर उनको बिलकुल पङ्गु बना देने और कष्टों से मुक्त पाने के लिए उनके पास आत्महत्या के सिवाय और कोई उपाय न रहने की अपेक्षा उपरोक्त नौकरी आदि की दशा बुरी नहीं कही जा सकती। स्त्रियों की दशा को सुधारने और उन्हें मनुष्यत्व प्रदान करने के दो ही उपाय हैं। या तो हम ख़ुद अपनी राज़ी से उनको जीवन-निर्वाह के साधनों की अधिकारिणी बना लें, अर्थात् जिस घर में जितनी सम्पत्ति हो, उस पर पुरुष और स्त्री का समान अधिकार हो और यदि किसी कारणवश स्त्री अलग होना चाहे तो आधा हिस्सा बँटा सके। क्योंकि यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं होती। समाज का काम पुरुष और स्त्री दोनों से मिल कर चल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी अपना काम बन्द कर दे, तो समाज को ख़ाली ही समझिए। इसलिए समाज जो कुछ उत्पन्न करता है या बनाता है, उसमें स्त्री और पुरुष सबका समान अधिकार है और सबको समान रूप से भोगने का अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता और पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्रियों को उनके न्यायोचित भाग से वञ्चित रखते हैं तो फिर उनके लिए स्वयं जीविका-उपार्जन के कामों में लग कर यह दिखलाना पड़ेगा कि वे भी परिश्रम की रोटी खाती हैं, न कि पुरुषों की दी हुई ख़ैरात। इस तरह स्वावलम्बी हो जाने पर वे पुरुषों की दासता से छूट जायँगी और स्वाभाविक रूप से अपनी उन्नति और विकास कर सकेंगी, जिसका प्रवाह इस समय सर्वथा रुका हुआ है।

❀ ❀ ❀

आने वाला तूफ़ान

हिन्दुस्तान के राजनीतिक आकाश में फिर एक भयङ्कर तूफ़ान आने वाला है। यह बात अब लक्षणों से पूरी तरह प्रकट हो रही है। कितने ही लोग आशा लगाए बैठे थे कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में सरकार और भारत के राष्ट्रीय दल का समझौता हो जायगा और कम से कम कुछ वर्ष तक सब लोग शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे, पर विलायत से और नई दिल्ली से जो ख़बरें हर रोज़ आ रही हैं, उनसे यही जान पड़ता है कि समझौते की आशा अभी कोसों दूर है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के स्थान में हमको एक ऐसी भयङ्कर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना भी इस समय नहीं की जा सकती।

अभी पिछले सप्ताह में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में भारत के सम्बन्ध में बहुत-कुछ चर्चा हुई थी। उसमें एक अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ ने साफ़ शब्दों में पूछा था कि म० गाँधी और उनके साथी षड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर किसी दूरवर्ती टापू में बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद म० गाँधी की एक पेरिस के पत्र-प्रतिनिधि के साथ भेंट का समाचार आया था, जिसमें उन्होंने अपने तथा कॉङ्ग्रेस के तमाम नेताओं के पकड़े जाने की सम्भावना र कट की थी।

इधर दो-एक दिन से देश में जो चौंका देने वाली घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मालूम होता है कि सरकार ने अपना कार्य आरम्भ भर दिया है। पिछली बार के आन्दोलन के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड और भारत के गोरे पत्रों ने यह आक्षेप किया था कि उसने नेताओं के पकड़ने में बहुत अधिक ढिलाई की और इसलिए आन्दोलन इतना बढ़ गया। मालूम होता है कि सरकार इस बार उस ग़लती को दुहराना नहीं चाहती और वह ऐसी योजना कर रही कि अगर भविष्य में कोई आन्दोलन उ-क वइद् किया जाय तो वह बिना एक क्षण की देर लगाए, कुचल दिया जाय। 'लीडर' के सम्वाद्दाता ने नई दिल्ली से जो ख़बर भेजी है, उससे भी इस अनुमान का समर्थन होता है। उसका कहना है कि—"मुझे बहुत पक्के तौर पर मालूम हुआ है कि जैसे ही राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स ख़त्म होगी, भारत में घोर दमन आरम्भ हो जायगा और कॉङ्ग्रेस ग़ैरक़ानूनी संस्था क़रार दे दी जायगी। कुछ भी आश्चर्य नहीं, अगर महात्मा गाँधी इस देश में पैर रखने के बाद तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए जायँ।"

इससे बढ़ कर भयङ्कर ख़बर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्वाद्दाता ने भेजी है। उसका कहना है कि "अगर कॉङ्ग्रेस रक्षात्मक उपाय के तौर पर या आक्रमण करने के उद्देश्य से सविनय क़ानून-भङ्ग आरम्भ करेगी तो भारत-सरकार ने भारत-मन्त्री की सम्मति से उसका प्रतिकार कड़े उपायों से करने का निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध में विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इस समय कितने ऑर्डिनेन्स तैयार हैं या तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में प्रधान मन्त्री की घोषणा के बाद ही जारी कर दिए जायँगे।... इनमें से एक ऑर्डिनेन्स, जो सम्भवतः शीघ्र ही जारी किया जायगा, यू० पी० के लगानबन्दी आन्दोलन के और सीमाप्रान्त के 'रेडशर्ट' आन्दोलन के सम्बन्ध में है। अगर विलायती माल के बॉयकॉट का आन्दोलन जारी हुआ तो उसके लिए भी एक नया ऑर्डिनेन्स, जो पुराने पिकेटिङ्ग आन्दोलन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होगा, तैयार रक्खा है।

"मुझसे यह भी कहा गया है कि लन्दन में समझौते की जो बातें चल रही हैं, अगर वे पूर्णतया असफल हो गईं तो गवर्नमेण्ट उन सब नेताओं को पकड़ लेने में ज़रा भी सङ्कोच न करेगी, जिनकी कार्रवाइयों से उनके प्रान्तों में सविनय क़ानून-भङ्ग के आरम्भ होने की सम्भावना है। यह भी कहा जाता है कि महात्मा गाँधी के लौटने के पश्चात् सब नेताओं के मिल कर कोई प्रोग्राम तैयार करने की चेष्टा को भी सरकार पूर्ण न होने देगी। भारत-सरकार इसी समय ज़ोरदार दमन आरम्भ कर दे या कुछ दिन तक रङ्ग-ढङ्ग देखे, इस सम्बन्ध में अन्तिम आज्ञा लन्दन से आएगी। इस सम्बन्ध में सम्भवतः मन्त्री या सर सैमुअल होर प्रधान-मन्त्री की घोषणा के बाद म० गाँधी से साफ़-साफ़ बातें करेंगे और पूछेंगे कि क्या वे राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के ख़ात्मे तक समझौते को जारी रखना चाहते हैं या भारत लौटते ही सविनय क़ानून-भङ्ग आरम्भ कर देना चाहते हैं। अगर गाँधी जी समझौते के लिए तैयार हुए, तो सरकार केवल हिंसात्मक आन्दोलन और यू० पी० के लगान-बन्दी आन्दोलन को ज़ोरदार उपायों से दबाने में संलग्न रहेगी। पर यदि वे राज़ी न हुए तो कॉङ्ग्रेस के आन्दोलन को रोकने की हर तरह से चेष्टा की जायगी और अधिकारियों को परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए जायँगे।"

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्वाद्दाता की बातें न भविष्यवाणी है, न कोई कल्पना-प्रसूत चित्र है, वरन् वे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निकलने वाले स्वाभाविक परिणाम हैं। कॉङ्ग्रेस पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी है कि हम तब तक शान्त न होंगे, जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त न हो जाय। उधर ब्रिटिश सरकार ने भी घोषित कर दिया है कि वह प्रान्तीय स्वराज्य से अधिक कुछ देने को तैयार नहीं है। केन्द्रीय सरकार में कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे और शायद फ़ेडरल शासन-विधान भी जारी हो जाय, पर वहाँ पर असली शक्ति हिन्दुस्तानियों को नहीं दी जा सकती। क्योंकि सरकार को भय है, और वह भय बिल्कुल निराधार नहीं कहा सकता, कि यदि असली शक्ति एक बार हिन्दुस्तानियों के हाथ में पहुँच गई, तो फिर उसका वापस मिल सकना असम्भव है, और उसका अन्तिम फल भारत की पूर्ण स्वाधीनता ही होगा। इसलिए वह फूँक-फूँक कर क़दम बढ़ाना चाहती है और इस बात की चेष्टा में है कि जहाँ तक सम्भव हो, अधिक से अधिक दिन तक भारत के शासन का सूत्र उसी के हाथ में रहे। क्योंकि इसकी बदौलत वह इस देश से आर्थिक लाभ और अन्य तरह के फ़ायदे उठा रही है।

अब एक ही बात जानने को बाक़ी है कि इन सब का परिणाम क्या होगा? इसमें तो सन्देह नहीं कि सरकार सर्व-शक्ति-सम्पन्न है, उसके पास काफ़ी तादाद में सिपाही, अस्त्र-शस्त्र और जेलख़ाने हैं और चाहे जितने लोगों को पकड़ सकती है अथवा इससे भी कठोर उपाय से काम ले सकती है। पर भारतवासी तो अहिंसा और सत्याग्रह का अस्त्र पकड़े हुए हैं। यदि भारतवासी भी सरकार की तरह ही शारीरिक शक्ति का सहारा लेते, तब तो सरकार की विजय निश्चित थी, क्योंकि इस दृष्टि से वह बहुत बढ़ी-चढ़ी है। पर इन दोनों तरह के अस्त्रों की प्रकृति भिन्न-भिन्न हैं और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का अस्त्र भारतवासियों के अस्त्र पर अवश्य ही विजय पा जायगा।

❀ ❀ ❀



कर्तव्य-पालन

[श्री॰ रायज़ादा हरमोहन स्वरूप जी]

अहा ! क्या सुन्दर थे वे दिन, जब पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विदा हो-होकर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर निछावर हो जाते थे। माना कि वे विदेशी पञ्जे में जकड़े हुए नहीं थे, पर थे तो एक पाशविक शक्ति के अधीन ! फ़्रान्स में राजतन्त्र और प्रजातन्त्र में तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था। बहादुर गेर्विन के सामने विकट समस्या उपस्थित थी, वह क्या करे ?

एक ओर उसकी कोमल भावनाएँ अपने पितामह की सुफ़ेदी में खोती हुई मालूम होती थीं, और दूसरी ओर घोर विडम्बनापूर्ण, कण्टकमय, कर्तव्य-पथ उसके ख़ून को उबाल रहा था। यही नहीं, उसके पूज्य गुरुदेव स्मोरडम, जिन्होंने अपना प्रेम—वह प्रेम, जो यदि उन्होंने विवाह किया होता तो उनकी स्त्री पर और बच्चों पर केन्द्रित होता—गेर्विन पर केन्द्रित कर दिया था, प्रजातन्त्र की सेना में जा चुके थे।

एक तीसरी चीज़, जिसका लोभ उसे छू न गया था, वह था, उस क़िले का आधिपत्य, जिसका उस 'लाटौर' क़िले में ही नहीं, बल्कि बाहर भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके वर्तमान अधिपति मार्क़िस लेयिटङ्ग, जो गेर्विन के दादा के सगे भाई थे, अब बिल्कुल बुड्ढे हो गए थे, और अपने जीवन-काल में ही अपने पोते को राज्य-भार सौंप कर छुट्टी पा जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आचार्य स्मोरडम जैसे महान व्यक्ति को गेर्विन की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था।

परन्तु अपने पर विजय पाए हुए आचार्य स्मोरडम के शिष्य को अपनी शिक्षा का सच्चा उपयोग करना था। पितामह का प्रेम या क़िले का लोभ उसके स्वतन्त्र हृदय को ग़ुलामी की ज़ञ्जीर में बाँध न सका। वह एक लॉर्ड का उत्तराधिकारी होकर भी समझता कि वह भूमि के सच्चे स्वत्वाधिकारियों के साथ अन्याय करेगा, यदि वह उनका एकतन्त्र अधिकारी बन बैठा। परन्तु उसने अपने पितामह को प्रजा के दुख से दुखी तथा सुख से सुखी देखा था। उसने उनकी शासन-प्रणाली को सराहा था। परन्तु ये बातें भी उसे उस कण्टकाकीर्ण पथ से विचलित न कर सकीं। वह अपने आचार्य के चरणों में जा पहुँचा। राजकुमार गेर्विन भी प्रजातन्त्र की सेना का एक सैनिक बन गया।

२

प्रजातन्त्र की सेना की शक्ति बढ़ती चली आ रही थी। देश-प्रेम की धधकती ज्वाला में फ़्रान्सवासी पतङ्गों की तरह निछावर हो रहे थे। एक ओर रण-बाँकुरे एक निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्राण दे रहे थे और दूसरी ओर पाशविक शक्ति के पञ्जे में फँसे हुए वेतन-भोगी सिपाही अपने सञ्चित बल को राजा के चरणों पर अर्पण कर रहे थे। एक का लक्ष्य प्रजा को 'राजा' बनाना था और दूसरे का राजा को एकतन्त्र स्वेच्छाचारी।

इस समय अराजकता का क्या ठिकाना था ? सहस्रों कोमलाङ्गियाँ अपनी लाज बचाने के लिए घर-बार छोड़ कर वनों तथा पर्वतों की कन्दराओं में भटकती फिरती थीं। मादाम मेनज़रले भी अपने तीन बच्चों के साथ अपने पति को मातृभूमि के हेतु रचे गए यज्ञ में आहुति चढ़ाने के बाद योंही भटकती फिर रही थीं। वह इस समय यदि सुखी नहीं थीं, तो प्रसन्नचित्त अवश्य थीं, जो उनकी चेष्टा से साफ़ झलकता था। उनके पतिदेव प्रजातन्त्र की सेना में एक उच्च अधिकारी थे और अन्त समय तक बहादुरी से लड़े थे। मेनज़रले की शान्त आकृति मादाम मेनज़रले को केवल एक मौन मन्त्र बता गई थी—बच्चों को पिता के सच्चे पुत्र बनाना, और इसका वह निरन्तर पाठ किया करती थी। मादाम मेनज़रले ने भी उन्हें सच्चा देश-सेवक बनाने में कोई कसर नहीं रक्खी थी।

३

"क्यों बे, वह नोटिस पढ़ा था ?"—फ़्रान्सिस ने लुसी से पूछा।

"कौन सा ?"—लुसी ने प्रश्न किया।

"अबे, वही इनाम वाला।"

"मेनज़रले के बच्चों के पकड़ने का ?"—लुसी ने फिर पूछा।

"हाँ। इस रक़म से गहरी छनेगी और वह भी एक-दो दिन नहीं, मुद्दत तक। और इज़्ज़त मिलेगी सो अलग।"—फ़्रान्सिस ने कहा।

"इसमें क्या शक है ?"

"तो बोल, राज़ी है ?"

"लेकिन यार, कहीं मारे गए तो ?"

"क्यों, एक औरत और तीन बच्चों के पकड़ने में मारा जाना कैसा ?"

"इसके धोखे में मत रहना, परन्तु ख़ैर, चलो मैं तैयार हूँ।"—लुसी ने कहा।

"ओहदे का प्रलोभन और शराब जो न कराए।"

४

दोनों बड़ी सतर्कता से पहाड़ी-जङ्गलों की ख़ाक छानते फिर रहे हैं। इतने में एकाएक चौंक कर लुसी ने कहा—फ़्रान्सिस, देख वह क्या है ?

"कहाँ ?"—फ़्रान्सिस ने कहा।

"अबे, अब अवश्य गहरी छनेगी। वे अवश्य ही मादाम मेनज़रले और उसके दो बच्चे हैं। मगर होने तो तीन चाहिए थे।"—लुसी ने प्रसन्न होकर कहा।

वे इतने में उस टीले की चोटी से नीचे उतर चुके थे। वहाँ से प्रायः १०० गज़ की उतराई और बाक़ी थी, जहाँ मादाम दिखाई दी थीं। इतने में एक गोली उनके पास से निकल गई और सामने से एक ८ वर्ष का तेजस्वी बालक एक ज़ख़्मी हिरन के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों छिप कर देखने लगे। बालक के पास से गुज़रने पर उन्हें पूरा यक़ीन हो गया कि वह कैप्टेन मेनज़रले का ही लड़का है और नीचे वाली घाटी में उसकी माता मादाम मेनज़रले और उनके दोनों दूसरे बच्चे हैं।

"चल बे, लाटौर चल" फ़्रान्सिस ने लुसी से कहा।

"क्यों ?"—लुसी ने कहा—"तक़दीर आज़माई करो।"

"अबे, क्या मरना चाहता है ?"

"तो ओहदा क्या मुफ़्त में ही लोगे ?"

"ज़्यादा बातें मत कर। एक तो यों भिड़ना ठीक नहीं है, मुमकिन है पिट जाएँ और कहीं इन्हें ख़बर मिल गई तो यह पन्द्रह दिनों की दौड़-धूप एकदम अकारथ चली जायगी। जल्दी चल, एक दस्ता ले आएँ"—फ़्रान्सिस ने घबराई हुई आवाज़ में कहा।

५

"मादाम मेनज़रले, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं ?"—एक अजनबी ने पूछा।

"कैसे बच्चे ? तुम किसे पूछते हो ?"

"देखो, छिपाओ मत। हम ख़ूब जानते हैं कि तुम मादाम मेनज़रले हो।"—उस सिपाहियाना पोशाक से दुरुस्त मनुष्य ने कहा।

"मैं कुछ नहीं जानती।"—स्त्री ने जवाब दिया।

"माँ !"—एक चीख़ सुनाई दी।

मादाम का ध्यान उसी तरफ़ को खिंच गया। उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही उनके बच्चों को एक गुफा में से खींच रहे हैं। मादाम का हाथ फ़ौरन जेब में पहुँचा और तुरन्त ही 'ठायँ' की आवाज़ हुई।

"मादाम मेनज़रले का बड़ा बच्चा तड़प रहा था और मादाम हँस रही थीं।

यह देख कर, उस नवागन्तुक ने, जो एक फ़ौजी अफ़सर मालूम होता था, मादाम के हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया तथा दो सिपाहियों ने उनके दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए।

वे सब दौड़ कर वहाँ पहुँचे, जहाँ एक फ़ौजी दस्ता सन्नाटे के आलम में खड़ा हुआ, एक ८ वर्ष के बच्चे को तड़पता और उसके हृदय से ख़ून का फ़व्वारा निकलता देख रहा था। मादाम मेनज़रले, जिन्होंने दौड़ते में अपने को आज़ाद कर लिया था, उससे लिपटती हुई बोलीं—"बेटा, अपने पिता से प्यार कहना। मैंने तुम्हें शत्रु के हाथों से बचा दिया। पर हाय ! अब इन दोनों को क्या करूँ !" "कैप्टेन ! कैप्टेन !! मैं तुमसे दो सेकेण्ड और दो गोलियों की भिक्षा माँगती हूँ।"—मादाम ने कहा।

"क्या करोगी ?"—अफ़सर ने पूछा।

"इन दोनों को अपने बाप की रक्षा में पहुँचा दूँ।"

"ये दोनों हमारी रक्षा में अच्छी तरह रहेंगे।"

इतने में मादाम मेनज़रले अपने हाथ आज़ाद पाकर झपटीं और चाहती थीं कि दोनों बच्चों की खोपड़ियाँ लड़ा कर तोड़ दें। इतने में 'ठायँ' की आवाज़ हुई और मादाम अपने बड़े बच्चे को छाती में छिपा कर लेट गईं !

६

"तीसरा बच्चा कहाँ है ?"—मारक़ुइस लेयिटङ्ग ने पूछा।

सामने खड़ा हुआ अफ़सर चुप था।

"जल्दी बोलो।"—मारक़ुइस ने कड़ी आवाज़ में दोबारा कहा।

"माई लॉर्ड, इस सेवक से बड़ा क़ुसूर हुआ, क्षमा !"—अफ़सर ने झुक कर कहा।

"सच बतलाओ।"—मारक़ुइस ने कहा।

"हुज़ूर !" अफ़सर ने गहरी साँस खींचते हुए कहा—"हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक माता अपने बच्चे को यों गोली का निशाना बनाएगी। हुज़ूर, मैं दङ्ग रह गया और तब समझा कि क्यों उन बच्चों को क़ैद करने के लिए इतना बड़ा इनाम रक्खा

बनाने का प्रयत्न किया। सुधारों की एक सूची बनाई गई, जिसमें राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ने तथा भूमि को किसानों की भलाई के लिए छोटे-छोटे भागों में बाँटने आदि की योजनाएँ शामिल थीं। ड्यूमा के कुछ सदस्य क्रान्ति का आह्वान करने लगे।

परिणाम-स्वरूप दोनों ड्यूमाएँ तोड़ दी गईं और ज़ार तथा उसके मन्त्रियों ने चुनाव की एक नवीन योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार मताधिकारियों को निम्न-लिखित वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जैसे ज़मींदार, व्यापारी, किसान तथा मज़दूर। इन वर्गों को भिन्न-भिन्न स्थान दिए गए। सबसे अधिक सीटें ज़मींदारों को दी गईं और सबसे कम किसानों तथा मज़दूरों को। फलतः सन् १९०५ का विधान बहुत अंशों में रद्द कर दिया गया।

उपर्युक्त नवीन योजना के परिणाम-स्वरूप तृतीय ड्यूमा ने ज़ार के कथनानुसार चलना अङ्गीकार किया, चौथी ड्यूमा भी ज़ार के इशारे पर चलती थी। इन ड्यूमाओं में जनता के सच्चे प्रतिनिधि न थे। चौथी ड्यूमा के कार्य-काल में यूरोपीय महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ। इस ड्यूमा ने ज़ार का पूरा समर्थन किया। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में रूस की सेना अनेक स्थानों पर बुरी तरह पराजित हुई। फलतः जनता में घोर असन्तोष फैल गया। जनता को सन्तुष्ट करने के लिए ड्यूमा ने ज़ार को कुछ आवश्यकीय सुधार जारी करने की सलाह दी, पर ज़ार ने ड्यूमा की सलाह स्वीकार नहीं की। ज़ार के सैनिक तथा सिविल विभागों की अयोग्यता प्रति क्षण प्रदर्शित हो रही थी। जनता क्रोध से पागल हो रही थी। ऐसे अवसर में ज़ार ने पक्के प्रतिक्रियावादियों को अपना मन्त्री चुना। इन मन्त्रियों ने घोर दमन से काम लेना प्रारम्भ कर दिया।

इस दमन के परिणाम-स्वरूप सन् १९१७ में, रूस में एक क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति का श्रीगणेश पेट्रोग्राड में हुआ। वहाँ की भूखी जनता सड़कों पर निकल कर भोजन माँगने लगी। जनता को तितर-बितर करने के लिए सेना को आज्ञा दी गई। परन्तु सेना ने यह आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और वह जनता से मिल गई, इसके बाद जनता ने सेण्ट पीटर तथा सेण्ट पॉल नाम के क़िलों को घेर लिया और वहाँ के क़ैदियों को भगा दिया। नवीन मन्त्रि-मण्डल का निर्माण करके एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। जनता को विधान का आश्वासन दिया गया। ज़ार को सिंहासन छोड़ना पड़ा।

जिस समय अस्थायी सरकार बनाई गई, उसी समय पेट्रोग्राड में किसानों तथा मज़दूरों के सोवियट की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार तथा सोवियट दोनों जनता पर शासन करने लगे। दोनों की आज्ञाएँ एक-दूसरे के विपरीत होती थीं। सोवियट ने प्राचीन सैनिक डिसप्लिन का अन्त कर दिया। अन्त में कुछ समय बाद सोवियट और अस्थायी सरकार ने मिल कर एक संयुक्त सरकार स्थापित की। परन्तु यह नवीन सरकार भी देश की आर्थिक तथा सैनिक स्थिति को सुधार न सकी और दिन पर दिन हालत बिगड़ती ही रही। इसी बीच में बोलशेविकों ने शासन को अपने हाथ में लिया और फ़ौज की सहायता से अस्थायी सरकार का अन्त कर दिया।

तत्पश्चात् सोवियटों की कॉङ्ग्रेस ने जनता के प्रतिनिधियों की एक कौन्सिल नियुक्त की। निकोलाई लेनिन इस कौन्सिल का प्रधान था। इस नवीन सरकार ने युद्ध में भाग लेने वाले तमाम राष्ट्रों से सन्धि करनी चाही। परन्तु जब अन्य राष्ट्रों ने सन्धि करने से इन्कार कर दिया, तो उसने मित्र-राष्ट्रों का साथ छोड़ कर जर्मनी से पृथक सन्धि कर ली। इसके बाद नवीन सरकार ने निजी सम्पत्तियों का अन्त कर दिया और रेलों, बैङ्कों, फ़ैक्टरियों, खानों तथा भूमि को ग़रीबों को सौंप दिया। ज़ार तथा उसका परिवार मौत के घाट उतार दिए गए। ज़ार के समर्थक क़त्ल कर दिए गए, क़ैद कर लिए गए या देश से बाहर निकाल दिए गए। प्रत्येक स्थान के उद्योग-धन्धे सोवियट कमिश्नरों (प्रतिनिधियों) के अधिकार में कर दिए। प्राचीन गिर्जाघर तोड़ दिए गए। सारांश यह कि कुछ ही महीनों में तमाम देश कम्यूनिस्ट बना दिया गया।

सन् १९१८ में सोवियटों की काङ्ग्रेस ने जिसे अब अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस कहते थे, एक विधान स्वीकार कर लिया। इस विधान को बोलशेविक नेताओं ने तैयार किया था। इस विधान को न तो जनता द्वारा चुने हुए लोगों ने बनाया था, न इस पर जनता की राय ही ली गई थी। यह विधान ही सोवियट रूस का वर्तमान विधान है। यद्यपि इसमें सन् १९१८ के पश्चात् डिग्रियों द्वारा अनेक संशोधन कर दिए गए हैं।

सन् १९१८ के विधान में सबसे पहले रूस सोवियटों का एक प्रजातन्त्र राज्य घोषित किया गया है। तत्पश्चात् मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। ये अधिकार तमाम जनता के न होकर केवल उन लोगों के हैं, जो मज़दूरी करते हैं। इसमें निजी सम्पत्तियों के अन्त करने के कार्य का समर्थन किया गया है। मताधिकार १८ वर्ष की उम्र के या उससे बड़े रूस के तमाम नागरिकों को दिया गया है, चाहे वे मर्द हों या औरत, उनका धर्म तथा उनकी जाति चाहे जो हो तथा उनका निवास-स्थान चाहे जहाँ भी हो। पर वे सब अपना जीवन निर्वाह-मज़दूरी (Productive Labour) द्वारा ही करते हों तथा "अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को नौकर न रखते हो।" निम्न-लिखित श्रेणी के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और न वे किसी पद पर ही रह सकते हैं—(१) वे जो लाभ के लिए दूसरों को नौकर रखते हैं (आम घरेलू नौकर इसमें शामिल नहीं हैं); (२) जो ऐसी आमदनी पर रहते हैं, जो उनकी निजी मेहनत का परिणाम नहीं है (उदाहरणार्थ व्याज और किराया आदि) (३) व्यापारी, एजेण्ट तथा अन्य सौदागर, (४) गिरजाघर के तमाम पदाधिकारी; (५) पुराने ज़ार के शासन के किसी विभाग से कभी सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य और (६) वे मनुष्य, जिनका दिमाग़ दुरुस्त न हो, या जिन्हें किसी भीषण अपराध में सज़ा हो चुकी हो। विधान में यह भी कहा गया है कि विदेशी लोग जो रूस में मज़दूरी करके जीविकार्जन करते हैं, वे भी वोट दे सकते हैं। यह १८ वर्ष की उम्र की क़ैद स्थानीय सोवियट द्वारा कम की जा सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार इसे स्वीकार कर ले।

पाठक कहेंगे कि रूस में तमाम जनता को मताधिकार प्राप्त नहीं हैं। केवल मज़दूरी करने वाले ही वोट दे सकते हैं, अन्य श्रेणी के लोग वोट नहीं दे सकते और यह लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत है। पर पाठकों को भूलना न चाहिए कि उपर्युक्त विधान कम्यूनिस्ट विधान है, जिसका अभिप्राय है कि शासन की बागडोर मज़दूर-श्रेणी के लोगों के हाथों में हो, न कि तमाम जनता के हाथों में। कम्यूनिस्ट स्टेट में मज़दूर श्रेणी ही शासक होती है। अन्य श्रेणियों को शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। फलतः रूस में अन्य वर्गों के पुरुषों को मताधिकार नहीं दिया गया है।

सोवियट सामाजिक प्रजातन्त्रों के सङ्घ (Union of Soviet Socialist Republics) में उच्चतम शासकीय संस्था सोवियटों की कॉङ्ग्रेस (Congress of Soviets) है। इस कॉङ्ग्रेस में शहरों तथा सूबों के डेलीगेट रहते हैं। शहरों के सोवियटों से २५,००० मज़दूरों पीछे एक डेलीगेट लिया जाता है। सूबों की सोवियटों से १,२५,००० दिहातों में रहने वालों के पीछे एक डेलीगेट लिया जाता है। कॉङ्ग्रेस की वर्ष में एक बैठक होती है। जिस समय कॉङ्ग्रेस की बैठक नहीं होती उस समय काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष कॉङ्ग्रेस एक सङ्घ केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी (Union Central Executive Committee) चुनती है। इस केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी की बैठक प्रत्येक तीसरे महीने १५ दिन के लिए होती है। इस कार्यकारिणी कमिटी में लगभग ४०० सदस्य होते हैं, जो दो चेम्बरों में बैठते हैं। बड़ी सभा में सोवियट के अन्तर्गत चारों प्रजातन्त्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। ये प्रतिनिधि आबादी के लिहाज़ से चुने जाते हैं। कार्यकारिणी कमिटी का एक सभापति होता है। यह कार्यकारिणी कमिटी स्वयम् २१ सदस्यों की एक कमिटी चुनती है, जो कार्य का सञ्चालन करती है।

शासन का कार्य एक कैबिनट द्वारा होता है, जिसे जनता के कमिसरों की सङ्घ कौन्सिल (Union Council of People's Commissars) कहते हैं। इसमें १५ सदस्य होते हैं, जो कार्यकारिणी कमिटी द्वारा चुने जाते हैं। यह कैबिनट केवल कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तरदायी न होकर, सङ्घ कॉङ्ग्रेस के प्रति भी उत्तरदायी होती है। कैबिनट का एक सदस्य सभापति होता है तथा ४ सदस्य उपसभापति होते हैं। पर सभापति को छोड़ कर शेष सब सदस्य एक-एक विभाग के प्रधान होते हैं। इस कैबिनट के तमाम क़ायदे और क़ानूनों को सङ्घ के तमाम सदस्यों को अवश्यमेव मानना और उन्हें कार्यान्वित करना पड़ता है।

विधान ने केन्द्रीय शासन को बहुत अधिकार दिए हैं। केन्द्रीय शासन के कुछ अधिकार ये हैं—वैदेशिक नीति का सञ्चालन करना, युद्ध घोषित करना और सन्धि स्थापित करना, विदेशों से ऋण लेना, वैदेशिक व्यापार का सञ्चालन करना, रेल, डाक तथा तार विभागों का सञ्चालन करना, सैनिक सङ्गठन पर अधिकार रखना और देश भर में सिक्के तथा टैक्स की एक नीति निर्धारित करना, आदि-आदि। केन्द्रीय सरकार तमाम प्रजातन्त्रों के दीवानी और फ़ौजदारी क़ानूनों के लिए तथा स्कूलों के लिए आम सिद्धान्त निश्चित करती है।

सोवियट के अन्तर्गत प्रत्येक प्रजातन्त्र में अपनी सोवियट सरकार होती है। पर चारों प्रजातन्त्रों की सोवियट सरकारें एक दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। सोवियट सरकार में सबसे नीचे शहरों में फ़ैक्टरियों तथा कारख़ानों में मज़दूरों के गुट्ट होते हैं! देहातों में किसानों के गुट्ट होते हैं। ये गुट्ट (प्रत्येक फ़ैक्टरी तथा प्रत्येक ग्राम में) स्थानीय कौन्सिल या सोवियट चुनते हैं। तत्पश्चात ये स्थानीय सोवियटें उच्चतर शासनीय संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। गाँव की सोवियटें अपने प्रतिनिधि ज़िले की सोवियटों की कॉङ्ग्रेस को भेजती हैं। तमाम ज़िले अपने प्रतिनिधि अपने से बड़ी कॉङ्ग्रेस को भेजते हैं। तत्पश्चात ये तमाम कॉङ्ग्रेस अपने प्रतिनिधि उसी प्रकार अपने से बड़ी कॉङ्ग्रेस को भेजते हैं। शहरों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि उच्चतर संस्थाओं को भेजती हैं। शहरों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि सीधे अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस को भेजती हैं। अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस में देहातों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि सीधे नहीं भेज पातीं। उनके प्रतिनिधि सूबों की तथा कमिश्नरी की कॉङ्ग्रेसों से चुन कर आते हैं। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि प्रतिनिधित्व आबादी पर या वोटरों की संख्या में से किसी एक पर निर्भर नहीं करता। शहर के मज़दूरों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। शहरों का प्रतिनिधित्व वोटरों की संख्या पर निर्भर करता है। पर देहातों का प्रतिनिधित्व रहने वालों की संख्या पर निर्भर करता है। (अगले अङ्क में समाप्त)

शासनतन्त्र की परिभाषा

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

आजकल सारे संसार में 'शासनतन्त्र' के विषय में ख़ूब चर्चा चल रही है। एक से एक नवीन नाम रक्खे जा रहे हैं। जैसे—प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, स्वायत्त शासन, नौकरशाही शासन, एकतन्त्र और साम्राज्य आदि उनमें प्रधान और विशेष प्रसिद्ध हैं। अङ्गरेज़ी भाषा में इन्हें Republic, Limited Monarchy, Constitutional Kingship, National, Dominion and Federal आदि कहते हैं। शासनतन्त्र के ये भिन्न-भिन्न रूप और नाम हैं। अब हमें देखना है कि वास्तव में शासनतन्त्र चीज़ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है?

शासनतन्त्र की परिभाषा सब देशों में एक सी नहीं होती। संसार के भिन्न-भिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियाँ अनादि काल से चली आ रही हैं। इन बहुत सी प्रणालियों में केवल दो प्रणालियों का आदर्श स्वरूप लेकर हम अपने विषय को आगे बढ़ाएँगे।

प्रथम—ग्रीस (यूनान) का शासनतन्त्र। इतिहास में यूनान का शासनतन्त्र एक आदर्श राजतन्त्र माना जाता है; क्योंकि वास्तव में ग्रीस ही पाश्चात्य देशों के भिन्न-भिन्न राज्यों तथा शासनतन्त्रों का जन्मदाता है। प्रजातन्त्रवाद का जन्म भी पहले-पहल इसी भू-भाग में हुआ था। ग्रीस के बाद रोम-साम्राज्य का शासनतन्त्र भी प्रामाणिक माना जाता है। पाश्चात्य शासनतन्त्रों के ये ही दो आधार-स्तम्भ हैं। पाश्चात्य देशों में प्लेटो प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का तथा अरिस्टाटल राजशास्त्र सिद्धान्तों के प्रामाणिक सूत्रकर्ता माने जाते हैं।

आधुनिक राजशास्त्र पर टीका लिखने वाले—ब्लुण्ट्सलि का कहना है कि यद्यपि अरिस्टाटल ने राजशास्त्र की व्याख्या आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखी है, तथा उस समय से और आज के समय से किसी प्रकार का मिलान नहीं किया जा सकता, तथापि राजशास्त्र का सर्वोत्तम और प्रामाणिक आधार अरिस्टाटल ही हैं।

प्लेटो का कहना है कि राजतन्त्र का आधार सङ्गठन है। वह सङ्गठन केवल मनुष्यकृत ही नहीं हुआ करता, वरन् प्रकृति के साथ-साथ चलता है और प्रकृति-विरुद्ध किया गया सङ्गठन तथा उस सङ्गठन पर स्थित राजशास्त्र या शासन-प्रणाली आदर्श नहीं कही जा सकती। ऐसी शासन-प्रणाली जनसाधारण के लिए हितकर नहीं हो सकती।

प्लेटो के मतानुसार "सर्वोत्तम शासनतन्त्र वह है, जिसकी पहुँच समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हो। यदि किसी शासनतन्त्र में समाज के किसी अङ्ग को भी हानि पहुँचती है, तो तमाम समाज का समाज उसी तरह उस दुख का अनुभव करता है, जिस तरह शरीर के किसी अङ्ग में यदि चोट लग जाय तो सारे शरीर को कष्ट होता है।"

शासनतन्त्र के मूल में सङ्गठन का जो स्थान है, उसके विरुद्ध कार्य करने से शासनतन्त्र की नींव मज़बूत नहीं होती। यही नहीं, वरन् ऐसे असङ्गठित राज्य वाले देश या भू-भाग में परस्पर प्रेम न होकर विघटन हो जाता है। शासनतन्त्र का यूनानी आदर्श इसी सङ्गठन पर ही रक्खा गया है।

प्लेटो के कथनानुसार राजतन्त्रता मनुष्यों के सर्वोच्च गुणों में से एक है। मनुष्य ही मनुष्य में सद्भावों, सत्प्रेम का उद्भावक है। मनुष्य शक्तियों का सञ्चय करने वाला है। जैसे मनुष्य का हृदय तरङ्गमय होता है, उसमें इच्छाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं और उन इच्छाओं तथा तरङ्गों पर तर्कमय बुद्धि शासन करती है, उसी तरह प्लेटो के विचार से, बुद्धिमान ही शासक बन सकते हैं, बहादुर योद्धा समाज की रक्षा कर सकते हैं तथा समाज के अन्य अङ्ग, जो और कामों में लगे हैं, उनका कर्त्तव्य उपर्युक्त दो अङ्गों का आज्ञा-पालन करना होना चाहिए। राजतन्त्र को सामूहिक रूप से विचारने से यही निष्कर्ष निकलता है कि राज के प्रत्येक अङ्ग को अपना-अपना काम करना चाहिए।

अरिस्टाटल कहता है कि समाज का सङ्गठित रूप 'नगर' है तथा समाज ही राजतन्त्र का उत्पादक और पालक है। नगर-समाज को वह समाज का आदर्श मानता है।

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का विकास ग्रामों में हुआ या नगरों में। अरिस्टाटल के अनुसार समाज का जन्म ग्राम में ही हुआ। परन्तु वह ग्राम-समाज को आदर्श नहीं मानता। क्योंकि ग्रामों का शासन तथा तन्त्र वृद्धों के हाथ में होता है। ग्रामों में प्रायः (पहिले) एक ही वंश के लोग रहा करते थे। अतः सम्पूर्ण कुटुम्ब पर वृद्धों ही का शासन था। परन्तु नगर-समाज का शासन स्वतन्त्र व्यक्तियों के हाथ रहता है। नगर का शासन सभी लोग करते हैं। उनमें छोटे-बड़े का विचार नहीं होता।

नगरों के आविर्भाव के सम्बन्ध में एक यूनानी लेखक का कहना है :—

"जब बहुत से ग्राम एक-दूसरे से, आपस में विशेष सम्बन्धित हो जाते हैं, भिन्न-भिन्न ग्राम विभिन्न समाजों को मिला कर एक नए समाज का जन्म देते हैं, तो वही समाज एक 'नगर' के रूप में परिणत हो जाता है। उस समय ग्राम-शासन का अन्त और नगर-शासन का आरम्भ हो जाता है। ग्राम-शासन का अन्त किसी बाहरी दबाव से नहीं; वरन् आपस में सङ्गठन की भावना उत्पन्न होने से होता है।"

वह आगे कहता है—नगर तो स्वतन्त्र व्यक्तियों के इकट्ठे होने का एक स्थान है। वहाँ ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, जिन्हें जीवन की तमाम आवश्यकताओं को आपस में ही पूरी करने की आदत सी रहती है। इसी 'नगर' शब्द से 'नागरिक' शब्द निकला है। राजतन्त्र में 'नागरिकता' ही प्रधान वस्तु है, जिसे प्रत्येक नागरिक पाने के लिए उत्सुक रहता है।

नगर ऐसे ही लोगों के रहने का स्थान होता है। वहाँ भिन्न-भिन्न कुटुम्ब आनन्द से जीवन व्यतीत करने के लिए बसते हैं। ऐसा करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि एक नगर के रहने वाले आपस में सद्भाव और सत्प्रेम से रहें। इसलिए प्रत्येक नगर में सद्भाव तथा सत्प्रेम उत्पन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाएँ होती हैं। सभाएँ, सोसाइटियाँ, क्लब, नाटक, खेल-कूद, चहल-पहल, यज्ञ-भोज, उत्सव-समारोह आदि हुआ करते हैं। नगर की स्थापना का यही ध्येय है। जिस नगर में ये सब बातें नहीं हैं, उसे अपूर्ण कहना चाहिए। रहने के लिए ग्राम भी अच्छा स्थान, है परन्तु नगरों की सृष्टि केवल रहने के लिए ही नहीं हुई है, वरन् इसलिए हुई है कि नगरों में किस तरह रहना चाहिए।

अरिस्टाटल ने जो कुछ नगर के सिद्धान्त पर लिखा है, उसका आधार नीतिवाद पर स्थित है। नगरों का ध्येय केवल 'रहना' नहीं, वरन् 'किस तरह रहना' है। उसके अनुसार नगर के बाहर 'राज्य' का अस्तित्व नहीं है। अतः अरिस्टाटल की बताई हुई राजतन्त्र की परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती।

यूनान के आदर्श के पश्चात् अब आप रोम के आदर्श को देखें। ग्रीस देश में शासनतन्त्र का अभिप्राय जनता को सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए सामग्री उपस्थित करना था, परन्तु रोम में राजतन्त्र का अभिप्राय जनता से राज्य की रक्षा कराने को था। उसके अन्तर्गत वे 'न्याय' को उच्च स्थान देते थे।

दोनों देशों के शासन-तन्त्रों पर टीका करते हुए ब्लुण्ट्सलि लिखता है—

"वे (यूनानी) शासनतन्त्र को मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार बनाते थे। उनका कहना था कि केवल राज्य के अन्तर्गत ही मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। उनके विचार से राजतन्त्र समाज का वह आदर्शमय सङ्घ है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।"

रोमन लोगों का पहले-पहल "Law of Morality" धर्माचार के नियमों पर था। वे धर्माचार के नियमों को सङ्कलित कर उसको सुचारु रूप देते थे। इस तरह वे शासनतन्त्र के उच्च आदर्श को सामने लाते थे। वे राजतन्त्र की सीमा बना कर उसे अधिक मज़बूत बनाने के लिए प्रयत्न करते थे। परन्तु इतना होते हुए भी उनके राजतन्त्र का प्रथम आधार किसी प्रामाणिक धर्माचार के नियम पर अवलम्बित न था। वह केवल साधारण नियमों के परस्पर संयोग से बन गया था।

रोमन लोगों के विचार 'राज्य' के सम्बन्ध में इस प्रकार थे—

"राज्य जनता का एक सङ्गठन है, जनता की सभा ही उस पर नियन्त्रण रखती है। वही कार्यकर्ता चुनती है, वही राज्य के नागरिक अधिकारों को राष्ट्र के प्रत्येक कुटुम्ब को उचित-अनुचित विचार करके देती है।"

ग्रीस तथा रोम के शासनतन्त्र सम्बन्धी विचारों की संक्षिप्त पर्यालोचना के पश्चात् अब भारत की ओर आइए। पाश्चात्य देशों के राज्यशास्त्र-वेत्ताओं तथा इतिहास के पण्डितों के विचार से भारत में 'शासन-तन्त्र' का कोई नियम ऐसा नहीं था, जो उल्लेखनीय हो। वास्तव में वे ऐसा कहते समय भारत के इतिहास को भूल जाते हैं। जर्मनी में, जहाँ पर कि भारत की भाषा तथा इतिहास का विशेष अध्ययन हुआ है, वहाँ के हिडलबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीति के प्रोफ़ेसर मि० जे० के० ब्लुण्ट्सलि महोदय कहते हैं—

"राजशास्त्र के आरम्भ का तब तक नहीं पता लगता, जब तक कि हमें ग्रीक लोगों का ज्ञान नहीं होता है। जिस तरह धर्म और सदाचार आदि में ग्रीक सारे संसार का प्रवर्तक है, उसी तरह राजशास्त्र का भी है।"

प्रोफ़ेसर सिली भी अपनी पुस्तक 'The Government of Greece' की भूमिका में इसी तरह का वक्तव्य देता है। वह कहता है—

"हमें इसका अनुभव होता है कि प्राचीन काल

के लोग राज्य का अर्थ नगर ही समझते थे। जब मैं 'प्राचीन' कहता हूँ, तो मेरा मतलब यूनानी और रोमन लोगों से होता है। इन 'प्राचीनों' की सीमा के बाहर, अर्वाचीन काल में, रोम और अथेन्स की तरह 'कारथेज' नाम का एक नगर था। यही नहीं, वरन् मेसिडोनियन राज्य, फ़ारस-साम्राज्य तथा मिश्र राज्य ऐसे भी राज्य थे।"

उपर्युक्त दोनों सज्जनों को भारत के सम्बन्ध में बहुत ही कम ज्ञान रहा होगा, अन्यथा वे ऐसी भूल कभी न करते।

भारत का अर्वाचीन इतिहास भी ग्रीस और रोम, मिश्र और फ़्रान्स से कहीं अधिक प्राचीन है। सर हेनरी मेइन अपनी 'पूर्व तथा पाश्चात्य के ग्राम' (Village Community in the East and West) नामक पुस्तक में लिखते हैं—

"हम अपने मत की पुष्टि के लिए यहाँ कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं। इन प्रमाणों के आधार केवल पुरानी बातें और इतिहास के पन्ने ही नहीं हैं। जिस रीति-रिवाज तथा रहन-सहन का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, वह केवल सृष्टि और अन्वेषण के ही आधार पर नहीं, वरन् उनके जीते-जागते उदाहरण हमारे सामने वर्तमान हैं। जब हम अपने विचारों को उदार बनाते हैं, तब यह ख़्याल करते हैं कि संसार बड़ा लम्बा-चौड़ा है, अनेकों प्रकार के मनुष्य उसमें रहते हैं, एक से एक सभ्य देश इसमें मौजूद हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि उच्चतम सभ्यता वाले देश पृथ्वी के उस गोलार्द्ध पर स्थित हैं, जिसे हम अज्ञानवश केवल East (पूर्व) कह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जो कुछ ज्ञान का भण्डार हमने अभी तक सञ्चय किया है, वह बहुत अधूरा है।"

वह आगे लिखता है कि पूर्व के देश बड़े उन्नतिशाली हैं, उनकी सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है। सभ्यता का जो विकास पूर्व के देशों में हुआ है, वह पाश्चात्य के किसी भी भू-भाग में किसी भी काल में नहीं हुआ है।

वेन्सेण्ट स्मिथ अपनी "Early History of India" में इसी सम्बन्ध में लिखते हैं—"जब कि हमें पाश्चात्य देशों की सभ्यता का अध्ययन करने के लिए खण्डहरों, टूटे-फूटे मकानों, घिसे हुए सिक्कों, सड़े हुए पत्रों और पुस्तकों की शरण में जाना पड़ता है, तो भारत की सभ्यता का अध्ययन हम उसके जीते-जागते पृष्ठों से कर सकते हैं।"

राजशास्त्र पर जितनी पुस्तकें आजकल उपलब्ध हैं अथवा अनादि काल में जो लिखी गई हैं, उनके लिखे जाने के सहस्रों वर्ष पूर्व से ही राजतन्त्र का क्रमशः विकास होने लग गया था। भारत का प्रामाणिक राजशास्त्र सम्बन्धी पुस्तक कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व का माना जाता है। परन्तु ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व भारत की सभ्यता का पूर्ण विकास हो चुका था। वह मिश्र, रोम, बैबिलोनिया और यूनान के साथ व्यापार करता था।* मोहेन्दो-जारो नगर की खुदाई से यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व भारत में सभ्यता का पूर्ण विकास था। फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उस समय में किसी आदर्श राज्य की स्थापना न हुई रही होगी।

मौर्य साम्राज्य-प्रणाली पर टीका करते हुए विन्सेण्ट स्मिथ अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के इतिहास' में लिखता है—

"जब हम ईसा की तीन शताब्दी पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य जैसा सुव्यवस्थित राज्य पाते हैं, जिसकी ऐसी व्यवस्था आज बीसवीं शताब्दी की सभ्यता के युग में भी नहीं दिखाई देती तो भारतीयों के अतुलित ज्ञान-भण्डार पर आश्चर्य होता है।

उस समय भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणाली प्रचलित थी। अजातशत्रु, जो फ़ारस के राजा दारा का समकालीन था, मगध का एकतन्त्र शासक था।

डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने "प्राचीन भारत में प्रजात्मक शासन" नामक पुस्तक में मेगस्थनीज़ का एक कथन उद्धृत किया है, जिसमें उसने पाँच ऐसे राष्ट्रों का नाम बताया है, जोकि गणतन्त्र के नाम से पुकारे जाते थे। जहाँ कोई एकतन्त्र शासक न था। सिकन्दर महान के साथ आए हुए एक इतिहास-लेखक का कहना है कि मुझे कुछ जातियाँ ऐसी मिलीं जो स्वयं शासक का काम करती थीं। उनके देश में कोई राजा न था। स्वयं सिकन्दर को ऐसी कई एक जातियों से लड़ना पड़ा था। एरियन भारत के न्यासा नामक एक नगर-राज्य का उल्लेख करता है। वह लिखता है कि जब न्यासा का सभापति पकड़ कर सिकन्दर के सामने आया, तो सिकन्दर ने उससे कहा कि यदि तुम अपने नगर से सौ चुने हुए आदमियों को हमारे यहाँ भेज दो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर

दूँ। सभापति ने कहा कि 'ऐ सिकन्दर, जिस नगर के सौ चुने हुए मनुष्य नगर छोड़ देंगे, उस नगर का शासन कौन करेगा?

चाणक्य का अर्थ-शास्त्र ही एक पूर्ण राजतन्त्र की व्याख्या है, जो मौर्य शासन-काल में लिखी गई थी।

जिस तरह पाश्चात्य देशों का राजतन्त्र नगरों से आरम्भ हुआ, उसी तरह भारत के राजतन्त्र का आधार हमारे ये छोटे-छोटे ग्राम थे। महाराज मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि राजनीति के विद्वानों ने राजतन्त्र का आदर्श ग्राम ही माना है। यहाँ तक कि वे एक सुसम्पन्न गृहस्थ परिवार को भी उसका आदर्श मानते हैं।

कौटिल्य लिखते हैं—ऐसे १०० आदर्श सुसम्पन्न गृहस्थ परिवारों के इकट्ठा होने से ग्राम बनता है। ग्राम में ५०० से अधिक शूद्र वर्ण के खेतिहर नहीं होने चाहिए। ग्राम का क्षेत्रफल एक या दो कोस से अधिक न हो। गाँव की सीमा नदियों, पर्वतों या जङ्गलों द्वारा अलग-अलग हो तो अच्छा है। यदि नहीं तो मनुष्य-कृत सीमा बना लेनी चाहिए। मनुष्य-कृत सीमा बाँध, बाग़, तालाब और कुआँ अथवा पत्थर आदि लगा कर बनाई जा सकती है।

ग्राम-व्यवस्था पर वे आगे लिखते हैं—"प्रत्येक दस गाँव का एक मण्डल होना चाहिए। प्रत्येक २००,४०० या ८०० गाँव के बीच में एक सुरक्षित क़िला होना चाहिए। जो ग्राम राज्य की सीमा पर पड़े, उनकी पूरी मोर्चा-बन्दी की जानी चाहिए।" महाराज मनु उक्त क़िले में फ़ौज के सम्बन्ध में लिखते हैं—"सेना का सञ्चालन एक विश्वासपात्र मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि वह गाँवों के लोगों के जान-माल का संरक्षक बनाया जा सके। हर एक गाँव का एक शासक हो। हर दस, बीस, सौ तथा सहस्र ऐसे शासकों पर एक-एक प्रधान शासक नियुक्त किया जाए।*

शुक्र-नीति में हर एक के अधिकारों को और भी स्पष्ट कर दिया गया है। राज्य अथवा राष्ट्र को साम्राज्य माना गया है। उस साम्राज्य के सप्त अङ्ग बताए गए हैं।† ग्रामण, पुरग, देशम, ग्राम, नगर, मण्डल और ज़िला—ये सात विभाग हैं। ग्राम का विभाग १०;१००; १०००;१०,००० के हिसाब से शासन को सुलभ बनाने के लिए करना चाहिए।

शुक्र-नीति में अङ्गरेज़ी के स्टेट (State) शब्द के लिए 'राष्ट्राग' शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्राग को साम्राज्य और राज्य भी कहा गया है। चल-अचल सभी चीज़ें राज्य की सम्पत्ति मानी गई हैं। शासन के दस सूत्र माने गए हैं। यथा—

(१) राजा, (२) कर्मचारी, (३) व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, (४) स्मृति, (५) शास्त्र, (६) मुनीम, (७) लेखक, (८) स्वर्ण, (९) जल और (१०) जनता।

न्यायालय की परिभाषा बताते हुए महर्षि शुक्राचार्य लिखते हैं—"न्यायालय वह स्थान है, जहाँ मनुष्य की आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति का अध्ययन होता हो। यही नहीं, वरन् उनका अध्ययन धर्मशास्त्रों के अनुसार हो।" राजतन्त्र की परिभाषा महर्षि शुक्राचार्य इस तरह लिखते हैं—

"राज ख़ास विभागों की सङ्गठित एक संस्था है। उस संस्था का एक शासक होता है। इन विभागों के नाम हैं—

(१) शासक, (२) सभा (Council), (३) ग्राम, (४) नगर, (५) ज़िला, (६) राज्य-नियम और (७) जनता के रीति-रिवाज।

ग्रीक, रोम और भारत की राज्य-व्यवस्था के भिन्न-भिन्न आधार हैं। उनकी भिन्न-भिन्न सभ्यताएँ हैं। उन्हीं सभ्यताओं पर उनके राजतन्त्रों का आधार अवलम्बित है। परन्तु यहाँ एक बात लिख देना आवश्यक है कि जब यूरोप के ग्रीस और रोम में एक-एक प्रकार के शासन की व्यवस्था थी, उस समय भारत में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ थीं। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से निम्न-लिखित प्रकार के राजतन्त्रों का पता चलता है:—

(१) गृहस्थ-राजतन्त्र (कौटुम्बिक शासन), (२) ग्राम शासन, (३) कई एक ग्रामों का शासन, (४) नगर-राज्य, (५) प्रजासत्तात्मक राज्य, (६) साम्राज्य (७) राज्य और (८) एकतन्त्र शासन।

भारत में हर एक प्रकार के राजतन्त्रों और शासनों का उल्लेख मिलता है, परन्तु राष्ट्रीय शासनतन्त्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राष्ट्रीयता को बाँधने वाली कोई शासन-प्रणाली यहाँ प्रकट नहीं हुई। भिन्न-भिन्न समाज-भाग को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए यद्यपि धार्मिक , परन्तु ऐसा कोई राजतन्त्र न था, जो सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजतन्त्र का रूप धारण कर, भिन्न-भिन्न जातियों को एकता के सूत्र में पिरोता।

* डॉक्टर साइस लेक्चर हरवर्ड यूनिवर्सिटी सन् १८८७

* अध्याय ७, पद ११४-११५

†अध्याय १,पद १२१

❀ ❀ ❀

गुरु नानकदेव और उनका मतवाद

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

गत २६ नवम्बर को भक्त-प्रवर गुरु नानकदेव की जयन्ती थी। इसलिए इस अवसर पर हम भी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने के साथ ही उनका और उनके मिशन का संक्षिप्त परिचय 'भविष्य' के पाठकों को प्रदान करना चाहते हैं। गुरु नानक जी संसार के उन थोड़े से महापुरुषों में हैं, जिन्होंने भवभ्रान्ति में भटकते हुए मानवों के हृदयों में एकेश्वरवाद और ईश्वर-भक्ति का प्रदीप जला कर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया था। गुरु नानक के आविर्भाव के पूर्व पञ्जाब की भूमि अज्ञान के घोर अन्धकार में पड़ी हुई थी। वहाँ के मुसलमान शासक धर्म के नाम पर उन पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। हिन्दू ईश्वर को भूल कर गङ्गा और मदार की आराधना में लगे थे। ईश्वर का स्थान देवी-देवताओं तथा भूत-प्रेतों ने ले लिया था। पञ्जाब की वीरभूमि, जो अपनी वीरता के लिए सारे संसार में विख्यात थी, पराधीन और पददलित हो रही थी। गुरु ने अपनी शान्तिमय विमल वाणी द्वारा पञ्जाबियों को 'सत्-श्रीअकाल' का परिचय कराया। अपने मधुर, परन्तु अकाट्य तर्कों द्वारा हिन्दुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक ढकोसलों की निस्सारता प्रतिपादित की। साथ ही एकता और साम्य का प्रचार किया। ईश्वर-भक्ति के साथ ही उन्होंने जन-समाज में पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का प्रचार किया और एक ऐसे मिशन की नींव दे गए, जिसने आगे चल कर हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की रक्षा का श्रेय प्राप्त किया। गुरु नानक हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल प्रचारक थे। और इसका प्रभाव लोगों पर इतना पड़ा कि मुसलमान उन्हें मुसलमान समझने लगे। अपने मतवाद का प्रचार उन्होंने केवल पञ्जाब ही नहीं, वरन् मध्य एशिया और मक्का-मदीना तक किया था। क़ुरान की शिक्षा और महम्मद साहब के उपदेशों को भूल कर, संसार के समस्त इस्लामेतर मनुष्यों को 'काफ़िर' समझ कर उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करने वाले मुसलमानों को 'काफ़िर' शब्द का अर्थ समझाया। साथ ही शतधाविच्छिन्न हिन्दू-जाति में एकता और राष्ट्रीयता का भी प्रचार किया।

गुरु नानक का आविर्भाव ईस्वी सन् १४६८, पठान सम्राट बहलोल लोदी के ज़माने में हुआ था। आपके पिता मेहता कुल्लूचन्द लाहौर के निवर्ती तिलवन्डी (जिसे आजकल नानकाना साहब कहते हैं) नाम के अधिवासी क्षत्रिय या खत्री थे।

भारत के प्रायः सभी महापुरुषों के जन्म-विवरण में किसी न किसी अलौकिक घटना का समावेश अवश्य पाया जाता है। कहते हैं, मेहता कुल्लू के कोई सन्तान न थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। इतने में एक दिन एक फ़क़ीर उनके घर आया। वह भूखा था। मेहता स्वयं भी साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। इसलिए फल-मूल जो कुछ घर में मौजूद था, उन्होंने बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ अतिथि के सामने रक्खा और उसके भोजन कर लेने पर अपने मनोकष्ट की कथा भी उसे सुनाया। साधु ने उसी फल-मूल का कुछ बचा हुआ अंश कुल्लू जी को देकर कहा, इसे अपनी स्त्री को खिला दो। ईश्वर की इच्छा और कृपा से तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र पैदा होगा। तुम्हारे पुत्र का जीवन बड़ा ही पवित्र और उज्ज्वल होगा। उसकी कीर्ति संसार में अमर होगी और उसके द्वारा तुम्हें विपुल सुयश प्राप्त होगा।

कहते हैं, साधु के आशीर्वचन के अनुसार कुल्लू जी की स्त्री ने यथासमय, अपने मायके, मारी नामक ग्राम में एक पुत्र प्रसव किया।

सन्तान न होने के कारण कुल्लू प्रायः विरक्त से रहते थे। गृहस्थाश्रम में उनका मन नहीं लगता था। परन्तु नानक के जन्म के बाद वे फिर तिलवन्डी लौट आए और व्यवसाय-वाणिज्य द्वारा जीविका निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक कन्या भी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने नानकी रक्खा।

चार वर्ष की अवस्था में नानक जी एक शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गए। संयोगवश उनके गुरु जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे अपने शिष्यों को अपने सिद्धान्त और विश्वास के सम्बन्ध में बहुधा उपदेश भी दिया करते थे। एक दिन बालक नानक ने गुरु जी के पास जाकर पूछा—"क्या इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ईश्वर है?" एक चार वर्ष के अबोध शिशु के मुँह से यह प्रश्न सुन कर शिक्षक महोदय चकित रह गए। अन्त में उन्हें मालूम हुआ कि नानक का जन्म एक साधु के आशीर्वाद से हुआ है और नानक का यह ज्ञान भी उसी का फल है।

नानक को साधुओं के प्रति श्रद्धा थी। वे किसी महात्मा को देख पाते थे, तो अवश्य ही उसकी सेवा में लग जाते और उसके साथ कुछ काल तक सत्सङ्ग किया करते। एक दिन पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर नमक ख़रीद लाने का आदेश दिया। उन्हें आशा थी कि नमक के व्यवसाय द्वारा विशेष अर्थोपार्जन हो सकेगा। रास्ते में नानक ने देखा कि साधुओं की एक जमात चली जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि तीन रोज़ से इन लोगों को कुछ भोजन नहीं मिला है। उनकी इच्छा इन महात्माओं से कुछ उपदेश ग्रहण करने की थी। परन्तु तीन रोज़ के भूखे मनुष्यों से कुछ उपदेश प्राप्त करने की आशा ही क्या हो सकती है? नानक के पिता ने उन्हें नमक ख़रीदने के लिए जो रुपए दिए थे, उन्हें उन्होंने साधुओं की सेवा और उन्हें भोजन कराने में ख़र्च कर दिया। परन्तु जब पिता ने यह हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए। नानक जी ने पिता को समझाने की चेष्टा करते हुए कहा—"साधु-सेवा द्वारा जो कुछ मैंने अर्जन किया है, वह और किसी व्यवसाय द्वारा अर्जन नहीं हो सकता।"

सांसारिक कामों में पुत्र की अनास्था देख कर कुल्लू जी को बड़ी चिन्ता हुई। परन्तु वे किसी तरह भी उसे समझा नहीं सके। नानक सांसारिक भोग-विलास और ऐश्वर्य को अत्यन्त तुच्छ समझते थे। पिता ने सोचा कि अगर किसी कार्य का सम्पूर्ण दायित्व पुत्र के मत्थे डाल दिया जाय, तो शायद वह कुछ सुधर जाए। यह सोच कर उन्होंने सुलतानपुर नामक ग्राम में एक दूकान खोल कर उसका सारा भार नानक जी को सौंप दिया। परन्तु इसका भी कोई फल नहीं हुआ। नानक की उदासीनता और साधु-सेवा सम्बन्धी प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। यह देख कर पिता ने उनकी शादी कर दी। परन्तु इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। विवाह हो जाने पर नानक जी ने साधु-सेवा से मुँह न मोड़ा। परन्तु अन्त में जब उन्हें मालूम हो गया कि सांसारिक बन्धन उत्तरोत्तर दृढ़ होता जाता है, तो उन्होंने एक दिन घर-बार ही छोड़ दिया और संन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।

यहीं से नानक जी की संसार-लीला का अवसान हुआ। इस समय इनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी। परन्तु अपनी ग्यारह साल की उमर में ही उन्होंने साधुओं के साथ धर्मचर्चा और तर्क-वितर्क में अपनी प्रखर प्रतिभा का पूर्ण परिचय प्रदान किया था। संन्यासी जीवन के आरम्भ करते ही इस प्रतिभा का और भी विकास हो गया। इस समय कितने ही जिज्ञासुओं ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। जिसमें मर्दाना नाम के एक मुसलमान युवक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके सिवा बुद्ध और लोना नाम के दो शिष्य भी कम विख्यात नहीं हैं। आपके ये तीनों शिष्य भी विचित्र प्रतिभाशाली थे। इसके बाद ही गुरु अर्जुनदेव और हरगोविन्द ने भी गुरु नानक का शिष्यत्व स्वीकार किया।

इन शिष्यों के सहयोग और सहायता से गुरु ने अपने पवित्र और उदार मतवाद का प्रचार आरम्भ किया। मर्दाना साहब सङ्गीत विद्या के अच्छे मर्मज्ञ थे और इनका कण्ठ-स्वर भी अत्यन्त मधुर था। इनके भजनों द्वारा गुरु को प्रचार-कार्य में विशेष सहायता मिली।

गुरु नानक देव द्वारा प्रवर्तित मतवाद में सङ्कीर्णता या कट्टरता को कोई स्थान न था। आपके विचारानुसार मनुष्य मात्र को ईश्वर-भक्ति का अधिकार होना चाहिए। जिस समय गुरुदेव ने अपना कार्य आरम्भ किया, उस समय पञ्जाब में जाति-विचार और ऊँच-नीच का भेदभाव प्रबल रूप से प्रचलित था। निम्न श्रेणी वाले एक प्रकार से समाज द्वारा परित्यक्त और निर्वासित कर दिए गए थे। इन्हें बड़ी दुरव्यवस्था में जीवन बिताना पड़ता था। इन पददलितों की कोई सुनने वाला न था। उदार-हृदय गुरु ने सबसे पहले उन्हें हृदय से लगाया और अपने सम्प्रदाय में उन्हें सर्व-प्रथम स्थान प्रदान किया। उन्हें जाति-विचार के ढकोसले से कोई सम्बन्ध न था। इसलिए उन्होंने नीच और अछूत कहे जाने वाली जातियों में ही अपने मत का प्रचार आरम्भ किया। इसलिए बहुत शीघ्र आपके शिष्यों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। इसके सिवा आपने मुसलमानों के प्रचार-कार्य और उनकी कट्टरता पर भी ख़ूब नज़र रक्खी थी। उस समय भारत में पठानों का राजत्व था। वे बल-पूर्वक हिन्दुओं को मुसलमान बनाया करते थे। इसलिए गुरु ने अपने उपदेशों और वाणियों द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक मतभेदों को दूर करके उनमें एकत्व और समानता के भावों का प्रचार करने की बड़ी काफ़ी चेष्टा की और सफल भी हुए। सगुण ईश्वरवाद का प्रचार आपके मतवाद का प्रधान अङ्ग था। आपने अपनी शिष्य-मण्डली को एक ईश्वर की उपासना करने का उपदेश प्रदान किया। आपके मतानुसार ईश्वर या 'अकालपुरुष' सर्वज्ञ सर्वव्यापी और सर्व-शक्तिमान है। मानव-हृदय की गम्भीरतम अनुभूति की भी उसे जानकारी होती है। वह मन और वाणी से अगोचर, अविनश्वर, नित्य और मुक्त है। मनुष्य का सारा ऐश्वर्य उसका दान मात्र है। विश्व-ब्रह्माण्ड का ध्वंस हो जाएगा, परन्तु उसका ध्वंस नहीं होगा। संसार का

प्रत्येक परमाणु जगदीश्वर के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करता है। वह सर्वत्र मौजूद है। उसके यहाँ ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। वह समदर्शी है। इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु नानक संसार के प्राणि-मात्र में उसी अकाल पुरुष या अविनाशी परमेश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते थे। उनके मतानुसार उसे पाने के लिए—उसके चरणों तक पहुँचने के लिए मनुष्य को निष्पाप और सत् होना चाहिए। उन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास था। उनके मतानुसार साधु या सत्पुरुष ही मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। जिन्हें भगवान के नाम पर आस्था नहीं, अथच वे सत् और निष्पाप हैं, तो भी उन्हें पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। जिनका जीवन पापमय होगा, उन्हें मरने पर नीच योनि प्राप्त होगी। उनके किसी-किसी उपदेश-वाक्य से यह भी पता लगता है कि ईश्वर ने नरक या स्वर्ग में जाने का भार मनुष्यों को ही सौंप रक्खा है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार इन दोनों में से किसी एक का निर्वाचन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा ही स्वर्ग अथवा नरक का अधिकारी होता है।

गुरु नानक अपना अधिकांश समय भगवद्भजन और ईश-आराधना में ही अतिवाहित किया करते थे। उनके शिष्यों का विश्वास था कि उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो चुका है। उनके ग्रन्थों में लिखा है कि एक बार गुरु ने एक विचित्र प्रकार की आकाश-वाणी सुनी। मानो "वाह गुरुजी" "वाह गुरुजी" की तुमुल ध्वनि से सारा नभ-मण्डल गूँज उठा। गुरु को मालूम हुआ कि यह अद्भुत स्वर उन्हें बार-बार आह्वान कर रहा है। गुरु जब उस स्वर के पास पहुँचे, तो उन्हें सुनाई पड़ा कि "हे नानक, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, कलियुग में तुम मेरे नाम और मेरी महिमा का प्रचार करो।" गुरु ने उत्तर में कहा—"प्रभु! मैं एक तुच्छ और अल्पज्ञ मानव हूँ। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूँ!" यह सुन कर अलौकिक शक्ति ने कहा—"चिन्ता नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।"

इसके बाद से ही गुरु नानक ने अपूर्व उत्साह के साथ अपने मतवाद का प्रचार आरम्भ किया। उन्होंने आर्यावर्त तथा सिन्ध के अनेक स्थानों में भ्रमण किया था। इसके सिवा पश्चिम में मक्का और मदीना तक गए थे। परस्पर-विच्छिन्न आर्य जाति को मिलाने के लिए उनका मतवाद एक 'मिलन-मन्त्र' स्वरूप था।

आपकी अपूर्व वाणी और महिमा की उपलब्धि आपके सभी शिष्यों ने की थी। इसलिए उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गुरु के सम्प्रदाय में गो-हत्या निषिद्ध थी, वह स्वयं भी बड़े गो-भक्त थे और गौओं की बड़ी भक्ति किया करते थे और अपने शिष्यों को भी गो-रक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे। वह अपने को महम्मद का परवर्ती अवतार मानते थे और उनकी भक्ति भी करते थे। परन्तु मुसलमानों के विधर्मी-विद्वेष और गो-हत्या आदि गन्दे कामों का कभी समर्थन नहीं करते थे।

गुरु नानक की सारी ज़िन्दगी प्रचार-कार्य में ही अतिवाहित हुई थी। आप बहुधा एक वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर साधुओं तथा अपने शिष्यों के साथ सत्सङ्ग किया करते थे। आपका अध्यात्म-चक्षु खुल गया था। आपमें अनुभूतिजात उच्छ्वास और आवेग जैसा था, उन्हें प्रकाश करने के लिए वैसी ही मधुर भाषा भी थी। इसीसे लोगों पर आपके उपदेशों का प्रभाव भी ख़ूब पड़ता था। उपासना करने के आपने कितने ही भक्तिरस-पूर्ण भजनों की रचना कर ली थी और अपने शिष्यों को लेकर उनकी आवृत्ति किया करते थे।

हम पहले लिख चुके हैं कि अपने मतवाद का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों के सिवा मध्य एशिया के कई देशों का भी भ्रमण किया था। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर आख्यायिका प्रचलित है। कहते हैं, अरब और ईरान आदि देशों से वापस आने पर आपने कुछ दिनों के लिए फ़क़ीराना बाना परित्याग कर दिया था। परन्तु प्रचार-कार्य और उपदेश नहीं परित्याग किया। यह देख कर कुछ हिन्दू-योगी उन पर सख़्त नाराज़ हुए और अपने योगबल द्वारा सिंह, बाघ, भालू, सर्प तथा अन्य हिंसक जन्तुओं के रूप में उनके पास आकर उन्हें भयभीत करने लगे। एक महापुरुष तो इतने बिगड़ उठे कि अपने योगबल से चारों ओर भीषण आग लगा दी और आकाश से तारे तोड़-तोड़ कर एक खण्ड प्रलय की ही सृष्टि कर डाली। परन्तु गुरु नानक पर इन करामातों का ज़रा भी प्रभाव न पड़ा और न वे इससे विचलित ही हुए। अन्त में हार कर योगियों ने उनसे किसी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन का अनुरोध किया। परन्तु गुरु ने उन्हें बताया, मुझमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। मैं तो एक सामान्य साधु-मात्र हूँ और सत्य का प्रचार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है।

इस आख्यायिका का तात्पर्य यह है कि गुरु को अपनी साधुता या योगबल का कोई घमण्ड न था। परन्तु सिक्खों के धर्म-ग्रन्थों में गुरु नानक जी के जीवन के साथ बहुत सी अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश है।

गुरु नानक ने अपने मतवाद के प्रचार के लिए कई ग्रन्थों की रचना की थी, जिनके सम्पूर्ण संग्रह का नाम 'गुरु-ग्रन्थसाहब' है। सिक्ख बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ग्रन्थ साहब की पूजा करते हैं। आपके प्रथम ग्रन्थ का नाम 'प्राणसाङ्गली' है। इसकी रचना सिक्खों को सत्पथ पर लाने के अभिप्राय से की गई है। इसमें कतिपय नियमों का उल्लेख किया गया है। यह गुरु के पूर्व जीवन-काल की रचना है और गुरु-ग्रन्थसाहब में इसका सर्व-प्रथम स्थान है। इस ग्रन्थ के रचना-कार्य में गुरु नानक को एक राजा से बड़ी सहायता मिली थी। वह राजा उन्हें अपने राज्य का कुछ अंश भी प्रदान करना चाहता था, परन्तु गुरु ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा—"मैं तो संसार-त्यागी फ़क़ीर हूँ, मुझे राज्य और धन की कोई आवश्यकता नहीं।" वह राजा आपकी साधुता पर मुग्ध होकर आपका शिष्य भी हो गया था।

इसके बाद गुरु नानक ने अपने विख्यात ग्रन्थ की रचना की। उस समय आपका सम्प्रदाय बहुत विस्तृत हो गया था। फलतः उन्हें एक ऐसे ग्रन्थ की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे उनके शिष्यों को जीवन-यापन की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हो। इस ग्रन्थ में इसी सम्बन्ध की बातें हैं। इस पुस्तक में नानकदेव द्वारा प्रचारित मतवाद का सम्पूर्ण तथ्य निहित है। सिक्ख-धर्मावलम्बी इस ग्रन्थ को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। परन्तु आगे चल कर यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त हो गया। इसके प्रथम भाग का नाम 'आदि ग्रन्थ' पड़ा और इसमें और भी कई गुरुओं की रचनाएँ शामिल कर ली गईं। ग्रन्थसाहब के द्वितीय भाग की रचना इस सम्प्रदाय के दसवें 'बादशाह' गुरु गोविन्द जी ने की थी। इस भाग को 'दशम् बादशाह का ग्रन्थ' भी कहते हैं।

नानकदेव द्वारा प्रचारित सिक्ख-धर्म प्रतिहिंसा के बदले करुणा और मैत्री पर ही प्रतिष्ठित था। उन्होंने अपने शिष्यों को वैराग्य और त्याग का ही उपदेश प्रदान किया था। सांसारिक झमेलों से अलग रह कर शान्त और पवित्र जीवन व्यतीत करना ही गुरु के मतवाद का उद्देश्य था। परन्तु कालचक्र के फेर में पड़ कर सिक्खों को तलवार धारण करने की आवश्यकता पड़ गई। गुरु के आदि ग्रन्थ के उपदेशों को भूल जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस परिवर्तन का कारण अन्यान्य धर्मावलम्बियों की सङ्कीर्णता और धार्मिक द्वेष था।

गुरु नानक ने अपने जीवन का अन्तिम भाग रावी नदी के तट पर व्यतीत किया था। यहीं वे अपने कतिपय शिष्यों और परिवार-वर्ग के साथ रहते थे। आपके दो पुत्र थे। एक का नाम लक्ष्मीदास और दूसरे का श्रीचन्द था। लक्ष्मीदास ने विवाह किया था और उनके वंशधर आज भी मौजूद हैं। परन्तु श्रीचन्द साधु थे और इन्होंने उदासी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की थी।

परन्तु कुछ लोगों का कथन है कि गुरु नानकदेव के कोई पुत्र आदि न था, बल्कि उपर्युक्त लक्ष्मीदास और श्रीचन्द उनके सगे चाचा के पौत्र थे। वास्तव में यही बात सच्ची भी मालूम होती है; क्योंकि नानक ने विवाह के बाद ही संसार छोड़ दिया था। अस्तु।

गुरु ने ७१ वर्ष तक 'सत्श्री अकाल' की महिमा का प्रचार करके ईस्वी सन् १५३९ में रावी के तट पर प्राण विसर्जन किया था। यह स्थान आजकल कोर्तिपुर के नाम से विख्यात है। यहीं गुरु की समाधि है।

*　*　*

रजत-रज

[सङ्कलयिता श्री० धनञ्जय भट्ट, 'सरल']

चन्द्रदेव प्रकृति को देख-देख कर मुस्कुरा रहे थे। प्रकृति, चन्द्रदेव का हँसना देख; उनके प्रति क्रोध प्रकट कर रही थी।

युवती कलिका अपनी जननी का उपहास न देख सकी; वह चट से खिल उठी और चन्द्रदेव को चिढ़ाने लगी।

❀

प्रभात की ज्योति पुष्प से पूछती है, क्या मेरा चुम्बन करने में तुम्हें लज्जा आती है?

❀

सूरजमुखी का फूल, एक अज्ञात फूल के साथ अपनी सजातीयता स्वीकार करने में लज्जित हुआ।

जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य ने मुस्कराते हुए उससे पूछा—मेरे बालक, तुम अच्छे तो हो?

❀

यह जीवन समुद्र-यात्रा के सदृश है, जिसमें हम लोग एक ही सङ्कीर्ण नौका में मिलते हैं।

मृत्यु तट पर पहुँचने की भाँति है, जहाँ से हम लोग अपने-अपने लोक को चले जाते हैं।

❀

यदि किसी को केवल शरीर में मिट्टी और भस्म मलने से ही मोक्ष मिल जाता हो तो धूल में लोटने वाले देहाती कुत्तों को तो सबसे पहले मुक्त हुए समझना होगा।

❀

पृथ्वी इतनी क्षमाशील है, कि उसे कुदाली से खोदो और वह खेती की उपज से हँस पड़ेगी।

❀

सुगन्धित पुष्प की शोभा डाली पर है, न कि माली के हाथों में।

❀　❀　❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

रायबरेली के अभागे किसानों का आर्तनाद



सूर्यकुण्ड (रायबरेली) नामक गाँव के किसान, जिन्होंने लगान न देने का निश्चय कर लिया है।



रायबरेली ज़िले की एक दुःखिनी महिला, जो अपने ज़मींदार को रो-रो कर अपनी कष्ट-कहानी सुना रही है।

अब सूबे भर के किसानों को और उनके नेताओं को सोच लेना है कि उनका क्या कर्तव्य है। उनके सामने दो तसवीरें हैं। एक में किसान कोड़े खा रहा है, जूते से पिट रहा है, ठोकरों से रुधिर उसके शरीर से बह रहा है, उसके घर लुट रहे हैं, उसके बच्चे सिसक रहे हैं, उसके घर की स्त्रियाँ बेइज़्ज़त हो रही हैं और आह मार रही हैं और वह स्वयं यह सब देखता हुआ अधिकारियों और ज़मींदारों के पैर चूम रहा है। दूसरी तसवीर में किसानों का सामूहिक सङ्घ है और वे मिल कर निहत्थे नम्रता, किन्तु दृढ़ता के साथ अपने घर की और अपने स्त्री और बच्चों की रक्षा के लिए गाँवों में मरदानगी के साथ खड़े हैं, पुलिस वाले, ज़मींदार और तहसीलदार उनसे लगान माँग रहे हैं और उनको बन्दूक़ों और भालों का डर दिखा रहे हैं, किन्तु ये दृढ़ता से लगान और मालगुज़ारी न देने पर डटे हैं और खुला हुआ जवाब दे रहे हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय न होगा, हम लगान न देंगे। इस तसवीर में किसानों पर गोलियों और भालों की बौछार भी दिखाई पड़ती है, उनकी लाशें भी फड़कती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कॉङ्ग्रेस के नेता भी इस तसवीर में जेलख़ानों में घुसते और पुलिस की मार और गोलियों का शिकार होते किसानों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, किन्तु दूर—इस तसवीर के आकाश में—ईश्वर की एक तेजोमय ज्योति नाच रही है।

इन दोनों तसवीरों में आप कौन चुनते हैं, यह आपके हाथ में है। मेरा हृदय तो दूसरी तसवीर खींच रहा है।

—पुरुषोत्तमदास टण्डन



रायबरेली की महिलाएँ, जो बाल-बच्चों सहित एक राजनैतिक सभा में भाग ले रही हैं।



रायबरेली में किसानों की महती सभा—'भविष्य' के इस चित्र में पाठक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता श्री० मेहरअली को व्याख्यान देते हुए देखेंगे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बूँदी के वर्तमान शासक हिज़ हाइनेस रायबहादुर ईसरी-सिंह जी।

बूँदी के विद्वान पुरोहित—स्व० श्री० रामनाथ जी कुदाल, जिनको, कहा जाता है, पुलिस के सिपाहियों ने ९वीं जुलाई, १९३१ को सहस्रों नगरनिवासियों के सामने लाठी और लातों से मार डाला !



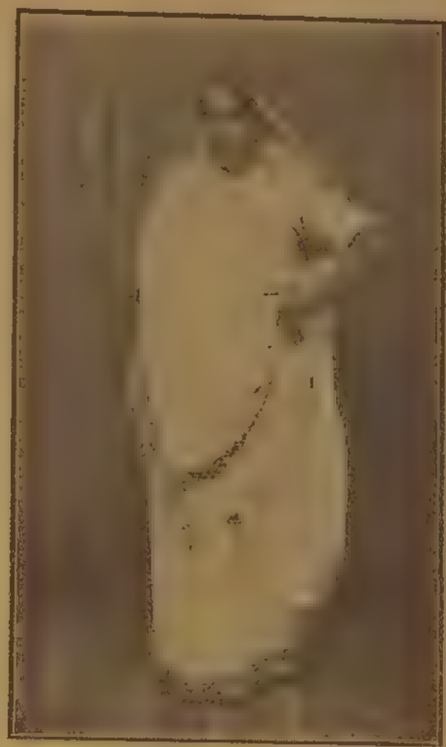


हाल ही में अमरावती (सी० पी०) में होने वाली नौजवान भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं का ग्रुप—'भविष्य' के इस विशेष चित्र में पाठक बम्बई के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० मेहर अली (प्रधान) को बीच में बैठे देखेंगे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



अपने सारे जीवन की सञ्चित धरोहर सहित सूर्यकुण्ड (रायबरेली) का एक अभागा किसान—जिसके नेतृत्व में करबन्दी का आन्दोलन हो रहा है।



श्रीमती काशीदेवी पाञ्चाल। आप रतलाम राष्ट्रीय सङ्घ के मन्त्री पण्डित उदयलाल जी पाञ्चाल की धर्मपत्नी हैं। आप मालवा की पहली वीरबाला हैं, जिन्होंने परदे की प्रथा को ठुकराया है। गत 'भगतसिंह-दिवस' पर जुलूस निकालने के अपराध में, कहा जाता है, आप पर कोड़ों की मार पड़ी थी, परन्तु तो भी आपने क्षमा-याचना नहीं की। आप अछूतोद्धार सम्बन्धी कार्यों में विशेष भाग लेती हैं।



भारत के अतिरिक्त, सीलोन (लङ्का) तथा अफ्रीका आदि प्रवासित भारतवासियों ने कितने उत्साह और समारोह से गाँधी-जयन्ती मनाई थी, इस सम्बन्ध के कई महत्वपूर्ण चित्र पाठक गत सप्ताहों में देख चुके हैं। 'भविष्य' के इस विशेष-चित्र में पाठक रङ्गून (बर्मा) के सच्चिदानन्द सभा के सदस्यों को गाँधी-जयन्ती के अवसर पर उपस्थित देखेंगे। बीच में फूलों से लदा हुआ महात्मा गाँधी का एक सुन्दर चित्र सुशोभित है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



राय साहब गोपालदास, एम० एल० सी० (पञ्जाब)—आप पहले पञ्जाबी हैं जिन्होंने अपने लिए एक हवाई जहाज़ मँगाया है। यह चित्र उस समय का है, जब कि आप कराची में उसकी 'डिलेवरी' ले रहे हैं।

सेठ जगजीवनदास और उनकी सद्य-प्रणीता—इमरती बाई—सेठ जी जबलपुर के निवासी हैं और हाल में ही आपने वहीं के वनिता-आश्रम की अनाथा विधवा श्रीमती इमरती बाई से विवाह किया है। इस विवाह में नगर के बहुत से प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे।

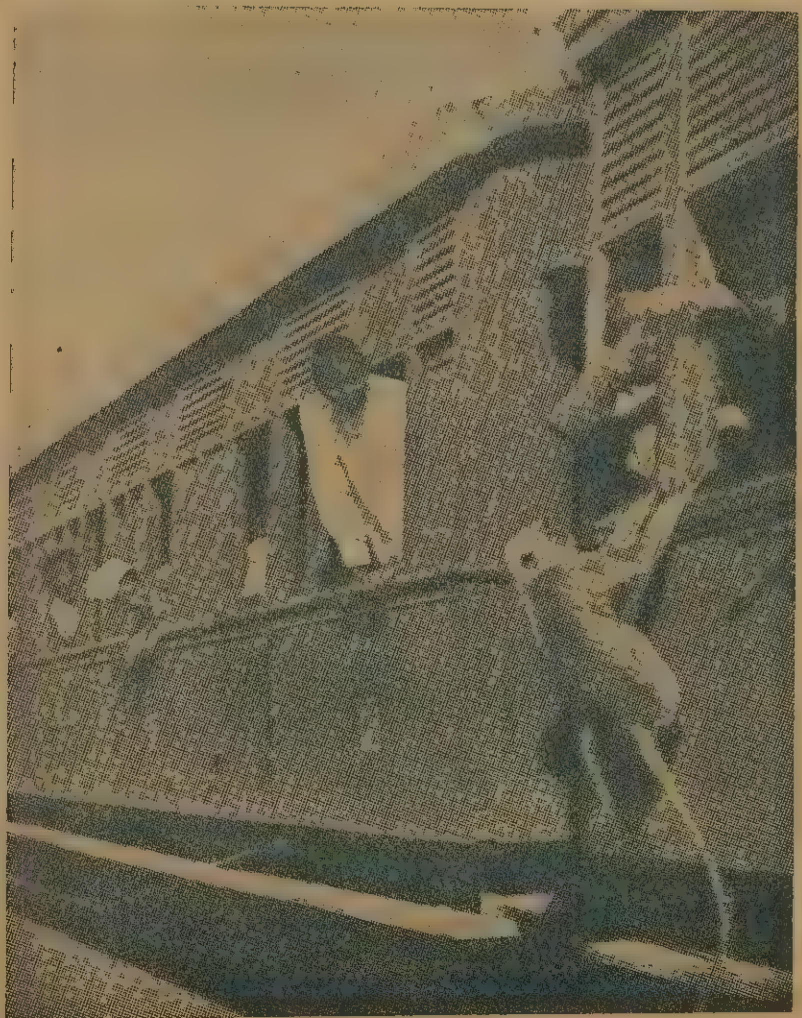




श्री० पन्नालाल जी खेडिया—आप नागपुर के स्वयं-सेवक कोर के कप्तान और एक उत्साही कार्यकर्ता हैं। दस मास की सज़ा काटने के बाद, फिर दो साल के लिए जेल भेजे गए हैं।

श्रीमती के० साठेम्मा, जिन्हें पालाकोल (मद्रास) की जनता ने म्युनिसिपेलिटी की मेम्बरी के लिए नाम्नित किया है। आप देशोन्नति सम्बन्धी कामों में विशेष रूप से भाग लिया करती हैं।





'भविष्य' के इस चित्र में पाठक रेल द्वारा बिना टिकट ही एक उद्दण्ड यात्री को सफ़र करते देखेंगे, जिसके भाई-बान्धवों ने रेलवे कम्पनी के नाक में दम कर रक्खा है। इस मँहगी के ज़माने में ऐसा तङ्ग करना हद दर्जे की नीचता है!



कुँवर मोहनवीरसिंह (दाहिनी ओर) ला० रतनलाल जी। आप दोनों ही सज्जन चन्दौसी, ज़िला मुरादाबाद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और क्रमशः ६ तथा १२ मास के लिए जेल जा चुके हैं। कुँवर जी ने देश के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया है।



आँसुओं के साथ-साथ अब दिल से आता है लहू, आग पानी में लगाई है तो देखो सैर भी।
इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़सत हो गए, ऐसी जल्दी में मिला हमको न लुत्फ़े सैर भी।

हर आह नीमकश[1] है जिगर[2] में भरी हुई,
डूबी हुई लहू में, असर में भरी हुई।
आता है हौल दश्ते नवरदाने[3] इश्क़ को,
हैं वह तबाहियाँ मेरे घर में भरी हुई।
जो बेक़रारियाँ कि मेरे दिल में थीं निहाँ[4],
वह सब हैं तेरे शोख़ नज़र में भरी हुई।
नज़्ज़ारए[5] जमाल[6] से तेरे भड़क उठी,
वह आग थी जो क़ल्बो-जिगर[7] में भरी हुई।
देखा जो आँख भर के क़दहख़्वार[8] छक गए,
क्या कैफ़ियत थी तेरी नज़र में भरी हुई,
सैद-अफ़गनी[9] के ज़ौक़[10] में रहती है जो निगाह,
निकली है आज ख़ूने जिगर में भरी हुई।
शोरीदगी[11] के ज़ौक़ से फ़ारिग़[12] नहीं हिनोज़[13],
छींटें लहू की हैं मेरे सर में भरी हुई।
जिसके हर एक क़तरे में नासूर है निहाँ,
वह जूए[14] ख़ूँ है दीदए तर[15] में भरी हुई।
ख़िलक़त[16] के साथ वह भी मेरे साथ-साथ है,
दीवानगी है मेरे असर में भरी हुई।
सोचे न यह बुतों से मुहब्बत है ऐ "अज़ीज़",
रखनी थी एक आह असर में भरी हुई।

—"अज़ीज़" लखनवी

उलफ़त तुम्हारी मेरे जिगर में भरी हुई,
तस्वीर दर्द की है असर में भरी हुई।
छानूँगा ख़ाक दश्ते अबद[17] तक इसी तरह,
दीवानगी अज़ल[18] से है सर में भरी हुई।
ज़ालिम के दिल में चुभ गई वह तीर की तरह,
निकली जो मुँह से आह असर में भरी हुई।
दम भर में मेरे ख़िरमने[19] दिल को जला दिया,
बिजली थी उनकी शोख़ नज़र में भरी हुई।
दब जाय जोशे अश्क[20] यह कारे मुहाल[21] है,
नद्दी है मेरे दीदए तर में भरी हुई।
क़ातिल पे क्यों न गिरती वह बिजली सी कौंद कर,
"बिस्मिल" की आह थी जो असर में भरी हुई।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

मञ्ज़रे जज़बात[22] है ख़लवत[23] सराए दैर[24] भी,
काबा वालो फ़र्ज़ है तुम पर वहाँ की सैर भी।
आँसुओं के साथ-साथ अब दिल से आता है लहू,
आग पानी में लगाई है तो देखो सैर भी।

१—आधी खिंची हुई, २—कलेजा, ३—जङ्गल में फिरने वाले, ४—छिपा हुआ, ५—देखना, ६—सुन्दरता, ७—दिल, ८—शराब पीने वाले, ९—शिकार करना, १०—मज़ा, ११—दीवानगी, १२—फ़ुरसत, १३—अब तक, १४—नदी, १५—आँखें भीगी हुईं, १६—संसार, १७—अन्त, १८—आदि, १९—खलिहान, २०—आँसू, २१—कठिन, २२—भावपूर्ण, २३—एकान्त, २४—मन्दिर,

ज़ेहन में आया न फ़र्क़ इम्तियाज़ी[25] आज तक,
मुद्दतों देखा है हमने काबा भी और दैर भी।
बज़्म[26] में उसकी हया तक है यह हस्ती मुश्तबह,[27]
पर्दा उठ जाए तो फिर होगा न कोई ग़ैर भी।
मर गया है जिसके दीवारों पर कुछ लिख कर 'अज़ीज़'
कीजिए एक रोज़ उस ख़लवतकदे[28] की सैर भी।

—"अज़ीज़" लखनवी

'वह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है।'

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

क्यों आपको ख़िलवत[1] में लड़ाई की पड़ी है,
मिलने की घड़ी है, कि यह लड़ने की घड़ी है।
क्या चश्मे इनायत[2] का तेरी मुझको भरोसा,
लड़-लड़ के मिली है, कभी मिल-मिल के लड़ी है।
यह दिन भी किसी तरह, क़यामत से नहीं कम,
एक-एक बरस हिज्र[3] की एक-एक घड़ी है।
जाते हैं मेरे घर से वह अब ग़ैर के घर में,
आफ़त का है यह वक़्त, क़यामत की घड़ी है।
क्या जानिए क्या हाल हमारा हो शबे हिज्र,
अल्लाह अभी चार पहर रात पड़ी है!
यह मिलने के आसार, लगावट की हैं बातें,
वह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है।
हँसना वह तुम्हारा है, कि बिजली का चमकना,
रोना यह हमारा है, कि सावन की झड़ी है।
तलवार लिए वह नहीं मक़तल[4] में खड़े हैं,
इस वक़्त मेरे आगे मेरी मौत खड़ी है।
चलते हुए बालीं[5] से वह मुझको यह सुना कर,
कमबख़्त के मरने में अभी देर बड़ी है।
हरजाई है तुझसे भी तेरी आँख ज़्यादा,
लाखों से यह अटकी है, हज़ारों से लड़ी है।
जीने नहीं देते हैं, वह मरने नहीं देते।
ऐ "नूह" मेरी जान कशाकश[6] में पड़ी है।

१—अकेले, २—कृपादृष्टि, ३—विरह, ४—बलिवेदी, ५—सिरहाना, ६—खींचातानी।

❀ ❀ ❀

मज़हरे[29] नूरे जमाले एज़दी[30] है दैर भी,
आओ ऐ अहले हरम[31] कर लो यहाँ की सैर भी।
तूर पर मूसा ख़ुदा की ज़ात वाहिद[32] के सिवा,
यह बताओ तुम, नज़र आया था कोई ग़ैर भी।

२५—तमीज़, २६—सभा, २७—सुबह, २८—एकान्त, २९—प्रगट, ३०—ईश्वर की ज्योति, ३१—काबा वाले, ३२—एक ईश्वर,

इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़सत हो गए,
ऐसी जल्दी में मिला हमको न लुत्फ़े सैर भी।
इसमें उसमें एक जलवा, इसमें उसमें एक नूर,
जिसका घर काबा है, बस है घर उसीका दैर भी।
चाँदनी में देखते हैं वह लबे जू[33] आईना,
अपने मतलब की पसन्द आती है उनको सैर भी।
दोनों बातों का हुआ, 'बिस्मिल' को आकर तजरुबा,
कूचए महबूब[34] में कुछ शर[35] भी, है कुछ ख़ैर भी।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

किस तरह दिल को गवारा हो यह तलख़ी[36] क़हर[37] है,
साग़रे हस्ती[38] में मेरी ज़िन्दगानी ज़हर है।
सैकड़ों जलवे नज़र आए मगर बेएतबार,
है यह बिजली का ख़ज़ाना या तिलस्मे दहर[39] है।
उठके चमकी, और चमक कर होगई पानी में जज़्ब,[40]
कुलज़मे[41] हस्ती में मेरी ज़िन्दगी एक लहर है।
देख कर गोरे[42] ग़रीबाँ दम मेरा रुकने लगा,
रहने वाले इसके कैसे हैं, यह कैसा शहर है।

—"अज़ीज़" लखनवी

जो तहोबाला[43] करे आलम को यह वह लहर है,
इन्क़िलाबे[44] दिल भी गोया इन्क़िलाबे दहर[45] है।
साँस भी लेनी क़यामत है, ग़ज़ब है, क़हर है,
हम न समझे थे कि जामे[46] ज़िन्दगी में ज़हर है।
चार दिन की ज़िन्दगी में इस क़दर किबरो[47] ग़ुरूर,
कोई देखे दीदनी कैसा तिलस्मे दहर है।
आज मर्गो[48] ज़ीस्त[49] का मतलब समझ में आ गया,
यह निगाहे लुत्फ़,[50] वह तेरी निगाहे क़हर है।
वक़्ते आख़िर कह रही है, मेरे माथे की शिकन,
जो करे बहरे फ़ना[51] में ग़र्क़ यह वह लहर है।
जामे हस्ती को न समझो साग़रे आबे हयात,[52]
मेरी नज़रों में तो क़तरा-क़तरा इसका ज़हर है।
दिल निगाहे मस्त की गर्दिश से चक्कर में फँसा,
और तुम कहते हो यह भी इन्क़िलाबे दहर है।
ध्यान अब आता नहीं इनको 'इलाहाबाद' का,
हज़रते "बिस्मिल" से पूछो क्या 'बनारस' शहर है।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३३—नदी किनारे, ३४—माशूक़ की गली, ३५—फ़िसाद, ३६—कड़वापन, ३७—ग़ज़ब, ३८—ज़िन्दगी का प्याला, ३९—संसार का जादू, ४०—मिल जाना, ४१—समुद्र, ४२—क़ब्रिस्तान, ४३—उलट-पलट, ४४—क्रान्ति, ४५—संसार, ४६—प्याला, ४७—घमण्ड, ४८—मौत, ४९—ज़िन्दगी, ५०—कृपा, ५१—मौत का समुद्र, ५२—अमृत।

❀ ❀ ❀

विलायत की कुछ बातें

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

ब्रिटेन की धर्म-संस्थाएँ

'भविष्य' की पिछली संख्या में मैंने पाठकों को अङ्गरेज़ों के धर्म तथा धर्म-संस्थाओं के विषय में कुछ बताने को कहा था। प्रस्तुत लेख में उन्हीं विषयों पर कुछ शब्द लिखे जायँगे।

हमारी धारणा ईसाई-धर्म के विषय में अधिकतर यह होती है कि जिस प्रकार हिन्दू-धर्मान्तर्गत अनेक मत-मतान्तर हैं, अनेक शाखाएँ हैं, वेदान्त के अनेक सिद्धान्त हैं तथा अनेक प्रकार की धर्म-संस्थाएँ हैं, उस प्रकार ईसाई-धर्म में इस प्रकार के कोई मत-मतान्तर, शाखाएँ आदि नहीं। परन्तु हमारी यह धारणा ग़लत है। इसी धारणा के कारण, जब हम ईसाइयों के गिर्जों के साथ मैथोडिस्ट, ईपिस्कोपल, प्रैसबिटीरियन आदि नामों को देखते हैं, तो हमारी समझ में उनका कुछ भी अर्थ नहीं आता। यही नहीं, हमें इन नामों को सुन कर आश्चर्य होता है कि ईसाई-धर्म वाले तो संसार में कहते फिरते हैं कि ईसाई-धर्म एक है, उसमें अनैक्य को तनिक भी स्थान नहीं, आदि, परन्तु फिर उसमें इन नामों के होने का क्या कारण! वास्तव में इनमें से प्रत्येक नाम कुछ न कुछ अर्थ रखता है। और इन्हीं अर्थों को समझाने को यह पंक्तियाँ लिखी हैं।

यह तो अब सभी जानते हैं कि ईसाई-धर्म का प्रचार तथा प्रसार किस प्रकार हुआ था। जब ईसाई-धर्म का प्रचार हुआ था तो इसका केन्द्र इटली की राजधानी रोम था। जिस प्रकार हिन्दू-सनातन-धर्म में उसका सञ्चालन एकतन्त्रवादी गुरुओं तथा पुजारियों द्वारा होता था, उसी प्रकार ईसाई चर्च का सञ्चालन भी पुजारियों (Bishops) द्वारा होता था। ये सब पुजारी रोम के ग्राण्ड पोप के अधीन रहते थे। ग्राण्ड पोप, एक प्रकार से, ईसाई-धर्म तथा ईसाई धर्मावलम्बियों का एकछत्र सम्राट था। उसी को पुजारियों को पदारूढ़ कराने अथवा पद से हटाने का अधिकार था। धर्म के सम्बन्ध में किसी राजा अथवा प्रजा के किसी प्रतिनिधि को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। पोप की व्यवस्था ही सर्वोपरि थी। इच्छा से या अनिच्छा से, राजाओं को पोप की आज्ञा के सामने सिर झुकाना ही पड़ता था।

जिस प्रकार एकतन्त्र शासन राजनीति में विषम फल लाता है, उसी प्रकार धर्म के शासन में भी। अतः फल-स्वरूप चर्च की दशा बड़ी शोचनीय होने लगी। परन्तु उस समय सारे ईसाई राज्यों—फ़्रान्स, इङ्गलैण्ड, इटली, जर्मनी आदि—में पोप की अन्ध-पूजा होती थी, फिर कौन उसके विरुद्ध खड़ा होता? परन्तु अन्त में एक वीर आया। वह था जर्मनी का प्रातःस्मरणीय वीर मार्टिन लूथर। लूथर ने पोप के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे सारा जर्मनी उसके साथ हो गया। जर्मन-चर्च से पोप का अधिकार उठा दिया गया तथा नए चर्च का नाम प्रोटेस्टेण्ट चर्च (Protestant Church) रक्खा। इस प्रकार चर्च दो भागों में बँट गया—(१) रोमन कैथोलिक (Roman Catholic), जो पोप के साथ थे तथा हमारे यहाँ के सनातनधर्मियों की भाँति थे, (२) प्रोटेस्टेण्ट, जो आर्य-समाज की भाँति सुधारक थे।

इङ्गलैण्ड वाले लूथर के सिद्धान्तों के क़ायल न थे, परन्तु बादशाह हेनरी अष्टम के राज्य में एक ऐसी घटना हुई, जिससे इङ्गलैण्ड को भी पोप का विरोध करना पड़ा। हेनरी अष्टम अपनी रानी को तलाक़ देने के लिए पोप की आज्ञा चाहता था (क्योंकि रोमन कैथोलिक तलाक़ को अच्छा नहीं समझते थे), परन्तु पोप ने स्वीकृति नहीं दी। अतः बादशाह ने क्रौमवेल के परामर्श से पोप से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। यह घटना सन् १५३० ईसवी की है। हेनरी पोप का विद्रोही नहीं होना चाहता था, परन्तु विवश होकर उसे ऐसा करना पड़ा। हेनरी ने इङ्गलैण्ड में नया चर्च स्थापित किया, जिसका नाम उसने प्रोटेस्टेण्ट चर्च रक्खा। वह जर्मनी की भाँति इससे आगे नहीं जाना चाहता था, अतः उसने चर्च का शासन पादरियों (Bishops) द्वारा ही जारी रक्खा। स्वयं हेनरी चर्च का प्रमुख बना। पादरियों द्वारा शासन होने के कारण इस चर्च का नाम 'ईपिस्कोपल प्रोटेस्टेण्ट चर्च ऑफ़ इङ्गलैण्ड' पड़ा। अब इङ्गलैण्ड का सम्राट इसका प्रमुख होता है।

प्रारम्भ में इङ्गलैण्ड में रोमन कैथोलिक मतावलम्बियों तथा सुधारक-दल वालों में बड़े युद्ध होते रहे, परन्तु धीरे-धीरे रोमन कैथोलिकों की संख्या कम होती गई, क्योंकि राज्य का धर्म ही प्रोटेस्टेण्ट था। प्रारम्भ में रोमन कैथोलिकों पर भीषण अत्याचार किए गए थे। उनको राज्य में कोई पद न मिलता था। उनके बच्चों को ऑक्सफ़ोर्ड तथा केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में स्थान नहीं मिलता था। वे एक प्रकार से अछूत समझे जाते थे। उन रोमाञ्चकारी भीषण अत्याचारों का वीभत्समय वर्णन करके हम पाठकों के हृदयों को आघात नहीं पहुँचाना चाहते। इतना ही कहना अलम् होगा कि आजकल हमारे यहाँ जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े होते हैं, वे उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आज इङ्गलैण्ड वाले उन झगड़ों और अत्याचारों की बात को भूल गए हैं, तभी तो वे भारतीय स्वराज्य के मार्ग में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों को एक बड़ी बाधा समझते हैं।

आयर्लैण्ड यद्यपि इङ्गलैण्ड के ही शासन में आ गया था, परन्तु वहाँ वालों ने नए धर्म को नहीं अपनाया, वे अपने नेता O'Connol के साथ अन्त तक लड़े और फलतः आज वहाँ रोमन कैथोलिक सिद्धान्तों का ही प्रचार है।

स्कॉटलैण्ड वाले प्रारम्भ में तो प्रोटेस्टेण्टों के अत्यन्त विरुद्ध थे, परन्तु पीछे से वे उनसे भी एक क़दम बढ़ गए। कॉलविन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया कि जो बुराइयाँ रोमन कैथोलिक मत में थीं, वे ही प्रोटेस्टेण्ट मत में भी थीं। दोनों ही एकतन्त्रवादी थे और प्रजा की सम्मतियों की अवहेलना करते थे। कॉलविन धर्म में तथा धर्म के शासन में भी प्रजातन्त्रवाद का प्रचार करना चाहता था। वह चर्च को Democratic lines पर चलाना चाहता था। उसके सिद्धान्तों के अनुसार चर्च का प्रमुख बादशाह को नहीं होना चाहिए था। उसीके सिद्धान्तों को अन्त में स्कॉटलैण्ड के निवासियों ने अपनाया और अपने स्वतन्त्र चर्च की स्थापना की। इस चर्च का शासन प्रजा द्वारा निर्वाचित एक सभा (Assembly) द्वारा होता था। नगरों और ज़िलों के गिर्जों के प्रबन्ध के लिए भी निर्वाचित की हुई सभाएँ होती थीं, जिन्हें प्रैसबिटेरी (Presbytery) कहा जाता था। इसी कारण स्कॉटलैण्ड के चर्च का नाम Presbyterian Church of Scotland (प्रैसबिटीरियन चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड) रक्खा गया। स्कॉटलैण्ड के गिर्जों के पुजारियों (Ministers) को भी ये प्रैसबिटेरी ही निर्वाचित करती थीं। इस प्रकार पाठकों को विदित हो जायगा कि अन्य चर्चों की अपेक्षा स्कॉटलैण्ड का चर्च अधिक स्वतन्त्रता-प्रेमी है।

इङ्गलैण्ड के चर्च में समय पाकर फिर परिवर्तन हुए। कुछ दिनों बाद सुधारकों का एक दल और खड़ा हो गया। ये लोग अपने को 'प्यूरीटन' (Puritans) कहते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य चर्च की बुराइयाँ दूर करना था। जिन बातों से इन्हें विरोध था, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

१—प्रार्थना के समय झुकना।

२—क्रॉस तथा मूर्तियों की पूजा।

३—ईसा के नाम पर सर झुकाना।

४—प्रार्थना-ढङ्ग आदि।

इन बेचारों को भी वे ही अत्याचार सहन करने पड़े, जो रोमन कैथोलिकों को। इनकी बड़ी भारी संख्या अमेरिका में जाकर बस गई। जो रह गए, उन्हें पीछे से धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई।

कुछ दिनों पश्चात् एक और नए सुधारक दल की उत्पत्ति हुई। इसका संस्थापक वैज़ले (Vasley) नाम का एक व्यक्ति था। इस दल की यह आपत्ति थी—"प्रार्थना के लिए एक नियत की हुई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय से निकली हुई प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है।" इसके अतिरिक्त यह दल क़ायदा-क़ानून में भी कुछ सुधार चाहता था, अतः इसका नाम 'मैथोडिस्ट' (Methodist) चर्च पड़ गया। इनके अपने अनेक गिर्जे हैं, जहाँ ये अपने ढङ्ग से प्रार्थना करते हैं।

हम स्कॉटलैण्ड के चर्च के विषय में कुछ लिख आए हैं। वह चर्च था तो स्वतन्त्र, परन्तु था राज्य के अधीन। कभी-कभी राज्य द्वारा ऐसी बातें जारी की जाती थीं, जो प्रजा के लिए हानिकर होती थीं। राज्य चर्च की एसेम्बली के विरोध की भी परवाह नहीं करता था। इन सब बातों से ऊब कर ३६० पुजारियों ने मिल कर Free Church of Scotland नाम का चर्च अलग स्थापित किया। कुछ ऐसे भी गिर्जे थे, जिनका सम्बन्ध न तो राजकीय चर्च से था और न स्वतन्त्र चर्च से। इन गिर्जों ने भी मिल कर एक चर्च स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने रक्खा 'यूनाइटेड चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड' (United Church of Scotland)। कुछ दिनों बाद यूनाइटेड तथा फ़्री चर्च एक हो गए और इनके सम्मिलन से जो चर्च बना, उसका नाम रक्खा गया यूनाइटेड फ़्री चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड (United Free Church of Scotland)। लगभग दो वर्ष हुए, बड़े परिश्रम तथा उद्योग से सारे गिर्जों के पुजारियों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की लम्बी कॉन्फ़्रेन्स के बाद स्कॉटलैण्ड के सब चर्च मिल कर एक हो गए और अब स्कॉटलैण्ड का जो स्थापित चर्च है, उसका नाम है United Free Established Church.

यह तो रहा चर्च का इतिहास। वास्तव में गिर्जों के प्रति अधिक लोगों को कोई भी श्रद्धा नहीं है। रविवार के दिन गिर्जों में चले जाना, लोक-दिखावे के लिए,

बस इससे अधिक कुछ नहीं। अब तो चर्च में ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं, जो चर्च में विश्वास ही नहीं करते। वे इन बातों को ढोंग समझते हैं। इनका मत है कि गिर्जों की प्रार्थना के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा को परमेश्वर का मध्यस्थ नहीं मानना चाहिए, न पादरियों को धर्म का ठेकेदार। ये गिर्जों में कभी नहीं जाते, न पादरी को कभी Confession (जीवन-कथा) सुनाते हैं। वे पादरियों को स्वर्ग से उतरे हुए अल्लाह मियाँ के दलाल नहीं मानते, बल्कि अपने जैसा ही मनुष्य। यह विचार धीरे-धीरे बहुत बढ़ रहा है।

जिस प्रकार भारत में ईसाई मिशनरी इधर-उधर खड़े होकर धर्म-कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार लन्दन के पार्कों में वहाँ के मिशनरी व्याख्यान देते हैं। मैं प्रति रविवार को लन्दन के पैकहम पार्क के सामने एक व्याख्याता को नियमपूर्वक व्याख्यान देते हुए पाता था, परन्तु किसी दिन भी उसके सामने कोई श्रोता मैंने नहीं देखा। वह एक स्टूल पर खड़ा होकर व्याख्यान दिया करता था, परन्तु उस व्याख्यान को या तो वह या उसका स्टूल ही सुना करता था। हाँ, हाइड पार्क में इन व्याख्याताओं के सामने कुछ श्रोता अवश्य पाए जाते थे। परन्तु वे श्रद्धा के भाव से वहाँ नहीं आते थे। वे आते थे केवल प्रश्न कर-करके इन व्याख्याताओं को तङ्ग करने के लिए। यही हाल मुक्ति फ़ौज (Salvation Army) के प्रचारकों का होता था।

यहाँ दो शब्द भारत के मिशनरियों द्वारा भारत के विषय में कही गई बातों के बारे में भी कह देना असङ्गत न होगा। इङ्गलैण्ड में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं, जो इन मिशनरियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा इनकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते। परन्तु अधिकांश ऐसे हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं तथा इन्हें सहायता भेजते हैं। मिशनरियों के वृत्तान्तों में भारतवासियों और विशेषकर हिन्दुओं को एक विचित्र रूप में चित्रित किया जाता है। हमारी जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ तथा कुरीतियाँ हैं, उनका तिल से ताड़ बनाया जाता है।

आश्चर्य तो यह है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने कभी भारतवर्ष की भूमि का दर्शन भी नहीं किया, वहीं बैठे-बैठे केवल मिशनरियों की रिपोर्ट के आधार पर ही हिन्दू-समाज के विषय में ग्रन्थ लिख मारते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझे चाय के लिए बुलाया। यह एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने कभी चाय के लिए किसी भारतीय को नहीं बुलाया था। चाय पीते-पीते वह बोलीं—

'मैंने एक नाटक लिखा है, जो एक स्कूल के बच्चों के सामने खेला जायगा।'

'विषय क्या है?'—मैंने पूछा।

'हिन्दू-समाज।'

'हिन्दू-समाज! और आपने भारतवर्ष में कभी पैर भी नहीं रक्खा!'—मैंने आश्चर्य से पूछा।

'परन्तु मैंने अपने कुछ मिशनरी मित्रों से प्लॉट बनाने में सहायता ली है। अब मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे यह बता दें कि घटनाओं में कहीं अस्वाभाविकता तो नहीं आई।'

'प्लॉट क्या है?'

'विधवाओं के विषय में।'

मैंने उनका प्लॉट सुना। एक हिन्दू-विधवा किसी ग्राम में बीमार हो गई। हिन्दू डॉक्टर को, यहाँ तक कि लेडी डॉक्टर को भी, घर में विधवा के सम्बन्धियों ने आने नहीं दिया। तब एक ईसाई डॉक्टर ने किसी प्रकार घर में आने की आज्ञा प्राप्त कर ली। विधवा अच्छी हुई और फल-स्वरूप वह ईसा की चेली हो गई। यह कथानक का सार है। मैंने उनसे बहुत-कुछ वाद-विवाद किया, परन्तु उन्होंने न माना और वह नाटक स्कूल में खेला ही गया।

❀ ❀ ❀



देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

शनिवार २१ नवम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई आरम्भ होते ही अभियुक्त वात्स्यायन ने विशेष अदालत के अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए कहा—"मि० प्रेज़िडेण्ट, डॉ० किचलू के जिरह आरम्भ करने के पहिले मैं आपका ध्यान दिल्ली-जेल में हम अभियुक्तों के साथ होने वाले व्यवहारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।" श्री० वात्स्यायन ने कहा कि "मुक़दमा शुरू होने के समय से हम लोग हमेशा पहिले जेल के भीतर-बाहर भी क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाया करते थे। मगर बाद में हम लोगों का मेजर आस्पिनल से समझौता हुआ और हम लोगों ने जेल की हिरासत के समय गाने और नारे बन्द कर दिए। परन्तु जेल के अधिकारियों के तबादले के साथ जेल-नियमों में भी परिवर्तन हो गया। नए सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हम लोगों से कहा कि अदालत में भी जेल-हिरासत क़ायम रहेगी और जेल के बाहर भी क्रान्तिकारी नारे लगाना तथा क्रान्तिकारी गाने गाना बन्द कर दिया जाय। हम लोगों के इस नए नियम के न मानने के फल-स्वरूप, हम लोगों की वकीलों तक से मुलाक़ात बन्द कर दी गई है और तीन दिनों तक हम लोगों को कालकोठरियों में रखने का हुक्म हुआ है।" इसके अतिरिक्त श्री० वात्स्यायन ने कहा कि और भी दूसरी शिकायतें हैं, जिन्हें हम लोग एक प्रार्थना-पत्र में लिख कर सोमवार को अदालत के सामने उपस्थित करेंगे। आज हम लोग जो चाहते हैं, वह यह है कि अदालत हम लोगों को अपने वकीलों से अदालत के कमरे में बातें करने की आज्ञा दे।

अभियुक्तों की यह प्रार्थना स्वीकार की गई।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति ने डॉ० किचलू की जिरह में कहा कि "दिल्ली में कोई काम नहीं शुरू किया गया। निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्ली में काम नहीं किया गया था। पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रक्खा गया था। मैं दल के इस नाम से सहमत था। मैं अब भी उससे सहमत हूँ। दल के उद्देश्य प्रजातन्त्रात्मक सरकार स्थापित करना था और प्रजातन्त्रात्मक सरकार से मेरा मतलब जनसत्तात्मक सरकार से है। प्रजातन्त्र का आधार दल के समक्ष रूस का प्रजातन्त्र था। रूस का प्रजातन्त्र अन्य प्रजातन्त्रों से अधिक स्पष्ट है। दल का उद्देश्य रूस के बोलशेविक ढङ्ग की सरकार स्थापित करना था। इस तरीक़े की सरकार अभी तक किसी देश में स्थापित नहीं हुई है। इस प्रकार की सरकार स्थापित करने का उपाय सशस्त्र क्रान्ति समझा जाता था। मैंने 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन' के नियम पढ़े हैं। मैंने उनको समझा है और वे अब तक मुझे याद हैं।

दल का उद्देश्य

"मैं अपनी याददाश्त से कहता हूँ कि जहाँ तक मुझे ठीक-ठीक याद है, दल का उद्देश्य जनसत्तात्मक सरकार स्थापित करना था। यह कहना ग़लत है कि दल का उद्देश्य 'फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ़ दि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इण्डिया' स्थापित करना होगा। दल के नियमों के अनुसार जो मालूम होता है, वह यह है कि वह उद्देश्य हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नहीं। अब मुझे हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों में विश्वास नहीं रहा। अब मुझे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में विश्वास है, जिसका यह कहना है कि दल का उद्देश्य सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इण्डिया स्थापित करना होगा।"

प्रश्न—आप सङ्घ प्रजातन्त्र और जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र में क्या भेद समझते हैं?

उत्तर—सङ्घ प्रजातन्त्र का मतलब स्वतन्त्र प्रजातन्त्र हो सकता है। जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र का मतलब वह होगा, जिसका उद्देश्य जनसत्तावाद है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं विधानात्मक परिभाषाएँ नहीं जानता। मैंने उनका कभी अध्ययन नहीं किया।

प्रश्न—क्या आप फ़ेडरेशन (सङ्घ) का केन्द्रीय अर्थ समझा सकते हैं?

उत्तर—फ़ेडरेशन का अर्थ स्वतन्त्रता है। मैं सङ्घ प्रजातन्त्र के रूप के अन्तर को नहीं समझा सकता। मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। इसी प्रकार मैं जनसत्तात्मक सरकार के रूप को नहीं समझा सकता।

प्रश्न—क्या आप बतला सकते हैं कि सङ्घ प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस में क्या अन्तर है?

उत्तर—मैं नहीं बतला सकता कि सङ्घ प्रजातन्त्र, जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस में क्या अन्तर है।

प्रश्न—क्या आपने नई सरकार के रूप का कार्यक्रम तैयार किया था?

उत्तर—मैंने नई सरकार के रूप का कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया था।

प्रश्न—क्या आपने सङ्घ प्रजातन्त्र, प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया था?

उत्तर—मैं सोशलिस्ट कांङ्ग्रेस के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार कर रहा था। वह मेरी निजी सूझ थी, परन्तु मैं इसे सलाह लेकर कर रहा था।

प्रश्न—सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस से आप क्या मतलब समझते हैं?

उत्तर—जब मैं इसका कार्यक्रम बना रहा था, सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का अर्थ मैंने समझा था वह संस्था, जो साम्यवाद स्थापित कर सके।

प्रश्न—क्या आपने साम्यवाद का अध्ययन किया है?

उत्तर—मैंने पूर्ण रूप से उसका अध्ययन नहीं किया है।

श्रमजीवियों और किसानों का सङ्गठन

आगे चल कर गवाह ने कहा कि—"हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य देश को सशस्त्र क्रान्ति के लिए तैयार करना था। यही उद्देश्य सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का था, जिसे सङ्गठित करने का मेरा इरादा था। परन्तु इस ध्येय को प्राप्त करने के उपाय में अन्तर था। अब मैं यह नहीं बतला सकता कि किस उपाय का मैं अवलम्बन करता। उनमें से अधिकांश मैं भूल गया हूँ। इतना मुझे याद है कि उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों को सामूहिक क्रान्ति के लिए सङ्गठित करना था। सामूहिक क्रान्ति साम्यवाद प्राप्त करने के लिए थी। यह किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध न थी। यह उन लोगों से लड़ने के लिए थी, जो साम्यवाद की स्थापना का विरोध करते। पूँजीपतियों का समुदाय ख़ास समुदाय था, जिसके विरुद्ध साम्यवाद का सङ्घर्ष होता। सरकार पूँजीपतियों के समुदाय में शामिल थी। वह किसानों और श्रमजीवियों के हित के विरुद्ध थी। इसी कारण से मैंने इस तरीक़े की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। अब भी मेरी यही राय है। मैं नहीं कह सकता कि अगर मैं छोड़ दिया जाऊँ, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करूँगा। अपनी रिहाई के बाद मेरा कार्यक्रम क्या होगा, इसे मैंने अभी निश्चय नहीं किया है। जब मैंने अपना बयान पुलीस के सामने देना शुरू किया था, उस समय मुझे विश्वास हो गया था कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया और भविष्य में मैं कुछ भी करने के लिए असमर्थ हूँ! मैंने अपनी गिरफ़्तारी के दो या तीन महीने पहिले सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का अपना कार्यक्रम लिखना शुरू किया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे कार्यक्रम में व्यक्तिगत आघात के लिए रोक थी। जब मैंने पार्टी को त्याग देने का निश्चय किया था, मैंने अपना कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया और उसके बाद मैंने किसी भी हिंसात्मक कार्य में हिस्सा नहीं लिया और न कोई ऐसा अवसर ही आया, जिसमें किसी व्यक्तिगत आघात के काम में मुझे हिस्सा लेने की ज़रूरत पड़ती।

"सङ्घ प्रजातन्त्र के अन्दर साम्यवाद नहीं आता। मेरी राय में फ़ेडरलिज़्म और सोशलिज़्म में अन्तर है। यह सम्भव है कि अवसर उपस्थित होने पर दोनों के हितों में सङ्घर्ष हो जाय। पर मुझे मालूम नहीं कि उनमें सङ्घर्ष कैसे हो सकता है।

साम्यवाद का सिद्धान्त

"जब मैं अपना कार्यक्रम लिख रहा था, मैं पार्टी के कामों में भी हिस्सा लिया करता था। निस्सन्देह मैंने मेम्बरों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करने में कभी दिलचस्पी नहीं ली। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पार्टी से सम्बन्ध त्यागने का निश्चय करने के बाद कोई नया मेम्बर नहीं बनाया। हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में अनिवार्य अन्तर था, फ़ेडरेटेड रिपब्लिक के स्थान पर सोशलिस्ट रिपब्लिक स्थापित करना। इसके अतिरिक्त और कोई अन्तर न था।

"मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण सम्भव बनाने वाले तरीक़े को नष्ट करने का सिद्धान्त साम्यवाद का भी सिद्धान्त था। यही सिद्धान्त हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों का भी आधार था। साम्यवाद के तरीक़े की सरकार का स्थापित करना हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य था, केवल 'साम्यवाद' शब्द हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों में न था।

"परन्तु मैंने इसे पार्टी से सम्बन्ध जोड़ने के समय नहीं समझा था। अब मैंने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। मेम्बरों से भर्ती किए जाने के पहिले कहा जाता था कि पार्टी का उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण बन्द करना और साम्यवादी सरकार का स्थापित करना है। मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी मेम्बर से भर्ती करने के समय यह कहा था।"

आगे चल कर गवाह ने कहा कि—"मैं लन्दन की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की फ़ेडरल स्ट्रक्चर सब-कमिटी की कार्रवाइयों को पढ़ता रहा हूँ। मैंने फ़ेडरेशन की इसकी स्कीम के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर नहीं

किया। मैंने उसके .फ़ेडरेशन के सिद्धान्तों से अपने सिद्धान्तों का मिलान भी नहीं किया। मेरे दिमाग़ में जो .फ़ेडरेटेड रिपब्लिक था और जिसकी स्थापना के लिए मैं अपनी पार्टी की शक्तियों को लगाने को था, उसकी मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता।"

गवाह ने इस बात से इन्कार किया कि उसने अपनी सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम पुलिस को धोखा देने या गिरफ़्तारी बचाने के उद्देश्य से लिखा था।

गवाह ने कहा कि—"लाहौर षड्यन्त्र केस के शुरू होने के बाद मुझे मालूम था कि पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनको वह जानती थी और गिरफ़्तार करना चाहती थी। मुझे यह मालूम था कि इस सम्बन्ध में अब और कोई गिरफ़्तारी न होगी, सिवा उन लोगों के जो फ़रार घोषित कर दिए गए हैं। मैं उस मामले में फ़रार था और मुझे यह भय था कि मैं गिरफ़्तार किया जा सकता हूँ। परन्तु मुझे विश्वास था कि मैं कुछ दिनों तक गिरफ़्तार नहीं किया जाऊँगा। मुझे यह सब 'सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस' का कार्यक्रम लिखने के पहिले मालूम था।

"केन्द्रीय कौन्सिल प्रान्तों तथा प्रान्तीय प्रचारकों द्वारा आने वाले समाचारों पर विश्वास करती थी। प्रान्तीय प्रचारक कोई काग़ज़ात नहीं रखते थे। सब काम याददाश्त से होता था। दिल्ली में पार्टी, काम के कम होने की वजह से नियमित रूप से प्रचार शुरू न कर सकी। न तो अख़बार का ही सङ्गठन हो सका और न व्याख्यान का ही और इसी कारण से बहुत सा काम, जो हो जाना चाहिए था, नहीं हो सका। कोई भी स्थायी डिपार्टमेण्ट सङ्गठित नहीं हुआ। श्रमजीवियों और किसानों में कोई प्रचार का काम न हो सका। न तो मैंने और न पार्टी के किसी दूसरे मेम्बर ने श्रमजीवियों और किसानों में काम किया, हालाँकि यह हि० रि० ए० और हि० सो० रि० ए० दोनों के नियमों के अनुसार आवश्यक था। पार्टी ने सिवा सहानुभूति रखने वालों से रुपए लेने के कभी किसी अन्य प्रकार से चन्दा नहीं उठाया। पर अगर किसी व्यक्ति ने रुपए दिए तो वह अस्वीकार नहीं किया गया। रुपए एकत्र करने का साधारण तरीक़ा चोरी और डाके थे। परन्तु रुपए अन्य उपायों से भी एकत्र किए गए, मगर धर्म के नाम पर नहीं। कोई ऐसी निश्चित फ़ीस नहीं थी, जो मेम्बरों से अदा करने को कही जाती थी।"

जलपान करने के बाद अदालत उठ गई। शेष समय अभियुक्तों को वकीलों से बातचीत करने के लिए दिया गया।

२३ नवम्बर की कार्यवाही

सोमवार २३ नवम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई फिर शुरू हुई। गत १३ नवम्बर को इस मुक़दमे की कार्रवाई शुरू होने पर विशेष अदालत ने दिल्ली जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली की अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने से इन्कार करने के सम्बन्ध में गवाही लेने के बाद यह हुक्म सुनाया था कि १० दिनों तक अभियुक्त की हाज़िरी की अदालत में कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस अवधि के समाप्त होने पर मियाँ सफ़दरअली फिर गवाही देने के लिए बुलाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत के हुक्म को अभियुक्त के सामने पढ़ सुनाया था, मगर उन्होंने अदालत में आने से इन्कार किया और प्रतिरोध किया। अभियुक्तों के वकील ने मियाँ सफ़दरअली से जिरह करने से इन्कार किया और कहा कि हमारी स्थिति आज भी वही है, जो पिछले अवसरों पर थी। अभियुक्त वात्सायन ने गवाह से बहुत देर तक यह सिद्ध करने के लिए जिरह की कि गवाह गवाही देने का अधिकारी नहीं है, यह कि जो कुछ उसने कहा सब ग़लत था, यह कि अदालत का हुक्म विमलप्रसाद जैन को नहीं सुनाया गया और यह कि गवाह विमलप्रसाद जैन के पास गया तक नहीं, क्योंकि वह सुबह से लेकर अभियुक्तों के अदालत आने के समय तक दूसरे अभियुक्तों के पास था। वात्सायन ने आगे चल कर विरोध-स्वरूप जिरह करना बन्द कर दिया; क्योंकि अदालत ने उनकी प्रश्नावली को रोक दिया था। उनका अन्तिम प्रश्न यह था—"क्या यह बात ठीक नहीं है कि जेल के अधिकारियों ने विमलप्रसाद जैन को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि उनके लिए अदालत में आना असम्भव हो गया?" वात्सायन ने यह भी कहा कि अगर हेड वार्डर बुलाया जाने वाला है और उसकी गवाही ली जाने वाली है, तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि मियाँ सफ़दरअली ने बिल्कुल झूठा बयान दिया। अदालत ने इस बात को अस्वीकार करते हुए और मियाँ सफ़दरअली की गवाही की सत्यता में विश्वास करते हुए यह हुक्म दिया कि अभियुक्त विमलप्रसाद जैन की हाज़िरी की ७ दिनों के लिए ज़रूरत नहीं है।

मुलाक़ात नामञ्ज़ूर

आज अदालत के बैठने पर अभियुक्तों और अभियुक्तों के वकील दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया। मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी बैरिस्टर ने कहा कि रविवार को प्रातःकाल मैं अभियुक्तों से उस दरख़्वास्त के सम्बन्ध में हिदायतें लेने के लिए जेल गया था, जो जेल के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में अभियुक्त लोग आज अदालत में पेश करने वाले थे। मुझे जेल के किसी भी ज़िम्मेदार अफ़सर से मिलने के लिए बहुत देर तक इन्तज़ार करना पड़ा। बाद में एक अफ़सर मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभियुक्तों से रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन नहीं मिल सकते, यह उन लोगों को जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट का हुक्म न मानने के लिए सज़ा दी गई है। जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह हुक्म दिया था कि "अभियुक्त जेल के अन्दर या बाहर न तो क्रान्तिकारी गाने गाएँ और न क्रान्तिकारी नारे लगाएँ।" मि० अन्सारी ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल असाधारण बात है। साधारण क़ायदा यह है कि वकीलों को अफ़सरों की ओर से वे सब परिवर्तन बता दिए जाते हैं, जो उनके मुवक्किलों के सम्बन्ध में जेल में होते हैं। कोई भी कामकाजी आदमी व्यर्थ के लिए इतना अधिक समय नष्ट नहीं कर सकता।

सरदार रघुवीरसिंह ने भी विरोध प्रकट किया और कहा कि निस्सन्देह शनिवार के दिन अदालत में अभियुक्तों ने वकीलों से कह दिया था कि वे लोग रविवार के दिन जेल में अभियुक्तों से नहीं मिलने पाएँगे, इसलिए अदालत ने उस दिन जलपान के बाद अभियुक्तों को वकीलों से अदालत के कमरे में ही मिलने की इजाज़त दे दी थी। परन्तु इस प्रकार की मुलाक़ात काफ़ी न थी और मैं अभियुक्तों से मिलने के लिए जेल दौड़ा गया। बहुत देर तक इन्तज़ार करने के बाद मुझे जेल के अन्दर जाने की आज्ञा दे दी गई, किन्तु मुझे एक ही साथ सब अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि अभियुक्त काल-कोठरियों में बन्द थे। मैं सिर्फ़ अभियुक्त वात्सायन से मिल सका। यद्यपि अभियुक्त विद्याभूषण और ख़्यालीराम गुप्त को मुझे कुछ महत्वपूर्ण काग़ज़ात देने थे, किन्तु जेल-अधिकारियों ने उन्हें मुझसे मुलाक़ात नहीं करने दी। सरदार रघुवीरसिंह ने कहा कि इस सबका मतलब यह है कि सफ़ाई के काम में बड़ी बाधाएँ हैं।

जेल के अधिकारियों का रुख़

डॉ० किचलू ने अपने साथी वकीलों की बातों का समर्थन करते हुए कहा—"मैं ऐसी छोटी बातों में बहुत कम दिलचस्पी लेता हूँ। मैं दूसरी तरफ़ के अपने मित्रों को अनुचित परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। परन्तु मि० प्रेज़िडेण्ट, मैं आपका मार्ग-प्रदर्शन चाहता हूँ। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं आपकी सहानुभूति चाहता हूँ। इस सबसे ऊपर मैं अपने कर्तव्य-पालन में आपकी अधि-रक्षा चाहता हूँ। कुछ अर्थों में जेल-अधिकारियों का रुख़ असह्य हो गया है। जितना हम लोग गवारा कर सकते हैं, उससे वह अधिक हो गया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि आपने बड़ी कृपा करके अपना बहुमूल्य समय लेने की आज्ञा दे दी है। आपने अदालत के वक़्त में हम लोगों को अभियुक्तों से बातचीत करने का हुक्म दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों ने उस अवसर से पूरा लाभ उठाया है।

"परन्तु हम अपना काम समाप्त नहीं कर सके। इन लोगों ने समय नष्ट नहीं किया, हमने काम किया है। परन्तु हम अपना काम समाप्त नहीं कर सके। जैसे ही अभियुक्त जेल में वापस लाए गए, मैंने अपने जूनियर वकीलों को अभियुक्तों से मिलने और उनसे शेष हिदायतें लेने के लिए जेल भेजा। परन्तु यह नहीं हो सका। जेल-अधिकारियों ने मुलाक़ात नहीं होने दी। शुरू से आख़ीर तक जेल-अधिकारी और एक्ज़ेक्टिव अधिकारी बराबर सफ़ाई के मार्ग में बाधा डालते रहे हैं। हमारी मुलाक़ातों पर जो ये विचित्र रोक लगाई जाती हैं, वे बहुत विचलित कर देती हैं। अगर सरकारी पक्ष—वह सरकारी पक्ष, जिसकी पीठ पर वाइसरॉय से लेकर पुलिस कॉन्स्टेबिल तक समस्त सरकारी शासन-तन्त्र का हाथ है—की मन्शा अनावश्यक रूप से सताना ही है, तो हम लोग फिर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करें। अभियुक्त लोग अपना सफ़ाई का अधिकार ही बिल्कुल छोड़ दें। मुझे ख़्यालीराम गुप्त से उनको सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ हिदायतें लेनी थीं। परन्तु मैं नहीं ले सका। मेरा जिरह करने का अपना ढङ्ग है। मैं उसे अभी प्रकट नहीं करना चाहता। परन्तु चूँकि मुझे अपने मुवक्किल से कोई हिदायत नहीं मिली, मैं लाचार हो गया। मैं नहीं समझता कि क्या करूँ। मेरी दृष्टि आप पर सहानुभूति और न्याय के लिए है। मेरी प्रार्थना यह है कि मुक़दमे की कार्रवाई स्थगित कर दी जाय, ताकि मैं अपनी स्थिति ठीक कर सकूँ और अपनी जिरह शुरू करूँ। मैं अपने मुवक्किलों से बातें करने और उनसे हिदायतें लेने के लिए कार्रवाई का स्थगित होना चाहता हूँ।"

अभियुक्त वात्सायन ने भी कार्रवाई मुल्तवी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा—"हम लोग काल-कोठरियों में बन्द थे, इसलिए हम एक दूसरे से मिल न सके। परन्तु मुक़दमे का क्रम ऐसा है कि परस्पर सलाह ज़रूरी है। इसके अलावा कोठरियों में रोशनी नहीं थी और सूर्यास्त के बाद हम लोगों का जागते रहना शारीरिक रूप से असम्भव था। शाम को जब हम लोग लौट कर जेल गए, तो व्यक्तिगत रूप से भी मामलों पर विचार करने के लिए समय बहुत कम था। प्रातःकाल हमें अदालत में आने के लिए तैयार होना होता है और इसमें कुछ वक़्त लगता है। हम लोग देर नहीं कर सकते, क्योंकि जेल-अधिकारियों ने हमें धमकी दे रक्खी है कि अगर समय से तैयार नहीं रहोगे, तो हम अदालत से कह देंगे कि उन लोगों ने अदालत में आने से इनकार कर दिया है।"

इसके बाद अदालत जलपान के लिए उठ गई।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। जिरह में गवाह ने कहा—"यूरोप और अमेरिका सदृश विभिन्न देशों में साम्यवादी दल सङ्गठित किए जा रहे हैं। इङ्गलैण्ड में भी साम्यवादी दल है। मैं नहीं कह सकता कि यह दल मज़दूरों और श्रमजीवियों के कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहा है। यह ट्रेड यूनियनें सङ्गठित करता है और उन्हीं के द्वारा कार्य करता है। इस दल का साम्यवाद पूँजीपतियों के विरुद्ध लगाया जा रहा है। यह मनुष्य के मनुष्य द्वारा शोषण को बन्द करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इस दल के मेम्बर पार्लामेण्ट के समय-समय के मेम्बरों में से चुने जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इङ्गलैण्ड में कम्यूनिस्ट दल भी है। यह बहुत अच्छी तरह सङ्गठित है। इसके मेम्बर, हालाँकि वे कम संख्या में हैं, पार्लामेण्ट के भी मेम्बर हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इङ्गलैण्ड के साम्यवादी दल से सहमत हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसका अध्ययन नहीं किया है। मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को नहीं जानता। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। सोशलिज़्म और कम्यूनिज़्म में अन्तर है, इसी प्रकार सोशलिज़्म और बोलशेविज़्म में भी अन्तर है। मैं जानता हूँ कि रूस में बोलशेविज़्म विद्यमान है। और उस देश की सरकार उसी तरीक़े पर आधारित है। और रूसी सरकार समाज का उसी आधार पर सङ्गठन कर रही है। मैं नहीं कह सकता कि बोलशेविज़्म और कम्यूनिज़्म में अन्तर है या नहीं। मैंने बोलशेविज़्म का कभी अध्ययन नहीं किया। मैं उसके प्रधान रूप को नहीं जानता। हमारे दल के कार्यक्रम की प्रमुख मदें आदमियों को देश के बाहर भेज कर सीखना और लौट कर देश में प्रचार करना थीं। हमारे कार्यक्रम का एक अङ्ग विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना भी था। परन्तु उनमें से कोई भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। मैं यह नहीं जानता कि दल ने किसी बाहरी मुल्क से किसी तरह की सहायता, जिसमें आर्थिक सहायता भी शामिल है, माँगी। हमारे दल का किसी भी देश की किसी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या बोलशेविस्ट पार्टी से सम्बन्ध न था। रूस ने कभी भारत के या रूस के हमारे दल से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने कभी इस बात का अध्ययन नहीं किया कि रूस में गवर्नमेण्ट के किस तफ़सीलवार कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। यह ठीक नहीं है कि हमारे दल ने रूस या इङ्गलैण्ड के इसी प्रकार के दलों के लिए या उनकी मातहती में काम किया। हमारे कार्यक्रम का रूस से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था, हमारा रूस से सिद्धान्त में या कार्य में कोई तअल्लुक़ न था। मैं पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच का कोई तफ़सीलवार अन्तर नहीं बतला सकता। परन्तु उन दोनों में कुछ अन्तर है, साम्राज्यवादी शासक हैं और पूँजीवादी ज़मींदार और व्यापारी हैं। ब्रिटिश सरकार में पूँजीवाद का अंश बहुत है। मैं उनकी तफ़सीलवार व्याख्या नहीं कर सकता।

"यह सच है कि अपनी गिरफ़्तारी से पहिले मैं रुपए के 'ऐक्शन' के लिए अजमेर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं स्वयं इस रुपए के ऐक्शन का सङ्गठन कर रहा था। मैं उस रुपए के ऐक्शन में, यदि आवश्यकता होती तो, किसी को भी गोली मारने को तैयार था। यह काम आज़ाद के मना करने पर नहीं हुआ। आज़ाद ने मुझसे रुपए के ऐक्शन में भाग लेने के लिए जाने को नहीं कहा था। रुपए का ऐक्शन १-११-३० को होने वाला था। पर मैं नियुक्त तारीख़ के दो या तीन दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर मैं गिरफ़्तार न कर लिया जाता, तो मैंने उसमें अवश्य भाग लिया होता। यह काम मेरी ही सूझ थी। मेरी सहायता का कोई प्रश्न न था। मैंने प्रसन्नता के साथ अपने कन्धों पर ज़िम्मेदारी ली थी।

"मि० पील को गोली मारने का कार्यक्रम आज़ाद का था, मेरा नहीं। यह मेरी गिरफ़्तारी के एक महीने या उससे कुछ कम के समय की बात थी। आज़ाद ने मुझसे इस सम्बन्ध में इन्तज़ाम करने को कहा था। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं इसमें हिस्सा लेता या नहीं। जब आज़ाद ने मुझसे कहा, तो मैंने उसके लिए इन्तज़ाम करना स्वीकार कर लिया। अगर अवसर उपस्थित होता, तो मैंने मि० पील को गोली मारा होता। मैंने सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद मि० पील को गोली मारने का इरादा किया। यह मेरी निजी इच्छा थी और किसी व्यक्ति द्वारा मैं बाधित नहीं किया गया था। मैं कह नहीं सकता कि यदि मैं २८-१०-१९३० ई० को पकड़ा न गया होता, तो अपने इस इरादे को पूरा करता या नहीं। अपनी गिरफ़्तारी के समय तक मेरा यही इरादा था।

"हमारे दल के अतिरिक्त और दूसरे क्रान्तिकारी दल थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे। मैं कह नहीं सकता कि ये दल एक-दूसरे को जानते थे या नहीं, मुझे उनके सङ्गठन या काम के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी न थी। मैं एक ध्रुवदेव को जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि वह दल का मेम्बर था या नहीं। मैंने सुना था कि उसने पुलिस के सामने कुछ रुपए के सम्बन्ध में बयान दिया था। यशपाल ने मुझसे कहा था कि यह बयान उसको गिरफ़्तार कराने के लिए था। कोई कारण न था कि यशपाल मुझसे झूठ क्यों बोलता। मुझे इस पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि बहुत से मामलों में पुलिस ऐसा करती थी।

"मैं याददाश्त से यह नहीं कह सकता कि नियमों के अनुसार शिक्षा-प्रचारकों की क्या योग्यताएँ थीं।

मज़दूर और किसान-पार्टी

"हमारे दल का उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों को साम्यवाद स्थापित करने के लिए सङ्गठित करना था। हम लोग इसके लिए भी तैयार थे कि यदि अवसर उपस्थित हो तो पूँजीवादी और साम्राज्यवादी समुदायों से लड़ा जाय। यह लड़ाई गाँधी जी के अहिंसा की लड़ाई न होती, बल्कि बोलशेविकों की तरह 'लाल' ढङ्ग की होती। क्रान्ति के समय समाज का क्रम अस्त-व्यस्त हो जाता। तैयारी की अवधि में भी समाज की शान्ति भङ्ग हो जाती। व्यक्तियों और समूहों, दोनों में आतङ्क छा गया होता। पूँजीवादी और साम्राज्यवादी स्वभावतः ही हमारी आकांक्षाओं को दबाने में मिल जाते। वे लोग भी आतङ्ककारी काम करने लगते और हम लोगों को गोली मार देने का प्रयत्न करते। वे हमारे आन्दोलन को कुचलने के लिए ऐसा करते। हमारे नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है कि जब हम पर हमला किया जाय, तो हम शस्त्रों की शरण लें।

"यह ठीक है कि हम लोग प्रतिहिंसा की तौर पर ही गोली चला सकते हैं। दल ने यदि किसी व्यक्तिगत और स्वतः काम की ज़िम्मेदारी न ली होती तो किसी भी व्यक्ति के ऐसा काम करने पर, जिससे नियम भङ्ग होता है, उसके विरुद्ध वह क़ायदे की कार्रवाई करता। किसी व्यक्ति को यह अधिकार न था कि वह अपनी इच्छा से किसी मेम्बर को गोली मार देता। आज़ाद नियमों का अपवाद था। उसको विशेष अधिकार थे, हालाँकि इसके लिए कोई ख़ास नियम न थे, बल्कि वह दल के पुनर्संङ्गठन के अनुसार थे, जोकि प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के पता लगने के बाद हुआ था। आज़ाद हम लोगों का फ़ौजी नायक था। ये बातें नए नियमों में जोड़ दी जातीं। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में आम आतङ्ककारी कार्यों का विधान था। परन्तु अनावश्यक रूप से उन्हें करने की आज्ञा न थी।"

जिरह समाप्त नहीं हुई और अदालत दूसरे दिन के लिए स्थगित की गई।

जेल-अधिकारियों की शिकायतें

दिल्ली षड्यन्त्र केस की मङ्गलवार २४ नवम्बर की कार्यवाही में प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ होने के पहिले अभियुक्तों ने जेल-अधिकारियों की शिकायत करते हुए अदालत के सामने एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया। प्रार्थना-पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित आरोप जेल-अधिकारियों पर लगाए गए थे :—

"यह कि जेल-अधिकारी पिछले कुछ दिनों से अभियुक्तों को मित्रों और रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल-नियमों के विरुद्ध मुलाक़ातों के सम्बन्ध में सब प्रकार की रोक लगा रहे हैं।

यह कि क्रान्तिकुमार नामक एक व्यक्ति, जो मि० धन्वन्तरि से उनकी सफ़ाई के सम्बन्ध में मुलाक़ात करने के लिए लाहौर से आया था, जेल-फाटक के बाहर ही पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया।

यह कि विमलप्रसाद नामक एक व्यक्ति, जो अभियुक्त विमलप्रसाद जैन से मुलाक़ात करने के लिए आया था, के मकान की तलाशी ली गई और वह पुलिस द्वारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया।

यह कि मि० फूलचन्द जैन, जो सफ़ाई के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और जो सफ़ाई के वकीलों की सहायता कर रहे हैं, के मकान की भी अभी तीन दिन हुए पुलिस द्वारा तलाशी ली गई थी। उन्हें प्रतिदिन सी० आई० डी० वाले अन्य तरीक़ों से परेशान करते हैं।

यह कि प्रार्थियों (अभियुक्तों) को हम अभियुक्तों से भी नहीं मिलने दिया जाता।

पत्र रोके जाते हैं

यह कि प्रार्थियों की सफ़ाई में सहायता करने वाले दिल्ली के और दिल्ली के बाहर रहने वाले वकीलों के पत्र खोले जाते हैं, रोके जाते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल रख ही लिए जाते हैं।

यह कि एक्ज़ेक्टिव अधिकारीगण जेल में प्रार्थियों की हिरासत और विचाराधीन क़ैदियों को क़ानूनन् मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं।

यह कि मि० विमलप्रसाद जैन ने अपनी मुलाक़ातें बिल्कुल रोक दी जाने के कारण जेल-अधिकारियों के हुक्म मानने से इन्कार कर दिया।

यह कि १० सितम्बर, १९३१ को कोर्ट-क्लर्क को हिदायत दी गई कि वह अदालत का हुक्म मि० विमलप्रसाद जैन के पास पहुँचा दे, और उस दिन वह अदालत में उपस्थित हुए।

यह कि जेल-अधिकारियों ने जान-बूझ कर मि० विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के मार्ग में रोड़े अटकाए और कार्यवाही में भाग लेना उनके लिए असम्भव कर दिया।

यह कि जेल-अधिकारियों की ज़्यादतियों के कारण विमलप्रसाद जैन की अनुपस्थिति की वजह से एक्ज़ेक्टिव अधिकारियों ने श्रीमान वायसरॉय से एक ऑर्डिनेन्स पास करा लिया।

बिना ज़रूरत के ऑर्डिनेन्स

यह कि श्रीमान वाइसरॉय ने बिना किसी ज़रूरत के और विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के कारण सफ़ाई के वकीलों से मालूम किए हुए उपर्युक्त ऑर्डिनेन्स पास कर दिया, जो बिना किसी आवश्यकता के पास किया गया है।

यह कि ऑर्डिनेन्स जारी होने के समय से अदालत के हुक्म मि० विमलप्रसाद जैन के पास ठीक-ठीक नहीं पहुँचाए गए और उनकी उपस्थिति के लिए कोई काफ़ी प्रयत्न नहीं किया गया था तथा उनकी तरफ़ से उनकी सफ़ाई की देख-भाल के लिए कोई वकील नहीं नियुक्त किया गया।

यह कि १२ नवम्बर, १९३१ को जजों ने २३ नवम्बर, १९३१ तक के लिए मि० विमलप्रसाद जैन की हाज़िरी से अदालत को बरी कर दिया। इस बीच में किसी भी व्यक्ति ने उनसे अदालत में चलने के लिए नहीं कहा, जो कारंवाई १९३१ के ऑर्डिनेन्स ८ के आशय के विरुद्ध है।

यह कि आपके प्रार्थियों को जेल-अधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन नाकाफ़ी है। आपके प्रार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की क़िस्म ख़राब है और मनुष्य के भोजन के लिए अयोग्य है। उपर्युक्त कारणों से आपके प्रार्थियों का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, उनमें से अधिकांश छोटी-मोटी बीमारियों से पीड़ित हैं।

अभियुक्त काल-कोठरियों में

यह कि आपके प्रार्थियों को दिल्ली-जेल के पूर्व सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर अस्पिनेल द्वारा अदालत आते समय जेल-फाटक के बाहर नारे लगाने और गाने की आज्ञा दी गई थी। अदालत ने भी अभियुक्तों को अदालत के कमरे में जजों के आने के पहिले नारे लगाने और गाने की मूक-भाव से आज्ञा दे दी थी।

यह कि उसी समझौते के अनुसार आपके प्रार्थी प्रतिदिन नारे लगाते और गाते रहे हैं और अब भी ऐसा ही करते हैं। उसी के कारण आपके प्रार्थियों को वर्तमान जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट द्वारा २१ नवम्बर को ३ दिन काल-कोठरियों में बन्द करने की सज़ा दी गई है और उसके बाद आज सुबह ४ दिन की और काल-कोठरियों में बन्द करने की सज़ा दी गई है।

यह कि आपके प्रार्थियों पर अदालत के कमरे में निगाह रखने के लिए उनके साथ जेल का एक असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट भेजा जाता है। यह कृत्य केवल अदालत के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है, क्योंकि आपके प्रार्थी अदालत में लाए जाने के लिए पुलिस को सुपुर्द किए जाने के वक़्त से जब तक वे अदालत के हुक्म से जेल-अधिकारियों को न सौंपे जायँ, तब तक वे जेल-हिरासत में नहीं, अदालत की प्रत्यक्ष हिरासत में रहते हैं।

कहीं हिजली-काण्ड न हो जाय

यह कि जेल के अन्दर आपके प्रार्थियों के बैरकों के चारों तरफ़ हथियारबन्द पहरा रक्खा जाता है, जिसके कारण आपके प्रार्थियों को अपनी जानों का ख़तरा रहता है और यह भय लगा रहता है कि इस जेल में भी कहीं हिजली की सी दुर्घटना न हो जाय।

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि इस प्रार्थना-पत्र में वर्णित आपके प्रार्थियों की शिकायतें पूर्ण रूप से दूर की जायँ या यदि अदालत सुविधाएँ देने और शिकायतें दूर करने में असमर्थ है, तो आपके प्रार्थी ज़मानत पर छोड़ दिए जायँ।"

दूसरा प्रार्थना-पत्र

इसके अतिरिक्त एक और प्रार्थना-पत्र अभियुक्त धन्वन्तरि और भागीरथलाल की ओर से पेश किया गया। उसमें यह प्रार्थना की गई थी कि अदालत में क्रान्तिकारी नारे लगाने के लिए अभियुक्तों को सज़ा के तौर पर जो काल-कोठरियों में रक्खा गया है, उसमें रोशनी देने का हुक्म दिया जाय, अभियुक्तों को आपस में परामर्श करने के लिए काफ़ी समय दिया जाय और प्रार्थियों के काग़ज़ात तथा उनकी चीज़ों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए आज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के काग़ज़ात की भी तलाशी

अभियुक्त धन्वन्तरि ने एक अलग प्रार्थना-पत्र में निम्न-लिखित अभियोग और उपस्थित किए :—

"यह कि जब आपके प्रार्थी अदालत में रहते हैं, उनके काग़ज़ात की नक़ल और उनके सफ़ाई के अन्य काग़ज़ात उनकी अन्य चीज़ों के साथ काल-कोठरियों में ही रहते हैं।

यह कि रविवार के दिन जिन बैरकों में आपके प्रार्थी काल-कोठरियों में जाने से पहले रोके गए थे और जहाँ कि अब भी सफ़ाई के काग़ज़ात तथा अन्य चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी आपके प्रार्थियों की अनुपस्थिति में जेल-अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई।

यह कि विद्याभूषण की एक फ़ाइल, जिसमें सफ़ाई के काग़ज़ात तथा जिरह के नोट थे और जो उपर्युक्त बैरक में पड़ी थी; वहाँ नहीं मिल रही है।

यह कि अब काल-कोठरियों में पड़े हुए काग़ज़ातों के खो जाने का भय है, क्योंकि इस बात का ख़तरा है कि जेल-अधिकारी उनमें पड़ी हुई उन चीज़ों में आपके प्रार्थियों की अनुपस्थिति में दख़लन्दाज़ी करेंगे।"

अदालत का फ़ैसला

पहले प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अदालत के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि यह बात अदालत के अधिकारों के बाहर की है; क्योंकि इससे ऑर्डिनेन्स को पास करने के वायसरॉय के अधिकारों पर चैलेञ्ज होता है। डॉ० किचलू ने सफ़ाई की ओर से कहा कि यह वायसरॉय के अधिकारों पर चैलेञ्ज करना नहीं है, बल्कि क़ानून पर चैलेञ्ज है। उन लोगों का ख़्याल है कि क़ानून बनाने की कोई आवश्यकता न थी। उन लोगों की यह इच्छा है कि यह मामला वायसरॉय की जानकारी में लाया जाय, ताकि ऑर्डिनेन्स वापस लिया जा सके।

दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि उसमें के कुछ पैराग्रॉफ़ सन्दिग्ध हैं। इस बात को डॉ० किचलू ने भी स्वीकार किया। अन्त में प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सब प्रार्थना-पत्रों पर २६ नवम्बर को विचार होगा।

वकील की शिकायत

इसके बाद जब डॉ० किचलू से कहा गया कि वे कैलाशपति से जिरह शुरू करें, तो डॉ० किचलू ने बतलाया कि चूँकि उन्हें जेल में अभियुक्तों से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ठीक-ठीक हिदायतें अभियुक्तों से नहीं मिल सकीं। उन्होंने अदालत को यह भी बतलाया कि आज जेल में कुछ कहा-सुनी हो गई थी, क्योंकि अभियुक्तों को गन्दी तौलियाएँ दी गई थीं और हरकेश नामक अभियुक्त ने अदालत में भी आने से इन्कार कर दिया था, किन्तु बड़ी मुश्किलों से वह अदालत में लाया गया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि न्याय के नाम पर वकीलों को अभियुक्तों से परामर्श करने दिया जाय। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और दूसरे दिन अभियुक्तों से मुलाक़ात कराने का प्रबन्ध किया गया।

वात्सायन की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई कि प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने तक के लिए मुक़दमे की कार्यवाही स्थगित रक्खी जाय।

विद्याभूषण की भी यह प्रार्थना नामञ्ज़ूर कर दी गई कि अभियुक्तों को सज़ा से बचने के लिए जजों के सामने क्रान्तिकारी नारे लगाने दिया जाय।

चन्द्रावती के अभियोग

इसके बाद कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। उसने कहा कि—"जेल में मुझसे मुलाक़ात करते वक़्त चन्द्रावती अपने सम्बन्ध में और अपने प्राइवेट मामलों तथा कष्टों के सम्बन्ध में मुझसे बातें किया करती थी। उसने मुझसे कभी किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा सतीत्व भङ्ग करने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। जब वह हिरासत से छूटी, तो उसने मुझसे कहा कि हिरासत में लाला नन्दकिशोर डी० एस० पी० ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और वह इस सम्बन्ध में शिकायत करना चाहती थी। मैंने उसे सलाह दी कि वह इस मामले को मि० पील के सामने उपस्थित करे। मुझे उसकी यह शिकायत सुन कर अधिक कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि यह तो पुलिस-अफ़सरों की आदत ही है। मैं अब भी उससे प्रेम करता हूँ और उसके लिए; यदि आवश्यकता हो, तो त्याग करने को भी तैयार हूँ।"

मुख़बिर कैलाशपति की प्रेम-कहानी

कैलाशपति ने कहा कि—"मैं जब पुलिस की हिरासत में था, उस वक़्त मैंने 'प्रेम के तत्व' पर एक लेख लिखा था, उस लेख की हस्त-लिपियों को कुछ और काग़ज़ात के साथ मैंने उसके पास रखने के लिए भेज दिया था।" इस पर डॉ० किचलू ने उपर्युक्त हस्त-लिपियाँ कैलाशपति को दीं और उन्हें उसने अदालत के सामने पढ़ सुनाया। उसने यह स्वीकार किया कि वह लेख लिखते समय प्रेम के भावों में अवश्य विचरण करता रहा होगा। यह तो प्रेम के सिद्धान्त का साधारण नियम है, और वह चन्द्रावती को लक्ष्य कर नहीं लिखा गया था। डॉ० किचलू ने कैलाशपति से पूछा कि चन्द्रावती के प्रति तुम्हारा प्रेम अज्ञात प्रेम था, अन्धा प्रेम था या बन्दरों का सा प्रेम था (इन तीनों प्रकार के प्रेम की परिभाषा कैलाशपति के लेख में की गई थी)। उसने कहा कि मैंने चन्द्रावती के प्रति अपने प्रेम के सम्बन्ध में इन पहलुओं पर विचार नहीं किया था और यह कि मैं उस प्रेम को पसन्द करता हूँ, जो अनारकली और बादशाह जहाँगीर के बीच में था।

कैलाशपति ने अदालत को बतलाया कि क्रान्तिकारी दल के सङ्गठनकर्ता के लिए भारत का इतिहास जानना आवश्यक है।

पति का दुर्व्यवहार

कैलाशपति ने कहा कि—"चन्द्रावती ने मुझसे कभी अपने पति के दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि उसको अपने बच्चे को पति द्वारा मार खाने से बचाने का प्रयत्न करते हुए कुछ चोट लगी थी और यह झूठ है कि उसने मुझसे यह कहा था कि उसके पति ने उससे यह पूछते हुए कि यह बच्चा उसने किससे और कैसे पाया, मारा था।

"लाहौर में मैं राजबलीप्रसाद के नाम से रहता था। उस वक़्त तक मैं न चन्द्रावती और न राजबलीसिंह को जानता था।"

आगे चल कर उसने कहा कि उसकी पार्टी की केन्द्रस्थ कमिटी के मेम्बरों की संख्या ५ से ७ तक थी।

मैंने कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं बनाई थी। वायसरॉय की गाड़ी पर हमले के पहिले करसिया गार्डेन की मीटिङ्ग में केन्द्रस्थ कमिटी के तीन सदस्य आज़ाद, वीरभद्र तिवारी और स्वयं मैं उपस्थित थे। चूँकि दिल्ली में कोई ज़िला-कमिटी न थी, सब ज़िम्मेदारी प्रान्तीय प्रचारक की हैसियत से मुझ पर थी। मेरा काम हथियार, अस्त्र-शस्त्र के सामान, बम-शेल, बारूद आदि इकट्ठा करना था और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्रस्थ कमिटी के सामने उत्तरदायी था।

पार्टी से विश्वासघात

इसके बाद कैलाशपति ने अपने द्वारा प्रान्तीय प्रचारक की हैसियत से किए जाने वाले कामों की पारिभाषिक बातों पर प्रकाश डाला। उसने कहा कि किसी आदमी को मेम्बर बनाने के पहिले मैं उसे पक्का कर लेता था और उसको वे सारी दिक़्क़तें बतला देता था, जो पार्टी के मेम्बरों के मार्ग में आया करती हैं, साथ ही पुलिस द्वारा कष्ट और प्रलोभन आदि के सम्बन्ध में बतला देता था। उसने कहा कि मैं नए मेम्बरों को आगाह कर देता था कि अगर वे पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो वे मार डाले जायँगे।

उसने कहा—मैं इस बात का अवश्य अनुभव करता हूँ कि जो वादे मैं अपने भर्ती किए हुए लोगों से कराया करता था, मैंने स्वयं उन्हें तोड़े। यह भी कहा जा सकता है कि मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया।

संसार की सभ्यता

आगे चल कर उसने कहा कि—"संसार की सभ्यता में भारत ने संसार को वैदिक सभ्यता भेंट की, जिसका आधार अध्यात्मवाद है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का आधार पार्थिववाद है। उसने कहा कि मेरी पार्टी के सामने उसका स्पष्ट रूप न था और वह वैदिक सभ्यता के विरुद्ध न थी। मेरी पार्टी का शीघ्र ध्येय पार्थिववाद पूँजीपतियों के स्थान पर श्रमजीवियों का संस्थापन था। मैं नहीं कह सकता कि वैदिक सभ्यता ने भारत को क्या लाभ पहुँचाया। मैंने ईसाई सभ्यता का अध्ययन नहीं किया है और न मैंने वैदिक सभ्यता का ही नियमित रूप से अध्ययन किया है।"

इतिहास का ज्ञान

उसने कहा—"मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लेनिन और मार्क्स द्वारा प्रचारित साम्यवाद ही यथार्थ है और वे ही दोनों साम्यवाद के सम्मानित नेता थे। मेरी पार्टी के कार्यक्रम में अध्यात्मवाद के लिए स्थान न था। वैदिक सभ्यता वर्ण-व्यवस्था के आधार पर स्थित है, जिसमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि यह साम्राज्य के लिए भयावह है। मैं जानता हूँ कि महात्मा गाँधी सदृश कॉङ्ग्रेस के बड़े-बड़े नेता वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध हैं, पर मैं यह नहीं कह सकता कि भारत के किसी दल या संस्था ने उस व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न किया हो। मैं जहाँ तक अध्यात्मवाद का सम्बन्ध है, वैदिक सभ्यता में विश्वास करता हूँ।

इस समय रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से पूछा कि क्या आप मुख़बिर के इतिहास के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं? डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न क्रान्तिकारी दल के नियमोपनियम में से उठ खड़ा हुआ है।

बहस समाप्त नहीं हो पाई थी कि अदालत तीसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

गुरुवार २६ नवम्बर, १९२९ को दिल्ली-षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में विशेष अदालत ने अभियुक्तों की ओर से गत २४ नवम्बर को उपस्थित किए गए प्रार्थना-पत्रों का मामला पेश हुआ। अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू ने प्रार्थना-पत्र का समर्थन करते हुए एकज़ेकेटिव अधिकारियों (विशेषतः पुलिस) पर भीषण अभियोग लगाए। उन्होंने कहा कि वायसरॉय का ऑर्डिनेन्स बम की भाँति आ पड़ा और जजों, सफ़ाई के वकीलों तथा मुक़दमा चलाने वालों तक से बिना परामर्श किए वह जारी कर दिया गया।

प्रार्थना-पत्र को पेश करते हुए डॉ० किचलू ने प्रार्थना-पत्र की गम्भीरता का ज़िक्र किया और कहा कि उसमें अभियुक्तों और सफ़ाई के मार्ग की अनेक बाधाओं का वर्णन किया गया है। डॉ० किचलू ने सफ़ाई-पक्ष के विरुद्ध प्रायः लगाए जाने वाले इस अपराध का तीव्र विरोध किया कि सफ़ाई वाले मुक़दमे को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं और अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्तों और सफ़ाई-पक्ष वालों की यह बहुत इच्छा है कि मुक़दमे की कार्यवाही प्रतिदिन हो।

डॉ० किचलू ने न्याय और ईमानदारी के नाम पर अदालत से अपील की कि वह सब प्रकार की बाधाएँ, दिक़्क़तें और तकलीफ़ें अभियुक्तों पर से हटा दें। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों को अभियुक्तों से न मिलने देकर तङ्ग करती है। इसके पहिले अभियुक्तों को बहुत-सी सुविधाएँ थीं और जेल के अन्दर तथा उसके बाहर नारे लगाने और गाना गाने में किसी प्रकार का एतराज़ नहीं किया जाता था।

इसके बाद एक समझौता हुआ और जेल में ये बातें बन्द कर दी गईं। उन्होंने कहा कि विमलप्रसाद के अतिरिक्त—जिसकी शिकायत न्यायोचित थी—किसी भी अभियुक्त के जान-बूझ कर मुक़दमे की कार्यवाही में देर लगाने की एक भी मिसाल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा विमलप्रसाद स्वयं अदालत में आए और उन्होंने भी अपने साथियों द्वारा अदालत को सूचित कर दिया कि उनमें अदालत के प्रति कोई अपमान का भाव नहीं है।

फूलचन्द, जो विमलप्रसाद के रिश्तेदार और सफ़ाई-कमिटी के सदस्य थे, जो बहुधा विमलप्रसाद से मिलने आया करते थे और जिनके विरुद्ध पुलीस वालों तथा जेल-अधिकारियों को कोई शिकायत न थी, एकाएक उनका विमलप्रसाद से मिलना बन्द कर दिया गया।

डॉ० किचलू ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह जानने की परवा न थी कि अभियुक्तों से कौन मुलाक़ात करने आता है। उन्होंने कहा कि यह पुलीस वाले ही थे, जो यह चाहते थे कि फ़लाँ आदमी से मुलाक़ात न कराने दी जाय। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत से यह प्रार्थना की थी कि जल-पान के समय में बातचीत करने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि इसी तरह के अन्य मामलों में ऐसी बातचीत होने दी गई है।

मुलाक़ातों में बाधा

डॉ० किचलू ने कहा कि एकज़ेकेटिव अधिकारी सीधे वायसरॉय के पास पहुँचे और मुझे नहीं मालूम कि अदालत से इस मामले में राय ली गई है। अदालत और फ़रीक़ैन की ओर से यह दरियाफ़्त करना चाहिए था कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स पास करने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि वायसरॉय या किसी भी उच्च अधिकारी के प्रति मुझसे तनिक भी अपमान का भाव नहीं है, किन्तु मुझे उनके कार्यों की आलोचना करने का विधानात्मक अधिकार है।

आगे चल कर डॉ० किचलू ने अदालत को बतलाया कि जेल-नियमों के अनुसार जेल के अधिकारी विचाराधीन क़ैदियों को उनके मित्रों, रिश्तेदारों और सफ़ाई के वकील से बातचीत कराने से इन्कार नहीं कर सकते।

रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि क्या जेल-मैनुअल की दफ़ा २९८ के अनुसार मुलाक़ातें नहीं रोकी जा सकतीं? इसका उत्तर देते हुए डॉ० किचलू ने कहा कि कुछ मामलों में जेल-अधिकारियों को अपने विवेकपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करना होता है।

तदनन्तर डॉ० किचलू ने कहा कि जेल के अधिकारियों को विचाराधीन क़ैदियों के सम्बन्ध में अदालत के हुक्मों पर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहिले मुलाक़ातों पर किसी प्रकार की बाधा न थी। इसके बाद रविवार और बैङ्क की छुट्टी के दिनों उनकी मुलाक़ातें बन्द की गईं और अब उनके वकील भी उनसे किसी वक़्त नहीं मिल सकते।

उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे सप्ताह में किसी भी दिन इस प्रकार कोई रोक लगा सकें।

अधिकारों का प्रश्न

रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि क्या मुलाक़ातें रोक देना अभियुक्तों को एक प्रकार की सज़ा है? डॉ० किचलू ने जवाब दिया कि जेल-मैनुअल में इस तरह की सज़ा का हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बल्कि सफ़ाई के वकीलों को सज़ा देना है। उन्होंने कहा कि जेल-अधिकारियों की ज़िम्मेदारी उस वक़्त समाप्त हो जाती है, जब वे विचाराधीन क़ैदियों को पुलीस के हवाले कर देते हैं और पुलीस वाले अदालत के प्रति ज़िम्मेदार हैं। अदालत की ज़िम्मेदारी कहीं भी समाप्त नहीं होती, जेल के अन्दर भी नहीं होती।

जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दर-अली ख़ाँ सिर्फ़ पिछले कुछ दिनों से अदालत में आ रहे थे, इसलिए यह प्रश्न उठा कि वह क्या जजों की आज्ञा से अदालत में आते हैं या पुलीस की आज्ञा से। उन्होंने कहा कि अभियुक्त अदालत की लिखित आज्ञा से लाए जाते हैं और कुछ कारंवाई मुझे असाधारण मालूम होती है। डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि वह कोई ऐसा तरीक़ा निकाले, जिससे सब बातें ख़ूबसूरती से होती जायँ।

रायबहादुर कँवरसेन—क्या आप मुक़दमे को ख़ूबसूरती के साथ चलाने के लिए नारों का लगाना नहीं रोक सकते?

डॉ० किचलू—हम लोगों ने एक समझौता करा दिया है कि जेल के अन्दर न गाने गाए जायँगे और न नारे लगाए जायँगे।

मि० ह्वाइट—क्या यह न्यायोचित न होगा कि अदालत में भी नारे न लगाए जायँ?

अभियुक्तों पर जेल-अधिकारियों के अधिकार सम्बन्धी बहस के दौरान में रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि जिस वक़्त अभियुक्त एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, उस वक़्त उनके व्यवहारों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? डॉ० किचलू ने कहा कि इसके बारे में कोई नियम नहीं है और इसका निर्णय अभी होना है।

अन्य शिकायतें

डॉ० किचलू ने अन्य शिकायतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आस-पास इतनी ज़्यादा पुलिस रहती है कि उसका गवाहों की विवेक-बुद्धि पर प्रभाव अवश्य पड़ता है।

उन्होंने अदालत को इस बात से भी आगाह किया कि जेल के अन्दर हथियारबन्द फ़ौजियों का रहना जोश पैदा करेगा और बातें क़ाबू से बाहर हो सकती हैं।

डॉ० किचलू की अन्य शिकायतें यह थीं कि सफ़ाई के वकीलों की चिट्ठियाँ रोकी जाती हैं, अभियुक्तों से मुलाक़ात करने वालों के मकानों की तलाशियाँ ली जाती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि क्रान्तिकुमार

नामक एक व्यक्ति, जो लाहौर से आया था और लाहौर-सफ़ाई कमिटी का सदस्य है, पुलीस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यदि एक्ज़ेक्टिव अधिकारी साधारण कार्यवाहियों से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे दूसरा ऑर्डिनेन्स क्यों न जारी करा दें। डॉ० किचलू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सफ़ाई के वकीलों पर हर प्रकार की बाधा डालना वकीलों का और उनके पेशे का अपमान है।

काल-कोठरी की सज़ा

अन्त में डॉ० किचलू ने कहा कि यदि जेल के अधिकारी अदालत की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो अदालत को चाहिए कि वह अभियुक्तों को ज़मानत पर छोड़ दे।

उन्होंने और भी अन्य शिकायतों का ज़िक्र किया और उनकी बहस समाप्त होने पर अदालत दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हो गई।

ख़बर है कि अभियुक्त क्रान्तिकारी नारे लगाने और गाना गाने के कारण काल-कोठरी की सज़ा भुगत रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पहिले उन्हें तीन दिनों की काल-कोठरी की सज़ा दी गई थी, बाद में चार दिनों की फिर दी गई और उसके बाद १० दिनों की कर दी गई।

शुक्रवार, २७ नवम्बर को मुक़द्दमे की कार्यवाही आरम्भ होने पर अभियुक्त वात्सायन ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित किए गए प्रार्थना-पत्र पर बहस की।

उन्होंने तीन बातों पर ज़ोर दिया :—

(१) यह कि जेल में अभियुक्तों की हिरासत पर अदालत का अधिकार है। जेल के अधिकारियों को बिना सज़ा दिए गए क़ैदियों को काल-कोठरी में रखने का कोई अधिकार नहीं है, अभियुक्त बिना अदालत के हुक्म के जेल-अधिकारियों द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते।

(२) यह कि अदालत जाते समय अभियुक्त जेल-अधिकारियों के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि वे पुलिस के अधिकार में रहते हैं। उन्होंने लाहौर-केस का उदाहरण दिया, जहाँ कि यद्यपि मुक़द्दमा जेल के अन्दर ही होता है, किन्तु नारे लगाए जाते हैं और कोई भी जेल-अधिकारी अदालत के अन्दर नहीं आने पाता।

(३) यह कि जेल के अधिकारियों की यह मन्शा है कि अभियुक्त इस बात के लिए बाध्य हों कि वे अदालत में उपस्थित न हों।

वात्सायन ने कहा कि जेल-मैनुअल में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह विचाराधीन क़ैदियों को काल-कोठरी की सज़ा दें और न यही अधिकार है कि वह अभियुक्तों को अलग काल-कोठरी की सज़ा बराबर बढ़ाते जायँ। तीन दिनों की अलग काल-कोठरी की सज़ा के बाद जेल-मैनुअल के अनुसार अभियुक्तों को तीन दिन एक साथ रखने के बाद तब दुबारा सज़ा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि क़ानून यह है कि विचाराधीन क़ैदी जेल-अधिकारियों की निगाह के सामने मुलाक़ात करें, किन्तु वे इतनी दूर पर रहें कि जेल-अधिकारी उनकी बातें सुन न सकें। उन्होंने कहा कि अभी तक अभियुक्तों को कोई ऐसी मुलाक़ात नहीं करने दी गई, जो जेल-अधिकारियों के सुनने से परे रही हो।

पत्र-व्यवहार पर सेन्सर

इसके बाद वात्सायन ने यह शिकायत की कि अभियुक्तों को टिकट, पोस्टकार्ड और लिफ़ाफ़े बहुत कम संख्या में दिए गए हैं और उन पर भी जेल की मुहर लगी रहती है। उन्होंने कहा कि यह इस अभिप्राय से किया गया कि उनके पत्र आसानी से सेन्सर किए जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पत्र जेल-अधिकारियों द्वारा सी० आई० डी० के दफ़्तर में भेजे गए और वे डिस्पैच रजिस्टर में तथा चपरासी की किताब में चढ़ाए गए और उनके प्राप्त होने का हस्ताक्षर भी मँगाया गया। यह पूछने पर कि ये बातें मालूम कैसे हुईं, वात्सायन ने कहा कि मैं यह भेद नहीं खोल सकता। मगर जज लोग इस मामले में स्वयं अपना इतमीनान कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट कोई भी मुलाक़ात नहीं रोक सकते और अगर वह ऐसा करते हैं, तो उनको ऐसा करने का कारण जेल-जर्नल में लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने मुलाक़ात करने वालों की तलाशियों पर एतराज़ नहीं किया, किन्तु साथ ही सभी सलाहकारों और रिश्तेदारों को बिना किसी प्रकार की रोक के मिलने देना चाहिए, रोक केवल समय और जगह की लगाई जा सकती है।

उन्होंने प्रश्न किया कि जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली ख़ाँ क्यों प्रतिदिन अदालत में आते हैं?

वात्सायन का दूसरा आरोप यह था कि यह बात घोषित कर दी गई है कि अभियुक्तों के साथ बी-क्लास के क़ैदियों का व्यवहार हो रहा है, किन्तु जो खाना उनको दिया जाता है, वह उसके आधे के समान भी नहीं होता, जैसा क़ायदे के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में नींबू आदि चीज़ें दी जाने की आज्ञा जेल-मैनुअल में है, किन्तु नए प्रबन्ध के अनुसार वे भी रोक दी गई हैं।

जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल ने यह सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्तों को ठीक-ठीक कपड़े दिए जायँ, पर उस सम्बन्ध में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वात्सायन ने अपनी बहस के अन्त में इस बात की चुनौती दी कि अभियुक्तों के साथ न्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेल और एक्ज़ेक्टिव अधिकारियों के बीच चलने वाले पत्र-व्यवहार से स्पष्ट मालूम होता है कि जेल-अधिकारी चाहते हैं कि अभियुक्तों के लिए बातें असम्भव हो जायँ।

दूसरा प्रार्थना-पत्र

सफ़ाई के जूनियर वकील सरदार रघुवीरसिंह ने दूसरा प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया और कहा कि काल-कोठरियों में रखना, अभियुक्तों को मिलने वाली रोशनी का नाकाफ़ी होना और अभियुक्तों की चीज़ों का सुरक्षित रूप से न रहना, सब ग़ैर-क़ानूनी हैं।

उन्होंने कहा कि मालूम होता है कि जेल-अधिकारी संसार के इस सत्य की भी अवहेलना करते हैं कि आदमी एक सामाजिक जीव है और उन लोगों ने अभियुक्तों को काल-कोठरियों में रक्खा। उन्होंने कहा कि अभियुक्त विद्याभूषण की कोठरी की तलाशी के कारण उनके काग़ज़ात की एक महत्वपूर्ण फ़ाइल खो गई।

सरकारी वकील की बहस

सफ़ाई के वकील और अभियुक्तों द्वारा कही गई बातों का खण्डन करते हुए सरकारी वकील चौधरी अमीनउद्दीन ने दूसरे पक्षवालों द्वारा समस्त एक्ज़ेक्टिव की निन्दा करने के अनौचित्य का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ख़ास मिसालें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि सफ़ाई, अदालत और जेल में क्या समझौता हुआ था, किन्तु अब अभियुक्तों और सफ़ाई-पक्ष पर निर्भर है कि वे अपने समझौतों को त्याग दें और क़ानून के अनुसार कार्य करें।

उन्होंने कहा कि विमलप्रसाद जैन के मामले को बहुत महत्व दिया गया है, किन्तु अदालत को मैं स्मरण दिलाता हूँ कि अभियुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे अदालत या जेल के अधिकारियों में कोई विश्वास नहीं है। अगर उसने अपनी तकलीफ़ें बतलाई होतीं, तो उसकी शिकायतें दूर कर दी जातीं। वह जेल में चुपचाप और बिना किसी वकील के बैठा था और अदालत में लगाए गए आरोप किम्वदन्ती हैं।

सरकारी वकील ने कहा कि अदालत का अभियुक्तों पर पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा आशय अदालत का किसी प्रकार का अपमान नहीं है, किन्तु अदालत के अधिकार और नियन्त्रण की कुछ क़ानूनों में व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को अदालत भेजने के वक़्त अभियुक्त अदालत के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि जेल-अधिकारियों के अधिकार में रहते हैं और उस बीच में वे वैसे ही समझे जायँगे, जैसे जेलख़ाने में समझे जाते हैं। पुलिस या कोई भी दूसरी हिरासत केवल जेल-अधिकारियों को सहायता देती है। अब तक कोई जेल का अधिकारी अदालत क्यों नहीं आता था, इसका कारण यह है कि अब तक इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा था।

सरकारी वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जेल का अफ़सर अदालत में मौजूद रहे, तो उसका पूरा नियन्त्रण रहता है। जेल-अफ़सर की उपस्थिति में अगर जज लोग मौजूद भी हों, तो अभियुक्त जेल के ही नियम के अन्दर रहते हैं। अदालत का भी उन पर अधिकार है और उसे यह भी अधिकार है कि वह देखे कि जेल का अफ़सर क़ानून के अनुकूल आचरण करता है। जेल का अफ़सर जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल की मातहत में रहता है और अदालत उसे किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकती। अदालत जो कुछ कर सकती है, वह यही है कि वह अभियुक्तों को जेल की हिरासत से निकाल ले और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दे।

उन्होंने कहा कि दरख़्वास्त बहुत सन्दिग्ध है और उसमें कोई विशेष घटना का उदाहरण नहीं है। इस वक़्त प्रधान जज ने सरकारी वकील से कहा कि उन लोगों ने उन्हें हिदायत दी थी कि ऐसे उदाहरण ढूँढ़ निकालें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास कोई साधन नहीं है और न उन्हें इसका अधिकार ही है कि वह वाक़यात को ढूँढ़ निकालें। प्रधान जज ने यह स्वीकार किया कि कुछ बातें सन्दिग्ध हैं, किन्तु उनमें से बहुत सी बिल्कुल स्पष्ट हैं और यह कि वह स्वयं नहीं कह सकते कि उन बातों को वह कैसे जानें।

वकील ने यह बात फिर दुहराई कि मेरा जेल पर कोई अधिकार नहीं है और मेरे लिए केवल यही मार्ग है कि प्रान्तीय सरकार से अनुरोध किया जाय, और जिसमें समय लगेगा।

इस पर प्रधान जज ने अदालत को वकील को आवश्यक बातें जानने का समय देने के अभिप्राय से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि अभियुक्तों को मिलने वाली सज़ा रोक दी जाय, किन्तु अदालत ने उस सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं दी।

इसके बाद मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी ने अदालत से कहा कि जैसा लाहौर-केस में हुआ है, एक वकील को हज़ारीलाल से बातें करने के लिए पटना जाने का ख़र्च दिया जाय।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

भला, यह जान कर किसे प्रसन्नता न होगी कि श्रीमती सरकार ने बङ्गाल से विद्रोह का बाल-बाल उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी मज़बूती से कमर कस लिया है और लक्षणों से प्रतीत होता है कि वहाँ का सारा झाड़-झङ्खाड़ साफ़ करके उसे क़यामत तक थिरकने के उपयुक्त समतल बना कर ही वे दम लेंगी।

❀

माशा अल्लाह, अभी से चहल-पहल आरम्भ हो गई है। दल के दल आशिक़ेज़ार दामे उल्फ़त के शिकार हो रहे हैं। मानो दौलते हुस्न का दरवाज़ा खुल गया है—जवान, बूढ़े, बाल और वनिता, सब पर समान भावेन कृपा-वारि की वर्षा हो रही है! अमाँ, इस समय 'जौ' और 'घुन' की विवेचना करने की फ़ुर्सत किसे है? अभी तो सब धानों का भाव बाईस पसेरी है।

❀

ऑर्डिनेन्स-शक्ति-सम्पन्ना आयुष्मती पुलिस अपने चिरभ्यस्त अन्दाज़े-माशूक़ाना के साथ कभी किसी व्यायाम-समिति पर चढ़ाई कर देती हैं तो कभी किसी 'स्पोर्टिङ्ग' क्लब पर टूट पड़ती हैं। आयुष्मती का नाज़ो-अन्दाज़ देख कर रूस की स्वर्गवासिनी ज़ारशाही भी निहाल हो रही है। मालूम होता है, आयुष्मती बङ्गाल के सारे नवयुवकों को एक साथ ही निहाल करके छोड़ेंगी।

❀

कॉङ्ग्रेस वालों से तो आयुष्मती की पुरानी यारी ही ठहरी। फलतः इस शुभ अवसर भला उन्हें कैसे भूल सकती थीं? इसलिए गाहे-बगाहे उन्हें भी अपने आलिङ्गन-पाश में आबद्ध करके 'नेह को नातो' निभाए जा रही हैं।

❀

एक बार हिन्दुओं के देवताओं ने अपना तिल-तिल भर सौन्दर्य देकर 'तिलोत्तमा' नाम की एक अपूर्व रूपवती अप्सरा की सृष्टि की थी और माशा अल्लाह, बी॰ तिलोत्तमा के हुस्न का जादू भी ख़ूब चलता था। वही हाल इस समय बङ्गाल की पुलिस का है। मेसर्स विलिंग्डन मूर एण्ड कम्पनी से लेकर विलायत के राजर्षि मण्डल अर्थात् लॉर्ड-सभा का आशीर्वाद प्राप्त करके आयुष्मती जी इस समय सर्वेसर्वा हो रही हैं। बङ्गाल की ख़ुदाई इस समय उन्हीं के हाथों में है। "वह चाहें सुमेरु को छार करैं, अरु छार को चाहें सुमेरु बनावैं!"

❀

लाट तो इस देश में एक से एक बढ़ कर तिरछे-बाँके आए, मगर मालूम होता है, जितनी सुख्याति और सुयश श्रीमान लॉर्ड वेलिङ्गडन महोदय बटोर ले जायँगे, उतनी शायद ही किसी भागवान के बाँटे पड़ी हो। अभी आपका पहला ही साल है। पाँच वर्ष के बाद जब आप इङ्गलैण्ड की ओर चलेंगे तो कबीर बाबा की यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो जाएगी:—

चिउँटी चली नैहर को नौ मन सिन्दूर लगाइ,
हाथी मार बगल तर रख लीं ऊँट लिहलीं लटकाई।

❀

कारण यह है कि ऑर्डिनेन्स जारी करने में आपने मासिक अण्डे देने वाली मियाँ मदारबख़्श की मुर्गियों को भी मात कर दिया है। ग्यारहवें महीने का ग्यारहवाँ ऑर्डिनेन्स अभी गत ३० नवम्बर को निकला है और माशा अल्लाह, निकलते ही चटगाँव में वह चौगान आरम्भ कर दिया है, कि ख़ुदा की पनाह!

❀

इस ऑर्डिनेन्स में त्याग, वैराग्य और मुक्ति सब कुछ है। इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार श्री॰ जगद्गुरु के सोंटे पर भी सख़्त का वपौती अधिकार है। पुलिस और पल्टन चाहे जिससे जो काम करा सकती है और एक-दो अपराध के लिए महल्ले और गाँव भर को दण्ड दिया जा सकता है। फाँसी, जेल, जुर्माना आदि किसी बात की कमी नहीं। बस, एक वाक्य में समझ लीजिए एक यह ऑर्डिनेन्स 'मार शियाल' (Martial Law) का भी बाबा है।

❀

फलतः चटगाँव वालों को अब वैतरणी पार की ज़रा भी चिन्ता न रहेगी। दो-चार पुण्यात्माओं का पुण्य-बल ही सारे ज़िले के अधिवासियों को स्वर्गधाम पहुँचा देने के लिए काफ़ी होगा। न गोदान की आवश्यकता होगी, न तुलादान की। महाराज यमराज को भी अपने स्वर्ग-साम्राज्य की आबादी के लिए महामारी और प्लेग भेजने की आवश्यकता नहीं।

❀

चटगाँव में पूरी 'प्रेक्टिस' कर लेने के बाद इस ऑर्डिनेन्स की दुन्दुभी सारे बङ्गाल में बजेगी, श्रीमती नौकरशाही का राज्य हिमालय की तरह अटल-अचल हो जायगा और विलियर्स तथा मूर की सन्तान अनन्त काल तक भारत के विशाल वक्षस्थल पर 'क्रिकेट और फ़ुटबॉल' खेलती रहेगी।

❀

इसके बाद बारहवें 'कुमार' की बारी है और दिल्ली की धात्रियों के मतानुसार ये भी गर्भ में आ गए हैं। इनका शुभ नाम शायद 'किसान-नाथ' होगा। क्योंकि इनकी उत्पत्ति मुख्यतः संयुक्त प्रान्त के किसानों को ही भव-बन्धन से विमुक्त करने के लिए होगी। इसलिए ये शायद जन्मते ही किसान-मेध आरम्भ करेंगे।

❀

इस मुख्य काम के अलावा इनके ज़िम्मे कुछ गौण कार्य भी होंगे। जैसे, लालकुर्ती आन्दोलन का दमन, विदेशी वस्त्र पर से पिकेटिङ्ग निवारण और अपने देश-वासियों को ब्रिटिश राज्य की सुधा (शराब) से वञ्चित करने वालों की ख़बर लेना। बस, इनके जन्मते ही भारत-वासी ऐसे पुलकित हो जाएँगे, कि विलायती वस्त्र की गाँठ देखते ही मधुमक्खी की तरह उस पर टूट पड़ेंगे।

❀

अब वैष्णवों को चाहिए कि कण्ठी-माला खूँटी पर टाँग कर भगवती बोतल-वासिनी की आराधना आरम्भ कर दें और चेलों को भी हिदायत कर दें कि बाबा, यह ऑर्डिनेन्स युग है, इस युग में शराब न पीना, विलायती वस्त्र न पहनना या इन दोनों के व्यवहार के लिए किसी को मना करना अपराध—दण्डनीय अपराध है!

❀

महिष खाइ करि मदिरा पाना।
गरजा कुम्भकरन बलवाना॥

बाद मुद्दत के, उस दिन कलकत्ते के 'ग्राण्ड होटल' में तुलसी बाबा की इस उक्ति की पुनरावृत्ति सुन कर अपने राम का कर्ण-कुहर सार्थक हो गया। वास्तव में जब 'खान' के साथ 'पान' का संयोग हो जाता है तो 'दून' के बजाय 'चौगुन' की सूझ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

❀

क़िस्सा यह है, कि उस दिन उपर्युक्त ग्राण्ड होटल के भैरवी चक्र में कैलिडोनिया के विख्यात साधु पुरुष सेण्ट ऐण्ड्रयूज़ का सांवात्सारिक श्राद्ध था। श्वेत और रतनारे महापात्रों की महामण्डली जुटी हुई थी। स्वयं बङ्गेश्वर बहादुर चक्राधीश के आसन पर सुशोभित थे। ह्विस्की-सिञ्चित-जिह्वा द्वारा उच्चरित 'विप्लवी-कुल उत्सोदय, उत्सोदय स्वाहा' ध्वनि से गगन-मण्डल गूँज उठा था।

❀

ह्विस्कीपूर्ण चषक (प्याला) द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करके चक्रेश्वर जी बोले—साधक वृन्द, तुम्हारी साधना सफल हो गई। महामहिम आलमाइटी—सर्व शक्तिमान् गवर्नर जनरल देव की अनुकम्पा से एकादशी-ऑर्डिनेन्स-कृत्या* का आविर्भाव हो चुका है। बस, आप लोग अनन्त काल तक चैन की वंसी बजाते रहिए।

❀

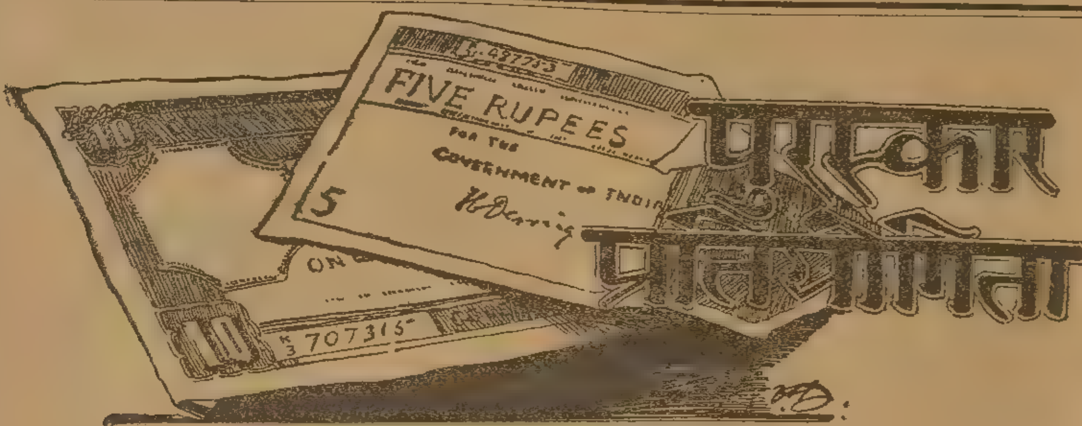
यह भीमा-भयङ्करी कृत्या विप्लववाद के साथ ही साथ देश-प्रेम का ठूँठ जड़ तक चाट जायगी। महा-प्रभु ऑर्डिनेन्साचार्य ने इसे अमोघ और अप्रतिम शक्ति प्रदान की है। इसकी आँखें अप्रतिहत शक्ति रूपी आसव से लाल हैं। इसके एक हाथ में सिविल और दूसरे में मिलिटरी शक्ति मौजूद है। इसके मस्तक पर स्पेशल ट्रिब्यूनल का वरद पाणि रहेगा, इसके श्रवण युगल गुप्तचर-विभाग और इसके पादद्वय पेषण-यन्त्र-स्वरूप होंगे। तुम लोग इस देवी की वन्दना करो!!

❀

समस्वर से ध्वनि उठी—'हिप-हिप हुर्रे!' जय ऑर्डिनेन्स-कृत्या की जय। आलमाइटी गवर्नर की जय! जय विलियर्स-मूर गोष्ठी की! इस ऑर्डिनेन्स कृत्या की कृपा से बङ्गाल में शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित होगी। बङ्गालियों के दिलों में ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रेम का तूफ़ान उठेगा और घर घर में गौराङ्ग महाप्रभु के सबूट चरणों की आराधना आरम्भ होगी। फलतः श्रीजगद्गुरु की ओर से भी—'हिप-हिप हुर्रे!'

*तान्त्रिकों की शत्रु-विनाशिनी देवी या राक्षसी।

❀ ❀ ❀



हमारी नई पहेली
फिर २५) का नक़द पुरस्कार

कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए।

(अ) उत्तर 'भविष्य' में छपे हुए ख़ानों में ही भरना चाहिए। सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जायँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जायगा।

(आ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। काग़ज़ पर हाथ से लिखा हुआ कूपन काम न देगा।

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं।

(ई) 'भविष्य' के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और किसी काग़ज़ पर न लिखा हो। न कोई पत्र ही उसके भीतर रक्खा हो। कुछ पाठक लम्बे-लम्बे पत्र साथ में रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ रँग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि की सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर-दाताओं से स्वयम् ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम पूछ लेंगे।

(उ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ। यदि रक्खे भी जायँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा हो।

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर व्यवस्थापक, मैनेजर या किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो।

(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर के साथ उसे मिला सकें। 'भविष्य' की पिछली पहेली के सम्बन्ध में एक महाशय का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका उत्तर अच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी नगर नहीं है, अतः पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं। सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता है। उसी उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा की जाती है। यदि पाठक चाहें तो वे एक से अधिक कूपन भेज सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को हम कई बार सावधानी से देखते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक हमसे किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगल जी के नाम कोई पत्र लिखें। यदि किन्हीं को अपना उत्तर फिर दिखाना हो तो उसके लिए १) फ़ीस साथ आनी चाहिए।

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायँ तो उनमें फिर कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए।

(ऐ) 'भविष्य' में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम तारीख़ छपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा।

नई पहेली

सूचना

यही पहेली ता० १४ और ता० २१ दिसम्बर के अङ्कों में भी प्रकाशित होगी। विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे। कूपन सँभाल कर रख लीजिए और ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए। इससे पहले आए हुए पत्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा।

— यहाँ से फाड़िए —

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		ना		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० २

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं) ————
नाम ————
पता ————

— यहाँ से फाड़िए —

बातचीत

एजेण्टों से—

हमें २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया मिला है। नवम्बर मास समाप्त हो चुका है, अतएव एजेण्टों से निवेदन है कि अपनी बिक्री का रुपया शीघ्र ही १५ तारीख़ तक हिसाब के साथ ...अन्यथा रुपया न मिलने पर कॉपी भेजना बन्द कर दिया जाएगा :—

१ मेसर्स भा० कं०, मथुरा (चेक से)	...	४०॥~)
२ मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद	...	१०)
३ मेसर्स आ० न्यू० ए०, बुलन्दशहर	...	१०)
४ श्री० ड० ना०, बरेली	...	१०)
५ मेसर्स ल० बुक-डिपो, कलकत्ता	...	२७॥=)
६ श्री० पु० दा० शुक्ला, रङ्गून	...	१०
७ श्री० च० भा०, आगरा	...	११॥~)
८ श्री० ही० ला०, खण्डवा	...	१०)
९ श्री० ता० च० छिन्दवाड़ा	...	२५)
१० श्री० म० ला० जी, फ़तेहपुर	...	१०)
११ श्री० लक्ष्मणलाल जी, झरिया	...	५॥)
१२ श्री० ना० शा० दास जी, रायपुर	...	३)
१३ श्री० एम० टी० डु०, मुँगेर	...	६)
१४ मेसर्स ल० बु० डि०, कलकत्ता	...	४६)
१५ श्री० र० न०, उन्नाव	...	१४~)
१६ श्री० मं० राम० भर्ति, देहरादून	...	१०)
१७ श्री० बि० प्र०, आज़मगढ़	...	५)
१८ मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद	...	१०)

ग्राहकों से—

निम्नाङ्कित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं :—

३०११ १८६५ २१२६ २६२३

निम्न-लिखित ग्राहकों को निम्नाङ्कित अङ्क दुबारा भेजे गए हैं :—

५२ वाँ १८८५
५३ वाँ १८८५, १९९२
५४ वाँ १८८५
५५ वाँ १८८५, १९९२
५६ वाँ ३२६५, २४८७, २५२०, २५५३, १८८५
५७ वाँ २९९१, ३२६५, ३०२१, २६५०, १८८५
५८ वाँ ५६७, २४८७, २५७५, ३०१५, २६४०, २०५७, २५५३।

गत २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नम्बर के नीचे लिखे जाते हैं। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर सदा के लिए स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना कदापि न भूला करें। ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो :—

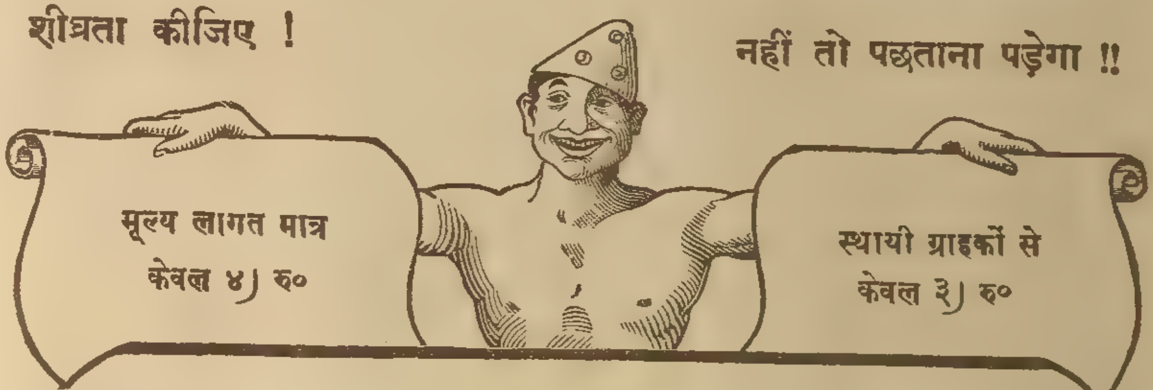
ग्राहक-नम्बर	नाम ग्राहक	रक़म
३२९६	श्री० ऑनरेरी सेक्रेटरी, पब्लिक लाइब्रेरी, पालवाल (गुरगाँव) ...	१०)
३२९७	श्री० देवीप्रसाद केडिया, फ़तेहपुर जयपुर स्टेट)	३॥)
३२९८	डॉ० गिरीशदेव वर्मा, नानपारा (बहराइच)	३॥)
३२९९	मेसर्स कनीराम चुन्नीलाल, अमरावती	६॥)
३३००	श्री० भूमे मुकुटसिंह मेवास, मरुद्पूरा, सी० आई० ...	१२)
३३०२	मेसर्स मतराम महाबीर, पटनागढ़, सम्भलपुर	३॥)
३३०४	श्री० छेदूलाल ज़रगर, लहरपुर (सीतापुर)	१)
३३०५	श्री० रामकिशोर जी, रायबरेली ...	३॥)
३३०६	मेसर्स ठण्ढीराम रामचन्द्र अग्रवाल, जयापुर, (बोगरा)	६॥)
३३०७	श्री० मैनेजर महोदय, कुबजा कृष्ण कार्यालय, अन्तापाड़ा, मथुरा ...	११)
३३०८	श्री० विद्यानाथ रैगमी, उत्तर काशी, तेहरी स्टेट	२॥)
३३०९	श्री० रुद्रपालसिंह रईस, छितपालगढ़, इलाहाबाद	१२)
३३१०	श्री० सेक्रेटरी महोदय श्रीमहाराज-कुमार लाइब्रेरी अम्झर,(बरवानी स्टेट)	१२)
३३११	श्री० लक्ष्मीचन्द कन्ट्राक्टर, निज़ामाबाद, (हैदराबाद स्टेट) ...	६॥)

गत २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म निम्न-प्रकार है :—

ग्राहक-नम्बर			प्राप्त रक़म
२७४७	...	...	६॥)
२७२९	...	...	६)
८९५	...	...	१२)
३०१६	...	...	३॥)
३०५०	...	...	३॥)
३००२	...	...	३॥)
३०९०	...	...	३॥)
२०३९	...	...	६॥)
१५३१	...	...	१२)

* * *

शीघ्रता कीजिए ! नहीं तो पछताना पड़ेगा !!



व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

स्मृति-कुञ्ज

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मूर्खराज

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झंझटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोर्स्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २।।), स्थायी ग्राहकों से १।।।=)

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Price As. 4 only. Regd. No. A—2085

बालक-बालिकाओं के लिए उच्च-कोटि का साहित्य

मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ

१०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्षाप्रद बालोपयोगी कहानियों का अपूर्व संग्रह। पृष्ठ-संख्या २८४; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) रु० मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

मनोरञ्जक कहानियाँ

१७ बालोपयोगी सुन्दर हवाई कहानियों का सङ्कलन। पृष्ठ-संख्या २२४; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी ग्राहकों से १=) मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The Leader:

This is a collection of 107 biographical ries meant for the use of children, ;h a foreward by Mrs. Vidywati Saigal. e subtle influence that stories and ecdotes related in the nursery work on e child-mind bears fruit when the child ows up to be a man or a woman. We ave innumerable instances of tender-aged children turned into cowards and easily scared creatures, the cause of whose weakness could easily be traced ack to ghost stories and blood-freeting anecdotes of witch-craft heard in the nurseries. Munshi Zahur Bakhsh and his publishers appear to be alive to this eadening influence and their efforts in bringing out this volume of short sketches of brave men and women, rulers and patriots, portraying the fine traits of their character, are indeed commendable. *Here is a book one can safely place in the hands of the young and confidently watch for results.*

❀

Manohar Itihasik Kahaniyan is another book of about 250 pages by the same author consisting of 107 small traditional stories and can be had at Rs. 2, a copy from the publishers. The stories can be easily understood by children and are useful to teach them to emulate the ideal qualities, such as humaneness, compassion, liberal-mindedness, philanthrophy, power of endurance in adverse times etc., as embodied in the characters of great men and women who figured in history. There is nothing to be desired in get-up and style and the book is bound in an attractive form.

The People:

Srijut Zahur Bakhsh is a well-known Hindi writer and has acquired great renown for his Hindi learning. The books under review are two beautiful collections of stories for children. In these he has collected many historical and several other interesting stories. The collection of stories is excellent in both the work. There is no taint of any communal or racial outlook. The outlook is strictly national. The language is simple and beautiful. We recommend these books for the primary Hindi Schools.

❀

The Indian Daily Telegraph:

Manoranjak Itihasik Kahaniyan—published at CHAND Karyalaya, Allahabad is a collection of short stories from ancient history, written in plain and homely Hindi with interesting and instructive plot; they will help much in the formation of character of young children. It will also be found useful for the teaching of primary Hindi.

Manoranjak Kahaniyan is the name of one of the series of impending publications intended by the writer for impressing on the receptive minds of children who are naturally fond of hearing stories, the various deeds and problems of the adventurous lives of heroic personalities in a novel manner. It contains 17 narratives extending to about 200 pages written in chaste simple style to suit the tastes of boys and girls in their rudimentary educational stages and to help them in their studies. It will be found useful to beguile the idle hours of relaxation and at the same time promote knowledge.

The Nation:

These short historical stories (to be precise anecdotes) for boys are undoubtedly fascinating. The book is well bound and the get-up is attractive. It opens with the very popular story of Pandit Bopdeo who climbed to the summit of cultural glory from the mire of iiliteracy in which the pig-headed truant wallowed. He had despaired of his brains, but a significant incident by a well-side fired him with new hope. Later *Bopdeo* became a house-hold word for his unsurpassed erudition. The book is jammed with such 107 interesting and didactic stories. Persons of all clime and countries have been requisitioned to set an ideal for the boys. Alexander, Omar, Harun Rashid, Edward, Zebbunisa, Ram Singh, Vidya Sagar, Ranade, Shahjahan, Shivaji, Washington, Dayanand and Mahatmaji make an admirable galaxy. Mr. Zahur Bakhsh has established for himself a sound reputation in Hindi literature as a writer of books for boys. His crisp and simple and unpretentious style is suited to the peculiar task he has undertaken.

❀

प्रभात :—

पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सहगल सञ्चालिका 'चाँद' की छोटी सी डेढ़ पृष्ठ की भूमिका है। छपाई और जिल्द प्रशंसनीय है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। इसमें सभी जातियाँ, ग़रीब, अमीर, राव, रङ्क की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। मूल्य भी बहुत ही कम रक्खा गया है। ऐसी पुस्तकें भाषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दयानन्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अङ्कित की गई हैं।

(इस प्रकार की सैकड़ों सम्मतियाँ हमारे पास मौजूद हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है)

☞ चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandrlok—Allahabad.

इलाहाबाद—सोमवार; १४ दिसम्बर, १९३१

वर्ष २
खण्ड १

संख्या ११
पूर्ण संख्या ६१

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक



पनघट की ओर



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १४ दिसम्बर, १६३१ | संख्या ११, पूर्ण संख्या ६१

सरकार ने पुलिस के लिए २० हज़ार लाठियाँ ख़रीदीं

लगानबन्दी के विरुद्ध सरकार की तैयारी

रायबरेली में कॉङ्ग्रेसमैनों पर नोटिस :: कानपुर में गिरफ़्तारी और तलाशी

११ दिसम्बर की शाम को स्वराज्य-भवन, इलाहाबाद में कॉङ्ग्रेस की किसान-सब-कमिटी की एक गुप्त मीटिङ्ग हुई, जिसमें उन कॉङ्ग्रेस कमिटियों की अर्ज़ियों पर विचार किया गया, जिन्होंने कमिटी की लखनऊ की बैठक के बाद अपने ज़िलों में लगानबन्दी की आज्ञा माँगी है। साथ ही जिन कमिटियों को आज्ञा दी जा चुकी है, उनमें से कुछ को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया।

रायबरेली की दशा

रायबरेली कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री० शीतलासहाय तथा अन्य व्यक्तियों को डिप्टी कमिश्नर मि० डोनल्डसन की तरफ़ से नोटिस दिया गया है कि वे किसानों को लगान रोकने के लिए न तो किसी तरह के व्याख्यान दें, न पर्चे निकालें। यह आज्ञा दो महीने के लिए दी गई है।

ख़बर है कि कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन नोटिसों को पाने के बाद भी अपना काम जारी रखने का निश्चय किया है और वे प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की अनुमति के अनुसार लगानबन्दी के आन्दोलन को बराबर जारी रक्खेंगे। रायबरेली की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी का दृढ़ विचार है कि चाहे कैसी भी बाधाएँ डाली जायँ, उसका कार्य बन्द नहीं हो सकता।

कानपुर

कानपुर का ११ ता० का समाचार है कि दिन भर कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाँवों और शहर में लगानबन्दी के पर्चे बाँटे। उनमें १२ ता० को गाँवों में जलूस निकालने और सभाएँ करने को कहा गया था, जिनमें लगानबन्दी की प्रतिज्ञा ली जाने वाली थी। ख़बर है कि देरापुर की तहसील और अकबरपुर के एक गाँव में दफ़ा १४४ लगा दी गई है। देरापुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट मि० शिवपाण्डेय, जोकि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के भी सदस्य हैं, दफ़ा १८८ में पकड़ लिए गए। कितने ही गाँवों में बाँटे जाने वाले पर्चों को पुलिस ने छीन लिया। यह भी अफ़वाह है कि दूसरे गाँवों में भी दफ़ा १४४ लगाई जाने वाली है।

११ ता० का समाचार है कि कानपुर में कोतवाली के इन्चार्ज श्री० मानसिंह ने २५ कॉन्स्टेबिलों को लेकर कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी ली। यह तलाशी ज़ब्त पर्चे के सम्बन्ध में हुई थी।

लखनऊ ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी की मीटिङ्ग में, जो १० ता० को हुई थी, एक प्रस्ताव पास किया गया है कि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने इस सूबे के किसानों के लगान को कम कराने की जो चेष्टा की थी वह स्थानीय और प्रान्तीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण असफल हुई है, इसलिए कमिटी की सम्मति में किसानों के पास अपने कष्टों को दूर कराने का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि वे लगान देना बन्द कर दें।

कमिटी ने श्री० मोहनलाल सक्सेना, श्री० हरप्रसाद सक्सेना, और बाबू गोपीनाथ श्रीवास्तव की एक कमिटी बना कर उसे किसानों की सलाह से ऐसे उपाय करने का पूरा अधिकार दे दिया है, जिससे उनके कष्ट दूर किए जा सकें।

एक नया बिल

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने प्रान्तीय व्यवस्थापक कौन्सिल के विचारार्थ एक बिल पेश करने का निश्चय किया है, जिसका आशय यह है कि अगर किसान लोग सामूहिक रूप से लगान देने से इन्कार करें, तो ज़मींदारों को उन पर दावा करने की ज़रूरत नहीं है। वरन् वे इसकी सूचना अपने यहाँ के कलक्टर को दे दें और वह उसे बक़ाया लगान की भाँति उनसे वसूल करने की चेष्टा करेगा।

❀ ❀ ❀

—कलकत्ते में ११ ता० को सुबह पुलिस ने क़रीब २० घरों पर धावा किया और छै बङ्गाली नवयुवकों को, जो प्रायः कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार किया। ये लोग बङ्गाल एमेण्डमेण्ट के अनुसार पकड़े गए हैं। इसी दिन और भी २० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, जिनमें से कुछ पर सम्भवतः हथियारों के सम्बन्ध में मुक़दमा चलेगा।

—मानभूमि (बिहार) का समाचार है कि डिप्टी-कमिश्नर के अर्दली को, जब कि वह अपने मालिक का १२०० रु० बैङ्क में जमा कराने जा रहा था। किसी ने छुरे से मारा। मारने वाला पकड़ लिया गया। अर्दली चिन्ताजनक अवस्था में अस्पताल में पड़ा है।

—ढाका की पुलिस ने ६ दिसम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डुर्नो पर गोली चलाने के अभियोग में श्री० माखनलाल राय और श्री० खगेन्द्र मल्लिक नामक दो युवकों को गिरफ़्तार किया है।

—ढाका का ८ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ दिन हुए नारायणगञ्ज सब-डिवीज़न के एक गाँव में तारकचन्द्र दे नामक व्यक्ति के घर में डाका पड़ा था। रात के ८ बजे, जब कि घर वाले भोजन कर रहे थे, डाकू भीतर घुस गए और गृह-स्वामी को पकड़ कर मारने की धमकी देने लगे। उनके पास कुल्हाड़े और तलवारें थीं। वे लोहे की तिजोरी तोड़ कर ५ हज़ार का माल और नक़दी लेकर चलते बने। तारक बाबू की बन्दूक़ को भी वे उठा ले गए। कहा जाता है कि डाके के समय वे अङ्गरेज़ी और बङ्गाली में बातचीत करते थे।

—लाहौर का ११ ता० का समाचार है कि 'ज़मींदार' के स्वामी मौलाना ज़फ़रअली इनकम टैक्स का २२००) रु० न चुकाने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए हैं। उनको छुड़ाने के लिए डुग्गी पीट कर चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है।

—नई दिल्ली का ८ दिसम्बर का समाचार है कि भारत सरकार के इण्डियन स्टोर डिपार्टमेण्ट को, जिसका कार्य आर्थिक कठिनाई के कारण कितने ही दिनों से ढीला पड़ा था, नवीन राजनीतिक परिस्थिति के कारण २० हज़ार लाठियाँ ख़रीदने का ऑर्डर दिया गया है। सम्भवतः ये लाठियाँ बङ्गाल की पुलिस के लिए दरकार हैं। स्टोर डिपार्टमेण्ट ने इनके ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया है।

—विलायत से चलते समय मि० ग़ज़नवी ने कहा है कि बङ्गाल का हिंसात्मक आन्दोलन समस्त भारत की शान्ति के लिए ख़तरनाक है। मुसलमान उसका मुक़ाबला करने को तैयार हैं और भारत के भाग्य का फ़ैसला बङ्गाल में ही होगा।

—लन्दन का १० ता० का समाचार है कि मि० हैकिङ्ग के प्रश्न का उत्तर देते हुए सर सैमुअल होर ने कहा कि उनको बङ्गाल कॉन्फ्रेन्स के अङ्गरेज़ी माल का बॉयकॉट करने के प्रस्ताव की ख़बर है। पर अभी तक उसे बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने स्वीकार नहीं किया है। अगर उसने उसे स्वीकार कर लिया या उसके अनुसार काम किया, तो वह निश्चय ही दिल्ली समझौते का भङ्ग करना समझा जायगा। भारत सरकार तथा बङ्गाल सरकार परिस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही हैं और वे आवश्यक उपाय करेंगी।

—विलेनुवे का ११ ता० का समाचार है कि म० गाँधी आज दोपहर को रोम होकर ब्रिण्डसी के लिए रवाना हो गए, जहाँ आप भारत के लिए जहाज़ पर सवार होंगे।

❀ ❀ ❀



—पेशावर की नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट मौलवी अब्दुल रहीम और सदस्य मि० अब्दुल ग़फ़्फ़ार को दफ़ा १२४-ए में क्रमशः एक और तीन साल की सज़ा दी गई थी। अपील करने पर जुडीशियल कमिश्नर ने सज़ा को बहाल रक्खा।

—बम्बई के मज़दूर-नेता श्री० लालजी पेण्डसे को चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने दो राजद्रोही व्याख्यानों के लिए एक साल की कड़ी क़ैद तथा एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा दी। जुर्माना न देने पर एक साल की सज़ा और भोगनी होगी।

—कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'विश्वदूत' नामक बङ्गला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक श्री० बरेनसुन्दर चटर्जी पर हिंसा के लिए उत्तेजित करने वाली एक कविता छापने का मुक़दमा चल रहा था। जूरी ने उन्हें निर्दोष माना और कहा कि कविता में केवल मज़दूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने तथा दशा सुधारने को उत्साहित किया गया है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। हाईकोर्ट ने श्री० चटर्जी और कविता के लेखक को छोड़ दिया।

—उत्तरी कलकत्ता कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० हेमन्तकुमार बोस को राजद्रोही व्याख्यान देने के अभियोग में छः मास की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—कानपुर का १० ता० का समाचार है कि श्री० एम० एन० रॉय ने अदालत के यह पूछने पर कि क्या वे श्री० डाँगे को गवाह के रूप में पेश करना चाहते हैं, कहा कि वे इस अदालत में किसी तरह की सफ़ाई देना नहीं चाहते। उनको जो कुछ कहना है, वह हाईकोर्ट में कहेंगे। इस पर जज ने दूसरे गवाहों को तार देकर आने से रोक दिया और जो मौजूद थे, उनको ख़र्च दिलवा दिया। श्री० डाँगे भी अदालत में मौजूद थे।

—पञ्जाब कॉङ्ग्रेस कमिटी की वर्किङ्ग कमिटी ने बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें इसे घोर अन्यायपूर्ण क़ानून बतलाया गया है और यू० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी को लगानबन्दी आन्दोलन के आरम्भ करने के लिए बधाई भी दी गई।

—मि० हेनरी जी० लिण्ड और मिसेज़ सूसन लिण्ड नाम के दो अमेरिकन पति-पत्नी बम्बई के वोरली नामक बस्ती में पकड़े गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी विदेशियों के क़ानून के अनुसार हुई है। उनको अभी हवालात में रक्खा गया है और जैसे ही कोई जहाज़ मिलेगा, उनको इस देश से निकाल दिया जायगा। वे लोग कोलम्बो से बम्बई गत फ़रवरी मास में आए थे और तभी से पुलिस उन पर निगरानी रखती थी। गिरफ़्तारी का कारण उनका कम्यूनिस्ट विचार के लोगों के साथ मिलना-जुलना था।

—लाहौर का ६ ता० का समाचार है कि अहरार-पार्टी के चार डिक्टेटरों का, जो गत मास में पकड़े गए थे, मुक़दमा आरम्भ हो गया है।

—राजपूताने से साम्प्रदायिक झगड़ों को मिटाने के लिए अजमेर में एक इण्डिपेण्डेण्ट नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है, जिसके प्रेज़िडेण्ट श्री० जमालुद्दीन मन्सूर और सेक्रेटरी श्री० गोपीलाल शर्मा हैं।

—पुरी में होने वाले कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के लिए उड़ीसा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी २३ हज़ार रुपया चन्दा इकट्ठा कर चुकी है। अनुमानतः इसके लिए दो लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी।

—फ़रीदपुर (बङ्गाल) का समाचार है कि साढ़े तीन महीने पहले गोविन्दपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के ऑफ़िस में जो बम पकड़े गए थे और जिनके लिए श्री० सत्यरञ्जन दास गुप्त, प्रेज़िडेण्ट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेण्ट यूनियन, और अन्य पाँच व्यक्तियों पर मुक़दमा चल रहा था, वे ७ ता० को छोड़ दिए गए। उनके विरुद्ध सरकार की तरफ़ से कोई चार्ज-शीट पेश नहीं की गई। अब केवल श्री० जीवन मोल्ला नामक व्यक्ति पर मुक़दमा चलाया जायगा, जोकि तलाशी के समय कॉङ्ग्रेस ऑफ़िस में सोता हुआ मिला था। श्री० विभूति पोद्दार नामक अभियुक्त उसी समय बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिया गया।

—६ दिसम्बर को कलकत्ते में वायसरॉय ने 'स्टेट्समैन' के नए भवन की आधार-शिला रक्खी।

—श्रीनगर के सिक्खों के एक डेपुटेशन ने प्रधान मन्त्री से भेंट करके बतलाया है कि उन्होंने ग्लेन्सी कमीशन के विरुद्ध सविनय आज्ञा-भङ्ग करने का इरादा त्याग दिया है, पर उसके अस्तित्व को न मानेंगे, न उससे कुछ वास्ता रक्खेंगे। वे अपनी धार्मिक तथा अन्य शिकायतें प्रधान मन्त्री के सम्मुख पेश करेंगे।

ऑर्डिनेन्स की करामात

चटगाँव का ६ ता० का समाचार है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ के अनुसार एक पुलिस थाने के गाँवों में रहने वाले लोगों को शाम के ६॥ बजे से सुबह के ५ बजे तक घरों को न छोड़ने का हुक्म दिया है, यह हुक्म आठ दिन से जारी है, पर अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई। दूसरा हुक्म मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डिनेन्स की ८ (२) धारा के अनुसार निकाला है कि कितने ही थानों और कोतवाली की हद में कोई व्यक्ति इस स्थान के कमाण्डर या कोतवाली-अफ़सर की आज्ञा बिना बाइसिकिल काम में न लाएँ। लोगों को बिना हुक्म लिए दूसरे लोगों के हाथ बाइसिकिल बेचने या भाड़े पर देने की मनाही की गई है।

—बम्बई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड ने धारवार के एक वतनदार की अपील ख़ारिज कर दी, जिसकी जायदाद बम्बई सरकार ने कॉङ्ग्रेस के कार्य में क्रियात्मक भाग लेने के कारण ज़ब्त कर ली थी। जजों ने अपने फ़ैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी संस्था का क्रियात्मक सदस्य बनता है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का अन्त करना है, तो उसे सरकार का ख़ैरख़्वाह नहीं समझा जा सकता। क्योंकि प्रार्थी के पूर्वजों को सन् १८६४ में जो सनद दी गई थी और जिसके अनुसार उसे ज़मीन और नक़द सहायता मिलती है, उसमें साफ़ लिखा है कि जागीर पाने वाला और उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ख़ैरख़्वाह रैयत रहेंगे और कुछ ख़ास फ़र्ज़ों को अदा करते रहेंगे।

—लाहौर में रेलवे-जाँच-कमिटी के सामने गवाही देते हुए नौकरी से निकाले गए प्रायः सभी व्यक्तियों ने कहा कि जब कि उनसे कहीं नए और कम योग्यता के लोगों को कुछ नहीं कहा गया, उनको बरख़्वास्त कर दिया गया। दो व्यक्तियों ने रेलवे अफ़सरों पर रिश्वत लेने का भी इलज़ाम लगाया। रेलवे की तरफ़ से इन इलज़ामों को ग़लत बतलाया गया है।

—मद्रास का १० ता० का समाचार है कि वहाँ की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि कॉङ्ग्रेस की माँग के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जो भाव प्रकट किया है, और ख़ासकर सर सैमुअल होर और मि० मैकडॉनल्ड ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में जिस तरह के ख़्यालात ज़ाहिर किए हैं, वह बिल्कुल असन्तोषजनक हैं और भारत की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं से बहुत पीछे हैं। कमिटी की यह भी सम्मति है कि अगर कॉन्फ़्रेन्स में इस बात पर बहस होने की गुञ्जायश न हो कि सेना, वैदेशिक सम्बन्ध और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी संरक्षण भारत के हित की दृष्टि से निश्चित किए जाएँगे, तो कॉङ्ग्रेस का उसमें अब सहयोग कर सकना कठिन और निरर्थक है। कॉङ्ग्रेस के सहयोग की दूसरी शर्त बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स और अन्य दमनकारी क़ानूनों को वापस ले लेना है।

—दिल्ली में अछूत जातियों की एक कॉन्फ़्रेन्स करने की आयोजना की जा रही है। उसके सभापति का पद ग्रहण करने के लिए महात्मा गाँधी से तार द्वारा प्रार्थना की गई है।

—अहमदाबाद का ६ तारीख़ का समाचार है कि महात्मा गाँधी के आजन्म सङ्गी और मित्र इमाम साहब अब्दुल क़ादिर बावाज़ीर का देहान्त हो गया। आप कितने ही दिनों से बीमार थे। आपसे मिलने के लिए गाँधी जी यथाशक्ति जल्दी भारत लौटने की चेष्टा कर रहे थे।

—बम्बई की इण्डियन मरचैण्ट्स् चैम्बर ने वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास तार भेजा है, जिसमें बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का घोर विरोध किया गया है और कहा गया है कि इसका अर्थ साधारण क़ानूनों को स्थगित कर देना है। ऑर्डिनेन्स ने अधिकारियों को ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो शायद ही मार्शल-लॉ से भिन्न प्रकार की हैं। इसलिए चैम्बर की कमिटी वायसरॉय से प्रार्थना करती है कि वे गाँधी-इर्विन समझौते के अनुसार सहयोग की नीति से काम लें और ऑर्डिनेन्स को वापस ले लें।

—पूना के आयुर्वेद-महामण्डल की एक बैठक में निश्चय किया गया है कि आल इण्डिया आयुर्वेदिक कॉन्फ़्रेन्स का जलसा २२ से २५ दिसम्बर तक ग्वालियर में किया जाय। सभापति का आसन बम्बई के वैद्य त्रीकम जी आचार्य ग्रहण करेंगे।

—अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का २१ वाँ अधिवेशन २८ से ३१ दिसम्बर तक झाँसी में होने वाला है। स्वागतकारिणी समिति उसके लिए ज़ोरों से तैयारी कर रही है। उसके साथ विज्ञान, साहित्य, दर्शन और इतिहास सम्बन्धी कॉन्फ़्रेन्सें भी होंगी।

—गया के होमियोपैथिक चिकित्सकों ने अपने शहर में प्रान्त भर के होमियोपैथी इलाज करने वालों की एक कॉन्फ़्रेन्स करने का निश्चय किया है, जिसमें इस चिकित्सा-पद्धति की उन्नति के उपाय सोचे जाएँगे। अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में २४ से २६ दिसम्बर तक होगा।

—भारत-सरकार के होम मेम्बर सर जेम्स क्रेरार के स्थान पर मि० एच० जी० हेग को नियुक्त किया गया है।

—७ ता० को सीमा-प्रान्त के हज़ारा ज़िले में अफ़रीदियों का एक दल १४ रायफ़लें, एक छर्रे की बन्दूक और क़रीब दो हज़ार कारतूस चुरा कर ले जा रहा था। गैलीदेवी नामक स्थान में एक सरकारी पहरेदार ने उनको देख लिया। सिपाही नें उनसे ठहरने को कहा, पर जब उन्होंने कुछ ख़्याल न किया तो उसने गोली चला दी। अफ़रीदियों ने भी जवाब में गोली चलाई, जिससे सिपाही घायल हो गया। दो अफ़रीदी मारे गए और दो गिरफ़्तार किए गए।

—ढाका में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने बड़े डाकख़ाने की डकैती के सम्बन्ध में जो मुक़दमा चल रहा था, उसमें दोनों अभियुक्तों—श्री० बङ्केश्वरराय और श्री० विनय बोस को दस-दस वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। वे २० हज़ार रुपए और रिवॉलवरों के साथ बाइसिकलों पर भागते पकड़े गए थे। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनको पकड़ने वाले दो कॉन्स्टेबिलों और अर्दली के साहस की प्रशंसा की और साथ में यह भी कहा है कि बन्दूक़ों और कारतूसों की ख़राबी से पुलिसवालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस त्रुटि को फ़ौरन दूर करना चाहिए।

—पेशावर में ख़िलाफ़त वालण्टियर तीन महीने से रण्डियों के मकानों पर पिकेटिङ्ग कर रहे थे। अब वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने रण्डियों को एक महीने के भीतर शहर छोड़ कर सराय में जा बसने का नोटिस दिया है।

—बन्नू (सीमा-प्रान्त) के एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर लाला योगराज और अन्य आठ व्यक्तियों पर सरकारी ख़ज़ाने से १ लाख ४० हज़ार रुपया ग़बन करने के सम्बन्ध में मुक़दमा चलाया गया है।

—कानपुर की हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी ने काश्मीर महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम एक तार भेजा है। उसमें महाराज के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है और बाहर के स्वार्थी लोगों ने उनके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया है, उनकी निन्दा की गई है। साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि काश्मीर की सरकार कोई ऐसा कार्य न करे, जो वहाँ की हिन्दू जनता के अधिकारों के विरुद्ध हो और न उसे अन्य सम्प्रदायों की अनुचित माँगों के सामने झुकना चाहिए।

—ढाका के मिटफ़ोर्ड अस्पताल की देशी नर्सों ने ८ ता० का हड़ताल कर दी थी। दूसरे दिन अस्पताल के सुप० मि० हिल ने उनकी तमाम शिकायतों को दूर करने का वायदा किया और हड़ताल का अन्त हो गया।

—बनारस स्टेट की सड़क पर एक मोटर-लॉरी के सड़क पर से लुढ़क कर नीचे गिर जाने से एक व्यक्ति मर गया और शेष को चोट लगी।

—मैमनसिंह का समाचार है कि बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार श्री० चितीशचन्द्र सेन और प्रबोधचन्द्र राय नाम के दो व्यक्ति स्थानीय जेल से कुछ शर्तों पर छोड़ दिए गए।

—बनारस का १० ता० समाचार है कि वहाँ के म्युनिसिपल चुनाव में कुछ अनियमित कार्रवाई हुई बतलाई जाती है और इसलिए चुनाव को रद्द करने की अर्ज़ी दी जाने वाली है। दूसरी तरफ़ बोर्ड की चेयरमैनी के लिए कई व्यक्तियों की तरफ़ से ज़ोरों के साथ कोशिश की जा रही है।

—सेदपैठ, मद्रास के सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट श्री० टी० एस० सुब्बा अय्यर १० ता० को सुबह, जब हवाख़ोरी से वापस लौट रहे थे, रेलगाड़ी से टकरा कर मर गए। रेल के धक्के से वे क़रीब १०० गज़ के फ़ासले पर जा गिरे और उसी समय उनके प्राण निकल गए।

—कलकत्ता पुलिस के भूतपूर्व कमिश्नर सर चार्ल्स टेगार्ट स्वर्गीय बी० के० मल्लिक के स्थान पर इण्डिया कौन्सिल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

—काश्मीर महाराज, जो हाल में नई दिल्ली तशरीफ़ लाए थे, तीन दिन तक वायसरॉय और पोलीटिकल सेक्रेटरी से बातें करके ४ दिसम्बर को श्रीनगर लौट गए। काश्मीर की दशा शान्तिपूर्ण है। यद्यपि पञ्जाब से नित्य प्रति काश्मीर के लिए जत्थे भेजे जा रहे हैं, पर उनको रियासत की सीमा में घुसने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है।

—मद्रास में सोमोफेल नामक जर्मन जहाज़ पर काम करने वाले २५ मल्लाहों को, जो सब बङ्गाल के निवासी हैं, दो-दो सप्ताह की कड़ी क़ैद का दण्ड दिया गया है। उन पर बिना कारण काम करने से इन्कार करने का अभियोग था। मल्लाहों का कहना था कि उनको ठीक खाना नहीं दिया जाता।

—अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० पी० डब्ल्यू० मार्श इलाहाबाद डिवीज़न के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। मि० बम्फ़र्ड ही इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने रहेंगे।

विदेश

—पी० एण्ड ओ० कम्पनी के वार्षिक अधिवेशन के सभापति लॉर्ड इञ्चकेप ने कहा है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना बड़ी भारी ग़लती है। क्योंकि जहाँ अन्य उपनिवेशों के तमाम निवासी अङ्गरेज़ हैं और उनका मत एक समान है, भारत में अनेकों तरह की जातियाँ और मत-मतान्तर मौजूद हैं, जिन पर कोई भारतीय मन्त्री शासन नहीं कर सकता।

—स्कॉटलैण्ड यार्ड (लन्दन) के जो दो गुप्तचर इङ्गलैण्ड में महात्मा गाँधी के साथ रहते थे, वे यूरोपीय देशों में भी उनके साथ भेजे गए हैं। वे जहाज़ में बैठने तक उनकी रक्षा का कार्य करते रहेंगे।



जॉनबुल का खिलौना

जगन्नाथपुरी के राजा ने जगन्नाथ-मन्दिर के एक पण्डे को बदचलनी के कारण मन्दिर में से निकाल दिया था और मन्दिर में उसे घुसने की मनाही कर दी थी। पण्डे ने राजा पर दावा किया कि राजा मन्दिर की नौकरी से हटा सकते हैं, किन्तु एक हिन्दू की हैसियत से मन्दिर में प्रवेश करना नहीं रोक सकते। पुरी के मुन्सिफ़ ने यह फ़ैसला दिया कि पण्डा मन्दिर में प्रवेश कर सकता है। राजा ने इस फ़ैसले के विरुद्ध अपील की है।

—मद्रास कौन्सिल के कुछ सदस्य कौन्सिल के आगामी अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपस्थित करेंगे कि भारत को फ़ौरन ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाय और केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व के प्रश्न को लेकर विलम्ब न लगाया जाय।

—महात्मा गाँधी ने लासेन (स्वीज़रलैण्ड) में एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि यूरोप अस्त्र-शस्त्रों के भार से व्याकुल हो रहा है और अधिकांश देश नैतिक और आर्थिक दिवालियेपन की हद पर आ पहुँचे हैं। वहाँ से यह बीमारी एशिया में फैलती जाती है। पर भारत शान्तिमय उपायों से स्वाधीनता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है और यह यूरोप के उद्धार के लिए आशा का चिन्ह है। आप लोगों को इस आन्दोलन का निष्पक्ष भाव और आलोचनापूर्ण ढङ्ग से अध्ययन करना चाहिए और यदि आप समझें कि यह आन्दोलन अहिंसात्मक तरीक़े से और सत्य के आधार पर चल रहा है, तो आपको हमारा पक्ष ग्रहण करना चाहिए। आप यूरोप वालों की सम्मति को उचित मार्ग पर ला सकते हैं।

भविष्य

—लन्दन का ६ ता० का समाचार है कि गाँधी जी ने यूरोपियन देशों में जो भाषण किए हैं, उनके कारण इङ्गलैण्ड में चिन्ता उत्पन्न हो रही है। क्योंकि वे उस मित्रता के भाव के विपरीत हैं, जो उन्होंने इङ्गलैण्ड से रवाना होते समय प्रकट किया था। बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त की स्थिति पर भी अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों का ध्यान लगा है और वे आशा कर रहे हैं कि वे इस हद तक न पहुँचेंगे कि गाँधी-इर्विन समझौता भङ्ग हो जाय।

—१० ता० को राउण्डटेबिल कॉन्फ्ररेन्स के भारतीय प्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा दल, जिसमें सर तेजबहादुर सप्रू और श्री० जयकर आदि शामिल थे, लन्दन से रवाना हो गया। स्टेशन पर भारतीय और अङ्गरेज़ मित्रों के एक बहुत बड़े दल ने धूमधाम से उनको बिदा किया। सर सप्रू ने अङ्गरेज़ प्रतिनिधियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्रधान मन्त्री, लॉर्ड रीडिङ्ग और लॉर्ड इर्विन के इस मत को सच मानते हैं कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्ररेन्स को असफल समझना ग़लती है। यद्यपि इस बार हमारे सामने बड़ी-बड़ी कठिनइयाँ पेश आईं, तो भी कॉन्फ्रेन्स की योजना सफल हुई है। प्रधान मन्त्री ने जो नया सङ्गठन किया है, उसके द्वारा हम अपनी तमाम माँगें या उनका एक बड़ा भाग पूर्ण करा सकेंगे। एक सबसे बड़ा भाग तो इस बार यही हुआ है कि प्रथम बार कन्ज़रवेटिवों के बहुमत ने केन्द्रीय सरकार के अधिकार देना और फ़ेडरेशन बनाने की बात स्वीकार कर ली है।

—लन्दन से समाचार आया है कि २६ नवम्बर को देशी राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधि-मण्डल ने भूपाल के नवाब से भेंट की थी। उस अवसर पर रियासतों की प्रजा की समस्या पर खुले तौर पर बातें हुईं। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, पर भारत में फिर इस विषय पर बातचीत होगी।

—जरूसलम का समाचार है कि मुस्लिम कॉङ्ग्रेस ने जरूसलम में एक मुस्लिम यूनीवर्सिटी स्थापित करने का निश्चय किया है। भारतीय प्रतिनिधि सर मुहम्मद इक़बाल की राय थी कि जरूसलम इसके उपयुक्त स्थान नहीं है और न अभी इसके लिए उचित समय आया है। कॉङ्ग्रेस ने ३ करोड़ रूसी मुसलमानों के नेताओं से प्रार्थना की है कि मुसलमानों पर बोलशेविक सरकार द्वारा होने वाले अत्याचारों पर विचार किया जाय।

—अमरीका की शासन-सभा में प्रेज़िडेण्ट हूवर ने कहा है कि अगर टैक्सों को न बढ़ाया जायगा, तो अमरीका के बजट में तीन वर्षों में क़रीब ४॥ अरब डालर का घाटा रहेगा। इसके लिए इनकम टैक्स को बढ़ाने की योजना की गई है।

—शान्ति का प्रचार करने के लिए मिलने वाला नोबल प्राइज़ इस वर्ष दो अमरीकनों में आधा-आधा बाँट दिया गया है। उनमें से एक मि० जेन आदम हैं, जो १९ वर्षों से 'इण्टर नेशनल लीग फ़ॉर पीस एण्ड फ़्रीडम' के प्रेज़िडेण्ट हैं और दूसरे कोलम्बिया यूनीवर्सिटी के प्रेज़िडेण्ट डॉ० निकोलस बी० मरे बटलर हैं।

—हाउस ऑफ़ कामन्स के तीन कञ्ज़रवेटिव समुदायों का एक डेपुटेशन सर सैमुअल होर से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे भारत में एक व्यापारिक कमिटी भेजें, जिसमें लङ्काशायर की तरफ़ से भी एक विशेषज्ञ सम्मिलित रहे।

—पार्लामेण्ट में सर सैमुअल होर ने कहा कि सायमन कमीशन के लिए इङ्गलैण्ड के ख़ज़ाने के ८० हज़ार पौण्ड ख़र्च किया गया है।

काश्मीर गोली-काण्ड का आँखों देखा वर्णन

'महाराज हरीसिंह को मारो :: जीवित स्त्री मुर्दा बतलाई गई

काश्मीर में कुछ समय पहले मुसलमान आन्दोलनकारियों ने जो उपद्रव मचाया था और जिसके कारण वहाँ की सेना को गोली चलानी पड़ी थी, उसका वर्णन एक फ़ौजी अफ़सर कर्नल सदरलैण्ड ने जाँच-अफ़सर मि० मिडलटन के सामने अपनी डायरी में से इस प्रकार किया है :—

"जामा मस्जिद आने पर मैंने देखा कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिनिस्टर ख़ाँ बहादुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ और ब्रिगेडियर ओङ्कारसिंह उपस्थित थे। मैंने देखा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र है और ख़ाँ बहादुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ उसे तितर-बितर करने की चेष्टा कर रहे हैं। किन्तु परिस्थिति भीषण हो गई और भीड़ बड़ी आज़ादी से पत्थर बरसाने लगी। इस पर एक घुड़सवार फ़ौज को भीड़ तितर-बितर करने की आज्ञा दी गई और फ़ौज ने कुछ हद तक उसे तितर-बितर किया। फ़ौज पर भी पत्थर बरसाए गए। कुछ सवारों को चोटें आईं। भीड़ में के भी ६ आदमी ज़ख़्मी हुए। इससे भीड़ और भी उत्तेजित हो गई और वह पैदल फ़ौज के पहरेदारों पर टूट पड़ी। तीन ओर से पहरेदारों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। पहरेदारों का जीवन ख़तरे में पड़ गया और अन्त में अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें ३ आदमी मरे।

एक सिक्ख कॉन्स्टेबिल को मैंने देखा, जिसकी रक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले न पहुँच जाते, तो वह जीता न बचता। भीड़ ने उसे पकड़ लिया था और धान कूटने की लकड़ी से उसे बुरी तरह घायल किया गया था।

उस दिन, दिन भर मस्जिद में मुसलमानों की गुप्त सभा और मन्त्रणाएँ हुई थीं।

सरकार के विरुद्ध जेहाद

२४ सितम्बर की डायरी से—मैंने स्पष्ट देखा कि फ़ौजी लोग बड़ी नेकनीयती से स्थिति को सँभाल रहे थे, पर जब भीड़ ने उन पर हमला किया और फ़ौजियों की बन्दूक़ें छीनने का प्रयत्न किया, तब फ़ौज वालों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा। सड़क के तङ्ग होने, भीड़ के पहाड़ी की तरफ़ रहने और अँधेरा होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ गई। मैंने अस्पताल का मुआइना किया और वहाँ एक सिपाही को अर्द्ध-बेहोशी की दशा में पाया।

मुझे महाराज ने श्रीनगर की म्युनिसिपल हद का स्पेशल ऑर्डिनेन्स के अनुसार चार्ज सौंपा था। जब मैं २५ सितम्बर को प्रातःकाल परेड ग्राउण्ड पर आया, तो गवर्नर ने मुझे बतलाया कि सरकार के विरुद्ध जेहाद घोषित कर दिया गया है। इस बात की सूचना मैंने अफ़सरों और फ़ौजियों को दी। उस समय जितनी फ़ौज वहाँ थी, सब एक साथ क़तार बना कर घुमाई गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में फ़ौजी पहरे बैठा दिए गए। अकेलमारिन मस्जिद की मुस्लिम सिपाहियों द्वारा तलाशी ली गई, किन्तु वहाँ कोई हथियार वग़ैरह नहीं पाए गए।

२६ सितम्बर को प्रातःकाल सब दूकानें खुल गईं। लोगों को सब काम-काज साधारणतया जारी करने में प्रसन्नता हुई। यह सूचना वापस ले ली गई कि सब लोग फ़ौजी अफ़सरों को सलाम करें और मकान आने पर मेरे पास इस बात की बहुत शिकायत आई कि अङ्गरेज़ सिपाही बहुत बुरी तरह लोगों से पेश आते हैं। मैंने फ़ौरन इसकी जाँच की और क़ुसूरवार को गिरफ़्तार किया। मैंने फ़ौजियों को समझाया कि वे किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। ७ प्रमुख व्यक्तियों की एक मीटिङ्ग बुलाई और उसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि सब लोग उपद्रवियों पर निगाह रक्खें और परिस्थिति को सँभालने का प्रयत्न करें। फ़ौजियों को गुप्त हिदायतें भी दे दी गई थीं कि कोई भी फ़ौजी सिपाही किसी प्रजा को तङ्ग न करने पाए।"

कर्नल ह्यूग का बयान

श्रीनगर मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर कर्नल ह्यूग ने अपने लिखित बयान में ये बातें कहीं :—

"मस्जिद के पास बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। रास्ता चलना मुश्किल था। जिस समय मैं ज़ख़्मियों को देख रहा था, मेरे पास का एक आदमी चिल्लाने लगा—"मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िन्दाबाद" "महाराज हरीसिंह को मारो मारो।" एक दूसरा आदमी चिल्ला रहा था—"हम लोग अङ्गरेज़ी राज्य चाहते हैं, काश्मीर-महाराजा का नहीं।" ये वाक्य पहिले अङ्गरेज़ी भाषा में कहे गए और उसके बाद काश्मीरी में। मैंने अपने पास खड़े हुए आदमी से कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बातें बकोगे, तो मैं चला जाऊँगा और कुछ न करूँगा और जिस आदमी की मरहम-पट्टी मैं कर रहा हूँ, वह मर जायगा।

काश्मीरी राज्य से लड़ाई है

एक दूसरे आदमी ने मुझसे कहा कि यह लड़ाई हिन्दू-मुस्लिम नहीं है, बल्कि मुसलमानों और राज्य के बीच की है। इसके बाद मुझसे एक औरत को देखने के लिए कहा गया, जिसके लिए बतलाया गया कि घुड़सवारों द्वारा मार डाली गई है। उसका चेहरा और शरीर ढका हुआ था और उसके चारों ओर उत्तेजित जनता की भीड़ एकत्र थी। मैंने किसी को हिन्दुस्तानी में कहते हुए सुना—"सिपाही हमारी स्त्रियों को क़त्ल कर रहे हैं।" मैंने देखा कि उसके बाएँ पैर में ज़ख़्म था। मैंने फ़ौरन उसे देखा और कहा कि यह ज़ख़्म जो लगा है, उससे वह मर नहीं सकती। उस स्त्री के पति तथा अन्य लोग, जो उसके पास थे, चिल्लाने लगे कि—"वह मर गई है और उसे मत देखिए।" मैं वहाँ से चला गया और कर्नल कुसरू जङ्ग के पास अन्य ज़ख़्मियों को देखने की ग़रज़ से बैठ गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर एक आदमी आया और कहने लगा कि वह औरत मरी नहीं है, उसको चल कर देख लीजिए। मैं उसके पास गया और उसे ज़िन्दा पाया। मैंने उसे दवा दी और उसके पैर की ख़ुद मरहम-पट्टी की।"

आगे चल कर कर्नल ह्यूग ने अपने ज़बानी बयान में कहा कि मुझसे कहा गया कि यह चोट भाले से मारी गई है। मेरी राय में यह ज़ख़्म या तो भाले से हुआ है अथवा घोड़े की टाप से हुआ है। मैं यह नहीं समझता कि उसे छुरा मारा गया है, या ज़ख़्म शीशे के टुकड़े से हुआ है। यह राय मैंने ज़ख़्म के रूप को देख कर क़ायम की है।

भारतीय नवयुवकों को कर्तव्य-क्षेत्र में आह्वान

देश के हित के सामने व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दो!

'ग़ुलाम रह कर शक्तिशाली और धनवान होने की अपेक्षा स्वाधीन बन कर कमज़ोर और ग़रीब रहना श्रेष्ठ है ।'

लखनऊ यूनीवर्सिटी के १०वें कान्वोकेशन के अवसर पर आन्ध्र यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर सर एस० राधाकृष्णन ने अध्यक्ष की हैसियत से जो अभिभाषण ९ दिसम्बर, १९३१ को दिया था, उसका भावार्थ नीचे दिया जाता है :—

"मैं समझता हूँ कि यह यूनीवर्सिटी सरकार की इस नीति के अनुसार स्थापित की गई थी कि इसमें लेक्चरों और परीक्षाओं के बजाय निजी तौर पर पारस्परिक मेल-मिलाप का विशेष प्रभाव पड़े। सामाजिक और शारीरिक विकास सम्बन्धी कार्यों, विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क-विचार, विनिमय और विचारों के परीक्षण द्वारा जीवन सम्बन्धी जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या-सम्बन्धी लाभ की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन-सम्बन्धी ज्ञान का अर्थ लिखना-पढ़ना अथवा बुद्धिमत्ता नहीं है, वरन् जैसा एक फ्रान्सीसी कहावत से विदित है—'सबको समझने का अर्थ सबको क्षमा कर देना है।' इससे हमको जीवन की जटिलता और रहस्यपूर्णता का पता लगता है। इसमें इतना आशय भरा हुआ है कि हम उसका बहुत थोड़ा अंश समझते हैं। समझदार आदमी हर एक विषय पर सम्मति प्रकट नहीं करता और न वह किसी लेखक का आशय एक वाक्य में या सभ्यता का आशय एक निबन्ध में लाना चाहता है। उसका विचार-क्षेत्र विस्तीर्ण होता है, उसके विचारों में स्वाधीनता और कोमलता का समावेश होता और उसमें कल्पना करने की शक्ति तथा अन्य मानसिक गुण होते हैं।

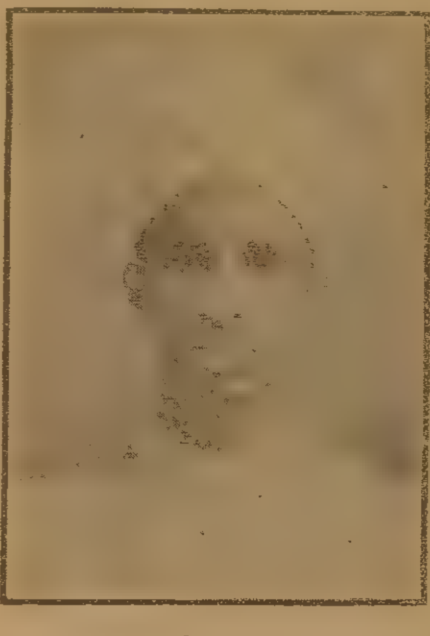
जीवन-सम्बन्धी ज्ञान ऐसी चीज़ नहीं है जो पैमाने से नापा जा सके या तराज़ू में तोला जा सके और कान्वोकेशन के अवसर पर यूनीवर्सिटी के आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को वितरित किया जा सके। प्राचीन काल के लोग कॉलेज में प्राप्त होने वाली संस्कृति की तुलना एक मशाल से करते थे, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। यह जलती हुई मशाल एक भयङ्कर भेंट है। इसने अनेक बार उथल-पुथल मचाई है और कितने ही अग्नि-काण्ड किए हैं। यह चिन्ह है क्रान्ति की भावना का, सफ़ाई करने वाली आग का, जो झाड़ी-झङ्खार और घास-फूस को जला डालती है। अगर हम इस अग्नि के फैलने से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से, ज़मीन के उलटने-पलटने से भयभीत होते हैं, तो हमको यूनीवर्सिटी के पास ही न जाना चाहिए। उस दशा में उसका बन्द कर देना ही अच्छा है।

युवावस्था की भावना

अगर यूनीवर्सिटी की शिक्षा का उद्देश्य हमको आवश्यकताओं को समझने और परिस्थिति का मुक़ाबला करने योग्य बनाना है, तो उसको गए-गुज़रे विचारों और प्रथाओं से हानि न पहुँचने देनी चाहिए। उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता, जो दक़ियानूसी भ्रमों में फँसा रहता है, वरन् शिक्षित वह है जो निकम्मे विचारों से मुक्त रहता है। शिक्षा का सारांश भले-बुरे की पहिचान और आलोचना करने का स्वभाव ही है। अगर कोई यूनीवर्सिटी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करती है, जिनमें साहस का अभाव है, जो रक्षा के लिए चिन्तित रहते हैं, जो आराम का ध्यान रखते हैं, जो ख़तरे में पड़ने से डरते हैं, तो समझना चाहिए कि वह यूनीवर्सिटी अपने मूल उद्देश्य में असफल हुई। मनुष्य का कर्तव्य आगे बढ़ना ही है।

राजनीतिक अशान्ति

व्यक्तियों के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं और जातियों के इतिहास में ऐसे युग आते हैं, जो भावों और फल की दृष्टि से साधारण जीवन के सैकड़ों वर्ष के बराबर होते हैं। भारतवर्ष भी इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक युग में होकर गुज़र रहा है। इस समय सब से बड़ी हलचल की बात राजनीतिक स्वाधीनता का नशा है। यद्यपि गर्म दल के राजनीतिक भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि अङ्गरेज़ी राज्य से इस देश का बहुत-कुछ उपकार हुआ है। उसने उन स्थानों में शान्ति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, जहाँ प्रायः विभिन्न पक्षों की मुठभेड़ के कारण सर्वनाश का दृश्य देखने में



आन्ध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर
सर एस० राधाकृष्णन

आया करता है। पर विदेशी शासन के कारण राष्ट्र की आत्म-मर्यादा और पुरुषत्व की जो हानि हुई है, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक पराधीनता और आर्थिक दरिद्रता के फल से इस देश में जो मानसिक और चरित्र-सम्बन्धी हीनता पैदा हो गई है, आजकल हमारा ध्यान उसकी तरफ़ आकर्षित हो रहा है। पश्चिमी इतिहास और संस्थाओं ने हमारे भीतर स्वाधीनता-प्रेम और आत्म-सम्मान का भाव पैदा कर दिया है। स्वाधीनता-प्रेम मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति है। स्वाधीनता का आशय शासन की उत्तमता या सम्पत्ति की वृद्धि नहीं है। यह किसी अन्य उद्देश्य को सिद्ध करने का साधन नहीं है, वरन् यह स्वयं सबसे बड़ा उद्देश्य है। लॉर्ड एक्टन ने सन् १८७७ में अपने एक ग्रन्थ में लिखा था कि "एक उदार हृदय इस बात को बेहतर समझता है कि ग़रीब हो, कमज़ोर हो और छोटा समझा जाता हो, पर स्वाधीन हो; बजाय इसके कि वह शक्तिशाली हो, धनवान हो, पर ग़ुलाम हो।" प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह स्व-शासन का अनुभव करे, चाहे इसके बदले में वहाँ का शासन कुछ त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो। स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्तों को एक निश्चित राजनीतिक संस्था का स्वरूप देने क प्रबल कामना इस समय कितने ही कारणों से उत्पन्न हो गई है, जिनमें मुख्य ये हैं—देश की दरिद्रता, मध्यम श्रेणी वालों की बेकारी, शिक्षा का बहुत कम प्रचार, मृत्यु-संख्या की अधिकता, शासन का बेहद व्यय, सेना पर अन्धाधुन्ध ख़र्च और गत यूरोपीय महायुद्ध, जो स्पष्टतः स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्तों के लिए लड़ा गया था। मैं नहीं समझता कि एक भी ऐसा अङ्गरेज़ होगा, जो अपने इतिहास और प्रथाओं का सच्चा अनुयायी हो और जो भारत पर भारतीयों के शासन के दावे को न्याययुक्त होने से इन्कार करे। संसार का प्रत्येक देश अपने नागरिकों से अपने यहाँ का माल लेने का आग्रह करता है, और अगर हम भी अपने उद्योग-धन्धों को उत्साह प्रदान करते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं समझा जा सकता। अगर हमारे नेता दावा करते हैं कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर हमारा ही अधिकार रहे, तो यह ग्रेट-ब्रिटेन की इस देश सम्बन्धी नीति का ही स्वाभाविक परिणाम है।

समय की घड़ी की सुई को न तो पीछे लौटाया जा सकता है, न एक स्थान पर रोका जा सकता है। अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों के लिए यह असम्भव है कि भूतकाल की दशा में लौट सकें और भारत पर शक्ति द्वारा शासन करने की चेष्टा कर सकें। दमन के द्वारा न्यायोचित राजनीतिक आकांक्षाओं की वृद्धि नहीं रोकी जा सकती, ठीक उसी तरह, जिस तरह हमारे हिंसा में प्रवृत्त होने से उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह बड़ी शोचनीय बात है, हमारे नवयुवक राजनीतिक स्वाधीनता के लिए धैर्य खोकर हिंसा की तरफ़ झुक जाते हैं। जो लोग इस उपाय का अवलम्बन करते हैं, उनको इसके नाशक प्रभाव का ज्ञान नहीं है। अगर इस प्रकृति को बढ़ने दिया जाय तो इससे केवल भारत की स्वाधीनता का दिन ही स्थगित न हो जायगा, वरन् यह अपने पीछे ऐसा भाव छोड़ जायगी, जिससे सभ्यता का अस्तित्व रह सकना कठिन हो जायगा। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बुद्धिमत्ता तथा समझौते के रास्ते की तरफ़ आकर्षित करें। वह दिन केवल भारत और ब्रिटेन के लिए ही नहीं, वरन् समस्त संसार के लिए बड़ा शुभ होगा, जब कि कोई ऐसा न्यायोचित समझौता हो सके, जिसके द्वारा भारत बिना अपने स्वाभिमान, स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का बलिदान किए बिना ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक सदस्य की हैसियत से शामिल होने को राज़ी हो सके। मैं कह सकता हूँ कि इङ्गलैण्ड अभी यह नहीं भूल गया है कि किस तरह उसने अमेरिका को खो दिया और किस उपाय से दक्षिण अफ़्रीका को अपने अधिकार में बचा लिया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य में सदस्य होकर रहने से कभी इन्कार न करेगा, यदि ऐसी सदस्यता का अर्थ ग्रेट-ब्रिटेन के साथ भारत का इस प्रकार का सम्बन्ध हो, जो दोनों

के लिए लाभजनक हो, न कि उसका अर्थ ग्रेट-ब्रिटेन का अपने स्वार्थ के लिए अधिकार हो।

पर भारत के शासन की ज़िम्मेदारी भारतवासियों के हाथों में आने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकती, यह एक झूठा स्वप्न है कि जिस क्षण से भारत को अपने घर का प्रबन्ध आप करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा, उसी क्षण से सब लोग ख़ुश और सन्तुष्ट हो जायँगे। स्वराज्य सब बुराइयों को दूर नहीं कर सकता। राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने और प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमारा समाज-सङ्गठन न्याय के आधार पर स्थापित हो। हमको एक ऐसे सामाजिक भवन का निर्माण करना होगा, जिसकी नींव सचाई, स्वाधीनता और समता के ऊपर रक्खी जाय।

वर्तमान सङ्कट

प्रत्येक देश के जीवन में ऐसे समय आते हैं, जबकि सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान करना पड़ता है। यूरोपियन राष्ट्रों को गत महायुद्ध के समय ऐसी ही परिस्थिति में होकर गुज़रना पड़ा था, जब कि वहाँ के निवासियों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए व्यक्तिगत आराम और स्वार्थ को त्याग दिया था। यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसा समय तभी आता है, जब किसी राष्ट्र को बाहरी शत्रुओं का भय हो, जब किसी देश में भयङ्कर बाढ़ आती है या अकाल पड़ता है, तो उस दशा में समस्त देश के हित के सामने व्यक्तियों के हित का ध्यान छोड़ देना पड़ता है। मेरी सम्मति में आजकल हमारे देश को एक सब से अधिक भयङ्कर सङ्कट का सामना करना पड़ रहा है। यह सङ्कट युद्ध या क्रान्ति या राष्ट्रीय दिवाला नहीं है, वरन् हमारी आपस की फूट है। जिस नवीन भारत के निर्माण की हम चेष्टा कर रहे हैं, उसका गला जन्म ही से राष्ट्रीयता-विरोधी शक्तियाँ घोंट रही हैं। जैसे हमारी निद्रा भङ्ग होती है, हम अपने को उन शक्तियों से घिरा पाते हैं, जो हमारे बन्धनों को क़ायम रखने वाली हैं। साम्प्रदायिक समझौते में असफल होने का फल बड़ा गम्भीर हुआ है। विश्वास, रक्षा और आशा के स्थान पर एक नए अविश्वास, एक नई चिन्ता और एक नई अनिश्चित दशा का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्नतिशील राष्ट्रों में साहस और परीक्षण का जो भाव होता है, उसे हम खो बैठे हैं। भूतकाल में बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का नाश इसीलिए हो चुका है कि वे परिवर्तित परिस्थिति के साथ अपने को न बदल सके। इतिहास को वे निरर्थक जान पड़े और उसने अपने आगे के लिए कूँच में उनको बहा दिया। अगर हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमको उस जलती हुई मशाल का, उस सफ़ाई करने वाली आग का और विद्रोह करने वाली अन्तरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। हमको अपने ऊपर अत्याचार करने वाले भूतकाल का, हमारे जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बर्बरतापूर्ण प्रथाओं का और उन अन्धविश्वास के भावों का, जो उत्तमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में बाधा डालते हैं, अच्छी तरह मुक़ाबला करना चाहिए। हम लोग प्रति दिन ऐसे काम करते रहते हैं, जो हमारे मनुष्यत्व के लिए कलङ्क-स्वरूप हैं। हम लोग भोजन करते हैं, वस्त्र पहिनते हैं और तरह-तरह के सुख भोगते हैं, जब कि वे लोग, जो उनको उत्पन्न करते हैं, अस्वास्थ्यकर परिस्थिति और घोर दरिद्रता में धीरे-धीरे मरते जाते हैं। जो लोग कष्ट सहन करते हैं उनके साथ हम अपनी स्वाभाविक सहानुभूति को इसलिए प्रकट होने से रोकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा लाभ नहीं है। अपने आराम के मूल्य-स्वरूप हमको एक बहुत बड़े अन्याय को स्वीकार कर लेना पड़ता है। हम एक ऐसे अन्यायपूर्ण नियम की प्रशंसा करते हैं, जो हमारे ही सम्बन्धी करोड़ों व्यक्तियों को मनुष्यत्व के अधिकार देने से इन्कार करता है, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम उसको धर्म के साथ मिला देते हैं।

कूप-मण्डूकता

आप लोगों की शिक्षा व्यर्थ है, अगर आप स्वमताभिमान के ख़तरे से अपनी रक्षा न कर सकें। कोई भी सम्मति इसलिए सच्ची नहीं समझी जा सकती कि वह बहुत दिनों से चली आई है। तो भी हम उसमें बड़े अनुराग के साथ लिप्त रहते हैं। अगर उन लोगों को दण्ड देना हमारे अधिकार में हो, जो उससे इन्कार करते हैं, तो इससे वह दण्ड न्यायोचित नहीं हो सकता। जनसत्तावाद का भाव डिक्टेटरशिप के भाव के विरुद्ध है। इसका कोई सवाल नहीं कि वह डिक्टेटरशिप धर्म सम्बन्धी है या राजनीति सम्बन्धी। अगर हम सच्चे जनसत्तावादी हों तो हम समझ सकते हैं कि संसार के लिए सब तरह की बातों की आवश्यकता है। और हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि जो लोग धार्मिक विश्वास में हमसे मतभेद रखते हैं, वे सीधे नरक चले जायँगे। हमको अपने भीतर इतना विनय का भाव रखना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की लाभदायक बातों को भी स्वीकार कर सकें, चाहे उनका अन्तरङ्ग विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण कितना भी अधिक विपरीत क्यों न हो। कानपुर, ढाका, चटगाँव की घटनाएँ तथा राष्ट्रीयता-विरोधी आन्दोलन से प्रकट होता है कि हम लोगों का दिल और दिमाग़ बिल्कुल दक़ियानूसी है, चाहे हम २०वीं सदी के अनुकूल शासन-विधान के लिए चाहे जितना आन्दोलन क्यों न मचावें। मध्यकाल में धर्म-गुरु ही मनुष्यों की सम्पूर्ण ज़िन्दगी के मालिक थे। पर अगर आज यूरोप के सबसे बड़े धार्मिक महन्त उसी प्रथा को जारी रखने की चेष्टा करते हैं और इस बात के लिए नियम बनाते हैं कि औरतों की पोशाक कितनी नीची होनी चाहिए, तो लोग उन पर हँसते हैं। पर हमारे देश में ऐसी ही विचित्र आज्ञाओं को शिक्षित व्यक्ति तक गम्भीर भाव से स्वीकार करते हैं और उनके पालन करने में हम एक-दूसरे से लड़ने में भी नहीं हिचकिचाते। धर्म-गुरुओं का अभी तक हमारे सामाजिक सङ्गठन में प्रधान स्थान है। जब तक हम उनके प्रभाव का विरोध कर सकने में समर्थ न होंगे और यह मानते रहेंगे कि जाति या सम्प्रदाय का महत्व देश से बढ़ कर है, तब तक हम कूप-मण्डूक ही बने रहेंगे और सच्चे जनसत्तावाद के अयोग्य समझे जायँगे। अगर हम इस बढ़ते हुए ख़तरे को रोकने की चेष्टा न करेंगे, तो हम फिर बर्बर अवस्था में पहुँच जायँगे। हर एक जाति की आकांक्षाएँ और त्रुटियाँ समान ही हैं। अगर हमको पौष्टिक भोजन का अभाव है, स्वास्थ्य-रक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जाता, नौकरी नहीं मिलती, स्वास्थ्यजनक परिस्थिति में आराम करने का अवसर नहीं मिलता, तो ये शिकायतें किसी एक जाति या सम्प्रदाय को नहीं हैं। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास लिखा जाने लगे, तो किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि किसी सम्प्रदाय—हिन्दू या मुसलमान, या सिख या ईसाई—ने अपने स्वार्थ-साधन के लिए देश के साथ विश्वासघात किया।

विद्रोह की आवश्यकता

हम चारों तरफ़ से युवकों के विद्रोह की आवाज़ें सुन रहे हैं। सम्भवतः मैं इस विद्रोही भाव से बहुत-कुछ सहानुभूति रखता हूँ, और मुझे केवल यह शिकायत है कि यह भाव अभी काफ़ी नहीं फैला है। सर्व-साधारण में फैला हुआ यह भाव कि हमारी प्राचीन सभ्यता आदर्शवादी है और आधुनिक सभ्यता भौतिकवादी, विद्रोह का नहीं, वरन् अवनतिशीलता का चिन्ह है। यह बात हमारे पुराण-पन्थीपन का समर्थन करने के लिए सिवाय एक थोथी दलील के कुछ नहीं है। बीमारी और दरिद्रता में आदर्शवाद की कोई बात नहीं है, और न इस प्रथा में, जो मनुष्य-शरीर-धारियों को बोझा ढोने वाला पशु बना डालती है, किसी तरह की आध्यात्मिकता मानी जा सकती है। साथ ही अगर विज्ञान का मनुष्यों के कष्टों को कम करने में उपयोग किया जाता है, या उसके द्वारा मनुष्यों के सुख की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसमें भौतिकवाद की कोई बात नहीं है। भविष्य का आधार उन्हीं नवयुवकों पर है, जो भ्रष्ट समाज-सङ्गठन और धार्मिक अन्ध-विश्वास के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। जो लोग ऐसी गम्भीर परिस्थिति में उदासीन रहते हैं, वे लोग निर्दय तथा दोषी माने जाएँगे। लोगों की उदासीनता के आधार के कारण ही अन्याय की वृद्धि होती है। बुरा मालिक, अन्यायपूर्ण क़ानून, भ्रष्ट नेता और झूठे शिक्षक के फलने-फूलने का कारण यही होता है कि कोई उनको चुनौती नहीं देता। अन्याय इसलिए फैलता है कि जिन लोगों में न्याय का कुछ भाव होता है, वे लापरवाह बने रहते हैं। अगर आप उस कष्ट का अनुमान कर सकें, जो एक आधे नङ्गे और आधे भूखे व्यक्ति को सहना पड़ता है, तो आप कभी उदासीन नहीं रह सकते।

पर समाज के अन्याय के प्रति विद्रोह के भाव को आज्ञापालन के अभाव अथवा असहिष्णुता के साथ मिलाया नहीं जा सकता। विद्रोह का भाव दूसरों के प्रति गहरे और सच्चे सभ्यतापूर्ण बर्ताव और अन्य लोगों के भावों का ख़्याल रखने के प्रतिकूल नहीं है। हमको उन सद्व्यवहार सम्बन्धी मूल-नियमों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्येक, सभ्य समाज के लिए चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो, अनिवार्य हैं।

उपसंहार

हमारे कितने ही नेता सचाई पर नहीं, वरन् सफलता पर लक्ष्य रखते हैं। वे वास्तविक बातों को अपने मनोभावों के अनुकूल रङ्ग में रँग लेते हैं। हम लोगों ने सामूहिक प्रवृत्ति पर प्रभाव डालने की विद्या को सीख लिया है और उसके द्वारा मूर्खों को ठग कर हम अपना उल्लू सीधा करते हैं। जब आप यूनीवर्सिटी से बाहर निकलेंगे और जीवन-संग्राम में प्रवेश करेंगे, तो आप उन्हीं बातों को कहने के लिए ललचाएँगे जिनकी आपसे लोग आशा करते हैं। आप अपने दिल की असली बात न कह सकेंगे। उस समय आपका कर्त्तव्य होगा कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण और ख़तरनाक नेताओं की विवेकपूर्वक पहिचान करें। उनमें एक कार्य-कुशल, रचनात्मक और साहसी होगा, जिसकी दृष्टि भविष्य पर होगी और दूसरा नुक़सान करने वाला तथा ख़राब करने वाला जोकि भूतकाल से लिपटा होगा। पुराने लोग शीघ्र ही मर-खप जायँगे और आप लोगों को ही मैदान में आना पड़ेगा। इस राष्ट्रीय आवश्यकता के युग में अपनी योग्यता दिखलाने का आपको स्वर्ण-सुयोग मिला है। अशिक्षा और स्वार्थ की मज़बूत मोरचेबन्दी का दृढ़ विचारों और वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा मुक़ाबला करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप यह आशा न करें कि देशभक्ति के बहाव में पड़ कर आप एक ही बार में आदर्श राज्य में पहुँच जायँगे। आपको कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)

संयुक्त-प्रान्त में लगानबन्दी का आन्दोलन

इलाहाबाद ज़िले में एक दिन में १,०१३ सभाएँ, एक लाख किसानों ने लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की :: कानपुर में दफ़ा १४४

इलाहाबाद में ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी किसानों में लगानबन्दी आन्दोलन को फैलाने के लिए बड़े ज़ोरों से तैयारी कर रही है। हाल में इस सम्बन्ध में एक जलसा रामबाग़ में किया गया था, जिसमें पं० जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। वहाँ पर पं० केशवदेव मालवीय ने हिन्दुस्तानी सेवा-दल की तरफ़ से ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० लालबहादुर को ४० वालण्टियर भेंट किए, जो राष्ट्रीय कार्य के लिए शिक्षित किए गए हैं। ये वालण्टियर गाँवों में लगानबन्दी का प्रचार करने के लिए भेजे जाने वाले थे। इनमें से क़रीब ३० वालण्टियर ३ दिसम्बर से ही गाँवों में फिर कर कॉङ्ग्रेस का निर्णय किसानों को समझा रहे हैं।

लगानबन्दी का आन्दोलन संयुक्त-प्रान्त में बढ़ता जा रहा है। संयुक्त-प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के निर्णय के अनुसार, जिसकी मीटिङ्ग ५ ता० को लखनऊ में हुई थी, इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, उन्नाव और रायबरेली में आन्दोलन आरम्भ हो चुका है। इनके सिवाय और भी सात ज़िलों ने लगानबन्दी की आज्ञा माँगी है। इन पर कॉङ्ग्रेस की सब-कमिटी दस-बारह दिन के अन्दर विचार करेगी।

उक्त निर्णय के अनुसार गत मङ्गलवार को इलाहाबाद ज़िले में किसानों की १,०१३ सभाएँ हुईं, जिनमें एक लाख से अधिक किसानों ने उस समय तक एक भी पाई लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की, जब तक कि उसमें काफ़ी कमी न कर दी जाय। ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर में हर एक तहसील से सूचना आई है कि मङ्गलवार को प्रत्येक स्थान में ऐसी सभा हुई और किसानों ने कॉङ्ग्रेस के अनुसार प्रतिज्ञा की। विभिन्न तहसीलों में सभाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

सोराँव १५०; हँडिया ५२; करछना २०६; मञ्झनपुर ४६; चायल १३०; सिराथू १२६; मेजा १६० और फूलपुर १३०।

यह अन्दाज़ लगाना कठिन है कि सभाओं में कितने गाँवों ने भाग लिया। पर एक कॉङ्ग्रेसमैन के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या मोटे तौर पर १,५०० होगी।

सभाओं में दर्शकों की संख्या गाँव की छोटाई-बड़ाई के अनुसार कमोबेश थी, पर ज़िला कमिटी के एक सेक्रेटरी श्री० लालबहादुर को जो सूचना मिली है, उसके अनुसार इन तमाम सभाओं में काफ़ी उत्साह था। श्री० लालबहादुर की राय में एक ही दिन एक ज़िले में साथ-साथ इतनी अधिक सभाओं का होना, देश के इतिहास में अद्वितीय घटना है। इलाहाबाद ज़िले के हिन्दुस्तानी सेवा-दल के प्रधान पं० केशवदेव मालवीय दो अन्य कार्यकर्ताओं—श्री० एस० जे० गाँधी और श्री० रूपनारायण त्रिपाठी के साथ मङ्गलवार के दिन अधिक से अधिक संख्या में गाँवों का निरीक्षण करने को भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि किसानों ने जिस प्रकार उत्साह प्रकट किया है और कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों ने जैसा काम कर दिखाया है, वह आशा से बाहर है। उन्होंने हँडिया, फूलपुर और सोराँव तहसील के गाँवों का दौरा किया था।

कानपुर

कानपुर में भी लगानबन्दी का आन्दोलन ८ ता० से आरम्भ हो गया। वहाँ पर मकानों का किराया और बिजली का चार्ज घटाने का प्रश्न भी उठाया गया है और उसके लिए भी साथ-साथ आन्दोलन किया जा रहा है। १० ता० को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कप्तान इवटसन ने पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट के नाम एक आज्ञा भेजी थी, जिससे मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित एक पर्चा ज़ब्त कर लिया। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट को कहा गया था कि वह अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा उस पर्चे की प्रतियाँ जहाँ कहीं मिलें, अपने क़ब्ज़े में कर लें। इसके सिवाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखी सूचना भी १० ता० को कानपुर की जनता के नाम प्रकाशित की है :—

"मुझे मालूम हुआ है कि आज दोपहर को नौजवान भारत-सभा की तरफ़ से एक जुलूस निकाला जाने वाला है और एक मीटिङ्ग भी होने वाली है, जिसका उद्देश्य कॉङ्ग्रेस का प्रचार-कार्य करना है। इसके सिवाय स्थानीय कॉङ्ग्रेस ने लगानबन्दी का आन्दोलन भी आरम्भ किया है और उसका एक पर्चा यू० पी० सरकार द्वारा ज़ब्त किया जा चुका है। इसी तरह के जुलूस और हड़ताल के फल-स्वरूप गत मार्च मास में कानपुर में दङ्गा-फ़साद और ख़ून-ख़राबी हुई थी। यह विश्वास करने के कारण मौजूद हैं कि आज के जुलूस और सभा के कारण भी शान्ति भङ्ग होने और जनता के अमन में ख़लल पड़ने का भय है। इसलिए बहुत तत्परता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा १४४ के अनुसार कानपुर म्युनिसिपैलिटी की सीमा में, उसके चारों तरफ़ दो मील घेरे में सात दिन तक सब प्रकार के जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं का होना रोकने की आज्ञा देता हूँ।"

किसानों को चेतावनी

इलाहाबाद में यद्यपि १० ता० तक सरकार ने कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध किसी तरह की कारंवाई नहीं की थी, पर यहाँ के कलक्टर मि० क्रफ़र्ड ने किसानों के नाम सूचना प्रकाशित की है कि यदि किसान बिना विलम्ब लगान अदा न कर देंगे, तो उनको जो कुछ रियायतें दी गई हैं, वे वापस कर ली जायँगी। चायल, सिराथू, मञ्झनपुर, फूलपुर, हँडिया और सोराँव तहसीलों के खातों की जाँच हो चुकी है और वहाँ के किसानों को समझ लेना चाहिए कि अब लगान में कुछ भी अधिक कमी नहीं की जा सकती। इन तहसीलों के किसानों को अब जल्दी लगान अदा कर देना चाहिए। किसानों के लिए अन्तिम निर्णय के पर्चे शीघ्र ही मिल जायँगे और किसी के लगान में ८ आना फ़ी रुपया से अधिक कमी न की जायगी।

बाराबङ्की

बाराबङ्की में अभी एक किसान कॉन्फ़्रेन्स श्री० श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार ने लगान में जो कमी की है, वह बहुत ही कम है और किसानों के लिए शेष लगान चुकाना बड़ा कठिन है। सरकार ने जो कमी की है, वह सन् १३१३ फ़सली के हिसाब के अनुसार है, पर उस समय अनाज का भाव वर्तमान समय की अपेक्षा बहुत मँहगा था। सरकार ने एक कम्यूनिक में सन् १३०८ के हिसाब से लगान में कमी करने का वायदा किया था, पर वह अभी तक पूरा नहीं किया गया।

❀ ❀ ❀

बङ्गाल की तरह पञ्जाब में भी नया ऑर्डिनेन्स?

सहयोगी 'मिलाप' को लाहौर से ख़बर मिली है कि पञ्जाब के कुछ सरकारपरस्त मुसलमानों की तरफ़ से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि बङ्गाल की तरह पञ्जाब में भी एक ऑर्डिनेन्स जारी करके, उन तमाम नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया जाय, जिन पर क्रान्तिकारी होने का सन्देह है। इस सम्बन्ध में यह भी मालूम हुआ है कि अहमदिया जमायत के लीडर मिर्ज़ा बशीरअहमद महमूद ने भी अपनी सेवाएँ पेश की हैं और अगर सरकार ने इस मामले में कोई क़दम उठाया, तो आप अपनी सरकार-भक्ति का पूरा सबूत देंगे।

—पेशावर के कैण्टोन्मेण्ट स्टेशन पर एक बुड्ढी एङ्ग्लो इण्डियन औरत गिरफ़्तार की गई है, जिसके पास दो बक्सों में १ मन से ज़्यादा चरस पाया गया। मालूम होता है कि वह इसे दिल्ली ले जा रही थी। वह एक भारी गुण्डा-दल की सदस्य है, जिसका हेड क्वार्टर देहली में है और शाखाएँ तमाम भारत और अफ़ग़ानिस्तान तक में फैली हैं। सीमा-प्रान्त के एक्साइज़ कर्मचारियों ने हामताङ्गी नामक गाँव में कुछ पठानों को सात मन चरस चुरा कर लाते पकड़ा था।

—ननकाना (पञ्जाब) में होने वाली सिक्ख पोलीटिकल कॉन्फ़्रेन्स के सभापति सरदार सन्तसिंह, एम०एल०ए० ने अपने भाषण में कहा है कि पैन इस्लाम आन्दोलन से सिक्खों और हिन्दुओं को समान रूप से भय है। इसलिए हिन्दुओं को गुरुद्वारों के झगड़े के विषय में अपना मत-परिवर्तन करके सिक्खों के साथ मिल कर काम करना चाहिए।

❀ ❀ ❀

(६ठे पृष्ठ का शेषांश)

द्वारा एक नवीन समाज का निर्माण करना होगा। अगर आप उन आदर्शों को स्मरण रक्खेंगे, जिनको आपकी यूनीवर्सिटी ने आपके सामने रक्खा है, और आप साहस तथा न्याय, सचाई और समाधिकार का पक्ष ग्रहण करेंगे, तो आप अपने देश को ऐसे अवसर पर कदापि निराश नहीं कर सकते, जब कि उसे आपकी सेवा और मार्ग दिखलाने की आवश्यकता है। समय ही बतलाएगा कि आप अपने सुख तथा सुभीते का ख़्याल रखते हैं अथवा सचाई और कष्ट-सहन का। तभी यह मालूम हो सकेगा कि आपकी यूनीवर्सिटी ने आपके भीतर साहस, दृढ़ निश्चय और स्वार्थ-त्याग के गुण विकसित किए हैं, अथवा आपको ऐसा दिखावटी व्यक्ति बनाया है, जो हमेशा शान दिखलाने, अपने ही मतलब का ध्यान रखने, आराम की फ़िक्र में लगे रहने और कुछ काम न करने पर ही ध्यान रखते हैं। आप भारत को बन्धन से मुक्त होने में सहायता पहुँचाएँगे अथवा आप उसके बन्धनों को और भी मज़बूत बनाएँगे? क्या आप अपने जीवन को इस तरह का बनाएँगे कि आपके सम्बन्ध में ऐसा कथन मान-हानिकारक समझा जाय कि आप सेवा और कष्ट-सहन के जीवन की अपेक्षा ऊँचे पदों और सुख-प्राप्ति के जीवन की तरफ़ अधिक आकर्षित थे? समय ही इसका जवाब देगा। अलविदा।"

❀ ❀ ❀

क्रान्तिकारियों को कुचलने की योजना

नज़रबन्दों की संख्या बढ़ेगी:: उनको अन्य प्रान्तों में भेजा जायगा

"बङ्गाल की हत्याओं, हत्या की चेष्टाओं, धमकी देने, हथियारबन्द डकैतियों और हिंसात्मक कामों का क़िस्सा बड़ा लम्बा है। यह एक बड़ा गम्भीर और वास्तविक ख़तरा है और उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा-स्वरूप है।"—ये वाक्य बङ्गाल के गवर्नर ने ३० नवम्बर को सेण्ट एण्डूयूज़ डिनर के समय कहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि—"सरकार का कर्त्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। चूँकि हिंसावाद से समझौता कर सकना असम्भव है। जो लोग इन कामों को कर रहे हैं अथवा इनके लिए उत्साह प्रदान कर रहे हैं, वे क़ानून की सीमा से बाहर हैं।"

अब तक की कार्यवाही

गवर्नर ने बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के पिछले २० वर्षों के इतिहास की आलोचना करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑर्डिनेन्स के रूप में नए अधिकार प्राप्त करना सरकार के लिए नितान्त आवश्यकीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह अब बङ्गाल में प्रचलित किए गए तमाम ऑर्डिनेन्सों से अधिक ज़ोरदार होगा। पिछले ऑर्डिनेन्स के अनुसार ज़ोरदार और विस्तृत उपायों से काम लिया गया है। भविष्य में जो कार्यवाही की जाने वाली है, उससे नज़रबन्दों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जायगी और इससे उनके नियम के अनुसार रहने की समस्या भी कठिन हो उठेगी। सरकार इस विषय पर अभी से ग़ौर कर रही है और नज़रबन्द-कैम्पों में आज्ञापालन के भाव को अच्छी तरह क़ायम रखने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जा चुका है।

नज़रबन्दों को हटाना

कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि नज़रबन्दों को बङ्गाल प्रान्त से हटा दिया जाय। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का उपाय अधिकांश हालतों में बहुत ही शुभ है, पर किसी अन्य प्रान्त से ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी लेने को कहना भी कठिन बात है। तो भी कुछ लोगों को अन्य प्रान्तों में भेजना अभी से शुरू कर दिया गया है।

सेना की सहायता से कार्रवाई

नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि वह कुछ मुक़ामों में अभी जारी कर दिया गया है और सिविल अधिकारियों को सेना की पूरी सहायता दी गई है। इससे विश्वास होता है कि कुछ मुक़ामों में हिंसात्मक आन्दोलन के कारण क़ानून-भङ्ग की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उसका अच्छी तरह इलाज किया जा सकेगा।

नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार जो विशेष अदालतें क़ायम की गई हैं, उनका उद्देश्य यह है कि हिंसात्मक अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों का जल्दी से फ़ैसला हो सके। निर्दोष व्यक्तियों को उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। ऐसी अदालतों को हत्या की चेष्टा के लिए फाँसी की सज़ा देने का अधिकार रहेगा।

नए ऑर्डिनेन्स की प्रभावशाली और कठोरतापूर्ण शक्ति का तब तक पूर्ण रूप से उपयोग किया जायगा, जब तक कि क्रान्तिकारी आन्दोलन बिल्कुल नष्ट न हो जाय। यद्यपि इस बात की गारण्टी नहीं दी जा सकती कि अब कोई हत्याकाण्ड आदि न होगा, पर जितने जाने हुए क्रान्तिकारी हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है, भावी आक्रमणों को रोकने और दोषी व्यक्तियों को शीघ्र से शीघ्र दण्ड देने की चेष्टा हर तरह से की जा रही है।

सहायता की अपील

गवर्नर ने एक ऐसा लोकमत तैयार करने की अपील की है, जो क्रान्तिकारियों के कार्यों से सहानुभूति न दिखावे और सरकार के साथ इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करे। ऐसा लोकमत हिंसावाद को पस्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है।

भावी गवर्नर की प्रशंसा

बङ्गाल के भावी गवर्नर सर जॉन एण्डरसन की नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने उनकी प्रशंसनीय सार्वजनिक सेवाओं की तारीफ़ की और कहा कि पहले ही यह कह कर कि वे दमन में सिद्धहस्त होने के कारण ही इस पद पर नियुक्त किए गए हैं और उनमें शासन के अन्य गुण नहीं हैं, उनके महत्व को घटाना सर्वथा अनुचित है।

तीसरी बार सफलता प्राप्त होगी

"भारत को जो स्वाधीनता दी जा रही है, वह क़ैदी की स्वाधीनता है, जो उसे कालकोठरी में बन्द करने के बाद दी जाती है।"

मद्रास का ७ दिसम्बर का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस हाउस की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए श्री० सत्यमूर्ति ने कहा—"बिना सेना पर अधिकार हुए स्वराज्य बिना ख़ुशबू का फूल है।"

श्री० राजगोपालाचार्य ने, जो सम्भवतः इस बार कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट चुने जाने वाले हैं, प्रधान मन्त्री की घोषणा की आलोचना करते हुए आपने कहा कि—"मि०मैकडॉनल्ड की घोषणा केवल धोखे की टट्टी है। म० गाँधी का यह कहना सच है कि भारत को जो स्वाधीनता देने का वायदा किया जा रहा है, वह क़ैदी की स्वाधीनता है, जो उसे कालकोठरी में बन्द करने के बाद दी जाती है।

परिवर्तन काल असीम है

सिवाय कॉन्फ्रेन्स के अन्तिम सप्ताह के, जिसमें कि महात्मा जी को ठण्ड लग जाने से उनको दवाइयों के सहारे अपनी आवाज़ को क़ायम रखना पड़ा था, कॉङ्ग्रेस ने कभी किसी बात को चुपके से नहीं मान लिया। प्रधान मन्त्री की घोषणा में एक सबसे बड़ी तथा भयङ्कर त्रुटि यह है कि उसमें परिवर्तन काल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। अगर केन्द्रीय सरकार के हाथ में आय के अधिकांश भाग का अधिकार रहे तो फिर प्रान्तीय स्वतन्त्रता का अधिकार निरर्थक हो जाता है। कॉङ्ग्रेस प्रधान मन्त्री की घोषणा को स्वीकार कर सके, इसकी सम्भावना बहुत कम है। क्योंकि अभी तक उसमें के संरक्षणों और विशेष अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई और जो प्रकट किए गए हैं, वे इङ्गलैण्ड की भलाई के लिए हैं।

कॉङ्ग्रेस की विजय

समस्त जनता का कर्तव्य है कि गवर्नमेण्ट के उत्तेजना दिलाने पर भी वह अपना धार्मिक कर्तव्य समझ कर दिल्ली-समझौते की शर्तों का पालन करे। इस समय उसके सामने यही कार्यक्रम है कि विदेशी कपड़े का बॉयकॉट करे, शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग की जाय और अछूतपन को दूर किया जाय।

मि० लॉयड जॉर्ज ने बम्बई में कहा है कि कॉन्फ्रेन्स तीसरी बार सफल होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कॉङ्ग्रेस दो बार संग्राम कर चुकी है, अब तीसरी बार उसे सफलता प्राप्त होगी। अगर बॉयकॉट का आन्दोलन बढ़ा और ब्रिटेन ने फिर गाँधी जी को भारत की समस्या हल करने को बुलाया तो इङ्गलैण्ड का राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल २४ घण्टे में टूट जायगा।"

काश्मीर पर रामपुर

काश्मीर के विरुद्ध अहरारिए और अन्य मुसलमान इस समय जो कुछ कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में महाराज बीकानेर के बाद रामपुर रियासत के नवाब साहब ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। जिसमें आपने कहा है :—

"घटना पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करना कोई आनन्ददायक कार्य नहीं है। परन्तु घटना की दायित्वहीन समालोचना, जिसके प्रचारक प्रायः स्वार्थपर लोग होते हैं, इससे एक बुरे परिणाम पर पहुँच जाते हैं, जिसका कोई उन्नति प्रत्याशी व्यक्ति अनुमान भी नहीं कर सकता। मेरे योग्य भ्राता हिज़ हाइनेस महाराजा बहादुर काश्मीर और जम्मू की रियासत के सम्बन्ध में, दुर्भाग्यवश जो बातें हो रही हैं, वे इस विचार के प्रमाण हैं। इससे मुझे अत्यन्त दुःख पहुँचा है। अगर इस आन्दोलन पर बाहरी प्रभाव न पड़ता, तो मुझे विश्वास है कि अब तक सारा झगड़ा बड़ी शान्ति और सहूलियत से मिट गया होता। इस सम्बन्ध में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि ब्रिटिश भारत के मुसलमानों से अपील करूँ कि वे काश्मीर में शान्ति स्थापित करने की चेष्टा करें। ताकि महाराजा बहादुर शीघ्र ही इस झगड़े का तसफ़िया कर सकें।

धर्म के नाम पर पाप

बड़ौदा राज्य ने हाल में अछूतों के विशेष स्कूलों को बन्द कर दिया है और उनके लड़कों को राज्य के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने की आज्ञा दी है। इसके फल से गाँवों के कट्टर सनातनी लोग बहुत बिगड़े हैं और अछूतों को तरह-तरह से कष्ट दे रहे हैं। एक गाँव में अछूतों की फ़सल जला दी गई, उनके कुएँ में मिट्टी का तेल छोड़ दिया गया और उनका सार्वजनिक रास्ते से चलना बन्द कर दिया गया। गाँव वाले अछूतों को धमका रहे हैं कि वे यह लिख दें कि हम अपने लड़कों को उन स्कूलों में भेजने को राज़ी नहीं हैं, जिनमें ऊँची जाति वालों के लड़के पढ़ते हैं। अहमदाबाद का एक सार्वजनिक कार्यकर्ता, जो अछूतोद्धार के कार्य में लगा हुआ है, गाँव वालों को समझाने के लिए गया, पर उस पर गाँव के लड़कों ने पत्थर बरसाए।

❀ ❀ ❀



अधिकार-हरण

गवर्नर-जनरल के नया बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स जारी करने से बङ्गाल के दमनकारी शासन को वह पूर्णता प्राप्त हुई है, जो अब तक कभी प्राप्त नहीं हुई थी। मिसाल के लिए चटगाँव में, जहाँ ऑर्डिनेन्स का पहला अध्याय जारी होगा, क़ानूनी शासन क़रीब-क़रीब स्थगित हो जायगा और सरकारी अधिकारी अपने मन से शासन करने लगेंगे और वहाँ मार्शल-लॉ से मिलती जुलती परिस्थिति फैल जायगी।

ऑर्डिनेन्स के दोनों अध्याय को मिला कर विचार करने से पता लगता है कि उनके द्वारा साधारण क़ानूनों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाता है और उसके स्थान में इस प्रकार की कार्यवाही होने लगती है, जो कुछ अंशों में मार्शल-लॉ के अनुरूप जान पड़ती है। इसके फल से जनता के उन प्राथमिक अधिकारों का अन्त हो जाता है, जिनके लिए लोग हार्दिक आकांक्षा रखते हैं। यह दलील कि इनके द्वारा केवल हिंसात्मक आन्दोलन को दबाया जायगा, एक मिनट के लिए भी सच नहीं मानी जा सकती।

जनता को इस बात की बहुत अधिक आशङ्का है कि नया अधिकार दोषी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्दोषी व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। दोषी व्यक्तियों के विषय में भी अपराध और दण्ड में इतना अधिक वैषम्य होगा कि उससे न्याय का नाम-निशान भी न बचेगा। यह दोनों दोष ऐसे हैं, जो स्पेशल क़ानूनों, स्पेशल अदालतों और स्पेशल कार्यवाही में अवश्य पाए जाते हैं। जिन देशों में ऐसी स्थिति रही है, वहाँ का अनुभव निर्विवाद रूप से यही बात प्रकट करता है। ख़ासकर भारत में पुलिस और सरकारी अधिकारी साधारण जनता के प्रति सहानुभूति और विचारों की समानता से शून्य ही नहीं हैं, वरन् वे लोगों पर ज़्यादती करने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सम्राट की प्रजा की जान और स्वाधीनता के सम्बन्ध में असीम और निरङ्कुश शक्ति देना कितना भयजनक है, यह स्वयम् प्रकट है। इस समय तक भी एक बहुत बड़ी तदाद में ऐसे लोग, जिनको उनके देशवासी निर्दोष समझते हैं, या तो बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट या इससे पहले ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार करके नज़रबन्द किए जा चुके हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि इस नए ऑर्डिनेन्स के फल-स्वरूप उससे भी अधिक संख्या में लोगों को कष्ट सहन करना पड़ेगा। सरकार को याद रखना चाहिए कि जो सिविल या फ़ौजी अफ़सर नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार प्राप्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, उनको अपने अपराध के कारण कुछ भी हानि न उठानी पड़ेगी। वरन् इसका फल यह होगा कि जनता और सरकार के बीच में जो चौड़ी खाईं अभी मौजूद है, वह बेहद बढ़ जायगी। परिस्थिति इस कारण और भी ख़राब हो गई है कि एक तरफ़ तो गवर्नमेण्ट ने उन्नति-विरोधी दल की बातों पर ध्यान देकर ऐसा अभूतपूर्व कठोर उपाय तैयार कर दिया और दूसरी तरफ़ हिजली और चटगाँव में जनता के निर्दोष व्यक्तियों पर जो घोर अन्याय किया गया था, उसके लिए किसी तरह की सज़ा नहीं दी गई। इन अन्यायों की निन्दा बङ्गाल ही नहीं, भारत भर के नेक और सत्यप्रेमी लोगों ने की है। डॉ० रवीन्द्रनाथ जैसे व्यक्ति ने भी, जिनको कोई पेशेवर आन्दोलनकारी नहीं कह सकता, इस सम्बन्ध में दोषी लोगों को कड़ी सज़ा देने की माँग की है।

—ट्रिब्यून (लाहौर)

❁ ❁ ❁

फ़ौजी शासन

इस नए ऑर्डिनेन्स का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि बङ्गाल प्रान्त में और ख़ासकर चटगाँव में मार्शल-लॉ क़ायम हो जायगा। अब से आगे बङ्गाल का शासन-कार्य सिविल ढङ्ग से न होगा, वरन् खुल्लमखुल्ला फ़ौजी ढङ्ग से होगा। यहाँ तक कि 'स्टेट्समैन' को भी कहना पड़ा है कि "यह फ़ौजी क़ानून के ही अनुरूप है और इसके अनुसार सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सेना का उपयोग किया जायगा।" यही जनता के लिए सब से ख़राब बात है; क्योंकि सिविल शासन के पर्दे के भीतर फ़ौजी शासन फैल जायगा और उसका पूर्ण रूप से सैनिक अधिकारियों तथा उन लोगों के इशारे पर सञ्चालन होगा, जो 'मज़बूती के साथ हुकूमत' की पुकार मचा रहे हैं। जनता का जीवन, स्वाधीनता और सम्पत्ति पूर्ण रूप से सैनिक अधिकारियों के हाथ में ही रहेगी।

अगर हम इस बात का ख़याल छोड़ भी दें कि साधारण जनता पर शासन का भार पुलिस और सेना के हाथ में दे डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी हमको इस बात में सन्देह है कि यह हिंसात्मक क्रान्तिकारियों को दबाने में सफल हो सकेगा। यह ठीक है कि कुछ दिनों के लिए यह एक ख़ास तरह के हिंसात्मक आन्दोलन को दबा देगा, पर दबाने का अर्थ उसका नाश कर देना नहीं है। इसके साथ ही यह दबाना तब सम्भव होगा, जब कि उससे भी बढ़ कर कठोर हिंसावाद को प्रधानता दे दी जायगी, इसलिए जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, वहाँ तक न किसी को आराम से बैठने को मिल सकेगा और न शान्तिमय दशा लौट सकेगी। इसके बजाय उनको गुप्त हत्याकारियों के कभी-कभी प्रकट होने वाले आतङ्कजनक कार्यों की जगह सैनिक अधिकारियों का खुल्लमखुल्ला और निरन्तर आतङ्कवाद सहन करना पड़ेगा, जोकि क़ानून द्वारा वैध माना जायगा। यह बहुत सम्भव है कि 'मज़बूत गवर्नमेण्ट' का यह कार्य इस शक्ति को क़ायम रखने की अन्तिम चेष्टा हो, क्योंकि अब यह शक्ति नौकरशाही के हाथों से बड़ी शीघ्रता से निकलती जाती है। आयर्लैण्ड में जब 'ब्लैक एण्ड टैंक्स' दल वालों का शासन जारी हुआ, तो उसके दो साल बाद ही उस देश को पूर्ण स्वाधीनता मिल गई। यह समझने का कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष में इतिहास दूसरी तरह का उदाहरण पेश करेगा। बङ्गाल में जो फ़ौजी क़ानून जारी किया गया है और अन्य प्रान्तों में भी उस तरह के क़ानूनों की जो सम्भावना है, उसके परिणाम-स्वरूप कोई आश्चर्य नहीं कि भारत को अपनी इच्छित स्वाधीनता प्राप्त हो जाय। इस निगाह से हम बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स की निन्दा करने के बजाय उसका स्वागत करना चाहते हैं।

—सर्चलाइट (पटना)

❁ ❁ ❁

'फ़ौलादी पञ्जे' की नीति

नौकरशाही अपने ज़ुल्मों के प्याले को भर रही है और उसका प्रमाण बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स है, जिसमें जुर्म के पहले गिरफ़्तारी, तकलीफ़ दूर किए बिना नज़रबन्दी, प्रकाश के बिना मुक़दमे की सुनवाई, अपील के बिना सज़ा होती है। उसको किसी आदमी और किसी चीज़ पर अधिकार जमाने की शक्ति है। यह शुरू से आख़ीर तक फ़ौलादी पञ्जे का शासन है।

यह ऑर्डिनेन्स या तो भयभीत होने अथवा द्वेष रखने का फल है। हिंसात्मक आन्दोलन वालों के विरुद्ध यह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मौत या नज़रबन्दी हिंसावादियों को नहीं डरा सकती। जो लोग हिंसावादी नहीं हैं, उन्हीं को यह तङ्ग कर सकता है और इससे सद्भाव का वह बचा-खुचा भाव भी नष्ट हो जायगा, जिसके सहारे बङ्गाल-सरकार टिकी हुई है।

—फ़्री प्रेस जर्नल (बम्बई)

❁ ❁ ❁

पुलिस-राज्य

बङ्गाल इस समय पुलिस वालों का स्वर्ग बना है। उनको आवश्यकता नहीं कि वे किसी सन्दिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध कोई जुर्म साबित करें। वे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह, किसी भी स्थान के लिए भेज सकते हैं और उसके साथ जिस तरह चाहें, व्यवहार कर सकते हैं। इसका आशय है सब क़ानूनों को उठा कर ताक पर रख देना। यह शासनकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सज़ा है, यह रूस की ज़ारशाही के ज़माने का वापस आ जाना है।

वायसरॉय के इस नए ऑर्डिनेन्स के जारी हो जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि अब पाँच करोड़ प्राणियों के निवास-स्थल बङ्गाल में राई भर भी व्यक्तिगत या सामाजिक स्वाधीनता शेष है? यह बात गवर्नमेण्ट के हित की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसका विश्वास बिल्कुल उठ जायगा। नौकरशाही शासन ज़रूरत से अधिक समय तक टिक चुका है और अब कड़वे तथा हानिकारक फल उत्पन्न कर रहा है। अगर वायसरॉय एक ऑर्डिनेन्स निकाल कर नौकरशाही को हटा दें और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन की ज़िम्मेदारी भारतीय मन्त्रियों को सुपुर्द कर दें, तो इस देश में हफ़्ते भर के भीतर शान्ति हो सकती है। यही असली इलाज है और बाक़ी सब बताईपन की बातें हैं, जिनसे सब पक्ष वालों की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जायगी।

—सिन्ध ऑबज़र्वर

❁ ❁ ❁

क्या टोंक के नवाब मुसलमान नहीं हैं ?

महाराज काश्मीर के विरुद्ध जब आन्दोलन आरम्भ हुआ था; तो मुस्लिम समाचार-पत्रों ने अधिकार, न्याय और काश्मीर की प्रजा के उत्पीड़न का नाम लेकर आन्दोलन को चमकाया। फलतः हम मुसलमानों की माँगों से सौ प्रतिशत सहमत थे। परन्तु इन लोगों के न्याय और ईमानदारी के दीवाले का इससे बढ़ कर क्या प्रमाण हो सकता है कि जो समाचार-पत्र उस समय काश्मीर की प्रजा के अधिकारों के नाम पर काश्मीर के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, अब जब हिन्दुओं ने हैदराबाद और भूपाल पर चोट का श्रीगणेश आरम्भ किया तो ये चिल्ला उठे हैं। और उन्होंने शोर मचाना आरम्भ कर दिया है कि यह इस्लामी रियासतों को मिटाने के मनसूबे हैं। और मुस्लिम शासकों को बदनाम करने की साज़िश की जा रही है। मानो, अगर कोई हिन्दू नरेश अत्याचारी है तो वह फाँसी के योग्य है, परन्तु अगर कोई मुस्लिम नरेश अत्याचारी हो तो उसकी हिन्दू प्रजा के सम्बन्ध में आवाज़ उठाना इस्लाम पर आक्रमण करने के बराबर है।

उपर्युक्त विचार-धारा के साथ यह और भी दिलचस्पी से देखा जा रहा है कि जब मुस्लिम राज्यों की हिन्दू प्रजा के पक्ष में आवाज़ उठाई जाए, तो इन अख़बारों की नज़रों में वह अपराध है और ख़ुद ये लोग इन मुस्लिम नरेशों के अत्याचारों का वर्णन करें तो वह पुण्य (सवाब) है। उनके चाल-चलन पर आक्रमण करें तो वह उचित, और उनको गालियाँ दें तो भलमनसाहत है। बहुत दिन हुए एक मुस्लिम अख़बार ने टोंक के नवाब की बदचलनियों का ऐसा परदाफ़ाश किया कि नवाब को उस पर मुक़दमा चलाना पड़ा। और आधे दर्जन से अधिक अख़बार वर्तमान नवाब के ज़ालिम, सौतेली माता के साथ दुराचार करने वाला, नापाक, सुअर, डाकू और मक्कार आदि होने का इलज़ाम लगाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई अमुसलमान अख़बार मुसलमान नरेशों को बेपरदा करे तो वह अपराधी है और अगर मुस्लिम अख़बार उसकी पगड़ी उछाले तो वह बिल्कुल उचित है।

हम मुस्लिम अख़बारों से पूछते हैं कि क्या यह न्यायपरता और ईमानदारी है ?

—रियासत (दिल्ली)

❀ ❀ ❀

काश्मीर में मुग़ल-राज्य

आज काश्मीर से जो समाचार आए हैं, उनमें यदि कुछ सत्यता है, तो हमें कहना चाहिए कि एक बार फिर काश्मीर में मुग़लों की वह स्पिरिट आ गई है, जिसके वशवर्त्ती होकर मुग़ल बादशाहों ने हिन्दू-तीर्थों, हिन्दू-मन्दिरों और हिन्दुओं के पवित्र स्थानों को मटियामेट कर डाला था अथवा उन पर अधिकार करके उन्हें अपवित्र कर डाला था। आज भी श्रीनगर से आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमान श्री० शङ्कराचार्य के मन्दिर और पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। अनन्त-नाग के बड़े सोते पर क़ब्ज़ा करने का षड्यन्त्र हो रहा है। इसी तरह काली-मन्दिर पर भी छापा मारा जाएगा और दूसरे हिन्दू-मन्दिरों पर भी क़ब्ज़ा किया जायगा। यही नहीं, बल्कि अब तो काश्मीर के मुसलमानों ने हिन्दुओं के प्राइवेट मकानों पर भी जबरन अधिकार जमा लेने की साज़िश आरम्भ कर दी है। एक प्रतिष्ठित वकील के मकान पर कई मुसलमान चढ़ दौड़े और यह कहते हुए कि यहाँ हमारा कोई मज़ार था, उस पर क़ब्ज़ा करना चाहा। आख़िर यह सब क्या हो रहा है ? काश्मीर में हिन्दू-राज्य है या मुग़ल-राज्य ? इन ख़बरों का तो साफ़ अर्थ यह है कि काश्मीरी मुसलमानों ने क़ानून को अपने हाथ में ले लिया है और वे जहाँ चाहते हैं, अपनी अधिकता के घमण्ड में आकर धावा बोल देते हैं। प्रजा पर अत्याचार करना बहुत बुरा है, परन्तु प्रजा के बहु-संख्यक दल को अल्प संख्यकों पर अत्याचार करने देना और भी बुरा है। अवस्था ऐसी शोचनीय हो गई है कि अब हिन्दुस्तान के हिन्दुओं का चुपचाप बैठे रहना आत्म-हत्या करने के तुल्य होगा। इस शोचनीय अवस्था में भारत के अट्ठाईस करोड़ हिन्दुओं का कर्तव्य है कि वे अपने काश्मीरी हिन्दू-भाइयों को इन अत्याचारों से बचाने की चेष्टा करें। और अगर काश्मीर के हिन्दू अपने धर्मस्थानों की रक्षा नहीं कर सकते, तो भारत के हिन्दू वहाँ पहुँच कर उनकी रक्षा करें। रियासत की वर्तमान सरकार को मुसलमानों ने अपाहिज बना डाला है, इसलिए न उसको कोसने की आवश्यकता है और न उससे कोई आशा रखने की। अगर हिन्दू स्वयं अपने धर्म-स्थानों की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।

—उर्दू मिलाप (लाहौर)

* * *

भयङ्कर षड्यन्त्र

वस्तुतः काश्मीर के विरुद्ध मुसलमानों ने जो आन्दोलन किया है और जिस ढङ्ग से किया है, सारे ऐङ्गलो-इण्डियन पत्रों ने इसका जिस तरह समर्थन किया है, इसके सम्बन्ध में सरकार की अब तक जो नीति रही है, इन सब बातों पर अलग-अलग और एक साथ विचार कर देखने से कहना ही पड़ता है कि यह एक व्यापक आन्दोलन का अङ्ग-मात्र है और बड़े-बड़े मुस्लिम नेता इसमें लिप्त हैं। एक ओर तो यह मुस्लिम योजना का अङ्ग है, जिसके अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत पर इस्लामी राज्य क़ायम करना आजकल की मुस्लिम-नीति का अङ्ग हो गया है। सिन्ध को पृथक् प्रान्त बनाना भी इसी नीति का दूसरा अङ्ग है। अब तक वे सब बातें सिर्फ़ ख़्याली समझी जाती थीं, पर काश्मीर पर जो आक्रमण किया गया है और उसे जिस ओर से सहायता मिली है, इसका विचार राष्ट्रीय भारत को और विशेषकर हिन्दू-संसार को अस्थिर किए बिना नहीं रह सकता। सम्प्रदायवाद और विशेषतः "पैन-इस्लाम" अब तक एक हौआ था, अब वह ऐसी बला हो गई है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न केवल काश्मीर का ही नहीं, समस्त देशी राज्यों का है। महाराज बीकानेर ने बिना कारण इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। काश्मीर-नरेश महाराज हरिसिंह बिना कारण दिल्ली नहीं बुलाए गए। भीतर ही भीतर अवस्था बहुत ख़राब हो रही है। बीकानेर को धमकी दी जा चुकी है। ख़बर है कि जयपुर में भी जत्थे भेजने का विचार किया जा रहा है। राजाओं को हम उनका कर्तव्य नहीं बता सकते, पर हमें मालूम हो रहा है कि चान्सलर नवाब भोपाल के भारत लौट आने पर नरेन्द्र-मण्डल की कार्य-समिति को इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न एक-दो राज्यों का नहीं, सब राज्यों का है। कोई मूर्ख ही यह समझ कर सन्तोष मान सकता है कि सिर्फ़ कुछ हिन्दू राज्यों के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है। भाव स्पष्ट हो गया है और निश्चय ही मुस्लिम राज्यों पर भी इसी तरह के हमले किए जायँगे। अवश्य ही हिन्दुओं को ऐङ्गलो-इण्डियन पत्रों की सहायता न मिलेगी और सरकार भी उदासीन न रहेगी।

—आज (बनारस)

❀ ❀ ❀

ख़तरनाक नोटिस

भोपाल के नवाब, अपने शासन में व्यवस्था और सुधार लाने के लिए देश में काफ़ी कीर्ति पा चुके हैं। आज वे लन्दन में हैं; और उनकी ग़ैर-हाज़िरी में भोपाल में बुराइयाँ फैलाने के जो प्रयत्न चल रहे हैं, उसकी एक झलक इस नोटिस में मिलती है, जिसकी नक़ल हमारे एक गश्ती सम्वाददाता ने भोपाल से हमारे पास भेजी है :—

"बिसमिल्ला रहमान रहीम

"एलान नम्बर ४।

"बिरादरान इस्लाम ! क्या तुम्हारी रगों में हज़रत अली और हज़रत उमर का ख़ून बाक़ी नहीं रहा ? क्या ख़ुदा रसूल से तुम्हारा क़ल्ब ख़ाली हो गया, जो काश्मीरी मुसलमानों की कुत्तों जैसी मौत और काफ़िर हरीसिंह का चन्द मुरब्बा गज़ ज़मीन में बन्दगान इस्लाम को घेर-घेर कर जलवाया जाना पढ़ व सुन कर भी ख़्वाब ग़फ़लत में मख़मूर हो ? क्या इस्लाम की आइन्दा नमूद के यही आसार हैं ? काश्मीर जैसे अफ़सोसनाक वाक़यात सुन कर भी तुम्हारे कानों पर जूँ तक न रेंगी। यह बुज़दिलापन और कमज़ोरी कहाँ से आ घुसी ?

"मुसलमानो ! शर्म, शर्म ! बड़े शर्म की बात है कि तुम अन्जुमन नसरते इस्लाम को सिर्फ़ चन्द हज़ार रुपया भेज कर ख़ामोश हो गए, तुमको चाहिए कि सन्दूक़ें फिरा-फिरा कर चन्दा जमा करो और ज़्यादा से ज़्यादा रक़म भेज कर सवाब कमाओ। क्योंकि अब क़ाफ़िरों का दायरा-शरारत शुद्धि से बढ़ कर काश्मीरी हिन्दुओं की इमदाद तक वसीह हो गया है; इसलिए हमारी अन्जुमन ने काफ़िर हरीसिंह और दीगर कुफ़्फ़ार को जहन्नुम-रसीद कर, दुनिया को निजात दिलाने का तहैया कर दिया है। चूँकि हस्ब ज़ैल कुफ़्फ़ार हमारी तरक़्क़ी-राह में रोड़े बने हैं, इसलिए हमने उनको मौत के घाट उतारने का मुसम्मिम इरादा कर लिया है। राजा अवधनारायण, पं० प्रेमनारायण, शिवनारायण वैद्य, मुश्कराज बृजमोहनदास।

सेक्रेटरी, अन्जुमन—औरङ्गज़ेब, भोपाल।"

हम भोपाल में उदार प्रजा-प्रिय नवाब साहब का राज्य मानते हैं। परन्तु यह देख कर दुखी हैं कि वहाँ औरङ्गज़ेबी जमाअत काम कर रही है। हमें भय है कि इस तरह का साम्प्रदायिक पागलपन कहीं भोपाल पर सङ्कट बरसाने का कारण न हो। पञ्जाब के कुछ मुसलमानों का पागलपन ही, भोपाल और हैदराबाद के लिए सङ्कटों का काफ़ी आमन्त्रण था, तिस पर अब अन्जुमन औरङ्गज़ेब काम करने लगी ! यदि भोपाल का शासन ऐसी जमाअतों को अपने लिए भूषण समझता है, तो फिर हमें कुछ भी नहीं कहना।

—कर्मवीर (खण्डवा)

* * *



भविष्य

१४ दिसम्बर, सन् १९३१

रोग की जड़

संयुक्त-प्रान्त में इस समय बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। अनाज के सस्ते हो जाने और कितने ही स्थानों में फ़सल के ख़राब हो जाने के कारण, किसानों की आर्थिक दशा सदा की अपेक्षा भी बहुत अधिक ख़राब हो रही है। इन लोगों ने और उनकी तरफ़ से कॉङ्ग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि लगान केवल उतना लिया जाय, जितना कि किसान वास्तव में दे सकते हैं। सरकार ने भी आर्थिक दशा की ख़राबी को माना और लगान में कुछ कमी की। पर जनता ने उसे काफ़ी न समझा। इससे दोनों दलों में मतभेद हुआ, वादविवाद होने लगा और अन्त में यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि किसान तथा कॉङ्ग्रेस लगान-बन्दी की तैयारी करने लगे और सरकार अपनी पुलिस तथा सेना को तैयार करने लगी।

सरकार के पक्षपातियों का कहना है कि किसानों की दुरवस्था की बात को कॉङ्ग्रेस ने जानबूझ कर तूल दिया है, ताकि इसके बहाने उसे आन्दोलन उठाने का बहाना मिल जाय और किसानों की एक बड़ी संख्या उसके झण्डे के नीचे खड़े होकर लड़ने को तैयार हो जाय। क्योंकि यह प्रकट है कि साधारण जनता आर्थिक प्रश्न पर, जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो, जितनी जल्दी और जितनी दृढ़ता से उठ सकती है, उतनी दूसरे उपाय से नहीं।

अभी इस आन्दोलन का श्रीगणेश ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि यह कहाँ तक सफल अथवा असफल होगा, असम्भव है। इसके सिवाय म० गाँधी ने इङ्गलैण्ड के शासकों को झुकाने का जो प्रयत्न किया है तथा प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड तथा भारत-मन्त्री मि० सैमुअल होर ने चलते समय उनसे जो बातचीत की है, उसके फल से सम्भव है कि अभी परिस्थिति में कोई नया परिवर्तन हो और यह आन्दोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाय। इसलिए इस बात का ख़्याल छोड़ कर कि यह आन्दोलन कब तक क़ायम रहेगा और इसका क्या फल होगा, हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि वास्तव में इसमें कितनी सचाई है और इसका मूल कारण क्या है।

सबसे पहली बात तो हम यह कहना चाहते हैं कि किसानों की दुरवस्था का कारण किसी विशेष व्यक्ति का अथवा इस प्रान्त वालों का कोई दोष नहीं है। वरन् यह अवस्था संसार-व्यापी समस्या का अङ्ग है और संसार-व्यापी कारणों द्वारा ही उत्पन्न हुई है। इस समय संयुक्त-प्रान्त अथवा भारत में ही आर्थिक हलचल नहीं फैली है, वरन् संसार के सब देशों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि इङ्गलैण्ड जैसे धनिक देश को अपने यहाँ सोने के सिक्के का प्रचार रोकना पड़ा और बाहरी माल पर १०० प्रति सैकड़ा कर लगाना पड़ा। यह याद रखना चाहिए कि इङ्गलैण्ड सदा से मुक्त-वाणिज्य का सबसे बड़ा पक्षपाती था और कई वर्षों से चेष्टा होने पर भी वहाँ विदेशी माल पर चुङ्गी का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सका था। पर संसार-व्यापी विकट अवस्था ने उसका भी आसन हिला दिया और उसे उस कार्य के लिए लाचार कर दिया, जिसे वह बहुत वर्षों से छोड़ चुका था। अमेरिका, फ़्रान्स आदि अन्य देश भी, जिनमें सोने का भण्डार भरा हुआ है और जहाँ एक-एक व्यक्ति के पास अरबों की सम्पत्ति है, अपनी रक्षा के लिए ऐसे ही उपायों का अवलम्बन कर रहे हैं। ऐसी दशा में अगर भारत के समान ग़रीब देश उस आर्थिक समस्या के असर से व्याकुल हो जाय और उससे परित्राण पाने के लिए छटपटाने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

इस आर्थिक हलचल का कारण क्या है, इस पर लोग तरह-तरह की सम्मतियाँ प्रकट करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकांश साधारण पढ़े-लिखे व्यक्ति लक्षण को ही कारण समझ बैठे हैं। उनकी राय में अनाज का सस्ता हो जाना या बेकारी का बढ़ जाना ही इस हलचल का कारण है। पर ये असल में रोग के लक्षण हैं, उसका कारण कुछ और ही है।

इस हलचल का मूल कारण वर्तमान युग का पूँजीवाद है। उसके फल से संसार की सम्पत्ति जनता के पास से निकल कर कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों और बैङ्कों के मालिकों के पास इकट्ठी हो गई है। आजकल की एक मशहूर कहावत है कि 'रुपए से रुपया कमाया जाता है।' जब कि न्यायोचित नियम यह होना चाहिए था कि मेहनत द्वारा रुपया उपार्जन किया जाय, तब आजकल यह देखने में आता है कि अगर एक व्यक्ति किसी कारबार में कहीं से प्राप्त करके दस-बीस लाख रुपया लगा दे, तो वह बिना हाथ-पैर हिलाए तथा दिमाग़ी मिहनत किए बैठा हुआ हर तरह के ऐश-आराम भोग सकता है और साथ ही उसके धन का परिमाण भी बढ़ता जाता है। सुनने में यह बात बड़ी अद्भुत मालूम पड़ती है कि एक चीज़ को ख़र्च किया जाय, पर वह घटने के बजाय उल्टी बढ़ती रहे। पर पूँजीवाद ने इस असम्भव को सम्भव करके दिखला दिया है और इस प्रकृति-विरुद्ध प्रथा के फल से ही संसार भर में आर्थिक हलचल मचती रहती है।

जब कारख़ाने वाले बड़े-बड़े व्यापारी तथा ज़मीन और खानों के मालिक आदि अपने मूलधन के द्वारा लाभ उठा कर धन को जनता के पास से खींचते चले जाते हैं, तो अन्त में एक दिन ऐसा आता है कि लोगों के पास आवश्यक चीज़ें, जैसे अन्न-वस्त्र आदि ख़रीदने के लिए भी काफ़ी पैसा नहीं रहता। इसलिए चीज़ों की बिक्री घट जाती है और ग्राहकों की कमी से वे सस्ती हो जाती हैं। उधर कारख़ानों के मालिक आदि जब देखते हैं कि चीज़ों की बिक्री नहीं होती और उनके गोदाम भरते चले जाते हैं, तो वे कारबार को ढीला कर देते हैं या बिल्कुल स्थगित कर देते हैं। इसके फल से और भी अनेक लोग बेकार हो जाते हैं और जनता की आमदनी पहले से भी कम हो जाती है। अन्त में दशा यह हो जाती है कि जनता तो कहती है कि अगर हमको काम करने को मिले और उसकी मज़दूरी अथवा वेतन पाएँ, तो हम माल को ख़रीदें और पूँजीपति कहते हैं कि जब हमारा माल बिक जाय और गोदाम ख़ाली हो जायँ तो हम लोगों को नौकर रक्खें तथा नया माल तैयार कराएँ। इस तरह स्थिति जहाँ की तहाँ रुकी रहती है और दिन पर दिन जनता के कष्ट बढ़ते जाते हैं। चीज़ों का भाव बेहद सस्ता कर दिया जाता है, पर रुपए की कमी से लोग पहले की अपेक्षा आधा चौथाई माल भी नहीं ख़रीद सकते।

यही आजकल भारत में फैली हुई बेकारी और आर्थिक हलचल का कारण है। संसार भर के पूँजी-पतियों की प्रतियोगिता के कारण चीज़ों का दाम सस्ता होता जाता है और उसके फल-स्वरूप अन्न भी सस्ता बेचना पड़ता है। इधर बेकारी से बहुसंख्यक लोग उस भाव में भी उसे नहीं ख़रीद सकते और इसलिए कितना ही अन्न बिक भी नहीं सकता। इसलिए किसानों की आमदनी बहुत घट जाती है और वे अपना लगान चुका सकने में असमर्थ हो जाते हैं।

इन बातों से स्पष्ट है कि किसानों की इस समय जो दुर्दशा हो रही है, उसका कारण वे आप नहीं हैं, वरन् संसार-व्यापी कारणों का फल उनको भुगतना पड़ रहा है। दो-तीन वर्षों से देश में यही दशा हो रही है और उसके फल से किसानों का एक-एक बूँद रक्त बहा जा रहा है। इस परिस्थिति का असली उपाय तो पूँजीवाद का अन्त होना ही है, पर वह सर्वसाधारण की शक्ति से बाहर है और न किसी एक देश की सरकार ही उसका प्रबन्ध कर सकती है। पर सरकार यह अवश्य कर सकती है कि आर्थिक हलचल के कारण उसे जो हानि उठानी पड़ती है या उसके काम में जो अड़चन पड़ती है, उसका भार वह ग़रीबों पर न डाल कर धनवानों पर ही डाले। अगर सरकार इस परिस्थिति में ऐसी नीति अख़्तियार कर ले कि किसानों की पैदावार में से चौथाई या तिहाई हिस्सा माल या उसकी क़ीमत लेकर उनको मुक्त कर दे, तो यह न्यायोचित मार्ग समझा जायगा और इससे किसानों के पास अपने पेट भरने के लिए भी कुछ बच जायगा। पुराने ज़माने में, जिसे आजकल अर्द्ध-सभ्य काल के नाम से पुकारा जाता है, बादशाह और राजागण इसी तरीक़े से काम लेते थे और इसके फल से उनकी प्रजा खाने-पहिनने की निगाह से अब की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी रहती थी। पर आजकल के अधिकारी केवल शासन ही नहीं करते, वरन् बनियों का काम भी करते हैं, और इसीलिए जनता दिन पर दिन भूखी और नङ्गी बनती चली जाती है।

* * *

मि० लॉयड जॉर्ज की भविष्यवाणी

एक समय मि० लॉयड जॉर्ज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक माने जाते थे और यूरोपीय महा-युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की जीत का सेहरा उन्हीं के सर पर बाँधा गया था। आजकल समय के फेर से उनकी वह शान नहीं है और वह इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट में एक छोटे से दल के नेता हैं। तो भी लोगों को उनकी राज-

नीतिज्ञता और विद्वत्ता में सन्देह नहीं है और उनकी बातें सब देशों में ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं। विलायत में म० गाँधी आप से मिले थे और दोनों में भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुई थीं। अब ये ही लॉयड जार्ज लङ्का जाते हुए एक दिन के लिए बम्बई ठहरे थे और वहाँ के कॉरपोरेशन के स्वागत के उत्तर में आपने एक भाषण दिया था। उसमें आपने म० गाँधी में बहुत-कुछ श्रद्धा और विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि मैं भारत की स्वाधीनता का अभिनन्दन करता हूँ और यदि भारतवासी ग्रेट-ब्रिटेन के सामने संयुक्त रूप से माँगें पेश करेंगे, तो वह उससे इन्कार नहीं कर सकेगा। आपने यह भी कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स दो बार असफल हो चुकी है, तीसरी बार वह सफलता प्राप्त करेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय मि० लॉयड जॉर्ज इङ्गलैण्ड के शासन के कर्ताधर्ता थे, वे भी वर्तमान शासकों की तरह उस पर फ़ौलादी पञ्जे से हुकूमत करने का दम भरते थे, पर आज वे सरकार के विरोधी दल के नेता हैं और उन्हें उसके विरुद्ध बात कहने में कोई चिन्ता नहीं है। हम मि० लॉयड जॉर्ज के इस परिवर्तन को स्वाभाविक समझते हैं और हमारा अनुमान है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस देश की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करके ही कहा है। राजनीतिक दृष्टि में वे उन चिकित्साशास्त्र के आचार्यों की तरह हैं जो रोगी की शकल देखते ही या उसकी नब्ज़ छूते ही रोग का निदान और इलाज जान लेते हैं। उन्होंने भारत की तीसरी राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स द्वारा स्वराज्य मिलने का जो अनुमान लगाया है, उसका सत्य सिद्ध होना असम्भव नहीं है। लक्षणों को देखने से यही जान पड़ता है कि सरकार एक बार अपनी पूरी ताक़त लगा कर दमन करेगी और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने की चेष्टा करेगी। इस अवसर पर यदि भारतवासियों ने इस सङ्कट का मुक़ाबला संयुक्त भाव से किया और अपनी सङ्घ-शक्ति के बल से यदि वे सरकारी दमन को सह सके, तो फिर इङ्गलैण्ड के लिए इसके सिवाय कोई रास्ता ही न रहेगा कि वह भारतवासियों की माँगों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले।

❀ ❀ ❀

पुरी कॉङ्ग्रेस में अड़ङ्गा

मालूम नहीं कि पुरी के तीर्थ-स्थान होने से वहाँ के अधिकारी तथा पुलिस अधिक उद्दण्ड, शक्तिशाली और राजनीतिक ज्ञान से शून्य हैं अथवा उच्च अधिकारियों ने उनको गुप्त रूप से कुछ इशारा कर दिया है, जिसके फल-स्वरूप वे पुरी-कॉङ्ग्रेस की तैयारी में शुरू से ही झञ्झट पैदा कर रहे हैं। आज तक कॉङ्ग्रेस के ४५ अधिवेशन हुए हैं और वे सब भारत के बड़े से बड़े नगरों में किए गए थे, पर किसी स्थान के अधिकारियों ने कॉङ्ग्रेस के प्रति ऐसा भाव प्रकट नहीं किया, जैसा कि पुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि दिखला रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वालण्टियरों को क़तार बना कर और लाठियाँ लेकर रास्ते में होकर निकलने से रोका। इस हुक्म को वालण्टियरों ने मान लिया। इसके बाद ही पुलिस सुप० ने एक दूसरा हुक्म निकाल कर सब प्रकार के जुलूसों और जमातों का सार्वजनिक रास्तों में होकर गुज़रना रोक दिया। इन हुक्मों के निकलने से पहले ही पुरी के वालण्टियर एक लम्बे 'मार्च' पर चले गए थे। जब वे वापस लौटे तो रायफल और लाठियों से लैस १०० कॉन्स्टेबिलों ने उनको रास्ते में रोक लिया और हिरासत में ले लिया। बाद में उनके नेता के सिवाय बाक़ी छोड़ दिए गए। तब से पुरी के अधिकारी दो या तीन वालण्टियरों के एक साथ चलने पर भी आपत्ति करते हैं और हथियारबन्द पुलिस उनके कैम्प की निगरानी करती है। शहर में डुग्गी पिटवा दी गई है कि जनता कॉङ्ग्रेस की सभाओं और जुलूसों में भाग न ले और न कॉङ्ग्रेस के साथ किसी तरह का वास्ता रक्खे। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा देकर कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों को कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के प्रबन्ध में सहायता देने से भी रोक दिया था। इन सब बातों से लोगों का अनुमान है कि पुरी के अधिकारी कॉङ्ग्रेस के आगामी अधिवेशन में बाधा डालना चाहते हैं और उसीके लिए इस तरह की पेशबन्दी कर रहे हैं। श्री० जवाहरलाल नेहरू ने कॉङ्ग्रेस के सेक्रेटरी और वालण्टियर दल के एक प्रधान नेता की हैसियत से इस प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि यह कॉङ्ग्रेसमैनों और वालण्टियरों को जान-बूझ कर भड़काना है। हमको भी आश्चर्य है कि आख़िर पुरी में क्या विशेषता है, जो वहाँ यह नई कार्रवाई की जा रही है। इस तरह वालण्टियरों की शिक्षा और क़वायद-परेड प्रत्येक कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के पहले होती है और उसका इतना ही उद्देश्य होता है कि वालण्टियर सुशिक्षित तथा सुसङ्गठित होकर अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधि तथा दर्शकों और भीड़ का यथोचित प्रबन्ध कर सकें। यह सच है कि कॉङ्ग्रेस इस समय स्वराज्य के लिए सरकार के विरुद्ध आन्दोलन कर रही है और पुरी-कॉङ्ग्रेस में भी सम्भव है कुछ ऐसे ही प्रस्ताव पास हों, पर इसके कारण वालण्टियरों से छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है अथवा इस कार्य को किस तरह सम्मानयुक्त कहा जा सकता है? यह तो कहा नहीं जा सकता कि वे वालण्टियर सरकारी फ़ौजों का मुक़ाबला करने के लिए क़वायद-परेड करते हैं अथवा वे लाठियों के द्वारा अङ्गरेज़ी राज्य को छीन लेंगे। वालण्टियरों के इस प्रकार के दल प्रत्येक शहर में क़ायम हैं और हर जगह उनके जुलूस आदि निकलते हैं। ऐसी हालत में, और जब कि भारतीय नेताओं तथा लन्दन के ब्रिटिश अधिकारियों में समझौते की बातें चल रही हैं, वालण्टियरों की क़वायद-परेड में बाधा डालना अथवा लाठियाँ लेकर निकलने में आपत्ति करना निस्सन्देह सरकारी अधिकारियों के अन्याय और साथ ही बुद्धिहीनता का द्योतक है।

❀ ❀ ❀

बङ्गाल में बॉयकॉट

बङ्गाल ने फिर उसी शस्त्र का सहारा लिया है, जिसके द्वारा उसने सन् १९०५ में अपने ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिकार किया था। उस बार जब लॉर्ड कर्ज़न ने पाँच करोड़ बङ्गालियों की प्रार्थना को ठुकरा कर पूर्वी और पश्चिमी बङ्गाल को अलग-अलग प्रान्त बना दिया तो बङ्गालियों ने दृढ़-प्रतिज्ञ होकर ज़ोर-शोर से अङ्गरेज़ी माल का बॉयकॉट किया और इसके फल-स्वरूप छः-सात वर्ष में ही सरकार को अपना निर्णय रद करना पड़ा। इस बार भी सरकार बङ्गाली जनता की पुकार पर ध्यान न देकर एक के बाद दूसरा दमनकारी क़ानून बना कर उस प्रान्त के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबा डालना चाहती है तथा उसने वहाँ के नवयुवकों को एक बड़ी संख्या में बिना विचार के बन्द कर रक्खा है, जिसके कारण हज़ारों परिवारों को भयङ्कर कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब नए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के कारण इस परिस्थिति के अत्यन्त भयङ्कर रूप धारण करने की सम्भावना प्रतीत हो रही है। साथ ही हिजली, चटगाँव और ढाका में निर्दोष व्यक्तियों पर जो अत्याचार किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार ने दोषी कर्मचारियों को प्रकट रूप में अब तक कोई दण्ड नहीं दिया। इन सब बातों से व्यथित होकर बङ्गाल-निवासियों ने समझ लिया है कि इन बातों का तब तक कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, जब तक वे इसके विरुद्ध सङ्गठनपूर्वक आन्दोलन न करें और उसके फल-स्वरूप जो कुछ कष्ट सर पर आवें, उनको शान्तिपूर्वक सहने को तैयार न हों। उन्होंने बरहमपुर में होने वाली बङ्गाल-कॉन्फ्रेन्स में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका तात्पर्य सब तरह के अङ्गरेज़ी माल, अङ्गरेज़ों द्वारा सञ्चालित बैङ्कों, बीमा कम्पनियों और जहाज़ी कम्पनियों, विदेशी वस्त्र और शराब तथा दूसरी नशीली चीज़ों का बॉयकॉट करना है। इसके सिवाय कॉन्फ्रेन्स ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी किया है कि अन्य चीज़ों की तरह अङ्गरेज़ों द्वारा सञ्चालित अख़बारों का भी बॉयकॉट किया जाय। क्योंकि ये भारतीयों की स्वराज्य-आकांक्षा के सबसे बड़े विरोधी हैं और ये ही प्रायः सरकार को दमनकारी उपायों से काम लेने के लिए भड़काया करते हैं। सच पूछा जाय तो जनता और सरकार के वैमनस्य के एक बड़े कारण ये पत्र भी हैं। कॉन्फ्रेन्स ने बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी से प्रार्थना की है कि वह इस सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी तथा ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करे और आन्दोलन आरम्भ करने की चेष्टा करे। इसमें सन्देह नहीं कि कॉन्फ्रेन्स ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्णय किया और यदि वह कार्यरूप में परिणत हो सका तो दमन के पक्षपातियों और समर्थकों को शीघ्र ही अपनी करनी पर पश्चात्ताप होने लगेगा। वर्तमान युग में आर्थिक चोट शारीरिक चोट की अपेक्षा कहीं अधिक भयङ्कर सिद्ध हो चुकी है और यह उपाय भी ऐसा है, जिसमें क़ानून द्वारा अथवा सरकारी कोप के कारण कुछ बाधा भी नहीं पड़ सकती। सरकार ज़बर्दस्ती किसी को किसी विशेष देश का माल ख़रीदने के लिए विवश नहीं कर सकती। यदि लोग निजी तौर से समझाने के द्वारा इस तरह के बॉयकॉट की आवश्यकता को समझ जायँ और उसके अनुसार आचरण करने लगें, तो हमारी समझ में प्रत्यक्ष पिकेटिङ्ग की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उस समय बॉयकॉट का प्रचार व्याख्यानों, पर्चों और घर-घर प्रचार द्वारा ही हो सकेगा। इस समय स्वदेशी माल भी इतनी तरह का और इतनी मात्रा में बनने लगा है कि विलायती माल के बिना देश का काम मज़े में चल सकेगा। इस उपाय से सरकार कुछ ही दिनों में झुकाई जा सकती है और तब उसे लाचार होकर जनता की इच्छा को पूर्ण करना होगा।

❀ ❀ ❀

—कलकत्ता पुलिस कोर्ट में मिसेज़ रैशल नाम की स्त्री ने वकालत करने की आज्ञा प्राप्त की है।

—सर चुन्नीलाल मेहता की अध्यक्षता में बम्बई प्रान्त के कितने ही व्यवसायियों का एक डेपुटेशन वायसरॉय से मिला और उनसे अदन के भावी शासन के सम्बन्ध में बातचीत की। डेपुटेशन के मत से अदन का बम्बई के साथ ही रखना आवश्यकीय है। डेपुटेशन में दो प्रतिनिधि अदन के भी थे।

—बनारस में जनवरी के पहले सप्ताह में एक स्वदेशी प्रदर्शिनी खोलने का विचार किया गया है जिसमें रासायनिक, यन्त्र विद्या-सम्बन्धी शिल्प-कृषि और बाग़बानी की वस्तुएँ प्रदर्शित की जायँगी। इस अवसर पर एक सङ्गठित कॉन्फ्रेन्स का भी आयोजन किया गया है।



पाप का फल

[श्री० क्रान्तिकुमार जैन]

वह हाट के बीचोंबीच खड़ी थी। दोनों ओर दूकानों की क्रमबद्ध श्रेणियाँ दूर तक चली गई थीं। पास ही पटरियों पर जहाँ-तहाँ भीड़ थी। उस भीड़ में कुछ सभ्य, कुछ दुष्ट, कुछ दिखाऊ और कुछ उच्च परिस्थिति के पुरुष थे—वे थे दर्शक, जो अपनी एकाग्र-दृष्टि से कुछ देख रहे थे। न जाने क्या?

मैं बड़ी देर तक उस गोलाकार खड़ी हुई स्त्री-पुरुषों की भीड़ के आस-पास घूमता रहा। परन्तु भीतर का कुछ भी भेद मेरी समझ में नहीं आया। अन्त में विवश हो, एक बन्द दूकान की छाया में बैठ गया और उस भीड़ के हटने पर, उस रहस्य से परिचित होने की उत्कण्ठा लेकर, उसे देखने लगा।

मेरे आगे एक ऐसा विषय था, जिसे मैं जितना अधिक सोचता था, उतना ही और उसमें उलझता जाता था। मेरे जीवन में पहली बार आने वाली यही समस्या थी?

मैं सोचता रहा, भीड़ खड़ी रही।

"रबड़ी-मलाई का बरफ़!"—एक ठिगने-क़द का दुबला-पतला आदमी, बग़ल में पेटी दबाए, चिल्लाता हुआ निकला—"पिस्ते बादाम वाली।"

उस समय कुछ खाने की न तो मुझे आवश्यकता ही थी और न इच्छा। परन्तु अपनी विचार-धारा के पटाक्षेप के लिए—उत्सुकता से, इच्छा से, लज्जा से और प्रसन्नता से छटाँक भर बर्फ़ तोलने की मैंने उसे आज्ञा दी।

फिर मैंने पूछा—यहाँ, यह भीड़ क्यों है?

परन्तु मुझे मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। सम्भव है, वह मेरे इस प्रश्न को सुन न सका हो।

"लो, बाबू!" उसने बर्फ़ का पत्ता मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा।

बर्फ़ तो मैंने ले ली, किन्तु तुरन्त पैसे इसलिए नहीं दिए, कि मैं उसे कुछ देर रोक कर, इस भीड़ के सम्बन्ध में कोई बात पूछूँ, अथवा उसका कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त करूँ। सच तो यह था कि इसी के लिए मैंने उससे बर्फ़ ली थी।

उसके बोलने से पहिले ही मैं बोला—जानते हो?

"क्या बाबू!"

"यहाँ यह भीड़ कैसी है?"

"आख़िर बाज़ार ठहरा। बाज़ार में भीड़ तो होती ही है।"

मैंने समझा, वह कुछ छिपा रहा है। इसलिए उसके उत्तर पर कुछ ध्यान न देकर, बात बदल कर मैंने फिर कहा—वहां, सामने देखो, जहाँ वह आदमी सिर पर टोकरा लिए खड़ा है।

"हाँ-हाँ, ठीक अब समझा।" उसने उँगली से सङ्केत करके कहा—"यही न?"

"हाँ।"

"यह तो वही पगली है, आप नहीं जानते?"

"नहीं!"

"कहीं बाहर से आए हैं क्या?"

"नहीं, रहने वाला तो यहीं का हूँ। लेकिन, इधर ज़रा कम आता हूँ।"—मेरे सङ्कोच का बाँध टूट गया।

"यह तो रोज़ इसी तरह यहाँ बैठा करती है।"

"क्यों?"—मैंने आग्रह से पूछा।

"यह अब उसी से पूछिएगा! मुझे देर होगी। पैसे दे दीजिए।"

"बैठो, चले जाना।"

"बरफ़ गल जाएगी। उल्टा घाटा हो जाएगा बाबू! आप जल्दी मेहरबानी करें।" उसने यह ऐसा प्रश्न किया, जिसके आगे मुझसे कोई उत्तर न बना। रुपया उसे दिया। बाक़ी पैसे देकर वह चला गया।

अब भीड़ धीरे-धीरे हटने लगी थी और मैं अटल भाव से बैठा, भीड़ वालों के वहाँ से चले जाने की राह देख रहा था!

जब सब चले गए, तब मैं उठ कर वहाँ गया। देखा, मैले चिथड़ों से लिपटी हुई एक तरुणी बैठी थी। उसकी गोद में प्रायः तीन मास का एक बच्चा था, जिसे वह छाती से लगाए थी। उसका शरीर काँप रहा था, मानो दुर्दिन की भयावनी आशङ्का से उसका कलेजा धड़क रहा हो। एक सरल और करुण आकृति में वह अपने जीवन के सम्पूर्ण सौन्दर्य को समेटे शान्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रा से अपने बच्चे के सूखे ओठों को देख रही थी।

मैं आगे बढ़ा। उसने एक दृष्टि में मुझे और दूसरी में मेरे सतृष्ण हृदय को देखा। फिर मुँह फेर कर धीरे-धीरे बड़ी वेदना भरी ध्वनि में बोली—बाबू जी, ईश्वर के नाम पर मुझे दो पैसे दे दो।"

"क्यों........?"

"कई दिन से बच्चे को दूध नहीं मिला। आज चौथा दिन है, जब देवी के मन्दिर से प्रसाद के रूप में घूँट भर दूध लाई थी और रूई का फाया भिगो कर अभागे के ओंठ गीले कर दिए थे। अब......!"

इतना कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू आ गए! उन आँसुओं की बूँद-बूँद में मैंने उसके असीम और अज्ञात भाग्य को क्षीण और मलिन देखा।

"अपना परिचय दोगी?"

"संसार मुझे पगली कहता है। और यही मेरा परिचय है।"—उसने रुँधे हुए गले से कहा।

"तुम्हारे और कोई नहीं है?"

फटी चादर के खूँट से उसने अपनी आँखें पोंछीं। खखार कर गला साफ़ किया और बोली—आप, जा हैं।

मुझे आश्चर्य हुआ। एक निर्धन और मैली-कुचैली भिखारिणी ने इतनी ऊँची बात कैसे कह दी?

"कैसे.....?"

"दस वर्ष के बीते हुए जीवन में ऐसी बात केवल तुम्हीं ने आज पूछी।"

गोद के रोते हुए बच्चे को पुचकारती हुई वह फिर कहने लगी—बाबू जी, हज़ारों और लाखों मिले, बहुतों ने पैसे दिए, किसी ने समवेदना दिखाई और किसी ने गालियाँ और झिड़कियाँ सुनाईं! और यहाँ वाले आज पाँच दिन से जब मैं इस बच्चे को रोता देख कर हँसती हूँ, मुझे पगली कहने लगे हैं।

मेरी आँखें भर आईं। जेब से एक रुपया निकाल कर मैंने उसके आगे के फैले हुए कम्बल के टुकड़े पर फेंक दिया। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। हाथ की घड़ी में ग्यारह बज गए थे। दूसरे दिन पुनः मिलने का वचन देकर मैं चला आया।

२

बहिन न भाई, न बाप और न माँ, मेरे आज कोई नहीं है। वह घर-द्वार, जो कभी बाल-बच्चों से भरा-पूरा था, आज उसमें चिड़िया की चूँ भी सुनाई नहीं देती। हवा के सरसराते झोंके में दीवारों का नीरव-अट्टहास सुनते-सुनते जिस दिन जी ऊबा था, उस दिन से अब तक वहाँ पैर नहीं दिया। गाँव के दस-पाँच हमजोली हैं, तीन वर्षों के वियोग में भी उनके स्नेह में कमी नहीं आई है। महीने में दो-चार की चिट्ठियाँ आ जाती हैं, पर मेरा वहाँ जाने का जी नहीं होता।

यहाँ आरम्भ में स्वभाव-परिवर्तन तथा जल-वायु के कारण कुछ कष्ट अवश्य हुआ था। परन्तु अब, सब कुछ अनुकूल है। इतना अनुकूल कि अब घर को याद नहीं आती। फिर याद आए किसकी—घर-बार जो था है, यही तो है।

दो वर्ष पहिले, महीनों बेकार रहने के बाद, २०) की नौकरी मिली थी, वह भी दो मास से अधिक न चली। और ऐसा क्रम न जाने कितनी बार जीवन में आया है और आता रहेगा, इसे तो विधाता ही जानें।

साहित्य-सेवा मेरा जन्म-व्यसन है। अवकाश में कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। पढ़ते-पढ़ते ही आज इतना कल्पनाशील हो गया हूँ कि लोग मुझे पागल कहते हैं। सच है या झूठ? मैं दुखी हूँ और इस दुख में इस 'पागल' के कथन का मैं क्या अर्थ निकालूँ, कुछ समझ में नहीं आता। न कोई समझाता है, न पास आता है। पागलों के साथ सिर खपाने में कौन ख़ुश होगा!

नौकरी से महीने में ३०) मिल जाते हैं। चौक के परले-सिरे पर ६) महीने का नीला-नीला कमरा मेरे ही पास है। अकेला रहता हूँ, जिससे मेरी सुकुमार और नीरव कल्पना को कोई ठेस न लगे। आशा की मनोहारिणी थपकियों से पोस-पोस कर सुलाई हुई अतीत की दारुण-वेदना कहीं जग न पड़े।

उस पगली पर मुझे बड़ा तरस आता है। उसे न देखने से जी दुखता है, और देखने से आँखें दुखती हैं। दोनों की अनुपस्थिति में कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, कभी-कभी कल्पना का प्रकाश, उस अँधेरे में भी, मेरी आँखें खोल जाता है।... ....इस असार विश्व की लाञ्छना और भर्त्सना से मेरी कल्पना का साम्राज्य हिल भी तो नहीं सकता!

जिस दिन से उसे देखा है, बड़ा अन्तर आ गया है। परन्तु मैं चिन्ता नहीं करता, जब तक कल्पना का सौभाग्य सुरक्षित है।

कल जब अमावस्या के भय से चन्द्र-ज्योति प्रकट नहीं हुई थी, अँधेरा ही अँधेरा था। अँधेरे को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, परन्तु उसने मुझे देख लिया।

जब मैं उसकी खोज में उसके पास से होकर निकल गया था। वह बोली नहीं, देखती रही। न जाने क्या सोचा और क्या कर दिया, जो बच्चा चीख़ कर रो उठा। मैंने सुना और उल्टे पैरों लौट आया। पूछा—आज इसे दूध नहीं पिलाया, रुलाती क्यों हो?

"दूध के लिए नहीं रोता।"

"और........?"

"तुम्हें बुलाने के लिए रो उठा था। देखो न, तुम्हारे लौटते ही चुप हो गया।"—बच्चे की ओर सङ्केत करके उसने कहा।

मैंने चुटकी बजा कर बच्चे को पुचकारा। बच्चे ने मेरी ओर देखा और हँसा। मानो पगली का उज्ज्वल भविष्य हँस रहा हो।

पगली एकाग्र-दृष्टि से बड़ी देर तक मेरी ओर देखती रही। मेरी कल्पना का बाँध बँधा नहीं था। पगली के अक्षय-स्नेह की धार भी बँधी न थी। साथ ही बच्चे के फूल-से हाथ-पैर धनिकों के बच्चों की भाँति आभूषणों से बँधे नहीं थे।

उसी समय उस फैले हुए अँधेरे में पगली ने आँखें फैला कर मुझे देखा। पूछा—एक बात पूछूँ?

"पूछो!"

"आपका शुभ नाम?"

"पागल!"

पगली के अरुण अधरों पर मुस्कान की क्षीण रेखा छलक आई!

"क्यों?"—मैंने सङ्केत से कहा।

"तुम पागल हो तो मैं पगली हूँ!"

पगली ठठा कर हँस पड़ी और आप ही आप कहने लगी—कितना सुन्दर सम्बन्ध है! आज तुम्हारे घर चलूँगी। ऐसे मधुर सम्बन्ध के होते हुए हमें कुछ सङ्कोच नहीं करना चाहिए।

मुझे हँसी आई। उसमें मेरी अनुमति की छाप थी!

मैंने पूछा—कब?

वह बोली—जब कहो।

मैं बोला—जब चाहो!

उस फटी हुई चादर में उसने बच्चे को लपेटा और मेरे पीछे-पीछे चल दी।

३

"लखनऊ के अवधेशनारायण तिवारी का नाम आपने सुना होगा। बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हैं! लक्ष्मी की कृपा है, किसी बात की कमी नहीं। धन और सम्मान ने उनके अस्तित्व को उज्ज्वल कर दिया है, अथवा वे योंही प्रतिष्ठा के पात्र हैं, इसमें सन्देह है!"

"उनसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है?"—मैंने पूछा।

"वे, मुझ अभागी के पिता हैं।"

पगली एक दीर्घ-निश्वास लेकर कहने लगी—गुलाब की अधखिली कली में जितना अधिक आकर्षण होता है, उससे कई गुना अधिक आकर्षण मुझमें उस दिन था, जब मैं आठ बरस की थी। मेरे पिता मुझे पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि तीन किताबें छः वर्ष की अवस्था में मैंने घर पर ही पढ़ीं। बाद में दो वर्ष तक स्कूल जाती रही। फिर पढ़ना छोड़ दिया। और.........?

इसके बाद पगली रुकी। और छाती पर हाथ रख कर कुछ सोचने लगी। मानो किसी कठिन पीड़ा का अनुभव कर रही हो।

मैंने कहा—हाँ-हाँ, और......?

पगली कुछ देर चुप रही। फिर धीरे-धीरे बोली—योग्य पात्र न मिलने के कारण समय पर मेरा विवाह न हो पाया। परन्तु मेरे पिता-माता बहुतेरा सिर पटकने के बाद भी इस चिन्ता से निश्चिन्त नहीं हो गए थे। उन्हें खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते-प्रतिक्षण मेरे ब्याह की चिन्ता थी। एक बात कहती हूँ, पिता जी जातीय बन्धन के विरोधी नहीं थे। वे कट्टर सनातनी थे और थे, "अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी" की विषैली प्रथा के अनुयायी।

बहुत दिनों के पीछे, बड़े-बड़े दुख उठा चुकने के बाद, एक वृद्ध और कृषकाय वर के साथ मेरी ठहरौनी हो गई। यह वर का छठा ब्याह था और मेरा पहिला। पहिला और अन्तिम—दोनों! दोनों एक साथ। हाँ! पिता-माता के अनुचित लोभ ने, कुप्रथाओं के अग्नि-कुण्ड में मेरे सुकुमार सर्वस्व की आहुति दे दी। थोड़े से रुपयों के लोभ ने परम्परागत रूढ़ियों के द्वारा मेरा सङ्कल्प करा दिया! मेरा भाग्य?

वह दिन आया, जब मैं अपने पति की वामाङ्गिनी होकर मण्डप के नीचे पूरी गई चौक के कोने पर बैठी! परन्तु मेरे हृदय का, प्रेम, प्यार और भोग के लिए सैंता हुआ विस्तृत और ख़ाली कोना, उल्लास और लज्जा की मस्तानी गन्ध से फूला नहीं समाता था। वह सब कैसा था, क्या था, मैं नहीं जानती।

सब स्वप्न की तरह बीत गया। बाहर से आए निकट सम्बन्धी निमन्त्रण की भेंट-देकर विदा हुए। सारे घर में मेरे विवाह की दारुण-स्मृति प्रतिध्वनित 'हो-हो' चिल्लाने लगी। रो-धोकर मेरी भी विदाई हुई। पति के पास पालकी में बैठी अपने आशातीत भविष्य की जाने कितनी आशापूर्ण, सुखपूर्ण और सन्तोषपूर्ण कामनाएँ सोच रही थी। तभी पिता के सन्तोष की साँस ली!

यह समाज रूढ़ियों और प्राचीन प्रथाओं का दास है। उसकी सङ्कीर्ण बुद्धि में ऊँचाई की राह ढूँढ़ने को स्थान नहीं! भले ही परदे के भीतर दुराचरण के परिणाम फलते रहें। भले ही मूर्ति-पूजा आदि के सम्बन्ध की घृणित विडम्बनाओं में उनका व्यक्तित्व, पुंसत्व और मनुष्यत्व मिटता रहे और भले उनकी सुकुमारी कन्याएँ, 'दहेज़' (दैजो) आदि के अमानुषिक नियम के बल से, बीस-बीस और पचीस-पच्चीस वर्ष की अवस्था तक पारस्परिक लाञ्छना और भर्त्सना का ग्रास बनती रहें, बहिन और भावज के ताने सुनती रहें, यौवन-काल में गुलाब से लजाए हुए जीवन को कामाग्नि की असाध्य, अशान्त, तप्त और विकराल ज्वाला में झुलसती रहें। विष पान करती रहें, और—और, अन्त में वही—वही बालिकाएँ प्राणों के मोह और वासना के अनुताप से व्यभिचारिणी होकर इन्हीं—इन्हीं समाज के नाक-धारियों से कृपा की भीख माँगती फिरती रहें।

इसके बाद सहसा ही उसका स्वर बन्द हो गया! मैंने करुण और कातर-दृष्टि में उसे देखना चाहा। परन्तु मेरे नेत्र नहीं उठे।

स्नेह का आभास न पाकर बच्चा रो उठा। उसने, उसका मुँह चूमा और धीरे-धीरे कहा—सुन तो सही अभागे। तेरे अँधेरे जीवन की बात कहती हूँ—जैसे बाबू (मेरी ओर सङ्केत करके) सुनते हैं, तू भी सुन न।

मैंने पूछा—फिर?

उसने कहा—सुनिए—

मेरे एकान्त की निर्मल दृष्टि ने उसे देखा। वह कहने लगी—अभी पूरा वर्ष बीता न था कि सहसा विधाता ने मेरे माथे का गुलाबी सिन्दूर पोंछ लिया। ऐसी ही रात थी, उस रात में ऐसा ही कालापन, ऐसा ही वायु बह रही थी, उसमें भी ऐसी ही गन्ध। ऐसा ही समय था, क्रूर, अन्यायी और निठुर, जब मैं अपने एकमात्र धन को खो बैठी।

ऐसे मैं विधवा हुई।

मेरी आँखें भर आईं! परन्तु उसकी आत्मा के अनिहित-विश्वास से मैंने उस वैधव्य की दारुण छाप देखी?

उसने कहा—आप रोते हैं? छिः!

"क्यों...? क्या रोने की बात नहीं?"

"है। परन्तु मेरे लिए। आपके लिए नहीं।"

मेरे हृदय का आवेग बन्द नहीं हुआ। आवेग में दोनों गाल मेरे ही ठण्ढे-ठण्ढे आँसुओं से भीज गए थे। मेरा स्वर टूट रहा था, नेत्र मुँदे जा रहे थे। शरीर गिरा जा रहा था। मैंने उसी अवस्था में कहा—तुम मुझे रोने तक का भी अधिकार न दोगी?

अपने पतले-पतले ओंठों पर सन्तोष की धुँधली मुस्कान समेटते हुए उसने कहा—अधिकार! और फिर रोने का अधिकार? इतना बड़ा, इतना महान .... आप ही कहें, कैसे दूँ?

"जैसे, दे सको!"

वह चुप थी।

मैं देख रहा था। कितनी सुन्दर, कितनी सलज्ज और कितनी लावण्यमयी थी, वह। जी नहीं भरता था।

बच्चा रोया। मैंने पूछा—क्यों.........?

"अब सोएगा।"

"और तुम?"

"मैं भी।"

".........!"

"आप.........?"

"मैं भी।"

सवेरे सब से पहले मेरी आँख खुली।

४

रात को समय पर घर पहुँचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। वह कमरे में अपना उदास और निस्तेज मुख लिए मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। जाने कितनी हृदय-धाराएँ, एक और फिर अनेक होकर, एक पर एक होकर टूट रही थीं। इन्हीं में अपने को भुलाए वह बह रही थी। कितनी शान्त और सजीव गति से। बच्चा सो रहा था। उसी सोए हुए बच्चे के साथ बचपन के सोए हुए परिहास की बात सोच-सोच कर जब उस पर आँखें उठाती (!) तब?

घर आया। बाहर का द्वार खुला था और भीतर का बन्द। किवाड़ों से ओंठ लगा कर छेद से मैंने उसकी अवस्था देखी। उसे भान हुआ। वह बच्चे की चौड़ी छाती पर हाथ धर कर पड़ रही। आँखें बन्द कर लीं, मानो सो रही हो। मैंने अपने बाएँ हाथ से किवाड़ को थपथपाया। उसने सुना या नहीं, कह नहीं सकता।

मैंने बच्चे का नाम लेकर पुकारा—प्रकाश!

मैंने देखा, उसने आँखें खोलीं। दीपक के प्रकाश में चुपके से मुँह फेर कर उसने आँखें पोंछी। फिर किवाड़ों के पास आई। बोली—कौन?

"मैं।"

मेरा स्वर पहिचान कर उसने साँकल खोल दी।

अन्दर गया। कपड़े उतारे। जेब से घड़ी निकाल कर देखा तो बारह बज गए थे।

बच्चे के पास ही पलँग पर मैं बैठ गया। वह पानी लाई। मैंने हाथ धोए, मुँह धोया, फिर पैर धोए और अपनी चादर पैरों पर डाल, पलँग पर सिमट कर बैठ गया। तब बच्चे के मुँह पर अपना गरम-गरम हाथ फेरा। फिर उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी। उस देखने में कितना स्नेह था, जो मेरे लिए अन्तिम था।

बोली—भोजन ले आऊँ?

मैंने भोजन की कल्पना भी न की थी। उसका

प्रश्न सुन कर मैंने उत्तर दिया—"नहीं !" इस उत्तर में मेरे जीवन की सारी मिठास मिली हुई थी।

"क्यों......?"—उसने साग्रह निवेदन किया।

"आज एक मित्र के निमन्त्रण में गया था, भोजन कर चुका हूँ।"

उसने नम्र स्वर में कहा—मुझे बताया नहीं।

"यह कोई निश्चित बात नहीं थी !"

"फिर..... ?"

"अचानक...!"

"अच्छा हाँ !"

"तुम सोओ !"

"तुम......?"

"मैं भी !"

"मैं तो सो चुकी !"

"कब ?"

"सरे साँझ से ही......?

अपने पलँग पर पड़ा धीरे-धीरे नींद की प्रतीक्षा कर रहा था। दो बज रहे थे, वह दीपक के प्रकाश में कोई काग़ज़ पढ़ रही थी।

मैंने सुना —

अब, मैं कैसे तुम्हें भुलाऊँ।
कैसे तुमसे हृदय हटाऊँ॥
पाई शरण तुम्हारी जब से।
निठुर, न मुझसे भूले तब से॥
जाने दो, अब मुझे भुलाओ,
इस प्रकाश के तुम हो जाओ॥
अब, भविष्य के क्षण-क्षण रोना।
सह न सकोगे तुम अनहोना॥

सहसा ही वह चुप हो गई। कमरे में सुहावनी नीरवता व्याप्त थी—हमारे चारों ओर, सरस वायु-स्रोत उमड़ रहा था।

क्षणिक प्रतीक्षा के पश्चात् मैंने कहा—आगे......?

"अरे ! अभी तक तुम जाग रहे हो। मैंने जाना, सो चुके होगे।"

मैं मुस्कुराया। बोला—तुम, तुम जो न जानो, थोड़ा है।

"नहीं, सच..."

मैंने कहा—अच्छा आगे......?

"आगे—आगे, कुछ नहीं, यहीं तक।"

मेरे आरक्त अधरों की अर्द्धविकसित मुस्कान मेरे देखते-देखते उड़ गई। उसने आँखें खोलीं। मानो किसी कठिन यन्त्रणा का अनुभव करके उठी हो। नेत्रों में शुष्क-परिहास की आभा झलक रही थी। पालने में बालक सो रहा था। उसने उसके कच्चे गालों पर हाथ फेरा, फिर चूमा और विरक्त भाव से कहने लगी—अभागे ! आज महतारी का मुँह और देख ले। केवल—केवल एक बार, और अन्तिम।

उन्निद्रित नेत्रों से मैंने उसे देखा। बड़ी देर तक देखता रहा।

वह बोली—क्यों.........?

"वह बात बताओ ?"

"कौन सी ?"

"तुम्हें याद नहीं ? तुमने कहा था न, फिर कहूँगी !.........इसी (बच्चे) के सम्बन्ध की।"

उसका मुख निस्तेज हो गया। शायद उसे अपने बचपन का पश्चात्ताप हो रहा था।

"कहो, कहो न ?"

"नहीं !"—उसके स्वर में आग्रह था।

"क्यों ?"

"समय रहने नहीं देता।"

"क्या ? समय ! समय की बात जाने दो।"

फिर वह कुछ कहने को हुई। दो वर्ष का उसका पहला ही बच्चा "माँ-माँ" कहता उठ बैठा।

"यह क्या ?"—मैंने पूछा।

"पाप का फल।"

बालक रोने लगा। मैंने देखा—माँ के हृदय में छिपी हुई कोई विकट पहेली वह पढ़ रहा था।

उसने बच्चे के ओंठ चूमे और प्रेम में डूबती हुई बोली—मेरे लाल.........!

बालक मुस्कुराया।

वह रोई।

मैंने देखा !

तीनों सोए।

× × ×

सवेरे देखा—

वही मरा हुआ बालक, ख़ून में डूबा पड़ा था। पगली का कहीं पता नहीं था। झरोखे से सूर्य की प्रभात-किरणें उतर-उतर कर मेरे दुर्भाग्य के अन्तिम आँख पोंछ रही थीं।

मैं रो उठा—कड़क कर, तड़प कर, चीख़ कर। मेरा स्वर दीवारों से टकरा कर लौटा और उस मरे हुए बच्चे के कानों में गूँज गया।

बच्चे के गुलाबी शरीर से ख़ून की छींटें फूट रही थीं।

मैं काँप रहा था।

वह सो रहा था।

और—वह, वह नहीं थी। थी तो, जाने कहाँ ?

× × ×

तकिए के नीचे वही काग़ज़ मिला, जिसे उसने पिछली रात पढ़ा था। और—और कुछ नहीं, उसकी छाया भी नहीं, उसकी बातें भी नहीं, उसका बच्चा भी नहीं, वह भी नहीं।

किवाड़ों के पास दौड़ा। वह बन्द थे। इस कथा के सारे पृष्ठ मेरी आँख में नाच गए।

मैं काँप गया।

किसी ने पूछा—यह क्या ?

कोई बोला—पाप का फल।

मैंने नहीं सुना। मुझे होश नहीं था।

❀ ❀ ❀

तरक़्क़ी की दौड़

[श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन]

(१) डॉक्टरों ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि जगह-जगह अस्पताल हो गए और लोग स्वाभाविक जीवन छोड़ कर बेमौत मरने लगे। तन्दुरुस्ती की परवशता में परतन्त्र हो गए !

(२) विद्या ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि विद्या और अविद्या का भेद उठ गया। बिना योग्यता के ही लोगों को उपाधियाँ मिलने लगीं, और विद्वान उपाधियों को उपाधि समझ कर उनसे घृणा करने लगे।

(३) बुद्धि ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि विद्या और अविद्या का भेद उठ गया। पढ़त मूर्ख मिलने लगे और मूर्ख विद्वानों के कान काटने लगे।

(४) मज़हब ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि एक-एक घर में कई-कई मत हो गए और नास्तिकता बढ़ गई और सनातनी विचारों पर से विश्वास उठ गया।

(५) मुल्की इन्तज़ाम ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि जब्र, ज़ुल्म और अन्याय इत्यादि अब शान्ति और व्यवस्था में सम्मिलित हो गए और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब रिश्वत लेने लगे।

(६) सचाई ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि अदालतों में झूठ चल गया और दग़ा करने का नाम पॉलिसी हो गया।

(७) पाश्चात्य सभ्यता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि ऐब हुनर हो गए और दुनिया में कोई पाप, पाप न रह गया।

(८) परहेज़गारी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि हर एक क़ौम शराब पीने लगी और कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शराब की दूकानें रखने लगे।

(९) व्यापार ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेटियाँ बिकने लगीं और लोग दग़ाबाज़ी से लाभ उठा कर समाचार-पत्रों में प्रसिद्ध होने लगे।

(१०) इत्तफ़ाक़ ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि भाई-भाई में प्रेम न रहा और फूट हर फ़सल में मज़ा देने लगी।

(११) कारीगरी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि लाखों रुपए चल गए और जाली काग़ज़ और नोट बनने लगे।

(१२) दौलत ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेरोज़गारी धन्धा हो गया।

(१३) ईमानदारी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेईमानी ईमानदारी हो गई और लोग छल-बल को अपना धर्म-ईमान समझने लगे।

(१४) वैद्यक ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि चरक-सुश्रुत का नाम उठ गया और दो लटकों में लोग कविराज और भिषगाचार्य बनने लगे।

(१५) खेती ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि ज़मींदार काश्तकार हो गए और घरों में खेती होने लगी।

(१६) कविता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि गद्य और पद्य में अन्तर न रहा और बेतुके कवि-भूषण बनने लगे।

(१७) साहित्य ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि अश्लील लिखना साहित्य-सेवा हो गई और बाज़ारी दुकानों में "साहित्य-भूषण" और "साहित्याचार्य" की उपाधि बिकने लगी।

(१८) सहयोग ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि राजा और प्रजा में विश्वास न रह गया और जेल और पुलिस के मुलाज़िम असहयोगी हो गए।

(१९) सफ़ाई ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि मैला, बाज़ारों और सड़कों से निकलने लगा और म्युनिसिपलटी का कूड़ा सरे आम बिकने लगा।

(२०) असहयोग ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बाप-बेटे में सहयोग न रहा और लोग न्याय और व्यवस्था से स्वाधीन होकर उद्दण्ड होने लगे।

(२१) सभ्यता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेटा बाबा हो गए और लोग खड़े-खड़े धार छोड़ना सभ्यता समझने लगे।

(२२) जातीयता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि आठ कनौजिए नौ चूल्हे हो गए और हर एक अपनी ढपली अपना राग अलापने लगे।

हट तेरी तरक़्क़ी की ! घटते-घटते रहने हिज्र में हम,
यह तरक़्क़ी हुई तनज़्ज़ुल की।

❀ ❀ ❀



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

सोवियट रूस का शासन-विधान

(शेषांश)

अखिल रूसी सोवियटों की कॉङ्ग्रेस ख़ास रूस के लिए (सङ्घ के लिए नहीं) अन्तिम क़ानून बनाने वाली संस्था है । इस कॉङ्ग्रेस में एक ही चैम्बर होता है, जिसमें शहरों और सूबों के सोवियटों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या विधान द्वारा निश्चित नहीं है। कुल मिला कर इसमें कई हज़ार सदस्य होते हैं। इसकी बैठक मार्च में, वर्ष में दो बार होती है। इसको क़ानून बनाने के पूरे अधिकार हैं, केवल उन अधिकारों को छोड़ कर, जो सङ्घ कॉङ्ग्रेस को दे दिए गए हैं। जब कॉङ्ग्रेस की बैठक नहीं होती, तो उसका कार्य एक बड़ी कार्यकारिणी कमिटी करती है। कॉङ्ग्रेस के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण तथा कार्य की अधिकता के कारण कार्यकारिणी कमिटी की बैठकें साल भर तक होती रहती हैं। यहाँ तक कि कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के समय भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं बन्द होती। कार्यकारिणी कमिटी की एक उपसमिति भी होती है, जो उसका बहुत सा काम कर देती है।

सङ्घ की भाँति ख़ास रूस में भी शासन करने के लिए मन्त्रियों की एक कैबिनेट होती है, जिसे वहाँ की जनता के कमीसरों की कौन्सिल कहते हैं। इस कौन्सिल में १२ सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के अन्तर्गत एक शासकीय विभाग रहता है। इन सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी द्वारा होता है, जिसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इनका सम्बन्ध अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस से भी होता है। कमीसरों की कौन्सिल अपने प्रत्येक निश्चय से कार्यकारिणी कमिटी को सूचित करती है, पर ज़रूरी काम आ जाने पर कौन्सिल अपनी ज़िम्मेदारी पर भी काम कर सकती है। प्रत्येक शासकीय विभाग के साथ एक सलाह देने वाला बोर्ड (Advisory Board) रहता है। कौन्सिल अपने सदस्यों में से ही एक को अपना सभापति चुन लेती है।

सोवियट शासन के सम्बन्ध में पाठकों को दो बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम यह कि संसार की अन्य प्रतिनिधि सरकारों में भौगोलिक प्रतिनिधित्व (Geographical Representation) होता है। एक गाँव, तहसील, ज़िला या शहर आदि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक ज़िले के रहने वाले एक साथ वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इन चुनने वालों के पेशे अलग-अलग भले ही हों। और जो प्रतिनिधि चुना जाता है, वह उस ज़िले के तमाम रहने वालों का प्रतिनिधि होता है—अर्थात् वह एक साथ ही ज़िले के तमाम व्यापारियों, सौदागरों, किसानों, ज़मींदारों, मज़दूरों, वकीलों तथा डॉक्टरों आदि का प्रतिनिधि होता है। सारांश यह कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व में स्थान को विशेष महत्व दिया जाता है, पेशे को महत्व नहीं दिया जाता। यह अनुमान किया जाता है कि मताधिकारों की भलाई-बुराई पर स्थान का अधिक प्रभाव पड़ता है, और पेशे का उतना नहीं पड़ता। फलतः एक ज़िले में रहने वाला वकील उस ज़िले के तमाम रहने वालों का प्रतिनिधि हो सकता है। यद्यपि ज़िले में किसानों की संख्या अधिक होती है, परन्तु एक दूसरे ज़िले का रहने वाला किसान उन किसानों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

रूस में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को नहीं माना गया है। वहाँ पेशेवार प्रतिनिधित्व (Vocational Representation) को अधिक महत्व दिया गया है। यह सही है कि भौगोलिक वर्गक्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, पर केवल पेशेवार प्रतिनिधित्व को सफल बनाने के लिए। पृथक-पृथक पेशे के लोग पृथक-पृथक वोट देते हैं। खानों में काम करने वाले एक साथ वोट देते हैं। लोहे का काम करने वाले एक साथ पृथक वोट देते हैं। सैनिकगण एक साथ पृथक वोट देते हैं। प्रत्येक पेशे के लोग एक साथ पृथक वोट देकर अपने ही पेशे के किसी आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस में लोहे का काम करने वाला कीव, ओडेसा या जिस स्थान से वह आया है, उस स्थान का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह तमाम लोहे के काम करने वालों का प्रतिनिधि होता है।

यह सोवियट प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धान्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि यह भौगोलिक प्रतिनिधित्व या किसी अन्य प्रतिनिधित्व से कहीं अच्छा है। क्योंकि लोगों की भलाई-बुराई उनके जीवन पर निर्भर करती है और उनका जीवन उनके पेशे पर निर्भर करता है न कि उनके रहने के स्थान पर।

सिद्धान्तः पेशेवार प्रतिनिधित्व के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व में दोष भी है, क्योंकि इस प्रणाली के समर्थक इस बात को भूल जाते हैं कि प्रत्येक मताधिकारी केवल उस स्थान में रहता ही नहीं, बल्कि किसी एक श्रेणी तथा पेशे का सदस्य भी है तथा सम्भव है कि उसके पेशे का असर उस पर स्थान की अपेक्षा अधिक पड़ता हो।

व्यापारी, मज़दूर तथा किसान सब अपने पेशे की उन्नति करना चाहते हैं। चूँकि व्यापारी तथा किसान एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन का दृष्टिकोण एक नहीं हो जाता न उनकी भलाई-बुराई एक बात पर निर्भर करती है। फलतः सब बातों पर विचार करने के पश्चात् यह कहना ही पड़ता है कि पेशेवार प्रतिनिधित्व भौगोलिक प्रतिनिधित्व से कहीं अच्छा है।

पर इसी प्रश्न पर दूसरे ढङ्ग से विचार कीजिए तो आप दूसरे ही परिणाम पर पहुँचेंगे। क्या तमाम पेशे के लोगों में राजनीतिक अधिकार बाँट देने से तमाम जनता की भलाई की जा सकती है? सोवियट का प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त इस सिद्धान्त पर निर्भर करता है कि आम नीति के प्रति लोगों की मनोवृत्ति उनके पेशे पर निर्भर करता है। बहुधा ऐसा होता भी है। पर क्या यह अच्छी बात है और क्या इसे उत्साहित करना चाहिए? अन्य देशों में यह बात मानी जाती है कि लोग नागरिक पहिले हैं, व्यापारी तथा मज़दूर पीछे तथा लोगों को अपनी श्रेणी तथा पेशे की भलाई की अपेक्षा राष्ट्र की भलाई का ध्यान पहिले होना चाहिए। पार्लामेण्ट की छोटी सभा का सदस्य किसी एक ज़िले से अवश्य चुना जाता है, पर केवल ज़िले का प्रतिनिधि ही बनने के लिए नहीं। उसे तमाम जनता के राष्ट्रीय कोष से व्यय दिया जाता है। वह तमाम जनता का प्रतिनिधि है। जब वह तमाम जनता का प्रतिनिधि होता है, तब भी हमें बहुधा यह शिकायत होती है कि बहुधा वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने ज़िले की भलाई का अधिक विचार करता है। और यदि कहीं वह किसी एक श्रेणी या पेशे का प्रतिनिधि हुआ तब तो उसका यह कर्तव्य ही होगा कि वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने श्रेणी या पेशे का अधिक विचार करे। फलतः हमें शिकायत करने की गुञ्जाइश न रहेगी। क्या यह तमाम राष्ट्र की दृष्टि से उचित होगा?

सोवियट शासन के सम्बन्ध में दूसरी स्मरणीय बात यह है कि शासकों और जनता के बीच में बहुत फ़ासला रहता है। अन्य देशों में जनता अपने शासकों को स्वयं सीधे तौर से चुनती है। और शासकों और जनता में केवल एक सीढ़ी का अन्तर रहता है। पर रूस में यह अन्तर कई सीढ़ियों का हो जाता है। रूस के किसान अपने गाँव की सोवियट को चुनते हैं। गाँवों की सोवियटें ज़िले की सोवियटों को अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। ज़िले की सोवियटें प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। अन्त में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस तथा सङ्घ कॉङ्ग्रेस में होते हैं, जो अपने-अपने लिए केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटियाँ चुनते हैं। तत्पश्चात् प्रत्येक कार्यकारिणी कमिटी एक उपकमिटी चुनती है तथा कमीसरों की एक कौन्सिल नियुक्त करती है, जो शासकीय विभागों का सञ्चालन करती हैं। किसान और कमीसरों के मध्य में इतना अधिक फ़ासला होता है कि तमाम उत्तरदायित्व मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। यों तो रूस के शासन पर जनता ही का अधिकार होता है, पर इस अधिकार को कार्यान्वित करने का ढङ्ग इतना पेचीदा है कि वास्तविक अधिकार नहीं के बराबर होता है। बोलशेविकों ने उत्तरदायी सरकार इस ढङ्ग से स्थापित की है कि उत्तरदायित्व का कहीं पता ही नहीं चलता। अस्तु।

ऊपर सोवियटों, कॉङ्ग्रेसों, कमिटियों तथा कौन्सिलों का ज़िक्र किया जा चुका है। इनके अलावा नाना प्रकार के स्थायी तथा अस्थायी, साधारण तथा विशेष कमीशन भी होते हैं। समय समय पर भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई है। बहुधा उनके अधिकार तथा कार्य अन्य संस्थाओं के अधिकार तथा कार्यों से टकराते हैं। कुछ कमीशन डिग्रियाँ जारी करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं तथा जो उन डिग्रियों को तोड़ते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं। ऐसे कमीशनों में सब से प्रसिद्ध कमीशन 'चेका' (Cheka) था, जिसका कार्य था, सरकार के विरुद्ध अपराधों को रोकना और अपराधियों को सज़ा देना। यह कमीशन मृत्यु-दण्ड तक दे सकता था। रूस में आम क़ानूनी अदालतें होती हैं, पर 'चेका' कमीशन अपना कार्य उन अदालतों द्वारा नहीं कराता था। बल्कि वह स्वयं ही जाँच करता, मुक़दमे सुनता, सज़ा देता तथा सज़ा को कार्यान्वित करता था। सन् १९२२ में इस कमीशन का अन्त कर दिया गया और इसके जाँच के कार्य सङ्घ के एक

शासकीय विभाग को सौंप दिए गए। अब ऐसे मुक़दमे भी आम अदालतों में ही होते हैं। इन तमाम अदालतों के न्यायाधीश तथा असेसर चुने जाते हैं।

ऐसे गोरखधन्धी शासन का अन्त क्यों नहीं हो जाता और सङ्घ तथा प्रजातन्त्रों के अधिकारों तथा प्रजातन्त्र और प्रान्तों के अधिकार एक-दूसरे से टकरा कर एक-दूसरे को नष्ट क्यों नहीं कर देते? इसका प्रधान कारण यह है कि एक ही राजनीतिक पार्टी का सर्वत्र बोलबाला है। सब कमीसर बोलशेविक हैं, वे सब कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे ही सोवियटों, कॉङ्ग्रेसों, कमिटियों तथा कौन्सिलों का सञ्चालन करते हैं। फलतः इन सबका सञ्चालन एक ही ढङ्ग से होता है। इनमें से किसी में भी विरोधी दल नहीं पाया जाता। कम्यूनिस्ट पार्टी का विरोधी सरकार का शत्रु समझा जाता है। जब कभी कोई झगड़ा खड़ा होता है, तो बोलशेविक पार्टी में वह तय कर दिया जाता है। रूस में सर्वत्र बोलशेविक दल का सर्वेसर्वा होना ही सोवियट शासन की सफलता का सबसे बड़ा कारण है।

सन् १९१८ के सोवियट विधान में स्पष्ट कहा गया है कि तमाम नागरिकों के अधिकार समान हैं। पर उसके पश्चात् ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी नागरिक किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जिसका प्रयोग सोवियट के विरुद्ध किया जा सके। फलतः नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है। सोवियट शासन के विरुद्ध नागरिक के कोई अधिकार नहीं हैं। सामाजिक शासन (Social State) ही साध्य है, व्यक्तिगत नागरिक केवल साधन है। पत्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of the Press), बोलने की स्वतन्त्रता (Freedom of the speech) आदि स्वतन्त्रताएँ जो संसार के अन्य सभ्य तथा स्वतन्त्र देशों में मानी जाती हैं, रूसी शासन में इन स्वतन्त्रताओं का कोई अटल स्थान नहीं है। सोवियट शासन में इन स्वतन्त्रताओं को तभी तक स्थान मिलता है, तथा सरकार इन्हें तभी तक मानती है, जब तक इनका प्रयोग सोवियट सरकार के विपरीत न होकर उसके पक्ष में होता है। सोवियट के अर्थ में यह उचित भी है, क्योंकि साधन को कभी भी साध्य के विपरीत न जाना चाहिए। साधन का अस्तित्व ही साध्य के लिए होता है।

सोवियट शासन की आर्थिक नीति क्या है? सन् १९१७ में रूसी क्रान्ति ने बोलशेविकों के हाथ में आते ही आर्थिक जामा पहिन लिया था। क्रान्ति का लक्ष्य था, व्यक्तित्व का अन्त करके कम्यूनिस्ट सरकार की स्थापना करना तथा ग़रीबों के हाथों में तमाम सांसारिक शक्तियाँ सौंप देना। सन् १९१८ के विधान ने भूमि की निजी सम्पत्ति का अन्त कर दिया तथा रूस की प्रत्येक इञ्च भूमि सरकार को सौंप दी गई। तत्पश्चात् यह राष्ट्रीय भूमि किसानों में बाँट दी गई थी। जो किसान जितनी भूमि जोत-बो सकता था, उसे उतनी भूमि दी गई। किसानों का भूमि पर क़ानूनी अधिकार मान लिया गया था, वैसे तो किसानों ने पहिले ही ज़मींदारों को निकाल कर भूमि अपने अधिकार में कर ली थी। एक किसान के मर जाने पर उसका वारिस उस भूमि को जोतता-बोता है। पर वह उसे बेच नहीं सकता।

शहरों में जिन फ़ैक्टरियों के मालिकों ने अपनी फ़ैक्टरियों को सरकार को सौंपने से इन्कार कर दिया, वे बलपूर्वक फ़ैक्टरियों से निकाल दिए गए। तमाम उद्योग-धन्धे सरकार द्वारा नियुक्त कमीसरों के अधिकार में कर दिए गए। ये लोग इन उद्योग-धन्धों का सञ्चालन मज़दूरों की इच्छा के अनुसार ही करते हैं। प्रत्येक फ़ैक्टरी में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मज़दूरों की कौन्सिल या सोवियट होती है। मज़दूरों को वेतन के रूप में एक काग़ज़ का टुकड़ा मिलता था, जिसके दिखाने से मज़दूरों को सरकारी दूकानों से भोजन-कपड़ा आदि आवश्यकीय वस्तुएँ मिल जाती थीं। क्योंकि इन वस्तुओं की निजी दुकानें न रह गई थीं। पर यह योजना सफल प्रमाणित नहीं हुई। फ़ैक्टरियों की पैदावार कम हो गई, क्योंकि मज़दूर मनमाना काम करते थे और उन्हें आवश्यकीय वस्तु काफ़ी नहीं मिलती थी, अतएव उनकी योग्यता घट रही थी। फ़ैक्टरियों को कच्चा सामान (Raw material) काफ़ी तादाद में नहीं मिलता था और जो लोग फ़ैक्टरियों का सञ्चालन करते थे, उनका फ़ैक्टरियों के सम्बन्ध का ज्ञान बहुत परिमित था। सरकार मज़दूरों को अपनी दुकानों द्वारा काफ़ी खाद्य पदार्थ नहीं दे सकती थी। क्योंकि किसान शहरों में उस समय तक ग़ल्ला नहीं भेजना चाहते थे, जब तक उन्हें ग़ल्ले के एवज़ में बनी हुई वस्तुओं के मिलने का

यह मतलब है अलग सब से हो एक अपनी जथा क़ायम!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हर बड़े-छोटे के दिल में आरज़ू फ़ैशन की है
बैठते, उठते, हमेशा गुफ़्तगू फ़ैशन की है।
हज़रते "बिस्मिल" यह कहता है हमारा तजरबा
इस ज़माने में बहुत कुछ आबरू फ़ैशन की है।

❀ ❀ ❀

किया करते हैं नाहक़ दुश्मने अहले वफ़ा क़ायम,
कहीं एक अञ्जुमन[1] क़ायम, कहीं पर एक सभा क़ायम
निकलता है नतीजा ऐसी बातों से यही "बिस्मिल"
यह मतलब है अलग सब से हो एक अपनी जथा क़ायम।

❀ ❀ ❀

कोई पूछे न यह हमसे कि कैसे आम भेजे हैं
बहुत उमदा, बहुत नायाब, अच्छे आम भेजे हैं।
बड़े ख़ुश ज़ायक़ा हैं, और हैं ख़ुश रङ्ग "बिस्मिल"
हमें तो रायसाहब[2] ने बस ऐसे आम भेजे हैं।

१—सभा, २—रायसाहब धनवन्त नारायण साहब चड्ढा, रईस, इलाहाबाद से मतलब है।

आश्वासन न मिल जाता था और सरकार आश्वासन देने में असमर्थ थी।

फलतः सन् १९२१ में उपर्युक्त योजना में अनेक परिवर्तन किए गए। उद्योग-धन्धों का निजी सञ्चालन पुनः होने लगा। निजी व्यापार भी थोड़ा-थोड़ा होने लगा। कुछ लोग मिल कर फ़ैक्टरी चला सकते थे, पर उन्हें सरकार को साझीदार बनाना पड़ता था। सरकारी लाइसेन्स पर दुकानें आदि खुल सकती थीं। विदेशी पूँजीपतियों के साथ रियायतें की गईं और उन्हें वहाँ आकर व्यापार करने तथा मिल खोलने का न्योता दिया गया। जब तक देश की हालत सुधर न जाय, तब तक के लिए कम्यूनिस्ट सिद्धान्त ढीला कर दिया गया है। लोगों का अनुमान है कि हालत सुधरते ही पूर्ण कम्यूनिज़्म स्वयं क्रमशः सब क्षेत्रों में फैल जाएगा।

सोवियट रूस के सिलसिले में पाठकों ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय का नाम बहुधा सुना होगा। कम्यूनिस्ट-प्रचार के सम्बन्ध में इसका नाम प्रत्येक दिन सुनाई पड़ता है। यह तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) क्या है? पाठकों ने साम्यवाद के आचार्य कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'पूँजी' (Capital) साम्यवाद की बाइबिल समझी जाती है। कार्ल मार्क्स की शिक्षा ने ही रूस के नवयुवकों को साम्यवादी बनाया था। इसी कार्ल मार्क्स ने सन् १८६४ में संसार के मज़दूरों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था को आगे चल कर प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से पुकारा जाने लगा। इस संस्था द्वारा कार्ल मार्क्स संसार के तमाम देशों के साम्यवादियों को एक सूत्र में बाँधना चाहता था। इस प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय की कई एक कॉङ्ग्रेसें समय-समय पर हुईं। संसार भर के साम्यवादियों के प्रतिनिधि इन कॉङ्ग्रेसों में इकट्ठा होकर संसार भर के साम्यवादियों के लिए एक नीति तथा कार्य-शैली निर्धारित करते थे। यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पैरिस कम्यून (Paris Commune) का ज़ोरों से समर्थन करता था। फलतः पैरिस कम्यून के पतन होते ही प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय को ज़बरदस्त धक्का लगा। यहाँ तक कि वह इस धक्के से बच न सका और अन्त में १८७६ में, यह संस्था तोड़ दी गई। अपनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को नष्ट होते देख कर संसार के साम्यवादियों को बहुत दुख हुआ। अतः १३ वर्ष बाद सन् १८८९ में उन्होंने पुनः पैरिस में अपनी एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इसे द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कहते थे। इस द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के उद्देश्य भी वही थे, जो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के थे। सन् १८८९ से लेकर सन् १९१४ तक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय की सात कॉङ्ग्रेसें हुईं। इन कॉङ्ग्रेसों में संसार के तमाम देशों की साम्यवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते थे। ऐसी ही एक कॉङ्ग्रेस सन् १९०० में पेरिस में हुई थी, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इस ब्यूरो का काम था, संसार में साम्यवाद का प्रचार करना। सन् १९१४ में महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही अनेक देशों की साम्यवादी संस्थाएँ छिन्न-भिन्न हो गईं। तमाम साम्यवादी संस्थाएँ साम्यवाद को ताक़ पर रख कर युद्ध में अपनी-अपनी सरकारों की तन, मन और धन से सहायता करने लगीं। फलतः द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय का भी अन्त हो गया।

महायुद्ध के समाप्त होते ही नरम-दल के साम्यवादियों ने सन् १९१९ में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय को पुनः सङ्गठित किया। पर गरम दल के साम्यवादी इस संस्था में नहीं आना चाहते थे। अतः उन्होंने मास्को में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपनी एक अलग अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की। इसी मास्को वाली गरम दल के साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से पुकारते हैं। इस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में संसार के तमाम देशों की कम्यूनिस्ट संस्थाएँ शामिल हैं तथा इसकी बैठकों में उन सबके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसका प्रधान दफ़्तर मास्को में है और रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी ही इसका अधिकतर सञ्चालन करती है। इस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय का उद्देश्य है, "संसार के मज़दूरों की तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रयत्न को एक सूत में बाँध कर संसार भर में कम्यूनिस्ट क्रान्ति की तैयारी करना" (To unite the efforts of all revolutionary parties of the world-proletariate and thus facilitate a communist revolution on a world-wide basis)। रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी का वैदेशिक प्रचार बहुत-कुछ इसी संस्था द्वारा होता है।*

* लेखक द्वारा लिखित तथा इस संस्था से शीघ्र प्रकाशित होने वाली 'विश्व-शासन-विधान' नाम की पुस्तक का एक अंश।

* * *

महान एशियाई-संघ

[श्री० वीरेशदत्त सिंह, विशारद, बी० एस्-सी०, एम० ए०, बी० एल० ;
श्री० प्रसिद्धनारायण सिंह, विशारद, एम० ए०, बी० एल०]

"यूरोपियन तथा अमेरिकन जातियों की व्याघ्र-वृत्ति ही—साम्राज्यवाद की समक्ष और उद्देश्य के अनुसार—गोरी जातीयता तथा सभ्यता की नीति का सार-तत्व है। उन लोगों ने सारे वासोपयोगी भू-मण्डल के पाँच हिस्से में से चार हिस्से के कुछ स्थल को तो अपना अधीन स्थल (Dependencies), कुछ को संरक्षित-स्थल (Protectorate),कुछ को शासित स्थल (Mandatories) और कुछ को अपने प्रभाव-स्थल (Spheres of influence) के रूप में परिणत कर डाला है, और जहाँ तक उनसे हो सका है, उन्होंने संसार की काली, भूरी एवं भोली जातियों के विकास को रोका है। गोरी जातियों में यह नीति बड़े ज़ोरों से बढ़ती जा रही है, जिसके फल-स्वरूप संसार के कुछ महादेशों में से पाँच में, यहाँ तक कि छठे महादेश के भी कुछ हिस्से में एशियावासी प्रवेश करने से रोक दिए जाते हैं। गत ७० वर्षों के अन्दर गोरी जातियों ने १,३०,००,००० वर्गमील भूमि, जिसका क्षेत्रफल यूरोप के साढ़े तीन गुना के बराबर है, अपने साम्राज्य में मिला लिया है। इसका स्पष्ट परिणाम यही है कि एशियाई आधिपत्य अब एशिया के बाशिन्दों में फ़ीसदी दो ही के अधिकार में रह गया है।"

—"फ़ारवर्ड" एनिवर्सरी अङ्क १९२६ ई०

उपर्युक्त अवतरण के पढ़ लेने के बाद, यह स्पष्टतः मालूम होने से बाक़ी नहीं रह जाता कि आधुनिक युग में रङ्ग-भेद अथवा जाति-भेद के आधार पर ही, संसार की राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। जब हम आँखें खोल कर देख रहे हैं कि संसार की गोरी जातियाँ अपना एक गुट बना कर संसार में ऊधम मचा रही हैं, संसार की अन्यान्य जातियों को पृथ्वी के कोने-कोने में अपमानित और तिरस्कृत कर रही हैं, तब हमारा एक ही कर्तव्य रह जाता है, और वह यह कि हम भी एशिया में बसने वाली काली, भूरी तथा पीली जातियों का एक सङ्घ बनावें, और अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने का यत्न करें। आगे चल कर 'फ़ारवर्ड' के उसी लेख में बतलाया गया है कि एशियावासियों को सताने में, उनकी सम्पत्ति लूटने में तथा उन्हें तरह-तरह के धोखे देने में सभी गोरी जातियाँ प्रायः एकताबद्ध हो रही हैं। उनकी इस एकता का कारण यह है कि उनके रङ्ग, उनकी जाति, उनका इतिहास, उनकी सभ्यता तथा उनका धर्म आदि सभी प्रायः एक ही हैं। साम्राज्यवाद के सिद्धान्त ने अमेरिका को भी यूरोप का सहयोगी बना दिया है, और ऊधम मचाने के नए-नए स्थान चुने गए हैं।

उसी लेख में कहा गया है कि "कनाडा और अमेरिका के संयुक्त-राज्य में एशिया वालों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का शिकार बनना पड़ता है। इसके अलावा, अमेरिका ने तो जापानियों को वहाँ से निकल जाने के लिए खुली विज्ञप्ति भी दे दी है। परन्तु एशिया जॉनबुल और शाम काका के मनोरञ्जक शिकार के लिए खुला हुआ मैदान बना है। ग्रेट-ब्रिटेन को भारत में अपना उद्देश्य (Mission) पूरा करना है। चीन को ज़रूर ही अपना दरवाज़ा खुला हुआ रखना चाहिए, क्योंकि 'विदेशियों का जो अधिकार है, वह मनुष्यता के आदेशानुसार छोड़ा नहीं जा सकता।' इन महाशक्तियों की आज्ञा के मुताबिक़ एक समय के ओटोमन-साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े होना पड़ेगा।"

इसका साफ़ मतलब तो एक ही है कि गोरे लोगों के लिए तो एशिया के सभी घरों के दरवाज़े किसी न किसी बहाने खुले रक्खे जायँ, ताकि वे वहाँ जाकर मनमाना लूट-पाट मचावें, गुलछर्रे उड़ावें। परन्तु एशिया वालों के लिए गोरे देशों के सभी दरवाज़े बन्द रहें और इन बेचारों का उन देशों में प्रवेश तक भी निषिद्ध रहे। क्या इससे भी बढ़ कर कोई स्वेच्छाचारिता, कोई ज़्यादती हो सकती है? परन्तु हम एशियावासियों की आँखों के सामने यही भयङ्कर परिस्थिति है।

जैसा कि उपर्युक्त लेख के लेखक ने बतलाया है, हम गोरों की तरह किसी को अपने देश से निकालना नहीं चाहते। हमारा तो यह अभीष्ट ही नहीं। हम तो आत्म-सम्मान चाहते हैं, अपने देश में सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों की रक्षा करना चाहते हैं। एशियाई-सङ्घ के निर्माण और उद्देश्य के सम्बन्ध में लेखक ने लिखा है :—

"एशियाई-सङ्घ के जिस सिद्धान्त पर हमने ज़ोर डाला है, जिसका श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर समर्थन करते हैं, जिसे ओकाकुरा और काउण्ट ओकुमा ने अपने व्याख्यानों में बतलाया है, उसका मतलब किसी सङ्कीर्ण व्यापारिक-सङ्घ से अथवा सांग्रामिक एकता से नहीं है। भारत का ख़िलाफ़त आन्दोलन, जापानी भूकम्प के बाद चीनियों का जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के आन्दोलन को बन्द कर देना और जापानियों के प्रवेश क़ानून (Immigration laws) पर एशिया के समस्त देशों में विस्तृत क्षोभ आदि बातें एशिया की एकता प्रदर्शित करती हैं। एशिया की सभी जातियाँ अपने पैरों पर, शलाके (Dominoes) के वृत्त की तरह खड़ी हैं, यदि उनमें से एक को भी किसी तरह छेड़ा जाय अथवा ठुकराया जाय, तो उसका असर शीघ्र ही दूसरों के पास पहुँच जाता है। प्राच्य वालों का सामान्य मत है, सामान्य स्थिति है और सामान्य आदर्श है। इसलिए एशिया के हरेक नौजवान का प्रधान उद्देश्य है कि वह उन अधिकारों को फिर से प्राप्त करे, जिन्हें प्राच्य को सदा काम में लाना चाहिए था। प्राच्य और पाश्चात्य में समता स्थापित करे और विश्व की शान्ति को क़ायम करने वाली एशियाई स्वाधीनता की पूर्ण सफलता के लिए प्रयत्न करे।"

आज प्रायः सारा एशिया गोरों के चङ्गुल में फँसा हुआ है। एशिया आज परवश है। इसकी सन्तान अपने ही घर में गुलाम है। इसके उद्धार का एक ही मार्ग है, एशिया के नौजवानों का एक ही कर्तव्य है कि वे एशिया के भिन्न-भिन्न देशों में कर्मशील सम्बन्ध स्थापित करें।

एशियाई-सङ्घ के निर्माण में भारत उदासीन नहीं रह सकता। भारतीय नेताओं के सामने एशियाई-सङ्घ का प्रश्न कितना महत्व रखता है, यह स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरञ्जन दास के गया में (१९२२ ईस्वी) काँग्रेस के सभापति की हैसियत से, दिए हुए भाषण के अवतरण से मालूम होता है। आपने कहा था—

"जिस महान एशियाई-सङ्घ का निर्माण हो रहा है, उसमें भारत का भाग लेना......अधिक ज़रूरी है। इसमें हमको अणु-मात्र भी सन्देह नहीं, कि पैन-इस्लामिक आन्दोलन ने, जो कुछ सङ्कीर्ण आधार पर चलाया गया था, सब जातियों के महान एशियाई-सङ्घ के लिए स्थान दे दिया है, अथवा देने को तैयार है। क्या भारत इस सङ्घ से अलग रहेगा? मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें अपनी स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करनी होगी, परन्तु भारत और एशिया के बीच—नहीं, नहीं—भारत और संसार की सभी स्वतन्त्रताप्रिय जातियों के बीच, मित्रता और प्रेम का सहानुभूति और संयोग का बन्धन विश्व-शान्ति को स्थापित करने में अवश्य समर्थ होगा। मेरे विचार में विश्व-शान्ति का मतलब हरेक राष्ट्र की स्वाधीनता से है और मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ कि इस पृथ्वी-मण्डल में कोई भी जाति यथार्थतः स्वाधीन नहीं हो सकती, जब तक दूसरी जातियाँ पराधीनता की ज़ञ्जीर में बँधी हुई हैं।"

देशबन्धु दास ने, अपने राजनीतिक जीवन में, एशियाई-सङ्घ की आवश्यकता की ओर देशवासियों के चित्त आकर्षित करने में बहुत परिश्रम किया था। एशियाई-सङ्घ का निर्माण उनकी राजनीति का एक प्रधान अङ्ग था।

एशिया की वर्तमान जागृति की आलोचना करते हुए, मिलार्ड साहब ने अपने "कॉन्फ़्लिक्ट ऑफ़ पॉलिसीज़ इन-एशिया" में इलेनर फ़्रैंकलिन इगैल का एक अवतरण दिया है। इगैल कहता—

"आज एशिया में वे वस्तुएँ मौजूद हैं, जो तीक्ष्ण मद तैयार करने में लगी हैं। यदि समय पर विचारशील सन्धि की वायु से इसे शान्त नहीं किया जायगा, तो यह अवश्य ही, सर्वव्यापी ज्वाला के रूप में धधक पड़ेगा।"

एशिया-वासियों के सामने, अब गोरों की क़लई खुल गई है, उनमें अब इनका तनिक विश्वास नहीं रह गया है। एशिया अपने अधिकारों को ख़ूब समझता है, और जब तक यूरोप और अमेरिका के हाथों से अपने लुटे हुए स्वत्व को छीन न लेगा, तब तक उसे चैन नहीं। घृणा एवं विद्वेष का जो भाव यूरोपियनों के प्रति एशियाइयों का बढ़ता जा रहा है, उसका उपाय गोरों के ही हाथ में है।

संसार की जातियों के विषय में अध्ययन करने के बाद लोथ्रोप स्टोडार्ड नाम के एक लेखक ने कुछ अनुमान निकाले हैं। मिलार्ड ने उनमें से कुछ वाक्यों को अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में उद्धृत किया है; उन्हें हम यहाँ लिखते हैं :—

"इस गम्भीर एशियाई जागृति का यही अन्तिम परिणाम होगा कि अन्टोलिया से लेकर फ़िलीपाइन तक जो गोरों का राजनीतिक प्रभुत्व फैला हुआ है, उसका सम्पूर्ण रूप से विनाश हो जायगा। × × × परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एशिया से गोरों को अपना बोरिया समेट कर चल देना पड़ेगा। वरन् इससे बिलकुल भिन्न परिणाम होगा। तथापि जो यथार्थ बातें हैं, उनका शुद्ध भाव से सामना करना और पक्षपात अथवा दुराग्रह का त्याग कर, यथार्थ नीति को स्थापित करना ही इसका अर्थ है। × × × इसलिए हमारा जातीय कर्तव्य स्पष्ट है। गोरे लोगों का जो वासस्थान है, उसमें एशिया वालों के प्रवेश का, और जो स्थान न तो गोरे लोगों के हैं, और न एशिया वालों ही के हैं, पर वास्तव में हीन जातियों के वासस्थान हैं, ऐसी

जगहों में भी एशिया वालों की बाढ़ का—दोनों ही का—हम लोग ज़रूर, दृढ़तापूर्वक विरोध करेंगे। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एशिया वालों की जो माँग है, उसके प्रति विचारशीलता एवं सुलह के भाव को स्थापित करने से, हम लोगों के प्रति एशिया वालों की जो वर्तमान शत्रुता है, उसके नैतिक अंशों को हम लोग नष्ट कर सकेंगे।"

एशिया और यूरोप के बीच पारस्परिक वैमनस्य को हटाने के लिए, स्टौडार्ड का उपर्युक्त नुसख़ा अमल में लाने पर अवश्य ही कामयाबी हासिल हो सकती है। एशिया की भावी जागृति के सम्बन्ध में इसकी भविष्य-द्वाणी भी अवश्य ही होगी। एशिया अवश्य ही अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। परन्तु गोरों को अन्त में यहाँ से अपना डेरा-डण्डा भी उखाड़ना पड़ेगा।

एशिया वालों में जो लोग अमेरिका की नेकनीयती तथा स्वतन्त्रप्रियता पर मुग्ध होकर आशा का पुल बाँधने लगते हैं और अमेरिका से यूरोप के विरुद्ध कर्मशील सहायता की उम्मेद रखते हैं, उनके भ्रम-निवारण के लिए हम मिलार्ड के कुछ वाक्यों को यहाँ उद्धृत कर देना उचित समझते हैं। यूरोपीय महायुद्ध के सम्बन्ध में मिलार्ड कहता है :—

"आज अमेरिका के लोग जानते हैं कि उन्होंने लड़ाई को जीतने के लिए सहायता दी; परन्तु वे यह नहीं जानते कि जीतने के बाद संयुक्त-राज्य अथवा संसार किस स्थान पर पहुँचा है।

"एशिया की परिस्थिति के कारण यदि युद्ध छिड़ जाय, तो यह असम्भव है कि संयुक्त-राज्य उसमें न घसीटा जाय। यदि और कोई कारण न भी हो, तो भी जाति का सवाल ही ऐसा है, जो पराजय के ख़तरे में पड़ जाने पर यूरोप की सहायता के लिए युद्ध में सम्मिलित होने को अमेरिका को लाचार करेगा।"

यदि उपर्युक्त नीति ही वस्तुतः, अमेरिका के संयुक्त-राज्य की नीति हो, तो एशिया का कोई भी देश, यूरोप के पञ्जे से निकलने के लिए, अमेरिका की सकर्मक सहायता कैसे पा सकता है? इस सम्बन्ध में मिलार्ड लिखता है :—

"अमेरिका की नीति का मूल-सिद्धान्त यह है कि गोरे राष्ट्र, जो गोरे या दूसरे रङ्ग की जातियों के देशों में एशिया वालों के प्रवेश को रोकते हैं, और रोकना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि एशिया में एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकारों को ज़रूर ही उन्हें दे दें, इसके लिए उन्हें उत्साहित करें, उत्तेजित करें और उनका सम्मान करें।"

एशिया में एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकार क्या हैं? एशिया वालों को यूरोप वालों की तरह ही, अपने घर के ख़ुद प्रबन्ध करने का सब से पहला अधिकार है। एशिया वालों के इस अधिकार में गोरों ने दस्तन्दाज़ी कर रक्खी है और सारा एशिया आज गोरों की ज़बरदस्त अधीनता में तड़प रहा है। क्या अमेरिका की नीति गोरों की प्रवृत्ति में थोड़ा भी परिवर्तन कर सकती है?

संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र अर्थात् संसार की गोरी जातियाँ एशिया वालों को अपने अधीन रखने के लिए कितनी धूर्तता करती हैं, एशिया को अपने पैरों के बल खड़ा होने देने में किस तरह एकमत होकर रोड़े अटकाया करती हैं, इसका पता मिलार्ड के इन शब्दों से अच्छी तरह चलता है :—

"चीन में शस्त्रास्त्र न भेजने के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका एक कारण यह है कि इससे देश के अभ्यन्तरीन कलह और लूट आदि में उत्तेजना मिलती है। दूसरी तरफ़ इस स्थिति से जो वैर-विरोध उत्पन्न होते हैं और लड़ाइयों में प्राच्य को अपने अधिकारों की स्थापना का अवसर मिल सकता है, इससे गोरों के आधिपत्य विस्तार में बाधा पड़ती है।"

बात यह है कि अभ्यन्तरीन कलह और लूट-पाट से चीन को बचाने के बहाने वहाँ अस्त्र-शस्त्र नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा चीन वाले अस्त्र-शस्त्र का व्यवहार सीख कर गोरों को कभी अपने देश से निकाल बाहर कर देंगे। मतलब यह ठहरा कि एशिया को गोरों की ज़मींदारी बनाए रखने के लिए, सभी उचित एवं अनुचित साधनों से काम लेना चाहिए। ऐसी तो गोरों की कलुषित मनोवृत्ति है। मिलार्ड कहता है कि चीन में अकाल के समय एक बार जब सहायता के प्रबन्ध का विचार हो रहा था, तब सभा में एक अनुभवी अङ्गरेज़ सज्जन कह उठे—"इसकी क्या ज़रूरत है, इनका मर जाना ही अच्छा है।" यही तो अङ्गरेज़ों का मनुष्यत्व और उनकी सभ्यता है! ऐसी कलुषित मनोवृत्ति पर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है।

उद्गार

[श्री० रमाशङ्कर जैतली 'विश्व', बी० एस्-सी०]

(दीवाने 'मख़फ़ी'* की एक रुबाई का छायानुवाद)

कर्तव्य पूर्ण कर अपना,
भर दे न मयङ्की प्याला।
रवि सम दैदीप्य सुनहरी,
हाँ, हाँ, उड़ेल दे हाला।
मेघों के गर्भों से ज्यों,
बहती प्रिय प्रभा सुनहली।
प्रातः समीर झोकों में,
जब जग करता रँगरेली।
हाँ उसी तरह मेघों सा
धुँधला पैमाना तेरा—
मदिरा से भर दे साक़ी
ऊपर तक सागर मेरा।
मेरे अबोध मानस को,
देखो पीड़ा में घुलते।
आँसू में परवर्तित हो,
पलकों में से यों बहते।
पर कौन जान सकता है,
क्षण में कब क्या हो जावे?
अति सुदृढ़ नींव इस जग की
क्या जाने कब हिल जावे।

*मख़फ़ी = छिपा हुआ। मुग़ल बादशाह औरङ्गज़ेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा फ़ारसी की एक अच्छी कवि हुई है। उसका दीवान कोमल पदावली के लिए विख्यात है। औरङ्गज़ेब के भय के कारण उसने अपना उपनाम 'मख़फ़ी' अर्थात् छिपा हुआ रक्खा था। साहित्य और गायन से औरङ्गज़ेब को बहुत चिढ़ थी। —कवि

गोरी जातियों के आधिपत्य के प्रति एशियावासियों का जो सङ्कल्प है—और जिस दृढ़ता से वे विदेशियों के हस्तक्षेप को दूर करना चाहते हैं, उसका थोड़ा-बहुत अनुमान अपटौन क्लोज़ के निम्न-लिखित अवतरण (एशिया की क्रान्ति) से हो सकता है :—

"एशिया की जातियों ने गोरों से डरना छोड़ दिया और अपने कार्यक्रम को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। विघ्न-बाधाएँ अब उन्हें रोक नहीं सकतीं। इउजेन चेन कहता है कि 'सारे विदेशियों के विरुद्ध ज़ोरों से भड़की हुई क्रोधाग्नि के मारे हमारा देश धधक उठा है। अब की बार चीन को विदेशियों के अस्त्र-शस्त्र का बिल्कुल डर नहीं है। जब विदेशी राष्ट्र हमारे पास समझौते के लिए आवें, तब उन्हें अपने पुराने ख़्यालात को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि चीन एक शान्तिप्रिय देश है और इस कारण वह चापलूसी अथवा घुड़की के फेर में पड़ जायगा। किसी तरह का समझौता तब तक नहीं हो सकता, जब तक विदेशी पहले यह नहीं मान लेते कि हमारे देश में उनका कभी भी कोई अधिकार नहीं था और उनके जो कुछ भी स्वार्थ यहाँ हैं, वे सभी दबाव से प्राप्त किए गए थे और हम लोग भी अपनी तरफ़ से उन सभी सुविधाओं के औचित्य को मान लेंगे, जिन्हें हमारे कायर अथवा निस्सहाय पूर्व पुरुषों ने मञ्ज़ूर किए थे। तभी इस औचित्य का निस्तार न्याय में हो सकता है।' "

एशिया के भिन्न-भिन्न देश, जो गोरों के अधीन रहते-रहते ऊब गए हैं, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मिलार्ड ने अपने "कॉनफ़्लिक्ट ऑफ़ पॉलिसीज़ इन एशिया" में लिखा है—

"एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसको स्थूल दृष्टि से देखने पर भी मालूम हो जाता है कि पश्चिमी शासन के विरुद्ध क्रान्ति जैसी कोई चीज़ पूर्वी लोगों के अन्दर सञ्चारित हो रही है। किसी देश में तो यह माँग पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए है, दूसरी जगहों में, जैसे कि चीन में, यह माँग राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं अखण्डता के लिए है, फिर जैसे कि भारत में यह माँग साम्राज्य-शासन (Imperial Federation) की अधीनता में स्वायत्त-शासन के लिए है, दूसरे-दूसरे स्थानों में, जो छोटे-छोटे और अधीनस्थ स्थल-समूह हैं, यह माँग अस्पष्ट आत्म-विकास (Self-expression) ही तक सीमाबद्ध है। और उस राष्ट्र के विषय में जो पाश्चात्य राजनीतिक प्रवेश को रोकने में समर्थ हुआ है, जैसे कि जापान, यह माँग, प्राच्यवालों के साथ, पाश्चात्य देशों में जो व्यवहार होता है, उसको बदलने के लिए, आग्रह के सम्बन्ध में है।"

इस प्रकार हम एशियावासी पराधीनता रूपी दुःख से किसी न किसी प्रकार दुखी हैं। हमारे लिए निहायत ज़रूरी है कि हम सभी एकता के स्वर्ण-सूत्र में बँध जाँ और अपनी खोई हुई आज़ादी को, कन्धे से कन्धा मिला कर प्राप्त करें। "एशिया की क्रान्ति" में महात्मा गाँधी के ये वाक्य भी अपटौन क्लोज़ ने उद्धृत किए हैं :—

"मुझे विश्वास नहीं है कि मैं चीन वालों को इस बात की प्रतीति करा सकता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता के उपद्रव के विरुद्ध क्रान्ति के लिए पशु-बल को सब से अच्छा उपाय समझना उन्हें छोड़ देना चाहिए। परन्तु कम से कम मैं उन्हें उस उपाय को अच्छी तरह से समझा दे सकता हूँ, जिसे हमने भारत में सफल पाया है। उनसे यह बतलाने के लिए, भारतीय होने के नाते, मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि हम लोगों का कार्य सामान्य है और अपने विद्रोह के अस्त्रागार में हमें उन सब साधनों को सम्मिलित कर लेना चाहिए, जो सभी एशियाई जातियों के मिश्रित लाभ के ख़्याल से, एशिया की स्वाधीनता के उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।"

महात्मा जी चीनियों तथा अन्य एशियावासियों से कहते हैं कि हम सभी यूरोप की मातहती में दुःख भोग रहे हैं। इसलिए यूरोप की अधीनता से मुक्त होना हमारा प्रधान कर्तव्य है। अतः हम लोगों को चाहिए कि मिल कर उन सभी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करें जो एक वा दूसरे देश में सफलता हासिल करने के लिए व्यवहार में लाए गए हैं। सारांश यह है कि जब एशिया के अन्यान्य देश हिंसात्मक अस्त्रों के द्वारा, अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने में लगे हैं, तब भारत अहिंसात्मक शस्त्र के द्वारा ही सफलता प्राप्त करने पर तुला हुआ है, और इसे सफलता भी मिली है। अतएव चीनियों एवं अन्य एशियावासियों को चाहिए

कि वे अपने हिंसात्मक अस्त्रागार में अहिंसा-रूपी अस्त्र को भी स्थान दें और उसका प्रयोग करें।

गत यूरोपीय महायुद्ध के कारण एशिया अथवा सारे संसार की राजनीतिक परिस्थिति में जो कुछ उलट-पुलट हुआ है, उसकी आलोचना करते हुए अपटौन क्लोज़ अपनी "एशिया की क्रान्ति" नाम की पुस्तक में लिखता है—

"तब महायुद्ध का आगमन हुआ, जिसने इस परिस्थिति (पाश्चात्य शक्ति) पर दो तरह से मर्मस्पर्शी प्रभाव डाला। पहली बात यह हुई कि यूरोप की सभी शक्तियाँ बेतरह कमज़ोर पड़ गईं और दूसरी यह कि पाश्चात्य राष्ट्र-समूह से रूस निकाल बाहर कर दिया गया। और अन्त में जान-बूझ कर एशिया के साथ सम्मिलित होने के लिए उसे एशिया में आना पड़ा।"

रूस के एशिया में आ मिलने के नतीजे के विषय में वही लेखक लिखता है—

"........किन्तु उसको (इतिहासज्ञ को) इस बात से विशेष दुःख होगा कि रूस को एशिया से निकाल बाहर कर देने से जातियों तथा महादेशों की शक्ति-तुला (Balance of power) में बिलकुल परिवर्तन हो गया है, और 'गोरे आदमी के संसार का अन्त' आ गया है।" महायुद्ध के कारण रूस के अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग दोनों ही परिस्थितियों में क्रान्ति हो गई। स्वेच्छाचारी ज़ार के शासन का अन्त हुआ और देश में लोकमत का शासन आरम्भ हुआ। उधर निर्बल जातियों के अपने स्वत्वों के अपहरण करने में रूस यूरोप का सहायक बना चलता था, सो अब वैसी बात नहीं रही। वहाँ से निकाले जाने के कारण उसे एशिया का पक्ष लेना पड़ा और आज एशिया के पराधीन देशों की आज़ादी को प्राप्त कराने में रूस भी तहेदिल से ज़ोर लगा रहा है। यूरोप की शक्ति तो साफ़ ही साफ़ घट चली और ये गोरे बेचारे, जो सारे संसार को गोरों का जायदाद बना डालने का स्वप्न देख रहे थे, उसका सहसा अन्त भी हो गया।

एशिया के अभ्युत्थान का क्या फल हो सकता है, इस बारे में लेखक लिखता है—

"संसार के इतिहास में एशिया के उत्थान का यह स्पष्ट परिणाम है कि 'संसार का केन्द्र' अटलान्टिक महासागर से सरक कर पैसिफ़िक (प्रशान्त) महासागर में चला आवेगा।.........इसका मतलब यह है कि साम्राज्य का अन्त और नए युग का आगमन होगा। जब प्रत्येक जाति अपने-अपने घरेलू विषयों पर पूर्ण अधिकार रक्खेंगी और अखिल मानव जाति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में समान रूप से बोल सकेंगी।" और तभी तो संसार की प्रत्येक जाति सुख की निद्रा ले सकेगी। मानव जाति का प्रत्येक शुभेच्छु ऐसे 'राम-राज्य' का हृदय से स्वागत करेगा।

फ़िलीपाइन-द्वीप में अमेरिका के संयुक्त-राज्य का शासन है। फ़िलीपाइन के रहने वाले भी आज़ादी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। परन्तु स्वातन्त्र्यप्रिय अमेरिका एशिया से अपना प्रेम इतनी जल्द कैसे छिन्न कर दे? मतलब यह ठहरा कि द्वीप हो अथवा देश हो—एशिया के सभी स्थान विदेशियों के पैरों के नीचे हैं। फ़िलीपाइन का वर्णन "एशिया की क्रान्ति" में इस प्रकार किया गया है—

"फ़िलीपाइन का स्वतन्त्रता-आन्दोलन अब इने-गिने नेताओं का हो-हल्ला नहीं रह गया, वरन् उस अवस्था को पार कर, रॉक्सेज़ के कथनानुसार, 'शान्ति-मय-क्रान्ति' में पहुँच गया है, जिसका एक उद्देश्य तो राष्ट्र का निर्माण और फिर पूर्ण स्वाधीनता तथा अपने भाग्य-निर्णय का अधिकार प्राप्त करना है।" इस तरह फ़िलीपाइन के दिन भी आज़ादी की लड़ाई में व्यतीत हो रहे हैं।

फ़िलीपाइन के सीनेट-प्रेज़िडेण्ट मैनुअल क्वेसन स्वराज्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

"हम लोग नरक की तरह अपना राज्य स्वयं करेंगे, किन्तु स्वर्ग की तरह दूसरे के द्वारा शासित नहीं होंगे।" स्वतन्त्रता की यथार्थ क़ीमत स्वतन्त्रता ही है। रुपए-पैसे, सुख-आनन्द से स्वतन्त्रता को क़ीमत लगाना उसके महत्व को धूल में मिलाना है।

सिङ्गापूर में ब्रिटिश-सरकार का जो बृहत् जहाज़ी बेड़ा स्थापित किया गया है, उसके अन्दर बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे हैं। सिङ्गापूर की स्कीम गोरे-काले, भूरे-पीले सङ्घर्ष की भविष्यद्वाणी है। अपटौन क्लोज़ का मत है कि ग्रेट-ब्रिटेन के सिङ्गापूर के जहाज़ी बेड़े की व्यवस्था, ऐङ्ग्लो-अमेरिकन नियत को ख़ूब सत्यता से प्रकट करने वाली समझी जाती है।

आगे चल कर उसने कहा है—

"यहाँ (सिङ्गापूर) सुदूर पूर्व में ग्रेट-ब्रिटेन का महान जहाज़ी बेड़ा बनने वाला है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या पाश्चात्य के इस क़िलाबन्दी के पहले ही एशिया की क्रान्ति नहीं शुरू हो जायगी।"

सिङ्गापूर के महान जहाज़ी बेड़े का एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह यह कि सुदूर पूर्व में ग्रेट-ब्रिटेन के बल को मज़बूत करना। उन्नतशील जापान अथवा चीन से भारत को सुरक्षित बनाए रख कर अपनी मौरूसी जायदाद क़ायम रखना ही इस आन्दोलन का मतलब है। इसके अलावा कभी भी एशिया और यूरोप के बीच सङ्घर्ष उत्पन्न होने पर यह महान जहाज़ी बेड़ा यूरोप की मदद करेगा।

एशिया का यह महान सङ्घ किसी जाति-विशेष अथवा एक देश के हित की चीज़ नहीं, वरन् यह समस्त मानव-समाज के उद्धार की औषधि है। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि एशिया के भिन्न-भिन्न देशों एवं जातियों के अन्दर अविश्वास और स्वार्थ का भाव मौजूद है। परन्तु इस तरह के अविश्वास और स्वार्थ यूरोप के भी सभी देशों के अन्दर सदा से वर्तमान रहते आए हैं, तथापि उनके अन्दर एकता है, और 'लीग ऑफ़ नेशन्स' इसका आज भी जीता-जागता प्रमाण है। पैन-इस्लामिक स्कीम एवं जापान की साम्राज्यवादी नीति अवश्य ही, एशियाई सङ्घ की बख़ूबी कामयाबी में विलम्ब लगा रही हैं। एशिया के सभी देशों तथा जातियों से हमारा अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की धुन का त्याग कर एशियाई सङ्घ को शक्तिशाली बनाने में प्रमुख भाग लें। एशियाई सङ्घ के कर्मशील निर्माण में ही एशिया का उद्धार है।

❀ ❀ ❀

तूफ़ानी ग़ज़ल

[नाख़ुदाय-सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी]

तेरी तुन्दख़ोई[1] तेरी कीनाज़ोई,[2]
तेरी कजअदाई[3] तेरी बेवफ़ाई।
बला है, सितम है, ग़ज़ब है, क़यामत,
दोहाई, दोहाई, दोहाई, दोहाई!
उधर पास चिलमन के मौजूद थे वह,
इधर थे परेशान उनके फ़िदाई।
रहा शर्मों शोख़ी का दिलकश[4] तमाशा,
न जलवा दिखाया, न सूरत छुपाई।
भरम खुल गया, इससे अय्यारियों का,
खुला राज़ भी इससे मक्कारियों का।
चुराया था तुमने अगर दिल हमारा,
तो दिल को चुरा कर नज़र क्यों चुराई?
तेरी नाख़ुशी, और मेरी ख़ुशामद,
तेरा रूठना, और मेरा मनाना।
तबीयत न आती, तो शामत न आती,
तबीयत जो आई, तो शामत भी आई।
जो कहता हूँ मैं रञ्जो ग़म से रिहा कर,
रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर।
तो कहता है वह भी न दूँगा, न दूँगा,
न दूँगा, न दूँगा, न दूँगा रिहाई!!
जहाँ में बशर[5] इससे हो बेतअल्लुक़,
कोई मान ले, हम न मानेंगे इसका,
कि चारों तरफ़ हैं, यही चार चीज़ें,
मुहब्बत, अदावत, भलाई, बुराई!
जिन्हें ऐशोराहत[6] का अरमान होगा,
उन्हें ऐशोराहत का अरमान होगा।
तुम्हारी मुहब्बत में हमने बला से,
यह पाया न पाया, वह पाई न पाई।
यह बर्ताव क्या है, यह अतवार[7] क्या है?
ज़रा आप सोचें, ज़रा आप समझें।
हमीं पर किसी रोज़ चश्मे-इनायत[8],
हमीं से किसी वक़्त बे ऐतनाई[9]।
बहार आए मुज़दा[10] मसर्रत[11] का लेकर,
धुआँधार उट्ठें फ़लक[12] पर घटाएँ।
इधर जाम छलके, उधर तोबा टूटे,
बहम ज़ुहदी[13] रिन्दों में हो हाथापाई।
किसी को रुलाओ, किसी को जगाओ,
किसी को सताओ, किसी को मिटाओ।
ख़ुदाई[14] का ग़म क्या, ज़माने का डर क्या,
तुम्हारा ज़माना, तुम्हारी ख़ुदाई!
हज़ारों बखेड़े, हज़ारों झमेले,
हज़ारों तवोहम[15] हज़ारों तरद्दुद।
मगर आप आएँ तो मेहमान रख लूँ,
मेरे दिल में अब भी है इतनी समाई।
छुपाना था इश्क़ो मुहब्बत को दिल में,
न करना था इश्क़ो मुहब्बत की चर्चा।
हमीं से हुई चूक बेशक हमीं से,
हमीं ने बताया, हमीं ने जताई।
यह अन्धेर-खाता, यह कफ़राने नेआमत[16]
ज़माने को ऐ "नूह" क्या हो गया है?
ख़ुदा के करम से तो डूबे न बेड़ा,
मगर पाए शुहरत मेरी नाख़ुदाई[17]।

१—तेज़ी, २—मैल रखना, ३—टेढ़ापन, ४—दिल खींचने वाला, ५—आदमी, ६—आनन्द, ७—तरीक़े ८—कृपा-दृष्टि, ९—बेपरवाई, १०—ख़ुशख़बरी, ११—आनन्द, १२—आकाश, १३—परहेज़गार और शराबी, १४—संसार, १५—शक भरे हुए भाव, १६—नाशुकरा,—१७—खेनेवाला।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

भस्मसात बाड़मूला (काश्मीर) का रोमाञ्चकारी दृश्य



काश्मीर में होने वाले भीषण उपद्रवों के सम्बन्ध में नियुक्त की हुई जाँच-कमिटी (ग्लेन्सी-कमीशन) के प्रधान—श्री० बी० जे० ग्लेन्सी।

ग्लेन्सी-कमीशन (काश्मीर) के मन्त्री दीवान बरजीतलाल जी।





भाई मन्सासिंह जी—जिनका सर्वस्व गुण्डों ने जला कर ख़ाक कर डाला—बेचारे राह के भिखारी बना दिए गए हैं !



पञ्जाबी नवयुवकों का एक जत्था—जिसने आग बुझाने में प्रशंसनीय कार्य किया था।



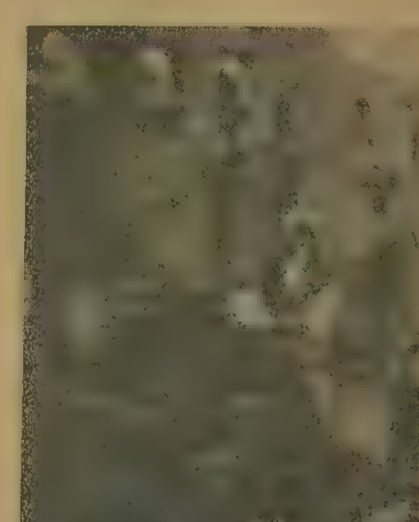
बाड़मूला (काश्मीर) का प्रसिद्ध 'बड़ा बाज़ार' जो एकदम जला कर ख़ाक कर डाला गया है।



बाड़मूला (काश्मीर) के हिन्दू सेवक-दल के कप्तान श्री० कृष्णलाल मेहरोत्रा—जिन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है।



बाड़मूला (काश्मीर) के प्रसिद्ध धनवान—लाला बोधशाह—जिनकी सारी सम्पत्ति मुसलमान गुण्डों द्वारा विनष्ट कर दी गई है।



रोते हुए एक निर्धन हिन्दू दूकानदार—जिसके जीवन की सारी सञ्चित कमाई गुण्डों ने जला कर ख़ाक कर दी।

['भविष्य' के आगामी अङ्कों में पाठकों को काश्मीर-सम्बन्धी कुछ दुर्लभ चित्रों की प्रतीक्षा करनी चाहिए]

शिक्षा तथा सुधार के मैदान में मद्रासी बहिनों की प्रगति



कडप्पा (मद्रास) के ज़िला शिक्षा-बोर्ड की मद्रास-गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत सदस्या—श्रीमती के० एस० पार्वती अम्मल ।



बेज़वाडा की तीन सुधार-प्रिय महिलाएँ । सुफ़ेद वस्त्रों से सुशोभित बैठी हुईं श्रीमती टी० राजराजेश्वर अम्मा हैं । आपके साथ की दो अन्य महिलाएँ आन्ध्र-प्रान्तीय महिला-परिषद की मन्त्रिणी हैं ।



त्रिवन्नामलम् (मद्रास) की म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट द्वारा नामज़द सदस्या—श्रीमती जी० टी० अरुमैनयागम ।

त्रिवेन्द्रम (मद्रास) के एकाउण्टेण्ट जनरल ऑफ़िस की सेक्रेटेरियल-क्लर्क—श्रीमती टी० बी० माधवन—कहना नहीं होगा, मद्रास प्रान्त की आप सर्व-प्रथम महिला-क्लर्क हैं ।





तिनावेली (मद्रास) के महिला ट्रेनिङ्ग कॉलेज की प्रधानाध्यापिका—कुमारी लीना एडविन, बी० ए०, एल्-टी० ।



१६ वर्ष की आयु में संस्कृत की 'महामहोपाध्याय' की परीक्षा पास करने वाली केरल प्रान्त की [illegible]—कुमारी एल० भवानी अम्मा ।



पल्लूर (मद्रास) की प्रथम श्रेणी की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट—श्रीमती अपैय्या, बी० ए० ।



महिला इण्टरमीजिएट कॉलेज, बङ्गलोर (मद्रास) की सुपरिण्टेण्डेण्ट—कुमारी ज़ेड लॉजर्स ।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



श्री० चिरञ्जीलाल झा, जिन पर अजमेर में एक बम-फ़ैक्टरी खोलने और क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध रखने के सन्देह में मुक़दमा चल रहा है ।



कुमारी रमाबाई डालमिया—जो पटने के सेठ रामकृष्ण डालमिया (जिन्होंने कॉङ्ग्रेस को एक लाख रुपए प्रदान किए थे) की पुत्री हैं। इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ काशी-विश्वविद्यालय से प्रवेशिका परीक्षा पास की है।



श्री० एस० आर० एस० सिनहा, बी० एस-सी०, एल्० एल्० बी०—आप काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय की पार्लामेण्ट के प्राइम मिनिस्टर और अच्छे व्याख्याता हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य-स्मृति में—



छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म-स्थान शिवनेरी नामक क़िले पर राष्ट्रीय झण्डा फहराए जाने का मनोरञ्जक दृश्य। 'भविष्य' के इस चित्र के ऊपर वाले घेरे (inset) में पाठक कुमारी सुशीला जुवेकर को देखेंगे, जिनके नेतृत्व में झण्डाभिवादन का कार्य सम्पन्न हुआ है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



श्री० भोलासिंह—आप नागपुर के स्वयंसेवक कोर के एसिस्टेण्ट कप्तान और एक उत्साही देश-सेवक हैं। छः मास की सज़ा भी भोग चुके हैं।

श्री ब्रजलाल बियाणी—अभी हाल में बरार प्रान्त के देवलगाँव में जो अखिल भारतीय माहेश्वरी सम्मेलन हुआ था, आप उसके सभापति थे। इसके अतिरिक्त आप एक उत्साही समाज-सुधारक और कॉङ्ग्रेस कर्मी हैं।





भारतवर्ष के समान हमारे प्रवासी भाइयों ने भी 'गाँधी-जयन्ती' जिस उत्साह से मनाया था, उसके कई महत्त्वपूर्ण दृश्य पाठक समय-समय पर देखते रहे हैं। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक मोम्बासा (अफ़्रीका) प्रवासी भारतवासियों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को देखेंगे, जिनके नेतृत्व में यहाँ गाँधी-जयन्ती मनाई गई थी।

महात्मा ईसा की पुण्य-स्मृति को अक्षुण्ण रखने के अभिप्राय से निर्मित कराची का सुविशाल गिर्जाघर, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर समस्त भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित पादरी यहाँ एकत्र हुए थे।





बेख़ुदीए शौक़ में हमको पता चलता नहीं, आगे क्या हो, पहिले क्या था और अब क्या काम है।
उस तरफ़ उक़बा इधर दुनिया का मन्ज़र सामने, दिल में है यादे-बुताँ लब पर ख़ुदा का नाम है।

इश्क़ में मरना, वफ़ा वालों का पहला काम है.
इब्तिदा[1] हो इन्तेहा, आग़ाज़[2] ही अन्जाम[3] है।
चैन पावें हम ज़माने में यह मुश्किल काम है,
हर नज़र पर बदज़नी,[4] हर साँस पर इल्ज़ाम है।
बेख़ुदीये शौक़ में, हमको पता चलता नहीं,
आगे क्या हो, पहले क्या था और अब क्या काम है।
मैं किसी के इश्क़ में, राहत[5] को ख़्वाहिश क्या करूँ,
चैन है बेचैन, ख़ुद आराम बेआराम है।
चार दिन की ज़िन्दगी पर, इफ़्तेख़ारे[6] ज़िन्दगी,
मेरी चलती साँस का यह एक चलता काम है।
तीरगीए[7] बख़्त[8] ने ढाई यहाँ तक आफ़त,
शाम कैसी सुबह भी मेरी नज़र में शाम है।
अपने वादे पर मेरे घर तक कभी आते नहीं,
रोज़ कह देते हो तुम यह काम है, वह काम है।
हुस्ने साक़ी दिल में भर दे बादए[9] सरजोशे इश्क़,
और सब झूठे हैं लेकिन, यह अछूता जाम[10] है।
मैं मुहब्बत भी करूँ, तर्के मुहब्बत भी करूँ,
एक मुश्किल काम यह एक सख़्त मुश्किल काम है।
क्या तुझे कह कर पुकारूँ, मुझसे यह कैसा सवाल?
तुम जो मेरा नाम रख दो, बस वह मेरा नाम है,
सबको पाया हमने शाकी[11] इश्क़ में तक़दीर का,
मुद्दआ[12] मायूस[13] है अरमान भी नाकाम है।
नज़आ[14] में गुज़री हुई बेचैनियों का ग़म नहीं,
हश्र[15] के दिन तक बस अब आराम ही आराम है।
पासबाँ[16] से इस तरह मुझको इजाज़त मिल गई,
कह दिया मैंने, उन्हीं का एक ज़रूरी काम है।
मैं वफ़ूरे[17] ज़ोफ़ से करवट बदल सकता नहीं,
वह समझते हैं मरीज़े इश्क़ को आराम है।
जान कर उस शोख़ का अनजान बनना देखिए,
"नूह" से यह पूछना क्या "नूह" तेरा नाम है।

—"नूह" नारवी

फ़िक्रे मीना[18] क्यों है साक़ी क्यों तलाशे जाम है,
तू लगा दे मुँह से ख़ुम[19] पीना हमारा काम है।
मुझसे रौशन इन दिनों दैरो[20] हरम[21] का नाम है,
पाए बुत[22] पर है जबीं[23] लब पर ख़ुदा का नाम है।
जिनको पैग़ामे सितम[24] ख़ाली अजल[25] का काम है,
उनसे पूछे कोई इस दुनिया में क्या आराम है।

१—शुरू, २—शुरू, ३—अन्त, ४—बुरे ख़्याल, ५—आराम, ६—घमण्ड, ७—अँधेरा, ८—तक़दीर, ९—मस्त करने वाली शराब, १०—प्याला, ११—शिकायत करने वाला, १२—मतलब, १३—निराश, १४—अन्तिम समय, १५—प्रलय, १६—चौकीदार, १७—बहुत ही कमज़ोर, १८—शीशा, १९—घड़ा, २०—मन्दिर, २१—काबा, २२—मूर्ति, २३—माथा, २४—ज़ुल्म, २५—मौत,

आशिक़ों का और रिन्दों[26] का हुजूमे आम है,
है गुनहगारों का मेला, हश्र जिसका नाम है।
सुबह को शबनम के मोती बाग़ में चोरी गए,
फूल किरनों से यह कहते हैं, तुम्हारा काम है।
देखना है हुस्न के जलवे तो बुतख़ाने में आ,
तेरे काबे में तो बस वायज़[27] ख़ुदा का नाम है।
हो गया हूँ सारी दुनिया के गुनाहों में शरीक,
जबसे मैंने यह सुना है उसकी रहमत[28] आम[29] है!
नशा में आज़ाद बैठा हूँ जहाँ की फ़िक्र से,
गर्दिशे साग़र पे सदक़े[30] गर्दिशे अय्याम[31] है।

अब हमको आबो-दाना क़फ़स में हराम है।

[महाकवि "दाग़" देहलवी]

हर मरतबा ज़बान पे दुश्मन का नाम है,
क्या यह कलाम[1] आपका तकिया-कलाम है!
क्या दिलदेही[2] के साथ जवाबे-पयाम है,
ऐ नामाबर[3] तुझे तो हमारा सलाम है।
झूठी पिऊँ रक़ीब[4] की, मुझको हराम है;
साक़ी के हाथ में तो फ़क़त एक जाम[5] है।
तुम उस पे शेफ़ता[6] हो, तो मैं भी फ़रेफ़्ता,
तुम से ग़रज़ नहीं, मुझे दुश्मन से काम है।
मैं उम्र भर सुनाऊँ तुम्हें अपनी दास्ताँ,[7]
पूछो अगर तो फिर यह कहें ना-तमाम है।
सय्याद[8] ने रिहा न किया अब के साल भी,
अब हमको आबोदाना क़फ़स[9] में हराम है।
आते ही क्यों पयाम है जाने का जाइए,
गर आपको है काम, तो मुझको भी काम है।
कहते हैं किसको "दाग़" यह क्या आपने कहा,
ले दिल में चुटकियाँ यह उसी का कलाम[10] है।

१—वाक्य, २—हमदर्दी, ३—डाकिया, ४—दुश्मन ५—प्याला, ६—आशिक़, ७—कहानी, ८—घातक, ९—पिंजड़ा, १०—कविता।

तेरे दिल में और मेरे दिल में है वायज़ यह फ़र्क़,
वह चराग़े-सुबह है, और यह चराग़े-शाम है।
ले उड़ेगा नशये मय[32] आज रिन्दों को ज़रूर,
एक परी शीशे में है, या बादए गुलफ़ाम[33] है।
लुत्फ़े आज़ादी था जिनसे चल बसे वह हम-सफ़ीर[34]
अब चमन की सुबह भी मुझको क़फ़स[35] की शाम
कुफ़्र[36] है उसकी शिकायत जिसने दिल पैदा किया
दिल से जो पैदा हुई, वह आरज़ू बदनाम है।

२६—शराबी लोग, २७—नसीहत करने वाला, २८—कृपा, २९—सब पर, ३०—निछावर, ३१—संसार-चक्र, ३२—शराब, ३३—लाल रङ्ग की शराब, ३४—साथी, ३५—पिंजड़ा, ३६—ऐब,

शर्त है पीकर मुकरना पारसाई[37] के लिए,
जो सरे-बाज़ार पीता है, वही बदनाम है।
मेरे मज़हब में है वायज़ तर्के मैनोशी[38] हराम,
छोड़ कर पीता हूँ फिर तोबा उसी का नाम है।
लुत्फ़े[39] शाही की तमन्ना ग़ैर के दिल में रहे,
हम फ़क़ीरों ही से ज़िन्दा लखनऊ का नाम है।
फ़िक्रे दुनियाए दनी[40] है दुश्मने फ़िक्रे सख़ुन[41],
इस कशाकश[42] में ग़ज़ल कहना हमारा काम है।

—"चकबस्त" लखनवी

ख़ाक होकर ख़ाक में मिलने का यह अन्जाम[43] है,
सो रहा हूँ चैन से, अब क़ब्र में आराम है।
किन बलाओं में फँसा मेरा दिले-नाकाम है,
गर्दिशे तक़दीर है, फिर गर्दिशे अय्याम है।
बायसे[44] ग़म दिलरुबा[45] है या दिले नाकाम है,
आस्माँ कहते हैं जिसको, मुफ़्त में बदनाम है!
और क्या है बस यही शग़ले दिले नाकाम है,
रात-दिन नाले हैं तो फ़रियाद सुबहो-शाम है।
पहले मैंने दिल दिया, फिर मैंने अपनी जान दी,
यह है आग़ाज़े-मुहब्बत, और यह अन्जाम है!!
उस तरफ़ उक़बा[46] इधर दुनिया का मन्ज़र सामने,
दिल में है यादे बुताँ लब पर ख़ुदा का नाम है।
मुझसे आग़ाज़े मुहब्बत में यह कहता है कोई,
कुछ ख़बर भी है तुम्हें क्या इश्क़ का अन्जाम है?
हर घड़ी ज़ुल्मो सितम करने का निकला यह मआल,[47]
ख़ल्क़[48] में बदनाम अब मैं हूँ, कि तू बदनाम है?
चीर कर पहलू कभी पहलू में आकर देखिए,
सीनए पुरदाग़[49] मेरा मख़ज़ने[50] आलाम[51] है।
एक है तक़दीर उसकी, एक है मेरा नसीब,
मुझको तुमसे काम है, तुमको उदू[52] से काम है,
मुझको समझाते हैं यह कह कर वह ज़िक्रे-ग़ैर पर,
उससे हम मिलते नहीं तुम को ख़याले ख़ाम[53] है।
मैकदे[54] में हज़रते ज़ाहिद कहाँ रक्खें क़दम,
हर तरफ़ मीना है, साग़र[55] है, सुबू[56] है, जाम है।
हम जो आए हैं ज़माने में तो जाने के लिए,
ज़िन्दगी ही ख़ुद हमारी मौत का पैग़ाम है।
दिल तड़प जाता है उसका जब वह सुनता है इसे,
हज़रते "बिस्मिल" तुम्हारा नाम भी, क्या नाम है!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३७—परहेज़गारी, ३८—शराब पीना छोड़ देना, ३९—बादशाही का आनन्द, ४०—कमीनी दुनिया, ४१—कविता करना, ४२—खींचातानी, ४३—नतीजा, ४४—सबब, ४५—माशूक़, ४६—परलोक, ४७—नतीजा, ४८—संसार, ४९—दाग़ों से भरा हुआ ५०—ख़ज़ाना, ५१—दुःख, ५२—दुश्मन, ५३—धोका, ५४—शराब, ५५—प्याला, ५६—मटका।

विलायत की कुछ बातें

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

इङ्गलैण्ड के राजनैतिक दल

आजकल भारतवर्ष और इङ्गलैण्ड के राजनैतिक सम्बन्ध के विषय में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं कॉन्फ़्रेन्स हो रही है, कहीं व्याख्यान हो रहे हैं, कहीं लेख लिखे जा रहे हैं। कभी हम पढ़ते हैं कि चर्चिल ने भारत के सम्बन्ध में अमुक बातें कही हैं, कभी हम सुनते हैं कि लान्सबरी ने भारत के सम्बन्ध में अमुक विचार प्रगट किए हैं। ऐसे समय प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि इङ्गलैण्ड की राजनीति तथा राजनैतिक दलों के विषय में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करे। इङ्गलैण्ड में वहाँ के पत्र तथा नेता अपने देश वालों को भारत के सम्बन्ध की बातें बताने के लिए अनेक उपाय काम में लाते हैं। हम यहाँ पर उन उपायों का उल्लेख न करेंगे; क्योंकि वह तो एक स्वतन्त्र लेख का विषय है, जिसके विषय में कुछ बातें हम पाठकों को किसी आगामी अङ्क में बताएँगे। इस लेख में तो उन बातों का ही उल्लेख होगा, जो हमारे देशवासियों के जानने योग्य हैं।

यह सभी पाठकों को शायद विदित है कि आजकल इङ्गलैण्ड में राष्ट्रीय सरकार (National Government) राज्य कर रही है। परन्तु यह तो कुछ ही दिनों की बात है। इसके पूर्व इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट में मुख्य तीन पार्टियाँ थीं; मज़दूर-दल या साम्यवादी दल, जिसके नेता मि० रैमज़े मैकडॉनल्ड थे; उदार-दल (Liberal Party), जिसके नेता मि० लॉयड जॉर्ज थे; तथा अनुदार दल (Conservative and Unionist Party), जिसके नेता मि० बॉल्डविन थे।

यहाँ पर पाठकों को इन तीनों दलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ बता देना असङ्गत न होगा। प्राचीन काल में, जब इङ्गलैण्ड का बादशाह एकतन्त्र शासन किया करता था और वहाँ पर कोई पार्लामेण्ट नहीं थी, तो राजनैतिक दलों की भी आवश्यकता न थी। राजनैतिक दलों की उत्पत्ति उस समय हुई, जब अङ्गरेज़ी प्रजा को अपने बादशाह से कुछ अधिकार प्राप्त हुए और बादशाह की पार्लामेण्ट में प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भी बैठने लगे। इस प्रकार पार्लामेण्ट के सदस्यों के दो दल हो गए। एक दल में तो वे थे, जो सरकारी पक्ष के थे; दूसरे दल में वे थे, जो प्रजा-पक्ष के थे, और जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज-पक्ष के दल का विरोध करते थे। उन दिनों राज-पक्ष के दल का नाम 'टोरी पार्टी' (Tory Party) था तथा प्रजा-पक्ष के दल का 'ह्विग पार्टी' (Whig Party)। यह घटना लगभग सन् १६८८ ईसवी की है, जबकि इङ्गलैण्ड का शासक विलियम था।

'ह्विग' तथा 'टोरी' शब्दों के वास्तविक अर्थ भी बड़े मनोरञ्जक हैं। 'टोरी' का अर्थ है Irish Ruffians (आयर्लैण्ड के गुण्डे) तथा 'ह्विग' का अर्थ है Sour Scotch Fanatics (स्कॉटलैण्ड के मतवाले)। यह कहना सरल नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग इन दोनों दलों के लिए क्यों हुआ। परन्तु इन पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि उन दिनों भी राज-पक्ष के लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता था और प्रजा-पक्ष के दल को किस दृष्टि से।

आजकल के जितने दल हैं, उन सब की उत्पत्ति उपरिलिखित दोनों दलों से हुई है। जब सर रॉबर्ट पील अङ्गरेज़ी सरकार के प्रमुख थे, उस समय से 'टोरी पार्टी' का नाम 'कन्ज़रवेटिव पार्टी' (Conservative Party) पड़ गया। तब से अब तक यही नाम अनुदार दल के लोगों को दिया जाता है। इस नाम की उत्पत्ति से पूर्व पार्लामेण्ट में राजभक्त दल रहता था। जब इङ्गलैण्ड में 'कैबिनेट गवर्नमेण्ट' (Cabinet Government) की प्रणाली प्रचलित हुई, तो कोई भी दल राजा का दल नहीं रहा। तब से दलबन्दी राजनैतिक सिद्धान्तों के आधार पर होने लगी। जो पुराने विचारों को छोड़ने के लिए सहज ही तैयार नहीं होते थे, वे कन्ज़रवेटिव कहलाए। कुछ समय पूर्व स्कॉटलैण्ड के अनुदार दल वालों ने अपना एक दल 'यूनियनिस्ट पार्टी' के नाम से बनाया था। परन्तु फिर अनुदार दल की ये दोनों पार्टियाँ मिल गईं और तब से इस पार्टी का पूरा नाम 'दी कन्ज़रवेटिव एण्ड यूनियनिस्ट पार्टी' (The Conservative and Unionist Party) पड़ गया है।

'ह्विग' लोगों ने भी इसी प्रकार कई बार अपनी केंचुल बदली है। कुछ समय तक यह 'मॉडरेट पार्टी' (Moderates) के नाम से जाने जाते थे, फिर 'लिबरल' (Liberals) कहलाने लगे। अब तक इनकी पार्टी का यही नाम चला आ रहा है।

मज़दूर-दल (Labour or Socialist Party) अङ्गरेज़ी राजनीति में एक नया दल है। सन् १८७१ ईसवी में ट्रेड-यूनियन ऐक्ट के पास होने पर मज़दूर आन्दोलन कुछ जड़ पकड़ गया था। सन् १८६७ तथा १८८४ के सुधार-बिलों (Reform Acts) ने मज़दूरों को भी वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया। सन् १८७४ में दो कोयले की खानों के मज़दूर एलैक मैकडॉनल्ड तथा टॉमस बर्ट पार्लामेण्ट के सदस्य चुने गए। सन् १८८८ में स्कॉटलैण्ड के स्वतन्त्र मज़दूर-दल (Independent Labour Party) के प्रवर्तक मि० केरहार्डी चुनाव के लिए खड़े हुए, परन्तु सफल न हो सके। मज़दूर नेताओं में से जो पार्लामेण्ट के सदस्य हो सके थे, वे अनुदार दल से तो मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि अनुदार दल के व्यक्ति पूँजी के पुजारी थे। वे उदार दल में इसलिए सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उस समय के उदार-दल के प्रमुख मि० ग्लैडस्टन से उनकी पटी नहीं। इन कारणों से उन्होंने एक स्वतन्त्र दल की रचना की और उसी दल का नाम 'मज़दूर-दल' था। धीरे-धीरे इस दल का बल बढ़ता ही गया। सन् १९०० के चुनाव में केरहार्डी, मैकडॉनल्ड, स्नोडन आदि मज़दूरों के नेता पार्लामेण्ट के सदस्य निर्वाचित हो गए। सन् १९०६ के चुनाव में मज़दूर-दल के ३० प्रतिनिधि पार्लामेण्ट के सदस्य चुने गए थे।

प्रारम्भ में तो टोरी तथा अनुदार-दल के पास ही राज्य की शक्ति रही, परन्तु पीछे से पलड़ा पलटा और शक्ति उदार-दल के हाथ में आ गई। यूरोपीय महायुद्ध के समय सारे दलों ने मिल कर अपनी सरकार बनाई थी (Coalition Government), जिसके प्रधान-मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज का शासन लौह-शासन कहा जाता है। उन्होंने राजनैतिक चालों से उस समय इङ्गलैण्ड को बचा लिया, परन्तु पीछे से वे अपने दल को न बचा सके। धीरे-धीरे उदार-दल की प्रसिद्धि कम होती गई और अनेकों सदस्यों ने अनुदारदल या मज़दूर-दल से सम्बन्ध जोड़ लिया। भूतपूर्व भारत-मन्त्री कैप्टेन वैजवुड बेन पहले उदार-दल में थे, अब वही मज़दूर-दल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

उदार दल के इस पतन के कारण राज-शक्ति के लिए दो दल रस्साकशी के लिए बाक़ी रह गए—मज़दूर-दल तथा अनुदार दल। सन् १९२४ में मज़दूर-दल का पलड़ा भारी हो ही गया और उदार दल की सहायता से इसने अपनी पहली गवर्नमेण्ट बनाई, जिसके प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड हुए। परन्तु यह गवर्नमेण्ट अधिक काल तक न चल सकी और अनुदार दल ने उन्हें पञ्च-वर्षीय चुनाव में बुरी तरह हराया। पाँच वर्ष तक अनुदार दल की तूती निष्कण्टक रूप से बोलती रही। अन्त में फिर पाँच वर्ष के बाद मज़दूर-दल की विजय हुई।

जिस चुनाव में मज़दूर-दल की विजय हुई थी, उस समय मैं विलायत में ही था। चुनाव के बड़े विशाल आयोजन हो रहे थे। चारों ओर प्रत्येक दल की सभाएँ होती थीं। उस समय सारे दलों के मुखों पर एक बात थी—बेकारी। प्रत्येक दल ने देश से बेकारी को भगाने के अपने उपाय जनता के सामने रक्खे थे। उनमें अपने सिद्धान्तों को ही नहीं रक्खा जाता था, बल्कि दूसरे दलों के सिद्धान्तों को गालियाँ भी ख़ूब दी जाती थीं। एक अनुदार दल के प्रतिनिधि ने छपवाया था :—

The Unionist party stand for the cause of world peace, national unity, Empire friendship etc. The Socialist party would destroy prosperity and degrade a first class Empire to a third class state. The supreme question at issue is to fight and conquer the blight, the folly and the stupidity of socialism.

अर्थात्—अनुदार दल का ध्येय है विश्व-शान्ति, राष्ट्रीय ऐक्य, साम्राज्य-मैत्री आदि। मज़दूर-दल सुख-समृद्धि को नष्ट कर देगा और प्रथम श्रेणी के साम्राज्य को तृतीय श्रेणी के राज्य में परिणत कर देगा। हमें साम्यवाद की मूर्खता के साथ युद्ध करना है।

इससे भी बुरे प्रहार एक-दूसरे के ऊपर किए जाते थे, जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त प्रचार के साधन भी अद्भुत होते हैं। जिस चुनाव का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसी के अवसर पर एडिनबरा में मि० लॉयड जॉर्ज का भाषण हुआ था। जिस हॉल में वह भाषण हुआ था, उसमें रेडियो का एक यन्त्र लगाया गया था, जिसके द्वारा मि० लॉयड जॉर्ज का भाषण एक ही साथ २३ नगरों में सुना गया था।

यही नहीं, प्रत्येक दल वाले अपने-अपने दल के गीत बनाते हैं और अपनी सभाओं में, जुलूसों में तथा अन्य अवसरों पर गाते हैं। ये गीत युद्ध-गीतों की भाँति होते हैं और इन्हें ये लोग 'Marching Songs' कहते हैं। पाठकों के मनोरञ्जनार्थ Liberal March Song (उदार दल का युद्ध-गीत) यहाँ दिया जाता है—

Liberals all, now rise to action,
Rise to fight the foe Re-action!
Through their ranks now spread
distraction,

Scatter all their bands!
Think of victories won already,
Keep your ranks all firm and steady,
Keep your swords all sharp and ready,
Ready to your hands,

अर्थात्—ओ उदार दल वालो, उठ कर कार्य करो। प्रतिक्रिया रूपी शत्रु से युद्ध करो। शत्रुओं की सेना में फूट डाल दो, और उन्हें छिन्न-भिन्न कर दो। अपनी सेना को दृढ़ बनाओ, अपनी कृपाणों को तीक्ष्ण और तैयार रक्खो—अपने करों में तैयार!

इसी प्रकार उदार-दल वालों ने मि० स्टेनली बॉल्डविन के प्रति एक गीत रचा था, जिसका एक अंश यहाँ दिया जाता है—

Don't you think it's time
You went, Stanley Boy, Stanley Boy ?
Don't you think it' time you
Went, me Stanley Boy ?
You'll be happier making sauce
Among your worcestor lads, of course.

इस गीत में मि० स्टेनली बॉल्डविन के प्रति व्यङ्ग-बाणों की वर्षा की है, और उनसे इस बात की प्रार्थना की है कि वह उदार दल को शासन की बागडोर दे दें। यहाँ पर हम लोग यह सुना करते हैं कि हमारी राजनैतिक सभाओं में बड़ा ऊधम मचता है और कभी-कभी भीड़ बड़े उपद्रव कर डालती है। परन्तु जिन्होंने चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य राजनैतिक सभाएँ इङ्गलैण्ड में देखी हैं, वे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ से भी अधिक ऊधम मचता है। वक्ता को तङ्ग करना और न बोलने के लिए विवश करना, पग-पग पर शोर मचा कर बाधा उत्पन्न करना तो साधारण बात है। कहीं-कहीं तो कुर्सियों से युद्ध होता है, स्त्रियों तक की दुर्दशा बनाई जाती है और सहायता के लिए पुलिस बुलाना आवश्यक हो जाता है। प्रचार-सङ्घ की सभाएँ हाइड पार्क तथा अन्य पार्कों में होती रहती हैं। वहाँ के दृश्य भी बड़े मनोरञ्जक होते हैं। अपने-अपने प्लेट-फ़ॉर्म लेकर सभी दल के लोग वहाँ आ पहुँचते हैं और एक दूसरे के इतने पास खड़े होकर चिल्लाते हैं कि श्रोताओं की समझ में किसी की बात नहीं आती, परन्तु वे आनन्द लूटने के लिए खड़े रहते हैं। ये वक्ता कभी-कभी तो इतने ज़ोरों से चिल्लाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आग लग गई या और कोई आपत्ति आ गई। और लुत्फ़ यह कि ऐसे समय में वक्ता महाशय के सामने श्रोताओं की संख्या केवल उँगली पर गिनने योग्य होती है।

हम ऊपर इङ्गलैण्ड की तीन प्रमुख पार्टियों का विवरण दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे दल भी हैं, जो किन्हीं कारणवश इन्हीं तीनों में से किसी एक के विद्रोही हो चुके हैं। स्वतन्त्र मज़दूर-दल (Independent Labour Party) का नाम ऊपर आ चुका है। यह अभी तक मज़दूर-दल के अन्तर्गत एक छोटा सा दल है, परन्तु है काफ़ी शक्तिशाली। इसके सदस्यों में से अधिकतर ग्लासगो के निकट के प्रान्त के हैं, अतः इसके सदस्यों का नाम 'Clydesiders' या 'Clyde group' भी पड़ गया है। इनके नेता हैं मि० मैक्स्टन तथा हमारे पाठकों के सुपरिचित मि० फ़ैनर ब्रौकवे भी इसके एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। 'The new leader' नाम का पत्र इसी दल की ओर से निकलता है। इस दल की नीति बड़ी निर्भीक और पूर्ण साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार है। भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के ये पक्षपाती हैं।

कुछ दिन हुए, मज़दूर-दल में से ही अलग होकर सर ओज़वाल्ड मोज़ले ने एक नए दल को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने 'The new party' (नया दल) रक्खा था परन्तु जो उन्हीं के नाम पर मोज़ले-दल कहलाता है। इसके सदस्य केवल चार-पाँच हैं। जिनमें सर मोज़ले और लेडी मोज़ले भी हैं। ये बहुत मालदार हैं, इसीलिए इस पार्टी का नाम इधर-उधर दीख पड़ता है, नहीं तो पैदा होते ही यह काल का ग्रास बन जाती। सर ओज़वाल्ड पहले, मज़दूर-सरकार में भी रह चुके हैं, परन्तु कुछ मतभेद हो जाने से वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने अपने पर्चों में निम्न-लिखित बातें लिखवाई थीं :—

Socialist do not care
Conservative do not dare
Liberals are not there,
So
Join the new party.

अर्थात्—और दल तो कुछ कर नहीं सकते, अतः नए दल में सम्मिलित होइए। इनकी स्कीम थी कि गवर्नमेण्ट के स्थान पर पाँच आदमियों को डिक्टेटर बना दिया जाय जो शासन-भार को ग्रहण करें। दुर्भाग्य-वश सर मोज़ले की बात घर के बाहर किसी ने सुनी नहीं।

उदार दल की तो इन दिनों में बड़ी दुर्गति हुई है। अनेकों सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने दल की सदस्यता छोड़ दी है। दल बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया है। लाग लॉयड जॉर्ज के नेतृत्व के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धान्तों के अनुसार इनके दो दल हैं—एक तो वह, जो बाहर से आई सभी चीज़ों पर महसूल लगाना चाहता है (Protectionists) इस दल के नेता साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन हैं। दूसरा दल वह, जो इस प्रकार के महसूल के विरुद्ध है (Free traders); इस नेता सर हर्बर्ट सैमुएल हैं।

अनुदार दल के सिद्धान्तों को मानने वाले, परन्तु अनुदार दल के नेता मि० बॉल्डविन से विरोध करने वाले अनेक व्यक्ति इङ्गलैण्ड में हैं। इनमें से प्रमुख हैं तीन (१) लॉर्ड बीवरब्रुक, (२) लॉर्ड रौदरमियर, (३) मिस्टर चर्चिल।

मिस्टर चर्चिल से तो पाठक परिचित होंगे ही, आप पिछली अनुदार दल की सरकार के अर्थ-मन्त्री (Chancellor of Exchequer) थे। लॉर्ड रौदरमियर और लॉर्ड बीवरब्रुक, दोनों अद्भुत व्यक्ति हैं। दोनों करोड़पति हैं और दोनों ही कई समाचार-पत्रों के मालिक हैं। 'डेलीमेल' लॉर्ड रौदरमियर का है और 'डेली एक्सप्रैस' लॉर्ड बीवरब्रुक का। ये दोनों लॉर्ड अपने को ईश्वर का अवतार समझते हैं तथा समझते हैं कि इङ्गलैण्ड तथा सारे संसार के प्राणियों की रक्षा का भार अल्लाह ने इन्हीं को सौंपा है। इन दोनों के उद्देश्य ये हैं कि इङ्गलैण्ड में किसी प्रकार बाहर का बना हुआ माल न आने पावे। यदि आवे भी तो उस पर कम से कम सौ फ़ी सदी कर लगा दिया जाय। इस प्रकार इङ्गलैण्ड की औद्योगिक परिस्थिति को ये संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। संसार के अन्य प्रदेशों के विषय में ये संसार भर की पीड़ित जातियों, जैसे भारत, मिश्र आदि को अपने शासन में कर लेना अपना धर्म समझते हैं, ताकि ये इन पीड़ित व्यक्तियों को उद्योग-धन्धे का कष्ट किए बिना ही उन्हें सारे आधुनिक सामान दे सकें। यदि कोई पीड़ित राष्ट्र इससे सहमत न हो तो उसे संसार के पर्दे पर से ही मिटा दिया जाय। इसीलिए ये लॉर्ड मि० चर्चिल को भारत का वायसरॉय बनाने का आन्दोलन कर रहे थे।

इनके ये विचार थे और इन्हीं का ये अपने पत्रों में प्रचार कर रहे थे, परन्तु मि० बॉल्डविन इन विचारों से सहमत न थे, अतः ये लॉर्ड उन्हें नेतृत्व के पद से हटा कर स्वयं नेता बनने की स्कीम बनाने लगे। इसके लिए इन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने रक्खा 'The Empire Crusaders' (एम्पायर क्रूसेडर्स)। इसी सेना के साथ ये मि० बॉल्डविन का मुक़ाबला करने लगे। कई स्थानों पर चुनाव के लिए इन्होंने अपने प्रतिनिधि खड़े किए, उनमें से कुछ सफल हो भी गए। इसके बाद इस पार्टी ने अनुदार दल के सामने एक बड़ी करारी हार खाई और तब से इनका उत्साह ठण्डा पड़ गया। हाँ, जहाँ भारत का प्रश्न आता है, वहाँ अब भी ये कह देते हैं कि We want a firm hand in India. (अर्थात् भारत का शासन हम दृढ़ता से करना चाहते हैं)।

जब Empire Crusaders इस प्रकार पैर पीट रहे थे, कई व्यक्तियों ने एक नई पार्टी और खोल दी, जिसका नाम रक्खा गया 'The United Empire Party' (दी यूनाइटेड एम्पायर पार्टी) इस पार्टी को इन लॉर्डों से बड़ी आशा थी, परन्तु वह पूरी न हुई और फल यह हुआ कि इस पार्टी की ओर से जो एक स्त्री को पार्लमेण्ट के चुनाव के लिए खड़ा किया था, वह इस बुरी तरह से हारी कि उसकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई।

यह है संक्षेप में इन राजनैतिक दलों का वर्णन। भारत के विषय में इन दलों की क्या सम्मति होती है तथा उसके विषय में ये लोग क्या करते हैं, यह सब कुछ किसी आगामी लेख में लिखा जायगा।

देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

गत सप्ताह ३० नवम्बर, सोमवार को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्यवाही फिर आरम्भ हुई। आरम्भ में दिल्ली-जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली ख़ाँ ने कहा कि विमलप्रसाद आज प्रातःकाल जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के सामने पेश किए गए थे और अदालत में उनकी हाज़िरी के बारे में अदालत की आज्ञा उन्हें सुनाई गई, किन्तु मेरे प्रयत्न करने पर भी अभियुक्त ने न माना और अदालत में आने से इन्कार कर दिया।

अभियुक्त वात्सायन के जिरह करने पर गवाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विमलप्रसाद ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा था कि वह नहीं जायँगे।

वात्सायन ने अदालत को बतलाया कि विमलप्रसाद ने आने से इन्कार नहीं किया था, बल्कि आने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारीगण उन लोगों के मार्ग में हर तरह की बाधा उपस्थित करते हैं, ताकि वे लोग अदालत में आने से इन्कार कर दें।

गवाह ने कहा कि विमलप्रसाद के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अदालत के प्रेज़िडेण्ट ने यह हुक्म सुनाया कि चूँकि मुझे इस बात का पूरा इतमीनान है कि विमलप्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया है, इसलिए अदालत को उनकी मौजूदगी से मैं बरी करता हूँ।

"हथियारबन्द पहरेदारों का बैठाना ज़रूरी था।"

सरकारी वकील ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित की गई दरख़्वास्त पर बहस करते हुए उसमें की गई शिकायतों को ग़लत बतलाया और कहा कि हमेशा मुलाक़ातें नहीं रोकी गईं, और जिन मामलों में मुलाक़ातें नहीं होने दी गईं, वे इसलिए रोकी गईं कि एक मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हिदायत आई थी और उसके बाद प्रान्तीय सरकार से हिदायतें आईं। उन्होंने कहा कि जेल-मैनुअल के नियमों की कभी अवहेलना नहीं की गई।

उन्होंने आगे चल कर कहा कि कुछ अवसरों पर अभियुक्तों का व्यवहार बहुत भीषण हो गया था। अदालत से लौटने पर उन लोगों ने कोठरियों में दाख़िल होने से इन्कार कर दिया और इस पर ज़बरदस्ती उनको कोठरियों में दाख़िल करना पड़ा था। सरकारी वकील ने यह बात स्वीकार की कि भोजन की सज़ा उन लोगों को दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोठरियों में रहते समय अभियुक्तों को हमेशा कसरत करने दी जाती थी। सरकारी वकील ने यह बात भी स्वीकार की कि हथियारबन्द पहरेदार जेल में ज़रूर रक्खे गए थे, किन्तु वे सावधानी के उपाय के ख़्याल से रक्खे गए थे, जिसको कि जेल-अधिकारियों ने आवश्यक समझा था।

अदालत की दस्तन्दाज़ी

रायबहादुर कँवरसेन के उत्तर में उन्होंने बतलाया कि अदालत मैजिस्ट्रेट या प्रान्तीय सरकार की आज्ञाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, अगर वह समझती है कि जेल-अधिकारियों की कार्रवाइयाँ ग़ैर-क़ानूनी और बेजा हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में अभियुक्त जेल के नियमों के अधीन हैं।

अयुभिक्तों के काग़ज़ात के सुरक्षित रूप से रहने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि अभियुक्त अपने काग़ज़ात अपने साथ रख सकते थे या उनको वे ताले में रख सकते थे, पर जेल-अधिकारी उनकी तलाशी, आवश्यकता समझी जाने पर, ले सकते हैं।

पुराने सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ एम० एल० सी०, जो गोलमेज़ के प्रतिनिधि चुने जा कर लन्दन गए थे, लौट कर दिल्ली आ गए और आज से उन्होंने प्रमुख सरकारी वकील का कार्य-भार सँभाल लिया।

"मैं सुपरिण्टेण्डेण्ट हूँ, जो चाहूँगा करूँगा"

१ दिसम्बर, १९३१ को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई बहुत दिनों बाद ठीक समय से १० बज कर २५ मिनट पर शुरू हुई।

कार्रवाई शुरू होने पर वात्सायन ने सरकारी वकील की बातों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में नारे लगाने और गाने के प्रश्न को लिया और इस प्रश्न पर दिलचस्प बहस हुई। अन्त में सब फ़रीक़ों ने एक दूसरे के भावों को समझा और अब मालूम होता है कि मुक़दमे की कार्रवाई में देर न हुआ करेगा।

वात्सायन ने आज फिर अदालत के सामने जेल-अधिकारियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जब सुपरिण्टेण्डेण्ट अभियुक्तों के पास आते हैं, तब हर दफ़ा वह ये दो बातें कहते हैं कि—"अब जेल का सुपरिण्टेण्डेण्ट मैं हूँ" और "मैं जो चाहूँगा, करूँगा, मैं जानता हूँ कि अदालत कुछ नहीं कर सकती।"

"जेल और पुलीस अफ़सरों के पत्र-व्यवहार की जाँच की जाय"

इसके बाद अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू उठे और उन्होंने कहा कि अभियुक्तों द्वारा बार-बार इस बात की प्रार्थना की गई है कि जेल-अधिकारियों और पुलीस-अधिकारियों के बीच कथित पत्र-व्यवहार की जाँच की जाय। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने साफ़-साफ़ इस बात का आरोप लगाया है कि एक्ज़ेक्टिव अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से जेल के अधिकारियों से कहा है कि अभियुक्तों को इस तरह तङ्ग किया जाय कि वे अदालत में न आ सकें।

अभियुक्तों की शिकायतों की जाँच हो

डॉ० किचलू ने कहा कि सरकारी पक्ष ने अभियुक्तों की प्रमुख शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने बहुत सहानुभूतिहीन रुख़ अख़्तियार किया, जब कि उन लोगों से निष्पक्ष होने की आशा की जाती थी। डॉ० किचलू ने अपनी इस माँग पर ज़ोर दिया कि फ़रीक़ैन और अदालत के प्रतिनिधि एक साथ बैठ कर इस बात पर विचार करें कि अभियुक्तों की शिकायतों में कुछ यथार्थता है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सफ़ाई के वकील को कुछ सुविधाएँ मिलने का अधिकार है।

रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से पूछा कि अभियुक्तों का अदालत में क्रान्तिकारी नारे लगाने और गाने का उद्देश्य क्या है और क्या यह करना उन लोगों के लिए अत्यावश्यक है?

डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि वे लोग राजनीतिक क़ैदी हैं और इस तरह के क़ैदियों का यह बहुत पुराना तरीक़ा है और यह स्वयं उनके सन्तोष के लिए है।

अभियुक्त ख़ामख़्वाह देर नहीं लगाना चाहते

इस पर अदालत ने अपना यह भय प्रदर्शित किया कि यह नारे आदि लगाना मुक़दमे की कार्रवाई में देर लगाने के इरादे से किया जाता है। इस पर डॉ० किचलू ने अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्तों का यह इरादा कदापि नहीं है और यदि उन लोगों को समय से नहाने और भोजन करने दिया जाय, तो वे अदालत में ठीक १०॥ बजे पहुँच जाएँगे।

इस पर यह तजवीज़ की गई कि बुधवार और शनिवार के दिन अदालत आधे समय तक बैठा करे और शेष समय चीज़ों की जाँच कराने और हिदायतें लेने में लगाया जाय और आख़िरी शनिवार को अदालत स्थगित रहा करे। यह भी कहा गया कि जेल में मुलाक़ातें होने दी जाएँ और मित्रों तथा रिश्तेदारों को अभियुक्तों को जलपान के समय में मिलने दिया जाय जैसा कि लाहौर में होता था।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि जलपान के समय मुलाक़ातों का प्रश्न अदालत पर निर्भर है कि वह मुलाक़ात करने देगी या नहीं, किन्तु जहाँ तक जेल के अन्दर की मुलाक़ातों का सम्बन्ध है, उसका निर्णय जेल-अधिकारियों से करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कोई एतराज़ नहीं है।

वात्सायन ने एक बार फिर यह प्रश्न किया कि अभियुक्त आते-जाते समय जेल की हिरासत में हैं या नहीं और यह कि जेल के अन्दर अदालत का अभियुक्तों पर अधिकार है या नहीं?

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हो गई। अदालत के सामने पेश की गई दरख़्वास्तों पर कुछ दिनों में हुक्म सुनाया जायगा।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

बुधवार २, दिसम्बर को अदालत में अभियुक्त लोग ठीक साढ़े दस बजे पहुँच गए और १० बज कर २५ मिनट पर अदालत की कार्रवाई आरम्भ हो गई। डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ की। कैलाशपति ने कहा—"मैं ख़्यालीराम और उनके भाइयों को जानता हूँ। वे अच्छे व्यापारी हैं। मैं नहीं कह सकता कि ख़्यालीराम इस मामले के पहिले और कभी गिरफ़्तार किए गए थे। मुझे इस बात का कोई ज़ाती इल्म नहीं है कि भगवतीचरण ने ख़्यालीराम को कब और कहाँ क्रान्तिकारी दल का मेम्बर बनाया था, क्योंकि वह मेरे सामने मेम्बर नहीं बनाए गए थे। मैंने इसके बारे में भगवतीचरण से सिर्फ़ सुना था। यशपाल अगस्त, १९३० में अपने मुक़दमे की कार्रवाई में आए थे और वह उसी दिन प्रातःकाल मुझसे मिले थे तथा मुझे उनके आने की ख़बर उसी सुबह को मिली थी। जब मैं झण्डा वाला फ़ैक्टरी गया तो मुझे मालूम हुआ कि यशपाल आए थे और ले जाए गए।

"प्रकाशो, दूसरे गिरवरसिंह या विमलप्रसाद ने मुझे यशपाल के आने की ख़बर दी। यशपाल के दिल्ली आने के एक दिन पहिले आज़ाद कानपुर गए थे और आज़ाद उसके पहले नहीं दिल्ली गए होंगे। जैसे ही यशपाल मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा मैं आज़ाद से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुक़दमे की सुनवाई में आया हूँ। मुझे मालूम हुआ कि दीदी और धन्वन्तरि फ़ैक्टरी में यशपाल के आने पर मौजूद हैं, किन्तु जब मैं

.फ़ैक्टरी पहुँचा, तो वे लोग नई दिल्ली चले गए थे। १२ दिसम्बर, १९३० को मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने पुलीस के सामने यह बयान दिया था कि ये दोनों आदमी यशपाल के आने से पहिले आज़ाद से मिलने के लिए नई दिल्ली चले गए थे। मैंने कदाचित उस वक़्त तक पुलीस से कानपुर का ज़िक्र नहीं किया था, किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने झूठा बयान दिया था। मुझे निश्चय नहीं है कि उस वक़्त तक मैंने पुलीस से आज़ाद का नाम लिया था। ३१ अक्टूबर, १९३० को मैंने कदाचित यह कहा था कि आज़ाद के सम्बन्ध में कानपुर हम लोगों का बड़ा दफ़्तर है। ३ नवम्बर को मैंने पुलीस से कहा होगा कि आज़ाद ग्वालियर में होंगे, यदि वह कानपुर में नहीं हैं। यशपाल पर प्रकाशो से सम्बन्ध के अतिरिक्त और बहुत से अपराध थे।

मुसम्मात प्रकाशो की दिलचस्प कहानी

"मुझे मालूम हुआ था कि यशपाल जब दिल्ली आए, तो प्रकाशो सिविल अस्पताल के सामने के एक मकान में रहती थी। मैंने प्रकाशो को यशपाल के आने के दो-तीन दिनों के दरम्यान झण्डावाला .फ़ैक्टरी में देखा था। अब तक वह .फ़ैक्टरी में नहीं आई थी, मुझे उसके उस मकान में रहने की कोई ज़ाती जानकारी न थी। मैंने प्रकाशो को पहले-पहल .फ़ैक्टरी में १५ जुलाई, १९३० के लगभग देखा था। वह .फ़ैक्टरी में १० या ११ अगस्त तक यशपाल के जाने तक स्थायी रूप से रही थी। मैं नहीं जानता कि फिर वह कहाँ चली गई और यशपाल के आने के दो या तीन दिनों पहिले कैसे आ गई। इसके बाद वह फिर यशपाल के जाने के एक या दो दिन बाद वापस चली गई। वह यशपाल द्वारा लाई गई थी, जो शायद लाहौर से आए थे। उनका मुक़दमा सिर्फ़ एक दिन २१ या २२ तारीख़ को हुआ। इसके बाद वह दिल्ली से चले गए और एक या दो दिनों बाद फिर लौट आए। प्रकाशो फिर या तो अगस्त के आख़ीर में अथवा सितम्बर के शुरू में .फ़ैक्टरी में आई और झण्डावाला .फ़ैक्टरी में ठहरी। मैं रोज़ .फ़ैक्टरी में नहीं जाता था। मगर यशपाल के मुक़दमे के बाद जब कभी मैं वहाँ गया, मैंने प्रकाशो को वहाँ पाया।"

सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि बिना वकील वाले अभियुक्त बहुत देर से डॉक में नहीं हैं और बाद में वे यह एतराज़ करेंगे कि कार्रवाई उनकी अनुपस्थिति में हो गई। परन्तु अदालत अपना काम करती रही। डॉ० किचलू ने कैलाशपति द्वारा १२ दिसम्बर, १९३० को पुलीस के सामने दिए हुए इस बयान को पढ़ सुनाया कि २६ अगस्त को आज़ाद नई दिल्ली गए और २८ को प्रातःकाल यशपाल लाहौर से लौटे और प्रकाशो को ले गए। कैलाशपति ने कहा कि—"मुझे याद नहीं है कि मैंने यह बयान दिया था। बयान में जहाँ तक वाक़यात का सम्बन्ध है, वे ठीक हैं, लेकिन तारीख़ों के बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता। मैंने यशपाल से यह ज़रूर कहा था कि मैं आज़ाद को बुलाऊँगा, किन्तु मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई वक़्त मुक़र्रर किया।

"कोई ग़ैर-मेम्बर या सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति यशपाल के मुक़दमे में हिस्सा नहीं ले सकता था और न उनके लिए मीटिङ्ग में रहने की आज्ञा थी। .फ़ैक्टरी में सर्वसाधारण लोग आते थे, क्योंकि उसमें साबुन और तेल का काम होता था। आज़ाद, मैं और यशपाल केन्द्रस्थ कमिटी के मेम्बर और दीदी और धन्वन्तरि साधारण मेम्बर मुक़दमे में मौजूद थे। सब लोगों ने फ़ैसले दिए।

मुख़बिर के बयान का सच-झूठ

"मैं प्रोवाश बनर्जी को, जो मेरी गिरफ़्तारी के पहले कॉङ्ग्रेस खद्दर-भण्डार में काम करता था, जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि बनर्जी कहाँ रहता था और न मैं यही जानता हूँ कि मानेन्द्रनाथ बनर्जी कहाँ रहता था, किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह बनारस का रहने वाला है। मैं नहीं जानता कि मैंने इन दोनों आदमियों के बारे में कोई बयान दिया था।

"मुझे यह नहीं याद है कि मैंने ३१ अक्टूबर को पुलीस के सामने ख़्यालीराम के बारे में लम्बा बयान दिया था। मुझे यह नहीं मालूम कि वह गिरफ़्तार किए गए थे। मैं नहीं कह सकता कि मुझसे उनके बारे में किसने कहा था। मुझे यह नहीं याद है कि पुलीस अफ़सरों ने मुझसे कहा था कि ख़्यालीराम गिरफ़्तार कर लिए गए हैं या यह कि उनके मकान की तलाशी में उनके मकान से कुछ चीज़ें मिली हैं। मानेन्द्रनाथ बनर्जी की फ़ोटो मेरे मकान से पुलीस को मिली थी। मुझे याद नहीं है कि कितने बक्स मेरे मकान से मिले थे, जिनमें से दो भगवतीचरण के थे। मुझे फ़ोटो .ख़्यालीराम के बक्स में से मिली थी। ३१ अक्टूबर को मेरे द्वारा पुलीस के सामने दिया गया बयान आंशिक रूप से ग़लत हो सकता है। डॉक्टर सैद द्वारा पढ़े गए बयान का कुछ हिस्सा मैंने सुना है, यह कि मैं नहीं कह सकता कि मेरे बयान को ठीक-ठीक लिखा गया है या नहीं। मैंने भगवतीचरण को अन्तिम बार मई, १९३० में देखा था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने ३१ अक्टूबर को पुलीस से यह कहा था कि आज़ाद और भगवतीचरण .ख़्यालीराम के साथ मार्च महीने में ठहरे थे।"

३ दिसम्बर, गुरुवार को दिल्ली षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही शुरू होने पर डॉक्टर किचलू के मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ करने के पहले छोटे सरकारी वकील सरदार रघुवीरसिंह ने अदालत से पूछा कि अभियुक्तों द्वारा पेश की गई पिछली दरख़्वास्त पर अदालत कब अपना हुक्म सुनाएगी। प्रधान जज ने कहा कि फ़ैसला जल्दी ही सुनाया जायगा।

दीवार में चुन देने की सज़ा

कैलाशपति ने जिरह में कहा—"मैंने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल का अध्ययन किया है। भारत में मुस्लिम शासन का आधार मुस्लिम क़ानून था और मैं यह नहीं कह सकता कि मुस्लिम क़ानून में अपहरण का दण्ड पत्थरों से मार कर या दीवार में चुनवा कर मार डालना था। मैं जानता हूँ कि अनारकली दीवार में चुनवा दी गई थी। मुझे स्मरण नहीं है कि भगवतीचरण ने मुझसे .ख़्यालीराम को बारूद बनाना सिखाने को कहा था। मेरा .ख़्याल है कि मैंने पुलीस के सामने यह भी कहा था कि भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि .ख़्यालीराम फिर बारूद देंगे, जैसा कि उन्होंने वायसरॉय की गाड़ी पर बम चलाने के अवसर पर दिया था। मुझे .ख़्यालीराम के वायसरॉय की ट्रेन-दुर्घटना के लिए बारूद देने के बारे में कोई ज़ाती इल्म नहीं है और मुझे याद नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने पुलीस के सामने क्या बयान दिया था। ख़्यालीराम ने मेरे सामने कभी भगवतीचरण के लिए बारूद नहीं ख़रीदी।

मुझे याद नहीं है

मुझे यह याद नहीं है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि .ख़्यालीराम ने बारूद एकत्र करने में भगवतीचरण की मदद की होगी। अगर मैंने ऐसा बयान दिया था, तो वह ठीक-ठीक लिखा गया होगा। मैं इसको कोई वजह नहीं बतला सकता कि पुलीस ने मेरा बयान क्यों ग़लत लिखा होगा। यह बयान कि "ख़्यालीराम ने भगवतीचरण को मदद दी होगी" ग़लत है, क्योंकि उस वक़्त मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी कि .ख़्यालीराम ने भगवतीचरण की मदद की थी। मुझे पुलीस से यह कहने का कभी मौक़ा नहीं मिला कि उसके द्वारा लिखा गया बयान ग़लत है। यह सम्भव है कि मैंने यह बयान मि० अब्दुलसमद ख़ाँ और मि० मुमताज हुसेन को दिया हो। यह बात ठीक है कि मि० पील ने यह बयान मेरे साथ दुहराया था। मुझे स्मरण नहीं है कि उस समय भी मैंने बयान ठीक किया था। मुझे याद नहीं है कि मि० पाल द्वारा बयान के दुहराए जाते समय मुझे इस बात का .ख़्याल हुआ था या नहीं कि बयान ग़लत है। बयान को दुहराते समय मि० पील ने मुझसे कई प्रश्न किए थे, किन्तु मुझे यह भी याद नहीं है कि जहाँ कहीं मुझे बयान ग़लत मालूम हुआ, मैंने उसे ठीक कराया हो।" अदालत के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने कहा कि मैंने कई ग़लतियाँ दुरुस्त की थीं। मि० पाल ने मुझसे साफ़-साफ़ यह नहीं कहा था कि अगर बयान में कुछ ग़लत बातें हों, तो उन्हें दुरुस्त करो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह का समझौता आवश्यक था।

आगे चल कर मुख़बिर ने कहा—"मुझे याद नहीं है कि मैंने पुलीस के सामने यह कहा था या नहीं कि भगवतीचरण ने मुझसे कभी रामलाल सागर का ज़िक्र किया है। रामलाल वही व्यक्ति है, जो इस मामले में मुख़बिर है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि मैंने पुलीस के सामने यह बयान दिया था कि भगवतीचरण ने मुझसे रामलाल का ज़िक्र किया था। मैंने स्वयं कभी रामलाल का परिचय सी० आई० डी० से नहीं कराया। मैंने रामलाल को जुलाई, १९३० में सी० आई० डी० में भर्ती कराया था

रामलाल का परिचय

अदालत के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने जवाब दिया कि "रामलाल उस वक़्त के पहिले पार्टी का मेम्बर था। वह अपने प्राइवेट मित्रों द्वारा पार्टी का मेम्बर बनाया गया था, पार्टी के किसी मेम्बर द्वारा नहीं। मेरा विश्वास है कि रामलाल, पाठक नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो उस समय हिन्दू कॉलेज का विद्यार्थी था, भर्ती कराया गया था। मैं उस वक़्त नहीं जानता था कि पाठक कौन है और शहर में कहाँ रहता है। रामलाल रामजस कॉलेज का विद्यार्थी था। इस सम्बन्ध में मेरा कोई ज़ाती इल्म नहीं है कि पाठक ने रामलाल का परिचय किससे कराया था। मैंने पाठक का ज़िक्र अब तक पुलीस से कहीं भी नहीं किया है। मैंने यह सब रामलाल से सुना है, जिसने कि पाठक का मुझसे ज़िक्र किया है। उसने इस सम्बन्ध में मेरी गिरफ़्तारी के पहिले बतलाया था। मैंने पाठक का ज़िक्र पुलीस से कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने न तो इसे आवश्यक समझा और न यह कोई महत्व की बात थी, किन्तु मैं रामलाल का सी० आई० डी० में शामिल होना महत्वपूर्ण समझता हूँ।

"मैं आसफ़ से पहले-पहल मई, १९३० में मिला था। मैंने आसफ़ का नाम भगवतीचरण से सुना था। भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि आसफ़ का परिचय करा दिया जायगा। भगवतीचरण ने कहा था कि वैशम्पायन, अभियुक्त, आसफ़ को मेरे पास लाएगा, किन्तु वैशम्पायन ने मुझसे उसका परिचय नहीं कराया। आसफ़ का परिचय ख़्यालीराम ने मुझसे कराया था।"

इसके बाद डॉ० किचलू ने मुख़बिर द्वारा १ नवम्बर, १९३० को पुलीस के सामने दिए हुए इस बयान को पढ़ सुनाया कि जून महीने के शुरू में वैशम्पायन ने

आसफ़ का परिचय क्वीन्स गार्डन में कराया था। मुख़बिर ने कहा कि यह परिचय प्रथम नहीं था और यह कि बयान का यह अंश ग़लत है, पर बाद में मुख़बिर ने कहा कि "मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने यह बयान दिया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस तरह का पूरा का पूरा बयान दिया था, जिसमें यह हिस्सा आया है (जो १ नवम्बर, १९३० का है)। पुलीस वाले बयान में यह भी कहा गया है कि आसफ़ प्रथम-परिचय के बाद मुझसे प्रायः मिलता था। सम्भव है, मैंने यह बात कही हो, किन्तु मुझे इसका निश्चय नहीं है।" मुख़बिर ने फिर इस बात को स्पष्ट किया कि उसने यह बयान दिया होगा और यह कि वह बयान के इस अंश से इन्कार नहीं करता।

डॉक्टर किचलू के विरुद्ध शिकायत

मुख़बिर ने इस बात की शिकायत की कि बाज़ वक़्त डॉक्टर किचलू के प्रश्न बहुत सन्दिग्ध होते हैं। डॉक्टर किचलू ने कहा कि यह बात मुख़बिर ने पहले क्यों नहीं कही और उन प्रश्नों के उत्तर क्यों दिए? मुख़बिर ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि मैंने किसी ख़ास अवसर पर क्या बयान दिया। मुख़बिर ने कहा—"जून और जुलाई में दो मीटिङ्गें शाम के वक़्त की गई थीं। जिनमें मेरे और आसफ़ के अतिरिक्त कुछ अन्य मेम्बर भी उपस्थित थे, किन्तु तीसरी मीटिङ्ग में अक्टूबर में केवल मैं और आसफ़ उपस्थित थे। मुझे याद नहीं है कि इन तीनों उपर्युक्त मीटिङ्गों के अतिरिक्त आसफ़ के साथ और भी कोई मीटिङ्ग हुई थी। आसफ़ के साथ ख़्यालीराम की दूकान पर जुलाई, १९३० के मध्य में कोई मुलाक़ात नहीं हुई और न मैंने इसका कभी कोई ज़िक्र पुलीस से या किसी से भी किया।"

मुख़बिर ने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में क्वीन्स गार्डेन में एक और मीटिङ्ग हुई थी। मेरा ख़्याल है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि ख़्यालीराम के पास से लाए हुए तीन ट्रङ्कों में से एक ट्रङ्क हज़ारीलाल को निजी काम के लिए देने को था। मुझे याद नहीं है कि मैंने ३१ अक्टूबर, १९३० को दिए गए अपने बयान में दो ट्रङ्कों का ज़िक्र किया था और यह कि इस बयान का पैरा ग़लत है। मेरा मतलब यह है कि पुलीस के बयान में "दो ट्रङ्कों" के बजाय "तीन ट्रङ्क" होना चाहिए था।

"मैं पुलीस मालख़ाना को ले जाया गया, जहाँ मि० ईसर और सरदार भागसिंह थे। सरदार भागसिंह ने अपनी फ़ाइल में की फ़ेहरिस्त में से संख्या पढ़ सुनाई, जिनमें ट्रङ्क तथा रिवॉल्वर आदि कुछ अन्य चीज़ें थीं। इन ट्रङ्कों पर पार्टी, रिवॉलवर आदि के कोई ख़ास निशान न थे, ये साधारण बने हुए थे और उन पर पार्टी का कोई निशान न था। मैं अपने रिवॉलवर को न पहचान सकता, यदि उस पर ख़ास निशान न होता। मुझे स्मरण है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि छैलबिहारी लाल ने मुझे ख़्यालीराम के पते से लिखा था।"

आज़ाद का कोट

शुक्रवार, ४ दिसम्बर की कार्रवाई में डॉ० किचलू को मुख़बिर से जिरह करने के पहिले उसकी इस शिकायत के सम्बन्ध में कि डॉ० किचलू के कुछ प्रश्न सन्दिग्ध होते हैं, उसे यह समझाया कि अब से वह प्रश्नों का उत्तर देने से पहिले प्रश्नों के सम्बन्ध में अच्छी तरह इतमीनान कर लिया करे।

मुख़बिर ने जिरह में कहा—"मुझे याद नहीं है कि मैंने कल ज़िक्र की गई दरख़्वास्त के अतिरिक्त उसके पहिले और कोई दरख़्वास्त दिया हो। (दरख़्वास्त इस बात की दी गई थी कि उसके पास चन्द्रशेखर आज़ाद का एक निकर है।) यह दरख़्वास्त देने के पहिले पुलीस ने मुझे लिखने का सामान दिया था। पुलीस ने मुझसे यह नहीं कहा था कि क्या लिखना चाहिए। मुझे यह स्मरण नहीं है कि जाँच-अफ़सर ने दरख़्वास्त पर उसी दावात और क़लम से हस्ताक्षर किया था।" दरख़्वास्त दिखाई जाने पर मुख़बिर ने कहा—"दरख़्वास्त पर के हस्ताक्षर से मालूम होता है कि वह 'उसी दावात और क़लम' से किया गया था। आज़ाद का निकर मुझे इत्तिफ़ाक़ से मिल गया और मैंने उसका ज़िक्र पुलीस से दरख़्वास्त देने के एक या दो दिन पहले किया होगा। जब मैंने निकर देखा, तो मुझे कोट का भी ख़्याल आया और जब मैंने निकर का ज़िक्र किया, तो मैंने पुलीस से कोट का भी ज़िक्र किया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि अभियुक्त ख़्यालीराम के मकान की तलाशी ली गई थी। मैं ख़्यालीराम से अपनी गिरफ़्तारी से पहले सितम्बर, सन् १९३० में मिला था। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कहाँ मिला था। गिरफ़्तारी के पहले मैं आज़ाद से सितम्बर महीने के मध्य में मिला था। मैं वह तारीख़ नहीं बतला सकता, जब कि आज़ाद ने मुझसे कोट लाने के लिए कहा था। मैं कोट लाने के लिए कई बार गया, पर मैं तारीख़ें नहीं बतला सकता। मैं ख़्यालीराम से दूकान पर मिला, किन्तु कोट लाने के लिए उनके मकान पर नहीं गया, आम तौर से ऐसा होता था कि ख़्यालीराम कोट दूकान पर लाना भूल जाते थे। आज़ाद ने मिलने पर जब तक कोट के बारे में नहीं बतलाया था, तब तक मुझे उसके बारे में कुछ मालूम न हुआ था। आख़िरी बार उन्होंने मुझसे कोट लाने के लिए कहा। जब मैं कोट लाने के लिए ख़्यालीराम की दूकान पर गया था, उस वक़्त दूकान पर जो लोग उपस्थित थे, उनके नाम मैं नहीं बतला सकता। पुलीस ने दूकान से उन लोगों की मुझसे शिनाख़्त नहीं कराई, और न उन्हीं लोगों को मेरी शिनाख़्त करने के लिए वह ले आई। मैं ख़्यालीराम से दूकान पर १७ या १८ बार समय-समय पर मिला था और वे लोग आम तौर से दूकान पर उपस्थित रहते थे। मैंने अपनी गिरफ़्तारी के बाद किसी भी पुलीस-ऑफ़िसर को दूकान नहीं पहिचनवाई। दूकान जोगीवाड़ा स्ट्रीट के पास बल्लीमाराँ में है, पर मैं उसके आस-पास की सड़कों और मुहल्लों के नाम नहीं जानता।"

क्रान्ति पर लेख

इसके बाद अभियुक्तों के वकील ने मुख़बिर के "क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी" लेख के सम्बन्ध में मुख़बिर से जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे स्मरण नहीं है कि यह लेख मैंने कब लिखा था, पर यह मेरी गिरफ़्तारी के बहुत पहिले लिखा गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि इसको मैंने कहाँ लिखा था और न यही कह सकता हूँ कि इसको लिखने का भाव मेरे दिमाग़ में क्यों आया था। यह बात बिल्कुल ग़लत है कि मैंने इसकी और कहीं से नक़ल की है। मैं क्रान्ति के विषय पर ६ लाइनें अभी लिख सकता हूँ।" डॉ० किचलू ने यह इच्छा प्रकट की कि मुख़बिर उसे लिखे। इस पर अदालत ने डॉ० किचलू से कहा कि मुख़बिर को लिखने के लिए कहने का उनका उद्देश्य क्या है? डॉ० किचलू ने कहा कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मुख़बिर ऐसा लेख लिखने के अयोग्य है। अदालत ने इसे अनावश्यक समझा और डॉ० किचलू की यह बात स्वीकार नहीं की।

इसके बाद मुख़बिर ने फिर कहना शुरू किया। उसने कहा—"मैंने अपनी गिरफ़्तारी के एक या दो साल पहिले रूस के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। मैं उस समय रूस के सिद्धान्त का समर्थन करता था। मैंने रूस की वर्तमान सरकार का कोई विस्तृत विवरण नहीं पढ़ा, जोकि कम्यूनिज़्म—जो क़रीब-क़रीब वैसा ही है जैसा बोल्शेविज़्म—पर आधारित है। मैंने बोल्शेविज़्म के सम्बन्ध में अधिक नहीं पढ़ा है। मैंने सुना है कि क्रान्ति के प्रचारक बोल्शेविक हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके उद्देश्यों द्वारा क्रान्ति का प्रचार सफलता के साथ हो रहा है। मुझे यह स्मरण नहीं है कि मैंने कभी अपनी पार्टी के मेम्बरों से कहा हो कि बोल्शेविज़्म उत्तम है और तुम लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। सोशलिज़्म का जो कार्यक्रम मैं अपनी गिरफ़्तारी के पहिले तैयार कर रहा था, वह पूरा नहीं हुआ था।"

डॉ० किचलू ने पूछा कि उस कार्यक्रम का आधार क्या था, क्या वह सोशलिज़्म था?

कैलाशपति ने कहा—"मुझे याद नहीं है। मेरा सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम इस लेख के समाप्त होने के बाद लिखा गया था। मैं रूसी क्रान्ति को सफल समझता हूँ। जब मैंने लिखा था, उस वक़्त कदाचित मेरा ख़्याल यह था कि भारत में उसी तरह की क्रान्ति होनी चाहिए। मेरा यह भी ख़्याल था कि रूस के अतिरिक्त किसी भी देश में कोई सफल क्रान्ति नहीं हुई। मैंने इस प्रश्न पर पार्टी के किसी मेम्बर से परामर्श नहीं किया था। मैंने रूसी क्रान्ति का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया। मैंने लेख बिना विशेष रूप से अध्ययन किए हुए लिखा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने उपर्युक्त लेख के अतिरिक्त इस विषय पर और भी कोई लेख लिखा है। लेख में मेरे ही अपने विचार थे, पर मैं बिना उसे पढ़े हुए नहीं कह सकता कि विचार मेरी पार्टी के भी थे।" इस पर लेख की हस्तलिपि मुख़बिर को दी गई और उसने उसे पढ़ने के बाद कहा कि—"पार्टी का भाव भी वही है, जो मेरे लेख में प्रकट किया गया है। पर मैंने इन प्रश्नों पर कभी पार्टी में विचार नहीं किया। पार्टी ने बोल्शेविज़्म या कम्यूनिज़्म के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। मेरी पार्टी ने किसी देश की क्रान्ति का तरीक़ा अख़्तियार नहीं किया था।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त पर विचार

"मुझे यह स्मरण नहीं है कि मेरी पार्टी के मेम्बरों ने एक साथ बैठ कर क्रान्ति के सिद्धान्त पर विचार किया हो। मैंने अनेक अवसरों पर अपने लेख अपनी पार्टी के सामने पढ़े थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने यह लेख भी अपनी पार्टी के सामने पढ़ा हो। मैं किसी ख़ास लेख का नाम नहीं बतला सकता, जिसको मैंने पढ़ा हो। मैंने गाँधीवाद पर भी लिखा है। मैंने अपना यह लेख कदाचित विशम्भरदयाल या मदनगोपाल के पास अजमेर में रख छोड़ा था। मैंने इस लेख का पुलीस से कभी ज़िक्र नहीं किया। मेरी पार्टी का एक नियम 'स्टडी सर्किल' भी सङ्गठित करना था, जिसके लिए मैंने साहित्य का संग्रह किया था, किन्तु सर्किल सङ्गठित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं था, जहाँ सर्वसाधारण आकर पढ़ सकते थे और न मैंने कोई ऐसा दफ़्तर स्थापित किया था, जहाँ मेम्बर लोग बैठ और पढ़ सकते। पुस्तकें विभिन्न मेम्बरों के पास रहती थीं। मेरा ख़्याल है कि पार्टी के किसी मेम्बर ने कम्यूनिज़्म, बोलशेविज़्म या अन्य क्रान्तिकारी साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया था। मैंने जब यह लेख लिखा था, यह मेरा निजी ख़्याल था कि रूसी क्रान्ति सर्वाङ्ग पूर्ण है, किन्तु जब मैंने यह लिखा था कि "रूस में क्रान्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है" उस वक़्त मेरा आशय यह था कि शोषण अभी पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है और इसलिए वह पूर्ण नहीं है। रूस में एक

मनुष्य द्वारा दूसरे का शोषण अभी तक बन्द नहीं हुआ है। इससे अधिक मैं इसे नहीं समझा सकता और न मैं शोषण का कोई विशेष उदाहरण दे सकता हूँ। रूस में स्थान और अवसर की समानता अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है, किन्तु मैं रूस का कोई व्यक्तिगत या सामूहिक उदाहरण नहीं दे सकता, जिसमें स्थान और अवसर की समानता अस्वीकृत की गई हो। मैं अपने उपर्युक्त भाव का कोई दृढ़ आधार नहीं बता सकता। जो कुछ मैंने पढ़ा है, उससे मालूम होता है कि रूस में कुछ मामलों में अब भी अत्याचार होता है।

मुख़बिर की सच्ची क्रान्ति

"फ़ैसिज़्म का उद्देश्य अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य अपने देश को सर्वोपरि बनाना नहीं है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य वहाँ जनसत्ता स्थापित करना है। इङ्गलैण्ड साम्राज्यवादी देश है। साम्राज्यवाद और जनसत्तावाद में अन्तर है। मैं नहीं बतला सकता कि साम्राज्यवाद और फ़ैसिज़्म में क्या अन्तर है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य अन्य देशों पर शासन करना है, जो, मैं यह नहीं कह सकता कि फ़ैसिज़्म के विरुद्ध है।"

रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से कहा—"अब आप इसे मुक्ति दीजिए।" और ख़ाँबहादुर अमीरअली ने कहा—"क्या आप राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा उससे लिया चाहते हैं?"

कैलाशपति ने जिरह में कहा—"सच्ची क्रान्ति का अर्थ मैं समझता हूँ, जनता की हालत में मूल परिवर्तन। इसका किसी शासन-प्रणाली से सम्बन्ध नहीं होता। सच्ची क्रान्ति में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार-परिवर्तन सन्निहित होना चाहिए, जो कि बिना शासन-प्रणाली में परिवर्तन के नहीं हो सकता। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं कोई व्यापक उपाय नहीं बतला सकता, किन्तु पददलित देश के लिए सशस्त्र क्रान्ति जनता, फ़ौज और पुलीस द्वारा होनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए जहाँ आवश्यक हो, व्यक्तिगत हत्या भी की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत हत्या को सामूहिक क्रान्ति से प्रथम स्थान मिलना चाहिए। मेरे विचार में सशस्त्र क्रान्ति के बिना सुधारों से मूल अधिकार-परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि मेरे उद्देश्य की प्राप्ति, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार-परिवर्तन अहिंसात्मक गाँधीवाद से नहीं प्राप्त हो सकता।"

क्रान्तिकारी परचे किसने लिखे?

शनिवार, ९ दिसम्बर की अदालत की बैठक में शुरू में ही कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। डॉ० किचलू के जिरह करने पर कैलाशपति ने कहा:—

"मैं पार्टी द्वारा निकाले हुए परचों को विशेष महत्वपूर्ण नहीं समझता। पार्टी वालों का ख़्याल था कि वे लोग इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। मैं भी यह समझता था कि देश जब स्वतन्त्र हो जायगा, तब हमारी पार्टी का सच्चा इतिहास लिखा जायगा और उस वक़्त पार्टी के काग़ज़ात की आवश्यकता होगी। परन्तु हम लोगों ने असली काग़ज़ात को सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है, कर्तारसिंह एक कल्पित नाम था, पार्टी के किसी मेम्बर का नाम न था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो या तीन परचे कर्तारसिंह के नाम से निकले थे। इन परचों में से एक था "फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ बम और दूसरा वह था, जिसमें लाहौर कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव की निन्दा की गई थी। वे परचे मेरे सामने नहीं लिखे गए थे, इसलिए मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि उसे किसने लिखा था। मैंने उन्हें छपी हुई शक्ल में देखा था। मैं जानता हूँ कि वे पार्टी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उस व्यक्ति का नाम भी जानता हूँ, जिसने उसे लिखा था।

"मैंने भी कर्तारसिंह के नाम से प्रकाशित परचों में से कुछ को बाँटा होगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किसी पुलीस-अफ़सर से यह नहीं कहा था कि मैंने परचे बाँटे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, ये परचे कई व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे। मैं उन व्यक्तियों के नाम बता सकता हूँ, जिन्होंने ये परचे लिखे थे।

"मैंने 'फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ बम' और 'दि रिव्योल्यूशनरी' दोनों परचे पढ़े हैं।

"मेरी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसने जनता में काम किया है और अगर कोई मेम्बर इस बात का दावा करता है, तो वह अपनी ज़िम्मेदारी पर कर सकता है। पहिले परचे का ड्राफ़्ट पार्टी की मीटिङ्ग द्वारा पास नहीं हुआ था, किन्तु एक मीटिङ्ग हुई थी, जिसमें यह निश्चय हुआ था कि एक ख़ास ढङ्ग पर एक परचा निकाला जाय।"

जनता में प्रचार-कार्य

इसके बाद डॉ० किचलू ने उस पैरे का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि गाँधी कभी ग़रीब किसानों और कारख़ानों में काम करने वाले श्रमजीवियों के बीच में नहीं बैठे और उनके सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते। मुख़बिर ने कहा कि "पार्टी वालों को इसका अनुभव है, हालाँकि पार्टी ने किसानों आदि के बीच में कभी काम नहीं किया है। मैंने भी ऐसे लोगों के बीच में काम किया है। ग्वालियर में, जब कि मैं स्कूल में था, मुझे जनता में मिलने-जुलने का काफ़ी मौक़ा मिला था। अजमेर के आस-पास के गाँवों में भी ऐसा ही अवसर मिला था। मैं मदनगोपाल-डेरी से सम्बन्ध रखने वाले किसानों से मिलता-जुलता था। इस प्रचार-कार्य के लिए मैंने पार्टी के किसी ख़ास मेम्बर को नियुक्त नहीं किया था। इस कार्य के लिए मैंने किसी झोपड़ी में रात नहीं बिताई थी। मैंने अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के रिश्तेदार किसानों में कुछ समय व्यतीत किया था। मदनगोपाल-डेरी पहले अजमेर के बाहर की तरफ़ थी और उसके बाद वह अजमेर शहर के अन्दर लाई गई। जहाँ तक मुझे स्मरण है, यह ग़लत है कि डेरी मेरी गिरफ़्तारी के बाद शहर के बाहर ले जाई गई थी। जब मैं पिछली बार अजमेर गया था, वह शहर के अन्दर थी, किन्तु मैं यह नहीं जानता कि मेरी गिरफ़्तारी के वक़्त वह कहाँ थी।"

डॉक्टर किचलू ने अदालत के सामने यह स्पष्ट किया कि परचों के बारे में जिरह करने का यह मतलब इस बात को दिखलाना है कि मुख़बिर केवल पार्टी का सङ्गठन करने वाला बनता है, किन्तु वास्तव में वह है नहीं।

वॉयसरॉय की गाड़ी पर हमला

मुख़बिर ने कहा—"मैं परचे में प्रकट किए गए इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था कि अगर वायसरॉय गाड़ी पर बम चला कर मार डाले गए तो भारत का एक दुश्मन चला जायगा। यह ख़ास लाइन मीटिङ्ग के सामने नहीं रक्खी गई थी, किन्तु भाव यही था। मैं उस वक़्त वायसरॉय की गाड़ी पर हमला करने के विरुद्ध था। हमला होने के पहिले परचे के भाव पर विचार किया गया था।

"मैं इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ सकता कि होमरूल, सेल्फ़ गवर्नमेण्ट, रिस्पॉन्सिबिल गवर्नमेण्ट आदि शब्दों का अर्थ क्या है। जो कुछ कि मैं जानता हूँ, यह है कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, जोकि लाहौर कॉङ्ग्रेस में कॉङ्ग्रेस का ध्येय घोषित की गई थी।

"जहाँ तक भारत को आज़ादी के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस के ध्येय का सम्बन्ध है, मैं उससे सहमत हूँ। कॉङ्ग्रेस और मेरी पार्टी का ध्येय प्रायः एक ही है। पार्टी का ध्येय साम्यवाद है, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता आ जाती है और कॉङ्ग्रेस का ध्येय भी पूर्ण स्वतन्त्रता है। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता के पद को ऊँचा कर दिया है। मैं उस वक़्त के किसी क्रान्तिकारी का नाम नहीं बतलाऊँगा। मैंने (इन क्रान्तिकारी परचों को) पढ़ कर इस भाव को पसन्द किया था कि उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, किन्तु अब यह करना बहुत कठिन है। मैं अब उनकी सेवाओं की क़द्र करता हूँ, क्योंकि अब मेरे विचार बदल गए हैं। परन्तु यह सत्य है कि उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनका विचार वही है, जो मेरा है।"

इसके बाद डॉ० किचलू ने मुख़बिर से अन्य परचों के सम्बन्ध में जिरह की।

(क्रमशः)

कविता का युग

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

संसार के कुछ अनुभवी लोगों का कथन है कि ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जा रहा है, त्यों-त्यों मनुष्य-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु में भी कुछ न कुछ अभिवृद्धि होती जा रही है। यही बात हम काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में देखना चाहते हैं; परन्तु दिखाई नहीं देती, इसका क्या कारण है? कविता का जीवन से तो बड़ा गहरा सम्बन्ध है। मेथ्यू अरनोल्ड के अनुसार कविता जीवन की ही समालोचना है। कविता मनुष्य-हृदय की वह आनन्दमयी प्रवाहित धारा है, जिसमें वह अनादि काल से लहरें लेता हुआ आ रहा है और अब तक उसकी तृप्ति नहीं हुई है। तब फिर क्या कारण है कि हम इस सभ्यता के युग में कविता को पीछे की ओर खिसकते पाते हैं। हम इस लेख में इसी बात को पाठकों के समक्ष रखना चाहते हैं कि मनुष्य-हृदय-रूपी गङ्गोत्री से निकली हुई कविता-रूपी जाह्नवी की धारा क्योंकर हरिद्वार के पास आ, आधुनिक सभ्यता रूपी शिव की जटा में विलीन हो गई।

अङ्गरेज़ी भाषा में मेकॉले नाम के एक बड़े साहित्यकार हो गए हैं। इन्होंने अङ्गरेज़ी गद्य में एक विशेष प्रकार की शैली का प्रचार किया है। यह उनके अध्ययन और विद्या-प्रेम का ही फल है। मेकॉले ने अङ्गरेज़ी के प्रायः सभी प्राचीन साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन किया है। उन पर एक से एक गवेषणापूर्ण निबन्ध लिखे हैं। उन तमाम निबन्धों से, जोकि कवियों की जीवनियों और उनकी रचनाओं की आलोचना में लिखे गए हैं, एक आवाज़ निकलती है, वह यह कि शेक्सपियर और मिल्टन की तरह रचनाओं का अब जन्म होना कठिन है। आधुनिक और प्राचीन अङ्गरेज़ी कवियों की आलोचना करते हुए मेकॉले कहते हैं—"शेक्सपियर के समय का इङ्गलैण्ड अर्ध-सभ्य कहा जाता है। आज का इङ्गलैण्ड तत्कालीन इङ्गलैण्ड से कई गुना सभ्य है। परन्तु कहाँ हैं वे शेक्सपियर, कहाँ हैं मिल्टन।" मेकॉले के इस विचार ने आधुनिक कवियों में खलबली सी मचा दी है। जो कुछ हो, परन्तु कविता की कसौटी पर खरे उतरने में आधुनिक कवि अवश्य ही पीछे हैं।

मेकॉले की बातें ६,००० मील दूर की हैं। अङ्गरेज़ इतिहासकार भारतवासियों को असभ्य कहते ही हैं। उनके से विचार रखने वाले भारतीय विद्वानों के अनुसार भी प्राचीन भारत वर्तमान भारत से अधिक असभ्य था। परन्तु उस असभ्य भारत ने जो साहित्यकार, कवि पैदा किए हैं, क्या आज वे पैदा हो सकते हैं? कालिदास, भवभूति, भारवी, बाण आदि की रचनाओं के टक्कर की रचनाएँ आज कहाँ हैं? जो बातें वे सीधी-सादी घटनाओं का उल्लेख करके कह गए हैं, वे बातें आज हमारे 'नीरव गान' और 'टूटी वीणा' के झङ्कार में छाया-मात्र भी नहीं हैं। यद्यपि आज के सभ्य युग में 'गगन छलकता जाता था चुपचाप' कहने वालों की संख्या अर्वाचीन काल के कवियों से कहीं अधिक है, परन्तु अर्वाचीन काल के कवि 'एकश्चन्द्र तमो हन्ति' के समान हैं।

इस सम्बन्ध में एक प्रसङ्ग का उल्लेख कर देना ठीक होगा। काशी के एक उत्साही नवयुवक संस्कृत के पण्डित ने संस्कृत भाषा में एक समय एक पत्र निकालना चाहा था। भारत की अन्य भाषाओं में पत्र निकलते देख कर उनका भी जी ललचा गया था। उनका कहना था कि इन भाषाओं की जननी संस्कृत में एक भी पत्र न निकले, यह संस्कृतज्ञों के लिए बड़ी लज्जा की बात है। बस उन्होंने 'कनवेसिङ्ग' आरम्भ की। जब उनसे पूछा गया कि आप संस्कृत में पत्र निकालने से किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं, तो उत्तर दिया कि संस्कृत भाषा की उन्नति और विकास। परन्तु प्रश्नकर्ता ने कहा—'भाई, संस्कृत ने जो उन्नति कर ली है, वह अन्य भाषाएँ सात जन्म में भी नहीं कर सकती हैं। उसकी जो उन्नति हो चुकी है, उससे अधिक हम करने की क्षमता नहीं रखते।' पर पत्र निकाला ही गया। अब तक उसके सैकड़ों अङ्क निकल चुके होंगे। परन्तु यह कहना ही पड़ता है कि ताड़-पत्र, भोज-पत्र पर लिखे हुए उस 'असभ्य कालीन' साहित्य के सामने आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई स्याही और मैशीन से निकले हुए साहित्य की दशा भानु के समक्ष खद्योत सी ही रही।

परन्तु क्या कारण है कि हम पेड़ों और पहाड़ के टीलों पर बसर करने वाले, छाल लपेटने वाले जङ्गली मनुष्यों के समान न हो सके। वे इस क्षेत्र में क्यों कर बाज़ी मार ले गए। जीवन की व्याख्या जो उनकी कविताओं और रचनाओं में पाई जाती है, वह आज क्यों नहीं पाई जाती? प्राचीन और आधुनिक साहित्य की समालोचना करने के उपरान्त मेकॉले आधुनिक साहित्य के विषय में लिखता है—

Fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen from the high state.

इसी तरह हिन्दी-साहित्य के विषय में भी एक किम्बदन्ती है। इस किम्बदन्ती की भाषा देहाती है, इससे प्रकट होता है कि किसी देहाती ही की कही हुई है, परन्तु यदि आप इसके गूढ़ तत्वों पर तनिक विचारेंगे तो समझ जायँगे कि गँवार ने अपनी गँवारू बोली में कितनी मारकेदार बात कह दी है—

बढ़ियाँ रहा सो कठवा[1] कहिगा,
अन्हरा[2] कहेसि अनूठी।
बचा-खुचा सो जोलहा[3] कहिगा,
और कहे सब जूठी॥

एक दूसरी बानगी लीजिए—

सूर-सूर तुलसी शशी उडगण केशवदास।
अब के कवि खद्योत सम जहँ-तहँ करहिं प्रकाश॥

१—तुलसीदास, २—सूरदास, ३—कबीर।

आधुनिक काल के कवियों के लिए यह कहना कि वे 'खद्योत सम जह-तहँ प्रकाश करहिं' बड़ा अपराध है। अभी यहाँ 'खड़ी बोली बनाम ब्रज-भाषा' का झगड़ा चल ही रहा है, महाकवि भूषण भाट बनाए जा रहे हैं और केशव को पालकी ढोने वाले कहार की पदवी दी जा रही है। बिहारी और देव अश्लीलता और दुराचार के प्रचारक मान लिए गए हैं। ख़ैरियत इतनी ही है कि ईश्वर की कृपा से कुछ सज्जन खड़ी और पड़ी बोली में (गाँधी-इर्विन) समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।......ख़ैर, गगन-स्पर्शी अट्टालिकाओं में, ऊँचे-ऊँचे प्रासादों में पढ़ने वाले होनहार कवि 'सूक्तखेत' वालों से बढ़ने के लिए अनन्त की ओर, कितना हू दूर क्यों न जायँ, परन्तु उनकी रचनाओं में हमें वह रस नहीं प्राप्त हो सकता। उनकी कविताएँ हमारी आँखों में आँसू नहीं ला सकतीं। हाँ, शरीर में स्वेद चाहे भले ही आ जाय।

इसी भय से अङ्गरेज़ी के आधुनिक विख्यात कवि विलियम मारिस ने अपनी कविता की भूमिका में जनता को पहिले ही सूचित कर देना उचित समझा कि मैं केवल "An idle singer of an empty day"—अर्थात्—"मैं नीरस-युग का एक आलसी गायक हूँ।"

❀ ❀ ❀

महाकवि कालिदास की रचनाएँ किसी भी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हैं। वे प्राचीन काल की रचनाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनकी रचनाओं में शकुन्तला सर्वश्रेष्ठ कही जाती है।

परन्तु कालिदास की शकुन्तला कौन थी? मातृ-परित्यक्ता, पितृ-विहीना, जङ्गल की रहने वाली, उसको लिखने के लिए क़लम और स्याही तथा पत्र के स्थान पर हरे पत्ते व नख का प्रयोग करना पड़ता है। यदि किसी इतिहासकार को यह सब प्रमाण किसी 'पत्थर के टुकड़े पर' मिल जाय, तो वह अमुक जाति वा देश को असभ्य प्रमाणित करने में दस-पाँच पृष्ठ रङ्ग डालेगा; परन्तु कालिदास के उस पात्र से तथा आधुनिक नाट्यकारों की उन पात्रियों से, जो ऊँची-ऊँची आकाश-चुम्बनकारी कोठियों में रहती हैं, टेलीफ़ोन 'बेतार का तार' और अनेक आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति में पली हुई होती हैं; तनिक तुलना तो कीजिए! कहना पड़ता है कि उसकी और इनकी तुलना में लाखू और भीखू का अन्तर है। सभ्यता की जलती ज्वाला में क्या सचमुच कविता की धारा बुझ जाती है? क्या सचमुच उसकी आनन्दमयी नीरवता नष्ट हो जाती है? इसका इससे बढ़ कर और दूसरा क्या प्रमाण होगा? इस हाय-तोबा के युग में यदि वास्तव में देखा जाय तो कविता की धारा स्वच्छ नहीं रह सकती। उसमें बम्बे का गन्दा जल, पनाले का कीचड़ अवश्य ही मिल जायगा। जो कुछ बचा रहेगा वह भी इस 'खटपट' में साफ़-साफ़ सुनाई नहीं देगा।

इसी खटपट से घबड़ा कर, अङ्गरेज़ी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान वर्ड्सवर्थ ने कहा था—

The world is too much with us.
Getting and sleeping.
We lay waste our power.

सभ्यता के दिखावटीपने से कविता का घोर विरोध है। वर्ड्सवर्थ प्रकृति-प्रेमी था। उसने प्रकृति के सम्बन्ध में अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। इस 'खटपट' से उसके प्रकृति-निरीक्षण में बाधा पड़ती थी। परन्तु इसी 'खटपट' को तो 'सभ्यता' कहते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है—"अच्छा होता, मैं असभ्य ही पड़ा रहता, क्योंकि मैं प्रकृति के आनन्द का रसास्वादन तो कर सकता।"

A pagan suckled in a creed outworn.
So might I, standing on this pleasant sea have glimpses. . . . . .

सभ्यता के विकास के सम्बन्ध में अब तनिक विचार कीजिए। बाह्य-संसार, जिसका विशेष सम्बन्ध प्रकृति से ही है, हमारे पूर्वजों के लिए एक तरह से छिपा था। विद्युत भी थी, अन्य वे सभी वस्तुएँ वर्तमान थीं, जिसको खोज कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने संसार के अँधेरे को हटाया है। पर वे प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझ कर छोड़ दिए जाते थे। ऊँची पर्वत-मालाओं से बहते हुए स्वच्छ निर्झर केवल निर्झर समझे जाते थे। उस समय मनुष्य ने इन पर अधिकार नहीं जमाया था। प्रकृति का ही उस पर अटल अधिकार था। कालान्तर में मनुष्य ने इन गूढ़ रहस्यों का पता लगाया। उसके पुरज़े-पुरज़े जान लिए, बस उस वस्तु के सम्बन्ध में उसका जो कुछ कौतूहल था, वह सब उसी जगह समाप्त हो गया। किसी अपढ़ गँवार को केवल यही मालूम रहता है कि पत्थर की बनी हुई मूर्ति ही ईश्वर है। बस इसी से समझ लीजिए—ईश्वर के अस्तित्व के अनुभव का आनन्द जो उस गँवार और अपढ़ को होगा, क्या एक अनीश्वर-वादी को कभी हो सकता है!

विज्ञान ने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का भण्डा फोड़ कर, जीवन के आनन्द को सच्चा आनन्द न बना, उसे मशीन बना दिया है। आपके गाँव में भयङ्कर गर्मी पड़ रही है, आप आकुल हो उठे हैं, अब अधिक सहन करना आपके लिए असह्य है। आप शीघ्र ही बदरिकाश्रम की तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात् शीतलता का आप अनुभव करते हैं। निदाघ के आतप से आप मुक्त होते हैं। परन्तु वैज्ञानिक लीला देखिए। आपको गरमी अधिक मालूम दे रही है, तो शीघ्र ठण्डे कमरे में चले जाइए, वहाँ का टेम्परेचर (तापमान) शीत-बिन्दु (Freezing point) के समान बनाया गया है। दोनों आनन्द का अनुभव कीजिए।

इस प्रकार धीरे-धीरे विज्ञानवाद ने मनुष्य-जीवन के प्रकृति सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का विच्छेद करना आरम्भ किया। इस सम्बन्ध-विच्छेद को सभ्यता का विकास कहा जाता है। जितने छिपे भेद थे, वे एक-एक कर 'बायस्कोप' के परदे पर आने लगे।

इस सम्बन्ध-विच्छेद से कविता को बड़ा गहरा धक्का लगा। बुलवर लीटन ऐसे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि—

Is life to love religion and poetry?

अर्थात्—क्या जीवन का तात्पर्य केवल धर्म और कविता से प्रेम करना ही है? कविता तो थके-माँदे प्राणी को आराम देने के लिए बनी थी। आजकल विभिन्न प्रकार के सवारी के युग में थकावट आती ही किसको है?

भारतीय साहित्यकारों का कहना है कि वह कविता ही क्या, जिसे सुन कर श्रोता अपने को भूल न जाय? पाठक-वृन्द, आपने देखा भी होगा कि कभी-कभी प्राचीन कवियों की कृतियों को सुनते समय लोग अश्रुपात करने लगते हैं। यदि आजकल के बाबुओं के समाज में भला कोई कविता सुन कर रोने लगे तो देखिए उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई जाती है? रोने वाले को लोग अशिक्षित कहने लगते हैं। यही नहीं, वरन् उसे आदि-कालिक (Primitive-age) समझने लगते हैं।

❀ ❀ ❀

कवि कौन हो सकता है? जिस पर सरस्वती की कृपा हो। वाह! महाशय जी, सरस्वती की कृपा कैसी? कवि वह हो सकता है, जो छन्द, पिङ्गल, अलङ्कार पढ़े हो। कविता के सम्बन्ध में यह बात भी विशेष महत्व की है। प्राचीन समय में सौ में एक मेधावी आशु-कवि होते थे, आज के कवियों की संख्या देखिए। बिजली के प्रकाश में बैठे हैं, क़लम को स्याही में बार-बार डुबो रहे हैं, रात के बारह का घण्टा बजा, तब कहीं ध्यान हुआ कि अभी तो चौथा पद बाक़ी ही है। अच्छा इसे भी पूरा कर लें। सूर्य-वंश के कितने ही राजाओं के प्रयत्न करने पर गङ्गा की धारा पहाड़ से नीचे उतरी थी, परन्तु आज तो इञ्जीनियर फ़ाक्स और डाँग साहब उसी जगह से कितनी ही नहरें निकाल रहे हैं।

कविता का विकास हो भी कैसे? समालोचकों से सभी डरते हैं। इस सभ्य युग में समालोचक-रूपी टिपटिप से लोग अधिक डरते हैं, बनिस्बत उस कठिन परिश्रम के, जोकि उन्हें काव्य-रचना में करना पड़ता है। छन्द की गति ठीक नहीं, भाषा-सौष्ठव ठीक नहीं, गति धीमी है, कवि पिङ्गल नहीं जानता, आदि बातें कविता के दोष में गिनाई जाती हैं। परिणाम यह होता है कि कवि इन सबके सुधारने में ही बिगड़ जाता है। परन्तु प्राचीन काल के कवि तो इस विषय में अधिक स्वच्छन्द होते थे। देखिए संस्कृत के किसी विद्वान का यह कथन है—

> अपारे कवि संसारे कविरेव प्रजापतिः।
> यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

कवि तो शब्दों के लिए प्रजापति है। वह अपनी इच्छानुसार उनकी काट-छाँट करता है। वह तर्क और खोजवाद का पक्षपाती नहीं है। वह तो अनुभव और आनन्द चाहता है। वर्ड्सवर्थ कहता है:—

"One moment now may give us more than years of toiling reason."

अतः वह कविता, जो मनुष्य के हृदय से गुदगुदी उत्पन्न करने वाली होती है, जन-साधारण को एक उच्चतम भावना की ओर घसीटने वाली होती है। ऐसी कविता का आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ विकास नहीं, किन्तु ह्रास होता है। मेमोरियम के रचयिता का कहना है—

> I strove with none
>   For none was worth, my strife,
> Nature I loved and next to nature, art
> I wormed, both hands
>   Before the fire of life,
> It sinks; and I am ready to depart.

साहित्य और कला के प्रेमी जितना आनन्द और सुख शान्ति के युग में पाते हैं, उतना सुख उन्हें अशान्ति के युग में नहीं मिलता। साहित्य का पौधा आजकल के वायु में पनप चाहे सके, उसकी वृद्धि चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, परन्तु उसकी छाया की शीतलता का आनन्द आज के युग में मिलना कठिन है।

यह सच है कि आजकल के कवि और साहित्यकार प्राचीन काल के कवियों से कहीं अधिक विद्वान हैं, पर विद्वान होने ही से कोई कवि नहीं हो जाता। यदि कवि में कवित्व-शक्ति का स्वाभाविक बीज नहीं, जैसा कि आजकल ९९ प्रतिशत 'कवि' कहे जाने वाले लोग हैं, तो मनुष्य चाहे जितना उद्भट विद्वान हो, उसकी कविता कदापि सरस और मनोहारिणी नहीं होती। रस ही कविता का प्राण है। और जो यथार्थ कवि हैं, उनकी कविता में रस अवश्य होता है।

इसी 'रस' के कारण प्राचीन कवियों की कृतियाँ सराहनीय हैं। संस्कृत साहित्य के वैद्य-कवि लोलिम्बराज ने ठीक ही कहा है—"यतो न नीरसा कविता कुल-कमल-कामिनी।" अर्थात्—कविता रूपिणी कुल-कामिनी नीरस होने से शोभा नहीं पाती।

आधुनिक सभ्यता में कविता ही की अवनति हुई है सो बात नहीं, वरन् हर एक ललित कलाओं की दशा में हेर-फेर हुआ है। अगले किसी लेख में 'प्राचीन भारतीय 'प्रस्तर-कला' के सम्बन्ध में लिखते हुए अन्य कलाओं के ह्रास के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा।

❀ ❀ ❀



[हिज़ होलोनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

इलाहाबादी महाकवि 'अकबर' का कौल है—'बीबियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीबियाँ !' रूस में एक बीबी थी—ज़ारीना, जिसने अपने 'आलमाइटी' ज़ार को वह बन्दर नाच नचाया कि हज़रत अमर के भी चाचा बन गए ! यहाँ हमारे बूढ़े लाट साहब के पीछे मेसर्स मूर-विलियर्स एण्ड कम्पनी नाम की दर्जनों मूँछ वाली बीबियाँ पड़ गई हैं और माशा अल्लाह, ठीक शौहर का काम कर रही हैं। अर्थात् गर्भाधान संस्कार ये बीबियाँ करती हैं और ऑर्डिनेन्स के चूज़े प्रसव करते हैं, मियाँ !

❀

लाखों रुपए दवादारू में स्वाहा हो गए, मङ्गलगान करते-करते गानेवालियों के कण्ठ सूख गए ! लगातार दो महीने तक ऐसी भयङ्कर प्रसव-पीड़ा रही कि बस, कुछ न पूछिए। मालूम होता था कि बी-गोलमेज़ कोई पहाड़ या कङ्गूरा नहीं, तो कम से कम एक हाथी तो अवश्य ही प्रसव करेंगी। मगर अन्त में वही कहावत चरितार्थ हुई कि—"साल भर मिमियानी तो एक चुहिया बियानी !"

❀

अर्थात् भारत को 'प्रॉविन्शियल अटोनोमी' मिलेगी। बबुआ, 'फ़ेडरल-विधान' उर्फ़ युक्त राष्ट्र शासन-तन्त्र' अभी साल भर तक और गर्भस्थ रहेंगे। उसके बाद तीसरी 'मिमियाहट' शुरू होगी, तब टोना-टमानी से बचने के लिए गण्डा-तावीज़ (सेफ़गार्ड) धारण किए और काजल का तिलक लगाए—अगर बीच ही में गर्भपात न हो गया तो—बचुआ निकलेंगे।

❀

फिर क्या है, लीजिए पौबारह के मज़े और सँभालिए राज-काज। आपकी भलाई के लिए लाट साहब रुपया-पैसा, पुलिस-पल्टन और पर-राष्ट्र विभाग अपने हाथ में रक्खेंगे। बाक़ी सब आपको सौंप दिया जाएगा। व्यवस्था-परिषदों में लेक्चर झाड़िए, प्रस्ताव कीजिए और शिमला और नैनीताल के मज़े लीजिए। और क्या स्वराज्य के कोई दुम होती है या सींग ?

❀

अल्प संख्यक सम्प्रदाय-समूह की रक्षा का भार और वाणिज्य-नीति सम्बन्धी झगड़े भी आपसे बिल्कुल अलग रहेंगे। ताकि आपके स्वराज्य-सुख में कोई ख़लल न पड़े। मतलब यह है कि दादा साइमन ने जो 'भाग्य-लिपि' अङ्कित कर दी है, उससे अधिक प्राप्त करने के लिए पुण्य-बल अभी आपके पास नहीं है। आपके 'कर्म-कमण्डल' में इससे अधिक की गुञ्जाइश ही नहीं, तो बेचारे दाता क्या करें ?

❀

इसके बाद आपकी जानोमाल की रक्षा महारानी ऑर्डिनेन्स-कृत्या करेंगी। एकादशी की बहिन द्वादशी भी दिल्ली के सूतिकागार से निकल पड़ी हैं। बस, गज़ारूढ़ हुईं कि धमसे आ पहुँचीं। फिर तो ऐसी चहल-पहल रहेगी कि दिन को ही तारे नज़र आवेंगे। आख़िर बिना ऑर्डिनेन्सों के स्वराज्य का मज़ा ही क्या मिलेगा ?

❀

बस जनाब, अब दादा मुग्धानल देव के आज्ञानुसार भारत को चाहिए कि कमर थाम कर बी-ब्रितानिया के साथ सहयोगिता करने को तैयार होजाए और 'हो-हल्ला' मचाना छोड़ कर शान्तिपूर्वक कुछ दिन ऑर्डिनेन्सी शासन के मज़े लूटे। साल भर का तो मामला है। क्योंकि अगले साल बी-गोलमेज़ अवश्य एक सुन्दर सा फ़ेडरल प्रसव कर देंगी।

❀

यही आज्ञा हमारे मूर-पन्थी बड़े लाट साहब की भी है। आपने भी ऑर्डिनेन्सी-फ़र्श पर खड़े होकर सहयोगिता के लिए युगल बाहु प्रसारित कर दिया है और भारतवासियों को कनाडा की तरह औपनिवेशिक स्वराज्य का स्वप्न देखते रहने की आज्ञा दी है।

❀

कलकत्ता के 'बेङ्गाल चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स' के जलसे में, चाय-पानी के बाद, आपने ऐसी मीठी वक्तृता दे डाली है कि अगर श्रीमती जी के नाराज़ होने का डर न होता तो श्रीजगद्गुरु बूटी में शक्कर घोलने के बजाय लाट साहब की मीठी वक्तृता ही घोल कर छान जाते।

❀

हह, आप हँस रहे हैं, मगर हम गङ्गा मइया की शपथ खाकर कहते हैं, कि अगर आप लाट साहब की रसीली वक्तृता की एक लाइन भी सुन लेते तो जीवन भर होंठ चाटते रह जाते। और आपकी दशा, 'मगन होइ गुड़ खाइ मूक स्वाद किमि कहि सकै' सी हो जाती।

❀

आपकी वक्तृता ठीक आलूबुख़ारे की चटनी की तरह शीरीनी और तुर्शी मिली हुई है। लाट साहब ने उसके पोर-पोर में भारत की कल्याण-कामना भर दी है। हमें तो भय है कि अगर लाट साहब के दिल में भारत की कल्याण-कामना की आँधी योंही कुछ दिन चलती रह गई, तो आप इसके पीछे एक दिन सती हो जाएँगे।

❀

अभी हाल में जो आपने 'मारशियाली' ऑर्डिनेन्स जारी किया है, वह उसी कल्याण-कामना का फल है। बङ्गाल में अशान्ति की आँधी चल पड़ी थी, वहाँ के नागरिकों का जीवन ख़तरे में पड़ गया था; देश की आर्थिक अवस्था सङ्कट में पड़ गई थी। आज से कई महीने पूर्व बङ्गाल में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसका भी असली कारण, अगर सच पूछिए तो बङ्गाली नवयुवकों का ख़ुराफ़ात ही था।

❀

इन्हीं सब कारणों से मजबूर होकर बड़े दुःख के साथ—बल्कि यों कहिए कि कलेजे पर पत्थर रख कर—लाट साहब ने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया है और अपनी सुरक्षित सर्टीफ़िकेट-प्रदायिनी शक्ति द्वारा सुन्दर साहब के धन-धान्य विवर्द्धन करों को पास करके भारत में चिर-शान्ति का मार्ग साफ़ कर दिया है।

❀

देखते नहीं, जब से ये दोनों अत्यावश्यक कार्य सम्पन्न हुए हैं, तब से न कहीं बाढ़ का नाम है, न प्लेग और महामारी का। घर-घर शान्ति विराजने लगी है। लक्ष्मीदेवी ऐसा टाँग तोड़ कर बैठ गई हैं कि श्री० बैकुण्ठनाथ के वियोग की भी परवाह नहीं है।

❀

महा व्याधि-ग्रस्त बङ्गाल को निरामय करने के लिए श्रीमान लाट साहब ने जो नुसख़ा तैयार किया है, उसे देख कर बड़े-बड़े 'मदरत' और लॉयलिस्ट तक थिरक उठे हैं और लाट साहब के चिकित्सा-चातुर्य की प्रशंसा में पन्ने के पन्ने रँग चुके हैं। माशा अल्लाह, ऐसी मुजर्रब दवा है कि व्याधि के साथ ही व्याधिग्रस्त को भी शान्त करके छोड़ेगी।

❀

बस, अब कोई चिन्ता की बात नहीं है, 'बेङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स' के नीलाम्बों को चाहिए कि अपने 'होम' से कुछ बड़ी-बड़ी तिजोरियाँ मँगवा कर रख लें। क्योंकि इस ऑर्डिनेन्स के कारण बङ्गाल में विलायती व्यवसाय चमकने ही वाला है। विलायती वस्त्र, बैङ्क और बीमा कम्पनियों के साथ, बङ्गालियों ने बहरामपुर में, 'बहिष्कार' का गँठबन्धन करके ऐसा अनुप्रास मिलाया है कि प्रसिद्ध अनुप्रास-प्रेमी कवि पद्माकर की आत्मा भी खिल उठी होगी।

❀

श्रीमान लाट साहब के इस सर्व व्याधि-विनाशिनी ऑर्डिनेन्सी कृत्या, यों तो सद्गुणों की खान ही है, परन्तु उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिसे डँसेगी, उसे रोने भी न देगी। अर्थात् लाट साहब के जङ्गी फ़तवे के अनुसार, कोई अख़बार वाला आयुष्मती पुलिस और चामुण्डा मिलिटरी की प्रशंसा में ज़बान भी न हिला सकेगा।

❀

बात यह है कि शान्ति-स्थापना का कार्य पूर्ण शान्ति से होना चाहिए। किसी को कानोंकान ख़बर न हो कि कहाँ क्या हो रहा है। वरना हो-हल्ला मचा कर लोग विघ्नोत्पादन कर देंगे, सारा मज़ा बिगड़ जाएगा। इसलिए दयाशील चिकित्सा-चतुर लाट साहब ने क्लोरोफ़ॉर्म की व्यवस्था भी लगे हाथ कर दी है। इससे ऑपरेशन-कार्य बड़ी शान्ति और सहूलियत से हो जायगा और किसी को पता भी न लगेगा कि कहाँ, किस तरह और किस सौभाग्यशाली को देवी कृत्या ने अपने भव-भय-मोचन आलिङ्गन-पाश में आबद्ध किया है।

❀

'काना छेलेर नाना रोग'—इस बङ्गाली कहावत के अनुसार दादा सनातनधर्म के सिर पर भी एक न एक आफ़त आई ही रहती है। इस बुढ़ौती में भी लोग हमारे दादा जी को चैन से भङ्ग-बूटी नहीं छानने देते, इनके विरुद्ध कोई न कोई तूफ़ाने-बेतमीज़ी बरपा ही किए रहते हैं।

❀

महीनों हो गए, नासिक के सनातनी देवताओं का खाना-पीना और चैन से सोना हराम हो रहा है। कुछ उद्दण्ड अछूत मन्दिरों में घुस कर उन्हें बेदीन कर डालने

(शेष मैटर ३८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

बातचीत

एजेण्टों से—

हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक निम्नलिखित एजेण्टों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिला है। अभी तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिला है। एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी भेज दें।

संस्था को स्थायी बनाने के लिए हमने इसे एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया है, अतएव एजेण्टों को चाहिए कि चेक या मनीऑर्डर आदि से रुपया तथा पत्र आदि भविष्य में 'चाँद प्रेस, लिमिटेड' के नाम से भेजा करें—

१—श्री० रा० प्र० जी, उरई ... ... २३-)
२—श्री० भू० मि० जी, भवाली ... ... २॥)
३—मेसर्स गौ० शं० रा० गो०, शाहजहाँपुर ३॥-)
४—मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद ... ... १०)
५—मास्टर ब० प्र० जी, सागर ... ... ७।)
६—मेसर्स ई० द० ली० घ० जोशी, हापुड़ ... १०)

ग्राहकों से—

(१) हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक 'भविष्य' के नीचे लिखे अनुसार पुराने ग्राहकों का रुपया प्राप्त हुआ है। ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म इस प्रकार है :—

ग्राहक-नम्बर			प्राप्त रक़म
२८०३	...	...	३॥)
२९८१	...	...	६॥)
७३७	...	...	२)
१७५७	...	...	३॥)
१५५८	...	...	१२)
१७१३	...	...	४)
३०७७	...	...	३॥)
२८०२	...	...	३॥)
३१३०	...	...	३॥)

(२) ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक नीचे लिखे अनुसार 'भविष्य' के नए ग्राहक बने हैं। उनके ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों को चाहिए कि अपना ग्राहक-नम्बर नोट कर लें तथा पत्र आदि भेजते समय इसे अवश्य ही लिखा करें, ताकि उनके लिखे अनुसार कार्यवाही की जा सके :—

ग्राहक-नम्बर	नाम व पता	प्राप्त रक़म
३३१४	श्री० गोपीनाथ जी, दिल्ली ...	६॥)
३३१५	श्री० परमेश्वरप्रसाद राय, बिलासपुर, रामनगर	१२)
३३१६	श्री० मन्त्री जी महोदय, ग्राम-सेवा-कुटीर, केकरी	२।)
३३१७	श्री० चम्पालाल जी बाँठिया, भीनासार	६॥)
३३१८	श्री० कुँ० रामप्रतापसिंह जी, निकटपुर (एटा ज़िला) ...	१२)
३३१९	श्री० बद्रीप्रसाद जी शर्मा, धरमपुरी	३॥)
३३२४	श्री० मन्त्री महोदय, विद्यार्थी वाचनालय श्रीदिगम्बर जैन बोर्डिङ्ग, महू	६॥)
३३२५	श्री० चतुरबिहारीलाल जी गुप्ता (पूरनपुर)	३॥)
३३२६	श्री० जगनन्दन जी दुबे, दुबौली, डेहरी	१०)
३३२७	श्री० मदनलाल जी गुप्ता, गोरखपुर	३॥)
३३२८	श्री० नानकचन्द जी खन्ना, हाता हुक्मराय, (गुजराँवाला) ...	३॥)
३३२९	मेसर्स जवरीलाल पन्नालाल जैन, दोहद	१२)

निम्न-लिखित ग्राहकों के पते में परिवर्तन किया गया है :—

११०९, १०७१, १६३५, ३३११, ३२२६, २९८४, २६७१, २१८७।

निम्न ग्राहकों को लिखे अनुसार अङ्क दुबारा भेजे गए हैं, आशा मिले होंगे :—

५७वाँ—१६३५; ५८वाँ—१८३०, २३२६, २९०८, ३२३३; ५९वाँ—६९५, २३२६, ३१८१, ३२३३, २५७४, ३२८२।

निम्न-लिखित ग्राहक-नम्बर के ग्राहकों को आगामी सप्ताह का अङ्क वी० पी० से भेजा जाएगा, आशा है वी० पी० स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे :—

३१६८, ३१७६, ३२४९।

❀ ❀ ❀

श्रीजगद्गुरु का फ़तवा

(३७वें पृष्ठ का शेषांश)

पर तुले हुए हैं। देवताओं का गार्जियन-दल अर्थात् पुजारी-पल्टन दिन-रात क़वायद-परेड करती है, मौक़ा पाकर मूँड़मेध भी कर देती है, परन्तु अभागे अछूत डटे ही हैं।

❀

सर्दी का मौसम है, आबोहवा बिगड़ी हुई है। जहाँ-तहाँ Hooping Cough (कुकुर खाँसी) का भी ज़ोर बढ़ रहा है। इसलिए हमें भय हो रहा है कि कहीं इस 'अछूती उत्पात' के दिनों में समय पर भोजन आदि न मिलने के कारण किसी देवता को कोई बीमारी न हो जाए। मगर मालूम नहीं, 'वर्णाश्रम स्वराज्य-सङ्घ' वाले अभी तक क्यों कान में तेल डाले पड़े हैं ?

❀

उधर अछूतों की दढ़ियल मौसियाँ उन्हें शीघ्राति-शीघ्र अपने आग़ोश में लेने के लिए व्याकुल हो रही हैं। उनकी राय है कि अछूत फ़ौरन सुन्नत करा डालें। यह युक्ति हमें भी पसन्द है, मगर सवाल यह है कि इस देश के कई करोड़ अछूतों के लिए बिहिश्त में हूरो-ग़िलमे कहाँ से आएँगे ? इसलिए हमारी राय है कि अछूतों के ख़तने का इन्तज़ाम करने से पहले ये मौसियाँ काफ़ी तादाद में हूरोग़िलमे प्रसव कर लें तो बेहतर हो, अन्यथा बूढ़े अल्लाह मियाँ बड़ी क़बाहत में पड़ जायँगे।

❀



हमारी नई पहेली

फिर २५) का नक़द पुरस्कार

कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए।

(अ) उत्तर 'भविष्य' में छपे हुए ख़ानों में ही भरना चाहिए। सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जायँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जायगा।

(आ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। काग़ज़ पर हाथ से लिखा हुआ कूपन काम न देगा।

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं।

(ई) 'भविष्य' के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और किसी काग़ज़ पर न लिखा हो, न कोई पत्र ही उसके भीतर रक्खा हो। कुछ पाठक लम्बे-लम्बे पत्र साथ में रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ रँग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि की सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर-दाताओं से स्वयम् ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम पूछ लेंगे।

(उ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिए। यदि रक्खे भी जाएँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा हो :—

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर व्यवस्थापक, मैनेजर या किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो।

(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर के साथ उसे मिला सकें। 'भविष्य' की पिछली पहेली के सम्बन्ध में, एक महाशय का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका उत्तर अच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी नगर नहीं है, अतः पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं। सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता है। उसी उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा की जाती है। यदि पाठक चाहें तो वे एक से अधिक उत्तर भेज सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए या प्रत्येक कूपन के बदले दो पैसे वाले ।) के टिकट आने चाहिए। साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को हम कई बार सावधानी से देखते हैं, अतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक हमसे किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगल जी के नाम कोई पत्र लिखें। यदि किन्हीं को अपना उत्तर फिर दिखलाना हो तो उसके लिए १) फ़ीस साथ आनी चाहिए।



पिछली प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले
विद्यार्थी कैलाशनाथ कपूर

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायँ तो उनमें फिर कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए।

(ऐ) 'भविष्य' में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम तारीख़ छपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा।

नई पहेली

सूचना

यही पहेली ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में भी प्रकाशित होगी। विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे। कूपन सँभाल कर रख लीजिए और ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए, इससे पहले आए हुए पत्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा।

—— यहाँ से फाड़िए ——

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		ना		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० ३

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं

नाम

पता

मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूँगा। (जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें।)

—— यहाँ से फाड़िए ——

१०१) रु० इनाम

हमारे भाई त्रिभुवनदास जेठाभाई सोनी उम्र लगभग ४० वर्ष, दुबले-पतले, क़द साधारण और गोरे रङ्ग के, गत ता० २३ नवम्बर, १९३१ सोमवार के दिन नाराज़ होकर यहाँ से चले गए हैं और तब से वापस नहीं आए। पता लगाने वाले की सुविधा के लिए साथ में उनका फ़ोटो भी दिया जा रहा है। उनका पता जो सज्जन हमें दे सकेंगे, उन्हें १०१) रुपया इनाम दिया जायगा। उनकी ख़बर तार-द्वारा भेजने की कृपा करें।



(त्रिभुवनदास)

भाई त्रिभुवनदास,

आपको मालूम हो कि आपके चले जाने के बाद से आपके बाल-बच्चे और हमारी क्या स्थिति है, यह ईश्वर ही जानते हैं। परमात्मा आपको सुबुद्धि दें और आप जल्द वापस चले आएँ। यदि वापस आने का इरादा न हो तो आप अपना पता तुरन्त लिख भेजें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आप अपने परिवार वालों पर बड़ा उपकार करेंगे।

—मोहनलाल जेठाभाई

हमारा पता—सोनी मोहनलाल जेठाभाई ३२, आर्मिनियन स्ट्रीट, कलकत्ता

शर्तिया २ दवा।

वैद्यनाथ पेनबाम।

सिरदर्द, पसलीकादर्द, जोड़ोंकादर्द, चोटका दर्द, ज़हरीले जानवरोंके काटनेकादर्द, आदि शारीरिक दर्दोंकी शर्तिया दवा हैं। कीमत फी डिब्बा ।=) छै आना।

चर्म रोगकी महौषध।

खुजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने लगती है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुंसी छाजन, अपरस, आदि चर्म रोगोंकी शर्तिया दवा है। कीमत फी शीशी ।=) छै आना।

सब जगह बिकती हैं, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खर्चकी बचत होगी।

पता—श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भवन पोष्ट बक्स ६८३५ कलकत्ता।

कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की

असली और ताज़ी दवाइयाँ -)। प्रति ड्राम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० और १०४ शीशियों वाले फ़ैमिली बॉक्स की क़ीमत मय एक ड्रापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ४॥), ६॥) और १०॥=); गोलियाँ, दूध की मिठाई, ट्यूब फ़ाएल्स, कार्क, कार्डबोर्ड-केस वग़ैरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिखित फ़ैमिली बॉक्स यदि अङ्गरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा।

१९ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से "वेडी मेकम" १२ टिश्यू दवा मुफ़्त मिलती है।

पता—एस० आर० बिस्वास एण्ड सन्स, ७५—१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज़

देवी वीरा

(एक क्रान्तिकारी महिला की आत्म-कथा)

भूमिका-लेखक—बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन

"काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ वर्ष के बाद आसमान और तारे देखने को मिले !" देवी वीरा ने युवावस्था ही से अपने देश के आत्मोद्धार का बीड़ा उठा कर क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया था। क्रूरता की चरम सीमा तक पहुँची हुई ज़ारशाही को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने तथा ज़ार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुर्म में उसे फाँसी की सज़ा का हुक्म हुआ। बाद में सज़ा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई। इस पुस्तक में स्वयं वीरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों और उस जीती-जागती अपूर्व शक्ति का वर्णन किया है, जिससे डर कर ज़ारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। मूल्य १॥) डा० म० अलग।

(१) चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद

(२) मैनेजर---चाँद-बुकडिपो, जॉन्स्टनगञ्ज, इलाहाबाद

आपके बच्चे तभी स्वस्थ आनन्दी बनेंगे—



जब आप चिड़चिड़े, निर्बल तथा रोगी बालकों को प्रफुल्लित, कान्तिमय, सशक्त तथा स्वस्थ बनाने वाली मीठी दवा "बालसुधा" सेवन करावेंगे, मूल्य ॥।) डा० ख़र्च ॥=) आना सब दवा बेचने वालों के पास मिलेगा। हमारे एजेण्ट :—

अनन्तूलाल बलदेवप्रसाद, चौक इलाहाबाद

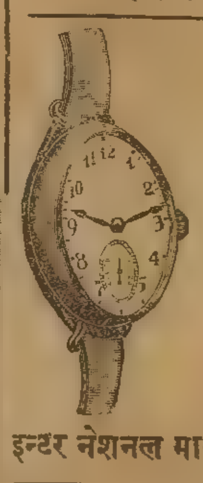
पता—सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा

सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले

हज़ारों का बाल काला कर दिया। यह ख़िज़ाब नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका सफ़ेद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैल से जड़ से काला न हो, तो दूनी क़ीमत वापस देने की शर्त लिखा लें। मू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा-पत्र आ गए हैं, मँगा कर देखें।

पता—गङ्गाप्रसाद गुप्त

बिहार मेडिकल स्टोर्स, नं० ५, दरभङ्गा



सुन्दर और सस्ती

ऐसी घड़ी समय की पक्की, मशीन की मज़बूत, कल-पुर्ज़ों की दुरुस्त इस दाम में नहीं मिल सकती। मूल्य निकल केस ४॥) रोल्ड-गोल्ड ५।) डाक व पेकिङ्ग ।=) अलग।

जादू की स्याही —

गुप्त पत्र-व्यवहार के लिए ।) का टिकट भेज कर हमसे मँगाइए।

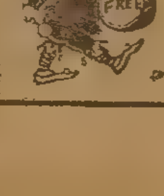
इन्टर नेशनल मारकेट, पो० ब० १२९, कलकत्ता

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए! पता :—

इण्टर नेशनल कॉलेज (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)

३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता



पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये गा मुफ़्त मंगवाओ पता साफ़ लिखो।

गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर

Price As. 4 only. Regd. No. A—2085

बालक-बालिकाओं के लिए उच्च-कोटि का साहित्य

मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ

१०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्षाप्रद बालोपयोगी कहानियों का अपूर्व संग्रह। पृष्ठ-संख्या २८१; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) रु० मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

मनोरञ्जक कहानियाँ

१७ बालोपयोगी सुन्दर हवाई कहानियों का सङ्कलन। पृष्ठ-संख्या २२१; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी ग्राहकों से १=) मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The Leader:

This is a collection of 107 biographical [s]tories meant for the use of children, [wi]th a foreward by Mrs. Vidywati Saigal. [Th]e subtle influence that stories and [an]ecdotes related in the nursery work on [the] child-mind bears fruit when the child [gro]ws up to be a man or a woman. We [hav]e innumerable instances of tender-[age]d children turned into cowards and [sil]ly scared creatures, the cause of [who]se weakness could easily be traced [bac]k to ghost stories and blood-freeting [anec]dotes of witch-craft heard in the [nurs]eries. Munshi Zahur Bakhsh and [the p]ublishers appear to be alive to this [...]ening influence and their efforts in [bri]nging out this volume of short ske-tches of brave men and women, rulers and patriots, portraying the fine traits of their character, are indeed commendable. *Here is a book one can safely place in the hands of the young and confidently watch for results.*

❀

The Indian Social Reformer:

Manohar Itihasik Kahaniyan is another book of about 250 pages by the same author consisting of 107 small traditional stories and can be had at Rs. 2, a copy from the publishers. The stories can be easily understood by children and are useful to teach them to emulate the ideal qualities, such as humaneness, compassion, liberal-mindedness, philanthrophy, power of endurance in adverse times etc., as embodied in the characters of great men and women who figured in history. There is nothing to be desired in get-up and style and the book is bound in an attractive form.

The People:

Srijut Zahur Bakhsh is a well-known Hindi writer and has acquired great renown for his Hindi learning. The books under review are two beautiful collections of stories for children. In these he has collected many historical and several other interesting stories. The collection of stories is excellent in both the work. There is no taint of any communal or racial outlook. The outlook is strictly national. The language is simple and beautiful. We recommend these books for the primary Hindi Schools.

❀

The Indian Daily Telegraph:

Manoranjak Itihasik Kahani, etc.—published at CHAND Karyalaya, Allahabad is a collection of short stories from ancient history, written in plain and homely Hindi with interesting and instructive plot; they will help much in the formation of character of young children. It will also be found useful for the teaching of primary Hindi.

Manoranjak Kahaniyan is the name of one of the series of impending publications intended by the writer for impressing on the receptive minds of children who are naturally fond of hearing stories, the various deeds and problems of the adventurous lives of heroic personalities in a novel manner. It contains 17 narratives extending to about 200 pages written in chaste simple style to suit the tastes of boys and girls in their rudimentary educational stages and to help them in their studies. It will be found useful to beguile the idle hours of relaxation and at the same time promote knowledge.

The Nation:

These short historical stories (to be precise anecdotes) for boys are undoubtedly fascinating. The book is well bound and the get-up is attractive. It opens with the very popular story of Pandit Bopdeo who climbed to the summit of cultural glory from the mire of illiteracy in which the pig-headed truant wallowed. He had despaired of his brains, but a significant incident by a well-side fired him with new hope. Later *Bopdeo* became a house-hold word for his unsurpassed erudition. The book is jammed with such 107 interesting and didactic stories. Persons of all clime and countries have been requisitioned to set an ideal for the boys. Alexander, Omar, Harun Rashid, Edward, Zebbunisa, Ram Singh, Vidya Sagar, Ranade, Shahjahan, Shivaji, Washington, Dayanand and Mahatmaji make an admirable galaxy. Mr. Zahur Bakhsh has established for himself a sound reputation in Hindi literature as a writer of books for boys. His crisp and simple and unpretentious style is suited to the peculiar task he has undertaken.

❀

प्रभात :—

पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सहगल सञ्चालिका 'चाँद' की छोटी सी डेढ़ पृष्ठ की भूमिका है। छपाई और जिल्द प्रशंसनीय है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। इसमें सभी जातियाँ, ग़रीब, अमीर, राव, रङ्क की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। मूल्य भी बहुत ही कम रक्खा गया है। ऐसी पुस्तकें भाषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दयानन्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अङ्कित की गई हैं।

(इस प्रकार की सैकड़ों सम्मतियाँ हमारे पास मौजूद हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है)

☞ चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Edited, Printed and Published for and on behalf of the Chand Press, Limited, by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

वर्ष २
खण्ड १

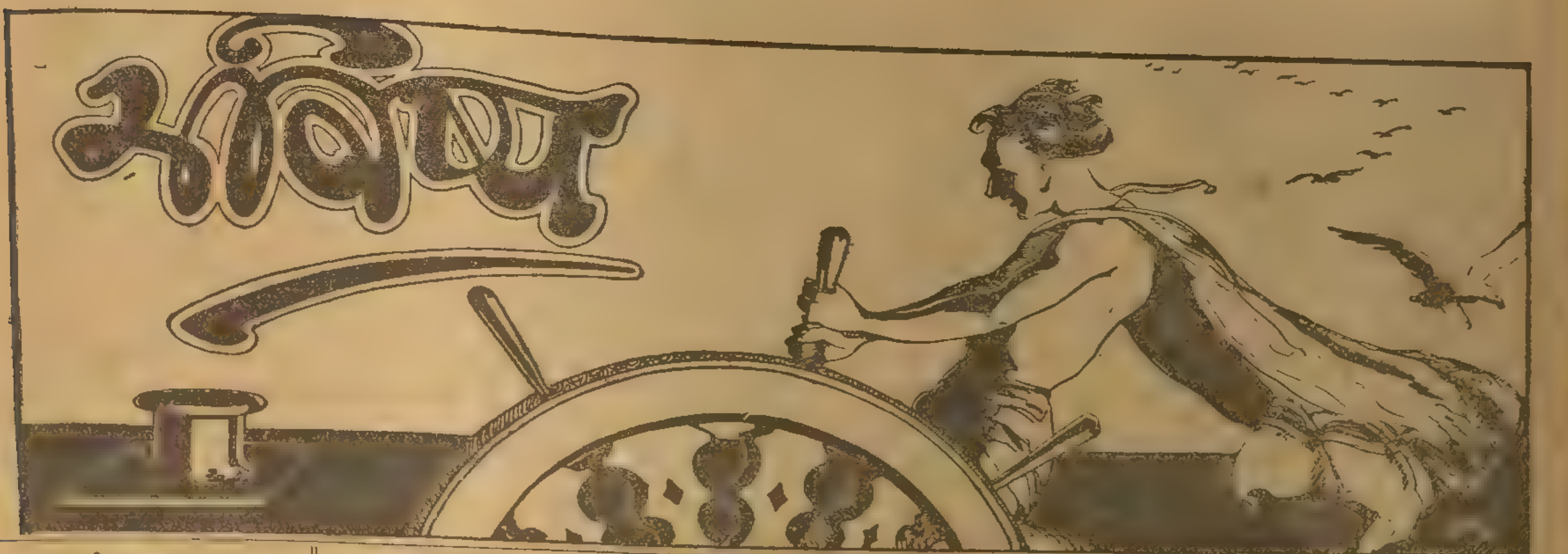
संख्या १२
पूर्ण संख्या ६२

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक



मनुष्य-मात्र के शुभचिन्तक—स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज
(जिनकी ५वीं बलिदान-जयन्ती २३वीं से २८वीं दिसम्बर तक मनाई जायगी)



वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; २१ दिसम्बर, १९३१ | संख्या १०, पूर्ण संख्या ६२

श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन गिरफ़्तार कर लिए गए !

इलाहाबाद में ऑर्डिनेन्स की विरोध-सभा

मोटर गाड़ियों को ज़ब्ती :: श्री० जवाहरलाल भी गिरफ़्तार होंगे ?

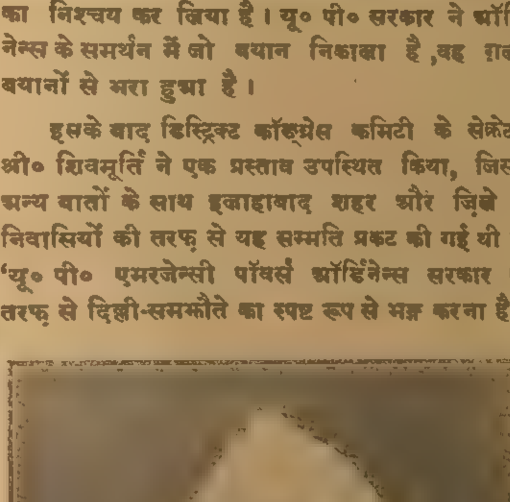
१८ ता० की शाम को इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास पार्क में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन और श्री० शिवमूर्ति ने दफ़ा १४४ के हुक्म द्वारा भाषण करने का निषेध होते हुए भी, उसको भङ्ग किया। सभा में कई हज़ार आदमी थे, जिनमें कितने ही गाँव वाले भी थे।

टण्डन जी के नाम दो दिन पहले ऑर्डिनेन्स की धारा ५ (ख) के अनुसार नोटिस निकाला गया था, जिसमें उनको एक महीने तक म्युनिसिपैलिटी की हद से बाहर न जाने, कोई हड़ताल या सार्वजनिक सभा न करने, ऐसी सभाओं में भाषण न करने और कोई पर्चा या पैमफ़्लेट आदि प्रकाशित न करने की आज्ञा दी गई थी। पर यह नोटिस उनको सभा में जाने के केवल दो घण्टे पहले दिया जा सका। इसके लिए पुलिस टण्डन जी को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते परेशान हो गई, पर वे न मिल सके। इसके लिए अधिकारियों ने कितने ही पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और कॉन्स्टेबिल भेजे, जो १७ ता० की रात में भी बराबर टण्डन जी के घर के आस-पास फिरते रहे। उनको शक था कि टण्डन जी घर में ही छिपे बैठे हैं। १८ ता० को सुबह पुलिस को ख़बर मिली कि टण्डन जी घर पर नहीं हैं, वरन् किसी गाँव को गए हैं। इस पर इलाहाबाद में बाहर से आने वाली तमाम सड़कों पर पुलिस वाले भेज दिए गए और उन सबके पास टण्डन जी को देने के लिए नोटिस थे। जब दोपहर तक टण्डन जी का पता न लगा तो पुलिस ने नोटिस को उनके मकान पर लगा दिया। इसके बाद क़रीब दो बजे टण्डन जी नैनी की तरफ़ से आते दिखलाई पड़े और एक कॉन्स्टेबिल ने उनकी गाड़ी पुल पर रोक कर नोटिस तामील किया। मालूम हुआ कि इन दो दिनों से वे विद्यापीठ (नैनी) में थे और उसकी भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर रहे थे।

जब टण्डन जी सभा में पहुँचे तो लोगों ने उत्साह-पूर्वक आपका स्वागत किया। आपने अपने ऊपर लगाए गए दफ़ा १४४ और दफ़ा ५ (ख) के हुक्मों की आलोचना करते हुए कहा कि स्थान में खड़े होकर बोलना ऑर्डिनेन्स का सबसे उपयुक्त उत्तर है।

टण्डन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स ने दिल्ली-समझौते का अन्त कर दिया है और जिन लोगों पर इसकी विभिन्न दफ़ाएँ लगाई गई हैं, उन सबने इसे भङ्ग करने का निश्चय कर लिया है। यू० पी० सरकार ने ऑर्डिनेन्स के समर्थन में जो बयान निकाला है, वह ग़लत बयानों से भरा हुआ है।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० शिवमूर्ति ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ इलाहाबाद शहर और ज़िले के निवासियों की तरफ़ से यह सम्मति प्रकट की गई थी कि 'यू० पी० एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स सरकार की तरफ़ से दिल्ली-समझौते का स्पष्ट रूप से भङ्ग करना है।'



श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन

जो यू० पी० ऑर्डिनेन्स के अनुसार १९ ता० को गिरफ़्तार किए गए हैं।

सोरांव के श्री० गोकुलप्रसाद और फूलपुर के श्री० जैकरण ने प्रस्ताव का समर्थन किया और जनता ने उसे 'पुरुषोत्तमदास की जय' के साथ पास किया।

शहर के कोतवाल-पुलिस ख़ानबहादुर इकराम-हुसैन सभा होते समय पास ही मौजूद थे और पार्क को चारों तरफ़ से कॉन्स्टेबिलों ने घेर रक्खा था। इससे लोगों को आशङ्का थी कि टण्डन जी को सभा में ही पकड़ा जायगा। पर ऐसी कोई घटना उस समय न हुई।

मीटिङ्ग को समाप्त करते हुए टण्डन जी ने कहा कि उनका गिरफ़्तार होना निश्चित है और अपने देशवासियों को उनका अन्तिम सन्देश यही है, कि इस आन्दोलन में, जो अभी आरम्भ हुआ है, वे लोग पूर्णतया अहिंसात्मक रहें।

दूसरे दिन, १९ ता० को, सुबह ९ बजे टण्डन जी अपने घर पर गिरफ़्तार करके नैनी जेल में भेज दिए गए।

अभी अन्य कॉङ्ग्रेसमैनों पर नोटिस जारी होने का समाचार सुनने में नहीं आया है, पर यह सम्भावना जान पड़ती है कि पुलिस कुछ मोटरों पर, जिनमें कॉङ्ग्रेस वाले आते-जाते हैं, क़ब्ज़ा कर लेगी। क्योंकि १८ ता० की सभा में सिटी कोतवाल उन गाड़ियों का नम्बर तथा अन्य आवश्यकीय बातें दरियाफ़्त कर रहे थे, जिन पर चढ़ कर वे लोग आए थे, जिन पर दफ़ा १४४ लगाई गई है।

* * *

पण्डित नेहरू जी का बयान

हुबली का १८ तारीख़ का समाचार है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू आज सुबह धारवाड़ पहुँचे, जहाँ म्युनिसिपैलिटी ने उनको अभिनन्दन-पत्र दिया। उसमें पण्डित जी ने अपने प्रान्त की कठिन परिस्थिति का वर्णन किया और कहा कि वे बड़ी कठिनाई से केवल अपना वायदा पूरा करने के लिए कर्नाटक आ सके हैं। सम्भवतः वे जल्दी ही गिरफ़्तार हो जायँगे, क्योंकि दफ़ा १४४ का हुक्म उनके पीछे-पीछे घूम रहा है।

टिपरा के मैजिस्ट्रेट की हत्या

दो बङ्गाली लड़कियाँ गिरफ़्तार

गत १४ दिसम्बर को टिपरा (बङ्गाल) के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० सी० जी० बी० स्टेवेन्स को प्रातःकाल ९ बजे एक बङ्गालिन युवती ने गोली से मार डाला। कहा जाता है कि मि० स्टेवेन्स को मारने वाली कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी फ़ैज़-उन-निसा गवर्नमेण्ट हाईस्कूल की ८वें दर्जे की लड़कियाँ हैं। कुमारी शान्ति घोष कुमिल्ला कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर देवेन्द्र घोष की कन्या

कहते हैं कि इन लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट से कुमिल्ला में तैराकी का दङ्गल कराने के लिए मुलाक़ात की और उनके सामने इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने लड़कियों से कहा कि इस सम्बन्ध में अपनी प्रधानाध्यापिका से कहो और यह कह कर

(शेष मैटर ३२ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)



—कलकत्ता का १७ ता० का समाचार है कि ढाका में सुरेशचन्द्र दे नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो चटगाँव आर्मरी केस का फ़रार अभियुक्त बतलाया जाता है। मालूम हुआ है कि चटगाँव ज़िले में पुलिस और फ़ौज के घोर प्रयत्न के फल से कितने ही फ़रार अभियुक्तों को वह ज़िला छोड़ कर अन्य स्थानों को चला जाना पड़ा है। मालूम नहीं कि उक्त अभियुक्त इसी कारण ढाका आया था या किसी अन्य कारणवश।

—कानपुर का १६ ता० का समाचार है कि 'प्रताप' सम्पादक श्री० बालकृष्ण शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कप्तान हबटसन के इजलास में गवाहों की सूची पेश की और प्रार्थना की कि उनके जो गवाह अदालत में मौजूद हैं, उनकी गवाही ली जाय। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन गवाहों का ख़र्चा अदालत में बाक़ायदा जमा किया जा चुका है, केवल उन्हीं की गवाही ली जा सकती है। इस पर अभियुक्त ने हाईकोर्ट में अपील करने की इच्छा प्रकट की और मुक़दमा छः दिन के लिए मुल्तवी कर दिया गया।

—पटना का १७ ता० का समाचार है कि राँची के डिप्टी-सुपरिटेण्डेण्ट पुलिस ख़ानबहादुर अहसान कुली ने ढिहहा नाम के गाँव में एक घर की तलाशी लेकर एक भरा हुआ पिस्तौल और एक टूटी हुई बन्दूक़ बरामद की है। घर के मालिक लालराम पर आर्म्स-एक्ट के अनुसार मुक़दमा चल रहा है।

—कलकत्ते का १६ ता० का समाचार है कि सिराजुलहक़ उर्फ़ सरोजकुमार बोस और परेशनाथ विश्वास पर दो पिस्तौलों और कुछ कारतूसों के पाए जाने के सम्बन्ध में आर्म्स-एक्ट की बीसवीं दफ़ा और दफ़ा १२०-बी (षड्यन्त्र) के अनुसार मुक़दमा चलाया गया है। उसकी सुनवाई विशेष अदालत द्वारा होगी।

—लाहौर का १७ ता० का समाचार है कि पहली दिसम्बर से वेतन में १० प्रति सैकड़ा कमी होने की सूचना पाकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले मज़दूरों में असन्तोष फैल गया और रोज़ाना मज़दूरी पर काम करने वाले क़रीब ४ हज़ार मज़दूर १०॥ बजे तक बेकार फिरते रहे। ११ बजे उनका एक डेपुटेशन सुप० के पास गया। सुप० ने उनका मामला एजण्ट के पास भेजने का वचन दिया और तब लोग काम पर लगे। सावधानी के ख़्याल से वर्कशॉप पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है।

—बेलगाँव का समाचार है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू यहाँ हुबली जाने के लिए आए थे। रास्ते में हर एक स्टेशन पर लोगों की भीड़ ने आपका स्वागत किया। शाम को बेलगाँव के चौक में बीस हज़ार दर्शकों की सभा में आपका भाषण हुआ। ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी की तरफ़ से आपको अभिनन्दन-पत्र दिया गया और वानर-सेना ने आपका स्वागत किया।

—कलकत्ता शिक्षा-सम्बन्धी और फ़िल्म कम्पनी के मैनेजर श्री० विनयेन्द्रनाथ सेन, जो सैर करने के लिए ढाका गए थे, वहाँ बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—राजशाही के सेशन्स जज ने ख़ुफ़िया पुलिस के दरोग़ा के घर में बम फेंकने के अभियोग में अभयपद मुकर्जी और गौरगोपाल दत्त नाम के व्यक्तियों को सात-सात वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। जूरी ने अभियुक्तों को निर्दोषी बतलाया था, पर जज ने उनकी सम्मति न मान कर उन्हें दोषी क़रार दिया।

—कलकत्ता कॉरपोरेशन ने टिपरा के मैजिस्ट्रेट मि० स्टीवेन्स की हत्या की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। उसे उपस्थित करते हुए मेयर ने कहा कि गवर्नमेण्ट को इस रोग की उचित दवा करनी चाहिए; क्योंकि ऑर्डिनेन्स बदला लेना और 'समरी ट्रायल' ग़लत दवाएँ हैं और केवल ऊपरी लक्षणों का इलाज करती हैं। देहली म्युनिसिपैलिटी ने भी इसी आशय का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ऐसे हिंसात्मक कार्यों को देश की उन्नति में बाधक बतलाया गया है। एक सदस्य ने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए सरकार को उचित उपाय करना चाहिए।

—पेशावर ज़िले के बालू नामक गाँव में याक़ूब नामक लाल-कुर्ती वालों के जमादार को डाकुओं ने मारा, जिससे वह १५ ता० को पेशावर के लेडी रीडिङ्ग अस्पताल में मर गया। डाकुओं का अभी पता नहीं लगा है।

चाँद प्रेस, लिमिटेड

लाला ख़ुशहालचन्द जी, सम्पादक और अध्यक्ष दैनिक 'मिलाप' (उर्दू तथा हिन्दी संस्करण) लाहौर से श्री० सहगल जी को लिखते हैं:—

'चाँद' कार्यालय ने आपके पुरुषार्थ से समाज तथा देश की जो सेवा की है, वह अकथनीय है, परमात्मा इसका फल आपको देंगे ही, परन्तु आपने इस प्रकार की सेवा का जो मार्ग लोगों को दिखलाया है, इससे हिन्दी-साहित्य कई मञ्ज़िलें तय करके आगे बढ़ गया है। 'चाँद' कार्यालय को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तन करके आपने इसकी जड़ें पाताल में लगा दी हैं। मैं अपने दोनों पत्रों (हिन्दी 'मिलाप' तथा उर्दू 'मिलाप') में इस पर नोट लिखूँगा। × × ×

—बम्बई का १७ तारीख़ का समाचार है कि जी० आई० पी० रेलवे के अधिकारियों ने एक नोटिस निकाला है कि यात्रियों की संख्या कम हो जाने के कारण माटुङ्गा वर्कशॉप के कर्मचारियों से सप्ताह में केवल चार दिन काम कराया जायगा। इस पर ३,५०० मज़दूरों ने तब तक के लिए काम करना बन्द कर दिया है, जब तक अधिकारी उनको पुराने नियम से काम करने की अनुमति न दें। अधिकारियों का कहना है कि काम के कम होने से या तो ९०० आदमियों को काम से हटा देना होगा या सब लोगों से सप्ताह में दो दिन कम काम कराना होगा।

—कराची का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ की नौजवान-सभा का कार्यालय बन्द कर दिया गया है। सितम्बर मास में उसके प्रेज़िडेण्ट मि० मुबारकअली को क़ैद की सज़ा दी गई थी और तभी से उसका काम नहीं सँभल सका था।

—नई देहली के 'स्टेट्समैन' ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करते हुए लिखा है कि—"हम समझते हैं कि महात्मा गाँधी जब भारत लौटेंगे, तो उनको वायसरॉय से समानता के अधिकारों पर समझौता करने वाला न समझा जायगा। गवर्नमेण्ट के मुक़ाबले की दूसरी शक्ति भारत में नहीं है। यह प्रश्न निश्चित रूप से सदा के लिए तय हो चुका है। अब दिल्ली के समझौते का अन्त हो चुका है। उसे एक बार नहीं, वरन् सैकड़ों बार महात्मा गाँधी के अनुयाइयों द्वारा तोड़ा जा चुका। पं० जवाहरलाल नेहरू उसे यू० पी० में भङ्ग कर चुके हैं। बङ्गाल में बरहमपुर ने उस पर पदाघात किया है। अब कॉङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट का मुक़ाबला खुल्लमखुल्ला और घोषित हो चुका है और हमको उसके फल के सम्बन्ध में तनिक भी शङ्का नहीं है।"

—चटगाँव का समाचार है कि ज़िले के भीतरी भाग में बहुत तलाशियाँ ली जा रही हैं, पर अभी तक फ़रार अभियुक्तों का पता नहीं लगा है। हाल में क्रान्तिकारी उपद्रवों की निन्दा करने के लिए कुछ हिन्दू नागरिकों ने एक सभा की थी। चटगाँव का 'आर्मरी रेड-केस' ख़त्म हो चला है और उसका फ़ैसला जनवरी के मध्य तक होने की सम्भावना है।

—'मद्रास मेल' के लन्दन-स्थित सम्वाददाता ने लिखा है कि भारतीय नेताओं के साथ प्रधान-मन्त्री और भारत-मन्त्री की जो बातें हुई थीं, उनके फल-स्वरूप बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स में कुछ संशोधन किए जायँगे, जिनके अनुसार मुक़द्दमों के फ़ैसलों की प्रिवी कौन्सिल में अपील की जा सकेगी और वायसरॉय तथा लॉ-मेम्बर स्वयं प्रत्येक मुक़दमे के फ़ैसले को देखा करेंगे।

—बम्बई का १६ तारीख़ का समाचार है कि २८ दिसम्बर को महात्मा गाँधी के भारत लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए बम्बई में बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। पर उस दिन सोमवार है और नियमानुसार वे सार्वजनिक सभाओं आदि में बोल न सकेंगे। सरदार पटेल ने महात्मा जी को तार भेजा है कि अपना मौन व्रत पहले ही से आरम्भ कर दें, ताकि उस दिन बोल सकें।

—लखनऊ की पुलिस-परेड में यू० पी० के गवर्नर ने इलाहाबाद के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० पी० एच० जे० मेजर्स को सी० बी० ई० का और शहर-कोतवाल मि० इकरामहुसैन को ख़ानबहादुर का ख़िताब दिया। गवर्नर ने दोनों की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने पिछले सत्याग्रह आन्दोलन के समय बहुत चतुराई और योग्यता से काम किया था और आप इन ख़िताबों के वास्तव में अधिकारी हैं।

—कलकत्ते का १७ ता० का समाचार है कि सीतारामपुर स्टेशन के पास किसी ने रेलवे लाइन की पटरी को तोड़ दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना हो जाने का भय था। पर रात को १ बज कर बीस मिनट पर एक रेलवे-मिस्त्री वहाँ ठेले पर होकर गुज़रा और पटरी के उखड़े होने के कारण उसका ठेला उतर गया। देखा गया कि किसी ने एक पटरी की तमाम कीलें और 'फ़िशप्लेट' निकाल दिए हैं। उस रास्ते से दस मिनट बाद ही देहरादून एक्सप्रेस गुज़रने वाली थी। पटरी उसी समय ठीक कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—लाहौर में एक वकील के मुन्शी की औरत का अपने पति से किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर वह अपने कपड़े को गले में बाँध कर फाँसी लगा कर मर गई।

—लाहौर की पुलिस ने हरिदत्तसिंह नामक सिपाही को गिरफ़्तार किया है, जो कुछ दिनों पहले अपनी पल्टन से एक बन्दूक़ लेकर भाग गया था। एक कॉन्स्टेबिल को उसके बिस्तर को बहुत लम्बा देख कर शक हुआ और तलाशी लेने पर उसके भीतर से बन्दूक़ बरामद हुई। सिपाही फ़ौजी अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

—ढाका का १७ ता० का समाचार है कि आज दोपहर को वहाँ एक बड़ी सार्वजनिक सभा ढाका के नवाब की अध्यक्षता में हुई। उसमें मि० स्टीवेन्स की हत्या और क्रान्तिकारी आन्दोलन की निन्दा की गई। सभापति ने सरकार को विश्वास दिलाया कि मुसलमान जाति और ढाका के निवासी ऐसे कामों के दबाने में उसकी सहायता करने को तैयार हैं।

—बङ्गलोर का १५ ता० का समाचार है कि आज रात को दीवानबहादुर वी० पी० माधवराव ने मैसूर-अस्पृश्यता-निवारिणी संस्था का उद्घाटन करते हुए कहा कि शीघ्र ही अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता है। मूल हिन्दुओं ने विश्व का जितना कल्याण किया है, उतना किसी धर्म ने नहीं। उसी पर आज यह कलङ्क लगा हुआ है। हिन्दुत्व की व्यापकता में सब प्रकार के भेद समाविष्ट हैं। वर्णाश्रम का अर्थ है—व्यवसाय के अनुसार विभाजन। पर समय बदल गया है। समितियों को समय और भाव के अनुकूल काम करना चाहिए।

(पहले पृष्ठ का शेषांश)

यह प्रार्थना-पत्र लड़कियों को लौटाने लगे। मैजिस्ट्रेट प्रार्थना-पत्र लौटा ही रहे थे कि इसी बीच में, कहते हैं, दोनों लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट की छाती में गोली मारी।

सदर सब डिवीज़नल ऑफ़िसर रायसाहब नेपालसेन ने, जो वहाँ उपस्थित थे, उन दोनों लड़कियों को गिरफ़्तार कर लिया। असमतअली नामक एक अर्दली ने हस्तक्षेप किया। उसके भी बाएँ हाथ में ज़ख़्म लगा, मि० स्टेवेन्स तुरन्त ही मर गए। दोनों लड़कियाँ हिरासत में हैं।

गिरफ्तारी और तलाशियाँ

मि० स्टेवेन्स की हत्या के सम्बन्ध में बहुत से मकानों की तलाशियाँ ली गईं। मि० कामिनीदत्त नामक प्रमुख वकील, जो चटगाँव के हथियारख़ाने पर हमले के मुक़दमे में पैरवी कर रहे थे, श्रीमती इन्दुमतीसिंह, चटगाँव के हथियार ख़ाने पर हमले के कथित नेता की बहिन, तथा अन्य कई व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ़्तार भी किए गए। कॉलेज के विद्यार्थी विभूति बोस और भागिनी सोम भी गिरफ़्तार किए गए। मि० कामिनीदत्त बाद में ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

हत्या की निन्दा

चटगाँव में मि० स्टेवेन्स की हत्या का समाचार पहुँचने पर वहाँ की कचहरियाँ और सरकारी दफ़्तर बन्द हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक असाधारण मीटिङ्ग में हत्या की तीव्र निन्दा की गई। चाँदपुर में ख़बर पहुँचने पर कचहरियाँ बन्द हो गईं और बार एसोसिएशन के सदस्यों तथा मुन्सिफ़ों ने एक मीटिङ्ग कर हत्या की घोर निन्दा की। कुमिल्ला में भी कई स्थानों पर सभाएँ की गईं। हमले की ज़ोरदार निन्दा करने के प्रस्ताव पास किए गए।

मि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार

मि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार १५ दिसम्बर को फ़ौजी सम्मान के साथ हुआ। अदालतें और शिक्षण संस्थाएँ बन्द रहीं।

❀ ❀ ❀

—महावीरसिंह और बच्चूसिंह नाम के व्यक्तियों ने नागपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इजलास में फ़रियाद की है कि उन पर और उनके सात साथियों पर, जब कि वे प्रोफ़ेसरों के कमरे में ताश खेल रहे थे, प्रो० हेटर और उनकी पत्नी ने अंधाधुन्ध गोलियाँ चलाईं, जिससे गनेश नाम का व्यक्ति घायल हुआ। अब ये प्रोफ़ेसर दो-एक दिन में विलायत के लिए रवाना हो रहे हैं। इसलिए मैजिस्ट्रेट को उनकी गिरफ़्तारी के लिए विशेष आज्ञा देनी चाहिए।

कुमिल्ला का १७ ता० का समाचार है कि मि० स्टीवेन्स के बङ्गले पर जो लड़कियाँ पकड़ी गई थीं, उनमें से एक ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। लड़कियों के पास जो रिवॉल्वर पाए गए हैं, उनके लायसेन्स नहीं लिए गए हैं। इसी दिन सुबह पुलिस ने मनीन्द्रनाथ चौधरी नामक एक कॉलेज के विद्यार्थी को गिरफ़्तार किया।

वर्तमान

कानपुर-सोमवार १४ दिसम्बर, १९३१

'चाँद' की लिमिटेड कम्पनी

यह बात हिन्दी-संसार से छिपी नहीं है कि इलाहाबाद के फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज के सञ्चालक श्री०रामरखसिंह सहगल,'चाँद'तथा 'भविष्य' द्वारा अपने ज्ञान और साधनों के अनुसार मातृ-भाषा की रोचक सेवा करते आ रहे हैं। दोनों ही पत्र अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी लोक-प्रिय हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। लेकिन हिन्दी-संसार में अभी पत्र-सञ्चालन का व्यवसाय सफल व्यवसाय नहीं बन पाया है। कारण यह है कि, लोग अच्छी पूँजी लगा कर इस व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। लगभग सभी पत्रों को घाटा होता रहता है, उनके सञ्चालक अथवा हितैषी मित्र उसकी पूर्ति किया करते हैं। एक बार यदि हिन्दी-प्रेमी व्यवसाय के तौर पर इस कार्य को सफल करके दिखला सकें, तो अच्छा उदाहरण बन सके। इस कार्य के लिए 'चाँद' तथा 'भविष्य' को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाना, एक ऐसा ही नवीन प्रयास है। सहगल जी ने ४ लाख की पूँजी मान कर इस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का रूप देना चाहा है। उनका कथन है कि एक लाख बीस हज़ार के शेयर सात सज्जनों ने ख़रीद भी लिए हैं।

अच्छा हो, यदि हिन्दी-प्रेमी इस चालू काम में हिस्सा लें, और इस अनूठे व्यवसाय के प्रबन्ध-ज्ञान को हासिल करके हिन्दी में व्यापारिक प्रकाशन कार्य को सफल कर दिखलावें।

—कलकत्ता में १२ ता० को ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए वायसरॉय ने कहा कि—"हिंसाओं और उपद्रवों के सम्बन्ध में जो विरक्तता का भाव प्रकट किया गया है, मैं भी उससे सहमत हूँ। इस तरह के कार्य इस समय बङ्गाल में बहुत बढ़ गए हैं। यह प्रत्यक्ष है कि अगर इस तरह के कार्यों के प्रतिकार की चेष्टा न की जाय, तो उनका अन्तिम फल यही होगा कि सरकार निकम्मी हो जाएगी, क़ानून और अमन का नाम-निशान भी नहीं रहेगा, और शान्तिप्रिय नागरिकों की जान-माल की रक्षा अपराधी संस्थाओं की दया पर निर्भर होगी। इस तरह की परिस्थिति को मैं और मेरी सरकार किसी तरह सहन नहीं कर सकते और न करना चाहिए। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अपनी पूर्ण शक्ति इस तरह के हिंसात्मक कार्यों का अन्त करने में लगा देंगे।"

—कुमिल्ला का १८ ता० का समाचार है कि अलौरा नामक स्थान में प्रफुल्ल नन्दी नामक एक बी० ए० का विद्यार्थी पकड़ा गया है। १७ ता० की रात को डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल ऑफ़ पुलिस कुमिल्ला पहुँचे। शहर के तमाम मुख्य स्थानों पर पुलिस का पहरा लगा है। अदालत पर भी हथियारबन्द पुलिस का गारद मौजूद रहता है।

—पबना शहर में बाबू गुरुचरण कुण्डू नामक धनी व्यापारी के घर में डाका पड़ा। दस-बारह आदमी हथियार लेकर और मुँह छिपाए हुए एक नौकर के रहने के कमरे में घुस गए और उसे डरा-धमका कर तालियाँ ले लीं। पर उनको सिर्फ़ २५० रु० मिल सके, जिसमें से १०० रु० वे उसी जगह छोड़ गए।

—ढाका के दङ्गे के समय चोरी करने और चोरी का माल लेने के सम्बन्ध में पुलिस के असिस्टेण्ट सब-इन्सपेक्टर अब्दुल हमीद पर मुक़दमा चलाया गया था। उसे छः महीने की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—रङ्गून का १८ ता० का समाचार है कि ७ विद्रोहियों को २० या २१ दिसम्बर के दिन थारावड्डी जेल में फाँसी दी जायगी। अब तक के नेता सायासान को मिला कर कुल आठ विद्रोहियों को फाँसी दी जा चुकी है। २५ विद्रोहियों के एक दल ने प्रोम ज़िले में एक घर पर हमला किया। उनका उद्देश्य एक मुक़दमे में गवाही देने वाले दो सरकारी गवाहों को मारना था। उनमें से एक तो भाग कर बच गया, पर दूसरा व्यक्ति और उसकी बहिन को विद्रोहियों ने मार डाला।

—१८ ता० का कलकत्ते का समाचार है कि आज सुबह शहर में कितने ही घरों की तलाशियाँ ली गईं और सात बङ्गाली युवक गिरफ़्तार किए गए। उनमें से दो बाद में छोड़ दिए गए, तीन बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में नज़रबन्द कर दिए गए। शेष दो पर उत्तरी कलकत्ते में मिलने वाले हथियारों के सम्बन्ध में मुक़दमा चलाया जायगा।

—गत १४ दिसम्बर को लाहौर के हिन्दू होटल पर धावा बोल कर पुलीस ने ५ पिस्तौलें, कुछ गोलियाँ और ३ नवयुवकों को गिरफ़्तार किया। बाद में होटल के बाहर भी एक युवक पकड़ा गया। कहा जाता है कि एक बङ्गाली युवक, जिसने होटल में एक कमरा किराए पर ले रक्खा था, भगा हुआ है! गिरफ़्तार नवयुवकों के नाम मुन्शीराम, कृष्णलाल, केदारनाथ (या सोहनलाल) और बख़्शीराम बताए जाते हैं। इन लोगों को लाहौर के क़िले में रक्खा गया है और स्थानीय सी० आई० डी० ने उनका बयान भी लिया है। उनको १५ दिन तक हवालात में रखने का हुक्म मिला है।

—भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० ए० आर० टोथिल के बँगले के अहाते में १२ दिसम्बर को बम फेंका गया था। बम के धड़ाके की आवाज़ बङ्गले के नौकरों ने सुनी और उन लोगों को बम की चीज़ें अहाते में मिलीं। अहाते के पास एक बिना छुटा हुआ बम भी पाया गया।

—नई दिल्ली का १७ तारीख़ का समाचार है कि वहाँ के मुसलमान एक 'लॉयलिस्ट एसोसिएशन' (राजभक्त-सभा) बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। हाजी रशीद अहमद के मकान पर कुछ मुसलमानों की एक प्राइवेट मीटिङ्ग में निश्चय किया गया है कि शीघ्र ही एक बड़ी मीटिङ्ग करके, जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि हों, एसोसिएशन की स्थापना की जाय। उपस्थित व्यक्तियों की बातचीत से प्रकट होता था कि वे यह कार्य क्रान्तिकारी आन्दोलन और सिविलडिस ओबीडिएन्स का मुक़ाबला करने को कर रहे हैं। एसोसिएशन एक वालण्टियर कोर, एक मिलीशिया (अनियमित सेना) और एक प्रकाशन बोर्ड की स्थापना करेगी।

—बम्बई का १९ तारीख़ का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस प्रेज़िडेण्ट सरदार वल्लभभाई पटेल ने माटुंगा में हिन्दुस्तानी सेवादल के महिला-शिक्षा-शिविर का उद्घाटन किया। उस अवसर पर सरदार पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश की वर्तमान राजनीतिक दशा में शीघ्र ही होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में कुछ निराशापूर्ण उद्गार प्रकट किए। श्री० पटेल ने कहा कि वे नहीं समझते कि यह शिविर जिस उद्देश्य से खोला जा रहा है वह पूरा होगा। न मालूम सरकार उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही क्या कार्रवाई करे। उन्होंने पिछले संग्राम में स्त्रियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनको देख कर सारा संसार आश्चर्य-चकित हो गया है और उसे भारतीय स्त्रियों की शक्ति का प्रमाण मिल गया है। नेहरू जी ने कहा कि अभी तक हमारे संग्राम का अन्त नहीं हुआ है, क्योंकि एक नया संग्राम शीघ्र ही छिड़ने वाला है। श्री० पटेल के समान मुझे भी विश्वास नहीं कि यह शिविर अन्त तक सफलतापूर्वक चल सकेगा। शायद हमको शीघ्र ही इसे छोड़ कर दूसरे कैम्प अर्थात् जेल में जाना पड़े।

—पटने का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ एक एक सज्जन आए हैं, जोकि एक पैसे में जूते में पालिश लगाते फिरते हैं। आपका नाम है, श्री० अमल गोस्वामी। ये अपने को ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी का ग्रेजुएट बतलाते हैं। उन्होंने यूरोप में चारों ओर भ्रमण किया है और अङ्गरेज़ी, जर्मनी, फ्रेञ्च आदि सभी भाषाएँ बोलते हैं। आप रूस में भी सरकारी नौकरी कर चुके हैं। वे पिछले साल सितम्बर में भारत में आए और तब से जूता साफ़ करके ही अपना जीवन-निर्वाह करने का उन्होंने निश्चय किया है। इसके द्वारा वे हिन्दुस्तान के लोगों को मज़दूरी का महत्व सिखाना चाहते हैं। पिछले साल कलकत्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि एक चमार अङ्गरेज़ी बोलता है तो सड़क पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई इस समय वे पटने के धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। वे यहाँ १९ दिनों तक रहेंगे और फिर इलाहाबाद जायँगे।

—पूना का समाचार है कि बम्बई सरकार ने 'शान्तियुग देश सेवा' नामक मराठी पुस्तक को ज़ब्त कर लिया है और पुलिस उसके प्रकाशक के घर से उसकी ९२९ प्रतियाँ उठा ले गई। उनकी लागत १६०० रु० बतलायी जाती है।

—नागपुर का समाचार है कि बी० एन० रेलवे इण्डियन लेबर यूनियन के सेक्रेटरी श्री० रायज़ादा के नौकरी से निकाल दिए जाने से वहाँ के रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हो गई है।

—कानपुर का समाचार है कि ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट मि० रुइकर ने मुस्लिम हाई स्कूल में मज़दूरों की एक सभा में व्याख्यान दिया और इस बात पर खेद प्रकट किया कि हड़ताल को साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया है। उन्होंने शीघ्र ही समझौता हो जाने की भी आशा प्रकट की।

—मद्रास का १८ ता० का समाचार है कि मि० नरीमैन ने कॉङ्ग्रेस हाउस में एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि "सरकार का यह कथन, कि कॉङ्ग्रेस ने देहली के समझौते को तोड़ा है, बिल्कुल ग़लत है। मैं कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के एक सदस्य की हैसियत से कह सकता हूँ कि कॉङ्ग्रेस ने समझौते का पालन बड़ी ईमानदारी और सचाई से किया है। कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट और मैं इस समझौते के कर्णधार लॉर्ड इर्विन को पञ्च बना कर इस बात का फ़ैसला कराने को तैयार हैं कि समझौते को कॉङ्ग्रेस ने तोड़ा है या सरकार ने?"

विदेश

—महात्मा गाँधी इटली से गत १४ दिसम्बर को 'पिलसना' जहाज़ द्वारा भारत के लिए रवाना हो गए। इटली में सिगनर मुसोलिनी से महात्मा जी की मुलाक़ात हुई थी और प्रायः आध घण्टे तक भारत के सम्बन्ध में बातें हुईं। इटली के बादशाह की राजकुमारी भी महात्मा जी से मिलने के लिए उनके निवास-स्थान पर आईं थीं।

—मालवीय जी के लन्दन से पेरिस पहुँचने पर वहाँ के प्रवासी भारतीयों द्वारा आपका ज़ोरदार स्वागत किया गया। गोलमेज़ के सम्बन्ध में मालवीय जी ने कहा कि भारत स्वतन्त्रता की लड़ाई पुनः आरम्भ करने के लिए पूर्णरूप से तैयार है। आपने कहा कि गोलमेज़ में भारतीय और अङ्गरेज़ों में दो बातों पर विशेष मत-भेद रहा है, एक सेना के प्रश्न पर और दूसरे वैदेशिक मामलों में। आपने कहा कि अङ्गरेज़ सरकार इन दो प्रधान बातों पर भारतीयों को अधिकार देने को तैयार नहीं हैं और भारत बिना ये दोनों अधिकार प्राप्त हुए सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

—महात्मा गाँधी को भारत लौटते समय मिश्र की राजधानी कैरो में निमन्त्रित किया गया था और ख़र्च के लिए वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने ८०० पौण्ड चन्दा भी कर लिया था। पर महात्मा जी ने उनको लिखा है कि चूँकि स्टीमर स्वेज़ नहर पर नहीं ठहरेगा और इसलिए वे कैरो नहीं जा सकते।

—संसार भर के मुसलमानों की कॉङ्ग्रेस से, जो जरुसलम में हुई थी, लौटते समय सर मुहम्मद इक़बाल ने रूटर के सम्वाददाता से कहा है कि कॉङ्ग्रेस को बहुत सफलता प्राप्त हुई है, पर यह आवश्यक है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसी नीति अख़्तियार की जाय, जिससे कोई उसका विरोधी न बन जाय। इस समय हमको अपना सम्पूर्ण ध्यान हेजाज़ रेलवे के निर्माण पर लगाना चाहिए, जिससे मुसलिम जनता का ध्यान खिंच आएगा और उसे मुसलिम कॉङ्ग्रेस पर विश्वास हो जायगा। भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में आपने कहा कि अगर महात्मा गाँधी ने फिर सत्याग्रह संग्राम शुरू किया, तो यह कह सकना कठिन है कि मुसलमानों का क्या रुख़ रहेगा। पर जब तक ब्रिटेन वर्तमान-प्रणाली को जारी रक्खेगा, तब तक वह भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्या को हल न कर सकेगा।

—अभी हाल में रूटर के रोम-स्थित सम्वाददाता ने ख़बर भेजी थी कि म० गाँधी ने एक पत्रकार से कहा है कि वे इङ्गलैण्ड से किसी तरह की आशा नहीं रखते और भारत जाकर स्वाधीनता-संग्राम शुरू कर देंगे। १७ ता० को जब महात्मा जी पोर्ट सईद पहुँचे तो उन्होंने रूटर के सम्वाददाता से कहा कि रोम के अख़बार की ख़बर बिल्कुल बेबुनियाद है और वे राउण्ड-टेबिल कॉन्फ़्रेन्स और भावी संग्राम के विषय में तब तक निश्चय नहीं कर सकते जब तक बम्बई पहुँच कर वर्किङ्ग कमिटी से सलाह न कर लें।

—नानकिङ्ग का १७ तारीख़ का समाचार है कि विद्यार्थियों के भयङ्कर दङ्गा करने, सेण्ट्रल डेली न्यूज़ के ऑफ़िस के नष्ट कर देने, और सेण्ट्रल पार्टी के हेड-क्वार्टर को घेर लेने के कारण राजधानी की दशा बड़ी गम्भीर हो गई है। सेना ने दङ्गा करने वालों पर गोली चलाई, पर कोई घायल नहीं हुआ। कितने ही लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।

नए यू० पी० ऑर्डिनन्स की कारगुज़ारियाँ

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

उन्नाव में लाठी-चार्ज

उन्नाव का १७ ता० का समाचार है कि हसनगञ्ज नामक गाँव में कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से एक सार्वजनिक सभा की गई थी, जिसमें ४,००० दर्शक मौजूद थे। पुलिस ने मुख्य वक्ता पं० शिवशङ्कर बाजपेयी को गिरफ़्तार कर लिया। जब पुलिस उनको सभा से ले जाने लगी, तो लोगों ने म० गाँधी की जय-ध्वनि की। इस पर पुलिस लाठियों से लोगों को हटाने लगी, जिससे ५० व्यक्तियों को चोट लगने की ख़बर है।

दूसरी सभा बाँगरमऊ में हुई और उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट पं० विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी और अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए। पिछले दो दिनों में ऑर्डिनेन्स के अनुसार १३ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। कॉङ्ग्रेस के ऑफ़िस की तलाशी भी ली गई और पुलिस कुछ नोटिस उठा ले गई।

छापेख़ानों में ताला

कानपुर का १७ ता० का समाचार है कि पुलिस ने कॉङ्ग्रेस बुलेटिन को छापने के सम्बन्ध में नेशनल प्रेस और लक्ष्मी प्रेस की तलाशी ली और उनका सामान ताले में बन्द कर दिया। श्री० नवलकिशोर भारतिया की एक मोटर गाड़ी के लिए, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता था कि वह आन्दोलन के काम में लाई जाती है, पुलिस लाइन में हाज़िर करने का हुक्म दिया गया है। जब तक दूसरा हुक्म न दिया जाय, वह उसी स्थान में रक्खी जायगी।

ज़मींदारों को नया आदेश

१७ ता० का समाचार है कि इलाहाबाद के कलक्टर मि० बफ़र्ड ने यू० पी० ऑर्डिनेन्स के अनुसार एक नई आज्ञा जारी की है। उसमें गाँवों के ज़मींदारों, नम्बरदारों और मुखियों को आदेश दिया गया है कि वे लगानबन्दी का प्रचार करने वालों को गिरफ़्तार करके थाने पर पहुँचावें। गाँव में जैसे ही कोई कॉङ्ग्रेस वाला पहुँचे, उसकी निगरानी रक्खें और थाने में उसकी सूचना दें। इस बात का ख़ास तौर पर पता लगावें कि वह कहाँ ठहरा है। लगानबन्दी के लिए जो पर्चे बाँटे जाते हों, उनको छीन कर नष्ट कर दें। ज़मींदार और नम्बरदारों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे अगर इन हिदायतों पर ध्यान न देंगे, तो उनको लगान या मालगुज़ारी इकट्ठा करने में किसी तरह की सहायता सरकार की तरफ़ से न दी जायगी।

पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मेजर्स ने भाड़े की मोटर-लॉरियों और मोटर गाड़ियों के मालिकों और ड्राइवरों के नाम एक सूचना निकाली है कि वे किसी ऐसे कॉङ्ग्रेसमैन को अपनी लॉरी में न ले जायँ, जो देहातों में लगानबन्दी का प्रचार करने जा रहा हो। यदि वे इस आज्ञा को न मानेंगे, तो उन्हें छः मास तक की सज़ा दी जायगी। पुलिस शहर से जाने वाली प्रत्येक लॉरी के मुसाफ़िरों की जाँच करेगी और लॉरी वाले को बतलाएगी कि किस मुसाफ़िर को उतार देना चाहिए।

—मौ० शौकतअली को मुस्लिम कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी समिति का सदस्य नियत किया गया था। पर कॉङ्ग्रेस की कार्यवाही से असन्तुष्ट होने के कारण उन्होंने इससे इन्कार कर दिया।

भविष्य

यू० पी० में भी बङ्गाल की तरह 'एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स'

क़ानून और अमन की रक्षा :: जनता पर सामूहिक जुर्माना :: गाड़ियों और सवारियों पर अधिकार
समस्त भारत के अख़बारों पर नियन्त्रण :: लड़कों के बदले बाप या संरक्षकों को सज़ा

नई दिल्ली का १७वीं दिसम्बर का समाचार है कि भारत-सरकार ने 'यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स' प्रकाशित किया है। इसके साथ ही लखनऊ से प्रान्तीय सरकार ने एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें बतलाया गया है कि उसको परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह सन् १९३१ का १२वाँ ऑर्डिनेन्स है और इसका उद्देश्य ग़ैर-क़ानूनी रूप से सरकारी टैक्स को अदा न करने के लिए भड़काने वालों के विरुद्ध प्रयोग करना है, साथ ही इसके द्वारा संयुक्त प्रान्तीय सरकार को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं।

विशेष अधिकारों की आवश्यकता

चूँकि ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो गई है कि जिसके कारण सरकारी टैक्सों को अदा न करने के लिए भड़काने के प्रतिकारार्थ कोई उपाय किया जाय और संयुक्त-प्रान्त की सरकार और उसके अफ़सरों को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जायँ, इसलिए गवर्नर जेनरल ने गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की ७२वीं धारा के अनुसार नीचे लिखा ऑर्डिनेन्स जारी किया है:—

१—(१) इस ऑर्डिनेन्स का नाम 'सन् १९३१ का यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स' होगा।

अधिकृत प्रदेश

(२) यह समस्त संयुक्त-प्रान्त पर लागू होगा। सिर्फ़ २१ वीं धारा तमाम ब्रिटिश इण्डिया पर लागू होगी।

(३) उपरोक्त धारा और २१वीं धारा इसी समय से कार्यरूप में परिणत हो जायगी। ऑर्डिनेन्स की शेष धाराएँ इलाहाबाद, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और इटावा के ज़िलों में फ़ौरन ही काम में आने लगेंगी। इसके सिवाय संयुक्त-प्रान्त की सरकार जिस तारीख़ से चाहे, किसी भी स्थान में इस ऑर्डिनेन्स की तमाम या कुछ धाराएँ जारी कर सकती है।

२—इस ऑर्डिनेन्स में जहाँ 'कोड' शब्द आया है, वहाँ उसका अर्थ सन् १८९८ की क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड से है।

पहला अध्याय

विशेष अधिकार

३—प्रान्तीय सरकार सरकारी गज़ट में सूचना देकर प्रकाशित कर सकती है कि अमुक स्थान में, जहाँ यह ऑर्डिनेन्स जारी होगा, ज़मीन का लगान या अन्य कोई टैक्स, रेट या सेस सरकार को या अन्य स्थानीय अधिकारी को लेना है। ऐसे लगान आदि के विषय में समझा जायगा कि उसकी सूचना दी जा चुकी है।

४—(१) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रकार का कोई लगान आदि पाना है, कलक्टर को लिख कर उसे वसूल करने की अर्ज़ी दे सकता है। कलक्टर इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण पाने के बाद कि जिस रक़म का दावा किया गया है, वह वास्तव में प्राप्य है, उसे बक़ाया लगान की भाँति वसूल करने की कार्रवाई करेगा।

(२) इस धारा और २३ वीं धारा में जो कुछ कहा गया है, उससे उस व्यक्ति के लगान वसूल करने के अधिकार में कुछ बाधा न पड़ेगी, जिसको कि लगान पाना है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक से अधिक रक़म वसूल कर ली गई है, तो वह भी उसे उस व्यक्ति से वापस करा सकता है, जिसके लिए कलक्टर ने उसे वसूल किया था।

व्यक्तियों पर रोक

५—(१) अगर प्रान्तीय सरकार को इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण मिल जायगा कि अमुक व्यक्ति ने सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध काम किया है, या करेगा, या करने वाला है, तो वह उसे नीचे लिखे हुक्मों में से कोई हुक्म दे सकती है :—

(क) वह व्यक्ति हुक्म में लिखे गए स्थान में न घुसे या वहाँ न रहे या वहाँ न ठहरे।

(ख) वह व्यक्ति हुक्म में लिखे स्थान में ही रहे।

(ग) हुक्म में लिखे हुए स्थान से हट जाय और वहाँ लौट कर न जाय।

(घ) हुक्म में लिखे अनुसार ढङ्ग से रहे, हुक्म में लिखे कामों से अलग रहे, और अपने अधिकार की किसी चीज़ के विषय में जैसा हुक्म मिले उसे पूरा करे।



लॉर्ड विलिङ्गडन

जिन्होंने बङ्गाल और यू० पी० में अभूतपूर्व कठोर ऑर्डिनेन्स जारी करके लॉर्ड इर्विन की 'लॉर्ड ऑर्डिनेन्स' पदवी को छीन लिया है।

(२) पहली उपधारा के अनुसार जो हुक्म जारी किया जायगा, वह अगर सरकार ने अपने हुक्म में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, तो एक महीने तक अमल में रहेगा।

(३) पहली उपधारा के अनुसार जिस व्यक्ति को हुक्म दिया जायगा, वह उस पर उसी ढङ्ग से तामील किया जायगा, जोकि समन तामील करने के लिए क़ानून द्वारा निश्चित है।

मकानों और सामान पर अधिकार

६—(१) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में कोई ज़मीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या ऑफ़िस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिस या क़ैदियों या हवालात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने के लिए काम में आ सकता है, तो सरकार उस ज़मीन या मकान के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए समय पर उसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज़रूरी सामान लगा होगा और मेज़, कुर्सी, पलँग आदि भी हवाले करने होंगे। प्रान्तीय सरकार इन सब चीज़ों को जिस प्रकार आवश्यक समझेगी, व्यवहार करेगी।

(२) इस धारा में मकान का अर्थ किसी भी मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो।

(३) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार काम किए जाने से नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसे अर्ज़ी देने पर कलक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे सकता है।

किसी स्थान में लोगों को आने-जाने से रोकना और सवारियों पर क़ब्ज़ा

७—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर उचित और आवश्यक समझेगा, तो लिखित-आज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी मकान या स्थान के आस-पास या सरकार की जल, स्थल और आकाश-सेना या पुलिस के स्थायी या अस्थायी रूप से रहने की जगहों के आस-पास लोगों का आना-जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है।

८—अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का सन्तोषजनक और उचित प्रमाण मिल जायगा कि किसी व्यक्ति ने किसी गाड़ी को या आने-जाने के अन्य साधन को, जो उसके अधिकार में अथवा अधीनता में है, इस तरह इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल करने वाला है, जिससे सार्वजनिक शान्ति में बाधा पड़ती है तो वह उस व्यक्ति को लिख कर उसके सम्बन्ध में हुक्म दे सकेगा और वह उसे नियत समय तक मानना पड़ेगा।

आवश्यक काम कराना

९—कोई भी सरकारी अफ़सर, जिसे सरकार ने आम या ख़ास हुक्म द्वारा इस बात का अख़्तियार दिया हो, इस प्रकार के हुक्म में बतलाए गए किसी स्थान में किसी भी ज़मींदार, गाँव के मुखिया, नम्बरदार, ईनामदार या जागीरदार को किसी भी स्थानीय मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी को, किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को क़ानून और अमन को क़ायम रखने या गवर्नमेण्ट के अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने या किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के क़ब्ज़े में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे। यह कार्य किस ढङ्ग से और किस हद में किया जायगा, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा।

१०—दण्ड-संग्रह की ९८ वीं धारा के अनुसार तलाशी का वारण्ट जारी करने के अधिकारों में नीचे लिखे अधिकार और शामिल किए गए हैं—(क) अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण हो कि अमुक स्थान में इस ऑर्डिनेन्स में बतलाया गया कोई अपराध या कोई ऐसा काम, जो सार्वजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है किया गया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तलाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा। (ख) इस तरह तलाशी की जाने वाली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़

मिलेगी, जिसके सम्बन्ध में तलाशी लेने वाले अफ़सर को मालूम पड़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों के लिए काम में लाई गई है अथवा काम में लाई जाने वाली है, तो वह उसे अपने क़ब्ज़े में ले सकता है।

११—अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय की धाराओं के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्त का पालन न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश या शर्त का जारी करने वाला अधिकारी उसके विरुद्ध जो उचित समझेगा, कार्रवाई कर सकेगा या करा सकेगा।

दूसरा अध्याय

सज़ाएँ

१२—(१) जो कोई लिखित या बोले हुए शब्दों द्वारा, या इशारे द्वारा, या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति या श्रेणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सूचित रक़म अदा न करने या अदायगी रोके रहने को भड़काएगा, उसे छः महीने तक की सज़ा दी जाएगी।

(२) कोई भी मैजिस्ट्रेट इस तरह के मुक़दमे की कार्रवाई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि कोई पुलिस-अफ़सर, जो ओहदे में सब-इन्सपेक्टर से कम न हो अथवा अफ़सर-माल, जो ओहदे में नायब तहसीलदार से कम न हो, अभियोग सम्बन्धी तमाम बातों की रिपोर्ट लिख कर न दे।

१३—जो कोई व्यक्ति दफ़ा ५ के अनुसार दी गई किसी आज्ञा को न मानेगा, उसे दो साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

१४—१३वीं धारा के अभियोग के सिवाय इस अध्याय के अनुसार दिए गए अन्य किसी हुक्म या शर्त को न मानेगा या इसके अनुसार की गई किसी कार्यवाही में बाधा डालेगा, तो उसे छः महीने तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

सरकारी नौकरों को भड़काना

१५—जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या स्थानीय अधिकारियों के नौकर या किसी रेल कर्मचारी को भड़काएगा या भड़काने की कोशिश करेगा, ताकि वह अपने कर्तव्य की परवाह न करे या उसे पूरा न करे, तो उस व्यक्ति को एक साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी।

१६—जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेना या पुलिस की नौकरी में शामिल होने से रोकेगा या रोकने की चेष्टा करेगा, उसे एक साल तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जायँगी।

सामूहिक जुर्माना

१७—(१) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह मालूम होगा कि किसी मुक़ाम के बाशिन्दे इस तरह के अपराधों या कार्यों से सम्बन्ध रखते हैं, जोकि क़ानून और अमन की रक्षा या सरकारी लगान के लिए हानिकारक हैं, अथवा इस प्रकार के अपराध या कार्य करने वाले लोगों को टिकाए हुए हैं, तो प्रान्तीय सरकार गवर्नमेण्ट गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस मुक़ाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक़ाम के किसी भी व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः या अंशतः बरी कर सकती है।

(३) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने की रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है, करेगा।

(४) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के ज़िम्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर पर या बक़ाया लगान की तौर पर अदा करना पड़ेगा।

(५) प्रान्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए जुर्माने में से किसी भी शख़्स को, जिसने प्रान्तीय सरकार के मतानुसार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क़ानूनी काम के फल-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर कुछ रक़म दे सकती है।

ज़ब्त साहित्य

१८—जो व्यक्ति किसी ऐसे अख़बार, किताब या अन्य परचे जिसको, सरकार ने दफ़ा ९९ या सन् १९३१ के प्रेस एक्ट के अनुसार ज़ब्त कर लिया है, जनता के सामने कोई उद्धरण प्रकाशित करेगा, प्रचार करेगा या पढ़ कर सुनाएगा, तो उसे छः महीने तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जायँगी।

१९—(१) जहाँ कहीं इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार किसी अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति के विरुद्ध किए गए किसी आन्दोलन के प्रचार सम्बन्धी अपराध के लिए किसी लड़के को, जिसकी उम्र १६ साल से कम होगी, जुर्माने की सज़ा दी जायगी, तो अदालत हुक्म दे सकेगी कि वह जुर्माना उस लड़के के बाप या संरक्षक से वसूल किया जाय, मानो वह उसी पर किया गया है। इसमें यह ध्यान रक्खा जायगा कि ऐसा हुक्म तब तक न दिया जायगा, जब तक कि बाप या संरक्षक को अदालत में अपील करने का मौक़ा न दिया जाय।

(२) ऐसे मामले में अदालत यह भी आज्ञा दे सकती है कि अगर बाप या संरक्षक जुर्माना अदा न करें, तो जुर्माने के बदले में क़ैद की सज़ा भी उनको ही दी जाय; मानो लड़के के अपराध के लिए उन्हीं को दोषी मान कर दण्ड दिया गया हो।

तीसरा अध्याय

सप्लीमेण्ट

२०—प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को धारा ५ की १ली उपधारा या ६ठी धारा के अधिकार दे सकती है।

अख़बारों पर नियन्त्रण

२१—जब तक यह ऑर्डिनेन्स जारी रहेगा, तब तक सन् १९३१ के प्रेस-एक्ट की चौथी धारा की पहली उपधारा में नीचे लिखा वाक्य भी शामिल समझा जायगा:—

(सी) कोई भी लेख, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी व्यक्ति या श्रेणी को संयुक्त-प्रान्त में सरकार को प्राप्य रक़म, जिसकी सूचना सन् १९३१ के 'यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स' के अनुसार दी जा चुकी है, अदा न करने या रोके रखने के लिए भड़कावे।

(२२) चाहे 'कोड' में कुछ भी विधान क्यों न हो, कोई भी तीसरे दर्जे का मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार दण्डनीय मुक़दमों की कार्रवाई नहीं कर सकता।

अभय-प्रदान

२३—इस ऑर्डिनेन्स की धाराओं के अनुसार जो कुछ कार्यवाही की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐतराज़ नहीं उठाया जा सकता और न इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार काम करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए गए काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फ़ौजदारी मामला चलाया जा सकता है।

२४—इस ऑर्डिनेन्स में जो कुछ व्यवस्था की गई है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के लिए, अन्य क़ानूनों के अनुसार, मुक़दमा चलाए जाने से नहीं बच सकता।

२५-२६—'कोड' में कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार जो अपराध होंगे, उनके लिए ज़मानत न हो सकेगी।

ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में सरकारी बयान

"ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस पर है"::"सरकार ने असीम धीरज से काम लिया है"

यू० पी० गवर्नमेण्ट ने ऑर्डिनेन्स जारी होने के साथ ही एक लम्बा बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कॉङ्ग्रेस की उन युद्ध-सम्बन्धी तैयारियों का वर्णन किया है, जोकि दिल्ली के समझौते के अनुसार क्षणिक सन्धि को तोड़ने वाली हैं।

बयान में बतलाया गया है कि देहली-समझौते के पाँच दिन बाद १०वीं मार्च को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी की तरफ़ से प्रान्तीय कमिटियों के नाम एक सर्क्युलर भेजा, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने कार्यकर्त्ताओं को देहात में भेज दें, जिससे कॉङ्ग्रेस का सङ्गठन मज़बूत हो सके और लोग किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए तैयार रहें। "देहली में जो अस्थायी समझौता हुआ है, उसका अर्थ क्षणिक सन्धि है, न कि पूर्ण शान्ति। शान्ति वास्तव में तभी हो सकती है, जब कि हम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो जायँ।"

म० गाँधी के इङ्गलैण्ड को रवाना होने के दो दिन बाद पं० जवाहरलाल ने एक और सर्क्युलर निकाला, जिसमें बतलाया गया था कि म० गाँधी की अनुपस्थिति में किस तरह काम करना चाहिए। इसमें इस तरह काम करने का आग्रह किया गया था जिससे "जब म० गाँधी वापस लौटें तो हम उनको हर तरह से मुस्तैद और प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार मिलें।" इसमें तमाम कॉङ्ग्रेस कमिटियों के ग्राम के सङ्गठन और वालण्टियरों के सङ्गठन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया था।

शिमला के समझौते के अनुसार रक्षात्मक उपाय

कॉङ्ग्रेस के अधिकारियों का दावा है कि शिमला के समझौते के अनुसार उनको किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सत्याग्रह द्वारा रक्षात्मक उपाय करने का अधिकार है। पर वास्तव में शिमला के समझौते में ऐसे किसी अधिकार की चर्चा नहीं है। भारत-सरकार ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि प्रान्तीय सरकारें अपनी समझ के अनुसार कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्र रहेंगी और उनकी कार्य-प्रणाली कॉङ्ग्रेस के कार्यों पर आधार रखती है। इस वर्ष के अप्रैल के मध्य तक यह स्पष्ट मालूम हो गया कि कॉङ्ग्रेस अपनी शक्ति को दृढ़ कर रही है और अपने प्रभाव को गाँवों में बढ़ाती जाती है। वह गवर्नमेण्ट और ज़मींदारों के बीच में लगान की अदायगी के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर रही है और सरकार के मुक़ाबले में अपना शासन स्थापित करना चाहती है। कितने ही ज़िलों में ग़ैर-क़ानूनी कार्यों के

अनेकों उदाहरण देखने में आ चुके हैं। इसका स्पष्ट कारण, उन बहुसंख्यक वालण्टियरों का गाँवों में काम करना है, जो वहाँ सरकारी अधिकारियों के प्रति अवज्ञा का भाव फैलाते हैं, किसानों और ज़मींदारों में झगड़े उत्पन्न करते हैं और १०वीं मार्च को निश्चित किए गए कार्यक्रम की पूर्ति की चेष्टा करते रहते हैं।

'मि० गाँधी की शरारत'

मि० गाँधी को सरकार ने सूचना भेजी थी कि वह साधारण क़ानून के अनुसार इस परिस्थिति का प्रतिकार करना चाहती है और यदि उनसे काम न चला तो विशेष परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों से काम लिया जायगा। परिस्थिति की गम्भीरता मि० गाँधी को अच्छी तरह समझा दी गई थी। पर गाँधी जी ने एक मैनीफ़ेस्टो प्रकाशित किया, जिसमें सबसे बड़ी 'शरारत की बात' यह थी कि कॉङ्ग्रेस को यह बात निश्चित करने का अधिकार है कि कौन लगान अदा न किया जाय। उसे किसानों और ज़मींदारों के बीच के झगड़े निबटाने और ज़मींदारों के विरुद्ध शिकायतें सुनने का भी हक़ है।

जून के महीने में पं० जवाहरलाल ने अपने एक भाषण में कहा कि गवर्नमेण्ट ने कॉङ्ग्रेस से समझौते की प्रार्थना की थी और उनका उद्देश्य ज़मींदारों का एकदम ख़ात्मा कर देना है। इसके बाद सितम्बर में कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से किसानों की दशा के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें किसानों और ज़मींदारों के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की गई और सरकार तथा उसके अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाए गए।

सरकार का 'असीम धैर्य'

इसके विपरीत प्रान्तीय सरकार इस बात का वास्तव में दावा कर सकती है कि उसने हद दर्जे के धैर्य से काम लिया है। उसने अपनी शक्ति भर किसानों के बोझे को हटाने की चेष्टा की और उनके लगान में एक करोड़ पन्द्रह लाख की कमी करके अपनी आर्थिक स्थिति को कठिनाई में डाल दिया। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किसान लोग जो ८॥ करोड़ एकड़ ज़मीन जोतते हैं, उसमें से सिर्फ़ ४ लाख एकड़ से उनको बेदख़ल किया गया। जो लोग इस तरह का आन्दोलन फैलाने की चेष्टा कर रहे थे, जोकि देहातों की शान्ति के लिए अत्यन्त घातक हैं, उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने में सरकार ने बड़े संयम से काम लिया। सरकारी अधिकारियों और ज़मींदारों को जान-बूझ कर ख़ूब बदनाम किया गया और उनके विरुद्ध नाम-मात्र की गवाही पर गन्दे से गन्दे और घृणाजनक इल्ज़ाम लगाए गए।

एक कॉङ्ग्रेस नेता का पत्र

२१ अक्टूबर को प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट ने तमाम ज़िला और शहर कमिटियों के नाम एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया था कि 'कृषि-सम्बन्धी परिस्थिति हमारे हित की दृष्टि से बड़े लाभ की है और हमको पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर हम इस सम्बन्ध में थोड़ी भी चेष्टा करेंगे तो प्रान्त भर के समस्त किसान और सब जातियों के लोग हमारे अधिकार में आ जायँगे।' अभी हाल में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने पाँच ज़िलों को जो लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ करने की आज्ञा दी है, वह कॉङ्ग्रेस की नीति को सफल करने के लिए ही है। यह भी घोषणा की गई है कि अन्य ज़िला कमिटियाँ भी इस तरह के आन्दोलन के लिए केवल मन्ज़ूरी की राह देख रही हैं।

ऑर्डिनेन्स और मार्शल-लॉ में क्या भेद है?

प्रान्तीय कौन्सिल में सरकार ने विश्वास दिलाया कि विशेष अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा।

१९ ता० को यू० पी० व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन में श्री० चिन्तामणि ने नवीन यू० पी० एमरजेन्सी पॉवर्स ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में बहस होने के लिए कौन्सिल की कार्रवाई स्थगित करने का नोटिस दिया। प्रेज़िडेण्ट ने बहुत-कुछ बहस होने के बाद शाम को ४ बजे इस विषय पर वादविवाद होने का निर्णय किया।

श्री० चिन्तामणि ने कहा कि यद्यपि यह ऑर्डिनेन्स गवर्नर-जनरल द्वारा जारी किया गया है, पर यह असम्भव है कि यह कार्रवाई भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार में सलाह-मशविरा हुए बिना की गई हो। प्रश्न यह है कि यह ऑर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया? इसका उत्तर प्रत्यक्ष में तो यही है कि कॉङ्ग्रेस ने लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ किया है और इसलिए सरकार ने अपने लिए उन विशेष अधिकारों का होना आवश्यक समझा, जो साधारण क़ानून द्वारा उसे प्राप्त नहीं हैं, ताकि वह आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुक़ाबला कर सके। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अधिकार केवल लगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में ही काम में लाए जाएँगे या उनको सब मामलों में इस्तेमाल किया जायगा, मानो साधारण क़ानून उठ ही गया है। अगर यह कहा जाय कि ऑर्डिनेन्स द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है तो मैं बिना सङ्कोच के कह सकता हूँ कि यह यू० पी० में मार्शल-लॉ जारी करने के समान है और इसमें कमी सिर्फ़ नाम की है।

सरकार का क्या इरादा है?

मैं यहाँ पर बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बङ्गाल में क्रान्तिकारी दल के अपराध २३ वर्ष से हो रहे हैं और गवर्नमेण्ट को उसका मुक़ाबला करने के वास्ते क़ानूनी और शासन सम्बन्धी उपायों का निरन्तर सहारा लेना पड़ा है। उनमें सब से अन्तिम उपाय हाल का ऑर्डिनेन्स था।

ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस पर है

बयान के अन्त में कहा गया है कि "यह स्पष्ट है कि सरकार अब अवश्य ही इस आन्दोलन को दबाने के लिए सब आवश्यक उपायों का अवलम्बन करेगी और इसमें भी सन्देह नहीं कि जनता इस बात से सहमत होगी कि इससे उत्पन्न होने वाले फलों की तमाम ज़िम्मेदारी कॉङ्ग्रेस और उनके अनुयाइयों पर है।"

सरकार के मुक़ाबले में नई सरकार

श्री० सुन्दरलाल ने, जो एक प्रमुख कॉङ्ग्रेसमैन हैं, अक्टूबर मास में एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें बाराबङ्की ज़िले में सरकार के मुक़ाबले में दूसरी सरकार क़ायम करने की योजना पेश की गई थी। उस योजना के अनुसार पञ्चायतों का कर्तव्य नीचे लिखे शब्दों में बतलाया गया था—"सब लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्त्रियाँ नेतृत्व करना सीख जायँ, ताकि जब दूसरे संग्राम में मर्द पकड़ लिए जायँ तो स्त्रियाँ नेता बन सकें। अङ्गरेज़ औरतों को गिरफ़्तार न करेंगे और इस तरह कॉङ्ग्रेस की ताक़त बढ़ जायगी।"

❀ ❀ ❀

सौभाग्यवश यू० पी० में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसे अराजकतापूर्ण कह जा सके।

ऐसी दशा में क्या गवर्नमेण्ट का इरादा यह है कि इस ऑर्डिनेन्स की ग़ैर-मामूली धाराओं का प्रयोग बहुत अधिक परिमाण में करके यहाँ भी ग़ैर-मामूली परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय। क्या सरकार उस असन्तोष को सहन करने के लिए तैयार है, जो इस ऑर्डिनेन्स के अधिकारों को बिना सोचे-विचारे काम में लाने से जनता में उत्पन्न होगा? मुझे विश्वास है कि फ़ायनेन्स मेम्बर इस सभा को और उसके द्वारा साधारण जनता को इस बात का विश्वास सन्तोषजनक रीति से दिला सकेंगे कि सरकार का इरादा इसे मनमाने ढङ्ग से चाहे जिस मामले में काम में लाने का नहीं है। यह बात मैं एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से कह रहा हूँ, जो प्रकट में बिना किसी सङ्कोच के लगानबन्दी आन्दोलन के विरुद्ध है। मैं अपने जीवन भर सार्वजनिक मामलों में क्रियात्मक आन्दोलन के बजाय वैध उपायों का कट्टर अनुयायी रहा हूँ। मेरे ज़मींदार मित्र, जो इस कौन्सिल में मौजूद हैं, इस बात का विश्वास रक्खें कि वे एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं, जो लगानबन्दी आन्दोलन का पूर्णरूप से विरोधी है।

अगर ऑर्डिनेन्स की धाराओं का अक्षरशः पालन किया गया और प्रान्तीय सरकार को और उसकी मार्फ़त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका सीमा से बाहर प्रयोग किया गया, तो मैं बिना सङ्कोच के यह कह सकता हूँ, तो किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए यह उपयुक्त न होगा कि वह इस प्रान्त में रह कर अपनी स्वाधीनता गँवावे। मैं मानता हूँ कि सरकार ने पिछले कई महीनों में बहुत संयत भाव और नर्मी दिखलाई है और मैं आशा तथा विश्वास करता हूँ कि वह अब भी अपनी उस नेकनामी को क़ायम रक्खेगी। किसानों की परिस्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने पिछले चार-पाँच महीनों में जो उपाय किए हैं, उनका प्रभाव अवश्य ही सब लोगों पर पड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार परिस्थिति की आवश्यकताओं की तरफ़ से उदासीन रही है या वह अपने बनाए हुए किसी निश्चित कार्य-क्रम पर हठपूर्वक डटी रही है। पर मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो कुछ उपाय किए, वे सब बिल्कुल ठीक थे या उनके सिवाय और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। मेरे कथन का आशय इतना ही है कि यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने किसानों के सवाल को हल करने में सहयोग के भाव से काम नहीं लिया है। मुझे आशा है कि फ़ायनेन्स मेम्बर कौन्सिल के सदस्यों से यह कह सकेंगे कि ऑर्डिनेन्स की भाषा में चाहे जैसी अस्पष्टता हो, वह केवल लगानबन्दी के आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए ही रचा गया है और सरकार का यह इरादा नहीं है कि वह उससे काम लेते समय लगानबन्दी के आन्दोलन के दायरे से एक भी क़दम बाहर रक्खे। मुझे आशा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस बात की सूचना सरकारी तौर पर दे दी जायगी कि उनको किस तरह काम करना चाहिए और उनको कहाँ तक बढ़ सकने की अनुमति है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस

(शेष मैटर ८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

भारत में इङ्गलैण्ड की सैनिक नीति

सरकार भारतवासियों को सन्देह और अविश्वास की निगाह से देखती है

हाल में हिन्दू यूनीवर्सिटी, बनारस के आर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थियों के सम्मुख पं० हृदयनाथ कुँज़रू ने भारत के सेना सम्बन्धी प्रश्न पर एक बहुत प्रभावशाली और विचारपूर्ण भाषण किया था, जिसका सारांश नीचे दिया जाता है:—

इस देश में जब राजनीति का आन्दोलन आरम्भ हुआ, तो उस समय सिविल विभागों में ही आगे बढ़ने को मुख्य लक्ष्य माना गया था। सैनिक प्रश्न पर उस समय किसी ने ध्यान न दिया था। पर यूरोपीय महायुद्ध के पश्चात् इस विचार का आविर्भाव होने लगा। मॉण्टेगु-चेम्सफ़ोर्ड रिफ़ॉर्म स्कीम के अनुसार जो बड़ी व्यवस्थापक सभा बनाई गई थी, उसी में सबसे पहले भारत की सेना के सम्बन्ध में विचार करने का कार्य आरम्भ हुआ। उसमें भारत की रक्षा की पूरी समस्या पर विचार और सेना के भारतीयकरण का अनुमोदन किया गया। पर मैं यहाँ केवल दो सवालों पर ही विचार करूँगा—(१) सेना के कमीशन प्राप्त अफ़सरों के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और (२) भारत में मौजूद गोरे सिपाहियों के स्थान पर देशी सिपाहियों की नियुक्ति।

ग़दर के पहले और पीछे

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार जब तक भारतीय सेना पर रहा, तब तक उसमें गोरे सिपाहियों का अनुपात वर्तमान समय के अनुपात की अपेक्षा बहुत कम था। कम्पनी के अधिकार में भारतीय सिपाहियों की दशा भी काफ़ी सन्तोषजनक थी। पर ग़दर के बाद से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई।

अविश्वास की नीति

ग़दर के बाद अङ्गरेज़ों के दिमाग़ में सन्देह और अविश्वास के भाव ने घर कर लिया। समस्त सेना का उद्देश्य यही समझा जाने लगा कि भारत में स्थापित अङ्गरेज़ी राज्य की रक्षा की जाय। यह मेरी अपनी सम्मति नहीं है, वरन् यह उस पील-कमीशन की रिपोर्ट में दी गई सम्मति है, जो ग़दर के बाद भारतीय सेना का पुनः सङ्गठन करने को नियुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में यह रिपोर्ट उन भावों का प्रतिबिम्ब है, जो ग़दर के बाद अङ्गरेज़ों के दिमाग़ में उठ रहे थे। इस कमीशन की सिफ़ारिशों के फल-स्वरूप स्थानीय पल्टनों का, जोकि उस समय इसी नाम से पुकारी जाती थीं, अस्तित्व मिटा दिया गया और ब्रिटिश भारत की तमाम सेना लन्दन के युद्ध-विभाग की अधीनता में कर दी गई। भारतवासियों को तोपख़ाने से निकाल दिया गया और गोरी सेना की शक्ति बढ़ाई गई। दोनों तरह की सेनाओं के विभाजन का आधार बदल दिया गया। फ़ील्ड सर्विस में गोरी और काली सेना का अनुपात एक गोरा सिपाही और तीन देशी सिपाही के हिसाब से रक्खा गया। यह अनुपात सदा कुछ-कुछ बदलता रहा है, पर इन साठ वर्षों में इसमें बहुत ही कम बदलाव हुआ है। आजकल एक गोरे सिपाही के पीछे २½ या २¾ देशी सिपाही हैं। पर यूरोपीय महायुद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए इस देश में मौजूद सेना में एक गोरे सिपाही के पीछे ४ देशी सिपाही थे। इससे सिद्ध होता है कि इस देश में जो गोरी सेना रक्खी जाती है, उसका कारण केवल सैनिक आवश्यकता नहीं है, वरन् भारतवासियों को सर उठाने से रोकना है।

भारतीय सिपाहियों की कुशलता

इस समय प्रश्न यह है कि क्या गोरे सिपाहियों का यहाँ रखना आवश्यक है? यह कहा जाता है कि अङ्गरेज़ सिपाही अधिक कार्यक्षम और योग्य होते हैं और इसलिए देश के रक्षार्थ उनको रखना आवश्यक है। पर यूरोपीय महायुद्ध में भारतीय सिपाहियों ने जिस प्रकार कार्य करके दिखलाया, उससे इस मत का खण्डन होता है। बड़े-बड़े प्रसिद्ध सैनिक-विद्या के ज्ञाताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि भारतीय सिपाही युद्ध-कला, धैर्य, सहनशक्ति, साहस, सूझ और नेतृत्व के गुणों में संसार के किसी देश के सिपाही से कम नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि इस देश के साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण यहाँ गोरी सेना का रखना आवश्यक है। पर प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि अपनी सेना को साम्प्रदायिक झगड़ों से अलग रक्खे।

गोरी सेना भारत की आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। एक गोरे सिपाही पर चार-पाँच भारतीय सिपाहियों के बराबर ख़र्च करना पड़ता है। इस बात का कोई उचित कारण नहीं बतलाया जा सकता कि इतनी बड़ी अङ्गरेज़ी सेना भारत में क्यों रक्खी जाती है। अब तो बड़े-बड़े अङ्गरेज़ अधिकारियों ने इस कथन की सत्यता को स्वीकार किया है। विशेषकर माण्टेगु चेम्सफ़ोर्ड सुधारों के बाद भारतीयों की राज्यभक्ति पर सन्देह और अविश्वास करने की नीति कदापि उचित नहीं कही जा सकती।

भारतीयकरण रोकने की नीति

अब मैं अङ्गरेज़ अफ़सरों की जगह भारतीय अफ़सर नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ। ग़दर के पहले सेना दो भागों में विभाजित थी, एक नियमित और दूसरी अनियमित सेना। अनियमित रेजिमेण्टों में अफ़सरों की संख्या सिर्फ़ तीन या चार होती थी और नियमित रेजिमेण्टों के अफ़सरों की संख्या विलायत की सेनाओं की तरह होती थी। इन रेजिमेण्टों में अङ्गरेज़ अफ़सरों की संख्या केवल ३ या ४ होती थी और शेष भारतीय अफ़सर होते थे, जो योग्यता में किसी से कम नहीं माने जाते थे। पर ग़दर के बाद भारतीय अफ़सरों को एकदम निकाल बाहर किया गया और सेना के तमाम अफ़सर अङ्गरेज़ ही होने लगे। हरेक रेजिमेण्ट में अफ़सरों की संख्या बढ़ा कर पहले ६ और उसके बाद १२, १३ तक कर दी गई, जिससे वे लोग लम्बी छुट्टी लेकर इङ्गलैण्ड में जाकर मौज कर सकें। जब कि भारत के प्रतिनिधि सेना के भारतीयकरण का प्रस्ताव करते हैं, तो उत्तर दिया जाता है कि वे धीरज रक्खें; क्योंकि वह बड़ा कठिन मामला है। पर पिछले साठ वर्षों में इस विषय में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ़ ही हटते गए हैं। हमको जो अधिकार प्राप्त थे, वे भी धीरे-धीरे छीने जा रहे हैं। ऐसी दशा में क्या आश्चर्य है, अगर हम उन लोगों के उद्देश्य में सन्देह करते हैं, जो हमसे धैर्य रखने को कहते हैं।

झूठी आशा

सन् १९१८ में, जब कि यूरोपीय महायुद्ध ने भीषण रूप धारण कर रक्खा था, ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने वायदा किया था कि भारत की सेना में प्रतिवर्ष दस भारतीय अफ़सर नियत किए जाएँगे। बड़ी व्यवस्थापक सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि प्रतिवर्ष सेना के लिए जितने अफ़सर नियुक्त किए जाएँ, उनमें से चौथाई हिन्दुस्तानी होने चाहिए। कमाण्डर-इन-चीफ़ और गवर्नमेण्ट इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, पर फिर इस सम्बन्ध में कुछ देखने में न आया। इण्डियन मिलिटरी कॉलेज की कमिटी ने प्रस्ताव किया था कि उस कॉलेज में ६० भारतीयों को दाख़िल करके सैनिक अफ़सरों की शिक्षा दी जाय। यह कॉलेज भारत में ही खोले जाने का निश्चय हुआ है। पर अब से आगे रेजिमेण्ट के अफ़सरों की संख्या बढ़ा कर २८ या ३० कर दी जायगी। जिन भारतीय अफ़सरों को अभी कमीशन प्राप्त नहीं है, वे कमीशन प्राप्त बना दिए जायँगे। पर इसको भारतीयकरण नहीं कहा जा सकता। भारतीयकरण तभी होगा, जब कि अङ्गरेज़ अफ़सरों को हटा कर उनके स्थान में भारतीय रक्खे जायँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि सेना का एकदम भारतीयकरण होने में कितनी कठिनाइयाँ हैं। मेरा आशय यही है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जाय, वह सचाई के साथ हो। यह नहीं कि कमिटियाँ नियत की जायँ और बड़ी-बड़ी आशाएँ दिखाई जायँ, पर अन्त में फल कुछ न निकले। यह बड़े अभाग्य का विषय है। आत्म-रक्षा की सामर्थ्य स्वराज्य का मूल-मन्त्र है। स्वराज्य-प्राप्त भारतवर्ष के लिए चोटी से तले तक समस्त सेना का भारतीयकरण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

❀ ❀ ❀

(७वें पृष्ठ का शेषांश)

ऑर्डिनेन्स द्वारा प्राप्त निरङ्कुशतापूर्ण अधिकारों को पाकर, अपने को स्वाधीन समझ कर, यथेच्छा विचरण न करना चाहिए; अन्यथा इससे बड़ी भीषण राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। अगर फ़ायनेन्स मेम्बर इस तरह का विश्वास सरकार की तरफ़ से दिला सकेंगे, तो मैं अपने प्रस्ताव पर मत लेने का इरादा त्याग दूँगा।

फ़ायनेन्स मेम्बर

श्री० चिन्तामणि के बैठ जाने पर मि० ब्लण्ट, फ़ायनेन्स मेम्बर, ने कहा कि मुझसे एक कमिश्नर ने कहा था कि दफ़ा १४४ द्वारा लगानबन्दी के आन्दोलन को रोकने की चेष्टा करना वैसा ही है, जैसा कि सोडावाटर की बोतल फेंक कर हवा में उड़ते हुए किसी पक्षी को मारने की चेष्टा करना। इससे मालूम होता है कि इस दशा में ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता थी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ऑर्डिनेन्स के प्राक्कथन के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं। पर उसका अर्थ चाहे कुछ भी लगाया जाय, उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। ऑर्डिनेन्स जारी करने का एकमात्र कारण कॉङ्ग्रेस और लगानबन्दी का आन्दोलन ही है और यह उस समय तक जारी नहीं किया गया, जब तब कि सरकार ने यह न समझ लिया कि अब हद आ पहुँची है। कुछ भी हो, हम इसका प्रयोग बहुत ही परिमित घेरे में करेंगे। सिवाय लगानबन्दी आन्दोलन का प्रतिकार करने के, हम इसे और किसी कार्य में लाने का विचार नहीं रखते। यह सरकार की सच्ची स्थिति है। ऑर्डिनेन्स ने हमको लम्बे-चौड़े अधिकार दिए हैं, पर हम उनका उपयोग लापरवाही से नहीं करेंगे। हमने इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को स्पष्ट सूचना भेज दी है।

प्रस्ताव वापस

मि० ब्लण्ट के बाद होम-मेम्बर नवाब सर मुअज़्ज़म उल्ला ख़ाँ ने भी यह विश्वास दिलाया कि ऑर्डिनेन्स से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा। श्री० चिन्तामणि तथा मि० ब्लण्ट के प्रत्युत्तरों के पश्चात् प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

❀ ❀ ❀



(अङ्गरेज़ी)

आरम्भ

संयुक्त-प्रान्त की सरकार अपने यहाँ फैले हुए किसानों के असन्तोष का मुक़ाबला ग़लत उपायों से कर रही है और एक ग़लती के बाद दूसरी ग़लती करने जा रही है। किसानों की शिकायत केवल आर्थिक है और सरकार को इस सम्बन्ध में उचित और न्यायपूर्ण ढङ्ग से समझौता करके उनके दुःख दूर करने का अच्छा मौक़ा मिला था। इस विषय में कॉङ्ग्रेस-नेताओं ने यही माँग पेश की थी कि जब तक समझौता न हो, तब तक लगान वसूल न किया जाय, जो सर्वथा उचित थी। इसी आधार पर कॉङ्ग्रेस ने किसानों से लगान रोके रखने को कहा था। पर सरकार को कॉङ्ग्रेस की बात मानने में अपनी शान मिटती हुई जान पड़ी। इस पर लगानबन्दी आन्दोलन आरम्भ हो गया और किसानों ने अपने आर्थिक कष्टों को दूर कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। यू० पी० गवर्नमेण्ट ने वायसरॉय से नए सुप्रसिद्ध अस्त्र ऑर्डिनेन्स की प्रार्थना की और गत सोमवार के दिन उसको वह महान शक्ति प्राप्त हो गई। अब यू० पी० सरकार को लगान रोकने के सम्बन्ध में ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से भड़काने के विरुद्ध अधिकार मिल गए हैं। पर जो किसान इसलिए लगान अदा नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको 'भड़काने' के लिए किसी तरह की आवश्यकता है?

यह ऑर्डिनेन्स दरअसल कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध काम में लाए जाने को तैयार किया गया है। अगर यह बात न थी तो जिन शक्तियों की आवश्यकता बङ्गाल सरकार को क्रान्तिकारियों को दबाने और फ़रार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए थी, वे यू० पी० शासकों को क्यों दी गईं, जहाँ पर किसान अहिंसात्मक रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं? सन्दिग्ध व्यक्तियों के नियन्त्रण की आवश्यकता क्या थी, जब कि तमाम आन्दोलन प्रत्यक्ष और शान्तिमय है? मकानों पर अधिकार करने और सेना के पड़ावों तथा पुलिस के थानों के आस-पास लोगों को आने से रोकने की क्या आवश्यकता थी, जब कि किसानों ने शान्तिपूर्वक लगान देने से इन्कार करने का निश्चय किया है? तमाम गाँव पर सामूहिक रूप से जुर्माना करने की क्या ज़रूरत थी, अगर उन लोगों को भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है? और क़सूर करने वाले लड़कों के पिताओं और संरक्षकों को सज़ा देने का क्या अर्थ है—जोकि एक ऐसी सज़ा है कि किसी भी सभ्य न्याय-विधान में जिसका ज़िक्र नहीं मिल सकता? यह साफ़ ज़ाहिर है कि नौकरशाही की अधिक ज़ोरदार और नवीन शक्तियों की भूख दिन पर दिन बढ़ती जाती है।

जब कि वायसरॉय ने आख़िरी ऑर्डिनेन्स (बङ्गाल के सम्बन्ध में) निकाला था, तो हमसे कहा गया था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का मुक़ाबला करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता है और यह कार्य अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। पर लगान अदा करने से इन्कार करना प्रत्येक सभ्य देश में प्राचीन काल से लोगों का वैध अधिकार रहा है। यू० पी० ऑर्डिनेन्स दो बातें सिद्ध करता है—पहली यह कि बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार सरकार को जो शक्तियाँ दी गई हैं, उनका उद्देश्य क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने का उतना नहीं है जितना कि कॉङ्ग्रेस के न्यायानुमोदित आन्दोलन को दबाने का। और दूसरी यह कि बङ्गाल की तरह यू० पी० में भी भीतजनक उपायों का प्रयोग किया जायगा। यह सब कार्यवाही एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जान पड़ती है, जिससे संसार को धोखे में डाला जा सके और कॉङ्ग्रेस की शक्ति को मिटाया जा सके। ऐसी शक्तियों को हाथ में लेना, जो उतनी ही आवश्यक हैं, जैसी कि संहारक हैं, संसार को यह दिखलाने के लिए है कि सरकार सिर्फ़ आर्थिक शिकायतों को पेश करने के विरुद्ध नहीं है, वरन् वह किसानों के उस विद्रोह को रोकना चाहती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक है। जबकि एक तरफ़ दुनिया को इस तरह धोखे में डाला जायगा, तो दूसरी तरफ़ कॉङ्ग्रेस की शक्ति को सहज में नष्ट किया जा सकेगा, क्योंकि उस पर शीघ्र ही दूसरा सत्याग्रह संग्राम छेड़ने का सन्देह है। इस विचार का समर्थन इस बात से भी होता है कि ऑर्डिनेन्स ने प्रेस-एक्ट में एक नई धारा जोड़ कर अख़बारों को बिल्कुल अनावश्यक और व्यर्थ की चोट पहुँचाई है। यह समझ में नहीं आता कि संयुक्त-प्रान्त से बाहर के स्थानों से प्रकाशित होने वाले अख़बार वहाँ के किसानों को लगानबन्दी के लिए किस तरह भड़का सकते हैं, जब कि वे स्वयं पहले ही इसके लिए एलान कर चुके हैं। औचित्य, ईमानदारी और न्याय की दृष्टि से किसी तरह विचार करने से अख़बारों पर की गई यह चोट न्याययुक्त सिद्ध नहीं होती। और ये सब आतङ्कजनक कार्य मि० मैकडॉनल्ड की सरकार की मञ्ज़ूरी से हो रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि वे सचमुच क्षणिक सन्धि को स्थायी शान्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। लॉर्ड विलिङ्गडन वह कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके करने से लॉर्ड इर्विन ने इन्कार कर दिया था।

—बॉम्बे क्रॉनिकल

❀ ❀ ❀

यू० पी० ऑर्डिनेन्स

हम लोग ऑर्डिनेन्सों के युग में निवास करते हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी आजकल ऑर्डिनेन्स निकाले जाते हैं। जब इङ्गलैण्ड में 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' रोका गया था, तो एक ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा ऑर्डिनेन्स रुपए का सम्बन्ध इङ्गलैण्ड के सिक्के से जोड़ने के लिए निकाला गया था। बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स तैयार किया गया। सब से आख़िरी ऑर्डिनेन्स सन् १९३१ का १२वाँ ऑर्डिनेन्स—मुख्यतया यू० पी० के लगानबन्दी आन्दोलन के विरुद्ध जारी किया गया है। सरकार ने एक लम्बा बयान प्रकाशित करके बतलाया है कि इस आन्दोलन के पीछे गुप्त राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है। यह ऑर्डिनेन्स सन् १९३० के 'ग़ैर-क़ानूनी भड़काने वाले ऑर्डिनेन्स' से कहीं अधिक शक्तिशाली, संहारक और आपत्तिजनक है। इसमें बङ्गाल ऑर्डिनेन्स की कितनी ही धाराएँ शामिल हैं, जैसे जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लेना और व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डालना। इसने सन् १९३१ के प्रेस-एक्ट के दायरे को भी बढ़ा दिया है और केवल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगानबन्दी के लिए भड़काने को ही नहीं, वरन् लगान को स्थगित करने के लिए कहने को भी उसमें शामिल कर लिया है। इसमें किसी सरकारी नौकर, स्थानीय अधिकारियों के नौकर या रेलवे नौकर को बरग़लाने के किसी भावी आन्दोलन का भी प्रतिकार किया गया है। अगर कोई गर्म दिमाग़ का और स्वेच्छाचारी युवक, जिसकी आयु १६ वर्ष से कम हो, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी क़रार दिया जाय, जो अदालत की राय में किसी ऐसे आन्दोलन की वृद्धि के लिए किया गया है, जो सार्वजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है और उस युवक पर जुर्माना किया जाय, तो वह जुर्माना उसके माता-पिता या संरक्षक को देना होगा। अगर वे जुर्माना देने से इन्कार करेंगे तो पिता या संरक्षक को ही जेल की सज़ा भोगनी होगी, मानो उन्होंने वह अपराध किया है, जिसके लिए युवक दोषी क़रार दिया गया है। पर यदि इस आदर्श दण्ड-विधान के बाद भी यदि वह युवक अपने तरीक़े को न सुधारे तो उसकी शरारत का उत्तरदायित्व किस पर रहेगा? ऑर्डिनेन्स में जो माता-पिता का शब्द व्यवहार किया गया है, उसके अनुसार क्या पिता की अनुपस्थिति में माता को भी अपने उद्दण्ड पुत्र की करतूत का फल भोगना पड़ेगा? इसमें शक नहीं कि यह नियम बना दिया गया है कि माता-पिता या संरक्षक के जुर्माने का जो हुक्म दिया जायगा, उसके विरुद्ध उनको अपील करने का भी अधिकार होगा। पर यदि वे ग़रीबी के कारण अपील का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकने में असमर्थ हों, तो उनको जेल जाने के सिवाय और कोई उपाय न रहेगा। यह धारा ऑर्डिनेन्स की तमाम धाराओं की अपेक्षा अधिक आपत्तिजनक है और इसे कभी काम में नहीं लाना चाहिए। इसके सिवाय जनता पर सामूहिक रूप से जुर्माना करने का भी नियम बनाया गया है, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को भी दण्ड मिल सकता है, जो सर्वथा निर्दोष हो। लोगों के आने-जाने के सम्बन्ध में नियन्त्रण, मकानों पर अधिकार कर लेना, आने-जाने के साधनों का नियन्त्रण, और किसी भी ज़मींदार या गाँव के मुखिया आदि से काम कराना भी ऐसे अधिकार हैं, जिनके दुरुपयोग की सम्भावना है और हमें इनके सम्बन्ध में बहुत आपत्ति है।

—लीडर (प्रयाग)

❀ ❀ ❀

सङ्कट को निमन्त्रण

इस ऑर्डिनेन्स के जारी करने का एकमात्र कारण भय के वशीभूत हो जाना कहा जा सकता है। इसके फल-स्वरूप सरकार बिल्कुल ही ग़लत रास्ते पर चल पड़ी है। बङ्गाल के मामले में तो ऑर्डिनेन्स की

मञ्ज़ूरी देने के लिए सरकार के सामने कुछ हिंसात्मक काय प्रमाण-स्वरूप मौजूद भी थे, जिनके आधार पर उस उपाय को किसी हद तक न्याययुक्त सिद्ध किया जा सकता था। पर संयुक्त-प्रान्त की अवस्था में जहाँ तक हमको पता है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया जाता, जिसके आधार पर वहाँ ऑर्डिनेन्स द्वारा शासन करना ज़रूरी समझा जाय। किसी भी जगह अभी तक लगान देना बन्द नहीं किया गया है। और यदि वह रोका भी गया है, तो सरकार के यह मान लेने के बाद कि अभी तक लगान में जो माफ़ी दी गई है, वह काफ़ी नहीं और उन्होंने जिन प्रमाणों के आधार पर माफ़ी की रक़म निश्चित की है उनमें ग़लती हो सकती है। ऑर्डिनेन्स जारी करना ऐसा कार्य है, जो किसी भी सभ्य सरकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। सरकारी अधिकारी जिस ढङ्ग से काम कर रहे हैं और उन्होंने यू० पी० के कॉङ्ग्रेसमैनों को गिरफ़्तार करने का कार्य जिस तरह आरम्भ किया है, उससे तो यही जान पड़ता है कि सरकार ने कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध ही यह सारी योजना की है। पर सच्ची बात यह है कि अगर कॉङ्ग्रेस वाले किसानों को नियन्त्रण में न रखते तो किसानों की समस्या ने हफ़्तों पहले गम्भीर रूप धारण कर लिया होता। इस ऑर्डिनेन्स का जारी करना, जिसमें तमाम भारत के अख़बारों के लिए भी एक विशेष धारा शामिल है, गाँधी-इर्विन समझौते पर घातक चोट पहुँचाने के समान है। वर्तमान सङ्कट को खड़ा करने का उत्तरदायित्व सरकार पर ही है, कॉङ्ग्रेस पर नहीं। लॉर्ड विलिङ्गडन यह नहीं कह सकते कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करके उन्होंने एक वैध-शासन-प्रिय वायसरॉय की भाँति शासन करने की इच्छा का व्यावहारिक प्रमाण दिया है।

—हिन्दुस्तान टाइम्स

❀ ❀ ❀

यू० पो० ऑर्डिनेन्स

ऑर्डिनेन्स की जो धाराएँ पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, उनसे पता चलता है कि उस परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए, जिसे सरकार ने अपनी हठ और कञ्जूसी से उत्पन्न किया है, यह आवश्यकता से कहीं अधिक संहारक और व्यापक है। इससे पहले भी देश के विभिन्न भागों में लगानबन्दी के आन्दोलन हुए थे और उनका मुक़ाबला देश में प्रचलित साधारण क़ानूनों द्वारा ही किया गया था। वर्तमान आन्दोलन के लिए नई तरह की तदबीर क्यों तय की गई, यह उन्हीं लोगों की इच्छाओं और उद्देश्यों से भली प्रकार प्रकट होता है, जो इस ऑर्डिनेन्स को जारी कराने के लिए ज़िम्मेदार हैं। प्रत्यक्ष में तो यह ऑर्डिनेन्स "कुछ जायज़ रक़मों को अदा न करने के लिए भड़काने का प्रतिकार" करने को बनाया गया है। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि "संयुक्त-प्रान्त की सरकार और उसके अफ़सरों को क़ानून और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं।" दो विशेषणों का यह संयोग ही सन्देह उत्पन्न करने को काफ़ी है, पर जब हम ऑर्डिनेन्स की धाराओं को पढ़ते हैं, तो यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इसका उद्देश्य प्रकट से कहीं अधिक है। 'क़ानून' और 'अमन' आजकल बड़े विस्तीर्ण भावयुक्त शब्द बन गए हैं और दरअसल उनका प्रयोग राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार को दबाने के लिए किया जाता है। देश के लिए हितकारी कार्यों को भी उनके द्वारा रोका जाता है। एक शब्द में उनके द्वारा कॉङ्ग्रेस को कुचला जाता है, जो इन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है।

—सर्चलाइट

❀ ❀ ❀

(हिन्दी)

पाठकों से परामर्श

अनुमान के अनुसार संयुक्त-प्रान्त के लिए भी वायसरॉय ने एक काला क़ानून बना ही दिया। पर अनुमान की अपेक्षा यह अधिक व्यापक, अधिक कष्टदायक और अधिक अनीतिमूलक है। बङ्गाल और ख़ासकर चटगाँव के लिए जो काला क़ानून बनाया गया है, उसकी सारी बुरी धाराएँ—ख़ास अदालतों का निर्माण छोड़ कर—इस काले क़ानून में हैं। वहाँ वह काला क़ानून बनाया गया है हत्याकारियों को दबाने के लिए और यहाँ यह काला क़ानून बनाया गया है, सरकारी कार्य के विरोध में कर देने से इन्कार करके दण्ड भोगने के लिए तैयार रहने के, प्रजा के सर्वमान्य वैध अधिकार को दबाने के लिए। बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त में एक से ही काले क़ानूनों का बनाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि अपनी जान पर खेल कर, पर छिप कर शस्त्र द्वारा हमला करने वाले आतङ्कवादी और प्रकाश्य-रूप से क़ानून मानने से इन्कार करके चुपचाप शान्तिपूर्वक उसका फल भोगने के लिए तैयार सत्याग्रही नौकरशाही की दृष्टि में एक से ही भयङ्कर हैं। अवश्य ही पकड़े जाने पर प्राणहरण करनेवाले को, और बङ्गाल में प्राणहरण की चेष्टा करने वाले को भी प्राण-दण्ड दिया जा सकता है और सत्याग्रहियों को सिर्फ़ दो-चार साल के लिए बड़े घर ही भेजा जा सकता है। इसके ऊपर सत्याग्रहियों को लाठीचार्ज सर पर झेलना पड़ता है, अपना और अपने प्रियजनों का—स्त्रियों का भी अपमान आँखों देखते हुए शान्त रहना पड़ता है, चार रुपए देने के लिए चार सौ रुपए की सम्पत्ति का नाश होते देख कर भी मुँह में ताला लगाए रहना पड़ता है। एक और बड़ा भारी भेद है, जिसके लिए बालक आतङ्कवादी के माता-पिता को अपनी प्रान्तीय सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रान्त की सरकार ने निश्चय कर लिया है कि सोलह साल से कम उम्र के बालकों के अपराध के लिए उनके माता-पिता को दण्ड दिया जायगा। सोलह साल से कम उम्र का बालक यदि नरहत्या करे वा करने का यत्न करे तथा उसका ऐसा करना यदि राजनीतिक हो, तो उसके अपराध के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक को फाँसी पर लटका देने का नियम बङ्गाल सरकार ने लॉर्ड विलिङ्गडन से नहीं बनवा लिया, क्या यह बात ब्रिटिश न्याय-परायणता के इतिहास में सोने के अक्षरों में न लिखी जायगी?

ऊपर लिखे हुए भेद के रहते हुए भी यह बात स्पष्ट है कि नौकरशाही की दृष्टि में उसके राज्य के लिए अर्थात् अमन-क़ानून के लिए आतङ्कवादी और अहिंसावादी सत्याग्रही एक से भयङ्कर हैं। इसीसे बङ्गाल और युक्त-प्रान्त में एक से काले-क़ानून जारी किए गए हैं। इन क़ानूनों को पढ़ने से पता लगता है कि इनके मसविदे बहुत सोच-विचार के बाद तैयार किए गए हैं और बने बनाए तैयार हैं। लॉर्ड इर्विन के काले-क़ानूनों से पता चलता था कि वे सहसा उपस्थित स्थिति के प्रतिकारार्थ सहसा बनाए गए थे। उनमें बहुत सी त्रुटियाँ रह जाती थीं, जो दूसरे ऑर्डिनेन्स निकाल कर पूरी की जाती थीं। पर इस साल के नए काले-क़ानून से गम्भीर विचार और दृढ़घातिता का परिचय मिलता है। ये बहुत दिन के विचार के फल हैं, सहसा उपस्थित परिस्थिति के लिए सहसा बनाए हुए नियम नहीं हैं। पर भारत-शासन-विधान की ७२ वीं धारा में केवल "इमर्जेन्सी" के समय ही गवर्नर-जनरल को ऑर्डिनेन्स बनाने का अधिकार दिया गया है। "इमर्जेन्सी" शब्द का अर्थ ऑक्सफ़र्ड और वेबस्टर जैसे कोषों में भी 'आकस्मिक घटना' वा 'तत्काल उपाय की अपेक्षा करने वाली आकस्मिक घटना' किया गया है। नौकरशाही कोष में इसका कुछ और ही अर्थ हो सकता है, और वहाँ यदि इसका ठीक उलटा अर्थ किया गया हो तो भी हमें आश्चर्य न होगा। पर साधारण बुद्धि में तो यही बात आती है कि जिस घटना की सूचना साल दो साल पहले से हो, जिस घटना के सम्बन्ध में बड़े-बड़े कर्मचारी तक कहते रहे हों कि हम लोग तैयार हैं, जिसके लिए वस्तुतः पहले से ही ऑर्डिनेन्सों के मसविदे बना कर रक्खे गए हों, वह "इमर्जेन्सी" नहीं है। यदि "इमर्जेन्सी" शब्द का अर्थ अङ्गरेज़ी कोषों में ठीक दिया हो तो, हम कह सकते हैं कि बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त की परिस्थिति "इमर्जेन्सी" नहीं है। अतएव लॉर्ड विलिङ्गडन के ये दोनों काले क़ानून ग़ैर-क़ानूनी हैं। पर जब क़ानून की अवहेलना स्वयं उसके रक्षक करते हों, ऐसे समय क़ानून की दोहाई देना क्या मूर्खता का द्योतक नहीं है?

—आज

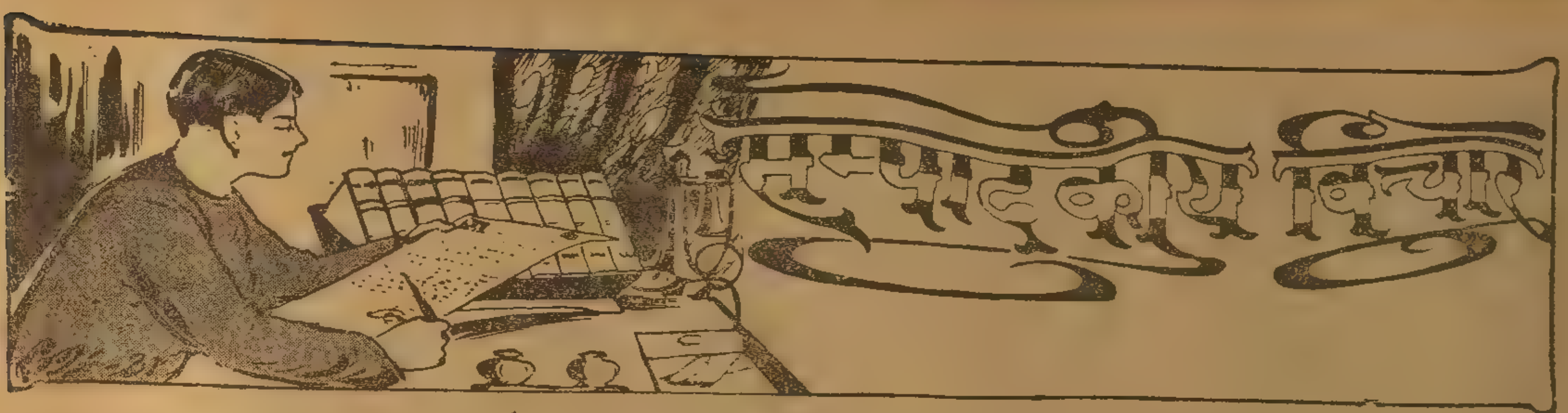
❀ ❀ ❀

THE HINDU

Sunday, December 13, 1931

The CHAND

The special Rajputana number with which the well-known Hindi periodical commences its tenth year of existence in the journalistic world, constitutes a nice and attractive record of the part palyed by Rajasthan in ancient Indian History and of certain anticipations relating to the future. The leading article deals with "Rajputana To-day" and contributors who have methodologically isolated particular fields of investigation and topics of interest concerning Rajasthan have written interesting accounts of the educational, social and political conditions. For instance, Dwarkalalji Gupta writes on "The Administration of Rajputana" drawing lines of comparison and contrast with that of British India. The Editor of the special number, Mathuralalji Sarma traces the origin of Rajputana. The texts of two important treaties concluded between the East India Company on the one hand and Maharana Bhimasimha of Udaipur and Rana Sambhusimha on the other are published. Mr. Nandakisor Agrawalla writes on the relation between Rajputana and the Paramount Power. Srivastava narrates the story of Padmini and Udayasimha in telling terms. The "Miscellaneous" section contains interesting notes on "Television," "Cinema activities" etc. The number under notice contains also poems in Hindi, and songs. The colour plates are all uniformly attractive. The Number contains a stirring appeal for public support to "Matri Mandir"—Allahabad, the well-known rescue home where destitute women are looked after and supported.



भविष्य

२१ दिसम्बर, सन् १६३१

भारतीय मज़दूर

भारतवर्ष जिन बातों में पश्चिमी देशों की नक़ल करता जाता है, उनमें से एक मज़दूरों की समस्या और उनकी नित्यप्रति होने वाली हड़तालें हैं। पुराने ज़माने में यहाँ न आजकल के से कारख़ाने और फ़ैक्टरियाँ थीं और न हड़तालों का नाम सुनने में आता था। पर आजकल मज़दूरों की हड़ताल ऐसी मामूली बात हो गई है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन देश के दो-चार स्थानों से इसका समाचार न मिले। इस समय भी बम्बई और कानपुर की हड़ताल की ख़बरें रोज़ अख़बारों में छप रही हैं। साधारण हड़तालें तो नित्य प्रति बीसियों जगह होती हैं, पर जब तक वे गम्भीर रूप धारण नहीं करतीं अथवा उनके फल-स्वरूप किसी तरह का दङ्गा-फ़साद नहीं हो जाता, तब तक उनकी ख़बर प्रायः अख़बारों में नहीं छपती।

इन हड़तालों से प्रकट होता है कि इस देश के मज़दूरों की दशा बहुत असन्तोषजनक है और अपनी शिकायतों को दूर कराने तथा कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, उनके पास सिवाय हड़ताल के कोई उपाय नहीं है। अन्य उन्नत देशों में, जहाँ मज़दूरों का सङ्गठन मज़बूत हो चुका है और ट्रेड-यूनियनों का प्रभाव बढ़ चुका है, कारख़ानों के मालिक मज़दूरों से डरने लगे हैं और वे उनकी उचित माँगों पर ध्यान देना सीख गए हैं। पर भारतीय मज़दूरों का न तो कोई मज़बूत सङ्गठन है और न उनके पास काफ़ी फ़ण्ड आदि हैं, इसलिए मालिक लोग प्रायः उनकी बातों की उपेक्षा किया करते हैं।

एक बात और भी ऐसी है, जिसके कारण इस देश में मज़दूरों का सङ्गठन मज़बूत नहीं हो पाता और उनको प्रायः मालिकों के उचित-अनुचित—सब प्रकार के आदेश मानने को बाध्य होना पड़ता है। इङ्गलैण्ड और पश्चिमी देशों में मज़दूर शहरों में ही रहते हैं और उनके सामने कारख़ानों की नौकरी के सिवाय पेट भरने का कोई दूसरा उपाय नहीं होता। इसलिए उन लोगों की एक जाति या सम्प्रदाय सी बन गई है और वे सङ्कट के समय बड़ी आसानी से मिल कर काम कर सकते हैं। पर भारत के जो मज़दूर कारख़ानों में काम करने को अपने गाँवों से रवाना होते हैं, उनका कभी यह उद्देश्य नहीं होता कि शहरों में जम कर रहेंगे। वे केवल आवश्यकता पड़ने पर रुपया कमाने की ग़रज़ से शहरों में जाते हैं और प्रायः दो-चार वर्ष बाद अपने गाँवों को लौट जाते हैं। जो लोग गाँवों में ज़मीन आदि के न मिलने अथवा अन्य व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से अधिक दिनों तक भी कारख़ानों की मज़दूरी करते हैं, वे भी प्रायः साल-दो साल में एक-दो महीने के लिए गाँवों में जाकर रहते हैं। अधिकांश मज़दूर शहरों के लम्बे-चौड़े मकान-भाड़े और अन्य ख़र्चों के डर से अकेले ही वहाँ जाते हैं और उनको अपने स्त्री-बच्चों को देखने-भालने के लिए बीच-बीच में घर आना पड़ता है। इन मज़दूरों की नौकरी बहुत पक्की नहीं होती, प्रायः गाँव जाते समय वे उसे छोड़ देते हैं और वापस लौटने पर फिर नई नौकरी ढूँढ़ते हैं।

इस अवस्था में प्रत्यक्ष है कि यहाँ के मज़दूरों का कोई मज़बूत सङ्गठन बन सकना अथवा उस सङ्गठन की रक्षा के लिए मज़दूरों का प्रयत्नशील हो सकना बड़ा कठिन है। जब उन पर एकाएक कोई कष्ट आ पड़ता है या मालिक उनके साथ किसी तरह का अन्याय करता है, तो उनके पास सबसे बड़ा और एकमात्र अस्त्र हड़ताल का ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि सब कठिनाइयों का ख़याल करते हुए वे परिस्थिति का मुक़ाबला बड़े साहस और स्वार्थत्याग के साथ करते हैं। पर उनको सफलता प्रायः कम मिलती है। कुछ समय बाद भूख से लाचार होकर या तो थोड़ा-बहुत दब कर समझौता कर लेते हैं या कभी-कभी जब मामला बढ़ जाता है, तो अपने गाँवों को चल देते हैं।

मज़दूरों की दुरवस्था और शक्तिहीनता का दूसरा कारण उनकी आर्थिक हीनता भी है, जिसके फल-स्वरूप उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता और वे हड़ताल के समय के लिए कोई फ़ण्ड इकट्ठा नहीं कर सकते। हाल में जो ह्विटली कमीशन भारतीय मज़दूरों की जाँच करने आया था, उसने अनुमान के आधार पर लिखा है कि कपड़े के कारख़ानों में काम करने वाले एक पुरुष की आमदनी अधिक से अधिक २५ से ३५ रु० तक होती है और एक पूरे कुटुम्ब की आमदनी भी ३० से ५० रु० के भीतर ही रहती है। इस आमदनी का ८५ प्रति सैकड़ा जीवन-निर्वाह की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं में ख़र्च हो जाता है और शेष १५ सैकड़ा क़र्ज़ चुकाने में जाता है। कमीशन के मतानुसार अधिकांश स्थानों में दो-तिहाई से अधिक मज़दूर क़र्ज़ में फँसे रहते हैं। और यह क़र्ज़ा भी उनको प्रायः आग़ाओं या ऐसे ही अन्य लोगों से मिलता है, जो उनसे प्रायः एक आना और दो आना रुपए तक का सूद लेते हैं।

इस अवस्था के सुधरने का उपाय क्या है? यह सच है कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है और इस देश में मज़दूरों को वह महत्व तथा शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, जोकि उनको इङ्गलैण्ड, जर्मनी आदि औद्योगिक देशों में है। पर साथ ही इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वर्तमान समय के समाज में मज़दूरों का अस्तित्व अनिवार्य है और जिस किसी देश को सांसारिक उन्नति की दौड़ में अन्य देशों के मुक़ाबले में रहना है, उसे मज़दूर-प्रथा को क़ायम रखना ही होगा। इस समय भारत में अधिकांश बना हुआ माल विदेशों से आता है। कपड़े, लोहे का सामान, काँच का सामान, रासायनिक पदार्थ, मैशीनें, खिलौने आदि करोड़ों का माल हर साल विदेशी कारख़ाने वाले इस देश में भेजते हैं। पर अब जब कि भारत इस प्रथा में अपनी हानि देख कर स्वयं सब तरह का माल बनाने की चेष्टा कर रहा है और स्वराज्य का पूर्ण या आंशिक अधिकार प्राप्त होने पर जिस चेष्टा में सफलता होना भी निश्चित है, क्या उस दशा में भी मज़दूरों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? उस हालत में दो-चार वर्ष के भीतर ही कारख़ानों और मज़दूरों की संख्या का चौगुना हो जाना भी असम्भव नहीं है। उस समय मज़दूरों का सवाल और अगर किसानों से अधिक नहीं तो कम से कम

पाठकों से निवेदन

नया यू० पी० एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स कितना व्यापक और कठोर है, इसका पता पाठकों को विभिन्न समाचार-पत्रों की उन सम्मतियों से चल सकता है, जो हमने 'विश्व-वीणा' में उद्धृत की हैं। उसमें अन्य धाराओं के साथ एक धारा यह भी है, जो कोई अख़बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगानबन्दी आन्दोलन का प्रचार करेगा उसे प्रेस-एक्ट के अनुसार सज़ा दी जायगी। इस धारा ने अख़बार वालों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। क्योंकि 'अप्रत्यक्ष' रीति से मामूली बात का अर्थ भी ऐसा लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर सरकार अख़बार को दोषी क़रार दे सकती है। इसके सिवाय यह भी एक प्रश्न है कि अख़बार वाले वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में अपना मत किस तरह प्रकट करें? इस कठिनाई का वर्णन काशी के सहयोगी 'आज' ने अपने पाठकों के सम्मुख इन शब्दों में किया है:—

"अगर हम कॉङ्ग्रेस का साथ देते हैं, तो हमसे ज़मानत माँगी जाती है, ज़ब्त की जाती है और अन्त में प्रेस भी ज़ब्त किया जाता है। अगर नौकरशाही की ओर से प्रचार-कार्य करते हैं, तो देश के प्रति कृतघ्नता प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के विरुद्ध काम करके अपनी आत्मा को कलङ्कित करते हैं। ऐसी ही अवस्था उस बार भी उपस्थित हुई थी और "आज" बन्द कर देना पड़ा था। हम अपने पाठकों से जानना चाहते हैं कि इस बार हमें क्या करना चाहिए—"आज" बन्द कर देना चाहिए अथवा टीका-टिप्पणी बिल्कुल बन्द कर देना, कॉङ्ग्रेस-प्रचार और नौकरशाही प्रचार—दोनों से मुँह मोड़ लेना और केवल विशुद्ध समाचार पाठकों तक पहुँचाना चाहिए?"

सचमुच इस समय अख़बारों की परिस्थिति बड़ी दुविधाजनक हो गई है और उनके सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो पत्र बन्द कर दें या केवल ख़बरें और राजनीति को छोड़ कर अन्य विषय-सम्बन्धी लेख छापें। क्योंकि इतना धन या साधन तो शायद ही किसी के पास होंगे कि बार-बार ज़मानत या प्रेस ज़ब्त करा सके। सम्भव है कि परिस्थिति इससे भी अधिक सङ्कटमय हो जाय और तमाम अख़बारों को राज़ी से या ज़बर्दस्ती बन्द हो जाना पड़े। पर जब तक वैसा अवसर नहीं आता, तब तक के लिए हमने यही उचित समझा है कि अग्रलेख और टिप्पणी आदि बन्द कर दी जायँ और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर किसी तरह की सम्मति प्रकट न करके केवल घटनाओं को ही पाठकों की सेवा में पहुँचाया जाय। अन्य कितने ही सहयोगी भी इसी पथ का अवलम्बन कर रहे हैं और हमको भी इसके सिवाय अन्य किसी मार्ग से चलने में किसी तरह का हित नहीं जान पड़ता।

उनकी बराबर ही महत्व का अवश्य होगा, और उस दशा में हमको उनकी दशा सुधारने का उपाय अवश्य ही करना पड़ेगा। अथवा इस देश में भी श्रमजीवियों और पूँजीपतियों का वही भयङ्कर सङ्घर्ष देखने मे आएगा, जो अन्य देशों में दिखलाई पड़ चुका है अथवा पड़ रहा है।

कारख़ानों के मज़दूरों और अन्य श्रमजीवियों, जैसे रेलों और डाकख़ानों के नौकर, ऑफ़िसों के छोटे क्लर्क और चपरासी, चौकीदार, स्कूल-मास्टर आदि, जिनकी आमदनी प्रायः मज़दूरों के बराबर ही होती है, की दशा के सुधरने का असली उपाय तो यह है कि राजनीतिक क्षेत्र और देश के शासन में उनको उतनी ही शक्ति प्राप्त हो, जितनी की पूँजीपतियों को है। अथवा यह हो कि शासन-सत्ता पूँजीपतियों और उनके सहायकों के हाथ से निकल कर मिहनतपेशा वालों के हाथ में आ जाय। उसी समय यह सम्भव हो सकता है कि मज़दूर और श्रमजीवी अपनी मिहनत का पूरा फल पा सकें और आराम से अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकें। जब तक ऐसी दशा नहीं आती, तब तक उनको अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग पूँजीपतियों को देना ही पड़ेगा और इस प्रकार अपने भरण-पोषण के अलावा उनके लिए सब तरह के सुख और भोग इकट्ठे करने के लिए भी परिश्रम करना होगा।

पर जब तक ऐसा समय नहीं आता, और वर्तमान अवस्था को देख कर यह आशा भी नहीं होती कि ऐसा समय जल्दी आ सकेगा, तब तक मज़दूरों की दशा को सुधारने का एक और उपाय पारस्परिक सहयोग की वृद्धि बतलाई जाती है। इसमें सन्देह नहीं, इससे उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ कुछ हद तक दूर हो सकती हैं, और वे अब से कुछ अच्छा भोजन और कपड़ा पा सकते हैं। इस समय मज़दूरों को अधिकांश में, अपनी भोजन-सामग्री और कपड़ा आदि प्रायः उधार लेना पड़ता है और वे हर पन्द्रहवें दिन या हर महीने तनख़्वाह पाने पर दूकानदार का रुपया चुकाते हैं। ऐसा करने से दुकानदार उनसे दाम बढ़ा कर लेते हैं और माल भी रद्दी देते हैं। बेचारे ग़रीब लोग अपनी ग़र्ज़ के मारे चुपचाप जो कुछ मिलता है, ले लेते हैं। इसके सिवाय उनको प्रायः अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं जैसे ब्याह-शादी, मौत-बीमारी आदि के लिए क़र्ज़ भी लेना पड़ता है और यह जहाँ एक बार उनके सर पर सवार होता है, फिर उतरने का नाम नहीं लेता। क्योंकि उनकी आमदनी वही गिनी-गिनाई होती है और वे अगर अपना पेट काट कर कुछ बचा भी सकते हैं, तो सिर्फ़ उतना ही, जितना कि ब्याज के रूप में उनको देना पड़ता है। असली मूल-धन प्रायः जैसे का तैसा बना रहता है और वे लोग उसका दस-गुना चुका कर भी क़र्ज़दार ही बने रहते हैं।

इसलिए मज़दूरों के लिए अगर ऐसी सहयोग समितियाँ स्थापित की जायँ, जो उनको आवश्यकता पड़ने पर क़र्ज़ दें और उनकी जीवन-निर्वाह की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टोर क़ायम करें, तो वे ख़ून चूसने वाले ब्याज और दूकानदारों की लूट से बच सकते हैं और वर्तमान आमदनी ही में कुछ अधिक आराम से रह सकते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की कुछ संस्थाएँ क़ायम हो चुकी हैं और प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की "जैकसन कोपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी" का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने सन् १९२४ और १९२९ के बीच सवा करोड़ से अधिक रुपया क़र्ज़ दिया है। उसका प्रबन्ध भी ऐसा है कि प्रायः सब क़र्ज़ समय पर वसूल हो जाता है और डूबने वाली रक़म का परिमाण भी बहुत कम है। इस प्रबन्ध के कारण उसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों को कुछ नहीं तो तीस-चालीस लाख रुपए की बचत हुई होगी। इसी तरह की संस्थाएँ यदि अन्य स्थानों में भी क़ायम हो जायँ, तो मज़दूरों का उपकार होगा और उनकी दशा सुधरेगी, इसमें सन्देह नहीं।

❀ ❀ ❀

नए यू० पी० ऑर्डिनेन्स की कारगुज़ारियाँ

इलाहाबाद में तलाशियाँ :: ज़मींदारों को आन्दोलनकारियों की गिरफ़्तारी का आदेश :: मोटर-लॉरी वालों को चेतावनी

इलाहाबाद में तलाशियाँ

यू० पी० एमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स जारी होने के बाद १९ ता० की शाम को इलाहाबाद में छः-सात स्थानों की तलाशियाँ मि० बक्फ़र्ड द्वारा निकाले गए वारण्टों के अनुसार ली गईं। जिन स्थानों की तलाशियाँ ली गईं, उनकी सूची इस प्रकार है :—पण्डित जवाहरलाल नेहरू का ऑफ़िस, आनन्दभवन, स्वराज्य-भवन में स्थापित ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी और प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर, ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी और शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर, कीटगञ्ज और दारागञ्ज के सत्याग्रह-आश्रम तथा 'अभ्युदय प्रेस'—ये तलाशियाँ इसलिए ली गई थीं चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का पता लगा था कि इन स्थानों में लगानबन्दी से सम्बन्ध रखने वाले काग़ज़ात तथा अन्य सामग्री रहती है। जिन अफ़सरों को तलाशी के लिए भेजा गया था, उनको आज्ञा थी कि उन स्थानों में जितने काग़ज़ात, टाइपराइटर, साइक्लोस्टाइल, अन्य ऐसी ही चीज़ें और खाने-पीने का समान जिसके विषय में सामान्यतः यह जान पड़े कि वह उन कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं और वालण्टियरों के लिए है, जो लगानबन्दी का आन्दोलन कर रहे हैं या करेंगे, आदि सब सामान पर क़ब्ज़ा करके उसे किसी सुरक्षित स्थान में रक्खें। उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाद में करेंगे।

ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी के लिए जो वारण्ट था, जिसमें लिखा था कि वह आनन्द-भवन में है। पर चूँकि आनन्द-भवन में ऐसा कोई दफ़्तर नहीं है, इसलिए श्री० आर० एस० पण्डित ने आनन्द-भवन की तलाशी लेने पर आपत्ति की। इस पर तलाशी लेने वाले असि० सुप० पुलिस ने फ़ोन द्वारा डि० मैजिस्ट्रेट को सूचना देकर नया वारण्ट मँगवाया और आनन्द-भवन में श्री० जवाहरलाल नेहरू के ऑफ़िस की तलाशी ली।

इन तलाशियों में पुलिस को दो-चार नोटिसों और एक देहात-दमन सम्बन्धी शिकायतों की फ़ायल के सिवाय और कुछ न मिला। किसी ऑफ़िस में टाइपराइटर या साइक्लोस्टाइल भी न मिले। यह भी मालूम हुआ है कि तलाशी की जगहों में फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट निरीक्षण के लिए भेजे गए थे।

श्री० जवाहरलाल नेहरू ने श्री० टी० के० शेरवानी और श्री० टण्डन जी के नाम बम्बई से तार भेजा है, जिसमें लिखा है कि "आपको और अन्य साथियों को हार्दिक बधाई।"

श्री० शेरवानी ने सरकारी बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उसमें मेरे एक पत्र के जो वाक्य उद्धृत किए गए हैं, वे बहुत ही ग़लतफ़हमी फैलाने वाले हैं। मेरा वह सर्कुलर साम्प्रदायिक परिस्थिति के सम्बन्ध में था और मैंने यही बतलाया था कि किसान-आन्दोलन के द्वारा साम्प्रदायिक भेद मिट कर सब मतों के लोग कॉङ्ग्रेस के अनुयायी हो जायँगे।

श्री० टण्डन जी का उत्तर

१४ ता० को रात के दस बजे श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि दफ़ा १४४ की आज्ञाओं से कॉङ्ग्रेस का काम नहीं रुक सकता।

टण्डन जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि मि० बक्फ़र्ड के इस नोटिस के कारण ही, कि किसान लोग लगान फ़ौरन् अदा कर दें, लगानबन्दी का आन्दोलन क़ानून-विरुद्ध समझा जाने लगा है। सच्ची बात यह है कि डि० मैजिस्ट्रेट को किसानों को कॉङ्ग्रेस के पास सलाह लेने को आने से रोकना है और वे कॉङ्ग्रेस के लगानबन्दी के आन्दोलन को भी नहीं बढ़ने देना चाहते।

यह भी मालूम हुआ है कि प्रान्तीय कमिटी की सब-कमिटी ने उन कॉङ्ग्रेस कमिटियों को, जिन्हें लगान-बन्दी की अनुमति दी गई है, यह भी अधिकार दिया है कि वे उन सब आज्ञाओं का उल्लङ्घन करें, जो कॉङ्ग्रेस का कार्य और विशेषतः लगानबन्दी आन्दोलन को रोकने के उद्देश्य से दी जाएँ। कुछ दशाओं में व्यक्तियों को सविनय-क़ानून-भङ्ग की भी अनुमति दी गई है। यह भी निश्चय कर दिया गया है कि लगानबन्दी के और राजनीतिक मामलों में न किसी तरह की सफ़ाई दी जाय और न ज़मानत आदि दी जाय।

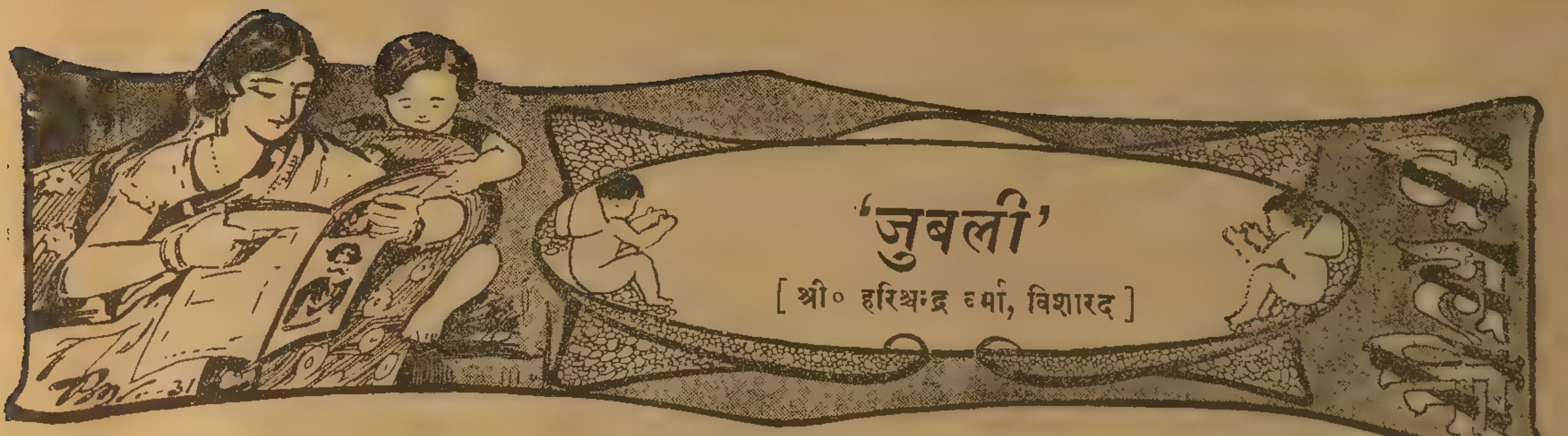
रूदापुर में गोली चली

१९ ता० की रात को सात-आठ बजे इलाहाबाद की फूलपुर तहसील के रूदापुर गाँव में एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर और कितने ही कॉन्स्टेबिल कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस की तलाशी लेने पहुँचे, उसमें अन्य सामान और काग़ज़-पत्रों के साथ आठ मन खाद्य सामग्री भी थी, जिसे पुलिस ने इक्कों पर लाद लिया। इस पर क़रीब २५० गाँव वाले इकट्ठे हो गए और पुलिस से खाद्य सामग्री न ले जाने को कहने लगे। सरकार की तरफ़ से यह भी कहा गया है कि दो कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों ने पुलिस पर हमला किया। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, पर उससे कोई घायल न हुआ। गोली चलने से गाँव वाले हट गए। जब इक्के फिर चलने लगे, तो कुछ लोगों ने, जिनमें औरतें तथा बच्चे भी थे, इक्कों को घेर लिया और वे अनाज के दो बोरे और कुछ आटा ले ही गए। १७ ता० का समाचार है कि इस सम्बन्ध में बाद में नौ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं और दूसरे लोगों के पकड़े जाने की भी सम्भावना है।

रायबरेली में गिरफ़्तारियाँ

बनारस का १७ ता० का समाचार है कि रायबरेली में ऑर्डिनेन्स के अनुसार सत्याग्रह कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० शीतलासहाय, डि० कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० सत्यनारायण और एक सदस्य दफ़ा १४४ का उल्लङ्घन करने में पकड़े गए हैं। रायबरेली में यह पहला ही दल गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी लेकर लगानबन्दी सम्बन्धी कुछ इश्तहार और किसानों की दशा सम्बन्धी कॉङ्ग्रेस की रिपोर्ट की एक प्रति उठा ले गई।

(शेष मैटर ४थे पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



'जुबली'

[श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद]

नाम था उसका 'बेधड़क' और था भी वह वास्तव में बेधड़क ही। अनोखी शान से सज-धज कर प्रत्येक शुक्रवार को निकलता और अपनी मनोहर छवि से सभी को आकर्षित कर लेता। बालक उसे देखते ही झपट कर उठा लेते और उसकी मनोरञ्जक कहानियाँ पढ़ कर हँसी से लोट-पोट हो जाते। उसके चित्र तो उनके लिए चटपटी चटनी थे। युवक उसके भावपूर्ण लेखों को पढ़ कर साहसी, सत्यप्रिय तथा उन्नत बनने का पाठ ग्रहण करते, युवतियाँ उससे नारी-जीवन के वास्तविक कर्त्तव्य का ज्ञान प्राप्त करतीं, वृद्ध उसे पढ़ कर अपना लोक-परलोक सुधारते। मतलब यह कि सभी के लिए उसमें थोड़ा-बहुत मसाला रहता। सभी उसे प्यार करते थे। सभी उसके नए अङ्क की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए उसकी राह देखा करते।

सम्पादक थे, उसके प्रमोदकुमार 'आनन्द'। स्वभाव के हँसमुख, शरीर के हृष्ट-पुष्ट और रङ्ग-रूप के सुन्दर। दुखियों के प्रति उनके हृदय में दया थी, दरिद्रों के लिए स्नेह। उद्देश्य था, उनका सेवा। उनकी योग्यता पर सब लट्टू थे। सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान था। 'बेधड़क' का सम्पादन वे बड़ी योग्यता से करते थे। वही उनकी आठो पहर की चिन्ता थी। उसकी उन्नति ही उनके लिए स्वयं अपनी उन्नति थी। यही कारण है कि वे तन-मन-धन से उसी में लगे हुए थे।

२

सन्ध्या-समय की बात है। प्रमोदकुमार कई मित्रों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। उनके ये सभी मित्र साहित्य-प्रेमी थे, सबको साहित्याध्ययन की चाट थी। उनके पत्र के लिए वे कुछ न कुछ लिखा ही न करते थे, वरन् उसके प्रकाशन में भी वे प्रमोद के दाहिने हाथ थे।

प्रमोद की ओर कुर्सी फेरते हुए प्रेमशङ्कर ने कहा—यार आनन्द! तुम्हारे पत्र का वर्ष पूरा होने को आ गया, क्या इस बार कोई विशेषाङ्क निकालने का विचार नहीं है?

"विशेषाङ्क!"—प्रमोद ने प्रश्न को दोहराया—"नवीन वर्ष का प्रथम अङ्क स्वयं ही नव-वर्षाङ्क होगा।"

"नहीं, यह ठीक नहीं। कोई और विशेषाङ्क निकालो।"

पण्डित रुद्रदत्त बोल उठे—अपने राम की भी यही राय है। अबकी बार ऐसा विशेषाङ्क निकाला जावे, जैसा आज तक किसी साप्ताहिक का निकला ही न हो।

"तो क्या 'कल्याण' के रामायणाङ्क अथवा 'विशाल-भारत' के कला-अङ्क से भी बढ़ कर?"—प्रमोद ने पूछा।

"नहीं जी, उतना भारी पोथा ठीक नहीं। सौ-सवा सौ पृष्ठों का अङ्क हो; सामग्री चित्रादि मज़ेदार हों; रूप-रङ्ग ठाठदार हो।"

रुद्रदत्त—ठीक है। ऐसे अङ्क का मूल्य भी कम हो, ताकि बिक्री अधिक हो।

प्रमोद—यह ठीक है। परन्तु यथार्थ में मैं तो बिना किसी विशेष बात के विशेषाङ्क निकालना ही नहीं पसन्द करता। यदि कोई विशेष अवसर होता तब तो ठीक भी था।

प्रेम—तो क्या यह विशेष अवसर नहीं है? नए वर्ष से बढ़ कर और कौन सा सुअवसर होगा?

पं० रुद्रदत्त ने कहा—भई आनन्द जी! कुछ भी हो, विशेषाङ्क अवश्य निकालिए। कुछ न सही, ज़रा अपनी और पत्र की शान ही बढ़ेगी।

प्रमोद हँसे। दीनानाथ ने कहा—निकलने न दो, उसमें हानि ही क्या है?

प्रमोद ने कहा—परन्तु एक......।

बात काट कर प्रेम ने कहा—अब परन्तु-वरन्तु रहने दीजिए। बस विशेषाङ्क की तैयारियाँ आरम्भ कर दीजिए। कहिए रुद्रदत्त जी, क्या विशेषाङ्क होना चाहिए?

"मेरी सम्मति में तो"—पण्डित जी ने कुछ सोचते हुए कहा—"इस अङ्क का नाम 'जुबली-अङ्क' रक्खा जावे।"

"जुबली!"—सब मित्र खिलखिला पड़े।

"भई वाह, जुबली-अङ्क तो पचास या पच्चीस वर्ष पर निकल सकता है, अभी उसका समय कहाँ?"

"न सही। जुबली के अर्थ हर्ष के हैं। अतएव किसी भी हर्ष के अवसर पर जुबली-अङ्क निकाला जा सकता है। फिर 'बेधड़क' के इस वर्ष पचास अङ्क निकल चुके हैं। अगला अङ्क बेखटके 'जुबली-अङ्क' हो सकता है।"

सब मित्र कुछ क्षण तक विचार में लीन रहे। प्रेम ने पूछा—"क्या और कोई अङ्क नहीं हो सकता?" उन्होंने दीनानाथ की ओर देखा।

दीनानाथ कुछ सोचते हुए से बोले—और क्या? फिर तो 'नववर्षाङ्क' ही हो सकता है।

प्रमोद ने कहा—यही ठीक भी है।

प्रेम ने उनकी ओर देख कर सिर हिलाया। पण्डित जी बोले—अजी, और क्या हो सकता है, जुबली-अङ्क ही रक्खो। उसमें हानि ही क्या है? एक नई बात होगी।

बड़ी देर सोचने के उपरान्त प्रेम ने सबकी ओर देखते हुए कहा—अच्छा यही सही। क्यों भाई दीनानाथ?

दीनानाथ ने सिर हिला कर कहा—हाँ-हाँ, अच्छा है।

प्रेम—तो प्रमोद! बस कल ही के अङ्क में इसकी सूचना दे दो।

"जुबली की?"—प्रमोद मुस्कराए।

"हाँ-हाँ।"—पण्डित जी, प्रेम तथा दीनानाथ ने एक साथ ही कहा।

"अच्छी बात है। जैसी राय हो।"

दूसरे ही दिन 'जुबली-अङ्क' की सूचना बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में पूर्ण विवरण के साथ 'बेधड़क' में प्रकाशित हो गई।

३

जुबली-अङ्क की तैयारियाँ हो चुकीं। चित्रों का प्रबन्ध, लेखों का संग्रह और विज्ञापनों का चुनाव सब कुछ हो गया। पिछले कई दिवस से प्रमोद मित्र-मण्डली सहित समस्त सामग्री के संग्रह में संलग्न थे। टाइटिल के लिए सुन्दर तिरङ्गे चित्र का ब्लॉक बनवाया गया था; लेखों और उनके लिए बढ़िया काग़ज़ का विशेष रूप से प्रबन्ध हुआ था। चित्र भी यथाशक्ति एक से एक मनोहर छाँटे गए थे। इस बार पण्डित रुद्रदत्त जी ने समस्त रात्रि जग कर बालकों के लिए मनोरञ्जक लेख लिखे; दीनानाथ ने वृद्धों के योग्य सामग्री संग्रह करने में अपनी समस्त योग्यता लगा दी और प्रेमशङ्कर ने तो विशेषाङ्क के लिए कविता गढ़ने में क़लम ही तोड़ दी। सभी तैयारियाँ हो चुकी थीं, केवल प्रमोद का सम्पादकीय लेख न लिख पाया था। इस समय वे उसी के लिखने में लग्न थे।

दिन के तृतीय प्रहर का समय था। गर्मी यथेष्ट पड़ रही थी, प्रमोदकुमार अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे लिखने में निमग्न थे। उन्होंने इस लेख का शीर्षक रक्खा था 'जुबली-अङ्क'। लेख अभी समाप्त न हो पाया था। प्रमोद दाँत तले क़लम दबाए कुछ विचार कर रहे थे। सहसा कमरे के द्वार की चिक हट गई और एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ने दो सिपाहियों के सहित कमरे में प्रवेश किया। प्रमोद ने विस्मयपूर्वक दृष्टि उनकी ओर फेरी। दरोग़ा जी के समीप आने पर वे कुछ मुस्कुराए। अपना जेब से एक काग़ज़ निकाल कर प्रमोद के हाथ में देते हुए दरोग़ा जी ने कहा—गत सप्ताह के अङ्क के सम्पादकीय लेख में कुछ भाग राजद्रोहात्मक लिखने के अपराध में मैं आपको गिरफ़्तार करना चाहता हूँ। आप पर सेडीशन का केस चलाया जावेगा।

प्रमोद ने सरसरी दृष्टि से हाथ के पत्र को देखा। वह उनका वारण्ट था। उनका हृदय क्षण भर को धक् से हो गया। परन्तु तुरन्त ही वे सँभल गए और मुस्करा कर दरोग़ा जी से बोले—अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। परन्तु यदि आपकी आज्ञा हो तो दस मिनट में यह लेख पूर्ण कर दूँ। तब तक आप बैठिए।

दरोग़ा जी ने अपनी असमर्थता दर्शाते हुए कहा—क्षमा कीजिए; मैं विवश हूँ। ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता, मुझे आपको तुरन्त जेल पहुँचाना है।

प्रमोद ने और कुछ न कहा। दरोग़ा जी पर से दृष्टि हटा कर एक बार विषादपूर्ण दृष्टि से लेख को देखते हुए उन्होंने कहा—अच्छी बात है, चलिए।

प्रमोद की गिरफ़्तारी की सूचना अब तक समस्त कार्यालय में पहुँच चुकी थी। देखते-देखते कमरा प्रेस के कर्मचारियों से भर गया। प्रेमशङ्कर और पं० रुद्रदत्त भी आ पहुँचे। प्रमोद की ओर विषादपूर्ण हँसी से देखते हुए पण्डित जी ने कहा—ख़ूब! का सुनाइ विधि काह सुनावा! कहाँ तो जुबली हो रही थी और कहाँ यह......।

प्रमोद ने मुस्कराते हुए तथा उनसे विदा लेते हुए कहा—हरि इच्छा बलवान! अब मैं तो जाता हूँ। परन्तु देखो, अङ्क अवश्य निकालना। मेरी अनुपस्थिति में पत्र का कार्य रुकना न चाहिए।

पण्डित जी दृढ़तापूर्वक बोल उठे—भला कहीं पत्र रुक सकता है? निकलेगा और अवश्य निकलेगा। आप उसकी चिन्ता न करें।

प्रमोद ने कुछ हँसने का प्रयत्न करते हुए कहा—इसी में मुझे सुख मिलेगा।

तदुपरान्त अन्य कर्मचारियों ने प्रमोद के गले में मालाएँ पहनाईं और पुष्पों की वर्षा की। मुस्कराते हुए

प्रमोद बाहर मोटर पर जा बैठे। क्षण भर में मोटर हवा से बातें करने लगी। जय-जयकार से आस-पास की वायु थर्रा उठी।

*

प्रमोदकुमार पर सेडीशन केस बड़े ज़ोर-शोर से चला। प्रथम तो न जाने किस कारण से कोई बड़ा वकील उनकी ओर से पैरवी करने को सहमत न हुआ, परन्तु अन्त में दो वकील उनकी ओर से खड़े हो गए। वे दोनों यद्यपि सर्वश्रेष्ठ वकील तो न थे, परन्तु फिर भी थे अच्छे वकीलों में से। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य लगा कर प्रमोद का केस लड़ा। अनेक तर्क-वितर्क किए, विविध नज़ीरें उपस्थित कर, उन्हें निर्दोष प्रमाणित कराना चाहा, परन्तु सफल न हो सके।

शुक्रवार का दिन था। आज ही प्रमोद के मुक़दमे का फ़ैसला सुनाया जाने वाला था। अदालत में यथेष्ट भीड़ थी। प्रेमशङ्कर, दीनानाथ और रुद्रदत्त भी उपस्थित थे। दो बजे के उपरान्त मैजिस्ट्रेट ने फ़ैसला सुनाया। प्रमोद को १½ वर्ष की क़ैद और ४००) जुर्माने का दण्ड मिला। समस्त अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी एक-दूसरे की ओर देखते रह गए।

क़ानून के सबब से मख़्लूक़ डर रही है

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

अपनी क़ज़ा से ख़िलक़त,[१] आलम में डर रही है,
दुनिया किसी को नाहक़ बदनाम कर रही है।
मग़रिब[२] के उलटे-सीधे, साँचों ने क़ह्र[३] ढाया,
हम यह समझ रहे थे, दुनिया सँवर रही है।
दुनिया को देख कर भी, दुनिया को कुछ न देखा,
इस पर नज़र रही है, उस पर नज़र रही है।
हरदम नया शिकञ्जा, हर वक़्त ख़ास बन्दिश,[४]
क़ानून के सबब से मख़्लूक़[५] डर रही है।
मिल कर किसी से लड़ना, लड़ कर किसी से मिलना,
महफ़िल में वह नज़र भी क्या काम कर रही है!
ऐसा दिया थपेड़ा, मुश्किल हुआ ठहरना,
मौजों ने जब यह देखा कश्ती उभर रही है।
क्यों कर न क़िस्सए ग़म "बिस्मिल" उन्हें सुनाऊँ,
वह पूछते हैं मुझसे, कैसी गुज़र रही है?

१—जनता, २—पश्चिम, ३—ग़ज़ब, ४—बन्धन, ५—जनता।

कुछ ही देर के उपरान्त पुलिस प्रमोद को जेल ले चली। मित्रों ने बधाई दी, जनता ने जय-घोष किया। लॉरी तीव्रता से वायु को चीरती हुई चल दी। प्रमोद सिर झुकाए बैठे किसी चिन्ता में लीन थे। सहसा सड़क पर एक आवाज़ ने उनकी विचार-माला तोड़ दी। उन्होंने दृष्टि उस ओर फेरी। सड़क के किनारे खड़ा एक द्वादश-वर्षीय बालक चिल्ला रहा था—'बेधड़क' का 'जुबली-नम्बर' आठ आने को। छप गया 'बेधड़क' का 'जुबली-नम्बर।' प्रमोद ने देखा, उसके हाथ में 'बेधड़क' की कुछ कॉपियाँ थीं। दूर से उसका तिरङ्गा मुख-पृष्ठ देख, प्रमोद खिल उठे। उसके देखने की उत्कट अभिलाषा से वे उद्विग्न हो उठे। उत्सुकतापूर्वक उन्होंने इन्स्पेक्टर से कहा—महोदय! मैं ज़रा 'जुबली-अङ्क' देखना चाहता हूँ। मिल सकता है?

"क्षमा कीजिए"—इन्सपेक्टर ने कहा—"मैं नियम-विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।"

प्रमोद का मुख उतर गया। वे ललचाई दृष्टि से उस बालक की ओर देखते रह गए। उनके हृदय के कोने से न जाने कौन कह उठा—"आह! क्या यही जुबली है?"

❀ ❀ ❀



[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

इङ्गलैण्ड का शासन-विधान

इङ्गलैण्ड का शासन-विधान संसार के अन्य कई विधानों का जनक है। उसी तरह वहाँ की (इङ्गलैण्ड की) पार्लामेण्ट भी अन्य पार्लामेण्टों की जननी है। संसार के इतिहास में शासन-कला की उन्नति में जितना भाग इङ्गलैण्ड का है, उतना किसी भी अन्य देश का नहीं है। आजकल संसार में जितने शासन-विधान पाए जाते हैं, उनमें सबसे प्राचीन इङ्गलैण्ड का ही शासन-विधान है। इङ्गलैण्ड का विधान रूपी वृक्ष पाँच सौ वर्षों का प्राचीन है। इन पाँच सौ वर्षों में इङ्गलैण्ड में बहुत उलट-फेर हुए हैं—अनेक बार क्रान्तियाँ भी हुई हैं, पर उसका विधान-वृक्ष बराबर फूलता-फलता ही जा रहा है। एक के बाद एक करके अनेक नवीन शाखाएँ निकलती चली आई हैं। इसके तीन प्रधान कारण हैं।

प्रथम कारण है, इङ्गलैण्ड की भौगोलिक स्थिति। यूरोपीय महाद्वीप से बीस मील चौड़े समुद्र द्वारा इङ्गलैण्ड सर्वदा के लिए अलग कर दिया गया है। फलतः विदेशी आक्रमणों से इङ्गलैण्ड पूर्णतया सुरक्षित रहा है और वहाँ के राजाओं को कभी विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के बहाने जनता की स्वतन्त्रताएँ अपहरण करने का अवसर नहीं मिला है।

दूसरा कारण है, अङ्गरेज़ जाति की राष्ट्रीयता। सेल्ट, सैक्सन, नॉरमन तथा डेन, इन चार जातियों के एक दूसरे से मिल जाने से ब्रिटिश राष्ट्र बना है। फलतः जातीय स्वभाव के कारण अङ्गरेज़ जाति सदा राजनीतिक स्वतन्त्रताओं की उपासक रही है। अङ्गरेज़ सदा उसी शासन को उचित समझते रहे हैं, जो जनता की इच्छाओं के अनुकूल रहा है। तीसरा कारण यह है कि इङ्गलैण्ड का विधान सदा लचकदार (Flexible) रहा है। कड़े क़ानूनों तथा नियमों का वहाँ विधान में समावेश न होने के कारण उसने सदा मनमाने रास्ते पर चल कर अपने ढङ्ग से उन्नति की है तथा इसके मार्ग में कभी क़ानून-रूपी रोड़े नहीं पड़े हैं। संसार के अन्य विधान लिखित हैं। परन्तु इङ्गलैण्ड का विधान अलिखित है। केवल थोड़ा अंश लिखित है। इङ्गलैण्ड के विधान की अधिकतर बातें कहीं लिखी नहीं पाई जाएँगी। क्योंकि विधान बनाने के लिए कभी इङ्गलैण्ड में विधान-विधायिनी सभा नहीं बैठी। इङ्गलैण्ड का विधान पाँच बातें मिल कर बना है और इन बातों की व्याख्या पूरी तरह नहीं की जा सकती। सबसे पहिले विधान में वे आवश्यकीय ऐतिहासिक बातें हैं, जो समय-समय पर इङ्गलैण्ड के राजाओं या वहाँ की पार्लामेण्टों द्वारा की गई हैं। जैसे, मेगनाचार्टा (Magnacharta) १२१५, अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र (Petition of Right) १६२८, अधिकारों का बिल (Bill of Rights) १६८९, बन्दोबस्त क़ानून (Act of Settlement) १७०१, एकता सम्बन्धी क़ानून (Act of Union) १७०७, सुधार क़ानून (The Great Reform Act) १८३२, पार्लामेण्ट सम्बन्धी क़ानून (The Parliament Act) १९११, और आयर्लैण्ड की सरकार का क़ानून (The Government of Ireland Act) १९२२। इसके बाद वे क़ानून हैं, जिन्हें पार्लामेण्ट ने समय-समय पर बनाया है और जो ऐसी बातों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे मताधिकार, चुनाव, सरकारी अफ़सरों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि। तीसरे न्यायाधीशों के वे निर्णय हैं, जो उन्हें समय-समय पर भिन्न-भिन्न क़ानूनों के सम्बन्ध में देने पड़े हैं। चौथे इङ्गलैण्ड का आम क़ानून है, जिसे अङ्गरेज़ी में कॉमन लॉ (Common Law) कहते हैं। आम क़ानून से उन क़ानूनों से मतलब है, जो (पार्लामेण्ट द्वारा बनाए क़ानूनों को छोड़ कर समय-समय पर इङ्गलैण्ड में उपजे हैं और अन्त में सर्वत्र माने गए हैं। ऐसे आम क़ानून न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा सदा बढ़ते रहते हैं। अन्त में वे बातें हैं, जो समय-समय पर इङ्गलैण्ड में की गई हैं और वे बातें इतनी बार की जा चुकी हैं, तथा इतनी अधिकारपूर्ण हैं कि अब वे अवश्यमेव मानी जाती हैं। इङ्गलैण्ड के विधान का काफ़ी अंश ऐसी ही बातों द्वारा बना है।

इङ्गलैण्ड के विधान में किसी समय भी पार्लामेण्ट संशोधन कर सकती है। पार्लामेण्ट जब चाहे एक क़ानून पास करके विधान में संशोधन तथा परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कोई भी क़ानून या अधिकार नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट बदल न सकती हो, ऐसा कोई भी न्यायाधीशों का निर्णय नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट रद्द न कर सकती हो। आम क़ानून के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट परिवर्तित नहीं कर सकती है। ऐसी कोई भी की हुई बात नहीं है, जिसका पार्लामेण्ट अन्त नहीं कर सकती। पार्लामेण्ट ही सर्वेसर्वा है। सारे सरकारी अधिकार पार्लामेण्ट की कृपा पर ही निर्भर हैं।

सहस्रों वर्ष पहिले की बात है, जब यूरोप से सेल्टिक जाति ने इङ्गलैण्ड पर धावा किया था। ईसा के ५४ वर्ष पहिले जुलियस सीज़र ने इङ्गलैण्ड पर चढ़ाई की थी। पर सीज़र ने वहाँ अपना अड्डा नहीं जमाया। सौ वर्ष पश्चात् सम्राट् क्लाडियस ने इङ्गलैण्ड को जीत कर उसे रोम के साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया। रोम वाले चार सौ वर्ष तक इङ्गलैण्ड पर अपना अधिकार जमाए रहे। उनके समय में इङ्गलैण्ड ने ख़ूब उन्नति की। उसके पश्चात् एङ्गलों और सैक्सन जातियों ने इङ्गलैण्ड पर अधिकार जमाया। सैक्सन काल में इङ्गलैण्ड का राजा सदा एक ही वंश का होता था और युद्ध-काल में वह जनता का नेता समझा जाता था। वह 'विटन' सभा की रज़ामन्दी से क़ानून बनाता था तथा क़ानूनों को कार्यान्वित करता था। गिर्जाघर की सभाओं का सभापति भी वही बनता था।

राजा की एक बड़ी कौन्सिल होती थी, जिसे 'विटन' कहते थे। आवश्यकीय मामलों पर राजा इस कौन्सिल

से सलाह लेता था। परन्तु जब राजा कमज़ोर होता था, तो देश का शासन बहुत-कुछ कौन्सिल के हाथ में चला जाता था। राजा के प्रधान अफ़सर, विशप आदि और देश के बड़े-बड़े लोग इस कौन्सिल के सदस्य होते थे। राजा जिसे चाहता, उसे इस कौन्सिल में बुला सकता था, अतएव समय-समय पर इस कौन्सिल के सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रहती थी। राजा के सभापतित्व में इसकी बैठकें होती थीं और वही इसके कार्यों का सञ्चालन करता था। नए क़ानूनों को कौन्सिल की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। 'विटन' कौन्सिल सन्धियाँ करती थी, टैक्स आदि इसी की रज़ामन्दी से लगाए जाते थे, और गिर्जाघरों के कार्यों का सञ्चालन भी इसी की निगरानी में होता था।

'विटन' कौन्सिल के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं जाते थे, अतएव इसे प्रतिनिधि-संस्था नहीं कह सकते। तथापि यह कौन्सिल राजा के निरङ्कुश कार्यों को रोक सकती थी, पर अधिक नहीं, क्योंकि राजा अपने समर्थकों को कौन्सिल का सदस्य बना कर कौन्सिल को अपनी अँगुली पर नचा सकता था।

सैक्सन काल में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा होती थी। प्रत्येक गाँव में कुछ अफ़सर होते थे, जो इस सभा के सदस्य चुने जाते थे। गाँव के प्रधान अफ़सर को 'रीव' (Reeve) कहते थे। कुछ गाँव मिल कर एक गुट्ट बनाते थे, जिसे 'हण्ड्रेड' (Hundred) कहते थे। प्रत्येक 'हण्ड्रेड' में एक स्थानीय सभा होती थी। इसमें प्रत्येक गाँव का 'रीव' तथा अन्य चार भले आदमी रहते थे।

अन्त में वह सभा होती थी, जिसे 'शाइर' (Shire) कहते थे। इस सभा में बड़े ज़मींदार, गिर्जाघर के बड़े पदाधिकारी, 'रीव' तथा गाँव के अन्य प्रतिनिधि रहते थे। इस सभा की बैठक वर्ष में दो बार होती थी। इसका सभापति आमतौर से राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसे 'एल्डरमैन' (Ældorman) कहते थे। एक और अफ़सर भी होता था, जिसे 'शेरिफ़' या 'शाइर रीव' कहते थे। यह भी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। कुछ समय बाद यही अफ़सर सभा का सभापति होने लगा था। यह सभा महत्वपूर्ण—विशेषकर भूमि से सम्बन्ध रखने वाले—मुक़दमे सुनती थी। इसकी अपील 'विटन' में सुनी जाती थी।

कुछ समय पश्चात् नॉरमैनों ने इङ्गलैण्ड पर अधिकार कर लिया। उनके वहाँ आने के साथ ही इङ्गलैण्ड के शासन-विधान के दूसरे अध्याय का श्रीगणेश हुआ। नॉरमैन-काल में राजा के अधिकार बहुत बढ़ गए। विटन-कौन्सिल का स्थान 'मगनम-कान्सीलियम' (Magnum Concilium) ने ले लिया। इसमें भी 'विटन' की भाँति ही ऊँचे सरकारी अफ़सर आदि रहते थे। राजा विलियम के समय इस कौन्सिल की बैठक वर्ष में तीन बार होती थी। पर इस समय इस कौन्सिल के अधिकार उतने न रह गए थे। बहुत से अधिकार राजा के हाथों में चले गए थे। इस कौन्सिल के कुछ सदस्य—विशेषकर सरकारी अफ़सर राजा के साथ हर समय रहा करते थे। जहाँ-जहाँ राजा जाता था, वहाँ-वहाँ ये अफ़सर भी जाते थे। ये लोग राजा को सलाह दिया करते थे तथा शासन करने में उसकी सहायता करते थे। इन लोगों को 'क्युरिया रेजिस' (Curia Regis) कहते थे। उस समय के सम्बन्ध में आवश्यकीय बात, जो पाठकों को स्मरण रखनी चाहिए, यह है कि राजा एक कौन्सिल की सहायता से देश पर शासन करता था, जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते थे। अन्तिम काल में कौन्सिलें दो प्रकार की होती थीं। बड़ी कौन्सिल से पार्लामेण्ट की उत्पत्ति हुई। छोटी कौन्सिल से प्रीवी-कौन्सिल, एक्सचेकर (Exchequer) तथा हाईकोर्ट की उत्पत्ति हुई। अस्तु।

द्वितीय हेनरी ने शासन में समयानुकूल अनेक परिवर्तन किए, सरकारी न्यायाधीश दौरे पर विशेष तौर से भेजे जाने लगे। योग्य शेरिफ़ नियुक्त किए गए। अदालतों में ज्यूरियों का आमतौर से प्रयोग किया जाने लगा, 'और क्यूरिया रेजिस' के शासकीय तथा न्याय-विभाग को अलग-अलग कर दिया गया। बड़ी कौन्सिल का प्रयोग अधिक होने लगा तथा तमाम आवश्यकीय प्रश्न इसके सामने रक्खे जाने लगे। उसका क्लैरण्डन का विधान ११६४ (Constitutions of Clarendon) इङ्गलैण्ड के विधान का प्रथम लिखित अंश है।

सन् १२१५ के चार्टर ने बड़ी कौन्सिल के अधिकार बढ़ा दिए। इस चार्टर में स्पष्ट कहा गया था कि बिना कौन्सिल की स्वीकृति के राजा नवीन तथा विशेष टैक्स नहीं लगा सकता था। प्रत्येक 'बैरन' (Baron) तथा 'नाइट' (Knight) को कौन्सिल में निमन्त्रित करना आवश्यक था। इस 'मेगना कार्टा' ने जनता के प्रतिनिधियों को कौन्सिल में बुलवाने का प्रयत्न किया। 'मेगना कार्टा' का महत्व यह है कि उसने कुछ मामलों पर कौन्सिल की स्वीकृति लेना राजा के लिए लाज़िमी कर दिया।

दो वर्ष पहिले राजा जॉन ने बैरनों तथा प्रत्येक ज़िले से चार नाइटों को कौन्सिल में बुलाया था। इसके बाद राजा जॉन के उत्तराधिकारी तृतीय हेनरी ने जॉन का अनुकरण करके नाइटों को बुलाया और उनसे कई प्रकार के नवीन टैक्स को लगाने की स्वीकृति माँगी। परन्तु नाइटों ने स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया। फलतः दोनों पक्षों में झगड़ा हो पड़ा। दोनों तरफ़ से हथियार चमकने लगे और युद्ध आरम्भ हो गया। परन्तु इस युद्ध में राजा पराजित हो गया और बैरनों का नेता साइमन डी मण्टफ़र्ट इङ्गलैण्ड का शासक बन बैठा। परन्तु मण्टफ़र्ट को भी धन की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी हेनरी को, और बिना कौन्सिल की स्वीकृति के धन मिल नहीं सकता था। अतएव उसने एक ऐसी कौन्सिल बुलाने की योजना की, जो उसे धन दे दे। फलतः सन् १२६५ में उसने एक कौन्सिल बुलाई, जिसमें बिशप, बैरन तथा नाइटों को छोड़ कर इङ्गलैण्ड के २१ शहरों से दो-दो प्रतिनिधि भी आए थे। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि मण्टफ़र्ट ने उन्हीं शहरों से प्रतिनिधि बुलाए थे, जो उसे धन देने को तैयार थे। चूँकि शहरों के प्रतिनिधि पहले-पहल बुलाए गए थे, इसीलिए मण्टफ़र्ट को बहुधा हाउस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) का पिता कहते हैं। परन्तु मण्टफ़र्ट के शासन से अलग होते ही शहरों के प्रतिनिधियों का कौन्सिल में बुलाया जाना पुनः बन्द हो गया। सन् १२६५ में प्रथम एडवर्ड ने उन्हें एक बार पुनः बुलाया। सन् १२६५ में युद्ध के कारण एडवर्ड को धन की अत्यावश्यकता थी। अतः उसने एक बड़ी सी कौन्सिल बुलाई, जिसे अब पार्लामेण्ट कहते थे। इस पार्लामेण्ट की बैठक एक ही चेम्बर में हुई थी, पर इसके सदस्य तीन भागों में बटे थे। गिर्जाघर से सम्बन्ध रखने वालों का एक गुट्ट था, बैरनों तथा नाइटों का दूसरा, और शहर के लोगों का तीसरा गुट्ट था। प्रत्येक गुट्ट अलग वोट देता था, अलग राजा के सम्मुख जाता था और धन के लिए अपनी स्वीकृति दे आता था। ये लोग बैठते न थे, राजा के सामने खड़े रहते थे और तमाम कार्यवाही केवल कुछ मिनटों में ही समाप्त हो जाती थी। अन्त में क्रमशः उपर्युक्त तीन गुट्ट दो गुट्टों में परिवर्तित हो गया। पादरियों और बैरनों का एक गुट्ट हो गया तथा नाइटों और शहरों के प्रतिनिधियों का दूसरा। इस तरह पार्लामेण्ट दो शाखाओं में विभाजित हो गई, जिसे आगे चल कर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स (House of Lords) और हाउस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) कहने लगे। पर ऐसा होने में लगभग सौ वर्ष लग गए थे।

पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि चौदहवीं सदी में पार्लामेण्ट क़ानून नहीं बनाती थी। लॉर्डों की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्य केवल प्रार्थना-पत्र उपस्थित कर सकते थे तथा टैक्सों की स्वीकृति देते थे। पर धीरे-धीरे हाउस ऑफ़ कॉमन्स या साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे और कुछ समय पश्चात् उसने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि धन से सम्बन्ध रखने वाले तमाम प्रश्नों पर पहिले वही विचार किया करे। सन् १४०७ में राजा ने भी स्वीकार कर लिया कि पहिले साधारण सभा ही टैक्सों की स्वीकृति दे। तत्पश्चात् सरदार-सभा (हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स) की स्वीकृति ली जावे। क़ानून बनाने में भी क्रमशः साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे। चौदहवीं सदी में साधारण सभा की प्रार्थना पर बड़ी सभा की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। पन्द्रहवीं सदी में दोनों सभाओं की सलाह पर तथा दोनों सभाओं की सलाह से राजा क़ानून बनाता था। जिस समय इङ्गलैण्ड में गृह-युद्ध (War of Roses) हो रहा था, उस समय साधारण सभा के अधिकार बढ़ रहे थे। क्योंकि सरदार-सभा के सदस्य आपस में लड़ने में लगे थे तथा, 'बैरन' आदि युद्ध में नष्ट हो रहे थे।

फिर भी राजा सप्तम् हेनरी तथा रानी एलिज़बेथ के काल में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के अधिकार हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से कम ही थे। राजा हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की ही अधिक परवाह करता था और यदि हाउस ऑफ़ कॉमन्स राजा की इच्छा के विपरीत चलने का प्रयत्न करता तो राजा उसे धमकियाँ दिया करता था। राजा अष्टम् हेनरी ने एक अवसर पर तो यहाँ तक कह डाला था कि यदि हाउस ऑफ़ कॉमन्स अमुक-अमुक बात नहीं करेगा, तो उसके सदस्यों को प्राणदण्ड दिया जावेगा। रानी एलिज़बेथ ने दो सदस्यों को क़ैद कर लिया था; क्योंकि वे एक ऐसे क़ानून बनाने पर ज़ोर दे रहे थे, जिसे वह पसन्द नहीं करती थी। राजा जब चाहता तब पार्लामेण्ट को बुलाता था और जब चाहता तब भङ्ग कर देता था।

स्टुवर्टों के काल में राजा और पार्लामेण्ट में तनातनी होने लगी। रानी एलिज़बेथ के मरने पर प्रथम जेम्स सिंहासन पर बैठा। उसका दावा था कि वह ईश्वरीय अधिकार (Divine Rights) से इङ्गलैण्ड पर शासन करता है। वह अपने विशेष अधिकारों पर अधिक ज़ोर देता था। वह बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के ही प्रजा पर कुछ नए कर लगाना चाहता था तथा बिना क़ानून का विचार किए ही न्याय करना चाहता था। पार्लामेण्ट ने उपर्युक्त दोनों दावों का विरोध किया। पर ख़ैरियत इतनी ही हुई कि प्रथम जेम्स ने अपने दावों पर अधिक ज़ोर नहीं दिया और झगड़ा होते-होते बच गया। इसके बाद जेम्स अपना काम ऑर्डिनेन्सों से निकाल लेता था। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रथम चार्ल्स ने झगड़ा खड़ा ही कर लिया। सन् १६२८ में पार्लामेण्ट की दोनों सभाओं ने मिल कर प्रसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र (Petition of Right) राजा की सेवा में उपस्थित किया, जिसमें कहा गया था कि बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के राजा किसी आदमी से टैक्स

और क़र्ज़ आदि नहीं ले सकता। राजा ने उस समय तो उसे मान लिया, पर शीघ्र ही मनमानी करने लगा। उसने पार्लामेण्ट से बिना स्वीकृति लिए ही जनता पर नए-नए टैक्स लगाए और क़र्ज़ देने के लिए भी विवश किया। जब पार्लामेण्ट ने इसका घोर विरोध किया तो उसने पार्लामेण्ट ही भङ्ग कर दी और ग्यारह वर्ष तक बिना पार्लामेण्ट के ही देश पर शासन करता रहा। फलतः इङ्गलैण्ड में महान क्रान्ति हुई और बाध्य होकर चार्ल्स ने पुनः एक पार्लामेण्ट बुलाई। इस पार्लामेण्ट ने यह क़ानून पास किया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष पार्लामेण्ट अवश्य बुलाई जाया करे। इस क़ानून को 'ट्रीनियल ऐक्ट' (Triennial Act) कहते हैं। इसी पार्लामेण्ट ने जनता के सामने अपना पक्ष ज़ोरों से रक्खा था। राजा और पार्लामेण्ट के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें पार्लामेण्ट की विजय हुई। राजा को प्राण-दण्ड दिया गया। कुछ समय के लिए इङ्गलैण्ड से राजतन्त्र उठ गया और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स का भी अन्त हो गया। क्रॉमवेल ने नवीन ढङ्ग से देश पर शासन करना प्रारम्भ किया। सन् १६५८ में क्रॉमवेल की मृत्यु हुई। उसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र रिचार्ड को चुना था, परन्तु रिचार्ड शीघ्र अपने पद से अलग हो गया और सन् १६६० में इङ्गलैण्ड में राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुई।

इङ्गलैण्ड के नवीन राजा द्वितीय चार्ल्स ने २५ वर्ष तक देश पर शासन किया था। यद्यपि उसके शासन-काल में अनेक अवसरों पर पार्लामेण्ट से झगड़े उठे, पर उसने कभी भी झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसके भाई द्वितीय जेम्स ने पार्लामेण्ट से झगड़ा कर लिया, जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और १६८८ में, विलियम इङ्गलैण्ड के सिंहासन पर बैठाला गया।

राजा और पार्लामेण्ट के युद्ध के काल में राजा की कौन्सिल, जिसे अब प्रीवी-कौन्सिल कहते थे, बहुत मज़बूत हो गई। इसके सदस्यों की संख्या अब अधिक हो गई। यहाँ तक कि एक समय इसमें चालीस सदस्य थे। राजा अपने अनेक अधिकारों का प्रयोग इसी कौन्सिल द्वारा करता था। यह कौन्सिल व्यापार तथा न्याय-विभाग आदि का निरीक्षण करती थी तथा अर्थ पर भी अधिकार रखती थी। इसके सिवा सरकार के प्रत्येक विभाग पर कौन्सिल का कम या अधिक निरीक्षण रहता था।

राजा इसी कौन्सिल की सलाह पर चलता था। पर जब कौन्सिल के सदस्यों की संख्या अधिक हो गई, तो द्वितीय चार्ल्स ने इसके कुछ सदस्यों की एक अन्तरङ्ग कौन्सिल बनाई, जो उसे आवश्यकीय तथा गोपनीय मामलों पर सलाह दिया करती थी। इसी अन्तरङ्ग कौन्सिल को कैबिनट की नींव समझना चाहिए।

विलियम के सिंहासन पर बैठने के उपरान्त पार्लामेण्ट ने अपने अधिकारों की पुनः घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया था कि पार्लामेण्ट ही उच्चतम क़ानूनी संस्था है। बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के टैक्स नहीं लगाया जा सकता और पार्लामेण्ट की बैठकें भी बराबर होनी चाहिए। इस घोषणा के अन्त में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भी घोषणा की गई थी, जिसका अपहरण कभी भी नहीं किया जा सकता था।

सन् १६८९ के पश्चात् इङ्गलैण्ड के विधान में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। राजा के अधिकार बराबर घटते ही चले गए। प्रथम तथा द्वितीय जॉर्जों को इङ्गलैण्ड से अधिक दिलचस्पी न थी। वे अङ्गरेज़ी भाषा भी नहीं जानते थे,। अतएव वे मन्त्रिमण्डल की कौन्सिल में उपस्थित नहीं रहते थे। फलतः राजा के अधिकार घट गए और पार्लामेण्ट के बढ़ गए। कैबिनट ने बराबर उन्नति करके निश्चित रूप धारण कर लिया। सर रॉबर्ट वालपोल को प्रथम प्रधान मन्त्री समझना चाहिए। वह अपने पद पर पार्लामेण्ट के इच्छानुसार ही रहा। जब सन् ११४२ में हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने उसके विरुद्ध वोट पास किया, तो उसने तुरन्त त्यागपत्र देकर सर्वदा के लिए आदर्श उपस्थित कर दिया। सन् १८३२ के सुधार-क़ानून ने अनेक सुधार करके हाउस ऑफ़ कॉमन्स को वास्तव में प्रतिनिधि संस्था बना दी। तत्पश्चात और अनेक सुधार हुए। अन्तिम सुधार सन् १९१८ का था। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के अधिकार बराबर घटते चले गए। दोनों सभाओं में बहुधा मुठभेड़ हो जाती थी। बहुधा जब हाउस ऑफ़ कॉमन्स किसी बात को बहुमत से पास करता था, तब हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स उस बात को कार्यान्वित होने से रोक देता था। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के इस ढङ्ग से ऊब कर उसके अधिकार को कम करने के लिए इङ्गलैण्ड में एक आन्दोलन चल पड़ा। सन् १९११ में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने एक आर्थिक बिल को रद्द कर दिया, जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स पास करने के लिए उत्सुक था। अतः हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के इस अधिकार को सर्वदा के लिए निर्मूल करने के लिए पार्लामेण्ट ऐक्ट पास किया गया। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स को धमकी दी गई कि यदि वह इस ऐक्ट को पास न करेगा

तो नए लॉर्डों की नियुक्तियाँ करके ऐक्ट पास करा लिया जावेगा। धमकी काम कर गई और ऐक्ट दोनों सभाओं द्वारा पास कर दिया गया। उस समय से हाउस ऑफ़ कॉमन्स की तूती बोलने लगी।

इङ्गलैण्ड के विधान का यही इतिहास है। अब पाठकों को वर्तमान विधान की आवश्यकीय बातें समझ लेनी चाहिए।

इङ्गलैण्ड का राजा कभी नहीं मरता। इङ्गलैण्ड में एक कहावत है—"राजा मर गया; राजा चिरञ्जीवी हो।" जिसके माने हैं—"राजा मर गया; वह पद चिरञ्जीवी हो, जिसको एक राजा ने ख़ाली कर दिया है और दूसरे ने ग्रहण कर लिया है।" इङ्गलैण्ड में राजा का जो महत्व है, वह उसके पद का है, न कि उसके व्यक्तित्व का।

बड़ा लड़का राजा का उत्तराधिकारी होता है। पुरुष के रहते हुए स्त्री सिंहासन पर नहीं बैठती। यदि पुरुष और स्त्री कोई सिंहासन के लिए न मिले तो पार्लामेण्ट किसी अन्य को उत्तराधिकारी चुन लेती है। राजा के सब से बड़े लड़के को 'प्रिन्स ऑफ़ वेल्स' कहते हैं। पर पाठकों को यह न समझ लेना चाहिए कि उसका वेल्स से कुछ सरकारी सम्बन्ध नहीं रहता। यदि नवीन राजा १८ वर्ष से छोटा होता है, तो पार्लामेण्ट एक 'रिजेन्सी' की स्थापना करती है। जब कोई नवीन राजा सिंहासन पर बैठता है, तो उसके तथा उसके ख़ान्दान के लिए पार्लामेण्ट राष्ट्रीय कोष से कुछ वार्षिक धन नियत कर देती है। इसको 'सिविल लिस्ट' कहते हैं। इसका कुछ अंश तो विशेष बातों पर व्यय करने के लिए होता है और बाक़ी अंश राजा मनमाने ढङ्ग से व्यय कर सकता है। वर्तमान समय में राजा को बीस लाख से अधिक डालर मिलते हैं।

राजा जो कुछ करता है, जनता के एजण्ट के तौर पर करता है और पार्लामेण्ट का उस पर अधिकार रहता है। क़ानून बनाने में राजा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। न्याय का वह स्रोत होता है तथा वही क्षमा-याचनाएँ स्वीकार करता है। इस प्रकार शासन में, क़ानून बनाने में तथा कार्य करने में राजा का भाग रहता है। पार्लामेण्ट का कोई क़ानून राजा की स्वीकृति के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर राजा यह स्वीकृति सदा ही दे देता है। राजा ही पार्लामेण्ट को बुलाता है, यद्यपि उसे यह नियम मानना पड़ता है कि वर्ष में एक दफ़ा पार्लामेण्ट अवश्य बुलाई जावे। यद्यपि पार्लामेण्ट को वर्ष में एक बार बुलाने के लिए कोई क़ानून नहीं है, पर यदि पार्लामेण्ट न बुलाई जावे, तो बहुत से काम रुक जावेंगे। क्योंकि सेना तथा आमदनी से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून प्रत्येक वर्ष पास किए जाते हैं। राजा ही पार्लामेण्ट को स्थगित तथा भङ्ग करता है। जब नवीन पार्लामेण्ट की प्रथम बैठक होती है, तो सिंहासन से व्याख्यान देकर राजा उसका स्वागत करता है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि ये सब बातें राजा के हाथों ही होती हैं, पर वास्तव में सब कुछ मन्त्रिमण्डल ही करता है। मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है कि पार्लामेण्ट कब बुलाई जावे, कब स्थगित की जावे तथा कब भङ्ग की जावे। राजा के सिंहासन वाले व्याख्यान को प्रधान मन्त्री ही लिखता है और राजा को पढ़ने को देता है। व्याख्यान में कैबिनट की राय ही पाई जाती है। व्याख्यान देकर राजा चला जाता है और फिर पार्लामेण्ट में उसके दर्शन नहीं होते, जब तक कि पार्लामेण्ट को स्थगित या भङ्ग न करना हो।

पार्लामेण्ट द्वारा पास किए हुए क़ानूनों पर राजा स्वयं स्वीकृति दे सकता है या एक कमीशन द्वारा दे सकता है, जिसमें हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के सदस्य रहते हैं। आजकल कमीशन द्वारा ही राजा अपनी स्वीकृति देता है।

देश का शासन राजा ही के नाम पर होता है। यह देखना कि लोग क़ानून को मानते हैं, राजा ही का काम है। देश के अधिकतर अफ़सर राजा ही के नाम पर नियुक्त होते हैं। ये अफ़सर राजा ही के नाम पर मुअत्तल या बरख़ास्त किए जाते हैं। स्थल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना पर राजा ही का अधिकार रहता है। बिना पार्लामेण्ट की सलाह लिए ही राजा युद्ध घोषित कर सकता है और सन्धि कर सकता है। पर युद्ध लड़ने के लिए धन पार्लामेण्ट से ही मिलता है। वैदेशिक सम्बन्ध राजा ही के नाम पर होते हैं। राजदूतों को राजा ही के नाम पर आदेश दिए जाते हैं। पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए की उपर्युक्त बातें होती हैं राजा के नाम पर और उन्हें करते हैं प्रधान मन्त्री तथा उनकी कैबिनट। सन् १९१४ के महायुद्ध में कैबिनट ने ही अपनी ज़िम्मेदारी पर इङ्गलैण्ड को शामिल किया था। कैबिनट का राजा पर पूरा अधिकार रहता है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी को छोड़ कर शेष राजा के तमाम नौकरों को कैबिनट ही नियुक्त करता है।

(अगले अङ्क में समाप्त)

❀ ❀ ❀

'धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर'*

[श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकाँकर]

मेरे "धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर" शीर्षक लेख के प्रकाशित होने पर 'भविष्य' में दो सज्जनों ने उसका खण्डन किया है। पहले सज्जन हैं श्री० विनोद जी, दूसरे हैं श्री० रायज़ादा जी। पहले सज्जन का लेख तो धार्मिक हठधर्मी से पूर्ण, हृदय के विक्षुब्ध उद्गार के सिवा और कुछ नहीं है। अदूरदर्शिता की प्रबलता अवश्य है, पर तथ्य उसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु दूसरा लेख तर्कपूर्ण न होने पर भी मज़ेदार है। यहाँ पाठकों को लेखक महोदय के मस्तिष्क की अस्त-व्यस्तता दिखाने के लिए उसके तनिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी।

मैंने अपने पहले लेख में लिखा था—"जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें "ईश्वर का भूत" नहीं सताता था। तब वे पशुओं के समान प्रकृति के उपादानों के अधीन रह कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी उदर-पूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी। उस समय उनमें दैवी शक्ति का कभी आभास भी नहीं होता था।"

इस उपर्युक्त कथन को पढ़ कर श्री० रायज़ादा जी मुझे अपने ही शब्दों में गिरफ़्तार होने के सुख का अनुभव करके कहते हैं—"ठीक, कहना उनका सर्वथा सत्य है, अब उनको धर्म और भगवान को बोध कराने के लिए किसी विशेष तर्क की आवश्यकता नहीं है, उनकी क़लम स्वयं उनको प्रमाणित कर रही है। वास्तव में सत्य अनिवार्य है और अन्त में उसी की विजय होती है। चन्द्रमा बदली की कालिमा में अल्प समय के लिए ढँक जावे, परन्तु वे बादल उसको सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते × × × अनजान में श्री० कालाकाँकर जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को पशुओं की अवस्था में, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होता था × × × दूसरे मानी में इस पशुता के निकालने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर और धर्म को अपनावे। जो मनुष्य इनको अपमान और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं वे पशु हैं। मनुष्यों और पशुओं का भेद इन्हीं दो वस्तुओं अर्थात् धर्म और भगवान पर निर्भर है।"

श्री० बी० ए० जी ने मेरे उपर्युक्त कथन का कैसा सुन्दर अर्थ समझा है कि साधुवाद देने को शब्द नहीं मिलते। "जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें ईश्वर का भूत नहीं सताता था।" मेरे इस वाक्य का "इस पशुता को निकालने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर और धर्म को अपनावे।" यह दूसरा मानी लगाने में तो आपने कमाल ही कर दिखाया है। क्या आर्य-समाजी तर्क है! पर उनकी यह प्रसन्नता उनकी बुद्धि को ही धोखा देती है।

श्री० रायज़ादा जी एक अर्द्ध बन्दर से तुरन्त एक भ्रमात्मक ईश्वर आदि से परेशान मनुष्य की सृष्टि चाहते हैं और केवल मुझसे हो मनुष्यता और पशुता का भेद बतलाते हैं। उनकी राय में ये भ्रमात्मक बातें ही मनुष्यता की द्योतक हैं, पर वास्तविकता के सामने ये भ्रमात्मक बातें कितनी देर तक ठहर सकती हैं। ये तो लम्बी-चौड़ी आध्यात्मिक बातों के ओट में ही छिप कर पल सकती हैं। ईश्वरवाद के समान एक नहीं, अनेकों नाज़ुक सिद्धान्त आज उत्पन्न हो गए हैं और ईश्वर, जोकि एक समय मनुष्य के रूप में रह कर चमत्कार दिखाया करता था, आज केवल विलीन सा होता हुआ ख़्याली वस्तु सा रह गया है। सुयोग्य लेखक महोदय तो सामाजिक प्रवाह के सिद्धान्त का ही गला घोंट देते हैं। उन्हें यह बात नहीं सूझती कि ईश्वर के विषय में आज जो उनके थोड़े-बहुत पृथक और तर्कयुक्त सिद्धान्त पैदा हुए हैं, वे इसी सामाजिक प्रवाह की ही बदौलत।

ईश्वरवाद के जाल को छिन्न-भिन्न कर देने में हमें उतना ही आनन्द आता है, जितना कि लेखक महोदय के पूर्वकाल के पथ-प्रदर्शकों को अन्य ख़ुराफ़ातों और अन्धविश्वासों को दूर करने में आया था। जिस प्रकार मनुष्य रूपधारी ईश्वर तथा भूत-प्रेतादि के विरोध में हमारे पूर्व के पथ-प्रदर्शकों पर अन्धविश्वासियों द्वारा आक्रमण किया गया था, उसी प्रकार आज निराकार ईश्वर का विरोध करने के कारण अन्धविश्वासी फ़िरक़ा हम लोगों का भी खण्डन करेगा ही। इसलिए श्री० रायज़ादा जो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यह तो स्वाभाविक ही है। पर हाँ, श्री० विनोद जी के विषय में ताज्जुब ज़रूर होता है कि कहाँ तो वे लखनऊ में नास्तिकों की कॉन्फ़्रेन्स करने की तैयारी कर रहे थे और कहाँ काशी ने इतनी शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाया कि अब बिना ईश्वर के उनका काम चलना मुश्किल हो रहा है। ख़ैर, विचारों में तो परिवर्तन हुआ ही करता है। कौन कह सकता है कि मेरा यह लेख छपते-छपते वे फिर नास्तिक कॉन्फ़्रेन्स की तैयारी में न लगे होंगे? अस्तु।

श्री० रायज़ादा जी के लिए यह भी मुमकिन हो सकता है कि हमारी दलीलों को खींच-खाँच कर वे मनुष्यता और पशुता का भेद ईश्वर-ज्ञान द्वारा निकालते हों। हालाँकि श्री० ताटके जी को उत्तर देते समय मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि "मनुष्य और पशु में केवल यही भेद है कि पशु प्राकृतिक शक्तियों (Forces) के अधीन रहता है और मनुष्य प्राकृतिक Forces को अपने अधीन कर लेता है।" पर किसी के वास्तविक अर्थ को तोड़-मरोड़ कर अपने मतलब का अर्थ लगाने की कुछ लोगों की आदत सी होती है।

"मनुष्य का विकास किसी प्रारम्भिक पशु की अवस्था से हुआ है और इस पशुता की अवस्था में मनुष्यों के पुरखों को ईश्वर का ज्ञान नहीं था।" इस उपरोक्त कथन पर श्री० रायज़ादा जी को विश्वास ही नहीं आता। इस सिद्धान्त के अनुसार यह भली-भाँति साबित किया जा सकता है कि मनुष्य की आजकल की सभ्यता के अङ्कुर उसकी प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान थे। सभी वस्तुओं का मूल भूतकाल में धँसा हुआ है। मानवीय सभ्यता केवल पाशविक आवश्यकताओं की ही उन्नत और विकसित अवस्था है। क्या लेखक महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस पाशविक चेतना तथा विचार की उपज ईश्वर है? कारण से कार्य का सिद्धान्त तो श्री० रायज़ादा जी मानते ही होंगे। आशा है, वे यहाँ भी इस सिद्धान्त की हत्या न करके सामान्य बुद्धि से काम लेंगे।

इसके बाद ईश्वर के अनन्य पुजारी श्री० रायज़ादा जी कहते हैं—"ईश्वर है या नहीं? इसका बड़ी सुगमता से पता चल सकता है। इस बात को मानने में किसी को हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। इसी के आधार पर हम संसार में मनुष्यों की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। अब यह सोचना स्वाभाविक और आवश्यक है कि उन उपादानों का, जिनसे मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाए हैं अथवा इस समस्त सृष्टि का रचयिता कौन है? क्योंकि रचयिता होना चाहिए अवश्य।"

अब अगर ईश्वर को प्रमाणित करने का यही तर्क है कि समस्त मौजूदा चीज़ों का कोई न कोई रचयिता अवश्य होना चाहिए, तो मैं इसी सिद्धान्त के अनुसार श्री० रायज़ादा महोदय से पूछूँगा कि वे यही तर्क अपने भगवान के साथ लगा कर बतावें कि उनका किसने निर्माण किया है? यदि हम शाश्वत (Eternity) को अपने ज्ञान की सीमा के बाहर पाते हैं, तो हम इस सत्य के मानने में लज्जित क्यों होते हैं? किसी ज्ञान-सीमा के बाहर की वस्तु का अटकल-पच्चू अर्थ लगाना तो सत्य को धोखा देना है। 'हम ऐसे संसार में रह रहे हैं, जो हमारे सम्मुख है। हमारी सत्ता ही हमारे ज्ञान का केन्द्र है और वर्तमान संसार ही हमारा संसार है। उसी केन्द्र से हम अपनी बुद्धि की सहायता से भूत और भविष्य की बातों को समझने का उद्योग करते हैं और जिसका बोध हमें केवल हमारी इन्द्रियों द्वारा ही हो सकता है। जब हम ज्ञान की एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाते हैं कि उसके आगे जानना असम्भव हो जाता है, तो बजाय किसी अटकल-पच्चू बात भिड़ाने के हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रतीक्षा करते हैं, जिसको हम वास्तविक बातों को और भी जान सकें। जो वस्तुएँ हमारी इन्द्रियों की सीमा के बाहर होती हैं, वे हमारे लिए निरर्थक हैं। इन्द्रियाँ ही समस्त वस्तुओं के अनुभव कराने की मध्यस्थ हैं। इसलिए एक ऐसी वस्तु के लिए, जो जानी ही नहीं जा सकती, उद्योग करना बिल्कुल व्यर्थ है।

आगे श्री० रायज़ादा जी इस जन्म तथा दूसरे जन्म की कल्पना में कुछ खिल जाते हैं। आप फ़र्माते हैं—"हमें अपने कर्मों का उत्तरदायी न होना पड़ेगा तो फिर क्यों न हम ख़ूब मज़े उड़ावें और मनमाना अत्याचार करें? क्या हमें जीवन के बाद समूलोच्छेदन होना पड़ेगा? आज ही लोगों को ऐसा विश्वास हो जावे तो फिर देखिए संसार में अनाचारों व दुष्कर्मों का रङ्ग।"

इसके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विज्ञान ऐसे पौराणिक (Legendary) विचारों का समर्थन नहीं करता और उनके विचारों को यह जान कर कुछ धक्का अवश्य पहुँचेगा कि जीवात्मा कोई वस्तु नहीं है, अतः पुनर्जन्म के लचर सिद्धान्त के विषय में सवाल ही नहीं उठता। मैं यहाँ जीवात्मा के विरुद्ध कोई दलील इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चिकित्सा-विज्ञान से यह भली-भाँति जाना जा सकता है कि मनुष्य एक सुन्दर मैशीन है, जिसमें जीवात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जीवात्मा की उपज प्रारम्भिक भाव (Spirit) द्वारा और स्वप्नादि द्वारा हुई है। हम लोग तो बुदबुद के समान हैं, जो समय पाकर एक दिन फूट जावेंगे और दूसरे नए उत्पन्न हो जावेंगे।

श्री० रायज़ादा जी शायद यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि धार्मिक शृङ्खलाएँ ही मनुष्य को

---

* देखिए 'भविष्य', ता० २० जुलाई, १४ सितम्बर और १६ अक्टूबर सन् १९३१।

दुष्कर्मों से बचाने में सहायक होती हैं। पर वास्तव में धर्म अनाचारादि रोकने में कुछ विशेष लाभप्रद नहीं होता। ईश्वर के मानने वालों की इतनी संख्या होते हुए भी चोरी आदि दुष्कर्म नहीं रुकते। न यही ज़रूरी है कि ईश्वरवादी लोग चोरी आदि से दूर ही रहते हैं और न यही आवश्यक है कि नास्तिक लोग ख़ामख़ाह दुष्कर्मों को गले लगाते हैं। चोरी आदि सभी बातों के कुछ न कुछ कारण होते ही हैं, जो यहाँ विषयान्तर होने से नहीं कहे जा सकते। धर्म से लाभ तो नहीं, हाँ समय-समय पर सदा हानि ही होती रहती है। अभी कल ही की घटना को ले लीजिए। जो 'धर्म' कानपूर जैसा भीषण हत्याकाण्ड करा सकता है, जिस धर्म की ओट में सैकड़ों स्त्री-बच्चों के ख़ून से प्यास बुझाई जा सकती है, उससे यह आशा करना कि वह दुष्कर्मों को रोक सकेगा, नितान्त झूठ है।

धर्म तो सदा Negative force रहा है। वह तो वास्तव में Ruling classes की आवश्यकतानुसार नैतिक नियम (Moral concepts) गढ़ा करता है। वह शासकवर्ग की लूट को लूट नहीं बतलाता, बल्कि पूँजीपतियों के प्रति श्रमजीवियों के भावों को दासतापूर्ण (Slavish) बना कर स्वामि-भक्ति आदि के ढोंग की शिक्षा देता है। पर ग़रीबों द्वारा की गई चोरी को फ़ौरन चोरी कह देता है। इस प्रकार धर्म ने सदा शासकों का, जिसकी छत्र-छाया में उसका विकास हुआ है, पक्ष ग्रहण करके उनकी लूट पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इसलिए समाज को हानि पहुँचाने वाली बातें सामाजिक सुधार से ही हटाई जा सकती हैं, धार्मिक अन्ध-परम्परा में जकड़ने से नहीं।

सभी धर्मबुद्धि की अपरिपक्व अवस्था से पैदा हुए, ग़लत विचारों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, जो भौतिक संसार की उन्नति से प्रभावित होकर अपनी शक्ल बदला करते हैं, परन्तु उनका असर सदा Negative (अकर्मण्य) रहता है और वे अक्रान्तिकारी Force होते हुए भौतिक समाज की उन्नति में बाधक ही होते हैं। पर सामाजिक आवश्यकताओं का सामना करने में कोई समर्थ नहीं होता, इससे इसका विचार रखते हुए भी उन्हें उनको अपने में समाविष्ट (Accommodate) करना होता है। लेकिन जब समाज एक ऐसी अवस्था को पहुँच जाता है कि उसकी आवश्यकताओं के और धर्म के बीच मैत्री होना असम्भव हो जाता है तो (विज्ञान की उन्नति के कारण क्योंकि धर्म अविज्ञान है) कमज़ोर और बेकार शक्ति धर्म का अन्त होना अनिवार्य सा हो जाता है।

आर्यों के आगमन के पश्चात् समाज सैकड़ों प्रकार की शक्ल बदल चुका है। प्रारम्भिक छोटी-छोटी रियासतों ने बड़े-बड़े साम्राज्यों का रूप ग्रहण कर लिया। बड़े-बड़े तानाशाहों द्वारा नाना प्रकार के नियम और रीति-रिवाज गढ़े गए, पर हिन्दू-धर्म गिरगिट की तरह रङ्ग बदल-बदल कर, उन अत्याचारी शासकों की इच्छापूर्ति के लिए, बड़े-बड़े पोथे लिख-लिख कर, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाने लगा। ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं के देवतागण और ईश्वर तक, इसी सामाजिक प्रवाह के चिन्ह हैं, जिससे प्रवाहित होकर धर्म को अपने में तरह-तरह की तब्दीलियाँ करनी पड़ी हैं। उसने ईश्वर को कभी साधु पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजनीतिज्ञ, कभी विश्वासघाती, कभी न्यायकारी, कभी व्यवसायी, कभी वीर, कभी दीन, कभी प्रेमी, कभी छैला, कभी चञ्चल-हृदय और कभी आधा सिंह आदि किस रूप में नहीं घुमाया है? अन्त में समाज की यथेष्ट उन्नति हो जाने पर वह निराकार होकर "कुछ" क़रार दे दिया गया है। इसीसे ही सब देख सकते हैं कि ईश्वरवाद के विचार का कैसा क्रम रहा है और अब उसका किस प्रकार धीरे-धीरे अन्त होने जा रहा है। संसार से ईश्वर के पैर उखड़ रहे हैं और वह मृत्यु-शय्या पर पड़ा है। अब फिर स्वस्थ होकर चमत्कार दिखावेगा—ऐसी आशा तो नहीं है और न इस बार धर्म को ही पुनः उसकी क़ब्र पर बैठ कर आँसू बहाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस बार तो उसका नाश होना अनिवार्य है।

हाँ, 'चमत्कार' शब्द के आ जाने से एक मित्र की याद आ गई। आप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हुए भी चमत्कार में बहुत अन्धविश्वास रखते हैं। आपके पूर्वज बड़े चमत्कारी थे, ऐसा ही सुनने में आता है। आप बतलाते हैं कि "एक बार आपके किसी बुज़ुर्गवार की छतरी बन रही थी। जब गुम्बज़ बनने लगा तो एक दिन लोगों ने देखा कि उस गुम्बज़ के प्लास्टर पर छोटे-छोटे पैरों के चिह्न बने हैं। बस सब लोग समझ गए कि वही स्वर्गीय "चिमिस्कालो" महाशय रात को अपनी छतरी देखने आए थे। जहाँ-जहाँ पद-चिह्न बने थे, वहाँ-वहाँ का प्लास्टर बर्फ़ीनुमा काट कर रख लिया गया है, उसकी बड़े ज़ोरों से पूजा होती है।" हमारे मित्र जी यह जानते हुए भी कि वहाँ बन्दरों की संख्या काफ़ी है, यही विश्वास करते हैं कि वास्तव में वे पद-चिह्न बन्दरों के नहीं, बल्कि उन्हीं स्वर्गीय पूर्वज के हैं।

एक दूसरे साहब का विश्वास है कि तिब्बत में क़रीब १०-१० हज़ार वर्ष के साधू रहते हैं और नित्य सायं को वहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि की आत्माएँ लैम्प की तरह आकाश से उतरती हैं और अपने भक्तों से मौनालाप करती हैं। आप भी बी०ए० पास करके 'महावीर स्वामी' को गुरधनियाँ चढ़ाने वालों की श्रेणी के हैं। इस 'समाज के कोढ़' धर्म के ऐसे असंख्य अन्ध-विश्वासी मिल जावेंगे।

श्री० रायज़ादा जी लिखते हैं—"× × बेचारे यह नहीं जानते कि वहाँ तक (ईश्वर तक) पहुँचने के लिए असीम योगबल की आवश्यकता है। भला, जिसने सारे संसार की रचना की है और जो इतना महा शक्तिशाली है, वह विज्ञान-कला के द्वारा कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है! वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है। सत्यवादी, पुरुषार्थी तथा धर्म के अनुयायी ही उस तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं।" मनुष्य की बुद्धि पूर्ण नहीं है, वह इन्द्रियों के साहाय्याधीन है। उसकी बुद्धि ही उसके ज्ञान का ज़रिया हो सकती है। हम संसार में अपनी सत्ता को मान कर विज्ञान द्वारा, इस संसार की भूत, भविष्य और वर्तमान वस्तुओं के जानने की कोशिश कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन अधिक जानते ही जा रहे हैं। पर धार्मिक लोगों की जिज्ञासा का केन्द्र संसार की वर्तमान अवस्था से नहीं शुरू होता। वे तो आदि (जो नहीं जाना गया है) से अपना ज्ञान शुरू करते हैं और श्रीगणेश ही ग़लत होने के कारण उनका नतीजा अन्त तक ग़लत ही होता है। इसी से हमारा ज्ञान कम होते हुए भी वास्तविक (Realistic) है और धार्मिक लोगों का दिखावे के लिए ज़्यादा होते हुए भी भ्रमात्मक है।

श्री० रायज़ादा जी फिर लिखते हैं कि—"ख़ैर, अगर उपर्युक्त महानुभाव केवल ईश्वर पर ही आक्षेप करते तो कोई आश्चर्य न था। परन्तु जहाँ तक मेरा अनुमान है, वैज्ञानिकों में आप पहले सज्जन हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ ही धर्म का भी बहिष्कार किया है।" इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री० रायज़ादा जी का उपरोक्त अनुमान सही नहीं है। मैं पहला मनुष्य नहीं हूँ, जिसने धर्म पर ऐसे विचार प्रकट किए हैं। बहुत से सज्जन इस विचार का प्रतिपादन कर चुके हैं। वास्तव में विज्ञान का निष्कर्ष ही धर्म पर आक्रमण है। पर यदि मैं पहला मनुष्य भी होता तो इसमें अपना गौरव ही समझता।

श्री० रायज़ादा जी ने मेरे लेख के वास्तविक अर्थ को न समझ कर लिखा है "—मैं श्री० कुमार जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने लेख के समर्थन में कौन से प्रमाण दिए हैं? वह किन कारणों से धर्म और भगवान को त्याग देने का उपदेश देते हैं?" यही शिकायत श्री० विनोद जी की थी। यहीं के श्री० गौड़ जी महोदय भी यही शिकायत कर रहे थे। पर मेरे लेख का विषय यदि कोई साहब ठीक से पढ़ेंगे तो उन पर प्रकट हो जावेगा कि मैंने केवल वहाँ यह दिखलाया था कि संसार में ईश्वर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। मैंने इसी मत की पुष्टि के लिए प्रमाण भी दिए थे। ऐसा करने से मेरा यही विचार था कि लोग ईश्वर की ग़लत उत्पत्ति को देख कर यह निष्कर्ष निकाल लें कि जिस वस्तु की उत्पत्ति इस तरीक़े से हुई हो, उसके विषय में ऐसे विचार गढ़ लेने में कितना तथ्य है। पर यहाँ तो लोग सुनी-सुनाई बातों को लेकर ही प्रश्न करने पर अड़ जाते हैं। मेरा अभिप्राय तो साफ़-साफ़ यही था कि ईश्वर की उत्पत्ति इस ग़लत तरीक़े से हुई है, इस वास्ते उसकी सत्ता भी ग़लत है। और वह एक भ्रमपूर्ण मनोभाव (Mentality) की भ्रमपूर्ण उपज तथा विकास है।

फिर श्री० रायज़ादा जी प्राचीन भारत की सभ्यता के गीत गाते हुए कहते हैं—"उस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर था। सभी देशों की सभ्यता पर उसकी सभ्यता की छाप थी। मैसोपोटामिया, ग्रीस और रोम इत्यादि भी इसके सामने पानी भरते थे। × × विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक काम कर दिए थे, जिन तक आजकल के विज्ञान का पहुँचना तो दूर रहा, उसे समझने में भी वह असमर्थ है।" उपरोक्त आत्म-प्रशंसा का क्या उत्तर हो सकता है? मैं यह मानता हूँ कि उस बर्बर-युग (Barberous age) में भारतवर्ष समुन्नत देशों (Advance countries) के दायरे में था, पर ग्रीस से पानी भराने की कथा तो घोर आत्मश्लाघा है। इतिहास की वैज्ञानिक योग्यता इसे प्रमाणित कर देगी कि सभ्यता (Civilisation) और बर्बरता (Barberism) की अवस्था में अन्तर होता है।

अन्त में श्री० रायज़ादा महोदय लिखते हैं—"विज्ञान ने अपने स्थान पर जो लाभ संसार को पहुँचाया है, उसको मैं हृदय से मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु अब यह दूसरों के कार्यक्षेत्र में भी पैर पसारने का प्रयत्न करता है, जैसा कि उक्त महोदय ने कहा है, तो यह घोर प्रतिपादन के योग्य है। ऐसे मनुष्यों को मैं विज्ञान के अन्ध-हिमायती ही कहूँगा।"

सुयोग्य लेखक महोदय चाहते हैं कि विज्ञान रेल, तार, घड़ी, बिजली की रोशनी इत्यादि वैज्ञानिक आविष्कारों तक ही सीमित रहे, तब तो उसे हृदय से मानने को तैयार हैं। पर जब वह सत्य का पक्ष ग्रहण करके सभी वस्तुओं पर अपनी उचित राय देता है तो श्री० रायज़ादा जी तथा अन्य ईश्वरवादी बिना सोचे-विचारे उसके घोर प्रतिपादन के लिए कमर कस कर तैयार हो जाते हैं।

शायद लेखक महोदय को यह नहीं मालूम है कि विज्ञान क्या है, वे केवल फ़िज़िक्स और केमेस्ट्री को ही विज्ञान समझते हैं, पर मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान, फ़िज़िक्स और केमेस्ट्री तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वह तो मानवीय ज्ञान के सभी पहलुओं से सम्बन्धित रहता है। इसीलिए यदि धर्म, 'अक़्ल में दख़ल नहीं' के सिद्धान्त से पोषित करके विज्ञान के केन्द्र से अलग माना जावेगा, तो वह सदा "अविज्ञान" ही रहेगा।

❀ ❀ ❀

आयलैंण्ड के 'ब्लैक एण्ड टैन'

[श्री० डॉक्टर 'चतुष्पाद']

राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स की पिछली बैठक में महामना मालवीय जी ने अपनी वक्तृता में कहा था—सरकार ने एक नवीन अधिकारी की भारत में नियुक्ति की है, जिससे इस बात का आभास मिलता है कि सरकार भारत में किस नीति का व्यवहार करने वाली है।

इस पर भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर ने मालवीय जी को टोक कर पूछा—आप साफ़-साफ़ कहिए, आपका क्या मतलब है ?

मालवीय जी ने जवाब दिया—मैं साफ़ ही साफ़ कहूँगा। भारत में एक ऐसे सज्जन की नियुक्ति की घोषणा की गई है, जो आयलैंण्ड में थे और जिनका सम्बन्ध वहाँ के 'ब्लैक एण्ड टैन' शासन से था।

हिन्दी-पाठकों में बहुतों को यह ज्ञात न होगा कि 'ब्लैक एण्ड टैन' क्या होता है और ब्लैक एण्ड टैन शासन से क्या अभिप्राय है। यहाँ ब्लैक एण्ड टैन का कुछ इतिहास दिया जाता है। यह इतिहास एक उच्च-कोटि के ब्रिटिश फ़ौजी अधिकारी का कहा हुआ है, जो स्वयं 'ब्लैक एण्ड टैन' शासन में सम्मिलित थे और जिन्हें उसकी सारी भीतरी बातें ज्ञात हैं।

'ब्लैक एण्ड टैन' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'काला और ख़ाकी'। मामूली तौर पर 'ब्लैक एण्ड टैन' 'ताज़ी' जाति के (हाउण्ड) काले और खैरे—चितकबरे—कुत्तों को कहते हैं। कहा जाता है कि ये कुत्ते मालिक के ललकारने पर जो चीज़ सामने पड़ती है, उसी को नोच-खसोट डालते हैं। उनके इस स्वभाव के कारण यह शब्द अक्सर उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इशारा पाकर बिना पसोपेश के प्रत्येक चीज़ को ढूँढ़-खोज कर उसका ख़ात्मा कर दें।

आयलैंण्ड में होमरूल का आन्दोलन बहुत दिनों से चल रहा था। सन् १९१९ में, लड़ाई की समाप्ति पर, उस आन्दोलन ने बड़ा ज़ोर पकड़ा। आयलैंण्ड के इस राष्ट्रीय आन्दोलन ने 'सिन-फ़िन' के रूप में उग्र रूप धारण किया। 'सिन-फ़िन' नेताओं ने यह देख कर कि पिछले चालीस वर्षों के वैध आन्दोलन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, पिस्तौल की शरण ली। इङ्गलैण्ड ने पिस्तौल का जवाब पिस्तौल से दिया। आयलैंण्ड को प्रायः ख़ून की नदी से होकर पार होना पड़ा।

आयलैंण्ड में एक प्रकार का स्पष्ट विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उस समय इङ्गलैण्ड में मि० लॉयड जॉर्ज की गङ्गा-जमुनी सरकार महायुद्ध की विजय के गर्व से मस्त होकर शासन कर रही थी। उसने आयलैंण्ड के आन्दोलन को उचित-अनुचित, सब उपायों से कुचल डालने की चेष्टा की।

आयलैंण्ड की पुलिस "रॉयल आइरिश कॉन्स्टैबुलरी" एक सौ वर्ष पुराना पुलिस-दल था। सिन-फ़िनरों के उत्पात और प्रचार ने इस दल में भी खलबली मचा दी। रॉयल-आइरिश कॉन्स्टैबुलरी में नौकरी करना देश-द्रोह समझा जाने लगा। बेचारे पुलिस वाले बड़ी मुसीबत में पड़े। आयलैंण्ड के किसी भी राजनैतिक दल से उन्हें सहानुभूति न मिलती थी, दूसरी ओर सरकार भी उनकी पूरी सहायता या उन पर पूरा विश्वास न करती थी। बहुत से पुलिसमैनों ने इस्तीफ़े दे दिए और कुछ सिन-फ़िनरों की गोलियों के निशाने बने। शासन में कठिनाई पड़ने लगी। इस पर गवर्नमेण्ट ने इङ्गलैण्ड से बहुत से आदमियों को कॉन्स्टैबुलरी में भरती किया। महायुद्ध समाप्त होने के बाद फ़ौज से निकाले हुए सहस्रों बेकार सैनिक आवारागर्दी में घूमते थे। ये सब आइरिश कॉन्स्टैबुलरी में भर्ती हो गए। जर्मन-युद्ध का ख़ून-ख़च्चर अभी तक इन लोगों की आँखों के सामने नाच रहा था। यही अङ्गरेज़ पुलीसमैन 'ब्लैक एण्ड टैन' के नाम से मशहूर थे। इन लोगों की टोपियाँ गहरे हरे रङ्ग की थीं और पोशाकें ख़ाकी थीं, फिर उनके कृत्य ऐसे जघन्य थे कि जिनसे उनके लिए 'ब्लैक एण्ड टैन' का नाम एकदम चस्पाँ होता था।

इन ब्लैक एण्ड टैन्स ने अनगिनती हत्याएँ और जघन्य से जघन्य कार्य किए। सिन-फ़िनरों ने भी कुछ कम हिन्साएँ नहीं कीं। मगर फ़र्क़ यह है कि सिन-फ़िन जो कुछ करते थे, उसे वे खुल्लमखुल्ला स्वीकार करते थे, मगर 'ब्लैक एण्ड टैन' के अफ़सर हत्याएँ करके संसार को धोखा देने के लिए उन्हें सिन-फ़िनरों के मत्थे मढ़ने को असत्यपूर्ण चेष्टा करते थे। मगर कोई भी प्रत्येक बार प्रत्येक व्यक्ति को उल्लू नहीं बना सकता। इसलिए मि० लॉयड जॉर्ज की सरकार के बार-बार झूठे इन्कार करने पर भी ब्लैक एण्ड टैन्स की करतूतें दुनिया से छिपी न रह सकीं।

पुलीस को अन्धाधुन्ध हत्या करने का फ़तवा देने वाला व्यक्ति रॉयल आइरिश कॉन्स्टैबुलरी का डिवीज़नल कमिश्नर लेफ़्टिनेन्ट कर्नल स्माइथ था। सन् १९२० में स्माइथ ने लिस्टोवेल नामक स्थान में पुरानी कॉन्स्टैबुलरी के एक दल के सामने यह उपदेश दिया कि वे लोग कमिश्नर के हुक्म पर बिना पसोपेश के अन्धाधुन्ध हत्याएँ किया करें। उसने यह भी कहा कि वह यह स्कीम अपनी ओर से नहीं, बल्कि सरकार की ओर से पेश कर रहा है। उसकी स्पीच से पुलीस में बड़ी सनसनी फैली और पुलीस-बैरक में उसी समय ही झगड़ा हो गया। पुलीस में आइरिश सिपाही भी थे। बाद में सिन-फ़िनरों के चरों ने स्माइथ को कार्क नगर के एक क्लब से बाहर घसीट कर रिवॉल्वर से ठण्डा कर दिया। उसकी हत्या की स्कीम उसी के ख़िलाफ़ काम में लाई गई। 'मियाँ की जूती मियाँ का सर' वाली मसल पूरी हो गई !

इस हत्या से सरकारी अधिकारियों में बड़ी खलबली मची। सरकार ने पुलिस के एक आक्ज़िलरी (सहायक) डिवीज़न का सङ्गठन किया। एक अङ्गरेज़ ब्रिगेडियर जनरल, जो उस समय फ़ौज के साथ आयलैंण्ड में तैनात था—का कहना है, कि इस डिवीज़न के सङ्गठन करने का निश्चित उद्देश्य हत्याएँ करना था। स्माइथ की हत्या ने दो बातें प्रत्यक्ष कर दीं। एक तो यह कि पुलिस में भी सिन-फ़िनरों के गुप्तचर मौजूद थे, और दूसरे यह कि आइरिश सिपाहियों को ही आइरिशों की हत्याएँ करने का खुल्लमखुल्ला उपदेश देना ख़तरे से ख़ाली नहीं था। इसलिए यह बेहतर समझा गया कि इस गन्दे काम के लिए इङ्गलैण्ड से अङ्गरेज़ बुलाए जायँ। इसीलिए पुलिस के सहायक डिवीज़न का सङ्गठन किया गया था। इन अङ्गरेज़ पुलिसमैनों (ब्लैक एण्ड टैन्स) ने कैसी-कैसी करतूतें की थीं, इसकी बानगी सुनिए।

आइरिश फ़्री स्टेट के प्रथम गवर्नर-जनरल मि० टिम हीली ने अपनी 'Letters and Leaders of My Day' नामक पुस्तक में लिखा है :—

"कैप्टेन प्रेनडरगास्ट एक आइरिश था। महायुद्ध के समय उसने अङ्गरेज़ी फ़ौज के लिए रङ्गरूट भर्ती करने का बहुत काम किया था। बाद में वह स्वयं फ़ौज में भर्ती होकर लड़ा और फ़्रान्स में घायल हुआ। अच्छा होने पर वह कैप्टन बनाया गया और इटेलियन रण-क्षेत्र में फिर ऐसा घायल हुआ कि फ़ौज के योग्य न रहा। वह रिटॉयर होकर फ़रमाय नामक स्थान में रहने लगा। वहाँ उसकी स्त्री एक भोजनालय (रेस्तराँ) चलाती थी। एक दिन वह कुछ फ़ौजी अफ़सरों से बात कर रहा था, इतने में ब्लैक एण्ड टैन्स से भरी हुई कई लॉरियाँ आईं। इन लोगों ने रॉयल होटल में शराब पी। आपस में महायुद्ध और सिपाहियों की वीरता की बातें छिड़ गईं। ब्रिटिश और आइरिश रेजिमेण्टों की बहादुरी की बातें होने लगीं। दोनों दलों ने अपने-अपने पक्ष का समर्थन किया। जब प्रेनडरगास्ट वहाँ से चलने लगा तो ब्लैक एण्ड टैन्स ने उसे गिरा दिया और उसका पैर पकड़ कर घसीटते हुए छज्जे तक ले गए, जहाँ से उसे होटल के पीछे बहती हुई ब्लैक वाटर नदी में फेंक दिया। नदी में बाढ़ आई हुई थी। प्रेनडरगास्ट की लाश एक महीने बाद फ़रमाय से तीन मील दूर नदी में मिली।

ख़ूनी लोग फिर लौट कर होटल में आए और शराब पीने के लिए हल्ला मचाने लगे। शराब बेचने वाली को उपर्युक्त दुर्घटना का पता नहीं था। उसने उनसे कहा—'धीरे बोलो, नहीं तो मि० डूले सुनेंगे तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे।'

ब्लैक एण्ड टैन्स ने पूछा—'डूले कौन है ?' उन्हें बताया गया कि वह एक ज़ीन बेचने वाला है और बग़ल के मकान में रहता है। इस पर वे बग़ल के मकान पर दौड़ पड़े, दरवाज़ा तोड़ डाला और भीतर घुस गए। मि० डूले और उनकी पत्नी सो रही थीं। उन्होंने डूले को घसीट कर बिस्तरे से उठाया और उन्हें भी नदी में फेंक दिया। मगर उनकी क़िस्मत अच्छी थी। वे नदी के किनारे बाँध पर गिरे और वहाँ से भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई।

फिर बदमाशों ने डूले के मकान में आग लगा दी। फ़रमाय की ब्रिटिश फ़ौज आग बुझाने के लिए आई तो ब्लैक एण्ड टैन्स ने पानी के 'हौज़' (नल) काट डाले और लॉरियों पर चढ़ कर भाग गए। उसके लिए न कोई पकड़ा गया और न किसी को सज़ा मिली। विलायत के 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' ने प्रेनडरगास्ट की हत्या को ही झूठ बताया और जब प्रेनडरगास्ट की विधवा के वकील ने इस मामले में अदालत के सामने दिए हुए बयानों की नक़ल लेकर भेजी तो 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' ने उसका पत्र छापने से इन्कार कर दिया।"

ब्लैक एण्ड टैन्स का यह बर्ताव उस शख़्स के साथ था, जिसने इङ्गलैण्ड के लिए अपना ख़ून बहाया था ! इससे 'मॉर्निङ्ग पोस्ट' की ईमानदारी पर भी प्रकाश पड़ता है। यह पत्र आए-दिन हिन्दोस्तान के विरुद्ध ख़ूब विष उगला करता है।

कार्क में कैनन मैगनर नाम का एक रोमन कैथोलिक पादरी था। एक दिन सरकारी मैजिस्ट्रेट आर० एम० ब्रैडी अपनी मोटर पर जा रहे थे। अचानक मोटर बिगड़ गई। उसी वक़्त सड़क से कैनन मैगनर भी जा रहे थे। मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोटर ढकेलने के लिए मैगनर से एक

लड़के को बुलाने को कहा, जो साइकिल पर जा रहा था। मैगनर ने लड़के को बुला दिया। लड़के ने मोटर ढकेलना शुरू ही किया था कि इतने में ब्लैक एण्ड टैन्स से भरी हुई एक लॉरी आकर रुकी। उसमें से ब्लैक एण्ड टैन्स कूद पड़े। उन्होंने मैगनर को घुटने के बल झुकने के लिए कहा और उसे गोली मार दी। फिर उन्होंने लड़के को गोली मार कर ढेर कर दिया। बेचारा मैजिस्ट्रेट जान लेकर भागा और एक झोपड़ी में जाकर छिपा। ब्लैक एण्ड टैन्स ने उसका पीछा किया, मगर न मिलने पर वे लौट आए और दोनों लाशों को सड़क के किनारे लगे हुए जङ्गल की दूसरी ओर फेंक कर लॉरी पर बैठ कर चलते बने। अपने होटल को लौट कर इस पादरी की हत्या की ख़ुशी में वे बहुत देर तक गीत गाते रहे!

विलायत में कैबिनट इस हत्या से विचलित हुई। स्व० बोनर ला ने इस पर बहुत कहा-सुना। कार्क में अपराधियों का कोर्ट-मार्शल हुआ। अदालत का तमाशा करके अपराधी पागल कह कर छोड़ दिया गया। अल्ला-अल्ला, ख़ैर-सल्ला।

पुलिस को केवल सन्देह मात्र पर लोगों को पकड़ने का अधिकार था। ये सन्देह के क़ैदी पुलिस-बैरक में बन्द रक्खे जाते थे। सिन-फ़िनरों के अपराधों का बदला लेने के लिए ब्लैक एण्ड टैन्स रात में इन क़ैदियों को पुलिस-बैरकों से बाहर निकालते थे और उन्हें सङ्गीने भोंक-भोंक कर मार डालते थे! आयर्लैण्ड में सरकारी पुलिस यह क्रूरताएँ कर रही थी और इङ्गलैण्ड में लॉयड जॉर्ज और चर्चिल की सरकार पुलिस के काले कारनामों पर पर्दा डालने और उसके औचित्य को सिद्ध करने में लगी थी।

बोवेन जर्मन-युद्ध में एक हवाई अफ़सर था। उसने लड़ाई में नामवरी भी पाई थी। वह लड़ाई के बाद आयर्लैण्ड में ख़ुफ़िया-पुलिस में भर्ती हो गया। उसे यह हुक्म दिया गया कि वह एक लेडी से जान-पहचान बढ़ावे और यदि सम्भव हो तो उससे अनुचित सम्बन्ध स्थापित करे (!), जिससे उस लेडी से सिन-फ़िनों की ख़बरें मिल सकें। बोवेन ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस लेडी का पति विदेश में फ़ौजी नौकरी पर है और वह एक अन्य सरकारी अफ़सर के साथ रहती है। बोवेन ने इस बात की अपने उच्च अफ़सर को रिपोर्ट दी। अफ़सर ने कहा कि उस औरत के पास सिन-फ़िनों के सम्बन्ध की बड़ी महत्वपूर्ण ख़बरें हैं, 'तुम उस दूसरे अफ़सर को ख़त्म करके रास्ता साफ़ कर लो' (Put the other fellow out of the way)! बोवेन ने इस प्रकार एक निरपराध सरकारी अफ़सर का ख़ून करने से इन्कार किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मूर्खता से अपने अफ़सर से यह भी कह डाला कि वह इङ्गलैण्ड जाकर इस प्रकार हत्याएँ कराने की बात मि० लॉयड जॉर्ज के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० डेविड डेवीज़ से कह देगा। इस पर अफ़सर ने उससे कहा—"अगर तुम इस विषय में अपना मुँह न बन्द रक्खोगे, तो स्वयं तुम्हारा ही ख़ात्मा कर दिया जायगा।" अब बोवेन के ख़िलाफ़ विश्वासघात के दोष भी लगाए जाने लगे। कुछ ही दिन बाद मैरियन स्क्वायर के पास उसकी लाश पड़ी मिली। तहक़ीक़ात में यह फ़ैसला दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की। मगर यह बात कभी भी प्रकट न हो पाई कि यह अभागा व्यक्ति सरकार की ख़ुफ़िया पुलिस में था।

आइरिश लोग स्वभावतः स्वयं चक्कर में थे कि "आख़िर यह बोवेन था कौन?" सरकार की ओर से इस प्रश्न का यही उत्तर मिलता था—"हाँ, वास्तव में यह बोवेन कौन था!" बोवेन की हत्या का कारण सर्व-साधारण को प्रकट नहीं हुआ। दस-पाँच दिन बाद ही वह अफ़सर, जो उस लेडी के साथ रहता था, सिन-फ़िनरों के द्वारा मार डाला गया।

सन् १९२० के दिसम्बर मास में कार्क के पास सिन-फ़िनरों ने एक स्थान पर छिप कर ब्लैक एण्ड टैन्स पर हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक एण्ड टैन्स की बड़ी हानि हुई। इन ब्लैक एण्ड टैन्स में वे लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने फ़रमाय में कैप्टन प्रेनडरगास्ट को पानी में डुबोया था। इस आक्रमण की चोट से क्रोधित होकर बादशाह की वरदी पहनने वालों ने पेटरोल लाकर उससे कार्क नगर के अनेकों मकानों को तर करके उनमें आग लगा दी! इन बदमाशों ने यह चालाकी भी की कि न केवल प्राइवेट लोगों के मकान ही जलाए, बल्कि सरकारी इमारतें भी जला डालीं, जिससे इस अग्नि-काण्ड का सारा दोष सिन-फ़िनरों के मत्थे मढ़ दिया जाय। उनकी इस चालाकी ने काम भी दिया और इङ्गलैण्ड उल्लू बन गया। सरकार ने कार्क की लूट और अग्नि-लीला की उपेक्षा की। बड़ी हाय-तोबा के बाद एक गुप्त फ़ौजी जाँच-कमिटी बनी, मगर उसमें ऐसे लोग थे, स्वयं जिनके आचरण की जाँच होनी चाहिए थी। इसलिए आइरिशों ने उसका बहिष्कार किया।

अन्त में इस जाँच-कमिटी ने कुछ को दोषी और कुछ को निर्दोष बताया। मगर इसकी रिपोर्ट से किसी को भी सन्तोष न हुआ। लॉयड जॉर्ज की सरकार ने वादा किया था कि वह इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर देगी। मगर रिपोर्ट देख कर सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया और वह आज तक प्रकाशित न हुई!

फिर भी कुछ न कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने एक निर्दोष अफ़सर को मुअत्तल कर दिया। कुछ पुलिस वालों को कार्क शहर से कोसों दूर पर चोरी करने के अपराध में सज़ा हुई थी। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 'लॉयड जॉर्ज और चर्चिल की सत्यवक्ता (!) सरकार ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मेम्बरों से यह कहा कि उन सिपाहियों को कार्क शहर में आग लगाने के अपराध में सज़ा हुई है! ईमानदारी का क्या बढ़िया नमूना है!

मिस्टर मैकडॉनल्ड वाडकिन चौदह वर्ष से काउन्टी क्लेयर के ज़िला-जज थे। उनके सामने ब्लैक एण्ड टैन्स के ज़ुल्मों के ख़िलाफ़ जो दीवानी मुक़दमे फ़ैसल हुए थे, उनकी उन्होंने आयर्लैण्ड के चीफ़ सेक्रेटरी को एक लम्बी रिपोर्ट दी थी, उसका कुछ अंश सुनिए :—

"मेरे सामने हिलारी सेशन्स में क्षति-पूर्ति और हर्जाने के ३५६ मुक़दमे पेश हुए, जिनके हर्जाने की रक़म ४,६६,००० पौण्ड से ऊपर है। इन मुक़दमों में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिनमें यह कहा गया है कि सरकार के सशस्त्र सिपाहियों ने जुर्म किए और नुक़सान पहुँचाए हैं। मैंने सरकार को तार देकर फ़ौज और पुलिस की ओर के वकील को उपस्थित करने का मौक़ा भी दिया है।

"मेरे सामने खुली अदालत में यह सिद्ध किया गया कि २२ सितम्बर की रात को सरकार के सशस्त्र सिपाहियों ने लाहिञ्च क़स्बे पर हमला किया। उन्होंने सड़कों पर रायफ़लों से बिना देखे-सुने गोलियाँ चलाईं, दूकानों और मकानों को तोड़ कर उनका माल-असबाब लूट लिया या नष्ट कर दिया। नगरवासियों को, जिनमें मर्द, स्त्रियाँ, बच्चे, सभी थे, मौत का डर दिखा कर पीछे के दरवाज़ों से भागने के लिए मजबूर किया गया। उन लोगों ने, रात की पोशाक पहने हुए ही, समीप की पहाड़ी पर भाग कर जान बचाई, और जब वे सवेरे लौट कर वापस आए, तो देखा कि उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई है। इस हमले में जोज़फ़ सैमन नामक एक व्यक्ति को गोली मार दी गई।

"मेरे सामने इस जुर्म के सम्बन्ध में ३८ दावे पेश हुए, जिन पर पूरी तौर से विचार करने के बाद मैंने ६९,००० पौण्ड के हर्जाने की डिक्रियाँ दीं।

"उसी रात को सरकारी सिपाहियों ने ठीक उसी प्रकार इन्नीसटीमॉन नगर पर आक्रमण किया। सड़कों पर गोलियाँ चलाईं, लोगों को जान लेकर भागने को मजबूर किया, मकानों और टाउन हॉल को तोड़ कर उनमें घुस गए, उनका सामान नष्ट कर दिया और उनमें आग लगा दी। सड़क पर एक अफ़सर की मातहती में सिपाहियों ने एक नौजवान विवाहित पुरुष कोनोल को पकड़ा। उसकी स्त्री ने, जो उसके साथ थी, घुटनों पर गिर कर अपने पति की प्राण-भिक्षा माँगी, परन्तु सिपाहियों ने उसे कुछ दूर ले जाकर गोली मार दी। दूसरे दिन उसकी झुलसी हुई लाश मिली। लिन्नेन नामक एक और नौजवान ने आग बुझाने की चेष्टा की, उसे भी गोली मार दी गई। मेरे सामने १३ दावे पेश हुए, जिनमें मैंने ३९,००० पौण्ड हर्जाना दिलाया।

"उसी रात को मिलटाउन-मालबे पर उसी तरह सशस्त्र सिपाहियों ने हमला किया। बहुत से मकान और दूकान तोड़ी, लूटी और जलाई गईं। मकान वाले मुश्किल से जान बचा सके। मिसेज़ किञ्च नाम की एक बुढ़ी ने सिद्ध किया कि वह और उसका पति, जो ७९ वर्ष का बुड्ढा था, अपने दरवाज़े पर खड़े हुए थे, कि एक सिपाही ने उसके बुड्ढे पति को गोली मार दी। × × × इत्यादि-इत्यादि"

ब्लैक एण्ड टैन्स के कारनामों के ये कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। इस तरह के उदाहरण सकड़ों, हज़ारों की संख्या में दिए जा सकते हैं।

सिन-फ़िनरों का भेष बनाए हुए पुलिसमैनों ने रात के समय लिमेरिक के मेयर और भूतपूर्व मेयर को उनकी स्त्रियों के सामने मार डाला। कुछ अफ़सरों को—जो उस समय इस ख़ूनी दृश्य के स्थान से बहुत दूर थे—पहले ही से इन हत्याओं के होने का पता था। उन्हीं ने इन हत्याओं की योजना बनाई थी! इस घटना में जो सबसे बड़ा बदमाश, सब से बड़ा शैतान था, वह भारतवर्ष का लौटा हुआ एक अफ़सर था! ब्लैक एण्ड टैन्स में भारत से लौटे हुए और भी अनेक अफ़सर थे।

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस 'ब्लैक एण्ड टैन शासन' के समर्थन में मेम्बरों को जुटाने का काम 'कोलीशन' पार्टी के 'चीफ़ ह्विप' सर लैसली विल्सन का था। इसी सेवा के इनाम में, कहा जाता है, सर लैसली विल्सन बम्बई प्रान्त के गवर्नर बनाए गए थे।

मगर इस ख़ून-ख़राबी और हिंसावाद की नीति हर हालत में दूषित है, चाहे वह सिन-फ़िनों की हो या ब्लैक एण्ड टैन्स की। वह दोनों ओर से ही असफल हुई। एक ओर लॉयड जॉर्ज की सरकार को झख मार कर सिन-फ़िनरों से समझौता करना पड़ा, और दूसरी ओर सनि-फ़िनरों को बेहिसाब नुक़सान उठाने के अलावा अल्स्टर से हाथ धोना पड़ा। एक प्रसिद्ध सिन-फ़िन ने लिखा है :—

"बिना एक भी गोली चलाए, हम इङ्गलैण्ड को दबा कर वह सब प्राप्त कर सकते थे, जो हमने बन्दूक़ की सहायता से प्राप्त किया है—बल्कि उससे भी अधिक। उस हालत में हम आयर्लैण्ड की एकता क़ायम रख सकते थे और विच्छेद से बच सकते थे............।"

सरकार की ओर से हत्या का फ़तवा देने वाला स्माइथ स्वयं ही अपने उपाय का शिकार हुआ, दूसरी ओर सिन-फ़िनों के नेता माइकेल कॉलिन्स को भी एक आइरिश ही के हाथ से गोली का शिकार होना पड़ा।

❀　❀　❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



झेलम के तट पर अवस्थित महाराजा काशमीर का सुविशाल महल



श्रीनगर (काशमीर) के बड़े बाज़ार का दृश्य



जापानी जल-सेना के उच्च पदाधिकारियों का ग्रूप। बैठे हुए (दाहिनी ओर से)—(१) सुफ़ोक (Suffolk) नामक प्रसिद्ध जहाज़ के कप्तान (२) सुफ़ोक बैटेल-शिप के कमाण्डर-इन-चीफ़ एडमिरल ओसूमी (३) जापान के युद्ध-मन्त्री एडमिरल एम्पो (४) जापान में रहने वाले ब्रिटिश राजदूत (५) एडमिरल टानी गुची और (६) समुद्री-सेना के प्रधान।



हाल ही में कानपुर में होने वाले सङ्गीत कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित सुप्रसिद्ध सङ्गीतज्ञों (जो भारत के विभिन्न स्थानों से इस अवसर पर पधारे थे) तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का ग्रूप। बैठे हुओं में पाठक प्रिन्सिपल शेषाद्री, प्रोफ़ेसर मम्मनख़ाँ (पटियाला), प्रो० पर्वतसिंह पखावजी (ग्वालियर) तथा प्रो० नारायणराव व्यास (बम्बई) को भी देखेंगे।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



[illegible] सदस्या जो एक विशेषज्ञ से लाठी चलाने की शिक्षा पा रही हैं



[illegible] हुए [illegible]



लाठी चलाने का अभ्यास करते हुए सेवा-दल की वीर रमणियाँ



[illegible]



क़ैसर की क्यारी

वह नज़र उट्ठी, वह मैंने आह पुर-तासीर की, यह समझ कर तीर ही से रोक होगी तीर की।
अपने-अपने लख़्ते-दिल हाज़िर करेंगे अहले-दिल, आज सुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की॥

पूछते क्या हो हक़ीक़त आशिक़े दिलगीर की,
हैरत आईने की देखो, ख़ामुशी तस्वीर की।

बहरे[1] आराईश[2] तो घर में सब जगह देने लगे,
और फिर अब क्या परस्तिश[3] हो तेरी तस्वीर की।

चाहिए कुछ तो मेरी मय्यत[4] का तुमको पहतराम[5],
खींच लो तस्वीर इस मिटती हुई तस्वीर की।

जिस मेरे दिल को कभी आहो-फ़ुग़ाँ[6] से काम था,
अब वह एक तस्वीर है, ख़ामोशिए तस्वीर की।

सैकड़ों बुतख़ाने हैं एक-एक सब में चाहिए,
इस सबब से बढ़ गई क़ीमत तेरी तस्वीर की।

—"नूह" नारवी

ख़ुद-बख़ुद उसकी तरफ़ सब अहलेदिल खिंचने लगे,
दिलकशी[7] ज़रबुलमसल[8] ठहरी तेरी तस्वीर की।

ऐ "ज़या" तारीकिए मरक़द[9] का मुझको ग़म नहीं,
मेरे दिल में है ज़या[10] एक चाँद सी तस्वीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

लोग तेरे वास्ते पढ़ते हैं काबे में नमाज़,
बुतकदे में भी परस्तिश है तेरी तस्वीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

मुझसे उसने बात कब की मुझसे कब तक़रीर[12] की,
महवे हैरत कर गई, हैरत तेरी तस्वीर की।

कब कोई आता है इसके देखने को ख़ुद-बख़ुद,
खींच लाती है कशिश सब को तेरी तस्वीर की।

बात वह करती नहीं, कहती नहीं, सुनती नहीं,
बढ़ गई है बेरुख़ी इतनी तेरी तस्वीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

एक दुनियाए मुहब्बत इस तरह तसख़ीर[13] की,
आपसे बढ़ कर है शुहरत आपके तस्वीर की।

दिल बहलने के लिए अच्छा यह सामाँ हो गया,
नक़्श दिल पर हो गई सूरत तेरी तस्वीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

रूह आँखों में खिंच आई आशिक़े दिलगीर की,
किस क़दर दिलकश अदाएँ थीं तेरी तस्वीर की।

गुलशने[14] आलम ने मुझको महवे हैरत कर दिया,
पत्ती-पत्ती में झलक देखी तेरी तस्वीर की।

नज़्आ[15] में निकले मेरा अरमान ख़ामोशी के साथ,
मरते दम ले लूँ बलाएँ मैं तेरी तस्वीर की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—वास्ते, २—सँवारना, ३—पूजा, ४—लाश, ५—आदर, ६—कराहना, ७—दिल खींचना, ८—कहावत, ९—अँधेरा, १०—क़ब्र, ११—रोशनी, १२—बातचीत, १३—अपना कर लेना, १४—बाग़, १५—आख़िरी समय,

वह नज़र उट्ठी, वह मैंने आह पुर-तासीर की,
यह समझ कर तीर ही से रोक होगी तीर की।

वह न निकले तो न निकले दिलसे यह निकलें ज़रूर,
हसरतें करती क्यों हैं तक़लीद[16] नोके तीर की।

रफ़्ता-रफ़्ता आ गया दिल उस निगाहे शोख़ पर,
आते-जाते चोट खाई चलते-फिरते तीर की।

—"नूह" नारवी

ख़ारे हसरत बन गई है वह खटकने के लिए,
नोक दिल में रह गई है जो तुम्हारे तीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

है अभी दिल की रगों में कुछ न कुछ बाक़ी लहू,
क्यों न हो मञ्ज़ूर ख़ातिर फिर किसी के तीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

क़द्र करनी चाहिए तुमको दिले नख़्चीर[17] की,
उसके दम से इतनी शुहरत है तुम्हारे तीर की।

उसकी सूरत हो गई, मजरूह[18] की नख़्चीर की,
पड़ गई परछाईं जिस दिल पर तुम्हारे तीर की।

अपने-अपने लख़्ते[19] दिल हाज़िर करेंगे अहले दिल,
आज सुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की।

मेरे दिल से पूछिए, मेरे जिगर से पूछिए,
दमख़म[20] अपनी तेग़[21] का चल फिर नज़र के तीर की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

अब उमीदे ऐशोराहत[22] मैं करूँ तो क्या करूँ,
हो गई तदबीर भी साथी मेरी तक़दीर की।

—"नूह" नारवी

वह दिखा कर पेचोख़म[23] ज़ुल्फ़ों का फ़रमाने लगे,
अब कहानी तुम सुनाओ गर्दिशे तक़दीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

शर्त रख दो बे-तरह तक़दीर पर तदबीर की,
यह ज़राफ़त[24] भी ग़ज़ब है कातिबे तक़दीर[25] की।

मेरी क़िस्मत में जो लिख देता निशानेलुत्फ़ोऐश[26],
उँगलियाँ मैं चूम लेता कातिबे तक़दीर की।

—"शातिर" इलाहाबादी

मैं हूँ "परवाना" मुझे जलने से हर दम काम है,
दीद के क़ाबिल है यह ख़ूबी मेरी तक़दीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

जिस पे मैं क़ुर्बान हूँ, वह ग़ैर पर क़ुर्बान है,
मुख़्तसिर[27] सी है कहानी यह मेरी तक़दीर की।

पेश चलती ही नहीं, उल्फ़त में कुछ तदबीर की,
मैं करूँ किससे शिकायत गर्दिशे तक़दीर की।

—"कामिल" इलाहाबादी

१६—नक़ल करना, १७—घायल, १८—ज़ख़्मी, १९—टुकड़े, २०—चल फिर, २१—तलवार, २२—आराम, २३—टेढ़ापन, २४—दिल्लगी, २५—भाग्य-लेखक, २६—आनन्द, २७—संक्षेप,

यह मिटाए से किसी सूरत कभी मिटती नहीं,
क्या क़यामत है लिखावट कातिबे-तक़दीर की?

उम्र भर नाकामियों[28] का सामना करना पड़ा,
शर्त पूरी हो गई "ग़ाफ़िल" मेरी तक़दीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

दश्त पैमाई[29] से अब रहता है दुश्मन को भी काम,
उसकी क़िस्मत को मिली, गर्दिश मेरी तक़दीर की।

मैं क़फ़स[30] में हूँ, मगर है बर्क़[31] को अब भी तलाश,
आग भड़काने लगी, गर्दिश मेरी तक़दीर की।

दोस्त दुश्मन हो गए, अपने पराए हो गए,
यह भी एक गर्दिश थी ऐ "बिस्मिल" मेरी तक़दीर की!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

हिचकियाँ लीं तो गले से तौक़े[32] ज़िन्दाँ गिर पड़ा,
पड़ियाँ रगड़ीं तो कड़ियाँ खुल गईं ज़ञ्जीर क

—"नूह" नारवी

सबकी क़िस्मत में लिखी है जलवए आलम[33] की सैर,
मुझको पाबन्दी लिखी है ख़ानए ज़ञ्जीर की।

हो गया आज़ाद मर कर, क़ैदिए ज़िन्दाने ग़म[34],
अब सदा[35] आती नहीं है नालए ज़ञ्जीर की।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

काँप उठीं दीवारें ज़िन्दाँ, अहले ज़िन्दाँ हिल गए,
ज़लज़ला-अङ्गेज़[36] जुम्बिश थी मेरी ज़ञ्जीर की।

जाते ही अहदे ख़िज़ाँ[37] के, बढ़ गया जोशे जुनूँ,
फ़स्ले-गुल आते ही कड़ियाँ खुल गईं ज़ञ्जीर की

—"शातिर" इलाहाबादी

आजकल दीवानए गेसू[38] का आलम ग़ैर है,
साफ़ कहती है यह खुल कर हर कड़ी ज़ञ्जीर की।

—"परवाना" सीतापुरी

नाज़ करता है इसी पर क़ैदिए ज़िन्दाने ग़म,
किस क़दर मज़बूत हैं कड़ियाँ मेरी ज़ञ्जीर की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

उनके दीवाने का ज़िन्दाँ में यही बस शग़ल है,
रात-दिन गिनता है कड़ियाँ क़ैद में ज़ञ्जीर की।

बाँध कर आप उसको रख सकते हैं अपनी ज़ुल्फ़ में,
ऐसे मजनूँ के लिए क्या क़ैद है ज़ञ्जीर की।

—"कामिल" इलाहाबादी

इनसे हो जाती है ताज़ा उनके दीवाने की याद,
चन्द कड़ियाँ क़ैदख़ाने में जो हैं ज़ञ्जीर की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२८—निष्फलता, २९—जङ्गल में फिरना ३०—पिञ्जड़ा, ३१—बिजली, ३२—हँसुली, ३३—संसार का तमाशा, ३४—क़ैदख़ाने का दुखी, ३५—आवाज़, ३६—कँपकँपी पैदा करने वाली, ३७—पतझड़ का ज़माना, ३८—केश के प्रेमी।

* * *

दिवाली के उपलक्ष में केवल १ सप्ताह तक
लागत मात्र पर

मनचाही पुस्तकें तिहाई मूल्य में

हिन्दी इङ्गलिश टीचर—पृष्ठ १४४ मू० १), सच्ची करामात—पृष्ठ १५४ मू० १), विश्वव्यापार भण्डार—पृष्ठ ११२ मू० १), साबुनसाज़ी—पृष्ठ ६२ मू० १), बङ्गाल का जादू (सच्चा जादूगर) १), हारमोनियम दर्पण (४ भाग) मू०१), असली चौदह विद्या—पृष्ठ २०८ मू० १॥), ८४ आसनों वाला कोकशास्त्र मू० १), परलोक (गुप्त) विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र—(पुस्तक) मू० ॥), इन्द्रजाल बड़ा—पृष्ठ ६०० मू० ३), टेलीग्राफ़ टीचर—तार लेना-देना ॥), वशीकरण यन्त्र—मू० ॥), सचित्र मेस्मिरेज़म विद्या मू० १)

उपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुस्तकों में से कोई सी ४॥) की केवल १॥) में, डाक-ख़र्च ।≤) एक लेने पर आधा मूल्य।

पता—हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़

डॉ० डब्लू० सी० रॉय, एल० एम० एस० की

पागलपन की दवा

(५० वर्ष से स्थापित)

मूर्च्छा, मृगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि—"मैं डॉ० डब्लू० सी० रॉय की स्पेसिफ़िक फ़ॉर इन्सेनिटी (पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हूँ।" स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है—"इस दवा से आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद जानता हूँ।" दवा का दाम ५) प्रति शीशी।

पता—एस० सी० रॉय एण्ड कं०
१६७।३ कार्नवालिस स्ट्रीट,
तथा (३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता
तार का पता—"Dauphin" कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

–) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष-माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

मेरी लकड़ी छूट गई

नवाब मीर महमूद अली ख़ाँ उमर ७० साल हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि मैं बेहद कमज़ोर हो गया था, लकड़ी के सहारे चलता था। बहुत सी इश्तिहारी दवायें इस्तेमाल किया कोई फ़ायदा नहीं, आख़िर मैंने (मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया कि जिसने मुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा लकड़ी पकड़ना छूट गया, क़ीमत ५) छोटी शीशी २॥)

महासिब साहब ख़ुफ़िया पुलिस

मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह अली इन्स्पेक्टर सी० आई० डी० परभनी तहरीर फ़रमाते हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भू० पं० मनोहरलाल की दवा (अर्श कुठार) ने २४ घन्टे में मेरी तकलीफ़ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत है क़ीमत ५) छोटी शीशी २॥)

आयुर्वेदिक मेडिकल हाल, चौक मैदान ख़ाँ
हैदराबाद (दक्षिण)



दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥) में

"दाद की अक्सीर दवा"—कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिर्फ़ १२ घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर "डमी रिस्टवाच", एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, (बायसकोप), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता—ऑर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग।

पता :—शरमा ब्रदर्स एण्ड को०
पो० बॉ० ६७६५, सेक्सन ७१, कलकत्ता

चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही!



आप "निरमोलिन" से अपने रेशमी, ऊनी आदि सब प्रकार के रङ्गीन और मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं।

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु नहीं मिली हुई है।

हर जगह मिल सकती है।

कलकत्ता सोप-वर्क्स
(हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फ़ैक्टरी)
बालीगञ्ज कलकत्ता

नवजीवन बिहार

शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-वीर्य रज-वर्धक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय में विशाल शक्ति देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३) रु०, आधा पौण्ड १) रु०, डाक-ख़र्च ॥≤)

पता—श्रीजगदीश औषधालय,
डालीगञ्ज, लखनऊ





सुन्दर और सस्ती

ऐसी घड़ी समय की पक्की, मशीन की मज़बूत, कल-पुर्ज़ों की दुरुस्त इस दाम में नहीं मिल सकती। मूल्य निकल केस ४॥) रोल्ड-गोल्ड ५) डाक व पेकिङ्ग ।≤) अलग।

जादू की स्याही

गुप्त पत्र-व्यवहार के लिए ।) का टिकट भेज कर हमसे मँगाइए।

इन्टर नेशनल मारकेट,
पो० ब० १२९, कलकत्ता

सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले

हज़ारों का बाल काला कर दिया। यह ख़िज़ाब नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका सफ़ेद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैल से जड़ से काला न हो, तो दूनी क़ीमत वापस देने की शर्त लिखा लो। मू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा-पत्र आ गए हैं, मँगा कर देखें।

पता—गङ्गाप्रसाद गुप्त,
बिहार मेडिकल स्टोर्स, नं० ५, दरभङ्गा

विलायत की कुछ बातें

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

विलायत में बड़ा दिन

हर एक देश में कोई न कोई ऐसा त्योहार अवश्य मनाया जाता है, जिसमें बच्चे, वृद्ध तथा युवा अपने-अपने कष्टों को भूल कर हर्ष मनाते हैं। हिन्दुओं में ये त्योहार होली-दिवाली हैं, मुसलमानों में ईद, तथा ईसाइयों में बड़ा दिन अथवा क्रिसमस। दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह ईसाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यूरोप तथा अमेरिका में यह सप्ताह बड़ी शान-शौकत से मनाया जाता है। ता० २५ दिसम्बर को क्रिसमस डे (बड़ा दिन) तथा ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को नव-वर्षारम्भ के उत्सव मनाए जाते हैं। ग्रेट-ब्रिटेन में तो यह सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताह समझा जाता है। वर्ष भर में कोई और उत्सव अथवा त्योहार इतनी महत्ता नहीं रखता, जितनी कि क्रिसमस-सप्ताह रखता है। अपनी सांसारिक चिन्ताओं को भूल कर नर-नारी, बाल-वृद्ध जी खोल कर इतना हर्ष कभी नहीं मनाते, जितना कि इस सप्ताह में। महीनों पूर्व से तैयारियाँ होने लगती हैं। दिसम्बर मास के प्रारम्भ होते ही लोग बड़ी उत्कण्ठा से इस सप्ताह की प्रतीक्षा करते हैं।

इस उत्सव का इतिहास बड़ा रहस्यपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे यहाँ होली की उत्पत्ति के विषय में अनेक दन्तकथाएँ हैं, उसी प्रकार क्रिसमस के विषय में भी अनेक दन्तकथाएँ हैं, बड़े-बड़े लेखकों में इस विषय पर काफ़ी मतभेद पाया जाता है। इतना तो सभी मानते हैं कि क्रिसमस का सम्बन्ध ईसा के जन्म से है, परन्तु वास्तव में ईसा का जन्म-दिवस ता० २५ दिसम्बर नहीं है। ईसा के जन्म-दिन का ठीक पता किसी को नहीं। यही कारण है कि शुरू में कहीं यह जनवरी में मनाया जाता था, कहीं एप्रिल में तथा कहीं मई में।

आर्मीनियाँ में अब भी यह उत्सव ता० ६ जनवरी को मनाया जाता है। ता० २५ दिसम्बर को तो यह पाँचवीं शताब्दी से मनाया जाने लगा है। इसका कारण यह है कि जर्मनी, इङ्गलैण्ड तथा फ़्रान्स के निवासी ईसाई होने से पूर्व ता० २५ दिसम्बर को अपना शरद-उत्सव मनाया करते थे। जब वे ईसाई हो गए, तो उन्होंने यही तारीख़ ईसा का जन्मोत्सव मनाने के लिए निश्चित कर ली।

क्रिसमस की रात्रि भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मनाई जाती है। इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका में बच्चों में यह बात प्रसिद्ध है कि रात को जब सब सो जाते हैं, तो सान्ताक्लौस (Santaclaus) एक बारहसिङ्गा के ऊपर सवार होकर चिमनी के रास्ते से कमरे में आता है और जो बच्चे अपने-अपने मोज़े चिमनी के पास टाँग देते हैं, उनके लिए उनमें वह खिलौने भर जाता है। लेकिन जो बच्चे रात को जग कर देखने का उद्योग करते हैं, उनके कमरे से सान्ताक्लौस लौट जाता है और उन्हें खिलौने नहीं मिलते। इसीलिए प्रत्येक घर के बच्चे अपने-अपने मोज़े रात को टाँग कर तब सोते हैं। सान्ताक्लौस तो आता-जाता नहीं, हाँ माँ-बाप ही सान्ताक्लौस बन कर उन मोज़ों में खिलौने भर देते हैं और प्रातःकाल जब बच्चे जागते हैं तो वे यही समझते हैं कि सान्ताक्लौस ही आकर उन खिलौनों को रख गया था।

इस प्रथा का अर्थ यह है कि इस प्रकार माता-पिता अपने-अपने बच्चों को कुछ न कुछ उपहार दे देते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि बालक ईसा के जन्म-दिन पर इधर-उधर से मनुष्य भाँति-भाँति के उपहार लाए थे, अतः वही रीति अब तक चली जाती है। परन्तु इसमें यह सान्ताक्लौस कहाँ से आ टपके, यह बात निर्विवाद नहीं है। किम्वदन्ती यह है कि दूसरी शताब्दी (ईसवी) में सन्त निकोलस नाम का एक पादरी एशिया माइनर में रहता था। वह बड़ा दयालु तथा दानी था। एक बार उस नगर में एक सम्भ्रान्त व्यक्ति का दिवाला निकल गया और दरिद्रता के कारण उसे अपनी पुत्रियों को दासी की भाँति बेचने पर विवश होना पड़ा। जब सन्त निकोलस ने यह बात सुनी, तो वह रात्रि को चुपचाप चिमनी (धुँआ निकलने का मार्ग) द्वारा बड़ी लड़की के कमरे में स्वर्ण की एक पोटली डाल आया। इसी प्रकार उसने कई अन्य व्यक्तियों की सहायता की थी। अन्त में उसका सारा रहस्य खुल गया और लोग उसे सन्त निकोलस के बजाय प्रेम से 'सान्ताक्लौस' पुकारने लगे।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, यह उत्सव बालकों के लिए बड़े हर्ष का होता है। चारों ओर से उन्हें सुन्दर-सुन्दर उपहार मिलते हैं। धनिक व्यक्ति ग़रीबों के बालकों को उपहार देते हैं, कहीं-कहीं उन्हें दावतें दी जाती हैं, कहीं उन्हें मुफ़्त ही सिनेमा या थिएटर दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अस्पताल के रोगी बच्चों के लिए भी इस उत्सव को मनाने की विशेष सुविधा कर दी जाती है। सारे वार्ड सजा दिए जाते हैं। बच्चों की चारपाइयाँ उपहार के खिलौनों से भर जाती हैं। उनकी दावत होती है, सङ्गीत सुनाया जाता है तथा रात्रि को अस्पताल का बड़ा डॉक्टर स्वयं सान्ताक्लौस का वेष धारण करके उन्हें उपहार देता है।

जर्मनी में सान्ताक्लौस नहीं आता। वहाँ पर यह विश्वास है कि बालक ईसा (Kris Kringle) ही स्वयं रात को आकर इधर-उधर खिलौने छिपा जाता है। प्रातःकाल उठ कर बच्चे सारे घर को खिलौनों के लिए खोजते-फिरते हैं।

फ़्रान्स में मोज़े नहीं रक्खे जाते, बल्कि लकड़ी के जूते बनवा कर कमरे में रख दिए जाते हैं और रात को पिता ईसा (Bonhomme Noel) उनमें उपहार रख जाता है।

नॉर्वे में उपहार ऐसे स्थान में रक्खे जाते हैं, जहाँ किसी बच्चे को भी उनके पाने की आशा नहीं होती। प्रातःकाल जब बच्चे खिलौनों के लिए घर की सारी वस्तुएँ इधर-उधर फेंकने लगते हैं तथा खिलौने न पाने पर रोते हैं, तो घर के आदमियों को ख़ूब हँसने का मिलता है। अन्त में माता-पिता खिलौने निकाल कर उन्हें दे देते हैं।

इटली में सबसे निराली रीति प्रचलित है। वहाँ खिलौने डब्बों में बन्द किए जाते हैं और साथ ही कुछ डब्बे ख़ाली छोड़ दिए जाते हैं। यह सब डब्बे एक साथ रख दिए जाते हैं। फिर सब बालक बुलाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक एक डब्बा उठा लेता है। जिनको ख़ाली डब्बा मिलता है, उन्हें बड़ी निराशा होती है और दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। परन्तु पीछे से उन्हें भी खिलौने मिल जाते हैं। इस रीति को 'Urn of Fate' (भाग्य का खेल) कहते हैं।

प्रायः सभी देशों में रात को पुराने सामान की होली जलाते हैं तथा पटाख़े व आतिशबाज़ी छुड़ाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जब लोग रास्ते में एक-दूसरे को मिलते हैं, तो Merry Christmas एक दूसरे को कहते हैं। हमारे यहाँ की होली के बाद मित्रों के मिलाप से यह रीति बहुत मिलती-जुलती है।

कहीं-कहीं पर क्रिसमस-वृक्ष (Christmas trees) बनाए जाते हैं, जिन पर मोमबत्तियाँ आदि जलाई जाती हैं। अमेरिका में ऐसा बहुत बड़ा वृक्ष नगर के बीच में बनाते हैं तथा उसे बिजली द्वारा ख़ूब ही प्रकाशित करते हैं। कुछ स्थानों पर इस वृक्ष पर मेवा, फल, दाने आदि लगा कर दरवाज़े के बाहर रख देते हैं, जहाँ चिड़ियाँ आकर इन वस्तुओं को खा लेती हैं। ये वृक्ष एक विशेष-प्रकार के वृक्ष की डाल को काट कर बनाए जाते हैं और इनका इस अवसर पर घर में रक्खा जाना एक प्रकार का शकुन समझा जाता है।

बालकों के लिए तो यह खेल का तथा आमोद-प्रमोद का समय होता ही है, बड़ों के लिए भी यह सप्ताह कम आनन्द का नहीं होता। बिछुड़े हुए मित्र इन दिनों में अवश्य मिलते हैं। पुत्र-पुत्री कहीं भी हों, क्रिसमस के अवसर पर अपने घर अवश्य आ जाते हैं। मित्र एक-दूसरे को क्रिसमस-कार्ड भेजते हैं। ये कार्ड करोड़ों की संख्या में बिक जाते हैं। प्रेमीगण एक-दूसरे को उपहार देकर अपने प्रेम का परिचय देते हैं। क्रिसमस कार्डों तथा उपहारों के पार्सलों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि डाकख़ाने वालों को सहस्रों अस्थायी डाकिए इस काम के लिए नियुक्त करने पड़ते हैं।

नवयुवकों तथा नवयुवतियों के ये दिन बड़े उल्लास के साथ व्यतीत होते हैं। प्रायः नित्य ही रात्रिभर नाच-घर खुले रहते हैं। कहीं फ़ेन्सी ड्रेस बॉल, कहीं मास्क बॉल, कहीं स्केट-डान्स आदि होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त पार्टियों की भरमार रहती है; जहाँ रात-रात भर नाच, गान, दावत, खेल आदि होते हैं। घरों के जीवन में भी इस सप्ताह के लिए परिवर्तन आ जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि क्रिसमस की तैयारी कई सप्ताह पूर्व होने लगती है! पहले तो मकान की सफ़ाई होती है, फिर घर की बैठक (Sitting room) झण्डियों, फूल-पत्तियों तथा बिजली के बल्बों से सुसज्जित की जाती है। फिर नम्बर आता है एक बड़ी मनोरञ्जक बात का। जिस प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के अवसर पर गुझियाँ खाने के लिए बनाई जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर एक मिठाई बनाई जाती है, जिसका नाम है क्रिसमस पुडिङ्ग (Christmas pudding)। यह मिठाई क्या होती है, वैद्य जी के पाक का नुस्ख़ा समझिए। दर्जनों चीज़ें इसमें डाल कर कई दिनों तक पकाई जाती हैं। तैयार हो जाने पर ता० २५ दिसम्बर के लिए यह मिठाई रख दी जाती है। टोटके-टनके भारत के लिए ही नहीं हैं, विलायत में भी इनकी मान्यता है, या कम से कम कुछ समय पहले रही होगी; क्योंकि इन टोटकों के चिह्न-स्वरूप चाँदी की कई चीज़ें इस पुडिङ्ग में डाली जाती हैं, जैसे घोड़े का खुर (Horse-shoe), अविवाहित की अँगूठी (Bachelor's ring), अविवाहिता वृद्धा की अँगूठी (Old maid's ring) आदि। इन चीज़ों को वे लोग 'चार्म्स' (Charms)

कहते हैं। बड़े दिन को जब लोग भोजन के समय इस पुडिङ्ग को खाने बैठते हैं, तो वे सबसे पहले इन 'चार्म्स' की तलाश करते हैं और कभी-कभी इससे बड़ा कौतूहल होता है।

ता० २५ को भोजन करने के बाद घर के सभी व्यक्ति तथा निमन्त्रित मित्रादि भी रङ्ग-बिरङ्गी टोपियाँ पहनते हैं। बाज़ार से काग़ज़ के बने हुए कुछ खिलौने आते हैं, जिन्हें Crackers कहते हैं। देखने में तो ये साधारण ही होते हैं, परन्तु कुछ देर इनसे ख़ूब मनोरञ्जन होता है। ये इतने आवश्यक होते हैं कि सम्राट् की पार्टी में भी इनका आसन अवश्य जमता है।

स्कॉटलैण्ड में क्रिसमस-डे नहीं मनाया जाता, उसके बदले ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि और ता० १ जनवरी के दिन को ये लोग अपना बड़ा दिन मानते हैं। इस प्रकार के उत्सव इङ्गलैण्ड, वेल्स तथा आयर्लैण्ड वाले नहीं मनाते, इन देशों में निवास करने वाले स्कॉच लोग ही इस उत्सव को मनाते हैं। इस उत्सव में एक विशेषता यह होती है कि लोग मदिरा का सरे-आम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार, जिस प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के अवसर पर भाँग का प्रयोग किया जाता है। सन्ध्या काल से ही लोग मदिरा पीना प्रारम्भ कर देते हैं और कुछ तो इतनी पीते हैं कि नया वर्ष प्रारम्भ होने के समय उन्हें इस लोक का तो पता भी नहीं रहता। स्कॉटलैण्ड के किसी नगर में गलियों में निकल जाइए और इन पियक्कड़ों के स्वाँग देखने को मिलेंगे। कोई झूमते हैं, कोई मस्त होकर नाचते हैं, कोई उछल-कूद कर गाते हैं। कोई और कुछ न कर सकने पर घृणित गालियाँ ही बकते हैं। जो इतना भी नहीं कर सकते, वे नालियों में आश्रय लेते हैं, जहाँ से पुलिस उन्हें ले जाती है। इनमें स्त्रियों की संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है। परन्तु यह दृश्य है समाज के निचले भाग का। ऊँचे भाग वाले अपना आमोद-प्रमोद करते इसी ढङ्ग पर हैं, परन्तु या तो अपने या मित्रों के घरों में अथवा होटलों या रैस्टोराँ में।

प्रत्येक नगर में ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को लोग नव वर्ष का स्वागत करने के लिए एक बड़े मैदान में एकत्रित होते हैं। एडिनबरा में लोग एक गिर्जे के पास एकत्रित होते हैं। वहाँ पर भी वही राग-रङ्ग होता रहता है। कहीं-कहीं आतिशबाज़ी छुड़ाई जाती है। ज्योंही बारह का घण्टा बजता है, त्योंही नव वर्ष के स्वागत के लिए एक गोला दाग़ दिया जाता है। बस, उसके बाद का जो दृश्य होता है, वह देखते ही बनता है। वहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकालता है। पुरुषों की बोतलें बड़ी होती हैं, स्त्रियों की छोटी।

बस बोतलें निकलते ही नए वर्ष की 'हैल्थ' (Health) पी जाती है और फिर सब मस्त होकर नाचे-कूद, मार-पीट, गालियों का बकना आदि सभी प्रकार का असभ्य व्यवहार करते हैं। कुछ समय पूर्व शराब पीने के बाद एक-दूसरे पर बोतलों की बौछार होती थी और लोगों के सर फूटते थे। इसलिए उधर जाना भय से ख़ाली न समझा जाता था। अब यह उत्सव कुछ 'शान्ति' के साथ होता है। फिर भी अनेक मनोरञ्जक दृश्य अब भी देखने को मिल जाते हैं।

❀ ❀ ❀

तूफ़ाने-ज़राफ़त

"मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट की चाट में"

[महाकवि "अकबर" इलाहाबादी]

इस अखाड़े में अड़ङ्गे देख कर क़ानून के,
शेख़ ने तहमद से हिजरत[1] की तरफ़ पतलून के।

❀

वज़्अ[2] मग़रिब सीख कर, देखा तो यह काफ़ूर[3] थी
अब मैं समझा, वाक़ई डाढ़ो ख़ुदा का नूर थी।

❀

आदम छुटे बहिश्त से गेहूँ के वास्ते,
मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट की चाट में।

❀

हमारे बाग़ में पेड़ अब कहाँ माली लगाते हैं,
उन्होंने भी तो देखा यह फ़क़त डाली लगाते हैं!

❀

मैं बहुत अच्छा हूँ, जी हाँ क़द्रदानी आपकी,
ग़ैर पर फिर क्यों है इतनी मेहरबानी आपकी!

❀

यह न पूछो मुझसे यह क्यों है और ऐसा क्यों नहीं
शेख़ यह सोचो तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं?

❀

तुमसे उस्तादों में मेरी शायरी बेकार है,
साथ सारङ्गी का बुलबुल के लिए दुश्वार[4] है!

❀

बुतों के नाज़ पर इस अहद[5] में लाज़िम है ख़ामोशी,
बुरा कहते हैं हम उनको तो दस अच्छा भी कहते हैं!

❀

इन बुतों के बाब[6] में इतनी ही मेरी अर्ज़ है,
कुफ़्र है इनकी परस्तिश[7] प्यार करना फ़र्ज़ है!

❀

गोशए[8] मस्जिद में कारे शेख़ अब बनता नहीं,
पेट गो तसकीन[9] पा जाए, मगर तनता नहीं!

❀

१—छोड़ जाना, २—वेष, ३—ग़ायब, ४—कठिन, ५—ज़माना, ६—सम्बन्ध, ७—पूजा, ८—कोना, ९—ढारस,

"बड़े दिन में बड़े साहब को हम डाली लगाते हैं"

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हर तरफ़ आफ़ाक़[10] में चरचे हैं अब क़ानून के,
क्यों न धोती छोड़ कर गाहक हों हम पतलून के!

❀

रूबरू फ़ैशन के फ़ौरन रुख़[11] से वह काफ़ूर थी,
कहने-सुनने के लिए डाढ़ो ख़ुदा का नूर थी!

❀

मन्दिर से वास्ता नहीं होटल के सामने,
परशाद को सलाम है बिस्कुट को चाट में!

❀

फले शाख़े तमन्ना[12] इसलिए यह रङ्ग लाते हैं,
बड़े दिन में बड़े साहब को हम डाली लगाते हैं!

❀

क़द्र के क़ाबिल न क्यों हो क़द्रदानी आपकी,
मेहरबाँ हमको बहुत है, मेहरबानी आपकी!

❀

वह तो कहते हैं, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं,
मुझको यह रोना है मेरे पास पैसा क्यों नहीं!

❀

वक़्त पर इमदाद कोई दे बहुत दुश्वार है,
रुपया हासिल न हो, तो शायरी बेकार है!

❀

कहाँ वह पीठ पीछे बज़्म[13] में ख़ामोश रहते हैं,
यह अच्छा है कि मेरे रूबरू अच्छा तो कहते हैं!

❀

आपकी बरहम[14] मिज़ाजी पर यह मेरी अर्ज़ है,
प्यार में सब कुछ है जायज़, प्यार करना फ़र्ज़ है!

❀

बिरहमन का खेल है बिगड़ा हुआ बनता नहीं,
अब वह मन्दिर में किसी से भूल कर तनता नहीं!

❀

१०—विश्व, ११—चेहरा, १२—आशा की डाली, १३—सभा, १४—नाराज़ी।

देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

अभियुक्तों की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर

दिल्ली षड्यन्त्र केस की शनिवार ५ दिसम्बर तक की कार्यवाही पिछले अङ्क में दी जा चुकी है। सोमवार, ७ दिसम्बर को विशेष अदालत फिर बैठी और उस दिन अदालत ने जेल के दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में अभियुक्तों की ओर से उपस्थित की गई दरख़्वास्त पर अपना फ़ैसला सुनाया। दरख़्वास्त में दो बातों पर अधिक ज़ोर दिया गया था। एक तो यह कि क्या जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार है कि वह जेल के बाहर किए गए कामों के लिए भी अभियुक्त को सज़ा दे सकता है और दूसरी यह कि क्या अभियुक्त अदालत के अन्दर और बाहर अथवा जुडिशियल हिरासत में रहते हुए अदालत के नियन्त्रण में हैं, या नहीं।

इस सम्बन्ध में अदालत ने सुखदेवराज बनाम सम्राट् वाले मामले की रूलिङ्ग का हवाला दिया, जिसमें यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया था—जब कोई विचाराधीन क़ैदी अदालत द्वारा जुडिशियल हिरासत में रक्खा जाता है, वह साधारणतया अदालत के अधिकार में रहता है। जुडिशियल हिरासत में उसके साथ जेल-क़ानून और उसके अनुसार बनाए गए नियमों के मुताबिक़ व्यवहार किया जायगा और अगर वह अदालत से इस बात की शिकायत करता है कि उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता, तो अदालत को यह अधिकार है कि उस मामले में वह जाँच करे। यदि अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि जेल-अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क़ानून के मुताबिक़ है, तो उस हालत में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि अदालत इसके विपरीत पाती है, तो उसे यह अधिकार है कि वह उस मामले में उचित हिदायत दे।

अभियुक्त जेल-नियमों के अधीन हैं

इस रूलिङ्ग के होते हुए अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि जेल से अदालत ले जाते समय और वापस लाते समय क़ैदी उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार जेल के अन्दर, इसलिए वह जेल-नियमों के अधीन है। परन्तु क़ैदी जैसे ही अदालत के कमरे में आ जाता है, वैसे ही वह अदालत के अधिकार में हो जाता है। इसलिए अदालत की राय में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार है कि वह अभियुक्तों को जेल से अदालत ले आते या ले जाते समय के अन्दर किए गए किसी काम के लिए, जोकि जेल के अन्दर के ही अपराधों के समान होगा—सज़ा दे सकता है, पर यह कि अदालत के कमरे के अन्दर की गई किसी बात के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि अभियुक्तों को अदालत के कमरे के बाहर किए गए कुछ कामों के लिए सज़ा दी गई है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं समझती। अदालत ने कहा कि उसकी राय में गाना और नारे लगाना राजनीतिक चिन्हों में शामिल नहीं हैं। अदालत ने अभियुक्तों को यह सलाह दी कि भोजन की सज़ा के सम्बन्ध में वे जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल के पास दरख़्वास्त दें।

मुलाक़ातों के सम्बन्ध में नियम बनेंगे

अभियुक्तों से मुलाक़ातों के सम्बन्ध में अदालत ने कहा कि वह अभियुक्तों को अपने वकीलों से सलाह करने के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित करने को तैयार नहीं है, किन्तु समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस फ़ैसले से जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को सूचित करेगी और उनसे यह सिफ़ारिश करेगी कि कम से कम रविवार को मुलाक़ात कराने की कार्यवाही फिर जारी कर दी जाय। रिश्तेदारों से मुलाक़ात के सम्बन्ध में अदालत ने घोषित किया कि अदालत के कमरे में जलपान की छुट्टी में अभियुक्तों को रिश्तेदारों और मित्रों से कुछ शर्तों के साथ मुलाक़ात कराने के सम्बन्ध में शीघ्र ही नियम बनाए जायँगे और इन नियमों के पालन में व्यक्तिगत दरख़्वास्तों की बातों की जाँच की जायगी। अन्त में अदालत ने अभियुक्तों को ज़मानत पर छोड़ने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

अभियुक्त को पाजामा नहीं मिला

इसके बाद अदालत ने मुक़दमे की कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही अभियुक्त विद्याभूषण के अदालत में आने से इन्कार कर देने के कारण १२ बजे शुरू हुई। अन्त में विद्याभूषण ज़बरदस्ती अदालत में लाए गए। विद्याभूषण ने अदालत में न आने का कारण यह बतलाया कि उन्हें पाजामा नहीं दिया गया था।

इसके बाद सरकारी वकील ने बतलाया कि पिछले सोमवार को अदालत ने अभियुक्त विमलप्रसाद जैन की उपस्थिति से अदालत को एक सप्ताह के लिए बरी कर दिया था। सरकारी वकील ने कहा कि आज फिर अभियुक्त (विमलप्रसाद) अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, हालाँकि अदालत का हुक्म उसे सुना दिया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत में उपस्थित न होने का कारण बतलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल-अधिकारियों का सिर्फ़ यह रिपोर्ट कर देना काफ़ी है कि विमलप्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया है, इसलिए रिपोर्ट स्वीकार की जानी चाहिए।

विमलप्रसाद क्यों नहीं आते ?

डॉक्टर किचलू ने कहा कि पहले की तरह जेल-अधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर उसे इस बात का इतमीनान दिलाना चाहिए था कि विमलप्रसाद वास्तव में आने से इन्कार करते हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि सफ़ाई के वकील को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि न्याय की रक्षा के लिए यह बताना ज़रूरी है कि अभियुक्त क्यों अदालत में आने से इन्कार करता है। सरकारी पक्ष ने यह रुख़ क्यों अख़्तियार किया है, इसका कोई कारण अवश्य होगा। जेल-अधिकारियों द्वारा केवल एक रिपोर्ट भेज देना काफ़ी नहीं है। इस प्रकार जो जल्दी की जाती है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि सरकारी पक्ष द्वारा पेश की गई जेल-अधिकारियों की काग़ज़ी गवाही ग़ैर-क़ानूनी है। अन्त में डॉक्टर किचलू ने कहा कि केवल विमलप्रसाद ही अदालत को यह बतला सकते हैं कि उन्हें अदालत में आने से क्या एतराज़ है। किन्तु आज जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसका अन्य अभियुक्तों पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रधान जज ने कहा कि मैं काग़ज़ी गवाही की क़ानूनियत पर एतराज़ नहीं करता, किन्तु मेरा ख़्याल है कि बेहतर होता कि जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो अभियुक्तों के साथ आए हैं, की गवाही ली जाती।

जेल-अधिकारी की गवाही

जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट, मियाँ सफ़दर अली की गवाही विमलप्रसाद की ग़ैरहाज़िरी के सम्बन्ध में ली गई। उन्होंने कहा कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत का हुक्म विमलप्रसाद को पढ़ कर सुना दिया था, किन्तु उन्होंने आने से इन्कार कर दिया। जब मैंने उन्हें लाने का प्रयत्न किया, तो वह मचल गए।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ऑर्डिनेन्स के अनुसार आरम्भिक कार्यवाही है और गवाह से जिरह करने की कोई ज़रूरत नहीं।

डॉ० किचलू ने इसका विरोध किया और कहा कि मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है कि गवाह से जिरह न की जाय। सरकारी वकील ने यह असाधारण रुख़ अख़्तियार किया है। जिरह करना तो अदालत की कार्यवाही का एक अङ्ग है।

मि० बोस ने कहा कि सवाल यह है कि जेल-अफ़सर का कहना है कि विमलप्रसाद ने आने से इन्कार कर दिया है, किन्तु हम यह दिखलाना चाहते हैं कि गवाह का बयान ग़लत है और इसलिए जिरह ज़रूरी है। फ़रारों के मामले में गवाहों की जिरह का प्रश्न पहले ही तय हो चुका है।

अदालत ने अपना हुक्म मुल्तवी रक्खा और वह जलपान के लिए उठ गई।

कैलाशपति से जिरह

८ दिसम्बर, मङ्गलवार को अदालत के बैठने पर डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह शुरू की।

कैलाशपति ने कहा—"मैं भागीरथलाल के साथ मछलीवाला मकान को गया। मैं मालिक-मकान को नहीं जानता। मैंने २१ दिसम्बर, १९३० को पुलीस के सामने दिए गए अपने बयान में पुलीस से यह कभी नहीं कहा था कि मैं अनिच्छा से बयान दे रहा हूँ। वाक़यात के अनेक विचारों से मैं स्थिर-चित्त न रहा हूँगा। अस्थिरता इस ख़्याल से थी कि कौन बात कहूँ और कौन न कहूँ। मैं अपने चित्त की इस दशा का कारण तब तक नहीं बतला सकता, जब तक कि कोई ख़ास उदाहरण मेरे सामने न रक्खा जाय। यह बात ठीक है कि मेरे बयान देते समय पुलीस ने कुछ वाक़यात बतलाए और उसने मुझसे पूछा कि इनके सम्बन्ध में तुम क्या कहते हो।

"इसके बाद जब मुझमें स्थिरता आई, तो मैंने पुलीस को दिए हुए अपने बयान में संशोधन किया। मैंने मदनगोपाल के सम्बन्ध में पुलीस को बयान दिया है। पहिले मैंने मदनगोपाल के सम्बन्ध में कुछ वाक़यात छिपाने का प्रयत्न किया था।

"मङ्गलीप्रसाद का नाम सुनने की मुझे बहुत थोड़ी-थोड़ी याद आती है, किन्तु मैं बालकृष्ण गुप्त को नहीं जानता। मुझे ख़्याल है कि मैंने सालिग्राम शुक्ल का नाम सुना है, किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि किस सम्बन्ध में मैंने सुना है। सम्भव है कि इन लोगों के सम्बन्ध में पुलीस ने पूछा हो। चित्त की अस्थिरता की हालत में दिया गया बयान कुछ सही और कुछ ग़लत हो सकता है। मैंने पुलीस से यह नहीं कहा कि मेरा चित्त स्थिर नहीं है।" मुख़बिर ने अदालत में दिए गए अपने बयान को यह कह कर ठीक किया कि यह सम्भव है कि मैंने पुलीस के सामने दिए गए अपने बयान में बाद में पुलिस से कहा हो कि मैं अस्थिर चित्त की हालत में हूँ। मुख़बिर ने कहा—"यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि मैं स्थिर-चित्त इसलिए नहीं था, क्योंकि पुलीस से मेरी शर्तें पूरे तौर से तय नहीं हुई थीं।

भागीरथ और हरकेश का परिचय

"नए मेम्बरों को भरती करने की कुछ ज़िम्मेदारी मुझ पर थी और दिल्ली में मैं मुख्यतया विद्यार्थियों में काम करता था। गर्मी के दिनों में जब कॉलेज बन्द हो जाते थे, विद्यार्थियों में काम करना बिल्कुल बन्द हो जाता था। और विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य काम भी उन दिनों ढीले पड़ जाते थे। पार्टी के कुछ मेम्बर भी इस वक्त दिल्ली से चले जाते थे। भागीरथ कॉलेज का विद्यार्थी था। मैंने पुलीस से यह ज़रूर कहा होगा कि भागीरथ पार्टी का मेम्बर है। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने अक्टूबर, १९३० में पुलीस से यह कहा हो कि भागीरथ काशीराम का साथी है। मुझे याद है कि मैंने हरकेश के बारे में बयान दिया था। मुझे निश्चय नहीं है कि मैंने उसे हरकेश (?) पुलीस को बतलाया हो और पार्टी का मेम्बर कहा हो, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि हरकेश गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने पुलीस से हरकेश को पार्टी का मेम्बर नहीं, उससे सहानुभूति रखने वाला बतलाया है। हरकेश स्कूल-मास्टर था और पार्टी की नियमित मीटिङ्ग में वह कभी नहीं बुलाया गया, और न उसने, हरकेश (?) ने, किसी काम में हिस्सा लिया। भरती करने से पहले उसे (हरकेश को) बाज़ाब्ता शिक्षा नहीं दी गई। हरकेश कभी-कभी पार्टी को रुपए की मदद देता था। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने यह बात पुलीस से बतलाई हो। पार्टी का भरती करने का कोई फ़ॉर्म न था, प्रतिज्ञा का छपा हुआ फ़ॉर्म ज़रूर था, किन्तु उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं कराया गया। पुलीस ने हरकेश को मेरे सामने शिनाख़्त के लिए कभी पेश नहीं किया। जब हरकेश मेम्बर बनाया गया था, कोई मौजूद न था। हरकेश पार्टी का बहुत साधारण मेम्बर समझा जाता था और पार्टी की महत्वपूर्ण गुप्त बातों पर उससे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी।

पुलीस वाला बयान दुरुस्त किया गया

"मैं भागीरथी के साथ जुलाई, १९३० में जयपुर गया था। मेरा ख़्याल है कि पुलीस के बयान में यह बात कि जुलाई में कैलाशपति ने भागीरथ को जयपुर भेजा, शब्द "भेजा" ग़लत है।

"मैंने पुलीस को उन सभी घरों के सम्बन्ध में बतलाया है, जिनमें पार्टी के मेम्बर लोग रहते थे।" इस पर डॉ० किचलू ने पुलीस के सामने दिए गए बयान की फ़ेहरिस्त पढ़ कर घरों के नाम सुनाए। मुख़बिर ने कहा कि—"फ़ेहरिस्त पूरी नहीं है; क्योंकि मैंने इनमें बताए गए नामों के अतिरिक्त और भी नाम बतलाए थे।

"मुझे पार्टी के बम्बई के कार्यों का कोई ख़ाती इल्म नहीं है। मैं अपनी गिरफ़्तारी के बाद कभी बम्बई नहीं ले जाया गया। मैंने बम्बई के सम्बन्ध में एक बयान दिया है।"

अन्य षड्यन्त्र-दलों से सम्बन्ध

९ दिसम्बर, बुधवार के मुक़दमे की कार्यवाही में रुद्रदत्त अभियुक्त अस्वस्थ होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हुए। पहिले तो डॉ० किचलू रुद्रदत्त के प्रतिनिधि बन गए थे, किन्तु बाद में उनकी उपस्थिति अनावश्यक कर दी गई।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति से जिरह शुरू हुई। मुख़बिर ने कहा—"अगर कोई काम करना होता था तो पार्टी उसका निर्णय करती थी। कोई मेम्बर व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर सकता था, और अगर कोई करता था, तो वह पार्टी के नियम के विरुद्ध समझा जाता था। पार्टी के भावी मेम्बरों को अनेक प्रलोभनों तथा सब प्रकार के नीचे-ऊँचे से आगाह कर दिया जाता था। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब मैं स्वयं गिरफ़्तार किया गया, तो मैं यह बात नहीं कर सका, जिसके विरुद्ध मैं पार्टी के नए मेम्बरों को सचेत किया करता था। मैं यह अनुभव करता हूँ कि पुलीस के सामने बयान देकर मैंने पार्टी के नियमों के विरुद्ध भयङ्कर अपराध किया है। पार्टी के कुछ मेम्बरों का अन्य षड्यन्त्र-दलों से सम्बन्ध था और वे लोग उनके गुप्त क्रान्तिकारी कामों में सम्मिलित थे। मेरी पार्टी के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी गुप्त कार्य कर रही थीं। मुझे अन्य गुप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई इल्म न था। मैंने अपनी पार्टी के अतिरिक्त किसी गुप्त संस्था में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। पार्टी की बिना जानकारी के किसी गुप्त संस्था में हिस्सा लेना पार्टी के नियमों के विरुद्ध था। मैं नहीं जानता कि इस बात के लिए पार्टी के किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई हो।

"हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या ईसाई के लिए प्रतिज्ञा का कोई ख़ास फ़ॉर्म न था, क्योंकि मेरी पार्टी में धर्म को दख़ल देने की आज्ञा नहीं थी। मैं स्वयं मार्क्स के सिद्धान्त में विश्वास करता था, जिसमें कि मेरी राय में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है।"

गाँधी जी की नीति की निन्दा

इसके बाद डॉ० किचलू ने "आज़ादी की ख़ूराक शहीदों का ख़ून है" नामक परचे के सम्बन्ध में मुख़बिर से जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे बहुत थोड़ी-सी याद आती है कि उपर्युक्त परचे को मेरी पार्टी ने प्रकाशित किया था। बिना परचे को पढ़े हुए मैं नहीं कह सकता कि वह मेरी मौजूदगी में लिखा गया था। (परचे को देखने के बाद मुख़बिर ने कहा कि) यह परचा दिसम्बर, १९२९ में लाहौर-कॉङ्ग्रेस में बाँटने के लिए लिखा गया था। यह कानपुर में लिखा गया था, किन्तु मेरी मौजूदगी में नहीं लिखा गया था। मैं १९२९ में लाहौर-कॉङ्ग्रेस में नहीं गया था। मैंने परचे की छपी हुई कॉपी पहले-पहल दिल्ली में देखी थी। मैंने उसे पढ़ा और उसमें लिखी गई बातों को पसन्द किया। मैं अब भी उसके विचारों से सहमत हूँ। मैं अब भी यह अनुभव करता हूँ कि क्रान्ति को सफल बनाने के लिए गुप्त प्रचार और गुप्त तैयारी होनी चाहिए।

"मैं नहीं समझता कि गाँधी जी का असहयोग सच्चे आदर्श को प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि महात्मा जी के आन्दोलन ने देश में जागृति उत्पन्न कर दी है। मैंने कभी गहरे में जाकर इस बात पर विचार नहीं किया है कि महात्मा जी के आन्दोलन ने कहाँ तक नुक़सान या कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाया है।

"मेरी पार्टी के किसी आदमी ने कभी महात्मा जी के व्यक्तित्व पर लिखित हमला नहीं किया है। मैंने गाँधी जी को पत्र लिखे थे, जिनमें मैंने उनकी नीति की निन्दा की थी, किन्तु मैंने उनके व्यक्तित्व पर कभी हमला नहीं किया।"

सरकारी वकील ने इस पर बतलाया कि यदि पत्र की बातों को सिद्ध करना है, तो उसे पेश करना चाहिए। परन्तु अदालत ने कहा कि यदि गवाह पत्र की बातों को स्वीकार करता है, तो उसे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉ० किचलू ने कहा कि वे पत्र उनके पास मौजूद हैं।

मार्क्स के सिद्धान्त पर मुख़बिर

१० दिसम्बर, बृहस्पतिवार की अदालत की कार्यवाही में मुख़बिर कैलाशपति से जिरह जारी रही। मुख़बिर ने कहा—"मैंने मार्क्स के सिद्धान्त का गहराई के साथ अध्ययन नहीं किया। मार्क्स की क्रान्ति के अनुयायियों का सिद्धान्त साम्यवाद है। अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का आदर्श भारत में साम्यवाद स्थापित करने का था। जब मैंने "अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस" नामक परचा लिखा था, उस समय मेरे दिमाग़ में और कोई आदर्श न था। मैं साम्प्रदायिकता का पक्षपाती न था, किन्तु साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मैंने कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। मेरा विचार श्रमजीवियों और किसानों की एक अस्थायी सेना (मिलिशिया) क़ायम करने का था। मेरा विश्वास है कि कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियट गवर्नमेण्ट मार्क्स के सिद्धान्त पर आधारित हैं, किन्तु मेरी पार्टी का उन सिद्धान्तों पर सरकार स्थापित करने का न तो विचार था और न उस प्रकार का कार्य-क्रम ही था। जिस ढङ्ग से मैं विधान को कार्यान्वित करना चाहता था, वह यह था कि पहले प्रान्तीय कॉन्फ़्रेन्स और उसके बाद केन्द्रीय कॉन्फ़्रेन्स सङ्गठित की जाय और साम्प्रदायिकता तथा धर्म को उसमें स्थान न रहे।"

इसके बाद डॉक्टर किचलू ने मुख़बिर से 'राजेन्द्रनाथ लहरी की जीवनी' के सम्बन्ध में जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे राजेन्द्रनाथ लहरी के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी मौजूदगी में उनकी जीवनी का वर्णन नहीं लिखा गया था। सम्भवतः भगवतीचरण ने उसे लिखा था।" इसके बाद मुख़बिर ने जीवनी की हस्त-लिपियाँ देखीं और कहा कि जहाँ तक मुझे याद आता है, यह भगवतीचरण द्वारा लिखी गई थीं।

गोपालकृष्ण पौराणी का परिचय

आगे चल कर मुख़बिर ने ग्वालियर के गोपालकृष्ण पौराणी नामक व्यक्ति का परिचय दिया। उसने कहा—"गोपालकृष्ण महात्मा गाँधी का अनुयायी होने के कारण हिंसा में विश्वास नहीं करता था। वह पार्टी के लिए अजनबी था और किसी अजनबी को पार्टी के रहस्यों के सम्बन्ध में लिखना पार्टी के नियम के विरुद्ध था। परिस्थिति के अनुसार किसी अजनबी को पार्टी के अस्तित्व के सम्बन्ध में लिखना भी पार्टी के नियम के विरुद्ध था।

"मैंने पौराणी को कई पत्र लिखे थे और उनमें मैंने पार्टी के कार्यों के सम्बन्ध में भी लिखा होगा। मैंने यह नहीं समझा कि ऐसा करने के लिए मुझे पार्टी के किसी उच्च अफ़सर से आज्ञा लेने की आवश्यकता थी। मैं पौराणी के पत्र को पढ़ने के बाद फाड़ डाला करता था। पौराणी ने कभी अपने पत्रों में मेरी पार्टी के कार्यों या सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं किया। पौराणी कभी-कभी अपने पत्रों में राजनैतिक बातों के सम्बन्ध में भी लिखा करता था। अदालत में जो पत्र दिखलाया गया है, वह मैंने पौराणी को लिखा था। मैं पत्रों को इसलिए फाड़ डालता था कि उनके रखने की कोई आवश्यकता न थी। पौराणी मेरा शुभचिन्तक था। मैंने पौराणी की राय की कोई वक़त नहीं की और मैंने कभी कोई पत्र-वाहक उसके पास नहीं भेजा, जिसका कि ज़िक्र किया गया है। मैंने अपने पत्रों को ले जाने के लिए पत्र-वाहक नहीं रक्खा था, किन्तु चूँकि स्थानीय कॉलेज का विद्यार्थी ग्वालियर जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस विद्यार्थी के साथ पत्र भेज दूँ। पर मैंने इस पत्र को नहीं भेजा। मैं डाक-द्वारा पत्र भेजना पसन्द नहीं करता था, हालाँकि मैंने पहले बहुत से पत्र डाक-द्वारा भेजे थे। जब कभी मुझे मौक़ा मिला, मैंने पत्र-वाहक द्वारा भी पत्र भेजा था। मैंने पत्र भेजने का काम हरीकृष्ण द्वारा लिया था। यह पत्र मैं डाक द्वारा इसलिए नहीं भेजना चाहता था कि यह

इधर-उधर न हो जाए, क्योंकि इसमें राजनैतिक और क्रान्तिकारी विचार प्रकट किए गए थे।"

मुख़बिर ने अपने विचार कब बदले ?

शुक्रवार, ११ दिसम्बर की अदालत की बैठक में भी मुख़बिर से जिरह होती रही। डॉ० किचलू के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा—"मैंने स्वयं लाहौर-कॉङ्ग्रेस के लिए कोई परचा नहीं लिखा था, किन्तु लाहौर कॉङ्ग्रेस के परचे में शामिल करने के लिए मैंने कुछ नोट लिखे थे।

"मैं नहीं कह सकता कि आतङ्ककारी कार्यों के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार कब बदले, किन्तु अन्दाज़न यह मेरी गिरफ़्तारी के दो या तीन महीने पहिले की बात है। मैंने अपने विचार उस समय बदले, जब मैं अजमेर में काम करने आ रहा था। "कुछ चित्र प्राप्त करने वाले" से मेरा मतलब नौकरशाही के नौकरों से है। यदि सरकारी अफ़सर क्रान्तिकारियों को छेड़ते नहीं, तो क्रान्तिकारी हिंसा और आतङ्ककारी तरीक़े न अख़्तियार करते, बल्कि वे जनता को अपने पक्ष में तैयार करते।

सरकार से कोई समझौता नहीं

"मैं सरकार से समझौता करने को तैयार न था। अब तक हम लोगों ने जनता को अछूता छोड़ा था। जनता और सरकार तथ्यों को समझने के लिए तैयार न थी। मैं किसी भी हालत में सरकार से समझौता करने को तैयार न था। मेरा यह विश्वास था कि सरकार हम लोगों को कभी स्वीकार न करेगी और अगर वह स्वीकार करती, तो उसका अस्तित्व ही न रहता। परचे में "मित्रता स्थापन" शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि मेरी पार्टी आतङ्ककारी कार्य त्याग देती, किन्तु अपने ध्येय की ओर बढ़ती जाती। मेरी पार्टी ने ज़्यादा संख्या में हथियार एकत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि कुछ हद तक थोड़ी संख्या में हथियार ख़रीद कर या अन्य उपायों से एकत्र किए गए थे। मैंने हथियार किसी से नहीं ख़रीदा था। पार्टी के अन्य मेम्बरों ने लोगों से हथियार लिए थे, किन्तु मैं उनके नाम नहीं बतला सकता। हथियार अधिकतर कानपुर में एकत्र किए गए थे। मेरी उपस्थिति में कोई हथियार नहीं एकत्र किए गए थे। हथियारों के छोटे-मोटे संग्रह की मुझे कोई ज़ाती जानकारी नहीं है।

मुसलमान और क्रान्तिकारी आन्दोलन

"मुसलमान बहुत कम क्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित हुए। मैं नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी में कितने मुसलमान शामिल हुए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी मुसलमान मेरी पार्टी का मेम्बर नहीं बना। यह बतलाना मुश्किल है कि मेरी पार्टी में मोटे तौर पर कितने मेम्बर थे। परन्तु मेरा ख़याल है कि १०० से ज़्यादा मेम्बर थे, पर यह नहीं कह सकता कि वे १५० से अधिक या कम थे। यह ग़लत है कि केवल १५० मेम्बरों से मैं ४ करोड़ आदमियों का मुक़ाबला करना चाहता था।

परचों का वितरण

"परचे ८० या १०० केन्द्रों को बाँटने के लिए भेजे गए थे, जोकि पार्टी के केन्द्रों की मोटी संख्या थी। मेरी पार्टी के मेम्बर इन केन्द्रों में रहते थे, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि एक केन्द्र में कितने मेम्बर रहते थे। आम तौर से एक केन्द्र में २० से ३० मेम्बर तक रहते थे। बहुत से केन्द्रों में सिर्फ़ एक मेम्बर पार्टी के लिए काम करता था। मैं नहीं कह सकता कि एक आदमी रहने वाले केन्द्र कितने थे। दिल्ली औसत दर्जे का केन्द्र था और यहाँ ८ या १० मेम्बर थे। मैं पार्टी से सहानुभूति रखने वालों का अन्दाज़ नहीं बतला सकता। मैं मेम्बर या सहानुभूति रखने वालों का रजिस्टर नहीं रखता था और न केन्द्रस्थ कमिटी की मीटिङ्गों में मेम्बरों या सहानुभूति रखने वालों की संख्या की कोई रिपोर्ट होती थी। ऐसे लोगों की संख्या जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मुझे पार्टी से कभी किसी को निकालने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। केवल केन्द्रस्थ कमिटी किसी मेम्बर को बदचलनी के कारण पार्टी से निकाल सकती थी।

मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दोलन

"मुसलमानों में राष्ट्रीय की अपेक्षा ग़ैर-राष्ट्रीय अधिक हैं। कॉङ्ग्रेस आन्दोलन मेरे विचार में राष्ट्रीय आन्दोलन है। सन् १९१९ में राउलटबिल के विरुद्ध आन्दोलन में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जेल गए। असहयोग आन्दोलन १९२१-२२ में शुरू हुआ और उसमें भी अच्छी संख्या में मुसलमान जेल गए। मुस्लिम संस्थाओं यानी ख़िलाफ़त और जमायत-उल-उलेमा, ने भी असहयोग आन्दोलन में काम किया था।

"सत्याग्रह आन्दोलन में मुसलमानों ने भाग लिया और उनमें कुछ जेलों को गए। सभी हिन्दू राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा नहीं लेते। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, वह यह है कि सभी मुसलमान, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया—साम्प्रदायिकता के उद्देश्य से ही आन्दोलन में शामिल हुए। कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम राष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक नहीं और सभी शहरों में मुसलमान अब तक कॉङ्ग्रेस कमिटियों के मेम्बर हैं। वह हालत अभी नहीं आई है, जबकि वे विरोधियों (सरकारी पक्ष) में शामिल हों। वह हालत अभी नहीं पहुँची है, क्योंकि दोनों जातियों के हित एक ही हैं और अभी उनमें सङ्घर्ष का समय नहीं है। ग्रामों की अपेक्षा शहरों में साम्प्रदायिक प्रश्न अधिक है।

क्रान्तिकारी लोग औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेंगे

"यदि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य दे, तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा और अपना कार्यक्रम जारी रक्खूँगा। अगर सरकार ऐसा स्वराज्य दे, तो मेरी पार्टी आतङ्ककारी कार्य त्याग सकती है और वह बिना हिंसा की शरण गए हुए विधायक कार्य-क्रम को अपना लेगी। औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर कभी केन्द्रस्थ कमिटी में विचार नहीं हुआ। मैंने इस प्रश्न पर अपनी पार्टी के मेम्बरों के साथ विचार किया होगा। मेरे कुछ साथियों का विचार था कि अगर औपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया, तो हम लोगों को आतङ्ककारी कार्यों को स्थगित कर देना होगा। मैं यह अनुभव करता था कि औपनिवेशिक स्वराज्य का विचार पूर्ण-स्वाधीनता के प्रतिकूल है और वह चाहे जिस रूप में दिया जाय, उसमें साम्राज्यवाद का हस्तक्षेप ज़रूर रहेगा।

"मैं अब भी यही विचार रखता हूँ कि हम लोगों को औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेना चाहिए और ऊपर कहे गए अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को अपने मत में लाने का कभी प्रयत्न नहीं किया, किन्तु कभी-कभी इस प्रश्न पर उन लोगों से बातचीत होती थी। बी० बी० तिवारी, भगवतीचरण और आज़ाद के भी ये ही विचार थे।

सरकारी भेदिया और एजेण्ट

"मुझे चौरीचौरा-काण्ड का व्यक्तिगत अनुभव है और मैं यह कह सकता हूँ कि स्त्रियों का सतीत्व भङ्ग किया गया था। मैंने इसे केवल सुना है, आँखों से देखा नहीं है।

"मुझे यह मालूम है कि सरकार के एजेण्ट प्रायः राष्ट्रीय आन्दोलनों में सम्मिलित होते हैं और अपने को हर सम्भव तरीक़े से छिपाते हैं। वे कभी-कभी ऐसे आन्दोलनों में बड़े जोश के साथ हिस्सा लेते हैं और उनका उद्देश्य आन्दोलन को भङ्ग कर देना होता है।

"मैं जानता था कि बी० बी० तिवारी भेदिया है। वह कानपुर में काम करता था। किन्तु अपनी मन्शा से कोई काम नहीं करता था। 'पेड पोलीज़' से मेरा मतलब सरकारी एजेण्टों से है, जो सरकारी पिट्ठू कहलाते हैं। ऐसे लोगों की नियत ख़राब होती है और वे दूसरों को उभाड़ते हैं।"

कॉङ्ग्रेस बनाम हिंसा

शनिवार, १२ दिसम्बर की अदालत की बैठक में भी कैलाशपति से जिरह होती रही। कैलाशपति ने कहा—"मेरी पार्टी वालों के द्वारा तृतीय इण्टर-नेशनल के कार्यक्रम पर कभी विचार नहीं हुआ। मेरी पार्टी का कार्यक्रम संसार के श्रमजीवियों को सङ्गठित करने का न था। समय की आवश्यकतानुसार मेरी पार्टी विलायती चीज़ों के बॉयकॉट में विश्वास करती थी। मेरी पार्टी के सभी प्रमुख मेम्बरों की यह राय थी कि यदि आवश्यकता पड़े, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु इसे कभी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया।

कॉङ्ग्रेस और जनता

"केवल कॉङ्ग्रेस ही ऐसी प्रमुख संस्था है, जो जनता की उन्नति के लिए अनवरत रूप से प्रयत्न करती है। सेवा-दल की भाँति अन्य संस्थाएँ भी हैं, जो इसी तरह का काम करती हैं।" मुख़बिर ने पहिले तो कहा कि कॉङ्ग्रेस और सेवा-दल में कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु बाद में उसने कहा कि लाहौर-कॉङ्ग्रेस के बाद दोनों संस्थाओं के बीच कुछ सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

डॉ० किचलू ने मुख़बिर से यह प्रश्न किया कि क्या कॉङ्ग्रेस सेवा-दल को आर्थिक सहायता और हिदायतें देती है? स प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज़ किया और अदालत ने प्रश्न नहीं करने दिया।

खादी पर मुख़बिर के विचार

डॉ० किचलू के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने कहा—"सम्भव है, खादी पर मैंने अपने में क्रान्तिकारी विचारों के उदय होने के पहले कुछ लिखा हो। मैंने खादी पर अपनी ज़िम्मेदारी पर लिखा था। ये ही विचार मेरी पार्टी के भी अप्रत्यक्ष रूप से रहे होंगे। मेरा विचार है कि खादी-आन्दोलन क्रान्तिकारी कार्यक्रम को चलाने में बहुत सहायता करेगा। इस काम (खादी आन्दोलन का जनता में प्रचार करने) के लिए कॉङ्ग्रेस की कोई संस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कॉङ्ग्रेस को श्रमजीवियों और किसानों का सङ्गठन करना चाहिए और मज़दूर-आन्दोलन को सहायता देनी चाहिए।

"पं० जवाहरलाल और श्री० सुभास बोस हिंसा में विश्वास रखते हैं"

"मेरा ख़याल है, कॉङ्ग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु वे खुल्लमखुल्ला इसे कहते नहीं। मि० सुभासचन्द्र बोस और पं० जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु वे खुल्लमखुल्ला इसकी घोषणा नहीं करते।

"मेरी पार्टी को श्रमजीवियों की हड़तालों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। ऐसी बातों पर पार्टी में

(शेष मैटर ३५वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)

तुर्की पत्रकार का भारत के मुस्लिम लीडरों को फटकार !

'ये नेता नहीं, मक्कार हैं !'

लखनऊ के 'हक़ीक़त' नाम के इस्लामी समाचार-पत्र ने तुर्किस्तान के एक पत्रकार का बड़ा ही मज़ेदार पत्र प्रकाशित किया है। अपने पत्र में उक्त पत्रकार ने यहाँ के जी-हुज़ूरी मुसलमान लीडरों को करारी फटकार बताई है। पत्र का मर्मानुवाद नीचे दिया जाता है। इस पत्र से पाठकों को मालूम होगा कि अरब और तुर्किस्तान के मुसलमान इस देश के ख़ुशामद-पसन्द मुसलमान लीडरों को किस दृष्टि से देखते हैं। इस पत्र के कारण सरकार-परस्त मुस्लिम अख़बारों में ख़ासी खलबली फैल गई है। कहीं इस पत्र को पढ़ कर सर्व-साधारण मुसलमान अपने जी-हुज़ूरी नेताओं का असली रूप पहचान न जाएँ, इसलिए पत्र-लेखक बेचारे को बुरी तरह कोसा जा रहा है और इस पत्र को हिन्दुओं का प्रोपेगण्डा कहा जा रहा है। पत्र इस प्रकार है :—

"मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिल को ज़ख़्मी करूँ। क्योंकि ख़ुद मेरा दिल ज़ख़्मी हो रहा है। आपकी अप्रसन्नता की मुझे परवा नहीं, जी चाहता है कि दिल खोल कर हिन्दुस्तान की भर्त्सना करूँ; विशेषतः भारतीय मुसलमानों की लज्जा-शीलता और इस्लाम-प्रेम का भण्डाफोड़ कर दूँ। परन्तु यह सोच कर रुक जाता हूँ कि निन्दा और फटकार व्यर्थ है। भारतीयों की—विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों द्वारा मुस्लिम जगत की—जितनी तबाही होनी थी, हो चुकी है। अब निन्दा करने से उसका प्रतिकार सम्भव नहीं, इसलिए बेफ़ायदा क्यों अपनी ज़बान ख़राब करूँ।

भारतीय मुसलमान हमारी चिन्ता न करें

परन्तु कम से कम एक बात मुझे साफ़-साफ़ कह देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसे आपके द्वारा समस्त भारत को सुना दूँ। वह बात यह है कि हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को तुर्कों या अरबों की चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गई-गुज़री दशा पर भी ईश्वर की दया से हममें इतनी शक्ति मौजूद है, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और इतनी अक़्ल बाक़ी है, कि अपना नफ़ा-नुक़सान अच्छी तरह समझ सकते हैं।

भारतीय मुसलमान बराबर हमारे नाम पर हल्ला मचाते हैं और संसार को जताना चाहते हैं कि वे मुस्लिम जगत के बड़े भारी शुभचिन्तक हैं। सम्भव है, इनकी चीख़-पुकार सुन कर संसार धोखे में आ जाए, परन्तु हम मुस्लिम देशों के मुसलमान धोखा नहीं खा सकते। हम भली-भाँति जानते हैं कि यह सारी चीख़-पुकार केवल दिखावे के लिए है और इसका वास्तविक उद्देश्य केवल यही है कि हमें और अवशिष्ट संसार को दिखाया जाय कि भारतीय मुसलमान बड़े दीनदार, इस्लाम और मुसलमानों के बड़े भारी मददगार और बड़े हितैषी हैं।

भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य

मैं और मेरी तरह सब कर तुर्क मानते हैं कि भारत के साधारण मुसलमान अपनी दीनदारी और इस्लामी लज्जाशीलता में सच्चे हैं। बल्कि इससे भी अधिक इस्लाम का दर्द अपने दिलों में रखते हैं। परन्तु भारत के मुसलमानों का अभाग्य भी ठीक वैसा ही है, जो तुर्कों पर सैकड़ों वर्षों से रह चुका है और अब किसी प्रकार ग़ाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा की कृपा से दूर हुआ है। आपको ख़ूब मालूम है और आप अपनी आँखों से देख चुके हैं कि तुर्क सिपाही कितने वीर होते हैं। यहाँ तक कि एक बार स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि अगर मेरे अधिकार में तुर्क फ़ौज आ जाय तो मैं सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। परन्तु इस दिलेरी और बहादुरी के रहते हुए भी गत तीन सौ वर्षों से तुर्की सेना बराबर असफल होती रही। क्यों? केवल इसलिए कि हमारे पहले के सेनापति और सरदार बहुधा वतनफ़रोश, देशद्रोही होते थे।

भारतीय मुसलमानों के नेता

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारतीय मुसलमान भाइयों के अधिकांश पथ-प्रदर्शक भी स्वार्थहीन नहीं हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनका कर्तव्य क्या है और अपनी जाति का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। परन्तु चूँकि कर्तव्य का पथ कण्टकाकीर्ण होता है। कष्ट, दरिद्रता—यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए लोग इस राह में क़दम रखने का साहस नहीं कर सकते। मगर चूँकि अपनी सरदारी और लीडरी भी जमाए रखना चाहते हैं, इसलिए साधारण मुसलमानों का ध्यान वास्तविक कार्यों की ओर से हटा कर सदैव इस्लामी दुनिया की ओर ही आकर्षित किए रहते हैं। कभी मिस्र का रोना रोते, कभी तुर्की के लिए अश्रु-विसर्जन आरम्भ कर देते, कभी फ़िलस्तीन के लिए छाती पीटते और कभी हज्जाज के ग़म में नींद-भूख हराम कर देते हैं। उद्देश्य यह होता है कि मुसलमान इन पर विश्वास करें और उनके पीछे चलते रहें। यह हरकत वे बेफ़ायदा नहीं करते। इससे इनकी असली ग़रज़ यह होती है कि मुसलमानों को अपने हाथ में रख कर विदेशी शासन-तन्त्र पर अपना प्रभाव जमाए रहें, ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

उपाधिधारी लीडर

हम जब रूटर कम्पनी के तारों में मुसलमान नेताओं के नामों के साथ 'हिज़ हाईनेस' और सर आदि अङ्गरेज़ी पदवियाँ देखते हैं, तो सच मानिए, भारतीय मुसलमानों की बुद्धि पर हमें आश्चर्य होता है कि एक अजनबी हुकूमत के ये प्रिय पात्र—ये उपाधिधारी सज्जन इस्लाम और मुसलमानों के शुभचिन्तक कैसे हो सकते हैं? हमारा यह आश्चर्य कुछ अनुचित नहीं है। साधारण समझ का आदमी भी समझ सकता है कि सरकार उसी आदमी को पदवी देती है, जिसे अपना शुभचिन्तक समझती है और यह मानी हुई बात है कि अजनबी सरकार का शुभचिन्तक कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता।

मुसलमानों का चन्दा

मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस बात को अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लें कि उनके चन्दे से तुर्कों और अरबों का कोई लाभ नहीं होता और न उनकी चीख़-पुकार का कोई परिणाम होता है। आधे से अधिक चन्दा तो ख़ुद जमा करने वालों की नज़र हो जाता होगा, जैसा कि ख़िलाफ़त-फ़ण्ड का हाल हुआ। चीख़-पुकार से लाभ उठाने वाले भी स्वार्थी और मतलब-बाज़ लीडर होते हैं, जिनके प्रभाव में आकर विदेशी सरकार उनका मुँह मीठा किया करती है।

हमारे उपकार का उपाय

अगर भारतीय मुसलमान वास्तव में अरबों और तुर्कों का कुछ उपकार करना चाहते हैं तो उसकी बस एकमात्र तदबीर यही है कि वे अपने देश को स्वतन्त्र करें। बस, इस एक मसले के हल होते ही हमारे समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाएँगे। क्योंकि हमारी जो दुरवस्था हो रही है, हुई है या होगी, उसका एकमात्र कारण भारतवर्ष की ग़ुलामी है।

अगर भारतीय मुसलमान समझ जाते कि हमें न उनके रुपए की आवश्यकता है और न उनकी मदद की। अगर ज़रूरत है तो इसी बात की कि वे स्वतन्त्र होकर हमारे तमाम कष्टों को दूर कर दें। परन्तु मैं जानता हूँ कि यह मोटी और साफ़ बात भी साधारण मुसलमान को समझने न दी जाएगी और नाना प्रकार की धोखेबाज़ियों से उन्हें इससे दूर रक्खा जाएगा।

अगर मैं भारतीय मुसलमान होता—

मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर मैं भारतीय मुसलमान होता, तो प्रत्येक लीडर का हाथ पकड़ कर पूछता कि साफ़-साफ़ बताओ, तुम हिन्दुस्तान की आज़ादी चाहते हो या नहीं? अगर वह कहता, 'चाहता हूँ', तो मैं कहता, बस आइन्दे आज़ादी के सिवा और कोई बात तुम्हारे मुँह से न निकले, अन्यथा हम कान पकड़ कर तुम्हें अपने दल से निकाल देंगे। और, अगर वह कहता—'मैं तो मुसलमान हूँ, इस्लाम की आज़ादी मेरी नज़र में सब से बढ़ कर है। मुझे मिस्र, शाम, ईराक़, तुर्की और ईरान प्रिय हैं', तो मैं समझ लेता कि यह अव्वल दर्जे का जालसाज़ और मक्कार है। मैं उससे कहता—'ऐ मक्कार, अगर भारत स्वतन्त्र नहीं, तो फ़िलस्तीन और ईराक़ कैसे स्वतन्त्र हो सकते हैं? अगर तू सच्चा मुसलमान होता तो बैतुल मुक़द्दस के काफ़िरों (विधर्मियों) के हाथों में चले जाने पर मर गया होता। परन्तु तू तो बदस्तूर हट्टा-कट्टा सही-सलामत है, इसलिए न तुझे इस्लाम की मुहब्बत है, न हिन्दुस्तान की। बल्कि तू हिन्दुस्तान और इस्लाम का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है।

मैं सच कहता हूँ कि अगर मैं हिन्दुस्तानी मुसलमान होता तो चाहे मेरी जान जाती या रहती, मैं ऐसे दग़ाबाज़ों को एक क्षण के लिए भी लीडरी की गद्दी पर न रहने देता।

तुम दुनिया भर को आज़ाद कर सकते हो

मुझे विश्वास है कि अगर भारत के मुसलमानों को सच्चे पथ-प्रदर्शक मिल जाएँ तो वे अपनी धार्मिक शक्ति और इस्लामी महत्व की शक्ति से केवल भारत ही नहीं, वरन् सारे संसार को ग़ुलामी से मुक्त करा सकते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के साधारण मुसलमान कैसे नेक और ईमानदार होते हैं और कैसे बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। परन्तु दुःख—महादुःख है कि इनका कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक नहीं है। अगर अमानुल्लाह अदूरदर्शी और अगुणग्राही अफ़ग़ानिस्तान में न पैदा होकर, नेकदिल भारत में पैदा होता तो संसार देख लेता कि हिन्दुस्तानी मुसलमान कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं।

अन्त में हिन्दुस्तान के मुसलमानों से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि वे हम तुर्कों और अरबों की चिन्ता छोड़ कर स्वयं स्वतन्त्र हो जाएँ, फिर ईश्वर की कृपा से हमारी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता ही न रहेगी।

❀ ❀ ❀

सत्याग्रही के पत्र

[श्री० 'व्यथित-हृदय']

सत्याग्रह-शिविर, देवपुर
२८-३-३०

माँ,

वेदना का राज, आकुलता का प्रासाद, करुणा की निधियाँ—सभी कुछ हमें तुम्हारे पत्र में मिलीं। परन्तु मेरी आत्मा, मेरी भावनाएँ इतनी प्रबल और इतनी करुणा-शून्य हैं कि उनमें तनिक भी दर्द नहीं हुआ, तनिक भी कचोटें नहीं उठीं। क्या करूँ? चाहे तुम इसमें मेरा ही अपराध समझो, परन्तु अपराध मेरा नहीं, अपराध परिस्थिति और समय का है। उसने मुझे इतना कठोर, इतना निर्दय बना दिया है कि हृदय में करुणा और सहानुभूति का सञ्चार नहीं। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं निर्दय और कठोर हूँ। मेरे हृदय में करुणा और सहानुभूति की भावनाएँ नहीं। फिर? फिर क्या? इस समय मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ, वह स्वराष्ट्र-सेवा का मार्ग है। वह स्वदेश को ग़ुलामी के पञ्जे से छुड़ाने की दिशा है। मैं उसे छोड़ कर सुखी नहीं रह सकता। मेरी समस्त करुण-कामनाएँ और सहानुभूति की भावनाएँ उसी दिशा में साँस लेने की मञ्ज़िलें तैयार कर रही हैं। उन्हें फ़ुरसत कहाँ, कि वे अपने अभीष्ट कार्य को छोड़ कर संसार के किसी प्राणी के लिए अपनी गति को रोक सकें—इसी से यह परिवर्तन है, इसी से यह बाह्य कठोरता और निर्दयता है!!

तुम दुखी न होना। मेरे लिखने का कदापि यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हारा हृदय वेदना से आहत होकर तिलमिला उठे तुम्हारी आँखें वियोग से व्याकुल होकर आँसुओं की वर्षा करने लगें। मैं तो केवल अपने हृदय का इज़हार कर रहा हूँ, मैं तो केवल अपने अन्तर को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ। तुम उसे चाहे जो समझो, चाहे जिन आँखों से देखो, यह तुम्हारा काम है। पर तुम्हारी आँखों का आँसू, तुम्हारे हृदय की वेदना, मेरे लिए वरदान नहीं अभिशाप, पुण्य नहीं पाप हैं। मैं काँटों के पथ पर जा रहा हूँ, मैं तलवार की धार पर चलने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम रोओ न, आँसू न बहाओ! मङ्गल-कामना करो! तुम मेरी माँ हो। माता की मङ्गल-कामना, बेटे के लिए आशीर्वाद—सुख-शान्ति का साधन, सफलता का भण्डार है।

मैं तुमसे विलग न होता—तुम्हारी बुढ़ौती को इस प्रकार असहाय अवस्था में न छोड़ता, परन्तु क्या करूँ? मेरी आँखों में इस समय देश-सेवा का नशा है, मेरी नसों में राष्ट्र पर बलिदान होने का ख़ून है, मैं इसी से पागल हूँ। सारा संसार मुझे अन्धकार की भाँति शून्य प्रतीत हो रहा है। मैं इसी अन्धकार को चीरने के लिए पुण्य का सञ्चय कर रहा हूँ, तपस्या का बल इकट्ठा कर रहा हूँ। जब तक मेरी साधना पूरी न होगी, जब तक मेरी तपस्या के सफल वरदान नहीं फलेंगे, तब तक मैं इसी प्रकार पागल, इसी प्रकार बेचैन, इसी प्रकार आकुल रहूँगा। चाहे संसार इसे जो कहे, परन्तु मैं तो अपना धर्म समझता हूँ। केवल मेरा ही नहीं, भारत के प्रत्येक नौजवान का भी, इस समय यही धर्म है कि वह घर-बार, सुख-साज, आमोद-प्रमोद छोड़ कर अपनी देश-माता और अपने राष्ट्र के उद्धार के लिए अहिंसा-संग्राम में कूद पड़े। तभी माता का दुख दूर होगा, तभी ग़ुलामी के अभिशाप से पिण्ड छूटेगा।

दायित्व! दायित्व क्या वस्तु है? क्या उसी का नाम दायित्व है, जो मनुष्य को पाप की दिशा की ओर ले जाय? यदि हाँ, तब तो मैं संसार के प्रत्येक प्राणी से यही कहूँगा कि वह जहाँ तक हो सके, दायित्व की ज़ञ्जीरों को तोड़ कर उससे मुक्त—स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करे। परन्तु नहीं, दायित्व को तो मैं पुण्य समझता हूँ, वरदान मानता हूँ। प्रत्येक मनुष्य की मानवता से दायित्व का घना सम्बन्ध है। बिना उसके तो वह शून्य, नीरस और कठोर है। दायित्व ही मानव-जीवन को मृदुल और सुकुमार बनाता है, दायित्व ही उसे उन्नति और आदर्श की दिशा में ले जाकर, उन अलौकिक दृश्यों का दर्शन कराता है, जिनके लिए मनुष्य नहीं, देवता तरसते हैं—आकुल रहते हैं! मुझे विश्वास है, मैं दायित्व के पथ पर जा रहा हूँ, यदि कोई इसे न समझे, तो मैं क्या करूँ?

सुनो, दायित्व की बात। उस पत्र में मैंने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। कारण, मैं आवेग में था। मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क की भावनाएँ, उस समय उन्माद की गोद में थीं। मैं उससे दूर नहीं, उसी में था—जन्म से लेकर, उस दिन पर्यन्त उसी के साथ क्रीड़ा करता रहा, जब तक घर के बाहर क़दम नहीं रक्खा था, जब तक भगवान ने मेरे मन की प्रवृत्तियों को एक दूसरे दायित्व के दिशा की ओर नहीं मोड़ा था। बताओ, तुम्हीं सच्चे हृदय से बताओ, मैं तुम्हारी सेवाओं के लिए मृत्यु का भी आलिङ्गन करने को तैयार नहीं रहता था? पैरों की धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की उत्सुकता हमारे हृदय में हलचल नहीं उत्पन्न करती थी? परन्तु क्या करूँ? भगवान ने सौंपा हुआ दायित्व मुझसे छीन लिया, मुझे उसकी सेवाओं से स्वयं ही वञ्चित कर दिया। फिर दोष किसका, मेरा या भगवान का? देखो ज़रा भगवान की इच्छा, और सुनो मेरे परिवर्तन की कहानी:—

उस दिन गोधूलि के ईषत् तममय वेला में, जब तुमने मुझे डाँटा और कहा—"अभागा, घर से निकल भी नहीं जाता!" उस समय मेरी आत्मा को असहनीय आघात पहुँचा, प्राणों में एक ऐसी विकलता नाचने लगी कि मैं स्थिर न रह सका और घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकल कर मैं सीधा नदी के तट की ओर चला, वहाँ पहुँच कर मैं क्या करता, मुझे स्वयं मालूम नहीं।

हृदय में न भय था और न किसी प्रकार की वेदना। मैं स्वतन्त्र था और उसी स्वतन्त्रता के उन्माद में, उस विजन पथ पर निर्भयतापूर्वक चला जा रहा था। उस दिन मुझमें ग़ज़ब का साहस, ग़ज़ब की हिम्मत थी! जीवन और जीवन की सम्पूर्ण कामनाएँ उस समय एक दूसरे ही रङ्ग में रँगी थीं। ऐसा रङ्ग और ऐसे रङ्ग का उन्माद कदाचित् मेरी आँखों में कभी नहीं चढ़ा था। ओह! क्या कहूँ? शायद भगवान की प्रेरणा ही उस समय मेरे मानस में डोल रही थी। शायद मेरा भविष्य ही भावी सुखों के अमूल्य वैभवों को आँखों के आगे बिखेर कर, मुझे बड़े ज़ोरों से उस ओर खींचे जा रहा था। कौन जाने, क्या बात थी? परन्तु मैं तो नदी की ओर लक्ष्यहीन की भाँति आगे बढ़ा जा रहा था।

पहले अन्धकार था—तम की रेखाओं का एक सघन जाल पृथ्वी माता के ऊपर पड़ा था, परन्तु थोड़ी देर पश्चात्, जब मैं अपना आधा मार्ग समाप्त कर गया था, गगन की गोद में, चन्द्रदेव मुस्कराते हुए दिखाई दिए। उनकी सुधा-सिञ्चित किरणें तम-राशि को एक ओर बटोर कर पृथ्वी माता के विक्षुब्ध-नेत्रों को शीतल करने लगीं। कैसा दृश्य था! कैसा उल्लास!! उसका सुख, उसका गर्वीला उन्माद हमारे जैसा वह पथिक ही जान सकता है, जो केवल उसी को अपनी आत्मा में लपेट कर घर से बाहर निकला हो; जो केवल स्वतन्त्रता की मस्ती में, उस चाँदनीमय निशा के जन-शून्य पथ पर, अपनी पागल और दुखी आत्मा की मौनता के सहारे सङ्गीत सुनता हो!

हाँ, तो चन्द्रदेव को मैंने देखा। मेरी आँखें शीतल हो गईं। अन्तरात्मा ने ललचाई भावनाओं में फँस कर कहा—मेरी भी कामनाएँ इसी प्रकार शीतल हों, मैं भी अन्धकार का विनाश कर संसार में प्रकाश उत्पन्न करूँ। मैं भी दूसरों के मा ँ पर अपनी विकसित चेतना की किरणों को इसी प्रकार बिछा दूँ। मैं भी अपनी सञ्चित ज्योति को संसार में निर्ममता से लुटा कर, उन्मत्तों की भाँति मुसकराऊँ। मैं भी अपने एक नहीं, सहस्रों करों के सहारे संसार की ओर सङ्केत करूँ कि पुण्य की ओर बढ़ो।

चन्द्रदेव हमारे गुरु, स्वतन्त्रता के प्रबोधक हैं। उन्हीं की किरणों ने हमारे हृदय में चेतना का प्रकाश उत्पन्न किया है, उन्हीं के शुभ्र प्रकाश ने हमारे जीवन में नवीन भावों की सृष्टि कर, आँखों के सामने आज़ादी की दुनिया को प्रशस्त रूप से दिखलाया। इसीसे मैं आजकल उनकी साधना में मस्त रहता हूँ, इसीसे हृदय-सिंहासन पर उन्हें बैठा कर, सदैव उनकी मानस-पूजा किया करता हूँ। तुम भी आराधना किया करो माँ,

---

देहली षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही

(३२वें पृष्ठ का शेषांश)

कभी विचार नहीं हुआ। मेरी पार्टी में सत्याग्रह आन्दोलन पर कभी विचार नहीं हुआ, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी वाले इसे पसन्द करते थे या नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि विधायक सरकार के विरुद्ध कॉङ्ग्रेस द्वारा किए जाने वाले सभी काम अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित हैं। मेरा यह पक्का विश्वास था कि आख़ीर में हथियारों की शरण लेना अनिवार्य है। अहिंसा का सिद्धान्त अच्छा है, जब तक कि वह शान्तिपूर्ण तरीक़ों में सीमित रहे, किन्तु यदि हथियार उठाना अनिवार्य हो जाय, तो यह पाप नहीं है।

"मैं स्वराज्य के लिए १९२१-२२ के बारदोली आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि महात्मा गाँधी ने चौरीचौरा-काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन को जो एकदम रोक दिया था और वहाँ किए गए हिंसात्मक कार्यों की निन्दा की थी, उसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ इन बातों पर विचार किया था। मुझे यह स्मरण नहीं होता कि इस सम्बन्ध में मुझमें और बी० बी० तिवारी में कोई बहस हुई थी। मैंने कॉङ्ग्रेस द्वारा की गई प्रत्येक बात की आलोचना नहीं की।"

❀ ❀ ❀

वे तुम्हारी आँखों को शीतल करेंगे, तुम्हारे हृदय में शान्ति का बीज बोएँगे।

भगवान की प्रेरणा! शायद वह ऐसा ही समय था, ऐसी ही घड़ियाँ थीं। इसीसे तो उस दिन की चन्द्र-किरणें, हमारी आँखों में परिवर्तन की सलाई घुमा गईं, हृदय में स्वाधीन विचारों की पुष्टि कर, उसकी उन्मादक लहरियों को कोने-कोने में दौड़ा गईं। नहीं तो एक नहीं, लाखों बार चन्द्र-किरणें आँखों के सामने आ चुकी थीं, अपने प्रकाश की उज्ज्वल धाराओं को हँस-हँस कर दौड़ा गई थीं। परन्तु उस दिन के ऐसा भाव, ऐसा विचार कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। मुझे स्वयं आश्चर्य है, इस परिवर्तन की विचित्र परिस्थिति मैं कैसे आ गया? इन स्वर्गीय विचारों की हमारे जैसे निर्बल हृदय वाले मनुष्य के मानस में कैसे सृष्टि हो गई? सचमुच उस दिन की चन्द्र-किरणें, स्वर्गीय, दुर्लभ और मोक्षदायिनी थीं!

उस चाँदनी निशा में नदी के तट पर पहुँच कर मैंने देखा, एक क्षीणकाय संन्यासी आसन मार कर पानी के समीप बैठे हुए। चाँदनी के शुभ्र प्रकाश में उसके शरीर से त्याग की ज्योति निकल रही थी। उनके वस्त्रों से मालूम हो रहा था, त्याग की दुनिया में ग़रीबों के साथ पागलों की राग अलापते हुए इन्हें बहुत दिन हो गए। इन्होंने, उसी की मस्ती में अपने जीवन को लुटा कर इस अवस्था और इस अवस्था के आन्तरिक वैभवों को प्राप्त किया है।

मैं उन्हें देख कर पहले डरा, परन्तु फिर मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार कर कहा—'नादान, डरता क्यों है, देखता नहीं उसके स्वरूप को, पहचानता नहीं उसके वेष को!' हृदय में हिम्मत आ गई, मन में शक्ति की भावनाएँ नाच सी उठीं। मैं निडर होकर उनके समीप चला गया। मेरे पैरों की आहट से उनका ध्यान भङ्ग हुआ। उन्होंने नेत्रों को पीछे घुमा कर मेरी ओर देखा और देख कर बड़ी ही सरल वाणी में कहा—

"कौन, इस निर्जन स्थान में, रजनी के यौवन में, कौन? जानते नहीं, यह समय उनकी साधना का समय है, जो संसार की घृणित लिप्साओं और उनके मार्मिक दृश्यों के कारण दिन में पहाड़ की कन्दराओं में छिपे रहते हैं।"

मैं सहम गया, अन्तिम बात ने हृदय में भय सा उत्पन्न कर दिया, परन्तु लाचार था! बिना जवाब दिए शायद कुशल न थी, अतः हिम्मत करके कहा—मैं हूँ एक भूला नवयुवक।

उन्होंने इस बार मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और देख कर कहा—भूला नवयुवक! क्यों भूले हो? क्या संसार में कभी नवयुवक भी भूलते हैं? नवयुवक तो स्वयं अपना उद्धार करते हैं, अपने मार्ग को स्वयं परिष्कृत करते हैं। यदि तुमने इतिहास पढ़ा होगा, तो उसके पन्नों में तुम्हें ऐसे बहुत से नवयुवक मिले होंगे, जिन्होंने कभी अपने को भूला हुआ कहा ही नहीं। देखो, मेज़िनी और मेक्स्विनी के साहस को, देखो, लेनिन और ट्रॉटस्की की शक्ति को। ये नवयुवक ही थे।

मैं कुछ बोल न सका। पर नसों में बिजली सी दौड़ गई। आँखों में जोश के भाव उमड़ने लगे। इच्छा हुई कुछ कहूँ, पर क्या कहूँ? समझ में न आया। उसने मेरे मन की अवस्था जान ली और एक बार मेरे चेहरे पर अपनी आँखें दौड़ा कर फिर कहा—

"तुम नवयुवक हो, पर नवयुवक का धर्म नहीं जानते। तुम्हारी रगों में जवानी का ख़ून है, पर तुम उसकी उपयोगिता को नहीं समझते। तुम्हारे हृदय में पागल की भाँति तरुण कामनाएँ हैं, पर तुम उसके जौहर को नहीं परखते। इसी से तुम अपने को भूला हुआ कहते हो, इसीसे तुम अपने को अन्धकार में पाते हो। परन्तु आज यह तुम्हारे पुण्य की चाँदनी रात है। मैं शक्ति भर तुम्हें दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करूँगा। उस दिशा में जाकर तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और तुम सच्ची अमरता प्राप्त कर सकोगे। सुनो, मेरे साङ्केतिक शब्दों को सुनो! तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भ्रान्ति-भावना काई की तरह फट जायगी। तुम नवयुवक हो, तुम्हारी नसों में एक अजीब शक्ति है, तुम्हारे हृदय में एक पागल भक्ति है। परन्तु तुम उसे अपनी अज्ञानता और नादानी के कारण समझते नहीं। इसी से आज जब देश की छाती पर ग़ुलामी सवार है और उसके विरुद्ध भारत के कोने-कोने में संग्राम का बिगुल बज रहा है, तुम पागल और विस्मृत की भाँति नदी के इस निर्जन तट पर मुझसे बातें कर रहे हो। मुझे तो फ़ुरसत नहीं, विराम नहीं। मैं रात-दिन, उसीके लिए अपनी शक्तियों का बलिदान चढ़ाता हूँ। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरी साधना, मेरा संयम, सब कुछ उसी के लिए। परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपना अमूल्य समय दिया। इसलिए कि एक नवयुवक भूला है और थोड़े ही प्रयास से, उसकी भेंट पाप के विरुद्ध पुण्य की वेदी पर चढ़ सकेगी। क्यों, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? क्या तुम राष्ट्र और राष्ट्र-माता के लिए अपनी भेंट अर्पित कर सकते हो!"

वह रुक गया। उसकी गम्भीर आँखें मेरे चेहरे पर गड़ गईं। शायद वह अपनी तीक्ष्ण ज्योतिमयी आँखों से हमारे अन्तर की ओर झाँक रहा था। मैंने भी उसकी ओर देखा और देख कर कहा—कैसे अपना बलिदान चढ़ाऊँ? बलिदान मुझे प्यारा लग रहा है। क्यों, क्या इसका कोई मार्ग है? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, फिर उसके निकट तक कैसे पहुँच सकूँगा?

उसने कहा—पहुँच सकोगे। सीधा मार्ग है, सरल उपाय है। केवल यही सीखना होगा, अहिंसा और अहिंसा पर क़ुर्बान होना।

मैंने पूछा—कहाँ और कैसे?

उसने कहा—सत्याग्रह-आश्रम में।

मेरी उत्सुकता बढ़ गई। हृदय में किसी ने कहा—"चलो, वहीं कल्याण है। वहाँ जाकर तुम अपने जीवन के साथ ही साथ, अपनी माता की कुक्षि को भी एक गर्वीले प्रकाश से प्रकाशित कर सकोगे।" मैंने कहा—"बताइए, सत्याग्रह-आश्रम कहाँ है? मैं उसमें जाकर अपना जीवन सार्थक करूँगा, अपनी शक्तियों को भेंट चढ़ा दूँगा। मेरा हृदय, आपकी बातों से बावला बन गया है, मेरा जीवन अपने आगे एक उज्ज्वल प्रकाश पा रहा है। बताइए और कृपापूर्वक बताइए वह सत्याग्रह-आश्रम। वहीं अब मेरा घर होगा।"

उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा और जेब से काग़ज़-पेन्सिल निकाल कर तथा कुछ लिख कर मेरे हाथ में दिया। फिर उसने कहा—तुम देवपुर सत्याग्रह-शिविर में जाओ, और वहाँ के अध्यक्ष को मेरा यह पत्र दे देना। शिविर यहाँ से ठीक पूर्व की ओर दो मील के अन्तर पर है।

इसके बाद वे अपनी साधना में फिर तन्मय हो गए। मैं उसी चाँदनी में पत्र लेकर चल पड़ा। मार्ग में मैंने उसे खोल कर पढ़ा; उसमें लिखा था:—

नदी का तट, १२ बजे रात

"प्रिय रमेश बाबू!

आज एक पथ-भ्रान्त नवयुवक को आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। आप इसके अन्तर में छिपी हुई शक्तियों को पहचानिए और उनका मोल कीजिए। यदि आप भूल न जाएँगे और इसका सुनहला भविष्य किसी भयङ्कर राहु-शनि के कारण अपने अस्तित्व को खो न देगा, तो इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन इस नवयुवक के अन्तर में छिपी हुई क़ुर्बानियों के कारण भारत की राष्ट्रीयता जगमगा उठेगी और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यही सदा गूँज उठेगी कि, अमर × × × (मैं नाम नहीं जानता) ने भारत की गोद में जन्म लेकर अपना सच्चा कर्तव्य पालन किया। बस।

आपका,
—संन्यासी"

मैं मार्ग में बहुत भटकने के पश्चात् प्रातःकाल पत्र लेकर शिविर में पहुँचा। वहाँ अध्यक्ष को पत्र दिया। वे पत्र पढ़ कर तथा मुझे देख कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, केवल मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम उन्हें बता दिया। उन्होंने उसी समय स्वयंसेवकों के सरदार को बुला कर मेरा नाम सैनिकों में लिखवा दिया।

मैं काम करने लगा। मेरे साहस और हृदय की शक्तियों को देख कर शिविर के स्वयंसेवक, तथा सैनिक और सरदार अत्यन्त प्रसन्न हुए। सबके ओठों पर हमारी सराहना के शब्द नाचने लगे। सभी के हृदय में हमारे प्रति एक सहृदय अनुराग जाग उठा, सब मुझे आदर-अनुराग की दृष्टि से देखने लगे।

एक दिन स्वयंसेवकों के सरदार ने मुझे बुला कर कहा—सत्याग्रह-शिविर से दो मील के अन्तर पर, पश्चिम की ओर, वीरभूमि एक गाँव है। वहाँ नमक-क़ानून तोड़ा जायगा। हमारी राय है कि वहाँ के जत्थे के सरदार आप बनें

मैंने कहा—जैसी आपकी आज्ञा। मैं हर तरह से आज्ञा-पालन के लिए तैयार हूँ। सिपाही के लिए सरदार की आज्ञाओं का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

सरदार शान्त रहे। उनकी भाव-भङ्गी से मालूम हुआ, उन्होंने हमारे वचनों का स्वागत किया। निश्चित तिथि पर मैं आठ स्वयंसेवकों के साथ उस गाँव में भेजा गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा, सिपाहियों का एक सशस्त्र दल नमक बनाने के स्थान पर खड़ा है। सिपाहियों की मनोवृत्ति को पहचान कर मैंने अपने सिपाहियों से कहा—बहादुर स्वयंसेवको, पशु-वृत्ति का कवच धारण किए हुए, गोरी सरकार के ये सिपाही आज तुम्हारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। देखना, तुम अपनी सात्विकता को छोड़ न देना। यदि तुम अपने सिद्धान्त और व्रत पर पर्वत की भाँति स्थिर रहोगे, तो इसमें सन्देह नहीं कि विजय-देवी तुम्हारे ही गले में जयमाल डालेंगी।

सैनिक स्थिर हो गए। उनके मुखों पर अहिंसा के उज्ज्वल भाव झलकने लगे। उन्होंने बड़ी वीरता और धीरता से सहस्रों मनुष्यों के बीच में आग पर खारे पानी की कड़ाही चढ़ा दी। इधर नमक बन कर तैयार हुआ और 'नमक-क़ानून तोड़ डाला' की सदा लगी, और उधर सिपाहियों का दल स्वयंसेवकों के ऊपर बाज़ की भाँति टूट पड़ा। भीड़ तितर-बितर हो गई। मैंने आगे बढ़ कर सिपाहियों के आगे मस्तक झुका दिया। सिपाहियों ने भी नमक अदा करना आरम्भ किया। मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं × × ×।

यह पहिली परीक्षा थी। इसमें मैं पास हुआ या फ़ेल, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं। मैं तो इसके सम्बन्ध में केवल यही कहूँगा कि यह सब अच्छा हुआ और हुआ भगवान की इच्छा से। भगवान ने स्वयं मेरी अँगुलियों को पकड़ कर मुझे इस दिशा की ओर खींचा, फिर मैं दोषी क्यों? फिर मेरे ऊपर तुम्हारे दुखों का पाप कैसे लद सकता है? बताओ और तुम्हीं बताओ! मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हारे शब्दों में बुढ़ापे की लकड़ी छीना है, वही तुम्हें एक सच्चे और सुन्दर केन्द्र पर लाकर स्थित करेगा।

इसके पश्चात् और देखो ! तुमने स्वप्न में उस देवी का दर्शन किया, उसने अपने अञ्चल को पसार कर करुणा की तुमसे भीख माँगो। इसे तुम क्या समझती हो ? भगवान की इच्छा या और कुछ ? मेरी समझ में तो मेरा सारा परिवर्तन भगवान की इच्छा से हुआ और हो रहा है। अतः तुम दुखी न हो, भगवान की सम्पूर्ण इच्छाएँ पवित्र और मङ्गलकारी होती हैं।

तुम भाग्यशाली और पुण्यवती हो, तुम्हारे सम्बन्ध से मैं भी भाग्यशाली और पुण्यवान हूँ ! ओह, वह स्वप्न-प्रतिमा, तुमने उसे देखा। मैं क्या बताऊँ ? वह देखें, कल्याणी शक्ति, सर्वस्व ! उनकी गोद में हिमालय जैसा पर्वत, गङ्गा-जमुना ऐसी पवित्र नदियाँ, राम-कृष्ण ऐसी सन्तान, गाँधी-जवाहर ऐसे त्यागी क्या नहीं ! शक्ति और वैभव, त्याग और तपस्या, साधन और संयम, आचार और विचार, सब कुछ। मानव जीवन के सारे उच्चतम आदर्श उसकी गोद में क्रीड़ा करते हैं। संसार की अन्यान्य जातियाँ, पृथ्वी के अन्यान्य राष्ट्र एक दिन उसके वैभव को देख कर हँसा करते थे, डाह करते थे। वह हँसती-झिलकती संसार-कानन में क्रीड़ा कर रही थी। उसकी सन्तान, उसके बच्चे—नहीं-नहीं, सारा संसार उसकी इस रूप में वन्दना करता था—

स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का,
प्रेम-मूल प्रिय लोक त्रयी का !
सुललित प्रकृति नटी का टीका,
ज्यों निशि का राकेश,
जय-जय प्यारा भारत देश।

परन्तु आज उसका वैभव पराधीनता के पाप से ढँका है। उसके जीवन की मनोहर निधियाँ, हमारी अज्ञानता के कारण प्रकाशहीन होकर सिसक रही हैं। जहाँ देखिए वहीं अन्धकार, जहाँ ही देखिए वहीं वेदना की वर्षा। कहीं कोई रो रहा है, तो कहीं कोई पेट को पीठ से मिलाए हुए हाय-हाय की आवाज़ लगा रहा है। इसीसे—इसी वेदना के विषाद से, उसका वह स्वरूप—उसका वह स्वरूप आज आ रहा और उदास होकर केवल सूखी हड्डियों से बिहँस रहा है। वेदना उसके अङ्ग-अङ्ग में, करुणा उसकी नस-नस से धारा के समान फूट रही है। इन बत्तीस करोड़ निकम्मे नामर्दों की माता अपनी आँखों से आँसू बहावे और हम उसे देखें, जीते रहें। क्यों न इस विनश्वर शरीर का ख़ाक मिट्टी में मिल जाता ? आँखों से वेदना का चित्र तो न देखने को मिलता ! हा ! क्या कहूँ ? मेरी माता—भारत-माता—ग़रीब दुखिया, दरिद्री, × × × बस। शेष फिर कभी—

तुम्हारा,
—चरण

❀ ❀ ❀



हमारी नई पहेली

फिर २५) का नक़द पुरस्कार

नियम

(१) यह प्रतियोगिता 'भविष्य' के सभी पाठकों के लिए है। जो 'चाँद' के स्थायी ग्राहक हैं, वे 'भविष्य' के स्थायी ग्राहक नहीं समझे जायँगे। उन्हें भी अन्य पाठकों की भाँति 'भविष्य' का कूपन भेजना पड़ेगा।

(२) नीचे जो पहेली दी जाती है, वही पिछले तीन अङ्कों में दी जा चुकी है। पहेली में पाँच बड़े-बड़े ख़ाने हैं। इनमें से प्रत्येक में कई छोटे-छोटे ख़ाने हैं। छोटे ख़ानों के अक्षरों को मिला कर जो शब्द बनते हैं, उनके अर्थ ख़ानों के आगे लिखे हैं। आपको उन छोटे ख़ानों को भरना है, जो ख़ाली हैं।

(३) प्रत्येक पाठक जितने चाहे उत्तर भेज सकता है, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' का छपा हुआ कूपन या उसके बदले ।) का टिकट अवश्य होना चाहिए। सब उत्तर पिन से टाँक कर एक ही लिफ़ाफ़े में भेजे जाने चाहिए। लिफ़ाफे में कोई पत्र न रखिए।

(४) लिफ़ाफ़े पर पता इस प्रकार लिखिए—

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

या—'Bhavishya' puzzle Deptt.
Chand Press, Ltd., Allahabad.

और उसे हमारे पास इस प्रकार भेजिए कि वह यहाँ ता० ३१ दिसम्बर तक हमें मिल जाय। बाद में आने वाले उत्तरों पर ध्यान न दिया जायगा। याद रखिए, लिफ़ाफे पर -) का टिकट लगेगा।

(५) अपने उत्तर की नक़ल कृपया अपने पास रख लीजिए।

(६) कटे-छँटे या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जाएँगे।

(७) जिस पाठक का उत्तर हमारे उत्तर से मिल जायगा, उस पाठक को, यदि वह स्थायी ग्राहक होगा तो, नक़द २५) और अस्थायी ग्राहक होगा तो १५) नक़द पुरस्कार मिलेगा। एक से अधिक सही उत्तर होने पर पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। यदि कोई उत्तर सही न होगा, तो सब से कम अशुद्धियों वाले उत्तर के लिए १५) की 'चाँद' कार्यालय की पुस्तकें स्थायी ग्राहक को और छः महीने के लिए 'भविष्य' अस्थायी ग्राहक को मिलेंगे।

(८) निर्णय का अधिकार प्रतियोगिता-सम्पादक को है। इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न किया जायगा।

(९) चाँद प्रेस, लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है।

—— यहाँ से फाड़िए ——

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		मा		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० ४

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं) ——

नाम ——

पता ——

मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूँगा। (जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें।)

—— यहाँ से फाड़िए ——

❀ ❀ ❀



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

सन् १९३१ की गत १४वीं दिसम्बर ने भी माशा-अल्लाह, भारत के इतिहास में, अपने लिए एक महत्त्व-पूर्ण स्थान 'रिज़र्व' करा ही लिया। इसलिए हिज़-होलीनेस श्रीजगद्गुरु का फ़तवा है कि 'अनन्त-चतुर्दशी' के वज़न पर इसे 'ऑर्डिनेन्स-चतुर्दशी' की आख्या प्रदान की जाय और प्रति वर्ष इस महा पवित्र तिथि को 'ऑर्डिनेन्स-जयन्ती' के उपलक्ष में किसान-मेध यज्ञ हुआ करे।

❀

यद्यपि हमें यह दुःख ताक़यामत भी न भूलेगा कि श्रीमान बड़े लाट बहादुर ने इस बेलाग ऑर्डिनेन्स-सहोदर श्रीमान द्वादश ऑर्डिनेन्स को आविर्भूत करने में पूरे अड़तालीस घण्टे की देर कर दी है, तथापि इन्होंने नई दिल्ली के सूतिकागार से निकलते ही कार्यारम्भ करके इस कथन को अच्छी तरह चरितार्थ कर दिया है कि—'होनहार बिरवान के होत चीकने पात !'

❀

अहा ! क्या ही अच्छा होता, अगर इन बारहवें महीने के बारहवें बचुआ जी का जन्म चौदहवीं को न होकर दो रोज़ पहले—अर्थात् बारहवीं को ही हो गया होता ! वल्लाह, बड़ा मज़ा आता और जो सौभाग्य-शाली इनके आग़ोशे-मुहब्बत में आते, उन्हें नौकरशाही शासन का मज़ा मिलने के साथ ही थोड़ा सा कविता का मज़ा भी मिल जाता और 'गोरस बेचन हरि-मिलन, एक पन्थ दो काज'—दान-लीला की यह पंक्ति भी सार्थक हो जाती।

❀

मगर जनाब, आपको तो दिल्लगी सूझी है। सच है कि 'बाँझ कि जान प्रसव कै पीड़ा !' कभी एक चुहिया भी प्रसव किया होता, तो मालूम होता कि प्रति मास एक-एक लम्ब-धड़ङ्ग हनूमान-दश सदुमदार ऑर्डिनेन्स प्रसव करने में क्या मज़ा मिलता है। अपने राम तो बलिहार हैं, उस 'कोख' पर ! ख़ुदा जाने कमबख़्त इस्पात की बनी है या अष्टधात की !

❀

हनूमान ने जन्मते ही, सूर्य को कोई लाल रङ्ग का पका हुआ फल समझ कर निगल लिया था, जिससे थोड़ी देर के लिए सारे संसार में अन्धकार फैल गया। परन्तु अन्त में देवताओं की अनुनय-विनय सुन कर उगल दिया, जिससे बेचारे सूर्य की जान बच गई और बूढ़े विश्वनियन्ता दादा भी अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए दूसरा सूर्य गढ़ने की ज़हमत से बच गए।

❀

परन्तु ये अष्टधाती कोख से प्रति मास फुदक-फुदक कर निकलने वाले 'केसरीनन्दन-गण' तो लक्षणों से मालूम होता है, बेचारे भारत की सारी आशा-आकांक्षा और इहलोक-परलोक एक साथ ही निगल कर एकदम हज़म कर जाएँगे, जैसे एक पौराणिक ऋषि जी ने आतापी और वातापी नाम के दोनों भाइयों को पचा डाला था और डकार लेने की भी तकलीफ़ न की थी।

❀

बात यह है कि श्रीमान लाट साहब ने सारा चिकित्सा-शास्त्र मथ कर इनके अन्दर एक अजीबो-ग़रीब नमक सुलैमानी भर दिया है, जिसकी बदौलत इनकी जठराग्नि दोज़ख़ की आग को भी मात करने वाली हो गई है। इस नुस्ख़े से किसान-आन्दोलन ही नहीं, वरन् सारा किसान-कुल ही पचपचा कर स्वाहा हो जाएगा। बस, 'न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी !'

❀

मान लीजिए, चिरञ्जीव लल्ला स्कूल जाते समय बग़ल में बस्ता दबाए रमई महतो किसान की चौपाल की ओर से निकल गए और श्रीमती सखी नौकरशाही की दृष्टि में अपराधी साबित हो गए, तो फ़ौरन लल्ला की माँ और उनके बूढ़े पिता जी पकड़ कर जेल भेज दिए जाएँगे या न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट जुर्माने की रक़म चुकाने के लिए लल्ला की माता जी को अपना बुलाक़ बन्धक रख देना पड़ेगा !

❀

मगर अफ़सोस तो यह है कि इसे लोगों ने अन्धेर-नगरी के इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व न्याय की उपमा दे डाली है। अजी जनाब, आप किसान-टोली में भ्रमण करने वाला 'नालायक़' लल्ला पैदा करेंगे और न्याय से मुँह चुरावेंगे। भला यह कहाँ की भलमनसी है ? अगर यही करना था तो सरकार से पूछ लेते कि कहिए, कैसा लल्ला पैदा करें ?

❀

ख़ैर, न्याय-मूर्त्ति ऑर्डिनेन्सकार को यह अभीष्ट नहीं, कि कोई अकारण ही दण्डित कर दिया जाए, इसलिए अगर किसी लल्ला के ख़्याली जुर्म में उनके जनक और जननी पकड़े जाएँगे, तो उन्हें बरसरे इजलास अपनी सफ़ाई देने का काफ़ी मौक़ा दिया जाएगा। वे अपनी निर्दोषिता (!!!) का प्रमाण दे सकेंगे, अपने गवाह पेश कर सकेंगे और अपने वकील द्वारा 'आर्गूमेण्ट' करा सकेंगे।

❀

अर्थात् उन्हें अदालत के सामने यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि यह लल्ला हमारा नहीं है या इसे पैदा करने का उद्देश्य यह न था, कि यह किसान-टोली में भ्रमण करे। हमने तो केवल पिण्डा-पानी के लिए यह ज़हमत गवारा की थी, लेहाज़ा हम निर्दोष हैं। बस, इतना प्रमाणित करते ही आप की छुट्टी !!

❀

माशा अल्लाह, ऑर्डिनेन्स की यह धारा श्रीजगद्गुरु को बहुत पसन्द आई है। इससे अन्धाधुन्ध लल्ला पैदा करने वाले हज़रात अवश्य ही कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और कदापि नालायक़ लल्ला न पैदा करेंगे। आपाततः किसान-आन्दोलन की जड़ में मट्ठा डालने के लिए यह धारा काफ़ी है।

❀

परन्तु श्रीजगद्गुरु की राय है कि इस सम्बन्ध में कोई स्थायी क़ानून बन जाना चाहिए और उसमें एक कुमार कार्त्तिकेय की तरह सुन्दर शान्त-शिष्ट और राज-भक्त लल्ला के रूप-रेखा का वर्णन होना चाहिए, ताकि लल्ला पैदा करने वाले लोग पहले ही से सावधान रहें और निर्दिष्ट रूप-रेखा के विपरीत लल्ला पैदा करने से बाज़ आएँ।

❀

आशा है, श्रीमान लाट साहब इस वृद्ध और जहाँ-दीदा नौकरशाही-सखा के इस 'लॉयल लल्ला बर्थ लॉ' सम्बन्धी समीचीन प्रस्ताव पर कृपा करके अवश्य विचार करेंगे। हमें विश्वास है कि अगर ऐसा क़ानून बन जाए, तो आए दिन की 'लल्ला-व्याधि' से श्रीमती नौकरशाही को सदा के लिए मुक्ति मिल जाय और श्रीमान लाट साहब का भी नाम अमर हो जाय।

❀

यद्यपि यह बात बावन तोले पाव रत्ती ठीक है कि लाट साहब ने प्रति मास एक-एक ऑर्डिनेन्स पास करके सभी भूतपूर्व गवर्नर जनरलों का 'रिकॉर्ड बीट डाउन' कर दिया है, तथापि अगर आप 'लॉयल लल्ला बर्थ लॉ' जारी कर सकें तो, माशा अल्लाह पूज्यपाद लॉर्ड क्लाइव और धर्म-धुरन्धर लॉर्ड वारेन हेस्टिङ्गस् को भी मात कर दें।

❀

अस्तु, परम प्रेयसी श्रीमती विजया भवानी की कृपा से गत १४वीं की रात को ही श्रीजगद्गुरु को मालूम हो गया कि श्रीमान लाट साहब के इस ऑर्डिनेन्स के पास करते ही संयुक्त प्रान्त के किसानों का घर क़ारूँ का ख़ज़ाना बन गया है और श्रीमती नौकरशाही की तिजोरियों में खनाखन की बाढ़ आ गई है। सरकारी अहलकारों का चेहरा देखते ही किसान तोड़े लेकर दौड़ पड़ते हैं। घबराइए नहीं; सोने का भाव टके सेर होने में अब बाल भर भी देर नहीं है।

❀

फलतः इस सद्य फलप्रद ऑर्डिनेन्सी हनूमान के जन्मोत्सव में उस दिन लखनऊ की कौन्सिल में भी सस्वर मङ्गल-गान हुआ। यद्यपि मि० चिन्तामणि जैसे 'देखि न सकहिं पराइ विभूती' वाले मेम्बरों ने मङ्गलाशीर्वाद प्रदान करने के बदले बेचारे को कोसना ही आरम्भ कर दिया। परन्तु कुछ स्नेहमयी धात्रियों ने फ़ौरन 'राई-नून' का टोकरा उँडेल दिया। वरना ख़ुदा जाने, बेचारे बारहवें बचुए को नज़र लग जाने में ज़रा भी कसर नहीं रह गई थी।

❀

ख़ैर, इसके उपरान्त शुभाशीर्वाद की वर्षा आरम्भ हुई। स्नेहमयी धात्रियों ने दिल खोल कर बलाएँ लीं। 'जुग जुग जीबे रानी तोर मँड़ुलवा' की तुमुल ध्वनि से कौन्सिल-हाल का हाल बेहाल था। अन्त में, किन्तु रायबहादुर ठाकुर हनुमानसिंह से पहले, सरकार के सुयोग्य होम मेम्बर विद्वद्वर नवाब सर मुज़म्मिल उल्लाह ख़ाँ साहब ने मङ्गल गान आरम्भ किया और वल्लाह, सभी गानवतियों को मात कर दिया।

❀

आपने अपनी चिड़ियाख़ानवी अङ्गरेज़ी में ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता प्रतिपादित की और विश्वास दिलाया (मालूम नहीं, ख़ुदा को हाज़िर-नाज़िर समझ कर या योंही) कि ऑर्डिनेन्स का प्रयोग निहायत नर्मी से किया जाएगा—इसके भाव 'ऑफ़ेन्सिव' नहीं, वरन् 'डिफ़ेन्सिव' होंगे।

❀

इसके बाद आपने अपनी टूटी-फूटी अङ्गरेज़ी भाषा के लिए क्षमा-प्रार्थना करते हुए कह डाला कि मैंने किसी स्कूल में जाकर अङ्गरेज़ी नहीं पढ़ी है। अच्छा किया, वरना नाहक़ गवर्नरी की ज़हमत उठानी पड़ती। और नहीं तो क्या, जब बिना स्कूल में पढ़े ही होम मेम्बरी मिल गई तो पढ़ने पर तो कहाँ पहुँच जाते, ख़ुदा ही जाने!

❀

ख़ैर, आपने अपने 'क्वालिफ़िकेशन' की बानगी दिखा कर इस बूढ़े भक्त का बड़ा उपकार किया। बस, अबकी जहाँ कोई होम मेम्बरी की जगह ख़ाली हुई कि अपने राम भी बड़ा सा दरख़्वास्त लेकर पहुँचे। क़सम ख़ुदा की, हम तो जानते थे कि इस गौरवपूर्ण पद के लिए पढ़ा-लिखा होने की आवश्यकता है। इसी से अब तक उधर ख़याल नहीं दौड़ाया, वरना यह फ़तवा-पिलौनी थोड़े ही करते।

❀

ख़ैर जनाब, होम मेम्बर साहब की इस क़ुर्बान जाने वाली सादगी और स्पष्टवादिता पर श्री० चिन्तामणि साहब भी रीझ गए और ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता आपकी समझ के अन्दर सब से समा गई। आपने अधिवेशन स्थगित रखने का प्रस्ताव वापस ले लिया। फलतः यह समझ की तीक्ष्णता भी होम मेम्बर मियाँ की स्पष्टवादिता की भाँति ही क़ाबिले-दाद रही।

* * *

बातचीत

एजेण्टों से—

हमें ११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिला है। अभी तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिला है। एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी भेज दें :—

नम्बर	नाम एजेण्ट	प्राप्त रक़म
१	मे० सिं० कं०, अलीगढ़ ...	३५)
२	श्री० ख० रा०, बरेली ...	४॥≡)
३	श्री० क० सिंह वर्मा, बिजनौर ...	५॥=)
४	श्री० हु० चं०, इन्दौर ...	३०)
५	श्री० प० दु०, इटारसी ...	८॥≡)
६	श्री० रा० न० दी०, इटावा ...	२५)
७	श्री० ग० सिं० जी, जौनपुर ...	२२॥)
८	श्री० बी० एल० नि०, लखनऊ (चेक से)	२५॥-)
९	मे० मो० ला० हु० चं०, हरद्वार ...	८॥=)
१०	श्री० ब० प्र०, देवरिया ...	१०)
११	श्री० ल० बु० डि०, हरीसन रोड, कलकत्ता	२०।≡)
१२	मेसर्स ख० न० सी, कुर्सियोंग ...	८॥=)
१३	श्री० प० रा० ला०, जग्होर ...	१०)
१४	श्री० न० झा०, समस्तीपुर ...	१०)
१५	श्री० म० प्र० खत्री, बलरामपुर ...	२८=)
१६	मेसर्स मो० ही०, अल्मोड़ा ...	२५)
१७	श्री० एस० आर० सि०, बाराबङ्की ...	७॥=)
१८	श्री० वि० प्र०, आज़मगढ़ ...	८)
१९	मेसर्स सू० न० ति० ऐ० ब्र०, फ़ैज़ाबाद	१०)
२०	मेसर्स बा० म०, बारधा ...	७॥)
२१	मेसर्स हु० जी०, हिंगनघाट ...	३॥)
२२	मेसर्स म० प्र० रा०, होशङ्गाबाद ...	१०)
२३	श्री० एन० एस० का, नागपुर ...	७॥)
२४	श्री० चं० आ०, आगरा ...	३७)
२५	श्री० ला० मो० जी, सुल्तानपुर ...	१८।=)
२६	श्री० ति० रा० जी, पटना सिटी ...	१५)
२७	श्री० रा० दी०, फ़र्रुख़ाबाद ...	८)
२८	श्री० रा० म० पु०, दमोह ...	१८॥)
२९	श्री० सु० वर्मा, खैरागढ़ ...	३)
३०	मेसर्स ब० प्र० प० ला० गुप्त, आज़मगढ़	१७)
३१	श्री० म० प्र० गुप्ता, क़न्नौज ...	५)
३२	श्री० ह० प्र० शर्मा, एटा ...	९।=)
३३	श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर ...	२३=)
३४	श्री० ज्यो० प्र०, सहारनपुर ...	९)
३५	श्री० स० खन्ना, जालन्धर सिटी ...	३॥)
३६	श्री० स० सिं० जैन, नई देहली (बीमा से)	७५)
३७	श्री० ब० प्र०, गया (चेक से)	३३॥)
३८	श्री० रा० दा० साहु, गाज़ीपुर ...	२२॥)
३९	श्री० क० ला० शर्मा, खुर्जा ...	१०)
४०	श्री० आर० एच० बर्मा, कल्यान ...	७)
४१	मेसर्स के० डी० क० ऐ० ब्र०, नैनीताल	३-)
४२	श्री० अ० प्र०, आरा ...	१४॥=)
४३	श्री० रा० न० चौबे, अजमेर (बीमा से)	५०॥=)
४४	मेसर्स गौ० ब्र०, कानपुर (चेक से)	१२६॥)

ग्राहकों से—

निम्न-लिखित ग्राहक-नम्बर के ग्राहकों को आगामी सप्ताह के 'भविष्य' का अङ्क वी० पी० से भेजा जाएगा। आशा है, वी० पी० स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे :—

१४७०	२४०४	१२७१	२४२२
१७७५	२८५६	१७८०	२८५७
१७८१	२८५९	१७८२	२८६३
१७८४	२८६५	२८६६	३०८४
३१०४	३१०५	३१०६	२७९६
१७७९	१८४८		

निम्न-लिखित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं :—

२००२, १४९५, २०९७, १८८५, २८११

निम्नाङ्कित ग्राहकों को निम्न-लिखित अङ्क दुबारा भेजे गए हैं।

५७ वाँ—२९९१

५८ वाँ— २८३०, ३०४८

५९ वाँ—१००९, ११२७

६० वाँ—१२११, २४१४, और २६५६

हमें ११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक 'भविष्य' के नीचे लिखे अनुसार पुराने ग्राहकों का रुपया प्राप्त हुआ है, ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म इस प्रकार है—

ग्राहक-नम्बर	प्राप्त रक़म
३१३८	३॥)
२७९३	६॥)
१४०१	१२)
२८०५	३॥)
३०१९	३॥)
३०८८	३)
१६३९	६)
१५१२	१२)
१६७३	१२)
१७४०	१२)

११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक नीचे लिखे अनुसार 'भविष्य' के नए ग्राहक बने हैं, उनके ग्राहक नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों को चाहिए कि अपना ग्राहक-नम्बर नोट कर लें तथा पत्र आदि भेजते समय इसे अवश्य ही लिखा करें, ताकि उनके लिखे अनुसार कार्यवाही की जा सके :—

ग्राहक-नम्बर	नाम व पता	प्राप्त रक़म
३३३०	श्रीमती सौभाग्यमनी देवी, जोधपुर, (मारवाड़) ...	६॥)
३३३३	श्री० जे० सी० हालदार, कोतवाली, इलाहाबाद	१२)
३३३५	मेसर्स फ़क़ीरचन्द रामपाल, मेडान, सुमात्रा	१०)
३३३८	सेठ टेकीचन्द चेताराम, ख़ैरपुर	१२)
३३३९	श्री० भोलासिंह खत्र, गिर्द, वर्धा, सी० पी०	१२)
३३४०	बाबू शङ्करदयालसिंह, चौक, अपर वर्मा	६)
३३४१	लाला शान्तिप्रकाश रस्तोगी, सीयाना, बुलन्दशहर ...	६)
३३४२	श्री० सेक्रेटरी महोदय, सेवा-समिति पब्लिक ला०, रानी कटरा, लखनऊ	५)
३३४३	श्री० ऑनरेरी सेक्रेटरी महोदय, गुमला लायब्रेरी, गुमला, राँची	६॥)

❀ ❀ ❀

कौन ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें चाँद न जाता हो ?

'चाँद' जैसे पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए, और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) है, अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी। ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

दिसम्बर, १९३१ की विषय-सूची

लेख — लेखक

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो किसी और पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Edited, Printed and Published for and on behalf of the Chand Press, Limited, by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.